

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2015/माघ 30, 1936

No. 104]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2015/MAGHA 30, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 111(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श करके निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 है।

(2) ये 01 अप्रैल, 2015 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “लेखा मानक” से नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट कंपनियों अथवा कंपनियों के वर्ग के लिए लेखा के मानक या उसकी कोई युक्तिका अभिप्रेत है।

(ख) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ग) इन नियमों के संबंध में “उपाबंध” से इन नियमों से संलग्न भारतीय लेखा मानक (इंड एस) वाला उपाबंध अभिप्रेत है;

(घ) “निकाय” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है।

(ङ) “वित्तीय विवरण” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (40) में यथापरिभाषित वित्तीय विवरण अभिप्रेत है।

(च) “शुद्ध मूल्य” का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (57) में दिया गया है।

2. यहां प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।
3. **लेखा मानकों का लागू होना**, - (1) **उपाबंध** में यथाविनिर्दिष्ट लेखा मानक, जिन्हें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) कहा जाएगा, नियम 4 में विनिर्दिष्ट कंपनियों के वर्ग को लागू लेखा मानक होंगे।
- (2) कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के **उपाबंध** में यथाविनिर्दिष्ट लेखा मानक, नियम 4 में विनिर्दिष्ट कंपनियों के वर्गों से भिन्न कंपनियों के लिए लागू लेखा मानक होंगे।
- (3) कोई कंपनी जो नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार इन नियमों के **उपाबंध** में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) का पालन करती है, को केवल ऐसे मानकों का पालन करना होगा।
- (4) यदि कोई कंपनी जो, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के **उपाबंध** में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करती है तो उसे ऐसे मानकों का ही पालन करना होगा और इन नियमों के **उपाबंध** में विनिर्दिष्ट मानकों का नहीं।
4. **भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) का अनुपालन करने की बाध्यता** - (1) कंपनियां और उनके लेखापरीक्षक क्रमशः अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय और लेखापरीक्षा करते समय इन नियमों के **उपाबंध** में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) का निम्नलिखित रीति से अनुपालन करेंगे, अर्थात् :-
- (i) कोई कंपनी 31 मार्च, 2015 को समाप्त या उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़ों के साथ 01 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद आरंभ होने वाली लेखा अवधियों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु, भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) का अनुपालन कर सकती है;
- (ii) निम्नलिखित कंपनियां 31 मार्च, 2016 को समाप्त या उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़ों के साथ 01 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद आरंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए, भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) का अनुपालन करेंगी; अर्थात्
- (क) कंपनियां जिनकी साम्या अथवा ऋण प्रतिभूतियां भारत में अथवा भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और जिनका शुद्ध मूल्य पाँच सौ करोड़ रु या अधिक है;
- (ख) उपनियम (1) के खंड (ii) के उपखंड (क) में समावेशित कंपनियों से भिन्न कंपनियां जिनका शुद्ध मूल्य पाँच सौ करोड़ रु या अधिक है;
- (ग) उपनियम (1) के खंड (ii) के उपखंड (क) और उपनियम (1) के खंड (ii) के उपखंड (ख) जैसा भी मामला हो, में समावेशित कंपनियों की धृति, समनुषंगी, सह उद्यम अथवा सहयुक्त कंपनियां; और
- (iii) निम्नलिखित कंपनियां 31 मार्च, 2017 को समाप्त या उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़ों के साथ 01 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखा अवधियों के लिए भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) का अनुपालन करेंगी, अर्थात् :-
- (क) ऐसी कंपनियां जिनकी साम्या या ऋण प्रतिभूतियां भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और जिनका शुद्ध मूल्य पाँच सौ करोड़ रुपए से कम है।
- (ख) उपनियम (1) के खंड (ii) और उपनियम (1) के खंड (iii) के उपखंड (क) में समावेशित कंपनियों से भिन्न कंपनियां व असूचीबद्ध कंपनियां जो दौ सौ पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक किंतु पाँच सौ करोड़ रुपए से कम के शुद्ध मूल्य रखती है।

(ग) उपनियम (1) के खंड (iii) के उपखंड (क) और उपनियम (1) के खंड (iii) के उपखंड (ख), जैसा भी मामला हो, के अधीन समावेशित कंपनियों की धृति, समनुषंगी, सह उद्यम या सहयुक्त कंपनियां।

परंतु यह कि खंड (i) के अलावा इस उपनियम की कोई बात अध्याय 10ख में यथानिर्दिष्ट एसएमई एक्सचेंज पर या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अध्याय 10ग के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बिना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रियाधीन प्रतिभूतियों वाली कंपनियों के लिए लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 1, - एस एम ई एक्सचेंज का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अध्याय 10ख में समनुदेशित है।

स्पष्टीकरण 2, - “तुलनात्मक आंकड़े” से पिछली लेखा अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़े अभिप्रेत हैं।

(2) उपनियम (1) के अधीन कंपनियों के शुद्ध मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात् :-

(क) शुद्ध मूल्य की गणना 31 मार्च, 2014 को कंपनी के अकेले वित्तीय विवरणों या उस तारीख के पश्चात् समाप्त होने वाली लेखा अवधि के लिए पहले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार की जाएगी।

(ख) 31 मार्च, 2014 को विद्यमान नहीं रहने वाली कंपनियों या 31 मार्च, 2014 के पश्चात् पहली बार उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी न्यूनतम सीमा के अधीन आने वाली कंपनी के लिए शुद्ध मूल्य की गणना उस तारीख के पश्चात् समाप्त होने वाले प्रथम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाएगी जिसके संबंध में वह कंपनी उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा प्राप्त करती है।

स्पष्टीकरण - उपखंड (ख) के प्रयोजन के लिए किसी लेखा वर्ष के अंत में पहली बार उपनियम (1) में दी गई विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा प्राप्त करने वाली कंपनियां ठीक अगले लेखा वर्ष से उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट रीति से भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) लागू करेंगी।

टिप्पणी - (i) 31 मार्च, 2017 को पहली बार न्यूनतम सीमा प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2017-18 से इंड ए एस लागू होंगे।

(ii) इसी प्रकार 31 मार्च, 2018 को पहली बार न्यूनतम सीमा प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में और उसके आगे इंड ए एस लागू होंगे।

(3) इन नियमों के अनुसार एक बार अनुपालन हेतु अपेक्षित इन नियमों के **उपाबंध** के मानक अकेले वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण दोनों के लिए लागू होंगे।

(4) जिन कंपनियों पर इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) लागू होते हैं, वे कंपनियां अपनी पहली भारतीय लेखा मानक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रभावशील भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पहला वित्तीय विवरण तैयार करेंगी।

स्पष्टीकरण - शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का उपयोजन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार करने वाली कंपनियां 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का उपयोजन करेंगी।

(5) किसी भारतीय कंपनी की विदेशी समनुषंगी, सहयुक्त, सह उद्यम, अन्य इसी प्रकार की सत्ता विनिर्दिष्ट अधिकारिता की अपेक्षाओं के अनुसार अपने अकेले वित्तीय विवरण तैयार करेंगी।

परंतु यह कि ऐसी भारतीय कंपनी भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार या तो स्वेच्छा से या आज्ञापक अपना समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगी, यदि वह उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट मानदंड पूरा करती है।

(6) भारतीय कंपनी, जो एक विदेशी कंपनी की समनुषंगी, सहयुक्त, सह उद्यम तथा इसी प्रकार की सत्ता है, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती है तो अपना वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार स्वैच्छिक या आज्ञापक रूप से तैयार करेगी।

(7) कोई कंपनी उप नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) स्वेच्छा से लागू करना चाहती है तो इसके बाद निरंतर अपना वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार तैयार करेगी।

(8) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) को स्वैच्छिक रूप से एक बार लागू करने के बाद अप्रतिसंहरणीय होगा और ऐसी कंपनियों को कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के **उपाबंध 'ख'** में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण का दूसरा समुच्चय तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(9) एक कंपनी एक बार नियम 4 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट मानदंडों भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का स्वैच्छिक या आज्ञापक रूप से पालन करना प्रारंभ कर देती है तो उसे तत्पश्चात् सभी वित्तीय विवरणों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का पालन करना अपेक्षित होगा चाहे इस नियम में विनिर्दिष्ट कोई मानदंड तत्पश्चात् उस पर लागू नहीं हो।

5. **छूट** - इंश्योरेंस कंपनियों, बैंकिंग कंपनियों और गैर बैंकिंग कंपनियों को नियम 4 के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट अपना वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए स्वैच्छिक रूप से या आज्ञापक रूप से भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा.सं. 01/01/2009-सीएल-V(पार्ट)]

अजय दास मेहरोत्रा, संयुक्त सचिव

उपाबंध

[नियम 3 देखें]

क. **साधारण अनुदेश - (1)** भारतीय लेखा मानक, जो विनिर्दिष्ट किए गए हैं, लागू विधियों के प्रावधानों के साथ पुष्टिकरण के लिए आशयित हैं। तथापि, यदि तत्पश्चात् विधि में संशोधन होते हैं तो एक विशिष्ट भारतीय लेखा मानक ऐसी विधि के पुष्टिकारक नहीं होते हैं, उक्त विधि के प्रावधान प्रचलित होंगे और वित्तीय विवरण ऐसी विधि के पुष्टिकरण अनुसार तैयार किए जाएंगे।

(2) भारतीय लेखा मानक केवल उन मदों पर लागू होना आज्ञापित है जो तात्त्विक हैं।

(3) भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत बोल्ट इटालिक प्रकार तथा सादे प्रकार के पैराग्राफ समुच्चय हैं, जो समान प्राधिकार रखते हैं। बोल्ट इटालिक प्रकार के पैराग्राफ मुख्य सिद्धांतों को उपदर्शित करते हैं। एक व्यक्ति भारतीय लेखा मानक उस भारतीय लेखा मानक के उद्देश्य, यदि कथित किए गए हैं तो, के सदृश में और इन साधारण अनुदेशों के अनुसार पढ़ा जाएगा।

ख. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)**भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101****भारतीय लेखा मानकों का प्रथम-बार अंगीकरण**

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे और सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस भारतीय लेखा मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों तथा उन वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अवधि के भाग के लिए इसकी अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टों में उच्च गुणवत्तापूर्ण सूचना का समावेश हो, जो :
 - (क) उपयोगकर्ताओं के लिए पारदर्शी हो तथा प्रस्तुत की गई सभी अवधियों में तुलनीय हो,
 - (ख) 'भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस)' के अनुसार लेखा के लिए समुचित प्रारम्भिक बिन्दु प्रदान करे, तथा
 - (ग) उस लागत पर सृजित हो सकती है जो लाभों से अधिक नहीं है।

कार्यक्षेत्र

2. प्रतिष्ठान निम्नलिखित में इस भारतीय लेखा मानक का प्रयोग करेगा:
 - (क) इसके प्रथम भारतीय लेखा मानकों वित्तीय विवरणों पर, तथा
 - (ख) प्रत्येक अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में, यदि कोई हो, जिसे यह अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में द्वारा व्याप्त अवधि के भाग के लिए भारतीय लेखा मानक 34, अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार प्रस्तुत करता है।
3. प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण वे प्रथम वार्षिक वित्तीय विवरण हैं जिनमें प्रतिष्ठान कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानक को अंगीकार करता है तथा भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन संबंधी उन वित्तीय विवरणों में स्पष्ट तथा अनारक्षित वक्तव्य देता है।
4. [देखें परिशिष्ट 1]
- 4क [देखें परिशिष्ट 1]
- 4ख [देखें परिशिष्ट 1]
5. यह भारतीय लेखा मानक प्रतिष्ठान द्वारा लेखा नीतियों में किए गए परिवर्तनों पर लागू नहीं होता है जो पहले से ही भारतीय लेखा मानकों को लागू करती हैं। ऐसे परिवर्तन निम्नलिखित के विषय हैं :
 - (क) भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां, में लेखा नीतियों में परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षाएँ; और
 - (ख) अन्य भारतीय लेखा मानकों में विशिष्ट संक्रमणकालीन अपेक्षाएँ।

मान्यता एवं माप**प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र**

6. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की संक्रमणकालीन तिथि पर प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद घ 13 क तथा घ 22 की अपेक्षाओं के अधीन, यह भारतीय लेखा मानकों के अनुसार प्रतिष्ठान के लेखा के लिए प्रारम्भिक बिन्दु है।

लेखा नीतियां

7. प्रतिष्ठान अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में तथा अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई शुरु से अन्त तक की सभी अवधियों में समान लेखा नीतियों का प्रयोग करेगा। वे लेखा नीतियाँ अपनी प्रथम भारतीय लेखा मानक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में प्रभावी प्रत्येक भारतीय लेखा मानक का, अनुच्छेद 13-19 तथा परिशिष्ट ख-घ में विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, अनुपालन करेगी।
8. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों के उन विभिन्न पाठान्तरों का प्रयोग नहीं करेगा जो पूर्व की तारीखों में प्रभावी थे। प्रतिष्ठान उस नये भारतीय लेखा मानक का प्रयोग कर सकता है जो अभी अनिवार्य तो नहीं है लेकिन वह भारतीय लेखा मानक के शीघ्र प्रयोग की अनुमति देता है।

उदाहरण: भारतीय लेखा मानकों के अद्यतन पाठान्तरों का संगत रूप प्रयोग**पृष्ठभूमि**

प्रतिष्ठान 'क' की प्रथम भारतीय लेखा मानक की रिपोर्टिंग अवधि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होती है। प्रतिष्ठान 'क' उन वित्तीय विवरणों में केवल एक वर्ष के लिए तुलनात्मक सूचना प्रस्तुत करने का निर्णय लेता है (देखें अनुच्छेद 21)। अतः भारतीय लेखा मानकों की ओर इसके संक्रमण की तिथि 1 अप्रैल, 2015 को व्यवसाय के प्रारम्भ में (या इसके समान रूप से, 31 मार्च 2015 को व्यवसाय की समाप्ति पर) होती है। प्रतिष्ठान 'क' ने अपने पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार प्रत्येक वर्ष वार्षिक रूप से 31 मार्च तक अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता रहा है और यह प्रतिष्ठान 31 मार्च, 2016 तक और इस तारीख को सम्मिलित करते हुए करता है।

अपेक्षाओं का प्रयोग

प्रतिष्ठान 'क' को निम्नलिखित के लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधियों के लिए प्रभावी भारतीय लेखा मानकों का प्रयोग करना अपेक्षित है:

- (क) 1 अप्रैल, 2015 को अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र को तैयार करना और प्रस्तुत करना, तथा
- (ख) 31 मार्च, 2017 को अपना तुलन पत्र (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक राशियों सहित), 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण, इक्विटी में हुए परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक राशियों सहित) तथा प्रकटनों (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की तुलनात्मक सूचना सहित) को तैयार करना तथा प्रस्तुत करना।

यदि नया भारतीय लेखा मानक अभी तक अनिवार्य नहीं है किन्तु वह शीघ्र प्रयोग की अनुमति देता है तो प्रतिष्ठान 'क' को भारतीय लेखा मानक को अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रयोग करने की अनुमति है किन्तु ऐसा करना अपेक्षित नहीं है।

9. अन्य भारतीय लेखा मानकों के संक्रमणकालीन प्रावधान एक प्रतिष्ठान जो भारतीय लेखा मानकों का पहले से प्रयोग करते हैं द्वारा बनाए गए लेखा नीतियों में परिवर्तनों पर लागू होते हैं *भारतीय लेखा मानकों का पहले से ही प्रयोग करते हैं: वे प्रथमबार अंगीकारकर्ता* भारतीय लेखा मानकों की तरफ प्रथमबार अंगीकारकर्ता के संक्रमण परिशिष्ट ख-घ में यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर, पर लागू नहीं होते हैं।
10. अनुच्छेद 13-19 और परिशिष्ट ख-घ में यथावर्णित को छोड़कर, प्रतिष्ठान अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में :
 - (क) उन सभी आस्तियों एवं दायित्वों को मान्यता देगा जिनकी मान्यता भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित है;
 - (ख) उन मदों को आस्तियों या दायित्वों के रूप में मान्यता नहीं देगा यदि भारतीय लेखा मानक ऐसी मान्यता की अनुमति नहीं देते हैं;
 - (ग) ऐसी मदों का पुनर्वर्गीकरण करेगा जिन्हें उसने एक प्रकार की आस्ति, दायित्व या इक्विटी के घटक के रूप में पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जी ए ए पी) के अनुसार मान्यता दी है किन्तु वे मदें भारतीय लेखा मानकों के अनुसार भिन्न प्रकार की आस्ति, दायित्व या इक्विटी का घटक हैं; तथा
 - (घ) सभी मान्यता प्राप्त आस्तियों तथा दायित्वों को मापने में भारतीय लेखा मानकों का प्रयोग करेगा।
11. वे लेखा नीतियाँ जिनका प्रयोग प्रतिष्ठान अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन पत्र में करता है, उन नीतियों से भिन्न हो सकती हैं जिनका प्रयोग उसी तारीख पर प्रतिष्ठान पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जी ए ए पी) का प्रयोग करते हुए करता है। भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से पहले की घटनाओं एवं लेन-देनों से उत्पन्न परिणामस्वरूप समायोजन होते हैं। अतः प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण होने की तिथि धारित अर्जनों में (या, यदि उपयुक्त हो तो 'इक्विटी' की दूसरी श्रेणी में) प्रत्यक्षतः समायोजनों को मान्यता देगा।
12. यह भारतीय लेखा मानक उस सिद्धान्त के अपवादों की निम्नलिखित दो श्रेणियाँ स्थापित करता है कि प्रतिष्ठान का प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र प्रत्येक भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करेगा:
 - (क) अनुच्छेद 14-17 तथा परिशिष्ट 'ख' अन्य भारतीय लेखा मानकों के कुछ पहलुओं के पूर्वव्यापी प्रयोग का निषेध करते हैं।
 - (ख) परिशिष्ट ग-घ अन्य भारतीय लेखा मानकों की कुछ अपेक्षाओं से छूट देते हैं।

अन्य भारतीय लेखा मानकों के पूर्व व्यापी प्रयोग से छूट

13. यह भारतीय लेखा मानक अन्य भारतीय लेखा मानकों के कुछ पहलुओं के पूर्व व्यापी प्रयोग का निषेध करता है। ये अपवाद अनुच्छेद 14-17 तथा परिशिष्ट ख में निर्दिष्ट किये गये हैं।

14. भारतीय लेखा मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि पर प्रतिष्ठान के प्राक्कलन पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार समान तारीख के लिए किए गए प्राक्कलनों से संगत होंगे (लेखा नीतियों में किसी प्रकार की भिन्नता को प्रतिबिम्बित करने के लिए समायोजनों के बाद), जब तक इस बात का स्पष्ट साक्ष्य न हो कि उन प्राक्कलनों में कोई त्रुटि है।
15. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि के बाद उन प्राक्कलनों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है जिन्हें उसने पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अंतर्गत बनाया था। अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रतिष्ठान उस सूचना की प्राप्ति को उसी प्रकार लेगा जैसे भारतीय लेखा मानक 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ' के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर-समायोजन घटनाओं को लेता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि प्रतिष्ठान की भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि 1 अप्रैल 2015 है तथा 15 जुलाई, 2015 की नयी सूचना 31 मार्च 2015 को पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार किए गए प्राक्कलन के संशोधन की अपेक्षा करती है। प्रतिष्ठान उस नयी सूचना को अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में प्रतिबिम्बित नहीं करेगा (जब तक कि लेखा नीतियों में किसी प्रकार की भिन्नताओं के लिए प्राक्कलनों में समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है या कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं होता कि वे प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण हैं)। इसकी बजाय, प्रतिष्ठान उस नई सूचना को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लाभ या हानि में (या, यदि उपयुक्त हो तो अन्य व्यापक आय में) प्रतिबिम्बित करेगा।
16. प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि पर भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उन प्राक्कलनों को तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है जो पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जी ए ए पी) के अंतर्गत उस तिथि पर तैयार करना आवश्यक नहीं थे। भारतीय लेखा मानक 10 से संगतता के लिए, वे प्राक्कलन भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उन परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करेंगे जो भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि को विद्यमान थीं। विशेष रूप से, भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि पर बाजार-कीमतों, ब्याज दरों या विदेशी विनिमय दरों के प्राक्कलन उस तिथि पर बाजार की परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करेंगे।
17. अनुच्छेद 14-16 प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र पर लागू होते हैं। वे प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई तुलनात्मक अवधि के लिए भी लागू होते हैं। इस मामले में, भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि के संदर्भों को उस तुलनात्मक अवधि के समाप्त होने के संदर्भों के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है।

अन्य भारतीय लेखा मानकों से छूट

18. प्रतिष्ठान परिशिष्ट ग-घ में समाविष्ट छूटों में से एक या अधिक का प्रयोग करने के लिए चयन कर सकता है। प्रतिष्ठान इन छूटों का प्रयोग अन्य मदों के सादृश्य द्वारा नहीं करेगा।
19. [देखें परिशिष्ट 1]

प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटन

20. यह भारतीय लेखा मानक अन्य भारतीय लेखा मानकों में प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटन की अपेक्षाओं से छूट नहीं देता है।

तुलनात्मक सूचना

21. प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने सभी विवरणों के लिए तुलनात्मक सूचना सहित कम-से-कम तीन तुलन-पत्र, दो लाभ व हानि विवरण, दो नकदी प्रवाह विवरण और दो 'इक्विटी' में परिवर्तनों के विवरण और सम्बंधित नोट सम्मिलित किये जाएंगे।

गैर-भारतीय लेखा मानक तुलनात्मक सूचना तथा ऐतिहासिक सारांश

22. कुछ प्रतिष्ठान उस प्रथम अवधि के पहले की अवधियों के लिए चयनित आंकड़ों के लिए ऐतिहासिक सारांश प्रस्तुत करते हैं जिसके लिए वे भारतीय लेखा मानक के अनुसार पूरी तुलनात्मक सूचना प्रस्तुत करते हैं। यह भारतीय लेखा मानक, भारतीय लेखा मानकों की मान्यता एवं माप अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए ऐसे सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रतिष्ठान पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार तुलनात्मक सूचना के साथ-साथ भारतीय लेखा मानक 1 द्वारा अपेक्षित तुलनात्मक सूचना भी प्रस्तुत करते हैं। पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार तुलनात्मक सूचना या ऐतिहासिक सारांश सहित वित्तीय विवरणों में प्रतिष्ठान:
 - (क) पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) सूचना को प्रमुखता से लेबल करेगा जैसाकि वह भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार नहीं की जा रही है; तथा
 - (ख) उन मुख्य समायोजनों की प्रकृति का प्रकटन करेगा जिससे कि यह भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन कर सकेगा। प्रतिष्ठान को उन समायोजनों की परिमाणत्मक सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण का स्पष्टीकरण

23. प्रतिष्ठान यह स्पष्ट करेगा कि किस प्रकार पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) से भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण इसके रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाहों को प्रभावित करता है।

- 23क [देखें परिशिष्ट 1]

23ख [देखें परिशिष्ट 1]

समाधान (रेकन्सिलीएशन)

24. अनुच्छेद 23 का अनुपालन करने के लिए, प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सूचना शामिल की जाएगी:
- (क) पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार रिपोर्ट की गई इसकी 'इक्विटी' का इसकी भारतीय लेखा मानकों के अनुसार 'इक्विटी' से निम्नलिखित दोनों तिथियों के लिए समाधान :
 - (i) भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि ; तथा
 - (ii) पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार प्रतिष्ठान के सबसे नूतन वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई अद्यतन अवधि की समाप्ति की तिथि ।
 - (ख) भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कुल व्यापक आय के प्रति प्रतिष्ठान के सबसे नूतन वार्षिक वित्तीय विवरणों में अद्यतन अवधि के लिए समाधान । उस समाधान के लिए प्रारम्भिक बिन्दु समान अवधि के लिए पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसरण में कुल व्यापक आय या यदि प्रतिष्ठान इस कुल व्यापक आय को रिपोर्ट नहीं करता है तो पूर्णवर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अधीन लाभ या हानि ।
 - (ग) यदि प्रतिष्ठान ने अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन पत्र को तैयार करने में पहली बार किसी क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता दी है या उसे उलटाया है तो भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता*, अपेक्षानुसार वे प्रकटन जो आवश्यक होते यदि प्रतिष्ठान ने उन क्षतिग्रस्तता हानियों या उलटावों को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से प्रारम्भ होने वाली अवधि में मान्यता दी हो ।
25. अनुच्छेद 24 (क) एवं (ख) द्वारा अपेक्षित समाधानों में पर्याप्त ब्यौरा दिया जाएगा ताकि तुलन पत्र तथा लाभ व हानि विवरण में महत्वपूर्ण समायोजनों को समझने के लिए उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाया जा सके । यदि प्रतिष्ठान ने अपने पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अंतर्गत नकदी प्रवाहों का विवरण प्रस्तुत किया है तो यह नकदी प्रवाहों के विवरण में किये गये महत्वपूर्ण समायोजनों को भी स्पष्ट करेगा ।
26. यदि प्रतिष्ठान को पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अंतर्गत की गई त्रुटियों की जानकारी होती है तो अनुच्छेद 24(क) और 24(ख) द्वारा अपेक्षित समाधान लेखा नीतियों में हुए परिवर्तनों और उन त्रुटियों में सुधार के बीच भेद करेंगे ।
27. भारतीय लेखा मानक 8 लेखा नीतियों में हुए उन परिवर्तनों पर लागू नहीं होता है जिन्हें प्रतिष्ठान तब करता है जब वह भारतीय लेखा मानकों को अंगीकार करता है या उन नीतियों के परिवर्तनों पर जब तक वह अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं कर देता है। अतः लेखा नीतियों में परिवर्तनों के लिए भारतीय लेखा मानक 8 की अपेक्षाएँ प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में लागू नहीं होती हैं ।
- 27क यदि अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अवधि के दौरान, प्रतिष्ठान अपनी लेखा नीतियों या इस भारतीय लेखा मानक में समाविष्ट छूटों के प्रयोग में परिवर्तन करता है तो यह अनुच्छेद 23 के अनुसार अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट तथा अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के बीच हुए परिवर्तनों को स्पष्ट करेगा तथा अनुच्छेद 24 (क) एवं (ख) द्वारा अपेक्षित समाधानों को भी अद्यतन करेगा ।
- 27कक यदि प्रतिष्ठान अनुच्छेद 7 क के अनुसार दिये गए प्रथमबार छूट विकल्प को अपनाता है तो वह तथ्य तथा लेखा नीति को उस समय तक प्रकट करेगा जब तक कि संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, निवेश संपत्तियां या अमूर्त आस्तियों, जो भी हों, की मदें महत्वपूर्ण रूप से मूल्यह्रासित, क्षतिग्रस्त या उसके तुलनपत्र से अमान्य नहीं हो जाती हैं।
28. यदि प्रतिष्ठान ने पूर्व अवधियों के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं तो वह अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में इस तथ्य को प्रकट करेगा ।

वित्तीय आस्तियों या वित्तीय दायित्वों का पदनामांकन

29. प्रतिष्ठान को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्ति के रूप में पूर्व में मान्य वित्तीय आस्ति को अनुच्छेद 19 क के अनुसार पदनामित करने की अनुमति है। प्रतिष्ठान इस तरह ही पदनामित की गई वित्तीय आस्तियों का पदनामांकन की तिथि पर उचित मूल्य का और उनका गत वित्तीय विवरणों में वर्गीकरण तथा अग्रणीत राशि का प्रकटन करेगा ।
- 29क प्रतिष्ठान को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दायित्व के रूप में पूर्व में मान्य वित्तीय दायित्व को अनुच्छेद 19 के अनुसार पदनामित करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिष्ठान इस तरह से पदनामित किए गए वित्तीय दायित्वों के पदनामांकन की तिथि पर उचित मूल्य का और उनका गत वित्तीय विवरणों में वर्गीकरण और उनकी अग्रणीत राशि का प्रकटन करेगा ।

माननी गई लागत के रूप में उचित मूल्य का प्रयोग

30. यदि प्रतिष्ठान अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद, एक निवेश संपत्ति या एक अमूर्त आस्ति (देखें अनुच्छेद 5 तथा 7) के लिए 'माननी गयी लागत' के रूप में उचित मूल्य का प्रयोग करता है तो प्रतिष्ठान प्रथम

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र की प्रत्येक रेखीय मद के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :

- (क) उन उचित मूल्यों का कुल जोड़; तथा
- (ख) पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी)के अंतर्गत रिपोर्ट की गई अग्रणीत राशियों के प्रति कुल समायोजन।

अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेशों के लिए मानी गयी लागत का प्रयोग

31. इसी तरह, यदि प्रतिष्ठान अपने पृथक वित्तीय विवरणों में (देखें अनुच्छेद घ 15) अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश के लिए अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में मानी गयी लागत का प्रयोग करता है तो प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक के अनुसार पृथक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को प्रकट किया जाएगा :

- (क) उन निवेशों की मानी गयी लागत की कुल राशि जिसके लिए मानी गयी लागत उनके पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार अग्रणीत राशि है;
- (ख) उन निवेशों की मानी गयी लागत की कुल राशि जिसके लिए मानी गयी लागत उचित मूल्य है; तथा
- (ग) पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी)के अंतर्गत रिपोर्ट की गई अग्रणीत राशियों के प्रति कुल समायोजन ।

तेल और गैस आस्तियों के लिए मानी गयी लागत का प्रयोग

31क यदि प्रतिष्ठान तेल तथा गैस आस्तियों के लिए अनुच्छेद घ 8क (ख) में छूट का प्रयोग करता है तो यह उस तथ्य को तथा उस आधार को प्रकट करेगा जिस पर पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अंतर्गत निश्चित की गई अग्रणीत राशियाँ आबंटित की गई थीं ।

दर-विनियमन के अधीन परिचालनों के लिए मानी गयी लागत का प्रयोग

31ख. यदि प्रतिष्ठान दर-विनियमन के अधीन परिचालनों के लिए अनुच्छेद घ 8ख में छूट का प्रयोग करता है तो यह उस तथ्य तथा उस आधार को प्रकट करेगा जिस पर पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी)के अंतर्गत अग्रणीत राशियाँ निश्चित की गई थीं ।

अति उच्च मुद्रास्फीति के बाद मानी गयी लागत का प्रयोग

31ग. यदि प्रतिष्ठान उचित मूल्य पर आस्तियों तथा दायित्वों को मापने के लिए और उस उचित मूल्य को अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में अति उच्च मुद्रास्फीति (देखें अनुच्छेद घ 26-घ 30) के कारण मानी गयी लागत के रूप में प्रयोग करने के लिए चयन करता है तो प्रतिष्ठान प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में इसके स्पष्टीकरण का प्रकटन करेगा कि प्रतिष्ठान के पास वह कार्यात्मक मुद्रा कैसे और क्यों थी तथा बाद में वह कैसे और क्यों नहीं थी जिसकी निम्नलिखित दो विशेषताएँ हैं:

- (क) उस मुद्रा में किए गए लेन-देनों तथा शेषों वाले सभी प्रतिष्ठानों के पास विश्वसनीय सामान्य कीमत सूचकांक उपलब्ध नहीं होता है ।
- (ख) उस मुद्रा और अपेक्षाकृत स्थिर विदेशी मुद्रा के बीच विनिमयता विद्यमान नहीं होती है ।

अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट

32. अनुच्छेद 23 का अनुपालन करने के लिए यदि प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 34 के अनुसार अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की अवधि के भाग के लिए अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 34 की अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा:

- (क) यदि प्रतिष्ठान ने तत्कालीन पूर्वगामी वित्तीय वर्ष की तुलनात्मक अन्तरिम अवधि के लिए अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो ऐसी प्रत्येक अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे:
 - (i) उस तिथि पर भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत इसकी 'इक्विटी' से तुलनात्मक अन्तरिम अवधि के अन्त में पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार इसकी 'इक्विटी' का समाधान; तथा
 - (ii) उस तुलनात्मक अन्तरिम अवधि के लिए (चालू एवं वर्ष से तिथि तक) भारतीय लेखा मानकों के अनुसार इसकी कुल व्यापक आय का समाधान । उस समाधान के लिए प्रारम्भिक बिन्दु, पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार उस अवधि के लिए कुल व्यापक आय होगी और यदि प्रतिष्ठान उस कुल की रिपोर्ट नहीं करता तो पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जी ए ए पी) के अनुसार लाभ या हानि ।
- (ख) उपर्युक्त (क) द्वारा अपेक्षित समाधानों के अतिरिक्त भारतीय लेखा मानक 34 के अनुसार इसके प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अवधि के भाग के लिए प्रतिष्ठान की प्रथम अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में अनुच्छेद 24(क) एवं (ख) (अनुच्छेद 25 एवं 26 द्वारा अपेक्षित विवरण द्वारा अनुपूरित) में वर्णित समाधान या दूसरे प्रकाशित प्रलेख का प्रतिसंदर्भ जिसमें ये समाधान शामिल हैं सम्मिलित किए जाते हैं।

- (ग) यदि प्रतिष्ठान अपनी लेखा नीतियों या इस भारतीय लेखा मानक में समाविष्ट इसकी छूटों के प्रयोग में परिवर्तन करता है तो यह अनुच्छेद 23 के अनुसार ऐसी प्रत्येक अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में किए गए परिवर्तनों को स्पष्ट करेगा तथा उपर्युक्त (क) एवं (ख) द्वारा अपेक्षित समाधान को अद्यतन करेगा।
33. भारतीय लेखा मानक 34 न्यूनतम प्रकटनों की अपेक्षा करता है जो इस अवधारणा पर आधारित होते हैं कि अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट के उपयोगकर्ताओं की पहुँच सबसे नूतन वार्षिक वित्तीय विवरणों तक भी है। तथापि, भारतीय लेखा मानक 34 प्रतिष्ठान से यह भी अपेक्षा करता है कि वह 'किसी प्रकार की घटनाओं या लेन-देनों जो वर्तमान अन्तरिम अवधि को समझने के लिए सारवान हैं' को प्रकट करे। अतः, यदि प्रथमबार अंगीकर्ता ने पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार अपने सबसे नूतन वार्षिक वित्तीय विवरणों में वर्तमान अन्तरिम अवधि को समझने के लिए सारवान सूचना को प्रकट नहीं किया है, तो इसकी अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट उस सूचना का प्रकटन करेगी या दूसरे प्रकाशित प्रलेख के प्रति संदर्भ शामिल करेगी जिसमें यह सम्मिलित होती है।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का एक अभिन्न अंग है।

भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण तिथि	नवीनतम अवधि का प्रारंभ जिसके लिए प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में संपूर्ण तुलनात्मक सूचना प्रस्तुत करता है।
मानी गयी लागत	वह राशि जो दी गई तिथि को लागत या मूल्यह्रासित लागत के लिए प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होती है। परवर्ती मूल्यह्रास या परिशोधन यह मानता है कि प्रतिष्ठान ने दी गई तिथि को आस्ति या दायित्व को प्रारम्भिक तौर में मान्यता दी थी और इसकी लागत मानी गयी लागत के बराबर थी।
उचित मूल्य	उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 113, उचित मूल्य माप)।
प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण	प्रथम वार्षिक वित्तीय विवरण जिनमें प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुपालन के स्पष्ट तथा अरारक्षित कथन के द्वारा उनका अंगीकार करता है।
प्रथम भारतीय लेखा मानकों की रिपोर्टिंग अवधि	प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक, वित्तीय विवरणों में सम्मिलित की गई अद्यतन रिपोर्टिंग अवधि।
प्रथम बार अंगीकर्ता	प्रतिष्ठान जो अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।
भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)	भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) वे लेखा मानक हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निरूपित हैं।
प्रारंभिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र	भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिष्ठान का तुलन-पत्र।
पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी)	लेखा का वह आधार जो प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों को अंगीकार करने के तुरंत पहले भारत में सांविधिक रिपोर्टिंग अपेक्षा के लिए प्रयुक्त करता है। उदाहरणस्वरूप, जिन कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक होता है, वे उन वित्तीय विवरणों को पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के वित्तीय विवरणों के रूप में समझेंगे।

परिशिष्ट ख

अन्य भारतीय लेखा मानकों के पूर्वव्यापी प्रयोग के लिए अपवाद

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

ख 1. प्रतिष्ठान निम्नलिखित अपवादों का प्रयोग करेगा:

- (क) वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों की अमान्यता (अनुच्छेद ख 2 तथा ख 3),

- (ख) प्रतिरक्षा लेखा (अनुच्छेद ख4-ख6),
- (ग) गैर-नियंत्रक हित (अनुच्छेद ख7),
- (ङ.) वित्तीय आस्तियों की क्षतिग्रस्तता (अनुच्छेद ख8 घ-ख8 छ),
- (च) सन्निहित व्युत्पन्न (अनुच्छेद ख 9), तथा
- (छ) सरकारी ऋण (अनुच्छेद ख10-ख12)

वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों की अमान्यता

- ख2. अनुच्छेद ख 3 द्वारा जैसी अनुमति दी गई है, उसे छोड़कर प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की संक्रमण की तिथि को या उसके बाद होने वाले लेन-देनों के लिए भारतीय लेखा मानक 109 में अमान्यता की अपेक्षाओं का भावी प्रभाव से प्रयोग करेगा। उदाहरण के लिए, यदि प्रथमबार अंगीकर्ता ने लेन-देन के परिणामस्वरूप जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले हुआ था, अपने पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों अथवा गैर-व्युत्पन्न वित्तीय दायित्वों को अमान्य कर दिया है तो वह उन आस्तियों तथा दायित्वों को भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तब तक मान्यता नहीं देगा (जब तक वे बाद के लेन-देन या घटना के परिणामस्वरूप मान्यता के लिए योग्य नहीं होते हैं)।
- ख3. अनुच्छेद ख2 के बावजूद प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 में अमान्यता अपेक्षाओं का प्रयोग प्रतिष्ठान के चयन की तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव से कर सकता है बशर्ते पूर्व लेन-देनों के परिणामस्वरूप अमान्य वित्तीय आस्तियों और वित्तीय दायित्वों पर भारतीय लेखा मानक 109 का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित सूचना उन लेन-देनों के लिए प्रारम्भिक लेखे के समय प्राप्त की गई थी।

प्रतिरक्षा लेखा

- ख4. जैसाकि, भारतीय लेखा मानक 109 में अपेक्षित है, भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को प्रतिष्ठान निम्नलिखित करेगा:
- (क) सभी व्युत्पन्नों का उचित मूल्य पर माप करेगा; तथा
 - (ख) व्युत्पन्नों पर उत्पन्न होने वाली सभी आस्थगित हानियों तथा लाभों को समाप्त कर देगा जिन्हें (व्युत्पन्नों को) पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार रिपोर्ट किया गया था, मानो कि वे आस्तियों या दायित्वों के रूप में रिपोर्ट किया गया था।
- ख5. प्रतिष्ठान अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में उस प्रकार के प्रतिरक्षात्मक संबंध को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्रतिरक्षा लेखे के योग्य नहीं है (उदाहरण के लिए, उनके प्रतिरक्षा संबंधों में, जहाँ प्रतिरक्षा लिखत स्वतंत्र लिखित विकल्प या निवल लिखित विकल्प है, या जहाँ प्रतिरक्षा मद विदेशी मुद्रा जोखिम की तुलना में दूसरे जोखिम के लिए नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा में निवल स्थिति होती है। तथापि, यदि प्रतिष्ठान ने पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार प्रतिरक्षित मद के रूप में निवल स्थिति को पदनामित किया है, तो यह भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उस निवल स्थिति के अंतर्गत एक विशिष्ट मद को या निवल स्थिति को प्रतिरक्षित मद के रूप में पदनामित कर सकता है यदि वह भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.6.1 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करता है बशर्ते यह ऐसा भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से बाद न हो।
- ख6. यदि भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले प्रतिष्ठान ने लेन-देन को प्रतिरक्षा के रूप में पदनामित किया था किन्तु वह भारतीय लेखा मानक 109 में प्रतिरक्षा लेखा की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो प्रतिष्ठान प्रतिरक्षा लेखा को बन्द करने के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेदों 6.5.6 तथा 6.5.7 का प्रयोग करेगा। भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले निविष्ट किए गए लेन देनों को प्रतिरक्षाओं के रूप में पूर्वव्यापी प्रभाव से पदनामित नहीं किया जाएगा।

गैर-नियंत्रक हित

- ख 7. प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से भारतीय लेखा मानक 110 की निम्नलिखित अपेक्षाओं को भावी प्रभाव से लागू करेगा:
- (क) अनुच्छेद ख 94 की अपेक्षा जिससे कि कुल व्यापक आय का आरोपण मूल प्रतिष्ठानों के स्वामियों तथा गैर-नियंत्रक हितों के प्रति किया जाता है चाहे इसका परिणाम गैर-नियंत्रक हितों के पास घाटे का अतिशेष हो;
 - (ख) अनुषंगी प्रतिष्ठान में मूल प्रतिष्ठान के स्वामित्व हित में उन परिवर्तनों के लेखा के लिए अनुच्छेद 23 तथा ख 96 की अपेक्षाएँ, जिनके परिणाम नियंत्रण में समाप्ति नहीं होता; तथा
 - (ग) अनुच्छेद ख 97-ख 99 में अनुषंगी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण की समाप्ति के लेखा के लिए अपेक्षाएँ तथा भारतीय लेखा मानक 105, 'बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियाँ एवं बन्द परिचालन' के अनुच्छेद 8क की संबंधित अपेक्षाएँ।

तथापि, यदि प्रथमबार अंगीकर्ता पिछले व्यवसायिक संयोजनों में पूर्वव्यापी प्रभाव से भारतीय लेखा मानक 103 का प्रयोग करने का चयन करता है तो यह इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद ग 1 के अनुसार भारतीय लेखा मानक 110 का भी प्रयोग करेगा।

वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण एवं माप

- ख8. प्रतिष्ठान उन तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान रहती हैं; यह निर्धारित करेगा कि वित्तीय आस्ति भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.1.2 में दी गई शर्तों या अनुच्छेद 4.1.2 क में दी गई शर्तों को पूरा करती हैं या नहीं।
- ख8 क. यदि उन तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को विद्यमान रहती हैं, भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेदों ख 4.1.9ख-ख 4.1.9घ के अनुसार संशोधित मुद्रा के समय मूल्य तत्व का निर्धारण करना अव्यावहारिक है तो प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर उस वित्तीय आस्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं का निर्धारण करेगा, जिसमें वह भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद ख 4.1.9ख-4.1.9घ में मुद्रा के समय मूल्य तत्व के संशोधन से संबंधित अपेक्षाओं पर विचार नहीं करेगा। प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों की रिपोर्टिंग तिथि को अग्रणीत राशि का प्रकटन करेगा जिनके अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं का निर्धारण उन तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर किया गया है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान हो तथा इसके लिए भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेदों ख 4.1.9ख-ख 4.1.9घ में मुद्रा के समय मूल्य तत्व के संशोधन से संबंधित अपेक्षाओं पर विचार तब तक नहीं किया गया जब तक वे वित्तीय आस्तियां अमान्य नहीं होती हैं।
- ख8 ख. यदि यह निर्धारण करना अव्यावहारिक है कि पूर्वभुगतान विशिष्टता का उचित मूल्य भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद ख 4.1.12(ग) के अनुसार उन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान रहती हैं, अमहत्वपूर्ण है या नहीं, तो प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद ख 4.1.12 में दिए गए पूर्व भुगतान विशिष्टताओं के अपवाद पर विचार किए बिना उन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान थी, उस वित्तीय आस्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं का निर्धारण करेगा। प्रतिष्ठान उन वित्तीय आस्तियों की रिपोर्टिंग तिथि पर अग्रणीत राशि का प्रकटन करेगा जिनकी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएँ भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद ख 4.1.12 में दिए पूर्वभुगतान विशिष्टताओं के अपवाद पर तब तक विचार किए बिना उन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की गई हैं, जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान थी, जब तक वे वित्तीय आस्तियाँ अमान्य नहीं होती हैं।
- ख 8ग यदि प्रतिष्ठान के लिए भारतीय लेखा मानक 109 में दिए गए प्रभावी ब्याज प्रणाली का पूर्व व्यापी प्रभाव से प्रयोग करना अव्यवहारिक है जैसाकि (भारतीय लेखा मानक 8 में परिभाषित हैं) तो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व का उचित मूल्य भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर उस वित्तीय आस्ति की नई सकल अग्रणीत राशि होगी या उस वित्तीय दायित्व की नई परिशोधित लागत होगी।

वित्तीय आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

- ख 8घ प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के खंड 5.5 की क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं का प्रयोग इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेदों ख 8ड., ख 8च तथा ख 8छ के अधीन पूर्वव्यापी प्रभाव से करेगा।
- ख 8ड भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिष्ठान युक्तियुक्त तथा सहायक सूचना का प्रयोग करेगा जो उस तिथि पर अनुचित लागत या प्रयास के बिना ऋण जोखिम का निश्चय करने के लिए उपलब्ध है जिस तिथि पर उन वित्तीय लिखतों को प्रारम्भ में मान्यता दी गई थी (या ऋण वचनबद्धताएँ और वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए वह तिथि जिस पर प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.6 के अनुसार अविकल्पी वचनबद्धता का एक पक्ष बनता है) तथा उसकी तुलना भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर ऋण जोखिम से करेगा (इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद ख8डक-ख 8डख भी देखें)।
- ख8डक प्रतिष्ठान को अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध सभी युक्तियुक्त एवं सहायक सूचना पर विचार करके प्रारम्भिक मान्यता पर ऋण जोखिम का अनुमान लगाने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिष्ठान के लिए भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर निर्धारण के समय इस सूचना के लिए कि प्रारम्भिक मान्यता से ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धियाँ होती रही हैं या नहीं, सर्वांगीण खोज करना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिष्ठान अनुचित लागत या प्रयास के बिना यह निश्चय करने में समर्थ नहीं है तो इस भारतीय लेखा मानक का अनुच्छेद ख 8 छ लागू होता है।
- ख8डख प्रारम्भिक प्रयोग की तिथि के पूर्व प्रारम्भिक रूप से मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखतों पर संक्रमण काल पर तथा उन मदों की अमान्यता तक, हानि भत्ते का निश्चय करने के लिए प्रतिष्ठान उस सूचना पर विचार करेगा जो प्रारम्भिक मान्यता पर ऋण जोखिम का निश्चय करने अथवा अनुमान लगाने के लिए प्रासंगिक है। प्रारम्भिक ऋण जोखिम के निर्धारण करने अथवा अनुमान लगाने के लिए प्रतिष्ठान पोर्टफोलियो सूचना सहित भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेदों ख 5.5.1-ख 5.5.6 के अनुसार आन्तरिक एवं बाह्य सूचना पर विचार कर सकता है।
- ख 8च यह निश्चय करते समय कि ऋण जोखिम में प्रारम्भिक मान्यता के समय से ही महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्रयोग कर सकता है:
- (क) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.10 तथा ख 5.5.22-ख 5.5.24 की अपेक्षाएँ; तथा
- (ख) यदि प्रतिष्ठान पिछली देय सूचना के आधार पर उन वित्तीय लिखतों के लिए प्रारम्भिक मान्यता से हुई ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धियों की पहचान कर क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं का प्रयोग करेगा तो अनुबंधात्मक भुगतानों, के लिए, जो पिछले 30 दिनों से अधिक से देय हैं, भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद 5.5.11 में खंडन योग्य पूर्व अवधारणा।

- ख 8छ यदि भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर यह निश्चय करने के लिए कि वित्तीय लिखत की प्रारम्भिक मान्यता से ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अनुचित लागत या प्रयास अपेक्षित होते हैं, तो प्रतिष्ठान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर तब तक आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों की राशि के बराबर हानि भत्ते को मान्यता देगा जब तक वह वित्तीय लिखत अमान्य नहीं होती है (यदि वह वित्तीय लिखत रिपोर्टिंग तिथि पर निम्नतम ऋण जोखिम पर होती है तो उस स्थिति में अनुच्छेद ख 8च(क) लागू होता है)।

सन्निहित व्युत्पन्न

- ख 9. प्रथमबार अंगीकर्ता उन शर्तों के आधार पर यह निर्धारण करेगा कि सन्निहित व्युत्पन्न का मूल (होस्ट) अनुबंध से पृथक किया जाना या व्युत्पन्न के रूप में लेखा करना आवश्यक है या नहीं, जो इन दो तिथियों में से बाद वाली तिथि पर विद्यमान होती है: पहली बार इसके अनुबंध की पार्टी होने की तिथि तथा वह तिथि जिस पर पुनर्निर्धारण किया जाना भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद ख 4.3.11 द्वारा अपेक्षित होता है।

सरकारी ऋण

- ख 10. प्रथमबार अंगीकर्ता सरकारी ऋण का भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतिकरण*, के अनुसार वित्तीय दायित्व या इक्विटी लिखत के रूप में वर्गीकरण करेगा। सिवाय अनुच्छेद ख 11 द्वारा दी गई अनुमति के, प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान सरकारी ऋणों पर भावी प्रभाव से भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें*, तथा भारतीय लेखा मानक 20, *सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन*, की अपेक्षाओं को लागू करेगा तथा बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के तदनुरूपी लाभ को सरकारी अनुदान के रूप में मान्यता नहीं देगा। परिणामतः यदि प्रथमबार अंगीकर्ता ने अपने पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अधीन भारतीय लेखा मानक की अपेक्षाओं से संगत आधार पर बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण को मान्य तथा माप नहीं किया है, तो यह अपने पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार ऋण की अग्रणीत राशि का प्रयोग भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में ऋण की अग्रणीत राशि के रूप में करेगा। प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के बाद ऐसे ऋणों का माप करने के लिए भारतीय लेखा मानक 109 का प्रयोग करेगा।
- ख 11. अनुच्छेद ख 10 के बावजूद, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले उत्पन्न किसी सरकारी ऋण पर भारतीय लेखा मानक 109 तथा भारतीय लेखा मानक 20 में दी गई अपेक्षाओं का पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रयोग कर सकता है, बशर्ते ऐसा करने के लिए आवश्यक सूचना उस ऋण के लिए प्रारम्भ में लेखा के समय प्राप्त कर ली गई थी।
- ख 12. अनुच्छेद ख 10 एवं ख 11 में अपेक्षाएं एवं मार्ग-निर्देश प्रतिष्ठान को पूर्ववर्ती रूप से लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मान्य वित्तीय लिखतों के पदानामांकन से संबंधित अनुच्छेदों घ19-घ 19ग में वर्णित अपवादों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होने से नहीं रोकते।

परिशिष्ट ग

व्यवसायिक संयोजनों के लिए छूट

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का एक अभिन्न अंग है। एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित अपेक्षाओं का प्रयोग उन व्यवसायिक संयोजनों के प्रति करेगा, जिन्हें उसने भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से पूर्व मान्यता दी थी। इस परिशिष्ट का प्रयोग, भारतीय लेखा मानक 103 व्यवसायिक संयोजन, के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले व्यवसायिक संयोजनों पर ही करेगा।

- ग 1 प्रथमबार अंगीकर्ता पिछले व्यवसायिक संयोजनों के लिए भारतीय लेखा मानक 103 का पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रयोग नहीं करने के लिए चयन कर सकता है (वे व्यवसायिक संयोजन जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से पूर्व हुए हों)। तथापि, यदि प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 103 का अनुपालन करने के लिए किसी व्यावसायिक संयोजन का पुनर्कथन करता है तो यह बाद के सभी व्यवसायिक संयोजनों को पुनर्कथित करेगा तथा उस तिथि से भारतीय लेखा मानक 110 का प्रयोग भी करेगा। उदाहरण के लिए, यदि प्रथम बार अंगीकर्ता उस व्यावसायिक संयोजन के पुनर्कथन के लिए चयन करता है जो 30 जून, 2010 को हुआ है, तो यह उन सभी व्यवसायिक संयोजनों का पुनर्कथन करेगा जो 30 जून, 2010 और भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के बीच हुए थे तथा यह 30 जून, 2010 से भारतीय लेखा मानक 110 का प्रयोग भी करेगा।
- ग 2 प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानक 21, *'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव'* का प्रयोग उन व्यवसायिक संयोजनों में उत्पन्न उचित मूल्य समायोजनों तथा ख्याति के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से करने की आवश्यकता नहीं है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले हुए थे। यदि प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 21 का प्रयोग उन उचित मूल्य समायोजनों तथा ख्याति के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं करता है तो यह उन्हें प्रतिष्ठान की आस्तियों तथा दायित्वों के रूप में मानेगा बजाय अधिगृहणित की आस्तियों तथा दायित्वों के रूप में जाएगी। इसलिए, ये ख्याति तथा उचित मूल्य समायोजन या तो प्रतिष्ठान का कार्यात्मक मुद्रा में पहले से ही अभिव्यक्त हैं या गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा मर्दे हैं जो पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार प्रयुक्त विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट की गई हैं।
- ग3. प्रतिष्ठान निम्नलिखित दोनों में से किसी एक में उत्पन्न उचित मूल्य समायोजनों तथा ख्याति के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से भारतीय लेखा मानक 21 का प्रयोग कर सकते हैं:
- (क) उन सभी व्यवसायिक संयोजनों में, जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले हुए थे, अथवा

- (ख) उन सभी व्यवसायिक संयोजनों में, जिन्हें प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 103 का अनुपालन करने के लिए पुनर्कथित करने का चयन करता है, जैसाकि ऊपर अनुच्छेद ग1 द्वारा अनुमति दी गई है।
- ग 4. यदि प्रथमबार अंगीकर्ता पिछले व्यावसायिक संयोजन के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से भारतीय लेखा मानक 103 का प्रयोग नहीं करता है तो उस व्यवसायिक संयोजन के लिए निम्नलिखित परिणाम होंगे :
- (क) प्रथमबार अंगीकर्ता उसी वर्गीकरण को रखेगा (कानूनी अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिग्रहण के रूप में, कानूनी अधिगृहणिति द्वारा विपरीत अधिग्रहण के रूप में अथवा हितों के एकीकरण के रूप में) जैसाकि इसके पूर्व 'जी ए ए पी' के वित्तीय विवरणों में है।
- (ख) प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर अपनी सभी आस्तियों एवं दायित्वों को मान्यता देगा जो निम्नलिखित के बजाय पिछले व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत किये गए थे या धारण किए गए थे:
- (i) पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार अमान्य कुछ वित्तीय आस्तियाँ तथा वित्तीय दायित्व (देखें अनुच्छेद ख 2); तथा
- (ii) ख्याति सहित आस्तियाँ तथा दायित्व जो पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार अधिग्रहणकर्ता के समेकित तुलन पत्र में मान्य नहीं किए थे तथा अधिगृहणिति के पृथक तुलन-पत्र में भारतीय लेखा मानकों के अनुसार मान्यता के लिए योग्य भी नहीं थे (देखें नीचे (च)-(झ)।
- प्रथमबार अंगीकर्ता प्रतिधारित अर्जन (या, यदि उपयुक्त से, तो इक्विटी की दूसरी श्रेणी को) के समायोजन द्वारा किसी परिणामी परिवर्तन को तब तक मान्यता देगा जब तक वह परिवर्तन अमूर्त आस्ति की मान्यता का परिणाम नहीं होता है तो पूर्व में ख्याति के अंदर सम्मिलित था (देखें नीचे (छ)(i))।
- (ग) प्रथम बार अंगीकर्ता पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार मान्यता प्राप्त किसी मद को अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र से हटा देगा जो भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत एक आस्ति या दायित्व के रूप में मान्यता के लिए योग्य नहीं होती है। प्रथमबार अंगीकर्ता परिणामी परिवर्तन के लिए निम्नप्रकार लेखा करेगा:
- (i) प्रथमबार अंगीकर्ता द्वारा पिछले व्यवसायिक संयोजन को अधिग्रहण के रूप में वर्गीकृत किया हो सकता है तथा अमूर्त आस्ति की मद के रूप में मान्य कर सकता है, जो भारतीय लेखा मानक 38, *अमूर्त आस्तियाँ* के अनुसार आस्ति के रूप में मान्यता के लिए योग्य नहीं होती है। यह उस मद का (और यदि कोई हो, तो संबंधित आस्थगित कर तथा गैर-नियंत्रक हितों) ख्याति के भाग के रूप में पुनर्वर्गीकरण करेगा (जब तक कि इसने पूर्व 'जी ए ए पी', देखें छ (i) तथा नीचे (झ) के अनुसार, इक्विटी से ख्याति को प्रत्यक्ष रूप से न घटाया हो) या पूंजी आरक्षित के रूप में पुनर्वर्गीकृत करेगा उस सीमा तक कि वह पूंजीगत आरक्षित राशि के शेष से अधिक न हो।
- (ii) प्रथमबार अंगीकर्ता प्रतिधारित अर्जन में अन्य सभी परिणामी परिवर्तनों को मान्यता देगा¹
- (घ) भारतीय लेखा मानक उस आधार पर कुछ आस्तियों तथा दायित्वों के परवर्ती माप की अपेक्षा करते हैं जो मूल लागत पर आधारित नहीं होता है, जैसे कि उचित मूल्य। प्रथमबार अंगीकर्ता इन आस्तियों तथा दायित्वों को उस आधार पर अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में मापेगा, भले ही उन्हें पिछले व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत किया गया था अथवा ग्रहण किया गया था। यह ख्याति / पूंजीगत पूंजी आरक्षित के बजाय प्रतिधारित अर्जनों (अथवा, यदि उपयुक्त हो तो इक्विटी की दूसरी श्रेणी) को समायोजित करके अग्रणीत राशि में किसी परिणामी परिवर्तन को मान्यता देगा।
- (ङ.) व्यावसायिक संयोजन के तत्काल बाद उस व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत आस्तियों तथा ग्रहण किए गए दायित्वों की पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार अग्रणीत राशि भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उस तारीख को उनकी मानी गयी लागत होगी। यदि भारतीय लेखा मानक बाद की तारीख में उन आस्तियों तथा दायित्वों के लागत आधारित माप की अपेक्षा करते हैं तो वह मानी गयी लागत व्यवसायिक संयोजन की तारीख से उस लागत आधारित मूल्यह्रास या परिशोधन का आधार होगा।
- (च) यदि पिछले व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत आस्ति या ग्रहण किए गए दायित्व को पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार मान्यता नहीं दी गई थी, तो इसकी प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में मानी गई लागत शून्य नहीं होती है। इसके बजाय, अधिग्रहणकर्ता इसे अपने समेकित तुलन-पत्र में उस आधार पर मान्यता देगा तथा माप करेगा जिस आधार पर अधिग्रहणिति के तुलन-पत्र में भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित था। दृष्टान्त के लिए, यदि अधिग्रहणकर्ता ने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार पिछले व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत वित्त पट्टों को पूंजीकृत नहीं किया था, तो यह उन पट्टों को अपने समेकित वित्तीय विवरणों में पूंजीकृत करेगा क्योंकि अधिगृहणिति को भारतीय लेखा मानक 17, 'पट्टें' द्वारा अपने भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में पूंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। इसी तरह से, यदि अधिग्रहणकर्ता ने अपने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार आकस्मिक दायित्व को मान्यता नहीं दी थी, जो अभी भी भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान है, तो अधिग्रहणकर्ता उस आकस्मिक दायित्व को तब तक मान्यता देगा जब तक भारतीय लेखा मानक 37, 'प्रावधान, आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक आस्तियाँ' अधिगृहणिति के वित्तीय विवरणों में इसकी मान्यता

¹ ऐसे परिवर्तनों में अमूर्त आस्तियों से या उनमें पुनर्वर्गीकरण सम्मिलित होते हैं, यदि पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार ख्याति को आस्ति के रूप में मान्य नहीं किया गया है। यह उत्पन्न होता है, जब प्रतिष्ठान ने पूर्व जी ए ए पी के अनुसार (क) इक्विटी से ख्याति को प्रत्यक्ष रूप से घटाया है या (ख) व्यवसायिक संयोजन को अधिग्रहण के रूप में नहीं माना है या (ग) अधिग्रहण के रूप में लेखांकित व्यवसायिक संयोजन में पूंजी आरक्षित को मान्यता दी है तथा उपर्युक्त (i) में पुनर्वर्गीकरण की राशि आरक्षित राशि के उपलब्ध अतिशेष से अधिक हो।

का निषेध नहीं करेगा। इसके विपरीत, यदि एक आस्ति या दायित्व को पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार ख्याति/पूँजीगत आरक्षिति में सम्मिलित किया गया था, किन्तु भारतीय लेखा मानक 103 के अतर्गत पृथक रूप से मान्यता दी जाती है, तो वह आस्ति या दायित्व तब तक पूँजीगत ख्याति/पूँजीगत आरक्षिति में बना रहता है, जब तक भारतीय लेखा मानकों द्वारा अधिगृहणित के वित्तीय विवरणों में इसकी मान्यता की अपेक्षा न हो।

- (छ) प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में ख्याति या पूँजीगत आरक्षिति की अग्रणीत राशि भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर निम्नलिखित दो समायोजनों के बाद पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार इसकी अग्रणीत राशि होगी:
- (i) यदि उपर्युक्त (ग) (i) द्वारा अपेक्षित है तो प्रथमबार अंगीकर्ता तब ख्याति की अग्रणीत राशि में वृद्धि करेगा या पूँजीगत आरक्षिति की अग्रणीत राशि में कमी करेगा, जब यह एक मद का पुनर्वर्गीकरण करता है जिसे इसने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता दी है। इसी तरह से, यदि उपर्युक्त (च) प्रथम बार अंगीकर्ता से एक उस अमूर्त आस्ति को मान्यता देने की अपेक्षा करता है, जो पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार मान्यता प्राप्त ख्याति या पूँजीगत आरक्षिति में सम्मिलित हैं, प्रथम बार अंगीकर्ता तदनुसार ख्याति की अग्रणीत राशि में कमी और पूँजीगत आरक्षिति की अग्रणीत राशि में वृद्धि करेगा (और, यदि लागू होगा, तो आस्थगित कर तथा गैर-नियंत्रक हितों को समायोजित करेगा)।
 - (ii) इस बात से अनपेक्ष रहते हुए कि ऐसा कोई संकेत है या नहीं है कि ख्याति क्षतिग्रस्त हो सकती है, अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर क्षतिग्रस्तता के लिए ख्याति का परीक्षण करने में तथा प्रतिधारित अर्जन (अथवा, पुनर्मूल्यन अधिशेष में यदि भारतीय लेखा मानक 36 द्वारा ऐसा अपेक्षित हो) में किसी परिणामी क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता देने में भारतीय लेखा मानक 36 का प्रयोग करेगा। क्षतिग्रस्तता परीक्षण भारतीय लेखा मानकों की संक्रमण की तिथि की परिस्थितियों पर आधारित होगा।
- (ज) भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर ख्याति या पूँजीगत आरक्षिति की अग्रणीत राशि के लिए कोई अन्य समायोजन नहीं किए जाएँगे। उदाहरण के लिए प्रथमबार अंगीकर्ता निम्नलिखित के लिए ख्याति/पूँजी आरक्षिति की अग्रणीत राशि का पुनर्कथन नहीं करेगा :
- (i) उस व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत प्रक्रियाधीन अनुसंधान और विकास को तब तक अलग करना (जब तक संबंधित अमूर्त आस्ति अधिगृहणित के तुलन-पत्र में भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार मान्यता के लिए योग्य नहीं होगी);
 - (ii) ख्याति के पूर्व परिशोधन का समायोजन करना;
 - (iii) उस ख्याति के समायोजनों को उलटना जिसके लिए भारतीय लेखा मानक 103 अनुमति नहीं देगा किन्तु वे व्यावसायिक संयोजन की तारीख तथा भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के समायोजनों के कारण पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार किए गए थे।
- (झ) यदि प्रथमबार अंगीकर्ता पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार ख्याति को इक्विटी से कटौती के रूप में मान्यता देता है तो:
- (i) यह उस ख्याति को अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में मान्यता नहीं देगा। इसके अतिरिक्त, यह उस ख्याति का पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में नहीं करेगा यदि यह अनुषंगी प्रतिष्ठान का निपटारा कर देता है या यदि अनुषंगी प्रतिष्ठान में निवेश क्षतिग्रस्त हो जाता है।
 - (ii) खरीद प्रतिफल को प्रभावित करने वाली आकस्मिकता के उत्तरवर्ती समाधान के परिणामस्वरूप हुए समायोजनों को प्रतिधारित अर्जन में मान्यता दी जाएगी।
- (ञ) अपने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार प्रथमबार अंगीकर्ता द्वारा पिछले व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत अनुषंगी प्रतिष्ठान को समेकित नहीं भी करा हो सकता है (उदाहरण के लिए, क्योंकि मूल प्रतिष्ठान पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार इसे अनुषंगी प्रतिष्ठान के रूप में नहीं मानता है या समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार नहीं करता है)। प्रथमबार अंगीकर्ता अनुषंगी प्रतिष्ठान की आस्तियों एवं दायित्वों की अग्रणीत राशि का समायोजन उन राशियों से करेगा जो भारतीय लेखा मानकों द्वारा अनुषंगी प्रतिष्ठान तुलन-पत्र में अपेक्षित होगी। ख्याति की मानी गयी लागत भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तारीख पर निम्नलिखित के बीच के अन्तर को बराबर करती है:
- (i) उन समायोजित अग्रणीत राशियों में मूल प्रतिष्ठान का हित; तथा
 - (ii) मूल प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों में इसके अनुषंगी प्रतिष्ठान में निवेश की लागत।
- (ट) गैर-नियंत्रक हितों तथा अस्थगित कर का माप अन्य आस्तियों एवं दायित्वों के माप का अनुसरण करता है। इसलिए, मान्यता प्राप्त आस्तियों एवं दायित्वों के लिए किए गए उपर्युक्त समायोजन गैर-नियंत्रक हितों तथा आस्थगित कर को प्रभावित करते हैं।

ग5. पिछले व्यवसायिक संयोजनों के लिए छूट सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेशों, संयुक्त उद्यमों में हितों तथा संयुक्त परिचालनों में हितों के पिछले अधिग्रहणों के लिए भी लागू होता है जिसमें संयुक्त परिचालन की गतिविधि एक व्यवसाय होती है जैसाकि भारतीय लेखा

मानक 103 में परिभाषित है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद ग 1 के लिए चुनी गई तिथि ऐसे सभी अधिग्रहणों पर समान रूप से लागू होती है।

परिशिष्ट घ

अन्य भारतीय लेखा मानकों से छूट

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

घ 1 प्रतिष्ठान निम्नलिखित छूटों में से एक या अधिक का प्रयोग करने के लिए चयन कर सकता है :

- (क) शेयर-आधारित भुगतान के लेन-देन (अनुच्छेद घ2 तथा घ3),
- (ख) बीमा अनुबंध (अनुच्छेद घ4),
- (ग) मानी गयी लागत (अनुच्छेदों घ5 तथा घ8घ),
- (घ) पट्टे (अनुच्छेद घ9 एवं घ9कक),
- (ङ.) [देखें परिशिष्ट 1]
- (च) संचयी रूपान्तरण अन्तर (अनुच्छेद घ12 एवं घ13),
- (छ) अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश (अनुच्छेद घ14 एवं घ15),
- (ज) अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों की आस्तियां तथा दायित्व (अनुच्छेद घ16 तथा घ17),
- (झ) मिश्रित वित्तीय लिखतें (अनुच्छेद घ18),
- (ञ) पूर्व में मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखतों का पदनामांकन (अनुच्छेद घ19-घ19ग),
- (ट) प्रारम्भिक मान्यता पर वित्तीय आस्तियों या वित्तीय दायित्वों का उचित मूल्य पर माप (अनुच्छेद घ20),
- (ठ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत में सम्मिलित विस्थापन दायित्व (अनुच्छेद घ21 एवं घ21क),
- (ड.) भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट 'ग', सेवा रियायत व्यवस्थाएं के अनुसार लेखांकित वित्तीय आस्तियाँ या अमूर्त आस्तियाँ (अनुच्छेद घ22),
- (ढ) उधार की लागतें (अनुच्छेद घ23),
- (ण) [देखें परिशिष्ट 1],
- (त) 'इक्विटी' लिखतों के साथ वित्तीय दायित्वों का समापन (अनुच्छेद घ 25),
- (थ) अति उच्च मुद्रास्फीति (अनुच्छेद घ 26-घ30),
- (द) संयुक्त व्यवस्थाएँ (अनुच्छेद घ31-घ31क ठ),
- (घ) सतही खान के उत्पादन चरण में निकासी लागत (अनुच्छेद घ32),
- (न) गैर-वित्तीय मद खरीदनें या बेचने के लिए अनुबंधों का पदनामांकन (अनुच्छेद घ33),
- (प) ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (अनुच्छेद घ34-घ35), तथा
- (फ) बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियाँ तथा बन्द परिचालन (अनुच्छेद घ35कक)।

प्रतिष्ठान अन्य मदों के अनुरूप में इन अपवादों का प्रयोग नहीं करेगा।

शेयर-आधारित भुगतान के लेन-देन

घ2. प्रथमबार अंगीकर्ता को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले निहित इक्विटी लिखतों पर भारतीय लेखा मानक 102 का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है किन्तु यह आवश्यक नहीं होता है। तथापि, यदि प्रथमबार अंगीकर्ता ऐसे इक्विटी लिखतों के लिए भारतीय लेखा मानक 102 का प्रयोग करने के लिए चयन करता है तो यह ऐसा तभी कर सकता है, यदि प्रतिष्ठान ने भारतीय लेखा मानक 102 में यथा परिभाषित माप की तारीख पर निश्चित किये गए उन लिखतों के उचित मूल्य को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया है। इक्विटी लिखतों के सभी अनुदानों के लिए, जिसके लिए भारतीय लेखा मानक 102 को प्रयुक्त नहीं किया गया है (उदाहरण के लिए, इक्विटी लिखतें निहित हैं लेकिन भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले निपटाए नहीं गए हैं), प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 102 के अनुच्छेद 44 एवं 45 द्वारा अपेक्षित सूचना को प्रकट करेगा। यदि प्रथमबार अंगीकर्ता इक्विटी लिखतों के अनुदान की शर्तों या निबंधनों को संशोधित करता है जिन पर भारतीय लेखा मानक 102 प्रयुक्त नहीं हुआ है तो प्रतिष्ठान द्वारा भारतीय लेखा मानक 102 के अनुच्छेद 26-29 का प्रयोग करना तब अपेक्षित नहीं होता है यदि संशोधन भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले किए गए हैं।

घ3. प्रथमबार अंगीकर्ता को शेयर-आधारित भुगतान लेन-देनों से उत्पन्न उन दायित्वों के लिए जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले निपटाए गए थे भारतीय लेखा मानक 102 का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है।

बीमा अनुबंध

घ4. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को या इसके बाद प्रारम्भ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए भारतीय लेखा मानक 104 बीमा अनुबंध का प्रयोग करेगा। शीघ्र प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। यदि प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक 102 का प्रयोग किसी पहले की अवधि के लिए करता है तो यह उस तथ्य को प्रकट करेगा।

भारतीय लेखा मानक 104 का अनुच्छेद 39(ग)(iii) का प्रयोग करने में प्रतिष्ठान को उन दावों की प्रगति के बारे में सूचना प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है जो उस प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले के पाँच वर्षों से पूर्व किए गए थे जिसमें यह भारतीय लेखा मानक 104 का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त, जब प्रतिष्ठान प्रथमबार भारतीय लेखा मानक 104 का प्रयोग करता है, तब यदि उन दावों की प्रगति के बारे में सूचना तैयार करना अव्यवहार्य है जो सबसे प्रारम्भिक अवधि के शुरू होने के पहले घटित हुए थे जिसके लिए प्रतिष्ठान पूरी तुलनात्मक सूचना प्रस्तुत करता है जो इस भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में होती है, तो प्रतिष्ठान उस तथ्य को प्रकट करेगा।

जब एक बीमाकर्ता बीमा दायित्वों के लिए अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन करता है, तो यह अनुमति दी जाती है, लेकिन आवश्यक नहीं होता है कि वह अपनी सभी या कुछ वित्तीय आस्तियों का 'लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर' पुनर्वर्गीकरण करे। इस पुनर्वर्गीकरण की अनुमति तब होती है यदि बीमाकर्ता लेखा नीतियों में परिवर्तन करता है जब यह पहली बार भारतीय लेखा मानक 104 का प्रयोग करता है और यदि यह अनुच्छेद 22 द्वारा अनुमत परवर्ती नीति परिवर्तन करता है। पुनर्वर्गीकरण लेखा नीति में परिवर्तन है तथा भारतीय लेखा मानक 8 लागू होता है।

मानी गयी लागत

घ5. प्रतिष्ठान संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर इसके उचित मूल्य पर मापने के लिए चयन करता है और उस तारीख को मानी गयी लागत के रूप में उचित मूल्य का प्रयोग करता है।

घ6. प्रथमबार अंगीकर्ता संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद के पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) का पुनर्मूल्यांकन को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को या पहले पुनर्मूल्यांकन तारीख पर मानी गई लागत के रूप में प्रयोग करने का चयन कर सकता है यदि वह पुनर्मूल्यांकन निम्नलिखित से मोटे तौर पर पुनर्मूल्यांकन की तारीख को तुलनीय था:

(क) उचित मूल्य, या

(ख) भारतीय लेखा मानकों के अनुसार लागत अथवा मूल्यव्यसित लागत जिसे प्रतिबिम्बित करने के लिए समायोजित किया गया है, उदाहरण के लिए, सामान्य या विशिष्ट कीमत सूची में हुए परिवर्तनों।

घ7 अनुच्छेद घ 5 एवं घ 6 में किए गए चयन निम्नलिखित के लिए भी उपलब्ध (प्राप्य) हैं:

(क) भारतीय लेखा मानक 40, 'निवेश संपत्ति' में लागत में मॉडल अनुसार लेखांकित की गयी निवेश संपत्ति; तथा

(ख) अमूर्त आस्ति जो निम्नलिखित को पूरा करती है:

(i) भारतीय लेखा मानक 38 में मान्यता मानदण्ड (मूल लागत का विश्वसनीय माप सहित);

(ii) भारतीय लेखा मानक 38 में पुनर्मूल्यांकन के लिए मानदण्ड (सक्रिय बाजार की मौजूदगी सहित)

प्रतिष्ठान इन चयन का प्रयोग अन्य आस्तियों या दायित्वों के लिए नहीं करेगा।

घ7कक जहाँ भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर इसकी कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकर्ता इसकी सभी संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के लिए अग्रणीत मूल्य के साथ जारी रखने के लिए चयन कर सकता है जिन्हें पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार माप कर भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है तथा उसका प्रयोग इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद घ 21 तथा घ 21क के अनुसार आवश्यक समायोजनों को करने के बाद संक्रमण की तारीख को इसकी मानी गयी लागत के रूप में करेगा। इस उद्देश्य के लिए, यदि वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरण होते हैं, तो अनुषंगी प्रतिष्ठान की पूर्व 'जी ए ए पी' की राशि वह राशि होगी जो समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने में प्रयुक्त होगी। जहाँ पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत अनुषंगी प्रतिष्ठान समेकित नहीं किया गया था, वहाँ अनुषंगी प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों में इसके द्वारा पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार रिपोर्ट की जाने वाली अपेक्षित राशि पूर्व 'जी ए ए पी' की राशि होगी। यदि प्रतिष्ठान इस अनुच्छेद के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग करता है तो प्रारम्भिक तुलन-पत्र में इस प्रकार निश्चित की गई संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मानी गई लागत के लिए और आगे ऐसे कोई समायोजन संक्रमण काल समायोजनों के लिए नहीं किए जाएंगे जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के प्रयोग से उत्पन्न हो सकते थे। इस विकल्प का प्रयोग भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त आस्तियाँ, में सम्मिलित अमूर्त आस्तियाँ भारतीय लेखा मानक 40, 'निवेश संपत्ति' में सम्मिलित निवेश संपत्ति के लिए भी किया जा सकता है।

घ8. प्रथमबार अंगीकर्ता अपनी कुछ या सभी आस्तियों एवं दायित्वों के लिए एक घटना के कारण जैसे कि निजीकरण या प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव एक विशिष्ट तारीख पर उनके उचित मूल्य पर माप कर पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार मानी गयी लागत स्थापित कर सकता है।

(क) यदि माप की तारीख भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि या इसके पहले की तिथि है, तो प्रतिष्ठान ऐसे घटना-प्रेरित मापों को भारतीय लेखा मानकों के लिए उस माप की तारीख पर मानी गयी लागत के रूप में प्रयोग करेगा।

- (ख) यदि माप की तारीख भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के बाद है किन्तु प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की अवधि के दौरान में है तो घटना प्रेरित उचित मूल्य मापों का प्रयोग तब मानी गयी लागत के रूप में किया जा सकता है जब घटना घटती है। प्रतिष्ठान परिणामी समायोजनों को प्रतिधारित अर्जनों में माप की तारीख को प्रत्यक्ष रूप से मान्यता देगा (या यदि उपयुक्त होगी तो इक्विटी की दूसरी श्रेणी में मान्यता देगा)। भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिष्ठान या तो अनुच्छेद 5-7 में दिए गए मानदंड का प्रयोग करके मानी गयी लागत को स्थापित करेगा या इस भारतीय लेखा मानक में अन्य अपेक्षाओं के अनुसार आस्तियों एवं दायित्वों का माप करेगा।

घ 8क. कुछ 'जी ए ए पी' के अंतर्गत विकास या उत्पादन चरणों में तेल और गैस संपत्तियों के लिए अन्वेषण तथा विकास लागतों का लेखा उन लागत केन्द्रों में किया जाता है जो वृहत भौगोलिक क्षेत्र में सभी संपत्तियों को शामिल करते हैं। प्रथमबार अंगीकर्ता पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत ऐसे लेखा का प्रयोग करके निम्नलिखित आधार पर भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर तेल और गैस आस्तियों को मापने के लिए चयन कर सकता है:

- (क) प्रतिष्ठान के पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत निश्चित की गई राशि पर खोज एवं मूल्यांकन आस्तियाँ, तथा
(ख) प्रतिष्ठान के पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत लागत केन्द्रों के लिए निश्चित की गई राशि पर विकास और उत्पादन चरणों में आस्तियाँ। प्रतिष्ठान इस राशि को यथानुपात लागत केन्द्र के अंतर्निहित आस्तियों के प्रति उस तारीख के रिजर्व परिमाण या रिजर्व राशियों का प्रयोग करके आबंटित करेगा।

प्रतिष्ठान क्रमशः भारतीय लेखा मानक 106, *खनिज संसाधनों की खोज और उनका मूल्यांकन* या भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर क्षतिग्रस्तता के लिए खोज तथा मूल्यांकन आस्तियों तथा विकास तथा उत्पादन चरण की आस्तियों का परीक्षण करेगा और, यदि आवश्यक होगा, तो उपर्युक्त (क) या (ख) के अनुसार निश्चित की गई राशि को कम करेगा। इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए तेल एवं गैस आस्तियों में केवल वे आस्तियाँ शामिल होती हैं जो तेल एवं गैस की खोज, मूल्यांकन, विकास या उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं।

घ 8ख. कुछ प्रतिष्ठान संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर या अमूर्त आस्तियों की उन मदों को धारण करते हैं जो दर विनियमन के अधीन परिचालनों में प्रयुक्त होती हैं, या पूर्व में प्रयुक्त होती थी। ऐसी मदों की अग्रणीत राशि में वे राशियाँ शामिल हो सकती हैं जो पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत निश्चित की गई थीं किन्तु भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पूंजीकरण के लिए योग्य नहीं होती हैं। यदि ऐसी स्थिति होती है, तो प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर ऐसी मद की पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार अग्रणीत राशि को मानी गयी लागत के रूप में प्रयोग करने के लिए चयन कर सकता है। यदि प्रतिष्ठान इस छूट को एक मद के लिए प्रयोग करता है तो इसे यह सभी मदों पर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार उस प्रत्येक मद का क्षतिग्रस्तता के लिए परीक्षण करेगा जिसके लिए इस छूट का प्रयोग किया गया है। इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए, परिचालन दर विनियमन के अधीन होते हैं यदि वे उन कीमतों को स्थापित करने के लिए एक ढाँचे द्वारा शासित होते हैं जो वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्रभारित (चार्ज) किए जा सकते हैं तथा वह ढाँचा दर नियामक द्वारा निरीक्षण और / या अनुमोदन के अधीन होते हैं (जैसा भारतीय लेखा मानक 114, '*नियामक आस्थगन लेखे*' में परिभाषित है)।

पट्टे

घ 9. प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 17 के परिशिष्ट 'ग', यह निर्धारित करना कि क्या की गई व्यवस्था में कोई पट्टा समाविष्ट है के अनुच्छेद 6-9 का प्रयोग यह निश्चित करने के लिए कर सकता है कि भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को विद्यमान व्यवस्था में, भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर, जहाँ प्रभाव के सारवान नहीं होने की संभावना है को छोड़कर, पट्टा का समावेश होता है या नहीं।

घ 9क. यदि प्रथमबार अंगीकर्ता ने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार वही निश्चय किया है कि व्यवस्था में पट्टा समाविष्ट है या नहीं, जैसाकि वह भारतीय लेखा मानक 17 के परिशिष्ट 'ग' के अनुसार अपेक्षित है किन्तु उपर्युक्त घ 9 के अनुसार अपेक्षित तारीख से भिन्न तारीख पर, तो प्रथमबार अंगीकर्ता को उस निश्चय का पुनर्निर्धारण करना आवश्यक नहीं है जब यह भारतीय लेखा मानकों को अंगीकार करता है। प्रतिष्ठान के लिए पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार समान निश्चय करने के लिए कि व्यवस्था में पट्टा समाविष्ट है उस निश्चय को वही परिणाम देना होगा जो परिणाम भारतीय लेखा मानक 17 का परिशिष्ट ग का प्रयोग करके हुआ होता।

घ 9कक. जब पट्टा में भूमि एवं भवन, दोनों तत्वों को शामिल किए जाते हैं तो प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को उस तारीख पर विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वित्त या परिचालन पट्टा के रूप में प्रत्येक तत्व के वर्गीकरण कर सकता है। यदि वित्त पट्टा के रूप में नया वर्गीकृत कोई भूमि पट्टा है तो प्रथमबार अंगीकर्ता उस तारीख पर उचित मूल्य पर आस्तियों एवं दायित्व को मान्यता दे सकता है और उन उचित मूल्यों के बीच के किसी अन्तर को प्रतिधारित अर्जन में मान्यता दी जाती है।

घ 10-11[देखें परिशिष्ट 1]

संचयी रूपान्तरण अंतर

घ 12. भारतीय लेखा मानक 21 प्रतिष्ठान से निम्नलिखित अपेक्षा करता है:

- (क) अन्य व्यापक आय में कुछ रूपान्तरण अन्तरों को मान्यता देना तथा इनको इक्विटी के एक पृथक घटक में संचय करना, तथा
- (ख) विदेशी परिचालन के निपटान पर उसके लिए संचयी रूपान्तरण अन्तर को इक्विटी से लाभ या हानि के रूप में निपटान पर लाभ या हानि के भाग के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना (यदि लागू हो तो, संबंधित प्रतिरक्षाओं पर लाभों या हानियों सहित)।
- घ13. तथापि, प्रथमबार अंगीकर्ता द्वारा उन संचयी रूपान्तरण अन्तरों के लिए इन अपेक्षाओं का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को विद्यमान थे। यदि प्रथमबार अंगीकर्ता इस छूट का प्रयोग करता है तो:
- (क) सभी विदेशी परिचालनों के लिए संचयी रूपान्तरण अन्तरों को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को शून्य होना मान लिया जाता है, तथा
- (ख) किसी विदेशी परिचालन के परवर्ती निपटान पर लाभ या हानि के उन रूपान्तरण अन्तरों से छोड़ दिया जाएगा जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले उत्पन्न हुए थे तथा बाद के रूपान्तरण अन्तरों को शामिल किया जाएगा।

दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें

- घ13कक प्रथमबार अंगीकर्ता प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ होने के तुरन्त पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रूपान्तरण से उत्पन्न विनिमय अंतरों के लिए अंगीकृत नीति को पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार जारी रख सकता है।

अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश

- घ 14. जब प्रतिष्ठान पृथक वित्तीय विवरण तैयार करता है, तो भारतीय लेखा मानक 27 इससे अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों में इसके निवेशों का लेखा निम्नलिखित दोनों में से एक आधार पर करने की अपेक्षा करता है:
- (क) लागत पर; अथवा
- (ख) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार
- घ15. यदि प्रथमबार अंगीकर्ता ऐसे निवेश का माप भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार लागत पर करता है, तो यह उस निवेश को निम्नलिखित राशियों में से एक पर अपने पृथक प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में मापेगा :
- (क) भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार निश्चित की गई लागत; या
- (ख) मानी गई लागत। ऐसे निवेश की मानी गई लागत निम्नलिखित होगी:
- (i) प्रतिष्ठान के भारतीय लेखा मानक की ओर संक्रमण की तारीख पर अपने पृथक वित्तीय विवरणों में उसका उचित मूल्य; या
- (ii) उस तारीख पर पूर्व 'जी ए ए पी' की अग्रणीत राशि।

प्रथमबार अंगीकर्ता प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम या सहयोगी उद्यम में अपने निवेश को मापने के लिए ऊपर या तो (i) या (ii) को चुन सकता है जिसके लिए यह मानी गयी लागत का प्रयोग करते हुए मापने का चयन करता है।

अनुषंगी प्रतिष्ठानों, सहयोगी प्रतिष्ठानों तथा संयुक्त उद्यमों की आस्तियाँ तथा दायित्व

- घ16. यदि एक अनुषंगी प्रतिष्ठान अपने मूल प्रतिष्ठान की अपेक्षा बाद में प्रथमबार अंगीकर्ता बनता है, तो अनुषंगी प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरण में अपनी आस्तियों तथा दायित्वों को निम्नलिखित दोनों में से किसी एक में मापेगा:
- (क) वे अग्रणीत राशियाँ जो भारतीय लेखा मानकों की ओर मूल प्रतिष्ठान के संक्रमण की तारीख के आधार पर मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित की जाएंगी, यदि समेकन प्रक्रियाओं तथा व्यवसायिक संयोजन के प्रभावों के लिए कोई समायोजन नहीं किए गए थे जिसमें मूल प्रतिष्ठान ने अनुषंगी प्रतिष्ठान को अधिगृहीत किया है (यह चयन निवेश प्रतिष्ठान के अनुषंगी प्रतिष्ठान के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 110 में परिभाषित है), तथा जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाना अपेक्षित है),
- (ख) भारतीय लेखा मानकों की ओर अनुषंगी प्रतिष्ठान के संक्रमण की तारीख के आधार पर इस भारतीय लेखा मानक के शेष के अनुसार अपेक्षित अग्रणीत राशियाँ। ये अग्रणीत राशियाँ (क) में वर्णित अग्रणीत राशियों से भिन्न हो सकती हैं:-
- (i) जब इस भारतीय लेखा मानक में छूटों का परिणाम उन मापों में होता है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर आधारित होते हैं।
- (ii) जब अनुषंगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त लेखा नीतियाँ समेकित वित्तीय विवरणों में लेखा नीतियों से भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, अनुषंगी प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 16, 'संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर में लागत मॉडल को अपनी लेखा नीति के रूप में प्रयोग कर सकता है जबकि समूह पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग कर सकता है।

इसी प्रकार का चयन उस सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम के लिए उपलब्ध होता है जो उस प्रतिष्ठान की अपेक्षा बाद में प्रथमबार अंगीकर्त्ता बनता है जिसका इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण होता है।

- घ17. तथापि, यदि प्रतिष्ठान अपने अनुषंगी प्रतिष्ठान या सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की अपेक्षा बाद में प्रथमबार अंगीकर्त्ता बनता है तो प्रतिष्ठान अपने समेकित वित्तीय विवरण में अनुषंगी प्रतिष्ठान (या सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम) की आस्तियों तथा दायित्वों का माप उन्हीं अग्रणीत राशियों पर करेगा जैसा अनुषंगी प्रतिष्ठान (या सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम) के वित्तीय विवरणों में किया गया है। यह माप समेकन के लिए तथा इक्विटी लेखा समायोजनों के लिए और उस व्यवसायिक संयोजन के लिए जिसमें प्रतिष्ठान ने अनुषंगी प्रतिष्ठान को अधिगृहीत किया है समायोजित किए जाएंगे। इस अपेक्षा के होते हुए भी एक गैर-निवेश मूल प्रतिष्ठान समेकन के लिए अपवाद का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी निवेश अनुषंगी-प्रतिष्ठानों द्वारा प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार, यदि मूल प्रतिष्ठान अपने पृथक वित्तीय विवरणों के लिए अपने समेकित वित्तीय विवरणों की अपेक्षा पहले या बाद में प्रथमबार अंगीकर्त्ता बनता है तो यह अपनी आस्तियों तथा दायित्वों का माप, समेकन समायोजनों को छोड़कर, दोनों वित्तीय विवरणों के लिए समान राशियों पर करेगा।

मिश्रित वित्तीय लिखतें

- घ18. भारतीय लेखा मानक 32, 'वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण', प्रतिष्ठान से अपेक्षा करता है कि वह पृथक दायित्व तथा इक्विटी घटकों में प्रारम्भ में ही मिश्रित वित्तीय लिखत का विभाजन करे। यदि दायित्व घटक अब बकाया नहीं है तो भारतीय लेखा मानक 32 का पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रयोग इक्विटी के दो हिस्सों को पृथक करता है। पहला हिस्सा प्रतिधारित अर्जन में है और दायित्व घटक पर अभिवृद्ध संचयी ब्याज को निरूपित करता है। अन्य हिस्सा मूल इक्विटी घटक को निरूपित करता है। तथापि, इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार प्रथमबार अंगीकर्त्ता को, यदि दायित्व घटक भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर अब बकाया नहीं है तो, इन दो हिस्सों को पृथक करने की आवश्यकता नहीं है।

पूर्व में मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखतों का पदनामांकन

- घ19. भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय दायित्व को (बशर्ते यह कुछ निश्चित मानदंड को पूरा करता है) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्व के रूप में पदनामांकन किए जाने के लिए अनुमति देता है। इस अपेक्षा के बावजूद, प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर किसी वित्तीय दायित्व को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर पदनामांकन करने के लिए अनुमति है बशर्ते दायित्व उस तारीख को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.2.2 में दिए गए मानदंड को पूरा करता है।
- घ19क. प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति को उन तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.1.5 के अनुसार लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए रूप में पदनामित कर सकता है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान होते हैं।
- घ19ख. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसार उन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी लिखत में किए गए निवेश को पदनामित कर सकता है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को विद्यमान होते हैं।
- घ19ग. एक वित्तीय दायित्व के लिए, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्व के रूप में पदनामित किया गया है, एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.7.7 में दिए गए व्यवहार उन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर लाभ या हानि में लेखा असंतुलन को सृजित करेगा जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तारीख को विद्यमान होते हैं।

प्रारम्भिक मान्यता पर वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों का उचित मूल्य माप

- घ20. इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 7 एवं 9 में दी गई अपेक्षाओं के बावजूद प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.1.2क (ख) में दी गई अपेक्षाओं का प्रयोग भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को या उसके बाद किए गए लेन-देनों के लिए भावी प्रभाव से कर सकते हैं।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत में सम्मिलित विस्थापन दायित्व

- घ21. भारतीय लेखा मानक 16 के परिशिष्ट 'क', 'मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली और इसी प्रकार के अन्य दायित्वों में परिवर्तन' विस्थापन, पुनर्बहाली तथा इसी प्रकार के अन्य दायित्वों में विशिष्ट परिवर्तनों को उस आस्ति की लागत में जोड़े जाने या घटाने की अपेक्षा करता है जिससे यह संबंधित होता है; तब आस्ति की समायोजित मूल्यहास योग्य राशि इसके शेष उपयोगी जीवन के दौरान भावी प्रभाव से मूल्यहासित होती है। प्रथमबार अंगीकर्त्ता को ऐसे दायित्वों में परिवर्तनों के लिए इन अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले हुए थे। यदि प्रथमबार अंगीकर्त्ता इस छूट का उपयोग करता है तो वह:

- (क) भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर दायित्व का माप करेगा;
- (ख) जिस सीमा तक दायित्व भारतीय लेखा मानक 16 के परिशिष्ट 'क' के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस राशि का प्राक्कलन करेगा जो संबंधित आस्ति की लागत में तब सम्मिलित की गई होगी जब दायित्व पहली बार उत्पन्न हुआ होगा, उस ऐतिहासिक जोखिम समायोजित बट्टा दर (दरों) का सर्वोत्तम प्राक्कलन का प्रयोग करते हुए इसे बट्टागत किया जाएगा जो मध्यवर्ती अवधि पर उस दायित्व के लिए प्रयुक्त की गई होगी।

घ 21क. प्रतिष्ठान जो अनुच्छेद घ 8क (ख) में छूट का प्रयोग करता है (विकास तथा उत्पादन चरणों में तेल और गैस आस्तियों के लिए जिन्हें उन लागत केन्द्रों में लेखांकित किया जाता है जिसमें पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत वृहत भौगोलिक क्षेत्र की सभी सम्पत्तियां सम्मिलित होती हैं) भारतीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद घ 21 या परिशिष्ट 'क' का प्रयोग करने के बजाय निम्नलिखित करेगा:

- (क) भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विस्थापन, पुर्नबहाली तथा उसी प्रकार के दायित्वों का माप करेगा; तथा
- (ख) प्रतिष्ठान के पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत निश्चित की गयी भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर उन दायित्वों की अग्रणीत राशि और उपर्युक्त राशि के बीच किसी प्रकार के अन्तर को प्रतिधारित अर्जन में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता देगा।

भारतीय लेखा मानक 115 के लिए परिशिष्ट 'ग', सेवा रियायत व्यवस्थाएं, के अनुसार लेखांकित वित्तीय आस्तियाँ या अमूर्त आस्तियाँ

घ 22 प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट ग का प्रयोग करते समय निम्नलिखित उपबन्धों का प्रयोग कर सकता है:

- (i) अनुच्छेद (ii) के अधीन लेखा नीतियों में परिवर्तनों का लेखा, प्रथम भारतीय लेखा मानक की वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ के तुरन्त पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त टोल सड़को (मार्गों) से संबंधित सेवा रियायत व्यवस्थाओं से उत्पन्न अमूर्त आस्तियों के परिशोधन के लिए अपनायी गयी नीति को छोड़कर, भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार अर्थात् पूर्वव्यापी प्रभाव से, किया जाता है,
- (ii) यदि, किसी विशेष सेवा व्यवस्था के लिए, एक परिचालक के लिए भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर पूर्वव्यापी प्रभाव से इस परिशिष्ट का प्रयोग करना अव्यवहार्य है, तो वह निम्नप्रकार करेगा:
 - (क) उन वित्तीय आस्तियों तथा अमूर्त आस्तियों को मान्यता देगा जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान थे;
 - (ख) उन वित्तीय तथा अमूर्त आस्तियों (तथापि पूर्ववर्ती वर्गीकृत) पूर्व अग्रणीत राशियों को उनकी उस तारीख पर अग्रणीत राशियों के रूप में प्रयोग करेगा; तथा
 - (ग) क्षतिग्रस्तता के लिए उस तारीख पर मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों तथा अमूर्त आस्तियों का तब तक परीक्षण करना, जब तक यह अव्यवहार्य नहीं हो, जिस मामले में क्षतिग्रस्तता के लिए राशियों परीक्षण वर्तमान अवधि के प्रारम्भ में किया जायेगा।
- (iii) पूर्वव्यापी रूप से निर्धारण के दो पहलू हैं: पुनर्वर्गीकरण तथा पुनर्माप। आमतौर पर परिचालक के तुलन पत्र में पूर्व में सम्मिलित सभी राशियों के उपर्युक्त वर्गीकरण को पूर्वव्यापी प्रभाव से निश्चय करना व्यवहार्य होगा, किन्तु वह आस्तियों की सेवा व्यवस्था का पूर्व व्यापी पुनर्माप करना हमेशा व्यवहार्य नहीं हो सकता है। तथापि, तथ्य को प्रकट किया जाना चाहिए।

उधार लागतें

घ 23. -घ 24. [देखें परिशिष्ट 1]

इक्विटी लिखतों द्वारा वित्तीय दायित्वों का समापन

घ 25 प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से भारतीय लेखा मानक 109 के परिशिष्ट 'ड', *इक्विटी लिखतों के साथ वित्तीय दायित्वों की समाप्ति*, का प्रयोग कर सकता है।

अति उच्च मुद्रास्फीति

घ 26. यदि प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा वह है जो अति उच्च मुद्रास्फीतिकारी अर्थव्यवस्था की मुद्रा थी या है, तो यह निश्चय करेगा कि भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले यह अति उच्च मुद्रास्फीति के अधीन था या नहीं। यह उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो भारतीय लेखा मानकों को प्रथमबार अंगीकार करता है, साथ-साथ उन प्रतिष्ठानों पर जिन्होंने भारतीय लेखा मानकों का पूर्व में प्रयोग किया है।

घ 27 अति उच्च मुद्रास्फीतिकारी अर्थव्यवस्था की मुद्रा अति उच्च मुद्रास्फीति के अधीन होता है यदि इसमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएँ होती हैं:

- (क) उस मुद्रा में लेन-देनों तथा शेषों के साथ सभी प्रतिष्ठानों के लिए विश्वसनीय सामान्य कीमत सूचकांक उपलब्ध नहीं है।
- (ख) मुद्रा तथा अपेक्षाकृत स्थिर विदेशी मुद्रा के बीच विनिमयता विद्यमान नहीं होती है।

घ 28. प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा अति उच्च मुद्रास्फीति के अधीन कार्यात्मक मुद्रा के सामान्यीकरण की तारीख पर होना बन्द हो जाती है। यह वह तारीख है जब कार्यात्मक मुद्रा में अनुच्छेद घ 27 में उल्लिखित विशेषताओं में से कोई एक, या दोनों नहीं होती है, या जब प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा का उस मुद्रा में परिवर्तन होता है जो अति उच्च मुद्रास्फीति के अधीन नहीं होती है।

- घ29. जब प्रतिष्ठान के भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि कार्यात्मक मुद्रा के प्रसामान्यीकरण की तारीख को, या उसके बाद होता है, तो प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर उचित मूल्य पर, कार्यात्मक मुद्रा प्रसामान्यीकरण तारीख के पहले धारित सभी आस्तियों एवं दायित्वों का मापने के लिए चयन कर सकता है। प्रतिष्ठान उस उचित मूल्य का प्रयोग प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में उन आस्तियों एवं दायित्वों की मानी गयी लागत के रूप में कर सकता है।
- घ30. जब कार्यात्मक मुद्रा के प्रसामान्यीकरण की तारीख 12 महीने की तुलनात्मक अवधि के अन्तर्गत पड़ती है, जो तुलनात्मक अवधि 12 महीने से कम हो सकती है, बशर्ते कि वित्तीय अवधि का पूरा सेट (जैसा कि भारतीय लेखा मानक 1 के अनुच्छेद 10 द्वारा अपेक्षित है) उस अल्प अवधि के लिए उपलब्ध होता है।

संयुक्त व्यवस्थाएँ

- घ 31. [देखें परिशिष्ट 1]

संयुक्त उद्यम-आनुपातिक समेकन से इक्विटी प्रणाली की ओर संक्रमण

- घ31कक. आनुपातिक समेकन से इक्विटी प्रणाली में परिवर्तन होने के समय, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर संयुक्त उद्यम में अपने निवेश को मान्यता देगा। उस प्रारम्भिक निवेश को उन आस्तियों एवं दायित्वों की अग्रणीत राशियों के कुल जोड़ के रूप में मापा जाएगा जिसे प्रतिष्ठान ने पूर्व में अधिग्रहण से उत्पन्न किसी ख्याति सहित आनुपातिक रूप से समेकित किया था। यदि पूर्व में ख्याति नकदी जनक इकाई या नकदी जनक इकाइयों के समूह से संबंधित होती है, तो प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यम तथा नकदी जनक इकाई या नकदी जनक इकाइयों के समूह यह संबंध रखता है कि प्रासंगिक अग्रणीत राशियों के आधार पर संयुक्त उद्यम के प्रति ख्याति का आबंटन करेगा जिससे।
- घ31कख. भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तारीख पर ऊपर अनुच्छेद घ 31कक के अनुसार संयुक्त उद्यम में निवेश के शेष को प्रारम्भिक मान्यता पर निवेश की मानी गई लागत के रूप में समझा जाएगा।
- घ31कग. प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार क्षतिग्रस्तता के लिए संयुक्त उद्यम में किए गए निवेश का इस पर विचार किए बिना कि ऐसा कोई संकेत है या नहीं कि निवेश क्षतिग्रस्त हो सकता है, परीक्षण करेगा। किसी परिणामी क्षतिग्रस्तता को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिधारित अर्जन के प्रति समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी। भारतीय लेखा मानक 12, 'आयकर' के अनुच्छेद 15 एवं 24 में प्रारम्भिक मान्यता अपवाद तब लागू नहीं होता है जब प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यमों के लिए संक्रमण अपेक्षाओं के प्रयोग के परिणामस्वरूप संयुक्त उद्यम में किए गए निवेश को मान्यता देता है जो पूर्व में आनुपातिक रूप से समेकित किए गए थे।
- घ 31कघ. यदि पूर्व में आनुपातिक रूप से समेकित किए गए सभी आस्तियों एवं दायित्वों के कुल जोड़ का परिणाम ऋणात्मक निवल आस्तियों में होता है तो प्रतिष्ठान यह निर्धारण करेगा कि क्या ऋणात्मक निवल आस्तियों के संबंध में इसकी कोई कानूनी या परिकल्पित बाध्यता है, और यदि ऐसा है तो प्रतिष्ठान तदनुसारी दायित्व को मान्यता देगा। यदि प्रतिष्ठान यह निर्णय करता है कि ऋणात्मक निवल आस्तियों के संबंध में इसकी कोई कानूनी या परिकल्पित बाध्यता नहीं है तो यह तदनुसारी दायित्व को मान्यता नहीं देगा किन्तु यह भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिधारित अर्जन को समायोजित करेगा। प्रतिष्ठान इस तथ्य का प्रकटन भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर इसके संयुक्त उद्यमों की हानियों के संचयी अमान्यता प्राप्त हिस्से के साथ करेगा।
- घ31कड. प्रतिष्ठान आस्तियों एवं दायित्वों के विश्लेषण का प्रकटन करेगा जिन्हें भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर एकल निवेश शेष के रूप में जोड़ा गया है। वह प्रकटन भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर सभी संयुक्त उद्यमों के लिए संयुक्त तरीके से तैयार किया जाएगा।
- घ31कच. भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रारम्भिक मान्यता के बाद प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 28 के अनुसार इक्विटी प्रणाली का प्रयोग करते हुए संयुक्त उद्यमों में अपने निवेश के लिए लेखा करेगा।

संयुक्त परिचालन इक्विटी पद्धति से आस्तियों तथा दायित्वों के लेखांकन की ओर संक्रमण

- घ31कछ. इक्विटी पद्धति से संयुक्त परिचालन में अपने हित के संबंध में आस्तियों तथा दायित्वों के लिए लेखा की ओर परिवर्तन के समय, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर उस निवेश को जिसका पूर्व में इक्विटी पद्धति का प्रयोग करके लेखा किया गया है तथा किसी अन्य मदों को जो भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 38 के अनुसार व्यवस्था में प्रतिष्ठान के निवल निवेश का भाग होते हैं अमान्य करेगा तथा संयुक्त परिचालन में अपने हित के संबंध में किसी ख्याति सहित, जो निवेश की अग्रणीत राशि का भाग हो सकता है, प्रत्येक आस्तियों तथा दायित्वों के अपने हिस्से को मान्यता देगा।
- घ31कज. प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक व्यवस्था के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुपात में अपने अधिकारों एवं दायित्वों के आधार पर संयुक्त परिचालन से संबंधित आस्तियों तथा दायित्वों में अपने हित का निश्चय करेगा। प्रतिष्ठान इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने में प्रतिष्ठान द्वारा प्रयुक्त सूचना के आधार पर भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर निवेश की अग्रणीत राशि से उन्हें अलग करके आस्तियों एवं दायित्वों की प्रारम्भिक अग्रणीत राशि को मापता है।

- घ31कझ. किन्हीं अन्य मदों के साथ जो भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 38 के अनुसार व्यवस्था में प्रतिष्ठान के निवल निवेश के भाग होती है, इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए पूर्व में लेखांकित निवेश से उत्पन्न अन्तर तथा किसी ख्याति सहित आस्तियों तथा दायित्वों की निवल राशि जिसको मान्यता दी गई है, निम्नप्रकार होगी:
- (क) यदि किसी ख्याति सहित मान्यता प्राप्त आस्तियों तथा दायित्वों की निवल राशि अमान्यता प्राप्त निवेश (तथा कोई अन्य मदें जो प्रतिष्ठान के निवल निवेश का भाग होती हैं) से अधिक होती है तो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिधारित अर्जन के प्रति समायोजित किसी शेष बचे अन्तर के साथ निवेश से संबंधित किसी ख्याति के प्रति समंजित होगी।
- (ख) यदि किसी ख्याति सहित मान्यता प्राप्त आस्तियों तथा दायित्वों की निवल राशि अमान्यता प्राप्त निवेश की राशि (तथा कोई अन्य मदें जो प्रतिष्ठान के निवल निवेश के भाग होती हैं) से कम होती है तो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिधारित अर्जन के प्रति समायोजित होगी।
- घ31कज. इक्विटी पद्धति से आस्तियों तथा दायित्वों के लिए लेखांकन में परिवर्तित होने वाला प्रतिष्ठान अमान्यता प्राप्त निवेश तथा मान्यता प्राप्त आस्तियों एवं दायित्वों के बीच किसी शेष बचे अन्तर सहित जिसे प्रतिधारित अर्जन के प्रति समायोजित किया गया है भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर समाधान देता है।
- घ31कट. भारतीय लेखा मानक 12 के अनुच्छेद 15 तथा 24 में प्रारम्भिक मान्यता अपवाद तब लागू नहीं होता है जब प्रतिष्ठान संयुक्त परिचालन में अपने हित से संबंधित आस्तियों तथा दायित्वों को मान्यता देता है।

प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों में संक्रमण काल के उपबंध

- घ31कठ. एक प्रतिष्ठान जो भारतीय लेखा मानक 27 के अनुच्छेद 10 के अनुसार अपने पृथक वित्तीय विवरणों में संयुक्त परिचालन में अपने हित के लिए पूर्व में लागत पर निवेश के रूप में अथवा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लेखांकन करता था, निम्नप्रकार करेगा :
- (क) अनुच्छेद घ31कछ-घ31कझ के अनुसार निश्चित की गई राशियों पर संयुक्त परिचालन में अपने हित के संबंध में निवेश को अमान्य करेगा तथा आस्तियों एवं दायित्वों को मान्यता देगा।
- (ख) अमान्यता प्राप्त निवेश तथा प्रतिधारित अर्जन के प्रति समायोजित किसी शेष अन्तर सहित मान्यता प्राप्त आस्तियों तथा दायित्वों के बीच भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर समाधान देगा।

सतही खान के उत्पादन चरण में निकासी लागतें

- घ32. प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 16 के परिशिष्ट 'ख', *सतही खान के उत्पादन चरण की निकासी लागतें*, को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से लागू कर सकता है। भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर पूर्व में मान्यता प्राप्त उस आस्ति शेष को जो उत्पादन चरण के दौरान की गई निकासी गतिविधियों के परिणाम (पूर्व निकासी आस्ति) को उस वर्तमान आस्ति के भाग के रूप में उस सीमा तक पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे निकासी गतिविधि संबंधित है, जो अयस्क समूह के पहचानयोग्य घटक में शेष रह जाता है जिसके साथ पूर्व निकासी आस्ति को संबद्ध किया जा सकता है। ऐसे शेषों को अयस्क समूह के पहचान किए गए घटक के शेष प्रत्याशित जीवनकाल में मूल्यह्रासित या परिशोधित किया जाएगा जिससे पूर्व निकासी आस्ति शेष संबंधित होता है। यदि अयस्क समूह का कोई पहचान योग्य घटक नहीं है जिससे वह पूर्व निकासी आस्ति संबंधित होती है तो इसको भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण तारीख पर प्रारम्भिक प्रतिधारित अर्जन में मान्यता दी जाएगी।

गैर-वित्तीय मद खरीदने या बेचने के लिए अनुबंधों का पदनामांकन

- घ33. भारतीय लेखा मानक 109 गैर-वित्तीय मद को खरीदने या बेचने के लिए कुछ अनुबंधों को लाभ या हानि के माध्यम से (देखें भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद 2.5) उचित मूल्य पर मापे गए रूप में प्रारम्भ में अनुमति देता है। इस अपेक्षा के बावजूद, प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर उन अनुबंधों को पदनामित करने के लिए अनुमति दी गई है जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए रूप में उस तारीख पर पहले से विद्यमान होते हैं लेकिन ऐसा केवल तभी होता है यदि वे उस तारीख पर भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 2.5 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तथा प्रतिष्ठान एक जैसे सभी अनुबंधों को पदनामित करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

- घ 34. प्रथमबार अंगीकर्ता निम्नलिखित व्यावहारिक उपायों को एक या अधिक बार प्रयोग कर सकता है जब भारतीय लेखा मानक 115 को पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू किया जा रहा हो:
- (क) पूरे किए गए अनुबंधों के लिए प्रतिष्ठान के लिए उन अनुबंधों का पुनर्कथन करना आवश्यक नहीं है जो समान वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अन्दर शुरू होते हैं तथा समाप्त होते हैं;
- (ख) पूरे किए अनुबंधों के लिए, जिनके परिवर्तनशील प्रतिफल होते हैं, प्रतिष्ठान तुलनात्मक रिपोर्टिंग अवधियों में परिवर्तनशील प्रतिफल की राशियों का प्राक्कलन करने के बजाय, उस तारीख की लेन-देन कीमत का प्रयोग कर सकता है जिस तारीख पर अनुबंध पूरा किया गया था; तथा

(ग) प्रथम भारतीय लेखा मानक रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ होने के पहले प्रस्तुत सभी रिपोर्टिंग अवधियों के लिए प्रतिष्ठान द्वारा शेष कार्यनिष्पादन वाध्यताओं के प्रति आबंटित लेन-देन कीमत की राशि तथा इस बात के स्पष्टीकरण कि प्रतिष्ठान उस राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देने की प्रत्याशा करता है का प्रकटन अपेक्षित नहीं है।

घ34कक. अनुच्छेद घ 34 में किसी व्यावहारिक उपायों के लिए जिनका प्रतिष्ठान प्रयोग करता है, प्रतिष्ठान प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्टिंग अवधियों के लिए सभी अनुबंधों में संगत रूप से उस उपाय का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी सूचनाओं का प्रकटन करेगा:

(क) जिन उपायों के प्रयोग किये गये हैं; तथा

(ख) प्रत्येक उन उपायों का प्रयोग करने पर प्राक्कलित प्रभाव का गुणात्मक निर्धारण जिस सीमा तक उचित रूप से संभव हो सकता है।

घ35. प्रथमबार अंगीकर्ता द्वारा उन अनुबंधों का पुनर्कथन करना अपेक्षित नहीं है जो प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के पहले पूरे हो गए थे। एक पूरा किया हुआ अनुबंध वह अनुबंध है जिसके लिए प्रतिष्ठान ने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार पहचान की गई सभी वस्तुओं या सेवाओं को अंतरित कर दिया है।

बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्तियाँ तथा बन्द परिचालन

घ 35कक. भारतीय लेखा मानक 105 उन गैर-चालू आस्तियों (या निपटान समूहों) जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए मानदंड को पूरा करते हैं, उन गैर-चालू आस्तियों (या निपटान समूहों) जो स्वामियों को संवितरण के लिए धारित किए गये हैं तथा उन परिचालनों के लिए जो बन्द किए जाने के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मानदंड को पूरा करते हैं के लिए ऐसी पहचान की प्रारम्भिक तारीख पर अपनी अग्रणीत राशि तथा उचित मूल्य में से निम्नतर पर तथा बिक्री की लागत को घटाकर मापने की अपेक्षा करता है। प्रथमबार अंगीकर्ता निम्नप्रकार करता है:

(क) ऐसी आस्तियों तथा परिचालनों को भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर बेचने के लिए लागतों को घटाकर अग्रणीत राशि और उचित मूल्य में से निम्नतर स्तर पर माप सकता है; तथा

(ख) उस राशि तथा भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर उन आस्तियों की पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत निर्धारित की गई अग्रणीत राशि के बीच प्रतिधारित अर्जन में मान्यता दे सकता है।

परिशिष्ट ड

भारतीय लेखा मानकों से अल्पावधि छूटें

[देखें परिशिष्ट 1]

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 101, 'भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण' का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक 101 और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 1, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमबार अंगीकरण के बीच यदि कोई प्रमुख अन्तर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण तथा आई एफ आर एस 1 के बीच प्रमुख अन्तर

1. भारतीय लेखा मानक 101 का अनुच्छेद 3 यह विनिर्दिष्ट करता है कि प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण वे प्रथम वार्षिक वित्तीय विवरण हैं जिसमें प्रतिष्ठान कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानकों को अंगीकृत करता है जबकि 'आई एफ आर एस' 1 प्रथम आई एफ आर एस वित्तीय विवरणों के अनेक उदाहरण देता है।
2. 'आई एफ आर एस' के अनुच्छेद 4, 4क, 4ख, 23क तथा 23ख दृष्टान्तों के ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं जब प्रतिष्ठान इस 'आई एफ आर एस' का प्रयोग नहीं करता है। भारतीय लेखा मानक 101 कोई ऐसा उदाहरण नहीं देता है। 'आई एफ आर एस 1' की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 101 में इन अनुच्छेद संख्याओं को जारी रखा गया है।
3. आई एफ आर एस 1 पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' को उस लेखा आधार के रूप में परिभाषित करता है जिसे प्रथमबार अंगीकर्ता ने आई एफ आर एस को अंगीकार करने के तुरन्त पहले प्रयुक्त किया है। तथापि, भारतीय लेखा मानक 101, पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' को उस लेखा आधार के रूप में परिभाषित करता है जिसे प्रथम बार अंगीकर्ता भारत में अपनी रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के लिए भारतीय लेखा मानक को अंगीकार करने के तुरन्त पहले प्रयुक्त किया है। यह परिवर्तन भारतीय प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य कर देता है कि जब वे भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण करें, तो वे पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के रूप में लागू विद्यमान अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार वित्तीय विवरणों को विचार में लें।
4. 'आई एफ आर एस' 1 के अंतर्गत अनुच्छेद ग4(ग) अपेक्षा करता है कि प्रथमबार अंगीकर्ता अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र से पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार मान्य की गई किसी मद को छोड़ देगा जो भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत आस्ति या दायित्व के रूप में मान्यता के लिए योग्य नहीं होती है। प्रथमबार अंगीकर्ता कुछ विशिष्ट दृष्टान्तों को छोड़कर जहां ख्याति में

समायोजन की अपेक्षा होती है, संक्रमण की तारीख को प्रतिधारित अर्जन में उस परिणामी परिवर्तन का लेखा करेगा। ऐसे विशिष्ट दृष्टान्तों में, जहाँ आई एफ आर एस 1 ख्याति में समायोजन की अनुमति देता है, वहाँ भारतीय लेखा मानक 1 के अन्तर्गत इसे उस सीमा तक पूँजी आरक्षित के साथ समायोजित किया जा सकता है जहाँ तक ऐसी समायोजन राशि पूँजी आरक्षित में उपलब्ध शेष से अधिक नहीं होती है।

5. आई एफ आर एस 1 के अन्तर्गत दी गयी छूटों के अतिरिक्त भारतीय लेखा मानक 101 दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों तथा 'टोल' सड़कों से संबंधित सेवा रियायत व्यवस्थाओं में कुछ वैकल्पिक छूटों को भी देता है। तदनुसार, अनुच्छेद 6 तथा घ 22 को संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद घ 13 के बाद शीर्षक तथा अनुच्छेद घ 13कक जोड़े गए हैं।
6. अन्य आई एफ आर एस के पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रयोग के लिए कुछ विशेष आई एफ आर एस 1 अपवाद अन्य आई एफ आर एस के संक्रमणकालीन उपबन्धों का जिक्र करते हैं। तथापि, चूँकि भारतीय लेखा मानक संक्रमणकालीन उपबन्ध नहीं देते हैं अतः अन्य आई एफ आर एस के संक्रमणकालीन उपबन्धों को भारतीय लेखा मानक 101 के अनुच्छेदों ख 8क, ख 8ख, ख 8घ, ख 8ड., ख 8ड.क तथा ख 8ड.ख में शामिल किया गया है।
7. आई एफ आर एस 1 के परिशिष्ट 'घ' में कुछ विशेष छूटें अन्य 'आई एफ आर एस' के संक्रमणकालीन उपबन्धों का जिक्र करती हैं। तथापि, चूँकि भारतीय लेखा मानक संक्रमणकालीन उपबन्ध नहीं देते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया, अन्य आई एफ आर एस में उचित संक्रमणकालीन उपबन्धों को भारतीय लेखा मानक 101 के परिशिष्ट 'घ' की संबंधित छूटों में शामिल किया गया है। आई एफ आर एस 1 में निम्नलिखित अनुच्छेद अन्य आई एफ आर एस के संक्रमणकालीन उपबन्धों को प्रदान करते हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 101 में सम्मिलित किया गया है:
 - (i) अनुच्छेद घ 4 में आई एफ आर एस 4, *बीमा अनुबंध*, के संक्रमणकालीन उपबन्ध सम्मिलित है।
 - (ii) अनुच्छेद घ 9 में आई एफ आर आई सी 4, *यह निर्धारण करना की क्या की गयी व्यवस्था में कोई पट्टा समाविष्ट है*, उपबन्ध सम्मिलित है।
 - (iii) अनुच्छेद घ 22 में आई एफ आर आई सी 12, *सेवा रियायत व्यवस्था*, के संक्रमणकालीन उपबन्ध सम्मिलित है।
 - (iv) अनुच्छेद घ 25 में आई एफ आर आई सी 19, *इक्विटी लिखतों के साथ वित्तीय दायित्वों की समाप्ति*, के संक्रमणकालीन उपबन्ध सम्मिलित है।
 - (v) अनुच्छेद घ 31 में आई एफ आर एस 11, *संयुक्त व्यवस्थाएं*, के संक्रमणकालीन उपबन्ध सम्मिलित है।
 - (vi) अनुच्छेद घ 32 में आई एफ आर आई सी 20, *एक सतही खान के उत्पादन चरण की निकासी लागतें*, के संक्रमणकालीन उपबन्ध सम्मिलित है।
 - (vii) अनुच्छेद घ 34 व घ 35 में आई एफ आर एस 15, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व*, के संक्रमणकालीन उपबन्ध सम्मिलित है।
8. आई एफ आर एस 1 में वैसे वैकल्पिक छूटों के लिए उपबन्ध है जिन्हें प्रतिष्ठान अपने पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' से आई एफ आर एस की ओर संक्रमण के समय प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार के उपबन्ध भारतीय लेखा मानक 101 में जारी रखे गए हैं। तथापि, कुछ वैसे परिवर्तन किए गए हैं जिन्हें व्यापक रूप से निम्नलिखित के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:
 - (क) *भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पूर्व की प्रभावी तिथियों को हटाना। आई एफ आर एस 1 ऐसी विभिन्न तिथियों का प्रावधान करता है जिस तिथि से एक मानक क्रियान्वित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए,*
आई एफ आर एस 1 का अनुच्छेद घ 2 यह प्रावधान करता है कि उन इक्विटी लिखतों पर जो 7 नवम्बर, 2002 के बाद जारी किए गए थे तथा (क) आई एफ आर एस की ओर संक्रमण की तिथि और (ख) 1 जनवरी, 2005 में से जो बाद की तारीख हो उसके पहले निहित थे, प्रतिष्ठान को आई एफ आर एस 2 का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित तो किया जाए किन्तु उसके लिए ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, भारतीय लेखा मानक 101 के प्रयोजनों के लिए इन सभी तिथियों को प्रतिष्ठान द्वारा इन संपरिवर्तित मानकों अर्थात् भारतीय लेखा मानकों को अंगीकार करने के लिए चयनित संक्रमण की तिथि से मेल खाने के लिए परिवर्तित किया गया है।
 - (ख) *भारत के लिए अप्रासंगिक उधार लागत छूटों को हटाना:*
आई एफ आर एस 1 का अनुच्छेद घ 23 संक्रमण की तिथि के बाद आई एफ आर एस की ओर अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 23 के उपबन्धों का भावी प्रभाव से प्रयोग करने के लिए कंपनियों से संक्रमणकालीन समायोजन की अपेक्षा करने का उपबन्ध करता है। तथापि, इसे भारतीय परिस्थिति में प्रासंगिक नहीं समझा गया था। जैसाकि लेखा मानक 16 आई ए एस 23 की तुलना में उधार लागतों के पूँजीकरण की प्रतिष्ठान से हमेशा अपेक्षा करता है जबकि आई ए एस 23 में यह ऐसी उधार लागत को व्यय के रूप में लेने का विकल्प दिया था।
 - (ग) *भारत के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए मौजूदा छूटों का समावेश/संशोधन। उदाहरणार्थ:*
1 भारतीय लेखा मानक 16, *सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर* के पूर्व-व्यापी प्रयोग में संक्रमणकालीन राहत प्रदान करने के लिए अनुच्छेद घ 7कक जोड़ा गया है। पूर्ववर्ती जीएपी (गैप) के अनुसरण में भारतीय लेखा मानक के अन्तर्गत एक स्वीकार्य

- प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में, अनुच्छेद 7कक एक प्रतिष्ठान को यह विकल्प देता है कि वह भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमणकालीन की तिथि को इन आस्तियों के अग्रणीत मूल्यों का प्रयोग कर सकता है। भारतीय लेखा मानक 101 में अनुच्छेद 27 कक को सम्मिलित किया गया है जो इस प्रकटन की अपेक्षा करता है कि यदि एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 7 कक के अनुसरण में दिये गये छूट विकल्प का प्रयोग करता है, तो प्रतिष्ठान उस तथ्य व उस लेखांकन का प्रकटन तब तक करेगा जब तक कि प्रतिष्ठान के तुलन-पत्र से सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर की वे मदे निवेश सम्पत्तियां या अमूर्त आस्तियां जैसी भी स्थिति हो, अधिकांशतया मूल्याहसित, क्षतिग्रस्त या अमान्य नहीं हो जाती है।
- 2 भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे का प्रयोग करते हुए संक्रमण छूट प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 9 कक जोड़ा गया है। अनुच्छेद 9कक एक प्रतिष्ठान को संक्रमणकालीन तिथि के तथ्यों व परिस्थितियों की पट्टा व्यवस्थाओं के प्रयोग करने की अनुमति देता है। इसमें संक्रमणकालीन तिथि से भारतीय लेखा मानकों तक वित्त या परिचालन पट्टा के रूप में प्रत्येक कारक के वर्गीकरण के निर्धारण के लिए भूमि व भवन दोनों को सम्मिलित करता है। इसके अलावा, यदि कोई भूमि पट्टा है जो वित्त पट्टा के रूप में नयी नयी वर्गीकृत है तो प्रथमवार अंशी कर्त्ता उस तिथि पर आस्तियों व दायित्वों को उचित मूल्य पर मान्यता दे सकता है और उन दोनों उचित मूल्यों में कोई अन्तर है तो उसे प्रतिधारित अर्जन के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 3 भारतीय लेखा मानक 105, बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन का प्रयोग करते हुए संक्रमण काल छूट देने के लिए अनुच्छेद 35 कक जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद 35कक एक प्रतिष्ठान को यह अनुमति देते हैं कि वह संक्रमणकालीन तिथि की परिस्थितियों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की आस्तियों या परिचालनों का माप अग्रणीत मूल्य और बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य, इनमें से जो भी कम है, उस पर करे।
9. आई एफ आर एस 1 का परिशिष्ट ड. 'आई एफ आर एस' से अल्पकालीन छूटें, जबकि भारतीय लेखा मानक 101 उपर्युक्त अल्पकालीन छूटें नहीं देता है। फिर भी, आई एफ आर एस 1 की परिशिष्ट संख्याओं के साथ क्रमबद्धता (एकरूपता) बनाए रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 101 में परिशिष्ट 'ड.' को जारी रखा गया है।
10. आई एफ आर एस 9 'वित्तीय लिखतें' और आई एफ आर एस 15 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व क्रमशः 1 जनवरी 2018 व 1 जनवरी 2017 से प्रारम्भ वार्षिक अवधि से प्रभावी है। चूंकि उपर्युक्त दोनों मानक अभी प्रभावी नहीं हैं, इसलिए इन मानकों के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों को आई एफ आर एस 1 के वर्तमान पाठान्तर में सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि, तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक 109, 'वित्तीय लिखतें' और भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को आई एफ आर एस 1 सहित अन्य आई एफ आर एस के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों के साथ जारी कर दिया गया है। तदनुसार, भारतीय लेखा मानक 109 एवं भारतीय लेखा मानक 115 के परिणामस्वरूपी संशोधन भारतीय लेखा मानक 101 में सम्मिलित कर लिये गये हैं।
11. भारतीय लेखा मानक 101 में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे कि, शब्दों 'वित्तीय स्थिति विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलनपत्र' और शब्दों 'व्यापक आय विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
12. आई एफ आर एस 1 में निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटाये गये' के रूप में प्रदर्शित हैं। भारतीय लेखा मानक 101, की अनुच्छेद संख्याओं के साथ उक्त अनुच्छेदों की संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, अतः इस आशय से इन अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक में रहने दिया है:
- अनुच्छेद 19
 - अनुच्छेद 1 (ड)
 - अनुच्छेद 1 (ण)
 - अनुच्छेद 10-11
 - अनुच्छेद 24
 - अनुच्छेद 31

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 102

शेयर-आधारित भुगतान

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं, जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य किसी प्रतिष्ठान द्वारा किये गये शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन के वित्तीय रिपोर्टिंग का उल्लेख करना है। विशेष रूप से, किसी प्रतिष्ठान के शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के प्रभाव को उसके लाभ या हानि और वित्तीय स्थिति में दर्शाने की आवश्यकता होती है, जिसमें उन लेन-देनों से जुड़े व्यय भी शामिल हैं जो कर्मचारियों को शेयर विकल्पों के रूप में स्वीकृत स्वीकृतकिये गए हैं।

कार्यक्षेत्र

2. एक प्रतिष्ठान इस मानक को सभी शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के लिए लागू करेगा चाहे यह प्रतिष्ठान कुछ या सभी वस्तुओं या प्राप्त सेवाओं को विशेष रूप से विनिर्दिष्ट करता है या नहीं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :
- (क) *इक्विटी द्वारा निपटाये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन,*
- (ख) *नकदी रूप में निपटाये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन, और*
- (ग) वे लेन-देन जिनमें प्रतिष्ठान वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त या अधिग्रहण करता है और व्यवस्था की शर्तें इस बात का प्रावधान करती हैं कि या तो प्रतिष्ठान या उन वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को यह विकल्प होता है कि प्रतिष्ठान लेन-देन का निपटान नगद रूप से (या अन्य आस्तियों) के रूप में करे या 'इक्विटी' लिखतों को जारी करके करे,
- अनुच्छेद 3 क-6 में उल्लिखित को छोड़कर विशेष तौर पर पता लगाए जा सकने योग्य वस्तुओं या सेवाओं के अभाव में यदि अन्य परिस्थितियों से यह संकेत मिलता है कि वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त हुई हैं (या प्राप्त होंगी) तो उस स्थिति में यह मानक लागू होता है।
3. [देखें परिशिष्ट 1]
- 3 क किसी शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन का निपटान एक अन्य समूह प्रतिष्ठान (या किसी समूह प्रतिष्ठान का कोई शेयर धारक) द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के प्राप्तकर्ता या अधिग्रहणकर्ता प्रतिष्ठान की और से किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 उस प्रतिष्ठान पर भी लागू होता है जोकि:
- (क) वस्तुएं या सेवाएं तब प्राप्त करता है जब उसी समूह का एक अन्य प्रतिष्ठान (या किसी समूह प्रतिष्ठान का कोई शेयर धारक) शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन के निपटान की बाध्यता रखता है, या
- (ख) शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन के निपटान की तब बाध्यता रखता है जब उसी समूह का अन्य प्रतिष्ठान वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है
- जब तक कि लेन-देन स्पष्ट रूप से उन वस्तुओं या सेवाओं के प्राप्तकर्ता प्रतिष्ठान को की गई आपूर्ति के भुगतान से भिन्न न हो।
4. इस मानक के प्रयोजनों हेतु, प्रतिष्ठान के 'इक्विटी' लिखतों के धारक के रूप में किसी कर्मचारी (या अन्य पक्ष) के साथ किया गया लेन-देन शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्रतिष्ठान अपनी 'इक्विटी' लिखतों के किसी विशेष श्रेणी के सभी धारकों को किसी ऐसे मूल्य पर प्रतिष्ठान की अतिरिक्त 'इक्विटी' लिखतें अधिग्रहण करने का अधिकार स्वीकृत स्वीकृतकरता है जोकि उन 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य से कम है, और कोई कर्मचारी उस विशेष श्रेणी के 'इक्विटी' लिखतों का धारक होने के फलस्वरूप उक्त अधिकार प्राप्त करता (ती) है, तो उस अधिकार को स्वीकृत करने या प्रयोग करने पर इस मानक की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।
5. जैसा कि अनुच्छेद 2 में उल्लेख किया गया है, यह मानक ऐसे शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों पर लागू होता है जिसमें कोई प्रतिष्ठान वस्तुओं या सेवाओं को अधिग्रहित अथवा प्राप्त करता है। वस्तुओं में सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज), उपभोज्य वस्तुएं, सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त आस्तियां और अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां शामिल हैं। तथापि, एक प्रतिष्ठान उन लेन-देनों में इस मानक को लागू नहीं करेगा जिनमें वह प्रतिष्ठान वस्तुओं का अधिग्रहण करता है, शुद्ध आस्तियों के एक भाग के रूप में, जो एक व्यावसायिक संयोजन, जिसे भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन*, में परिभाषित किया गया है में अधिग्रहीत की गयी है, प्रतिष्ठानों या व्यवसायों का एक संयोजन में जो समान नियंत्रण, जो भारतीय लेखा मानक 103 के परिशिष्ट ग में यथावर्णित है, के अंतर्गत है, या एक व्यवसाय का अंशदान एक संयुक्त उद्यम, जो भारतीय लेखा मानक 111, *संयुक्त व्यवस्थाएं*, में परिभाषित है, के गठन पर लागू नहीं करेगा। इसलिए अधिग्राही के नियंत्रण के बदले व्यवसायिकसंयोजन में जारी किये गये 'इक्विटी' लिखत इस मानक के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। तथापि, अधिग्राही के कर्मचारियों को कर्मचारी के रूप में (अर्थात् सतत सेवा के प्रतिफल में) स्वीकृत किये गए 'इक्विटी' लिखतें इस मानक के कार्यक्षेत्र में आते हैं। इसी तरह से, व्यवसायिक संयोजन या अन्य 'इक्विटी' पुनर्गठन के कारण *शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं* के निरसन, प्रतिस्थापन या अन्य आशोधन का लेखा इस मानक के अनुसार किया जाएगा। भारतीय लेखा मानक 103 इस बात के निर्धारण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि क्या व्यवसायिक संयोजन में जारी किये गए 'इक्विटी' लिखत, अधिग्राही के नियंत्रण के बदले अंतरित किये गए प्रतिफल का भाग है (और इसलिए भारतीय लेखा मानक 103 के कार्यक्षेत्र के अंदर आता है) या संयोजनोत्तर संयोजन अवधि में मान्य की जाने वाली सतत सेवा के लिए प्रतिफल है (और इसलिए इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंदर आता है)।
6. यह मानक उन शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों पर लागू नहीं होता है, जिनमें प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतिकरण* के अनुच्छेद 8-10 या भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें* के अनुच्छेद 2.4 - 2.7 के कार्यक्षेत्र के अंदर एक अनुबंध के अधीन वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त या अधिग्रहित करता है।
- 6 क यह मानक 'उचित मूल्य' शब्द का प्रयोग भारतीय लेखा मानक 113, *उचित मूल्य माप*, की परिभाषा से कुछ हट कर करता है। अतः, जब भारतीय लेखा मानक 102 का प्रयोग किया जाए तो प्रतिष्ठान उचित मूल्य का माप इस मानक के अनुसरण में करेगा, न कि भारतीय लेखा मानक 113।

7. कोई प्रतिष्ठान किसी शेयर आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन में प्राप्त या अधिग्रहीत वस्तुओं या सेवाओं को तभी मान्यता देगा जब वह वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त कर लेता है। प्रतिष्ठान 'इक्विटी' में तदनु रूप वृद्धि को तभी मान्यता देगा जब वस्तुएं या सेवाएं किसी 'इक्विटी' द्वारा निपटायें गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन में प्राप्त हुई थी या दायित्व के रूप में वस्तुओं या सेवाओं को नकद-निपटायें गए शेयर आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन में अधिग्रहित किया गया था।
8. जब शेयर आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन में प्राप्त या अधिग्रहीत वस्तुएं या सेवाएं आस्तियों के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए अर्हक न हो, तो उन्हें व्यय के रूप में मान्यता दी जायेगी।
9. व्यय विशेषतः वस्तुओं या सेवाओं के उपभोग से उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, विशेषतः सेवाओं का तत्काल उपभोग किया जाता है और ऐसे मामले में व्यय को मान्यता तब दी जाती है जब प्रतिपक्ष (काउन्टर पार्टी) सेवा प्रदान करती है। वस्तुओं का उपभोग एक समयावधि के भीतर किया जा सकता है या बाद की तिथि में बेचा जा सकता है, जैसे कि सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज), इस मामले में व्यय को तभी मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं का उपभोग कर लिया जाता है या बेच दी जाती है। तथापि, कभी कभी वस्तुओं या सेवाओं के उपभोग कर लिये जाने या बेच दिये जाने से पूर्व व्यय को मान्यता देना आवश्यक हो जाता है क्योंकि वे आस्तियों के रूप में मान्यता के लिए अर्हक नहीं होती हैं। उदाहरणार्थ, एक प्रतिष्ठान एक नये उत्पाद को विकसित करने संबंधी परियोजना की अनुसंधानिक अवस्था के भाग के रूप में वस्तुओं का अधिग्रहण कर सकता है। यद्यपि वे वस्तुएं उपभोग नहीं की गई हैं, इसलिए वे लागू भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अंतर्गत आस्तियों के रूप में मान्यता के लिए अर्हक नहीं हो सकती हैं।

इक्विटी द्वारा निपटायें गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन

पुनरावलोकन (परिदृश्य)

10. 'इक्विटी' द्वारा निपटायें गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के लिए प्रतिष्ठान, प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं और इक्विटी में तदनु रूपी वृद्धि का माप, प्रत्यक्ष रूप से, प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं के उचित मूल्य पर करेगा जब तक कि उस उचित मूल्य का प्राक्कलन विश्वसनीय रूप से नहीं किया जा सकता है। यदि प्रतिष्ठान प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं के उचित मूल्य का विश्वसनीय रूप से प्राक्कलन नहीं कर सकता है तो प्रतिष्ठान उनके मूल्य और 'इक्विटी' में तदनु रूपी वृद्धि का माप अप्रत्यक्ष रूप से मापन स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य² के संदर्भ में करेगा।
11. इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों और अन्य³, के साथ हुए लेन-देनों पर अनुच्छेद 10 की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए प्रतिष्ठान स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य के संदर्भ में प्राप्त की गई सेवाओं के उचित मूल्य का मापकरेगा क्योंकि विशेष रूप से, जैसा कि अनुच्छेद 12 में स्पष्ट किया गया है, प्राप्त की गई सेवाओं के उचित मूल्य का विश्वसनीय रूप से प्राक्कलन करना संभव नहीं है। उन 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य का माप स्वीकृति की तिथि पर किया जायेगा।
12. विशेषतः, शेयर, शेयर विकल्पों या अन्य 'इक्विटी' लिखतें कर्मचारियों को उनके पारिश्रमिक पैकेज के एक भाग के रूप में, नकद वेतन और रोजगार के अन्य लाभों के अतिरिक्त स्वीकृत किये जाते हैं। सामान्य तौर पर यह संभव नहीं है कि प्राप्त की गई सेवाओं का माप प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी की पारिश्रमिक पैकेज के विशिष्ट घटकों के लिए किया जा सके। यह भी संभव नहीं हो सकता है कि कुल पारिश्रमिक पैकेज के उचित मूल्य का माप प्रदान किए गए 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य का प्रत्यक्ष मापकिये बिना स्वतंत्र रूप से किया जा सके। इसके साथ ही, कभी कभी शेयर या शेयर विकल्पों को, मूल पारिश्रमिक के भाग के रूप में न करके बोनस व्यवस्था के रूप में स्वीकृत किया जाता है जैसे कि कर्मचारियों को प्रतिष्ठान के रोजगार में बने रहने का प्रोत्साहन या प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए किये गये उनके प्रयासों हेतु उन्हें पुरस्कार के रूप में। अन्य पारिश्रमिक के अतिरिक्त शेयर या शेयर विकल्प स्वीकृत करके प्रतिष्ठान उनसे अतिरिक्त लाभ प्राप्ति के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान कर रहा है। उन अतिरिक्त लाभों के उचित मूल्य के प्राक्कलन करने की संभावना कठिन है। क्योंकि प्राप्त की गई सेवाओं के उचित मूल्य का सीधे मापन करना काफी कठिन हो सकता है। प्राप्त सेवाओं के उचित मूल्य का प्रत्यक्ष रूप से माप करने में होने वाली कठिनाई के कारण, प्रतिष्ठान प्राप्त की गई कर्मचारी सेवाओं के उचित मूल्य का माप स्वीकृत किये गए 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य के संदर्भ में करेगा।

² इस मानक में शब्द 'में' के स्थान पर 'के संदर्भ में' का प्रयोग किया गया है क्योंकि लेन-देन का माप अंततः स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य जिसे अनुच्छेद 11 अथवा 13 (जो भी लागू हो) में विनिर्दिष्ट तिथि को मापा जाता है, को 'इक्विटी' निहित है जैसा कि अनुच्छेद 19 में स्पष्ट किया गया है, से गुणा करके किया जाता है।

³ इस मानक के अवशेष में कर्मचारियों से संबंधित सभी संदर्भों में सभी अन्यो को उपलब्ध करायी गई इसी प्रकार की सेवाएं भी शामिल होंगी।

13. अनुच्छेद 10 की अपेक्षाओं को कर्मचारियों से भिन्न अन्य पक्षों (पार्टियों) के साथ लेन-देन हेतु लागू करने के लिए यह खंडनीय धारणा होगी कि प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं के उचित मूल्य का प्राक्कलन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है। उस उचित मूल्य का माप प्रतिष्ठान द्वारा वस्तुएं प्राप्त करने की तिथि को या प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) द्वारा सेवा प्रदान करने की तिथि को किया जायेगा। बिरले मामलों में यदि प्रतिष्ठान इस धारणा का खण्डन करता है, क्योंकि वह प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं के उचित मूल्य का माप विश्वसनीय रूप से नहीं कर सकता है तो प्रतिष्ठान प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं और 'इक्विटी' में तदनुसूची वृद्धि का माप अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य, जो कि उस तिथि पर मापा जाता है जब प्रतिष्ठान वस्तुएं प्राप्त करता है या प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) सेवा प्रदान करती है, के संदर्भ में करता है।
- 13 क विशेष रूप से, यदि प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त (यदि कोई है) अभिज्ञेय प्रतिफल वहन किए गए दायित्व या स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य से कम प्रतीत होता है तो ऐसी विशिष्ट स्थिति यह बताती है कि प्रतिष्ठान द्वारा अन्य प्रतिफल (अर्थात् गैर-अभिज्ञेय वस्तुएं या सेवाएं) प्राप्त कर लिया गया है (या प्राप्त कर लिया जायेगा)। प्रतिष्ठान प्राप्त की गई गैर-अभिज्ञेय वस्तुओं या सेवाओं का माप इस मानक के अनुसार करेगा। प्रतिष्ठान, प्राप्त की गई (या प्राप्त की जाने वाली) गैर-अभिज्ञेय वस्तुओं या सेवाओं का माप शेयर-आधारित भुगतान के उचित मूल्य और प्राप्त की गई (या प्राप्त की जाने वाली) किन्हीं अभिज्ञेय वस्तुओं या सेवाओं के उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में करेगा। प्रतिष्ठान प्राप्त की गई गैर-अभिज्ञेय वस्तुओं या सेवाओं का माप तिथि को करेगा। तथापि, नकद रूप में निपटाये गए लेन-देनों के लिए, दायित्व का पुनर्माप प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाएगा जब तक कि इसका अनुच्छेद 30-33 के अनुसार निपटान नहीं हो जाता है।

प्राप्त सेवाओं के लेनदेन

14. यदि 'इक्विटी' लिखतें तत्काल स्वीकृत करना *निहित* है, तो काउंटर पार्टी के लिए उन 'इक्विटी' लिखतों का बिना शर्त हकदार बनने से पहले सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि को पूरा करना अपेक्षित नहीं है। इसके विपरीत साक्ष्य की अभाव में प्रतिष्ठान यह मान लेगा कि प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) द्वारा 'इक्विटी' लिखतों के लिए प्रतिफल के रूप में प्रस्तुत की गई सेवाएं प्राप्त कर ली गई हैं। इस मामले में स्वीकृति तिथि को प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से प्राप्त की गई सेवाओं तथा 'इक्विटी' में तदनुसूची वृद्धि को मान्यता देगा।
15. यदि स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतें *निहित* नहीं होते जब तक प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेता है, प्रतिष्ठान यह मान लेगा कि प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) द्वारा प्रस्तुत की गई सेवाओं को उन 'इक्विटी' लिखतों के प्रतिफल के रूप में *निहित अवधि* के दौरान भविष्य में प्राप्त किया जायेगा। प्रतिष्ठान उन सेवाओं का लेखा, इक्विटी में तदनुसूची वृद्धि के साथ, तब करेगा जब प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) *निहित अवधि* के दौरान सेवाएं प्रस्तुत करेगा। उदाहरणार्थ :
- (क) यदि किसी कर्मचारी को शेयरविकल्प तीन वर्षों की सेवावधि पूरी करने पर स्वीकृत किया जाना हो, तो प्रतिष्ठान कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को शेयर विकल्पों के प्रतिफल के रूप में उक्त *निहित* तीन वर्षों की अवधि पूरी होने पर भविष्य में प्राप्त कर लिया जायेगा।
- (ख) यदि किसी कर्मचारी को कार्य-निष्पादन स्थिति की उपलब्धि की शर्त पर और प्रतिष्ठान के रोजगार में कार्य-निष्पादन की शर्त प्राप्त करने तक बने रहने पर शेयर विकल्प स्वीकृत किए जाते हैं तथा *निहित अवधि* का समय अलग अलग होता है जोकि इस पर निर्भर है कि कब कार्य निष्पादन की शर्त पूरी होगी, प्रतिष्ठान यह मान लेगा कि शेयर विकल्पों के लिए कर्मचारी द्वारा प्रतिफल के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं संभावित *निहित अवधि* के दौरान भविष्य में प्राप्त की जायेगी। प्रतिष्ठान स्वीकृत करने की तिथि पर संभावित *निहित अवधि* के समय का आकलन करेगा जो कि कार्य-निष्पादन की स्थिति के संभावित परिणाम पर आधारित होगा। यदि कार्य-निष्पादन की स्थिति *बाजार की स्थिति* है तो संभावित *निहित अवधि* के समय का अनुमान, स्वीकृत विकल्पों के उचित मूल्य के आकलन में इस्तेमाल की गई धारणाओं से अनुरूप होगा और उसे बाद में संशोधित नहीं किया जायेगा। यदि कार्यनिष्पादन स्थिति बाजार की स्थिति नहीं है तो प्रतिष्ठान *निहित अवधि* के समय के अपने अनुमान को, यदि आवश्यक है, और यदि परवर्ती सूचना यह इंगित करती है कि *निहित अवधि* का समय पूर्व अनुमानों से भिन्न है तब संशोधित करेगा।

स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य के संदर्भ में मापे गये लेन-देन

स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण

16. स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य के संदर्भ में मापे गये लेन-देनों के लिए प्रतिष्ठान माप तिथि को स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य का माप बाजार कीमतों के आधार पर, यदि उपलब्ध है, उन शर्तों एवं निबंधनों को ध्यान में रखकर करेगा, जिनपर वे 'इक्विटी' लिखत स्वीकृत किये गए थे, (अनुच्छेद 19-22 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए)।
17. यदि बाजार कीमत उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिष्ठान मूल्यांकन तकनीक का इस्तेमाल करके स्वीकृत किये गए 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य का आकलन करेगा कि उन 'इक्विटी' लिखतों की कीमत, ज्ञानवान, इच्छुक पार्टियों के बीच निकटतम लेन-देन में मापकी तिथि पर होती। मूल्यांकन तकनीक, वित्तीय लिखतों के मूल्य निर्धारण के लिए सामान्यतः स्वीकार्य मूल्यांकन कार्य प्रणालियों के सुसंगत होगी और इसमें उन सभी तथ्यों और अवधारणाओं को शामिल किया जायेगा जो कि ज्ञानवान, इच्छुक बाजार प्रतिभागियों द्वारा मूल्य को (अनुच्छेद 19-22 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए) निर्धारित करने में विचारणीय होगी।

18. परिशिष्ट ख में उन विशेष शर्तों एवं निबंधनों को ध्यान में रखकर शेयर और शेयर विकल्पों के उचित मूल्य के मापके संबंध में और भी अतिरिक्त मार्गदर्शन दिए गए हैं जोकि कर्मचारियों को शेयर या शेयर विकल्प स्वीकृत करने की सामान्य विशेषताएं हैं।

निहित शर्तों का व्यवहार

19. 'इक्विटी' लिखतों को स्वीकृत करना सशर्त हो सकता है, जब विनिर्दिष्ट निहित शर्तों को पूरा किया जाता है। उदाहरणार्थ, किसी कर्मचारी को शेयरों या शेयर विकल्पों को स्वीकृत करने की एक विशेष शर्त यह हो सकती है कि वह कर्मचारी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए प्रतिष्ठान के रोजगार में बना रहे। कार्य-निष्पादन की शर्तें भी हो सकती हैं, जिन्हें अवश्य पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि प्रतिष्ठान द्वारा लाभ में विनिर्दिष्ट वृद्धि को प्राप्त करना या प्रतिष्ठान के शेयर मूल्य में विनिर्दिष्ट वृद्धि होना। बाजार शर्तों से भिन्न, निहित शर्तों को ध्यान में नहीं रखा जायेगा जब माप तिथि पर शेयर या शेयर विकल्पों के उचित मूल्य का आकलन किया जाता है। इसके स्थान पर, निहित शर्तों को बहुत से 'इक्विटी' लिखतों, जिनमें लेन-देन की राशि का माप भी शामिल है, को समायोजित करके हिसाब में लिया जायेगा ताकि अंततः स्वीकृत किये गए 'इक्विटी' लिखतों के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए अंततोगत्वा निहित मान्य राशि 'इक्विटी' लिखतों की संख्या पर आधारित होगी। अतः मिश्रित आधार पर कोई भी राशि प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए मान्य नहीं की गई है, यदि स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतें निहित शर्तों को पूरा नहीं कर पाने के कारण निहित नहीं किये जाते हैं उदाहरणार्थ प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) विनिर्दिष्ट सेवा अवधि पूरा करने में सफल नहीं होते हैं या अनुच्छेद 21 की अपेक्षाओं को पूरा न करने की शर्त के अधीन कार्य-निष्पादन शर्त पूरी नहीं हो पाती हैं।
20. अनुच्छेद 19 की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए प्रतिष्ठान निहित करने हेतु संभावित 'इक्विटी' लिखतों की संख्या के सर्वोत्तम उपलब्ध आकलन पर आधारित निहित अवधि के दौरान प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए किसी राशि को मान्यता देगा और यदि आवश्यक हो, तो उस आकलन को संशोधित करेगा जो बाद में प्राप्त सूचना से पता चलता है कि निहित संभावित 'इक्विटी' लिखतों की संख्या पूर्व आकलनों से भिन्न है। प्रतिष्ठान अनुच्छेद 21 की अपेक्षाओं के अनुसार निहित तिथि को अंततोगत्वा निहित किये गए 'इक्विटी' लिखतों की संख्या को बराबर करने के लिए आकलन को संशोधित करेगा।
21. बाजार शर्तें, जैसे कि लक्षित शेयर की कीमत जिसके आधार पर निहितिकरण (या प्रयोज्यात्मकता) निर्भर हो, स्वीकृत किये गए 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य के आकलन के समय हिसाब में लिया जायेगा। अतः बाजार शर्तों के साथ 'इक्विटी' लिखतों को स्वीकृत करने के लिए प्रतिष्ठान उस प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं को मान्यता प्रदान करेगा जो अन्य सभी निहितिकरण की शर्तों (अर्थात् विनिर्दिष्ट सेवावधि में सेवारत रहने वाले कर्मचारी से प्राप्त सेवाओं) को, चाहे वह बाजार शर्त पूरी करती हो या नहीं, पूरी करेगा।

गैर-निहित शर्तों का व्यवहार

- 21 क इसी प्रकार से, प्रतिष्ठान स्वीकृत किये गए 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य का आकलन करते समय सभी गैर-निहित शर्तों को ध्यान में रखेगा। अतः गैर-निहित शर्तों के साथ 'इक्विटी' लिखतों को स्वीकृत करने के लिए प्रतिष्ठान उस प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं को मान्यता प्रदान करेगा जो उन सभी ऐसी निहित शर्तों को पूरी करता है जो बाजार शर्तें नहीं हैं (उदाहरणार्थ विनिर्दिष्ट सेवावधि में सेवारत रहने वाले कर्मचारी से प्राप्त सेवाएं) चाहे वे गैर-निहित शर्तें पूरी करती हो या नहीं।

रीलोड विशेषता का व्यवहार

22. रीलोड विशेषता के साथ विकल्पों के लिए रीलोड विशेषता को माप तिथि पर स्वीकृत किये गए विकल्पों के उचित मूल्य के आकलन के समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा। इसके स्थान पर बाद में जब कभी रीलोड विकल्प स्वीकृत किया जाएगा, रीलोड विकल्प को एक नए विकल्प स्वीकृत के रूप में लेखा किया जायेगा।

निहित तिथि के पश्चात्

23. अनुच्छेद 10-22 के अनुसार प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं को मान्यता देने और तदनुरूप 'इक्विटी' में वृद्धि करने के बाद, प्रतिष्ठान निहित तिथि के पश्चात् कुल 'इक्विटी' का कोई समायोजन बाद में नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, यदि निहित 'इक्विटी' लिखतों को बाद में जब्त कर लिया जाता है या शेयर विकल्पों के मामले में विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो प्रतिष्ठान कर्मचारी से प्राप्त की गई सेवाओं के लिए मान्य राशि को बाद में उलट नहीं करेगा। तथापि, यह अपेक्षा प्रतिष्ठान को 'इक्विटी' के भीतर अंतरण करने के लिए अर्थात् 'इक्विटी' के एक घटक से दूसरे में अंतरित करने के लिए मान्यता प्रदान करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी।

यदि इक्विटी वित्त लिखतों के उचित मूल्य का अनुमान विश्वसनीय रूप से नहीं किया जा सकता⁴

24. अनुच्छेद 16-23 में अपेक्षाएं तभी लागू होती हैं जब प्रतिष्ठान को स्वीकृत किए गए 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य के संदर्भ द्वारा शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन को मापने की अपेक्षा होती है। बिरले मामलों में, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 16-22 की अपेक्षाओं के अनुसार माप तिथि पर स्वीकृत किये गए 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य का विश्वसनीय रूप से अनुमान करने में समर्थ नहीं हो सकता है। केवल इन बिरले मामलों में ही प्रतिष्ठान इसके स्थान पर निम्नलिखित करेगा :

⁴ उदाहरण के लिए, कर्मचारियों को स्वीकृत किए गए शेयर विकल्पों के मामले में उपयुक्त 'इक्विटी' खाते यथा, 'शेयर विकल्प बकाया खाता' (सेवाएं प्राप्त करने पर) में दिये गये उधार दूसरे उपयुक्त इक्विटी खाता, यथा 'साधारण आरक्षित' में अंतरित किये जा सकते हैं जब विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है।

(क) प्रतिष्ठान प्रारंभ में उस तिथि को 'इक्विटी' लिखतों के आंतरिक मूल्य का मापकरेगा जिस दिन यह वस्तुएं प्राप्त करता है या प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) सेवाएं प्रदान करती है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में तथा अंतिम निपटान की तिथि को लाभ या हानि में मान्य किये गए आंतरिक मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन के साथ मापकरेगा। शेयर विकल्प स्वीकृत करने के लिए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था अन्ततः निपटान की जाती है जब प्रयोग किये गए विकल्प जब्त कर लिये जाते हैं (अर्थात् रोजगार समाप्त होने पर) या समाप्त हो जाते हैं (विकल्प के जीवन काल के अंत में)।

(ख) 'इक्विटी' लिखतों की संख्या के आधार पर प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं की मान्यता, जो कि अंततः निहित होते हैं या (जहां भी लागू है) अंततः प्रयोग में लाए जाते हैं। शेयर विकल्पों पर इस अपेक्षा को लागू करने के लिए, उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान निहित अवधि के दौरान प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं, यदि कोई है, को अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार मान्यता प्रदान करेगा सिवाय इसके कि बाजार स्थिति से संबंधित अनुच्छेद 15 (ख) की अपेक्षाएं उन पर लागू नहीं होती हैं। निहित अवधि के दौरान प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं की मान्य राशि, निहित किये जाने वाले संभावित शेयर विकल्पों की संख्या पर आधारित होगी। प्रतिष्ठान उक्त अनुमान को, यदि आवश्यक हो, संशोधित करेगा, यदि बाद की सूचना यह इंगित करती है कि निहित किये जाने वाले संभावित शेयर विकल्पों की संख्या पूर्व अनुमानों से भिन्न है। निहित तिथि पर प्रतिष्ठान अंततः निहित किये गए 'इक्विटी' लिखतों की संख्या के बराबर करने के लिए अनुमान को संशोधित करेगा। निहित तिथि के बाद यदि शेयर विकल्पों को बाद में जब्त कर लिया गया जाता है या शेयर विकल्प के जीवनकाल के अंत में समाप्त हो जाते हैं तो प्रतिष्ठान वस्तुओं या सेवाओं के लिए मान्य की गई राशि को उलट देगा।

25. यदि कोई प्रतिष्ठान अनुच्छेद 24 को लागू करता है तो अनुच्छेद 26 - 29 को लागू करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उन शर्तों एवं निबंधनों में कोई आशोधन नहीं किया जाएगा जिनके आधार पर 'इक्विटी' लिखतों को स्वीकृत किया गया था और अनुच्छेद 24 में दी गई आंतरिक मूल्य प्रणाली को लागू करते समय ध्यान में रखा जाएगा। तथापि, यदि कोई प्रतिष्ठान ऐसे 'इक्विटी' लिखतों की स्वीकृति निपटाना चाहता है, जिन पर अनुच्छेद 24 लागू किया गया है :

(क) यदि निपटान निहित अवधि के दौरान होता है, तो प्रतिष्ठान, निहित करने में तेजी लाने के उद्देश्य से निपटान पर ध्यान देगा और इसलिए उस राशि को तत्काल मान्यता प्रदान करेगा जोकि निहित अवधि की शेष अवधि में प्राप्त की गई सेवाओं के लिए अन्यथा मान्य की गई होती।

(ख) निपटान पर किया गया कोई भुगतान 'इक्विटी' लिखतों की पुनर्खरीद के रूप में माना जायेगा अर्थात् 'इक्विटी' से कटौती करने के रूप में, सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक भुगतान पुनर्खरीद की तिथि पर 'इक्विटी' लिखतों के आंतरिक मूल्य का किया गया माप, से अधिक भुगतान होता है। ऐसी किसी अधिक राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

'इक्विटी' लिखतों की स्वीकृति की शर्तों एवं निबंधनों का आशोधन तथा निरसन एवं निपटान

26. कोई प्रतिष्ठान उन शर्तों एवं निबंधनों को आशोधित कर सकता है जिन पर 'इक्विटी' लिखत स्वीकृत किए गए थे। उदाहरणार्थ, कर्मचारियों को स्वीकृत किये गए विकल्पों के प्रयोग कीमत (अर्थात् विकल्पों का पुनर्मूल्यन करना) को कम कर सकता है जो उन विकल्पों के उचित मूल्य को बढ़ाता है। अनुच्छेद 27- 29 में दी गई अपेक्षाएं, जो आशोधनों के प्रभावों का लेखा करती हैं, को कर्मचारियों के साथ शेयर-आधारित भुगतान सम्बन्धी लेन-देन के प्रसंग में बताया गया है। हालांकि ये अपेक्षाएं कर्मचारियों के अलावा दूसरी पक्षों (पार्टियों) के साथ शेयर आधारित संबंधी भुगतान लेन-देनों पर भी लागू होंगी जो स्वीकृत किये गए 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य के संदर्भ द्वारा मापे गये हैं। बाद वाले मामलों में, स्वीकृति की तिथि के संबंध में अनुच्छेद 27 - 29 में दिये गए कोई संदर्भ बजाय उस तिथि से होंगे जिस तिथि को प्रतिष्ठान वस्तुएं प्राप्त करता है या प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) सेवाएं प्रदान करती है।

27. प्रतिष्ठान स्वीकृत किये गये 'इक्विटी' लिखतों की स्वीकृति की तिथि पर मापे गए उचित मूल्य को प्राप्त की गई सेवाओं के लिए मान्य न्यूनतम रूप से करेगा जब तक कि वे 'इक्विटी' लिखत निहित करने की शर्त (बाजार शर्त से भिन्न) को पूरा न करने के कारण निहित नहीं किये जाते हैं, जो स्वीकृति की तिथि को विनिर्दिष्ट की गई थी। यह उन शर्तों एवं निबंधनों में किसी आशोधन के होते हुए भी लागू होता है जिनके आधार पर 'इक्विटी' लिखत स्वीकृत किए गए थे या उन स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतों का निरसन या निपटान होने पर भी लागू होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान आशोधनों के उन प्रभावों को मान्यता देगा जो शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था के कुल उचित मूल्य में वृद्धि करता है या अन्यथा कर्मचारियों के लिए लाभकारी है। इस अपेक्षा को लागू करने संबंधी मार्गदर्शन, परिशिष्ट ख में दिया गया है।

28. यदि निहित अवधि के दौरान 'इक्विटी' लिखतों की स्वीकृति का निरसन या निपटान कर दिया जाता है (निहित शर्तें पूरी न होने पर जब्ती द्वारा स्वीकृति निरसित किए जाने से भिन्न):

(क) प्रतिष्ठान निहित करने के संवर्द्धन (एक्सेलरेशन) के रूप में निरसन या निपटान को लेखांकित करेगा और इसलिये उस राशि को तत्काल मान्यता प्रदान करेगा जो निहित अवधि की शेष अवधि में प्राप्त की गई सेवाओं के लिए अन्यथा मान्य की गई होती।

(ख) स्वीकृति के निरसने या निपटान करने पर किसी कर्मचारी को किये गए किसी भुगतान को 'इक्विटी' ब्याज की पुनर्खरीद के रूप में अर्थात् 'इक्विटी' से कटौती के रूप में लेखांकित किया जायेगा, सिवाय उस सीमा तक जहां तक भुगतान पुनर्खरीद की तिथि को मापे गये स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य से अधिक है। ऐसी किसी अधिक राशि को व्यय के रूप में मान्यता प्रदान दी जायेगी। तथापि, यदि शेयर आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था में दायित्व घटक शामिल हैं तो प्रतिष्ठान निरसन या निपटान करने की तिथि को दायित्व के उचित मूल्य का पुनर्माप करेगा। दायित्व घटक के निपटान के लिए किये गए किसी भी भुगतान को दायित्व की समाप्ति के रूप में लेखांकित करेगा।

(ग) यदि कर्मचारी को नए 'इक्विटी' लिखत स्वीकृत किये जाते हैं और उस तिथि को, जब वे नए 'इक्विटी' लिखत स्वीकृत किये जाते हैं, प्रतिष्ठान निरसित किये गये 'इक्विटी' लिखत के लिए प्रतिस्थापन 'इक्विटी' लिखतों के रूप में स्वीकृत किये गये नए 'इक्विटी' लिखत की पहचान करेगा और प्रतिस्थापन 'इक्विटी' लिखतों को स्वीकृत करने के लिए उसी प्रकार लेखा करेगा जैसा कि अनुच्छेद 27 और परिशिष्ट ख में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार 'इक्विटी' लिखतों के मूल स्वीकृति के आशोधन के रूप में किया गया है। स्वीकृति किया गया वृद्धिशील उचित मूल्य, प्रतिस्थापन 'इक्विटी' लिखतों की स्वीकृत करने की तिथि पर, प्रतिस्थापन 'इक्विटी' लिखत के उचित मूल्य तथा निरसित किये गये 'इक्विटी' लिखतों के शुद्ध उचित मूल्य के बीच का अंतर है। निरसित किये गए 'इक्विटी' लिखतों का शुद्ध उचित मूल्य, उनका वही उचित मूल्य है जो निरसित करने से तत्काल पूर्व है जिसमें से 'इक्विटी' लिखतों के निरसित करने पर कर्मचारी को किये गए किसी भुगतान की राशि को घटा दिया गया है जो कि ऊपर (ख) के अनुसार 'इक्विटी' से कटौती के रूप में लेखांकित की गयी है। यदि कोई प्रतिष्ठान निरसित किये गये 'इक्विटी' लिखतों के लिए प्रतिस्थापन 'इक्विटी' लिखतों के रूप में स्वीकृत किये गये नये 'इक्विटी' लिखतों की पहचान नहीं करता है तो प्रतिष्ठान उन नये 'इक्विटी' लिखतों को नये स्वीकृत किये गये 'इक्विटी' लिखतों के रूप में लेखांकित करेगा।

28 क यदि कोई प्रतिष्ठान या प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) गैर-निहित शर्त को पूरा करने के लिए चुन सकती है तो प्रतिष्ठान, उक्त प्रतिष्ठान या प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) द्वारा निहित अवधि के दौरान उस गैर-निहित शर्त के पूरा ना करने को निरसन के रूप में लेगा।

29. यदि कोई प्रतिष्ठान निहित किये गये 'इक्विटी' लिखतों की पुनर्खरीद करता है तो कर्मचारी को किये गये भुगतान को 'इक्विटी' से कटौती के रूप में लेखा किया जायेगा सिवाय उस सीमा को छोड़कर जहां भुगतान पुनः खरीदे गये 'इक्विटी' लिखतों के पुनर्खरीद की तिथि को मापे गये उचित मूल्य से अधिक होता है। ऐसी किसी अधिक राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी जायेगी।

नकद रूप में निपटायें गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन

30. नकद रूप से निपटान किये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के लिए प्रतिष्ठान प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं और वहन किए गए दायित्व का माप दायित्व के उचित मूल्य पर करेगा। जब तक दायित्व का निपटान नहीं हो जाता है, प्रतिष्ठान प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में और निपटान की तिथि पर दायित्व के उचित मूल्य का पुनर्माप करेगा और उचित मूल्य में हुए किसी परिवर्तन को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता देगा।

31. उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान कर्मचारियों को उनके पारिश्रमिक पैकेज के भाग के रूप में शेयर मूल्यवृद्धि अधिकार स्वीकृत कर सकता है जिसके द्वारा कर्मचारी भावी नकद भुगतान (बजाय एक 'इक्विटी' लिखत के) के हकदार हो जायेंगे जो कि विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिर्दिष्ट स्तर से प्रतिष्ठान के शेयर कीमत में वृद्धि पर आधारित होगा। अथवा प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को भावी नकद भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्वीकृत कर सकता है, उन्हें शेयर का अधिकार (शेयर विकल्पों का प्रयोग करके जारी किये गये शेयरों सहित) देकर जो मोचनीय है या तो अनिवार्य रूप से उदाहरणार्थ रोजगार की समाप्ति पर या कर्मचारी के विकल्प पर।

32. प्रतिष्ठान प्राप्त की गई सेवाओं और उन सेवाओं के लिए भुगतान करने के दायित्व को तब मान्यता देगा जब कर्मचारियों द्वारा सेवा दी जाती है। उदाहरणार्थ, कुछ शेयर के मूल्यवृद्धि अधिकार तत्काल निहित हो जाते हैं और इसलिए कर्मचारियों को नकद भुगतान के हकदार बनने के लिए सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि को पूरा करने की अपेक्षा नहीं होती है। इसके विपरीत साक्ष्य नहीं होने पर, प्रतिष्ठान यह मान लेगा कि शेयर मूल्यवृद्धि अधिकारों के बदले में कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गई सेवाएं प्राप्त कर ली गई हैं। अतः प्रतिष्ठान प्राप्त की गई सेवाओं और उनके लिए भुगतान करने के दायित्व को तत्काल मान्यता प्रदान करेगा। यदि शेयर मूल्यवृद्धि अधिकार तब तक निहित नहीं होते हैं जब तक कर्मचारियों द्वारा सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं हो जाती है, तो प्रतिष्ठान प्राप्त की गई सेवाओं और उनके लिए भुगतान करने के दायित्व को तब मान्यता देगा जब कर्मचारियों द्वारा उक्त अवधि के दौरान सेवाएं दी जाती हैं।

33. दायित्व का माप, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में और अंत में तब तक किया जाएगा जब तक उसका निपटान नहीं हो जाता है, शेयर मूल्यवृद्धि अधिकारों के उचित मूल्य पर, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल का प्रयोग करके उन शर्तों एवं निबंधनों को ध्यान में रखकर, जिन पर शेयर मूल्यवृद्धि अधिकार स्वीकृत किये गये थे और उस सीमा तक जहां तक कर्मचारियों ने उस तिथि तक सेवा प्रस्तुत की थीं।

नकद वैकल्पिक शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन

34. उन शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के लिए जिनमें व्यवस्था की शर्तों में यह दिया गया है कि या तो प्रतिष्ठान या प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) यह चुन सकते हैं कि क्या प्रतिष्ठान लेन-देन का निपटान नकद (या अन्य आस्तियों) रूप में करेगा या 'इक्विटी' लिखतों को जारी करके करेगा तो प्रतिष्ठान उस लेन-देन को या उस लेन-देन के घटकों को, नकद रूप में निपटाए गये शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन के रूप में लेखा करेगा, यदि उस सीमा तक जहां तक प्रतिष्ठान ने एक दायित्व का वहन नकद में या अन्य आस्तियों के रूप में निपटान करने के लिए किया है या इक्विटी द्वारा निपटाए गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन के रूप में लेखा करेगा, यदि और उस सीमा तक जहाँ तक उक्त दायित्व का वहन नहीं हुआ है।

वे शेयर-आधारित भुगतानों संबंधी लेन-देन जिनमें व्यवस्था की शर्तें, प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) को निपटान का विकल्प देती हैं

35. यदि प्रतिष्ठान ने प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) को यह चयन करने का अधिकार प्रदान किया है कि शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन का निपटान नकद⁵ रूप में करें या 'इक्विटी' लिखत जारी करके करे तो प्रतिष्ठान ने मिश्रित वित्तीय लिखत स्वीकृत किया

⁵ अनुच्छेद 35-43 में नकदी से संबंधित सभी संदर्भों में प्रतिष्ठान की अन्य आस्तियां भी शामिल हैं।

है जिसमें डेट घटक अर्थात् प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) का नकद भुगतान के रूप में मांग करने का अधिकार) और 'इक्विटी' घटक अर्थात् प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) का नकद के बजाय 'इक्विटी' लिखतों में निपटान करने की मांग का अधिकार) शामिल हैं। कर्मचारियों के अलावा अन्य पक्षों (पार्टियों) के साथ लेन-देन के लिए जिनमें प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं के उचित मूल्य का माप सीधे ही किया जाएगा, प्रतिष्ठान मिश्रित वित्तीय लिखत के इक्विटी घटक का माप, प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के उचित मूल्य और डेट घटक के उचित मूल्य के बीच अन्तर के रूप में करेगा उस तिथि पर जब वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं।

36. अन्य लेन-देनों के लिए, जिनमें कर्मचारियों के साथ लेन-देन भी शामिल हैं, प्रतिष्ठान मिश्रित वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का माप, माप की तिथि पर उन शर्तों एवं निबंधनों को ध्यान में रखकर करेगा, जिन पर नकद या 'इक्विटी' लिखतों के अधिकारों को स्वीकृत किया गया था।
37. अनुच्छेद 36 को लागू करने के लिए, प्रतिष्ठान पहले डेट घटक के उचित मूल्य का माप करेगा और उसके बाद 'इक्विटी' घटक के उचित मूल्य का माप इस बात को ध्यान में रखकर करेगा कि प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) को 'इक्विटी' लिखत प्राप्त करने के लिए नकदी प्राप्त करने का अधिकार अवश्य जब करना चाहिए। मिश्रित वित्तीय लिखत का उचित मूल्य दो घटकों के उचित मूल्यों का जोड़ है। तथापि, जिन शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों में प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) को निपटान करने का विकल्प प्राप्त हो, वे प्रायः संरचित होते हैं ताकि एक निपटान विकल्प का उचित मूल्य वही है जो दूसरे का है। उदाहरणार्थ, प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) को शेयर विकल्प प्राप्त करने या नकद रूप में निपटाये गए शेयर मूल्यवृद्धि के अधिकार का चयन प्राप्त हो सकता है। ऐसे मामलों में 'इक्विटी' घटक का उचित मूल्य शून्य होता है, और इसलिए मिश्रित वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य वही होता है जो डेट घटक का उचित मूल्य होता है। विलोमतः, यदि निपटान विकल्पों के उचित मूल्य भिन्न हों तो 'इक्विटी' घटक का उचित मूल्य सामान्यतः शून्य से अधिक होगा और ऐसी स्थिति में मिश्रित वित्तीय लिखत का उचित मूल्य डेट घटक के उचित मूल्य से अधिक होगा।
38. प्रतिष्ठान मिश्रित वित्तीय लिखत के प्रत्येक घटक के बारे में अधिग्रहीत की गई या प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए अलग-अलग लेखा रखेगा। डेट घटक के लिए, प्रतिष्ठान अधिग्रहीत की गई वस्तुओं या सेवाओं और उन वस्तुओं या सेवाओं के भुगतान करने के दायित्व को उसी रूप में मान्यता देगा जिस प्रकार प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) नकद रूप में निपटाये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधित लेन-देनों (अनुच्छेद 30 से 33 तक) को लागू करने की अपेक्षाओं के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति करती है या सेवाएं प्रस्तुत करती है। प्रतिष्ठान 'इक्विटी' घटक (यदि कोई है) के लिए प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं को और इक्विटी में वृद्धि को मान्यता देगा जब प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) इक्विटी द्वारा निपटाये गये शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों (अनुच्छेद 10 से 29 तक) को लागू करने की अपेक्षाओं के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति करती है या सेवाएं प्रदान करती है।
39. निपटान की तिथि पर प्रतिष्ठान दायित्व का पुनर्माप उसके उचित मूल्य पर करेगा। यदि प्रतिष्ठान निपटान पर नकद भुगतान करने के बजाय 'इक्विटी' लिखतों को जारी करता है तो दायित्व का अंतरण 'इक्विटी' में सीधे ही, जारी किये गए 'इक्विटी' लिखतों के प्रतिफल के रूप में कर दिया जायेगा।
40. यदि प्रतिष्ठान निपटान पर 'इक्विटी' लिखतों को जारी करने के बजाय नकद भुगतान करता है तो उक्त भुगतान का प्रयोग पूर्ण रूप से दायित्व के निपटान के लिए किया जायेगा। पूर्व में मान्य की गई कोई 'इक्विटी' घटक, 'इक्विटी' के अंतर्गत बनी रहेगी। निपटान पर नकद प्राप्त करने का चुनाव करने पर प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) 'इक्विटी' लिखत को प्राप्त करने का अधिकार जब कर लेती है। तथापि, यह अपेक्षा प्रतिष्ठान को 'इक्विटी' के अंतर्गत एक अंतरण को मान्यता देने अर्थात् 'इक्विटी' के एक घटक से दूसरे में अंतरण करने से प्रतिबंधित नहीं करता है।

शेयर आधारित भुगतानों के लेन-देन जिनमें व्यवस्था की शर्तें प्रतिष्ठान को निपटान का विकल्प देता है

41. उन शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन में, जिनमें व्यवस्था की शर्तों में प्रतिष्ठान को इस बात का विकल्प प्राप्त है कि वह नकद निपटान करे या 'इक्विटी' लिखतों को जारी करके निपटान करे, तो प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या वह कोई ऐसा वर्तमान दायित्व रखता है जिससे नकद निपटान किया जा सके और शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन को तदनुसार लेखा में लिया जा सके। प्रतिष्ठान नकद निपटान का कोई वर्तमान बाध्यता रखता है यदि इक्विटी लिखतों में निपटान के विकल्प में कोई वाणिज्यिक तत्व नहीं है उदाहरणार्थ (क्योंकि प्रतिष्ठान को विधिक तौर पर शेयर जारी करने के लिए निषेध किया गया है) या प्रतिष्ठान की कोई पूर्व परम्परा है या नकद निपटान करने की घोषित नीति है, या जब कभी प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) नकद निपटान के लिए कहता है तो सामान्यतया नकद निपटान कर देती है।
42. यदि प्रतिष्ठान नकद निपटान की वर्तमान बाध्यता रखता है तो वह अनुच्छेद 30 - 33 में नकद रूप में निपटाये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों को लागू करने की अपेक्षाओं के अनुसार लेन-देन का लेखा करेगा।
43. यदि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 10 - 29 में इक्विटी द्वारा निपटाये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों को लागू करने की अपेक्षाओं के अनुसार लेन-देन का लेखा करेगा। निपटान करने पर:
 - (क) यदि प्रतिष्ठान नकद निपटान करने का चुनाव करता है तो नकद भुगतान को 'इक्विटी' हित की पुनर्खरीद के रूप में अर्थात् इक्विटी से कटौती के रूप में नीचे (ग) में दिये गये को छोड़कर लेखा करेगा।
 - (ख) यदि प्रतिष्ठान इक्विटी लिखतों को जारी करके निपटान करने का चुनाव करता है तो नीचे (ग) में दिये गए को छोड़कर, कोई अतिरिक्त लेखांकन की अपेक्षा (इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण को छोड़कर, यदि आवश्यक है) नहीं है।

- (ग) यदि प्रतिष्ठान निपटान की तिथि पर उसके उच्चतर उचित मूल्य के साथ निपटान विकल्प का चुनाव करता है तो प्रतिष्ठान दिये गए अधिक मूल्य के लिए अतिरिक्त व्यय अर्थात् नकद भुगतान और 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य के बीच का अंतर, जोकि अन्यथा जारी किये गये होते या जारी किये गये 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य और नकदी की वह राशि जो अन्यथा भुगतान की गई है के बीच का अंतर, जो भी लागू हो, को मान्यता देगा।

समूह प्रतिष्ठानों के बीच शेयर-आधारित भुगतानों संबंधी लेन-देन

- 43 क समूह प्रतिष्ठानों के बीच शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के लिए उनके पृथक या व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में प्रतिष्ठान जो वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त करता है, प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं का माप निम्नलिखित का निर्धारण करते हुए या तो 'इक्विटी' द्वारा निपटाये गए या नकदी रूप में निपटाये गये शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन के रूप में करेगा :
- (क) प्रदान किये गये पुरस्कारों (अवार्डों) का स्वरूप, और
- (ख) उसके अपने अधिकार और बाध्यताएं
- वस्तुएं या सेवाएं प्राप्तकर्ता प्रतिष्ठान द्वारा मान्यता दी गई राशि, समेकित समूह या शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन का निपटान करने वाले दूसरे समूह प्रतिष्ठान द्वारा मान्यता दी गई राशि से भिन्न हो सकती है।
- 43 ख वस्तुएं या सेवाएं प्राप्तकर्ता प्रतिष्ठान, प्राप्त की गई सेवाओं या वस्तुओं का माप एक इक्विटी द्वारा निपटाये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन के रूप में करेगा, जब :
- (क) प्रदान किये गए पुरस्कार (अवार्ड) उसके अपने इक्विटी लिखत हैं, या
- (ख) प्रतिष्ठान के पास शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन का निपटान करने की कोई बाध्यता नहीं है।
- प्रतिष्ठान बाद में गैर-बाजार निहित स्थितियों में परिवर्तन के लिए ही अनुच्छेद 19 से 21 के अनुसार ऐसे इक्विटी द्वारा निपटाये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन का पुनर्माप करेगा। अन्य सभी परिस्थितियों में वस्तुएं या सेवाएं प्राप्तकर्ता प्रतिष्ठान प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं का माप नकदी रूप में निपटाये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन के रूप में करेगा।
- 43 ग प्रतिष्ठान शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन का निपटान करते हुए जब समूह में दूसरा प्रतिष्ठान वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है, लेन-देन को 'इक्विटी' द्वारा निपटाये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन के रूप में केवल तभी मान्यता प्रदान करेगा जब इस लेन-देन का निपटान प्रतिष्ठान के अपने 'इक्विटी' लिखतों द्वारा किया जाता है अन्यथा लेन-देन की मान्यता, नकदी रूप में निपटाये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन के रूप में होगी ।
- 43 घ कुछ समूह लेन-देनों में पुनर्भुगतान व्यवस्थाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें एक समूह प्रतिष्ठान द्वारा दूसरे समूह प्रतिष्ठान के लिए वस्तुएं या सेवाएं के आपूर्तिकर्ताओं को शेयर-आधारित भुगतान का प्रावधान करने के लिए भुगतान करना होगा । ऐसे मामलों में प्रतिष्ठान जोकि वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है, अनुच्छेद 43 ख के अनुसार अंर्त्त समूह पुनर्भुगतान व्यवस्थाओं पर ध्यान दिये बिना शेयर आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन का लेखा करेगा।

प्रकटन

44. एक प्रतिष्ठान ऐसी सूचना को प्रकट करेगा जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं जो कि अवधि के दौरान विद्यमान रहती हैं, के स्वरूप और सीमा को समझने में सहायक होती है।
45. अनुच्छेद 44 के सिद्धांत को लागू करने के लिए, प्रतिष्ठान कम से कम निम्नलिखित को प्रकट करेगा:
- (क) प्रत्येक प्रकार के शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था का विवरण, जोकि अवधि के दौरान किसी भी समय विद्यमान रहती है, और जिसमें प्रत्येक व्यवस्था की सामान्य शर्तें एवं निबंधन शामिल हैं, जैसे कि निहित करने की अपेक्षाएं, स्वीकृत किए गए विकल्पों की अधिकतम अवधि और निपटान करने का तरीका (अर्थात् चाहे वह नकद में हो या 'इक्विटी' में हो)। एक प्रतिष्ठान जिसके पास मूल रूप से एक ही प्रकार के शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्थाएँ हैं इस सूचना को तब तक जोड़ सकता है जब तक कि प्रत्येक व्यवस्था का अलग प्रकटन अनुच्छेद 44 के सिद्धांत को पूरा करने के लिए आवश्यक न हो।
- (ख) निम्नलिखित विकल्प समूहों में प्रत्येक के लिए शेयर विकल्पों की संख्या और भारित औसत प्रयोग कीमतें :
- अवधि के शुरु में बकाया;
 - अवधि के दौरान स्वीकृत किये गए;
 - अवधि के दौरान जब्त किये गए;
 - अवधि के दौरान प्रयोग किये गए;
 - अवधि के दौरान कालातीत;
 - अवधि के अंत में बकाया, और;

(vii) अवधि के अंत में प्रयोज्य।

- (ग) अवधि के दौरान प्रयोग किये गए शेयर विकल्पों के लिए, प्रयोग की तिथि पर भारित औसत शेयर कीमत । यदि अवधि के दौरान विकल्प नियमित आधार पर प्रयोग किए गए थे, तो प्रतिष्ठान अवधि के दौरान इसके स्थान पर, भारित औसत शेयर कीमत प्रकट कर सकती है।
- (घ) अवधि के अंत में बकाया शेयर विकल्पों के लिए प्रयोग कीमतों की रेंज और भारित औसत शेष संविदात्मक जीवन। यदि प्रयोग मूल्यों की रेंज व्यापक है, तो बकाया विकल्पों को रेंजों में बांटा जायेगा जो कि अतिरिक्त शेयरों की संख्या तथा समय का निर्धारण करने के लिए अर्थपूर्ण है, जो कि जारी किये जा सकते हैं और नकद जोकि उन विकल्पों के प्रयोग करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
46. प्रतिष्ठान ऐसी सूचना को प्रकट करेगा जोकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को यह समझने योग्य बनाता है कि अवधि के दौरान प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं का उचित मूल्य या स्वीकृत किये गये 'इक्विटी' लिखतों का उचित मूल्य कैसे निर्धारित किया गया था।
47. यदि प्रतिष्ठान ने प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं के उचित मूल्य का माप अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिष्ठान के 'इक्विटी' लिखतों के प्रतिफल के रूप में, स्वीकृत किए गये 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य के संदर्भ में, अनुच्छेद 46 में दिये गये सिद्धांत को प्रभावी करने हेतु किया है तो प्रतिष्ठान कम से कम निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
- (क) अवधि के दौरान स्वीकृत किये गए शेयर विकल्पों के लिए माप की तिथि पर उन विकल्पों का भारित औसत उचित कीमत और निम्नलिखित सहित वह सूचना जिसके आधार पर उस उचित मूल्य का माप किया गया था :
- प्रयोग किये गये विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल और उस मॉडल की निविष्टियां जिनमें भारित औसत शेयर कीमत, प्रयोग मूल्य, संभावित अस्थिरता, विकल्प जीवनकाल, संभावित लाभांश, जोखिम-रहित ब्याज दर और मॉडल की कोई अन्य निविष्टियां शामिल हैं तथा प्रयोग किया गया तरीका और संभावित शीघ्र प्रयोग के प्रभावों को निगमित करने के लिए बनायी गयी अवधारणाएं भी शामिल हैं;
 - संभावित अस्थिरता को कैसे निश्चित किया गया था जिसमें उस सीमा के स्पष्टीकरण शामिल हैं, जिस सीमा तक संभावित अस्थिरता, ऐतिहासिक अस्थिरता पर आधारित था, और
 - क्या विकल्प स्वीकृत की कोई अन्य विशेषताएं उचित मूल्य के मापमें निगमित की गई थी और यदि की गई थी तो वह कैसे की गई थी जैसे कि बाजार की स्थिति।
- (ख) अवधि के दौरान स्वीकृत किये गये अन्य 'इक्विटी' लिखतों के लिए (अर्थात् शेयर विकल्पों से भिन्न) मापकी तिथि पर उन 'इक्विटी' लिखतों की संख्या और भारित औसत उचित मूल्य और निम्नलिखित सहित वह सूचना जिसके आधार पर उस उचित मूल्य का माप किया गया था :
- यदि उचित मूल्य का माप एक प्रत्यक्षदर्शी बाजार कीमत के आधार पर नहीं किया गया था तो यह कैसे निर्धारित किया गया था;
 - क्या संभावित लाभांश उचित मूल्य के माप में निगमित किये गये थे और यदि किये गये थे तो कैसे किये गये थे; और
 - क्या स्वीकृत किये गए 'इक्विटी' लिखतों की कोई अन्य विशेषताएं उचित मूल्य के मापमें निगमित की गई थी और यदि की गई थी तो कैसे की गई थी ।
- (ग) उन शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं के लिए जो अवधि के दौरान संशोधित की गई थी :
- उन संशोधनों का स्पष्टीकरण;
 - स्वीकृत किये गए वृद्धिशील उचित मूल्य (उन संशोधनों के परिणामस्वरूप) ;, और
 - स्वीकृत किये गये वृद्धिशील उचित मूल्य का माप किये जाने के बारे में सूचना जो उपर्युक्त (क) और (ख) में दी गई अपेक्षाओं, जहां लागू हों, से सुसंगत हों ।
48. यदि प्रतिष्ठान ने अवधि के दौरान प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं के उचित मूल्य का सीधे ही माप कर लिया है तो प्रतिष्ठान यह प्रकट करेगा कि उस उचित मूल्य को कैसे निर्धारित किया गया था उदाहरणार्थ क्या उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए उचित मूल्य का माप एक बाजार कीमत पर किया गया था।
49. यदि प्रतिष्ठान ने अनुच्छेद 13 में दी गई धारणा को नहीं माना है तो वह इस तथ्य को प्रकट करेगा और इस बात का स्पष्टीकरण देगा कि यह धारणा क्यों नहीं मानी गई थी।
50. एक प्रतिष्ठान वह सूचना प्रकट करेगा, जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अपनी वित्तीय स्थिति पर और अवधि के लिए प्रतिष्ठान के लाभ या हानि पर शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन के प्रभाव को समझने योग्य बनाएगा ।
51. अनुच्छेद 50 में उल्लिखित सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रतिष्ठान कम से कम निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :
- (क) शेयर आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों से उत्पन्न, अवधि के लिए मान्य कुल व्यय, जिनमें प्राप्त की गई वस्तुएं या सेवाएं आस्तियों के रूप में मान्यता के लिए अर्हक नहीं थी और इसलिये व्यय के रूप में तत्काल दी गई, जिनमें कुल व्यय के उक्त

भाग को अलग से बताना शामिल है, जोकि इक्विटी द्वारा निपटायें गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के रूप में लेखा में लिये गए लेन-देनों से उत्पन्न हुए हैं;

(ख) शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों से उत्पन्न दायित्वों के लिए :

(i) अवधि के अंत में कुल अग्रणीत राशि; और

(ii) उन दायित्वों की अवधि के अंत में कुल आंतरिक मूल्य जिसके लिए प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) का नकद या अन्य आस्तियों पर अधिकार अवधि के अंत में निहित किया गया था (अर्थात् निहित शेयर मूल्यवृद्धि अधिकार)।

52. यदि इस मानक द्वारा कोई सूचना प्रकट करना अपेक्षित हो जोकि अनुच्छेद 44, 46 और 50 के सिद्धांतों को पूरा नहीं करती है, तो प्रतिष्ठान ऐसी अतिरिक्त सूचना को प्रकट करेगा जो उन्हें संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हो।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

**नकद रूप में
निपटायें गए शेयर-
आधारित भुगतान
संबंधी लेन-देन**

एक शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन, जिसमें प्रतिष्ठान वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को, उससे अधिग्रहीत की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए दायित्व वहन कर नकद या अन्य आस्तियों का अंतरण उन राशियों पर करता है जो प्रतिष्ठान अथवा अन्य समूह प्रतिष्ठान के 'इक्विटी' लिखतों (शेयर या शेयर विकल्पों सहित) के कीमत (या मूल्य) पर आधारित होती है।

**कर्मचारी और उसी
प्रकार की सेवाएं
प्रदान करने वाले
अन्य**

वे व्यक्ति जो प्रतिष्ठान को व्यक्तिगत सेवाएं प्रस्तुत करते हैं और या (क) वे व्यक्ति विधिक या कर प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के रूप में माने जाते हैं, (ख) वे व्यक्ति प्रतिष्ठान के लिए उसके निर्देशन में उसी रूप में कार्य करते हैं जैसे कि वह व्यक्ति जो विधिक या कर प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के रूप में माने जाते हैं अथवा (ग) दी गयी सेवाएं वैसी ही हैं जैसे कि कर्मचारी देते हैं। उदाहरणार्थ, इस शब्द में सभी प्रबंधनकर्मी सम्मिलित हैं अर्थात् वे व्यक्ति जो प्रतिष्ठान के कार्यकलापों की योजना, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए प्राधिकार तथा जिम्मेदारी रखते हैं, जिनमें गैर-प्रबंधक निदेशक भी शामिल हैं।

'इक्विटी' लिखतें

एक अनुबंध जो किसी प्रतिष्ठान की समस्त दायित्वों को घटाने के पश्चात, उसकी आस्तियों में अवशिष्ट हित का साक्ष्य देती है।

**स्वीकृत 'इक्विटी'
लिखतें**

प्रतिष्ठान द्वारा किसी अन्य पक्ष (पार्टी) को, शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत, स्वीकृत किया गया प्रतिष्ठान का 'इक्विटी' लिखत का अधिकार (सशर्त या बिना शर्त)

**इक्विटी द्वारा
निपटाए गए शेयर-
आधारित संबंधी
लेन-देन**

एक शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन जिसमें प्रतिष्ठान

(क) वस्तुएं या सेवाएं उसके अपने 'इक्विटी' लिखतों के प्रतिफल के रूप में प्राप्त करता है (जिनमें शेयर या शेयर विकल्प शामिल हैं), या

(ख) वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है लेकिन आपूर्तिकर्ता के साथ लेन-देन का निपटान करने की कोई बाध्यता नहीं होती है।

उचित मूल्य

वह राशि जिसके लिए किसी आस्ति का विनिमय किया जा सकता है, दायित्व का निपटान किया जा सकता है या स्वीकृत किये गये 'इक्विटी' लिखत का विनिमय, जानकार और इच्छुक पक्षों (पार्टियों) के बीच स्वतंत्र रूप से लेन-देन किया जा सकता है।

स्वीकृति की तिथि

वह तिथि जब प्रतिष्ठान और कोई अन्य पक्ष (पार्टी) (कर्मचारी सहित) शेयर आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हैं, और यह तभी होता है जब प्रतिष्ठान और प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) व्यवस्था की शर्तों एवं निबंधनों पर आपसी सहमति रखती है। स्वीकृति की तिथि पर प्रतिष्ठान प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) को नकदी,

⁶ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुसरण में वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उसे प्रस्तुत करने के लिए कार्यपद्धति, दायित्व को ऐसे परिभाषित करता है कि दायित्व पिछली घटनाओं से उत्पन्न प्रतिष्ठान की वर्तमान बाध्यता है, जिसका निपटान से प्रतिष्ठान के आर्थिक लाभों को प्रदान करने वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना होती है (अर्थात् प्रतिष्ठान की नकदी या अन्य आस्तियों का बहिर्प्रवाह)।

अन्य आस्तियों या प्रतिष्ठान के 'इक्विटी' लिखतों का अधिकार प्रदान करता है बशर्ते विनिर्दिष्ट निहित शर्तें, यदि कोई हैं, पूरी होती हैं। यदि वह करार अनुमोदन प्रक्रिया की शर्त पर (उदाहरणार्थ, शेयर धारकों द्वारा) किया गया है तो स्वीकृत करने की तिथि वह है जिस तिथि पर अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

आंतरिक मूल्य

उन शेयरों के उचित मूल्य, जिस पर प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) अंशदान करने का अधिकार (सशर्त या बिना शर्त) रखती है या वह जिस पर वह प्राप्त करने का अधिकार रखती है तथा वह कीमत (यदि कोई है) जिसे प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) द्वारा उन शेयरों के लिये भुगतान करना अपेक्षित है (अपेक्षित होगा) के बीच का अंतर। उदाहरणार्थ, एक शेयर विकल्प जिसमें 20 रुपये के उचित मूल्य के शेयर पर प्रयोग कीमत 15 रुपये हैं, उसका आंतरिक मूल्य 5 रुपये है।

बाजार स्थिति

एक कार्य-निष्पादन स्थिति जिस पर प्रयोग मूल्य, निहित या 'इक्विटी' लिखत की प्रयोग्यता निर्भर करती है, वह प्रतिष्ठान के इक्विटी लिखत (या उसी समूह के दूसरे प्रतिष्ठान की इक्विटी लिखत) के बाजार कीमत (या मूल्य) से संबंधित है जैसे कि : (क) विनिर्दिष्ट शेयर कीमत प्राप्त करना या शेयर विकल्प के आंतरिक मूल्य की विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त करना; या (ख) विनिर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करना जो कि अन्य प्रतिष्ठानों के 'इक्विटी' लिखतों (या उसी समूह के दूसरे प्रतिष्ठान के इक्विटी लिखत) के बाजार कीमत (मूल्य) पर आधारित है जो दूसरे प्रतिष्ठानों के इक्विटी लिखतों की बाजार कीमतों के सूचकांक से संबंधित है।

एक बाजार स्थिति यह अपेक्षा करती है कि प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) एक विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी करे (अर्थात् एक सेवा शर्त); सेवा की अपेक्षा स्पष्ट या अस्पष्ट हो सकती है।

मापे की तिथि

जिस तिथि पर स्वीकृत किये गये इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य का माप इस भारतीय लेखा मानक के प्रयोजनों के लिए किया गया है। कर्मचारियों और उसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य के साथ लेन-देन के लिए माप तिथि स्वीकृत की तिथि है। कर्मचारियों (और जो इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं), को छोड़कर अन्य पार्टियों के साथ लेन-देन के लिए, माप तिथि वह तिथि है जब प्रतिष्ठान वस्तुएं प्राप्त करता है या प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) सेवा प्रदान करता है।

कार्य-निष्पादन स्थिति

एक निहित स्थिति जो निम्नलिखित की अपेक्षा करती है:

- (क) प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) सेवा की एक विनिर्दिष्ट अवधि पूरा करता है (यानि एक सेवा स्थिति): सेवा अपेक्षा स्पष्ट या अन्तर्निहित दोनों हो सकती है; और
- (ख) विनिर्दिष्ट कार्य-निष्पादन लक्ष्य जिसे (जिन्हें) प्रतिपक्ष द्वारा उपर्युक्त (क) अनुसार सेवाएं देते समय पूरा करना है।

कार्य-निष्पादन लक्ष्य पूरा करने की अवधि :

- (क) सेवा अवधि की समाप्ति से आगे बढ़ायी नहीं जाएगी; और
- (ख) यह सेवा अवधि से पूर्व भी प्रारम्भ हो सकती है लेकिन इस शर्त पर कि कार्य-निष्पादन लक्ष्य की प्रारम्भिक तिथि सेवा अवधि के प्रारम्भ से ज्यादा पहले की न हो।

एक कार्य-निष्पादन लक्ष्य निम्नलिखित के संदर्भ में परिभाषित है :

- (क) प्रतिष्ठान के निजी परिचालन (या गतिविधियां) या उसी समूह के अन्य प्रतिष्ठान के परिचालन या गतिविधियां (अर्थात् एक गैर-बाजार स्थिति); अथवा
- (ख) प्रतिष्ठान की इक्विटी लिखतों की कीमत (या मूल्य) या उसी समूह के किसी अन्य प्रतिष्ठान की इक्विटी लिखतें (शेयरों व शेयर विकल्पों सहित) (अर्थात् एक बाजार स्थिति)

	एक कार्य-निष्पादन लक्ष्य, प्रतिष्ठान से पूर्णतया (समग्रतया) या उसके एक भाग (आंशिक) (या समूह के एक भाग), जैसे कि एक प्रभाग या एक व्यक्तिगत कर्मचारी के, कार्य-निष्पादन से संबंधित हो सकता है।
रीलोड विशेषता	यह वह विशेषता है जिससे विकल्प धारक पूर्व में स्वीकृत किये गये विकल्पों का प्रयोग करने के लिए जब कभी भी प्रतिष्ठान के शेयरों का प्रयोग नकद के बजाय प्रयोग मूल्य को पूरा करने के लिए करता है तो अतिरिक्त शेयर विकल्प स्वतः स्वीकृत हो जाते हैं।
रीलोड विकल्प	जब किसी शेयर का प्रयोग, पूर्व शेयर विकल्प के प्रयोग कीमत की पूर्ति करने के लिए किया जाए तो स्वीकृत किया गया नया शेयर विकल्प
सेवा शर्त	एक निहित शर्त जो प्रतिपक्ष से यह अपेक्षा करती है कि वह प्रतिष्ठान को सेवा प्रदान करते समय सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि को पूरा करे। यदि प्रतिपक्ष चाहे कोई भी कारण हो, उस पर ध्यान दिये बिना, निहित अवधि के दौरान सेवा देना बन्द कर देता है तो वह उस शर्त को पूरा करने में असफल माना जाता है। एक सेवा शर्त के लिए यह जरूरी नहीं कि वह कार्य-निष्पादन लक्ष्य को पूरा करे।
शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था	प्रतिष्ठान (या अन्य समूह ⁷ प्रतिष्ठान या किसी समूह प्रतिष्ठान का कोई शेयर धारक) और कोई अन्य पक्ष (पाटा) (कर्मचारी सहित) के बीच एक करार, जो अन्य पक्ष (पार्टी) को निम्न प्राप्त करने का अधिकार देता है: (क) प्रतिष्ठान या अन्य समूह प्रतिष्ठान के 'इक्विटी' लिखतों (शेयरों या शेयर विकल्पों सहित) की कीमत (या मूल्य) पर आधारित राशियों के लिए प्रतिष्ठान की नकद या अन्य आस्तियां, या (ख) प्रतिष्ठान या अन्य समूह प्रतिष्ठान के 'इक्विटी' लिखत (शेयर या शेयर विकल्पों सहित), बशर्ते विनिर्दिष्ट निहित शर्तें, यदि कोई है, पूरी होती हैं।
शेयर आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन	वह लेन-देन जिसमें एक प्रतिष्ठान: (क) शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था में वस्तुएं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता (कर्मचारी सहित) से वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है, या (ख) शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था में जब अन्य समूह प्रतिष्ठान वे वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है, तो आपूर्तिकर्ता के साथ लेन-देन के निपटान करने की बाध्यता वहन करता है।
शेयर विकल्प	एक अनुबंध जो धारक को प्रतिष्ठान के शेयरों में विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए निश्चित या निर्धारण योग्य कीमत पर अंशदान करने का अधिकार देती है लेकिन बाध्यता नहीं देती है।
निहित निर्धारण होना	हकदार बनना। शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत, प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) का प्रतिष्ठान के नकदी, अन्य आस्तियों या प्रतिष्ठान के 'इक्विटी' लिखतों को प्राप्त करने का अधिकार निहित होता है जब प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) की हकदारी, किसी निहित शर्तों को पूरा करने की शर्त के साथ न हो।
निहित शर्तें	वह शर्त जो यह निर्धारित करती है कि क्या प्रतिष्ठान वे सेवाएं प्राप्त करता है जो कि प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) को शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिष्ठान की नकदी, अन्य आस्तियों या 'इक्विटी' लिखतों का हकदार बनाता है। एक निहित शर्त या तो सेवा शर्त या कार्य-निष्पादन शर्त होती है।
निहित अवधि	वह अवधि जिसके दौरान शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था की सभी विनिर्दिष्ट निहित शर्तों को पूरा किया जाता है।

⁷ एक XसमूहX की परिभाषा, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 110, समेकित वित्तीय विवरण, के परिशिष्ट क में एक मूल प्रतिष्ठान और उसके अनुषंगी प्रतिष्ठानX के रूप में, रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के अन्तिम मूल प्रतिष्ठान के परिप्रेक्ष्य में, दी गयी है।

परिशिष्ट ख**प्रयोग-संबंधी दिशा-निर्देश**

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का एक अभिन्न अंग है।

स्वीकृत की गयी 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य का प्राक्कलन

- ख 1 इस परिशिष्ट के अनुच्छेद ख 2 - ख 41 में स्वीकृत किये गये शेयरों तथा शेयर विकल्पों के उचित मूल्य के मापकी चर्चा की गयी है जिसमें उन विशिष्ट शर्तों एवं निबंधनों पर ध्यान केन्द्रित (फोकस) किया गया है जो कर्मचारियों को शेयर या शेयर विकल्पों को स्वीकृत करने में सामान्य विशेषताओं के रूप में पाई जाती है। अतः यह विस्तृत नहीं है। इसके अलावा, चूंकि नीचे चर्चा किये गए मूल्यांकन मामलों में कर्मचारियों को स्वीकृत किये गये शेयरों और शेयर विकल्पों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है अतः माना जाता है कि शेयरों और शेयर विकल्पों के उचित मूल्य का मापस्वीकृति की तिथि को किया गया है। तथापि, नीचे चर्चा किये गये बहुत से मूल्यांकन मामले (अर्थात् संभावित अस्थिरता का निर्धारण करना) उस तिथि पर, जिस तिथि पर प्रतिष्ठान वस्तुएं प्राप्त करता है या प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) सेवा प्रदान करती है, कर्मचारियों से भिन्न अन्य पार्टियों को स्वीकृत किये गये शेयरों या शेयर विकल्पों के उचित मूल्य प्राक्कलन के संदर्भ में भी लागू किया जाता है।

शेयर

- ख 2 कर्मचारियों को स्वीकृत किये गए शेयरों के लिए, शेयरों के उचित मूल्य का माप प्रतिष्ठान के शेयरों की बाजार कीमत (या यदि प्रतिष्ठान के शेयर सार्वजनिक रूप से व्यापार के लिए नहीं हैं तो अनुमानित बाजार कीमत) पर किया जायेगा, उन शर्तों एवं निबंधनों को ध्यान में रखकर समायोजित किया जाएगा जिन पर शेयरों को स्वीकृत किया गया था (सिवाय उन निहित शर्तों के जिन्हें अनुच्छेद 19-21 के अनुसार उचित मूल्य के माप से छोड़ दिया गया है)।
- ख 3 उदाहरणार्थ, यदि कर्मचारी निहित अवधि के दौरान लाभांश प्राप्त करने का हकदार नहीं है तो स्वीकृत किये गये शेयरों के उचित मूल्य का प्राक्कलन करने के समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जायेगा। उसी तरह से यदि निहित तिथि के बाद शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध है तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जायेगा लेकिन केवल उस सीमा तक जहां तक निहित के पश्चात प्रतिबंध कीमत को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि जानकार, इच्छुक बाजार प्रतिभागी उस शेयर के लिए भुगतान करेंगे। उदाहरणार्थ, यदि शेयरों का सक्रिय रूप से सघन और तरल बाजार में व्यापार किया जाता है तो निहित के पश्चात अंतरण प्रतिबंधों का, यदि कोई है, उस कीमत पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है जो कि जानकार, इच्छुक बाजार प्रतिभागी उन शेयरों के लिए भुगतान करेंगे। अंतरण पर प्रतिबंध या निहित अवधि के दौरान विद्यमान अन्य प्रतिबंधों को स्वीकृत किये गये शेयरों की स्वीकृति की तिथि के उचित मूल्य अनुमान करते समय ध्यान में रखा नहीं जायेगा क्योंकि वे प्रतिबंध निहित करने की शर्तों में उत्पन्न होते हैं जिन्हें अनुच्छेद 19-21 के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

शेयर विकल्प

- ख 4 कर्मचारियों को स्वीकृत किये गये शेयर विकल्पों के लिए बहुत से मामलों में बाजार कीमतें उपलब्ध नहीं होती हैं क्योंकि स्वीकृत विकल्प इन शर्तों एवं निबंधनों पर दिये गये हैं जो व्यापारिक विकल्पों पर लागू नहीं होते हैं। यदि व्यापारिक विकल्प समान शर्तों एवं निबंधनों पर विद्यमान नहीं हैं तो स्वीकृत किये गये विकल्पों के उचित मूल्य का प्राक्कलन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल को लागू करके किया जायेगा।
- ख 5 प्रतिष्ठान उन तथ्यों पर विचार करेगा जो जानकार एवं इच्छुक बाजार प्रतिभागियों द्वारा विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल का चयन करते समय लागू करने के लिए विचार किया जाएगा। उदाहरणार्थ, बहुत से कर्मचारियों के विकल्प लंबे समय तक चलते हैं और ये सामान्यतः निहित तिथि और विकल्प के जीवनकाल के अंत के बीच की अवधि में प्रयोज्य होते हैं तथा अक्सर पहले ही प्रयोग कर लिए जाते हैं। ये तथ्य तब ध्यान में रखे जाने चाहिए जब विकल्पों के स्वीकृति की तिथि के उचित मूल्य का प्राक्कलन किया जाता है। बहुत से प्रतिष्ठानों के लिए यह ब्लैक-स्कोल्स मार्टन फार्मूला जो विकल्प के जीवनकाल के समाप्त होने के पहले इसके प्रयोग की संभावना की अनुमति नहीं देता है और इसके संभावित शीघ्र प्रयोग के प्रभावों को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता है। यह उस संभावना के लिये भी अनुमति नहीं देता है कि, संभावित अस्थिरता और अन्य मॉडल निविष्टियां, विकल्प के जीवनकाल के दौरान बदल सकती है। तथापि, उन शेयर विकल्पों के लिए जो सापेक्षतया अल्प अनुबंधात्मक जीवनकाल वाले होते हैं या जो निहित तिथि के बाद छोटी समयावधि के भीतर अवश्य प्रयोग हो जाने चाहिए, ऊपर निर्धारित किये गये विशिष्ट तथ्य लागू नहीं होते। इन उदाहरणों में, ब्लैक-स्कोल्स-मार्टन फार्मूला एक मूल्य का सृजन कर सकता है जो बहुत हद तक लचीला विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल जैसा ही होता है।
- ख 6 सभी विकल्प मूल्य निर्धारण माडलों में, कम से कम, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है:
- (क) विकल्प की प्रयोग कीमत ;
 - (ख) विकल्प का जीवनकाल;
 - (ग) अन्तर्निहित शेयरों की वर्तमान कीमत ;
 - (घ) शेयर कीमत की संभावित अस्थिरता;

- (ङ) शेरों पर संभावित लाभांश (यदि उपयुक्त है); और
(च) विकल्प के जीवनकाल हेतु जोखिम-रहित ब्याज दर।
- ख 7 जानकार एवं इच्छुक बाजार प्रतिभागियों द्वारा कीमत निर्धारित करते समय विचार किये जाने वाले अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाएगा (निहित शर्तों और रीलोड विशेषताओं को छोड़कर जो अनुच्छेद 19-22 के अनुसार उचित मूल्य के मापमें शामिल नहीं किये गये हैं)।
- ख 8 उदाहरणार्थ, किसी कर्मचारी को स्वीकृत किये गये शेयर विकल्प को विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट अवधियों के दौरान प्रयोग नहीं किया जा सकता है (अर्थात् निहित अवधि के दौरान या प्रतिभूति विनियामकों द्वारा विनिर्दिष्ट अवधियों के दौरान)। यह तथ्य तब ध्यान में रखा जायेगा जब यदि लागू किये गये विकल्प कीमत मूल्य निर्धारण मॉडल में अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि इस विकल्प का प्रयोग उसके जीवनकाल के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है। तथापि, यदि प्रतिष्ठान विकल्प कीमत निर्धारण मॉडल का प्रयोग करता है जो उन विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं जिनका प्रयोग केवल विकल्प के जीवनकाल के अंत में ही किया जा सकता है, निहित अवधि के दौरान (या विकल्प के जीवनकाल के दौरान अन्य अवधियों में) उन्हें प्रयोग करने में अक्षमता होने पर किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मॉडल में माना जाता है कि विकल्पों का उन अवधियों के दौरान प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- ख 9 इसी प्रकार से, कर्मचारी शेयर विकल्प में जो तथ्य समान हैं वे विकल्प के शीघ्र प्रयोग होने की संभावना है, उदाहरणार्थ क्योंकि विकल्प आसानी से अंतरण योग्य नहीं है या क्योंकि कर्मचारी रोजगार समाप्त हो जाने पर सभी निहित विकल्पों का प्रयोग करे। संभावित शीघ्र प्रयोग के प्रभावों को अनुच्छेद ख 16-ख 21 में यथावर्णित अनुसार ध्यान में रखा जाएगा।
- ख 10 वह तथ्य, जिन पर एक जानकार, इच्छुक बाजार प्रतिभागी, शेयर विकल्प (या अन्य 'इक्विटी' लिखत) की कीमत निर्धारित करते समय विचार नहीं करेगा, उन्हें स्वीकृत शेयर विकल्पों (अथवा अन्य इक्विटी लिखतों) के उचित मूल्य का प्राक्कलन करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा। उदाहरणार्थ, कर्मचारियों को स्वीकृत किये गए शेयर विकल्पों के लिए, वे कारक जो केवल व्यक्तिगत कर्मचारी के परिप्रेक्ष्य में विकल्प के मूल्य को प्रभावित करते हैं, उस कीमत का प्राक्कलन करने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, जो जानकार, इच्छुक बाजार प्रतिभागी द्वारा निर्धारित की जाती।

विकल्प कीमत निर्धारण मॉडलों के लिए निर्विष्टियां

- ख 11 अंतर्निहित शेरों की संभावित अस्थिरता तथा उनके लाभांशों के प्राक्कलन करते समय, उद्देश्य प्रत्याशाओं का लगभग अनुमान करना है जिसे वर्तमान बाजार में विकल्प के लिए या परक्रामित विनिमय कीमत में प्रतिबिंबित किया जाएगा। इसी प्रकार से, कर्मचारी के शेयर विकल्पों के शीघ्र प्रयोग के प्रभावों का प्राक्कलन करते समय, उद्देश्य प्रत्याशाओं का अनुमान लगाना है जो एक बाहरी पक्ष (पार्टी) जिसके पास कर्मचारियों के प्रयोग आचरण के बारे में विस्तृत सूचना की पहुंच है, स्वीकृति की तिथि पर उपलब्ध सूचना पर आधारित करके विससित करेंगे।
- ख 12 प्रायः भावी अस्थिरता लाभांशों तथा प्रयोग के आचरण के बारे में उचित प्रत्याशाओं के परास (रेंज) होने की संभावना रहती है। यदि ऐसा होता है, तो एक अपेक्षित मूल्य, इसकी उपस्थिति की संबंधित संभाव्यता द्वारा रेंज के अंदर भारित प्रत्येक राशि में संमाहित किया जाना चाहिए।
- ख 13 भविष्य के बारे में प्रत्याशाएं साधारणतया अनुभव पर आधारित होती हैं, यदि भविष्य की विगत से भिन्न होने की समुचित रूप से संभावना है तो प्रत्याशाएं संशोधित की जाएगी। कुछ परिस्थितियों में अभिज्ञेय कारकों से संकेत मिलता है कि गैर-समायोजित ऐतिहासिक अनुभव भावी अनुभव से अपेक्षाकृत कमजोर भविष्यवक्ता होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक प्रतिष्ठान करोबार की दो पृथक लाइनों में से एक को समाप्त कर देता है जो दूसरे की अपेक्षा कम जोखिम वाली है तो ऐतिहासिक अस्थिरता संबंधी सूचना इतनी उत्कृष्ट नहीं हो सकती जिसे भविष्य के लिए उपर्युक्त प्रत्याशाओं के लिए आधार बनाया जा सके।
- ख 14 अन्य परिस्थितियों में, ऐतिहासिक सूचना उपलब्ध नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, एक नए सूचीबद्ध प्रतिष्ठान के शेयर कीमत की अस्थिरता के बारे में बहुत कम ऐतिहासिक आंकड़े, यदि कोई हो, होंगे। गैर-सूचीबद्ध तथा नए सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर नीचे विचार-विमर्श किया गया है।
- ख 15 संक्षेप में, एक प्रतिष्ठान को अस्थिरता, प्रयोग आचरण तथा लाभांशों संबंधी प्राक्कलनों को विगत अनुभव किस सीमा तक भावी अनुभव को उपर्युक्त रूप से भविष्य सूचक होने के लिए प्रत्याशित करता है, यह विचार किए बिना साधारण रूप से ऐतिहासिक सूचना पर आधारित नहीं करना चाहिए।

अपेक्षित शीघ्र प्रयोग

- ख 16 कर्मचारी प्रायः कई कारणों से शेयर विकल्पों का शीघ्र प्रयोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, कर्मचारी के शेयर विकल्प विशिष्ट रूप से गैर-अंतरणीय होते हैं। इस कारण से वे प्रायः अपने शेयर विकल्पों का शीघ्र प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि कर्मचारियों के लिए उनकी स्थिति के परिसमापन का वही एकमात्र तरीका होता है। इसके साथ ही, अपनी सेवा समाप्त करने वाले कर्मचारियों से सामान्यतः यह अपेक्षित रहता है कि वे अल्प अवधि के अंदर अपने निहित विकल्पों का प्रयोग करे अन्यथा शेयर विकल्प जब्त हो जाएंगे। इस कारण भी कर्मचारी अपने शेयर विकल्प का शीघ्र प्रयोग करते हैं। शीघ्र प्रयोग करने वाले अन्य कारक, जोखिम निवारण और संपत्ति विविधता की कमी हैं।

- ख 17 वह साधन जिसके द्वारा संभावित शीघ्र प्रयोग के प्रभावों को हिसाब में लिया जाता है, वे प्रयुक्त विकल्प कीमत निर्धारण मॉडल के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, संभावित शीघ्र प्रयोग, को विकल्प कीमत निर्धारण मॉडल (उदाहरणार्थ, ब्लैक-स्कॉल्स-मेरटन फार्मूला) में, विकल्प के संभावित जीवन काल (जो, एक कर्मचारी शेयर विकल्प के लिए, स्वीकृति की तिथि से विकल्प के संभावित प्रयोग की तिथि तक की अवधि है) के अनुमान को निविष्टि के रूप में प्रयोग करके हिसाब में लिया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से संभावित शीघ्र प्रयोग को द्विपद या इसी प्रकार के विकल्प कीमत निर्धारण मॉडल में मॉडल किया जा सकता है जो संविदात्मक जीवनकाल को निविष्टि के रूप में प्रयोग करता है।
- ख 18 शीघ्र प्रयोग के प्राक्कलन में विचार करने के लिए कारकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
- (क) निहित अवधि की लंबाई, क्योंकि विशिष्ट रूप से शेयर विकल्प का निहित अवधि के अंत तक प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः संभावित शीघ्र प्रयोग की मूल्यांकन निहितार्थों का निर्धारण इस अवधारणा पर आधारित है कि विकल्प निहित होंगे। निहित शर्तों के निहितार्थों पर अनुच्छेद 19-21 में विचार विमर्श किया गया है।
- (ख) औसत समय की लंबाई जिसमें समान विकल्प विगत में बकाया रहे हैं।
- (ग) अंतर्निहित शेयरों की कीमत। अनुभव यह इंगित कर सकता है कि कर्मचारी तभी विकल्पों का प्रयोग करने के लिए प्रवृत्त होंगे जब शेयर कीमत, प्रयोग कीमत से अधिक विनिर्दिष्ट स्तर पर पहुंचती है।
- (घ) संस्था के अंदर कर्मचारी का स्तर। उदाहरण के लिए, अनुभव यह इंगित कर सकता है कि उच्च-स्तर के कर्मचारी निचले-स्तर के कर्मचारियों की अपेक्षा विकल्पों का बाद में प्रयोग करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। (अनुच्छेद ख21 में आगे विचार किया गया है)।
- (ङ) अंतर्निहित शेयरों की संभावित अस्थिरता औसत रूप से, कर्मचारी कम अस्थिरता वाले शेयरों की अपेक्षा अधिक अस्थिरता वाले शेयरों पर विकल्पों का प्रयोग पहले करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं।
- ख 19 जैसा कि अनुच्छेद ख17 में व्याख्या की गयी है, शीघ्र प्रयोग के प्रभावों को विकल्प कीमत निर्धारण मॉडल में विकल्प के संभावित जीवनकाल के प्राक्कलन का प्रयोग एक निविष्टि के रूप में करते हुए हिसाब में लिया जा सकता है। जब कर्मचारियों के समूह को स्वीकृत किए गए शेयर विकल्पों के संभावित जीवनकाल का प्राक्कलन किया जाएगा तब प्रतिष्ठान समूचे कर्मचारी समूह के लिए उपयुक्त रूप से भारित औसत संभावित जीवनकाल पर या कर्मचारियों के प्रयोग आचरण के बारे में अधिक विस्तृत डाटा पर आधारित उपयुक्त रूप से भारित औसत जीवनकाल पर समूह के अंदर कर्मचारियों के उप समूहों के लिए वह प्राक्कलन आधारित कर सकता है (नीचे आगे विचार किया गया है)।
- ख 20 अपेक्षाकृत सदृश प्रयोग आचरण वाले कर्मचारियों के लिए समूहों में स्वीकृत विकल्प को पृथक करने की संभावना महत्वपूर्ण होती है। विकल्प मूल्य विकल्प मियाद का रेखीय कार्य नहीं है; मूल्य कम होती दर पर बढ़ता है जब मियाद बढ़ती है। उदाहरण के लिए, यदि सभी अन्य अवधारणाएं बराबर हैं, यद्यपि एक दो वर्षीय विकल्प एक एक-वर्षीय विकल्प से अधिक है लेकिन दुगुने जितना नहीं है। उसका अर्थ है कि सिंगल भारित औसत जीवनकाल के आधार पर प्राक्कलित विकल्प मूल्य संगणना, जो व्यापक रूप से अलग व्यक्तिगत जीवनकालों को शामिल करता है, वह स्वीकृत किए गए शेयर विकल्पों के कुल उचित मूल्य को बढ़ा चढ़ाकर कहेगा। स्वीकृत किए गए विकल्पों को कई समूहों में जिसमें प्रत्येक इसके भारित औसत जीवन में शामिल जीवनकाल की अपेक्षाकृत तंग रेंज है, पृथक करने पर उस बढ़ा चढ़ाकर कहे गए कथनों को कम करता है।
- ख 21 इसी प्रकार के प्रतिफल तब लागू होते हैं जब द्विपक्ष या इसी प्रकार के मॉडल का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान का अनुभव जो कर्मचारियों के सभी स्तरों के लिए व्यापक तौर पर विकल्प स्वीकृत करता है, यह इंगित करता है कि उच्च-स्तर के प्रबंधक मध्य-प्रबंधन कर्मचारियों की अपेक्षा अपने विकल्पों को लंबे समय तक रखने की ओर प्रवृत्त होते हैं और कम-स्तर के कर्मचारी किसी अन्य समूह से पहले अपने विकल्पों के प्रयोग की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, वे कर्मचारी जो विकल्पों सहित उनके नियोक्ता की 'इक्विटी' लिखतों की न्यूनतम राशि रखने के लिए प्रोत्साहित या अपेक्षित किए जाते हैं, औसतन विकल्पों का प्रयोग, उन कर्मचारियों के बाद करते हैं, जो इस प्रावधान के अधिन नहीं हैं। उन स्थितियों में, अपेक्षाकृत सदृश प्रयोग आचरण वाले प्राप्तकर्ताओं के समूह द्वारा पृथक विकल्पों से स्वीकृत किए गए शेयर विकल्पों के कुल उचित मूल्य का अधिक सही प्राक्कलन होगा।

संभावित अस्थिरता

- ख 22 संभावित अस्थिरता उस राशि का परिमाण है जिसके द्वारा कीमत में अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की संभावना होती है। विकल्प कीमत निर्धारण मॉडलों में प्रयुक्त अस्थिरता का परिमाण समय अवधि के दौरान शेयर पर प्रतिफल (रिटर्न) की सतत चक्रवृद्धि दरों का वार्षिक स्टैंडर्ड विचलन है। अस्थिरता को विशिष्ट रूप से वार्षिक मियाद में व्यक्त किया जाता है कि जो संगणना में प्रयुक्त समय अवधि का ध्यान किए बिना तुलनीय है, उदाहरण के लिए दैनिक, साप्ताहिक या मासिक कीमत प्रेक्षण है।
- ख 23 अवधि के लिए शेयर पर प्रतिफल की दर (जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है) परिमाण करती है कि एक शेयरधारक ने लाभार्थों तथा शेयर कीमत के मूल्यवृद्धि से (या मूल्यह्रास से) कितना लाभ अर्जित किया है।
- ख 24 शेयर की संभावित प्रत्याशित वार्षिक अस्थिरता वह रेंज है जिसके अंतर्गत प्रतिफल की सतत चक्रवृद्धि वार्षिक दर लगभग समय की दो तिहाई गुना गिरने की प्रत्याशा होती है। उदाहरण के लिए, यह कहना कि 12 प्रतिशत की प्रतिफल की संभावित सतत चक्रवृद्धि दर वाले शेयर की 30 प्रतिशत अस्थिरता का अर्थ है कि एक वर्ष के लिए शेयर पर प्रतिफल की दर -18 प्रतिशत (12 प्रतिशत - 30

प्रतिशत) और 42 प्रतिशत (12 प्रतिशत + 30 प्रतिशत) के बीच होगी इसकी संभाव्यता अनुमानित दो-तिहाई है। यदि शेयर कीमत वर्ष के आरंभ में 100 रुपये है और कोई लाभांश नहीं दिया गया है, तो वर्ष के अंत में शेयर कीमत 83.53 रुपये ($100 \text{ रुपये} \times \text{इ}^{-0.18}$) तथा 155.20 रुपये ($100 \text{ रुपये} \times \text{इ}^{0.42}$) के बीच प्रत्याशित होगी जो लगभग समय की दो तिहाई होगी।

ख 25 संभावित अस्थिरता के प्राक्कलन में विचार करने के लिए कारकों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) प्रतिष्ठान के शेयरों पर लेन-देन शेयर विकल्पों से अंतर्निहित अस्थिरता या प्रतिष्ठान के अन्य लेन-देन की गई लिखतें जिसमें विकल्प विशेषताएं, यदि कोई हैं, शामिल हैं (जैसे परिवर्तनीय ऋण)।
- (ख) नवीनतम अवधि में शेयर कीमत की ऐतिहासिक अस्थिरता जो सामान्य रूप से विकल्प की संभावित अवधि (विकल्प के शेष अनुबंधनात्मक जीवनकाल तथा संभावित शीघ्र प्रयोग के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए) के अनुरूप है।
- (ग) प्रतिष्ठान के शेयरों की समायावधि जब उनका सार्वजनिक रूप से व्यापार किया गया है। एक नया सूचीबद्ध प्रतिष्ठान की, उसी प्रकार के प्रतिष्ठानों से जो से लंबी अवधि से सूचीबद्ध है, तुलना करते हुए, उच्च ऐतिहासिक अस्थिरता हो सकती है। नए सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के लिए और भी मार्गदर्शन नीचे दिए गए हैं।
- (घ) अपने मध्यमान (मीन) की ओर वापसी के लिए अस्थिरता की प्रवृत्ति, अर्थात् इसका दीर्घकालीन औसत स्तर और अन्य कारकों से पता चलता है कि संभावित भावी अस्थिरता विगत अस्थिरता से अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक प्रतिष्ठान की शेयर कीमत असफल अधिग्रहण बोली (टेकओवर बिड) या बड़ी पुर्नसंरचना के कारण कुछ अभिज्ञेय अवधि के लिए असाधारण तौर पर अस्थिर थी, तो इसलिए उस अवधि को ऐतिहासिक औसत वार्षिक अस्थिरता की संगणना में उपेक्षा की जा सकती है।
- (ङ) कीमत प्रेक्षकों के लिए उचित एवं नियमित अंतराल। कीमत प्रेक्षकों को अवधि दर अवधि से सुसंगत होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान प्रत्येक सप्ताह के लिए अंतिम (क्लोजिंग) कीमत या सप्ताह के लिए उच्चतम कीमत का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसे कुछ सप्ताहों के लिए क्लोजिंग कीमत और अन्य सप्ताहों के लिए उच्चतम कीमत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार, कीमत प्रेक्षकों को उसी मुद्रा में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए जिसमें प्रयोग कीमत अभिव्यक्त की जाती है।

नए सूचीबद्ध प्रतिष्ठान

ख 26 जैसा कि अनुच्छेद ख 25 में व्याख्या की गयी है, एक प्रतिष्ठान को अत्यधिक नवीनतम अवधि पर शेयर कीमत की ऐतिहासिक अस्थिरता पर विचार करना चाहिए जो साधारणतया संभावित विकल्प अवधि के अनुरूप है। यदि एक नया सूचीबद्ध प्रतिष्ठान ऐतिहासिक अस्थिरता पर पर्याप्त सूचना नहीं रखता तो इसे फिर भी लंबी अवधि के लिए ऐतिहासिक अस्थिरता को संगणित करना चाहिए जिसके लिए व्यापार गतिविधि उपलब्ध है। यह अपने जीवनकालों में तुलनीय अवधि के बाद इसी प्रकार के प्रतिष्ठानों की ऐतिहासिक अस्थिरता पर भी विचार कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान जो केवल एक वर्ष के लिए सूचीबद्ध था और पांच वर्षों की औसत संभावित जीवनकाल वाले विकल्प स्वीकृत करता है, पहले छः वर्षों के लिए जिसमें उन प्रतिष्ठानों के शेयरों का सार्वजनिक रूप से व्यापार किया गया था समरूप उद्दोग में प्रतिष्ठानों की ऐतिहासिक अस्थिरता के पैटर्न तथा स्तर पर विचार कर सकता है।

गैर-सूचीबद्ध प्रतिष्ठान

- ख 27 एक गैर-सूचीबद्ध प्रतिष्ठान के पास संभावित अस्थिरता के प्राक्कलन के समय विचार करने के लिए ऐतिहासिक सूचना नहीं होगी। इसके स्थान पर विचार करने के लिए कुछ कारकों को नीचे निर्दिष्ट किया गया है।
- ख 28 कुछ मामलों में, एक सूचीबद्ध प्रतिष्ठान जो नियमित रूप से कर्मचारियों या अन्य पक्षों (पार्टियों) को विकल्प या शेयर जारी करता है, अपने शेयरों के लिए आंतरिक बाजार स्थापित कर सकता है। उन शेयर कीमतों की अस्थिरता को संभावित अस्थिरता के प्राक्कलन के समय विचार किया जा सकता है।
- ख 29 वैकल्पिक रूप से, प्रतिष्ठान इसी प्रकार के सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों की ऐतिहासिक या अंतर्निहित अस्थिरता पर विचार कर सकता है जिसके लिए शेयर कीमत या विकल्प कीमत संबंधी सूचना संभावित अस्थिरता के प्राक्कलन के समय प्रयोग के लिए उपलब्ध है। यह उपयुक्त होगा यदि प्रतिष्ठान ने इसी प्रकार के सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों की शेयर कीमतों पर इसके शेयरों के मूल्य को आधारित किया हो।
- ख 30 यदि प्रतिष्ठानों ने इसी प्रकार के सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों की शेयर कीमतों पर इसके शेयरों के मूल्य के प्राक्कलन को आधारित नहीं किया है और इसके शेयरों के मूल्य के लिए दूसरी मूल्यांकन कार्यप्रणाली का प्रयोग किया है, तो प्रतिष्ठान उस मूल्यांकन प्रणाली के अनुरूप संभावित अस्थिरता के प्राक्कलन को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठान शुद्ध आस्ति या उपर्जन के आधार पर इसके शेयरों का मूल्यांकन कर सकता है। यह उन शुद्ध आस्ति मूल्य या उपर्जनों की संभावित अस्थिरता पर विचार कर सकता है।

संभावित लाभांश

- ख 31 क्या संभावित लाभांशों को उस समय हिसाब में लिया जाना चाहिए जब शेयरों के उचित मूल्य का माप किया जाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) लाभांशों या लाभांश समतुल्यो के लिए योग्य हैं।
- ख 32 उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारियों को विकल्प स्वीकृत किए गए हैं और स्वीकृति की तिथि तथा प्रयोग तिथि के बीच, अंतर्निहित शेयरों पर लाभांशों या लाभांशो समतुल्यो (जो नकदी में अदा या प्रयोग कीमत को कम करने के लिए लागू किए जा सकते हैं) के

अधिकार के लिए योग्य हैं तो स्वीकृत किए गए विकल्पों को मूल्यांकित किया जाना चाहिए जैसे कि अंतर्निहित शेयरों पर कोई लाभांश अदा नहीं किया जाएगा अर्थात् संभावित लाभांशों के लिए निविष्टि शून्य होनी चाहिए।

- ख 33 इसी प्रकार, जब कर्मचारियों को स्वीकृत किए गए शेयरों की स्वीकृति की तिथि के उचित मूल्य को प्राक्कलित किया जाता है तब कोई समायोजन संभावित लाभांश के लिए अपेक्षित नहीं है यदि कर्मचारी निहित अवधि के दौरान अदा लाभों को प्राप्त करने के अधिकार के लिए योग्य है।
- ख 34 इसके विपरीत, यदि कर्मचारी निहित अवधि के दौरान (या एक विकल्प के मामले में प्रयोग से पूर्व) लाभांशों या लाभांश समतुल्यों के अधिकार के लिए योग्य नहीं है, तो शेयरों या विकल्पों के लिए अधिकारों का स्वीकृति की तिथि के मूल्यांकन को संभावित लाभांशों को हिसाब में लिया जाना चाहिए। इसका अर्थ है, जब विकल्प स्वीकृत का उचित मूल्य प्राक्कलित किया जाता है, तो संभावित लाभांशों को विकल्प कीमत निर्धारण मॉडल के प्रयोग में शामिल करना चाहिए। जब स्वीकृत शेयर का उचित मूल्य प्राक्कलित किया जाता है, तो उस मूल्यांकन को निहित अवधि के दौरान अदा किए जाने वाले संभावित लाभांशों के वर्तमान मूल्य द्वारा कम किया जाना चाहिए।
- ख 35 विकल्प कीमत-निर्धारण मॉडल साधारणतया संभावित लाभांश प्राप्ति की मांग करते हैं। तथापि, मॉडल को प्राप्ति (यील्ड) की अपेक्षा संभावित लाभांश राशि के प्रयोग के लिए संशोधित किया जा सकता है। एक प्रतिष्ठान या तो इसकी संभावित प्राप्ति (यील्ड) या इसके संभावित भुगतानों का प्रयोग कर सकता है। यदि प्रतिष्ठान परवर्ती का प्रयोग करता है तो इसे लाभांशों में वृद्धियों के ऐतिहासिक पैटर्न पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक प्रतिष्ठान की नीति (पालिसी) साधारणतया लगभग 3 प्रतिशत प्रति वर्ष लाभांशों में वृद्धि की रही है, अतएव इसके प्राक्कलित विकल्प मूल्य को पूरे विकल्प के जीवनकाल के दौरान एक निर्धारित लाभांश राशि का पूर्वानुमान नहीं करना चाहिए जब तक यह साक्ष्य न हो कि जो उस पूर्वानुमान को प्रोत्साहन देता हो।
- ख 36 साधारणतया, संभावित लाभांशों के बारे में पूर्वानुमान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना पर आधारित होना चाहिए। एक प्रतिष्ठान जो लाभांश अदा नहीं करता और उसकी ऐसी कोई योजनाएं नहीं है तो उसे शून्य संभावित लाभांश प्राप्ति (यील्ड) का पूर्वानुमान करना चाहिए। तथापि, एक उभरता प्रतिष्ठान जिसका लाभांशों को अदा करने का कोई इतिहास नहीं है, अपने कर्मचारी शेयर विकल्पों के संभावित जीवनकाल के दौरान लाभांशों को अदा करना प्रारंभ करने की प्रत्याशा कर सकता है। वे प्रतिष्ठान अपनी विगत लाभांश प्राप्ति (शून्य) के औसत को प्रयोग कर सकते हैं और उचित रूप से तुलनीय अपने जैसे (पीर) लाभांश समूह का एक मध्य लाभांश प्राप्ति (यील्ड) को प्रयोग कर सकते हैं।

जोखिम-मुक्त ब्याज दर

- ख 37 विशिष्ट रूप से, जोखिम-मुक्त ब्याज दर, देश की जीरो-कूपन सरकारी इश्यू पर उपलब्ध मौजूदा रूप से अन्तर्निहित प्राप्ति (यील्ड) है जिसकी मुद्रा में प्रयोग कीमत को, मूल्यांकित किए जा रहे विकल्प के शेष अवधि जो संभावित अवधि के बराबर है, (शेष अनुबंधनात्मक जीवनकाल पर आधारित तथा संभावित शीघ्र प्रयोग के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए) के साथ अभिव्यक्त किया गया है। यह उचित प्रतिस्थापन (सब्सिट्यूट) के प्रयोग के लिए आवश्यक हो सकता है, यदि ऐसे कोई सरकारी मुद्दे अस्तित्व में नहीं हैं या परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि जीरो-कूपन सरकारी मुद्दों पर अंतर्निहित प्राप्ति जोखिम-मुक्त ब्याज दर (उदाहरण के लिए, उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में), का प्रतिनिधित्व नहीं है। यह भी, कि एक उपयुक्त प्रतिस्थापन (सब्सिट्यूट) को प्रयुक्त किया जाना चाहिए यदि बाजार प्रतिभागी जीरो कूपन सरकारी मुद्दों की अन्तर्निहित प्राप्ति (यील्ड) की अपेक्षा उस प्रतिस्थापन (सब्सिट्यूट) का प्रयोग करते हुए जोखिम-मुक्त ब्याज दर को विशिष्ट रूप से निर्धारित करेंगे, जब उस विकल्प के उचित मूल्य का प्राक्कलन किया जाता है जिसका जीवनकाल मूल्यांकित किए जा रहे विकल्प की संभावित अवधि के बराबर हो।

पूंजी संरचना प्रभाव

- ख 38 विशिष्ट रूप से, तृतीय पार्टियां, लेकिन प्रतिष्ठान नहीं, व्यापारित शेयर विकल्पों को लिखती हैं। जब इन शेयर विकल्पों का प्रयोग किया जाता है तो लिखने वाला (राइटर), विकल्प धारक को शेयर डिलीवर करता है। उन शेयरों को मौजूदा शेयर धारकों से अर्जित किया जाता है। अतः व्यापारित शेयर विकल्पों के प्रयोग का मंदनकारी प्रभाव नहीं है।
- ख 39 इसके विपरीत, यदि शेयर विकल्पों को प्रतिष्ठान द्वारा लिखा जाता है, तो नए शेयरों को जारी किया जाता है जब उन शेयर विकल्पों का प्रयोग किया जाता है (या तो वास्तविक रूप से जारी किए गए हैं या सार में जारी किए गए हैं, यदि शेयरों की पहले पुनः खरीद की गई है और ट्रेजरी में रखते हुए प्रयुक्त किया गया है)। यह देते हुए कि शेयरों को प्रयोग तिथि पर चालू मार्केट कीमत की अपेक्षा प्रयोग मूल्य पर जारी किया जाएगा, अतः इस वास्तविक या संभावित मंदन से शेयर कीमत कम हो सकती है ताकि विकल्प धारक उस प्रयोग पर बड़ा लाभ (गेन) न कर सके जैसा उसी तरह से व्यापार किए गए अन्यथा विकल्प का प्रयोग करते हुए रहा है जो शेयर कीमत का मंदन नहीं करता।
- ख 40 यदि स्वीकृत किए गए शेयर विकल्पों के मूल्य पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है जो विभिन्न घटकों जैसे नए शेयरों की संख्या पर निर्भर करता है, जिसे पहले से जारी किए गए शेयरों की संख्या के साथ तुलना करते हुए विकल्पों के प्रयोग पर जारी किया जाएगा। इसी तरह, यदि मार्केट की पहले ही अपेक्षा है की स्वीकृत विकल्प अस्तित्व में होगा तो बाजार, स्वीकृति की तिथि पर शेयर कीमत में संभावित मंदन को घटित कर सकती है।

- ख 41 तथापि, प्रतिष्ठान को विचार करना चाहिए कि स्वीकृत किए गए शेर विकल्पों के भावी प्रयोग का संभव मंदनकारी प्रभाव का स्वीकृति की तिथि पर उनके प्राक्कलित उचित मूल्य पर प्रभाव हो सकता है। विकल्प कीमत-निर्धारण मॉडलों को इस संभावित मंदनकारी प्रभाव को हिसाब में रखने के लिए अपनाया जा सकता है।

‘इक्विटी’ द्वारा निपटाये शेर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं में संशोधन

- ख 42 अनुच्छेद 27 में अपेक्षा है कि शर्तों और निबंधनों जिस पर ‘इक्विटी’ लिखतों को स्वीकृत किया गया था, के लिए किसी संशोधनों का ध्यान किए बिना या उन ‘इक्विटी’ लिखतों की स्वीकृति का निरसन या निपटान किया गया था, तो प्रतिष्ठान प्राप्त सेवाओं को न्यूनतम रूप से, स्वीकृत ‘इक्विटी’ लिखतों की स्वीकृति की तिथि पर मापे गए उचित मूल्य पर मान्यता देगा जब तक निहित शर्त (बाजार स्थिति से भिन्न) को पूरा करने के लिए असफलता के कारण वे ‘इक्विटी’ लिखतें निहित नहीं होती जिसे स्वीकृति तिथि को विनिर्दिष्ट किया गया था। इसके अलावा प्रतिष्ठान को संशोधनों के प्रभावों को मान्यता देनी चाहिए जो शेर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था के कुल उचित मूल्य में वृद्धि करती है या अन्यथा कर्मचारी के लिए लाभप्रद होती है।
- ख 43 अनुच्छेद 27 की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए:
- (क) यदि संशोधन से तत्काल पूर्व और बाद परिमाण की गई स्वीकृत ‘इक्विटी’ लिखतों के उचित मूल्य (अर्थात् प्रयोग मूल्य को कम करते हुए) में वृद्धि होती है तो प्रतिष्ठान स्वीकृत की गई ‘इक्विटी’ लिखतों के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त सेवाओं के लिए मान्य राशि के माप में स्वीकृत वृद्धिशील उचित मूल्य को शामिल करेगा। स्वीकृत किया गया वृद्धिशील उचित मूल्य, संशोधित ‘इक्विटी’ लिखत तथा मूल ‘इक्विटी’ लिखत, दोनों संशोधन की तिथि को प्राक्कलित, के बीच का अंतर है। यदि संशोधन निहित अवधि के दौरान होता है तो स्वीकृत किये गये वृद्धिशील उचित मूल्य को संशोधन तिथि से निहित संशोधित ‘इक्विटी’ लिखतों की तिथि तक अवधि में प्राप्त सेवाओं के लिए मान्य राशि के माप में शामिल किया गया है जो मूल ‘इक्विटी’ लिखतों की स्वीकृति की तिथि के उचित मूल्य पर आधारित राशि के अतिरिक्त है जिसे मूल निहित अवधि के अवशेष पर मान्य किया गया है। यदि संशोधन निहित तिथि के बाद होता है तो स्वीकृत किया गया वृद्धिशील उचित मूल्य तत्काल या निहित अवधि के दौरान मान्य किया जाता है यदि कर्मचारी से उन संशोधित ‘इक्विटी’ लिखतों के लिए बिना शर्त की योग्यता से पूर्व सेवा की अतिरिक्त अवधियों को पूरा करने की अपेक्षा होती है।
- (ख) इसी प्रकार, यदि संशोधन में स्वीकृत किए गए ‘इक्विटी’ लिखतों की संख्या में वृद्धि होती है तो प्रतिष्ठान उक्त (क) में अपेक्षाओं के अनुरूप स्वीकृत की गई ‘इक्विटी’ लिखतों के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त सेवाओं के लिए अभिज्ञात रकम के परिमाण में संशोधन की तिथि को परिमाण की गई स्वीकृत की गई अतिरिक्त ‘इक्विटी’ लिखतों के उचित मूल्य को शामिल करेगा। उदाहरण के लिए, यदि संशोधन निहित अवधि के दौरान होता है तो स्वीकृत की गई अतिरिक्त ‘इक्विटी’ लिखतों का उचित मूल्य संशोधन तिथि से उस तिथि तक अवधि में प्राप्त सेवाओं के लिए अभिज्ञात रकम के परिमाण में शामिल किया गया है जब अतिरिक्त ‘इक्विटी’ लिखतें निहित होती हैं, जो मूल रूप से ‘इक्विटी’ लिखतों की उचित मूल्य की अनुदान तिथि पर आधारित रकम के अतिरिक्त है जिसे मूल रूप से निहित अवधि के अवशेष पर अभिज्ञात किया गया है।
- (ग) यदि प्रतिष्ठान उस ढंग से निहित शर्तों में संशोधन करता है जो कर्मचारी के लिए लाभदायक है, उदाहरण के लिए, जिसे निहित अवधि को कम करते हुए या कार्य निष्पादन स्थिति को संशोधित या समाप्त करते हुए (मार्केट स्थिति से भिन्न, जिसके लिए परिवर्तनों को उक्त (ए) के अनुसार परिकलित किया गया है) किया जाता है, तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 19-21 की अपेक्षाओं को लागू करते समय संशोधित निहित शर्तों को ध्यान में रखेगा।
- ख 44 इसके अलावा, यदि प्रतिष्ठान उस ढंग से स्वीकृत की गई ‘इक्विटी’ लिखतों की शर्तों को संशोधित करता है जिससे शेर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था का कुल उचित मूल्य कम होता है या अन्यथा कर्मचारी के लिए लाभदायक नहीं है, तो प्रतिष्ठान स्वीकृत की गई ‘इक्विटी’ लिखतों के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त सेवाओं के लिए लेखा करना जारी रखेगा यदि वह संशोधन नहीं हुआ है (स्वीकृत की गई कुछ या सभी ‘इक्विटी’ लिखतों) को रद्द करने से भिन्न जिसे अनुच्छेद 28 के अनुसार परिलक्षित किया जाएगा) उदाहरण के लिए :
- (क) यदि संशोधन से तुरंत पूर्व और बाद परिमाण की गई स्वीकृत की गई ‘इक्विटी’ लिखतों का उचित मूल्य कम होता है तो प्रतिष्ठान उचित मूल्य में उस कमी को लेखांकित नहीं करेगा और स्वीकृत की गई ‘इक्विटी’ लिखतों के स्वीकृति की तिथि के उचित मूल्य पर आधारित ‘इक्विटी’ लिखतों के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त सेवाओं के लिए मान्य राशि के परिमाण को जारी रखेगा।
- (ख) यदि संशोधन से कर्मचारी को स्वीकृत ‘इक्विटी’ लिखतों की संख्या कम होती है तो वह कभी अनुच्छेद 28 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वीकृति के उस भाग को निरसन करने के रूप में लेखांकित की जाएगी।
- (ग) यदि प्रतिष्ठान उस ढंग से निहित शर्तों को संशोधित करता है जो कर्मचारी के लिए लाभदायक नहीं हैं उदाहरण के लिए, निहित अवधि को कम करते हुए या कार्य निष्पादन स्थितियों में संशोधित करते हुए या कम करते हुए (बाजार स्थिति से भिन्न परिवर्तन जिसे उक्त (क) के अनुसार लेखांकित किया गया है), तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 19-21 की अपेक्षाओं को लागू करते समय संशोधित निहित स्थितियों को ध्यान में नहीं लाया जाएगा।

समूह प्रतिष्ठानों में शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन

- ख 45 अनुच्छेद 43 क - 43 ग समूह प्रतिष्ठानों के बीच शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों का लेखा प्रत्येक प्रतिष्ठान की पृथक या व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में बताता है। अनुच्छेद ख 46-ख 61 में विचार-विमर्श किया गया है कि अनुच्छेद 43 क - 43 ग की अपेक्षाओं को किस प्रकार लागू किया जाए। जैसा कि अनुच्छेद 43 घ में नोट किया गया है कि समूह प्रतिष्ठानों के बीच शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए विभिन्न कारणों से हो सकते हैं। इसलिए, यह विचार-विमर्श संपूर्ण नहीं है और अनुमान है कि जब प्रतिष्ठान वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है तो लेन-देन के निपटान के लिए उसकी कोई बाध्यता नहीं है इसलिए लेन-देन किसी इंट्रा ग्रुप चुकौती व्यवस्थाओं का ध्यान किए बिना अनुषंगी प्रतिष्ठान को मूल प्रतिष्ठान का 'इक्विटी' अंशदान है।
- ख 46 यद्यपि, नीचे दिया गया विचार-विमर्श कर्मचारियों के साथ लेन-देनों पर केन्द्रित है अतः यह कर्मचारियों से भिन्न वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के साथ इसी प्रकार के शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के लिए भी लागू होता है। मूल प्रतिष्ठान तथा इसके अनुषंगी प्रतिष्ठान के बीच व्यवस्था से कर्मचारियों को 'इक्विटी' लिखतों के प्रावधान के लिए मूल प्रतिष्ठान को अदा करने के लिए अनुषंगी प्रतिष्ठान की अपेक्षा होती है। नीचे दिये गये विचार-विमर्श से पता नहीं चलता कि इंट्रा ग्रुप भुगतान के लिए किस प्रकार लेखांकित किया जाए।
- ख 47 समूह प्रतिष्ठानों के बीच शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों में चारों मुद्दों की सामान्य तौर पर मुठभेड़ होती है। सुविधा के लिए नीचे दिए गए उदाहरणों में, मूल प्रतिष्ठान तथा इसके अनुषंगी प्रतिष्ठान के अनुसार मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है।

शेयर-आधारित भुगतान व्यवस्थाएं प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों को शामिल करते हुए

- ख 48 प्रथम मुद्दा यह है कि प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों को शामिल करने वाले निम्नलिखित लेन-देनों को इस मानक की अपेक्षाओं के अनुसार इक्विटी द्वारा निपटाये गए या नकदी रूप में निपटाए गए के रूप में लेखांकित किया जाना चाहिए:
- (क) एक प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को प्रतिष्ठान (अर्थात शेयर विकल्पों) की 'इक्विटी' लिखतों के लिए अधिकार देता है या इसके कर्मचारियों को इसकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अन्य पक्ष (पार्टी) से 'इक्विटी' लिखतों (अर्थात ट्रेजरी शेयर) को खरीदने की अपेक्षा करता है; और
- (ख) एक प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को, या तो उस प्रतिष्ठान द्वारा या इसके शेयर धारकों द्वारा प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखतों (अर्थात शेयर विकल्प) के लिए अधिकार स्वीकृत किए जाते हैं और प्रतिष्ठान के शेयर धारक आवश्यक 'इक्विटी' लिखतों को उपलब्ध करवाता है।
- ख 49 प्रतिष्ठान उन शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों का लेखा करेगा जिसमें यह 'इक्विटी' द्वारा निपटान के रूप में इसकी अपनी 'इक्विटी' लिखतों के लिए प्रतिफल के रूप में सेवाएं प्राप्त करता है। यह लागू होता है कि क्या प्रतिष्ठान चयन करता है या शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत इसके कर्मचारियों को इसकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए दूसरी पार्टी से उन 'इक्विटी' लिखतों की खरीद की अपेक्षा रहती है। यह इस बात का ध्यान किए बिना लागू होता है कि क्या :
- (क) प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखतों के लिए कर्मचारी के अधिकारों को प्रतिष्ठान द्वारा या इसके शेयरधारक (शेयर धारकों) द्वारा स्वीकृत किया गया था, या
- (ख) शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था, प्रतिष्ठान द्वारा या इसके शेयर धारक (शेयर धारकों) द्वारा व्यवस्थित की गई थी।
- ख 50 यदि शेयर धारकों की अपने निवेशिती के कर्मचारियों के साथ लेन देन को निपटाने की बाध्यता है तो यह अपने निजी की अपेक्षा अपने निवेशिती की 'इक्विटी' लिखतों को उपलब्ध करवाता है। अतः, यदि इसका निवेशिती, अनुच्छेद 43 ग के अनुसार, शेयर धारक के समूह में है तो शेयर धारक अपने पृथक वित्तीय विवरणों में नकद रूप में निपटाए गए व्यवस्थित शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के लिए लागू अपेक्षाओं के अनुसार तथा शेयर धारक अपने समेकित वित्तीय विवरणों में 'इक्विटी' द्वारा निपटाए गए शेयर-आधारित भुगतान लेन-देनों के लिए लागू अपेक्षाओं के अनुसार इसकी बाध्यता का माप करेगा।

शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्थाएं मूल प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखतों को शामिल करते हुए

- ख 51 दूसरा मुद्दा, अन्य समूह के प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखत को शामिल करने वाले उसी समूह के अंदर दो या अधिक प्रतिष्ठानों के बीच शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन की चिन्ता करता है। उदाहरण के लिए, अनुषंगी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को अनुषंगी प्रतिष्ठान को स्वीकृत की गई सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में इसके मूल प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखतों के अधिकार स्वीकृत किए गए हैं।
- ख 52 अतः, दूसरे मुद्दे में निम्नलिखित शेयर आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं की चिन्ता है:
- (क) एक मूल प्रतिष्ठान इसकी अनुषंगी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को सीधे इसकी 'इक्विटी' लिखतों के अधिकार स्वीकृत करता है: मूल प्रतिष्ठान (अनुषंगी प्रतिष्ठान नहीं) को अनुषंगी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को 'इक्विटी' लिखतें उपलब्ध करवाने की बाध्यता है; और
- (ख) एक अनुषंगी प्रतिष्ठान इसके कर्मचारियों को इसके मूल प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखतों के अधिकार स्वीकृत करता है।

एक मूल प्रतिष्ठान इसकी अनुषंगी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को इसकी 'इक्विटी' लिखतों के लिए अधिकार स्वीकृत करता है [अनुच्छेद ख 52 (क)]

ख 53 अनुषंगी प्रतिष्ठान को अनुषंगी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को इसके मूल प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखतों उपलब्ध करवाने की बाध्यता नहीं है। इसलिए, अनुच्छेद 43 ख के अनुसार, अनुषंगी प्रतिष्ठान 'इक्विटी' द्वारा निपटाये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के लिए लागू अपेक्षाओं के अनुसार इसके कर्मचारियों से प्राप्त सेवाओं का परिमाण करेगा और मूल प्रतिष्ठान से अंशदान के रूप में 'इक्विटी' में तदनुसूची वृद्धि को मान्यता देगा।

ख 54 मूल प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों को उपलब्ध करवाते हुए अनुषंगी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों से लेन-देनों के निपटान करने की बाध्यता है। अतः, अनुच्छेद 43 ग के अनुसार, मूल प्रतिष्ठान 'इक्विटी' द्वारा निपटाए गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के लिए लागू अपेक्षाओं के अनुसार अपनी बाध्यता का माप करेगा।

एक अनुषंगी प्रतिष्ठान इसके मूल प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखतों के लिए अधिकार अपने कर्मचारियों को स्वीकृत करता है (अनुच्छेद ख 52 (ख))

ख 55 क्योंकि अनुषंगी प्रतिष्ठान अनुच्छेद 43 ख में किसी भी शर्तों को पूरा नहीं करती, यह इसके कर्मचारियों के साथ लेन-देन का लेखा नकदी रूप में निपटाये गए के रूप में करेगा। यह अपेक्षा इस बात का ध्यान किए बिना लागू होती है कि अनुषंगी प्रतिष्ठान किस प्रकार इसके कर्मचारियों को इसकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए 'इक्विटी' लिखतों को प्राप्त करती है।

शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्थाएं कर्मचारियों को नकदी रूप में निपटाये गए भुगतानों को शामिल करते हुए

ख 56 तीसरा मुद्दा है कि किस प्रकार एक प्रतिष्ठान को, जो अपने आपूर्तिकर्ताओं से (कर्मचारी सहित) वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है, शेयर-आधारित व्यवस्थाएं का लेखा करना चाहिए जिन्हें तब नकदी रूप में निपटाया जाता है जब प्रतिष्ठान की इसके आपूर्तिकर्ताओं को अपेक्षित भुगतानों के लिए कोई बाध्यता नहीं है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित व्यवस्थाओं पर विचार करें जिसमें मूल प्रतिष्ठान (न कि स्वयं प्रतिष्ठान) को प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को अपेक्षित नकद भुगतानों के लिए बाध्यता है:

(क) प्रतिष्ठान के कर्मचारी नकद भुगतान प्राप्त करेंगे जो इसकी 'इक्विटी' लिखतों की कीमत से संबंधित है।

(ख) प्रतिष्ठान के कर्मचारी नकद भुगतानों को प्राप्त करेंगे जो इसके मूल प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखतों की कीमत से संबंधित है।

ख 57 अनुषंगी प्रतिष्ठान की अपने कर्मचारियों के साथ लेन-देन के निपटान की बाध्यता नहीं है। इसलिए अनुषंगी प्रतिष्ठान इसके कर्मचारियों से लेन-देन के लिए 'इक्विटी' द्वारा निपटाए गए के रूप में लेखा करेगा और इसके मूल प्रतिष्ठान से अंशदान के रूप में 'इक्विटी' में तदनुसूची वृद्धि को मान्यता देगा। अनुषंगी प्रतिष्ठान गैर-बाजार निहित शर्तों से उद्भूत किसी परिवर्तनों के लिए तदनंतर लेन-देन की लागत का पुनर्माप करेगी जिसकी अनुच्छेद 19-21 के अनुसार पूर्ति नहीं की गई है। यह समूह की समेकित वित्तीय विवरणों में रोनकदी रूप में निपटाये गए के रूप में लेन-देन के माप से भिन्न है।

ख 58 क्योंकि मूल प्रतिष्ठान की कर्मचारियों के साथ लेन-देन का निपटान करने की बाध्यता है और प्रतिफल नकदी है, इसलिए मूल प्रतिष्ठान (और समेकित समूह) अनुच्छेद 43 ग में नकदी रूप में निपटाये गए शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के लिए लागू अपेक्षाओं के अनुसार इसकी बाध्यता का माप करेगा।

समूह प्रतिष्ठानों के बीच कर्मचारियों का स्थानांतरण

ख 59 चौथा मुद्दा समूह शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं से संबंधित है जो एक से अधिक समूह प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए, मूल प्रतिष्ठान इसकी अनुषंगी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को इसकी 'इक्विटी' लिखतों के अधिकार स्वीकृत कर सकता है, जो विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समूह के साथ सतत सेवा को पूरा करने के लिए शर्त रखता है। एक अनुषंगी प्रतिष्ठान का कर्मचारी प्रभावित हो रही मूल शेयर-आधारित भुगतान संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत मूल प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखतों के लिए कर्मचारी के अधिकार के बिना विनिर्दिष्ट निहित अवधि के दौरान दूसरी अनुषंगी प्रतिष्ठान में रोजगार अंतरित कर सकता है। यदि अनुषंगी प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के साथ शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन को निपटान करने की बाध्यता नहीं है तो वे 'इक्विटी' द्वारा निपटाये लेन-देन के रूप में इसका लेखा करते हैं। प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान उस तिथि को 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य के संदर्भ द्वारा कर्मचारी से प्राप्त सेवाओं का माप करेगी, जिस तिथि पर उन 'इक्विटी' लिखतों के अधिकारों को परिशिष्ट क में परिभाषित मूल प्रतिष्ठान द्वारा आरंभ में स्वीकृत किया गया था तथा निहित अवधि के समानुपात जो प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान के कर्मचारी द्वारा सेवा दी गयी है।

ख 60 यदि अनुषंगी प्रतिष्ठान की इसके मूल प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखतों में इसके कर्मचारियों से लेन-देन को निपटान करने की बाध्यता है तो लेन-देन का लेखा किया जाता है। प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान निहित अवधि को समानुपातिक रूप में प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान को सीधे ही कर्मचारियों के लिए 'इक्विटी' लिखतों के स्वीकृति की तिथि के उचित मूल्य के आधार पर प्राप्त सेवाओं का माप करेगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान कर्मचारियों की प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान में सेवा अवधि के दौरान 'इक्विटी' लिखतों के उचित मूल्य में किसी परिवर्तन को मान्यता देगी।

ख 61 समूह प्रतिष्ठानों के बीच स्थानांतरण के बाद इस प्रकार के कर्मचारी परिशिष्ट क में परिभाषित बाजार स्थिति से भिन्न निहित स्थिति को पूरा करने में असफल हो सकता है उदाहरणार्थ कर्मचारी सेवा अवधि पूरा करने से पूर्व समूह को छोड़ जाता है। इस मामले में,

चूँकि निहित शर्त समूह के लिए सेवा है, अतएव प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान अनुच्छेद 19 के सिद्धांतों के अनुसार कर्मचारी से प्राप्त सेवाओं के संबंध में पहले मान्य राशि का समायोजन करेगी। इस प्रकार, यदि मूल प्रतिष्ठान द्वारा स्वीकृत की गई 'इक्विटी' लिखतों के अधिकार बाजार स्थिति से भिन्न निहित शर्त को पूरा करने के लिए कर्मचारी की असफलता के कारण निहित नहीं होते, तो कोई राशि किसी प्रतिष्ठान समूह की वित्तीय विवरणों में उन कर्मचारी से प्राप्त सेवाओं के लिए संचयी आधार पर मान्य नहीं की जाती है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 102 और तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 2, शेयर-आधारित भुगतान, के बीच यदि कोई प्रमुख अंतर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

आई एफ आर एस 2, शेयर-आधारित भुगतान के साथ तुलना

1. 'आई एफ आर एस' 2 में दिये गये संक्रमणकालीन प्रावधान और उनसे संबंधित भाग भारतीय लेखा मानक 102 में सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन प्रावधान जहां उचित समझा गया है, 'आई एफ आर एस' 1 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमबार अंगीकरण के अनुरूप भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
2. 'आई एफ आर एस' 2 के अनुच्छेद 5 में समाविष्ट 'आई एफ आर एस' 3 के अनुच्छेद ख 1 - ख 4 का प्रति-निर्देश भारतीय लेखा मानक 102 के अनुच्छेद छ 5 में समाविष्ट भारतीय लेखा मानक 103 के परिशिष्ट ग के प्रति-निर्देश में संशोधित कर दिया गया है। यह सामान्य नियंत्रण के अंतर्गत प्रतिष्ठानों के व्यावसायिक संयोजन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 103 में परिशिष्ट 'ग' को सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप है।
3. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन पत्र' का प्रयोग किया गया है।
4. 'आई एफ आर एस' 2 में अनुच्छेद संख्या 3 'हटाये गये' के रूप में उल्लिखित है। 'आई एफ आर एस' 2 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 102 में अनुच्छेद संख्या को जारी रखा गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 103

व्यावसायिक संयोजन

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का उद्देश्य, रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान द्वारा इसके वित्तीय विवरणों में एक व्यावसायिक संयोजन और उसके प्रभावों संबंधी सूचना की प्रांसागिकता, विश्वसनीयता और तुलनात्मकता में सुधार करना है। इसकी पूर्ति हेतु, यह भारतीय लेखा मानक उन सिद्धांतों और अपेक्षाओं का निर्धारण करता है कि किस प्रकार एक अधिग्रहणकर्ता :
 - (क) इसके वित्तीय विवरणों में अधिग्रहीत की गयी पहचानयोग्य आस्तियों, ग्रहण किये गये दायित्वों एवं अधिग्रहणित में गैर-नियन्त्रक हित को मान्यता देता है और उसका माप करता है ;
 - (ख) व्यावसायिक संयोजन में प्राप्त ख्याति (गुडविल) या मोल-भाव¹ द्वारा क्रय से लाभ को मान्यता देता है और माप करता है; और
 - (ग) इस बात का निर्धारण करता है कि व्यावसायिक संयोजन की प्रकृति और वित्तीय प्रभावों के मूल्यांकन में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की सहायतार्थ किस सूचना को प्रकटन किया जाये ।

कार्यक्षेत्र

2. यह भारतीय लेखा मानक एक व्यावसायिक संयोजन की परिभाषा पूरी करने वाले लेन-देन या अन्य घटना पर लागू होता है। यह भारतीय लेखा मानक निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है :
 - (क) एक संयुक्त व्यवस्था के वित्तीय विवरणों में संयुक्त व्यवस्था की संरचना के लेखे पर।
 - (ख) उस एक आस्ति या आस्तियों के समूह के अधिग्रहण पर जो एक व्यवसाय का गठन नहीं है। ऐसे मामलों में, अधिग्रहणकर्ता व्यक्तिगत अधिग्रहीत की गयी पहचानयोग्य आस्तियों (उन आस्तियों सहित जो कि भारतीय लेखा मानक 38, अमूर्त आस्तियां, की परिभाषा और मान्यता मानदंड के अनुरूप हों) और ग्रहण किये गये दायित्वों की पहचान करेगा और उन्हें मान्यता देगा। समूह की लागत, क्रय तिथि पर उनके (आस्तियों और दायित्वों के) सापेक्षिक उचित मूल्य के आधार पर

¹ इस मानक और सभी भारतीय लेखा मानकों में व्यावसायिक संयोजन से उत्पन्न मोल-भाव द्वारा क्रय से लाभ के संदर्भ में इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 34 व 36 क में मान्य राशियां सम्मिलित हैं, जैसी भी स्थिति हो, और जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।

व्यक्तिगत पहचानयोग्य आस्तियों और दायित्वों में आबंटित की जाएगी। इस प्रकार के लेनदेन या घटना से ख्याति, का सृजन नहीं होता है; और

(ग) [देखें परिशिष्ट 1]

2क इस लेखा मानक की अपेक्षाएं एक निवेश प्रतिष्ठान द्वारा अधिग्रहण पर लागू नहीं होती हैं, जोकि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 110, *समेकित वित्तीय विवरण* में परिभाषित एक अनुषंगी प्रतिष्ठान में किया गया यह वह निवेश है जो कि लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाएगा।

2ख परिशिष्ट 'ग' प्रतिष्ठानों के संयोजन या वह व्यवसाय जो सामान्य नियंत्रण (कॉमन कंट्रोल) में हैं के लेखे पर चर्चा करता है।

व्यावसायिक संयोजन की पहचान

3. एक प्रतिष्ठान, इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) में दी गई परिभाषा के आधार पर, यह निर्धारित करेगा कि क्या एक लेन-देन या अन्य घटना एक व्यावसायिक संयोजन है या नहीं। यह भारतीय लेखा मानक यह अपेक्षा करता है कि अधिग्रहीत की गयी आस्तियों और ग्रहण किये गये दायित्वों से एक व्यवसाय का गठन होता है। यदि अधिग्रहीत की गयी आस्तियां एक व्यवसाय नहीं हैं तो रिपोर्टिंग करने वाला प्रतिष्ठान विशेष लेन-देन या अन्य घटना का लेखा एक आस्ति अधिग्रहण के रूप में करेगा। अनुच्छेद ख 5 - ख 12 एक व्यावसायिक संयोजन की पहचान और एक व्यवसाय की परिभाषा हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

अधिग्रहण विधि

4. एक प्रतिष्ठान, प्रत्येक व्यावसायिक संयोजन का लेखा अधिग्रहण विधि लागू करते हुए करेगा।

5. अधिग्रहण विधि लागू करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक है :

(क) अधिग्रहणकर्ता की पहचान ;

(ख) अधिग्रहण तिथि का निर्धारण ;

(ग) अधिग्रहण की गयी पहचानयोग्य आस्तियों, ग्रहण किये गये दायित्वों और अधिग्रहणिति में किसी गैर-नियंत्रक हित की पहचान एवं माप ;

(घ) ख्याति (गुडविल) अथवा मोल-भाव वाले क्रय से प्राप्त लाभ की मान्यता एवं माप ।

अधिग्रहणकर्ता की पहचान

6. प्रत्येक व्यावसायिक संयोजन हेतु, संयोजन प्रतिष्ठानों में से किसी एक की अधिग्रहणकर्ता के रूप में पहचान की जायेगी ।

7. भारतीय लेखा मानक 110 में दिये गये दिशा-निर्देश का प्रयोग अधिग्रहणकर्ता की पहचान के लिए किया जायेगा - वह प्रतिष्ठान जो दूसरे प्रतिष्ठान अर्थात् अधिग्रहणिति में नियन्त्रण रखता है। यदि एक व्यावसायिक संयोजन का सृजन होता है परन्तु भारतीय लेखा मानक 110 के दिशा-निर्देश का प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट नहीं होता कि संयोजन प्रतिष्ठान में कौन - सा प्रतिष्ठान अधिग्रहणकर्ता है, तो इसका निर्धारण करने हेतु अनुच्छेद ख 14 - ख 18 में दिये गये कारकों पर विचार किया जायेगा ।

अधिग्रहण तिथि का निर्धारण करना

8. अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण तिथि की पहचान करेगा । यह वह तिथि है जिस पर अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति पर नियन्त्रण प्राप्त करता है।

9. जिस तिथि पर अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति पर नियन्त्रण प्राप्त करता है, यह सामान्यतः वह तिथि होती है जिस पर अधिग्रहणकर्ता कानूनी रूप से अधिग्रहणिति को प्रतिफल का अंतरण करता है, आस्तियां प्राप्त करता है तथा दायित्वों को ग्रहण करता है, यह अन्तिम तिथि होती है। लेकिन, अधिग्रहणकर्ता एक ऐसी तिथि पर भी नियन्त्रण प्राप्त कर सकता है जो कि अन्तिम तिथि से पहले या बाद की हो। उदाहरणार्थ, जब करार (एग्रीमेंट) यह अनुमति देता है कि अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति पर नियन्त्रण अन्तिम तिथि से पहले की तिथि पर अधिग्रहीत करेगा तो ऐसी स्थिति में अधिग्रहण की तिथि अन्तिम तिथि से पहली की होगी । एक अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण तिथि की पहचान हेतु सभी सम्बद्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर भी विचार करेगा ।

अधिग्रहीत की गयी पहचानयोग्य आस्तियों, ग्रहण किये गये दायित्व एवं अधिग्रहणिति में कोई गैर-नियन्त्रक हित की मान्यता और माप

मान्यता सिद्धान्त

10. अधिग्रहण तिथि को, अधिग्रहणकर्ता ख्याति से पृथक, अधिग्रहीत की गयी पहचानयोग्य आस्तियों, ग्रहण किये गये दायित्वों और अधिग्रहणिति में कोई गैर-नियन्त्रक हित को मान्यता देगा । अधिग्रहीत की गयी पहचानयोग्य आस्तियों और ग्रहण किये गये दायित्वों की मान्यता अनुच्छेद 11 और 12 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी ।

मान्यता शर्तें

11. अधिग्रहण विधि लागू करने के एक भाग के रूप में मान्यता की अहर्ता हेतु अधिग्रहीत की गयी पहचानयोग्य आस्तियों और ग्रहण किये गये दायित्वों को अधिग्रहण तिथि पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक के अनुसरण में *वित्तीय विवरण तैयार करना और उनका प्रस्तुतिकरण विषयक कार्य- पद्धति* में दी गयीं आस्तियों और दायित्वों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक अधिग्रहणिति की गतिविधियों से हटने की योजना को लागू करने के लिए अधिग्रहणकर्ता लागतों को भविष्य में खर्च करने की आशा तो करता है लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं है या वह अधिग्रहणिति के कर्मचारियों की सेवाओं के समापन या पुनर्स्थापन को अधिग्रहण तिथि पर दायित्व नहीं मानेगा। अतः अधिग्रहणकर्ता उन लागतों को अधिग्रहण विधि लागू करने के एक भाग के रूप में मान्यता नहीं देता। बल्कि, अधिग्रहणकर्ता अन्य भारतीय लेखा मानकों के अनुसार इन लागतों को संयोजन के पश्चात् वित्तीय विवरणों में मान्यता देता है।
12. इसके अलावा अधिग्रहण विधि लागू करने के भाग के रूप में मान्यता की अहर्ता के लिए अधिग्रहीत पहचान योग्य आस्तियों और ग्रहण की गयी दायित्वों को अधिग्रहणकर्ता और अधिग्रहणिति (अथवा इसके पहले के स्वामियों) के मध्य व्यावसायिक संयोजन लेनदेन के विनिमय का भाग होना चाहिए न कि यह पृथक लेन-देनों के परिणामस्वरूप होना चाहिए। अधिग्रहणकर्ता अनुच्छेद 51-53 में दिये गये मार्ग- निर्देश को यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग करेगा कि कौन-सी अधिग्रहीत आस्तियां या ग्रहण किये गये दायित्व अधिग्रहणकर्ता के लिए विनिमय का भाग हैं और पृथक लेन-देनों का परिणाम हैं, यदि कोई है, जिन्हें उनकी प्रकृति और प्रयुक्त भारतीय लेखा मानकों के अनुसार लेखा किया जायेगा।
13. अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्यता सिद्धान्त और शर्तों के लागू करने के फलस्वरूप कुछ आस्तियों और देयताओं की यह मान्यता हो सकती है जिन्हें अधिग्रहणिति ने अपने वित्तीय विवरणों में पहले आस्तियों या दायित्वों के रूप में मान्यता नहीं दी थी। उदाहरणार्थ, अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहीत पहचानयोग्य अमूर्त आस्तियों जैसे कि एक ब्रांड नाम, पेटेंट या फिर एक ग्राहक संबंध, जिसे मान्यता देता है, अधिग्रहणिति ने अपने वित्तीय विवरणों में उन्हें आस्तियों के रूप में मान्यता नहीं दी थी क्योंकि इसने उनका विकास भीतर ही किया है और सम्बद्ध लागतों को व्यय के रूप में चार्ज किया।
14. अनुच्छेद ख 28 - ख 40 परिचालन पट्टा और अमूर्त आस्तियों की मान्यता पर दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 22-28 उन पहचान योग्य आस्तियों और देयताओं के प्रकार विनिर्दिष्ट करते हैं जिनमें वे मदें भी सम्मिलित हैं जिनके लिए यह भारतीय लेखा मानक सिद्धान्त व शर्तों की मान्यता हेतु सीमित अपवाद प्रदान करता है।
व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत की गयीं पहचान योग्य आस्तियों एवं ग्रहण किये गये दायित्वों का वर्गीकरण अथवा उन्हें नामोद्विष्ट (डेजिगनेट) करना
15. अधिग्रहण तिथि पर, अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहीत पहचान योग्य आस्तियों और ग्रहण की गयी दायित्वों को अपनी आवश्यकतानुसार तत्पश्चात् अन्य भारतीय लेखा मानकों को लागू करने के लिए वर्गीकृत या नामोद्विष्ट करेगा। अधिग्रहणकर्ता वह वर्गीकरणों या नामोद्विष्टनों को अधिग्रहण तिथि पर मौजूद अनुबंधात्मक शर्तों, आर्थिक परिस्थितियों, इसकी परिचालन या लेखा नीतियों और अन्य सम्बद्ध स्थितियों के आधार पर करेगा।
16. कुछ स्थितियों में, एक प्रतिष्ठान किसी आस्ति या देयता को किस प्रकार वर्गीकृत या नामोद्विष्ट करता है इसके आधार पर भारतीय लेखा मानक अलग-अलग लेखा बताते हैं। अधिग्रहण तिथि को मौजूद सम्बद्ध परिस्थितियों के आधार पर, अधिग्रहणकर्ता द्वारा किये जाने वाले वर्गीकरण या नामोद्विष्ट के उदाहरण निम्नलिखित हैं परन्तु ये यहां तक सीमित नहीं हैं :
(क) भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें* के अनुसार विशेष वित्तीय आस्तियों और दायित्वों का वर्गीकरण जो कि लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य परमापी गई हैं या परिशोधित लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई हैं;
(ख) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार एक व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) लिखत को एक हैज लिखत के रूप में नामोद्विष्ट करना ; और
(ग) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार इस बात का निर्धारण करना कि क्या एक सन्निहित व्युत्पन्न (एम्बेडेड डेरिवेटिव) को होस्ट अनुबंध से पृथक किया जाए या नहीं (यह भारतीय लेखा मानक इस शब्द का प्रयोग करता है यह वर्गीकरण का एक विषय है);
17. यह भारतीय लेखा मानक अनुच्छेद 15 में वर्णित सिद्धान्त के दो अपवाद प्रदान करता है:
(क) भारतीय लेखा मानक 17, *पट्टे*, के अनुसार पट्टा अनुबंध का परिचालन पट्टे या वित्तीय पट्टे के रूप में ; और
(ख) भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध* के अनुसार एक अनुबंध का बीमा-अनुबंध के रूप में वर्गीकरण।
अधिग्रहणकर्ता उन अनुबंधों को अनुबंध के आरंभ में अनुबंधात्मक शर्तों और अन्य तत्वों के आधार पर वर्गीकृत करेगा (या, यदि अनुबंध के निबंधनों इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि संशोधन तिथि अधिग्रहण तिथि से पहले हो)।

माप सिद्धान्त

18. अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहीत पहचान योग्य आस्तियों और ग्रहण की गयी दायित्वों का अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य आधार पर माप करेगा।
19. प्रत्येक व्यावसायिक-संयोजन हेतु, अधिग्रहण तिथि पर अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति में गैर-नियन्त्रक हित के घटकों का, जो कि वर्तमान स्वामित्वहित हैं, तथा उनके धारकों को प्रतिष्ठान के परिसमापन पर उसकी शुद्ध आस्तियों का आनुपातिक आधार पर धारण करने का अधिकार प्रदान करता है, निम्नलिखित में से किसी एक पर माप करेगा :
- (क) उचित मूल्य पर ; या
- (ख) अधिग्रहणिति की पहचानयोग्य शुद्ध आस्तियों की मान्य राशि में वर्तमान स्वामित्व लिखतों को आनुपातिक अंश पर।
- गैर-नियन्त्रक हितों के अन्य सभी घटकों का माप उनकी अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्य पर किया जायेगा, जब तक कि भारतीय लेखा मानकों द्वारा अन्य माप आधार की अपेक्षा न की जाये।
20. अनुच्छेद 24-31 उन पहचान योग्य आस्तियों और दायित्वों के प्रकारों को विनिर्दिष्ट करते हैं, जो कि उन मदों को सम्मिलित करते हैं जिनके लिए यह लेखा मानक माप सिद्धान्त के लिए सीमित अपवाद प्रदान करता है।
- मान्यता या माप सिद्धान्तों के अपवाद**
21. यह भारतीय लेखा मानक मान्यता एवं माप के अपने सिद्धान्तों के सीमित अपवाद प्रदान करता है। अनुच्छेद 22-31 दोनों ही विशिष्ट मदों, को विनिर्दिष्ट करते हैं जिनके लिए अपवाद हैं और उन अपवादों की प्रकृति क्या है। अधिग्रहणकर्ता अनुच्छेद 22-31 में वर्णित अपेक्षाओं को लागू करते हुए उनका लेखा करेगा जिसके परिणामस्वरूप कुछ मदें इस प्रकार होंगी :
- (क) या तो अनुच्छेद 11 और 12 में दी गयी शर्तों के अतिरिक्त मान्यता शर्तों को लागू करते हुए, या फिर, अन्य भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षाओं का प्रयोग करते हुए मान्यता दी जाएगी, जो मान्यता सिद्धान्त या शर्तों के लागू करने से भिन्न परिणाम देता है।
- (ख) उनकी अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्यों से भिन्न राशि पर मापी गयी।
- मान्यता सिद्धान्त के अपवाद**
- आकस्मिक दायित्व**
22. भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां* एक आकस्मिक दायित्व को इस प्रकार परिभाषित करता है :
- (क) एक संभावित बाध्यता जो कि अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके आस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के, जो कि पूर्णतया प्रतिष्ठान के नियन्त्रण में नहीं हैं, घटित होने या घटित न होने से होती हैं, या
- (ख) एक वर्तमान बाध्यता जो अतीत की घटनाओं से तो उत्पन्न होती है परन्तु इसकी मान्यता नहीं की जाती, क्योंकि :
- (i) यह संभावित नहीं है कि बाध्यता विशेष के निपटान के लिए आर्थिक लाभों से सन्निहित संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा ; या
- (ii) बाध्यता की राशि को पर्याप्त विश्वनीयता से नहीं मापा जा सकता।
23. भारतीय लेखा मानक 37 में निहित अपेक्षाएं इस निर्धारण हेतु लागू नहीं होती कि अधिग्रहण तिथि पर कौन-से आकस्मिक दायित्वों को मान्यता दी जाए। इसकी बजाए, अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण तिथि पर एक व्यवसायिक संयोजन में ग्रहण किये गये आकस्मिक दायित्वों को मान्यता देगा यदि यह एक वर्तमान बाध्यता है जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका उचित मूल्य पर विश्वसनीयता के साथ माप किया जा सकता है। इसलिए, भारतीय लेखा मानक 37 के विपरीत, अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण तिथि पर ग्रहण किये गये आकस्मिक दायित्व को मान्यता देता है भले ही यह संभावित न हो कि आर्थिक लाभों के साथ सन्निहित संसाधनों का बहिर्प्रवाह बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित होगा। अनुच्छेद 56 आकस्मिक दायित्वों के उत्तरवर्ती लेखे पर दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- मान्यता एवं माप दोनों सिद्धान्तों के अपवाद**
- आयकर**
24. अधिग्रहणकर्ता एक व्यावसायिक संयोजन में प्राप्त आस्तियों और ग्रहण किये गये दायित्वों से उत्पन्न आस्थागित कर आस्ति या दायित्व की मान्यता और माप, भारतीय लेखा मानक 12, *आयकर* के अनुसार करेगा।
25. अधिग्रहणकर्ता भारतीय लेखा मानक 12 के अनुसार अधिग्रहण तिथि को मौजूद या अधिग्रहण से उत्पन्न अधिग्रहणिति के अस्थायी अन्तरों और आगे ले जाये जाने वाली राशियों के संभावित कर प्रभावों का लेखा करेगा।
- कर्मचारी लाभ**

26. अधिग्रहणकर्ता भारतीय लेखा मानक 19, *कर्मचारी लाभ*, के अनुसार अधिग्रहणिति के कर्मचारी लाभ व्यवस्थाओं से संबंधित एक दायित्व (या आस्ति, अगर कोई हो) को मान्यता देगा और उसका माप करेगा।
- क्षतिपूरक आस्तियां**
27. एक व्यावसायिक संयोजन में, एक विक्रेता अधिग्रहणकर्ता को किसी विशिष्ट आस्ति या दायित्व से संबंधित पूर्ण या आंशिक आकस्मिकता या अनिश्चितता के परिणामस्वरूप अनुबंधात्मक रूप से क्षतिपूर्ति कर सकता है। उदाहरणार्थ, विक्रेता अधिग्रहणकर्ता को विशिष्ट आकस्मिकता से उत्पन्न दायित्व पर एक विशिष्ट राशि से ऊपर हानि की क्षतिपूर्ति कर सकता है। दूसरे शब्दों में, विक्रेता गारन्टी देगा कि अधिग्रहणकर्ता के दायित्व एक विशिष्ट राशि से अधिक नहीं होंगे। परिणामतः अधिग्रहणकर्ता एक क्षतिपूरक आस्ति प्राप्त करता है। अधिग्रहणकर्ता क्षतिपूरित मद के मान्यता करते समय ही क्षतिपूरक आस्ति को क्षतिपूरित मद के ही आधार पर मान्यता देगा लेकिन, ऐसा वह असंग्रहणीय राशियों के मूल्यांकन रियायत की आवश्यकता के तहत करेगा। इसलिए, यदि एक आस्ति या दायित्व से संबंधित क्षतिपूर्ति जिसे अधिग्रहण तिथि पर मान्यता दी जाती है और अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्य पर मापा जाता है तो अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण तिथि पर अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्य पर मापी गयी क्षतिपूरक आस्ति को मान्यता देगा। उचित मूल्य पर मापी गयी क्षतिपूरक आस्ति हेतु, संग्रहयोग्यता प्रतिफलों के कारण भावी नकदी प्रवाह के बारे में अनिश्चितता के प्रभावों को उचित मूल्य पर माप में ही सम्मिलित किया जाता है तथा इसके लिए किसी पृथक मूल्यांकन छूट की आवश्यकता नहीं है (अनुच्छेद ख 41 इसके प्रयोग के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान करता है)।
28. कुछ परिस्थितियों में, क्षतिपूर्ति एक आस्ति या दायित्व से संबंधित हो सकती है जो कि मान्यता या माप सिद्धान्तों का एक अपवाद हो। उदाहरणार्थ, क्षतिपूर्ति उस आकस्मिक दायित्व से संबंधित हो सकती है जो कि अधिग्रहण तिथि पर मान्य न हो क्योंकि उस तिथि पर इसका उचित मूल्य पर माप विश्वसनीय रूप से नहीं किया जा सकता। वैकल्पिक रूप में : एक क्षतिपूर्ति एक आस्ति या दायित्व से संबंधित हो सकती है, जैसे कि, एक जो कर्मचारी लाभ से उपजी हो, जो कि अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्य से भिन्न आधार पर मापी जाती है। उन परिस्थितियों में, क्षतिपूर्ति आस्ति की मान्यता व माप के लिए वही अवधारणाएं प्रयोग में लायी जाएंगी जो कि क्षतिपूरित मद के माप के लिए प्रयोग की गयी थीं। लेकिन ऐसा क्षतिपूरक आस्ति की संग्रहयोग्यता और क्षतिपूरित राशि पर किन्हीं अनुबंधात्मक सीमाओं पर प्रबन्ध के मूल्यांकन के अन्तर्गत ही किया जाएगा। अनुच्छेद 57 एक क्षतिपूरक आस्ति के उत्तरवर्ती लेखा के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- माप सिद्धान्त के अपवाद**
- पुनः अधिग्रहीत अधिकार**
29. अधिग्रहणकर्ता एक अमूर्त आस्ति के रूप में पुनः अधिग्रहीत अधिकार के मूल्य का माप सम्बद्ध अनुबंध की शेष अनुबंधात्मक अवधि के आधार पर करेगा बिना यह परवाह किये कि क्या बाजार प्रतिभागी इसके उचित मूल्य माप में संभावित अनुबंधात्मक नवीकरण पर विचार करेंगे। अनुच्छेद ख 35 और ख 36 इसके प्रयोग के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
- शेयर-आधारित भुगतान-संबंधी लेन-देन**
30. अधिग्रहणकर्ता एक शेयर-आधारित भुगतान के लेन-देनों से संबंधित अधिग्रहणिति के एक दायित्व या एक 'इक्विटी' लिखत या एक अधिग्रहणकर्ता के शेयर-आधारित भुगतान के लेन-देनों के साथ एक अधिग्रहणिति के शेयर-आधारित भुगतान के लेनदेनों की पुनर्स्थापना का माप भारतीय लेखा मानक 102, *शेयर-आधारित भुगतान* के अनुसार अधिग्रहण तिथि पर करेगा। (यह भारतीय लेखा मानक उस विधि के परिणाम को शेयर-आधारित भुगतान के लेन देन के 'बाजार-आधारित माप' के रूप में संदर्भित करता है)।
- बिक्री हेतु धारित आस्तियां**
31. अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहीत गैर-चालू आस्ति (या निपटान समूह) का, जो भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन*, के अनुसार अधिग्रहण तिथि पर बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत की गयी है, उस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 15-18 के अनुसार उचित मूल्य में से बिक्री मूल्य घटाकर माप करेगा।
- ख्याति (गुडविल) या मोल-भाव द्वारा क्रय से प्राप्त लाभ (गेन) की मान्यता एवं माप**
32. अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण तिथि पर ख्याति को मान्यता देगा और (क) की (ख) पर अधिकता पर मापेगा जो कि इस प्रकार है:
- (क) निम्नलिखित का योग :
- इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार मापा गया और अन्तरित प्रतिफल जो सामान्यतया अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्य की अपेक्षा करता है (देखें अनुच्छेद 37);
 - इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार अधिग्रहणिति में गैर-नियन्त्रक हित की मापी गयी राशि ; और
 - चरणों में प्राप्त एक व्यावसायिक संयोजन में (देखें अनुच्छेद 41 और 42), अधिग्रहणकर्ता का अधिग्रहणिति में पहले से धारित हित का अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य।
- (ख) इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार मापी गयी अधिग्रहीत पहचान योग्य आस्तियों और ग्रहण किये गये दायित्वों की अधिग्रहण तिथि पर शुद्ध राशि।
33. एक व्यावसायिक संयोजन जिसमें अधिग्रहणकर्ता और अधिग्रहणिति (या इसके पूर्व स्वामी) केवल 'इक्विटी' हितों का विनिमय करते हैं, अधिग्रहणिति के 'इक्विटी' हितों की अधिग्रहण तिथि का उचित मूल्य अधिग्रहणकर्ता के 'इक्विटी' हितों की अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्य से और अधिक विश्वसनीय मापयोग्य हो सकती है। यदि ऐसा हो, तो अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति के 'इक्विटी' हितों के अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य का प्रयोग कर ख्याति की राशि निर्धारित करेगा, बजाय अधिग्रहण तिथि पर अन्तरित 'इक्विटी' हितों

के उचित मूल्य आधार पर। एक व्यावसायिक संयोजन जिसमें कोई प्रतिफल अन्तरित नहीं किया जाता है, उसमें ख्याति की राशि निर्धारण करने के लिए अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति में अपने अधिग्रहणकर्ता के हित का अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य का प्रयोग करेगा न कि अन्तरित प्रतिफल के अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य का। (अनुच्छेद 32 (क) (i))। अनुच्छेद ख 46 - ख 49 इसके प्रयोग के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

मोल-भाव द्वारा क्रय

34. बहुत-ही कम परिस्थितियों में, एक अधिग्रहणकर्ता एक व्यावसायिक संयोजन में मोल-भाव द्वारा खरीद करेगा, जिसमें अनुच्छेद 32 (ख) की राशि अनुच्छेद 32 (क) से अधिक हो जाती है। यदि यह अधिकता अनुच्छेद 36 की अपेक्षाओं का प्रयोग करने के बाद भी रहती है तो अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण की तिथि पर अन्य व्यापक आय में परिणामस्वरूपी लाभ को मान्यता देगा और उसे 'इक्विटी' में पूंजीगत प्रारक्षित राशि के रूप में संचित करेगा। यह लाभ अधिग्रहणकर्ता से संबंधित होगा।
35. मोल-भाव द्वारा एक क्रय का होना संभव है। जैसे कि, एक व्यावसायिक संयोजन एक जबरन विक्रय है जिसमें एक विक्रेता मजबूरीवश बिक्री करता है। फिर भी, अनुच्छेद 22-31 में वर्णित विशिष्ट मदों के लिए मान्यता या माप अपवादों का परिणाम एक मोल-भाव क्रय पर एक लाभ (या मान्य लाभ की राशि में परिवर्तन) की मान्यता के रूप में हो सकता है।
36. एक मोल-भाव क्रय पर लाभ की मान्यता के पूर्व, अधिग्रहणकर्ता को निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या व्यावसायिक संयोजन को मोल भाव क्रय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अन्तर्निहित कारणों के लिए उसके पास स्पष्ट साक्ष्य मौजूद हैं। यदि ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद है तो अधिग्रहणकर्ता फिर से यह मूल्यांकन करेगा कि उसने अधिग्रहीत आस्तियों और ग्रहण किये गये दायित्वों की सही पहचान कर ली है और उस समीक्षा में पहचानी गई अतिरिक्त आस्तियों और दायित्वों को मान्यता देगा। अधिग्रहणकर्ता तत्पश्चात् उन प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा जो कि इस भारतीय लेखा मानक की अपेक्षानुसार अधिग्रहण तिथि पर आवश्यक राशियों के माप में निम्नलिखित के लिए प्रयोग की जाती है:
 - (क) अधिग्रहीत पहचान योग्य आस्तियां तथा ग्रहण किये गये दायित्व;
 - (ख) अधिग्रहणिति में गैर-नियन्त्रक हित, यदि कोई हों ;
 - (ग) विभिन्न चरणों में प्राप्त एक व्यावसायिक संयोजन के लिए जिसमें अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिग्रहणिति में पहले से ही धारित 'इक्विटी' हित हों ; और
 - (घ) अन्तरित प्रतिफल।

समीक्षा का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि माप अधिग्रहण तिथि पर सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखकर उचित रूप से दर्शाये गये हैं।

- 36क यदि व्यावसायिक संयोजन में एक मोल-भाव क्रय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अन्तर्निहित कारणों का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है एक अधिग्रहणकर्ता अनुच्छेद 36 में यथा-वर्णित पुनर्मूल्यांकन व समीक्षा की अपेक्षाओं को लागू करेगा। यदि अनुच्छेद 36 की अपेक्षाओं को लागू करने के पश्चात् यदि कोई आधिक्य है तो वह 'इक्विटी' राशि में पूंजीगत प्रारक्षित राशि में प्रत्यक्ष रूप में मान्य होगा।

अन्तरित प्रतिफल

37. एक व्यावसायिक संयोजन में, अन्तरित प्रतिफल को उचित मूल्य पर मापा जायेगा, जिसकी गणना अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिग्रहण तिथि में अन्तरित आस्तियों के उचित मूल्यों पर अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिग्रहणिति के पुराने स्वामियों के लिए वहन किये गये दायित्वों और अधिग्रहणकर्ता द्वारा जारी 'इक्विटी' हित के जोड़ रूप में की जायेगी। (फिर भी, अधिग्रहणिति के कर्मचारियों के लिए धारित पुरस्कारों (अवार्ड्स) के बदले में किये गये अधिग्रहणकर्ता के शेयर-आधारित भुगतानों के पुरस्कारों के भाग का माप, जो कि व्यावसायिक संयोजन के अन्तरित प्रतिफल में सम्मिलित किया जाता है, उचित मूल्य की बजाय अनुच्छेद 30 के अनुसार किया जायेगा)। प्रतिफल के संभावित स्वरूपों के उदाहरणों में नकदी, अन्य आस्तियां, एक व्यवसाय या अधिग्रहणकर्ता की अनुषंगी, आकस्मिक प्रतिफल, साधारण या अधिमानी 'इक्विटी' लिखतें, विकल्प, वारंट और पारस्परिक (म्युचुअल) प्रतिष्ठानों के सदस्य हित सम्मिलित हैं।
38. अन्तरित प्रतिफल में अधिग्रहणकर्ता की उन आस्तियों या दायित्वों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनकी अग्रणीत राशियां अधिग्रहण तिथि पर उनके उचित मूल्यों से भिन्न हों (उदाहरणार्थ, अधिग्रहणकर्ता की गैर-मौद्रिक आस्तियां या व्यवसाय)। यदि ऐसा हो, तो अधिग्रहणकर्ता अन्तरित आस्तियों और दायित्वों का अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्यों पर पुनर्माप करेगा और लाभ या हानि में परिणामतः लाभ या हानियों को, यदि कोई हों, मान्यता देगा। लेकिन, कभी-कभी व्यावसायिक संयोजन के बाद आस्तियां और दायित्व संयोजित प्रतिष्ठान के पास ही रहती हैं (उदाहरणार्थ, क्योंकि आस्तियों और दायित्वों को अधिग्रहणिति के पूर्व स्वामियों की बजाय अधिग्रहणिति को अन्तरित किया गया है) और अधिग्रहणकर्ता इसी कारण उन पर नियंत्रण भी रखता है। ऐसी दशा में, अधिग्रहणकर्ता उन आस्तियों और दायित्वों का माप उनके अधिग्रहण तिथि से तत्काल पूर्व अग्रणीत राशियों पर करेगा और आस्तियों और दायित्वों, जो कि व्यावसायिक संयोजन के पूर्व या पश्चात् वह नियंत्रित करता है पर लाभ या हानि को लाभ या हानि के रूप में मान्यता नहीं देगा।

आकस्मिक प्रतिफल

39. अधिग्रहणकर्ता जिस प्रतिफल को अधिग्रहणिति के लिए विनिमय के रूप में अन्तरित करता है। उसमें आकस्मिक प्रतिफल व्यवस्था के परिणाम स्वरूप कोई भी आस्ति या दायित्व सम्मिलित होती है। (देखें अनुच्छेद 37)। अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति के लिए अन्तरित प्रतिफल के भाग के रूप में आकस्मिक प्रतिफल की तिथि के उचित मूल्य पर मान्यता देगा।
40. अधिग्रहणकर्ता आकस्मिक प्रतिफल के भुगतान की बाध्यता को, जो भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण* के अनुच्छेद 11 में 'इक्विटी' लिखत और वित्तीय दायित्व की परिभाषाओं के आधार पर एक वित्तीय दायित्व या 'इक्विटी' के रूप में एक वित्तीय लिखत की परिभाषा को पूरी करती है, वर्गीकृत करेगा। एक

विशेष प्रकार के व्यावसायिक संयोजनों पर अधिग्रहण विधि लागू करने हेतु अतिरिक्त दिशा-निर्देश

विभिन्न चरणों में प्राप्त व्यावसायिक संयोजन

41. एक अधिग्रहणकर्ता कभी-कभी उस अधिग्रहणिति पर नियन्त्रण प्राप्त करता है जिसमें कि अधिग्रहण तिथि के तत्काल पहले एक 'इक्विटी' हित धारण कर रखा था। उदाहरणार्थ, 31 दिसम्बर 20X1 को, प्रतिष्ठान 'क' का प्रतिष्ठान 'ख' में 35% गैर-नियन्त्रक 'इक्विटी' हित था। उस तिथि पर, प्रतिष्ठान 'क' प्रतिष्ठान 'ख' में अतिरिक्त 40% हित खरीद लेता है, जिससे इसे प्रतिष्ठान 'ख' का नियन्त्रण मिल जाता है। यह भारतीय लेखा मानक ऐसे लेनदेनों को चरणों में प्राप्त एक व्यावसायिक संयोजन के रूप में संदर्भित करता है, कभी-कभी इसे चरणबद्ध अधिग्रहण के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
42. चरणों में प्राप्त एक व्यावसायिक संयोजन में, अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति में अपने धारित 'इक्विटी' हित का अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्य पर पुनर्माप करेगा और परिणामस्वरूप लाभ (गेन) या हानि को, यदि कोई है, लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय, जो भी उचित हो, में मान्यता देगा। पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधियों में, अधिग्रहणकर्ता ने अधिग्रहणिति अपने 'इक्विटी' हित के मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी होगी। यदि ऐसा हो तो वह राशि जिसे कि अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गयी थी तो उसे उसी आधार पर मान्यता दी जाएगी जैसे कि अधिग्रहणकर्ता पूर्ववर्ती धारित 'इक्विटी' हित का निपटान प्रत्यक्षतः रूप से किया हो, और उस के लिए जैसा अपेक्षित हो।

प्रतिफल के अन्तरण बिना प्राप्त व्यावसायिक संयोजन

43. एक अधिग्रहणकर्ता कभी-कभी प्रतिफल के अन्तरण के बिना भी अधिग्रहणिति पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है। ऐसे संयोजनों पर एक व्यावसायिक संयोजन के लेखों की अधिग्रहण विधि लागू होती है। ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित सम्मिलित होती हैं :
- (क) नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए अधिग्रहणिति एक वर्तमान निवेशकर्ता (अधिग्रहणकर्ता) के लिए अपने ही शेयरों का पर्याप्त संख्या में पुनर्क्रय करता है।
- (ख) वे अल्पसंख्यक 'वीटो' अधिकार समाप्त हो जाते हैं जिनके द्वारा पूर्व में अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिग्रहणिति में बहुमत वाले मत अधिकार होने पर उसमें नियन्त्रण रखा था।
- (ग) अधिग्रहणकर्ता और अधिग्रहणिति केवल अनुबंध द्वारा अपने व्यवसायों को संयुक्त करने पर सहमत होते हैं। अधिग्रहणकर्ता एक अधिग्रहणिति में नियन्त्रण के बदले में कोई प्रतिफल अन्तरित नहीं करता और अधिग्रहण तिथि या पूर्व में अधिग्रहणिति में कोई 'इक्विटी' हित धारण नहीं करता। केवल अनुबंध द्वारा प्राप्त व्यावसायिक संयोजनों के उदाहरणों में 'स्टेपलिंग' व्यवस्था में दो व्यवसायों को साथ लाना या दोहरे सूचीगत निगम का गठन सम्मिलित है।
44. केवल अनुबंध द्वारा प्राप्त एक व्यावसायिक संयोजन में, इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार मान्य अधिग्रहणिति मान्य शुद्ध आस्तियों की राशि को अधिग्रहणिति के स्वामियों से संबद्ध करेगा। अन्य शब्दों में, अधिग्रहणिति में अधिग्रहणकर्ता के अलावा अन्य पक्षों द्वारा धारित 'इक्विटी' हित अधिग्रहण-पश्चात् वित्तीय विवरणों में एक गैर-नियन्त्रक हित होते हैं भले ही इसका परिणाम यह हो कि अधिग्रहणिति में सम्पूर्ण 'इक्विटी' हितों को गैर-नियन्त्रक हितों के रूप में संबंधित किया जाता है।

माप अवधि

45. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जिसमें संयोजन उत्पन्न होता है, यदि एक व्यावसायिक संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा अपूर्ण है तो अधिग्रहणकर्ता अपने वित्तीय विवरणों में अपूर्ण लेखा वाले मदों के लिए अनन्तिम राशियों को रिपोर्ट करेगा। माप अवधि के दौरान, अधिग्रहणकर्ता तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में, जो अधिग्रहण तिथि पर मौजूद थीं, प्राप्त नई सूचना, अगर पता होता तो, उस तिथि को मान्य राशियों को प्रभावित करती है, अधिग्रहण तिथि पर मान्य अन्तिम राशियों को पूर्व प्रभाव से समायोजित करेगा। माप अवधि के दौरान, अधिग्रहणकर्ता अतिरिक्त आस्तियों और दायित्वों को भी मान्यता देगा यदि अधिग्रहण तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में कोई नई सूचना प्राप्त होती है, और यदि पता होता तो उसका परिणाम उस तिथि पर मौजूद आस्तियों और दायित्वों की मान्यता में सामने आता है। जैसे ही अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण तिथि पर मौजूद प्राप्त की जाने वाले तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में सूचना प्राप्त करता है, जो कि या वह जान पाता है कि और अधिक सूचना प्राप्त नहीं हो पायेगी, तो ऐसे में माप अवधि समाप्त हो जाएगी। लेकिन माप अवधि अधिग्रहण तिथि से एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।
46. माप अवधि अधिग्रहण तिथि के बाद की वह अवधि है जिस दौरान अधिग्रहणकर्ता एक व्यावसायिक संयोजन के लिए मान्य अनन्तिम राशियों का समायोजन कर सकता है। माप अवधि अधिग्रहणकर्ता को भारतीय लेखा मानक की अपेक्षाओं के अनुसार निम्नलिखित को अधिग्रहण तिथि पर माप और पहचान के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करने हेतु तर्कसंगत समय प्रदान करती है :
- (क) अधिग्रहणिति में अधिग्रहीत की गई पहचानयोग्य आस्तियां, ग्रहण किये गये दायित्वों एवं कोई गैर-नियन्त्रक हित ;

- (ख) अधिग्रहणिति के लिए अन्तरित प्रतिफल (या ख्याति के माप हेतु प्रयुक्त अन्य राशि) ;
- (ग) चरणों में प्राप्त एक व्यावसायिक संयोजन में, अधिग्रहणिति में अधिग्रहणकर्ता द्वारा पूर्व में धारित 'इक्विटी' हित, और
- (घ) ख्याति के परिणामस्वरूप या मोल-भाव क्रय पर लाभ ।
47. अधिग्रहणकर्ता यह निर्धारण करने के लिए कि क्या अधिग्रहण तिथि के पश्चात् प्राप्त सूचना का परिणाम मान्य अनन्तिम राशियों में समायोजन के रूप में आयेगा या क्या वह सूचना अधिग्रहण तिथि पश्चात् उत्पन्न घटनाओं का परिणाम है, सभी सम्बद्ध घटकों पर विचार करेगा । सम्बद्ध घटकों में, वह तिथि सम्मिलित है जबकि अतिरिक्त सूचना प्राप्त की जाती है और यह कि क्या अधिग्रहणकर्ता अनन्तिम राशियों में परिवर्तन का कारण पहचान सकता है। वह सूचना जोकि अधिग्रहण तिथि के बाद शीघ्र ही प्राप्त की जाती है उन परिस्थितियों को बेहतर दर्शा सकती है जो कि अधिग्रहण तिथि पर मौजूद थीं, बजाय उस सूचना के जो कि कई माह पश्चात् प्राप्त की जाती है। उदाहरणार्थ, जब तक एक अन्तःक्षेपी घटना न हो जिसके कारण उचित मूल्य में परिवर्तन को पहचाना जा सकता हो, अधिग्रहण तिथि के तुरन्त बाद एक तीसरे पक्ष को आस्ति की बिक्री ऐसी राशि के लिए जो कि उस तिथि पर मापे गये अनन्तिम उचित मूल्य से बहुत भिन्न हो, अनन्तिम राशि में एक त्रुटि की ओर संकेत कर सकती है।
48. अधिग्रहणकर्ता एक पहचानयोग्य आस्ति (दायित्व) के लिए मान्य अनन्तिम राशि में एक वृद्धि (कमी) को ख्याति में कमी (वृद्धि) के माध्यम से मान्यता देता है। तथापि, माप अवधि के अंदर प्राप्त नई सूचना का कभी-कभी परिणाम एक से अधिक आस्ति या दायित्व की अनन्तिम राशि के समायोजन के रूप में हो सकता है। उदाहरणार्थ, अधिग्रहणकर्ता ने अधिग्रहीत की सुविधाओं में से किसी एक में दुर्घटना से सम्बद्ध हर्जाना देने के दायित्व को परिकल्पित किया हो, जो कि अधिग्रहीत की बीमा पॉलिसी दायित्व द्वारा अंशतः या पूरी तरह से व्यापत हो। यदि अधिग्रहणकर्ता माप अवधि के दौरान अधिग्रहण तिथि पर उस दायित्व के उचित मूल्य के बारे में कोई नई सूचना प्राप्त करता है तो दायित्व के लिए मान्य अनन्तिम राशि में परिवर्तन के फलस्वरूप ख्याति के लिए समायोजन का समंजन (आफसेट), पूर्णतः या अंशतः, ख्याति में समरूप समायोजन द्वारा किया जायेगा जो कि बीमाकर्ता से प्राप्तयोग्य दावे के लिए मान्य अनन्तिम राशि में परिवर्तन के कारण होगी । यदि समायोजन से ख्याति (गुडविल) में कोई कमी आती है और यदि समायोजन की राशि पूर्व में मान्यता प्राप्त ख्याति से अधिक हो तो उस आधिक्य को अनुच्छेद 34 या 36(क), जो भी लागू हो, उसके अनुसरण में लेखा किया जाएगा ।
49. माप अवधि के दौरान, अधिग्रहणकर्ता अनन्तिम राशियों के प्रति समायोजनो को मान्यता देगा माने कि व्यावसायिक संयोजन के लिए लेखा अधिग्रहण तिथि पर पूरा हो चुका है । इस प्रकार, अधिग्रहणकर्ता आवश्यकतानुरूप वित्तीय विवरणों में पूर्व अवधियों के लिए प्रस्तुत तुलनात्मक सूचना पुनरीक्षित करेगा, जिसमें मूल्यह्रास, परिशोधन या प्रारंभिक लेखा को पूरा करने में मान्य अन्य आय प्रभाव सम्मिलित हैं।
50. माप अवधि की समाप्ति के पश्चात्, अधिग्रहणकर्ता एक व्यावसायिक संयोजन के लिए लेखों का संशोधन भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां*, के अनुसार किसी त्रुटि को ठीक करने के लिए करेगा ।

व्यावसायिक संयोजन के लेन-देन का भाग क्या है, का निर्धारण करना

51. अधिग्रहणकर्ता और अधिग्रहणिति के बीच व्यावसायिक संयोजन की बातचीत शुरू होने से पूर्व परस्पर कोई संबंध हो सकते हैं या फिर उनके बीच कोई ऐसी अन्य व्यवस्था के लिए सहमति हो सकती है जो कि व्यावसायिक संयोजन से अलग हो। दोनों ही स्थितियों में, अधिग्रहणकर्ता उन राशियों की पहचान करेगा जिन्हें अधिग्रहणकर्ता व अधिग्रहणिति (या इसके पूर्व स्वामी) व्यावसायिक संयोजन में विनिमय के भाग न हों, अर्थात् वे राशियां जो अधिग्रहणिति के लिए विनिमय का भाग न हो। अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण विधि को लागू करने के भाग स्वरूप केवल अधिग्रहणिति के लिए विनिमय रूप में प्राप्त आस्तियों और अन्तरित दायित्वों को ही मान्यता देगा । पृथक लेन-देनों का लेखा सम्बद्ध भारतीय लेखा मानकों के अनुसार ही किया जायेगा ।
52. एक लेन-देन जो कि अधिग्रहणकर्ता द्वारा या उसकी ओर से या मुख्यतया अधिग्रहणकर्ता के लाभ के लिए या संयोजित प्रतिष्ठान के लिए किया जाता है और जो संयोजन से पूर्व मुख्यतया अधिग्रहणिति (या इसके पूर्व स्वामी) के लाभ हेतु न हो तो ऐसे लेनदेन को एक पृथक लेन-देन माना जा सकता है। अधिग्रहण विधि को लागू करने में न सम्मिलित किये जाने वाले पृथक लेन-देनों के उदाहरण इस प्रकार हैं :
- (क) एक लेन-देन जो कि वास्तव में अधिग्रहणकर्ता और अधिग्रहणिति के बीच पूर्ववर्ती संबंधों का निपटान करता है ;
- (ख) एक लेन-देन जो कि अधिग्रहणिति के कर्मचारियों या पूर्व स्वामियों को भावी सेवाओं हेतु पारिश्रमिक प्रदान करता है ;
- (ग) एक लेन-देन जो कि अधिग्रहणिति या पूर्व स्वामियों को अधिग्रहणकर्ता की अधिग्रहण-संबंधी लागतों के भुगतान की प्रतिपूर्ति करता है।

अनुच्छेद ख 50 - ख 62 सम्बंधित दिशा-निर्देश पर चर्चा करते हैं।

अधिग्रहण-संबंधी लागतें

53. अधिग्रहण-संबंधी लागतें वे लागतें हैं जो कि अधिग्रहणकर्ता व्यावसायिक संयोजन को प्रभाव देने हेतु खर्च करता है। ऐसी लागतों में खोजकर्ता, परामर्शदाता, कानूनी, लेखा, मूल्यांकन और अन्य पेशेवर या परामर्श संबंधी फीस; सामान्य प्रशासनिक लागतें जिनमें एक आन्तरिक अधिग्रहीत विभाग के रखरखाव की लागतों ; और ऋण एवं 'इक्विटी' प्रतिभूतियों को पंजीकरण और जारी करने की लागतें सम्मिलित हैं। अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण-संबंधी लागतों को, एक अपवाद को छोड़कर, जिन अवधियों में ऐसी लागतें खर्च की

जाती है और सेवाएं प्राप्त की जाती हैं उनमें इनका लेखा करेगा। ऋण या 'इक्विटी' प्रतिभूतियां जारी करने की लागतों को भारतीय लेखा मानक 32 और भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार मान्यता दी जायेगी।

परवर्ती माप एवं लेखा

54. सामान्यतया, एक अधिग्रहणकर्ता एक व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत आस्तियों, ग्रहण किये गये या खर्च किये गये दायित्वों और जारी की गई 'इक्विटी' लिखतों के तत्पश्चात् अन्य भारतीय लेखा मानकों के अनुसार और उनकी प्रकृति के अनुरूप मापा जाएगा और लेखा किया जाएगा। लेकिन, यह भारतीय लेखा मानक एक व्यावसायिक संयोजन में निम्नलिखित प्राप्त आस्तियों, ग्रहण किये गये या खर्च किये गये दायित्वों और जारी की गई 'इक्विटी' लिखतों के तत्पश्चात् माप और लेखों हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करता है :

- (क) पुनःअधिग्रहीत अधिकार ;
- (ख) अधिग्रहण तिथि पर मान्य आकस्मिक दायित्व,
- (ग) क्षतिपूरक आस्तियां ; और
- (घ) आकस्मिक प्रतिफल।

अनुच्छेद ख 63, प्रयोग-संबंधी दिशा-निर्देश देता है।

पुनःअधिग्रहीत अधिकार

55. अमूर्त आस्ति के रूप में मान्य एक पुनःअधिग्रहीत अधिकार को उस अनुबंध की शेष अनुबंधात्मक अवधि में परिशोधित किया जाएगा, जिसमें कि अधिकार प्रदान किया गया था। एक अधिग्रहणकर्ता जो बाद में पुनर्धिकार को तीसरे पक्ष को बेच देता है तो वह उसमें बिक्री से होने वाले लाभ या हानि के निर्धारण के लिए अमूर्त आस्ति की अग्रणीत राशि में शामिल करेगा।

आकस्मिक दायित्व

56. प्रारंभिक मान्यता के उपरान्त और जब तक दायित्व का निपटान नहीं हो जाता या वह रद्द या समाप्त नहीं हो जाता, अधिग्रहणकर्ता एक व्यावसायिक संयोजन में मान्य आकस्मिक दायित्व का माप निम्नलिखित में जो राशि अधिक है उस पर करेगा :

- (क) वह राशि जो कि भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार मान्य होती है ; और
- (ख) प्रारंभ में मान्य राशि में से, यदि उपयुक्त हो, भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व* के अनुसार मान्य आय की संचित राशि को घटाकर शेष राशि।

यह अपेक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लेखा किया जाने वाले अनुबंधों पर लागू नहीं होती है।

क्षतिपूरक आस्तियां

57. प्रत्येक उत्तरवर्ती रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अधिग्रहणकर्ता उस क्षतिपूरक आस्ति का माप करेगा जिसे अधिग्रहण तिथि पर एक क्षतिरित दायित्व या आस्ति के आधार की भांति मान्य किया गया था, लेकिन यह इस राशि पर सीमाओं तथा जिन क्षतिपूरक आस्तियों को बाद में इसके उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता, प्रबंधन के द्वारा क्षतिपूरक आस्ति की संग्रहयोग्यता के अधीन होगा। अधिग्रहणकर्ता क्षतिपूरक आस्ति को तभी अमान्य करेगा जबकि यह आस्ति को संग्रहीत करता है, इसे बेचता है या अन्यथा इसके प्रति अधिकार खो देता है।

आकस्मिक प्रतिफल

58. अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिग्रहण तिथि के बाद मान्य आकस्मिक प्रतिफल के उचित मूल्य में कुछ परिवर्तन उस अतिरिक्त सूचना का परिणाम हो सकते हैं जो कि अधिग्रहणकर्ता ने अधिग्रहण तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में प्राप्त की हैं। ऐसे परिवर्तन अनुच्छेद 45-49 के अनुसार माप अवधि के समायोजन होते हैं। लेकिन, अधिग्रहण तिथि के पश्चात् घटनाओं के परिणामस्वरूप परिवर्तनों को, जैसे कि अर्जन लक्ष्य की प्राप्ति, एक विशिष्ट शेयर कीमत पर पहुँचना या अनुसंधान और विकास परियोजना के किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना आदि माप अवधि के समायोजनों के रूप में नहीं माना जाता। आकस्मिक प्रतिफल के उचित मूल्य के परिवर्तनों को, जो कि माप अवधि समायोजन नहीं होते हैं, अधिग्रहणकर्ता निम्नलिखित रूप में लेखा करेगा :

- (क) 'इक्विटी' के रूप में वर्गीकृत आकस्मिक प्रतिफल का पुनर्माप नहीं किया जायेगा और इसका बाद का निपटान 'इक्विटी' के अंदर ही लेखे में लिया जाएगा।
- (ख) अन्य आकस्मिक प्रतिफल, जो कि :
 - (i) जब वह भारतीय लेखा मानक 109 के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत है तो उसका माप प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाएगा और उचित मूल्य में परिवर्तनों को मान्यता भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि में दी जाएगी।
 - (ii) जब वह भारतीय लेखा मानक 109 के कार्य-क्षेत्र में नहीं है तो उसका माप प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर किया जाएगा और उचित मूल्य में परिवर्तन लाभा-हानि में मान्य होंगे।

59. अधिग्रहणकर्ता निम्नलिखित स्थितियों में उत्पन्न एक व्यावसायिक संयोजन के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उसकी प्रकृति और वित्तीय प्रभाव के मूल्यांकन में मदद करता है :
- (क) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ; या
- (ख) रिपोर्टिंग अवधि के बाद लेकिन वित्तीय विवरणों को जारी करने के अनुमोदन से पहले।
60. अनुच्छेद 59 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अधिग्रहणकर्ता अनुच्छेद ख 64 - ख 66 में विनिर्दिष्ट सूचना को प्रकट करेगा।
61. अधिग्रहणकर्ता उस सूचना को प्रकट करेगा जो कि इसके वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को रिपोर्टिंग-अवधि के दौरान या इससे पूर्व की अवधियों में उत्पन्न व्यावसायिक संयोजन से सम्बद्ध चालू रिपोर्टिंग अवधि में मान्य समायोजनों के वित्तीय प्रभावों के मूल्यांकन में सहायक होती है।
62. अनुच्छेद 61 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अधिग्रहणकर्ता अनुच्छेद ख 67 में विनिर्दिष्ट सूचना को प्रकट करेगा।
63. यदि इस मानक या अन्य भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित विनिर्दिष्ट प्रकटन अनुच्छेद 59 और 61 में दिये गये उद्देश्यों को पूरा नहीं करते हैं तो अधिग्रहणकर्ता ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक अतिरिक्त सूचना को प्रकट करेगा।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

अधिग्रहणिति	व्यवसाय या व्यवसायों जिसका व्यावसायिक संयोजन में एक अधिग्रहणकर्ता नियन्त्रण प्राप्त करता है।
अधिग्रहणकर्ता	वह प्रतिष्ठान जो अधिग्रहणिति पर नियन्त्रण प्राप्त करता है।
अधिग्रहण तिथि	वह तिथि जिस पर अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति पर नियन्त्रण प्राप्त करता है।
व्यवसाय	गतिविधियों और आस्तियों का एक ऐसा समेकित समुच्चय जो निवेशकर्ताओं या अन्य स्वामियों, सदस्यों या प्रतिभागियों को लाभांश के रूप में प्रतिलाभ (रिटर्न) प्रदान करने, कम लागतें या अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित किये जाने के लिए और प्रबन्ध किए जाने के लिए सक्षम है।
व्यावसायिक संयोजन	एक लेन-देन या कोई दूसरी घटना जिसमें अधिग्रहणकर्ता एक या एक से अधिक व्यवसायों पर नियन्त्रण प्राप्त करता है। ऐसे लेन-देन, जिन्हें कभी-कभी 'सही विलय' (ट्रंमरजर) या 'समतुल्यों का विलय' (मरजर ऑफ इक्वल्स) भी कहा जाता है, वे भी व्यावसायिक संयोजन हो सकते हैं। ये शब्द इस भारतीय लेखा मानक में भी प्रयुक्त हैं।
आकस्मिक प्रतिफल	सामान्यतया, अधिग्रहणकर्ता की वह बाध्यता जिसके अन्तर्गत विशिष्ट भावी घटनाओं के होने या शर्तों के पूरा होने पर अधिग्रहणिति पर नियन्त्रण के विनिर्णय के भाग के रूप में अधिग्रहणिति के पूर्व स्वामियों को अतिरिक्त आस्तियां या 'इक्विटी' हित अन्तरित किया जाता है। लेकिन, आकस्मिक प्रतिफल अधिग्रहणकर्ता को पूर्व अन्तरित प्रतिफल से प्रतिलाभ (रिटर्न) का अधिकार भी दे सकता है यदि कुछ विशिष्ट शर्तें पूरी हो जाएं।
इक्विटी हित	इस भारतीय लेखा मानक के प्रयोजन के लिए, 'इक्विटी' हितों का विस्तृत प्रयोग निवेशक-स्वामित्वयुक्त प्रतिष्ठानों और पारस्परिक (म्युचुअल) प्रतिष्ठानों के स्वामी, सदस्य या प्रतिभागी हितों के अभिप्रायः के रूप में किया जाता है।
उचित मूल्य	वह कीमत है जो माप तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अन्तरण पर अदा की जाती है।
ख्याति (गुडविल)	में एक आस्ति जो भावी आर्थिक लाभों का प्रतिनिधित्व करती है और वह एक व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत अन्य उन आस्तियों से उद्भूत है जो व्यक्तिगत रूप से न तो पहचानयोग्य हैं और न ही अलग से मान्य हैं।
पहचानयोग्य	एक आस्ति पहचानयोग्य है यदि यह या तो : (क) पृथकयोग्य है, अर्थात् प्रतिष्ठान से पृथक या विभक्त की जा सकती है तथा एक सम्बद्ध अनुबंध के साथ अकेले या समूह में, पहचानयोग्य आस्ति या दायित्व के रूप में बेची जाती, अन्तरित की जाती, लाइसेंस पर दी जाती, किराये पर दी जाती या विनियामित की जाती है चाहे प्रतिष्ठान ऐसा करने का इरादा रखता हो या नहीं ; या

- (ख) अनुबंधात्मक या अन्य वैधानिक अधिकारों से उत्पन्न होती है इसके बावजूद कि क्या ऐसे अधिकार अंतरण योग्य हैं या प्रतिष्ठान या अन्य अधिकारों और बाध्यताओं से पृथक्योग्य हैं।

अमूर्त आस्ति

बिना भौतिक स्वरूप के पहचानयोग्य एक गैर-मौद्रिक आस्ति।

पारस्परिक प्रतिष्ठान (म्यूचुअल एन्टीटी)

एक निवेशक-स्वामित्व प्रतिष्ठान को छोड़कर, एक ऐसा प्रतिष्ठान जो अपने स्वामियों, सदस्यों या प्रतिभागियों को प्रत्यक्षतः लाभांश, कम लागत या अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, एक पारस्परिक बीमा कम्पनी, एक ऋण संघ (क्रेडिट यूनियन) और एक सहकारी प्रतिष्ठान। ये सभी पारस्परिक (म्यूचुअल) प्रतिष्ठान हैं।

गैर-नियन्त्रक हित

एक अनुषंगी में 'इक्विटी', जो मूल प्रतिष्ठान से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबंधित न हो।

स्वामी

इस भारतीय लेखा मानक के प्रयोजनार्थ, स्वामियों का प्रयोग मुख्य के रूप से निवेशक-स्वामित्वयुक्त प्रतिष्ठान के 'इक्विटी' हितों के धारक और पारस्परिक (म्यूचुअल) प्रतिष्ठानों के स्वामियों या प्रतिभागियों को सम्मिलित करने के लिए किया गया है।

परिशिष्ट ख

प्रयोग-संबंधी दिशा-निर्देश

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

ख 1-4 [देखें परिशिष्ट 1]

एक व्यावसायिक संयोजन की पहचान (अनुच्छेद 3 का प्रयोग)

ख 5 यह भारतीय लेखा मानक एक व्यावसायिक संयोजन को इस प्रकार परिभाषित करता है कि यह एक लेन-देन या एक घटना है जिसमें एक अधिग्रहणकर्ता एक या एक से अधिक व्यवसायों पर नियन्त्रण प्राप्त करता है। एक अधिग्रहणकर्ता एक अधिग्रहणिति प्रतिष्ठान पर कई प्रकार से नियन्त्रण प्राप्त कर सकता है, उदाहरणार्थ :

- (क) नकदी, नकदी तुल्य या अन्य आस्तियों (शुद्ध आस्तियों सहित जो कि व्यवसाय का गठन करती हैं) के अंतरण द्वारा ;
- (ख) दायित्वों की बाध्यता लेकर ;
- (ग) 'इक्विटी' हित जारी करके ;
- (घ) एक-से अधिक प्रकार के प्रतिफल प्रदान करके ; या
- (ङ) बिना प्रतिफल अंतरण के जिसमें मात्र अनुबंध सम्मिलित है (देखें अनुच्छेद 43)

ख 6 वैधानिक, कर या अन्य कारणों से एक व्यावसायिक संयोजन की संरचना कई प्रकार से की जा सकती है जिनमें निम्नलिखित तो सम्मिलित हैं परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

- (क) एक या अधिक व्यवसाय एक अधिग्रहणकर्ता के अनुषंगी बन जाते हैं, या एक या अधिक व्यवसायों की शुद्ध आस्तियों का वैधानिक रूप से अधिग्रहणकर्ता में विलय कर दिया जाता है ;
- (ख) एक संयोजित प्रतिष्ठान अपनी शुद्ध आस्तियों को या इसके स्वामी अपने 'इक्विटी' हितों को, अन्य संयोजित प्रतिष्ठान या इसके स्वामियों को अंतरित कर देते हैं।
- (ग) सभी संयोजित प्रतिष्ठान अपनी शुद्ध आस्तियों को या उन प्रतिष्ठानों के स्वामी अपने 'इक्विटी' हितों को, एक नये गठित प्रतिष्ठान को अंतरित कर देते हैं (कभी-कभी इन्हें समूचे (रोल अप) या सामूहिक लेन-देन (पुट टुगेदर) भी कहा जाता है), या
- (घ) संयोजित प्रतिष्ठानों में से एक प्रतिष्ठान के पूर्व स्वामियों का एक समूह संयोजित प्रतिष्ठान का नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है।

एक व्यवसाय की परिभाषा (अनुच्छेद 3 का प्रयोग)

ख 7 एक व्यवसाय उन निविष्टियों (इनपुट्स) और प्रक्रियाओं से बना होता है जिनका प्रयोग उन निविष्टियों पर किया जाता है जो कि उत्पाद (आउटपुट) की रचना की योग्यता रखते हैं। यद्यपि यह व्यवसाय सामान्यतया उत्पाद करते हैं, परन्तु एक व्यवसाय के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि उत्पाद हों ही। एक व्यवसाय के तीन तत्वों की परिभाषा इस प्रकार है :

- (क) **निविष्टि (इनपुट):** कोई भी आर्थिक संसाधन जो एक या अधिक प्रक्रियाओं के प्रयोग द्वारा उत्पाद की रचना करता है या रचना करने की योग्यता रखता है। उदाहरणतया, गैर चालू आस्तियां (अमूर्त आस्तियां या गैर चालू आस्तियों के प्रयोग के अधिकारों सहित), बौद्धिक सम्पत्ति, आवश्यक सामग्रियों या अधिकारों या कर्मचारियों तक पहुँच की योग्यता।

- (ख) **प्रक्रिया (प्रोसैस):** कोई प्रणाली, मानक, नयाचार, परिपाटी या नियम, जिसे जब एक निविष्टि (आगत) या निविष्टियों (आगतों) पर लागू किया जाता है तो वह रचना करता है या रचना करने की योग्यता रखता है। उदाहरणतया, रणनीतिक प्रबंध प्रक्रियाएं, परिचालन प्रक्रियाएं और संसाधन प्रबंध प्रक्रियाएं। ये विशिष्ट प्रक्रियाएं सामान्यतया प्रलेखित होती हैं, परन्तु एक संगठित, कौशल-संपन्न, नियमों व परिपाटियों का संगठित कार्यदल भी ऐसी आवश्यक प्रक्रियाएं प्रदान कर सकता है जो निविष्टियों (आगतों) पर प्रयोग की जा सकती है ताकि उत्पाद (आउटपुट्स) की रचना हो सके। (लेखा, बिलिंग, पारिश्रमिक भुगतान (पे-रोल) और अन्य विशिष्ट प्रशासकीय तंत्र उत्पाद की रचना हेतु प्रक्रियाएं नहीं हैं)
- (ग) **उत्पाद (आउटपुट) :** निवेशकों या अन्य स्वामियों, सदस्यों या प्रतिभागियों को प्रत्यक्षतः आय के रूप में लाभांश, कम लागत या अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करने या प्रदान करने की योग्यता रखने वाली निविष्टियों और निविष्टियों पर लगाई गई प्रक्रियाओं के प्रयोग का परिणाम है।

- ख 8 परिभाषित प्रयोजनों के संचालन या प्रबंध में सक्षम होने के लिए, आस्तियों और गतिविधियों के एक एकीकृत समुच्चय (सेट) को दो तत्वों की आवश्यकता होती है - निविष्टियां और उन निविष्टियों के प्रयोग हेतु प्रक्रियाएं जो एक साथ उत्पाद की रचना के लिए प्रयोग में हैं या होंगी। हालांकि, एक व्यवसाय को एक विक्रेता द्वारा व्यवसाय परिचालन के लिए प्रयुक्त सभी निविष्टियों या प्रक्रियाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है यदि बाजार के प्रतिभागी उस व्यवसाय को अधिग्रहीत और उत्पादन को जारी रखने में सक्षम हैं, उदाहरणार्थ, उस व्यवसाय को अपनी स्वयं की निविष्टियों और प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करना।
- ख 9 एक व्यवसाय के तत्वों की प्रकृति उद्योग अनुसार और एक प्रतिष्ठान की परिचालन संरचना के अनुसार बदलती रहती है, जिसमें प्रतिष्ठान के विकास का चरण भी सम्मिलित है। स्थापित व्यवसाय प्रायः विभिन्न प्रकार की निविष्टियां (इनपुट), प्रक्रियाएं और उत्पाद (आउटपुट) अपनाते हैं जबकि नये व्यवसायों के पास कुछ ही निविष्टियां और प्रक्रियाएं होती हैं और कभी-कभी उनके पास केवल एक ही निविष्टि होती है। लगभग सभी व्यवसायों के पास दायित्व होते हैं परन्तु एक व्यवसाय के लिए दायित्वहोना आवश्यक नहीं है।
- ख 10 विकास के चरण में गतिविधियों और आस्तियों के एकीकृत समुच्चय के पास उत्पाद नहीं भी हो सकता। यदि नहीं है तो अधिग्रहणकर्ता को यह निर्धारण करने के लिए कि क्या समुच्चय एक व्यवसाय है अन्य घटकों पर विचार करना चाहिए। इन घटकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, लेकिन, ये इतने तक ही सीमित नहीं हैं, कि क्या :
- (क) समुच्चय ने नियोजित प्रधान गतिविधियों प्रारंभ कर दी है ;
- (ख) उसके पास कर्मचारी, बौद्धिक सम्पदा या अन्य निविष्टियां और प्रक्रियाएं हैं जो उन निविष्टियों पर प्रयोग की जा सकती हैं ;
- (ग) वह उत्पाद के उत्पादन की योजना अपना रहा है ; और
- (घ) वह उन ग्राहकों तक पहुंच में सक्षम होगा जो उत्पाद को खरीदेंगे।

एक व्यवसाय की योग्यता के लिए विकास के चरण में गतिविधियों और आस्तियों के विशिष्ट एकीकृत समुच्चय हेतु इन सभी की मौजूदगी की आवश्यकता नहीं होती है।

- ख 11 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आस्तियों और गतिविधियों का एक विशिष्ट समुच्चय एक व्यवसाय है इस पर आधारित है कि क्या एकीकृत समुच्चय एक बाजार-प्रतिभागी द्वारा एक व्यवसाय के रूप में परिचालित और प्रबन्ध किये जाने के लिए सक्षम है। इस प्रकार यह मूल्यांकन करने में कि क्या एक विशिष्ट समुच्चय एक व्यवसाय है, यह प्रासंगिक नहीं कि क्या एक विक्रेता ने समुच्चय को एक व्यवसाय के रूप में परिचालित किया है या क्या एक अधिग्रहणकर्ता उस समुच्चय को एक व्यवसाय के रूप में परिचालित करने का इरादा रखता है।
- ख 12 इसके विपरीत साक्ष्य के अभाव में, आस्तियों और गतिविधियों के एक विशिष्ट समुच्चय को, जिसमें ख्याति (गुडविल) भी मौजूद है, एक व्यवसाय माना जायेगा। हालांकि, एक व्यवसाय के लिए ख्याति (गुडविल) होना आवश्यक नहीं है।

अधिग्रहणकर्ता की पहचान (अनुच्छेद 6 और 7 का प्रयोग)

- ख 13 भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण*, में दिये गये दिशा-निर्देश अधिग्रहणकर्ता, यानि वह प्रतिष्ठान जो, अधिग्रहणिति पर नियन्त्रण रखता है, के पहचान हेतु प्रयोग किया जायेगा। यदि एक व्यावसायिक संयोजन बन चुका है परन्तु भारतीय लेखा मानक 110 के दिशा-निर्देश का प्रयोग करने पर यह स्पष्ट नहीं होता कि संयोजित प्रतिष्ठानों में कौन-सा अधिग्रहणकर्ता है तो अनुच्छेद ख 14 - ख 18 में वर्णित घटकों को इस निर्धारण के लिए विचार में लिया जायेगा।
- ख 14 एक व्यावसायिक संयोजन जो मुख्यतया नकदी या अन्य आस्तियों को अन्तरण या दायित्व के वहन करते से प्रभावित होता है तो अधिग्रहणकर्ता सामान्यतया वह प्रतिष्ठान होगा जो नकदी या अन्य आस्तियों को अन्तरित करता है या दायित्व का वहन करता है।
- ख 15 एक व्यावसायिक संयोजन, जो मुख्यतया 'इक्विटी' हितों के विनिमय से प्रभावित होता है में तो अधिग्रहणकर्ता सामान्यतया वह प्रतिष्ठान होगा है जो अपने 'इक्विटी' हितों को जारी करता है। हालांकि, कुछ व्यावसायिक संयोजनों में, जिन्हें सामान्यतया 'विपरीत अधिग्रहीत (रिवर्स एक्विजिशन)' के नाम से पुकारा जाता है, जारी करने वाला प्रतिष्ठान अधिग्रहणीत होता है। अनुच्छेद ख 19 - ख 27 विपरीत अधिग्रहणों के लेखा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। 'इक्विटी' हितों के विनिमय द्वारा प्रभावित एक व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहणकर्ता की पहचान में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर भी विचार किया जायेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- (क) *व्यावसायिक संयोजन के पश्चात् संयोजित प्रतिष्ठान में सापेक्षिक मताधिकार* - एक अधिग्रहणकर्ता सामान्यतया वह संयोजित प्रतिष्ठान होता है जिसके स्वामी एक समूह के रूप में संयोजित प्रतिष्ठान में मताधिकारों का एक बड़ा भाग रखते या प्राप्त करते हैं। यह निर्धारण करने के लिए स्वामियों का कौन-सा समूह मताधिकारों का सबसे बड़ा भाग रखता है या प्राप्त करता है, इसके लिए एक प्रतिष्ठान किसी असामान्य या विशिष्ट वोटिंग व्यवस्था और विकल्पों, वारंटस या संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों पर विचार करेगा।
- (ख) *संयोजित प्रतिष्ठान में वृहद् अल्पसंख्यक मताधिकार हित की मौजूदगी, यदि किसी अन्य स्वामी या स्वामियों के संगठित समूह के पास महत्वपूर्ण मताधिकार हित न हो* - अधिग्रहणकर्ता सामान्यतया वह संयोजित प्रतिष्ठान होता है जिसके एकल स्वामी या स्वामियों के संगठित समूह के पास संयोजित प्रतिष्ठान में विशालतम अल्पसंख्यक मताधिकार हित होता है।
- (ग) *संयोजित प्रतिष्ठान के अधिशासी मंडल का स्वरूप* - अधिग्रहणकर्ता सामान्यतया वह संयोजित प्रतिष्ठान होता है जिसके स्वामी संयोजित प्रतिष्ठान के अधिशासी मंडल के सदस्य बहुसंख्य सदस्यों को चुनने या नियुक्त करने या हटाने की योग्यता रखते हैं।
- (घ) *संयोजित प्रतिष्ठान के वरिष्ठ प्रबन्धन का स्वरूप* - अधिग्रहणकर्ता सामान्यतया वह संयोजित प्रतिष्ठान होता है जिसका (पूर्वगत) प्रबन्धन संयोजित प्रतिष्ठान के प्रबन्धन में प्रभुत्व रखता है।
- (ङ) *'इक्विटी' हितों के विनिमय की शर्तें* - अधिग्रहणकर्ता सामान्यतया वह संयोजित प्रतिष्ठान होता है जो कि अन्य संयोजित प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के 'इक्विटी' हितों के संयोजन-पूर्व के उचित मूल्य पर प्रीमियम का भुगतान करता है।
- ख 16 अधिग्रहणकर्ता सामान्यतया वह संयोजित प्रतिष्ठान होता है जिसका सापेक्षिक आकार (जिसका माप, उदाहरणतया आस्तियों, राजस्व या लाभ के रूप में किया जाता है) अन्य संयोजित प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों से बहुत बड़ा है।
- ख 17 एक व्यावसायिक संयोजन जिसमें दो प्रतिष्ठान सम्बद्ध हैं, अधिग्रहणकर्ता के निर्धारण में, अन्य बातों के अलावा, इस पर विचार किया जायेगा कि संयोजित प्रतिष्ठानों में से किसने संयोजन की पहल की, साथ ही संयोजित प्रतिष्ठानों का सापेक्षिक आकार।
- ख 18 एक नव-गठित प्रतिष्ठान जो कि व्यावसायिक संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए गठित की गई है, उसका अधिग्रहणकर्ता होना आवश्यक नहीं है। यदि एक नव गठित प्रतिष्ठान एक व्यावसायिक संयोजन को प्रभाव देने के लिए 'इक्विटी' हित जारी करता है तो व्यावसायिक संयोजन के पूर्व मौजूद संयोजित प्रतिष्ठान में से एक को अनुच्छेद ख 13 - ख 17 के अनुसार दिशा-निर्देश का प्रयोग करते हुए अधिग्रहणकर्ता की पहचान की जायेगी। इसके विपरीत, एक नये प्रतिष्ठान को, जो प्रतिफल के रूप में नकदी या अन्य आस्तियों का अन्तरण करता है या दायित्वों को वहन करता है, अधिग्रहणकर्ता माना जा सकता है।

विपरीत (रिवर्स) अधिग्रहण

- ख 19 एक विपरीत अधिग्रहण तब उत्पन्न होता है जब प्रतिष्ठान प्रतिभूतियां जारी करता है (वैधानिक अधिग्रहणकर्ता) तो उसे एक वैधानिक अधिग्रहणकर्ता अनुच्छेद ख 13-ख18 के दिशा-निर्देश के आधार पर लेखों के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहणिति के रूप में पहचाना जाता है। वह प्रतिष्ठान जिसके 'इक्विटी' हित अर्जित किये जाते हैं (वैधानिक अधिग्रहणिति), ऐसे लेन-देन जिसे विपरीत अधिग्रहण माना जाए, लेखों के प्रयोजनार्थ अनिवार्यतः अधिग्रहीत होना चाहिए। उदाहरणार्थ, विपरीत अधिग्रहण कभी-कभी तब भी होता है, जबकि कोई निजी परिचालन प्रतिष्ठान सार्वजनिक प्रतिष्ठान तो बनना चाहता है परन्तु अपने 'इक्विटी' शेयर का पंजीकरण नहीं कराना चाहता। ऐसा करने के लिए, निजी प्रतिष्ठान एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान की व्यवस्था करेगा जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान के 'इक्विटी' हितों के बदले में उसके 'इक्विटी' हितों का अर्जन कर सके। इस उदाहरण में, सार्वजनिक प्रतिष्ठान वैधानिक अधिग्रहणकर्ता है क्योंकि इसने अपने 'इक्विटी' हित जारी किये हैं और निजी प्रतिष्ठान एक वैधानिक अधिग्रहणिति है क्योंकि इसके 'इक्विटी' हितों का अधिग्रहण किया गया है। लेकिन, अनुच्छेद ख 13 - ख 18 में दिये गये दिशा-निर्देश के प्रयोग का परिणाम निम्नलिखित की पहचान होती है :

(क) लेखा के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक प्रतिष्ठान एक अधिग्रहणिति के रूप में (लेखा अधिग्रहणिति) ; और

(ख) लेखा के प्रयोजन के लिए निजी प्रतिष्ठान एक अधिग्रहणकर्ता के रूप में (लेखा अधिग्रहणकर्ता)।

लेखा अधिग्रहणिति को विपरीत अधिग्रहण माने जाने के लेन -देन हेतु एक व्यवसाय की परिभाषा और इस भारतीय लेखा मानक के सभी मान्यता एवं माप सिद्धान्तों का, ख्याति (गुडविल) की मान्यता सहित, अनिवार्यतः अनुपालन तथा प्रयोग करना होगा।

अन्तरित प्रतिफल का माप

- ख 20 एक विपरीत अधिग्रहण में, लेखा अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति को सामान्यतया कोई प्रतिफल जारी नहीं करता। इसकी बजाय, लेखा अधिग्रहणिति लेखा अधिग्रहणकर्ता के स्वामियों को सामान्यतया अपने 'इक्विटी' शेयर जारी करता है। तदनुसार, लेखा अधिग्रहणकर्ता द्वारा लेखा अधिग्रहणिति में अपने हितों के बदले में अन्तरित प्रतिफल अधिग्रहण तिथि का उचित मूल्य उन 'इक्विटी' हितों की संख्या पर आधारित होता है जो कि वैधानिक अनुषंगी प्रतिष्ठान को वैधानिक मूल प्रतिष्ठान के स्वामियों को विपरीत अधिग्रहण के परिणामस्वरूप संयोजित प्रतिष्ठान में समान 'इक्विटी' हित प्रतिशत देने के लिए जारी करने पड़ते। इस प्रकार 'इक्विटी' हितों की संख्या के उचित मूल्य की गणना का प्रयोग अधिग्रहणिति के लिए बदले में अन्तरित प्रतिफल के उचित मूल्य के रूप में किया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना और उनका प्रस्तुतिकरण

- ख 21 विपरीत अधिग्रहण के अनुपालन में तैयार किये गये समेकित वित्तीय विवरण वैधानिक मूल प्रतिष्ठान (लेखा अधिग्रहणिति) के नाम में जारी किये जाते हैं, परन्तु वित्तीय विवरणों में टिप्पणियों में यह वर्णित किया जायेगा कि यह वैधानिक अनुषंगी प्रतिष्ठान (लेखा अधिग्रहणकर्ता) से जारी रखी गई है; एक समायोजन के साथ, जो कि लेखा अधिग्रहणकर्ता की वैधानिक पूंजी का पूर्ववर्ती प्रभाव से समायोजन करना ताकि लेखा अधिग्रहणिति की वैधानिक पूंजी दर्शायी जा सके। उन समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत तुलनात्मक सूचना भी वैधानिक मूल प्रतिष्ठान (लेखा अधिग्रहणिति) की वैधानिक पूंजी दर्शाने के लिए पूर्ववर्ती प्रभाव से समायोजित की जाती है।
- ख 22 चूंकि समेकित वित्तीय विवरण वैधानिक अनुषंगी प्रतिष्ठान की पूंजी संरचना को छोड़कर वित्तीय विवरणों की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित को दर्शाते हैं :
- (क) वैधानिक अनुषंगी प्रतिष्ठान (लेखा अधिग्रहणकर्ता) की आस्तियों और दायित्वों का संयोजन-पूर्व अग्रणीत राशियों पर मान्यता एवं माप।
- (ख) वैधानिक मूल (लेखा अधिग्रहणिति) की आस्तियों और दायित्वों की इस लेखा मानक के अनुसार मान्यता एवं माप।
- (ग) वैधानिक अनुषंगी प्रतिष्ठान (लेखा अधिग्रहणकर्ता) के व्यावसायिक संयोजन से पूर्व की प्रतिधारित आय और अन्य 'इक्विटी' शेष।
- (घ) समेकित वित्तीय विवरणों में जारी 'इक्विटी' हितों की मान्य राशि का निर्धारण वैधानिक अनुषंगी प्रतिष्ठान के जारी 'इक्विटी' हितों को, जोड़ा जाएगा जो कि एक व्यावसायिक संयोजन के तत्काल पूर्व बकाया थे, उन्हें वैधानिक मूल (लेखा अधिग्रहणिति) के उचित मूल्य पर मापा जाएगा। हालांकि, 'इक्विटी' संरचना (अर्थात् जारी 'इक्विटी' हितों की संख्या और प्रकार) वैधानिक मूल की 'इक्विटी' संरचना दर्शाती है, जिसमें एक संयोजन को प्रभावशील बनाने के लिए वैधानिक मूल 'इक्विटी' हितों का जारी करना सम्मिलित है। तदनुसार, वैधानिक अनुषंगी प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' संरचना अधिग्रहण करार में स्थापित विनिमय अनुपात के प्रयोग द्वारा पुनर्कथित की जाती है ताकि विपरीत अधिग्रहण में वैधानिक मूल (लेखा अधिग्रहणिति) जारी शेयरों की संख्या को दर्शा सके।
- (ङ) अनुच्छेद ख 23 और ख 24 में यथावर्चित वैधानिक अनुषंगी प्रतिष्ठान (लेखा अधिग्रहणकर्ता) के संयोजन पूर्व प्रतिधारित आय और अन्य 'इक्विटी' हितों का गैर-नियंत्रक हित आनुपातिक अंश।

गैर-नियंत्रक हित

- ख 23 एक विपरीत अधिग्रहीत में, वैधानिक अधिग्रहीत (लेखा अधिग्रहणकर्ता) के कुछ स्वामी अपने 'इक्विटी' हितों का वैधानिक मूल (लेखा अधिग्रहणिति) के 'इक्विटी' हितों के लिए विनिमय नहीं भी कर सकते हैं। ऐसे स्वामियों को विपरीत अधिग्रहीत पश्चात् समेकित वित्तीय विवरणों में एक गैर-नियंत्रक हित के रूप में माना जाता है। यह इसलिए कि वैधानिक अधिग्रहीत के स्वामी जो कि अपने 'इक्विटी' हितों का वैधानिक अधिग्रहणकर्ता के 'इक्विटी' हितों से विनिमय नहीं करते उनकी रुचि वैधानिक अधिग्रहीत के परिणामों और शुद्ध आस्तियों में ही रुचि होती है, न कि संयोजित प्रतिष्ठान के परिणामों या शुद्ध आस्तियों में। इसके विपरीत, यद्यपि वैधानिक अधिग्रहणकर्ता ही लेखा के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहणिति होता है, वैधानिक अधिग्रहणकर्ता के स्वामियों की रुचि संयोजित प्रतिष्ठान के परिणामों और शुद्ध आस्तियों में होती है।
- ख 24 वैधानिक अधिग्रहीत की आस्तियों और दायित्वों को संयोजन - पूर्व अग्रणीत राशियों पर ही समेकित वित्तीय विवरणों में मापा जाता है और मान्यता दी जाती है [देखें अनुच्छेद ख 22 (क)] इसलिए, एक विपरीत अधिग्रहीत में गैर-नियंत्रक हित गैर-नियंत्रक शेयरधारकों का आनुपातिक हित वैधानिक अधिग्रहीत के संयोजन -पूर्व अग्रणीत राशि में दिखाया जाता है भले ही अन्य अधिग्रहणों में गैर-नियंत्रक हितों का माप अधिग्रहण - तिथि के उचित मूल्य पर किया जाता है।

प्रति शेयर अर्जन

- ख 25 जैसा कि अनुच्छेद ख 22 (घ) में वर्णित है, विपरीत अधिग्रहण के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों में पूंजी संरचना वैधानिक अधिग्रहणकर्ता (लेखा अधिग्रहणिति) की 'इक्विटी' संरचना को प्रतिबिंबित करता है इसमें व्यावसायिक संयोजन को प्रभावशील करने में वैधानिक अधिग्रहणकर्ता द्वारा जारी 'इक्विटी' हितों सम्मिलित हैं।
- ख 26 विपरीत अधिग्रहण की उत्पत्ति के दौरान बकाया साधारण शेयरों⁹ (प्रति शेयर आय की गणना का विभाजक) की भारित औसत संख्या की गणना में :
- (क) अवधि के प्रारंभ से लेकर अधिग्रहण तिथि तक बकाया साधारण शेयरों की संख्या की गणना इस अवधि के दौरान वैधानिक अधिग्रहीत (लेखा अधिग्रहणकर्ता) के बकाया साधारण शेयरों के भारित औसत को विलय (मरजर) करार में स्थापित विनिमय अनुपात से गुणा करके की जायेगी ; और
- (ख) अधिग्रहण तिथि से लेकर अवधि के अन्त तक बकाया साधारण शेयरों की संख्या अवधि के दौरान वैधानिक अधिग्रहणकर्ता (लेखा अधिग्रहणिति) के साधारण शेयरों की वास्तविक संख्या होगी।

⁹ भारतीय संदर्भ में, शब्द 'साधारण शेयर' शब्दों 'इक्विटी शेयर' के समान ही हैं।

ख 27 एक विपरीत अधिग्रहण के अनुसार, अधिग्रहण तिथि से पूर्व के समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत प्रत्येक तुलनात्मक अवधि के लिए मूल प्रति शेयर अर्जन की गणना निम्नलिखित को भाग देकर की जायेगी:

- (क) उन प्रत्येक अवधियों में अंशधारकों के प्रति आरोप्य वैधानिक अधिग्रहणिति का लाभ या हानि;
- (ख) वैधानिक अधिग्रहीत के बकाया साधारण शेयरों की ऐतिहासिक भारित औसत संख्या को अधिग्रहीत करार में स्थापित अनुमान से गुणा करके।

विशेष अधिग्रहीत की गयी आस्तियों एवं ग्रहण किये गये दायित्वों की मान्यता (अनुच्छेद 10-13 का प्रयोग)

परिचालन पट्टे

- ख 28 एक अधिग्रहणकर्ता एक परिचालन पट्टे से सम्बद्ध किसी आस्ति या दायित्व को मान्यता नहीं देगा जिसमें, अनुच्छेद ख 29 और ख 30 की अपेक्षा को छोड़कर, अधिग्रहणिति पट्टेदार है।
- ख 29 अधिग्रहणकर्ता यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक परिचालन पट्टा, जिसमें अधिग्रहणिति पट्टेदार है, की शर्तें अनुकूल या प्रतिकूल हैं। अधिग्रहणकर्ता एक अमूर्त आस्ति को तब मान्यता देगा जब परिचालन पट्टे की शर्तें बाजार की शर्तों की सापेक्षता के अनुकूल हैं और इसी तरह, एक दायित्व को तब मान्यता देगा जब परिचालन पट्टे की शर्तें बाजार की शर्तों से प्रतिकूल हैं। अनुच्छेद ख 42 जिनमें अधिग्रहण तिथि पर आस्तियों के उचित मूल्य के माप पर दिशा-निर्देश प्रदान करता है जो कि परिचालन पट्टे जिनमें अधिग्रहणिति पट्टेदार है, के अधीन है।
- ख 30 एक पहचानयोग्य अमूर्त आस्ति एक परिचालन पट्टा से जुड़ी हो सकती है जिसका साक्ष्य बाजार प्रतिभागियों के द्वारा पट्टे के लिए भुगतान की इच्छा में हो सकता है भले ही यह बाजार की शर्तों पर हो। उदाहरणार्थ, एक हवाई अड्डे पर दरवाजों का एक पट्टा या एक उत्तम शॉपिंग क्षेत्र में मुख्य स्थान जहां से बाजार में प्रवेश या अन्य आर्थिक लाभ प्रदान कर सकते हैं जो अमूर्त आस्तियों की पहचान की योग्यता रखते हैं, उदाहरणार्थ, जैसे कि एक ग्राहक सम्बन्ध के रूप में। उस परिस्थिति में, अधिग्रहणकर्ता सम्बद्ध पहचानयोग्य अमूर्त आस्तियों को मान्यता अनुच्छेद ख 31 के अनुसार देगा।

अमूर्त आस्तियां

- ख 31 एक अधिग्रहणकर्ता एक व्यावसायिक संयोजन में ख्याति (गुडविल) से अलग अधिग्रहीत पहचानयोग्य अमूर्त आस्तियों को मान्यता देगा। एक अमूर्त आस्ति तभी पहचानयोग्य है यदि यह या तो पृथक्ता कसौटी पर या फिर अनुबंधात्मक -वैधानिक कसौटी पर खरी उतरती है।
- ख 32 एक अमूर्त आस्ति जो अनुबंधात्मक - वैधानिक कसौटी पर खरी उतरती है वह पहचानयोग्य है भले ही आस्ति अधिग्रहणिति से या अन्य अधिकारों व बाध्यता से अंतरित या पृथक् करने योग्य न हो। उदाहरणार्थ :
 - (क) एक अधिग्रहणिति एक निर्माण सुविधा को एक परिचालन पट्टे के अधीन पट्टे पर देता है जिसकी शर्तें बाजार की शर्तों से सापेक्षतया अनुकूल हैं। पट्टे की शर्तें पट्टे के अंतरण (बिक्री या उप पट्टे द्वारा) पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाती हैं। वह राशि जिससे पट्टे की शर्तें उसी या उसी प्रकार की मदों के चालू बाजार लेन-देनों की शर्तों की तुलना में अनुकूल है एक मूर्त आस्ति मानी जाती है जो ख्याति (गुडविल) से पृथक् अनुबंधात्मक वैधानिक कसौटी पर खरी उतरती है, भले ही अधिग्रहणकर्ता पट्टा अनुबंध को बेच या अन्यथा अंतरित नहीं कर सकता।
 - (ख) एक अधिग्रहणिति एक आणविक ऊर्जा संयंत्र का स्वामित्व रखता है और उसे परिचालित करता है। उस ऊर्जा संयंत्र के परिचालन का लाइसेंस एक अमूर्त आस्ति है जो अनुबंधात्मक - वैधानिक कसौटी पर ख्याति (गुडविल) से पृथक् मान्यता कसौटी पर खरा उतरता है, भले ही अधिग्रहणकर्ता प्राप्त ऊर्जा संयंत्र से पृथक् उसकी ख्याति की बिक्री या अंतरण नहीं कर सकता। एक अधिग्रहणकर्ता परिचालन लाइसेंस के उचित मूल्य और ऊर्जा संयंत्र की एक एकल आस्ति के उचित मूल्य की वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ मान्यता दे सकता है यदि दोनों आस्तियों के उपयोगी जीवन समान हों।
 - (ग) एक अधिग्रहणिति एक तकनीकी पेटेन्ट का स्वामी है। उसने उस पेटेन्ट का लाइसेंस दूसरों को घरेलू बाजार के बाहर एकमात्र उपयोग हेतु दे दिया है और बदले में वह भावी विदेशी राजस्व का एक विशिष्ट प्रतिशत प्राप्त करता है। तकनीकी पेटेन्ट और संबंधित लाइसेंस करार दोनों ख्याति (गुडविल) मान्यता की अनुबंधात्मक - वैधानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं भले ही पेटेन्ट और संबंधित लाइसेंस की एक-दूसरे से अलग बिक्री या विनिमय व्यवहार्य न हो।
- ख 33 पृथक्ता कसौटी से यह अभिप्राय है कि एक अधिग्रहीत आस्ति अधिग्रहणिति से पृथक् की जा सकती है या वितरित की जा सकती है और अकेले या संबंधित अनुबंध के साथ पहचानयोग्य आस्ति दायित्व रूप में बेची, अंतरित, लाइसेंस पर, किराये पर दी जा सकती या विनिमय की जा सकती है। वह अमूर्त आस्ति जिसे अधिग्रहणकर्ता मूल्य के किसी रूप पर बेचने, लाइसेंस देने या विनिमय करने योग्य होगा, पृथक् कसौटी पर पूरा उतरती है भले ही अधिग्रहणकर्ता उसे बेचने, लाइसेंस पर देने या अन्यथा विनिमय का इरादा न रखता हो। एक अधिग्रहीत अमूर्त आस्ति पृथक्ता कसौटी पर खरी उतरती है यदि उस प्रकार या उसके समरूप आस्ति के विनिमय लेन-देनों का साक्ष्य मौजूद हों, भले ही वे लेन-देन यदा-कदा हों और बेशक कि क्या अधिग्रहणकर्ता उनमें संलिप्त है या नहीं। उदाहरणार्थ, ग्राहकों और अंशदाताओं की सूचियां बारंबार लाइसेंस की जाती हैं और इस प्रकार वे पृथक्ता कसौटी को पूरा करती हैं। भले ही, एक अधिग्रहणिति यह विश्वास करे कि उसकी ग्राहक सूचियों की विशेषताएं अन्य ग्राहक सूचियों से भिन्न हैं लेकिन, यह तथ्य कि ग्राहक सूचियां बारंबार लाइसेंस की जाती हैं, इसका आमतौर पर अभिप्राय: यह है कि अधिग्रहीत ग्राहक-सूची पृथक्ता

मानदंड को पूरा करती है। फिर भी, एक व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत ग्राहक-सूची पृथक्ता मानदंड को पूरा नहीं करेगी यदि विश्वसनीयता या अन्य करारों के निबंधन एक प्रतिष्ठान को उसके द्वारा बिक्री करने, पट्टे पर देने या अपने ग्राहकों के बारे में अन्यथा सूचना के आदान-प्रदान पर प्रतिबंध लगाते हों।

ख 34 एक अमूर्त आस्ति जो कि व्यक्तिगत अधिग्रहणिति या संयोजित प्रतिष्ठान से पृथक्योग्य नहीं है, वह पृथक्ता मानदंड को पूरा करती है यदि संबंधित अनुबंध पहचान योग्य आस्ति या दायित्व के साथ एक संयोजन में पृथक्योग्य है। उदाहरणार्थ:

- (क) बाजार प्रतिभागी जमा दायित्वों और सम्बद्ध जमाकर्ता सम्बन्ध अमूर्त आस्तियों का विनिमय करते हैं। अतः अधिग्रहणकर्ता को चाहिए कि वह जमाकर्ता सम्बन्ध अमूर्त आस्ति को ख्याति (गुडविल) से पृथक् मान्यता दे।
- (ख) एक अधिग्रहणिति एक पंजीकृत ट्रेडमार्क का स्वामी है जिसे उसने प्रलेखित भी करवाया है। ट्रेडमार्क उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त तकनीकी विशेषता को प्रलेखित तो किया है लेकिन पेटेन्ट नहीं करवाया है। ट्रेडमार्क के स्वामित्व के अंतरण हेतु स्वामी द्वारा नये स्वामी को उत्पाद या सेवा के निर्माण से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुओं को अंतरित करने की आवश्यकता है ताकि नया स्वामी वस्तु या सेवा का निर्माण ठीक वैसा ही कर सके जो वहले स्वामी द्वारा की जाती थी। क्योंकि गैर-पेटेन्ट तकनीकी विशेषता को अधिग्रहणिति या संयोजित प्रतिष्ठान से अनिवार्यतः पृथक् करना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा यदि सम्बद्ध ट्रेडमार्क बेचा जाता है और पृथक्ता कसौटी पर खरा उतरता है।

पुनःअधिग्रहीत अधिकार

ख 35 एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के भाग के रूप में, एक अधिग्रहणकर्ता उस अधिकार को पुनःअधिग्रहीत कर सकता है जिसे इसने पूर्व में अधिग्रहणिति को प्रदान कर दिया था जिसके अन्तर्गत वह अधिग्रहणकर्ता एक या एक से अधिक मान्य या गैर-मान्य आस्तियों का प्रयोग कर ले। ऐसे अधिकारों के उदाहरणों में एक फ्रेन्चाइज करार के अधीन अधिग्रहणकर्ता के व्यापारिक नाम के प्रयोग का अधिकार या एक तकनीकी लाइसेंसिंग करार के अधीन अधिग्रहणकर्ता की तकनीक के प्रयोग का अधिकार सम्मिलित है। एक पुनःअधिग्रहीत अधिकार एक पहचानयोग्य अमूर्त आस्ति है जिसे अधिग्रहणकर्ता ख्याति (गुडविल) से पृथक् मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 एक पुनःअधिग्रहीत अधिकार के माप और अनुच्छेद 55 पुनःअधिग्रहीत अधिकार उत्तरवर्ती लेखा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

ख 36 यदि अनुबंध के की शर्तें समान या समतुल्य मदों के वर्तमान बाजार लेन-देनों की शर्तों की सापेक्षता में पुनःअधिग्रहीत अधिकार को अनूकूल या प्रतिकूल बनाते हैं तो अधिग्रहणकर्ता एक निपटान लाभ या हानि को मान्यता देगा। अनुच्छेद ख 52 निपटान लाभ या हानि के माप हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

एकत्रित कार्य-दल एवं अन्य मदें जो पहचानयोग्य नहीं हैं

ख 37 अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण तिथि पर गैर-पहचानयोग्य अधिग्रहीत अमूर्त आस्ति के मूल्य को ख्याति (गुडविल) में भी सम्मिलित करता है। उदाहरणार्थ, एक अधिग्रहणकर्ता एक एकत्रित कार्यदल की मौजूदगी को मूल्य से संबंधित कर सकता है। यह कार्य-दल कर्मचारियों का एक समूह है जो अधिग्रहणकर्ता को अधिग्रहण तिथि से अधिग्रहीत व्यवसाय के परिचालन चलाये रखने की अनुमति देता है। एक एकत्रित कार्यदल कुशल कार्यदल (प्रायः विशेषज्ञ जो ज्ञान व अनुभव से संपन्न हैं) की बौद्धिक पूंजी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्योंकि एकत्रित कार्यदल एक अलग से पहचानयोग्य नहीं है जिसे ख्याति (गुडविल) से पृथक् मान्यता दी जाती है और इसके कारण उत्पन्न मूल्य को ख्याति (गुडविल) के भीतर ही सम्मिलित किया जाता है।

ख 38 अधिग्रहणकर्ता उन मदों के, जो कि अधिग्रहण तिथि पर आस्तियों की योग्यता नहीं रखती है, के मूल्य को भी ख्याति (गुडविल) में सम्मिलित करता है। उदाहरणार्थ, अधिग्रहणकर्ता संभावित अनुबंधों के साथ, जिसके बारे में अधिग्रहणिति अधिग्रहण तिथि पर संभावित नये ग्राहकों के साथ बातचीत कर रहा है, मूल्य को जोड़ता है। चूंकि अधिग्रहण तिथि पर वे संभावित अनुबंध अपने आप में आस्तियां नहीं हैं, अधिग्रहणकर्ता उनको ख्याति (गुडविल) से पृथक् नहीं मानता। अधिग्रहणकर्ता को अधिग्रहण तिथि के बाद उत्पन्न होने वाली घटनाओं के कारण ऐसी अनुबंधों के मूल्य को बाद में ख्याति (गुडविल) में पुनर्वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। फिर भी, अधिग्रहणकर्ता को अधिग्रहण के तत्काल बाद घटनाओं के इर्द-गिर्द तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन यह निर्धारण करने के लिए करना चाहिए कि क्या अधिग्रहण तिथि पर एक पृथक् पहचानयोग्य अमूर्त आस्ति मौजूद थी।

ख 39 प्रारंभिक मान्यता के उपरांत, एक अधिग्रहणकर्ता भारतीय लेखा मानक 38, *अमूर्त आस्तियां*, के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहीत अमूर्त आस्तियों का लेखा करता है। फिर भी, भारतीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 3 में, जैसा कि वर्णित है, प्रारंभिक मान्यता के उपरांत कुछ अधिग्रहीत अमूर्त आस्तियों के लिए लेखा अन्य भारतीय लेखा मानकों द्वारा निर्धारित है।

ख 40 पहचानयोग्यता का मानदंड यह निर्धारित करता है कि क्या एक अमूर्त आस्ति के ख्याति (गुडविल) से पृथक् मान्यता दी जाये। फिर भी, मानदंड न तो एक अमूर्त आस्ति के उचित मूल्य माप के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है और न ही एक अमूर्त आस्ति के उचित मूल्य को मापने में प्रयुक्त अवधारणाओं पर कोई रोक लगाता है। उदाहरणार्थ, अधिग्रहणकर्ता अमूर्त आस्तियों की कीमत निश्चित करते समय उन अवधारणाओं को विचार में लेगा जिन पर बाजार के प्रतिभागी उचित मूल्य के माप के लिए प्रयोग करेगा। जैसे कि अनुबंधों के भावी नवीकरणों के प्रति आशाएं होती हैं। नवीकरणों के लिए पहचानयोग्यता मापदंडों को पूरा करना आवश्यक नहीं है। (फिर भी, देखिये अनुच्छेद 29, जो एक व्यावसायिक संयोजन में मान्य पुनःअधिग्रहीत अधिकार के लिए उचित मूल्य माप सिद्धान्त का अपवाद स्थापित करता है।) भारतीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 36 और 37 यह निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं कि क्या अमूर्त आस्तियों को अन्य अमूर्त या मूर्त आस्तियों के साथ मिलाकर लेखा के लिए एक एकल इकाई का प्रयोग करना चाहिए।

एक अधिग्रहणिति में विशेष पहचानयोग्य आस्तियों एवं एक गैर-नियंत्रक हित के उचित मूल्य का माप (अनुच्छेद 18 व 19 का प्रयोग)**अनिश्चित नकदी प्रवाहयुक्त आस्तियां (मूल्यांकन रियायतें)**

- ख 41 अधिग्रहणकर्ता एक व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत उन आस्तियों के मूल्यांकन रियायतों को मान्यता नहीं देगा जो अधिग्रहण तिथि पर उनके उचित मूल्यों पर मापी जाती हैं, क्योंकि उनके भावी नकदी प्रवाह की अनिश्चितता का प्रभाव उचित मूल्य माप में पहले से ही सम्मिलित है। उदाहरणार्थ, क्योंकि यह भारतीय लेखा मानक अधिग्रहणकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह व्यावसायिक संयोजन का लेखा करते समय ऋणों सहित अधिग्रहीत प्राप्यों का उनके अधिग्रहण की तिथि के उचित मूल्यों पर माप भी करे, अधिग्रहणकर्ता अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के लिए, जो कि उस तिथि पर असंग्रहणीय या प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए हानि-रियायत मानी जाती है, एक पृथक मूल्यांकन रियायत को मान्यता नहीं देता है।

परिचालन पट्टों के अधीन आस्तियां जिनमें अधिग्रहणिति एक पट्टेदार है

- ख 42 एक आस्ति जैसे कि एक भवन या एक पेटेन्ट, जोकि एक परिचालन पट्टे के अन्तर्गत है और जिसमें अधिग्रहणिति ही पट्टेदार है, की अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्य के माप में अधिग्रहणकर्ता पट्टे की शर्तों को ध्यान में रखता है। दूसरे शब्दों में, अधिग्रहणकर्ता एक पृथक आस्ति या दायित्व को मान्य नहीं देता यदि अनुच्छेद ख 29 की अपेक्षानुसार जहां पट्टे में अधिग्रहणिति ही पट्टेदार है और परिचालन पट्टे की शर्तें बाजार की शर्तों की तुलना में अनुकूल या प्रतिकूल पाई जाती है।

आस्तियां जिनका अधिग्रहणकर्ता या तो प्रयोग न करने का विचार रखता है या फिर अन्य बाजार सहभागियों द्वारा प्रयोग से भिन्न रूप में प्रयोग करने का विचार रखता है

- ख 43 इसकी प्रतियोगी स्थिति के बचाव या अन्य कारणों हेतु, अधिग्रहणकर्ता एक अधिग्रहीत गैर-वित्तीय आस्ति के सक्रिय रूप से प्रयोग न करने का इरादा रख सकता है, या उसका मंतव्य आस्ति का प्रयोग उच्चतम व सर्वोत्तम प्रयोग के अनुसार न करने का हो। उदाहरणार्थ, ऐसा मामला तब हो सकता है जब एक अधिग्रहीत अनुसंधान एवं विकास अमूर्त आस्ति को अधिग्रहणकर्ता प्रतिरक्षा के लिए इस प्रकार प्रयोग करे कि अन्य इसे प्रयोग न कर पाएं। फिर भी, अधिग्रहणकर्ता गैर-वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य का माप बाजार प्रतिभागियों द्वारा इसके उच्चतम व सर्वोत्तम प्रयोग के आधार पर उचित मूल्यांकन विधि द्वारा प्रारम्भ में और परवर्ती क्षतिग्रस्तता परीक्षण के लिए निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य पर करेगा।

एक अधिग्रहणिति में गैर-नियंत्रक हित

- ख 44 यह भारतीय लेखा मानक अधिग्रहणकर्ता को अधिग्रहणिति में गैर-नियंत्रक हित को अधिग्रहण तिथि पर इसके उचित मूल्य पर माप की अनुमति देता है। कभी-कभी एक अधिग्रहणकर्ता एक गैर-नियंत्रक हित के अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य द्वारा अधिग्रहणकर्ता द्वारा धारित न किये गये इक्विटी शेयरों (यानि जो अधिग्रहणकर्ता द्वारा धारित नहीं हैं) के सक्रिय बाजार में अंकित कीमतों के आधार पर माप करने में सक्षम होगा। हालांकि अन्य परिस्थितियों में, 'इक्विटी' शेयरों की सक्रिय बाजार में अंकित कीमत उपलब्ध नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में, अधिग्रहणकर्ता अन्य मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग द्वारा गैर-नियंत्रक हित के उचित मूल्य का माप करेगा।
- ख 45 अधिग्रहणिति में अधिग्रहणकर्ता के हित और प्रति शेयर आधार पर गैर-नियंत्रक हित के उचित मूल्य भिन्न हो सकते हैं। मुख्य अन्तर, अधिग्रहणिति में अधिग्रहणकर्ता के हित का प्रति शेयर उचित मूल्य में नियंत्रण प्रीमियम के समावेश का हो सकता है या इसके विपरीत गैर-नियंत्रक हित के प्रति शेयर उचित मूल्य में नियंत्रण की कमी के लिए (जिसे गैर-नियंत्रक हित छूट भी कहा जाता है) एक छूट के समावेश के रूप में हो सकता है, यदि बाजार प्रतिभागी इस प्रकार के प्रिमियम या छूट को लेखे में लें जब वे गैर-नियंत्रक हित की कीमत लगाते हैं।

ख्याति (गुडविल) या एक मोल-भाव द्वारा क्रय से लाभ का माप**मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग द्वारा अधिग्रहणिति में अधिग्रहणकर्ता के हित का अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्य का माप (अनुच्छेद 33 का प्रयोग)**

- ख 46 एक व्यावसायिक संयोजन में बिना अन्तरित प्रतिफल की प्राप्ति पर ख्याति (गुडविल) या मोल-भाव द्वारा क्रय से लाभ को मापने के लिए अधिग्रहणकर्ता को अधिग्रहण तिथि पर अन्तरित प्रतिफल के उचित मूल्य हेतु अधिग्रहणिति में अपने हित का अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य अवश्य ही प्रतिस्थापित करना चाहिए। (देखें अनुच्छेद 32-34 और 36 क)।

पारस्परिक (म्युचुअल) प्रतिष्ठानों के संयोजनों में अधिग्रहण विधि के प्रयोग में विशेष ध्यान देने योग्य बातें

- ख 47 जब दो पारस्परिक (म्युचुअल) प्रतिष्ठान संयोजित होते हैं तो 'इक्विटी' या अधिग्रहणिति में सदस्यों के हितों का उचित मूल्य (या अधिग्रहणिति का उचित मूल्य) अधिग्रहणकर्ता द्वारा सदस्यों के अन्तरित हितों के उचित मूल्य की तुलना में अधिक विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। उस स्थिति में, अनुच्छेद 33 अधिग्रहणकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह अधिग्रहणिति के 'इक्विटी' हितों का अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्य के प्रयोग द्वारा ख्याति (गुडविल) की राशि का निर्धारण करे न कि प्रतिफल के रूप में अधिग्रहणिति के 'इक्विटी' हितों का अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्य का प्रयोग करके। इसके अतिरिक्त, पारस्परिक प्रतिष्ठानों के संयोजन में अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति की शुद्ध सम्पत्तियों को अपने तुलन-पत्र में पूंजी या 'इक्विटी' में प्रत्यक्ष वृद्धि के रूप में मान्यता देगा, न कि प्रति धारित आय की वृद्धि के रूप में जो कि अन्य प्रकार के प्रतिष्ठानों द्वारा अधिग्रहण विधि का प्रयोग के तरीके के अनुरूप है।
- ख 48 यद्यपि वे अन्य व्यवसायों से अनेक तरीकों में समरूप हैं, पारस्परिक (म्युचुअल) प्रतिष्ठान भिन्न विशेषताएं रखते हैं जो मूलतः इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि उनके सदस्य ग्राहक और स्वामी दोनों ही होते हैं। पारस्परिक प्रतिष्ठानों के सदस्य अपनी सदस्यता के लिए ऐसे

लाभ प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं, जो प्रायः उत्पाद और सेवाओं के लिए कम कीमत या संरक्षण लाभांशों के रूप में होती हैं। प्रत्येक सदस्य को आवंटित संरक्षणता लाभांश का भाग अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि वर्ष के दौरान सदस्य द्वारा पारस्परिक (म्युचुअल) प्रतिष्ठान के साथ कितना व्यवसाय किया है।

- ख 49 एक पारस्परिक (म्युचुअल) प्रतिष्ठान के एक उचित मूल्य माप में वे अवधारणाएं सम्मिलित होनी चाहिए जो कि बाजार प्रतिभागी सदस्यों के भावी लाभों के बारे में रखेंगे और साथ ही पारस्परिक (म्युचुअल) प्रतिष्ठान के लिए बाजार प्रतिभागियों द्वारा क्या संगत मान्यताएं हैं। उदाहरणार्थ, एक वर्तमान मूल्य तकनीक का प्रयोग पारस्परिक (म्युचुअल) प्रतिष्ठान के उचित मूल्य माप में प्रयोग किया जा सकता है। मॉडल में निविष्टियों के रूप में प्रयोज्य नकदी प्रवाह पारस्परिक (म्युचुअल) प्रतिष्ठान के प्रत्याक्षित नकदी प्रवाहों पर आधारित होने चाहिए जो संभव हैं, सदस्य लाभों में कमी, जैसे कि उत्पादों और सेवाओं के कम शुल्क प्रभारित के रूप में प्रदर्शित हो सकता है।

व्यावसायिक संयोजन के लेन-देन का भाग क्या है, का निर्धारण करना (अनुच्छेद 51 व 52 का प्रयोग)

- ख 50 इस बात का निर्धारण करने के लिए कि लेन-देन अधिग्रहणिति के विनिमय का भाग है या कि लेन-देन व्यावसायिक संयोजन से अलग है, अधिग्रहणकर्ता को निम्नलिखित घटकों पर विचार कर लेना चाहिए जो न तो परस्पर स्वतंत्र हैं और न ही एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं :
- (क) **लेन-देन के कारण** - उन कारणों को समझना कि संयोजन के पक्षकार (अधिग्रहणकर्ता और अधिग्रहणिति तथा उनके स्वामी, निर्देशक और प्रबन्धक एवं उनके प्रतिनिधि) एक विशिष्ट लेन-देन या व्यवस्था में क्यों भाग ले रहे हैं। इन कारणों से यह समझने में मदद मिलती है कि क्या यह अन्तरित प्रतिफल और अधिग्रहीत आस्तियों या ग्रहण किए गये दायित्वों का भाग है। उदाहरणार्थ, यदि एक लेन-देन मूलतः अधिग्रहणिति या संयोजन से पूर्व के स्वामियों के लाभ की बजाय मूलतः अधिग्रहणकर्ता या संयोजित प्रतिष्ठान के लाभार्थ व्यवस्थित किया जाता है तो लेन-देन की प्रदत्त कीमत के उस भाग (और अन्य सम्बद्ध आस्तियां या दायित्व) का अधिग्रहणिति के लिए विनिमय का भाग होने की कम संभावना है।
- (ख) **लेन-देन की पहल किसने की** - लेन-देन की पहल किसके द्वारा की गई यह समझने से यह अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है कि क्या यह अधिग्रहणिति के विनिमय का भाग है। उदाहरणार्थ, एक अधिग्रहणकर्ता द्वारा एक लेन-देन या घटना को, इसलिए प्रारम्भ किया गया था ताकि भावी आर्थिक लाभ अधिग्रहणकर्ता या संयोजित प्रतिष्ठान को मिले जबकि अधिग्रहणिति या संयोजन से पूर्व इसके पहले के स्वामियों को बहुत कम या कोई लाभ प्राप्त न हो। दूसरी ओर, अधिग्रहणिति या इसके पूर्व स्वामियों द्वारा शुरू किया गये लेन-देन या व्यवस्था अधिग्रहणकर्ता या संयोजित प्रतिष्ठान के लिए कम लाभप्रद हो सकता है जबकि वे व्यावसायिक संयोजन के लेन-देन के भाग के रूप में अधिक संभावित हो सकते हैं।
- (ग) **लेन-देन का समय** - लेन-देन के समय की गणना भी यह अन्तर्दृष्टि देती है कि क्या यह अधिग्रहणिति के लिए विनिमय का भाग है। उदाहरणार्थ, अधिग्रहणकर्ता और अधिग्रहणिति के मध्य लेन-देन, जो एक व्यावसायिक संयोजन की शर्तों की बातचीत के दौरान सम्पन्न होता है, वह व्यावसायिक संयोजन द्वारा अधिग्रहणकर्ता या संयोजित प्रतिष्ठान को भावी आर्थिक लाभ प्रदान करने की आशा से किया जाता है। यदि ऐसा है तो अधिग्रहणिति या व्यावसायिक संयोजन से पूर्व के पहले स्वामियों को लेन-देन से कम या शून्य लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है सिवाय उन लाभों के जो उन्हें संयोजित प्रतिष्ठान के भाग के रूप में प्राप्त होते हैं।

एक व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहणकर्ता और अधिग्रहणिति के बीच पहले से ही मौजूद सम्बन्ध का प्रभावी निपटान [अनुच्छेद 52 (क) प्रयोग]

- ख 51 अधिग्रहणकर्ता और अधिग्रहणिति के बीच व्यावसायिक संयोजन की संकल्पना से पूर्व भी कोई संबंध हो सकता है जिसे यहां 'पूर्ववर्ती सम्बन्ध' कहा जायगा। अधिग्रहणकर्ता और अधिग्रहणिति के बीच पूर्ववर्ती संबंध अनुबंधात्मक (उदाहरणार्थ विक्रेता और ग्राहक या लाइसेंस प्रदाता और लाइसेंस धारक) या गैर-अनुबंधात्मक (उदाहरणार्थ वादी और प्रतिवादी) हो सकता है।
- ख 52 यदि व्यावसायिक संयोजन वास्तव में पूर्ववर्ती सम्बन्ध का निपटान करता है तो एक अधिग्रहणकर्ता एक लाभ या हानि को मान्यता देता है जिसका माप इस प्रकार किया जाता है -
- (क) एक पूर्ववर्ती गैर-अनुबंधात्मक सम्बन्ध हेतु (जैसे कि एक कानूनी वाद) उचित मूल्य पर।
- (ख) एक पूर्ववर्ती अनुबंधात्मक सम्बन्ध हेतु, नीचे (i) या (ii) में से जो भी कम हो उस पर :
- (i) वह राशि जिसके द्वारा उसी या समरूप मदों के वर्तमान बाजार लेन-देनों की तुलना में अधिग्रहणकर्ता की दृष्टि से अनुबंध अनुकूल या प्रतिकूल है। (एक प्रतिकूल अनुबंध वह अनुबंध होता है जो वर्तमान बाजार शर्तों के रूप में प्रतिकूल हो यह आवश्यक रूप में एक दूधर अनुबंध नहीं है जिसमें अनुबंध शर्तों के अन्तर्गत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागतें इसके अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अर्थिक लाभों से अधिक होंगी)।
- (ii) प्रतिपक्षकार, जिसके लिए अनुबंध प्रतिकूल है, अनुबंध में वर्णित निपटान प्रावधानों की उपलब्ध राशि।
- यदि (i) से (ii) कम है तो अन्तर को व्यावसायिक संयोजन लेखा के भाग के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

मान्य लाभ या हानि की राशि आंशिक रूप में इस पर निर्भर करती है कि क्या अधिग्रहणकर्ता एक सम्बद्ध आस्ति या दायित्व को पहले मान्यता दे चुका है और रिपोर्ट किये गये लाभ या हानि की राशि इसलिए उस राशि से भिन्न हो सकती है जिसकी गणना उपयुक्त आवश्यकताओं के प्रयोग द्वारा की गई है।

- ख 53 एक पूर्ववर्ती सम्बन्ध एक अनुबंध हो सकता है जिसे अधिग्रहणकर्ता एक पुनर्अधिग्रहीत अधिकार के रूप में मान्यता देता है। यदि अनुबंध उन्हीं या उन जैसी मदों हेतु बाजार के चालू लेन-देनों की कीमत से तुलना करते समय अनुकूल या प्रतिकूल निबंधनों को सम्मिलित करता है तो अधिग्रहणकर्ता एक व्यावसायिक संयोजन से पृथक अनुबंध के प्रभावकारी निपटान हेतु अनुच्छेद ख52 के अनुसार मापे गये लाभ या हानि को मान्यता देता है।

कर्मचारियों या विक्रेता शेयर-धारकों के आकस्मिक भुगतानों की व्यवस्थाएं [अनुच्छेद 52 (ख) का प्रयोग]

- ख 54 क्या कर्मचारियों या विक्रेता शेयरधारकों को आकस्मिक भुगतानों के लिए व्यवस्थाएं व्यावसायिक संयोजन में आकस्मिक प्रतिफल है या पृथक लेन-देन, यह व्यवस्थाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। उन कारणों को समझने के लिए कि अधिग्रहण करार में आकस्मिक भुगतान का प्रावधान क्यों सम्मिलित है, इसके लिए यह जानना जरूरी है कि किसने व्यवस्था की पहल की है और कब पक्षकार व्यवस्था में बंधे हैं, व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण करने में सहायक हो सकता है।
- ख 55 यदि यह स्पष्ट न हो कि क्या कर्मचारियों या विक्रेता शेयरधारकों को आकस्मिक भुगतान हेतु व्यवस्था अधिग्रहणिति हेतु विनिमय का भाग है या व्यावसायिक संयोजन से भिन्न लेन-देन है तो अधिग्रहणकर्ता को निम्नलिखित संकेतकों पर विचार करना चाहिए :
- (क) *निरंतर रोजगार* - विक्रेता शेयरधारकों के, जो मुख्य कर्मचारी बन जाते हैं, निरंतर रोजगार की शर्तें एक आकस्मिक प्रतिफल व्यवस्था के सार का एक संकेतक हैं। निरंतर रोजगार से संबंधित एक रोजगार करार, अधिग्रहण करार या किसी अन्य दस्तावेज में शामिल किया जा सकता है। आकस्मिक प्रतिफल व्यवस्था में रोजगार की समाप्ति पर भुगतान स्वतः जब्त हो जाते हैं वह संयोजन की उत्तरवर्ती सेवाओं का भुगतान माना जाता है। वे व्यवस्थाएं जिनमें रोजगार समापन से आकस्मिक भुगतानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यह संकेत कर सकती हैं कि आकस्मिक भुगतान अतिरिक्त प्रतिफल है न कि पारिश्रमिक।
- (ख) *निरंतर रोजगार की अवधि* - यदि अपेक्षित रोजगार की अवधि आकस्मिक भुगतान अवधि के समान या आकस्मिक भुगतान अवधि से अधिक है तो वह तथ्य यह संकेत देता है कि आकस्मिक भुगतान, वास्तव में, पारिश्रमिक है।
- (ग) *पारिश्रमिक का स्तर* - उन स्थितियों में जब आकस्मिक भुगतानों को छोड़कर कर्मचारी पारिश्रमिक संयोजित प्रतिष्ठान में मुख्य कर्मचारियों की तुलना में उपयुक्त स्तर पर हैं तो वह यह संकेत देता है कि आकस्मिक भुगतान पारिश्रमिक की बजाय अतिरिक्त प्रतिफल हैं।
- (घ) *कर्मचारियों को वृद्धिशील भुगतान* - यदि विक्रेता शेयरधारक, जो संयोजित प्रतिष्ठान के कर्मचारी नहीं बनते हैं, और वे शेयरधारक जो कि संयोजित प्रतिष्ठान के कर्मचारी बन जाते हैं, तुलना में यदि पहले वाले प्रति-शेयर आधार पर कम आकस्मिक भुगतान प्राप्त करते हैं तो यह तथ्य संकेत करता है कि आकस्मिक भुगतानों की राशि एक पारिश्रमिक है उन विक्रेता शेयरधारकों के लिए जो कर्मचारी बन जाते हैं।
- (ङ) *स्वामित्व वाले शेयरों की संख्या* - विक्रेता शेयरधारकों द्वारा, जो मुख्य कर्मचारी बने रहते हैं, शेयरों की सापेक्षिक संख्या आकस्मिक भुगतान व्यवस्था के सारत्व का संकेतक हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि विक्रेता शेयरधारक जो अधिग्रहणिति में वास्तव में सभी शेयरों के स्वामी थे और अब भी मुख्य कर्मचारी बने रहते हैं, यह तथ्य इस बात का संकेत करता है कि वास्तव में, यह व्यवस्था एक लाभ-बांटने की व्यवस्था है जिसकी मंशा संयोजन -पश्चात् सेवाओं के लिए पारिश्रमिक प्रदान करने की है। विकल्पतः, यदि विक्रेता शेयरधारकों के पास, जो अब भी मुख्य कर्मचारी बने रहते हैं, अधिग्रहणिति में एक छोटी संख्या में ही शेयरों का स्वामित्व था और सभी विक्रेता शेयरधारकों को प्रति शेयर के आधार पर समान आकस्मिक प्रतिफल मिलता है। इस तथ्य से यह संकेत मिलता है कि आकस्मिक भुगतान अतिरिक्त प्रतिफल हैं। विक्रेता शेयरधारक, जो अभी भी मुख्य कर्मचारी बने रहते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्य से संबंधित सभी पक्षों द्वारा धारित पूर्व अधिग्रहण स्वामित्व हित पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- (च) *मूल्यांकन से संबंध* - यदि अधिग्रहण तिथि को अन्तरित प्रारम्भिक प्रतिफल अधिग्रहणिति के मूल्यांकन की स्थापित परास (रेंज) के निम्न स्तर पर आधारित हो और आकस्मिक फार्मूला उस मूल्यांकन दृष्टिकोण से संबंधित हैं तो वह तथ्य यह सुझाव दे सकता है कि आकस्मिक भुगतान अतिरिक्त प्रतिफल हैं। विकल्प के रूप में, यदि आकस्मिक भुगतान फार्मूला पूर्ववर्ती लाभ वितरण व्यवस्था के अनुसार है तो वह तथ्य यह सुझाव दे सकता है कि इस व्यवस्था का सार पारिश्रमिक देना।
- (छ) *प्रतिफल के निर्धारण का सूत्र (फार्मूला)* - आकस्मिक प्रतिफल भुगतान के निर्धारण के लिए प्रयोग में लायी गयी व्यवस्था के सारत्व के निर्धारण के लिए सहायक हो सकता है। उदाहरणार्थ, यदि आकस्मिक भुगतान का निर्धारण कई अर्जनों के आधार पर किया जाता है तो उससे यह सुझाव हो सकता है कि वह बाध्यता व्यावसायिक प्रतिफल है और वह सूत्र (फार्मूला) अधिग्रहणिति के उचित मूल्य की स्थापना या सत्यापन की मंशा से है। इसके विपरीत, एक आकस्मिक भुगतान, जो कि आय का एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत है यह सुझाव दे सकता है कि कर्मचारियों के प्रतिदायित्व कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवा के पारिश्रमिक के रूप में लाभ वितरण व्यवस्था है।

- (ज) अन्य करार व मुद्दे - विक्रेता शेयरधारकों के साथ अन्य प्रबंधों की शर्तों (जैसे कि पूरे न किये जाने वाले करार, निष्पादक करार, परामर्शदायी करार) और आकस्मिक भुगतानों का आयकर संव्यावहार यह संकेत दे सकता है कि आकस्मिक भुगतान अधिग्रहणिति के प्रतिफल से भिन्न किसी अन्य चीज से संबंधित है। उदाहरणार्थ, अधिग्रहण के संबंध में, अधिग्रहणकर्ता किसी महत्वपूर्ण विक्रेता शेयरधारक के साथ संपत्ति पट्टा व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। यदि पट्टा अनुबंध में विनिर्दिष्ट पट्टा भुगतान बाज़ार से बहुत कम हैं तो पट्टाकर्ता (विक्रेता शेयरधारक) को कुछ या सभी आकस्मिक भुगतान, जो आकस्मिक भुगतान की अलग-व्यवस्था सार रूप में हो सकते हैं, और अधिग्रहणकर्ता को अपने संयोजन पश्चात् वित्तीय विवरणों में अलग से मान्यता देनी चाहिए। इसके विपरीत, यदि पट्टा अनुबंध पट्टा भुगतान के इस तरह विनिर्दिष्ट करता है कि पट्टा संपत्ति के लिए शर्तों के अनुरूप है। आकस्मिक भुगतानों की यह व्यवस्था विक्रेता शेयरधारक के लिए व्यावसायिक संयोजन में आकस्मिक प्रतिफल हो सकती है।

अधिग्रहणिति प्रतिष्ठान के कर्मचारियों द्वारा धारित पुरस्कारों (अवार्डों) के बदले अधिग्रहणकर्ता के शेयर आधारित भुगतान पुरस्कार (अवार्ड) [अनुच्छेद 52 (ख) का प्रयोग]

- ख 56 एक अधिग्रहणकर्ता अपने शेयर आधारित भुगतान पुरस्कारों¹⁰ को (प्रतिस्थापन पुरस्कार) अधिग्रहणिति के कर्मचारियों द्वारा धारित पुरस्कारों के लिए विनियमित कर सकता है। शेयर विकल्पों या अन्य शेयर-आधारित भुगतान का एक व्यावसायिक संयोजन के साथ विनिमयों को भारतीय लेखा मानक 102, *शेयर-आधारित भुगतान*, के अनुसार शेयर-आधारित भुगतान पुरस्कार का संशोधन माना जाता है। यदि अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति के पुरस्कारों को प्रतिस्थापित करता है तो अधिग्रहणकर्ता के पुनर्स्थापित पुरस्कारों के बाजार आधारित उपाय के सभी या आंशिक भाग व्यावसायिक संयोजन के लिए अन्तरित प्रतिफल के माप में शामिल करेगा। बाजार-आधारित उपाय का आवंटन किस प्रकार किया जाये इस हेतु अनुच्छेद ख 57-ख 62 दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

तथापि, ऐसी स्थितियों में जब कि व्यावसायिक संयोजन के परिणाम स्वरूप अधिग्रहणिति पुरस्कार समाप्त हो जायेंगे और यदि अधिग्रहणकर्ता उन पुरस्कार को पुनर्स्थापित करता है जबकि ऐसा करने के लिए वह बाध्य नहीं है तो भारतीय लेखा मानक 102 के अनुसार संयोजन-पश्चात् वित्तीय विवरणों में पुनर्स्थापन लेनदेनों की सभी बाजार-आधारित माप को मान्यता देगा। कहने का तात्पर्य है यह है कि उन पुरस्कारों का कोई भी बाजार-आधारित माप व्यावसायिक संयोजन में अन्तरित प्रतिफल के माप में शामिल नहीं किया जायेगा। अधिग्रहणिति इन अधिग्रहणिति पुरस्कार के पुनर्स्थापन के लिए बाध्य है यदि अधिग्रहणिति या इसके कर्मचारी पुनर्स्थापन कराने में सक्षम हैं। उदाहरणार्थ, इस दिशा-निर्देश के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए, अधिग्रहणिति पुरस्कारों के पुनर्स्थापन हेतु बाध्य है यदि पुनर्स्थापन की मांग निम्नलिखित द्वारा की जाती है:

- (क) अधिग्रहण करार की शर्तें
- (ख) अधिग्रहणिति के पुरस्कारों (अवार्डों) की शर्तें
- (ग) लागू कानून या विनियम

- ख 57 एक पुनर्स्थापन लेनदेन का भाग जो कि अधिग्रहणिति को अधिग्रहीत प्रतिफल का भाग है और संयोजन-पश्चात् सेवा के पारिश्रमिक का भाग है, अधिग्रहणकर्ता भारतीय लेखा मानक 102 के अनुसार अधिग्रहण तिथि पर अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रदत्त पुनर्स्थापन लेनदेन और अधिग्रहणिति पुरस्कारों दोनों का माप करेगा। पुनर्स्थापन लेनदेन का बाजार-आधारित भाग जो कि अधिग्रहणिति हेतु विनिमय में अन्तरित प्रतिफल का भाग है अधिग्रहणिति पुरस्कार के भाग के बराबर होता है जो कि संयोजन-पूर्व सेवा के प्रति आरोप्य है।
- ख 58 पुनर्स्थापन लेनदेन का भाग, जो संयोजन-पूर्व सेवा के प्रति आरोप्य है, अधिग्रहणिति पुरस्कार के बाजार-आधारित माप को पूरी की गई निहित अवधि के भाग द्वारा कुल निहित अवधि के बड़े भाग या अधिग्रहणिति पुरस्कार की मूल निहित अवधि के अनुपात की गुणा में है। निहित अवधि वह अवधि है जिस दौरान सभी निहित शर्तों को पूरा किया जाता है। निहित शर्तें भारतीय लेखा मानक 102 में परिभाषित हैं।
- ख 59 संयोजन-पश्चात् सेवा के प्रति आरोप्य गैर-निहित पुनर्स्थापन लेनदेन का भाग जिसे संयोजन-पश्चात् वित्तीय विवरणों में पारिश्रमिक लागत के रूप में मान्यता दी जाती है वह पुनर्स्थापन लेनदेन के बाजार-आधारित माप में से संयोजन-पूर्व सेवा के कारण उत्पन्न राशि को घटाने के बाद की राशि के बराबर होती है। इसलिए, अधिग्रहणकर्ता संयोजन-पश्चात् अधिग्रहणिति पुरस्कार के बाजार-आधारित माप के ऊपर पुनर्स्थापन लेनदेन के बाजार-आधारित माप के किसी भी आधिक्य को संयोजन-पश्चात् सेवा के रूप में लेता है और संयोजन-पश्चात् वित्तीय विवरणों में इस आधिक्य को पारिश्रमिक लागत के रूप में मान्यता देता है। अधिग्रहणकर्ता को यदि संयोजन सेवा की आवश्यकता है तो वह पुनर्स्थापन लेनदेन के एक भाग को संयोजन-पश्चात् सेवा के रूप में लेगा, भले ही कर्मचारी अधिग्रहण तिथि के पहले निहित अपने अधिग्रहणिति पुरस्कारों के लिए आवश्यक सभी सेवाएं प्रदान कर चुके थे।
- ख 60 संयोजन-पूर्व सेवा एक गैर-निहित पुनर्स्थापन लेनदेन का भाग और संयोजन-पश्चात् सेवा के प्रति आरोप्य एक निहित पुनर्स्थापन लेनदेनों का भाग, प्रत्याशित निहित पुनर्स्थापन पुरस्कारों की संख्या के सर्वोत्तम उपलब्ध प्राक्कलन को प्रदर्शित करेगा। उदाहरणार्थ, यदि एक पुनर्स्थापन लेनदेन का बाजार-आधारित माप संयोजन-पूर्व सेवा के लिए 100 रुपये है और अधिग्रहणकर्ता यह आशा करता है कि पुरस्कार का केवल 95 प्रतिशत ही निहित रहेगा, तो व्यावसायिक संयोजन के अन्तरित प्रतिफल में 95 रुपये ही सम्मिलित रहेंगे। निहित प्रत्याशित पुनर्स्थापन लेनदेन की अनुमानित संख्या में परिवर्तन उन अवधियों में, जिनमें कि परिवर्तन होते हैं या

¹⁰ अनुच्छेदों ख56-ख62 में, शेयर-आधारित भुगतान पुरस्कार (अवार्ड), शब्दों से तात्पर्य निहित अथवा अनिहित शेयर-आधारित भुगतानों-सम्बंधी लेन-देनों से है।

समग्रहण (फॉफिचर) की उत्पत्ति होती है, व्यावसायिक संयोजन में अन्तरित प्रतिफल के गैर-समायोजन में पारिश्रमिक लागत के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इसी प्रकार, अन्य घटनाओं के प्रभाव, जैसे कि संशोधन या निष्पादन शर्तों के साथ अन्तिम परिणाम, जो कि अधिग्रहण तिथि के पश्चात् उत्पन्न होते हैं, भारतीय लेखा मानक 102 के अनुसार लेखांकित किए जाते हैं और घटना की उत्पत्ति अवधि में पारिश्रमिक लागत का निर्धारण किया जाता है।

- ख 61 संयोजन-पूर्व और संयोजन पश्चात् सेवा के प्रति आरोप्य एक पुनर्स्थापन लेनदेन के भागों के निर्धारण के लिए वही अपेक्षाएं लागू होती हैं, चाहे भारतीय लेखा मानक 102 के प्रावधानों के अनुसार एक पुनर्स्थापन लेनदेन को एक दायित्व या एक 'इक्विटी' लिखत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिग्रहण तिथि के पश्चात् दायित्वों के रूप में वर्गीकृत हैं। पुरस्कारों के बाजार-आधारित माप में सभी परिवर्तन और सम्बद्ध आयकर प्रभाव को अधिग्रहणकर्ता के संयोजन-पश्चात् वित्तीय विवरणों में उन्हीं अवधियों में मान्यता दी जाती है जिनमें कि वे उत्पन्न होते हैं।
- ख 62 शेयर-आधारित भुगतानों के पुनर्स्थापन लेनदेन के आयकर प्रभावों को भारतीय लेखा मानक 12, *आयकर*, के प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी जायेगी।

अधिग्रहणिति के इक्विटी के निपटान के रूप में शेयर आधारित भुगतान सम्बंधी लेन-देन

- ख62क अधिग्रहणिति के पास ऐसे बकाया शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन हो सकते हैं जिन्हें अधिग्रहणकर्ता शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन के साथ अदला-बदली नहीं करता है। यदि वे निहित हैं तो वे अधिग्रहणिति के शेयर-आधारित भुगतान संबंधी अधिग्रहणिति में गैर नियंत्रक हित के एक अंग के रूप में हैं और उनका माप बाजार आधारित माप के रूप में होता है। लेकिन, यदि वे अन्निहित हैं तो उनका माप बाजार आधारित माप के रूप में इस तरह से किया जाता है कि मानो अनुच्छेद 19 व 30 के अनुसरण में अधिग्रहण की तिथि ही प्रदान तिथि हो।

- ख62ख अन्निहित शेयर-आधारित भुगतान सम्बन्धी लेनदेनों का बाजार आधारित माप शेयर-आधारित भुगतान सम्बन्धी लेन देन की कुल निहित अवधि और मूल निहित अवधि, इनमें से जो भी अधिक है, तक पूर्ण निहित अवधि के एक भाग के अनुपात के आधार पर गैर नियंत्रक हित को आबंटित किया जाता है। इसका शेष संयोजन पश्चात् सेवा को आवंटित कर दिया जाता है।

अन्य भारतीय लेखा मानक जो परवर्ती माप एवं लेखा पर दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं (अनुच्छेद 54 का प्रयोग)

- ख 63 एक व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत की गयी आस्तियों और ग्रहण किये गये दायित्वों के लिए परवर्ती माप और लेखों पर दिशा-निर्देश प्रदान करने वाले भारतीय लेखा मानकों के उदाहरण इस प्रकार हैं:
- (क) भारतीय लेखा मानक 38 एक व्यावसायिक संयोजन में अपेक्षित पहचानयोग्य अमूर्त आस्तियों के लेखा के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करता है। अधिग्रहणकर्ता ख्याति (गुडविल) का माप अधिग्रहण तिथि पर मान्य राशि में से संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर, यदि कोई है, मान्यता देता है। भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता* क्षतिग्रस्तता हानियों के लिए लेखा-सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
 - (ख) भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध*, एक व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत एक बीमा अनुबंध के परवर्ती लेखा पर दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
 - (ग) भारतीय लेखा मानक 12 एक व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत स्थगित कर आस्तियों (गैर-मान्यता प्राप्त स्थागित कर आस्तियों सहित) और दायित्वों का परवर्ती लेखा विनिर्दिष्ट करता है।
 - (घ) भारतीय लेखा मानक 102 अधिग्रहणकर्ता द्वारा जारी पुनर्स्थापन शेयर-आधारित भुगतान पुरस्कारों के भाग के, जो कर्मचारियों की भावी सेवाओं से संबंधित हैं, परवर्ती माप और लेखा पर दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
 - (ङ) भारतीय लेखा मानक 110 नियन्त्रण प्राप्त करने के पश्चात् एक अनुषंगी कम्पनी में मूल प्रतिष्ठान के स्वामित्व हित में परिवर्तनों के लेखा पर दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।

प्रकटन (अनुच्छेद 59 और 61 का प्रयोग)

- ख 64 अनुच्छेद 59 के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अधिग्रहणकर्ता रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रत्येक व्यावसायिक संयोजन हेतु निम्नलिखित सूचना प्रकटन करेगा :
- (क) अधिग्रहणिति का नाम और विवरण।
 - (ख) अधिग्रहण तिथि।
 - (ग) अधिग्रहीत मताधिकार (वोटिंग) 'इक्विटी' हितों का प्रतिशत।
 - (घ) व्यावसायिक संयोजन हेतु प्राथमिक कारण तथा यह विवरण कि अधिग्रहणकर्ता ने अधिग्रहणिति पर कैसे नियन्त्रण प्राप्त किया है।

- (ङ) मान्यता ख्याति (गुडविल) के निर्माता कारकों का एक गुणात्मक विवरण जैसे कि अधिग्रहणिति एवं अधिग्रहणकर्ता के संयोजक परिचालकों की प्रत्याशित सामूहिक अनर्क्रियाएं, अमूर्त आस्तियां जो अलग मान्यता की अर्हक नहीं या अन्य कारक।
- (च) अन्तरित कुल प्रतिफल का अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य और प्रतिफल के प्रत्येक प्रधान वर्ग का अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य, जैसे कि -
- (i) नकदी ;
 - (ii) अधिग्रहणकर्ता के व्यवसाय या अनुषंगी प्रतिष्ठान सहित अन्य मूर्त या अमूर्त आस्तियां ;
 - (iii) ग्रहण किये गये दायित्व, उदाहरणार्थ, आकस्मिक प्रतिफल का दायित्व ; और
 - (iv) अधिग्रहणकर्ता द्वारा जारी या जारी करने योग्य लिखतों या हितों की संख्या और उन लिखतों व हितों के उचित मूल्य के माप की विधि सहित अधिग्रहणकर्ता के 'इक्विटी' हित ;
- (छ) आकस्मिक प्रतिफल व्यवस्थाओं और क्षतिपूरक आस्तियों के लिए:
- (i) अधिग्रहण तिथि पर मान्य राशि ;
 - (ii) भुगतान राशि निर्धारित करने हेतु व्यवस्था और आधार का विवरण ; और
 - (iii) परिणामों (गैर-बट्टाकृत) के परास (रेंज) का अनुमान या यदि परास (रेंज) का अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो तो यह तथ्य तथा उसके कारण का उल्लेख कि परास (रेंज) का अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सकता। यदि भुगतान की अधिकतम राशि असीमित है तो अधिग्रहणकर्ता इस तथ्य का भी प्रकटन करेगा ।
- (ज) अधिग्रहीत प्राप्य राशियों के लिए:
- (i) प्राप्य राशियों का उचित मूल्य ;
 - (ii) प्राप्य सकल अनुबंधात्मक राशियां ; और
 - (iii) अधिग्रहण तिथि पर अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का सर्वोत्तम अनुमान जिनके संग्रहण की कोई आशा नहीं है। प्राप्य प्रधान वर्ग, जैसे कि ऋण, प्रत्यक्ष वित्तीय पट्टों या प्राप्य राशियों का अन्य कोई वर्ग का प्रकटन किया जायेगा ।
- (झ) अधिग्रहण तिथि पर प्राप्त आस्तियों और ग्रहण किये गये दायित्वों के प्रत्येक प्रधान वर्ग हेतु मान्य राशियां।
- (ञ) अनुच्छेद 23 के अनुसार मान्य आकस्मिक दायित्व हेतु भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां*, के अनुच्छेद 85 की अपेक्षानुसार सूचना । यदि एक आकस्मिक दायित्व को इसलिए मान्यता नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसका उचित मूल्य विश्वस्त रूप में मापा नहीं जा सकता, तो अधिग्रहणकर्ता निम्नलिखित प्रकट करेगा :
- (i) भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 86 द्वारा अपेक्षित सूचना ; और
 - (ii) कारण कि दायित्व क्यों विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता ।
- (ट) ख्याति (गुडविल) की सम्पूर्ण राशि जिसकी कर उद्देश्य के लिए कटौती-योग्य होने की आशा है।
- (ठ) अनुच्छेद 51 के अनुसार व्यावसायिक संयोजन में आस्तियों के अधिग्रहीत और दायित्वों को ग्रहण करने से अलग मान्य लेन-देनों के लिए
- (i) प्रत्येक लेन-देन का विवरण ;
 - (ii) अधिग्रहणकर्ता ने प्रत्येक लेन-देन का लेखा कैसे किया ;
 - (iii) प्रत्येक लेन-देन के लिए मान्य राशियां और वित्तीय विवरणों में रेखीय मद जिनमें प्रत्येक राशि मान्य है ; और
 - (iv) यदि लेन-देन पूर्ववर्ती सम्बन्ध का प्रभावकारी निपटान है तो निपटान राशि के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधि।
- (ड) उपर्युक्त (ठ) द्वारा अपेक्षित मान्य लेन-देनों के प्रकटन में अधिग्रहण-सम्बन्धी लागतों की राशि और, पृथकतः, इन लागतों की राशि जो कि एक व्यय की भांति मान्य है तथा लाभ और हानि विवरण रेखीय मद या मदें, जिनमें वे व्यय मान्य सम्मिलित होंगे । किसी निर्गम की लागतें, जो एक व्यय रूप में मान्य नहीं हैं, तथा उन्हें कैसे मान्यता दी गयी है, उन्हें भी प्रकट किया जाएगा ।
- (ढ) एक मोल-भाव क्रय में (देखिये अनुच्छेद 34-36 क) :
- (i) अनुच्छेद 34 के अनुसार, अन्य किसी व्यापक आय में मान्य किसी लाभ की राशि ; और
 - (ii) अनुच्छेद 36क के अनुसार, 'इक्विटी' में प्रत्यक्ष रूप से मान्य किसी लाभ की राशि; और
 - (iii) उपर्युक्त (i) में लेन-देन से लाभ क्यों हुआ इसके कारणों का एक वर्णन ।

- (ण) उस प्रत्येक व्यावसायिक संयोजन के लिए जिसमें अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण तिथि पर अधिग्रहणिति में शत-प्रतिशत से कम का 'इक्विटी' हित धारित करता है :
- अधिग्रहण तिथि पर अधिग्रहणिति में गैर-नियन्त्रक हित की मान्य राशि और उस राशि के माप का आधार, और
 - एक अधिग्रहणिति में प्रत्येक गैर-नियन्त्रक हित का उचित मूल्य पर माप मूल्यांकन तकनीकों तथा मूल्य के माप में प्रयुक्त मुख्य मॉडल की निविष्टियां (इनपुट्स) ।
- (त) चरणों में प्राप्त एक व्यावसायिक संयोजन में :
- अधिग्रहण तिथि के तत्काल पूर्व, अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिग्रहणिति में धारित 'इक्विटी' हित का अधिग्रहण तिथि का उचित मूल्य ; और
 - व्यावसायिक संयोजन के पहले, अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिग्रहणिति में 'इक्विटी' हित के उचित मूल्य के पुनर्माप के परिणाम स्वरूप मान्य किसी लाभ या हानि की राशि (देखें अनुच्छेद 42) और लाभ और हानि विवरण में लाभ या हानि में रेखीय मद।
- (थ) निम्नलिखित सूचना :
- अधिग्रहण तिथि से अधिग्रहणिति में राजस्व तथा लाभ या हानि की राशियां जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के लिए लाभ और हानि के समेकित विवरण में शामिल किया गया है ; और
 - संयोजित प्रतिष्ठान के लिए चालू रिपोर्टिंग अवधि का राजस्व और लाभ या हानि यह मानते हुए कि वर्ष के दौरान बने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अधिग्रहण तिथि वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि का प्रारम्भ ही हो ।

यदि इस उप-अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित किसी भी सूचना का प्रकटन अव्यवहार्य हो तो अधिग्रहणकर्ता उस तथ्य को प्रकट करेगा और यह भी स्पष्ट करेगा कि प्रकटन क्यों अव्यवहार्य है। यह भारतीय लेखा मानक 'अव्यवहार्य' शब्द का उपयोग उसी अर्थ में करता है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां*, में किया गया है।

- ख 65 रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, व्यक्तिगत रूप से अमहत्वपूर्ण व्यावसायिक संयोजनों के एक समुच्चय जो कि सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है, अधिग्रहणकर्ता अनुच्छेद ख 64 (ड)-(थ) द्वारा अपेक्षित सूचना समग्र रूप से प्रकट करेगा ।
- ख 66 यदि एक व्यावसायिक संयोजन की अधिग्रहण तिथि यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद लेकिन वित्तीय विवरणों के जारी करने के अनुमोदन से पूर्व पड़ती है तो अधिग्रहणकर्ता अनुच्छेद ख 64 द्वारा अपेक्षित सूचना का प्रकटन करेगा जब तक कि वित्तीय विवरण जारी करने के अनुमोदन के समय पर व्यावसायिक संयोजन का प्रारंभिक लेखा अधूरा न हो। ऐसी स्थिति में, अधिग्रहणकर्ता यह वर्णन करेगा कि कौन से प्रकटन किये नहीं जा सकते हैं और वे कारण जिनसे वे क्यों प्रकट नहीं किये जा सकते हैं।
- ख 67 अनुच्छेद 61 के उद्देश्य को पूरा करने हेतु, प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यावसायिक संयोजन या ऐसे व्यक्तिगत अमहत्वपूर्ण व्यावसायिक संयोजनों के लिए जो कि सामूहिक रूप में महत्वपूर्ण हैं, निम्नलिखित सूचना प्रकट की जाएगी :
- एक व्यावसायिक संयोजन के लिए यदि प्रारंभिक लेखा (देखें अनुच्छेद 45) विशिष्ट आस्तियों, दायित्वों, गैर-नियन्त्रक हितों या प्रतिफल की मदों के लिए अधूरा है और व्यावसायिक संयोजन के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियां अन्तरिम रूप से निर्धारित की गई हैं :
 - वे कारण कि व्यावसायिक संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा क्यों अधूरा है ;
 - वे आस्तियां, दायित्व, 'इक्विटी' हित या प्रतिफल की मदें जिनके लिए प्रारंभिक लेखा अधूरा है ; और
 - अनुच्छेद 49 के अनुसार, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मान्य किसी माप अवधि के समायोजनों की प्रकृति और राशि ।
- (ख) अधिग्रहण तिथि के बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के लिए, जब तक प्रतिष्ठान एकत्रित नहीं करता, बिक्री नहीं करता या अन्यथा किसी आकस्मिक आस्ति के प्रति अधिकार खो नहीं देता है या जब तक प्रतिष्ठान किसी आकस्मिक दायित्व का निपटान नहीं कर देता या दायित्व रद्द नहीं कर देता या समाप्त हो जाती है :
- निपटान पर उत्पन्न किसी भी अन्तर सहित मान्य राशियों में कोई परिवर्तन ;
 - परिणामों (अबट्टागत) की परास (रेंज) में कोई परिवर्तन और उन परिवर्तनों के कारण ; और
 - मूल्यांकन तकनीकों और आकस्मिक प्रतिफल को मापने के लिए प्रयुक्त मुख्य मॉडल निविष्टियां (इनपुट्स)।
- (ग) एक व्यावसायिक संयोजन में मान्य आकस्मिक दायित्वों के लिए, अधिग्रहणकर्ता प्रावधान के प्रत्येक वर्ग के लिए भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 84 और 85 के द्वारा अपेक्षित रिपोर्टिंग सूचना को प्रकट करेगा ।
- (घ) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अन्त में ख्याति (गुडविल) की अग्रणीत राशि का मिलान निम्नलिखित को अलग-अलग दिखाते हुए :
- रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में सकल राशि तथा संचित क्षतिग्रस्तता हानियां ;

- (ii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, मान्य अतिरिक्त ख्याति (गुडविल), सिवाय निपटान समूह में सम्मिलित ख्याति (गुडविल) जो कि, अधिग्रहीत पर, भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन*, के अनुसार बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत हेतु निर्धारित मानदंड को पूरा करती है।
- (iii) अनुच्छेद 67 के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के दौरान स्थगित कर के तत्पश्चात् मान्य परिणाम स्वरूप समायोजन
- (iv) भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में सम्मिलित ख्याति (गुडविल) और रिपोर्टिंग अवधि में गैर मान्य ख्याति (गुडविल) जिसे पूर्व में बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान समूह में शामिल नहीं किया गया था।
- (v) भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मान्य क्षतिग्रस्तता हानियां। [भारतीय लेखा मानक 36 वसूली योग्य राशि और इस अपेक्षा के अतिरिक्त ख्याति (गुडविल) की क्षतिग्रस्तता सम्बन्धी सूचना के प्रकटन की अपेक्षा करता है]
- (vi) भारतीय लेखा मानक 21, *विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव*, के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उत्पन्न शुद्ध विनिमय दर अन्तर।
- (vii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अग्रणीत राशि में अन्य कोई परिवर्तन।
- (viii) रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में सकल राशि और संचित क्षतिग्रस्तता हानि।
- (ड) चालू रिपोर्टिंग अवधि में मान्य किसी लाभ या हानि की राशि और इसकी व्याख्या कि दोनों :
 - (i) ऐसे एक व्यावसायिक संयोजन में पहचानयोग्य अधिग्रहीत आस्तियों और ग्रहणकिये गये दायित्वों से सम्बद्ध हैं, जो कि चालू या पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि में प्रभावी थे ; और
 - (ii) यह है इसका आकार, प्रकृति या प्रभाव इस प्रकार है कि संयोजित प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रकटन प्रासंगिक है।

परिशिष्ट ग

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 103 का अभिन्न अंग है।

सामान्य नियंत्रण (कामन कंट्रोल) के अधीन प्रतिष्ठानों के व्यावसायिक संयोजन

कार्यक्षेत्र

1. यह परिशिष्ट सामान्य नियंत्रण (कामन कंट्रोल) के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों या व्यवसायों के व्यावसायिक संयोजनों के लेखा पर चर्चा करता है।

परिभाषाएं

2. इस परिशिष्ट में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :-

अंतरणकर्ता का अभिप्रायः उस प्रतिष्ठान या व्यवसाय से है जिसे किसी दूसरे प्रतिष्ठान से संयोजित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह एक व्यावसायिक संयोजन बन जाता है।

अंतरिती से अभिप्रायः उस प्रतिष्ठान से है जिसमें कि अंतरणकर्ता प्रतिष्ठान को संयोजित किया जाता है।

प्रारक्षित राशि से भाव अर्जन प्राप्तियों या प्रतिष्ठान की वह अन्य वेशी पूजीगत या राजस्व के उस भाग से है जिसे प्रबंधन सामान्य या किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए निश्चित करता है लेकिन वह मूल्यद्वासा का प्रावधान नहीं होता है।

सामान्य नियंत्रण (कामन कंट्रोल) वाला व्यावसायिक संयोजन वह व्यावसायिक संयोजन होता है जिसमें सभी संयोजित प्रतिष्ठान या व्यवसाय अन्ततः एक ही पक्ष (पार्टी) या पक्षों (पार्टियों) द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं और वह पक्ष (पार्टी या पार्टियों) संयोजन से पूर्व और बाद में वही रहते हैं तथा यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होता है।

सामान्य नियंत्रण (कामन कंट्रोल) वाले व्यावसायिक संयोजन

3. सामान्य नियंत्रण वाले व्यावसायिक संयोजनों में ऐसे लेनदेन सम्मिलित होते हैं जैसे कि एक समूह में प्रतिष्ठानों के बीच अनुषंगियों या व्यवसायों का अंतरण।
4. व्यावसायिक संयोजन से पूर्व या पश्चात् संयोजक प्रतिष्ठानों से प्रत्येक प्रतिष्ठान गैर नियंत्रक हित की सीमा यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं है कि संयोजन के प्रतिष्ठान सामान्य नियंत्रण में हैं। यह ऐसा इसलिए है कि अंशतः स्वामित्व में अनुषंगी कमी भी मूल प्रतिष्ठान के नियंत्रण में नहीं हो सकती है।
5. यह तथ्य कि संयोजित प्रतिष्ठानों का एक प्रतिष्ठान एक अनुषंगी प्रतिष्ठान हो सकता है जिसे भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसरण में एक समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में से अलग किया जा चुका है, यह इसके लिए प्रासंगिक नहीं है कि एक संयोजन में सामान्य नियंत्रण के प्रतिष्ठान होते हैं।

6. एक प्रतिष्ठान को एक व्यक्ति अकेले या व्यक्तियों का समूह जिसमें सभी व्यक्ति के एक अनुबंधात्मक व्यवस्था से परस्पर मिलकर कार्य करते हैं और वह व्यक्ति या समूह भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के अधीन नहीं भी हो सकता है / हो सकते हैं। अतः संयोजित प्रतिष्ठानों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे एक ही समेकित वित्तीय विवरणों के एक अंश के रूप में रहें जैसे कि एक सामान्य नियंत्रण के अधीन प्रतिष्ठानों के मामले में होता है।
7. व्यक्तियों का एक समूह एक प्रतिष्ठान का नियंत्रक माना जाता है जब वे एक अनुबंधात्मक व्यवस्था में सामूहिक रूप से इसकी वित्तीय व परिचालन सम्बन्धी नीतियों को अधिशासित करने का अधिकार रखते हैं ताकि वे इसकी गतिविधियों से लाभ प्राप्त कर सकें और यह अन्तिम सामूहिक अधिकार अस्थायी नहीं होती है।

सामान्य नियंत्रण (कामन कंट्रोल) वाले व्यावसायिक संयोजनों की लेखा विधि

8. सामान्य नियंत्रण के अन्तर्गत प्रतिष्ठान या व्यवसाय वाले व्यावसायिक संयोजनों का लेखा हितों के समूह (पूलिंग) विधि के प्रयोग द्वारा किया जाता है।
9. हितों के समूह (पूलिंग) विधि में निम्नलिखित पर विचार किया जाता है :
 - (i) संयोजक प्रतिष्ठानों की आस्तियां व दायित्व उनकी अग्रणीत (कैरिंग) राशियों पर प्रदर्शित की जाती हैं।
 - (ii) उचित मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता, न ही कोई नई आस्तियों या दायित्वों को मान्यता दी जाती है। यदि कोई समायोजन किया जाता है तो वह है लेखा नीतियों को समरूप करने के लिए किया जाता है।
 - (iii) गत अवधियों के वित्तीय विवरणों की वित्तीय सूचना का पुनर्कथन इस प्रकार से किया जाएगा मानो कि व्यावसायिक संयोजन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुत पिछली अवधि के प्रारम्भ में हुआ था भले ही संयोजन की वास्तविक तिथि कोई भी क्यों न हो। फिर भी, यदि व्यावसायिक संयोजन उस तिथि के बाद हुआ है तो पूर्ववर्ती अवधि की सूचना को उस तिथि से पुनर्कथित किया जाएगा।
10. व्यावसायिक संयोजन के प्रतिफल में प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य आस्तियां सम्मिलित हो सकती हैं। प्रतिभूतियों को सामान्य मूल्य पर रिकार्ड किया जाता है। प्रतिफल के मूल्य निर्धारण के लिए नकदी के अलावा अन्य आस्तियों को उचित मूल्य पर विचार में लिया जाता है।
11. अंतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रतिधारित अर्जनों के शेषों को अंतरिती के वित्तीय विवरणों के शेषों के साथ जोड़ दिया जाता है। विकल्पतया, इसे सामान्य प्रारक्षित राशि में, यदि कोई है, डाल दिया जाता है।
12. प्रारक्षित राशियों की पहचान रखी जाएगी और वह अंतरिती के वित्तीय विवरणों में ठीक उसी प्रकार प्रदर्शित होगी जैसे कि वह अंतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होती है। इस प्रकार, उदाहरणार्थ, अंतरणकर्ता प्रतिष्ठान की सामान्य प्रारक्षित राशि अंतरिती की भी सामान्य प्रारक्षित राशि हो जाती है। इसी तरह अंतरणकर्ता की पूंजीगत प्रारक्षित राशि अंतरिती की पूंजीगत प्रारक्षित राशि और अंतरणकर्ता की पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि अंतरिती की पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि बन जाती है। पहचान रखने के परिणाम स्वरूप जो प्रारक्षित राशि व्यावसायिक संयोजन से पूर्व लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध थी वह व्यावसायिक संयोजन के बाद भी लाभांश के वितरणों के लिए उपलब्ध राशि के रूप में जारी रहेगी। जारी शेयर पूंजी और नकदी या अन्य आस्तियों के रूप में अतिरिक्त प्रतिफल तथा अंतरणकर्ता की शेयर पूंजी के बीच यदि कोई अन्तर है तो उसे पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अन्तरित किया जाएगा। साथ ही, इसे अन्य पूंजीगत निधियों से अलग प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी प्रकृति व उद्देश्य को टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।

प्रकटन

13. व्यावसायिक संयोजन के बाद, प्रथम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित प्रकटन किये जाएंगे :
 - (क) संयोजक प्रतिष्ठानों के नाम व व्यवसाय की सामान्य प्रकृति ;
 - (ख) तिथि जिस पर अंतरणकर्ता अंतरिती पर नियंत्रण ग्रहण करता है ;
 - (ग) जारी शेयरों की संख्या व विवरण तथा व्यावसायिक संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान के विनियमित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत, तथा
 - (घ) प्रतिफल और अधिग्रहीत पहचान योग्य आस्तियों के शुद्ध मूल्य के बीच अन्तर की राशि और उसका निरूपण।

तुलनपत्र की तिथि के पश्चात् व्यावसायिक संयोजन

14. जब तुलनपत्र के पश्चात् दोनों में से किसी एक पार्टी द्वारा वित्तीय विवरण जारी करने के अनुमोदन से पूर्व व्यावसायिक संयोजन प्रभावी होता है तो इसका प्रकटन भारतीय लेखा मानक 10, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं, के अनुसरण में किया जाएगा, लेकिन, वित्तीय विवरणों में व्यावसायिक संयोजन शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ परिस्थितियों में, व्यावसायिक संयोजन वित्तीय विवरणों को प्रभावित करने वाली अतिरिक्त सूचना भी दे सकता है। जैसे कि चलायमान समुत्थान की अवधारणा को जारी रखने की अनुमति देना।

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 103 का अभिन्न अंग है।

यह परिशिष्ट उन परिशिष्टों की सूची प्रस्तुत करता है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं और भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजनों* के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं :

1. परिशिष्ट क : *स्वामियों को गैर-नकद आस्तियों का वितरण* — भारतीय लेखा मानक 10, *रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं* में समाविष्ट ।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 103 और तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 3, *व्यावसायिक संयोजन* के बीच यदि कोई प्रमुख अंतर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाये ।

आई एफ आर एस 3 'व्यावसायिक संयोजन' के साथ तुलना

1. 'आई एफ आर एस' 3 अपने कार्यक्षेत्र से सामान्य नियंत्रण (कामन कंट्रोल) के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों के व्यावसायिक संयोजनों को अलग करता है। भारतीय लेखा मानक 103 (परिशिष्ट ग) इस संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप, भारतीय लेखा मानक 103 का अनुच्छेद 2 संशोधित कर दिया गया है और अनुच्छेद 2ख जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, 'आई एफ आर एस' 3 के अनुच्छेद ख1-ख4 भारतीय लेखा मानक 103 से हटा दिये गये हैं। लेकिन, 'आई एफ आर एस' 3 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ भारतीय लेखा मानक 103 की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, अतः भारतीय लेखा मानक 103 में ये अनुच्छेद संख्याएं जारी रखी गयी हैं।
2. 'आई एफ आर एस' 3 में दिये गये संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक 103 में नहीं दिये गये हैं, क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित समझे गए हैं, 'आई एफ आर एस' 1, *अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण* के अनुरूप भारतीय लेखा मानक 101, *भारतीय लेखा मानकों को प्रथमवार अंगीकरण* में सम्मिलित कर लिये गये हैं।
3. 'आई एफ आर एस' 3 व्यावसायिक संयोजन से उत्पन्न मोल-भाव लाभ (गेन) की लाभ या हानि में मान्यता की अपेक्षा करता है। भारतीय लेखा मानक 103 यह अपेक्षा करता है कि इसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाए, और 'इक्विटी' में पूंजीगत प्रारक्षित राशि के रूप में तब तक संचित किया जाए जब तक कि मोल-भाव क्रय के रूप में व्यावसायिक संयोजन के वर्गीकरण का अंतर्निहित कारणों का स्पष्ट साक्ष्य रहता है। उस स्थिति में जहां कि मोल-भाव क्रय के रूप में व्यावसायिक योजना के वर्गीकरण को अज्ञानिहित करने का स्पष्ट साक्ष्य नहीं, यह इक्विटी में पूंजीगत प्रारक्षित राशि के रूप में मान्य होगा। इससे कुछ परिणामस्वरूपी परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि, अनुच्छेद 34, 36 व 48, अनुच्छेद की शब्दावली में परिवर्तन, ख 64 (ढ) में अतिरिक्त प्रकटन को जोड़ा गया है और नये अनुच्छेद 36क को जोड़ा गया है। अनुच्छेद ख46 और ख64 (ढ) में नया अनुच्छेद 36 क का संदर्भ जोड़ा गया है।
4. भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है जैसी कि वर्तमान कानूनों में प्रयुक्त है, उदाहरणार्थ शब्द *'वित्तीय स्थिति का विवरण'* के स्थान पर शब्द *'तुलन-पत्र'* और शब्द *'व्यापक आय'* के स्थान पर शब्द *'लाभ-हानि विवरण'* का प्रयोग किया गया है। इस तरह रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटनाओं के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शब्द *'वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए प्राधिकृत'* के स्थान पर शब्द *'वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित'* का प्रयोग किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 104**बीमा अनुबंध¹¹**

(इस भारतीय लेखा मानक में *मोटे टाइप* व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का उद्देश्य किसी प्रतिष्ठान (इस भारतीय लेखा मानक में जिसे *बीमाकर्ता* के रूप में वर्णित किया गया है), जो *बीमा अनुबंध* जारी करता है, द्वारा उन बीमा अनुबंधों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग विनिर्दिष्ट करना है। विशेष रूप से, इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) में निम्नलिखित की अपेक्षा की जाती है:
 - (क) बीमा अनुबंधों के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा लेखा में सीमित सुधार
 - (ख) प्रकटन, जो बीमा अनुबंधों से उत्पन्न एक बीमाकर्ता के वित्तीय विवरणों की राशियों की पहचान करता है और उन्हें स्पष्ट करता है, और उन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को बीमा अनुबंधों के भावी नकदी प्रवाहों की राशि, समय तथा अनिश्चितता को समझने में सहायता करता है।

कार्यक्षेत्र

¹¹ यह भारतीय लेखा मानक बीमा कंपनियों के लिए उस तिथि से प्रभावी होगा जिसकी घोषणा अलग-से की जाएगी।

2. एक प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) को निम्नलिखित पर लागू करेगा :
 - (क) इसके द्वारा जारी बीमा अनुबंधों (पुनर्बीमा अनुबंधों सहित) और इसके द्वारा धारित पुनर्बीमा अनुबंध ।
 - (ख) वित्तीय लिखतें, जिन्हें वह *विवेकाधीन सहभागिता विशेषता* (देखें अनुच्छेद 35) के साथ जारी करता है, भारतीय लेखा मानक 107, *वित्तीय लिखतें : प्रकटन*, वित्तीय लिखतों सहित उन वित्तीय लिखतों के बारे में प्रकटन की अपेक्षा करता है जिनमें ऐसी विशेषताएं निहित हैं।
3. यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) बीमाकर्ताओं द्वारा लेखा के अन्य पहलुओं पर चर्चा नहीं करता है, जैसे बीमाकर्ताओं द्वारा धारित वित्तीय आस्तियों तथा बीमाकर्ताओं द्वारा जारी वित्तीय दायित्वों का लेखा (देखें भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतिकरण*, भारतीय लेखा मानक 107 एवं भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें*) ।
4. एक प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) को निम्नलिखित पर लागू नहीं करेगा :
 - (क) एक निर्माता, डीलर अथवा खुदरा व्यापारी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जारी उत्पाद वारंटियां (देखें भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व* एवं भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां*) ।
 - (ख) कर्मचारी लाभ योजनाओं के अंतर्गत नियोक्ताओं की आस्तियां एवं दायित्व (देखें भारतीय लेखा मानक 19, *कर्मचारी लाभ* एवं भारतीय लेखा मानक 102, *शेयर आधारित भुगतान*) और निश्चित सेवा निवृत्ति लाभ योजनाओं द्वारा रिपोर्ट किये गये सेवा-निवृत्ति लाभ बाध्यताएं।
 - (ग) अनुबंधात्मक अधिकार अथवा अनुबंधात्मक बाध्यताएं जो एक गैर-वित्तीय मद के भावी उपयोग अथवा उपयोग के अधिकार (उदाहरण के लिए कुछ लाइसेंस शुल्क, रॉयल्टियां, आकस्मिक पट्टा भुगतान तथा इसी प्रकार की अन्य मदें) तथा इसी तरह में एक वित्त पट्टे में पट्टाधारी की सन्निहित अवशिष्ट मूल्य गारंटी पर आकस्मिक हैं। (देखें भारतीय लेखा मानक 17, *पट्टे*, भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व* एवं भारतीय लेखा मानक 38, *अमूर्त आस्तियां*) ।
 - (घ) वित्तीय गारंटी अनुबंधों जब तक कि जारीकर्ता ने पहले से स्पष्ट रूप से घोषणा न की हो कि वह इन अनुबंधों को बीमा अनुबंध के रूप में मानता है तथा बीमा अनुबंधों पर लागू लेखों का उपयोग करता है और इस मामले में जारीकर्ता या तो भारतीय लेखा मानक 32, भारतीय लेखा मानक 107 और भारतीय लेखा मानक 109 या फिर इस भारतीय लेखा मानक की ऐसी वित्तीय गारंटी अनुबंधों पर लागू करने के लिए चयन करता है। अपरिवर्तनीय जारीकर्ता यह चयन अनुबंध-दर-अनुबंध कर सकता है परंतु प्रत्येक अनुबंध के लिए यह चयन अविकल्पी है।
 - (ङ) एक व्यावसायिक संयोजन में देय अथवा प्राप्य आकस्मिक प्रतिफल (देखें भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन*) ।
 - (च) *प्रत्यक्ष बीमा अनुबंध* जिन्हें प्रतिष्ठान धारण करता है (अर्थात् ऐसी प्रत्यक्ष बीमा अनुबंध जिनमें प्रतिष्ठान *पॉलिसीधारक* है) लेकिन, एक अर्पणकर्ता (सीडेंट) इस मानक को उन पुनर्बीमा अनुबंधों पर लागू करेगा जिन्हें वह धारण करता है।
5. संदर्भ की सुविधा के लिए यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) एक प्रतिष्ठान को बीमाकर्ता के रूप में वर्णित करता है जो बीमा अनुबंध जारी करता है, चाहे जारीकर्ता को कानूनी रूप से अथवा पर्यवेक्षण के प्रयोजन से बीमाकर्ता माना जाये अथवा नहीं।
6. एक पुनर्बीमा अनुबंध एक प्रकार की बीमा अनुबंध ही है। अतः, इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के बीमा अनुबंधों से संबंधित सभी संदर्भ पुनर्बीमा अनुबंधों पर भी लागू होते हैं।

सन्निहित व्युत्पन्न

7. भारतीय लेखा मानक 109 एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी मूल (होस्ट) अनुबंध से कुछ सन्निहित व्युत्पन्नों को पृथक करे, *उचित मूल्य* पर उन्हें मापे तथा उसके उचित मूल्य में परिवर्तनों को लाभ अथवा हानि में सम्मिलित करे। भारतीय लेखा मानक 109 एक बीमा अनुबंध में सन्निहित व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) पर लागू होता है बेशक सन्निहित व्युत्पन्न स्वयं में एक बीमा अनुबंध न भी हो।
8. भारतीय लेखा मानक 109 की अपेक्षा के अपवाद के रूप में, एक बीमाकर्ता को एक निश्चित राशि के लिए (अथवा उस राशि के लिए है जो निश्चित राशि पर आधारित हो तथा एक ब्याज-दर के लिए है) बीमा अनुबंध के अभ्यर्पण हेतु बीमाधारक के विकल्प को उचित मूल्य पर मापने और पृथक करने की आवश्यकता नहीं है भले ही प्रयोग मूल्य मूल *बीमा* दायित्वों की अग्रणीत राशि से भिन्न हो। फिर भी, भारतीय लेखा मानक 109 की अपेक्षा एक बीमा अनुबंध में सन्निहित अभ्यर्पण नकदी विकल्प अथवा बिक्री विकल्प पर लागू नहीं होती है बशर्ते अभ्यर्पण मूल्य एक वित्तीय परिवर्तन (जैसे 'इक्विटी' अथवा पण्य मूल्य अथवा सूचकांक है) अथवा एक गैर-वित्तीय परिवर्तन पर जो अनुबंध के किसी पक्षकार के लिए विशेष नहीं है, के प्रत्युत्तर में परिवर्तनशील है। इसके अतिरिक्त, ये अपेक्षाएं उस स्थिति में भी लागू होती हैं यदि धारक के बिक्री (पुट) विकल्प अथवा नकद अभ्यर्पण विकल्प के प्रयोग करने की योग्यता इस प्रकार के परिवर्तन से प्रभावित होती है (उदाहरण के लिए, एक बिक्री (पुट) विकल्प जिसका उपयोग तब किया जा सकता है जब स्टाक बाजार सूचकांक एक विशेष स्तर तक पहुंच जाता है)।

9. अनुच्छेद 8 एक वित्तीय लिखत के उन अभ्यर्पण विकल्पों में भी समान रूप से लागू होता है जिनमें विवेकाधीन सहभागिता विशेषता सम्मिलित है।

जमा घटकों को अलग करना

10. कुछ बीमा अनुबंधों में बीमा घटक तथा जमा घटक दोनों ही सम्मिलित होते हैं। कुछ मामलों में, बीमाकर्ता को उन घटकों को अलग करने की अपेक्षा अथवा अनुमति होती है।

(क) निम्नलिखित दोनो शर्तें पूरी होने पर इन्हें अलग करना अपेक्षित है :

- (i) बीमाकर्ता जमा घटक (जिनमें कोई सन्निहित अभ्यर्पण विकल्प भी सम्मिलित होते हैं) पृथक रूप से (अर्थात् बीमा घटक पर विचार किये बिना) माप सकता है।
- (ii) बीमाकर्ता की लेखा नीतियां अन्यथा यह अपेक्षा नहीं करती है कि जमा घटक से उत्पन्न सभी बाध्यताओं तथा अधिकारों को मान्यता दी जाए।

(ख) अलग करने की अनुमति तो है परंतु ऐसा करना अपेक्षित नहीं है; यदि बीमाकर्ता जमा घटक को उपर्युक्त (क)(1) के अनुसार पृथक रूप से मापता है परंतु इसकी लेखा नीतियां जमा घटक से उत्पन्न सभी बाध्यताओं तथा अधिकारों को मान्यता देने की अपेक्षा करती हैं चाहे उन अधिकारों तथा बाध्यताओं को मापने में प्रयुक्त आधार कुछ भी हो।

(ग) यदि बीमाकर्ता जमा घटक को उपर्युक्त (क)(1) के अनुसार माप नहीं सकता तो इसे अलग करना निषिद्ध है।

11. नीचे एक ऐसे मामले का उदाहरण दिया जा रहा है जहां पर एक बीमाकर्ता की लेखा नीतियां एक जमा घटक से उत्पन्न सभी बाध्यताओं को मान्यता देने की अपेक्षा नहीं करती है। एक अर्पणकर्ता (सेडेंट) एक पुनर्बीमाकर्ता से हानियों की क्षतिपूर्ति तो प्राप्त करता है, परंतु अनुबंध भावी वर्षों में क्षतिपूर्ति के पुनर्भुगतान के लिए अर्पणकर्ता को बाध्य करता है। वह बाध्यता एक जमा घटक से उत्पन्न होता है यदि अर्पणकर्ता (सेडेंट) की लेखा नीतियां अन्यथा यह अनुमति देती है कि परिणामी बाध्यताओं की मान्यता दिये जाने के बिना क्षतिपूर्ति को आय के रूप में मान्यता दी जाए, तब अलग करने की अपेक्षा है।

12. एक अनुबंध को अलग करने के लिए, एक बीमाकर्ता :

(क) इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) को बीमा घटक पर लागू करेगा।

(ख) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 को जमा घटक पर लागू करेगा।

मान्यता एवं माप

कुछ अन्य भारतीय लेखा मानकों से अस्थायी छूट

13. यदि कोई भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) एक मद पर विशिष्ट रूप से लागू नहीं होता तो भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियों* के अनुच्छेद 10-12, एक प्रतिष्ठान के लिए एक लेखा नीति विकसित करने के लिए उपयोग के लिए मानदंड को विनिर्दिष्ट करता है। तथापि, यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) एक बीमाकर्ता को अपनी लेखा नीतियों पर इस मानदंड को निम्नलिखित पर लागू करने से छूट देता है :

(क) बीमा अनुबंध जिन्हें वह जारी करता है (संबंधित अधिग्रहण लागतों तथा संबंधित अमूर्त आस्तियां सहित जैसा कि अनुच्छेद 31 तथा 32 में वर्णित है), तथा

(ख) पुनर्बीमा अनुबंध जिन्हें यह धारित करता है।

14. इसके बावजूद, यह भारतीय लेखा मानक एक बीमाकर्ता को भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 के अनुच्छेद 10-12 में दिए गए मानदंड की कुछ निहितार्थों से छूट नहीं देता। विशेष रूप से एक बीमाकर्ता :

(क) भविष्य में संभावित किसी दावे के किसी प्रावधान को एक दायित्व के रूप में मान्यता नहीं देगा यदि ऐसे दावे बीमा अनुबंधों के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान नहीं हैं (जैसे कि आपदा प्रावधान तथा समता प्रावधान)

(ख) अनुच्छेद 15-19 में वर्णित *दायित्व पर्याप्तता परीक्षण* को पूरा करेगा।

(ग) एक बीमा दायित्व को (अथवा एक बीमा दायित्व के एक भाग को) अपने तुलन-पत्र से हटायेगा, जब तथा केवल जब, यह समाप्त हो जाता है अर्थात् जब अनुबंध में विनिर्दिष्ट बाध्यता समाप्त हो जाती है अथवा रद्द हो जाती है अथवा उसका समय पूरा हो जाता है।

(घ) वह निम्नलिखित का समंजन (परस्पर समायोजन) नहीं करेगा :

(i) संबंधित बीमा दायित्वों के साथ *पुनर्बीमा आस्तियों* का, अथवा

(ii) संबंधित बीमा अनुबंधों से आय या व्यय के साथ पुनर्बीमा अनुबंधों की आय अथवा व्यय का ।

(ङ) वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या इसकी पुनर्बीमा आस्तियां क्षतिग्रस्त हैं (देखें अनुच्छेद 20)

दायित्व पर्याप्तता परीक्षण

15. एक बीमाकर्ता प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इस बात का निर्धारण करेगा कि क्या इसके मान्यताप्राप्त बीमा दायित्व पर्याप्त हैं और इसके लिए वह बीमा अनुबंध के अंतर्गत भावी नकदी प्रवाहों के वर्तमान अनुमानों का प्रयोग करेगा। यदि इस निर्धारण से यह प्रदर्शित होता है कि बीमा दायित्वों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि (घटायें संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतें तथा संबंधित अमूर्त आस्तियां जो अनुच्छेद 31 व 32 में वर्णित हैं) अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों की दृष्टि से अपर्याप्त हैं, तो समस्त कमी को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जायेगी।
16. यदि एक बीमाकर्ता दायित्व पर्याप्तता परीक्षण को लागू करता है जो निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करता है तो यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) आगे कोई अपेक्षा लागू नहीं करता है। न्यूनतम आवश्यकताएं इस प्रकार हैं :
 - (क) परीक्षण सभी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों तथा संबंधित नकदी प्रवाहों जैसे दावों के निपटान की लागतों के वर्तमान अनुमान और साथ ही साथ सन्निहित विकल्पों तथा गारंटियों से परिणामी नकदी प्रवाहों पर विचार करता है।
 - (ख) यदि परीक्षण यह प्रदर्शित करता है कि दायित्व अपर्याप्त है तो समस्त कमी को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाएगी।
17. यदि एक बीमाकर्ता की लेखा नीतियों के अनुसार दायित्व पर्याप्तता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है जो अनुच्छेद 16 की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करती है, तो बीमाकर्ता :
 - (क) संबंधित बीमा दायित्वों¹² की अग्रणीत राशि का निर्धारण निम्नलिखित की अग्रणीत राशि को घटाकर करेगा : -
 - (i) कोई संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतें: तथा
 - (ii) कोई संबंधित अमूर्त आस्तियां जैसे कि जो व्यावसायिक संयोजन अथवा पोर्टफोलियो अंतरण में अधिग्रहीत की गयी हैं (देखें अनुच्छेद 31 तथा 32)। लेकिन, संबंधित पुनर्बीमा आस्तियों पर विचार नहीं किया जाता क्योंकि बीमाकर्ता उनका पृथक रूप से लेखा करता है (देखें अनुच्छेद 20)।
 - (ख) यह निर्धारित करेगा कि क्या (क) में वर्णित राशि उस अग्रणीत राशि से कम है जिसकी आवश्यकता तब होगी जब संबंधित बीमा दायित्व भारतीय लेखा मानक 37 के कार्यक्षेत्र के अंदर थे। यदि यह कम है तो बीमाकर्ता समस्त अंतर को लाभ अथवा हानि में मान्यता देगा तथा संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतों अथवा संबंधित अमूर्त आस्तियों की अग्रणीत राशि को कम करेगा अथवा संबंधित बीमा दायित्वों की अग्रणीत राशि को बढ़ायेगा।
18. यदि एक बीमाकर्ता का दायित्व पर्याप्तता परीक्षण अनुच्छेद 16 की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता है तो परीक्षण को उस परीक्षण में निर्दिष्ट योग के स्तर पर लागू किया जाता है। यदि इसका दायित्व पर्याप्तता परीक्षण उन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता तो अनुच्छेद 17 में वर्णित तुलना को उन अनुबंधों के एक पोर्टफोलियो के स्तर पर किया जायेगा जोकि मोटे तौर पर उसी प्रकार के जोखिमों के अन्तर्गत आते हैं और उनका प्रबंध एकल पोर्टफोलियो के रूप में किया जाता है।
19. अनुच्छेद 17 (ख) में वर्णित राशि (अर्थात् भारतीय लेखा मानक 37 को लागू करने के परिणामस्वरूप) भावी निवेश मार्जिनों को परिलक्षित करेगी (देखें अनुच्छेद 27-29) यदि तथा केवल यदि, अनुच्छेद 17 (क) में वर्णित राशि भी उन मार्जिनों को परिलक्षित करती है।

पुनर्बीमा आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

20. यदि एक अर्पणकर्ता (सेडेंट) की पुनर्बीमा आस्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो अर्पणकर्ता (सेडेंट) इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि को तदनुसार कम कर देगा तथा इस क्षतिग्रस्तता हानि को लाभ अथवा हानि में मान्यता देगा। एक पुनर्बीमा आस्ति तभी क्षतिग्रस्त होती है यदि तथा केवल यदि :
 - (क) ऐसी घटना के परिणामस्वरूप एक वस्तुपरक साक्ष्य है जो पुनर्बीमा आस्ति की आरंभिक मान्यता के पश्चात् उत्पन्न हुई है जिससे कि अर्पणकर्ता अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत इसकी सभी देय राशियों को प्राप्त न कर सके।
 - (ख) कि उस घटना से अन्य राशियों पर विश्वसनीय रूप से माप योग्य प्रभाव पड़ता है जिन्हें अर्पणकर्ता (सेडेंट) पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्त करेगा।

लेखा नीतियों में परिवर्तन

¹² संबंधित बीमा दायित्व वे बीमा दायित्व (और संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतें एवं संबंधित अमूर्त आस्तियां) हैं जिनके लिए बीमाकर्ता की लेखा नीतियों में उस दायित्व पर्याप्तता परीक्षण की अपेक्षा नहीं होती है जो अनुच्छेद 16 की न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति करता है।

21. अनुच्छेद 22-30 उस बीमाकर्ता द्वारा किए गए परिवर्तनों पर लागू होते हैं जो पहले ही भारतीय लेखा मानकों को लागू करते हैं तथा उन परिवर्तनों पर जो प्रथम बार भारतीय लेखा मानकों के अपनाए जाने पर बीमाकर्ता द्वारा किए जाते हैं।
22. एक बीमाकर्ता बीमा अनुबंधों के लिए उसकी लेखा नीतियों में परिवर्तन कर सकता है यदि तथा केवल यदि, वे परिवर्तन वित्तीय विवरणों को उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकता के लिए अधिक प्रासंगिक बनते हैं और जो इन आवश्यकताओं के लिए कम विश्वसनीय नहीं अथवा अधिक विश्वसनीय तथा कम प्रासंगिक हों। एक बीमाकर्ता भारतीय लेखा मानक 8 में निर्धारित मानदंड द्वारा प्रासंगिकता तथा विश्वसनीयता दोनों का निर्णय करेगा।
23. बीमा अनुबंध की लेखा नीतियों में परिवर्तन के औचित्य के लिए एक बीमाकर्ता यह प्रदर्शित करेगा कि परिवर्तन उसकी वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक 8 के मानदंड को पूरा करने के नजदीक लाते हैं परंतु यह आवश्यक नहीं है कि परिवर्तन उन मानदंडों से पूर्ण अनुपालन को प्राप्त करे। निम्नलिखित विशेष मुद्दों पर चर्चा नीचे की गई है :
- (क) वर्तमान ब्याज दरें (अनुच्छेद 24) ;
 - (ख) मौजूदा विधियों को जारी रखना (अनुच्छेद 25) ;
 - (ग) विवेकशीलता (अनुच्छेद 26) ;
 - (घ) भावी निवेश मार्जिन (अनुच्छेद 27-29) ; और
 - (ङ) छायांकन (शैडो) लेखा (अनुच्छेद 30) ;

बाजार की वर्तमान ब्याज दरें

24. एक बीमाकर्ता को उसकी लेखा नीतियों में परिवर्तन की अनुमति है जिससे कि यह नामोदिष्ट बीमा दायित्वों¹³ को बाजार की वर्तमान ब्याज दरों पर पुनर्माप करे तथा लाभ तथा हानि में उन दायित्वों के किये गये परिवर्तनों को मान्यता दे किन्तु इसकी आवश्यकता नहीं है। उस समय वह यह लेखा नीतियां भी प्रस्तुत कर सकता है जिनके लिए अन्य चालू प्राक्कलनों तथा नामोदिष्ट दायित्वों के लिए अनुमान अपेक्षित है। इस अनुच्छेद में चयन, बीमाकर्ता को अपने नामोदिष्ट लेखा नीतियों में परिवर्तन के लिए अनुमति देता है जो सभी उसी प्रकार की दायित्वों में समनुरूप उन लेखा नीतियों को लागू किये बिना की जा सकती है जैसा कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 में अन्यथा अपेक्षित होंगे। यदि कोई बीमाकर्ता इस चयन के लिए दायित्व नामोदिष्ट करता है तो यह वर्तमान बाजार दरों (और यदि लागू हो, तो अन्य चालू प्राक्कलनों तथा अनुमानों) पर प्रयोग में इन सभी दायित्वों की सभी अवधियों पर समरूप तब तक जारी रहेगा जब कि वे समाप्त न हो जाए।

मौजूदा व्यवहारों को जारी रखना

25. एक बीमाकर्ता निम्नलिखित प्रथाओं को जारी रख सकता है परंतु उनमें से किसी की प्रस्तुती अनुच्छेद 22 को संतुष्ट नहीं करती है :
- (क) बीमा दायित्वों को गैर-बट्टाकृत आधार पर माप ; और
 - (ख) एक राशि पर भावी निवेश प्रबंधन शुल्क पर अनुबंधात्मक अधिकारों को मापना जो उसके उचित मूल्य से अधिक है जैसा कि इसी प्रकार की सेवाओं के लिए बाजार के अन्य सहभागियों के द्वारा वर्तमान शुल्क के रूप में वसूली गई राशि से की गई तुलना से अंतर्निहित है। यह संभावना है कि उन अनुबंधात्मक अधिकारों के आरंभ में उनका उचित मूल्य भुगतान की गई प्रदत्त लागतों के समान हो अन्यथा भावी निवेश प्रबंधन शुल्क तथा संबंधित लागतें बाजार के तुलनात्मक दायरे से बाहर हों।
 - (ग) अनुच्छेद 24 में दी गयी अनुमति को छोड़कर अनुषंगी प्रतिष्ठानों की बीमा अनुबंधों (तथा संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतें एवं संबंधित अमूर्त आस्तियां, यदि कोई है) के लिए गैर-समरूपी लेखा नीतियों का उपयोग करना। यदि वे लेखा नीतियां समरूपी नहीं हैं तो बीमाकर्ता उनमें परिवर्तन ला सकता है, यदि यह परिवर्तन लेखा नीतियों को अधिक विविधतापूर्ण नहीं बनाता तथा साथ ही इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) में अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता है।

विवेकशीलता

26. एक बीमाकर्ता को अत्याधिक विवेकशीलता को हटाने के लिए बीमा अनुबंधों के लिए लेखा नीतियों को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, यदि एक बीमाकर्ता पहले ही अपने बीमा अनुबंधों को पर्याप्त विवेकशीलता से मापता है तो वह अतिरिक्त विवेकशीलता प्रस्तुत नहीं करेगा।

भावी निवेश मार्जिन

27. एक बीमाकर्ता को भावी निवेश मार्जिन को हटाने के लिए बीमा अनुबंधों की लेखा नीतियों को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, यह एक खंडनीय अवधारणा है कि एक बीमाकर्ता के वित्तीय विवरण उस स्थिति में कम प्रासंगिक तथा कम विश्वसनीय होंगे यदि वह एक लेखा नीति को प्रस्तुत करता है जो बीमा अनुबंध के मापन में भावी निवेश मार्जिन को तब तक परिलक्षित करती है

¹³ इस अनुच्छेद में, बीमा दायित्वों में संबद्ध आस्थगित अधिग्रहण लागतें तथा संबद्ध अमूर्त आस्तियां शामिल हैं जिनकी अनुच्छेद 31 तथा 32 में चर्चा की गई है।

जब तक वे मार्जिन अनुबंधात्मक भुगतानों को प्रभावित ना करें। लेखा नीतियों के दो उदाहरण, जो इन मार्जिनों को प्रतिबिंबित करते हैं, इस प्रकार हैं :-

- (क) बट्टागत दर का उपयोग जो बीमाकर्ता की आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल को प्रतिबिंबित करता है।
 - (ख) उन आस्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर पर प्रतिफलों का पूर्वानुमान लगाना, उन अनुमानित प्रतिफलों को एक भिन्न दर पर बट्टागत करना तथा दायित्व के माप में परिणाम को सम्मिलित करना।
28. एक बीमाकर्ता अनुच्छेद 27 में वर्णित खंडनीय अवधारणा से पार पा सकता है, यदि तथा केवल यदि, लेखा नीतियों में परिवर्तन के अन्य घटक इसके वित्तीय विवरणों की प्रासंगिकता तथा विश्वसनीयता को पर्याप्त रूप से बढ़ाता है जो भावी निवेश मार्जिन के सम्मिलित करने के कारण प्रासंगिकता तथा विश्वसनीयता में आई कमी से अधिक है। उदाहरण के लिए, मान लें कि एक बीमाकर्ता के बीमा अनुबंध की मौजूदा लेखा नीतियों में आरंभ में तय अत्यधिक विवेकपूर्ण अनुमानों तथा बाजार स्थिति के प्रत्यक्ष संदर्भ के बिना विनियामक द्वारा निर्धारित बट्टागत दर, सम्मिलित है तथा कुछ सन्निहित विकल्पों तथा गारंटियों को अनदेखा करती है। बीमाकर्ता लेखा के व्यापक निवेशक-उन्मुख आधार जिसका व्यापक रूप से प्रयोग होता है और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, पर वृहद परिवर्तन करके अपनी वित्तीय विवरणों को अधिक प्रासंगिक तथा विश्वसनीय बना सकता है,
- (क) चालू प्राक्कलन तथा अवधारणाएं,
 - (ख) जोखिम तथा अनिश्चितता को प्रतिबिंबित करने के लिए एक उचित (परंतु अत्याधिक विवेकपूर्ण नहीं) समायोजन।
 - (ग) माप जो सन्निहित विकल्पों तथा गारंटियों के आंतरिक मूल्य तथा समय मूल्य दोनों को प्रतिबिंबित करता है।
 - (घ) वर्तमान बाजार बट्टागत दर, चाहे वह बट्टागत दर बीमाकर्ता की आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल को प्रतिबिंबित करती है।
29. कुछ माप दृष्टिकोणों में, बट्टागत दर को एक भावी लाभ मार्जिन के वर्तमान मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। उस लाभ मार्जिन को तब एक फार्मूले का उपयोग कर भिन्न-भिन्न अवधियों से संबद्ध किया जाता है। उन दृष्टिकोणों में बट्टागत दर केवल परोक्ष रूप से दायित्व के माप को प्रभावित करती है। विशेष रूप से, एक कम उपयुक्त बट्टागत दर के उपयोग का आरंभ में दायित्व के माप पर या तो सीमित या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि अन्य दृष्टिकोणों में बट्टागत दर सीधे रूप से दायित्व के माप को निर्धारित करती है। बाद के मामले में, क्योंकि एक आस्ति आधारित बट्टागत दर की प्रस्तुति का अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, अतः यह अत्यंत असंभावित है कि बीमाकर्ता अनुच्छेद 27 में यथा वर्णित खंडनीय अवधारणा से पार पा सके।

छाया (शैडो) लेखा

30. कुछ लेखा माडलों में, एक बीमाकर्ता की आस्तियों पर प्राप्त लाभ अथवा हानि का इन सभी या कुछ के माप पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है: (क) इसकी बीमा दायित्वों पर (ख) संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतों पर, और (ग) संबंधित अमूर्त आस्तियों पर जैसे कि अनुच्छेद 31 व 32 में वर्णित की गयी है। एक बीमाकर्ता के लिए यह आवश्यक नहीं है परन्तु उसे अनुमति है कि वह अपनी लेखा नीतियों को परिवर्तित कर सकता है ताकि एक आस्ति का मान्य परंतु अप्राप्त लाभ अथवा हानि उसके माप को उसी प्रकार प्रभावित करे जैसे कि प्राप्त लाभ अथवा हानि करती है। बीमा दायित्व (या अस्थगित अधिग्रहित लागतें या अमूर्त अस्तियां) में संबंधित समायोजन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जायेगी, यदि तथा केवल यदि, अप्राप्त लाभ अथवा हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है। इस प्रक्रिया को कभी-कभी छाया (शैडो) लेखा के रूप में वर्णित किया जाता है।

व्यावसायिक संयोजन अथवा पोर्टफोलियो अंतरण में अधिग्रहीत बीमा अनुबंध

31. भारतीय लेखा मानक 103 के अनुपालन के लिए एक बीमाकर्ता अधिग्रहण की तिथि पर एक व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत बीमा आस्तियां और अनुमानित बीमा दायित्वों को उचित मूल्य पर मापेगा। लेकिन, एक बीमाकर्ता को एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण, जो अधिग्रहीत बीमा अनुबंधों के उचित मूल्य को निम्नलिखित दो घटकों में विभाजित करता है, को प्रयोग करने की अनुमति है, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं है
- (क) बीमाकर्ता के द्वारा जारी किए गए बीमा अनुबंध की लेखा नीतियों के अनुसार मापा गया एक दायित्व; और
 - (ख) एक अमूर्त आस्ति जो (i) अधिग्रहीत अनुबंधात्मक अधिकारों और अनुमानित बीमा दायित्वों के उचित मूल्य तथा (ii) (क) में वर्णित राशि के बीच के अंतर को दर्शाता है। इस आस्ति का बाद में किया गया माप संबंधित बीमा दायित्वों के माप के अनुरूप होगा।
32. बीमा अनुबंधों के पोर्टफोलियो को अधिग्रहीत करने वाला एक बीमाकर्ता अनुच्छेद 31 में वर्णित विस्तारित प्रस्तुतिकरण का उपयोग कर सकता है।
33. अनुच्छेद 31 तथा 32 में वर्णित *अमूर्त आस्तियां* भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 38 तथा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता*, के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 38 तथा भारतीय लेखा मानक 36 भावी अनुबंध

की संभावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली ग्राहक सूची तथा ग्राहक संबंधों पर लागू होती हैं जो अनुबंधात्मक बीमा अधिकारों तथा अनुबंधात्मक बीमा बाध्यताओं का भाग नहीं हैं जो एक व्यावसायिक संयोजन अथवा पोर्टफोलियो स्थानांतरण की तिथि पर विद्यमान हैं।

विवेकाधीन सहभागिता विशेषताएं

बीमा अनुबंधों में विवेकाधीन सहभागिता विशेषताएं

34. कुछ बीमा अनुबंधों में विवेकाधीन सहभागिता विशेषता के साथ-साथ *गारंटीशुदा तत्व* समाहित होते हैं। इस प्रकार के अनुबंध का जारीकर्ता :-
- (क) विवेकाधीन सहभागिता विशेषता को गारंटी तत्व से पृथक रूप से मान्यता दे सकता है लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है। यदि जारीकर्ता उन्हें पृथक रूप से मान्यता नहीं देता है तो वह पूर्ण अनुबंध को दायित्व के रूप में वर्गीकृत करेगा। लेकिन यदि जारीकर्ता उसे पृथक रूप से वर्गीकृत करता है तो वह गारंटीकृत तत्व को दायित्व के रूप में वर्गीकृत करेगा।
 - (ख) यदि यह विवेकाधीन सहभागिता विशेषता को गारंटीशुदा तत्व से पृथक रूप से मान्यता देता है तो वह उस विशेषता को या तो दायित्व के रूप में या फिर इक्विटी के पृथक घटक के रूप में वर्गीकृत करेगा। यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) यह विनिर्दिष्ट नहीं करता है कि जारीकर्ता किस प्रकार से निर्धारित करे कि वह विशेषता दायित्व है अथवा इक्विटी। जारीकर्ता उस विशेषता को दायित्व तथा इक्विटी घटकों में विभक्त कर सकता है तथा उस विभाजन के लिए एक ही लेखा नीति का उपयोग करेगा। जारीकर्ता उस विशेषता को बीच की किसी श्रेणी के लिए वर्गीकृत नहीं करेगा जो न तो दायित्व हो, और न इक्विटी।
 - (ग) सभी प्राप्त प्रीमियम के किसी भाग को, जो इक्विटी घटक से संबंधित हैं, पृथक किये बिना राजस्व के रूप में मान्यता दे सकता है। गारंटीशुदा तत्व तथा दायित्व के रूप में वर्गीकृत स्वविवेकी सहभागिता विशेषता के भाग में परिणामस्वरूप परिवर्तनों को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जायेगी। यदि स्वविवेकी सहभागिता विशेषता के एक भाग अथवा संपूर्ण भाग को इक्विटी में वर्गीकृत किया जाता है तो लाभ अथवा हानि का एक भाग उस विशेषता से संबंधित हो सकता है (ठीक उसी तरह से जैसे कि एक भाग गैर-नियंत्रित हित से संबंधित होता है।) जारीकर्ता एक स्वविवेकी सहभागिता विशेषता के इक्विटी घटक से संबंधित होने योग्य लाभ अथवा हानि के भाग को लाभ अथवा हानि के आवंटन के रूप में मान्यता देगा न कि एक आय अथवा व्यय के रूप में (देखें भारतीय लेखा मानक 1, *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण*)।
 - (घ) यदि भारतीय लेखा मानक 109 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अनुबंध में सन्निहित व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) समाहित है तो उस सन्निहित व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) पर भारतीय लेखा मानक 109 लागू करेगा।
 - (ङ) अनुच्छेद 14-20 तथा 34 (क) - (घ) में सभी तरह से वर्णित नहीं किया गया है इसलिए इस प्रकार की अनुबंधों पर इसकी मौजूदा लेखा नीतियां तब तक जारी रहेंगी जब तक यह उन लेखा नीतियों को इस तरह से बदल न ले जिससे अनुच्छेद 21-30 का अनुपालन होता हो।

वित्तीय लिखतों में विवेकाधीन सहभागिता विशेषताएं

35. अनुच्छेद 34 की अपेक्षाएं एक वित्तीय लिखत पर भी लागू होती हैं जिसमें एक विवेकाधीन सहभागिता विशेषता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त :
- (क) यदि जारीकर्ता समस्त विवेकाधीन सहभागिता विशेषता को एक दायित्व के रूप में वर्गीकृत करता है तो यह समस्त अनुबंध पर (अर्थात् गारंटीशुदा तत्व और विवेकाधीन सहभागिता विशेषता, दोनों पर) अनुच्छेद 15-19 के अनुसार दायित्व पर्याप्तता परीक्षण लागू होगा। जारीकर्ता को उस राशि के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है जो गारंटीशुदा तत्व पर भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करने के परिणामस्वरूप होंगे।
 - (ख) यदि जारीकर्ता उस विशेषता के समस्त अथवा एक भाग की इक्विटी को पृथक घटक के रूप में वर्गीकृत करता है तो पूरी अनुबंध के लिए मान्य दायित्व की राशि उस राशि से कम नहीं होगी जो गारंटीशुदा तत्व पर भारतीय लेखा मानक 109 के लागू करने से आती है। इस राशि में अनुबंध के अभ्यर्पण करने के विकल्प का आंतरिक मूल्य सम्मिलित होगा परंतु इसके समय मूल्य को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है यदि अनुच्छेद 9 उस विकल्प को उचित मूल्य पर माप से छूट देता है। जारीकर्ता को उस राशि को भी प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है जो गारंटीशुदा तत्व पर भारतीय लेखा मानक 109 के लागू करने के परिणामस्वरूप है और न ही उस राशि को पृथक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। साथ ही, जारीकर्ता को उस राशि को निर्धारित करने की भी आवश्यकता नहीं है यदि कुल मान्य दायित्व स्पष्ट रूप से अधिक है।
 - (ग) यद्यपि ये अनुबंधों वित्तीय लिखतें हैं, अतएव जारीकर्ता उन अनुबंधों के प्रीमियमों को राजस्व के रूप में तथा दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में वृद्धि के परिणामस्वरूप उसे एक व्यय के रूप में मान्यता देना जारी रख सकता है।
 - (घ) यद्यपि ये अनुबंध वित्तीय लिखतें हैं अतएव जारीकर्ता स्वविवेकी विशेषता के साथ भारतीय लेखा मानक 107 के अनुच्छेद 20 (ख) को अनुबंधों पर लागू करते हुए लाभ अथवा हानि में मान्य कुल ब्याज व्यय को प्रकट करेगा परंतु उसे प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के ब्याज व्यय की गणना करने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यता प्राप्त राशियों की व्याख्या

36. एक बीमाकर्ता उस सूचना को प्रकट करेगा जो उसके वित्तीय विवरणों में बीमा अनुबंधों से उत्पन्न राशि की पहचान तथा व्याख्या करती है।
37. अनुच्छेद 36 के अनुपालन के लिए, एक बीमाकर्ता निम्नलिखित प्रकट करेगा :
- (क) बीमा अनुबंधों तथा संबंधित आस्तियों, दायित्वों, आय तथा व्यय के लिए इसकी लेखा नीतियां।
 - (ख) बीमा अनुबंधों से उत्पन्न मान्यता प्राप्त आस्तियां, दायित्व, आय तथा व्यय (तथा, यदि यह प्रत्यक्ष विधि, नकदी प्रवाहों का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह के विवरण को प्रस्तुत करता है)। इसके अलावा, यदि बीमाकर्ता एक अर्पणकर्ता (सेडेंट) है तो वह यह प्रकट करेगा:
 - (i) पुनर्बीमा की खरीद पर लाभ अथवा हानि में मान्य लाभ तथा हानियां ; तथा
 - (ii) यदि अर्पणकर्ता (सेडेंट) पुनर्बीमा की खरीद से उत्पन्न लाभों तथा हानियों को आस्थगित तथा परिशोधित करता है तो अवधि की परिशोधन राशि तथा अवधि के आरंभ में तथा अंत में गैर-परिशोधित रही शेष राशि।
 - (ग) ऊपर (ख) में वर्णित मान्य राशि के माप पर जिसका अधिकतम प्रभाव है उन अनुमानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया। जब व्यवहार्य हो, तो बीमाकर्ता उन अनुमानों का मात्रात्मक प्रकटन भी करेगा।
 - (घ) जहां वित्तीय विवरण पर सारवान प्रभाव है वहां बीमा आस्तियों तथा बीमा दायित्वों के माप के लिए प्रयुक्त अनुमानों में परिवर्तन के प्रभाव को प्रत्येक मामले में पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
 - (ङ) बीमा दायित्वों पुनर्बीमा आस्तियों तथा यदि कोई है तो संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतों में परिवर्तनों का समाधान।

बीमा अनुबंधों से उत्पन्न जोखिमों की प्रकृति एवं सीमा

38. एक बीमाकर्ता उस सूचना को प्रकट करेगा जो बीमा अनुबंधों से उत्पन्न जोखिमों की प्रकृति तथा सीमा के आकलन के लिए वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को समर्थ बनाता है।
39. अनुच्छेद 38 के अनुपालन के लिए एक बीमाकर्ता निम्नलिखित को प्रकट करेगा :-
- (क) इसका उद्देश्य, नीतियां तथा बीमा अनुबंधों से उत्पन्न जोखिमों के प्रबंधन की प्रक्रियाएं तथा उन जोखिमों के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त विधि।
 - (ख) [परिशिष्ट 1 देखें]
 - (ग) **बीमा जोखिम** (पुनर्बीमा के द्वारा जोखिम शमन से पूर्व तथा पश्चात् दोनों) के बारे में सूचना जिसमें निम्नलिखित के संबंधों में भी सूचना सम्मिलित होगी :-
 - (i) बीमा जोखिम के बारे में संवेदनशीलता (अनुच्छेद 39 क देखें)
 - (ii) बीमा जोखिम की सघनता का, जिसमें कि प्रबंधन किस प्रकार से इस सघनता को निर्धारित करता है, विवरण शामिल हो और सहभागी विशेषता का विवरण शामिल हो जो प्रत्येक सघनता (उदाहरणतः बीमित घटना को प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र अथवा मुद्रा) की पहचान करता है।
 - (iii) पिछले आकलनों (अर्थात् दावों की प्रगति) की वास्तविक दावों के साथ तुलना। दावे की प्रगति के बारे में प्रकटन उस पिछली अवधि तक जाएगा जब सबसे पहले सारवान दावा उत्पन्न हुआ था जिसके लिए दावों के भुगतान की राशि और समय के बारे में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, किंतु इसके लिए दस वर्ष से अधिक पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बीमाकर्ता को उन दावों के बारे में सूचना प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है जिनमें दावों की भुगतान राशि तथा समय की अनिश्चितता विशिष्ट रूप से एक वर्ष के भीतर हल हो गई है।
 - (घ) साख (क्रेडिट) जोखिम, तरलता जोखिम तथा बाजार जोखिम के बारे में सूचना जो भारतीय लेखा मानक 107 के अनुच्छेद 31-42 में अपेक्षित है बशर्ते बीमा अनुबंध भारतीय लेखा मानक 107 के कार्यक्षेत्र के अंदर हैं। तथापि :
 - (i) एक बीमाकर्ता को भारतीय लेखा मानक 107 के अनुच्छेद 39 (क) और (ख) द्वारा अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है यदि वह इसकी बजाय मान्य बीमा दायित्वों के परिणामस्वरूप शुद्ध नकदी प्रवाहों के अनुमानित समय के बारे में सूचना प्रकट करता है। यह तुलनपत्र में मान्य राशियों के अनुमानित समय के द्वारा एक विश्लेषण का स्वरूप ले सकता है।
 - (ii) यदि एक बीमाकर्ता बाजार की परिस्थितियों की संवेदनशीलता के प्रबंधन के लिए वैकल्पिक तरीके का उपयोग करता है, जैसे कि सन्निहित मूल्य विश्लेषण, तो यह भारतीय लेखा मानक 107 के अनुच्छेद 40 (क) की अपेक्षाओं को पूरा करने

के लिए इस संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार का बीमाकर्ता भारतीय लेखा मानक 107 के अनुच्छेद 41 द्वारा अपेक्षित प्रकटन भी प्रदान कराएगा।

(ड) मूल बीमा अनुबंधों में समाहित सन्निहित व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) से उत्पन्न बाजार जोखिम के अनुभवों के बारे में सूचना यदि बीमाकर्ता को उचित मूल्य पर सन्निहित व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) को न तो मापने की आवश्यकता है और न ही वह मापता है।

39 क. अनुच्छेद 39 (ग) (i) के अनुपालन में, एक बीमाकर्ता या तो (क) या फिर (ख) को निम्न प्रकार प्रकट करेगा :

(क) एक संवेदनशील विश्लेषण जो दर्शाता है कि यदि परिवर्तनशील प्रासंगिक तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किये गये परिवर्तन तर्कसंगत रूप से संभव है तो संवेदनशील विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त तरीके एवं अनुमानों में पिछली अवधि से हुए किसी प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं। यद्यपि यदि एक बीमाकर्ता बाजार परिस्थिति की संवेदनशीलता के प्रबंधन के लिए वैकल्पिक तरीका का उपयोग करता है जैसे कि सन्निहित मूल्य विश्लेषण यह भारतीय लेखा मानक 107 के अनुच्छेद 41 के द्वारा अपेक्षित वैकल्पिक संवेदनशीलता विश्लेषण तथा प्रकटन को प्रकट करके इस आवश्यकता को पूरा करता है।

(ख) संवेदनशीलता के बारे में गुणवत्ता सूचना तथा बीमा अनुबंध की उन शर्तों एवं निबंधनों के बारे में सूचना जिनका बीमाकर्ता के भावी नकदी प्रवाह की राशि, समय तथा अनिश्चितता पर सारवान प्रभाव होता है।

परिशिष्ट क

पारिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

अर्पणकर्ता (सेडेंट)

पुनर्बीमा अनुबंध के अंतर्गत पॉलिसीधारक ।

जमा घटक

एक अनुबंधात्मक घटक जिसका भारतीय लेखा मानक 109 के अंतर्गत व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) के रूप में लेखा नहीं किया जाता है और यदि यह एक पृथक लिखत हो तो भारतीय लेखा मानक 109 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होगी।

प्रत्यक्ष बीमा अनुबंध

एक ऐसा बीमा अनुबंध जो पुनर्बीमा अनुबंध नहीं होता है।

विवेकाधीन सहभागिता विशेषता

अतिरिक्त लाभों को, गारंटीशुदा लाभों के पूरक के रूप में, प्राप्त करने का अनुबंधात्मक अधिकार :

(क) जिसकी कुल अनुबंधात्मक लाभों के महत्वपूर्ण हिस्सा होने की संभावना है।

(ख) जिसकी राशि अथवा समय अनुबंधात्मक रूप से जारीकर्ता के स्व-विवेक पर निर्भर होता है ; तथा

(ग) जो अनुबंधात्मक रूप से निम्नलिखित पर आधारित होता है :

(i) अनुबंधों के किसी विनिर्दिष्ट समूह (पूल) अथवा अनुबंध की विनिर्दिष्ट प्रकार का कार्य-निष्पादन ;

(ii) जारीकर्ता द्वारा धारित आस्तियों के विनिर्दिष्ट समूह (पूल) पर वसूले गये और/अथवा गैर-वसूले गये निवेश प्रतिलाभ ; अथवा

(iii) अनुबंध जारी करने वाली कम्पनी, निधि (फंड) अथवा अन्य प्रतिष्ठान का लाभ अथवा हानि।

उचित मूल्य

उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 113)।

वित्तीय गारंटी अनुबंध

एक अनुबंध जो यह अपेक्षा करता है कि जारीकर्ता धारक को हुई हानि के लिए एक विशिष्ट भुगतान की प्रतिपूर्ति करें क्योंकि कोई विनिर्दिष्ट ऋणी विशेष देय होने पर किसी ऋण-लिखत की मूल अथवा संशोधित शर्तों के अनुसार भुगतान करने में असफल रहता है।

वित्तीय जोखिम

एक अथवा एक-से अधिक विनिर्दिष्ट ब्याज दरें, वित्तीय लिखत मूल्य, वस्तु की कीमत, विदेशी विनिमय दर, मूल्य अथवा दरों के सूचकांक, साख (क्रेडिट) रेटिंग अथवा ऋण सूचकांक अथवा अन्य परिवर्तनशील कारक बशर्ते एक गैर-वित्तीय परिवर्तनशील कारक के मामले में वह परिवर्तनशील कारक अनुबंध के एक पक्षकार के लिए विशिष्ट नहीं है।

गारंटीशुदा लाभ	भुगतान अथवा अन्य लाभों में जिस पर एक विशिष्ट बीमाधारक अथवा निवेशक का बिना शर्त का अधिकार है जो जारीकर्ता के अनुबंधात्मक स्वविवेक के आधीन नहीं है।
गारंटीशुदातत्व	एक अनुबंध में सम्मिलित गारंटीशुदा लाभों के भुगतान की बाध्यता जिसमें एक विवेकाधीन सहभागिता विशेषता निहित है।
बीमा आस्ति	बीमा अनुबंध के अंतर्गत बीमाकर्ता का शुद्ध अनुबंधात्मक अधिकार।
बीमा अनुबंध	एक अनुबंध जिसके अंतर्गत एक पक्ष (बीमाकर्ता) पालिसीधारक को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होकर अन्य पक्ष (पालिसीधारक) से विशिष्ट बीमा जोखिम स्वीकार करता है यदि एक विनिर्दिष्ट अनिश्चित भावी घटना (बीमित घटना) बीमाधारक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। (इस परिभाषा पर दिशा निर्देश के लिए परिशिष्ट ख देखें)
बीमा दायित्व	एक बीमा अनुबंध के अंतर्गत बीमाकर्ता का शुद्ध अनुबंधात्मक बाध्यता।
बीमा जोखिम	अधिकार धारक से जारीकर्ता को अंतरित किया गया, वित्तीय जोखिम से भिन्न जोखिम।
बीमित घटना	एक अनिश्चित भावी घटना जो एक बीमा अनुबंध द्वारा व्याप्त (कवर) की गई है और बीमा जोखिम का सृजन करती है।
बीमाकर्ता	वह पक्ष जिसका, बीमित घटना घटित होने पर, बीमाधारक को क्षतिपूर्ति के लिए एक बीमा-अनुबंध के अंतर्गत बाध्यता बनती है।
दायित्व पर्याप्तता परीक्षण	भावी नकदी प्रवाहों की समीक्षा पर आधारित मूल्यांकन से, कि क्या एक बीमा दायित्व की अग्रणीत राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है (अथवा संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतों अथवा संबंधित अमूर्त आस्तियों की अग्रणीत राशि में कमी करने की आवश्यकता है।)
पालिसीधारक	वह पक्ष जिसे बीमा अनुबंध के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का अधिकार है बशर्ते बीमित घटना घटित होती है।
पुनर्बीमा आस्तियां	पुनर्बीमा अनुबंध के अंतर्गत अर्पणकर्ता (सेडेन्ट) के शुद्ध अनुबंधात्मक अधिकार।
पुनर्बीमा अनुबंध	बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) द्वारा जारी एक बीमा अनुबंध जो दूसरे बीमाकर्ता [अर्पणकर्ता (सेडेन्ट)] को अर्पणकर्ता द्वारा जारी एक अथवा एक से अधिक अनुबंधों पर हानि के लिए क्षतिपूर्ति करता है।
पुनर्बीमाकर्ता	वह पक्ष जिसकी अर्पणकर्ता (सेडेन्ट) को क्षतिपूर्ति के लिए पुनर्बीमा अनुबंध के अंतर्गत बाध्यता है बशर्ते बीमित घटना घटित होती है।
पृथकीकरण	एक अनुबंध के घटकों का लेखा जैसे कि वे घटक पृथक अनुबंध हों।

परिशिष्ट ख

बीमा-अनुबंध की परिभाषा

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का एक अभिन्न अंग है।

ख 1 यह परिशिष्ट, परिशिष्ट क में दी गई एक बीमा-अनुबंध की परिभाषा पर दिशा-निर्देश देता है। इसमें निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी है:

- (क) शब्द 'अनिश्चित भावी घटना' (अनुच्छेद ख 2 - ख 4) ;
- (ख) वस्तु के रूप में भुगतान (अनुच्छेद ख 5 - ख 7) ;
- (ग) बीमा जोखिम तथा अन्य जोखिम (अनुच्छेद ख 8 - ख 17) ;
- (घ) बीमा अनुबंधों के उदाहरण (अनुच्छेद ख 18 - ख 21) ;
- (ङ) महत्वपूर्ण बीमा जोखिम (अनुच्छेद ख 22 - ख 28) ; तथा
- (च) बीमा जोखिम स्तर में परिवर्तन (अनुच्छेद ख 29 तथा ख 30)

अनिश्चित भावी घटना

ख 2 अनिश्चितता (अथवा जोखिम) एक बीमा अनुबंध का सार है। तदनुसार, निम्नलिखित में से कम से कम एक बीमा अनुबंध के आरंभ में अनिश्चित है।

- (क) क्या एक बीमित घटना घटित होगी,
 (ख) यह कब घटित होगी, अथवा
 (ग) बीमाकर्ता को कितने भुगतान करने की आवश्यकता होगी, यदि यह घटना घटित होती है।
- ख 3 कुछ बीमा अनुबंधों में बीमित घटना अनुबंध की अवधि के दौरान एक हानि की खोज है भले ही यदि हानि एक घटना होने से उत्पन्न हुई है जो अनुबंध के आरंभ से पूर्व ही घटित हुई है। अन्य बीमा अनुबंधों में बीमित घटना एक वह घटना है जो अनुबंध की अवधि के दौरान घटित होती है भले ही परिणामी हानि का पता अनुबंध अवधि के समाप्त होने के पश्चात चली हो।
- ख 4 कुछ बीमा अनुबंध उन घटनाओं को कवर करते हैं जो पहले ही घटित हो चुकी हैं, परंतु जिसका वित्तीय प्रभाव अभी भी अनिश्चित है। एक उदाहरण पुनर्बीमा अनुबंध है जिसमें बीमाधारक द्वारा पहले से ही रिपोर्ट किए गए दावों के प्रतिकूल परिणाम के विपरीत प्रत्यक्ष बीमाकर्ता कवर होता है। इस प्रकार के अनुबंधों में, बीमित घटना उन दावों की अंतिम लागत की प्राप्ति है।

वस्तु के रूप में भुगतान

- ख 5 कुछ बीमा अनुबंधों में भुगतानों को वस्तु के रूप में किये जाने की अपेक्षा या अनुमति होती है। एक उदाहरण यह है कि जब बीमाकर्ता बीमाधारक को प्रतिपूर्ति करने की बजाय चुरायी गयी वस्तु को सीधे बदल देता है। वहीं दूसरा उदाहरण है जब बीमाकर्ता अनुबंध के तहत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने अस्पतालों तथा चिकित्साकर्मियों का उपयोग करता है।
- ख 6 कुछ नियत-शुल्क वाले सेवा अनुबंध में जिनमें सेवा का स्तर एक अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है, इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) में एक बीमा अनुबंध की परिभाषा को पूरा करता है। परंतु कुछ देशों में बीमा अनुबंधों के रूप में विनियमित नहीं किये जाते हैं। इसका एक उदाहरण अनुरक्षण अनुबंध है जिसमें सेवा प्रदानकर्ता खराबी के पश्चात निर्दिष्ट यंत्र की मरम्मत के लिए सहमत होता है। निर्धारित सेवा शुल्क खराबियों की संभावित संख्या पर आधारित होता है परंतु यह अनिश्चित होता है कि एक विशेष मशीन में खराबी होगी या नहीं। उपकरण की खराबी का प्रभाव प्रतिकूल रूप से इसके स्वामी पर पड़ता है तथा अनुबंध में स्वामी को क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था है (जो नकद के बजाय वस्तु रूप में है) एक दूसरा उदाहरण कार ब्रेकडाउन सेवा संबंधी अनुबंध का है जिसमें प्रदानकर्ता निर्धारित वार्षिक शुल्क पर सड़क किनारे सहायता करने अथवा कार को नजदीकी गैराज तक खींच कर ले जाने के लिए सहमत होता है। बाद का अनुबंध एक बीमा अनुबंध की परिभाषा का पूरा कर सकता है भले ही प्रदानकर्ता मरम्मत करने अथवा पुर्जा के बदलने के लिए सहमत नहीं होता है।
- ख 7 अनुच्छेद ख 6 में वर्णित अनुबंधों में इस मानक को लागू करना भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) को लागू करने की तुलना में ज्यादा बोझिल होने की संभावना नहीं है। ये तभी लागू होगी यदि इस प्रकार की अनुबंध इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के कार्यक्षेत्र से बाहर की गई होती :
- (क) ऐसी खराबियों तथा ब्रेकडाउनों के लिए, जो पहले ही घटित हो चुकी हैं, सारवान बाध्यताओं के होने की संभावना नहीं है।
- (ख) यदि भारतीय लेखा मानक 115 लागू होता है तो सेवा प्रदानकर्ता के राजस्व को तब (या जब) मान्यता देगा जब वह ग्राहक को सेवाएं अन्तरित करता है (लेकिन तभी जब विनिर्दिष्ट मानदण्ड पूरा हो जाता है)। वह दृष्टिकोण इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अंतर्गत भी स्वीकार्य है जो सेवा प्रदानकर्ता को (i) इन अनुबंधों के लिए इसकी विद्यमान लेखा नीतियों को तब तक जारी रखने की अनुमति देता है जब तक वे अनुच्छेद 14 द्वारा निषिद्ध व्यवहार में लिप्त न हो तथा (ii) इसकी लेखा नीतियों में सुधार के लिए अनुमति देता है बशर्ते ऐसा अनुच्छेद 22-30 के द्वारा अनुमति है।
- (ग) सेवा प्रदानकर्ता विचार करता है क्या सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंधात्मक दायित्व को पूरा करने की लागत अग्रिम में प्राप्त राजस्व से अधिक है। ऐसा करने के लिए यह इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुच्छेद 15-19 में वर्णित दायित्व पर्याप्तता परीक्षण को लागू करता है। यदि यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) इन अनुबंधों पर लागू नहीं होता है तो सेवा प्रदानकर्ता यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अनुबंध दूभर है, भारतीय लेखा मानक 37 लागू करेगा।
- (घ) इन अनुबंधों के लिए इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) में वांछित प्रकटन की आवश्यकता अन्य भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के द्वारा अपेक्षित प्रकटनों में विशेष रूप से जोड़ने की संभावना नहीं है।

बीमा जोखिम तथा अन्य जोखिमों के बीच भेद

- ख 8 एक बीमा अनुबंध की परिभाषा बीमा जोखिम को संदर्भित करता है जिसे यह भारतीय लेखा मानक जारीकर्ता को अनुबंध के धारक से, अंतरित वित्तीय जोखिम से भिन्न, जोखिम के रूप में परिभाषित करता है। एक अनुबंध, जो जारीकर्ता को उल्लेखनीय बीमा जोखिम के बिना वित्तीय जोखिम से रु-बरू करता है वह एक बीमा अनुबंध नहीं है।
- ख 9 परिशिष्ट 'क' में वित्तीय जोखिम की परिभाषा में वित्तीय तथा गैर-वित्तीय परिवर्तनकारक की सूची सम्मिलित है। उस सूची में वह गैर-वित्तीय परिवर्तनकारक सम्मिलित हैं जो अनुबंध के किसी पक्ष हेतु विशिष्ट नहीं हैं जैसे एक विशेष क्षेत्र में भूकंप से हुई हानि का सूचकांक अथवा किसी विशेष शहर में तापमान का सूचकांक है। यह उन गैर-वित्तीय परिवर्तनकारक को अलग करता है जो अनुबंध की एक पक्ष के लिए विशिष्ट हैं जैसे आग लगने से उस पक्ष की एक आस्ति की क्षति होती है अथवा नष्ट होता है। इसके अलावा, गैर-वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तनों का जोखिम एक वित्तीय जोखिम नहीं है यदि उचित मूल्य इस प्रकार की आस्तियों (एक वित्तीय परिवर्तनकारक) के लिए बाजार मूल्यों में परिवर्तनों को न केवल परिलक्षित करता है बल्कि एक अनुबंध के लिए पक्ष द्वारा धारित विशिष्ट, गैर-वित्तीय आस्ति (एक गैर-वित्तीय परिवर्तनकारक) की स्थिति को भी दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक

विशिष्ट कार के अवशिष्ट मूल्य की गारंटी गारंटर को कार की भौतिक स्थिति में परिवर्तनों के जोखिम से रू-बरू करता है, तो वह जोखिम बीमा जोखिम है न कि वित्तीय जोखिम है।

- ख 10 कुछ अनुबंध जारीकर्ता को विशेष बीमा जोखिम के अतिरिक्त वित्तीय जोखिम से रू-ब-रू करते हैं। उदाहरण के लिए, अनेक जीवन बीमा अनुबंध बीमाधारकों को न्यूनतम प्रतिफल दर (वित्तीय जोखिम सृजन के लिए) की गारंटी देते हैं तथा मृत्यु लाभों दोनों का वायदा करते हैं जो कभी-कभी उल्लेखनीय रूप में बीमाधारक के खाता शेष (मृत्यु दर जोखिम के रूप में बीमा जोखिम का सृजन करते हुए) से अधिक होता है। इस प्रकार के अनुबंध बीमा अनुबंध हैं।
- ख 11 कुछ अनुबंधों के अंतर्गत एक बीमित घटना मूल्य कीमत सूचकांक से संबद्ध राशि के भुगतान को प्रेरित करती है। इस प्रकार के अनुबंध बीमा अनुबंध हैं बशर्ते वह भुगतान जो बीमित घटना पर आकस्मिक हैं, महत्वपूर्ण हो। उदाहरण के लिए, जीवनयापन लागत सूचकांक से संबद्ध जीवन - आकस्मिक अधिवार्षिकी बीमा जोखिम को अंतरित करता है क्योंकि भुगतान एक अनिश्चित घटना है जो अधिवार्षिकी-ग्राही के जीवित होने पर होता है। मूल्य सूचकांक की संबद्धता सन्निहित व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) है लेकिन यह बीमा जोखिम को भी अंतरित करता है। यदि बीमा जोखिम का परिणामी अंतरण उल्लेखनीय है तो सन्निहित व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) एक बीमा अनुबंध की परिभाषा को पूरा करता है जिस मामले में इसे अलग करने की आवश्यकता नहीं है तथा उचित मूल्य पर मापा जाता है। (इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अनुच्छेद 7 देखें)।
- ख 12 बीमा जोखिम की परिभाषा उस जोखिम को संदर्भित करती है जिसे बीमाकर्ता बीमाधारक से स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में, बीमा जोखिम बीमाधारक से जारीकर्ता को अंतरित विद्यमान पूर्व जोखिम है। इसलिए, अनुबंध द्वारा सृजित नया जोखिम बीमा जोखिम नहीं है।
- ख 13 एक बीमा अनुबंध की परिभाषा बीमाधारक पर प्रतिकूल प्रभाव को संदर्भित करती है। परिभाषा बीमाकर्ता द्वारा प्रतिकूल घटना के वित्तीय प्रभाव के बराबर की राशि तक भुगतान को सीमित नहीं करती है। उदाहरण के लिए, परिभाषा 'पुराने के लिए नये' कवरेज को वर्जित नहीं करती जो बीमाधारक को क्षतिग्रस्त पुरानी आस्ति को नई आस्ति में बदलने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से भुगतान करती है। इसी प्रकार, परिभाषा मृतक के आश्रित द्वारा उठाई गई वित्तीय हानि के लिए मियादी जीवन बीमा अनुबंध के अंतर्गत भुगतान को सीमित नहीं करता है और न ही यह मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण हुई हानि के परिणामीकरण के लिए पूर्व निर्धारित राशि के भुगतान को बाधित करता है।
- ख 14 कुछ अनुबंधों में भुगतान आवश्यक होता है यदि निर्दिष्ट अनिश्चित घटना होती है परंतु भुगतान के लिए पूर्व शर्त के रूप में बीमाधारक पर प्रतिकूल प्रभाव की अपेक्षा नहीं होती है। इस प्रकार के अनुबंध बीमा अनुबंध नहीं हैं भले ही धारक अनुबंध को अंतर्निहित जोखिम से रू-बरू होने को कम करने के लिए प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, यदि धारक व्युत्पन्न को एक अंतर्निहित गैर-वित्तीय परिवर्तनशीलता के लिए प्रयुक्त करता है जो प्रतिष्ठान की आस्ति से नकदी प्रवाह के साथ सह संबंधित है तो व्युत्पन्न एक बीमा अनुबंध नहीं होता है क्योंकि भुगतान इस शर्त पर नहीं होता है कि धारक संपत्ति से नकद प्रवाह में कटौती के द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित है अथवा नहीं। इसके विपरीत एक बीमा अनुबंध की परिभाषा एक अनिश्चित घटना से संदर्भित होता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव बीमाधारक पर भुगतान के लिए अनुबंधात्मक पूर्व शर्त पर पड़ता है। यह अनुबंधात्मक पूर्व शर्त बीमाकर्ता से यह जांच करने की अपेक्षा नहीं करता है कि क्या वास्तव में घटना के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है परंतु बीमाकर्ता को भुगतान नहीं करने की अनुमति देता है यदि यह इससे संतुष्ट नहीं है कि घटना के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- ख 15 कालातीत अथवा निरंतरता जोखिम (अर्थात् वह जोखिम जिसे प्रतिपक्ष अनुबंध की कीमत में जारीकर्ता की प्रत्याशा के पहले या बाद में अनुबंध रद्द करेगा) बीमा जोखिम नहीं है क्योंकि प्रतिपक्ष को भुगतान किया जाना अनिश्चित भावी घटना पर आकस्मिक नहीं है जो प्रतिपक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इसी तरह, व्यय जोखिम (अर्थात् बीमित घटनाओं से जुड़ी लागतों की बजाय एक अनुबंध की सर्विसिंग के साथ जुड़ी प्रशासकीय लागत में अप्रत्याशित वृद्धि का जोखिम) बीमा जोखिम नहीं है क्योंकि व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि प्रतिपक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।
- ख 16 इसलिए एक अनुबंध जो जारीकर्ता को कालातीत जोखिम, निरंतरता जोखिम अथवा व्यय जोखिम से रू-बरू करता है, तब तक एक बीमा अनुबंध नहीं है जब तक यह जारीकर्ता को बीमा जोखिम से रू-बरू न करे। यद्यपि, यदि उस अनुबंध का जारीकर्ता एक अन्य पक्ष को इस जोखिम के भाग को अंतरित करने के लिए द्वितीय अनुबंध के उपयोग के द्वारा कम करता है, तो द्वितीय अनुबंध बीमा अन्य पक्ष को जोखिम से रू-बरू करता है।
- ख 17 एक बीमाकर्ता बीमाधारक से महत्वपूर्ण बीमा जोखिम को केवल तभी स्वीकार कर सकता है यदि बीमाकर्ता बीमाधारक से एक पृथक प्रतिष्ठान है। पारस्परिक बीमाकर्ता के मामले में, प्रत्येक बीमाधारक से पारस्परिक जोखिम को स्वीकार करता है तथा उस जोखिम में संग्रह (पुल) करता है। यद्यपि, बीमाधारक स्वामी होने की क्षमता में उस जोखिम को संग्रहीत रूप से सहन करते हैं, तथापि पारस्परिक, जोखिम को स्वीकार किया जाता है जो एक बीमा अनुबंध का सार है।

बीमा अनुबंधों के उदाहरण

- ख 18 निम्नलिखित उन अनुबंधों के उदाहरण हैं जो बीमा अनुबंध हैं, और इसमें बीमा जोखिम का अंतरण महत्वपूर्ण है:

(क) सम्पत्ति की चोरी अथवा क्षति के लिए बीमा।

(ख) उत्पाद दायित्व, व्यवसायिक दायित्व, सिविल दायित्व अथवा विधिक व्ययों के लिए बीमा।

- (ग) जीवन बीमा तथा पूर्वदत्त दाह संस्कार योजना (यद्यपि मृत्यु निश्चित है, फिर भी यह अनिश्चित है कि मृत्यु कब होगी अथवा कुछ प्रकार के जीवन बीमा के लिए जिसमें बीमा कवर अवधि के अंदर मृत्यु घटित होगी)।
- (घ) जीवन - आकस्मिता अधिवार्षिकी तथा पेंशन (अर्थात् वे अनुबंध जो अनिश्चित भावी घटना के लिए, दिए गए जीवन स्तर को बनाए रखने में उत्तरजीवी अधिवार्षिकी-ग्राही अथवा पेंशनरों की सहायता के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करते हैं जो अन्यथा उसके उत्तरजीवी द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
- (ङ) विकलांगता तथा चिकित्सा कवर।
- (च) जमानती बॉण्ड, वफादारी बॉण्ड, कार्य निष्पादन बॉण्ड तथा बिड बॉण्ड (अर्थात् वे अनुबंध जो यदि दूसरा पक्षकार अनुबंधात्मक बाध्यता को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो प्रतिपूर्ति प्रदान करते हैं उदाहरण के लिए एक भवन निर्माण करने की बाध्यता)।
- (छ) ऋण बीमा जो धारक को हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए निर्दिष्ट भुगतानों के लिए किया जाता है क्योंकि एक निर्दिष्ट ऋणी भुगतान करने में विफल रहता है, जब वह ऋण लिखत की मूल अथवा संशोधित शर्त के अंतर्गत देय होता है। इन अनुबंधों के कई कानूनी स्वरूप हो सकते हैं, जैसे कि गारंटी, कुछ प्रकार के साख पत्र के साख व्युत्पन्न (डेरिवेटिव), चूक अनुबंध अथवा बीमा अनुबंध। फिर भी, यद्यपि यह अनुबंध एक बीमा अनुबंध की परिभाषा को पूरा करता है, वह साथ में भारतीय लेखा मानक 109 में वित्तीय गारंटी अनुबंध की परिभाषा को पूरा भी करता है तथा भारतीय लेखा मानक 107 तथा भारतीय लेखा मानक 109 के कार्य क्षेत्र के अंदर होता है, न कि इस भारतीय लेखा मानक के अंदर (देखें अनुच्छेद 4 घ)। फिर भी, यदि वित्तीय गारंटी अनुबंधों के जारीकर्ता ने पहले से स्पष्ट रूप से बल दिया है कि ऐसे अनुबंध जिन्हें बीमा अनुबंधों के रूप में माना जाता है तथा बीमा अनुबंधों पर लागू भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का उपयोग किया गया है तो जारीकर्ता इस प्रकार की वित्तीय गारंटी अनुबंधों पर या तो भारतीय लेखा मानक 107 तथा भारतीय लेखा मानक 109 अथवा इस मानक को लागू करने के लिए चयन कर सकता है।
- (ज) उत्पाद वारंटियां निर्माता, डीलर अथवा खुदरा व्यापारी द्वारा बेचे गए माल के लिए एक दूसरे पक्ष द्वारा जारी उत्पाद वारंटियां इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के कार्यक्षेत्र के अंदर आती हैं। तथापि, निर्माता, डीलर अथवा खुदरा व्यापारी द्वारा सीधे जारी की गयी उत्पाद वारंटियां इसके कार्य क्षेत्र से बाहर हैं क्योंकि वे भारतीय लेखा मानक 115 तथा भारतीय लेखा मानक 37 के कार्यक्षेत्र के अंदर हैं।
- (झ) हक बीमा (अर्थात् जमीन के हक में कमी के बाबत बीमा जो उस समय प्रकट नहीं थी जब बीमा अनुबंध किया जा रहा था)। इस मामले में, बीमित घटना हक में कमी की खोज है, न कि अपने आप में कमी है।
- (ञ) यात्रा सहायता (अर्थात् बीमा धारकों को यात्रा करते समय हुई हानि के लिए नकद अथवा वस्तु के रूप में क्षतिपूर्ति)। अनुच्छेद ख 6 तथा ख 7 में इस प्रकार की कुछ अनुबंधों पर विचार विमर्श किया गया है।
- (ट) आपदा बॉण्ड, जो मूलधन, ब्याज अथवा दोनों के लिए कम भुगतान प्रदान करता है, यदि एक निर्दिष्ट घटना बॉण्ड के जारीकर्ता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालता है। (जब तक विशिष्ट घटना महत्वपूर्ण बीमा जोखिम का सृजन नहीं करती है उदाहरण के लिए, यदि इस घटना से ब्याज दर अथवा विदेशी विनिमय दर में बदलाव होता है)।
- (ठ) बीमा विनिमय तथा अन्य अनुबंध, जिनमें जलवायु, भूगर्भीय अथवा अन्य भौतिक परिवर्तनकारकों में बदलावों पर आधारित भुगतान की आवश्यकता है जो अनुबंध के पक्षकार के लिए विशिष्ट है।
- (ड) पुनर्बीमा अनुबंध।

ख 19 निम्नलिखित उन मदों के उदाहरण हैं जो बीमा अनुबंध नहीं हैं:

- (क) निवेश अनुबंध जिनका बीमा अनुबंध का कानूनी स्वरूप होता है परंतु बीमाकर्ता को विशेष बीमा जोखिम से रू-ब-रू नहीं करता, उदाहरण के लिए, जीवन बीमा अनुबंध जिसमें बीमाकर्ता का उल्लेखनीय मृत्यु-जोखिम नहीं होता है (इस प्रकार के अनुबंध गैर-बीमा वित्तीय लिखतें अथवा सेवा अनुबंध हैं, देखें ख 20 तथा ख 21)।
- (ख) वे अनुबंध जिनमें बीमा का कानूनी स्वरूप है परंतु गैर-निरस्तयोग्य तथा प्रवर्तनीय तंत्र के जरिये सभी महत्वपूर्ण बीमा जोखिम को बीमाधारक को पास करता है जो बीमित हानियों के सीधे परिणाम के रूप में बीमाधारक द्वारा भावी भुगतानों को समायोजित करता है, उदाहरण के लिए, कुछ वित्तीय पुनर्बीमा अनुबंध अथवा कुछ समूह अनुबंध (इस प्रकार की अनुबंध सामान्यता गैर-बीमा वित्तीय लिखत अथवा सेवा अनुबंध हैं देखें अनुच्छेद ख 20 तथा ख 21)।
- (ग) स्वबीमा, दूसरे शब्दों में, जोखिम को प्रधारित करना और बनाए रखना जिसे बीमा द्वारा कवर किया जा सकता है (यह कोई बीमा अनुबंध नहीं है क्योंकि किसी दूसरे पक्षकार के साथ कोई करार नहीं है)।
- (घ) अनुबंध (जैसे जुआ अनुबंध) जिसमें भुगतान की आवश्यकता है यदि एक निर्दिष्ट अनिश्चित भावी घटना होती है, परंतु भुगतान के लिए अनुबंधात्मक पूर्व शर्त के रूप में आवश्यक नहीं है कि घटना प्रतिकूल रूप में बीमाधारक को प्रभावित करे। तथापि, यह निर्दिष्ट घटना जैसे मृत्यु अथवा दुर्घटना के द्वारा हुई हानि की मात्रा के निर्धारण को पूर्व निर्धारित भुगतान की विशिष्टता से रोकना नहीं है (अनुच्छेद ख 13 को भी देखें)।

- (ङ) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) जो एक पक्ष को वित्तीय जोखिम से रू-ब-रू करता है परंतु बीमा जोखिम से रू-ब-रू नहीं करता है, क्योंकि जो अपेक्षा करते हैं कि वह पक्ष केवल निर्दिष्ट ब्याज दर, वित्तीय लिखत मूल्य, वस्तु की कीमत, विदेशी विनिमय दर, कीमतों अथवा दरों का सूचकांक अथवा साख मूल्यांकन या साख सूचकांक अथवा अन्य परिवर्तनकारक में से केवल किसी एक अथवा एक से अधिक में बदलाव पर आधारित भुगतान करता है बशर्तें गैर-वित्तीय परिवर्तनकारक के मामले में, वह परिवर्तनकारक अनुबंध की पक्ष के लिए विशिष्ट नहीं है (देखें भारतीय लेखा मानक 109) ।
- (च) एक ऋण-संबंधी गारंटी (अथवा साख पत्र, साख व्युत्पन्न (डेरिवेटिव), चूक अनुबंध अथवा ऋण बीमा अनुबंध) जिसमें भुगतान की आवश्यकता है भले ही धारक ने भुगतान देय होने पर भुगतान के लिए ऋणी की विफलता पर हानि नहीं उठाई है (देखें भारतीय लेखा मानक 109) ।
- (छ) ऐसा अनुबंध जिसमें जलवायु, भूगर्भीय अथवा अन्य भौतिक परिवर्तनकारकों पर आधारित भुगतान की आवश्यकता है जो अनुबंध (सामान्य रूप से मौसम व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) के रूप में वर्णित किया गया है) की एक पक्ष के लिए विशिष्ट नहीं है।
- (ज) आपदा बाँड जो मौसम, भूगर्भीय अथवा अन्य भौतिक परिवर्तनकारक पर आधारित मूलधन, ब्याज अथवा दोनों के कम भुगतान के लिए व्यवस्था करता है वह अनुबंध के पक्ष के लिए विशिष्ट नहीं है।
- ख 20 यदि अनुच्छेद ख 19 में वर्णित अनुबंध, वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय दायित्वों को सृजित करते हैं तो वे भारतीय लेखा मानक 109 के कार्यक्षेत्र के अंदर हैं। अन्य बातों में इसका अर्थ है कि अनुबंध के पक्षकार जिसका उपयोग करते हैं उसे कभी-कभी जमा लेखा कहा जाता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :
- (क) एक पक्ष प्राप्त प्रतिफल को राजस्व की बजाय वित्तीय बाध्यता के रूप में मान्यता देता है।
- (ख) अन्य पक्ष प्रदत्त प्रतिफल को व्यय की बजाय वित्तीय आस्ति के रूप में मान्यता देता है।
- ख 21 यदि अनुच्छेद ख 19 में वर्णित अनुबंध वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय बाध्यताओं को सृजित नहीं करते हैं तो भारतीय लेखा मानक 115 लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत राजस्व को मान्यता तभी दी जाती है जब (या तब) एक प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तु या सेवा के अन्तरण के बाद प्रतिफल के रूप में राशि, जिसके हक की वह प्रतिष्ठान आशा करता है के लिए अपने कार्य-निष्पादन बाध्यता का निर्वहन करता है।

महत्वपूर्ण बीमा जोखिम

- ख 22 एक अनुबंध केवल तभी बीमा अनुबंध होती है यदि यह विशेष बीमा जोखिम को अंतरित करता है। अनुच्छेद ख 8- ख 21 बीमा जोखिम पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद इस निर्धारण की चर्चा करता है कि क्या बीमा जोखिम महत्वपूर्ण है या नहीं।
- ख 23 बीमा जोखिम, तभी और केवल तभी, विशेष है, यदि एक बीमित घटना बीमाकर्ता को किसी परिदृश्य में विशेष अतिरिक्त लाभों के भुगतान के लिए कारण बन सकती हो, यह उस परिदृश्य को छोड़कर है जिसमें वाणिज्यिक सारत्व का अभाव है (अर्थात् लेनदेन के अर्थशास्त्र पर समझने योग्य प्रभाव नहीं पड़ता है)। यदि महत्वपूर्ण अतिरिक्त लाभ उस परिदृश्य में भुगतान योग्य होंगे जिसका वाणिज्यिक सारत्व है, तो पूर्ववर्ती वाक्य में दी गई शर्त को पूरा किया जा सकता है भले ही यदि बीमित घटना घटित होना अत्यंत असंभावित है अथवा यदि प्रत्याशित (अर्थात् संभाव्य भारित) नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य शेष सभी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के प्रत्याशित वर्तमान मूल्य का एक छोटा अंश है।
- ख 24 अनुच्छेद ख 23 में वर्णित अतिरिक्त लाभ उस राशि को संदर्भित करता है जो उस राशि से अधिक है जो भुगतानयोग्य होगा यदि कोई बीमित घटना घटित नहीं हुई है (उस परिदृश्य को छोड़कर जिसमें वाणिज्यिक सारत्व का अभाव है)। उन अतिरिक्त राशियों में संचालन दावें तथा दावों की निर्धारण लागतें सम्मिलित हैं परन्तु निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :
- (क) भावी सेवाओं के लिए बीमाधारक को उत्तरदायी ठहराने की योग्यता का अभाव । उदाहरण के लिए, एक निवेश संबंधित जीवन बीमा अनुबंध में बीमाधारक की मृत्यु का अर्थ है कि बीमाकर्ता निवेश प्रबंधन सेवाओं को पूरा नहीं कर सकता है तथा ऐसा करने के लिए शुल्क को एकत्रित नहीं कर सकता। तथापि, बीमाकर्ता के लिए यह आर्थिक हानि बीमा जोखिम को प्रतिबिंबित नहीं करता जैसा कि म्यूचुअल फंड प्रबंधक ग्राहक की संभावित मृत्यु के संबंध में बीमा जोखिम को नहीं लेता। इसलिए, भावी निवेश प्रबंधन शुल्क की संभावित हानि यह निर्धारण करने के लिए प्रसांगिक नहीं है कि अनुबंध के द्वारा कितने बीमा जोखिम को अंतरित किया गया है।
- (ख) मृत्यु के प्रभारों को समाप्त करना जोकि निरसन अथवा अभ्यर्पण पर हो सकते हैं। चूंकि अनुबंध उन प्रभारों को आस्तित्व में लायी है, अतः इन प्रभारों को समाप्त करने से पॉलिसी धारक को पूर्व व्यापी जोखिम की प्रतिपूर्ति नहीं होती है, अतः यह निर्धारण करने के लिए यह प्रासंगिक नहीं है कि अनुबंध द्वारा कितना बीमा जोखिम अंतरित किया गया है।
- (ग) उस घटना पर सशर्त भुगतान जिससे अनुबंध के धारक को महत्वपूर्ण हानि नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक अनुबंध पर विचार करें जिनमें जारीकर्ता को एक मिलियन रुपये के भुगतान करने की अपेक्षा है यदि धारक को एक रुपये की महत्वहीन आर्थिक हानि होने के कारण एक आस्ति को भौतिक क्षति होती है। इस अनुबंध में, धारक बीमाकर्ता को एक रुपये के महत्वहीन जोखिम को अंतरित करता है। उसी तरह, अनुबंध गैर-बीमा जोखिम का सृजन करता है, जिसमें जारीकर्ता को रुपये 999,999 के भुगतान करने की आवश्यकता होगी यदि निर्दिष्ट घटना घटित है। चूंकि जारीकर्ता धारक से महत्वपूर्ण बीमा जोखिम को स्वीकार नहीं करता, इसलिए यह अनुबंध एक बीमा अनुबंध नहीं है।

- (घ) संभावित पुनर्बीमा वसूलियां। बीमाकर्ता इनके लिए पृथक रूप से लेखा करता है।
- ख 25 वित्तीय विवरणों¹⁴ की सारवानता के संदर्भ की बजाय एक बीमाकर्ता बीमा जोखिम अनुबंध के महत्व को अनुबंध द्वारा निर्धारित करेगा। इसलिए, बीमा जोखिम महत्वपूर्ण हो सकता है, भले ही अनुबंधों की संपूर्ण किताब के लिए सारवान हानि की न्यूनतम संभावना है। इस अनुबंध-दर-अनुबंध निर्धारण से एक अनुबंध को बीमा अनुबंध के रूप में वर्गीकृत करना आसान हो जाता है। यद्यपि, अपेक्षाकृत छोटे अनुबंधों के सदृश किताब को अनुबंधों वाले किताब के रूप में जाना जाता है जिसमें सभी अन्तरण बीमा जोखिम होता है तो एक बीमाकर्ता को कुछ गैर-व्युत्पन्न अनुबंधों की पहचान के लिए उस किताब के अन्दर प्रत्येक अनुबंध के परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है जो महत्वहीन बीमा जोखिम का अंतरण करता है।
- ख 26 यह अनुच्छेद ख 23 - ख 25 का अनुसरण करता है जिसमें कहा गया है कि यदि अनुबंध जीवित रहने पर देय राशि से अधिक मृत्यु लाभ का भुगतान करता है तो यह अनुबंध तब तक एक बीमा अनुबंध है जब तक अतिरिक्त मृत्यु लाभ मामूली है (अनुबंधों की पूरी पुस्तक की बजाय अनुबंध के संदर्भ में है) जैसा कि अनुच्छेद 24(स) में नोट किया गया है मृत्यु होने पर निरसन अथवा अभ्यर्पण प्रभारों को निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया, यदि इस छूट से बीमाधारक को पूर्व विद्यमान जोखिम के लिए क्षतिपूर्ति नहीं होती है। इसी तरह, एक अधिवार्षिकी अनुबंध जो बीमाधारक के बाकी जीवन के लिए नियमित राशि का भुगतान करता है वह एक बीमा अनुबंध है जब तक कुल जीवन - आकस्मिकता भुगतान महत्वहीन न हो।
- ख 27 अनुच्छेद ख 23 अतिरिक्त लाभों को संदर्भित करता है। इन अतिरिक्त लाभों में पहले ही भुगतान करने की लाभों को आवश्यकता शामिल की जा सकती है यदि बीमित घटना पहले ही घटित होती है तथा भुगतान को धन के समय मूल्य के लिए समायोजित नहीं किया गया है। इसका एक उदाहरण निश्चित राशि के लिए संपूर्ण जीवन बीमा है (दूसरे शब्दों में, ऐसा बीमा जिसमें बीमाधारक की मृत्यु होने तक एक निर्धारित मृत्यु लाभ प्रदान किया जाता है और कवर के लिए समाप्ति तारीख नहीं होती है)। यह निश्चित है कि बीमाधारक की मृत्यु होगी परंतु मृत्यु की तिथि अनिश्चित है। बीमाकर्ता को उन व्यक्तिगत अनुबंधों पर हानि होगी जिसके लिए बीमाधारक की जल्दी मृत्यु होती है, भले ही अनुबंधों की संपूर्ण पुस्तक में कोई समग्रतया हानि नहीं होती है।
- ख 28 यदि बीमा अनुबंध को एक जमा घटक तथा एक बीमा संघटक के रूप में अलग किया जाता है तो, बीमा जोखिम अंतरण के महत्व का निर्धारण बीमा घटक के संदर्भ में किया जाता है। एक सन्निहित व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) के द्वारा अंतरित बीमा जोखिम का महत्व सन्निहित व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है।

बीमा जोखिम के स्तर में परिवर्तन

- ख 29 कुछ अनुबंध आरंभ में जारीकर्ता को कोई बीमा जोखिम अंतरित नहीं करते, यद्यपि वे बाद में बीमा जोखिम को अंतरित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसे अनुबंध पर विचार करें जो एक विनिर्दिष्ट निवेश प्रतिफल उपलब्ध कराता है तथा जिसमें पॉलिसी धारक के लिए यह विकल्प शामिल होता है कि वह अन्य नये वार्षिकाग्राही को जब पॉलिसी धारक विकल्प का प्रयोग करता है तो बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित वर्तमान वार्षिकी दरों पर जीवन - आकस्मिकता वार्षिकी को खरीदने के लिए परिपक्वता पर निवेश की प्राप्ति का उपयोग करे। अनुबंध कोई बीमा जोखिम जारीकर्ता को अंतरित नहीं करता है जब तक कि विकल्प का उपयोग न कर लिया गया हो क्योंकि बीमाकर्ता उस आधार पर वार्षिकी की कीमत लगाने के लिए स्वतंत्र है जो उस समय बीमाकर्ता को अंतरित बीमा जोखिम प्रतिबिंबित करता है। तथापि, यदि अनुबंध वार्षिकी दर (अथवा वार्षिकी दरों के निर्धारण के लिए आधार) को निर्दिष्ट करता है, तो अनुबंध जारीकर्ता को आरंभ में ही बीमा जोखिम को अंतरित करता है।
- ख 30 एक अनुबंध, जो एक बीमा अनुबंध के रूप में अर्हता प्राप्त करता है, तब तक एक बीमा अनुबंध बना रहता है जब तक कि सभी अधिकार तथा बाध्यताएं समाप्त या कालातीत नहीं हो जाती हैं।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन भारतीय लेखा मानक 104 तथा अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 4 बीमा-अनुबंध, के बीच यदि कोई प्रमुख अंतर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 4, बीमा-अनुबंध, के साथ तुलना

1. मौजूदा कानूनों के समरूप बनाने के लिए भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है अर्थात् शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
2. 'आई एफ आर एस' 4 में दिये गये संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 104 में नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उपर्युक्त समझा गया, 'आई एफ आर एस' 1, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथम बार अंगीकरण के तदनुसूची भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण, में सम्मिलित किये गये हैं।

¹⁴ इस प्रयोजन के लिए, अनुबंध एकल प्रतिपक्ष के साथ एकल अनुबंध (अथवा अनुबंधों जो अन्यथा परस्पर निर्भर हैं) के रूप में एक-साथ जारी किये जाते हैं।

3. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आई ए एस बी) द्वारा 'आई एफ आर एस' 4 में से अनुच्छेद 39 (ख) हटा दिया गया है। फिर भी, भारतीय लेखा मानक 104 के अनुच्छेदों की क्रम संख्याओं की है 'आई एफ आर एस' 4 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे, इस आशय से इस अनुच्छेद संख्या को भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 104 में रहने दिया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105

बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं)।

उद्देश्य

3. इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का उद्देश्य, बिक्री के लिए धारित आस्तियों के लेखा तथा बंद परिचालनों के प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटन को विनिर्दिष्ट करना है। विशेषकर, यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) यह अपेक्षा करता है कि :

- (क) आस्तियां जो बिक्री के लिए धारित के वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत को घटा कर उचित मूल्य, इन दोनों में जो भी कम है, उस पर मापा जायेगा तथा इस प्रकार की आस्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाना बंद हो जाता है; तथा
- (ख) आस्तियां जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण के मापदंड को पूरा करती हैं, को तुलन-पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा बंद परिचालनों के परिणामों को लाभ तथा हानि के विवरण में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यक्षेत्र

2. इस इंड ए एस की वर्गीकरण तथा प्रस्तुतिकरण की अपेक्षाएं प्रतिष्ठान की सभी मान्य गैर-चालू आस्तियों¹⁵ तथा सभी निपटान समूहों पर लागू होती हैं। इंड ए एस की माप अपेक्षाएं सभी मान्यता गैर-चालू आस्तियों तथा निपटान समूहों पर लागू होती हैं, [जैसा कि अनुच्छेद 4 में निर्धारित किया गया है।] लेकिन, ये अनुच्छेद 5 में सूचीबद्ध आस्तियों पर लागू नहीं होती हैं जिनका माप उनके साथ उल्लिखित मानकों के अनुसार ही जारी रहेगा।
3. इंड ए एस 1, *वित्तीय विवरण की प्रस्तुतिकरण*, के अनुसार गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत आस्तियों को चालू आस्तियों के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा जब तक वे इस इंड ए एस के अनुसार बिक्री के रूप में धारित वर्गीकरण के मानदंड को पूरा नहीं करतीं। एक श्रेणी की आस्तियां जिन्हें एक प्रतिष्ठान सामान्यतः गैर-चालू मानता है जो कि एक निष्ट रूप से पुनः बिक्री के लिए अधिग्रहित की गई हैं को चालू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि वे इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण के मानदंड को पूरा नहीं करती हैं।
4. कभी-कभी एक प्रतिष्ठान आस्तियों के एक समूह का निपटान संभवतः किसी प्रत्यक्ष दायित्व के साथ जोड़कर एकल लेन-देन में करता है। इस प्रकार का निपटान-समूह नकद सृजन इकाईयों का समूह, एक एकल नकद सृजन इकाई अथवा नकद सृजन इकाई का एक भाग¹⁶ हो सकता है। समूह में प्रतिष्ठान की कोई भी आस्तियां अथवा दायित्व जिसमें चालू आस्तियां व चालू दायित्व तथा इस इंड ए एस के अनुच्छेद 5 द्वारा छोड़ी गयीं आस्तियां सम्मिलित हो सकती हैं। यदि इस इंड ए एस की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कोई गैर चालू आस्ति निपटान समूह का भाग बनती है तो इस इंड ए एस की माप अपेक्षाएं पूरे समूह पर लागू होती हैं, ऐसे में समूह को अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य पर, इनमें जो भी कम है, उस पर मापा जाता है। निपटान समूह के अंदर व्यक्तिगत आस्तियों तथा दायित्वों को मापने की अपेक्षाएं अनुच्छेद 18, 19 तथा 23 में निर्धारित की गयी हैं।
5. इस इंड ए एस¹⁷ के माप उपबंध निम्नलिखित आस्तियों पर लागू नहीं होते हैं, जो संबंधित इंड ए एस में, व्यक्तिगत आस्तियां अथवा निपटान समूह के भाग के रूप में सूचीबद्ध की गयीं हैं :
- (क) आस्थगित कर आस्तियां [इंड ए एस 12, *आयकर*]
 - (ख) कर्मचारी लाभों से उत्पन्न आस्तियां [इंड ए एस 19, *कर्मचारी लाभ*]
 - (ग) इंड ए एस 109, *वित्तीय लिखतें*, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय आस्तियां।
 - (घ) [देखें परिशिष्ट 1]।
 - (ङ) गैर-चालू आस्तियां जिन्हें इंड ए एस 41, *कृषि*, के अनुसार बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य पर मापा जाता है।
 - (च) बीमा अनुबंधों के अन्तर्गत अनुबंधात्मक अधिकार जिन्हें इंड ए एस 104, *बीमा अनुबंध*, में परिभाषित किया गया है।

¹⁵ चलनिधि(लिविडिटी) प्रस्तुति के अनुसार वर्गीकृत आस्तियों के लिए गैर-चालू आस्तियों में वे आस्तियां सम्मिलित हैं जिनकी रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह से अधिक समय के बाद वसूल होने की आशा है। अनुच्छेद 3 इस प्रकार की आस्तियों के वर्गीकरण पर लागू होता है।

¹⁶ चूंकि एक आस्ति अथवा आस्तियों के समूह से नकद प्रवाह मुख्यतया लगातार उपयोग की बजाय बिक्री से उत्पन्न होने की आशा होती है, वे अन्य आस्तियों से उत्पन्न नकद प्रवाहों पर कम निर्भर हो जाते हैं तथा एक निपटान समूह जो एक नकद सृजक इकाई का अंग था एक पृथक नकद सृजक इकाई बन जाता है।

¹⁷ अनुच्छेद 18 और 19 से भिन्न प्रश्नगत आस्तियों को अन्य लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार मापी जाएगी।

- 5 क. इस इंड ए एस के वर्गीकरण, प्रस्तुति तथा माप की अपेक्षाएं उस एक गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) पर लागू होती हैं, जिन्हें बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे स्वामित्व की हैसियत से (स्वामियों को वितरण के लिए धारित) इस इंड ए एस के वर्गीकरण, प्रस्तुति तथा माप की अपेक्षाएं गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) पर भी लागू होंगी जिन्हें स्वामियों के वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 5 ख. यह इंड ए एस बंद परिचालनों अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) के संबंध में अपेक्षित प्रकटन को विनिर्दिष्ट करता है। अन्य इंड ए एस के प्रकटन इस प्रकार की आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) पर लागू नहीं होते हैं, जब तक कि उन भारतीय लेखा मानकों की ऐसी अपेक्षा न हों।
- (क) बंद परिचालनों अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) के संदर्भ में विशिष्ट प्रकटन; अथवा
- (ख) एक निपटान समूह के अंदर आस्तियों तथा दायित्वों के माप के बारे में प्रकटन, जो इंड ए एस 105 की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं तथा वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियों में पहले से नहीं किये गये हैं।
- बिक्री के लिए धारित या बंद परिचालनों के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) के बारे में अतिरिक्त प्रकटन भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 की सामान्य अपेक्षाओं, और विशेषकर उस मानक के अनुच्छेद 15 तथा 125 की अपेक्षाओं, के अनुपालन के लिए आवश्यक हो सकता है।

बिक्री के लिए धारित अथवा स्वामियों को वितरण के लिए धारित गैर चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) का वर्गीकरण

6. एक प्रतिष्ठान एक गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूहों) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करेगा यदि इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि मुख्य रूप से लगातार उपयोग की बजाय बिक्री के लेनदेन के द्वारा वसूल होगी।
7. ऐसा मामला होने के लिए, आस्ति (अथवा निपटान समूह) वर्तमान स्थिति में तुरन्त बिक्री के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, जो केवल उन शर्तों के तहत हो जो इस प्रकार की आस्तियों (निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य तथा पारंपारिक हैं तथा बिक्री अति संभावित होनी चाहिए। इस तरह, एक आस्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्ति (या निपटान समूह) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता यदि प्रतिष्ठान इसे भविष्य में बहुत समय के बाद बिक्री करना चाहता है।
8. बिक्री की अति संभावना के लिए, प्रबन्धन का उपयुक्त स्तर आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री की योजना के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा क्रेता की खोज के लिए वह एक सक्रिय कार्यक्रम द्वारा योजना को पूरा करने के सभी प्रयास आरंभ करे। साथ ही, आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन आवश्यक है ताकि उसे ऐसी कीमत पर बेचा जा सके जो चालू उचित मूल्य के अनुसार उचित हों। इसके अतिरिक्त, (आस्ति निपटान) में बिक्री के रूप में वर्गीकृत करने की तिथि से एक वर्ष के अंदर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता की अहर्ता होनी चाहिए, सिवाय ऐसी स्थिति जिसकी अनुच्छेद 9 के द्वारा अनुमति दी गई हो, जब योजना को पूर्ण करने की कार्यवाही में ऐसे संकेत हों कि योजना में शायद ही कोई उल्लेखनीय बदलाव किया जा सकता है अथवा योजना को वापिस लिया जा सकता है। क्या बिक्री अति शीघ्र हो सकती है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए शेयरधारकों की अनुमति (जहां आवश्यक है) उस निर्धारण का हिस्सा मानी जाएगी।
- 8 क. एक प्रतिष्ठान जो इस प्रकार की बिक्री-योजना के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें अनुषंगी प्रतिष्ठान पर अपना नियंत्रण खोना लिप्त है तो वह उस अनुषंगी प्रतिष्ठान की सभी आस्तियों तथा दायित्वों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करेगा जब उसमें अनुच्छेद 6-8 में निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया हो। यद्यपि चाहे वह प्रतिष्ठान बिक्री के पश्चात् भी भूतपूर्व अनुषंगी प्रतिष्ठान में गैर-नियंत्रित हित बरकरार रखेगा।
9. घटनाएं अथवा परिस्थितियां बिक्री को पूर्ण करने की अवधि को एक वर्ष से आगे बढ़ा सकती हैं। एक बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि का विस्तार एक आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने से नहीं रोकता यदि देरी प्रतिष्ठान की उस घटना अथवा परिस्थिति के कारण हुई हो जिस पर उसका कोई वश न था और इस बात का पर्याप्त साक्ष्य हो कि प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की अपनी योजना के लिए प्रतिबद्ध है। यह मामला तब होगा जब परिशिष्ट 'ख' में दिया गया मानदंड पूरा होगा।
10. बिक्री लेन-देनों में अन्य गैर चालू आस्तियों के लिए गैर चालू आस्तियों का विनिमय सम्मिलित रहता है जब भारतीय लेखा मानक 16, *आस्तियां, संयंत्र और उपस्कर* के अनुसार विनिमय का वाणिज्यिक सारत्व हो।
11. जब एक प्रतिष्ठान इस आशय से एक निष्ट रूप से गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का अधिग्रहण करता है कि वह इसका निपटान बाद में करेगा, तो वह अधिग्रहण तिथि पर बिक्री के लिए धारित के रूप में गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण करेगा बशर्ते अनुच्छेद 8 में दी गयी एक वर्ष की अपेक्षा पूरी होती हो (लेकिन अनुच्छेद 9 के द्वारा अनुमति को छोड़कर) तथा इसकी अधिक संभावना रहे कि अनुच्छेद 7 तथा 8 में किसी अन्य मानदंड को, जिसे उस तिथि तक पूरा नहीं किया गया है, अधिग्रहण (प्रायः तीन माह के अंदर) अल्प अवधि में पूरा कर लिया जायेगा।
12. यदि अनुच्छेद 7 तथा 8 में दिये गये मानदंडों को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् पूरा किया जाता है तो प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित एक गैर चालू आस्ति को उन वित्तीय विवरणों में, जब वे जारी किये जाते हैं, बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं

करेगा। लेकिन, जब रिपोर्टिंग अवधि के बाद और वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पूर्व मानदंडों को पूरा कर लिया जाता है तो प्रतिष्ठान टिप्पणियों के अनुच्छेद 41 (क), (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट सूचना को प्रकट करेगा।

- 12 क. एक गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को स्वामियों को वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब प्रतिष्ठान स्वामियों को आस्ति (अथवा निपटान समूह) को वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा मामला होने के लिए, एक आस्ति को अपनी वर्तमान स्थिति में तुरन्त वितरण के लिए उपलब्ध होना चाहिए, वितरण अतिसंभाव्य हो और उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही तुरन्त आरंभ कर देनी चाहिए और वह (कार्यवाही) वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर पूरी होने की अपेक्षा होनी चाहिए। वितरण को पूर्ण करने के लिए की जा रही अपेक्षित कार्यवाही में यह संकेत होना चाहिए कि वितरण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की अथवा वितरण को वापस लिए जाने की संभावना नहीं है। अंशधारकों की अनुमति की संभावना (यदि न्याय क्षेत्र में आवश्यक है), क्या वितरण अति संभाव्य है का निर्धारण करने के लिए एक हिस्से के रूप में मानी जाएगी।

गैर चालू आस्तियां जिनका परित्याग किया जाना है

13. एक प्रतिष्ठान एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) जिसका परित्याग किया जाना है को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा। यह इसलिए है कि इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि को मुख्यतः निरन्तर उपयोग द्वारा ही वसूला जायेगा। यद्यपि, यदि परित्याग किये जाने वाला निपटान-समूह अनुच्छेद 32 (क) - (ग) में दिये गये मानदंडों को पूरा करता है तो प्रतिष्ठान निपटान-समूह के परिणामों तथा नकद प्रवाहों को अनुच्छेद 33 तथा 34 के अनुसार बंद परिचालन के रूप में प्रस्तुत करेगा और यह उस तिथि पर करेगा जिस पर उसका प्रयोग बंद कर दिया गया था। परित्याग की जाने वाली गैर चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) में वे गैर चालू आस्तियां (अथवा निपटान समूह) भी सम्मिलित हैं जिन्हें उनके आर्थिक जीवन के अंत तक प्रयुक्त किया जाना है और गैर चालू आस्तियां (अथवा निपटान समूह) जिन्हें बेचने की बजाय बंद किया जाना है।
14. एक प्रतिष्ठान एक गैर चालू आस्ति का उस स्थिति में लेखा नहीं करेगा जिसे अस्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया गया हो, जैसे कि, उसका परित्याग कर दिया गया हो।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) का माप

गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का माप

15. एक प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का माप उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत घटाकर उसके उचित मूल्य, इनमें से जो भी कम है, उस पर करेगा।
- 15 क. एक प्रतिष्ठान स्वामियों को वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का माप उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा वितरण की लागत घटाकर उचित मूल्य, इनमें से जो भी कम है, उस पर करेगा।¹⁸
16. यदि नयी अधिगृहीत आस्ति (अथवा निपटान समूह) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंड (अनुच्छेद 11 देखें) को पूरा करती है, तो अनुच्छेद 15 का प्रयोग यह परिणाम देगा कि आस्ति को आरंभिक मान्यता पर अग्रणीत (कैरिंग) राशि पर, जैसे कि उसका वर्गीकरण इस रूप में किया ही नहीं गया है, (उदाहरण के लिए, लागत) तथा बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य, इन दोनों में से जो भी राशि कम है उस पर मापा जायेगा। अतः यदि आस्ति (अथवा निपटान समूह) को व्यवसाय के संयोजन के रूप में अधिगृहीत किया गया है, तो इसे उचित मूल्य घटा बिक्री के लिए लागत पर मापा जाएगा।
17. जब बिक्री की एक वर्ष के बाद होने की आशा है तब प्रतिष्ठान बिक्री की लागतों को उनके वर्तमान मूल्य पर मापेगा। समय बीतने के बाद यदि बिक्री की लागतों के वर्तमान मूल्य में कोई वृद्धि होती है, तो उसे वित्त पोषण लागत के रूप में लाभ अथवा हानि में प्रस्तुत किया जाएगा।
18. बिक्री के लिए धारित आस्ति (अथवा निपटान समूह) के आरंभिक वर्गीकरण से एकदम पूर्व आस्ति (अथवा समूह की आस्तियों या दायित्वों) की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों को लागू इंड ए एस के अनुसार मापा जायेगा।
19. एक निपटान-समूह के बाद में पुनः माप पर किसी आस्ति तथा दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों को जो इस भारतीय लेखा मानक की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं, लेकिन बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में सम्मिलित है, निपटान समूह की बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य पर पुनः माप से पूर्व लागू भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनः मापा जाएगा।

क्षतिग्रस्तता हानियों एवं उलटाव की मान्यता

20. एक प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) के किसी आरंभ के अथवा बाद के अपलेखन के लिए क्षतिग्रस्तता हानि को बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य पर उस हद तक मान्यता देगा जहां तक अनुच्छेद 19 के अनुसार मान्यता नहीं दी गयी है।
21. एक प्रतिष्ठान एक आस्ति को बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य में किसी बाद की वृद्धि से हुए लाभ को मान्यता देगा परन्तु वह संग्रहीत क्षतिग्रस्तता हानि से अधिक नहीं होगा जिसे इस इंड ए एस के अनुसार अथवा पहले इंड ए एस 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता*, के अनुसार मान्यता दी थी।

¹⁸ वितरण के लिए लागतें वे वृद्धिशील लागतें हैं जो वितरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और इनमें वित्तीय लागतें व आयकर-संबंधी व्यय सम्मिलित नहीं हैं।

22. एक प्रतिष्ठान एक निपटान समूह की बिक्री लागत को घटाकर उचित मूल्य में बाद की वृद्धि के लिए लाभ को निम्नलिखित अनुसार मान्यता देगा :
- (क) जिस हद तक इसे अनुच्छेद 19 के अनुसार मान्यता नहीं दी गयी है; परन्तु
- (ख) संग्रहीत क्षतिग्रस्तता हानि, जिसे इस इंड ए एस अथवा पहले इंड ए एस 36 के अनुसार, गैर चालू आस्ति पर मान्यता दी है और जो इस भारतीय लेखा मानक के माप की अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है।
23. एक निपटान समूह के लिए मान्य क्षतिग्रस्तता हानि (अथवा बाद का कोई लाभ) एक मान्य समूह में गैर चालू आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को कम करेगा (अथवा बढ़ाएगा) जो भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 36, के अनुच्छेद 104 (क) तथा (ख) और अनुच्छेद 122 में निर्धारित किए गए आबंटन के क्रम में इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है।
24. एक लाभ अथवा हानि को जिसे गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री पर पहले मान्यता नहीं दी गयी है, गैर मान्यता की तिथि पर मान्यता दी जायेगी। अमान्यता से संबंधित अपेक्षाएं इस प्रकार से निर्धारित की गयी हैं :
- (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए इंड ए एस 10 के अनुच्छेद 67-72, तथा
- (ख) अमूर्त आस्तियों के लिए इंड ए एस 38, *अमूर्त आस्तियां*, के अनुच्छेद 112-117।
25. एक प्रतिष्ठान उस गैर चालू आस्ति को मूल्यह्रासित (अथवा परिशोधित) नहीं करेगा जिसे किसी बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा यह बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह का एक भाग है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की देयताओं से जुड़े ब्याज तथा अन्य व्यय को मान्यता जारी रहेगी।

बिक्री की योजना में परिवर्तन

26. यदि प्रतिष्ठान ने एक आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री में धारित के रूप में वर्गीकृत तो किया है लेकिन उसने अनुच्छेद 7-9 में दिये गये मानदंड पूरे नहीं किये हैं तो प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करना बंद कर देगा।
27. प्रतिष्ठान ने जब एक गैर-चालू आस्ति बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करना बंद कर दी है, (अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान-समूह में शामिल करना बंद कर दिया है), तो वह निम्नलिखित में जो कम है, उस पर माप करेगा :
- (क) जब आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया था, उससे पूर्व अग्रणीत (कैरिंग) राशि को किसी मूल्यह्रास, परिशोधन अथवा पुनर्मूल्यांकन से समायोजित किया जाता है व मान्यता दी जाती अगर आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया ही नहीं गया होता; तथा
- (ख) बिक्री न करने के बाद के निर्णय की तिथि पर इसकी वसूली योग्य राशि।¹⁹
28. प्रतिष्ठान गैर चालू आस्ति जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने से बंद हो जाती है की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के अपेक्षित समायोजन को उस अवधि के जारी परिचालन से लाभ अथवा हानि में सम्मिलित करेगा²⁰ जिसमें अनुच्छेद 7-9 के मानदंड पूरे नहीं हुए हैं। बिक्री के रूप में धारित में वर्गीकरण की बाद की अवधियों के वित्तीय वितरणों को तदनुसार संशोधित किया जायेगा यदि निपटान समूह अथवा गैर चालू सम्पत्ति जो बिक्री के रूप में वर्गीकृत किये जाने से बन्द हो जाती है एक अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त परिचालन, संयुक्त उद्यम, सहयोगी प्रतिष्ठान या एक संयुक्त उद्यम या एक सहयोगी प्रतिष्ठान में हित का एक भाग है। उस समायोजन को लाभ तथा हानि के विवरण में उसी शीर्ष में प्रस्तुत करेगा जैसेकि अनुच्छेद 37 के अनुसार मान्य एक लाभ अथवा हानि को, यदि कोई है, को प्रस्तुत किया गया हो।
29. यदि एक प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह से एक व्यक्तिगत आस्ति अथवा दायित्व को हटाता है, तो निपटान समूह की शेष आस्ति तथा दायित्व, जिसे बेचा जाना है, एक समूह के रूप में माप जारी रहेगा यदि समूह अनुच्छेद 7-9 के मानदंड को पूरा करता है। अन्यथा, समूह की शेष गैर चालू आस्तियां, जो व्यक्तिगत रूप से बिक्री के लिए धारित आस्ति के रूप में वर्गीकृत मानदंड को पूरा करती है उस तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य इन दोनों में जो कम है, उस पर मापा जायेगा। कोई गैर चालू आस्ति, जो मानदंड को पूरा नहीं करती, अनुच्छेद 26 के अनुसार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने से बंद हो जायेगी।

प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटन

30. एक प्रतिष्ठान उस सूचना को प्रस्तुत तथा प्रकट करेगा जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को बंद परिचालनों तथा गैर चालू आस्तियों के निपटानों (अथवा निपटान समूहों) के वित्तीय प्रभावों का आकलन करने में समर्थ करती है।

¹⁹ यदि गैर चालू आस्ति एक नकद सृजन इकाई का भाग है, इसकी वसूली योग्य राशि ही अग्रणीत (कैरिंग) राशि है जिसे भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार उस नकद सृजन इकाई से उत्पन्न किसी क्षतिग्रस्तता हानि के आबंटन के पश्चात् मान्यता दी गयी है।

²⁰ जब तक आस्ति, एक सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर अथवा अमूर्त आस्ति न हो जिसे भारतीय लेखा मानक 16 अथवा भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत से पूर्व पुनः मूल्यांकित किया गया है, उस मामले में, समायोजन को पुनः मूल्यांकन की वृद्धि अथवा कमी के रूप में माना जायेगा।

बंद परिचालनों का प्रस्तुतिकरण

31. एक प्रतिष्ठान का घटक परिचालनों तथा नकद प्रवाहों से मिल कर बना होता है जिन्हें स्पष्ट रूप से शेष प्रतिष्ठान से परिचालन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए अलग किया जा सकता है। अन्य शब्दों में, एक प्रतिष्ठान का घटक एक नकद सृजक इकाई अथवा नकद सृजक इकाइयों का समूह होगा जब इसे उपयोग के लिए धारित किया है।
32. एक बंद परिचालन, एक प्रतिष्ठान का वह घटक है जिसका या तो निपटान किया गया है अथवा उसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा
- (क) वह व्यवसाय की एक पृथक मुख्य रेखा है अथवा परिचालनों के पृथक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
- (ख) वह परिचालनों का एक भौगोलिक क्षेत्र अथवा व्यवसाय की पृथक मुख्य रेखा के निपटान की एक एकल समन्वित योजना का एक भाग है ; अथवा
- (ग) वह पुनः बिक्री के आशय से एक निष्ट रूप से अधिग्रहीत एक अनुषंगी प्रतिष्ठान है।
33. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा
- (क) निम्नलिखित के योग से मिलकर बनी लाभ एवं हानि के विवरण में एक एकल राशि :
- (i) बंद परिचालनों का करोपरान्त लाभ अथवा हानि, तथा
- (ii) बंद परिचालन के रूप में गठित आस्तियों या निपटान समूह (समूहों) के निपटान पर अथवा बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य के माप पर मान्य करोपरान्त लाभ अथवा हानि ।
- (ख) उपर्युक्त 'क' में एकल राशि का निम्नलिखित में विश्लेषण :
- (i) बंद परिचालनों का राजस्व, व्यय तथा करपूर्व लाभ अथवा हानि
- (ii) इंड ए एस 12 के अनुच्छेद 81 (झ) द्वारा अपेक्षित संबंधित आयकर व्यय ; तथा
- (iii) बंद परिचालन के रूप में गठित आस्तियों या निपटान समूह (समूहों) के निपटान पर या बिक्री की लागतों को घटा कर उचित मूल्य के माप पर मान्य लाभ अथवा हानि ; तथा
- (iv) इंड ए एस 12 के अनुच्छेद 81 (झ) द्वारा अपेक्षित संबंधित आयकर व्यय ।
- विश्लेषण को टिप्पणियों में अथवा लाभ तथा हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि इसे लाभ तथा हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे बंद परिचालनों से संबंधित एक अलग खंड में प्रस्तुत किया जायेगा अर्थात् जारी परिचालनों से पृथक । विश्लेषण निपटान समूह उन नयी अधिग्रहीत अनुषंगियों के लिए आवश्यक नहीं है जो अधिग्रहण पर बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंड को पूरा करती है (देखें अनुच्छेद 11) ।
- (ग) बंद परिचालनों की परिचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से जुड़े शुद्ध नकदी प्रवाह । इन प्रकटनों को या तो वित्तीय विवरणों में अथवा टिप्पणियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन प्रकटनों की निपटान समूह के लिए आवश्यकता नहीं है जो अधिग्रहण पर बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंड को पूरा करती है। (अनुच्छेद 11 देखें)
- (घ) मूल प्रतिष्ठान के स्वामियों से संबंधित चालू तथा बंद परिचालनों से आय की राशि । ये प्रकटन टिप्पणियों में अथवा लाभ तथा हानि के विवरणों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
- 33 क [देखें परिशिष्ट 1]
34. एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत गत अवधि के लिए अनुच्छेद 33 में प्रकटन को पुनः प्रस्तुत करेगा ताकि प्रकटन उन सभी परिचालनों से प्रस्तुत नवीनतम अवधि के लिए संबंधित रहें जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक बंद हो गये हैं।
35. बंद परिचालन में पहले से प्रस्तुत राशि की चालू अवधि में समायोजन जो गत अवधि में बंद परिचालन के निपटान से सीधा रूप से संबंधित का बंद परिचालन में पृथक रूप से वर्गीकृत किया जायेगा । इस प्रकार के समायोजन की प्रकृति तथा राशि को प्रकट किया जायेगा। इस प्रकार की परिस्थिति के उदाहरण, जिसमें समायोजन उत्पन्न हो सकता है, में निम्न सम्मिलित हैं :
- (क) अनिश्चितता का समाधान जो निपटान लेनदेन की शर्त से उत्पन्न होता है, जैसे क्रय कीमत समायोजन का समाधान तथा क्रेता के साथ क्षतिपूर्ति का मुददा ।
- (ख) अनिश्चितताओं का समाधान जो निपटान से पूर्व घटक के परिचालन से उत्पन्न होता है तथा सीधे रूप से संबंधित है, जैसे विक्रेता द्वारा रखे गये पर्यायवरण तथा उत्पाद वारंटी संबंधी बाध्यता।
- (ग) कर्मचारी लाभ योजना की बाध्यताओं का निपटान बशर्ते निपटान सीधे रूप से निपटान लेन-देनों से संबंधित है।
36. यदि एक प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान के एक घटक को बिक्री हेतु वर्गीकरण में बंद करता है, अनुच्छेद 33-35 के अनुसार बंद परिचालन में पहले से प्रस्तुत घटक का परिचालन का परिणाम को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा तथा प्रस्तुत सभी अवधि के लिए जारी परिचालन से आय में सम्मिलित किया जाएगा । पूर्व अवधि के लिए राशि को इस तरह से वर्णित किया जायेगा कि जैसे वह पुनः प्रस्तुत की गई है।
- 36 क. एक प्रतिष्ठान जो बिक्री योजना से प्रतिबद्ध है जिससे एक अनुषंगी के नियंत्रण की समाप्ति हो जाएगी, अनुच्छेद 33-36 में अपेक्षित सूचना को प्रकट करेगा, जब अनुषंगी एक निपटान समूह है जो अनुच्छेद 32 के अनुसार बंद परिचालन की परिभाषा को पूरा करता है।

चालू परिचालनों से संबंधित लाभ (गेन) अथवा हानियां

37. बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) के, जो एक बंद परिचालन की परिभाषा को पूरा नहीं करती हैं, पुनः माप पर लाभ अथवा हानि को चालू परिचालन से लाभ अथवा हानि में सम्मिलित किया जायेगा।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्ति अथवा निपटान समूह का प्रस्तुतिकरण

38. एक प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्ति तथा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की आस्तियों को तुलन पत्र में अन्य आस्तियों से पृथक प्रस्तुत करेगा। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह के दायित्वों को तुलन-पत्र में अन्य दायित्वों से पृथक प्रस्तुत किया जायेगा। उन आस्तियों तथा दायित्वों को समंजित (ऑफसेट) नहीं किया जाएगा तथा एक एकल राशि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियां तथा दायित्वों की प्रमुख श्रेणियों को अनुच्छेद 39 द्वारा अनुमेय के सिवाय, या तो तुलन पत्र में अथवा टिप्पणियों में पृथक रूप से प्रकट किया जायेगा। एक प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) से संबंधित किसी संग्रहीत आय अथवा व्यय को, जिसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गयी है, पृथक रूप से प्रस्तुत करेगा।
39. यदि निपटान समूह एक नयी अधिग्रहीत अनुषंगी है जो अधिग्रहण पर बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंड को पूरा करती है, (देखें अनुच्छेद 11) तो आस्तियों तथा दायित्वों की प्रमुख श्रेणियों के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।
40. एक प्रतिष्ठान प्रस्तुत नवीनतम अवधि के तुलनपत्र में वर्गीकृत को परिलक्षित करने के लिए पूर्व अवधियों के तुलनपत्रों में प्रस्तुत गैर चालू आस्तियों अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की आस्ति तथा दायित्वों को पुनः वर्गीकृत अथवा पुनः प्रस्तुत नहीं करेगा।

अतिरिक्त प्रकटन

41. एक प्रतिष्ठान अवधि में जिसमें, एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा बेचा गया है, निम्नलिखित सूचना को टिप्पणियों में प्रकट करेगा :
- (क) गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का विवरण ;
- (ख) बिक्री के तथ्यों तथा परिस्थितियों अथवा प्रत्याशित निपटान की तरफ ले जाने वाले तथ्यों व परिस्थितियों का वर्णन तथा उस निपटान की प्रत्याशित विधि तथा समय ;
- (ग) अनुच्छेद 20-22 के अनुसार मान्य लाभ अथवा हानि तथा, यदि इसे लाभ तथा हानि के विवरण में अलग-से प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो लाभ अथवा हानि के विवरण में लाभ या हानि का शीर्ष जिसमें ये लाभ अथवा हानि सम्मिलित हैं।
- (घ) यदि लागू है, रिपोर्ट योग्य खंड जिसमें गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को इंड ए एस 108, *परिचालन खंड*, के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।
42. यदि अनुच्छेद 26 अथवा 29 लागू होता है तो एक प्रतिष्ठान उस अवधि के दौरान, जिसमें कि गैर-चालू आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की योजना को बदलने का निर्णय लेता है, निर्णय लेने के तथ्यों व परिस्थितियों का वर्णन और उस अवधि और पूर्व की प्रस्तुत किसी अवधि के परिचालनों के परिणामों के निर्णय के प्रभाव को प्रकट करेगा।

परिशिष्ट क**परिभाषित शब्दावली**

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

नकद सृजक इकाई

आस्तियों का सबसे छोटा पहचान योग्य समूह जो नकद प्रवाहों (कैश फ्लो) को सृजित करता है और जो मुख्यतया अन्य आस्ति अथवा आस्तियों के समूह के नकद प्रवाहों से स्वतंत्र है।

एक प्रतिष्ठान का घटक

नकद प्रवाह तथा परिचालन जिन्हें स्पष्ट रूप से परिचालन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए, प्रतिष्ठान के बाकी भाग से अलग किया जा सकता है।

बिक्री लागतें

वित्त लागतों तथा आयकर व्ययों को छोड़कर आस्ति (अथवा निपटान समूह) के निपटान से प्रत्यक्षतया संबंधित वृद्धिशील लागतें।

चालू आस्ति

एक प्रतिष्ठान एक आस्ति को चालू आस्ति के रूप में तब वर्गीकृत करेगा जब:

- (क) एक सामान्य परिचालन चक्र में यह आस्ति से राशियां प्राप्त करने की आशा करता है अथवा इसकी बिक्री करने अथवा इसका उपभोग करने का इरादा रखता है।
- (ख) यह व्यापार के उद्देश्य के लिए आस्ति को मुख्यतः धारित करता है।
- (ग) यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह के अंदर आस्ति से राशि प्राप्त करने की आशा करता है।
- (घ) आस्ति नकदी अथवा नकदी तुल्य है, [जैसा कि इंड ए एस 7 में परिभाषित है] जब तक आस्ति को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह तक, दायित्व के निपटान के लिए प्रयुक्त अथवा विनियम के लिए, परिसीमित न किया गया हो।

बंद परिचालन

एक प्रतिष्ठान व वह घटक जिसका या तो निपटान कर दिया गया है अथवा उसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा:

	(क) वह व्यवसाय की प्रमुख रेखा अथवा परिचालन के एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है;
	(ख) वह परिचालनों का एक भौगोलिक क्षेत्र अथवा व्यापार की पृथक प्रमुख रेखा के निपटान की एकल समन्वित योजना का एक भाग है; अथवा
	(ग) वह केवल पुनः बिक्री के आशय से एक निष्पत्ति से अधिगृहीत एक अनुषंगी प्रतिष्ठान है।
निपटान समूह	एक एकल लेन-देन में एक समूह के रूप में बिक्री या अन्यथा निपटान की जाने वाली आस्ति का समूह है तथा उन आस्तियों के साथ प्रत्यक्षतया संबंधित दायित्व भी है जिन्हें लेन-देन में अंतरित किया जायेगा। समूह में एक व्यावसायिक संयोजन में अधिगृहीत ख्याति (गुडविल) भी इसमें सम्मिलित है यदि समूह एक नकद सृजक इकाई है जिसमें ख्याति (गुडविल) को भारतीय लेखा मानक 36 <i>आस्तियों की क्षतिग्रस्तता</i> के अनुच्छेद 80-87 की अपेक्षा के अनुसार आबंटित किया गया है या यह नकद सृजक इकाई के अन्दर एक परिचालन है।
उचित मूल्य	उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 113)।
पक्की क्रय प्रतिबद्धता	असंबद्ध पक्ष के साथ एक ऐसा समझौता, जो दोनों पक्षों पर बाध्य है तथा प्रायः कानूनी रूप से लागू होने योग्य है जो कि (क) लेन-देनों की सभी महत्वपूर्ण उल्लेखनीय शर्तों जिनमें की समय तथा कीमत सम्मिलित है को विनिर्दिष्ट करता है तथा (ख) गैर निष्पादन को निरुत्साहित करता है जो कि निष्पादन को अति संभावित बनाने के लिए पर्याप्त है।
अति संभाव्य	जिसके होने की संभावना बहुत अधिक हों।
गैर चालू आस्ति	एक आस्ति जो चालू आस्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती।
संभाव्य	जिसके होने की संभावना न होने से अधिक हो।
वसूली-योग्य राशि	आस्ति की बिक्री लागत को घटाकर उचित मूल्य तथा इसके उपयोग में मूल्य , इनमें से जो भी राशि अधिक है।
उपयोग का मूल्य	एक आस्ति के निरन्तर उपयोग से उत्पन्न होने तथा इसके उपयोगी जीवन के अंत में निपटान से संभावित भावी नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य।

परिशिष्ट ख

प्रयोग-संबंधी पूरक

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

बिक्री को पूरा करने के लिए अपेक्षित अवधि का विस्तार

ख 1. जैसा कि अनुच्छेद 9 में नोट किया गया है, एक बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि का विस्तार एक आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से रोकता नहीं है यदि देरी प्रतिष्ठान के नियंत्रण के बाहर परिस्थिति अथवा घटना के कारण हुई है तथा इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की अपनी योजना के प्रति प्रतिबद्ध है। अनुच्छेद 8 में एक वर्ष की अपेक्षा का अपवाद इसलिए निम्न स्थितियों में लागू होता है, जिसमें इस प्रकार की घटनाएं अथवा परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं :

- (क) जिस तिथि पर एक प्रतिष्ठान स्वयं गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के प्रति प्रतिबद्ध है, यह उचित रूप से आशा करता है कि अन्य (लेकिन क्रेता नहीं) आस्ति (अथवा निपटान समूह) के अंतरण पर शर्त लगाएंगे जो बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि को बढ़ायेगी, तथा
 - (i) उन शर्तों के प्रत्युत्तर के लिए आवश्यक कार्यवाही जिसे एक पक्की क्रय प्रतिबद्धता के प्राप्त होने तक आरंभ नहीं किया जा सकता ;
 - (ii) एक पक्की क्रय प्रतिबद्धता एक वर्ष के भीतर अति संभाव्य है।
- (ख) एक प्रतिष्ठान एक पक्की क्रय प्रतिबद्धता को प्राप्त करता है तथा परिणामस्वरूप एक क्रेता अथवा अन्य अप्रत्याशित रूप से पहले से बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) के अंतरण पर शर्त लगाते हैं जो बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि को बढ़ायेगा।
 - (i) उन शर्तों के प्रत्युत्तर में आवश्यक और समय रहते कार्यवाही कर ली गयी है ; तथा
 - (ii) विलम्ब के कारको का अनुकूल समाधान अपेक्षित है।
- (ग) आरंभिक एक वर्ष की अवधि के दौरान, ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं जिन्हें पहले संभव नहीं माने जा रहे थे तथा परिणामस्वरूप, बिक्री के लिए धारित के रूप में पहले से वर्गीकृत एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को इस अवधि के अंत तक बेचा नहीं गया, तथा :
 - (i) आरंभिक एक वर्ष अवधि के दौरान प्रतिष्ठान ने परिस्थिति में परिवर्तन के प्रत्युत्तर के लिए आवश्यक कार्यवाही की;

- (ii) गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को एक कीमत जो कि परिवर्तित परिस्थितियों में उचित है पर सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है;
- (iii) अनुच्छेद 7 तथा 8 के मानदंडों को पूरा किया गया है।

परिशिष्ट ग

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों का संदर्भ

यह परिशिष्ट इस इंड ए एस का एक अभिन्न अंग है।

इंड ए एस 10, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं, में समाविष्ट परिशिष्ट 'क' स्वामियों को गैर नकद आस्तियों का वितरण, इस लेखा मानक को संदर्भित करता है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105 तथा अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची 'आई एफ आर एस' 5, 'बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन' के बीच, यदि कोई प्रमुख अन्तर हों, तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

'आई एफ आर एस' 5, बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन के साथ तुलना

- 1 'आई एफ आर एस' 5 में दिये गये संक्रमणकालीन उपबंध को इंड ए एस 105 में दिया नहीं गया है, क्योंकि भारतीय लेखा मानकों के सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित समझा गया है, 'आई एफ आर एस' 1, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण, के तदनुसूची भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101 'भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण' में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
- 2 इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है। इसी तरह, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने का प्राधिकार' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने का अनुमोदन' का प्रयोग किया गया है।
- 3 'आई एफ आर एस' 5 के अनुच्छेद 33क के अधीन अलग आय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, अन्य आय विवरण में बन्द परिचालनों की प्रस्तुति विषयक अपेक्षाएं भारतीय लेखा मानक 105 में हटा दी गयी हैं। यह परिवर्तन इंड ए एस 1 के द्वि-विवरण दृष्टिकोण के संबंध से विकल्प को हटाने के परिणामस्वरूप है। इंड ए एस 1 यह अपेक्षा करता है कि लाभ-हानि घटकों और अन्य व्यापक आय के घटकों को लाभ-हानि विवरण के एक अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाए। हालांकि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105 का अनुच्छेद संख्या 33क इस आशय से रहने दिया गया है ताकि 'आई एफ आर एस' 5 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ भारतीय लेखा मानक 105 की क्रमबद्धता बनी रहे।
- 4 आई एफ आर एस' 5 का अनुच्छेद 5 (घ) गैर-चालू आस्तियों पर चर्चा करता है। जिन्हें आई ए एस 40 निवेश सम्पत्ति के उचित मॉडल के अनुसार लेखांकित किया जाता है। चूंकि भारतीय लेखा मानक 40 उचित मूल्य मॉडल के प्रयोग को प्रतिषिद्ध (वर्जित) करता है, अतः इस अनुच्छेद को भारतीय लेखा मानक 105 से हटा दिया गया है।
- 5 अनुच्छेद 7 बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्ति (या निपटान समूह) के रूप में वर्गीकरण की शर्तों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 7 में एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है कि यदि प्रतिष्ठान बिक्री भविष्य में बहुत समय के बाद करना चाहता है तब गैर चालू आस्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 106

खनिज संसाधनों की खोज और उनका मूल्यांकन

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस भारतीय लेखा मानक का उद्देश्य खनिज संसाधनों की खोज और उनके मूल्यांकन की वित्तीय रिपोर्टिंग को विनिर्दिष्ट करना है।
2. विशेष रूप से, यह भारतीय लेखा मानक निम्नलिखित की अपेक्षा करता है:
 - (क) खोज एवं मूल्यांकन व्यय के लिए मौजूदा लेखा व्यवहारों में सीमित सुधार।
 - (ख) वह प्रतिष्ठान जो खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों को मान्यता देते हैं, क्षतिग्रस्तता का इस भारतीय लेखा मानक के अनुसरण में निर्धारण करना और ऐसी किसी क्षतिग्रस्तता को उन प्रतिष्ठानों द्वारा इन आस्तियों की भारतीय लेखा मानक 36, आस्तियों की क्षतिग्रस्तता के अनुसरण में मापना।
 - (ग) प्रकटन जो खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन से उत्पन्न प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की राशियों का पता लगाते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं तथा उन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को किन्हीं मान्यता प्राप्त खोज एवं मूल्यांकित आस्तियों से होने वाले भावी नकदी प्रवाहों की राशि, समय और उनकी सुनिश्चित को समझने के लिए सहायक होते हैं।

कार्य-क्षेत्र

3. एक प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक का प्रयोग खर्च किये गये खोज एवं मूल्यांकन सम्बंधी व्यय पर करेगा।
4. यह भारतीय लेखा मानक खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन में संलग्न प्रतिष्ठानों के लेखे के अन्य पहलुओं पर चर्चा नहीं करता।
5. प्रतिष्ठान, इस भारतीय लेखा मानक को खर्च किये निम्नलिखित व्ययों पर लागू नहीं करेगा -
 - (क) खनिज संसाधनों की खोज एवं उनके मूल्यांकन से पूर्व, प्रतिष्ठान द्वारा खर्च किये गये व्यय जैसे कि प्रतिष्ठान द्वारा एक विशेष क्षेत्र में खोज करने के कानूनी अधिकार ग्रहण करने से पूर्व खर्च किये गए व्यय ;
 - (ख) ऐसे व्यय जो खनिज संसाधनों के उत्खनन की तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक अर्थ सुलभता के पश्चातरूपदर्शित दिए जाते हैं।

खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों की मान्यता**भारतीय लेखा मानक 8, अनुच्छेद 11 व 12 से अस्थायी छूट**

6. एक प्रतिष्ठान अपनी लेखा नीतियों का विकास करते समय खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों को मान्यता देने पर भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां* के अनुच्छेद 10 को लागू करेगा।
7. यदि एक मद के लिए कोई एक लेखा मानक विशेष रूप से लागू नहीं होता है तो उस मद के लिए एक उपयुक्त लेखा नीति के विकास के लिए प्रबंधन को जिन बातों पर विचार करना चाहिए उसके लिए भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 11 व 12 प्राधिकारपूर्ण अपेक्षित स्रोतों और मार्गदर्शन को विनिर्दिष्ट करते हैं। यह लेखा मानक एक प्रतिष्ठान को आस्तियों की खोज व मूल्यांकन की मान्यता एवं माप के लिए लेखा नीतियों के उन अनुच्छेदों के प्रयोग से छूट देता है। लेकिन, इसके लिए नीचे अनुच्छेद 9 व 10 का पालन करना होगा।

खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों का माप**मान्यता पर माप**

8. **खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों का माप लागत पर किया जाएगा।**

खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों की लागत के तत्व

9. प्रतिष्ठान एक लेखा नीति निर्धारित करेगा जिसमें वह यह विनिर्दिष्ट करेगा कि खोज और मूल्यांकन आस्तियों के लिए किस प्रकार के व्यय को मान्यता देगा और इस तरह की लेखा नीति को एक समान रूप से लागू करेगा। इस निर्णय में प्रतिष्ठान उस स्तर का भी विचार करेगा जिस पर व्यय को किसी विशेष खनिज संसाधन के साथ जोड़ा जा सके। यहां व्यय के कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं जिन्हें खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों के प्रारम्भिक माप में शामिल किया जा सकता है (सूची विस्तृत नहीं है):
 - (क) खोज या दोहन के लिए अधिकार प्राप्त करना ;
 - (ख) स्थलीय आकार, भूविज्ञानीय, भूरसायनीय एवं भूभौतिकी का अध्ययन ;
 - (ग) खोज या दोहन से संबंधित खुदाई ;
 - (घ) खुदाई/खाइयां खोदना ;
 - (ङ) नमूने एकत्र करना ;
 - (च) एक खनिज संसाधन की खोज या खुदाई से सम्बंधित तकनीकी व्यवहार्यता व वाणिज्यिक अर्थ-सुलभता के मूल्यांकन सम्बंधी गतिविधियां।

10. खनिज संसाधनों के विकास पर किये गये खर्च की मान्यता खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों के रूप में नहीं की जायेगी। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी *वित्तीय विवरण तैयार करना एवं उनके प्रस्तुतिकरण विषयक मूलभूत कार्यपद्धति* तथा भारतीय लेखा मानक 38, *अमूर्त आस्तियां* विकास, से उत्पन्न आस्तियों की मान्यता के लिए दिशा निर्देश देते हैं।

11. भारतीय लेखा मानक 37 *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां* के अनुसरण में खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन के फलस्वरूप 'हटाने या पुनः बहाल करने' के लिए कोई भी व्यय दायित्व बनता है तो उसको प्रतिष्ठान मान्यता देता है।

मान्यता के पश्चात माप

12. मान्यता के पश्चात्, प्रतिष्ठान खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों के लिए लागत मॉडल या पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करेगा। यदि पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग किया जाता है [या तो भारतीय लेखा मानक 16 *संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर* में मॉडल या भारतीय लेखा मानक 38 में मॉडल] तो वह आस्तियों के वर्गीकरण के अविरुद्ध (कन्सिस्टेंट) होंगे (देखिए अनुच्छेद 15)।

लेखा नीतियों में परिवर्तन

13. एक प्रतिष्ठान खोज और मूल्यांकन पर अपने खर्च के बारे में अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन कर सकता है ताकि इन परिवर्तनों से वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं द्वारा आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं में अधिक तर्कसंगतता और अधिक विश्वसनीयता हो जाए। प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8 में दिये गये मानदण्ड का प्रयोग करते हुए तर्कसंगतता तथा विश्वसनीयता के बारे में निर्णय लेगा।

14. प्रतिष्ठान खोज एवं मूल्यांकन पर हुए व्यय के सम्बंध में लेखा नीतियों में किये गये परिवर्तनों को न्यायसंगत बनाने के लिए प्रतिष्ठान यह प्रदर्शित करेगा कि वे परिवर्तन वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक 8 के मानदंडों को पूरा करने के निकट लाते हैं। किन्तु, यह जरूरी नहीं है कि ये परिवर्तन उन मानदंडों का अक्षरशः पालन करते हों।

प्रस्तुतीकरण

खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों का वर्गीकरण

15. प्रतिष्ठान खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों को ग्रहण की गई आस्तियों की प्रकृति के अनुसार मूर्त अथवा अमूर्त आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करेगा और यह वर्गीकरण संगत रूप से जारी रहेगा।
16. खोज एवं मूल्यांकन से सम्बन्धित कुछ आस्तियां अमूर्त हो सकती हैं (जैसे खोज अथवा खुदाई के अधिकार) जब कि कुछ आस्तियां मूर्त हो सकती हैं, (जैसे वाहन और खुदाई उपकरण)। अमूर्त आस्ति के विकास में जितना मूर्त आस्ति का उपयोग किया गया है, वह उपभोगित परावर्तक (रिफ्लेक्टिंग) राशि अमूर्त आस्ति की लागत का भाग होगी। फिर भी, अमूर्त आस्ति के विकास में प्रयोग की गई मूर्त आस्ति मूर्त आस्ति को अमूर्त आस्ति के रूप में परिवर्तित नहीं करती।

खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण

17. एक खोज एवं मूल्यांकन आस्ति को तब तक इस तरह की आस्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जब तक खनिज संसाधन की तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक अर्थ सुलभता प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित न हो। खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों को पुनर्वर्गीकरण से पूर्व क्षतिग्रस्तता के लिए परखा जाएगा तथा क्षतिग्रस्तता हानि मान्य की जाती है।

क्षतिग्रस्तता

मान्यता और माप

18. खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों को क्षतिग्रस्तता के लिए परखा जाएगा जब तथ्यों व परिस्थितियों से यह पता चलता है कि खोज एवं मूल्यांकन आस्ति की अग्रणीत राशि उससे प्राप्य राशि से अधिक हो सकती है। जब तथ्यों व परिस्थितियों से ऐसा पता लगता है कि अग्रणीत राशि उससे प्राप्य राशि से अधिक है तो प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे अनुच्छेद 21 के प्रावधानों में है, को छोड़कर भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसरण में क्षतिग्रस्तता से होने वाली हानि का माप करेगा, उसे प्रस्तुत करेगा व उसका प्रकटन करेगा।
19. खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों के प्रयोजन के लिए, जब यह पहचान करनी होती है कि खोज एवं मूल्यांकन की कोई आस्ति क्षतिग्रस्त है या हो सकती है तो इस भारतीय लेखा मानक का अनुच्छेद 20 लागू होगा, न कि भारतीय लेखा मानक 36 के अनुच्छेद 8 - 17। अनुच्छेद 20 'आस्तियां' शब्द का प्रयोग करता है लेकिन यह खोज एवं मूल्यांकन की अलग आस्तियों या नगदी - सृजक ईकाई पर भी समान रूप से लागू होता है।
20. निम्नलिखित में से कोई एक अथवा एक से अधिक तथ्य व परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, जिनमें प्रतिष्ठान को खोज और मूल्यांकन आस्तियों की क्षतिग्रस्तता की जांच करनी चाहिए। (सूची विस्तृत नहीं है):-
- (क) अवधि जिसके लिए, प्रतिष्ठान को उस क्षेत्र विशेष में खोज करने का अधिकार है, किन्तु, वह अवधि समाप्त हो गई हो अथवा निकट भविष्य में समाप्त होने वाली हो, और उस अवधि के नवीकरण की संभावना न हो।
 - (ख) एक विशेष क्षेत्र में खनिज संसाधनों की आगे की खोज और उसके मूल्यांकन पर आने वाली लागत काफी अधिक हो, जिसका प्रावधान न तो बजट में किया गया हो और न ही वह नियोजित हो।
 - (ग) एक क्षेत्र विशेष में खनिज संसाधनों की खोज (दोहन) और उसका मूल्यांकन से यह पता चलता है कि खनिज संसाधनों की मात्रा वाणिज्यिक अर्थ सुलभता की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है और प्रतिष्ठान उस क्षेत्र विशेष में आगे इस प्रकार के खोज व मूल्यांकन कार्यों को बन्द करने का निर्णय ले लेता है।
 - (घ) इस बात की पर्याप्त सूचना या आंकड़े उपलब्ध हों कि उक्त क्षेत्र विशेष में विकास के कार्य जारी तो रह सकते हैं लेकिन खोज एवं मूल्यांकन आस्ति उस सफल विकास या बिक्री से अग्रणीत राशि शायद ही पूरी तरह से वसूल नहीं कर पाएगी।

इस प्रकार के मामलों अथवा ऐसे ही अन्य मामलों में, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार संभावित क्षति का परीक्षण करेगा। कोई भी क्षतिग्रस्तता हानि को व्यय के रूप में मान्यता भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसरण में की जायेगी।

उस स्तर का उल्लेख जिस पर खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों का निर्धारण क्षतिग्रस्तता के लिए किया जाना है।

21. प्रतिष्ठान खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों को नकदी सृजित ईकाईयां या ऐसे ही नकदी सृजित ईकाईयों के समूहों में क्षतिग्रस्तता के मूल्यांकन के आवंटन के लिए एक लेखा नीति निर्धारित करेगा। ऐसी कोई ईकाई या समूह जिसमें खोज एवं मूल्यांकन आस्ति का आवंटन होता है वह उस परिचालन खंड से बड़ा नहीं होगा जिसे भारतीय लेखा मानक 108, *परिचालन खण्ड* तय करता है।
22. खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों के क्षतिग्रस्तता परीक्षण (जांच) के प्रयोजन के लिए एक प्रतिष्ठान जिस स्तर की पहचान करता है उसमें एक या एक से अधिक नकदी सृजक ईकाईयां हो सकती हैं।

प्रकटन

23. एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों में उस सूचना को प्रकट करेगा जो खनिज संसाधनों की खोज (दोहन) और उनके मूल्यांकन की मान्य राशियों की पहचान और व्याख्या करता हो।
24. अनुच्छेद 23 के अनुपालन के लिए प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रकट की जायेगी:-
- (क) खोज (दोहन) और मूल्यांकन आस्तियों की मान्यता सहित खोज एवं मूल्यांकन व्यय पर इसकी लेखा नीतियां ;

- (ख) खनिज संसाधनों की खोज (दोहन) एवं मूल्यांकन से उत्पन्न आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय तथा परिचालन व निवेश नकदी प्रवाहों की राशियाँ।
25. प्रतिष्ठान खोज (दोहन) और मूल्यांकन आस्तियों को एक अलग किस्म की आस्तियाँ मानेगा और उनका प्रकटन भारतीय लेखा मानक 16 अथवा भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसरण में करेगा और साथ ही इस बात का भी उल्लेख करेगा कि इन आस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

खोज एवं मूल्यांकन आस्तियाँ

प्रतिष्ठान की लेखा नीति के अनुसरण में **खोज एवं मूल्यांकन पर मान्य व्यय**

खोज एवं मूल्यांकन पर व्यय

प्रतिष्ठान द्वारा खनिज संसाधन की खोज तकनीकी व्यवहार्यता व वाणिज्यिक अर्थ सुलभता प्रदर्शित होने से पूर्व **खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन** पर किया गया व्यय

खनिज संसाधनों की खोज (दोहन) एवं मूल्यांकन

खनिज संसाधनों की खोज, जिनमें खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस तथा उसी प्रकार के गैर पुनः उत्पादित संसाधन सम्मिलित हों, जो प्रतिष्ठान द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में खोज (दोहन) से संबंधित कार्यों के लिये कानूनी अधिकारों की प्राप्ति के साथ-साथ इन खनिज संसाधनों की खोज की तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक अर्थ सुलभता के निर्धारण के बाद किया गया हो।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 106 और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 6 खनिज संसाधनों की खोज और उनका मूल्यांकन के बीच यदि कोई अंतर हो तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई एफ आर एस) 6 खनिज संसाधनों की खोज और उनका मूल्यांकन के साथ तुलना

- आई एफ आर एस 6 में दिये गये संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 106 में इस आशय से नहीं दिये गये हैं कि भारतीय लेखा मानकों के सभी संक्रमणकालीन प्रावधान जहाँ उचित समझा गया, आई एफ आर एस 1 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों' का प्रथमवार अंगीकरण के अनुरूप भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101 'भारतीय लेखा मानकों की प्रथमवार अंगीकरण' में सम्मिलित किये गये हैं।

भारतीय भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 107

वित्तीय लिखतें : प्रकटन

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

- इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का उद्देश्य प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षा करना है कि वे अपने वित्तीय विवरणों में वे प्रकटनों का प्रबंध जिनसे उपयोगकर्ता निम्नलिखित का मूल्यांकन कर सकें :
 - प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति तथा कार्य-निष्पादन के लिए वित्तीय लिखतों का महत्व; और
 - वित्तीय लिखतों से उत्पन्न जोखिमों की किस्म व सीमा, जिनसे प्रतिष्ठान अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में रु-रु (एक्सपोज) होता है और वह उन जोखिमों का प्रबंध कैसे करता है।
- इस भारतीय लेखा मानक में दिये गये सिद्धान्त भारतीय लेखा मानक 32 *वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण* एवं भारतीय लेखा मानक 109 *वित्तीय लिखतें* वित्तीय आस्तियों व वित्तीय दायित्वों की मान्यता, माप तथा प्रस्तुतिकरण के सिद्धान्तों के पूरक हैं।

कार्यक्षेत्र

- यह भारतीय लेखा मानक सभी प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रकार की वित्तीय लिखतों पर लागू किया जाएगा:
 - अनुषंगी प्रतिष्ठानों, सहायक प्रतिष्ठानों या संयुक्त उद्यमों के वे हित जिनका लेखा भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण*, भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण*, अथवा भारतीय लेखा मानक 28, *सहयोगी प्रतिष्ठानों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश हित*, के अनुसरण में किया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में, चूंकि भारतीय लेखा मानक 110, भारतीय लेखा मानक 27 अथवा भारतीय लेखा मानक 28 एक प्रतिष्ठान को अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहायक प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में हित के

लेखे के लिए भारतीय लेखा मानक 109, का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करते हैं, तो उन मामलों में, प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक की अपेक्षाओं को लागू करेंगे और उन मामलों में जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, भारतीय लेखा मानक 113, *उचित मूल्य माप*, की अपेक्षाओं को लागू करेंगे। (प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक को अनुषंगी प्रतिष्ठानों, सहायक प्रतिष्ठानों या संयुक्त उद्यमों में हितों से संबद्ध व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) के मामले में तब लागू करेंगे जब तक व्युत्पन्न भारतीय लेखा मानक 32 में 'इक्विटी' लिखत की परिभाषा को पूरा नहीं करता)।

- (ख) कर्मचारी लाभ योजनाओं से उत्पन्न नियोक्ताओं के अधिकार व बाध्यताएं, जिनके लिए भारतीय लेखा मानक 19, *कर्मचारी लाभ*, लागू होता है;
- (ग) [देखें परिशिष्ट 1]
- (घ) भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध*, में यथा परिभाषित बीमा अनुबंध। तथापि, यह भारतीय लेखा मानक बीमा अनुबंधों में सन्निहित व्युत्पन्न (एम्बेडेड डेरिवेटिव्स) पर तभी लागू होता है जब भारतीय लेखा मानक 109 एक प्रतिष्ठान से उनको अलग-से लेखा करने की अपेक्षा करे। इसके अलावा, एक जारीकर्ता इस भारतीय लेखा मानक को वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए तभी लागू करेगा, यदि जारीकर्ता अनुबंधों को मान्यता देने और माप करने में भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करता हो, लेकिन, वह उस स्थिति में भारतीय लेखा मानक 104 को लागू करेगा यदि वह (जारीकर्ता) भारतीय लेखा मानक 104 के अनुच्छेद 4 (घ) के अनुसार अनुबंधों की मान्यता एवं माप के लिए भारतीय लेखा मानक 104 को लागू करने का चयन करे।
- (ङ) शेयर आधारित भुगतान लेनदेन के, जिनके लिए भारतीय लेखा मानक 102 *शेयर आधारित भुगतान* लागू होता है, के अन्तर्गत आने वाली वित्तीय लिखतें, अनुबंध एवं बाध्यताएं। लेकिन यह भारतीय लेखा मानक केवल उन्हीं अनुबंधों पर लागू होता है जो भारतीय लेखा मानक 109 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- (च) वे लिखतें जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 16 क और 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग और 16 घ के अनुसार 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हैं।

4. यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) मान्य तथा गैर-मान्य दोनों प्रकार की वित्तीय लिखतों पर लागू होता है। मान्य वित्तीय लिखतों में वे वित्तीय आस्तियां तथा वित्तीय दायित्व शामिल हैं जो भारतीय लेखा मानक 109 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गैर-मान्य वित्तीय लिखतों में कुछ ऐसी वित्तीय लिखतें शामिल हैं जो, यद्यपि भारतीय लेखा मानक 109 के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं लेकिन वे इस भारतीय लेखा मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।
5. यह भारतीय लेखा मानक एक गैर वित्तीय मद के क्रय या विक्रय के अनुबंधों पर लागू होता है जो भारतीय लेखा मानक 109 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है।
- 5क अनुच्छेद 35क - 35ढ में ऋण जोखिम की प्रकटन अपेक्षाएं उन अधिकारों पर लागू होती हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व*, यह विनिर्दिष्ट करता है कि उनका लेखा क्षतिग्रस्तता की आय या हानियों की मान्यता के प्रयोजन के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसरण में किया जाता है। इन अनुच्छेदों में वित्तीय लिखतों के प्रति कोई संदर्भ इन अधिकारों में तब तक शामिल रहेंगे जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो।

वित्तीय लिखतों की श्रेणियां एवं प्रकटन का स्तर

6. जब यह भारतीय लेखा मानक वित्तीय लिखत की श्रेणी द्वारा प्रकटन की अपेक्षा करता है तो एक प्रतिष्ठान वित्तीय लिखतों को कुछ समूहों में वर्गीकृत (श्रेणीबद्ध) करेगा जो कि प्रकट की गयी सूचना की प्रकृति के लिए उचित हो और वे उन वित्तीय लिखतों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाए गये हों। एक प्रतिष्ठान तुलन-पत्र में प्रस्तुत एक रेखीय मदों का मिलान करने के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध करवाएगा।

वित्तीय स्थिति एवं कार्य निष्पादन के लिए वित्तीय लिखतों का महत्व

7. प्रतिष्ठान उस सूचना को प्रकट करेगा जिससे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता इसकी वित्तीय स्थिति व कार्य-निष्पादन के लिए वित्तीय लिखतों के महत्व का मूल्यांकन कर सकें।

तुलन-पत्र

वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों की श्रेणियां

8. जैसा कि भारतीय लेखा मानक 109 में विनिर्दिष्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी की अग्रणीत राशियों को तुलन-पत्र या इसकी टिप्पणियों में प्रकट किया जायेगा :
 - (क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयीं वित्तीय आस्तियां, जिन्हें (i) प्रारंभिक मान्यता पर इस प्रकार और बाद में भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.7.1 के अनुसरण में नामोर्द्ध किया गया है, और (ii) जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापा गया है, अलग-अलग दर्शाना।
 - (ख)-(घ)[देखें परिशिष्ट 1]

- (ड.) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गये वित्तीय दायित्व, जिन्हें (i) प्रारम्भिक मान्यता पर इस प्रकार और बाद में भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.7.1 के अनुसरण में नामोद्दिष्ट किया गया है, और (ii) भारतीय लेखा मानक 109 को व्यापार के लिए धारित की परिभाषा को पूरा करता है, का अलग-अलग दर्शाना।
- (च) परिशोधित लागत पर मापे गये वित्तीय आस्तियां।
- (छ) परिशोधित लागत पर मापे गये वित्तीय दायित्व।
- (ज) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय आस्तियां जिन्हें (i) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.1.2 के अनुसार अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय आस्तियां, और (ii) प्रारम्भिक मान्यता पर भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसार इस प्रकार नामोद्दिष्ट किया इक्विटी लिखतों में निवेश को अलग-अलग दर्शाना।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां या वित्तीय दायित्व

9. यदि प्रतिष्ठान लाभ या हानि के माध्यम से एक वित्तीय आस्ति (वित्तीय आस्तियों के समूह) को जो कि उचित मूल्य पर मापी गयी के रूप में नामोद्दिष्ट करता है और जिसे अन्यथा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है तो वह निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
 - (क) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, एक वित्तीय आस्ति (वित्तीय आस्तियों के समूह) के ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क) का अधिकतम एक्सपोजर [देखें अनुच्छेद 36 (क)]
 - (ख) वह राशि जिसके द्वारा कोई संबंधित ऋण व्युत्पन्न (क्रेडिट डेरिवेटिव) या इसी प्रकार की लिखतें जो कि ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क) के अधिकतम 'एक्सपोजर' को कम करती हैं: [देखें अनुच्छेद 36 (ख)]
 - (ग) वित्तीय आस्ति (वित्तीय आस्तियों के समूह) के उचित मूल्य में अवधि के दौरान और संचयी रूप से अब तक परिवर्तन की राशि जो निम्नलिखित में से किसी एक के साथ निर्धारित वित्तीय आस्ति के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण है :
 - (i) इसके उचित मूल्य में परिवर्तन की राशि के रूप में, जो बाजार स्थितियों के कारण नहीं है जिससे बाजार जोखिम उत्पन्न होते हैं; या
 - (ii) उस वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए जिसे प्रतिष्ठान इसके उचित मूल्य में परिवर्तन की राशि के सही प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है जो आस्ति के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण है।

बाजार जोखिम उत्पन्न करने वाली बाजार स्थितियों में परिवर्तनों में अवलोकित (बेंचमार्क) ब्याज-दर, वस्तु कीमत, विदेशी विनिमय दर अथवा मूल्य या दर सूचकांक परिवर्तन सम्मिलित हैं।
 - (घ) किन्हीं संबंधित ऋण व्युत्पन्न अथवा समान लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन की राशि, जो अवधि के दौरान उत्पन्न हुई है, तथा वित्तीय आस्ति के नामोद्दिष्ट होने से लेकर अब तक संचित हुई है।
10. यदि प्रतिष्ठान ने भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.2.2 के अनुसार लाभ अथवा हानि के द्वारा उचित मूल्य पर एक वित्तीय दायित्व को नामोद्दिष्ट किया है तो यह निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
 - (क) वित्तीय दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों से सम्बंधित वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की संचित राशि [एक दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों के निश्चय में दिशा-निर्देश के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद ख 5.7.13 - ख 5.7.20 देखें]
 - (ख) वित्तीय दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा प्रतिष्ठान द्वारा बाध्यता के धारक को परिपक्वता पर अदा करने की अनुबंधात्मक रूप से अपेक्षित राशि के बीच का अंतर।
 - (ग) अवधि के दौरान 'इक्विटी' के अन्दर संचित लाभ (गेन) या हानि के कोई अन्तरण और इस प्रकार के अन्तरणों के कारण।
 - (घ) यदि अवधि के दौरान दायित्व को अमान्य किया जाता है तो अमान्यता पर वसूल की गयी राशि, यदि कोई है जो अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत की गयी है।
- 10(क) यदि भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.2.2 के अनुसरण में एक प्रतिष्ठान लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर एक वित्तीय दायित्व को नामोद्दिष्ट करता है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस दायित्व (दायित्व के साख जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों सहित) के उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को लाभ या हानि में प्रस्तुत करे (देखें भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.7.7 व 5.7.8), तो वह निम्नलिखित को प्रकट करेगा:
 - (क) वित्तीय दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों से सम्बंधित वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य में अवधि के दौरान परिवर्तन की संचित राशि (दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों को निश्चित करने के दिशा-निर्देश के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद ख 5.7.13 - ख 5.7.20 देखें); और
 - (ख) वित्तीय दायित्व की अग्रणीत राशि और बाध्यता के धारक को प्रतिष्ठान द्वारा परिपक्वता पर अनुबंधात्मक रूप से अपेक्षित देय राशि के बीच का अंतर।

11. प्रतिष्ठान निम्नलिखित को भी प्रकट करेगा:
- (क) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.7.7(क) और अनुच्छेदों 9(ग) व 10(क) तथा 10 क (क) में दी गयी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए प्रयुक्त विधियों का विस्तृत विवरण और साथ ही यह स्पष्टीकरण कि वह विधि क्यों उचित है।
- (ख) यदि प्रतिष्ठान का यह विश्वास है कि अनुच्छेदों 9(ग), 10(क) या भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 के अनुच्छेद 5.7.7(क) की अपेक्षाओं के अनुपालन में तुलन-पत्र या टिप्पणियों में दिया गया प्रकटन ऋण-जोखिम (क्रेडिट रिस्क) में परिवर्तनों के सम्बंध में वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन ठीक-ठीक प्रलाक्षित नहीं होता, तो इस निष्कर्ष के क्या कारण हैं और ऐसा विश्वास करने से सम्बंधित कौन से कारक हैं।
- (ग) प्रयुक्त विधि या विधियों का विस्तृत विवरण यह निश्चय करने के लिए कि क्या अन्य व्यापक आय में दायित्व के ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क) में परिवर्तनों के प्रभाव का प्रस्तुतिकरण लाभ या हानि में लेखा के अन्तर का सृजन करेगा या फिर उसमें वृद्धि करेगा (देखें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 के अनुच्छेद 5.7.7 व 5.7.8)। यदि प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लाभ या हानि में एक दायित्व के साथ जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों को प्रस्तुत करे (देखें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109), तो प्रकटन में भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 के अनुच्छेद ख 5.7.6 में वर्णित आर्थिक सम्बंध का विस्तृत विवरण अवश्य दें।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोऽष्टि 'इक्विटी' लिखतों में निवेश

- 11(क) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 के अनुच्छेद 5.7.5 द्वारा यथा अनुमति प्रदत्त है, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली इक्विटी लिखतों में यदि प्रतिष्ठान निवेशों को नामोऽष्टि करता है तो वह निम्नलिखित को भी प्रकट करेगा:
- (क) इक्विटी लिखतों में कौन से निवेश नामोऽष्टि किये गये हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाना है।
- (ख) इस वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण के प्रयोग के क्या कारण हैं।
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में इस प्रकार के प्रत्येक निवेश का उचित मूल्य।
- (घ) अवधि के दौरान मान्य लाभांश, जिनमें रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अमान्य निवेशों से सम्बंधित और रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में धारित निवेशों से सम्बंधित को अलग-अलग प्रदर्शित करना।
- (ङ) अवधि के दौरान 'इक्विटी' के अन्तर्गत संचयी लाभ या हानि के कोई अन्तरण और इसके साथ उन अन्तरणों के कारण क्या थे।
- 11(ख) यदि प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयीं 'इक्विटी' लिखतों में निवेशों को अमान्य किया है तो वह निम्नलिखित को भी प्रकट करेगा:
- (क) निवेशों के निपटान के कारण।
- (ख) अमान्यता तिथि पर निवेशों का उचित मूल्य।
- (ग) निपटान पर संचयी लाभ या हानि।

पुनर्वर्गीकरण

12-12(क) [देखें परिशिष्ट 1]

- 12(ख) यदि प्रतिष्ठान ने चालू या पिछली रिपोर्टिंग अवधि में भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 के अनुच्छेद 4.4.1 के अनुसरण में किन्हीं वित्तीय आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण किया है तो वह इस सम्बंध में प्रकटन करेगा। ऐसी प्रत्येक घटना के लिए, वह निम्नलिखित को प्रकट करेगा:
- (क) पुनर्वर्गीकरण की तिथि।
- (ख) व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन का विस्तृत स्पष्टीकरण और प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा इसका गुणात्मक विवरण।
- (ग) पुनर्वर्गीकृत कुल राशि और प्रत्येक श्रेणी की राशि।
- 12(ग) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के लिए पुनर्वर्गीकरण के बाद और अमान्यता तक, प्रतिष्ठान लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य से पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को प्रकट करेगा ताकि उन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.4.1 के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाए:
- (क) पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर निश्चित की गई प्रभावी ब्याज दर; तथा
- (ख) मान्य ब्याज राजस्व।
- 12(घ) यदि, प्रतिष्ठान ने अपने अन्तिम वार्षिक रिपोर्टिंग तिथि की अन्य व्यापक आय श्रेणी के माध्यम से उचित मूल्य में से वित्तीय आस्तियों को पुनर्वर्गीकृत किया है जिससे कि वे परिशोधित लागत पर या लाभ या हानि श्रेणी के माध्यम से उचित मूल्य में से मापे गए हैं जिससे वे परिशोधित लागत या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए हैं तो यह निम्न प्रकार प्रकट करेगा:
- (क) रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में वित्तीय आस्तियों का उचित मूल्य; तथा
- (ख) वे उचित मूल्य लाभ (गेन) या हानि, जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ या हानि अथवा अन्य व्यापक आय में मान्य हुई हों यदि वित्तीय आस्तियों को पुनर्वर्गीकृत नहीं किया होता।

वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों का समंजन

- 13(क) अनुच्छेद 13ख-13ङ में किए गए प्रकटन इस भारतीय लेखा मानक की अन्य प्रकटन अपेक्षाओं का पूरक होता है और उन सभी मान्य वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित होते हैं जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42 के अनुसरण में समंजित होते हैं। ये प्रकटन मान्य वित्तीय लिखतों पर भी लागू होते हैं जो ऐसा होते हुए कि वे भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42 के अनुसरण में समंजित होते हैं या नहीं, एक प्रवर्तनीय मुख्य समंजन व्यवस्था या इसी प्रकार के करार के अधीन होते हैं।
- 13(ख) प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को समर्थ करने के लिए प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति पर समंजन व्यवस्था के प्रभाव या संभावी प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सूचना को प्रकट करेगा। इसमें प्रतिष्ठान के मान्य वित्तीय आस्तियों तथा मान्य वित्तीय दायित्वों से संबद्ध समंजन अधिकारों के प्रभाव या संभावी प्रभाव सम्मिलित होते हैं जो अनुच्छेद 13क के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होते हैं।
- 13(ग) अनुच्छेद 13ख में दिए गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए, प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में मान्य वित्तीय आस्तियों तथा मान्य वित्तीय दायित्वों के लिए पृथक रूप से निम्नलिखित मात्रात्मक सूचना को प्रकट करेगा जो अनुच्छेद 13क के अंतर्गत होते हैं।
- (क) उन मान्य वित्तीय आस्तियों एवं मान्य वित्तीय दायित्वों की सकल राशियां;
- (ख) वित्तीय स्थिति के विवरण में प्रस्तुत निवल राशियों को निश्चित करते समय भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 32 के अनुच्छेद 42 में दिये गये मानदंड के अनुसरण में समंजित राशियां;
- (ग) तुलन-पत्र में प्रस्तुत निवल (शुद्ध) राशियां;
- (घ) प्रवर्तनीय मुख्य समंजन (नैटिंग) व्यवस्था या इसी तरह के करार के अधीन राशियां जो अन्यथा अनुच्छेद 13ग(ख) में और निम्नलिखित सहित सम्मिलित नहीं की गयीं हैं:
- (i) मान्य वित्तीय लिखतों से सम्बंधित राशियां जो भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 32 के अनुच्छेद 42 का कुछ या समस्त समंजन मानदंड पूरा नहीं करती हैं; और
- (ii) वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति से सम्बंधित राशियां (नकदी संपार्श्विक सहित)।
- (ङ) उपर्युक्त (ग) की राशियों में से (घ) की राशियां घटाने के बाद निवल राशि।
- इस अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित सूचना एक सारणीबद्ध फॉर्मेट में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें वित्तीय आस्तियों व वित्तीय दायित्वों की सूचना अलग-अलग दी जाएगी। ऐसा तब तक करना जारी रखा जाएगा जब तक कोई और ज्यादा उपयुक्त फॉर्मेट उपलब्ध नहीं हो जाता।
- 13(घ) एक लिखत के लिए अनुच्छेद 13ग(घ) के अनुसरण में प्रकट कुल राशि उस लिखत की अनुच्छेद 13ग(ङ) की राशि तक ही सीमित होगी।
- 13(ङ) प्रतिष्ठान अपनी मान्य वित्तीय आस्तियों और मान्य वित्तीय दायित्वों से सम्बंध समंजन अधिकारों के प्रकटन का वर्णन प्रवर्तनीय मुख्य समंजन व्यवस्थाओं और इसी तरह के करारों के अधीन सम्मिलित करेगा जिन्हें उन अधिकारों का प्रकृति सहित अनुच्छेद 13ग(घ) के अनुसरण में प्रकट किया जाता है।
- 13(च) यदि अनुच्छेदों 13ख-13ङ द्वारा अपेक्षित सूचना वित्तीय विवरणों के एक से अधिक टिप्पणियों में प्रकट की जाती है, तो प्रतिष्ठान इन टिप्पणियों में प्रति-संदर्भित करेगा।

संपार्श्विक

14. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
- (क) वित्तीय आस्तियों की अग्रणीत राशि जिसे इसने दायित्वों या आकस्मिक दायित्वों के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा है, जिसमें वे राशियां भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 3.2.23(क) के अनुसार पुनर्वर्गीकृत किया गया है; और
- (ख) इसके गिरवी रखने से संबंधित शर्तें एवं निबन्धन।
15. जब एक प्रतिष्ठान (वित्तीय या गैर-वित्तीय आस्तियों के रूप में) संपार्श्विक धारित करता है और उसे संपार्श्विक के स्वामी द्वारा चूक की अनुपस्थिति में संपार्श्विक के विक्रय या पुनः गिरवी रखने की अनुमति है तो यह निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
- (क) धारित संपार्श्विक का उचित मूल्य ;
- (ख) किसी ऐसी बेची या पुनः गिरवी रखी गई संपार्श्विक का उचित मूल्य, और यह कि क्या प्रतिष्ठान पर इसे वापस करने की बाध्यता है ; और
- (ग) संपार्श्विक के प्रयोग से संबद्ध शर्तें एवं निबंधन।

ऋण हानियों के लिए रियायत खाता

16. [देखें परिशिष्ट 1]

- 16 क भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 के अनुच्छेद 4.1.2 क के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयीं वित्तीय आस्तियों की अग्रणीत राशि को हानि रियायत द्वारा कम नहीं किया जाता और वह प्रतिष्ठान उस वित्तीय आस्ति की अग्रणीत राशि में कटौती के रूप में तुलन-पत्र में हानि रियायत को प्रस्तुत नहीं करेगा। लेकिन प्रतिष्ठान इस हानि रियायत को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट करेगा।

मिश्रित वित्तीय लिखतों सहित बहुविध सन्निहित व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)

17. यदि एक प्रतिष्ठान ने एक ऐसी लिखत जारी की है जिसमें दायित्व तथा 'इक्विटी' दोनों ही घटक शामिल हैं (देखें भारतीय लेखा मानक 32 का अनुच्छेद 28) तथा लिखत में बहुविध सन्निहित व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) हैं जिनके मूल्य एक-दूसरे पर निर्भर हैं, (जैसे कि, मांगयोग्य संपरिवर्तनीय ऋण लिखत (कालेबल कर्वटीबल डेट इंस्ट्रुमेंट)) तो यह उन लक्षणों की मौजूदगी को प्रकट करेगा।

चूक एवं उल्लंघन

18. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्य देय ऋणों के लिए, प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा:
- (क) मूलधन, ब्याज, शोधन निधि या उन देय ऋणों की मोचन-शर्तों की अवधि के दौरान की गयी किन्हीं चूकों के ब्यौरे;
 - (ख) रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर चूक में देय ऋणों की अग्रणीत राशि; और
 - (ग) क्या चूक का समाधान कर लिया गया था, या देय ऋणों की शर्तों पर वित्तीय विवरणों को जारी करने के अनुमोदन से पूर्व फिर-से चर्चा कर ली गयी थी।
19. यदि, अवधि के दौरान, अनुच्छेद 18 में वर्णित शर्तों को छोड़कर अन्य ऋण करार शर्तों का उल्लंघन हुआ था, तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 18 द्वारा अपेक्षित उस सूचना को प्रकट करेगा कि मानो उन उल्लंघनों से ऋणकर्ता को शीघ्र चुकौती की मांग की अनुमति मिल गई थी (जब तक कि उल्लंघनों का समाधान कर नहीं लिया गया था, या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, या उससे पूर्व ऋण की शर्तों पर फिर से चर्चा नहीं थी)।

लाभ-हानि विवरण

आय, व्यय, लाभों (गेन्ज) या हानियों की मदें

20. एक प्रतिष्ठान आय, व्यय, लाभों या हानियों की निम्नलिखित मदों को लाभ-हानि विवरण में या टिप्पणियों में प्रकट करेगा :
- (क) निम्नलिखित पर निवल (शुद्ध) लाभ (गेन्ज) या शुद्ध हानियां:
 - (i) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयीं वित्तीय आस्तियां या वित्तीय दायित्व जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.7.1 के अनुसार आरंभिक मान्यता पर या बाद में इस प्रकार नामोद्दिष्ट वित्तीय आस्तियों या वित्तीय दायित्वों को और उन वित्तीय आस्तियों व वित्तीय दायित्वों को जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाना अनिवार्य है, जैसे कि वे वित्तीय दायित्व जो भारतीय लेखा मानक 109 में व्यापार के लिए धारित की परिभाषा को पूरा करते हैं, उनको अलग-अलग दर्शाना। लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट वित्तीय दायित्वों के लिए लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय मान्य लाभ (गेन) या हानि की राशि और लाभ या हानि में मान्य राशि को अलग-अलग दिखाएगा।
 - (ii) [देखें परिशिष्ट 1]
 - (iii) परिशोधित लागत पर मापे गये वित्तीय दायित्व ;
 - (iv) परिशोधित लागत पर मापी गयीं वित्तीय आस्तियां ;
 - (v) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट 'इक्विटी' लिखतों में निवेश ;
 - (vi) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.1.2 क के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयीं वित्तीय आस्तियां जिनमें अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्य लाभ या हानि की राशि और उस अवधि की संचित अन्य व्यापक आय से लाभ या हानि में अमान्य करने से पुनर्वर्गीकृत राशि को अलग-अलग प्रदर्शित करना।
 - (ख) उन वित्तीय आस्तियों की कुल ब्याज-स्वरूप राजस्व और कुल ब्याज-स्वरूप व्यय (जिसकी गणना प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए की गयी है) जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.1.2 क के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य या परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं (इन राशियों को अलग-अलग दिखाकर) ; और वित्तीय दायित्व जिन्हें लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता है।
 - (ग) निम्नलिखित से उत्पन्न शुल्क आय तथा व्यय (प्रभावी ब्याज दर से निर्धारित सम्मिलित राशियों से भिन्न):
 - (i) वित्तीय आस्तियां या वित्तीय दायित्व जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं हैं ; और
 - (ii) न्यास तथा अन्य न्यासीय गतिविधियां जो व्यक्तियों, न्यासों, सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं तथा अन्य संस्थाओं की ओर से आस्तियों की धारिता (होल्टिंग) या निवेश में परिणत होती हैं ;

(घ)-(ड) [देखें परिशिष्ट 1]

- 20क एक प्रतिष्ठान परिशोधित लागत पर मापी गयीं वित्तीय आस्तियों की अमान्यता से उत्पन्न लाभ-हानि विवरण में मान्य लाभ (गेन) या हानि के विश्लेषण को प्रकट करेगा जिसमें उन वित्तीय आस्तियों की मान्यता से उत्पन्न लाभों व हानियों को अलग-अलग दिखाएगा। इस प्रकटन में इन वित्तीय आस्तियों की अमान्यता के कारणों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

अन्य प्रकटन

लेखा नीतियां

21. भारतीय भारतीय लेखा मानक 1, *वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतिकरण*, के अनुच्छेद 117 के अनुसार, एक प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों के सार में वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रयुक्त माप आधार तथा अन्य लेखा नीतियों को प्रकट करता है जो वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक हैं।

हैज लेखा

- 21क एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 21ख - 24च की प्रकटन अपेक्षाओं का प्रयोग उन जोखिम एक्सपोजरों पर करेगा जिनकी प्रतिष्ठान हैज करता है, और जिनके लेखा के लिए वह हैज लेखा का चयन करता है। हैज लेखा प्रकटनों में निम्नलिखित की सूचना दी जाएगी:
- (क) प्रतिष्ठान की जोखिम प्रबंधन रणनीति तथा यह जोखिम का प्रबंध करने के लिए कैसे प्रयुक्त होता है;
- (ख) प्रतिष्ठान की हैज संबंधी गतिविधियां इसकी भावी नकदी प्रवाहों की राशि, समय तथा अनिश्चितता को कैसे प्रभावित कर सकती हैं; तथा
- (ग) वे प्रभाव जो हैज लेखा का प्रतिष्ठान के तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण पर हुआ होता।
- 21ख प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों में एक एकल टिप्पणी या पृथक खंड में अपेक्षित प्रकटनों को प्रस्तुत करेगा। तथापि, प्रतिष्ठान को वह सूचना दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है जो पहले ही कहीं अन्यत्र प्रस्तुत की जा चुकी है, बशर्ते वह सूचना वित्तीय विवरणों से कुछ अन्य विवरण में प्रतिसंदर्भ द्वारा सम्मिलित की गई है, जैसे प्रबंधकीय टिप्पणी या जोखिम रिपोर्ट, जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों के रूप में और एक ही समय पर उसी शर्तों पर उपलब्ध होती है। प्रतिसंदर्भ द्वारा सूचना सम्मिलित किए बिना वित्तीय विवरण अपूर्ण है।
- 21ग जब अनुच्छेद 22क-24च प्रतिष्ठान से प्रकट की गई सूचना को जोखिम श्रेणी द्वारा पृथक करने की अपेक्षा करते हैं तो प्रतिष्ठान जोखिम एक्सपोजरों के आधार पर प्रत्येक जोखिम श्रेणी को निश्चित करेगा जिसकी हैज के लिए प्रतिष्ठान निर्णय लेता है तथा जिसके लिए हैज लेखा का प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठान सभी हैज लेखा प्रकटनों के लिए समान रूप से जोखिम श्रेणियों का निश्चय करेगा।
- 21घ अनुच्छेद 21क में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान (अन्यथा नीचे यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर) निश्चित करेगा कि प्रकटन अपेक्षाओं के विभिन्न पक्षों, एकत्रीकरण या पृथक्कीकरण के उचित स्तर पर कितना ब्यौरा प्रकट करना है, कितना बल डालना है तथा वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को प्रकट की गई मात्रात्मक सूचना का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या नहीं। तथापि, प्रतिष्ठान एकत्रीकरण या पृथक्कीकरण के उसी समान स्तर का प्रयोग करेगा जो यह इस भारतीय लेखा मानक तथा भारतीय लेखा मानक 113, *उचित मूल्य माप* में संबंधित सूचना की प्रकटन अपेक्षाओं के लिए प्रयोग करता है।

जोखिम प्रबंधन रणनीति

- 22 [देखें परिशिष्ट 1]
- 22क प्रतिष्ठान जोखिम एक्सपोजरों के प्रत्येक जोखिम श्रेणी के लिए अपने उस जोखिम प्रबंधन रणनीति को स्पष्ट करेगा जो यह हैज के लिए निर्णय लेता है तथा जिसके लिए हैज लेखा का प्रयोग किया जाता है। यह स्पष्टीकरण वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को निम्न प्रकार मूल्यांकन करने के लिए समर्थ बनाना चाहिए (उदाहरणार्थ):
- (क) कैसे प्रत्येक जोखिम उत्पन्न होता है।
- (ख) प्रतिष्ठान कैसे प्रत्येक जोखिम का प्रबंध करता है; इसमें सम्मिलित होता है कि प्रतिष्ठान अपनी संपूर्णता में सभी जोखिमों के लिए एक मद को हैज करता है या एक मद के जोखिम घटक (घटकों) की हैजिंग करता है और क्यों।
- (ग) उन जोखिम एक्सपोजरों की सीमा जिनका प्रतिष्ठान प्रबंध करता है।
- 22ख अनुच्छेद 22क में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सूचना में निम्नलिखित वर्णन को सम्मिलित किया जाना चाहिए (लेकिन यह यहां तक ही सीमित नहीं होना चाहिए):
- (क) हैजिंग लिखतें जो हैज जोखिम एक्सपोजरों के लिए प्रयुक्त होते हैं (तथा वे कैसे प्रयुक्त होते हैं);
- (ख) प्रतिष्ठान कैसे हैज प्रभावशीलता का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए हैज मद तथा हैजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध को निश्चित करता है; तथा
- (ग) प्रतिष्ठान कैसे हैज अनुपात को स्थापित करता है तथा हैज प्रभावशीलता के स्रोत क्या हैं।

- 22ग जब प्रतिष्ठान विशिष्ट जोखिम घटक को हैजड मद के रूप में नामोऽिष्ट करता है (देखें इंड ए एस 109 का अनुच्छेद 6.3.7), तो यह अनुच्छेद 22क एवं 22ख द्वारा अपेक्षित प्रकटनों के अतिरिक्त निम्नलिखित के बारे में गुणात्मक या मात्रात्मक सूचना प्रदान करेगा।
- (क) प्रतिष्ठान ने जोखिम घटक को कैसे निश्चित किया है जो हैजड मद के रूप में नामोऽिष्ट है (जोखिम घटक तथा मद के बीच संबंध की प्रकृति का पूर्णतया वर्णन सहित); तथा
- (ख) जोखिम घटक कैसे अपनी संपूर्णता में मद से संबंधित होता है (उदाहरण के लिए, नामोऽिष्ट जोखिम घटक मद के उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों में औसतन 80 प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से पूर्णतः रक्षित होता है)।

भावी नकदी प्रवाहों की राशि, समय तथा अनिश्चितता

- 23 [देखें परिशिष्ट 1]
- 23क जब तक अनुच्छेद 23ग में छूट प्राप्त न हो, तब तक प्रतिष्ठान हैज लिखतों की शर्तों का मूल्यांकन करने के लिए अपने वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को जोखिम श्रेणी की मात्रात्मक सूचना देने के लिए तथा वे प्रतिष्ठान के भावी नकदी प्रवाहों की राशि, समय तथा अनिश्चितता को कैसे प्रभावित करेगा, इसके बारे में प्रकट करेगा।
- 23ख अनुच्छेद 23क में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान एक विश्लेषण प्रदान करेगा जो निम्नप्रकार प्रकट करता है:
- (क) हैजिंग लिखत की मामूली राशि का प्रोफाइल तथा समय; तथा
- (ख) यदि लागू हो तो, हैजिंग लिखत की औसत कीमत या दर (उदाहरणतः हड़ताल या वायदा कीमतें आदि)।
- 23ग जिन परिस्थितियों में प्रतिष्ठान हैज संबंधों को बार-बार पुनर्निर्धारित करता है (अर्थात् बन्द करता है तथा पुनः चालू करता है) क्योंकि हैज लिखत तथा हैजड मद, दोनों, बार-बार बदल जाता है (अर्थात् प्रतिष्ठान गतिशील प्रक्रिया का प्रयोग करता है जिसमें एक्सपोजर तथा प्रतिरक्षा लिखतों, दोनों, का प्रबंध करने के लिए प्रयुक्त वह एक्सपोजर लम्बे समय तक एक समान नहीं रहता है जैसा कि इंड ए एस 109 के अनुच्छेद ख 6.5.24 (ख) के उदाहरण में दिया गया है) उन परिस्थितियों में प्रतिष्ठान :
- (क) अनुच्छेद 23क एवं 23ख द्वारा अपेक्षित प्रकटनों को प्रदान करने से छूट प्राप्त है।
- (ख) निम्नलिखित प्रकट करेगा:
- उन हैज संबंधों के संबंध में अन्तिम जोखिम प्रबंधन रणनीति क्या है के बारे में सूचना;
 - हैज लेखा का प्रयोग करके तथा उन विशेष हैज संबंधों को नामोऽिष्ट करके अपने जोखिम प्रबंधन रणनीति को कैसे प्रतिबिम्बित करता है, का वर्णन; तथा
 - उन हैज संबंधों के संबंध में प्रतिष्ठान की प्रक्रिया के भाग के रूप में हैज संबंध कैसे बार-बार बन्द होते हैं और पुनः चालू होते हैं, इसके बारे में संकेत देना।
- 23घ प्रतिष्ठान हैज अप्रभावशीलता के जोखिम श्रेणी से उन स्रोतों के वर्णन को प्रकट करेगा जिनसे इसकी मीयाद के दौरान हैजड संबंध को प्रभावित होना प्रत्याशित है।
- 23ङ यदि हैज अप्रभावशीलता के अन्य स्रोत हैजिंग संबंध में उमड़ कर सामने आता है तो प्रतिष्ठान जोखिम श्रेणी से उन स्रोतों को प्रकट करेगा तथा परिणामी हैज अप्रभावशीलता को स्पष्ट करेगा।
- 23च नकदी प्रवाह हैजों के लिए प्रतिष्ठान किसी पूर्वानुमान लेन-देन के वर्णन को प्रकट करेगा जिसके लिए पूर्व अवधि में हैज लेखा को प्रयुक्त किया गया था, किन्तु जिसका अब आगे घटित होने की संभावना (आशा) नहीं है।

वित्तीय स्थिति तथा कार्य-निष्पादन पर हैज लेखा के प्रभाव

- 24 [देखें परिशिष्ट 1]
- 24क प्रतिष्ठान प्रत्येक प्रकार की हैज के लिए हैज लिखत के रूप में नामोऽिष्ट मदों से संबंधित निम्नलिखित राशियों को जोखिम श्रेणी के अनुसार सारणीबद्ध फार्मेट में पृथक रूप से प्रकट करेगा (उचित मूल्य हैज, नकदी प्रवाह हैज अथवा विदेशी परिचालन में निवल निवेश की हैज):
- (क) हैजिंग लिखतों की अग्रणीत राशि (वित्तीय दायित्वों से पृथक रूप से वित्तीय आस्तियां);
- (ख) तुलन-पत्र में रेखीय मद जिसमें हैजिंग लिखत सम्मिलित हैं;
- (ग) उस अवधि के लिए हैज अप्रभावशीलता को मान्यता देने के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त हैज लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन; तथा
- (घ) हैजिंग लिखतों की मामूली राशियां (मात्राओं जैसे टनों या घन मीटरों सहित)।
- 24ख प्रतिष्ठान हैजों के प्रकारों के लिए हैजड मदों से संबंधित निम्नलिखित राशियों को जोखिम श्रेणी के अनुसार सारणीबद्ध फार्मेट में पृथक रूप से निम्नप्रकार प्रकट करेगा:
- (क) उचित मूल्य हैजों के लिए:

- (i) तुलन-पत्र में मान्य हैजड मद की अग्रणीत राशि (दायित्वों से पृथक रूप से आस्तियों को प्रस्तुत करना);
- (ii) तुलन-पत्र में मान्य हैजड मद की अग्रणीत राशि में सम्मिलित हैजड मद पर उचित मूल्य हैज समायोजनों की संचित राशि (दायित्वों से पृथक रूप से आस्तियों को प्रस्तुत करना);
- (iii) तुलन-पत्र में रेखीय मद जिसमें हैजड मद सम्मिलित होती है;
- (iv) उस अवधि के लिए हैज अप्रभावशीलता को मान्यता देने के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त हैजड मद के मूल्य में परिवर्तन; तथा
- (v) किन्ही हैजड मदों के लिए तुलन-पत्र में शेष बचे उचित मूल्य हैज समायोजनों की संचित राशि जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.5.10 के अनुसरण में हैज लाभों (गेन्ज) तथा हानियों के लिए समायोजित होने के लिए समाप्त हो गए हैं।
- (ख) नकदी प्रवाह हैजों तथा विदेशी परिचालन में निवल निवेश हैजों के लिए:
- (i) उस अवधि के लिए हैज अप्रभावशीलता को मान्यता देने के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त हैजड मद के मूल्य में परिवर्तन (अर्थात् नकदी प्रवाह हैजों के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.5.11(ग) के अनुसरण में मान्य प्रतिरक्षा अप्रभावशीलता को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त मूल्य में परिवर्तन);
- (ii) चालू हैजों के लिए नकदी प्रवाह हैज आरक्षित निधि तथा विदेशी मुद्रा रूपान्तरण आरक्षित निधि में शेष जिनकी गणना भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.5.11 तथा 6.5.13(क) के अनुसरण में की जाती है; तथा
- (iii) किन्ही हैज संबंधों से नकदी प्रवाह हैज आरक्षित निधि तथा विदेशी मुद्रा रूपान्तरण आरक्षित निधि में बाकी बचे शेष जिसके लिए हैज लेखा का अब कतई प्रयोग नहीं किया जाता है।
- 24ग प्रतिष्ठान प्रतिरक्षाओं के प्रकारों के लिए जोखिम श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित राशियों को सारणीबद्ध फार्मेट में पृथक रूप से निम्नप्रकार प्रकट करेगा:
- (क) उचित मूल्य प्रतिरक्षाओं के लिए:
- (i) हैज अप्रभावशीलता - लाभ या हानि में मान्य हैज अप्रभावशीलता अर्थात् हैज लिखत और हैजड मद के हैज लाभों (गेन्ज) या हानियों के बीच अन्तर अथवा इक्विटी लिखत की हैजों के लिए अन्य व्यापक आय जिसके लिए प्रतिष्ठान ने भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसरण में अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए चयन किया है; तथा
- (ii) लाभ-हानि विवरण में रेखीय मद जिसमें मान्य हैज अप्रभावशीलता सम्मिलित होती है।
- (ख) नकदी प्रवाह हैजों तथा विदेशी परिचालन में निवल निवेश की हैजों के लिए:
- (i) रिपोर्टिंग अवधि की हैज लाभों (गेन्स) अथवा हानियां जो अन्य व्यापक आय में मान्य थे;
- (ii) लाभ अथवा हानि में मान्य हैज अप्रभावहीनता;
- (iii) लाभ-हानि विवरण में रेखीय मद जिसमें मान्य हैज अप्रभावहीनता सम्मिलित होता है;
- (iv) पुनर्वर्गीकरण समायोजनों के रूप में नकदी प्रवाह हैज आरक्षित निधि या विदेशी मुद्रा रूपान्तरण आरक्षित निधि से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत राशि (देखें इंड ए एस 1) (उन राशियों के बीच विभेद करना जिसके लिए हैज लेखा का पूर्व में (पहले) प्रयोग किया गया था, किन्तु जिसके लिए हैजड भावी नकदी प्रवाहों के घटित होने की आशा अब कतई (बिल्कुल) नहीं है; तथा वे राशियां जिन्हें अन्तरित कर दी गई हैं क्योंकि प्रतिरक्षित मद ने लाभ या हानि को प्रभावित किया है);
- (v) लाभ-हानि विवरण में रेखीय मद जिसमें पुनर्वर्गीकरण समायोजन सम्मिलित होता है (देखें इंड ए एस 1); तथा
- (vi) निवल स्थितियों की हैजों के लिए लाभ-हानि विवरण में पृथक रेखीय मद से मान्य हैज लाभों या हानियां (इंड ए एस 109 का अनुच्छेद 6.6.4 देखें)।
- 24घ अवधि के दौरान जब प्रतिरक्षा संबंधों की मात्रा सामान्य मात्राओं का अप्रतिनिधिक (प्रतिनिधि नहीं) होती है जिस पर अनुच्छेद 23ग में छूट लागू होती है (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि पर मात्रा उस अवधि के दौरान मात्राओं को प्रतिबिम्बित नहीं करता है) तो प्रतिष्ठान उस तथ्य तथा कारण को प्रकट करेगा जिसे यह मानता है कि मात्राएँ अप्रतिनिधिक (प्रतिनिधि नहीं) हैं।
- 24ङ प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसरण में इक्विटी के प्रत्येक घटक का समाधान और अन्य व्यापक आय का विश्लेषण प्रदान करेगा, जो एक साथ निम्नप्रकार से लिया जाएगा:
- (क) उन राशियों के बीच न्यूनतम पर भेद करता है जो अनुच्छेद 24ग (ख)(i) और (ख)(iv) में किए गए प्रकटनों से संबद्ध होते हैं; साथ-साथ भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.5.11(घ)(i) तथा (घ)(iii) के अनुसरण में राशियों की गणना की जाती है;

- (ख) उन विकल्पों के समय मूल्य से संबद्ध राशियों के बीच भेद करता है जो लेन-देन संबंधित हैजड मदों का हैज करते हैं तथा उन विकल्पों के समय मूल्य से संबद्ध राशियों के बीच भेद करता है जो समयावधि संबंधित हैजड मदों की तब हैज करता है जब प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.5.15 के अनुसरण में विकल्प के समय मूल्य के लिए गणना करता है; तथा
- (ग) वायदा अनुबंधों के वायदा तत्वों से संबद्ध राशियों तथा वित्तीय लिखतों के विदेशी मुद्रा आधार विस्तार के बीच भेद करता है जो हैज लेन-देन संबंधित हैजड मदों तथा वायदा अनुबंधों के वायदा तत्वों से संबद्ध राशियां तथा वित्तीय लिखतों विदेशी मुद्रा आधार विस्तार, जो हैज समयावधि संबंधित हैजड मदों का तब हैज करते हैं जब प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.5.16 के अनुसरण में उन राशियों की गणना करता है।

24च प्रतिष्ठान अनुच्छेद 24ड में ओक्षित सूचना को जोखिम श्रेणी के अनुसार पृथक रूप से प्रकट करेगा। जोखिम द्वारा यह पृथक्कीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रदान किए जा सकते हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण एक्सपोजर को नामोद्दिष्ट करने के लिए विकल्प

24छ यदि प्रतिष्ठान ने वित्तीय लिखत या इसके अंश (आनुपातिक) को नामोद्दिष्ट किया है जैसा कि लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया है क्योंकि यह उस वित्तीय लिखत के ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए ऋण व्युत्पन्न का प्रयोग करता है तो यह निम्नलिखित प्रकट करेगा:

- (क) ऋण व्युत्पन्नों के लिए जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.7.1 के अनुसरण में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए अनुसार नामोद्दिष्ट वित्तीय लिखतों के ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए प्रत्येक मामूली राशि तथा प्रारम्भिक तथा अवधि के अन्त में उचित मूल्य का समाधान करने के लिए प्रयुक्त लिए जाते हैं।
- (ख) वित्तीय लिखत या इसके अंश (आनुपातिक) के नामोद्देशन पर लाभ या हानि में मान्य लाभ (गेन) या हानि, जैसा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.7.1 के अनुसरण में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर माप गया है; तथा
- (ग) वित्तीय लिखत या इसके अंश (आनुपातिक) को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर माप को बंद करने पर जो वित्तीय लिखत का उचित मूल्य है और जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.7.4(ख) के अनुसरण में नयी अग्रणीत राशि तथा संबंधित मामूली या मूल (प्रधान) राशि हो गया है (भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसरण में तुलनात्मक सूचना को छोड़कर प्रतिष्ठान को इस प्रकटन को परवर्ती अवधियों में जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती है)।

उचित मूल्य

25. जैसा अनुच्छेद 29 में निर्दिष्ट है, उस को छोड़कर वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों की प्रत्येक श्रेणी के लिए (देखें अनुच्छेद 6), एक प्रतिष्ठान आस्तियों एवं दायित्वों की उस श्रेणी के उचित मूल्य को इस तरीके से प्रकट करेगा जो इसे इसकी अग्रणीत राशि के साथ तुलना किए जाने के लिए अनुमति देता है।
26. उचित मूल्यों के प्रकटन में प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों का श्रेणीयों में समूह बनाएगा किन्तु उन्हें केवल उस सीमा तक समंजन करेगा कि उनकी अग्रणीत राशियां तुलन-पत्र में समंजित हो जाती हैं।
27. [देखें परिशिष्ट 1]
28. कुछ मामलों में, एक प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की प्रारम्भिक मान्यता पर लाभ (गेन) या हानि को मान्यता इसलिए नहीं देता क्योंकि सक्रिय बाजार में उस जैसी आस्ति या दायित्व (यानि स्तर 1 की निविष्ट) में अंकित कीमत द्वारा उचित मूल्य का साक्ष्य नहीं बनता और न ही वह प्रलक्षनीय बाजारों के आंकड़ों (डाटा) का प्रयोग करने वाली मूल्यांकन तकनीक पर आधारित होता है। (देखें भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद ख 5.1.2 क)। ऐसे मामलों में, प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की श्रेणी द्वारा प्रकट करेगा:
- (क) कारकों में (समय सहित) परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य और लेन-देन कीमत के बीच के अंतर की मान्यता के लिए इसकी लेखा नीति को बाजार के सहभागी आस्तियां दायित्व के कीमत निर्धारण पर विचार करेंगे। (देखें भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद ख 5.1.2 क(ख)) ;
- (ख) अवधि के आरंभ और अंत में, हानि या लाभ में अभी मान्य किए जाने वाला कुल अंतर तथा इस अंतर के शेष में परिवर्तनों का मिलान।
- (ग) प्रतिष्ठान इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचा कि लेन-देन कीमत उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य नहीं है साथ में उस साक्ष्य का विवरण जो उचित मूल्य का समर्थन करता है।
29. निम्नलिखित में उचित मूल्य का प्रकटन अपेक्षित नहीं है :
- (क) जब अग्रणीत राशि तर्कसंगत रूप से लगभग उचित मूल्य के समान है, उदाहरण के लिए, अल्पकालीन व्यापार प्राप्य और देय वित्तीय लिखतों के लिए।
- (ख) [देखें परिशिष्ट 1]

- (ग) विवेकाधीन सहभागिता विशेषता को समाविष्ट करने वाले अनुबंध के लिए (जैसा कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 104 में वर्णित किया गया है) यदि उस विशेषता का उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से मापा नहीं किया जा सकता।
30. उपर्युक्त अनुच्छेद 29 (ग), में वर्णित मामले में, एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को सहायता देने के लिए जानकारी को प्रकट करेगा ताकि वे उन अनुबंधों की अग्रणीत राशि व उनके उचित मूल्य की राशि के बीच संभावित अंतरों की सीमा के बारे में वे अपना विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- (क) यह तथ्य है कि इन लिखतों के लिए उचित मूल्य की सूचना प्रकट नहीं की गई है क्योंकि उनका उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से मापा नहीं किया जा सकता ;
- (ख) वित्तीय लिखतों का वर्णन उनकी अग्रणीत राशि तथा यह स्पष्टीकरण कि उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से क्यों नहीं मापा जा सकता ;
- (ग) लिखतों के लिए बाजार के बारे में सूचना ;
- (घ) यह सूचना कि क्या प्रतिष्ठान वित्तीय लिखतों के निपटान करने का इरादा रखता है यदि हां तो कैसे; और
- (ङ.) यदि उन वित्तीय लिखतों को, जिनका उचित मूल्य पहले विश्वसनीय रूप से मापा नहीं किया जा सका, गैर-मान्य किया गया है वह तथ्य, गैर मान्यता के समय उनकी अग्रणीत राशि और मान्य लाभ या हानि की राशि ।

वित्तीय लिखतों से उत्पन्न जोखिमों की प्रकृति व सीमा

31. प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को सूचना प्रकट करेगा ताकि वित्तीय लिखतों से उत्पन्न जोखिमों की प्रकृति व सीमा का मूल्यांकन किया जा सके जिसके लिए प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 'एक्सपोज' रहा है।
32. अनुच्छेद 33-42 द्वारा अपेक्षित प्रकटन उन जोखिमों पर केन्द्रित हैं जो वित्तीय लिखतों से उत्पन्न हैं और उन्हें कैसे व्यवस्थित किया गया है। इन जोखिमों में सामान्यतया ऋण जोखिम, *तरलता जोखिम* एवं बाजार जोखिम सम्मिलित हैं लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं हैं।
- 32 क. मात्रात्मक प्रकटन के परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक प्रकटन प्रदान करने से प्रयोक्ता संबंधित प्रकटन को संबद्ध करने के लिए सक्षम होता है तथा अतः वित्तीय लिखतों से उत्पन्न जोखिमों की प्रकृति व सीमा की समग्र छवि बना लेता है। गुणात्मक तथा मात्रात्मक के बीच अन्तर्क्रिया एक तरीके से सूचना को प्रकटन करने के लिए ऐसा योगदान देती है जिससे प्रतिष्ठान के जोखिमों के एक्सपोजर का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोक्ता बेहतर ढंग से सक्षम होते हैं ।

गुणात्मक प्रकटन

33. वित्तीय लिखतों से उत्पन्न प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
- (क) जोखिम का 'एक्सपोजर' एवं वे किस प्रकार उत्पन्न होते हैं;
- (ख) जोखिम के प्रबंध के लिए इसके उद्देश्य, नीतियां व प्रक्रियाएं एवं जोखिम का माप करने के लिए प्रयुक्त विधियां; और
- (ग) पूर्ववर्ती अवधि से (क) या (ख) में कोई परिवर्तन ।

मात्रात्मक प्रकटन

34. वित्तीय लिखतों से उत्पन्न प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए, प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
- (क) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस जोखिम के एक्सपोजर के बारे में संक्षिप्त परिमाणात्मक डाटा। यह प्रकटन प्रतिष्ठान के मुख्य प्रबंधन के कार्मिकों को आंतरिक रूप से उपलब्ध सूचना पर आधारित होगा। (भारतीय भारतीय लेखा मानक 24, *संबंधित पक्ष के सम्बंध में प्रकटन* में यथापरिभाषित), उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान का निदेशक-मंडल या मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- (ख) अनुच्छेद 36-42 द्वारा अपेक्षित प्रकटन लेकिन उस सीमा तक जो उपर्युक्त (क) के अनुसरण में नहीं दिये गये हैं।
- (ग) जोखिम का संकेन्द्रण, यदि (क) व (ख) के अनुसार किये गये प्रकटनों से स्पष्ट नहीं है।
35. यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, प्रकट परिमाणात्मक आंकड़े उस अवधि के दौरान प्रतिष्ठान के जोखिम एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं तो प्रतिष्ठान आगे की उस सूचना को उपलब्ध करवाएगा जो जोखिम एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करती हो।

ऋण जोखिम

कार्यक्षेत्र और उद्देश्य

- 35क एक प्रतिष्ठान उन वित्तीय लिखतों को अनुच्छेद 35च - 35ढ की अपेक्षाओं को लागू करेगा जिन पर भारतीय लेखा मानक 109 की क्षतिग्रस्तता अपेक्षाएं लागू होती हैं। फिर भी :

- (क) व्यापार प्राप्य राशियों, अनुबंध आस्तियों और पट्टा प्राप्य राशियों के लिए अनुच्छेद 35ड तभी लागू होता है, जब उन पर भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.15 के अनुसरण में आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियां मान्य हों बशर्ते वित्तीय आस्तियां 30 दिनों से ज्यादा की वित्तीय आस्तियों के लिए संशोधित हों; और
- (ख) अनुच्छेद 35 ट (ख) पट्टे की प्राप्य राशियों पर लागू नहीं होता है।
- 35(ख) अनुच्छेद 35 च - 35 ढ के अनुसार किए गए ऋण जोखिम प्रकटनों के वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं (उपयोगकर्ताओं) को भावी नकदी प्रवाहों की राशि, समय तथा अनिश्चितता को समझने के लिए योग्य बनाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित ऋण जोखिम प्रकटनों को प्रदान करता है:
- (क) प्रतिष्ठान के ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवहारों के बारे में सूचना तथा संभावित ऋण हानियों को मापने में प्रयुक्त होने वाली विधियों (पद्धतियों), मान्यताओं तथा सूचना सहित संभावित ऋण हानियों की मान्यता, और माप से वे कैसे संबद्ध हैं;
- (ख) मात्रात्मक और गुणात्मक सूचना, जो वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं (उपयोगकर्ताओं) को संभावित ऋण हानियों की राशियों में हुए परिवर्तनों तथा उन परिवर्तनों के कारणों सहित, संभावित ऋण राशियों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में राशियों का मूल्यांकन करने के लिए अनुमति देता है; तथा
- (ग) महत्वपूर्ण ऋण जोखिम एक्सपोजर सहित प्रतिष्ठान के ऋण जोखिम 'एक्सपोजरों' (अर्थात् प्रतिष्ठान के वित्तीय आस्तियों में अंतर्निहित ऋण जोखिम तथा ऋण विस्तार के लिए वचनबद्धताओं) के बारे में सूचना।
- 35ग प्रतिष्ठान की जो सूचना पहले ही कहीं अन्यत्र प्रस्तुत की जा चुकी है, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते सूचना वित्तीय विवरणों से अन्य विवरणों में प्रतिसंदर्भ द्वारा शामिल की गई हो, जैसे प्रबंधन की टीका-टिप्पणी या जोखिम रिपोर्ट, जो वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को वित्तीय विवरणों के जैसा और एक ही समय उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध होते हैं। प्रतिसंदर्भ द्वारा सम्मिलित सूचना के बिना वित्तीय विवरण अपूर्ण होते हैं।
- 35घ अनुच्छेद 35ख में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, प्रतिष्ठान (सिवाय अन्यथा रूप में विनिर्दिष्ट हो) इस पर विचार करेगा कि प्रकटन आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करने के लिए एकत्रीकरण या पृथक्कीकरण के उपयुक्त स्तर का कितना ब्यौरा दिया जाए, उस पर कितना जोर लगाया जाए तथा क्या वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं (उपयोगकर्ताओं) को प्रकटित (प्रकट की गई) मात्रात्मक सूचना का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
- 35ड यदि अनुच्छेद 35च-35ढ के अनुसार दिए गए प्रकटन अनुच्छेद 35ख के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो प्रतिष्ठान अतिरिक्त सूचना प्रकट करेगा जो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवहार

- 35च प्रतिष्ठान, अपनी ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवहारों तथा संभावित ऋण हानियों की मान्यता एवं माप से वे कैसे संबद्ध हैं; इसे स्पष्ट करेगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान उस सूचना को प्रकट करेगा जो वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को निम्नलिखित समझने तथा मूल्यांकन करने के योग्य बनाता है:
- (क) प्रतिष्ठान कैसे निर्धारित करता है कि वित्तीय लिखतों के ऋण जोखिम में प्रारम्भिक मान्यता से अब तक, यदि और कैसे सहित निम्नलिखित उल्लेखनीय वृद्धि हुई है:
- वित्तीय लिखतों को, भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.10 के अनुसार वित्तीय लिखतों की श्रेणियों सहित जिस पर इसका प्रयोग किया जाता है, निम्न ऋण जोखिम होने वाला समझे जाते हैं; तथा
 - भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.11 में किया गया यह अनुमान कि जब वित्तीय आस्तियां पिछले 30 दिनों से अधिक से देय होती हैं तो ऋण जोखिम में प्रारम्भिक मान्यता से अवश्य उल्लेखनीय वृद्धियाँ हुई हैं जिसका खण्डन किया गया है;
- (ख) प्रतिष्ठान की चूक की परिभाषा, उन परिभाषाओं का चयन करने के कारणों सहित;
- (ग) यदि संभावित ऋण हानियों को सामूहिक आधार पर मापे गए थे तो लिखतों को समूहित (समूह) कैसे किए गए थे;
- (घ) प्रतिष्ठान ने कैसे निश्चित किया कि वित्तीय आस्तियां ऋण-क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियां हैं;
- (ङ) संकेतकों सहित प्रतिष्ठान की बट्टे डालने की नीतियों कि वसूली और वित्तीय आस्तियों की नीति के बारे में सूचना की कोई यथोचित संभावना नहीं है जो बट्टे खाते में डाले गए हैं किन्तु अभी तक प्रवर्तन गतिविधि के अधीन है; तथा
- (च) वित्तीय आस्तियों के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों में संशोधन के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.12 में उल्लिखित अपेक्षाओं का प्रयोग कैसे किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि वित्तीय आस्ति पर ऋण जोखिम जिसे संभावित ऋण हानियों के जीवनकाल तक के लिए ऋण रियायत को बराबर राशि पर मापा गया था, उसे संशोधित किया गया है और उसमें उस सीमा तक सुधार हुआ है जिससे कि भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.5 के अनुसार उस हानि रियायत का 12 महीने की संभावित ऋण हानियों की बराबर राशि पर मापे जाने के लिए वापस हो जाती है; तथा

- (ii) प्रतिष्ठान उस सीमा तक निगरानी करता है जिस सीमा तक वित्तीय आस्तियों पर हानि रियायत (i) में दिए गए मानदंड को पूरा करने के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.3 के अनुसार बाद में जीवन काल तक संभावित ऋण हानियों के बराबर राशि पर पुनः मापा जाता है।
- 35छ प्रतिष्ठान उन निविष्टियों, अवधारणाओं तथा प्राक्कलन तकनीकों को स्पष्ट करेगा जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के खंड 5.5 में दी गई अपेक्षाओं का प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा:
- (क) निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त निविष्टियों तथा अवधारणाओं एवं प्राक्कलन तकनीकों का आधार:
- (i) 12 महीने तथा जीवन काल के लिए संभावित ऋण हानियों का माप के लिए;
- (ii) निर्धारण करने के लिए कि वित्तीय लिखतों का ऋण जोखिम प्रारम्भिक मान्यता से अब तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है या नहीं; तथा
- (iii) निर्धारित करने के लिए कि वित्तीय आस्ति एक ऋण-क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्ति है या नहीं।
- (ख) कैसे मैक्रोइकॉनामिक (समग्र आर्थिक) सूचना सहित प्रभावी सूचना को संभावित ऋण हानियों के निर्धारण में शामिल किया गया है; तथा
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राक्कलन तकनीकों या महत्वपूर्ण अवधारणाओं में किए गए परिवर्तन और उन परिवर्तनों के लिए कारण।
- संभावित ऋण हानियों से उत्पन्न राशियों के बारे में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचना*
- 35ज हानि रियायतों में हुए परिवर्तनों तथा उन परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करने के लिए, प्रतिष्ठान वित्तीय लिखतों की श्रेणी के द्वारा उस अवधि के दौरान किए गए परिवर्तनों को पृथक रूप से, एक तालिका में, दर्शाते हुए प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक हानि रियायत का समाधान निम्नलिखित के लिए देगा:
- (क) 12 महीने की संभावित ऋण हानियों की बराबर राशियों पर मापी गई हानि रियायत;
- (ख) संभावित ऋण हानियों के जीवन काल तक की बराबर राशियों पर निम्नलिखित के लिए मापी गई हानि रियायत:
- (i) वे वित्तीय लिखतें, जिसके लिए ऋण जोखिम में प्रारम्भिक मान्यता से अब तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है किन्तु वे ऋण-क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियां नहीं हैं;
- (ii) वे वित्तीय आस्तियां रिपोर्टिंग तिथि को ऋण-क्षतिग्रस्त होती हैं (किन्तु वे ऋण-क्षतिग्रस्त खरीदी गई या उद्भूत नहीं हैं); तथा
- (iii) व्यापार से प्राप्य राशियां, अनुबंध आस्तियां या पट्टा से प्राप्य राशियां जिसके लिए हानि रियायतों को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.15 के अनुसार मापा जाता है।
- (ग) वे वित्तीय आस्तियां जो ऋण-क्षतिग्रस्त खरीदी जाती हैं या उद्भूत होती हैं। समाधान के अतिरिक्त प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रारम्भिक रूप से मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों के प्रारम्भिक मान्यता पर अबट्टागत संभावित ऋण हानियों की कुल राशियों को प्रकट करेगा।
- 35झ अनुच्छेद 35झ के अनुसार प्रकटित हानि रियायतों में हुए परिवर्तनों को समझने के लिए वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को सक्षम बनाने के लिए प्रतिष्ठान यह स्पष्टीकरण देगा कि हानि रियायतों में हुए परिवर्तनों में योगदान देने की अवधि के दौरान वित्तीय लिखतों की सकल अग्रणीत राशि में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन कैसे होते हैं। उन वित्तीय लिखतों के लिए सूचना पृथक रूप से दी जाएगी जो अनुच्छेद 35झ(क)-(ग) में सूचीबद्ध हानि रियायत का प्रतिनिधित्व करेगा तथा संबंधित गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचना शामिल करेगा। वित्तीय लिखतों की सकल अग्रणीत राशि में हुए परिवर्तनों के उदाहरणों को, जिसने हानि रियायत में परिवर्तनों के लिए योगदान दिया है, निम्नलिखित में शामिल किए जा सकते हैं:
- (क) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उद्भूत या अधिग्रहीत वित्तीय लिखतों के कारण हुए परिवर्तन ;
- (ख) वित्तीय लिखतों पर अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संशोधन जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार जिनके परिणाम उन वित्तीय आस्तियों की अमान्यता में नहीं होते हैं;
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, वित्तीय लिखतों के कारण हुए परिवर्तन जो अमान्य (उनके सहित बट्टे खाते में डाले गए थे) थे; तथा
- (घ) हानि रियायत से उत्पन्न परिवर्तनों को 12 महीने की बराबर राशि पर या संभावित ऋण हानियों के जीवन काल पर मापे जाते हैं।
- 35ञ वित्तीय आस्तियों पर अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के संशोधनों की प्रकृति तथा उनके प्रभाव को समझने तथा संभावित ऋण हानियों के माप पर ऐसे संशोधनों के प्रभाव के लिए, जिनके परिणाम अमान्यता में नहीं हैं वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को योग्य बनाने के लिए प्रतिष्ठान निम्नलिखित प्रकट करेगा :

- (क) संशोधन के पहले परिशोधित लागत तथा वित्तीय आस्तियों के लिए मान्य निवल संशोधन लाभ (गेन) या हानि, जिसके लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को संशोधित किया गया है, जबकि उन में संभावित ऋण हानियों के जीवनकाल के बराबर राशि पर मापी गयी हानि रियायत भी थी; तथा
- (ख) वित्तीय आस्तियों की रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में सकल अग्रणीत राशि, जिन्हें ऐसे समय में प्रारम्भिक मान्यता से अब तक संशोधित किए गए हैं जब हानि रियायत को संभावित ऋण हानियों के जीवन काल के बराबर राशि पर मापा गया था और जिसके लिए हानि रियायत को संभावित ऋण हानियों के 12 महीने के बराबर राशि से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बदल दी गई है।
- 35 ट संभावित ऋण हानियों से उत्पन्न राशियों पर संपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियों के प्रभाव को समझने के लिए वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को सक्षम बनाने के लिए प्रतिष्ठान वित्तीय लिखतों की श्रेणी से प्रकट निम्नप्रकार करेगा :
- (क) वह राशि जो रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में किसी धारित संपार्श्विक या अन्य ऋण वृद्धियों को हिसाब में लिए बिना ऋण जोखिम के लिए अपने अधिकतम एक्सपोजर का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है (जैसे करारों का निर्धारण जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुसार समंजन के लिए योग्य नहीं होते हैं)।
- (ख) प्रतिभूति के रूप में धारित संपार्श्विक तथा अन्य ऋण बढ़ोतियों का निम्नलिखित सहित व्याख्यात्मक विवरण:
- प्रकृति का विवरण तथा धारित संपार्श्विक की गुणवत्ता ;
 - रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रतिष्ठान की संपार्श्विक नीतियों में कमी या परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उस संपार्श्विक या ऋण बढ़ोतियों की गुणवत्ता में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों का स्पष्टीकरण ; तथा
 - वित्तीय लिखतों के बारे में सूचना जिसके लिए प्रतिष्ठान ने संपार्श्विक के कारण हानि रियायत को मान्यता नहीं दी है।
- (ग) वित्तीय आस्तियों के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित संपार्श्विक तथा अन्य ऋण बढ़ोतियों के बारे में मात्रात्मक सूचना जो रिपोर्टिंग तारीख को ऋण-क्षतिग्रस्त होते हैं (उदाहरणार्थ, उस सीमा का परिमाणन जिससे संपार्श्विक तथा अन्य ऋण बढ़ोतियां ऋण जोखिम को कम करती हैं)।
- 35 ठ प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों पर बकाया अनुबंधात्मक राशि को प्रकट करेगा जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बट्टे खाते डाले गए थे और अभी भी प्रवर्तन गतिविधि के अधीन हैं।
- ऋण जोखिम एक्सपोजर**
- 35 ड प्रतिष्ठान के ऋण जोखिम एक्सपोजर का निर्धारण करने तथा इसके महत्वपूर्ण ऋण जोखिम संकेन्द्रन को समझने के लिए वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को योग्य बनाने के लिए प्रतिष्ठान 'ऋण जोखिम दर-निर्धारण ग्रेडों' द्वारा वित्तीय आस्तियों की सकल अग्रणीत राशि तथा ऋण प्रतिबद्धताओं और वित्तीय गारंटी अनुबंधों को प्रकट करेगा। यह सूचना वित्तीय लिखतों के लिए पृथक से निम्नप्रकार दी जाएगी:
- (क) जिसके लिए हानि रियायत को 12 महीने के संभावित ऋण हानियों की बराबर राशि पर मापा जाता है;
- (ख) जिसके लिए हानि रियायत को जीवन काल तक की संभावित ऋण हानियों की बराबर राशि पर मापा जाता है। वे निम्नलिखित हैं:
- वित्तीय लिखतें जिनके लिए ऋण जोखिम पहली बार कि गई मान्यता से काफी बड़ी हुई हैं किन्तु वो ऋण-क्षतिग्रस्तता वित्तीय आस्ति नहीं है ;
 - रिपोर्टिंग तिथि को ऋण-क्षतिग्रस्तता युक्त वित्तीय आस्तियां (लेकिन वे खरीदी नहीं गयी हैं या मूल रूप से ऋण क्षतिग्रस्तता युक्त हैं); और
 - व्यापार प्राप्य राशियां, अनुबंध आस्तियां या पट्टा प्राप्य राशियां जिनके लिए हानि रियायतें भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 109 के अनुच्छेद 5.5.15 के अनुसरण में मापी जाती हैं।
- (ग) वे खरीदी गयीं या मूल रूप से ऋण-क्षतिग्रस्तता वित्तीय आस्तियां हैं।
- 35 ढ व्यापार प्राप्य राशियों, अनुबंध आस्तियों और पट्टा प्राप्य राशियों के लिए जिन पर एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद 5.5.15 का प्रयोग करता है, अनुच्छेद 35 ड के अनुसरण में दी गयी सूचना एक प्रावधान सांचा (प्रोविजन मैट्रिक्स) पर आधारित हो सकती है। (देखें भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद ख.5.5.35)।
36. वे वित्तीय लिखते जो कि इस भारतीय लेखा मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, किन्तु जिन पर भारतीय लेखा मानक 109 में दी गई क्षतिग्रस्तता अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं, एक प्रतिष्ठान को वित्तीय लिखतों की क्षेणी का प्रकटन करना पड़ेगा:
- (क) वह राशि जो धारित किसी संपार्श्विक या अन्य क्रेडिट वृद्धियों को ध्यान में रखे बिना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऋण जोखिम के लिए अधिकतम एक्सपोजर का सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करती है (उदाहरणतया, समंजन (नैटिंग) करारनामे जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुसार समंजन (आफसेट) के लिए अर्हक नहीं है।); यह प्रकटन उन वित्तीय लिखतों के लिए अपेक्षित नहीं है जिनकी अग्रणीत राशि ऋण जोखिम के प्रति अधिकतम एक्सपोजर का सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करती है।

(ख) उस राशि के संबंध में जो ऋण जोखिम के अधिकतम 'एक्सपोजर' का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है (क्या उपर्युक्त (क) के अनुसरण में प्रकट किया गया है या वित्तीय लिखत की अग्रणीत राशि द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है) प्रतिभूति के रूप में धारित संपार्श्विक का विवरण और अन्य ऋणवृद्धियों का वित्तीय प्रभाव (उदाहरणार्थ, उस सीमा की एक मात्रा जिस पर संपार्श्विक तथा अन्य ऋण- वृद्धियां ऋण जोखिम को कम करती हैं)।

(ग) [देखें परिशिष्ट 1]

(घ) [देखें परिशिष्ट 1]

विगत देय या क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियां

37. [देखें परिशिष्ट 1]

प्राप्त की गयीं संपार्श्विक एवं अन्य ऋण वृद्धियां

38. जब प्रतिष्ठान संपार्श्विक का अधिग्रहण करते हुए अवधि के दौरान वित्तीय या गैर वित्तीय आस्तियों को प्राप्त करता है तो वह प्रतिभूति के रूप में रखता है या अन्य ऋण वृद्धियां (अर्थात् गारंटी) की मांग करता है और ऐसी आस्तियां अन्य भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) में मान्यता मानदंड की पूर्ति करती हैं तो प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग तिथि पर धारित ऐसी आस्तियों के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :

(क) आस्तियों की प्रकृति तथा अग्रणीत राशि ; तथा

(ख) जब आस्तियों को नकदी में तत्काल परिवर्तित नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसी आस्तियों के निपटान के लिए अथवा इन्हें परिचालनों में प्रयोग करने के लिए इसकी नीतियां ।

तरलता जोखिम

39. प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा:

(क) गैर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) वित्तीय दायित्वों के लिए परिपक्वता विश्लेषण (जारी किए गए वित्तीय गारंटी अनुबंधों सहित) जो शेष अनुबंधात्मक परिपक्वताओं को दर्शाते हैं।

(ख) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) वित्तीय दायित्वों के लिए परिपक्वता विश्लेषण, परिपक्वता विश्लेषण उन व्युत्पन्न वित्तीय दायित्वों के लिए शेष अनुबंधात्मक परिपक्वताओं को शामिल करेगा जिसके लिए अनुबंधात्मक परिपक्वताएं नकदी प्रवाह के समय की समझ के लिए अनिवार्य हैं (देखें अनुच्छेद ख 11ख)

(ग) इसका वर्णन कि यह (क) और (ख) में अन्तर्निहित तरलता जोखिम का प्रबंध कैसे करता है।

बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण

40. जब तक कि प्रतिष्ठान अनुच्छेद 41 का अनुपालन नहीं करता है, यह निम्नलिखित को प्रकट करेगा:

(क) प्रत्येक प्रकार के बाजार जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण जिसके लिए प्रतिष्ठान को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 'एक्सपोजर' किया गया है जिसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार लाभ या हानि और 'इक्विटी' सम्बंधित जोखिम परिवर्तन कारक में परिवर्तनों से प्रभावित होगा जो उस तिथि को तर्कसंगत रूप से संभव थे;

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषणों को तैयार करने में प्रयुक्त विधियां एवं अवधारणाएं; और

(ग) प्रयुक्त विधियों एवं अवधारणाओं में पूर्ववर्ती अवधि से परिवर्तन और ऐसे परिवर्तनों के कारण।

41. यदि एक प्रतिष्ठान जोखिम-पर-मूल्य जैसे संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करता है, जो जोखिम परिवर्तन कारकों (उदाहरणस्वरूप ब्याज दरें व विनियम दरें) के बीच परस्पर निर्भरता को प्रतिबिंबित करता है और वित्तीय जोखिमों के प्रबंध के लिए इसका प्रयोग करता है, अतः यह अनुच्छेद 40 में विनिर्दिष्ट विश्लेषण के स्थान पर संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रयोग कर सकता है। प्रतिष्ठान निम्नलिखित को भी प्रकट करेगा :

(क) ऐसे संवेदनशीलता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधि तथा मुख्य पैरामीटरों एवं उपलब्ध करवाए गए डाटा को रेखांकित करती हुई अवधारणाओं की व्याख्या; और

(ख) प्रयुक्त विधि के उद्देश्य की व्याख्या और सीमाएं जो व्याप्त आस्तियों व दायित्वों के उचित मूल्य को पूर्णतया न दर्शाते हुए सूचना में परिणत हो सकती हैं।

बाजार के अन्य जोखिमों का प्रकटन

42. जब अनुच्छेद 40 या 41 के अनुसार प्रकट किए गए संवेदनशीलता विश्लेषण एक वित्तीय लिखत में अन्तर्निहित जोखिम का प्रतिधित्व नहीं करते हैं, (उदाहरण के लिए, चूंकि वर्ष के अंत का 'एक्सपोजर' वर्ष के दौरान 'एक्सपोजर' को प्रतिबिंबित नहीं करता) तो प्रतिष्ठान इस तथ्य को और उस कारण को प्रकट करेगा जिसका यह विश्वास है कि संवेदनशीलता विश्लेषण प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

वित्तीय आस्तियों का अन्तरण

- 42 क वित्तीय आस्तियों के अन्तरण से सम्बंधित, अनुच्छेद 42ख-42ज में प्रकटन अपेक्षाएं इस भारतीय लेखा मानक की अन्य प्रकटन अपेक्षाओं की पूरक हैं। प्रतिष्ठान अनुच्छेदों 42ख-42ज द्वारा अपेक्षित प्रकटनों को अपने वित्तीय विवरणों की एकल टिप्पणी में प्रस्तुत करेगा। प्रतिष्ठान उन सभी अन्तरित वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित प्रकटन प्रदान करेगा जो अमान्य नहीं हैं और रिपोर्टिंग तिथि पर अन्तरित आस्ति में निरन्तर संलिप्तता के लिए विद्यमान हैं भले सम्बंधित लेन-देन कभी भी हुआ हो। इन अनुच्छेदों में प्रकटन अपेक्षाओं के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए, प्रतिष्ठान समस्त या आंशिक वित्तीय आस्ति (अन्तरित वित्तीय आस्ति) को अन्तरित करता है, यदि, और केवल यदि, यह निम्नलिखित में से कोई एक कार्य करता है:
- (क) उस वित्तीय आस्ति के नकद प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अनुबंधात्मक अधिकारों का अन्तरण; या
- (ख) उस वित्तीय आस्ति के नकद-प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अनुबंधात्मक अधिकारों का प्रतिधारण, लेकिन, वह एक व्यवस्था में एक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं की नकदी प्रवाहों का भुगतान करने के लिए अनुबंधात्मक बाध्यता को ग्रहण करता है।
- 42 ख प्रतिष्ठान उस सूचना को प्रकट करेगा जो इसके वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को सक्षम बनाता है:
- (क) अन्तरित वित्तीय आस्तियों के बीच संबंध को समझने के लिए जो उनकी संपूर्णता में तथा संबद्ध दायित्वों में अमान्य नहीं हैं; तथा
- (ख) अमान्य वित्तीय आस्तियों में प्रतिष्ठान की निरन्तर संलिप्तता की प्रकृति तथा उससे संबद्ध जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- 42ग अनुच्छेद 42ड-42ज में प्रकटन अपेक्षाओं के प्रयोग के उद्देश्यों के लिए, प्रतिष्ठान की अन्तरित वित्तीय आस्ति में निरन्तर संलिप्तता रहती है यदि, अन्तरण के एक भाग के रूप में, प्रतिष्ठान अन्तरित वित्तीय आस्ति में अंतर्निहित किसी अनुबंधात्मक अधिकारों या बाध्यताओं को धारण करता है या हस्तांतरित वित्तीय आस्ति से संबंधित किसी नए अनुबंधात्मक अधिकारों या बाध्यताओं को प्राप्त करता है। अनुच्छेद 42ड-42ज में प्रकटन अपेक्षाओं का प्रयोग करने के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित निरन्तर संलिप्तता का गठन नहीं करता है:
- (क) कपटपूर्ण अन्तरण तथा तर्कसंगत सिद्धान्तों से संबंधित सामान्य प्रतिवेदनों तथा वारंटियों, सद्भाव और निष्पक्ष व्यवहार जो कानूनी कार्रवाई के परिणामस्वरूप अन्तरों को अवैध कर सकता है;
- (ख) अन्तरित वित्तीय आस्ति का पुर्नअधिग्रहण करने के लिए वायदा, विकल्प तथा अन्य अनुबंधों को, जिसके लिए अनुबंध कीमत (या प्रयोग कीमत) अन्तरित वित्तीय आस्ति का उचित मूल्य होता है; या
- (ग) एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति के नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अनुबंधात्मक अधिकारों को धारण करता है किन्तु एक या अधिक प्रतिष्ठानों के नकदी प्रवाहों का भुगतान करने के लिए अनुबंधात्मक बाध्यताओं को ग्रहण करता है तथा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 3.2.5(क)-(ग) में दिए गए शर्तों को पूरा करते हैं।

अन्तरित वित्तीय आस्तियां जो पूर्ण रूप से अमान्य नहीं हैं

- 42घ प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों का अन्तरण इस तरह से कर सकता था कि सभी अन्तरित वित्तीय आस्तियां या उसका एक भाग अमान्यता के लिए योग्य नहीं होती हैं। अनुच्छेद 42ख(क), में निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान अन्तरित उन वित्तीय आस्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को निम्नप्रकार प्रकट करेगा जो उनकी संपूर्णता में अमान्य नहीं होती हैं:
- (क) अन्तरित आस्तियों की प्रकृति।
- (ख) स्वामित्व के जोखिम तथा प्रतिफलों की प्रकृति जिससे प्रतिष्ठान रू-ब-रू होते हैं।
- (ग) रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के अन्तरित आस्तियों के उपभोग पर अन्तरण से उत्पन्न प्रतिबंधों सहित अन्तरित आस्तियों तथा सम्बद्ध दायित्वों के बीच संबंध की प्रकृति का विवरण।
- (घ) जब संबद्ध दायित्वों के प्रतिपक्ष (काउन्टरपार्ट या काउन्टरपार्टियां) केवल अन्तरित आस्तियों का सहारा लेता है (लेते हैं) तो एक अनुसूची जो अन्तरित आस्तियों का उचित मूल्य, संबद्ध दायित्वों का उचित मूल्य तथा निवल स्थिति (अन्तरित आस्तियों तथा संबद्ध दायित्वों के उचित मूल्य के बीच अन्तर निर्दिष्ट करती है)।
- (ङ) जब प्रतिष्ठान सभी अन्तरित आस्तियों, अन्तरित आस्तियों तथा संबद्ध दायित्वों की अग्रणीत राशियों को मान्यता देना जारी रखता है।
- (च) जब प्रतिष्ठान आस्तियों को उसकी निरन्तर संलिप्तता की सीमा तक (भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 3.2.6(ग)(ii) तथा 3.2.16 देखें), अन्तरण से पहले मूल आस्तियों की कुल अग्रणीत राशि उन आस्तियों की अग्रणीत राशि जिसे प्रतिष्ठान मान्यता देना जारी रखता है, तथा संबद्ध दायित्वों की अग्रणीत राशि को मान्यता देना जारी रखता है।

अन्तरित वित्तीय आस्तियां जो पूर्ण रूप से अमान्य हैं

- 42ङ अनुच्छेद 42 ख (ख) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब प्रतिष्ठान अपनी संपूर्णता में अन्तरित वित्तीय आस्तियों को अमान्य करता है [भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 3.2.6(क) तथा (ग)(i) देखें] किन्तु उनमें निरन्तर रहने वाली संलिप्तता होती है, तो प्रतिष्ठान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रत्येक प्रकार की निरन्तर रहने वाली संलिप्तता को न्यूनतम रूप में प्रकट करेगा:

- (क) आस्तियों एवं दायित्वों की अग्रणीत राशि जो प्रतिष्ठान के तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त है तथा अमान्य वित्तीय आस्तियों में प्रतिष्ठान की निरंतर रहने वाली संलिप्तता का प्रतिनिधित्व करती है, और रेखीय मदें जिनमें उन आस्तियों एवं दायित्वों की अग्रणीत राशि को मान्यता प्राप्त होती है।
- (ख) आस्तियों एवं दायित्वों का उचित मूल्य जो अमान्य वित्तीय आस्तियों में प्रतिष्ठान की निरंतर रहने वाली वित्तीय संलिप्तता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- (ग) वह राशि जो अमान्य वित्तीय आस्तियों में प्रतिष्ठान की निरंतर संलिप्तता से हानि के लिए इसके अधिकतम 'एक्सपोजर' का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है, तथा वह सूचना जो यह दर्शाती है कि हानि के लिए अधिकतम 'एक्सपोजर' कैसे निश्चित किया जाता है।
- (घ) अबटटागत नकदी बहिर्प्रवाह जो अमान्य वित्तीय आस्तियों की पुनर्खरीद के लिए (जैसे, विकल्प करार में तय कीमत) या हस्तांतरित आस्तियों के संबंध में अन्तरिति को देय अन्य राशियां अपेक्षित होंगी या हो सकती हैं। यदि नकदी बहिर्प्रवाह परिवर्तनीय है तो प्रकटित राशि उन शर्तों पर आधारित होनी चाहिए जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान होती हैं।
- (ङ) अबटटागत नकदी बहिर्प्रवाहों की परिपक्वता विश्लेषण जो अमान्य वित्तीय आस्तियों की पुनर्खरीद के लिए अथवा अन्तरित वित्तीय आस्तियों के संबंध में अन्तरित को देय अन्य राशियां अपेक्षित होंगी या हो सकती हैं।
- (च) गुणात्मक सूचना जो (क)-(ङ) में अपेक्षित मात्रात्मक प्रकटनों को स्पष्ट करता है तथा समर्थन करता है।
- 42 च प्रतिष्ठान एक विशेष आस्ति के संबंध में अनुच्छेद 42ड के अनुसार अपेक्षित सूचना इकट्ठा कर सकता है यदि प्रतिष्ठान का उस अमान्य वित्तीय आस्ति में एक से अधिक प्रकार की निरंतर रहने वाली संलिप्तता होती है, तथा उसकी एक प्रकार की निरंतर रहनेवाली संलिप्तता के अन्तर्गत रिपोर्ट करता है।
- 42 छ इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान प्रत्येक प्रकार की निरंतर रहने वाली संलिप्तता के लिए निम्न प्रकार प्रकट करेगा :
- (क) आस्तियों के अन्तरण की तिथि पर मान्यता प्राप्त लाभ (गेन) या हानि।
- (ख) अमान्य वित्तीय आस्तियों में प्रतिष्ठान की निरंतर रहने वाली संलिप्तता से, रिपोर्टिंग अवधि तथा संचयी रूप से दोनों में, मान्यता प्राप्त आय और व्यय (जैसे व्युत्पन्न लिखतों में उचित मूल्य परिवर्तित हो जाता है)।
- (ग) यदि रिपोर्टिंग अवधि में अन्तरण गतिविधि (जो अमान्यता के लिए योग्य होता है) से प्राप्तियों की कुल राशि को संपूर्ण रिपोर्टिंग अवधि में समान रूप से वितरित नहीं की जाती है (जैसे यदि अंतरण गतिविधि की कुल राशि का अधिकांशतया अनुपात (समानुपातन) रिपोर्टिंग अवधि के अन्तिम दिनों में होता है):
- जब उस रिपोर्टिंग अवधि के अंतर्गत सबसे बड़ा अन्तरण गतिविधि होता है जैसे रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पहले अन्तिम पांच दिन),
 - रिपोर्टिंग अवधि के उस भाग में अन्तरण गतिविधि से मान्यता प्राप्त राशि (जैसे संबंधित लाभ (गेन्ज) या हानियां); तथा
 - रिपोर्टिंग अवधि के उस भाग में अन्तरण गतिविधि से प्राप्तियों की कुल राशियां।

प्रतिष्ठान यह सूचना प्रत्येक अवधि के लिए देगा जिसके लिए लाभ-हानि विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

पूरक सूचना

- 42 ज प्रतिष्ठान वह कोई भी अतिरिक्त सूचना प्रकट करेगा जिसे यह अनुच्छेद 42ख में प्रकटन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझता है।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

ऋण जोखिम	वह जोखिम जिसमें वित्तीय लिखत का एक पक्ष जब बाध्यता को पूरा करने में असमर्थ रहता है और इससे उसके दूसरे पक्ष को वित्तीय हानि होती है।
ऋण जोखिम रेटिंग के ग्रेड	ऋण जोखिम रेटिंग ऋण भुगतान में चूक के जोखिम पर आधारित ऋण जोखिम के रेटिंग ग्रेड वित्तीय लिखत पर है।
मुद्रा जोखिम	वह जोखिम जिससे वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाहों में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होता है।
ब्याज दर जोखिम	वह जोखिम जिससे वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज-दरों में परिवर्तनों के कारण उतार-चढ़ाव होता है।
तरलता जोखिम	वह जोखिम जिसे प्रतिष्ठान उन वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में कठिनाईयों का सामना करता है जिनका नकदी या अन्य वित्तीय आस्ति को प्रदान करते हुए निपटान किया जाता है।

देय ऋण	देय ऋण सामान्य ऋण शर्तों पर देय अल्पकालीन व्यापार से भिन्न वित्तीय दायित्व हैं।
बाजार के जोखिम	वह जोखिम जिससे वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाजार कीमतों में परिवर्तनों के कारण उतार-चढ़ाव होता है। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं अर्थात् मुद्रा जोखिम , ब्याज दर जोखिम या अन्य कीमत जोखिम ।
अन्य कीमत जोखिम	वह जोखिम जिससे वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाजार कीमतों में (उनसे भिन्न जो ब्याज दर जोखिम या मुद्रा जोखिम से उत्पन्न हों), परिवर्तनों के कारण उतार-चढ़ाव होता है भले ही वे परिवर्तन अलग-अलग वित्तीय लिखत के लिए विनिर्दिष्ट घटकों द्वारा या इसके जारीकर्ताओं द्वारा या बाजार में व्यापार की गई इसी प्रकार की सभी वित्तीय लिखतों को प्रभावित करने वाले घटकों के कारण हों।

निम्नलिखित शब्दावली को भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 11, भारतीय लेखा मानक 109 के परिशिष्ट 'क' या भारतीय लेखा मानक 113 का परिशिष्ट 'क' में परिभाषित किया गया है और इस भारतीय लेखा मानक में इस शब्दावली का प्रयोग भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 32, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 व भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 113 में विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।

- वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत
- अनुबंधात्मक आस्ति
- ऋण-क्षतिग्रस्तता वित्तीय आस्तियां
- अमान्यता
- व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)
- लाभांश
- प्रभावी ब्याज विधि
- 'इक्विटी' लिखत
- प्रत्याशित ऋण हानियां
- उचित मूल्य
- वित्तीय आस्ति
- वित्तीय गारंटी अनुबंध
- वित्तीय लिखत
- वित्तीय दायित्व
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्व
- पूर्वानुमानित लेनदेन
- सकल अग्रणीत राशि
- प्रतिरक्षा (हैजिंग) लिखत
- व्यापार के लिए धारित
- क्षतिग्रस्तता लाभ (गेन्ज) या हानियां
- हानि रियायत
- खरीदी गयी या मूलरूप से ऋण-क्षतिग्रस्तता वित्तीय आस्तियां
- पुनर्वर्गीकरण तिथि
- नियमित रूप से क्रय या विक्रय

परिशिष्ट ख

प्रयोग-संबंधी दिशा-निर्देश

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अभिन्न अंग है।

वित्तीय लिखतों की श्रेणियां एवं प्रकटन का स्तर (अनुच्छेद 6)

- ख 1 अनुच्छेद 6 प्रतिष्ठान से वित्तीय लिखतों को समूह के रूप में श्रेणीबद्ध करने की अपेक्षा करता है जो प्रकट सूचना की प्रकृति के लिए उपयुक्त है और वह उन वित्तीय लिखतों की विशेषताओं को ध्यान में रखता है। अनुच्छेद 6 में वर्णित श्रेणियों को प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित किया जाता है और इस प्रकार भारतीय लेखा मानक 109 में विनिर्दिष्ट वित्तीय लिखतों की श्रेणियों से अलग किया जाता है (जिनमें यह निर्धारित है कि किस प्रकार वित्तीय लिखतों को मापा जाता है और उचित मूल्य में परिवर्तनों को कहां मान्यता दी जाती है)।
- ख 2 वित्तीय लिखत की श्रेणियां निर्धारित करने में एक प्रतिष्ठान को कम-से-कम निम्नलिखित पर कार्रवाई करना अपेक्षित है :
- (क) उचित मूल्य पर माप की गई लिखतों से परिशोधित लागत पर मापी गई लिखतों में भेद करना।

(ख) इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के कार्यक्षेत्र से बाहर उन वित्तीय लिखतों की अलग श्रेणी या श्रेणियां मानना।

ख 3 इन परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में, एक प्रतिष्ठान इस बात का निर्णय लेता है कि इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यह कितना ब्यौरा उपलब्ध करवाता है यह अपेक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर कितना बल देता है और विभिन्न विशेषताओं की सूचना मिलाए बिना संपूर्ण स्थिति प्रदर्शित करने के लिए सूचना को किस प्रकार एकत्र करता है। यह आवश्यक है कि अधिक भार वाले वित्तीय विवरणों तथा अत्याधिक ब्यौरे के बीच संतुलन रखा जाए ताकि अधिक सूचना से वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को सहायता न दे और जिससे ज्यादा एकत्रीकरण से महत्वपूर्ण सूचना अस्पष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान जब महत्वहीन ब्यौरे की भरमार कर देता है तो उसमें महत्वपूर्ण सूचना को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार, प्रतिष्ठान ऐसी सूचना प्रकट नहीं करेगा जो इतनी अधिक हो कि अलग-अलग लेन-देनों या संबद्ध जोखिमों के बीच अंतर स्पष्ट न हो।

ख 4 [देखें परिशिष्ट 1]

अन्य प्रकटन - लेखा नीतियां (अनुच्छेद 21)

ख 5 अनुच्छेद 21 में वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रयुक्त अन्य लेखागत नीतियों को तैयार करने में प्रयुक्त मूल्यांकन आधार के प्रकटन की अपेक्षा है जो वित्तीय विवरणों की व्याख्या के लिए संगत है। वित्तीय लिखतों के लिए, इस प्रकार के प्रकटनों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :

(क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोऽष्ट वित्तीय दायित्वों के लिए:

(i) वित्तीय दायित्वों की प्रकृति जिसे प्रतिष्ठान ने लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोऽष्ट किया है;

(ii) आरंभिक मान्यता पर इस प्रकार की वित्तीय दायित्वों को नामोऽष्ट करने के लिए मानदंड ; और

(iii) प्रतिष्ठान ने इस प्रकार से नामोऽष्ट करने के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.2.2 में शर्तों को कैसे पूरा किया है।

(कक) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयी नामोऽष्ट वित्तीय आस्तियों के लिए :

(i) प्रतिष्ठान द्वारा नामोऽष्ट और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय आस्तियों की प्रकृति; और

(ii) इस प्रकार के नामोदेशन के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.1.5 में दिये गये मानदंड को प्रतिष्ठान ने कैसे पूरा किया।

(ख) [देखें परिशिष्ट 1]

(ग) क्या वित्तीय आस्तियों के क्रय तथा विक्रय के नियमित रूप से व्यापार तिथि या निपटान तिथि को लेखा किया गया था (देखें भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद 3.1.2)

(घ) वित्तीय लिखत की प्रत्येक श्रेणी पर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को कैसे निर्धारित किया जाता है (अनुच्छेद 20 (क) देखें), उदाहरण के लिए, यदि लाभों या हानियों के माध्यम से उचित मूल्य पर मर्दों पर शुद्ध लाभ या हानि में ब्याज या लाभांश आय को शामिल किया गया है।

(च)-(छ)[देखें परिशिष्ट 1]

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 के अनुच्छेद 122 में प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महत्वपूर्ण नीतियों के सारांश या अन्य टिप्पणियों में प्राक्कलनों को शामिल करने के अलावा अधिनिर्णयों का प्रकटन करे जो प्रबंधन ने प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में लिये हैं, और उनका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।

वित्तीय लिखतों से उत्पन्न जोखिमों की प्रकृति व सीमा (अनुच्छेद 31-42)

ख 6 अनुच्छेद 31-42 द्वारा अपेक्षित प्रकटनों को या तो वित्तीय विवरणों में दिया जाएगा या वित्तीय विवरणों से प्रति संदर्भ द्वारा प्रबंधन कमेंट्री या जोखिम रिपोर्ट जैसी कुछ अन्य विवरणों में शामिल किया जाएगा जो वित्तीय विवरणों की तरह उन्हीं शर्तों और उसी समय वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को उपलब्ध है। प्रति संदर्भ द्वारा शामिल सूचना के बिना वित्तीय विवरण अपूर्ण है।

मात्रात्मक प्रकटन (अनुच्छेद 34)

ख 7 अनुच्छेद 34 (क) में प्रतिष्ठान मुख्य प्रबंधन से आंतरिक रूप से उपलब्ध करवाई गई सूचना पर आधारित जोखिमों के लिए प्रतिष्ठान के एक्सपोजर के बारे में सार परिमाणात्मक आंकड़ों के प्रकटीकरण की अपेक्षा करता है। जब प्रतिष्ठान जोखिम एक्सपोजर के प्रबंध के लिए कई प्रणालियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रकट करेगा जिससे अत्याधिक संगत एवं विश्वसनीय सूचना उपलब्ध होगी। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8, लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां, संगतता तथा विश्वसनीयता पर विचार विमर्श करता है।

ख 8 अनुच्छेद 34 (ग) जोखिम के संकेन्द्रण के बारे में प्रकटन की अपेक्षा करता है। जोखिम के संकेन्द्रण वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होते हैं जिसकी समान विशेषताएं होती हैं और आर्थिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तनों द्वारा इसी प्रकार प्रभावित होती हैं। जोखिम के

संकेन्द्रणों की पहचान प्रतिष्ठान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिनिर्णय की अपेक्षा करती है। जोखिम के संकेन्द्रण के प्रकटन में निम्नलिखित शामिल रहेंगे :

- (क) इस आशय का वर्णन कि प्रबंधन किस प्रकार संकेन्द्रणों को निर्धारित करता है;
- (ख) शेयर की गई विशेषताओं का वर्णन जो प्रत्येक संकेन्द्रण का पता लगाती है (जैसे कि प्रति पक्ष, भौगोलिक क्षेत्र, मुद्रा या बाजार); और
- (ग) उस विशेषता को शेयर करने वाली सभी वित्तीय लिखतों से संबद्ध जोखिम एक्सपोजर की राशि।

ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवहार (अनुच्छेद 35च-35छ)

ख8क अनुच्छेद 35च(ख) में विभिन्न वित्तीय लिखतों के लिए हुई चूक को प्रतिष्ठान ने कैसे परिभाषित किया है, तथा उन परिभाषाओं के चयन के कारणों के बारे में सूचना के प्रकटन की अपेक्षा करता है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.9 के अनुसार संभावित ऋण हानियों के जीवन काल को मान्यता दी जानी चाहिए या नहीं, इसका निर्धारण प्रारम्भिक मान्यता से अब तक घटित होने वाली चूक से जोखिम में वृद्धि होने पर आधारित है। प्रतिष्ठान की चूक की परिभाषाओं के बारे में सूचना जो वित्तीय लिखतों के प्रयोक्ताओं को यह समझने में सहायता करेगी कि प्रतिष्ठान ने भारतीय लेखा मानक 109 में संभावित ऋण हानि की अपेक्षाओं को कैसे प्रयोग किया है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकती है:

- (क) चूक की परिभाषा में गुणात्मक तथा मात्रात्मक कारकों पर विचार किया गया;
- (ख) क्या विभिन्न प्रकार के वित्तीय लिखतों के लिए भिन्न-भिन्न परिभाषाओं को प्रयुक्त किए गए हैं; तथा
- (ग) वित्तीय आस्ति पर घटित चूक के बाद क्योर दर के बारे में मान्यताएं (अर्थात् वित्तीय आस्तियों की संख्या जो निष्पादन करने की स्थिति में वापस आ जाता है)।

ख8ख वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को प्रतिष्ठान की पुनर्निर्माण तथा संशोधन नीतियों का मूल्यांकन करने में सहायता करने के लिए अनुच्छेद 35च(च)(i) में उस सूचना के बारे में अपेक्षा की जाती है कि जिस सूचना पर प्रतिष्ठान कैसे उस सीमा तक निगरानी करता है जिससे अनुच्छेद 35च(च)(i) के अनुसार पूर्व में प्रकटित वित्तीय आस्तियों पर हानि रियायत को बाद में भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.3 के अनुसार संभावित ऋण हानियों के जीवनकाल के बराबर राशि पर मापा जाता है। उस मात्रात्मक सूचना में जिसमें संशोधित वित्तीय आस्तियों के ऋण जोखिम में परवर्ती वृद्धि को समझने में प्रयोक्ताओं को सहायता मिलेगी, उसमें अनुच्छेद 35च(च)(i) में दिए गए मानदंड को पूरा करने वाली संशोधित वित्तीय आस्तियों के बारे में सूचना सम्मिलित की जा सकती है जिसके लिए हानि रियायत संभावित ऋण हानियों के जीवनकाल के बराबर राशि पर अर्थात् घटी हुई दर पर मापे जाने के लिए विचार्य हुआ है।

ख8ग अनुच्छेद 35छ(क) भारतीय लेखा मानक 109 में क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं का प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त निविष्टियों और मान्यताओं तथा प्राक्कलन तकनीकों के आधार के बारे में सूचना के प्रकटन की अपेक्षा करता है। संभावित ऋण हानियों को मापने अथवा ऋण जोखिम में प्रारम्भिक मान्यता से अब तक हुई वृद्धियों की सीमा का निश्चय करने के लिए प्रयुक्त प्रतिष्ठान की मान्यताओं तथा निविष्टियों में आन्तरिक ऐतिहासिक सूचना अथवा दर-निर्धारण रिपोर्टें तथा वित्तीय लिखतों के संभावित जीवन (समय) और संपार्श्विक के बिक्री के समय के बारे में मान्यताओं को सम्मिलित किए जा सकते हैं।

हानि रियायतों में परिवर्तन (अनुच्छेद 35छ)

ख8घ अनुच्छेद 35छ के अनुसार प्रतिष्ठान से अपेक्षा होती है कि वह अवधि के दौरान हानि रियायतों में हुए परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करे। हानि रियायत के प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष में समाधान के अतिरिक्त, यह आवश्यक हो जाता है कि परिवर्तनों का व्याख्यात्मक स्पष्टीकरण दिया जाए। इस व्याख्यात्मक स्पष्टीकरण में उस अवधि के दौरान हानि भत्ते में हुए परिवर्तनों के कारणों का विश्लेषण सम्मिलित हो सकता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) पोर्टफोलियो विकास (संरचना);
- (ख) खरीदी गई अथवा प्रारम्भिक (मौखिक) वित्तीय लिखतों की मात्रा; तथा
- (ग) संभावित ऋण हानियों की गंभीरता।

ख8ङ ऋण बाध्यताओं तथा वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए हानि रियायत को एक उपबंध (प्रावधान) के रूप में मान्यता है। प्रतिष्ठान को हानि रियायतों में हुए परिवर्तनों के बारे में ऋण बाध्यताओं तथा वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए उनसे पृथक रूप से वित्तीय आस्तियों के लिए सूचना प्रकट करनी चाहिए। तथापि, यदि वित्तीय लिखत में ऋण (अर्थात् वित्तीय आस्ति) तथा अनाहरित बाध्यता (अर्थात् ऋण बाध्यता) घटक, दोनों सम्मिलित होते हैं तथा प्रतिष्ठान ऋण बाध्यता घटक पर संभावित ऋण हानियों को उनसे ऋण बाध्यता घटक पर पृथक रूप से पहचान नहीं कर सकता है तो संभावित ऋण हानियों को ऋण बाध्यताओं पर वित्तीय आस्ति के लिए हानि रियायत के साथ मान्यता दी जानी चाहिए। जिस सीमा तक संयुक्त संभावित ऋण हानियां वित्तीय आस्ति की सकल अग्रणीत राशि से अधिक होती है, उस सीमा तक संभावित ऋण हानियों को प्रावधान के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

संपार्श्विक (अनुच्छेद 35ट)

- ख8 च अनुच्छेद 35ट उस सूचना के प्रकटन की अपेक्षा करता है जो वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को संभावित ऋण हानियों की राशि पर होने वाले संपार्श्विक तथा अन्य ऋण बढ़ोतियों के प्रभाव को समझने के योग्य बनाएगा। प्रतिष्ठान से न तो संपार्श्विक के उचित मूल्य तथा अन्य ऋण बढ़ोतियों के बारे में सूचना प्रकट करने की अपेक्षा है, और न ही उस संपार्श्विक के वास्तविक मूल्य के परिमाण का निर्धारण करना अपेक्षित है जिसे संभावित ऋण हानियों के परिकलन (अर्थात् हानि के कारण चूक) में सम्मिलित था।
- ख8 छ संपार्श्विक तथा संभावित ऋण हानियों की राशि पर इसके प्रभाव के व्याख्यात्मक विवरण में निम्नलिखित के बारे में सूचना सम्मिलित की जा सकती हैं:
- (क) प्रतिभूति तथा अन्य ऋण बढ़ोतियों के रूप में धारित संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों के बारे में (परवर्ती के गारंटियों, ऋण व्युत्पन्नों तथा निवल करारनामों के उदाहरण भारतीय लेखा मानक 32 के अनुसार समंजन के लिए योग्य नहीं होते हैं);
 - (ख) धारित संपार्श्विक तथा अन्य ऋण बढ़ोतियों के परिमाण तथा हानि रियायत के संदर्भ में इसका महत्व;
 - (ग) संपार्श्विक तथा अन्य ऋण बढ़ोतियों के मूल्य लगाने तथा प्रबंध करने के लिए नीतियां तथा प्रक्रियाएं;
 - (घ) संपार्श्विक के प्रतिपक्षों तथा अन्य ऋण बढ़ोतियों के मुख्य प्रकार तथा उनकी ऋण पात्रता; तथा
 - (ङ) संपार्श्विक तथा अन्य ऋण बढ़ोतियों के अंतर्गत जोखिम संकेन्द्रणों के बारे में सूचना।

ऋण जोखिम एक्सपोजर (अनुच्छेद 35ड-35ढ)

- ख8 ज अनुच्छेद 35ड रिपोर्टिंग तिथि पर प्रतिष्ठान के ऋण जोखिम एक्सपोजर तथा ऋण जोखिम के महत्वपूर्ण संकेन्द्रणों के बारे में सूचना के प्रकटन की अपेक्षा करता है। ऋण जोखिम का संकेन्द्रण तब विद्यमान होता है जब प्रतिपक्षों की काफी संख्या भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित होते हैं अथवा उसी प्रकार की गतिविधियों में लगे होते हैं तथा एक जैसी आर्थिक विशेषताएँ होती हैं, जो आर्थिक अथवा अन्य स्थितियों में परिवर्तनों द्वारा उसी प्रकार से प्रभावित होने वाली अनुबंधात्मक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उनकी योग्यता का कारण बनेंगे। प्रतिष्ठान को वह सूचना देनी चाहिए जो वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को यह समझने के योग्य बनाता है, कि कुछ खास विशेषताओं वाले ऐसे वित्तीय विवरणों के समूहों या पोर्टफोलियो हैं, जो वित्तीय विवरणों के उस समूह के बड़े भाग को प्रभावित कर सके जैसे कि खास जोखिमों का संकेन्द्रण। उदाहरणार्थ, इसमें ऋण संबंधित मूल्यों का समूहन, भौगोलिक, उद्योग अथवा निर्गमकर्ता के प्रकार का संकेन्द्रण शामिल हो सकते हैं।
- ख8 झ अनुच्छेद 35ड के अनुसरण में सूचना के प्रकटन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग ग्रेडों की संख्या उसी संख्या के अनुरूप होगी जो प्रतिष्ठान प्रमुख प्रबंधन के कार्मिकों को ऋण जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करता है। यदि विगत देय सूचना ही एकमात्र उधारकर्ता-विशिष्ट सूचना उपलब्ध है और प्रतिष्ठान इस सूचना का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए करता है कि क्या भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.10 के अनुसरण में ऋण जोखिम प्रारम्भिक मान्यता से काफी हद तक बढ़ गया है, तो प्रतिष्ठान उन वित्तीय आस्तियों के लिए विगत देय स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।
- ख8 ञ जब एक प्रतिष्ठान ने प्रत्याशित ऋण हानियों को सामूहिक आधार पर मापा है, तो वह (प्रतिष्ठान) व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियों की सकल अग्रणीत राशि या उन ऋण वचनबद्धताओं व वित्तीय गारंटी अनुबंधों के ऋण जोखिम के एक्सपोजर को आवंटित नहीं कर सकता जिनके लिए आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों के ऋण जोखिम रेटिंग ग्रेड को मान्यता दी गयी है। उस मामले में, प्रतिष्ठान को चाहिए कि वह उन वित्तीय लिखतों के लिए अनुच्छेद 35ड की अपेक्षा का प्रयोग करे जो ऋण जोखिम रेटिंग ग्रेड से सीधे आवंटित हो सकती है और वह उन वित्तीय लिखतों की सकल अग्रणीत राशि का अलग-से प्रकटन करे जिसके लिए आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियाँ सामूहिक आधार पर मापी गयी हैं।

अधिकतम ऋण जोखिम एक्सपोजर [अनुच्छेद 36 (क)]

- ख 9 अनुच्छेद 35ट(क) व 36(क) उस राशि के प्रकटन की अपेक्षा करता है जो ऋण जोखिम के लिए प्रतिष्ठान के अधिकतम एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करती है। वित्तीय आस्ति के लिए, यह विशिष्ट रूप से सकल अग्रणीत राशि है, जो निम्नलिखित की शुद्ध राशि है:
- (क) भारतीय भारतीय लेखा मानक 32 के अनुसार परस्पर समायोजन की (आफसेट) कोई राशि; और
 - (ख) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार मान्य कोई भी हानि रियायत।
- ख 10 वे गतिविधियां जो ऋण जोखिम तथा ऋण जोखिम से संबंधित अधिकतम 'एक्सपोजर' को बढ़ाती हैं, इसमें शामिल हैं लेकिन ये निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं :
- (क) ग्राहकों को ऋण मंजूर करना एवं अन्य प्रतिष्ठानों के पास जमाराशियां रखना। इन मामलों में, ऋण जोखिम के लिए अधिकतम 'एक्सपोजर' संबंधित वित्तीय आस्तियों की अग्रणीत राशि है।
 - (ख) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) अनुबंधों जैसे कि, विदेशी विनिमय अनुबंधों, ब्याज दर विनिमयों तथा ऋण व्युत्पन्नों में प्रवेश करना। जब परिणामी आस्ति का उचित मूल्य पर माप किया जाता है, तो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऋण जोखिम के लिए अधिकतम 'एक्सपोजर' अग्रणीत राशि के बराबर होगा।

- (ग) वित्तीय गारंटियां प्रदान करना। इस मामले में, ऋण जोखिम के लिए अधिकतम 'एक्सपोजर' वह अधिकतम राशि है जिसे प्रतिष्ठान को गारंटी मांगने पर अदा करना पड़ सकता है और वह दायित्व के रूप में मान्य राशि की अपेक्षा से काफी अधिक हो सकती है।
- (घ) ऋण प्रतिबद्धता करना जो सुविधा के कार्य काल में अपरिवर्तनीय है या केवल किसी विशेष प्रतिकूल परिवर्तन की स्थिति में ही परिवर्तनीय है। यदि जारीकर्ता ऋण प्रतिबद्धता को शुद्ध नकदी या अन्य वित्तीय लिखत में निपटा नहीं सकता तो अधिकतम ऋण एक्सपोजर प्रतिबद्धता की पूर्ण राशि है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि यह अनिश्चित है कि राशि का कोई अनहरित भाग भविष्य में आहरित कर लिया जाए। यह दायित्व के रूप में मान्य राशि की अपेक्षा से काफी अधिक हो सकता है।

मात्रात्मक तरलता जोखिम 'एक्सपोजर' (अनुच्छेद 34 (क) और 39 (क) तथा (ख))

ख 10 क अनुच्छेद 34 (क) के अनुसार एक प्रतिष्ठान इसके मुख्य प्रबंधन कार्मिक को आंतरिक रूप से प्रदान की गई सूचना के आधार पर तरलता जोखिम के लिए इसके एक्सपोजर के बारे में सार रूप से मात्रात्मक आंकड़ें प्रकट करता है। एक प्रतिष्ठान स्पष्ट करेगा कि उन आंकड़ों को किस प्रकार निर्धारित किया जाए। यदि नकदी का बहिर्प्रवाह (या अन्य वित्तीय आस्ति) उन आंकड़ों में शामिल है तो वह निम्नलिखित में किसी एक के रूप में हो सकता :

- (क) आंकड़ों में उल्लिखित की अपेक्षा वे बहुत पहले घटित होंगे, या
- (ख) आंकड़ों में उल्लिखित की अपेक्षा वे बहुत भिन्न राशियों हैं (जैसे व्युत्पन्न जो शुद्ध निपटान के आधार पर आंकड़ों में शामिल है लेकिन जिसके लिए प्रतिपक्ष के पास सकल निपटान करने की अपेक्षा का विकल्प है),

प्रतिष्ठान को उस तथ्य को बताना होगा और मात्रात्मक सूचना उपलब्ध करवानी होगी जिससे उसके वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ता इस जोखिम की सीमा को मूल्यांकित कर सकें जब तक कि वह सूचना अनुच्छेद 39 (क) या (ख) द्वारा अपेक्षित संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण में शामिल न कर दी गयी हो।

ख 11 अनुच्छेद 39 (क) तथा (ख) द्वारा अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषणों को तैयार करने में, प्रतिष्ठान समुचित समय सीमाएं निर्धारित करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि निम्नलिखित समय सीमाएं उपयुक्त हैं :

- (क) एक माह तक ;
- (ख) एक माह के बाद लेकिन तीन माह तक ;
- (ग) तीन माह के बाद और एक वर्ष तक ; और
- (घ) एक वर्ष के बाद और पांच वर्ष तक ।

ख 11क अनुच्छेद 39 (क) तथा (ख) के अनुपालन में एक प्रतिष्ठान एक संयुक्त (मिश्रित) वित्तीय लिखत से सन्निहित व्युत्पन्न को अलग नहीं करेगा। ऐसी लिखत के लिए, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 39 (क) को लागू करेगा।

ख 11ख अनुच्छेद 39(ख) में, प्रतिष्ठान से व्युत्पन्न दायित्वों के लिए परिमाणात्मक परिपक्वता विश्लेषण के प्रकटन की अपेक्षा की जाती है जो शेष संविदात्मक परिपक्वताओं को दर्शाती है बशर्ते अनुबंधात्मक परिपक्वताएं नकदी प्रवाह को समझने के लिए अनिवार्य हैं। उदाहरण के लिए, यह निम्नलिखित मामला होगा :

- (क) परिवर्तनशील दर वित्तीय आस्ति या दायित्व की नकदी प्रवाह हैज में पांच वर्ष की शेष परिपक्वता सहित ब्याज दर विनिमय ।
- (ख) सभी ऋण प्रतिबद्धताएं।

ख 11 ग अनुच्छेद 39 (क) और (ख) में प्रतिष्ठान से वित्तीय दायित्वों के लिए परिपक्वता विश्लेषणों को प्रकट करने की अपेक्षा की जाती है जो कुछ वित्तीय दायित्वों के लिए शेष अनुबंधात्मक परिपक्वताओं को दर्शाता है। इस प्रकटन में :

- (क) जब प्रतिपक्ष के पास राशि को अदा करने (यानि उसे वह कब अदा करे) का विकल्प है, तो वह दायित्व को सबसे पुरानी अवधि के लिए आवंटित करता है जिसमें प्रतिष्ठान से दायित्व को अदा करने की अपेक्षा है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान से वित्तीय दायित्वों को, मांग पर अदायगी के लिए अपेक्षा की जा सकती है (डिमांड डिपोजिट), उन्हें सबसे पुरानी समय सीमा में शामिल किया जाता है।
- (ख) जब एक प्रतिष्ठान किस्तों में उपलब्ध राशियों की अदायगी के लिए प्रतिबद्ध है, तो प्रत्येक किस्त उस सबसे पुरानी अवधि के लिए आवंटित की जाती है, जिसमें प्रतिष्ठान से अदायगी करने की अपेक्षा है। उदाहरण के लिए, समय सीमा में एक अनहरित ऋण वचनबद्धता सम्मिलित की जाती है जिसमें सबसे पुरानी वह तिथि शामिल है जिस तिथि को यह आहरण द्वारा कमी की जा सकती है।
- (ग) जारी की गयी वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए, गारंटी की अधिकतम राशि उस सबसे पुरानी अवधि को आवंटित की जाती है जिसमें कि गारंटी की मांग की जा सकती है।

ख 11घ अनुच्छेद 39 (क) और (ख) द्वारा अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषणों में प्रकट अनुबंधात्मक राशियां, अनुबंधात्मक गैर-बट्टागत नकदी प्रवाह हैं, उदाहरण के लिए :

- (क) सकल वित्त पट्टा दायित्व (वित्त प्रभागों की कटौती से पूर्व);
- (ख) नकदी के लिए वित्तीय आस्तियों की खरीद के लिए वायदा करारों में विनिर्दिष्ट कीमतें;
- (ग) अस्थिर रूप से भुगतान करने वाले नियत रूप से प्राप्त करने वाले ब्याज दर विनिमय की शुद्ध राशियां जिसके लिए शुद्ध नकदी प्रवाह का विनिमय किया जाता है;
- (घ) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) वित्तीय लिखत में विनिमय की जाने वाली अनुबंधात्मक राशियां (जैसे कि मुद्रा विनिमय) जिसके लिए सकल नकदी प्रवाहों को विनिमय किया जाता है; और
- (ङ) सकल ऋण प्रतिबद्धताएं।

ऐसे गैर बटटागत नकदी प्रवाह तुलनपत्र में शामिल राशि से भिन्न होते हैं क्योंकि तुलनपत्र में शामिल राशि बटटागत नकदी प्रवाहों पर आधारित होती है। जब देय राशि निश्चित नहीं होती है, तो प्रकट राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा शर्तों के संदर्भ द्वारा निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, जब देय राशि सूचकांक में परिवर्तनों से भिन्न होती है तो प्रकट राशि अवधि के अंत में सूचकांक के स्तर पर आधारित हो सकती है।

ख 11ड अनुच्छेद 39 (ग) में एक प्रतिष्ठान से यह प्रकट करने की अपेक्षा होती है कि वह अनुच्छेद 39 (क) और (ख) में अपेक्षित मात्रात्मक प्रकटनों में प्रकट मदों में अन्तर्निहित तरलता जोखिम का प्रबंधन कैसे करेगा। एक प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों के परिपक्वता विश्लेषण को प्रकट करेगा जिसे यह तरलता जोखिम के प्रबंध के लिए धारित करता है (उदाहरणस्वरूप, वित्तीय आस्तियां जो वित्तीय दायित्वों पर नकदी बहिर्प्रवाह की पूर्ति के लिए तत्काल बिक्री योग्य हैं या नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करने के लिए प्रत्याशित हैं), यदि वह सूचना तरलता जोखिम की प्रकृति व सीमा के मूल्यांकन के लिए इसके वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं के लिए आवश्यक है।

ख 11च अन्य तथ्यों में जिन्हें प्रतिष्ठान अनुच्छेद 39 (ग) में अपेक्षित प्रकटनों को उपलब्ध करवाने में विचार करता है, निम्नलिखित तो शामिल हैं लेकिन वे इतने तक ही सीमित नहीं हैं, और यह कि क्या :

- (क) एक प्रतिष्ठान ने ऋण अनुबंधों (जैसे कमर्शियल पेपर सुविधाएं) या अन्य ऋण किस्मों (जैसे वैकल्पिक ऋण सुविधाएं) के रूप में कोई वचनबद्धता की है, जिससे यह तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहुंच सकता है;
- (ख) प्रतिष्ठान तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्रीय बैंकों में जमाराशियों को रखता है;
- (ग) प्रतिष्ठान के पास अत्यंत विविध निधि स्रोत हैं;
- (घ) उसके अपनी आस्तियों या इसके निधि स्रोतों में तरलता जोखिम के महत्वपूर्ण संकेन्द्रण हैं;
- (ङ) उसकी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और तरलता जोखिम के प्रबंध के लिए आकस्मिक योजनाएं हैं;
- (च) उसके पास ऐसी लिखतें हैं जिसमें त्वरित पुनर्भुगतान शर्तों [जैसे कि प्रतिष्ठान की क्रेडिट रेटिंग की गिरावट (डाउनग्रेड) पर] को शामिल किया जाता है;
- (छ) उसके पास ऐसी लिखतें हैं जो संपार्श्विक (जैसे कि व्युत्पन्नों मार्जिन मांग) की पोस्टिंग की अपेक्षा करती हैं ;
- (ज) उसके पास ऐसी लिखतें हैं जो प्रतिष्ठान को यह चयन करने की अनुमति देती हैं कि इसने नकदी सुपुर्द करते हुए (या अन्य वित्तीय आस्ति) या अपने शेयरों की सुपुर्दगी करते हुए अपने वित्तीय दायित्वों का निपटान किया है ; या
- (झ) उसके पास ऐसी लिखतें हैं जो मुख्य समंजन (मास्टर नैटिंग) करारों के अधीन हैं।

ख 12 - ख 16 [देखें परिशिष्ट 1]

बाजार जोखिम-संवेदनशीलता विश्लेषण (अनुच्छेद 40 एवं 41)

ख 17 अनुच्छेद 40 (क) में प्रत्येक प्रकार के बाजार जोखिम के लिए संवेदनात्मक विश्लेषण की अपेक्षा की गयी है जिसके लिए प्रतिष्ठान 'एक्सपोज' हुआ है। अनुच्छेद ख 3 के अनुसार, प्रतिष्ठान निर्णय करता है कि वह किस प्रकार महत्वपूर्ण विभिन्न आर्थिक वातावरणों से जोखिमों के लिए 'एक्सपोजरों' के बारे में विभिन्न विशेषताओं सहित सूचना को सम्मिलित किए बिना समूची स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए सूचना एकत्रित करता है। उदाहरण के लिए:

- (क) वह प्रतिष्ठान, जो वित्तीय लिखतों की खरीद-बिक्री करता है, वह इस सूचना को खरीद-बिक्री के लिए रखी गई वित्तीय लिखतों और खरीद-बिक्री के लिए नहीं रखी गई वित्तीय लिखतों के लिए अलग-अलग प्रकट करे।
- (ख) प्रतिष्ठान उच्च मुद्रास्फीतिशील क्षेत्रों से बाजार जोखिम के लिए अपने एक्सपोजर को अत्यंत कम मुद्रास्फीतिशील क्षेत्रों से उसी बाजार जोखिमों के लिए अपने एक्सपोजर के साथ नहीं मिलाएगा।

यदि प्रतिष्ठान का एक आर्थिक वातावरण में केवल एक प्रकार के बाजार जोखिम में 'एक्सपोजर' है तो यह अलग-अलग सूचना नहीं दर्शाएगा।

ख 18 अनुच्छेद 40 (क) लाभ या हानि और इक्विटी पर प्रांसांगिक जोखिम परिवर्तन कारक में तर्कसंगत रूप से संभावित परिवर्तनों के प्रभाव (जैसे कि बाजार की प्रचलित ब्याज दरें, मुद्रा दरें, 'इक्विटी' कीमतें या वस्तु कीमतें) को दर्शाने के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण की अपेक्षा करता है। इस प्रयोजन के लिए :

- (क) प्रतिष्ठानों से यह निर्धारित करने की अपेक्षा नहीं होगी कि उस अवधि के लिए लाभ या हानि क्या होगी यदि प्रासंगिक जोखिम परिवर्तनकारक अलग-अलग रहे हों। इसकी बजाय, प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभ या हानि और 'इक्विटी' पर प्रभाव को प्रकट करेंगे जिससे अनुमान लगाते हुए कि प्रासंगिक जोखिम परिवर्तन कारक में समुचित रूप से संभव परिवर्तन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटित हुए हैं और उस तिथि को आस्तित्व में जोखिम 'एक्सपोजर' के लिए लागू किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिष्ठान की वर्ष के अंत में अस्थिर दर दायित्व रही है तो प्रतिष्ठान चालू वर्ष के लिए लाभ या हानि पर (अर्थात्, ब्याजस्वरूप व्यय) प्रभाव को प्रकट करेगा बशर्ते ब्याज दरें समुचित रूप से संभव राशियों से भिन्न रही हों।
- (ख) प्रतिष्ठानों से प्रासंगिक जोखिम परिवर्तनकारक के समुचित रूप से संभव परिवर्तनों की सीमा के अंदर प्रत्येक परिवर्तन के लिए लाभ या हानि और 'इक्विटी' पर प्रभाव प्रकट करने की अपेक्षा नहीं है। समुचित रूप से संभावित सीमा की सीमाओं पर परिवर्तनों के प्रभाव का प्रकटन पर्याप्त होगा।
- ख 19 प्रासंगिक जोखिम परिवर्तनकारक में समुचित रूप से संभव परिवर्तन को निर्धारित करने में प्रतिष्ठान को निम्नलिखित के अनुसार विचार करना चाहिए :
- (क) वह आर्थिक वातावरण जिसमें वह परिचालन करता है। समुचित रूप से संभव परिवर्तन में दूरस्थ या निकटस्थ मामलों के परिदृश्यों या 'दवाब जांच' में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, यदि रेखांकित जोखिम परिवर्तन कारक में परिवर्तन की दर स्थिर है, तो प्रतिष्ठान को जोखिम परिवर्तनकारक में समुचित रूप से संभव परिवर्तन के चयन को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, यह मान लें कि ब्याज दरें 5 प्रतिशत हैं और प्रतिष्ठान यह निश्चय करता है कि ब्याज दर में उतार-चढ़ाव ± 50 आधार प्वाइंटों में तर्कसंगत से संभव है। यह लाभ या हानि और 'इक्विटी' पर प्रभाव को प्रकट करेगा बशर्ते ब्याज दरें 4.5 प्रतिशत या 5.5 प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती हैं। अगली अवधि में, ब्याज दरें बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई हैं। प्रतिष्ठान इस विश्वास को जारी रखता है कि ब्याज दरें में ± 50 आधार प्वाइंट का उतार चढ़ाव हो सकता है (अर्थात् ब्याज दरों में परिवर्तन की दर स्थिर है)। प्रतिष्ठान लाभ या हानि और 'इक्विटी' पर प्रभाव को प्रकट करेगा यदि ब्याज दरें परिवर्तित होकर 5 प्रतिशत या 6 प्रतिशत हो जाती हैं। प्रतिष्ठान से अपने निर्धारण को संशोधित करने की अपेक्षा नहीं होगी कि, ब्याज दरों में समुचित रूप से ± 50 आधार प्वाइंटों तक उतार चढ़ाव हो सकता है बशर्ते इस बात का साक्ष्य हो कि ब्याज दरें उल्लेखनीय रूप से अधिक अस्थिर हो गई हैं।
- (ख) समय ढांचा (टाइम फ्रेम) जिस पर कि यह निर्धारण कर रहा है। संविदात्मक विश्लेषण उन परिवर्तनों के प्रभावों को दर्शायेगा जिन्हें तब तक अवधि पर समुचित रूप से संभव होना समझा जाता है जब तक कि प्रतिष्ठान आगे इन प्रकटनों को प्रस्तुत करेगा जो कि सामान्यतया इसकी अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि है।
- ख 20. अनुच्छेद 41 एक प्रतिष्ठान को ऐसे एक संविदात्मक विश्लेषण के प्रयोग की अनुमति देता है जिससे जोखिम पर मूल्य प्रणाली जैसे जोखिम परिवर्तनकारकों के बीच पारस्परिक निर्भरता का पता चलता है बशर्ते वह इस विश्लेषण का प्रयोग वित्तीय जोखिमों के एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए करता है। यह तब भी लागू होता है यदि ऐसी प्रणाली केवल हानि की संभावना का माप करती है और लाभ के लिए संभावना का माप नहीं करता। इस प्रकार का प्रतिष्ठान, प्रयुक्त जोखिम पर मूल्य मॉडल को प्रकट करते हुए (जैसे कि क्या यह मॉडल मॉटो कार्लो निरूपण पर आश्रित है) अनुच्छेद 41 (क) का अनुपालन कर सकता है और यह स्पष्टीकरण कि यह मॉडल कैसे कार्य करता है और मुख्य अवधारणाएं (जैसे धारिता अवधि तथा विश्वास स्तर) क्या हैं। प्रतिष्ठान ऐतिहासिक अवलोकन अवधि तथा उस अवधि के अंदर अवलोकनों के लिए प्रयुक्त संभाव्य को भी प्रकट करेगा, स्पष्टीकरण कि किस प्रकार विकल्पों को आकलनों में निपटाया जाता है और कौन-सी अस्थिरताएं व सहसंबंध (या वैकल्पिक रूप से, मॉट कार्लो की संभाव्य भारों वितरण निरूपण) का प्रयोग किया जाता है।
- ख 21 प्रतिष्ठान अपने संपूर्ण कारोबार के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण उपलब्ध करवाएगा, लेकिन, वित्तीय लिखतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न प्रकार के संवेदनात्मक विश्लेषण उपलब्ध करवा सकता है।

ब्याज-दर जोखिम

- ख 22 ब्याज दर जोखिम तुलन पत्र में मान्य ब्याज वहन करने वाली वित्तीय लिखतों (उदाहरणस्वरूप, ग्रहीत या जारी ऋण लिखतें) तथा तुलन पत्र में गैर मान्य कुछ वित्तीय लिखतों (उदाहरणस्वरूप कुछ ऋण प्रतिबद्धताएं) से उत्पन्न होती है।

मुद्रा जोखिम

- ख 23 मुद्रा जोखिम (या विदेशी विनिमय जोखिम) वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होता है जो विदेशी मुद्रा के मूल्यवर्ग में होता है अर्थात् उन कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न मुद्रा में जिसमें उन्हें मूल्यांकित किया गया है। इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के प्रयोजन के लिए, मुद्रा जोखिम वित्तीय लिखतों से उत्पन्न नहीं होता है जो गैर मौद्रिक मदें हैं या कार्यात्मक मुद्रा में मूल्यवर्ग की वित्तीय लिखतों से होता है।
- ख 24 संवेदनशीलता विश्लेषण प्रत्येक मुद्रा के लिए प्रकट किया गया है जिसके लिए प्रतिष्ठान का महत्वपूर्ण एक्सपोजर है।

अन्य कीमत जोखिम

- ख 25 अन्य कीमत जोखिम उदाहरण के लिए, वस्तु कीमतों या 'इक्विटी' कीमतों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होता है। अनुच्छेद 40 के अनुपालन में प्रतिष्ठान विनिर्दिष्ट स्टॉक मार्केट अनुक्रमणी, वस्तु कीमत या अन्य जोखिम परिवर्तनों में कमी के प्रभाव को प्रकट कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिष्ठान अवशिष्ट मूल्य गारंटियां देता है जो वित्तीय लिखतें हैं तो प्रतिष्ठान आस्तियों के मूल्य में वृद्धि या कमी को प्रकट करता है जिसके लिए गारंटी लागू होती है।

- ख 26 वित्तीय लिखतों के दो उदाहरण जो 'इक्विटी' कीमत जोखिम की उत्पत्ति करते हैं, वे हैं (क) दूसरे प्रतिष्ठान में 'इक्विटी' की धारिता, तथा (ख) न्यास में निवेश जो बदले में 'इक्विटी' लिखतों में निवेश धारित करता है। अन्य उदाहरणों में 'इक्विटी' लिखत व विनिमयों की विनिर्दिष्ट मात्राओं को खरीदने या बेचने के लिए वे वायदा अनुबंधों तथा विकल्पों को सम्मिलित करता है जिन्हें 'इक्विटी' कीमतों के क्रम में रखा जाता है। ऐसी वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य चिन्हित 'इक्विटी' लिखतों की बाजार कीमत में परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं।
- ख 27 अनुच्छेद 40 (क) के अनुसार, लाभ या हानि की संवेदनशीलता (उदाहरण के लिए, वे वित्तीय आस्तियों के लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयीं लिखतों से उत्पन्न होती हैं) उसे अन्य व्यापक आय की संवेदनशीलता से (जो उदाहरण के लिए उन लिखतों से उत्पन्न होती हैं जिनके उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में) अलग-अलग प्रकट की जाती है।
- ख 28 उन वित्तीय लिखतों को जिसे प्रतिष्ठान 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत करता है, पुनर्मूल्यांकित नहीं किया जाता है। न तो लाभ और न ही हानि तथा न ही 'इक्विटी' उन लिखतों के 'इक्विटी' कीमत जोखिम द्वारा प्रभावित होगी। तदनुसार, किसी संवेदनशीलता विश्लेषण की अपेक्षा नहीं है।

अमान्यता (अनुच्छेद 42ग-42ज)

शाश्वत संलिप्तता (अनुच्छेद 42ग)

- ख 29 अनुच्छेद 42ग-42ज में प्रकटन अपेक्षाओं के उद्देश्यों के लिए अन्तरित वित्तीय आस्ति में शाश्वत संलिप्तता का निर्धारण रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान के स्तर पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक अनुषंगी प्रतिष्ठान एक असम्बद्ध तीसरी पार्टी को वित्तीय आस्ति अन्तरित करता है, जिसमें अनुषंगी प्रतिष्ठान के मूल प्रतिष्ठान की शाश्वत संलिप्तता होती है तो अनुषंगी प्रतिष्ठान अपने पृथक अथवा व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में हस्तांतरित आस्ति में यह शाश्वत संलिप्तता होती है या नहीं, इसका निर्धारण करने में मूल प्रतिष्ठान की संलिप्तता को शामिल नहीं करता है (अर्थात् जब अनुषंगी प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान होता है)। तथापि, मूल प्रतिष्ठान अपने अनुषंगी प्रतिष्ठान द्वारा हस्तांतरित वित्तीय आस्ति में अपनी शाश्वत संलिप्तता को निर्धारण करने में सम्मिलित करेगा चाहे इसके समेकित विवरणों में अन्तरित आस्ति में इसकी शाश्वत संलिप्तता होती है या नहीं (अर्थात् जब रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान समूह होता है)।
- ख 30 एक प्रतिष्ठान का अन्तरित वित्तीय आस्ति में शाश्वत संलिप्तता नहीं होती है, यदि, यह अन्तरण के भाग के रूप में, न तो अन्तरित वित्तीय आस्ति में अंतर्निहित कोई अनुबंधात्मक अधिकारों या बाध्यताओं को धारण करता है और न अन्तरित वित्तीय आस्ति से संबंधित किसी नए अनुबंधात्मक अधिकारों या बाध्यताओं का अधिग्रहण करता है। प्रतिष्ठान की अन्तरित वित्तीय आस्ति में शाश्वत संलिप्तता नहीं होती है यदि इसे न तो अन्तरित वित्तीय आस्ति के भावी कार्य-निष्पादनों में अभिरुचि नहीं होती है और न भविष्य में किसी भी परिस्थितियों में अन्तरित वित्तीय आस्ति के संबंध में भुगतानों को करने का उत्तरदायित्व होता है।
- ख 31 अन्तरित वित्तीय आस्ति में शाश्वत संलिप्तता का परिणाम हस्तांतरण करार में किए गए अनुबंधात्मक प्रावधानों से या हस्तांतरण के संबंध में अन्तरिति या तृतीय पक्ष (तीसरी पार्टी) के साथ किए गए पृथक करारनामों में हो सकते हैं।

अन्तरित वित्तीय आस्तियां जो पूरी तरह से अमान्य नहीं हैं (अनुच्छेद 42घ)

- ख 32 अनुच्छेद 42घ प्रकटनों की तब अपेक्षा करता है जब अन्तरित वित्तीय आस्तियों के कुछ भाग या सभी वित्तीय आस्तियां अमान्यता के लिए योग्य नहीं होती हैं। वे प्रकटन प्रत्येक उन रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षित होते हैं जिस पर प्रतिष्ठान इसका विचार किए बिना कि अन्तरण कब घटित हुए हैं; अन्तरित वित्तीय आस्तियों को मान्यता देना जारी रखता है।

शाश्वत संलिप्तता के प्रकार (अनुच्छेद 42ङ-42ज)

- ख 33 अनुच्छेद 42ङ-42ज अमान्य वित्तीय आस्तियों में शाश्वत संलिप्तता के प्रत्येक प्रकार के लिए गुणात्मक तथा मात्रात्मक प्रकटनों की अपेक्षा करता है। प्रतिष्ठान अपनी शाश्वत संलिप्तता को उन प्रकारों (टाइपों) में इकट्ठा करेगा जो जोखिमों में प्रतिष्ठान के 'एक्सपोजर' के प्रतिनिधि होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान अपनी शाश्वत संलिप्तता को वित्तीय लिखत के प्रकार (जैसे गारंटियों या माँग विकल्पों) अथवा अन्तरण के प्रकार (जैसे प्राप्य राशियों, प्रतिभूतिकरणों तथा प्रतिभूति उधार में दलाली (फेक्टरिंग) द्वारा इकट्ठा कर सकता है।

अन्तरित आस्तियों की पुनर्खरीद से संबंधित अबट्टागत नकदी बहिर्प्रवाहों के लिए परिपक्वता विश्लेषण (अनुच्छेद 42ड(ड))

- ख 34 अनुच्छेद 42ड(ड) में अपेक्षा की जाती है कि प्रतिष्ठान अमान्य वित्तीय आस्तियों की पुनर्खरीद से संधित अबट्टागत नकदी बहिर्प्रवाहों अथवा अमान्य वित्तीय आस्तियों के संबंध में अन्तरिति को देय अन्य राशियों के परिपक्वता विश्लेषण को प्रतिष्ठान की शाश्वत संलिप्तता के शेष अनुबंधात्मक परिपक्वताओं को दर्शाते हुए प्रकट करें। यह विश्लेषण उन नकदी प्रवाहों जिनमें भुगतान किया जाना अपेक्षित है (जैसे वायदा अनुबंधों), उन नकदी प्रवाहों जिनमें प्रतिष्ठान भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है (जैसे लिखित बिक्रय विकल्पों) तथा उन नकदी प्रवाहों जिनको प्रतिष्ठान भुगतान करने के लिए चयन कर सकता है (जैसे खरीद माँग विकल्पों) में अन्तर करता है।
- ख 35 प्रतिष्ठान अनुच्छेद 42ड(ड) के अनुसार अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण को तैयार करने में समय-सीमाओं की उपयुक्त संख्या का निर्धारण करने के लिए अपने विवेकपूर्ण निर्णय का प्रयोग करेगा। उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान यह निर्धारण कर सकता है कि निम्नलिखित परिपक्वता समय सीमाएं उपयुक्त हैं:
- (क) एक महीने तक;
- (ख) एक महीने के बाद और तीन महीने तक;

- (ग) तीन महीने के बाद और छह महीने तक;
- (घ) छह महीने के बाद और एक वर्ष तक;
- (ङ) एक वर्ष के बाद और तीन वर्षों तक;
- (च) तीन वर्षों के बाद और पाँच वर्षों तक;
- (छ) पाँच वर्षों से अधिक।

ख 36 यदि संभावित परिपक्वताओं की सीमा होती है, तो नकदी प्रवाहों को शीघ्रतम तारीख के आधार पर सम्मिलित किए जाता है, जिस पर प्रतिष्ठान से भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, या उसको भुगतान करने की अनुमति दी जाती है।

गुणात्मक सूचना (अनुच्छेद 42ड (च))

ख 37 अनुच्छेद 42ड(च) द्वारा अपेक्षित गुणात्मक सूचना में अमान्य वित्तीय आस्तियों तथा उन आस्तियों के हस्तांतरण के पश्चात धारित शाश्वत संलिप्तता की प्रकृति और उद्देश्य का विवरण सम्मिलित होता है। इसमें उन जोखिमों के विवरण भी सम्मिलित होती हैं जिससे निम्नलिखित सहित प्रतिष्ठान 'एक्सपोज' होता है:

- (क) प्रतिष्ठान कैसे अमान्य वित्तीय आस्तियों से अपनी शाश्वत संलिप्तता में अंतर्निहित जोखिम के विवरण का प्रबन्ध करता है।
- (ख) क्या प्रतिष्ठान को अन्य पार्टियों के पहले (सामने) हानियों को वहन करना अपेक्षित है, तथा पार्टियों द्वारा आस्ति में वहन की गई हानियों की श्रेणी और राशियाँ, जिनके हितों की श्रेणी (अर्थात् आस्ति में उसकी शाश्वत संलिप्तता) प्रतिष्ठान के हित से नीचे होते हैं।
- (ग) वित्तीय सहायता देने अथवा अन्तरित वित्तीय आस्ति की पुनर्खरीद के लिए बाध्यताओं से संबद्ध किसी सतर्कताओं का विवरण।

अमान्यता पर लाभ (गेन) या हानि (अनुच्छेद 42छ(क))

ख 38 अनुच्छेद 42छ(क) में अपेक्षा की जाती है कि प्रतिष्ठान उन वित्तीय आस्तियों से संबंधित अमान्यता पर लाभ (गेन) या हानि को प्रकट करे जिनमें प्रतिष्ठान की शाश्वत संलिप्तता होती है। प्रतिष्ठान इसे तब प्रकट करेगा यदि अमान्यता पर लाभ (गेन) या हानि उत्पन्न होती है, क्योंकि पूर्व में मान्यता प्राप्त आस्ति के घटकों के उचित मूल्य (अर्थात् अमान्य आस्ति में हित तथा प्रतिष्ठान द्वारा धारित हित), पूर्व में मान्यता प्राप्त आस्ति के उचित मूल्य से पूर्णतः भिन्न थे। उस स्थिति में, प्रतिष्ठान यह भी प्रकट करेगा कि उचित मूल्य माप में उन महत्वपूर्ण निविष्टियों को सम्मिलित की गई थीं जो प्रलाक्षित बाजार आंकड़े पर आधारित नहीं थे, जैसा कि अनुच्छेद 27 क में वर्णित है।

पूरक सूचना (अनुच्छेद 42ज)

ख 39 अनुच्छेद 42घ-42ज में अपेक्षित प्रकटन अनुच्छेद 42छ में प्रकटन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। यदि यह मामला है तो, प्रतिष्ठान प्रकटन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी अतिरिक्त सूचना आवश्यक होती है, उसको प्रकट करेगा। प्रतिष्ठान अपनी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय करेगा कि प्रयोक्त की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे कितनी अतिरिक्त सूचना देनी आवश्यक है तथा अतिरिक्त सूचना के विभिन्न पहलुओं पर यह कितना जोर (बल) लगाता है। यह आवश्यक है कि अत्यधिक ब्यौरा के साथ बोझिल विवरणों के बीच संतुलन बनाया जाए जो वित्तीय विवरणों तथा अस्पष्ट सूचना के प्रयोक्ताओं के लिए, अत्यधिक एकत्रीकरण के परिणामस्वरूप, सहायक नहीं हो सकते हैं।

वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों का समंजन करना (अनुच्छेद 13क-13च)

कार्यक्षेत्र (अनुच्छेद 13क)

ख 40 अनुच्छेद 13ख-13ङ में किए गए प्रकटन उन सभी मान्यताप्राप्त वित्तीय लिखतों के लिए अपेक्षित हैं, जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42 के अनुसार समंजित हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय लिखतें अनुच्छेद 13ख-13ङ में प्रकटन अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत तब होती हैं यदि वे प्रवर्तनीय मुख्य समंजन (मास्टर नैटिंग) व्यवस्था या उसी के सदृश करार के अधीन होते हैं, जो समान वित्तीय लिखतों एवं लेन-देनों को, इस पर विचार किए बिना कि वे वित्तीय लिखतें भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42 के अनुसार समंजित हैं या नहीं; समाविष्ट करते हैं।

ख 41 अनुच्छेद 13क एवं ख40 में उल्लिखित समान करारों में व्युत्पन्न निकासी करारनामों, वैश्विक मानक पुनर्खरीद करारनामों, वैश्विक मानक प्रतिभूतियाँ उधार करारनामो तथा वित्तीय संपार्श्विक से संबंधित कोई आधिकार सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद ख40 में उल्लिखित एकसमान वित्तीय लिखतों तथा लेनदेनों में व्युत्पन्न, बिक्री तथा पुनर्खरीद करारों, विपर्यय बिक्री तथा पुनर्खरीद करारों, प्रतिभूतियाँ उधार एवं प्रतिभूतियाँ उधार करार सम्मिलित होते हैं। वित्तीय लिखतों के उदाहरणों में, जो अनुच्छेद 13क के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं होती हैं, उसी संस्थान में तब तक ऋण तथा ग्राहक जमा राशियाँ होती हैं (जब तक कि वे तुलन-पत्र में समंजित नहीं हो जाती हैं) तथा वे वित्तीय लिखतें जो केवल संपार्श्विक करार के अधीन होती हैं।

अनुच्छेद 13क के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियाँ तथा मान्यता प्राप्त वित्तीय दायित्वों के लिए मात्रात्मक सूचना का प्रकटन (अनुच्छेद 13ग)

ख 42 अनुच्छेद 13ग के अनुसार प्रकट किए गए वित्तीय लिखतें भिन्न-भिन्न माप अपेक्षाओं के अधीन हो सकती हैं (उदाहरण के लिए, पुनर्खरीद करारों से संबंधित देय को परिशोधित लागत पर मापा जा सकता है, जबकि एक व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जा सकता है)।

प्रतिष्ठान उनकी मान्यता प्राप्त राशियों पर लिखतों को सम्मिलित करेगा तथा संबंधित प्रकटनों में किसी परिणामी अन्तरों का माप करेगा।

अनुच्छेद 13क के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों तथा मान्यता प्राप्त वित्तीय दायित्वों की सकल राशियों को प्रकट करेगा (अनुच्छेद 13ग(क))

ख 43 अनुच्छेद 13ग(क) द्वारा अपेक्षित राशियां मान्यता प्राप्त उन वित्तीय लिखतों से संबद्ध होते हैं जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42 के अनुसार समंजित होते हैं। अनुच्छेद 13ग(क) द्वारा अपेक्षित राशियां उन मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखतों से भी संबंधित होती हैं जो प्रवर्तनीय मुख्य समंजन (मास्टर नैटिंग) व्यवस्था या समान करार के अधीन, इस पर विचार किए बिना कि वे समंजन मानदंड को पूरा करती हैं या नहीं, होती हैं। तथापि, अनुच्छेद 13ग(क) द्वारा अपेक्षित प्रकटन संपाश्विक करारों के परिणामस्वरूप उन मान्यता प्राप्त किन्हीं राशियों से संबद्ध नहीं होते हैं जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42 में समंजन मानदंड को पूरा नहीं करते हैं। इसके बजाय, ऐसी राशियां अनुच्छेद 13ग(घ) के अनुसार प्रकटित किए जाने के लिए अपेक्षित होती हैं।

उन राशियों का प्रकटन जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42 में दिए गए मानदंडों के अनुसार समंजित हैं (अनुच्छेद 13ग(ख))

ख 44 अनुच्छेद 13ग(ख) अपेक्षा करता है कि तुलन-पत्र में प्रस्तुत की गई निवल राशियों का निर्धारण करते समय प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42 के अनुसार समंजित राशि को प्रकट करें। मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों तथा मान्यता प्राप्त वित्तीय दायित्वों, दोनों की राशियां, जो एक जैसी व्यवस्था के अंतर्गत समंजन करने के अधीन हैं, वित्तीय आस्ति तथा वित्तीय दायित्व प्रकटनों को दोनों में प्रकट किए जाएंगे। तथापि, प्रकटित राशियां (उदाहरणार्थ, तालिका में) उन राशियों तक सीमित होती हैं, जो समंजित होने के अधीन हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान के मान्यता प्राप्त व्युत्पन्न आस्ति तथा मान्यता प्राप्त व्युत्पन्न दायित्व हो सकते हैं जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42 में समंजन मानदंडों को पूरा करते हैं। यदि व्युत्पन्न आस्ति की सकल राशि व्युत्पन्न दायित्व के सकल राशि की तुलना में अधिक है, तो वित्तीय आस्ति प्रकटन तालिका में व्युत्पन्न आस्ति की समस्त राशि को (जोकि अनुच्छेद 13ग(क) के अनुसार) तथा व्युत्पन्न दायित्व की समस्त राशि को (अनुच्छेद 13ग(ख) के अनुसार) सम्मिलित की जाएगी। तथापि, जब वित्तीय दायित्व प्रकटन तालिका में वित्तीय दायित्व की समस्त राशि सम्मिलित की जाएगी (अनुच्छेद 13ग(क) के अनुसार) तब इसमें केवल व्युत्पन्न आस्ति की राशि सम्मिलित की जाएगी (अनुच्छेद 13ग(ख) के अनुसार) जो व्युत्पन्न दायित्व के बराबर होगी।

तुलन-पत्र में प्रस्तुत की गई निवल राशियों का प्रकटन (अनुच्छेद 13ग(ग))

ख 45 यदि प्रतिष्ठान के पास ऐसी लिखतें हैं जो इन प्रकटनों के उद्देश्य (कार्यक्षेत्र) को पूरा करती हैं (जैसे अनुच्छेद 13क में विनिर्दिष्ट है), किन्तु वे भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42 में दिए गए समंजन मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, तो अनुच्छेद 13ग(ग) द्वारा प्रकट की जाने वाली अपेक्षित राशियों अनुच्छेद 13ग(क) द्वारा प्रकट की जाने वाली अपेक्षित राशियों के बराबर होंगी।

ख 46 अनुच्छेद 13ग(ग) द्वारा प्रकट की जाने वाली अपेक्षित राशियों का समाधान तुलन-पत्र में प्रस्तुत की गई व्यक्तिगत रेखीय मद राशियों से किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि व्यक्तिगत वित्तीय विवरण की रेखीय मद राशियों का एकत्रीकरण या पृथक्कीकरण अधिक प्रासंगिक सूचना देता है, तो यह अनुच्छेद 13ग(ग) में प्रकट की गई एकत्रीकृत या पृथक्कीकृत राशियों का समाधान तुलन-पत्र में प्रस्तुत की गई व्यक्तिगत रेखीय मद से किया जाना चाहिए।

प्रवर्तनीय मानक निवल व्यवस्था या सदृश करारनामे के अधीन राशियों का प्रकटन जो अनुच्छेद 13ग(ख) में अन्यथा सम्मिलित नहीं हैं (अनुच्छेद 13ग(घ))

ख 47 अनुच्छेद 13ग(घ) अपेक्षा करता है कि प्रतिष्ठान उन राशियों का प्रकटन करें जो प्रवर्तनीय मुख्य समंजन (मास्टर नैटिंग) या सदृश करार के अधीन हैं और जो अनुच्छेद 13ग(ख) में अन्यथा सम्मिलित नहीं हैं। अनुच्छेद 13ग(घ)(i) उन मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखतों से संबद्ध राशियों का उल्लेख करता है जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42 में कुछ अथवा सभी समंजन मानदंडों को पूरा नहीं करता है (जैसे, समंजन के वर्तमान अधिकार जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42(ख) में मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, या समंजन के सशर्त अधिकार जो किन्हीं प्रतिपक्षों (काउन्टर पार्टियों) की केवल चूक होने की घटना में या केवल दिवालियापन अथवा दिवाला होने की घटना में प्रवर्तनीय या प्रयोज्य होते हैं)।

ख 48 अनुच्छेद 13ग(घ)(ii) नकदी संपाश्विक सहित वित्तीय संपाश्विक, प्राप्त तथा गिरवी, दोनों से संबद्ध राशियों का उल्लेख करता है। एक प्रतिष्ठान उन वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य को प्रकट करेगा जिन्हें संपाश्विक के रूप में गिरवी रखी गई हैं या प्राप्त की गई हैं। अनुच्छेद 13ग(घ)(ii) के अनुसार प्रकट की गई राशियों को प्राप्त की गई या गिरवी रखी गई वास्तविक संपाश्विक से संबद्ध होनी चाहिए तथा ऐसे संपाश्विक को वापस करने या वापस प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त किसी परिणामी देयों अथवा प्राप्य राशियों से संबद्ध नहीं होनी चाहिए।

अनुच्छेद 13ग(घ) में प्रकट की गई राशियों पर सीमाएं (अनुच्छेद 13घ)

ख 49 जब अनुच्छेद 13ग(घ) के अनुसार राशियों को प्रकट किया जाता है, तब प्रतिष्ठान को वित्तीय लिखतों के द्वारा अधि-संपाश्विकीकरण के प्रभावों की गणना की जानी चाहिए। ऐसा करने के लिए, प्रतिष्ठान को पहले अनुच्छेद 13ग(ग) के अनुसार प्रकट की गई राशि से अनुच्छेद 13ग(घ)(i) के अनुसार प्रकट की गई राशि को कम कर देनी चाहिए। इसके बाद, प्रतिष्ठान संबंधित वित्तीय लिखत के लिए अनुच्छेद 13ग(घ)(ii) के अनुसार प्रकट की गई राशियों को अनुच्छेद 13ग(ग) में शेष राशि तक सीमित करेगा। तथापि, यदि संपाश्विक

के अधिकारों को वित्तीय लिखतों पर प्रवर्तित (लागू) किया जा सकता है, तो ऐसे अधिकारों को अनुच्छेद 13घ के अनुसार दिए गए प्रकटन में शामिल किया जा सकते हैं।

प्रवर्तनीय मुख्य समंजन (मास्टर नैटिंग) व्यवस्थाओं एवं सदृश करारों के अधीन समंजन के अधिकारों का विवरण (अनुच्छेद 13ड)

ख 50 प्रतिष्ठान अनुच्छेद 13ग(घ) के अनुसार समंजन के अधिकारों के प्रकारों तथा समान व्यवस्थाओं का उन अधिकारों की प्रकृति समेत वर्णन करेगा। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान अपने सशर्त (प्रतिबंधित) अधिकारों का वर्णन करेगा। समंजन के अधिकारों के अधीन उन लिखतों के लिए, जो भावी घटना पर प्रासंगिक (आकस्मिक) नहीं होते हैं किन्तु वे भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 42 में शेष मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो प्रतिष्ठान उन कारण () का वर्णन करेगा जो कि मानदंड क्यों पूरे नहीं होते हैं। प्राप्त या गिरवी किसी वित्तीय संपाश्विक के लिए प्रतिष्ठान संपाश्विक करार का वर्णन करेगा (उदाहरणार्थ, जब संपाश्विक प्रतिबंधित होता है)।

वित्तीय लिखत के प्रकार द्वारा अथवा प्रतिपक्ष (काउन्टर पार्टी) द्वारा प्रकटन

ख 51 अनुच्छेद 13ग(क)-(ड) द्वारा अपेक्षित मात्रात्मक प्रकटनों को वित्तीय लिखत या लेनदेन के प्रकारों द्वारा समूहित (समूहबद्ध) किए जा सकते हैं (उदाहरणार्थ, व्युत्पन्न, पुनर्खरीद तथा विपर्यय पुनर्खरीद करारनामो अथवा प्रतिभूतियां उधार लेने तथा प्रतिभूतियां उधार देने संबंधी करारनामो के समूहन)।

ख 52 इसके विपरीत, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 13ग(क)-(ग) द्वारा अपेक्षित मात्रात्मक प्रकटनों को वित्तीय लिखत के प्रकार द्वारा तथा अनुच्छेद 13ग(ग)-(ड) द्वारा अपेक्षित मात्रात्मक प्रकटनों का प्रतिपक्ष (काउन्टर पार्टी) द्वारा समूह बना सकते हैं। यदि प्रतिष्ठान काउन्टर पार्टी के जरिये अपेक्षित सूचना देता है, तो प्रतिष्ठान के लिए काउन्टर पार्टी को नाम से पहचानना अपेक्षित नहीं है। तथापि, प्रतिपक्षों (काउन्टर पार्टियों) के पदनाम को प्रतिपक्षी (काउन्टर पार्टी क, काउन्टर पार्टी ख, काउन्टर पार्टी ग, इत्यादि) वर्षों तक तुलनीयता बनाए रखने के लिए वर्ष प्रतिवर्ष तक एक समान रखा जाएगा। मात्रात्मक प्रकटनों पर विचार किया जाएगा जिससे कि प्रतिपक्षों (काउन्टर पार्टियों) के प्रकार के बारे में और भी सूचनाएं दी जा सकें। जब अनुच्छेद 13ग(ग)-(ड) में प्रतिपक्ष (काउन्टर पार्टी) राशियों के प्रकटन का प्रबंध किया जाता है, तो वे राशियां जो कुल प्रतिपक्षीय (काउन्टर पार्टी) राशियों के संदर्भ में (आलोक में) व्यक्तिशः (व्यक्तिगत रूप से) महत्वपूर्ण होती हैं; पृथक रूप से प्रकट की जाएगी तथा शेष व्यक्तिशः (व्यक्तिगत रूप से) अमहत्वपूर्ण प्रतिपक्षीय (काउन्टर पार्टी) राशियां एक रेखीय मद में एकत्रित की जाएंगी।

अन्य

ख 53 अनुच्छेद 13ग-13ड द्वारा अपेक्षित विशिष्ट प्रकटन निम्नतम अपेक्षाएं होती हैं। अनुच्छेद 13ख में दिए गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान को प्रवर्तनीय मानक निवल व्यवस्थाओं तथा संबंधित करारनामो की शर्तों के आधार पर समंजन के अधिकारों तथा प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति की प्रकृति और उनके प्रभाव या संभावित प्रभाव सहित उन्हें बढ़ाने के लिए अतिरिक्त (गुणात्मक) प्रकटनों की आवश्यकता हो सकती है।

परिशिष्ट ग

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अभिन्न अंग है।

इस परिशिष्ट की सूची में वे परिशिष्ट दिये गये हैं जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं और भारतीय लेखा मानक 107, वित्तीय लिखतें : प्रकटन, के संदर्भ में हैं :

1. परिशिष्ट क, स्वामियों को गैर-नकद आस्तियों का वितरण, भारतीय लेखा मानक 10, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं, में समाविष्ट।
2. परिशिष्ट ग, सेवा रियायत व्यवस्थाएं, भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व, में समाविष्ट।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 107 तथा अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक (आई एफ आर एस) 7, वित्तीय लिखतें : प्रकटन के बीच यदि कोई प्रमुख अन्तर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

'आई एफ आर एस' 7, वित्तीय लिखतें : प्रकटन के साथ तुलना

- 1 अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 107 में दिये गये संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 107 में नहीं दिये गये हैं, क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंधों को, जहां उचित समझा गया है, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमबार अंगीकरण के तदनुसूची भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण में सम्मिलित कर लिये गये हैं।
- 2 इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है अर्थात् शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' को प्रयुक्त किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के

- पश्चात् घटनाओं के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 'जारी के लिए प्राधिकृत' के स्थान पर 'जारी के लिए अनुमोदित' शब्दों का प्रयोग किया गया है।
- 3 जहां पृथक आय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, पृथक आय विवरण में प्रस्तुत लाभों (गेन्ज) और हानियों के विवरण के प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं हटा ली गयी हैं। यह परिवर्तन अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक 1 की तुलना में इंड ए एस 1 में द्वि-विवरण दृष्टिकोण से संबंधित विकल्प को हटाये जाने का परिणाम है। भारतीय लेखा मानक 1 यह अपेक्षा करता है कि लाभ या हानि के घटकों को तथा अन्य व्यापक आय के घटकों को लाभ-हानि विवरण के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 4 निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याएं 'आई एफ आर एस' 7 में 'हटायी गयी' के रूप में प्रदर्शित हैं। भारतीय लेखा मानक 107 की अनुच्छेद संख्याओं की अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानकों की अनुच्छेद संख्याओं की परस्पर क्रमबद्धता बनी रहे, इस आशय से भारतीय लेखा मानक 107 में इन्हें जारी रखा गया है:
- (i) अनुच्छेद 3 (ग)
 - (ii) अनुच्छेद 8(ख)-(घ)
 - (iii) अनुच्छेद 12-12क
 - (iv) अनुच्छेद 13
 - (v) अनुच्छेद 16
 - (vi) अनुच्छेद 20 (क) ii-iv एवं 20 (घ)-(ड.)
 - (vii) अनुच्छेद 22
 - (viii) अनुच्छेद 23
 - (ix) अनुच्छेद 24
 - (x) अनुच्छेद 27-27 ख
 - (xi) अनुच्छेद 29 (ख)
 - (xii) अनुच्छेद 36(ग)-(घ)
 - (xiii) अनुच्छेद, 37
 - (xiv) परिशिष्ट ख का अनुच्छेद ख 4
 - (xv) अनुच्छेद ख 5 (ख), (ड.) (च) एवं (छ)
 - (xvi) परिशिष्ट ख के अनुच्छेद ख 12 - ख 16

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 108

परिचालन खण्ड

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

मुख्य सिद्धान्त

1. प्रतिष्ठान द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यकलापों की, जिन्हें वह कर रहा है, और उस आर्थिक परिदृश्य जिसमें वह उन कार्य-कलापों का सम्पादन कार्य कर रहा है, सूचना प्रकट करेगा ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता उनकी प्रकृति तथा वित्तीय प्रभावों की जानकारी प्राप्त कर सकें।

कार्यक्षेत्र

1. यह लेखा मानक उन कंपनियों पर लागू होता है जिन पर कंपनी अधिनियम लागू होता है और उसके अधीन भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) अधिसूचित है।

(देखें परिशिष्ट 1)

3. यदि कोई प्रतिष्ठान जिसे यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) लागू करना अपेक्षित न हो, ऐसे खण्डों के संबंध में जानकारी प्रकट करने के लिए चयन करता है जो इस लेखा मानक का अनुपालन न करते हों, वह सूचना को खण्डीय सूचना के रूप में प्रकट नहीं करेगा।

4. यदि किसी मूल प्रतिष्ठान की वित्तीय रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरण, जो इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के कार्यक्षेत्र के भीतर हैं, एवं मूल प्रतिष्ठान का पृथक विवरण दोनों समाविष्ट हैं, तो खण्ड सूचना केवल समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में ही अपेक्षित है।

परिचालन खण्ड

5. प्रतिष्ठान के परिचालन खण्ड के निम्नलिखित घटक होते हैं :
- (क) वह ऐसे व्यवसायिक कार्यकलापों में लगा हो जिससे उसे राजस्व की प्राप्ति हो तथा जिसमें उसके द्वारा खर्च वहन किए जाते हों। इसमें वे राजस्व व व्यय भी सम्मिलित हैं जो उसी प्रतिष्ठान के अन्य घटकों के लेन देनों से संबंधित हैं,
 - (ख) जिसके परिचालन संबंधी परिणामों की प्रतिष्ठान के मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती हो ताकि वह संसाधनों के खण्डीय आवंटन के प्रति निर्णय ले सके और कार्य निष्पादन की भी समीक्षा कर सके, और
 - (ग) जिसके संबंध में अलग से वित्तीय सूचना उपलब्ध हो।
- परिचालन खण्ड ऐसे कार्य कलापों को सम्पादित कर सकता है जिनसे अभी उसे राजस्व प्राप्त होना है। उदाहरणतया, जैसे कि, प्रारंभिक परिचालन राजस्व अर्जित करने की पूर्व स्थिति।
6. यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिष्ठान का प्रत्येक अंग परिचालन खण्ड अथवा उसका एक भाग हो। उदाहरणतया, निगम का प्रधान कार्यालय अथवा कुछ इसके कार्यात्मक विभाग राजस्व अर्जित नहीं करते अथवा वे प्रतिष्ठान के प्रासंगिक कार्यकलापों से कोई राजस्व प्राप्त कर लें तथा वे कोई परिचालन खण्ड न हों। इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के प्रयोजन के लिए प्रतिष्ठान की नियोजनोपरांत लाभ योजनाएं परिचालन खण्ड नहीं हैं।
7. 'मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता' शब्द कार्य का परिचायक है और प्रतिष्ठान में यह प्रबंधक जैसा कोई विशिष्ट पद नहीं है। उसका कार्य, संसाधनों को आवंटित करना तथा प्रतिष्ठान के परिचालन खण्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा करना है। सामान्यतः मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य परिचालन अधिकारी होता है। उदाहरण के लिए, वह कार्यपालक निदेशकों का अथवा अन्य कार्यकारी अधिकारियों का समूह भी हो सकता है।
8. अधिकतर प्रतिष्ठानों के लिए, अनुच्छेद 5 में परिचालन खण्ड की दी गई तीन विशिष्टताएं इसके परिचालन खण्ड की द्योतक हैं। फिर भी, प्रतिष्ठान अपनी रिपोर्टों को विभिन्न प्रकारों से प्रस्तुत कर सकता है जिनमें व्यवसाय के कार्यकलापों को संपादित किया जाता है। यदि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता एक से अधिक खण्डों की सूचना के सम्मुख्य (सैट) का प्रयोग करे तो एक अन्य घटक सम्मुख्य में उन कारकों की भी सूचना दी जाएगी जो प्रतिष्ठान के परिचालन खण्ड के विभिन्न भागों के व्यवसायी कार्य कलापों की प्रकृति, उनके लिए कौन प्रबंधक जिम्मेदार हैं तथा निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना आदि की जानकारी दी जाएगी।
9. सामान्यतः, परिचालन खण्ड का एक खण्ड प्रबंधक होता है जो परिचालन के कार्य कलापों, वित्तीय परिणामों, पूर्वानुमानों अथवा खण्ड के लिए योजना बनाने जैसे पक्षों के लिए मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता से नियमित सम्पर्क बनाए रखता है। 'खण्ड प्रबंधक' शब्द कार्य का परिचायक है और यह आवश्यक नहीं कि परिचालन में इस नाम का कोई विशिष्ट पद हो। मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता भी कुछ परिचालन खण्डों के खण्ड प्रबंधक हो सकते हैं। इसी तरह एक प्रबंधक एक से अधिक परिचालन खण्डों का खण्ड प्रबंधक हो सकता है। यदि अनुच्छेद 5 में दी गई विशिष्टताएं संगठन के एक से अधिक भागों पर लागू होती हों परंतु खण्ड प्रबंधक केवल एक सम्मुख्य (सैट) के लिए ही उत्तरदायी हों तो परिचालन खण्ड के उसी सम्मुख्य (सैट) में सभी कारकों की सूचना सम्मिलित होगी।
10. अनुच्छेद 5 में दी गई विशिष्टताएं दो या दो से अधिक घटकों के अधिव्याप्त सम्मुख्यों (सैटों) पर लागू हो सकती हैं जिनके लिए प्रबंधक उत्तरदायी हों। ऐसी संरचना संगठनात्मक ढांचे का सांचागत स्वरूप (मैट्रिक्स फॉर्म) कहलाता है। उदाहरणतया, कुछ प्रतिष्ठानों में कुछ प्रबंधक विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं की लाइन के लिए विश्व स्तर पर उत्तरदायी होते हैं जबकि अन्य प्रबंधक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा दोनों भागों के सम्मुख्य (सैटों) के परिचालन परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा उसके पास निम्नलिखित में से दोनों की वित्तीय सूचना उपलब्ध रहती है। ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान द्वारा मुख्य सिद्धांत के संदर्भ में निर्धारण करना होगा कि इन दोनों भागों में कौन-सा भाग परिचालन खण्ड कहलाएगा।

रिपोर्ट-योग्य खण्ड

11. प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक परिचालन खण्ड के लिए अलग-अलग सूचना दी जाएगी:
- (क) जिनकी पहचान अनुच्छेद 5-10 के अनुसार हुई हो अथवा अनुच्छेद 12 के अनुसार दो या अधिक खण्डों के समूहन के परिणामस्वरूप हुई हो, तथा
 - (ख) अनुच्छेद 13 की मात्रात्मक सीमा से अधिक हो।
- अनुच्छेद 14-19 उन अन्य परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करते हैं जिनमें किसी परिचालन खण्ड की पृथक सूचना रिपोर्ट की जानी चाहिए।

एकीकरण मानदण्ड

12. परिचालन खण्डों की यदि एक समान आर्थिक विशेषताएं हों तो वे सामान्यतः एक जैसे दीर्घावधि वित्तीय कार्य निष्पादन दर्शाते हैं। उदाहरणतया, दो परिचालन खण्डों का दीर्घावधि औसत सकल लाभ एक जैसा होने की आशा की जा सकती है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएं एक समान हों। दो अथवा अधिक परिचालन खण्डों का एकल परिचालन खण्ड में समूहन किया जा सकता है बशर्ते समूहन इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के मुख्य सिद्धांत के अनुकूल हो अर्थात् खण्डों की एक समान आर्थिक विशेषताएं हों तथा खण्ड निम्न लिखित प्रत्येक मामले में एक समान हों :

- (क) उत्पाद तथा सेवाओं की प्रकृति;
- (ख) उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति;
- (ग) उत्पाद तथा सेवाओं के ग्राहकों का वर्ग;
- (घ) उत्पाद वितरण तथा सेवाएं प्रदान करने की पद्धतियाँ; तथा
- (ङ) यदि लागू हो, नियामक वातावरण, उदाहरणतः बैंकिंग, बीमा अथवा जन-उपयोगी सेवाएं।

मात्रात्मक सीमाएं

13. प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक परिचालन खण्ड के लिए पृथक सूचना दी जाएगी जो निम्नलिखित मात्रात्मक सीमाएं पूरी करते हों :
- (क) उसका रिपोर्ट किया गया राजस्व, जिसमें बाह्य ग्राहकों की बिक्री तथा अन्तर खण्ड बिक्री अथवा अंतरण जो आंतरिक अथवा बाहरी सभी परिचालन खण्डों के संयुक्त राजस्व का 10% अथवा अधिक हो, सम्मिलित है।
 - (ख) उसके द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ अथवा हानि की समग्र राशि 10% अथवा अधिक की समग्र राशि, इन दोनों में से जो अधिक है (i) सभी प्रचालन खण्डों के रिपोर्ट किए गए संयुक्त लाभ जिन्होंने हानि की रिपोर्टिंग न की हो (ii) सभी परिचालन खण्डों की रिपोर्ट की गई संयुक्त हानियाँ, जिन्होंने हानि रिपोर्ट की हो।
 - (ग) इसकी आस्तियाँ सभी परिचालन खण्डों की संयुक्त आस्तियों के 10% अथवा अधिक हों।

परिचालन खण्ड को, जो उपर्युक्त किसी भी मात्रात्मक सीमा से मेल न खाते हों, रिपोर्ट योग्य माना जा सकता है तथा उनका प्रकटन पृथक रूप से किया जा सकता है, यदि प्रबंधन के विचार में खण्ड से संबंधित जानकारी वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है।

14. प्रतिष्ठान ऐसे परिचालन खण्डों की, जिनकी मात्रात्मक सीमाओं की सूचना का मेल न हो, और अन्य परिचालन खण्डों, जिनकी मात्रात्मक सीमाओं की सूचना का मेल न हो, को रिपोर्ट योग्य खण्ड बनाने के लिए परस्पर मिला सकते हैं बशर्ते परिचालन खण्डों की आर्थिक विशिष्टताएं एक समान हों तथा अनुच्छेद 12 में सूचीबद्ध समूहन के मापदण्डों को प्रमुख रूप से पूरा करते हों।
15. यदि परिचालन खण्ड द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल बाह्य राजस्व का भाग प्रतिष्ठान के राजस्व के 75% से कम हो, रिपोर्ट योग्य खण्ड के रूप में अतिरिक्त परिचालन खण्ड को मिलाना होगा (बेशक वे अनुच्छेद 13 के मानदण्डों को पूरा न करते हों) जब तक कि कम से कम 75% राजस्व रिपोर्ट योग्य खण्ड में सम्मिलित न हो जाए।
16. रिपोर्ट योग्य न होने वाले अन्य व्यवसायिक कार्य कलापों तथा परिचालन खण्डों को सम्मिलित किया जाएगा तथा अनुच्छेद 28 के द्वारा अपेक्षित मिलान हेतु अन्य मिलान मदों से 'अन्य सभी खण्ड' श्रेणी के अंतर्गत पृथक रूप से प्रकट किए जाने चाहिए। 'अन्य सभी खण्ड' श्रेणी में सम्मिलित राजस्व के स्रोतों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए।
17. यदि प्रबंधन यह अनुभव करे कि पूर्ववर्ती अवधि में जिस परिचालन खण्ड की पहचान रिपोर्ट योग्य खण्ड के रूप में की गई है उससे खण्ड के संबंध में निरंतर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही हो तो उसे चालू अवधि में भी पृथक रूप से रिपोर्ट करना जारी रखा जाएगा बेशक वह अनुच्छेद 13 में दिए गए रिपोर्ट योग्य मानदण्डों को अब पूरा न भी कर रहा हो।
18. यदि चालू अवधि में परिचालन खण्ड की पहचान रिपोर्ट योग्य खण्ड के रूप में मात्रात्मक सीमाओं के अनुसार की गई हो, पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों(डाटा) को नए रिपोर्ट योग्य खण्ड में प्रभाव दिखाने के लिए पुनः वर्णित करना चाहिए, चाहे उस खण्ड ने अनुच्छेद 13 के अनुसार रिपोर्ट योग्यता के मानदण्डों को पूरा न किया हो। जब तक कि आवश्यक सूचना उपलब्ध न हो अथवा इसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक हो।
19. किसी प्रतिष्ठान द्वारा पृथक रूप से प्रकट की जाने वाले रिपोर्ट योग्य खण्डों की संख्या को सीमित करना व्यवहारिक होगा क्योंकि सीमा से अधिक खण्ड की सूचना आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो सकती है। यद्यपि अनुच्छेद 13-18 के अनुसरण में रिपोर्ट योग्य खण्डों की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जब संख्या दस से ऊपर हो जाती है तो प्रतिष्ठान को समझना चाहिए कि क्या अब व्यवहार्य सीमा पूरी हो चुकी है।

प्रकटन

20. प्रतिष्ठान द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों की, जिन्हें वह कर रहा है, और उस आर्थिक परिदृश्य, जिसमें वह उन कार्य-कलापों का सम्पादन कार्य कर रहा है, सूचना प्रकट करेगा ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता उनकी प्रकृति तथा वित्तीय प्रभावों की जानकारी प्राप्त कर सकें।

21. अनुच्छेद 20 में दिए गए सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रत्येक अवधि, जिसके संबंध में लाभ तथा हानि की विवरणी प्रस्तुत की गई हो, प्रतिष्ठान को निम्नलिखित प्रकटन करने होंगे :

(क) अनुच्छेद 22 में यथा वर्णित सामान्य सूचनाएं;

(ख) रिपोर्ट किए गए खण्ड के लाभ या हानि के संबंध में सूचना जिसमें राजस्व तथा व्यय सहित, खण्ड आस्तियाँ, खण्ड देयताओं तथा अनुच्छेद 23-27 के अनुसार माप के आधार का उल्लेख भी सूचित किया जाएगा; और

(ग) खण्ड के राजस्व का सकल योग, रिपोर्ट किए गए खण्ड की लाभ या हानि, खण्ड आस्तियाँ, खण्ड देयताएं तथा अनुच्छेद 28 में वर्णित प्रतिष्ठान की राशियों के तदनु रूप अन्य महत्वपूर्ण खण्डीय मदों का मिलान।

रिपोर्ट योग्य खण्ड की राशियों का प्रतिष्ठान के तुलन पत्र की राशियों से मिलान प्रस्तुत किए गए तुलन पत्र की प्रत्येक तारीख के लिए करना आवश्यक है। पूर्व अवधियों संबंधी सूचना अनुच्छेद 29 तथा 30 में यथावर्णित पुनः प्रस्तुत की जाएंगी।

सामान्य सूचना

22. प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्रकट की जाएंगी :

(क) संगठन के आधार सहित, प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्डों की पहचान के लिए प्रयुक्त कारक (उदाहरणतया, क्या प्रबंधन द्वारा प्रतिष्ठान के संगठन के विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं, भौगोलिक क्षेत्रों, विनियामक वातावरण के बीच अथवा कारकों के सम्मिलित रूप में संचालित करने के लिए चयन किया गया है तथा यह कि क्या परिचालन खण्डों का एकत्रीकरण किया गया है) ; तथा

(कक) अनुच्छेद 12 में एकत्रीकरण मानदंड के प्रयोग में प्रबंधन द्वारा लिये गये विवेकपूर्ण निर्णय। इसमें उन परिचालन खंडों का संक्षिप्त ब्यौरा भी शामिल है जिन्हें इस तरह से एकीकृत किया गया है। और आर्थिक संकेतन जिनका निर्धारण यह निश्चय करने के लिए किया गया है कि एकीकृत परिचालन खंड इस प्रकार की आर्थिक विशेषताओं से गुजरते हैं।

(ख) उत्पादों तथा सेवाओं के प्रकार जिनके द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड राजस्व प्राप्त करते हैं।

लाभ या हानि, आस्तियों एवं दायित्वों संबंधी सूचना

23. एक प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के लाभ या हानि के माप राशि की रिपोर्ट देनी होगी। एक प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड की कुल आस्तियों एवं दायित्वों के माप की रिपोर्ट देनी होगी, यदि ऐसी राशियाँ नियमित रूप से मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को प्रस्तुत की जाती हों। प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के संबंध में निम्न को भी प्रकट करना होगा यदि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता की समीक्षा के लिए विशिष्ट राशियाँ खण्ड के लाभ या हानि के माप में शामिल नियमित रूप से उसे प्रस्तुत की जाती हों या बेशक उन्हें खंड के लाभ या हानि के माप में शामिल न भी किया गया हो।

(क) बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व;

(ख) उसी प्रतिष्ठान के अन्य प्रचालन खण्डों से लेन-देन से प्राप्त राजस्व;

(ग) ब्याज राजस्व;

(घ) ब्याज व्यय;

(ङ) मूल्यहास तथा परिशोधन;

(च) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण के अनुच्छेद 97 के अनुसरण में प्रकट आय तथा व्यय की महत्वपूर्ण मदें ;

(छ) सहायक प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में इक्विटी विधि से लेखाबद्ध प्रतिष्ठान के हित ;

(ज) आय कर खर्च अथवा आय; तथा

(झ) मूल्यहास तथा परिशोधन के अलावा महत्वपूर्ण गैर नकदी मदें।

प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के ब्याज राजस्व को ब्याज व्यय से अलग दर्शाना चाहिए बशर्ते खण्ड का अधिकतर राजस्व ब्याज से प्राप्त हो तथा मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता खण्ड के निष्पादन का मूल्यांकन तथा खण्डों को संसाधन आवंटित करने के निर्णय के लिए प्राथमिक रूप से शुद्ध ब्याज आय पर ही निर्भर न हो।

24. प्रतिष्ठान प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खण्ड के संबंध में निम्नलिखित को प्रकट करेगा बशर्ते खण्ड आस्तियों के माप में विशिष्ट राशियाँ सम्मिलित की गई हों और इन खण्ड आस्तियों की मुख्य परिचालन निर्णायक समीक्षा करता है या फिर उसे ये नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती हों और चाहे खण्ड आस्तियों के माप में विशिष्ट राशियाँ सम्मिलित न भी हों:
- (क) सहायक प्रतिष्ठानों एवं संयुक्त उद्यमों में 'इक्विटी' विधि से लेखाबद्ध निवेश की राशि, और
- (ख) वित्तीय लिखतों, आस्थगित कर आस्तियों, नियोजनोपरांत लाभ आस्तियों (देखें भारतीय लेखा मानक 19 *कर्मचारी लाभ*) निवलोपरान्त निश्चित तथा बीमा अनुबंधों से उत्पन्न अधिकारों के अलावा गैर- चालू आस्तियों²¹ में परिवर्धनों की राशियाँ ।

माप

25. रिपोर्ट किए गए प्रत्येक खण्ड मद की राशि मुख्य परिचालन निर्णायकता को रिपोर्ट किया गया माप होगा ताकि वह खण्ड को संसाधन आवंटित करने तथा कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में निर्णय ले सके । प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय यदि कोई समायोजन तथा बहिष्करण किया जाता है तथा राजस्व, व्यय तथा लाभ हानियों का आवंटन खण्ड के रिपोर्ट किए गए लाभ- हानि के निर्धारण में तभी सम्मिलित किए जाएंगे यदि वे खण्ड के लाभ या हानि के माप में सम्मिलित हों और उसका उपयोग मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा किया जाता हो। इसी प्रकार, खण्ड की वही आस्तियाँ तथा देयताएँ रिपोर्ट की जाएंगी जो उस खण्ड की आस्तियों तथा देयताओं के माप में शामिल की गई हों और उसका उपयोग मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा किया जाता हो । यदि खण्ड के रिपोर्ट किए गए लाभ या हानि और आस्तियों अथवा देयताओं को राशियाँ आवंटित की जाती हैं, तो उन राशियों को तर्क पूर्ण ढंग से आवंटित किया जाएगा ।
26. यदि मुख्य परिचालन निर्णायकता परिचालन खण्ड के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन तथा खण्ड के लाभ या हानि और आस्तियों तथा दायित्वों के आवंटन का निर्णय करने के उद्देश्य से परिचालन खण्ड के लाभ अथवा हानि और खण्ड की आस्तियों अथवा दायित्वों के माप के लिए केवल एक माप का प्रयोग करें तो खण्ड के लाभ या हानि और आस्तियों तथा दायित्वों की रिपोर्टिंग उसी माप द्वारा की जाएगी । यदि मुख्य परिचालन निर्णायकता परिचालन खण्ड के लाभ या हानि और खण्ड की आस्तियों अथवा दायित्वों के माप के लिए एक से अधिक माप का प्रयोग करे तो रिपोर्ट के माप प्रबंधन के मतानुसार प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में उनके समान राशियों के माप के लिए प्रयुक्त मापन के सिद्धांतों के अनुरूप निर्धारित किए जाने चाहिए ।
27. प्रतिष्ठान को खण्डीय लाभ या हानि, खण्डीय आस्तियों तथा खण्डीय दायित्वों की प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के लिए माप का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है । प्रतिष्ठान कम से कम निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :
- (क) रिपोर्ट योग्य खण्डों के बीच लेन-देनों के लेखांकन का आधार ।
- (ख) रिपोर्ट योग्य खण्डों के लाभ या हानियाँ, प्रतिष्ठान के आय कर व्यय अथवा आय से पूर्व लाभ या हानि, तथा बंद किए गए परिचालन के मापों के बीच के अंतरों की प्रकृति (यदि अनुच्छेद 28 में वर्णित मिलान से स्पष्ट न हो)। इन अंतरों में रिपोर्ट की गई खण्ड जानकारी को समझने के लिए लेखा नीतियों तथा संयुक्त रूप से प्रयुक्त आस्तियों के आवंटन की नीतियाँ शामिल हो सकती हैं ।
- (ग) रिपोर्ट योग्य खण्ड दायित्वों तथा प्रतिष्ठान की आस्तियों के माप में अंतरों की प्रकृति (यदि अनुच्छेद 28 में वर्णित मिलान से स्पष्ट न हो) इन अंतरों में रिपोर्ट की गई खण्ड जानकारी को समझने के लिए लेखा नीतियाँ तथा संयुक्त रूप से प्रयुक्त आस्तियों के आवंटन की नीतियाँ शामिल हो सकती हैं ।
- (घ) रिपोर्ट योग्य खण्ड दायित्वों तथा प्रतिष्ठान की दायित्वों के माप में अंतरों की प्रकृति (यदि अनुच्छेद 28 में वर्णित मिलान से स्पष्ट न हो) इन अंतरों में रिपोर्ट की गई खण्ड जानकारी को समझने के लिए लेखा नीतियाँ तथा संयुक्त रूप से प्रयुक्त दायित्वों के आवंटन की नीतियाँ शामिल हो सकती हैं ।
- (ङ) रिपोर्ट किए गए खण्ड लाभ अथवा हानि तथा उसके प्रभाव के निर्धारण के लिए प्रयुक्त माप पद्धति की, उन परिवर्तनों पर जो खण्ड माप से लाभ या हानि से पूर्व अवधि से परिवर्तन यदि हुए हों, की प्रकृति ।
- (च) रिपोर्ट योग्य खण्ड के किसी विषम आवंटन की प्रकृति तथा प्रभाव । उदाहरणतः, प्रतिष्ठान द्वारा किसी खण्ड के मूल्यहास व्यय आवंटित किए गए हों परंतु उस खण्ड की संबंधित मूल्यहास योग्य आस्तियों को आवंटित न किए हों ।

मिलान

28. प्रतिष्ठान को निम्न का मिलान करना होगा:

- (क) खण्ड के रिपोर्ट योग्य राजस्व का योग प्रतिष्ठान के कुल राजस्व से ।

²¹ तरलता प्रस्तुति के अनुसरण में आस्तियों के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए गैर चालू आस्तियों में वे आस्तियाँ शामिल होती हैं जिनकी वसूली रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 महीनों से अधिक की अवधि के अंदर प्रत्याशित है ।

- (ख) प्रतिष्ठान के कुल कर पूर्व खर्चों (कर आय) तथा बंद किए गए परिचालनों से लाभ या हानि के रिपोर्ट योग्य खण्डों के लाभ या हानि मापन का योग । परंतु, यदि प्रतिष्ठान रिपोर्ट योग्य खण्ड को कर पूर्व खर्चों (कर आय) आवंटित करे, तो प्रतिष्ठान द्वारा खण्ड के लाभ या हानि के मापन का प्रतिष्ठान के उस मद के लाभ या हानि से मिलान किया जा सकता है।
- (ग) खण्ड की रिपोर्ट योग्य आस्तियों के योग का प्रतिष्ठान की कुल आस्तियों के साथ योग बशर्ते खंडीय आस्तियों भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसरण में रिपोर्ट की जाती है।
- (घ) खण्ड की रिपोर्ट योग्य दायित्वों के योग का प्रतिष्ठान की कुल दायित्वों से यदि खण्ड की दायित्वों की रिपोर्ट अनुच्छेद 23 के अनुसार की गई हो ।
- (ङ) खण्ड की रिपोर्ट योग्य अन्य सारवान (महत्वपूर्ण) मदों की सूचना के योग का प्रतिष्ठान प्रकट की गई समरूप सारवान (महत्वपूर्ण) मदों की सूचना से ।

सभी सारवान मदों को पृथक रूप से पहचाना तथा वर्णित किया जाएगा । उदाहरणार्थ रिपोर्ट योग्य खण्ड के लाभ या हानि के लिए आवश्यक प्रत्येक सारवान समायोजन की राशि प्रतिष्ठान के विभिन्न लेखनीतियों से उत्पन्न लाभ या हानि की पहचान तथा प्रकटन पृथक रूप से किया जाएगा ।

पूर्व में रिपोर्ट की गई सूचना का पुनर्कथन

- 29. यदि प्रतिष्ठान अपने आंतरिक संगठन में परिवर्तन इस ढंग से करे कि उसके रिपोर्ट योग्य खण्ड के गठन में परिवर्तन हो जाए , तो पूर्व अवधियों की समकक्ष जानकारी , अंतरिम अवधि सहित , का पुनर्कथन किया जाएगा जब तक कि सूचना उपलब्ध न हो अथवा उसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक हो । सूचना उपलब्ध न होने अथवा उसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक होने का निर्धारण प्रकटन की प्रत्येक मद के संबंध में पृथक से किया जाएगा । उसके रिपोर्ट योग्य खण्ड के गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप , प्रतिष्ठान को यह प्रकट करना होगा कि क्या उन्होंने पूर्ववर्ती अवधि की समकक्ष खण्ड जानकारी का पुनर्कथन कर दिया है ।
- 30. यदि प्रतिष्ठान अपने आंतरिक संगठन में परिवर्तन इस ढंग से करे कि उसके रिपोर्ट योग्य खण्ड के गठन में परिवर्तन हो जाए, तो पूर्व अवधियों की समकक्ष जानकारी , अंतरिम अवधि सहित , परिवर्तनों को दिखाने के लिए पुनर्कथन नहीं किया गया हो प्रतिष्ठान को जिस वर्ष में परिवर्तन हुए हैं उस चालू वर्ष के लिए खण्ड जानकारी खण्डीकरण के नए तथा पुराने आधार पर देनी होगी जब तक कि सूचना उपलब्ध न हो अथवा उसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक हो।

प्रतिष्ठान व्यापी प्रकटन

- 31. इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के होते हुए अनुच्छेद 32-34 एकल रिपोर्ट योग्य खण्डों सहित सभी प्रतिष्ठानों पर लागू हैं। कुछ प्रतिष्ठानों की व्यावसायिक गतिविधियाँ संबंधित उत्पादों तथा सेवाओं अथवा परिचालनों के भौगोलिक क्षेत्रों की भिन्नता के आधार पर संपादित नहीं होती हैं । ऐसे प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्ड व्यापक रूप से भिन्न तथा सेवाओं की भिन्नता राजस्व को रिपोर्ट कर सकते हैं अथवा इसके एक से अधिक रिपोर्ट योग्य खण्ड अनिवार्यतः वही उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करें । इसी प्रकार किसी प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्डों की आस्तियाँ भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हो सकती हैं तथा भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के ग्राहकों से प्राप्त राजस्व की रिपोर्ट कर सकते हैं अथवा इसके एक से अधिक रिपोर्ट योग्य खण्ड एक ही भौगोलिक क्षेत्र से परिचालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 32-34 द्वारा अपेक्षित सूचना तभी दी जाए यदि इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार अपेक्षित रिपोर्ट योग्य खण्ड जानकारी प्रदान नहीं की हो ।

उत्पादों एवं सेवाओं संबंधी सूचना

- 32. प्रतिष्ठान को बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व की प्रत्येक उत्पाद तथा सेवा अथवा समान उत्पाद तथा सेवाओं के समूह के लिए रिपोर्ट करना होगा जब तक कि आवश्यक जानकारी उपलब्ध न हो अथवा उसे उपलब्ध कराने की अत्यधिक लागत हो ऐसे मामलों में यह तथ्य भी सूचित करना होगा। राजस्व की राशि रिपोर्ट प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए ।

भौगोलिक क्षेत्रों संबंधी सूचना

- 33. प्रतिष्ठान निम्नलिखित भौगोलिक सूचना प्रदान करेंगे जब तक कि सूचना उपलब्ध न हो अथवा उसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक हो:

 - (क) बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व (i) जो प्रतिष्ठान के अपने अधिवासी देश से संबंधित है (ii) बाहर के उन देशों, जिनसे प्रतिष्ठान राजस्व प्राप्त कर रहा हो, से संबंधित कुल राजस्व । यदि किसी एक देश से प्राप्त राजस्व अधिक है तो उस राजस्व को पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा । प्रतिष्ठान को किसी एक देश से बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व प्राप्त होने का आधार प्रकट करना होगा।

- (ख) वित्तीय लिखतें, आस्थगित कर आस्तियाँ, नियोजनोपरांत लाभ आस्तियाँ तथा बीमा अनुबंधों के अधीन उत्पन्न अधिकार के अतिरिक्त गैर-चालू आस्तियाँ²² जो (i) प्रतिष्ठान के अपने अधिवासी देश में स्थित हैं, और (ii) बाहर के उन सभी देशों में स्थित हैं जहां प्रतिष्ठान की आस्तियां हैं। यदि बाहर के किसी देश में आस्तियां अधिक हैं तो उनको अलग से प्रकट किया जाएगा।

राजस्व की राशि रिपोर्ट प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए यदि आवश्यक जानकारी उपलब्ध न हो अथवा उसे उपलब्ध कराने की अत्यधिक लागत हो तो यह तथ्य सूचित करना होगा। प्रतिष्ठान इस अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित जानकारी के अतिरिक्त देशों के समूह से संबंधित भौगोलिक जानकारी के उप-योग सूचित कर सकते हैं।

प्रमुख ग्राहकों संबंधित सूचना

34. प्रतिष्ठान अपने प्रमुख ग्राहकों पर निर्भरता की सूचना प्रदान करेंगे। यदि एकल बाहरी ग्राहक के प्रति संव्यवहारों से प्राप्त राजस्व प्रतिष्ठान के कुल राजस्व के 10% से अधिक होने पर प्रतिष्ठान इस तथ्य को प्रकट करेंगे तथा प्रत्येक ऐसे ग्राहक से प्राप्त कुल राजस्व, तथा रिपोर्ट करने वाले खण्ड या खण्डों की पहचान सूचित करेंगे। प्रतिष्ठान के लिए प्रत्येक प्रमुख ग्राहक अथवा प्रत्येक खण्ड से ऐसे ग्राहक से प्राप्त रकम का प्रकटन आवश्यक नहीं है। इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के उद्देश्य से रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान की जानकारी वाली एक नियंत्रण के अधीन प्रतिष्ठानों के समूह को एक ग्राहक माना जाएगा। परंतु, यह जानने के लिए कि एक सरकार (सरकारी एजेंसियों तथा समान निकायों जैसे-स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय सहित) तथा रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान की जानकारी वाली सरकार के नियंत्रण के अधीन एक ग्राहक माना जाएगा, का निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा। यह जानने के लिए रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान इन प्रतिष्ठानों के बीच आर्थिक एकीकरण की सीमा पर विचार करना होगा।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अभिन्न अंग है।

परिचालन खण्ड

एक परिचालन खण्ड प्रतिष्ठान का ऐसा घटक है :

- (क) जो ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है जिनसे वह राजस्व प्राप्त करता है और व्यय खर्च करता है (जिसमें उसी प्रतिष्ठान के अन्य घटकों के लेनदेनों के राजस्व व व्यय भी सम्मिलित हैं) ;
- (ख) जिसके परिचालन परिणामों की नियमित रूप से मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा समीक्षा की जाती है और खण्ड के संसाधनों के आवंटित करने और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं ; तथा
- (ग) जिसके लिए अलग से वित्तीय सूचना उपलब्ध रहती है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 108 और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 8 परिचालन खण्ड के बीच यदि कोई प्रमुख अंतर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

‘आई एफ आर एस’ 8 परिचालन खण्ड के साथ तुलना

1. ‘आई एफ आर एस’ 108 में दिये गये संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 108 में इस दृष्टि से नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित है, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101 भारतीय लेखा मानकों का प्रथम बार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं, जो कि आई एफ आर एस 1, भारतीय लेखा मानकों का प्रथम बार अंगीकरण के तदनुसूची है।
2. इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) में मौजूदा कानूनों में प्रयुक्त शब्दावली से भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ, शब्दों ‘वित्तीय स्थिति का विवरण’ के स्थान पर शब्द ‘तुलन-पत्र’ और शब्दों ‘व्यापक आय का विवरण’ के स्थान पर शब्द ‘लाभ-हानि विवरण’ का प्रयोग किया गया है।

²² तरलता प्रस्तुति के अनुसरण में आस्तियों के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए गैर चालू आस्तियों में वे आस्तियां शामिल होती हैं जिनकी वसूली रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 महीनों से अधिक की अवधि के अंदर प्रत्याशित है।

3. 'आई एफ आर एस' 8 का अनुच्छेद 2 यह अपेक्षा करता है कि यह मानक निम्नलिखित पर लागू होता है-

(क) एक प्रतिष्ठान की पृथक या व्यक्तिगत वित्तीय विवरण:

- (i) जिसकी ऋण (डैट) या 'इक्विटी' लिखतें एक सार्वजनिक बाजार (पब्लिक मार्किट) खरीदी-बेची जाती हैं (घरेलू या विदेशी स्टॉक एक्सचेंज अथवा एक ओवर-द-काउन्टर बाजार जिसमें स्थानीय व क्षेत्रीय बाजार भी सम्मिलित हैं), या
- (ii) एक सार्वजनिक बाजार में लिखतों की किसी श्रेणी को जारी करने के प्रयोजन के लिए एक प्रतिभूति आयोग या अन्य विन्यामक संगठन के पास अपने वित्तीय विवरण फाइल करता है या फाइल करने की प्रक्रिया में है; और

(ख) मूल प्रतिष्ठान के साथ समूह के समेकित वित्तीय विवरण:

- (i) जिसकी ऋण (डैट) या 'इक्विटी' लिखतें एक सार्वजनिक बाजार में खरीदी-बेची (ट्रेड) की जाती हैं (घरेलू या विदेशी स्टॉक एक्सचेंज अथवा एक 'ओवर-द-काउन्टर बाजार जिसमें स्थानीय व क्षेत्रीय बाजार भी सम्मिलित हैं'), या
- (ii) एक सार्वजनिक बाजार में लिखतों की किसी श्रेणी का जारी करने के प्रयोजन के लिए वह एक प्रतिभूति आयोग या अन्य नियामक संगठन के पास अपने वित्तीय विवरण फाइल करता है या फाइल करने की प्रक्रिया में है।

उपर्युक्त इस भारतीय लेखा मानक से हटा दिये गये हैं क्योंकि कम्पनी अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) की प्रयोज्यता या छूट (अपवाद) अधिशासित होती है। फिर भी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 8 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाये रखने के लिए इस (इंड ए एस) 108 में इन अनुच्छेद संख्याओं को जारी रखा गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 109

वित्तीय लिखतें

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे व सामान्य टाइप के अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद प्रमुख सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

अध्याय 1 उद्देश्य

- 1.1 इस मानक का उद्देश्य वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सिद्धान्त संस्थापित करना है जो प्रतिष्ठान के भावी नकदी प्रवाहों की राशियों, समय और अनिश्चितता-संबंधी निर्धारण के लिए वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक एवं उपयोगी सूचना प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 2 कार्य-क्षेत्र

- 2.1 यह मानक सभी प्रतिष्ठानों द्वारा, निम्नलिखित को छोड़कर, सभी प्रकार के वित्तीय लिखतों के लिए प्रयुक्त होगा:

- (क) अनुषंगी प्रतिष्ठानों, सहयोगी प्रतिष्ठानों (एशोसिएटों) और संयुक्त उद्यमों में ऐसे हित जिनका लेखा भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीयविवरण*, भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण* या भारतीय लेखा मानक 28, *सहयोगी प्रतिष्ठानों (एशोसिएटों) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश* के अनुसरण में किया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में, भारतीय लेखा मानक 110, भारतीय लेखा मानक 27 अथवा भारतीय लेखा मानक 28, प्रतिष्ठान से या तो इस मानक की कुछ या सभी अपेक्षाओं के अनुसार एक अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान (एशोसिएट) या संयुक्त उद्यम में एक हित के लेखे के लिए अपेक्षा करते हैं या फिर उसे अनुमति देते हैं। प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान (एशोसिएट) या संयुक्त उद्यम में एक हित पर व्युत्पन्न (डैरीवेटिव्स) में इस मानक का प्रयोग करेगा यदि यह व्युत्पन्न (डैरीवेटिव) भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतीकरण* में प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखत की परिभाषा को पूरा नहीं करता है।
- (ख) पट्टे के अंतर्गत अधिकार और बाध्यता जिन पर भारतीय लेखा मानक 17, *पट्टे लागू होता है*। यद्यपि:
- पट्टाकर्ता द्वारा मान्य पट्टे की प्राप्य-राशियां इस मानक की अमान्यता तथा क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं के अधीन हैं;
 - पट्टेदार द्वारा मान्य वित्त पट्टे की देय-राशियां इस मानक की अमान्यता अपेक्षाओं के अधीन हैं; तथा
 - वे व्युत्पन्न (डैरीवेटिव) जो पट्टों में सन्निहित हैं, इस मानक की सन्निहित व्युत्पन्न (डैरीवेटिव) अपेक्षाओं के अधीन हैं।
- (ग) कर्मचारी लाभ योजनाओं के अंतर्गत नियोक्ता के अधिकार और बाध्याताएं जिन पर भारतीय लेखा मानक 19, *कर्मचारी लाभ* लागू होते हैं।
- (घ) प्रतिष्ठान द्वारा जारी वित्तीय लिखतें जो भारतीय लेखा मानक 32 में 'इक्विटी' लिखत की परिभाषा (आप्टान तथा वारंटों सहित) को पूरा करती हैं अथवा जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 16क एवं 16ख या अनुच्छेद 16 ग एवं अनुच्छेद 16 घ के अनुसार एक 'इक्विटी लिखत' के रूप में वर्गीकृत किये जाने के लिए अपेक्षित हैं। तथापि, ऐसी 'इक्विटी' लिखतों का धारक इस मानक को उन लिखतों के लिए लागू करेगा यदि वे (क) में दिये गये अपवाद को पूरा नहीं करती हैं।
- (ङ.) वे अधिकार व दायित्व जो इनके अन्तर्गत उत्पन्न होते हैं: (i) एक बीमा अनुबंध के अंतर्गत जो भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध*, में परिभाषित है लेकिन वह बीमा अनुबंध के अन्तर्गत उत्पन्न जारीकर्ता के अधिकार व बाध्यताएं से भिन्न है जो वित्तीय गारंटी अनुबंध की परिभाषा को पूरा करता है। अथवा (ii) एक अनुबंध, जो भारतीय लेखा मानक 104 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें विवेकाधीन सहभागिता विशेषता निहित होती है। तथापि, यह मानक उस व्युत्पन्न (डैरीवेटिव) के लिए लागू होता है जो भारतीय लेखा मानक 104 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत एक अनुबंध में सन्निहित होता है वशर्त व्युत्पन्न (डैरीवेटिव) स्वयं भारतीय लेखा मानक 104 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत एक अनुबंध नहीं है। इसके अलावा, यदि वित्तीय गारंटी अनुबंधों के जारीकर्ता ने पूर्व में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि वह ऐसे अनुबंधों को बीमा अनुबंधों के रूप में मानता है तथा उस लेखा का उपयोग किया है जो बीमा अनुबंधों के लिए लागू है तो जारीकर्ता ऐसे वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए (अनुच्छेद 2.5 एवं अनुच्छेद 2.6 देखें) या तो इस मानक को या भारतीय लेखा मानक 104 को प्रयोग करने के लिए चयन कर सकता है। जारीकर्ता उस चयन-अनुबंध को प्रत्येक अनुबंध के लिए अलग से कर सकता है किंतु प्रत्येक अनुबंध के लिए यह चयन अविकल्पी होगा।

- (च) अधिग्राहक (अधिग्रहणकर्ता) और बिक्री शेरधारक के बीच अधिग्राही (अधिग्रहीति) की खरीद या बिक्री के लिए किया गया कोई वायदा अनुबंध जो भारतीय लेखा मानक 103 *व्यावसायिक संयोजन* के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अधिग्रहण की भावी तिथि पर व्यावसायिक संयोजन रूप में परिणत होता है। वायदा अनुबंध की अवधि उस समुचित अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो किन्हीं अपेक्षित अनुमोदनों को प्राप्त करने और लेन-देन को पूरा करने के लिए सामान्यता आवश्यक होती है।
- (छ) ऋण वचनबद्धताएं जो अनुच्छेद 2.3 में वर्णित वचनबद्धताओं से भिन्न हैं। तथापि, ऋण वचनबद्धताओं का जारीकर्ता इस मानक में दी गई क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं को उन ऋण वचनबद्धताओं पर लागू करेगा जो अन्यथा इस मानक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं हैं। साथ में सभी ऋण वचनबद्धता इस मानक की अमान्यता आवश्यकता के अधीन हैं।
- (ज) इस मानक के अनुच्छेद 2.4-2.7 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वह अनुबंधों जिनके लिए यह मानक लागू होता है, को छोड़कर शेर आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के अंतर्गत वित्तीय लिखतें, अनुबंध एवं दायित्व जिन जिन पर भारतीय लेखा मानक 102, *शेर आधारित भुगतान* को लागू किया जाता है।
- (झ) प्रतिष्ठान को दायित्व, के निपटान के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करने संबंधी भुगतान का अधिकार, जिसे वह भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां* के अंतर्गत एक प्रावधान के रूप में मान्यता देता है या पूर्व अवधि में जिसे भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसरण में प्रावधान के रूप में मान्यता दी गयी है।
- (ञ) भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व* के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अधिकार एवं वाध्यताएं जो वित्तीय लिखतें हैं, लेकिन, उनको छोड़कर जिन्हें भारतीय लेखा मानक 115, इस मानक के अनुसार लेखा करने का उल्लेख करता है।
- 2.2 इस मानक की क्षतिग्रस्तता अपेक्षाएं उन अधिकारों के लिए लागू होंगी जिनके लिए भारतीय लेखा मानक 115 यह उल्लेख करता है, और जिन्हें क्षतिग्रस्तता हानियों या लाभों की मान्यता के प्रयोजनों से इस मानक के अनुसार लेखांकित किया जाता है।
- 2.3 निम्नलिखित ऋण वचनबद्धताएं इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं:
- (क) वे ऋण वचनबद्धताएं जिन्हें प्रतिष्ठान लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्वों के रूप में नामोदिष्ट करता है (देखें अनुच्छेद 4.2.2)। एक प्रतिष्ठान जो पूर्व से ऋण वचनबद्धताओं से उदगम होने वाली आस्तियों की बिक्री उनके उदगम होने के कुछ देर बाद ही करता रहा है वह प्रतिष्ठान इस मानक का प्रयोग उसी वर्ग में अपनी सभी ऋण वचनबद्धताओं के लिए करेगा।
- (ख) वे ऋण वचनबद्धताएं जिनका निपटान निवल नकदी या दूसरी वित्तीय लिखत की सुपूर्दगी या निर्गम द्वारा किया जा सकता है। ये ऋण वचनबद्धताएं व्युत्पन्न (डैरिवेटिव) होती हैं। एक ऋण वचनबद्धता केवल इसलिए निवल रूप से निपटान की गयी के रूप में नहीं मानी जाती है क्योंकि ऋण का वापसी भुगतान किस्तों में कर दिया गया है (उदाहरण के लिए, बंधक निर्माण ऋण जिसका भुगतान किस्तों द्वारा निर्माण की प्रगति के अनुसार होता है)।
- (ग) बाजार की ब्याज दर से कम ब्याज दर पर ऋण देने की वचनबद्धताएं [देखें अनुच्छेद 4.2.1 (घ)]।
- 2.4 यह मानक एक गैर-वित्तीय मद की खरीद या बिक्री के लिए उन अनुबंधों पर लागू किया जाएगा जो निवल नकदी या दूसरी वित्तीय लिखतों या वित्तीय लिखतों के विनिमय द्वारा निपटाए जा सकते हैं, मानों कि ये अनुबंध वित्तीय लिखतें थीं अपवाद स्वरूप उनमें वे अनुबंध शामिल नहीं हैं जो प्रतिष्ठान की प्रत्याशित खरीद, बिक्री या प्रयोग आवश्यकताओं के अनुसरण में गैर वित्तीय मद की प्राप्ति या सुपूर्दगी के प्रयोजन के लिए किए गए थे और उन्हें धारण किए जाने के लिए जारी रखा गया है। तथापि, यह मानक उन अनुबंधों पर लागू होगा जिसे प्रतिष्ठान अनुच्छेद 2.5 के अनुसार लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गये के रूप में नामोदिष्ट करता है।
- 2.5 गैर- वित्तीय मद की खरीद या बिक्री करने का एक अनुबंध जिसे निवल नकदी या दूसरी वित्तीय लिखत या वित्तीय लिखतों के विनिमय द्वारा निपटाया जा सकता है, मानों वह अनुबंध एक वित्तीय लिखत था, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया के रूप में अविकल्पी रूप से नामोदिष्ट किया जा सकता है, भले ही इसे प्रतिष्ठान की प्रत्याशित खरीद, बिक्री या उपयोग की अपेक्षाओं के अनुसार एक गैर- वित्तीय मद की प्राप्ति या सुपूर्दगी के प्रयोजन से किया गया था। यह नामोदेश केवल अनुबंध के प्रारंभ में ही उपलब्ध है और केवल तभी, जब यह मान्यता असंगति (जिसे कभी-कभी लेखा विसंगति के रूप में उल्लेख किया जाता है) को दूर करता है या काफी हद तक कम करता है, जो अन्यथा उस अनुबंध को मान्यता नहीं देने से उत्पन्न होती जो इस मानक के कार्यक्षेत्र से बाहर है (देखें अनुच्छेद 2.4)।
- 2.6 ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा गैर- वित्तीय मद की खरीद या बिक्री के अनुबंध का निपटारा निवल नकदी या किसी दूसरी वित्तीय लिखत या वित्तीय लिखतों के विनिमय द्वारा हो सकता है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (क) जब अनुबंध की शर्तें किसी भी पक्ष (पार्टी) को निवल नकदी या दूसरी वित्तीय लिखत या वित्तीय लिखतों के विनिमय द्वारा इसका निपटारा करने की अनुमति देती हैं;
- (ख) जब अनुबंध शर्तों में निवल नकदी या दूसरे वित्तीय लिखत या वित्तीय लिखतों के विनिमय द्वारा निपटान करने की योग्यता स्पष्ट नहीं होती है किंतु प्रतिष्ठान की, निवल नकदी या दूसरे वित्तीय लिखत या वित्तीय लिखतों के विनिमय के ऐसे ही विनिमय अनुबंधों का निपटारा करने की, परंपरा रही हो। [चाहे प्रतिपक्ष (काउन्टरपार्टी) के साथ समंजन (आफसेटिंग) अनुबंध में सम्मिलित होकर या अनुबंध की पूर्ति या समाप्ति से पहले बेचकर:]
- (ग) जब इसी समान अनुबंधों के लिए, प्रतिष्ठान की यह परंपरा रही हो कि वह ऐसी मद की सुपूर्दगी लेने और सुपूर्दगी के बाद कीमत में या डीलर के मार्जिन में अल्पावधि उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने के उद्देश्य से इसे अल्प अवधि में बेचता हो; तथा
- (घ) जब गैर- वित्तीय मद जो कि अनुबंध का विषय है, को आसानी से नकद में परिवर्तित किया जा सकता है।

अनुबंध, जिस पर (ख) या (ग) लागू होता है, को प्रतिष्ठान की प्रत्याशित खरीद, बिक्री या उपयोग की अपेक्षाओं के अनुसार गैर- वित्तीय मद की प्राप्ति या सुपूर्दगी के प्रयोजनों के लिए प्रविष्ट नहीं किया जाता है, और इसलिए, इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है। अन्य अनुबंधों का, जिस पर अनुच्छेद 2.4 लागू होते हैं, का आंकलन यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि वे प्रतिष्ठान के प्रत्याशित खरीद, बिक्री या उपयोग अपेक्षाओं के अनुसार गैर-वित्तीय मद की प्राप्ति या सुपूर्दगी के प्रयोजन के लिए किये गये थे और इसलिए जारी रखे गए हैं तदनुसार, यह निर्धारित होता है कि वे इस लेखा मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हैं या नहीं।

- 2.7 गैर- वित्तीय मद की खरीद या बिक्री का लिखित ऑप्शन, जिसे अनुच्छेद 2.6 (क) या 2.6 (घ) के अनुसार निवल नकदी या दूसरे वित्तीय लिखत या वित्तीय लिखतों के विनिमय द्वारा निपटारा जा सकता है, इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे अनुबंध को प्रतिष्ठान के प्रत्याशित खरीद, बिक्री या उपयोग अपेक्षाओं के अनुसार गैर- वित्तीय मद की प्राप्ति या सुपूर्दगी के प्रयोजन से नहीं किया जा सकता है।

अध्याय 3 मान्यता एवं अमान्यता

3.1 प्रारंभिक मान्यता

- 3.1.1 एक प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व को अपने तुलन पत्र में तभी, और केवल तभी, मान्यता देगा जब प्रतिष्ठान लिखत का अनुबंधात्मक पक्ष (पार्टी) होता है (देखें अनुच्छेद ख 3.1.1 तथा ख 3.1.2)। प्रतिष्ठान जब पहली बार वित्तीय आस्ति को मान्यता देता है, तब यह इसका अनुच्छेद 4.1.1-4.1.5 के अनुसार वर्गीकरण करेगा और अनुच्छेद 5.1.1-5.1.3 के अनुसार उसका माप करेगा। प्रतिष्ठान जब पहले वित्तीय दायित्व को मान्यता देता है, तब यह अनुच्छेद 4.2.1 और 4.2.2 के अनुसार इसका वर्गीकरण करेगा तथा अनुच्छेद 5.1.1 के अनुसार माप करेगा।

वित्तीय आस्तियों की नियमित रूप से खरीद या बिक्री

- 3.1.2 वित्तीय आस्तियों की, *नियमित रूप से खरीद या बिक्री* को व्यापार तिथि लेखा या निपटान तिथि लेखा (देखें अनुच्छेद ख 3.1.3-ख 3.1.6) का प्रयोग करते हुए मान्यता और अमान्यता, जो भी लागू हो, दी जाएगी।

3.2 वित्तीय आस्तियों की अमान्यता

- 3.2.1 समेकित वित्तीय विवरणों में, अनुच्छेद 3.2.2-3.2.9, ख 3.1.1, ख 3.1.2 व ख 3.2.1-3.2.1 समेकित स्तर पर लागू किये जाते हैं। अतः एक प्रतिष्ठान सभी अनुषंगी प्रतिष्ठानों को भारतीय लेखा मानक 110 के अनुसरण में पहले समेकित करेगा और तब उन अनुच्छेदों को परिणत समूह पर लागू करेगा।

- 3.2.2 यह मूल्यांकन करने से पूर्ण कि क्या और किस सीमा तक अनुच्छेद 3.2.3-3.2.9 के अंतर्गत अमान्यता उचित है, एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि उन अनुच्छेद का प्रयोग वित्तीय आस्ति के एक भाग (या उसी प्रकार की वित्तीय आस्तियों के समूह के एक भाग) या एक वित्तीय आस्ति (या उसी प्रकार की वित्तीय आस्तियों के एक समूह) पर पूर्ण रूप से हो या नहीं, जैसे कि इस प्रकार दिया गया है-

- (क) अनुच्छेद 3.2.3-3.2.9 एक वित्तीय आस्ति के एक भाग (या उसी प्रकार की वित्तीय आस्तियों के समूह के एक भाग) पर लागू तब होता है, यदि, और केवल, यदि अमान्यता के लिए विचार में लिया गया भाग निम्नलिखित तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा करता हो:
- (i) यह भाग एक वित्तीय आस्ति (या उसी प्रकार की वित्तीय आस्तियों का समूह) से विशेष रूप से पहचान किए गए नकदी प्रवाह से मिलकर बना है। उदाहरण के लिए, जब प्रतिष्ठान एक ब्याज दर स्ट्राइप में प्रवेश करता (अन्तर इनट्रु) है जिसमें प्रतिपक्ष (काउन्टरपार्टी) उस ब्याज पर नकदी प्रवाहों पर तो

अधिकार प्राप्त करता है, किन्तु ऋण लिखत से मुख्य नकदी प्रवाहों पर प्राप्त नहीं करता है, तब ब्याज नकदी प्रवाहों पर अनुच्छेद 3.2.3-3.2.9 को लागू किया जाता है।

- (ii) यह भाग एक वित्तीय आस्ति (या उसी प्रकार की वित्तीय आस्तियों का समूह) से नकदी प्रवाहों का केवल पूर्ण रूप से समानुपातिक (यथानुपात) भाग होता है। उदाहरण के लिए, जब प्रतिष्ठान किसी ऐसी व्यवस्था में प्रवेश करता है जिसमें प्रतिपक्ष (काउन्टरपार्टी) ऋण लिखत के सभी नकदी प्रवाहों के 90 प्रतिशत भाग का अधिकार प्राप्त करता है, तब उन नकदी प्रवाहों के 90 प्रतिशत हिस्से पर अनुच्छेद 3.2.3-3.2.9 लागू होता है। यदि एक से अधिक प्रतिपक्ष हैं तो प्रत्येक प्रतिपक्ष के लिए यह जरूरी नहीं कि उसका नकदी प्रवाहों में समानुपात भाग हो बशर्त अन्तरण करने वाले प्रतिष्ठान के पास पूर्ण रूप से समानुपात भाग होता है।
- (iii) यह भाग वित्तीय आस्ति से होने वाले (या उसी प्रकार की वित्तीय आस्तियों का समूह) विशेष रूप से पहचाने गए नकदी प्रवाहों का केवल पूर्ण रूप से समानुपातिक भाग होता है। उदाहरण के लिए, जब प्रतिष्ठान किसी ऐसी व्यवस्था में प्रवेश करता है जिसमें प्रतिपक्ष (काउन्टर पार्टी) वित्तीय आस्ति से ब्याज नकदी प्रवाहों के 90 प्रतिशत भाग का अधिकार प्राप्त करता है तब उन ब्याज नकदी प्रवाहों के 90 प्रतिशत भाग पर अनुच्छेद 3.2.3-3.2.9 लागू होते हैं। यदि एक से अधिक प्रतिपक्ष हैं 'तो यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक प्रतिपक्ष उसका विशेष रूप से पता लगाए गए नकदी प्रवाहों में समानुपातिक भाग हो बशर्त अन्तरण करने वाले प्रतिष्ठान के पास पूर्ण समानुपातिक भाग होता है।

- (ख) अन्य सभी मामलों में अनुच्छेद 3.2.3-3.2.9 वित्तीय आस्ति पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं (या एक जैसी वित्तीय आस्तियों के समूह पर पूर्णतया लागू होते हैं)। उदाहरण के लिए, जब प्रतिष्ठान (i) एक वित्तीय आस्ति (या वित्तीय आस्तियों के समूह) से नकदी वसूली के प्रथम या अन्तिम 90 प्रतिशत तक के अधिकार या (ii) प्राप्य राशियों के समूह से नकदी प्रवाहों के 90 प्रतिशत तक के अधिकार, को अन्तरित करता है किन्तु प्राप्य राशियों के मूलधन के 8 प्रतिशत तक की किन्ही ऋण हानियों के लिए खरीदार की क्षतिपूर्ति करने की गारंटी देता है जिसमें वित्तीय आस्ति (या एक समान वित्तीय आस्तियों के समूह) पर अनुच्छेद 3.2.3-3.2.9 पूर्ण रूप से लागू होते हैं।

अनुच्छेदों 3.2.3-3.2.12 में 'वित्तीय आस्ति' शब्द या तो वित्तीय आस्ति का भाग है (या एक-जैसी वित्तीय आस्तियों के समूह का भाग), जैसा कि ऊपर (क) में दिया गया है अन्यथा, पूर्ण रूप से एक वित्तीय आस्ति (या एक जैसी आस्तियों का समूह) है।

3.2.3 एक प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति को तब अमान्य कर देगा जब, और केवल जब:

- (क) वित्तीय आस्ति से होने वाले नकदी प्रवाहों के अनुबंधात्मक अधिकार कालातीत (समाप्त) हो जाते हैं; या
 - (ख) यह वित्तीय आस्ति को अनुच्छेद 3.2.4 तथा 3.2.5 में निरूपित के अनुसार अन्तरित कर देता है और वह अन्तरण अनुच्छेद 3.2.6 के अनुसार अमान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है।
- (वित्तीय आस्तियों की नियमित रूप से बिक्री के लिए अनुच्छेद 3.1.2 देखें)।

3.2.4 एक प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति का अन्तरण तभी करता है, यदि, और केवल यदि, यह:

- (क) या तो वित्तीय आस्ति के नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अनुबंधात्मक अधिकारों का अन्तरण करता है; अथवा
- (ख) वित्तीय आस्ति के नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अनुबंधात्मक अधिकारों को प्रतिधारित करता है, किन्तु, उस एक व्यवस्था के तहत एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाहों का भुगतान करने के लिए अनुबंधात्मक बाध्यता को ग्रहण करता है, जो अनुबंध 3.2.5 में दी गई शर्तों को पूरा करता है।

3.2.5 जब प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति (मूल आस्ति) के नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अनुबंधात्मक अधिकारों को प्रतिधारित करता है, किन्तु एक या अधिक प्रतिष्ठानों (अंततः प्राप्तकर्ताओं) को उन नकदी प्रवाहों के भुगतान के अनुबंधात्मक बाध्यता को ग्रहण कर लेता है, तब प्रतिष्ठान ऐसे लेन-देन को वित्तीय आस्ति के अन्तरण के रूप में लेता है यदि, और केवल यदि, निम्नलिखित सभी तीनों शर्तें पूरी होती हों:

- (क) प्रतिष्ठान की अंततः प्राप्तकर्ताओं को राशियां अदा करने की कोई बाध्यता तबतक नहीं है जब तक कि वह मूल आस्ति से उसी के बराबर राशियां वसूल नहीं कर लेता है। प्रतिष्ठान द्वारा उधार दी गई अल्पावधि अग्रिमों की राशि तथा बाजार दरों पर उपचित ब्याज की पूरी वसूली के अधिकार से इस शर्त का उल्लंघन नहीं होता है।

- (ख) बाध्यता को पूरा करने के लिए संभावित प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाहों की अदायगी हेतु रखी गई प्रतिभूति को छोड़कर प्रतिष्ठान अन्तरण अनुबंध की शर्तों के तहत मूल आस्ति को बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित करती है।
- (ग) प्रतिष्ठान इस बात के लिए बाध्य है कि वह अंततः प्राप्तकर्ताओं की ओर से वसूल किये गये किन्हीं नकदी प्रवाहों को बिना अत्यधिक (सारवान) देरी किए भेज दे। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान इस बात के लिए हकदार नहीं है कि वह संग्रहण की तिथि से अंततः प्राप्तकर्ताओं को आवश्यक प्रेषण की तिथि तक की अल्पकालिक निपटान अवधि के दौरान, नकदी या नकदी के समतुल्य किए गए निवेशों को छोड़कर (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 7, *नकदी प्रवाहों का विवरण* में वर्णित है), ऐसे नकदी प्रवाहों का पुनर्निवेश करे तथा ऐसे किसी निवेश पर अर्जित ब्याज को भी अंततः प्राप्तकर्ताओं को भेजे।

3.2.6 प्रतिष्ठान जब वित्तीय आस्ति का अन्तरण करता है (देखें अनुच्छेद 3.2.4), तब यह उस सीमा तक मूल्यांकन करता है जिस सीमा तक वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के जोखिमों एवं प्रतिफलों को प्रतिधारित करता है। इस मामले में:

- (क) यदि प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफलों का सारभूत रूप से अन्तरण करता है, तो प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति को अमान्य कर देगा तथा अन्तरण से सृजित या धारित किन्हीं अधिकारों और बाध्यताओं को आस्तियों या दायित्वों के रूप में पृथक् से मान्यता देगा।
- (ख) यदि प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों का सारभूत रूप से धारण करता है, तो प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति को मान्यता देना जारी रखेगा।
- (ग) यदि प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफलों को सारभूत रूप से न तो अन्तरित करता है और न ही प्रतिधारित करता है, तब प्रतिष्ठान यह निर्धारण करेगा कि यह वित्तीय आस्ति का नियंत्रण प्रतिधारित किया हुआ है या नहीं। इस मामले में:
- (i) यदि प्रतिष्ठान ने नियंत्रण प्रतिधारित नहीं किया हुआ है, तो यह वित्तीय आस्ति को अमान्य कर देगा तथा अन्तरण में सृजित या धारित किन्हीं अधिकारों या बाध्यताओं को आस्तियों या दायित्वों के रूप में पृथक् से मान्यता देगा।
- (ii) यदि प्रतिष्ठान ने नियंत्रण प्रतिधारित किया हुआ है, तो यह वित्तीय आस्ति को उस सीमा तक मान्यता देना जारी रखेगा जिस सीमा तक वित्तीय आस्ति में इसकी संलिप्तता जारी रहती है (देखें अनुच्छेद 3.2.16)।

3.2.7 जोखिमों तथा प्रतिफलों के अन्तरण (देखें अनुच्छेद 3.2.6) का मूल्यांकन प्रतिष्ठान के 'एक्सपोजर' का अन्तरण से पहले और बाद अन्तरित राशि के निवल नकदी प्रवाहों की राशियों एवं समय में परिवर्तनीयता के साथ तुलना करके किया जाता है। प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को सारभूत रूप से प्रतिधारित करता है, जब अन्तरण के फलस्वरूप वित्तीय आस्ति से भावी निवल नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तनीयता के प्रति इसके 'एक्सपोजर' में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है (उदाहरणतः, चूंकि प्रतिष्ठान ने एक वित्तीय आस्ति को एक नियत कीमत या विक्रय कीमत और उधारकर्ता के प्रतिफल को मिलाकर एक समझौते के अधीन वापस खरीद लेने के लिए बेचा है।) प्रतिष्ठान ने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के अधिकांशतः सभी जोखिमों तथा प्रतिफलों को सारभूत रूप से अन्तरण कर दिया है, यदि ऐसी परिवर्तनीयता के प्रति इसके एक्सपोजर, वित्तीय आस्ति से संबंधित भावी निवल नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य में कुल परिवर्तनीयता की तुलना में, महत्वपूर्ण नहीं रहा है (जैसे कि चूंकि प्रतिष्ठान ने एक वित्तीय आस्ति को केवल इस विकल्प के अधीन बेचा है कि वह उसे पुनर्खरीद के समय इसके उचित मूल्य पर खरीद लेगा अथवा एक व्यवस्था में एक अधिक बड़ी वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाहों के पूर्ण समानुपातिक भाग को अन्तरित किया है, जैसे कि एक ऋण की उप सहभागिता, जो अनुच्छेद 32.5 की शर्तों को पूरी करती है)।

3.2.8 प्रायः यह स्पष्ट होगा कि प्रतिष्ठान ने स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफलों को सारभूत रूप से अन्तरित कर दिया है या प्रतिधारित किया हुआ है, तथा इसके लिए किसी प्रकार की संगणना की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य मामलों में, अन्तरण से पहले और बाद में, भावी निवल नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तनीयता के प्रति प्रतिष्ठान के एक्सपोजर की संगणना और तुलना करना आवश्यक होगा। संगणना तथा तुलना को एक उपयुक्त चालू-बाजार दर को बट्टागत दर का उपयोग करके की जाती है। निवल नकदी प्रवाहों में सभी समुचित रूप से संभव परिवर्तनीयता पर उन परिणामों को दिए जा रहे अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है जिनके घटित होने की अधिक संभावनाएं हैं।

- 3.2.9 क्या प्रतिष्ठान ने अन्तरित आस्ति का नियंत्रण प्रतिधारित किया है या नहीं [देखें अनुच्छेद 3.2.6 (ग)], यह अन्तरिती आस्ति को बेचने की योग्यता पर निर्भर करता है। यदि अन्तरिती एक असंबद्ध तीसरी पार्टी को अपनी पूर्ण आस्ति को बेचने की व्यावहारिक योग्यता रखता है और वह इस योग्यता का प्रयोग समान रूप से और बिना किन्हीं अतिरिक्त प्रतिबंधों के लगाए जाने की आवश्यकता के बिना प्रयोग करने के लिए योग्य है, तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिष्ठान ने नियंत्रण प्रतिधारित नहीं किया है। अन्य सभी मामलों में, प्रतिष्ठान ने नियंत्रण प्रतिधारित किया है।
- अन्तरण जो अमान्यता के लिए अर्हता रखते हैं**
- 3.2.10 यदि प्रतिष्ठान एक अन्तरण में, वित्तीय आस्ति का अन्तरित करता है जो अमान्यता के लिए पूर्णतया अर्हता रखता है तथा शुल्क के साथ वित्तीय आस्ति के प्रति सेवा देने संबंधी अधिकार को प्रतिधारित करता है, तब यह उस सेवा प्रदायी अनुबंध के लिए इसे सेवाप्रदायी आस्ति या सेवाप्रदायी दायित्व के रूप में मान्यता देगा। यदि प्राप्त होने वाले शुल्क से सेवा संबंधी कार्यनिष्पादन के लिए प्रतिष्ठान को पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति होने की संभावना नहीं है, तो सेवा प्रदायी वाध्यता के लिए सेवा देने के दायित्व को इसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाएगी। यदि सेवा देने के लिए प्राप्त होने वाले शुल्क पर्याप्त प्रतिपूर्ति से अधिक होने की संभावना है, तो सेवा प्रदायी आस्ति के अनुच्छेद 3.2.13 के अनुसार अधिक बड़ी वित्तीय आस्ति की अग्रणीत राशि के आवंटन के आधार पर निर्धारित की राशि पर सेवा देने के अधिकार के लिए मान्यता दी जाएगी।
- 3.2.11 यदि अन्तरण के परिणामस्वरूप, वित्तीय आस्ति को पूर्णरूप से अमान्यता दी जाती है किंतु अन्तरण से प्रतिष्ठान एक नई वित्तीय आस्ति प्राप्त करता है अथवा एक नया वित्तीय दायित्व या सेवा दायित्व ग्रहण करता है, तो प्रतिष्ठान नई वित्तीय आस्ति, वित्तीय दायित्व या सेवा दायित्व को उचित मूल्य पर मान्यता देगा।
- 3.2.12 वित्तीय आस्ति की संपूर्ण अमान्यता पर निम्नलिखित के बीच अन्तर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी:
- (क) अग्रणीत राशि (अमान्यता की तिथि पर मापी गयी) तथा
- (ख) प्राप्त प्रतिफल (प्राप्त की गई किसी नई आस्ति में से ग्रहण किये गये किसी नये दायित्व को घटाने के बाद की राशि सहित)।
- 3.2.13 यदि अन्तरित आस्ति वृहत्तर वित्तीय आस्ति का एक भाग है (उदाहरणार्थ, जब एक प्रतिष्ठान ब्याज नकदी प्रवाहों का अन्तरण करता है जो ऋण लिखत का एक भाग हैं, देखें, अनुच्छेद 3.2.2 क) तथा अन्तरित भाग संपूर्ण रूप में अमान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है, तो वृहत्तर वित्तीय राशि की पूर्व अग्रणीत राशि को अन्तरण की तिथि को उन भागों के संबंधित उचित मूल्य के आधार पर उस भाग जिसे मान्यता के लिए जारी रखा जाता है तथा वह भाग जो अमान्य है, के बीच आबंटित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सेवा प्रदायी प्रतिधारित आस्ति को उस भाग के रूप में माना जाएगा जो मान्यता के लिए जारी रखा जाता है। निम्नलिखित के बीच अन्तर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी:
- (क) अमान्य भाग को आबंटित अग्रणीत राशि (अमान्यता की तिथि को मापी गयी); तथा
- (ख) अमान्य भाग के लिए प्राप्त प्रतिफल की राशि (प्राप्त की गई कोई नई आस्ति में से ग्रहण किया गया कोई नया दायित्व घटाने के बाद की राशि सहित)।
- 3.2.14 जब एक प्रतिष्ठान एक वृहत्तर वित्तीय आस्ति की पूर्व अग्रणीत राशि को उस भाग जिसे मान्यता के लिए जारी रखा जाता है तथा उस भाग जो अमान्य है, इन दोनों के बीच आवंटित करता है तब मान्यता दिए जाने के लिए जारी रखे गये भागों को उचित मूल्य को मापे जाने की आवश्यकता होती है। जब प्रतिष्ठान का इतिहास मान्यता दिए जाने के लिए जारी रखे जाने वाले भाग के समान ही भागों को बेचने का रहा हो या ऐसे भागों के लिए अन्य बाजार लेन-देन विद्यमान हों, तब वास्तविक लेन-देनों की अभिनव (रिसन्ट) कीमतें इसके उचित मूल्य का सर्वोत्तम अनुमान देती हैं। उस भाग के उचित मूल्य के समर्थन के लिए, जो मान्यता दिए जाने के लिए जारी रखा जाता है, जब कोई अंकित मूल्य न हो या कोई अभिनव (रिसन्ट) बाजार लेन-देन न हों तब उचित मूल्य का सर्वोत्तम अनुमान समग्र वृहत्तर वित्तीय आस्ति का उचित मूल्य तथा अमान्य भाग के लिए अन्तरिती से प्राप्त प्रतिफल के बीच का अन्तर होता है।
- अन्तरण जो अमान्यता के लिए अर्हता नहीं प्राप्त करते**
- 3.2.15 यदि अन्तरण का परिणाम इस कारण अमान्यता में नहीं होता है कि प्रतिष्ठान ने अन्तरित आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफलों को सारभूत रूप से प्रतिधारित किया हुआ है, तो प्रतिष्ठान अपनी संपूर्ण अन्तरित आस्ति को मान्यता देना जारी रखेगा तथा प्राप्त प्रतिफल के लिए वित्तीय दायित्व को मान्यता देगा। उत्तरवर्ती अवधियों में, प्रतिष्ठान अन्तरित आस्ति पर हुई किसी आय तथा वित्तीय दायित्व पर किए गए किसी व्यय को मान्यता देगा।
- अन्तरित आस्तियों में संलिप्तता जारी रहना**

- 3.2.16 यदि प्रतिष्ठान अन्तरित आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफलों को सारभूत रूप से ना तो अन्तरित करता है और ना ही प्रतिधारित करता है तथा अन्तरित आस्ति का नियंत्रण प्रतिधारित करता है, तो प्रतिष्ठान अन्तरित आस्ति को इसकी संलिप्तता तक जारी रहने की सीमा तक मान्यता देना जारी रखता है। अन्तरित आस्ति में प्रतिष्ठान की संलिप्तता जारी रहने की सीमा वह सीमा होती है जिसमें यह अन्तरित आस्ति के मूल्य में हुए परिवर्तनों से रू-ब-रू होता है। उदाहरणार्थ:
- (क) जब प्रतिष्ठान की सतत संलिप्तता अन्तरित आस्ति की गारंटी देने का स्वरूप ग्रहण करती है, तो प्रतिष्ठान की संलिप्तता जारी रहने की सीमा (i) आस्ति की राशि तथा (ii) प्राप्त प्रतिफल की अधिकतम राशि जो प्रतिष्ठान द्वारा पुर्नभुगतान के लिए अपेक्षित हो सकती है (गारंटी राशि) इनमें से जो भी राशि कम है।
- (ख) अन्तरित आस्ति पर जब प्रतिष्ठान की संलिप्तता का जारी रहना, लिखित या खरीद विकल्प (या दोनों) का स्वरूप ग्रहण करता है, तब प्रतिष्ठान की संलिप्तता जारी रहने की सीमा उस अन्तरित आस्ति की राशि होती है जिसे प्रतिष्ठान पुनः खरीद सकता है। तथापि, आस्ति पर लिखित पुट ऑप्शन के मामले में, जिसे उचित मूल्य पर मापा जाता है, प्रतिष्ठान की संलिप्तता जारी रहने की सीमा, अन्तरित आस्ति के उचित मूल्य तथा विकल्प प्रयोग कीमत (ऑप्शन एक्सरसाईज प्राइस), इनमें से जो कम हो, तक सीमित होती है (देखें अनुच्छेद ख 3.2.13)।
- (ग) अन्तरित आस्ति पर जब प्रतिष्ठान की संलिप्तता जारी रहना नकदी-निपटान विकल्प (कैश सैटलड ऑप्शन) या इसी तरह के प्रावधान का स्वरूप ग्रहण करता है तब प्रतिष्ठान की संलिप्तता जारी रहने की सीमा का माप उसी तरीके से किया जाता है जैसेकि वह जो ऊपर (ख) में निर्दिष्ट किये गये गैर-नकदी निपटान विकल्पों (नॉन-कैश सैटलड ऑप्शन) के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है।
- 3.2.17 जब प्रतिष्ठान किसी आस्ति की मान्यता इसकी संलिप्तता जारी रहने की सीमा तक जारी रखता है, तब प्रतिष्ठान संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देता है। इस मानक में अन्य माप अपेक्षाओं के बावजूद, अन्तरित आस्ति तथा संबंधित दायित्व को उस आधार पर मापा जाता है जो प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिधारित अधिकारों तथा बाध्यताओं को प्रतिबिंबित करता है। संबंधित दायित्व को इस तरीके से मापा जाता है ताकि अन्तरित आस्ति और संबंधित दायित्व की निवल अग्रणीत राशि निम्न प्रकार हो:
- (क) प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिधारित अधिकारों तथा बाध्यताओं की परिशोधित लागत, यदि अन्तरित आस्ति का माप परिशोधित लागत पर किया जाता है; या
- (ख) प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिधारित अधिकारों एवं बाध्यताओं के उचित मूल्य के बराबर जब मापन स्वतंत्र आधार (स्टैंड अलॉन आधार) पर होता है तब अन्तरित आस्ति को उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- 3.2.18 प्रतिष्ठान अन्तरित आस्ति से उत्पन्न आय को उस सीमा तक मान्यता देना जारी रखता है जहां तक उसकी संलिप्तता जारी रहती है तथा संबंधित दायित्व पर किए गए किसी खर्च को भी मान्यता देगा।
- 3.2.19 उत्तरवर्ती माप के प्रयोजन के लिए, अन्तरित आस्ति तथा संबंधित दायित्व के उचित मूल्य में मान्य परिवर्तनों का लेखा अनुच्छेद 5.7.1 के अनुसार एक दूसरे के साथ संगत तरीके से किया जाता है तथा इनका समंजन (ऑफसेट) नहीं किया जाएगा।
- 3.2.20 यदि प्रतिष्ठान की सतत संलिप्तता वित्तीय आस्ति के केवल एक भाग तक सीमित है, (उदाहरणार्थ, जब प्रतिष्ठान अन्तरित आस्ति के भाग की पुनर्खरीद का एक विकल्प प्रतिधारित करता है, या वह एक अवशिष्ट हित प्रतिधारित करता है जिसका परिणाम स्वामित्व के सभी जोखिमों व प्रतिफलों को सारभूत रूप से प्रतिधारण करना नहीं होता है और प्रतिष्ठान नियंत्रण प्रतिधारित करता है)। तब प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति की पूर्व अग्रणीत राशि का आबंटन, उस भाग के लिए, जिसमें सतत संलिप्तता के दौरान मान्यता देना जारी रखा है और वह भाग जिसे मान्यता नहीं दी जाती है, के लिए, अन्तरण की तिथि को उन भागों के सम्बंधित उचित मूल्यों के आधार पर करता है, के बीच करता है। इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 3.2.14 की आवश्यकता लागू होती है। निम्नलिखित दोनों के बीच अन्तर को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाएगी:
- (क) उस भाग को आबंटित की गयी अग्रणीत राशि (अमान्यता की तारीख को मापी गयी) जिसको अब मान्यता प्राप्त नहीं है; तथा
- (ख) उस भाग के लिए प्राप्त प्रतिफल जिसको अब मान्यता प्राप्त नहीं है।
- 3.2.21 यदि अन्तरित आस्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, तो वित्तीय दायित्व को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट करने का इस मानक का विकल्प संबंधित दायित्व पर लागू नहीं होता है।

समस्त अन्तरण

- 3.2.22 यदि अन्तरित आस्ति मान्यता दिए जाने के लिए जारी रहती है तो आस्ति तथा संबंधित दायित्व का समंजन (ऑफसेट) नहीं होगा। इसी तरह से, प्रतिष्ठान संबंधित दायित्व पर किए गए किसी खर्च के साथ अन्तरित आस्ति से होने वाली किसी आय का भी समंजन नहीं करेगा (देखें भारतीय लेखा मानक 32 का अनुच्छेद 42)।
- 3.2.23 यदि अन्तरणकर्ता अन्तरिती को गैर-नकदी संपाश्विक प्रतिभूति देता है, (जैसेकि, ऋण या इक्विटी लिखतें) तो अन्तरणकर्ता तथा अन्तरिती द्वारा उस संपाश्विक प्रतिभूति का लेखा इस पर निर्भर करता है कि क्या अन्तरिती को उस संपाश्विक प्रतिभूति का बेचने या पुनःगिरवी रखने का अधिकार है, तथा इस पर भी निर्भर करता है कि क्या अन्तरणकर्ता ने कोई चूक की है। अन्तरणकर्ता तथा अन्तरिती संपाश्विक प्रतिभूति का लेखा इस प्रकार करेंगे:
- (क) यदि अन्तरिती को अनुबंध या प्रथानुसार संपाश्विक प्रतिभूति को बेचने या पुनः गिरवी रखने का अधिकार है तब अन्तरणकर्ता अपने तुलन पत्र में उस आस्ति का पुनर्वर्गीकरण अन्य आस्तियों से पृथक् रूप से करेगा (उदाहरणार्थ ऋण ली गई आस्ति, गिरवी रखी गयी 'इक्विटी' लिखतें या प्राप्य पुर्नखरीद राशियां)।
- (ख) यदि अन्तरिती अपने पास गिरवी रखी गयी संपाश्विक प्रतिभूति को बेचता है तो वह बिक्री से प्राप्त राशियों तथा संपाश्विक प्रतिभूति की वापसी के लिए अपनी बाध्यता को पूरा करने के लिए उचित मूल्य पर मापे गये दायित्वों को मान्यता देगा।
- (ग) यदि अन्तरणकर्ता अनुबंध की शर्तों के तहत चूक करता है तथा संपाश्विक प्रतिभूति के मोचन के लिए अब पात्र नहीं रहता है, तब यह संपाश्विक प्रतिभूति को अमान्य करेगा तथा अन्तरिती प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मापी गयी आस्ति को संपाश्विक प्रतिभूति के रूप में मान्यता देगा, या यदि उसने संपाश्विक प्रतिभूति को पहले ही बेच दिया है तो संपाश्विक प्रतिभूति का वापस करने के अपनी बाध्यता को अमान्य करेगा।
- (घ) जैसाकि (ग) में दिया गया है उसे छोड़कर, अन्तरणकर्ता संपाश्विक प्रतिभूति को अपनी आस्ति के रूप में आगे ले जाना जारी रखेगा तथा अन्तरिती उस संपाश्विक प्रतिभूति को आस्ति के रूप में मान्यता नहीं देगा।
- 3.3 वित्तीय दायित्वों की अमान्यता
- 3.3.1 प्रतिष्ठान अपने, तुलन-पत्र से वित्तीय दायित्व अथवा वित्तीय दायित्व का भाग को तब, और केवल तब, हटा देगा, जबकि वह समाप्त हो जाता है- अर्थात् जब प्रतिष्ठान अनुबंध में निर्दिष्ट बाध्यता से मुक्त हो जाता है, अथवा अनुबंध रद्द हो जाता है या वह समाप्त हो जाता है।
- 3.3.2 मौजूदा उधारकर्ता तथा ऋण लिखतों के उधारदाता के बीच सारभूत रूप से भिन्न शर्तों के साथ विनिमय हो, है तो उसका लेखा मूल वित्तीय दायित्व के समापन तथा नए वित्तीय दायित्व की मान्यता के अनुसार होगा। इसी तरह से, मौजूदा वित्तीय दायित्व की शर्तों या इसके भाग में सारभूत रूप से संशोधन (चाहे देनदार की वित्तीय कठिनाईयों से आरोप्य है या नहीं) का मूल वित्तीय दायित्व के समापन तथा नए वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में लेखा किया जाएगा।
- 3.3.3 समाप्त या दूसरी पार्टी को अन्तरित वित्तीय दायित्व (अथवा वित्तीय दायित्व का भाग) की अग्रणीत राशि तथा प्रदत्त प्रतिफल जिसमें अन्तरित कोई गैर-नकदी आस्तियां या ग्रहण किया गया दायित्व भी शामिल है, के बीच के अन्तर को लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- 3.3.4 यदि प्रतिष्ठान किसी वित्तीय दायित्व के एक भाग की पुर्नखरीद करता है, तो प्रतिष्ठान वित्तीय दायित्व की पिछली अग्रणीत राशि को उन दो भागों में, अर्थात् एक वह भाग जो मान्यता दिए जाने के लिए जारी रहता है तथा दूसरा भाग जो अमान्य होता है पर पुर्नखरीद की तिथि को उन भागों के संबंधित उचित मूल्यों के आधार पर आबंटित करेगा इन दोनों राशियों अर्थात् (क) अमान्य भाग की आबंटित अग्रणीत राशि, तथा (ख) अमान्य भाग के लिए प्रदत्त प्रतिफल, जिसमें अन्तरित कोई गैर-नकदी आस्तियों या ग्रहण किये गए दायित्व शामिल है, के बीच के अन्तर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

अध्याय 4 वर्गीकरण**4.1 वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण**

- 4.1.1 जब तक अनुच्छेद 4.1.5 का प्रयोग लागू नहीं होता है, तब तक प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण पश्चात् में परिशोधित लागत पर माप के रूप में, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य या लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य दोनों के आधार पर करेगा:

(क) वित्तीय आस्तियों का प्रबंध करने के लिए प्रतिष्ठान का व्यवसाय मॉडल; तथा

- (ख) वित्तीय आस्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशिष्टताएँ।
- 4.1.2 एक वित्तीय आस्ति को परिशोधित लागत पर तब मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती:
- (क) वित्तीय आस्ति को उस व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारण किया जाता है जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की उगाही के लिए वित्तीय आस्तियों को धारण करना है; तथा
- (ख) वित्तीय आस्ति की अनुबंधात्मक शर्तें उन नकदी प्रवाहों को निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न करती हैं जो केवल मूल धन तथा अदत्त-मूल धन पर ब्याज के भुगतान होते हैं।
- अनुच्छेद ख 4.1.1 - ख 4.1.26 यह दिशा-निर्देश देते हैं कि इन शर्तों को कैसे लागू किया जाए।
- 4.1.2 क एक वित्तीय आस्ति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर तब मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:
- (क) वित्तीय आस्ति को उस व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारण किया जाता है जिसका उद्देश्य दोनों अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की उगाही तथा वित्तीय आस्तियों की बिक्री, के द्वारा पूरा किया जाता है; तथा
- (ख) वित्तीय आस्ति की अनुबंधात्मक शर्तें उन नकदी प्रवाहों को निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न करती हैं जो केवल मूल धन पर तथा अदत्त मूलधन पर ब्याज के भुगतान होते हैं।
- अनुच्छेद ख 4.1.1 - ख 4.1.26 यह दिशा निर्देश देते हैं कि इन शर्तों को कैसे लागू किया जाए।
- 4.1.3 अनुच्छेदों 4.1.2 (ख) तथा 4.1.2 क (ख) लागू करने के प्रयोजन के लिए:
- (क) मूलधन प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय आस्ति का उचित मूल्य है। अनुच्छेद ख 4.1.7 ख मूलधन के अर्थ के संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- (ख) ब्याज में धन के समय मूल्य, किसी समयावधि के दौरान बकाया मूल धन राशि से संबद्ध ऋण जोखिमों तथा लागतों के साथ-साथ लाभ मार्जिन के लिए प्रतिफल सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद ख 4.1.7क और ख 4.1.9 ड. धन के समय मूल्य के अर्थ सहित ब्याज के अर्थ पर अतिरिक्त दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- 4.1.4 वित्तीय आस्ति को लाभ या हानि के माध्यम से तब तक उचित मूल्य पर मापा जाएगा जबतक यह अनुच्छेद 4.1.2 के अनुसार परिशोधित लागत पर या अनुच्छेद 4.2.1क के अनुसार अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है। तथापि प्रतिष्ठान इक्विटी लिखतों में किन्हीं खास निवेशों के लिए प्रारंभिक मान्यता पर अविकल्पी चयन कर सकता है जो अन्यथा अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में उत्तरवर्ती परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता (देखें अनुच्छेद 5.7.5-5.7.6)।
- वित्तीय आस्ति को लाभ या हानि के माध्यम से नामोऽष्ट करने का विकल्प
- 4.1.5 अनुच्छेद 4.1.1-4.1.4 के बावजूद प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति को प्रारंभिक मान्यता पर अविकल्पी रूप से ऐसे नामोऽष्ट कर सकता है जैसाकि लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि यह माप या मान्यता असंगति (कभी-कभी बेमेल लेखा के रूप में उल्लिखित) को दूर करता है या महत्वपूर्ण रूप से कम करता है जो कि अन्यथा भिन्न-भिन्न आधारों पर आस्तियों या दायित्वों को मापने या उन पर लाभों (गेन्ज) अथवा हानियों को मान्यता देने से उत्पन्न होती (देखें, अनुच्छेद ख 4.1.29-ख 4.1.32)।
- 4.2 वित्तीय दायित्वों का वर्गीकरण
- 4.2.1 प्रतिष्ठान निम्नलिखित को छोड़कर, सभी वित्तीय दायित्वों का वर्गीकरण, पश्चात में (उत्तरवर्ती) परिशोधित लागत पर मापे गये के रूप में करता है:
- (क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्व। ऐसे दायित्वों को, जिनमें व्युत्पन्न (डैरीवेटिव) जो दायित्व हैं भी सम्मिलित हैं, उत्तरवर्ती उचित मूल्य पर मापा जाएगा।
- (ख) वित्तीय दायित्व तब उत्पन्न होते हैं जब वित्तीय आस्ति का अन्तरण अमान्यता के लिए अर्हक नहीं होता है या जब सतत् संलिप्तता दृष्टिकोण लागू होता है। अनुच्छेदों 3.2.15 तथा 3.2.17 का प्रयोग ऐसे वित्तीय दायित्वों को मापने के लिए लागू होते हैं।
- (ग) वित्तीय गारंटी अनुबंध। प्रारंभिक मान्यता के बाद ऐसे अनुबंध का जारीकर्ता इसे उत्तरवर्ती निम्नलिखित में, जो उच्चतर है, पर मापेगा [जबतक अनुच्छेद 4.2.1 (क) या (ख) लागू नहीं होते हैं]:
- (i) खंड 5.5 के अनुसार निर्धारित हानि भत्ता की राशि; तथा

- (ii) प्रारंभ में मान्य राशि (देखें अनुच्छेद 5.1.1) में से, जब उपयुक्त हो, भारतीय लेख मानक 115 के सिद्धान्तों के अनुसार मान्य आय की संचयी राशि घटाकर ।
- (घ) बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण देने की वचनबद्धता । ऐसी वचनबद्धता का जारीकर्ता निम्नलिखित में से जो उच्चतर है उस पर इसे बाद में उत्तरवर्ती मापेगा (जब तक अनुच्छेद 4.2.1(क) लागू नहीं होता है):
- (i) खंड 5.5 के अनुसार निर्धारित हानि भत्ता की राशि; तथा
- (ii) प्रारंभिक मान्य राशि (देखें अनुच्छेद 5.1.1) में से, जब उपयुक्त हो, भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धान्तों के अनुसार मान्य आय की संचयी राशि घटाकर ।
- (ङ.) व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्य आकस्मिक प्रतिफल जिस पर भारतीय लेखा मानक 103 लागू होता है। ऐसे आकस्मिक प्रतिफल को बाद में परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर लाभ या हानि में मापा जाएगा।

लाभ या हानि के उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्व को नामोद्दिष्ट करने का विकल्प

4.2.2 एक प्रतिष्ठान वित्तीय दायित्व को प्रारंभिक मान्यता पर अविकल्पी रूप से ऐसे नामोद्दिष्ट कर सकता है जैसाकि अनुच्छेद 4.3.5 की अनुमति पर लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है या ऐसा करने के परिणामस्वरूप अधिक प्रासंगिक उपयुक्त सूचना उपलब्ध होती है, क्योंकि:

- (क) या तो माप या मान्यता की असंगति को (कभी-कभी इसे बेमेल लेखा भी कहा जाता है) दूर करता है या महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है जो अन्यथा भिन्न-भिन्न आधारों पर आस्तियों या दायित्वों को मापने अथवा उन पर लाभों (गेन्ज) या हानियों को मान्यता देने से उत्पन्न होती है (देखें अनुच्छेद ख 4.1.29-ख 4.1.32); अथवा
- (ख) वित्तीय दायित्वों या वित्तीय आस्तियों का समूह और वित्तीय दायित्वों का प्रबंध किया जाता है तथा इसके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन (डोक्युमेन्टिड रिस्क, मैनेजमेंट) या निवेश रणनीति (इन्वेस्टमेंट स्टैटर्जी) के अनुसार उचित मूल्य पर किया जाता है और उस आधार पर प्रतिष्ठान के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 24, *संबंधित पक्ष के सम्बंध में प्रकटन* में परिभाषित है) को आंतरिक रूप से समूह के बारे में सूचना दी जाती है, उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान का निदेशक मंडल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (देखें अनुच्छेद ख 4.1.33-ख 4.1.36)।

4.3 सन्निहित व्युत्पन्न (डैरीवेटिव)

4.3.1 एक सन्निहित व्युत्पन्न एक मिश्रित अनुबंध का घटक होता है जिसमें गैर-व्युत्पन्न मूल (होस्ट) इस प्रभाव के साथ सम्मिलित होता है कि संयोजित लिखत के कुछ नकदी प्रवाह इस तरीके से भिन्न होते हैं जिस तरीके से स्वतंत्र व्युत्पन्न होते हैं। एक सन्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाहों को पैदा करता है जो अन्यथा, निर्दिष्ट ब्याज दर, वित्तीय लिखत कीमत, वस्तु कीमत, विदेशी विनिमय दर, कीमत (मूल्य) या दरों का सूचकांक साख रेटिंग या ऋण सूचकांक या अन्य परिवर्तनशील कारक दरों बशर्ते कि गैर-वित्तीय परिवर्तनशील कारक के मामले में परिवर्तनशील कारक अनुबंध के किसी पक्ष के लिए विशिष्ट नहीं है, के अनुसार एक अनुबंध को संशोधित किए जाने के लिए उस अनुबंध द्वारा अपेक्षित होते। एक व्युत्पन्न जो वित्तीय लिखत से जुड़ा है किंतु अनुबंधात्मक रूप से वह लिखत से स्वतंत्र रूप से अन्तरणीय है या उसका भिन्न प्रतिपक्ष है, वह सन्निहित व्युत्पन्न नहीं होता है किंतु एक पृथक वित्तीय लिखत है।

वित्तीय आस्ति मूल (होस्ट) के साथ मिश्रित अनुबंध

4.3.2 यदि मिश्रित अनुबंध में एक मूल (होस्ट) समाहित है जो इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत एक आस्ति है, तो प्रतिष्ठान संपूर्ण मिश्रित अनुबंध में अनुच्छेद 4.1.1-4.1.5 में दी गई अपेक्षाओं को लागू करेगा ।

अन्य मिश्रित अनुबंध

4.3.3 यदि मिश्रित अनुबंध में एक मूल (होस्ट) समाहित है जो इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आस्ति नहीं है तो सन्निहित व्युत्पन्न को मूल (होस्ट) से अलग कर दिया जाएगा तथा इस मानक के अंतर्गत उसका लेखा व्युत्पन्न के रूप में किया जाएगा, यदि और केवल, यदि

- (क) सन्निहित व्युत्पन्न की आर्थिक विशिष्टताएं तथा जोखिम मूल (होस्ट) की आर्थिक विशिष्टताओं तथा जोखिमों के साथ निकटवर्ती संबंध नहीं रखते हैं (देखें अनुच्छेद ख 4.3.5-ख 4.3.8);
- (ख) एक समान शर्तों सहित पृथक लिखत जैसाकि एक सन्निहित व्युत्पन्न, व्युत्पन्न की परिभाषा को पूरा करेगा; तथा

- (ग) मिश्रित अनुबंध को, लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों के साथ, उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है (अर्थात् एक व्युत्पन्न जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्व में सन्निहित है, को अलग नहीं किया जाता है)।
- 4.3.4 यदि सन्निहित व्युत्पन्न को अलग किया जाता है तो मूल (होस्ट) अनुबंध का लेखा उपयुक्त मानकों के अनुसार किया जाएगा। यह मानक इस बात पर चर्चा नहीं करता है कि सन्निहित व्युत्पन्न तुलन-पत्र में अलग-से प्रस्तुत किया जाएगा या नहीं।
- 4.3.5 अनुच्छेद 4.3.3 तथा 4.3.4 के बावजूद, यदि अनुबंध में एक या एक से अधिक सन्निहित व्युत्पन्न समाहित हैं तथा इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मूल (होस्ट) एक आस्ति नहीं है तो प्रतिष्ठान संपूर्ण मिश्रित अनुबंध को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में तबतक नामोद्दिष्ट कर सकता है जबतक कि:
- (क) सन्निहित व्युत्पन्न नकदी प्रवाहों को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित नहीं करता (करते) है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा अपेक्षित होंगे; अथवा
- (ख) कुछ या बिना किसी विश्लेषण के यह स्पष्ट है कि जब एक समान मिश्रित लिखत पर पहले इस तरह से ध्यान दिया गया है कि सन्निहित व्युत्पन्न (व्युत्पन्न) को पृथक करने पर रोक लगी हुई है, जैसेकि, एक ऋण में सन्निहित पूर्व भुगतान विकल्प, जो धारक को लगभग इसकी परिशोधित लागत पर ऋण के पूर्व भुगतान की अनुमति देता है।
- 4.3.6 यदि इस मानक द्वारा प्रतिष्ठान से अपेक्षा की गई है कि वह सन्निहित व्युत्पन्न को इसके मूल (होस्ट) से पृथक करें किंतु वह अधिग्रहण पर या उत्तरवर्ती वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सन्निहित व्युत्पन्न का पृथक रूप से माप करने में सक्षम नहीं है, तो यह संपूर्ण मिश्रित अनुबंध को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में नामोद्दिष्ट करेगा।
- 4.3.7 यदि प्रतिष्ठान अपनी शर्तों व निबंधनों पर सन्निहित व्युत्पन्न के उचित मूल्य का विश्वसनीय माप करने में असक्षम है तो सन्निहित व्युत्पन्न का उचित मूल्य मिश्रित अनुबंध के उचित मूल्य तथा मूल (होस्ट) के उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है। प्रतिष्ठान यदि इस विधि का प्रयोग करके उचित मूल्य का माप नहीं करने में अयोग्य है तो अनुच्छेद 4.3.6 लागू होता है तथा मिश्रित अनुबंध को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है।
- 4.4 पुनर्वर्गीकरण
- 4.4.1 जब, और केवल जब, प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों का प्रबंध करने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करता है तो वह अनुच्छेद 4.1.2 - 4.1.4 के अनुसार सभी प्रभावित वित्तीय आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण करेगा। वित्तीय आस्तियों के पुनर्वर्गीकरण करने के संबंध में, अतिरिक्त दिशा निर्देशों के लिए अनुच्छेद 5.6.1-5.6.7, ख 4.4.1-ख 4.4.3 तथा ख 5.6.1-5.6.2 देखें।
- 4.4.2 प्रतिष्ठान किसी भी वित्तीय दायित्व का पुनर्वर्गीकरण नहीं करेगा।
- 4.4.3 अनुच्छेद 4.4.1-4.4.2 के प्रयोजनों के लिए परिस्थितियों में निम्नलिखित परिवर्तन का पुनर्वर्गीकरण नहीं है:
- (क) एक मद जो पूर्व में नकदी प्रवाह हेज या निवल निवेश हेज में नामोद्दिष्ट तथा प्रभावी हेज लिखत थी अब उसी रूप में अर्हक नहीं है;
- (ख) एक मद जो नकदी प्रवाह हेज या निवल निवेश हेज में नामोद्दिष्ट तथा प्रभावी हेज लिखत बन जाती है; तथा
- (ग) खंड 6.7 के अनुसार माप में परिवर्तन।

अध्याय 5 माप

- 5.1 प्रारंभिक माप
- 5.1.1 प्रारंभिक मान्यता पर, अनुच्छेद 5.1.3 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्राप्य व्यापार राशियों को छोड़कर, प्रतिष्ठान, ऐसे मामले में जब वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं है, वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व का इसके उचित मूल्य में से उन लेन-देन लागतों का मूल्य जमा या घटाकर माप करेगा जो वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व के अधिग्रहण या निर्गम करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं।
- 5.1.1क तथापि, यदि प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व का उचित मूल्य लेन-देन की कीमत से भिन्न है तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख 5.1.2 क को लागू करेगा।

- 5.1.2 जब एक प्रतिष्ठान आस्ति के लेखे के लिए निपटान तिथि का प्रयोग करता है जिसे पश्चात् (उत्तरवर्ती) में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, तब आस्ति को व्यापार तिथि को इसके उचित मूल्य पर प्रारम्भ में मान्यता दी जाती है (देखें अनुच्छेद ख 3.1.3-ख 3.1.6) ।
- 5.1.3 अनुच्छेद 5.1.1 में की गई अपेक्षा के बावजूद, प्रारंभिक मान्यता पर, प्रतिष्ठान व्यापार से प्राप्य राशियों को उनके लेन-देन की कीमत पर मापेगा (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 115 में परिभाषित है)। यदि व्यापार की प्राप्य राशि में भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसरण में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं है (या प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 63 के अनुसरण में वह व्यवहारिक उपाय के रूप में लागू करता है)।
- 5.2 वित्तीय आस्तियों का उत्तरवर्ती माप
- 5.2.1 प्रारंभिक मान्यता के पश्चात् प्रतिष्ठान अनुच्छेद 4.1.1-4.1.5 के अनुसार निम्नलिखित पर वित्तीय आस्ति का माप करेगा:
- (क) परिशोधित लागत;
- (ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य; अथवा
- (ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य ।
- 5.2.2 प्रतिष्ठान उन वित्तीय आस्तियों पर खंड 5.5 में निर्दिष्ट क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं को लागू करेगा जिन्हें अनुच्छेद 4.1.2 के अनुसार परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा वे वित्तीय आस्तियां जिन्हें अनुच्छेद 4.1.2 के अनुसार अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- 5.2.3 एक प्रतिष्ठान हेजड मद के रूप में नामोद्दिष्ट एक वित्तीय आस्ति के लिए अनुच्छेद 6.5.8-6.5.14 में दी गई हेज लेखा अपेक्षाओं को लागू करेगा ।
- 5.3 वित्तीय दायित्वों का उत्तरवर्ती माप
- 5.3.1 प्रारंभिक मान्यता के पश्चात् प्रतिष्ठान अनुच्छेद 4.2.1-4.2.2 के अनुसार वित्तीय दायित्व का माप करेगा।
- 5.3.2 एक प्रतिष्ठान हेजड मद के रूप में नामोद्दिष्ट एक वित्तीय दायित्व के लिए अनुच्छेद 6.5.8-6.5.14 में दी गई हेज लेखा अपेक्षाओं को लागू करेगा ।
- 5.4 परिशोधित लागत माप
- वित्तीय आस्तियां
- प्रभावी ब्याज विधि
- 5.4.1 ब्याज राजस्व की गणना 'प्रभावी ब्याज विधि' का प्रयोग करके की जाएगी (देखें परिशिष्ट क तथा अनुच्छेद ख 5.4.1-ख 5.4.7)। निम्नलिखित को छोड़कर, 'वित्तीय आस्ति की सकल अग्रणीत राशि' पर 'प्रभावी ब्याज दर' को लागू करके गणना की जाएगी:
- (क) खरीदी गई या पैदा की गई ऋण-क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियां । उन वित्तीय आस्तियों के लिए प्रतिष्ठान प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय आस्ति की परिशोधित लागत पर से ऋण-समायोजित प्रभावी ब्याज दर को लागू करेगा ।
- (ख) वे वित्तीय आस्तियां जो खरीदी गई या पैदा की गई ऋण-क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियां नहीं हैं किंतु बाद में ऋण-क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियां हो जाती हैं, उन वित्तीय आस्तियों के लिए प्रतिष्ठान उत्तरवर्ती रिपोर्टिंग अवधि में वित्तीय आस्ति की परिशोधित लागत पर प्रभावी ब्याज दर लागू करेगा।
- 5.4.2 एक प्रतिष्ठान जो रिपोर्टिंग अवधि में ब्याज राजस्व की गणना अनुच्छेद 5.4.1 (ख) के अनुसार वित्तीय आस्ति की परिशोधित लागत पर प्रभावी ब्याज विधि को लागू करके करता है, वह उत्तरवर्ती रिपोर्टिंग अवधियों में सकल अग्रणीत राशि पर प्रभावी ब्याज दर को लागू करके ब्याज राजस्व की गणना करेगा, बशर्ते वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम में सुधार होता है जिससे वित्तीय आस्ति अब ऋण-क्षतिग्रस्त नहीं रहती है और सुधार को अनुच्छेद 5.4.1 ख की अपेक्षाओं को लागू करने के बाद घटित होने वाली घटना से वस्तुनिष्ठ रूप से संबद्ध किया जा सकता है, (जैसेकि ऋणी की साख रेटिंग में सुधार)।
- अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संशोधन
- 5.4.3 जब वित्तीय आस्ति के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह पुनर्परिष्कृत या संशोधित किए जाते हैं तथा पुनर्परिष्करण या संशोधन का परिणाम इस मानक के अनुसार उस वित्तीय आस्ति की अमान्यता में नहीं होता है तब प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति की सकल अग्रणीत राशि की पुनर्गणना करेगा और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि को मान्यता देगा। आस्ति की सकल

अग्रणीत राशि की पुनर्गणना, पुनर्परिक्रमित या संशोधित अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों, जो वित्तीय आस्ति की मूल प्रभावी ब्याज दर पर बट्टागत किए गए हैं, के वर्तमान मूल्य, के रूप में की जाती है (या खरीदी गई अथवा प्रोदमूल ऋण-क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियों के लिए ऋण-समायोजित प्रभावी ब्याज दर पर) या, जब भी लागू हो, अनुच्छेद 6.5.10 के अनुसार संशोधित प्रभावी ब्याज दर की गणना करके बट्टागत किया जाता है। उपगत की गयीं किन्हीं लागतों या शुल्क को संशोधित वित्तीय आस्ति की अग्रणीत राशि में समायोजित किया जाता है तथा संशोधित वित्तीय आस्ति की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

बट्टे खाते डालना (राइट - आफ)

5.4.4 प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति की सकल अग्रणीत राशि को तब सीधे ही कम कर देगा जब प्रतिष्ठान को वित्तीय आस्ति संपूर्ण रूप से या उसके एक भाग को पुनः प्राप्त करने की कोई तर्कसंगत प्रत्याशाएं नहीं होती है। बट्टे-खाते डालना एक अमान्यता की घटना का ही संगठन होता है [अनुच्छेद ख 3.2.16 (द) देखें]।

5.5 क्षतिग्रस्तता

प्रत्याशित ऋण हानियों की मान्यता

सामान्य दृष्टिकोण (पद्धति)

5.5.1 प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति जिसे अनुच्छेद 4.1.2 या 4.1.2 क के अनुसार मापा जाता है, पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ते को मान्यता देगा तथा पट्टा से प्राप्य राशि, अनुबंध आस्ति या ऋण वचनबद्धता और वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन पर अनुच्छेद 2.1 (छ), 4.2.1 (ग) या 4.2.1 (घ) के अनुसार क्षतिग्रस्तता अपेक्षाएं लागू होती हैं, को मान्यता देगा।

5.5.2 एक प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों, जिन्हें अनुच्छेद 4.1.2 क के अनुसार अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, के लिए हानि रियायत की मान्यता एवं माप के लिए क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं को लागू करेगा तथापि, हानि रियायत को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाएगी तथा तुलन-पत्र यह वित्तीय आस्ति की अग्रणीत राशि को कम नहीं करेगा।

5.5.3 अनुच्छेद 5.5.13-5.5.16 के अधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर प्रतिष्ठान वित्तीय लिखत के लिए हानि रियायत को उस राशि पर मापेगा जो *आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों* की राशि के बराबर हो, यदि उस वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम में प्रारंभिक मान्यता से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

5.5.4 क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं का उद्देश्य सभी वित्तीय लिखतों, के लिए आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों को मान्यता देना है, जिनके लिए प्रारंभिक मान्यता से अबतक ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है- चाहे उनका निर्धारण, एकल या सामूहिक आधार पर और तर्कसंगत एवं सहायक सूचना पर विचार करके, किया गया हो। इनमें वे भी शामिल हैं जो प्रगतिशील (आगे आने वाले समय के लिए) हैं।

5.5.5 अनुच्छेद 5.5.13-5.5.16 के अधीन यदि रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम प्रारंभिक मान्यता से अबतक महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ा है तो प्रतिष्ठान उस वित्तीय लिखत के लिए हानि रियायत की उस राशि पर मापेगा जो *12 महीने की प्रत्याशित ऋण हानियों* की राशि के बराबर होगी।

5.5.6 ऋण वचनबद्धताओं तथा वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए प्रतिष्ठान जिस तिथि को अविकल्पी वचनबद्धता के लिए एक पक्ष (पार्टी) हो जाता है, को क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं को लागू करने के उद्देश्यों के लिए को प्रारंभिक मान्यता की तिथि माना जाएगा।

5.5.7 यदि प्रतिष्ठान ने पूर्व रिपोर्टिंग अवधि में आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों के बराबर राशि पर वित्तीय लिखत के लिए हानि रियायत को मापा है, किंतु वर्तमान रिपोर्टिंग की तिथि को यह निर्धारित करता है कि अनुच्छेद 5.5.3 को अब पूरा नहीं करना है तो प्रतिष्ठान वर्तमान रिपोर्टिंग तिथि पर 12-महीने की प्रत्याशित ऋण हानियों के बराबर राशि पर हानि रियायत को मापेगा।

5.5.8 प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्तता लाभ या हानि के रूप में प्रत्याशित ऋण हानि अथवा उलटाव की राशि को लाभ या हानि में मान्यता देगा जो उस राशि को रिपोर्टिंग तिथि पर हानि रियायत को उस राशि में समायोजित करने के लिए अपेक्षित है और जिसे इस मानक के अनुसार मान्यता दिया जाना अपेक्षित है।

ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धियों का निर्धारण

5.5.9 प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या प्रारंभिक मान्यता से लेकर अबतक वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जब यह निर्धारित किया जाता है, तब प्रतिष्ठान प्रत्याशित ऋण हानियों की राशि में हुए परिवर्तन की बजाय वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवन पर घटित होने वाली चूक के जोखिम में हुए परिवर्तन का प्रयोग करेगा। उस निर्धारण के लिए प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय लिखत पर घटित होने वाली चूक के जोखिम की तुलना प्रारंभिक मान्यता की तिथि को वित्तीय लिखत पर घटित होने वाली चूक के जोखिम के साथ की जाएगी तथा तर्कसंगत और सहायक सूचना पर विचार किया जाएगा, जो किसी अधिक लागत तथा प्रयास के बिना उपलब्ध है तथा जो प्रारंभिक मान्यता से लेकर अबतक ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है।

- 5.5.10 प्रतिष्ठान यह मान सकता है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम में अब तक कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है यदि रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय लिखत में कम ऋण जोखिम का होना निर्धारित है, (देखें अनुच्छेद ख 5.5.22-ख 5.5.24)।
- 5.5.11 यदि तर्कसंगत और सहायक प्रगतिशील सूचना किसी अधिक लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, तो प्रतिष्ठान यह निर्धारण करते समय कि प्रारंभिक मान्यता से लेकर अबतक ऋण जोखिम में आगे दिलाने वाली महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, केवल गत यथोचित सूचना पर विश्वास नहीं कर सकता है। तथापि, जब गत यथोचित सूचना स्थिति की तुलना में वह सूचना जो अधिक प्रगतिशील सूचना है (या तो एकल या सामूहिक आधार पर) अधिक लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध नहीं है तब प्रतिष्ठान गत यथोचित सूचना यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग कर सकता है कि प्रारंभिक मान्यता से लेकर अबतक ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण करने के तरीके पर ध्यान दिये बिना है, एक खंडन योग्य अवधारणा यह होती है कि आस्ति पर ऋण जोखिम में प्रारंभिक मान्यता से लेकर अबतक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जब अनुबंधनात्मक भुगतान पिछले 30 दिनों से अधिक से देय हो चुके हैं। प्रतिष्ठान उस अवधारणा का खंडन तभी कर सकता है यदि प्रतिष्ठान के पास तर्कसंगत एवं सहायक सूचना उपलब्ध होती है जो अधिक लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध होती है तथा प्रदर्शित करती है कि ऋण जोखिम में प्रारंभिक मान्यता से लेकर अबतक महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, यद्यपि अनुबंधनात्मक भुगतान पिछले 30 दिनों से अधिक से देय हो चुके हैं। प्रतिष्ठान जब यह निर्धारण करता है कि अनुबंधनात्मक भुगतानों के 30 दिनों से अधिक से देय होने से पहले ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो चुकी है तो वहाँ खंडन योग्य अवधारणा लागू नहीं होती है।

संशोधित वित्तीय आस्तियां

- 5.5.12 यदि वित्तीय आस्ति पर अनुबंधनात्मक नकदी प्रवाह पुनर्परिष्कारित या संशोधित किए गए हैं तथा वित्तीय आस्ति को अमान्य नहीं किया गया था तो प्रतिष्ठान निम्नलिखित की तुलना करके यह निर्धारित करेगा कि अनुच्छेद 5.5.3 के अनुसार वित्तीय लिखत के ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं:

- (क) रिपोर्टिंग तिथि पर घटित होने वाली चूक का जोखिम (संशोधित अनुबंधनात्मक शर्तों पर आधारित); तथा
(ख) प्रारंभिक मान्यता पर घटित होने वाली चूक का जोखिम (मूल, असंशोधित अनुबंधनात्मक शर्तों पर आधारित)।

खरीदी गई अथवा पैदा हुई ऋण-क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियां

- 5.5.13 अनुच्छेद 5.5.3 तथा 5.5.5 के बावजूद, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रतिष्ठान प्रारंभिक मान्यता से आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों केहुए केवल संचयी परिवर्तनों को खरीदी गई या पैदा हुई ऋण-क्षतिग्रस्तता वित्तीय आस्तियों के लिए हानि रियायत के रूप में मान्यता देगा।

- 5.5.14 प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक प्रतिष्ठान आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों में हुए परिवर्तन की राशि को क्षतिग्रस्तता लाभ (गेन) या हानि के रूप में लाभ (प्रॉफिट) या हानि में मान्यता देगा। प्रतिष्ठान आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों में हुए अनुकूल परिवर्तनों को क्षतिग्रस्तता लाभ (गेन) के रूप में मान्यता देगा, भले ही आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियां प्रत्याशित ऋण हानियों की राशि की तुलना में कम हैं और जिन्हें प्रारंभिक मान्यता पर अनुमानित नकदी प्रवाहों में सम्मिलित किया गया था।

व्यापार से प्राप्य राशियाँ, अनुबंध-आस्तियां तथा पट्टे से प्राप्य राशियों के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण (पद्धति)

- 5.5.15 अनुच्छेद 5.5.3 तथा 5.5.5 के बावजूद एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित के लिए हानि रियायत को सदैव आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों के बराबर राशि पर मापेगा:

- (क) व्यापार से प्राप्य राशियां या अनुबंध आस्तियां, जिसका जो भारतीय लेखा मानक 115 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लेने-देने के परिणामस्वरूप हैं, तथा :
- (i) भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक समाविष्ट नहीं हैं (या जब प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 63 के लिए व्यावहारिक उपाय का प्रयोग करता है) ; अथवा
- (ii) भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक समाविष्ट हैं, यदि प्रतिष्ठान आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों की बराबर राशि पर हानि रियायत को मापने को अपनी लेखा नीति के रूप में चयन करता है। वह लेखा नीति सभी व्यापार से प्राप्य राशियों या अनुबंध आस्तियों पर लागू होगी किंतु वह व्यापार प्राप्य राशियों तथा अनुबंध आस्तियों के लिए पृथक से लागू हो सकती है।
- (ख) पट्टे पर प्राप्य राशियां जो उन लेन-देनों के परिणामस्वरूप होती हैं जो भारतीय लेखा मानक 17 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, यदि प्रतिष्ठान आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों की बराबर राशि पर हानि रियायत को मापने

को अपनी लेखा नीति के रूप में चयन करता है। वह लेखा नीति पट्टे से प्राप्य सभी राशियों पर लागू होगी किंतु वह वित्तीय तथा परिचालन पट्टा प्राप्य राशियों के लिए पृथक से लागू हो सकती है।

- 5.5.16 एक प्रतिष्ठान व्यापार से प्राप्य राशियों, पट्टा से प्राप्य राशियों तथा अनुबंध आस्तियों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपनी लेखा नीति का चयन कर सकता है।

प्रत्याशित ऋण हानियों का माप

- 5.5.17 प्रतिष्ठान वित्तीय लिखत की प्रत्याशित ऋण हानियों का इस तरीके से माप करेगा जो निम्नलिखित को प्रतिबिंबित करती है:

(क) पक्षपात रहित तथा संभाव्यता भारित राशि जो संभावित परिणामों की सीमा के मूल्यांकन द्वारा निर्धारित होती है;

(ख) धन का समय मूल्य; तथा

(ग) पिछली घटनाओं, वर्तमान स्थितियों तथा भावी आर्थिक स्थितियों के पूर्वानुमानों के बारे में तर्कसंगत एवं सहायक सूचना जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिक लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध होती है।

- 5.5.18 जब प्रत्याशित ऋण हानियों का माप किया जाता है, तो प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक संभावित परिदृश्य (सिनारियो) का पता लगाये। तथापि, यह उस जोखिम या संभाव्यता पर विचार करेगा कि एक ऋण हानि होती है यह संभावना प्रतिबिंबित करेगा कि ऋण हानि होती है और ऋण हानि नहीं होती है बेशक होने वाली ऋण हानि की संभावना बहुत कम क्यों न हो।

- 5.5.19 जब प्रत्याशित ऋण हानियों का माप किया जाता है, तब यह विचार करने के लिए अधिकतम अवधि अधिकतम अनुबंधात्मक अवधि होती है (विस्तार विकल्प सहित) जिसमें प्रतिष्ठान ऋण जोखिम के लिए रू-ब-रू (एकसपोज) होता है, न कि कोई दीर्घ अवधि है, भले ही वह दीर्घ अवधि व्यवसायिक प्रथा के अनुरूप हो।

- 5.5.20 तथापि, कुछ वित्तीय लिखतों में ऋण तथा अनहरित वचनबद्धता घटक दोनों ही सम्मिलित होते हैं तथा प्रतिष्ठान की पुर्नभुगतान मांगने तथा अनहरित वचनबद्धता को रद्द करने की अनुबंधात्मक क्षमता प्रतिष्ठान को अनुबंधात्मक नोटिस अवधि की हानियों के प्रति रू-ब-रू एक्सपोजन होने तक सीमित नहीं है। ऐसी वित्तीय लिखतों, और केवल उन वित्तीय लिखतों के लिए, प्रतिष्ठान उस अवधि के दौरान प्रत्याशित ऋण हानियों का माप करेगा जिस पर प्रतिष्ठान ऋण जोखिम के प्रति रू-ब-रू है तथा प्रत्याशित ऋण हानियां ऋण जोखिम प्रबंधन के कार्यों (अक्शनस) से कम नहीं होगी, भले ही, वह अवधि अधिकतम अनुबंधात्मक अवधि से आगे बढ़ जाती है।

5.6 वित्तीय आस्तियों का पुर्नवर्गीकरण

- 5.6.1 यदि एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 4.4.1 के अनुसार वित्तीय आस्तियों का पुर्नवर्गीकरण करता है, तो यह पुर्नवर्गीकरण को आगे की तिथि पुर्नवर्गीकरण की तिथि से लागू करेगा। प्रतिष्ठान किन्ही पूर्ववर्ती मान्य लाभो (गेन्ज), हानियों (क्षतिग्रस्तता लाभों (गेन्ज), या हानियों सहित) या ब्याज का पुनर्कथन नहीं करेगा। अनुच्छेद 5.6.2-5.6.7 पुर्नवर्गीकरणों की अपेक्षाओं का निरूपण करते हैं।

- 5.6.2 यदि एक प्रतिष्ठान परिशोधित लागत माप श्रेणी से बाहर निकाल कर तथा लाभ या हानि माप श्रेणी के माध्यम से उचित मूल्य में वित्तीय आस्ति का पुनर्वर्गीकरण करता है तो इसके पुनर्वर्गीकरण की तिथि को उचित मूल्य का माप किया जाता है। वित्तीय आस्ति की पूर्व में परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के बीच अन्तर से उत्पन्न किसी लाभ (गेन) या हानि को लाभ (प्रॉफिट) या हानि में मान्यता दी जाती है।

- 5.6.3 यदि एक प्रतिष्ठान लाभ या हानि माप श्रेणी के माध्यम से उचित मूल्य से बाहर निकाल कर तथा परिशोधित लागत माप श्रेणी में वित्तीय आस्ति का पुनर्वर्गीकरण करता है तो पुनर्वर्गीकरण की तिथि को इसका उचित मूल्य इसकी नई सकल अग्रणीत राशि बन जाती है। (पुनर्वर्गीकरण की तिथि को प्रभावी ब्याज तथा लाभ हानि रियायत के निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देश के लिए अनुच्छेद ख 5.6.2 देखें)।

- 5.6.4 यदि एक प्रतिष्ठान परिशोधित लागत माप श्रेणी से बाहर निकालकर तथा अन्य व्यापक आय माप श्रेणी के माध्यम से उचित मूल्य में वित्तीय आस्ति का पुनर्वर्गीकरण करता है तो इसका उचित मूल्य पुनर्वर्गीकरण की तिथि को मापा जाता है। वित्तीय आस्ति की पूर्व परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के बीच अन्तर से उत्पन्न किसी लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर तथा प्रत्याशित ऋण हानियों के माप पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप समायोजित नहीं होते हैं (देखे अनुच्छेद ख 5.6.1)।

- 5.6.5 यदि एक प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय माप श्रेणी के माध्यम से उचित मूल्य से बाहर निकाल कर तथा परिशोधित लागत माप श्रेणी में वित्तीय आस्ति का पुनर्वर्गीकृत करता है तो वित्तीय आस्ति को पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य पर पुनर्गठित किया जाता है। तथापि, अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्य संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से हटा दिया जाता है तथा पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य के प्रति समायोजित किया जाता है। परिणामतः वित्तीय आस्ति को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर इस तरह से मापा जाता है मानों यह हमेशा परिशोधित लागत पर मापी जाती रही हो। यह समयोजन अन्य व्यापक आय को प्रभावित करता है किंतु लाभ या हानि को प्रभावित नहीं करता है। अतएव यह पुनर्वर्गीकरण समायोजन नहीं होता है (देखें भारतीय लेखा मानक 1, *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण*)। प्रभावी ब्याज दर तथा प्रत्याशित ऋण हानियों को पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप समायोजित नहीं किया जाता है (देखें अनुच्छेद ख 5.6.1)।
- 5.6.6 यदि एक प्रतिष्ठान लाभ या हानि माप श्रेणी के माध्यम से उचित मूल्य से बाहर निकालकर तथा अन्य व्यापक आय माप श्रेणी के माध्यम से उचित मूल्य में वित्तीय आस्ति का पुनर्वर्गीकरण करता है, तो वित्तीय आस्ति का उचित मूल्य पर मापा जाना जारी रहता है (पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर प्रभावी ब्याज दर तथा हानि रियायत निर्धारण संबंधी दिशा निर्देश के लिए अनुच्छेद ख 5.6.2 को देखें)।
- 5.6.7 यदि एक प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय माप श्रेणी के माध्यम से उचित मूल्य से बाहर निकालकर तथा लाभ या हानि माप श्रेणी के माध्यम से उचित मूल्य में वित्तीय आस्ति का पुनर्वर्गीकरण करता है, तो वित्तीय आस्ति का उचित मूल्य पर मापा जाना जारी रहता है। अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्य संचयी लाभ (गेन) या हानि को पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर इक्विटी से निकाल कर लाभ (प्रॉफिट) या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है (देखें भारतीय लेखा मानक 1)।
- 5.7 लाभ (गेन) तथा हानि
- 5.7.1 वित्तीय आस्ति तथा वित्तीय दायित्व जिसे उचित मूल्य पर मापा जाता है, पर लाभ (गेन) या हानि को, लाभ (प्रॉफिट) या हानि में तबतक मान्यता दी जाएगी, जबतक कि:
- (क) यह हेजिंग संबंध का भाग होता है। (देखें अनुच्छेद 6.5.8-6.5.14)
 - (ख) यह 'इक्विटी' लिखत में एक निवेश है तथा प्रतिष्ठान ने अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसार अन्य व्यापक आय में उस निवेश पर हुए लाभों (गेन) तथा हानियों को प्रस्तुत करने के लिए चयन किया है;
 - (ग) यह लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट वित्तीय दायित्व है तथा प्रतिष्ठान द्वारा अनुच्छेद 5.7.7 के अनुसार अन्य व्यापक आय में दायित्व के ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों के प्रभावों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है; अथवा
 - (घ) यह अनुच्छेद 4.1.2क के अनुसार अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्ति है तथा प्रतिष्ठान से अपेक्षा है कि वह अनुच्छेद 5.7.10 के अनुसार अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में किए गए कुछ परिवर्तनों को मान्यता दे।
- 5.7.1क लाभांशों को लाभ या हानि में केवल तभी मान्यता दी जाती है जब:
- (क) लाभांश का भुगतान प्राप्त करने का प्रतिष्ठान का अधिकार स्थापित हो जाता है;
 - (ख) इस बात की संभावना है कि लाभांश से संबंधित आर्थिक लाभ (फायदे) प्रतिष्ठान को प्राप्त होंगे; तथा
 - (ग) लाभांश की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है।
- 5.7.2 एक वित्तीय आस्ति जिसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है, और जो हेज संबंध का भाग नहीं होता है पर लाभ (गेन) या हानि (देखें अनुच्छेद 6.5.8-6.5.14)। को तब लाभ (प्रॉफिट) या हानि में मान्यता दी जाएगी जब वित्तीय आस्ति को अमान्य कर दिया जाता है, अनुच्छेद 5.6.2 के अनुसार परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से या क्षतिग्रस्तता लाभों या हानियों को मान्यता देने के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। प्रतिष्ठान अनुच्छेद 5.6.2 तथा 5.6.4 को तब लागू करेगा यदि यह परिशोधित लागत माप श्रेणी में से वित्तीय आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण करता है। वित्तीय दायित्व जिसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जो हेजिंग संबंध का भाग नहीं है, पर लाभ (गेन) या हानि को (ब्याज दर जोखिम के पोर्टफोलियों प्रतिरक्षा के उचित मूल्य हेज लेखा के लिए (अनुच्छेद 6.5.8-6.5.14) लाभ (प्रॉफिट) या हानि में तब मान्यता दी जाएगी जब वित्तीय आस्ति को परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से अमान्य कर दिया जाता है (विदेशी विनिमय लाभों) या हानियों के संबंध में दिशा-निर्देश के लिए अनुच्छेद ख 5.7.2 देखें)।

- 5.7.3 वित्तीय आस्तियों या वित्तीय दायित्वों पर लाभ (गेन) या हानि को, जो हेज संबंध में हेजड मर्दे होती है, को अनुच्छेद 6.5.8-6.5.14 के लिए अनुसार मान्यता दी जाएगी।
- 5.7.4 यदि प्रतिष्ठान निपटान तिथि लेखा का प्रयोग करके वित्तीय आस्तियों को मान्यता देता है (देखें अनुच्छेद 3.1.2, ख 3.1.3 तथा ख 3.1.6) तो व्यापार की तिथि तथा निपटान की तिथि के बीच की अवधि के दौरान प्राप्त होने वाली आस्ति के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन को परिशोधित लागत पर मापी गई आस्तियों के लिए मान्यता नहीं दी जाती है। तथापि, उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियों के लिए उचित मूल्य में हुए परिवर्तन को लाभ या हानि में या अन्य व्यापक आय में जैसा उपयुक्त हो, अनुच्छेद 5.7.1 के अनुसार मान्यता दी जाएगी। व्यापार की तिथि को क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं को लागू करने के उद्देश्यों के लिए प्रारंभिक मान्यता की तिथि माना जाएगा।
- ‘इक्विटी’ लिखतों के निवेश
- 5.7.5 प्रारंभिक मान्यता पर, प्रतिष्ठान इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत इक्विटी लिखतें, न तो व्यापार के लिए धारित आस्ति होती है और न व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्य आकस्मिक प्रतिफल होता है जिस पर भारतीय लेखा मानक 103 लागू होता है, में निवेश के उचित मूल्य में हुए उत्तरवर्ती परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए अविकल्पी चयन कर सकता है (विदेशी विनिमय लाभों (गेन्ज) या हानियों के संबंध में दिशा-निर्देश के लिए अनुच्छेद ख 5.7.3 देखें)।
- 5.7.6 यदि प्रतिष्ठान अनुच्छेद 5.7.5 में चयन करता है तो यह अनुच्छेद 5.7.1क के अनुसार उस निवेश से प्राप्त लाभों को लाभ या हानि में मान्यता देगा।
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट दायित्व
- 5.7.7 प्रतिष्ठान वित्तीय दायित्व, पर लाभ या हानि को प्रस्तुत करेगा, जो अनुच्छेद 4.2.2 या अनुच्छेद 4.3.5 के अनुसार लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निम्न प्रकार से नामोद्दिष्ट किया जाता है:-
- (क) वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन की राशि को, जो उस दायित्व के ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों से आरोप्य है, अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत किया जाएगा (देखें अनुच्छेद ख 5.7.13-ख 5.7.20); तथा
- (ख) दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की शेष राशि को लाभ या हानि में प्रस्तुत किया जाएगा।
- जबतक (क) में वर्णित दायित्व के ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों के प्रभावों का व्यवहार लाभ या हानि में बेमेल लेखे को सृजित करे या बढ़ा दे (जिस मामले में अनुच्छेद 5.7.8 लागू होता है) अनुच्छेद ख 5.7.8-ख 5.7.7 तथा ख 5.7.10-5.7.12 यह निर्धारण करने के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान करता है कि क्या बेमेल लेखा सृजन होगा अथवा यह बढ़ा हुआ होगा।
- 5.7.8 यदि अनुच्छेद 5.7.7 की अपेक्षाओं को लाभ या हानि में लेखांकन बेमेल को सृजित करेगा या बढ़ायेगी, तो प्रतिष्ठान दायित्व पर सभी लाभों (गेन्ज) या हानियों उस लाभ (प्रोफिट) या हानि में प्रस्तुत करेगा (उस दायित्व के ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों के प्रभाव सहित है)।
- 5.7.9 अनुच्छेद 5.7.7 तथा 5.7.8 में दी गई अपेक्षाओं के बावजूद, प्रतिष्ठान ऋण वचनबद्धताओं तथा वित्तीय गारन्टी अनुबंधों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट है, पर सभी लाभों (गेन्ज) या हानियों को लाभ या हानि में प्रस्तुत करेगा।
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियां
- 5.7.10 अनुच्छेद 4.1.2क के अनुसार, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्ति पर लाभ या हानि को, क्षतिग्रस्तता लाभों या हानियों (देखें भाग 5.5) तथा विदेशी विनिमय लाभों या हानियों (देखें अनुच्छेद ख 5.7.2-ख 5.7.2क) को छोड़कर, अन्य व्यापक आय में तब मान्यता दी जाएगी जब तक कि वित्तीय आस्ति को अमान्य या पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है। जब वित्तीय आस्ति को अमान्य किया जाता है तब अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्य संचयी लाभ (गेन) या हानि को पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में इक्विटी से निकाल कर लाभ (प्रोफिट) या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है (भारतीय लेखा मानक 1 देखें)। यदि वित्तीय आस्ति को अन्य व्यापक आय माप श्रेणी के माध्यम से उचित मूल्य से बाहर निकालकर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है तो प्रतिष्ठान उस संचयी लाभ या हानि का लेखा करेगा, जिसे अनुच्छेद 5.6.5 तथा 5.6.7 के अनुसार अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्यता दी गई थी। प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करके संगणित ब्याज को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।
- 5.7.11 जैसाकि अनुच्छेद 5.7.10 में वर्णित है, यदि वित्तीय आस्ति को अनुच्छेद 4.1.2क के अनुसार अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है तो वे राशियां जिन्हें लाभ या हानि में मान्यता दी जाती हैं उन्ही राशियों के समान होती हैं जिन्हें लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है यदि वित्तीय आस्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

अध्याय 6 हेज लेखा**6.1 हेज लेखा का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र**

- 6.1.1 हेज लेखा का उद्देश्य वित्तीय विवरणों में प्रतिष्ठान की जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के प्रभाव को प्रस्तुत करना है जो किन्हीं विशेष जोखिमों से उत्पन्न एक्सपोजरों के प्रबंधन को संभालने के लिए वित्तीय लिखतों का प्रयोग करते हैं जो लाभ या हानि को प्रभावित कर सकता है (या इक्विटी लिखतों में निवेशों के मामले में अन्य व्यापक आय जिसके लिए प्रतिष्ठान ने अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसार अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए चयन किया है)। इस दृष्टिकोण (पद्धति) का ध्येय हेज लिखतों के संदर्भ को सूचित करना है जिसके लिए हेज लेखा को उनके प्रयोजन एवं प्रभाव के परिज्ञान (निरीक्षण) की अनुमति देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
- 6.1.2 प्रतिष्ठान अनुच्छेद 6.2.1-6.3.7 तथा ख 6.2.1-6.3.25 के अनुसार हेज लिखत तथा हेज मद के बीच हेजिंग संबंध को नामोद्दिष्ट करने के लिए चयन कर सकता है। हेज संबंध जो अर्हकारी मानदण्ड को पूरा करते हैं के लिए, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 6.5.1-6.5.14 तथा ख 6.5.1-6.5.28 के अनुसार हेज लिखत तथा हेज मद पर होने वाले लाभ (गेन) या हानि का लेखा करेगा। जब हेज मद कई मदों का एक समूह होती है, तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 6.6.1-6.6.6 तथा ख 6.6.1-ख 6.6.16 में दी गई अतिरिक्त अपेक्षाओं का पालन करेगा।
- 6.1.3 [देखें परिशिष्ट 1]

6.2 हेजिंग लिखत**अर्हक लिखतें**

- 6.2.1 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गये व्युत्पन्न को, कुछ लिखित विकल्पों (ऑप्शन) को छोड़कर, हेजिंग लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट किया जा सकता है (देखें अनुच्छेद ख 6.2.4)।
- 6.2.2 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयी गैर-व्युत्पन्न आस्ति या गैर-व्युत्पन्न दायित्व को हेज लिखत के रूप में तब नामोद्दिष्ट किया जा सकता है जब यह लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट वित्तीय दायित्व नहीं है जिसके लिए उचित मूल्य में परिवर्तन की राशि, जो उस दायित्व के ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों से आरोप्य है, जिसे अनुच्छेद 5.7.7 के अनुसार अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत किया जाता है। विदेशी मुद्रा जोखिम के हेज के लिए गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्ति या गैर-व्युत्पन्न वित्तीय दायित्व के विदेशी मुद्रा जोखिम घटक को हेज लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट किया जा सकता है बशर्ते यह निवेश इक्विटी लिखत में निवेश नहीं हो जिसके लिए प्रतिष्ठान ने अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसार अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए चयन किया है।
- 6.2.3 हेज लेखा के प्रयोजन के लिए, रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से बाहर के पक्ष (पार्टी) (जैसेकि उस समूह या अकेले प्रतिष्ठान के बाहर, जिसकी रिपोर्टिंग हो रही है) के साथ किए गए अनुबंधों को हेज लिखतों के रूप में नामोद्दिष्ट किया जा सकता है।
- हेजिंग लिखतों को नामोद्दिष्ट करना**
- 6.2.4 एक अर्हक लिखत को एक हेजिंग लिखत के रूप में पूर्ण रूप से अवश्य नामोद्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसमें केवल निम्नलिखित अपवादों की अनुमति दी गई है:
- (क) एक आप्शन अनुबंध के अन्तर्निहित मूल्य तथा समय मूल्य को अलग-अलग करना तथा आप्शन के केवल अन्तर्निहित मूल्य में परिवर्तन के हेज लिखत को नामोद्दिष्ट करना और कि इसके समय मूल्य में परिवर्तन को (देखें अनुच्छेद 6.5.15 तथा ख 6.5.29-ख 6.5.33);
 - (ख) एक फॉरवर्ड अनुबंध के फॉरवर्ड तत्व तथा स्पॉट तत्व को अलग करना तथा हेज लिखत के रूप में केवल फॉरवर्ड अनुबंध के स्पॉट तत्व के मूल्य में परिवर्तन को नामोद्दिष्ट करना न कि फॉरवर्ड तत्व में परिवर्तन को इसी तरह से, विदेशी मुद्रा आधार के फैलाव हेज लिखत के रूप में वित्तीय लिखत के नामोद्देशन से अलग किया जा सकता है (देखें अनुच्छेद 6.5.16 तथा ख 6.5.34-ख 6.5.39); तथा
 - (ग) समस्त हेज लिखत का अनुपात, जैसे कि नाममात्र राशि के 50 प्रतिशत को हेजिंग संबंध में हेजिंग लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट की जा सकता है। तथापि, हेजिंग लिखत को उचित मूल्य में हुए इसके परिवर्तन के भाग के लिए नामोद्दिष्ट नहीं किया जा सकता है जो उस समय अवधि के एक भाग के परिणामस्वरूप होता है जिसके दौरान हेजिंग लिखत अदत्त रहती है।

6.2.5 एक प्रतिष्ठान संयोजन पर विचार कर सकता है और संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किसी के संयोजन को हेजिंग लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट कर सकता है (उन परिस्थितियों समेत जिनमें कुछ हेजिंग लिखतों से उत्पन्न जोखिम या जोखिमों को अन्य से उत्पन्न जोखिमों का उन जोखिमों से समंजित (ऑफसेट) किया जाता है जो किसी अन्य पर उत्पन्न होते हैं):

(i) व्युत्पन्न या उनका यथानुपात; एवं

(ii) गैर-व्युत्पन्न या उनका यथानुपात ।

6.2.6 तथापि, वह व्युत्पन्न लिखत, जो लिखित ऑप्शन तथा खरीद ऑप्शन (उदाहरण के लिए ब्याज दर कॉलर) का संयोजन करती है, हेजिंग लिखत के रूप में अर्हक नहीं होती है यदि यह नामोद्दिष्ट किये जाने की तिथि को वस्तुतः निवल लिखित ऑप्शन है (जब तक यह अनुच्छेद ख 6.2.4 के अनुसार अर्हक नहीं होती है)। इसी तरह से, दो या अधिक लिखतें हेजिंग लिखतों के रूप में केवल तभी संयुक्त रूप से नामोद्दिष्ट की जा सकती हैं, यदि संयोजन में वे वस्तुतः नामोद्दिष्ट की तिथि को निवल लिखित ऑप्शन नहीं होती हैं (जबतक कि यह ऑप्शन अनुच्छेद ख 6.2.4 के अनुसार अर्हक नहीं होता है)।

6.3 हेजड मदें

अर्हक मदें

6.3.1 एक हेजड मद मान्य आस्ति या दायित्व, एक गैर-मान्य पक्की वचनबद्धता, पूर्वानुमानित लेन-देन या विदेशी परिचालन में एक निवल निवेश हो सकती है। हेजड मद निम्नलिखित हो सकती है:

(क) एक एकल मद; अथवा

(ख) मदों का समूह (अनुच्छेद 6.6.1-6.6.6 तथा ख 6.6.1-ख 6.6.16 के अधीन) ।

एक हेजड मद ऐसी एक मद या मदों के समूह का घटक भी हो सकती है (देखें अनुच्छेद 6.3.7 तथा ख 6.3.25) ।

6.3.2 हेजड मद विश्वसनीय रूप से मापने योग्य होनी चाहिए ।

6.3.3 यदि हेजड मद पूर्वानुमानित लेन-देन है (या उसका घटक है) तो वह लेन-देन निश्चित रूप से अत्यधिक संभाव्य होना चाहिए।

6.3.4 एक एकीकृत एक्सपोजर जो एक एक्सपोजर जो अनुच्छेद 6.3.1 के अनुसार हेजड मद के रूप में अर्हक हो सकता है तथा व्युत्पन्न हेजड मद के रूप में नामोद्दिष्ट हो सकता है का संयोजन है (देखें अनुच्छेद ख 6.3.3-ख 6.3.4)। इसमें एकीकृत एक्सपोजर का पूर्वानुमानित लेन-देन सम्मिलित है (अर्थात् वे अवचनबद्ध किंतु प्रत्याशित भावी लेन-देन जो एक एक्सपोजर तथा व्युत्पन्न को उत्पन्न करेगा) यदि वह एक्सपोजर अत्यधिक संभाव्य है, और यह एक बार घटित हो जाता है और, इसलिए, यह कोई पूर्वानुमान नहीं है, तो वह एक हेजड मद के लिए पात्र है।

6.3.5 हेज लेखा के प्रयोजनों के लिए केवल आस्तियों, दायित्वों, पक्की वचनबद्धताओं या रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से बाहर के पक्ष (पार्टी) के साथ किए जाने वाले अत्यधिक संभाव्य पूर्वानुमानित लेन-देनों को हेजड मदों के रूप में नामोद्दिष्ट किया जा सकता है। हेज लेखा एक जैसे समूह के प्रतिष्ठानों के बीच हुए लेन-देनों में व्यक्तिगत या पृथक वित्तीय विवरणों में लागू किया जा सकता है, और समूह के वित्तीय विवरणों पर यह लागू नहीं होता, निवेश करने वाला प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को छोड़कर जो कि भारतीय लेखा मानक 110 में परिभाषित है जहाँ निवेश करने वाला प्रतिष्ठान तथा इसके अनुषंगी प्रतिष्ठानों के बीच लेन-देनों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, उन्हें समेकित वित्तीय विवरणों से हटाया नहीं जाता ।

6.3.6 तथापि, अनुच्छेद 6.3.5 के अपवाद के रूप में, अन्तर्समूह मौद्रिक मद के विदेशी मुद्रा जोखिम (उदाहरण के लिए दो अनुषंगी प्रतिष्ठानों के बीच देय/प्राप्य) समेकित वित्तीय विवरणों में हेजड मद के रूप में अर्हक हो सकता है यदि इसका परिणाम विदेशी विनिमय दर लाभों या हानियों के प्रति एक्सपोजर के रूप में होता है जो भारतीय लेखा मानक 21 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव के अनुसार समेकन पर से पूरी तरह हटाये नहीं जाते हैं। भारतीय लेखा मानक 21 के अनुसार, अन्तर्त समूह मौद्रिक मदों पर विदेशी विनिमय दर लाभों या हानियों को समेकन पर तब पूरी तरह हटाया नहीं जाता है जब प्रतिष्ठानों के समूह दो प्रतिष्ठानों के बीच अन्तर्त समूह मौद्रिक मद का लेन-देन किया जाता है जिनके कार्यात्मक मुद्राएं भिन्न-भिन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक संभाव्य पूर्वानुमान अन्तर्त समूह लेन-देन का विदेशी मुद्रा जोखिम समेकित वित्तीय विवरणों में हेजड मद के रूप में अर्हक हो सकता है बशर्ते उस लेन-देन में शामिल होने वाले प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा से किसी भिन्न मुद्रा में लेन-देन मूल्यवर्णित (डिनोमिनेटेड) होता है तथा विदेशी मुद्रा जोखिम समेकित लाभ या हानि को प्रभावित करेगा।

हेजड मदों को नामोद्दिष्ट करना

6.3.7 एक प्रतिष्ठान एक मद को संपूर्ण रूप में या उसके एक घटक को हेजिंग सम्बन्ध में हेजड मद के रूप में नामोद्दिष्ट कर सकता है। एक संपूर्ण मद, मद के नकदी प्रवाहों या उचित मूल्य में हुए सभी परिवर्तन से मिलकर बनता है। एक घटक में, उचित मूल्य में हुए समस्त परिवर्तन या मद की परिवर्तनीयता के नकदी प्रवाह से कम परिवर्तन सम्मिलित होता है। उस मामले में, प्रतिष्ठान केवल निम्न प्रकार के घटकों को (संयोजनों सहित) हेजड मदों के रूप में नामोद्दिष्ट कर सकता है:

- (क) किसी विशिष्ट जोखिम या जोखिमों (जोखिम घटक) से सम्बन्धित मद के केवल नकदी प्रवाहों या उचित मूल्य में परिवर्तन बशर्ते जब किसी विशेष बाजार संरचना के संदर्भ के अंतर्गत किए गए निर्धारण पर आधारित हो, कि जोखिम घटक पृथक् रूप से पहचान योग्य तथा विश्वसनीय रूप से माप योग्य होता है (देखें अनुच्छेद ख 6.3.8-ख 6.3.15)। जोखिम घटकों में एक निश्चित कीमत या अन्य परिवर्तनकारी कारक (एक एकतरफा जोखिम) से ऊपर या नीचे हेजड मद के केवल नकदी प्रवाहों या उचित मूल्य में परिवर्तनों के नामोद्देशन सम्मिलित होते हैं।
- (ख) एक या अधिक चयनित अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह ।
- (ग) नाममात्र (नोमिनल) राशि के घटक अर्थात् एक मद की राशि का एक विशिष्ट भाग (देखें अनुच्छेद ख 6.3.16-ख 6.3.20)।

6.4 हेज लेखा के लिए अर्हक मानदंड

6.4.1 एक हेज संबंध हेज लेखा के लिए केवल तभी अर्हक होता है यदि निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं:

- (क) हेजिंग संबंध में केवल योग्य हेजिंग लिखतें तथा योग्य हेजड मदें होती हैं।
- (ख) हेजिंग संबंध के प्रारंभ में, हेजिंग संबंध तथा प्रतिष्ठान के जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं हेज करने के लिए रणनीति का औपचारिक नामोद्देशन व प्रलेखन शामिल होता है। इस प्रलेखन में, हेज लिखत की पहचान, हेजड मद, हेज किये जाने वाले जोखिम की प्रकृति तथा प्रतिष्ठान कैसे निर्धारण करेगा कि हेजिंग संबंध हेज की प्रभावशीलता अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं, शामिल होते हैं (हेज प्रभावहीनता के स्रोतों का विश्लेषण तथा यह कैसे हेज अनुपात को निर्धारित करता है, सहित) ।
- (ग) हेज संबंध निम्नलिखित सभी हेज प्रभावशालीता अपेक्षाओं को पूरा करता है:
 - (i) हेजड मद तथा हेजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध है (देखें अनुच्छेद ख 6.4.4-ख 6.4.6);
 - (ii) ऋण जोखिम का, प्रभाव मूल्य परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है, जो आर्थिक संबंध का परिणाम है (देखें, अनुच्छेद ख 6.4.7-ख 6.4.8);
 - (iii) हेजिंग संबंध का हेज अनुपात वैसा ही होता है जैसा वह हेजड मद की मात्रा के परिणाम से मिलता है जिसका प्रतिष्ठान वस्तुतः हेज करता है तथा हेज लिखत की मात्रा जिसका प्रतिष्ठान वस्तुतः हेजड मद को उस मात्रा की हेज के लिए प्रयोग करता है। तथापि, वह नामोद्देशन हेजड मद तथा हेज लिखत के भारण, जो हेज अप्रभावशीलता (चाहे वह मान्य है या नहीं, इस पर विचार किए बिना) का सृजन करेगा, के भारण के बीच असंतुलन को प्रतिबिंबित नहीं करेगा, जिसका परिणाम एक ऐसा लेखा हो सकता है, जो हेज लेखा के प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगा (देखें अनुच्छेद ख 6.4.9-ख 6.4.11)।

6.5 अर्हक हेजिंग सम्बन्धों का लेखा

6.5.1 एक प्रतिष्ठान उन हेजिंग संबंधों के लिए उस हेज लेखा को लागू करता है, जो अनुच्छेद 6.4.1 में दिये गये अर्हक मानदंडों को पूरा करता है (जिसमें प्रतिष्ठान के हेजिंग संबंध को नामोद्दिष्ट करने का निर्णय सम्मिलित है)।

6.5.2 हेजिंग संबंध तीन प्रकार के होते हैं :

- (क) उचित मूल्य हेज मान्य आस्ति या दायित्व अथवा अमान्य पक्की वचनबद्धता या फिर ऐसी किसी मद के घटक हेज जो किसी विशेष जोखिम से संबंधित है तथा लाभ या हानि को प्रभावित कर सकता है, के उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के प्रति एक्सपोजर के लिए ।
- (ख) नकदी प्रवाह हैज, एक मान्य आस्ति या दायित्व के सभी या एक घटक से सम्बद्ध किसी विशेष जोखिम से आरोप्य नकदी प्रवाहों में परिवर्तनशीलता के प्रति एक्सपोजर का हेज (जैसे सभी या परिवर्तन दर योग्य ऋण पर कुछ भावी ब्याज भुगतानों) या अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित लेन-देन का हेज है, जो लाभ या हानि को प्रभावित कर सकता है ।
- (ग) भारतीय लेखा मानक 21 में यथा परिभाषित विदेशी परिचालन में निवल निवेश का हेज ।

- 6.5.3 यदि हेजड मद एक इक्विटी लिखत है जिसके लिए प्रतिष्ठान ने अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसार अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए चयन किया है तो अनुच्छेद 6.5.2 (क) में उल्लिखित हेजड एक्सपोजर एक ऐसा एक्सपोजर ऐसा होना ही चाहिए जो अन्य व्यापक आय को प्रभावित कर सकता है। वैसे मामले में, और केवल वैसे ही मामलों में, मान्य हेज अप्रभावशीलता को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत किया जाता है।
- 6.5.4 एक पक्की वचनबद्धता के विदेशी मुद्रा जोखिम की हेज को उचित मूल्य हेज या नकदी प्रवाह हेज के रूप में लेखा किया जा सकता है।
- 6.5.5 यदि एक हेजिंग संबंध हेज अनुपात से संबंधित हेज प्रभावशीलता अपेक्षा को पूरा करना बंद कर देता है (देखें अनुच्छेद 6.4.1(ग) (iii)) किंतु उस नामोद्दिष्ट हेज संबंध के लिए जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य वही रहता है तो प्रतिष्ठान हेज संबंध के हेज अनुपात को ऐसे समायोजित करेगा जिससे कि वह अर्हक मानदंड को पुनः पूरा करे (इस मानक में पुनः संतुलन के रूप में उल्लिखित किया गया है - देखें अनुच्छेद ख 6.5.7-ख 6.5.21)।
- 6.5.6 एक प्रतिष्ठान हेज लेखा को आगे के लिए केवल तभी बंद करेगा जब हेजिंग संबंध (अथवा हेजिंग संबंध का एक भाग) अर्हक मानदंड को पूरा करना बंद कर देता है (हेजिंग संबंध के किसी पुनर्संतुलन पर विचार करने के पश्चात, यदि लागू हो)। इसमें ऐसे दृष्टांत सम्मिलित हैं जब हेज लिखत कालातीत (समाप्त) हो जाती है अथवा बेच दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है या उसका उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रयोजन के लिए यदि एक हेज लिखत को दूसरी हेज लिखत में प्रतिस्थापित या राल ऑवर करना कालातीत होना या समाप्त कर देना नहीं है बशर्ते ऐसा प्रतिस्थापन या राल ऑवर प्रतिष्ठान के प्रलेखीकृत जोखिम उद्देश्य का भाग है और उसके अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन के लिए, हेज लिखत कालातीत या समाप्त नहीं होता है यदि:
- (क) कानूनों या अधिनियमों के फलस्वरूप अथवा कानूनों या अधिनियमों को लागू करने पर, हेज लिखत के पक्ष इस बात के लिए सहमत होते हैं कि एक या अधिक निकासी प्रति पक्ष प्रत्येक पक्ष को नया प्रतिपक्ष होने के लिए अपने मूल प्रति पक्ष को बदल देते हैं इस प्रयोजन के लिए एक निकासी प्रतिपक्ष एक केन्द्रीय प्रतिपक्ष है (कभी-कभी, जिसे, 'निकासी संगठन' या 'निकासी एजेंसी' भी कहते हैं) अथवा एक प्रतिष्ठान या एक से अधिक प्रतिष्ठान होते हैं उदाहरणार्थ, निकासी संगठन का निकासी सदस्य या निकासी संगठन के निकासी सदस्य का ग्राहक, जो केन्द्रीय प्रति पक्ष द्वारा निकासी को कार्यन्वित प्रभावी करने के क्रम में प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहा है। तथापि, जब हेज लिखत के पक्ष भिन्न-भिन्न प्रति पक्षों के साथ अपने मूल प्रति पक्षों को बदल देते हैं, तब इस उप-अनुच्छेद की अपेक्षा केवल तभी पूरी होती है जब उन पक्षों में प्रत्येक पक्ष उसी केन्द्रीय पक्ष के साथ निकासी को कार्यन्वित करते/प्रभाव डालते हैं।
- (ख) हेज लिखत में अन्य परिवर्तन, यदि कोई हों, उन्हीं तक सीमित हैं जो पक्ष के ऐसे प्रतिस्थापन (बदलाव) को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हैं। ऐसे परिवर्तन उस प्रतिस्थापन तक सीमित हैं जो शर्तों के अनुरूप हैं जो तब प्रत्याशित होते यदि हेज लिखत की निकासी प्रति पक्ष के साथ निकासी की गयी होती। इन परिवर्तनों में संपार्श्विक अपेक्षाओं, प्राप्य राशियों तथा देय शेषों के समंजन अधिकार और लगाये गये प्रभारों में परिवर्तन शामिल हैं।
- हेज लेखा बंद करने से या तो हेजिंग संबंध पूर्ण रूप से प्रभावित हो सकता है या इसको केवल एक भाग प्रभावित हो सकता है (जिस मामले में हेज लेखा हेजिंग संबंध के शेष भाग के लिए जारी रहता है)।
- 6.5.7 एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को लागू करेगा :
- (क) अनुच्छेद 6.5.10 पर लागू होगा, जब यह उचित मूल्य हेज, के लिए हेज लेखा को बंद कर देगा, जिसमें हेजड मद परिशोधित लागत पर मापा गया वित्तीय लिखत होता है (या उसका एक घटक होता है); तथा
- (ख) अनुच्छेद 6.5.12 को लागू करेगा, जब यह नकदी प्रवाह हेजों के लिए हेज लेखा को बंद कर देता है।
- उचित मूल्य हेज**
- 6.5.8 जब तक उचित मूल्य हेज अनुच्छेद 6.4.1 में दिए गए अर्हता मानदंड को पूरा करता है तब तक हेजिंग संबंध का लेखा इस प्रकार किया जाएगा :
- (क) हेजिंग लिखत पर लाभ (गेन) या हानि को लाभ (प्रॉफिट) या हानि (या अन्य व्यापक आय में, यदि हेज लिखत इक्विटी लिखत की हेजिंग करता है जिसके लिए प्रतिष्ठान में अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसार अन्य व्यापक आय के उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए चयन किया है) में मान्यता दी जाएगी।

- (ख) हेजड मद पर हेज लाभ (गेन) या हानि हेजड (यदि लागू की हो तो) की अग्रणीत राशि को समायोजित करेगा तथा लाभ (प्रॉफिट) या हानि में मान्य होगा। यदि हेजड मद एक वित्तीय आस्ति (या उसका एक घटक) है जो अनुच्छेद 4.1.2 (क) के अनुसार अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती है तो हेजड मद पर हेज लाभ (गेन) या हानि को लाभ (प्रॉफिट) या हानि में मान्यता दी जाएगी। तथापि, यदि हेजड मद एक इक्विटी लिखत है जिसके लिए प्रतिष्ठान ने अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसार अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए चयन किया है तो वे राशियाँ अन्य व्यापक आय में रहेगी। जब एक हेजड मद एक अमान्य पक्की वचनबद्धता (या उसका एक घटक) होती है तब इसके नामोदेशन के पश्चात् हेजड मद के उचित मूल्य में हुए संचयी परिवर्तन को एक आस्ति या एक दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके साथ ही तदनुरूपी लाभ (गेन) या हानि को लाभ (प्रॉफिट) या हानि में मान्यता दी जाती है।
- 6.5.9 जब किसी आस्ति का अधिग्रहण करने या दायित्व को ग्रहण करने के लिए उचित मूल्य हेज में एक हेजड मद एक पक्की वचनबद्धता (या उसका घटक) है तो आस्ति या दायित्व की प्रारंभिक अग्रणीत राशि को, जो प्रतिष्ठान के पक्का वचनबद्धता की पूर्ति के परिणामस्वरूप है, हेज मद के उचित मूल्य में हुए संचयी परिवर्तन को शामिल करने के लिए, समायोजित किया जाता है जिसे तुलन-पत्र में मान्यता दी गई थी।
- 6.5.10 अनुच्छेद 6.5.8 (ख) से उत्पन्न किसी भी समायोजन को लाभ या हानि में परिशोधित किया जाएगा यदि हेजड मद परिशोधित लागत पर मापी गयी एक वित्तीय लिखत (या उसका एक घटक) है जैसे ही समायोजन होता है परिशोधन शुरू हो सकता है लेकिन यह उसके बाद शुरू नहीं होगा जब हेजड मद लाभों या हानियों के लिए समायोजित होने के लिए बंद हो जाती है। परिशोधन उस तिथि को पुनर्गणित प्रभावी ब्याज दर पर आधारित होता है जिस तिथि पर वह परिशोधन शुरू होता है। वित्तीय आस्ति (या उसके घटक) के मामले में, जो हेजड मद होती है तथा जिसे अनुच्छेद 4.1.2 (क) के अनुसार अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, उस पर परिशोधन उसी तरीके से लागू होता है किंतु उस राशि पर होता है जो अग्रणीत राशि को समायोजित राशि के बदले अनुच्छेद 4.1.2 (ख) के अनुसार पूर्व में मान्य संचयी लाभ या हानि का करती है।

नकदी प्रवाह हेज

- 6.5.11 जब तक नकदी प्रवाह हेज अनुच्छेद 6.4.1 में दिए गए अर्हता मानदंड को पूरा करता है, हेज संबंध का लेखा इस प्रकार किया जाएगा-
- (क) हेजिंग मद (नकदी प्रवाह हेज आरक्षण) से जुड़ी इक्विटी के पृथक घटक को निम्नलिखित दोनों में से जो राशि कम है उस से (समग्र राशियों में) समायोजित होती है:
- हेज के प्रारंभ से, हेज लिखत पर संचयी लाभ या हानि; तथा
 - हेज के प्रारंभ से, हेजड मद (अर्थात् हेजड प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों में हुए संचयी परिवर्तन का वर्तमान मूल्य) के उचित मूल्य (वर्तमान मूल्य) में हुए संचयी परिवर्तन।
- (ख) हेज लिखत पर लाभ या हानि के उस हिस्से को, जो प्रभावी हेज होने के लिए निर्धारित है (अर्थात् वह हिस्सा जो (क) के अनुसार गणना की गयी नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में हुए परिवर्तन द्वारा समंजित है), को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाएगी।
- (ग) हेजिंग लिखत पर कोई शेष लाभ (गेन) या हानि जो (या (क) के अनुसार गठित नकदी प्रवाह हेज आरक्षण (रिजर्व) में हुए परिवर्तन को संतुलित करने के लिए अपेक्षित लाभ (गेन) या हानि) हेज अप्रभावशीलता होती है उसे लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।
- (घ) उस राशि का, जिसे (क) के अनुसार नकदी प्रवाह हेज आरक्षण में संचित किया गया है, लेखा इस प्रकार से किया जाएगा:-
- यदि हेजड पूर्वानुमान लेन देन का परिणाम बाद में गैर- वित्तीय आस्ति या गैर- वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में होता है या गैर-वित्तीय आस्ति या गैर-वित्तीय दायित्व के लिए हेजड पूर्वानुमान लेन-देन एक पक्की वचनबद्धता बन जाता है, जिसके लिए उचित मूल्य हेजड लेखा का प्रयोग किया जाता है, तो प्रतिष्ठान उस राशि को नकदी प्रवाह हेजड रिजर्व से उसे वह हटा देगा तथा उसे यह सीधे आस्ति या दायित्व की प्रारंभिक लागत या अन्य अग्रणीत राशि में सम्मिलित करेगा। यह कोई पुनर्वर्गीकरण समायोजन नहीं है (देखें भारतीय लेखा मानक 1) और, इसलिए यह अन्य व्यापक आय को भी प्रभावित नहीं करता है।

- (ii) ऊपर (i) में व्याप्त के अतिरिक्त नकदी प्रवाह हेज के लिए उस राशि को पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से निकाल कर लाभ या हानि में उसी अवधि या उन अवधियों में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा जिन अवधियों के दौरान हेजड प्रत्याशित नकदी प्रवाह लाभ या हानि को प्रभावित करते हैं (उदाहरण के लिए, जिन अवधियों में उस ब्याज आय या ब्याज व्यय को मान्यता दी जाती है या पूर्वानुमानित बिक्री की जाती है)।
- (iii) तथापि, यदि वह राशि एक हानि है और प्रतिष्ठान यह प्रत्याशा करता है कि वह सम्पूर्ण हानि या उसके एक भाग को एक या अधिक भावी अवधियों में वसूल नहीं करेगा, तो यह तुरंत उस वसूल ना होने वाली राशि को पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत करेगा (देखें भारतीय लेखा मानक 1)।
- 6.5.12 जब प्रतिष्ठान नकदी प्रवाह हेज के लिए हेज लेखा को बंद कर देता है (देखें अनुच्छेद 6.5.6 तथा 6.5.7 (ख)) तब यह उस राशि का लेखा, जो अनुच्छेद 6.5.11 (क) के अनुसार नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में संचित की गयी निम्न रूप से करेगा:
- (क) यदि हेजड भावी नकदी प्रवाहों के अब भी घटित होने की संभावना है तो वह राशि नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में तब तक रहेगी जबतक नकदी प्रवाह घटित नहीं होते या जब तक अनुच्छेद 6.5.11 (घ) (iii) लागू नहीं होता है। जब भावी नकदी प्रवाह घटित होते हैं, तब अनुच्छेद 6.5.11 (घ) लागू होता है।
- (ख) यदि हेजड भावी नकदी प्रवाहों के घटित होने की अब कोई संभावना नहीं है तो इस राशि को पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से निकाल कर लाभ या हानि में तत्काल पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा (देखें भारतीय लेखा मानक 1)। हेजड भावी नकदी प्रवाह, जिसके घटित होने की प्रबल संभावना नहीं है, के तब भी घटित होने की संभावना हो सकती है।
- विदेशी परिचालन में निवल निवेश का हेज**
- 6.5.13 मौद्रिक मद का हेज जिसका लेखा निवल निवेश के भाग के रूप में किया जाता है सहित विदेशी परिचालन में निवल निवेश के हेज का लेखा (देखें भारतीय लेखा मानक 21) नकदी प्रवाहों के हेज के समान ही किया जाएगा:
- (क) हेज लिखत पर लाभ (गेन) या हानि के भाग को, जो प्रभावी हेज होने के लिए निर्धारित हुई है, अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाएगी (देखें अनुच्छेद 6.5.11); तथा
- (ख) अप्रभावी भाग को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।
- 6.5.14 हेज के प्रभावी भाग से संबंधित हेज लिखत पर संचयी लाभ या हानि को, जिसे विदेशी मुद्रा रूपान्तरण रिजर्व में संचित किया गया है, विदेशी परिचालन के निपटान या आंशिक निपटान पर भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 48-49 के अनुसार पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में (देखें भारतीय लेखा मानक 1) इक्विटी से निकाल कर लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।
- ऑप्शन के समय-मूल्य का लेखा**
- 6.5.15 जब प्रतिष्ठान विकल्प अनुबंध के अन्तर्निहित मूल्य और समय मूल्य को पृथक करता है तथा विकल्प के अन्तर्निहित मूल्य में परिवर्तन को केवल हेजिंग लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट करता है (देखें अनुच्छेद 6.2.4 (क)) तब यह ऑप्शन के समय मूल्य का लेखा निम्नलिखित रूप में करेगा (देखें अनुच्छेद (ख) 6.5.29-ख 6.5.33) :
- (क) प्रतिष्ठान हेजड मद के प्रकार से ऑप्शनों के समय मूल्य का भेद करेगा जिसके ऑप्शन हेज करता है (अनुच्छेद ख 6.5.29 देखें) :
- (i) लेन-देन संबंधित हेजड मद; या
- (ii) समयावधि संबंधित हेजड मद।
- (ख) एक ऑप्शन के समय मूल्य के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन को, जो लेन-देन संबंधी हेजड मद की हेज करता है, उस सीमा तक अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाएगी है जिस सीमा तक यह हेजड मद से संबंधित होती है तथा इक्विटी के पृथक घटक में संचित की जाएगी। ऑप्शन के समय-मूल्य से उत्पन्न उचित मूल्य में हुए संचित परिवर्तन का, जिसे इक्विटी के पृथक घटक ('राशि') में संचित किया गया है, लेखा इस प्रकार किया जाएगा-
- (i) यदि हेजड मद का परिणाम बाद में गैर-वित्तीय आस्ति या गैर-वित्तीय दायित्व, या फिर पक्कीवचनबद्धता को मान्यता देने में होता है जिसके लिए उचित मूल्य हेजड लेखा प्रयुक्त होता है तो प्रतिष्ठान उस राशि को इक्विटी के पृथक घटक से हटा देगा तथा इसे आस्ति या दायित्व की प्रारंभिक लागत या अन्य अग्रणीत

- राशि में सीधे सम्मिलित करेगा। यह पुनर्वर्गीकरण समायोजन (देखें भारतीय लेखा मानक 1) नहीं है और इसलिए अन्य व्यापक आय को प्रभावित नहीं करता है।
- (ii) ऊपर (1) में व्याप्त को छोड़कर उन हेजिंग संबंधों के लिए राशि को उसी अवधि या उन अवधियों में पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में (देखें भारतीय लेखा मानक 1) इक्विटी के पृथक घटक से निकाल कर लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा जिन अवधियों के दौरान हेजड संभावित भावी नकदी प्रवाह लाभ या हानि को प्रभावित करते हैं (उदाहरण के लिए, जब पूर्वानुमानित बिक्री की घटना घटती है)।
- (iii) तथापि, यदि समस्त राशि या उस राशि का एक भाग की एक या एक से अधिक अवधियों में वसूल होने की संभावना नहीं होती है तो वह राशि, जिसकी वसूल होने की संभावना नहीं रहती है, उसे पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में लाभ या हानि में तत्काल पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा (देखें भारतीय लेखा मानक 1)।
- (ग) ऑप्शन के समय-मूल्य के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन को, जो समय-अवधि से संबंधित हेजड मद का हेज करता है, अन्य व्यापक आय में उस सीमा तक मान्यता देगा जिस सीमा तक यह हेजड मद से संबंधित होता है तथा इस इक्विटी के पृथक घटक में संचित होगा। हेज लिखत के रूप में ऑप्शन को नामोद्दिष्ट करने की तिथि पर समय-मूल्य को उस सीमा तक जिस तक यह हेजड मद से संबंधित है, उस अवधि के दौरान/ऊपर सुव्यवस्थित एवं विवेकपूर्ण आधार पर परिशोधित किया जाएगा जिसके दौरान ऑप्शन के अन्तर्निहित मूल्य के लिए हेज समायोजन लाभ या हानि को प्रभावित कर सकते हैं (या अन्य व्यापक आय को प्रभावित कर सकते हैं, यदि हेजड मद एक इक्विटी लिखत है जिसके लिए प्रतिष्ठान ने अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसार अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए चयन किया है)। अतः प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में, परिशोधन राशि को पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में इक्विटी के पृथक घटक से निकाल कर लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा (देखें भारतीय लेखा मानक 1)। तथापि, यदि उस हेजड संबंध, के लिए हेज लेखा को समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें हेजड लिखत के रूप में ऑप्शन के अन्तर्निहित मूल्य में हुए परिवर्तन सम्मिलित हैं, तो निवल राशि (अर्थात् संचयी परिशोधन सहित) जो इक्विटी के पृथक घटक में संचित की गयी है, पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में तत्काल लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाएगी (देखें भारतीय लेखा मानक 1)।

फारवर्ड अनुबंध के फारवर्ड तत्व का लेखा तथा वित्तीय लिखत का विदेशी मुद्रा बेसीस स्ट्रैंड

- 6.5.16 जब प्रतिष्ठान फारवर्ड अनुबंध के फारवर्ड घटक तथा स्पॉट घटक को अलग करता है और स्पॉट घटक के मूल्य में परिवर्तन को केवल हेज लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट करता है, फारवर्ड अनुबंध के या प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा बेसिस स्ट्रैंड को वित्तीय लिखत से अलग करता है तथा उस वित्तीय लिखत को हेज लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट करने से यह अलग करता है (अनुच्छेद 6.2.4 ख देखें), तब प्रतिष्ठान फारवर्ड अनुबंध के फारवर्ड तत्व के लिए या विदेशी मुद्रा बेसिस स्ट्रैंड पर अनुच्छेद 6.5.15 को उसी तरह से लागू करता है जैसा कि यह ऑप्शन के समय मूल्य के लिए लागू होता है उस स्थिति में प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख 6.5.34-ख 6.5.39 में लागू करने संबंधी दिए गए दिशा-निर्देश को लागू करेगा।
- 6.6 **मदों के समूह का हेज**
- हेजड मद के रूप में मदों के समूह की पात्रता (योग्यता)
- 6.6.1 **मदों का समूह (मदों के समूह सहित, जो निवल स्थिति के समान है, देखें अनुच्छेद ख 6.6.1-ख 6.6.8) केवल तभी एक योग्य हेजड मद है, यदि:**
- (क) यह उन मदों (मदों के घटकों सहित) से बना होता है जो व्यक्तिगत रूप से योग्य हेजड मद है;
- (ख) जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए, समूह में मदों का प्रबंधन समूह आधार पर होता है; तथा
- (ग) मदों के समूह के नकदी प्रवाह हेज के मामले में जिसकी नकदी प्रवाह में परिवर्तनीयता समूह के नकदी प्रवाह की समग्र परिवर्तनीयता के लगभग समान अनुपात में होने की आशा नहीं है जिससे कि जोखिम के समंजन की स्थिति उत्पन्न होती है:
- (i) यह एक विदेशी मुद्रा जोखिम का हेज है; तथा
- (ii) निवल (वास्तविक) स्थिति का नामोद्देशन उस रिपोर्टिंग अवधि का विशेष रूप से उल्लेख करता है जिसमें पूर्वानुमान लेन-देन के साथ-साथ उनकी प्रकृति और परिमाण द्वारा लाभ या हानि का प्रभावित होना संभावित है (अनुच्छेद ख 6.6.7- ख 6.6.8 देखें)।

नाममात्र राशियों के घटक को नामोद्दिष्ट करना

- 6.6.2 एक घटक जो एक योग्य मदों के समूह का अनुपात है, वह एक योग्य हेजड मद होता है बशर्ते नामोद्देशन प्रतिष्ठान के जोखिम प्रबंधन उद्देश्य के अनुरूप हो।
- 6.6.3 मदों के समग्र समूह का एक तहदार घटक (उदाहरणार्थ, एक नीचे की तह) जो हेज लेखा के लिए केवल तभी योग्य है, यदि:
- (क) यह अलग से पहचान योग्य तथा विश्वसनीय रूप से माप योग्य है;
 - (ख) जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य तहदार घटक की हेज करना है ;
 - (ग) समग्र समूह की मदें जिसमें से तह की पहचान की गई है उसी हेजड जोखिम के प्रति एक्सपोज करती है (जिससे हेजड तह का माप उन मदों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होता है जिसके द्वारा समग्र समूह की विशेष मदें हेजड तह का भाग बनती हैं);
 - (घ) मौजूदा मदों की हेज के लिए (उदाहरणार्थ एक अमान्य पक्कीवचनबद्धता या एक मान्य आस्ति) प्रतिष्ठान मदों के समग्र समूह की पहचान कर सकता है और उनका पता लगा सकता है जिससे हेजड तह परिभाषित की गयी है (जिससे कि प्रतिष्ठान अर्हक हेजड संबंधों के लेखा की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए सक्षम होता है) ;
 - (ङ) समूह की कोई मदें जिनमें पूर्व भुगतान आप्शन समाहित होते हैं, वे नाममात्र राशि के घटकों की अपेक्षाओं को पूरा करती हैं (देखें अनुच्छेद ख 6.3.20) ।

प्रस्तुतीकरण

- 6.6.4 समंजन जोखिम स्थितियों वाले समूह (अर्थात् निवल स्थिति की हेज वाली के साथ मदों के समूह को हेज) के हेज के लिए, जिनका हेजड जोखिम लाभ-हानि विवरण में विभिन्न रेखीय मदों को प्रभावित करता है, उस विवरण में कोई लाभ (गेन्ज) या हानि हेजड मदों द्वारा प्रभावित रेखीय मदों से अलग रेखीय मदों में प्रस्तुत की जाएगी। अतः उस विवरण में रेखीय मद की राशि, जो हेजड मद से संबंधित है (उदाहरणतया: राजस्व या बिक्रियों की लागत), अप्रभावित रहती है।
- 6.6.5 एक उचित मूल्य हेज में एक-साथ समूह के रूप में हेजड आस्तियों व दायित्वों के लिए, तुलन पत्र में व्यक्तिगत आस्तियों व दायित्वों पर लाभ या हानि, समूह की संबंधित व्यक्तिगत मदों की अग्रणीत राशि के समायोजन के रूप में अनुच्छेद 6.5.8 (ख) के अनुसार मान्य होगी।

शून्य निवल स्थितियां

- 6.6.6 जब हेजड मद एक समूह है, जो शून्य निवल स्थिति है, (अर्थात् हेजड मदें परस्पर उस जोखिम को पूरी तरह से समंजित करती हैं जिसका समूह के आधार पर प्रबंध होता है), एक प्रतिष्ठान को उसे हेजिंग संबंध, जिसमें हेजड लिखत सम्मिलित नहीं है, के रूप में नामोद्दिष्ट करने की अनुमति है। बशर्ते:
- (क) हेज आवर्ती निवल जोखिम रणनीति का भाग है जिसके द्वारा प्रतिष्ठान नियमतः तौर पर (रूटीन में) जैसे-जैसे समय गुजरता जाता है उसी किस्म की नई स्थितियों की हेजिंग करता है। (उदाहरणतया, जैसे लेन-देन उस समय के भीतर होते हैं जिस समय के लिए प्रतिष्ठान ने हेज किया है ;
 - (ख) हेज निवल स्थिति, आवर्ती निवल जोखिम हेज रणनीति की अवधि के दौरान/ऊपर, आकार में बदलती रहती है और प्रतिष्ठान योग्य हेज लिखतों का निवल जोखिम (यानि जब निवल स्थिति शून्य न हो) हेज के लिए प्रयोग करता है;
 - (ग) सामान्यता हेज लेखा उन निवल स्थितियों में लागू किया जाता है जब निवल स्थिति शून्य न हो और उसे योग्य हेज लिखतों द्वारा हेज किया जाता है; और
 - (घ) यदि हेज लेखा को शून्य निवल स्थिति पर लागू नहीं किया जाएगा तो इससे असंगत लेखा परिणाम उत्पन्न होंगे क्योंकि लेखा प्रक्रिया उन समंजित जोखिम स्थितियों को मान्यता नहीं देती जो अन्यथा निवल स्थिति की हेज में मान्य होती हैं।

6.7 लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य पर मापे गए ऋण एक्सपोजर को नामोद्दिष्ट करने का विकल्प

लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट करने के लिए ऋण एक्सपोजरों की योग्य

- 6.7.1 यदि एक प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति (ऋण एक्सपोजर) को संपूर्ण रूप में या इसके एक भाग के ऋण जोखिम के प्रबंध के लिए, लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य पर मापे गए एक ऋण व्युत्पन्न का प्रयोग करता है तो वह उस वित्तीय लिखत

को उस सीमा तक नामोद्विष्ट कर सकता है जिस तक इसका प्रबंध (संपूर्ण या एक भाग के रूप में) इस तरह किया गया है कि इसका माप लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य पर हुआ, यदि:

- (क) उस ऋण एक्सपोजर (जैसेकि उधारकर्ता या ऋण वचनबद्धता का धारक) का नाम जो ऋण व्युत्पन्न ('नाम मिलान') के संदर्भ से मेल खाता हो; और
- (ख) उस वित्तीय लिखत की वरीयता जो उन लिखतों से मेल खाती हो जो ऋण व्युत्पन्न के अनुसरण में सुपुर्द किए जाते हैं।

एक प्रतिष्ठान यह नामोद्विष्टता तब भी कर सकता है, चाहे ऋण जोखिम के लिए प्रबंधित वित्तीय लिखत इस मानक के कार्यक्षेत्र में है (जैसेकि, एक प्रतिष्ठान इस मानक के कार्यक्षेत्र से बाहर की ऋण वचनबद्धताओं को नामोद्विष्ट कर सकता है)। प्रतिष्ठान उस वित्तीय लिखत को प्रारंभिक मान्यता पर या इसके पश्चात् और जब वह अमान्य भी हो, नामोद्विष्ट कर सकता है। प्रतिष्ठान इस नामोद्विष्टता को संगामी (निरंतर) रूप से प्रलेखित करेगा।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्विष्ट ऋण एक्सपोजरों का लेखा

- 6.7.2 यदि एक वित्तीय लिखत को अनुच्छेद 6.7.1 के अनुसरण में ऐसे नामोद्विष्ट किया जाता है जैसे कि यह प्रारंभिक मान्यता के बाद लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयी है, या उसे पहले मान्यता नहीं दी गई थी, तो नामोद्विष्ट करने के समय अग्रणीत राशि, और उचित मूल्य के बीच अन्तर, यदि कोई है, को तत्काल लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी। अनुच्छेद 4.1.2 (क) के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य द्वारा मापी गई वित्तीय आस्तियों के लिए, अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्य संचित लाभ (गेन) या हानि को पुनर्वर्गीकरण समायोजन (देखें भारतीय लेखा मानक 1) के रूप में तत्काल इक्विटी से निकाल कर लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।
- 6.7.3 एक प्रतिष्ठान उस वित्तीय लिखत का, या उस वित्तीय लिखत के अनुपात का लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर माप करना तब बंद कर देगा जिससे ऋण जोखिम में वृद्धि हुई है, यदि:
- (क) अनुच्छेद 6.7.1 में दिया गया अर्हकर्ता मानदंड अब पूरा नहीं होता है, उदाहरणतया:
 - (i) ऋण व्युत्पन्न या संबंधित वित्तीय लिखत, की जिससे ऋण जोखिम में वृद्धि होती है, अवधि समाप्त हो गई है, या उसे बेच दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है या उसका निपटारा कर दिया जाता है; या
 - (ii) वित्तीय लिखत के ऋण जोखिम का प्रबंध अब ऋण व्युत्पन्न के प्रयोग द्वारा नहीं किया जाता है। उदाहरणतया, ऐसा तब हो सकता है, जब उधारकर्ता या ऋण वचनबद्धता के धारक की ऋण गुणवत्ता में सुधार होता है या प्रतिष्ठान पर लगाई गई पूंजीगत अपेक्षाओं में परिवर्तन होता है; और
 - (ख) वित्तीय लिखत को, जो ऋण जोखिम में वृद्धि करती है लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापना अन्यथा अपेक्षित नहीं है (अतार्थ, प्रतिष्ठान के व्यवसायिक मॉडल में इस बीच कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे अनुच्छेद 4.4.1 के अनुसरण में पुनर्वर्गीकरण करना आवश्यक हो)।
- 6.7.4 जब एक प्रतिष्ठान उस वित्तीय लिखत को जो ऋण जोखिम में वृद्धि उत्पन्न करता है या वित्तीय लिखत के एक अनुपात को लाभ या हानि द्वारा और उचित मूल्य पर वृद्धि मापना बंद कर देता है, तब उस वित्तीय लिखत का उचित मूल्य बंद किये जाने की तिथि पर इसकी नई अग्रणीत राशि बन जाती है। इसके बाद, वही माप जो लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर नामोद्विष्ट किए जाने के लिए प्रयोग किया गया था, लागू होता है। (इसमें वह परिशोधन भी शामिल है जो नई अग्रणीत राशि से उत्पन्न होता है)। उदाहरणतया, एक वित्तीय आस्ति, जिसे मूल रूप से परिशोधित लागत पर मापी गयी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उसका उलटाव उसी माप पर हो जाता है और इसकी प्रभावी ब्याज दर की पुनर्गणना इसकी नई सकल अग्रणीत राशि पर की जाएगी। यह लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर माप के बंद होने की तिथि पर किया जाएगा।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस मानक का अभिन्न अंग है।

12 माह में प्रत्याशित ऋण हानियां

आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों का वह भाग जो उन प्रत्याशित ऋण हानियों को प्रदर्शित करता है जो वित्तीय लिखत की चूक घटनाओं के परिणाम स्वरूप रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 माह के अंदर ही संभव हैं।

वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत

प्रारम्भिक मान्यता पर मापी गयी वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की राशि - (घटाइए) मूलधन के पुनर्भुगतान + (जमा) या - (घटाइए) प्रारम्भिक राशि और वित्तीय आस्तियों की परिपक्वता राशि के बीच अन्तर को **प्रभावी ब्याज विधि** के प्रयोग द्वारा संचित परिशोधन

अनुबंधात्मक आस्तियां

और वित्तीय आस्तियों के लिए समायोजित कोई हानि रियायत।

वे अधिकार जिन्हें भारतीय लेखामानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व निर्दिष्ट करता है कि क्षतिग्रस्त लाभों या हानियों की मान्यता व माप के प्रयोजनों के लिए इस मानक के अनुसार लेखांकित किया है।

ऋण-क्षति ग्रस्त वित्तीय आस्ति

एक वित्तीय आस्ति तब ऋण-क्षति ग्रस्त होती है जब एक या अधिक ऐसी घटनाएं घटती हैं जो वित्तीय आस्ति के प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों पर एक विपरीत प्रभाव रखती हों। इस बात के साक्ष्य में एक कि वित्तीय आस्ति ऋण-क्षति ग्रस्त हैं निम्नलिखित घटनाओं के प्रलक्षणीय आंकड़े सम्मिलित होते हैं-

- (क) जारीकर्ता या उधारकर्ता की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई;
- (ख) अनुबंध का भंग होना जैसे कि कोई चूक या विगत देय की घटना;
- (ग) उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से सम्बंधित आर्थिक या अनुबंधात्मक कारणों से ऋणदाता ने उधारकर्ता को ऐसी रियायत (या रियायतें देता है (देते हैं) जिसे (जिन्हें) ऋणदाता अन्यथा विचार में नहीं लेता (लेते) है ;
- (घ) यह संभाव्य बन जाता है कि उधारकर्ता या तो दिवालिया हो जाएगा या फिर वह कोई अन्य वित्तीय पुनर्गठन कर लेगा ;
- (ङ.) वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय आस्ति के लिए सक्रिय बाजार लुप्त हो जाता है ;
- (च) अधिक छूट पर एक वित्तीय आस्ति की खरीद या उसका प्रारम्भ होना जिससे उत्पन्न ऋण हानियां प्रदर्शित होती हैं।

एक एकल खंडित घटना की पहचान करना संभव नहीं हो सकता इसके स्थान पर कई घटनाओं का संयुक्त प्रभाव हो सकता है जिससे वित्तीय आस्ति ऋण क्षतिग्रस्त बन जाती है।

ऋण हानि

अनुबंध के अनुसार प्रतिष्ठान को देय समस्त अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों और उन नकद प्रवाहों के बीच अन्तर जिनकी प्रतिष्ठान प्राप्त करने की आशा करता है (यानि समस्त नकदी कमियां) और जो या ऋण समायोजित प्रभावी ब्याज दर मूल प्रभावी ब्याजदर या ऋण समायोजित प्रभावी ब्याज दर पर बढ़ागत की गयी है (या खरीदी या प्रारम्भ ऋण क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्ति)। एक प्रतिष्ठान वित्तीय लिखत (जैसे कि, पूर्व भुगतान, वृद्धि, मांग (कॉल) और इसी तरह के अन्य ऑप्शन) की प्रत्याशित अवधि (जीवन) के दौरान को समस्त अनुबंधात्मक शर्तों पर विचार करके नकद प्रवाहों का प्राक्कलन करेगा। विचार में लिये गये नकदी प्रवाहों में धारित संप्राश्विक प्रतिभूति की बिक्री या अन्य वे ऋण वृद्धियां सम्मिलित हैं जो कि अनुबंधात्मक शर्तों की अभिन्न अंग हैं। यह अवधारणा है कि वित्तीय लिखत के प्रत्याशित काल (जीवन) का प्राक्कलन विश्वस्त रूप से किया जा सकता है। तथापि, ऐसे बहुत ही कम मामले हैं जहां पर वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवन का प्राक्कलन विश्वस्त रूप से करना संभव न हो, प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति की शेष अनुबंधात्मक अवधि का प्रयोग करेगा।

ऋण-समायोजित प्रभावी ब्याज दर

वह दर है जो खरीदी गयी या ऋण ग्रस्त के रूप में प्रारम्भ की गयी वित्तीय आस्ति को परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्ति के प्रत्याशित काल (जीवन) के दौरान प्राक्कलित भावी नकदी भुगतानों या प्राप्तियों को ठीक-ठीक बढ़ागत करती है। ऋण समायोजित प्रभावी ब्याज-दर की गणना करते समय, एक प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति की समस्त अनुबंधात्मक शर्तों (जैसेकि, पूर्व-भुगतान, वृद्धि, मांग (कॉल) व इसी तरह के अन्य ऑप्शन) और प्रत्याशित ऋण हानियों पर विचार करते समय प्रत्याशित प्रवाहों का प्राक्कलन करेगा। गणना में अनुबंध के पक्षकारों (पार्टियों) के बीच दी गयी या प्राप्त की गयी समस्त फीस (शुल्क) और प्वाइंट सम्मिलित हैं जो प्रभावी ब्याज दर (देखें अनुच्छेद ख 5.4.1-5.4.3), लेन-देन लागतों और अन्य सभी प्रीमियमों या छूटों के अभिन्न अंग हैं। यह अवधारणा है कि इस तरह की अन्य वित्तीय लिखतों के समूह के नकदी प्रवाह और प्रत्याशित काल (जीवन) विश्वस्त रूप से प्राक्कलित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे बहुत ही कम मामलों में जब नकदी प्रवाहों या किसी एक वित्तीय लिखत (या वित्तीय

अमान्यता

लिखतों के समूह) का प्राक्कलन विश्वसनीय रूप से करना संभव न हो तो प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति (या वित्तीय अस्तियों के समूह) की पूरी अनुबंधात्मक अवधि के दौरान अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का प्रयोग करेगा।

प्रतिष्ठान के तुलनपत्र में से पूर्व में मान्य वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व को हटाना।

व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

इस मानक के कार्यक्षेत्र में कोई भी वित्तीय लिखत या अन्य कोई अनुबंध जिसमें निम्नलिखित तीनों विशेषताएं हों :-

(क) इसका मूल्य विशिष्ट ब्याज-दर, वित्तीय लिखत की कीमत, वस्तु कीमत, विदेशी मुद्रा दर, कीमतों या दरों के सूचकांक, क्रेडिट रेटिंग या ऋण सूचकांक अथवा किसी अन्य परिवर्तन कारक के प्रत्युत्तर में बदलता है बशर्ते गैर-वित्तीय परिवर्तनशील कारक के मामले में वह परिवर्तनशील कारक अनुबंध के पक्षकार (पार्टी) के लिए विशिष्ट न हो (कभी-कभी इसे अडरलाइंग भी कहा जाता है।

(ख) इसके लिए किसी प्रारम्भिक निवल निवेश या उस प्रारम्भिक निवल निवेश की आवश्यकता नहीं होती है जो अन्य किस्म के अनुबंधों के लिए अपेक्षित आकार से कम हो और उससे भी यही आशा की जाती है कि बाजार के कारकों में परिवर्तनों के कारण उसके मूल्य में भी परिवर्तन होगा।

(ग) इसका निपटान किसी भावी तिथि को किया जाता है।

लाभांश

"इक्विटी" लिखतों के धारकों को लाभों का वितरण जो पूंजी की एक विशेष श्रेणी की उनकी धारिता के अनुपात में होता है।

प्रभावी ब्याज विधि

वह दर जो सकल अग्रणीत राशि या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की प्रत्याशित अवधि(जीवन) के द्वारा प्राक्कलित भावी नकदी भुगतानों या प्राप्तियों द्वारा ठीक प्रकार से बट्टागत करती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, एक प्रतिष्ठान वित्तीय लिखत की सभी अनुबंधात्मक शर्तों (जैसे कि, पूर्व भुगतान, वृद्धि, (कॉल) और उसी प्रकार के ऑप्शन) पर विचार द्वारा प्रत्याशित नकदी प्रवाहों का प्राक्कलन करता है, लेकिन, इसके लिए वह प्रत्याशित ऋण हानियों पर विचार नहीं करता है। इस गणना में, अनुबंध के सभी पक्षकारों (पार्टियों) के बीच शुल्कों (फीस) और प्वाइंटों के लेन-देन (प्राप्ति व भुगतान) शामिल होते हैं और वे शुल्क व प्वाइंट प्रभावी ब्याज पर (देखें अनुच्छेद ख 54.1-ख 54.3) लेन देन की लागतें और अन्य सभी प्रीमियमों या छूटों के अभिन्न अंग होते हैं। यह एक अवधारणा है कि एक जैसी वित्तीय आस्तियों के समूह के नकदी प्रवाह और प्रत्याशित अवधि(जीवनकाल) का प्राक्कलन विश्वस्त रूप से किया जा सकता है। तथापि, ऐसे बहुत कम मामलों में जब एक वित्तीय लिखत(या वित्तीय लिखतों के समूह) की पूर्ण अनुबंधात्मक अवधि के दौरान अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का प्रयोग करेगा।

प्रत्याशित ऋण हानियां**वित्तीय गारंटी अनुबंध**

भारों के रूप में चूक के संबंधित जोखिमों के साथ ऋण हानियों की भारित औसत।

एक अनुबंध जो निर्गमकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि जब एक विशिष्ट देनदार ऋण लिखत की मूल या संशोधित शर्तों के अनुसरण में देय भुगतान को करने में असफल रहता है और उसके धारक को हानि होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए निर्गमकर्ता धारक को जो भुगतान करता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्व

वह वित्तीय दायित्व जो निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करता है:

(क) वह व्यापार के लिए धारित की परिभाषा को पूरा करता है।

(ख) प्रारम्भिक मान्यता पर प्रतिष्ठान द्वारा अनुच्छेद 4.2.2 या 4.3.5 के अनुसरण में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर इसे नामोद्दिष्ट किया जाता है।

(ग) यह अनुच्छेद 6.7.1 के अनुसरण में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर या तो प्रारम्भिक मान्यता पर या परवर्ती (बाद की)मान्यता पर नामोद्दिष्ट किया

	जाता है।
दृढ़ वचनबद्धता	एक निर्दिष्ट भावी तिथि या तिथियों पर एक निर्दिष्ट कीमत पर संसाधनों की निर्दिष्ट मात्रा में विनिमय का एक बाध्यकारी समझौता।
पूर्वानुमानित लेन-देन	बिना किसी वचनबद्धता के परन्तु प्रत्याशित भावी लेनदेन।
वित्तीय आस्ति की सकल अग्रणीत राशि	किसी हानि रियायत के समायोजन से पूर्व एक वित्तीय आस्ति की परिशोधित लागत।
हेजिंग लिखत	एक नामोद्दिष्ट व्युत्पन्न या [विदेशी मुद्रा की विनिमय दरों में परिवर्तनों के जोखिम की हेजिंग के लिए] एक नामोद्दिष्ट गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्ति या एक गैर-व्युत्पन्न वित्तीय दायित्व जिसके उचित मूल्य या नकदी प्रवाह नामोद्दिष्ट हेजिंग मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाहों में परिवर्तनों में समंजन की आशा है।
हेजिंग अनुपात	सापेक्ष भारिता के संदर्भ में, हेजड लिखत की मात्रा और हेजिंग मद की मात्रा के बीच संबंध।
व्यापार के लिए धारित	एक वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व: (क) जिसे निकट भविष्य में बिक्री अथवा क्रय के उद्देश्य के लिए मुख्यतः अधिग्रहित अथवा उत्पन्न किया है; (ख) प्रारम्भिक मान्यता पर जो पहचानी गई उन वित्तीय लिखतों के पोर्टफोलियो का एक भाग है जिनका-प्रबंध एक साथ होता है तथा जिनके लिए अल्पकालिक लाभ प्राप्त करने का वास्तविक ढंग का हाल साक्ष्य है; अथवा (ग) वह एक व्युत्पन्न है (लेकिन उस व्युत्पन्न से भिन्न जो एक वित्तीय गारंटी अनुबंध है या एक नामोद्दिष्ट और प्रभावी हेजिंग लिखत है)।
क्षतिग्रस्त लाभ या हानि	लाभ या हानियाँ, जिसे अनुच्छेद 5.5.8 के अनुसार लाभ या हानि में मान्य किया है और जो खंड 5.5 में क्षति ग्रस्तता अपेक्षाओं को लागू करने से उत्पन्न होती है।
आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियाँ	प्रत्याशित ऋण हानियाँ जो वित्तीय लिखत की प्रत्याशित अवधि (जीवन) से संभावित सभी चूक घटनाओं से उत्पन्न प्रत्याशित ऋण हानियाँ।
हानि रियायत	अनुच्छेद 4.1.2 क के अनुसरण में मापी गयीं वित्तीय आस्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियाँ, प्राप्य पट्टा राशियाँ और अनुबंध आस्तियाँ, अनुच्छेद 4.1.2 क के अनुसरण में मापी गयीं वित्तीय आस्तियों की संचित ग्रस्तता राशि और ऋण वचनबद्धताओं और वित्तीय गारंटी अनुबंधों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए रियायत।
लाभ (गेन) या हानि का संशोधन	पुनर्परकर्मित या संशोधित अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को प्रदर्शित करने वाली वित्तीय आस्ति की सकल अग्रणीत राशि के समायोजन से उत्पन्न राशि। प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति की सकल अग्रणीत राशि की पुनर्गणना पुनर्परकर्मित या संशोधित वित्तीय आस्ति की प्रत्याशित अवधि आस्ति की प्रत्याशित अवधि (जीवन) द्वारा भावी नकदी भुगतानों या प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य के रूप में करता है। इस वित्तीय आस्ति को उसकी मूल प्रभावी ब्याज दर (या खरीदी गयी या प्रारम्भ की गयी ऋण क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियों की मूल ऋण समायोजित प्रभावी ब्याज दर) या, जब लागू हो, संशोधित प्रभावी ब्याज दर पर, जिसकी अनुच्छेद 6.5.10 के अनुसार गणना की जाती है बट्टागत किया जाएगा। एक वित्तीय आस्ति के प्रत्याशित नकदी प्रवाहों का प्राक्कलन करते समय, एक प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति की सभी अनुबंधात्मक शर्तों पर विचार करेगा (जैसे कि पूर्व भुगतान, मांग (कॉल) व उसी प्रकार के विकल्प) लेकिन प्रत्याशित ऋण हानियों पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि वित्तीय आस्ति एक खरीदी हुई या प्रारम्भ की गयी ऋण ग्रस्त वित्तीय आस्ति न हो। इस मामले में प्रतिष्ठान मूल ऋण समायोजित प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय प्रारम्भिक प्रत्याशित ऋण हानियों पर भी विचार करेगा।
विगत देय	एक वित्तीय आस्ति तब विगत देय होती है जब एक प्रतिपक्ष अनुबंध के अनुसार भुगतान देय होने पर जब उसे करने में असफल रहता है।

खरीदी गयी या प्रारंभ की गयी ऋण-क्षति ग्रस्त वित्तीय आस्ति	खरीदी गयी या प्रारंभ की गयी वित्तीय आस्ति (आस्तियां) जो प्रारम्भिक मान्यता पर ऋण क्षतिग्रस्त हैं(हैं)।
पुनर्वर्गीकरण तिथि	एक प्रतिष्ठान की पुनर्वर्गीकृत वित्तीय आस्तियों के परिणामस्वरूप व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तन के बाद की प्रथम रिपोर्टिंग अवधि का प्रथम दिन।
नियमित रूप से की गयी खरीद या बिक्री	उस अनुबंध के अन्तर्गत एक वित्तीय आस्ति की खरीद या बिक्री जिसकी शर्तें यह अपेक्षा करती हैं कि आस्ति की सुपुर्दगी विनिमय द्वारा सामान्यता निर्धारित समय ढांचे के अन्दर या सम्बन्धित बाजार स्थल की प्रथा अनुसार होगी।
लेनदेन लागतें	एक वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व (देखें अनुच्छेद ख 5.4.8) के ग्रहण निर्गम या निपटान से प्रत्यक्षतया सम्बन्धित वृद्धिशील लागतें एक वृद्धिशील लागत वह होती हैं जो तब तक खर्च नहीं होती जब तक प्रतिष्ठान वित्तीय लिखत को ग्रहण, जारी या निपटान नहीं कर लेता।

निम्नलिखित शब्दावली भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 11, भारतीय लेखा मानक 107 के परिशिष्ट 'क', भारतीय लेखा मानक 113 के परिशिष्ट 'क' या भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट 'क' में परिभाषित की गयी हैं और इस मानक में भारतीय लेखा मानक 32, भारतीय लेखा मानक 107, भारतीय लेखा मानक 113 अथवा भारतीय लेखा मानक 115 यथा उल्लिखित अर्थों में प्रयुक्त किया गया है:

- (क) ऋण जोखिम²;
- (ख) इक्विटी लिखत;
- (ग) उचित मूल्य;
- (घ) वित्तीय आस्ति;
- (ङ) वित्तीय लिखत;
- (च) वित्तीय दायित्व;
- (छ) लेनदेन कीमत।

परिशिष्ट ख

प्रयोग संबंधी दिशा-निर्देश

यह परिशिष्ट इस मानक का अभिन्न अंग है।

कार्यक्षेत्र (अध्याय 2)

- ख 2.1 कुछ अनुबंधों में भुगतान की अपेक्षा जलवायु, भौगोलिक आधार अथवा अन्य भौतिक परिवर्तनशीलता पर आधारित होती है(जो जलवायु में परिवर्तनों पर आधारित है, उनका उल्लेख कभी-कभी 'मौसमी व्युत्पन्नता' के रूप में किया जाता है।) यदि कोई अनुबंध भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए एस) 104, बीमा अनुबंध के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है तो वह, इस मानक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।
- ख 2.2 यह मानक उन रॉयल्टी समझौतों से सम्बन्धित अपेक्षाओं में परिवर्तन नहीं करता है जो कि बिक्रियों अथवा सेवा राजस्वों के आकार पर आधारित हैं जिनका लेखा भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए एस) 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के अन्तर्गत किया जाता है।
- ख 2.3 कभी-कभी, एक प्रतिष्ठान ऐसा निवेश करता है जिसे वह अन्य प्रतिष्ठान द्वारा जारी इक्विटी लिखत को एक 'रणनीतिक निवेश' के रूप में देखता है जिसमें उसका इरादा उस प्रतिष्ठान के साथ लम्बी अवधि के लिए सम्बन्ध स्थापित करने अथवा रखने का होता है जिसमें कि उसने निवेश किया है। यह निवेशक अथवा संयुक्त उद्यमी प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए भारतीय लेखा मानक 28, सहयोगी प्रतिष्ठानों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश का प्रयोग करता है कि क्या लेखा की इक्विटी विधि का प्रयोग इस प्रकार के निवेश पर किया जाए अथवा नहीं।
- ख 2.4 यह मानक बीमाकर्ता की वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्व पर लागू होगा, उन अधिकारों तथा बाध्यताओं को छोड़कर जिन्हें अनुच्छेद 2.1 (ड) अलग करता है क्योंकि वे भारतीय लेखामानक 104 के कार्य सेवा के अंदर उत्पन्न होते हैं।

²इस शब्दावली को (भारतीय लेखा मानक 107 में यथा परिभाषित) लाभ या हानि (देखें अनुच्छेद 5.7.7) द्वारा उचित मूल्य पर नामोदिदष्ट दायित्वों पर ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों को प्रस्तुत करने की अपेक्षाओं में प्रयुक्त किया गया है।

ख 2.5 वित्तीय गारंटी अनुबंधों की कई विधिक किस्में होती हैं, जैसे कि, गारंटी, साख पत्र के कुछ प्रकार, एक ऋण चूक अनुबंध अथवा एक बीमा अनुबंध। उनका लेखा व्यवहार उनके विधिक प्रकार पर निर्भर नहीं होता है। निम्नलिखित उदाहरणों में उनके समुचित व्यवहार दिये गये हैं [देखें अनुच्छेद 2.1 (ड)];

- (क) यद्यपि एक वित्तीय गारंटी अनुबंध भारतीय लेखा मानक 104 में दी गयी एक बीमा अनुबंध की परिभाषा की पूर्ति करता है, यदि अन्तरित जोखिम महत्वपूर्ण है, तो जारीकर्ता इस मानक को लागू करता है। फिर भी यदि जारीकर्ता ने पहले स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि यह ऐसे अनुबंधों को बीमा अनुबंधों के रूप में मानता है और उसने उस लेखा का प्रयोग किया है जो कि बीमा अनुबंधों पर लागू है, तो जारीकर्ता इस प्रकार के वित्तीय गारंटी अनुबंध के लिए या तो इस मानक को या फिर भारतीय लेखा मानक 104 को लागू करने का चयन कर सकता है। यदि यह मानक लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 5.1.1 जारीकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह प्रारम्भ में उचित मूल्य पर वित्तीय गारंटी अनुबंध को मान्यता दे। यदि वित्तीय गारंटी अनुबंध किसी स्वतंत्र और पृथक लेन-देन में किसी असंबद्धित, पक्ष (पार्टी) को जारी किया जाता है तो प्रारम्भ में इसका उचित मूल्य प्राप्त प्रीमियम के बराबर हो सकता है बशर्ते इसके विपरीत कोई साक्ष्य न हो तदनन्तर, जब तक कि प्रारम्भ में लाभ अथवा हानि के द्वारा उचित मूल्य के रूप में वित्तीय गारंटी अनुबंध को नामोदिदष्ट नहीं किया जाता है अथवा जब तक कि अनुच्छेद 3.2.15-3.2.23 और ख 3.2.12 ख 3.2.17 लागू नहीं होते हैं, (जब किसी वित्तीय आस्ति का अन्तरण अमान्यता के लिए अर्हक नहीं होता है और सतत् समावेश दृष्टिकोण लागू होता है), तो जारीकर्ता निम्नलिखित में से जो भी अधिक है उस पर इसे मापता है:

(i) खंड 5.5 के अनुसार निर्धारित राशि; तथा

(ii) भारतीय लेखा मानक 115[देखें अनुच्छेद 4.2.1(ग)] के सिद्धांतों के अनुसार मान्य आय की संचयी राशि, जब उचित हो, को घटाकर प्रारम्भ में मान्य राशि है।

- (ख) कुछ ऋण-सम्बन्धी गारंटियों से, भुगतान की पूर्व शर्त के रूप में, यह अपेक्षा नहीं होती है कि जब गारंटी आस्ति देय हो जाती है और देनदार उसका भुगतान नहीं कर पाता तो धारक हानि के लिए एक्सपोज हो या फिर उसे हानि हो ही इस प्रकार की किसी गारंटी का एक उदाहरण यह है कि जब एक विशिष्ट क्रेडिट-रेटिंग दर अथवा क्रेडिट सूचकांक में परिवर्तनों से भुगतान किए जाने की अपेक्षा होती है। इस प्रकार की गारंटियां वित्तीय गारंटी अनुबंध नहीं हैं जैसा कि इस मानक में परिभाषित किया गया है, और न ही बीमा अनुबंध हैं जैसा कि भारतीय लेखा मानक 104 में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार की गारंटियां व्युत्पन्न हैं और जारीकर्ता इन पर यह मानक लागू करता है।

- (ग) यदि माल की बिक्री के सम्बन्ध में कोई वित्तीय गारंटी अनुबंध जारी किया जाता है तो जारीकर्ता यह निर्धारित करने के लिए कि कब गारंटी तथा वस्तु की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाये भारतीय लेखा मानक 115 को लागू करता है।

ख2.6 यह उल्लेख कि एक जारीकर्ता कब अनुबंधों को बीमा अनुबंध के रूप में मानता है, यह सामान्यतया जारीकर्ता के ग्राहकों व नियामकों के साथ पत्र-व्यवहार अनुबंधों, व्यवसाय प्रलेखन और वित्तीय विवरणों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, बीमा अनुबंध प्रायः उन लेखा अपेक्षाओं के अधीन होते हैं जो कि बैंकों अथवा वाणिज्यिक कम्पनियों द्वारा जारी अनुबंधों जैसे अन्य प्रकार के लेनदेनों की अपेक्षाओं से भिन्न होती हैं। ऐसे मामलों में, एक जारीकर्ता के वित्तीय विवरणों में सामान्यतया वह विवरण सम्मिलित होता है जो कि जारीकर्ता ने उन लेखा अपेक्षाओं का प्रयोग किया है।

मान्यता एवं अमान्यता (अध्याय 3)

प्रारम्भिक मान्यता (खंड 3.1)

ख 3.1.1 अनुच्छेद 3.1.1 में दिए गए सिद्धांत के फलस्वरूप, एक प्रतिष्ठान अपने तुलनपत्र के व्युत्पन्नों के अधीन क्रमशः आस्तियों और दायित्वों के रूप में अपने तुलन-पत्र के व्युत्पन्नों के अधीन अपने सभी अधिकारों और दायित्वों को मान्यता प्रदान करता है, लेकिन इसमें व्युत्पन्न सम्मिलित नहीं है जो बिक्री के रूप में (देखें अनुच्छेद ख 3.2.14) लेखा किया जाने से वित्तीय आस्तियों के अन्तरण को रोकते हैं। यदि किसी वित्तीय आस्ति का अन्तरण अमान्यता के लिए अर्हक नहीं होता है तो अन्तरिती अन्तरित आस्ति को अपनी आस्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है (देखें अनुच्छेद 3.2.15)।

ख 3.1.2 अनुच्छेद 3.1.1 में दिये गए सिद्धांत को लागू करने के निम्नलिखित उदाहरण हैं:

- (क) शर्तहित प्राप्य राशियों और देय राशियों को आस्तियों अथवा दायित्वों के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब प्रतिष्ठान अनुबंध के लिए एक पक्षकार बन जाता है और, इसके फलस्वरूप, उसे नकदी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार अथवा नकदी अदा करने की कानूनी बाध्यता आ जाती है।
- (ख) माल अथवा सेवाओं की खरीद अथवा बिक्री करने के लिए एक दृढ़ वचनबद्धता के परिणामस्वरूप प्राप्त की जानेवाली आस्तियों और ग्रहण किये जाने वाले दायित्वों को सामान्यतया तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि कम से कम एक पक्ष द्वारा कार्य-निष्पादन नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान जिसे कि एक पक्का आर्डर प्राप्त होता है, वचनबद्धता के समय आस्ति को आमतौर पर मान्यता नहीं देता (और वह प्रतिष्ठान जो कि आर्डर देता है, आर्डर देते समय दायित्व को मान्यता नहीं देता)। परन्तु, इसकी बजाए, वह तब तक मान्यता देने में देरी करता है

जब तक कि आर्डर किये गये माल अथवा सेवाओं को भेज नहीं दिया जाता है, उन्हें सुपुर्द कर नहीं दिया जाता या दे नहीं दिया जाता है। यदि गैर वित्तीय मदों को खरीदने अथवा उनकी बिक्री की दृढ़ वचनबद्धता अनुच्छेद 2.4.-2.7 के अनुसार इस मानक के क्षेत्र के अन्तर्गत है तो वचनबद्धता की तिथि पर (देखें अनुच्छेद ख 4.1.30 (ग) एक आस्ति अथवा दायित्व के रूप में इसके शुद्ध उचित मूल्य को मान्यता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई पूर्ववर्ती अमान्य दृढ़ वचनबद्धता को एक उचित मूल्य प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षित मद के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है तो प्रतिरक्षित जोखिम से सम्बन्धित शुद्ध उचित मूल्य में किसी भी परिवर्तन को प्रतिरक्षा के प्रारम्भ होने के पश्चात एक आस्ति अथवा दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है (देखें अनुच्छेद 6.5.8 (ख) और 6.5.9)।

- (ग) एक वायदा अनुबंध को, जो कि इस मानक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है, (देखें अनुच्छेद 2.1) वचनबद्धता तिथि पर एक आस्ति अथवा एक दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है, न कि उस तिथि पर जिस पर कि निपटान किया जाता है। जब कोई प्रतिष्ठान एक वायदा अनुबंध का पक्षकार बन जाता है, तो अधिकार और बाध्यता का उचित मूल्य प्रायः समान होता है ताकि वायदा का शुद्ध मूल्य शून्य हो। यदि अधिकार और बाध्यता का शुद्ध उचित मूल्य शून्य नहीं है तो अनुबंध को एक आस्ति अथवा दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है।
- (घ) ऑप्शन अनुबंधों को, जो कि इस मानक (देखें अनुच्छेद 2.1) में कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, आस्तियों अथवा दायित्वों के रूप में मान्यता दी जाती है जब धारक अथवा अनुबंधकर्ता (राइटर) अनुबंध का एक पक्षकार बन जाता है।
- (ङ) योजनाबद्ध भावी लेनदेन, चाहे ये कैसे भी हों, आस्तियां एवं दायित्व नहीं हैं क्योंकि प्रतिष्ठान अनुबंध का एक पक्षकार नहीं है।

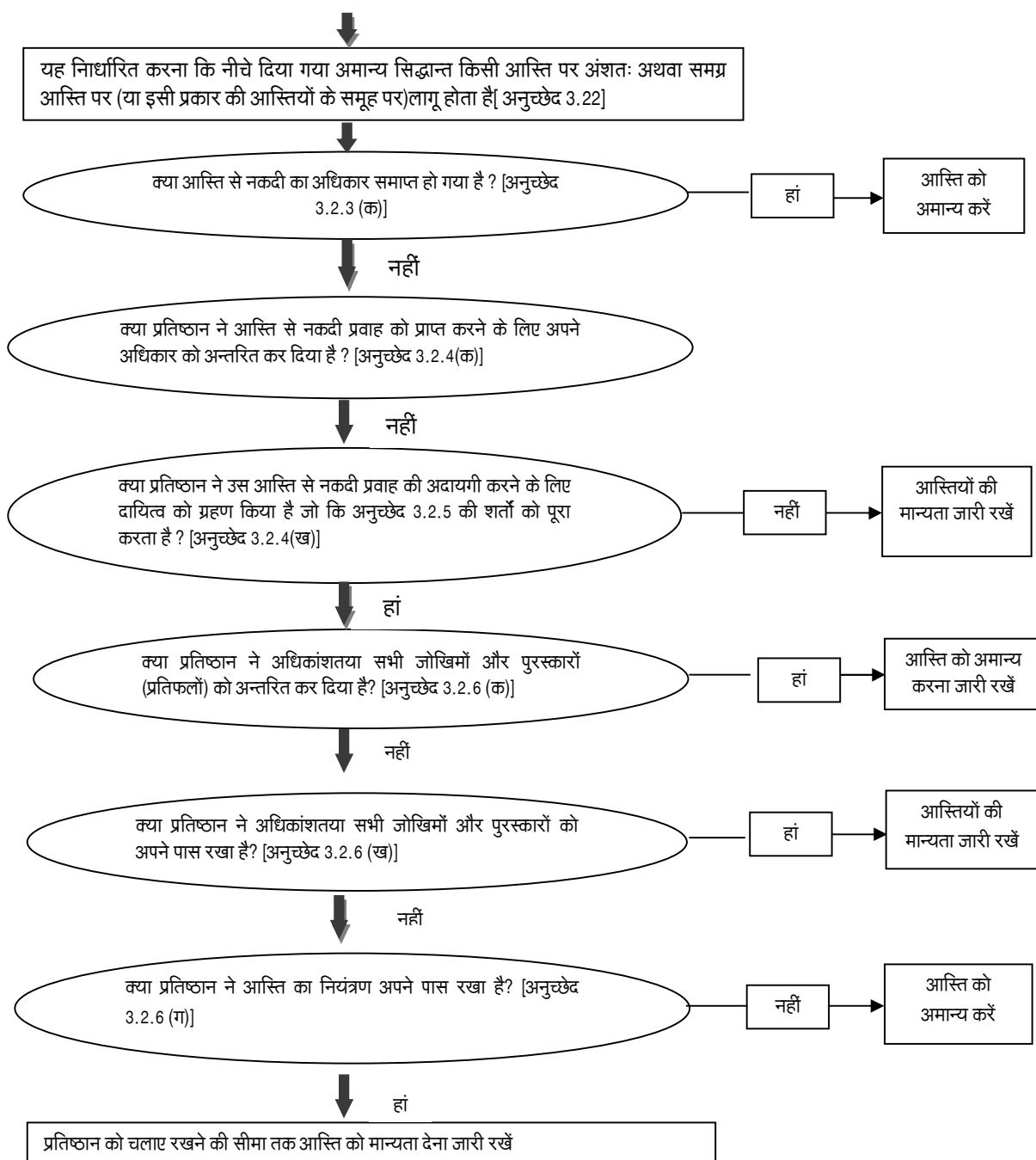
वित्तीय आस्तियों की नियमित रूप से खरीद अथवा बिक्री

- ख 3.1.3 अनुच्छेद ख 3.1.5 और ख 3.1.6 में वर्णित किए गए अनुसार या तो व्यापार तिथि लेखा अथवा निपटान तिथि लेखा का प्रयोग करते हुए वित्तीय आस्तियों की नियमित रूप से खरीद अथवा बिक्री को मान्यता दी जाती है। प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों की समग्र खरीद अथवा बिक्री के लिए उसी विधि को समान रूप से प्रयोग करेगा जो कि उस मानक के अनुसार उसी रूप में वर्गीकृत है। इस प्रयोजन के लिए आस्तियां लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापी जाती हैं वे उचित मूल्य पर मापे गए अनुसार नामोद्दिष्ट आस्तियों से पृथक् वर्गीकरण का सृजन करती हैं। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 5.75 दिए गए ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए इक्विटी लिखतों में निवेशों का लेखा किया जाता है।
- ख 3.1.4 एक अनुबंध जो कि अनुबंध के मूल्य में परिवर्तन के शुद्ध निपटान की अपेक्षा करता है अथवा इसकी अनुमति देता है, वह एक नियमित रूप से अनुबंध नहीं है। इसके स्थान पर, इस प्रकार के अनुबंध का लेखा व्यापार तिथि और निपटान तिथि के बीच की अवधि में एक व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है।
- ख 3.1.5 व्यापार तिथि वह तिथि है जब एक प्रतिष्ठान स्वयं किसी आस्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए वचनबद्ध होता है। व्यापार तिथि लेखा से अभिप्राय यह है कि (क) व्यापार तिथि पर प्राप्त की जाने वाली आस्ति और अदा किया जाने वाले दायित्व को मान्यता देना और (ख) इस आस्ति को अमान्य करना जिसकी बिक्री कर दी गयी है, निपटान पर किसी लाभ (गेन) अथवा हानि को मान्यता देना और व्यापार तिथि पर भुगतान के लिए खरीददार से प्राप्य राशि को मान्यता देना। आमतौर पर, ब्याज तब तक आस्ति और तदनुरूपी दायित्व पर उर्पाजित नहीं होता जब तक निपटान तिथि नहीं आ जाती और जब शीर्ष (टाइटल) का हस्तांतरण होता है।
- ख 3.1.6 निपटान तिथि वह तिथि है जब प्रतिष्ठान को अथवा उसके द्वारा आस्ति को सुपुर्द किया जाता है। निपटान तिथि लेखा से अभिप्राय है कि (क) उस दिन आस्ति को मान्यता देना जिस दिन यह प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त की जाती है, और (ख) आस्ति को उस दिन अमान्य करना जिस दिन यह प्रतिष्ठान द्वारा सुपुर्द की जाती है और उसी दिन निपटान पर किसी लाभ (गेन) अथवा हानि को मान्यता देना। जब निपटान तिथि लेखा को लागू किया जाता है तो प्रतिष्ठान उस आस्ति के उचित मूल्य में किसी भी परिवर्तन का लेखा करता है जो कि उसी रूप में व्यापार तिथि और निपटान तिथि की अवधि के दौरान प्राप्त किया जाना है जैसा कि अधिग्रहीत आस्ति का लेखा किया जाता है अन्य शब्दों में, मूल्य में परिवर्तन को परिशोधित लागत पर मापी गयी आस्तियों के लिए मान्यता नहीं दी जाती है उसकी मान्यता उन आस्तियों की लाभ अथवा हानि में दी जाती है जो कि लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय आस्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, और उसकी मान्यता उन वित्तीय आस्तियों के लिए अन्य व्यापक आय में दी जाती है जो कि अनुच्छेद 4.1.2 के अनुसार तथा अन्य व्यापक आय के माध्यम से और अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसार लेखा की गयी इक्विटी लिखतों में निवेशों के लिए मापी गयी है।

वित्तीय आस्तियों की अमान्यता (खण्ड 3.2.)

- ख 3.2.1 निम्नलिखित प्रवाह चार्ट उदाहरण सहित यह मूल्यांकन दर्शाता है कि क्या वित्तीय आस्ति को अमान्य किया गया है अथवा नहीं और किस सीमा तक।

सभी अनुषंगियों का समेकन करें (अनुच्छेद 3.2.1)



व्यवस्था जिसके अन्तर्गत एक प्रतिष्ठान जहां किसी वित्तीय आस्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए अनुबंधात्मक अधिकारों को अपने पास रखता है, वहीं एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाहों की अनुबंधात्मक बाध्यता भी ग्रहण करता है। (अनुच्छेद 3.2.4(ख))

ख 3.2.2 अनुच्छेद 3.2.4 (ख) में वर्णित स्थिति (जब कोई प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए अनुबंधात्मक अधिकार अपने पास रखता है परंतु वह एक अथवा एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह की अदायगी करने के लिए अनुबंधात्मक बाध्यता ग्रहण करता है) तब होती है, उदाहरण के लिए, यदि प्रतिष्ठान एक न्यास (ट्रस्ट) हो, और उन रेखांकित वित्तीय आस्तियों में निवेशकों को लाभदायक हित जारी करता है जो कि उसके स्वामित्व में हैं और उन वित्तीय आस्तियों की सर्विसिंग प्रदान करता है। उस मामले में, वित्तीय आस्तियां अमान्यता की अर्हक होती हैं यदि अनुच्छेद 3.2.5 और 3.2.6 की शर्तें पूरी हों।

- ख 3.2.3 अनुच्छेद 3.2.5 के लागू करने में प्रतिष्ठान, उदाहरण के लिए, वित्तीय आस्ति का मूल प्रतिष्ठान बन सकता है अथवा यह वह एक समूह बन सकता है जिसमें वह एक अनुषंगी प्रतिष्ठान के रूप में सम्मिलित होता है जिसने वित्तीय आस्ति को अधिगृहित किया है और यह असम्बन्धित अन्य पक्ष (पार्टी) निवेशकों को नकदी प्रवाह अन्तरित करता है।
- स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों (प्रतिफल) के अन्तरण का मूल्यांकन (अनुच्छेद 3.2.6)*
- ख 3.2.4 जब एक प्रतिष्ठान स्वामित्व के अधिकांशतया सभी जोखिमों और पुरस्कारों (प्रतिफल) को अन्तरित करता है इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं:
- (क) किसी वित्तीय आस्ति की शर्तरहित बिक्री;
 - (ख) पुनःखरीद के समय वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य पर वित्तीय आस्ति की पुनर्खरीद के ऑप्शन के साथ वित्तीय आस्ति की बिक्री; तथा
 - (ग) पुट अथवा काल ऑप्शन के साथ किसी वित्तीय आस्ति की बिक्री जो कि पूर्ण रूप से आउट आफ मनी है (अर्थात् वह विकल्प जो कि अब तक आउट आफ मनी है इसकी अति असंभावना है कि समाप्ति से पहले यह इन मनी) हो।
- ख 3.2.5 जब एक प्रतिष्ठान स्वामित्व के अधिकांशतया सभी जोखिम और पुरस्कार अपने पास रखता है, इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं:
- (क) एक बिक्री और एक पुनर्खरीद का लेन देन जहां पुनर्खरीद कीमत एक निश्चित कीमत है अथवा ऋणदाता के प्रतिफल सहित बिक्री कीमत है;
 - (ख) प्रतिभूतियाँ ऋणदायी करार;
 - (ग) एक वित्तीय आस्ति की बिक्री जिसके साथ कुल प्रतिफल स्वैप के साथ है जो बाजार का जोखिम एक्सपोजर प्रतिष्ठान को वापस अन्तरित करता है;
 - (घ) वित्तीय आस्ति की बिक्री जो गहन इनमनी या कॉल ऑप्शन के साथ है (ऐसा ऑप्शन है जो अब तक इनमनी है और समाप्ति से पूर्व आउट आफ मनी की अति असंभावना है) तथा ;
 - (ङ) अल्पावधि प्राप्य राशियों की बिक्री जिनमें प्रतिष्ठान अन्तरिती को क्रेडिट हानियों की क्षतिपूर्ति करने की गारंटी देता है जिसके उत्पन्न होने की संभावना है।
- ख 3.2.6 यदि कोई प्रतिष्ठान यह निश्चय करता है कि अन्तरण के फलस्वरूप, इसने अन्तरित की गई आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को अधिकांश रूप में अन्तरित कर दिया है यह तब तक भावी अवधि में अन्तरित आस्ति को मान्यता नहीं देता है जब तक यह किसी नवीन लेन देन में अन्तरित अस्ति को पुनः अधिग्रहीत नहीं कर लेता।
- नियंत्रण के अन्तरण का मूल्यांकन*
- ख 3.2.7 प्रतिष्ठान अपने पास अन्तरित की गई आस्ति का नियंत्रण नहीं रखता है यदि अन्तरिती के पास अन्तरित की गई आस्ति की बिक्री के लिए व्यावहारिक क्षमता है। प्रतिष्ठान का अन्तरित की गई आस्ति पर नियंत्रण है यदि अन्तरिती अन्तरित की गई आस्ति की बिक्री की व्यावहारिक रूप से सक्षम नहीं है। अन्तरिती के पास अन्तरित की गई आस्ति की बिक्री करने की व्यावहारिक क्षमता है यदि इसका व्यापार एक सक्रिय बाजार में है क्योंकि अन्तरिती बाजार में तब अन्तरित आस्ति की पुनर्खरीद कर सकता है जब प्रतिष्ठान को आस्ति लौटाए जाने की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, एक अन्तरिती के पास अन्तरित की गई आस्ति की बिक्री करने के लिए व्यावहारिक क्षमता हो सकती है यदि अन्तरित आस्ति उस (ऑप्शन) के अधीन है जो कि उसकी पुनर्खरीद के लिए प्रतिष्ठान को अनुमति प्रदान करता है परंतु अन्तरिती बाजार में अन्तरित आस्ति को तत्काल प्राप्त कर सकता है यदि (ऑप्शन) का प्रयोग किया जाए। अन्तरिती को अन्तरित आस्ति की बिक्री करने के लिए व्यावहारिक क्षमता नहीं होती है यदि प्रतिष्ठान इस प्रकार का (ऑप्शन) अपने पास रखता है और अन्तरिती अन्तरित आस्ति को बाजार में तत्काल प्राप्त नहीं कर सकता, यदि प्रतिष्ठान जब भी अपने (ऑप्शन) का प्रयोग करता है।
- ख 3.2.8 अन्तरिती के पास अन्तरित आस्ति की बिक्री के लिए व्यावहारिक क्षमता तभी होती है यदि अन्तरिती किसी अन्य असम्बन्धित पक्ष (पार्टी) को अन्तरित अस्ति सम्पूर्णतया में बेच सकता हो और अन्तरण पर अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाए बिना एकतरफा उस क्षमता को प्रयोग करने की सामर्थ्य रखता हो। गंभीर प्रश्न यह है कि अन्तरिती व्यवहार में क्या करने का सामर्थ्य रखता है, न कि अनुबंधात्मक अधिकारों द्वारा वह अन्तरित की गई आस्ति का क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, विशेषकर :
- (क) अन्तरित की गई आस्ति के निपटान के लिए अनुबंधात्मक अधिकार का व्यावहारिक प्रभाव है, यदि अन्तरित की गई आस्ति का कोई बाजार नहीं है, और

(ख) अन्तरित की गई आस्ति का निपटान करने के लिए क्षमता का बहुत कम व्यवहारिक प्रभाव है, यदि इसे मुक्त रूप से प्रयोग न किया जा सकता हो। इस कारण के लिए:

- (i) अन्तरित की गई आस्ति का निपटान करने की अन्तरिती की क्षमता अन्यो की कार्रवाइयो से अवश्य स्वतंत्र हो (अर्थात् यह अवश्य ही एकपक्षीय क्षमता हो); और
- (ii) अन्तरिती के पास प्रतिबंधात्मक शर्तें अथवा प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बिना अन्तरित की गई आस्ति का निपटान करने की क्षमता अवश्य हो (उदाहरणार्थ, कैसे ऋण आस्ति की शर्तों के बारे में पूर्ति की जाती है अथवा कैसे आस्ति की पुनर्खरीद करने के लिए (ऑप्शन) दिया जाता है)

ख 3.2.9 यह कि, अन्तरिती द्वारा आस्ति की बिक्री नहीं करने की असंभाव्यता से, अपने आप, यह अभिप्राय नहीं निकलता है कि अन्तरिती ने अपने पास अन्तरित की गई आस्ति का नियंत्रण रखा है। तथापि, यदि एक पुट ऑप्शन अथवा गारंटी अन्तरित आस्ति की बिक्री करने से अन्तरिती को रोकता है, तब अन्तरिती ने अन्तरित आस्ति का नियंत्रण अपने पास रखा है। उदाहरण के लिए, यदि एक पुटऑप्शन अथवा गारंटी पर्याप्त रूप में मूल्यवान है तो यह अन्तरिती को अन्तरित आस्ति की बिक्री करने से रोकता है क्योंकि अन्तरिती व्यवहारिक रूप में समान ऑप्शन अथवा अन्य प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाए बिना अन्य पक्ष (पार्टी) को अन्तरित आस्ति की बिक्री नहीं करेगा। इसकी बजाए अन्तरिती अन्तरित आस्ति को रखेगा ताकि गारंटी अथवा पुट ऑप्शन के अन्तर्गत भुगतान कर सके। इन परिस्थितियों में अन्तरिती ने अन्तरित की गई आस्ति का नियंत्रण अपने पास रखा है।

अन्तरण जो अमान्यता के लिए अर्हक है

3.2.10 प्रतिष्ठान उन आस्तियों की सर्विसिंग की क्षतिपूर्ति के रूप में अन्तरित आस्तियों पर ब्याज के भुगतानों के भाग के रूप में अपना अधिकार रख सकता है। ब्याज भुगतानों का भाग, जिसे कि प्रतिष्ठान सर्विसिंग अनुबंध की समाप्ति पर छोड़ देगा, उसे सर्विसिंग आस्ति अथवा सर्विसिंग दायित्व की समाप्ति अथवा अन्तरण पर आवंटित किया जाता है। ब्याज भुगतानों का वह अंश जो कि प्रतिष्ठान नहीं छोड़ेगा वह प्राप्य ब्याज केवल स्ट्रूप है। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिष्ठान सर्विसिंग अनुबंध के समापन अथवा अन्तरण पर किसी हित को नहीं छोड़ता है तो समस्त ब्याज फौलाव केवल ब्याज स्ट्रूप प्राप्य है। अनुच्छेद 3.2.13 लागू किए जाने के प्रयोजनों के लिए, सर्विसिंग आस्ति का उचित मूल्य और केवल ब्याज (स्ट्रूप) प्राप्य को प्राप्य राशि अग्रणीत आस्ति के उस अंश जिसे अमान्य किया जाता है और उस अंश जिसकी मान्यता जारी रखी जाती है, के मध्य प्राप्य राशि की अग्रणीत राशि के आवंटन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि कोई सर्विसिंग फीस निर्धारित नहीं है या प्राप्त की जाने वाली फीस सर्विसिंग के कार्य-निष्पादन के लिए प्रतिष्ठान की पर्याप्त रूप में क्षतिपूर्ति करने की आशा नहीं है तो सर्विसिंग बाध्यता के लिए दायित्व को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

ख 3.2.11 अनुच्छेद 3.2.13 को लागू करने के प्रयोजन के लिए उस अंश के उचित मूल्यों का माप करते समय जिसे मान्यता दी जानी जारी रहती है और उस अंश को अमान्य किया जाता है, एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 3.2.14 के अतिरिक्त भारतीय लेखा मानक 113, *उचित मूल्य माप* में उचित मूल्य अपेक्षाओं को लागू करता है।

अन्तरण जो अमान्यता के लिए अर्हक नहीं है

ख 3.2.12 अनुच्छेद 3.2.15 में रेखांकित सिद्धान्त का प्रयोग नीचे दिया गया है। यदि अन्तरित की गई आस्ति पर चूक की हानियों के लिए प्रतिष्ठान द्वारा दी गई गारंटी अन्तरित आस्ति को अमान्यता से रोकती है क्योंकि प्रतिष्ठान ने अन्तरित आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों (प्रतिफल) को अधिकांशतया अपने पास रखा है, अन्तरित की गई आस्ति को इसके समग्र रूप में मान्यता दिया जाना जारी रहता है और प्राप्त प्रतिफल को दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

अन्तरित आस्तियों में निरन्तर समावेश

ख 3.2.13 निम्नलिखित इस बात के उदाहरण हैं कि अनुच्छेद 3.2.16 के अन्तर्गत कैसे एक प्रतिष्ठान अन्तरित आस्ति और संबद्धित दायित्व को मापता है।

समस्त आस्तियां

(क) यदि अन्तरित आस्ति पर प्रदान चूक हानियों के लिए प्रतिष्ठान द्वारा भुगतान करने हेतु दी गई गारंटी, निरन्तर सम्मिलित होने की सीमा तक अन्तरित आस्ति के अमान्य होने से रोकती है, तो अन्तरण की तिथि पर अन्तरित आस्ति का माप (i) आस्ति की अग्रणीत राशि और (ii) अन्तरण में प्राप्त प्रतिफल की अधिकतम राशि जिसे अदा करने के लिए प्रतिष्ठान से अपेक्षा होती है (गारंटी राशि), इन दोनों में, जो कम है उस पर की जाती है। संबद्धित दायित्व का माप प्रारम्भिक तौर पर गारंटी के उचित मूल्य और गारंटी राशि पर किया जाती है (जो कि आमतौर पर गारंटी के लिए प्राप्त प्रतिफल है)। तदनन्तर, गारंटी का प्रारम्भिक उचित मूल्य को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है जब

(अथवा के रूप में) दायित्व पूरा हो जाता है (भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों के अनुसार) और आस्ति की अग्रणीत राशि किसी भी हानि की रियायत द्वारा कम हो जाती है।

परिशोधित लागत पर मापी गयी आस्तियाँ

- (ख) यदि एक प्रतिष्ठान द्वारा लिखित कोई पुट ऑप्शन बाध्यता अथवा एक प्रतिष्ठान द्वारा धारित काल ऑप्शन किसी अन्तरित आस्ति का अमान्य होने से बचाव करता है और प्रतिष्ठान अन्तरित आस्ति का परिशोधित लागत पर माप करता है तो संबंधित दायित्व का माप इसकी लागत पर किया जाएगा। (अर्थात् प्राप्त प्रतिफल) जो कि आप्शन की समापन तिथि पर अन्तरित आस्ति की लागत और कुल अग्रणीत राशि के बीच किसी अन्तर के समाशोधन के लिए समायोजित की जाती है। उदाहरण के लिए, मान लें कि अन्तरण की तिथि पर आस्ति की कुल अग्रणीत (कैरिंग) राशि 98/-रुपये है और प्राप्त प्रतिफल 95/-रुपये है। आप्शन प्रयोग करने की तिथि पर, आस्ति की कुल अग्रणीत राशि 100/-रुपये होगी। संबद्धित दायित्व की प्रारम्भिक अग्रणीत राशि 95/-रुपये है तो प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करके लाभ अथवा हानि में 95/-रुपये और 100/-रुपये के बीच के अन्तर को मान्यता दी जाएगी। यदि आप्शन का प्रयोग किया जाता है तो संबद्धित दायित्व की अग्रणीत राशि और प्रयोग कीमत के किसी भी अन्तर को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

उचित मूल्य पर मापी गयी आस्तियाँ

- (ग) यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा अपने पास रखा गया काल ऑप्शन एक अन्तरित आस्ति को अमान्य होने से रोकता है और प्रतिष्ठान उचित मूल्य पर अन्तरित आस्ति का माप करता है तो आस्ति का उचित मूल्य पर मापा जाना जारी रहता है। संबद्धित दायित्व का माप (i) ऑप्शन का समय मूल्य घटाकर दायित्व का उचित मूल्य ऑप्शन प्रयोग कीमत यदि ऑप्शन इन मनी या एट मनी है, अथवा (ii) ऑप्शन का समय मूल्य घटाकर अन्तरित आस्ति का उचित मूल्य, यदि ऑप्शन आउट आफ मनी है, पर किया जाता है। संबद्धित दायित्व के माप का समायोजन यह सुनिश्चित करता है कि आस्ति और संबद्धित दायित्व की शुद्ध अग्रणीत राशि मांग कॉल ऑप्शन अधिकार का उचित मूल्य है। उदाहरण के लिए, आडरलाइंग आस्ति का उचित मूल्य 80/-रुपये है, ऑप्शन उपयोग कीमत 95/-रुपये है और ऑप्शन का समय मूल्य 5/-रुपये है, सम्बन्धित दायित्व की अग्रणीत राशि 75/-रुपये (80 रुपये 5 रुपये) और अन्तरित अग्रणीत की किया राशि 80/-रुपये है (अर्थात् इसका उचित मूल्य)।
- (घ) यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा लिखित पुट ऑप्शन अन्तरित आस्ति को अमान्य होने से रोकता है और प्रतिष्ठान उचित मूल्य पर अन्तरित आस्ति का माप करता है, संबद्धित दायित्व का माप ऑप्शन के समय मूल्य को समाविष्ट करके ऑप्शन प्रयोग कीमत पर किया जाता है। उचित मूल्य पर आस्ति का माप उचित मूल्य और ऑप्शन उपयोग कीमत, इन दोनों में जो कम है, उस तक सीमित है क्योंकि ऑप्शन की उपयोग कीमत से ऊपर अन्तरित आस्ति के उचित मूल्य में बढ़ोतरी करने का प्रतिष्ठान को कोई अधिकार नहीं है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आस्ति और संबद्धित दायित्व की शुद्ध अग्रणीत राशि पर आप्शन दायित्व का उचित मूल्य है। उदाहरण के लिए, यदि अडरलाइंग आस्ति का उचित मूल्य 120/-रुपये है, आप्शन उपयोग कीमत 100/-रुपये है और आप्शन का समय मूल्य 5/-रुपये है, संबद्धित दायित्व की अग्रणीत राशि 105/-रुपये (100+5 रुपये) है और आस्ति की अग्रणीत राशि 100/-रुपये (इस मामले में आप्शन उपयोग कीमत) है।
- (ङ) यदि एक मांग-कर्ता, खरीदी गयी काल और लिखित पुट के रूप में अमान्य होने से अन्तरित आस्ति को रोकता है और प्रतिष्ठान उचित मूल्य पर आस्ति का माप करता है तो यह उचित मूल्य पर मापना जारी रखता है, संबद्धित दायित्व का माप (i) काल उपयोग कीमत और काल ऑप्शन का समय मूल्य घटाकर पुट ऑप्शन का उचित मूल्य का योग, यदि काल ऑप्शन इन द मनी अथवा एट द मनी है, अथवा (ii) आस्ति को उचित मूल्य और काल ऑप्शन के समय मूल्य को घटाकर पुट ऑप्शन का उचित मूल्य का योग, यदि काल ऑप्शन आउट आफ मनी है, पर किया जाता है। संबद्धित दायित्व का समायोजन यह सुनिश्चित करता है कि आस्ति और संबद्धित दायित्व की शुद्ध अग्रणीत राशि प्रतिष्ठान द्वारा लिखित और धारित आप्शन का उचित मूल्य है। उदाहरण के लिए, मान लें कि प्रतिष्ठान किसी वित्तीय आस्ति को अन्तरित करता है जो कि उचित मूल्य पर मापी जाती है जबकि इसके साथ ही 120/-रुपये की उपयोग कीमत के साथ एक काल खरीदता है और 80/-रुपये की प्रयोग कीमत के साथ एक पुट लिखता है। साथ ही, यह भी मान लें कि आस्ति का उचित मूल्य अन्तरण की तिथि पर 100/- है। पुट और काल का समय मूल्य क्रमशः 1/-रुपये और 5/-रुपये है। इस मामले में प्रतिष्ठान 100/-रुपये की आस्ति (आस्ति का उचित मूल्य) और 96/-रुपये के दायित्व (100+1रुपया)-5 रुपये को मान्यता देता है। यह 4/-रुपये का शुद्ध आस्ति मूल्य प्रदान करता है, जो कि प्रतिष्ठान इस लिखित और धारित आप्शन का उचित मूल्य है।

समस्त अन्तरण

ख 3.2.14 उस सीमा तक कि, किसी वित्तीय आस्ति का अन्तरण अमान्यता के लिए अर्हक नहीं है, अन्तरण से सम्बन्धित अन्तरिति के अनुबंधात्मक अधिकारों अथवा दायित्वों को व्युत्पन्नों के रूप में अलग से लेखा नहीं किया जाएगा, यदि दोनों ही व्युत्पन्नों को मान्यता दी जाती है और अन्तरण से उत्पन्न या तो अन्तरित आस्ति या फिर दायित्व के परिणामस्वरूप उन्हीं अधिकारों अथवा बाध्यताओं को दो बार मान्यता मिल जाती है। उदाहरण के लिए, अन्तरणकर्ता द्वारा अपने पास (रखा गया) काल आप्शन वित्तीय आस्तियों के अन्तरण को बिक्री के रूप में लेखे के लिए रोक सकता है। उस मामले में, काल आप्शन को पृथक रूप में एक व्युत्पन्न आस्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती।

ख 3.2.15 उस सीमा तक, कि कोई वित्तीय आस्ति अमान्य होने के लिए अर्हक नहीं हो जाती है, अन्तरिति अन्तरित आस्ति को अपनी आस्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। अन्तरिति नकदी अथवा अन्य अदा किए गए प्रतिफल को अमान्य कर देता है और अन्तरणकर्ता से प्राप्य राशि को मान्यता देता है। यदि अन्तरणकर्ता के पास एक निश्चित राशि के लिए समस्त अन्तरित आस्ति के नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने के लिए अधिकार और दायित्व दोनों ही हैं (जैसे कि एक पुनर्खरीद करार के अन्तर्गत), तो अन्तरिति अपनी प्राप्य राशि को परिशोधित लागत पर माप सकता है बशर्ते यह अनुच्छेद 4.1.2 के मानदण्ड को पूरा करता हो।

उदाहरण

ख 3.2.16 निम्नलिखित उदाहरण इस मानक के अमान्यता-सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करते हैं:

- (क) *पुनर्खरीद करार और प्रतिभूतियों पर उधार देना*। यदि, कोई वित्तीय आस्ति किसी एक निश्चित कीमत पर अथवा एक ऋणदाता के प्रतिफल सहित बिक्री कीमत पर पुनर्खरीद करने के लिए एक करार के अन्तर्गत बेची जाती है और यदि अन्तरणकर्ता को इसे लौटाने के लिए किसी करार के अन्तर्गत यह ऋण प्रदान किया जाता है तो इसे अमान्य नहीं किया जाएगा क्योंकि अन्तरणकर्ता स्वामित्व के अधिकांशतया सभी जोखिमों और पुरस्कारों को अपने पास रखता है। यदि अन्तरिति उस आस्ति को बेचने या बंधक रखने के अधिकार प्राप्त करता है तो अपने तुलन-पत्र में आस्ति को, उदाहरण के लिए, ऋणशुदा आस्ति अथवा पुनर्खरीद प्राप्य राशि के रूप में पुनर्वर्गीकृत करता है।
- (ख) *पुनर्खरीद करार एवं प्रतिभूति-युक्त ऋण-आस्तियां जो अधिकांश रूप में वही हैं*, यदि कोई वित्तीय आस्ति अन्तरणकर्ता करार के अन्तर्गत उसी आस्ति अथवा अधिकांश रूप में उसी आस्ति की नियत कीमत पर अथवा ऋण दाता के प्रतिफल सहित बिक्री कीमत पर, पुनर्खरीद करने के लिए बेची जाती है अथवा यदि कोई वित्तीय आस्ति अन्तरणकर्ता को उसी अथवा अधिकांश रूप में उसी आस्ति को वापस लौटाने के लिए करार के अन्तर्गत उधार में ली जाती है अथवा उधार में दी जाती है तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी क्योंकि अन्तरणकर्ता अपने पास स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार (प्रतिफल) रखता है।
- (ग) *पुनर्खरीद करार और प्रतिभूतियों पर ऋण देना-स्थानापन्न का अधिकार*। यदि किसी निश्चित पुनर्खरीद कीमत अथवा ऋणदाता के प्रतिफल सहित बिक्री कीमत अथवा उसी तरह की प्रतिभूतियों पर ऋण प्रदान करने के लेनदेन के समान पुनर्खरीद करार अन्तरिति को उन आस्तियों को प्रतिस्थापित करने का अधिकार देता है जो कि पुनर्खरीद तिथि पर अन्तरित आस्ति की तरह हैं और अन्तरित आस्ति के उचित मूल्य के समान हैं; पुनर्खरीद अथवा प्रतिभूतियों पर ऋण देने में लेनदेन के अन्तर्गत बेची गई अथवा उस पर उधार दी गई आस्ति को अमान्य नहीं किया जाता है क्योंकि अन्तरणकर्ता स्वामित्व के समस्त जोखिमों और पुरस्कारों को अपने पास रखता है।
- (घ) *उचित मूल्य पर पहली बार अस्वीकार करने का पुनर्खरीद अधिकार*। यदि कोई प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति की बिक्री करता है और वह अपने पास उचित मूल्य पर अन्तरित आस्ति की पुनर्खरीद करने के लिए केवल पहली बार अस्वीकार करने का अधिकार रखता है और यदि अन्तरिति बाद में इसे बेच देता है, प्रतिष्ठान इस आस्ति को अमान्य कर देता है क्योंकि इसने स्वामित्व के अधिकांश रूप में सभी जोखिमों और पुरस्कारों को अन्तरित कर दिया है।
- (ङ) *लाभ हानि रहित, बिक्री लेन-देन (वाश सेल लेनदेन)*। बिक्री के तुरंत बाद किसी वित्तीय आस्ति की पुनर्खरीद करने को कभी-कभी लाभ-हानि रहित बिक्री (वाश रूप) के रूप में उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार की पुनर्खरीद अमान्यता को नहीं रोकती है बशर्ते मूल लेन-देन ने अमान्यता अपेक्षाओं को पूरा किया है। तथापि, यदि वित्तीय आस्ति की बिक्री करने का करार नियत कीमत पर अथवा ऋणदाता के प्रतिफल सहित बिक्री कीमत पर उसी आस्ति की पुनर्खरीद के करार के साथ-साथ किया जाता है, तो आस्ति को अमान्यता नहीं दी जाती है।
- (च) *पुट आप्शन तथा कॉल ऑप्शन जो गहन रूप से इनमनी में हों*। यदि किसी अंतरित वित्तीय आस्ति को, अन्तरणकर्ता के द्वारा वापस ले ली जाए तथा कॉल ऑप्शन गहन रूप से इनमनी में हो, तो यह अंतरण अमान्यता की अर्हकता को पूरा नहीं करता है क्योंकि अन्तरणकर्ता ने स्वामित्व के अधिकांशतया सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को पहले ही प्रतिधारित कर लिया है। इसी प्रकार से, यदि अंतरिति द्वारा वित्तीय आस्ति को पुनः बिक्री हेतु रखा जाए तथा पुट

ऑप्शन गहन रूप से इनमनी में हो तो वह अंतरण अमान्यता के लिए अर्हक नहीं है क्योंकि स्वामित्व के अधिकांशतया सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को पहले ही प्रतिधारित कर लिया है।

- (छ) पुट ऑप्शन तथा काल ऑप्शन जो गहन रूप से आउट आफ मनी हैं। एक वित्तीय आस्ति जिसका अंतरण केवल तभी हो सकता है यदि अंतरिति द्वारा आउट आफ मनी गहन रूप से होने वाले पुट ऑप्शन धारित हो अथवा अंतरणकर्ता ने स्वामित्व के आउट आफ मनी गहनता रहने वाले कॉल ऑप्शन द्वारा से हो तो वह वित्तीय आस्ति अमान्य होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरणकर्ता वाले ने अधिकांशतया सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को अंतरित कर दिया है।
- (ज) 'काल' ऑप्शन के तत्काल प्राप्त करने योग्य आस्तियां जो न तो गहन रूप से इनमनी हो और न ही गहनता से आउट आफ मनी हो। यदि कोई प्रतिष्ठान किसी ऐसी आस्ति पर कॉल ऑप्शन धारण करता है जो बाजार में तत्काल वापसी के लिए उपलब्ध हो तथा यह ऑप्शन न तो गहन रूप से इनमनी हो और न ही गहन रूप से आउट आफ मनी हो, तो उस आस्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिष्ठान ने (i) स्वामित्व के अधिकांशतया सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को न तो रखा है और न ही अंतरित किया है, तथा (ii) नियंत्रण नहीं रखा है। तथापि यदि वह आस्ति बाजार में सुगमतापूर्वक तत्काल वापस उपलब्ध न हो तो, अमान्यता के अधीन को आस्ति की राशि की सीमा तक रोका जाता है जो काल विकल्प के अधीन है क्योंकि प्रतिष्ठान ने आस्ति पर नियंत्रण रखा है।
- (झ) प्रतिष्ठान द्वारा लिखित पुट ऑप्शन के अधीन सुगमतापूर्वक तत्काल वापस न आने वाली आस्तियां जो न तो गहन रूप से इनमनी हों और न ही गहन रूप से आउट आफ मनी नहों। यदि एक प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति का अंतरण करता है जो बाजार में सुगमतापूर्वक तत्काल वापस मिलने वाली न हो तथा वह पुट ऑप्शन लिखता है जो गहन रूप से आउट आफ मनी नहीं हो तो लिखित पुट ऑप्शन के कारण प्रतिष्ठान न तो स्वामित्व के अधिकांशतया सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को रखता है और न ही अंतरित करता है। प्रतिष्ठान आस्ति का नियंत्रण करता है। यदि पुट ऑप्शन अन्तरिति को आस्ति को बेचने से रोकने के लिए पर्याप्त रूप से मूल्यवान हो, ऐसी परिस्थिति में आस्ति का मान्य उस सीमा तक जारी रहता है जिस स्तर तक अन्तरणकर्ता की भागीदारी जारी रहती है। (देखें अनुच्छेद ख 3.2.9)। प्रतिष्ठान आस्ति के नियंत्रण को अंतरित करता है यदि पुट ऑप्शन अन्तरिति को, आस्ति को बेचने से रोकने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में आस्ति को मान्यता नहीं दी जाती है।
- (ञ) उचित मूल्य पर पुट अथवा कॉल ऑप्शन या वायदा पुनर्खरीद करार के अधीन आस्तियां। एक वित्तीय आस्ति का अंतरण जो केवल पुट या कॉल ऑप्शन या वायदा पुनर्खरीद करार के अधीन हो तथा जिसका उपयोग तथा पुनर्खरीद कीमत वित्तीय आस्ति के अंतरण जो केवल पुट या काल ऑप्शन या वायदा पुनर्खरीद करार के अधीन हो तथा जिसका उपयोग या पुनर्खरीद कीमत पुनर्खरीद के समय वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य के बराबर हो, परिणाम स्वरूप उसे मान्यता प्राप्त नहीं होती है क्योंकि स्वामित्व के अधिकांशतया सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों का अंतरण किया जाता है।
- (ट) नकदी रूप से निपटाये गये काल अथवा पुट ऑप्शन। एक प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति के अंतरण का मूल्यांकन करता है जो पुट या कॉल ऑप्शन या वायदा पुनर्खरीद करार के अधीन होता है तथा जिसका निपटान निवल नकद रूप में किया जाएगा ताकि यह निश्चित किया जा सके कि उसने स्वामित्व के अधिकांश सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को अपने पास रखा है अथवा अंतरित कर दिया है। यदि प्रतिष्ठान ने अन्तरित आस्ति के स्वामित्व के अधिकांशतया सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को अपने पास नहीं रखा है तो यह निश्चित करेगा कि उसने अंतरित आस्ति का नियंत्रण अपने पास रखा है अथवा नहीं। जब पुट या काल या वायदा पुनर्खरीद करार को निवल नकदी रूप में निपटाया जाता है तो इसका स्वतः अर्थ यह नहीं है कि प्रतिष्ठान ने नियंत्रण को भी अंतरित कर दिया है (देखें अनुच्छेद) ख 3.2.9 तथा उपर्युक्त छ, ज तथा झ को देखें)।
- (ठ) लेखा प्रावधान को हटाना। एक प्रकार का बिना किसी शर्त का पुनर्खरीद कॉल ऑप्शन है जो प्रतिष्ठान को यह अधिकार देता है कि वह अंतरित आस्ति को कुछ प्रतिबंधों के साथ पुनः वापस किए जाने की मांग कर सके। ऐसे ऑप्शन के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान न तो स्वामित्व के अधिकांशतया तथा सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को अपने पास रख पाता है और न ही अंतरित कर पाता है। इसका आशय यह है कि वह पुनर्खरीद के अधीन पर राशि की सीमा तक ही मान्यता को रोकता है (यह मानकर कि अंतरणकर्ता किए जाने वाला आस्ति को बेच नहीं सकता है)। उदाहरण के लिए, यदि अग्रणीत राशि तथा ऋण आस्तियों के अंतरण की प्राप्त की कुल राशि 100,000 रुपए हो, और किसी व्यक्तिगत ऋण को वापस मांगा जाए परंतु पुनर्खरीदे गये ऋण की कुल राशि 10,000 रुपए से अधिक न हो तो ऋण की राशि 90,000 रुपए की राशि अमान्यता के लिए पात्र होगी।
- (ड) क्लीन-अप कॉल। एक प्रतिष्ठान, जो अन्तरणकर्ता हो सकता है और अंतरित आस्ति की सर्विस कर रहा है तो वह शेष अंतरित आस्ति की खरीद के लिए क्लीन अप काल धारण कर सकता है जब आस्तियों की शेष राशि गिरकर उस

स्तर पर पहुंचे कि आस्ति की सर्विसिंग की लागत बोझिल बन जाए तथा उस सर्विसिंग से कोई लाभ न हो। बशर्ते ऐसे क्लीन अप काल के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान स्वामित्व के अधिकांश सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को अपने पास न रख सके न अंतरित कर सके तथा अन्तरिति उन आस्तियों को बेच न सके, तो यह अमान्यता को केवल आस्तियों की राशि की सीमा तक रोकता है जो कि काल आप्शन के अधीन है।

- (ढ) अधीनस्थ प्रतिधारित हित तथा ऋण गारंटियां। अंतरित आस्ति में प्रतिधारित कुछ या समस्त हित को अधीनस्थ करके एक प्रतिष्ठान ऋण वृद्धि दे सकता है। वैकल्पिक रूप से, प्रतिष्ठान, ऋण गारंटी के रूप में भी ऋण वृद्धि दे सकता है। यह गारंटी असीमित अथवा किसी विशिष्ट राशि तक सीमित हो सकती है। यदि प्रतिष्ठान अन्तरित आस्ति के स्वामित्व के अधिकांश सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को अपने पास रखता है तो आस्ति को पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त होती है। यदि प्रतिष्ठान स्वामित्व के कुछ, लेकिन अधिकांशतया सभी नहीं, जोखिमों तथा पुरस्कारों को अपने पास रखता है तथा नियंत्रण भी अपने पास रखता है तो प्रतिष्ठान को जितनी सीमा तक राशि नकद अथवा आस्ति के रूप में देनी है उतनी सीमा तक उसे अमान्यता नहीं मिलेगी।
- (ण) कुल प्रतिफल स्वैप। एक प्रतिष्ठान वित्तीय अस्ति को, अन्तरिति को बेच सकता है तथा अन्तरिति के साथ कुल प्रतिफल स्वैप में शामिल हो सकता है, जबकि अंतर्निहित आस्ति ब्याज भुगतान के नकदी प्रवाह प्रतिष्ठान द्वारा निश्चित भुगतान अथवा विभिन्न दरों पर करता है तथा अंतर्निहित आस्ति के उचित मूल्य की कोई भी वृद्धि अथवा कमी प्रतिष्ठान द्वारा वहन की जाएगी। ऐसे मामले में, समस्त आस्ति की अमान्यता को रोका जाएगा।
- (त) ब्याज दर स्वैप। प्रतिष्ठान अन्तरिति को निश्चित दर पर वित्तीय आस्ति का अंतरण कर सकता है और अंतरिति के साथ ब्याज दर विनिमय में शामिल हो सकता है जिसमें वह निश्चित ब्याज दर प्राप्त करेगा और परिवर्तनशील ब्याज दर का भुगतान करेगा जो कि नोशनल राशि पर आधारित होगी जो अंतरित वित्तीय आस्ति की मूलधन के बराबर होगी। ब्याज दर स्वैप अंतरित आस्ति की अमान्यता को नहीं रोकता है बशर्ते स्वैप के भुगतान अंतरित आस्ति पर किए गए भुगतान के संबंध में किसी शर्त पर ना हो।
- (थ) ब्याज दर स्वैप का परिशोधन। प्रतिष्ठान अन्तरिति को निर्धारित दर पर वित्तीय आस्ति अंतरित कर सकता है, जो समय के साथ देय हो, तथा परिशोधित ब्याज दर पर स्वैप में अन्तरिति के साथ शामिल हो सकता है जिसमें नोशनल राशि के आधार पर नियत ब्याज दर मिले तथा विभिन्न ब्याज दरों पर भुगतान करे। यदि स्वैप के नोशनल राशि का परिशोधन हो ताकि वह किसी भी समय पर शेष अंतरित वित्तीय राशि के मूल धन के बराबर हो जाए, तो स्वैप सामान्यतः ऐसा परिणाम देगा कि प्रतिष्ठान अधिकांश मात्रा में पूर्व भुगतान जोखिम को प्रतिधारित करेगा जिस स्थिति में प्रतिष्ठान या तो समस्त अंतरित आस्ति को, मान्यता देना जारी रखेगा या फिर उस हद तक अंतरित आस्तियों को मान्यता देना जारी रखेगा जब तक उसकी अपनी भागीदारी है। इसके विपरीत, यदि स्वैप की नोशनल राशि का परिशोधन अन्तरित आस्ति की बकाया मूलधन के साथ संबद्धित नहीं है तो इस प्रकार का स्वैप प्रतिष्ठान को आस्ति के पूर्ण भुगतान जोखिम को प्रतिधारित करने में परिणत नहीं होगा। अतः वह अंतरित आस्ति को अमान्य होने से नहीं रोकेगा बशर्ते स्वैप का भुगतान अंतरित आस्ति पर किए गए ब्याज के भुगतान पर निर्भर न हो तथा विनिमय अन्तरित आस्ति के स्वामित्व के किसी अन्य महत्वपूर्ण जोखिमों या पुरस्कारों के प्रतिधारण में परिणित नहीं होगा।
- (द) अपलिखित करना (राइट आफ)। जब प्रतिष्ठान को वित्तीय आस्ति पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह की वसूली की कोई तर्कसंगत उम्मीद न हो।

ख 3.2.17

इस अनुच्छेद में निरंतर भागीदारी दृष्टिकोण के प्रयोग का दृष्टांत दिया गया है, जब प्रतिष्ठान की निरंतर भागीदारी वित्तीय आस्ति के एक भाग में हो।

मान लो कि किसी प्रतिष्ठान के पास पूर्व भुगतान योग्य ऋण का पोर्टफोलियो है जिसमें कूपन तथा प्रभावी ब्याज दर 10 प्रतिशत है तथा इसका मूलधन एवं परिशोधित लागत 10,000 रूपए है। वह एक ऐसे लेन-देन में प्रवेश करता है जिसमें 9,115 रूपए का वापसी भुगतान देगा मूलधन की 9,000 रूपए की किसी राशि धन तथा 9.5 प्रतिशत के दर से ब्याज की उगाही की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त करता है। प्रतिष्ठान उस मूलधन पर 1000 रूपए के संग्रहण जमा उस मूलधन पर 10% ब्याज का अधिकार रखता है। साथ ही मूलधन के शेष 9,000 पर अधिक 0.5 प्रतिशत विस्तार-मूल्य पर भी अधिकार रखता है। पूर्व भुगतान की उगाही को प्रतिष्ठान तथा अन्तरिति में 1:9 के अनुपात में आवंटन किया जाएगा परंतु कुछ भी चूक होने पर वह प्रतिष्ठान के 1,000 रूपए के ब्याज से काट लिया जाएगा तब तक जब तक कि ब्याज समाप्त नहीं हो जाता। लेन-देन की तिथि पर ब्याज ऋण का उचित मूल्य 10,100 रूपए है तथा अधिक 0.5 प्रतिशत विस्तार का उचित मूल्य 40 रूपए है।

प्रतिष्ठान यह निश्चय करता है कि वह स्वामित्व के कुछ महत्वपूर्ण जोखिमों तथा पुरस्कारों को अन्तरिति (ट्रांसफरी) को अंतरित

करेगा (जैसे महत्वपूर्ण पूर्व भुगतान जोखिम) तथा वह स्वामित्व की कुछ महत्वपूर्ण जोखिमों तथा पुरस्कारों को अपने पास भी रखेगा। (अपने अधीनस्थ प्रतिधारित हित के कारण) तथा नियंत्रण का अधिकार भी खुद रखेगा। अतः यहां निरंतर भागीदारी का दृष्टिकोण शामिल है।

इस मानक को लागू करने के लिए, प्रतिष्ठान लेन-देन का विश्लेषण करता है

(क) 1,000 रुपए के पूरे अनुपातिक प्रतिधारित ब्याज को धारण करना, जमा

(ख) प्रतिधारित ब्याज को अधीनस्थ करना ताकि ऋण हानियों के नुकसान के लिए अंतरिती को ऋण वृद्धि उपलब्ध हो।

प्रतिष्ठान यह गणना करता है कि 9,115 रुपए की प्राप्ति का प्रतिफल 9,090 रुपए है (10,100 रुपए का 90 प्रतिशत) जो कि पूर्ण अनुपातिक का 90% का प्रतिफल है। प्राप्त प्रतिफल का शेष (25 रुपए) अंतरिती (ट्रांसफरी) को ऋण हानि के लिए ऋण वृद्धि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिधारित ब्याज के अधीनस्थ करने के लिए प्राप्त प्रतिफल को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 0.5 प्रतिशत का अधिक विस्तार ऋण में वृद्धि हेतु प्राप्त प्रतिफल को दर्शाता है। तदनुसार, ऋण में वृद्धि के लिए प्राप्त प्रतिफल 65 रुपए है (25 रुपए+40 रुपए)।

प्रतिष्ठान नकदी प्रवाह के 90 प्रतिशत की बिक्री पर लाभ (गेन) अथवा हानि की गणना करता है। यह मानकर कि, अंतरित तिथि पर अंतरित 90 प्रतिशत तथा प्रतिधारित 10 प्रतिशत का पृथक उचित मूल्य उपलब्ध नहीं है, प्रतिष्ठान आस्ति की राशि को भारतीय लेखा मानक के 109 अनुच्छेद 3.2.14 के अनुसार निम्नानुसार आवंटित करता है:

	उचित मूल्य	प्रतिशत	आवंटित अग्रणीत राशि
अंतरित भाग	9,090	90%	9,000
प्रतिधारित भाग	1,010	10%	1,000
कुल	10,100		10,000

प्रतिष्ठान लाभ अथवा हानि को प्राप्त प्रतिफल से अंतरित भाग की आवंटित अग्रणीत राशि को घटाने के बाद नकदी के प्रवाह के 90 प्रतिशत के हिस्से से गणना करेगा, अर्थात् 90 रुपए (9,090 रुपए 9,000 रुपए) प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिधारित भाग की अग्रणीत राशि 1,000 है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान सतत् भागीदारी को मान्यता देता है जो ऋण के हानि के लिए इसके द्वारा प्रतिधारित हित के अधीनस्थ करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। तदनुसार, वह 1,000 रुपए की आस्ति को मान्यता देता है (नकदी प्रवाह की अधिकतम राशि जो उसे अधीनस्थता के अंतर्गत उसे प्राप्त नहीं होगी) तथा 1,065 रुपए के संबंधित दायित्व को मान्यता देता है (नकदी प्रवाह की अधिकतम राशि जो उसे अधीनस्थता के अन्तर्गत प्राप्त नहीं होगी, अर्थात् अधीनस्थता के 65 रुपए के उचित मूल्य सहित 1,000 रुपए)।

प्रतिष्ठान निम्नानुसार लेन-देन के हिसाब हेतु उपर्युक्त सभी सूचनाओं का प्रयोग करता है:

	नामे	जमा
मूल आस्ति		9,000
अवशिष्ट हित अथवा अधीनस्थता के लिए मान्य आस्ति	1,000	
अधिक विस्तार के रूप में प्राप्त प्रतिफल के लिए आस्ति	40	
लाभ अथवा हानि [अंतरण पर लाभ (गेन)]		90
दायित्व		1,065
प्राप्त नकदी	9,115	
कुल	10,155	10,155

लेन-देन के तुरंत बाद, आस्ति की अग्रणीत राशि 2,040 है जो प्रतिधारित भाग का आवंटित लागत की रुपए 1000 तथा क्रेडिट हानियों के लिए प्रतिधारित हित का अधीनस्थ से लगातार भागीदारी की रुपए 1040 को दर्शाता है (जिसमें 40 रुपए का आधिक्य विस्तार शामिल है)।

बाद की अवधियों में, प्रतिष्ठान समय के अनुपात के आधार पर ऋण वृद्धि (65 रुपए) से प्राप्त प्रतिफल को मान्यता देता है, प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके मान्य आस्ति पर ब्याज उपर्जित करता है तथा मान्य आस्ति पर क्षतिग्रस्त हानि को मान्यता देता है। बाद के स्थिति के उदाहरण के रूप में, मान लें कि आगामी वर्ष में 300 रुपए के अंतर्निहित ऋण पर क्षतिग्रस्त हानि होती है। प्रतिष्ठान मान्य आस्ति को 600 रुपए से कम कर देता है (300 रुपए उसके प्रतिधारित हित के संबंध में तथा 300 रुपए

अतिरिक्त सतत् भागीदारी के संबंध में जो क्षतिग्रस्त हानि के प्रतिधारित ब्याज की अधीनस्थता से उत्पन्न होता है) तथा अपने मान्य दायित्व को भी 300 रुपए से कम करता है। निवल परिणाम में, क्षतिग्रस्त हानि के लिए लाभ अथवा हानि का प्रभार स्वरूप 300 रुपए है।

वित्तीय दायित्वों की अमान्यता (खंड 3.3)

- ख 3.3.1 एक वित्तीय दायित्व (अथवा इसका भाग) तब समाप्त हो जाता है जब ऋणी:
- (क) ऋणदाता को सामान्यतया नकदी, अन्य वित्तीय आस्तियों, वस्तुओं अथवा सेवाओं के साथ अदायगी करके दायित्व (अथवा इसके भाग) का निर्वाहन करता है, अथवा
 - (ख) कानूनी प्रक्रिया से अथवा ऋणदाता द्वारा दायित्व (अथवा इसके भाग) के मुख्य उत्तरदायित्व से कानूनी रूप से मुक्त हो जाता है। (यदि ऋणी ने कोई गारंटी दी है तो इस शर्त को भी पूरा किया जा सकता है)
- ख 3.3.2 यदि ऋण लिखत का जारीकर्ता उस लिखत की पुनर्खरीद करता है तो ऋण का भुगतान तब भी हो जाता है यदि जारीकर्ता उस लिखत का बाजार निर्माता है अथवा निकट अवधि में वह उसे बेचने की इच्छा रखता है।
- ख 3.3.3 किसी ट्रस्ट (कभी कभी इसे इन 'सब्सटैंस डिफिसैस' कहा जाता है) सहित अन्य पक्ष को भुगतान किए जाने से कानूनी रूप से मुक्त होने के अभाव में ऋणी स्वतः ही ऋणदाता के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता।
- ख 3.3.4 यदि कोई ऋणी, बाध्यता को ग्रहण करने के लिए अन्य (तृतीय) पक्ष को अदायगी करता है और अपने ऋणदाता को यह सूचित करता है कि अन्य पक्ष ने उसकी ऋण बाध्यता को ग्रहण कर लिया है, तो ऋणी ऋण बाध्यता को तब तक अमान्यता नहीं देता जब तक कि अनुच्छेद 3.3.1(ख) की शर्त पूरी नहीं हो जाती। यदि ऋणी दायित्व के ग्रहण करने के लिए अदायगी करता है और अपने ऋणदाता से कानूनी रूप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो ऋणी ने ऋण का समापन कर दिया है। तथापि, यदि ऋणी अन्य पक्ष को ऋण का भुगतान करने के लिए सहमत देता है अथवा अपने मूल ऋणदाता को इस संबंध में निर्देश देता है कि तो ऋणी अन्य पक्ष के प्रति नये ऋण दायित्व को मान्यता देता है।
- ख 3.3.5 तथापि, कानूनी रूप से मुक्ति, चाहे वह विधिक हो अथवा ऋणदाता द्वारा दी गयी हो, इसके परिणामस्वरूप दायित्व अमान्य हो जाता है, प्रतिष्ठान एक नये दायित्व को मान्यता दे सकता है यदि अन्तरित की गयी वित्तीय आस्तियों के लिए अनुच्छेद 3.2.1-3.2.23 के अमान्यता मानदण्ड पूरे नहीं होते। यदि इन मानदण्डों को पूरा नहीं किया जाता है, तो अन्तरित की गई आस्तियां अमान्य नहीं हो जाती हैं और प्रतिष्ठान अन्तरित आस्तियों से सम्बन्धित नए दायित्व को मान्यता प्रदान करता है।
- ख 3.3.6 अनुच्छेद 3.3.2 के प्रयोजन के लिए, शर्तें अधिकांशतया भिन्न होती हैं यदि नई शर्तों के अन्तर्गत नकदी प्रवाह का बट्टागत वर्तमान मूल्य, मूल प्रभावी ब्याज दर का प्रयोग करते हुए प्राप्त और बट्टागत शुल्क धारक शुद्ध प्रदत्त किसी भी शुल्क सहित, मूल वित्तीय दायित्व के शेष नकदी प्रवाहों के बट्टागत वर्तमान मूल्य से कम से कम 10 प्रतिशत भिन्न है। यदि ऋण लिखतों के विनिमय अथवा शर्तों में संशोधन को समापन के रूप में हिसाब में लिया जाता है तो किन्हीं भी लागतों अथवा दिए गए शुल्कों समापन पर लाभ अथवा हानि के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि विनिमय अथवा संशोधन को समापन के रूप में विचार में नहीं लिया जाता है तो व्यय की गई कोई भी लागतें अथवा खर्च किया गया शुल्क दायित्व की अग्रणी राशि को समायोजित करता है और उन्हें संशोधित दायित्व की शेष अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।
- ख 3.3.7 कुछ मामलों में, ऋणदाता भुगतान करने के लिए ऋणी को अपनी वर्तमान बाध्यता से मुक्त कर देता है परंतु ऋणी अदा करने के लिए गारंटी बाध्यता को ग्रहण कर लेता है यदि मुख्य उत्तरदायित्व को ग्रहण करने वाला पक्ष चूक करता है। इन परिस्थितियों में, ऋणी :
- (क) गारंटी के लिए अपनी बाध्यता के उचित मूल्य के आधार पर नवीन वित्तीय दायित्व को मान्यता प्रदान करता है, और निम्नलिखित दोनों के बीच अन्तर के आधार पर लाभ अथवा हानि को मान्यता देना।
 - (ख) (i) भुगतान की गई किन्हीं भी प्राप्तियों, और
 - (ii) नवीन वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य को घटाकर मूल वित्तीय दायित्व की अग्रणी राशि,

वर्गीकरण(अध्याय 4)

वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण (खंड 4.1)

वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठान का व्यवसाय मॉडल

- ख 4.1.1 अनुच्छेद 4.1.1(क) प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल पर वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण, करें जब तक अनुच्छेद 4.1.5 लागू नहीं होता है। प्रतिष्ठान इस बात का निर्धारण करता है कि क्या उसकी वित्तीय आस्तियां प्रतिष्ठान के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक द्वारा निश्चित (भारतीय लेखा, मानक 24, *सम्बंधित पक्ष के सम्बन्ध में प्रकटन* में यथा परिभाषित) द्वारा व्यवसाय माडल के आधार पर अनुच्छेद 4.1.2(क) की शर्त अथवा अनुच्छेद 4.1.2 (क) शर्त को पूरा करती है या नहीं।
- ख 4.1.2 प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल का निर्धारण उस स्तर पर किया जाता है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि कैसे वित्तीय आस्तियों के समूहों को एक विशिष्ट कारोबार उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ-कैसे प्रबंधित किया जाए। प्रतिष्ठान का व्यवसाय मॉडल किसी व्यक्तिगत लिखत के लिए प्रबंधन के इरादों पर आधारित नहीं है। तदनुसार, इस शर्त के वर्गीकरण पर लिखत-से-लिखत दृष्टिकोण नहीं है तथा संकलन के उच्च स्तर पर निर्धारित होनी चाहिए। तथापि एकल प्रतिष्ठान के पास अपनी वित्तीय लिखतों के प्रबंधन के लिए एक-से अधिक व्यवसाय माडल हो सकते हैं। परिणामस्वरूप, वर्गीकरण का निर्धारण रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान स्तर पर किए जाने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान, उन निवेशों के पोर्टफोलियो को अपने पास बनाए रख सकता है जिसकी वह अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की उगाही करने के उद्देश्य से व्यवस्थित करता है और उन निवेशों के अन्य पोर्टफोलियो को अपने पास बनाए रख सकता है जो कि वह उचित मूल्य परिवर्तनों के प्रति व्यापार करने के उद्देश्य से व्यवस्थित करता है। इसी प्रकार, कुछ परिस्थितियों में, वित्तीय आस्तियों के पोर्टफोलियो को उप पोर्टफोलियो में पृथक् करने के लिए यह उपयुक्त होगा ताकि उस स्तर को प्रदर्शित किया जा सके जिस पर कि प्रतिष्ठान उन वित्तीय आस्तियों को प्रबंधित करता है। उदाहरण के लिए, उस मामले में यह हो सकता है यदि एक प्रतिष्ठान बंधक ऋणों के पोर्टफोलियो को प्रारंभ करता है अथवा खरीदता है और अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण के उद्देश्य के साथ कुछ ऋणों की व्यवस्था करता है और अन्य ऋणों का प्रबंधन उन्हें बेचने के उद्देश्य से करता है।
- ख 4.1.2क एक प्रतिष्ठान का व्यवसाय मॉडल यह संकेत प्रदान करता है कि कैसे कोई प्रतिष्ठान नकदी प्रवाह के सृजन करने के उद्देश्य से अपनी वित्तीय आस्तियों का प्रबंधन करता है। वह यह है कि प्रतिष्ठान का व्यवसाय मॉडल यह निर्धारित करता है कि क्या अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह की उगाही करने से वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने अथवा दोनों ही के किए जाने से नकदी प्रवाह परिणत होंगे। परिणामस्वरूप, यह मूल्यांकन उन परिदृश्यों के आधार पर कार्यान्वित नहीं होता कि प्रतिष्ठान, तर्कसंगत रूप से ऐसा होने की आशा नहीं करता जैसे कि तथाकथित 'अति निकृष्ट मामला' अथवा 'अति दबाव युक्त मामला' परिदृश्य। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रतिष्ठान यह अपेक्षा करता है कि यह केवल अति दबाव युक्त परिदृश्य में वित्तीय आस्ति के विशेष पोर्टफोलियो की बिक्री करेगा, वह परिदृश्य उन आस्तियों के लिए व्यवसाय मॉडल के प्रतिष्ठान के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करेगा। यदि प्रतिष्ठान तर्कसंगत रूप से यह आशा करता है कि इस प्रकार का परिदृश्य उपस्थित नहीं होगा। यदि नकदी प्रवाह की प्राप्ति उस रूप में नहीं होगी जो कि उस तिथि पर प्रतिष्ठान की अपेक्षा से भिन्न है कि प्रतिष्ठान ने व्यवसाय मॉडल का मूल्यांकन किया है (उदाहरण के लिए, यदि प्रतिष्ठान अधिक या कम वित्तीय आस्तियों की बिक्री करता है जो कि अपेक्षित है जब उसने आस्तियों का वर्गीकरण किया है) इससे प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में एक पूर्व अवधिदोष उत्पन्न नहीं होता (देखें भारतीय लेखा मानक 8, *लेखनीतियों, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियाँ*)। न ही यह उस व्यवसाय मॉडल के अधिकार में रखी शेष वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण में परिवर्तन करता है (अर्थात् वे आस्तियां जिन्हें प्रतिष्ठान ने पूर्व अवधियों में मान्यता दी है और वे आस्तियां जिन्हें वह अब भी अपने अधिकार में रखता है) जब तक कि प्रतिष्ठान सभी प्रासंगिक जानकारी को विचार में लेता है जो कि उस समय उपलब्ध थी जब प्रतिष्ठान ने व्यवसाय मॉडल का मूल्यांकन किया था। तथापि, जब कोई प्रतिष्ठान नई मूल अथवा नई खरीदी गयी आस्तियों के व्यवसाय मॉडल का मूल्यांकन करता है, यह उस जानकारी को अवश्य विचार में ले कि कैसे पूर्व समय में नकदी प्रवाह को, अन्य सभी सम्बन्धित सूचनाओं के साथ, प्राप्त किया गया था।
- ख 4.1.2 ख वित्तीय आस्तियों के प्रबन्धन के लिए एक प्रतिष्ठान का व्यवसाय मॉडल एक वास्तविकता है न कि केवल एक कथन। कार्यकलापों के जरिए विशिष्ट रूप से प्रत्यक्ष है कि प्रतिष्ठान व्यवसाय मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। प्रतिष्ठान को विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी जब वित्तीय आस्तियों के प्रबन्धन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल का मूल्यांकन करता है और यह कि मूल्यांकन किसी एक एकल तथ्य अथवा कार्यकलाप से निर्धारित नहीं होता, इसकी बजाए, प्रतिष्ठान को मूल्यांकन की तिथि पर उपलब्ध सभी सम्बन्धित साक्ष्यों का विचार अवश्य करना चाहिए। ऐसे प्रासंगिक साक्ष्यों में निम्नलिखित तो सम्मिलित हैं, परंतु वे यहीं तक सीमित नहीं हैं:
- (क) कि कैसे व्यवसाय मॉडल के कार्य-निष्पादन और व्यवसाय मॉडल के अधिकार में रखी गयी वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रतिष्ठान के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को इसकी रिपोर्ट कैसे दी जाती है;
 - (ख) जोखिम जो कि व्यवसाय मॉडल (और व्यवसाय मॉडल के अधिकार में रखी गयी वित्तीय आस्तियों) के निष्पादन को प्रभावित करते हैं, और, विशेषकर वह ढंग जिससे कि वे जोखिम प्रबन्धित किए जाते हैं; और

(ग) किस प्रकार से व्यवसाय के प्रबन्धकों की क्षतिपूर्ति की जाती है (उदाहरण के लिए, क्या क्षतिपूर्ति प्रबन्धित आस्तियों के उचित मूल्य पर आधारित है या उगाही किए गए अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह पर)।

एक व्यवसाय मॉडल, जिसका उद्देश्य है अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की वसूली करने हेतु आस्तियों को अपने अधिकार में रखना।

- ख 4.1.2ग वित्तीय आस्तियां, जो कि व्यवसाय मॉडल पर धारित हैं, जिनका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की वसूली करने हेतु आस्तियों को अपने अधिकार में रखना है, उनका प्रबन्धन लिखत की अवधि तक अनुबंधात्मक भुगतानों के संग्रहण द्वारा नकदी प्रवाहों की वसूली के लिये किया जाता है। यह कि प्रतिष्ठान उन विशेष अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण के लिए पोर्टफोलियों के अंदर रखी गयी आस्तियों को व्यवस्थित करती है (दोनों ही, आस्तियों को रखे जाने और बेच करके, समग्र पोर्टफोलियों का प्रबंध करने के बजाए)। यह निर्धारण करने में कि क्या नकदी प्रवाहों की वसूली वित्तीय आस्तियों के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण द्वारा की जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि पूर्व बिक्रियों की आवृत्ति, मूल्य और समय, भावी बिक्री कार्यकलाप के बारे में उन बिक्रियों और प्रत्याशाओं के कारणों पर विचार किया जाए। तथापि बिक्रियां अपने आप व्यवसाय मॉडल का निर्धारण नहीं करती हैं और इसलिये इन पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता। इसकी बजाए, पूर्व की बिक्रियों और भावी बिक्रियों की प्रत्याशाओं के बारे में सूचना इस बात के लिए सम्बद्ध साक्ष्य प्रदान करती है कि कैसे वित्तीय आस्तियों के प्रबन्धन के लिए प्रतिष्ठान के कथित लक्ष्य प्राप्त होते हैं और, विशेषकर, कैसे नकदी प्रवाहों की वसूली की जाती है। प्रतिष्ठान उन बिक्रियों और शर्तों के कारणों के संदर्भ के अन्तर्गत पूर्व बिक्रियों के बारे में सूचना पर अवश्य विचार करे जो वर्तमान शर्तों की तुलना में उस समय मौजूद थीं।
- ख 4.1.3 यद्यपि किसी प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण के उद्देश्य से वित्तीय आस्तियों को अपने अधिकार में रखने का हो सकता है, प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह लिखतों की परिपक्वता तक उन सभी लिखतों को अपने अधिकार में रखे। अतः किसी प्रतिष्ठान का व्यवसाय मॉडल अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण के लिए वित्तीय आस्तियों को अपने अधिकार में रख सकता है चाहे वित्तीय आस्तियों की बिक्री होती है या वह भविष्य में होने की आशा है।
- ख 4.1.3क व्यवसाय मॉडल अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की वसूली करने के लिए आस्तियों का अपने अधिकार में रखने (धारित करने) का हो सकता है चाहे प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों की तब बिक्री करता है चाहे आस्तियों के ऋण जोखिम में वृद्धि हो, इस बात का निश्चय करने के लिए कि क्या आस्तियों के ऋण जोखिम में कोई वृद्धि है, प्रतिष्ठान भावी दृष्टि सूचना सहित तर्कसंगत और सहायक सूचना पर विचार करता है। चाहे उनकी आवृत्ति और मूल्य कुछ भी हो, आस्तियों के ऋण जोखिम में वृद्धि के कारण बिक्रियां उस व्यवसाय मॉडल के साथ असंगत नहीं हैं जिनका यह उद्देश्य है कि अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की उगाही करने के लिए वित्तीय आस्तियों को अधिकार में रखा जाना है क्योंकि वित्तीय आस्तियों की ऋण गुणवत्ता अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की उगाही करने के लिए प्रतिष्ठान की क्षमता से सम्बन्धित है। ऋण जोखिम प्रबन्धन गतिविधियां, जिनका उद्देश्य ऋण गिरावट के कारण संभावित ऋण हानियों को कम-से-कम करना है, ऐसे व्यवसाय मॉडल का अभिन्न अंग है। किसी वित्तीय आस्ति की बिक्री करना, क्योंकि अब यह प्रतिष्ठान की प्रलेखित निवेश नीति में निर्दिष्ट ऋण मानदण्डों को पूरा नहीं करती है, उस बिक्री का एक उदाहरण है जो कि ऋण जोखिम में वृद्धि के कारण हुआ है। तथापि, ऐसी नीति के अभाव में इसे प्रतिष्ठान अन्य तरीकों से स्पष्ट कर सकता है कि ऋण जोखिम में वृद्धि के कारण ही यह बिक्री हुई है।
- ख 4.1.3 ख बिक्रियां जो अन्य कारणों से होती हैं, जैसे कि ऋण संघनित जोखिम (आस्तियों के ऋण जोखिम में वृद्धि के बिना), उस व्यवसाय मॉडल के अनुरूप भी हो सकती हैं जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक, नकदी प्रवाहों की उगाही करने के दृष्टिकोण से वित्तीय आस्तियों को अपने पास रखना है। विशेषकर, ऐसी बिक्रियां उस व्यवसाय मॉडल के अनुरूप हो सकती हैं जिनका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की उगाही किये जाने के दृष्टिकोण से वित्तीय आस्तियां अपने अधिकार में रखना है चाहे वे बिक्रियां कभी-कभी होने वाली क्यों न हों (चाहे वे मूल्य में महत्वपूर्ण हैं) या उनका मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मामूली क्यों न हो (लेकिन वे बार-बार होती हैं)। यदि ऐसी बिक्रियों की अप्राप्यिक संख्या से अधिक संख्या में किसी पोर्टफोलियों से की जाती है और जो बिक्रियां मूल्य अनुसार (व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप में) बहुत कम (मामूली) से अधिक हैं, प्रतिष्ठान द्वारा यह मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की बिक्रियां अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की संग्रहण के उद्देश्य के लिए क्या समरूप हो सकती हैं या नहीं और यदि हां तो फिर कैसे। क्या कोई अन्य पक्ष वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने की अपेक्षा पर बल देता है अथवा वह कार्यकलाप प्रतिष्ठान के स्वेच्छाधिकार में है, यह सब इस मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक नहीं है। एक विशेष अवधि में बिक्रियों के मूल्य और आवृत्ति में वृद्धि, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण किए जाने के आस्तियों को अपने अधिकार में रखने के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यह अप्रासंगिक हो, बशर्ते कोई प्रतिष्ठान उन बिक्रियों के कारणों को स्पष्ट कर सकता है और यह दर्शा सकता है कि बिक्रियां प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल में किसी परिवर्तन को क्यों नहीं प्रतिबिम्बित करती हैं। इसके अतिरिक्त, बिक्रियां अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को संग्रहण किए

जाने के दृष्टिकोण से वित्तीय आस्तियों को अपने अधिकार में रखने के उद्देश्य के अनुरूप हो सकती है यदि बिक्रियां वित्तीय आस्तियों की परिपक्वता के आस-पास की जाती हैं और बिक्रियों से आय शेष अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण के आस-पास होती हैं।

- ख 4.1.4 निम्नलिखित उदाहरण ये प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण किए जाने के लिए वित्तीय आस्तियों को अपने अधिकार में रखने का हो सकता है। उदाहरणों की यह सूची विस्तृत नहीं है। इसके अतिरिक्त, उदाहरणों का यह आशय नहीं है कि सभी कारकों पर विचार-विमर्श किया जाए जो कि प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल के मूल्यांकन से संबंधित हैं और न ही सभी कारकों के सापेक्षिक महत्व को स्पष्ट किया जाए।

उदाहरण 1	विश्लेषण
प्रतिष्ठान अपने अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को संग्रहीत करने के लिए निवेशों को अपने पास धारित करता है। प्रतिष्ठान की निधि आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और इसकी वित्तीय आस्तियों की परिपक्वता का प्रतिष्ठान की अनुमानित निधि आवश्यकताओं के साथ मिलान किया जाता है। प्रतिष्ठान ऋण हानियों को कम-से-कम करने के उद्देश्य के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन गतिविधियों का संचालन करता है। पूर्व में बिक्रियां विशिष्ट रूप से संपन्न हुई हैं और वित्तीय आस्तियों का जोखिम इस तरह से बढ़ गया है जैसे कि आस्तियां अब प्रतिष्ठान की प्रलेखित निवेश नीति में निर्दिष्ट ऋण (क्रेडिट) मानदण्डों को पूरा नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त, अप्रत्याशित निधि आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप कभी कभी होने वाली बिक्रियां हुई हैं। प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को प्रस्तुत रिपोर्टें वित्तीय आस्तियों की ऋण गुणवत्ता और अनुबंधात्मक प्रतिफल पर ध्यान केन्द्रित करती हैं। प्रतिष्ठान अन्य जानकारी में वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्यों की निगरानी (मानीटरिंग) भी करता है।	यद्यपि प्रतिष्ठान, अन्य जानकारी में तरलता परिप्रेक्ष्य में वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्यों पर विचार करता है (अर्थात् नकद राशि जिसे वसूल किया जाएगा। यदि प्रतिष्ठान को आस्तियों की बिक्री की आवश्यकता हो), अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को संग्रहीत करने के लिए प्रतिष्ठान का उद्देश्य वित्तीय आस्तियों को अपने पास धारित करना (रखना) है। बिक्रियां इस उद्देश्य में बाधक नहीं यदि वे आस्तियों के ऋण (क्रेडिट) जोखिम में वृद्धि नहीं हैं के प्रत्युत्तर में हो, उदाहरण के लिए, यदि आस्तियां प्रतिष्ठान की प्रलेखित निवेश नीति में निर्दिष्ट ऋण मानदण्ड को पूरा नहीं करती हैं। अप्रत्याशित निधि आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप कभी-कभार बिक्रियां (उदाहरणार्थ एक दबाव युक्त परिदृश्य में) भी उस उद्देश्य के विपरीत नहीं हैं भले ही इस प्रकार की बिक्रियां मूल्य में महत्वपूर्ण हैं।
उदाहरण 2	विश्लेषण
एक प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, पोर्टफोलियो में वित्तीय आस्तियों की जैसे कि ऋण, खरीदना है। वे पोर्टफोलियो उन वित्तीय आस्तियों को सम्मिलित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जो कि ऋणग्रस्त हैं। यदि ऋणों का भुगतान समयबद्ध आधार पर नहीं किया जाता है तो प्रतिष्ठान विभिन्न उपायों द्वारा अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की वसूली करने के लिए प्रयास करता है, उदाहरण के लिए, डाक, दूरभाष अथवा अन्य विधियों के द्वारा ऋणी से सम्पर्क करके। प्रतिष्ठान का उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को संग्रहीत करना है और प्रतिष्ठान उनकी बिक्री के द्वारा नकदी प्रवाहों की वसूली के साथ इस पोर्टफोलियो के किन्हीं भी ऋणों का प्रबंध नहीं करना है। कुछ मामलों में, प्रतिष्ठान एक फ्लोटिंगब्याज दर से निश्चित (स्थिर) ब्याज दर में एक पोर्टफोलियो में विशेष वित्तीय आस्ति पर ब्याज दर के परिवर्तन के लिए ब्याज दर स्वेप में प्रविष्ट	प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को संग्रहीत करने के लिए वित्तीय आस्तियां धारित करना है। यहां भी वही विश्लेषण लागू होगा यदि प्रतिष्ठान सभी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने की आशा नहीं रखता है (उदाहरणार्थ, कुछ वित्तीय आस्तियां प्रारम्भिक मान्यता पर ऋण-ग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि प्रतिष्ठान पोर्टफोलियो के नकदी प्रवाहों में संशोधन करने के लिए व्युत्पन्नों में प्रविष्ट करता है, इससे प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

होता है।	
उदाहरण 3	विश्लेषण
प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य ग्राहकों को ऋण प्रदान करने और तदनन्तर इन ऋणों को प्रतिभूतिकरण तंत्र को बिक्री करना है। प्रतिभूतिकरण तंत्र निवेशकों को लिखतें निगमित जारी करता है। ऋण दाता प्रतिष्ठान प्रतिभूतिकरण तंत्र को नियंत्रित करता है और इसलिए, इसे समेकित करता है। प्रतिभूतिकरण तंत्र ऋणों से अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण करता है और इन्हें अपने निवेशकों को अन्तरित करता है। इस उदाहरण के प्रयोजनों के लिए, यह माना जाता है कि इन ऋणों को समेकित तुलनपत्र में मान्यता दिया जाना जारी रहता है क्योंकि प्रतिभूतिकरण तंत्र के द्वारा इन्हें अमान्य नहीं किया जाता है।	समेकित समूह ने अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को संग्रहीत करने के लिए उन्हें धारित करने के उद्देश्य से ऋणों को प्रदान करना प्रारम्भ किया था। तथापि, ऋणदाता प्रतिष्ठान का यह उद्देश्य है कि वह प्रतिभूतिकरण तंत्र को ऋणों की बिक्री करके ऋण पोर्टफोलियो पर नकदी प्रवाहों की वसूली करे। जहां तक इसके पृथक वित्तीय विवरणों के प्रयोजनों का संबंध है, इस पर विचार नहीं किया जाएगा कि अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को संग्रहीत करने के लिए कि इस पोर्टफोलियो का प्रबंधन अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण के लिए करता है।
उदाहरण 4	विश्लेषण
एक वित्तीय संस्थान वित्तीय आस्तियों को इस लिए धारित करता है ताकि वह 'दबाव युक्त मामले' के परिदृश्य में (अर्थात् जो बैंक की जमा-राशियों पर चलता है) की तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति करें। प्रतिष्ठान इस प्रकार के परिदृश्यों को छोड़कर इन आस्तियों की बिक्री करने की प्रत्याशा नहीं करता। प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों की ऋण गुणवत्ता की निगरानी (मानीटरिंग) करता है और वित्तीय आस्तियों का प्रबंधन किए जाने का इसका उद्देश्य नकदी प्रवाहों को संग्रहीत करने का है। प्रतिष्ठान अर्जित किए गए ब्याज-राजस्व और वसूल की गई ऋण हानियों के आधार पर आस्तियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है। तथापि, प्रतिष्ठान तरलता परिप्रेक्ष्य में वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य की निगरानी (मानीटरिंग) भी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नकद राशि, जो कि वसूल की जाएगी, यदि प्रतिष्ठान एक दबाव युक्त मामला परिदृश्य में आस्तियों की बिक्री करना चाहता है, प्रतिष्ठान की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। अलग-अलग अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों अवधि में प्रतिष्ठान बिक्रियां संचालित करता है जो कि तरलता को दर्शाने के लिए मूल्य में महत्वपूर्ण नहीं है।	प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य नकदी प्रवाहों का संग्रह करने के लिए वित्तीय आस्तियों को धारित करना है। विश्लेषण में परिवर्तन नहीं होगा चाहे पिछले दबाव युक्त मामले के परिदृश्य में प्रतिष्ठान की बिक्रियां थी, जो कि इसकी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल्य में महत्वपूर्ण थीं। इसी प्रकार, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को संग्रहीत करने के लिए आवर्ती बिक्री कार्यकलाप, जो कि मूल्य में महत्वहीन हैं वह वित्तीय आस्तियों को धारित करने में असंगत नहीं हैं। इसके विपरीत, यदि कोई प्रतिष्ठान प्रतिदिन की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने और उस उद्देश्य को पूरा करने, जिसमें बिक्रियां तो बार-बार होती हैं लेकिन मूल्य में वे महत्वपूर्ण हैं, के लिए वित्तीय आस्तियों को धारित करता है। प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को संग्रहीत करने के लिए वित्तीय आस्तियों को धारित करना नहीं है। इसी प्रकार, यदि प्रतिष्ठान के विनियामक द्वारा प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा की हो कि वह नियमित तौर पर (रुटीन में) वित्तीय आस्तियों की बिक्री करे ताकि यह दर्शाया जा सके कि आस्तियां तरल हैं और बेची गई आस्तियों का मूल्य भी महत्वपूर्ण है तो प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को संग्रहीत करने के लिए वित्तीय आस्तियों का धारण करना नहीं है। यदि कोई अन्य पक्ष वित्तीय आस्तियों को बेचने की आवश्यकता पर दबाव डालता है, अथवा वह कार्यकलाप प्रतिष्ठान के स्वेच्छाधिकार में है, तो यह इस विश्लेषण के लिए प्रासंगिक नहीं है।

एक व्यवसाय मॉडल, जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण और वित्तीय आस्तियों की बिक्री दोनों की पूर्ति करना है।

- ख 4.1.4 क एक प्रतिष्ठान उस व्यवसाय मॉडल में वित्तीय आस्तियों धारण कर सकता है जिसके उद्देश्य को दोनों अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह का संग्रहण और वित्तीय आस्तियों की बिक्री द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय मॉडल में, प्रतिष्ठान के प्रमुख प्रबंधन कार्यों ने यह निर्णय किया है कि दोनों ही अर्थात् अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को प्राप्त करना और वित्तीय आस्तियों को बेचना व्यवसाय मॉडल के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार के अनेक उद्देश्य हैं जो कि इस

प्रकार के व्यवसाय मॉडल के अनुकूल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य प्रतिदिन की तरलता आवश्यकताओं का प्रबंध करना हो सकता है ताकि एक विशिष्ट ब्याज प्रतिफल प्रोफाइल को कायम किया जा सके अथवा वित्तीय आस्तियों की अवधि से उन दायित्वों की जिन्हें वे आस्तियां निधियां प्रदान कर रही हैं, अवधि तक मिलान किया जा सके। इस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण और वित्तीय आस्तियों की बिक्री दोनों ही कार्य करेगा।

ख 4.1.4 ख व्यवसाय मॉडल की तुलना में जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को संग्रहीत करने के लिए वित्तीय आस्तियों को धारित करना है, यह व्यवसाय मॉडल विशिष्ट रूप में (बिक्रियों की) अपेक्षा अधिक आवृत्ति और बिक्रियों के मूल्य को समाविष्ट करेगा। यह इस कारण से है कि इसके केवल प्रासंगिक होने की बजाए वित्तीय आस्तियों की बिक्री व्यवसाय मॉडल के उद्देश्य का अभिन्न अंग है। तथापि, उन बिक्रियों की आवृत्ति अथवा मूल्य की कोई सीमा नहीं है जो कि इस व्यवसाय मॉडल में अवश्य होनी ही चाहिए क्योंकि अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण और वित्तीय आस्तियों की बिक्री करना दोनों इस व्यवसाय उद्देश्य को प्राप्त करने के अभिन्न अंग हैं।

ख 4.1.4 ग निम्नलिखित उदाहरण हैं जब प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल के उद्देश्य की पूर्ति दोनों अर्थात् अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण और वित्तीय आस्तियों की बिक्री करके की जा सकती है। उदाहरणों की यह सूची विस्तृत नहीं है। इसके अतिरिक्त, उदाहरणों से यह भी आशय नहीं है कि उन सभी कारकों का वर्णन किया जाए जो कि प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल के मूल्यांकन से संबंधित हों, और न ही कारकों के सापेक्षिक महत्व का उल्लेख किया जाए।

उदाहरण 5	विश्लेषण
एक प्रतिष्ठान कुछ वर्षों में पूंजीगत व्यय की प्रत्याशा रखता है। प्रतिष्ठान अल्प और दीर्घ अवधि की वित्तीय आस्तियों में आधिक्य नकदी का निवेश करता है ताकि यह जब भी आवश्यकता हो व्यय को फंड कर सके। बहुत-सी वित्तीय आस्तियों का अनुबंधात्मक काल (जीवन) है जिससे प्रतिष्ठान की प्रत्याशित निवेश अवधि बढ़ जाती है। प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय आस्तियों को धारित करेगा और जब भी अवसर मिलेगा, यह वित्तीय आस्तियों की बिक्री करेगा ताकि उच्चतर प्रतिफल के लिए वित्तीय आस्तियों में नकदी का पुनः निवेश कर सके। पोर्टफोलियो के लिए उत्तरदायी प्रबंधकों के पोर्टफोलियो के द्वारा सृजित सम्पूर्ण प्रतिफल पर आधारित पारिश्रमिक दिया जाता है।	व्यवसाय मॉडल के उद्देश्य की पूर्ति दोनों ही अर्थात् अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को प्राप्त करके और वित्तीय आस्तियों की बिक्री करके की जाती है। अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण अथवा वित्तीय आस्तियों की बिक्री से पोर्टफोलियो का प्रतिफल अधिक-से-अधिक हो जब तक कि निवेश की नकदी आवश्यकता उत्पन्न होगी। इसके बारे में प्रतिष्ठान निरन्तर आधार पर निर्णय लेगा। इसके विपरीत, उस प्रतिष्ठान पर विचार करें जो पूंजीगत व्यय में निधि लगाने के लिए पांच वर्षों में नकदी प्रवाह की प्रत्याशा करता है और काफी अधिक नकदी का अल्पावधिक आस्तियों में निवेश करता है। जब निवेश का समय पूरा हो जाता है, वह नयी अल्पावधि आस्तियों में नकदी का पुनः निवेश करता है। प्रतिष्ठान इस नीति जब तक बनाये रखता है जब तककि निधियों की आवश्यकता होती है। जिस समय पर प्रतिष्ठान पूंजीगत व्यय में निधियां लगाने के लिए अवधि पूर्ण होने वाली वित्तीय आस्तियों से प्राप्त आय का प्रयोग करता है। केवल वे बिक्रियां परिपक्वता से पूर्व कि मूल्य अनुसार महत्वहीन हैं (जब तक कि ऋण (क्रेडिट) जोखिम में वृद्धि न हो)। इस परस्पर विरोधी व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य वित्तीय आस्तियों को धारण करना है ताकि अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को प्राप्त किया जा सके।
उदाहरण 6	विश्लेषण
एक वित्तीय संस्थान अपनी दैनिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय आस्तियां धारण करता है। प्रतिष्ठान उन तरलता आवश्यकताओं के प्रबंधन की लागतों को कम-से-कम रखना चाहता है और इसलिए पोर्टफोलियो पर सक्रिय रूप से प्रतिफल की व्यवस्था करता है। इस प्रतिफल में अनुबंधात्मक भुगतानों का संग्रहण और इसके साथ वित्तीय आस्तियों की बिक्री से लाभ (गेन) और हानियां प्राप्त करना सम्मिलित है। इसके परिणामस्वरूप, प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय आस्तियों को धारित करता है और उच्चतर प्रतिफल (यील्ड) देने वाली वित्तीय आस्तियों में पुनः निवेश करने	व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य दैनिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोर्टफोलियो पर प्रतिफल को अधिकतम करना है और प्रतिष्ठान इस उद्देश्य को, दोनों ही प्रकार से अर्थात् अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण करके और वित्तीय आस्तियों की बिक्री करके प्राप्त करता है। अन्य शब्दों में, दोनों ही प्रकार से अर्थात् अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण और वित्तीय आस्तियों की बिक्री करना व्यवसाय मॉडल के उद्देश्य की प्राप्ति के अभिन्न अंग हैं।

अथवा अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से निपटाने के लिए वित्तीय आस्तियों की बिक्री करता है। पूर्व में, इस नीति के परिणामस्वरूप, नियमित बिक्री कार्यकलाप होते हैं और ऐसी बिक्रियां मूल्य में महत्वपूर्ण भी हैं। इस कार्यकलाप के भविष्य में जारी रहने की आशा है।	
उदाहरण 7	विश्लेषण
एक बीमाकर्ता बीमा अनुबंध दायित्वों में धन लगाने के लिए वित्तीय आस्तियां धारण करता है। बीमाकर्ता वित्तीय आस्तियों पर अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों से प्राप्त आय का प्रयोग करता है ताकि बीमा अनुबंध दायित्वों का, जब-जब देय हों निपटान किया जा सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उन दायित्वों का निपटान करने हेतु वित्तीय आस्तियों से अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह पर्याप्त है। बीमाकर्ता आस्तियों को अपने प्रभाग को पुनः संतुलित करने और नकदी प्रवाह आवश्यकताओं को, जब भी उत्पन्न हों, पूरा करने के लिए निरंतर आधार पर काफी मात्रा में क्रय और बिक्री करता है।	व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य बीमा अनुबंध दायित्वों के लिए निधियों की व्यवस्था करना है। यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण करता है। जब-जब वे देय हो जाते हैं और आस्ति पोर्टफोलियों के रखरखाव के लिए वित्तीय आस्तियों की बिक्री करता है। अतः अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण करना और वित्तीय आस्तियों की बिक्री करना दोनों ही व्यवसाय मॉडल के उद्देश्य की पूर्ति के अभिन्न अंग हैं।

अन्य व्यावसायिक मॉडल

ख 4.1.5 वित्तीय आस्तियां लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती हैं यदि वे उस एक व्यावसायिक मॉडल के अंतर्गत नहीं रखी जाती जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण करने के लिए आस्तियों को धारित करना है अथवा उस एक व्यावसायिक मॉडल के अंतर्गत धारण करना है जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण और वित्तीय आस्तियों की बिक्री दोनों ही हैं (लेकिन अनुच्छेद 5.7.5 भी देखें)। एक व्यावसायिक मॉडल, जो लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर माप परिणामस्वरूप है, वह मॉडल है जिसमें प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों का प्रबंध आस्तियों की बिक्री द्वारा नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है। प्रतिष्ठान आस्तियों के उचित मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है और उन मूल्यों की वसूली करने के लिए आस्तियों का प्रबंधन करता है। इस मामले में प्रतिष्ठान का उद्देश्य विशिष्ट रूप में सक्रिय रूप से क्रय करने और बिक्री करने में परिणत होगा। यद्यपि, प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण करेगा जबकि इसके पास वित्तीय आस्तियां हैं, इस प्रकार के व्यावसायिक मॉडल का उद्देश्य दोनों ही प्रकार से अर्थात् संग्रहण करने और वित्तीय आस्तियों की बिक्री दोनों की पूर्ति करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नकदी प्रवाहों का संग्रहण प्रतिष्ठान के व्यवसाय मॉडल के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बजाय यह इसके लिए आकस्मिक है।

ख 4.1.6 वित्तीय आस्तियों का पोर्टफोलियो जिसे कि प्रबन्धित किया जाता है और जिसके कार्य- निष्पादन का मूल्यांकन उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है। (जैसाकि अनुच्छेद 4.2.2 (ख) में वर्णित किया गया है) न तो अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण करने के लिए धारित है, और न ही दोनों प्रकार से अर्थात् अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण करने और वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने हेतु धारित है। प्रतिष्ठान मुख्य रूप से उचित मूल्य सूचना पर ध्यान केन्द्रित करता है और आस्तियों के कार्य- निष्पादन का मूल्यांकन करने और निर्णय करने के लिए उस सूचना की प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय आस्तियों का एक पोर्टफोलियो जो कि व्यापार के लिए धारित की परिभाषा की पूर्ति करता है, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण करने अथवा दोनों ही प्रकार से अर्थात् अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण करने और वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने हेतु धारित नहीं किया जाता। इस प्रकार के पोर्टफोलियो के लिए अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण केवल व्यावसायिक मॉडल के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रासंगिक है। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय आस्तियों के इस प्रकार के पोर्टफोलियो को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अवश्य मापा जाता है।

अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह जो केवल मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान के लिए हैं:

ख 4.1.7 अनुच्छेद 4.1.1(ख) एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर अपनी उस वित्तीय आस्ति का वर्गीकरण करे यदि वित्तीय अस्ति की एक व्यवसाय मॉडल के अन्तर्गत धारित किया गया है और व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य दोनों के द्वारा अर्थात् नकदी प्रवाहों का संग्रहण करके और वित्तीय आस्तियों को बिक्री करके किया जाता है, लेकिन तब जब अनुच्छेद 4.1.5 लागू नहीं होता। ऐसा करने के लिए, अनुच्छेदों 4.1.2(ख) और 4.1.2क (ख) की शर्त की अपेक्षानुसार प्रतिष्ठान को यह निश्चित करना है कि आस्ति के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह जो केवल मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान के लिए हैं।

ख 4.1.7 क अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह जोकि बकाया मूलधन तथा मूलधन पर ब्याज का पूरी तरह से भुगतान है और वे मूलभूत ऋणदायी व्यवस्था के अनुरूप हैं। किसी मूलभूत ऋणदायी व्यवस्था में, धनराशि के समय मूल्य (देखें अनुच्छेद ख 4.1.9 क

- ख 4.1.9 ड) और ऋण जोखिम के लिए विचार करना विशिष्ट रूप से ब्याज के अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। तथापि, ऐसी व्यवस्था में, ब्याज अन्य मूलभूत ऋणदायी जोखिमों (उदाहरण के लिए, तरलता जोखिम) और किसी एक विशेष अवधि के लिए वित्तीय आस्ति धारित करने (रखे जाने) के साथ संबंधित लागतों (उदाहरण के लिए, प्रशासनिक लागत) को भी विचार में लिये जाने हेतु सम्मिलित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ब्याज में लाभ मार्जिन को शामिल किया जा सकता है जोकि मूलभूत ऋणदायी व्यवस्था के अनुरूप है। अत्यधिक गंभीर आर्थिक परिस्थितियों में ब्याज ऋणात्मक हो सकता है, यदि, उदाहरण के लिए, किसी वित्तीय आस्ति का धारक स्पष्ट रूप में अथवा अस्पष्ट रूप में किसी विशेष अवधि-समय के लिए अपनी धन-राशि की जमा हेतु अदायगी करता है (और यह कि फीस उस प्रतिफल से अधिक हो जाती है जो कि धारक धन-राशि के समय मूल्य, ऋण जोखिम और अन्य मूलभूत ऋणदायी जोखिमों और लागतों के लिए प्राप्त करता है)। तथापि, अनुबंधात्मक शर्तें जो कि अस्थायी नकदी प्रवाहों में जोखिम अथवा उतार-चढ़ाव के एक्सपोजर को लागू करता है और जो मूलभूत ऋणदायी व्यवस्था से असंबद्धित है, जैसाकि इक्विटी कीमतों अथवा वस्तु कीमतों में परिवर्तनों के प्रति एक्सपोजर अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों में बढ़ोतरी नहीं करता है जो कि मूलधन-राशि तथा बकाया मूलधन-राशि पर ब्याज का पूरी तरह से भुगतान है। एक प्रारम्भ की गयी अथवा एक खरीदी गयी वित्तीय आस्ति एक मूलभूत ऋणदायी व्यवस्था हो सकती है चाहे यह कानूनी रूप में एक ऋण है अथवा नहीं है।

ख 4.1.7 ख अनुच्छेद 4.1.3 (क) के अनुसार, मूलधन राशि प्रारम्भिक मान्यता पर वित्तीय आस्ति का उचित मूल्य है। तथापि, मूलधन-राशि वित्तीय आस्ति के कार्य-काल (जीवन) में परिवर्तित हो सकती है (उदाहरण के लिए, यदि मूल-धन राशि का पुर्नभुगतान हो)।

ख 4.1.8 प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह उस मुद्रा में है जिसमें कि वित्तीय आस्ति का मूल्यांकन किया गया है और ये अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह केवल मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान के लिए है।

ख 4.1.9 लीवरेज कुछ वित्तीय आस्तियों की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह की विशेषता है। लीवरेज इस परिणाम से अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की परिवर्तनीयता में वृद्धि करता है कि उन नकदी प्रवाहों के पास ब्याज की आर्थिक विशेषताएं नहीं हैं। स्टैंड-एलोन आप्शन वायदा और स्वैप अनुबंध उन वित्तीय, आस्तियों के उदाहरण हैं जिनमें इस प्रकार का लीवरेज सम्मिलित है। अतः ऐसे अनुबंध अनुच्छेद 4.1.2 (ख) और 4.1.2 क (ख) की शर्तों को पूरा नहीं करते और तदनन्तर, इनका माप अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर नहीं किया जा सकता।

धन के समय मूल्य का प्रतिफल

ख 4.1.9 क धन का समय मूल्य ब्याज का तत्व है जो कि समय के व्यतीत होने के लिए प्रतिफल प्रदान करता है, अर्थात् वित्तीय आस्ति धारण करने के सम्बंध में अन्य धन का समय-मूल्य तत्व जोखिमों अथवा लागतों के लिए प्रतिफल प्रदान नहीं करता जो कि वित्तीय आस्ति रखे जाने से संबंधित हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि यह तत्व केवल समय व्यतीत होने के लिए प्रतिफल प्रदान करता है प्रतिष्ठान विवेक का प्रयोग करेगा और सम्बन्धित कारकों, जैसे कि मुद्रा, का विचार करता है जिसमें वित्तीय आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है और वह अवधि जिसके लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ख 4.1.9ख तथापि, कुछ मामलों में, धन के समय-मूल्य तत्व को संशोधित किया जा सकता है (अर्थात् अपूर्ण)। यह वह तब मामला होगा, उदाहरण के लिए, यदि एक वित्तीय आस्ति की ब्याज-दर समय-समय पर पुनः निर्धारित की जाती है लेकिन उस पुनर्निर्धारण की आवृत्ति ब्याज दर की अवधि से मेल नहीं खाती है। (उदाहरण के लिए, ब्याज दर एक वर्षीय दर पर प्रत्येक माह पुनः निर्धारित की जाती है) अथवा यदि वित्तीय आस्ति की ब्याज दर को समय-समय पर किसी एक विशेष अल्पावधि और दीर्घावधि ब्याज दरों की औसत पर पुनः निर्धारित किया जाता है। ऐसे मामलों में, प्रतिष्ठान उक्त संशोधन का यह अवश्य निर्धारण करे ताकि यह निश्चित किया जा सके कि क्या अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह केवल मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतानों के लिए प्रदर्शित करता है। कुछ परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान धन के समय मूल्य तत्व का एक गुणवत्तात्मक मूल्यांकन करके वह निश्चित सकता है जबकि, अन्य परिस्थितियों में वह मात्रात्मक मूल्यांकन कर सकता है।

ख 4.1.9 ग धन के संशोधित समय-मूल्य तत्व का निर्धारण करते समय, उद्देश्य यह है कि अनुबंधात्मक (अबट्टागत) नकदी प्रवाह कैसे उन (अबट्टागत) नकदी प्रवाहों से भिन्न है, जो तभी उत्पन्न होगा यदि धन का समय मूल्य तत्व का (न्यूनतम नकदी प्रवाह) संशोधन नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि निर्धारण के अंतर्गत वित्तीय आस्ति में परिवर्तनीय ब्याज दर निहित होती है जो कि प्रत्येक माह एक वर्ष की दर पर पुनः निर्धारित होती है, प्रतिष्ठान परिवर्तनीय ब्याज दर जो एक वर्ष के लिए प्रत्येक माह पुनर्निर्धारित की जाती है, को छोड़कर लगभग समान अनुबंधात्मक शर्तों और लगभग एक समान ऋण जोखिम के साथ उस वित्तीय आस्ति से वित्तीय लिखत की तुलना करेगा। यदि धन के संशोधित समय-मूल्य तत्व का परिणाम अनुबंधात्मक (अबट्टागत) नकदी प्रवाह हो सकता है जोकि (बट्टागत) न्यूनतम (बैंचमार्क) नकदी प्रवाह से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है तो वित्तीय आस्ति अनुच्छेद 4.1.2 (ख) तथा 4.1.2 क (ख) की शर्त को पूरा नहीं करती है। यह

निर्धारण किए जाने के लिए, प्रतिष्ठान प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में और संचयी रूप से, अवधि पूरी होने तक वित्तीय लिखत धन के संशोधित समय मूल्य तत्व के प्रभाव पर अवश्य विचार करे। इस प्रकार से नियत किए जा रहे ब्याज दर का कारण इस विश्लेषण से संबंधित नहीं है। यदि थोड़े अथवा बिना विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि क्या मूल्यांकन के अंतर्गत नकदी आस्ति पर अनुबंधात्मक (अबट्टागत) नकदी प्रवाह उल्लेखनीय रूप से (अबट्टागत) न्यूनतम (बैंचमार्क) नकदी प्रवाहों से भिन्न हो सकता है, प्रतिष्ठान को विस्तृत मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है।

ख 4.1.9 घ धन के संशोधित समय मूल्य तत्व का मूल्यांकन करते समय, एक प्रतिष्ठान उन तत्वों पर अवश्य विचार करे जो कि भावी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों पर प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रतिष्ठान पांच-वर्ष की अवधि वाले बॉण्ड का मूल्यांकन कर रहा है और परिवर्तनीय ब्याज दर प्रत्येक छह माह पांच वर्ष तक पुनः निर्धारित की जाती है, प्रतिष्ठान यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह बकाया मूल धन-राशि पर मूल धन और ब्याज का पूरी तरह से भुगतान है। सिर्फ इस कारण से कि मूल्यांकन के समय ब्याज दर वक्र ऐसा है कि पांच वर्षीय ब्याज दर और छमाही ब्याज दर के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। इसकी बजाए, प्रतिष्ठान इस बात को अवश्य विचार में ले कि पांच वर्षीय ब्याज दर और छमाही ब्याज दर के बीच संबंध लिखत की अवधि (जीवन) में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं कि लिखत की अवधि पर अनुबंधात्मक (अबट्टागत) नकदी प्रवाह इस (अबट्टागत) न्यूनतम (बैंचमार्क) नकदी प्रवाह से बहुत भिन्न हो सकते हैं। तथापि, एक प्रतिष्ठान प्रत्येक सम्भाव्य परिदृश्य की बजाय केवल तर्कसंगत विचार करे। यदि कोई प्रतिष्ठान यह निष्कर्ष निकालता है कि अनुबंधात्मक (अबट्टागत) नकदी प्रवाह उस (अबट्टागत) न्यूनतम (बैंचमार्क) नकदी प्रवाहों से बहुत भिन्न हैं, वित्तीय आस्ति अनुच्छेद 4.1.2(ख) और 4.1.2 क (ख) की शर्त को पूरा नहीं करती है और, इसलिए, अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर मापा नहीं जा सकता।

ख 4.1.9 ङ कुछ क्षेत्राधिकारों में, सरकार अथवा विनियामक प्राधिकरण ब्याज दरें निश्चित करती है। उदाहरण के लिए, ब्याज दरों का ऐसा सरकारी विनियमन बृहद् समष्टि आर्थिक नीति का अंग हो सकता है अथवा इसे अर्थव्यवस्था के एक विशेष क्षेत्र में निवेश के लिए प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया जा सकता है। इनमें से कुछ मामलों में, धन तत्व के समय मूल्य का उद्देश्य केवल समय व्यतीत होने के लिए प्रतिफल प्रदान करना नहीं है। तथापि, अनुच्छेद ख 4.1.9 क - ख 4.1.9 घ के बावजूद अनुच्छेद 4.1.2 (ख) और 4.1.2 क (ख) में शर्त लागू करने के प्रयोजन के लिए धन के समय मूल्य तत्व हेतु एक विनियमित ब्याज दर को प्रतिनिधि दर समझा जाएगा। यदि वह विनियमित ब्याज दर वह प्रतिफल प्रदान करती है जो कि मोटे रूप से समय के हिस्से के अनुकूल है और उन अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों में जोखिमों अथवा उतार-चढ़ाव के प्रति 'एक्सपोजर' प्रदान नहीं करता है जो कि मूलभूत ऋणदायी व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

अनुबंधात्मक शर्तें जो अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का समय अथवा राशि को परिवर्तित करती हैं

ख 4.1.10 यदि वित्तीय आस्ति में कोई अनुबंधित शर्त हो जो अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह के समय अथवा राशि में परिवर्तन ला सकती हो, (उदाहरण के लिए, यदि किसी आस्ति का परिपक्वता के पहले पूर्व में भुगतान किया जा सकता हो या इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता हो), तो प्रतिष्ठान को यह निर्धारित करना चाहिए कि उस अनुबंधात्मक शर्त के कारण लिखत की पूर्ण अवधि (जीवन-काल) में कभी भी यदि कोई अनुबंधित नकदी प्रवाह उत्पन्न हो रहा हो तो क्या वह मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज का अकेला भुगतान होगा, अथवा नहीं। यह निर्धारित करने के लिए, प्रतिष्ठान को अनुबंधित नकदी प्रवाह में आए परिवर्तन के बाद तथा पहले, दोनों ही स्थितियों में, उत्पन्न वाले अनुबंधित नकदी प्रवाह का आकलन करना होगा। प्रतिष्ठान को किसी आकस्मिक घटना (अथवा ट्रिगर) के स्वरूप का भी आकलन करना होगा जो अनुबंधित नकदी प्रवाह के समय अथवा राशि में परिवर्तन लाएगा। हालांकि, आकस्मिक घटना का स्वरूप यह निर्धारित करने के लिए कि अनुबंधित नकदी प्रवाह मूलधन तथा ब्याज के भुगतान के लिए अकेला सक्षम है या नहीं, स्वयं में एक निर्णायक तत्व नहीं है पर वह एक संकेतक अवश्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक वित्तीय लिखत की, जिसकी ब्याज दर उच्चतर दर पर पुनः निर्धारित की जाती है क्योंकि ऋणी ने कुछ भुगतान की कितनी अदा नहीं की है, तुलना उस दूसरी वित्तीय लिखत, के साथ करें, जिसकी ब्याज दर उच्चतर दर पर पुनर्निर्धारित की जाती है क्योंकि इक्विटी सूचकांक किसी विशिष्ट स्तर पर पहुंच गया है। पहले वाली स्थिति में यह अधिक संभव है कि लिखत की पूर्ण (जीवन काल) में अनुबंधित नकदी-प्रवाह केवल मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान हेतु होगा जिसका कारण छूटे हुए भुगतान तथा ऋण जोखिम में आई वृद्धि का आपसी संबंध है (देखें अनुच्छेद ख 4.1.18)।

ख 4.1.11 निम्नलिखित उन अनुबंधित शर्तों के उदाहरण हैं जिनके परिणामस्वरूप अनुबंधित नकदी प्रवाह होते हैं और जो मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं:

(क) एक परिवर्तनशील ब्याज दर, जो धन के समय-मूल्य के प्रतिफल और किसी विशेष अवधि के दौरान बकाया मूलधन से सम्बन्धित ऋण (क्रेडिट) जोखिम (ऋण के जोखिम का निर्धारण प्रारंभिक मान्यता पर ही किया जाए तथा तदनुसार यह नियत होता है और लाभ के मार्जिन के साथ-साथ अन्य मूलभूत ऋण जोखिम तथा लागतों से मिलकर बनती है;

- (ख) एक अनुबंधात्मक शर्त जो जारीकर्ता (अर्थात् ऋणी) को यह अनुमति देती है कि वह ऋण लिखत का निश्चित समय से पहले ही भुगतान करे अथवा धारक (अर्थात् ऋणदाता) को यह अनुमति देती है कि वह ऋण लिखत को परिपक्वता से पहले ही ऋणी को वापस दे दे तथा पूर्व में किए गए भुगतान की राशि वस्तुतः यह मूलधन की राशि व बकाया मूलधन पर ब्याज दर्शाती है जिसमें अनुबंध के समय से पूर्व समाप्त होने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त क्षतिपूर्ति शामिल होगी, तथा
- (ग) एक अनुबंधात्मक शर्त जो जारीकर्ता अथवा धारक को यह अनुमति देती है कि वह ऋण लिखत के अनुबंध की शर्तों को बढ़ा सके (अर्थात् विस्तार आप्शन) और विस्तार आप्शन की शर्तें विस्तार अवधि के दौरान अनुबंधित नकदी प्रवाह के रूप में परिणत होती हैं जो केवल मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के पूर्ण भुगतान हेतु हैं तथा इनमें अनुबंध के विस्तार के लिए तर्कसंगत अतिरिक्त क्षतिपूर्ति शामिल होगी।
- ख 4.1.12 अनुच्छेद ख 4.1.10 के बावजूद, एक वित्तीय आस्ति जो अन्यथा अनुच्छेद 4.1.2 (ख) तथा 4.1.2क (ख) का पालन तो करती है परंतु वह ऐसा इसलिए नहीं करती कि उस अनुबंधात्मक शर्त के परिणामस्वरूप, जो जारीकर्ता को इस बात की अनुमति देती है (या अपेक्षा करती है) ऋण लिखत का पूर्व भुगतान करे या धारक को यह अनुमति देती हो परिपक्वता अवधि के पहले ही ऋण लिखत जारीकर्ता को वापस और यदि वह ऐसा करता है। तो उस स्थिति में वह आस्ति अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर माप के लिए पात्र होगी (बशर्त वह अनुच्छेद 4.1.2 (क) में दी गयी शर्तों या अनुच्छेद 4.1.2(अ) में दी गयी शर्तों का पालन करती है) यदि,
- (क) प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक सम राशि के अधिमूल्य (प्रीमियम) अथवा छूट पर वित्तीय आस्ति को ग्रहण या उत्पन्न करें;
- (ख) पूर्व भुगतान राशि अधिकांशतया अनुबंधात्मक सम राशि और उर्पजित परन्तु अदत्त (बकाया) अनुबंधात्मक ब्याज, जिसमें अनुबंध के परिपक्वता के पूर्व दिए जाने हेतु तर्कसंगत अतिरिक्त क्षतिपूर्ति शामिल है, को दर्शाता हो; तथा
- (ग) जब प्रतिष्ठान प्रारंभ में वित्तीय आस्ति को मान्यता देती है तब पूर्व भुगतान विशेषता का उचित मूल्य महत्वहीन (मामूली) हो।
- 4.1.13 निम्नलिखित उदाहरण उन अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह को दर्शाते हैं जो केवल मूलधन तथा शेष मूलधन पर ब्याज के भुगतान हेतु हैं। उदाहरणों की यह सूची विस्तृत नहीं है।

लिखत 'क'	विश्लेषण
लिखत 'क' एक बॉंड है जिसकी एक वर्णित परिपक्वता तिथि दी गयी है। मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान उस मुद्रा के मुद्रास्फिति के सूचकांक से संबद्धित है जिसमें लिखत जारी की गयी है। मुद्रास्फिति के संबंध को लीवरेज नहीं किया गया है तथा मूलधन को संरक्षित किया है।	अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह केवल मूल धन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान के लिए हैं। मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज को गैर लीवरेज की गयी मुद्रास्फिति सूचकांक से संबद्ध भुगतान पर धन के समय मूल्य को वर्तमान स्तर पर पुनःनिर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, लिखत पर ब्याज दर 'वास्तविक' ब्याज को दर्शाता है। अतः, ब्याज की राशि बकाया मूलधन राशि पर धन के समय मूल्य का प्रतिफल है। तथापि, यदि ब्याज के भुगतानों को किसी अन्य परिवर्तनशील कारक के साथ सूचीबद्ध किया जाता है जैसे कि ऋणी का कार्य-निष्पादन (उदाहरणार्थ ऋण की शुद्धआय) अथवा 'इक्विटी' सूचकांक से है, तो अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह मूल धन-राशि तथा बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान नहीं है (जब तक कि ऋणी के कार्य-निष्पादन को सूचीबद्ध किए जाने के परिणामस्वरूप, यह समायोजन में परिणत होता है जो कि लिखत के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के लिए धारक की केवल क्षतिपूर्ति करता है, जैसे कि अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह पूरी तरह से मूलधन और ब्याज का ही भुगतान है। यह इस कारण से है कि अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह वह प्रतिफल दर्शाते हैं जो कि मूलभूत ऋणदायी व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं (देखें अनुच्छेद ख 4.1.7 क)।
लिखत 'ख'	विश्लेषण

लिखत 'ख' एक वर्णित परिपक्वता तिथि के साथ एक परिवर्तनशील ब्याज दर लिखत है जिसमें ऋणी को यह अनुमति है कि वह अविरल आधार पर बाजार ब्याज-दर का चुनाव कर सकता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक ब्याज-दर की पुनर्निर्धारित तिथि पर, ऋणी अदायगी के लिए तीन माह की अवधि के लिए तीन-माह का 'लीबोर' और एक माह की अवधि के लिए एक-माह का 'लीबोर' का चयन कर सकता है।	अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह मूलधन राशि तथा बकाया मूलधन पर ब्याज का पूरा एक साथ भुगतान हैं। जहां तक लिखत की अवधि (जीवन) से अधिक अवधि के अदा किए गए ब्याज का संबंध धन के समय मूल्य, लिखत से संबंधित ऋण जोखिम और अन्य मूलभूत ऋण जोखिमों व लागतों और लाभ मार्जिन से है। (देखें अनुच्छेद ख 4.1.7 क)। यह तथ्य कि 'लीबोर' ब्याज दर लिखत की अवधि (जीवन) के दौरान पुनः निर्धारित की जाती है, इससे लिखत अपने आप अनर्हक (अयोग्य) नहीं हो जाती। तथापि, यदि ऋणी एक माह की ब्याज दर की अदायगी करने हेतु चयन कर सकता है, जोकि प्रत्येक तीन माह में पुनः निर्धारित की जाती है, तो ब्याज दर की उस आवृत्ति के साथ पुनः निर्धारित किया जाता है जो ब्याज दर की अवधि से मेल नहीं खाती है। परिणामस्वरूप, धन के समय-मूल्य तत्व को संशोधित किया जाता है। इसी प्रकार से, यदि कोई लिखत की अनुबंधात्मक ब्याज दर है, जो उस मियाद पर आधारित है जो कि लिखत की शेष अवधि को बढ़ा सकती है (उदाहरण के लिए, कोई पांच वर्षीय परिपक्वता वाली लिखत परिवर्तनशील दर पर अदायगी करती है जो कि समय-समय पर पुनः निर्धारित की जाती है परंतु यह हमेशा पांच वर्ष की परिपक्वता को दर्शाती है) धन के समय-मूल्य तत्व को संशोधित किया जाता है। यह इसलिए कि प्रत्येक अवधि में देय ब्याज को ब्याज अवधि से अलग कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में, प्रतिष्ठान उन अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का मूल्यांकन एक लिखत पर उन अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के विरुद्ध, गुणात्मक अथवा मात्रात्मक रूप से अवश्य करें जो कि सभी प्रकार से समान हैं जिसमें ब्याज दर की अवधि को छोड़कर जो कि ब्याज अवधि से मेल खाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यदि नकदी प्रवाह मूलधन राशि तथा बकाया मूलधन पर ब्याज का पूरी तरह से भुगतान है (परंतु विनियमित ब्याज दरों के संबंध में दिशा-निर्देश के लिए अनुच्छेद ख 4.1.9 ड देखें)। उदाहरण के लिए, पांच वर्षीय अवधि के साथ बांड का मूल्यांकन करने में जो कि प्रत्येक छह महीनों में पुनः निर्धारित किया जाता है परंतु हमेशा पांच वर्ष की परिपक्वता को दर्शाता है, एक प्रतिष्ठान किसी लिखत पर अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों पर विचार करता है जो कि छह माह से छह माह की ब्याज दर को पुनः निर्धारित करता है परंतु यह अन्य प्रकार से समान है। इस प्रकार का विश्लेषण तब भी लागू होगा यदि ऋणी ऋणदाता की विभिन्न प्रकाशित ब्याज दरों के बीच चुनाव करने के योग्य होता है (उदाहरणार्थ ऋणी ऋणदाता की प्रकाशित एक माह की परिवर्तनशील ब्याज दर और ऋणदाता की प्रकाशित तीन माह की परिवर्तनशील दर के बीच चुनाव कर सकता है)।
लिखत 'ग'	विश्लेषण
लिखत 'ग' एक बाँड है जिसकी परिपक्वता तिथि वर्णित है। यह एक परिवर्तनशील ब्याज दर की अदायगी करती है। वह परिवर्तनशील ब्याज दर सीमित है।	निम्नलिखित दोनों के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह; (क) एक लिखत जिसकी एक निश्चित ब्याज दर है; और (ख) एक लिखत, जिसकी एक परिवर्तनशील ब्याज-दर है मूल धन राशि तथा बकाया मूल धन पर ब्याज का भुगतान है जहां तक धन के समय मूल्य के लिए लिखत की अवधि के दौरान

	लिखत के संबंधित ऋण जोखिम के लिए और अन्य मूलभूत ऋणदाता जोखिमों और लागतों और इसके साथ-साथ लाभ मार्जिन को दर्शाती है। (देखें अनुच्छेद ख 4.1.7 क) परिणामस्वरूप, एक लिखत उपर्युक्त (क) एवं (ख) का संयोजन है। (उदाहरण एक बाँड जिसकी ब्याज-दर सीमित किया गया है)। इनके नकदी प्रवाह है जो कि बकाया मूलधन राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान है। इस प्रकार की अनुबंधात्मक शर्त एक परिवर्तनशील ब्याज दर एक सीमा स्थापित करके नकदी प्रवाह को कम कर सकती है। (उदाहरणार्थ एक ब्याज दर कैप अथवाफ्लोर) अथवा नकदी प्रवाह की परिवर्तनीयता में वृद्धि करना क्योंकि एक निश्चित दर परिवर्तनशील हो जाती है।
लिखत 'घ'	विश्लेषण
लिखत 'घ' एक पूर्ण दायित्व ऋण है जो संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित है।	यह तथ्य कि एक पूर्ण दायित्व ऋण है जो संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित है। यह स्वतः इस विश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं डालता कि एक अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह मूलधन राशि पर मूलधन और ब्याज का पूरी तरह से भुगतान है।
लिखत 'ङ'	विश्लेषण
लिखत 'ङ' एक विनियमित बैंक द्वारा जारी एक लिखत है और इसकी एक परिपक्वता तिथि वर्णित है। लिखत एक निश्चित ब्याज-दर की अदायगी करती है और सभी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह गैर-विवेकाधीन हैं। तथापि, जारीकर्ता उस कानून के अधीन है जोकि विशेष परिस्थितियों में लिखत 'ङ' सहित विशेष लिखतों के धारकों पर हानियां थोपने के लिए एक राष्ट्रीय समाधानकारी प्राधिकरण को अनुमति देता है अथवा उसकी अपेक्षा करता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय समाधानकारी प्राधिकरण के पास लिखत 'ङ' के सम मूल्य को अपलिखत करने अथवा इसे जारीकर्ता के साधारण शेयरों की निश्चित संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार है यदि राष्ट्रीय समाधानकारी प्राधिकरण यह निश्चित करता है कि जारीकर्ता की गंभीर वित्तीय कठिनाइयां हैं, उसे अतिरिक्त विनियामक पूंजी की आवश्यकता है अथवा वह चूक कर रहा है।	धारक यह निश्चित करने के लिए वित्तीय लिखतों की अनुबंधात्मक शर्तों का विश्लेषण करेगा कि क्या वे नकदी प्रवाहों में वृद्धि करती हैं जो कि केवल मूलधन राशि तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान के लिए हैं और इस तरह वे मूलभूत ऋणदायी व्यवस्था के समरूप हैं। वे विश्लेषण उन भुगतानों पर विचार नहीं करेंगे जो केवल लिखत 'ङ' के धारकों पर हानियां थोपने के लिए समाधानकारी प्राधिकरण की शक्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। वह इसलिए कि शक्ति और परिणामी भुगतान वित्तीय लिखतों की अनुबंधात्मक शर्तों नहीं हैं। इसके विपरीत, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह से मूलधन और ब्याज का भुगतान है। यदि वित्तीय लिखत की अनुबंधात्मक शर्तें धारक पर हानियां थोपने के लिए जारीकर्ता को अथवा अन्य प्रतिष्ठान को अनुमति देती है अथवा उससे अपेक्षा करती है (उदाहरण के लिए सम मूल्य को अपलिखित करके अथवा उसे जारीकर्ता के सामान्य शेयरों की निश्चित संख्या में परिवर्तित करके) जहां तक वो अनुबंधात्मक शर्तें सही हैं, चाहे यह संभाव्यता बहुत-ही कम है कि इस प्रकार की हानि को थोपा जाएगा।

ख 4.1.14 निम्नलिखित उदाहरण उन अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के बारे में दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं कि वे केवल मूलधन राशि तथा बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान नहीं हैं। उदाहरणों की यह सूची विस्तृत नहीं है।

लिखत 'च'	विश्लेषण
लिखत 'च' एक बाँड है जो कि जारीकर्ता की इक्विटी लिखतों की एक निश्चित संख्या में परिवर्तनीय है।	धारक परिवर्तनीय बाँड का विश्लेषण इसकी समग्रता में करेगा। अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह मूलधन राशि तथा बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान नहीं है क्योंकि वे उस प्रतिफल को दर्शाते हैं जो कि मूलभूत ऋणदायी व्यवस्था के समरूप नहीं है। (देखें ख 4.1.7क) अर्थात् यह प्रतिफल जारीकर्ता की इक्विटी के मूल्य से संबंधित है।

लिखत 'छ'	विश्लेषण
लिखत 'छ' एक ऋण है जो कि प्रतिकूल फ्लोटिंग ब्याज-दर की अदायगी करता है (अर्थात् ब्याज-दर का बाजार ब्याज दरों से प्रतिकूल सम्बंध है।	अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह केवल मूलधन राशि एवं बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान नहीं है। ब्याज राशियां बकाया मूलधन राशि पर धन के समय मूल्य का प्रतिफल नहीं हैं।
लिखत 'ज'	विश्लेषण
लिखत 'ज' एक निरन्तर लिखत है परंतु जारीकर्ता किसी भी बिन्दु पर लिखत को कॉल कर सकता है और वह धारक को देय उपार्जित ब्याज सहित सम मूल्य पर राशि की अदायगी कर सकता है। लिखत 'ज' बाजार ब्याज-दर का भुगतान करता है परंतु ब्याज का भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके तत्काल पश्चात् जारीकर्ता दिवालिया नहीं होता है। आस्थगित ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज उपार्जित नहीं होता है।	अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह मूलधन राशि एवं बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान नहीं है। वह इस कारण से कि जारीकर्ता से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह ब्याज के भुगतानों को स्थगित कर दे और उन आस्थगित ब्याज राशियों पर अतिरिक्त ब्याज उपार्जित नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप, ब्याज राशियां बकाया मूलधन राशि पर धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल नहीं हैं। यदि आस्थगित राशियों पर ब्याज उपार्जित होता है तो, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह मूलधन राशि एवं बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हो सकते हैं। यह तथ्य कि लिखत 'ज' निरन्तर है, इससे अपने आप यह अभिप्राय: नहीं है कि अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह मूलधन राशि एवं बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान नहीं है। वास्तव में, निरन्तर लिखत के पास निरन्तर (बहुल) विस्तार विकल्प हैं। ऐसे विकल्प उन अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों में परिणत हो सकते हैं जो कि मूलधन राशि एवं बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान हैं बशर्ते ब्याज भुगतान करना अनिवार्य है, तो वह जब-जब देय हो उसका निरन्तर रूप से भुगतान किया जाएगा। साथ ही, यह तथ्य कि लिखत 'ज' कॉल किए जाने योग्य है तो इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह मूलधन राशि एवं बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान नहीं है जब तक कि यह किसी एक राशि पर कॉल किए जाने योग्य न हो, वह मूलधन राशि एवं बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान अधिकांश रूप से नहीं दर्शाती। इसके बावजूद भी कॉल किए जाने योग्य राशि में वह एक राशि सम्मिलित है जो कि तर्कसंगत रूप से लिखत की शीघ्र समाप्ति के लिए धारक को क्षतिपूर्ति करती है। अनुबंधात्मक नकदी मूलधन राशि एवं बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हो सकते हैं (अनुच्छेद ख 4.1.12 भी देखें)।

ख 4.1.15 कुछ मामलों में एक वित्तीय आस्ति में नकदी प्रवाह हो सकते हैं, जिन्हें कि मूलधन और ब्याज के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु वे नकदी प्रवाह मूलधन राशि एवं बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जैसाकि इस मानक के अनुच्छेद 4.1.2(ख), 4.1.2 क (ख) और 4.1.3 में वर्णित किया गया है।

ख 4.1.16 यह वह मामला भी हो सकता है यदि वित्तीय आस्ति किन्हीं आस्तियों और नकदी प्रवाहों में किसी निवेश का प्रतिनिधित्व करती हो और इसलिए अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह केवल मूलधन राशि एवं बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि अनुबंधात्मक शर्तें यह निर्धारित करती हैं, कि एक वित्तीय आस्ति के नकदी प्रवाह में तब वृद्धि हो जाती है जब अपेक्षया अधिक मोटर-कारें एक विशेष टोल सड़क का प्रयोग करती हैं, तो वे अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह मूलभूत ऋणदायी व्यवस्था के समरूप नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप लिखत अनुच्छेद 4.1.2(ख), 4.1.2 क (ख) की शर्त को पूरा नहीं कर पायेगी। ऐसा तब हो सकता है जब एक लेनदार (क्रेडिटर) का दावा ऋणी की विशिष्ट आस्तियों तक ही सीमित हो अथवा विशिष्ट आस्तियों से नकदी प्रवाह का सृजन हो। (उदाहरणस्वरूप, ऐसी आस्तियां जिनका कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो)

- 4.1.17 तथापि, यह तथ्य है कि वित्तीय आस्ति वैकल्पिक व्यवस्था रहित हैं, परंतु ये वित्तीय आस्तियों के अनुच्छेद 4.1.2 (ख) तथा 4.1.2 क (ख) में वर्णित शर्तों को स्वतः पालन करने के निश्चित रूप से नहीं प्रतिबंधित करती हैं। ऐसी स्थिति में, ऋणदाता द्वारा विशेष रेखांकित आस्तियों तथा नकदी प्रवाहों से वर्गीकृत की जांच (ध्यान से देखना) करना आवश्यक है ताकि वह निर्णय ले सके कि क्या वर्गीकृत वित्तीय आस्तियों के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह मूलधन राशि और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान है। यदि वित्तीय आस्तियों की शर्तें किसी अन्य नकदी प्रवाह का इस प्रकार सृजन करती हैं या नकदी प्रवाहों को इस तरह से सीमित करती हैं कि मूलधन तथा ब्याज से संबंधित भुगतान समरूप न हों तो ये वित्तीय आस्तियां अनुच्छेद 4.1.2 (ख) तथा 4.1.2 क (ख) के नियमों का पालन नहीं करती हैं। रेखांकित आस्तियां वित्तीय आस्तियां हैं, या गैर-वित्तीय आस्तियां, इससे इस जांच पर स्वतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- ख 4.1.18 एक अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह की विशेषता वित्तीय आस्ति के वर्गीकरण पर अधिक प्रभाव नहीं डालती है यदि वित्तीय आस्ति के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह पर न्यूनतम प्रभाव ही डालती हो। इसका निरूपण करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिष्ठान प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अनुबंध नकदी प्रवाह की विशेषता के संभव प्रभाव तथा वित्तीय लिखत आजीवन संचयी के संभव प्रभाव पर विचार करें। इसके साथ ही, यदि अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह की विशेषता का उन अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों पर प्रभाव है जो न्यूनतम से अधिक या संचयी रूप से प्रभाव डाल सकते हैं (या तो एक रिपोर्टिंग अवधि या फिर संचयी रूप में), परंतु जो नकदी प्रवाह की वास्तविक नहीं हैं, वह वित्तीय आस्ति की विशेषता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। एक नकदी प्रवाह वास्तविक नहीं है, यदि यह वित्तीय लिखत के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को तभी प्रभावित करता है जब इस घटना के घटित होने पर हो जो बहुत ही कम, अत्यधिक असामान्य तथा बहुत ही कम घटित होने वाली हो।
- ख 4.1.19 लगभग प्रत्येक ऋण लेन-देन में ऋणदाता की लिखत का अंकन ऋणी की अन्य ऋणदाताओं की लिखतों के सम्बन्ध में किया जाएगा। यदि एक लिखत अन्य लिखतों के अधीन है उसके वे अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह हो सकते हैं जो मूलधन एवं बकाया मूलधन का ब्याज का भुगतान है यदि देनदार का भुगतान न करना अनुबंध का उल्लंघन है तथा देनदार की दिवालिया होने की दशा में धारक का गैर-भुगतान मूलधन राशि एवं बकाया मूलधन पर ब्याज पर अनुबंधात्मक अधिकार है। उदाहरण के लिए एक व्यापार प्राप्य राशि जो किसी ऋणदाता को एक सामान्य ऋणदाता की श्रेणी में रखती है वह मूलधन एवं बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अर्हक है। यही तब भी जब ऋणी को जारी किया गया ऋण संपादित प्रतिभूति के साथ हो और वह दिवालिया होने की स्थिति में भी ऋण धारक को संपादित प्रतिभूति के संबंध में सामान्य ऋणदाता के दावों पर अधिक प्राथमिकता देगा परंतु सामान्य ऋणदाता के अदत मूलधन तथा अन्य देय राशि पर अनुबंधात्मक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।
- अनुबंधात्मक जुड़ी हुई लिखतें*
- ख 4.1.20 लेनदेन के कुछ प्रकारों में, जारीकर्ता अनेक अनुबंधित जुड़ी लिखतों का उपयोग कर वित्तीय आस्तियों के धारकों को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान दे सकता है, जिससे ऋण जोखिम की (त्रांसस) सघनता उत्पन्न होती है। प्रत्येक त्रांस की भी एक अधीनस्थ रैंकिंग होती है, जो यह विनिर्दिष्ट करता है, कि किस क्रम में जारीकर्ता द्वारा पैदा किया गया नकदी प्रवाह किसमांग के लिए आवंटित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, यदि जारीकर्ता उच्च रैंकिंग के त्रांस की मांग करने हेतु पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है, तभी त्रांस के धारक को मूलधन एवं बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान का अधिकार मिलता है।
- ख 4.1.21 ऐसे लेन-देनों में, त्रांस के पास ऐसी नकदी प्रवाह विशेषताएँ होती हैं जो मूलधन एवं बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान हैं, लेकिन, तभी:
- (क) वर्गीकरण के लिए निर्धारित त्रांस की अनुबंधित शर्तें [वित्तीय लिखतों में मूलाधार समूह (पूल) हिस्से को ध्यानपूर्वक देखे बिना] नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो केवल बकाया मूल धन पर मूलधन व ब्याज का भुगतान है (उदाहरणस्वरूप, त्रांस पर ब्याज-दर पण्य सूचकांक से संबद्ध नहीं होगा);
 - (ख) वित्तीय लिखतों में अंडरलाइंग हित समूह मूल में अनुच्छेद ख 4.1.23 तथा ख 4.1.24 में दी गई नकदी प्रवाह विशेषताएं हैं; और
 - (ग) त्रांस में अंडरलाइंग वित्तीय लिखतों के अंडरलाइंग समूह (पूल) हिस्सा में ऋण जोखिम का एक्सपोजर वित्तीय में अंडरलाइंग समूह 'एक्सपोजर' के बराबर अथवा उससे कम होता है (उदाहरण के लिए, वर्गीकरण के लिए निर्धारित की जाने वाली त्रांस की क्रेडिट रेटिंग वित्तीय लिखतों में निहित समूह को वित्तपोषित करने वाले एकमात्र त्रांस पड़ने की क्रेडिट रेटिंग के बराबर अथवा उससे अधिक होगी)।
- ख 4.1.22 एक प्रतिष्ठान को यह ध्यानपूर्वक देखना होगा, जब तक वह नकदी प्रवाह को निर्मित करने वाली (सिर्फ गुजरने वाले को छोड़कर) लिखतों में अंडरलाइंग समूह (पूल) की पहचान नहीं कर लेता। यह वित्तीय लिखतों का अंडरलाइंग समूह है।
- ख 4.1.23 अंडरलाइंग समूह (पूल) में एक या एक से अधिक लिखतें अवश्य होनी चाहिए जिसमें वे अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह हैं जो मूलधन एवं बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान के लिए हों।

ख 4.1.24 लिखतों के अंडरलाइंग समूह में वे लिखतें भी शामिल हो सकती हैं जो:

- (क) अनुच्छेद ख 4.1.23 में दी गयी लिखतों के नकदी प्रवाह की परिवर्तनशीलता को कम करे और जब अनुच्छेद ख 4.1.23 में दी गयी लिखतों से मिलें तो ऐसे परिणामस्वरूप नकदी प्रावह उत्पन्न करें जो केवल मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान अकेले ही करे (उदाहरण के लिए, ब्याज दर की उच्चतम अथवा न्यूनतम सीमा या अनुबंध जिससे अनुच्छेद ख 4.1.23 में दी गयी कुछ या सभी लिखतों पर ऋण जोखिम में कमी आ जाए); अथवा
- (ख) अनुच्छेद ख 4.1.23 में दी गयी लिखतों में अंडरलाइंग समूह (पूल) के नकदी प्रवाहों के साथ त्रांस के नकदी प्रवाह को मिलाना ताकि निम्नलिखित में और केवल निम्नलिखित आई किसी भिन्नता को दूर किया जा सके:
 - (i) क्या ब्याज-दर नियत (स्थिर) है अथवा अस्थिर(फ्लोटिंग) है;
 - (ii) नकदा-प्रवाहों की मूल्यांकित मुद्रा, जिसमें उस मुद्रा में आई मुद्रास्फीति भी शामिल हो; या
 - (iii) नकदी प्रवाहों का समय।

ख 4.1.25 यदि (पूल) की कोई भी लिखत अनुच्छेद ख 4.1.23 अथवा अनुच्छेद ख 4.1.24 में दी गयी शर्तों का पालन नहीं करती है, तो वह अनुच्छेद ख 4.1.21 (ख) में दी गयी शर्तों का भी पालन नहीं करती है। इस निर्धारण को करते वक्त (पूल) का लिखतवार निर्धारण आवश्यक नहीं है। तथापि, समूह में वर्णित लिखतें अनुच्छेद ख 4.1.23-ख 4.1.24 में दी गई शर्तों का पालन कर रही हैं या नहीं इसके निर्धारण के लिए प्रतिष्ठान को विवेक का प्रयोग करते हुए पर्याप्त करना चाहिए। न्याय निर्धारण तथा (अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के विशेषताओं पर दिशा-निर्देश के लिए अनुच्छेद ख 4.1.18 को भी देखें, जिसमें केवल न्यूनतम प्रभाव हैं)।

ख 4.1.26 यदि प्रारम्भिक मान्यता पर धारक अनुच्छेद ख 4.1.21 में दी गयी शर्तों का निर्धारण नहीं कर पाता है, तो उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि के माध्यम से त्रांस को मापा जाएगा। यदि लिखतों में अंडरलाइंग समूह प्रारम्भिक समूह के बाद इस प्रकार परिवर्तित हो कि समूह अनुच्छेद ख 4.1.23 ख - 4.1.24 में दी गयी शर्तों का पालन न करें, तो त्रांस अनुच्छेद ख 4.1.21 में दी गयी शर्तों का पालन नहीं करता है और इसे लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ही मापा जाएगा। तथापि, यदि अंडरलाइंग समूह में ऐसी लिखतें शामिल हैं जो उन आस्तियों से संपार्श्विक हो जो अनुच्छेद ख 4.1.23-ख 4.1.24 में दी गयी शर्तों का पालन नहीं करती हैं, तो ऐसी आस्तियों को हासिल करने की योग्यता को इस अनुच्छेद को लागू करने के उद्देश्य के लिए नजर अन्दाज कर दिया जाएगा बशर्ते प्रतिष्ठान ने संपार्श्विक को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही त्रांस को ग्रहण किया है।

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ही वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व को नामोद्दिष्ट करने का विकल्प (खंड 4.1 तथा 4.2)

ख 4.1.27 अनुच्छेद 4.1.5 और 4.2.2 की शर्तों के अधीन, यह मानक एक प्रतिष्ठान को यह अनुमति देता है, कि वह एक आस्ति, एक वित्तीय दायित्व या वित्तीय लिखतों के समूह (वित्तीय आस्तियों, वित्तीय दायित्वों या दोनों) को लाभ-हानि द्वारा उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट करे बशर्ते ऐसा करने से अधिक प्रासंगिक सूचना प्राप्त होती हो।

ख 4.1.28 वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ही नामोद्दिष्ट करने का प्रतिष्ठान का निर्णय एक लेखा नीति चयन करने जैसा है (हालांकि, जैसा कि लेखा नीति चयन से हटकर है, इसे सभी एक जैसे लेन-देनों में समान रूप से लागू करने की आवश्यकता नहीं है)। जब प्रतिष्ठान ऐसा चयन करता है, तो भारतीय लेखा मानक 8 का अनुच्छेद 14 (ख) चयनित नीतिगत से, लेन-देनों, अन्य घटनाओं तथा प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन या नकदी प्रवाहों की स्थिति के प्रभाव के विषय में विश्वसनीय तथा अधिक प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने वाले वित्तीय विवरण के रूप में परिणाम की अपेक्षा करता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय दायित्वों को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट करने की स्थिति के लिए अनुच्छेद 4.2.2 में दो परिस्थितियां दी गई हैं जब अधिक उपयुक्त सूचना के लिए आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तदनुसार, अनुच्छेद ख 4.2.2 के अनुसार ऐसे नामोद्देशन के चयन में प्रतिष्ठान को यह दर्शाना होता है कि वह इन दो परिस्थितियों में से किसी एक (या दोनों) में आता है। नामोद्देशन लेखे की विसंगति को समाप्त करता है या उसे महत्वपूर्ण रूप से कम करता है।

नामोद्देशन एक लेखांकन बेमेल को हटाता है अथवा काफी हद तक कम करता है

ख 4.1.29 वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व का माप और उसके मूल्य में आए मान्य परिवर्तनों का वर्गीकरण मद के वर्गीकरण और इस बात पर निश्चित किया जाता है, कि क्या वह मद नामोद्दिष्ट हेज के संबंध का अंग है अथवा नहीं। ये अपेक्षाएं माप या मान्यता में असंगति उत्पन्न कर सकती हैं (जिसे कभी-कभी लेखा बेमेल भी कहा जाता है) जब, उदाहरण स्वरूप, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट करने के अभाव एक वित्तीय आस्ति को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और प्रतिष्ठान जिस दायित्व को संबद्ध मान रहा है वह बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाएगा (जिसमें, उचित मूल्य पर आए परिवर्तन को मान्यता नहीं दी जाएगी)। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उसके वित्तीय विवरण अधिक प्रासांगिक सूचना देगा बशर्ते आस्ति तथा दायित्व दोनों को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ही मापा जाता है।

ख 4.1.30 निम्नलिखित उदाहरण यह दर्शाते हैं कि कब ऐसी स्थिति को पूरा किया जाएगा। सभी मामलों में, एक प्रतिष्ठान लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ही वित्तीय आस्तियों अथवा दायित्वों को नामोद्दिष्ट करने के लिए इन परिस्थितियों का उपयोग कर सकता है बशर्ते वह अनुच्छेद 4.1.5 अथवा 4.2.2(क) में दिए गए सिद्धांत का पालन करे:

- (क) एक प्रतिष्ठान के बीमा अनुबंध के अंतर्गत कुछ दायित्व होते हैं जिसके माप में वर्तमान सूचना (भारतीय लेखा मानक 104 के अनुच्छेद 24 द्वारा यथा अनुमत) तथा वित्तीय आस्तियां, जिन्हें वह इससे सम्बंधित मानता है और जो अन्यथा किसी अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर या परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।
- (ख) जब प्रतिष्ठान में वित्तीय आस्तियां तथा वित्तीय दायित्व या दोनों होते हैं, जो ब्याज-दर के जोखिम जैसे एक जोखिम को बांटते हैं और जो उचित मूल्य में उलटा परिवर्तन ला देते हैं, जिससे दोनों परस्पर समंजित हो जाते हैं। तथापि, केवल कुछ ही लिखतों को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। (उदाहरण के लिए, वे जो व्युत्पन्न हैं अथवा व्यापार (ट्रेड) के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत हैं)। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि हेज लेखाकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हों क्योंकि, उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 6.4.1 में हेज प्रभावशीलता की व्यापार अपेक्षाएं पूरी न हुई हों।
- (ग) प्रतिष्ठान में वित्तीय आस्तियां, वित्तीय दायित्व या दोनों होते हैं जो ब्याज-दर के जोखिम जैसे जोखिम को बांटते हैं और जो उचित मूल्य पर विपरीत परिवर्तन लाते हैं जिससे दोनों परस्पर समंजित हो जाते हैं। और कोई भी वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व हेज लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट होने के लिए अर्हक नहीं बन पाता है क्योंकि वह लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापानहीं होता है। इसके अतिरिक्त हेज लेखा परीक्षा के अभाव में लाभों (गेन) या हानियों की मान्यता में काफी अधिक असंगतियां आ जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान ने एक विशिष्ट समूह के ऋण वित्तियन के लिए ट्रेड किये गये बॉण्ड जारी किये हैं, जिनके उचित मूल्य में परिवर्तन उन्हें परस्पर समंजित (आफ सैट) कर देते हैं। यदि, इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान नियमित रूप से बॉण्ड की खरीद व बिक्री करता है और, शायद ही, ऋण कभी-कभार खरीदता या बेचता है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बॉण्डों व ऋणों दोनों को सूचित करता है तो इससे लाभों और हानियों की मान्यता के समय में आई असंगतियां समाप्त (या विलुप्त) हो जाती हैं, जो अन्यथा परिशोधन लागत पर और प्रत्येक समय जब भी एक बॉण्ड पुनः खरीदा जाता है, एक लाभ या हानि की मान्यता इन दोनों पर माप से परिणत होती।

ख 4.1.31 ऐसे मामलों में जिन्हें पिछले अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, प्रारम्भिक मान्यता पर वित्तीय आस्तियों व वित्तीय दायित्वों को नामोद्दिष्ट करने के लिए, जिन्हें अन्यथा लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता है, माप या मान्यता असंगति को या तो समाप्त या (विलुप्त) करती है, या फिर काफी हद तक कम करती है, और अपेक्षाया अधिक प्रासांगिक सूचना सृजित करती है। व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए, प्रतिष्ठान को उन सभी आस्तियों तथा दायित्वों में एक साथ सम्मिलित नहीं होना चाहिए जो माप या मान्यता में असंगति को बिल्कुल एक ही समय उत्पन्न करें। एक तर्कसंगत विलम्ब की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते प्रत्येक लेन-देन को उसकी पहली मान्यता में लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट कर दिया जाता है और, उस समय किन्हीं शेष लेन देनों के होने की आशा हो।

ख 4.1.32 लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर कुछ ही वित्तीय आस्तियों और दायित्वों को नामोद्दिष्ट करना, जो असंगति उत्पन्न कर रही हों, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे असंगति समाप्त या बहुत हद तक कम नहीं होंगी तथा परिणामतः अधिक उपयुक्त सूचना नहीं मिलेगी। तथापि, ऐसी वित्तीय आस्तियों या एक ही प्रकार के वित्तीय दायित्वों की कुछ संख्याओं को नामोद्दिष्ट करना, जो असंगति में पर्याप्त कमी लाएं, स्वीकार्य होगा (तथा वह संभवतः अन्य स्वीकार्य नामोद्देशनों से अधिक कमी उत्पन्न करें)। उदाहरण के लिए, मान ले कि प्रतिष्ठान के पास कई ऐसे वित्तीय दायित्व हैं जिनका योग 100 रुपए है और उसी जैसी कई वित्तीय आस्तियां हैं जिनका योग 50 रुपए है परंतु उन्हें अलग-अलग आधार पर मापा जाता है। प्रतिष्ठान आस्तियों की प्रारम्भिक मान्यतापर कुछ ही दायित्वों को (उदाहरण के लिए एक ही दायित्व जिसका समेकित योग 45 रुपए हो) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट करके माप में आई असंगति को काफी हद तक कम कर सकता है। तथापि, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ही नामोद्दिष्ट केवल पूर्ण वित्तीय लिखत पर किया जा सकता है, इसलिए इस उदाहरण में एक या अधिक दायित्व को सम्पूर्णस्वरूप से नामोद्दिष्ट करना आवश्यक है। यह दायित्व के किसी एक घटक [जैसे किसी एक ही जोखिम, जैसे (बेंचमार्क) ब्याज दर में परिवर्तन, से हुए मूल्य में आए परिवर्तन] या दायित्व के भाग (अर्थात् प्रतिशत) को नामोद्दिष्ट नहीं कर सकता है।

वित्तीय दायित्वों या वित्तीय आस्तियों का समूह और वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन एवं इसके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन उचित मूल्य के आधार पर किया जाना

- ख 4.1.33 एक प्रतिष्ठान वित्तीय दायित्वों या वित्तीय आस्तियों के समूह और वित्तीय दायित्वों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन इस प्रकार करे कि लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर उस समूह के माप के परिणामस्वरूप अधिक प्रासंगिक सूचना मिले। इस दृष्टांत का विशेष ध्यान प्रतिष्ठान के प्रबंधन अथवा कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के तरीके पर होता है न कि उसकी वित्तीय लिखतों की प्रकृति पर।
- ख 4.1.34 उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान इस परिस्थिति का उपयोग लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्वों को नामोद्दिष्ट करने के लिए कर सकता है, यदि यह अनुच्छेद 4.2.2(क) में दिए गए सिद्धांत से मेल खाए तथा एक प्रतिष्ठान में ऐसी वित्तीय आस्तियां तथा वित्तीय दायित्व होते हैं, जो एक या अधिक जोखिम को बाटें तथा उन जोखिमों का प्रबंधन एवं मूल्यांकन आस्ति एवं दायित्व प्रबंधन के प्रलेखबद्ध नीति के अनुरूप उचित मूल्य के अनुसार किया जाए। एक प्रतिष्ठान जिसने 'संरचित उत्पादों' को जारी किया हो, जिसमें बहु सन्निहित व्युत्पत्तियां हों तथा जो व्युत्पन्न अथवा गैर व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के मिश्रण के प्रयोग के परिणामस्वरूप जोखिमों को उचित मूल्य के माध्यम से प्रबंधित करे, ऐसा प्रतिष्ठान यह उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।
- ख 4.1.35 जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, यह परिस्थिति उस तरीके पर निर्भर करती है जिसमें एक प्रतिष्ठान विचाराधीन वित्तीय लिखतों के समूह का प्रबंधन अथवा कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है। तदनुसार, (प्रारंभिक मान्यता के नामोद्देशन की अपेक्षा के अधीन) एक प्रतिष्ठान जो इस परिस्थिति के आधार पर लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ही वित्तीय आस्तियों को नामोद्दिष्ट करता है, वह उन सभी पात्र वित्तीय दायित्वों को नामोद्दिष्ट कर सकता है, जो एक साथ प्रबंधित अथवा मूल्यांकित होती हो।
- ख 4.1.36 प्रतिष्ठान की कार्यनीति का प्रलेखीकरण बहुत व्यापक होना जरूरी नहीं है परंतु उसमें अनुच्छेद 4.2.2(ख) का अनुपालन दर्शाना आवश्यक है। ऐसा प्रलेखीकरण प्रत्येक विशिष्ट मद के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु वह पोर्टफोलियों के आधार पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी विभाग का कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली-जैसा है कि प्रतिष्ठान के प्रमुख प्रबंधक कार्मिक द्वारा अनुमोदित हो - साफ तौर पर दर्शाता है कि उसके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन इस आधार पर किया गया है तो अनुच्छेद 4.2.2(ख) के अनुपालन में कोई अन्य प्रलेखीकरण को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।

सन्निहित व्युत्पन्न(खंड 4.3)

- ख 4.3.1 यदि एक प्रतिष्ठान किसी मिश्रित अनुबंध का पक्षकार होता है जिसमें मूल (होस्ट) अनुबंध इस मानक के कार्यक्षेत्र के भीतर एक आस्ति नहीं है तो, अनुच्छेद 4.3.3 के अनुसार प्रतिष्ठान को किसी सन्निहित व्युत्पन्न की पहचान करना आवश्यक है, और यह जांच करना है कि उसे मूल (होस्ट) अनुबंध से पृथक है या नहीं, और अगर पृथक होने की आवश्यकता है तो प्रतिष्ठान को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर तथा इसके पश्चात् लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों का माप करना है।
- ख 4.3.2 यदि मूल (होस्ट) अनुबंध में कोई व्यक्ति अथवा पूर्वनिश्चित परिपक्वता अवधि नहीं है, और प्रतिष्ठान के निवल आस्तियों में अवशिष्ट ब्याज नहीं दर्शाता है तो इसकी आर्थिक विशेषताएं तथा जोखिम वास्तव में वही हैं जो इक्विटी के लिखतों के हैं और सन्निहित व्युत्पन्न में उसी प्रतिष्ठान से संबद्ध इक्विटी की विशेषताओं का होना आवश्यक है तभी यह समझा जाएगा कि वे उससे निकट से सम्बन्धित हैं। यदि मूल (होस्ट) अनुबंध कोई 'इक्विटी' लिखत नहीं है, और वित्तीय लिखतों की परिभाषा को पूरी नहीं करता है तब इसकी आर्थिक विशेषताएं तथा जोखिम ऋण लिखत के होंगे।
- ख 4.3.3 सन्निहित गैर-विकल्प व्युत्पन्न (जैसे वायदा या सन्निहित स्वैप) को व्यक्ति अथवा अन्तर्निहित लागू वास्तविक शर्तों के आधार पर अपने मूल (होस्ट) अनुबंध से अलग होना पड़ता है, ताकि पहली मान्यता पर उचित मूल्य पर शून्य का परिणाम प्राप्त हो। अंतर्निहित ऑप्शन पर आधारित व्युत्पन्न (जैसे अंतर्निहित पुट), कॉल, सीमा न्यूनतम या स्वेपरान) को ऑप्शन के लक्षण के आधार पर दिए दी गयी शर्तों के आधार पर इसके मूल अनुबंध से अलग किया जाता है। मूल (होस्ट) लिखत का प्रारंभिक मूल्य उसे सन्निहित व्युत्पन्न के हटाए जाने के बाद की शेष राशि है।
- ख 4.3.4 सामान्यतया किसी एक एकल मिश्रित अनुबंध में अनेक सन्निहित व्युत्पन्न को एकमात्र मिश्रित सन्निहित व्युत्पन्न के रूप में देखा जाता है। तथापि, किसी इक्विटी के रूप में विनिर्दिष्ट अंतर्निहित व्युत्पन्न को (भारतीय लेखा मानक 32, वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतिकरण को देखें) आस्ति अथवा दायित्व के रूप में विनिर्दिष्ट व्युत्पन्न से अलग लेखा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी मिश्रित अनुबंध में एक-से अधिक सन्निहित व्युत्पन्न होते हैं और वे व्युत्पन्न अलग-अलग जोखिम एक्सपोजरों से सम्बन्धित हैं और आसानी से अलग हो जाने वाली और स्वतंत्र हों तो उनका अलग-अलग लेखा-किया जाता है।

ख 4.3.5 निम्नलिखित उदाहरणों में सन्निहित व्युत्पन्न की आर्थिक विशेषताएं तथा जोखिम के मूल अनुबंध से निकट रूप से संबंधित नहीं हैं [अनुच्छेद 4.3.3 (क)]। इन उदाहरणों में, यह मानते हुए कि अनुच्छेद 4.3.3 (ख) और (ग) में दी गयी शर्तों को पूरा किया गया है, कोई प्रतिष्ठान मूल (होस्ट) अनुबंध से अलग करके उसके सन्निहित व्युत्पन्न का लेखा करता है।

- (क) किसी लिखत में सन्निहित पुट विकल्प जो, इक्विटी या वस्तु (कॉमोडिटी) की कीमत या सूचकांक में होने वाले परिवर्तन के आधार पर बदलता है, नकद राशि या अन्य आस्ति के लिखतों को पुनः हासिल करने के लिए जारीकर्ता को पुनः हासिल करने हेतु धारक को समर्थ बनाता है, वह मूल ऋण लिखत से नज़दीकी रूप से सम्बन्धित नहीं है।
- (ख) कोई विकल्प या शेष अवधि को ऋण लिखत की परिपक्वता की अवधि तक बढ़ाने का स्वतः प्रावधान मूल ऋण लिखत से नज़दीकी रूप से संबद्ध नहीं है बशर्ते विस्तार के समय और औसत ब्याज का वर्तमान बाज़ार दर से संगामी समायोजन उपलब्ध न हो। यदि वह प्रतिष्ठान ऋण लिखत जारी करे और उस ऋण लिखत का धारक ऋण लिखत के लिए अन्य पक्ष (तीसरी पार्टी) को कॉल ऑप्शन लिखे तो जारीकर्ता कॉल ऑप्शन को ऋण लिखत की परिपक्वता तक के विस्तार के रूप में देखता है बशर्ते जारीकर्ता को उपयोग में लाए जा रहे कॉल ऑप्शन में भाग लेने या ऋण लिखत की बाज़ार में पुनः मार्किटिंग करने की सुविधा उपलब्ध हो।
- (ग) इक्विटी सम्बद्ध ब्याज या मूल ऋण लिखत या बीमा अनुबंध मूलधन का जिसके द्वारा ब्याज की राशि अथवा मूलधन को इक्विटी लिखतों के मूल्य के साथ सम्बद्ध किया जाता है - वे मूल लिखत से नज़दीकी रूप से सम्बन्धित नहीं होते हैं क्योंकि मूल में निहित जोखिम तथा सन्निहित व्युत्पन्न एक जैसे नहीं होते हैं।
- (घ) वस्तु-सम्बद्ध ब्याज या मूल ऋण लिखत में सन्निहित मूलधन का भुगतान या बीमाकर्ता अनुबंध-जिसके द्वारा ब्याज की राशि अथवा मूलधन वस्तु की कीमत (जैसे सोना) वे मूल (होस्ट) लिखत से नज़दीकी रूप से सम्बन्धित नहीं हैं क्योंकि मूल में निहित जोखिम तथा सन्निहित व्युत्पन्न होते हैं।
- (ङ) मूल ऋण अनुबंध या मूल बीमाकर्ता अनुबंध में सन्निहित कॉल, बिक्री(पुट) या पूर्व भुगतान का विकल्प मूल अनुबंध से नज़दीकी रूप से सम्बन्धित नहीं होता है बशर्ते:

- (i) ऑप्शन का प्रयोग (एक्सरसाइज) मूल्य प्रत्येक प्रयोग तिथि पर मूल ऋण लिखत की परिशोधित लागत या मूल बीमाकर्ता के अनुबंध द्वारा अग्रणीत राशि के आसपास होता है; अथवा
- (ii) पूर्व: भुगतान के ऑप्शन की प्रयोग (एक्सरसाइज) कीमत ऋणी को मूल अनुबंध के शेष अवधि में खोए हुए ब्याज के लगभग वर्तमान मूल्य की राशि की क्षतिपूर्ति करता है। खोया हुआ ब्याज पूर्व में दिया गया मूलधन की राशि की तथा भिन्न ब्याज दर से गुणा करके गुणतफल होता है। मूल अनुबंध की प्रभावी ब्याज दर तथा वह प्रभावी ब्याज दर जो प्रतिष्ठान को पूर्व भुगतान की तिथि पर मिलेगा यदि वह मूल अनुबंध की शेष अवधि के दौरान उस प्रकार के अनुबंध में मूलधन की राशि के पूर्व भुगतान को पुनः निवेश करे, तो जो प्रभावी ब्याज दर में वृद्धि होगी वही भिन्न ब्याज दर है।

भारतीय लेखा मानक 32 के अनुसार परिवर्तनीय ऋण लिखत के इक्विटी तत्व को विभाजित करने से पहले ही यह आंकलन किया जाता है कि कॉल या पुट ऑप्शन मूल ऋण अनुबंध से नज़दीकी रूप से सम्बन्धित है या नहीं।

- (च) मूल ऋण लिखत में सन्निहित ऋण व्युत्पन्न जो किसी संबद्ध आस्ति के ऋण जोखिम को एक पक्ष (पार्टी) यानि लाभार्थी से दूसरा पक्ष (पार्टी) यानि 'गारंटर' में अंतरित करना स्वीकार करे, वह मूल ऋण लिखत से नज़दीकी रूप से सम्बन्धित नहीं हो सकता है। ऐसे ऋण गारंटर को, बिना किसी आस्ति का स्वामित्व रखे हुए, संबद्ध आस्ति के साथ सम्बद्ध ऋण को मूल्यांकित करने की अनुमति देता है।

ख 4.3.6 मिश्रित अनुबंध का उदाहरण वह एक ऐसी वित्तीय लिखत है जो किसी नकद राशि या अन्य किन्हीं वित्तीय आस्तियों, जो इक्विटी या वस्तु के सूचकांक में आए परिवर्तन के आधार पर बढ़ या घट सकती है [एक पुटटेबल लिखत], के बदले में धारक को अधिकार देती है, कि वह वित्तीय लिखत को वापस जारीकर्ता को दे। जब तक कि जारीकर्ता प्रारंभ में मान्यता देकर लाभ अथवा हानि के माध्यम से ही उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्व को पुटटेबल लिखत के रूप में नामोदिदष्ट न करे, अनुच्छेद 4.3.3 के अंतर्गत सन्निहित व्युत्पन्न (अर्थात् सूचकांकित मूलधन का भुगतान) को अलग-अलग करने की आवश्यकता है क्योंकि अनुच्छेद ख 4.3.2 के अंतर्गत मूल अनुबंध एक ऋण लिखत है और अनुच्छेद ख 4.3.5 (क) के अंतर्गत सूचकांकित मूलधन का भुगतान मूल ऋण लिखत से नज़दीकी रूप से सम्बन्धित नहीं है। चूंकि, मूलधन का भुगतान बढ़ अथवा घट सकता है, सन्निहित व्युत्पन्न गैर-विकल्प व्युत्पन्न व्युत्पत्तियां हैं, जिनका मूल्य उसमें निहित परिवर्तनशील कारक के अनुसार सूचकांकित होता है।

ख 4.3.7 पुटटेबल लिखत की स्थिति में, सन्निहित व्युत्पन्न प्रतिष्ठान निवल आस्ति मूल्य के आनुपातिक हिस्से के बराबर की राशि के लिए किसी भी समय वापस खरीद सकता है (जैसे समय सीमा मुक्त या ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की इकाई या यूनिट लिंकड

निवेश उत्पाद), सन्निहित को अलग-अलग करने तथा प्रत्येक घटक के लेखा का प्रभाव यह होगा कि मिश्रित अनुबंध का माप मोचन राशि पर किया जाएगा जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद भुगतान की जाने योग्य है, यदि धारक अपने अधिकार का प्रयोग कर लिखत को वापस जारीकर्ता को दे दे।

ख 4.3.8 निम्नलिखित उदाहरणों में, मूल अनुबंध की आर्थिक विशेषताएं तथा जोखिमों से सन्निहितों व्युत्पन्नों की आर्थिक विशेषताएं तथा जोखिम नज़दीकी रूप से सम्बंधित नहीं हैं। इन उदाहरणों में प्रतिष्ठान, सन्निहित व्युत्पन्नों को मूल अनुबंध से अलग रख कर लेखा नहीं करता है:

- (क) एक सन्निहित व्युत्पन्न जिसमें ऐसी ब्याज दर या ब्याज दर सूचकांक अंडरलाइंग है जो ब्याज से संबंधित मूल ऋण अनुबंध या बीमा अनुबंध द्वारा अन्यथा दिए या प्राप्त किए जाने वाले ब्याज की राशि को परिवर्तित कर सकता हो, वह मूल अनुबंध से नज़दीकी रूप से सम्बंधित है, बशर्ते मिश्रित अनुबंध का निपटान इस प्रकार किया जाए कि धारक अपने सभी मान्य निवेशों को पर्याप्त मात्रा में वसूल नहीं कर पायेगा या सन्निहित व्युत्पन्न धारक के मूल अनुबंध की प्रारंभिक दर को कम-से-कम दो गुणा कर दे तथा ऐसी दर का परिणाम प्रस्तुत करे जो अनुबंध के लिए बाजार के रिटर्न दर का कम से कम दो गुणा हो तथा जिसकी शर्तें मूल अनुबंध की शर्तों के समान हो।
- (ख) एक सन्निहित फ्लोर या कैप जो ऋण अनुबंध या बीमा अनुबंध की ब्याज दर की उच्चतम या न्यूनतम अंतर्निहित सीमा मूल (होस्ट) अनुबंध से नज़दीकी रूप से संबद्ध है, बशर्ते जब अनुबंध जारी किया जा रहा हो, तो उच्चतम सीमा ब्याज की बाजार दर पर या उससे ऊपर हो तथा न्यूनतम सीमा ब्याज की बाजार दर पर या उससे नीचे हो तथा मूल अनुबंध के संबंध में उच्चतम या न्यूनतम सीमा का 'लीवरेज' न किया गया हो। इसी प्रकार से, आस्ति (उदाहरणतया एक वस्तु) को खरीदने या बेचने के लिए अनुबंध में शामिल प्रावधान जो आस्ति के लिए भुगतान की गयी या प्राप्त की गयी कीमत की उच्चतम या न्यूनतम सीमा का निर्धारण करता है वह मूल अनुबंध से नज़दीकी रूप से सम्बंधित है यदि उच्चतम सीमा (फ्लोर) अथवा न्यूनतम सीमा कैप दोनों प्रारंभ में राशि की सीमा से बाहर थीं (आउट ऑफ दी मनी) तथा लीवरेज नहीं थीं।
- (ग) एक सन्निहित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न, जो मूलधन अथवा ब्याज की ऐसा प्रवाह उत्पन्न करता है, जिसका मूल्यवर्ग विदेशी मुद्रा का हो तथा मूल ऋण लिखत में सन्निहित हो (उदाहरण के लिए, दोहरी मुद्रा में बॉण्ड) जो मूल ऋण लिखत से नज़दीकी रूप से सम्बंधित है। ऐसे व्युत्पन्न को मूल लिखत से अलग नहीं रखा जाता है क्योंकि भारतीय लेखा मानक 21, *विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव*, यह अपेक्षा करता है कि मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा के लाभों (गेन्ज) अथवा हानियों की मान्यता लाभ या हानि में की जाए।
- (घ) (होस्ट) मूल अनुबंध, जो बीमा अनुबंध है कि एक वित्तीय लिखत है, एक सन्निहित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न है (जैसे कि गैर-वित्तीय मदों की बिक्री व खरीद का अनुबंध जिसमें कीमत का मूल्यवर्ग विदेशी मुद्रा में किया गया हो) वह मूल अनुबंध से नज़दीकी रूप से सम्बंधित है। बशर्ते लीवरेज न हो, उसमें विकल्प का कोई लक्षण न हो तथा जिसका भुगतान निम्न में से किसी एक के मूल्यवर्ग में हो-
 - (i) उस अनुबंध के किसी विशिष्ट पक्ष(पार्टी) की कार्यात्मक मुद्रा में;
 - (ii) वह मुद्रा जिसमें विश्व भर में नियमित वाणिज्यिक लेन-देन को रूटीन में जिस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। सम्बंधित वस्तु या सेवा की प्राप्ति अथवा उसे प्रदान करने के लिए की राशि ली जा रही है। (जैसे कच्चे तेल के लेन-देन के लिए अमरीकी डालर); अथवा
 - (iii) जिस आर्थिक वातावरण में लेन-देन किया जा रहा है उसमें गैर-वित्तीय वस्तुओं की खरीद व बिक्री के अनुबंधों में जिस मुद्रा का सामान्य तौर पर उपयोग किया जाता है (जैसे अपेक्षाकृत स्थिर तथा तरल मुद्रा जो सामान्य तौर पर स्थानीय व्यापार के लेन-देनों अथवा विदेशी व्यापार में प्रयोग की जाती है।
- (ङ) केवल ब्याज अथवा केवल मूल धन, 'स्ट्रूप' में सन्निहित पुनःभुगतान का विकल्प मूल अनुबंध से नज़दीकी रूप से सम्बंधित होता है बशर्ते मूल अनुबंध :
 - (i) प्रारंभ में वित्तीय लिखतों के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों की प्राप्ति के अधिकार को अलग रखने के परिणामस्वरूप हों जिसमें सन्निहित व्युत्पन्न हों; तथा
 - (ii) जिसमें वे कोई ऐसी शर्तें न हों जो प्रारंभिक मूल ऋण अनुबंध में विद्यमान न हों।
- (च) एक मूल (होस्ट) पट्टा अनुबंध में सन्निहित व्युत्पन्न जो मूल अनुबंध से नज़दीकी रूप से सम्बंधित हो यदि सन्निहित व्युत्पन्न :
 - (i) मुद्रास्फिति से संबद्ध सूचकांक हो जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर पट्टे पर भुगतान का सूचकांक (बशर्ते पट्टा लीवरेज न हो और सूचकांक प्रतिष्ठान के अपने आर्थिक वातावरण में मुद्रास्फिति से संबद्ध हो);

- (ii) संबंधित बिक्रियों के आधार पर आकस्मिक किराये; अथवा
- (iii) परिवर्तनशील ब्याज-दरों के आधार पर आकस्मिक किराये।
- (छ) एक मूल वित्तीय लिखत या एक मूल बीमा अनुबंध में सन्निहित इकाई-संबद्ध विशेषता जो मूल लिखत या मूल अनुबंध के साथ नजदीकी संबंध रखती है यदि ईकाई आधारित भुगतान उन चालू ईकाई मूल्यों पर मापे जाते हैं जो निधि की आस्तियों के उचित मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। एक ईकाई संबद्ध विशेषता एक अनुबंधात्मक शर्त है जो अपेक्षा करती है कि भुगतान अन्तः या बाह्य निवेश निधि की ईकाइयों के मूल्यवर्ग में हो।
- (ज) एक बीमा अनुबंध में सन्निहित व्युत्पन्न (डैरीवेटिव) मूल (होस्ट) बीमा अनुबंध से नजदीकी संबंध रखता है बशर्ते सन्निहित व्युत्पन्न और मूल (होस्ट) बीमा अनुबंध एक-दूसरे पर इस तरह से निर्भर हों कि प्रतिष्ठान सन्निहित व्युत्पन्न का माप अलग से नहीं कर सकता है (यानि मूल अनुबंध पर विचार किया बिना)।

सन्निहित व्युत्पन्नयुक्त समावेशी लिखतें

- ख 4.3.9 जैसा कि अनुच्छेद 4.3.1 में उल्लिखित है, जब एक प्रतिष्ठान मूल बहुविध (हाइब्रिड) अनुबंधों का एक ऐसा पक्ष बन जाता है जो इस मानक के कार्यक्षेत्र में कोई आस्ति नहीं होती है और एक या एक से अधिक सन्निहित व्युत्पन्न होते हैं, अनुच्छेद 4.3.3 प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी एक ऐसे सन्निहित व्युत्पन्न की पहचान करे, इसका निर्धारण करे कि क्या इसे मूल अनुबंध से अलग करना आवश्यक है और उनसे जो जिन्हें अलग करना आवश्यक है, और प्रारंभिक व परवर्ती मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर समस्त लिखत का माप करने की तुलना में ये अपेक्षाएं अधिक जटिल हो सकती हैं, या इनसे किया गया माप अपेक्षया कम हो सकता है। इस कारण से यह मानक एक बहुविध अनुबंध को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट करने की अनुमति देता है।
- ख 4.3.10 इस प्रकार का नामोद्देश यह देखने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है कि क्या अनुच्छेद 4.3.3 में सन्निहित व्युत्पन्नों को मूल अनुबंध से अलग करना आवश्यक है, या इस प्रकार के अलगाव को वर्जित करता है। लेकिन, अनुच्छेद 4.3.5 ऐसे मामलों को तर्कसंगत नहीं ठहराता जो अनुच्छेद 4.3.5 (क) और (ख) के अनुसार निरूपित लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर मिश्रित अनुबंध को नामोद्दिष्ट करे क्योंकि ऐसा करने से न तो जटिलता कम होती है और न ही विश्वसनीयता बढ़ती है।

सन्निहित व्युत्पन्नों का पुनर्निर्धारण

- ख 4.3.11 अनुच्छेद 4.3.3 के अनुसरण में, एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि जब वह प्रथम-बार अनुबंध का एक पक्षकार (पार्टी) बनता है जिसे क्या एक सन्निहित व्युत्पन्न को मूल अनुबंध से अलग करना आवश्यक है, और उसकी लेखा भी एक व्युत्पन्न की तरह ही करी जाए। परवर्ती पुनर्निर्धारण तब तक इसलिए निषिद्ध है, जब तक अनुबंध की शर्तें बदल न जाएं और वे नकदी प्रवाहों को बड़े पैमाने तक संशोधित न कर दें। ऐसा होने पर अनुबंध के अनुसार पुनर्निर्धारण आवश्यक है। एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि नकदी प्रवाहों में संशोधन सन्निहित व्युत्पन्नों, मूल अनुबंध या दोनों से कितना संबंधित है, और परिवर्तन अनुबंध के पूर्ववर्ती प्रत्याशित नकदी प्रवाहों के सापेक्ष कितना महत्वपूर्ण है।
- ख 4.3.12 अनुच्छेद ख 4.3.11 निम्नलिखित में ग्रहण किये अनुबंधों में सन्निहित व्युत्पन्नों पर लागू नहीं होता है:
- (क) एक व्यावसायिक संयोजन (भारतीय लेखामानक 103 'व्यवसायिक संयोजन' में यथा परिभाषित);
 - (ख) सामान्य नियंत्रण के अन्तर्गत व्यवसाय या प्रतिष्ठानों के संयोजन भारतीय लेखा मानक 103 के अनुच्छेद ख 1 - ख 4 यथा परिभाषित); या
 - (ग) संयुक्त उद्यम का स्वरूप - भारतीय लेखा मानक 111, संयुक्त व्यवस्थाएं या अधिग्रहण³ की तिथि पर उनका संभावित पुनर्निर्धारण।

वित्तीय आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण (खंड 4.4)

वित्तीय आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण

- ख 4.4.1 यदि एक प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यावसायिक मॉडल में बदलाव करता है, तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 4.4.1 के अनुसार वित्तीय आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण करेगा। यह आशा की जाती है कि इस प्रकार के बदलाव कभी-कभार ही हों। ऐसे बदलाव बाह्य या आन्तरिक परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिष्ठान के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और वे प्रतिष्ठान के परिचालनों के लिए अवश्य ही महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ बाह्य पक्षों (पार्टियों) के लिए प्रदर्शनीय होने चाहिए। तदनुसार, प्रतिष्ठान के व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तन केवल तब होगा जब वह प्रतिष्ठान परिचालन के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि का चलाये या बंद करे। जैसे कि, जब प्रतिष्ठान एक व्यावसायिक गतिविधि या कार्य को ग्रहण करे, निपटाए या कार्य समाप्त कर दे। व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:-

³ व्यवस्था जिसके अन्तर्गत एक प्रतिष्ठान जहां किसी वित्तीय आस्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए अनुबंधात्मक अधिकारों को अपने पास रखता है, वहीं एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाहों की अनुबंधात्मक वाध्यता भी ग्रहण करता है। (अनुच्छेद 3.2.4(ख))

- (क) एक प्रतिष्ठान के पास वाणिज्यिक ऋणों का एक पोर्टफोलियो है जिसे वह अल्प अवधि में बिक्री के लिए रखता है। प्रतिष्ठान एक कम्पनी का अधिग्रहण करता है, जो वाणिज्यिक ऋणों का प्रबंध करती है। इसके पास एक व्यावसायिक मॉडल है जिसके अनुसार वह अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संग्रहण (उगाही) करती है। वाणिज्यिक ऋणों का पोर्टफोलियो बिक्री के लिए नहीं है और अब पोर्टफोलियो का प्रबंध अधिग्रहीत वाणिज्यिक ऋणों के साथ किया जाता है जो सब अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण के लिए धारित हैं।
- (ख) एक वित्तीय सेवाएं देने वाली फर्म अपना खुदरा बंधक (रिटेल मॉर्टगेज) कारोबार बंद करने का निर्णय लेती है। अब यह फर्म किसी नए व्यवसाय को स्वीकृति नहीं देती है। यह फर्म अपना बंधक ऋण पोर्टफोलियो बेचने के लिए सक्रिय रूप से मार्केटिंग कर रही है।
- ख 4.4.2 प्रतिष्ठान के व्यावसायिक मॉडल के उद्देश्य में परिवर्तन पुनर्वर्गीकरण की तिथि से पूर्व अवश्य प्रभावित हो जाना चाहिए। उदाहरणतया, यदि एक वित्तीय सेवाएं प्रदायक फर्म 15 फरवरी को अपना खुदरा बंधक व्यवसाय बंद करने का निर्णय लेती है और इस तरह उसे 1 अप्रैल (यानि अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन) को सभी प्रभावित वित्तीय आस्तियों को अवश्य पुनर्वर्गीकृत कर लेना चाहिए और 15 फरवरी के बाद वह फर्म (प्रतिष्ठान) कोई नया खुदरा बंधक व्यवसाय बिल्कुल नहीं करेगी या पुराने व्यवसाय मॉडल से मिलती-जुलती किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेगी।
- ख 4.4.3 निम्नलिखित को व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है:
- (क) किन्हीं विशेष वित्तीय आस्तियों से संबंधित मंशा में परिवर्तन (बाज़ार की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी)।
- (ख) वित्तीय आस्तियों के विशेष बाज़ार (मार्केट) में अस्थायी तरीके से लापता होना।
- (ग) भिन्न व्यापार मॉडल के साथ प्रतिष्ठान के भिन्न-भिन्न भागों में वित्तीय आस्तियों का अंतरण।

माप (अध्याय 5)

प्रारम्भिक माप (खंड 5.1)

- ख 5.1.1 प्रारम्भिक मान्यता पर वित्तीय लिखत का उचित मूल्य सामान्यतया लेनदेन कीमत होती है (अर्थात् प्रदत्त या प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य, भारतीय लेखा मानक 113 और अनुच्छेद 5.1.2 क भी देखें)। लेकिन, यदि प्रदत्त या प्राप्त प्रतिफल का एक भाग वित्तीय लिखत से भिन्न किसी और प्रकार से है, तो प्रतिष्ठान वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का माप करेगा। उदाहरणस्वरूप, ब्याज-रहित दीर्घावधि ऋण या प्राप्य राशि का उचित मूल्य उसी प्रकार की लिखत (मुद्रा, अवधि, ब्याज दर की किस्म और अन्य कारकों के रूप में उसी प्रकार) की ब्याज की वर्तमान बाज़ार दर (दरों) का प्रयोग करते हुए बटटागत सभी भावी नकद प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य पर और उसी प्रकार की 'क्रेडिट रेटिंग' के साथ मापा जा सकता है। कोई भी ऋण के रूप में दी गयी अतिरिक्त राशि या तो व्यय के रूप में ली जाएगी या फिर आय में कटौती रूप में जब तक कि वह आस्ति की अन्य प्रकार के रूप में मान्यता के लिए अर्हक योग्य नहीं हो जाती।
- ख 5.1.2 यदि एक प्रतिष्ठान एक ऐसा ऋण देता है जिसकी ब्याज-दर बाज़ार से बाहर (ऑफ-मार्केट इंटररेस्ट रेट) की ब्याज-दर है (उदाहरणस्वरूप 5 प्रतिशत, जबकि उसी प्रकार के ऋणों के लिए बाज़ार-दर 8 प्रतिशत है और वह क्षतिपूर्ति के रूप में 'अपफ्रंट फीस' प्राप्त करता है, तो वह (प्रतिष्ठान) उस ऋण को मान्यता उचित मूल्य यानि प्राप्त फीस के निवल के रूप में देगा।
- ख 5.1.2क प्रारम्भिक मान्यता पर वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य सामान्यतया उसकी लेनदेन कीमत है (अर्थात् प्रदत्त या प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य, साथ ही भारतीय लेखा मानक 113 भी देखें)। यदि एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है, कि प्रारम्भिक मान्यता का उचित मूल्य अनुच्छेद 5.1.1 क में उल्लिखित लेन-देन कीमत से भिन्न है, तो प्रतिष्ठान उस लिखत का लेखा उस तिथि पर इस प्रकार करेगा:
- (क) अनुच्छेद 5.1.1 के अनुसार माप पर बशर्ते वह उचित मूल्य उसी प्रकार की आस्ति या दायित्व (अर्थात् स्तर 1 की निविष्टि (इन्पुट)) के सक्रिय बाज़ार में अंकित कीमत द्वारा साक्ष्य प्राप्त है, या उस मूल्यांकन तकनीक पर आधारित है जो प्रलक्षणीय बाजारों के आंकड़ों को प्रयोग में लाती है। एक प्रतिष्ठान प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य और लाभ या हानि के रूप में लेन-देन कीमत के बीच अंतर को मान्यता देगा।
- (ख) अन्य सभी मामलों में, अनुच्छेद 5.1.1 द्वारा अपेक्षित माप पर प्रारम्भिक मान्यता और लेन-देन कीमत के बीच अन्तर को स्थगन के रूप में समायोजित किया जाएगा। प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात् प्रतिष्ठान स्थगित अंतर को लाभ या हानि के रूप में उस सीमा तक ही मान्यता देगा कि वह एक कारक (समय सहित) में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है और बाज़ार के सहभागी उस आस्ति या दायित्व की कीमत लगाते समय ध्यान में रखेंगे।

परवर्ती माप (खण्ड 5.2 व 5.3)

- ख 5.2.1 यदि एक वित्तीय लिखत, जिसे पहले एक वित्तीय आस्ति के रूप में मान्यता दी गई थी, लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापी जाती है, और उसका उचित मूल्य घटकर शून्य से कम हो जाता है, तो वह एक ऐसा वित्तीय दायित्व है जिसका माप अनुच्छेद 4.2.1 के अनुसार होगा लेकिन, मूल रूप से बहुविध (हाइब्रिड) अनुबंध, जो इस लेखा मानक के कार्यक्षेत्र में आता है, हमेशा अनुच्छेद 4.3.2 के अनुसरण में मापा जाता है।
- ख 5.2.2 अनुच्छेद 5.7.5 या 4.1.2क दोनों में से किसी एक अनुच्छेद के अनुसरण में अन्य व्यापक आय द्वारा परिवर्तनों सहित उचित मूल्य के साथ मापी गई वित्तीय आस्ति के प्रारम्भिक एवं परवर्ती माप पर लेनदेन लागतों का लेखा निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट है। एक प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति को 100 रूपए और खरीद-कमीशन दो रूपए के साथ ग्रहण करता है। प्रारंभ में, प्रतिष्ठान इस आस्ति को 102 रूपए में मान्यता देता है। रिपोर्टिंग अवधि एक दिन बाद में समाप्त हो जाती है, जब बाजार में आस्ति का अंकित मूल्य 100 रूपए होता है। यदि उस आस्ति को बेचा जाता है तो उस पर 3 रूपए कमीशन देना पड़ता है। उस तिथि को प्रतिष्ठान आस्ति का माप 100 रूपए में ही करता है जिसमें वह बिक्री पर संभावित कमीशन पर कोई विचार नहीं करता है और अन्य व्यापक आय में 2 रूपए की हानि को मान्यता देता है। यदि वित्तीय आस्ति को अनुच्छेद 4.1.2क के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है तो लेनदेन की लागतों का परिशोधन प्रभावी ब्याज विधि द्वारा लाभ या हानि पर होगा।
- ख 5.2.2क अनुच्छेद ख 5.1.2 क में उल्लिखित वित्तीय आस्ति या वित्तीयदायित्व का परवर्ती माप और लाभों (गेन्ज)व हानियों की मान्यता इस मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप होगी।
- ‘इक्विटी’ लिखतों में निवेश एवं इन निवेशों के अनुबंध**
- ख 5.2.3 इक्विटी लिखतों में निवेश और इन निवेशों के अनुबंध केवल उचित मूल्य पर ही मापे जाएंगे। लेकिन, सीमित परिस्थितियों में, लागत उचित मूल्य का सही प्राक्कलन (अनुमान) हो सकता है। ऐसा तभी होगा जब उचित मूल्य के माप के लिए अधिक ताजा सूचना अपर्याप्त रूप से उपलब्ध होती है, या संभावित उचित मूल्य मापों को व्यापक सीमा (रेंज) होगी और लागत उस सीमा के अंतर्गत उचित मूल्य का सर्वोत्तम प्राक्कलन प्रदर्शित करती है।
- ख 5.2.4 निम्नलिखित संकेतक यह स्पष्ट करते हैं कि लागत उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करती:
- (क) बजटों, योजनाओं या विशेष लक्ष्यों की तुलना में निवेशिती के कार्यनिष्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
 - (ख) निवेशिती के तकनीकी उत्पाद के विशेष लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, इस प्रत्याशा में परिवर्तन।
 - (ग) निवेशिती की ‘इक्विटी’ या इसके उत्पादों या संभावित उत्पादों के बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
 - (घ) वैश्विक (ग्लोबल) अर्थव्यवस्था या उस आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसमें कि निवेशिती परिचालन करता है।
 - (ङ.) तुलनीय प्रतिष्ठानों के कार्य-निष्पादन या समग्र बाजार द्वारा अभीष्ट मूल्यांकनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
 - (च) निवेशिती के आंतरिक मामलों, जैसे कि धोखाधड़ी (फ्रॉड) वाणिज्यिक विवाद कानूनी विवाद, प्रबंधन या रणनीति में परिवर्तन।
 - (छ) निवेशिती द्वारा (जैसे कि इक्विटी का नवीन निर्गम) या अन्य पक्षों (तीसरी पार्टियों) के बीच इक्विटी लिखतों के अन्तरणों द्वारा निवेशिती की इक्विटी में वाह्य लेनदेनों द्वारा।
- ख 5.2.5 उपर्युक्त अनुच्छेद ख 5.2.4 में दी गई सूची विस्तृत नहीं है (यानि, इसके अलावा और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं)। एक प्रतिष्ठान निवेशिती के कार्यनिष्पादन और परिचालकों की उस समस्त सूचना का प्रयोग करेगा जो प्रारम्भिक मान्यता की तिथि के पश्चात् उपलब्ध होती है। उस सीमा तक कि कई ऐसे प्रासांगिक कारक विद्यमान हैं, जो यह सूचित करते हैं कि लागत उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करती। ऐसे मामलों में प्रतिष्ठान को उचित मूल्य का ही माप करना चाहिए।
- ख 5.2.6 लागत अंकित (कोटेड) इक्विटी लिखतों अथवा अंकित ‘इक्विटी’ लिखतों के अनुबंध में निवेशों के उचित मूल्य का सर्वोत्तम प्राक्कलन नहीं है।

परिशोधन लागत माप (खंड 5.4)

प्रभावी ब्याज विधि

- ख 5.4.1 प्रभावी ब्याज विधि प्रयोग करते हुए एक प्रतिष्ठान उन शुल्कों (फीस) की पहचान करेगा जो एक वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याजदर का अभिन्न अंग (भाग) है। वित्तीय सेवाओं के शुल्कों का ब्यौरा दी गई सेवाओं की प्रकृति और विषय-वस्तु का सूचक नहीं हो सकता। शुल्क, जो कि एक वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याजदर का अभिन्न अंग है, उन्हें प्रभावी ब्याजदर के समायोजन

के रूप में निरूपित किया जाता है। लेकिन, तब जब कि वित्तीय लिखत को उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता है और लाभ या हानि में मान्य उचित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता। ऐसे मामलों में, जब लिखत को प्रारम्भ में मान्यता दी जाती है, शुल्कों को राजस्व या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख 5.4.2 शुल्कों में जो वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग हैं, निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) वित्तीय आस्ति के (सृजन) या अधिग्रहण शुल्क से संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक शुल्क। इस प्रकार के शुल्क में गतिविधियों की क्षतिपूर्ति के लिए जैसे कि, उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन, गारंटियों का मूल्यांकन और रिकार्ड रखना, संपार्श्विक व अन्य प्रतिभूति प्रबंध लिखत की शर्तों का मोलभाव दस्तावेज तैयार करना व उनकी प्रक्रियात्मक कार्रवाई और लेनदेन को बंद करना, ये शुल्क परिणामी वित्तीय लिखत के साथ व्याप्ति (समावेश) के सृजन के एक अभिन्न अंग हैं।
- (ख) प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त ऋण को प्रारम्भ (देने) करने का वचनबद्धता शुल्क, जब ऋण की वचनबद्धता अनुच्छेद 4.2.1 (क) के अनुसरण में नहीं मापी जाती है, और संभवतया प्रतिष्ठान एक विशिष्ट ऋण प्रबंध में सम्मिलित होता है। ये शुल्क वित्तीय लिखत के अधिग्रहण की सतत् व्याप्ति (समावेश) की क्षतिपूर्ति के रूप में माने जाते हैं। यदि ऋण देने से पहले ही वचनबद्धता समाप्त हो जाती है तो समाप्ति पर शुल्क को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- (ग) वित्तीय दायित्वों के जारी करने के लिए दिया गया प्रारम्भिक शुल्क परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ये शुल्क वित्तीय दायित्व की व्याप्ति के सृजन के अभिन्न अंग हैं। प्रतिष्ठान शुल्क व लागतों में भेद करता है। ये दोनों सेवा देने के अधिकार, जैसे कि निवेश प्रबंधन सेवाएं, से संबंधित लेनदेन लागतों और प्रारम्भिक शुल्क से वित्तीय दायित्व की प्रभावी ब्याज का अभिन्न अंग हैं।

ख 5.4.3 ऐसे शुल्कों में, जो वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज-दर के अभिन्न अंग नहीं हैं और जिनका भारतीय लेखा मानक 115 द्वारा लेखा किया जाता है, निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (क) ऋण की सेवा (सर्विस) के लिए वसूल शुल्क;
- (ख) ऋण देने के लिए वचनबद्धता शुल्क जबकि ऋण वचनबद्धता अनुच्छेद 4.2.1 (क) के अनुसरण में मापी न जाती हो और इसकी कोई संभावना नहीं है कि एक विशिष्ट ऋण प्रबंध प्रारंभ किया जाएगा; और
- (ग) प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त ऋण सहभागिता शुल्क। इसमें प्रतिष्ठान ऋण का प्रबंध करता है, लेकिन, अपने लिए ऋण पैकेज का कोई भाग नहीं रखता (या फिर अन्य सहभागियों के समान (तुलनीय) जोखिम के लिए उसी प्रभावी ब्याज-दर पर एक भाग रख लेता है)।

ख 5.4.4 प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते समय, एक प्रतिष्ठान सामान्य तौर पर किसी शुल्क या प्राप्त अथवा प्रदत्त प्वाइंटों, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट जो वित्तीय आस्ति की प्रत्याशित अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर की गणना में सम्मिलित है उनका परिशोधन करती है। तथापि, शुल्कों या प्रदत्त अथवा प्राप्त प्वाइंटों, लेनदेन और लागतों प्रीमियमों या छूटों से संबंधित एक अल्प अवधि का प्रयोग किया जाता है। यह तब होगा, जब वित्तीय लिखत की प्रत्याशित परिकल्पना से पूर्व संबंधित शुल्कों या प्राप्त अथवा प्रदत्त प्वाइंटों, लेनदेन लागतों, प्रीमियमों या छूटों के परिवर्तन कारक कीमत बाजार दरों पर फिर-से लगायी जाए। ऐसे मामले में, उचित परिशोधन अवधि वह अवधि है जो इस प्रकार की पुनः कीमत लगाने की तिथि के बाद की होगी। उदाहरण के रूप में यदि परिवर्तनशील दर वाली वित्तीय लिखत पर प्रीमियम या छूट उस ब्याज को प्रदर्शित करती है, जो वित्तीय आस्ति पर पिछले दिए गए ब्याज के बाद से उपार्जित हुआ है। अथवा बाजार दरों को तब से परिवर्तित करती है जब से परिवर्तनशील ब्याज दर बाजार दरों पर पुनर्निधारित की गई है। इसे उस अगली तिथि तक परिशोधित किया जाएगा जब परिवर्तनशील ब्याज को बाजार दरों पर पुनर्निधारित किया जाएगा। ऐसा इसलिए है कि प्रीमियम या छूट अगली ब्याज पुनर्निधारण तिथि की अवधि से संबंधित है क्योंकि उस तिथि पर परिवर्तन कारक जो प्रीमियम या छूट से संबंधित है (यानि ब्याज दरें) बाजार दरों से पुनर्निधारित है। फिर भी, यदि प्रीमियम या छूट वित्तीय लिखत में विशेष रूप से उल्लिखित परिवर्तनशील दर पर ऋण विस्तार में किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप हैं या अन्य ऐसे परिवर्तन कारकों के फलस्वरूप हैं जो बाजार दरों पर पुनर्निधारित नहीं हैं, तो इसे वित्तीय लिखत की प्रत्याशित अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

ख 5.4.5 परिवर्तनशील (फ्लोटिंग) दर वाली वित्तीय आस्तियों और वित्तीय दायित्वों के लिए, बाजार की ब्याज-दरों में परिवर्तनों को प्रदर्शित करने वाले नकदी प्रवाहों का आवाधिक पुनर्प्रकलन प्रभावी ब्याज दर को बदल देता है। यदि परिवर्तनशील दर वाली वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व को प्रारम्भ में एक ऐसी राशि पर मान्यता दी जाती है जो परिपक्वता पर मूल प्राप्य या देय के समान है, तो भावी ब्याज भुगतानों का पुनर्प्रकलन उस आस्ति या दायित्व की अग्रणीत राशि पर सामान्यतया कोई खास प्रभाव नहीं डालता।

ख 5.4.6 यदि एक प्रतिष्ठान भुगतानों या प्राप्तियों के अपने प्राक्कलनों को, (जिनमें अनुच्छेद में संशोधन और प्रत्याशित ऋण हानियों) के प्रत्याशित प्राक्कलन (अनुमान) शामिल नहीं हैं, संशोधित करता है। यह वास्तविक और संशोधित प्राक्कलित अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को प्रदर्शित करने के लिए वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत की सकल अग्रणीत राशि को समायोजित करेगा। प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत को प्राक्कलित भावी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के रूप में पुनर्गणना करता है। ये नकदी प्रवाह वित्तीय आस्ति की मूल प्रभावी ब्याजदर (या खरीदे गये या ऋण-क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियों) के लिए ऋण-समायोजित प्रभावी ब्याजदर बट्टागत होते हैं या, जब लागू हो, संशोधित प्रभावी ब्याज दर की गणना अनुच्छेद 6.5.10 के अनुसार की जाती है। लाभ या हानि में समायोजन को मान्यता आय या व्यय के रूप में दी जाती है।

ख 5.4.7 कुछ मामलों में, एक वित्तीय आस्ति प्रारम्भिक मान्यता पर ऋण-क्षतिग्रस्त के रूप में ली जाती है क्योंकि ऋण जोखिम बहुत अधिक होता है, और खरीद के समय यह बहुत अधिक छूट पर अधिग्रहीत किया जाता है। एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रारम्भिक मान्यता पर प्रारम्भिक ऋण हानियों की प्रत्याशित नकदी प्रवाहों में सम्मिलित कर ले जब वह उन वित्तीय आस्तियों को ऋण समायोजी व प्रभावी दर की गणना करता है जो या खरीदी जानी है या जिन्हें मूल ऋण ग्रस्तता के विचार से ग्रहण किया जाना है। तथापि, इसका अर्थ यह भी नहीं है, कि ऋण-समायोजित प्रभावी ब्याज दर एकल रूप से लागू की जाए क्योंकि वित्तीय आस्ति का ऋण जोखिम प्रारम्भिक मान्यता पर बहुत अधिक होता है।

लेन-देन की लागतें

ख 5.4.8 लेनदेन लागतों में एजेंटों (कर्मचारी जो कि बिक्री एजेंट है, समेत) सलाहकारों, दलालों व डीलरों को दिये जाने वाले शुल्क (फीस) व कमीशन, विनियामक एजेंसियों व प्रतिभूति विनिमय संस्थानों की उगाही (लेवी) और अन्तरण कर व शुल्क (ड्यूटी) सम्मिलित हैं। लेकिन लेनदेन लागतों में ऋण (डेट) प्रिमियम या छूटें (डिस्काउन्ट), वित्तीयन लागतें अथवा प्रशासनिक या धारण (होल्डिंग) लागतें सम्मिलित नहीं हैं।

राईट ऑफ

ख 5.4.9 राईट ऑफ एक सम्पूर्ण वित्तीय आस्ति या इसके एक भाग से सम्बंधित हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में, एक प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति के लिए उसके द्वारा धारित सांपाष्विक प्रतिभूति को लागू करने की योजना (प्लान) बनाता है तथा वित्तीय आस्ति की 30 प्रतिशत से ज्यादा की वसूली होने की अपेक्षा नहीं करता है। यदि प्रतिष्ठान को लगता है कि उसके पास इससे अधिक कोई और नकदी प्रवाह की वसूली होने की कोई तर्कसंगत संभावना नहीं है तो वह उस वित्तीय आस्ति के शेष 70 प्रतिशत को अपलिखित करेगा।

क्षतिग्रस्तता (खंड 5.5)

सामूहिक एवं व्यक्तिगत समीक्षा आधार

ख 5.5.1 प्रारम्भिक मान्यता से लेकर जोखिम में बड़ी वृद्धि होने से प्रत्याशित पूर्णकालिक ऋण हानियों को मान्यता देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि ऋण जोखिम में बड़ी वृद्धि की समीक्षा को सामूहिक आधार पर किया जाए और इसके लिए उस सूचना पर विचार किया जाए जो वित्तीय लिखतों के समूह या उस समूह, उदाहरणार्थ, के ऋण जोखिम में भारी वृद्धि का संकेतक है। यह सुनिश्चित करता है, कि प्रतिष्ठान को जब व्यक्तिगत लिखत के ऋण जोखिम में भारी वृद्धि के साक्ष्य में कोई सूचना उपलब्ध न भी हो तो भी समग्र रूप से पूर्णकाल में प्रत्याशित ऋण हानियों में बढ़ते ऋण जोखिम के कारण मान्यता के उद्देश्य को पूरा कर सके।

ख 5.5.2 सामान्यतया, यह आशा की जाती है कि पूर्णकालिक प्रत्याशित ऋण हानियों को तब मान्यता दी जाए जब एक वित्तीय लिखत देय हो जाती है, लेकिन, उसकी वसूली अभी नहीं हुई है। सामान्यतया, जैसे- ही एक वित्तीय लिखत विगत देय होती है और वसूली प्राप्त नहीं होती और उसके साथ-साथ विलम्ब से संबंधित ऋणी विशेष कारक परिलक्षित होने लगते हैं, जैसे कि, ऋण शर्तों में संशोधन या बकाया ऋण की पुनर्संरचना तो ऋण जोखिम बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है। परिणामस्वरूप, जब तर्कसंगत व सहायक सूचना प्राप्त होती है, और वह विगत देय सूचना से अधिक आशावान होती है, और वह भी बिना किसी अधिक लागत या प्रयास से प्राप्त हो तो उसका उपयोग ऋण जोखिम में परिवर्तनों का निर्धारण अवश्य किया जाना चाहिए।

ख 5.5.3 तथापि, वित्तीय लिखतों की प्रकृति और वित्तीय लिखतों के विशेष समूहों के लिए उपलब्ध ऋण जोखिम सूचना के अनुसार एक प्रतिष्ठान वित्तीय लिखतों के विगत देय होने से पूर्व व्यक्तिगत वित्तीय लिखतों ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का पता नहीं लगा सकता। ऐसा जैसी वित्तीय लिखतों जैसा खुदरा ऋण जोखिम के मामले में हो सकता है क्योंकि ऐसे ऋणों के बारे में या तो ऐसी सूचना मिलती ही नहीं या वह पूरी तरह से अद्यतन नहीं होती, जो एक व्यक्तिगत वित्तीय लिखत पर नेमी (रूटीन) तौर पर उपलब्ध होती रहे और उसकी वित्तीय लिखत की निगरानी की जा सके। यदि व्यक्तिगत वित्तीय लिखत के ऋण जोखिम में परिवर्तनों का पता विगत देय होने से पूर्व नहीं लगता, तो व्यक्तिगत वित्तीय लिखत के स्तर पर ऋण सूचना के आधार पर हानि के लिए छूट प्रारम्भिक मान्यता से ऋण जोखिम में परिवर्तनों को ठीक-ठीक प्रदर्शित नहीं कर सकती।

ख 5.5.4 कुछ परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान के पास ऐसी तर्कसंगत और सहायक सूचना नहीं होती तो बिना किसी अधिक लागत या प्रयास से उपलब्ध हो और जिससे व्यक्तिगत लिखत के आधार पर पूर्णकालिक (आजीवन) प्रत्याशित ऋण हानियों का माप किया जा सके। इस स्थिति में, पूर्णकालिक प्रत्याशित ऋण हानियां सामूहिक आधार पर मान्य होंगी जो व्यापक ऋण जोखिम सूचना पर विचार करती हैं। इस व्यापक ऋण जोखिम सूचना में न केवल विगत देय सूचना सम्मिलित होगी बल्कि वे सभी प्रासंगिक ऋण सूचनाएं भी होंगी जिनमें प्रत्याशित वृहद् आर्थिक सूचना भी शामिल है। ये सूचनाएं व्यक्तिगत लिखत स्तर पर प्रारम्भिक मान्यता से जब ऋण जोखिम में एक बड़ी वृद्धि हो पूर्णकालिक (आजीवन) प्रत्याशित हानियों के परिणाम का अनुमान लगाती हैं।

ख 5.5.5 ऋण जोखिम में बड़ी वृद्धि के निश्चय और सामूहिक आधार पर हानि की रियायत की मान्यता के प्रयोजन के लिए, एक प्रतिष्ठान वितरित ऋण जोखिम की विशेषताओं के आधार पर वित्तीय लिखतों का एक समूह बना सकता है ताकि समय के आधार पर पता लगाए गये ऋण जोखिम में बड़ी वृद्धि के अनुरूप डिजाइन किये गये विश्लेषण को सुविधाजनक तरीके से संपन्न किया जा सके। विभिन्न जोखिमों की विशेषताओं वाली वित्तीय लिखतों का समूह बनाते समय प्रतिष्ठान को चाहिए कि वह इस सूचना को नज़रअंदाज़ न करें। नीचे विभाजित ऋण जोखिम की विशेषताओं के कुछ उदाहरण दिये गये हैं:-

(क) लिखत की प्रकार;

(ख) ऋण जोखिम की रेटिंग;

(ग) सांपार्श्विक प्रतिभूति की किस्म;

(घ) प्रारम्भिक मान्यता की तिथि;

(ङ) परिपक्वता की शेष अवधि;

(च) उद्योग;

(छ) उधारकर्ता की भौगोलिक अवस्थिति(लोकेशन); और

(ज) वित्तीय आस्ति की सापेक्ष सांपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्य, बशर्ते यह होने वाली चूक (जैसेकि कुछ क्षेत्राधिकारों में ऋणों में जब कोई विकल्प न हो या ऋण-मूल्य का अनुपात) की संभावना को प्रभावित करता है।

ख 5.5.6 अनुच्छेद 5.5.4 यह अपेक्षा करता है, कि पूर्णकालिक प्रत्याशित ऋण हानियां उन सभी वित्तीय लिखतों पर मान्य होती हैं जिनमें प्रारम्भिक मान्यता से ऋण जोखिम में भारी वृद्धि होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यदि एक प्रतिष्ठान उन वित्तीय लिखतों का समूह बनाने में सक्षम न हो जिनका ऋण जोखिम प्रारम्भिक मान्यता से विभाजित ऋण जोखिम विशेषताओं के आधार पर काफी हद तक बढ़ जाता है, तो प्रतिष्ठान को चाहिए कि वह पूर्णकालिक प्रत्याशित ऋण हानियों को उन वित्तीय आस्तियों के भाग पर मान्यता दे जिनका ऋण जोखिम अधिक बढ़ा हुआ हो। यह समीक्षा करने के लिए कि क्या सामूहिक आधार पर ऋण जोखिम में कोई परिवर्तन है वित्तीय लिखतों का एकीकरण (समूह बनाना) एक समय के बाद परिवर्तित हो सकता है क्योंकि व्यक्तिगत और सामूहिक वित्तीय लिखतों के सम्बंध में नवीन सूचना उपलब्ध हो सकती है।

पूर्णकालिक (आजीवन) प्रत्याशित ऋण हानियों की मान्यता का समय

ख 5.5.7 क्या पूर्णकालिक प्रत्याशित ऋण हानियों को मान्यता दी जाए, इसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि प्रारम्भिक मान्यता से चूक संभावना या जोखिम में कितनी भारी वृद्धि हुई है (चाहे ऋण जोखिम में वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए वित्तीय लिखत की कीमत को पुनः निर्धारित किया गया हो), न कि रिपार्टिंग तिथि या वास्तविक चूक होने की तिथि को वित्तीय आस्ति की ऋणग्रस्तता के साक्ष्य पर। समान्यतः, वित्तीय आस्ति की ऋण क्षतिग्रस्तता या विद्यमान चूक होने पर ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी।

ख 5.5.8 ऋण वचनबद्धताओं के लिए, एक प्रतिष्ठान ऋण वचनबद्धताओं से सम्बद्ध ऋण की चूक होने के जोखिम में परिवर्तनों पर विचार करता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए, प्रतिष्ठान अनुबंध पर विशिष्ट देनदार की चूक के जोखिम के परिवर्तनों पर विचार करता है।

ख 5.5.9 प्रारम्भिक मान्यता से ऋण जोखिम में परिवर्तन का महत्व प्रारम्भिक मान्यता पर होने वाली चूक के जोखिम पर निर्भर करता है। अतः समग्र रूप में होने वाली चूक के जोखिम में दिया गया परिवर्तन होने वाली चूक के उच्चतर प्रारम्भिक जोखिम वाला वित्तीय लिखत की तुलना में निम्नतर प्रारम्भिक जोखिम वाली वित्तीय लिखत में अधिक महत्वपूर्ण होगा।

ख 5.5.10 वित्तीय लिखत की प्रत्याशित अवधि (जीवन) जितनी अधिक होगी समान ऋण जोखिम वाली वित्तीय लिखतों पर का चूक होने का जोखिम उतना ही अधिक होगा। उदाहरणस्वरूप, दस वर्षीय अवधि के 'एए' - रेटशुदा बाँड में चूक का जोखिम पंचवर्षीय प्रत्याशित अवधि के 'एए' रेटशुदा बांड की अपेक्षा अधिक होगा।

ख 5.5.11 प्रत्याशित पूर्णकालिक अवधि (जीवन-काल) और होने वाली चूक के जोखिम के बीच संबंध के कारण ऋण जोखिम में परिवर्तन समय के बाद होने वाली चूक के समग्र जोखिम में परिवर्तन की केवल तुलना करके ही निर्धारित नहीं किया जा सकता।

उदाहरणस्वरूप, यदि प्रारंभिक मान्यता पर 10 वर्ष की प्रत्याशित अवधि (जीवन-काल) की वित्तीय लिखत का चूक जोखिम ठीक वैसा ही है जैसे कि एक वित्तीय लिखत की प्रत्याशित अवधि (जीवन-काल) केवल पांच साल है जो साख जोखिम में वृद्धि का संकेत देता है। यह इसलिए है कि कम अवधि के (जीवन-काल) की वित्तीय लिखत का ऋण जोखिम अधिक अवधि के (जीवन-काल) से ज्यादा है। यदि इस प्रत्याशित अवधि (जीवन-काल) जैसे-जैसे बीतता जाता है चूक का जोखिम भी क्रमशः कम होता जाता है बशर्ते ऋण जोखिम वही रहे और वित्तीय लिखत की परिपक्वता नजदीक ही हो। तथापि, जिन वित्तीय लिखतों की परिपक्वता पर भुगतान का दायित्व अधिक हो तो होने वाली चूक का जोखिम जरूरी नहीं कि समय के व्यतीत होने पर कम हो ऐसे मामले में एक प्रतिष्ठान को चाहिए कि वह अन्य गुणात्मक कारकों पर भी विचार करे जो यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रारंभिक मान्यता से जोखिम में भारी वृद्धि हुई है।

ख 5.5.12 यह समीक्षा करते समय कि क्या प्रारंभिक मान्यता से एक वित्तीय लिखत का जोखिम काफी हद तक बढ़ गया है या जब प्रत्याशित ऋणहानियों का माप किया जाता है, प्रतिष्ठान अनेक विभिन्न दृष्टिकोणों (पद्धतियों) का प्रयोग कर सकता है। प्रतिष्ठान अलग-अलग वित्तीय लिखतों के लिए भी अलग-अलग दृष्टिकोणों (पद्धतियों) का प्रयोग कर सकता है। एक दृष्टिकोण (पद्धति) एक निविष्टि (इनपुट) की चूक की स्पष्ट संभावना को सम्मिलित नहीं करता जैसे कि, ऋण हानि दृष्टिकोण (पद्धति) इस मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सकता है बशर्ते प्रतिष्ठान प्रत्याशित ऋण हानियों के अन्य कारणों, जैसे कि संपार्श्विक प्रतिभूति में परिवर्तनों से होने वाली चूक के जोखिम के परिवर्तनों को अलग कर सके। वह यह निर्धारित करते समय निम्नलिखित पर विचार करता है:

(क) प्रारंभिक मान्यता से होने वाली चूक के जोखिम में परिवर्तन;

(ख) वित्तीय लिखत का 'प्रत्याशित कार्यकाल (जीवन) और

(ग) वह तर्कसंगत एवं सहायक सूचना जो बिना किसी अधिक लागत या कम प्रयास के उपलब्ध हो और वह ऋण जोखिम को भी प्रभावित करे।

ख 5.5.13 वे विधियां जो यह निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं कि क्या ऋण जोखिम प्रारंभिक मान्यता से एक वित्तीय लिखत पर काफी हद तक बढ़ गया है, वित्तीय लिखत की विशेषताओं और वित्तीय लिखतों के पूर्व के तुल्य चूक के पैटर्न को विचार में लिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 5.5.9 में दी गई अपेक्षाओं के बावजूद उस वित्तीय लिखत के लिए, जिसके लिए प्रत्याशित कार्यकाल के दौरान चूक पैटर्न एक विशिष्ट बिन्दु समय पर संकेन्द्रित नहीं होते हैं, अगले 12 माह के दौरान होने वाली चूक में परिवर्तन, होने वाली चूक के कार्यकाल के जोखिम परिवर्तन का तर्कसंगत अनुमान हो सकते हैं। ऐसे मामलों में एक प्रतिष्ठान, यह निर्धारित करने के लिए कि प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में भारी वृद्धि हो गयी है या नहीं, अगले 12 माह के बाद भी होने वाली चूक के जोखिम में परिवर्तनों को प्रयोग में ला सकता है लेकिन तब, जब परिस्थितियां यह संकेत दे कि कुल कार्यकाल का निर्धारण आवश्यक नहीं है।

ख 5.5.14 तथापि, कुछ वित्तीय लिखतों के लिए या कुछ परिस्थितियों में, अगले 12 माह के बाद यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पूर्णकालिक कार्यकाल प्रत्याशित ऋण हानियों को मान्यता दी जाए या नहीं, चूक के जोखिम में परिवर्तनों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगले 12 माह में होने वाली चूक के जोखिम में परिवर्तन, उस वित्तीय लिखत के लिए जिसकी परिपक्वता 12 माह के बाद है, यह देखने के लिए क्या ऋण जोखिम बढ़ गया है, एक उचित आधार नहीं हो सकता, जब

(क) केवल वित्तीय लिखत का भुगतान का महत्वपूर्ण भुगतान दायित्व 12 माह से आगे है

(ख) सम्बंधित वृहद आर्थिक या अन्य ऋण सम्बंधित कारकों में परिवर्तन आगामी 12 माह के दौरान चूक जोखिम को ठीक-ठीक प्रदर्शित नहीं करते, या

(ग) ऋण सम्बंधित कारकों में परिवर्तन 12 माह के बाद वित्तीय लिखत के केवल ऋण जोखिम पर असर डालते हैं (या उनका अधिक असर है)।

यह निश्चित करना कि ऋण जोखिम प्रारंभिक मान्यता से काफी हद तक बढ़ गया है या नहीं

ख 5.5.15 जब यह निर्धारित किया जाता है कि कुल अवधि (कार्यकाल या जीवनकाल) की प्रत्याशित ऋण हानियों की मान्यता अपेक्षित है, प्रतिष्ठान उस तर्कसंगत व सहायक सूचना पर विचार करता है जो बिना किसी अधिक लागत या श्रम (प्रयास) के उपलब्ध हो और वह अनुच्छेद 5.5.17 (ग) के अनुसरण में एक वित्तीय लिखत के ऋण जोखिम को प्रभावित करती हो। यह निर्धारित करने के लिए प्रतिष्ठान को सूचना की खोज (या तलाश) में ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में भारी वृद्धि हो गयी है।

ख 5.5.16 ऋण जोखिम विश्लेषण एक बहुकारक और सम्पूर्ण विश्लेषण है। क्या एक विशेष कारक प्रासंगिक है या नहीं और अन्य कारकों की तुलना में इसका भार (महत्व) इस बात पर निर्भर है कि उत्पाद की किस्म क्या है, वित्तीय लिखत की क्या विशेषताएं हैं और

उधारकर्ता कौन है तथा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। प्रतिष्ठान उस तर्कसंगत व सहायक सूचना पर विचार करेगा जो बिना किसी अधिक लागत या श्रम (प्रयास) से उपलब्ध हो और आंकलन की जा रही वित्तीय लिखत के लिए प्रासंगिक या सापेक्ष हो। तथापि, यह संभव है कि कुछ कारकों या संकेतकों की पहचान एक व्यक्तिगत वित्तीय लिखत के स्तर पर करना संभव न हो। ऐसे मामले में, वित्तीय लिखतों के उपयुक्त पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के समूह या के खंडों के कारक या संकेतकों का आंकलन निर्धारित करने के लिए, करना चाहिए कि क्या अनुच्छेद 5.5.3 में दी गई आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों की मान्यता की अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं या नहीं।

ख 5.5.17 ऋण जोखिम में परिवर्तनों के निर्धारण से सम्बंधित सूचना की अविस्तृत सूची नीचे दी जा रही है

- (क) प्रारम्भ से ऋण जोखिम में परिवर्तन के फलस्वरूप ऋण जोखिम के आन्तरिक कीमत संकेतकों में महत्वपूर्ण (बड़े या भारी) परिवर्तन जिनमें ऋण-स्प्रैड भी सम्मिलित है, लेकिन, ये परिवर्तन यही तक ही सीमित नहीं हैं, यह ऋण-स्प्रैड इसके परिणामस्वरूप होता है यदि एक विशेष वित्तीय लिखत या उसकी तरह कोई और वित्तीय लिखत उसी शर्त और उसी प्रतिपक्ष (काउन्टर पार्टी) के साथ नये रूप से रिपोर्टिंग तिथि को आरंभ की गयी है या जारी की गयी है।
- (ख) वर्तमान (मौजूदा) वित्तीय लिखत की दरों व शर्तों में अन्य परिवर्तन उस स्थिति में काफी हद तक अलग होंगे यदि लिखत रिपोर्टिंग तिथि को नए तौर पर आरंभ की गयी है या जारी की गयी है (जैसे कि, अधिक कड़ी शर्तें, सांपाश्विक प्रतिभूतियों या गारंटियों की अधिक राशियां या उच्चतर आय कवरेज) क्योंकि यह प्रारम्भिक मान्यता से वित्तीय लिखत के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण होते हैं।
- (ग) एक विशिष्ट लिखत या उतने कार्यकाल (जीवनकाल) की अन्य इसी प्रकार की वित्तीय लिखतों के ऋण जोखिम के वाहय बाजार संकेतकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन। ऋण जोखिम के बाजार संकेतकों में परिवर्तनों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, लेकिन ये इतने तक ही सीमित नहीं हैं-
 - (i) ऋण-स्प्रैड;
 - (ii) उधारकर्ता के लिए ऋण चूक स्वैप कीमतें
 - (iii) समय की लंबाई और वह सीमा जहां तक वित्तीय आस्ति का उचित मूल्य इसकी परिशोधित लागत से कम है, और
 - (iv) उधारकर्ता के सम्बंध में अन्य बाजार सूचना, जैसे कि उधारकर्ता के ऋण व इक्विटी लिखतों की कीमत में परिवर्तन।
- (घ) वित्तीय लिखत की बाह्य ऋण रेटिंग में कोई वास्तविक या प्रत्याशित महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- (ङ.) उधारकर्ता की एक वास्तविक या प्रत्याशित आन्तरिक क्रेडिट रेटिंग में कमी या आन्तरिक रूप से ऋण जोखिम के मूल्यांकन में व्यवहार-सम्बंधी स्कोरिंग में कमी। आंतरिक ऋण रेटिंग और आंतरिक व्यवहार सम्बंधी स्कोरिंग तब ज्यादा विश्वसनीय होती है जब वे बाह्य रेटिंग से मानचित्रित (मैपिंग) की गई है या चूक अध्ययनों द्वारा समर्पित होती है।
- (च) व्यवसाय में वर्तमान या पूर्वानुमानित विपरीत परिवर्तन, वित्तीय या आर्थिक परिस्थितियां जो उधारकर्ता के ऋण दायित्वों को पूरा करने की उधारकर्ता की योग्यता में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती हैं, जैसे कि, ब्याज दरों में वास्तविक या प्रत्याशित वृद्धि या बेरोजगारी दर में प्रत्याशित महत्वपूर्ण वृद्धि।
- (छ) उधारकर्ता के परिचालन परिणामों में वास्तविक या प्रत्याशित महत्वपूर्ण परिवर्तन इसके उदाहरणों में, निम्नलिखित शामिल हैं अर्थात् राजस्वों या मार्जिनों में वास्तविक या प्रत्याशित कमी, परिचालनगत जोखिमों में वृद्धि, कार्यशील पूंजी का अभाव, आस्ति गुणवत्ता में गिरावट, तुलनपत्र के लीवरेज में वृद्धि, तरलता, प्रबंधकीय समस्याएं, व्यवसाय या संगठनात्मक ढांचे के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन (जैसे कि व्यवसाय के एक खंड का बन्द हो जाना) जिससे उधारकर्ता द्वारा ऋण दायित्वों की पूर्ति की क्षमता(योग्यता) में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है।
- (ज) उसी उधारकर्ता को अन्य वित्तीय लिखतों के ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि।
- (झ) उधारकर्ता के अधिनियमिक आर्थिक या प्रौद्योगिकी वातावरण में कोई वास्तविक या प्रत्याशित महत्वपूर्ण विपरीत परिवर्तन जिससे उधारकर्ता को ऋण दायित्वों की पूर्ति की क्षमता(योग्यता) में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जैसे कि प्रौद्योगिकी के बदलाव से ऋणी के बिक्री उत्पाद की मांग में कमी हो जाना।
- (ञ) वाध्यता की समर्थक सांपाश्विक प्रतिभूति के मूल्य या अन्य पक्ष(तीसरी पार्टी)की गारंटियों की गुणवत्ता या ऋण में बढ़ोतरी (क्रेडिट एन्हांसमेंट) में महत्वपूर्ण परिवर्तन। इन परिवर्तनों से उधारकर्ता के (शैड्यूलड) अनुबंधात्मक भुगतान

करने के आर्थिक प्रोत्साहन (इन्सेंटीव) में कमी आने की संभावना होती है या फिर चूक होने की संभावना पर प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरणार्थ यदि एक सांपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में इसलिए कमी आ गयी क्योंकि मकानों की कीमतें गिर गयी हैं। अतः कुछ क्षेत्रों में उधारकर्ता बंधक ऋणों में चूक करने के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगे।

- (ट) एक शेयरधारक (या एक व्यक्ति के माता-पिता) द्वारा दी गयी गारंटी की गुणवत्ता में इसलिए महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है कि शेयरधारक (या माता-पिता) को एक प्रोत्साहन उपलब्ध है या उसके पास पूंजी या नकदी डालने से चूक को रोकने की क्षमता (योग्यता) है।
- (ठ) मूल प्रतिष्ठान या अन्य सम्बद्ध प्रतिष्ठान के वित्तीय समर्थन में कटौतियां होने जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों या ऋण बढ़ोतरी की गुणवत्ता में वास्तविक या प्रत्याशित महत्वपूर्ण परिवर्तन जिनसे उधारकर्ता के शैड्यूलड अनुबंधात्मक भुगतानों को करने के आर्थिक प्रोत्साहन में कमी आ सकती है। ऋण की गुणवत्ता में बढ़ोतरी या समर्थन में गारंटर की वित्तीय स्थिति पर विचार करना सम्मिलित है और अथवा, प्रतिभूतिकरण में जारी ब्याज चाहे अधीनस्थ ब्याज ऋण हानियों को पूरा करने की (ग्रहण करने की) आशा रखता है (जैसे कि प्रतिभूति मूलाधार पर ऋण)।
- (ड) ऋण के दस्तावेज तैयार करने में प्रत्याशित परिवर्तन जिनमें अनुबंध को भंग करने की प्रत्याशा भी सम्मिलित है। इनसे संभावित छूटें या संशोधन, ब्याज भुगतान में समय की छूट, ब्याज दर में वृद्धि की संभावनाएं बनती हैं और इसके लिए अतिरिक्त सांपार्श्विक या गारंटियों को आवश्यकता हो सकती है या फिर लिखत के अनुबंधात्मक ढांचे में अन्य परिवर्तन हो सकते हैं।
- (ढ) उधारकर्ता के प्रत्याशित कार्य-निष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन। इसमें समूह में उधारकर्ताओं के भुगतान की स्थिति में परिवर्तन भी शामिल हैं (जैसे कि विलम्बित अनुबंधात्मक भुगतानों की प्रत्याशित संख्या या सीमा में वृद्धि या उन क्रेडिट कार्ड उधारकर्ताओं की प्रत्याशित संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धियां जो निर्धारित सीमा तक या उससे अधिक सीमा तक ऋण का प्रयोग कर सकते हैं या वे न्यूनतम मासिक राशि का भुगतान कर सकते हैं)।
- (ब) वित्तीय लिखत के सम्बंध में प्रतिष्ठान के ऋण प्रबंधन दृष्टिकोण में परिवर्तन अर्थात् वित्तीय लिखत के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के उभरते संकेतकों पर आधारित प्रतिष्ठान का ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवहार (या प्रथा) या तो अधिक सक्रिय हो सकता या फिर लिखत सक्रिय हो सकती अथवा फिर लिखत प्रबंधन पर केन्द्रित होगा। इसमें लिखत पर अधिक सक्रिय हो सकता या फिर लिखत-प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसमें लिखत पर अधिक निगरानी या नियंत्रण या प्रतिष्ठान की उधारकर्ता के साथ विशेष दखल भी सम्मिलित है।
- (त) विगत देय सूचना, जिसमें अनुच्छेद 5.5.11 में यथावर्णित खंडनीय पूर्व अवधारणाएं भी शामिल हैं।

ख 5.5.18 कुछ मामलों में उपलब्ध गुणात्मक और गैर-सांख्यिकीय परिमाणात्मक सूचना यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त हो सकती है कि एक वित्तीय लिखत ने आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों के समान राशि पर हानि की रियायत को मान्यता देने के मानदंड को पूरा कर लिया है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वित्तीय लिखत के ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं, सांख्यिकीय मॉडल या ऋण रेटिंग प्रक्रिया द्वारा सूचना के प्रवाह की आवश्यकता नहीं है। अन्य मामलों में प्रतिष्ठान को ऐसी अन्य सूचना पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है जिसमें सांख्यिकीय मॉडलों या ऋण रेटिंग प्रक्रियाओं से सम्बंधित सूचना भी शामिल हो। विकल्प के रूप में, प्रतिष्ठान का निर्धारण दोनों प्रकार की सूचना पर आधारित हो सकता है यानि, गुणात्मक कारक जिन्हें आन्तरिक रेटिंग प्रक्रिया द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता और रिपोर्टिंग तिथि पर विशिष्ट आन्तरिक रेटिंग श्रेणी जिसमें प्रारम्भिक मान्यता पर ऋण जोखिम विशेषताओं को विचार में लिया जाता है यदि दोनों प्रकार की सूचना प्रासांगिक हो।

30 दिन से अधिक की विगत देयता की खंडनीय पूर्व अवधारणा

- ख 5.5.19 अनुच्छेद 5.5.11 की खंडनीय पूर्व अवधारणा ऐसा सम्पूर्ण संकेतक नहीं है जिससे आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों को मान्यता दी जाए, लेकिन यह माना जाता है कि यह वह विलंबतम (समय) बिन्दु है जिस पर आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों को मान्यता दी जानी चाहिए, भले ही जब भविष्य की प्रत्याशित (प्रगतिशील) सूचना का प्रयोग हो (जिसमें पोर्टफोलियो स्तर के समष्टि आर्थिक कारक भी सम्मिलित हों)।
- ख 5.5.20 प्रतिष्ठान इस पूर्व-अवधारणा का खंडन कर सकता है जब इसके पास ऐसी तर्कसंगत व सहायक सूचना उपलब्ध हो जो यह प्रदर्शित करे कि चाहे अनुबंधात्मक भुगतान 30 दिन से ज्यादा के विगत देय हो, इससे यह प्रदर्शित नहीं होता कि वित्तीय लिखत के ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उदाहरणस्वरूप, जब भुगतान को न होना उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई की बजाय एक प्रशासनिक अनदेखी हो या प्रतिष्ठान के पास एक ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हो जाता है जो यह प्रदर्शित करता है कि होने वाली चूक के जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि और वित्तीय आस्तियों पर भुगतान 30 दिन से अधिक की विगत देय के बीच कोई अन्तर्संबंध नहीं है पर वह साक्ष्य इस अंतर्संबंध की पहचान नहीं करता है कि विगत देयता 60 दिन से अधिक की है।

- ख 5.5.21 एक प्रतिष्ठान ऋण जोखिम की महत्वपूर्ण वृद्धियों और आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों के समय को एक-साथ नहीं रख सकता जब वित्तीय आस्ति को ऋण-ग्रस्तता या प्रतिष्ठान की चूक की आंतरिक परिभाषा के रूप में लिया जाए।
रिपोर्टिंग तिथि पर न्यून ऋण जोखिम वाली वित्तीय लिखतें
- ख 5.5.22 अनुच्छेद 5.5.10 के प्रयोजन के लिए, वित्तीय लिखत का ऋण जोखिम कम माना जाता है यदि चूक पर वित्तीय लिखत का जोखिम कम हो जब उधारकर्ता नजदीकी अवधि में अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने के लिए मजबूत क्षमता (योग्यता) रखता हो। लेकिन लम्बी अवधि में आर्थिक व व्यवसायिक परिस्थितियों विपरीत परिवर्तनों के चलते उसमें अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में कमी आ सकती है। लेकिन, यह भी जरूरी नहीं कि ऐसा हो भी। वित्तीय लिखतों को सिर्फ सांपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के कारण कम ऋण जोखिम वाली लिखतें नहीं माना जाता और उस सांपार्श्विक प्रतिभूति के बिना वित्तीय लिखतें कम ऋण जोखिम वाली नहीं मानी जाती। इसी तरह, वित्तीय लिखतों को कम ऋण जोखिम वाली नहीं माना जाता, सिर्फ इसलिए, कि प्रतिष्ठान को अन्य वित्तीय लिखतों या जिस क्षेत्र में प्रतिष्ठान कार्य कर रहा है उसकी बजाय उनमें चूक का कम जोखिम है।
- ख 5.5.23 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक वित्तीय लिखत का कम ऋण जोखिम है, एक प्रतिष्ठान अपनी आन्तरिक ऋण जोखिम रेटिंग का या अन्य उन विधियों का प्रयोग कर सकता है जो विश्व स्तर पर मान्य परिभाषा के अनुरूप है और उसके अनुसार आंकलन की जा रही वित्तीय आस्तियों की किस्म और जोखिमों पर विचार करता है। निवेश ग्रेड की बाह्य रेटिंग एक वित्तीय लिखत का उदाहरण है जिसे कम ऋण जोखिम वाली वित्तीय लिखत कहा जा सकता है। तथापि, वित्तीय लिखतों के लिए जब तक ऋण जोखिम पर विचार करने के लिए यह जरूरी नहीं कि उन्हें बाह्य रेटिंग का सहारा लिया जाए। तथापि, वे बाजार की उस भागीदारी के प्ररिपेक्ष से कम ऋण जोखिम वाली वित्तीय लिखतें मानी जाएगी जिसमें वित्तीय लिखत की सभी शर्तों व निबंधनों को विचार में लिया जाता है।
- ख 5.5.24 आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों को वित्तीय लिखतों पर सिर्फ इसलिए मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि पिछली रिपोर्टिंग अवधि में उनका कम ऋण जोखिम था और यह भी नहीं माना जाएगा कि रिपोर्टिंग तिथि पर भी क्या ऋण जोखिम होगा। ऐसे मामलों में, एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या प्रारम्भिक मान्यता से उसमें कोई महत्वपूर्ण ऋण जोखिम वृद्धि है और इस तरह क्या आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों को अनुच्छेद 5.5.3 के अनुसार मान्यता देना जरूरी है।

संशोधन

- ख 5.5.25 कुछ परिस्थितिओं में एक वित्तीय आस्ति के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का संशोधन या पुनर्परिक्राम्य मौजूदा वित्तीय आस्ति को इस मानक के अनुसार अमान्य कर सकता है। जब एक वित्तीय आस्ति के संशोधन से वर्तमान वित्तीय आस्ति की अमान्यता और संशोधित वित्तीय आस्ति की उत्तरवती मान्यता हो जाती है तो इस मानक के प्रयोजनों के लिए वह संशोधित आस्ति एक नई वित्तीय आस्ति मानी जाएगी।
- ख 5.5.26 वित्तीय आस्ति पर संशोधन की अपेक्षाओं को लागू करते समय, संशोधन की तिथि को प्रारम्भिक मान्यता की तिथि समझा जाएगा। इसका सामान्यतया यह अर्थ है कि जब तक अनुच्छेद 5.5.3 की आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों की मान्यता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो जाती तो यह हानि रियायत को एक राशि के बराबर मापना है जो 12 माह के प्रत्याशित ऋण हानियों के समान है। तथापि, किन्हीं असामान्य परिस्थितियों में संशोधन करने पर जब मूल वित्तीय आस्ति अमान्य हो जाती है, तो ऐसे साक्ष्य हो सकते हैं कि संशोधित वित्तीय आस्ति प्रारम्भिक मान्यता पर ऋणग्रस्तता वाली आस्ति हो और इस प्रकार वित्तीय आस्ति को मूल ऋण ग्रस्तता वित्तीय आस्ति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां क्षतिग्रस्त आस्ति का सारभूत रूप से संशोधन हो और इससे मूल वित्तीय आस्ति अमान्य हो जाए। ऐसे मामले में, संशोधन के लिए यह संभव हो कि वह एक नई वित्तीय आस्ति को परिणामित करें जो प्रारम्भिक मान्यता पर ऋणग्रस्त है।
- ख 5.5.27 यदि एक वित्तीय आस्ति के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह पुनर्परिक्राम्य या अन्यथा संशोधित किये जाते हैं लेकिन, वित्तीय आस्ति को अमान्य नहीं किया जाता, तो उस वित्तीय आस्ति को अपने आप कम ऋण जोखिम वाली आस्ति नहीं माना जाता है। एक प्रतिष्ठान बिना किसी अधिक लागत या श्रम के उपलब्ध समस्त तर्कसंगत और सहायक सूचना के आधार पर इस बात का मूल्यांकन करेगा कि प्रारम्भिक मान्यता से क्या ऋण जोखिम में कोई अधिक वृद्धि हुई या नहीं। इसमें ऐतिहासिक (बीते समय की) और आने वाले समय के बारे में सूचना और वित्तीय आस्ति के आजीवन ऋण जोखिम का निर्धारण भी सम्मिलित है। इस निर्धारण में, उन परिस्थितियों को भी शामिल किया जाएगा जिनके कारण संशोधन किया गया है। इस बात के साक्ष्य में कि आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों की मान्यता का मानदंड पूरा नहीं हुआ है, संशोधित अनुबंधात्मक शर्तों पर अद्यतन और समय पर भुगतान का विवरण भी दिया जाएगा। सामान्यतया, ऋण जोखिम कम होने पर विचार करने से पूर्व यह देखा जाएगा कि ग्राहक ने निरन्तर रूप से कुल अवधि में भुगतान समय पर करने का अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया है। उदाहरण के तौर पर, एक गुम अथवा अपूर्ण भुगतान का इतिहास अनुबंधात्मक शर्तों की संशोधन के पश्चात् समय पर भुगतान करने से हटा नहीं दिया जाएगा।

प्रत्याशित ऋण हानियों का माप**प्रत्याशित ऋण हानियां**

- ख 5.5.28 प्रत्याशित ऋण हानियां वित्तीय लिखत की प्रत्याशित अवधि (जीवनकाल) पर ऋण हानियों (अर्थात् सभी नकदी अभावों (शोर्टफॉल) का वर्तमान मूल्य) का संभाव्यता भारित प्राक्कलन (अनुमान) होता है। नकदी अभाव, उस अन्तर को कहते हैं, जो नकदी प्रवाह प्रतिष्ठान को अनुबंध के अनुसार प्राप्य है, और जो नकदी प्रवाह प्रतिष्ठान प्राप्त करने की आशा रखता है, के बीच है। चूंकि प्रत्याशित ऋण हानियों में भुगतानों की राशि व समय पर विचार किया जाता है, एक ऋण हानि तब भी उत्पन्न होती है, भले प्रतिष्ठान को पूर्ण राशि तो मिलने की आशा जो है, लेकिन अनुबंधात्मक तौर से देय होने के बाद ।
- ख 5.5.29 वित्तीय आस्तियों के लिए, एक ऋण हानि निम्नलिखित के अन्तर का वर्तमान मूल्य है:
- (क) अनुबंध के अन्तर्गत प्रतिष्ठान को प्राप्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह, और
- (ख) प्रतिष्ठान को मिलने वाले नकदी प्रवाह जिसकी उसे आशा है।
- ख 5.5.30 अनहरित ऋण वचनबद्धताओं के लिए एक ऋण-हानि निम्नलिखित के अंतर का वर्तमान मूल्य है:
- (क) अनुबंधात्मक नकद प्रवाह जो प्रतिष्ठान को देय है यदि ऋणवचनबद्धता का धारक ऋण का आहरण करता है, और
- (ख) नकद प्रवाह जिसे प्रतिष्ठान प्राप्त करने की आशा रखता है यदि ऋण का आहरण किया है ।
- ख 5.5.31 एक प्रतिष्ठान का ऋण वचनबद्धताओं पर प्रत्याशित ऋण हानि का प्राक्कलन (अनुमान) ऋण वचनबद्धताओं के आहरण की प्रत्याशा के अनुरूप होगा, यानि वह 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का प्राक्कलन करते समय, रिपोर्टिंग तिथि तक 12 माह के दौरान आहरित ऋण वचनबद्धता के प्रत्याशित भाग पर विचार करेगा और आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों का प्राक्कलन करते समय ऋण वचनबद्धता के उस प्रत्याशित भाग पर विचार करेगा जो वचनबद्धता के प्रत्याशित जीवनकाल के दौरान आहरित होना प्रत्याशित है, जब ।
- ख 5.5.32 एक वित्तीय गारंटी अनुबंध के लिए, प्रतिष्ठान को गारंटीशुदा लिखत की शर्तों के अनुसार देनदार द्वारा चूक करने की स्थिति में ही भुगतान करना अपेक्षित है। तदनुसार, नकदी अभाव वे भुगतान हैं, जो वह धारक को हुई ऋण हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में देना प्रत्याशित है, में से वह राशि घटाकर जो प्रतिष्ठान को धारक, देनदार या किसी अन्य पक्ष (पार्टी) से प्राप्त होने की आशा है। यदि आस्ति पूरी तरह से गारंटीशुदा है, तो वित्तीय गारंटी अनुबंध के नकदी अभाव का प्राक्कलन गारंटी के अधीन आस्ति के नकदी अभावों के प्राक्कलनों के अनुरूप होगा।
- ख 5.5.33 एक वित्तीय आस्ति के लिए जो रिपोर्टिंग तिथि को ऋण क्षतिग्रस्त है, लेकिन वह खरीदी हुई या पैदा/उत्पन्न हुई ऋण क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्ति नहीं है, एक प्रतिष्ठान प्रत्याशित ऋण हानियों को उस अन्तर के रूप में मापेगा जो आस्ति के सकल अग्रणीत राशि और वित्तीय आस्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर पर बट्टागत प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के बीच है । इसमें यदि किसी प्रकार का समायोजन है तो उसे क्षतिग्रस्तता लाभ (गेन) या हानि के रूप में लाभ (प्रॉफिट) या हानि में मान्यता दी जाएगी।
- ख 5.5.34 जब पट्टे (लीज) से प्राप्य के लिए हानि रियायत का माप करना हो, तो प्रत्याशित ऋण हानियों के निर्धारण में प्रयुक्त नकदी प्रवाह भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे के अनुसरण में पट्टे से प्राप्य के माप में प्रयुक्त नकदी प्रवाहों के अनुरूप होंगे।
- ख 5.5.35 एक प्रतिष्ठान प्रत्याशित ऋण हानियों के माप के लिए व्यवहारिक युक्तियों का प्रयोग कर सकता है यदि वे अनुच्छेद 5.5.17 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुरूप हों। इस प्रकार की युक्ति का एक उदाहरण प्राप्य व्यापार राशियों पर 'प्रावधान मेट्रिक्स' का प्रयोग करते हुए प्रत्याशित ऋण हानियों की गणना करना है। प्रतिष्ठान अपने ऐतिहासिक समय के ऋण हानियों के अनुभव (अनुच्छेद ख 5.5.51 - ख 5.5.52 के अनुसार यथोचित रूप से समायोजित) व्यापार प्राप्य राशियों के लिए करेगा ताकि वह 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों या सम्बंधित वित्तीय आस्तियों के आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों का प्राक्कलन कर सके। एक 'प्रावधान मेट्रिक्स', उदाहरणार्थ, दिनों की संख्या के आधार पर निश्चित प्रोविजन दरों को इस तरह निर्धारित करती है कि प्राप्य व्यापार राशि एक विगत देय राशि है (उदाहरणार्थ, 1 प्रतिशत जब कोई विगत देय नहीं है, 2 प्रतिशत जब विगत देय 30 दिन से कम की है, 3 प्रतिशत जब विगत देय 30 दिन से अधिक है लेकिन 90 दिनों से कम की है, 20 प्रतिशत जब विगत देय 90-180 दिनों की है, इत्यादि)। यदि प्रतिष्ठान का ग्राहक आधार विविधतापूर्ण है तो वह अपने विगत ऋण हानि अनुभव के आधार पर विभिन्न ग्राहक श्रेणियों के लिए विशेष रूप से अलग-अलग ऋण पैटर्न के आधार पर समुचित समूह बना सकता है। आस्तियों के समूह के लिए मानदण्डों के उदाहरणों में भौगोलिक क्षेत्र, उत्पाद की किस्म, ग्राहक की रेटिंग, सांपादिक प्रतिभूति या व्यापार ऋण बीमा और ग्राहक की किस्म (जैसे थोक या खुदरा ग्राहक) आदि सम्मिलित हो सकते हैं।

चूक की परिभाषा

- ख 5.5.36 अनुच्छेद 5.5.9 यह अपेक्षा करता है कि यह निर्धारित करते समय कि क्या एक वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम महत्वपूर्ण रूप से तकबढ़ गया है या नहीं, प्रतिष्ठान प्रारम्भिक मान्यता से घटित हो रही चूक के जोखिम के परिवर्तन पर विचार करेगा।
- ख 5.5.37 होने वाली चूक के जोखिम के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए चूक की परिभाषा देते समय, एक प्रतिष्ठान संबंधित वित्तीय लिखत के लिए आन्तरिक ऋण जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिभाषा के अनुरूप चूक परिभाषा का प्रयोग करेगा और जब उचित होगा गुणात्मक संकेतकों (जैसे कि, वित्तीय युक्तियाँ) पर विचार करेगा। तथापि एक पूर्व मान्यता है कि जब वित्तीय आस्ति 90 दिन के बाद विगत देय नहीं होती जब तक कि प्रतिष्ठान के पास ऐसी तर्कसंगत और सहायक सूचना न हो, जो यह प्रदर्शित करे कि इससे अधिक के विलम्ब का मानदंड इससे अधिक उचित है। इन प्रयोजनों के लिए चूक की प्रयुक्त परिभाषा सभी लिखतों के लिए समान रूप से प्रयुक्त की जाएगी जब तक ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हो जाती कि एक विशेष प्रकार की वित्तीय लिखत के लिए कोई दूसरी चूक परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

अवधि जिसके दौरान/ऊपर प्रत्याशित ऋण हानियों का प्राक्कलन करना होता है

- ख 5.5.38 अनुच्छेद 5.5.19 के अनुसरण में, वह अधिकतम अवधि जिसके दौरान प्रत्याशित ऋण हानियों को मापा जाएगा वह की अनुबंधात्मक अवधि है, जिसमें प्रतिष्ठान ऋण जोखिम से रु-ब-रु हो होता है। ऋण वचनबद्धताओं और वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए, यह अधिकतम अनुबंधात्मक अवधि है जिसके दौरान प्रतिष्ठान के पास ऋण देने की वर्तमान अनुबंधात्मक बाध्यता है।
- ख 5.5.39 तथापि, अनुच्छेद 5.5.20 के अनुसरण में कुछ वित्तीय लिखतों में ऋण के साथ-साथ अनहरित वचनबद्धता घटक सम्मिलित होता है और प्रतिष्ठान पुनर्भुगतान की मांग और अनहरित वचनबद्धताको रद्द करने की अनुबंधात्मक योग्यता प्रतिष्ठान के ऋण हानियों के प्रति 'एक्सपोजर' को नोटिस अवधि तक सीमित नहीं करती। उदाहरणार्थ, सतत या आवर्ती (रिवॉल्विंग) ऋण सुविधाएं, जैसे कि, क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट आदि सुविधाएं ऋणदाता एक दिन के नोटिस पर भी अनुबंध के अनुसार वापस ले सकता है। तथापि, व्यवहार में ऋणदाता ऋण सुविधा को अपेक्षया अधिक अवधि तक जारी रखता है और उसे तभी वापस ले सकता है, जब उधारकर्ता का जोखिम बढ़ जाता है और तब इतनी देर हो चुकी होती है कि कुछ या समस्त प्रत्याशित ऋण हानियों को रोका जाए। ये वित्तीय लिखतें सामान्यतया निम्नलिखित विशेषताएं रखती हैं जो वित्तीय लिखत की प्रकृति, वित्तीय आस्ति का प्रबंध किस प्रकार किया गया है और ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के बारे में उपलब्ध सूचना, के परिणामस्वरूप होती हैं:
- (क) वित्तीय लिखतों की कोई निश्चित अवधि या पुनर्भुगतान संरचना नहीं होती और उसकी अनुबंधात्मक रद्द करने की अवधि सामान्यतया अल्पकालीन होती है (उदाहरणतः एक दिन)।
- (ख) अनुबंध को रद्द करने की वित्तीय लिखत की अनुबंधात्मक योग्यता सामान्य दिन-ब-दिन प्रबंधन के दौरान लागू (इन्फोर्स) नहीं होती है और अनुबंध तभी रद्द हो सकता है जब प्रतिष्ठान सुविधा के स्तर पर ऋण जोखिम की वृद्धि के बारे में जागरूक होता है।
- (ग) वित्तीय लिखतों का प्रबंध सामूहिक आधार पर किया जाता है।
- ख 5.5.40 उस अवधि के निर्धारण के लिए, जिसमें प्रतिष्ठान ऋण जोखिम से रु-ब-रु हो सकता है, लेकिन, उसके लिए प्रत्याशित ऋण हानियां प्रतिष्ठान के सामान्य ऋण जोखिम के प्रबंधकीय कार्यों से कम नहीं होती हैं, प्रतिष्ठान को निम्नलिखित के बारे में ऐतिहासिक सूचना व अनुभव के कारकों पर विचार करना चाहिए:
- (क) वह अवधि जिसके दौरान प्रतिष्ठान उसी प्रकार की वित्तीय लिखतों के ऋण जोखिम के प्रति 'एक्सपोजर' होता है;
- (ख) ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के अनुगामी उसी प्रकार की वित्तीय लिखतों की सम्बंधित चूकों के घटित होने के लिए समय की लंबाई; तथा
- (ग) ऋण जोखिम प्रबंधन की कार्यवाही, जिन्हें प्रतिष्ठान करने की आशा करता है, जब वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम बढ़ जाता है, जैसे कि, अनहरित ऋण सीमाओं में कटौती या उन्हें वापस ले लेना।

संभाव्यता - भारित परिणाम

- ख 5.5.41 प्रत्याशित ऋण हानियों के प्राक्कलन का प्रयोजन न तो किसी खराब-से-खराब मामले के प्राक्कलन का है और न ही किसी बढ़िया मामले के प्राक्कलन का है। इसकी बजाय, प्रत्याशित ऋण हानियों का एक प्राक्कलन हमेशा इस संभावना को प्रदर्शित करता है कि एक ऋण हानि होती है और यह संभावना कि ऋण हानि नहीं होती है चाहे अधिक संभावना ऋण हानि न होने की है।
- ख 5.5.42 अनुच्छेद 5.5.17(क) प्रत्याशित ऋण हानियों के उस प्राक्कलन की अपेक्षा करता है जो दुराग्रहहीन और संभावित परिणामों की एक सीमा के मूल्यांकन से निर्धारित संभाव्यता भारित राशियां प्रतिबिंबित करें। व्यवहार में, यह विश्लेषण जटिल नहीं भी हो सकता। कुछ मामलों में अपेक्षया साधारण मॉडल का प्रयोग भी पर्याप्त है और उसमें परिदृश्यों (मामलों) की किन्ही अधिक

विस्तृत अनुकृतियों की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर, विभाजित जोखिम विशेषताओं वाले वित्तीय लिखतों के एक बड़े समूह की औसत ऋण हानियां संभाव्यता-भारित राशियों का समुचित प्राक्कलन हो सकती हैं। अन्य परिस्थितियों में उन परिदृश्यों की पहचान जो विशेष परिणामों के लिए नकदी प्रवाहों की राशि और समय और उन परिणामों की प्राक्कलित संभाव्यता की संभवतया आवश्यकता होगी। उन परिस्थितियों में, प्रत्याशित ऋण हानियां अनुच्छेद 5.5.18 के अनुसरण में कम-से-कम 2 परिणामों को प्रदर्शित करेगी।

- ख 5.5.43 पूर्णकालिक (आजीवन) ऋण हानियों के लिए, एक प्रतिष्ठान वित्तीय लिखत प्रत्याशित काल (जीवन) के दौरान उस पर होने वाले चूक के जोखिम को प्राक्कलित करेगा। 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियां पूर्णकालिक (आजीवन) प्रत्याशित ऋण हानियों का एक भाग है, जो उन पूर्णकालिक नकदी अभावों को प्रदर्शित करता है जो तब उत्पन्न होगी यदि रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 माह के अंदर चूक घटित होती है (या यदि वित्तीय लिखत को प्रत्याशित कुल काल 12 माह से कम है तो अल्पावधि में) और जो होने वाली चूक की संभाव्यता से भारित होती है। इस प्रकार 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियां न तो पूर्णकालिक (आजीवन), प्रत्याशित ऋण हानियां हैं जो प्रतिष्ठान द्वारा वित्तीय लिखत पर वहन की जाएगी और जो यह पूर्वानुमान लगता है कि 12 माह में यह चूक होगी और न ही आगे 12 माह के पूर्वानुमानित नकदी अभाव है।

धन का समय मूल्य

- ख 5.5.44 प्रारम्भिक मान्यतापर निर्धारित प्रभावी ब्याज दर या कोई लगभग दर का प्रयोग करते हुए प्रत्याशित ऋण हानियों को रिपोर्टिंग तिथि पर बट्टागत किया जाएगा, न कि प्रत्याशित चूक की तिथि या किसी अन्य तिथि पर। यदि वित्तीय आस्ति की कोई परिवर्तनशील ब्याज-दर है तो प्रत्याशित ऋण हानियां अनुच्छेद ख 5.4.5 के अनुसरण में निर्धारित चालू की गयी प्रभावी ब्याज दर का प्रयोग करते हुए पर बट्टागत की जाएगी।
- ख 5.5.45 खरीदी गयी या उत्पन्न या पैदा की गयी ऋणग्रस्त वित्तीय आस्तियों के लिए, प्रत्याशित ऋण-हानि प्रारम्भिक मान्यता पर निर्धारित ऋण-समायोजित प्रभावी ब्याज दर पर बट्टागत की जाएगी।
- ख 5.5.46 पट्टे की प्राप्य राशियों पर प्रत्याशित ऋण हानियां भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसरण में पट्टे की प्राप्य राशियों के माप के लिए प्रयुक्त प्रयोग करते हुए उसी बट्टागत दर पर बट्टागत की जाएगी।
- ख 5.5.47 ऋण वचनबद्धता पर प्रत्याशित ऋण हानियां प्रभावी ब्याज दर या लगभग इस जैसी ही अन्य दर का प्रयोग करते हुए बट्टागत की जाएगी और उसका प्रयोग तभी किया जाएगा जब ऋण वचनबद्धता से परिणामित वित्तीय आस्ति को मान्यता दी जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षतिग्रस्तता (ईम्पेअरमेंट) अपेक्षाओं के प्रयोग के प्रयोजन के लिए, ऋण वचनबद्धता के 'ड्रा डाउन' की अनुगामी वित्तीय आस्ति की मान्यता उसी वचनबद्धता का जारी रखना माना जाएगा, न कि एक नई वित्तीय लिखत के रूप में। अतः वित्तीय आस्ति पर प्रत्याशित ऋण हानियां उस तिथि से कम जिस पर प्रतिष्ठान अविकल्पी वचनबद्धता का पक्षकार (पार्टी) बनता है, ऋण की वचनबद्धता के प्रारम्भिक ऋण जोखिम को विचार में रखते हुए मापा जाएगा।
- ख 5.5.48 वित्तीय गारंटी अनुबंधों या ऋण वचनबद्धताओं पर प्रत्याशित ऋण हानियों को, जिनके लिए प्रभावी ब्याज दर का निर्धारण नहीं किया जा सकता, उस बट्टागत दर के प्रयोग द्वारा बट्टागत किया जाएगा जो धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन को और उन जोखिमों प्रदर्शित करता है और जो नकदी प्रवाहों के लिए विशिष्ट है लेकिन तभी और उस सीमा तक की बट्टागत नकदी अभावों के समायोजन की बजाय बट्टागत दर के समायोजन द्वारा जोखिमों पर विचार किया जाता है।

तर्कसंगत एवं सहायक सूचना

- ख 5.5.49 इस मानक के प्रयोजन के लिए, तर्कसंगत एवं सहायक सूचना वह है जो रिपोर्टिंग तिथि पर तर्कसंगत रूप से बिना किसी अनुचित लागत या श्रम (प्रयास) के उपलब्ध होती है। इसमें विगत घटनाओं, वर्तमान परिस्थितियों और भावी आर्थिक परिस्थितियों की पूर्व घोषणाओं (अनुमानों) की सूचना भी सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध सूचना बिना किसी अनुचित लागत या श्रम के उपलब्ध सूचना मानी जाती है।
- ख 5.5.50 एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षित नहीं है कि वह वित्तीय लिखत के समग्र प्रत्याशित जीवन के दौरान भावी परिस्थितियों की भविष्यवाणियों को सम्मिलित करें। विवेकपूर्ण निर्णय का स्तर (डिग्री), जो प्रत्याशित ऋण हानियों के प्राक्कलन के लिए अपेक्षित है विस्तृत सूचना की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जैसे-जैसे भविष्यवाणी की अवधि बढ़ती जाती है वैसे-वैसे विस्तृत सूचना की उपलब्धता कम होती जाती है और विवेकपूर्ण निर्णय का स्तर, जो प्रत्याशित ऋण हानियों के प्राक्कलन के लिए आवश्यक है, बढ़ता जाता है। प्रत्याशित ऋण हानियों के प्राक्कलन को उन आवधियों के विस्तृत प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं है जो भविष्य में दूर है, ऐसी अवधियों के लिए, एक प्रतिष्ठान उपलब्ध व विस्तृत सूचना में से पूर्वानुमानों के निष्कर्ष निकाल सकता है।
- ख 5.5.51 एक प्रतिष्ठान को सूचना प्राप्त करने के लिए कोई ज्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन, वह समस्त तर्कसंगत और सहायक सूचना पर जरूर विचार करेगा जो बिना किसी ज्यादा लागत या श्रम से प्राप्त हो सके। साथ ही, यह सूचना

प्रत्याशित ऋण हानियों के प्राक्कलन के लिए उपयुक्त हो और उसमें प्रत्याशित पूर्व भुगतानों का प्रभाव सम्मिलित है। प्रयुक्त सूचना में उधारकर्ता, सामान्य आर्थिक परिस्थितियों के मूल्यांकन के विशिष्ट कारक और चालू व भावी दोनों परिस्थितियों की रिपोर्टिंग तिथि पर दिशा का मूल्यांकन सम्मिलित होना चाहिए। प्रतिष्ठान आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों के प्रयोग कर सकता है। ये स्रोत आन्तरिक (प्रतिष्ठान - विशिष्ट) और बाह्य दोनों ही हो सकते हैं। संभावित आंकड़ों के स्रोतों में आन्तरिक ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव, आन्तरिक रेटिंग, अन्य प्रतिष्ठानों का ऋण हानि अनुभव और बाह्य रेटिंग, रिपोर्ट्स व सांख्यिकीय आंकड़े सम्मिलित हैं। जिन प्रतिष्ठानों के पास प्रतिष्ठान विशिष्ट आंकड़े के स्रोत या तो नहीं हैं या फिर अपर्याप्त हैं वे समान वित्तीय लिखत (या वित्तीय लिखतों के समूहों) के लिए साथी समूह के अनुभव का प्रयोग कर सकते हैं।

ख 5.5.52 ऐतिहासिक सूचना एक महत्वपूर्ण उद्घोषक या आधार है जिसके द्वारा प्रत्याशित ऋण हानियों को मापा जाता है। तथापि एक प्रतिष्ठान ऐतिहासिक आंकड़ों जैसे कि ऋण हानि अनुभव को चालू दृष्टिगोचर योग्य आंकड़ों के आधार पर समायोजित करेगा ताकि यह वर्तमान परिस्थितियों और भावी परिस्थितियों की पूर्व घोषणाओं के प्रभावों को प्रदर्शित कर सके। ये परिस्थितियाँ उस अवधि को प्रभावित नहीं करती जिस पर कि ऐतिहासिक आंकड़े आधारित हैं और ऐतिहासिक अवधि में परिस्थितियों के प्रभाव को दूर करना जो भावी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ मामलों में, सर्वोत्तम तर्कसंगत व सहायक सूचना असमयोजित ऐतिहासिक सूचना हो सकती है जो ऐतिहासिक सूचना की प्रकृति और कब उसकी गणना, रिपोर्टिंग विधि पर परिस्थितियों की तुलना में की गयी थी और विचार में ली गयी वित्तीय लिखत की विशेषताओं, पर निर्भर करता है। प्रत्याशित ऋण हानियों के प्राक्कलनों में परिवर्तन द्वारा, एक अवधि से दूसरी अवधि तक संबंधित दृष्टिगोचर आंकड़ों में परिवर्तन (जैसे कि बेरोजगारी की दरों में परिवर्तन, सम्पत्ति की कीमतें, वस्तु कीमतें, भुगतान की स्थिति, या अन्य कारक जो वित्तीय लिखत या वित्तीय लिखतों के समूह पर ऋण हानियों के सूचक हैं और उन परिवर्तनों की मात्रा) प्रदर्शित होना चाहिए और उसकी दिशा भी एक जैसी होनी चाहिए। प्राक्कलनों और वास्तविक ऋण हानि अनुभव में अन्तर को कम करने के लिए प्रतिष्ठान को प्रत्याशित ऋण हानियों के प्राक्कलन के लिए इस्तेमाल कि गई कार्यप्रणाली और अवधारणाओं की नियमित रूप से समीक्षा करेगा।

ख 5.5.53 प्रत्याशित ऋण हानियों के प्राक्कलन में ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव का प्रयोग करते समय, यह महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक ऋण हानि दरों की सूचना का प्रयोग उन समूहों पर किया जाए जो इस तरह से परिभाषित किये गये हैं जो उन समूहों के अनुरूप हैं जिनके लिए ऐतिहासिक ऋण हानि दरें प्रलाक्षित हैं। परिणामतः प्रयुक्त पद्धति इसी प्रकार की जोखिम विशेषता तथा प्रासंगिक अवलोकन योग्य डाटा जो वर्तमान स्थिति को परिलक्षित करता है, के साथ वित्तीय आस्ति के समूह में विगत ऋण हानि अनुभव के बारे में सूचना से संबद्ध वित्तीय आस्ति को समर्थ करेगा।

ख 5.5.54 प्रत्याशित ऋण हानियाँ एक प्रतिष्ठान की अपनी ऋण हानियों की आशाओं को प्रदर्शित करती हैं। तथापि, प्रत्याशित ऋण हानियों के प्राक्कलन के लिए बिना किसी बड़ी लागत या श्रम (प्रयास) के उपलब्ध तर्कसंगत व सहायक सूचना पर विचार करते समय एक प्रतिष्ठान को एक विशेष वित्तीय लिखत या उसी प्रकार की अन्य वित्तीय लिखतों के ऋण जोखिम के बारे में प्रलक्षनीय (दृष्टिगोचरयोग्य) बाजार सूचना पर भी विचार करना चाहिए।

सांपार्श्विक प्रतिभूति

ख. 5.5.55 प्रत्याशित ऋण हानियों के माप के प्रयोजनों के लिए प्रत्याशित नकदी अभावों का प्राक्कलन सांपार्श्विक प्रतिभूति और अन्य उन ऋण वृद्धियों, जो अनुबंधात्मक शर्तों का भाग हैं और प्रतिष्ठान द्वारा उन्हें अलग-से मान्यता नहीं दी जाती, प्रत्याशित नकदी प्रवाहों को प्रदर्शित करता है। सांपार्श्विक एक प्रतिभूतियुक्त वित्तीय आस्ति पर प्रत्याशित नकदी अभावों का प्राक्कलन उन नकदी प्रवाहों की राशि व समय को प्रदर्शित करता है जो सांपार्श्विक प्रतिभूति की प्राप्ति व बिक्री की लागतें घटाकर सांपार्श्विक प्रतिभूति को नियत समय से पहले ही बन्द करने से प्रत्याशित है, भले ही नियत समय से पहले सांपार्श्विक प्रतिभूति को बन्द करने की संभावना हो या न हो (यानि प्रत्याशित नकदी प्रवाहों का प्राक्कलन एक नियत समय से पूर्व की बन्दी की संभावना के साथ-साथ उन नकदी प्रवाहों पर भी विचार करता है जो इसके परिणामस्वरूप हैं)। फलस्वरूप, अनुबंध की अनुबंधात्मक परिपक्वता के बाद सांपार्श्विक प्रतिभूति से प्राप्त (वसूल) कोई भी नकदी प्रवाह इस विश्लेषण में सम्मिलित होने चाहिए। कोई भी सांपार्श्विक प्रतिभूति (सम्पत्ति) जो नियत समय से पूर्व बन्दी के फलस्वरूप प्राप्त होती है उसे आस्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती जो सांपार्श्विक प्रतिभूतियुक्त वित्तीय आस्ति से अलग है यदि यह इस मानक या अन्य मानकों में दिए गए आस्ति के सम्बन्धित मान्यता मानदंड को पूरा न करती हो।

वित्तीय आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण (खंड 5-6)

ख 5.6.1 यदि एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 4.4.1 के अनुसरण में वित्तीय आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण करता है तो अनुच्छेद 5.6.1 वह अपेक्षा करता है कि वह पुनर्वर्गीकरण संभावित रूप से पुनर्वर्गीकरण तिथि से आगे के लिए लागू किया जाए। परिशोधित लागत माप श्रेणी और अन्य व्यापक आय के द्वारा उचित मूल्य माप श्रेणी दोनों यह अपेक्षा करती हैं कि प्रभावी ब्याज-दर प्रारम्भिक मान्यता पर निर्धारित की जाए। माप की ये दोनों श्रेणियाँ यह भी अपेक्षा करती हैं कि क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं को भी उसी ढंग से (एक

समान तरीके) प्रयोग में लाया जाए। फलस्वरूप, जब एक प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति को इन दोनों माप श्रेणियों अर्थात् परिशोधित लागत माप श्रेणी और अन्य व्यापक आय के द्वारा उचित मूल्य माप श्रेणी के बीच पुनर्वगीकृत करता है तो:

- (क) ब्याज राजस्व की मान्यता में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसलिए प्रतिष्ठान उसी प्रभावी ब्याज-दर का प्रयोग करना जारी रखता है।
- (ख) प्रत्याशित ऋण हानियों का माप परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि दोनों माप श्रेणियां एक ही क्षतिग्रस्तता दृष्टिकोण (पद्धति) का प्रयोग करती हैं। तथापि, यदि एक वित्तीय आस्ति व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य माप श्रेणी से बाहर निकाल कर परिशोधित लागत माप श्रेणी के अन्तर्गत पुनर्वगीकृत की जाती है तो पुनर्वगीकरण की तिथि से वित्तीय आस्ति की सकल अग्रणीत राशि में समायोजन के रूप में हानि रियायत को मान्यता दी जाएगी। यदि वित्तीय आस्ति को परिशोधित लागत माप श्रेणी से बाहर निकालकर और व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य माप श्रेणी के अन्तर्गत पुनर्वगीकृत किया जाता है तो हानि रियायत को अमान्य किया जाएगा (और इस प्रकार इसे सकल अग्रणीत राशि के समायोजन के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी) परंतु, इसकी बजाय इसे अन्य व्यापक आय में संचित क्षतिग्रस्त राशि (समान राशि) के रूप में पुनर्वगीकरण तिथि से मान्यता दी जाएगी और प्रकट किया जाएगा।

ख 5.6.2 तथापि, एक प्रतिष्ठान को लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापी गयी एक वित्तीय आस्ति के ब्याज राजस्व या क्षतिग्रस्तता लाभ या हानियों को अलग-से मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, जब प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति को लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य माप श्रेणी से बाहर निकाल कर पुनर्वगीकृत करता है तो प्रभावी ब्याज-दर का निर्धारण पुनर्वगीकरण तिथि को आस्ति के उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पुनर्वगीकरण की तिथि से वित्तीय आस्ति पर खंड 5.5 का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए, पुनर्वगीकरण तिथि को प्रारम्भिक मान्यता की तिथि के रूप में लिया जाता है।

लाभ (गेन्ज) और हानियां (खंड 5.7)

ख 5.7.1 अनुच्छेद 5.7.5 एक प्रतिष्ठान को इस बात की अनुमति देता है कि वह एक 'इक्विटी' लिखित में, जो व्यापार (खरीद-फरोक्त) के लिए धारित नहीं है, के निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुति के लिए एक अविकल्पी चयन कर सकता है। यह चयन लिखत-दर-लिखत (जैसे कि शेयर-दर-शेयर) के आधार पर अर्थात् हर लिखत के लिए अलग से किया जाता है। अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत राशियां बाद में लाभ या हानि में अन्तरित नहीं की जाएंगी। तथापि, प्रतिष्ठान संचित लाभ या हानि को प्रतिष्ठान 'इक्विटी' के भीतर ही अन्तरित कर सकता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में मान्यता अनुच्छेद 5.7.6 के अनुसरण में तब तक दी जाती है जब कि लाभांश निवेश की लागत के भाग की वसूली को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न करे।

ख 5.7.1क जब तक अनुच्छेद 4.1.5 को लागू नहीं होता है, अनुच्छेद 4.1.2 क यह अपेक्षा करता है कि एक वित्तीय आस्ति अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर मापी जाती है यदि वित्तीय आस्ति की अनुबंधात्मक शर्तें उन नकदी प्रवाहों का सृजन करती हैं जो केवल मूलधन तथा बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान के रूप में हैं और आस्ति उस एक व्यावसायिक मॉडल में धारित है जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण और वित्तीय आस्तियों की बिक्री दोनों को पूरा करना है। यह माप श्रेणी सूचना को लाभ या हानि में मान्यता देती है, जैसेकि, वित्तीय आस्ति परिशोधित लागत पर मापी जाती है, जबकि वित्तीय आस्ति तुलनपत्र में उचित मूल्य पर मापी जाती है। को, अनुच्छेद 5.7.10-5.7.11 के अनुसरण में लाभ या हानि में मान्य लाभ (गेन्ज) या हानियोंको छोड़कर, अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। जब इन वित्तीय आस्तियों को अमान्य किया जाता है, संचित लाभों(गेन्ज) या हानियों को, जिन्हें पहले अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गयी थी, लाभ (प्रॉफिट) या हानि में पुनर्वगीकृत किया जाता है। यह उस लाभ (गेन) या हानि को प्रदर्शित करता है जिसे अमान्यता पर लाभ (प्रॉफिट) या हानि में मान्यता दी जानी है यदि वित्तीय आस्ति परिशोधित लागत पर मापी जाती हो।

ख 5.7.2 एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 21 को उन वित्तीय आस्तियों और वित्तीय दायित्वों पर लागू करता है जो उस भारतीय लेखा मानक 21 के अनुसरण में मौद्रिक मदें हैं और उनका लेन-देन विदेशी मुद्रा में किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 21 यह अपेक्षा करता है कि यदि विदेशी विनिमय से कोई भी लाभ (गेन) और हानियां होती हैं तो उन्हें लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी। इसके अपवाद में एक वह मौद्रिक मद है जिसे नकदी प्रवाह हेज (देखें अनुच्छेद 6.5.11) में एक हेज लिखत, निवल निवेश की हेज (देखें अनुच्छेद 6.5.13) या उस एक इक्विटी लिखत के उचित मूल्य की हेज, जिसके लिए प्रतिष्ठान ने अनुच्छेद 5.7.5 (देखें अनुच्छेद 6.5.8) के अनुसरण में अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में परिवर्तनों की प्रस्तुति के लिए चयन करता है, हेज लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है।

ख 5.7.2क भारतीय लेखा मानक 21 के अन्तर्गत विदेशी विनिमय के लाभों और हानियों की मान्यता के प्रयोजन के लिए, अनुच्छेद 4.1.2 क के अनुसरण में अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर मापी गयी एक वित्तीय आस्ति को एक मौद्रिक मद माना जाता है।

तदनुसार, ऐसी वित्तीय आस्ति विदेशी मुद्रा में परिशोधित लागत पर मापी गयी आस्ति के रूप में ली जाती है। परिशोधन लागत पर विनिमय अन्तरों के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जबकि अग्रणीत राशि में अन्य परिवर्तनों को अनुच्छेद 5.7.10 के अनुसरण में मान्यता दी जाती है।

ख 5.7.3 अनुच्छेद 5.7.5 एक प्रतिष्ठान को इस बात की अनुमति देता है कि वह अन्य व्यापक आय में 'इक्विटी' लिखतों में निवेशों को उचित मूल्य में परवर्ती (बाद के) परिवर्तनों को प्रस्तुत करने का अविकल्पी चयन करे। इस प्रकार का निवेश कोई मौद्रिक मद नहीं है। तदनुसार, अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसरण में अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत लाभ या हानि में कोई भी सम्बन्धित विदेशी विनिमय घटक सम्मिलित होता है।

ख 5.7.4 यदि गैर-व्युत्पन्न मौद्रिक आस्ति और गैर-व्युत्पन्न मौद्रिक दायित्व के बीच कोई हेजिंग सम्बंध है तो उन वित्तीय लिखतों के विदेशी विनिमय घटक में परिवर्तन लाभ या हानि में प्रस्तुत किये जाएंगे।

लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर नामोदिदष्ट दायित्व

ख 5.7.5 जब एक प्रतिष्ठान एक वित्तीय दायित्व को लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर नामोदिदष्ट करता है तो इसे यह अवश्य निर्धारित करना चाहिए कि क्या दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने से लाभ और हानि में असंतुलन (बेमेल) लेखा का सृजन होता है या वह बढ़ जाता है। एक लेखा असंतुलन तब सृजित या बढ़ा हुआ होता है जब अन्य व्यापक आय में दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभाव की प्रस्तुति लाभ या हानि में उससे भी अधिक असंतुलन को उत्पन्न करती जितना तब उत्पन्न होता है यदि उन राशियों को लाभ या हानि में प्रस्तुत किया जाता।

ख 5.7.6 यह निश्चय करने के लिए, प्रतिष्ठान को इस बात का निर्धारण अवश्य कर लेना चाहिए कि क्या वह इस बात की आशा करता है कि दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभाव लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापी गयी किसी दूसरी वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य में कोई बदलाव लाभ या हानि में संमंजित किया जा सकता है या नहीं। इस प्रकार की प्रत्याशा दायित्व की विशेषताओं और अन्य वित्तीय लिखत की विशेषताओं के बीच एक आर्थिक सम्बंध पर अवश्य आधारित होनी चाहिए।

ख 5.7.7 इस प्रकार का निर्धारण प्रारम्भिक मान्यता पर किया जाता है और इसकी पुनः समीक्षा नहीं की जाती। व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए, प्रतिष्ठान को इस बात की आवश्यकता नहीं है कि वह सभी आस्तियों और दायित्वों को शामिल करेजिससे कि ठीक उसी समय लेखे का बेमेल (असंतुलन) उत्पन्न हो जाए। एक तर्कसंगत विलम्ब की अनुमति है बशर्ते शेष लेन-देन के होने की आशा न हो। एक प्रतिष्ठान को यह निर्धारित करने के लिए अपनी पद्धति का प्रयोग संगत रूप से करना चाहिए कि अन्य व्यापक आय में दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभाव लाभ या हानि में लेखा बेमेल (असंतुलन) को या तो सृजित करते हैं या फिर उसे और बढ़ाते हैं। तथापि एक प्रतिष्ठान तब तक विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है जब लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर नामोदिदष्ट दायित्वों की विशेषताओं और अन्य वित्तीय लिखतों की विशेषताओं के बीच अलग-अलग आर्थिक सम्बंध हों। भारतीय लेखा मानक 107 एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह अपने वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में अपनी पद्धति का गुणात्मक (क्वालिटेटिव) प्रकटन करे ताकि वह निर्धारण हो सके।

ख 5.7.8 यदि इस प्रकार केबेमेल (असंतुलन) का सृजन होता है या वृद्धि होती है तो प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लाभ या हानि में उचित मूल्य के सभी परिवर्तनों (दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों सहित) को प्रस्तुत करे। यदि ऐसा बेमेल सृजित नहीं होता है या नहीं बढ़ता है तो प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य व्यापक आय में दायित्व के ऋण जोखिम के परिवर्तनों के प्रभावों को प्रस्तुत करे।

ख 5.7.9 अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत राशियों को बाद में लाभ या हानि में अन्तरित नहीं किया जाएगा। तथापि, प्रतिष्ठान संचित लाभ या हानि को 'इक्विटी' के भीतर ही अन्तरित कर सकता है।

ख 5.7.10 निम्नलिखित उदाहरण में एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है जिसमें एक लेखा बेमेल (असंतुलन) लाभ या हानि में सृजित होता है यदि दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत किया जाता है। एक बंधक बैंक ग्राहकों को ऋण देता है और इन ऋणों के निधिकरण (फंडिंग) के लिए वह बाजार में समान विशेषताओं (जैसे कि, बकाया राशि, पुनर्भुगतान प्रोफाइल, अवधि व मुद्रा) वाले बाण्डस की बिक्री करता है। ऋण की अनुबंधात्मक शर्तें बंधक बैंक (मोर्टगेज बैंक) के ग्राहकों को इस ऋण का पूर्व भुगतान करने की (यानि बैंक के प्रति दायित्व से मुक्त होने की) अनुमति देती है। इसके लिए ग्राहक तदनुसारी बांड बाजार में उचित मूल्य पर खरीदकर उन्हें बंधक बैंक (मोर्टगेज बैंक) को सुपुर्द (जमा) कर देता है। इस अनुबंधात्मक पूर्व भुगतान अधिकार के फलस्वरूप यदि बांड की ऋण गुणवत्ता गिरती है (और इस तरह बंधक बैंक (मोर्टगेज बैंक) के दायित्व का उचित मूल्य भी कम होता है), तो बंधक बैंक (मोर्टगेज बैंक) की ऋण आस्ति का उचित मूल्य भी कम होता है। आस्ति को उचित मूल्य में परिवर्तन बंधक बैंक (मोर्टगेज बैंक) के ग्राहक के उस अनुबंधात्मक अधिकार को प्रदर्शित करता है जिसमें ग्राहक मोर्टगेज ऋण का पूर्व भुगतान बांड को उचित मूल्य पर (जो इस उदाहरण में घट गया है) खरीदकर बंधक बैंक में जमा करता है। इसके परिणामस्वरूप, दायित्व (बांड) के ऋण जोखिम में परिवर्तनों का प्रभाव एक वित्तीय आस्ति (ऋण) के

उचित मूल्य में तदनुसूची परिवर्तन द्वारा लाभ या हानि में समंजित किया जाएगा। यदि दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत किया जाता है तो लाभ या हानि में लेखा बेमेल (असंतुलन) होगा। परिणामस्वरूप, बंधक बैंक (मोर्टगेज बैंक) से यह अपेक्षा की जाती है कि लाभ या हानि में (दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों सहित) दायित्व के उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को प्रस्तुत करे।

ख 5.7.11 अनुच्छेद ख 5.7.10 में दिये गये उदाहरण में, दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों और वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तनों (अर्थात् इसके परिणामस्वरूप बंधक बैंक के ग्राहक के इस अनुबंधात्मक अधिकार कि वह उचित मूल्य पर बांड खरीदकर बंधक बैंक में जमा कर दे,) एक अनुबंधात्मक संबंध है। तथापि, एक अनुबंधात्मक संबंध के अभाव में, लेखा बेमेल की स्थिति हो सकती है।

ख 5.7.12 अनुच्छेद 5.7.7 और 5.7.8 की अपेक्षाओं के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए, एक लेखा-बेमेल (असंतुलन) की स्थिति केवल उस माप-विधि के कारण नहीं होती जो कि (भारतीय लेखा मानक 107 में यथा-परिभाषित) दायित्वों की ऋण हानियों परिवर्तनों के प्रभावों के निर्धारण के लिए प्रयोग में लायी जाती है। एक लेखा बेमेल लाभ या हानि में तब पैदा होता है जब दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभाव अन्य वित्तीय लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन द्वारा समंजित (आफसेट) होने की आशा हो। एक बेमेल जो केवल माप विधि के अनुसार उत्पन्न होता है (अर्थात् क्योंकि एक प्रतिष्ठान एक दायित्व के ऋण जोखिम के परिवर्तनों को इसके उचित मूल्य के कुछ अन्य परिवर्तनों से अलग नहीं कर सकता है) अनुच्छेद 5.7.7 और 5.7.8 के द्वारा अपेक्षित निर्धारण को प्रभावित नहीं करती। उदाहरणस्वरूप एक प्रतिष्ठान तरलता जोखिम से परिवर्तनों से दायित्व ऋण जोखिम में परिवर्तनों को अलग नहीं कर सकता। यदि प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय में दोनों कारकों के मिश्रित प्रभाव को प्रस्तुत करता है तो बेमेल आ सकता है क्योंकि प्रतिष्ठान की वित्तीय आस्तियों के माप का उचित मूल्य में तरलता जोखिम में परिवर्तन सम्मिलित हो सकता है और उन आस्तियों के सम्पूर्ण उचित मूल्य परिवर्तन लाभ या हानि में प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस प्रकार का बेमेल माप की अस्पष्टता के कारण होता है ना कि अनुच्छेद ख 5.7.6 वर्णित समंजन संबंध से और इसलिए, यह अनुच्छेद 5.7.7 व 5.7.8 में अपेक्षित निर्धारण को प्रभावित नहीं करता है।

‘ऋण जोखिम’ का अर्थ (अनुच्छेद 5.7.7 व 5.7.8)

ख 5.7.13 भारतीय लेखा मानक 107 ऋण जोखिम को ‘वह जोखिम जो एक वित्तीय लिखत का एकपक्ष एक दूसरे पक्ष (पार्टी) को बाध्यता पूरा न करने पर वित्तीय हानि पहुंचाता है’ के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 5.7.7 (क) की अपेक्षा उस जोखिम से सम्बन्धित है जो निर्गमकर्ता (जारी कर्ता) उस विशेष दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि इसका संबंध निर्गमकर्ता की ऋणपात्रता से हो। उदाहरणतया, जब एक प्रतिष्ठान एक सांपर्श्विक प्रतिभूतियुक्त दायित्व और एक गैर-सांपर्श्विक प्रतिभूतियुक्त दायित्व जारी करता है। ये दोनों दायित्व अन्यथा एक जैसे हैं लेकिन दोनों दायित्वों का ऋण-जोखिम अलग-अलग होगा, बेशक दोनों दायित्व एक ही प्रतिष्ठान द्वारा जारी क्यों न किये गये हों। सांपर्श्विक प्रतिभूतियुक्त दायित्व का ऋण जोखिम गैर सांपर्श्विक प्रतिभूतियुक्त दायित्व की अपेक्षा कम होगा। सांपर्श्विक प्रतिभूतियुक्त दायित्व का ऋण जोखिम शून्य के करीब भी हो सकता है।

ख 5.7.14 अनुच्छेद 5.7.7 (क) की अपेक्षाओं को लागू करने के प्रयोजनों के लिए ऋण जोखिम आस्ति-विशिष्ट कार्य-निष्पादन जोखिम से भिन्न होता है। आस्ति-विशिष्ट कार्य-निष्पादन जोखिम किसी ऐसे जोखिम से सम्बन्धित नहीं है जो एक प्रतिष्ठान के एक विशेष दायित्व को पूरा न करने से उत्पन्न होता हो। इसकी बजाय, वह ऐसे जोखिम से सम्बन्धित है जो एक आस्ति या आस्तियों के एक समूह द्वारा बुरा/असंतोषजनक (या बिल्कुल नहीं) कार्य-निष्पादन के कारण उत्पन्न होता है।

ख 5.7.15 कार्य-निष्पादन जोखिम के उदाहरण इस प्रकार हैं:

(क) ईकाई से जुड़ी विशेषतायुक्त दायित्व, जिसमें निवेशकों को देय राशि विशिष्ट आस्तियों के कार्य-निष्पादन के आधार पर अनुबंधात्मक तौर पर निर्धारित होती है। उस ईकाई-सम्बन्ध विशेषता का दायित्व दायित्व के उचित मूल्य पर प्रभाव आस्ति-विशिष्ट कार्य-निष्पादन जोखिम है, न कि ऋण जोखिम।

(ख) निम्नलिखित विशेषताओं सहित संरचित प्रतिष्ठान द्वारा जारी दायित्व। प्रतिष्ठान कानूनी रूप से वियुक्त ऑइसोलेटेड है, जिसके कारण प्रतिष्ठान में आस्तियों केवल निवेशकों के हित के लिए ‘रिंग फेंसड’ है चाहे में है जब प्रतिष्ठान दिवालिया हो जाए। प्रतिष्ठान कोई अन्य लेन-देन नहीं कर सकता और प्रतिष्ठान की आस्तियां भी दृष्टिबंधक (हाइपोथिकेट) नहीं की जा सकती। प्रतिष्ठान के निवेशकों को राशियां तभी देय होती हैं जब ‘रिंग फेंसड’ आस्तियां नकदी प्रवाह सृजित करती हैं। दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन मुख्यतया आस्तियों के मूल्य में परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हैं। दायित्व के उचित मूल्य पर आस्तियों के कार्य-निष्पादन का प्रभाव आस्ति-विशिष्ट कार्यनिष्पादन जोखिम है, न कि ऋण जोखिम।

ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभाव का निर्धारण

- ख 5.7.16 अनुच्छेद 5.7.7 (क) की अपेक्षा को लागू करने के प्रयोजनों के लिए, एक प्रतिष्ठान उस वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की राशि का निर्धारण करेगा जो दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तन से आरोप्य है और यह निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है:
- (क) इसके उचित मूल्य में परिवर्तन की राशि के रूप में जो बाजार स्थितियों जो बाजार जोखिम को उत्पन्न करती, में परिवर्तनों से आरोप्य है। अथवा
 - (ख) वैकल्पिक विधि का प्रयोग करना, जिसके लिए प्रतिष्ठान यह विश्वास करता है कि दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन जो ऋण जोखिम में परिवर्तनों से आरोप्य है, की मात्रा को वह निष्ठावान तरीके से प्रदर्शित करेगा।
- ख 5.7.17 बाजार परिस्थितियों में परिवर्तन, जिनसे बाजार जोखिम की उत्पत्ति होती है, इसमें बेंचमार्क ब्याज दर, अन्य प्रतिष्ठान की वित्तीय लिखत की कीमत, वस्तु कीमत, विदेशी मुद्रा की दर या मूल्य सूचकांक या दर सूचकांक में परिवर्तन सम्मिलित है।
- ख 5.7.18 यदि दायित्व की बाजार परिस्थितियों में महत्वपूर्ण सम्बन्धित परिवर्तन केवल प्रलक्षित दृष्टिगोचर(बेंचमार्क) ब्याज दर है तो अनुच्छेद ख 5.7.16(क) में राशि निम्नलिखित रूप से प्राक्कलित की जा सकती है:
- (क) प्रथम, प्रतिष्ठान दायित्व के प्रतिफल की आन्तरिक दर उस अवधि के प्रारम्भ में गणना करता है और इसके लिए दायित्व के उचित मूल्य का प्रयोग करता है और इसी अवधि के प्रारम्भ में दायित्व के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का प्रयोग करता है तो प्रतिफल की आन्तरिक दर के लिखत-विशिष्ट घटक तक पहुँचने के लिए अवधि के प्रारम्भ में प्रलक्षित (दृष्टिगोचर) ब्याज दर के प्रतिफल की दर में से घटा देता है।
 - (ख) इसके बाद, प्रतिष्ठान दायित्व से सम्बंधित नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य की गणना करता है और इसके लिए वह अवधि के अन्त में दायित्व के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों और बट्टागत दर पर का प्रयोग करता है। यह बट्टागत दर इन दो के योग के समान होती है, अर्थात् (i) अवधि के अन्त में प्रलक्षित/दृष्टिगोचर न्यूनतम (बेंचमार्क) ब्याज दर और (ii) उपर्युक्त (क) में यथा निर्धारित प्रतिफल की आन्तरिक दर का लिखत-विशिष्ट घटक।
 - (ग) अवधि के अन्त में, दायित्व का उचित मूल्य और उपर्युक्त (ख) में निर्धारित राशि का अन्तर उचित मूल्य में परिवर्तन है जो प्रलक्षित दृष्टिगोचर (बेंचमार्क) ब्याजदर में परिवर्तनों से आरोप्य नहीं है। इस राशि को अनुच्छेद 5.7.7 (क) के अनुसरण में अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत किया जाएगा।
- ख 5.7.19 अनुच्छेद ख 5.7.18 में दिये गये उदाहरण में यह अवधारणा है कि लिखत के ऋण जोखिम में परिवर्तनों या प्रलक्षित/दृष्टिगोचर(बेंचमार्क) ब्याज-दरों में परिवर्तनों को छोड़कर कारकों से उत्पन्न उचित मूल्य में परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं हैं। यदि अन्य कारकों से उत्पन्न उचित मूल्य में परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं तो यह पद्धति उपयुक्त नहीं है। ऐसे मामलों में, एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षित है कि वह उस वैकल्पिक विधि का प्रयोग करे जो दायित्व के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों का ज्यादा ठीक माप कर सके। देखें अनुच्छेद ख 5.7.16 (ख)। उदाहरणार्थ, यदि उदाहरण में, एक लिखत में सन्निहित व्युत्पन्न समाविष्ट है, तो सन्निहित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन अन्य व्यापक आय में अनुच्छेद 5.7.7 (क) के अनुसरण में प्रस्तुत की जाने वाली राशि के निर्धारण में सम्मिलित नहीं की जाएगी।
- ख 5.7.20 उचित मूल्य के सभी मापों के साथ, दायित्व के उचित मूल्य के जो इसके ऋण जोखिम में परिवर्तनों से आरोप्य नहीं हैं, के परिवर्तन के भाग को निर्धारण के लिए प्रतिष्ठान का माप विधि में सम्बन्धित/उपयुक्त प्रलक्षित निविष्टियों (इन्पुट्स) का अधिकतम और अप्रलक्षित निविष्टियों का न्यूनतम प्रयोग अवश्य करना चाहिए।

हेज (हैज) लेखा (अध्याय 6)

हेजिंग लिखतें (खंड 6.2)

अर्हक लिखतें

- ख 6.2.1 व्युत्पन्न जो मिश्रित अनुबंधों में तो सन्निहित है लेकिन उनका लेखा अलग-से नहीं किया जाता, वे हेजिंग लिखतों के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं किये जा सकते।
- ख 6.2.2 प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतें जो उसकी (प्रतिष्ठानकी) वित्तीय आस्तियां या वित्तीय दायित्व नहीं होती हैं और इसलिए उन्हें हेजिंग लिखतों के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं किया जा सकता।
- ख 6.2.3 विदेशी मुद्रा के जोखिम की हेज के लिए, गैर-व्युत्पन्न वित्तीय लिखत के विदेशी मुद्रा जोखिम घटक का निर्धारण भारतीय लेखा मानक 21 के अनुसरण में किया जाता है।

लिखित (रीटन) ऑप्शन

- ख 6.2.4 यह मानक उन परिस्थितियों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है जिनमें कुछ लिखित ऑप्शन को छोड़कर, व्युत्पन्न को, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, हेज लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट किया जा सकता है। एक लिखित ऑप्शन एक हेज लिखत के रूप में अर्हक नहीं होता है। जब तक यह खरीदे गये ऑप्शन में समंजन के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं होता है, जिसमें एक अन्य वित्तीय लिखत भी सन्निहित है। (उदाहरण के लिए मांग योग्य दायित्व की हेज में प्रयुक्त एक लिखित ऑप्शन)।

हेज लिखतों को नामोद्दिष्ट करना

- ख 6.2.5 विदेशी मुद्रा जोखिम की हेज से भिन्न हेज के लिए, प्रतिष्ठान जब हेज लिखत के रूप में, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए गैर व्युत्पन्न वित्तीय आस्ति या गैर-व्युत्पन्न वित्तीय लिखत नामोद्दिष्ट करता है, तो वह केवल गैर व्युत्पन्न वित्तीय लिखत का पूर्ण रूप से या इसके एक भाग (अनुपात) को नामोद्दिष्ट कर सकता है।
- ख 6.2.6 एकल हेजिंग लिखत को जोखिम के एक-से अधिक प्रकार की हेजिंग लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट किया जा सकता है, बशर्ते हेजड लिखत तथा हेजड मदों के रूप में भिन्न-भिन्न जोखिम स्थितियों का विशिष्ट नामोद्देशन होता है। ये हेजड मदें अलग-अलग हेजिंग सम्बन्धों में हो सकती हैं।

हेजड मदें (खंड 6.3)**अर्हक मदें**

- ख 6.3.1 व्यवसाय संयोजन में एक व्यवसाय को अधिग्रहण के लिए किया गया पक्की वचनबद्धता विदेशी मुद्रा जोखिम को छोड़कर, हेज मद नहीं हो सकता है क्योंकि हेजड होने के फलस्वरूप अन्य जोखिमों को विशिष्ट रूप से पहचाना और मापा नहीं जा सकता है। वे अन्य जोखिम सामान्य व्यवसाय जोखिम हैं।
- ख 6.3.2 'इक्विटी' विधि से किया गया निवेश उचित मूल्य हेज से हेज मद तक नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इक्विटी विधि निवेश के उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों के बदले निवेशिती के लाभ या हानि में निवेशक के हिस्से को लाभ या हानि में मान्यता देता है। इसी तरह के कारण के लिए, समेकित अनुषंगी प्रतिष्ठान में किया गया निवेश उचित मूल्य प्रतिरक्षा में हेज मद नहीं हो सकती है। यह इसलिए क्योंकि समेकन, निवेश के उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों के बदले अनुषंगी प्रतिष्ठान के लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता देता है। एक विदेशी परिचालन में निवल निवेश की हेज के भिन्न हेज हैं क्योंकि यह विदेशी मुद्रा 'एक्सपोजर' की हेज है, न कि निवेश के मूल्य में हुआ परिवर्तन उचित मूल्य हेज है।
- ख 6.3.3 अनुच्छेद 6.3.4 प्रतिष्ठान को कुल 'एक्सपोजरों' की हेज मदों के रूप में नामोद्दिष्ट करने की अनुमति देता है जो 'एक्सपोजर' तथा व्युत्पन्न का मिश्रण है। ऐसी हेजड मद को नामोद्दिष्ट करते समय प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि क्या कुल एकत्रित एक्सपोजर एक एक्सपोजर को व्युत्पन्न के साथ मिश्रित करता है जिससे कि यह एक भिन्न एकत्रित एक्सपोजर का सृजन करता है जिसकी व्यवस्था एक खास जोखिम के लिए एक एक्सपोजर के रूप में की जाती है उस स्थिति में, प्रतिष्ठान एकत्रित एक्सपोजर के आधार पर हेजड मद को नामोद्दिष्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए:
- (क) प्रतिष्ठान 15 महीने के लिए भावी अनुबंध का प्रयोग करते हुए मूल जोखिम (यू.एस. डालर पर आधारित) के विरुद्ध कॉफी की अत्यधिक संभाव्य खरीदारी की गई मात्रा को 15 माह में हेज कर सकता है। अत्यधिक संभाव्य कॉफी खरीदारी तथा कॉफी के लिए भावी अनुबंध के मिश्रण को, जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए यू.एस. डालर में विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर को 15 महीने के लिए नियत-राशि के रूप में समझा जा सकता है (अर्थात् 15 महीने के समय में किसी नियत राशि की यू.एस. डालर में नकदी बहिर्प्रवाह जैसा)।
- (ख) प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य 10 वर्षीय नियत दर ऋण को समस्त अवधि के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम को हेज कर सकता है। तथापि, प्रतिष्ठान को अल्पावधि से मध्यावधि तक के लिए केवल अपनी कार्यात्मक मुद्रा में नियत-दर एक्सपोजर तथा परिपक्वता तक की शेष अवधि के लिए अपनी कार्यात्मक मुद्रा में अस्थायी दर एक्सपोजर अपेक्षित है। प्रत्येक दो वर्षों के अन्तराल के अन्त में [अर्थात् दो वर्ष के उतार-चढ़ाव (रोलिंग) के आधार पर] प्रतिष्ठान अगले दो वर्षों के ब्याज दर एक्सपोजर को निश्चित करता है (यदि ब्याज का स्तर ऐसा है जिस पर प्रतिष्ठान ब्याज दरों के निश्चित करना चाहता है)। ऐसी स्थिति में परिवर्तनशील दर नियत 10 वर्षीय स्थिर-से-परिवर्तनशील (फिक्सड-टू-फ्लोटिंग) क्रॉस मुद्रा ब्याज-दरों का स्वैप में फ्लोटिंग प्रवेश कर सकता है तथा नियत-दर पर विदेशी मुद्रा ऋण को परिवर्तनीय दर पर कार्यात्मक मुद्रा एक्सपोजर ऋण राशि में स्वैप करता है। यह दो वर्षीय ब्याज दर स्वैप से अधिभारित (ओवरलोड) होता है, जो कार्यात्मक मुद्रा के आधार पर परिवर्तनशील दर फ्लोटिंग ऋण को नियत दर ऋण में स्वैप करता है। स्थिर दर विदेशी मुद्रा ऋण और 10-वर्षीय स्थिर-से-परिवर्तनशील (फ्लोटिंग) क्रॉस मुद्रा ब्याज-दर विनिमय (स्वैप) मिलकर जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए एक 10 वर्षीय परिवर्तनशील दर ऋण कार्यात्मक मुद्रा एक्सपोजर

के रूप में प्रलाक्षित होता है।

ख 6.3.4 कुल (एकत्रित) एक्सपोजर के आधार पर हेज मद को नामोद्दिष्ट करते समय प्रतिष्ठान मदों के संयोजित (मिश्रित) प्रभाव पर विचार करता है जिसका तात्पर्य हेज प्रभावशीलता तथा माप हेज अप्रभावशीलता का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए कुल एक्सपोजर को संस्थापित करता है तथापि, वे मदें जो एकत्रित एक्सपोजर से बनी होती हैं, उनका पृथक रूप से लेखा किया जाता है। इसका अर्थ है कि, उदाहरणार्थ:

(क) वे व्युत्पन्न जो एकत्रित एक्सपोजर का भाग हैं, उन्हें पृथक आस्तियों एवं दायित्वों को उचित मूल्य पर माप के रूप में मान्यता दी जाती है, तथा

(ख) यदि हेज संबंध उन मदों के बीच नामोद्दिष्ट होता है जिसका तात्पर्य कुल एक्सपोजर से वह तरीका जिसमें व्युत्पन्न कुल एक्सपोजर में सम्मिलित किया जाता है, कुल एक्सपोजर के स्तर पर हेज लिखत के रूप में उस व्युत्पन्न को नामोद्देशन के तरीके से अवश्य अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिष्ठान व्युत्पन्न के फारवर्ड तत्व को उन मदों, जो कुल एक्सपोजर को संघटित करते हैं, के बीच हेज संबंध के लिए हेज लिखत के रूप में इसके नामोद्देशन से हटा देता है, तो इसे फारवर्ड तत्व को हटा देना चाहिए जब वह व्युत्पन्न कुल एक्सपोजर के भाग के रूप में हेज मद में सम्मिलित होता है। अन्यथा एकत्रित (कुल) एक्सपोजर में व्युत्पन्न पूर्ण रूप में या एक अनुपात में इसमें शामिल होते हैं

ख 6.3.5 अनुच्छेद 6.3.6 में वर्णित करता है कि समेकित वित्तीय विवरणों में अत्यधिक संभाव्य पूर्वानुमान अंता-समूह (इन्ट्राग्रूप) लेन-देन विदेशी मुद्रा जोखिम नकदी प्रवाह हेज में प्रतिरक्षित मद के रूप में अर्हक होता है बशर्ते इस लेन-देन में शामिल होने वाला प्रतिष्ठान कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न मुद्रा लेन-देन में शामिल होता है तथा, यह कि, वह विदेशी मुद्रा जोखिम समेकित लाभ या हानि को प्रभावित करेगा। इस उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठान एक मूल प्रतिष्ठान, अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट), संयुक्त व्यवस्था या शाखा हो सकता है। यदि अंता-समूह (इन्ट्राग्रूप) लेन-देन का विदेशी मुद्रा जोखिम समेकित लाभ या हानि को प्रभावित नहीं करता है तो अंता-समूह (इन्ट्राग्रूप) लेन-देन हेज मद के रूप में अर्हक नहीं हो सकता है। यह आमतौर पर एक-ही समूह के सदस्यों के बीच तब तक रॉयल्टी भुगतान, ब्याज भुगतान या प्रबन्धन प्रभारों का मामला है जब तक संबंधित बाह्य लेन-देन नहीं होता है। तथापि, जब पूर्वानुमान अंता-समूह (इन्ट्राग्रूप) लेन-देन का विदेशी मुद्रा जोखिम समेकित लाभ या हानि को प्रभावित करेगा तब अंता-समूह (इन्ट्राग्रूप) लेन-देन हेज मद के रूप में अर्हक हो सकता है। इसका एक उदाहरण एक-ही समूह के बीच सूची-बद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) की अगली बिक्री समूह से बाहर होती है। इसी तरह कि प्रतिष्ठान समूह जिसने संयंत्र व उपस्कर का निर्माण किया है, संयंत्र उपस्कर की बिक्री उस प्रतिष्ठान समूह को करता है जो संयंत्र एवं उपस्कर का प्रयोग अपने प्रचालनों में करेगा तो वह समेकित लाभ या हानि को प्रभावित कर सकता है। यह उत्पन्न होता है क्योंकि, उदाहरण के लिए, संयंत्र एवं उपस्कर को खरीदने वाला प्रतिष्ठान उसे मूल्यह्रासित करेगा तथा संयंत्र एवं उपस्कर के लिए प्रारम्भ में मान्यराशि में परिवर्तन हो सकता है, यदि पूर्वानुमान अंता-समूह (इन्ट्राग्रूप) लेन-देन को खरीद करने वाले प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न मुद्रा में अंकित (डिनोमिनेटेड) किया जाता है।

ख 6.3.6 यदि पूर्वानुमान अंता-समूह (इन्ट्राग्रूप) लेन-देन की हेज लेखा के लिए अर्हक होता है तो किसी भी लाभ (गेन) या हानि को अनुच्छेद 6.5.11 के अनुसार, बाहर निकाल कर, अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। संबंधित अवधि या अवधियां जिसके दौरान हेज लेन-देन का विदेशी मुद्रा जोखिम लाभ या हानि को तब प्रभावित करता है जब यह समेकित लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

हेज मदों का नामोद्देशन

ख 6.3.7 यह घटक एक हेज मद है जो समस्त मद से कम है। फलस्वरूप, घटक उस मद जिसका यह भाग, के केवल उन्ही कुछ जोखिमों को प्रतिबिम्बित करता है या जोखिमों को केवल कुछ हद तक प्रतिबिम्बित करता है (उदाहरण के लिए, जब मद के अनुपात को नामोद्दिष्ट किया जाता है)।

जोखिम घटक

ख 6.3.8 हेज मद के रूप में नामोद्देशन हेतु पात्र (योग्य) होने के लिए जोखिम घटक को वित्तीय या गैर-वित्तीय मद का पहचान योग्य घटक अवश्य होना चाहिए, तथा नकदी प्रवाहों में हुए परिवर्तनों या उस जोखिम घटक में हुए परिवर्तनों से सम्बन्धित मद के उचित मूल्य का विश्वसनीय रूप से माप योग्य अवश्य होना चाहिए।

ख 6.3.9 जब यह पहचान की जाती है कि हेज मद के रूप में नामोद्देशन के लिए कौन से जोखिम घटक अर्हक होते हैं, तब प्रतिष्ठान ऐसे बाजार, की संरचना के संदर्भ में वैसे जोखिम घटकों का निर्धारण करता है जोखिम संबंध रखता है, और जिसमें हेज-संबंधी गतिविधि होती है। ऐसा निर्धारण संबंधित उपयुक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मूल्यांकन की अपेक्षा करता है जो जोखिम एवं बाजार के तौर पर भिन्न होता है।

ख 6.3.10 हेज मदों के रूप में जब जोखिम घटकों को नामोद्दिष्ट किया जाता है, तब प्रतिष्ठान यह विचार करता है कि वे जोखिम घटक अनुबंध में स्पष्टतया विनिर्दिष्ट हैं या नहीं (अनुबंधात्मक रूप से विनिर्दिष्ट जोखिम घटक), या वे एक मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाहों में अभीष्ट हैं या नहीं, जिसके कि वे एक भाग हैं (गैर-अनुबंधात्मक रूप से विनिर्दिष्ट जोखिम घटक)। गैर-अनुबंधात्मक रूप से विनिर्दिष्ट जोखिम घटकों की उन मदों से संबंधित किया जा सकता है जो एक अनुबंध नहीं हैं (उदाहरण के लिए पूर्वानुमान लेन-देन) या वे अनुबंध जो स्पष्टतया घटक को निर्दिष्ट नहीं करते हैं (उदाहरण के लिए, पक्का वायदा) जिसमें कीमत-निर्धारण फार्मूले के बजाय केवल एक एकल कीमत अर्थात् मूलाधार का उल्लेख है। उदाहरण के लिए :

- (क) प्रतिष्ठान 'क' के पास प्राकृतिक गैस के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध है जिसकी कीमत अनुबंधात्मक रूप से विशिष्ट फार्मूले का प्रयोग करते हुए निर्धारित की गयी है जो वस्तुओं एवं अन्य कारकोंद्वारा संदर्भित है (उदाहरण के लिए, गैस तेल, ईंधन तेल जैसे अन्य घटकों के परिवहन प्रभार)। प्रतिष्ठान क गैस तेल फारवर्ड अनुबंध का प्रयोग करते हुए उस आपूर्ति-संबंधी अनुबंध में गैस-तेल घटक की हेज करता है। क्योंकि गैस तेल घटक आपूर्ति-संबंधी अनुबंध की शर्तों से निर्दिष्ट है, इसलिए यह अनुबंधात्मक रूप से विशिष्ट जोखिम घटक है। इसलिए कीमत-निर्धारण फार्मूला के कारण प्रतिष्ठान 'क' इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गैस-तेल कीमत 'एक्सपोजर' पृथक रूप से पहचान योग्य है। इसके साथ-ही, गैस-तेल संबंधी फारवर्ड अनुबंधों के लिए एक बाजार भी होता है। इसलिए प्रतिष्ठान 'क' इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गैस-तेल कीमत एक्सपोजर विश्वसनीय रूप से माप-योग्य होता है। परिणामतः, आपूर्ति - संबंधी अनुबंध में गैस-तेल का कीमत 'एक्सपोजर' एक जोखिम घटक है जो हेज मद के रूप में नामोद्देशन के लिए पात्र (योग्य) है।
- (ख) प्रतिष्ठान 'ख' अपने उत्पादन पूर्वानुमान के आधार पर अपनी कॉफी की भावी खरीदारी को हेज करता है। हेज पूर्वानुमान खरीद-मात्रा के भाग के लिए वितरण (सुपुर्दगी) के 15 महीना पहले से शुरू हो जाता है। प्रतिष्ठान 'ख' समय के दौरान [जैसे सुपुर्दगी (वितरण) की तिथि नजदीक आती है] हेजड मात्रा को बढ़ा देता है। प्रतिष्ठान 'ख' अपने कॉफी की कीमत के जोखिम का प्रबंध करने के लिए दो भिन्न प्रकारों के अनुबंधों का प्रयोग करता है :
 - (i) विनिमय आधारित व्यापार के कॉफी के भावी (फ्युचर) सौदे अनुबंध; तथा
 - (ii) कोलंबिया से विशिष्ट निर्माणस्थल तक सुपुर्द किया गया अरेबिका कॉफी के लिए कॉफी आपूर्ति अनुबंध। इन अनुबंधों में कीमत निर्धारण फार्मूले का प्रयोग करते हुए विनिमय आधारित व्यापार कॉफी के भावी सौदा अनुबंध में एकदम कॉफी की कीमत तथा नियत कॉफी विभेद और परिवर्तनशील लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रभार मिलाकर कीमत निर्धारित की जाती है। काफी आपूर्ति अनुबंध एक कार्यकारी (एक्जीक्यूटरी) अनुबंध है जिसके अनुसार प्रतिष्ठान 'ख' काफी की वास्तविक सुपुर्दगी लेता है।

उन सुपुर्दगियों के लिए जो वर्तमान फसल कटाई से संबंधित हैं, प्रतिष्ठान 'ख' को काफी के आपूर्ति संबंधी अनुबंधों में सदस्य बनने पर कॉफी की वास्तविक गुणवत्ता खरीद (कोलंबिया से अरेबिका कॉफी) तथा गुणवत्ता के न्यूनतम मानदंड (बेंचमार्क), जो विनिमय आधारित व्यापार भावी सौदे का अन्डरलाइंग है, के बीच कीमत विभेद नियत करने के लिए अनुमति देता है। तथापि, उन सुपुर्दगियों के लिए, जो अगली फसल कटाई से संबंधित हैं, कॉफी आपूर्ति संबंधी अनुबंध अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए कीमत विभेद नियत नहीं किया जा सकता है। प्रतिष्ठान 'ख' उन सुपुर्दगियों के लिए अपनी काफी की कीमत जोखिम के बेंचमार्क गुणवत्ता घटक की हेज के लिए विनिमय आधारित व्यापार आधारित काफी के भावी सौदा अनुबंधों का प्रयोग करता है जो वर्तमान फसल कटाई के साथ-साथ अगली फसल कटाई से संबंधित हैं। प्रतिष्ठान 'ख' निर्धारित करता है कि यह तीन भिन्न-भिन्न जोखिमों के लिए रू-ब-रू (एक्सपोज्ड) है : बेंचमार्क को प्रतिबिम्बित करने वाला कॉफी का कीमत जोखिम, बेंचमार्क गुणवत्ता कॉफी की कीमत तथा कोलंबिया की एक विशेष अरेबिका कॉफी, जिसे यह वस्तुतः प्राप्त करता है तथा परिवर्तनशील लॉजिस्टिक्स लागतों के बीच विभेद को प्रतिबिम्बित करने वाली कॉफी की कीमत का जोखिम। प्रतिष्ठान 'ख' के कॉफी आपूर्ति संबंधी अनुबंध में सदस्य बनने के बाद वर्तमान फसल कटाई से संबंधित सुपुर्दगियों की बेंचमार्क गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करने वाली कॉफी की कीमत-जोखिम अनुबंधात्मक रूप से विशिष्ट जोखिम घटक है क्योंकि कीमत निर्धारण फार्मूला में विनिमय आधारित व्यापार कॉफी का भावी सौदा अनुबंध के कीमत का सूचकीकरण (इंडेक्सेशन) सम्मिलित है। प्रतिष्ठान 'ख' यह निष्कर्ष निकालता है कि यह जोखिम घटक अलग से पहचान योग्य तथा विश्वसनीय रूप से माप-योग्य है। अगली फसल कटाई से संबंधित सुपुर्दगियों के लिए प्रतिष्ठान 'ख' काफी की किसी आपूर्ति संबंधी अनुबंधों में अभी तक सदस्य नहीं बना है (अर्थात् वे सुपुर्दगियां पूर्वानुमान लेन-देन हैं)। इसलिए बेंचमार्क गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करने वाला कॉफी का कीमत जोखिम गैर-अनुबंधात्मक विशिष्ट जोखिम घटक है। प्रतिष्ठान ख के बाजार का ढांचा विश्लेषण इस पर विचार करता है कि किसी विशेष प्रकार की कॉफी की संभावित सुपुर्दगियों का जिसे यह प्राप्त करता है, कैसे कीमत निर्धारण है। अतएव, बाजार ढांचा इस विश्लेषण के आधार पर प्रतिष्ठान 'ख' निष्कर्ष निकालता है कि पूर्वानुमान लेनदेनों में कॉफी का कीमत-जोखिम भी समाविष्ट होता है जो जोखिम घटक के रूप में बेंचमार्क है और जो अलग पहचान योग्य तथा विश्वसनीय रूप से मापयोग्य होता है यद्यपि

यह अनुबंधात्मक रूप से विशेषतया उल्लिखित नहीं है। परिणामतः प्रतिष्ठान 'ख' कॉफी आपूर्ति अनुबंधों के साथ-साथ पूर्वानुमान लेन-देनों के लिए जोखिम घटकों के आधार पर (कॉफी का कीमत जोखिम के लिए जो बेंचमार्क गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है) हेजिंग संबंधों को नामोदिदष्ट कर सकता है।

(ग) प्रतिष्ठान 'ग' जेट ईंधन की अपनी खरीदारी के भाग की इसके उपभोग पूर्वानुमान के आधार पर सुपुर्दगी के पहले 24 महीने तक हेज करता है तथा उस मात्रा को भी बढ़ाता है जिसकी हेजसमय के दौरान करता है। प्रतिष्ठान ग हेज के समय की अवधि पर आधारित अनुबंधों के भिन्न-भिन्न प्रकारों का प्रयोग करते हुए इस 'एक्सपोजर' की हेज करता है जो की बाजार की तरलता को प्रभावित करता है। दीर्घकालिक अवधि (12-24 महीने) के लिए प्रतिष्ठान 'ग' कच्चे तेल के अनुबंधों का प्रयोग करता है क्योंकि केवल इनके पास ही पर्याप्त बाजार तरलता है। 6-12 महीने की समय की अवधियों के लिए प्रतिष्ठान 'ग' गैस तेल व्युत्पन्नों का प्रयोग करता है क्योंकि वे पर्याप्त रूप से तरल हैं। छह महीने की समय की अवधियों के लिए प्रतिष्ठान 'ग' जेट-ईंधन अनुबंधों का प्रयोग करता है। प्रतिष्ठान 'ग' का तेल व तेल उत्पादों के लिए बाजार संरचना का विश्लेषण और सम्बन्धित तथ्यों तथा परिस्थितियों का मूल्यांकन इस प्रकार है :

- (i) प्रतिष्ठान 'ग' ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में परिचालन करता है जिसमें 'ब्रेन्ट' कच्चे तेल का बेंचमार्क है। कच्चे तेल कच्चे माल का बेंचमार्क है जो उनके सर्वाधिक मूल निविष्टि (इन्पुट) के रूप में विभिन्न परिष्कृत तेल उत्पादों के कीमत को प्रभावित करता है। गैस तेल परिष्कृत तेल उत्पादों के लिए बेंचमार्क है जो सामान्य रूप से तेल आश्रुतों (डिस्टिलेट्स) के लिए कीमत संदर्भ के रूप में प्रयुक्त होता है। यह उन बाजारों के वातावरण में कच्चे तेल एवं कच्चे तेल उत्पादों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के प्रकार में भी प्रतिबिम्बित होता है जिसमें प्रतिष्ठान ग परिचालन करता है, जैसे कि :
 - बेंचमार्क कच्चा तेल भावी सौदा अनुबंध, जो 'ब्रेन्ट' कच्चे तेल के लिए है,
 - बेंचमार्क गैस तेल भावी सौदा अनुबंध, अर्थात् (डिस्टिलेटों) के लिए कीमत निर्धारण संदर्भ के रूप में प्रयुक्त होता है - उदाहरण के लिए, जेट तेल विस्तार व्युत्पन्न जेट तेल तथा बेंचमार्क गैस तेल के बीच कीमत-विभेद को कवर करता है, तथा
 - बेंचमार्क गैस तेल फ्रैक विस्तार व्युत्पन्न (अर्थात् कच्चा तेल तथा गैस तेल के बीच विभेदक कीमत के लिए व्युत्पन्न)- एक परिष्करण मार्जिन, जिसे 'ब्रेन्ट' कच्चा तेल में सूचीबद्ध किया गया है।
- (ii) परिष्कृत तेल उत्पादों का कीमत-निर्धारण उस पर निर्भर नहीं करता है जिस पर एक खास रिफाइनरी द्वारा विशेष प्रकार के कच्चे तेल को परिष्कृत किया जाता है क्योंकि वे परिष्कृत तेल उत्पाद (जैसे कि गैस तेल या जेट ईंधन) मानकीकृत उत्पाद हैं।

अतः प्रतिष्ठान 'ग' यह निष्कर्ष निकालता है कि इसकी जेट ईंधन की खरीदारी के कीमत जोखिम में 'ब्रेन्ट' कच्चे तेल पर आधारित कच्चे तेल का कीमत-जोखिम घटक तथा गैस तेल कीमत-जोखिम घटक सम्मिलित होते हैं, चाहे कच्चा तेल तथा गैस तेल का किसी अनुबंधात्मक व्यवस्था में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। प्रतिष्ठान 'ग' यह निष्कर्ष निकालता है कि ये दोनों जोखिम घटक अलग-से पहचान-योग्य तथा विश्वसनीय रूप माप-योग्य हैं, भले उनका अनुबंधात्मक रूप से कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। फलतः प्रतिष्ठान 'ग' जोखिम घटकों के आधार पर (कच्चा तेल तथा गैस तेल के लिए) पूर्वानुमानित जेट ईंधन खरीदारी के लिए हेज संबंधों को नामोदिदष्ट कर सकता है। इस विश्लेषण का यह भी तात्पर्य है कि यदि, उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान 'ग' ने वेस्ट टेक्सास इन्टरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) कच्चा तेल आधारित कच्चा तेल व्युत्पन्नों को प्रयुक्त किया है, तो 'ब्रेन्ट' कच्चा तेल तथा डब्ल्यूटीआई कच्चा तेल के बीच कीमत-विभेद में परिवर्तनों से हेज अप्रभावशीलता का कारण बनेगा।

(घ) प्रतिष्ठान 'घ' एक निश्चित-दर ऋण लिखत धारण करता है। यह लिखत बाजार के उस वातावरण में जारी की जाती है जिसमें इसी तरह की ऋण लिखतों की तुलना बेंचमार्क दर विस्तारों से की जाती है (उदाहरण के लिए 'लीबोर') तथा उस वातावरण में परिवर्तनशील-दर (फ्लोटिंग) लिखतों को सामान्यतया उस बेंचमार्क दर में सूचीबद्ध किया जाता है। ब्याज दर स्वैप उस बेंचमार्क दर के आधार पर ब्याज दर जोखिम का प्रबन्ध करने के लिए उस बेंचमार्क दर की ऋण लिखतों के विस्तार पर ध्यान दिये बिना बारंबार प्रयुक्त होती है। स्थिर दर पर ऋण लिखतों की कीमत बेंचमार्क दर में हुए परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में, जैसा वह होती है, सीधे बदल जाती है। प्रतिष्ठान 'घ' इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बेंचमार्क दर एक घटक है जिसे अलग से पहचाना जा सकता है तथा विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। परिणामतः प्रतिष्ठान घ बेंचमार्क ब्याज दर जोखिम के लिए जोखिम घटक आधार पर नियत दर ऋण लिखत के लिए हेजलिखतों को नामोदिदष्ट किया जा सकता है।

ख 6.3.11 जब जोखिम घटक को हेज मद के रूप में नामोदिदष्ट किया जाता है तब उस जोखिम घटक पर हेज लेखा अपेक्षाएँ उसी प्रकार लागू होती हैं जैसे कि वे अन्य हेज मदों पर लागू होती हैं और जो जोखिम घटक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अर्हता मानदंड लागू

- होते हैं, जिसमें यह भी शामिल है जहां हेज संबंध द्वारा हेज प्रभावशीलता अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है और किसी भी हेज अप्रभावशीलता को मापा जाता है और उसे मान्यता दी जाती है।
- ख 6.3.12 प्रतिष्ठान केवल नकदी प्रवाहों या हेज मद के उचित मूल्य में विशिष्ट रूप से उल्लिखित कीमत या अन्य परिवर्तनशील कारकों के ऊपर या नीचे (एक पक्षीय जोखिम) नोमोडिष्ट कर सकता है। खरीद ऑप्शन हेज लिखत (यह मानते हुए कि इसका नामोदिष्ट जोखिम जैसी ही मुख्य शर्त है) का आन्तरिक मूल्य, किन्तु इसका समय मूल्य नहीं, एक हेज मद में एक-पक्षीय जोखिम को प्रतिबिम्बित करता है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान पूर्वानुमान वस्तु खरीद में कीमत वृद्धि के परिणामस्वरूप भावी नकदी प्रवाह के परिणामों की परिवर्तनशीलता को नामोदिष्ट कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में, प्रतिष्ठान केवल नकदी प्रवाह हानियों को नामोदिष्ट करता है जो विनिर्दिष्ट स्तर से ऊपर के कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप होते हैं। हेज मद खरीद ऑप्शन के समय मूल्य को सम्मिलित नहीं करता है क्योंकि समय मूल्य एक ऐसे पूर्वानुमानित लेन-देन का घटक नहीं होता है जो लाभ या हानि को प्रभावित करता है।
- ख 6.3.13 यह एक खण्डनीय अवधारणा है कि जब तक मुद्रास्फीति अनुबंधात्मक रूप से विनिर्दिष्ट नहीं होती है तब तक यह अलग-से पहचानयोग्य तथा विश्वसनीय रूप से मापयोग्य नहीं होती है और इसलिए वित्तीय लिखत के जोखिम घटक के रूप में नामोदिष्ट नहीं की जा सकती है। तथापि, कुछ सीमित मामलों में, मुद्रास्फीति जोखिम के लिए जोखिम घटक की पहचान करना संभव है जो मुद्रास्फीति वातावरण तथा संबंधित ऋण बाजार की विशेष परिस्थितियों के कारण अलग-से पहचानयोग्य तथा विश्वसनीय रूप से मापयोग्य है।
- ख 6.3.14 उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान एक ऐसे वातावरण में ऋण (डैट) जारी करता है जिसमें मुद्रा-स्फीति से संबंधित बांड का एक परिमाण तथा अवधि ढांचा है जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त नकदी बाजार परिणामित होता है जो जीरो-कूपन की वास्तविक ब्याज दरों के अवधि ढांचा के निर्माण की अनुमति देता है। इसका अभिप्राय: यह है कि संबंधित मुद्रा के लिए मुद्रास्फीति एक ऐसा प्रासंगिक कारक है जिस पर ऋण बाजार द्वारा अलग से विचार किया जाता है। उन परिस्थितियों में मुद्रा-स्फीति जोखिम घटक को 'जीरो कूपन' वास्तविक ब्याज दरों के अवधि ढांचा का प्रयोग करते हुए हेज ऋण लिखत के नकदी प्रवाहों को वट्टागत करके निर्धारित किया जा सकता है (अर्थात् उस तरीके से जिस तरीके से जोखिम-मुक्त (नाममात्र) ब्याज दर घटक को निर्धारित किया जाता है)। विपरीत रूप से, अधिकांश मामलों में मुद्रास्फीति जोखिम घटक अलग-से पहचान योग्य तथा विश्वसनीय रूप से माप-योग्य नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान केवल सामान्य (नाममात्र) ब्याज दर मुद्रास्फीति-संबद्ध बाण्डों के एक ऐसे बाजार वाले वातावरण के लिए जारी करता है जो निर्मित किए जाने वाले जीरो-कूपन में वास्तविक ब्याज दरों के अवधि ढांचा को अनुमति देने के लिए पर्याप्त तरल (लिक्विड) नहीं होती है। इस मामले में, बाजार ढांचा का विश्लेषण तथा तथ्य एवं परिस्थितियां प्रतिष्ठान को यह निष्कर्ष निकालने के लिए समर्थन नहीं देता है कि मुद्रास्फीति एक ऐसा प्रासंगिक कारक है जिसे ऋण बाजारों द्वारा पृथक रूप में विचार में लिया जाता है। इसलिए, प्रतिष्ठान उस मुद्रास्फीति जोखिम के खंडनीय अवधारणा से पार नहीं पा सकता है जो अनुबंधात्मक रूप से निर्दिष्ट नहीं है और उस वह अलग-से न तो और न ही विश्वसनीय रूप से माप-योग्य है। परिणामतः, मुद्रास्फीति जोखिम घटक हेज मद के रूप में नामोद्देशन के लिए पात्र (योग्य) नहीं होगा। यह किसी मुद्रास्फीति हेज लिखत, जिसमें प्रतिष्ठान ने वस्तुतः प्रवेश किया है लागू होता है। विशेषरूप से, प्रतिष्ठान नाममात्र ब्याज दर ऋण में इसके शर्तों व निबंधनों को पूर्वानुमानित कर (प्रोजेक्टिंग) सिर्फ वास्तविक मुद्रास्फीति हेज लिखत की शर्तों को आरोपित नहीं कर सकता है।
- ख 6.3.15 मान्य मुद्रास्फीति-संबद्ध बॉण्ड के नकदी प्रवाहों का अनुबंधात्मक रूप से विनिर्दिष्ट मुद्रास्फीति जोखिम घटक (यह मानते हुए कि सन्निहित व्युत्पन्न का अलग-से लेखा करने की आवश्यकता नहीं है) तब तक अलग से पहचानयोग्य तथा विश्वसनीय रूप से मापयोग्य है जब तक लिखत के अन्य नकदी प्रवाह मुद्रास्फीति जोखिम घटक से प्रभावित नहीं हैं।
- नाममात्र राशि के घटक*
- ख 6.3.16 नाममात्र राशियों के दो प्रकार के घटक होते हैं जिन्हें हेज-संबंध में हेज मद के रूप में नामोदिष्ट किया जा सकता है अर्थात् एक समस्त मद का एक अंश (अनुपात) या एक परतदार घटक। घटक की प्रकार लेखा परिणाम को बदल देती है। एक प्रतिष्ठान घटक को लेखा प्रयोजन के लिए जोखिम प्रबंधन उद्देश्य के अनुरूप नामोदिष्ट करेगा।
- ख 6.3.17 ऋण के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का 50 प्रतिशत, अंश (भाग/अनुपात) के रूप में घटक का उदाहरण है।
- ख 6.3.18 एक परतदार घटक एक निश्चित, लेकिन मुक्त, जनसंख्या, या निश्चित नाममात्र राशि से विनिर्दिष्ट हो सकता है। इसके उदाहरण में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :
- (क) मौद्रिक लेनदेन की मात्रा का एक भाग, उदाहरण के लिए, मार्च 201X⁴ में प्रथम विदेशी मुद्रा इकाईयों (एफ सी 20) के

⁴इस मानक में मौद्रिक राशियां 'भारतीय रूपयों' (रु.) तथा 'विदेशी मुद्रा इकाईयों' (एफ सी) में मूल्यांकित की गयी हैं।

पश्चात् विदेशी-मुद्रा में नामांकित बिक्रियों से अगले नकदी प्रवाहों के विदेशी मुद्रा इकाईयों (एफ सी 10)

- (ख) एक भौतिक प्रमाण का एक भाग, उदाहरण के लिए, स्थान (लोकेशन) एक्स वाई जेड (XYZ) में जमा की गयी प्राकृतिक गैस की भौतिक मात्रा का भाग जिसका माप 5 मिलियन घन मीटर है,
- (ग) जून 201X में विद्युत बिक्रियों के प्रथम 100 एम डब्ल्यू एच या जून 201X में तेल खरीद के प्रथम 100 बैरल की भौतिक या अन्य लेन-देन की मात्रा, का एक भाग, या
- (घ) हेज मद की नाममात्र राशि से एक परत, उदाहरण के लिए, हेज मद की नाममात्र राशि से एक परत (लेयर) रु. 100 मिलियन के एक पक्का वायदा के अन्तिम रु. 80 मिलियन, रु. 100 मिलियन नियत दर बाण्ड का रु. 20 मिलियन नियत दर ब्रांड या ऋण की कुल राशि से रु. 103 मिलियन से शीर्ष परत 30 मिलियन जिसका पूर्वभुगतान उचित मूल्य पर किया जा सकता है (निश्चित राशि रु. 100 मिलियन है)।

ख 6.3.19 यदि परत (लेयर) घटक उचित मूल्य हेज में नामोद्दिष्ट है, तो प्रतिष्ठान निश्चित नाममात्र राशि से इसका विशेष रूप से उल्लेख करेगा। उचित मूल्य हेज के लिए अर्हता की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए प्रतिष्ठान उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों के लिए हेज मद का पुनर्माप करेगा (अर्थात् प्रतिरक्षित जोखिम के प्रति उत्तरदायी उचित मूल्य परिवर्तनों के लिए मद का पुनर्माप करना)। उचित मूल्य हेज समायोजन को मद के अमान्य हो जाने के पहले लाभ या हानि में मान्यता अवश्य दे दी जानी चाहिए। फलस्वरूप, यह आवश्यक है कि उस मद का पता लगाया जाए जिससे उचित मूल्य हेज समायोजन संबंधित होता है। उचित मूल्य हेज में परत (लेयर) घटक के लिए प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा है कि उस नाममात्र राशि का पता लगाए जिससे यह निश्चित है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद ख 6.3.18(घ) में रु. 20 मिलियन की अन्तिम परत (लेयर) या रु. 30 मिलियन की शीर्ष परत (लेयर) का पता लगाने के क्रम में रु. 100 मिलियन की कुल निश्चित नाममात्र राशि का पता लगाया जाना चाहिए।

ख 6.3.20 एक परत (लेयर) घटक, जिसमें पूर्वभुगतान ऑप्शन सम्मिलित है, उचित मूल्य हेज में हेजड मद के रूप में नामोद्दिष्ट होने के लिए योग्य नहीं है यदि इससे पूर्वभुगतान ऑप्शन का उचित मूल्य हेजड जोखिम में हुए परिवर्तनों से तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक कि हेजड मद के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन का निर्धारण करते समय संबंधित पूर्वभुगतान ऑप्शन का प्रभाव, नामोद्दिष्ट परत (लेयर) में सम्मिलित नहीं है।

मद के घटकों तथा कुल नकदी प्रवाहों के बीच संबंध

ख 6.3.21 यदि वित्तीय या गैर-वित्तीय मद के नकदी प्रवाहों के घटक को हेज मद के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है तो वह घटक की सम्पूर्ण मद के कुल नकदी प्रवाहों से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तथापि, सम्पूर्ण मद के सभी नकदी प्रवाहों को हेजड मद के रूप में नामोद्दिष्ट किया जा सकता है और केवल एक विशिष्ट जोखिम के लिए हेज किया जाता है (उदाहरण के लिए केवल उन परिवर्तनों के लिए जो 'लीबोर' या बैचमार्क वस्तु कीमत में हुए परिवर्तनों से आरोप्य है।

ख 6.3.22 उदाहरण के लिए, वित्तीय दायित्व के मामले में, जिसकी प्रभावी ब्याज दर 'लीबोर' से कम है, प्रतिष्ठान निम्नलिखित को नामोद्दिष्ट नहीं कर सकता है :

- (क) एक दायित्व घटक, जो 'लीबोर' पर ब्याज के बराबर है (और उचित मूल्य हेज के मामले में मूल राशि); तथा
- (ख) एक ऋणात्मक अवशिष्ट घटक।

ख 6.3.23 तथापि, नियत-दर पर वित्तीय दायित्व के मामले में, जिसकी प्रभावी ब्याज-दर 'लीबोर' से 100 आधार प्वाइन्ट कम है (उदाहरण के लिए) जो प्रतिष्ठान उस सम्पूर्ण दायित्व के मूल्य में परिवर्तन को हेज मद के रूप में नामोद्दिष्ट कर सकता है (अर्थात् 'लीबोर' पर मूलधन और ब्याज ऋण 100 आधार प्वाइन्ट) जो 'लीबोर' से हुए परिवर्तनों से आरोप्य है। यदि नियत-दर वित्तीय लिखत को इसके आरंभ होने के बाद कुछ समय पश्चात् हेज किया जाता है और इस बीच ब्याज-दर परिवर्तित हो गयी है तो प्रतिष्ठान बैचमार्क दर के बराबर जोखिम घटक को नामोद्दिष्ट कर सकता है जो मद पर अदा की गई अनुबंधात्मक दर से अधिक है। प्रतिष्ठान ऐसा कर सकता है, बशर्ते बैचमार्क दर पर इस अवधारणा पर परिगणित प्रभावी ब्याज दर से कम है कि प्रतिष्ठान ने लिखत को उस दिन खरीदा है जब यह हेज मद को पहली बार नामोद्दिष्ट करती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि प्रतिष्ठान रु. 100 के नियत दर वित्तीय आस्ति को आरम्भ करता है जिसकी प्रभावी ब्याज दर एक समय पर 6 प्रतिशत है जब 'लीबोर' की दर 4 प्रतिशत रहती है। कुछ समय बाद यह उस आस्ति की हेजिंग शुरू करता है जब 'लीबोर' 8 प्रतिशत तक बढ़ जाता है तथा आस्ति का उचित मूल्य घटकर रु. 90 हो जाता है। प्रतिष्ठान इस तरह गणना करता है कि यदि इसने उस तिथि को आस्ति खरीदी थी तो यह पहले संबंधित 'लीबोर' ब्याज-दर जोखिम को हेज मद के रूप में नामोद्दिष्ट करता है, जिस पर इसका उस समय रु. 90 के उचित मूल्य पर आधारित प्रभावी प्रतिफल 9.5 प्रतिशत हो गया होता। चूंकि 'लीबोर' इस प्रभावी

प्रतिफल से कम होता है, इसलिए प्रतिष्ठान 8 प्रतिशत के 'लीबोर' घटक को नामोद्दिष्ट कर सकता है जो अंशतः वर्तमान उचित मूल्य (अर्थात् रु. 90) और परिपक्वता पर पुनर्भुगतान राशि (अर्थात् रु. 100) के बीच के अन्तर होते हैं।

- ख 6.3.24 यदि परिवर्तनशील-दर वित्तीय दायित्व (उदाहरण के लिए, तीन महीने का 'लीबोर' इस 20 आधार प्वाइंट घटाकर) (शून्य आधार प्वाइंट्स न्यूनतम) ब्याजदर वहन करता है, तो प्रतिष्ठान उस संपूर्ण दायित्व (अर्थात् फ्लोर सहित तीन-माह 'लीबोर' घटा 20 आधार प्वाइंट) के नकदी प्रवाहों में परिवर्तन को हेज मद के रूप में नामोद्दिष्ट कर सकता है जो 'लीबोर' में हुए परिवर्तनों से आरोप्य है। इसलिए, जब तक उस दायित्व के शेष जीवन के लिए तीन महीने की 'लीबोर फारवर्ड क्रव' 20 आधार प्वाइंट्स कम नहीं होती है तब तक हेज मद की नकदी प्रवाह परिवर्तनशीलता दायित्व के रूप में वही रहती है जो शून्य या धनात्मक स्प्रेड के साथ तीन महीने का लीबोर ब्याज वहन करता है। तथापि, यदि उस दायित्व के शेष जीवन के लिए तीन महीने का 'लीबोर फारवर्ड कव' (या इसका एक भाग) 20 आधार प्वाइंट्स नीचे आ जाता है तो हेज मद, दायित्व की तुलना में कम नकदी प्रवाह परिवर्तनशीलता रखती है जो शून्य या धनात्मक स्प्रेड के साथ तीन महीने की 'लीबोर' दर वहन करती है।
- ख 6.3.25 एक गैर-वित्तीय मद का इसी प्रकार का एक उदाहरण, विशिष्ट तेल फील्ड से विशिष्ट प्रकार का कच्चा तेल है जो संबंधित बेंचमार्क मानदंड कच्चा तेल के कीमत-निर्धारण से मुक्त (प्राइस्ड ऑफ) है। यदि प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक कीमत-निर्धारण फार्मूला जो न्यूनतम दर बेंचमार्क रु. 10 घटाकर लेकिन न्यूनतम रु. 15 के साथ कीमत निश्चित करता है, का प्रयोग करके अनुबंध के अधीन कच्चा तेल बेचता है, जो प्रतिष्ठान विक्रय अनुबंध के अधीन संपूर्ण नकदी प्रवाह परिवर्तनशीलता को हेज मद के रूप में नामोद्दिष्ट कर सकता है जो न्यूनतम मानदंड पर कच्चा तेल कीमत में परिवर्तन से आरोप्य है। तथापि, प्रतिष्ठान एक घटक को नामोद्दिष्ट नहीं कर सकता है जो बेंचमार्क मानदंड पर कच्चा तेल कीमत में पूरे परिवर्तन होने के बराबर है। इसलिए, जब तक फारवर्ड कीमत (प्रत्येक सुपुर्दगी के लिए) रु. 25 से कम नहीं हो जाता है, तब तक हेज मद की वही नकदी प्रवाह परिवर्तनशीलता होती है जैसाकि बेंचमार्क दर पर कच्चा तेल कीमत पर (या धनात्मक स्प्रेड के साथ) कच्चा तेल बिक्री की होती है। तथापि, यदि किसी सुपुर्दगी के लिए वायदा कीमत रु. 25 से नीचे आ जाती है तो न्यूनतम दर कच्चा तेल कीमत का (या धनात्मक स्प्रेड के साथ) कच्चा तेल बिक्री की तुलना में हेज मद की नकदी प्रवाह परिवर्तनशीलता कम होती है।

हेज लेखा के लिए अर्हता मानदंड (खंड 6.4)

हेज प्रभावशीलता

- ख 6.4.1 हेज प्रभावशीलता वह सीमा है जिस तक उचित मूल्य या हेज लिखत के नकदी प्रवाहों में हुए परिवर्तन, हेज मद के उचित मूल्य एवं नकदी प्रवाहों में हुए परिवर्तनों को समंजित करते हैं (उदाहरण के लिए, जब हेज मद एक जोखिम घटक होती है तो मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाहों में प्रासंगिक परिवर्तन एक वह परिवर्तन है जो हेज जोखिम के कारण है)। हेज प्रभावशीलता वह विस्तार है जिससे हेज लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाहों में हुए परिवर्तन हेज मद में हुए उन परिवर्तनों से अधिक या कम होते हैं।
- ख 6.4.2 जब हेज संबंध, और उनके निरंतर बने रहने के आधार पर, नामोद्दिष्ट किया जाता है तब प्रतिष्ठान हेज अप्रभावशीलता के स्रोत का विश्लेषण करेगा जिससे इसकी अवधि के दौरान हेज संबंध के प्रभावित होने की संभावना होती है। यह विश्लेषण (हेज संबंध के पुनर्संतुलन से उत्पन्न अनुच्छेद 6.2.1 के अनुसार किसी प्रकार की अद्यतन सहित) हेज प्रभावशीलता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान के मूल्यांकन का आधार होता है।
- ख 6.4.3 संदेह से बचाव के लिए, मूल (काउन्टरपार्टी) के निकासी काउन्टर पार्टी से प्रतिस्थापन के प्रभावों तथा अनुच्छेद 6.5.6 में यथावर्णित संबंध परिवर्तनों का करना हेज लिखत के माप में प्रतिबिम्बित किए जाएंगे, और इसलिए हेज प्रभावशीलता मूल्यांकन तथा हेज प्रभावशीलता के माप में भी प्रतिबिम्बित किये जाएंगे।

हेज मद एवं हेज लिखत के बीच आर्थिक संबंध

- ख 6.4.4 यह अपेक्षा कि आर्थिक संबंध मौजूद है का अर्थ है कि हेज लिखत तथा हेज मद ऐसे गुणरखते हैं जो एक-जैसे जोखिम के कारण विपरीत दिशा में चलते हैं और जो हेज मद जोखिम हैं। इसलिए, यह आशा होनी चाहिए कि हेज लिखत का मूल्य तथा हेज मद का मूल्य सुव्यवस्थित रूप से उन गतिविधियों के प्रत्युत्तर में या तो अंदर या अंदरलाइंग में परिवर्तित होते जो आर्थिक रूप से इस तरह से संबंधित हैं कि वे उस जोखिम को उसी तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं जो कि हेज किया जा रहा है (उदाहरण के लिए ब्रेंट तथा 'डब्ल्यू टी आई' कच्चा तेल)।
- ख 6.4.5 यदि अन्डरलाइन्स एक समान नहीं हैं किन्तु आर्थिक रूप से संबंधित हैं तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें हेज लिखत तथा हेज मद एक ही दिशा में चलती हैं, उदाहरण के लिए, क्योंकि दो संबंधित अन्डरलाइन्स के बीच कीमत विभेद परिवर्तित हो जाता है जबकि अन्डरलाइन्स स्वयं सार्थक रूप से संचालित नहीं होते हैं। वह अभी भी हेज लिखत तथा हेज मद के बीच आर्थिक संबंध के अनुरूप है यदि हेज लिखत तथा हेज मद का अभी भी विपरीत दिशा में सामान्य रूप से तब तक संचालित होना प्रत्याशित है जब तक अन्डरलाइन्स संचालित होते हैं।

- ख 6.4.6 आर्थिक संबंध मौजूद है या नहीं, यह निर्धारण करने में यह विश्लेषण भी शामिल होता है कि हेज संबंध का, इसकी अवधि के दौरान संभावित व्यवहार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन को पूरा करने के लिए प्रत्याशित हो सकता है या नहीं। सिर्फ दो परिवर्तनशील कारकों के बीच सांख्यिकी सहसंबंध का अस्तित्व अपने आप में, वैध निष्कर्ष का इस बारे में समर्थन नहीं करता है कि आर्थिक संबंध मौजूद है।

ऋण जोखिम का प्रभाव

- ख 6.4.7 चूंकि हेज लेखा मॉडल हेज लिखत तथा हेजड मद पर लाभों या हानियों के बीच समंजन की आम धारणा पर आधारित होता है इसलिए हेजड प्रभावशीलता उन मदों (अर्थात् उनके अंडरलाइंग में परिवर्तनों) के बीच न केवल आर्थिक संबंध द्वारा निर्धारित किया जाता है बल्कि हेज लिखत तथा हेजड मद, दोनों के मूल्य पर भी ऋण जोखिम के प्रभाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऋण जोखिम के प्रभाव का मतलब है कि भले ही हेजड लिखत तथा हेजड मद के बीच आर्थिक संबंध है, फिर भी, समंजन का स्तर अनियत हो सकता है। यह या तो हेज लिखत या फिर हेजड मद के ऋण जोखिम में हुए परिवर्तन के कारण हो सकता है जिसका इतना अधिक महत्व है कि ऋण जोखिम मूल्य परिवर्तनों पर प्रबल रहता है जो परिणाम के स्वरूप आर्थिक संबंध होता है (अर्थात् अंडरलाइंग में परिवर्तनों का प्रभाव)। महत्व का स्तर, जो प्रभुत्व प्रबलता को उत्पन्न करता है, वह है जिसका परिणाम ऋण जोखिम से हानि (या लाभ) में होगा जो अंडरलाइंग में परिवर्तनों के प्रभाव का, हेज लिखत या हेजड मद के मूल्य पर निराशाजनक प्रभाव डालता है, भले ही वे परिवर्तन महत्वपूर्ण थे। इसके विपरीत, यदि किसी खास अवधि के दौरान अंडरलाइंग में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो यह तथ्य है कि लिखत या हेजड मद के मूल्य में ऋण जोखिम से संबंधित लघु परिवर्तन भी उस मूल्य अंडरलाइंग से जितना अधिक प्रभुत्व सृजित नहीं हो सकता है, उससे अधिक मूल्य को प्रभावित कर सकता है।
- ख 6.4.8 एक हैजिंग संबंध पर प्रभुत्व रखनेवाला ऋण जोखिम का वह उदाहरण है जब प्रतिष्ठान असंपार्श्विक व्युत्पन्न का प्रयोग करके वस्तु (कोमोडीटी) कीमत जोखिम के प्रति एक्सपोजर की हैजिंग करता है। यदि उस व्युत्पन्न का प्रतिपक्ष (काउन्टरपार्टी) अपनी ऋण प्रति स्थिति में गंभीर गिरावट पाता है तो उसके परिवर्तनों का प्रभाव हेज लिखत के उचित मूल्य पर वस्तु कीमत में हुए परिवर्तनों का प्रभाव से प्रभावशाली हो जाता है जबकि हैजड मद के मूल्य में हुए परिवर्तन अधिकतर वस्तु कीमत में हुए परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं।

हेज अनुपात

- ख 6.4.9 हेज प्रभावशीलता अपेक्षाओं के अनुसार, हैजिंग संबंध का हेज अनुपात हेज मद की मात्रा के परिणाम जैसा ही होना चाहिए जिसकी प्रतिष्ठान वस्तुतः हैजिंग करता है तथा हेज लिखत की मात्रा, जिसका प्रतिष्ठान वस्तुतः हेजड मद की उस मात्रा की हेज के लिए उपयोग करता है। अतः यदि प्रतिष्ठान किसी मद के एक्सपोजर का 100 प्रतिशत से कम की हैजिंग करता है, जैसाकि 85 प्रतिशत, तो यह हेज के अनुपात का प्रयोग करते हुए संबंध को नामोदिदष्ट करेगा, जो वही है जैसाकि 85 प्रतिशत का एक्सपोजर तथा हेज लिखत की मात्रा के परिणामस्वरूप होता है जिसे प्रतिष्ठान वस्तुतः उन 85 प्रतिशत की हैजिंग करने के लिए प्रयोग करता है। इसी तरह से, यदि उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान वित्तीय लिखत की नाममात्र राशि की 40 इकाईयों का प्रयोग एक्सपोजर की हैजिंग के लिए करता है तो यह हेज लिखत का प्रयोग करके हेज संबंध को नामोदिदष्ट करेगा जो वही होता है जो 40 इकाई की उस मात्रा के परिणामस्वरूप होता है (अर्थात् प्रतिष्ठान को इकाईयों की अत्यधिक मात्रा जो वह कुल मिलाकर धारित करता है, पर आधारित उन हेज अनुपात या इकाईयों की कम मात्रा पर आधारित हैज अनुपात का प्रयोग नहीं करना चाहिए) तथा हेजड मद की मात्रा जिसकी यह उन 40 इकाईयों का प्रयोग करके करता है।
- ख 6.4.10 तथापि, उस हेज अनुपात का प्रयोग करते हुए हेजड मद तथा हेज लिखत की मात्राओं के परिणामस्वरूप होता है जो प्रतिष्ठान वास्तव में प्रयोग करता है, वह हेजड मद तथा हेज लिखत के भार के बीच असंतुलन को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा जो हेज अप्रभावशीलता को सृजित करता हो (इस बात पर विचार किए बिना कि वह मान्यता प्राप्त है या नहीं) जिसका परिणाम लेखा में हो सकता है जो हेज लेखा प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगा। अतएव, हेज संबंध को नामोदिदष्ट करने के प्रयोजन से प्रतिष्ठान को उस हेज अनुपात को, समायोजित करना चाहिए जो हेजड मद तथा हेजड लिखत के मात्राओं के परिणामस्वरूप होता है जिसका प्रतिष्ठान वस्तुतः प्रयोग करता है यदि ऐसे असंतुलन से बचने के लिए यह आवश्यक है।
- 6.4.11 यह निर्धारित करने के लिए कि एक लेखा परिणाम हेज लेखा के प्रयोजनों के अनुरूप नहीं है इससे सम्बन्धित विचार के उदाहरण इस प्रकार हैं:-
- (क) क्या एच्छक हेज अनुपात को नकदी प्रवाह हेज के लिए हेजड अप्रभावशीलता को मान्यता देने से बचने के लिए या उचित मूल्य लेखा का प्रयोग बढ़ाने के ध्येय से अधिक हेजड मदों के लिए उचित मूल्य हेज समायोजनों को सम्पादित करने के लिए स्थापित किया जाता है, किन्तु यह हेज लिखत के उचित मूल्य परिवर्तनों को समंजित किए बिना किया जाता है, तथा
- (ख) क्या हेज मद तथा हेज लिखत के किन्हीं विशेष भारणों के लिए कोई वाणिज्यिक कारण है, भले ही वह हेज

अप्रभावशीलता का सृजन करता है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान हेज लिखत में प्रवेश करता है तथा उसकी मात्रा को नामोदिदष्ट करता है जो वह मात्रा नहीं है जिसे वह हेज मद की सर्वोत्कृष्ट हेज के रूप में निश्चित करता है क्योंकि हेज लिखतों के मानक परिमाण उसे हेज लिखत के उस सटीक परिमाण ('एक ढेर सारा निर्गम') में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। इसका एक उदाहरण यह है कि प्रतिष्ठान स्टैटर्ड काफी फ्यूचर अनुबंध, कॉफी खरीद की हेजिंग करता है प्रतिष्ठान स्टैटर्ड काफी फ्यूचर अनुबंध, प्रतिष्ठान 100 टन के खरीद परिमाण की हेज के लिए केवल पांच या छह अनुबंधों (क्रमशः 85.0 तथा 102.1 टन के बराबर) का प्रयोग कर सकता है। वैसे मामले में, प्रतिष्ठान उस हेज अनुपात का प्रयोग करके हेज संबंध को नामोदिदष्ट करता है जो कॉफी के भावी (फ्यूचर) अनुबंधों की संख्या जिसका यह प्रयोग करता है, के परिणामस्वरूप होता है। क्योंकि हेज मद तथा हेज लिखत के भारणों में असंतुलन के परिणामस्वरूप हेज अप्रभावशीलता का परिणाम एक ऐसा लेखा नहीं होगा जो हेज लेखा के प्रयोजन के अनुरूप नहीं है।

क्या हेज प्रभावशीलता अपेक्षाएँ पूरी की जाती हैं, निर्धारण की आकृति

- ख 6.4.12 प्रतिष्ठान हेज संबंध के प्रारम्भ में और निरन्तर रूप से यह निर्धारित करेगा कि हेजिंग संबंध हेज प्रभावशीलता अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं। कम से कम प्रतिष्ठान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को या हेज प्रभावशीलता अपेक्षाओं को प्रभावित करनेवाली परिस्थितियों में जब भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, जो भी स्थिति पहले आती है, निरन्तर निर्धारण का निष्पादन करेगा। निर्धारण चूंकि हेज प्रभावशीलता के बारे में प्रत्याशाओं से संबंधित है, अतः यह केवल आगे (भविष्य) को देखती है।

हेज प्रभावशीलता अपेक्षाएँ पूरी होती हैं या नहीं इसके निर्धारण की विधियाँ

- ख 6.4.13 यह मानक कोई ऐसी विधि का निर्धारण नहीं करता है जिससे यह पता चले कि हेज संबंध हेज प्रभावशीलता अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं। तथापि, प्रतिष्ठान एक ऐसी विधि का प्रयोग करेगा जो हेज अप्रभावशीलता के स्रोतों सहित हेजिंग संबंध की संबंधित विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। उन कारकों के आधार पर विधि एक गुणात्मक या मात्रात्मक निर्धारण विधि हो सकती है।
- ख 6.4.14 उदाहरण के लिए, जब हेजिंग लिखत तथा हेज मद की महत्वपूर्ण शर्तें (जैसे नाममात्र राशि, परिपक्वता तथा अंडरलाइग मेल खाती हैं या निकटवर्ती रहती हैं तो प्रतिष्ठान के लिए यह संभव हो सकता है कि वह उन महत्वपूर्ण शर्तों का गुणात्मक निर्धारण करने के आधार पर निष्कर्ष निकाले कि हेज लिखत तथा हेज मद के मूल्य वह हैं जो आमतौर पर एक जैसे जोखिम के कारण विपरीत दिशा में चलेंगे और इसलिए कि हेज मद तथा हेज लिखत के बीच आर्थिक संबंध मौजूद होता है (देखें अनुच्छेद ख 6.4.4 - ख 6.4.6)।
- ख 6.4.15 यह तथ्य कि व्युत्पन्न धन के अन्दर (इन-मनी) है या बाहर, (आफ-मनी है) जब यह हेज लिखत के रूप में नामोदिदष्ट होता है और इसका अपने आप यह मतलब नहीं होता है कि गुणात्मक निर्धारण अनुपयुक्त है। यह उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उस तथ्य से उत्पन्न हेज प्रभावशीलता का परिणाम महत्वपूर्ण (मैगनीट्यूड) हो सकता है जो गुणात्मक निर्धारण पर्याप्त रूप से ग्रहण (कैप्चर) नहीं करता है।
- ख 6.4.16 इसके विपरीत, यदि हेज लिखत तथा हेज मद की महत्वपूर्ण शर्तें परस्पर निकटवर्ती नहीं हैं तो समंजन के विस्तार के बारे में अनिश्चितता स्तर बढ़ा जाता है परिणामतः, हेज संबंध की अवधि के दौरान हेज प्रभावशीलता की भविष्यवाणी करना और कठिन हो जाती है। ऐसी स्थिति में, प्रतिष्ठान के लिए मात्रात्मक निर्धारण के आधार पर निष्कर्ष निकालना केवल तभी संभव हो सकता है जब हेज मद तथा हेज लिखत के बीच आर्थिक संबंध मौजूद होता है (देखें अनुच्छेद ख 6.4.4 - ख 6.4.6)। कुछ स्थितियों में, मात्रात्मक निर्धारण में यह निर्धारण करने में यह भी यह आवश्यक हो सकता है कि हेज संबंध को नामोदिदष्ट करने के लिए प्रयुक्त हेज प्रभावशीलता अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं (देखें अनुच्छेद ख 6.4.9 - ख 6.4.11)। प्रतिष्ठान उन दो भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए एक-ही या भिन्न-भिन्न पद्धति का प्रयोग कर सकता है।
- ख 6.4.17 यदि परिस्थितियों में परिवर्तन हुए हैं जो हेज प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं तो प्रतिष्ठान यह निर्धारण करने के लिए क्या हेजिंग संबंध हेज प्रभावशीलता को पूरा करता है उस विधि में परिवर्तन करता है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज संबंध की संबंधित विशेषताएँ हेज अप्रभावशीलता के स्रोतों सहित, अब भी ग्रहण होते हैं।
- ख 6.4.18 हेजिंग संबंध हेज प्रभावशीलता अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं, इसका निर्धारण पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान की जोखिम प्रबंधन सूचना भी एक प्रमुख स्रोत है। इसका अर्थ है कि निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रबंधन सूचना या विश्लेषण का प्रयोग यह निर्धारण करने के आधार के रूप में किया जा सकता है कि हेजिंग संबंध हेज प्रभावशीलता अपेक्षाएँ पूरी करता है या नहीं।

- ख 6.4.19 प्रतिष्ठान के हेजिंग संबंध के प्रलेखीकरण में यह सम्मिलित है कि प्रयुक्त विधि या विधियों सहित यह कैसे हेजड प्रभावशीलता अपेक्षाओं का पूरा निर्धारण करेगा। हेजिंग संबंध के प्रलेखीकरण को विधियों में हुए किसी प्रकार के परिवर्तनों के लिए अद्यतन किया जाएगा (अनुच्छेद ख 6.4.17 देखें)।

हेज संबंधों के लिए लेखा (खंड 6.5)

- ख 6.5.1 उचित मूल्य हेज का एक उदाहरण ब्याज दरों में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न नियत-दर पर ऋण (डेट) लिखत का उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों के प्रति एक्सपोजर की हेज है। ऐसी हेज को जारीकर्ता या धारक द्वारा प्रविष्ट किया जा सकता है।
- ख 6.5.2 नकदी प्रवाह हेज का प्रयोजन उस अवधि या अवधियों में हेज लिखत पर लाभ (गेन) या हानि को आस्थगित करना है जिसमें हेजड प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह लाभ (प्रेफिट) या हानि को प्रभावित करते हैं। नकदी प्रवाह हेज का एक उदाहरण परिवर्तित ब्याज ऋण (डेट) (चाहे परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा गया है या नहीं) को निश्चित दर ऋण (डेट) (अर्थात् वायदा लेन-देन की हेज जिसमें हेज होने वाले वायदा नकदी प्रवाह वायदा ब्याज भुगतान हैं) में अदला-बदली (स्वैप) का प्रयोग किया जाता है। विपरीत रूप से, एक इक्विटी लिखत की पूर्वानुमानित खरीद को, जिसे एक बार अधिग्रहित किया गया, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लेखा किया जाएगा, एक मद का उदाहरण यह है, कि नकदी प्रवाह हेज में एक हेजड मद नहीं हो सकती है, क्योंकि हेज लिखत पर किसी भी लाभ (गेन) या हानि, जो आस्थगित होगा, को उस अवधि के दौरान लाभ (प्रोफिट) या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता जिसमें यह समंजन को पूरा करेगा। इसी कारण से इक्विटी लिखत की पूर्वानुमानित खरीद, जिसे एक अधिग्रहीत कर लिया गया है, उसे अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत किये गये उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों सहित उचित मूल्य पर लेखा में किया जाएगा, जो नकदी प्रवाह हेज में हेजड मद नहीं हो सकती है।
- ख 6.5.3 पक्की बचनबद्धता की हेज (उदाहरण के लिए निश्चित कीमत पर ईंधन खरीदने के लिए विद्युत उपयोगी सेवा द्वारा अमान्य अनुबंधात्मक प्रतिबद्धता से संबंधित ईंधन कीमत में हुए परिवर्तन की हेज) उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रति एक्सपोजर की हेज है। तदनुसार, ऐसी हेज उचित मूल्य पर हेज होती है। तथापि अनुच्छेद 6.5.4 के अनुसार पक्का बचनबद्धता को विदेशी मुद्रा जोखिम की हेज का विकल्प के तौर पर नकदी प्रवाह हेज के रूप में लेखा किया जाएगा।

हेज अप्रभावशीलता का माप

- ख 6.5.4 हेज अप्रभावशीलता का माप करते समय प्रतिष्ठान मुद्रा के समय मूल्य पर विचार करेगा। परिणामस्वरूप, प्रतिष्ठान वर्तमान मूल्य आधार पर हेज मद के मूल्य को निर्धारित करता है और इसलिए हेज मद के मूल्य में परिवर्तन मुद्रा के समय मूल्य के प्रभाव को भी सम्मिलित करता है।
- ख 6.5.5 हेज प्रभावशीलता मापने के प्रयोजन से हेजड मद के मूल्य में हुए परिवर्तन की गणना करने के लिए प्रतिष्ठान एक व्युत्पन्न का प्रयोग कर सकता है उसकी शर्तें हैं जो हेजड मद की महत्वपूर्ण शर्तों से मेल खाती हैं (जिसे आमतौर पर 'काल्पनिक व्युत्पन्न' कहा जाता है) तथा पूर्वानुमान लेन-देन की हेज के लिए उदाहरण के रूप में, हेजड कीमत (या दर) स्तर का प्रयोग करते हुए असंशोधित होगी। उदाहरण के लिए, यदि हेज वर्तमान बाजार स्तर पर दुतरफा जोखिम के लिए था, तो काल्पनिक व्युत्पन्न उस काल्पनिक वायदा बाजार का प्रतिनिधित्व करेगा जो हेज संबंध के नामादेशन के शून्य मूल्य पर असंशोधित होता है। यदि हेज, उदाहरण के लिए, एकतरफा जोखिम के लिए थी तो काल्पनिक व्युत्पन्न काल्पनिक आप्शन यथार्थ मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगा जो हेज संबंध के समय नामोद्देशन मुद्रा के रूप में होगा यदि हेज कीमत स्तर वर्तमान बाजार स्तर होता है या आउट मनी होता है यदि हेजड कीमत स्तर चालू बाजार स्तर से ऊपर होता है (या लम्बी स्थिति, की हेज के लिए कम होता है)। काल्पनिक व्युत्पन्न का प्रयोग करना, हेजड मद के मूल्य में परिवर्तन की गणना करने का एक संभव तरीका हो सकता है। काल्पनिक व्युत्पन्न हेजड मद को हेजड करता है और इसका परिणाम एक ही होता है, मानो मूल्य में वह परिवर्तन भिन्न दृष्टिकोण से निर्धारित किया गया था। इसलिए 'काल्पनिक व्युत्पन्न' का प्रयोग करना एक सही विधि नहीं है बल्कि एक गणितीय उपाय है जिसे केवल हेजड मद की गणना के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। परिणामतः एक 'काल्पनिक व्युत्पन्न' हेजड मद के मूल्य में विशेषताओं को सम्मिलित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है जो केवल हेज लिखत में (किन्तु हेजड मद में नहीं) मौजूद रहता है। इसका एक उदाहरण विदेशी मुद्रा में (यह नियत-दर है या परिवर्तनशील-दर (फ्लोटिंग) ऋण है, जिस पर ध्यान दिये बिना) ऋण अंकित है। जब ऐसे ऋण के मूल्य में परिवर्तन या इसके नकदी प्रवाहों में संचयी परिवर्तन का वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिए काल्पनिक व्युत्पन्न का प्रयोग किया जाता है तब सिर्फ काल्पनिक व्युत्पन्न को भिन्न-भिन्न मुद्राओं के विनिमय प्रकार को संशोधित नहीं किया जा सकता है, यद्यपि वास्तविक व्युत्पन्नों को जिसके अंतर्गत भिन्न-भिन्न मुद्राओं का विनिमय किए जाते हैं जिसमें ऐसे प्रभार सम्मिलित हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, क्रॉस-करेंसी ब्याज दर स्वैप)।
- ख 6.5.6 काल्पनिक (हाईपोथेटिकल) व्युत्पन्न का प्रयोग करके निर्धारित किए गए हेजड मद के मूल्य में परिवर्तन को यह निर्धारण करने के प्रयोजन से भी प्रयुक्त किए जा सकता है कि हेज संबंध हेजिंग प्रभावशीलता अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं।

हेज संबंध हेजिंग तथा हेज अनुपात में परिवर्तन के बीच पुनर्संतुलन

- ख 6.5.7 पुनर्संतुलन एक ऐसे हेजिंग अनुपात को बनाए रखने के लिए पहले से विद्यमान हेज संबंध के नामोद्दिष्ट हेजड मद या हेजिंग लिखत के परिमाणों में समंजन करना है जो हेजिंग प्रभावशीलता अपेक्षाओं का पालन करता है, हेजड मद या हेजिंग लिखत के नामोद्दिष्ट परिमाणों में भिन्न प्रयोजनों के लिए किए गए परिवर्तन इस मानक के प्रयोजन हेतु पुनर्संतुलन नहीं है।
- ख 6.5.8 पुनर्संतुलन का लेखा अनुच्छेद ख 6.5.9- ख 6.5.21 के अनुसार हेजिंग संबंध के जारी रखे जाने के रूप में किया जाएगा। पुनर्संतुलन पर, हेजिंग संबंध की हेज प्रभावशीलता को निर्धारित किया जाता है तथा हेजिंग संबंध के समायोजन के तुरन्त पहले मान्यता दी जाती है।
- ख 6.5.9 हेजिंग अनुपात का पुनर्संतुलन प्रतिष्ठान को हेजिंग लिखत तथा हेज मद के बीच के संबंध में होने वाले परिवर्तनों के बारे में प्रतिक्रिया दिखाने की अनुमति देता है जो उनके अंडरलाइंग या जोखिम परिवर्तनशीलता से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, हेजिंग संबंध, जिसमें हेजिंग लिखत तथा हेजड मद के भिन्न-भिन्न किन्तु संबंधित अंडरलाइंग हैं, उन दो अंडरलाइंग के बीच के संबंध में हुए परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में परिवर्तन होता है (उदाहरण के लिए भिन्न-भिन्न किन्तु संबंधित संदर्भ सूचियां, दरें तथा कीमतें)। अतएव, पुनर्संतुलन उन परिस्थितियों में हेजिंग संबंध को बनाए रखने की अनुमति देता है जिनमें हेजिंग लिखत तथा हेजिंग मद के बीच संबंध इस प्रकार परिवर्तित होता है कि इसकी प्रतिपूर्ति हेज अनुपात के समायोजन द्वारा की जा सकती है।
- ख 6.5.10 उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा 'क' के प्रति एक्सपोजर की हेजिंग है जो विदेशी मुद्रा 'ख' के संदर्भ में है तथा विदेशी मुद्रा 'क' तथा 'ख' को स्थिर रखता है (अर्थात् उनकी विनिमय दर एक नई पट्टी (बैंड) के अन्दर या केन्द्रीय बैंक अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा तय विनिमय दर पर रखी जाती है)। यदि विदेशी मुद्रा 'क' तथा विदेशी मुद्रा 'ख' के बीच विनिमय दर बदल जाती है (अर्थात् एक नयी पट्टी या दर तय की जाती है) तो नयी विनिमय दर को प्रतिनिधित्व करने के लिए हेजिंग संबंध का पुनर्संतुलन यह आश्वासन दिलाता है। नई परिस्थितियों में हेजिंग संबंध हेजिंग अनुपात के लिए हेजिंग प्रभावशीलता अपेक्षाओं को पूरा करना जारी रखेगा। इसके विपरीत, यदि मुद्रा व्युत्पन्न के संबंध में कोई चूक थी तो हेजिंग अनुपात को बदलना यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि हेजिंग संबंध उस हेजिंग प्रभावशीलता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जारी रहेगा। इसलिए पुनर्संतुलन के लिए उन परिस्थितियों में हेजिंग संबंध को जारी रखना आसान नहीं होगा जिसमें हेजिंग लिखत तथा हेजड मद के बीच के संबंधों में इस तरह से परिवर्तन होता है जिसकी क्षतिपूर्ति हेजड अनुपात समायोजन द्वारा नहीं की जा सकती है।
- ख 6.5.11 हेजिंग लिखत के उचित मूल्य तथा हेजड मद के उचित मूल्य अथवा नकदी प्रवाहों में हुए परिवर्तनों के बीच समंजन की सीमा में हुआ प्रत्येक परिवर्तन हेजिंग लिखत तथा हेज मद के बीच संबंध में हुए परिवर्तन को संघटित नहीं करता है। प्रतिष्ठान हेजड अप्रभावशीलता के स्रोतों का विश्लेषण करता है जिसके यह अपनी अवधि के दौरान हेजिंग संबंधों को प्रभावित करने की प्रत्याशा करता है। और मूल्यांकन करता है कि समंजन सीमा में परिवर्तन निम्न प्रकार से है या नहीं:
- (क) हेजिंग अनुपात के इर्द-गिर्द उतार-चढ़ाव, जो वैध रहता है (अर्थात् हेजिंग लिखत तथा हेजड मद के बीच के संबंध को उपयुक्त तरीके से प्रतिबिम्बित रखना जारी रहता है), अथवा
- (ख) यह एक संकेत है कि हेजिंग अनुपात, अब हेजिंग लिखत तथा हेजड मद के बीच उपयुक्त तरीके से प्रतिबिम्बित नहीं होता है।
- प्रतिष्ठान यह मूल्यांकन हेजिंग प्रभावशीलता अपेक्षाओं के विरुद्ध हेज अनुपात के लिए करता है अर्थात् यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेजिंग संबंध हेजड मद तथा हेजिंग लिखत के भारणों के बीच असंतुलन को प्रतिबिम्बित नहीं करता है जो हेजड अप्रभावशीलता का सृजन करेगा (इस पर ध्यान दिए बिना कि मान्य है या नहीं) जिसका परिणाम एक ऐसा लेखा हो सकता है जो हेजिंग लेखा के प्रयोजन के अनुरूप नहीं हो। इसलिए यह मूल्यांकन विवेकपूर्ण निर्णय की अपेक्षा करता है।
- ख 6.5.12 स्थिर हेज अनुपात के इर्द-गिर्द उतार-चढ़ाव को (और, इस तरह, संबंधित हेज अप्रभावशीलता) प्रत्येक विशिष्ट परिणाम (आउटकम) के प्रत्युत्तर में हेज अनुपात के समायोजन द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी परिस्थितियों में समंजन की सीमा में परिवर्तन हेज अप्रभावशीलता के माप तथा मान्यता का विषय है किन्तु पुनर्संतुलन की आवश्यकता नहीं होती है।
- ख 6.5.13 इसके विपरीत, यदि समंजन की सीमा में परिवर्तनों से यह संकेत मिलता है कि उतार-चढ़ाव हेज अनुपात के इर्द-गिर्द है जो उस हेज अनुपात से भिन्न है जिसे वर्तमान में उस हेज संबंध के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अथवा यह कि, उस हेज अनुपात से दूर होने के एक प्रवृत्ति है हेज अप्रभावशीलता को हेज अनुपात में समायोजन द्वारा कम किया जा सकता है, जबकि हेज अनुपात को बनाए रखने से हेज अप्रभावशीलता में वृद्धि होगी। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रतिष्ठान को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि हेज संबंध हेज मद तथा हेज लिखत के भारणों के बीच असंतुलन को प्रतिबिम्बित करता है या नहीं जो हेज अप्रभावशीलता का सृजन करेगा (इस, बात पर ध्यान दिए बिना कि मान्यता प्राप्त है या नहीं) जिसका परिणाम एक ऐसे लेखा निष्कर्ष के रूप में होगा जो हेज लेखा के प्रयोजन के अनुरूप नहीं। यदि हेज लेखा को समायोजित कर दिया जाता है, तो भी यह हेज

अप्रभावशीलता के माप एवं मान्यता को प्रभावित करता है, क्योंकि, पुनर्संतुलन करने पर, हेज संबंध की हेजड अप्रभावशीलता को अनुच्छेद ख 6.5.8 के अनुसार हेज संबंध के समायोजन के तुरन्त पहले निर्धारित किया जाना चाहिए तथा मान्यता दी जानी चाहिए।

ख 6.5.14 पुनर्संतुलन का अर्थ है कि हेज लेखा प्रयोजन के लिए हेजिंग संबंध शुरू होने के बाद परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में हेज लिखत या हेजड मद के परिणामों का समायोजन करता है जो उस हेज संबंध के हेज अनुपात को प्रभावित करता है। विशिष्ट रूप से, उस समायोजन से हेज लिखत तथा हेजड मद की मात्राओं में समायोजना प्रतिबिम्बित होने चाहिए जिसका यह वास्तव में प्रयोग करता है। तथापि, प्रतिष्ठान को उस हेज अनुपात को समायोजित करना चाहिए जिसका परिणाम हेज मद या हेज लिखतों की मात्रा से होता है जिसका यह वास्तव में प्रयोग करता है, यदि:

(क) वह हेज अनुपात जिसका परिणाम हेज लिखत या हेजड मद की मात्रा में परिवर्तनों के होने के कारण होता है जिसे प्रतिष्ठान वस्तुतः प्रयोग करता है, उससे असंतुलन प्रतिबिम्बित होगा जो हेजड अप्रभावशीलता को उत्पन्न करेगा जिसका परिणाम एक ऐसे लेखा निष्कर्ष के रूप में हो सकता है जो हेज लेखा के प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगा, या

(ख) प्रतिष्ठान हेज लिखत तथा हेजड मद की मात्राओं को बनाए रखेगा जिसका यह वस्तुतः प्रयोग करता है और जिसका परिणाम एक ऐसा हेज अनुपात में होता है, जो नई परिस्थितियों में, एक असंतुलन को प्रतिबिम्बित करेगा जिसमें हेजिंग अप्रभावशीलता सृजित होगी और जिसका परिणाम एक ऐसा लेखा होगा जो हेज लेखा के प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगा (अर्थात् प्रतिष्ठान हेज अनुपात का समायोजन करने को छोड़कर असंतुलन पैदा नहीं करेगा)।

ख 6.5.15 यदि हेजिंग संबंध के लिए जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य में बदलाव आ गया है तो पुनर्संतुलन लागू नहीं होता है। बदले में, उस हेज संबंध के लिए हेज लेखा को जारी नहीं रखा जाएगा। (इसके बावजूद कि प्रतिष्ठान नए हेजिंग संबंध के नामोद्दिष्ट कर सकता है जिसमें पूर्व हेजिंग संबंध की हेजिंग लिखत या हेजिंग मद सम्मिलित होती है जैसाकि अनुच्छेद ख 6.5.28 में वर्णित है)।

ख 6.5.16 यदि हेजिंग संबंध को पुनर्संतुलित किया जाता है तो हेज अनुपात का समायोजन भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रभावी हो सकता है:

(क) हेजड मद के भारण (वेटिंग) को निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है (इसके साथ ही हेजिंग लिखत का भारण (वेटिंग) भी कम होता है):

- (i) हेजड मद के परिमाण को बढ़ाकर; या
- (ii) हेजिंग लिखत के परिमाण को घटाकर।

(ख) हेजिंग मद के भारण (वेटिंग) को निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है (जो इसके साथ ही, हेजड मद का भारण (वेटिंग) कम होता है):

- (i) हेजिंग लिखत के परिमाण को बढ़ाकर; या
- (ii) हेजड मद के परिमाण को घटाकर।

परिमाण में हुए परिवर्तन उन परिमाणों के संदर्भ में हैं जो हेजिंग संबंध के भाग हैं। अतएव, परिमाणों के कम होने का अर्थ अनिवार्यतः यह नहीं है कि मदें या लेन-देन अब नहीं होते हैं या विद्यमान नहीं हैं, या उनके होने की अब कोई संभावना नहीं है, बल्कि यह है कि वे हेजिंग संबंध के भाग नहीं हैं। उदाहरण के लिए, हेजिंग संबंध के परिमाण में किसी कमी का परिणाम प्रतिष्ठान के द्वारा व्युत्पन्न को प्रतिधारित करना हो सकता है, किन्तु इसका केवल एक भाग हेज संबंध का हेज लेखा दे सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब हेजिंग संबंध में हेज लिखत के परिमाण को कम करके पुनर्संतुलन को प्रभाति किया जा सकता है। किन्तु प्रतिष्ठान ऐसा तभी कर सकता है जब वह ऐसा परिमाण प्रतिधारित करता है जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। उस मामलों में, व्युत्पन्न के नामोद्दिष्ट नहीं किए गए भाग को लाभ या हानि के माध्यम से तब तक उचित मूल्य पर लेखा किया जाएगा (जब तक भिन्न हेजिंग संबंध में इसे हेजिंग लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं किया गया था)।

ख 6.5.17 हेजड मद के परिमाण को बढ़ाकर हेज अनुपात को समायोजित करना, इसको इस रूप में प्रभावित नहीं करता है कि हेज लिखत के उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को कैसे मापा जाए। पूर्व में नामोद्दिष्ट परिमाण से संबंधित हेजड मद के मूल्य में परिवर्तनों के माप भी अप्रभावित रहते हैं। तथापि, पुनर्संतुलन की तिथि से हेजड मद के मूल्य में हुए परिवर्तनों में हेजड मद के अतिरिक्त परिमाण के मूल्य में हुए परिवर्तन भी शामिल होंगे। इन परिवर्तनों को जिस तिथि को हेजिंग संबंध में नामोद्दिष्ट किया गया था, उस तिथि के बदले पुनर्संतुलन किये जाने की तिथि के प्रारम्भ से और उसका संदर्भ देकर मापे जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिष्ठान मूलतः रुपये 80 के फारवर्ड कीमत पर वस्तु के 100 टनों के परिमाण को हेज करता है (हेज संबंध के प्रारम्भ में वायदा कीमत) तथा पुनर्संतुलन करने पर 10 टनों का परिमाण और जोड़ देता है जब फरवर्ड कीमत रुपये 90 था, तो पुनर्संतुलन के बाद हेजड मद की दो परतें स्तर होगी: रुपये 80 पर हेजड 100 टन तथा रुपये 90 पर हेजड 10 टन।

- ख 6.5.18 हेजड लिखत के परिणाम को घटाकर हेज अनुपात को समायोजित करना इसको प्रभावित नहीं करता है कि हेजड मद के मूल्य में हुए परिवर्तनों को कैसे मापा गया है। नामोदिदष्ट किया जाने वाला जो परिमाण जारी रहता है उससे संबंध हेजिंग लिखत के मूल्य में हुए परिवर्तनों का माप भी अप्रभावित रहता है। तथापि, पुनर्संतुलन की तिथि से हेजिंग लिखत के जिस परिमाण (मात्रा) में कम किया गया था, वह अब हेजिंग संबंध का भाग नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिष्ठान मूलतः हेजिंग लिखत के रूप में 100 टनों के व्युत्पन्न परिमाण का प्रयोग करके वस्तु के कीमत के जोखिम को हेज करता है तथा पुनर्संतुलन पर उस परिमाण को 10 टनों से कम कर देता है तो हेजिंग लिखत परिमाण के 90 टनों की नाममात्र राशि बनी रहेगी (व्युत्पन्न परिमाण (अर्थात् 10 टनों) के परिणामों के लिए देखें अनुच्छेद ख 6.5.16 जो अब हेजिंग संबंध का भाग नहीं है)।
- ख 6.5.19 हेजिंग लिखत के परिमाण को बढ़ाकर हेज अनुपात को समायोजित करना इसको प्रभावित नहीं करता है कि हेजड मद के मूल्य में हुए परिवर्तनों का कैसे मापा गया है। पूर्व में नामोदिदष्ट परिमाण से संबंध हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों का माप भी अप्रभावित रहता है। तथापि, पुनर्संतुलन की तिथि से, हेजिंग लिखत के उचित मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों में हेजिंग लिखत के अतिरिक्त परिमाण के मूल्य में हुए परिवर्तन भी शामिल होंगे। ये परिवर्तन जिस तिथि को हेजिंग संबंध को नामोदिदष्ट किया गया था उस तिथि के बदले पुनर्संतुलन की तिथि से, प्रारम्भ कर और उसका संदर्भ देकर, मापा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिष्ठान मूलतः हेजिंग लिखत के रूप में 100 टनों के व्युत्पन्न परिमाण का प्रयोग करके वस्तु के कीमत के जोखिम को हेज करता है तथा पुनर्संतुलन पर 10 टनों के परिमाण जोड़ देता है तो पुनर्संतुलन के पश्चात हेजिंग लिखत के कुल व्युत्पन्न परिमाण 110 टन हों जाएंगे। हेजिंग लिखत के मूल्य में हुआ कुल परिवर्तन है जो 110 टनों की कुल परिमाण बनाता है। इन व्युत्पन्न की भिन्न-भिन्न महत्वपूर्ण शर्तें हो सकती हैं (और संभवतः होगी भी) जैसे कि उनकी फारवर्ड दरें, क्योंकि वे अलग-अलग समय पर प्रविष्ट हुई हैं (व्युत्पन्न को उनकी प्रारम्भिक मान्यता के बाद हेजिंग संबंधों में नामोदिदष्ट करने की संभावना सहित)।
- ख 6.5.20 हेजड मद के परिमाण को घटाकर हेज अनुपात का समायोजन करना इसे प्रभावित नहीं करता है कि हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को कैसे मापा जाए। उस परिमाण से संबंध हेजड मद के मूल्य में हुए परिवर्तनों का माप, जिसका नामोदिदष्ट होना जारी रहता है, अब हेज संबंध का भाग नहीं है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान ने यदि मूलतः रुपये 80 की वायदा कीमत पर वस्तु का 100 टन परिमाण हेजड किया है तथा उस परिमाण में पुनर्संतुलन पर 10 टन कम कर दिया है, तो पुनर्संतुलन के बाद हेजड मद 90 टन रुपये 80 पर हेजड होगी। 10 टन हेजड मदों को, जो अब हेजिंग संबंध के भाग नहीं हैं, हेज लेखा के समाप्त किए जाने की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा किया जाएगा (अनुच्छेद ख 6.5.6-ख 6.5.7 तथा 6.5.22 -ख 6.5.28 देखें)।
- ख 6.5.21 हेजिंग संबंध का पुनर्संतुलन करते समय प्रतिष्ठान अपने हेजड अप्रभावशीलता स्रोतों के विश्लेषण को अद्यतन करेगा जिनके अपनी (शेष) अवधि के दौरान हेजिंग संबंध को प्रभावित करने की संभावना है (अनुच्छेद ख 6.4.2 देखें)। हेज संबंध के प्रलेखीकरण को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।
- हेज लेखा को जारी नहीं रखना बन्द करना**
- ख 6.5.22 हेज लेखा को बन्द करना संभवतः उस तिथि से आगे के लिए लागू होता है जिस तिथि से अर्हता मानदंड पूरे नहीं किए जाते हैं।
- ख 6.5.23 प्रतिष्ठान हेजिंग संबंध की अनामोदिदष्ट नहीं करेगा और इसलिए उस हेजिंग संबंध को बन्द कर देगा, जो:
- (क) अब भी जोखिम प्रबंधन उद्देश्य को पूरा करता है जिसके आधार पर यह हेज लेखा के लिए अर्हताप्रार्थ है (अर्थात् प्रतिष्ठान अभी भी जोखिम प्रबंधन उद्देश्य को जारी रखता है) तथा
 - (ख) अन्य सभी अर्हता मानदंडों को पूरा करना जारी रखता है (हेजिंग संबंध में, यदि कोई है, किसी पुनर्संतुलन पर विचार करने के बाद)।
- ख 6.5.24 इस मानक के प्रयोजन के लिए प्रतिष्ठान का जोखिम प्रबंधन रणनीति इसके जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों से अलग होता है। जोखिम प्रबंधन रणनीति उच्चतम स्तर पर स्थापित की जाती है जिस पर प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि यह अपने जोखिम को कैसे नियंत्रित करे। जोखिम प्रबंधन रणनीति जोखिमों का सामान्यतया पता लगाती है जिसके प्रति प्रतिष्ठान एक्सपोज होता है तथा तय करता है कि प्रतिष्ठान उन पर कैसे प्रतिक्रिया दे। जोखिम प्रबंधन रणनीति दीर्घ अवधि के लिए सामान्यतया होती है तथा उन परिस्थितियों में परिवर्तनों में प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ लचीलापन (फ्लैक्सीबिलिटी) शामिल कर सकती है जो तब घटित होती है जब वह रणनीति अपने स्थान पर होती है। इसे सामान्यतः एक सामान्य प्रपत्र से सेट किया जाता है जिसे अधिक विशिष्ट मार्गदर्शक में समाहित नितियों के जरिये एक प्रतिष्ठान तक पहुंचाना जाता है। इनके विपरित पर हेजिंग प्रबन्ध के लिए जोखिम प्रबन्धन के स्तर पर हेजिंग संबंधों के लिए जोखिम प्रबन्धन उद्देश्य को लागू किया जाता है। (उदाहरण के लिए, भिन्न ब्याज दर या वस्तु कीमत स्तर जो किसी विशेष प्रतिशत के परिणामस्वरूप हैं) हेजिंग लिखत, जिसे नामोदिदष्ट किया गया है, कैसे किसी विशिष्ट एक्सपोजर की हेजिंग के लिए प्रयुक्त होती है जो हेजड मद के रूप में नामोदिदष्ट

है इसलिए, जोखिम संबंध का रणनीति बहुत से भिन्न-भिन्न हेजिंग संबंधों को संलिप्त कर सकता है जिनके जोखिम उद्देश्य उस समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीति को निष्पादित करने से सम्बन्धित है। उदाहरण के लिए:

- (क) प्रतिष्ठान का (डैट) फंडिंग पर अपने ब्याज दर एक्सपोजर का प्रबंध करने की रणनीति होती है जो समस्त प्रतिष्ठान के परिवर्तनशील दरों तथा निश्चित-दर फंडिंग के बीच मिश्रण के लिए सीमाओं का निर्धारण करता है। रणनीति यह है कि निश्चित दरों को ऋण की 20 प्रतिशत की 40 प्रतिशत के बीच बनाए रखा जाए प्रतिष्ठान निर्णय करता है कि ब्याज दरों के स्तर के आधार पर इस रणनीति को समय-समय पर कैसे निष्पादित किया जाए (अर्थात् निश्चित-ब्याज दर एक्सपोजर के लिए 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की सीमा के अन्दर यह स्वयं को कहां रखता है।) यदि ब्याज दर कम होती है तो प्रतिष्ठान अधिक (डैट) ऋण की अपेक्षा ब्याज तब नियत करता है जब ब्याज दर अधिक होती है। प्रतिष्ठान का (डैट) ऋण परिवर्तनशील दर-ऋण का रूपये 100 है जिसमें से रूपये 30 का नियत-दर एक्सपोजर में स्वैप किया जाता है। प्रतिष्ठान भारी निवेश के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त रूपये 50 का ऋण जारी करने के लिए कम ब्याज दरों का लाभ उठाता है जिसे प्रतिष्ठान नियतदर बॉण्ड जारी करके करता है। कम ब्याज दरों के आलोक में प्रतिष्ठान अपने नियत-दर एक्सपोजर को रूपये 20 की उस सीमा तक घटाकर कुल ऋण का 40 प्रतिशत नियत करने का निर्णय लेता है जिस सीमा तक यह पहले अपने परिवर्तनशील दर एक्सपोजर को प्रतिरक्षित करता था, जिसका परिणाम नियतदर एक्सपोजर रूपये 60 होता है। ऐसी परिस्थिति में जोखिम प्रबंधन रणनीति खर्च अपरिवर्तित रहता है। तथापि, इसके विपरीत प्रतिष्ठान का उस रणनीति के निष्पादन में परिवर्तन आ गया है और इसका अर्थ है कि रूपये 20 के लिए परिवर्तनशील-दर एक्सपोजर, जो पहले हेज्ड था, के जोखिम प्रबंधन उद्देश्य में परिवर्तन आ गया है (अर्थात् हेजिंग संबंध स्तर पर)। परिणामतः इस परिस्थिति में हेजिंग लेखा को पूर्व में हेज्ड परिवर्तनशील-दर एक्सपोजर का रूपये 20 के लिए बन्द कर दिया जाना चाहिए यह अंकित राशि रूपये 20 से स्वैप के परिमाण को रख सकती है तथा, उदाहरण के लिए, भिन्न एक्सपोजर की हेजिंग के लिए इसका प्रयोग कर सकता है या यह व्यापारिक बही का भाग हो सकता है। विपरीत रूप से, यदि प्रतिष्ठान बदले में नए नियत दर ऋण को परिवर्तनशील-दर एक्सपोजर से बदल देंगे तो पूर्व में हेज्ड परिवर्तनशील दर एक्सपोजर के लिए हेज लेखा था जारी होना अनिवार्य होगा।
- (ख) कुछ एक्सपोजरों का परिणाम उन स्थितियों से आता है जिनमें, उदाहरण के लिए, ऋण लिखतों के ओपन पोर्टफोलियो का ब्याज दर जोखिम बार-बार बदल जाता है। नए ऋण लिखतों का जुड़ाव तथा ऋण लिखतों का अमान्य (अर्थात् यह उस अन्तिम दौर की स्थिति से भिन्न है जो परिपक्व होता है)। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें एक्सपोजर तथा हेजिंग लिखतों, दोनों का प्रयोग इसके प्रबंध करने के लिए किया जाता है। लम्बी अवधि के लिए एक ही नहीं बने रहते हैं। परिणामतः ऐसे एक्सपोजर वाले प्रतिष्ठान ब्याज दर जोखिम का प्रबंध करने के लिए प्रयुक्त हेज लिखतों का बारम्बार समायोजन करते हैं क्योंकि एक्सपोजर बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, 24 महीने शेष बचे परिपक्वता वाले ऋण लिखतों को 24 महीने की ब्याज दर जोखिम के लिए हेज मद के रूप में नामोदिदष्ट किए जाते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया अन्य समय बकेटों या परिपक्वता अवधियों के लिए लागू होती है। अल्पावधि समय के बाद, प्रतिष्ठान परिपक्वता अवधियों के लिए पूर्व में नामोदिदष्ट हेजिंग संबंधों के सभी, कुछ या एक भाग को बन्द कर देता है तथा उसके आकार तथा हेज लिखतों जो समय विद्यमान रहता है के आधार पर परिपक्वता अवधियों के लिए नए हेजिंग संबंधों को नामोदिदष्ट करता है। इस स्थिति में हेजिंग लेखा को समाप्त करना यह प्ररिलक्षित करता है कि उन हेजिंग संबंधों को उस तरीके से प्ररिलक्षित किया जाता है कि प्रतिष्ठान हेज लिखत तथा हेज्ड मद, जिन्हें पूर्व में नामोदिदष्ट किए गए थे, के बदले एक नए हेजिंग लिखत तथा एक नई हेज्ड मद की ओर देखता है। जोखिम प्रबंधन रणनीति एक ही रहता है किन्तु कोई जोखिम प्रबंधन रणनीति एक ही रहता है किन्तु कोई जोखिम प्रबंधन उद्देश्य नहीं है जो पूर्व में नामोदिदष्ट उन हेजिंग संबंधों के लिए जारी रहता है जो वस्तुतः अब बिल्कुल मौजूद नहीं रहता है ऐसी स्थिति में हेज लेखा का समापन बन्द होगा उस सीमा तक लागू होता है जिस सीमा तक जोखिम प्रबंधन उद्देश्य परिवर्तित हो गया है। यह प्रतिष्ठान की स्थिति पर निर्भर करता है, तथा उदाहरण के लिए परिपक्वता अवधि की सभी अथवा कुछ हेजिंग संबंध अथवा हेजिंग संबंध के केवल भाग को प्रभावित कर सके।
- (ग) प्रतिष्ठान की जोखिम प्रबंधन रणनीति होती है जिसके द्वारा यह पूर्वानुमानित बिक्रयों तथा परिणामी प्राप्य राशियों के विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंध करता है। उस रणनीति के अंतर्गत प्रतिष्ठान एक विशिष्ट हेज संबंध के रूप में केवल प्राप्य राशि को मान्यता देने के स्तर तक विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंध करता है। उसके पश्चात प्रतिष्ठान उस विशिष्ट हेज संबंध के आधार पर अब विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंध नहीं करता है। इसकी बजाय, यह उसी विदेशी मुद्रा में नामोदिदष्ट प्राप्य राशियों, देयों राशियों तथा व्युत्पन्नों से (यह उस पूर्वानुमान लेन-देनों से संबंधित होता है जो अभी भी लंबित हैं) विदेशी मुद्रा जोखिम के साथ इसका प्रबंध करता है। लेखा प्रयोजनों के लिए यह हेज के रूप में काम करता है क्योंकि उन सभी मदों पर विदेशी मुद्रा जोखिम से हुए लाभों (गेन) या हानियों को तुरन्त लाभ (प्रोफिट) या हानि में मान्यता दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, लेखा उद्देश्यों के लिए, यदि हेज संबंध को भुगतान की तिथि

तक की अवधि के लिए नामोद्दिष्ट किया जाता है तो इसे बन्द कर दिया जाता है जब प्राप्य राशियों को मान्यता दी जाती है, क्योंकि अब मूल हेजिंग संबंध का जोखिम प्रबंधन उद्देश्य बिल्कुल लागू नहीं होता है। विदेशी मुद्रा जोखिम का अब उसी रणनीति के अन्दर प्रबंध किया जाता है किन्तु भिन्न आधार पर किया जाता है। इसके विपरीत, यदि प्रतिष्ठान का भिन्न जोखिम प्रबंधन उद्देश्य था और वह विदेशी मुद्रा जोखिम को एक निरन्तर हेजिंग संबंध के रूप में प्रबंधन करता है विशेषतः उस पूर्वानुमानित बिक्रियों की राशि और निपाटन की तिथि तक की राशि और परिणामित प्राप्य राशियों के लिए होता है हेज लेखा उस तिथि तक जारी रहता है।

ख 6.5.25 हेज लेखा के बन्द होने से निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकते हैं:

- (क) इसकी संपूर्णता में हेज संबंध, या
- (ख) हेजिंग संबंध के एक भाग को (जिसका मतलब है कि हेज लेखा हेजिंग संबंध के शेष के लिए लागू रहता है)।

ख 6.5.26 हेजिंग संबंध अपनी संपूर्णता में तब बन्द कर दिया जाता है, जब यह अर्हता मानदंड को पूरा करना पूर्ण रूप से बन्द कर देता है। उदाहरण के लिए:

- (क) हेजिंग संबंध उस जोखिम प्रबंधन उद्देश्य को अब पूरा नहीं करता है जिसके आधार पर यह हेज लेखा के लिए अर्हक होता है (अर्थात् प्रतिष्ठान उस जोखिम प्रबंधन उद्देश्य को, अब पालन नहीं करता है, आगे नहीं बढ़ाता है),
- (ख) हेजिंग लिखत या लिखतों को बेच दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है (समस्त परिमाण के संबंध में जो हेजिंग संबंध का भाग था), या
- (ग) अब हेजड मद तथा हेजिंग लिखत के बीच कोई आर्थिक संबंध नहीं है तथा हेजिंग लिखत ऋण जोखिम का प्रभाव मूल्य परिवर्तनों पर प्रबल होना शुरू हो जाता है जो उस आर्थिक संबंध का परिणाम होता है।

ख 6.5.27 हेजिंग संबंध का एक भाग तब बन्द हो जाता है (शेष के लिए हेज लेखा जारी रहता है) जब हेज संबंध का एक भाग अर्हता मानदंड को पूरा करना बंद कर देता है। उदाहरण के लिए:

- (क) हेज संबंध के पुनर्संतुलन होने पर हेजिंग अनुपात को इस तरीके से समायोजित किया जा सकता है कि हेजड मद का कुछ परिमाण हेज संबंध का भाग नहीं रह जाता है (अनुच्छेद 6.5.20 देखें), इसलिए, हेज लेखा को केवल हेजड मद के परिमाण के लिए बन्द कर दिया जाता है, जो हेज संबंध का भाग नहीं रह जाता है, या
- (ख) जब हेजड मद के कुछ परिमाण की उपस्थिति जो पूर्वानुमानित लेन-देन (या उसका एक घटक) है, जब बहुत अधिक संभाव्य नहीं रह जाती है तो हेज लेखा को केवल हेजड मद के उस परिमाण के लिए बन्द कर दिया जाता है जिसकी उपस्थिति बहुत अधिक संभाव्य नहीं रह जाता है। तथापि, यदि प्रतिष्ठान के पूर्वानुमानित लेन-देनो के लिए हेज नामोद्दिष्ट होने और बाद में यह निर्धारित होने का इतिहास रहा है कि पूर्वानुमानित लेन-देनो के घटित होने की संभावना नहीं रह गयी है तो प्रतिष्ठान के पूर्वानुमानित लेन-देनो की सही-सही भविष्यवाणी करने की क्षमता पर तब संदेह प्रकट किया जाता है जब इसी तरह के पूर्वानुमानित लेन-देन की भविष्यवाणी किया जाता है। यह इस मूल्यांकन को प्रभावित करता है कि क्या इसी तरह के पूर्वानुमानित लेन-देन अत्यधिक संभावित हैं (अनुच्छेद 6.3.3 देखें) और, इसलिए कि क्या वे हेजड मद होने के लिए पात्र (योग्य) हैं।

ख 6.5.28 प्रतिष्ठान एक नए हेजिंग संबंध को नामोद्दिष्ट कर सकता है जो पूर्व हेजिंग संबंध के हेजिंग लिखत या हेज मद को सम्मिलित करता है जिसके लिए हेजिंग लेखा को (इसके एक भाग में या संपूर्णता में बन्द किया गया था। यह हेज संबंध की निरन्तरता को गणित नहीं करता है बल्कि यह एक शुरुआत है। उदाहरण के लिए:

- (क) हेजिंग लिखत ऐसी तीव्र ऋण गिरावट का अनुभव करती है कि प्रतिष्ठान इसको एक नयी हेजिंग लिखत से प्रतिस्थापित करता है। इसका अर्थ यह है कि मूल हेजिंग संबंध जोखिम प्रबंधन उद्देश्य को पूरा करने में विफल हो जाता है और इसलिए यह पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। नई हेजिंग लिखत को समान एक्सपोजर की हेजिंग के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है जो पूर्व में हेजड थी तथा एक नई हेजिंग संबंध बनती है। इसलिए, हेजड मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाहों में हुए परिवर्तनों को उस तिथि के बजाय नए हेजिंग संबंध के नामोद्दिष्ट की तिथि के प्रारम्भ से तथा उसके संदर्भ द्वारा मापी जाती है जिस पर मूल हेजिंग संबंध को नामोद्दिष्ट किया गया था।
- (ख) हेजिंग संबंध इसकी अवधि के समाप्त होने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। उस हेज संबंध में हेजिंग लिखत को दूसरे हेजिंग संबंध में हेजिंग लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट किया जा सकता है (उदाहरण के लिए, जब हेजिंग लिखत के परिणाम को बढ़ाकर पुनर्संतुलन करने पर हेजिंग अनुपात को समायोजित किया जाता है या जब संपूर्ण नए हेजिंग संबंध को नामोद्दिष्ट किया जाता है)।

आप्लान के समय मूल्य का लेखा

- ख 6.5.29 आप्शन को समयावधि से संबद्ध होने के रूप में समझा जा सकता है क्योंकि इसका समय मूल्य आप्शन धारक को समय पर सुरक्षा देने के लिए प्रभार को प्रदर्शित करता है। तथापि, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए संबंधित पहलू, कि आप्शन लेन-देन या समयावधि से संबद्ध हेजड मद की हेजिंग करता है या नहीं, उस हेजड मद की विशेषता हैं कि यह कैसे और कब लाभ या हानि को प्रभावित करता है। इसलिए, प्रतिष्ठान हेजड मद [अनुच्छेद 6.5.15 (क) देखें] की प्रकृति के आधार पर हेजड मद की प्रकार, (हेजिंग संबंध नकदी प्रवाह हेज है या उचित मूल्य हेज, इस पर ध्यान दिये बिना) का निर्धारण करेगा :
- (क) यदि हेजड मद की प्रकृति एक लेन-देन है जिसके लिए समय मूल्य का चरित्र उस लेन-देन की लागतों का है जो आप्शन के समय मूल्य से संबद्ध लेने-देने की हेजड मद से संबंधित है। इसका एक उदाहरण है जब आप्शन का हेजड मूल्य हेजड मद से संबंधित होता है जिसका परिणाम उस मद को मान्यता देना होता है जिसके प्रारम्भिक माप में लेन-देन की लागतें सम्मिलित होती हैं (उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान वस्तु कीमत जोखिम के विरुद्ध वस्तु खरीद को हेजड करता है, चाहे यह लेन-देन पूर्वानुमान हो या दृढ वचनबद्धता, तथा माल-सूची (इन्वेंट्री) के प्रारम्भिक माप में लेन देन लागतों को सम्मिलित करता है। इसके परिणामस्वरूप, एक खास हेजड मद के प्रारम्भिक माप में विकल्प के समय- मूल्य सहित, समय मूल्य उसी समय लाभ या हानि को प्रभावित करता है जब यह हेजड मद होती है। इसी तरह से, प्रतिष्ठान, जो वस्तु की खरीद की हेजिंग करता है, यह चाहे पूर्वानुमानित लेन-देन है या दृढ वचनबद्धता, उस बिक्री से संबद्धित लागतों के भाग के रूप में आप्शन के समय-मूल्य को सम्मिलित करेगा (इसलिए, समय मूल्य को उसी अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी जिस अवधि में हेजड बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता दी जाती है)।
- (ख) एक आप्शन का समय मूल्य, एक समय-अवधि सम्बद्ध उस हेजड मद से सम्बद्धित है जिसकी प्रकृति ऐसी है कि समय मूल्य का चरित्र एक खास समयावधि में जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक लागत का होता है (किन्तु हेजड मद का परिणाम एक ऐसे लेन देन में नहीं होता है जो (क) के अनुसार लेन देन लागत की धारणा को सम्मिलित करता है)। उदाहरण के लिए, यदि वस्तु सूची तदनुसूची कार्यकाल के साथ वस्तु आप्शन का प्रयोग करके छह महीने के लिए उचित मूल्य में कमी के विरुद्ध हेजड है तो आप्शन का समय मूल्य उस छह महीने की अवधि पर लाभ या हानि को आवंटित कर दिया जाएगा (अर्थात् सुव्यवस्थित तथा विवेकपूर्ण आधार पर परिशोधित)। दूसरा उदाहरण, विदेशी परिचालन में निवल निवेश की हेजिंग का है, जो विदेशी-विनिमय विकल्प का प्रयोग करते हुए 18 महीने के लिए हेजड है और जिसका परिणाम उस 18 महीने की अवधि पर आप्शन का समय मूल्य आवंटित करना होता है।
- ख 6.5.30 हेजड मद की विशेषताएँ, हेजड मद का लाभ या हानि कब और कैसे प्रभावित होती है, उस अवधि को जिस पर आप्शन का वह समय मूल्य को प्रभावित करती है, जो समयावधि से संबद्ध हेजड मद की हेजिंग करता है या परिशोधित होता है और उस अवधि जिस पर आप्शन का यथार्थ (इन्ट्रिन्सिक) मूल्य हेजिंग लेखा के अनुसार लाभ या हानि को प्रभावित कर सकता है शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि ब्याज दर आप्शन (एक सीमा) अस्थायी दर वाले बांड पर ब्याज खर्च में बढ़ोतरी के विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए प्रयुक्त होता है तो उस सीमा का समय मूल्य उसी समय पर लाभ या हानि के लिए परिशोधित होता है जिस समय पर सीमा का कोई भी यथार्थ (इन्ट्रिन्सिक) मूल्य लाभ या हानि को निम्न प्रकार प्रभावित करेगा :
- (क) यदि सीमा पांच वर्षों के अस्थायी दर वाले बांड के कुल कार्यकाल में से प्रथम तीन वर्षों के लिए ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी को हेज करती है तो उस सीमा का समय मूल्य प्रथम तीन वर्षों में परिशोधित होता है; अथवा
- (ख) यदि सीमा वायदा प्रारम्भ आप्शन होता है जो पांच वर्षों के अस्थायी दर वाले बांड के कुल कार्यकाल में से दो या तीन वर्षों के लिए ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी को हेजड करती है, तो उस सीमा का समय मूल्य दो या तीन वर्षों के दौरान परिशोधित होता है।
- ख 6.5.31 अनुच्छेद 6.5.15 के अनुसार आप्शन के समय मूल्य का लेखा खरीद तथा लिखित ऑप्शन (एक पुट आप्शन होने तथा एक काल आप्शन होने) के संयोजन पर भी लागू होता है जिसका नामोदेशन की तिथि को हेजिंग लिखत के रूप में निवल शून्य समय मूल्य है (आमतौर पर 'शून्य' लागत कॉलर' के रूप में उल्लिखित)। उस मामले में, प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय में समय मूल्य में हुए किसी परिवर्तन को मान्यता देता है, यद्यपि हेजिंग संबंध की कुल अवधि के दौरान समय मूल्य में परिवर्तन शून्य है। अतएव, यदि आप्शन का समय मूल्य निम्नलिखित से संबंधित है तो:
- (क) लेन-देन संबंधित हेजड मद, हेज संबंध के अंत में समय-मूल्य की राशि, जो हेजड मद का समायोजन करती है या जिसे लाभ या हानि में (अनुच्छेद 6.5.15 ख देखें) पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, शून्य होगी।
- (ख) समय-अवधि संबंधित हेजड मद, समय-मूल्य से संबंधित परिशोधन व्यय शून्य है।
- ख 6.5.32 अनुच्छेद 6.5.15 के अनुसार आप्शन के समय-मूल्य का लेखा केवल उस सीमा तक लागू होता है जिस सीमा तक समय मूल्य हेजड मद (संरेखित समय मूल्य) से संबंधित होता है। आप्शन का समय मूल्य हेजड मद से तब संबंधित होता है यदि आप्शन की प्रमुख शर्तें (जैसे नाममात्र राशि, कार्यकाल तथा अडरलाइंग) हेजड मद के साथ संरेखित है। इसलिए, यदि आप्शन तथा

हेजड मद की विवेचनात्मक शर्तें पूर्णतः संरेखित नहीं हैं तो प्रतिष्ठान संरेखित समय मूल्य का निर्धारण करेगा, अर्थात् समय मूल्य का कितना भाग प्रीमियम (वास्तविक समय मूल्य) में सम्मिलित किया गया है, यह हेजड मद से संबंधित है (और इसलिए अनुच्छेद 6.5.15 के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए)। प्रतिष्ठान आप्शन के मूल्यांकन का प्रयोग करके संरेखित समय मूल्य का निर्धारण करता है जिसकी विवेचनात्मक शर्तें होंगी जो हेजड मद से पूर्णतः मेल खाती हैं।

ख 6.5.33 यदि वास्तविक समय-मूल्य तथा संरेखित समय-मूल्य में अन्तर होता है तो प्रतिष्ठान उस राशि का निर्धारण करेगा जो अनुच्छेद 6.5.15 के अनुसार इक्विटी के पृथक घटक में निम्न प्रकार संचित होती है:

- (क) यदि, हेजिंग संबंध के प्रारम्भ में, वास्तविक समय-मूल्य संरेखित समय-मूल्य से अधिक होता है तो प्रतिष्ठान :
 - (i) राशि का निर्धारण करेगा जो संरेखित समय-मूल्य के आधार पर इक्विटी के पृथक घटक में संचित किया जाता है; तथा
 - (ii) लाभ या हानि में दो समय-मूल्यों के बीच उचित मूल्य परिवर्तनों में अन्तरों का लेखा करेगा।
- (ख) यदि, हेजिंग संबंध के प्रारम्भ में, वास्तविक समय-मूल्य संरेखित समय-मूल्य से कम है, तो प्रतिष्ठान इस राशि का निर्धारण करेगा जो निम्नलिखित के उचित मूल्य में संचित परिवर्तन के निम्नतर का संदर्भ देते हुए इक्विटी के पृथक घटक में संचित किया गया है:
 - (i) वास्तविक समय-मूल्य; तथा
 - (ii) संरेखित समय-मूल्य।

वास्तविक समय-मूल्य के उचित मूल्य में हुए किसी शेष परिवर्तन को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

वायदा अनुबंधों के वायदा तत्व तथा वित्तीय लिखतों के विदेशी मुद्रा आधार फैलावों का लेखा

ख 6.5.34 एक वायदा अनुबंध को समय अवधि से संबंधित होने जैसा समझा जा सकता है क्योंकि इसका वायदा तत्व उन प्रभावों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक समय-अवधि (यानि वह समय जिसके लिए वह निर्धारित है) के लिए है। तथापि, यह निर्धारित करने का संबंधित पहलू यह है कि हेजड लिखत क्या एक लेन-देन को हेजड करती या समय-अवधि संबंधित हेजड मद को उस हेजड मद की विशेषताएँ हैं, निर्धारण करता है जिनमें यह विशेषता भी सम्मिलित है कि यह कैसे और कब लाभ-या-हानि को प्रभावित करती है। इसलिए, एक प्रतिष्ठान हेजड मद की प्रकृति के आधार पर हेजड मद की प्रकार (देखें अनुच्छेद 6.5.16 तथा 6.5.15 (क)) का निर्धारण करेगा (इस पर ध्यान दिए बिना कि हेजिंग संबंध, नकदी प्रवाह हेज है या उचित मूल्यहेज):

- (क) वायदा अनुबंध का वायदा तत्व लेन-देन से संबद्ध हेजड मद से संबंधित होता है यदि हेजड मद की प्रकृति एक लेन देन है जिसके लिए वायदा तत्व का चरित्र लेन देन की लागत का है। एक उदाहरण है कि जब वायदा तत्व हेजड मद से संबद्ध रहता है जिसका परिणाम मद की मान्यता के रूप में होता है और जिसके प्रारम्भिक माप में लेन देन लागतें सम्मिलित होती हैं (उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित स्टॉक खरीद को हेजड करता है, विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध यह पूर्वानुमानित लेन देन है या दृढ़ वचनबद्धता तथा स्टॉक के प्रारम्भिक माप में लेन देन लागतें सम्मिलित होती हैं)। एक खास हेजड मद प्रारम्भिक माप में वायदा तत्व को सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप वायदा तत्व लाभ या हानि के उसी समय इस तरह प्रभावित करता है जैसे वह हेजड मद प्रभावित होता है। इसी तरह से, प्रतिष्ठान जो विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित वस्तु की बिक्री को हेजड करता है, यह पूर्वानुमानित लेन-देन है या दृढ़ वचनबद्धता, वायदा तत्व उस लागत के भाग के रूप में सम्मिलित होगा जो उस बिक्री से संबंधित है (इसलिए, वायदा तत्व को हेजड बिक्री से प्राप्त राजस्व के रूप में उसी अवधि में मान्यता दी जाएगी)।
- (ख) वायदा अनुबंध का वायदा तत्व समय अवधि से सम्बद्ध हेजड मद से संबंधित होता है यदि हेजड मद की प्रकृति ऐसी है कि वायदा तत्व के जोखिम के विरुद्ध किसी खास समय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए लागत का एक चरित्र होता है (किन्तु हेजड मद का परिणाम लेन-देन में नहीं होता है जिसमें (क) के अनुसार लेन-देन लागत की धारणा सम्मिलित होती है)। उदाहरण के लिए, यदि वस्तु स्टॉक उचित-मूल्य में हुए परिवर्तनों के विरुद्ध तदनुसूची जीवन काल सहित वस्तु वायदा अनुबंध का प्रयोग करते हुए छह महीने के लिए हेजड रहता है तो वायदा अनुबंध का वायदा तत्व उस छह महीने की अवधि में लाभ या हानि को आवंटित होगा (अर्थात् क्रमबद्ध तथा विवेकपूर्ण आधार पर परिशोधित होगा)। इसका दूसरा उदाहरण विदेशी परिचालन में निवल निवेश की हेजिंग है जो विदेशी विनिमय वायदा-अनुबंध के वायदा तत्व को 18 महीने की अवधि में आवंटन करने में होगा।

ख 6.5.35 हेजड मद की विशेषताओं में, जिनमें हेजड मद का लाभ या हानि कब और कैसे प्रभावित होता है, उस अवधि जिसमें वायदा अनुबंध का वायदा तत्व समय-अवधि संबंधित हेजड मद को हेजड करता तथा परिशोधित करता है, शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि वायदा अनुबंध को तीन महीने की अवधि के लिए तीन महीने की ब्याज दरों में परिवर्तनीयता के एक्सपोजर की

हेजिंग करता है जो छह महीने की अवधि में प्रारम्भ होता है तो वायदा तत्व उस अवधि के दौरान परिशोधित हो जाता है जो सात से नौ महीने तक की होती है।

ख 6.5.36 अनुबंध 6.5.16 के अनुसार वायदा अनुबंध को वायदा तत्व का लेखा भी लागू होता है, यदि उस तिथि को जिस पर वायदा अनुबंध हेज लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट होता है, तो वायदा तत्व शून्य होता है। उस स्थिति में, एक प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय में वायदा तत्व के लिए उत्तरदायी किसी उचित मूल्य परिवर्तनों को मान्यता देता है, यद्यपि हेजिंग संबंध की कुल अवधि के दौरान वायदा तत्व के लिए उत्तरदायी संचयी उचित मूल्य परिवर्तन शून्य है। इसलिए, यदि वायदा अनुबंध का वायदा तत्व निम्नलिखित से संबंधित होता है:

(क) लेन-देन संबंधित हेजड मद, हेज संबंध के अंत में वायदा तत्व से संबंधित राशि, जो हेजड राशि का समायोजन करता है या जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, शून्य होगी (अनुच्छेद 6.5.15 (ब) तथा 6.5.16)।

(ख) एक समय-अवधि सम्बन्धित हेजड मद, वायदा तत्व से सम्बन्धित परिशोधन राशि शून्य है।

ख 6.5.37 अनुच्छेद 6.5.16 के अनुसार वायदा अनुबंधों के वायदा तत्व के लिए लेखा केवल उस सीमा तक लागू होता है जिससे कि वायदा तत्व हेजड मद (संरेखित वायदा तत्व) से संबंधित रहता है। वायदा अनुबंध की मुख्य शर्तें (जैसे कि नाममात्र राशि, जीवन काल तथा अंडरलाइंग) हेजड मद के साथ संरेखित होते हैं। इसलिए, यदि वायदा अनुबंध तथा हेजड मद की मुख्य शर्तें पूर्णतः संरक्षित नहीं हैं, तो प्रतिष्ठान संरेखित वायदा तत्व का निर्धारण करेगा अर्थात् वायदा (वास्तविक वायदा तत्व) में सम्मिलित कितना वायदा तत्व हेजड मद से संबंधित होता है (और इसलिए अनुबंध 6.5.16 के अनुसार मानना चाहिए)। एक प्रतिष्ठान वायदा अनुबंध के मूल्यांकन करके संरेखित वायदा तत्व का निर्धारण करता है जिसकी मुख्य शर्तें होगी जो हेजड मद से सही-सही मेल खाती है।

ख 6.5.38 यदि वास्तविक वायदा तत्व तथा संरेखित वास्तविक तत्व में अन्तर है तो प्रतिष्ठान उस राशि का निर्धारण करेगा जिसे अनुच्छेद 6.5.16 के अनुसार 'इक्विटी' के पृथक घटक में निम्न प्रकार संचित किया गया है:

(क) यदि, हेजिंग संबंध के प्रारम्भ में, वास्तविक वायदा तत्व की समग्र राशि संरेखित वायदा तत्व की समग्र राशि से अधिक है तो प्रतिष्ठान :

(i) उस राशि का निर्धारण करेगा जिसे 'इक्विटी' के पृथक घटक में संरेखित वायदा तत्व के आधार पर संचित किया गया है; तथा

(ii) लाभ या हानि में दो वायदा तत्वों के बीच उचित मूल्य परिवर्तनों में अंतरों के लिए लेखा करेगा।

(ख) यदि, हेज संबंध के प्रारम्भ में, वास्तविक वायदा तत्व की समग्र राशि संरेखित वायदा तत्व की राशि से कम होती है तो प्रतिष्ठान उस राशि के निर्धारण करेगा जो निम्नलिखित के उचित मूल्य में हुए संचयी परिवर्तन के निम्नतर के संदर्भ द्वारा इक्विटी के पृथक तत्व में संचित है:

(i) वास्तविक वायदा तत्व की पूर्ण राशि; तथा

(ii) संरेखित वायदा तत्व की पूर्ण राशि।

वास्तविक वायदा तत्व के उचित मूल्य में हुए किसी शेष परिवर्तन को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

ख 6.5.39 प्रतिष्ठान जब विदेशी मुद्रा आधार के विस्तार को वित्तीय लिखत से अलग करता है तथा इसे हेजिंग लिखत के रूप में वित्तीय लिखत के नामोद्देशन से हटा देता है (देखें अनुच्छेद 6.2.4 (ख)) तो अनुच्छेदों ख 6.5.34- ख 6.5.38 में दिया गया प्रयोग-संबंधी दिशा-निर्देश विदेशी मुद्रा आधार विस्तार पर उसी तरीके से लागू होता है जिस तरह से यह वायदा अनुबंध के वायदा तत्व के लिए लागू होता है।

मदों के समूह का हेज खंड (6.6)

निवल स्थिति का हेज

हेज लेखा की पात्रता एवं निवल स्थिति का नामोद्देशन

ख 6.6.1 एक निवल स्थिति हेज लेखा के लिए केवल तभी पात्र होती है यदि प्रतिष्ठान जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के लिए निवल आधार पर हेज करता है। प्रतिष्ठान इस रूप में हेज करता है या नहीं, यह एक तथ्यात्मक विषय (सिर्फ एक कथन या प्रलेखीकरण नहीं) है। इसलिए, प्रतिष्ठान एक खास लेखा परिणाम को प्राप्त करने के लिए सिर्फ निवल आधार पर हेजिंग लेखा को लागू नहीं कर सकता है यदि वह इसके जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा। निवल स्थिति हेजिंग को एक स्थापित जोखिम प्रबंधन रणनीति का भाग अवश्य बनना चाहिए। सामान्यतः यह प्रमुख प्रबंधन कार्मिक द्वारा अनुमोदित होगा, जैसाकि भारतीय लेखा मानक 24 में परिभाषित है।

- ख 6.6.2 उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान 'क' की जिसकी कार्यात्मक मुद्रा इसकी स्थानीय मुद्रा है, नौ महीने के समय में विज्ञापन खर्चों के लिए एफ सी 150,000 अदा करने की दृढ़ वचनबद्धता है तथा 15 महीने के समय में एफ सी 150,000 के लिए तैयार माल बेचने की दृढ़ वचनबद्धता है। प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न में प्रवेश करेगा जो नौ महीने के समय में इसका निपटान करेगा जिसके अंतर्गत यह एफ सी 100 प्राप्त करेगा और रुपये 70 का भुगतान करेगा। प्रतिष्ठान 'क' को एफ सी के लिए कोई अन्य एक्सपोजर नहीं है। प्रतिष्ठान 'क' निवल आधार पर विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंध नहीं करता है। इसलिए, प्रतिष्ठान 'क' विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न तथा एफ सी 100 के बीच (दृढ़ खरीद वचनबद्धता एफ सी 150,000 - अर्थात् विज्ञापन सेवाएं तथा दृढ़ विक्रय वचनबद्धता एफ सी 1,49,900)(एफ सी 1,50,000 का) हेजिंग संबंध के लिए हेज लेखा को नौ महीने की अवधि के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।
- ख 6.6.3 यदि प्रतिष्ठान 'क' ने निवल आधार पर विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंध किया है और विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न में प्रविष्ट नहीं हुआ है (क्योंकि यह विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर को घटाने के बजाय बढ़ा देता है), तब प्रतिष्ठान नौ महीने के लिए स्वाभाविक हेजड स्थिति में रहेगा। सामान्यतः यह हेजड स्थिति वित्तीय विवरणों में प्रतिबिम्बित नहीं होगी क्योंकि भविष्य में लेन-देनों को भिन्न-भिन्न रिपोर्टिंग अवधियों में मान्यता दी जाती है। शून्य निवल स्थिति हेज लेखा के लिए केवल तभी पात्र होगी यदि अनुच्छेद 6.6.6 में दी गई स्थिति पूरी हो जाती है।
- ख 6.6.4 जब मदों का एक समूह जो निवल स्थिति को गठित करता है, हेजड मद के रूप में नामोद्दिष्ट होता है, तब प्रतिष्ठान मदों के समग्र समूह को नामोद्दिष्ट करता है जो उन मदों को सम्मिलित करता है जो निवल स्थिति को बनाता है। प्रतिष्ठान को निवल स्थिति की गैर-विशिष्ट अमूर्त राशि को नामोद्दिष्ट करने की अनुमति नहीं होती है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान का नौ महीने के समय में एफ सी 100 के लिए दृढ़ विक्रय वचनबद्धताओं का समूह है। प्रतिष्ठान एफ सी 20 तक की निवल स्थिति की अमूर्त राशि को नामोद्दिष्ट नहीं कर सकता है। बजाय इसके, यह खरीदों की सकल राशि तथा बिक्रियों की सकल राशि को नामोद्दिष्ट करेगा जो एक साथ हेजड निवल स्थिति को उत्पन्न करता है। प्रतिष्ठान सकल स्थितियों को नामोद्दिष्ट करेगा जिससे कि प्रतिष्ठान अर्हक हेजड संबंधों को लेखा के लिए अपेक्षाओं को पूरा करने के योग्य हो जाता है।

निवल स्थिति की हेजिंग के लिए हेज प्रभावशीलता अपेक्षाओं को लागू करना

- ख 6.6.5 जब प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि अनुच्छेद 6.4.1(ग) की हेज प्रभावशीलता अपेक्षाएँ क्या पूरी हो गयी हैं जब यह निवल स्थिति का हेज करता है। तब, यह निवल स्थिति में मदों के मूल्य में हुए परिवर्तनों पर विचार करेगा जिसका उसी तरह का प्रभाव होता है जैसे उचित मूल्य परिवर्तन के संयोजन में हेज लिखत पर होता है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान का नौ महीने के समय में एफ सी 100 के लिए दृढ़ विक्रय वचनबद्धताओं का समूह होता है तथा एफ सी 120 के लिए 18 महीने के समय में दृढ़ खरीद वचनबद्धताओं का समूह होता है। यह एफ सी 20 की लिए वायदा विनिमय अनुबंध का प्रयोग करके एफ सी 20 के निवल स्थिति के विदेशी मुद्रा जोखिम की हेज करता है। अनुच्छेद 6.4.1 (ज) की हेज प्रभावशीलता अपेक्षाएँ पूरी होती हैं या नहीं, यह निर्धारण करते समय प्रतिष्ठान निम्नलिखित के बीच संबंधों पर विचार करेगा:

(क) दृढ़ विक्रय वचनबद्धताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम संबंधी वायदा विनिमय अनुबंध पर उचित मूल्य परिवर्तन, तथा

(ख) दृढ़ खरीद वचनबद्धताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम।

- ख 6.6.6 इसी तरह, यदि अनुच्छेद ख 6.6.5 में दिए गए उदाहरण में प्रतिष्ठान की निवल स्थिति शून्य थी तो यह दृढ़ बिक्री वचनबद्धताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम तथा दृढ़ खरीद वचनबद्धताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम के बीच संबंध पर तब विचार किया जाएगा जब यह निर्धारित किया जाएगा कि अनुच्छेद 6.4.1 (ग) की हेज प्रभावशीलता अपेक्षाएँ पूरी हुई हैं या नहीं।

नकदी प्रवाह हेज जो निवल स्थिति गठित करता है

- ख 6.6.7 प्रतिष्ठान जब समंजित (ऑफसेटिंग)जोखिम स्थितियों (अर्थात् निवल स्थिति) के साथ मदों के समूह का हेज करता है, तब हेज लेखा के लिए पात्रता हेज के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि हेज उचित मूल्य हेज है, तो निवल स्थिति हेजड मद के रूप में केवल तभी पात्र हो सकती है यदि यह विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग करता है तथा उस निवल स्थिति का नामोद्देश्य उस रिपोर्टिंग अवधि का विशेष रूप से उल्लेख करता है जिसमें पूर्वानुमान लेन-देनों से लाभ या हानि को प्रभावित होने की प्रत्याशा की जाती है तथा उनकी प्रकृति तथा परिमाण का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है।
- ख 6.6.8 उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान की एक निवल स्थिति होती है जो बिक्रियों की एफ सी 100 का निम्न परत तथा खरीदों की एफ सी 150 का निम्न परत तथा खरीदों की एफ सी 150 का निम्न परत होता है। बिक्रियाँ तथा खरीदारियाँ, दोनों एक ही विदेशी मुद्रा में हैं। हेजड निवल स्थिति के नामोद्देश्य पर्याप्त रूप से उल्लिखित करने के क्रम में प्रतिष्ठान हेज संबंध के मूल प्रलेखीकरण में

विशिष्ट रूप से उल्लेख करता है कि बिक्रियाँ उत्पाद 'क' या उत्पाद 'ख' की हो सकती हैं तथा खरीदारियाँ मशीनरी टाइप 'क', मशीनरी टाइप 'ख' तथा कच्चा माल 'क' की हो सकती हैं। प्रतिष्ठान प्रत्येक प्रकार के लेन-देनों के परिमाण का भी उल्लेख करेगा। प्रतिष्ठान प्रलेख करता है कि बिक्रियों (एफ सी 100) का निम्नतम परत उत्पाद 'क' का प्रथम एफ सी 70 तथा उत्पाद 'ख' का प्रथम परत एफ सी 30 का पूर्वानुमान बिक्री परिमाण का बनता है। यदि उन बिक्री परिमाणों से भिन्न-भिन्न रिपोर्टिंग अवधियों में लाभ या हानि के प्रभावित होने की अपेक्षा (प्रत्याशा) है, तो प्रतिष्ठान उसे उस प्रलेखीकरण में सम्मिलित करेगा, उदाहरण के लिए, उत्पाद 'क' की बिक्रियों से प्रथम एफ सी 70 के, जिनके प्रथम रिपोर्टिंग अवधि में लाभ या हानि के प्रभावित होने की संभावना है तथा उत्पाद 'ख' की बिक्रियों से प्रथम एफ सी 30 के, जिनके द्वितीय रिपोर्टिंग अवधि में लाभ या हानि के प्रभावित होने की संभावना है। प्रतिष्ठान यह भी प्रलेखबद्ध करता है कि खरीदारियों (एफ सी 150) का निम्नतम परत मशीनरी टाइप 'क' का प्रथम एफ सी 60, मशीनरी टाइप 'ख' का प्रथम एफ सी 40 तथा कच्चा माल का प्रथम एफ सी 50 की खरीदारी की जाती है। यदि उन खरीद परिमाणों का लाभ-हानि की भिन्न-भिन्न रिपोर्टिंग अवधियों में प्रभावित होना प्रत्याशित है तो प्रतिष्ठान प्रलेखीकरण में रिपोर्टिंग अवधियों तक के खरीद परिमाणों के असमूह को सम्मिलित करेगा जिनमें उनसे लाभ या हानि को प्रभावित करने की अपेक्षा है (उसी तरह से, जैसे यह कैसे विक्रय परिमाणों को प्रलेखबद्ध करता है)। उदाहरण के लिए, पूर्वानुमान लेन-देन को निम्नप्रकार निर्दिष्ट किया जाएगा :

- (क) मशीनरी टाइप 'क' की खरीदारियों का प्रथम एफ सी 60 जो तीसरी रिपोर्टिंग अवधि से अगली दस रिपोर्टिंग अवधियों तक लाभ या हानि को प्रभावित करने के लिए प्रत्याशित है,
- (ख) मशीनरी टाइप 'ख' की खरीदारियों का प्रथम एफ सी 40 जो चौथी रिपोर्टिंग अवधि से अगली 20 रिपोर्टिंग अवधियों तक लाभ या हानि को प्रभावित करने के लिए प्रत्याशित है; तथा
- (ग) कच्चा माल 'क' की खरीदारियों का पृथक एफ सी 50 जिनकी तीसरी रिपोर्टिंग अवधि में प्राप्त होने और उसमें तथा अगली रिपोर्टिंग अवधि में बेच देने अर्थात् लाभ या हानि को प्रभावित करने की प्रत्याशा है।

पूर्वानुमान लेन-देन परिमाणों की प्रकृति का उल्लेख करने में वे पहलू सम्मिलित होंगे जैसे उसी प्रकार की संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मदों के लिए मूल्यहास पैटर्न में किए जाते हैं, यदि उन मदों की प्रकृति ऐसी होती है कि मूल्यहास पैटर्न में प्रतिष्ठान उन मदों का प्रयोग कैसे करता है, उसके आधार पर घट-बढ़ हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिष्ठान मशीनरी टाइप 'क' की मदों का प्रयोग दो भिन्न-भिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में करता है तो उसका परिणाम क्रमशः दस रिपोर्टिंग अवधियों तथा उत्पादन इकाईयों की पद्धति में मूल्यहास की सीधी रेखा के रूप में होता है जिससे इसका मशीनरी टाइप 'क' के लिए पूर्वानुमान खरीद परिमाण का प्रलेखीकरण उस परिमाण से भिन्न-भिन्न होगा जिसके लिए वे मूल्यहास पैटर्न लागू होंगे।

ख 6.6.9 निवल स्थिति के नकदी प्रवाह हेज के लिए, अनुच्छेद 6.5.11 के अनुसार निर्धारित राशियों में निवल स्थिति में मदों के मूल्य में हुए परिवर्तन सम्मिलित किए जाएंगे जिनके हेज लिखत के रूप में हेज लिखत पर उचित मूल्य परिवर्तन के संयोजन में एक जैसे प्रभाव होंगे। तथापि, निवल स्थिति में मदों के मूल्य में हुए परिवर्तनों को, जिनके हेज लिखत के रूप में एक जैसे प्रभाव होते हैं, केवल एक बार उन लेन-देनों को मान्यता दी जाती है जिनसे वे संबंधित हैं, मान्य होते हैं, जैसे जब पूर्वानुमान बिक्री को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान का नौ महीने के समय में एफ सी 100 के लिए अत्यधिक संभाव्य पूर्वानुमान विक्रय का समूह है तथा 18 महीने के समय में एफ सी 120 के लिए अत्यधिक पूर्वानुमान खरीदारियों का समूह है। यह एफ सी 120 के लिए वायदा विनिमय अनुबंध का प्रयोग एफ सी 20 की निवल स्थिति के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग करता है। जब राशियों का निर्धारण होता है जो अनुबंध 6.5.11(क)-6.5.11 (ख) के अनुसार नकद प्रवाह हेजिंग रिजर्व में मान्यता प्राप्त हैं, तब प्रतिष्ठान निम्नलिखित दोनों की तुलना करता है :

- (क) अत्यधिक संभाव्य पूर्वानुमान बिक्रियों के मूल्य में विदेशी मुद्रा जोखिम संबंधित परिवर्तनों के साथ वायदा विनिमय अनुबंध में उचित मूल्य परिवर्तन; और
- (ख) अत्यधिक संभाव्य पूर्वानुमान खरीदारियों के मूल्य में हुए परिवर्तनों से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम।

तथापि, प्रतिष्ठान केवल वायदा विनिमय अनुबंध से संबंधित राशियों को तब तक मान्यता देता है जब तक कि अत्यधिक संभाव्य पूर्वानुमान विक्रय लेन-देनों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है, जिस समय में लाभों या हानियों को उन पूर्वानुमान लेन-देनों पर मान्यता दी जाती है (अर्थात् हेजिंग संबंध के नामोद्देशन तथा राजस्व की मान्यता के बीच विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन से जुड़े मूल्य में परिवर्तन)।

ख 6.6.10 इसी प्रकार, यदि उदाहरण में प्रतिष्ठान की शून्य निवल स्थिति थी तो यह अत्यधिक संभाव्य पूर्वानुमान बिक्रियों के मूल्य में हुए परिवर्तनों से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम की अत्यधिक संभाव्य पूर्वानुमान खरीदारियों के मूल्य में हुए परिवर्तनों से संबंधित

विदेशी मुद्रा जोखिम, के साथ तुलना की जाएगी। तथापि, उन राशियों को एक बार तभी मान्यता दी जाती है जब संबंधित पूर्वानुमान लेन-देनों को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

हेजड मद के रूप में नामोद्दिष्ट मदों के समूहों की परतें

- ख 6.6.11 अनुच्छेद ख 6.3.19 में नोट किए गए समान कारणों के लिए, विद्यमान मदों के समूह के नामोद्दिष्ट करने वाली परत (लेयर) घटक उन मदों के समूह की अंकित राशि के विशिष्ट पहचान की अपेक्षा करती है जिनसे हेजड परत घटकों परिभाषित होती है।
- ख 6.6.12 हेजड संबंध मदों के अनेक भिन्न-भिन्न समूहों से परतों को सम्मिलित कर सकता है। उदाहरण के लिए, आस्तियों के समूह की निवल स्थिति के हेज तथा दायित्वों के समूह में हेज तथा दायित्वों के समूह में, हेजिंग संबंध में, संयोजन में, आस्तियों के समूह के परत का घटक तथा दायित्वों के समूह के परत का घटक हो सकता है।

हेजिंग लिखत लाभों या हानियों का प्रस्तुतिकरण

- ख 6.6.13 यदि मदें नकदी प्रवाह हेज में समूह के रूप में एक साथ हेजड हैं, तो वे लाभ और हानि विवरण में भिन्न-भिन्न व्यवसाय मदों को प्रभावित कर सकते हैं। उस विवरण में हेज लाभों या हानियों के प्रस्तुतिकरण मदों के समूह पर निर्भर करता है।
- ख 6.6.14 यदि मदों के समूह की कोई समंजित जोखिम स्थितियाँ नहीं हैं (उदाहरण के लिए, विदेशी मुद्रा खर्चों का समूह जो लाभ तथा हानि विवरण में भिन्न-भिन्न व्यवसाय मदों को प्रभावित करता है तथा जो विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए हेजड हैं) तो पुनर्वर्गीकृत हेजिंग लिखत लाभों या हानियाँ हेजड मदों द्वारा प्रभावित व्यवसाय मदों में प्रभाजित किए जाएंगे। यह प्रभाजन क्रमवार तथा विवेकपूर्ण आधार पर किया जाएगा तथा एकल प्रतिरक्षित लिखत से उत्पन्न निवल लाभों या हानियों के योग के परिणामस्वरूप नहीं होगा।
- ख 6.6.15 यदि मदों के समूह की समंजित जोखिम स्थितियाँ नहीं हैं (उदाहरण के लिए, विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए विदेशी मुद्रा में नामोद्दिष्ट बिक्रियों तथा खर्चों के समूह एक साथ हेजड हैं) तो प्रतिष्ठान हेज लाभों या हानियों को लाभ और हानि विवरण में पृथक व्यवसाय मद में प्रस्तुत करेगा। उदाहरण के लिए, एफ सी 100 की विदेशी मुद्रा बिक्रियों की निवल स्थिति के विदेशी मुद्रा जोखिम की हेज तथा एफ सी 20 के लिए वायदा विनिमय अनुबंध का प्रयोग करके एफ सी 80 के विदेशी मुद्रा खर्चों पर विचार करें। वायदा विनिमय अनुबंध पर लाभ या हानि, जो लाभ या हानि में नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत किया जाता है (जब निवल स्थिति लाभ या हानि को प्रभावित करती है), की हेजड बिक्रियों तथा खर्चों से पृथक व्यवसाय मद में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, यदि बिक्री खर्चों की अपेक्षा पहले की अवधि में होती है तो बिक्री राजस्व को अभी भी भारतीय लेखा मानक 21 के अनुसार हाजिर (स्पाट) विनिमय दर पर मापा जाता है। संबंधित हेज लाभ या हानि को एक पृथक व्यवसाय मद में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि लाभ या हानि निवल स्थिति की हेज के प्रभाव को नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से समायोजनों को परिलक्षित करता है। जब बाद की अवधि में हेजड खर्चें लाभ या हानि को प्रभावित करते हैं, तो नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में पूर्व में मान्यता प्राप्त हेज लाभ या हानि को बिक्री पर लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है तथा उनसे, जिनमें हेजड खर्चें सम्मिलित हैं, पृथक व्यवसाय मद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो भारतीय लेखा मानक 21 के अनुसार हाजिर विनिमय दर पर मापे जाते हैं।
- ख 6.6.16 उचित मूल्य हेज की कुछ प्रकारों के लिए, हेज का उद्देश्य मुख्यतया हेजड मद के उचित मूल्य परिवर्तन का समंजन करना नहीं होता है बल्कि इसके बजाय हेजड मद के नकदी प्रवाहों को बदल देना है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान ब्याज-दरों स्वेप का प्रयोग करके नियत-दर ऋण लिखत के उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम का हेज करता है। प्रतिष्ठान का हेज उद्देश्य नियत-ब्याज नकदी प्रवाहों को फ्लोटिंग ब्याज नकदी प्रवाहों में बदलना होता है। यह उद्देश्य लाभ या हानि में स्वेप पर निवल ब्याज उर्पाजन को हेजिंग संबंध के लिए लेखा में परिलक्षित होता है। निवल स्थिति की हेज के मामले में (उदाहरण के लिए, नियत दर वाली आस्ति तथा नियत दर वाले दायित्व की निवल स्थिति), इस निवल ब्याज उर्पाजन को लाभ-हानि विवरण में एक पृथक व्यवसाय मद के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह एकल लिखत के निवल लाभों या हानियों की सकल राशियों के समंजन में सकल रूप देने तथा उन्हें भिन्न-भिन्न व्यवसाय मदों में मान्यता देने से बचने के लिए है (उदाहरण के लिए, यह एकल ब्याज-दरों के स्वेप पर निवल ब्याज प्राप्ति को सकल ब्याज स्वरूप राजस्व तथा सकल ब्याज स्वरूप व्यय के योग से बचता है)।

प्रभावी तिथि एवं संक्रमण (परिवर्तन) (अध्याय 7)

संक्रमण (परिवर्तन) (खंड 7.2)

व्यापार के लिए धारित वित्तीय आस्तियाँ

- ख 7.2.1 इस मानक के आरम्भिक प्रयोग की तिथि पर, प्रतिष्ठान यह निर्धारण अवश्य करें कि क्या प्रतिष्ठान का किसी वित्तीय आस्तियों का प्रबंध करने के लिए इसके व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य अनुच्छेद 4.1.2 (क) की स्थिति या अनुच्छेद 4.1.2 (अ) की स्थिति को पूरा करता है या क्या वित्तीय आस्ति अनुच्छेद 5.7.5 में चयन के लिए पात्र है। उस प्रयोजन के लिए, प्रतिष्ठान निर्धारित करेगा

कि वित्तीय आस्तियाँ व्यापार के लिए धारित की परिभाषा को पूरा करती हैं मानों प्रतिष्ठान ने प्रारम्भिक प्रयोग की तिथि को आस्तियाँ खरीदी थीं।

क्षतिग्रस्तता

- ख 7.2.2 संक्रमण के समय, प्रतिष्ठान को प्रारम्भिक मान्यता पर सभी उचित एवं समर्थन योग्य सूचना जो किसी अधिक लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, पर विचार करके ऋण जोखिम का पता लगाया जाना चाहिए। प्रतिष्ठान से संक्रमण की तिथि को निर्धारण करने के समय सूचना के लिए व्यापक खोज का उपक्रम करना अपेक्षित नहीं है, चाहे प्रारम्भिक मान्यता से ही ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हो गई हो। यदि प्रतिष्ठान इस निर्धारण को अधिक लागत या प्रयास के बिना करने में सक्षम नहीं है तो अनुच्छेद 7.2.20 लागू होता है।
- ख 7.2.3 प्रारम्भिक लागू होने की तिथि के पहले प्रारंभ में ही मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखतों पर हानि रियायत निर्धारण करने के क्रम में [या ऋण वचनबद्धताओं या वित्तीय गारंटी अनुबंधों पर जिसमें प्रतिष्ठान उस अनुबंध का पक्षकार (पार्टी) हो गया है] दोनों, संक्रमण तथा उन मदों की अमान्यता होने तक प्रतिष्ठान उस सूचना पर विचार करेगा जो प्रारम्भिक मान्यता पर ऋण जोखिम का निर्धारण करने तथा अनुमान लगाने में प्रासंगिक है। प्रारम्भिक ऋण जोखिम का निर्धारण करने तथा अनुमान लगाने के क्रम में प्रतिष्ठान सूचना पोर्टफोलियो सहित आन्तरिक तथा बाह्य सूचना पर अनुच्छेद ख 5.5.1-ख 5.5.6 के अनुसार विचार कर सकता है।
- ख 7.2.4 अल्प ऐतिहासिक सूचना के साथ प्रतिष्ठान आन्तरिक रिपोर्टों तथा आँकड़ों से (जो यह निर्णय लेने के समय निर्मित) किए गए हैं कि नए उत्पाद को आरम्भ किया जाए या नहीं प्राप्त सूचना का इसी प्रकार के उत्पाद या समान वित्तीय लिखतों, यदि प्रासंगिक हों, समवर्ती समूह अनुभव के बारे में सूचना का प्रयोग कर सकता है।

परिभाषाएँ (परिशिष्ट क)

व्युत्पन्न

- खक 1 व्युत्पन्नों के विशिष्ट उदाहरण फ्युचर तथा वायदा, स्वैप तथा आप्शन अनुबंध हैं। व्युत्पन्न की आमतौर पर नोशनल आय होती है, जो अनुबंध में विनिर्दिष्ट मुद्रा की राशि, शेयरों की संख्या, वजन या परिमाण की इकाईयों की संख्या या अन्य इकाईयाँ होती हैं। तथापि, व्युत्पन्न लिखत धारक या लेखक (राइटर) से अनुबंध के प्रारम्भ में नोशनल राशि के निवेश करने या प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करता है। वैकल्पिक रूप में, व्युत्पन्न उस निश्चित भुगतान या भुगतान की राशि की अपेक्षा कर सकता है जिसका कुछ भावी घटनाओं के परिणामस्वरूप परिवर्तन (किन्तु अंडरलाइंग में परिवर्तन के साथ समानुपातिक रूप से नहीं) हो सकता है जो नोशनल राशि से असंबंधित होता है। उदाहरण के लिए, अनुबंध रूपये 1,000 के निश्चित भुगतान की अपेक्षा कर सकता है यदि छह महीने का लीबोर 100 आधार बिन्दुओं से बढ़ जाता है। इस प्रकार का अनुबंध एक व्युत्पन्न है, भले ही नोशनल राशि विनिर्दिष्ट नहीं होती है।
- खक 2 इस मानक में व्युत्पन्न की परिभाषा उन अनुबंधों को सम्मिलित करती है जो अंडरलाइंग मद की सुपुर्दगी द्वारा (यथा नियत दर ऋण लिखत खरीदने के लिए वायदा अनुबंध) सकल रूप में निपटाए जाते हैं। प्रतिष्ठान का गैर-वित्तीय मद को खरीदने या बेचने के लिए ऐसा अनुबंध हो सकता है जो नकद या वित्तीय लिखत में निवल रूप में या वित्तीय लिखतों के विनिमय द्वारा निपटाए जा सकते हैं (यथा भावी तारीख पर नियत कीमत में वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए अनुबंध)। ऐसा एक अनुबंध तब तक इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होता है जब तक यह उसमें प्रविष्ट नहीं हुआ था तथा प्रतिष्ठान के संभावित खरीद, बिक्री या उपयोग अपेक्षाओं के अनुसार गैर-वित्तीय मद की सुपुर्दगी के प्रयोजन के लिए धारण किया जाना जारी नहीं रहता है। तथापि, प्रतिष्ठान यदि अनुच्छेद 2.5 के अनुसार नामोद्देशन करता है तो यह मानक प्रतिष्ठान के संभावित खरीद, बिक्री या उपयोग अपेक्षाओं के लिए ऐसे अनुबंधों पर लागू होता है (देखें अनुच्छेद 24-27)।
- खक 3 व्युत्पन्न को परिभाषित करने वाली विशेषताओं में से एक यह है कि इसका एक प्रारम्भिक निवल निवेश है जो अन्य प्रकार के अनुबंधों के लिए अपेक्षित होने वाले की तुलना में छोटा होता है जो बाजार के कारकों में हुए परिवर्तनों के इसी प्रकार के प्रत्युत्तर में संभावित होंगे। एक आप्शन अनुबंध इस परिभाषा को पूरा करता है क्योंकि निवेश की तुलना में प्रीमियम कम है जो अंडरलाइंग वित्तीय लिखत को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित होगा जिससे आप्शन जुड़ा हुआ है। मुद्रा स्वैप जो बराबर एक समान उचित मूल्यों की भिन्न-भिन्न मुद्राओं के प्रारम्भिक विनिमय की अपेक्षा करता है, परिभाषा को पूरा करता है क्योंकि इसका प्रारम्भिक निवल निवेश शून्य होता है।
- खक 4 एक नियमित खरीद या बिक्री व्यापार की तिथि तथा निपटान की तिथि के बीच नियत कीमत वचनबद्धता को उत्पन्न करता है जो व्युत्पन्न की परिभाषा को पूरा करता है। तथापि, प्रतिबद्धता की अल्पावधि के कारण इसे व्युत्पन्न वित्तीय लिखत के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। इसके बजाय, यह मानक ऐसे नियमित खरीद अनुबंधों के लिए विशेष लेखा का प्रावधान करता है (अनुच्छेद 3.1.2 तथा ख 3.1.3 ख 3.1.6 तक)।

खक 5 व्युत्पन्न की परिभाषा का संबंध गैर-वित्तीय परिवर्तनशीलता से होता है जो अनुबंध के पक्ष (पार्टी) के लिए विशिष्ट नहीं होती है। इसमें किसी क्षेत्र विशेष में आए भूकंप से हुई हानियों की सूची तथा किसी शहर विशेष में तापमानों की सूची सम्मिलित होती है। अनुबंध से संबंधित पक्ष (पार्टी) के लिए विशिष्ट गैर-वित्तीय परिवर्तनशीलों में आग लगने की घटना या गैर-घटना सम्मिलित होती है जो अनुबंध के पक्ष (पार्टी) की आस्ति को क्षति पहुँचती है या नष्ट कर देती है। गैर-वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन स्वामी के लिए तब विशिष्ट होता है यदि उचित मूल्य ऐसी आस्तियों के लिए (वित्तीय परिवर्तनशील) बाजार-कीमतों में परिवर्तनों को न केवल परिलक्षित करता है बल्कि धारित (गैर-वित्तीय परिवर्तनशीलता) विशिष्ट गैर-वित्तीय आस्ति की स्थिति को भी परिलक्षित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक विनिर्दिष्ट कार का अवशिष्ट मूल्य की गारंटी कार की भौतिक स्थिति में परिवर्तनों के जोखिम से गारंटर को एक्सपोज करता है तो उस अवशिष्ट मूल्य में परिवर्तन कार के स्वामी के लिए विशिष्ट होता है।

व्यापार के लिए धारित वित्तीय आस्तियाँ तथा दायित्व

खक6 व्यापार में सामान्यतः सक्रिय एवं निरन्तर खरीद और बिक्री परिलक्षित होती है तथा व्यापार के लिए धारित वित्तीय लिखतों को सामान्यतः कीमत में अल्पकालिक उतार-चढ़ावों या डीलर के मार्जिन से लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है।

खक7 व्यापार के लिए धारित वित्तीय दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) वे व्युत्पन्न दायित्व जिनका हेज लिखतों के रूप में लेखा नहीं किया जाता है;
- (ख) मंदडिया विक्रेता द्वारा उधार ली गई वित्तीय आस्तियों की सुपुर्द करने का दायित्व (अर्थात् प्रतिष्ठान उन वित्तीय आस्तियों को बेचता है जो उसने उधार पर ली हैं लेकिन वह अभी उनका स्वामी नहीं है);
- (ग) वित्तीय दायित्व जो निकट भविष्य में पुनःक्रय करने के ध्येय से ग्रहण किए गए हैं (जैसे उद्धरित (कोटेड) ऋण लिखत जिसे जारीकर्ता इसके उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों के आधार पर निकट भविष्य में वापस खरीद सकता है); तथा
- (घ) वित्तीय आस्तियाँ जो उस पोर्टफोलियों का हिस्सा हैं जो पहचान की गयी वित्तीय आस्तियों की हैं और जिनका प्रबंध एक साथ इस तरह किया जाता है कि जिनके लिए अल्पकालिक लाभ लेने के हाल के पैटर्न का साक्ष्य है।

खक8 यह तथ्य कि दायित्व का प्रयोग व्यापार गतिविधियों में जमा करने के लिए होता है, स्वयं में उस दायित्व को वैसा एक नहीं बनाता है जो व्यापार के लिए रखा गया है।

परिशिष्ट ग

विदेशी परिचालन में निवल निवेश की हेज

(यह परिशिष्ट इंड ए एस 109 का अभिन्न अंग है।)

पृष्ठभूमि

1. अधिकांश रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठानों के विदेशी परिचालनों में निवेश है (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 8 में परिभाषित है)। ऐसे विदेशी परिचालन, अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा शाखाएं हो सकती हैं। इंड ए एस 21 अपेक्षा करता है कि प्रतिष्ठान अपने प्रत्येक विदेशी परिचालनों की कार्यात्मक मुद्रा को उस परिचालन की प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निश्चय करे। जब विदेशी परिचालन के परिणामों तथा वित्तीय स्थिति का रूपान्तरण प्रस्तुति मुद्रा में किया जाता है, तब प्रतिष्ठान से अन्य व्यापक आय में विदेशी विनिमय अन्तरों को तब तक मान्यता देने की अपेक्षा की जाती है जबतक यह विदेशी परिचालन का निपटान न कर दें।
2. विदेशी परिचालन में निवल निवेश से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम की हेज लेखा केवल तभी लागू होगा जब उस विदेशी परिचालन की निवल आस्तियाँ वित्तीय विवरणों⁵ में सम्मिलित होती हैं। विदेशी परिचालन में निवल निवेश से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के संबंध में हेज होने वाली मद, विदेशी परिचालन की निवल आस्तियों की अग्रणीत राशि के बराबर या उससे कम निवल आस्तियों की राशि हो सकती है।
3. इंड ए एस 109 हेज लेखा संबंध में पात्र हेज मद तथा पात्र हेजिंग लिखतों के नामोद्देशन की अपेक्षा करता है। यदि निवल निवेश हेज के मामले में हेजिंग संबंध नामोद्दिष्ट है तो हेज लिखत पर लाभ या हानि, जिसका निवल निवेश का प्रभावी हेज होना निश्चित है, अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है तथा विदेशी परिचालन के परिणामों एवं वित्तीय स्थिति के रूपान्तरण से उत्पन्न विदेशी विनिमय अन्तरों के साथ सम्मिलित है।
4. अनेक विदेशी परिचालनों वाले प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा जोखिमों की संख्या के लिए एक्सपोज हो सकता है। यह परिशिष्ट विदेशी मुद्रा जोखिमों का पता लगाने के लिए दिशा-निर्देश देता है जो विदेशी परिचालन में निवल निवेश की हेज में हेजड जोखिम के रूप में अर्हता प्राप्त करता है।

⁵ यह मामला समेकित वित्तीय विवरणों, वित्तीय विवरणों जिनमें निवेश, जैसेकि सहयोगी प्रतिष्ठान तथा संयुक्त उद्यम, का लेखा इक्विटी विधि का प्रयोग करके किया जाता है, तथा वित्तीय विवरणों जिनमें शाखा या संयुक्त परिचालन सम्मिलित है जैसा कि इंड ए एस 111, संयुक्त व्यवस्थाएँ, में परिभाषित है, उन सबका है।

5. इंड ए एस 109 प्रतिष्ठान को विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए हेजिंग लिखतों के रूप में या तो एक व्युत्पन्न या एक गैर-व्युत्पन्न वित्तीय लिखत को (अथवा व्युत्पन्न तथा गैर-व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के संयोजन को) नामोद्दिष्ट करने की अनुमति देता है। यह परिशिष्ट दिशा-निर्देश देता है कि समूह के अन्दर हेजिंग लिखतों को, जो विदेशी परिचालन में निवल निवेश की हेज हैं, कहाँ हेज लेखा की अर्हता के लिए धारित किया जा सकता है।
6. इंड ए एस 21 तथा इंड ए एस 109 विदेशी परिचालन के परिणामों एवं वित्तीय स्थिति के रूपान्तरण से उत्पन्न दोनों विदेशी विनिमय अन्तरों तथा हेजिंग लिखत पर लाभ (गेन) या हानि से संबंधित अन्य व्यापक आय में मान्य उन संचयी राशियों की अपेक्षा करते हैं जो पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत होने वाले निवेश का प्रभावी हेज होना तब निश्चित है जब मूल प्रतिष्ठान विदेशी परिचालन का निपटान करता है। यह परिशिष्ट दिशा-निर्देश देता है कि प्रतिष्ठान को हेजिंग लिखत तथा हेजड मद दोनों के लिए इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाने वाली राशियों को कैसे निश्चित करनी चाहिए।

कार्यक्षेत्र

7. यह परिशिष्ट उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो विदेशी परिचालनों में इसके निवल निवेशों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग करता है तथा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसरण में हेज लेखा के लिए अर्हता की कामना करता है। सुविधा के लिए, यह परिशिष्ट मूल प्रतिष्ठान के रूप में एक ऐसे प्रतिष्ठान तथा वित्तीय विवरणों का उल्लेख (संदर्भ) करता है जिसमें विदेशी परिचालनों के निवल निवेशों को समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। मूल प्रतिष्ठान के सभी संदर्भ प्रतिष्ठान पर बराबर (समान रूप से) लागू होते हैं जिनका विदेशी परिचालन में निवल निवेश होता है जो एक संयुक्त उद्यम, एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा एक शाखा होती है।
8. यह परिशिष्ट विदेशी परिचालनों में निवल निवेशों की केवल उन हेज पर लागू होता है; जिस पर इसे अन्य प्रकार के हेज लेखा पर समरूप द्वारा लागू नहीं किया जाना चाहिए।

मुद्दे

9. विदेशी परिचालनों में निवेशों को मूल प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा इसके अनुषंगी प्रतिष्ठान या अनुषंगी प्रतिष्ठानों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से धारित किया जा सकता है। इस परिशिष्ट में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई है:
 - (क) हेजड जोखिम तथा हेजड मद की राशि की प्रकृति जिसके लिए हेजिंग संबंध नामोद्दिष्ट किए जा सकते हैं:
 - (i) क्या मूल प्रतिष्ठान अपनी तथा अपने विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा के बीच के अन्तर से उत्पन्न विदेशी विनिमय अन्तरों को केवल हेजड जोखिम के रूप में नामोद्दिष्ट कर सकता है, अथवा क्या यह मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों के प्रस्तुति मुद्रा तथा विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा के बीच के अन्तर से उत्पन्न विदेशी विनिमय अन्तरों को हेजड जोखिम के रूप में भी नामोद्दिष्ट कर सकता है;
 - (ii) यदि मूल प्रतिष्ठान अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी परिचालन धारण करता है, तो क्या हेजड जोखिम, विदेशी परिचालन तथा इसके आसन्न (निकटवर्ती) मूल प्रतिष्ठान के बीच के कार्यात्मक मुद्राओं के अन्तरों से उत्पन्न केवल विदेशी विनिमय अन्तरों को सम्मिलित कर सकता है, अथवा क्या हेजड जोखिम, विदेशी परिचालन तथा किसी मध्यस्थ (अन्तर्वर्ती) या अन्तिम मूल प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा के बीच किसी विदेशी विनिमय अन्तरों को भी सम्मिलित कर सकता है (अर्थात् क्या वह तथ्य कि जो विदेशी परिचालन में निवल निवेश अन्तर्वर्ती मूल प्रतिष्ठान के माध्यम से धारित है वह अन्तिम मूल प्रतिष्ठान के आर्थिक जोखिम को प्रभावित करता है)।
 - (ख) जहां एक समूह में हेजिंग लिखत धारित किया जा सकते हैं:
 - (i) क्या एक अर्हक हेज लेखा संबंध केवल तभी स्थापित हो सकता है यदि अपने निवल निवेश की हेजिंग करने वाला प्रतिष्ठान हेजिंग लिखत का एक पक्ष (पार्टी) होता है अथवा क्या समूह में कोई प्रतिष्ठान, इसके कार्यात्मक मुद्रा पर विचार किये बिना हेजिंग लिखत को धारण कर सकता है;
 - (ii) क्या हेज लिखत की प्रकृति (व्युत्पन्न अथवा गैर-व्युत्पन्न) या समेकन विधि हेज प्रभावशीलता के निर्धारण को प्रभावित करता है।
 - (ग) विदेशी परिचालन के निपटान पर पुनर्वर्गीकरण समायोजनों के रूप में किन राशियों को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाना चाहिए:
 - (i) जब एक विदेशी परिचालन को, जो हेजड था, का निपटान कर दिया जाता है तो हेजिंग लिखत के संबंध में तथा उस विदेशी परिचालन के संबंध में मूल प्रतिष्ठान के विदेशी मुद्रा रूपान्तरण आरक्षित (रिजर्व) से किन राशियों को मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
 - (ii) क्या समेकन विधि इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाने वाली राशियों के निर्धारण को प्रभावित करता है।

लेखा-सिद्धान्त

हेजड जोखिम की प्रकृति तथा हेजड मद की राशि जिसके लिए हेजिंग संबंध नामोद्दिष्ट किया जा सकता है

10. हेज लेखा, केवल विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा तथा मूल प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा के बीच उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय अन्तरों के लिए लागू हो सकते हैं।
11. विदेशी परिचालन में निवल निवेश से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेज में हेजड मद मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में निवल आस्तियों की राशि विदेशी परिचालन में निवल आस्तियों की अग्रणीत राशि के बराबर या कम हो सकती है। विदेशी परिचालन की निवल आस्तियों की अग्रणीत राशि, जो मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में हेजड मद के रूप में नामोद्दिष्ट हो सकते हैं, इस पर निर्भर करता है कि विदेशी परिचालन का कोई निम्नतर स्तर का मूल प्रतिष्ठान उस विदेशी परिचालन की निवल आस्तियों के सभी या उनके एक भाग के लिए हेज लेखा लागू करता है तथा उस लेखा को मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में जारी रखा गया है।
12. हेजड जोखिम, विदेशी परिचालन के कार्यात्मक मुद्रा तथा उस विदेशी परिचालन के मूल प्रतिष्ठान (निकटवर्ती, अन्तर्वर्ती अथवा अन्तिम मूल प्रतिष्ठान) की कार्यात्मक मुद्रा के बीच उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के रूप में नामोद्दिष्ट हो सकते हैं। यह तथ्य कि निवल निवेश एक अन्तर्वर्ती मूल प्रतिष्ठान के माध्यम से धारित है, अन्तिम मूल प्रतिष्ठान के लिए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पन्न आर्थिक जोखिम की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है।
13. विदेशी परिचालन में निवल निवेश से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम का एक्सपोजर समेकित वित्तीय विवरणों में केवल एक बार हेज लेखा के लिए अर्हक हो सकता है। इसलिए, यदि विदेशी परिचालन की वही निवल आस्तियाँ एक से अधिक मूल प्रतिष्ठान, समूह के अंतर्गत (उदाहरणार्थ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मूल प्रतिष्ठान दोनों) समान जोखिम के लिए हेजड होते हैं तो अन्तिम मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में हेज लेखा के लिए केवल एक हेजिंग संबंध ही अर्हक होगा। एक मूल प्रतिष्ठान द्वारा अपने समेकित वित्तीय विवरणों में नामोद्दिष्ट हेजिंग संबंध को दूसरे उच्चतर स्तर के मूल प्रतिष्ठान द्वारा जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यदि इसे उच्चतर स्तर के मूल प्रतिष्ठान द्वारा जारी नहीं रखा जाता है तो निम्नतर स्तर के मूल प्रतिष्ठान द्वारा प्रयुक्त हेज लेखा को उच्चतर स्तर के मूल प्रतिष्ठान की हेज लेखा को मान्यता दिए जाने के पहले पलट दिया जाना चाहिए।

हेजिंग लिखत को कहां धारित किया जा सकता है

14. एक व्युत्पन्न अथवा गैर-व्युत्पन्न लिखत को (या व्युत्पन्न तथा गैर-व्युत्पन्न लिखतों का संयोजन) विदेशी परिचालन में निवल निवेश की हेज में हेजिंग लिखत के रूप में नामोद्दिष्ट किया जा सकता है। हेजिंग लिखत (लिखतों) को किसी प्रतिष्ठान द्वारा या प्रतिष्ठानों द्वारा समूह के अंतर्गत तब तक धारित किया जा सकता है, जब तक नामोद्देशन, प्रलेखन तथा प्रभावशीलता की अपेक्षाएँ इंड ए एस 109 के अनुच्छेद 6.4.1 के अनुसार जो निवल निवेश हेज से संबंधित होती हैं, पूरी होती हैं। विशेष रूप से, समूह की हेज रणनीति समूह के भिन्न-भिन्न स्तरों पर विभिन्न नामोद्देशनों की संभावना के कारण स्पष्ट रूप से प्रलेखीकृत होनी चाहिए।
15. प्रभावशीलता की समीक्षा करने के प्रयोजन के लिए विदेशी विनिमय जोखिम के संबंध में हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन की गणना मूल प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा के संदर्भ द्वारा किया जाता है, जिसकी कार्यात्मक मुद्रा के विरुद्ध हेज लेखा प्रलेखन के अनुसार हेजड जोखिम को मापा जाता है। हेजिंग लिखत कहां धारित है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हेज लेखा के अभाव में मूल्य में हुए कुल परिवर्तन को लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय, या दोनों में मान्यता दी जा सकती है। तथापि, प्रभावशीलता की समीक्षा इस बात से प्रभावित नहीं होती है कि हेजिंग लिखत के मूल्य में हुए परिवर्तन को लाभ या हानि अथवा अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है या नहीं। हेज लेखा के उपयोग के भाग (अंश) के रूप में, परिवर्तन का कुल प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय में सम्मिलित होता है। प्रभावशीलता का निर्धारण इस बात से प्रभावित नहीं होता है कि क्या हेजिंग लिखत एक व्युत्पन्न या गैर-व्युत्पन्न लिखत है अथवा समकेन विधि द्वारा।

हेजड विदेशी परिचालन का निपटान

16. जब विदेशी परिचालन का निपटान किया जाता है, जो हेजड था, तो हेजिंग लिखत के संबंध में मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में हुए विदेशी मुद्रा रूपान्तरण प्रारक्षित निधि (रिजर्व) से पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत राशि वह राशि है जिसकी इंड ए एस 109 का अनुच्छेद 6.5.14 पता लगाए जाने की अपेक्षा करता है। वह राशि हेजिंग लिखत पर संचित लाभ (गेन) या हानि होता है जिसका प्रभावी हेज के रूप में निर्धारण किया गया था।
17. इंड ए एस 21 के अनुच्छेद 48 के अनुसरण में उस विदेशी परिचालन में निवल निवेश के संबंध में मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में विदेशी मुद्रा रूपान्तरण प्रारक्षित निधि (रिजर्व) से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत राशि वह राशि है जो मूल प्रतिष्ठान के विदेशी मुद्रा रूपान्तरण प्रारक्षित निधि (रिजर्व) में सम्मिलित होती है। अन्तिम मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में सभी विदेशी परिचालनों के संबंध में विदेशी मुद्रा रूपान्तरण प्रारक्षित निधि (रिजर्व) में मान्य सकल निवल राशि समेकन विधि से

प्रभावित नहीं होती है। तथापि, क्या अन्तिम मूल प्रतिष्ठान समेकन⁶ की सीधी या चरणबद्ध विधि का प्रयोग करता है या नहीं, यह व्यक्तिगत विदेशी परिचालन के संबंध में इसके विदेशी मुद्रा रूपान्तरण प्रारक्षित निधि (रिजर्व) में सम्मिलित राशि को प्रभावित कर सकता है। समेकन के चरणबद्ध विधि के प्रयोग का परिणाम, हेज प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त उस राशि से भिन्न राशि का लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकरण हो सकता है। यह अन्तर उस विदेशी परिचालन से संबंधित राशि को निर्धारित करके हटाया (विलुप्त किया) जा सकता है जो तब उत्पन्न हुआ होता जब समेकन के लिए प्रत्यक्ष (सीधा) विधि का प्रयोग किया जाता। यह समायोजन करना इंड ए एस 21 द्वारा अपेक्षित नहीं है। तथापि, यह एक लेखा नीति चयन है जिसका सभी निवल निवेशों के लिए संगत रूप से पालन किया जाना चाहिए।

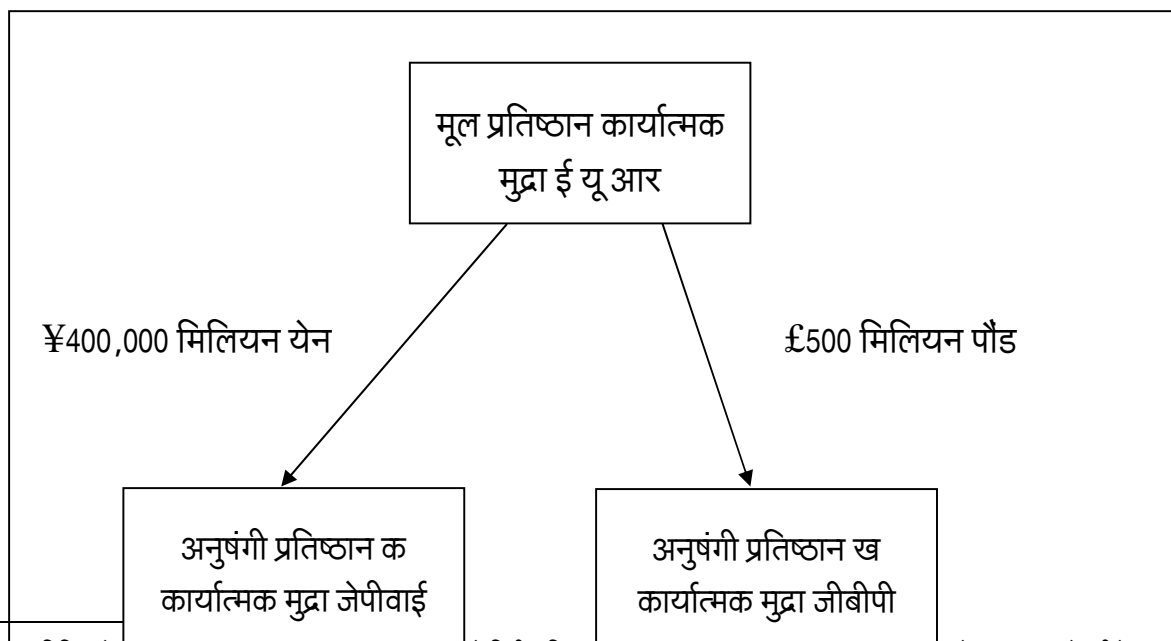
परिशिष्ट ग के लिए उपयोगसंबंधी दिशा-निर्देश

उपयोग सम्बन्धी दिशा-निर्देश (उदि) परिशिष्ट 'ग' का अभिन्न अंग है।

- उदि 1 दिशा-निर्देश संबंधी यह उपयोग नीचे स्पष्ट किए गए कारपोरेट संरचना का प्रयोग करते हुए परिशिष्ट ग के उपयोग को स्पष्ट करता है। सभी मामलों में वर्णित हेजिंग संबंधों की प्रभावशीलता के लिए परीक्षण इंड ए एस 109 के अनुसरण में होंगे, यद्यपि इस परिशिष्ट में इस परीक्षण की चर्चा नहीं की गई है। अन्तिम मूल प्रतिष्ठान होने के नाते, मूल प्रतिष्ठान 'यूरो' (ई यू आर)⁷ की कार्यात्मक मुद्रा में अपने समेकित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान पूर्ण स्वामित्व में है। मूल प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' में 500 मिलियन पौंड के निवल निवेश में (कार्यात्मक मुद्रा पौंड स्टर्लिंग (जीबीपी)) अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' के मूल प्रतिष्ठान 'ग' के 300 यू एस डालर (कार्यात्मक मुद्रा यूएस डालर (यू एसडी)) के निवल निवेश के बराबर 159 मिलियन पौंड सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में मूल प्रतिष्ठान 'ख' की निवल आस्तियां मूल प्रतिष्ठान 'ग' में इसके निवेश की छोड़कर 341 मिलियन पौंड हैं।

हेजिंग जोखिम की प्रकृति जिसके लिए हेजिंग संबंध नामोद्दिष्ट किया जा सकता है (अनुच्छेद 10-13)

- उदि 2 मूल प्रतिष्ठान, विदेशी विनिमय जोखिम के लिए क, ख तथा ग के प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठानों में उनकी संबंधित कार्यात्मक मुद्राओं (जापानी-येन (जेपीआई), पौंड्स स्टर्लिंग तथा यूएस डालरों) और यूरो के बीच, अपने निवल निवेश की हेज कर सकता है। मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान ख तथा अनुषंगी प्रतिष्ठान ग की कार्यात्मक मुद्राओं के बीच यूएस डी / जीबीपी विदेशी विनिमय जोखिम की हेजिंग कर सकता है। इसके समेकित वित्तीय विवरणों में अनुषंगी प्रतिष्ठान ख अनुषंगी प्रतिष्ठान ग में यूएस डालरों तथा पौंड्स स्टर्लिंग की उनकी कार्यात्मक मुद्राओं के बीच विदेशी विनिमय जोखिम के लिए अपने निवल निवेश की हेजिंग कर सकता है। निम्नलिखित उदाहरणों में नामोद्दिष्ट जोखिम स्पॉट विदेशी विनिमय जोखिम होता है क्योंकि हेजिंग लिखत व्युत्पन्न नहीं होते हैं। यदि हेजिंग लिखतें फॉरवर्ड अनुबंध थे, तो मूल प्रतिष्ठान फॉरवर्ड विदेशी विनिमय जोखिम को नामोद्दिष्ट कर सकते थे।



⁶प्रत्यक्ष विधि समेकन का वह विवाद है जिसमें विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों का अन्तिम मूल प्रतिष्ठान का कार्यात्मक मुद्रा में प्रत्यक्ष रूप से (सीधे) रूपान्तरण किया जाता है। चरणबद्ध विधि समेकन की वह विधि है जिसमें विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों को किसी अन्तर्वर्ती मूल प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठानों) की कार्यात्मक मुद्रा में पहले रूपान्तरित किए जाते हैं तथा बाद में अन्तिम मूल प्रतिष्ठान (या प्रस्तुति मुद्रा यदि भिन्न हों) की कार्यात्मक मुद्रा में रूपान्तरित किए जाते हैं।

यूएस डालर \$ 300 मिलियन
(159 मिलियन पाँड के बराबर)

अनुषंगी प्रतिष्ठान ग
कार्यात्मक मुद्रा यूएसडी

हेजिंग मद की राशि जिसके लिए हेजिंग संबंध को नामोद्दिष्ट किया जा सकता है (अनुच्छेद 10-13)

- उदि 3 मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान ग में अपने निवल निवेश से विदेशी विनिमय जोखिम का हेज करना चाहता है (करने की इच्छा रखता है)। मान लें कि अनुषंगी प्रतिष्ठान 'क' के पास 300 मिलियन यूएस डालर का बाहरी उधार (ऋण) है। अनुषंगी प्रतिष्ठान क की निवल आस्तियां, रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में 300 मिलियन यू एस डालर के बाहरी उधार की प्राप्तियों सहित, 400,000 मिलियन येन की हैं।
- उदि 4 मूल प्रतिष्ठान के अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अनुषंगी प्रतिष्ठान ग (300 मिलियन यूएस डालर) में निवल निवेश की अग्रणीत राशि के बराबर या उससे कम हेजिंग मद निवल आस्तियों की राशि हो सकती है। अपने समेकित वित्तीय विवरणों में मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान ग की 300 मिलियन यूएस डालर निवल आस्तियों में अपने निवल निवेश से संबद्ध ईयूआर / यू एस डी हाजिर विदेशी विनिमय जोखिम की हेज के रूप में अनुषंगी प्रतिष्ठान क में 300 मिलियन यूएस डालर के बाहरी उधार (ऋण) को नामोद्दिष्ट किया जा सकता है। इस मामले में, अनुषंगी प्रतिष्ठान क में 300 मिलियन यूएस डालर के बाहरी उधार (ऋण) पर ईयू आर / यूएस डी दोनों के विदेशी विनिमय अन्तर तथा अनुषंगी प्रतिष्ठान ग में 300 मिलियन यूएस डालर के निवल निवेश पर ई यू आर / यूएस डी विदेशी विनिमय अन्तर को हेज लेखा के प्रयोग के बाद मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में विदेशी मुद्रा रूपान्तरण आरक्षित निधि (रिजर्व) में सम्मिलित किए गए हैं।
- उदि 5 हेज लेखा के अभाव में (नहीं होने पर) अनुषंगी प्रतिष्ठान क में 300 मिलियन यू एस डालर के बाहरी उधार (ऋण) पर कुल यूएस डी / ईयू आर विदेशी विनिमय के अन्तर की मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्न प्रकार मान्यता दी जाएगी:

- यू एसडी/ जे पी वाईस्पॉट विदेशी विनिमय दर परिवर्तन, यूरो में रूपान्तरित, लाभ या हानि में, और
- जे पी वाई/ ई यू आरस्पॉट विदेशी विनिमय दर परिवर्तन अन्य व्यापक आय में।

अनुच्छेद उदि 4 में नामोद्दिष्ट करने के स्थान पर, मूल प्रतिष्ठान अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अनुषंगी प्रतिष्ठान 'क' में यू एसडी 300 मिलियन के बाहरी उधार को अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' और अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' के बीच जी बी पी / यू एसडी स्पॉट विदेशी विनिमय जोखिम की हेजको नामोद्दिष्ट कर सकता है। इस मामले में, अनुषंगी प्रतिष्ठान 'क' में बाहरी उधार यू एसडी 300 मिलियन पर यू एसडी / ई यू आर का विदेशी विनिमय कुल अन्तर निम्नलिखित अनुसार मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरण में मान्य होगा:

- अनुषंगी प्रतिष्ठान से संबंधित विदेशी मुद्रा रूपान्तरण आरक्षित निधि में जी बी पी/यू एसडी स्पॉट विदेशी विनिमय दर परिवर्तन,
- लाभ या हानि में यूरो में रूपान्तरित जी बी पी / जे पी वाई स्पॉट विदेशी विनिमय दर परिवर्तन, और

- अन्य व्यापक आय में जे पी वाई / ई यू आर स्पॉट विदेशी विनिमय परिवर्तन।

उदि 6 मूल प्रतिष्ठान अपने समेकित वित्तीय विवरणों में ई यू आर / यू एस डी स्पॉट विदेशी विनिमय जोखिम और जी बी पी / यू एस डी दोनों की हेजके रूप में अनुषंगी प्रतिष्ठान 'क' में बाहरी उधार यू एस डी 300 मिलियन को नामोदिदष्ट नहीं कर सकता। एक एकल हैजिंग लिखत उसी नामोदिदष्ट जोखिम को केवल एक बार हेज कर सकती है। अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' अपने समेकित वित्तीय विवरणों में हेजलेखा का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि हैजड लिखत अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' और अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' को मिलाकर एक समूह से बाहर धारित है।

कहां पर एक समूह में एक हैजिंग लिखत को धारित किया जा सकता है (अनुच्छेद 14 व 15)?

उदि 7 जैसाकि उदि 5 में नोट किया गया है, अनुषंगी प्रतिष्ठान 'क' में बाहरी उधार यू एस डी 300 मिलियन के विदेशी विनिमय जोखिम के सम्बंध में मूल्य में कुल परिवर्तन हैजिंग लेखा के अभाव में मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरण में लाभ या हानि (यू एस डी / जे पी वाई स्पॉट जोखिम) और अन्य व्यापक आय (ई यू आर / जे पी वाई स्पॉट जोखिम) दोनों में रिकार्ड किया जाएगा। अनुच्छेद उदि 4 में नामोदिदष्ट हेज की प्रभावशीलता के निर्धारण के प्रयोजन के लिए दोनों राशियों को सम्मिलित किया गया है क्योंकि हेज प्रलेखन के अनुसरण में अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' की यू एस डालर कार्यात्मक मुद्रा के विरुद्ध मूल प्रतिष्ठान को यूरो कार्यात्मक मुद्रा के संदर्भ में हेजड मद और हेज लिखत दोनों के मूल्य में परिवर्तन की संगणना की जाती है। समेकन की विधि (अर्थात् प्रत्यक्ष विधि या चरणबद्ध विधि) हेज की प्रभावशीलता की समीक्षा को प्रभावित नहीं करती है।

विदेशी परिचालन के निपटान पर लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत राशियां (अनुच्छेद 16 एवं 17)

उदि 8 जब अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' का निपटान किया जाता है तो मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि में राशियां विदेशी मुद्रा रूपान्तरण प्रारक्षित निधि (एफ सी टी आर) से पुनर्वर्गीकृत इस प्रकार होती है:

- (क) अनुषंगी प्रतिष्ठान 'क' के यू एस डी 300 मिलियन के बाहरी उधार के सम्बन्ध में भारतीय लेखा मानक 109 की अपेक्षानुसार पता लगायी जाने वाली राशि अर्थात् हेज के प्रभावी भाग के रूप में अन्य व्यापक आय में मान्य विदेशी विनिमय जोखिम के सम्बंध में मूल्य में कुल परिवर्तन ; और
- (ख) अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' में निवल निवेश यू एस डी 300 मिलियन के सम्बन्ध में प्रतिष्ठान की समेकन विधि द्वारा निर्धारित राशि। यदि मूल प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करता है, तो अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' के सम्बन्ध में इसकी विदेशी मुद्रा रूपान्तरण प्रारक्षित निधि (एफ सी टी आर) ई यूआर / यू एस डी विदेशी मुद्रा दर पर सीधे निश्चित किया जाएगा। यदि मूल प्रतिष्ठान चरणबद्ध विधि का प्रयोग करता है तो, अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' का विदेशी मुद्रा रूपान्तरण प्रारक्षित निधि (एफ सी टी आर) अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' द्वारा जी बीपी / यू एडी विदेशी विनिमय दर को परिलक्षित करते हुए और ई यूआर / जी बीपी विदेशी मुद्रा मूल प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा में रूपान्तरित करके दर का प्रयोग करते हुए तथा मान्य 'एफ सी टी आर' द्वारा निश्चित की जाती है। मूल-प्रतिष्ठान का पूर्व अवधियों में समेकन में चरणबद्ध विधि का प्रयोग न तो इससे इस बात की अपेक्षा करता है और न ही उसे इस बात के लिए रोकता है कि वह अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' का निपटान करते समय विदेशी मुद्रा रूपान्तरण प्रारक्षित निधि राशि का पुनर्वर्गीकरण करने का यह निश्चय करे कि वह उस राशि को मान्यता देगा यदि वह लेखा नीति पर निर्भर प्रत्यक्ष विधि का हमेशा प्रयोग करता है।

एक से अधिक विदेशी पारिचालनों की हैजिंग (अनुच्छेद 11, 13 व 15)

उदि 9 निम्नलिखित उदाहरण यह दृष्टांत देते हैं कि मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में हेजड किया जाने वाला जोखिम सदैव कार्यात्मक मुद्रा (यूरो) और अनुषंगी प्रतिष्ठानों 'ख' व 'ग' की कार्यात्मक मुद्राओं के बीच जोखिम होता है। चाहे हेजों को किसी भी तरह से नामोदिदष्ट किया जाए, मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में की विदेशी मुद्रा रूपान्तरण प्रारक्षित निधि में शामिल करने की प्रभावी हेज की अधिकतम राशियां कितनी हैं जब दोनों हेज विदेशी परिचालन ई यू आर / यू एस डी जोखिम के लिए यू एस डी 300 मिलियन और ई यू आर / जी बीपी जोखिम के लिए 341 मिलियन पौंड हैं। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण मूल्य में अन्य परिवर्तन मूल प्रतिष्ठान के समेकित लाभ या हानि में शामिल किये जाते हैं। निःसन्देह मूल प्रतिष्ठान के लिए यह संभव है वह यू एस डी/ जी बी पी स्पॉट विदेशी विनिमय दर में परिवर्तनों के लिए केवल यू एस डी 300 मिलियन या जी बी पी / ई यू आर में परिवर्तनों के लिए केवल 500 मिलियन पौंड को नामोदिदष्ट करे।

मूल प्रतिष्ठान दोनों यू एस डी एवं जी बी पी हैजिंग लिखतें धारण करता है

उदि 10 मूल प्रतिष्ठान यह इच्छा कर सकता है कि वह अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' और अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' में अपने निवल निवेश के सम्बन्ध में विदेशी विनिमय जोखिम को हेज करे। मान लें कि मूल प्रतिष्ठान यू एस डालर व पौंड स्टर्लिंग में मूल्यांकित उपयुक्त हैजिंग लिखतें धारण करता है जिन्हें वह अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' व अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' में इसके निवल निवेशों की हेज के लिए

नामोद्दिष्ट कर सकता है। मूल प्रतिष्ठान अपने समेकित वित्तीय विवरणों में जो नामोद्देशन कर सकता है उनके कुछ उदाहरण यह दिये जा रहे हैं:

- (क) मूल प्रतिष्ठान और अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' के बीच (ई यूआर / यू एसडी) स्पॉट विदेशी विनिमय एक्सपोजर के रूप में जोखिम के साथ अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' में निवल निवेश यू एस डी 300 मिलियन की हेज के रूप में नामोद्दिष्ट हेजिंग लिखत यू एस डालर 300 मिलियन और मूल प्रतिष्ठान और अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' के बीच (ई यूआर / जी बी पी) स्पॉट विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के रूप में जोखिम के साथ अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' में निवल निवेश की 341 मिलियन पाँड की हेज के रूप में नामोद्दिष्ट हेजिंग लिखत 341 मिलियन पाँड तक।
- (ख) अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' और अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' के बीच (जी बीपी / यूएसडी) स्पॉट विदेशी विनिमय एक्सपोजर के रूप में जोखिम के साथ अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' में निवल निवेश यू एस डालर 300 मिलियन में नामोद्दिष्ट हेज की हेजिंग के रूप में यू एस डालर 300 मिलियन हेज की लिखत और मूल प्रतिष्ठान और अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' के बीच (ई यूआर / जी बी पी) के स्पॉट विदेशी विनिमय एक्सपोजर के रूप में जोखिम के साथ अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' में निवल निवेश की 500 मिलियन पाँड की हेज के रूप में 500 मिलियन पाँड तक के हेजिंग लिखत।
- उदि 11 मूल प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' में निवल निवेश का ई यूआर / यू एस डी जोखिम मूल प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' में निवल निवेश का ई यूआर / जी बीपी जोखिम से भिन्न है। तथापि, अनुच्छेद उदि 10(क) में वर्णित मामले में धारित यू एसडी हेजिंग लिखत के नामोद्देशन से मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' में अपने निवल निवेश से ई यूआर/यू एसडी जोखिम के प्रति पहले से ही पूर्णतया हेजड है। यदि मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' में अपने 500 मिलियन पाँड की हेज के लिए धारित एक जी बीपी लिखत नामोद्दिष्ट करता है, अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' में निवल निवेश के यू एस डी के समकक्ष जीबीपी के प्रतिनिधित्व में 159 मिलियन पाँड मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में जी बीपी / ई यू आर जोखिम के लिए दोबारा हेजड होंगे।
- उदि 12 अनुच्छेद उदि 10(ख) में वर्णित मामले में, यदि मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' व अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' के बीच (जी बीपी / यू एसडी) स्पॉट विदेशी विनिमय एक्सपोजर के रूप में हैजड को नामोद्दिष्ट करता है तो इसके 300 मिलियन यू एस डालर हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन का केवल जी बीपी / यू एसडी भाग को अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' से सम्बंधित मूल प्रतिष्ठान के विदेशी मुद्रा रूपान्तरण प्रारक्षित निधि में सम्मिलित किया जाएगा। परिवर्तन का शेष भाग (जो 159 मिलियन पाँड पर जी बीपी / ई यू आर के समकक्ष है) अनुच्छेद उदि 5 की तरह मूल प्रतिष्ठान के समेकित लाभ या हानि में सम्मिलित किया जाएगा। क्योंकि अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' व 'ग' के बीच यू एसडी/जी बीपी जोखिम का नामोद्देशन/ जी बीपी/ ई यूआर जोखिम में सम्मिलित नहीं है मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' व मूल प्रतिष्ठान के बीच (जी बीपी / ई यू आर) स्पॉट विदेशी विनिमय एक्सपोजर जोखिम के साथ अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' में निवल निवेश 500 मिलियन पाँड तक नामोद्दिष्ट करने में सक्षम है।

अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' यू एसडी हेजिंग लिखत धारण करता है

- उदि 13 मान लो अनुषंगी प्रतिष्ठान ख बाहरी डेट के यू एस डालर 300 मिलियन धारण करता है जिसकी प्राप्त राशियां (प्रोसीड्ज) पाउण्ड स्टर्लिंग में मूल्यांकित एक अन्तर कम्पनी ऋण द्वारा मूल प्रतिष्ठान में अन्तरित किये गये थे। क्योंकि इसकी (मूल प्रतिष्ठान की) आस्तियां एवं दायित्व दोनों 159 मिलियन पाँड से बढ गये हैं, अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' की निवल आस्तियों में कोई परिवर्तन नहीं, है अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' के समेकित वित्तीय विवरणों में अपने निवल निवेश जी बी पी / यू एस डी जोखिम की हैज के रूप में बाहरी डेट को नामोद्दिष्ट कर सकता है। मूल प्रतिष्ठान जी बीपी / यू एसडी जोखिम के लिए अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' में निवल निवेश 300 मिलियन यू एस डालर की हेज के रूप में हैजिंग लिखत के अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' के नामोद्देशन का रखरखाव कर सकता है (देखें अनुच्छेद 13) और मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' में निवल निवेश 500 मिलियन पाँड के अपने सम्पूर्ण हेज के रूप में धारित जी बी पी हेजिंग लिखत को नामोद्दिष्ट कर सकता है। अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' द्वारा नामोद्दिष्ट प्रथम हेज अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' की कार्यात्मक मुद्रा (पाँड स्टर्लिंग) के संदर्भ में और मूल प्रतिष्ठान द्वारा नामोद्दिष्ट द्वितीय हेज मूल प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा (यूरो) के संदर्भ में समीक्षा की जाएगी। इस मामले में अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' में मूल प्रतिष्ठान का निवल निवेश से केवल जी बी पी / यू एस डी जोखिम मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में यू एसडी हेजिंग लिखत द्वारा हेजड किया गया है, न कि सम्पूर्ण ई यू आर / यू एसडी जोखिम। अतः अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' में मूल प्रतिष्ठान का 500 मिलियन पाँड का निवल निवेश मूल प्रतिष्ठान की समेकित वित्तीय विवरणों में हेजड किया जा सकता है।
- उदि 14 तथापि, अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' को मूल प्रतिष्ठान का 159 मिलियन पाँड का देय ऋण के लेखा पर भी विचार अवश्य किया जाना चाहिए। यदि मूल प्रतिष्ठान का देय ऋण अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' के निवल निवेश के अंग के रूप में विचार में नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 15 की शर्त को पूरा नहीं करता है तो इसके रूपान्तरण से उत्पन्न जी बीपी / ई यू आर विदेशी विनिमय अन्तर मूल प्रतिष्ठान के समेकित लाभ या हानि में सम्मिलित किया जाएगा। यदि अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' को

- 159 मिलियन पौंड का देय ऋण मूल प्रतिष्ठान के निवल निवेश के भाग के रूप में विचार में लिया जाता है, वह निवल निवेश केवल 341 मिलियन पौंड का होगा और मूल प्रतिष्ठान जी बीपी / ई यू आर के जोखिम के लिए हेज्ड के रूप में जिस राशि को नामोद्दिष्ट कर सकता है वह तदनुसार 500 मिलियन पौंड से घटाकर 341 मिलियन पौंड कर दी जाएगी।
- उदि 15 यदि मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' द्वारा नामोद्दिष्ट हेजिंग सम्बन्ध का उलटाव करता है मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' द्वारा धारित यू एस डी 300 मिलियन बाहरी उधार की हेज ई यू आर / यू एसडी को अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' में निवल निवेश को नामोद्दिष्ट कर सकता है और अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' में 341 मिलियन पौंड तक के अपने निवल निवेश को नामोद्दिष्ट कर सकता है। इस मामले में, दोनों हेजों की प्रभावशीलता मूल प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा (यूरो) के संदर्भ में गणना की जाएगी। परिणामस्वरूप, अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' द्वारा धारित बाहरी उधार का मूल्य यू एसडी / जी बीपी के मूल्य में परिवर्तन हो जाएगा और अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' को मूल प्रतिष्ठान के देय ऋण का जी बीपी / ई यूआर मूल्य में परिवर्तन हो जाएगा (कुल में यू एसडी / ई यू आर के समकक्ष) और इसे मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में विदेशी मुद्रा रूपान्तरण प्रारक्षित निधि में सम्मिलित किया जाएगा। क्योंकि मूल प्रतिष्ठान ने अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' में अपने निवल निवेश ई यू आर / यू एस डी जोखिम की पूरी तरह से पहले ही हेज्ड कर लिया है, तो वह अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' में अपने निवल निवेश के 341 मिलियन पौंड तक के जोखिम को हेज्ड कर सकता है।

परिशिष्ट घ

'इक्विटी' लिखतों के साथ वित्तीय दायित्वों की समाप्ति

(यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 109 का अभिन्न अंग है।)

पृष्ठभूमि

1. एक देनदार (ऋणी) और लेनदार (ऋणदाता) वित्तीय दायित्व की शर्तों पर पुनः सौदे कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप देनदार (ऋणी) एक दायित्व की समाप्ति ऋणदाता को पूर्णतया या अंशतः 'इक्विटी' लिखतें जारी कर सकता है। इन लेनदेनों को कभी-कभार 'ऋण (डेट) के लिए इक्विटी स्वैप' भी कहा जाता है।

कार्यक्षेत्र

2. यह परिशिष्ट एक प्रतिष्ठान द्वारा लेखा पर चर्चा करता है जब एक वित्तीय दायित्व की शर्तों पर पुनः सौदा किया जाता है और उनके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान एक लेनदार (ऋणदाता) को इक्विटी लिखतें जारी करता है ताकि समस्त वित्तीय दायित्व या उसके एक भाग की समाप्ति हो जाए। यह लेनदार द्वारा किये जाने वाले लेखा पर चर्चा नहीं करता है।
3. एक प्रतिष्ठान इस परिशिष्ट को निम्नस्थितियों में लेन-देनों पर लागू नहीं करेगा:
 - (क) जब लेनदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक शेयर धारक भी है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान शेयर धारक की हैसियत से कार्य कर रहा है।
 - (ख) लेन-देन से पहले और बाद में लेनदार और प्रतिष्ठान उसी एक ही या एक से अधिक पक्ष (पार्टी) या पक्षों (पार्टियों) द्वारा नियंत्रित है और लेन-देन का सार प्रतिष्ठान द्वारा 'इक्विटी' वितरण या प्रतिष्ठान को 'इक्विटी' अंशदान के रूप में सम्मिलित है।
 - (ग) 'इक्विटी' शेयर जारी करके वित्तीय दायित्व की समाप्ति, वित्तीय दायित्व की मूल शर्तों के अनुसरण में है।

मुद्दे

4. यह परिशिष्ट निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करता है :
 - (क) क्या एक प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखतें, एक वित्तीय दायित्व की पूर्णतया या अंशतः रूप से समाप्ति करने के लिए जारी की जाती हैं भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 के अनुच्छेद 3.3.3 के अनुसरण में 'भुगतान किया गया प्रतिफल' है ?
 - (ख) इस प्रकार के एक वित्तीय दायित्व की समाप्ति के लिए जारी 'इक्विटी' लिखतों का प्रारम्भिक माप प्रतिष्ठान कैसे करेगा ?
 - (ग) समाप्त वित्तीय दायित्व की अग्रणीत राशि और जारी इक्विटी लिखतों के प्रारम्भिक माप के बीच अन्तर का लेखा प्रतिष्ठान द्वारा कैसे किया जाएगा ?

लेखा सिद्धान्त

5. एक वित्तीय दायित्व की सभी अथवा भाग की समाप्ति के लिए ऋणदाता को प्रतिष्ठान का इक्विटी लिखत का निर्गम भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 3.3.3 के अनुसरण में भुगतान किया गया प्रतिफल है। एक प्रतिष्ठान एक वित्तीय दायित्व (या एक वित्तीय दायित्व के एक भाग) को तुलन-पत्र से हटा लेगा जब, और केवल जब, यह भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद संख्या 3.3.1 के अनुसार समाप्त की जाती है।
6. जब एक वित्तीय दायित्व की पूर्णतया या अंशतः रूप से समाप्ति के लिए एक ऋणदाता को जारी इक्विटी लिखत को आरंभ में मान्यता देता है तो एक प्रतिष्ठान उनका माप जारी इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर करेगा बशर्ते वह उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है।
7. यदि जारी 'इक्विटी' लिखतों का उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है तब इक्विटी लिखतों का माप समाप्त वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य को प्रदर्शित करते हुए किया जाएगा। समाप्त वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य के माप में अगर एक मांग विशेषता सम्मिलित है (जैसे कि एक मांग जमा), भारतीय लेखा मानक 113 का अनुच्छेद 47 लागू नहीं होता।
8. यदि वित्तीय दायित्व के एक भाग की समाप्ति हो जाती है तो, प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या भुगतान किये गये प्रतिफल का कोई भाग दायित्व जो बकाया है की शर्तों के संशोधन से सम्बंधित है। यदि प्रतिफल का कोई भाग, दायित्व के शेष भाग की शर्तों के संशोधन से संबंधित होता है, तो प्रतिष्ठान अदा प्रतिफल का आवंटन समाप्त किये गये दायित्व के भाग के लिए और बकाया दायित्व के भाग के लिए करेगा। प्रतिष्ठान इस आवंटन के समय लेन-देन से संबंधित सभी सुसंगत तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करेगा।
9. समाप्त किये गये वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व का एक भाग) की अग्रणीत राशि और भुगतान किया गया प्रतिफल के बीच अन्तर को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 3.3.3 के अनुसरण में लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी। जारी इक्विटी लिखतों को प्रारम्भ में मान्यता दी जाएगी और वित्तीय दायित्व (या उस दायित्व के एक भाग) की समाप्ति की तिथि पर उनका माप किया जाएगा।
10. जब वित्तीय दायित्व के केवल एक भाग को समाप्त किया जाता है, प्रतिफल का आवंटन अनुच्छेद 8 के अनुसरण में किया जाएगा। शेष भाग के आवंटित प्रतिफल का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि क्या शेष भाग की शर्तें अधिकांशतया संशोधित कर ली गयी है या नहीं। यदि हां तो प्रतिष्ठान संशोधन का लेखा इस प्रकार करेगा जैसे कि मूल दायित्व का निपटान और नये दायित्व को मान्यता, भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 3.3.2 के अनुसरण में की जाएगी।
11. एक प्रतिष्ठान अनुच्छेदों 9 व 10 के अनुसरण में मान्य लाभ (गेन) अथवा हानि को लाभ अथवा हानि अथवा नोटस में पृथक लाइन मद में प्रकट करेगा।

परिशिष्ट ड

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

इस परिशिष्ट में उन परिशिष्टों की सूची दी गयी है, जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं और भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109, वित्तीय लिखतों के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं।

1. परिशिष्ट क, विस्थापन, पुनर्बहाली एवं पर्यावरण-सम्बन्धी पुनर्वास निधियों से उत्पन्न होने वाले हितों के अधिकार, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 37, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां, में समाविष्ट।
2. परिशिष्ट ग, सेवा रियायत व्यवस्थाएं, भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व, में समाविष्ट।
3. परिशिष्ट ख, पट्टे के विधिक स्वरूपयुक्त लेनदेनों के सारत्व का मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे, में समाविष्ट।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 के तदनुसारी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 9, वित्तीय लिखतें, 'आई एफ आर आई सी' 16, विदेशी परिचालन में निवल निवेश की हेज और 'आई एफ आर आई सी' 19, इक्विटी लिखतों के साथ वित्तीय दायित्वों की समाप्ति के बीच, यदि कोई अन्तर है, तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

'आई एफ आर एस' 9, वित्तीय लिखतें, 'आई एफ आर आई सी' 16 और 'आई एफ आर आई सी' 19 के साथ तुलना

1. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'लाभ-हानि व्यापक आय विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
2. 'आई एफ आर एस' 9 में दिये गये के अनुसार वित्तीय आस्तियों या वित्तीय दायित्वों के एक पोर्टफोलियो को ब्याजदर एक्सपोजर की उचित मूल्य हेज के लिए अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 39 की अपेक्षाओं को लागू करने का ऑप्शन भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 में से हटा लिया गया है। तदनुसार, अनुच्छेद 6.1.3 को हटा दिया गया है और निम्नलिखित अनुच्छेदों को संशोधित कर दिया गया है:
 - (i) अनुच्छेद 5.2.3
 - (ii) अनुच्छेद 5.3.2
 - (iii) अनुच्छेद 5.7.1
 - (iv) अनुच्छेद 5.7.2-5.7.3

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 110**समेकित वित्तीय विवरण**

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व साधारण टाइप में अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं)

उद्देश्य

1. इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का उद्देश्य समेकित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने तथा उन्हें तैयार करने के लिये सिद्धान्तों की स्थापना करना है जब एक प्रतिष्ठान एक या एक से अधिक अन्य प्रतिष्ठानों को नियंत्रित करता है।

उद्देश्य की पूर्ति

2. अनुच्छेद 1 में दिए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यह भारतीय लेखा मानक :
 - (क) एक प्रतिष्ठान (मूल प्रतिष्ठान) से, जो एक या एक से अधिक अन्य प्रतिष्ठानों (अनुषंगी प्रतिष्ठानों) का नियंत्रण करता है, अपेक्षा करता है कि वह समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें;
 - (ख) 'नियंत्रण' के सिद्धान्त को परिभाषित करता है तथा नियंत्रण को समेकन के आधार के रूप में स्थापित करता है;
 - (ग) निर्दिष्ट करता है कि नियंत्रण के सिद्धान्त को कैसे लागू किया जाए, यह पता लगाने के लिए क्या निवेशक निवेशिती को नियंत्रित करता है और इसलिये, निवेशिती को अवश्य समेकित किया जाए।
 - (घ) समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेखांकन अपेक्षाओं को निर्धारित करता है; तथा
 - (ङ) एक निवेश प्रतिष्ठान को परिभाषित करता है। साथ ही, यह एक निवेश प्रतिष्ठान के विशेष अनुषंगी प्रतिष्ठानों के समेकन के लिए एक अपवाद भी निर्दिष्ट करता है।
3. यह भारतीय लेखा मानक, व्यवसायिक संयोजनों के लिए, और उनके समेकन पर प्रभाव के लिए जिसमें व्यवसायिक संयोजन से उत्पन्न गुडविल भी शामिल है लेखांकन, लेखागत अपेक्षाओं के बारे में चर्चा नहीं करता है (देखें भारतीय लेखा मानक 103, व्यवसायिक संयोजन)।

कार्यक्षेत्र

4. एक प्रतिष्ठान, जो मूल प्रतिष्ठान है, समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। यह भारतीय लेखा मानक, निम्नलिखित को छोड़कर, सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है:
 - (क) एक मूल प्रतिष्ठान के लिए समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की तब आवश्यकता नहीं है यदि वह निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:
 - (i) यह एक पूर्ण स्वामित्व में अनुषंगी प्रतिष्ठान या किसी अन्य प्रतिष्ठान के अंशतः स्वामित्व में अनुषंगी प्रतिष्ठान है और इसके अन्य सभी स्वामियों को, उनमें वे भी सम्मिलित हैं जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, इस संबंध में सूचित कर दिया गया है और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि मूल प्रतिष्ठान समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं करता है;
 - (ii) इसकी डेट या 'इक्विटी' लिखतें की सार्वजनिक बाजार (पब्लिक मार्केट) (स्थानिक या क्षेत्रीय बाजारों सहित घरेलू या विदेशी स्टाक एक्सचेंज या ओवर-द-काउन्टर बाजार) में खरीद या बिक्री (ट्रेडिंग) नहीं होती है;
 - (iii) इसने प्रतिभूति आयोग या किसी अन्य नियामक संगठन के पास सार्वजनिक बाजार (पब्लिक मार्केट) में लिखतों की किसी श्रेणी के निर्गम के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरण न तो फाइल किये हैं और न ही फाइल करने की प्रक्रिया में हैं; और
 - (iv) इसका अन्तिम या मध्यस्थ मूल प्रतिष्ठान समेकित वित्तीय विवरण तैयार करता है जो भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं और सार्वजनिक प्रयोग के लिए उपलब्ध है।
 - (ख) नियोजन पश्चात् लाभ योजनाएं अथवा अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ योजनाएं, जिन पर भारतीय लेखा मानक 19, कर्मचारी लाभ लागू होता है।
 - (ग) एक निवेश-प्रतिष्ठान को समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं यदि इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 31 के अनुसार इसके सभी अनुषंगी प्रतिष्ठानों का लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर माप अपेक्षित हो।

नियंत्रण

5. एक निवेशक, एक प्रतिष्ठान (निवेशिती) से अपनी संलिप्तता की प्रकृति पर ध्यान दिये बिना, यह निर्धारित करेगा कि क्या यह एक मूल प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करके कि क्या यह निवेशिती को नियंत्रित करता है।
6. एक निवेशक निवेशिती को तब नियंत्रित करता है जब यह निवेशिती के साथ इसकी संलिप्तता होने से प्राप्त परिवर्तनशील प्रतिफल के प्रति अभिदर्शित होता है अथवा उसके पास इनके अधिकार होते हैं तथा उसके पास निवेशिती पर अपनी प्राधिकार के द्वारा उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता होती है।
7. इस प्रकार, एक निवेशक एक निवेशिती को तब नियंत्रित करता है यदि, और केवल यदि, निवेशक के पास निम्नलिखित सभी हों:
 - (क) निवेशिती पर प्राधिकार (देखें अनुच्छेद 10-14);
 - (ख) निवेशिती के साथ इसकी संलिप्तता से प्राप्त परिवर्तनशील प्रतिफलों के प्रति अभिदर्शन या उन पर अधिकार (देखें अनुच्छेद 15 व 16); और
 - (ग) निवेशक के प्रतिफलों की राशि को प्रभावित करने के लिए निवेशिती पर अपने प्राधिकार का प्रयोग करने की क्षमता (देखें अनुच्छेद 17 व 18)।
8. एक निवेशक यह निर्धारित करते समय सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करेगा कि क्या वह निवेशिती पर नियंत्रण करता है या नहीं। यदि तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह संकेत मिलता है कि अनुच्छेद 7 में सूचीबद्ध (देखें अनुच्छेद ख 80-ख 85) नियंत्रण के तीन तत्वों में से एक या अधिक में परिवर्तन हुए हैं तो निवेशक पुनः निर्धारित करेगा कि निवेशिती पर उसका नियंत्रण है अथवा नहीं।
9. दो या दो से अधिक निवेशक एक निवेशिती पर संयुक्त रूप से नियंत्रण करते हैं जब वे प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अनिवार्यतया एक-साथ कार्य करते हैं। ऐसे मामलों में, चूंकि कोई निवेशक अन्य के सहयोग के बिना गतिविधियां संचालित नहीं कर सकता है अतः कोई भी एक निवेशक व्यक्तिगत रूप से निवेशिती को नियंत्रित नहीं करता है। प्रत्येक निवेशक प्रासंगिक भारतीय लेखा मानकों जैसे कि, भारतीय लेखा मानक 111, *संयुक्त व्यवस्थाएं*, भारतीय लेखा मानक 28, *सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश* अथवा भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतों* के अनुसार निवेशिती में अपने हित का लेखा करेगा।

प्राधिकार

10. एक निवेशक का एक निवेशिती पर तब प्राधिकार होता है जब निवेशक के पास ऐसे मौजूदा अधिकार हैं जो इसे प्रासंगिक गतिविधियों को, अर्थात् ऐसी गतिविधियां जो निवेशिती के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, संचालित करने की वर्तमान क्षमता प्रदान करता है।
11. प्राधिकार अधिकारों से उत्पन्न होता है। कभी-कभी प्राधिकार का निर्धारण सीधा होता है, जैसेकि जब शेयरों जैसी 'इक्विटी लिखतों' द्वारा प्रदान किये गए केवल मताधिकारों से ही प्रत्यक्षतः निवेशिती पर प्राधिकार प्राप्त होता है तथा उन शेयरधारिताओं के कारण प्राप्त मताधिकारों पर विचार करके निर्धारण किया जा सकता है। अन्य दूसरे मामलों में निर्धारण और अधिक जटिल होगा तथा एक से अधिक तथ्यों पर विचार किया जाना भी अपेक्षित होगा, जैसे कि, जब प्राधिकार एक या अधिक अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है।
12. प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने की वर्तमान क्षमता वाले एक निवेशक के पास प्राधिकार होता है, भले ही गतिविधियों के संचालन के लिए उसने अपने अधिकारों का प्रयोग अभी न किया हो। यह साक्ष्य कि निवेशक प्रासंगिक गतिविधियों का संचालन करता रहा है, यह निर्धारित करने में सहायक होगा कि क्या निवेशक के पास प्राधिकार है अथवा नहीं, किंतु ऐसा साक्ष्य अपने आप यह निर्धारित करने में निर्णायक है नहीं कि निवेशक का निवेशिती पर प्राधिकार है।
13. यदि दो अथवा दो से अधिक निवेशकों में प्रत्येक के पास अधिकार हैं जो उन्हें भिन्न-भिन्न प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने की एक पक्षीय क्षमता देते हैं, जिस निवेशक को उन गतिविधियों को संचालित करने की वर्तमान क्षमता होती है जो निवेशिती के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं तो उस निवेशक का उस निवेशिती पर प्राधिकार होता है।
14. एक निवेशक एक निवेशिती पर प्राधिकार हो सकता है, भले ही अन्य प्रतिष्ठानों के पास ऐसे मौजूदा अधिकार होते हैं जो उन्हें प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने में सहभागी होने की वर्तमान क्षमता प्रदान करते हैं, जैसे कि, जब दूसरे प्रतिष्ठान का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तथापि, एक निवेशक जब केवल संरक्षात्मक अधिकार धारण करता है, तब उसके पास निवेशिती पर कोई प्राधिकार नहीं होता है (देखें अनुच्छेद ख 26-ख 28) और, फलस्वरूप वह निवेशिती को नियंत्रित नहीं करता है।

प्रतिफल

15. जब निवेशिती के निष्पादन के फलस्वरूप, निवेशक की संलिप्तता से उसके प्रतिफलों में परिवर्तन की संभावना होती है तब निवेशिती के साथ इसकी संलिप्तता से परिवर्तनशील प्रतिफलों के लिए निवेशक अभिदर्शित होता है अथवा उन पर उसका अधिकार होता है। निवेशक के प्रतिफल केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक अथवा धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही हो सकते हैं।
16. यद्यपि एक निवेशिती को केवल एक ही निवेशक नियंत्रित कर सकता है किन्तु एक निवेशिती के प्रतिफलों को एक से अधिक पक्ष बांट सकते हैं। जैसे कि एक निवेशिती के लाभ अथवा संवितरण को गैर-नियंत्रक हितों के धारक परस्पर बांट सकते हैं।

प्राधिकार एवं प्रतिफल के बीच संबंध

17. एक निवेशक एक निवेशिती को नियंत्रित करता है यदि निवेशक का निवेशिती पर न केवल प्राधिकार है और निवेशिती के साथ उसकी संलिप्तता से प्राप्त परिवर्तनशील प्रतिफलों के लिए अभिदर्शन अथवा अधिकार हैं बल्कि उसके पास निवेशिती के साथ उसकी संलिप्तता से प्राप्त, निवेशक के प्रतिफलों को प्रभावित करने के प्राधिकार को प्रयोग करने की क्षमता भी है।
18. इस प्रकार, एक निवेशक, जिसके पास निर्णय लेने के अधिकार हैं, यह निर्धारित करेगा कि वह प्रधान प्रतिष्ठान है या एजेन्ट प्रतिष्ठान है। एक निवेशक, जो अनुच्छेद ख 58-ख 72 के अनुसार एक एजेन्ट है, निवेशिती को नियंत्रित नहीं करता है जब यह स्वयं को प्रत्यायोजित निर्णय लेने के अधिकारों का प्रयोग करता है।

लेखा-संबंधी अपेक्षाएं

19. एक मूल प्रतिष्ठान एक जैसे लेन-देनों तथा समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए समरूप लेखा नीतियों का प्रयोग करते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगा।
20. एक निवेशिती का समेकन उस तिथि से प्रारम्भ होगा जिस तिथि से निवेशक निवेशिती का नियंत्रण प्राप्त करता है और अंत तब होगा जब उसका निवेशिती पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है।
21. अनुच्छेद ख 86-ख 93 समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए मार्ग निर्देश निर्दिष्ट करते हैं।

गैर - नियंत्रक हित

22. एक मूल प्रतिष्ठान अपने स्वामियों की 'इक्विटी' से अलग, इक्विटी के अंतर्गत समेकित तुलन-पत्र में गैर-नियंत्रक हितों को प्रस्तुत करेगा।
23. एक अनुषंगी प्रतिष्ठान में मूल प्रतिष्ठान के स्वामित्व हित में परिवर्तन, जिसका परिणाम मूल प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठान में नियंत्रण समाप्त होना नहीं होता है, इक्विटी लेन-देन होते हैं (अर्थात् स्वामियों की क्षमता में स्वामियों के साथ लेन-देन)।
24. अनुच्छेद ख 94-ख 96 समेकित वित्तीय विवरणों में गैर-नियंत्रक हितों के लेखा के लिए मार्गनिर्देश निर्दिष्ट करता है।

नियंत्रण की समाप्ति

25. यदि एक मूल प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण समाप्त होता है तो मूल प्रतिष्ठान:
 - (क) पूर्ववर्ती अनुषंगी प्रतिष्ठान की आस्तियों एवं दायित्वों को समेकित तुलन-पत्र से अमान्य कर देता है।
 - (ख) जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तब पूर्ववर्ती अनुषंगी प्रतिष्ठान में प्रतिधारित किसी निवेश को इसके उचित मूल्य पर मान्यता देता है और तत्पश्चात् इसका तथा पूर्ववर्ती अनुषंगी प्रतिष्ठान द्वारा किसी बकाया राशि अथवा उसके प्रति किसी बकाया राशि का लेखा प्रासंगिक भारतीय लेखा मानकों के अनुसार करता है। उचित मूल्य को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार वित्तीय आस्ति की प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में समझा जाएगा, अथवा जब उपयुक्त होगा, सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारम्भिक मान्यता पर लागत के रूप में समझा जाएगा।
 - (ग) पूर्ववर्ती नियंत्रक हितों के प्रति नियंत्रण की समाप्ति से संबंधित लाभ या हानि को मान्यता देता है।
26. अनुच्छेद ख 97-ख 99 नियंत्रण की समाप्ति के लेखा के लिए मार्गनिर्देश निर्दिष्ट करते हैं।

यह निर्धारित करना कि क्या प्रतिष्ठान निवेश प्रतिष्ठान है

27. एक मूल प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या वह एक निवेश प्रतिष्ठान है। एक निवेश प्रतिष्ठान वह प्रतिष्ठान होता है जो :
 - (क) एक या अधिक निवेशकों से निधियां इस प्रयोजन के लिए प्राप्त करता है ताकि वह उस (उन) निवेशक (निवेशकों) को निवेश प्रबंध सेवाएं प्रदान करें;
 - (ख) अपने निवेशक (निवेशकों) को यह वचन देता है कि इसके व्यवसाय का प्रयोजन, निधियों का निवेश केवल पूंजीगत वृद्धि, निवेश आय या दोनों से प्रतिफल प्राप्त करना है; और

(ग) अधिकांशतया अपने समस्त निवेशों के कार्य निष्पादन का उचित मूल्य के आधार पर माप और मूल्यांकन करता है।
अनुच्छेद ख 85 क-ख 85 ड प्रयोग-संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

28. यह निर्धारित करने में कि क्या एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 27 में दी गयी परिभाषा को पूरा करता है या नहीं, वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या इसके पास एक निवेश प्रतिष्ठान की निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताएं हैं या नहीं:
- (क) इसके पास एक से अधिक निवेश हैं (देखें अनुच्छेद ख 85 ग- ख, 85 त);
- (ख) इसके पास एक से अधिक निवेशक हैं (देखें अनुच्छेद ख 85 थ- ख, 85 ध);
- (ग) इसके पास निवेशक हैं जो प्रतिष्ठान के संबंधित पक्ष (पार्टियां) नहीं हैं (देखें अनुच्छेद ख 85 न- ख, 85 प);
- (घ) इसके पास इक्विटी या इसी प्रकार के हित के रूप में स्वामित्व हित हैं (देखें अनुच्छेद ख 85 फ- ख, 85 ब)।
- इन विशिष्ट विशेषताओं के अभाव में किसी एक प्रतिष्ठान को निवेश प्रतिष्ठान के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। जिस निवेश प्रतिष्ठान के पास ये सभी विशिष्ट विशेषताएं नहीं हैं, वह भारतीय लेखा मानक 112, *अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रकटन*, के अनुच्छेद 9क के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन प्रस्तुत करेगा।
29. यदि तथ्य व परिस्थितियां यह इंगित करती हैं कि वह तीन कारक जो निवेश प्रतिष्ठान की परिभाषा बनाते हैं, में से एक या एक से अधिक में परिवर्तन हुआ है जो अनुच्छेद 27 में यथावर्णित है या अनुच्छेद 28 में यथावर्णित निवेश प्रतिष्ठान की विशिष्ट विशेषताओं, में परिवर्तन हुआ है, तो एक मूल प्रतिष्ठान इस बात को पुनःनिर्धारित करेगा कि क्या वह एक निवेश प्रतिष्ठान है या नहीं।
30. एक मूल प्रतिष्ठान जो या तो निवेश प्रतिष्ठान नहीं रहता है या फिर एक निवेश प्रतिष्ठान बन जाता है तो वह स्थिति के परिवर्तन की तिथि से स्थिति परिवर्तन का लेखा करेगा (देखें अनुच्छेद ख 100-ख 101)।

निवेश प्रतिष्ठान: समेकन का अपवाद

31. अनुच्छेद 32 के अपवाद स्वरूप एक निवेश प्रतिष्ठान अपने अनुषंगी प्रतिष्ठानों का समेकन नहीं करेगा या भारतीय लेखा मानक 103 का प्रयोग करेगा जब वह अन्य प्रतिष्ठान का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इसकी बजाय, एक निवेश प्रतिष्ठान एक अनुषंगी प्रतिष्ठान में निवेश का माप भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसरण में लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर करेगा।
32. अनुच्छेद 31 की अपेक्षा के बावजूद यदि एक निवेश प्रतिष्ठान का एक अनुषंगी प्रतिष्ठान है जो ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जो निवेश प्रतिष्ठान की निवेश संबंधी गतिविधियों से संबंधित हैं (देखें अनुच्छेद ख 85 ग- ख 85 ड.), वह उस अनुषंगी प्रतिष्ठान का समेकन इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेदों 19-26 के अनुसरण में करेगा और इस प्रकार के अनुषंगी प्रतिष्ठान के अधिग्रहण पर भारतीय लेखा मानक 103 की अपेक्षाओं को लागू करेगा।
33. एक निवेश प्रतिष्ठान का एक मूल प्रतिष्ठान उन सभी प्रतिष्ठानों को समेकित करेगा जिन्हें वह नियंत्रित करता है, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जो निवेश अनुषंगी प्रतिष्ठान के द्वारा नियंत्रित हैं, बशर्तें मूल प्रतिष्ठान स्वयं में एक निवेश प्रतिष्ठान ही है।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

समेकित वित्तीय विवरण	एक समूह के वित्तीय विवरण जिनमें मूल प्रतिष्ठान और इसके अनुषंगी प्रतिष्ठानों की आस्तियां, दायित्व, इक्विटी, आय, व्यय तथा नकदी प्रवाहों को एक एकल आर्थिक प्रतिष्ठान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
एक निवेशिती पर नियंत्रण	एक निवेशक एक निवेशिती पर तब नियंत्रण करता है, जब निवेशक को निवेशिती के साथ संलिप्तता होने से प्राप्त परिवर्तनशील प्रतिफलों के लिए निवेशक अभिदर्शित होता है अथवा उन पर उसका अधिकार होता है और निवेशिती पर अपने प्राधिकार के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की वह क्षमता रखता है।
निर्णयकर्ता	एक प्रतिष्ठान जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार है, जो कि अन्य पक्षों के लिए या तो एक प्रधान प्रतिष्ठान है या फिर एक एजेंट प्रतिष्ठान है।
समूह	एक मूल प्रतिष्ठान एवं इसके अनुषंगी प्रतिष्ठान।
निवेश प्रतिष्ठान	एक प्रतिष्ठान जो : (क) एक या अधिक निवेशकों से निधियां इस प्रयोजन के लिए प्राप्त करता है ताकि वह उस (उन) निवेशक (निवेशकों) को निवेश प्रबंध सेवाएं प्रदान करें; (ख) अपने निवेशक निवेशकों को यह वचन देता है कि इसके व्यवसाय का प्रयोजन, निधियों का निवेश केवल

	पूँजीगत वृद्धि, निवेश आय या दोनों से प्रतिफल प्राप्त करना है; और
(ग)	अधिकांशतया अपने समस्त निवेशों के कार्य निष्पादन का उचित मूल्य के आधार पर माप और मूल्यांकन करता है।
गैर-नियंत्रकहित	मूल प्रतिष्ठान के प्रति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित अनुषंगी में इक्विटी।
मूल प्रतिष्ठान	एक प्रतिष्ठान जो एक या अधिक प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखता है।
प्राधिकार	मौजूदा अधिकार जो प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए वर्तमान क्षमता प्रदान करते हैं।
संरक्षात्मक अधिकार	ऐसे अधिकार जो उन्हें धारित करने वाली पार्टी के हित की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं परंतु वे अधिकार पक्ष को उस प्रतिष्ठान पर प्राधिकार नहीं देता जिस प्रतिष्ठान से वे संबंधित हैं।
प्रासंगिक गतिविधियाँ	इस भारतीय लेखा मानक के प्रयोजन के लिए, प्रासंगिक गतिविधियाँ निवेशिती की वे गतिविधियाँ होती हैं जो निवेशिती के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।
निष्कासन अधिकार	निर्णयकर्ता को इसके निर्णय लेने के प्राधिकार से वंचित करने वाले अधिकार हैं।
अनुषंगी प्रतिष्ठान	एक प्रतिष्ठान जो अन्य प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित होता है।

निम्नलिखित शब्द भारतीय लेखा मानक 111, भारतीय लेखा मानक 112, अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रकटन, भारतीय लेखा मानक 28 अथवा भारतीय लेखा मानक 24, संबंधित पक्ष के संबंध में प्रकटन में परिभाषित किये गये हैं तथा उन्हें इस भारतीय लेखा मानक में उन्हीं विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयुक्त किया गया है :

- सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट)
- अन्य प्रतिष्ठान में हित
- संयुक्त उद्यम
- प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
- संबंधित पक्ष (पार्टी)
- महत्वपूर्ण प्रभाव

परिशिष्ट ख

प्रयोग-संबंधी मार्ग निर्देश

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है। यह अनुच्छेद 1-33 के प्रयोग का वर्णन करता है। इसका वही प्राधिकार है जो कि इस भारतीय लेखा मानक के अंगों का है।

ख 1 इस परिशिष्ट में दिये गए उदाहरण काल्पनिक स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। हालांकि, उदाहरणों के कुछ पहलू वास्तविक तथ्यात्मक पैटर्नों में मौजूद हो सकते हैं फिर भी जब भी भारतीय लेखा मानक 110 का प्रयोग किया जाए तो किसी विशेष तथ्यात्मक पैटर्नों से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होगा।

नियंत्रण का निर्धारण

ख 2 यह निर्धारित करने के लिए कि एक निवेशक निवेशिती पर नियंत्रण करता है या नहीं, निवेशक यह निर्धारित करेगा कि इसके पास निम्नलिखित सभी हों:

- (क) निवेशिती पर प्राधिकार;
- (ख) निवेशिती के साथ इसकी संलिप्तता से प्राप्त परिवर्तनशील प्रतिफलों के प्रति अभिदर्शन अथवा उन पर अधिकार; और
- (ग) निवेशक के प्रतिफलों की राशि को प्रभावित करने के लिए निवेशिती पर अपने प्राधिकार का प्रयोग करने की क्षमता।

ख 3 निम्नलिखित कारकों पर विचार इसके निर्धारण में सहायक हो सकते हैं:

- (क) निवेशिती का उद्देश्य एवं डिजाइन (देखें अनुच्छेद ख 5-ख 8);
- (ख) प्रासंगिक गतिविधियाँ क्या हैं और उन गतिविधियों के बारे में निर्णय कैसे लिये जाते हैं (देखें अनुच्छेद ख 11-ख 13);
- (ग) क्या निवेशक के अधिकार प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन के लिये इसे वर्तमान क्षमता देते हैं (देखें अनुच्छेद ख 14-ख 54);
- (घ) क्या एक निवेशक निवेशिती के साथ इसकी संलिप्तता से प्राप्त परिवर्तनशील प्रतिफलों के प्रति अभिदर्शित होता है अथवा उन पर इसका अधिकार होता है (देखें अनुच्छेद ख 55-ख 57); और

- (ड) क्या निवेशक के पास निवेशक के प्रतिफलों की राशि को प्रभावित करने के लिए निवेशिती पर अपने प्राधिकार का प्रयोग करने की क्षमता है (देखें अनुच्छेद ख 58-ख 72)।

ख4 निवेशिती पर नियंत्रण का निर्धारण करते समय एक निवेशक अन्य पक्षों (पार्टियों) के साथ अपने संबंध की प्रकृति पर विचार करेगा। (देखें अनुच्छेद ख 73-ख 75)।

निवेशिती का उद्देश्य एवं डिजाइन

ख5 निवेशिती पर नियंत्रण का निर्धारण करते समय, एक निवेशक प्रासंगिक गतिविधियों की पहचान करने के लिए निवेशिती के उद्देश्य एवं डिजाइन पर विचार करेगा साथ ही यह जानने के लिए भी कि प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, उन गतिविधियों को संचालित करने की वर्तमान क्षमता किसके पास है तथा उन गतिविधियों से प्रतिफल कौन प्राप्त करता है।

ख6 जब एक निवेशिती के उद्देश्य एवं डिजाइन पर विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो सकता है कि एक निवेशिती इक्विटा लिखतों के द्वारा नियंत्रित होता है जो धारक को आनुपातिक मताधिकार देती हैं, जैसाकि निवेशिती में साधारण शेयर देते हैं। इस मामले में, किसी ऐसी अतिरिक्त व्यवस्था के अभाव में जो निर्णय लेने को बदल देता है, नियंत्रण का निर्धारण किस ऐसे पक्ष (पार्टी) पर, यदि कोई है, केन्द्रित होता है जो और निवेशिती की परिचालन एवं वित्तीय नीतियों (देखें अनुच्छेद ख 34-ख 50) को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त मताधिकार का प्रयोग करने की क्षमता रखता है। बहुत-ही साफ मामले में, एक निवेशक, जो उन मताधिकारों का बहुमत धारण करता है, किन्हीं अन्य कारकों के अभाव में निवेशिती को नियंत्रित करता है।

ख7 अधिक जटिल मामले में, यह निश्चित करने के लिए कि एक निवेशक एक निवेशिती को नियंत्रित करता है या नहीं, यह आवश्यक है कि अनुच्छेद ख 3 में उल्लिखित कुछ या सभी कारकों पर विचार किया जाए।

ख8 एक निवेशिती को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है जिससे कि निवेशिती को कौन नियंत्रित करता है यह निर्णय लेने में मताधिकार प्रमुख कारक न हों, जैसे कि, जब कोई मताधिकार केवल प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होते हैं तथा प्रासंगिक गतिविधियां अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं के माध्यम से संचालित होती हैं। ऐसे मामलों में, एक निवेशक का निवेशिती के उद्देश्य एवं डिजाइन पर विचार करने में उन जोखिमों पर भी विचार करना शामिल होगा जिसके प्रति निवेशिती को अभिदर्शित होने के लिए डिजाइन किया जाता है, वे जोखिम जिन्हें निवेशिती अपने डिजाइन के कारण अपने साथ संलिप्त पक्षों (पार्टियों) को अंतरित कर सके और कि क्या निवेशक कुछ या सभी उन जोखिमों के लिए अभिदर्शित होता है। जोखिमों पर विचार करने में, केवल अद्योगामी जोखिम ही शामिल नहीं है बल्कि ऊर्ध्वगामी संभावना भी शामिल है।

प्राधिकार

ख9 निवेशिती पर प्राधिकार रखने के लिए, एक निवेशक ऐसे मौजूदा अधिकार अवश्य होने चाहिए जो उसे संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए वर्तमान क्षमता देते हों। प्राधिकार का निर्धारण करने के लिए केवल वास्तविक अधिकार व जो अधिकार जो संरक्षात्मक नहीं हैं, उन पर विचार किया जाएगा (देखें अनुच्छेद ख 22-28)।

ख10 यह निश्चित करने के लिए कि निवेशक के पास प्राधिकार है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रासंगिक गतिविधियां क्या हैं, प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में लिए गए निर्णयों के तरीके क्या हैं तथा निवेशिती के संबंध में निवेशक एवं अन्य पक्षों (पार्टियों) के अधिकार क्या हैं।

प्रासंगिक गतिविधियां तथा प्रासंगिक गतिविधियों का संचालन

ख11 अधिकांश निवेशितियों के लिए, विभिन्न प्रकार के परिचालन तथा वित्तीय गतिविधियां उनके प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। गतिविधियों के उदाहरण, परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, जो प्रासंगिक गतिविधियां हो सकते हैं निम्नलिखित हैं, लेकिन वे यहीं तक सीमित नहीं हैं:

- (क) वस्तुओं अथवा सेवाओं की बिक्री और खरीद;
- (ख) उनके जीवनकाल के दौरान (चूक होने पर भी) वित्तीय आस्तियों का प्रबंधन;
- (ग) आस्तियों का चयन, अधिग्रहण अथवा निपटान;
- (घ) नये उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं का अनुसंधान एवं विकास; और
- (ड) निधिकरण संरचना का निर्धारण अथवा निधियों को प्राप्त करना।

ख12 प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णयों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं किन्तु ये यहीं तक सीमित नहीं हैं:

- (क) बजटों सहित, निवेशिती के परिचालन और पूंजीगत निर्णयों को स्थापित करना; और

(ख) निवेशिती के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों अथवा सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति करना व उन्हें पारिश्रमिक देना और उनकी सेवाएं अथवा रोजगार समाप्त करना ।

ख13 कुछ स्थितियों में, परिस्थितियों के एक विशेष समूह के उत्पन्न होने या किसी घटना के घटने से पहले या बाद, दोनों में, जो गतिविधियां उत्पन्न होती हैं, वे प्रासंगिक गतिविधियां हो सकती हैं। जब दो या दो से अधिक निवेशकों के पास प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने की वर्तमान क्षमता होती है और वे गतिविधियां अलग-अलग समय पर संपन्न होती हैं तब निवेशक यह निर्धारित करेंगे कि कौन-सा निवेशक उन गतिविधियों को संचालित करने में सक्षम है जो समवर्ती निर्णय के अधिकारों (अनुच्छेद 13 देखें) के निरूपण से संगत रूप से उन प्रतिफलों को अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। यदि संबंधित तथ्यों अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो निवेशक इस निर्धारण पर समय आने पर पुनर्विचार करेगा ।

प्रयोग-संबंधी उदाहरण

उदाहरण 1

दो निवेशक चिकित्सा उत्पाद को विकसित करने और उसको बेचने के लिए एक निवेशिती का गठन करते हैं। एक निवेशक चिकित्सा उत्पाद को विकसित करने तथा उसके लिए नियामक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उस उत्तरदायित्व में उत्पाद के विकास तथा नियामक से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी सभी निर्णय लेने की एकांगीक्षमता शामिल है। नियामक एक बार जब उत्पाद को अनुमोदित कर देता है तब दूसरा निवेशक इसका उत्पादन एवं विक्रय करेगा। इस निवेशक को भी परियोजना के उत्पादन एवं विक्रय के बारे में सभी निर्णय लेने की एकांगी क्षमता है। यदि सभी गतिविधियां जैसे कि चिकित्सा उत्पाद का विकास, नियामक से अनुमोदन प्राप्त करना, उत्पादन व विक्रय करना, प्रासंगिक गतिविधियां हैं तो प्रत्येक निवेशक को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है क्या वह उन गतिविधियों को संचालित करने में सक्षम है जो निवेशिती के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। तदनुसार, प्रत्येक निवेशक को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या चिकित्सा उत्पाद को विकसित करने व उसके लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त करने और उसका उत्पादन करने और उसका विक्रय करने जैसी गतिविधियां वे हैं जो निवेशिती के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और क्या वह उस गतिविधि को संचालित करने में सक्षम है। किस निवेशक के पास प्राधिकार है, इसका निर्धारण करने में निवेशक निम्नलिखित पर विचार करेंगे :

- (क) निवेशिती का उद्देश्य एवं डिजाइन;
 - (ख) कारक, जो निवेशिती के लाभ मार्जिन, राजस्व तथा मूल्य के साथ-साथ चिकित्सा उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते हैं;
 - (ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित कारकों के संबंध में प्रत्येक निवेशक के निर्णय लेने के प्राधिकार के परिणामस्वरूप निवेशिती के प्रतिफलों पर प्रभाव; और
 - (घ) प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति निवेशकों का अभिदर्शन।
- इस विशेष उदाहरण में निवेशक यह भी विचार करेंगे:
- (ङ) नियामक अनुमोदन प्राप्त करने में अनिश्चितता और इसके लिए किये जाने वाले प्रयास (निवेशक के चिकित्सा उत्पादों के सफलतापूर्वक विकास करने तथा नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के रिकार्ड पर विचार करते हुए); और
 - (च) एक बार चिकित्सा उत्पाद का विकास चरण सफल हो जाता है तो फिर उस उत्पाद पर किस निवेशक का नियंत्रण रहता है।

उदाहरण 2

निवेश तंत्र (निवेशिती) का सृजन और वित्त पोषण एक निवेशक द्वारा धारित एक ऋण लिखत (ऋण निवेशक) एवं अन्य अनेक निवेशकों द्वारा धारित इक्विटी लिखतों के साथ किया जाता है। निवेशिती को होने वाली प्रथम हानि को समाहित करने तथा निवेशिती से प्राप्त होने वाली किसी अवशिष्ट प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए इक्विटी भाग को डिजाइन किया गया है। एक 'इक्विटी' निवेशक इक्विटी का 30 प्रतिशत धारण करता है, और वह आस्ति प्रबंधक भी है। आस्तियों के मूल एवं ब्याज भुगतानों के संभावित चूक से संबंधित ऋण जोखिम के प्रति निवेशिती को अभिदर्शित करते हुए निवेशिती वित्तीय आस्तियों के एक पोर्टफोलियों की खरीद के लिए अपनी प्राप्ति्यों का उपयोग करता है। इस लेन-देन को ऋण निवेशकों को इस तारह से बेचा जाता है कि यह निवेश पोर्टफोलियों में आस्तियों की प्रकृति के कारण उनकी संभावित चूक से संबंधित ऋण जोखिम के प्रति न्यूनतम रूप से अभिदर्शित है और साथ ही निवेशिती के प्रथम हानि को समाहित करने के लिए इक्विटी भाग भी डिजाइन किया गया है। निवेशिती के प्रतिफल निवेशिती के आस्ति लिए पोर्टफोलियों के प्रबंधन द्वारा काफी हद तक प्रभावित होते हैं, जिनमें पोर्टफोलियों संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत आस्तियों के चयन, अधिग्रहण एवं निपटान तथा किसी पोर्टफोलियों आस्तियों के चूक पर प्रबंधन के बारे में लिए गये निर्णय शामिल हैं। इन सभी गतिविधियों का प्रबंधन आस्ति प्रबंधक द्वारा तब तक किया जाता जब तक कि चूक पोर्टफोलियों मूल्य (अर्थात् जब पोर्टफोलियों का मूल्य इस तरह होता है कि निवेशिती के 'इक्विटी भाग' का उपभोग कर लिया गया है) के विनिर्दिष्ट अनुपात तक पहुंच नहीं जाता है। उस समय से, ऋण निवेशक के निर्देशानुसार एक तीसरा पक्ष ट्रस्टी आस्तियों का प्रबंध करता है। निवेशिती की आस्तियों के पोर्टफोलियों का प्रबंध करना निवेशिती की प्रासंगिक गतिविधि है। आस्ति प्रबंधक तब तक प्रासंगिक गतिविधि के संचालन की क्षमता रखता है जब तक चूक शुदा आस्तियों का मूल्य पोर्टफोलियों मूल्य के विनिर्दिष्ट अनुपात तक नहीं पहुंच जाता । ऋण

निवेशक तब प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने में सक्षम होता है जब चूक शुदा आस्तियों का मूल्य पोर्टफोलियों के मूल्य के विनिर्दिष्ट अनुपात को पार नहीं कर जाता। आस्ति प्रबंधक तथा ऋण निवेशक, प्रत्येक को यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या वे उन गतिविधियों को संचालित करने में सक्षम हैं अथवा नहीं जो निवेशिती के प्रतिफल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और उनमें निवेशिती के उद्देश्य एवं डिजाइन तथा प्रत्येक पक्ष के प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता का के प्रति अभिदर्शन पर विचार करना शामिल है।

अधिकार जो निवेशक को निवेशिती पर प्राधिकार देते हैं

- ख14 प्राधिकार अधिकारों से उत्पन्न होता है। एक निवेशिती पर प्राधिकार होने के लिए, एक निवेशक के पास मौजूदा अधिकार अवश्य होने चाहिए जो निवेशक को प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन के लिए वर्तमान क्षमता देते हैं। ऐसे अधिकार जो निवेशक को प्राधिकार देते हैं, निवेशितियों के बीच अलग-अलग हो सकते हैं।
- ख15 ऐसे अधिकारों के उदाहरण, जो निवेशक को व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से प्राधिकार प्रदान करते हैं, निम्नलिखित हैं, किन्तु वे यहीं तक सीमित नहीं हैं:
- (क) एक निवेशिती के मताधिकारों (अथवा संभावी मताधिकार) के रूप में अधिकार (देखें अनुच्छेद ख 34-ख 50);
 - (ख) निवेशिती के प्रमुख प्रबंधन कार्यों के उन सदस्यों की नियुक्ति, पुनर्समनुदेशन अथवा हटाने के अधिकार जिनमें प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने की क्षमता है;
 - (ग) ऐसे दूसरे प्रतिष्ठान को नियुक्त करने अथवा हटाने का अधिकार जो प्रासंगिक गतिविधियां संचालित करता है;
 - (घ) निवेशक के लाभ के लिए किये जाने वाले लेन-देनों में शामिल होने के लिए अथवा उनमें किन्हीं परिवर्तनों के लिए विशेषाधिकार (वीटो) का प्रयोग करने के लिए निवेशिती को निर्देश देने का अधिकार; और
 - (ङ) अन्य अधिकार (जैसे कि प्रबंध अनुबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने का अधिकार) जो धारक को प्रासंगिक गतिविधियां को संचालित करने की क्षमता देते हैं।
- ख16 आमतौर पर, जब एक निवेशिती की विभिन्न प्रकार की परिचालन एवं वित्तपोषण गतिविधियां होती हैं जो निवेशिती के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं तथा जब इन गतिविधियों के संबंध में निरंतर रूप से कोई वास्तविक सारभूत निर्णय लिया जाना अपेक्षित होता है, तब मताधिकार या फिर उसी तरह के अधिकार होंगे जो एक निवेशक को व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यवस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से प्राधिकार देते हैं।
- ख17 जब निवेशिती के प्रतिफलों पर मताधिकार का महत्वपूर्ण प्रभाव संभव न हो, जैसे कि, जब मताधिकार का सम्बंध केवल प्रशासनिक कार्यों से होता है और अनुबंधात्मक व्यवस्थाएं प्रासंगिक गतिविधियों का संचालन निश्चित करती हैं तो निवेशक द्वारा अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उसे निवेशिती पर प्राधिकार देने के लिए पर्याप्त अधिकार है। यह निश्चित करने के लिए कि एक निवेशक के पास उसे प्राधिकार देने के लिए पर्याप्त अधिकार है, निवेशक निवेशिती (देखें अनुच्छेद ख5-ख8) के उद्देश्य एवं डिजाइन तथा अनुच्छेद ख 18 ख 20 के साथ-साथ अनुच्छेद ख 51-ख 54 की अपेक्षाओं पर विचार करेगा।
- ख18 कुछ परिस्थितियों में, यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि क्या एक निवेशक के अधिकार पर्याप्त हैं उस निवेशिती पर प्राधिकार देने के लिए ऐसे मामलों में, प्राधिकार का निर्धारण करने के लिए निवेशक इस साक्ष्य पर विचार करेगा कि क्या इसके पास प्रासंगिक गतिविधियों पर अकेले निर्देश देने की व्यावहारिक क्षमता है। इसके लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाता है लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं होता। जब इन पर अधिकारों और अनुच्छेद ख19 और ख 20 में उल्लिखित संकेतकों के साथ निम्नलिखित विचार किया जाता है तो यह साक्ष्य उपलब्ध हो सकते हैं कि निवेशक के अधिकार निवेशिती पर उसे प्राधिकार देने के लिए पर्याप्त हैं :
- (क) निवेशक, ऐसा करने के लिए अनुबंधात्मक अधिकार हुए बिना, निवेशिती के उन प्रमुख प्रबंधक कार्यों को नियुक्त अथवा स्वीकृत कर सकता है जिनके पास प्रासंगिक गतिविधियों का संचालन करने की क्षमता है।
 - (ख) निवेशक, ऐसा करने के लिए अनुबंधात्मक अधिकार हुए बिना, निवेशिती को निवेशक के लाभ के लिए महत्वपूर्ण लेनदेनों में सम्मिलित होने अथवा उनमें किन्हीं प्रकार के परिवर्तनों के लिए विशेषाधिकार (वीटो) का प्रयोग करने के लिए निर्देशित कर सकता है।
 - (ग) निवेशक या तो निवेशिती के शासी निकाय के सदस्यों के चयन के लिए नामांकन प्रक्रिया या अन्य मताधिकार धारकों के प्रतिनिधित्व (प्रॉक्सीज) प्राप्त करने पर प्रभुत्व रख सकता है।
 - (घ) निवेशिती के प्रमुख प्रबंधन कार्यों निवेशक की संबंधित पार्टियां होती हैं उदाहरण के लिए, जब निवेशिती का मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा निवेशक का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एक ही व्यक्ति हो।

- (ङ) निवेशिती के शासी निकाय के बहुसंख्य सदस्य निवेशक की संबंधित पार्टियां होती हैं।
- ख19 कभी-कभी, ऐसे संकेत भी दिखाई देंगे कि निवेशक का निवेशिती के साथ विशेष संबंध हैं जो यह दर्शाता है कि निवेशक का निवेशिती निष्क्रिय हित से अधिक हित है। किसी एक संकेतक अथवा संकेतकों के किसी विशिष्ट संयोजन की विद्यमानता का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि प्राधिकार मानदण्डों को पूरा कर लिया गया है। फिर भी निवेशिती में निष्क्रिय हित से अधिक होना यह संकेत दे सकता है कि निवेशक के पास निवेशिती पर प्राधिकार देने अथवा मौजूदा प्राधिकार का साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए अन्य संबंधित पर्याप्त अधिकार हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित से यह जाहिर होता है कि निवेशक का निवेशिती में निष्क्रिय हित से अधिक हित हैं और अन्य अधिकारों के संयोजन में यह प्राधिकार का संकेत करता है:
- (क) निवेशिती के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, जिनमें प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने की क्षमता है, निवेशक के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी हैं।
- (ख) निवेशिती के परिचालन निवेशक पर निर्भर है, जैसा कि, निम्नलिखित परिस्थितियों में है:
- (i) निवेशिती अपने परिचालन के महत्वपूर्ण भाग की निधि के लिए निवेशक पर निर्भर होता है।
 - (ii) निवेशक निवेशिती की बाध्यताओं के महत्वपूर्ण भाग के लिए गारंटी देता है।
 - (iii) निवेशिती महत्वपूर्ण सेवाओं, प्रौद्योगिकी, आपूर्तियों अथवा कच्चे माल के लिए निवेशक पर निर्भर रहता है।
 - (iv) निवेशक लाइसेंस अथवा ट्रेडमार्क जैसी आस्तियों पर नियंत्रण रखता है, जो निवेशिती के परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
 - (v) निवेशिती निवेशक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों पर निर्भर रहता है, जैसेकि जब निवेशक के कार्मिक निवेशिती के परिचालनों का विशिष्ट ज्ञान रखते हैं।
- (ग) निवेशिती की गतिविधियों के महत्वपूर्ण भाग पर या तो निवेशक की संलिप्तता रहती है या वह उसकी ओर से संचालित किया जाता है।
- (घ) निवेशक का निवेशिती के साथ संलिप्तता से प्राप्त प्रतिफलों के प्रति अभिदर्शन अथवा उन पर अधिकार इसके मताधिकार अथवा अन्य इसी तरह के अधिकारों की तुलना में असंगत रूप से अधिक होता है। उदाहरण के लिए, ऐसीस्थिति हो सकती है जिसमें निवेशक निवेशिती के प्रतिफलों का आधे से अधिक हकदार हो या इसके लिए अभिदर्शित हो और उसका किन्तु निवेशिती में मताधिकार आधे से भी कम हो।
- ख20 निवेशिती के साथ इसकी संलिप्तता से प्राप्त होने वाले प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता संबंधी निवेशक का अभिदर्शन अथवा अधिकार जितना अधिक होगा, निवेशक के लिए प्राधिकार देने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त करने का प्रोत्साहन उतना ही अधिक होगा। अतः प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता में अधिक अभिदर्शन का होना, एक संकेत है कि निवेशक के पास प्राधिकार है। फिर भी, निवेशक के अभिदर्शन की सीमा, स्वयं में यह निर्धारित नहीं करती है कि क्या निवेशक का निवेशिती पर प्राधिकार है।
- ख21 जब अनुच्छेद ख 18 में निर्धारित कारक और अनुच्छेदों ख 19 व ख 20 में निर्धारित संकेतकों पर निवेशक के अधिकारों के साथ विचार किया जाता है तब अनुच्छेद ख 18 में वर्णित प्राधिकार के साक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाएगा।
- वास्तविक अधिकार**
- ख22 एक निवेशक, यह निर्धारित करते समय कि उसके पास प्राधिकार है या नहीं, एक निवेशिती से सम्बंधित केवल वास्तविक अधिकारों (निवेशक एवं अन्य द्वारा धारित) पर ही विचार करता है। अधिकार को वास्तविक होने के लिए, धारक के पास उस अधिकार का प्रयोग करने की व्यावहारिक क्षमता अवश्य होनी चाहिए।
- ख23 यह निर्धारण करने के लिए कि क्या अधिकार वास्तविक हैं, सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। इस निर्धारण के लिए जिन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए उनमें निम्नलिखित तो शामिल हैं किन्तु वे इन तक सीमित नहीं हैं:
- (क) क्या कोई ऐसे अवरोध (आर्थिक या अन्य) हैं जो धारक (अथवा धारकों) को अधिकारों का प्रयोग करने से रोकते हैं। ऐसे अवरोधों के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु वे इन तक सीमित नहीं हैं:
- (i) वित्तीय दण्ड या प्रोत्साहन जो धारक को इसके अधिकारों का प्रयोग करने से रोकते हैं (या दूर रखते हैं)।
 - (ii) प्रयोग अथवा परिवर्तन मूल्य जो एक वित्तीय अवरोध पैदा करता है और धारक को इसके प्रयोग करने से रोकता है (दूर रखता है)।

- (iii) शर्तें व निबंधन जो अधिकारों के प्रयोग की संभावना को लगभग समाप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, वैसी स्थितियां जो उनके प्रयोग के समय को संकीर्ण करके सीमित करती हैं।
- (iv) निवेशिती के स्थापना प्रलेखों अथवा लागू कानूनों या विनियमों में सुस्पष्ट व उचित तंत्र का अभाव जो धारक को इसके अधिकारों के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान करता है।
- (v) अधिकारों का धारक का अधिकारों के प्रयोग करने के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करने में असामर्थ्य।
- (vi) परिचालन-संबंधी अवरोध अथवा प्रोत्साहन जो अधिकारों के धारक को उनका प्रयोग करने से रोकते हैं (अथवा दूर रखते हैं) (जैसे कि विशिष्ट सेवाएं देने के इच्छुक अथवा योग्य अन्य प्रबंधकों का अभाव या उन अन्य प्रबंधकों का अभाव जो सेवाएं देते हैं और जो पदस्थ प्रबंधकों द्वारा धारित अन्य हित भी ले लेते हैं)।
- (vii) विधिक (कानूनी) या नियामक अपेक्षाएं जो धारक को इसके अधिकारों का प्रयोग करने से रोकती हैं (जैसे कि एक विदेशी निवेशक को उसके अधिकारों का प्रयोग करने से रोकना)।
- (ख) जब अधिकारों के प्रयोग के लिए एक-से अधिक पक्षों (पार्टियों) की सहमति आवश्यक हो अथवा जब अधिकार एक-से अधिक पक्षों (पार्टियों) द्वारा धारित होता है तो क्या ऐसा कोई तंत्र या व्यवस्था है जो उन पक्षों को उनके अधिकारों का प्रयोग सामूहिक रूप से करने की, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं, व्यावहारिक क्षमता प्रदान करती है। यदि ऐसा कोई तंत्र या व्यवस्था नहीं है तो वह इस बात का संकेत है कि अधिकार वास्तविक नहीं है। अधिकारों के प्रयोग के लिए जितनी ज्यादा पार्टियों या पक्षों की सहमति अपेक्षित होती है, उतनी ही अधिकारों की वास्तविकता कम होने की संभावना होती है। फिर भी, एक निदेशक-मंडल, जिसके सदस्य निर्णयकर्ता से स्वतंत्र हैं एक ऐसा तंत्र है जो अनेक निवेशकों के लिए उनके अधिकारों का प्रयोग करने में सामूहिक रूप से कार्य करता है। इसलिए, एक स्वतंत्र निदेशक-मंडल द्वारा प्रयोग करने योग्य निष्कासन अधिकारों के वास्तविक होने की अधिक संभावना है बजाय इसके कि वही अधिकार बड़ी संख्या में निवेशकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किये जाने योग्य हो।
- (ग) क्या एक पार्टी या अधिक पार्टियों को, जो अधिकारों की धारक है, उन अधिकारों के प्रयोग से कोई लाभ होगा। उदाहरण के लिए, एक निवेशिती (अनुच्छेद ख 47- ख 50 देखें) में एक संभावी मताधिकार का धारक लिखत के प्रयोग या परिवर्तन मूल्य पर विचार करेगा। संभावी मताधिकार के शर्तें एवं निबंधन के वास्तविक होने की और संभावना है जब लिखत इन दिमनी हो अथवा निवेशक अन्य कारणों (निवेशक तथा निवेशिती के बीच सहक्रियाओं के संपादन से) से लिखत के प्रयोग से अथवा परिवर्तन से लाभान्वित होगा।
- ख24 वास्तविक होने के लिए अधिकारों का प्रयोग योग्य होना भी आवश्यक है जब प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन के लिए निर्णय लिए जाने आवश्यक हो। आमतौर पर, वास्तविक होने के लिये अधिकारों को वर्तमान में प्रयोग योग्य होना आवश्यक है। तथापि, कभी-कभी अधिकार वास्तविक हो सकते हैं, भले ही अधिकार वर्तमान में प्रयोग योग्य नहीं हैं।

प्रयोग संबंधी उदाहरण

उदाहरण 3

निवेशिती प्रतिष्ठान में वार्षिक अंशधारकों की बैठक होती है की जिसमें प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। अंशधारकों की अगली अनुसूचित बैठक आठ महीने बाद है। तथापि, ऐसे अंशधारक जो व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से कम से कम 5 प्रतिशत मताधिकार धारण करते हैं, प्रासंगिक गतिविधियों पर मौजूदा नीतियों में बदलाव के लिए विशेष बैठक बुला सकते हैं, किंतु अन्य अंशधारकों को नोटिस देने की अपेक्षा होने का तात्पर्य यह है कि ऐसी बैठक कम-से-कम 30 दिनों तक नहीं हो सकती है। प्रासंगिक गतिविधियों की नीतियों में परिवर्तन केवल विशेष अथवा अनुसूचित बैठकों में ही किए जा सकते हैं। इनमें आस्तियों की महत्वपूर्ण बिक्री के लिए और महत्वपूर्ण निवेश करने या निवेशों के निपटान के लिए अनुमोदन शामिल है।

उपर्युक्त तथ्य स्वरूप नीचे दिये गये उदाहरणों 3क-3घ के संबंध में लागू होता है। प्रत्येक उदाहरण पर विचार अलग से किया गया है।

उदाहरण 3 क

एक निवेशक निवेशिती में मताधिकार का बहुमत धारण करता है। निवेशक के मताधिकार वास्तविक अधिकार हैं क्योंकि निवेशक प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम है जब भी उन्हें लिए जाने की आवश्यकता होती है। यह तथ्य कि एक निवेशक को इसके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 30 दिन का समय लगता है उसको अंशधारिता अर्जित करने के क्षण से ही प्रासंगिक गतिविधियां संचालित करने की वर्तमान क्षमता होने पर भी रोकता नहीं है।

उदाहरण 3 ख

निवेशक निवेशिती के बहुसंख्य शेयर अर्जित करने के लिए वायदा अनुबंध का एक पक्ष (पार्टी) है। वायदा अनुबंध की निपटान तिथि 25 दिनों में है। मौजूदा अंशधारक प्रासंगिक गतिविधियों के लिए वर्तमान नीतियों में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि विशेष बैठक कम से

कम 30 दिनों से पहले हो नहीं सकती है, जिस समय वायदा अनुबंध निपटा दिया गया होगा। अतः निवेशक के पास वे अधिकार हैं जो उपर्युक्त उदाहरण 3 क में बहुसंख्यक शेयरधारक के अधिकार के तुल्य हैं (अर्थात् वायदा अनुबंध धारक निवेशक प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन के बारे में जो निर्णय लेना आवश्यक समझता है ले सकता है) निवेशक का वायदा अनुबंध वह वास्तविक अधिकार है जो निवेशक को वायदा अनुबंध के निपटान से पहले ही प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन की वर्तमान क्षमता देता है।

उदाहरण 3 ग

एक निवेशक निवेशिती में बहुसंख्यक शेयरों को प्राप्त करने के लिए एक वास्तविक विकल्प धारित करता है जो 25 दिनों में प्रयोग करने योग्य होता है और डीपली इन दि मनी होता है। उदाहरण 3 ख की तरह ही उसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा।

उदाहरण 3 घ

एक निवेशक निवेशिती में बहुसंख्यक शेयरों के अधिग्रहण के लिए वायदा अनुबंध की एक पार्टी है और उसका निवेशिती पर कोई अन्य संबंधित अधिकार नहीं है। वायदा अनुबंध की निपटान तिथि छहमाह की है। उपर्युक्त उदाहरणों के विपरीत, निवेशक के पास प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन वर्तमान क्षमता नहीं है। मौजूदा शेयरधारकों को प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन की वर्तमान क्षमता होती है क्योंकि वे वायदा अनुबंध का निपटान होने से पहले ही प्रासंगिक गतिविधियों संबंधी मौजूदा नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं।

- ख 25 अन्य पक्षों (पार्टियों) द्वारा प्रयोग करने योग्य वास्तविक अधिकार निवेशक को निवेशिती पर नियंत्रण करने से रोक सकते हैं। ऐसे वास्तविक अधिकार धारकों से यह अपेक्षा नहीं करते कि उनके पास निर्णयों को प्रारंभ करने की क्षमता हो। जब तक अधिकार केवल संरक्षात्मक (अनुच्छेद ख 26- ख 28 देखें) नहीं हैं, तब तक अन्य पक्षों द्वारा धारित वास्तविक अधिकार निवेशक को निवेशिती पर नियंत्रण करने से रोक सकते हैं, भले ही, ये अधिकार धारकों को प्रासंगिक गतिविधियों से सम्बंधित निर्णयों को अनुमोदित करने या रोकने की वर्तमान क्षमता देते हैं।

संरक्षात्मक अधिकार

- ख 26 यह मूल्यांकन करते समय कि क्या अधिकार निवेशक को निवेशिती पर प्राधिकार देता है अथवा नहीं, निवेशक यह निर्धारित करेगा कि इसके अधिकार तथा अन्य निवेशकों द्वारा धारित अधिकार संरक्षात्मक अधिकार हैं या नहीं। संरक्षात्मक अधिकार निवेशिती की गतिविधियों में मूलभूत परिवर्तनों से संबंधित होते हैं अथवा अपवादस्वरूप परिस्थितियों में लागू होते हैं। फिर भी, वे सभी अधिकार जो अपवादस्वरूप परिस्थितियों में लागू होते हैं अथवा घटनाओं पर निर्भर होते हैं, जरूरी नहीं कि वे संरक्षात्मक ही हों (देखें अनुच्छेद ख 13 एवं ख 53)।
- ख 27 चूंकि संरक्षात्मक अधिकारों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अधिकारों से सम्बंधित निवेशिती पर उनके धारकों को प्राधिकार दिये बिना उनके हितों की रक्षा करें, एक निवेशक, जो केवल संरक्षात्मक अधिकार ही धारण करता है, उसके पास प्राधिकार नहीं हो सकता है या वह दूसरी पार्टी को निवेशिती पर प्राधिकार रखने से नहीं रोक सकता है (अनुच्छेद 14 देखें)।
- ख 28 संरक्षात्मक अधिकारों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं किंतु ये इतने तक ही सीमित नहीं हैं:
- (क) एक ऋणकर्ता के वे अधिकार जो उधारकर्ता को उन गतिविधियों के संचालन से प्रतिबंधित करते हैं जो ऋणकर्ता के अहित में उधारकर्ता के साख जोखिम में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं।
 - (ख) व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के तहत अपेक्षित पूंजीगत व्यय से अधिक राशि का अनुमोदन करने अथवा 'इक्विटी' निर्गम या ऋण लिखतों के निर्गम की स्वीकृति के लिए निवेशिती में गैर-नियंत्रण हित धारक पार्टी का अधिकार।
 - (ग) यदि उधारकर्ता (ऋणी) विनिर्दिष्ट ऋण पुर्नभुगतान की शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उधारकर्ता (ऋणी) की आस्तियों को जब्त करने का ऋणकर्ता (ऋणदाता) का अधिकार।

फ्रेन्चाइज

- ख 29 एक फ्रेन्चाइजी करार जिसमें निवेशिती एक फ्रेन्चाइजी होता है, प्रायः फ्रेन्चाइजर को वे अधिकार देता है जो फ्रेन्चाइजी के ब्राण्ड को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फ्रेन्चाइज करार सामान्यता फ्रेन्चाइजर को फ्रेन्चाइजी के परिचालनों के संबंध में कुछ निर्णय लेने के अधिकार देता है।
- ख 30 सामान्यतः फ्रेन्चाइजरों के अधिकार फ्रेन्चाइजर के अलावा अन्य पार्टियों की क्षमता को प्रतिबंधित नहीं करता है उन निर्णयों को लेने के लिए जो फ्रेन्चाइजी के प्रतिफलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हों। इसी तरह फ्रेन्चाइज करार में फ्रेन्चाइजर के अधिकार उसे ऐसी गतिविधियों को संचालित करने की वर्तमान क्षमता नहीं देते हैं जिससे कि फ्रेन्चाइजी के प्रतिफल पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता हो।
- ख 31 यह आवश्यक है कि ऐसे निर्णय लेने की वर्तमान क्षमता जो फ्रेन्चाइजी के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हो और ऐसे निर्णय लेने की क्षमता जो फ्रेन्चाइज ब्राण्ड को सुरक्षा देती हो, इन दोनों के बीच अन्तर किया जाए। यदि अन्य पार्टियों के पास

- मौजूदा अधिकार हैं जो उन्हें फ्रेन्चाइजी की प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने की वर्तमान क्षमता देते हैं तो फ्रेन्चाइजर का फ्रेन्चाइजी पर प्राधिकार नहीं होता है।
- ख32 फ्रेन्चाइजर करार में शामिल होकर, फ्रेन्चाइजी ने फ्रेन्चाइजर करार की शर्तों के अनुसार अपने कारोबार को परिचालित करने का एक तरफा निर्णय लिया है, जोकि उसने अपने हित में लिया है।
- ख33 फ्रेन्चाइजी के विधिक स्वरूप और इसकी निधिकरण (फंडिंग) जैसे मौलिक निर्णयों पर नियंत्रण का निर्धारण फ्रेन्चाइजर के अलावा पार्टियों द्वारा किया जाएगा और वे फ्रेन्चाइजी के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। फ्रेन्चाइजर द्वारा उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता का स्तर जितना कम होगा और फ्रेन्चाइजी से प्राप्त प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति फ्रेन्चाइजर का अभिदर्शन जितना कम होगा, इसकी उतनी ही अधिक संभावना है कि फ्रेन्चाइजर के पास केवल रक्षात्मक अधिकार हैं।

मताधिकार

- ख34 प्रायः निवेशक के पास मताधिकार अथवा इसी प्रकार के अधिकारों के माध्यम से प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने की वर्तमान क्षमता होती है। यदि निवेशिती की प्रासंगिक गतिविधियां मताधिकार के माध्यम से संचालित होती हैं तो निवेशक इस खण्ड की (अनुच्छेद ख 35-ख 50) अपेक्षाओं पर विचार करता है।

बहुमत मताधिकार के साथ प्राधिकार

- ख35 एक निवेशक के पास, जो एक निवेशिती के आधे से अधिक मताधिकार को धारण करता है, तब तक निम्नलिखित स्थितियों में प्राधिकार होती है जब तक कि अनुच्छेद ख 36 अथवा ख 37 लागू न होता हो:
- (क) प्रासंगिक गतिविधियां बहुमत मताधिकार के धारकों के मत द्वारा संचालित होती हैं; अथवा
- (ख) एक शासी निकाय के बहुमत सदस्य, जो प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करते हैं; बहुमत मताधिकार के धारकों के मत द्वारा नियुक्त होते हैं।

बहुमत मताधिकार परंतु प्राधिकार नहीं

- ख36 निवेशिती पर प्राधिकार रखने के लिए यदि निवेशक आधे से अधिक मताधिकार धारण करता है, तो यह मताधिकार अनुच्छेद ख22-ख25 के अनुसार वास्तविक होने चाहिए तथा उन्हें निवेशक को प्रासंगिक गतिविधियां संचालित करने की वर्तमान क्षमता प्रदान करनी चाहिए जो प्रायः परिचालन तथा वित्तीय नीतियां निर्धारित करने के माध्यम से होंगी। यदि दूसरे प्रतिष्ठान के पास ऐसे मौजूदा अधिकार हैं जो उस प्रतिष्ठान को प्रासंगिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार देते हैं और वह प्रतिष्ठान निवेशक का एजेंट नहीं है, तो निवेशक का निवेशिती पर प्राधिकार नहीं होता है।
- ख37 एक निवेशक का एक निवेशिती पर तब तक प्राधिकार नहीं होता है, भले ही निवेशक निवेशिती में बहुमत मताधिकार धारण करता हो जब तक वे मताधिकार वास्तविक न हों। उदाहरण के लिए, एक निवेशक जिसके पास निवेशिती में आधे से अधिक मताधिकार हैं, उसका निवेशिती पर वह प्राधिकार नहीं हो सकता है यदि प्रासंगिक गतिविधियों का संचालन सरकार, न्यायालय, प्रशासक, प्राप्तकर्ता, परिसमापक (लिविडेटर) अथवा नियामक (रेगुलेटर) के निर्देशों के अधीन है।

बहुमत मताधिकार के बिना प्राधिकार

- ख38 एक निवेशक के पास प्राधिकार तब भी हो सकता है यदि उसके पास निवेशिती में बहुमत मताधिकार से कम धारण करता है। निवेशक को बहुमत मताधिकार से कम मताधिकार के साथ निम्नलिखित के माध्यम से, उदाहरणस्वरूप, प्राधिकार प्राप्त हो सकता है:
- (क) निवेशक तथा अन्य मतधारकों के बीच अनुबंधात्मक व्यवस्था (अनुच्छेद ख 39 देखें);
- (ख) अन्य अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं से उत्पन्न अधिकार (देखें अनुच्छेद ख40);
- (ग) निवेशक के मताधिकार (देखें अनुच्छेद ख 41- ख 45);
- (घ) संभावी मताधिकार (देखें अनुच्छेद ख 47-ख 50);
- (ङ) (क)- (घ) तक का एक संयोजन।

अन्य मतधारकों के साथ अनुबंधात्मक व्यवस्था

- ख39 निवेशक तथा अन्य मतधारकों के बीच अनुबंधात्मक व्यवस्था निवेशक को प्राधिकार देने के लिए उसे पर्याप्त मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है, भले ही, निवेशक के पास अनुबंधात्मक व्यवस्था के बिना उसे प्राधिकार देने के लिए पर्याप्त मताधिकार न भी हो। तथापि, एक अनुबंधात्मक व्यवस्था यह सुनिश्चित कर सकती है कि निवेशक अन्य मतधारकों को भलीभांति निर्देशित कर सकता है कि एक निवेशक को प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए मत कैसे किया जाए।

अन्य अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं द्वारा अधिकार

- ख40 मताधिकार के साथ अन्य निर्णय लेने के अधिकार, एक निवेशक को प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन के लिए वर्तमान क्षमता दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, मताधिकार के साथ अनुबंधात्मक व्यवस्था में विनिर्दिष्ट अधिकार, एक निवेशक को एक निवेशिती की उत्पादन प्रक्रियाओं के संचालन अथवा एक निवेशिती की अन्य परिचालन या वित्तीय गतिविधियों को संचालित करने के लिए वर्तमान क्षमता प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं जो निवेशिती के प्रतिफल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तथापि, किन्हीं अन्य अधिकारों के अभाव में, निवेशक पर निवेशिती की आर्थिक निर्भरता (जैसेकि आपूर्तिकर्ता का इसके प्रमुख ग्राहक के साथ संबंध) इस बात का संकेत नहीं देती कि निवेशक का निवेशिती पर प्राधिकार है।

निवेशक के मताधिकार

- ख41 बहुमत मताधिकार न होने पर भी एक निवेशक के पास ऐसे अधिकार हो सकते हैं जो उसे प्राधिकार देने के लिए पर्याप्त हैं जब उस निवेशक के पास प्रासंगिक गतिविधियों के एकांगी संचालन के लिए व्यावहारिक क्षमता होती है।
- ख42 यह निर्धारित करने के लिए कि एक निवेशक को प्राधिकार देने के लिए मताधिकार पर्याप्त हैं या नहीं, निवेशक सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करता है और उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) अन्य मतधारकों की धारिताओं के परिमाण एवं प्रकीर्णन की तुलना में, निवेशक के मताधिकार धारिता का परिमाण, इसमें निम्नलिखित पर भी ध्यान दिया जाएगा:

- (i) निवेशक जितने अधिक मताधिकार धारण करता है उसके पास उतने अधिक मौजूदा अधिकार होने की संभावना है जो उसे प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने की वर्तमान क्षमता देते हैं ;
- (ii) निवेशक अन्य मतधारकों की अपेक्षा जितने अधिक मताधिकार धारण करता है, उसके पास उतने अधिक मौजूदा अधिकार होने की संभावना है जो उसे प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने की क्षमता देते हैं ;
- (iii) निवेशक को मतों से हराने के लिए जितने अधिक पक्षों के एकजुट होने की आवश्यकता होंगी, निवेशक के पास उतने ही अधिक मौजूदा अधिकार होने की संभावना है जो उसे प्रासंगिक गतिविधियों का संचालन करने की क्षमता देते हैं ।

(ख) निवेशक, अन्य मतधारकों अथवा अन्य पार्टियों द्वारा धारित संभावी मताधिकार(देखें अनुच्छेद ख 47- ख 50);

(ग) अन्य अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं से उत्पन्न अधिकार(देखें अनुच्छेद ख40); और

(घ) कोई अतिरिक्त तथ्य एवं परिस्थितियाँ जो यह संकेत देती हैं कि जिस समय निवेशक को वह निर्णय लेना होता है तो उसके पास प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन के लिए वर्तमान क्षमता होती है या नहीं। इसमें शेयरधारकों की गत बैठकों में मताधिकार के पैटर्न भी शामिल हैं।

- ख43 जब प्रासंगिक गतिविधियों का संचालन बहुमत द्वारा निर्धारित किया जाता है और निवेशक किसी अन्य मतधारक अथवा मतधारकों के संगठित समूह की तुलना में काफी अधिक मताधिकार धारण करता है तथा अन्य शेयरधारिता बहुत हद तक प्रकीर्ण हैं, तो केवल अनुच्छेद ख 42 (क)-(ग) में सूचीबद्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो सकता है कि निवेशक का निवेशिती पर प्राधिकार है।

प्रयोग-संबंधी उदाहरण**उदाहरण 4**

एक निवेशक एक निवेशिती में 48 प्रतिशत मताधिकार ग्रहण करता है। शेष मताधिकार हजारों अंशधारकों द्वारा इस तरह धारित हैं कि कोई भी एक अंशधारक 1 प्रतिशत से अधिक मताधिकार धारण नहीं करता है। इनमें से किसी भी अंशधारक के पास एक-दूसरे से बातचीत करने अथवा सामूहिक निर्णय लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। अन्य अंशधारिताओं के संबंधित परिमाण के आधार पर मताधिकार प्राप्त करने के अनुपात का निर्धारण करते समय, निवेशक यह निश्चित करता है कि नियंत्रण प्रदान करने के लिए 48 प्रतिशत हित पर्याप्त होगा। इस मामले में, इसकी धारिता की समग्र परिमात्रा तथा अन्य अंशधारिताओं के संबंधित परिमाण के आधार पर, निवेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके पास प्राधिकार कि मानदंड की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रभावी मताधिकार हित हैं और उसे प्राधिकार के किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

उदाहरण 5

निवेशक 'क' निवेशिती में 40 प्रतिशत मताधिकार धारण करता है जबकि अन्य बारह निवेशक प्रत्येक 5 प्रतिशत धारण करते हैं। अंशधारक करार निवेशक 'क' को प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन के लिए उत्तरदायी प्रबंधन की नियुक्ति, निष्कासन तथा पारिश्रमिक नियत करने का

अधिकार प्रदान करता है। करार में परिवर्तन करने के लिए, अंशधारकों का दो तिहाई बहुमत अपेक्षित है। इस मामले में, निवेशक 'क' इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निवेशक की अंशधारिता का समग्र परिमाण तथा अन्य अंशधारिताओं का संबंधित परिमाण अकेले में यह निर्धारित करने में निर्णायक नहीं है कि निवेशक के पास प्राधिकार के लिए पर्याप्त अधिकार हैं। तथापि, निवेशक 'क' यह निश्चित करता है कि प्रबंधन की नियुक्ति, निष्कासन तथा पारिश्रमिक तय करने संबंधी अनुबंधात्मक अधिकार यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि उसका निवेशिती पर प्राधिकार है। इस तथ्य पर कि, निवेशक 'क' ने इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया है या निवेशक 'क' द्वारा प्रबंधन के चयन, नियुक्ति या निष्कासन करने संबंधी इसके अधिकार के प्रयोग की संभावना है, यह निर्धारण करते समय विचार नहीं किया जाएगा कि निवेशक 'क' के पास प्राधिकार है।

ख44 अन्य परिस्थितियों में, अकेले अनुच्छेद ख42 (क)-(ग) में सूचीबद्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो सकता है कि निवेशक के पास प्राधिकार नहीं है।

प्रयोग-संबंधी उदाहरण

उदाहरण 6

निवेशक 'क' निवेशिती में 45 प्रतिशत मताधिकार धारण करता है जबकि अन्य दो निवेशक निवेशिती में 26-26 प्रतिशत मताधिकार धारण करते हैं। शेष मताधिकार तीन अंशधारक 1-1 प्रतिशत धारित करते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो निर्णय लेने को प्रभावित करती हो। इस मामले में, निवेशक 'क' के मत का परिमाण तथा अन्य अंशधारिताओं की तुलना में इसका परिमाण यह निर्णय लेने के लिए पर्याप्त है कि निवेशक 'क' के पास प्राधिकार नहीं है। केवल दो अन्य निवेशकों को निवेशक 'क' को निवेशिती की प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन करने से रोकने के लिये सक्षम होने में सहयोग करने की आवश्यकता होगी।

ख45 तथापि, केवल अनुच्छेद 42 (क)-(ग) में सूचीबद्ध तथ्य निर्णायक नहीं हो सकते हैं। यदि एक निवेशक, उन तथ्यों पर विचार कर लेने के बाद, स्पष्ट नहीं है कि उसके पास प्राधिकार है या नहीं, वह अतिरिक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करेगा, जैसे कि अंशधारकों की गत बैठकों के पैटर्न में प्रदर्शित हो कि क्या अन्य अंशधारक स्वभाव से निष्क्रिय हैं। इसमें अनुच्छेद ख 18 में निर्दिष्ट तथ्य और अनुच्छेद ख 19 व ख 20 के संकेतों के निर्धारण शामिल हैं। निवेशकों के धारित मताधिकार जितने कम होंगे, निवेशक को हराने में मतदान करने के लिए एकजुट होने के लिए उतनी ही अधिक पार्टियों की आवश्यकता होगी साथ ही अतिरिक्त तथ्यों व परिस्थितियों पर अधिक भरोसा करना होगा। यह निर्धारित करने के लिए क्या निवेशक उसके पास प्राधिकार के लिए पर्याप्त अधिकार हैं अथवा नहीं। जब अनुच्छेद ख 18-ख 20 में दिये गये तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निवेशक के अधिकारों के साथ विचार किया जाता है तब अनुच्छेद 18 में दिए गए प्राधिकार के साक्ष्य को अनुच्छेद ख 19 तथा ख 20 में दिए गए प्राधिकार के संकेतों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाएगा।

प्रयोग संबंधी उदाहरण

उदाहरण 7

एक निवेशक का निवेशिती में 45 प्रतिशत मताधिकार है। अन्य ग्यारह अंशधारकों में प्रत्येक 5 प्रतिशत मताधिकार का धारण करता है। किसी भी अंशधारक के पास किसी अन्य अंशधारक से परामर्श करने अथवा सामूहिक निर्णय लेने की अनुबंधात्मक व्यवस्था नहीं है। इस मामले में, निवेशक की अंशधारिताओं के संबंधित परिमाण अकेले यह निश्चित करने में निर्णायक नहीं है कि क्या निवेशक के पास निवेशिती पर प्राधिकार देने के लिए पर्याप्त अधिकार है। अतिरिक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा यदि वे ऐसा कोई साक्ष्य प्रदान करते हैं कि निवेशक के पास प्राधिकार है अथवा नहीं।

उदाहरण 8

एक निवेशक के पास एक निवेशिती के 35 प्रतिशत मताधिकार हैं। अन्य तीन अंशधारकों में प्रत्येक निवेशिती के 5 प्रतिशत मताधिकार धारण करता है। शेष मताधिकार बहुत-से अन्य अंशधारकों द्वारा धारित हैं जिनमें से किसी के भी पास 1 प्रतिशत से अधिक का मताधिकार नहीं है। किसी भी अंशधारक के पास किसी अन्य अंशधारक से परामर्श करने अथवा सामूहिक निर्णय लेने की अनुबंधात्मक व्यवस्था नहीं है। निवेशिती की प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए, प्रासंगिक अंशधारकों की बैठकों में बहुमत द्वारा अनुमोदन अपेक्षित है। हाल में सम्पन्न प्रासंगिक अंशधारकों की बैठक में निवेशिती के 75 प्रतिशत मताधिकार डाले गये। इस मामले में, हाल में आयोजित अंशधारकों की बैठकों में अन्य अंशधारकों की सक्रिय सहभागिता से यह संकेत मिलता है कि निवेशक के पास प्रासंगिक गतिविधियों को अकेले संचालित करने के लिए व्यावहारिक क्षमता नहीं है और इसमें इस बात पर ध्यान दिये बिना कि चूंकि अन्य शेयर धारकों ने पर्याप्त संख्या में वैसे ही मतदान किया है जैसे कि निवेशक ने किया है इसलिए निवेशक ने प्रासंगिक गतिविधियां संचालित की हैं।

ख46 अनुच्छेद ख 42 (क)-(घ) में सूचीबद्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद यदि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या निवेशक के पास प्राधिकार है, तो निवेशक निवेशिती को नियंत्रित नहीं करता है।

संभावी मताधिकार

- ख47 नियंत्रण का निर्धारण करते समय, एक निवेशक अपने संभावी मताधिकार के साथ-साथ अन्य पार्टियों द्वारा धारित संभावी मताधिकार पर यह निश्चित करने के लिए विचार करता है कि उसके पास प्राधिकार है अथवा नहीं। संभावी मताधिकार वे अधिकार हैं जो एक निवेशिती के मताधिकार प्राप्त करने के लिए होते हैं, जैसे कि, वे अधिकार जो वायदा अनुबंधों सहित परिवर्तनीय लिखतों अथवा विकल्पों से उत्पन्न होते हैं। उन मताधिकारों पर केवल तभी विचार किया जाता है जब वे अधिकार वास्तविक होते हैं (देखें अनुच्छेद ख 22-ख 25)।
- ख48 संभावी मताधिकारों पर विचार करते समय, एक निवेशक लिखत के उद्देश्य एवं डिजाइन के साथ-साथ निवेशिती के साथ अपनी संलिप्तता के उद्देश्य एवं डिजाइन पर विचार करेगा। इसमें लिखत के विभिन्न नियमों एवं शर्तों के मूल्यांकन के साथ-साथ निवेशक की प्रत्यक्ष प्रत्याशाओं, उद्देश्यों तथा उन नियमों एवं शर्तों से सहमत होने के कारण शामिल हैं।
- ख49 यदि निवेशक के पास निवेशिती की गतिविधियों के संबंध में मतदान करने अथवा अन्य निर्णय लेने के लिए अधिकार है तो निवेशक यह निर्धारित करता है कि क्या वे अधिकार संभावी मताधिकार के साथ मिलकर निवेशक को प्राधिकार देते हैं।
- ख50 केवल वास्तविक संभावी मताधिकार अथवा इनके साथ-साथ अन्य अधिकार एक निवेशक को प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन के लिये वर्तमान क्षमता दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा मामला तब हो सकता है जब एक निवेशक एक निवेशिती के 40 प्रतिशत मताधिकार का धारण करता है और अनुच्छेद ख 23 के अनुसार आगे और 20 प्रतिशत मताधिकार अधिग्रहण करने के विकल्पों से उत्पन्न वास्तविक अधिकार धारण करता है।

प्रयोग-संबंधी उदाहरण**उदाहरण 9**

निवेशक 'क', एक निवेशिती में 70 प्रतिशत मताधिकार धारण करता है। निवेशक 'ख' के पास निवेशिती के 30 प्रतिशत मताधिकार हैं और साथ ही साथ निवेशक 'क' के मताधिकारों का आधा अधिग्रहीत करने का विकल्प है। विकल्प अगले दो वर्षों के लिए नियत मूल्य पर प्रयोग करने योग्य है जो 'डीपली आउट ऑफ मनी' हैं (और दो वर्षों की अवधि में ऐसा ही रहने की संभावना है)। निवेशक 'क' अपने मतों का प्रयोग करता रहा है और निवेशिती की प्रासंगिक गतिविधियों का सक्रिय संचालन कर रहा है। ऐसे मामलों में, निवेशक 'क' द्वारा प्राधिकार मानदण्डों को पूरा करने की संभावना है क्योंकि यह प्रतीत होता है कि, उसके पास गतिविधियों के संचालन की वर्तमान क्षमता है। यद्यपि निवेशक 'ख' को वर्तमान में अतिरिक्त मताधिकार खरीदने का प्रयोग करने योग्य विकल्प है (जिसका यदि प्रयोग किया जाए तो निवेशिती में इसे मताधिकार का बहुमत प्राप्त हो जाएगा), परंतु उन विकल्पों से संबंधित नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं कि विकल्पों को वास्तविक नहीं समझा जा सकता है।

उदाहरण 10

निवेशक 'क' एवं अन्य दो निवेशक, प्रत्येक निवेशिती में एक तिहाई मताधिकार धारण करते हैं। निवेशिती की व्यवसायिक गतिविधि निवेशक 'क' से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। निवेशिती की 'इक्विटी' लिखतों के अतिरिक्त निवेशक 'क' ऋण लिखतें भी धारण करता है जो निवेशिती के सामान्य अंशों में किसी भी समय एक नियत मूल्य पर परिवर्तनीय है और आउट ऑफ मनी है (लेकिन डीपली आउट ऑफ मनी नहीं)। यदि ऋणों को परिवर्तित कर दिया जाए तो निवेशक 'क' निवेशिती में 60 प्रतिशत मताधिकार धारण कर लेते। यदि ऋण लिखतों को सामान्य अंशों में परिवर्तित कर दिया जाये तो निवेशक 'क' सहक्रियाओं को संपादित करके लाभप्रद रहेंगे। निवेशक 'क' का निवेशिती पर प्राधिकार है क्योंकि वह वास्तविक संभावी मताधिकारों के साथ-साथ निवेशिती के मताधिकार भी धारण करता है जो इसे प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने की क्षमता देते हैं।

प्राधिकार जब मताधिकारों अथवा इसी तरह के अधिकारों का निवेशिती के प्रतिफलों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है।

- ख51 एक निवेशिती के उद्देश्य और डिजाइन का निर्धारण करते समय (देखें अनुच्छेद ख5-ख8), एक निवेशक निवेशिती के प्रारंभ में इसके डिजाइन के भाग के रूप में लिए गए निर्णयों और संलिप्तता पर विचार करेगा तथा यह मूल्यांकन करेगा कि क्या लेन-देन की शर्तें एवं संलिप्तता विशेषताएं निवेशक को वे अधिकार प्रदान करती हैं जो उसे प्राधिकार देने के लिये पर्याप्त हैं। अकेले निवेशिती के डिजाइन में संलिप्तता होना निवेशक को प्राधिकार प्राप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है फिर भी, डिजाइन में संलिप्तता यह दर्शा सकती है कि निवेशक के पास उन अधिकारों की प्रति का अवसर था जो निवेशिती पर प्राधिकार के लिए पर्याप्त हैं।
- ख52 इसके अतिरिक्त, एक निवेशक अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं, जैसे कि, निवेशिती के प्रारंभ पर स्थापित मांग अधिकारों, विक्रय अधिकारों तथा परिसमापन अधिकारों पर विचार करेगा। जब इन अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं में वे गतिविधियां संलिप्त होती हैं जो निवेशिती से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं तब ये गतिविधियां, वास्तव में निवेशिती की समग्र गतिविधियों का आन्तरिक भाग होती हैं, भले ही, वे निवेशिती की विधिक सीमा घेरे से बाहर संपन्न होती हैं। अतः अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं में सन्निहित स्पष्ट अथवा अस्पष्ट निर्णय लेने के अधिकारों का, जो निवेशिती से घनिष्ठ रूप से सम्बंधित हैं, निवेशिती पर प्राधिकार का निर्धारण करते समय प्रासंगिक गतिविधियों के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

- ख53 कुछ निवेशितियों के लिए, प्रासंगिक गतिविधियां तभी होती हैं जब कोई विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं या घटनाएं घटती हैं। निवेशिती को इस रूप में डिजाइन किया जा सकता है जिससे कि इसकी गतिविधियों का संचालन और इसके प्रतिफल पूर्व निर्धारित होते हैं, तब तकजब तक कि वे विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं अथवा घटनाएं नहीं घटती हैं। इस मामले में, जब वे परिस्थितियां अथवा घटनाएं घटती हैं तब केवल निवेशिती की गतिविधियों के बारे में लिए गए निर्णय, इसके प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं और इस प्रकार प्रासंगिक गतिविधियां होती हैं। प्राधिकार के लिए उन निर्णयों को लेने की क्षमतावाले निवेशक के लिए परिस्थितियों अथवा घटनाओं का घटित होना आवश्यक नहीं है। यह तथ्य कि निर्णय लेने के अधिकार परिस्थितियों से उत्पन्न होने अथवा घटनाओं के घटित होने पर आश्रित हैं उन अधिकारों को स्वयं ही संरक्षात्मक नहीं बनाते।

प्रयोग-संबंधी उदाहरण

उदाहरण 11

एक निवेशिती की केवल एक व्यवसायिक गतिविधि जिसे कि स्थापना प्रलेखों में विनिर्दिष्ट किया है प्राप्य राशियों की खरीद तथा इसके निवेशकों के लिए दैनिक आधार पर उनकी सेवा प्रदान करना है। दैनिक आधार पर सेवा देने में जब भी वे देय हों, मूलधन एवं ब्याज भुगतानों की उगाही एवं उन्हें निवेशक को सौपना शामिल हैं। प्राप्य राशि में चूक होने पर, निवेशिती स्वयं निवेशक और निवेशिती के बीच हुए विक्रय करार में हुई सहमति अनुसार प्राप्य राशि निवेशक को देता है। एकमात्र प्रासंगिक गतिविधि, चूक होने पर प्राप्य राशियों का प्रबंधन है क्योंकि यह एक अकेली गतिविधि है जो निवेशिती के प्रतिफल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। चूक से पूर्व प्राप्य राशियों का प्रबंधन प्रासंगिक गतिविधि की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि तब कोई ठोस निर्णय लिये जाने की अपेक्षा नहीं होती जो निवेशिती के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सके;— क्योंकि चूक से पूर्व की गतिविधियां पूर्व-निर्धारित होती हैं और राशि जब देय हो केवल नकदी प्रवाहों के रूप में की उगाही के लिए ही होती है तथा उसे निवेशक के पास सौपना होता है। इसलिये, चूक होने पर आस्तियों का प्रबंध करने के लिए तब केवल निवेशक के अधिकार पर विचार किया जाना चाहिए, जब निवेशिती की समग्र गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है जो निवेशिती के प्रतिफलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इस उदाहरण में, निवेशिती का डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक के पास उन गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेने का प्राधिकार है जो महत्वपूर्ण रूप से प्रतिफलों को केवल उसी समय प्रभावित करता है जब ऐसे निर्णय लेने वाले प्राधिकार जरूरी हो। विक्रय करार की शर्तें निवेशिती के समग्र लेन-देन तथा स्थापना का अभिन्न अंग हैं। इसलिए, निवेशिती के स्थापन प्रलेखों तथा विक्रय करारों की शर्तों द्वारा, यह निष्कर्ष निकलता है कि निवेशक का निवेशिती पर प्राधिकार है, भले ही, निवेशक प्राप्य राशियों का स्वामित्व केवल चूक होने पर ही ग्रहण करता है तथा चूक शुदा प्राप्य राशियों का प्रबंध निवेशिती के विधिक दायरे से बाहर करता है।

उदाहरण 12

निवेशिती की एकमात्र आस्तियां उसकी प्राप्य राशियां हैं। जब निवेशिती के उद्देश्य एवं डिजाइन पर विचार किया जाता है तब यह निश्चित होता है कि इसकी एकमात्र प्रासंगिक गतिविधि चूक होने पर प्राप्य राशियों का प्रबंधन है। जिस पार्टी के पास चूक वाली प्राप्य राशियों के प्रबंधन की क्षमता है, उस पार्टी का निवेशिती पर प्राधिकार होता है बेशक किसी भी उधारकर्ता (ऋणी) द्वारा चूक क्यों न की गई हो।

- ख54 एक निवेशक की यह सुनिश्चित करने की स्पष्ट अथवा अस्पष्ट वचनबद्धता हो सकती है कि निवेशिती डिजाइन के अनुसार परिचालन जारी रखेगा। ऐसी वचनबद्धता प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति निवेशक के अभिदर्शन को बढ़ा सकती है और इस प्रकार निवेशक को प्राधिकार के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन को बढ़ाती है। इसलिये, वचनबद्धता यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेशिती डिजाइन अनुसार परिचालन करती है, संकेत दे सकती है कि निवेशक के पास प्राधिकार है। लेकिन वह स्वयं निवेशक को प्राधिकार नहीं प्रदान करती है और न ही अन्य पार्टी को प्राधिकार ग्रहण करने से यह रोकती है।

निवेशिती से परिवर्तनशील प्रतिफलों के प्रति अभिदर्शन अथवा उन पर अधिकार

- ख55 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक निवेशक का निवेशिती पर नियंत्रण है, निवेशक यह निर्धारित करता है कि निवेशिती के साथ इसकी संलिप्तता से वह परिवर्तनशील प्रतिफलों के लिए अभिदर्शित है, अथवा उसका उन पर अधिकार है।
- ख56 परिवर्तनशील प्रतिफल वे प्रतिफल हैं जो निश्चित नहीं होते हैं और निवेशिती के कार्य-निष्पादन के परिणामस्वरूप उनमें परिवर्तन होना संभव है। परिवर्तनशील प्रतिफल केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक अथवा धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं (देखें अनुच्छेद 15)। एक निवेशक यह निर्धारित करता है कि क्या निवेशिती से प्राप्त प्रतिफल परिवर्तनशील हैं या नहीं और वे प्रतिफल व्यवस्था के वास्तविक आधार पर तथा प्रतिफलों के विधिक स्वरूप पर विचार किये बिना कितने परिवर्तनशील हैं। उदाहरण के लिए, एक निवेशक निश्चित ब्याज भुगतान के साथ एक बाण्ड धारण कर सकता है। ये निश्चित ब्याज भुगतान इस भारतीय लेखा मानक के उद्देश्य के लिए परिवर्तनशील प्रतिफल हैं क्योंकि वे चूक जोखिम के अधीन हैं और वे बाण्ड जारी करने वाले के ऋण जोखिम के प्रति निवेशक को अभिदर्शित करते हैं। परिवर्तनशीलता की मात्रा (अर्थात् वे प्रतिफल कितने परिवर्तनशील हैं) बाण्ड के ऋण जोखिम पर निर्भर करती है। इसी तरह से, निवेशिती की आस्तियों का प्रबंधन करने के लिए कार्य-निष्पादन का नियत शुल्क

परिवर्तशील प्रतिफल हैं क्योंकि वे निवेशिती के कार्य-निष्पादन के जोखिम के प्रति निवेशक को अभिदर्शित करते हैं। परिवर्तनशीलता की मात्रा शुल्क अदा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करने के लिए निवेशिती की क्षमता पर निर्भर करता है।

ख57 प्रतिफलों के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) लाभांश, निवेशिती द्वारा आर्थिक लाभों के अन्य संवितरण (उदाहरण के लिए निवेशिती द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज) और उस निवेशिती में निवेशक के निवेश के मूल्य में परिवर्तन।
- (ख) निवेशिती की आस्तियों अथवा दायित्वों की सेवा के लिए पारिश्रमिक, तथा ऋण अथवा तरलता सहायता देने से हानि के प्रति अभिदर्शन और शुल्क, उस निवेशिती के परिसमापन पर निवेशिती की आस्तियों व दायित्वों में अवशिष्ट हित कर लाभ तथा भावी तरलता की प्राप्ति जो एक निवेशिती के साथ निवेशक की संलिप्तता के कारण है।
- (ग) प्रतिफल जो अन्य हित धारकों को उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरण के लिए, एक निवेशक निवेशिती की आस्तियों के साथ अपनी आस्तियों का उपयोग कर सकता है, जैसे कि बड़े पैमाने की किफायती के लिए परिचालन कार्यों का संयोजन करना, दुर्लभ उत्पादों की प्राप्ति, स्वामित्व ज्ञान प्राप्त करना अथवा कुछ परिचालनों अथवा आस्तियों को सीमित करना, निवेशक की अन्य आस्तियों के मूल्य में वृद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ आस्तियों या परिचालनों को सीमित करना।

प्राधिकार एवं प्रतिफलों के बीच संबंध

प्रत्यायोजित प्राधिकार

ख 58 जब एक निवेशक निर्णय लेने के अधिकारों सहित (निर्णयकर्ता) यह मूल्यांकन करता है कि क्या निवेशिती पर उसका नियंत्रण है, तो वह यह निर्धारित करेगा कि वह प्रधान प्रतिष्ठान है या एजेन्ट प्रतिष्ठान है। एक निवेशक यह भी निर्धारित करेगा कि क्या निर्णय लेने के अधिकार के साथ कोई दूसरा प्रतिष्ठान उसके एक एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है। एक एजेन्ट एक ऐसी पार्टी होती है जो मुख्यतया दूसरी पार्टी या पार्टियों (प्रधान प्रतिष्ठान) की ओर से और उनके लाभ के लिए काम करता है और इसलिए जब भी वह निर्णय लेने के अपने प्राधिकार का प्रयोग करता है (देखें अनुच्छेद 17 व 18) उसका निवेशिती पर नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार, कभी-कभी एजेन्ट प्रधान प्रतिष्ठान का प्राधिकार धारित करता है और वह उसका प्रयोग भी कर सकता है, लेकिन ऐसा वह प्रधान प्रतिष्ठान की ओर से ही करता है। एक निर्णयकर्ता इसलिए सिर्फ एक एजेन्ट नहीं होता क्योंकि अन्य पार्टियां भी उसके द्वारा लिए गए निर्णयों से लाभान्वित हो सकती हैं।

ख59 एक निवेशक एक एजेन्ट को कुछ विशिष्ट मामलों में अथवा सभी प्रासंगिक गतिविधियों में निर्णय लेने का प्राधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि वह एक निवेशिती को नियंत्रित करता है, निवेशक अपने एजेन्ट को प्रत्यायोजित निर्णय लेने के अधिकारों को सीधे अपने द्वारा धारित समझता है। ऐसी स्थितियों में, जहां एक से अधिक प्रधान प्रतिष्ठान हैं, वहाँ प्रत्येक प्रधान प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या उसका निवेशिती पर प्राधिकार है। अनुच्छेद ख 60-ख 72 में इस निर्धारण के लिए मार्गनिर्देश दिये गये हैं कि निर्णयकर्ता एक एजेन्ट है अथवा एक प्रधान प्रतिष्ठान।

ख60 एक निर्णयकर्ता यह जानने के लिए कि क्या वह एक एजेन्ट प्रतिष्ठान है या नहीं, अपने, प्रबंधाधीन निवेशिती, निवेशिती के साथ संलिप्त अन्य पार्टियों के बीच समग्र सम्बंध पर और विशेष रूप से निम्नलिखित सभी कारकों पर विचार करेगा:

- (क) निवेशिती पर इसके निर्णयकर्ता निर्णय लेने के प्राधिकार का कार्यक्षेत्र (अनुच्छेद ख 62 तथा ख 63)।
- (ख) अन्य पार्टियों द्वारा धारित अधिकार (अनुच्छेद ख 64 -ख 67)।
- (ग) पारिश्रमिक जिसके लिये यह पारिश्रमिक करार (करारों) के अनुसार पात्र है (अनुच्छेद ख 68- ख 70)।
- (घ) निवेशिती में उसके द्वारा धारित अन्य हितों से प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति निर्णयकर्ता का अभिदर्शन (अनुच्छेद ख 71-ख 72)।

विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक कारकों पर भिन्न-भिन्न भार प्रयुक्त किये जाएंगे।

ख61 यह निश्चित करते समय कि क्या एक निर्णयकर्ता एक एजेन्ट है, अनुच्छेद ख 60 में सूचीबद्ध सभी कारकों का मूल्यांकन अपेक्षित होता है लेकिन तब तक जब तक एक एकल पार्टी निर्णयकर्ता को हटाने के लिए वास्तविक अधिकार निष्कासन अधिकार धारित नहीं करती है तथा उसे वह बिना किसी कारण के भी हटा सकती है (देखें अनुच्छेद ख 65)।

निर्णय लेने के प्राधिकार का कार्य क्षेत्र

ख62 एक निर्णयकर्ता के निर्णय लेने के प्राधिकार के कार्य क्षेत्र का मूल्यांकन निम्नलिखित पर विचार करते हुए किया जाता है:

- (क) वे गतिविधियां जिनकी निर्णय लेने के करार (करारों) के अनुसार अनुमति है और विधि द्वारा विनिर्दिष्ट है, और

(ख) वे विवेकाधिकार जो उन गतिविधियों के बारे में निर्णय लेते समय निर्णयकर्ता के पास होते हैं।

- ख63 एक निर्णयकर्ता निवेशिती के उद्देश्य एवं डिजाइन जोखिम जिनके प्रति निवेशिती को अभिदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जोखिम जिन्हें संलिप्त पार्टियों को अन्तरित करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा उस संलिप्तता का स्तर क्या है जो निर्णयकर्ता निवेशिती के डिजाइन में रखता है, इस सभी पर विचार करेगा। उदाहरण के लिए, यदि एक निर्णयकर्ता निवेशिती के डिजाइन में महत्वपूर्ण रूप से संलिप्त है (निर्णय लेने के प्राधिकारके कार्य क्षेत्र के निर्धारण सहित), वह संलिप्तता यह संकेत दे सकती है कि निर्णयकर्ता को उन अधिकारों को प्राप्त करने के अवसर एवं प्रोत्साहन दोनों ही थे जिसका परिणाम निर्णयकर्ता द्वारा प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने की क्षमता के रूप में होता है।

अन्य पक्षों (पार्टियों) द्वारा धारित अधिकार

- ख64 अन्य पक्षों (पार्टियों) द्वारा धारित वास्तविक अधिकार निवेशिती की प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन के लिए निर्णयकर्ता की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। वास्तविक निष्कासन अथवा अन्य अधिकार ये संकेत दे सकते हैं कि निर्णयकर्ता एक एजेन्ट है।
- ख65 जब एकल पार्टी वास्तविक निष्कासन अधिकार धारण करती है तथा कारण बताये बिना निर्णयकर्ता को हटा सकती है तब, पृथक् रूप में, यह इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त है कि निर्णयकर्ता एक एजेन्ट है। यदि एक-से अधिक पार्टियाँ ऐसे अधिकार धारण करती हैं (और कोई एक व्यक्तिगत पार्टी अन्य पार्टियों की सहमति के बिना निर्णयकर्ता को नहीं हटा सकती हो) तो वे अधिकार, पृथक् रूप में, यह निर्धारित करने में निर्णायक नहीं होते हैं कि निर्णयकर्ता मुख्यतया अन्यो की ओर से और उनके लाभ के लिए कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, निर्णयकर्ता को हटाने के लिए अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित पार्टियों की संख्या जितनी बड़ी होगी और निर्णयकर्ता के अन्य आर्थिक हितों (अर्थात् पारिश्रमिक तथा अन्यहित) का परिमाण और उनसे संबद्ध परिवर्तनशीलता जितनी अधिक होगी, इस कारक पर भार, उतना ही कम होगा।
- ख66 अन्य पार्टियों द्वारा धारित उन वास्तविक अधिकारों पर, जो निर्णयकर्ता के विवेकाधिकारों को सीमित करते हैं, यह मूल्यांकन करते समय कि क्या निर्णयकर्ता एक एजेन्ट है, उसके निष्कासन अधिकारों के तरीके से ही विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, निर्णयकर्ता आमतौर पर एक एजेन्ट होता है यदि उसे अपने कार्यों के लिये अन्य पार्टियों की छोटी संख्या से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। (अधिकारों के संबंध में और क्या वे वास्तविक हैं, इसके लिए अतिरिक्त मार्गनिर्देश के लिए देखें अनुच्छेद ख 22-ख 25)।

- ख67 अन्य पार्टियों द्वारा धारित अधिकारों पर विचार करने में, निवेशिती के निदेशक-मंडल (अथवा अन्य शासी निकाय) द्वारा प्रयोग करने योग्य किन्हीं अधिकारों का मूल्यांकन तथा निर्णय लेने के प्राधिकार पर उनके प्रभाव को शामिल किया जाएगा (देखें अनुच्छेद ख 23 (ख))।

पारिश्रमिक

- ख68 एक निर्णयकर्ता के पारिश्रमिक की मात्रा तथा संबंधित परिवर्तनशीलता निवेशिती की गतिविधियों से प्रत्याशित प्रतिफलों के सापेक्ष में जितना अधिक होती है निर्णयकर्ता के प्रधान प्रतिष्ठान होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है।
- ख69 यह निर्धारण करने में कि यह निर्णयकर्ता प्रधान प्रतिष्ठान है या एजेन्ट प्रतिष्ठान, वह यह विचार भी करेगा कि निम्नलिखित स्थितियाँ मौजूद हैं अथवा नहीं:
- (क) निर्णयकर्ता का पारिश्रमिक उपलब्ध कराई गई सेवाओं के अनुरूप हैं
- (ख) पारिश्रमिक करार में केवल नियम, शर्तें अथवा राशियाँ शामिल होती हैं जो प्रधानानुसार इसी प्रकार की सेवाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं में विद्यमान होती हैं और कौशल का स्तर, जो स्वतंत्र लेन के आधार पर तय किया गया है, भी शामिल होता है।

- ख70 एक निर्णयकर्ता एक एजेन्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अनुच्छेद ख69 (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट स्थितियाँ मौजूद न हो। तथापि, अलगवाव में, उन स्थितियों को पूरा करना यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि निर्णयकर्ता एक एजेन्ट है।

अन्य हितों से प्राप्त प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शन

- ख71 एक निर्णयकर्ता, जो निवेशिती में अन्य हितों को धारण करता है (उदाहरण के लिए निवेशिती में निवेश अथवा निवेशिती के कार्य-निष्पादन के संबंध में गारंटियाँ देता है) यह निर्धारण करते समय कि क्या वह एक एजेन्ट है, उन हितों से प्राप्त प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शन पर विचार करेगा। निवेशिती में अन्य हितों को धारण करना यह दर्शाता है कि निर्णयकर्ता एक प्रधान प्रतिष्ठान हो सकता है।
- ख72 निवेशिती में अन्य हितों से प्राप्त प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति इसके अभिदर्शन का निर्धारण करने के लिए निर्णयकर्ता निम्नलिखित पर विचार करेगा:

- (क) इसके पारिश्रमिक और समग्र हितों पर विचार करते हुए इसके आर्थिक हितों की मात्रा और संबंधित परिवर्तनशीलता जितनी अधिक होगी निर्णयकर्ता के प्रधान प्रतिष्ठान होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी ।
- (ख) क्या प्रतिफलों की परिवर्तनशीलताके प्रति इसका अभिदर्शन अन्य निवेशकों के अभिदर्शनों से भिन्न है और यदि हां तो क्या यह इसके कार्यों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, ऐसा तब हो सकता है, जब एक निर्णयकर्ता निवेशिती में गौण हित धारण करता है अथवा उसे अन्य रूपों में ऋण-वृद्धि उपलब्ध कराता है।
- निर्णयकर्ता निवेशिती के प्रतिफलों की कुल परिवर्तनशीलता के संबंध में अपने अभिदर्शन का मूल्यांकन करेगा। यह मूल्यांकन मुख्यतया निवेशिती की गतिविधियों से प्रत्याशित प्रतिफलों के आधार पर किया जाता है, किन्तु निर्णयकर्ता द्वारा धारित अन्य हितों के माध्यम से निवेशिती के प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति निर्णयकर्ता के अधिकतम अभिदर्शन को अनदेखा नहीं किया जाएगा ।

प्रयोग-संबंधी उदाहरण

उदाहरण 13

एक निर्णयकर्ता (निधि प्रबंधक) अपने स्थानीय नियमों तथा विनियमों द्वारा यथापेक्षित निवेश आदेशपत्र में निर्धारित संकिर्ण रूप से परिभाषित मानकों के अनुसार सार्वजनिक रूप से ट्रेडिंग की जाने वाली और विनियमित निधि को स्थापित करता है, विपणन करता है और प्रबंध करता है। निधि का विपणन सार्वजनिक रूप से ट्रेडिंग किये गये प्रतिष्ठानों की इक्विटी प्रतिभूतियों के विविधकृत पोर्टफोलियों में एक निवेश के रूप में निवेशकों को किया गया है। परिभाषित मानकों के अधीन, निधि प्रबंधक को यह विवेकाधीन अधिकार है कि वह किन आस्तियों में निवेश करे। निधि प्रबंधक निधि में 10 प्रतिशत का समानुपातिक निवेश करता है तथा वह अपनी सेवाओं के लिए निधि की निवल आस्ति के मूल्य का 1 प्रतिशत बाजार आधारित शुल्क के रूप में प्राप्त करता है। शुल्क दी गई सेवाओं के अनुरूप है। अपने 10 प्रतिशत के निवेश से अधिक की निधिगत हानियों के लिए निधि प्रबंधक की कोई बाध्यता नहीं है। निधि द्वारा स्वतंत्र निर्देशक मंडल की स्थापना अपेक्षित नहीं है। और न ही ऐसा कोई निर्देशक-मंडल स्थापित किया गया है। निवेशक कोई ऐसे वास्तविक अधिकार धारण नहीं करते हैं जो निधि प्रबंधक के निर्णय लेने के प्राधिकार को प्रभावित करें किन्तु निधि द्वारा निर्धारित विशेष सीमाओं के अन्दर उनके हितों का प्रतिदान कर सकते हैं।

हालाँकि, निवेश-संबंधी आदेश-पत्र में निर्दिष्ट मानदण्डों के अधीन तथा नियामक अपेक्षाओं के अनुसार परिचालन करते हुए निधि प्रबंधक के पास यह निर्णय लेने का अधिकार होता है जो उसे निधि की प्रासंगिक गतिविधियों को संचालित करने की वर्तमान क्षमता प्रदान करता है परंतु निवेशक ऐसे वास्तविक अधिकार धारण नहीं करते जो निधि प्रबंधक के निर्णय लेने के प्राधिकार को प्रभावित कर सकें। निधि प्रबंधक अपनी सेवाओं के लिए बाजार आधारित शुल्क प्राप्त करता है जो दी गई सेवाओं के अनुरूप होता है तथा उसने निधि में समानुपातिक निवेश भी किया है। इसका पारिश्रमिक और निवेश निधि की गतिविधियों से प्राप्त प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति निधि प्रबंधक को अभिदर्शित करता है परंतु यह अभिदर्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि यह संकेत दे सके कि निधि प्रबंधक एक प्रधान प्रतिष्ठान है।

इस उदाहरण में, प्रतिबंधित मानदण्डों के अधीन इसके निर्णय लेने के प्राधिकार के साथ निधि से प्राप्त प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति निधि प्रबंधक के अभिदर्शन पर विचार करना दर्शाता है कि निधि प्रबंधक एक एजेंट है। अतः निधि प्रबंधक यह निष्कर्ष निकालता है कि वह निधि को नियंत्रित नहीं करता है।

उदाहरण 14

एक निर्णयकर्ता उस एक निधि स्थापित करता है, विपणन तथा प्रबंध करता है जो बड़ीसंख्या में निवेशकों को निवेश का अवसर प्रदान करती है। निर्णयकर्ता (निधि प्रबंधक) के लिए जरूरी है कि वह सभी निवेशकों के सर्वोत्तम हित में तथा नियमन करारों के अनुरूप निर्णय ले। फिर भी, निधि प्रबंधक के पास निर्णय लेने के व्यापक विवेकाधिकार हैं। निधि-प्रबंधक अपनी सेवाओं के लिए प्रबंधन के अधीन आस्तियों का 1 प्रतिशत और विनिर्दिष्ट लाभ का स्तर प्राप्त होने पर सभी निधियों के लाभ का 20 प्रतिशत बाजार-आधारित शुल्क के रूप में प्राप्त करता है। शुल्क में दी गई सेवाओं के अनुरूप होता है।

यद्यपि, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह सभी निवेशकों के सर्वोत्तम हित में निर्णय ले, फिर भी, निधि प्रबंधक को निधि की प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन के लिए निर्णय लेने का व्यापक प्राधिकार होता है। निधि प्रबंधक को निश्चित एवं कार्य-निष्पादन से संबद्ध शुल्क अदा किया जाता है जो दी गई सेवाओं के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, निधि की गतिविधियों में प्राप्त प्रतिफलों की परिवर्तनशीलताके प्रति अभिदर्शन सृजित किए बिना अन्य निवेशकों को देखता जो इतना महत्वपूर्ण हो कि जब पारिश्रमिक पर, अलगाव रूप से, अकेले विचार किया जाता है। तो यह दर्शाता है कि निधि प्रबंधक प्रधान प्रतिष्ठान है। पारिश्रमिक विधि का मूल्य बढ़ाने के लिए निधि प्रबंधक के हितों को अन्य निवेशकों के हितों से जोड़ता है।

उक्त तथ्य का प्रतिमान (पैटर्न) और विश्लेषण नीचे वर्णित उदाहरणों 14 क-14ग में लागू होता है। प्रत्येक उदाहरण पर पृथक से विचार किया गया है।

उदाहरण 14 क

निधि प्रबंधक का निधि में 2 प्रतिशत का निवेश भी है जो इसके हितों को अन्य निवेशकों के हितों के साथ जोड़ता है। निधि प्रबंधक अपने 2 प्रतिशत निवेश से अधिक की हानियों के लिए कोई बाध्यता नहीं है। निवेशक निधि-प्रबंधक को साधारण बहुमत से हटा सकते हैं किन्तु केवल अनुबंध भंग के लिए।

निधि प्रबंधक का 2 प्रतिशत निवेश, निधि की गतिविधियों से प्राप्त प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति इसके अभिदर्शन को बढ़ाता है परंतु यह अभिदर्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि यह दर्शा सके कि निधि प्रबंधक प्रधान है। निधि प्रबंधक को हटाने के लिए अन्य निवेशकों के अधिकार संरक्षात्मक अधिकार समझे जाते हैं क्योंकि वे केवल अनुबंध के भंग होने पर प्रयोग किये जाने योग्य हैं। इस उदाहरण में, यद्यपि निधि प्रबंधक को निर्णय लेने का व्यापक प्राधिकार है तथा इसके हित एवं पारिश्रमिक से प्राप्त प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शित होता है, तथापि निधि प्रबंधक का अभिदर्शन दर्शाता है कि निधि प्रबंधक एक एजेंट है। इस तरह निधि प्रबंधक निष्कर्ष निकालता है कि वह निधि का नियंत्रण नहीं करता है।

उदाहरण 14ख

निधि प्रबंधक का निधि में और अधिक मात्रा में वास्तविक समानुपातिक निवेश है किन्तु उस निवेश से अधिक की निधिगत हानियों के लिए उसकी किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। निवेशक निधि प्रबंधक को साधारण बहुमत से हटा सकते हैं किन्तु केवल अनुबंध के भंग होने की स्थिति में।

इस उदाहरण में, निधि प्रबंधक को हटाने के अन्य निवेशकों के अधिकार संरक्षात्मक अधिकार समझे जाते हैं क्योंकि वे केवल अनुबंध के भंग होने के लिए प्रयोग किये जाने योग्य हैं। यद्यपि निधि प्रबंधक को निश्चित एवं कार्य-निष्पादन संबंधित शुल्क अदा किया जाता है जो दी गई सेवाओं के अनुरूप होता है, निधि प्रबंधक के पारिश्रमिक के साथ उसका निवेश निधि की गतिविधियों से प्राप्त प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के लिए अभिदर्शन सृजित कर सकता है और इसका इतना अधिक महत्व होता है कि वह यह दर्शाता है कि निधि प्रबंधक प्रधान है। निधि प्रबंधक के आर्थिक हितों का (इसके पारिश्रमिक तथा समग्र में अन्य लाभों पर विचार करते हुए) परिमाण तथा उससे संबंधित परिवर्तनशीलता जितनी ज्यादा होगी, निधि प्रबंधक विश्लेषण में उन आर्थिक लाभों पर उतना अधिक बल देगा और इस बात की और अधिक संभावना होगी कि निधि प्रबंधक एक प्रधान है।

उदाहरण के लिए, इसके पारिश्रमिक तथा अन्य कारकों पर विचार करने के बाद, निधि प्रबंधक 20 प्रतिशत निवेश को यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त समझ सकता है कि वह निधि पर नियंत्रण करता है। तथापि, अलग परिस्थितियों में (अर्थात् यदि पारिश्रमिक अथवा अन्य तथ्य अलग हो) जब निवेश का स्तर भिन्न होता है तभी नियंत्रण उत्पन्न हो सकता है।

उदाहरण 14ग

निधि प्रबंधक का निधि में 20 प्रतिशत समानुपातिक निवेश है। किन्तु, 20 प्रतिशत निवेश से अधिक की निधि की हानि के लिए उसकी कोई बाध्यता नहीं होती है। निधि का एक निदेशक-मंडल होता है जिसके सभी सदस्य निधि प्रबंधक से स्वतंत्र होते हैं और अन्य निवेशकों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। बोर्ड निधि-प्रबंधक की नियुक्ति वार्षिक आधार पर करता है। यदि बोर्ड निधि-प्रबंधक के अनुबंध का नवीकरण नहीं करना निश्चित करता है तो निधि-प्रबंधक द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ उद्योग के अन्य प्रबंधकों द्वारा निष्पादित की जा सकती हैं। यद्यपि निधि-प्रबंधक को निश्चित तथा कार्य-निष्पादन संबंधित शुल्क अदा किये जाते हैं जो दी गई सेवाओं के अनुरूप होते हैं, निधि-प्रबंधक के पारिश्रमिक के साथ उसके निवेश का संयोजन निधि की गतिविधियों से प्राप्त प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के लिये अभिदर्शन सृजित कर सकता है जिसका महत्व इतना हो सकता है कि वह यह दर्शाता है कि निधि-प्रबंधक प्रधान ही है। तथापि निवेशक को निधि प्रबंधक को हटाने के वास्तविक अधिकार है निर्देशक-मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराता है कि निवेशक निधि-प्रबंधक को हटा सकते हैं यदि वे ऐसा करने का निर्णय लेते हैं।

इस उदाहरण में, निधि-प्रबंधक विश्लेषण में वास्तविक निष्कासन अधिकार पर अधिक जोर देता है। इस प्रकार, यद्यपि निधि-प्रबंधक को निर्णय लेने का व्यापक प्राधिकार है तथा इसके पारिश्रमिक और निवेश द्वारा निधि के प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शित होता है, फिर भी अन्य निवेशकों द्वारा धारित वास्तविक अधिकार यह दर्शाते हैं कि निधि प्रबंधक एक एजेंट है। अतः निधि-प्रबंधक यह निर्णय करता है कि वह निधि को नियंत्रित नहीं करता है।

उदाहरण 15

एक निवेशिती का सृजन नियत दर आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों के एक पोर्टफोलियो को खरीदने के लिए किया जाता है जो निश्चित दर ऋण लिखतों तथा 'इक्विटी' लिखतों द्वारा निधिकृत हैं। इक्विटी लिखतों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ऋण निवेशकों को हानि की सुरक्षा पहले मिले तथा निवेशिती के किसी अवशिष्ट प्रतिफल स्वयं को प्राप्त हो। लेन-देन का विपणन संभावित ऋण निवेशकों को आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए किया गया था जिसके साथ जुड़ा है पोर्टफोलियो में आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता की संभावित चूक से संबंधित ऋण जोखिम तथा पोर्टफोलियो के प्रबंधन से संबंधित ब्याज दर जोखिम। इसका गठन के बाद, इक्विटी लिखतें खरीदी गई आस्तियों के मूल्य के 10 प्रतिशत को दर्शाते हैं। एक निर्णयकर्ता (आस्ति प्रबंधक) निवेशिती के विवरण-पत्र में निर्दिष्ट मानदण्डों के अन्दर निवेश संबंधी निर्णय लेकर सक्रिय आस्ति पोर्टफोलियो का प्रबंध करता है। उन सेवाओं के लिये, आस्ति प्रबंधक बाजार

आधारित नियत शुल्क (अर्थात् प्रबंधन के अधीन आस्तियों का 1 प्रतिशत) तथा निष्पादन संबंधित शुल्क (अर्थात् लाभ का 10 प्रतिशत) प्राप्त करता है यदि निवेशी का लाभ विनिर्दिष्ट स्तर से अधिक हो जाता है। शुल्क दी गई सेवाओं के अनुरूप है। आस्ति प्रबंधक निवेशी में इक्विटी का 35 प्रतिशत धारण करता है। इक्विटी का शेष 65 प्रतिशत तथा सभी ऋण लिखतें व्यापक रूप से बिखरी असंबद्ध तृतीय पक्ष के निवेशकों की बड़ी संख्या द्वारा धारित हैं। आस्ति प्रबंधक को अन्य निवेशकों के सामान्य बहुमत निर्णय द्वारा बिना कारण के हटाया जा सकता है।

आस्ति प्रबंधक को निश्चित और कार्य-निष्पादन संबंधित शुल्क अदा किया जाता है जो दी गई सेवाओं के अनुरूप होता है। पारिश्रमिक निधि-प्रबंधक के हितों को अन्य निवेशकों के हितों के साथ निधि का मूल्य बढ़ाने के लिए साथ में रखता है। आस्ति प्रबंधक निधि की गतिविधियों से प्राप्त प्रतिफलों और अपने पारिश्रमिक की परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शित है क्योंकि वह इक्विटी का 35 प्रतिशत धारण करता है।

यद्यपि, निवेशी के विवरण-पत्र में निर्दिष्ट मापदण्डों के तहत परिचालन करते समय, आस्ति प्रबंधक निवेश संबंधी वे निर्णय लेने की वर्तमान क्षमता रखता है जो निवेशी के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही अन्य निवेशकों द्वारा धारित निष्कासन अधिकार विश्लेषण में कम भार रखते हैं क्योंकि ये अधिकार एक बड़ी संख्या में व्यापक रूप से बिखरे हुए निवेशकों द्वारा धारित होते हैं। इस उदाहरण में, आस्ति प्रबंधक अपने इक्विटी हित से निधि के प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शन पर अधिक बल देता है जो कि ऋण लिखतों के अधीन होता है। इक्विटी का 35 प्रतिशत धारण करना हानियों के प्रति गौण अभिदर्शन तथा निवेशी के प्रतिफलों के अधिकार सृजित करता है जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वे दर्शाते हैं कि आस्ति प्रबंधक प्रधान के हैं। इस तरह, आस्ति प्रबंधक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह निवेशी को नियंत्रित करता है।

उदाहरण 16

एक निर्णयकर्ता (प्रायोजक) एक बहु-विक्रय केन्द्र को प्रायोजित करता है जो असंबद्ध तृतीय पक्ष के निवेशकों को अल्पकालिक ऋण लिखतें जारी करता है। इस लेन-देन को संभावी निवेशकों को उच्च निर्धारित मध्यावधि आस्तियों के पोर्टफोलियों में निवेश के रूप में विपणन किया गया था जिसमें पोर्टफोलियों की आस्तियों के जारीकर्ता द्वारा संभावित चूक से संबंधित ऋण जोखिम के प्रति न्यूनतम अभिदर्शन था। विभिन्न अन्तरणकर्ता केन्द्र को उच्च गुणवत्ता की मध्यावधि आस्ति पोर्टफोलियों बेचते हैं। प्रत्येक अन्तरणकर्ता आस्ति के पोर्टफोलियों की सेवा करता है जिसे यह केन्द्र को बेचता है और बाजार आधारित सेवा शुल्क के लिये चूक शुद्ध प्राप्य राशियों का प्रबन्ध करता है। प्रत्येक अन्तरणकर्ता केन्द्र को अन्तरित आस्तियों के अति संपादिकीकरण के द्वारा इसके आस्ति के पोर्टफोलियों से ऋण हानियों के लिए प्रथम हानि सुरक्षा भी केन्द्र को प्रदान करता है। प्रायोजक केन्द्र की शर्तें निर्धारित करता है और केन्द्र के परिचालनों का प्रबंध कर बाजार आधारित शुल्क प्राप्त करता है।

यह शुल्क प्रदान की गयी सेवा के अनुरूप होता है। प्रायोजक उन विक्रेताओं का अनुमोदन करता है जिन्हें केन्द्र को बिक्री करने की अनुमति होती है। यह उन आस्तियों को भी अनुमोदित करता है जो केन्द्र द्वारा खरीदी जाएंगी। यह केन्द्र के निधिकरण के बारे में भी निर्णय लेता है। प्रायोजक को सभी निवेशकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए।

प्रायोजक केन्द्र के किसी अवशिष्ट प्रतिफल का पात्र होता है। वह केन्द्र को ऋण वृद्धि और तरलता सुविधाएं प्रदान करता है। अन्तरणकर्ताओं द्वारा समाहित हानियों के बाद, प्रायोजक द्वारा दी गयी ऋण वृद्धि केन्द्र की सभी आस्तियों के 5 प्रतिशत तक ही हानियों को समाहित करती है। तरलता सुविधाएं चूक वाली आस्तियों के लिए नहीं दी जाती। निवेशक वे वास्तविक अधिकार धारित नहीं करते जो प्रायोजक को निर्णय लेने के प्राधिकार को प्रभावित करते हैं। बेशक प्रायोजक को दी गयी सेवा के अनुरूप बाजार आधारित शुल्क दिया जाता है, प्रायोजक केन्द्र की गतिविधियों से प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के लिए अभिदर्शित होता है क्योंकि केन्द्र के अवशिष्ट प्रतिफल में उसके अधिकार हैं और वह ऋण वृद्धि व तरलता सुविधाओं के प्रविधान प्रदान करता है (एक केन्द्र तरलता जोखिम के प्रति अभिदर्शित होता है क्योंकि वह मध्यावधि आस्तियों के निधिकरण के लिए अल्पावधि ऋण लिखतों का प्रयोग करता है। हालांकि प्रत्येक अन्तरणकर्ता के पास निर्णय लेने के अधिकार हैं जो केन्द्र की आस्तियों के मूल्य को प्रभावित करते हैं, प्रायोजक के पास निर्णय लेने का व्यापक प्राधिकार है जो उसे उन गतिविधियों के संचालन के लिए वर्तमान क्षमता प्रदान करती है जो केन्द्र के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। (यानि प्रायोजक ने केन्द्र की शर्तें निश्चित की हैं, आस्तियों के बारे में निर्णय लेने के लिए उसके पास अधिकार हैं (यानि खरीदी गयी आस्तियों और उनके अन्तरितियों का अनुमोदन) और केन्द्र का निधिकरण के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है (इसमें नया निवेश की खोज नियमित आधार पर होना चाहिए))। केन्द्र के अवशिष्ट प्रतिफलों पर अधिकार और ऋण वृद्धि का प्रावधान व तरलता सुविधाएं प्रायोजक को केन्द्र की उन गतिविधियों के प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के लिए अभिदर्शित करता है जो कि अन्य निवेशकों से भिन्न हैं। तदनुसार, यह अभिदर्शन यह संकेत देता है कि प्रायोजक प्रधान के रूप में है और इस तरह प्रायोजक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह केन्द्र को नियंत्रित करता है। प्रायोजक की यह बाध्यता कि वह सभी निवेशकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करे, उसे प्रधान के रूप में होने से नहीं रोकती।

अन्य पक्षों (पार्टियों) के साथ संबंध

ख73 नियंत्रण का निर्धारण करते समय, निवेशक अन्य पार्टियों के साथ अपने संबंधों की प्रकृति पर विचार करेगा तथा देखेगा कि क्या वे अन्य पार्टियां निवेशक के लिए (यानि वे 'वास्तविक एजेंट' हैं) कार्य करती हैं अथवा नहीं। अन्य पार्टियां वास्तविक एजेंट के रूप में

- कार्य करती हैं या नहीं, इसके निर्धारण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है जिसमें केवल संबंध की प्रकृति पर ही नहीं है बल्कि इस पर भी विचार किया जाता है कि वे पार्टियाँ एक-दूसरे के साथ-साथ और निवेशक के साथ कैसे व्यवहार करती हैं।
- ख74 ऐसे संबंध में अनुबंधात्मकव्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। एक पार्टी तब वास्तविक एजेन्ट होती है जब निवेशक के पास अथवा उनके पास जो निवेशक की गतिविधियों को संचालित करते हैं निवेशक की ओर से उस पार्टी को कार्य करने के लिये निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं। इन परिस्थितियों में, निवेशक अपने वास्तविक एजेन्ट के निर्णय लेने के अधिकारों पर तथा वास्तविक एजेन्ट के माध्यम से परिवर्तनशील प्रतिफलों के प्रति अप्रत्यक्ष अभिदर्शन तथा अधिकारों के साथ-साथ अपने अभिदर्शन व अधिकारों पर भी निवेशिती के नियंत्रण का निर्धारण करते समय विचार करेगा।
- ख75 ऐसी अन्य पार्टियों के निम्नलिखित उदाहरण हैं जो उनके संबंधों की प्रकृति के कारण निवेशक के लिए वास्तविक एजेन्ट के रूप में कार्य कर सकती हैं:
- (क) निवेशक के सम्बंधित पार्टियाँ।
 - (ख) एक पार्टी जो निवेशक से अंशदान अथवा ऋण के रूप में निवेशिती में अपना हित प्राप्त करती है।
 - (ग) एक पार्टी जो निवेशक के पूर्व स्वीकृति के बिना निवेशिती में अपने हित को न ही बेचने, न ही अन्तरित करने अथवा न ही भारग्रस्त करने के लिए सहमत हुई है (सिवाय उन स्थितियों के, जिनमें निवेशक और अन्य पार्टी के पास पूर्वानुमोदन का अधिकार हो और वह अधिकार इच्छुक स्वतंत्र पार्टियों की परस्पर सहमत शर्तों पर आधारित होता है)।
 - (घ) एक पार्टी जो निवेशक से गौण वित्तीय सहायता के बिना अपने परिचालन को वित्त प्रदान नहीं कर सकती है।
 - (ङ) एक निवेशिती जिसके शासी निकाय के अधिकांश सदस्यया प्रमुख प्रबंधन कार्मिक वही होते हैं जो निवेशक के हैं।
 - (च) एक पार्टी जिसका निवेशक से घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध है, जैसे कि, व्यावसायिक सेवा देने वाले तथा उसके एक महत्वपूर्ण ग्राहक के बीच संबंध होता है।

विनिर्दिष्ट आस्तियों का नियंत्रण

- ख76 एक निवेशक यह विचार करेगा कि क्या वह निवेशिती के एक हिस्से को एक माना हुआ अलग प्रतिष्ठान समझता है, और यदि हां, तो क्या उस माने हुए अलग प्रतिष्ठान को नियंत्रित करता है।
- ख77 एक निवेशक एक निवेशिती के एक हिस्से को तब माना हुआ एक अलग प्रतिष्ठान समझता है, यदि और केवल यदि, वह निम्नलिखित शर्त पूरी करता हो:

निवेशिती की विनिर्दिष्ट आस्तियाँ (और संबंधित ऋण वृद्धियाँ, यदि कोई हों) निवेशिती की विनिर्दिष्ट दायित्वों, अथवा उसमें विनिर्दिष्ट अन्य हितों के भुगतान का एकमात्र स्रोत है। विनिर्दिष्ट दायित्व वाली पार्टियों से भिन्न अन्य पार्टियाँ विनिर्दिष्ट आस्तियों अथवा उन आस्तियों से होने वाली अवशिष्ट नकदी प्रवाहों से संबंधित अधिकार अथवा बाध्यताएं नहीं रखती हैं। वस्तुतः, शेष निवेशितियों द्वारा विनिर्दिष्ट आस्तियों से प्राप्त प्रतिफलों में से किसी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और न ही शेष निवेशितियों की आस्तियों में से माने गये अलग प्रतिष्ठान के दायित्वों के लिए कुछ देय हैं। इस प्रकार, वस्तुतः, उस माने गये अलग प्रतिष्ठान के सभी आस्तियाँ, दायित्व और इक्विटी समग्र निवेशिती से घिरे होते हैं। ऐसे माने गये अलग प्रतिष्ठान को प्रातः साइलो कहा जाता है।

- ख78 जब अनुच्छेद ख77 में दी गई शर्त पूरी हो जाती है, तब एक निवेशक उन गतिविधियों की पहचान करेगा जो माने गये अलग प्रतिष्ठान के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और निवेशिती के उस हिस्से पर उसका प्राधिकार है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए वे गतिविधियाँ कैसे संचालित होती हैं। माने गये अलग प्रतिष्ठान के नियंत्रण का निर्धारण करते समय निवेशक यह भी विचार करेगा कि क्या उसे उस माने गये अलग प्रतिष्ठान के साथ संलिप्तता से प्राप्त परिवर्तनशील प्रतिफलों का के प्रति उसका अभिदर्शन है अथवा उन पर अधिकार तथा निवेशक के प्रतिफलों की राशि को प्रभावित करने के लिए निवेशिती को उस हिस्से पर इसकी प्राधिकार के प्रयोग करने की क्षमता है अथवा नहीं।

- ख 79 यदि निवेशक माने गये अलग प्रतिष्ठान का नियंत्रण करता है, तो निवेशक निवेशिती के उस हिस्से को समेकित करेगा। उस स्थिति में, अन्य पार्टियाँ निवेशिती के नियंत्रण का निर्धारण करते समय और उसके समेकन में निवेशिती के उस हिस्से को छोड़ देंगी।

निरंतर निर्धारण

- ख80 एक निवेशक पुनर्निर्धारित करेगा कि क्या उसका एक निवेशिती पर नियंत्रण है यदि तथ्य एवं परिस्थितियाँ यह दर्शाते हैं कि अनुच्छेद 7 में दिये गये नियंत्रण के तीन तत्वों में से एक अथवा एकसे अधिक में परिवर्तन हुए हैं।
- ख81 यदि निवेशिती पर प्राधिकार के प्रयोग में कोई परिवर्तन होता है, तो वह परिवर्तन निवेशक द्वारा निवेशिती पर अपने प्राधिकार के निर्धारण में अवश्य प्रतिबिम्बित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, निर्णय लेने के अधिकार में परिवर्तन का अर्थ है कि प्रासंगिक

- गतिविधियों का संचालन अब मताधिकार के माध्यम से बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि अन्य करारों से होता है, जैसे कि अनुबंध अन्य पार्टी या पार्टियों को प्रासंगिक गतिविधियों के संचालन के लिए वर्तमान क्षमता देते हैं।
- ख82 एक घटना एक निवेशक के उस घटना में संलिप्त हुए बिना निवेशिती पर प्राधिकार पाने या खोने का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए, एक निवेशक निवेशिती पर प्राधिकार हासिल कर सकता है क्योंकि अन्य पार्टी या पार्टियों द्वारा धारित निर्णय लेने के अधिकार जो पूर्व में निवेशक को निवेशिती पर नियंत्रण करने से रोकते थे, व्यपगत हो गए हैं।
- ख83 निवेशक उन परिवर्तनों पर भी विचार करता है जो निवेशिती के साथ उसकी संलिप्तता से प्राप्त प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति इसके अभिदर्शन अथवा अधिकारों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक निवेशक जिसका निवेशिती पर प्राधिकार होता है, निवेशिती पर नियंत्रण को खो सकता है यदि निवेशक का प्रतिफलों को प्राप्त करने अथवा बाध्यताओं के लिए अभिदर्शित होने का अधिकार समाप्त हो जाता है क्योंकि निवेशक अनुच्छेद 7(ख) (उदाहरण के लिए निष्पादन संबंधित शुल्क प्राप्त करने का अनुबंध समाप्त हो जाता है) को पूरा नहीं कर पाएगा।
- ख84 एक निवेशक यह विचार करेगा कि क्या इसका यह निर्धारण, कि वह एक एजेंट या प्रधान के रूप में कार्य करता है, परिवर्तित हो गया है। निवेशक तथा अन्य पार्टियों के बीच समग्र संबंधों में परिवर्तनों का यह अर्थ हो सकता है कि एक निवेशक अब एक एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है, भले ही यह पूर्व में एक एजेंट था और यह बात इसके उल्टे भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि निवेशक के अथवा अन्य पार्टियों के अधिकारों में परिवर्तन होते हैं तो निवेशक एक प्रधान अथवा एक एजेंट के रूप में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करेगा।
- ख85 एक निवेशक के नियंत्रण के प्रारम्भिक निर्धारण अथवा उसकी प्रधान अथवा एक एजेंट के रूप में प्रारंभिक रूप से निर्धारित स्थिति में परिवर्तन केवल इसलि एनर्ही होगा कि बाजार की स्थितियों में परिवर्तन हो गया है जब तक कि बाजार की स्थितियां (जैसे कि बाजार स्थितियों के अनुसार निवेशिती के प्रतिफलों में परिवर्तन) अनुच्छेद 7 में दिये गये नियंत्रण के तीन तत्वों में से एक या अधिक तत्वों में परिवर्तन नहीं कर देती अथवा प्रधान एवं एक एजेंट के बीच समग्र संबंधों में परिवर्तन नहीं कर देती।

यह निर्धारित करना कि क्या एक प्रतिष्ठान एक निवेश प्रतिष्ठान है

- ख 85क एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए कि वह एक निवेश प्रतिष्ठान है या नहीं, इसका प्रयोजन व डिज़ाइन सहित, सभी तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करेगा। एक प्रतिष्ठान जो अनुच्छेद 27 में दिये गये निवेश प्रतिष्ठान की परिभाषा के तीन तत्वों को धारण करता है वह एक निवेश प्रतिष्ठान है। अनुच्छेदों ख 85 ख - ख 85 ड में परिभाषा के इन तत्वों को विस्तार से वर्णित किया गया है।

व्यवसाय का प्रयोजन

- ख 85 ख एक निवेश प्रतिष्ठान की परिभाषा में यह अपेक्षा की जाती है कि प्रतिष्ठान का प्रयोजन केवल पूंजी वृद्धि, निवेश आय (जैसे कि लाभांश, ब्याज या किराया आय) या फिर दोनों के लिए निवेश करना है। निवेश के दस्तावेजों में यह उल्लेख किया गया है कि प्रतिष्ठान के वह प्रलेख जो यह दर्शाते हैं कि प्रतिष्ठान के निवेश का उद्देश्य क्या है जैसे कि प्रतिष्ठान का आफर ज्ञापन, प्रतिष्ठान द्वारा वितरित प्रकाशन और अन्य निगमीकरण या साझेदारी के प्रलेख विशिष्ट रूप से निवेश प्रतिष्ठान के व्यवसायिक प्रयोजन के साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा साक्ष्य यह भी दर्शा सकते हैं कि प्रतिष्ठान अपने आपको अन्य पार्टियों (जैसे कि संभावी निवेशक या संभावी निवेशिती) के समक्ष किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। उदाहरणस्वरूप, एक प्रतिष्ठान अपने व्यवसाय को पूंजी वृद्धि के लिए मध्यावधि निवेश देने वाले के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इसके विपरीत, एक प्रतिष्ठान जो अपने आपको उस निवेशक के रूप में प्रस्तुत करता है जिसका उद्देश्य अपने निवेशितियों के साथ उत्पादों को संयुक्त रूप से विकसित करना, उनका उत्पादन करना, या उनका विपणन करना है, उसका व्यवसायिक प्रयोजन एक निवेश प्रतिष्ठान से अलग होता है क्योंकि प्रतिष्ठान विकास, उत्पादन या विपणन गतिविधि और अपने निवेश से प्रतिफलों का अर्जन करेगा (देखें अनुच्छेद ख 85 झ)।
- ख 85 ग एक निवेश प्रतिष्ठान प्रत्यक्षतया या एक अनुषंशी प्रतिष्ठान के माध्यम से तीसरी पार्टियों के साथ-साथ अपने निवेशकों को निवेश सम्बंधी सेवाएं प्रदान कर सकता है (जैसे कि निवेश परामर्श सेवाएं, निवेश प्रबंधन, निवेश सहायता एवं प्रशासनिक सेवाएं), बेशक ये गतिविधियां प्रतिष्ठान के लिए मूल क्यों न हों।
- ख 85 घ एक निवेश प्रतिष्ठान प्रत्यक्षतया या एक अनुषंशी प्रतिष्ठान के माध्यम से निम्नलिखित निवेश सम्बंधी गतिविधियों में भी भाग ले सकता है यदि ये गतिविधियां इसके निवेशितियों से निवेश प्रतिफल (पूंजी वृद्धि या निवेश आय) को अधिकतम करने के लिए की जाती हैं और वे निवेश प्रतिष्ठान के लिए एक अलग मूल व्यवसायिक गतिविधि या आय का अलग मूल स्रोत न नजर आए --
- (क) एक निवेशिती को प्रबंध सेवाएं और रणनीतिक परामर्श देना; और
- (ख) एक निवेशिती को ऋण, पूंजी वचनबद्धता या गारंटी जैसी वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ख 85 ड यदि निवेश प्रतिष्ठान का एक अनुषंगी प्रतिष्ठान है जो निवेश-सम्बन्धी सेवाएं या उन गतिविधियों को जो कि अनुच्छेदों ख 85 ग - ख 85 घ में वर्णित हैं प्रतिष्ठान या अन्य पार्टियों को प्रदान करता है तो वह उस अनुषंगी प्रतिष्ठान को अनुच्छेद 32 के अनुसार समेकित करेगा।

बर्हिगमन रणनीतियां

ख 85 च एक प्रतिष्ठान के निवेश प्लान इसके व्यवसायिक प्रयोजन के साक्ष्य भी प्रदान करते हैं। एक विशेषता जो निवेश प्रतिष्ठान को अन्य प्रतिष्ठान से भिन्न करती है यह है कि निवेश प्रतिष्ठान अपने निवेश प्लानों का असीमित या अनिश्चित काल के लिए धारित नहीं करता है। वह इन्हें एक सीमित अवधि के लिए ही रखता है। चूंकि 'इक्विटी' निवेश और गैर-वित्तीय आस्ति निवेश असीमित अवधि तक रखे जा सकते हैं, इसलिए निवेश प्रतिष्ठान अपनी बर्हिगमन रणनीति प्रलेखों में डालता है कि प्रतिष्ठान मूलतः सभी इक्विटी निवेशों और गैर-वित्तीय आस्ति निवेशों से पूंजी वृद्धि किस प्रकार वसूल करेगा। निवेश प्रतिष्ठान की उन ऋण लिखतों के लिए भी ऐसी बर्हिगमन रणनीति होगी जिसे भी असीमित अवधि के लिए रखा जा सकता है जैसे कि, उदाहरणस्वरूप सतत ऋण लिखतें। यह जरूरी नहीं है कि निवेश प्रतिष्ठान प्रत्येक निवेश के लिए कोई विशेष बर्हिगमन रणनीति को लिखित करें लेकिन वह भिन्न प्रकार के निवेशों या पोर्टफोलियों के लिए अलग-अलग बर्हिगमन रणनीतियों को बताएगा। इन रणनीतियों में निवेश के बर्हिगमन के लिए वास्तविक समय सीमा को भी सम्मिलित किया जा सकता है। वे बर्हिगमन तंत्र जिनका विकास केवल चूक सम्बन्धी घटनाओं के लिए ही किया जाता है जैसे कि अनुबंध का उल्लंघन कार्य निष्पादन न करना इस निर्धारण मूल्यांकन के लिए बर्हिगमन रणनीतियां नहीं माने जा सकते।

ख 85 छ बर्हिगमन रणनीतियां निवेश के प्रकार अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। इसके उदाहरणों में प्राइवेट इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेशों के लिए प्रारंभिक पब्लिक ऑफर, एक प्राइवेट प्लेसमेंट, एक व्यवसाय की ट्रेड बिक्री, निवेशितियों में स्वामित्व हितों का निवेशकों को वितरण और आस्तियों की बिक्री (निवेशिती के परिसमापन के बाद एक निवेशिती की आस्तियों की बिक्री सहित)। उन इक्विटी निवेशों के लिए जिनकी पब्लिक मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है बर्हिगमन रणनीतियों के उदाहरणों में निवेश को प्राइवेट प्लेसमेंट में या एक पब्लिक मार्केट में बेचना शामिल है। रियल एस्टेट निवेशों में बर्हिगमन रणनीतियों का उदाहरण में शामिल है रियल एस्टेट की बिक्री जिसे विशेषज्ञ प्रापर्टी डीलर्स के माध्यम से या खुले बाजार में किया जाता है।

ख 85 ज एक निवेश प्रतिष्ठान का निवेश एक अन्य निवेश प्रतिष्ठान में हो सकता है जो इस प्रतिष्ठान के साथ विधिक, नियामक, कर या अन्य इसी प्रकार के व्यावसायिक कारणों से संरचित हो सकता है। इस मामले में निवेश प्रतिष्ठान निवेशक को उस निवेश के लिये बर्हिगमन रणनीति रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते निवेश प्रतिष्ठान निवेशिती अपने निवेशों के लिए उपयुक्त बर्हिगमन रणनीतियां रखती हो।

निवेशों से अर्जन

ख 85 झ एक प्रतिष्ठान निवेशकों केवल पूंजी की वृद्धि, निवेश से आय या दोनों के लिए ही नहीं करता, यदि प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान को समाविष्ट करने वाले समूह का कोई सदस्य (यानि ऐसा समूह जो निवेशक प्रतिष्ठान के अंतिम मूल प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित हो) प्रतिष्ठान के निवेशों से अन्य वे लाभ (फायदे) प्राप्त करता है या प्राप्त करने का उद्देश्य रखता है जो निवेशिती से संबंधित न होने वाली अन्य पार्टियों को उपलब्ध नहीं है। इन लाभों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

- (क) एक निवेशिती की प्रक्रियाओं, आस्तियों, या प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण, प्रयोग, विनिमय या उपयोग। इसमें वह प्रतिष्ठान या समूह का वह अन्य सदस्य शामिल होगा जिसके पास निवेशिती की आस्तियों, प्रौद्योगिकी, उत्पादों या सेवाओं को ग्रहण करने के अंगत या संपूर्ण अधिकार हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आस्ति का विकास सफल मान लिया गया है तो एक निवेशिती उस आस्ति की खरीद का विकल्प धारण करना;
- (ख) प्रतिष्ठान या समूह के किसी सदस्य और निवेशितों के बीच उत्पादों या सेवाओं के विकास, उत्पादन, विपणन या पूर्ति के लिए संयुक्त व्यवस्थाएं (भारतीय लेखा मानक 111 में यथा परिभाषित के अनुसार) अथवा करार।
- (ग) प्रतिष्ठान या समूह के किसी सदस्य को उधार व्यवस्थाओं के लिए सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निवेशिती द्वारा प्रदान की गयी गारंटियां या आस्तियां (फिर भी, एक निवेश प्रतिष्ठान निवेशिती में एक निवेश का प्रयोग अपने किसी उधार के लिए सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में कर सकता है);
- (घ) प्रतिष्ठान या समूह के किसी सदस्य से प्रतिष्ठान के निवेशिती के स्वामित्व हित की खरीद के लिए प्रतिष्ठान की संबंधित पार्टियों द्वारा धारित विकल्प;
- (ङ) अनुच्छेद ख 85 ज में वर्णित को छोड़कर, प्रतिष्ठान या समूह के एक सदस्य और निवेशिती के बीच लेन-देन जो:
 - (i) उन प्रतिष्ठानों को उपलब्ध न होने वाली शर्तों पर है जो न तो प्रतिष्ठान या समूह के किसी सदस्य और न ही निवेशिती से संबंधित है;

(ii) उचित मूल्य पर नहीं हैं; या

(iii) निवेशिती या प्रतिष्ठान की व्यवसायिक गतिविधि को, जिसमें अन्य प्रतिष्ठानों की व्यवसायिक गतिविधियां भी शामिल हैं, अधिकांश भाग को प्रदर्शित करते हैं।

ख 85 ज एक निवेश प्रतिष्ठान के पास ऐसी रणनीति हो सकती है कि वह उसी उद्योग, बाजार या भौगोलिक क्षेत्र में एक से अधिक निवेशितियों में निवेश करे ताकि उन प्रक्रियाओं से लाभान्वित हो सके जो उन निवेशितियों से पूंजी वृद्धि और निवेश आय में बढ़ोतरी कर सके। अनुच्छेद ख 85झ (ड) के बावजूद भी, एक प्रतिष्ठान निवेश प्रतिष्ठान के रूप में वर्गीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि इस प्रकार के निवेशिती परस्पर व्यापार करते हैं।

उचित मूल्य माप

ख 85 ट एक निवेश प्रतिष्ठान की परिभाषा का अनिवार्य तत्व यह है कि यह अपने मूलतः सभी निवेशों का माप व उनके निष्पादन का मूल्यांकन उचित मूल्य के आधार पर करता है क्योंकि उचित मूल्य माप, उदाहरण के तौर पर अनुषंगी प्रतिष्ठानों के समेकन या सहयोगी प्रतिष्ठानों या संयुक्त उद्यमों में अपने हितों के माप के लिए प्रयुक्त 'इक्विटी' विधि के प्रयोग की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक सूचना देता है। यह प्रदर्शित करने के लिए कि परिभाषा के इस तत्व की पूर्ति होती है एक निवेश प्रतिष्ठान

(क) निवेशकों को उचित मूल्य संबंधी सूचना देता है और इसके मूलतः सभी निवेशों को वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापता है, जब भी भारतीय लेखा मानक उचित मूल्य माप की अपेक्षा करते हैं या अनुमति देते हैं।

(ख) प्रतिष्ठान के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (जैसा कि इंड ए एस 24 में परिभाषित है) को उचित मूल्य की आन्तरिक रूप से सूचना देता है जो कि मूलतः सभी निवेशों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए इसका मुख्य माप कारक के रूप में प्रयोग करते हैं और निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं।

ख 85 ठ अनुच्छेद ख 85 ट की अपेक्षा की पूर्ति के लिए, एक निवेश प्रतिष्ठान--

(क) (देखे परिशिष्ट 1);

(ख) सहयोगी प्रतिष्ठानों व संयुक्त उद्यमों में अपने निवेशों के लिए भारतीय लेखा मानक 28 में, इक्विटी विधि के प्रयोग से छूट पाने का चयन करता है; और

(ग) भारतीय लेखा मानक 109 की अपेक्षाओं का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों का माप करता है।

ख 85 ड एक निवेश प्रतिष्ठान के कुछ गैर-निवेश आस्तियां भी हो सकती हैं जैसे कि इसके प्रधान कार्यालय की सम्पत्ति व सम्बंधित उपस्कर, और इसी तरह कुछ वित्तीय दायित्व हो सकते हैं। अनुच्छेद 27(ग) में निवेश प्रतिष्ठान की परिभाषा का उचित मूल्य तत्व एक निवेश प्रतिष्ठान के निवेशों पर लागू होता है। अतः एक निवेश प्रतिष्ठान को अपने गैर-निवेश आस्तियों या दायित्वों को उचित मूल्य पर मापने की आवश्यकता नहीं है।

एक निवेश प्रतिष्ठान की विशिष्ट विशेषताएं

ख 85 ढ यह निर्धारण करने के लिए कि क्या यह निवेश प्रतिष्ठान की परिभाषा को पूरा करता है, एक प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि क्या यह (अनुच्छेद 28 में दी गयी) विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करता है या नहीं। यह जरूरी नहीं कि एक या एक से अधिक ऐसी विशिष्ट विशेषताओं के अभाव में कोई प्रतिष्ठान एक निवेश प्रतिष्ठान के रूप में वर्गीकृत होने के अयोग्य हो जाता है लेकिन इससे एक बात का संकेत जरूर मिलता है कि वह प्रतिष्ठान एक निवेश प्रतिष्ठान है इसके लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है।

एक से अधिक निवेश

ख 85 ण एक निवेश प्रतिष्ठान विशिष्ट रूप से एक से अधिक निवेश धारण करता है ताकि उसका जोखिम बंट जाए और प्रतिफल अधिक से अधिक हों। एक प्रतिष्ठान के पास निवेशों का प्रत्यक्षतया या अप्रत्यक्षतया एक पोर्टफोलियो हो सकता है, जैसे कि, किसी अन्य निवेश प्रतिष्ठान में एकल निवेश जो अपने आप अनेक निवेश धारित करता है।

ख 85 त ऐसे भी समय आ सकते हैं जब प्रतिष्ठान केवल एक ही निवेश को धारित करे। लेकिन, एकमात्र निवेश धारण करना, किसी प्रतिष्ठान को निवेश प्रतिष्ठान की परिभाषा की पूर्ति के लिए नहीं रोकता। जैसे कि, एक निवेश प्रतिष्ठान केवल एक निवेश धारित कर सकता है, जब वह प्रतिष्ठान:

(क) अपने आरंभिक काल में है और वह अभी तक उपयुक्त निवेशों की पहचान नहीं कर पाया है और इस तरह अभी उसने अनेक निवेशों के अधिग्रहण के लिए निवेशों के प्लान को शुरू नहीं किया है,

(ख) उसने पूर्व में निपटाए गये निवेशों के स्थान पर नये निवेश ग्रहण नहीं किये हैं,

(ग) उसकी स्थापना इसलिए की गयी है कि वह एकल निवेश में निवेशकों की निधियों को डाले जब व्यक्तिगत एक अकेला निवेशक उस निवेश को ग्रहण नहीं कर सकता। (उदाहरण के रूप में, जब न्यूनतम निवेश की राशि एक व्यक्तिगत

निवेशक के लिए बहुत-ही ज्यादा हो); या

(घ) वह परिसमापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं।

एक से अधिक निवेशक

ख 85 थ सामान्य तौर पर, एक निवेश प्रतिष्ठान के पास ऐसे अनेक निवेशक होते हैं जो अपनी निधियों को इस तरह से निवेशित करते हैं ताकि वे उन निवेश प्रबंधन सेवाओं और निवेश अवसरों को प्राप्त कर सकें जो एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए प्राप्त करना संभव न हो। अनेक निवेशक होने से इस बात की संभावना कम हो जाती है कि प्रतिष्ठान या ऐसे समूह का अन्य कोई सदस्य जो प्रतिष्ठान को समाविष्ट करता है, पूंजी वृद्धि या निवेश आय से भिन्न फायदों (लाभों) को भी ग्रहण कर सकें। (देखें अनुच्छेद ख 85 झ)।

ख 85 द विकल्प के तौर पर, एक निवेश प्रतिष्ठान एक अकेले निवेशक द्वारा या उसके लिए गठित किया जा सकता है जो अनेक निवेशकों के हितों को प्रदर्शित या उनकी सहायता करता है (जैसे कि, पेंशन निधि, सरकारी निवेश निधि या पारिवारिक न्यास)।

ख 85 ध ऐसा भी समय हो सकता है जब एक प्रतिष्ठान अस्थायी तौर पर केवल एक ही निवेशक रखता है। उदाहरण के तौर पर ऐसी स्थिति तब हो सकती है जब प्रतिष्ठान:

(क) प्रारम्भिक 'आफर' अवधि में है। यह अवधि अभी चल रही है और प्रतिष्ठान उपयुक्त निवेशकों की पहचान सक्रिय रूप से कर रहा है।

(ख) पिछले निवेशक जो अपने हितों का प्रतिदान कर गये हैं उनके स्थान पर नये और उपयुक्त निवेशकों की अभी पहचान नहीं कर पाया है

(ग) परिमाणन की प्रक्रिया के अंतर्गत है।

असम्बंधित निवेशक

ख 85 न सामान्य तौर पर एक निवेश प्रतिष्ठान के कई निवेशक होते हैं लेकिन वे प्रतिष्ठान की या प्रतिष्ठान को समाविष्ट करने वाले समूह की संबंधित पार्टियां नहीं होती (यथा भारतीय लेखा मानक 24 में परिभाषित)। लेकिन, जब निवेशक असम्बंधित होते हैं तो इस बात की कम संभावना होती है कि प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान को समाविष्ट करने वाले समूह के सदस्य पूंजी वृद्धि या निवेश आय के अलावा लाभ प्राप्त कर सकें (देखें अनुच्छेद ख 85 झ)।

ख 85 प लेकिन, एक प्रतिष्ठान तब भी निवेश प्रतिष्ठान के योग्य हो सकता है जब उसके निवेशक प्रतिष्ठान से सम्बंधित हों। उदाहरणस्वरूप, एक निवेश प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों (जैसे कि प्रमुख प्रबंधन कार्मिक) के समूह के लिए और अन्य सम्बंधित पार्टि निवेशक (निवेशकों) के लिए एक अलग 'समान्तर' निधि स्थापित कर सकता है जो प्रतिष्ठान की मुख्य निवेश निधि के रूप में प्रदर्शित होता है। यह 'समान्तर' निधि एक निवेश प्रतिष्ठान के योग्य हो सकती है चाहे इसके सभी निवेशक सम्बंधित पार्टियां क्यों न हो।

स्वामित्व हित

ख 85 फ एक निवेश प्रतिष्ठान आम तौर पर एक पृथक विधिक प्रतिष्ठान होता है, लेकिन ऐसा होना अपेक्षित नहीं है। एक निवेश प्रतिष्ठान में स्वामित्व हित सामान्यतया 'इक्विटी' या इसी प्रकार (जैसे कि साझेदारी हितों) हितों के रूप में होते हैं जिनके लिए निवेश प्रतिष्ठान की निवल आस्तियों के अनुपातिक हिस्से निर्दिष्ट होते हैं। तथापि निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों के होने से और जिनमें से, कुछ के विशेष निवेश या निवेशों के समूहों में अधिकार होते हैं या कुछ के पास निवल आस्तियों में भिन्न आनुपातिक शेयर होते हैं; पर ऐसा होना प्रतिष्ठान को निवेश प्रतिष्ठान के रूप में होने से नहीं रोकता।

ख 85 ब इसके अलावा, एक प्रतिष्ठान जिसके पास ऋण के रूप में महत्वपूर्ण स्वामित्व हित हैं, और वह ऋण अन्य लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में 'इक्विटी' की परिभाषा को पूरा नहीं करता है फिर भी वह प्रतिष्ठान निवेश प्रतिष्ठान के योग्य हो सकता है बशर्ते ऋण धारक प्रतिष्ठान की निवल आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनों से परिवर्तनशील प्रतिफलों के प्रति अभिदर्शित होते हैं।

लेखा अपेक्षाएं

समेकन प्रक्रियाएं

ख 86 समेकित वित्तीय विवरण:

(क) मूल प्रतिष्ठान व अनुषंगी प्रतिष्ठानों की आस्तियों, दायित्वों, इक्विटी, आय, व्ययों तथा नकदी प्रवाहों की एक जैसी मदों को मिलाते हैं।

(ख) प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान में मूल प्रतिष्ठान के निवेश की अग्रणीत राशि तथा प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान की इक्विटी में मूल प्रतिष्ठान के अंश का परस्पर समंजन (आफसेट) करते हैं (भारतीय लेखा मानक 103 यह व्याख्या करता है कि किसी संबंधित ख्याति का कैसे लेखा करें)।

- (ग) समूह के प्रतिष्ठानों के बीच हुए लेन-देनों से सम्बंधित अन्तर्समूह आस्तियों एवं दायित्वों, 'इक्विटी', आय, व्ययों तथा नकदी प्रवाहों को पूरी तरह से हटाते हैं (अंतर्समूह लेन-देनों के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानियाँ, जिन्हें आस्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसे कि सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) एवं अचल आस्तियाँ, पूरी तरह से हटा दी जाती हैं)। अन्तर्समूह हानियाँ/उस क्षतिग्रस्तता को दर्शा सकती हैं जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता देना अपेक्षित है। भारतीय लेखा मानक 12, *आयकर*, उन अस्थायी अंतरों पर लागू होता है जो अंतर्समूह लेन-देनों के परिणामस्वरूप होने वाले लाभों एवं हानियों को हटाने से उत्पन्न होते हैं।

समरूप लेखा नीतियाँ

- ख87 यदि समूह का कोई सदस्य एक-जैसे लेन-देनों के लिए और समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में अपनायी गई नीतियों से भिन्न कोई अन्य लेखा नीतियों का प्रयोग करता है तो समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए समूह के उस सदस्य के वित्तीय विवरणों में समुचित समायोजन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि समूह की लेखा नीतियों के साथ समानरूपता है।

माप

- ख88 एक प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण प्राप्त करने की तिथि से नियंत्रण समाप्त होने की तिथि तक समेकित वित्तीय विवरणों में अनुषंगी प्रतिष्ठान के आय एवं व्यय को शामिल करता है। अनुषंगी प्रतिष्ठान के आय एवं व्यय समेकित वित्तीय विवरणों में अधिग्रहण की तिथि पर मान्यता-प्राप्त आस्तियों एवं दायित्वों की राशियों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए अधिग्रहण की तिथि के पश्चात् लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त मूल्यहास व्यय अधिग्रहण की तिथि को समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त संबंधित मूल्यहास योग्य आस्तियों के उचित मूल्यों पर आधारित होता है।

संभावी मताधिकार

- ख89 जब संभावी मताधिकार अथवा संभावी मताधिकार वाले अन्य व्युत्पन्न मौजूद होते हैं तब समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में मूल प्रतिष्ठान गैर-नियंत्रक हितों को आबंटित इक्विटी में परिवर्तनों तथा लाभ या हानि का अनुपात का निर्धारण केवल मौजूदा स्वामित्व हितों के आधार पर किया जाता है और तब तक संभावी मताधिकार का परिवर्तन अथवा अन्य व्युत्पन्नों के प्रयोग को नहीं दर्शाया जाता, जब तक कि अनुच्छेद ख 90 लागू नहीं होता।
- ख90 कुछ परिस्थितियों में एक प्रतिष्ठान का विद्यमान स्वामित्व हित वस्तुतः उस लेन देन के परिणाम स्वरूप होता है जो प्रतिष्ठान को स्वामित्व हित से सम्बद्ध प्रतिफलों की पहुंच देता है। ऐसी परिस्थितियों में, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में मूल प्रतिष्ठान और गैर-नियंत्रक हितों का आबंटित अनुपात उन संभावी मताधिकारों एवं अन्य व्युत्पन्नताओं के संभव प्रयोग पर विचार करने के बाद किया जाता है जो प्रतिष्ठान को वर्तमान में प्रतिफल प्रदान करते हैं।
- ख91 भारतीय लेखा मानक 109 उन अनुषंगी प्रतिष्ठानों के हितों पर लागू नहीं होता है जिन्हें समेकित किया जाता है। जब संभावी मताधिकार धारण करने वाली लिखत वास्तविक रूप से अनुषंगी प्रतिष्ठान में स्वामित्व हित से संबंधित प्रतिफलों को प्रदान कराते हैं तब लिखत भारतीय लेखा मानक 109 की अपेक्षाओं के अधीन नहीं होते हैं। अन्य सभी मामलों में, अनुषंगी प्रतिष्ठान में संभावी मताधिकार धारण करने वाली लिखतों का लेखा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि

- ख92 समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में मूल प्रतिष्ठान और इसकी अनुषंगी प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तिथि एक ही होगी। जब मूल प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति अनुषंगी प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति से भिन्न होती है, तब अनुषंगी प्रतिष्ठान समेकन के प्रयोजन के लिए मूल प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सूचना तब तक तैयार करता है, जब तक कि ऐसा करना अव्यवहारिक न हो, ताकि मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान की सूचना समेकित कर सके।
- ख93 यदि ऐसा करना अव्यवहारिक हो तो, मूल प्रतिष्ठान उन महत्वपूर्ण लेन-देनों अथवा घटनाओं के प्रभावों के लिए समायोजित करते हुए उन वित्तीय विवरणों की तिथि और समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि के बीच घटित होती है। अनुषंगी प्रतिष्ठान के बहुत हाल के वित्तीय विवरणों का प्रयोग करते हुए अनुषंगी प्रतिष्ठान की वित्तीय सूचना को समेकित करेगा। किसी भी स्थिति में, अनुषंगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की तिथि और समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि के बीच तीन महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा तथा रिपोर्टिंग अवधियों का समय एवं वित्तीय विवरणों की तिथियों के बीच कोई अन्तर अवधि से अवधि तक एक-जैसा ही होगा।

गैर-नियंत्रक हित

- ख94 एक प्रतिष्ठान लाभ अथवा हानि एवं अन्य व्यापक आय का प्रत्येक घटक मूल प्रतिष्ठान तथा गैर नियंत्रक हितों के प्रति आरोपित करता है। प्रतिष्ठान कुल व्यापक आय भी मूल प्रतिष्ठान तथा गैर-नियंत्रक हितों के प्रति आरोपित करेगा, भले ही, इसका परिणाम गैर-नियंत्रक हितों में घाटे के अतशेष के रूप में होता हो।

- ख95 यदि एक अनुषंगी प्रतिष्ठान के पास बकाया संचयी अधिमान शेयर हैं जो 'इक्विटी' के रूप में वर्गीकृत हैं और गैर-नियंत्रक हितों द्वारा धारित हैं, तो प्रतिष्ठान ऐसे शेयरों पर प्राप्य लाभांशों के समायोजन करने के बाद लाभ अथवा हानि में अपने हिस्से की गणना करेगा, चाहे ऐसे लाभांशों की घोषणा की गई है या नहीं।

गैर-नियंत्रक हितोंद्वारा धारित अनुपात में परिवर्तन

- ख96 जब गैर-नियंत्रक हितों द्वारा धारित 'इक्विटी' के अनुपात में परिवर्तन होता है तब प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान में अपने संबंधित हितों में परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने के लिए नियंत्रक एवं गैर-नियंत्रक हितों की अग्रणीत राशियों को समायोजित करेगा। प्रतिष्ठान उस राशि जिस राशि द्वारा गैर-नियंत्रक हितों को समायोजित किया गया है तथा उस प्रतिफल के उचित मूल्य जिसे अदा किया गया है अथवा प्राप्त किया गया है के बीच किसी अंतर को इक्विटी में मान्यता देगा और उसे मूल प्रतिष्ठान के स्वामियों के प्रति आरोपित करेगा।

नियंत्रण की समाप्ति

- ख97 एक प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान पर दो या अधिक व्यवस्थाओं में (लेन-देनों में) नियंत्रण खो सकता है। तथापि, कभी-कभी परिस्थितियां दर्शाती हैं कि बहु आयामी व्यवस्थाओं का एकल लेन-देन के रूप में लेखा किया जाना चाहिए। एकल लेन-देन के रूप में व्यवस्थाओं का लेखा किया जाए या नहीं, यह निर्धारण करने के लिए मूल प्रतिष्ठान व्यवस्थाओं के सभी नियमों एवं शर्तों तथा उनके आर्थिक प्रभावों पर विचार करेगा। निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक यह दर्शाते हैं कि मूल प्रतिष्ठान को चाहिए कि वह बहुआयामी व्यवस्थाओं का एकल लेन-देन के रूप में लेखा करें:

- (क) वे एक-ही समय में या एक-दूसरे की अपेक्षा में प्रविष्ट की गई हैं।
- (ख) वे पूर्णतया वाणिज्यिक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए एकल लेन-देन के रूप में डिजाइन की गयी हैं।
- (ग) एक व्यवस्था का होना कम-से-कम एक दूसरी व्यवस्था के होने पर निर्भर है।
- (घ) केवल एक ही व्यवस्था को विचार में लेना आर्थिक रूप से तर्कसंगत नहीं होता है, किन्तु यह तब तर्कसंगत होजाता है जब वह अन्य व्यवस्थाओं के साथ विचार में ली जाती है। एक उदाहरण स्वरूप, जब शेयरों का निपटान बाजार से कम मूल्य पर किया जाता है और उसकी क्षतिपूर्ति बाद में बाजार से अधिक मूल्य पर निपटान द्वारा की जाती है।

- ख98 यदि मूल प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो वह निम्नलिखित कार्य करेगा:

- (क) निम्नलिखित को अमान्य करेगा:
 - (i) अनुषंगी प्रतिष्ठान की आस्तियों (किसी प्रकार की ख्याति सहित) एवं दायित्वों को उस तिथि की अग्रणीत राशियों पर जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है; और
 - (ii) पूर्ववर्ती अनुषंगी प्रतिष्ठान में किसी गैर-नियंत्रक हितों को उस तिथि की अग्रणीत राशि पर जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है (उनके प्रति आरोपित अन्य व्यापक आय के किन्हीं घटकों सहित)।
- (ख) निम्नलिखित को मान्यता देगा:
 - (i) उस लेन-देन, घटना या परिस्थितियों से प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य, जिनके परिणामस्वरूप नियंत्रण समाप्त हुआ है;
 - (ii) यदि उस लेन-देन, घटना या परिस्थितियों जिनके परिणामस्वरूप नियंत्रण की समाप्ति हुई है, में स्वामियों के रूप में उनकी क्षमता में स्वामियों को अनुषंगी प्रतिष्ठान के शेयरों का वितरण अंतर्निहित होता है तो वह वितरण; और
 - (iii) पूर्ववर्ती अनुषंगी प्रतिष्ठान में प्रतिधारित किसी निवेश को उस तिथि के उचित मूल्य पर जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है।

- (ग) अनुच्छेद ख 99 में वर्णित आधार पर अनुषंगी प्रतिष्ठान से संबंधित अन्य व्यापक आय में मान्य की गई राशि को प्रतिधारित उपार्जनो में सीधे अंतरित करेगा अथवा लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत करेगा, यदि अन्य भारतीय लेखा मानकों में अपेक्षित है।

- (घ) मूल प्रतिष्ठान के लाभ अथवा हानि में लाभ अथवा हानि के परिणामस्वरूप अंतर को मान्यता देना।

- ख99 यदि मूल प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो मूल प्रतिष्ठान उस अनुषंगी प्रतिष्ठान से संबंधित अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्य की गई राशियों का उसी आधार पर लेखा करेगा जैसा कि तब अपेक्षित होगा, यदि मूल प्रतिष्ठान ने संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों का सीधे निपटान कर दिया होता। इसलिये, यदि अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्य किए गए लाभ अथवा हानि को संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के निपटान पर लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है तो मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण समाप्त होने पर 'इक्विटी' से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि (पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में) में पुनर्वर्गीकृत करेगा। यदि अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्य किया गया पुनर्मूल्यन अधिशेष आस्तियों के निपटान पर

प्रतिधारित उपार्जनों में सीधे अन्तरित होगा तो मूल प्रतिष्ठान अनुषंगी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण समाप्त होने पर पुनर्मूल्यन अधिशेष को सीधे प्रतिधारित उपार्जनों में अन्तरित करेगा।

निवेश प्रतिष्ठान स्थिति में परिवर्तन का लेखा

- ख 100 जब एक प्रतिष्ठान एक निवेश प्रतिष्ठान के रूप में नहीं रहता है तो वह उस अनुषंगी प्रतिष्ठान पर भारतीय लेखा मानक 103 का प्रयोग करेगा जिसे अनुच्छेद 31 के अनुसार पहले लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापा जाता था। स्थिति में परिवर्तन की तिथि माने गए अधिग्रहण की तिथि होगी। मानी गई अधिग्रहण तिथि पर अनुषंगी प्रतिष्ठान का उचित मूल्य माने गये अधिग्रहण से उत्पन्न समझौता खरीद से लाभ या किसी ख्याति को मापते समय अन्तरित माने गए प्रतिफल को प्रदर्शित करेगा। सभी अनुषंगी प्रतिष्ठानों को स्थिति के परिवर्तन की तिथि से इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेदों 19-24 के अनुसार समेकित किया जाएगा।
- ख 101 जब एक प्रतिष्ठान एक निवेश प्रतिष्ठान बन जाता है तो वह स्थिति के परिवर्तन की तिथि पर अनुषंगी प्रतिष्ठानों का समेकन बन्द कर देगा, लेकिन एक ऐसे अनुषंगी प्रतिष्ठान को छोड़कर जिसका अनुच्छेद 32 के अनुसार समेकन जारी रहेगा। निवेश प्रतिष्ठान अनुच्छेदों 25 व 26 की अपेक्षाओं का प्रयोग उन अनुषंगी प्रतिष्ठानों पर करेगा जिनका वह समेकन बन्द कर देता है क्योंकि निवेश प्रतिष्ठान का उस तिथि पर अनुषंगी प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण समाप्त हो गया है।

परिशिष्ट ग

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

1. भारतीय लेखा मानक 10, रिपोर्टिंग, अवधि के बाद की घटनाएं में समाविष्ट परिशिष्ट क, स्वामियों को गैर-नकदी आस्तियों का वितरण इस मानक का भी संदर्भ देता है।
2. भारतीय लेखा मानक 37, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियों में समाविष्ट परिशिष्ट क, 'विस्थापन, पुनर्बहाली एवं पर्यावरण-सम्बंधी पुनर्वास निधियों से उत्पन्न होने वाले हितों के अधिकार' इस मानक का भी संदर्भ देता है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का उद्देश्य केवल इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 110 और अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 10, समेकित वित्तीय विवरण, के बीच प्रमुख अन्तरों को, यदि कोई है, स्पष्ट किया जाए।

आई एफ आर एस 10, समेकित वित्तीय विवरण, के साथ तुलना:

- 1 'आई एफ आर एस' 10 यह अपेक्षा करता है कि सभी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाएं ताकि एक निवेश प्रतिष्ठान को समेकन पर छूट की अर्हता उपलब्ध हो सके। चूंकि भारतीय लेखा मानक 40 निवेश सम्पत्तियां यह अपेक्षा करता है कि सभी निवेश सम्पत्तियां पहले लागत पर और बाद में मूल्यह्रास घटाकर लागत पर मापी जाएंगी, ख85ठ का उप अनुच्छेद (क) हटा दिया गया है चूंकि वह उचित मूल्य पर निवेश सम्पत्ति के माप पर चर्चा करता है और भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।
- 2 वर्तमान कानूनों में प्रयुक्त शब्दावली के कारण भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है जैसे कि शब्द 'तुलन-पत्र' का प्रयोग 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान में हुआ है और शब्द 'लाभ और हानि का विवरण' का प्रयोग 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान में हुआ है।
- 3 'आई एफ आर एस' 10 का परिशिष्ट ग जो प्रभावी तिथि संक्रमणकाल और अन्य 'आई एफ आर एस' मानकों के प्रत्याहरण पर चर्चा करता है, भारतीय लेखा मानक 10 में निम्नलिखित कारणों से सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि:
 - (i) प्रभावी तिथि इसलिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लागू की जाने की तिथि कम्पनी अधिनियम के अधीन अधिसूचित की जाएगी।
 - (ii) भारतीय लेखा मानकों से सम्बंधित संक्रमणकालीन उपबंध, जहां भी उपयुक्त समझे गए हैं, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 1, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथम-बार अंगीकरण के तदनुसूची भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथम-बार अंगीकरण में सम्मिलित कर लिये गये हैं।
 - (iii) अन्य 'आई एफ आर एस' मानकों के प्रत्याहरण विषयक अनुच्छेद प्रासंगिक नहीं हैं।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 111

संयुक्त व्यवस्थाएं

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का उद्देश्य उन प्रतिष्ठानों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सिद्धान्त स्थापित करना है जिनका उन व्यवस्थाओं में हित है जो कि संयुक्त रूप से नियंत्रित की जाती हैं (संयुक्त व्यवस्थाएं)।

उद्देश्य की पूर्ति

2. अनुच्छेद 1 में दिये गये उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) संयुक्त नियंत्रण को परिभाषित करता है तथा एक प्रतिष्ठान से, जो संयुक्त व्यवस्था का एक पक्ष है, यह अपेक्षा करता है कि वह जिस संयुक्त व्यवस्था में सम्मिलित है उसके प्रकार का निर्धारण अपने अधिकारों तथा बाध्यताओं के मूल्यांकन द्वारा करे और उन अधिकारों तथा बाध्यताओं का लेखा संयुक्त व्यवस्था के उस प्रकार के अनुसार करे।

कार्यक्षेत्र

3. यह भारतीय लेखा मानक उन सभी प्रतिष्ठानों द्वारा लागू किया जायेगा जो कि संयुक्त व्यवस्था के पक्ष हैं।

संयुक्त व्यवस्थाएं

4. एक संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षों का संयुक्त नियंत्रण होता है।
5. एक संयुक्त व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :
 - (क) ये पक्ष अनुबंधात्मक व्यवस्था द्वारा आबद्ध हैं (देखें अनुच्छेद ख 2-ख 4)।
 - (ख) अनुबंधात्मक व्यवस्था उन पक्षों में से दो या दो से अधिक पक्षों को व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण प्रदान करती है (देखें अनुच्छेद 7-13)।

6. एक संयुक्त व्यवस्था या तो एक संयुक्त परिचालन है या फिर एक संयुक्त उद्यम।

संयुक्त नियंत्रण

7. संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण की अनुबंधात्मक रूप से सहमत हिस्सेदारी है जो केवल तभी विद्यमान होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णयों के लिए नियंत्रण के हिस्सेदार पक्षों में सर्वसम्मति अपेक्षित हो।
8. एक प्रतिष्ठान, जो कि किसी व्यवस्था का एक पक्ष है, यह निर्धारित करेगा कि क्या अनुबंधात्मक व्यवस्था सभी पक्षों, अथवा पक्षों के एक समूह, को व्यवस्था का सामूहिक नियंत्रण प्रदान करती है। सभी पक्ष या पक्षों का समूह व्यवस्था का सामूहिक नियंत्रण तब करता है जब उन्हें उन गतिविधियों को निर्दिष्ट करने के लिए मिलकर कार्यवाही करनी चाहिए जो व्यवस्था के प्रतिफलों को प्रभावित करती हैं (प्रासंगिक गतिविधियां)।
9. एक बार जब यह निर्धारित हो जाता है कि सभी पक्ष अथवा पक्षों का एक समूह सामूहिक रूप से व्यवस्था को नियंत्रित करता है, संयुक्त नियंत्रण केवल तभी विद्यमान होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय उन पक्षों की सर्वसम्मति से हो जो व्यवस्था को सामूहिक रूप से नियंत्रित करते हैं।
10. एक संयुक्त व्यवस्था में, कोई एकल पक्ष अपने आप व्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता। एक व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाला एक पक्ष अन्य पक्षों अथवा पक्षों के एक समूह को व्यवस्था को नियंत्रित करने से रोक सकता है।
11. एक व्यवस्था एक संयुक्त व्यवस्था हो सकती है चाहे इसके सभी पक्षों का व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण न भी हो। यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) उन पक्षों के बीच भेद करता है जिनका संयुक्त व्यवस्था (संयुक्त परिचालक अथवा संयुक्त उद्यमी) पर संयुक्त नियंत्रण है तथा वे पक्ष जो संयुक्त व्यवस्था में भाग तो लेते हैं, परंतु उनका उस संयुक्त व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है।
12. एक प्रतिष्ठान को यह निर्धारण करते समय विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ेगी कि क्या सभी पक्षों अथवा पक्षों के एक समूह का एक व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण है। प्रतिष्ठान सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह निर्धारण करेगा।
13. यदि तथ्यों तथा परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है तो प्रतिष्ठान पुनः निर्धारित करेगा कि व्यवस्था पर उसका अभी भी संयुक्त नियंत्रण है अथवा नहीं।

संयुक्त व्यवस्था के प्रकार

14. एक प्रतिष्ठान संयुक्त व्यवस्था के उस प्रकार को निर्धारित करेगा जिसमें यह शामिल है। एक संयुक्त व्यवस्था का वर्गीकरण कि वह संयुक्त परिचालन है अथवा संयुक्त उद्यम है, उस व्यवस्था के पक्षों के अधिकारों तथा बाध्यताओं पर निर्भर करता है।
15. एक संयुक्त परिचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा पक्षों के पास, जिनका व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण है, व्यवस्था से संबंधित आस्तियों पर अधिकार तथा दायित्वों के लिए बाध्यता है। उन पक्षों को संयुक्त परिचालक कहा जाता है।
16. एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा उन पक्षों के पास, जिनका व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण है, व्यवस्था की शुद्ध आस्तियों पर अधिकार होता है। उन पक्षों को संयुक्त उद्यमी कहा जाता है।
17. एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करते समय विवेकपूर्ण निर्णय लेता है कि एक संयुक्त व्यवस्था क्या संयुक्त परिचालन है अथवा संयुक्त उद्यम। एक प्रतिष्ठान किस प्रकार की संयुक्त व्यवस्था में शामिल है इसका निर्धारण वह उस व्यवस्था से उत्पन्न अपने अधिकारों और बाध्यताओं के आधार पर करेगा। एक प्रतिष्ठान व्यवस्था के विधिक प्रकार उसके ढाँचें, अनुबंधात्मक व्यवस्था में पक्षों द्वारा सहमत शर्तों तथा, जब प्रासंगिक हो, अन्य तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए अपने अधिकारों एवं बाध्यताओं का निर्धारण करता है (देखें अनुच्छेद ख 12- ख 33)।
18. कभी-कभी पक्ष उस ढाँचागत करार से आबद्ध होते हैं जो एक अथवा अधिक गतिविधियों के लिए सामान्य अनुबंधात्मक शर्तों को स्थापित करता है। ढाँचागत करार यह निर्धारित कर सकता है कि पक्ष उन विशिष्ट गतिविधियों के संपादन के लिए अलग संयुक्त व्यवस्थाएं स्थापित करें जो करार के एक अंग हैं। यद्यपि, वे संयुक्त व्यवस्थाएं उसी ढाँचागत करार से संबंधित हैं, उनका प्रकार तब अलग हो सकता है यदि ढाँचागत करार में दिये गये विभिन्न गतिविधियों को करते समय पक्षों के अधिकार तथा बाध्यताएं भिन्न हों। परिणामस्वरूप, संयुक्त परिचालन तथा संयुक्त उद्यम एक-साथ चल सकते हैं। यदि पक्ष उन विभिन्न गतिविधियों को करते हैं, जो उसी ढाँचागत करार का अंग बनते हैं।
19. यदि तथ्यों तथा परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है तो एक प्रतिष्ठान इस बात का पुनः निर्धारण करेगा कि जिस संयुक्त व्यवस्था के प्रकार में वह सम्मिलित है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन तो नहीं हुआ है।

संयुक्त व्यवस्था के पक्षों के वित्तीय विवरण

संयुक्त परिचालन

20. एक संयुक्त परिचालक एक संयुक्त परिचालन में अपने हित के संबंध में निम्नलिखित को मान्यता प्रदान करेगा :
 - (क) इसकी आस्तियां जिनमें संयुक्त रूप से धारित किन्हीं आस्तियों में उसका भाग भी शामिल हैं;
 - (ख) इसके दायित्व, जिनमें संयुक्त रूप से धारित किन्हीं दायित्वों में उसका भाग भी शामिल हैं;
 - (ग) संयुक्त परिचालन से उत्पन्न उत्पादन में उसके भाग की बिक्री से उसका राजस्व;
 - (घ) संयुक्त परिचालन द्वारा उत्पादन की बिक्री से प्राप्त राजस्व में उसका भाग; और
 - (ङ) इसके व्यय, जिनमें संयुक्त रूप से किये गये किन्हीं खर्चों में उसका भाग भी सम्मिलित है।
21. एक संयुक्त परिचालक विशिष्ट आस्तियों, दायित्वों, राजस्व व व्यय पर लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार एक संयुक्त परिचालन में अपने हित से संबंधित आस्तियों, दायित्वों, राजस्व और व्यय का लेखा करेगा।
- 21 क जब एक प्रतिष्ठान एक संयुक्त परिचालन में एक हित ग्रहण करता है जिसमें उसकी गतिविधि भारतीय लेखा मानक 103 की परिभाषा के अनुसार एक व्यवसाय होती है, तो वह अनुच्छेद 20 के अनुसार अपने भाग की सीमा तक भारतीय लेखा मानक 103 और अन्य उन लेखा मानकों के व्यवसाय संयोजनों के सभी लेखा सिद्धान्तों का प्रयोग करेगा जो इस लेखा मानक के प्रयोग के विपरीत नहीं हैं और व्यवसायिक संयोजनों से सम्बंधित उन लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित सूचना को प्रकट करेगा। यह उस संयुक्त परिचालन के प्रारम्भिक हित और बाद के हितों दोनों पर लागू होता है जिसमें संयुक्त परिचालन की गतिविधि व्यवसाय होती है। इस प्रकार के संयुक्त परिचालन में एक हित के अधिग्रहण का लेखा अनुच्छेद ख 33 क - ख 33 घ में विनिर्दिष्ट किया गया है।
22. एक प्रतिष्ठान तथा एक संयुक्त परिचालन के बीच, जिसमें कि यह प्रतिष्ठान एक संयुक्त परिचालक है, लेन-देनों, जैसे आस्तियों की बिक्री अंशदान या खरीद, का लेखा अनुच्छेद ख 34-ख 37 के अनुसार किया जाएगा।
23. एक पक्ष जो संयुक्त परिचालन में भाग तो लेता है परंतु, संयुक्त परिचालन में उसका संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है, तो वह भी व्यवस्था में अपने हित का लेखा अनुच्छेद 20-22 के अनुसरण में करेगा यदि उस पक्ष का संयुक्त परिचालन से संबंधित दायित्वों के लिए बाध्यता तथा आस्तियों के लिए अधिकार हो। एक पक्ष जो संयुक्त परिचालन में भाग तो लेता है परंतु उसमें उसका कोई

संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है, और उसका संयुक्त परिचालन से संबंधित आस्तियों पर अधिकार तथा दायित्वों के लिए बाध्यता नहीं है तो वह पक्ष अपने उस हित पर लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उसका लेखा करेगा।

संयुक्त उद्यम

24. एक संयुक्त उद्यमी संयुक्त उद्यम में अपने हित को एक निवेश के रूप में मान्यता देगा तथा भारतीय लेखा मानक 28, *सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश*, के अनुसार इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए उस निवेश का लेखा करेगा जब तक कि प्रतिष्ठान को उस मानक में किये गये उल्लेख के अनुसार इक्विटी विधि का प्रयोग करने की छूट प्राप्त न हो।
25. एक पक्ष जो संयुक्त उद्यम में भाग तो लेता है, परंतु उसके पास संयुक्त उद्यम का संयुक्त नियंत्रण नहीं होता, तो वह पक्ष भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें*, के अनुसार व्यवस्था में अपने हित का लेखा करेगा बशर्ते उस पक्ष का संयुक्त उद्यम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, जिसके होने पर वह भारतीय लेखा मानक 28 के अनुसार इसका लेखा करेगा।

पृथक वित्तीय विवरण

26. एक संयुक्त परिचालक अथवा संयुक्त उद्यमी अपने पृथक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित में अपने हित के लिए लेखा करेगा :
- (क) अनुच्छेद 20-22 के अनुसार, एक संयुक्त परिचालन; और
- (ख) भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण*, के अनुसार एक संयुक्त उद्यम।
27. एक पक्ष जो एक संयुक्त व्यवस्था में भाग तो लेता है लेकिन उसका इसमें कोई संयुक्त नियंत्रण नहीं होता तो, वह अपने पृथक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित में अपने हित के लिए लेखा करेगा:
- (क) अनुच्छेद 23 के अनुसार एक संयुक्त परिचालन; और
- (ख) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार एक संयुक्त उद्यम, बशर्ते प्रतिष्ठान का संयुक्त उद्यम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है जिसके होने पर प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 27 के अनुच्छेद 10 का प्रयोग करेगा।

परिशिष्ट 'क'

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

संयुक्त व्यवस्था	एक व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक पक्षों (पार्टियों) का संयुक्त नियंत्रण होता है।
संयुक्त नियंत्रण	एक व्यवस्था के नियंत्रण की हिस्सेदारी हेतु अनुबंधात्मक सहमति, जो केवल तभी विद्यमान होती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय, नियंत्रण में हिस्सेदारी करते पक्षों की सर्वसम्मति की अपेक्षा करते हैं।
संयुक्त परिचालन	एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा उन पक्षों के पास जिनका व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण होता है व्यवस्था की आस्तियों पर अधिकार और दायित्वों के लिए बाध्यता होती है।
संयुक्त परिचालक	संयुक्त परिचालन का एक पक्ष जो उस संयुक्त परिचालन में संयुक्त नियंत्रण रखता है।
संयुक्त उद्यम	एक संयुक्त व्यवस्था है, जिसके द्वारा उन पक्षों के पास जिनका व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण है और व्यवस्था की निवल (शुद्ध) आस्तियों का अधिकार है।
संयुक्त उद्यमी	एक संयुक्त उद्यम का वह पक्ष जिसके पास उस संयुक्त उद्यम का संयुक्त नियंत्रण होता है।
संयुक्त व्यवस्था	एक प्रतिष्ठान जो संयुक्त व्यवस्था में भाग लेता है भले
का एक पक्ष (पार्टी)	उस प्रतिष्ठान का व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण है या नहीं।
पृथक तंत्र	एक पृथक पहचान योग्य वित्तीय संरचना जिसमें पृथक विधिक प्रतिष्ठान अथवा विधि द्वारा मान्य प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं भले ही उसका कोई विधिक स्वरूप है या नहीं।

निम्नलिखित शब्दावली भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 27, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 28, अथवा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 110, *समेकित वित्तीय विवरण*, में परिभाषित की गयी है और यह उन भारतीय लेखा मानकों में निर्दिष्ट अर्थों में इस भारतीय लेखा मानक में प्रयुक्त की गयी:

- एक निवेशिती का नियंत्रण

- 'इक्विटी' विधि
- प्राधिकार
- संरक्षित अधिकार
- प्रासंगिक गतिविधियाँ
- पृथक वित्तीय विवरण
- महत्वपूर्ण प्रभाव

परिशिष्ट ख

प्रयोग सम्बंधी मार्गनिर्देश

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है। यह अनुच्छेद 1-27 के प्रयोग के संबंध में वर्णन करता है और इसका वही प्राधिकार है जो इस भारतीय लेखा मानक के अन्य अंगों का है।

- ख 1 इस परिशिष्ट में दिये गये उदाहरण काल्पनिक स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। हालांकि, उदाहरणों के कुछ पहलू वास्तविक तथ्यात्मक पैटर्नों में विद्यमान हो सकते हैं, फिर भी, जब भी भारतीय लेखा मानक 111 का प्रयोग किया जाए तो किसी विशेष तथ्यात्मक पैटर्न से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों व परिस्थितियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

संयुक्त व्यवस्थाएँ

अनुबंधात्मक व्यवस्था (अनुच्छेद 5)

- ख 2 अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं का अनेक तरीकों से साक्ष्य दिया जा सकता है। एक प्रवर्तनीय अनुबंधात्मक व्यवस्था प्रायः लिखित में होती है, लेकिन हमेशा नहीं। यह सामान्यतया, पक्षों के बीच में एक अनुबंध के रूप में अथवा प्रलेखित विचार-विमर्श के रूप में हो सकती है। सांविधिक तंत्र या तो अपने आप या फिर पक्षों के बीच अनुबंधों के साथ, प्रवर्तनीय व्यवस्थाओं का सृजन कर सकता है।
- ख 3 जब संयुक्त व्यवस्थाओं की संरचना एक पृथक तंत्र द्वारा की जाती है (देखें अनुच्छेद ख 19 - ख 33) तो अनुबंधात्मक व्यवस्था, अथवा अनुबंधात्मक व्यवस्था के कुछ पहलू कुछ मामलों में पृथक तंत्र के अंतर्नियमों, घोषणाओं (चार्टर) अथवा उपनियमों में सम्मिलित किये जाते हैं।
- ख 4 अनुबंधात्मक व्यवस्था उन शर्तों को निर्धारित करती है जिस पर उसके पक्ष (पार्टियाँ) एक गतिविधि में सम्मिलित होते हैं जो कि व्यवस्था का विषय है। अनुबंधात्मक व्यवस्था सामान्यतया निम्नलिखित जैसे मामलों पर चर्चा करती है:
- (क) संयुक्त व्यवस्था का प्रयोजन, गतिविधि व अवधि।
 - (ख) संयुक्त व्यवस्था के निदेशक-मण्डल अथवा समकक्ष अधिशासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है।
 - (ग) निर्णयलेनेकीप्रक्रिया: पक्षों द्वारा अपेक्षित निर्णयों के मामले, पक्षों के मताधिकार तथा उन मामलों के समर्थन का अपेक्षित स्तर। अनुबंधात्मक व्यवस्था में प्रदर्शित निर्णय लेने की प्रक्रिया व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण को स्थापित करती है। (देखें अनुच्छेद ख 5-ख 11)।
 - (घ) पक्षों से अपेक्षित पूंजी अथवा अन्य अंशदान।
 - (ङ) संयुक्त व्यवस्था से संबंधित आस्तियों, दायित्वों, राजस्व अथवा लाभ या हानि को पक्ष (पार्टियाँ) परस्पर किस प्रकार बांटते हैं।

संयुक्त नियंत्रण (अनुच्छेद 7-13)

- ख 5 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रतिष्ठान का व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण है, प्रतिष्ठान को पहले उस बात का निर्धारण करना होगा कि क्या सभी पक्षों का, अथवा पक्षों के एक समूह का व्यवस्था पर नियंत्रण है। भारतीय लेखा मानक 110 नियंत्रण को परिभाषित करता है और यह निर्धारित करने के लिए इसे प्रयोग में लाया जायेगा कि क्या सभी पक्ष अथवा पक्षों का एक समूह व्यवस्था के साथ उनकी भागीदारी से परिवर्तनशील प्रतिफलों के प्रति अभिदर्शित है या उनके पास अधिकार हैं तथा व्यवस्था पर उनकी प्राधिकार के द्वारा उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की उनमें योग्यता है। जब सभी पक्ष अथवा पक्षों का समूह सामूहिक रूप से उन गतिविधियों को जो व्यवस्था के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, (अर्थात् प्रासंगिक गतिविधियाँ) निर्देशित करने के लिए सक्षम हैं तब सभी पक्ष व्यवस्था को सामूहिक रूप से नियंत्रित करते हैं।

- ख 6 इस निष्कर्ष के पश्चात् कि सभी पक्ष या पक्षों का समूह व्यवस्था पर सामूहिक रूप से नियंत्रण रखते/रखता हैं, प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या व्यवस्था पर उसका संयुक्त नियंत्रण है। संयुक्त नियंत्रण केवल तभी होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए उन पक्षों की सर्वसम्मति सहमति की अपेक्षा हो जो व्यवस्था पर सामूहिक रूप से नियंत्रण रखते हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या व्यवस्था पर सभी पक्षों या पक्षों के एक समूह का संयुक्त नियंत्रण है या फिर वह व्यवस्था इन पक्षों में से केवल एक पक्ष द्वारा नियंत्रित है, विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।
- ख 7 कभी-कभी अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं पक्षों द्वारा सहमत निर्णय लेने की प्रक्रिया में ही संयुक्त नियंत्रण अन्तर्निहित होता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि दो पक्ष यह व्यवस्था स्थापित करते हैं कि प्रत्येक के पास 50 प्रतिशत मताधिकार हैं तथा उनके बीच में यह अनुबंधात्मक व्यवस्था है कि प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए कम से कम 51 प्रतिशत का मताधिकार अपेक्षित है। इस मामले में, पक्ष अन्तर्निहित रूप से सहमत है कि उनका व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण है क्योंकि प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से ही हो सकता है।
- ख 8 अन्य परिस्थितियों में, अनुबंधात्मक व्यवस्था प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए मताधिकार के एक न्यूनतम अनुपात की अपेक्षा करती है। जब मताधिकार का न्यूनतम अपेक्षित अनुपात एक-साथ सहमति देने वाले एक-से अधिक पक्षों के संयोजन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो वह व्यवस्था तब संयुक्त व्यवस्था नहीं होगी जब तक कि अनुबंधात्मक व्यवस्था यह विनिर्दिष्ट न कर दे कि कौन से पक्षों में (अथवा पक्षों का संयोजन) व्यवस्था की प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णयों पर सर्वसम्मति हो।

प्रयोग संबंधी उदाहरण

उदाहरण 1

मान लें कि तीन पक्ष एक व्यवस्था स्थापित करते हैं। इस व्यवस्था में 'क' पक्ष के पास 50 प्रतिशत का, 'ख' पक्ष के पास 30 प्रतिशत तथा 'ग' पक्ष के पास 20 प्रतिशत का मताधिकार है। 'क', 'ख' तथा 'ग' तीनों पक्षों के बीच अनुबंधात्मक व्यवस्था यह निश्चित करती है कि कम-से-कम 75 प्रतिशत मताधिकारों द्वारा ही व्यवस्था की प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। यद्यपि, 'क' किसी भी निर्णय को रोक सकता है, लेकिन व्यवस्था पर उसका अकेले का नियंत्रण नहीं है क्योंकि इसे 'ख' की सहमति की आवश्यकता होगी। प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए कम-से-कम 75 प्रतिशत मताधिकारों की अनुबंधात्मक व्यवस्था की अपेक्षा की शर्त से यह अर्थ निकलता है कि 'क' तथा 'ख' का व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण है क्योंकि व्यवस्था की प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में 'क' तथा 'ख' दोनों पक्षों की सहमति के बिना निर्णय नहीं लिये जा सकते।

उदाहरण 2

मान लें कि व्यवस्था के तीन पक्ष हैं। पक्ष 'क' के व्यवस्था में 50 प्रतिशत मताधिकार हैं और पक्ष 'ख' तथा 'ग' के 25-25 प्रतिशत हैं। 'क', 'ख' तथा 'ग' पक्षों के बीच अनुबंधात्मक व्यवस्था में यह विनिर्दिष्ट है कि व्यवस्था की प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए कम-से-कम 75 प्रतिशत मताधिकारों की अपेक्षा है। यद्यपि पक्ष 'क' किसी भी निर्णय पर रोक लगा सकता है लेकिन इसका व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है क्योंकि इसे या तो पक्ष 'ख' की या पक्ष 'ग' की सहमति की आवश्यकता है। इस उदाहरण में, 'क', 'ख' तथा 'ग' पक्ष व्यवस्था पर सामूहिक रूप से नियंत्रण रखते हैं। तथापि यहां पर, तीनों पक्षों के एक से अधिक संयोजन (अर्थात् या तो पक्ष 'क' व 'ख' या पक्ष 'क' व 'ग' के संयोजन से) की सहमति से ही मताधिकारों के 75 प्रतिशत तक पहुँचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में, एक संयुक्त व्यवस्था होने के लिए पक्षों के बीच में अनुबंधात्मक व्यवस्था द्वारा यह विनिर्दिष्ट किये जाने की आवश्यकता होगी कि पक्षों के कौन से संयोजन की व्यवस्था की प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मति की आवश्यकता है।

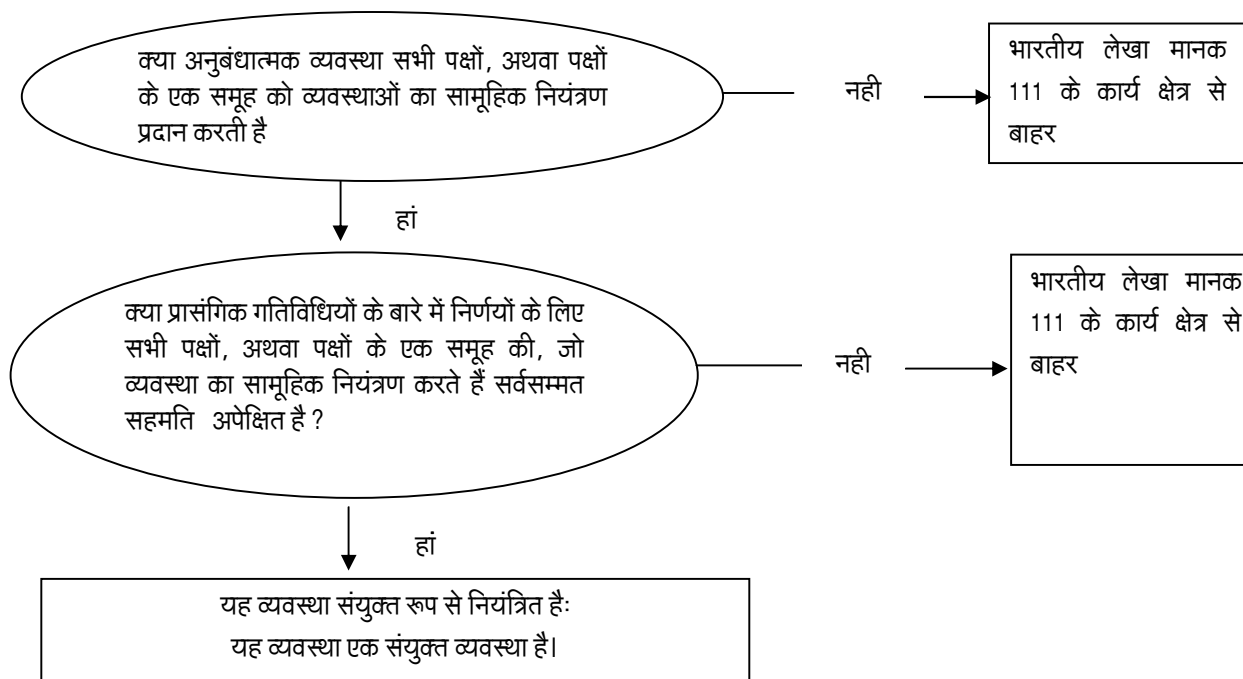
उदाहरण 3

मान लें कि व्यवस्था के अन्तर्गत पक्ष 'क' तथा 'ख' प्रत्येक के पास 35 प्रतिशत के मताधिकार हैं तथा शेष 30 प्रतिशत बहुत पक्षों में बंटा हुआ है। प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए मताधिकारों के बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता है। पक्ष 'क' तथा 'ख' का व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण तभी होगा जब अनुबंधात्मक व्यवस्था यह विनिर्दिष्ट करे कि होगा कि व्यवस्था की प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए पर 'क' तथा 'ख' दोनों की सहमति की आवश्यकता है।

- ख 9 सर्वसम्मति सहमति की अपेक्षा का यह अभिप्राय है कि व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाला कोई भी पक्ष, अन्य पक्षों अथवा पक्षों के समूह को उसकी सहमति के बिना (प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में) एक-पक्षीय निर्णय लेने से रोक सकता है। यदि सर्वसम्मति सहमति की अपेक्षा केवल उन निर्णयों से संबंधित है जो एक पक्ष को संरक्षित अधिकार प्रदान करते हैं, न कि एक व्यवस्था के प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णयों के मामले में, तब वह पक्ष व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण का एक पक्ष नहीं होता है।

- ख 10 एक अनुबंधात्मक व्यवस्था में, विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता जैसे खंड सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये प्रावधान संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों के बीच सर्वसम्मति सहमति के अभाव में भी निर्णय लिए जाने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। ऐसे प्रावधानों के विद्यमानता व्यवस्था को संयुक्त रूप से नियंत्रित किये जाने तथा, परिणामस्वरूप, एक संयुक्त व्यवस्था होने से नहीं रोकती है।

संयुक्त नियंत्रण का निर्धारण



- ख 11 जब एक व्यवस्था भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 111 के कार्यक्षेत्र से बाहर है तो एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 110, भारतीय लेखा मानक 28 या भारतीय लेखा मानक 109 जैसे प्रासंगिक भारतीय लेखा मानकों के अनुसार व्यवस्था में अपने हित का लेखा करेगा।

संयुक्त व्यवस्था के प्रकार (अनुच्छेद 14-19)

- ख 12 संयुक्त व्यवस्थाएं अनेक प्रकार के प्रयोजनों के लिए स्थापित की जाती हैं (उदाहरणार्थ, पक्षों में लागतों तथा जोखिमों को बांटने के लिए, अथवा पक्षों को नई प्रौद्योगिकी या नये बाजारों तक पहुंच दिलाने के लिए और इन्हें भिन्न भिन्न संरचनाओं तथा विधिक स्वरूपों का प्रयोग करते हुए स्थापित किया जा सकता है।
- ख 13 कुछ व्यवस्थाएं उस गतिविधि की अपेक्षा नहीं करती जोकि एक पृथक तंत्र में की जाने वाली व्यवस्था का विषय है। तथापि, अन्य व्यवस्थाओं में एक पृथक तंत्र की स्थापना सम्मिलित होती है।
- ख 14 इस भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित संयुक्त व्यवस्थाओं का वर्गीकरण सामान्य व्यवसाय के दौरान व्यवस्था से उत्पन्न पक्षों के अधिकारों तथा बाध्यताओं पर आधारित होता है। यह भारतीय लेखा मानक संयुक्त व्यवस्थाओं को संयुक्त परिचालनों या संयुक्त उद्यमों के रूप में वर्गीकृत करता है। जब प्रतिष्ठान के पास व्यवस्था से संबंधित आस्तियों के अधिकार और दायित्वों की बाध्यता है तो वह व्यवस्था एक संयुक्त परिचालन है। जब प्रतिष्ठान के पास व्यवस्था की शुद्ध आस्तियों के अधिकार हैं तो वह व्यवस्था एक संयुक्त उद्यम है। अनुच्छेद ख 16-ख 33 वह मूल्यांकन विनिर्दिष्ट करते हैं जिससे कि एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित कर सके कि उसका हित संयुक्त परिचालन में है अथवा संयुक्त उद्यम में है।

संयुक्त व्यवस्था का वर्गीकरण

- ख 15 जैसाकि अनुच्छेद ख 14 में उल्लिखित है, संयुक्त व्यवस्थाओं का वर्गीकरण पक्षों से यह अपेक्षा करता है कि वे व्यवस्था से उत्पन्न उनके अधिकारों तथा बाध्यताओं का मूल्यांकन करें। वह मूल्यांकन करते समय, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित पर विचार करेगा:
- (क) संयुक्त व्यवस्था की संरचना (देखें अनुच्छेद ख 16-ख 21)।

(ख) जब संयुक्त व्यवस्था एक पृथक तंत्र के द्वारा संरचित की जाती है:

- (i) पृथक तंत्र का विधिक स्वरूप (देखें अनुच्छेद ख 22-ख 24)
- (ii) अनुबंधात्मक व्यवस्था की शर्तें (देखें अनुच्छेद ख 25-ख 28), और
- (iii) जब प्रासंगिक हो, अन्य तथ्य और परिस्थितियां (देखें अनुच्छेद ख 29-ख 33)।

संयुक्त व्यवस्था की संरचना

संयुक्त व्यवस्थाएं जो पृथक तंत्र द्वारा संरचित नहीं हैं

ख 16 एक संयुक्त व्यवस्था, जो एक पृथक तंत्र द्वारा संरचित नहीं हैं, एक संयुक्त परिचालन है। ऐसे मामलों में अनुबंधात्मक व्यवस्था, पक्षों के व्यवस्था से संबंधित आस्तियों के लिए अधिकारों व दायित्वों की बाध्यताओं और पक्षों के तत्संबंधी राजस्व के अधिकारों तथा तत्संबंधी व्ययों के लिए बाध्यताओं को स्थापित करती है।

ख 17 अनुबंधात्मक व्यवस्था प्रायः उन गतिविधियों की प्रकृति का वर्णन करती है जोकि व्यवस्था का विषय है। वह यह भी वर्णन करता है कि पक्ष कैसे उन गतिविधियों पर एक-साथ कार्य करने का इरादा रखते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त व्यवस्था के पक्ष एक-साथ एक उत्पाद के विनिर्माण के लिए सहमति दे सकते हैं, जिसमें प्रत्येक पक्ष एक विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होगा और जिसमें प्रत्येक अपनी आस्तियों का प्रयोग करेगा और अपने दायित्वों के लिए खर्च करेगा। अनुबंधात्मक व्यवस्था यह भी विनिर्दिष्ट कर सकती है कि पक्षों के लिए सामान्य राजस्व व व्यय का विभाजन कैसे किया जाना है। ऐसे मामले में, प्रत्येक संयुक्त परिचालक अपने वित्तीय विवरणों में विशिष्ट कार्य के लिए प्रयुक्त आस्तियों तथा दायित्वों को मान्यता देता है तथा अनुबंधात्मक व्यवस्था के अनुसार राजस्व व व्ययों में अपने हिस्से को मान्यता देता है।

ख 18 अन्य मामलों में, एक संयुक्त व्यवस्था के पक्ष, उदाहरण के लिए, एक आस्ति को बांटने तथा एक साथ परिचालित करने के लिए सहमति दे सकते हैं। ऐसे मामले में अनुबंधात्मक व्यवस्था, संयुक्त रूप से परिचालित आस्ति में पक्षों के अधिकारों तथा आस्ति के उत्पादन अथवा आय व परिचालन लागतों का पक्षों के बीच विभाजन स्थापित करती है। प्रत्येक संयुक्त परिचालक संयुक्त आस्ति के अपने भाग तथा किन्हीं दायित्वों के सहमत भाग का लेखा करता है तथा अनुबंधात्मक व्यवस्था के अनुसार उत्पादन, राजस्व तथा व्यय के अपने भाग को भी मान्यता देता है।

एक पृथक तंत्र द्वारा संरचित संयुक्त व्यवस्थाएं

ख 19 संयुक्त व्यवस्था, जिसमें व्यवस्था से संबंधित आस्तियां तथा दायित्व एक पृथक तंत्र में धारित हैं, वह या तो एक संयुक्त उद्यम हो सकता है या फिर एक संयुक्त परिचालन।

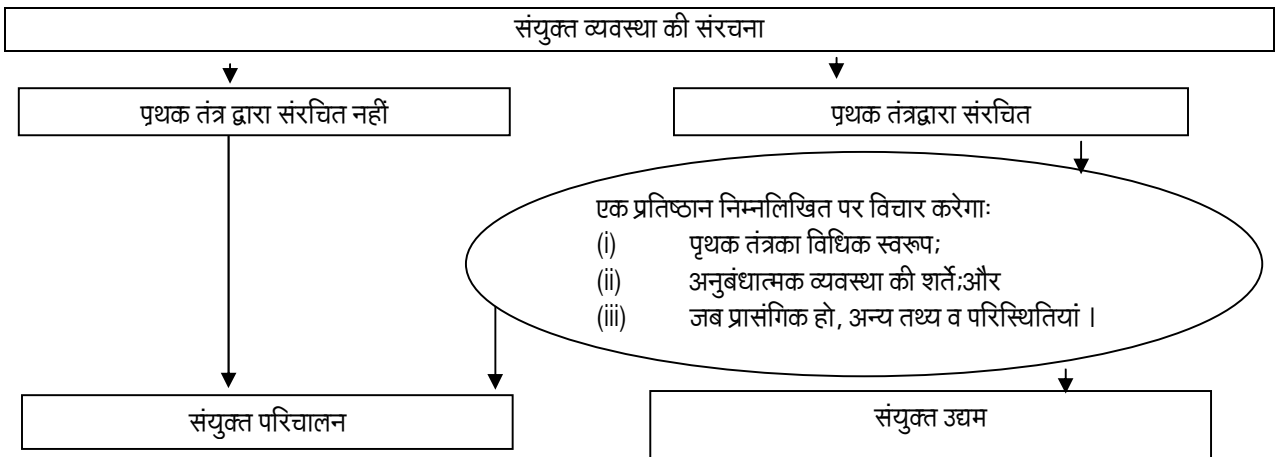
ख 20 एक पक्ष क्या एक संयुक्त परिचालक है अथवा एक संयुक्त उद्यमी, वह पक्ष के पृथक तंत्र में धारित व्यवस्था से संबंधित आस्तियों के प्रति अधिकारों तथा दायित्वों की बाध्यताओं पर निर्भर करता है।

ख 21 जैसाकि अनुच्छेद ख 15 में उल्लेख किया गया है, जब पक्षों ने एक पृथक तंत्र में संयुक्त व्यवस्था संरचित की है तो पक्षों को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि पृथक तंत्र का विधिक स्वरूप, अनुबंधात्मक व्यवस्था की शर्तें तथा, जब प्रासंगिक हो, अन्य तथ्य तथा परिस्थितियां उन्हें निम्नलिखित में से क्या प्रदान करती हैं:

(क) व्यवस्था से संबंधित आस्तियों पर अधिकार तथा दायित्वों के लिए बाध्यताएं (अर्थात् व्यवस्था एक संयुक्त परिचालन है); अथवा

(ख) व्यवस्था की शुद्ध आस्तियों पर अधिकार (अर्थात् व्यवस्था एक संयुक्त उद्यम है)।

संयुक्त व्यवस्था का वर्गीकरण: व्यवस्था से उत्पन्न पक्षों के अधिकारों तथा बाध्यताओं का निर्धारण



पृथक तंत्र का कानूनी स्वरूप

- ख 22 संयुक्त व्यवस्था के प्रकार का निर्धारण करते समय पृथक तंत्र का विधिक स्वरूप प्रासंगिक है। विधिक स्वरूप, पृथक तंत्र में धारित आस्तियों पर पक्षों के अधिकारों तथा दायित्वों के लिए पक्षों की बाध्यताओं के प्रारम्भिक मूल्यांकन में सहायक है, जैसे कि क्या पृथक तंत्र में धारित आस्तियों में पक्षों का हित है तथा क्या वे पृथक तंत्र में धारित दायित्वों के लिए उत्तरदायी हैं।
- ख 23 उदाहरण के लिए, पक्ष उस एक पृथक तंत्र द्वारा संयुक्त व्यवस्था को संचालित कर सकता है जिसके विधिक स्वरूप के परिणामस्वरूप पृथक तंत्र को उसके अपने अधिकार में समझा जाता है। अर्थात्, पृथक तंत्र में धारित आस्तियां तथा दायित्व पृथक तंत्र की आस्तियां तथा दायित्व हैं न कि पक्षों की आस्तियां तथा दायित्व। ऐसे मामले में पृथक तंत्र के विधिक स्वरूप द्वारा पक्षों को प्रदत्त अधिकारों तथा बाध्यताओं का मूल्यांकन यह स्पष्ट करता है कि व्यवस्था एक संयुक्त उद्यम है। तथापि, अपनी अनुबंधात्मक व्यवस्था में पक्षों द्वारा सहमत शर्तें (देखें अनुच्छेद ख 25-ख 28) तथा, जब प्रासंगिक हो, अन्य तथ्य तथा परिस्थितियां (देखें अनुच्छेद ख 29-ख 33) पृथक तंत्र के विधिक स्वरूप द्वारा पक्षों को प्रदत्त अधिकारों तथा बाध्यताओं के मूल्यांकन को निरस्त कर सकते हैं।
- ख 24 पृथक तंत्र के विधिक स्वरूप द्वारा पक्षों को प्रदत्त अधिकारों तथा बाध्यताओं का मूल्यांकन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि व्यवस्था केवल एक संयुक्त परिचालन है बशर्ते पक्ष उस एक पृथक तंत्र में संयुक्त व्यवस्था को संचालित करते हैं जिसका विधिक स्वरूप पक्षों तथा पृथक तंत्र के बीच विच्छेद नहीं करता (अर्थात्, पृथक तंत्र में धारित आस्तियां तथा दायित्व पक्षों की आस्तियां तथा दायित्व हैं)
- अनुबंधात्मक व्यवस्था की शर्तों का मूल्यांकन**
- ख 25 बहुत-से मामलों में, अपनी अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं में पक्षों द्वारा सहमत अधिकार तथा बाध्यताएं उस पृथक तंत्र के कानूनी स्वरूप, जिसमें कि व्यवस्था संरचित है, द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा बाध्यताओं के संगत में होते हैं या उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है।
- ख 26 अन्य मामलों में, पक्ष उस पृथक तंत्र के विधिक स्वरूप द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा बाध्यताओं को रद्द करने अथवा संशोधित करने के लिए अनुबंधात्मक व्यवस्था का प्रयोग करते हैं।

प्रयोग उदाहरण	
उदाहरण 4	
मान लें कि दो पक्ष एक निगमित प्रतिष्ठान में एक संयुक्त व्यवस्था की संरचना करते हैं। प्रत्येक पक्ष का उस निगमित प्रतिष्ठान में 50 प्रतिशत का स्वामित्व हित है। इस निगमन से प्रतिष्ठान अपने मालिकों से पृथक (अलग) हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान में धारित आस्तियां तथा दायित्व निगमित प्रतिष्ठान की आस्तियां तथा दायित्व हैं। ऐसे मामलों में, पृथक तंत्र के विधिक स्वरूप द्वारा पक्षों को प्रदत्त अधिकारों तथा बाध्यताओं का मूल्यांकन यह संकेत देता है कि पक्षों का व्यवस्था की शुद्ध आस्तियों पर अधिकार है।	
तथापि, पक्ष अपनी अनुबंधात्मक व्यवस्था के द्वारा निगम की विशेषताओं में संशोधन कर देते हैं ताकि प्रत्येक पक्ष का निगमित प्रतिष्ठान की आस्तियों में विशिष्ट अनुपात में हित हो तथा प्रत्येक विशिष्ट अनुपात में निगमित प्रतिष्ठान के दायित्वों के लिए उत्तरदायी हो। निगम की विशेषताओं में ऐसे अनुबंधात्मक संशोधन से व्यवस्था एक संयुक्त परिचालन बन सकती है।	

- ख 27 निम्नलिखित तालिका एक संयुक्त परिचालन के पक्षों की अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं में सामान्य शर्तों तथा एक संयुक्त उद्यम के पक्षों की अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं में सामान्य शर्तों की तुलना करती है। इस तालिका में दी गयी शर्तों के उदाहरण कुछ ही हैं यानि सम्पूर्ण नहीं हैं।

अनुबंधात्मक व्यवस्था की शर्तों का मूल्यांकन		
	संयुक्त परिचालन	संयुक्त उद्यम
अनुबंधात्मक व्यवस्था की शर्तें	अनुबंधात्मक व्यवस्था संयुक्त व्यवस्था के पक्षों को व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए बाध्यताएं तथा आस्तियों के अधिकारों	अनुबंधात्मक व्यवस्था संयुक्त व्यवस्था के पक्षों को व्यवस्था की शुद्ध आस्तियों के अधिकार प्रदान करती है (अर्थात् एक पृथक तंत्र, न कि

	प्रदान करती है।	संयुक्त व्यवस्था के पक्ष व्यवस्था से संबंधित आस्तियों के अधिकार तथा दायित्वों की बाध्यताएं रखते हैं)।
आस्तियों पर अधिकार	अनुबंधात्मक व्यवस्था यह स्थापित करती है कि संयुक्त परिचालन के सभी पक्ष एक विशिष्ट अनुपात में व्यवस्था से सम्बन्धित आस्तियों में सभी हितों (अर्थात् अधिकार, हक अथवा स्वामित्व) में हिस्सेदारी करते हैं। (उदाहरणार्थ व्यवस्था में पक्षों के स्वामित्व हित के अनुपात में अथवा व्यवस्था के द्वारा कार्यान्वित उन गतिविधियों के अनुपात में जो उनसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं)	अनुबंधात्मक व्यवस्था यह स्थापित करती है कि व्यवस्था में लायी गयी आस्तियां या संयुक्त व्यवस्था द्वारा बाद में अर्जित की गयी आस्तियां, व्यवस्था की आस्तियां हैं। पक्षों का व्यवस्था की आस्तियों में कोई हित नहीं है (अर्थात् उनका इन पर कोई अधिकार, हक अथवा स्वामित्व नहीं है)।
दायित्वों के लिए बाध्यताएं	अनुबंधात्मक व्यवस्था यह स्थापित करती है कि संयुक्त व्यवस्था के सभी पक्ष एक विशिष्ट अनुपात (उदाहरणार्थ व्यवस्था में पक्षों के स्वामित्व हित के अनुपात में अथवा व्यवस्था के द्वारा कार्यान्वित उन गतिविधियों के अनुपात में जो उनसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं) में सभी दायित्वों, लागतों तथा व्यय में हिस्सेदारी करते हैं। अनुबंधात्मक व्यवस्था यह स्थापित करती है कि संयुक्त व्यवस्था के पक्ष अन्य (तीसरे) पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों के लिए उत्तरदायी है।	अनुबंधात्मक व्यवस्था यह स्थापित करती है कि संयुक्त व्यवस्था, व्यवस्था के ऋणों तथा बाध्यताओं के लिए उत्तरदायी है। अनुबंधात्मक व्यवस्था यह स्थापित करती है कि संयुक्त व्यवस्था के पक्ष केवल व्यवस्था में अपने संबंधित निवेशों अथवा व्यवस्था में अप्रदत्त अथवा अंशदायी अतिरिक्त पूंजी के लिए संबंधित बाध्यताओं की सीमा तक अथवा दोनों के लिए उत्तरदायी हैं। अनुबंधात्मक व्यवस्था यह उल्लेख करती है कि संयुक्त व्यवस्था के लेनदारों को व्यवस्था के ऋणों अथवा बाध्यताओं के संबंध में किसी पक्ष के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई का अधिकार नहीं है।
राजस्व, व्यय, लाभ या हानि	अनुबंधात्मक व्यवस्था संयुक्त व्यवस्था के प्रत्येक पक्ष के संबंधित कार्यनिष्पादन के आधार पर राजस्व तथा व्यय का आबंटन स्थापित करती है। उदाहरण के लिए, अनुबंधात्मक व्यवस्था यह स्थापित कर सकती है कि राजस्व तथा व्यय का आबंटन संयुक्त रूप से परिचालित एक संयंत्र में प्रत्येक पक्ष द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली क्षमता के आधार पर होगा जो कि संयुक्त व्यवस्था में उनके स्वामित्व हित से भिन्न हो सकता है। अन्य उदाहरणों में पक्ष व्यवस्था में अपने स्वामित्व हित जैसे विशिष्ट अनुपात के आधार पर व्यवस्था से संबंधित लाभ अथवा हानि में हिस्सेदारी के लिए सहमत हो सकते हैं। इससे व्यवस्था को एक संयुक्त परिचालन होने में कोई रुकावट नहीं आयेगी यदि पक्षों के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए बाध्यताएं तथा आस्तियों पर अधिकार हो।	अनुबंधात्मक व्यवस्था, व्यवस्था की गतिविधियों से संबंधित लाभ अथवा हानि में प्रत्येक पक्ष का हिस्सा स्थापित करती है।
गारंटियां	संयुक्त व्यवस्था के पक्षों द्वारा प्रायः उन तृतीय पक्षों को गारंटियां देना अपेक्षित होता है जो कि संयुक्त व्यवस्था से सेवा प्राप्त करेंगी या उसका वित्तपोषण करेंगी। इस प्रकार की गारंटियों के	

	प्रावधान या पक्षों द्वारा इन्हें देने की वचनबद्धता अपने आप में यह निर्धारित नहीं करती कि संयुक्त व्यवस्था एक संयुक्त एक परिचालन है। विशिष्टता जो यह निर्धारित करती है कि क्या संयुक्त व्यवस्था एक संयुक्त परिचालन है या संयुक्त उद्यम है इस बात पर निर्भर है कि क्या पक्षों के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के प्रति बाध्यताएं हैं (जिसमें से कुछ के लिए पक्षों ने गारंटी दी हो या न दी हो)
ख 28	जब अनुबंधात्मक व्यवस्था यह विनिर्दिष्ट करती है कि पक्ष व्यवस्था से संबंधित आस्तियों पर अधिकार और दायित्वों की बाध्यताएं रखते हैं तब वे संयुक्त परिचालन के पक्ष होते हैं और ऐसे में उन्हें संयुक्त व्यवस्था के वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए अन्य तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती (अनुच्छेद ख 29-ख 33)।
	अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों का मूल्यांकन
ख 29	जब अनुबंधात्मक व्यवस्था की शर्तें यह विनिर्दिष्ट नहीं करती कि पक्षों के पास व्यवस्था से संबंधित आस्तियों पर अधिकार तथा दायित्वों के लिए बाध्यताएं हैं, तो पक्ष, इस बात का निर्धारण करने के लिए कि व्यवस्था एक संयुक्त परिचालन है अथवा एक संयुक्त उद्यम, अन्य तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करेगा।
ख 30	एक संयुक्त व्यवस्था उस एक पृथक तंत्र में संरचित हो सकती है जिसका विधिक स्वरूप पक्षों तथा पृथक तंत्र के बीच विच्छेद करता है। पक्षों के बीच सहमत अनुबंधात्मक शर्तें इस बात को विनिर्दिष्ट नहीं भी कर सकती हैं कि पक्षों के पास आस्तियों पर अधिकार हैं और दायित्वों के लिए बाध्यताएं हैं, तो भी अन्य तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार ऐसी व्यवस्था को संयुक्त परिचालन के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। तब, यह ऐसा मामला होगा जब अन्य तथ्य व परिस्थितियां व्यवस्था से संबंधित आस्तियों पर अधिकार व दायित्वों पर बाध्यताएं पक्षों को प्रदान करें।
ख 31	जब व्यवस्था की गतिविधियां प्रमुख रूप से पक्षों के उत्पादन को प्रदान करने के लिए तैयार की जाती हैं, इससे यह संकेत मिलता है कि व्यवस्था की आस्तियों के अधिकांशतया सभी आर्थिक लाभों पर पक्षों का अधिकार है। ऐसी व्यवस्थाओं के पक्ष प्रायः व्यवस्था द्वारा तृतीय पक्षों को उत्पादनों की बिक्री से रोककर व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए उत्पादनों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करते हैं।
ख 32	ऐसे प्रयोजन तथा डिज़ाइन के साथ एक व्यवस्था का प्रभाव यह है कि व्यवस्था द्वारा ग्रहण किये गए दायित्व वास्तव में, उत्पादन के क्रय के द्वारा इन पक्षों से प्राप्त नकदी प्रवाहों द्वारा अदा किये जाते हैं। जब पक्ष वास्तव में नकदी प्रवाहों का एकमात्र स्रोत हो जो व्यवस्था के परिचालनों को बनाए रखने में सहयोग देता है तब यह संकेत मिलता है कि पक्षों के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए बाध्यताएं हैं।

प्रयोग सम्बंधी उदाहरण

उदाहरण 5

मान लें कि दो पक्ष एक निगमित प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठान 'ग') के रूप में एक संयुक्त व्यवस्था को संरचित करते हैं जिसमें प्रत्येक पक्ष का 50 प्रतिशत स्वामित्व हित है। व्यवस्था का प्रयोजन उन पक्षों की अपनी व्यक्तिगत विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करना है। व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि पक्ष इस सुविधा का परिचालन इस प्रकार से करें जो पक्षों के मात्रात्मक व गुणात्मक विनिर्देशनों के अनुसार माल उत्पादित हो। प्रतिष्ठान 'ग' (एक निगमित प्रतिष्ठान) का विधिक स्वरूप, जिसके द्वारा गतिविधियों संचालित की जाती हैं, प्रारंभ में यह संकेत देता है कि प्रतिष्ठान 'ग' में धारित आस्तियां तथा दायित्व प्रतिष्ठान 'ग' की आस्तियां तथा दायित्व हैं। पक्षों के बीच अनुबंधात्मक व्यवस्था उस बात को विनिर्दिष्ट नहीं करती कि पक्ष प्रतिष्ठान 'ग' की आस्तियों पर अधिकार अथवा दायित्वों पर बाध्यताएं रखते हैं। तदनुसार, प्रतिष्ठान 'ग' का विधिक स्वरूप तथा अनुबंधात्मक व्यवस्था की शर्तें यह संकेत देती हैं कि व्यवस्था एक संयुक्त उद्यम है तथापि, पक्ष व्यवस्था के निम्नलिखित पहलुओं पर भी विचार करते हैं :

- सभी पक्ष प्रतिष्ठान 'ग' द्वारा उत्पादित उत्पादन को 50:50 के अनुपात में खरीदने के लिए सहमत हैं। प्रतिष्ठान 'ग' तब तक तृतीय पक्षों को उत्पादन की बिक्री नहीं कर सकता, जब तक व्यवस्था के दोनों पक्षों द्वारा ऐसा करना अनुमोदित न हो। क्योंकि, व्यवस्था का प्रयोजन व्यवस्था के पक्षों को उनके द्वारा अपेक्षित उत्पादन को प्रदान करना है, अतः तृतीय पक्षों को ऐसी बिक्रियों का होना असामान्य रूप से प्रत्याशित है और सारवान नहीं है।
- पक्षों को बेचे गये उत्पादन की कीमत दोनों पक्षों द्वारा इस स्तर पर निश्चित की जाती है कि प्रतिष्ठान 'ग' द्वारा खर्च किये गये उत्पादन की लागतें तथा प्रशासनिक खर्च पूरे हो सकें। इस परिचालन मॉडल के आधार पर, व्यवस्था का लाभ-अलाभ स्तर पर परिचालित होना अभीष्ट है।

उपर्युक्त तथ्य पैटर्न से, निम्नलिखित तथ्य और परिस्थितियां प्रासंगिक हैं:

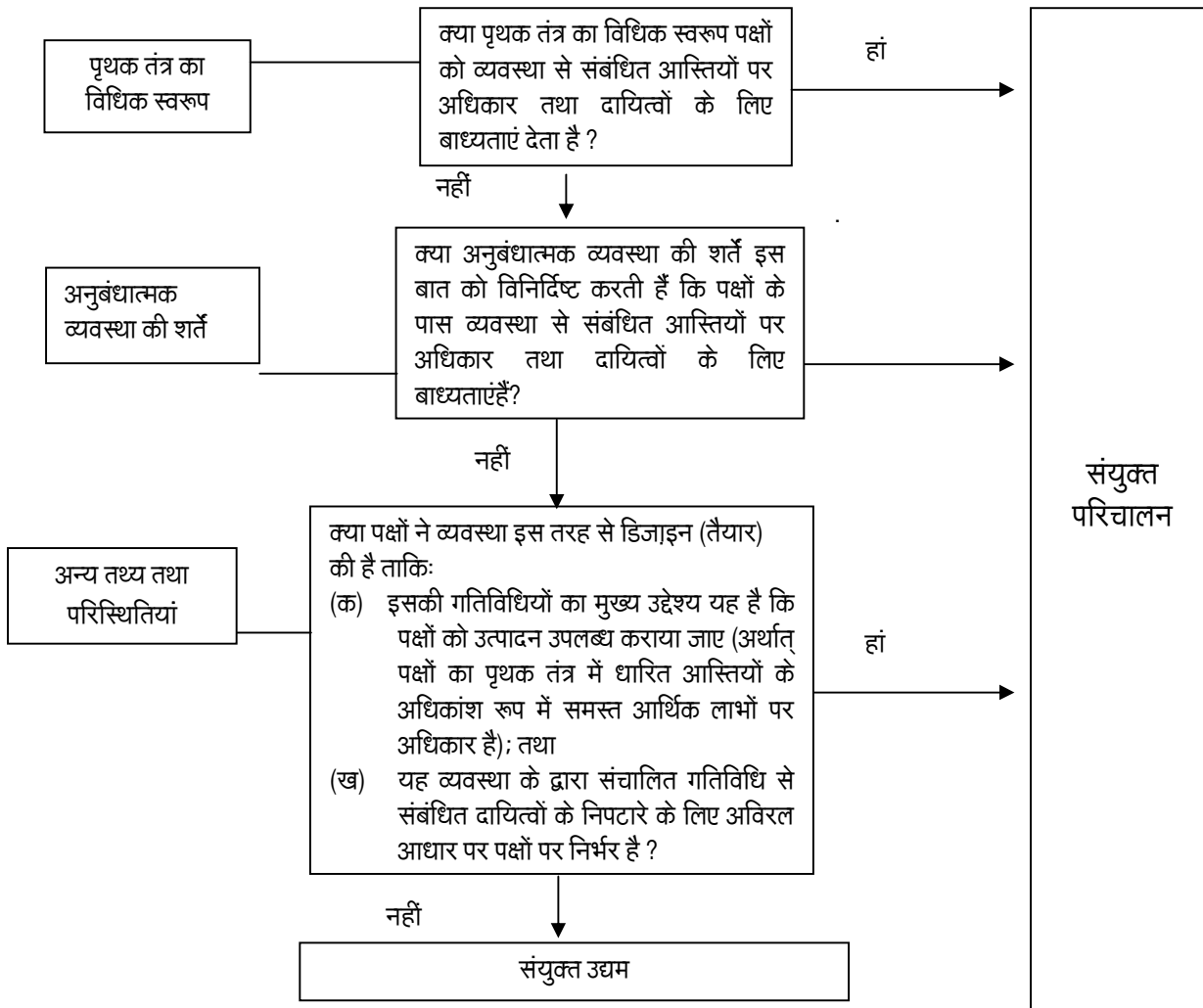
- प्रतिष्ठान 'ग' द्वारा उत्पादित समस्त उत्पादन की खरीद हेतु पक्षों की बाध्यता, नकदी प्रवाहों की सृजनता के लिए पक्षों पर प्रतिष्ठान 'ग' की पूर्ण निर्भरता को प्रदर्शित करता है। अतः पक्षों की यह बाध्यता है कि वे प्रतिष्ठान 'ग' के दायित्वों के निपटारे के लिए निधिकरण करें।
- इस तथ्य का अभिप्राय कि पक्षों का प्रतिष्ठान 'ग' द्वारा उत्पादित समस्त उत्पादन पर अधिकार है, यह है कि पक्ष प्रतिष्ठान 'ग' की आस्तियों के सभी आर्थिक लाभों का उपभोग कर रहे हैं और इसलिए उनका इन पर अधिकार है।

ये तथ्य और परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि व्यवस्था एक संयुक्त परिचालन है। इन परिस्थितियों में संयुक्त व्यवस्था के वर्गीकरण के बारे में निष्कर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि पक्ष अपनी उत्तरवर्ती विनिर्माण प्रक्रिया में अपने उत्पादन के हिस्से का प्रयोग करने की बजाय, तृतीय पक्षों को उत्पादन के अपने हिस्से की बिक्री करते हैं।

यदि पक्ष अनुबंधात्मक व्यवस्था की शर्तों में परिवर्तन करते हैं ताकि व्यवस्था उत्पादन को तृतीय पक्षों को भी बेच सकें जिसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान 'ग', मांग, सूचीबद्ध माल (इन्वेंट्री) तथा साख (ऋण) के जोखिमों को धारण करेगा। उस परिदृश्य में, तथ्यों तथा परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन से संयुक्त व्यवस्था के वर्गीकरण के पुननिर्धारण की अपेक्षा होगी। ऐसे तथ्य तथा परिस्थितियां इस बात का संकेत देती हैं कि व्यवस्था एक संयुक्त उद्यम है।

ख 33 निम्नलिखित प्रवाह चार्ट उस निर्धारण को प्रदर्शित करता है जो कि एक प्रतिष्ठान, एक व्यवस्था का वर्गीकरण करने के लिए अपनाता है जब संयुक्त व्यवस्था की संरचना एक पृथक तंत्र द्वारा की जाती है:

एक पृथक तंत्र द्वारा संरचित संयुक्त व्यवस्था का वर्गीकरण



संयुक्त व्यवस्था के पक्षों के वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 21 क-22)**संयुक्त परिचालनों में हितों के अधिग्रहण का लेखा**

ख 33 क जब एक प्रतिष्ठान एक ऐसे संयुक्त परिचालन में हित का अधिग्रहण करता है, जिसमें संयुक्त परिचालन की गतिविधि भारतीय लेखा मानक 103 में दी गयी परिभाषा के अनुसार एक व्यवसाय होता है, तो वह प्रतिष्ठान अनुच्छेद 20 के अनुसार अपने भाग (हिस्से) की सीमा तक भारतीय लेखा मानक 103 में व्यवसायिक संयोजनों के लेखों के सभी सिद्धान्तों और अन्य लेखा मानकों का, जो इस लेखा मानक के मार्ग-निर्देशों का विरोध नहीं करते, प्रयोग करेगा और व्यवसायिक संयोजनों के संबंध में उन भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित सूचना को प्रकट करेगा। व्यवसायिक संयोजनों के लेखा सिद्धान्त, जो इस भारतीय लेखा मानक के मार्ग-निर्देशों के विपरीत (या विरुद्ध) नहीं हैं, निम्नलिखित हैं लेकिन वे इतने तक सीमित नहीं हैं:

- (क) भारतीय लेखा मानक 103 और अन्य भारतीय लेखा मानकों में दी गयी अपवादस्वरूप मदों को छोड़कर पहचान योग्य आस्तियों और दायित्वों को उचित मूल्य पर मापना;
- (ख) इस अपवाद के साथ कि ऋण या इक्विटी प्रतिभूतियां जारी करने की लागतें भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतिकरण*, और भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसरण में मान्य की जाती हैं, अधिग्रहण-सम्बंधी लागतों को उन अवधियों में मान्यता देना जिनमें की लागतें खर्च की जाती हैं और सेवाएं प्राप्त की जाती हैं;
- (ग) भारतीय लेखा मानक 103 और भारतीय लेखा मानक 12, *आयकर*, द्वारा अपेक्षित व्यवसायिक संयोजनों के लिए ख्याति (गुडविल) की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न आस्थगित कर दायित्वों को छोड़कर आस्तियों या दायित्वों की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों को मान्यता देना;
- (घ) पहचान योग्य अधिगृहीत आस्तियों व ग्रहण किये गये दायित्वों के अधिग्रहण-तिथि मूल्य के शुद्ध अंतर पर अन्तरित प्रतिफल के अधिक्य को गुडविल के रूप में मान्यता देना; और
- (ङ) उस एक नकदी सृजक इकाई की क्षतिग्रस्ता की जांच करना जिसके प्रति ख्याति (गुडविल) का आबंटन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य हो और जब यह संकेत मिले कि ईकाई क्षतिग्रस्त हो सकती है जैसे कि भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता*, में व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत ख्याति (गुडविल) के लिए अपेक्षित है।

ख 33 ख अनुच्छेद 21 क और ख 33 क एक संयुक्त परिचालन के गठन के लिए भी प्रयोग में लाये जाते हैं, बशर्ते और बशर्ते, भारतीय लेखा मानक 103 में यथा-परिभाषित वर्तमान व्यवसाय का संयुक्त परिचालन में भाग लेने वाले पक्षों (पार्टियों) में से किसी एक पक्ष द्वारा संयुक्त परिचालन के प्रति अंशदान किया जाता है। तथापि, वे अनुच्छेद संयुक्त परिचालन के गठन पर लागू नहीं होते हैं यदि वे सभी पक्ष जो संयुक्त परिचालन में भाग लेते हैं, उन आस्तियों या आस्तियों के समूहों का संयुक्त परिचालन के प्रति अंशदान करते हैं जो व्यवसायों का गठन नहीं करते हैं।

ख 33 ग एक संयुक्त परिचालक अतिरिक्त हित का अधिग्रहण करके उस संयुक्त परिचालन में अपने हित को बढ़ा सकता है जिसमें संयुक्त परिचालन की गतिविधि एक व्यवसाय का गठन करती है जैसा कि भारतीय लेखा मानक 103 में परिभाषित है। यदि संयुक्त परिचालक संयुक्त नियंत्रण प्रतिधारित करता है तो ऐसे मामलों में पहले से धारित हितों को पुनः मापा नहीं जाएगा।

ख 33 घ अनुच्छेद 21 क और ख 33 क - ख 33 ग संयुक्त परिचालन में हित के अधिग्रहण पर तब लागू नहीं होता जब संयुक्त नियंत्रण के भागीदार पक्ष, जिनमें संयुक्त परिचालन में हित का अधिग्रहण करने वाला पक्ष भी शामिल हैं, अधिग्रहण से पहले और बाद एक मात्र समान नियंत्रक पक्ष या पक्षों के सामान्य नियंत्रण में होते हैं और यह नियंत्रण परिवर्तनशील नहीं होता है। इस प्रकार के लेन-देनों के लिए, भारतीय लेखा मानक 103 के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट लेखा लागू किया जाएगा।

संयुक्त परिचालन को आस्तियों की बिक्रियों या अंशदानों का लेखा

ख 34 जब एक प्रतिष्ठान एक संयुक्त परिचालन के साथ, जिसमें कि वह एक संयुक्त परिचालक है, एक लेन-देन करता है जैसे कि आस्तियों की बिक्री अथवा अंशदान, तो वह इस तरह संयुक्त परिचालन के अन्य पक्षों के साथ लेन-देन संचालित कर रहा है और इस प्रकार संयुक्त परिचालक केवल संयुक्त परिचालन में अन्य पक्षों के हितों की सीमा तक ऐसे लेन-देन से उत्पन्न लाभों तथा हानियों को मान्यता देगा।

- ख 35 जब इस प्रकार के लेन-देन संयुक्त परिचालन को बेचे जाने वाली या अंशदान किए जाने वाली आस्तियों के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में कटौती अथवा उन आस्तियों की क्षतिग्रस्तता हानि का साक्ष्य देते हैं तो संयुक्त परिचालक उन हानियों को पूरी तरह से मान्यता देगा।
- संयुक्त परिचालन से आस्तियों की खरीद का लेखा**
- ख 36 जब एक प्रतिष्ठान एक संयुक्त परिचालन के साथ, जिसमें कि वह एक संयुक्त परिचालक हैं, एक लेन-देन करता है, जैसे कि आस्तियों की खरीद, यह तब तक लाभों तथा हानियों में अपने हिस्सों को मान्यता नहीं देगा जब तक यह उन आस्तियों को तृतीय पक्ष को पुनः बेच नहीं देता।
- ख 37 जब ऐसे लेन देन खरीदी जाने वाली आस्तियों के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में कटौती अथवा उन आस्तियों की क्षतिग्रस्तता का साक्ष्य प्रदान करते हैं, तो एक संयुक्त परिचालक उन हानियों में अपने हिस्से को मान्यता देगा।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का उद्देश्य मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 111 तथा अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसंगी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 11, संयुक्त व्यवस्थाएं, के बीच प्रमुख अन्तरों को, यदि कोई है, स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 11, संयुक्त व्यवस्थाएं, के साथ तुलना

- आई एफ आर एस 11 के परिशिष्ट गजो कि प्रभावी तिथि, संक्रमणकाल और अन्य अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों की वापसी पर चर्चा करता है, को भारतीय लेखा मानक 111 में निम्नलिखित कारणों से सम्मिलित नहीं किया गया है:
 - प्रभावी तिथि प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लागू करने की तिथि कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित की जाएगी।
 - भारतीय लेखा मानकों से सम्बंधित संक्रमणकालीन प्रावधान, जहां उपयुक्त समझे गये हैं, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 1 के अनुरूपी भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथम बार अंगीकरण, में सम्मिलित किये गये हैं।
 - अन्य आई एफ आर एस की वापसी से सम्बंधित अनुच्छेद प्रासंगिक नहीं हैं।
- अनुच्छेद ख 33 घ संयुक्त परिचालन में हित के अधिग्रहण के लिए भारतीय लेखा मानक 103 के परिशिष्ट ग, सामान्य नियंत्रण में व्यवसायिक संयोजन, में विनिर्दिष्ट लेखा पर चर्चा करता है। जब संयुक्त नियंत्रण के भागीदार पक्ष, जिनमें संयुक्त परिचालन में हित का अधिग्रहण करने वाला पक्ष भी शामिल है, अधिग्रहण से पहले और बाद, एक मात्र नियंत्रक पक्ष (पक्षों) के सामान्य नियंत्रण में होते हैं और चूंकि आई एफ आर एस 3, व्यवसायिक संयोजन, सामान्य नियंत्रण के अन्तर्गत व्यवसायिक संयोजनों पर चर्चा नहीं करता अतः यह आई एफ आर एस 11 के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 112

अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रकटन

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं)

उद्देश्य

- इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का उद्देश्य एक प्रतिष्ठान की उस सूचना को प्रकट करना है जो इसके वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित के मूल्यांकन के लिए सक्षम बनाती है :
 - अन्य प्रतिष्ठानों में इसके हितों की प्रकृति एवं उनसे संबंधित जोखिम; और
 - इसकी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकदी प्रवाहों पर उन हितों के प्रभाव।

उद्देश्य की पूर्ति

- अनुच्छेद 1 में दिये हुये उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा:
 - वे महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण निर्णय एवं अवधारणाएं जो इसने निम्नलिखित के निर्धारण के लिए तय किए हैं:
 - अन्य प्रतिष्ठान या व्यवस्था में हित की प्रकृति;
 - संयुक्त व्यवस्था का प्रकार जिसमें उसका हित है (अनुच्छेद 7-9);
 - यह निवेश प्रतिष्ठान की परिभाषा की पूर्ति करता है, यदि लागू हैं (अनुच्छेद 9 क); तथा

- (ख) निम्नलिखित में इसके हितों के संबंध में सूचना:
- अनुषंगी प्रतिष्ठान (अनुच्छेद 10-19);
 - व्यवस्थाएं एवं सहयोगी प्रतिष्ठान (अनुच्छेद 20-23); एवं
 - वे संरचित प्रतिष्ठान जो इस प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित नहीं हैं (असमेकित संरचित प्रतिष्ठान) (अनुच्छेद 24-31)।
3. यदि इस भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटन सहित अन्य भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित प्रकटन अनुच्छेद 1 में दिए गए उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं तो एक प्रतिष्ठान उस अतिरिक्त सूचना का प्रकटन करेगा जो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है।
4. एक प्रतिष्ठान उस विवरण के स्तर पर विचार करेगा जो प्रकटन उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, वह इस पर भी विचार करेगा कि इस भारतीय लेखा मानक की प्रत्येक अपेक्षा पर कितना महत्व दे। यह प्रकटनों को एकत्रित अथवा अलग-अलग करेगा ताकि उपयोगी सूचना, गैर-महत्वपूर्ण विवरण की अधिकमात्रा को सम्मिलित करने से या ऐसी मदों के एकत्रीकरण से, जिनकी विशेषताएं अलग-अलग हैं, से अस्पष्ट न हो (देखें अनुच्छेद ख 2-ख 6)।

कार्यक्षेत्र

5. यह भारतीय लेखा मानक एक ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होगा जिसका हित निम्नलिखित में से किसी में हो:
- अनुषंगी प्रतिष्ठान
 - संयुक्त व्यवस्थाएं (अर्थात् संयुक्त परिचालन या संयुक्त उद्यम)
 - सहयोगी प्रतिष्ठान
 - असमेकित संरचित प्रतिष्ठान।
6. यह भारतीय लेखा मानक निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है:
- नियोजन-पश्चात् लाभ योजनाएं अथवा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं, जिन पर भारतीय लेखा मानक 19, *कर्मचारी लाभ*, लागू होता है।
 - एक प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरण, जिन पर भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण*, लागू होता है। लेकिन, यदि एक प्रतिष्ठान के हित असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में हैं और वह एकमात्र अपने वित्तीय विवरणों के रूप में पृथक वित्तीय विवरण ही तैयार करता है तो वह उन पृथक वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय अनुच्छेद 24-31 की अपेक्षाओं को लागू करेगा।
 - एक प्रतिष्ठान द्वारा धारित हित जो संयुक्त व्यवस्था में सहभागिता तो करता है लेकिन उसका उसमें कोई संयुक्त नियंत्रण नहीं है, जब तक कि उस हित का उस व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न हो अथवा वह एक संरचित प्रतिष्ठान में हित न हो।
 - किसी अन्य प्रतिष्ठान में हित जिसका लेखा भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें*, के अनुसरण में किया जाता है। लेकिन, एक प्रतिष्ठान इस लेखा मानक को लागू करेगा:
 - जब वह हित एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में एक हित के रूप में है, और जिसे भारतीय लेखा मानक 28, *सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश*, के अनुसरण में लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर मापा जाता है; अथवा
 - जब वह हित एक असमेकित संरचित प्रतिष्ठान में एक हित के रूप में है।

महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण निर्णय एवं अवधारणाएं

7. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित का निर्धारण करते समय लिये गये महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण निर्णयों और की गयी महत्वपूर्ण अवधारणाओं (और उन विवेकपूर्ण निर्णयों एवं अवधारणाओं में किये गये परिवर्तनों) के संबंध में सूचना प्रकट करेगा:
- उसका अन्य किसी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण है अर्थात् निवेशिती जैसाकि भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण*, के अनुच्छेद 5 व 6 में यथावर्णित है;
 - उसका एक व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान पर महत्वपूर्ण प्रभाव है; और
 - जब व्यवस्था एक पृथक तंत्र द्वारा संरचित की गयी है तो संयुक्त व्यवस्था (अर्थात् संयुक्त परिचालन अथवा संयुक्त उद्यम) का प्रकार।

8. अनुच्छेद 7 के अनुसरण में प्रकट महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण निर्णयों एवं अवधारणाओं में वे विवेकपूर्ण निर्णय एवं अवधारणाएं सम्मिलित हैं जो प्रतिष्ठान द्वारा उस समय किये जाते हैं जब तथ्यों व परिस्थितियों में परिवर्तन इस प्रकार के होते हैं कि इस संबंध में यह निष्कर्ष कि प्रतिष्ठान का नियंत्रण है, संयुक्त नियंत्रण है या महत्वपूर्ण प्रभाव हैं, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिवर्तित हो जाता है।
9. अनुच्छेद 7 के अनुपालन के लिए एक प्रतिष्ठान, उदाहरणस्वरूप, निम्नलिखित के निर्धारण में लिये गये महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण निर्णयों एवं की गयी अवधारणाओं को प्रकट करेगा :
- (क) यद्यपि उसके पास अन्य प्रतिष्ठान में आधे से अधिक के मताधिकार हैं, लेकिन, तब भी उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
- (ख) यद्यपि उसके पास अन्य प्रतिष्ठान में आधे से भी कम के मताधिकार हैं, लेकिन, तब भी उसका उस प्रतिष्ठान पर नियंत्रण है।
- (ग) यह एक एजेंट प्रतिष्ठान के रूप में या प्रमुख प्रतिष्ठान के रूप में कार्य कर रहा है (देखें भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद ख 58-ख 72)।
- (घ) यद्यपि उसके पास किसी अन्य प्रतिष्ठान के 20 प्रतिशत या इससे भी अधिक के मताधिकार हैं तो भी उसका उस प्रतिष्ठान पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।
- (ङ) यद्यपि उसके पास किसी अन्य प्रतिष्ठान के 20 प्रतिशत से भी कम के मताधिकार हैं तो भी उसका उस प्रतिष्ठान पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।

निवेश प्रतिष्ठान की स्थिति

- 9 क जब एक मूल प्रतिष्ठान यह निश्चय करता है कि वह भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद 27 के अनुसार एक निवेश प्रतिष्ठान है तो वह निवेश प्रतिष्ठान उन महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण निर्णयों और अवधारणाओं के बारे में सूचना प्रकट करेगा जो उसने स्वयं को निवेश प्रतिष्ठान के रूप में निश्चय करने के लिए तय किए हैं। यदि उस निवेश प्रतिष्ठान में एक निवेश प्रतिष्ठान की विशिष्ट प्रकार की विशेषताओं में से एक या अधिक विशेषताएं नहीं हैं (देखें भारतीय लेखा मानक 110 का अनुच्छेद 28) तो वह उन कारणों का प्रकटन करेगा कि ऐसा न होने के बावजूद भी वह प्रतिष्ठान क्यों निवेश प्रतिष्ठान है।
- 9 ख जब एक प्रतिष्ठान एक निवेश प्रतिष्ठान बन जाता है या इस रूप में नहीं रहता है तो वह स्थिति परिवर्तन और इसके कारणों का प्रकटन करेगा। साथ ही, जब एक प्रतिष्ठान एक निवेश प्रतिष्ठान की स्थिति ग्रहण कर लेता है तो वह स्थिति परिवर्तन का उस अवधि के लिए प्रस्तुत वित्तीय विवरणों पर प्रभाव को निम्नलिखित के साथ प्रकट करेगा:
- (क) स्थिति परिवर्तन की तिथि को उन अनुषंगी प्रतिष्ठानों का कुल उचित मूल्य जिन्हें अब समेकित नहीं किया जाएगा;
- (ख) भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद ख 101 के अनुसरण में परिकलित किया गया कुल लाभ (गेन) या हानि, यदि कोई है; और
- (ग) लाभ या हानि में रेखीय मदें जिनमें लाभ (गेन) या हानि को मान्यता दी गयी है (यदि पृथकतः प्रस्तुत नहीं है)।

अनुषंगी प्रतिष्ठानों में हित

10. एक प्रतिष्ठान उस सूचना को प्रकट करेगा जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाती है:
- (क) निम्नलिखित को समझने के लिए:
- (i) समूह का संघटन; एवं
- (ii) वह हित जो समूह की गतिविधियों और नकदी प्रवाहों में गैर-नियंत्रक हितों के पास है (अनुच्छेद 12); और
- (ख) निम्नलिखित के मूल्यांकन के लिए:
- (i) समूह की आस्तियों तक पहुंच या उनके प्रयोग व दायित्वों के निपटान के लिए इसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रतिबंधों की प्रकृति एवं सीमा (अनुच्छेद 13);
- (ii) समेकित संरचित प्रतिष्ठानों में हितों से सम्बंधित जोखिमों की प्रकृति एवं उनमें कोई परिवर्तन (अनुच्छेद 14-17);
- (iii) एक अनुषंगी प्रतिष्ठान में उसके स्वामित्व हित में परिवर्तनों के परिणाम (अनुच्छेद 18) (जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण समाप्त नहीं होता है); एवं
- (iv) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एक अनुषंगी प्रतिष्ठान का नियंत्रण समाप्त होने के परिणाम (अनुच्छेद 19)।
11. जब एक अनुषंगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और अनुषंगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की तिथि या अवधि समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि या अवधि से भिन्न है (देखें भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद ख 92 व ख 93) तो प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :-

- (क) उस अनुषंगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग अवधि की समापन तिथि; एवं
- (ख) भिन्न अवधि या तिथि का प्रयोग करने के कारण।

समूह की गतिविधियों एवं नकदी प्रवाहों में वह हित जो गैर-नियंत्रक हितों के पास हैं

12. एक प्रतिष्ठान अपने प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठानों के लिए जिनके पास गैर-नियंत्रक हित हैं, निम्नलिखित को प्रकट करेगा जो कि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के लिए सारवान हैं:
- (क) अनुषंगी प्रतिष्ठान का नाम।
 - (ख) अनुषंगी प्रतिष्ठान के व्यवसाय का प्रमुख स्थान (निगमन का देश यदि वह व्यवसाय के प्रमुख स्थान से भिन्न है)।
 - (ग) गैर-नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हितों का अनुपात।
 - (घ) गैर-नियंत्रक हितों द्वारा धारित मताधिकार का अनुपात, यदि वह धारित स्वामित्व हितों के अनुपात से भिन्न हो।
 - (ङ) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अनुषंगी प्रतिष्ठान के गैर-नियंत्रक हितों के प्रति आर्बिट्रल लाभ या हानि।
 - (च) रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में, अनुषंगी प्रतिष्ठान के संचित गैर-नियंत्रक हित।
 - (छ) अनुषंगी प्रतिष्ठान के संबंध में वित्तीय सूचना का सारांश (देखें अनुच्छेद ख 10)।

महत्वपूर्ण प्रतिबंधों की प्रकृति एवं सीमा

13. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :
- (क) समूह की आस्तियों तक इसकी पहुंच या उनके प्रयोग और दायित्वों के निपटान में इसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध (उदाहरणतया सांविधिक, अनुबंधात्मक व नियामक प्रतिबंध), जैसे कि:
 - (i) वे प्रतिबंध जो मूल प्रतिष्ठान अथवा इसके अनुषंगी प्रतिष्ठानों द्वारा नकदी या अन्य आस्तियों को समूह के अन्तर्गत अन्य प्रतिष्ठानों को अंतरित करने (से अंतरित होने) की क्षमता पर प्रतिबंध लगाते हैं; और
 - (ii) वे गारंटियां या अन्य अपेक्षाएं, जो समूह के अंतर्गत अन्य प्रतिष्ठानों को (के द्वारा) अदा किये जाने वाले लाभांशों व अन्य पूंजीगत संवितरणों अथवा दिये जाने वाले या वापस अदा किये जाने वाले ऋणों व अग्रिमों को, प्रतिबंधित कर सकती हैं।
 - (ख) वह प्रकृति व सीमा जिससे गैर-नियंत्रक हितों के रक्षात्मक अधिकार एक प्रतिष्ठान की आस्तियों की पहुंच या उनके प्रयोग और दायित्वों के निपटान की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर सकती हैं (जैसेकि जब एक मूल प्रतिष्ठान अपने दायित्वों के निपटान से पहले अपनी अनुषंगी प्रतिष्ठान के दायित्वों के निपटान के लिए बाध्य हो या एक अनुषंगी प्रतिष्ठान की आस्तियों की पहुंच या दायित्वों के निपटान के लिए गैर-नियंत्रक हितों की स्वीकृति अपेक्षित हो)।
 - (ग) जिन आस्तियों व दायित्वों पर वे प्रतिबंध लागू होते हैं उनकी समेकित वित्तीय विवरणों में (कैरिंग) अग्रणीत राशियां।

समेकित संरचित प्रतिष्ठानों में प्रतिष्ठान के हितों से संबंधित जोखिमों की प्रकृति

14. एक प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं की उन शर्तों को प्रकट करेगा जो मूल प्रतिष्ठान अथवा इसके अनुषंगी प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षा कर सकती हैं कि वे समेकित संरचित प्रतिष्ठान को वित्तीय सहायता प्रदान करें जिसमें वे घटनाएं या परिस्थितियां भी सम्मिलित हैं जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को हानि के प्रति अभिदर्शित कर सकती हैं (उदाहरणार्थ, संरचित प्रतिष्ठान की आस्तियों की खरीद या वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाध्यताओं से सम्बंधित क्रेडिट रेटिंग ट्रिगर या तरलता व्यवस्थाएं)।
15. यदि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान एक मूल प्रतिष्ठान अथवा उसके किसी अनुषंगी प्रतिष्ठान ने समेकित संरचित प्रतिष्ठान को कोई वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता किसी अनुबंधात्मक बाध्यता के बिना ही प्रदान की है (जैसे कि संरचित प्रतिष्ठान की आस्तियों या उसके द्वारा जारी लिखतों की खरीद) तो उस स्थिति में प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा:
- (क) दी गयी सहायता की प्रकार व राशि। साथ ही, उन परिस्थितियों का उल्लेख जिनमें मूल प्रतिष्ठान या अनुषंगी प्रतिष्ठान ने संरचित प्रतिष्ठान को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायता की है; और
 - (ख) सहायता प्रदान करने के कारण।
16. यदि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एक मूल प्रतिष्ठान या उसके कोई अनुषंगी प्रतिष्ठान, बिना किसी अनुबंधात्मक बाध्यता के, पूर्व में असंरचित प्रतिष्ठान को कोई वित्तीय या अन्य कोई सहायता प्रदान करते हैं और उस दी गयी सहायता से प्रतिष्ठान द्वारा संरचित प्रतिष्ठान को नियंत्रण करने की स्थिति बनती है तो प्रतिष्ठान उस निर्णय तक पहुंचने से संबंधित कारकों के स्पष्टीकरण को प्रकट करेगा।

17. एक प्रतिष्ठान उन वर्तमान प्रयोजनों का प्रकटन करेगा कि वह समेकित संरचित प्रतिष्ठान को वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करेगा और साथ ही साथ वह संरचित प्रतिष्ठान को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायता देने के प्रयोजन का भी प्रकटन करेगा।

एक अनुषंगी प्रतिष्ठान में मूल प्रतिष्ठान के स्वामित्व हित में ऐसे परिवर्तनों का परिणाम जिनके परिणामस्वरूप नियंत्रण समाप्त नहीं होता है

18. एक प्रतिष्ठान एक ऐसी अनुसूची प्रस्तुत करेगा जो मूल प्रतिष्ठान के स्वामियों से संबंधित इक्विटी पर अनुषंगी प्रतिष्ठान में स्वामित्व हित में ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव प्रदर्शित करेगा जिसके परिणामस्वरूप मूल प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण समाप्त नहीं होता है।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, अनुषंगी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण समाप्त होने के परिणाम

19. एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद 25 के अनुसरण में की गयी गणना के परिणामस्वरूप लाभ (गेन) या हानि को, यदि कोई है, प्रकट करेगा और निम्नलिखित का भी प्रकटन करेगा:
- (क) नियंत्रण की समाप्ति की तिथि पर उचित मूल्य पर पूर्ववती अनुषंगी प्रतिष्ठान में धारित किसी निवेश के माप से संबंधित लाभ (गेन) या हानि का भाग; एवं
- (ख) लाभ या हानि की रेखीय मद (मदें) जिनमें लाभ (गेन) या हानि को मान्यता दी जाती है (यदि उन्हें पृथकतः प्रस्तुत नहीं किया गया है)।

असमेकित प्रतिष्ठानों में हित (निवेश प्रतिष्ठान)

- 19क एक निवेश प्रतिष्ठान जो भारतीय लेखा मानक 110 के अनुसार समेकन के अपवाद को लागू करेगा और समेकन की बजाय अनुषंगी प्रतिष्ठान में अपने निवेश का लेखा लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर करेगा, वह इस तथ्य का प्रकटन भी करेगा।

- 19ख प्रत्येक असमेकित अनुषंगी प्रतिष्ठान के लिए निवेश प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्रकटन करेगा:

- (क) अनुषंगी प्रतिष्ठान का नाम;
- (ख) अनुषंगी प्रतिष्ठान के व्यवसाय का प्रमुख स्थान (निगमन का देश यदि वह व्यवसाय के प्रमुख स्थान से भिन्न है); और
- (ग) निवेश प्रतिष्ठान द्वारा धारित स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न हो तो, मताधिकार का अनुपात।

- 19ग यदि निवेश प्रतिष्ठान किसी अन्य निवेश प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठान हो तो मूल प्रतिष्ठान उन निवेशों के लिए अनुच्छेद 19 ख (क)-(ग) में दिए गए प्रकटन करेगा जिनको उसका अनुषंगी निवेश प्रतिष्ठान नियंत्रित करता है। यह प्रकटन मूल प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में उस अनुषंगी प्रतिष्ठान (या प्रतिष्ठानों) के उन वित्तीय विवरणों को सम्मिलित करके किया जा सकता है जिनमें उपर्युक्त सूचना समाविष्ट है।

- 19घ एक निवेश प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्रकटन करेगा:

- (क) असमेकित अनुषंगी प्रतिष्ठान द्वारा नकद लाभांशों के रूप में निवेश प्रतिष्ठान को निधियों के अंतरण की क्षमता या निवेश प्रतिष्ठान द्वारा असमेकित अनुषंगी प्रतिष्ठान को दिये गये ऋणों या अग्रिमों के वापसी भुगतान के लिए असमेकित अनुषंगी प्रतिष्ठान की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रतिबंधों (जैसेकि उधार व्यवस्थाओं, नियामक अपेक्षाओं अथवा अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप) की प्रकृति और सीमा।
- (ख) कोई वर्तमान वचनबद्धता या प्रयोजन जिसमें एक असमेकित अनुषंगी प्रतिष्ठान को वित्तीय या अन्य सहायता दी जाएगी और इसमें वह वचनबद्धता या प्रयोजन भी सम्मिलित है जिसमें उस अनुषंगी प्रतिष्ठान को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद की जाएगी।

- 19ङ यदि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एक निवेश प्रतिष्ठान या इसके कोई अनुषंगी प्रतिष्ठान ने, बिना किसी अनुबंधात्मक बाध्यता के किसी असमेकित अनुषंगी प्रतिष्ठान को वित्तीय या कोई अन्य सहायता दी है (जैसेकि, अनुषंगी प्रतिष्ठान की आस्तियां खरीदना या उसके द्वारा जारी लिखतें खरीदना या फिर अनुषंगी प्रतिष्ठान को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद देना), प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा:

- (क) प्रत्येक असमेकित अनुषंगी प्रतिष्ठान को दी गयी सहायता की प्रकार व राशि; और
- (ख) सहायता देने के कारण।

- 19च एक निवेश प्रतिष्ठान ऐसी किसी अनुबंधात्मक व्यवस्था की शर्तों को प्रकट करेगा जो प्रतिष्ठान या इसके असमेकित अनुषंगी प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करती हैं कि वह एक असमेकित नियंत्रित संरचित प्रतिष्ठान को वित्तीय सहायता प्रदान करे और साथ ही उन घटनाओं या परिस्थितियों का भी उल्लेख करें जिनसे रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान हानि के लिए अभिदर्शित हो सकता है (जैसेकि, तरलता

व्यवस्थाएं या क्रेडिट रेटिंग ट्रिगर्स जो संरचित प्रतिष्ठान की आस्तियां खरीदने या वित्तीय सहायता प्रदान करने की बाध्यताओं के साथ संबद्ध हैं।

- 19छ यदि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एक निवेश प्रतिष्ठान या इसका कोई असमेकित अनुषंगी प्रतिष्ठान, बिना किसी अनुबंधात्मक बाध्यता के एक असमेकित संरचित प्रतिष्ठान जिस पर निवेश प्रतिष्ठान का नियंत्रण नहीं है को वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करता है और सहायता प्रदान करने के बाद निवेश प्रतिष्ठान का उस संरचित प्रतिष्ठान पर नियंत्रण हो जाता है तो निवेश प्रतिष्ठान सहायता प्रदान करने के निर्णय से संबंधित कारकों का स्पष्टीकरण प्रकट करेगा।

संयुक्त व्यवस्थाओं एवं सहयोगी प्रतिष्ठानों में हित

20. एक प्रतिष्ठान उस सूचना को प्रकट करेगा जो इसके वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित के मूल्यांकन के लिए सक्षम बनाती है :

(क) संयुक्त व्यवस्थाओं व सहयोगी प्रतिष्ठानों में इसके हितों की प्रकृति, सीमा व वित्तीय प्रभाव जिनमें संयुक्त व्यवस्थाओं व सहयोगी प्रतिष्ठानों के संयुक्त नियंत्रण या उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव वाले अन्य निवेशकों के साथ प्रतिष्ठान के अनुबंधात्मक संबंधों की प्रकृति तथा प्रभाव भी सम्मिलित हैं (अनुच्छेद 21 व 22); एवं

(ख) संयुक्त उद्यमों व सहयोगी प्रतिष्ठानों में हितों से संबंधित जोखिमों की प्रकृति एवं उनमें परिवर्तन (अनुच्छेद 23) ।

संयुक्त व्यवस्थाओं व सहयोगी प्रतिष्ठानों में एक प्रतिष्ठान के हितों की प्रकृति, सीमा एवं वित्तीय प्रभाव

21. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा:

(क) प्रत्येक उस संयुक्त व्यवस्था व सहयोगी प्रतिष्ठान के लिए, जो कि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के लिए सारवान है:

(i) संयुक्त व्यवस्था अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान का नाम

(ii) संयुक्त व्यवस्था अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान के साथ उस प्रतिष्ठान के संबंध की प्रकृति (जैसे कि संयुक्त व्यवस्था या सहयोगी प्रतिष्ठान की गतिविधियों की प्रकृति का विवरण देकर और यह वर्णित करके कि क्या वे गतिविधियां उस प्रतिष्ठान की गतिविधियों के लिए नीतिगत हैं)।

(iii) संयुक्त व्यवस्था अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान के व्यवसाय का प्रमुख स्थान (और उसके निगमन का देश, यदि लागू है और यदि वह व्यवसाय के प्रमुख स्थान से भिन्न है)।

(iv) स्वामित्व हित का अनुपात अथवा प्रतिष्ठान द्वारा धारित सहभागिता अंश और, यदि भिन्न है तो, धारित मताधिकार का अनुपात (यदि लागू है) ।

(ख) प्रत्येक संयुक्त उद्यम व सहयोगी प्रतिष्ठान के लिए, जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के लिए सारवान है:

(i) क्या संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान में किया गया निवेश 'इक्विटी' विधि पर मापा जाता है या उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(ii) संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान की वित्तीय सूचना का सार, अनुच्छेद ख 12 व ख 13 में यथा विनिर्दिष्ट।

(iii) यदि संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान का लेखा 'इक्विटी' विधि द्वारा किया जाता है तो संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश की उस स्थिति में उसका उचित मूल्य है जब निवेश के लिए अंकित बाजार कीमत उपलब्ध है।

(ग) प्रतिष्ठान के उन संयुक्त उद्यमों और सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश के लिए अनुच्छेद ख 16 में यथा विनिर्दिष्ट वित्तीय सूचना, जो व्यक्तिगत रूप से सारवान नहीं है:

(i) व्यक्तिगत रूप से गैर-सारवान सभी संयुक्त उद्यमों के लिए कुल जोड़ और अलग-अलग और

(ii) व्यक्तिगत रूप से गैर-सारवान सभी सहयोगी प्रतिष्ठानों के लिए कुल जोड़।

- 21क एक निवेश प्रतिष्ठान को अनुच्छेद 21(ख)-21(ग) द्वारा अपेक्षित प्रकटनों की आवश्यकता नहीं है।

22. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को भी प्रकट करेगा :

(क) संयुक्त उद्यमों या सहयोगी प्रतिष्ठानों द्वारा नकद लाभांशों के रूप में प्रतिष्ठान को निधियों के अंतरण की क्षमता या प्रतिष्ठान द्वारा दिए गए ऋणों या अग्रिमों के वापसी भुगतान के लिए संयुक्त उद्यमों या सहयोगी प्रतिष्ठानों की क्षमता पर किंहीं महत्वपूर्ण प्रतिबंधों की (जैसेकि उधार व्यवस्थाओं, नियामक अपेक्षाओं या उन निवेशकों के बीच अनुबंधात्मक

व्यवस्थाओं जिनका संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान पर संयुक्त नियंत्रण है या उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, के परिणामस्वरूप) प्रकृति और सीमा।

- (ख) जब संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों का प्रयोग, 'इक्विटी' विधि के प्रयोग में किया जाता है, और उन विवरणों की तिथि या अवधि उस प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण की तिथि या अवधि से भिन्न होती है:
- (i) उस संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तिथि, एवं
- (ii) भिन्न तिथि या अवधि के प्रयोग करने के कारण।
- (ग) 'इक्विटी' विधि का प्रयोग करते हुए जब वह प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान की हानियों में अपने भाग को मान्यता देना बंद कर देता है तो रिपोर्टिंग अवधि का और संचित रूप से दोनों के लिए संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान में हानियों का अमान्य अंश।

संयुक्त उद्यमों और सहयोगी प्रतिष्ठानों में एक प्रतिष्ठान के हितों से सम्बंधित जोखिम

23. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :

- (क) इसकी वे प्रतिबद्धताएं जो संयुक्त उद्यमों से संबंधित हैं लेकिन वे अनुच्छेद ख 18-ख 20 में विनिर्दिष्ट अन्य प्रतिबद्धताओं की राशि से अलग हैं।
- (ख) भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां*, के अनुसरण में, जब तक कि हानि की संभावना बहुत ही कम न हों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी प्रतिष्ठानों में इसके हितों से संबंधित उपगत आकस्मिक दायित्वों (जिनमें उन अन्य निवेशकों के साथ उपगत आकस्मिक दायित्वों में इसका भाग भी शामिल है जिनका संयुक्त उद्यमों या सहयोगी प्रतिष्ठानों पर संयुक्त नियंत्रण अथवा उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है) अन्य आकस्मिक दायित्वों की राशि से अलग।

असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में हित

24. एक प्रतिष्ठान उस सूचना को प्रकट करेगा जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाती है:

- (क) असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में इसके हितों की प्रकृति व सीमा को समझने के लिए (अनुच्छेद 26-28); एवं
- (ख) असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में इसके हितों से संबंधित जोखिमों की प्रकृति व परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए (अनुच्छेद 29-31)।

25. अनुच्छेद 24(ख) द्वारा अपेक्षित सूचना में वह सूचना भी सम्मिलित है जो एक प्रतिष्ठान के असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों के साथ पूर्व अवधियों में संबंध के कारण प्रतिष्ठान के जोखिम अभिदर्शन के बारे में है (जैसे कि संरचित प्रतिष्ठान को प्रायोजित करना) बेशक प्रतिष्ठान का रिपोर्टिंग तिथि को उस संरचित प्रतिष्ठान के साथ कोई अनुबंधात्मक संबंध न भी हो।

25 क एक निवेश प्रतिष्ठान को उस असमेकित संरचित प्रतिष्ठान के बारे में अनुच्छेद 24 द्वारा अपेक्षित प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है जिसे वह नियंत्रित करता है और जिसके लिए अनुच्छेदों 19 क-19 छ द्वारा प्रकटन करता है।

हितों की प्रकृति

26. एक प्रतिष्ठान असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में अपने हितों के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक सूचना प्रकट करेगा जिसमें संरचित प्रतिष्ठान की प्रकृति, उद्देश्य, आकार व गतिविधियां तथा संरचित प्रतिष्ठान का वित्त प्रबंधन भी सम्मिलित है, लेकिन यह इतने तक ही सीमित भी नहीं है।

27. यदि प्रतिष्ठान ने एक असमेकित संरचित प्रतिष्ठान को प्रायोजित किया है और यह इसके लिए अनुच्छेद 29 द्वारा अपेक्षित सूचना भी प्रदान नहीं करता है (जैसे कि, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि पर इसका उस प्रतिष्ठान में कोई हित नहीं है) तो प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :

- (क) उसने यह कैसे निर्धारित किया कि किन संरचित प्रतिष्ठानों का प्रयोजन उसने किया है;
- (ख) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उन संरचित प्रतिष्ठानों से आय और प्रस्तुत आय की प्रकारों का ब्यौरा; और
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, इन संरचित प्रतिष्ठानों में अन्तरित सभी आस्तियों की (अन्तरण के समय) अग्रणीत राशि।

28. प्रतिष्ठान अनुच्छेद 27(ख) व (ग) द्वारा अपेक्षित सूचना को एक सारणीबद्ध प्रारूप (फार्मेट) में तब तक प्रस्तुत करेगा जब तक कोई और उपयुक्त प्रारूप (फार्मेट) नहीं है, साथ ही, वह अपनी प्रायोजित गतिविधियों को संबंधित श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा (देखें अनुच्छेद ख2-ख 6)।

जोखिमों की प्रकृति

29. प्रतिष्ठान निम्नलिखित का सारांश एक सारणीबद्ध प्रारूप (फार्मेट) में तब तक प्रस्तुत करता रहेगा जब तक कि कोई और उपयुक्त प्रारूप (फार्मेट) नहीं है :

- (क) असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में हितों से संबंधित इसके वित्तीय विवरणों में मान्य आस्तियों एवं दायित्वों की अग्रणीत राशियां ।
- (ख) तुलन-पत्र में रेखीय मदें जिनमें उन आस्तियों एवं दायित्वों को मान्य किया गया है।
- (ग) असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में इसके हितों से हानि के लिए प्रतिष्ठान के अधिकतम अभिदर्शन को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करने वाली राशि, और इसके साथ ही, हानि के अधिकतम अभिदर्शन का निश्चय कैसे किया जाएगा। यदि एक प्रतिष्ठान असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में अपने हितों से प्रतिष्ठान की हानि के अधिकतम अभिदर्शन का परिमाण निर्धारित नहीं कर सकता तो वह इस तथ्य के साथ इसके कारणों का भी प्रकटन करेगा ।
- (घ) असमेकित रूप प्रतिष्ठानों में अपने हितों से संबंधित प्रतिष्ठान की आस्तियों एवं दायित्वों की अग्रणीत राशियां और उन प्रतिष्ठानों की हानि के प्रति प्रतिष्ठान का अधिकतम अभिदर्शन।
30. यदि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एक प्रतिष्ठान ने, बिना किसी अनुबंधात्मक बाध्यता के, किसी ऐसे असमेकित संरचित प्रतिष्ठान को वित्तीय या अन्य प्रकार की कोई सहायता प्रदान की है जिसमें इसका पहले कोई हित था या वर्तमान में है, (उदाहरणार्थ, संरचित प्रतिष्ठान की आस्तियों या उसके द्वारा जारी लिखतों की खरीद), तो वह प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
- (क) प्रतिष्ठान द्वारा संरचित प्रतिष्ठान को प्रदान की गयी सहायता की किस्म व राशि और वे स्थितियां जिनमें प्रतिष्ठान ने संरचित प्रतिष्ठान को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सहायता की थी; और
- (ख) उस दी गयी सहायता के कारण ।
31. प्रतिष्ठान उन वर्तमान प्रयोजनों को प्रकट करेगा की वह असमेकित संरचित प्रतिष्ठान को वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करेगा, और साथ ही, उन प्रयोजनों को भी प्रकट करेगा जिनके अन्तर्गत संरचित प्रतिष्ठान को वित्तीय सहायता प्राप्त करवाने में मदद दी जाएगी।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

संरचित प्रतिष्ठान से आय

इस भारतीय लेखा मानक के उद्देश्य के लिए, **संरचित प्रतिष्ठान** से आय में आवर्ती व गैर-आवर्ती फीस, ब्याज, लाभांश, संरचित प्रतिष्ठानों में हितों की पुर्नमाप या गैर-मान्यता पर लाभ (गेन) या हानियां और संरचित प्रतिष्ठान को आस्तियों एवं दायित्वों के अन्तरण से लाभ (गेन) या हानियां सम्मिलित हैं परंतु यह इतने तक सीमित नहीं है ।

अन्य प्रतिष्ठान में हित

इस भारतीय लेखा मानक के प्रयोजन के लिए, अन्य किसी प्रतिष्ठान में हित का आशय अनुबंधात्मक व गैर-अनुबंधात्मक संबंध से है जो एक प्रतिष्ठान को अन्य प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन से प्रतिफलों में परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शित करता है। एक अन्य प्रतिष्ठान में हित का साक्ष्य 'इक्विटी' या ऋण लिखतों की धारिता एवं संबंध के अन्य प्रकारों जैसे कि निधिकरण का प्रावधान, तरलता सहायता, ऋण में वृद्धि व गारंटियों में देखा जा सकता है, लेकिन, यह इन तक ही सीमित नहीं है। इसमें वे साधन आते हैं जिनके द्वारा एक प्रतिष्ठान अन्य प्रतिष्ठान पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण रखता है अथवा उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक प्रतिष्ठान एक सामान्य ग्राहक-आपूर्तिकर्ता संबंध के नाते अन्य प्रतिष्ठान में कोई हित रखता है ।

अनुच्छेद ख-7-ख 9 में अन्य प्रतिष्ठानों में हितों के संबंध में अधिक सूचना दी गयी है ।

लेखा मानक 110 के अनुच्छेद ख 55-ख 57 में प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट किया गया है।

संरचित प्रतिष्ठान

एक प्रतिष्ठान जिसकी संरचना इस प्रकार की गयी है कि मताधिकार या इस समान के अन्य अधिकार ही एकमात्र कारक नहीं हैं जो इस बात का निर्णय करें कि प्रतिष्ठान पर किसका नियंत्रण है । जैसे कि जब कोई मताधिकार केवल प्रशासनिक कार्यों से संबंधित हों और जब संबंधित गतिविधियां केवल अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा ही संचालित की जाती हैं ।

अनुच्छेद ख 22-ख 24 में संरचित प्रतिष्ठानों के संबंध में और सूचना दी गयी है ।

निम्नलिखित शब्दावली भारतीय लेखा मानक 27, भारतीय लेखा मानक 28, भारतीय लेखा मानक 110 व भारतीय लेखा मानक 111, संयुक्त व्यवस्थाएं, में परिभाषित की गयी है। इस भारतीय लेखा मानक में भी इसका प्रयोग उन्ही अर्थों में किया गया है:

- सहयोगी प्रतिष्ठान
- समेकित वित्तीय विवरण
- एक प्रतिष्ठान पर नियंत्रण
- 'इक्विटी' विधि
- समूह
- निवेश प्रतिष्ठान
- संयुक्त व्यवस्था
- संयुक्त नियंत्रण
- संयुक्त परिचालन
- संयुक्त उद्यम
- गैर-नियंत्रक हित
- मूल प्रतिष्ठान
- संरक्षण अधिकार
- संबंधित गतिविधियां
- पृथक वित्तीय विवरण
- पृथक तंत्र
- महत्वपूर्ण प्रभाव
- अनुषंगी प्रतिष्ठान ।

परिशिष्ट ख

प्रयोग-संबंधी दिशा-निर्देश

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है । यह अनुच्छेद 1-31 के प्रयोग के संबंध में वर्णन करता है। इसका वही प्राधिकार है, जो इस भारतीय लेखा मानक के अन्य अंगों का है।

- ख 1 इस परिशिष्ट में दिये गये उदाहरण काल्पनिक स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। हालांकि, उदाहरणों के कुछ पहलू वास्तविक तथ्यात्मक पैटर्न को प्रस्तुत करते हैं। फिर भी, भारतीय लेखा मानक 112 का प्रयोग करते समय किसी विशेष तथ्यात्मक पैटर्न से संबंधित सभी तथ्यों व परिस्थितियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है ।

एकत्रीकरण (अनुच्छेद 4)

- ख 2 एक प्रतिष्ठान अपनी परिस्थितियों की दृष्टि से यह निश्चय करेगा, कि प्रयोगकर्ताओं की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना ब्यौरा दे, अपेक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर वह कितना महत्व दे और वह सूचना का एकत्रीकरण कैसे करें। इतना अत्यधिक विस्तृत ब्यौरा भी नहीं होना चाहिए जो कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की सहायता न करके बल्कि वित्तीय विवरणों को केवल भारी बनाता है। इसी तरह अत्यधिक एकत्रीकरण भी नहीं होना चाहिए कि सूचना ही अस्पष्ट हो जाए। अतः यह आवश्यक है कि इनमें एक संतुलन कायम हों।
- ख 3 एक प्रतिष्ठान समान प्रतिष्ठानों में हितों के लिए इस मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटनों का एकत्रीकरण कर सकता है यदि एकत्रीकरण प्रकटन उद्देश्यों और अनुच्छेद ख 4 की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और दी गयी सूचना को अस्पष्ट न करे। एक प्रतिष्ठान इस बात का प्रकटन करेगा कि उसने समान प्रकार के प्रतिष्ठानों में अपने हितों का एकत्रीकरण किस प्रकार किया है।
- ख 4 एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित में हितों के लिए सूचना की प्रस्तुति अलग-अलग करेगा:
- (क) अनुषंगी प्रतिष्ठान;
 - (ख) संयुक्त उद्यम;
 - (ग) संयुक्त परिचालन;

- (घ) सहयोगी प्रतिष्ठान; और
- (ङ) असमेकित संरचित प्रतिष्ठान ।
- ख 5 यह निश्चय करने के लिए कि क्या सूचना का एकत्रीकरण किया जाए, एक प्रतिष्ठान एकत्रीकरण में सम्मिलित प्रत्येक प्रतिष्ठान की अलग-अलग जोखिम व प्रतिफल विशेषताओं से संबंधित सूचना के मात्रात्मक व गुणात्मक पक्षों पर विचार करेगा और रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के प्रति प्रत्येक प्रतिष्ठान के महत्व पर भी विचार करेगा । अतः प्रतिष्ठान प्रकटनों को इस तरह प्रस्तुत करेगा कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अन्य प्रतिष्ठानों में इसके हितों की प्रकृति व सीमा वसाफ स्पष्ट हो सकें ।
- ख 6 अनुच्छेद ख 4 में दिये गये प्रतिष्ठानों की श्रेणियों में एकत्रीकरण के स्तरों के उदाहरण, जो उचित हो सकते हैं, इस प्रकार हैं:
- (क) गतिविधियों की प्रकृति (उदाहरणतया, एक अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, एक रिवोल्विंग क्रेडिट कार्ड प्रतिभूतिकरण (सेक्योरिटाइजेशन) प्रतिष्ठान)।
- (ख) उद्योग वर्गीकरण।
- (ग) भौगोलिक (जैसे एक देश या एक क्षेत्र)।

अन्य प्रतिष्ठानों में हित

- ख 7 एक अन्य प्रतिष्ठान में हित से आशय उस अनुबंधात्मक व गैर-अनुबंधात्मक संबंध से है जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को अन्य प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन से परिवर्तनशील प्रतिफलों के प्रति अभिदर्शित करता है । अन्य प्रतिष्ठान के प्रयोजन और आकार (डिजाइन) पर विचार रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को यह निर्धारित करते समय सहायता दे सकता है कि क्या उसका उस प्रतिष्ठान में कोई हित है या नहीं है इसलिए यह भी निर्धारण करने के लिए कि क्या इस लेखा मानक के अंतर्गत उसे प्रकटन करना अपेक्षित है या नहीं। इस निर्धारण में उन जोखिमों पर विचार करना भी शामिल है जो अन्य प्रतिष्ठान के प्रारूप से सृजित होते हैं और वे जोखिम जिन्हें अन्य प्रतिष्ठान, रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के साथ-साथ अन्य पक्षों (पार्टियों) को सौंप सकता है।
- ख 8 एक रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान सामान्य तौर पर लिखतें (इक्विटी या ऋण लिखतें जो किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा जारी किये गये हैं) धारित करके या किसी ऐसे संबंध द्वारा जो परिवर्तनशीलता को समाहित करता है, किसी अन्य प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन से प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शित होता है उदाहरणतया, कल्पना करें कि एक संरचित प्रतिष्ठान के पास एक ऋण पोर्टफोलियों हैं। वह संरचित प्रतिष्ठान ब्याज व मूलधन के भुगतानों की चूक से स्वयं को बचाने के लिए किसी अन्य प्रतिष्ठान (रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान) से ऋण चूक विनिमय (स्वैप) प्राप्त कर लेता है। चूंकि ऋण चूक विनिमय (स्वैप) संरचित प्रतिष्ठान के प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता को समाहित करता है, अतः रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के पास एक ऐसा संबंध है जो इसे संरचित प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन से प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शित करता है।
- ख 9 कुछ लिखतें इस तरह से बनाई (डिजाइन) जाती हैं जो जोखिमों को रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से अन्य प्रतिष्ठान में अन्तरित करती हैं। ऐसी लिखतें अन्य प्रतिष्ठान के लिए प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता तो उत्पन्न करती हैं लेकिन अन्य प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन से प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के लिए रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को सामान्य रूप से अभिदर्शित नहीं करती। उदाहरणस्वरूप, कल्पना करें कि एक संरचित प्रतिष्ठान की स्थापना इस आशय से की जाती है कि वह उन निवेशकों को निवेश अवसर प्रदान करे जो प्रतिष्ठान 'य' के ऋण जोखिम के प्रति अभिदर्शित होने के लिए इच्छुक हैं (प्रतिष्ठान 'य' व्यवस्था में संलिप्त किसी पक्ष (पार्टी) से असंबद्ध है)। संरचित प्रतिष्ठान संबद्ध निवेशकों को वो नोट जारी करके निधियां प्राप्त करता है जो प्रतिष्ठान 'य' के ऋण जोखिम से संबंध है (ऋण संबद्ध नोट) और प्राप्तियों को जोखिम मुक्त आस्तियों के पोर्टफोलियों में निवेशित करता है। संरचित प्रतिष्ठान विनिमय प्रतिपक्ष के साथ ऋण चूक विनिमय करके प्रतिष्ठान 'य' के जोखिम के प्रति अभिदर्शित होता है ऋण चूक विनिमय (सी डी एस) प्रतिष्ठान 'य' का ऋण जोखिम संरचित प्रतिष्ठान को विनिमय प्रतिपक्ष (स्वैप काउन्टरपार्टी) द्वारा प्रदत्त शुल्क के बदले अन्तरित करता है। संरचित प्रतिष्ठान के निवेशकों को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है जो संरचित प्रतिष्ठान के आस्ति पोर्टफोलियों के प्रतिफल और ऋणचूक विनिमय (सीडीएस) शुल्क दोनों को प्रदर्शित करता है। विनिमय प्रतिपक्ष (स्वैप काउन्टरपार्टी) का संरचित प्रतिष्ठान से संबंध नहीं होता जो इसे संरचित प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन से प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शित करती हैं क्योंकि संरचित प्रतिष्ठान के प्रतिफलों की परिवर्तनशीलता को समाहित करने की बजाय ऋण चूक विनिमय (सीडीएस) संरचित प्रतिष्ठान को परिवर्तनशीलता अन्तरित करता है।

अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी प्रतिष्ठानों की संक्षिप्त वित्तीय सूचना (अनुच्छेद 12 व 21)

- ख 10 प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान के लिए जिसके पास गैर-नियंत्रक हित है, और जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के लिए सारवान है, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा:
- (क) गैर-नियंत्रक हितों को प्रदत्त लाभांश; और

- (ख) अनुषंगी प्रतिष्ठान के नकदी प्रवाहों, लाभ या हानि, आस्तियों व दायित्वों के संबंध में वह संक्षिप्त वित्तीय सूचना जो उपयोगकर्ताओं को उस हित को समझने के लिए सक्षम बनाती है जो गैर नियंत्रक हितों का समूह की गतिविधियों और नकदी प्रवाहों में है। इस सूचना में, उदाहरणस्वरूप, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं, चालू आस्तियां, चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व, राजस्व, लाभ या हानि और कुल व्यापक आय जैसी सूचना सम्मिलित हो सकती है।
- ख 11 अनुच्छेद ख 10 (ख) द्वारा अपेक्षित संक्षिप्त वित्तीय सूचना में वे राशियां होगी जो अंतर्कंपनी विलोपों से पहले की हो।
- ख 12 रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के लिए सारवान प्रत्येक संयुक्त उद्यम व सहयोगी प्रतिष्ठान के लिए, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा:
- (क) संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान से प्राप्त लाभांश।
- (ख) संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान की संक्षिप्त वित्तीय सूचना निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं होगा:
- (i) चालू आस्तियां ।
- (ii) गैर-चालू आस्तियां।
- (iii) चालू दायित्व ।
- (iv) गैर-चालू दायित्व ।
- (v) राजस्व ।
- (vi) निरंतर परिचालनों से लाभ या हानि ।
- (vii) बंद परिचालनों से कर पश्चात् लाभ या हानि ।
- (viii) अन्य व्यापक आय।
- (ix) कुल व्यापक आय।
- ख 13 एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख 12 द्वारा अपेक्षित संक्षिप्त वित्तीय सूचना के अतिरिक्त, रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के लिए सारवान प्रत्येक संयुक्त उद्यम के लिए निम्नलिखित को राशियों को प्रकट करेगा:
- (क) अनुच्छेद ख 12 (ख) (i) में सम्मिलित नकदी एवं नकदी-तुल्य ।
- (ख) चालू वित्तीय दायित्व (व्यापार व अन्य देयताओं व प्रावधानों को छोड़कर) जो अनुच्छेद ख 12 ख (iii) में सम्मिलित है।
- (ग) अनुच्छेद ख 12 ख (iv) में सम्मिलित गैर चालू वित्तीय दायित्व (व्यापार और अन्य देयताओं व प्रावधानों को छोड़कर)।
- (घ) मूल्यह्रास व परिशोधन ।
- (ङ) ब्याज आय ।
- (च) ब्याज व्यय ।
- (छ) आयकर व्यय या आय ।
- ख 14 अनुच्छेद ख 12 व ख 13 के अनुसरण में प्रस्तुत संक्षिप्त सूचना में वे राशियां होगी जो भारतीय लेखा मानक के अनुसरण में तैयार संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित राशियां होगी (न कि प्रतिष्ठान के उन राशियों का हिस्सा)। यदि प्रतिष्ठान इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान में अपने हित का लेखा करता है तो:
- (क) भारतीय लेखा मानक के अनुसरण में तैयार संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण में सम्मिलित राशियां इस तरह समायोजित की जाएगी ताकि इक्विटी विधि का प्रयोग करते समय प्रतिष्ठान द्वारा किये गये समायोजन प्रदर्शित हो जैसे कि, अधिग्रहण के समय किये गये उचित मूल्य समायोजन और लेखा नीतियों में अन्तरों के समायोजन ।
- (ख) एक प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान में अपने हित की अग्रणीत राशि का प्रस्तुत किए गए संक्षिप्त वित्तीय सूचना के साथ समाधान (रिकन्साइलेशन) प्रस्तुत करेगा।
- ख 15 एक प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के आधार पर अनुच्छेद ख 12 व ख 13 द्वारा अपेक्षित संक्षिप्त वित्तीय सूचना को प्रस्तुत कर सकता है यदि:
- (क) वह प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान में अपने हित का माप भारतीय लेखा मानक 28 के अनुसरण में उचित मूल्य पर करता है; और
- (ख) संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक के अनुसार विवरण तैयार नहीं करता है और इस आधार पर तैयार किये जाने वाले विवरण या तो अव्यवहार्य होंगे या फिर उन पर बहुत अधिक लागत आएगी।
- ऐसे मामले में, प्रतिष्ठान उस आधार का प्रकटन करेगा जिस पर संक्षिप्त वित्तीय सूचना तैयार किये गये हैं।

ख 16 एक प्रतिष्ठान व्यक्तिगत रूप से असारवान संयुक्त उद्यमों या सहयोगी प्रतिष्ठानों में अपने उन हितों की अग्रणीत राशि के कुल जोड़ का प्रकटन करेगा जिसका लेखा इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है। प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित के लिए अपने हिस्से की कुल राशि का भी पृथकतः प्रकटन करेगा :

- (क) निरंतर परिचालनों से लाभ या हानि।
- (ख) बंद परिचालनों से कर पश्चात् लाभ या हानि ।
- (ग) अन्य व्यापक आय ।
- (घ) कुल व्यापक आय ।

एक प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग प्रकटन करेगा।

ख 17 जब एक प्रतिष्ठान का एक अनुषंगी प्रतिष्ठान, एक संयुक्त उद्यम या एक सहयोगी प्रतिष्ठान में हित (या एक संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान में इसके हित का एक भाग) भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन*, के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो प्रतिष्ठान को अनुच्छेद ख10-ख16 के अनुसरण में उस अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान के लिए संक्षिप्त वित्तीय सूचना के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।

संयुक्त उद्यमों के लिए वचनबद्धताएं [अनुच्छेद 23(क)]

ख 18 एक प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यमों में अपने हितों के संबंध में अपनी उन कुल वचनबद्धताओं को प्रकट करेगा जो उसने की तो हैं लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर उन्हें मान्यता नहीं दी हैं (इनमें एक संयुक्त उद्यम के संयुक्त नियंत्रण के साथ अन्य निवेशकों के साथ संयुक्त रूप से की गयी वचनबद्धताओं का उसका भाग भी शामिल है)। वचनबद्धताएं वे हैं जो भावी नकदी बहिर्प्रवाह या अन्य संसाधनों के भावी बहिर्प्रवाहों का सृजन कर सकते हैं।

ख 19 अमान्य वचनबद्धताएं जो भावी नकदी बहिर्प्रवाहों या अन्य संसाधनों के भावी बहिर्प्रवाहों का सृजन कर सकती हैं उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (क) उदाहरण के लिए निम्नलिखित के परिणामस्वरूप निधियों या संसाधनों का अंशदान करने के लिए अमान्य वचनबद्धताएं:
 - (i) संयुक्त उद्यम के गठन या अधिग्रहण करार जो, उदाहरणके लिए प्रतिष्ठान से अपेक्षा करता है कि वह एक विशेष अवधि के लिए निधियों का अंशदान करे।
 - (ii) संयुक्त उद्यम द्वारा चलायी जा रही पूंजी-गहन परियोजनाएं ।
 - (iii) शर्त रहित खरीद बाध्यताएं जो उपस्कर, सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) या सेवाओं की खरीद से संबंधित हैं और जिनके लिए प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यम से या उसकी ओर से खरीदने के लिए वचनबद्ध है।
 - (iv) एक संयुक्त उद्यम को ऋण या अन्य वित्तीय सहायता देने के लिए अमान्य वचनबद्धताएं ।
 - (v) एक संयुक्त उद्यम को आस्तियां या सेवाएं जैसे संसाधनों का अंशदान करने के लिए अमान्य वचनबद्धताएं।
 - (vi) एक संयुक्त उद्यम से संबंधित रद्द न की जा सकने वाली अन्य अमान्य वचनबद्धताएं।
- (ख) यदि एक विशेष घटना भविष्य में घटित होती है या नहीं होती है तो एक संयुक्त उद्यम में अन्य पक्ष (पार्टी) के स्वामित्व हित (या उस स्वामित्व हित में एक भाग) के अधिग्रहण के लिए अमान्य वचनबद्धताएं।

ख 20 अनुच्छेद ख 18 व ख 19 की अपेक्षाएं व उदाहरण उन कुछ प्रकटनों का दृष्टांत देते हैं जो भारतीय लेखा मानक 24, *संबंधित पक्ष के संबंध में प्रकटन*, के अनुच्छेद 18 के अनुसार अपेक्षित हैं।

असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में हित (अनुच्छेद 24-31)

संरचित प्रतिष्ठान

ख 21 एक संरचित प्रतिष्ठान वह प्रतिष्ठान है जिसकी संरचना इस प्रकार की गयी है कि मताधिकार या इसी प्रकार के अन्य अधिकार ही एकमात्र कारक नहीं है जो इस बात का निर्णय करे कि प्रतिष्ठान पर किसका नियंत्रण है, जैसेकि जब कोई मताधिकार केवल प्रशासनिक कार्यों से संबंधित हो और जब संबंधित गतिविधियां केवल अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं द्वारा संचालित हो।

ख 22 एक संरचित प्रतिष्ठान प्रायः निम्नलिखित में से कुछ या सभी विशेषताएं या कारक रखते हैं:

- (क) प्रतिबंधित गतिविधियां ।

- (ख) एक संकीर्ण और सुपरिभाषित उद्देश्य जैसे कि, कर- प्रभावी पट्टे को करना, अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों का संचालन एक प्रतिष्ठान को पूंजी या निधि का साधन उपलब्ध करवाना या निवेशकों को निवेश के अवसर उपलब्ध करवाना जिनमें संरचित प्रतिष्ठान की आस्तियों से संबंधित जोखिम व प्रोत्साहन निवेशकों को अन्तरित किये जाते हैं।
- (ग) संरचित प्रतिष्ठान की गतिविधियों के निधिकरण के लिए किसी वित्तीय सहायता के बिना अपर्याप्त इक्विटी।
- (घ) निवेशको को अनुबंधात्मक रूप से जुड़े विभिन्न लिखतों के द्वारा निधिकरण जो ऋण या अन्य जोखिमो (त्रांसों) की सघनताओं का सृजन करती है।
- ख 23 संरचित प्रतिष्ठानों के रूप में प्रतिष्ठानों के उदाहरण निम्नलिखित हैं परंतु ये यही तक सीमित नहीं हैं:
- (क) प्रतिभूतिकरण तंत्र।
- (ख) आस्ति-समर्थित निधिकरण।
- (ग) कुछ निवेश निधियां।
- ख 24 मताधिकारों से नियंत्रित एक प्रतिष्ठान एक संरचित प्रतिष्ठान नहीं होता क्योंकि वह उदाहरणतया, पुर्नगठन के पश्चात् तृतीय पक्षों (पार्टियों) से निधियां प्राप्त करता है।
- असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में हितों से जोखिमों की प्रकृति (अनुच्छेद 29-31)**
- ख 25 अनुच्छेद 29-31 में अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त, एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 24 (ख) में प्रकटन उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सूचना को प्रकट करेगा।
- ख 26 परिस्थितियों पर आधारित अतिरिक्त सूचना के उदाहरण जो जोखिमों के उस निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं जिनके लिए प्रतिष्ठान अभिदर्शित होता है जब उसका असमेकित संरचित प्रतिष्ठान में हित होता है, इस प्रकार हैं:
- (क) एक व्यवस्था की शर्तें जो प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा कर सकती हैं कि वह एक असमेकित संरचित प्रतिष्ठान को वित्तीय सहायता दे जैसेकि उन बाध्यताओं से संबद्ध तरलता व्यवस्थाएं या क्रेडिट रेटिंग ट्रिगर जो संरचित प्रतिष्ठान की आस्तियों की खरीद या सहायता देने से संबंधित हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
- (i) उन घटनाओं या परिस्थितियों का वर्णन जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को हानि के प्रति अभिदर्शित कर सकता है।
- (ii) क्या ऐसी कोई शर्तें हैं जो बाध्यता को सीमित कर सकती हैं।
- (iii) क्या कोई दूसरे ऐसे पक्ष हैं जो वित्तीय सहायता देते हैं। यदि हो, तो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की बाध्यता उन पक्षों के साथ किस स्तर पर हैं।
- (ख) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में हितों से संबंधित प्रतिष्ठान की हुई हानियां।
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में हितों से प्राप्त आय के प्रकार।
- (घ) क्या प्रतिष्ठान को अन्य पक्षों से पहले एक असमेकित संरचित प्रतिष्ठान की हानियों को समाहित करने की जरूरत है, तो प्रतिष्ठान के लिए इन हानियों की अधिकतम सीमा, और (यदि प्रासंगिक है) तो उन पक्षों द्वारा धारित संभाव्य हानियों का दर्जा एवं राशियां, जिनका हित प्रतिष्ठान के असमेकित संरचित प्रतिष्ठान में हित से दर्जे में कम है।
- (ङ) तृतीय पक्षों के साथ तरलता व्यवस्थाओं, गारंटियों या अन्य वचनबद्धताओं के बारे में सूचना जो असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में हितों के प्रति जोखिम या उसके उचित मूल्य को प्रभावित कर सकती है।
- (च) गतिविधियों के निधिकरण में एक असमेकित संरचित प्रतिष्ठान द्वारा अनुभव की गयी रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कोई कठिनाइयां।
- (छ) एक असमेकित संरचित प्रतिष्ठान के निधिकरण के संबंध में, निधिकरण की किस्मे (जैसेकि वाणिज्यिक पत्र या मध्यावधि नोट) और उनकी भारित-औसत अवधि। इस सूचना में आस्तियों के परिपक्वता विश्लेषण और एक असमेकित संरचित प्रतिष्ठान का निधिकरण सम्मिलित हो सकते हैं, संरचित प्रतिष्ठान की दीर्घावधि आस्तियां अल्पावधि निधिकरण द्वारा निधिपोषित की गयी हो।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का उद्देश्य मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 112 और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसंगी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 12, अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रकटन, के बीच प्रमुख अन्तरों को, यदि कोई है, स्पष्ट किया जाए।

आई एफ आर एस 12, अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रकटन, के साथ तुलना

- 1 वर्तमान कानूनों में प्रयुक्त शब्दावली के कारण भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है जैसे कि शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलनपत्र' का प्रयोग किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 113**उचित मूल्य माप**

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप और साधारण टाइप में अनुच्छेद हैं, इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. यह भारतीय लेखा मानक:

(क) उचित मूल्य को परिभाषित करता है;

(ख) एक ही भारतीय लेखा मानक में उचित मूल्य को मापने के लिए एक ढाँचा उपवर्णित करता है; तथा

(ग) उचित मूल्य मापों के बारे में प्रकटनों की अपेक्षा करता है।

2. उचित मूल्य एक बाजार पर आधारित माप होता है, न कि एक प्रतिष्ठान विशिष्ट माप। कुछ आस्तियों एवं दायित्वों के लिए, प्रत्यक्षदर्शी बाजार लेन-देन अथवा बाजार संबंधी सूचना उपलब्ध हो सकती है। जबकि अन्य आस्तियों एवं दायित्वों के लिए प्रत्यक्षदर्शी बाजार लेन-देन एवं बाजार संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं भी हो सकती है। तथापि दोनों मामलों में उचित मूल्य माप का उद्देश्य एक ही होता है यानि उस कीमत का अनुमान लगाना जिस पर बाजार की वर्तमान स्थितियों (अर्थात् बाजार के प्रतिभागी, जो आस्तियां धारण करते हैं अथवा दायित्व स्वीकार करते हैं, के परिप्रेक्ष्य से माप की तारीख पर निर्गम कीमत) में माप की तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच आस्ति की बिक्री या दायित्व के अंतरण का सुव्यवस्थित लेन-देन होगा।
3. जब किसी एक जैसी आस्ति या दायित्व की कीमत प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, तब प्रतिष्ठान किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके उचित मूल्य मापता है जो सुसंगत प्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का प्रयोग तो अधिकतम करता है तथा अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का प्रयोग कम-से-कम करता है। चूंकि उचित मूल्य बाजार-आधारित माप है, इसलिये यह उन पूर्वानुमानों का प्रयोग करके मापा जाता है जिसे बाजार के प्रतिभागी आस्ति अथवा दायित्व की कीमत निर्धारण करते समय जोखिम के बारे में पूर्वानुमानों सहित प्रयोग करेगा। परिणामस्वरूप, एक प्रतिष्ठान की मंशा कि किसी आस्ति को रखा जाए या किसी दायित्व का निपटारा या उसकी पूर्ति की जाए, उस वक्त सुसंगत नहीं होती जब उचित मूल्य का माप किया जाता है।
4. उचित मूल्य की परिभाषा आस्तियों एवं दायित्वों पर केन्द्रित है क्योंकि वे लेखा माप के मूल विषय हैं। इसके अतिरिक्त, यह भारतीय लेखा मानक तब लागू होगा जब एक प्रतिष्ठान की अपनी इक्विटी लिखतें उचित मूल्य पर मापी जाएगी।

कार्यक्षेत्र

5. यह भारतीय लेखा मानक तब लागू होता है जब दूसरा भारतीय लेखा मानक, अनुच्छेद 6 एवं 7 में यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर, उचित मूल्यों मापों अथवा उचित मूल्य मापों के प्रकटनों (और उचित मूल्य में से उचित मूल्य पर आधारित बिक्री लागतें घटाकर मापों या ऐसे मापों के प्रकटनों) की या तो अपेक्षा करता या फिर अनुमति देता है।
6. इस भारतीय लेखा मानक की माप और प्रकटन अपेक्षाएँ निम्नलिखित पर लागू नहीं होती हैं:
 - (क) भारतीय लेखा मानक 102, शेयर आधारित भुगतान के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन;
 - (ख) भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पट्टा लेन-देन; और
 - (ग) ऐसे माप जिनकी उचित मूल्य के साथ कुछ समानताएं तो हैं किन्तु वे वास्तव में उचित मूल्य नहीं हैं, जैसे कि भारतीय लेखा मानक 2, सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्रीज) के अनुसार शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य अथवा भारतीय लेखा मानक 36, आस्तियों की क्षतिग्रस्तता के अनुसार प्रयोग में मूल्य।
7. इस भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटन निम्नलिखित के लिए अपेक्षित नहीं हैं:
 - (क) भारतीय लेखा मानक 19, कर्मचारी लाभ के अनुसार उचित मूल्य पर मापी गयी योजनागत आस्तियां;
 - (ख) (देखें परिशिष्ट 1); तथा
 - (ग) वे आस्तियां जिनकी वसूलीयोग्य राशि भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार उचित मूल्य घटाकर निपटान लागतें होती हैं।

8. यदि उचित मूल्य अन्य भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित है अथवा वे इसकी अनुमति देते हैं तो इस भारतीय लेखा मानक में उचित मूल्य माप ढांचा प्रारंभिक एवं परवर्ती; दोनों मापों पर लागू होता है।

माप

उचित मूल्य की परिभाषा

9. यह भारतीय लेखा मानक उचित मूल्य को इस प्रकार परिभाषित करता है कि उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अन्तरण पर अदा की जाती है।
10. अनुच्छेद ख 2 समग्र उचित मूल्य माप दृष्टिकोण का वर्णन करता है।

आस्ति अथवा दायित्व

11. उचित मूल्य माप किसी विशिष्ट आस्ति या दायित्व के लिए होता है। इसलिये, उचित मूल्य मापते समय प्रतिष्ठान आस्ति अथवा दायित्व की विशेषताओं पर विचार करेगा यदि बाजार प्रतिभागी माप तिथि को आस्ति अथवा दायित्व की कीमत लगाने के समय उन विशेषताओं पर विचार करेगा। ऐसी विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं, उदाहरणार्थ:

(क) आस्ति की स्थिति एवं स्थान; तथा

(ख) आस्ति की बिक्री अथवा उपयोग पर प्रतिबंध, यदि कोई हो।

12. किसी खास विशेषता से उत्पन्न माप पर प्रभाव में अन्तर होगा जो इस पर निर्भर करेगा कि उस विशेषता पर बाजार प्रतिभागियों द्वारा कैसे हिसाब लगाया जाता है।

13. उचित मूल्य पर मापी गई आस्ति अथवा दायित्व निम्नलिखित में से कोई एक हो सकती है:

(क) स्वचलित आस्ति या दायित्व (जैसेकि वित्तीय लिखत या गैर-वित्तीय आस्ति); अथवा

(ख) आस्तियों का समूह, दायित्वों का समूह अथवा आस्तियों तथा दायित्वों का समूह (जैसेकि नकद-सृजक इकाई या व्यवसाय)।

14. मान्यता अथवा प्रकटन के उद्देश्य के लिए कोई आस्ति अथवा दायित्व स्वचलित आस्ति या दायित्व हैं, आस्तियों का समूह है या दायित्वों का समूह है अथवा आस्तियों एवं दायित्वों दोनों का समूह है, यह इसकी *लेखा इकाई* पर निर्भर करता है। आस्ति या दायित्व की लेखा इकाई, उस भारतीय लेखा मानक के अनुसार निर्धारित की जाएगी जो उचित मूल्य माप की अपेक्षा करता है या उसकी अनुमति देता है, इस भारतीय लेखा मानक में दिये गये परन्तुक्त को छोड़कर।

लेन-देन

15. उचित मूल्य माप यह अवधारणा रखता है कि आस्ति अथवा दायित्व का वर्तमान बाजार परिस्थितियों के अंतर्गत माप तिथि पर आस्ति की बिक्री या दायित्व के अंतरण के लिए बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन के रूप में विनिमय किया जाता है।

16. उचित मूल्य माप यह अवधारणा रखता है कि आस्ति बेचने या दायित्व अंतरण करने के लिए किया गया लेन-देन दोनों में से किसी एक में होता है:

(क) आस्ति या दायित्व के लिए *मुख्य बाजार* में; या

(ख) *मुख्य बाजार* के नहीं होने पर आस्ति या दायित्व के लिए *अधिकतम लाभप्रद बाजार* में।

17. एक प्रतिष्ठान को मुख्य बाजार अथवा मुख्य बाजार नहीं रहने पर अधिकतम लाभप्रद बाजार की पहचान करने के लिये सभी संभव बाजारों की व्यापक खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह उन समस्त सूचना पर विचार करेगा जो कि युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध है। इसके विपरीत, साक्ष्य के अभाव में एक प्रतिष्ठान सामान्य रूप से जिस बाजार में आस्ति को बेचने या दायित्व के अंतरण करने के लिए लेन-देन करेगा उसे ही मुख्य बाजार या मुख्य बाजार के अभाव में अधिकतम लाभप्रद बाजार मान लिया जाता है।

18. यदि आस्ति या दायित्व के लिए मुख्य बाजार है, तो उसका उचित मूल्य माप उसकी उस बाजार में कीमत को निरूपित करेगा (चाहे वह कीमत प्रत्यक्ष रूप से दिखायी दे सकती है या दूसरे मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके अनुमानित की जा सकती है), भले ही, एक अलग बाजार में माप तिथि पर कीमत संभवतया अधिक लाभप्रद हो।

19. प्रतिष्ठान की माप तिथि को मुख्य (अथवा अधिकतम लाभप्रद) बाजार में पहुँच अवश्य होनी चाहिए। चूंकि विभिन्न गतिविधियों वाले विभिन्न प्रतिष्ठानों (और उन प्रतिष्ठानों के अंतर्गत व्यवसायों) की विभिन्न बाजारों में पहुँच हो सकती है, समान आस्ति या दायित्व के लिए मुख्य (अथवा अधिकतम लाभप्रद बाजार) विभिन्न प्रतिष्ठानों (और उन प्रतिष्ठानों के अन्दर व्यवसायों) के लिए भिन्न हो सकते हैं। इसलिए मुख्य (अथवा अधिकतम लाभप्रद) बाजार (और इसी तरह, बाजार प्रतिभागी) पर प्रतिष्ठान के परिप्रेक्ष्य में विचार किया

- जाएगा जिससे प्रतिष्ठानों में एक दूसरे के बीच तथा उन सभी में परस्पर विभिन्न गतिविधियों के साथ अन्तरों को स्वीकार किया जा सके।
20. यद्यपि एक प्रतिष्ठान की बाजार तक पहुँच अवश्य होनी चाहिये, फिर भी, प्रतिष्ठान को उस बाजार की कीमत के आधार पर उचित मूल्य माप करने के योग्य होने के लिए माप तिथि पर किसी विशिष्ट आस्ति को बेचने या किसी विशिष्ट दायित्व को अन्तरित करने के योग्य होना आवश्यक नहीं होता है।
21. भले ही जब माप तिथि पर आस्ति की बिक्री या दायित्व के अंतरण के बारे में कीमत निर्धारण की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रत्यक्षदर्शी बाजार नहीं होता है तब उचित मूल्य माप उस प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य में, जो आस्ति को धारण करता है अथवा दायित्व को स्वीकार करता है, यह धारणा करेगा कि लेन-देन उसी माप तारीख को हुआ है। यह कल्पित लेन-देन ही आस्ति को बेचने तथा दायित्व के अंतरण के लिए कीमत अनुमानित करने के लिए आधार स्थापित करता है।

बाजार प्रतिभागी

22. कोई भी प्रतिष्ठान एक आस्ति या दायित्व के उचित मूल्य का माप उन मान्यताओं का प्रयोग करते हुए करेगा जो बाजार प्रतिभागी आस्ति या दायित्व की कीमत का निर्धारण करते हुए करेंगे यह मानते हुए कि वे अपने अधिकतम आर्थिक हित में काम करेंगे।
23. उन धारणाओं को बनाते समय एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह बाजार विशिष्ट प्रतिभागियों की पहचान करे। बल्कि, प्रतिष्ठान उन विशेषताओं की पहचान करे जो सामान्यतः बाजार प्रतिभागियों को सुभिन्न करती हैं इसमें वे निम्न विशेष कारकों पर भी विचार करें:-
- (क) आस्ति या दायित्व;
 - (ख) आस्ति या दायित्व के लिए मुख्य बाजार (अथवा अधिकतम लाभप्रद बाजार); तथा
 - (ग) बाजार प्रतिभागी जिनके साथ प्रतिष्ठान उस बाजार में लेन-देन करेगा।

कीमत

24. उचित मूल्य वह कीमत है जो वर्तमान बाजार की स्थितियों के अंतर्गत माप तिथि पर मुख्य (अथवा अधिकतम लाभप्रद) बाजार में सुव्यवस्थित लेन-देन के तहत आस्ति की बिक्री से प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (अर्थात् निर्गम कीमत), यह विचार किये बिना कि क्या वह कीमत प्रत्यक्षदर्शी है या किसी दूसरी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके अनुमानित।
25. आस्ति या दायित्व के उचित मूल्य के माप के लिए प्रयुक्त मुख्य (अथवा अधिकतम लाभप्रद) बाजार में कीमत को लेन-देन लागतों में समायोजित नहीं किया जाएगा। लेन-देन लागतों का अन्य भारतीय लेखा मानकों के अनुसार लेखा किया जाएगा। लेन-देन लागतें आस्ति या दायित्व की विशेषता नहीं हैं बल्कि वे लेन-देन के लिए विशिष्ट हैं और उनमें जो अन्तर है वे इस पर निर्भर हैं कि प्रतिष्ठान आस्ति अथवा दायित्व के लेन-देन में कैसे प्रवेश करता है।
26. लेन-देन लागतों में परिवहन लागतों को शामिल नहीं किया जाता है। यदि स्थान आस्ति की विशेषता है (उदाहरण के लिए, जैसेकि एक वस्तु के लिए हो सकती हैं), तो मुख्य (अथवा अधिकतम लाभप्रद) बाजार में कीमतों को, उन लागतों के लिए यदि कोई हो, समायोजित किया जाएगा जो उस बाजार से इसके वर्तमान स्थान तक आस्ति के परिवहन के लिये खर्च की जाएगी।

गैर-वित्तीय आस्तियों के लिए प्रयोग

गैर-वित्तीय आस्तियों का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग

27. किसी गैर-वित्तीय आस्ति का उचित मूल्य माप एक बाजार प्रतिभागी द्वारा आस्ति का अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग करके अथवा दूसरे बाजार प्रतिभागी को बेच कर, जो उस आस्ति का अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग करेगा, आर्थिक लाभ कमाने की योग्यता पर विचार करता है।
28. एक गैर-वित्तीय आस्ति के अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग में आस्ति के उस उपयोग पर विचार किया जाता है जो भौतिक रूप से संभव है, विधिक रूप से स्वीकार्य है तथा वित्तीय रूप से व्यावहारिक है, और यह उपयोग इस प्रकार है:
- (क) भौतिक रूप से संभव उपयोग इस बात पर विचार करता है कि आस्ति की भौतिक विशेषताएं क्या हैं जिन्हें बाजार प्रतिभागी आस्ति की (जैसेकि संपत्ति किस स्थान पर है या उसका आकार क्या है) कीमत का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखता है;
 - (ख) विधिक रूप से स्वीकार्य उपयोग इस बात पर विचार करता है कि आस्ति के उपयोग पर कहीं कोई कानूनी प्रतिबंध तो नहीं है जिन पर बाजार प्रतिभागी उसके मूल्य के निर्धारण पर विचार करता है (जैसेकि संपत्ति पर क्षेत्रीय विनियम क्या है);
 - (ग) वित्तीय रूप से व्यावहारिक उपयोग, इस बात पर विचार करता है कि क्या आस्ति का उपयोग भौतिक रूप से संभव होने तथा विधिक रूप से स्वीकार्य होने के साथ-साथ बाजार प्रतिभागियों द्वारा आस्ति के उस उपयोग के लिए किए गए निवेश पर

अपेक्षित प्रतिफल कमाने के लिए पर्याप्त आय या नकद प्रवाह का (आस्ति के उस उपयोग की परिवर्तन लागतों पर विचार करते हुए) सृजन होता है।

29. अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग बाजार प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया जाता है, भले ही, कोई प्रतिष्ठान उसके अलग उपयोग के बारे में मंशा रखता हो। तथापि, प्रतिष्ठान के गैर-वित्तीय आस्ति के मौजूदा उपयोग को तब तक इसका अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग मान लिया जाता है जब तक कि बाजार या अन्य तत्व यह सुझाव न दें कि बाजार प्रतिभागियों द्वारा भिन्न उपयोग के किये जाने से आस्ति का मूल्य अधिक होगा।
30. अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति के संरक्षण या किसी अन्य कारणों से, एक प्रतिष्ठान अधिगृहीत गैर-वित्तीय आस्ति का सक्रिय उपयोग नहीं करने की मंशा रख सकता है अथवा वह आस्ति का उपयोग अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग नहीं करना चाहता जैसे कि वह एक अधिगृहीत अमूर्त आस्ति का ऐसा मामला हो कि प्रतिष्ठान दूसरों को इसका उपयोग करने से रोकने के लिए इसके प्रतिरक्षात्मक प्रयोग की योजना बनाए। तथापि, प्रतिष्ठान बाजार प्रतिभागियों द्वारा इसका अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग मानकर गैर-वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य का माप करेगा।

गैर-वित्तीय आस्तियों के लिये मूल्यांकन आधार

31. गैर-वित्तीय आस्तियों का अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग आस्ति के उचित मूल्य माप के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन आधार निम्न प्रकार स्थापित करता है:

(क) गैर-वित्तीय आस्ति का अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग बाजार प्रतिभागियों के द्वारा अन्य आस्तियों के साथ मिलाकर एक समूह के रूप में (उपयोग के लिए संस्थापित करके अथवा अन्यथा विन्यास करके) या फिर अन्य आस्तियों एवं दायित्वों के साथ मिलाकर (जैसे कि व्यवसाय के रूप में) इसके उपयोग द्वारा अधिकतम मूल्य उपलब्ध करा सकता है।

(i) यदि आस्ति का उच्चतम एवं सर्वोत्तम उपयोग अन्य आस्तियों के साथ अथवा अन्य आस्तियों एवं दायित्वों के साथ संयोजन करके किया जाता है तो आस्ति का उचित मूल्य वह कीमत होती है जो आस्ति को बेचने के लिये वर्तमान लेन-देन में प्राप्त होगा यह मानते हुए कि आस्ति का उपयोग अन्य आस्तियों के साथ अथवा आस्तियों एवं दायित्वों के साथ किया जाएगा और यह कि वे आस्तियां एवं दायित्व (अर्थात् इसकी पूरक आस्तियां और संबंधित दायित्व) बाजार प्रतिभागियों को उपलब्ध होंगे।

(ii) आस्ति एवं पूरक आस्तियों के साथ संबंधित दायित्वों में वे दायित्व सम्मिलित होते हैं जो कार्यशील पूंजी का निधिकरण करते हैं, किन्तु उन दायित्वों को सम्मिलित नहीं करते हैं जो आस्तियों के समूह के अंतर्गत सम्मिलित आस्तियों से भिन्न आस्तियों के निधिकरण करने के लिए प्रयुक्त होते हैं।

(iii) गैर-वित्तीय आस्तियों के अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग के बारे में मान्यताएं आस्तियों के समूह अथवा आस्तियों एवं दायित्वों के समूह जिसके अंतर्गत आस्ति प्रयुक्त होगी, की सभी आस्तियों (जिनके लिए अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग सुसंगत है) के लिए संगत होगी।

(ख) गैर-वित्तीय आस्ति का अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग बाजार प्रतिभागियों को स्वचलित होने के आधार पर अधिकतम मूल्य दे सकता है। यदि आस्ति का अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग इसके स्वचलित होने के आधार पर होता है तो आस्ति उचित मूल्य वह कीमत है जो आस्ति को बाजार प्रतिभागियों को आस्ति के स्वचलित होने के आधार पर उपयोग के लिए वर्तमान लेन-देन में प्राप्त होता है।

32. गैर-वित्तीय आस्ति का उचित मूल्य माप यह मानता है कि आस्ति को अन्य भारतीय लेखा मानकों में विनिर्दिष्ट लेखा इकाई के साथ (जो एक अलग आस्ति हो सकती है) संगत रूप से बेचा जाता है। यह एक ऐसा मामला है, जिसमें भले ही, उचित मूल्य माप यह मानता है कि आस्ति का अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग इसका अन्य आस्तियों के साथ या अन्य आस्तियों एवं दायित्वों के साथ संयुक्त रूप से उपयोग में लाया जा सकता है क्योंकि उचित मूल्य माप यह मानता है कि बाजार प्रतिभागी पहले से ही पूरक आस्तियां एवं संबंधित दायित्व धारण करता है।

33. अनुच्छेद ख 3 गैर-वित्तीय आस्तियों के मूल्यांकन आधार की अवधारणा के प्रयोग का वर्णन करता है।

दायित्वों तथा प्रतिष्ठान की निजी इक्विटी लिखतों के लिए प्रयोग

सामान्य सिद्धांत

34. उचित मूल्य माप यह मानता है कि वित्तीय या गैर-वित्तीय दायित्व अथवा प्रतिष्ठान की निजी इक्विटी लिखत (उदाहरण के लिए, व्यावसायिक संयोजन में प्रतिफल के रूप में निर्गत इक्विटी हित) माप की तारीख को बाजार प्रतिभागी को अंतरित कर दिया जाता है। दायित्व या एक प्रतिष्ठान की निजी इक्विटी लिखत का अंतरण निम्न धारणाएं हैं:

- (क) दायित्व बकाया रहेगी तथा अंतरिती बाजार प्रतिभागी द्वारा बाध्यता पूरा करना अपेक्षित होगा। माप तारीख को प्रतिपक्ष (काउन्टर पार्टी) के साथ दायित्व का निपटारा या किसी अन्य प्रकार से निर्वापन नहीं किया जाएगा।
- (ख) प्रतिष्ठान की निजी इक्विटी लिखत बकाया रहेगी तथा अंतरिती बाजार प्रतिभागी लिखत से संबंधित अधिकार एवं उत्तरदायित्वों को ग्रहण करेगा। माप तिथि को लिखत रद्द या अन्य प्रकार से निर्वापित नहीं होगी।
35. यद्यपि प्रतिष्ठान का दायित्व या निजी इक्विटी लिखत के अंतरण की (जैसे कि संविदागत या अन्य विधिक प्रतिबंध ऐसी मदों के अन्तरण को रोकते हैं) कीमत-निर्धारण संबंधी सूचना देने के लिए कोई बाजार प्रत्यक्षदर्शी नहीं है फिर भी, ऐसे मदों के लिये प्रत्यक्षदर्शी बाजार हो सकते हैं यदि वे आस्तियों के रूप में (जैसेकि प्रतिष्ठान के अंशों पर कारपोरेट बॉण्ड या क्रय विकल्प) अन्य पक्षों द्वारा धारित हैं।
36. सभी मामलों में, प्रतिष्ठान सुसंगत प्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का अधिकतम उपयोग करेगा तथा अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का उपयोग न्यूनतम करेगा ताकि उचित मूल्य माप के उ को पूरा कर सके जो कि उस कीमत का अनुमान लगाना है जिस पर बाजार प्रतिभागियों के बीच वर्तमान बाजार स्थितियों के अंतर्गत माप तिथि पर दायित्व या इक्विटी लिखत के अंतरण का सुव्यवस्थित लेन-देन होगा।

अन्य पक्षों द्वारा आस्तियों के रूप में धारित दायित्व और इक्विटी लिखतें

37. जब समरूप अथवा समान दायित्व या प्रतिष्ठान की निजी इक्विटी लिखत के अंतरण के लिए कोई अंकित कीमत उपलब्ध नहीं होती है तथा समरूप मद दूसरी पार्टी द्वारा एक आस्ति के रूप में धारित होती है, तो प्रतिष्ठान उस बाजार प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य में दायित्व या इक्विटी लिखत के उचित मूल्य का माप करेगा जो माप तारीख को आस्ति के रूप में समरूप मद को धारण करता है।
38. ऐसे मामलों में प्रतिष्ठान दायित्व अथवा इक्विटी लिखत के उचित मूल्य का माप निम्न प्रकार से करेगा:
- (क) दूसरे पक्ष द्वारा आस्ति के रूप में धारित समरूप मद की सक्रिय बाजार में अंकित कीमत का प्रयोग करके, यदि वह कीमत उपलब्ध है।
- (ख) यदि वह कीमत उपलब्ध नहीं है, तो अन्य प्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का प्रयोग करके, जैसेकि दूसरी पार्टी द्वारा एक आस्ति के रूप में धारित समरूप मद की उस बाजार में अंकित कीमत जो सक्रिय नहीं है।
- (ग) यदि उपर्युक्त (क) एवं (ख) में प्रत्यक्षदर्शी कीमतें उपलब्ध नहीं हैं तो दूसरी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके, जैसे:
- (i) आय पद्धति (जैसे कि वर्तमान मूल्य तकनीक जो उन भावी नकदी प्रवाहों पर विचार करती है जिन्हें प्रतिभागी दायित्व या इक्विटी लिखत को एक आस्ति के रूप में धारण करके प्राप्त करने की अपेक्षा करेगा; देखें अनुच्छेद ख 10 व ख 11 में)।
- (ii) बाजार पद्धति (जैसे कि अन्य पक्षों द्वारा आस्तियों के रूप में धारित समान दायित्वों या इक्विटी लिखतों की अंकित कीमतों का प्रयोग द्वारा; देखें अनुच्छेद ख 5-ख 7)।
39. प्रतिष्ठान दूसरी पार्टी द्वारा आस्ति के रूप में धारित दायित्व अथवा प्रतिष्ठान के निजी इक्विटी लिखत की अंकित कीमत में समायोजन करेगा यदि कुछ विशिष्ट कारक हैं जो आस्ति से संबंधित हैं परंतु दायित्व या इक्विटी लिखत के उचित मूल्य माप के लिए लागू नहीं हैं। प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेगा कि आस्ति की कीमत उस आस्ति की बिक्री को रोकने संबंधी प्रतिबंध के प्रभाव को प्रकट नहीं करती है। कुछ कारकों से यह निर्दिष्ट हो सकता है कि आस्ति की अंकित कीमत समायोजित की जानी चाहिए जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
- (क) आस्ति के लिए अंकित कीमत दूसरी पार्टी द्वारा आस्ति के रूप में धारित समान (किन्तु समरूप नहीं) दायित्व या इक्विटी लिखत से संबंधित होती है। (उदाहरण के लिए, दायित्व या इक्विटी लिखत की एक विशिष्ट विशेषता (यथा निर्गमकर्ता की साख गुणवत्ता) हो सकती है जो उस विशेषता से भिन्न हैं जो आस्ति के रूप में धारित समान दायित्व या इक्विटी लिखत के उचित मूल्य में दर्शित हो रही हैं)।
- (ख) आस्ति के लिए लेखा की इकाई वही नहीं होती है जैसा दायित्व या इक्विटी लिखत के लिए होती है। उदाहरण के लिए, दायित्व के संबंध में आस्ति की कीमत कुछ मामलों में उस पैकेज की संयोजित कीमत दर्शाती है जिसमें जारीकर्ता से प्राप्य राशियां तथा तृतीय-पक्ष ऋण वृद्धि, से प्राप्य राशियां दोनों, होती हैं। यदि दायित्व के लिए लेखा की इकाई संयोजित पैकेज के लिये नहीं है, तो उद्देश्य जारीकर्ता के दायित्व के उचित मूल्य का माप करना है, न कि संयोजित पैकेज का उचित मूल्य। अतएव, ऐसे मामलों में, प्रतिष्ठान तृतीय-पक्ष की ऋण वृद्धि के प्रभाव को हटाने के लिये आस्ति की अवलोकित हुई कीमत में समायोजन करेगा।

अन्य पक्षों द्वारा आस्ति के रूप में नहीं धारित किये गए दायित्व एवं इक्विटी लिखतें

40. जब किसी समरूप या समान दायित्व अथवा प्रतिष्ठान की निजी इक्विटी लिखत के अंतरण के लिये अंकित कीमत उपलब्ध नहीं होती है और वह समरूप मद अन्य पक्ष द्वारा आस्ति के रूप में धारित नहीं होती है, तब प्रतिष्ठान उस बाजार प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य में, जो दायित्व स्वीकार करता है अथवा इक्विटी पर दावा जारी करता है, मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके दायित्व या इक्विटी लिखत के उचित मूल्य का माप करेगा।
41. उदाहरण के लिये, जब वर्तमान मूल्य तकनीक का प्रयोग किया जाता है तब प्रतिष्ठान निम्नलिखित में से किसी पर विचार कर सकता है:
- (क) भावी नकदी प्रवाह जिसे बाजार प्रतिभागी बाध्यता की पूर्ति में खर्च करने की अपेक्षा करेगा उसमें प्रतिपूर्ति शामिल होगी जिसकी बाजार प्रतिभागी द्वारा बाध्यता को ग्रहण करने में आवश्यकता होगी (देखें अनुच्छेद ख 31-ख 33)
 - (ख) वह राशि जो बाजार प्रतिभागी उन धारणाओं का प्रयोग करके समरूप दायित्व अथवा इक्विटी लिखत में प्रवेश करने या जारी करने से प्राप्त करता, जिसे बाजार प्रतिभागी मुख्य (अथवा अधिकतम लाभप्रद) बाजार में दायित्व या इक्विटी लिखत उसी संविदागत शर्तों पर जारी करने के लिये तब प्रयोग करेगा जब समरूप मद (उदाहरण के लिए, एक जैसी ऋण विशिष्टताएं होने पर) का कीमत निर्धारण किया जाएगा।

गैर-निष्पादन जोखिम

42. दायित्व का उचित मूल्य गैर-निष्पादन जोखिम के प्रभाव को दर्शित करता है। गैर-निष्पादन जोखिम में प्रतिष्ठान का अपना ऋण जोखिम शामिल होता है, किन्तु वह वहीं तक सीमित नहीं रह सकता है (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 107, *वित्तीय लिखतें: प्रकटन* में वर्णित है)। गैर-निष्पादन जोखिम को दायित्व के अंतरण के पहले और बाद में समान मान लिया जाता है।
43. दायित्व के उचित मूल्य का माप करते समय, प्रतिष्ठान इसके ऋण जोखिम (साख स्थिति) तथा किसी अन्य कारकों के प्रभाव पर विचार करेगा जो इस संभावना को प्रभावित कर सकते हैं कि बाध्यता की पूर्ति हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती वह प्रभाव दायित्व के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, उदाहरण के लिये:
- (क) क्या दायित्व नकदी परिदान करने (वित्तीय दायित्व) की बाध्यता है या माल के परिदान या सेवाएँ देने (गैर-वित्तीय दायित्व) की बाध्यता है।
 - (ख) दायित्व से संबंधित ऋण वृद्धि की शर्तें, यदि कोई हो।
44. दायित्व का उचित मूल्य इसकी लेखा इकाई के आधार पर गैर-निष्पादन जोखिम के प्रभाव को दर्शित करता है। अपृथक्करणीय तृतीय-पक्ष ऋण वृद्धि के साथ जारी दायित्व का जारीकर्ता, जिसे दायित्व से पृथक् रूप से हिसाब में लिया जाता है, दायित्व के उचित मूल्य माप में ऋण वृद्धि (उदाहरण के लिए तृतीय-पक्ष द्वारा ऋण की प्रत्याभूति) के प्रभाव को शामिल नहीं करेगा। यदि ऋण वृद्धि को दायित्व से पृथक् रूप से हिसाब में लिया जाता है तो जारीकर्ता दायित्व के उचित मूल्य का माप करते समय अपनी साख स्थिति पर विचार करेगा और तृतीय-पक्ष प्रत्याभूति-दाता पर विचार नहीं करेगा।

दायित्व अथवा प्रतिष्ठान के निजी इक्विटी लिखत के अंतरण को रोकने पर प्रतिबंध

45. जब दायित्व अथवा एक प्रतिष्ठान के निजी इक्विटी लिखत के उचित मूल्य का माप किया जाता है तो प्रतिष्ठान उस प्रतिबंध के विद्यमान रहने से संबंधित पृथक् निविष्टि या अन्य *निविष्टियों* के लिए समायोजन को शामिल नहीं करेगा जो मद के अंतरण को रोकता (बाधित करता) है। उस प्रतिबंध का प्रभाव जो दायित्व अथवा प्रतिष्ठान के निजी इक्विटी लिखत के अंतरण को रोकता है, उचित मूल्य माप की अन्य निविष्टियों में या तो अस्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से सम्मिलित होता है।
46. उदाहरणार्थ, लेन-देन की तारीख को लेनदार और बाध्यताधारी दोनों ने इसकी पूरी जानकारी रखते हुए दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य को स्वीकार किया है कि बाध्यता में वह प्रतिबंध शामिल है जो इसके अंतरण को रोकता है। लेन-देन कीमत में प्रतिबंध के सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप पृथक् निविष्टि या मौजूदा निविष्टि के लिये समायोजन द्वारा माप तारीख पर अंतरण होने पर प्रतिबंध का प्रभाव दर्शित होना अपेक्षित नहीं होता है। इसी तरह से एक पृथक् निविष्टि या मौजूदा निविष्टि के लिए समायोजन द्वारा परवर्ती माप की तारीखों में अंतरण होने पर प्रतिबंध का प्रभाव दर्शित करना अपेक्षित नहीं होता है।

मांग विशेषता के साथ वित्तीय दायित्व

47. मांग विशेषता वाली वित्तीय दायित्व (उदाहरण के लिए मांग जमा) का उचित मूल्य मांग पर देय राशि से कम नहीं होता है जिसे उस प्रथम तिथि से बट्टागत किया गया है जिस तिथि पर उस राशि का भुगतान करना अपेक्षित हो।

बाजार जोखिमों अथवा प्रतिपक्ष ऋण जोखिम में समंजन स्थितियों सहित वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के लिए प्रयोग

48. एक प्रतिष्ठान जो वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के समूह को धारण करता है, वह प्रत्येक प्रतिपक्षों के बाजार जोखिमों (जैसा भारतीय लेखा मानक 107 में परिभाषित है) तथा ऋण जोखिम (जैसा भारतीय लेखा मानक 107 में परिभाषित है) के प्रति

अभिदर्शित होता है। यदि प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के उस समूह का संचालन बाजार जोखिमों या ऋण जोखिम के प्रति इसके शुद्ध अभिदर्शन के आधार पर करता है तो प्रतिष्ठान को उचित मूल्य मापने के लिये इस भारतीय लेखा मानक के अपवाद को लागू करने की अनुमति है। वह अपवाद प्रतिष्ठान को उस कीमत के आधार पर वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्य को मापने के लिये अनुमति देता है जिसे वर्तमान बाजार स्थितियों के अंतर्गत माप तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच सुव्यवस्थित लेन-देन में एक विशिष्ट जोखिम अभिदर्शन के लिए शुद्ध अधिक्रय (अर्थात् एक आस्ति) को बेचने के लिये प्राप्त किया जाएगा या एक विशिष्ट जोखिम अभिदर्शन के लिये शुद्ध अधिविक्रय (अर्थात् एक दायित्व) के अंतरण के लिये भुगतान किया जाएगा। तदनुसार, प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के समूह के उचित मूल्य का माप उस अनुरूप करेगा जिस तरह से बाजार प्रतिभागी माप तिथि को शुद्ध जोखिम अभिदर्शन की कीमत का निर्धारण करेंगे।

49. प्रतिष्ठान को अनुच्छेद 48 में अपवाद के उपयोग की अनुमति केवल तब दी जाती है यदि प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी करता है:
 - (क) प्रतिष्ठान के प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन या निवेश नीति के अनुसार विशिष्ट बाजार जोखिम (या जोखिमों) या विशेष प्रतिपक्ष के ऋण जोखिम के प्रति प्रतिष्ठान के शुद्ध अभिदर्शन के आधार पर वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के समूह का प्रबंध करता है;
 - (ख) प्रतिष्ठान के प्रमुख प्रबंध कार्मिकों को वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के समूह के बारे में उस आधार पर सूचना देता है जैसाकि भारतीय लेखा मानक 24, *संबंधित पक्ष के संबंध में प्रकटन* में परिभाषित है; तथा
 - (ग) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में तुलन-पत्र में उचित मूल्य पर उन वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों का माप अपेक्षित है या मापने का चुनाव किया है।
50. अनुच्छेद 48 में अपवाद वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण से संबंधित नहीं होता है। कुछ मामलों में तुलन-पत्र में वित्तीय लिखतों के प्रस्तुतिकरण का आधार वित्तीय लिखतों के माप के आधार से भिन्न होता है, उदाहरण के लिये, यदि भारतीय लेखा मानक वित्तीय लिखतों को शुद्ध आधार पर प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा नहीं करता है या अनुमति नहीं देता ऐसे मामलों में प्रतिष्ठान द्वारा उन अलग आस्तियों या दायित्वों को, जो वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों का समूह बनाती है, प्रतिष्ठान के शुद्ध जोखिम अभिदर्शन के आधार पर, पोर्टफोलियों स्तरीय समायोजनों का आवंटन करना अपेक्षित हो सकता है प्रतिष्ठान परिस्थितियों के लिए समुचित पद्धति का प्रयोग करके युक्तियुक्त एवं संगत आधार पर ऐसे आवंटनों का निष्पादन करेगा।
51. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां* के अनुसार अनुच्छेद 48 में अपवाद का प्रयोग करने के लिये लेखा नीति का निर्णय करेगा। प्रतिष्ठान जो अपवाद का प्रयोग करता है, बोली-प्रस्तावित समायोजनों (देखें अनुच्छेद 53-55) तथा साख समायोजनों (देखें अनुच्छेद 56), यदि लागू हो, के आवंटन के लिये किसी विशिष्ट पोर्टफोलियों हेतु अवधि दर अवधि उस लेखा नीति को संगत रूप से लागू करेगा।
52. अनुच्छेद 48 का अपवाद केवल, भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें*, के कार्यक्षेत्र में आने वाली वित्तीय आस्तियों, वित्तीय दायित्वों और अन्य अनुबंधों पर लागू होगा। अनुच्छेद 48-51 तथा 53-56 में दिये गए वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के संदर्भों को उन सभी अनुबंधों पर लागू होते हुए पढ़ना चाहिए जो भारतीय लेखा मानक 109 के कार्यक्षेत्र में हैं तथा जिनका लेखा इस मानक के अनुसार किया गया है चाहे वह भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतिकरण*, के अनुसार वित्तीय आस्तियों या वित्तीय दायित्वों की परिभाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है।

बाजार जोखिमों का अभिदर्शन

53. किसी विशेष बाजार जोखिम (या जोखिमों) के प्रति प्रतिष्ठान के शुद्ध प्रदर्शन के आधार पर संचालित वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के समूह के उचित मूल्य को मापने के लिये अनुच्छेद 48 में दिए गए अपवाद का प्रयोग करते समय प्रतिष्ठान बोली प्रस्तावित विस्तार के अधीन उस कीमत को लागू करेगा जो उन बाजार जोखिमों के प्रति प्रतिष्ठान के शुद्ध प्रदर्शन की परिस्थितियों में उचित मूल्य का सर्वाधिक प्रतिनिधि होता है (देखें अनुच्छेद 70 व 71)।
54. अनुच्छेद 48 में दिए गए अपवाद का प्रयोग करते समय, प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेगा कि बाजार जोखिम (अथवा जोखिमों) जिससे प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के उस समूह के अंतर्गत अभिदर्शित है, मूलतः समान है। उदाहरण के लिये, प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति से संबद्ध ब्याज दर जोखिम को वित्तीय दायित्व से संबद्ध वस्तु-कीमत जोखिम के साथ नहीं सम्मिलित करेगा क्योंकि ऐसा करके प्रतिष्ठान का ब्याज दर जोखिम या वस्तु कीमत जोखिम अनुमान के लिए अभिदर्शन कम नहीं होगा। अनुच्छेद 48 में अपवाद का प्रयोग करते समय, अभिदर्शन बाजार जोखिम मानदण्डों के परिणामस्वरूप किसी आधार जोखिम जो समरूप नहीं हों, को समूह के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्य माप के समय विचार में रखा जाएगा।
55. इसी तरह, वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों से उत्पन्न किसी विशेष बाजार जोखिम (या जोखिमों) के प्रति प्रतिष्ठान के अभिदर्शन की समयावधि मूलतः समान होगी। उदाहरण के लिये, एक प्रतिष्ठान जो केवल उन वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों से बने समूह के अन्दर पांच-वर्षीय वित्तीय लिखत पर 12 महीने के ब्याज दर जोखिम के प्रति अभिदर्शन से संबंधित नकदी

प्रवाहों के विरुद्ध 12 महीने के भावी संविदा सौदे का प्रयोग करता है, 12 महीने के ब्याज दर जोखिम के प्रति अभिदर्शन की उचित मूल्य का माप शुद्ध आधार पर तथा शेष ब्याज दर जोखिम के प्रति अभिदर्शन (अर्थात् 2-5 वर्ष) के उचित मूल्य का माप सकल आधार पर करता है।

किसी विशेष प्रतिपक्ष के ऋण जोखिम के प्रति अभिदर्शन

56. किसी विशेष प्रतिपक्ष के साथ निविष्ट वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के समूह के उचित मूल्य को मापने के लिये अनुच्छेद 48 में अपवाद का प्रयोग करते समय प्रतिष्ठान उस प्रतिपक्ष के ऋण जोखिम के प्रति प्रतिष्ठान के शुद्ध अभिदर्शन या प्रतिष्ठान के ऋण जोखिम के प्रति प्रतिपक्ष के शुद्ध अभिदर्शन के प्रभाव को उचित मूल्य के माप में सम्मिलित करेगा जब बाजार प्रतिभागी किसी मौजूदा व्यवस्थाओं पर विचार करेगा जो व्यक्तिगत होने पर ऋण जोखिम अभिदर्शन को कम करता है (जैसे, प्रतिपक्ष के साथ मानक अथवा वैसा करार जो दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम के प्रति प्रत्येक पक्ष के शुद्ध अभिदर्शन के आधार पर संपार्श्विक विनिमय की अपेक्षा करता है)। उचित मूल्य माप उन संभावनाओं के बारे में बाजार प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को दर्शित करेगा जिनमें व्यक्तिगत होने की स्थिति में ऐसी व्यवस्था वैध रूप से प्रवर्तनीय होगी।

प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य

57. जब किसी आस्ति या दायित्व के लिए विनिमय लेन-देन में आस्ति को अधिगृहीत किया जाता है या दायित्व को ग्रहण किया जाता है तब लेन-देन कीमत वह कीमत होती है जो आस्ति को अधिगृहीत करने के लिये अदा की जाती है या दायित्व ग्रहण करने के लिए प्राप्त किया जाता है (एक प्रवेश कीमत)। इसके प्रतिकूल, आस्ति या दायित्व का उचित मूल्य वह कीमत होती है जो आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (निर्गम कीमत)। प्रतिष्ठान उनके अधिग्रहण करने के लिए भुगतान किये गए कीमत पर आस्तियों को अनिवार्यतया नहीं बेचते हैं। इसी तरह से, प्रतिष्ठान दायित्वों को धारण करने के लिए प्राप्त कीमतों पर उनका अनिवार्यतया अंतरण नहीं करता है।
58. अधिकांश मामलों में लेन-देन कीमत उचित मूल्य के बराबर होगी (उदाहरण के लिए ऐसी स्थिति हो सकती है जब बाजार में आस्ति खरीदने के लिये लेन-देन की तारीख को उसी बाजार में लेन-देन होता है जिसमें आस्ति बेची जाएगी)।
59. जब यह निर्धारण किया जाता है कि उचित मूल्य प्रारंभिक मान्यता पर लेन-देन कीमत के बराबर होती है या नहीं, तब प्रतिष्ठान उन कारकों पर विचार करेगा जो लेन-देन तथा आस्ति या दायित्व के लिये विशिष्ट है। अनुच्छेद ख4 उन स्थितियों का वर्णन करता है जिनमें लेन-देन की कीमत प्रारंभिक मान्यता पर आस्ति या दायित्व के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
60. यदि कोई दूसरा भारतीय लेखा मानक किसी आस्ति या दायित्व को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापने की अपेक्षा करता है या अनुमति देता है और लेन-देन कीमत उचित मूल्य से भिन्न हो तो प्रतिष्ठान परिणामी लाभ (गेन) या हानि को लाभ या हानि में तब तक मान्यता देता रहेगा जब तक कि वह भारतीय लेखा मानक अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता है।

मूल्यांकन तकनीकें

61. प्रतिष्ठान उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करेगा जो उन परिस्थितियों में उचित होती हैं तथा जिनके लिए उचित मूल्य मापने के लिए सुसंगत प्रत्यक्षदर्शी (दृष्टिगोचर) निविष्टियों के प्रयोग को अधिकतम करते हुए और अप्रत्यक्षदर्शी (अदृष्टिगोचर) निविष्टियों के प्रयोग को न्यूनतम करते हुए पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध होते हैं।
62. मूल्यांकन तकनीक के प्रयोग करने का उद्देश्य उस कीमत का अनुमान करना है जिस पर बाजार प्रतिभागियों के बीच वर्तमान बाजार स्थितियों के अंतर्गत माप की तारीख पर आस्ति को बेचने या दायित्व के अंतरण करने के लिये सुव्यवस्थित लेन-देन होगा। व्यापक रूप से प्रयुक्त तीन मूल्यांकन तकनीकें बाजार दृष्टिकोण, लागत दृष्टिकोण तथा आय दृष्टिकोण हैं। उन दृष्टिकोणों के मुख्य पहलुओं को अनुच्छेद ख5-ख11 में संक्षेप में दिया गया है। प्रतिष्ठान उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करेगा जो उचित मूल्य मापने के लिए इन दृष्टिकोणों में से एक या अधिक से संगत रूप में हों।
63. कुछ मामलों में, एक ही मूल्यांकन तकनीक उपयुक्त होती है (जैसेकि समरूप आस्तियों या दायित्वों के लिए सक्रिय बाजार में अंकित कीमतों का प्रयोग करते हुए आस्ति या दायित्व का मूल्य निर्धारित करना)। अन्य मामलों में विविध मूल्यांकन तकनीकें उपयुक्त होंगी (जैसेकि ऐसा मामला जब नकदी-सृजक इकाई का मूल्यांकन करना)। यदि विविध मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग उचित मूल्य मापने के लिए किया जाता है तो परिणामों (यथा उचित मूल्य के संबंधित संकेत)का मूल्यांकन उन परिणामों द्वारा उपदर्शित मूल्यों की सीमा के औचित्य पर विचार करके किया जाएगा। उचित मूल्य माप उस सीमा के अंदर वह बिंदु होता है जो उन परिस्थितियों में उचित मूल्य का सर्वोत्तम प्रतिनिधि होता है।
64. यदि प्रारंभिक मान्यता पर लेन-देन कीमत उचित मूल्य होता है तथा परवर्ती अवधियों में उचित मूल्य मापने के लिए उस तकनीक का प्रयोग होगा जो अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का प्रयोग करती है, मूल्यांकन तकनीक अंशशोधित होगा ताकि प्रारंभिक मान्यता पर मूल्यांकन तकनीक का परिणाम लेन-देन कीमत के बराबर हो जाए। अंशशोधन यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन तकनीक वर्तमान बाजार स्थितियों को दर्शितकरें तथा, प्रतिष्ठान को यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि मूल्यांकन तकनीक में

समायोजन आवश्यक है या नहीं (उदाहरण के लिए आस्ति या दायित्व की ऐसी विशिष्टता हो सकती है जो मूल्यांकन तकनीक द्वारा अभिग्रहीत नहीं होती है)। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात् उचित मूल्य के माप के लिए मूल्यांकन तकनीक या उन मूल्यांकन तकनीकों, जो अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते समय प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेगा कि वे मूल्यांकन तकनीकों के माप तिथि को प्रत्यक्षदर्शी बाजार आँकड़ें (उदाहरण के लिए समान तरह की आस्ति या दायित्व की कीमत) को उपदर्शित करे।

65. उचित मूल्य मापने के लिये प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों को संगत रूप से लागू किया जाएगा। तथापि, मूल्यांकन तकनीक या इसके प्रयोग में परिवर्तन (उदाहरण के लिए जब विविध मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है तब इसके भारिता में परिवर्तन होना या मूल्यांकन तकनीक में प्रयोग किए गए समायोजन में परिवर्तन) तब उपयुक्त होता है यदि परिवर्तन का परिणाम ऐसा माप होता है जो उन परिस्थितियों में उचित मूल्य का समान या अधिक प्रतिनिधि होता है। उदाहरण स्वरूप वैसा मामला तब हो सकता है जब निम्नलिखित में से कोई भी एक घटना घटती हो:
- (क) नये बाजारों का विकास;
 - (ख) नयी सूचना उपलब्ध होना;
 - (ग) पूर्व में प्रयुक्त सूचना जो अब उपलब्ध नहीं है;
 - (घ) मूल्यांकन तकनीकों में सुधार; या
 - (ङ) बाजार स्थितियों में परिवर्तन।
66. मूल्यांकन तकनीक या इसके प्रयोग में परिवर्तन होने के फलस्वरूप संशोधन का लेखा भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के रूप में किया जाएगा। फिर भी, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन के लिये भारतीय लेखा मानक 8 द्वारा अपेक्षित प्रकटन उन संशोधनों के लिये अपेक्षित नहीं होते हैं जो मूल्यांकन तकनीक या इसके प्रयोग में परिवर्तन होने के फलस्वरूप होते हैं।

मूल्यांकन तकनीकों की निविष्टियां

सामान्य सिद्धांत

67. उचित मूल्य मापने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों सुसंगत प्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों के प्रयोग को अधिकतम तथा अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों के प्रयोग को न्यूनतम करेगी।
68. बाजारों के ऐसे उदाहरणों में, जिनमें निविष्टियां कुछ आस्तियों तथा दायित्वों (उदाहरण के लिए वित्तीय लिखतों) के लिये प्रत्यक्षदर्शी हो सकती है, विनिमय बाजार, व्यवहारी बाजार, दलाल बाजार तथा प्रिंसिपल-से-प्रिंसिपल बाजार शामिल होते हैं (देखें अनुच्छेद ख 34)।
69. प्रतिष्ठान उन निविष्टियों (इन्पुट्स) का चयन करेगा जो आस्तियों एवं दायित्वों की विशिष्टताओं के संगत में होती हैं और जिन्हें बाजार प्रतिभागी आस्ति या दायित्व के लेन-देन में हिसाब में लेंगे (देखें अनुच्छेद 11 एवं 12)। कुछ मामलों, में उन विशिष्टताओं का परिणाम समायोजन का प्रयोग, जैसेकि प्रीमियम या बट्टा, होता है (उदाहरण के लिए नियंत्रण प्रीमियम या गैर-नियंत्रण हित-बट्टा)। तथापि, उचित मूल्य माप उस प्रीमियम या बट्टा को सम्मिलित नहीं करेगा जो उस भारतीय लेखा मानक में लेखा इकाई के अनुरूप नहीं होता है जो उचित मूल्य माप की अपेक्षा करता है या उसकी अनुमति देता है (देखें अनुच्छेद 13 व 14)। ऐसे प्रीमियम या बट्टे को जो परिमाण को प्रतिष्ठान की धारित पूँजी की विशिष्टता (विशेष रूप से अवरोधक कारक जो आस्ति या दायित्व के अंकित मूल्य का समायोजन करता है क्योंकि बाजार की सामान्य दैनिक ट्रेडिंग मात्रा प्रतिष्ठान द्वारा धारित मात्रा को आमेलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है जैसे अनुच्छेद 80 में वर्णित है) के रूप में उपदर्शित करते हैं न कि आस्ति या दायित्व की विशिष्टता के रूप में (उदाहरण के लिए नियंत्रण हित के उचित मूल्य के माप के लिए नियंत्रण प्रीमियम), उचित मूल्य के माप में अनुज्ञात नहीं है। यदि आस्ति या दायित्व के लिये सक्रिय बाजार में (जैसेकि स्तर 1 निविष्टि) अंकित मूल्य होता है तो प्रतिष्ठान सभी मामलों में उचित मूल्य का माप करते समय अनुच्छेद 79 में यथाविनिर्दिष्ट मूल्य को छोड़कर उस कीमत का प्रयोग करेगा।

बोली तथा प्रस्तावित कीमत पर आधारित निविष्टियां

70. यदि उचित मूल्य पर मापी गई आस्ति एवं दायित्व की बोली कीमत तथा प्रस्तावित कीमत (यथा व्यवहारी बाजार से किया गया निविष्टि) है तो बोली-प्रस्तावित विस्तार के अंतर्गत की वह कीमत, जो ऐसी परिस्थितियों में उचित मूल्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करती है उचित मूल्य के माप के लिए प्रयुक्त होगी, इससे निरपेक्ष रहकर कि निविष्टि को उचित मूल्य अनुक्रम (अर्थात् स्तरों 1,2 या 3; देखें अनुच्छेद 72-90) में कहाँ श्रेणीबद्ध किया जाता है। आस्ति स्थितियों के लिए बोली कीमतों तथा दायित्व स्थितियों के लिए प्रस्तावित कीमतों के प्रयोग की अनुमति तो दी जाती है लेकिन ऐसा करना अपेक्षित नहीं होता है।
71. यह भारतीय लेखा मानक मध्य बाजार मूल्य निर्धारण या अन्य मूल्य-निर्धारणों के प्रयोग को मना नहीं करता है जिसका बाजार प्रतिभागियों द्वारा बोली-प्रस्ताव विस्तार के अंतर्गत उचित मूल्य मापों के लिए व्यावहारिक उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है।

उचित मूल्य अनुक्रम

72. उचित मूल्य मापों तथा संबंधित प्रकटनों में एकरूपता एवं तुलनात्मक बढ़ाने के लिए यह भारतीय लेखा मानक अनुक्रम स्थापित करता है जो उचित मूल्य मापने के लिये प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों की निविष्टियों को तीन स्तरों में वर्गीकृत करता है (देखें अनुच्छेद 76-90)। उचित मूल्य अनुक्रम समरूप आस्तियों या दायित्वों (स्तर 1 निविष्टि) के लिये सक्रिय बाजार में अंकित कीमतों (गैर समायोजित) को अधिकतम प्राथमिकता देता है तथा अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों को (स्तर 3 निविष्टियाँ) न्यूनतम प्राथमिकता देता है।
73. कुछ मामलों में, आस्ति या दायित्व के उचित मूल्य का माप करने के लिए प्रयुक्त निविष्टियों को उचित मूल्य अनुक्रम के विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन मामलों में, उचित मूल्य माप को उचित मूल्य अनुक्रम के उसी स्तर में इसकी संपूर्णता में न्यूनतम स्तर की निविष्टि के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है जो समस्त माप के लिये महत्वपूर्ण होता है। समस्त माप के लिये किसी विशिष्ट निविष्टि के महत्व का निर्धारण करना आस्ति या दायित्व के लिये विशिष्ट कारकों पर विचार करते हुए निर्णय लेने की अपेक्षा करता है। उचित मूल्य पर आधारित मापों पर पहुँचने के लिये समायोजनों पर जैसे उचित मूल्य घटा विक्रय लागतों का माप करते समय विक्रय लागतें विचार नहीं किया जाएगा जब उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर का निर्धारण किया जाता है जिसके अंतर्गत उचित मूल्य मापों को वर्गीकृत किया जाता है।
74. सुसंगत निविष्टियों की उपलब्धता तथा उनकी संबंधित आत्मपरकता उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकों के चयन को प्रभावित कर सकता है (देखें अनुच्छेद 61)। तथापि, उचित मूल्य अनुक्रम मूल्यांकन तकनीकों की निविष्टियों को प्राथमिकता देता है, न कि उचित मूल्य मापने के लिये प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों को प्राथमिकता देता है। उदाहरणार्थ, वर्तमान मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गया उचित मूल्य माप उन निविष्टियों के आधार पर स्तर 2 या स्तर 3 के अंदर वर्गीकृत किया जा सकता है जो समस्त माप तथा उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जिसके अंतर्गत उन निविष्टियों को वर्गीकृत किया जाता है।
75. यदि एक प्रत्यक्षदर्शी निविष्टि एक अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टि का प्रयोग करके समायोजन की अपेक्षा करती है और उस समायोजन का परिणाम सार्थक रूप से अधिकतम या न्यूनतम उचित मूल्य माप के रूप में होता तो परिणामी माप को उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक बाजार प्रतिभागी आस्ति के लिए कीमत का अनुमान करते समय जब एक आस्ति की बिक्री पर लगे प्रतिबंध के प्रभाव को हिसाब में लेगा तब प्रतिष्ठान उस प्रतिबंध के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए अंकित कीमत का समायोजन करेगा। यदि वह अंकित कीमत स्तर 2 निविष्टि होती है तथा समायोजन एक अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टि होती है जो समस्त माप के लिये महत्वपूर्ण होती है तो माप को उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

स्तर 1 निविष्टियाँ

76. स्तर 1 निविष्टि सक्रिय बाजार में समरूप आस्तियों या दायित्वों के लिये वह अंकित कीमत (असमायोजित) जिसे प्रतिष्ठान माप तिथि को प्राप्त कर सकता है।
77. सक्रिय बाजार में अंकित कीमत उचित मूल्य का सर्वोत्तम विश्वसनीय साक्ष्य देता है तथा उचित मूल्य मापने के जब कभी भी उपलब्ध होगा, अनुच्छेद 79 में यथा विनिर्दिष्ट को छोड़कर, समायोजन के बिना प्रयोग किया जाएगा।
78. स्तर 1 निविष्टि अधिकांश वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के लिये उपलब्ध होगी जिनमें से कुछ विविध सक्रिय बाजारों में विनिमय हो सकते हैं (उदाहरण के लिए विभिन्न शेयर बाजारों पर)। इसलिये स्तर 1 के अंतर्गत निम्नलिखित दोनों के निर्धारण पर जोर दिया जाता है:
- (क) आस्ति या दायित्व के लिए मुख्य बाजार या मुख्य बाजार के नहीं होने पर आस्ति या दायित्व के लिये अधिकतम लाभप्रद बाजार; और
- (ख) क्या प्रतिष्ठान माप तिथि पर उस बाजार में कीमत पर आस्ति या दायित्व के लिये लेन-देन कर सकता है।
79. प्रतिष्ठान निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर स्तर 1 निविष्टि का समायोजन नहीं करेगा:
- (क) जब प्रतिष्ठान भारी संख्या में समान (किंतु समरूप नहीं) आस्तियों या दायित्वों (उदाहरणार्थ ऋण प्रतिभूतियों) को धारण करता है जिसे उचित मूल्य पर मापा जाता है, और जिनके लिए सक्रिय बाजार में अंकित कीमत उपलब्ध होती है किंतु उन आस्तियों या दायित्वों में से प्रत्येक के लिए पृथक रूप से तुरंत प्राप्य नहीं होता है (अर्थात् प्रतिष्ठान द्वारा धारित समान आस्तियों या दायित्वों की भारी संख्या के कारण प्रत्येक आस्ति या दायित्व की पृथक रूप से माप तिथि पर मूल्य-निर्धारण सूचना प्राप्त करना कठिन होगा)। उस मामले में, व्यावहारिक उपाय के रूप में प्रतिष्ठान उस वैकल्पिक मूल्य निर्धारण, प्रणाली का प्रयोग करके उचित मूल्य का माप कर सकता है जो पूर्णतया अंकित मूल्य पर निर्भर नहीं करती है (उदाहरण के लिए मैट्रिक्स मूल्य-निर्धारण)। तथापि, वैकल्पिक मूल्य-निर्धारण प्रणाली के प्रयोग का परिणाम उचित मूल्य अनुक्रम के निम्नतर स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत उचित मूल्य माप के रूप में होता है।
- (ख) जब एक सक्रिय बाजार में एक अंकित कीमत माप तिथि को उचित मूल्य के रूप में प्रदर्शित नहीं होती। ऐसा तब होता है यदि, उदाहरणस्वरूप, बाजार बंद होने के बाद परंतु माप-तिथि से पूर्व महत्वपूर्ण घटनाएं (जैसे कि प्रिंसिपल-प्रिंसिपल बाजार में

लेन-देन का दलाल बाजार में व्यापार या घोषणाएं घटित हो जाएं। एक प्रतिष्ठान उन घटनाओं की पहचान के लिए जो उचित मूल्य मापों को प्रभावित कर सकती हैं, एक नीति बनाएगा और जिसे संगत रूप से इस्तेमाल भी किया जाएगा। लेकिन, यदि अंकित कीमत को किसी नई सूचना के लिए समायोजित किया जाता है तो समायोजन का परिणाम वह उचित मूल्य माप होता है जिसे उचित मूल्य अनुक्रम में निम्नतर स्तर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- (ग) जब एक सक्रिय बाजार में एक आस्ति के रूप में व्यापारित समरूप मद के लिए अंकित कीमत, का प्रयोग करते हुए एक दायित्व या प्रतिष्ठान की निजी इक्विटी लिखत के उचित मूल्य का माप किया जाता है तब उस कीमत को मद या आस्ति (देखें अनुच्छेद 39) के विशिष्ट कारकों के लिए समायोजित किया जाना आवश्यक है। यदि आस्ति की अंकित कीमत में कोई समायोजन करना आवश्यक न हो, तो परिणामस्वरूप मूल्य उचित मूल्य माप होगा और वह उचित मूल्य अनुक्रम में स्तर 1 की श्रेणी में आएगा। लेकिन, यदि आस्ति के अंकित मूल्य में कोई समायोजन किया जाता है तो परिणामस्वरूप उचित मूल्य माप, उचित मूल्य अनुक्रम के निम्नतर स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत होगा।
80. यदि एक प्रतिष्ठान एकल आस्ति या दायित्व (जिसमें एक जैसी अनेक आस्तियां या दायित्व सम्मिलित हैं, जैसेकि वित्तीय लिखतों में धारिता) में धारिता रखता है और वह आस्ति या दायित्व का सक्रिय बाजार में व्यापार होता है तो उस आस्ति या दायित्व का उचित मूल्य पृथक आस्ति या दायित्व की अंकित कीमत और प्रतिष्ठान द्वारा धारित मात्रा के गुणनफल के रूप में स्तर 1 के अन्तर्गत मापा जाएगा। यह उस स्थिति में भी होगा जब बाजार की सामान्य व्यापारिक मात्रा धारित मात्रा को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो और धारिता को एक लेन-देन के रूप में बेचने के लिए आर्डर दिया जाए तो उससे अंकित कीमत प्रभावित होगी।

स्तर 2 निविष्टियां

81. स्तर 2 की निविष्टियां वे निविष्टियां हैं जो स्तर 1 के अन्तर्गत उस अंकित मूल्य के अलावा हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आस्ति या दायित्व के लिए प्रत्यक्षदर्शी हैं।
82. यदि आस्ति या दायित्व की एक निर्दिष्ट (संविदात्मक) अवधि है, तो स्तर 2 की निविष्टि आस्ति या दायित्व की पूर्ण अवधि के लिए सारभूत प्रत्यक्षदर्शी होनी चाहिए। स्तर 2 की निविष्टियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
- (क) सक्रिय बाजारों में समान आस्तियों या दायित्वों की अंकित कीमतें।
- (ख) ऐसे बाजारों में, जो सक्रिय नहीं हैं, समरूप या समान आस्तियों या दायित्वों की अंकित कीमतें।
- (ग) आस्ति या दायित्व की प्रत्यक्षदर्शी अंकित कीमतों को छोड़कर अन्य प्रकार की निविष्टियां उदाहरणस्वरूप:
- (i) सामान्यतया अंकित अन्तरालों में प्रत्यक्षदर्शी ब्याज-दरें व लाभ वक्र।
- (ii) अन्तर्निहित अस्थिरता; और
- (iii) ऋण विस्तार।
- (घ) बाजार-समर्थित निविष्टियां।
83. स्तर 2 निविष्टियों का समायोजन आस्ति या दायित्व के कारक-विशेष के अनुसार अलग-अलग होता है। इन कारकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
- (क) आस्ति की स्थिति व स्थान;
- (ख) वह परिमाण जिस तक निविष्टियां उन मदों के संबंध रखती हैं जो आस्ति या दायित्व के (इसमें अनुच्छेद 39 में यथावर्णित कारक सम्मिलित हैं) साथ तुलनीय हैं; तथा
- (ग) उन बाजारों में, गतिविधियों की मात्रा या स्तर, जिनमें निविष्टियां दृष्टिगोचर हैं।
84. समग्र माप के लिए महत्वपूर्ण स्तर 2 का समायोजन उचित मूल्य माप को अनुक्रम के स्तर 3 की श्रेणी के रूप में हो सकता है यदि समायोजन महत्वपूर्ण अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का प्रयोग करता है।
85. अनुच्छेद ख-35 विशेष किस्म की आस्तियों व दायित्वों के लिए स्तर 2 की निविष्टियों के प्रयोग का वर्णन करता है।

स्तर 3 निविष्टियां

86. स्तर 3 की निविष्टियां आस्ति या दायित्व के लिए अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियां हैं।
87. अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का प्रयोग उस सीमा तक उचित मूल्य का माप करने के लिए किया जाएगा जबतक कि सुसंगत प्रत्यक्षदर्शी निविष्टियां उपलब्ध नहीं हैं और इस तरह से ऐसी स्थितियों की गुंजाइश रखी जाती है जहाँ माप तिथि को आस्ति या दायित्व के लिए बाजारगतिविधि बहुत ही कम हो, यदि कोई है तो। लेकिन, उचित मूल्य माप का उद्देश्य समान रहता है यानि बाजार प्रतिभागी की दृष्टि से जो आस्ति का धारक या दायित्व को ग्रहण करता है, वह माप तिथि को निर्गमकीमत होगी। अतः अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियां

उन मान्यताओं को प्रदर्शित करती हैं जिनका प्रयोग बाजार के प्रतिभागी आस्ति या दायित्व के कीमत के निर्धारण में करेंगे और इन मान्यताओं में जोखिम की मान्यताएं भी शामिल हैं।

88. जोखिम मान्यताओं में एक जोखिम वह है जो उचित मूल्य के माप (जैसे कि एक कीमत नमूना) की विशेष मूल्यांकन तकनीक में अन्तर्निहित है और दूसरा वह जोखिम है जो मूल्यांकन तकनीक की निविष्टियों में अन्तर्निहित है। एक माप जो जोखिम के समायोजन को शामिल नहीं करता उचित मूल्य के माप को प्रदर्शित नहीं करता यदि बाजार प्रतिभागी आस्ति या दायित्व की कीमत का निर्धारण करते समय उसे शामिल करेंगे। उदाहरणस्वरूप, उस समय जोखिम के लिए समायोजन करना आवश्यक हो सकता है जब एक महत्वपूर्ण माप अनिश्चितता हो (जैसे कि, एक आस्ति या दायित्व या समान आस्तियों या दायित्वों की सामान्य बाजार गतिविधियों की तुलना में गतिविधि की मात्रा या स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट हो जाए और प्रतिष्ठान इस बात का अवधारण करें कि लेन-देन कीमत या अंकित कीमत उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करती है, जैसा कि ख 37-ख 47 के अनुच्छेदों में वर्णित है)।
89. एक प्रतिष्ठान विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, जिसमें उसके अपने आंकड़ें भी शामिल हो सकते हैं, का प्रयोग करते हुए अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का सृजन करता है। अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का सृजन करने के लिए वह अपने आंकड़ों से शुरुआत करेगा लेकिन वह उन आंकड़ों में समायोजन करेगा यदि युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध सूचना यह इंगित करती है कि बाजार के अन्य प्रतिभागी अलग आंकड़ों का प्रयोग करेंगे या उस प्रतिष्ठान में कुछ ऐसा विशेष है जो उनके पास उपलब्ध नहीं है (जैसे कि प्रतिष्ठान-विशिष्टसहक्रिया)। प्रतिष्ठान के लिए यह जरूरी नहीं कि वह बाजार प्रतिभागी मान्यताओं की सूचना प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रयास करें। परंतु युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध बाजार प्रतिभागी मान्यताओं को प्रतिष्ठान विचार में रखेगा। ऊपर निर्दिष्ट तरीके से विकसित अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियां बाजार प्रतिभागी मान्यताओं के रूप में ली जाती हैं और वे उचित मूल्य माप के उद्देश्य को पूरा करती हैं।
90. अनुच्छेद ख 36 विशिष्ट आस्तियों और दायित्वों के लिए स्तर 3 की निविष्टियों के प्रयोग का वर्णन करता है।

प्रकटन

91. एक प्रतिष्ठान उस सूचना को प्रकट करेगा जो उसके वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को निम्नलिखित दोनों के निर्धारण में सहायता करती है:
- (क) उन आस्तियों व दायित्वों के लिए जो प्रारंभिक मान्यता के बाद तुलन-पत्र में आवर्ती या अनावर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, मूल्यांकन तकनीक और वे निविष्टियां जिन्हें उन मापों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है।
 - (ख) महत्वपूर्ण अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों (स्तर 3) का प्रयोग करते हुए आवर्ती उचित मूल्य मापों के लिए मापों का उस अवधि के लाभ या हानि पर या अन्य व्यापक आय पर प्रभाव।
92. अनुच्छेद 91 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी पर विचार करेगा:
- (क) उस विवरण का स्तर जो प्रकटन की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है;
 - (ख) विभिन्न अपेक्षाओं में से प्रत्येक पर कितना जोर दिया जाना है;
 - (ग) कितना संकलन या असंकलन किया जाना है; और
 - (घ) क्या वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को प्रकट परिमाणात्मक सूचना के मूल्यांकन के लिए कोई अतिरिक्त सूचना आवश्यक है।

यदि अनुच्छेद 91 में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस लेखा मानक और अन्य लेखा मानकों के अनुसरण में दिये गये प्रकटन पर्याप्त नहीं हैं, तो प्रतिष्ठान उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक अतिरिक्त सूचना को प्रकट करेगा।

93. अनुच्छेद 91 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एक प्रतिष्ठान प्रारंभिक मान्यता के बाद तुलन-पत्र में उचित मूल्य पर मापी आस्तियों (जिसमें इस लेखा मानक के कार्यक्षेत्र में उचित मूल्य पर आधारित माप भी सम्मिलित है) व दायित्वों (आस्तियों व दायित्वों की उपयुक्त श्रेणियों की निर्धारक सूचना के लिए अनुच्छेद 94 देखें) की प्रत्येक श्रेणी के लिए कम-से-कम निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा:
- (क) आवर्ती एवं अनावर्ती उचित मूल्य मापों के लिए, रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में उचित मूल्य माप और अनावर्ती उचित मूल्य मापों के लिए, माप के कारण। आस्तियों या दायित्वों के आवर्ती उचित मूल्य माप वे हैं जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में तुलन-पत्र में अन्य भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित हैं या उनके द्वारा अनुमति प्राप्त हैं। आस्तियों या दायित्वों के अनावर्ती उचित मूल्य माप वे हैं जो विशेष परिस्थितियों (जैसे कि एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन* के अनुसरण में लागतें घटाकर उचित मूल्य पर बिक्री के लिए धारित आस्ति को मापता है

- क्योंकि लागतें घटाकर उचित मूल्य अग्रणीत राशि से कम हैं) में तुलन-पत्र में अन्य भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित है या उनके द्वारा अनुमति प्राप्त है।
- (ख) आवर्ती या अनावर्ती उचित मूल्य मापों के लिए, उचित मूल्य अनुक्रम में स्तर जिसमें उचित मूल्य माप सम्पूर्णतया स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किये जाते हैं।
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में धारित आस्तियों एवं दायित्वों के लिए, जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापा जाता है उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर 1 व स्तर 2 के बीच किसी भी अंतरण की राशियां, इन अंतरणों के कारण और जब ये अंतरण हो गए समझे जाते हैं (देखें अनुच्छेद 95) तो प्रतिष्ठान की इनको निर्धारण करने नीति। प्रत्येक स्तर में अंतरण स्तर से बाहर अंतरण से अलग-से प्रकट किया जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी।
- (घ) उचित मूल्य के अनुक्रम स्तर 2 व 3 में वर्गीकृत आवर्ती व अनावर्ती उचित मूल्य मापों के लिए, उचित मूल्य माप में इस्तेमाल मूल्यांकन तकनीक (तकनीकों) और निविष्टियों का ब्यौरा। यदि मूल्यांकन तकनीक में किसी प्रकार का परिवर्तन हो (जैसेकि बाजार दृष्टिकोण से आय दृष्टिकोण में परिवर्तन या किसी अतिरिक्त तकनीक का प्रयोग) तो प्रतिष्ठान इस प्रकार के परिवर्तन और इसके कारण (कारणों) का प्रकटन करेगा। उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत उचित मूल्य मापों के लिए, प्रतिष्ठान उचित मूल्य माप में इस्तेमाल महत्वपूर्ण अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों (जैसेकि बाजार विविधता या भावी नकदी प्रवाह) के बारे में मात्रात्मक सूचना प्रदान करेगा। प्रतिष्ठान को इस प्रकटन अपेक्षा के अनुपालन के लिए मात्रात्मक सूचना का सृजन करने की आवश्यकता नहीं है जब उसने उचित मूल्य माप के लिए किसी प्रकार की मात्रात्मक अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियां (जैसेकि जब प्रतिष्ठान पुराने लेन-देनों से कीमतों का प्रयोग करता है या बिना किसी समायोजन के तीसरी पार्टी की कीमत सूचना का प्रयोग करता है) विकसित नहीं की हैं। फिर भी, वह इस प्रकटन के समय उन मात्रात्मक अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों की उपेक्षा नहीं कर सकता जो महत्वपूर्ण हैं और युक्तियुक्त रूप से प्रतिष्ठान को उपलब्ध हो सकती हैं।
- (ङ.) उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत आवर्ती उचित मूल्य मापों के लिए प्रारंभिक अतिशेष से अंतिम अतिशेष के समाधान, उस अवधि के दौरान निम्नलिखित के कारण परिवर्तनों को अलग-से प्रकट करते हुए:
- लाभ या हानि में मान्य उस अवधि की कुल लाभ (गेन) या हानियां और लाभ या हानि में रेखीय मद (मर्दे) जिसमें (जिनमें) वे लाभ (गेन) या हानियां मान्य हैं।
 - अन्य व्यापक आय में मान्य उस अवधि के कुल लाभ (गेन) या हानियां और अन्य व्यापक आय में रेखीय मद (मर्दे) जिसमें (जिनमें) वे लाभ (गेन) या हानियां मान्य हैं।
 - खरीद, बिक्री, निर्गम एवं निपटान (इन सभी प्रकार के परिवर्तन अलग-से प्रकट किये जाएंगे)।
 - उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 के अंदर या उसमें से बाहर किन्हीं भी अंतरणों की राशियां, इन अंतरणों के कारण और जब ये अंतरण स्तरों के बीच हो गए समझे जाते हैं (देखें अनुच्छेद 95) तो इस संबंध में प्रतिष्ठान की निर्धारण नीति। स्तर 3 के अंदर अंतरणों को उसमें से बाहर के अंतरणों से अलग प्रकट किया जाएगा और उन पर अलग-से चर्चा की जाएगी।
- (च) उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत आवर्ती उचित मूल्य मापों के लिए, (ङ.)(i) में उस अवधि के कुल लाभों (गेन) या हानियों की वह राशि जो लाभ या हानि में सम्मिलित है तथा जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर धारित उन आस्तियों व दायित्वों से संबंधित अप्राप्त लाभों (गेन) या हानियों में परिवर्तन के कारण हैं और लाभ या हानि में रेखीय मद (मर्दे) जिसमें (जिनमें) वे अप्राप्त लाभ या हानियां मान्य किए जाते हैं।
- (छ) उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत आवर्ती व अनावर्ती उचित मूल्य मापों के लिए, प्रतिष्ठान द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रियाओं का वर्णन (जैसेकि, एक प्रतिष्ठान मूल्यांकन नीतियों, तथा प्रक्रियाओं का निश्चय करता है एवं एक अवधि से दूसरी अवधि में उचित मूल्य मापों परिवर्तन का विश्लेषण कैसे करता है)।
- (ज) स्तर 3 में उचित मूल्य अनुक्रम में वर्गीकृत आवर्ती उचित मूल्य मापों के लिए:
- ऐसे सभी मापों के लिए, यदि उन निविष्टियों में परिवर्तन एक अलग राशि के रूप में बहुत ज्यादा या कम उचित मूल्य माप के परिणाम में होता है तो अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों में परिवर्तन के प्रति उचित मूल्य माप की संवेदशीलता का वर्णनात्मक ब्यौरा। यदि उचित मूल्य माप में प्रयुक्त उन निविष्टियों और अन्य अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों में कोई अर्न्तसंबंध है तो प्रतिष्ठान उन अर्न्तसंबंधों का ब्यौरा देते हुए यह भी सूचित करेगा कि ये अर्न्तसंबंध उचित मूल्य माप पर अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का प्रभाव कितना ज्यादा या कम कर सकता है। इन प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए, अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता का वर्णनात्मक ब्यौरा कम से कम अनुच्छेद 93 (घ) के अनुपालन करते हुए प्रकट अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों को भी सम्मिलित करेगा।

- (ii) वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के लिए, यदि एक या ज्यादा अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों में परिवर्तन युक्तियुक्त रूप से संभावित वैकल्पिक मान्यताएं उपदर्शित करने के लिए, उचित मूल्य में विशेष परिवर्तन करेगा तो प्रतिष्ठान इस तथ्य का उल्लेख करेगा और उन परिवर्तनों के प्रभाव का भी प्रकटन करेगा। प्रतिष्ठान यह भी प्रकट करेगा कि युक्तियुक्त रूप से संभावित वैकल्पिक मान्यता को उपदर्शित करने के लिए किए गए परिवर्तन के प्रभाव की कैसे गणना की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, महत्व को लाभ या हानि, कुल आस्तियों या कुल दायित्वों या जब उचित मूल्य में परिवर्तन अन्य व्यापक आय में मान्य हों, कुल इक्विटी के संदर्भ में देखा जाएगा।
- (झ) आवर्ती व अनावर्ती उचित मूल्य मापों के लिए, यदि गैर-वित्तीय आस्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम प्रयोग चालू वर्तमान प्रयोग से भिन्न हो, प्रतिष्ठान उस तथ्य को प्रकट करेगा और यह भी बताएगा कि गैर-वित्तीय आस्ति क्यों एक ऐसे तरीके से प्रयोग में लायी जा रही है जो उच्चतम और सर्वोत्तम प्रयोग से भिन्न है।
94. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित के आधार पर आस्तियों व दायित्वों की उपयुक्त श्रेणियों का निर्धारण करेगा:
- (क) आस्ति या दायित्व की प्रकृति, विशेषताएं व जोखिम; और
- (ख) उचित मूल्य अनुक्रम का स्तर जिसके अन्तर्गत उचित मूल्य माप वर्गीकृत किया जाता है।
- उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत उचित मूल्य मापों के लिए श्रेणियों की संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि उन मापों में अनिश्चितता व व्यक्तिपरकता अधिक होती है। ऐसी आस्तियों व दायित्वों की, जिनका उचित मूल्य माप का प्रकटन किया जाता है उपयुक्त श्रेणियों के निर्धारण में विवेकपूर्ण निर्णय आवश्यक है। तुलन-पत्र में प्रस्तुत रेखीय मदों की तुलना में आस्तियों व दायित्वों की श्रेणी में प्रायः ज्यादा विसमूहनअपेक्षित है। फिर भी, एक प्रतिष्ठान तुलन-पत्र में प्रस्तुत रेखीय मदों से समाधान के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान करेगा। यदि कोई भिन्न लेखा मानक एक आस्ति या दायित्व के लिए एक विशिष्ट श्रेणी का उल्लेख करता है, प्रतिष्ठान प्रकटन के लिए उस श्रेणी का प्रयोग इस लेखा मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटन करने में कर सकता है बशर्ते वह श्रेणी इस अनुच्छेद की अपेक्षाओं को पूरा करती है।
95. एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 93 (ग) और ड (iv) के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच अंतरण के समझे जाने के निर्धारण के लिए न केवल प्रकटन करेगा बल्कि उस नीति का संगत रूप से अनुपालन भी करेगा। स्तरों के अंदर अंतरण या उनसे बाहर अंतरण दोनों स्थितियों में अंतरण को मान्य करने के समय निर्धारण करने के लिए नीति एक समान ही होगी। समय निर्धारण की नीतियों के उदाहरणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
- (क) उस घटना की तिथि एवं परिस्थितियों में परिवर्तन जिनके कारण अंतरण हुआ है।
- (ख) रिपोर्टिंग अवधि की प्रारंभिक तिथि।
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम तिथि।
96. यदि अनुच्छेद 48 में अपवाद के प्रयोग के लिए कोई प्रतिष्ठान एक लेखा नीति निर्धारित करने का निर्णय लेता है तो वह इस तथ्य को प्रकट करेगा।
97. तुलन-पत्र में उचित मूल्य पर न मापी जाने वाली आस्तियों व दायित्वों की प्रत्येक श्रेणी के लिए जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है, एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 93 (ख), (घ) तथा (झ) द्वारा अपेक्षित सूचना का प्रकटन करेगा, परंतु प्रतिष्ठान द्वारा अनुच्छेद 93 घ की अपेक्षा के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत उचित मूल्य के माप में प्रयुक्त महत्वपूर्ण अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन अपेक्षित नहीं है। ऐसी आस्तियों व दायित्वों के लिए, प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह इस लेखा मानक की अपेक्षा अनुसार कोई अन्य प्रकटन भी करें।
98. उचित मूल्य पर मापी और अभिन्न तृतीय-पक्ष ऋण वृद्धि के साथ जारी एक दायित्व के लिए, जारीकर्ता प्रतिष्ठान उस ऋण वृद्धि की विद्यमानता और इस तथ्य का प्रकटन करेगा कि क्या दायित्व के उचित मूल्य माप में यह प्रदर्शित होता है या नहीं।
99. एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक है कि वह इस लेखा मानक द्वारा अपेक्षित मात्रात्मक प्रकटन सारणीबद्ध प्रारूप करें बशर्ते कोई और अन्य प्रारूप अधिक उचित न हो।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

सक्रिय बाजार

एक बाजार जिसमें निरंतर रूप से कीमत संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए आस्ति या दायित्व के लेन-देन पर्याप्त आवृत्ति और परिमाण होते हैं।

लागत दृष्टिकोण

यह एक मूल्यांकन तकनीक है जो उस राशि को दर्शित करती है जो वर्तमान में एक आस्ति की सेवा

प्रवेश कीमत	क्षमता के प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित होती है (जिसे प्रायः चालू प्रतिस्थापन लागत कहा जाता है)। वह कीमत जो एक विनिमय लेन देन में एक आस्ति के अधिग्रहण के लिए दी जाती है या एक दायित्व को ग्रहण करने के लिए प्राप्त होती है।
निर्गम कीमत	वह कीमत जो एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त होगी या एक दायित्व के अंतरण पर अदा की जाएगी।
संभावित नकदी प्रवाह	संभावित भावी नकदी प्रवाहों का अधिसंभाव्यता-भारित औसत (अर्थात् संवितरण का औसत)।
उचित मूल्य	वह कीमत जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है।
अधिकतम और सर्वोत्तम प्रयोग	आस्ति के प्रयोग की बाजार प्रतिभागियों द्वारा गैर-वित्तीय आस्ति का वह प्रयोग जो आस्ति या आस्तियों एवं दायित्वों के उस समूह (जैसे कि एकव्यापार) जिसमें इस आस्ति का प्रयोग किया जाएगा के मूल्य को अधिकतम करता है।
आय दृष्टिकोण	मूल्यांकन तकनीकें जो भावी राशियों (जैसे नकदी प्रवाह या आय व व्यय) को एकल चालू राशि में बदलते हैं (अर्थात् बट्टागत राशि) उचित मूल्य माप भावी राशियों के लिए चालू बाजार प्रत्याशाओं द्वारा उपदर्शित मूल्य के आधार पर निश्चित किया जाता है।
निविष्टियां (इन्पुट्स)	वे मान्यताएं जो बाजार के प्रतिभागी आस्ति या दायित्व की कीमत तय करते वक्त प्रयोग में लाएंगे। इन अवधारणाओं में जोखिम मान्यताएं भी सम्मिलित हैं, जैसेकि: (क) उचित मूल्य के माप (जैसे कि कीमत मॉडल) में प्रयुक्त एक विशेष मूल्यांकन तकनीक में अन्तर्निहित जोखिम; और (ख) मूल्यांकन तकनीक की निविष्टियों में अन्तर्निहित जोखिम।
स्तर 1 निविष्टियां	निविष्टियां प्रत्यक्षदर्शी या अप्रत्यक्षदर्शी दोनों हो सकती हैं। सक्रिय बाजारों में समरूप आस्तियों या दायित्वों की अंकित कीमतें (असमायोजित) जिन्हें प्रतिष्ठान माप तिथि को प्राप्त कर सकता है।
स्तर 2 निविष्टियां	स्तर 1 उन अंकित कीमतों के अलावा जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आस्ति या दायित्व के लिए प्रत्यक्षदर्शी हैं।
स्तर 3 निविष्टियां	आस्ति या दायित्व की अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियां।
बाजार दृष्टिकोण	एक मूल्यांकन तकनीक जो कीमत या अन्य उपयुक्त सूचना का उपयोग करती है जो कि बाजार लेन-देन जिसमें समरूप या तुलनात्मक (अर्थात् समान) आस्तियों, दायित्वों या आस्तियों या दायित्वों का समूह, जैसे कि एक व्यवसाय, अन्तर्वर्तित है, के द्वारा सृजित है।
बाजार समर्थित निविष्टियां	वे निविष्टियां जो प्रत्यक्षदर्शी बाजार आंकड़ों से मुख्य रूप से प्राप्त की जाती हैं या प्रत्यक्षदर्शी बाजार आंकड़ों से सहसंबंध या किसी अन्य साधन द्वारा समर्थित होती हैं।
बाजार प्रतिभागी	आस्ति या दायित्व के मुख्य (अथवा अधिकतम लाभप्रद) बाजार में क्रेता व विक्रेता जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं हों: (क) वे एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं यानि वे भारतीय लेखा मानक 24 में यथा परिभाषित संबंधित पक्ष नहीं हैं, यद्यपि संबंधित पार्टी लेन-देन की कीमत को उचित मूल्य माप में एक निविष्टि के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है यदि प्रतिष्ठान के पास इस बात का साक्ष्य हो कि लेन-देन बाजार की शर्तों पर हुआ है। (ख) वे जानकारी में हैं, और उन्हें आस्ति या दायित्व और लेन-देन के बारे में उचित ज्ञान है जिसके लिए वे उपलब्ध सभी सूचना का प्रयोग करते हैं, इसमें वह सूचना भी शामिल है जो विशेष ध्यानपूर्वक प्रयासों से जुटायी है जो कि सामान्य या प्रथागत है। (ग) आस्ति या दायित्व के लेन-देन के लिए सक्षम हैं। (घ) वे आस्ति या दायित्व के लेन-देन में इच्छुक हैं अर्थात् वे प्रेरित हैं न कि ऐसा करने के लिए बाध्य हैं।
अधिकतम लाभप्रद बाजार	वह बाजार जो आस्ति की बिक्री की राशि को अधिकतम करता है या दायित्व के अंतरण की राशि को न्यूनतम करता है। इनमें लेन-देन की लागतों और परिवहन लागतों का भी हिसाब लिया जाता

	है।
गैर-निष्पादन जोखिम	ऐसा जोखिम कि प्रतिष्ठान बाध्यता को पूरा नहीं करेगा। गैर-निष्पादन जोखिम में प्रतिष्ठान का अपना ऋण जोखिम शामिल है लेकिन वह इसी तक सीमित भी नहीं है।
प्रत्यक्षदर्शी निविष्टियां	वे निविष्टियां जिन्हें बाजार के आंकड़ों से विकसित किया गया है, जैसेकि वास्तविक घटनाओं या लेन-देनों की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना और वे निविष्टियां जो उन अवधारणाओं को उपदर्शित करती हैं जिनका बाजार प्रतिभागी एक आस्ति या दायित्व की कीमत निर्धारण के लिए प्रयोग करेंगे।
सुव्यवस्थित लेन-देन	एक ऐसा लेन-देन जो माप तिथि से पूर्व की अवधि में बाजार के प्रति अभिदर्शन को मानता है जिससे कि उन आस्तियों या दायित्वों को शामिल करते हुए बाजार की सामान्य व प्रथागत गतिविधियां संपन्न हो सके। यह लेन-देन किसी दबाव में नहीं होता (जैसेकि जबरदस्ती समापन या मजबूरी में बिक्री)।
मुख्य बाजार	आस्ति या दायित्व के लिये सबसे ज्यादा परिमाण में और स्तर की गतिविधि वाला बाजार।
जोखिम प्रीमियम	आस्ति या दायित्व के नकदी प्रवाह में अन्तर्निहित अनिश्चितता के लिए जोखिम के अनिच्छुक बाजार प्रतिभागी द्वारा अपेक्षित प्रतिपूर्ति। इसे 'जोखिम समायोजन' भी कहा जाता है।
लेन-देन लागतें	आस्ति या दायित्व के मुख्य (अथवा अधिकतम लाभप्रद) बाजार में एक आस्ति की बिक्री या दायित्व के अंतरण की लागतें, जो कि प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की बिक्री या दायित्वों के अंतरण से संबंधित होती हैं, ये लागतें निम्नलिखित दो मानदंडों को पूरा करती हैं: (क) ये प्रत्यक्षतया लेन-देन से उत्पन्न होती हैं और उसके लिए अनिवार्य होती हैं। (ख) यदि आस्ति को बेचा न जाए या दायित्व को अन्तरित न किया जाए तो वे खर्च नहीं होती (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 105, में बिक्री की लागत को परिभाषित किया गया है)।
परिवहन लागतें	एक आस्ति को वर्तमान स्थान से मुख्य (अथवा अधिकतम लाभप्रद) बाजार में ले जाने पर जो खर्च होता है उसे परिवहन लागतें कहा जाता है।
लेखा इकाई	एक भारतीय लेखा मानक में मान्यता के लिए जिस स्तर पर आस्ति या दायित्व का समूहन या विसमूहन किया जाता है उसे लेखा इकाई कहते हैं।
अप्रत्यक्षदर्शी निविष्टियां	जिन निविष्टियों के लिए बाजार के आंकड़ें उपलब्ध नहीं होते और उन्हें उन अवधारणाओं का प्रयोग करते सर्वोत्तम सूचना के आधार पर विकसित किया जाता है जिनका प्रयोग बाजार के प्रतिभागी आस्ति या दायित्व का मूल्य निश्चित करने के लिए करेंगे।

परिशिष्ट ख

प्रयोग संबंधी दिशा निर्देश

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

ख 1 विभिन्न मूल्यांकन परिस्थितियों में प्रयुक्त निर्णय अलग-अलग हो सकते हैं। यह परिशिष्ट उन निर्णयों पर चर्चा करता है जिनका प्रयोग एक प्रतिष्ठान अलग-अलग मूल्यांकन परिस्थितियों में उचित मूल्य का माप करते समय प्रयोग लाता है।

उचित मूल्य माप दृष्टिकोण

ख 2 एक उचित मूल्य माप का उद्देश्य उस कीमत का प्राक्कलन करना है जिस पर वर्तमान बाजार परिस्थितियों में माप तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच आस्ति की बिक्री या दायित्व के अंतरण के लिए एक सुव्यवस्थित लेन-देन होता है। एक उचित मूल्य माप एक प्रतिष्ठान से निम्नलिखित निर्धारित करने की अपेक्षा करता है:

- (क) विशेष आस्ति या दायित्व जो कि माप का विषय है (लेखा इकाई से संगत रूप में)।
- (ख) गैर-वित्तीय आस्ति के लिए, मूल्यांकन आधार जो माप के लिये उचित है (अधिकतम एवं सर्वोत्तम प्रयोग से संगत रूप में)।
- (ग) आस्ति या दायित्व के लिए मुख्य (अथवा अधिकतम लाभप्रद बाजार)।
- (घ) माप के लिए उचित मूल्यांकन तकनीक (तकनीकें) जिसके लिए उन आंकड़ों पर विचार किया जाएगा जिनसे निविष्टियों का सृजन किया जाता है जो ऐसी अवधारणों को प्रदर्शित करें जिन्हें बाजार प्रतिभागी आस्ति या दायित्व की कीमत तय करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। इसके अलावा, यह भी विचार किया जाएगा कि उचित मूल्य अनुक्रम में कौन सा स्तर होगा जिसके अन्तर्गत उन निविष्टियों को वर्गीकृत किया जाएगा।

गैर-वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन आधार (अनुच्छेद 31-33)

ख 3 जब एक समूह के रूप में अन्य आस्तियों के संयोजन (उपयोग के लिए संस्थापित करके अथवा अन्यथा विसंरचित करके) में या अन्य आस्तियों व दायित्वों (जैसे कि व्यवसाय) के संयोजन में प्रयुक्त एक गैर-वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य का माप किया जाता है, तो मूल्यांकन आधार का प्रभाव परिस्थितियों के अनुसार होता है, जैसे कि उदाहरणस्वरूप:

- (क) आस्ति का उचित मूल्य समान रह सकता है भले वह आस्ति स्वचलित आधार पर या किन्हीं अन्य आस्तियों या आस्तियों व दायित्वों के संयोजन में प्रयोग में है। ऐसा मामला भी हो सकता है कि आस्ति एक व्यवसाय हो और बाजार के प्रतिभागी परिचालित करना जारी रखते हैं। ऐसे मामले में लेन-देन में व्यवसाय का मूल्यांकन समूचे रूप से किया जाएगा। चलायमान व्यवसाय में समूह के रूप में आस्तियों का प्रयोग अपनी कुछ सहक्रिया उत्पन्न करता है जो बाजार के प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध रहती हैं। (यानि बाजार प्रतिभागी सहक्रिया जो स्वचलित आधार पर या अन्य आस्तियों के साथ या अन्य आस्तियों व दायित्वों के साथ उचित मूल्य को प्रभावित करती है)।
- (ख) अन्य आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों व दायित्वों के साथ एक आस्ति का प्रयोग उचित मूल्य माप में शामिल किया जा सकता है जिसे स्वचलित आधार पर प्रयुक्त आस्ति के मूल्य में समायोजन द्वारा किया जाएगा। ऐसा मामला तब हो सकता है जब यदि आस्ति एक मशीन है और उचित मूल्य माप का निर्धारण उसी प्रकार की मशीन (जिसे अभी प्रयोग के लिए संस्थापित नहीं किया गया है या संरचित नहीं किया गया है) की प्रत्यक्षदर्शी कीमत का प्रयोग करें जिसमें परिवहन और स्थापना की लागतें समायोजित हैं ताकि उचित मूल्य माप उस (उपयोग के लिए संस्थापित तथा संरचित) मशीन की वर्तमान स्थिति और स्थान को उपदर्शित करे।
- (ग) अन्य आस्तियों या अन्य आस्तियों व दायित्वों के संयोजन में एक आस्ति का प्रयोग आस्ति के उचित मूल्य माप में शामिल उन बाजार प्रतिभागी अवधारणाओं के द्वारा किया जा सकता है जिनका प्रयोग वे उचित मूल्य माप में करते हैं। उदाहरण के लिए, एक आस्ति अभी 'कार्य प्रगति पर' की सूचीबद्ध समान (इन्वेन्ट्री) में है और विशेष है और बाजार प्रतिभागी उस सूचीबद्ध समान (इन्वेन्ट्री) को 'तैयार माल' सूचीबद्ध समान (इन्वेन्ट्री) में परिवर्तित कर देते हैं तो उस सूचीबद्ध समान (इन्वेन्ट्री) को तैयार माल के रूप में परिवर्तित करने के लिए या तो आवश्यक मशीन ग्रहण कर चुके हैं या फिर ग्रहण कर लेंगे।
- (घ) अन्य आस्तियों या अन्य आस्तियों व दायित्वों के संयोजन में एक आस्ति के प्रयोग को आस्ति के उचित मूल्य माप में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक में शामिल किया जा सकता है। ऐसा मामला तब हो सकता है जब एक अमूर्त आस्ति का उचित मूल्य मापने के लिए बहु-अवधि अधिक अर्जन विधि का प्रयोग किया गया हो क्योंकि वह मूल्यांकन तकनीक विशेष रूप से समूह में किन्हीं अनुपूरक आस्तियों और संबंधित दायित्वों के, जिसमें वह अमूर्त आस्ति प्रयोग की जानी है, अंशदान पर विचार करती है।
- (ङ.) बहुत ही सीमित परिस्थितियों में, जब एक प्रतिष्ठान एक आस्ति को आस्तियों के समूह में प्रयोग में लाती है, तो प्रतिष्ठान उस आस्ति को उस राशि पर मापता है जो उस उचित मूल्य के लगभग बराबर होती है जिसे समूह में व्यक्तिगत आस्तियों के प्रति समूह के उचित मूल्य के रूप में आवंटित किया जाता है। ऐसा मामला तब होगा जब मूल्यांकन वास्तविक सम्पत्ति का हो और उन्नत आस्ति (यानि आस्ति समूह) का उचित मूल्य का आवंटन इसके घटक आस्तियों (जैसे कि भूमि और उसका विकास) में हो।

प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य (अनुच्छेद 57-60)

ख 4 यह निर्धारण करने के लिए कि क्या प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लेन-देन की कीमत के समान होता है, प्रतिष्ठान लेन-देन और आस्ति या दायित्व के विशिष्ट कारकों को विचार में लेता है। उदाहरण के लिए, यदि नीचे दी गयी परिस्थितियों में से एक भी परिस्थिति हो तो लेन-देन की कीमत आस्ति या दायित्व के उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं भी कर सकती:

- (क) जब लेन-देन दो संबंधित पक्षों के बीच हो, चाहे संबंधित पक्ष लेन-देन की कीमत का उचित मूल्य माप की निविष्टि (इन्पुट) के रूप में प्रयोग किया जाता है बशर्ते प्रतिष्ठान के पास इस बात का साक्ष्य है कि लेन-देन बाजार की शर्तों के अनुसार ही हुआ है।
- (ख) यदि लेन-देन किसी विवशता में किया जाता है या विक्रेता को इस बात का दबाव रहता है कि वह लेन-देन की कीमत को स्वीकार करे। उदाहरण के लिए ऐसा मामला तभी हो सकता है जब विक्रेता वित्तीय कठिनाई महसूस कर रहा हो।
- (ग) लेन-देन की कीमत में प्रदर्शित लेखा ईकाई उचित मूल्य पर मापी गयी आस्ति या दायित्व की लेखा ईकाई से भिन्न होती है। उदाहरणस्वरूप, ऐसा मामला तब हो सकता है जब उचित मूल्य पर मापी गयी आस्ति या दायित्व लेन-देन का केवल एक तत्व हो (जैसे कि एक व्यवसायिक संयोजन), लेन-देन में किसी अन्य भारतीय लेखा मानक के अनुसार अलग-से मापे गये अकथित अधिकार व विशेषाधिकार शामिल हो या फिर लेन-देन कीमत में लेन-देन की लागत भी शामिल हो।

- (घ) जिस बाजार में लेन-देन होता है वह मुख्य बाजार (अथवा अधिकतम लाभप्रद बाजार) से भिन्न होते हैं उदाहरण के लिये, वे बाजार भिन्न हो सकते हैं, यदि प्रतिष्ठान एक ऐसा व्यवहारी है जो खुदरा बाजार के ग्राहकों के साथ लेन-देन करता है लेकिन मुख्य (अथवा अधिकतम लाभप्रद) बाजार निर्गम लेन-देन के लिए व्यवहारी बाजार में अन्य व्यवहारी के साथ हो।

मूल्यांकन तकनीकें (अनुच्छेद 61-66)

बाजार दृष्टिकोण

- ख 5 बाजार दृष्टिकोण समरूप या तुलनात्मक (अर्थात् समान) या तुलनात्मक यानि एक जैसी आस्तियों, दायित्वों या आस्तियों व दायित्वों के समूह, जैसे कि एक व्यवसाय, को अन्तर्वलित करते हुए बाजार लेन-देन द्वारा सृजित कीमत तथा अन्य उपयुक्त सूचना का प्रयोग करता है।
- ख 6 उदाहरणस्वरूप, बाजार दृष्टिकोण से संगत मूल्यांकन तकनीकें प्रायः तुल्य समुच्चय से व्युत्पन्न बाजार बहुआयामों का प्रयोग करते हैं। बहुआयम प्रत्येक तुल्य के लिये विभिन्न बहुआयमों के साथ दायरे (रेंज) में हो सकते हैं। उस दायरे (रेंज) में उपयुक्त बहुआयम का चयन विवेक पर निर्भर करता है और उसमें माप के विशिष्ट गुणात्मक व मात्रात्मक कारकों पर विचार किया जाता है।
- ख 7 बाजार दृष्टिकोण अनुसार मूल्यांकन तकनीकों में मैट्रिक्स कीमत निर्धारण विधि शामिल है। मैट्रिक्स कीमत निर्धारण विधि एक गणितीय तकनीक है जो मुख्य रूप से कुछ प्रकार के वित्तीय लिखतों, जैसे कि ऋण प्रतिभूतियां के मूल्यांकन के लिए उपयोग में लायी जाती है जो विशिष्ट प्रतिभूतियों के लिए पूरी तरह से अंकित कीमतों पर निर्भर नहीं रहती बल्कि अन्य मानदंड अंकित प्रतिभूतियों के साथ क्या संबंध है उस पर निर्भर रहती हैं।

लागत दृष्टिकोण

- ख 8 लागत दृष्टिकोण उस राशि को प्रदर्शित करता है जो वर्तमान में एक आस्ति की सेवा क्षमता के प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित है। (प्रायः इसे चालू प्रतिस्थापन लागत भी कहा जाता है)।
- ख 9 बाजार प्रतिभागी विक्रेता के परिप्रेक्ष्य में, आस्ति से प्राप्त होने वाली कीमत उस लागत पर आधारित है जो बाजार प्रतिभागी क्रेता समान उपयोग के लिए तथा प्रयोग विहीनता के लिए समायोजित करके प्रतिस्थापित आस्ति के ग्रहण में या निर्माण में खर्च करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बाजार प्रतिभागी क्रेता एक आस्ति के लिए उस राशि से अधिक देने को तैयार नहीं होगा जो उस आस्ति की सेवा क्षमता के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक है। प्रयोग-विहीनता का अर्थ है भौतिक रूप से खराब होना, कार्यात्मक (प्रौद्योगिक) प्रयोग-विहीनता और आर्थिक (बाह्य) प्रयोग-विहीनता और यह स्थिति वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्यों के लिए मूल्यह्रास (ऐतिहासिक लागत का आवंटन) या कर उद्देश्यों के लिए (विशिष्ट सेवा कार्यकाल के लिए) मूल्यह्रास से विस्तृत है। बहुत-से मामलों में, चालू प्रतिस्थापन लागत विधि मूर्त आस्तियों के उचित मूल्य के माप के लिए प्रयोग किया जाता है जो अन्य आस्तियों या अन्य आस्तियों व दायित्वों के साथ प्रयोग किये जाते हैं।

आय दृष्टिकोण

- ख10 आय दृष्टिकोण भावी राशियों (उदाहरणतया नकदी प्रवाह या आय और व्यय) को एक चालू (अर्थात् बट्टागत) राशि के रूप में परिवर्तित करता है। जब आय दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है, उचित मूल्य माप उन भावी राशियों को चालू बाजार प्रत्याशाओं के रूप में प्रदर्शित करता है।
- ख11 उन मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं उदाहरण के लिये, अर्थात्:
- (क) वर्तमान मूल्य तकनीकें (अनुच्छेद ख 12-ख 30 देखें);
- (ख) विकल्प कीमत मॉडल, जैसेकि ब्लैक- स्काल्स-मर्टन-फॉर्मूला या एक बायनोमियल मॉडल (अर्थात् एक लेटिस मॉडल), यह वर्तमान मूल्य तकनीकों को सम्मिलित करता है और एक विकल्प के समय मूल्य और आंतरिक मूल्य दोनों को प्रदर्शित करता है; और
- (ग) बहु-अवधि अधिक अर्जन विधि, जिसे कुछ अमूर्त आस्तियों के उचित मूल्य माप के लिए उपयोग में लाया जाता है।

वर्तमान मूल्य तकनीकें

- ख 12 अनुच्छेद ख 13-ख 30 उचित मूल्य के माप के लिए वर्तमान मूल्य तकनीकों के उपयोग का वर्णन करते हैं। ये अनुच्छेद एक बट्टा दर समायोजन तकनीक और एक प्रत्याशित नकद प्रवाह (प्रत्याशित वर्तमान मूल्य) तकनीक पर प्रकाश देते हैं। ये अनुच्छेद न तो किसी एक विशिष्ट वर्तमान मूल्य तकनीक के उपयोग को निर्धारित करते हैं और न ही चर्चित तकनीकों तक उचित मूल्य माप के लिए वर्तमान मूल्य तकनीकों को सीमित करते हैं। उचित मूल्य माप के लिए वर्तमान मूल्य तकनीक का उपयोग उन तथ्यों व

परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो मापी जाने वाली आस्ति या दायित्व के लिए विशेष हों (जैसे कि क्या तुल्य आस्तियों या दायित्वों की कीमतें बाजार में प्रत्यक्षदर्शी हैं) और पर्याप्त आंकड़ों की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है।

वर्तमान मूल्य माप के घटक

ख 13 वर्तमान मूल्य (अर्थात् आय दृष्टिकोण का प्रयोग) एक ऐसा साधन है जो बट्टा दर का प्रयोग करते हुए भावी राशियों (जैसेकि नकद प्रवाह या मूल्य) को वर्तमान राशि के साथ संबद्ध करता है। एक आस्ति या दायित्व का उचित मूल्य माप वर्तमान मूल्य तकनीक का प्रयोग करते हुए माप तिथि को बाजार प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित सभी तत्वों का समावेश करता है:

- (क) मापी जाने वाली आस्ति या दायित्व के भावी नकदी प्रवाहों का प्राक्कलन।
- (ख) नकदी प्रवाहों में निहित अनिश्चितता प्रदर्शित करने वाले नकदी प्रवाहों की राशि व समय में संभावित परिवर्तनों के बारे में प्रत्याशाएं।
- (ग) उन जोखिम-रहित मौद्रिक आस्तियों की दर प्रदर्शित करने वाला मुद्रा का समय-मूल्य उन ऐसी परिपक्वता तिथियां या अवधियां हैं जो उस अवधि के साथ मेल खाती हैं जो नकद प्रवाहों द्वारा व्याप्त हैं और धारक को न तो समय की अनिश्चितता और न ही व्यतिक्रम पर जोखिम की स्थिति में लाती है (यानि जोखिम-रहित ब्याजदर)।
- (घ) नकदी प्रवाहों में निहित अनिश्चितता वहन करने की कीमत (यानि जोखिम प्रीमियम)।
- (ङ) अन्य कारक जिन्हें बाजार प्रतिभागी उन परिस्थितियों में विचार में लेते हैं।
- (च) एक दायित्व के लिए, उससे संबंधित गैर-निष्पादन जोखिम जिसमें प्रतिष्ठान (यानिबाध्यताधारी) का अपना ऋण-जोखिम भी शामिल होता है।

सामान्य सिद्धांत

ख 14 वर्तमान मूल्य तकनीकों इस कारण परस्पर भिन्न हो जाती हैं कि वे अनच्छेद ख13 में दिये गये तत्वों को किस प्रकार से समाविष्ट करती हैं। तथापि, निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत उचित मूल्य माप में प्रयुक्त वर्तमान मूल्य तकनीक के प्रयोग को निर्धारित करते हैं:

- (क) नकदी प्रवाह व बट्टा दरें उन अवधारणाओं को प्रदर्शित करती हैं जिन्हें बाजार प्रतिभागी आस्ति या दायित्व की कीमत तय करते समय प्रयोग में लाएंगे।
- (ख) नकदी प्रवाह और बट्टा दरें केवल उन्हीं कारकों को विचार में लेंगे जो मापी जाने वाली आस्ति या दायित्व से संबंधित हैं।
- (ग) दोहरी गणना से बचने या जोखिम कारकों के प्रभाव को हटाने के लिए, बट्टा दरों को उन अवधारणाओं को प्रदर्शित करनी चाहिए जो नकद प्रवाहों में निहित के अनुरूप हैं। उदाहरणस्वरूप एक बट्टा दर, जो भावी व्यतिक्रमों की प्रत्याशाओं में अनिश्चितता को प्रदर्शित करती है, उचित है यदि वह एक ऋण के अनुबंधात्मक नकद प्रवाहों का प्रयोग करती है (यानि बट्टा दर समायोजन तकनीक)। यदि प्रत्याशित (अर्थात् संभावी-भारित) नकदी प्रवाहों (यानि एक प्रत्याशित वर्तमान मूल्य तकनीक) का प्रयोग किया जाता है तो वही दर प्रयोग में नहीं लायी जाएगी क्योंकि प्रत्याशित नकदी प्रवाह भावी व्यतिक्रमों की अनिश्चितता के संबंध में अवधारणाओं को पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं इसके बजाय, प्रत्याशित नकदी प्रवाहों में निहित जोखिम के अनुरूप बट्टा दर का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (घ) नकदी प्रवाहों व बट्टा दरों के संबंध में अवधारणाएं आंतरिक रूप से संगत होनी चाहिए। उदाहरणतया, मुद्रास्फीति प्रभावयुक्त अभिहित नकदी प्रवाहों को मुद्रास्फीति प्रभावयुक्त दर पर ही बट्टागत करना चाहिए। अभिहित जोखिम रहित ब्याजदर में मुद्रास्फीति प्रभाव शामिल होता है। वास्तविक नकदी प्रवाहों में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता है अतः उसे उस दर पर ही बट्टागत किया जाना चाहिए जो मुद्रास्फीति के प्रभाव के बिना हो। इसी तरह कर पश्चात् नकदी प्रवाह भी उसी बट्टा दर पर बट्टागत किये जाने चाहिए जो कर पश्चात् हो। कर पूर्व नकदी प्रवाह भी उसी दर पर बट्टागत किये जाएंगे जो उन नकदी प्रवाहों के संगत में हो।
- (ङ.) बट्टा दरें उस मुद्रा के आर्थिक कारकों के अनुरूप होनी चाहिए जिसमें कि नकदी प्रवाह आंके जाते हैं।

जोखिम एवं अनिश्चितता

ख 15 एक उचित मूल्य माप जो वर्तमान मूल्य तकनीकों का प्रयोग करता है अनिश्चितता की परिस्थितियों में किया जाता है क्योंकि प्रयुक्त नकदी प्रवाह केवल प्राक्कलन होते हैं न कि निश्चित राशियां। बहुत-से मामलों में नकदी प्रवाह और समय दोनों ही निश्चित नहीं होते। यहां तक की अनुबंधात्मक निश्चित राशियां जैसेकि ऋण का भुगतान भी अनिश्चित होती हैं यदि उनमें व्यतिक्रम का जोखिम हो।

- ख 16 सामान्यतया बाजार प्रतिभागी आस्ति या दायित्व के नकदी प्रवाहों में निहित अनिश्चितता वहन करने के लिए प्रतिपूर्ति (जोखिम प्रीमियम) की मांग करते हैं। अतः एक उचित मूल्य माप में एक जोखिम प्रीमियम का तत्व भी शामिल किया जाना चाहिए जो बाजार प्रतिभागी द्वारा नकदी प्रवाहों में निहित अनिश्चितता के लिए अपेक्षित प्रतिपूर्ति की राशि को प्रदर्शित करें। अन्यथा माप उचित मूल्य को सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। कुछ मामलों में उचित जोखिम प्रीमियम का निर्धारण करना कठिन हो सकता है। परंतु इस कारण से कि यह एक कठिन कार्य है जोखिम प्रीमियम को माप से छोड़ देना ठीक नहीं है।
- ख 17 वर्तमान मूल्य तकनीकें इस बात से भिन्न हो जाती हैं कि वे जोखिम को किस प्रकार से समायोजित करती हैं और किस प्रकार के नकदी प्रवाहों का वे प्रयोग करती हैं। उदाहरणतया:
- (क) बट्टा दर समायोजन तकनीक (देखें अनुच्छेद ख 18-ख 22) जोखिम-समायोजित बट्टा दर और अनुबंधात्मक, वचनबद्ध या अति संभावित नकदी प्रवाहों का प्रयोग करती है।
- (ख) प्रत्याशित वर्तमान मूल्य तकनीक की विधि 1 (देखें अनुच्छेद ख 25) जोखिम-समायोजित प्रत्याशित नकदी प्रवाह और जोखिम रहित दर का उपयोग करती है।
- (ग) प्रत्याशित वर्तमान मूल्य तकनीक की विधि 2 (देखें अनुच्छेद ख 26) उन प्रत्याशित नकदी प्रवाहों का प्रयोग करती है जो जोखिम समायोजित नहीं होते हैं और ऐसी बट्टा दर जो बाजार प्रतिभागियों की अपेक्षानुसार जोखिम प्रीमियम को शामिल करते हुए समायोजित की गई हो। यह दर उस दर से भिन्न है जो बट्टा दर समायोजन तकनीक में प्रयुक्त की गयी है।

बट्टा दर समायोजन तकनीक

- ख 18 बट्टा दर समायोजन तकनीक अनुबंधात्मक या वचनबद्ध (जैसे कि एक बांड के मामले में) या संभवतः नकदी प्रवाहों जैसे संभावित अनुमानित राशियों की श्रेणी में से नकदी प्रवाहों के एक समुच्चय (सैट) का प्रयोग करती है। सभी मामलों में, ये नकदी प्रवाह कुछ विशेष घटनाओं के घटने पर निर्भर होते हैं (जैसे कि एक बांड के अनुबंधात्मक या वचनबद्ध नकदी प्रवाह इस पर निर्भर है कि ऋणदाता द्वारा कोई व्यतिक्रम नहीं होती है)। बट्टा दर समायोजन तकनीक में प्रयुक्त बट्टा दर बाजार में खरीदी या बेची जाने वाली तुल्य आस्तियों या दायित्वों की प्रत्यक्षदर्शी प्रतिफल दर से व्युत्पन्न होती है। इस प्रकार, अनुबंधात्मक, वचनबद्ध या संभवतः नकदी प्रवाह ऐसे सशर्त नकदी प्रवाहों (अर्थात् बाजार की प्रतिफल दर) के लिए प्रत्यक्षदर्शी या अनुमानित बाजार-दर पर बट्टा किये जाते हैं।
- ख 19 बट्टा दर समायोजन तकनीक के लिए तुल्य आस्तियों या दायित्वों के बाजार आंकड़ों का विश्लेषण आवश्यक है। तुलनात्मकता की स्थापना के लिए नकदी प्रवाहों की प्रकृति (जैसे कि क्या नकदी प्रवाह अनुबंधात्मक हैं या गैर-अनुबंधात्मक और क्या वे आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तनों के लिए समान रूप आचरण करेंगे) और इसी तरह अन्य कारकों (जैसे कि साख की स्थिति, संपादित, अवधि, प्रतिबंधात्मक सीमाएं और तरलता) पर विचार किया जाता है। अन्यथा, यदि एक एकल तुल्य संपादित आस्ति या दायित्व मापी जाने वाली आस्ति या दायित्व के नकदी प्रवाहों में निहित जोखिम को ठीक प्रकार प्रदर्शित नहीं करता तो संभव है कि कई तुल्य आस्तियों या दायित्वों के आंकड़ों के साथ जोखिम रहित लाभ वक्र (अर्थात् 'वृद्धि दृष्टिकोण) का प्रयोग कर बट्टा दर प्राप्त की जाए।
- ख 20 एक वृद्धि दृष्टिकोण का उदाहरण देने के लिए, कल्पना करें कि आस्ति क एक अनुबंधात्मक अधिकार है जिसके अनुसार वर्ष में 800 रुपये प्राप्त होंगे। (अर्थात् इसमें समय की कोई अनिश्चितता नहीं है)। तुल्य आस्तियों का एक स्थापित बाजार है, और इन आस्तियों की कीमत सहित अन्य सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं। इन तुल्य आस्तियों में:
- (क) आस्ति ख एक अनुबंधात्मक अधिकार है जिसके अंतर्गत वर्ष में 1,200 रुपये प्राप्त होंगे। आस्ति की बाजार कीमत 1,083 रुपये है। इस प्रकार, अर्न्तनिहित वार्षिक प्रतिफल दर (अर्थात् एक-वर्ष की ब्याज दर प्रतिफल) 10.8 प्रतिशत $[(1,200/1,083 \text{ रुपये}) - 1]$ होगी।
- (ख) आस्ति ग भी एक अनुबंधात्मक अधिकार है जो दो वर्ष में 700 रुपये देता है। आस्ति की बाजार कीमत 566 रुपये है। इसकी अंतर्निहित प्रतिफल दर प्रतिवर्ष (यानि दो वर्ष की बाजार प्रतिफल दर) 11.2 प्रतिशत होगी $[(\text{यानि } 700/566 \text{ रुपये})^{0.5} - 1]$ ।
- (ग) तीनों आस्तियां जोखिम की दृष्टि से तुल्य हैं (यानि संभावित भुगतान और जमा का बिखराव)।
- ख 21 आस्ति ख व आस्ति ग के संबंध में आस्ति क के अनुबंधात्मक भुगतान के समय के आधार पर, आस्ति ख आस्ति 'क' के तुल्य हैं (अर्थात् आस्ति ख का समय एक वर्ष है जबकि आस्ति ग का दो वर्ष है)। आस्ति क के अनुबंधात्मक भुगतान (800 रुपये) और आस्ति ख की निकाली गयी एक वर्ष की बाजार दर (10.8 प्रतिशत) का प्रयोग करते हुए, आस्ति क का उचित मूल्य 722 रुपये $800/(1.108 \text{ रुपये})$ है। विकल्प के तौर पर, यदि आस्ति ख की बाजार सूचना उपलब्ध नहीं है तो वृद्धि दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए

आस्ति ग की वार्षिक बाजार दर निकाल जाएगा। ऐसे में आस्ति ग की दो वर्ष की बाजार-दर (11.2 प्रतिशत) जोखिम रहित लाभ वक्र की अवधि संरचना का प्रयोग करते हुए एक वर्ष की बाजार दर निकालने के लिए समायोजित किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त सूचना और विश्लेषण की भी आवश्यकता है जिससे यह पता लगाया जा सके कि एक वर्ष व दो वर्ष दोनों का जोखिम प्रीमियम एक ही होगा या नहीं। यदि यह निश्चित होता है कि एक वर्ष व दो वर्ष का जोखिम प्रीमियम एक ही नहीं है तो दो वर्ष की बाजार प्रतिफल दर का फिर समायोजन किया जाएगा।

- ख 22 जब निश्चित प्राप्तियों या भुगतानों के लिए बट्टा दर समायोजन तकनीक का उपयोग किया जाता है, मापी जाने वाली आस्ति या दायित्व के नकदी प्रवाहों में अन्तर्निहित जोखिम के लिए समायोजन को बट्टा दर में शामिल किया जाता है। ऐसे नकदी प्रवाहों के प्रति जो स्थिर प्राप्तियां या भुगतान नहीं हैं, बट्टा दर समायोजन तकनीक के कुछ उपयोगों में नकदी प्रवाहों में प्रत्यक्षदर्शी आस्ति या दायित्व के साथ तुलनात्मकता प्राप्त करने के लिए समायोजन आवश्यक हो सकता है जिनसे बट्टा दर निकाली गई है।

प्रत्याशित वर्तमान मूल्य तकनीक

- ख 23 प्रत्याशित वर्तमान मूल्य तकनीक नकदी प्रवाह के उस सैट को प्रारंभिक बिन्दु के रूप में प्रयोग करती है जो समस्त संभावी भावी नकदी प्रवाहों (अर्थात् प्रत्याशित प्रवाहों) की संभाव्यता-भारित औसत को प्रदर्शित करती है। परिणामस्वरूप प्राक्कलन प्रत्याशित मूल्य जैसा के समरूप होता है, जो सांख्यिकी शब्दावली में भारों के लिए संबंधित संभाव्यताओं को मानते हुए असतत् चर की संभावी मूल्यों का भारित औसत यादृच्छिक होता है। चूंकि सभी संभावी नकद प्रवाह संभाव्य भारित होते हैं, परिणामस्वरूप प्रत्याशित नकदी प्रवाह इस बात पर निर्भर नहीं होते कि विशेष घटना घटे तभी वे होंगे (जैसाकि बट्टा दर समायोजन तकनीक में प्रयुक्त नकदी प्रवाहों में नहीं होता है)।

- ख 24 निवेश निर्णय लेते समय, जोखिम अनिच्छुक बाजार प्रतिभागी उस जोखिम को विचार में लेते हैं जिससे कि वास्तविक नकदी प्रवाह प्रत्याशित नकदी प्रवाहों, से भिन्न हो सकते हैं। पोर्टफोलियो सिद्धांत निम्नलिखित दो प्रकार के जोखिमों के अन्तर स्पष्ट करता है:

(क) अव्यवस्थित (विविधतापूर्ण) जोखिम, जो एक विशेष आस्ति या दायित्व से जुड़ा है।

(ख) सुव्यवस्थित (विविधताहीन) जोखिम एक सामान्य जोखिम है जिसमें एक आस्ति या दायित्व विविध पोर्टफोलियों की अन्य मदों के साथ सहभागी होते हैं।

पोर्टफोलियो सिद्धांत यह मानता है कि बाजार संतुलन में बाजार के प्रतिभागी नकदी प्रवाहों में अन्तर्निहित सुव्यवस्थित-जोखिम वहन करने के लिए ही प्रतिकारित होंगे। (जो बाजार अकुशल हैं या संतुलन से बाहर हैं, उनके मामले में प्रतिफल या प्रतिपूर्ति के अन्य विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।)

- ख 25 प्रत्याशित वर्तमान मूल्य तकनीक की विधि 1 सुव्यवस्थित (बाजार) जोखिम के लिए एक आस्ति के प्रत्याशित नकद प्रवाहों का समायोजन नकदी जोखिम प्रीमियम घटाकर करती है (अर्थात् जोखिम-समायोजित प्रत्याशित नकद प्रवाह)। ये जोखिम-समायोजित प्रत्याशित नकदी प्रवाह एक निश्चितता-तुल्य नकदी प्रवाह को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे जोखिम रहित ब्याज दर पर बट्टागत किया जाता है। एक निश्चितता-तुल्य नकदी प्रवाह एक प्रत्याशित नकदी प्रवाह (यथा परिभाषित) होता है, जिसे जोखिम के लिए समायोजित किया जाता है ताकि बाजार के प्रतिभागी एक प्रत्याशित नकदी प्रवाह के लिए एक निश्चित नकदी प्रवाह की खरीद या बिक्री (ट्रेडिंग) के प्रति निष्पक्ष रहे। उदाहरणस्वरूप, यदि एक बाजार प्रतिभागी एक प्रत्याशित नकदी प्रवाह का 1,000 रुपये के एक निश्चित नकदी प्रवाह के लिए 1,200 रुपये के एक प्रत्याशित नकदी प्रवाह की (ट्रेडिंग) के लिए इच्छुक होता है तो 1,200 रुपये का निश्चितता तुल्य 1,000 रुपये है (अर्थात् 200 रुपये नकदी जोखिम प्रीमियम है)। ऐसी स्थिति में, बाजार प्रतिभागी धारित आस्ति के प्रति निरुत्सुक होगा।

- ख 26 इसके विपरीत, प्रत्याशित वर्तमान मूल्य तकनीक की विधि 2 जोखिम रहित ब्याजदर में जोखिम प्रीमियम का उपयोग करके सुव्यवस्थित जोखिम (बाजार) को समायोजित करती है। इसके अनुसार, प्रत्याशित नकदी प्रवाह उस दर पर बट्टागत किये जाते हैं जो संभाव्यता भारित नकदी प्रवाहों के साथ प्रत्याशित दर है। (जो कि प्रत्याशित प्रतिफल दर है)। जोखिम पूर्ण आस्तियों की कीमत निर्धारण के लिए प्रयुक्त मॉडल, जैसेकि पूंजीगत आस्ति कीमत निर्धारण मॉडल प्रत्याशित प्रतिफल दर का अनुमान लगाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। चूंकि बट्टा दर समायोजन तकनीक में प्रयुक्त बट्टा दर सशर्त नकदी प्रवाहों से संबंधित प्रतिफल-दर है, यह संभव है कि यह दर प्रत्याशित वर्तमान मूल्य तकनीक की विधि 2 की बट्टा दर से अधिक हो जो कि प्रत्याशित या संभाव्यता-भारित नकदी प्रवाहों की प्रत्याशित प्रतिफल दर है।

- ख 27 उदाहरण के लिए, विधि 1 व 2 यह कल्पना करती है एक आस्ति का नीचे दी गयी संभावी नकदी प्रवाहों और संभाव्यताओं के आधार पर निर्धारित एक वर्ष की प्रत्याशित नकदी प्रवाह 780 रुपये हैं। एक वर्ष की अवधि के लिए नकदी प्रवाहों की लागू जोखिम रहित ब्याज-दर 5 प्रतिशत है और समान जोखिम रूपरेखा वाली आस्ति के लिए सुव्यवस्थित-जोखिम प्रीमियम 3 प्रतिशत है।

संभावी नकदी प्रवाह (रुपये)	संभाव्यता (प्रतिशत)	संभाव्यता-भारित नकदी प्रवाह (रुपये)
500	15%	75
800	60%	480

900

प्रत्याशित नकदी प्रवाह

25%

225

780

ख 28 इस सरल उदाहरण में, प्रत्याशित नकदी प्रवाह (780 रुपये) तीन संभावी परिणामों की संभाव्यता-भारित औसत का प्रतिनिधित्व करता है। और वास्तविक परिस्थितियों में, और भी संभावी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन, प्रत्याशित वर्तमान मूल्य तकनीक के प्रयोग के लिए यह जरूरी नहीं कि जटिल मॉडलों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए सभी संभावित नकदी प्रवाहों के वितरणों को विचार में लिया जाए। इसके बजाय, यह संभव है कि एक सीमित संख्या में असतत् परिदृश्यों व संभाव्यताओं का विकास किया जाए जो संभावित नकदी प्रवाहों की प्रभावशाली श्रृंखला का प्रदर्शन करे। उदाहरणतया, एक प्रतिष्ठान कुछ सुसंगत गत अवधि के प्राप्त नकद प्रवाहों का प्रयोग करता है और उसमें बाद में हुए परिवर्तनों को समायोजित करता है (जैसे कि बाह्य कारकों में परिवर्तन, जिनमें आर्थिक व बाजार की परिस्थितियां भी शामिल हैं, उद्योग प्रचलन व प्रतियोगी वातावरण और साथ ही साथ आन्तरिक कारकों में परिवर्तन जिनसे विशेष कर प्रतिष्ठान प्रभावित होता है) जिसके लिए बाजार प्रतिभागियों की अवधारणाओं को भी विचार में लेता है।

ख 29 सिद्धान्तया, आस्ति के नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य (अर्थात् उचित मूल्य) एक ही होगा भले उसे विधि 1 से निर्धारित करें या विधि 2 से, जैसे कि नीचे दिया गया है:

(क) विधि 1 का प्रयोग करते हुए, प्रत्याशित नकदी प्रवाह सुव्यवस्थित (बाजार) जोखिम के लिए समायोजित किये जाते हैं। यदि जोखिम समायोजन की राशि का उल्लेख करने वाला बाजार आंकड़ा प्रत्यक्षतया उपलब्ध न हो तो ऐसा समायोजन उस आस्ति के कीमत निर्धारण मॉडल से निकाला जा सकता है और इसके लिए निश्चितता-तुल्य का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जोखिम समायोजन (यानि नकदी जोखिम प्रीमियम 22 रुपये) का निर्धारण सुव्यवस्थित जोखिम प्रीमियम 3 प्रतिशत का प्रयोग करके किया जा सकता है। $[780 \text{ रुपये} - (780 \text{ रुपये} \times 1.05/1.08)]$ जोखिम समायोजित 758 रुपये (780 रुपये-22 रुपये) प्रत्याशित नकद प्रवाहों के रूप में है। यह 758 रुपये 780 रुपये का निश्चितता-तुल्य है जिसे जोखिम रहित ब्याज दर 5 प्रतिशत पर बट्टागत किया गया है। आस्ति का वर्तमान मूल्य (अर्थात् उचित मूल्य) 722 रुपये (यानि 758 रुपये / 1.05) है।

(ख) विधि 2 का प्रयोग में, प्रत्याशित नकदी प्रवाह सुव्यवस्थित (बाजार) जोखिम के लिए समायोजित नहीं किये जाते हैं। इसकी बजाय, इस जोखिम का समायोजन बट्टा दर में शामिल किया जाता है। इस प्रकार, प्रत्याशित नकदी प्रवाहों को 8 प्रतिशत की प्रत्याशित प्रतिफल दर पर बट्टागत किया जाता है (जोकि जोखिम रहित ब्याजदर 5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत व्यवस्था जोखिम प्रीमियम को जोड़ कर निकाली गयी है)। आस्ति का वर्तमान मूल्य (यानि उचित मूल्य) 722 रुपये है (यानि 780 रुपये / 1.08)।

ख 30 उचित मूल्य का माप करते समय प्रत्याशित वर्तमान मूल्य तकनीक के प्रयोग में, विधि 1 या विधि 2 का उपयोग किया जा सकता है। जिस आस्ति या दायित्व का माप किया जा रहा है उसके विशेष तथ्य व परिस्थितियां क्या हैं उसी के अनुसार विधि 1 या विधि 2 का चयन किया जाएगा। इसके अलावा यह चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके लिए पर्याप्त आंकड़े (डाटा) उपलब्ध हैं या नहीं और क्या निर्णय लिये जाते हैं।

उन दायित्वों और एक प्रतिष्ठान की निजी इक्विटी लिखतों पर वर्तमान मूल्य तकनीकों का प्रयोग जो अन्य पार्टियों द्वारा आस्तियों के रूप में धारित नहीं की गयी है (अनुच्छेद 40 व 41)

ख 31 वर्तमान मूल्य तकनीक जब उस एक दायित्व का उचित मूल्य मापने के लिए प्रयोग में लायी जाती है जो अन्य पार्टी द्वारा आस्ति के रूप में धारित नहीं की गयी है (जैसेकि विस्थापन दायित्व), एक प्रतिष्ठान, अन्य बातों के साथ-साथ, उस भावी नकदी बहिर्प्रवाहों का अनुमान करता है जिन्हें बाजार प्रतिभागी बाध्यता की पूर्ति के लिए खर्च करेंगे। इन भावी नकदी बहिर्प्रवाहों में बाजार प्रतिभागियों की बाध्यता को पूरा करने की लागत संबंधी प्रत्याशाएं और एक बाजार प्रतिभागी की प्रतिपूर्ति की वह प्रत्याशा भी शामिल रहेगी जिसकी वह बाध्यता ग्रहण करने के लिए अपेक्षा करता है। इस प्रतिपूर्ति में वह प्रतिफल सम्मिलित होगा जो एक बाजार प्रतिभागी निम्नलिखित के लिए अपेक्षा करता है:

(क) गतिविधि के लिए (यानि बाध्यता की पूर्ति का मूल्य जैसे कि उन संसाधनों का प्रयोग करके जो अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किये जा सकते थे); और

(ख) बाध्यता में निहित जोखिम को ग्रहण करने के लिए (अर्थात् वह जोखिम प्रीमियम जो इस जोखिम को प्रदर्शित करता है कि वास्तविक नकदी बहिर्प्रवाह प्रत्याशित नकदी बहिर्प्रवाहों से भिन्न हो सकते हैं; देखें अनुच्छेद ख 33)।

ख 32 उदाहरणस्वरूप, एक गैर-वित्तीय दायित्व में प्रतिफल की अनुबंधात्मक दर नहीं होती है और उस दायित्व का कोई प्रत्यक्षदर्शी बाजार प्रतिफल भी नहीं होता। कुछ मामलों में प्रतिफल के घटक जिनकी बाजार प्रतिभागी अपेक्षा करते हैं इस प्रकार होते हैं कि उन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। (जैसे कि उस कीमत का प्रयोग करते समय जो एक तृतीय पक्ष सविदाकार एक निश्चित

शुल्क के आधार पर चार्ज करता है) अन्य मामलों में, एक प्रतिष्ठान को उन घटकों का अनुमान अलग-अलग करने की आवश्यकता हो सकती है। (जैसेकि उस कीमत का प्रयोग करते समय जो एक तृतीय पक्ष सर्विदाकार लागत जमा के आधार पर चार्ज करता है क्योंकि वह भविष्य में लागतों में होने वाले परिवर्तनों का जोखिम उठाने को तैयार नहीं होगा)।

ख 33 एक प्रतिष्ठान एक दायित्व या एक प्रतिष्ठान की निजी इक्विटी लिखत जो अन्य पार्टी द्वारा आस्ति के रूप में धारित नहीं है, के उचित मूल्य माप में जोखिम प्रीमियम को शामिल कर सकता है। ऐसा वह निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक के द्वारा कर सकता है:

- (क) नकदी प्रवाहों के समायोजन द्वारा (यानि नकदी बहिर्प्रवाह की राशि में वृद्धि करके); या
- (ख) भावी नकदी प्रवाहों को वर्तमान मूल्यों के लिए बट्टागत करने के लिए प्रयुक्त बट्टा दर समायोजित कर (यानि बट्टादर घटाकर)।

प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रक्रिया में वह न तो किसी प्रकार की दोहरी गणना करेगा और न ही जोखिम के समायोजन की चूक करेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि प्राक्कलित नकदी प्रवाह इसलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि बाध्यता में निहित जोखिम को ग्रहण करने के लिए प्रतिपूर्ति को हिसाब में लिया जाए, तो बट्टा दर का समायोजन जोखिम को प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जाएगा।

मूल्यांकन तकनीकों की निविष्टियां (अनुच्छेद 67-71)

ख 34 उन बाजारों के उदाहरणों में जिनमें निविष्टियां कुछ आस्तियों और दायित्वों (जैसे कि वित्तीय लिखतों) के लिए प्रत्यक्षदर्शी हो सकती हैं। निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) *विनिमय बाजार* एक विनिमय बाजार में, अंतिम कीमतें तत्काल उपलब्ध होती हैं और सामान्यतया उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार के बाजार का उदाहरण राष्ट्रीय शेयर बाजार (एन एस ई) है।
- (ख) *व्यवहारी बाजार* एक व्यवहारी बाजार में, व्यवहारी व्यापार (अपने लिए खरीदने या बेचने के लिए) के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार वे उन मर्कों की सूचीबद्ध समान (इन्वेन्ट्री) रखने के लिए जिनके लिए बाजार का सृजन करते हैं अपनी पूंजी लगाकर बाजार में तरलता लाते हैं। खासतौर पर, अंतिम कीमतों की बजाय बोली तथा प्रस्तावित कीमतें अधिक तत्पर रूप से उपलब्ध रहती हैं (यह वह कीमतें हैं जिन पर एक व्यवहारी क्रमशः खरीददारी और बिक्री के लिए इच्छुक रहता है)। काउन्टर पर बाजार (ओवर द काउन्टर मार्किट्स) (जिनमें कीमतें सार्वजनिक रूप से सूचित रहती हैं) व्यवहारी बाजार होते हैं। व्यवहारी बाजार अन्य आस्तियों व दायित्वों के भी होते हैं जिनमें कुछ वित्तीय लिखतें, वस्तुएं और भौतिक आस्तियां (जैसे कि प्रयुक्त उपकरण) शामिल होते हैं।
- (ग) *दलाल बाजार* इस प्रकार के बाजार में, दलाल क्रेताओं और विक्रेताओं को परस्पर जोड़ते हैं लेकिन वे अपने लिये न तो कुछ खरीदते हैं और न ही बेचते हैं। दूसरे शब्दों में, वे उन मर्कों की सूचीबद्ध समान (इन्वेन्ट्री) धारित करने के लिए जिनके लिए वे बाजार का सृजन करते हैं अपनी कोई पूंजी नहीं लगाते हैं। दलाल जानता है कि क्रेता कितनी कीमत देने को और विक्रेता कितनी कीमत लेने को तैयार है लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे की कीमत की जानकारी नहीं रखते हैं। कुछ संपन्न लेन-देनों की कीमतें बाजार में उपलब्ध होती हैं और जिनकी जानकारी क्रेता व विक्रेता दोनों को हो सकती है। दलाल बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क रहते हैं और इन पर खरीद व बिक्री के आर्डर लिये-दिये जाते हैं। इसके अलावा, इनमें वाणिज्यिक व आवासीय भूमि भवन (रियल एस्टेट) बाजार भी शामिल होते हैं।
- (घ) *प्रिंसिपल-से-प्रिंसिपल बाजार* इस प्रकार के बाजार में, लेन-देन भले मूल रूप से हो या पुनः बिक्री (रिसेल) के हो बिना किसी बिचौलिये के सीधे ही क्रेता-विक्रेता द्वारा तय किये जाते हैं। इन लेन-देनों की सूचना सर्वसाधारण रूप से कम ही उपलब्ध होती है।

उचित मूल्य अनुक्रम (अनुच्छेद 72-90)

स्तर 2 की निविष्टियां (अनुच्छेद 81-85)

ख 35 विशेष प्रकार की आस्तियों व दायित्वों की स्तर 2 की निविष्टियों के उदाहरण इस प्रकार हैं:

- (क) *मुम्बई इन्टर बैंक ऑफरड रेट (एमआई बी ओ आर) स्वैप दर पर आधारित निश्चित प्राप्त करें, परिवर्तितपर दें ब्याज दर स्वैप*। एक स्तर 2 की निविष्टि *एमआई बी ओ आर* स्वैप दर होगी बशर्ते वह दर स्वैप की पूर्ण अवधि के ज्यादातर समय में सामान्यतया अंकित अन्तरालों में प्रत्यक्षदर्शी हो।
- (ख) *विदेशी मुद्रा में अंकित प्रतिफल पर आधारित निश्चित प्राप्त करें, परिवर्तित पर दें ब्याज-दर स्वैप*। एक स्तर 2 की निविष्टि विदेशी मुद्रा में अंकित प्राप्ति वक्र पर आधारित स्वैप दर पर होगी बशर्ते वह स्वैप की पूर्ण अवधि के अधिकांश समय सामान्यतया अंकित अन्तरालों पर प्रत्यक्षदर्शी हो। ऐसा तब होगा जब स्वैप की अवधि 10 वर्ष हो और 9 वर्ष तक

दर सामान्यता अंकित अन्तरालों पर उपलब्ध या प्रत्यक्षदर्शी रहें। साथ में यह भी शर्त रहेगी कि 10 वर्ष की प्रतिफल में कोई भी तर्कसंगत बहिर्वेशन स्वैप के उचित मूल्य माप में पूरी अवधि के दौरान महत्वपूर्ण नहीं होगा।

- (ग) *विशिष्ट बैंक की मूल दर (प्राइम रेट) पर आधारित निश्चित प्राप्त करें परिवर्तित पर दें ब्याज दर स्वैप।* एक स्तर 2 की निविष्टि बहिर्वेशन के द्वारा निकाली गयी (प्राइम रेट) बैंक की मूल दर होगी बशर्ते वह बहिर्वेशन के मूल्य प्रत्यक्षदर्शी बाजार आंकड़ों द्वारा संपुष्ट हो। उदाहरण के तौर पर, उस ब्याज-दर के साथ सहसंबंध के द्वारा जो कि स्वैप की पूर्ण अवधि के ज्यादातर समय में प्रत्यक्षदर्शी रहे।
- (घ) *विनिमय ट्रेडिंग शेयरों पर त्रि-वर्षीय विकल्प।* एक स्तर 2 की निविष्टि वर्ष 3 के बहिर्वेशन के द्वारा निकाला गया शेयरों का अन्तर्निहित उतार-चढ़ाव होगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें विद्यमान हों:
- (i) शेयरों की एक-वर्षीय और द्वि-वर्षीय के विकल्पों की कीमतें प्रत्यक्षदर्शी हों।
 - (ii) विकल्प की पूर्ण अवधि में अधिकांश समय के दौरान त्रि-वर्षीय विकल्प का बहिर्वेशन का अन्तर्निहित उतार-चढ़ाव प्रत्यक्षदर्शी बाजार आंकड़ों के साथ संपुष्ट हों।

इस स्थिति में अंतर्निहित उतार-चढ़ाव शेयरों पर एक-वर्षीय व द्वि-वर्षीय विकल्पों की अन्तर्निहित उतार-चढ़ावों से बहिर्वेशन द्वारा निकाला जाता है और उसे तुल्य प्रतिष्ठानों के शेयरों के त्रि-वर्षीय विकल्पों के अंतर्निहित उतार-चढ़ाव के साथ संपुष्ट किया जाता है यदि, बशर्ते उसका एक-वर्षीय व द्वि-वर्षीय अन्तर्निहित उतार-चढ़ावों के साथ सहसंबंध स्थापित होता है।

- (ङ.) *लाइसेंस व्यवस्था।* एक व्यवसायिक संयोजन में जिस लाइसेंस व्यवस्था का अधिग्रहण किया जाता है और जिसे हाल ही में वह अधिग्रहणकर्ता पार्टी (वह पार्टी जिसके साथ लाइसेंस व्यवस्था है) द्वारा एक तीसरी असंबंधित पार्टी के साथ तय किया जाता है, उसके लिए स्तर 2 की निविष्टि व्यवस्था के प्रारंभ में उस असंबंधित पार्टी के साथ अनुबंध में रॉयल्टी फीस होगी।
- (च) *खुदरा आउटलेट में तैयार माल की सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्री)।* एक व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत तैयार माल की सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्री) के लिए, स्तर 2 की निविष्टि खुदरा बाजार में ग्राहकों के लिए कीमत और थोकबिक्री बाजार में खुदरा विक्रेता के लिए एक कीमत होगी जिसे सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्री) की मद और तुल्य मदों में स्थिति और स्थान के अन्तरों के अनुसार समायोजित किया जाता है ताकि उचित मूल्य माप उस कीमत को प्रदर्शित करे जो अन्य खुदरा व्यापारी को बेचने से प्राप्त होगी जो बिक्री प्रयासों को पूरा करेंगे। अवधारणा की दृष्टि से, उचित मूल्य माप एक ही होगा चाहे खुदरा कीमत (नीचे की ओर) या थोकबिक्री कीमत (ऊपर की ओर) समायोजन क्यों न हो। सामान्यतया, वह कीमत, जिसमें वस्तुनिष्ठ समायोजनों की न्यूनतम राशि अपेक्षित है, उचित मूल्य माप में इस्तेमाल की जाएगी।
- (छ) *धारित व प्रयुक्त भवन।* एक स्तर 2 की निविष्टि जो प्रत्यक्षदर्शी बाजार आंकड़ों से निकालने पर भवन (एक मूल्य गुणज) की प्रति वर्गमीटर कीमत होगी। उदाहरण के तौर पर, समान स्थानों पर तुल्य (अर्थात् समान) भवनों के प्रत्यक्षदर्शी लेन-देनों में कीमतों से प्राप्त गुणज।
- (ज) *नकदी सृजक ईकाई।* एक स्तर 2 निविष्टि की एक वह मूल्यांकन गुणज (जैसेकि अर्जन या राजस्व या इसी तरह के निष्पादन माप का गुणज) है जो प्रत्यक्षदर्शी बाजार आंकड़ों से प्राप्त होता है जैसेकि तुल्य (अर्थात् समान) कारोबारयुक्त प्रत्यक्षदर्शी लेन-देनों में कीमतों से प्राप्त गुणज जिनमें परिचालन, बाजार वित्तीय या गैर-वित्तीय कारकों का भी ध्यान रखा जाता है।

स्तर 3 की निविष्टियाँ (अनुच्छेद 86-90)

ख 36 विशेष आस्तियों व दायित्वों के लिए स्तर 3 की निविष्टियों के उदाहरण इस प्रकार हैं:

- (क) *दीर्घ-दिनांकित मुद्रा स्वैप।* एक स्तर 3 निविष्टि विशिष्ट मुद्रा में एक ब्याज-दर है जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और सामान्य तौर पर अंकित अंतरालों या मुद्रा स्वैप की पूर्ण अवधि के ज्यादातर समय में प्रत्यक्षदर्शी बाजार आंकड़ों से संपुष्ट नहीं हो सकती। एक मुद्रा स्वैप की ब्याज-दरें वे स्वैप दरें हैं जिन्हें संबंधित देशों की प्रतिफल वक्रों से निकाला जाता है।
- (ख) *विनिमय द्वारा खरीदे-बेचे जाने वाले अंशों पर त्रि-वर्षीय विकल्प।* एक स्तर 3 निविष्टि वह ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव है जो अंशों की ऐतिहासिक कीमतों से उत्पन्न होता है। ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव विशेष रूप से भावी उतार-चढ़ाव के प्रति वर्तमान बाजार प्रतिभागियों की प्रत्याशाओं को प्रदर्शित नहीं करता चाहे यह एक मात्र सूचना है जो विकल्प के रूप में कीमत के लिए उपलब्ध है।

- (ग) *ब्याज-दरस्वैप*। एक स्तर 3 की निविष्टि सृजित स्वैप के लिए मिड-बाजार सहमति कीमत (बंधन रहित) कीमत के प्रति समायोजन होगी। स्वैप का सृजन उन आंकड़ों के प्रयोग से किया गया है जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं तथा जो प्रत्यक्षदर्शी बाजार आंकड़ों से संपुष्ट भी नहीं हो सकते।
- (घ) *व्यावसायिक संयोजन में ग्रहण की गई विस्थापन दायित्व* एक स्तर 3 निविष्टि वह वर्तमान अनुमान है जो बाध्यता को पूरा करने के लिए भावी नकद बहिर्प्रवाहों के बारे में प्रतिष्ठान के अपने आंकड़ों को प्रयोग में लाता है। (बाध्यता में उसकी प्रतिभागियों लागतें पूरी करने की बाजार प्रतिभागियों की प्रत्याशाएं और आस्ति को हटाने के बाध्यता को पूरा करने के लिए बाजार प्रतिभागी की प्रतिपूर्ति अपेक्षा सम्मिलित है)। यदि ऐसी कोई तर्कसंगत सूचना उपलब्ध न हो जो यह इंगित करती हो कि बाजार प्रतिभागी अलग अवधारणाओं का इस्तेमाल करेंगे। वह स्तर 3 निविष्टि अन्य निविष्टियों के साथ वर्तमान मूल्य तकनीक में उपयोग में लायी जाएगी। उदाहरणतया, एक वर्तमान जोखिमरहित ब्याज-दर या एक ऋण-समायोजित जोखिम रहित दर बशर्ते भावी नकदी बहिर्प्रवाहों के अनुमान की बजाय बट्टागत दर में दायित्व के उचित मूल्य पर प्रतिष्ठान की साख स्थिति का प्रभाव प्रदर्शित होता हो।
- (ङ.) *नकदी सृजक ईकाई*। एक स्तर 3 निविष्टि वह वित्तीय पूर्वानुमान है (जैसेकि नकदी प्रवाह या लाभ या हानि) जो प्रतिष्ठान के अपने आंकड़ों का प्रयोग करके विकसित करता यदि ऐसी कोई तर्कसंगत सूचना उपलब्ध न हो जो यह इंगित करे कि बाजार के प्रतिभागी अलग अवधारणाएं प्रयोग में लाएंगे।

उचित मूल्य का माप जब आस्ति या दायित्व की गतिविधि के परिमाण (मात्रा) या स्तर में महत्वपूर्ण कमी आ जाए

ख 37 एक आस्ति या दायित्व का उचित मूल्य उस स्थिति में प्रभावित हो सकता है जब एक आस्ति या दायित्व (या समान आस्तियों या दायित्वों) के सामान्य गतिविधि के परिणाम या स्तर की तुलना में जब एक आस्ति या दायित्व की गतिविधि की मात्रा या स्तर में महत्वपूर्ण कमी आ जाती है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाने के लिए कि आस्ति या दायित्व की गतिविधि की मात्रा या स्तर में कितनी कमी आयी है, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित कारकों के महत्व और प्रासंगिता का मूल्यांकन करेगा;

- (क) नये लेन-देन संख्या में कुछ ही हैं।
- (ख) वर्तमान सूचना का प्रयोग करते हुए कीमत कोटेशन विकसित नहीं की गयी हैं।
- (ग) कीमत कोटेशन समय के अनुसार या बाजार-निर्माताओं (जैसे कि कुछ दलाल बाजारों में होता है) के बीच काफी हद तक बदल जाती हैं।
- (घ) आस्ति या दायित्व के सूचकांक जो पहले उसके उचित मूल्य के साथ बहुत सहसंबंधित थे अब उस आस्ति या दायित्व के उचित मूल्य के नये संकेतों से काफी प्रत्यक्ष रूप से परस्पर असंबंधित हैं।
- (ङ.) आस्ति या दायित्व के ऋण और अन्य गैर-निष्पादक जोखिम के समस्त उपलब्ध बाजार आंकड़ों को विचार में लेते हुए जब प्रतिष्ठान के प्रत्याशित नकदी प्रवाहों के अनुमान के साथ तुलना में प्रत्यक्षदर्शी लेन-देनों या अंकित कीमतों के अन्तर्निहित तरलता जोखिम प्रीमियमों, प्रतिफलों या कार्य निष्पादकों के सूचकों (जैसे कि असंबंधित दरें या हानि की कठोरताएं) में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।
- (च) बोली-प्रस्तावित विस्तार में काफी बड़ा हो या इस विस्तार में काफी वृद्धि हो जाए।
- (छ) एक आस्ति या दायित्व अथवा समान आस्तियों या दायित्वों के लिए नये निगमों के लिए बाजार (यानि एक प्राथमिक बाजार) या तो है नहीं या उस बाजार की गतिविधि में एक बड़ी गिरावट आ गयी है।
- (ज) सार्वजनिक रूप से बहुत कम सूचना उपलब्ध है (जैसेकि प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल मार्केट में होने वाले लेन-देन)।

ख 38 यदि एक प्रतिष्ठान इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आस्ति या दायित्व (या इसी प्रकार की आस्तियों व दायित्वों) के सामान्य बाजार गतिविधियों की तुलना में अमुक आस्ति या दायित्व की गतिविधियों की मात्रा या स्तर में काफी गिरावट है तो इस स्थिति में लेन-देनों या अंकित कीमतों का आगे विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। आस्ति या दायित्व की गतिविधि की मात्रा या स्तर में गिरावट यह दर्शित नहीं कर सकता कि लेन-देन कीमत या अंकित कीमत उचित मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता और उस बाजार में लेन-देन सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है। लेकिन, यदि प्रतिष्ठान यह निश्चय करता है कि लेन-देन या अंकित कीमत उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करती (उदाहरण के रूप में, ऐसे लेन-देन हो सकते हैं जो सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो रहे हैं) तो लेन-देनों या अंकित कीमतों में समायोजन करना आवश्यक होगा यदि प्रतिष्ठान उन कीमतों को उचित मूल्य के माप के आधार के रूप में प्रयोग में लाता है और समग्र रूप से वह समायोजन उचित मूल्य के माप के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अन्य परिस्थितियों में भी समायोजन आवश्यक हो सकते हैं (जैसेकि मापी जाने वाली आस्ति को समान आस्ति के तुल्य बनाने के लिए समान आस्ति की कीमत में समायोजन आवश्यक हो या जब कीमत काफी पुरानी हो चुकी हो)।

- ख 39 यह भारतीय लेखा मानक लेन-देनों या अंकित कीमतों में महत्वपूर्ण समायोजन करने की किसी विधि का प्रतिपादन नहीं करता है। उचित मूल्य के माप के लिए मूल्यांकन तकनीकों के उपयोग के संबंध में चर्चा के लिए अनुच्छेद 61-66 और ख 5-ख 11 देखें। चाहे किसी भी मूल्यांकन तकनीक का उपयोग किया जाए, एक प्रतिष्ठान उपयुक्त जोखिम समायोजन करता ही है जिनमें जोखिम प्रीमियम भी शामिल रहता है जिसे आस्ति या दायित्व (देखें अनुच्छेद ख 17) के नकदी प्रवाहों में अन्तर्निहित अनिश्चितता के लिए बाजार प्रतिभागी द्वारा अपेक्षित प्रतिपूर्ति की राशि के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि ऐसा न किया जाता है तो माप उचित मूल्य को सही रूप से प्रस्तुत नहीं करता। परंतु, कुछ मामलों में उचित जोखिम का समायोजन करना कठिन हो सकता है पर इसके लिए यह उचित नहीं की कठिनता के कारण जोखिम समायोजन करना ही छोड़ दिया जाए। जोखिम समायोजन वर्तमान बाजार परिस्थितियों में माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच सुव्यवस्थित लेन-देन को प्रदर्शित करता है।
- ख 40 यदि एक आस्ति या दायित्व की गतिविधि की मात्रा या स्तर में भारी गिरावट हो तो मूल्य तकनीक में परिवर्तन या विविध मूल्य तकनीकों का प्रयोग करना उचित है (जैसेकि बाजार दृष्टिकोण के साथ-साथ वर्तमान मूल्य तकनीक का प्रयोग)। विविध मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग से निकाली उचित मूल्य की सूचनाओं का नाप करते समय, एक प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करता है कि उचित मूल्य माप के विस्तार (रेंज) का क्या औचित्य है। इसका उद्देश्य यह है कि विस्तार में उस बिन्दु का निर्धारण किया जाए जो वर्तमान बाजार परिस्थितियों उचित मूल्य माप का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। यदि उचित मूल्य मापों का विस्तार बहुत ज्यादा है तो वह इस बात का सूचक है कि इसमें और विश्लेषण की आवश्यकता है।
- ख 41 चाहे एक आस्ति या दायित्व की गतिविधि की मात्रा या स्तर में भारी गिरावट भी है, उचित मूल्य माप का उद्देश्य समान रहता है। उचित मूल्य वह कीमत है जो वर्तमान बाजार परिस्थितियों में माप-तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन (यानि वह न तो बाध्यकारी परिसमापन हो या मजबूरन बिक्री हो) में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है।
- ख 42 यदि एक आस्ति या दायित्व की गतिविधि की मात्रा या स्तर में भारी गिरावट आती है तो वर्तमान बाजार परिस्थितियों में और माप की तिथि पर बाजार प्रतिभागी किस कीमत पर लेन-देन करेंगे उसका अनुमान इस बात पर निर्भर करता है कि माप तिथि पर तथ्य क्या है और परिस्थितियां क्या हैं और उनके अनुसार किया निर्णय लिया जा सकता है। एक प्रतिष्ठान का यह प्रयोजन कि वह आस्ति का धारण करना जारी रखे दायित्व का निपटान करे या अन्यथा उसकी पूर्ति करे यह उचित मूल्य के माप के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उचित मूल्य का माप एक बाजार आधारित माप है, न कि प्रतिष्ठान विशिष्ट माप।

उन लेन-देनों की पहचान जो सुव्यवस्थित नहीं हैं

- ख 43 यदि एक आस्ति या दायित्व या समान आस्तियों या दायित्वों की सामान्य बाजार गतिविधि की तुलना में एक आस्ति या दायित्व बाजार की गतिविधि की मात्रा और स्तर में भारी गिरावट आती है तो उस स्थिति में इस बात का पता लगाना कठिन होता है कि लेन-देन सुव्यवस्थित है (या सुव्यवस्थित नहीं हैं)। ऐसी स्थिति में, इस निष्कर्ष पर पहुंचना भी उचित नहीं होगा कि उस बाजार में सभी लेन-देन समुचित नहीं हैं। (अर्थात् बाध्यकारी परिसमापन या मजबूरन बिक्री)। एक लेन-देन किन परिस्थितियों में समुचित नहीं माना जा सकता, इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:
- (क) माप की तिथि से पूर्व अपनी उन बाजार गतिविधियों के लिए बाजार के प्रति अभिदर्शन नहीं था जो वर्तमान बाजार परिस्थितियों में उन आस्तियों या दायित्वों के लेन-देन के लिए सामान्य व प्रथागत हैं।
- (ख) हालांकि एक सामान्य और प्रथागत मार्किटिंग अवधि विद्यमान थी लेकिन विक्रेता ने आस्ति या दायित्व का लेन-देन एक ही बाजार प्रतिभागी के साथ ही कर लिया।
- (ग) विक्रेता या तो दिवालिया हो चुका था या उस स्थिति तक लगभग पहुंच चुका था या रिसीवरशीप में था (यानि विक्रेता बेचने के लिए विवश था)।
- (घ) विक्रेता को अपनी आस्ति विनियामक या कानूनी अपेक्षाओं के तहत बेचना जरूरी थी (यानि विक्रेता उस आस्ति को बेचने के लिए बाध्य था)।
- (ङ.) लेन-देन की कीमत समान आस्ति या दायित्व, जिसका लेन-देन हाल में ही हुआ है, कि तुलना में बहुत भिन्न है।
- एक प्रतिष्ठान उन परिस्थितियों पर यह निर्धारित करने के लिए विचार करेगा कि प्राप्त साक्ष्य के आधार पर क्या लेन-देन सुव्यवस्थित है।
- ख 44 एक प्रतिष्ठान उचित मूल्य का माप या बाजार जोखिम प्रीमियम का अनुमान करते समय निम्नलिखित पर विचार करेगा:

- (क) यदि साक्ष्य यह दर्शित करता है कि लेन-देन सुव्यवस्थित रूप से नहीं हुआ है तो प्रतिष्ठान उस लेन-देन कीमत पर, यदि कोई है, (उचित मूल्य के लिए अन्य सूचनाओं की तुलना में) कम महत्व देगा।
- (ख) यदि साक्ष्य यह दर्शित करता है कि लेन-देन सुव्यवस्थित रूप से हुआ है, प्रतिष्ठान उस लेन-देन की कीमत पर विचार करेगा। उस लेन-देन की कीमत पर दिये गये भार की राशि, उचित मूल्य की अन्य सूचनाओं के साथ तुलना करने पर इस बात पर निर्भर करेगी कि उसके तथ्य और हालात क्या हैं जैसेकि:
- (i) लेन-देन की मात्रा कितनी है।
 - (ii) मापी जाने वाली आस्ति या दायित्व से लेन-देन की तुलनीयता।
 - (iii) लेन-देन की माप तिथि से निकटता।
- (ग) यदि प्रतिष्ठान के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सूचना नहीं है कि लेन-देन सुव्यवस्थित है तो, वह लेन-देन की कीमत को विचार में लेगा। फिर भी, वह लेन-देन की कीमत उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं कर सकती (अर्थात् लेन-देन की कीमत जरूरी नहीं कि उचित मूल्य के माप या बाजार जोखिम प्रीमियम का एकमात्र या प्राथमिक आधार हो)। जब प्रतिष्ठान के पास इस बात के निष्कर्ष के लिए पर्याप्त सूचना न हो कि कुछ लेन-देन सुव्यवस्थित हैं तब प्रतिष्ठान उन लेन-देनों पर कम महत्व (भार) देगा उन अन्य लेन-देनों की तुलना में जो यह माने जाते हैं कि वे सुव्यवस्थित हैं।

एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह यह जानने के लिए विस्तृत प्रयास करे कि लेन-देन सुव्यवस्थित है, लेकिन यदि ऐसी सूचना जो युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध हो सकती हो तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। जब एक प्रतिष्ठान उस लेन-देन की एक पार्टी हो, तो यह माना जाता है कि उसके पास ऐसी पर्याप्त सूचना उपलब्ध है जो यह निर्धारित कर सके कि लेन-देन सुव्यवस्थित है।

तीसरी पार्टियों द्वारा दी गयी अंकित कीमतों का प्रयोग

- ख 45 यह भारतीय लेखा मानक तीसरी पार्टियों द्वारा दी गयी अंकित कीमतों के प्रयोग को मना नहीं करता है, जैसेकि कीमत निर्धारण सेवाओं या दलालों द्वारा दी गयी कीमत, यदि प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि इन पार्टियों द्वारा दी गयी अंकित कीमतें इस भारतीय मानक के अनुसरण में विकसित की गयी हैं।
- ख 46 यदि आस्ति या दायित्व की गतिविधि की मात्रा या स्तर में भारी गिरावट है, एक प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करेगा कि तीसरी पार्टियों द्वारा दी गयी अंकित कीमतें उस वर्तमान सूचना का प्रयोग करके विकसित की गयी हैं जो सुव्यवस्थित लेन-देनों और बाजार प्रतिभागी अवधारणाओं को प्रदर्शित करने वाली। (जोखिम अवधारणाओं सहित) मूल्यांकन तकनीक को प्रदर्शित करती है। एक उचित मूल्य माप की एक निविष्टि (इन्पुट) के रूप में अंकित कीमत पर महत्व (भार) देते समय, एक प्रतिष्ठान उन अंकित कीमतों (उचित मूल्य की अन्य सूचनाओं की तुलना में जो लेन-देनों के परिणाम प्रदर्शित करती हैं) पर कम (महत्व) भार देते हैं जो लेन-देनों के परिणाम को प्रदर्शित नहीं करती हैं।
- ख 47 इसके अतिरिक्त, एक अंकित कीमत की प्रकृति (जैसेकि, क्या अंकित कीमत एक सूचक कीमत है या एक बाध्यकारी ऑफर है) तब विचार में ली जाएगी जब उपलब्ध साक्ष्य के महत्व पर विचार किया जा रहा हो और उन अंकित कीमतों पर अधिक महत्व दिया जाए जो तीसरी पार्टियों द्वारा दिये गये बाध्यकारी ऑफरों के रूप में प्रदर्शित हों।

परिशिष्ट ग

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

यह परिशिष्ट उन परिशिष्टों को सूचीबद्ध करता है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं तथा भारतीय लेखा मानक 113, उचित मूल्य माप के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं।

1. परिशिष्ट ग, यह निर्धारित करना कि क्या की गयी व्यवस्था में कोई पट्टा समाविष्ट है भारतीय लेखा मानक 17, पट्टों में समाविष्ट।
2. परिशिष्ट क, स्वामियों को गैर नकदी आस्तियों का वितरण भारतीय लेखा मानक 10, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं।
3. परिशिष्ट घ, इक्विटी लिखतों द्वारा वित्तीय दायित्वों की समाप्ति भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतों, में समाविष्ट।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 113 और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदुत्तरूपी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 13 उचित मूल्य माप के बीच अन्तर को स्पष्ट किया जाए।

आई एफ आर एस 13, उचित मूल्य माप के साथ तुलना

1. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के रूप में, वित्तीय स्थिति का विवरण के स्थान पर 'तुलन-पत्रका' प्रयोग किया गया है।
2. अनुच्छेद 7 (ख) अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 26, सेवा निवृत्ति लाभ योजनाओं का लेखा एवं रिपोर्टिंग के संबंध में है जो की कंपनियों के लिए प्रासंगिक नहीं है। अतः इस अनुच्छेद को हटा दिया गया है। फिर भी, आई एफ आर एस 13 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 113 में इस अनुच्छेद संख्या को जारी रखा गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड. ए. एस) 114**नियामक आस्थगन लेखा**

(इस भारतीय लेखा मानक में शामिल अनुच्छेद मोटे टाइप व सामान्य टाइप में हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य नियामक आस्थगन लेखा शेषों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं का निर्धारण करना है जो तब उत्पन्न होती है जब प्रतिष्ठान ग्राहकों को उस मूल्य या दर पर वस्तुएं अथवा सेवाएं प्रदान करता है जो दर-विनियमन के अधीन होता है।
2. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यह मानक निम्नलिखित अपेक्षाएं करता है:
 - (क) उन लेखा नीतियों में सीमित परिवर्तन करना जिन्हें पूर्ववर्ती सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी') के अनुसार नियामक आस्थगन लेखा शेषों के लिये लागू किया जाता था, जो मुख्यतया इन लेखों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित हैं; और
 - (ख) ऐसे प्रकटन जो:
 - (i) प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में उन मान्य राशियों की पहचान एवं व्याख्या करते हैं जो दर विनियमन से उत्पन्न होते हैं; तथा
 - (ii) किसी मान्यता प्राप्त नियामक आस्थगन लेखा शेषों से होने वाली भावी नकदी प्रवाहों की राशि, समय एवं अनिश्चितता को समझने के लिए वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की सहायता करते हैं।
3. इस मानक की अपेक्षाएं प्रतिष्ठान को इसके पूर्ववर्ती के 'जी ए ए पी' के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों में नियामक आस्थगन लेखा शेषों के लिए इसके अपने कार्य-क्षेत्र में लेखा को जारी रखने की तब अनुमति देता है जब वह भारतीय लेखा मानकों को ऊपर अनुच्छेद 2 में उल्लिखित सीमित परिवर्तनों के अधीन अपनाता है।
4. इसके अतिरिक्त, यह मानक अन्य मानकों की अपेक्षाओं के लिये कुछ अपवादों का प्रावधान करता है या अन्य मानकों की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त करता है। रिपोर्ट करने वाले नियामक आस्थगन लेखा शेषों की विशिष्ट अपेक्षाएं तथा अन्य मानकों की अपेक्षाओं के किसी अपवाद या उससे मिली छूट जो उन शेषों से संबंधित हैं, इस मानक के अंतर्गत समाविष्ट हैं न कि उन अन्य मानकों के अन्तर्गत समाविष्ट हैं।

कार्य क्षेत्र

5. एक प्रतिष्ठान को अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में इस मानक की अपेक्षाओं को लागू करने की अनुमति दी जाती है, यदि और केवल यदि :
 - (क) वह दर-विनियमित गतिविधियां संचालित करता है; और
 - (ख) उसने उन राशियों को मान्यता दी है जो, इससे पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार इसके वित्तीय विवरणों में नियामक आस्थगन लेखा शेषों के रूप में योग्य होते हैं।

6. एक प्रतिष्ठान, आगामी अवधियों के अपने वित्तीय विवरणों¹ में इस मानक की अपेक्षाओं को तब लागू करेगा यदि और केवल यदि उसने अपने प्रथम भारतीय लेखा मानकों में इस मानक की अपेक्षाओं का चयन करके नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता दी हो।
7. यह मानक उन प्रतिष्ठानों के जो कि दर-विनियमित गतिविधियों में शामिल हैं, उनके लेखों के अन्य उन पहलुओं पर चर्चा नहीं करता है। इस मानक की अपेक्षाओं को लागू करके, कोई भी राशियाँ, जिन्हें अन्य मानकों के अनुसार आस्तियों या दायित्वों के रूप में अनुमति प्राप्त हैं या मान्यता दिये जाने के लिये अपेक्षित हैं, उन्हें उन राशियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो नियामक आस्थगन लेखा शेषों के रूप में वर्गीकृत हैं।
8. एक प्रतिष्ठान जो इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है, और लागू करने के लिये इस मानक का चयन करता है, इसकी सभी अपेक्षाओं को सभी नियामक आस्थगन लेखा शेषों पर लागू करेगा जो प्रतिष्ठान के सभी दर-विनियमित गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं।

मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता तथा अमान्यता

भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियाँ, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियाँ' के अनुच्छेद 11 से अस्थायी छूट

9. एक प्रतिष्ठान, जिसकी दर-विनियमित गतिविधियाँ हैं और जो इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है तथा इस मानक को लागू करने के लिये चयन करता है, तब वह नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता तथा अमान्यता के लिए अपनी लेखा नीतियों का विकास करते समय भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेदों 10 एवं 12 तब लागू करेगा।
10. भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 11 व 12 उन अपेक्षाओं के स्रोतों तथा मार्गदर्शन का उल्लेख करते हैं जिसकी प्रबंधन को किसी मद के लिए बशर्तें लेखा नीति विकसित करने हेतु विचार किये जाने की आवश्यकता होती है या अनुमति प्राप्त होती है बशर्तें उस मद के लिए कोई संबंधित मानक विशिष्ट रूप से लागू नहीं होता है,। यह मानक प्रतिष्ठान को नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए अपनी लेखा नीतियों पर भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 11 को लागू करने से छूट देता है। फलस्वरूप, जो प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों को या तो पृथक मदों के रूप में या पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार अन्य आस्तियों एवं दायित्वों के अग्रणीत मूल्य के भाग के रूप में मान्यता देता है, उन्हें भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 11 से छूट प्राप्त द्वारा इस मानक के अनुसार उन शेषों को मान्यता देना जारी रखने के लिए अनुमति है बशर्तें वह इस मानक के अनुच्छेद 18-19 द्वारा अपेक्षित किन्हीं प्रस्तुतीकरण संबंधी परिवर्तनों के अधीन हो।

मौजूदा लेखा नीतियों को जारी रखना

11. इस मानक के आरंभिक प्रयोग करने पर, प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए उन परिवर्तनों को छोड़कर जो कि अनुच्छेद 13-15 तक अनुमत है, पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' लेखा नीतियों को लागू करना जारी रखेगा। तथापि, ऐसी राशियों के प्रस्तुतीकरण में इस मानक की प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा ये अपेक्षाएं प्रतिष्ठान के पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' प्रस्तुतीकरण नीतियों में परिवर्तनों की अपेक्षा कर सकती हैं (देखें अनुच्छेद 18-19)।
12. प्रतिष्ठान आगामी अवधियों में अनुच्छेद 13-15 द्वारा अनुमत किन्हीं परिवर्तनों को छोड़कर अनुच्छेद 11 के अनुसार स्थापित नीतियों को लगातार समान रूप से लागू करेगा।

लेखा नीतियों में परिवर्तन

13. प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देना प्रारंभ करने के लिए अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन नहीं करेगा। नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए प्रतिष्ठान अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन केवल तभी कर सकता है यदि वह परिवर्तन वित्तीय विवरणों को उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाता है और न कि कम विश्वसनीय बनाता है या फिर उन आवश्यकताओं को अधिक विश्वसनीय बनाता है और उनके लिए कम प्रासंगिक नहीं है। प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 10 में दिए गए मानदण्ड का प्रयोग करते हुए उस प्रासंगिकता एवं विश्वसनीयता का निर्णय करेगा।
14. यह मानक प्रतिष्ठानों को लेखा नीति में परिवर्तनों के लिये भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 10 अथवा 14-15 को लागू करने की छूट नहीं देता है। नियामक आस्थगन लेखा शेषों के लिए लेखा नीतियों में परिवर्तन करने को उचित ठहराने के लिए प्रतिष्ठान यह प्रदर्शित करेगा कि यह परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 10 के मानदण्ड को पूरा करने के लिए इसके वित्तीय विवरणों

¹ एक प्रतिष्ठान जो कि दर-विनियमन के दायरे में इंड ए एस के आने के बाद अस्तित्व में आता है या वह प्रतिष्ठान जिनकी गतिविधियाँ अपने प्रथम भारतीय लेखा मानकों के अनुसार बने वित्तीय विवरणों के बाद उस दर-विनियमन के अधीन आती हैं, जो कि इंड ए एस में परिभाषित हैं, वे आगामी वित्तीय विवरणों के प्रबंधन व प्रस्तुतीकरण के लिए पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' की अपेक्षाओं को उन दर-विनियमन गतिविधियों पर प्रयोग करने के लिए अधिकारी होंगे।

को और अधिक निकट लाता है। तथापि, नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए यह जरूरी नहीं है कि परिवर्तन के लिए उन मानदण्डों का पूर्णतया: अनुपालन हो।

15. इस मानक के आरंभिक प्रयोग के समय किये गए परिवर्तनों तथा आगामी रिपोर्टिंग अवधियों में किए गए परिवर्तनों, दोनों पर अनुच्छेद 13-14 लागू होते हैं।

अन्य मानकों के साथ अंतः क्रिया

16. अन्य मानकों के साथ इस मानक की अंतः क्रिया से संबंधित कोई विशिष्ट अपवाद, छूट अथवा अतिरिक्त अपेक्षा इस मानक के अंतर्गत अंतर्विष्ट हैं (देखें अनुच्छेद ख7-ख28)। ऐसे किसी अपवाद, छूट या अतिरिक्त अपेक्षाओं के अभाव में, नियामक आस्थगन लेखा शेषों पर अन्य मानक में उसी तरीके से लागू करेंगे जैसा वे अन्य मानकों द्वारा मान्य आस्तियों, दायित्वों आय एवं व्यय के लिए लागू होते हैं।
17. कुछ परिस्थितियों में, किसी दूसरे मानक को नियामक आस्थगन लेखा शेष के लिए लागू किये जाने की आवश्यकता हो सकती है जिसे प्रतिष्ठान की उन लेखा नीतियों के अनुसार मापा गया हो, जो उस शेष को समुचित रूप से वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित करने के लिए अनुच्छेद 11-12 के अनुसार स्थापित की गयी हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान की विदेश में दर विनियमित गतिविधियाँ हो सकती हैं जिनके लिए लेन-देन तथा नियामक आस्थगन लेखा शेष को उस मुद्रा में मूल्यांकित किये जाते हैं जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा नहीं है। नियामक आस्थगन लेखा शेष तथा उन शेषों में परिवर्तन (उतार-चढ़ावों) को भारतीय लेखा मानक 21, *विदेशी विनियम दरों में परिवर्तनों के प्रभाव*, को लागू करके परिवर्तित किया जाता है।

प्रस्तुतिकरण

प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन

18. यह मानक नियामक आस्थगन लेखा शेषों के लिए, अनुच्छेद 20-26 में उल्लिखित प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओं को अवगत करवाता है, जो अनुच्छेद 11-12 के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं। जब इस मानक को लागू किया जाता है, तब उन आस्तियों एवं दायित्वों के अतिरिक्त जो कि अन्य मानकों के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं, नियामक आस्थगन लेखा शेषों को तुलन-पत्र में मान्यता दी जाती है। ये प्रस्तुतिकरण अपेक्षाएँ अन्य मानकों की वित्तीय रिपोर्ट देने की अपेक्षाओं से नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता के प्रभाव को पृथक करती हैं।
19. उन मदों के अतिरिक्त, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 1, *‘वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण’*, के अनुसार तुलन-पत्र और लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं, प्रतिष्ठान इस मानक को लागू करते समय सभी नियामक आस्थगन लेखा शेषों तथा उन शेषों में परिवर्तनों को अनुच्छेद 20-26 के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

नियामक आस्थगन लेखा शेषों का वर्गीकरण

20. प्रतिष्ठान तुलन-पत्र में निम्नलिखित के लिए पृथक रेखीय मदों को प्रस्तुत करेगा:
- (क) सभी नियामक आस्थगन लेखा के नामे शेषों के जोड़; तथा
- (ख) सभी नियामक आस्थगन लेखा के जमा शेषों के जोड़।
21. जब एक प्रतिष्ठान अपने तुलन-पत्र में चालू व गैर-चालू आस्तियों एवं चालू व गैर-चालू दायित्वों को पृथक वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत करता है, तब यह नियामक आस्थगन लेखा शेषों के जोड़ को चालू अथवा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा। बल्कि, अनुच्छेद 20 द्वारा अपेक्षित पृथक रेखीय मदों को आस्तियों एवं दायित्वों से अलग करेगा जिन्हें अन्य मानकों के अनुसार उप-जोड़ों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है जो नियामक आस्थगन लेखा शेषों के प्रस्तुत किये जाने के पहले लिये जाते हैं।

नियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तनों/उतार-चढ़ावों का वर्गीकरण

22. प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण के अन्य व्यापक आय भाग में रिपोर्टिंग अवधि के लिये लाभ व हानि की सभी नियामक आस्थगन लेखा शेषों में होने वाले शुद्ध परिवर्तन को प्रस्तुत करेगा जो अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित होता है। पृथक रेखीय मदों को अन्य मानकों के अनुसार उन मदों से संबंधित शुद्ध परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, जिन्हें:
- (क) बाद में लाभ व हानि में पुनर्गणित नहीं किया जाएगा; और
- (ख) बाद में लाभ व हानि में तब पुनर्गणित किया जाएगा जब विशिष्ट शर्तें पूरी हो जाती हैं।
23. प्रतिष्ठान लाभ हानि विवरण के लाभ या हानि भाग में रिपोर्टिंग अवधि के लिये सभी नियामक आस्थगन लेखा शेषों में, लाभ या हानि में प्रदर्शित नहीं की गई अधिगृहीत राशियों के परिवर्तनों को छोड़कर शेष शुद्ध परिवर्तनों के लिए एक पृथक रेखीय मद

- प्रस्तुत करेगा। इस पृथक रेखीय मद को उस आय एवं व्ययों से अलग किया जाएगा जिसे उस उप-जोड़ का प्रयोग करके अन्य मानकों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें नियामक आस्थगन लेखा शेषों में शुद्ध परिवर्तन के पहले निकाला जाता है।
24. जब प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने के परिणामस्वरूप आस्थगित कर आस्ति अथवा आस्थगित कर दायित्व को मान्यता देता है, तब प्रतिष्ठान परिणामी आस्थगित कर आस्ति (दायित्व) तथा उस आस्थगित कर आस्ति (दायित्व) में संबंधित परिवर्तन को आस्थगित कर आस्तियों (दायित्वों) तथा कर व्यय (आय) के लिए भारतीय लेखा मानक 12, 'आय कर', के अनुसार प्रस्तुत किये गए कुल जोड़ के अंतर्गत प्रस्तुत करने के बजाय उन शेषों में संबंधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों तथा परिवर्तनों के साथ प्रस्तुत करेगा (देखें अनुच्छेद ख 9-ख 12)।
25. जब प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 105 *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन*, के अनुसार बंद पड़े परिचालन निपटान समूह को प्रस्तुत करता है, तब प्रतिष्ठान उन संबंधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों तथा उन शेषों में परिवर्तनों, जैसा लागू हो को निपटान समूहों या बंद पड़े परिचालनों के अंदर के बजाय संबंधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों तथा उन शेषों में शुद्ध परिवर्तन, के साथ प्रस्तुत करेगा। (देखें अनुच्छेद ख 19-ख 22)।
26. जब प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 33, *प्रति शेयर अर्जन* के अनुसार 'प्रति शेयर अर्जन' को प्रस्तुत करता है तब प्रतिष्ठान प्रति शेयर अतिरिक्त मूल तथा अवमिश्रित अर्जन को प्रस्तुत करेगा, जिनकी भारतीय लेखा मानक 33 द्वारा अपेक्षित अर्जन राशियों का प्रयोग करते हुए गणना की जाती हैं किंतु ऐसा नियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तनों को छोड़कर किया जाता है (देखें अनुच्छेद ख 13-ख 14)।

प्रकटन

उद्देश्य

27. एक प्रतिष्ठान जो इस मानक को लागू करने के लिए चयन करता है वह उस सूचना को प्रकट करेगा जो उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित के निर्धारण करने में सक्षम बनाता है:
- (क) दर विनियमन की प्रकृति तथा उससे संबंधित जोखिम, जो उस मूल्य (उन मूल्यों) को निर्धारित करता है जिसे प्रतिष्ठान वस्तुओं अथवा इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए ग्राहकों से वसूल कर सकता है; तथा
- (ख) इसकी वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाहों पर उस दर विनियमन का प्रभाव।
28. यदि अनुच्छेद 30-36 में निरूपित प्रकटनों में से कोई प्रकटन अनुच्छेद 27 में दिये गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रासंगिक नहीं समझा जाता है तो उन्हें वित्तीय विवरणों से हटाया जा सकता है। यदि अनुच्छेद 30-36 के अनुसार दिये गए प्रकटन अनुच्छेद 27 में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है, तो प्रतिष्ठान वह अतिरिक्त सूचना प्रकट करेगा जो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है।
29. अनुच्छेद 27 में दिए गए प्रकटन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी बातों पर विचार करेगा:
- (क) ब्यौरे का स्तर जो प्रकटन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है;
- (ख) विभिन्न अपेक्षाओं में से प्रत्येक पर कितना बल दिया जाए;
- (ग) कितना एकत्रीकरण या गैर-एकत्रीकरण या पृथकीकरण किया जाए; तथा
- (घ) क्या वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को प्रकटित मात्रात्मक सूचना का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है।

दर विनियमन के अधीन गतिविधियों का स्पष्टीकरण

30. प्रतिष्ठान की दर विनियमित गतिविधियों की प्रकृति तथा उससे संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता की सहायता हेतु प्रतिष्ठान प्रत्येक प्रकार की दर विनियमित गतिविधि के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करेगा:
- (क) दर विनियमित गतिविधि की प्रकृति एवं सीमा का संक्षिप्त विवरण तथा नियामक दर तय करने की प्रक्रिया की प्रकृति;
- (ख) दर नियामक (नियामकों) की पहचान। यदि दर नियामक एक संबंधित पार्टी है (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 24, *संबंधित पक्ष के संबंध में प्रकटन में परिभाषित है*), तो प्रतिष्ठान उस तथ्य को यह स्पष्टीकरण देते हुए प्रकट करेगा कि यह किस प्रकार से संबंधित है;
- (ग) नियामक आस्थगन लेखा नामे शेष की प्रत्येक श्रेणी (अर्थात् प्रत्येक प्रकार की लागत अथवा आय) की भावी वसूली या नियामक आस्थगन लेखा जमा शेष की प्रत्येक श्रेणी का विपर्याय (उलटाव) जोखिमों और अनिश्चितता से कैसे प्रभावित होता है, उदाहरणार्थ:

- (i) मांग जोखिम (उदाहरण के लिए, ग्राहक के रूख में परिवर्तन, आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता अथवा प्रतिस्पर्धा का स्तर);
- (ii) नियामक जोखिम (उदाहरण के लिए, दर- तय करने के आवेदन का स्वीकरण या अनुमोदन अथवा प्रत्याशित भावी नियामक कार्रवाईयों के लिए प्रतिष्ठान का मूल्यांकन); तथा
- (iii) अन्य जोखिमों (उदाहरण के लिए, मुद्रा या अन्य बाजार जोखिम)।
31. अनुच्छेद 30 द्वारा अपेक्षित प्रकटनों को वित्तीय विवरणों में या तो प्रत्यक्ष रूप से टिप्पणियों में दिया जाएगा या वित्तीय विवरणों से किसी अन्य विवरण में प्रति-संदर्भ द्वारा शामिल किये जाएंगे, जैसेकि प्रबंधन टिप्पणी या जोखिम रिपोर्ट, जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों की उन्हीं शर्तों और उसी समय पर उपलब्ध है। यदि यह सूचना वित्तीय विवरणों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं की गई है या प्रति-संदर्भ द्वारा शामिल नहीं की गई है तो वित्तीय विवरण अपूर्ण माने जाएंगे।

मान्यता प्राप्त राशियों का स्पष्टीकरण

32. प्रतिष्ठान उस आधार को प्रकट करेगा जिस आधार पर नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता दी गई है तथा अमान्य किये गये हैं, तथा उन्हें प्रारंभ में एवं बाद में कैसे मापा गया है। साथ ही, नियामक आस्थगन शेषों की वसूली योग्य क्षमता का कैसे निर्धारण किया जाता है तथा कैसे किसी क्षतिग्रस्तता हानि का निर्धारण किया जाता है।
33. प्रत्येक प्रकार की दर-विनियमित गतिविधि के लिए, प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेष की प्रत्येक श्रेणी के लिए निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा:
- (क) एक सारणी में अवधि के प्रारंभ एवं अंत में अग्रणीत राशि के बीच का मिलान तबतक जबतक कि कोई दूसरा संरूप (फॉर्मेट) अधिक उपयुक्त नहीं होता है। प्रतिष्ठान आवश्यक ब्यौरे के स्तर का निर्णय करने में अपने विवेक का प्रयोग करेगा। (देखें अनुच्छेद 28-29), किंतु इसमें निम्नलिखित घटक आमतौर पर प्रासांगिक होंगे:
- (i) राशियां जिन्हें तुलन-पत्र में वर्तमान अवधि में नियामक आस्थगन लेखा शेषों के रूप में मान्यता दी गई है;
- (ii) वे राशियां जिन्हें शेषों से संबंधित लाभ-हानि के विवरण में मान्यता दी गई है व जो उन शेषों से संबंधित हैं जिन्हें वर्तमान अवधि में वसूल किया गया है (कभी-कभी परिशोधित के रूप में वर्णित) अथवा उलटा दिया गया है; तथा
- (iii) पृथक रूप से चिह्नित अन्य राशियां, जो नियामक आस्थगन लेखा शेषों को प्रभावित करती हैं जैसे कि क्षतिग्रस्तता, व्यवसाय समूहन में अधिगृहीत या गृहीत मदें, निपटायी गयी मदें, अथवा विदेशी विनियम दरों या बट्टा-दरों में परिवर्तनों का प्रभाव।
- (ख) रुपये के समय मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त प्रतिफल की दर या बट्टा दर (शून्य दर या दरों की विस्तार सीमा (रेंज) सहित, जब लागू हो) जो नियामक आस्थगन लेखा शेषों की प्रत्येक श्रेणी पर लागू है; तथा
- (ग) शेष अवधियों में जिस पर प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा नामे शेष की प्रत्येक श्रेणी की अग्रणीत राशि की वसूली (अथवा परिशोधन) या नियामक आस्थगन लेखा जमा शेष के प्रत्येक श्रेणी के विपर्याय (उलटाव) की अपेक्षा करता है।
34. जब दर विनियमन प्रतिष्ठान के आयकर व्यय (आय) की राशि और समय को प्रभावित करता है, तब प्रतिष्ठान मान्यता प्राप्त चालू तथा आस्थगित कर की राशियों पर दर विनियमन के प्रभाव को प्रकट करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान अलग से उस नियामक आस्थगन लेखा शेष को प्रकट करेगा जो उस शेष में कराधान और संबंधित परिवर्तन से संबंधित होता है।
35. जब एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 112, *अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रकटन* के अनुसार किसी ऐसे अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम के हित, को प्रकट करता है, जिसकी दर-विनियमित गतिविधियां हैं और जिसके लिए नियामक आस्थगन लेखा शेषों को इस मानक के अनुसार मान्यता दी गई है, तब प्रतिष्ठान उन राशियों को प्रकट करेगा जिन्हें नियामक आस्थगन लेखा नामे एवं जमा शेषों तथा उन शेषों में प्रकटित हितों के लिए शुद्ध परिवर्तनों में शामिल किया गया है (देखें अनुच्छेद ख 25-ख 28)।
36. जब प्रतिष्ठान यह निष्कर्ष निकालता है कि नियामक आस्थगन लेखा शेष अब बिल्कुल वसूलीयोग्य या प्रत्यावर्तन (उलटाने) योग्य नहीं हैं, तब वह उस तथ्य को प्रकट करेगा कि वह किन कारणों से वसूली योग्य या प्रत्यावर्तन (उलटाने)योग्य नहीं हैं; तथा वह राशि जिससे नियामक आस्थगन लेखा शेष कम हो गई है।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस मानक का अभिन्न अंग है।

प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण	वे प्रथम वार्षिक वित्तीय विवरण, जिनमें एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक के साथ अनुपालन के एक स्पष्ट एवं अनारक्षित कथन द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) को अपनाता है।
प्रथम-बार (पहली-बार) अंगीकर्ता	वह प्रतिष्ठान जो अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है।
पूर्ववर्ती जी ए ए पी (गैप)	लेखा का आधार, जिसे प्रथम-बार अंगीकर्ता ने भारत में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों को अपनाने के तत्काल प्रयोग पहले किया था। उदाहरण के लिए, वे कंपनियां जो कंपनी (लेखा मानक) नियमावली 2006 के अधीन अधिसूचित मौजूदा लेखा मानकों के अनुसार अपनी वित्तीय विवरणों को तैयार करती हैं, उन वित्तीय विवरणों को वे पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' (गैप) के अनुसार वित्तीय विवरणों के रूप में माना जाएगा।
स्पष्टीकरण:	
<i>भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए. आई.) द्वारा जारी दर-विनियमित गतिविधियों के लिए लेखांकन संबंधी दिशा-निर्देश नोट को पूर्ववर्ती 'जीएएपी' (गैप) के अनुरूप माना जाएगा।</i>	
दर-विनियमित गतिविधियाँ	प्रतिष्ठान की वे गतिविधियाँ जो दर-विनियमन के अधीन होती हैं।
दर विनियमन	' सेवा विनियमन लागत ' जो कि दर-विनियमित गतिविधियों के लेखा-संबंधी दिशा-निर्देश नोट में परिभाषित है।
दर विनियामक	' विनियामक ' जो कि दर विनियमित गतिविधियों के लेखा-संबंधी दिशा-निर्देश नोट में परिभाषित है।
नियामक आस्थगन लेखा शेष	एक ' नियामक आस्ति ' या ' नियामक दायित्व ' जो कि दर विनियमित गतिविधियों के लेखा-संबंधी दिशा-निर्देश नोट में परिभाषित है।

परिशिष्ट ख

प्रयोग- संबंधी दिशा-निर्देश

यह परिशिष्ट इस मानक का अभिन्न अंग है।

दर-विनियमित गतिविधियाँ

- ख 1 ऐतिहासिक रूप से, दर-विनियमन प्रतिष्ठान की सभी गतिविधियों पर लागू हैं। तथापि, अधिग्रहणों, विविधीकरण तथा अविनियमन के फलस्वरूप, दर-विनियमन अब प्रतिष्ठान की गतिविधियों के केवल एक भाग पर भी लागू हो सकते हैं जो, विनियमित एवं गैर-विनियमित, दोनों प्रकार की गतिविधियाँ होंगी। यह मानक केवल उन दर-विनियमित गतिविधियों पर लागू होता है जो प्रतिष्ठान या उद्योग की भले कोई भी प्रकार हो दर-विनियामक के कार्यों के माध्यम से सांविधिक या विनियामक प्रतिबंधों के अधीन होते हैं।
- ख 2 एक प्रतिष्ठान इस मानक को उन गतिविधियों पर लागू नहीं करेगा जो स्व-विनियमित हैं, अर्थात् वे गतिविधियाँ जो ऐसे मूल्य-निर्धारण ढांचे के अधीन नहीं आती हैं जिसे दर-विनियामक या तो नजरअंदाज करता है और/या फिर उसके द्वारा अनुमोदित है।

मौजूदा लेखा नीतियों को जारी रखना

- ख 3 इस मानक के प्रयोजन के लिए, एक नियामक आस्थगन लेखा शेष किसी व्यय (या आय) लेखा शेष के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे अन्य मानकों के अनुसार एक आस्ति या एक दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है किंतु वह आस्थगन के योग्य होता है क्योंकि यह दर-विनियामक द्वारा उस दर (उन दरों) को निश्चित करने में, सम्मिलित होती है अथवा सम्मिलित की जा सकती है जिसे ग्राहकों से वसूला जा सकता है। व्यय आय की कुछ मदें विनियमित दर (दरों) के बाहर हो सकती हैं क्योंकि उदाहरण के लिए, या तो राशियों को दर-विनियामक द्वारा स्वीकार किये जाने की संभावना नहीं है या फिर वे दर-विनियमन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं। परिणामतया, ऐसी मद आय के रूप में या किये गए व्यय के रूप में तबतक मान्य है जबतक कि कोई दूसरा मानक इसे एक आस्ति या एक दायित्व की अग्रणीत राशि में सम्मिलित किये जाने के लिए अनुमति नहीं देता है या अपेक्षा नहीं करता है।
- ख 4 कुछ मामलों में, अन्य मानक प्रतिष्ठान को तुलन-पत्र, में नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने के लिए स्पष्ट रूप से निषेध करते हैं, जिन्हें या तो पृथक रूप से मान्यता दी जा सकती है या अन्य रेखीय मदों, जैसाकि संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर, के अंतर्गत पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' (गैप) की लेखा नीतियों के अनुसार सम्मिलित की जा सकती हैं। तथापि, इस मानक के अनुच्छेद 11 के अनुसार, वह प्रतिष्ठान जो अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में इस मानक को लागू करने के लिए चयन करता है, नीतियों को नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता तथा अमान्यता पर अपने पूर्ववर्ती जी ए ए पी का प्रयोग

को जारी रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 11 में दी गई छूट का प्रयोग करता है। ऐसी लेखा नीतियों में, उदाहरणार्थ, निम्नलिखित प्रथाएं सम्मिलित हो सकती हैं:

- (क) नियामक आस्थगन लेखा नामे शेष को तब मान्यता देना जब प्रतिष्ठान को यह अधिकार होता है कि वह दर विनियामक की वास्तविक या प्रत्याशित कार्यवाही के फलस्वरूप अपनी स्वीकार्य लागतों (अर्थात् वे लागतें जिनके लिए विनियमित दर (दरें) वसूली उपलब्ध कराने के लिए अभिप्रेत हैं) की वसूली के लिए आगामी अवधियों में दरें बढ़ाए।
- (ख) एक नियामक लेखा नामे अथवा जमा शेष के रूप में एक ऐसी राशि को मान्यता देना, जो संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के निपटान या वापसी पर तथा अमूर्त आस्तियों दोनों मदों पर किसी हानि या लाभ के बराबर होती है और उसकी भावी दरों के माध्यम से वसूल किये जाने या प्रत्यावर्तित (उलटाने) होने की प्रत्याशा रहती है।
- (ग) नियामक आस्थगन लेखा जमा शेष को इस समय मान्यता देना जब दर-विनियामक की वास्तविक या प्रत्याशित कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा होती है कि वह स्वीकार्य लागतों से (अर्थात् दर विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट वसूली योग्य राशि की अतिरिक्त राशियां) की गई अधिक वसूलियों के प्रत्यावर्तन (उलटाने) करने के लिए भावी अवधियों में दरों में कमी करे।
- (घ) अबट्टागत आधार पर या दर विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट ब्याज या बट्टा दर का प्रयोग करते हुए बट्टागत आधार पर नियामक आस्थगन लेखा शेषों का माप।

ख 5 लागतों के प्रकारों के निम्नलिखित उदाहरण हैं जिनकी दर-विनियामक दर-निर्धारण (तय करने के) निर्णयों में अनुमति दे सकते हैं और इस कारण एक प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों में मान्यता दे सकता है:

- (i) मात्रा अथवा खरीद मूल्य में अन्तर ;
- (ii) 'हरित ऊर्जा' के स्वीकृत प्रयासों की लागत (वे राशियां जो भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर, के अनुसार संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की लागत के अंग के रूप में पूंजीकृत के अतिरिक्त राशियां हैं);
- (iii) दर-विनियमन के उद्देश्यों के लिए पूंजीगत लागतों के रूप में मानी जाने वाली अप्रत्यक्ष जुड़ी हुई लागतें (किंतु जिनकी भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद की लागत में शामिल किये जाने की अनुमति नहीं है);
- (iv) परियोजना रद्द करने की लागतें;
- (v) तूफान से क्षति होने की लागतें; तथा
- (vi) अभिप्रेत (माना गया) ब्याज (उन निधियों की अनुमत राशियों सहित जिनका प्रयोग विनिर्माण के दौरान किया गया है और जो प्रतिष्ठान को स्वामी की इक्विटी पूंजी के साथ-साथ उधार राशियों पर प्रतिफल के रूप में दिया जाता है)।

ख 6 नियामक आस्थगन लेखा शेष आमतौर पर विनियामक प्रयोजनों के लिए आय या व्यय मदों की मान्यता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए उन मदों की मान्यता के बीच समय के अन्तरों का समान्तया प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक के प्रथम-बार अंगीकरण करता है या नये अथवा संशोधित मानक का प्रयोग प्रारंभ करता है और उस समय लेखा नीति में परिवर्तन करता है तब नया या संशोधित समय-अन्तर उत्पन्न होता है जो नये या संशोधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों का सृजन करता है। अनुच्छेद 13 में लगाए गए प्रतिबंध जो प्रतिष्ठान को नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देना शुरू करने के लिए अपनी लेखा नीति में परिवर्तन करने से रोकता है, उन नये या संशोधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने से नहीं रोकता है जो भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित लेखा नीतियों में अन्य परिवर्तनों के कारण सृजित हुए हैं। यह इसलिये है क्योंकि ऐसे समय-अन्तरों के लिए नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता अनुच्छेद 11 के अनुसार लागू की गई मौजूदा मान्यता नीति के अनुरूप होगी और नयी लेखा नीति के प्रस्तुतीकरण को निरूपित नहीं करेगी। इसी तरह, अनुच्छेद 13 समय-अन्तरों से प्रकट उत्पन्न होने वाले नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने से नहीं रोकता है, जो भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन होने की तारीख से तत्काल पहले विद्यमान नहीं था किंतु अनुच्छेद 11 के अनुसार स्थापित प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों के अनुरूप है (उदाहरण के लिए, तूफान से क्षति की लागतें)।

अन्य मानकों का प्रयोग

ख 7 प्रतिष्ठान जो इस मानक के कार्यक्षेत्र के अन्दर है, तथा जो इस मानक की अपेक्षाओं को लागू करने का चयन करता है, नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता तथा अमान्यता के लिए अपनी पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' (गैप) लेखा नीतियों को लागू करना जारी रखेगा। तथापि, अनुच्छेद 16-17 में उल्लेख है कि कुछ परिस्थितियों में नियामक आस्थगन लेखा शेषों को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अन्य मानकों का प्रयोग किये जाने की भी आवश्यकता हो सकती है। निम्नलिखित अनुच्छेद यह

प्रस्तुत करता है कि इस मानक की अपेक्षाओं के साथ कुछ अन्य मानक कैसे प्रभावित (अंतर्क्रियाशील) होते हैं। विशेष रूप से, निम्नलिखित अनुच्छेद अन्य मानकों के लिए व उनसे विशिष्ट अपवादों को तथा उन अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटन अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है, जिनके लागू होने की संभावना है।

भारतीय लेखा मानक 10, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं का प्रयोग

ख 8 प्रतिष्ठान को अपने नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता एवं माप में प्राक्कलनों (अनुमानों) तथा पूर्व धारणाओं के प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। उन घटनाओं के लिए जो रिपोर्टिंग अवधि के अन्त और उस तारीख के बीच घटती है जब वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, तब प्रतिष्ठान यह पता लगाने के लिये भारतीय लेखा मानक 10 का प्रयोग करेगा कि क्या उन प्राक्कलनों (अनुमानों) तथा पूर्व धारणाओं को उन घटनाओं के प्रदर्शन के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।

भारतीय लेखा मानक 12, आयकर का प्रयोग

ख 9 भारतीय लेखा मानक 12, प्रतिष्ठान से सभी अस्थायी अन्तरों के लिए आस्थगित कर दायित्व तथा (कुछ शर्तों के अधीन) आस्थगित कर आस्ति को कुछ खास सीमित अपवादों के साथ मान्यता देने की अपेक्षा करता है। एक दर विनियमित प्रतिष्ठान मान्यता दी जाने वाली आयकर राशि की पहचान के लिए, दर-विनियमित गतिविधियों सहित अपनी सभी गतिविधियों के लिए भारतीय लेखा मानक 12 का प्रयोग करेगा।

ख 10 कुछ दर-विनियामक योजनाओं में, दर-विनियामक प्रतिष्ठान को अपने भावी दरों को बढ़ाने के लिए अनुमति देता है अथवा अपेक्षा करता है जिससे कि प्रतिष्ठान के कुछ या समस्त आयकर व्यय की पूर्ति की जा सके। ऐसी परिस्थितियों में, इसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों के, जो कि अनुच्छेद 11-12 के अनुसार स्थापित की गई हैं के अनुसार नियामक आस्थगन लेखा शेष को आयकर संबंधी तुलन-पत्र में मान्यता दे । आयकर से संबंधित नियामक आस्थगन लेखा शेष, को मान्यता देना स्वतः ही एक अतिरिक्त अस्थायी अन्तर का सृजन कर सकता है जिसके लिए एक और आस्थगित कर को मान्यता दी जाएगी।

ख 11 भारतीय लेखा मानक 12 की प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटन अपेक्षाओं के होते हुए भी जब एक प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने के परिणामस्वरूप आस्थगित कर आस्ति अथवा आस्थगित कर दायित्व को मान्यता देता है, तब प्रतिष्ठान उस आस्थगित कर राशि को कुल आस्थगित कर आस्ति (दायित्व) शेषों के अंतर्गत शामिल नहीं करेगा। बल्कि प्रतिष्ठान उस आस्थगित कर आस्ति (दायित्व) को प्रस्तुत करेगा जो निम्नलिखित दोनों में से किसी में नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है:

(क) उन रेखीय मदों के साथ जिन्हें विनियामक आस्थगन लेखा नामे शेषों तथा जमा शेषों के लिए प्रस्तुत किया जाता है; अथवा

(ख) संबंधित नियामक आस्थगन लेखा नामे शेषों एवं जमा शेषों के निकट पृथक रेखीय मद के रूप में ।

ख 12 इसी तरह से, जब एक प्रतिष्ठान आस्थगित कर आस्ति (दायित्व) में परिवर्तन को मान्यता देता है, जो नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है तब प्रतिष्ठान कर व्यय (आय) रेखीय मद में उस आस्थगित कर राशि के परिवर्तन को शामिल नहीं करेगा जिसे भारतीय लेखा मानक 12 के अनुसार लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। अपितु, प्रतिष्ठान, आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने के परिणामस्वरूप आस्थगित कर आस्ति (दायित्व) में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से किसी एक प्रकार से प्रदर्शित करेगा:

(क) नियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तन के लिए लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत मदों के साथ ; या

(ख) नियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तनों के लिए लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत संबंधित रेखीय मदों के निकट पृथक रेखीय मद के रूप में ।

भारतीय लेखा मानक 33, प्रति शेयर अर्जन का प्रयोग

ख 13 भारतीय लेखा मानक 33 का अनुच्छेद 66 कुछ प्रतिष्ठानों से अपेक्षा करता है कि वह लाभ-हानि विवरण में जारी परिचालन से लाभ या हानि तथा उस लाभ या हानि से जो मूल प्रतिष्ठान के साधारण इक्विटी धारकों से संबंधित है, दोनों के लिए प्रति शेयर मूल तथा अवमिश्रित अर्जनों को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानक 33 का अनुच्छेद 68 उन प्रतिष्ठान से जो बंद परिचालन को रिपोर्ट करता है, यह अपेक्षा करता है कि वह देने वाले बंद परिचालन के लिए प्रति शेयर मूल और अवमिश्रित राशियां या तो लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में या टिप्पणियों में प्रकट करे।

ख 14 भारतीय लेखा मानक 33 के अनुसार, प्रस्तुत प्रति शेयर के प्रत्येक अर्जन की राशि के लिए इस मानक को लागू करने वाला प्रतिष्ठान अतिरिक्त प्रति शेयर मूल एवं अवमिश्रित अर्जन राशियों को, जिनकी उसी तरीके से गणना की गयी है, प्रस्तुत करेगा लेकिन उन राशियों में नियामक आस्थगन लेखा शेष के निवल परिवर्तन शामिल नहीं होंगे। भारतीय लेखा मानक 33 के अनुच्छेद 73 की अपेक्षा के अनुरूप, प्रतिष्ठान इस मानक के अनुच्छेद 26 द्वारा अपेक्षित प्रति शेयर अर्जन को प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए भारतीय लेखा मानक 33 द्वारा अपेक्षित प्रति शेयर अर्जन के समान प्रमुखता के साथ प्रस्तुत करेगा।

भारतीय लेखा मानक 36 आस्तियों की क्षतिग्रस्तता का प्रयोग

- ख 15 अनुच्छेद 11-12 में यह अपेक्षा की गयी है कि प्रतिष्ठान अपने मान्यता प्राप्त नियामक आस्थगन लेखा शेषों की पहचान, मान्यता, माप तथा किसी क्षतिग्रस्तता के उलटाव के लिए अपनी पूर्ववर्ती जी ए पी पी (गैप) लेखा नीतियों का प्रयोग करना जारी रखे। फलस्वरूप, भारतीय लेखा मानक 36 मान्यता प्राप्त पृथक नियामक आस्थगन लेखा शेषों पर लागू नहीं होता है।
- ख 16 तथापि, भारतीय लेखा मानक 36 एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस नकदी जनक इकाई (सी जी यू) पर क्षतिग्रस्तता परीक्षण करे जिसमें नियामक आस्थगन लेखा शेष सम्मिलित है। यह परीक्षण इसलिए आवश्यक हो सकता है क्योंकि नकदी-जनक इकाई (सी जी यू) में ख्याति (गुडविल) अंतर्निहित है या इसलिए भी कि उस नकदी जनक इकाई (सी जी यू) के संबंध में भारतीय लेखा मानक 36 में वर्णित एक या अधिक क्षतिग्रस्तता संकेतकों की पहचान की गयी है। ऐसी स्थितियों में, भारतीय लेखा मानक 36 के अनुच्छेदों 74-79 में नकदी-जनक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि तथा अग्रणीत राशि की पहचान करने की अपेक्षाएं अंतर्निहित हैं। एक प्रतिष्ठान उन अपेक्षाओं का प्रयोग यह निर्णय लेने के लिए करेगा कि क्या मान्यता प्राप्त नियामक आस्थगन लेखा शेष को क्षतिग्रस्तता परीक्षण के उद्देश्य के लिए नकदी-जनक इकाई (सी जी यू) की अग्रणीत राशि में शामिल किया गया है। भारतीय लेखा मानक 36 की शेष अपेक्षाओं को उसके बाद किसी ऐसी क्षतिग्रस्तता हानि के लिए लागू किया जाएगा जिसे इस परीक्षण के परिणामस्वरूप मान्यता दी गई है।

भारतीय लेखा मानक 103, व्यवसायिक संयोजन का प्रयोग

- ख 17 भारतीय लेखा मानक 103 का मुख्य सिद्धांत यह है कि एक व्यवसाय का अधिग्रहणकर्ता अधिगृहीत आस्तियों एवं ग्रहण किये गये दायित्वों को उनके अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्यों पर मान्यता देता है। भारतीय लेखा मानक 103 इसकी मान्यता एवं माप देने के सिद्धांतों में सीमित अपवादों का प्रावधान करता है। इस मानक का अनुच्छेद 18 एक अतिरिक्त अपवाद का प्रावधान करता है।
- ख 18 अनुच्छेद 11-12 यह अपेक्षा करते हैं कि प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए अपनी पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' (गैप) लेखा नीतियों का प्रयोग जारी रखे। फलस्वरूप, यदि प्रतिष्ठान एक व्यवसाय का अधिग्रहण करता है तो यह अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अधिग्रहण की तिथि पर अधिग्राही के नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता एवं माप के लिए अनुच्छेद 11-12 के अनुसार स्थापित अपनी लेखा नीतियों का प्रयोग करेगा। अधिग्रहणिति के नियामक आस्थगन लेखा शेषों को अधिग्रहणकर्ता के समेकित वित्तीय विवरणों में अधिग्रहणकर्ता की नीतियों के अनुसार इस बात का लिहाज किये बिना मान्यता दी जाएगी कि अधिग्रहणिति उन शेषों को अपनी स्वयं के वित्तीय विवरणों में मान्यता देता है अथवा नहीं।

भारतीय लेखा मानक 105, बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन का प्रयोग

- ख 19 अनुच्छेद 11-12 एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करते हैं कि वह नियामक लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए अपनी पूर्व लेखा नीतियों का प्रयोग जारी रखे। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखा मानक 105 की माप-संबंधी अपेक्षाएं मान्यता-प्राप्त नियामक आस्थगन लेखा शेषों पर लागू नहीं होगी।
- ख 20 भारतीय लेखा मानक 105 का अनुच्छेद 33 लाभ-हानि विवरण में बंद परिचालनों के लिए एकल राशि प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करता है। उस अनुच्छेद की अपेक्षाओं के बावजूद, जब एक प्रतिष्ठान इस मानक को लागू करने का चयन करता है, और बंद परिचालन प्रस्तुत करता है तब यह उन को नियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तन को शामिल नहीं करेगा जो वह रेखीय (समरूप) मदों के अंतर्गत बंद परिचालन की दर-विनियमित गतिविधियों से उत्पन्न हुए हैं और जो भारतीय लेखा मानक 105 के अनुच्छेद 33 द्वारा अपेक्षित हैं। इसके बजाय, प्रतिष्ठान परिचालन उन नियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तन को जो बंद परिचालनों की दर-विनियमित गतिविधियों से उत्पन्न हुए हो निम्नलिखित किसी एक प्रकार से प्रदर्शित करेगा:
- रेखीय मद के अंतर्गत जिन्हें लाभ-हानि से संबंधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रस्तुत किया जाता है ; या
 - संबंधित रेखीय मद के निकट एक पृथक रेखीय मद के रूप में जिसे लाभ-हानि से संबंधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों में संचलनों के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
- ख 21 इसी तरह से, भारतीय लेखा मानक 105 के अनुच्छेद 38, की अपेक्षाओं के बावजूद जब एक प्रतिष्ठान एक निपटान समूह को प्रस्तुत करता है, तब प्रतिष्ठान उन नियामक आस्थगन लेखा नामे शेषों तथा जमा शेषों के जोड़ को शामिल नहीं करेगा जो रेखीय मदों के अंतर्गत उस निपटान समूह के भाग हैं जो भारतीय लेखा मानक 105 के अनुच्छेद 38 के अनुसार हैं। इसके बजाय, प्रतिष्ठान उन नियामक आस्थगन लेखा नामे शेषों तथा जमा शेषों के जोड़ को जो एक निपटान समूह का भाग हैं को निम्नलिखित किसी एक प्रकार से प्रदर्शित करेगा:
- रेखीय मदों के अंतर्गत जिन्हें नियामक आस्थगन लेखा नामे शेषों तथा जमा शेषों के लिए प्रस्तुत किया जाता है; या
 - अन्य नियामक आस्थगन लेखा नामे शेषों तथा जमा शेषों के निकट पृथक रेखीय मदों के रूप में।

- ख 22 यदि प्रतिष्ठान उन शेषों में नियामक आस्थगन लेखा शेषों एवं परिवर्तनों का चयन करता है जो संबंधित नियामक आस्थगन लेखा रेखीय मदों के अंतर्गत निपटान समूह या बंद परिचालन से संबंधित हैं तो उसे इस मानक के अनुच्छेद 33 द्वारा वर्णित नियामक आस्थगन लेखा रेखीय मदों के विश्लेषण के भाग के रूप में उन्हें पृथक से प्रकट करने की आवश्यकता हो सकती है।

भारतीय लेखा मानक 110, समेकित वित्तीय विवरण तथा भारतीय लेखा मानक 28, सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोसिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

- ख 23 भारतीय लेखा मानक 110 का अनुच्छेद 19 यह अपेक्षा करता है कि “मूल प्रतिष्ठान समान लेन-देनों तथा एक-जैसी परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक-समान लेखा-नीतियों का प्रयोग करते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगा”। इस मानक का अनुच्छेद 8 यह अपेक्षा करता है कि एक प्रतिष्ठान जो इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है और लागू करने के लिए इसका चयन करता है, वह प्रतिष्ठान की सभी दर-विनियमित गतिविधियों से उत्पन्न सभी नियामक आस्थगन लेखा शेषों पर इस मानक की सभी अपेक्षाओं को लागू करेगा। परिणामस्वरूप, यदि मूल प्रतिष्ठान इस मानक के अनुसार अपने समेकित विवरणों में नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देता है तो यह अपनी सभी अनुषंगी प्रतिष्ठानों में उत्पन्न होने वाले नियामक आस्थगन लेखा शेषों पर वही लेखा नीतियां लागू करेगा। यह तब भी लागू होगा बेशक उसकी अनुषंगी प्रतिष्ठानों उन शेषों को अपने वित्तीय विवरणों में मान्यता देता है अथवा नहीं।
- ख 24 इसी तरह, भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 35-36 यह अपेक्षा करते हैं कि, इक्विटी प्रणाली लागू करने में “प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण समान लेन-देनों तथा एक-जैसी परिस्थितियों की घटनाओं के लिए एक-समान लेखा नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए जाएंगे”। फलस्वरूप, इक्विटी प्रणाली लागू करने में नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोसिएट) की या संयुक्त उद्यम की लेखा नीतियों को निवेशक प्रतिष्ठान की उन नीतियों के अनुरूप करने के लिए समायोजन किए जाएंगे।

भारतीय लेखा मानक 112 अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रयोग

- ख 25 भारतीय लेखा मानक 112 अनुच्छेद 12 (ड.) प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी प्रत्येक अनुषंगी अनुष्ठान, जिसके वे गैर-नियंत्रण हित हैं जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, उस लाभ या हानि को जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अनुषंगी अनुष्ठान के गैर-नियंत्रण हित को आवंटित किया गया था का प्रकटन करेगा। एक प्रतिष्ठान जो इस मानक के अनुसार नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देता है वह नियामक आस्थगन लेखा शेषों में उस निवल परिवर्तन को प्रकट करेगा जो उन राशियों के अंतर्गत सम्मिलित है जिसे भारतीय लेखा मानक 112 के अनुच्छेद 12 (ड.) द्वारा प्रकट किया जाना अपेक्षित है।
- ख 26 भारतीय लेखा मानक 112 का अनुच्छेद 12 (छ) प्रतिष्ठान से अपनी प्रत्येक उस अनुषंगी प्रतिष्ठान के लिए जिसके गैर-नियंत्रण हित हैं, जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, अनुषंगी प्रतिष्ठान के बारे में संक्षिप्त वित्तीय सूचना भारतीय लेखा मानक 112 के अनुच्छेद ख 10 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार है, प्रकटन करने की अपेक्षा करता है। इसी तरह से, भारतीय लेखा मानक 112 का अनुच्छेद 21 (ख) (ii) प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोसिएट्स) के लिए जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के लिए महत्वपूर्ण है, संक्षिप्त वित्तीय सूचना प्रकट करे। भारतीय लेखा मानक 112 के अनुच्छेद ख 12-ख 13 में यथा विनिर्दिष्ट है। भारतीय लेखा मानक 112 का अनुच्छेद ख 16 उस संक्षिप्त वित्तीय सूचना का विशेष रूप से उल्लेख करता है जिसकी प्रतिष्ठान से की सभी अन्य सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोसिएटों) तथा संयुक्त उद्यमों के लिए प्रकट करने की अपेक्षा की गई है और जो भारतीय लेखा मानक 112 के अनुच्छेद 21 (ग) के अनुसार व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं है।
- ख 27 भारतीय लेखा मानक 112 के अनुच्छेदों 12, 21, ख 10, ख 12-ख 13, एवं ख 16 में विनिर्दिष्ट सूचना के अतिरिक्त, एक प्रतिष्ठान जो इस मानक के अनुसार नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देता है, कुल नियामक आस्थगन लेखा नामे शेष, कुल नियामक आस्थगन लेखा जमा शेष तथा उन शेषों के निवल परिवर्तनों, प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियों तथा अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशियों के बीच विभाजन को भी प्रकट करेगा, यह उस प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए प्रकट करना आवश्यक है जिसके लिए भारतीय लेखा मानक ऐसा करने की अपेक्षा करता है।
- ख 28 भारतीय लेखा मानक 112 का अनुच्छेद 19 उस सूचना को विनिर्दिष्ट करता है जिसे प्रतिष्ठान द्वारा तब प्रकट करना अपेक्षित होता है जब प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। और वह भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद 25 के अनुसार प्राप्ति या हानि को मान्यता देता है। भारतीय लेखा मानक 112 के अनुच्छेद 19 द्वारा अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त, जैसे ही प्रतिष्ठान जो इस मानक को लागू करने के लिए चयन करता है, उस लाभ या हानि के हिस्से को प्रकट करेगा जो पूर्ववर्ती अनुषंगी प्रतिष्ठान में नियामक आस्थगन लेखा शेषों की उस तिथि पर जब उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है अमान्य करने के कारण होता है।

टिप्पणी: यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का भाग नहीं है। इस परिशिष्ट का उद्देश्य केवल भारतीय लेखा मानक (इंड. ए. एस) 114 और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस), 14 नियामक आस्थगन लेखों के बीच अन्तरों को, यदि कोई हों, स्पष्ट करना है।

आई एफ आर एस 14, नियामक आस्थगन लेखों के साथ तुलना

1. परिशिष्ट क, परिभाषित शब्दावली को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है कि दर-विनियमित गतिविधियों के लिए लेखा संबंधी दिशा-निर्देश नोट को भारतीय लेखा मानक, 114 के उद्देश्य के लिए पूर्ववर्ती जीएएपी के रूप में समझा जाएगा।
2. इंड ए एस 114 के अनुच्छेद 6 में एक फुटनोट जोड़ा गया है, जो कि पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के प्रबंधन व प्रस्तुतीकरण की अपेक्षाओं के उपयोग हेतु उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जो कि प्रतिष्ठान दर-विनियमन के दायरे में इंड ए एस लागू होने के बाद आते हैं या वे प्रतिष्ठान जिनकी गतिविधियां दर-विनियमन के दायरे में आती हैं, जो कि इंड ए एस में परिभाषित हैं, और अपने पहले इंड ए एस वित्तीय विवरणों के प्रबंधन व प्रस्तुतीकरण में उपयोग किए गए हैं।
3. इस मानक में प्रयुक्त भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है जैसेकि, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर 'तुलन-पत्र' शब्द का प्रयोग किया गया है तथा 'लाभ-हानि तथा व्यापक आय विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व साधारण टाइप में अनुच्छेद हैं और दोनों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य उन सिद्धान्तों को स्थापित करना है जिन्हें एक प्रतिष्ठान ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व अथवा नकदी प्रवाहों की प्रकृति, राशि, समय तथा अनिश्चितता के बारे में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उपयोगी सूचना रिपोर्ट करते समय लागू करेगा।

उद्देश्य की पूर्ति

2. अनुच्छेद 1 में दिये गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस मानक का मुख्य सिद्धान्त यह है कि प्रतिष्ठान ग्राहकों को वचनबद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के अन्तरण को दर्शाने के लिए राजस्व की उस राशि को मान्यता देगा जो उस प्रतिफल को प्रतिबिंबित करेगा जिसका प्रतिष्ठान उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की आशा करता है।
3. प्रतिष्ठान इस मानक को लागू करते समय अनुबंध की शर्तों तथा सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करेगा। प्रतिष्ठान समान विशेषताओं वाले अनुबंधों को तथा समान परिस्थितियों में इस मानक तथा व्यावहारिक युक्तियों को संयंत्र रूप से लागू करेगा।
4. यह मानक एक ग्राहक के साथ किए गए एक अनुबंध के लिये लेखांकन का उल्लेख करता है। तथापि, व्यावहारिक उपाय के रूप में, प्रतिष्ठान समान विशेषताओं वाले अनुबंधों या (कार्य-निष्पादन बाध्यताओं) के संविभाग में इस मानक को लागू कर सकता है यदि प्रतिष्ठान तर्कसंगत रूप से अपेक्षा करता है कि संविभाग में इस मानक के प्रयोग करने से वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभावों का इस मानक का संविभाग के अंतर्गत पृथक अनुबंधों (या कार्य-निष्पादन बाध्यताओं) पर प्रयोग करने से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होगा। संविभाग के लिये लेखा करते समय, प्रतिष्ठान उन प्राक्कलनों एवं अनुमानों का प्रयोग करेगा जो संविभाग के आकार एवं संरचना को प्रतिबिंबित करेंगे।

कार्यक्षेत्र

5. प्रतिष्ठान निम्नलिखित को छोड़कर, ग्राहकों के साथ किये गए सभी अनुबंधों में इस मानक को लागू करेगा:

(क) भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पट्टा अनुबंध ;

(ख) भारतीय लेखा मानक 104, बीमा अनुबंध, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बीमा अनुबंध ;

(ग) भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतें, भारतीय लेखा मानक 110, समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय लेखा मानक 111, संयुक्त व्यवस्थाएं, भारतीय लेखा मानक 27, पृथक वित्तीय विवरण तथा भारतीय लेखा मानक 28, सहयोगी

प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय लिखतों और अन्य अनुबंधात्मक अधिकारों अथवा बाध्यताओं; तथा

- (घ) ग्राहकों या संभावित ग्राहकों के साथ बिक्रियों को सरल बनाने के लिए एक ही प्रकार के व्यवसाय में प्रतिष्ठानों के बीच गैर-मौद्रिक विनिमय। उदाहरण के लिए, यह मानक दो तेल कंपनियों के बीच उन अनुबंधों में लागू नहीं होगा जो समयबद्ध आधार पर विभिन्न विशिष्ट स्थानों में अपने ग्राहकों से मांग को पूरा करने हेतु तेल का विनिमय करने के लिए सहमत होती हैं।
6. प्रतिष्ठान इस मानक को अनुबंध के लिए (अनुच्छेद 5 में सूचीबद्ध अनुबंध के अलावा) केवल तभी लागू करेगा यदि अनुबंध का प्रतिपक्ष (दूसरा पक्ष) ग्राहक है। ग्राहक एक पक्ष है जिसने उन वस्तुओं एवं सेवाओं को जो प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों का उत्पाद हैं; प्रतिफल के बदले में प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठान के साथ अनुबंध किया है। अनुबंध का प्रतिपक्ष (दूसरा पक्षकार) ग्राहक नहीं होगा उदाहरण के लिए, यदि प्रतिपक्ष (दूसरा पक्षकार) ने प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों का उत्पाद प्राप्त करने के बजाय उस गतिविधि या प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रतिष्ठान के साथ अनुबंध किया है जिसमें अनुबंध के दोनों पक्षकार (पार्टियों) उन जोखिमों तथा लाभों में सहभागी होते हैं जो गतिविधि या प्रक्रिया के फलस्वरूप होती हैं, (जैसे कि सहयोग व्यवस्था में आस्ति निर्मित (विकसित) करना) परिणाम होता है।
7. ग्राहक के साथ किया गया अनुबंध अंशतः इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंदर तथा अंशतः अनुच्छेद 5 में सूचीबद्ध अन्य मानकों के कार्यक्षेत्र के अंदर हो सकते हैं।
- (क) यदि अन्य मानक विशिष्ट उल्लेख करता है कि अनुबंध के एक या अधिक भागों को कैसे पृथक किया जाए और/या प्रारंभ में कैसे मापा जाए, तो प्रतिष्ठान उन मानकों में पहले पृथक्करण और/या माप के लिए उन मानकों की अपेक्षाओं का प्रयोग करेगा। प्रतिष्ठान लेन-देन कीमत से अनुबंध के उस भाग (या भागों) की राशि को अलग करेगा जो प्रारंभ में अन्य मानकों के अनुरूप मापे गए हैं तथा अनुच्छेद 73-86 को लेन-देन कीमत की उस राशि के आवंटन के लिए प्रयोग करेगा जो इस मानक के कार्यक्षेत्र तथा अनुच्छेद 7 (ख) द्वारा चिह्नित अनुबंध के किसी दूसरे भागों के अंदर प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता के शेष, (यदि कोई हो) रह जाती है।
- (ख) यदि दूसरा मानक विशिष्ट उल्लेख नहीं करता है कि अनुबंध के एक या अधिक भागों को कैसे पृथक किया जाए और/या प्रारंभ में कैसे मापा जाए तो प्रतिष्ठान इस मानक को अनुबंध के भाग (या भागों) को पृथक करने और/या प्रारंभ में मापने के लिए प्रयोग करेगा।
8. यह मानक ग्राहकों के साथ अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों के लिए तथा ग्राहकों के साथ अनुबंध को पूरा करने के लिए खर्च किए गए लागतों हेतु लेखांकन का विशिष्ट उल्लेख तभी करता है यदि वे लागतें दूसरे मानकों (देखें अनुच्छेद 91-104) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती हैं। प्रतिष्ठान उन अनुच्छेदों को केवल उन लागतों के लिए लागू करेगा जो ग्राहकों के साथ अनुबंध (या उस अनुबंध के भाग) से संबंधित होती हैं तथा इस मानक के कार्यक्षेत्र के अन्दर आती हैं।

मान्यता

अनुबंध की पहचान

9. एक प्रतिष्ठान ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध के लिये लेखा करेगा जो कि निम्नलिखित सभी मानदण्डों के पूरा होने पर ही इस मानक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है:
- (क) अनुबंध के पक्षकारों (पार्टियों) ने अनुबंध को (लिखित में, मौखिक रूप से या अन्य प्रचलित कारोबारी प्रथाओं के अनुसार) अनुमोदित कर दिया है तथा अपने संबंधित बाध्यताओं के निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- (ख) प्रतिष्ठान अन्तरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों को पहचान सकता है;
- (ग) प्रतिष्ठान अन्तरित की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं के लिए भुगतान शर्तों को पहचान सकता है;
- (घ) अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व हो (अर्थात् जोखिम, समय अथवा प्रतिष्ठान के भावी नकद प्रवाह की राशि में अनुबंध के परिणामस्वरूप परिवर्तन होने की संभावना हो); और
- (ङ) यह संभाव्य है कि प्रतिष्ठान उस प्रतिफल को एकत्र करेगा जिसका वह ग्राहकों को अंतरण की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होगा। प्रतिफल के एकत्रीकरण की क्षमता संभाव्य है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए प्रतिष्ठान केवल उस समय ग्राहक के सामर्थ्य एवं इरादे पर विचार करेगा जब प्रतिफल की राशि भुगतान के लिये देय होती है। प्रतिफल की वह राशि जिसका प्रतिष्ठान हकदार होगा, अनुबंध में उल्लिखित कीमत से कम हो सकती है,

यदि प्रतिफल इसलिए परिवर्तनशील है, क्योंकि प्रतिष्ठान ग्राहक को कीमत में रियायत का प्रस्ताव दे सकता है (देखें अनुच्छेद 52)

10. अनुबंध दो या अधिक पार्टियों (पक्षकार) के बीच एक करार होता है जो प्रवर्तनीय अधिकारों एवं बाध्यताओं का सृजन करता है। अनुबंध में अधिकारों एवं बाध्यताओं की प्रवर्तनीयता कानून का विषय है। अनुबंध लिखित, मौखिक या प्रतिष्ठान के प्रचलित कारोबारी प्रथाओं द्वारा निहित हो सकता है। ग्राहकों के साथ अनुबंधों को स्थापित करने के लिए प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं में कानून क्षेत्राधिकारों, उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में सभी स्तरों पर अन्तर होते हैं। इसके अतिरिक्त, उनमें प्रतिष्ठान के अन्तर्गत भी अन्तर हो सकते हैं (उदाहरणार्थ, वे ग्राहक की श्रेणी या वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति पर आश्रित हो सकते हैं)। यह निर्धारित करने के लिये कि क्या और कब ग्राहकों के साथ किया गया करार प्रवर्तनीय अधिकारों तथा बाध्यताओं का सृजन करता है प्रतिष्ठान उन प्रथाओं और प्रक्रियाओं पर विचार करेगा।
11. यह संभव है कि ग्राहकों के साथ किए गए कुछ अनुबंधों की कोई निश्चित समयावधि नहीं तथा वे किसी भी पार्टी (पक्ष) द्वारा कभी भी निरस्त या संशोधित किए जा सकते हैं। अन्य अनुबंधों का उस आवधिक आधार पर स्वतः नवीकरण हो सकता है, जिसका अनुबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रतिष्ठान इस मानक को अनुबंध की उस कालावधि (अर्थात् संविदागत अवधि) में प्रयोग करेगा जिसमें अनुबंध की पार्टियों (पक्षों) को वर्तमान प्रवर्तनीय अधिकार एवं बाध्यता होते हैं।
12. इस मानक का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए अनुबंध तब विद्यमान नहीं माना जायेगा यदि अनुबंध से संबंधित प्रत्येक पार्टी (पक्ष) के अन्य पार्टी (पक्ष) (या पार्टियों) को क्षतिपूर्ति किए बिना पूर्णतः अनिष्पादित अनुबंध को समाप्त करने का एकतरफा प्रवर्तनीय अधिकार होता है। एक अनुबंध तब पूर्णतः अनिष्पादित होता है जब निम्नलिखित दोनों मानदण्ड पूरे होते हैं:
 - (क) प्रतिष्ठान ने वचनबद्ध किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं को अभी तक ग्राहक को अन्तरित नहीं किया है; तथा
 - (ख) प्रतिष्ठान ने अभी तक वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय स्वरूप कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है तथा अभी तक प्राप्त करने का हकदार नहीं हुआ है।
13. यदि ग्राहकों के साथ किया गया अनुबंध अनुच्छेद 9 में दिये गए मानदण्ड को अनुबंध के प्रारंभ में पूरा करता है, तो प्रतिष्ठान उन मानदण्डों को तब तक पुनर्निर्धारित नहीं करेगा जब तक कि तथ्यों एवं परिस्थितियों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का संकेत नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक की प्रतिफल अदा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण ह्रास होता है तो प्रतिष्ठान इसका पुनर्निर्धारण करेगा कि क्या यह संभव है कि प्रतिष्ठान उस प्रतिफल की वसूली करेगा जिसका उन शेष वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिष्ठान हकदार होगा जिसे ग्राहक को अन्तरित किया जाएगा।
14. यदि ग्राहकों के साथ किया गया अनुबंध अनुच्छेद 9 में दिए गए मानदण्ड को पूरा नहीं करता है, तो प्रतिष्ठान यह निर्धारण करने के लिए अनुबंध का आंकलन करना जारी रखेगा कि अनुच्छेद 9 में दिए गए मानदण्ड बाद में पूरे किए जाते हैं या नहीं।
15. जब ग्राहकों के साथ किया गया अनुबंध अनुच्छेद 9 में दिए गए मानदण्ड को पूरा नहीं करता है और प्रतिष्ठान ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करता है तब प्रतिष्ठान प्राप्त प्रतिफल को आय के रूप में केवल तभी मान्यता देगा जब निम्नलिखित में से कोई भी घटना घटती है:
 - (क) प्रतिष्ठान की ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं के अन्तरण के लिए कोई बाध्यता शेष नहीं रह गयी है तथा ग्राहक द्वारा वचनबद्ध सभी, या लगभग सभी, प्रतिफल प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं और गैर-वापसी योग्य हैं; या
 - (ख) अनुबंध समाप्त कर दिया गया है तथा ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल गैर-वापसी योग्य है।
16. प्रतिष्ठान ग्राहकों से प्राप्त प्रतिफल को दायित्व के रूप में तब तक मान्यता देगा जब तक अनुच्छेद 15 में दी गई कोई एक घटना नहीं घटती है या अनुच्छेद 9 में दिए गए मानदण्ड बाद में पूरे नहीं हो जाते हैं (देखें अनुच्छेद 14)। अनुबंध से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर आश्रित, मान्यता प्राप्त दायित्व प्रतिष्ठान के भविष्य में या तो वस्तुओं या सेवाओं के अन्तरण या प्राप्त प्रतिफल की वापसी के बाध्यता का निरूपण करता है। दोनों मामले में, दायित्व का माप ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल की राशि पर किया जाएगा।

अनुबंधों का संयोजन

17. प्रतिष्ठान एक ही ग्राहक (या ग्राहक की संबंधित पार्टियों (पक्षों) के साथ) एक ही समय में या एक ही समय के निकट किए गए दो या अधिक अनुबंधों का संयोजन करेगा तथा अनुबंधों को एक ही अनुबंध के रूप में लेखा करेगा यदि निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदण्ड पूरे कर लिए जाते हैं:
 - (क) अनुबंधों को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ पैकेज के रूप में बेचा जाता है ;
 - (ख) एक अनुबंध में अदा की जाने वाली प्रतिफल की राशि अन्य अनुबंध की कीमत या कार्य निष्पादन पर निर्भर करता है; अथवा

- (ग) अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं (या अनुबंधों में से प्रत्येक में वचनबद्ध कुछ वस्तुएँ या सेवाएँ) की अनुच्छेद 22-30 के अनुसार एकल कार्य निष्पादन बाध्यता होती है।

अनुबंधों का संशोधन

18. अनुबंध संशोधन, अनुबंध के कार्यक्षेत्र या कीमत (या दोनों) में वह परिवर्तन होना है जो जिसे अनुबंध की पार्टियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कुछ उद्योगों और अधिकार क्षेत्रों में किए जाने वाले अनुबंध संशोधन को परिवर्तन आदेश, रूपान्तरण या संशोधन के रूप में वर्णित किया जाता है। अनुबंध संशोधन तब किया जाता है जब अनुबंध की पार्टियाँ (पक्षों) उस संशोधन को स्वीकृत करती हैं, जो या तो अनुबंध के विद्यमान प्रवर्तनीय अधिकारों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन करता है या नये सृजित करता है। अनुबंध संशोधन लिखित में, मौखिक करार द्वारा या प्रचलित कारोबारी प्रथाओं द्वारा अन्तर्निहित रूप से अनुमोदित किया जा सकता है। यदि अनुबंध से संबंधित पार्टियों (पक्षों) ने अनुबंध संशोधन को स्वीकृत नहीं किया है तो प्रतिष्ठान विद्यमान अनुबंध में इस मानक का प्रयोग तब तक जारी रखेगा जब तक कि अनुबंध संशोधन स्वीकृत नहीं हो जाता है।
19. अनुबंध संशोधन तब भी विद्यमान रह सकता है, जब भले ही अनुबंध के पक्षकारों (पार्टियों) में संशोधन के कार्यक्षेत्र या कीमत (या दोनों) के बारे में विवाद हो या पार्टियों ने अनुबंध के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को अनुमोदित कर दिया हो किन्तु कीमत में अभी भी तदनुसूची परिवर्तन को निर्धारित नहीं किए हो। यह निर्धारण करते समय कि अधिकारों और बाध्यताओं को, जिसे सृजित किया गया है या संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया है, प्रवर्तन योग्य है या नहीं, प्रतिष्ठान अनुबंध की शर्तों तथा अन्य साक्ष्यों सहित सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करेगा। यदि अनुबंध से संबंधित पक्षों (पार्टियों) ने अनुबंध के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किए हैं किन्तु कीमत में तदनुसूची परिवर्तन अभी तक नहीं किए हैं, तो प्रतिष्ठान संशोधन से उत्पन्न लेन-देन कीमत के परिवर्तन का अनुमान परिवर्तनशील प्रतिफल का अनुमान लगाने पर अनुच्छेद 50-54 तथा परिवर्तनशील प्रतिफल का नियंत्रित (दबाव में) अनुमान लगाने पर अनुच्छेद 56-58 के अनुसार करेगा।
20. प्रतिष्ठान अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में लेखांकन करेगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें मौजूद हों:
 - (क) अनुबंध का कार्यक्षेत्र उन वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के जुड़ने के कारण बढ़ता है जो कि सुभिन्न हैं (देखें अनुच्छेद 26-30 के अनुसार); तथा
 - (ख) अनुबंध की कीमत प्रतिफल की उस राशि से बढ़ती है जो प्रतिष्ठान के वचन दिए गए अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए स्वतंत्र बिक्री कीमतों तथा उन विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रतिफलित (प्रतिबिंबित) करने के लिए कीमतों में उचित समायोजन को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान वस्तुओं या सेवाओं के स्वतंत्र विक्रय मूल्य को ग्राहक द्वारा प्राप्त किये जाने वाले बट्टे के लिये समायोजित कर सकता है क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि प्रतिष्ठान उन विक्रय संबंधी लागतों को वहन करेगा जो कि किसी नये ग्राहक को समान वस्तुओं या सेवाओं को बेचते समय वहन की जाती।
21. यदि अनुबंध संशोधन को अनुच्छेद 20 के अनुसार पृथक अनुबंध के रूप में लेखांकित नहीं किया जाता है, तो प्रतिष्ठान अनुबंध संशोधन की तारीख को अन्तरित नहीं की गई वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं (अर्थात् शेष वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं) को निम्न में से जो भी लागू हो, उस तरह से लेखांकित करेगा:
 - (क) यदि शेष वस्तुएँ या सेवाएँ अनुबंध संशोधन की तारीख को या पहले अन्तरित की गई वस्तुओं या सेवाओं से सुभिन्न हैं तो प्रतिष्ठान अनुबंध संशोधन का उसी तरह लेखा करेगा मानो यह विद्यमान अनुबंध की समाप्ति तथा नए अनुबंध का सृजन थे। शेष कार्य निष्पादन बाध्यताओं को (या अनुच्छेद 22 (ख) के अनुसार शेष सुभिन्न वस्तुओं के लिए पता लगाए गए एकल कार्य निष्पादन बाध्यता को) आवंटित की जाने वाली प्रतिफल की राशि निम्नलिखित का योग होती है:
 - (i) ग्राहक द्वारा वचनबद्ध प्रतिफल (ग्राहक से पहले ही प्राप्त राशियों सहित) जिसे लेन-देन कीमत के प्राक्कलन में शामिल किया गया था तथा जिसे आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी; और
 - (ii) अनुबंध संशोधन के भाग के रूप में वचनबद्ध प्रतिफल।
 - (ख) यदि शेष वस्तुएँ या सेवाएँ सुभिन्न नहीं हैं तो प्रतिष्ठान अनुबंध संशोधन के लिए इस तरह से लेखा करेगा, मानो ये विद्यमान अनुबंध के भाग थे और इसलिए वे एकल कार्य निष्पादन बाध्यता का भाग बनते हैं जो अनुबंध संशोधन की तारीख को आंशिक रूप से पूरा किया गया है। लेन देन की कीमत पर तथा प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता के पूर्णतः पूरा होने की प्रगति मापने के पैमाने पर अनुबंध संशोधन का जो प्रभाव होता है उसे अनुबंध संशोधन की तारीख को आय के समायोजन (या तो आय में वृद्धि होने या कमी होने) के रूप में मान्यता दी जाती है (अर्थात् आय का समायोजन संचयी कैच-अप (अलामकारी) के आधार पर किया जाएगा);

- (ग) यदि शेष वस्तुएं या सेवाएँ (क) एवं (ख) का संयोजन है, तब प्रतिष्ठान संशोधित अनुबंध में पूरा नहीं किए गए (आंशिक रूप से पूरा नहीं किए सहित) कार्य निष्पादन बाध्यताओं पर उस संशोधन के प्रभाव को इस तरीके से हिसाब में लेगा जो इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के अनुरूप होता है।

कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पहचान

22. अनुबंध के प्रारंभ में प्रतिष्ठान ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं का आंकलन करेगा तथा ग्राहक को निम्न में से किसी को अन्तरित करने के प्रत्येक वचन को कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में पहचान करेगा:
- (क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं सेवाओं का समूह (बंडल)) जो सुभिन्न है; या
- (ख) सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं की श्रृंखला जो मूलतः रूप से (तत्त्वतः) से वहीं हैं तथा जिसका ग्राहक को अन्तरित करने का समान तरीका है (देखें अनुच्छेद 23)।
23. सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं की श्रृंखलाओं के ग्राहकों को अन्तरित करने का एक ही तरीका होता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदण्ड पूरे होते हैं:
- (क) श्रृंखलाओं में प्रत्येक सुभिन्न वस्तु या सेवा को जिसे प्रतिष्ठान ग्राहकों को अन्तरित करने का वचन देता है, समय के दौरान (समान्तर) कार्य निष्पादन बाध्यता बनने के लिये अनुच्छेद 35 में दिए गए मानदण्ड को पूरा करेगा; और
- (ख) अनुच्छेद 39-40 के अनुसार, श्रृंखलाओं में प्रत्येक सुभिन्न वस्तु या सेवा को ग्राहकों को अन्तरित करने संबंधी कार्य निष्पादन बाध्यता को पूर्णतः पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान की प्रगति को मापने के लिए एक ही तरीका प्रयुक्त होगा।

ग्राहकों के साथ अनुबंधों के वचन

24. आमतौर पर ग्राहकों के साथ किया गया अनुबंध स्पष्ट रूप से उन वस्तुओं या सेवाओं का उल्लेख करता है जिसे प्रतिष्ठान ग्राहकों को अन्तरित करने के लिए वचन देता है। फिर भी, यह संभव है कि ग्राहकों के साथ किये गए अनुबंध में पहचान की गई कार्य निष्पादन बाध्यता उन वस्तुओं या सेवाओं तक सीमित नहीं हो, जिसका उस अनुबंध में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध में उन वचनों को भी शामिल किया जा सकता है जो प्रतिष्ठान के प्रचलित कारोबारी प्रथाओं, घोषित नीतियों या विशिष्ट विवरणों द्वारा निहित होते हैं अगर अनुबंध करने के समय वे वचन ग्राहकों की वैध अपेक्षाओं का सृजन करते हैं कि प्रतिष्ठान ग्राहक को वस्तु या सेवा अन्तरित करेगा।
25. कार्य निष्पादन बाध्यताओं में वे गतिविधियां जिन्हें प्रतिष्ठान को अनुबंध पूरा करने के लिए अवश्य करना चाहिए; तब तक शामिल नहीं होती हैं जब तक कि वे गतिविधियां ग्राहक को वस्तु या सेवा को अन्तरित न करती हो। उदाहरण के लिए, सेवा प्रदाता को अनुबंध स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है। उन कार्यों के निष्पादन से जब तक वह कार्य पूरे किए जाते हैं, ग्राहकों को सेवा का अन्तरण नहीं होता है। इसलिए, वे स्थापन संबंधी गतिविधियां कार्य निष्पादन बाध्यता नहीं हैं।

विशिष्ट वस्तुएँ या सेवाएँ

26. अनुबंध के आधार पर वचन दी गई वस्तुओं या सेवाओं में, निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, किन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं होती हैं :
- (क) प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री (उदाहरण के लिए, विनिर्माता कास्टाक);
- (ख) प्रतिष्ठान द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की पुर्नबिक्री (उदाहरण के लिए, खुदरा व्यापारी का व्यापारिक माल);
- (ग) प्रतिष्ठान द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के अधिकारों की पुर्नबिक्री (उदाहरण के लिए, मूल के रूप में कार्य कर रहे प्रतिष्ठान द्वारा पुर्नबिक्रित टिकट, जैसाकि अनुच्छेद ख 34- ख 38 में वर्णित हैं);
- (घ) ग्राहक के लिए संविदागत रूप से सहमत कार्य (कार्यों) का निष्पादन करना;
- (ङ.) वस्तुएं या सेवाएँ देने के लिए तुरंत तैयार (तत्पर) रहने की सेवा देना (उदाहरण के लिए, सॉफ्टवेयर को अनिर्दिष्ट आधुनिक बनाना (अपडेट करना) जिसे जब और यदि उपलब्ध है आधार पर दिया जाता है) या ग्राहक के लिए उन वस्तुओं या सेवाओं को तब उपलब्ध कराना, जब व जैसे ग्राहक उनके उपभोग का निर्णय ले।
- (च) ग्राहकों को वस्तुएँ या सेवाएँ अन्तरित करने के लिए दूसरी पार्टी के प्रबंध करने की सेवा देना (उदाहरण के लिए, दूसरी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, जैसाकि अनुच्छेद ख 34-ख 38 में वर्णित हैं);

- (छ) भविष्य में दी जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं जिसे ग्राहक पुनर्विक्रय कर सकता है, या अपने ग्राहक को दे सकता है, के अधिकार मंजूर करना (उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान जब खुदरा व्यापारी को उत्पादबिक्री करता है, तब वह उस व्यक्ति को अतिरिक्त वस्तु या सेवा अन्तरित करने का वचन देता है जो खुदरा व्यापारी से उत्पाद खरीदता है);
- (ज) ग्राहक कि ओर से आस्ति निर्माण, विनिर्माण या विकास करना;
- (झ) लाइसेन्स मंजूर करना (देना) (अनुच्छेद ख 52-ख 63 देखें); तथा
- (ञ) अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के लिए विकल्प मंजूर करना (जब वे विकल्प ग्राहक को ठोस अधिकार देते हैं, जैसा कि अनुच्छेद ख 39-ख 43 में वर्णित है)।
27. यदि निम्नलिखित दोनों मानदण्ड को पूरे होते हैं, तब वह वस्तु या सेवा जिसके लिए ग्राहक को वचन दिया गया है, वह सुभिन्न है यदि निम्नलिखित दोनों मापदण्ड पूरे होते हैं :
- (क) ग्राहक वस्तु या सेवा से या तो स्वयं अपने या अन्य स्रोतों के साथ लाभ उठा सकता जो ग्राहक को आसानी से उपलब्ध होते हैं, लाभ उठा सकता है (अर्थात् वस्तु या सेवा में सुभिन्न होने की क्षमता है);
- (ख) ग्राहक को वस्तु या सेवा अन्तरित करने के लिए प्रतिष्ठान का वचन अनुबंध में दिए गए अन्य वचनों से पृथक रूप से पहचान योग्य है (अर्थात् वस्तु या सेवा अनुबंध के संदर्भ में सुभिन्न होता है)।
28. यदि वस्तु या सेवा का उपयोग, उपभोग, विक्रय उस राशि के लिए किया जा सकता है जो रद्दी के मूल्य के वृहत्तर (अधिकतर) है या इस तरह से रखा हुआ है जिससे आर्थिक लाभ मिलते (पैदा होते) हैं तो ग्राहक उस वस्तु या सेवा से अनुच्छेद 27 (क) के अनुसार लाभ उठा सकता है। कुछ वस्तु या सेवा के लिए, ग्राहक उस वस्तु या सेवा से स्वयं अपने लिए लाभ उठा सकता है। अन्य वस्तुओं या सेवाओं के लिए, ग्राहक उस वस्तु या सेवा से केवल अन्य उपलब्ध स्रोतों के संयोजन में ही लाभ उठा सकता है। आसानी से उपलब्ध स्रोत वह वस्तु या सेवा है, जिसे अलग से बेचा जाता है (प्रतिष्ठान या दूसरे प्रतिष्ठान द्वारा) या वह स्रोत जिसे ग्राहक ने प्रतिष्ठान से (उन वस्तुओं या सेवाओं सहित जिसे प्रतिष्ठान ने अनुबंध के अधीन ग्राहक को पहले ही अन्तरित कर दिया होगा) या अन्य लेन-देनों या परिणामों से पहले ही प्राप्त कर लिया है। विभिन्न तथ्यों से यह साक्ष्य जुटाया जा सकता है कि ग्राहक वस्तु या सेवा से या तो अपने लिए स्वयं या अन्य आसानी से उपलब्ध स्रोतों के संयोजना में लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिए, यह तथ्य कि प्रतिष्ठान नियमित रूप से वस्तु या सेवा को अलग-अलग बेचता है, यह सूचित (निर्दिष्ट) करेगा कि ग्राहक उस वस्तु या सेवा से अपना स्वयं का या अन्य आसानी से उपलब्ध स्रोतों के साथ लाभ प्राप्त कर सकता है।
29. वे तथ्य जो यह निर्दिष्ट करते हैं, कि ग्राहक को वस्तु या सेवा के अन्तरित करने संबंधी प्रतिष्ठान का जो वचन पृथक रूप से पता लगाने योग्य है (अनुच्छेद 27 (ख) के अनुसार) उनमें निम्नलिखित शामिल है, किंतु वे निम्नलिखित तक सीमित नहीं होते हैं:
- (क) प्रतिष्ठान अनुबंध में वचनबद्ध अन्य वस्तुओं या सेवाओं के साथ वस्तु या सेवा को उन वस्तुओं या सेवाओं के समूह (बंडल) में समेकित करने के लिए महत्वपूर्ण सेवा का प्रबंध नहीं करता है, जो संयुक्त उत्पादन को निरूपित करता है जिसके लिए ग्राहक ने अनुबंध किया है। दूसरे शब्दों में, प्रतिष्ठान ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट संयुक्त उत्पाद का उत्पादन या सुपूर्दगी के लिए निविष्टि के रूप में वस्तु या सेवा का उपयोग नहीं करता है।
- (ख) वस्तु या सेवा अनुबंध में वचनबद्ध दूसरी वस्तु या सेवा में सार्थक संशोधन नहीं करता है, या अनूकूलित रूप से नहीं बदलता है।
- (ग) वस्तु या सेवा अनुबंध में वचनबद्ध अन्य वस्तुओं या सेवाओं पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होती है, या उनके साथ बहुत अधिक परस्पर संबंधित नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यह तथ्य कि ग्राहक अनुबंध में वचनबद्ध अन्य वस्तुओं या सेवाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना वस्तु या सेवा खरीद नहीं करने का निर्णय ले सके यह संकेत करता है कि वस्तु या सेवा उन अन्य वस्तुओं या सेवाओं पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है या उनके साथ बहुत अधिक परस्पर संबंधित नहीं होता है।
30. यदि वचनबद्ध वस्तु या सेवा सुभिन्न नहीं होती है, तो प्रतिष्ठान उस वस्तु या सेवा को अन्य वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के साथ तब तक संयुक्त करेगा (जोड़ेगा) जब तक यह उन वस्तुओं या सेवाओं के समूह (बंडल) का पता नहीं लगाता है जो सुभिन्न हैं। कुछ मामलों में, प्रतिष्ठान में उसका परिणाम अनुबंध में वचनबद्ध सभी वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्रतिष्ठान के लेखा में एकल कार्य निष्पादन बाध्यता के रूप में होगा।

कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पूर्ति

31. प्रतिष्ठान राजस्व को तब मान्यता देगा, जब (याजैसे ही) प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तु या सेवा (अर्थात् एक आस्ति) के अन्तरण द्वारा कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है। आस्ति तब अन्तरित की जाती है जब (याजैसे ही) ग्राहक उस आस्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है।

32. अनुच्छेद 22-30 के अनुसार पता लगाए गए प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता के लिए प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में निर्धारित करेगा कि यह समय के दौरान (अनुच्छेद 35-37 के अनुसार) कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है या एक समय पर (अनुच्छेद 38 के अनुसार) कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है। यदि प्रतिष्ठान समय के दौरान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा नहीं करता है, तो कार्य निष्पादन बाध्यता को एक समय पर पूरा किया जाता है।
33. वस्तुएँ या सेवाएँ आस्तियाँ हैं, भले ही उस क्षणभर के लिए ही, जब वे प्राप्त एवं प्रयुक्त होती हैं (जैसाकि अधिकांश सेवाओं के मामले में होती हैं)। आस्ति का नियंत्रण आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने की क्षमता तथा उस आस्ति से प्राप्त होने वाले सभी शेष लाभों को भरपूर प्राप्त करने का उल्लेख करता है। नियंत्रण में अन्य प्रतिष्ठानों की आस्ति का उपभोग करने व उससे लाभ प्राप्त करने से रोकने की क्षमता सम्मिलित है। आस्ति के लाभ संभावित नकदी प्रवाह (बहिर्प्रवाहों में बचत या अंतःप्रवाहों) हो सकते हैं, जो अनेक तरीके से जैसे कि निम्नलिखित द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जा सकती हैं:
- (क) आस्तियों का उपयोग वस्तुओं का उत्पादन करने या सेवाएँ देने के लिए (सार्वजनिक सेवाओं सहित);
 - (ख) आस्तियों का उपयोग अन्य आस्तियों का मूल्य बढ़ाने के लिए करना;
 - (ग) दायित्वों का निपटारा या व्ययों को कम करने के लिए आस्तियों का उपयोग करना;
 - (घ) आस्तियों की बिक्री करना या विनिमय करना;
 - (ङ.) ऋण को सुरक्षित करने के लिए आस्ति गिरवी रखना; और
 - (च) आस्ति संभालना (को सुरक्षित रखना)।
34. यह मूल्यांकन करते समय कि ग्राहक आस्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है या नहीं, प्रतिष्ठान आस्ति की पुनर्खरीद के लिए किसी भी करार करने पर विचार करेगा (अनुच्छेद ख 64-ख 76 देखें)।
- समय के दौरान पूरी की गई कार्य-निष्पादन बाध्यताएँ**
35. प्रतिष्ठान वस्तु या सेवा का नियंत्रण समय के दौरान अन्तरित करता है, तभी वह समय के दौरान इसलिए कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है तथा आय को मान्यता देता है, यदि निम्नलिखित में से एक मानदंड पूरा होता है:
- (क) प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन द्वारा दिए गए लाभों को, जैसे प्रतिष्ठान निष्पादित करता है, ग्राहक उन लाभों को एक साथ प्राप्त करता है तथा उपभोग करता है (अनुच्छेद ख 3-ख 4 देखें);
 - (ख) प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन एक आस्ति का सृजन करता है या वृद्धि करता है (उदाहरण के लिए, कार्य प्रगति पर) जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है जैसे ही आस्ति का सृजन होता है (अनुच्छेद ख 5 देखें); या
 - (ग) प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन प्रतिष्ठान के लिये वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति का निर्माण नहीं करता है (अनुच्छेद 36 देखें) तथा प्रतिष्ठान को अब तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान करने का प्रवर्तनीय अधिकार होता है (अनुच्छेद 37 देखें)।
36. प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन द्वारा सृजित आस्ति का प्रतिष्ठान के लिए वैकल्पिक उपयोग नहीं होता है यदि प्रतिष्ठान को संविदागत रूप से उस आस्ति के सृजन या वृद्धि के दौरान आस्ति को सरलता से प्रेषित करने से रोका गया है या आस्ति को इसकी संपूर्ण स्थिति में दूसरे उपयोग के लिए सरलता से प्रेषित करने से व्यावहारिक रूप से सीमित किया गया है। प्रतिष्ठान के लिए आस्ति का वैकल्पिक उपयोग है या नहीं, यह निर्धारण अनुबंध के प्रारंभ में ही किया जाता है। अनुबंध प्रारंभ होने के पश्चात प्रतिष्ठान आस्ति के वैकल्पिक उपयोग के आंकलन (निर्धारण) का तब तक अद्यतन नहीं करेगा जब तक कि अनुबंध से संबंधित पक्षों (पार्टियाँ) उस अनुबंध संशोधन को, जो कार्य-निष्पादन बाध्यता में वास्तविक रूप से परिवर्तन करता है, को अनुमोदित नहीं करता। अनुच्छेद ख 6-ख 8 यह आंकलन करने के लिए मार्गदर्शन करता है कि प्रतिष्ठान के लिए आस्ति का वैकल्पिक उपयोग है या नहीं।
37. यह मूल्यांकन करते समय कि उसे अनुच्छेद 35 ग के अनुसार अब तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है या नहीं। प्रतिष्ठान अनुबंध की शर्तों के साथ-साथ किसी भी कानून पर, जो अनुबंध पर लागू होते हैं, पर विचार करेगा। अब तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान करने के अधिकार के लिए निश्चित राशि का होना आवश्यक नहीं है। तथापि, अनुबंध की अवधि किसी भी समय पर प्रतिष्ठान सतत एक निश्चित राशि का हकदार अवश्य होता है, जो कम से कम अब तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन के लिए प्रतिष्ठान को क्षतिपूर्ति करता है, यदि ग्राहक या दूसरी पार्टी द्वारा प्रतिष्ठान के निष्पादन की विफलता के अलावा अन्य कारणों से अनुबंध को रद्द कर दिया जाता है। अनुच्छेद ख 9-ख 13 भुगतान करने के अधिकार के अस्तित्व तथा प्रवर्तनीयता और प्रतिष्ठान को भुगतान का अधिकार प्रतिष्ठान को अब तक पूरा किए गए इसके कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान किए जाने का हक देगा या नहीं, इसके आंकलन के लिए मार्गदर्शन देता है।

एक समय पर पूरी की गई कार्य निष्पादन बाध्यताएँ

38. यदि अनुच्छेद 35-37 के अनुसार कार्य निष्पादन बाध्यता समय के दौरान पूरी नहीं होती है तो प्रतिष्ठान एक समय पर कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है। उस समय का निर्धारण करने के लिए, जिस पर ग्राहक वचनबद्ध आस्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है और प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 31-34 में नियंत्रण के लिए अपेक्षाओं पर विचार करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान नियंत्रण के अंतरण के लिए संकेतों पर विचार करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किंतु वे निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:
- (क) प्रतिष्ठान को आस्ति के लिए भुगतान प्राप्त करने का वर्तमान अधिकार है- यदि ग्राहक वर्तमान में आस्ति के भुगतान के लिए बाध्य है, तब यह संकेत कर सकता है कि ग्राहक ने विनिमय की जा रही आस्ति का उपयोग के लिए प्रेषित करने की क्षमता प्राप्त कर ली है और उससे सभी शेष लाभों में से अधिकार को प्राप्त करता है।
 - (ख) ग्राहक का आस्ति पर कानूनी हक है- कानूनी हक संकेत करता है कि अनुबंध की किस पार्टी को आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने की तथा उससे सभी शेष लाभों को पूर्णतः प्राप्त करने की या उन लाभों तक अन्य प्रतिष्ठानों की पहुँच को प्रतिबंधित करने की क्षमता है। इसलिए, आस्ति के कानूनी हक का अन्तरण संकेत करता है कि ग्राहक ने आस्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। यदि प्रतिष्ठान कानूनी हक केवल ग्राहक के भुगतान करने में विफलता के विरुद्ध संरक्षण के रूप में प्रतिधारित करता है, तो प्रतिष्ठान के वे अधिकार ग्राहक को आस्ति का नियंत्रण प्राप्त करने से नहीं रोकते हैं।
 - (ग) प्रतिष्ठान ने आस्ति का भौतिक स्वामित्व अन्तरित कर दिया है- ग्राहक को आस्ति का भौतिक स्वामित्व यह संकेत करता है कि, ग्राहक को आस्ति के उपयोग करवाने की योग्यता है, और उससे सभी शेष लाभों को पूर्णतः प्राप्त करने की या उन लाभों पर अन्य प्रतिष्ठानों की पहुँच प्रतिबंधित करने की क्षमता है तब यह हो सकता है कि भौतिक स्वामित्व का आस्ति के नियंत्रण के साथ मेल नहीं हो। उदाहरण के लिए, कुछ पुर्नखरीद करारों में तथा कुछ प्रेषण व्यवस्थाओं में, ग्राहक या परेषिती को उस आस्ति का भौतिक स्वामित्व हो सकता है जिसे प्रतिष्ठान नियंत्रित करता है। इसके विपरीत कुछ बिल-तथा-धारण व्यवस्थाओं में, प्रतिष्ठान का उस आस्ति पर भौतिक स्वामित्व हो सकता है जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है। अनुच्छेद ख 64- ख 76, ख 77-ख 78 तथा ख 79- ख 82 क्रमशः पुर्नखरीद करारों, परेषण व्यवस्थाओं तथा बिल-तथा-धारण व्यवस्थाओं के लेखांकन पर मार्गदर्शन देता है।
 - (घ) ग्राहक के पास आस्ति के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल होता है अंतरण आस्ति के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल का ग्राहक को अंतरण यह संकेत करता है कि ग्राहक ने आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने की योग्यता प्राप्त कर ली है, और वह उससे सभी शेष लाभों को पूर्णतः प्राप्त करता है। तथापि, वचनबद्ध आस्ति के स्वामित्व के जाखिमों एवं पुरस्कारों का मूल्यांकन करते समय प्रतिष्ठान उन जोखिमों को हटा देगा जो आस्ति के अन्तरण को कार्य निष्पादन बाध्यता के अतिरिक्त पृथक कार्य निष्पादन बाध्यता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान ने ग्राहक को आस्ति का नियंत्रण अन्तरित कर दिया हो सकता है, किंतु अभी तक अन्तरित आस्ति से संबंधित अनुरक्षण सेवाएँ देने के लिए अतिरिक्त कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा नहीं किया है।
 - (ङ.) ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार कर लिया है- ग्राहक के आस्ति की स्वीकृति से संकेत हो सकता है कि उसने आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने की योग्यता प्राप्त कर ली है, और उससे सभी शेष लाभों को पूर्णतः प्राप्त करता है। जब आस्ति का नियंत्रण अन्तरित होता है तब संविदागत ग्राहक स्वीकृति शर्त के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख 83-ख 86 में दिए गए मार्गदर्शन पर विचार करेगा।

कार्य निष्पादन बाध्यता की पूर्ण पूर्ति की तरफ प्रगति का माप

39. अनुच्छेद 35-37 के अनुसार समय के दौरान पूरे किए गए हर कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए प्रतिष्ठान उस कार्य-निष्पादन बाध्यता को पूर्ण रूप से पूरा करने के विषय में प्रगति का माप करके समय के दौरान आय को मान्यता देगा। प्रगति का माप करते समय उद्देश्य यह होता है कि ग्राहक को दिए गए वचन को वस्तुओं या सेवाओं के नियंत्रण के अन्तरण करने में प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन को दिखाया जाना है (अर्थात् प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन बाध्यता को पूरा करना)।
40. प्रतिष्ठान समय के दौरान पूरे किये गए प्रत्येक कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए प्रगति मापने की एकल प्रणाली का प्रयोग करेगा तथा प्रतिष्ठान उस प्रणाली की सुसंगत रूप से एक जैसे कार्य-निष्पादन बाध्यताओं एवं एक जैसी परिस्थितियों के लिए प्रयोग करेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रतिष्ठान समय के दौरान पूरे किए गए कार्य निष्पादन दायित्व पूर्ण रूप से पूरा करने के विषय में अपनी प्रगति का पुर्नमाप करेगा।
- प्रगति मापने की विधियाँ*
41. प्रगति मापने के उपयुक्त पद्धतियों में उत्पाद पद्धतियाँ तथा निविष्टि पद्धतियाँ शामिल होती हैं। अनुच्छेद ख 14-ख 19 में कार्य निष्पादन बाध्यता के पूर्ण रूप से पूरा करने के विषय में प्रतिष्ठान की प्रगति को मापने के उत्पाद पद्धतियों तथा निविष्टि पद्धतियों का

प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। प्रगति मापने के लिए उपयुक्त तरीका निर्धारित करते समय प्रतिष्ठान उस वस्तु या सेवा की प्रकृति पर विचार करेगा, जिसे प्रतिष्ठान ने ग्राहक को अन्तरित करने का वचन दिया है।

42. प्रगति मापने की पद्धति का प्रयोग करते समय प्रतिष्ठान उन वस्तुओं या सेवाओं की प्रगति के माप से अलग कर देगा जिनके लिए प्रतिष्ठान ग्राहक को नियंत्रण अन्तरण नहीं करता है। इसके विपरीत, प्रतिष्ठान उन वस्तुओं या सेवाओं की प्रगति के माप में शामिल करेगा जिनके लिए प्रतिष्ठान उस कार्य-निष्पादन बाध्यता को पूरा करने के समय ग्राहक को नियंत्रण अन्तरित कर देता है।
43. जैसे ही समय के दौरान परिस्थितियां बदलती हैं, प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता के नतीजे में हुए किंहीं परिवर्तनों को प्रतिबिंबित होने के लिए अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करेगा। प्रतिष्ठान की प्रगति के माप में हुए ऐसे परिवर्तनों का भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों तथा मूलों में परिवर्तन एवं त्रुटियों* के अनुसार लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के रूप में लेखांकन किया जाएगा।

प्रगति का समुचित माप

44. प्रतिष्ठान समय के दौरान पूरा किए गए कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए आय की मान्यता केवल तभी देगा जब प्रतिष्ठान कार्य-निष्पादन बाध्यता को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए अपनी प्रगति का उचित रूप में माप कर सके। एक प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए अपनी प्रगति को समुचित रूप से माप करने योग्य नहीं होगा यदि इसे उस विश्वसनीय सूचना का अभाव होगा जो प्रगति मापने के उपयुक्त (उचित) तरीके का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित होगी।
45. कुछ परिस्थितियों में (उदाहरणार्थ, अनुबंध के आरंभिक चरणों में), प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता के परिणाम को समुचित रूप से मापने लायक नहीं हो सकता है किंतु प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करने में खर्च किए गए लागतों को वसूल करने की आशा कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान राजस्व को केवल उस समय तक खर्च की गई लागतों की सीमा तक मान्यता देगा जिससे यह कार्य निष्पादन बाध्यता के परिणाम को समुचित रूप माप सकता है।

माप

46. जब (अथवाजैसे ही) कार्य-निष्पादन बाध्यता पूरा किया जाता है, तब प्रतिष्ठान लेन-देन कीमत की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देगा (जो परिवर्तनीय प्रतिफल के प्राक्कलनों को शामिल नहीं करता है जो अनुच्छेद 56-58 के अनुसार बाधित हैं) जिसे उस कार्य-निष्पादन बाध्यता को आवंटित किया गया है।

लेन-देन कीमत का निर्धारण

47. प्रतिष्ठान लेन-देन कीमत का निर्धारण करने के लिए अनुबंध की शर्तों तथा इसके प्रचलित प्रथागत कारोबारी प्रथाओं पर विचार करेगा। लेन-देन कीमत प्रतिफल की वह राशि होती है जिससे प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के बदले में, अन्य पार्टियों (पक्षों) की ओर से वसूल की गई राशियों को छोड़कर (उदाहरणार्थ, कुछ बिक्री करों) हकदार होने की आशा करता है। ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध में वचनबद्ध प्रतिफल में निश्चित राशियां, परिवर्तनीय राशियां या दोनों शामिल हो सकते हैं।
48. ग्राहक द्वारा वचनबद्ध प्रतिफल की प्रकृति, समय, तथा राशि लेन-देन कीमत के प्राक्कलन को प्रभावित करते हैं। लेन-देन कीमत का निर्धारण करते समय प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी के प्रभावों (परिणामों) पर विचार करेगा:
- (क) परिवर्तनीय प्रतिफल (अनुच्छेद 50-55 और 59 देखें);
 - (ख) परिवर्तनीय प्रतिफल को बाधित करने वाले प्राक्कलन (अनुच्छेद 56-58 देखें);
 - (ग) अनुबंध में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक (अवयव) का अस्तित्व (अनुच्छेद 60-65 देखें);
 - (घ) गैर-नकदी प्रतिफल (अनुच्छेद 66-69 देखें); तथा
 - (ङ.) ग्राहक को देय प्रतिफल (अनुच्छेद 70-72)।
49. लेन-देन कीमत का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए, प्रतिष्ठान यह मान लेगा कि वस्तुओं या सेवाओं का ग्राहकों को अंतरण किया जाएगा जैसा कि मौजूदा अनुबंध के अनुसार वचनबद्ध है तथा अनुबंध को रद्द, नवीकृत या संशोधित नहीं किया जाएगा।

परिवर्तनशील प्रतिफल

50. यदि अनुबंध के वचनबद्ध प्रतिफल में परिवर्तनशील राशि को शामिल किया जाता है तो प्रतिष्ठान प्रतिफल की उस राशि का प्राक्कलन करेगा जिसका प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के बदले में हकदार होगा।

51. प्रतिफल की राशि में रियायतों, छूटों, वापसियों, जमाओं (क्रेडिट्स) कीमत में रियायतों, प्रोत्साहनों, निष्पादन अधिलाभांश (बोनस) या अन्य इसी तरह की मदों के कारण अन्तर हो सकता है। वचनबद्ध प्रतिफल में तब भी अन्तर हो सकता है यदि प्रतिष्ठान का प्रतिफल के लिए हकदारी भावी घटना के घटित होने या अघटित होने पर अनिश्चित होती है। उदाहरणार्थ प्रतिफल की राशि परिवर्तनीय होगी यदि उत्पाद वापसी अधिकार के साथ या तो बेची गई थी, या निश्चित राशि विनिर्दिष्ट स्तर (माइलस्टोन) की प्राप्ति पर निष्पादन अधिलाभांश (बोनस) के रूप में वचनबद्ध होता है।
- 51कक कुछ अनुबन्धों में शास्तियां विनिर्दिष्ट की जाती हैं। इन मामलों में शास्तियों का लेखा अनुबन्ध की विषयवस्तु के अनुसार किया जाता है। जहां लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए शास्ति अंतर्निहित होती है, वह परिवर्तनीय प्रतिफल का भाग होगी। उदाहरणतः, यदि एक प्रतिष्ठान ग्राहक के साथ अनुबंध के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा को रु. 100000 के लिए 30 दिन की समाप्ति पर अन्तरित करने हेतु सहमत हो, परंतु 30 दिन से अधिक समय हो जाए तो प्रतिष्ठान केवल रु. 95000 की प्राप्ति का पात्र होगा और रु. 5000 की कटौती को परिवर्तनीय प्रतिफल माना जाएगा। अन्य मामलों में, लेन-देन की कीमत स्थिर मानी जाएगी।
52. ग्राहक द्वारा वचनबद्ध प्रतिफल से संबंधित प्रवर्तनीयता का अनुबंध में स्पष्टतः उल्लेख हो सकता है। अनुबंध की शर्तों के अतिरिक्त, वचनबद्ध प्रतिफल परिवर्तनीय हो जाते हैं यदि निम्नलिखित दोनों में से कोई परिस्थिति मौजूद होती है:
- (क) ग्राहक को प्रतिष्ठान के प्रथागत अनुकूल कारोबारी प्रथाओं, घोषित नीतियों या विशिष्ट वक्तव्यों से उत्पन्न वैध अपेक्षा है, कि प्रतिष्ठान प्रतिफल की राशि स्वीकार करेगा जो अनुबंध में उल्लिखित कीमत से कम है। अर्थात्, यह अपेक्षा की जाती है कि प्रतिष्ठान कीमत में रियायत छूट का प्रस्ताव करेगा। इस प्रस्ताव को क्षेत्राधिकार, उद्योग या ग्राहक के आधार पर रियायत, छूट, वापसी या जमा (क्रेडिट) के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है।
- (ख) अन्य तथ्य और परिस्थितियां संकेत करते हैं, कि प्रतिष्ठान का आशय ग्राहक के साथ अनुबंध करते समय ग्राहक को कीमत में रियायत देने का प्रस्ताव देने का होता है।
53. प्रतिष्ठान निम्नलिखित दोनों पद्धतियों में से उस किसी एक के प्रयोग द्वारा पद्धति के आधार पर जिससे प्रतिष्ठान प्रतिफल की उस राशि के बेहतर भविष्यवाणी की प्रत्याशा करता है उस परिवर्तनीय प्रतिफल की राशि का प्राक्कलन करेगा जिसका वह हकदार होगा:
- (क) प्रत्याशित मूल्य- प्रत्याशित मूल्य संभावित प्रतिफल राशियों की पंक्ति में संभाव्य-भारित-राशियों की योग होती है। प्रत्याशित मूल्य परिवर्तनीय प्रतिफल राशियों का उचित प्राक्कलन हो सकता है यदि प्रतिष्ठान के पास इसी तरह की विशेषताओं वाले अनुबंधों की काफी अधिक संख्या है।
- (ख) अत्यधिक संभावित राशि- अत्यधिक संभावित राशि संभाव्य प्रतिफल राशियों (अर्थात् अनुबंध का एकल अत्यधिक संभावित राशि) की पंक्ति श्रृंखला में एकल अत्यधिक संभावित राशि होती है। अत्यधिक संभावित राशि परिवर्तनीय प्रतिफल की राशि का उचित प्राक्कलन तभी हो सकता है यदि अनुबंध के केवल दो संभावित परिणाम होते हैं (उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान या तो कार्य-निष्पादन अधिलाभांश (बोनस) प्राप्त करता है या नहीं करता है)।
54. एक प्रतिष्ठान परिवर्तनीय प्रतिफल की उस राशि पर जिसका प्रतिष्ठान हकदार होगा, अनिश्चितता के परिणाम का प्राक्कलन करते समय अनुबंध में शुरू से अंत तक लगातार रूप से एक पद्धति का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान उस सभी सूचना पर (ऐतिहासिक, वर्तमान तथा पूर्वानुमान) विचार करेगा जो प्रतिष्ठान को समुचित रूप से उपलब्ध है तथा संभावित प्रतिफल राशियों की समुचित संख्या का पता लगाएगा। वह सूचना जिसे प्रतिष्ठान परिवर्तनीय प्रतिफल की राशि का प्राक्कलन करने के लिए प्रयोग करता है, वह प्रारूपिक रूप से उस सूचना के समान होगी जिसे प्रतिष्ठान प्रबंधन बोली-और-प्रस्ताव प्रक्रिया के दौरान तथा वस्तुओं या सेवाओं के लिए कीमतों को स्थापित करने में प्रयोग करता है।
- वापसी दायित्व*
55. प्रतिष्ठान वापसी दायित्व को मान्यता तब देगा यदि प्रतिष्ठान ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करता है तथा कुछ या पूरा प्रतिफल वापस देने की प्रत्याशा करता है। वापसी दायित्व को प्राप्त (या प्राप्य) प्रतिफल की उस राशि पर मापा जाता है जिसके लिए प्रतिष्ठान हकदार होने की आशा नहीं करता (अर्थात् लेन-देन कीमत में सम्मिलित नहीं की गई राशियां)। वापसी दायित्व (लेन-देन कीमत में तथा अनुबंध दायित्व में तदनुरूपी परिवर्तन) को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त की परिस्थितियों में परिवर्तनों के लिए अद्यतन किया जाएगा। वापसी के अधिकार के साथ बिक्री से संबंधित वापसी दायित्व को हिसाब में लेने के लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख 20-ख 27 में दिए गए मार्गदर्शन का प्रयोग करेगा।
- परिवर्तनीय प्रतिफल का निषेध करने वाले प्राक्कलन*
56. प्रतिष्ठान लेन-देन कीमत में अनुच्छेद 53 के अनुसार प्राक्कलित परिवर्तनीय राशि की कुछ या सभी राशियों को केवल उस सीमा तक शामिल करेगा जिस सीमा तक यह अत्यधिक संभवनीय है, कि जब परिवर्तनीय प्रतिफल के साथ संबंधित अनिश्चितता को बाद में दूर कर दिया जाएगा तब मान्यता प्राप्त संचयी आय की राशि में महत्वपूर्ण उलटाव (विपर्यय) नहीं होगा।

57. यह आंकलन करने के लिए कि यह अत्यधिक संभवनीय है या नहीं जिससे कि जब एक बार परिवर्तनीय प्रतिफल से संबंधित अनिश्चितता को बाद में दूर कर लिया जाता है तब मान्यता प्राप्त संचयी आय की राशि में महत्वपूर्ण उलटाव (विपर्यय) नहीं होता है, प्रतिष्ठान दोनों, संभावनाओं तथा आय विपर्यय के आकार पर विचार करेगा। उन तथ्यों, जो संभावना तथा आय विपर्यय के आकार को बढ़ा सके, में निम्नलिखित शामिल हैं, किन्तु वे निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:
- (क) प्रतिफल की राशि उन तथ्यों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है जो प्रतिष्ठान के प्रभाव क्षेत्र के बाहर हैं। उन तथ्यों में बाजार में अस्थिरता, निर्णय या अन्य पार्टियों की कार्यवाही, मौसम की स्थितियां तथा वचनबद्ध वस्तु या सेवा के अप्रचलित होने का अधिक खतरा सम्मिलित हो सकता है।
 - (ख) प्रतिफल की राशि के बारे में अनिश्चितता की लंबे समय तक दूर हो जाने की प्रत्याशा नहीं है।
 - (ग) प्रतिष्ठान का अनुभव (या अन्य साक्ष्य) समरूप अनुबंधों के साथ सीमित है, या उस अनुभव (या अन्य साक्ष्य) भावी मूल्य सीमित होता है।
 - (घ) प्रतिष्ठान की या तो कीमत में रियायतों की विस्तृत पंक्ति श्रृंखला या एक जैसी परिस्थितियों में एक समान अनुबंधों के भुगतान शर्तों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव देने की प्रथा है।
 - (ङ.) अनुबंध में संभावित प्रतिफल राशियों की प्रचुर संख्या और विस्तृत पंक्ति श्रृंखला होती है।
58. प्रतिष्ठान उस प्रतिफल के लेखांकन के लिए जो बिक्री-आधारित या उपयोग-आधारित अधिशुल्क (रॉयल्टी) के रूप में है जो बौद्धिक सम्पत्ति के लाइसेंस के विनिमय के लिए वचनबद्ध है, के लिए अनुच्छेद 63 का प्रयोग करेगा।
- परिवर्तनीय प्रतिफल का पुनर्निर्धारण (पुनःआकलन)*
59. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में, मौजूदा परिस्थितियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान की परिस्थितियों में परिवर्तनों का विश्वसनीय रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिष्ठान प्राक्कलित लेन-देन कीमत का (परिवर्तनीय प्रतिफल का प्राक्कलन निरुद्ध है या नहीं, इसके निर्धारण (आंकलन) को अद्यतन करने सहित) अद्यतन करेगा। प्रतिष्ठान लेन-देन कीमत में हुए परिवर्तनों का अनुच्छेद 87-90 के अनुसार लेखा करेगा।
- अनुबंध में महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक की विद्यमानता**
60. लेन-देन की कीमत का निर्धारण करने में, प्रतिष्ठान रुपये को समय मूल्य के प्रभाव के लिए वचनबद्ध प्रतिफल राशि को समायोजित करेगा, यदि अनुबंध से संबंधित पार्टियों (पक्षों) द्वारा सहमत की गई भुगतानों की समयावधि (या तो सुनिश्चित रूप से या अंतिमिहित रूप से) ग्राहक को अंतरण की जा रही वस्तुओं या सेवाओं के वित्तीयन के महत्वपूर्ण लाभ को ग्राहक या प्रतिष्ठान को प्रदान करती है। उन परिस्थितियों में, अनुबंध में महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक (तत्व) निहित होता है। महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक इस बात के बावजूद कि अनुबंध में वित्तीयन संबंधी वचन स्पष्ट रूप से उल्लिखित है या अनुबंध से संबंधित पार्टियों (पक्षों) द्वारा सहमत भुगतान शर्तों में अंतिमिहित है या नहीं, के भी रह सकता है।
61. महत्वपूर्ण वित्तीयन के लिए वचनबद्ध प्रतिफल की राशि का समायोजन करते समय प्रतिष्ठान का उद्देश्य राजस्व की उस राशि पर मान्यता देना होता है जो उस कीमत को प्रतिबिंबित करती है जिसे ग्राहक ने वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए दिया होता यदि ग्राहक ने उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए नकद भुगतान किया होता जब या जैसे ही वे वस्तुएं ग्राहक को अंतरण होती है (अर्थात् नकद विक्रय कीमत) जैसे कि नकद विक्रय मूल्य प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अनुबंध में वित्तीयन घटक निहित हैं और क्या वह वित्तीयन घटक निम्नलिखित दोनों सहित अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण हैं सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह मूल्यांकन करेगा :
- (क) वचनबद्ध प्रतिफल तथा वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की नकद विक्रय कीमत के बीच का अन्तर, यदि कोई हो; तथा
 - (ख) निम्नलिखित दोनों के संयुक्त प्रभाव (परिणाम):
 - (i) जब प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं का अंतरण करता है और जब ग्राहक उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करता है, उन दोनों समयों के बीच का अनुमानित अंतर; तथा
 - (ii) संबंधित बाजार में चालू (प्रभावी) ब्याज दरें।
62. अनुच्छेद 61 के निर्धारण के बावजूद, एक ग्राहक के साथ अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक नहीं होगा अगर निम्नलिखित कारकों में से कोई एक कारक विद्यमान होता है:
- (क) ग्राहक ने वस्तुओं या सेवाओं का भुगतान अग्रिम रूप से कर दिया है और वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के समय ग्राहक के विवेकाधिकार पर है।

- (ख) ग्राहक द्वारा वचनबद्ध प्रतिफल की अधिकांश राशि या उस प्रतिफल का समय किसी भावी घटना के घटित होने या न होने के आधार पर परिवर्तित हो सकती है और वह घटना मूल रूप से न तो ग्राहक के नियंत्रण में है और न ही प्रतिष्ठान के (जैसेकि, यदि प्रतिफल एक बिक्री आधारित रॉयल्टी है)।
- (ग) वचनबद्ध प्रतिफल और वस्तु या सेवा की नकद बिक्री कीमत (जैसे कि अनुच्छेद 61 में यथावर्णित) में अन्तर ग्राहक या प्रतिष्ठान में से किसी एक को वित्त के प्रावधान से भिन्न अन्य कारणों से होता है और साथ ही, इन दोनों राशियों के बीच का अन्तर, अन्तर के कारण के अनुपात में होता है। उदाहरण के लिए, भुगतान की शर्तें प्रतिष्ठान या ग्राहक को अन्य तीसरी पार्टी (पक्ष) द्वारा अनुबंध की कुछ या सभी बाध्यताओं को पर्याप्त रूप से पूरा न करने से बचाव करता है।
63. एक व्यवहारिक युक्ति (उपाय) के रूप में, एक प्रतिष्ठान द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक के प्रभाव को प्रतिफल की वचनबद्ध राशि में समायोजन की आवश्यकता नहीं है बशर्ते प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में यह आशा करता है कि उसके द्वारा ग्राहक के वचनबद्ध वस्तु या सेवा के अंतरण और ग्राहक द्वारा उस वस्तु या सेवा के भुगतान की तिथियों के बीच की अवधि एक वर्ष या इससे कम हो।
64. महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक के लिए प्रतिफल की वचनबद्ध राशि के समायोजन में अनुच्छेद 61 के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्रतिष्ठान उस बट्टागत दर का प्रयोग करेगा जो अनुबंध के प्रारंभ में प्रतिष्ठान व ग्राहक के मध्य किसी अलग वित्तीयन लेन-देन में प्रदर्शित की जाती है। यह दर अनुबंध में वित्तीयन प्राप्त करने वाली पार्टी (पक्ष) की ऋण विशेषताओं और ग्राहक या प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त संपार्श्विक प्रतिभूति या कोई अन्य प्रतिभूति (सिक्क्योरिटी), जिसमें अनुबंध में अंतर्गत आस्तियां सम्मिलित हैं, को प्रदर्शित करती है। प्रतिष्ठान उस दर का पता लगाकर जो वचनबद्ध प्रतिफल की सांकेतिक राशि का उस कीमत पर जिसका ग्राहक नकद में उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करेगा जब (या जैसे ही) वे ग्राहक को अंतर्गत होती है, उन दरों का निर्धारण करने के लिए सक्षम हो सकता है। अनुबंध के प्रारंभ के बाद, प्रतिष्ठान ब्याज दरों या अन्य परिस्थितियों (जैसे कि, ग्राहक के ऋण जोखिम के आंकलन में परिवर्तन) में परिवर्तन के कारण से बट्टागत दर को अद्यतन नहीं करेगा।
65. एक प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण में वित्तीयन के प्रभावों (ब्याज राजस्व या ब्याज व्यय) को ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व से अलग प्रस्तुत करेगा। ब्याज राजस्व या ब्याज व्यय को उस सीमा तक ही मान्यता दी जाती है जितना कि एक अनुबंध आस्ति (या प्राप्य राशि) या अनुबंध दायित्व को ग्राहक के साथ अनुबंध के लेखों में मान्यता दी गयी है।

गैर-नकदी प्रतिफल

66. अनुबंध के लिए लेन-देन कीमत का निर्धारण करने के लिए, जिसमें ग्राहक नकदी से पृथक स्वरूप में प्रतिफल का वचन देता है, प्रतिष्ठान गैर-नकदी प्रतिफल (या गैर-नकदी प्रतिफल के वचन को) का उचित मूल्य पर माप करेगा।
67. यदि प्रतिष्ठान गैर-नकदी प्रतिफल के उचित मूल्य का प्राक्कलन समुचित रूप से नहीं कर सका है तो प्रतिष्ठान प्रतिफल के बदले में ग्राहक को (या ग्राहक के वर्ग को) वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के स्वतंत्र विक्रय कीमत के संदर्भ द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिफल का माप करेगा।
68. गैर-नकदी प्रतिफल का उचित मूल्य प्रतिफल के स्वरूप के कारण भिन्न हो सकता है (उदाहरणार्थ, शेयर जिसे प्रतिष्ठान ग्राहक से प्राप्त करने के लिए हकदार है उसकी कीमत में परिवर्तन)। यदि ग्राहक द्वारा वचनबद्ध गैर-नकदी प्रतिफल का उचित मूल्य उसकी केवल प्रतिफल के स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कारणों से भिन्न है, (उदाहरण के लिए, उचित मूल्य में प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन के कारण अन्तर हो सकता है) तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 56-58 की अपेक्षाओं का प्रयोग करेगा।
69. प्रतिष्ठान के द्वारा अनुबंध का पालन सहज बनाने के लिए यदि ग्राहक वस्तुओं या सेवाओं (उदाहरणार्थ पदार्थों, उपस्कर या श्रम) का योगदान करता है तो प्रतिष्ठान यह आंकलन करेगा कि क्या यह उन योगदान की हुई वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त करता है। यदि ऐसा है, तो प्रतिष्ठान योगदान की हुई वस्तुओं या सेवाओं की गणना ग्राहक से प्राप्त गैर-नकदी प्रतिफल के रूप में करेगा।

ग्राहक को देय प्रतिफल

70. ग्राहक को देय प्रतिफल में वे नकदी राशियां शामिल होती हैं जिसका प्रतिष्ठान ग्राहक को (या अन्य पार्टियों (पक्षों) को, जो ग्राहक से प्रतिष्ठान की वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है) भुगतान करता है अथवा भुगतान करने की आशा करता है। ग्राहक को देय प्रतिफल में जमा या अन्य मदें (उदाहरणार्थ कूपन या वाउचर) भी शामिल होती हैं, जिन्हें प्रतिष्ठान (या अन्य पार्टियां (पक्ष) जो प्रतिष्ठान वस्तुएं या सेवाएं ग्राहक से खरीदती हैं) को देय राशियों के विरुद्ध उपयोग की जा सकती हैं। प्रतिष्ठान ग्राहक को देय प्रतिफल को लेन-देन कीमत और इसलिए, आय की कमी के रूप में तब तक लेखा करेगा जब तक यह भुगतान ग्राहक को उन सुभिन्न वस्तु या सेवा के बदले नहीं किया जाएगा (जैसाकि अनुच्छेद 26-30 में वर्णित हैं) जिसे ग्राहक प्रतिष्ठान को अंतर्गत करता है। यदि ग्राहक को देय प्रतिफल में कोई परिवर्तनीय राशि सम्मिलित होती है तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 50-58 के अनुसार लेन-देन कीमत (यह निर्धारण करने सहित कि परिवर्तनीय राशि का प्राक्कलन बाधित है या नहीं) का प्राक्कलन करेगा।

71. यदि ग्राहक को देय प्रतिफल किसी सुभिन्न वस्तु या सेवा के लिए भुगतान है, तो प्रतिष्ठान वस्तु या सेवा की खरीद को उसी तरीके से लेखा करेगा जैसा यह आपूर्तिकर्ताओं से अन्य खरीदों के लिए लेखा करता है। यदि ग्राहक को देय प्रतिफल की राशि उस सुभिन्न वस्तु या सेवा के उचित मूल्य से अधिक है, जो प्रतिष्ठान ग्राहक से प्राप्त करता है, तब प्रतिष्ठान ऐसी अतिरिक्त राशि का लेन-देन कीमत में कमी के रूप में लेखा करेगा। यदि प्रतिष्ठान ग्राहक से प्राप्त वस्तु या सेवा के उचित मूल्य का प्राक्कलन समुचित तरीके से नहीं कर सकता है, तब यह ग्राहक को देय संपूर्ण प्रतिफल की लेखा लेन-देन कीमत में कटौती के रूप में करेगा।
72. तदनुसार, यदि ग्राहक को देय प्रतिफल का लेखा लेन-देन कीमत में कटौती के रूप में किया जाता है, तो प्रतिष्ठान आय की कमी को तब मान्यता देगा जब (या जैसे ही) निम्नलिखित दोनों घटनाओं में से जो भी घटना बाद में घटती है:
- (क) प्रतिष्ठान ग्राहक को संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के लिए आय को मान्यता देता है; और
- (ख) प्रतिष्ठान प्रतिफल का भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है (भले ही, भुगतान भावी घटनाओं पर सशर्त होता है)। वह वचन प्रतिष्ठान के प्रचलित कारोबारी प्रथाओं द्वारा अंतर्निहित हो सकते हैं।

लेन-देन कीमत का कार्य निष्पादन बाध्यता पर आवंटन

73. लेन-देन कीमत का आवंटन करते समय प्रतिष्ठान का उद्देश्य उस राशि से प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता (अथवा सुभिन्न वस्तु या सेवा) पर लेन-देन कीमत का उस राशि में आवंटन करना होता है जो प्रतिफल की उस राशि का वर्णन करता है जिसका प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण करने के बदले में हकदार होने की आशा करता है।
74. आवंटन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 76-80 के अनुसार, अनुच्छेद 81-83 (रियायतें आवंटित करने के लिए) तथा अनुच्छेद 84-86 (प्रतिफल आवंटित करने के लिए जिसमें परिवर्तनीय राशियां सम्मिलित हैं) में यथानिर्दिष्ट को छोड़कर, प्रासंगिक स्वतंत्र बिक्री कीमत आधार पर अनुबंध में पता लगाए गए प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता पर लेन-देन कीमत का आवंटन करेगा।
75. यदि अनुबंध में केवल एक कार्य निष्पादन बाध्यता है तो अनुच्छेद 76-86 लागू नहीं होंगे। तथापि, अनुच्छेद 84-86 लागू हो सकते हैं यदि प्रतिष्ठान अनुच्छेद 22 (ख) के अनुसार एकल कार्य निष्पादन बाध्यता के रूप में माने गए सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं को सिलसिलेवार (की श्रृंखला) अंतरण करने का वचन देता है तथा वचनबद्ध प्रतिफल में परिवर्तनीय राशियां सम्मिलित होती हैं।

स्वतंत्र बिक्री कीमतों पर आधारित आवंटन

76. प्रासंगिक स्वतंत्र बिक्री कीमत के आधार पर प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता पर लेन-देन कीमत आवंटित करने के लिए, प्रतिष्ठान अनुबंध में प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता के अंतर्निहित (Underlying) सुभिन्न वस्तु या सेवा के लिए अनुबंध के प्रारंभ में स्वतंत्र बिक्री कीमत का निर्धारण करेगा तथा उन स्वतंत्र बिक्री कीमतों के अनुपात में लेन-देन कीमत का आवंटन करेगा।
77. स्वतंत्र बिक्री कीमत वह कीमत है, जिस पर प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तु या सेवा पृथक् रूप से बेचेगा। स्वतंत्र बिक्री कीमत का सर्वोत्तम प्रमाण वस्तु या सेवा की प्रत्यक्षदर्शी कीमत होती है, जब प्रतिष्ठान उस वस्तु या सेवा को पृथक् रूप से समान परिस्थितियों में तथा समान ग्राहकों को बेचता है। अनुबंधात्मक रूप से उल्लिखित कीमत या वस्तु या सेवा के लिए सूची कीमत उस वस्तु या सेवा के लिए स्वतंत्र बिक्री कीमत हो सकती है (किंतु ऐसा ही होना अनुमानित नहीं होगा)।
78. यदि स्वतंत्र बिक्री कीमत स्पष्टतः प्रत्यक्षदर्शी नहीं होती है तो प्रतिष्ठान स्वतंत्र बिक्री कीमत का उस राशि पर प्राक्कलन करेगा जिसका परिणाम अनुच्छेद 73 में आवंटन उद्देश्य को पूरा करते हुए लेन-देन कीमत का आवंटन होगा। स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करते समय प्रतिष्ठान (बाजार की स्थितियों, प्रतिष्ठान विशिष्ट तथ्यों तथा ग्राहक या ग्राहक की श्रेणी के बारे में सूचना सहित) सभी सूचनाओं पर विचार करेगा जो प्रतिष्ठान के लिए समुचित रूप से उपलब्ध होती हैं। ऐसा करते समय प्रतिष्ठान प्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का अधिकतम उपयोग करेगा तथा समान परिस्थितियों में सुसंगत रूप से प्राक्कलन तरीकों का प्रयोग करेगा।
79. वस्तु या सेवा के स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करने के लिए उपयुक्त पद्धतियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किंतु वे उन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- (क) समायोजित (व्यवस्थित) बाजार आंकलन दृष्टिकोण-प्रतिष्ठान उस बाजार का मूल्यांकन कर सकता है जिसमें यह वस्तुओं या सेवाओं को बेचता है तथा उस कीमत का प्राक्कलन कर सकता है जिसका ग्राहक उस बाजार में उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए इच्छुक होगा। उस दृष्टिकोण में, प्रतिष्ठान के प्रतिस्पर्धी द्वारा समान वस्तुओं या सेवाओं के लिए लागू कीमतों तथा उन कीमतों का प्रतिष्ठान की लागतों तथा लाभों (मार्जिन) को प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक समायोजन करते हुए उल्लेख करना भी शामिल हो सकता है
- (ख) संभावित लागत और लाभ (मार्जिन) दृष्टिकोण-प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करने की अपनी अपेक्षित लागतों का पूर्वानुमान कर सकता है तथा उसके बाद उस वस्तु या सेवा के लिए उपयुक्त लाभ (मार्जिन) को जोड़ेगा।

- (ग) अवशिष्ट दृष्टिकोण- प्रतिष्ठान कुल लेन-देन कीमत में से अनुबंध में वचनबद्ध अन्य वस्तुओं या सेवाओं की प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्र विक्रय कीमत की रकम को घटाकर उस रकम के संदर्भ से स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन कर सकता है। तथापि, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 78 के अनुसार वस्तु या सेवा की स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करने के लिए अवशिष्ट दृष्टिकोण का उपयोग केवल तभी कर सकता है यदि निम्नलिखित में से कोई एक मानदण्ड पूरा हो जाता है:
- प्रतिष्ठान एक समान (एक ही समय पर या उसके करीब) वस्तु या सेवा को विभिन्न ग्राहकों को कीमत की विस्तृत पंक्ति श्रृंखला में विक्रय करता है बेचता है (अर्थात् विक्रय कीमत अत्यधिक परिवर्तनशील है क्योंकि प्रतिनिधि स्वतंत्र बिक्री कीमत पिछले लेन-देनों या अन्य प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण से समझने योग्य नहीं है); या
 - प्रतिष्ठान ने उस वस्तु या सेवा के लिए अभी तक कीमत तय (स्थापित) नहीं की है तथा वस्तु या सेवा को पूर्व में स्वतंत्र आधार पर बेचा नहीं गया है (अर्थात् विक्रय कीमत अनिश्चित है)।
80. अनुबंध में वचनबद्ध के वस्तुओं या सेवाओं के स्वतंत्र बिक्री कीमतों का प्राक्कलन करने के लिए पद्धतियों संयोजन के उपयोग किए जाने की आवश्यकता हो सकती है, यदि उनमें से दो या अधिक वस्तुएं या सेवाएं अत्यधिक परिवर्तनीय या अनिश्चित स्वतंत्र बिक्री कीमतों वाली हैं। उदाहरण के लिए, उन वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं, जिनकी अत्यधिक परिवर्तनीय या अनिश्चित स्वतंत्र विक्रय कीमत हैं, की पूर्णयोग स्वतंत्र बिक्री कीमत के प्राक्कलन करने के लिए प्रतिष्ठान अवशिष्ट दृष्टिकोण का उपयोग कर सकता है और उसके बाद अवशिष्ट दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित उस प्राक्कलित पूर्णयोग कुल स्वतंत्र बिक्री कीमत से प्रासंगिक अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करने के लिए दूसरी पद्धति का उपयोग करेगा। जब प्रतिष्ठान अनुबंध में प्रत्येक वचनबद्ध वस्तु या सेवा के स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करने के लिए पद्धतियों के संयोजन का प्रयोग करता है तब प्रतिष्ठान यह मूल्यांकन करेगा कि उन प्राक्कलित स्वतंत्र बिक्री कीमतों पर लेन-देन कीमतों का आवंटन करना अनुच्छेद 73 में दिए गए आवंटन उद्देश्य तथा अनुच्छेद 78 में स्वतंत्र बिक्री कीमतों के प्राक्कलन के लिए दी गई अपेक्षाओं के अनुकूल होगा या नहीं।

छूट (रियायत) का आवंटन

81. यदि अनुबंध में उन वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की स्वतंत्र विक्रय कीमतों की कुल रकम अनुबंध में वचनबद्ध प्रतिफल से अधिक होता है तो ग्राहक वस्तुओं या सेवाओं को समूह में खरीदने के लिए रियायत प्राप्त करता है। सिवाय इसके कि जब प्रतिष्ठान के पास अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण होता है कि समस्त रियायत अनुबंध के कार्य निष्पादन बाध्यताओं में से केवल एक या अधिक से, किंतु सभी से नहीं, संबंधित होती है तब प्रतिष्ठान अनुबंध के सभी कार्य निष्पादन बाध्यताओं में यथानुपात रियायत आवंटित करेगा। उन परिस्थितियों में रियायतों का यथानुपात आवंटन प्रतिष्ठान का सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के अंतर्निहित प्रासंगिक स्वतंत्र विक्रय कीमतों के आधार पर प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता पर लेन-देन कीमत का आवंटन करने के फलस्वरूप है।
82. प्रतिष्ठान संपूर्ण रियायत का आवंटन, अनुबंध में एक या अधिक, किंतु सभी नहीं, कार्य-निष्पादन बाध्यताओं के लिए करेगा, यदि निम्नलिखित सभी मानदण्ड पूरे किए जाते हैं:
- प्रतिष्ठान नियमित रूप से अनुबंध में प्रत्येक सुभिन्न वस्तु या सेवा (या सुभिन्न वस्तु या सेवा के प्रत्येक समूह (बंडल)) को स्वतंत्र आधार पर बेचता है;
 - प्रतिष्ठान प्रत्येक समूह (बंडल) में वस्तुओं या सेवाओं के स्वतंत्र विक्रय कीमतों में रियायत पर उन सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के कुछ बंडल (या बंडलों) को स्वतंत्र आधार पर भी नियमित रूप से बेचता है; तथा
 - अनुच्छेद 82 (ख) में वर्णित वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्येक बंडल को आरोप्य (attributable) रियायत मूलतः उतने ही होती है जितना अनुबंध में कुल रियायत होती है तथा प्रत्येक बंडल में वस्तुओं या सेवाओं का विश्लेषण उस कार्य-निष्पादन बाध्यता (या कार्य निष्पादन बाध्यताओं) का प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण देता है जिससे अनुबंध की संपूर्ण रियायत संबंधित होती है।
83. यदि रियायत को अनुच्छेद 82 के अनुसार अनुबंध में एक या अधिक कार्य निष्पादन बाध्यताओं के लिए आवंटित किया जाता है, तो प्रतिष्ठान अनुबंध 79 (ग) के अनुसार वस्तु या सेवा के स्वतंत्र विक्रय कीमत का प्राक्कलन करने के लिए अवशिष्ट दृष्टिकोण का उपयोग करने से पहले रियायत का आवंटन करेगा।

परिवर्तनशील प्रतिफल का आवंटन

84. परिवर्तनीय प्रतिफल जो अनुबंध में वचनबद्ध है, समस्त अनुबंध या अनुबंध के विशिष्ट भाग पर आरोप्य हो सकता है, जैसे निम्नलिखित में से कोई:
- अनुबंध में एक या अधिक, किंतु सभी नहीं, कार्य निष्पादन बाध्यताओं (उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर वचनबद्ध वस्तु या सेवा के अंतरण पर अधिलाभांश (बोनस) आकस्मिक हो सकता है); या

- (ख) एक या अधिक लेकिन समस्त नहीं, वे एक श्रृंखला में वचनबद्ध सुभिन्न वस्तुएं या सेवाएं जो अनुच्छेद 22(ख) के अनुसरण में एकल कार्य निष्पादन बाध्यता को अंग के रूप में हो। (उदाहरणस्वरूप, एक द्विवर्षीय सफाई सेवा अनुबंध के दूसरे वर्ष के लिए वचनबद्ध प्रतिफल एक विनिर्दिष्ट मुद्रास्फीति सूचकांक में परिवर्तनों के आधार पर बढ़ेगा)।
85. एक प्रतिष्ठान एक परिवर्तनशील राशि की (और उस राशि में तत्पश्चात् होने वाले परिवर्तन) पूरी तरह से उस कार्य-निष्पादन बाध्यता या उस एक सुभिन्न वस्तु या सेवा को जो अनुच्छेद 22(ख) के अनुसरण में एकल कार्य-निष्पादन बाध्यता के अंग के रूप में है, को आवंटित करेगा, बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदण्ड पूरे होते हों:
- (क) परिवर्तनशील भुगतान की शर्तें विशिष्ट रूप से कार्य-निष्पादन बाध्यता या सुभिन्न वस्तु या सेवा के अंतरण को पूरा करने के प्रतिष्ठान के प्रयासों (या कार्य-निष्पादन बाध्यता या अलग वस्तु या सेवा के अंतरण को पूरा करने के विशिष्ट परिणाम) से संबंधित हों; और
- (ख) जब कार्य निष्पादन बाध्यता या सुभिन्न वस्तु या सेवा पर संपूर्ण परिवर्तनशील राशि का आवंटन, अनुबंध में समस्त कार्य-निष्पादन बाध्यताओं व भुगतान की शर्तों पर विचार करते हुए अनुच्छेद 73 के आवंटन के उद्देश्य के अनुरूप हो।
86. अनुच्छेद 73-83 में दी गयी आवंटन अपेक्षाएं उस लेन-देन कीमत की शेष राशि के आवंटन पर लागू होगी जो अनुच्छेद 85 के मानदण्ड को पूरा नहीं करती हैं।
- लेन-देन की कीमत में परिवर्तन**
87. अनुबंध के प्रारंभ के पश्चात्, लेन-देन की कीमत में कई कारणों से परिवर्तन हो सकता है। इन कारणों में अनिश्चित घटनाओं का घटना या उन परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन भी शामिल हैं, जो वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय में प्रतिष्ठान द्वारा अपेक्षित प्रतिफल राशि को बदल सकती हैं।
88. एक प्रतिष्ठान अनुबंधित कार्य-निष्पादन बाध्यताओं पर लेन-देन कीमत में परिवर्तनों (तत्पश्चात् होने वाले) परिवर्तनों को उसी आधार पर आवंटित करेगा जैसेकि अनुबंध के प्रारंभ में किया जाता है। फलस्वरूप प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ के पश्चात् अकेली विक्रय कीमतों में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए लेन-देन कीमत का पुनर्वांटन नहीं करेगा। पूर्ण हुए, कार्य-निष्पादन बाध्यता पर आवंटित राशियां राजस्व या राजस्व में कटौती के रूप में उस अवधि में मान्य होगी, जिस अवधि में लेन-देन की कीमत में परिवर्तन होता है।
89. एक प्रतिष्ठान उन लेन-देन कीमत में संपूर्ण परिवर्तन को एक या अधिक, लेकिन समस्त नहीं, उन कार्य-निष्पादन बाध्यताओं पर या एक श्रृंखला में वचनबद्ध उन सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं पर आवंटित करेगा जो अनुच्छेद 22 (ख) के अनुसरण में एक एकल कार्य-निष्पादन बाध्यता का अंग हों और वह भी तब जब अनुच्छेद 85 में परिवर्तनशील प्रतिफल के आवंटन का मानदण्ड पूरा होता है।
90. एक प्रतिष्ठान उस लेन-देन कीमत में परिवर्तन का लेखा करेगा जो अनुच्छेद 18-21 के अनुसरण में अनुबंध के संशोधन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। तथापि, उस लेन-देन कीमत में परिवर्तन के लिए जो अनुबंध संशोधन के पश्चात् उत्पन्न होता है, प्रतिष्ठान निम्नलिखित दो तरीकों में से जो भी लागू हो, लेन-देन कीमत में परिवर्तन का आवंटन करने के लिए अनुच्छेद 87-89 को प्रयोग में लाएगा:
- (क) एक प्रतिष्ठान संशोधन से पूर्व अनुबंध में पता लगाये गये कार्य-निष्पादन बाध्यताओं के लिए लेन-देन कीमत में परिवर्तन का आवंटन, तब और उतनी सीमा तक करेगा, कि लेन-देन कीमत में परिवर्तन संशोधन से पूर्व वचनबद्ध परिवर्तनशील प्रतिफल की राशि से संबंधित हैं और संशोधन का लेखा अनुच्छेद 21 (क) के अनुसरण में किया जाता हो
- (ख) अन्य सभी मामलों में, जहां संशोधन का लेखा अनुच्छेद 20 के अनुसरण में अलग अनुबंध के रूप में नहीं किया गया है, प्रतिष्ठान संशोधित अनुबंध में कार्य-निष्पादन बाध्यताओं के लिए लेन-देन कीमत में परिवर्तन को आवंटित करेगा (यानि वे कार्य-निष्पादन बाध्यताएं, जो संशोधन के तुरंत बाद या तो पूरे नहीं किये गये हैं या फिर अंशतः पूरे नहीं किये गये हैं)।

अनुबंध की लागतें

अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतें

91. एक प्रतिष्ठान एक ग्राहक के साथ अनुबंध प्राप्त करने के लिए वृद्धिशील लागतों को तब आस्ति के रूप में मान्यता देगा जब प्रतिष्ठान को यह आशा हो कि वह उन लागतों को वसूल कर लेगा।
92. अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतें वे लागतें होती हैं जो प्रतिष्ठान एक ग्राहक से अनुबंध प्राप्त करने के लिए खर्च करता है और वे लागतें अगर अनुबंध न प्राप्त होता तो खर्च नहीं होती हैं (जैसे कि बिक्री पर कमीशन)।
93. वे लागतें जो इसके बावजूद की अनुबंध प्राप्त होता है या नहीं अनुबंध प्राप्त करने के लिए खर्च होती हैं तो उन्हें खर्च के समय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, बशर्ते ये खर्च की गयी लागतें, ग्राहक से स्पष्टतया इसके बावजूद प्राप्त नहीं कि जा सके कि अनुबंध प्राप्त होता है या नहीं।

94. व्यावहारिक तौर पर, एक प्रतिष्ठान एक अनुबंध प्राप्त करने के लिए वृद्धिशील लागतों को व्यय के रूप में खर्च के समय मान्यता दे सकता है यदि आस्ति की परिशोधन अवधि को प्रतिष्ठान द्वारा अन्यथा एक वर्ष या उससे कम की मान्यता दी जाती है।

अनुबंध की पूर्ति की लागतें

95. यदि ग्राहक के साथ अनुबंध पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतें किसी अन्य लेखा मानक (जैसेकि भारतीय लेखा मानक 2, सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्रीज), भारतीय लेखा मानक 16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर या, भारतीय लेखा मानक 38, अमूर्त आस्तियाँ), के कार्यक्षेत्र में नहीं आती तों प्रतिष्ठान अनुबंध पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतों में से आस्ति को मान्यता तभी देगा जब वे लागतें निम्नलिखित सभी मानदण्डों को पूरा करती हो:

(क) वे लागतें अनुबंध या उस प्रत्याशित अनुबंध से प्रत्यक्षतया संबंधित हों जिसकी प्रतिष्ठान विशेष रूप से पहचान कर सकता हो (उदाहरणस्वरूप, मौजूदा अनुबंध के नवीकरण के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित लागतें अथवा उस विशेष अनुबंध, जो अभी अनुमोदित नहीं हुआ है, के अन्तर्गत अंतर्गत की जाने वाली आस्ति के प्रारूपेण(डिजाइन) की लागतें);

(ख) वे लागतें जो प्रतिष्ठान के उन संसाधनों का सृजन करती हैं या उनमें वृद्धि करती हैं जो भविष्य में कार्य-निष्पादन बाध्यताओं को पूरा करने (या पूरा करने को जारी रखने) के लिए उपयोग किए जाएंगे; और

(ग) वे लागतें जिनकी वसूली होने की आशा है।

96. एक ग्राहक के साथ अनुबंध को पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतों जो किसी दूसरे मानक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, का लेखा प्रतिमान उसी अन्य मानक के अनुसरण में करेगा।

97. एक अनुबंध (या किसी विशिष्ट प्रत्याशित अनुबंध) से सीधी संबंधित लागतों में निम्नलिखित में से कोई एक सम्मिलित होती है:

(क) प्रत्यक्ष श्रम (जैसे कि, उन कर्मचारियों का वेतन व मजदूरी, जो ग्राहक को वचनबद्ध सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करते हैं);

(ख) प्रत्यक्ष सामग्री (जैसे कि, ग्राहक को वचनबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली आपूर्तियाँ);

(ग) उन लागतों के आवंटन जो अनुबंध या अनुबंध की गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं (जैसेकि, अनुबंध प्रबंधन एवं निरीक्षण की लागतें, अनुबंध को पूरा करने में इस्तेमाल उपकरणों व उपस्करों का बीमा व मूल्यह्रास);

(घ) वे लागतें जो अनुबंध के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से ग्राहक से प्राप्य हैं; और

(ङ.) अन्य लागतें जो केवल इसीलिये खर्च की जाती हैं क्योंकि एक प्रतिष्ठान ने अनुबंध किया है (जैसे कि, उप-ठेकेदारों को भुगतान)

98. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित लागतें जब खर्च होती हैं तो उन्हें मान्यता देगा:

(क) सामान्य और प्रशासनिक लागतें (बशर्ते वे अनुबंध में स्पष्ट रूप से ग्राहक से प्राप्त नहीं की जानी है। इस मामले में प्रतिष्ठान इन लागतों का मूल्यांकन अनुच्छेद 97 के अनुसार करेगा);

(ख) अनुबंध की पूर्ति के लिए बेकार हुई सामग्री, श्रम या अन्य संसाधनों की लागतें जो अनुबंध की कीमत में प्रदर्शित नहीं होती हैं;

(ग) वे लागतें जो अनुबंध में पूरी की गई कार्य-निष्पादन बाध्यताओं (या आंशिक रूप से पूरी की गई कार्य-निष्पादन बाध्यताओं) से संबंधित हैं (यानि वे लागतें जो पिछले कार्य-निष्पादन से संबंधित हैं); और

(घ) वे लागतें जिनके लिए प्रतिष्ठान यह फर्क नहीं कर सकता कि ये लागतें पूरी न की गई कार्य-निष्पादन बाध्यताओं से संबंधित हैं या पूरे किये गये (या अंशतः पूरी की गई कार्य निष्पादन बाध्यताओं) कार्य-निष्पादन बाध्यताओं से।

परिशोधन एवं क्षतिग्रस्तता

99. अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार मान्य एक आस्ति को उस यथाक्रम के आधार पर परिशोधित किया जाएगा जो ग्राहक को आस्ति से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण से सुसंगत होगी। आस्ति विशेष प्रत्याशित अनुबंध (अनुच्छेद 95 (क) में यथावर्णित) के अन्तर्गत अंतर्गत की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित हो सकती है।

100. एक प्रतिष्ठान आस्ति के परिशोधन को इस तरह से अद्यतन करेगा कि वह ग्राहक को आस्ति से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के प्रत्याशित समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन को प्रदर्शित करे। इस प्रकार के परिवर्तन का लेखा भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसरण में प्राक्कलन लेखों के परिवर्तन के रूप में होगा।

101. एक प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्तता हानि को लाभ या हानि में उस सीमा तक मान्यता देगा जब तक कि अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार मान्य आस्ति की अग्रणीत राशि निम्नलिखित से अधिक हो जाए:

- (क) प्रतिफल की शेष राशि जिसे प्रतिष्ठान आस्ति से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के बदले प्राप्त करने की आशा करता है, उसमें से निम्नलिखित घटाया जाएगा;
- (ख) उन वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने से प्रत्यक्ष संबंधित लागतें जिन्हें व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है (देखें अनुच्छेद 97)।
102. एक प्रतिष्ठान प्रतिफल की कितनी राशि प्राप्त करने हेतु आशा करता है, इसके निर्धारण के लिए अनुच्छेद 101 के प्रयोग के प्रयोजन के लिए, एक प्रतिष्ठान लेन-देन की कीमत के निर्धारक सिद्धान्तों (लेकिन परिवर्तनशील प्रतिफल के प्राक्कलनों को बाधित करने वाले अनुच्छेद 56-58 की अपेक्षाओं को छोड़कर) का प्रयोग करेगा और उस राशि का समायोजन करेगा जो ग्राहक के श्रण (क्रेडिट) जोखिम के प्रभाव को प्रदर्शित करे।
103. इससे पूर्व कि एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार मान्य एक आस्ति को क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता दे, प्रतिष्ठान अन्य मानक (जैसे, भारतीय लेखा मानक 2, भारतीय लेखा मानक 16 व भारतीय लेखा मानक 38) के अनुसार मान्य अनुबंध से संबंधित आस्तियों की किसी क्षतिग्रस्तता को हानि मान्यता देगा। अनुच्छेद 101 में दिये गये क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोग के बाद, एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार मान्य आस्ति की शेष अग्रणीत राशि को उस नकदी जनक इकाई की अग्रणीत राशि में जो उससे संबंधित हो, में भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता*, प्रयोग के प्रयोजन के लिए उस नकदी जनक इकाई में सम्मिलित करेगा।
104. प्रतिष्ठान लाभ या हानि में, कुछ या समस्त क्षतिग्रस्तता हानि के उलटाव को मान्यता देगा जिसे क्षतिग्रस्तता परिस्थितियां न रहने या उनमें सुधार होने से अनुच्छेद 101 के अनुसार पहले मान्यता दी गयी थी। आस्ति की बढ़ी हुई अग्रणीत राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जिसे इस तरह निर्धारित किया जाता (शुद्ध परिशोधन) कि जैसे पहले कोई क्षतिग्रस्तता हानि हुई ही नहीं है।

प्रस्तुतीकरण

105. जब अनुबंध की दो में से कोई एक पक्ष (पार्टी) कार्य-निष्पादन कर देता है, प्रतिष्ठान अनुबंध को अपने तुलन-पत्र में अनुबंध आस्ति या अनुबंध दायित्व के रूप में प्रस्तुत करेगा जो इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन और ग्राहक को किये भुगतान के बीच के संबंध पर निर्भर करेगा। प्रतिष्ठान प्रतिफल के लिए कोई भी, एक शर्तहित अधिकार को अलग से एक प्राप्य राशि के रूप में शर्तहित अधिकार प्रस्तुत करेगा।
106. यदि ग्राहक प्रतिफल का भुगतान कर देता है या प्रतिष्ठान का प्रतिफल की राशि के लिए कोई शर्तहित अधिकार है (अर्थात् उसके लिए वह एक प्राप्य राशि है), इससे पूर्व कि प्रतिष्ठान ग्राहक को एक वस्तु या सेवा अंतरण करता है, तो प्रतिष्ठान अनुबंध को अनुबंध दायित्व के रूप में प्रस्तुत करेगा लेकिन तब जब भुगतान हो गया है या भुगतान देय है (इनमें से जो भी पहले हो)। एक अनुबंध दायित्व प्रतिष्ठान की वह बाध्यता है जिसमें उस ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं का अंतरण करना है जिसके लिए उसे (प्रतिष्ठान को) ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की प्राप्य राशि) प्राप्त हो चुका है।
107. यदि एक प्रतिष्ठान वस्तुओं या सेवाओं को ग्राहक को अंतरित करके अनुबंध का निर्वहन करता है और ग्राहक ने उसके लिए प्रतिफल का भुगतान नहीं किया है या अभी वह भुगतान देय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान अनुबंध को अनुबंध आस्ति के रूप में प्रस्तुत करेगा, इसमें वे राशियां शामिल नहीं होगी जिन्हें प्राप्य राशियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक अनुबंध आस्ति, प्रतिष्ठान के लिए प्रतिफल के रूप में एक ऐसा अधिकार है जो उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में है, जो प्रतिष्ठान उस ग्राहक को अंतरित कर चुका है। प्रतिष्ठान अनुबंध आस्ति की क्षतिग्रस्तता का निर्धारण भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार करेगा। एक अनुबंध आस्ति की क्षतिग्रस्तता का माप, प्रस्तुति एवं प्रकटन उस वित्तीय आस्ति के आधार पर किया जाएगा जो कि भारतीय लेखा मानक 109 के (अनुच्छेद 113 (ख) भी देखें) कार्यक्षेत्र के अनुसार आता है।
108. एक प्राप्य राशि प्रतिष्ठान के लिए प्रतिफल का वह अधिकार है, जो कि शर्तहित है। प्रतिफल के लिए अधिकार शर्तहित तब होता है, जब प्राप्य राशि प्रतिफल के भुगतान से पूर्व कुछ समय बीतना अपेक्षित हो। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान एक प्राप्य राशि को तब मान्यता देगा यदि उसके भुगतान के लिए वर्तमान अधिकार हो फिर चाहे वह राशि भविष्य में वापस की जानी हो। प्रतिष्ठान प्राप्य राशि का लेखा, भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार करेगा। एक ग्राहक के साथ अनुबंध से प्राप्य राशि की प्रारंभिक मान्यता पर, यदि भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्राप्य राशि के माप और तदनुसारी मान्य राजस्व राशि में यदि कोई अन्तर आता है, तो उसे व्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। (उदाहरण के लिए, क्षतिग्रस्तता हानि)।
109. यह मानक अनुबंध आस्ति व अनुबंध दायित्व शब्दावली का प्रयोग करता है लेकिन वह प्रतिष्ठान को तुलनपत्र में इन मदों के लिए किसी वैकल्पिक वर्णन का प्रतिषेध भी नहीं करता है। लेकिन प्रतिष्ठान यदि अनुबंध आस्ति के लिए किसी और वैकल्पिक वर्णन का प्रयोग करता है, तो वह वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता को प्राप्य राशियों और अनुबंध आस्तियों में भेद स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त सूचना भी देगा।
- 109कक एक प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व में सम्मिलित उत्पाद शुल्क की राशि को अलग से प्रस्तुत करेगा।

प्रकटन

110. एक प्रतिष्ठान के लिए प्रकटन अपेक्षाओं का उद्देश्य यह है कि, वह पर्याप्त सूचना प्रकट करे ताकि वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता, ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से उत्पन्न राजस्व और नकदी प्रवाहों की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता को ठीक से समझ सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित समस्त की गुणात्मक व मात्रात्मक सूचना प्रकट करेगा:

(क) ग्राहकों के साथ उसके अनुबंध (देखें अनुच्छेद 113-122);

(ख) उन अनुबंधों के लिए इस मानक के प्रयोग में किये गये महत्वपूर्ण निर्णय और निर्णयों में किये गये परिवर्तन (देखें अनुच्छेद 123-126); और

(ग) अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसरण में एक ग्राहक के साथ किये जाने वाले या पूरा करने वाले अनुबंध की लागतों से मान्य कोई आस्तियां (देखें अनुच्छेद 127-128)।

111. एक प्रतिष्ठान उस स्तर के विवरण पर विचार करेगा जो प्रकटन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। साथ ही, यह भी देखने के लिए कि विभिन्न अपेक्षाओं में प्रत्येक पर कितना बल दिया जाए। प्रतिष्ठान प्रकटनों का एकीकरण व पृथक्कीकरण भी करेगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना गैर महत्वपूर्ण विवरण की बड़ी मात्रा के सम्मिलित होने के कारण से या फिर ऐसी मदों के एकत्रित होने से जिनकी विशेषताएं अलग-अलग हैं, के कारण से अस्पष्ट न हो जाए।

112. यदि प्रतिष्ठान ने किसी अन्य लेखा मानक के अनुसार सूचना प्रदान कर दी है तो उसे इस मानक के अर्न्तगत प्रकटन करना आवश्यक नहीं है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध

113. यदि प्रतिष्ठान अन्य मानकों के अनुसरण में लाभ-हानि विवरण में अलग से निम्नलिखित से संबंधित राशियां प्रस्तुत नहीं करता तो वह रिपोर्टिंग अवधि के लिए इन सभी को प्रकट करेगा:

(क) ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से मान्य राजस्व, जिसे प्रतिष्ठान राजस्व के अन्य संसाधनों से अलग प्रकट करेगा; और

(ख) ग्राहकों के साथ किये गये प्रतिष्ठान के अनुबंधों से उत्पन्न किसी प्राप्य राशि या अनुबंध आस्तियों पर मान्य (भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार) कोई क्षतिग्रस्तता हानियां, जिन्हें प्रतिष्ठान अन्य अनुबंधों से हुई क्षतिग्रस्तता हानियों से अलग से प्रकट करेगा।

राजस्व का पृथक्कीकरण

114. एक प्रतिष्ठान ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से मान्य राजस्व को श्रेणियों में इस प्रकार अलग-अलग करेगा जो यह प्रदर्शित करेगा कि आर्थिक कारक किस प्रकार से राजस्व और नकदी प्रवाहों की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता को प्रभावित करते हैं। राजस्व के पृथक्कीकरण (अलग-अलग करने की प्रक्रिया) के प्रयोग में श्रेणियों का चयन करते समय प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख 87-ख 89 के दिशा-निर्देशों का अनुसरण करेगा।

115. इसके अतिरिक्त, यदि प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 108, परिचालन खण्ड, का प्रयोग करता है, तो प्रतिष्ठान वह पर्याप्त सूचना प्रकट करेगा जिससे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता पृथक्कीकरण युक्त राजस्व के प्रकटन (अनुच्छेद 114 के अनुसार) और, प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खंड की प्रकट राजस्व सूचना के बीच संबंध को समझ सकें।

अनुबंध की शेष राशियां

116. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित समस्त शेषों को प्रकट करेगा:

(क) ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से प्राप्य राशियों, अनुबंध आस्तियों और अनुबंध दायित्वों के आदि व अंत शेष बशर्ते उन्हें अन्यथा अलग-से प्रस्तुत या प्रकट नहीं किया गया हो;

(ख) रिपोर्टिंग अवधि में मान्य राजस्व, जो उस अवधि के आरंभ पर अनुबंध दायित्व शेष में सम्मिलित है; और

(ग) गत अवधियों में पूरे किये गये (या अंशतः पूरे किये गये) कार्य-निष्पादक बाध्यताओं से रिपोर्टिंग अवधि में मान्य राजस्व (उदाहरण के लिए, लेन-देन कीमत में परिवर्तन)।

117. प्रतिष्ठान इस बात की व्याख्या करेगा कि इसके कार्य-निष्पादन बाध्यताओं की पूर्ति का समय (देखिये अनुच्छेद 119 (क)) किस प्रकार भुगतान के औसत समय (देखिये अनुच्छेद 119 (ख)) से संबंधित है और अनुबंध आस्ति व अनुबंध दायित्व शेषों पर उन कारकों के क्या प्रभाव से है। दी गयी व्याख्या में गुणात्मक सूचना का प्रयोग किया जाना चाहिए।

118. एक प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि में अनुबंध आस्ति और अनुबंध दायित्व शेषों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की व्याख्या प्रस्तुत करेगा। इस व्याख्या में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार की ही सूचना होगी। प्रतिष्ठान की अनुबंध आस्तियों व अनुबंध दायित्वों के शेषों में परिवर्तन के उदाहरण में निम्नलिखित में से भी कोई भी सम्मिलित होंगे:
- (क) व्यावसायिक संयोजनों के कारण परिवर्तन;
 - (ख) राजस्व में संचयी समायोजन, जो तदनुषंगी अनुबंध आस्ति या अनुबंध दायित्व को प्रभावित करते हैं। इन समायोजनों में प्रगति के माप में परिवर्तन, लेन-देन कीमत के प्राक्कलन में परिवर्तन (इसमें इस मूल्यांकन में परिवर्तन भी शामिल है कि क्या परिवर्तनशील प्रतिफल का प्राक्कलन सीमित है) या अनुबंध संशोधन से उत्पन्न समायोजन शामिल है;
 - (ग) अनुबंध आस्ति की क्षतिग्रस्तता;
 - (घ) प्रतिफल के अधिकार के शर्तहित बनने के लिए समय ढांचे में परिवर्तन (जैसेकि, अनुबंध आस्ति को एक प्राप्य राशि के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना); और
 - (ङ) पूरी किए जाने वाली एक कार्य-निष्पादन बाध्यता के समय-ढांचे में परिवर्तन (जैसेकि अनुबंध दायित्व से उत्पन्न राजस्व की मान्यता)।

कार्य-निष्पादन बाध्यता

119. एक प्रतिष्ठान ग्राहकों के साथ अनुबंध में कार्य-निष्पादन बाध्यताओं की सूचना, निम्नलिखित सभी विवरणों के साथ प्रस्तुत करेगा:
- (क) जब प्रतिष्ठान औसतन कार्य-निष्पादन बाध्यताओं को पूरा करता है (उदाहरण के लिए, माल भेजने पर माल की सुपुर्दगी, सेवाएं देना या सेवा पूरी करने पर)। इनमें वे कार्य-निष्पादन बाध्यता भी सम्मिलित हैं जो बिल और धारण व्यवस्था के अन्तर्गत पूरी की जाती हैं;
 - (ख) महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें (उदाहरण के लिए, जब भुगतान औसतन रूप से देय है, चाहे अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक हो, चाहे प्रतिफल राशि परिवर्तनशील हो, और चाहे परिवर्तशील प्रतिफल का प्राक्कलन औसतन रूप से अनुच्छेद 56-58 के अनुसार सीमित हो);
 - (ग) ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति जिन्हें प्रतिष्ठान ने अंतरण का वचन दिया है और उसमें, वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण अन्य पक्ष (पार्टी) की कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में अंतरण व्यवस्था (अर्थात् जब प्रतिष्ठान एक अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में कार्य कर रहा है) की है, इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है;
 - (घ) वस्तुओं की वापसी, राशियों की वापसी की बाध्यताएं एवं अन्य इसी प्रकार बाध्यताएं; और
 - (ङ) वारंटियों के प्रकार और संबंधित बाध्यताएं।

शेष कार्य-निष्पादन बाध्यताओं को आवंटित लेन-देन की कीमत

120. एक प्रतिष्ठान शेष कार्य-निष्पादन बाध्यताओं के बारे में निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा:
- (क) ऐसे कार्य निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित लेन-देन कीमत की कुल राशि जो रिपोर्टिंग अवधि के अन्त तक असंतुष्ट है (या अंशतः असंतुष्ट है); और
 - (ख) इस बात का स्पष्टीकरण कि प्रतिष्ठान अनुच्छेद 120 (क) के अनुसार प्रकट राशि की को कब राजस्व के रूप में मान्यता देने की आशा करता है। इसे प्रतिष्ठान निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक के द्वारा प्रकट करेगा:
 - (i) मात्रात्मक आधार पर ऐसे समय खंडों का प्रयोग करते हुए जो शेष कार्य-निष्पादन बाध्यताओं की अवधि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो; या
 - (ii) गुणात्मक सूचना का प्रयोग करते हुए।
121. व्यावहारिक युक्तियों को ध्यान में रखते हुए, एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अनुच्छेद 120 में दी गयी सूचना, कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए प्रकट करे, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों में से कोई एक पूरी हो गयी हो:
- (क) कार्य-निष्पादन बाध्यता एक ऐसे अनुबंध का भाग है जिसकी मूल प्रत्याशित अवधि एक वर्ष या इससे कम हो; या
 - (ख) प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख 16 के अनुसरण में कार्य-निष्पादन बाध्यता की पूर्ति से राजस्व को मान्यता प्रदान करता है।

122. एक प्रतिष्ठान गुणात्मक आधार पर स्पष्ट करेगा कि क्या यह अनुच्छेद 121 के लिए व्यावहारिक युक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है और क्या लेन-देन कीमत में ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंध का कोई प्रतिफल शामिल नहीं किया गया है, और इसलिए यह अनुच्छेद 120 के अनुसरण में प्रकट सूचना में शामिल नहीं किया गया है। उदाहरणतया, लेन-देन कीमत के प्राक्कलन में परिवर्तनशील प्रतिफल की अनुमानित राशियां शामिल नहीं होंगी जो कि सीमित हैं (देखें अनुच्छेद 56-58)।

इस मानक के प्रयोग संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय

123. इस मानक के प्रयोग में किये गये वे निर्णय और निर्णयों में परिवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा प्रकट किये जाएंगे, जो ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से राजस्व की राशि व समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। विशेषकर, प्रतिष्ठान निम्नलिखित के निर्धारण में लिए गए निर्णयों और निर्णयों में परिवर्तनों को स्पष्ट करेगा:

- (क) कार्य निष्पादन बाध्यताओं के पूरा करने का समय (देखें अनुच्छेद 124-125); और
- (ख) लेन देन कीमत और कार्य निष्पादन बाध्यताओं को आवंटित राशियां (देखें अनुच्छेद 126)।

कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पूर्ति के समय का निर्धारण

124. प्रतिष्ठान समय के दौरान की गई कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पूर्ति के लिए, निम्नलिखित दोनों को प्रकट करेगा:
- (क) राजस्व की मान्यता (जैसेकि उत्पादन (आऊटपुट) विधियों या निविष्टी इनपुट विधियों का विवरण और ये विधियां किस प्रकार प्रयोग में लायी गयी) के लिए प्रयोग की गयी विधियां; और
 - (ख) वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण को सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए ये विधियां क्यों प्रयोग की गयी है इसका स्पष्टीकरण।
125. उन कार्य निष्पादन बाध्यताओं के लिए जो एक समय पर पूरी की गई हैं, एक प्रतिष्ठान उन महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रकटन करेगा जो यह मूल्यांकन करने के लिए कि ग्राहक कब वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त करता है; लिए गए हैं।

लेन-देन कीमत एवं कार्य-निष्पादन बाध्यताओं को आवंटित राशियों का निर्धारण

126. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी के लिए प्रयुक्त विधियों, निविष्टियों (इन्पुट्स) और पूर्वमान्यताओं की सूचना को प्रकट करेगा :
- (क) लेन-देन कीमत का निर्धारण, लेकिन परिवर्तनशील प्रतिफल के प्राक्कलन, धन के समय मूल्य के प्रभावों के लिए प्रतिफल का समायोजन और गैर-नकदी प्रतिफल का माप शामिल हैं इतने तक भी सीमित नहीं हैं;
 - (ख) यह निर्धारित करना कि क्या परिवर्तनशील प्रतिफल का प्राक्कलन सीमित है;
 - (ग) लेन-देन कीमत का आवंटन जिसमें वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की अलग विक्रय कीमतों का प्राक्कलन और अनुबंध के विशेष भाग के लिए छूटों और परिवर्तनशील प्रतिफल का आवंटन करना है। (यदि लागू है) ; और
 - (घ) वस्तुओं की वापसी, राशियों की वापसी की बाध्यताओं और इसी तरह के अन्य बाध्यताओं का माप।
- 126 कक एक प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण में मान्य राजस्व की राशि का मिलान हर एक समायोजन को अलग से प्रदर्शित करते हुए अनुबंधित कीमत से करेगा, उदाहरणार्थ, बट्टे, छूटें, वापसियां, क्रेडिट, कीमत रियायतें, प्रोत्साहन, कार्य-निष्पादन बोनस आदि, जैसे हर समायोजन कि प्रकृति व राशि का अलग से विवरण देते हुए।

ग्राहक के साथ अनुबंध के प्राप्त करने अथवा उसकी पूर्ति की लागतों से मान्य आस्तियां

127. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित दोनों का वर्णन करेगा:
- (क) ग्राहक के साथ एक अनुबंध को लेने या पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतों की राशि का निर्धारण करने के संबंध में लिये गये निर्णय (अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार); और
 - (ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिशोधन के निर्धारण के लिए विधि का प्रयोग।
128. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित समस्त का प्रकटन करेगा:
- (क) एक ग्राहक के साथ अनुबंध को प्राप्त करने या उसे पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतों से मान्य आस्तियों के अंतर्शेष (अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार), आस्ति की मुख्य श्रेणी द्वारा (उदाहरण के लिए, ग्राहक के साथ अनुबंध स्थापित करने की अनुबंध के पूर्व की लागतें और अनुबंध को लगाने की लागतें); और
 - (ख) परिशोधन की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मान्य क्षतिग्रस्तता हानियां।

व्यावहारिक युक्तियां

-
129. यदि प्रतिष्ठान व्यावहारिक युक्ति के लिए तो अनुच्छेद 63 (महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक की विद्यमानता) या अनुच्छेद 94 (अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों विषयक) का चयन करता है तो वह उस तथ्य को प्रकट करेगा।

परिशिष्ट क**परिभाषित शब्दावली**

यह परिशिष्ट इस लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

अनुबंध	दो या दो से अधिक पक्षों (पार्टियों) के बीच एक करार जो प्रवर्तनीय अधिकारों व बाध्यताओं को सृजित करता है।
अनुबंध आस्ति	एक प्रतिष्ठान का प्रतिफल प्राप्त करने का वह अधिकार जो कि ग्राहक को वस्तुएं या सेवाओं के अंतरण करने के बदले में तब दिया है जब वह अधिकार जो समय के व्यतीत होने से भिन्न किसी और चीज पर निर्भर करता है। (उदाहरणतया, प्रतिष्ठान का भावी कार्य-निष्पादन)।
अनुबंध दायित्व	एक प्रतिष्ठान की वह बाध्यता जिसके अनुसार वह ग्राहक को वस्तुएं या सेवाओं का अंतरण करेगा, जिनके लिए प्रतिष्ठान को ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त हो चुका हो (या फिर राशि प्राप्त होनी है)।
ग्राहक	वह पक्ष (पार्टी) जिसने उन वस्तुओं एवं सेवाओं को जो प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों का उत्पाद (आउटपुट) है: प्रतिफल के बदले प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठान के साथ अनुबंध किया है।
आय	यह वह प्राप्ति है जो लेखा अवधि के दौरान आस्तियों के अन्तर्वाह या वृद्धि के रूप में आर्थिक लाभों में वृद्धि करती है या दायित्व में कमी करती है जिससे कि इक्विटी में वृद्धि होती है लेकिन यह इक्विटासहभागियों के अंशदान से भिन्न है।
कार्य-निष्पादन बाध्यता	अनुबंध में ग्राहक के साथ एक वचनबद्धता कि ग्राहक को निम्नलिखित में से किसी एक का अंतरण किया जाएगा : (क) एक सुभिन्न वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का समूह (बंडल)); या (ख) विशेष वस्तुओं या सेवाओं की श्रृंखला जो अधिकांशतया उसी प्रकार की होगी और ग्राहक को अंतरण का ढंग भी वही रहेगा।
राजस्व	प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों से उत्पन्न आय।
स्वतंत्र विक्रय कीमत (एक वस्तु या सेवा की)	एक ऐसी कीमत जिस पर एक प्रतिष्ठान एक वचनबद्ध वस्तु या सेवा एक ग्राहक को अलग से बेचता है।
लेन-देन कीमत (एक ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए)	प्रतिफल की वह राशि जिसकी एक प्रतिष्ठान वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को अंतरण करने के बदले आशा करता है। इसमें तृतीय पक्ष (पार्टी) की ओर से उगाही गयी राशियां शामिल नहीं होती हैं।

परिशिष्ट ख**प्रयोग संबंधी दिशा निर्देश**

यह परिशिष्ट इस लेखा मानक का अभिन्न अंग है। यह अनुच्छेद 1-29 के प्रयोग का वर्णन करता है। इसका वही प्राधिकार है जो लेखा मानक के अन्य अंगों का है।

ख1 इस प्रयोग संबंधी दिशा निर्देश को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:

- (क) कार्य निष्पादन बाध्यताएं जो एक समय में पूरी की जाती हैं (अनुच्छेद ख2-ख13);
- (ख) कार्य निष्पादन बाध्यता के पूरे होने की प्रगति की माप की विधियां (अनुच्छेद ख14-ख19);
- (ग) वापसी के अधिकार के साथ बिक्री (अनुच्छेद ख20- ख27);
- (घ) वारंटियाँ (अनुच्छेद ख28- ख33);
- (ङ.) मुख्य प्रतिष्ठान बनाम प्रतिनिधि (एजेंट) प्रतिष्ठान प्रतिफल (अनुच्छेद ख34- ख38);
- (च) अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहक के विकल्प (अनुच्छेद ख39-ख43);
- (छ) ग्राहकों के अप्रयुक्त अधिकार (अनुच्छेद ख44-ख47);

- (ज) न वापसी योग्य अग्रिम शुल्क (और कुछ संबंधित लागतें) (अनुच्छेद ख48-ख51);
- (झ) लाइसेंसिंग (अनुच्छेद ख52-ख63);
- (ज) पुर्नखरीद करार (अनुच्छेद ख64-ख76);
- (ट) प्रेषण प्रबंध (अनुच्छेद ख77- ख78);
- (ठ) बिल व धारण प्रबंध (अनुच्छेद ख79-ख82);
- (ड) ग्राहक की स्वीकृति (अनुच्छेद ख83- ख86); तथा
- (ढ) विघटित राजस्व का प्रकटन (अनुच्छेद ख87-ख89)।

एक समयान्तर में पूर्ण की किये जाने वाली कार्य-निष्पादन बाध्यताएं

ख2 अनुच्छेद 35 के अनुसरण में, एक कार्य-निष्पादन बाध्यता एक समय के दौरान पूरी की जाती हैं यदि निम्नलिखित में से कोई एक मानदण्ड पूरा हो जाता है:

- (क) प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन पर उसके द्वारा दिये गये लाभों को ग्राहक प्राप्त करने के साथ-साथ इस्तेमाल भी करता है (देखें अनुच्छेद ख3-ख4);
- (ख) प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन उस एक आस्ति का या तो सृजन करता है या उसमें वृद्धि करता है (जैसे कि कार्य जो प्रगति में है) जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है जैसे कि आस्ति का सृजन या वृद्धि होती है (देखें अनुच्छेद ख5); अथवा
- (ग) प्रतिष्ठान का कार्य निष्पादन उसके लिए वैकल्पिक प्रयोग वाली एक आस्ति का सृजन नहीं करता है (देखें अनुच्छेद ख6-ख8) और प्रतिष्ठान के पास आज तक पूर्ण कार्य निष्पादन के लिए भुगतान को लागू किये जा सकने वाला अधिकार है। (देखें अनुच्छेद ख9-ख13)।

प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन के लाभों की प्राप्ति और उसके साथ ही उपभोग [अनुच्छेद 35(क)]

ख3 कार्य-निष्पादन दायित्वों की कुछ किस्मों के लिए, यह मूल्यांकन सीधा होगा कि क्या एक ग्राहक एक प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन के लाभ प्रतिष्ठान द्वारा निष्पादन के साथ ही प्राप्त कर लेता है और जैसे ही उन लाभों को प्राप्त करता है वैसे ही साथ-साथ उनका उपभोग भी कर लेता है। इसका उदाहरण (रूटीन) या आवर्ती (बार-बार होने वाली) सेवाएं हैं (जैसे कि सफाई सेवा) जिनमें ग्राहक द्वारा प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन के लाभों की प्राप्ति व उपभोग दोनों साथ पाये जाते हैं।

ख4 अन्य प्रकार के कार्य-निष्पादन बाध्यताओं में हो सकता है कि एक प्रतिष्ठान आसानी से यह पहचान न कर पाये कि प्रतिष्ठान जैसे कार्य-निष्पादन करता है क्या ग्राहक प्रतिष्ठान वैसे ही कार्य-निष्पादन के लाभों को प्राप्त व उपभोग, दोनों एक साथ कर रहा है। इन परिस्थितियों में, कार्य निष्पादन दायित्व एक समय में के दौरान किया जाता है यदि प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा उस तिथि तक किये गये कार्य को कोई दूसरे प्रतिष्ठान को काफी अधिक मात्रा तक पुनः करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उस अन्य प्रतिष्ठान को ग्राहक के लिए शेष कार्य-निष्पादन को पूरा करना हो। यह निर्धारित करने के लिए कि प्रतिष्ठान द्वारा एक तिथि तक किये गये कार्य को किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा काफी अधिक मात्रा में पुनः करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके लिए प्रतिष्ठान को निम्नलिखित दोनों अवधारणाओं को मानना होगा:

- (क) संभावित अनुबंधात्मक प्रतिबंधों या व्यावहारिक सीमाओं की उपेक्षा न करना, जो कि अन्यथा एक प्रतिष्ठान द्वारा किसी दूसरे प्रतिष्ठान को शेष कार्य-निष्पादन बाध्यता को अंतरित करने से रोकते हैं; और
- (ख) यह मानना कि कोई अन्य प्रतिष्ठान जो शेष कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है, उस आस्ति का लाभ नहीं ले पाएगा जो वर्तमान प्रतिष्ठान के नियंत्रण में है और उस पर प्रतिष्ठान का नियंत्रण तब भी जारी रहेगा अगर कार्य-निष्पादन बाध्यता अन्य प्रतिष्ठान को अंतरित कर दी जाती।

ग्राहक एक आस्ति का नियंत्रण करता है जैसे ही उस आस्ति का सृजन या वृद्धि होती है [अनुच्छेद 35 (ख)]

ख5 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक ग्राहक अनुच्छेद 35 (ख), के अनुसरण में सृजित या वृद्धि की गयी आस्ति को नियंत्रित करता है, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 31-34 और 38 में दी गयी नियंत्रण अपेक्षाओं का प्रयोग करेगा। सृजित या वृद्धि की जाने वाली आस्ति (जैसेकि कार्य प्रगति के रूप में आस्ति) मूर्त या अमूर्त दोनों प्रकार की हो सकती है।

प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन जो कि वैकल्पिक प्रयोग वाली आस्ति सृजित नहीं करता [अनुच्छेद 35(ग)]

ख6 अनुच्छेद 36 के अनुसार यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या एक आस्ति का प्रतिष्ठान के लिए वैकल्पिक प्रयोग है, एक प्रतिष्ठान उस आस्ति को किसी अन्य प्रयोग के लिए तत्काल निर्देशित करने की योग्यता पर अनुबंधात्मक प्रतिबंधों व व्यवहारिक सीमाओं के प्रभावों पर विचार करेगा, जैसेकि आस्ति को किसी अन्य ग्राहक को बेचना। प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति को किसी अन्य प्रयोग के लिए

तत्काल निर्देशित किये जाने की योग्यता का निर्धारण करने के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधों के समाप्त किये जाने की संभावना पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख7 प्रतिष्ठान का एक आस्ति को अन्य प्रयोग के लिए निर्देशित करने की योग्यता पर अनुबंधात्मक प्रतिबंध इतना तात्त्विक होना चाहिए कि उस आस्ति का प्रतिष्ठान के लिए कोई वैकल्पिक प्रयोग ना हो। एक अनुबंधात्मक प्रतिबंध तब तात्त्विक है जब एक ग्राहक वचनबद्ध आस्ति के लिए अपने अधिकारों को लागू कर सके जब प्रतिष्ठान आस्ति को अन्य प्रयोग के लिए निर्देशित करें। इसके विपरीत, एक अनुबंधात्मक प्रतिबंध तब तात्त्विक नहीं है, उदाहरणतया, यदि एक आस्ति अन्य आस्तियों के साथ बड़े पैमाने पर परस्पर बदली जा सके और उन आस्तियों को प्रतिष्ठान किसी अन्य ग्राहक को अनुबंध को तोड़े बिना और कोई ज्यादा लागत खर्च किये बिना जो अन्यथा, उस अनुबंध में खर्च न होती, अंतरित कर सके।।

ख8 एक व्यावहारिक सीमा जो एक प्रतिष्ठान की योग्यता कि वह एक आस्ति को अन्य प्रयोग के लिए निर्देशित करे, तब होती है जब एक प्रतिष्ठान अन्य प्रयोग के लिए आस्ति को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण आर्थिक हानियां उठाता है। एक महत्वपूर्ण हानि तब होती है जब प्रतिष्ठान आस्ति के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण लागत वहन करे या फिर भारी हानि पर उसे बेच दे। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान व्यवहारिक रूप से आस्तियों को पुनःनिर्देशित करने की योग्यता पर सीमा हो सकती है अगर आस्ति की डिजाइन विशिष्टताएं ऐसी हों जो एक ग्राहक के लिए विशेष हों या फिर आस्तियां दूरदराज क्षेत्रों में स्थित हों।

अब तक के कार्य निष्पादन के लिए भुगतान का अधिकार [अनुच्छेद 35(ग)]

ख9 अनुच्छेद 37 के अनुसार, एक प्रतिष्ठान के पास अब तक के कार्य निष्पादन के भुगतान का अधिकार होता है अगर प्रतिष्ठान द्वारा वचनबद्धता के अनुसार कार्य निष्पादन पूरा करने में असफल रहने को छोड़कर अन्य कारणों से जब प्रतिष्ठान या कोई अन्य पार्टी पक्ष एक तिथि को अनुबंध समाप्त करने से उस तक पूरे किये गये कार्य निष्पादन की प्रतिपूर्ति की राशि का हकदार होता है। प्रतिष्ठान द्वारा अब तक पूर्ण किये गये कार्य-निष्पादन की प्रतिपूर्ति राशि वह राशि है जो उस तिथि तक वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री कीमत के समान होती है (जैसे कि, प्रतिष्ठान द्वारा कार्य निष्पादन दायित्व को पूरा करने की लागत और उचित लाभ मार्जिन की वसूली), न कि अनुबंध की समाप्ति पर प्रतिष्ठान को लाभ की संभावित हानि। उचित लाभ मार्जिन की प्रतिपूर्ति जरूरी नहीं कि उस राशि के समान हो जो अनुबंध वचनबद्धता अनुसार पूरा होने पर लाभ मार्जिन के रूप में हो। लेकिन, प्रतिष्ठान प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किसी एक राशि के लिए हकदार होना चाहिए:

(क) ग्राहक (या किसी अन्य पार्टी) द्वारा अनुबंध से प्रदर्शित प्रत्याशित लाभ जो कि ग्राहक द्वारा अनुबंध की समाप्ति से पूर्व अनुबंध के अधीन प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन को प्रदर्शित करें; या

(ख) इसी प्रकार के अनुबंधों में प्रतिष्ठान की पूंजी की लागत पर उचित प्रतिफल (या प्रतिष्ठान का इसी प्रकार के अनुबंधों में सामान्यतया परिचालन मार्जिन) यदि अनुबंध संबंधी विशेष मार्जिन प्रतिष्ठान की इसी प्रकार के अनुबंधों से सामान्य आय (प्रतिफल) से अधिक है।

ख10 यह आवश्यक नहीं कि एक प्रतिष्ठान का अब तक पूर्ण किए गए कार्य निष्पादन के लिए भुगतान का मौजूदा शर्तरहित अधिकार हो। बहुत से मामलों में, प्रतिष्ठान के पास भुगतान के लिए शर्तरहित अधिकार तभी होता है जब इसके लिए कोई सहमत स्तर हो या कार्य निष्पादन बाध्यता का पूरी तरह से निर्वहन हो गया हो। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इसके पास अब तक कार्य निष्पादन के पूरे होने पर भुगतान का अधिकार है या नहीं, एक प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि अनुबंध पूरे होने से पहले ही प्रतिष्ठान द्वारा वचनबद्ध तरीके से निर्वहन न कर पाने को छोड़कर किन्हीं अन्य कारणों से अनुबंध समाप्त हो जाने पर क्या प्रतिष्ठान के पास अब तक पूरे किए गए कार्य निष्पादन भुगतान को मांगने या रोके रखने का कोई लागू करने योग्य अधिकार है या नहीं।

ख11 कुछ अनुबंधों में, एक ग्राहक के पास एक ऐसा अधिकार हो सकता है जो वह अनुबंध के कार्यकाल के दौरान किन्हीं निश्चित समय पर अनुबंध को समाप्त कर सके या उसके पास अनुबंध को समाप्त करने का कोई भी अधिकार ना हो। यदि ग्राहक के पास अनुबंध को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है और वह उसे समाप्त कर देता है (इसमें यह सम्मिलित है कि जब ग्राहक वचनबद्धता के अनुसार बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता), तो वह अनुबंध (या अन्य कानून), प्रतिष्ठान को ये हक देता है कि वह अनुबंध के अनुसार वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को ग्राहक को अंतरित करना जारी रखे और ग्राहक उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले प्रतिफल का भुगतान करने के लिए बाध्य हो इन परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान को यह अधिकार है कि वह अब तक पूरे किये गये कार्य-निष्पादन के भुगतान को प्राप्त करे क्योंकि प्रतिष्ठान के पास अनुबंध के अनुसार कार्य-निष्पादन का निर्वहन जारी रखने का अधिकार है और इसी तरह ग्राहक को भी अपने दायित्व पूरे करने होंगे (जिनमें वचनबद्ध प्रतिफल का भुगतान भी शामिल है)।

ख12 अब तक पूरे किये गये कार्य निष्पादन के भुगतान के अधिकार की विद्यमानता व लागू करने की योग्यता के निर्धारण के लिए, प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक शर्तों के साथ-साथ उन विधानों या कानूनी पूर्व उदाहरणों पर भी विचार करेगा जो उन अनुबंधात्मक शर्तों की या तो परिपूरक है या उनका अधिरोहण करती है। इनमें निम्नलिखित का निर्धारण भी सम्मिलित है:

- (क) विधान, प्रशासकीय व्यवहार (या प्रथा) या कानूनी पूर्व उदाहरण प्रतिष्ठान को यह अधिकार देते हैं कि वह अब तक के कार्य-निष्पादन का भुगतान प्राप्त कर सकता है भले ही ग्राहक के साथ अनुबंध में उस अधिकार का कोई उल्लेख है या नहीं;
- (ख) संबंधित कानूनी पूर्व उदाहरण यह उल्लेख करती है कि इसी प्रकार के अनुबंधों के अधीन अब तक के कार्य-निष्पादन पूरे करने से भुगतान के इसी प्रकार के अधिकारों का कोई बाध्यकारी कानूनी प्रभाव नहीं है; या
- (ग) एक प्रतिष्ठान के प्रथात्मक व्यवसायिक व्यवहारों के अंतर्गत भुगतान के अधिकार को लागू न करने का चयन करने के कारण कानूनी परिस्थितियों में यह अधिकार लागू न किए जाने योग्य की श्रेणी में आ जाता है। तथापि, इसके बावजूद कि प्रतिष्ठान इस प्रकार के अनुबंधों में भुगतान के अधिकार को छोड़ने का चयन करता है, प्रतिष्ठान निश्चित तिथि तक भुगतान पाने का अधिकार जारी रख सकता है बशर्ते ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध में अब तक कार्य निष्पादन के भुगतान का उसका अधिकार लागू करने योग्य हो।
- ख13 अनुबंध में निर्धारित भुगतान की समय-सारणी जरूरी नहीं कि इस बात का संकेत हो कि एक प्रतिष्ठान के पास अब तक पूरे किये गये कार्य निष्पादन के भुगतान का लागू करने योग्य अधिकार है। यद्यपि, अनुबंध में भुगतान की समय सारणी में समय व प्रतिफल की उस राशि का उल्लेख होता है जो ग्राहक द्वारा देय है, भुगतान की समय सारणी में जरूरी नहीं कि इस बात का साक्ष्य हो कि अब तक कार्य निष्पादन के लिए प्रतिष्ठान का भुगतान के लिए अधिकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, उदाहरणस्वरूप, अनुबंध स्पष्ट कर सकता है कि ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल, प्रतिष्ठान द्वारा अनुबंध में दिये वचन को पूरा करने में सफल न होने से, इससे भिन्न किन्हीं भी कारणों से, वापस किया जा सकता है।

कार्य-निष्पादन की पूर्ण पूर्ति की प्रगति के माप के लिए विधियां

- ख14 अनुच्छेद 35-37 के अनुसरण में एक समय प्रतिष्ठान द्वारा पूरे किये जाने वाले कार्य-निष्पादन दायित्वों की पूर्ण पूर्ति की प्रगति के लिए प्रयोग में लायी गयी विधियों में निम्नलिखित शामिल होगी:
- (क) उत्पादन विधियां (देखें अनुच्छेद ख15-ख17); और
- (ख) निविष्टि (इनपुट) विधियां (देखें अनुच्छेद ख18-ख19)।

उत्पादन विधियां

- ख15 उत्पादन विधियां राजस्व को अब तक ग्राहक को अंतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर मान्यता देती हैं। यह मूल्य अनुबंध के अन्तर्गत वचनबद्ध शेष वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित होता है। उत्पादन विधियों में अब तक एक पूर्ण कार्य-निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन, विशेष स्तर (पडाव), व्यतीत समय और उत्पादित इकाईयां या दी गयी इकाईयां आदि सम्मिलित हैं। जब एक प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करता है कि प्रगति के माप के लिए जब एक उत्पादन विधि अपनायी जाती है प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि उत्पादन विधि कार्य-निष्पादन की पूर्ण पूर्ति के प्रति प्रतिष्ठान के निर्वाहन का क्या यथार्थ प्रदर्शन करती है। एक उत्पादन विधि प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन का यथार्थ प्रदर्शन नहीं करती यदि चयनित उत्पादन उन कुछ वस्तुओं या सेवाओं का माप करने में असफल रहता है जिनका नियंत्रण ग्राहक को अंतरित कर दिया गया है। उदाहरणस्वरूप, उत्पादित या सुपुर्द की गयी ईकाईयों पर आधारित उत्पादन विधियां उस स्थिति में कार्य-निष्पादन दायित्व पूरा करने में प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन का यथार्थ प्रदर्शन नहीं करती, यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन ने ग्राहक द्वारा नियंत्रित उस प्रगति कार्य या तैयार माल का उत्पादन किया है जो उत्पादन के माप में सम्मिलित नहीं है।
- ख16 व्यावहारिक युक्ति के रूप में, यदि प्रतिष्ठान के पास ग्राहक से किसी प्रतिफल की ऐसी राशि का अधिकार है जो अब तक प्रतिष्ठान के पूर्ण कार्य-निष्पादन के लिए प्रत्यक्षतया ग्राहक के मूल्य के अनुरूप है (उदाहरणतया एक सेवा अनुबंध जिसमें एक प्रतिष्ठान दी गयी सेवा के प्रत्येक घंटे की बिलिंग करता है), प्रतिष्ठान उस राजस्व राशि को मान्यता देगा जो बील करने के लिए प्रतिष्ठान के अधिकार में है।
- ख17 उत्पादन विधि के नुकसान ये हैं कि प्रगति के माप के लिए प्रयुक्त उत्पादन की प्रत्यक्षतया दृष्टिगोचर नहीं है और उसके प्रयोग के लिए अपेक्षित सूचना प्रतिष्ठान के लिए कम लागत पर उपलब्ध नहीं है। इस कारण, निविष्टि विधि ही आवश्यक हो सकती है।

निविष्टि विधियां

- ख18 निविष्टि विधियां राजस्व की मान्यता के लिए प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन दायित्व को पूरा करने के निविष्टियों के आधार पर करती हैं (उदाहरणस्वरूप, संसाधनों का उपभोग, खर्च किये गये श्रमिक घंटें, खर्च की गयी लागत, व्यतीत काल या प्रयुक्त मशीन के घंटे) ये निविष्टियां कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ति के लिए कुल निविष्टियों की तुलना में होती हैं। यदि प्रतिष्ठान के प्रयास या

निविष्टियां कार्य-निष्पादन अवधि के दौरान एक सार प्रयोग में रहती हैं तब प्रतिष्ठान के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह राजस्व को सीधी रेखा के आधार पर ही मान्यता दे।

ख19 निविष्टि विधियों की एक कमी यह है कि प्रतिष्ठान की निविष्टियों और ग्राहक की वस्तुओं या सेवाओं के नियंत्रण का अंतरण सीधे संबंधित नहीं है। अतः एक प्रतिष्ठान एक निविष्टि विधि में से उन निविष्टियों के प्रभाव को हटा देगा जो अनुच्छेद 39 में प्रगति माप के उद्देश्य के अनुसार ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं के नियंत्रण के अंतरण में प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन को प्रदर्शित नहीं करती है। उदाहरणतया, जब लागत आधारित निविष्टि विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रगति के माप में समायोजन निम्नलिखित परिस्थितियों में अपेक्षित है:

- (क) जब उपगत की गयी लागत प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन पूर्ति की प्रगति में कोई अंशदान नहीं करती। उदाहरणस्वरूप, एक प्रतिष्ठान खर्च की गयी लागतों के आधार पर उस राजस्व को मान्यता नहीं देता जो प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन में महत्वपूर्ण कमजोरियों के कारण है और वह अनुबंध की कीमत में प्रदर्शित नहीं होती। (उदाहरणस्वरूप, बेकार सामग्री, श्रम या अन्य संसाधनों की अप्रत्याशित राशियों की लागतें जो कार्य-निष्पादन की पूर्ति के लिए खर्च की जाती हैं)।
- (ख) जब खर्च की गयी लागत प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ति में प्रगति के अनुपात में नहीं है। इन परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन का सर्वोत्तम प्रदर्शन इस प्रकार हो कि निविष्टि विधि को इस तरह से समायोजित किया जाए ताकि राजस्व को केवल खर्च की गयी लागत तक मान्यता दी जाए। उदाहरणस्वरूप, प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन का यथार्थप्रदर्शन उस राशि तक राजस्व को मान्यता दे जो कार्य निष्पादन की पूर्ति में प्रयुक्त वस्तु के उपयोग की लागत के समान हो बशर्ते यदि प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में यह आशा करे कि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होंगी -
 - (i) वस्तु विशेष नहीं है;
 - (ii) ग्राहक को यह आशा है कि वह वस्तु से संबंधित सेवाएं प्राप्त करने से पूर्व वस्तु का अधिकांशतया नियंत्रण प्राप्त कर लेगा;
 - (iii) अंतरित वस्तु की लागत कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ति के लिए कुल प्रत्याशित लागतों के संबंध में महत्वपूर्ण है और वह ; और
 - (iv) प्रतिष्ठान वस्तु तीसरे पक्ष (पार्टी) से प्राप्त करता है और वह महत्वपूर्ण रूप से वस्तु की रूपरेखा और विनिर्माण में शामिल नहीं है (लेकिन प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख34-ख38 के अनुसरण में मुख्य प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करता है)।

सामान-वापसी के अधिकार के साथ बिक्री

ख20 कुछ अनुबंधों में, एक प्रतिष्ठान ग्राहक को उत्पाद का नियंत्रण अंतरित करता है और वह ग्राहक को विभिन्न कारणों (जैसे कि उत्पाद से संतुष्टि न होना) से उत्पाद की वापसी का भी अधिकार देता है और निम्नलिखित में से कोई एक संयोजन प्राप्त करता है:

- (क) अदा किये गये प्रतिफल की पूर्ण या आंशिक वापसी;
- (ख) प्रतिष्ठान को प्राप्त राशि या प्राप्त होने वाली राशियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला ऋण; और
- (ग) बदले में कोई अन्य उत्पाद ।

ख 20 कक कुछ अनुबंधों में, एक प्रतिष्ठान एक उत्पाद का नियंत्रण ग्राहक को शर्त रहित वापसी के अधिकार के साथ अन्तरित करता है। ऐसे मामलों में राजस्व की मान्यता व्यवस्था के सारत्व के अनुसार होगी। जहां सारत्व प्रेषण बिक्री की तरह है, तब प्रतिष्ठान इस प्रकार के अनुबंध का लेखा इस परिशिष्ट के अनुच्छेद ख 77 के उपबंधों के अनुसार करेगा। अन्य मामलों में, ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों का लेखा अनुच्छेदों ख 21-ख 27 के अनुसार किया जाएगा ।

ख21 वापसी के अधिकार के साथ उत्पादों के अंतरण के लेखे के लिए (और कुछ सेवाएं जो प्रतिफल वापसी के सशर्त हैं), एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी को मान्यता देगा:

- (क) प्रतिफल की राशि में अंतरित उत्पादों के राजस्व जिसके लिए प्रतिष्ठान यह आशा करता है कि वह उसका हकदार है (अतः उन उत्पादों के लिए राजस्व मान्य नहीं होगा जिनकी वापसी की उम्मीद है);
- (ख) वापसी का एक दायित्व; और
- (ग) वापसी दायित्व के निपटान पर ग्राहकों से उत्पादों की वसूली के अधिकार के लिए एक आस्ति (और बिक्रियों की लागत का समरूप समायोजन)।

ख22 वापसी अवधि के दौरान वापस किए उत्पाद की वापसी के लिए प्रतिष्ठान के तैयार रहने की वचनबद्धता को वापसी प्रदान करने के दायित्व के अतिरिक्त कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में लेखाकृत नहीं किया जाएगा।

- ख23 एक प्रतिष्ठान प्रतिफल की उस राशि के निर्धारण के लिए अनुच्छेद 47-72 की अपेक्षाओं (जिनमें वे अपेक्षाएं सम्मिलित हैं जो अनुच्छेद 56-58 में परिवर्तनशील प्रतिफल को प्राक्कलनों की बाध्यता से संबंधित हैं) का प्रयोग करेगा जिसके हक की प्रतिष्ठान आशा करता है (यानि उन उत्पादों को छोड़कर जिनके लौटाए जाने की उम्मीद है)। प्राप्त (या प्राप्य) उन राशियों के लिए जिनके हक के लिए प्रतिष्ठान आशा नहीं करता, प्रतिष्ठान उत्पादों को ग्राहकों को अंतरित करते समय राजस्व को मान्यता नहीं देगा लेकिन वह उन प्राप्त (प्राप्य) राशियों को दायित्व वापसी के रूप में मान्यता देगा। इसके पश्चात्, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, प्रतिष्ठान उन राशियों के मूल्यांकन को अद्यतन करेगा (अपडेट) जिन्हें वह अंतरित उत्पादों के बदले उनके हक की आशा करता है। साथ ही, वह लेन-देन कीमत और, अतः मान्य राजस्व की राशि में तदनुरूपी परिवर्तन करेगा।
- ख24 एक प्रतिष्ठान वापसियों की राशि के बारे में प्रत्याशाओं में परिवर्तन के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वापसी दायित्व के माप को अद्यतन (अपडेट) करेगा। प्रतिष्ठान राजस्व (या राजस्व की कटौतियों) के रूप में तदनुरूपी समायोजनों को मान्यता देगा।
- ख25 एक वापसी दायित्व के निपटान पर ग्राहक से उत्पादों की वसूली के प्रतिष्ठान के अधिकार के लिए एक मान्य आस्ति प्रारंभ में उत्पाद की पूर्ववर्ती अग्रणीत राशि, (उदाहरणार्थ, माल सूची (इन्वेंट्री)) और उसमें उन उत्पादों की वसूली की प्रत्याशित लागतें घटाकर (जिनमें वापस उत्पादों की प्रतिष्ठान के मूल्य में कमी की संभावनाएं भी शामिल हैं), उसके संदर्भ में मापी जाएगी। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, वापस किये जाने वाले उत्पादों के बारे में प्रत्याशाओं के परिवर्तनों से उत्पन्न आस्ति के माप का प्रतिष्ठान अद्यतन करेगा। प्रतिष्ठान आस्ति को वापसी दायित्व से अलग प्रस्तुत करेगा।
- ख26 इस मानक के प्रयोग के उद्देश्य के लिए ग्राहकों द्वारा एक ही किस्म, गुणवत्ता, स्थिति और एक ही कीमत के एक उत्पाद के बदले दूसरे उत्पाद की अदला-बदली (जैसे कि, एक ही रंग या आकार के उत्पाद की अदला-बदली) वापसियों के रूप में नहीं मानी जाती है।
- ख27 ऐसे अनुबंध जिनमें एक ग्राहक एक दोषयुक्त उत्पाद के बदले एक कार्यशील (दोषरहित) उत्पाद की अदला-बदली के रूप में वापसी कर सकता है तो ऐसी स्थिति में वे अनुबंध अनुच्छेद ख28-ख33 में वारंटियों विषयक दिशा-निर्देश के अनुसरण में मूल्यांकित किये जाएंगे।

वारंटियां

- ख28 एक प्रतिष्ठान के लिए यह एक सामान्य बात है कि वह (अनुबंध, कानून या प्रतिष्ठान की व्यवसायिक प्रथाओं के अनुसार), उत्पाद (उत्पाद या सेवा) की बिक्री के संबंध में कोई वारंटी दे। वारंटियों की प्रकृति में उद्योगों और अनुबंधों के कारण बहुत अन्तर हो सकता है। कुछ वारंटियां ग्राहक को इस बात का आश्वासन देती हैं कि संबंधित उत्पाद वैसे ही कार्य करेगा जैसेकि दोनों पक्षों का आशय है, क्योंकि यह सहमत विशेषताओं के अनुसार है। अन्य अनुबंध उत्पाद की सहमत विशेषताओं की पूर्ति के साथ ग्राहक को अतिरिक्त सेवा भी देते हैं।
- ख29 यदि ग्राहक के पास वारंटी अलग से खरीदने का विकल्प है (उदाहरणतया, क्योंकि वारंटी अलग से कीमतशुदा या मोल भाव वाली है) तो वारंटी एक अलग सेवा है क्योंकि प्रतिष्ठान इसमें ग्राहक को उत्पाद के अतिरिक्त सेवा देने का वचन देता है जिसकी अनुबंध में कार्यशीलता का वर्णन होता है। इन परिस्थितियों में, एक प्रतिष्ठान वचनबद्ध वारंटी का अनुच्छेद 22-30 के अनुसरण में एक कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में लेखा करेगा और अनुच्छेद 73-86 के अनुसार लेन-देन कीमत का एक भाग उस कार्य निष्पादन बाध्यता को आवंटित करेगा।
- ख30 यदि ग्राहक को अलग से वारंटी की खरीद का विकल्प नहीं है, तो प्रतिष्ठान उस वारंटी का लेखा भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान आकस्मिक दायित्वों एवं आकस्मिक आस्तियों*, के अनुसरण में करेगा, यदि वचनबद्ध वारंटी या वचनबद्ध वारंटी का एक भाग ग्राहक को इस आश्वासन कि उत्पाद सहमत विशेषताओं के अनुसार है, के अतिरिक्त सेवा नहीं देता है।
- ख31 यह निश्चित करने के लिए कि क्या वारंटी ग्राहक को आश्वासन कि उत्पाद सहमत विशेषताओं के अनुसार है, के अतिरिक्त सेवा देती है, प्रतिष्ठान निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:
- (क) क्या कानून वारंटी देना जरूरी है- यदि कानून अंतर्गत प्रतिष्ठान के लिए वारंटी देना जरूरी है, उस कानून की मौजूदगी इस बात का उल्लेख करती है कि वचनशुदा वारंटी एक कार्य निष्पादन बाध्यता नहीं है क्योंकि इस प्रकार की अपेक्षाएं सामान्यताया ग्राहक को दोषपूर्ण उत्पादों की खरीद के जोखिम से बचाती हैं।
 - (ख) वारंटी कवरेज अवधि कब तक है- कवरेज अवधि जितनी ज्यादा होगी, इस बात की संभावना उतनी ज्यादा होगी कि वचनबद्ध वारंटी एक कार्य निष्पादन बाध्यता है क्योंकि यह अति संभावित है कि वह इस आश्वासन कि उत्पादन सहमत विशेषताओं के अनुसार है, अलावा अतिरिक्त सेवा भी देगी।
 - (ग) उन कार्यों की प्रकृति जिन्हें प्रतिष्ठान पूरा करने का वचन देता है- यदि एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक है कि वह उन विशिष्ट कार्यों को पूरा करे ताकि वह यह आश्वासन दे सके कि उत्पाद सहमत सभी विशेषताओं को पूरा करता है। (जैसेकि, दोषपूर्ण उत्पाद की वापसी शिपिंग सेवा), तो यह संभावित है कि वे कार्य निष्पादन बाध्यता का सृजन नहीं करते।

ख32 यदि एक वारंटी, या वारंटी का एक भाग, ग्राहक को इस आश्वासन कि उत्पाद सहमत विशेषताओं अनुसार हैं, के अतिरिक्त एक सेवा देता है तो वचनशुदा सेवा एक कार्य-निष्पादन बाध्यता है। अतः प्रतिष्ठान उत्पाद और सेवा के लिए लेन-देन की कीमत आवंटित करेगा। यदि एक प्रतिष्ठान आश्वासन किस्म की वारंटी और सेवा किस्म की वारंटी दोनों का वचन देता है लेकिन दोनों का लेखा तर्कसंगत रूप से अलग-अलग नहीं कर सकता हो तो प्रतिष्ठान दोनों वारंटियों का लेखा एक साथ एकल कार्य निष्पादन बाध्यता के रूप में कर सकता है।

ख33 एक कानून जो प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि यदि उसके उत्पादों से कोई नुकसान होता है या कोई क्षति होती है तो वह इसकी प्रतिपूर्ति करे, इससे कार्य निष्पादन बाध्यता का सृजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक उत्पादनकर्ता कानून के उस दायरे में वस्तुएं बेच रहा हो सकता है जहां कि वो उत्पादनकर्ता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार हो (उदाहरणतया, स्वयं की संपत्ति) जो कि एक ग्राहक द्वारा उस वस्तु का इस्तेमाल करने से हो सकती है। इसी तरह, एक प्रतिष्ठान के द्वारा दिया गया वो वचन जो कि एक ग्राहक को संरक्षण देता है उन दायित्वों व नुकसानों से जो कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क (व्यापार चिन्ह) या और कोई आतिलंघन से उत्पन्न होता है तो वह कार्य-निष्पादन बाध्यता नहीं मानी जाएगी। इस तरह की बाध्यताओं को एक प्रतिष्ठान इंड ए एस 37 के अनुसार मान्यता देगा।

मुख्य प्रतिष्ठान बनाम प्रतिनिधि (एजेंट) के प्रतिफल

ख34 जब एक ग्राहक को वस्तुएं या सेवाएं देने के लिए कोई और पार्टी (पक्ष) शामिल होता है, प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि उसके द्वारा दिये गये वचन की प्रकृति किन्हीं निश्चित वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने के लिए कार्य-निष्पादन बाध्यता के अन्तर्गत आती है। (जब प्रतिष्ठान मुख्य पार्टी (पक्ष) हो) या वह उन्हें देने के लिए किसी दूसरी पार्टी (पक्ष) (जब प्रतिष्ठान एक प्रतिनिधि (एजेंट) हो) की व्यवस्था करता है।

ख35 एक प्रतिष्ठान तब मुख्य पार्टी (पक्ष) होता है जब वह ग्राहक को वचनशुदा वस्तु या सेवा का अंतरण करने से पूर्व उसका नियंत्रण अपने पास रखता है। लेकिन, वह उस स्थिति में मुख्य पार्टी (पक्ष) नहीं होता जब ग्राहक को एक उत्पाद का शीर्षक अंतरित करने से पूर्व केवल क्षणिक रूप से वह कानूनी शीर्षक रखता है। एक प्रतिष्ठान जो अनुबंध में एक मुख्य पार्टी (पक्ष) है एक कार्य-निष्पादन बाध्यता का निर्वहन स्वयं कर सकता है या, कुछ या सभी बाध्यताओं के निर्वहन के लिए अपनी ओर से किसी दूसरी पार्टी (पक्ष) (जैसेकि एक उप अनुबंधकर्ता) को शामिल कर सकता है। जब प्रतिष्ठान मुख्य पार्टी (पक्ष) के नाते कार्य-निष्पादन दायित्व का निर्वहन करता है तो वह प्रतिफल की उस सकल राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देता है जिसके लिए वह अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय में हक के रूप में आशा करता है।

ख36 एक प्रतिष्ठान तब एक प्रतिनिधि (एजेंट) के रूप में पार्टी (पक्ष) होता है जब प्रतिष्ठान की कार्य निष्पादन बाध्यता वस्तुओं या सेवाओं की देनदारी की व्यवस्था किसी अन्य पार्टी (पक्ष) द्वारा करवाना है। प्रतिनिधि (एजेंट) के रूप में प्रतिष्ठान जब कार्य-निष्पादन बाध्यता का निर्वहन करता है तो वह राजस्व की राशि को फीस या कमीशन के रूप में मान्यता देता है जिसे वह किसी दूसरी पार्टी (पक्ष) की ओर से वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने के बदले हक के रूप में पाने की आशा करता है। प्रतिष्ठान की फीस या कमीशन की राशि उस प्रतिफल का निवल हो सकती है जो प्रतिष्ठान द्वारा दी गयी वस्तुओं या सेवाओं के बदले प्रतिफल के रूप में अन्य पार्टी (पक्ष) को देता है।

ख37 एक प्रतिष्ठान एक प्रतिनिधि (एजेंट) हैं (और इस तरह वह ग्राहक को वस्तु या सेवा देने से पूर्व इस पर कोई नियंत्रण नहीं रखता) इसके संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) कोई दूसरी पार्टी (पक्ष) मुख्य रूप से अनुबंध को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है;
- (ख) ग्राहक द्वारा वस्तुओं का आर्डर देने से पहले या बाद में शिपिंग या वापसी पर प्रतिष्ठान की कोई माल-सूची (इन्वेंट्री) जोखिम नहीं है;
- (ग) प्रतिष्ठान को अन्य पार्टी (पक्ष) की वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें संस्थापित करने का विवेकाधिकार नहीं है और इस तरह, इन वस्तुओं या सेवाओं से उसे मिलने वाला लाभ सीमित होता है;
- (घ) प्रतिष्ठान का प्रतिफल कमीशन के रूप में होता है; और
- (ङ) पार्टी (पक्ष) अन्य पार्टी (पक्ष) की वस्तुओं या सेवाओं के बदले ग्राहक से प्राप्य राशि के ऋण जोखिम के प्रति रू-ब-रू (एक्सपोज) नहीं होता है।

ख38 यदि कोई दूसरी पार्टी (पक्ष) अनुबंध में प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन बाध्यताओं और अनुबंधात्मक अधिकारों को ग्रहण करती है ताकि प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तु या सेवा के अंतरण के कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करने के लिए अब उत्तरदायी नहीं है (यानि प्रतिष्ठान अब मुख्य पार्टी (पक्ष) के रूप में कार्यरत नहीं है), प्रतिष्ठान उस कार्य निष्पादन के राजस्व को मान्यता नहीं देगा। इसकी बजाय, प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या वह अन्य पार्टी (पक्ष) के लिए प्राप्त अनुबंध के कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करने के लिए राजस्व को मान्यता दे (यानि कि क्या प्रतिष्ठान एक प्रतिनिधि (एजेंट) के रूप में कार्य कर रहा है या नहीं)।

अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहक के विकल्प

- ख39 ग्राहक के ये विकल्प कि वह अतिरिक्त वस्तुएं या सेवाएं निःशुल्क या छूट के साथ प्राप्त करेगा, कई प्रकार के होते हैं जैसेकि बिक्री प्रोत्साहन, ग्राहक अवार्ड क्रेडिट (या प्वाइंट), अनुबंध नवीकरण विकल्प या भावी वस्तुओं या सेवाओं पर अन्य प्रकार की छूट।
- ख40 यदि, एक अनुबंध में, एक प्रतिष्ठान ग्राहक को यह विकल्प देता है कि वह अतिरिक्त वस्तुएं या सेवाएं ग्रहण कर ले, तो वह विकल्प अनुबंध में कार्य निष्पादन बाध्यता का सृजन तभी करता है जब विकल्प ग्राहक को वह महत्वपूर्ण अधिकार देता है कि वह उन अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं को बिना अनुबंध किये नहीं ले पाता (उदाहरण के लिए, ऐसी छूट जो वृद्धिशील हो और छूटों की उस सीमा (रेंज) तक जो सामान्य तौर पर उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए उस भौगोलिक क्षेत्र या बाजार में उस श्रेणी के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है)। यदि विकल्प ग्राहक को महत्वपूर्ण अधिकार देता है, ग्राहक भावी वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्रतिष्ठान को वास्तव में अग्रिम रूप से भुगतान करता है और प्रतिष्ठान जब भावी वस्तुओं या सेवाओं का अंतरण करता है या जब विकल्प समाप्त हो जाता है और प्रतिष्ठान राजस्व को मान्यता देता है।
- ख41 यदि ग्राहक के पास एक ऐसी कीमत पर अतिरिक्त वस्तु या सेवा के अधिग्रहण का विकल्प है जो वस्तु या सेवा की स्वतंत्र बिक्री कीमत को प्रदर्शित करती है, वह विकल्प ग्राहक को महत्वपूर्ण अधिकार नहीं देता, चाहे विकल्प का प्रयोग केवल पिछले अनुबंध में ही किया जा सकता हो। ऐसे मामलों में प्रतिष्ठान ने एक ऐसी मार्किटिंग ऑफर की है जिसका इस मानक के अनुसार लेखा तभी करेगा जब ग्राहक अतिरिक्त वस्तुएं या सेवाएं खरीदने के विकल्प का प्रयोग करता है।
- ख42 अनुबंध 74 एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह सापेक्ष व स्वतंत्र बिक्री कीमत के आधार पर कार्य निष्पादन बाध्यताओं में लेन-देन की कीमत का आवंटन करे। यदि अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के ग्रहण करने के ग्राहक विकल्प की स्वतंत्र बिक्री कीमत दृष्टिगोचर न हो तो प्रतिष्ठान उसका अनुमान लगाएगा। यह अनुमान उस छूट को भी प्रदर्शित करेगा जो विकल्प के प्रयोग के दौरान ग्राहक को मिलेगी और उसमें निम्नलिखित दोनों बातें भी समायोजित होंगी:
- (क) ऐसी कोई छूट जो ग्राहक को तब भी उपलब्ध हो सकती यदि वह विकल्प का प्रयोग न भी करे; और
- (ख) ऐसी संभावना कि विकल्प का प्रयोग किया जाएगा।
- ख43 यदि एक ग्राहक के पास भावी वस्तुएं या सेवाएं ग्रहण करने का महत्वपूर्ण अधिकार है, और वे वस्तुएं या सेवाएं ठीक वैसी ही होंगी जैसी अनुबंध में मूल वस्तुएं या सेवाएं थी और इन भावी वस्तुओं या सेवाओं को मूल अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही दिया जाता है, तो प्रतिष्ठान स्वतंत्र बिक्री कीमत का अनुमान करने के लिए एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में वैकल्पिक वस्तुओं या सेवाओं में लेन-देन कीमत का आवंटन प्रत्याशित रूप से दी जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं और इसके तदनुषंगी प्रत्याशित प्रतिफल के संदर्भ में करे। सामान्यतया, इस प्रकार के विकल्प अनुबंधों के नवीकरण के मामलों में होते हैं।

ग्राहकों के प्रयोग न किये गये अधिकार

- ख44 अनुच्छेद 106 के अनुसरण में, ग्राहक से पूर्व भुगतान प्राप्त होने पर एक प्रतिष्ठान भविष्य में वस्तुओं या सेवाओं को अंतरित करने या अंतरित करने के लिए तैयार रहने के कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए पूर्व भुगतान की राशि में अनुबंध दायित्व को मान्यता देगा। एक प्रतिष्ठान उस अनुबंध दायित्व को तब अमान्य करेगा (और राजस्व को मान्यता देगा) जब वह उन वस्तुओं या सेवाओं को अंतरित करता है और, इस तरह, कार्य-निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है।
- ख45 एक ग्राहक का प्रतिष्ठान को गैर-वापसी योग्य पूर्व भुगतान ग्राहक को भविष्य में एक वस्तु या सेवा को प्राप्त करने का अधिकार देता है (और प्रतिष्ठान को बाध्य करता है कि वह उस वस्तु या सेवा को अंतरित करने के लिए तैयार रहे)। फिर भी, ग्राहक अपने सभी अनुबंधात्मक अधिकारों का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। इन प्रयोग न किये गये अधिकारों को प्रायः अनिर्वहन कहा जाता है।
- ख46 यदि एक प्रतिष्ठान एक अनुबंध दायित्व में अनिर्वहन राशि के हक की आशा करता है, प्रतिष्ठान प्रत्याशित अनिर्वहन राशि को ग्राहक द्वारा प्रयोग किये अधिकारों के पैटर्न के अनुपात में राजस्व के रूप में मान्यता देगा। यदि एक प्रतिष्ठान अनिर्वहन राशि के हक की आशा नहीं करता, प्रतिष्ठान अनिर्वहन राशि को राजस्व के रूप में तब मान्यता देगा जब ग्राहक के शेष अधिकारों के प्रयोग की संभावना कम हो जाए। यह निर्धारित करने के लिए कि प्रतिष्ठान क्या अनिर्वहन राशि के हक की आशा करता है, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 56-58 की परिवर्तनशील प्रतिफल के बाध्य प्राक्कलनों विषयक अपेक्षाओं पर विचार करेगा।
- ख47 एक प्रतिष्ठान प्राप्त उस प्रतिफल को दायित्व (न कि राजस्व) के रूप में मान्यता देगा जो कि ग्राहक के ऐसे प्रयोग न किये गये अधिकारों के कारण है जिनके लिए प्रतिष्ठान को प्रतिफल की वह राशि किसी दूसरे पक्ष (पार्टी) को भेजनी/देनी हो, उदाहरणस्वरूप, लागू दावा रहित सम्पत्ति कानूनों के अनुसरण में एक सरकारी प्रतिष्ठान।

गैर-वापसी योग्य अपफ्रंट फीस (अग्रिम शुल्क) (और कुछ संबंधित लागतें)

- ख48 कुछ अनुबंधों में, एक प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में या उसके आस पास ग्राहक से गैर-वापसीयोग्य अपफ्रंट फीस (अग्रिम शुल्क) वसूल करता है। जैसेकि, स्वास्थ्य क्लब सदस्यता अनुबंधों में प्रवेश शुल्क, दूरसंचार अनुबंधों में सक्रियता शुल्क, कुछ सेवा अनुबंधों में प्रारंभ शुल्क और कुछ आपूर्ति अनुबंधों में प्रारंभिक शुल्क।

ख49 ऐसे अनुबंधों में कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पहचान के लिए, एक प्रतिष्ठान यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या फीस (शुल्क) वचनशुदा वस्तु या सेवा के अंतरण से संबंधित है। बहुत से मामलों में, हालांकि एक गैर-वापसी योग्य अपफ्रंट फीस (अग्रिम शुल्क) एक ऐसी गतिविधि से संबंधित होती है जिसे प्रतिष्ठान को अनुबंध के प्रारंभ या इसके आसपास अनुबंध को पूरा करने के लिए करना अपेक्षित होता है, वह गतिविधि वचनशुदा वस्तु या सेवा ग्राहक को अंतरित करने के लिए परिणत नहीं होती (देखिए अनुच्छेद 25)। इसकी बजाय, अपफ्रंट फीस (अग्रिम शुल्क) भावी वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक अग्रिम भुगतान होता है, इसलिए, जब ये वस्तुएं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं तब उन्हें राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। राजस्व मान्यता अवधि उस स्थिति में प्रारंभिक अनुबंधात्मक अवधि से आगे बढ़ जाएगी जब प्रतिष्ठान ग्राहक को अनुबंध को नवीकृत करने का विकल्प दे देता है और तब वह विकल्प ग्राहक का अनुच्छेद ख40 में यथावर्णित महत्वपूर्ण अधिकार देता है।

ख50 यदि गैर वापसीयोग्य अपफ्रंट फीस (अग्रिम शुल्क) एक वस्तु या सेवा से संबंधित है, तो प्रतिष्ठान यह मूल्यांकन करेगा कि वस्तु या सेवा का लेखा अनुच्छेद 22-30 के अनुसार क्या एक अलग कार्य निष्पादन बाध्यता होगा।

ख51 एक प्रतिष्ठान अनुबंध को प्रारंभ करने के लिए खर्च की गयी लागत (या अनुच्छेद 25 में उल्लिखित अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए) की प्रतिपूर्ति के रूप में गैर वापसी योग्य शुल्क फीस को आंशिक रूप से वसूल कर सकता है। यदि वे प्रारंभिक गतिविधियां एक कार्य-निष्पादन बाध्यता को पूरा नहीं करती, तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख19 के अनुसार प्रगति का माप करते समय उन गतिविधियों (और उनसे संबंधित लागतों) को नजरअंदाज करेगा। यह इसलिए है क्योंकि प्रारंभ करने की गतिविधियां ग्राहक को सेवाओं का अंतरण प्रदर्शित नहीं करती। प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या अनुबंध को प्रारंभ करने के लिए खर्च की गयी लागतें एक अस्तित्व के रूप में परिणत होती हैं जो कि अनुच्छेद 95 के अनुसार मान्य होगी।

लाइसेंस

ख52 एक लाइसेंस एक प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के लिए ग्राहक के अधिकारों को संस्थापित करता है। बौद्धिक संपत्ति के लाइसेंस में निम्नलिखित शामिल हैं किंतु किसी एक तक की सीमित नहीं हैं :

- (क) सॉफ्टवेयर व प्रौद्योगिकी;
- (ख) चलचित्र, संगीत और मीडिया व मनोरंजन के अन्य स्वरूप;
- (ग) फ्रेंचाइस; और
- (घ) पेटेंट, ट्रेडमार्क व कॉपीराइट।

ख53 एक ग्राहक को लाइसेंस देने के वचन के अलावा, प्रतिष्ठान उसे (ग्राहक को) अन्य वस्तुएं या सेवाएं अंतरित करने का भी वचन दे सकता है। ये वचन अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो सकते हैं या फिर प्रतिष्ठान की प्रथागत व्यवहारिक व्यवहारों, प्रकाशित नीतियों या विशिष्ट कथनों द्वारा अन्तर्विष्ट हो सकते हैं (देखें अनुच्छेद 24)। जैसे कि अन्य प्रकार के अनुबंधों के साथ होता है, ग्राहकों के साथ जब एक अनुबंध यह वचन सम्मिलित करता है कि वस्तुओं या सेवाओं के साथ-साथ लाइसेंस भी दिया जाएगा, एक प्रतिष्ठान अनुबंध में प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता की पहचान के लिए अनुच्छेद 22-30 का प्रयोग करता है।

ख54 यदि अनुच्छेद 26-30 के अनुसार अनुबंध में लाइसेंस देने का वचन अन्य वस्तुओं या सेवाओं से अलग नहीं है तो प्रतिष्ठान लाइसेंस देने और वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने के वचन का लेखा एक ही कार्य निष्पादन बाध्यता के रूप में करेगा। अनुबंध में लाइसेंसों के उदाहरण जो वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं से अलग नहीं हैं, में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (क) एक लाइसेंस जो मूर्त वस्तु का घटक है और जो उस वस्तु की कार्यशीलता का अभिन्न भाग है; और
- (ख) एक लाइसेंस जो कि ग्राहक को किसी दूसरी संबंधित सेवा के साथ ही लाभान्वित हो सकता है (जैसे कि प्रतिष्ठान द्वारा दिये गये लाइसेंस द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन सेवा जो ग्राहक को विषय-वस्तु तक पहुंच प्रदान करती है)।

ख55 यदि लाइसेंस अलग से नहीं है, तब एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 31-38 का प्रयोग करेगा कि क्या कार्य निष्पादन बाध्यता (जिसके अन्तर्गत वचनबद्ध लाइसेंस सम्मिलित है) एक ऐसा कार्य निष्पादन बाध्यता है जो या तो एक समय के दौरान पूरे किये जाते हैं या फिर एक समय पर।

ख56 यदि लाइसेंस देने का वचन अनुबंध में अन्य वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं से भिन्न (अलग) है और इस तरह लाइसेंस देने का वचन एक अलग कार्य निष्पादन बाध्यता है, एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि ग्राहक लाइसेंस अंतरण एक समय के दौरान करेगा या कि एक समय पर। इस प्रकार के निर्धारण में, प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि ग्राहक को लाइसेंस देने के उसके वचन की प्रकृति ग्राहक को निम्नलिखित में से एक देने की है:

- (क) प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति तक पहुंच जो लाइसेंस की कुल अवधि तक रहती है; या
- (ख) प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार जो उस समय तक रहता जिस समय पर लाइसेंस दिया गया है।

प्रतिष्ठान के वचन की प्रकृति निर्धारित करना

- ख57 यह निर्धारित करना कि क्या प्रतिष्ठान का लाइसेंस देने का वचन ग्राहक को प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति तक पहुंच का या प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार देता है, प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि क्या ग्राहक लाइसेंस जिस समय पर दिया गया है, उस समय पर वह लाइसेंस के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है और लाइसेंस द्वारा प्रदत्त शेष सभी लाभों को अधिकांश रूप से प्राप्त कर सकता है। यदि लाइसेंस अवधि के दौरान बौद्धिक सम्पत्ति, जिस पर ग्राहक का अधिकार है अवधि के दौरान परिवर्तित होती रहती है तो उस समय जब लाइसेंस दिया गया तब ग्राहक उसके प्रयोग के लिए न तो निर्देश दे सकता है और न ही शेष लाभों को अधिकांश रूप से प्राप्त कर सकता है। बौद्धिक सम्पत्ति उस समय परिवर्तित हो जाएगी (और इस तरह वह प्रतिष्ठान के इस निर्धारण को प्रभावित करेगा कि ग्राहक लाइसेंस को कब नियंत्रित करेगा) जब प्रतिष्ठान बौद्धिक सम्पत्ति में तो व्याप्त रहता है और वह ऐसी गतिविधियां करता है जो उस बौद्धिक सम्पत्ति को काफी हद तक प्रभावित करती है जिस पर ग्राहक का अधिकार है। इन मामलों में, लाइसेंस ग्राहक को प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति तक पहुंच का अधिकार देता है। (देखिए अनुच्छेद ख58)। इसके विपरीत, यदि बौद्धिक सम्पत्ति, जिस पर ग्राहक का अधिकार है, परिवर्तित नहीं होती तो ग्राहक उस समय जब लाइसेंस दिया गया है उसे प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है और उसके शेष लाभों को काफी हद तक प्राप्त कर सकता है (देखिए अनुच्छेद ख61)। ऐसे मामलों में, प्रतिष्ठान द्वारा की गयी कोई भी गतिविधि केवल उसकी सम्पत्ति (यानि कि उस विशेष बौद्धिक सम्पत्ति) को ही परिवर्तित करती है जो कि यह प्रतिष्ठान द्वारा भविष्य में लाइसेंस देने की योग्यता को प्रभावित करती है, लेकिन, इससे इस निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि क्या लाइसेंस देता है या क्या ग्राहक नियंत्रित करता है।
- ख58 प्रतिष्ठान द्वारा लाइसेंस देने के वचन की प्रकृति एक ऐसा वचन है जो प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति तक पहुंच का अधिकार देता है यदि निम्नलिखित सारे मानदंड पूरे होते हैं:
- (क) अनुबंध की अपेक्षा है या ग्राहक तर्कसंगत रूप से आशा करता है कि प्रतिष्ठान ऐसी गतिविधियां करेगा जो उस बौद्धिक सम्पत्ति को काफी हद तक प्रभावित करेगा जिस पर ग्राहक का अधिकार है (देखें अनुच्छेद ख59);
- (ख) लाइसेंस द्वारा दिये गये अधिकार प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक को किन्हीं अनुच्छेद ख58(क) में पता लगायी गयी प्रतिष्ठान की गतिविधियों के सकारात्मक या नकारात्मक या प्रभावों से रू-ब-रू (एक्सपोज) करवाते हैं; और
- (ग) वे गतिविधियां जब होती हैं तो वे एक वस्तु या सेवा को अंतरित करने में परिणत नहीं होती हैं।
- ख59 कारकों में जो ये संकेत करते हैं कि एक ग्राहक तर्कसंगत रूप से यह आशा करता है कि एक प्रतिष्ठान वे गतिविधियां करेगा जो बौद्धिक सम्पत्ति को काफी हद तक प्रभावित करती है, उन गतिविधियों में प्रतिष्ठान की प्रथागत व्यावसायिक व्यवहार, प्रकाशित नीतियां या विशिष्ट कथन सम्मिलित हैं। हालांकि यह निर्धारक नहीं है, प्रतिष्ठान और उस ग्राहक के बीच विभक्त आर्थिक हित की विद्यमान (उदाहरणस्वरूप, बिक्री-आधारित रॉयल्टी) जो बौद्धिक सम्पत्ति से संबंधित है और उस पर ग्राहक का अधिकार है, इससे यह संकेत मिल सकता है कि ग्राहक तर्कसंगत आधार पर यह आशा करता है कि प्रतिष्ठान ऐसी गतिविधियां करेगा।
- ख60 यदि ख 58 में दिये गये मानदंड पूरे हो जाते हैं, तो प्रतिष्ठान लाइसेंस देने के वचन का लेखा इस तरह से करेगा जैसेकि कार्य निष्पादन बाध्यता एक समय के दौरान पूरी होती है क्योंकि ग्राहक प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति की पहुंच के कार्य निष्पादन के लाभ जैसे-जैसे कार्य निष्पादन होता है वैसे-वैसे ही उसे प्राप्त व उपभोग एक साथ करेगा। (देखें अनुच्छेद 35(क))। एक प्रतिष्ठान पहुंच के लिए कार्य-निष्पादन बाध्यता के पूर्ण निर्वहन की प्रगति को मापने के लिए उपयुक्त विधि के चयन के लिए अनुच्छेद 39-45 का प्रयोग करेगा।
- ख61 यदि अनुच्छेद ख 58 के मानदंड पूरे नहीं होते हैं, तो प्रतिष्ठान के वचन की प्रकृति प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति को प्रयोग करने का अधिकार देने की होती है जैसे कि वह बौद्धिक सम्पत्ति (स्वरूप व कार्यशीलता के संदर्भ में) लाइसेंस देने के समय अस्तित्व में होती है। इसका अर्थ यह है कि ग्राहक को जब लाइसेंस का अंतरण होता है उस समय लाइसेंस के प्रयोग का निर्देश और उससे प्राप्य शेष लाभ के अधिकांश भाग को प्राप्त कर सकता है। प्रतिष्ठान एक समय पर कार्य निष्पादन के निर्वहन के रूप में प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग के अधिकार के वचन का लेखा करेगा। प्रतिष्ठान अनुच्छेद 38 का प्रयोग उस समय के निर्धारण के लिए करेगा, जिस पर ग्राहक को लाइसेंस अंतरित होता है। लेकिन उस लाइसेंस के लिए राजस्व को मान्यता नहीं दी जा सकती जो प्रतिष्ठान को बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार उस अवधि के प्रारंभ से पहले देता है जिसके दौरान ग्राहक लाइसेंस का प्रयोग कर पाता है और लाभ ले पाता है। उदाहरणस्वरूप, यदि एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस की अवधि उस तिथि से पूर्व प्रारंभ होती है जिस पर प्रतिष्ठान ग्राहक को कोड देता है (या अन्यथा उपलब्ध करवाता है) ताकि ग्राहक उसका तत्काल प्रयोग कर सके, प्रतिष्ठान राजस्व को मान्यता कोड देने (या अन्यथा उपलब्ध करवाने) से पूर्व नहीं देगा।
- ख62 प्रतिष्ठान निम्नलिखित को तब नजरअंदाज करेगा जब वह यह निर्धारित करेगा कि क्या लाइसेंस प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति तक पहुंच का या प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार देता है :

- (क) समय के प्रतिबंध, भौगोलिक क्षेत्र या प्रयोग वह प्रतिबंध वचनशुदा लाइसेंस के कारणों को परिभाषित करते हैं, बजाय यह परिभाषित करने कि क्या प्रतिष्ठान कार्य-निष्पादन दायित्व को एक समय पर पूरा करता है या एक समय के दौरान पूरा करता है।
- (ख) वे गारंटियां कि इसके पास बौद्धिक सम्पत्ति का वैध पेटेंट है और वह इस पेटेंट के अप्राधिकृत प्रयोग को रोकेंगे - एक वचन जो पेटेंट को अप्राधिकृत प्रयोग से रोकता है, यह कार्य निष्पादन दायित्व नहीं है क्योंकि पेटेंट की रक्षात्मक कार्यवाही प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के मूल्य की रक्षा करता है और इस बात का ग्राहक को आश्वासन देती है कि अंतरित लाइसेंस अनुबंध में दिये गये लाइसेंस की विशिष्टताओं को पूरा करता है।

बिक्री आधारित या प्रयोग आधारित रॉयल्टियां

ख63 अनुच्छेद 56-59 की अपेक्षाओं के बावजूद, एक प्रतिष्ठान बौद्धिक सम्पत्ति के लाइसेंस के बदले बिक्री-आधारित या प्रयोग आधारित वचनबद्ध रॉयल्टी के राजस्व को मान्यता केवल तब देगा जब निम्नलिखित में से जो भी घटना बाद में होगी:

- (क) बाद में बिक्री या प्रयोग का होना; और
- (ख) वह कार्य निष्पादन बाध्यता जिसके लिए कुछ या समस्त बिक्री आधारित या प्रयोग आधारित रॉयल्टी का आवंटन किया गया है और वह दायित्व पूरा हो गया है (या अंशतः पूरा हुआ है)।

पुनर्खरीद करार (अग्रीमेन्ट्स)

ख64 एक पुनर्खरीद करार वह अनुबंध है जिसमें एक प्रतिष्ठान एक आस्ति को बेचता है और यह वचन भी देता है या वह विकल्प रखता है (उसी अनुबंध में या किसी अन्य अनुबंध में) कि उस आस्ति को पुनः खरीद सकता है। पुनः खरीदी गयी आस्ति वह आस्ति हो सकती है जो मूल रूप से ग्राहक को बेची गयी थी, वह आस्ति जो काफी हद तक उस आस्ति जैसी है या फिर कोई और आस्ति जिसका मूल रूप से बेची गयी आस्ति एक घटक है।

ख65 पुनर्खरीद करार सामान्यतया तीन प्रकार के होते हैं:

- (क) एक प्रतिष्ठान का दायित्व कि वह आस्ति को पुनः खरीद लेगा (एक वायदा);
- (ख) एक प्रतिष्ठान का अधिकार कि वह आस्ति को पुनः खरीदेगा (एक कॉल ऑप्शन);
- (ग) एक प्रतिष्ठान का ऐसा दायित्व कि वह ग्राहक के अनुरोध पर आस्ति की पुनर्खरीद करेगा (एक पुट ऑप्शन)।

एक वायदा (फार्वर्ड) या एक कॉल ऑप्शन

ख66 यदि प्रतिष्ठान के पास आस्ति को पुनः खरीदने का दायित्व या अधिकार है (वायदा (फार्वर्ड) या कॉल ऑप्शन विकल्प), ग्राहक वस्तु का नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि भले ही ग्राहक के पास आस्ति का भौतिक कब्जा है फिर भी वह वस्तु को प्रयोग करने के निर्देश देने की और उससे प्राप्य शेष लाभों के अधिकांश भाग को प्राप्त करने की सीमित योग्यता रखता है। परिणामस्वरूप, प्रतिष्ठान अनुबंध का लेखा निम्नलिखित में से किसी एक ढंग से करेगा:

- (क) भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे, के अनुसरण में एक पट्टा, यदि प्रतिष्ठान आस्ति को उस राशि पर खरीद सकता है या अवश्य खरीदेगा जो कि आस्ति की मूल बिक्री कीमत से कम है; अथवा
- (ख) अनुच्छेद ख68 के अनुसरण में वित्तपोषण प्रबंध यदि प्रतिष्ठान आस्ति को उस राशि पर खरीद सकता है या अवश्य खरीदेगा जो आस्ति की मूल बिक्री कीमत के समान है या अधिक है।

ख67 पुनर्खरीद कीमत को बिक्री कीमत के साथ तुलन करते समय, प्रतिष्ठान धन के समय मूल्य पर विचार करेगा।

ख68 यदि पुनर्खरीद करार एक वित्तपोषण प्रबंध है, तो प्रतिष्ठान ग्राहक से प्राप्त किसी भी प्रतिफल के लिए आस्ति को मान्यता और वित्तीय दायित्व को मान्यता देना जारी रखेगा। प्रतिष्ठान उन दोनों राशियों के अन्तर को यदि उपयुक्त हो, प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) या धारण लागतों के रूप में मान्यता देगा जो उसने ग्राहक से प्रतिफल के रूप में प्राप्त की है और ग्राहक को ब्याज के रूप में दी है (जैसे कि, बीमा)।

ख69 यदि विकल्प प्रयोग किये बिना समाप्त हो जाता है तो प्रतिष्ठान दायित्व को अमान्य करेगा और राजस्व को मान्यता देगा।

एक पुट ऑप्शन

ख70 यदि एक प्रतिष्ठान के पास ग्राहक के अनुरोध पर आस्ति की पुनर्खरीद का दायित्व है (एक पुट ऑप्शन), जो आस्ति की मूल बिक्री-कीमत से कम कीमत पर है तो प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में इस बात पर विचार करेगा कि क्या ग्राहक को उस अधिकार को प्रयुक्त करने का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन है। ग्राहक द्वारा उस अधिकार का प्रयोग इस रूप में परिणत होता है कि ग्राहक एक समय की अवधि के लिए एक विशिष्ट आस्ति के प्रयोग के अधिकार के लिए प्रतिष्ठान को प्रतिफल का भुगतान प्रभावी रूप से करता है।

- अतः, यदि ग्राहक के पास अधिकार के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन है तो प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसरण में करार का लेखा एक पट्टे (लीज) के रूप में करेगा।
- ख71 यह निर्धारित करने के लिए कि ग्राहक के पास अधिकार के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन है, एक प्रतिष्ठान अनेक कारकों पर विचार करेगा जिनमें पुर्नखरीद की तिथि पर आस्ति के प्रत्याशित बाजार मूल्य के साथ पुर्नखरीद मूल्य का संबंध और अधिकार के समाप्त होने तक का समय सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, यदि पुर्नखरीद कीमत आस्ति के बाजार मूल्य से काफी हद तक बढ़ जाती है, तो इससे यह पता चलता है कि ग्राहक को उस पुट ऑप्शन के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन है।
- ख72 यदि ग्राहक को उस कीमत पर अपने अधिकार के प्रयोग का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है जो आस्ति की मूल बिक्री कीमत से कम है, तो प्रतिष्ठान करार का लेखा इस तरह से करेगा कि मानों अनुच्छेद ख 20-27 के अनुसार यह उत्पाद कि बिक्री है जिसमें वापसी का भी अधिकार है।
- ख73 यदि आस्ति की पुर्नखरीद कीमत मूल बिक्री कीमत के समान या इससे अधिक है और आस्ति के प्रत्याशित बाजार मूल्य से अधिक है, तो यह अनुबंध एक वित्त पोषण प्रबंध है और तब इसका लेखा अनुच्छेद ख 68 के अनुसार किया जाएगा।
- ख74 यदि आस्ति की पुर्नखरीद कीमत मूल बिक्री कीमत के समान या उससे अधिक है और आस्ति के प्रत्याशित बाजार मूल्य से कम या उसके समान है, और ग्राहक को अपने अधिकार के प्रयोग पर कोई महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन भी नहीं है तो प्रतिष्ठान करार का लेखा इस प्रकार करेगा मानो यह अनुच्छेद ख 20-ख 27 के अनुसार उत्पाद की बिक्री है जिसमें वापसी का अधिकार भी है।
- ख75 पुर्नखरीद कीमत और बिक्री कीमत की तुलना करते समय, प्रतिष्ठान धन के समय मूल्य पर विचार करेगा।
- ख76 यदि विकल्प बिना प्रयोग के समाप्त कालातीत हो जाता है तो प्रतिष्ठान दायित्व को अमान्य करेगा जबकि राजस्व को मान्यता देगा।
- प्रेषण (कन्साइन्मेन्ट) व्यवस्था**
- ख77 जब एक प्रतिष्ठान उत्पाद किसी दूसरे पक्ष (पार्टी) (जैसेकि एक व्यापारी या वितरक) को सुपुर्द करता है जो आगे ग्राहकों को बेचेगी, प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या उस दूसरी पार्टी (व्यापारी या वितरक) ने उस समय पर उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। दूसरे पक्ष (पार्टी) के सुपुर्द उत्पाद प्रेषण व्यवस्था के अन्तर्गत धारित होंगे यदि उस पक्ष (पार्टी) ने उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त नहीं किया है। इस तरह से, एक प्रतिष्ठान के दूसरे पक्ष (पार्टी) को उत्पाद सुपुर्द करने पर राजस्व को मान्यता नहीं दी जाएगी यदि सुपुर्द उत्पाद प्रेषण प्रबंध के अन्तर्गत धारित है।
- ख78 कोई प्रबंध प्रेषण प्रबंध है के संकेतक इस प्रकार है, लेकिन वे इतने तक ही सीमित नहीं हैं:
- (क) प्रतिष्ठान एक निश्चित घटना के घटित होने तक उत्पाद पर अपना नियंत्रण रखता है, उदाहरण के रूप में व्यापारी के एक ग्राहक को उत्पाद की बिक्री या जब तक एक निश्चित अवधि समाप्त नहीं हो जाती;
 - (ख) प्रतिष्ठान उत्पाद की वापसी की अपेक्षा या तीसरी पक्ष (पार्टी) (जैसेकि कोई अन्य व्यापारी) को उत्पाद के अंतरित करवाने की योग्यता रखता है; और
 - (ग) व्यापारी के पास उत्पाद के भुगतान के लिए कोई ऐसी शर्त रहित बाध्यता नहीं है (हालांकि, ऐसा हो सकता है कि उसे राशि जमा करना आवश्यक हो)।
- बिल एवं धारण प्रबंध**
- ख79 बिल एवं धारण प्रबंध एक ऐसा अनुबंध होता है जिसके अन्तर्गत प्रतिष्ठान एक उत्पाद का बिल ग्राहक के नाम से तो काट देता है लेकिन उत्पाद का भौतिक कब्जा प्रतिष्ठान के पास ही रहता है तब तक जब तक वह भविष्य में एक समय पर ग्राहक को उस उत्पाद को अंतरित नहीं कर देता। उदाहरणस्वरूप, एक ग्राहक एक प्रतिष्ठान को यह अनुरोध कर सकता है कि वह इस प्रकार का अनुबंध कर ले क्योंकि या तो उसके पास उत्पाद को रखने का स्थान नहीं है, या फिर ग्राहक के उत्पादन कार्यक्रमों (शेड्यूल) में विलम्ब है।
- ख80 प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए कि कब उसने उत्पाद को अंतरित करने की अपनी कार्य-निष्पादन बाध्यता का निर्वहन किया है, कब ग्राहक उससे उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त करता है पर विचार करेगा (देखें अनुच्छेद 38)। कुछ अनुबंधों में, नियंत्रण उस समय अंतरित हो जाता है जब या तो उत्पाद ग्राहक के स्थान पर उसे सुपुर्द कर दिया जाता है या फिर जब उत्पाद जहाज से भेज दिया जाता है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि अनुबंध में इस बारे में क्या शर्तें दी गयी हैं (इन शर्तों में सुपुर्दगी व माल भेजने की शर्तें शामिल हैं)। हालांकि, कुछ अनुबंधों में भले ग्राहक उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है लेकिन उसका भौतिक कब्जा प्रतिष्ठान के पास ही रहता है। ऐसी स्थिति में, ग्राहक के पास यह योग्यता है कि वह उत्पाद के प्रयोग के लिए निर्देश और उत्पाद के सभी शेष लाभों को काफी हद तक प्राप्त कर सके भले वह यह निर्णय लेता है कि वह उत्पाद का भौतिक कब्जा लेने के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान उत्पाद का नियंत्रण नहीं करता है। इसकी बजाय, प्रतिष्ठान ग्राहक की आस्ति पर ग्राहक को कब्जा सेवाएं प्रदान करता है।
- ख81 अनुच्छेद 38 की अपेक्षाओं के प्रयोग के अलावा, बिल एवं धारण प्रबंध में ग्राहक द्वारा उत्पाद पर नियंत्रण लेने के लिए निम्नलिखित सभी शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए:

- (क) बिल एवं धारण प्रबंध का कारण अनिवार्यतया ठोस होना चाहिए (उदाहरण स्वरूप, ग्राहक ने प्रबंध के लिए निवेदन किया है);
- (ख) ग्राहक का कौन सा उत्पाद है यह अलग-से अवश्य पहचाना जाना चाहिए;
- (ग) ग्राहक को भौतिक अंतरण के लिए उत्पाद वर्तमान में पूरी तरह से तैयार होना चाहिए; और
- (घ) प्रतिष्ठान के पास उस उत्पाद को प्रयोग करने के लिए या इसे अन्य ग्राहक को देने की योग्यता न रखता हो।
- ख82 यदि प्रतिष्ठान बिल एवं धारण प्रबंध के आधार पर एक उत्पाद की बिक्री को मान्यता देता है, प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि क्या उसके पास अनुच्छेद 22-30 के अनुसार वे शेष कार्य निष्पादन बाध्यताएं हैं (उदाहरणार्थ, कब्जा रखने की सेवाओं के लिए) जिनके लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद 73-86 के अनुसार लेन-देन कीमत का एक भाग आवंटित करेगा।

ग्राहक की स्वीकृति

- ख83 अनुच्छेद 38 (ड.) के अनुसार, एक ग्राहक की एक आस्ति के लिए स्वीकृति यह संकेत देती है कि ग्राहक ने आस्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। ग्राहक की स्वीकृति की शर्तें ग्राहक को यह अनुमति देती हैं कि यदि वस्तु या सेवा सहमत विशेषताओं को पूरा नहीं करते तो वह (ग्राहक) या तो अनुबंध को रद्द कर दे या फिर प्रतिष्ठान से कहे कि वह वस्तु या सेवा को ठीक करने की कार्यवाही करे। एक प्रतिष्ठान ग्राहक द्वारा वस्तु या सेवा का नियंत्रण लेने के संबंध में जब मूल्यांकन करता है तो वह इस प्रकार की शर्तों पर विचार करेगा।
- ख84 एक प्रतिष्ठान यदि प्रत्यक्ष रूप से यह निर्धारित करता है कि वस्तु या सेवा के नियंत्रण का ग्राहक को अनुबंध में सहमत विशेषताओं के अनुसार अंतरण हो गया है, तो ग्राहक की स्वीकृति एक औपचारिक मात्र है और वह प्रतिष्ठान के इस निर्धारण को प्रभावित नहीं करती कि ग्राहक ने सेवा या वस्तु का नियंत्रण कब लिया है। उदाहरणस्वरूप, यदि ग्राहक की स्वीकृति की शर्त वस्तु के आकार और वजन पर आधारित है, प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या यह मानदंड ग्राहक की स्वीकृति की पुष्टि की प्राप्ति से पहले पूरा हो गया है या नहीं। इसी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं को इसी प्रकार के अनुबंधों के लिए प्रतिष्ठान के अनुभव के आधार पर यह साक्ष्य मिलता है कि ग्राहक को दी जाने वाली सेवा या वस्तु सहमत विशेषताओं के अनुसार है। यदि ग्राहक की स्वीकृति से पूर्व राजस्व को मान्यता दे दी जाती है तो भी प्रतिष्ठान अवश्य यह विचार करे कि क्या कोई कार्य निष्पादन दायित्व शेष तो नहीं रह गया है। (जैसेकि, उपकरण की स्थापना करना) और इस बात का भी मूल्यांकन करेगा कि उनका लेखा अलग से किया जाए या नहीं।
- ख85 लेकिन, यदि प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकता कि ग्राहक को दी जाने वाली वस्तु या सेवा अनुबंध की सहमत विशेषताओं के आधार पर है, तब प्रतिष्ठान इस निष्कर्ष पर कि ग्राहक ने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है उस समय तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि प्रतिष्ठान को ग्राहक की स्वीकृति नहीं मिल जाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्थिति में प्रतिष्ठान यह निर्धारित नहीं कर सकता कि ग्राहक वस्तु या सेवा के उपयोग के लिए कह सकता है और मूल रूप से उससे मिलने वाले शेष सभी लाभों को प्राप्त कर सकता है।
- ख86 यदि प्रतिष्ठान ग्राहक को उत्पाद जांच या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए देता है और ग्राहक जांच अवधि समाप्त होने तक किसी प्रतिफल के लिए वचनबद्ध नहीं है तब उत्पाद के नियंत्रण का ग्राहक को तब तक अंतरण नहीं होगा जब तक या तो ग्राहक उत्पाद की स्वीकृति न दे दे या फिर जांच अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

खंडित राजस्व का प्रकटन

- ख87 अनुच्छेद 114 प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों से राजस्व को उन विभिन्न श्रेणियों के अनुसार पृथक् (अलग-अलग) करें जो यह दर्शित करे कि कैसे राजस्व और नकदी प्रवाहों की प्रकृति, राशि, समय व अनिश्चितता आर्थिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप, प्रतिष्ठान का राजस्व इस प्रकटन के लिए किसी सीमा तक पृथक्कीकरण किया जाए यह उन तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो प्रतिष्ठान के ग्राहकों के साथ अनुबंधों से संबंधित है जो प्रतिष्ठान के ग्राहकों के साथ अनुबंधों से संबंधित है। कुछ प्रतिष्ठान राजस्व के पृथक्कीकरण (अलग-अलग करना) के लिए अनुच्छेद 114 में दिए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक से अधिक श्रेणियों का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि अन्य प्रतिष्ठान केवल एक ही श्रेणी का प्रयोग करके राजस्व के पृथक्कीकरण के उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।
- ख88 राजस्व के खंडन के पृथक्कीकरण के लिए एक श्रेणी (या श्रेणियों) के प्रकार के चयन में, एक प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि उसके राजस्व की सूचना अन्य प्रयोजनों के लिए किस प्रकार से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं:
- (क) वित्तीय विवरणों (जैसेकि अर्जन विज्ञापितियां, वार्षिक रिपोर्ट या निवेशक प्रस्तुतियां) से भिन्न प्रकटन;
- (ख) परिचालन खंडों का वित्तीय कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मुख्य परिचालन निर्णायक के द्वारा नियमित समीक्षित सूचना; और

- (ग) अनुच्छेद ख 88 (क) और (ख) के अनुसार सूचना से मिलती-जुलती अन्य प्रकार की सूचना, जिसे प्रतिष्ठान या वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता प्रतिष्ठान के वित्तीय कार्य निष्पादन के मूल्यांकन और संसाधन आवंटन निर्णय करने के लिए प्रयोग में लाते हैं।
- ख89 उन श्रेणियों के उदाहरण जो सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन ये इतने तक ही सीमित नहीं हैं:
- (क) वस्तु या सेवा की प्रकार (जैसेकि, प्रमुख उत्पाद श्रेणियाँ);
- (ख) भौगोलिक क्षेत्र (जैसे कि देश या क्षेत्र);
- (ग) बाजार या ग्राहक के प्रकार (जैसेकि, सरकारी और गैर-सरकारी ग्राहक);
- (घ) अनुबंध की प्रकार (जैसेकि, नियत कीमत और समय व सामग्री आधारित अनुबंध);
- (ङ) अनुबंध की अवधि (जैसेकि, अल्पावधि तथा दीर्घावधि अनुबंध);
- (च) वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण का समय (जैसेकि, समय पर ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण करने पर राजस्व और समय के दौरान अंतरण की गई वस्तुओं पर राजस्व); और
- (छ) बिक्री माध्यम (जैसे कि, ग्राहकों को सीधे बेची गयी वस्तुएं और मध्यस्थों द्वारा बेची गयी वस्तुएं)।

परिशिष्ट ग सेवा रियायत व्यवस्थाएं

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

- सार्वजनिक सेवाओं की मूलभूत संरचना, जैसे सड़कें, पुल, सुरंगें, जेल, अस्पताल, हवाई अड्डे, जल वितरण सुविधाएं, ऊर्जा आपूर्ति तथा दूरसंचार नेटवर्क को पारम्परिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निर्मित, परिचालित और इसका रखरखाव किया जाता है तथा उसे सार्वजनिक बजट विनियोजन के जरिये वित्त प्रदान किया गया है।
- हाल ही में, सरकार ने इस प्रकार की मूलभूत संरचना के विकास, वित्त पोषण, परिचालन तथा अनुरक्षण (रखरखाव) में निजी क्षेत्र की सहभागिता को आकर्षित करने के लिए अनुबंधात्मक सेवा व्यवस्था को प्रस्तुत किया है। मूलभूत संरचना पहले से ही विद्यमान हो सकती है अथवा उसे सेवा व्यवस्था की अवधि के दौरान निर्मित किया गया हो सकता है। इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अंदर की गई व्यवस्था विशिष्ट रूप से सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने अथवा सुधारने (उदाहरण के लिए, क्षमता में वृद्धि) के लिए प्रयुक्त मूलभूत संरचना का निर्माण करने के लिए तथा समय की विशिष्ट अवधि के लिए उस मूलभूत संरचना के परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान (एक परिचालक) को सम्मिलित करता है। परिचालक को व्यवस्था की अवधि में इसकी सेवा के लिए भुगतान किया जाता है। व्यवस्था का एक अनुबंध द्वारा संचालन होता है जो कार्य निष्पादन मानक, कीमत के समायोजन के लिए तंत्र तथा विवादों के निपटान के लिए पंचाट विवाद की व्यवस्था करता है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्रायः 'निर्माण - परिचालन-अंतरण', 'पुनर्वास-परिचालन-अंतरण' अथवा 'सार्वजनिक से निजी' सेवा रियायत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है।
- इस सेवा व्यवस्था की एक विशेषता के रूप में परिचालक द्वारा लिये गये बाध्यता की प्रकृति में सार्वजनिक सेवा है। सार्वजनिक नीति, निजी सेवा को परिचालित करने वाले पक्ष की पहचान पर विचार किये बिना जनता को प्रदान की जाने वाली मूलभूत संरचना से संबंधित सेवा है। सेवा-व्यवस्था अनुबंधात्मक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान की तरफ से परिचालक जनता को सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। अन्य सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :
 - जो पक्ष सेवा व्यवस्था प्रदान करता है (प्रदानकर्ता) वह एक सरकारी निकाय सहित एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान अथवा एक निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान भी हो सकता है जिसको सेवा के निर्वहन का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।
 - परिचालक मूलभूत संरचना तथा संबंधित सेवा के कम-से-कम कुछ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है तथा वह केवल सेवा प्रदानकर्ता की तरफ से मात्र एक प्रतिनिधि ही नहीं होता।
 - अनुबंध परिचालक द्वारा लगाये जाने वाली आरंभिक कीमत को निर्धारित करता है तथा सेवा व्यवस्था की अवधि के दौरान कीमत के पुनरीक्षण को भी विनियमित करता है।
 - परिचालक बिना किसी कमोवेश प्रतिफल पर व्यवस्था की अवधि के अंत में निर्दिष्ट स्थिति में प्रदानकर्ता का मूलभूत संरचना को सौंपने के लिए उत्तरदायी है, इस पर चाहे किसी भी पक्ष ने आरंभ में वित्त प्रदान किया था।

कार्यक्षेत्र

- यह परिशिष्ट 'सार्वजनिक-से-निजी' सेवा रियायत व्यवस्था के लिए परिचालकों द्वारा लेखांकन पर मार्गदर्शन देता है।
- यह परिशिष्ट 'सार्वजनिक-से-निजी' सेवा रियायत व्यवस्था पर लागू होता है, यदि:

- (क) प्रदानकर्ता नियंत्रित अथवा विनियमित करता है कि परिचालक को मूलभूत संरचना के साथ क्या-क्या सेवाएं प्रदान करनी हैं, किन्हें प्रदान करनी हैं तथा ये किस कीमत पर प्रदान की जाएंगी; तथा
- (ख) प्रदानकर्ता स्वामित्व, हितग्राही हकदारी अथवा अन्यथा के माध्यम से व्यवस्था की अवधि के अंत में मूलभूत संरचना में किसी उल्लेखनीय अवशिष्ट हित का नियंत्रण करता है।
6. इसकी समस्त उपयोगी जीवन (समस्त जीवन आस्तियां) के लिए 'सार्वजनिक -से-निजी' सेवा रियायत व्यवस्था में प्रयुक्त मूलभूत संरचना यदि इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 5(क) में शर्तें पूरी होती हैं तो इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है। इस परिशिष्ट के प्रयोग संबंधी मार्गदर्शन के अनुच्छेद प्रमा 1-प्रमा 8 इस निर्धारण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि क्या 'सार्वजनिक -से-निजी' रियायत व्यवस्था इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हैं तथा किस सीमा तक है।
7. यह परिशिष्ट निम्नलिखित दोनों पर लागू होता है:
- (क) मूलभूत संरचना जिसे परिचालक सेवा व्यवस्था के प्रयोजन के लिए निर्मित करता है अथवा तृतीय पक्ष से अधिग्रहीत करता है; तथा
- (ख) मौजूदा मूलभूत संरचना जिसे प्रदानकर्ता परिचालक को सेवा व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अनुमति देता है।
8. यह परिशिष्ट सेवा करार से पूर्व उस मूलभूत संरचना के लिए लेखा-प्रक्रिया विनिर्दिष्ट नहीं करता है जिसे सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर के रूप में धारित व मान्य किया गया है। भारतीय लेखा मानकों की अमान्यता की अपेक्षाएं (भारतीय लेखा मानक 16 में यथा निर्धारित) इस प्रकार की मूलभूत संरचना पर लागू होती हैं।
9. यह परिशिष्ट प्रदानकर्ता द्वारा लेखांकन को विनिर्दिष्ट नहीं करता है।
- मुद्दे**
10. यह परिशिष्ट सेवा रियायत व्यवस्था में बाध्यताओं तथा संबंधित अधिकारों की मान्यता तथा माप पर सामान्य सिद्धांत निर्धारित करता है। सेवा रियायत व्यवस्था के बारे में सूचना को प्रकट करने की अपेक्षाएं इस भारतीय लेखा मानक की परिशिष्ट घ में दी गयी हैं। इस परिशिष्ट में जिन मुद्दों का वर्णन किया गया है वे इस प्रकार हैं :
- (क) मूलभूत संरचना के ऊपर परिचालक के अधिकारों का व्यवहार;
- (ख) व्यवस्था प्रतिफल की मान्यता तथा माप;
- (ग) निर्माण अथवा उन्नयन सेवाएं;
- (घ) परिचालन सेवाएं;
- (ङ) उधार की लागतें;
- (च) एक वित्तीय आस्ति तथा एक अमूर्त आस्ति के परवर्ती लेखांकन का व्यवहार; तथा
- (छ) प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को प्रदान की जाने वाली मदें।

लेखा सिद्धांत

मूलभूत संरचना के ऊपर परिचालक के अधिकारों का व्यवहार

11. इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मूलभूत संरचना की परिचालक की सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के रूप में मान्यता नहीं दी जायगी क्योंकि अनुबंधात्मक सेवा व्यवस्था परिचालक को सार्वजनिक सेवा मूलभूत संरचना के उपयोग के नियंत्रण का अधिकार नहीं देता है। परिचालक के पास अनुबंध में निर्दिष्ट शर्त के अनुसार प्रदानकर्ता की तरफ से सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की अनुमति होती है।

व्यवस्था प्रतिफल की मान्यता तथा माप

12. इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अनुबंधात्मक व्यवस्था की शर्तों के अधीन, परिचालक एक सेवा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करता है। परिचालक सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त मूलभूत संरचना (निर्माण या उन्नयन सेवाएं) को निर्मित अथवा उन्नयन करता है तथा समय की विशिष्ट अवधि के लिए मूलभूत संरचना (परिचालन सेवाएं) को परिचालित करता है और उसका रखरखाव करता है।
13. परिचालक अपने द्वारा निष्पादित की गयी सेवा के लिए भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसरण में राजस्व की मान्यता तथा माप करेगा। प्रतिफल का स्वरूप इसके बाद के लेखांकन व्यवहार का निर्धारण करता है। वित्तीय आस्ति के रूप में तथा एक अमूर्त आस्ति के रूप में प्राप्त प्रतिफल के बाद के लेखे का विवरण इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 23-26 में दिया गया है।

निर्माण अथवा उन्नयन सेवाएं

14. परिचालक निर्माण अथवा उन्नयन सेवाओं को भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार लेखांकित करेगा।

प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को दिया जाने वाला प्रतिफल

15. यदि परिचालक निर्माण अथवा उन्नयन सेवाएं प्रदान करता है और इसके लिए वह प्रतिफल प्राप्त करता है अथवा उसे प्राप्य है तो इस प्रतिफल की मान्यता भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार की जायगी। प्रतिफल निम्नलिखित के अधिकार स्वरूप है:

(क) एक वित्तीय आस्ति; अथवा

(ख) अमूर्त आस्ति।

16. परिचालक वित्तीय आस्ति को एक सीमा तक ही मान्यता देगा जो इस निर्माण सेवा के लिए प्रदानकर्ता के निर्देश पर नकद अथवा एक अन्य वित्तीय आस्ति के रूप में प्राप्त करने का बिना शर्त अनुबंधात्मक अधिकार रखता है, प्रदानकर्ता के पास भुगतान को रोकने का बहुत कम, यदि कोई है, विवेकाधिकार है क्योंकि आमतौर पर करार कानून द्वारा बाध्यकारी है। परिचालक के पास नकद को प्राप्त करने का बिना शर्त का अधिकार है यदि प्रदानकर्ता अनुबंधात्मक रूप से परिचालक को (क) विशिष्ट अथवा निर्धारण योग्य राशि के भुगतान की गारंटी देता है; अथवा (ख) सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ता से प्राप्त राशि तथा विशिष्ट अथवा निर्धारण योग्य राशि के बीच यदि कोई कमी है, तो भी वह भुगतान करेगा, बेशक भुगतान परिचालक के लिए इस रूप में आकस्मिक है क्योंकि उसे मूलभूत संरचना की निर्दिष्ट गुणवत्ता अथवा कुशलता की अपेक्षाओं को पूरा करना है।
17. परिचालक अमूर्त आस्ति को इस सीमा तक मान्यता देगा कि उसे सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं से वसूलने का अधिकार (लाइसेंस) प्राप्त है। उपयोगकर्ताओं से नकद रूप से वसूलने का बिना शर्त अधिकार नहीं है क्योंकि राशियां उस सीमा तक ही आकस्मिक हैं जहां तक जनता सेवा का उपयोग करती है।

18. यदि परिचालक को आंशिक रूप से वित्तीय आस्ति के द्वारा तथा आंशिक रूप से अमूर्त आस्ति के द्वारा भुगतान किया जाता है, तो यह आवश्यक है कि परिचालक की प्रतिफल के प्रत्येक भाग का पृथक रूप से लेखांकन किया जाए। दोनों भागों के प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल को आरंभ में भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार मान्यता दी जायगी।

19. प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को दिये गये प्रतिफल की प्रकृति का निर्धारण अनुबंध की शर्तों तथा मौजूदा प्रासंगिक अनुबंध को कानून के संदर्भ द्वारा किया जायगा। प्रतिफल का स्वरूप परवर्ती लेखांकन व्यवहार का निर्धारण करता है, जैसा कि इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 23-26 में वर्णित है। तथापि, निर्माण या उन्नयन अवधि के समय दोनों प्रकार के प्रतिफलों की भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार अनुबंध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन सेवाएं

20. परिचालक भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार परिचालन सेवाओं का लेखा करेगा।

सेवा के एक विशिष्ट स्तर तक मूलभूत संरचना को रखने की अनुबंधात्मक बाध्यताएं

21. परिचालक की यह अनुबंधात्मक बाध्यता है कि वह एक लाइसेंस की उन शर्तों को अवश्य पूरा करे कि वह (क) सेवा को विशिष्ट स्तर तक रखने के लिए मूलभूत संरचना का रखरखाव करे अथवा (ख) सेवा व्यवस्था के अंत में प्रदानकर्ता को मूलभूत संरचना सौंपने से पूर्व निर्धारित स्थिति तक रखे। उन्नयन तत्व (देखिए इस परिशिष्ट का अनुच्छेद 14) को छोड़कर मूलभूत संरचना को बनाये रखने अथवा इसे पुनर्बहाल करने के अनुबंधात्मक बाध्यता भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार मान्य होंगे तथा मापे जायेंगे अर्थात् व्यय के सर्वोत्तम अनुमान पर जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता को निपटाने के लिए आवश्यक होगा।

परिचालक द्वारा खर्च की गयी उधार की लागतें

22. भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसरण में, व्यवस्था से संबंधित उधार की लागतों को उस अवधि के अन्त में एक व्यय के रूप में तब तक मान्यता दी जायगी जिसमें वह खर्च होती है जब तक कि परिचालक के पास एक अमूर्त आस्ति को प्राप्त करने का अनुबंधात्मक अधिकार न हो (सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं से वसूलने का अधिकार)। इस मामले में व्यवस्था से सम्बंधित उधार की लागतों को उस मानक के अनुसार व्यवस्था के निर्माण चरण के दौरान पंजीकृत किया जायेगा।

वित्तीय आस्ति

23. भारतीय लेखा मानक 32, 107 तथा 109 इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 16 तथा 18 के अन्तर्गत मान्य वित्तीय आस्ति पर लागू होते हैं।
24. प्रदानकर्ता से प्राप्य अथवा उसके निर्देश पर प्राप्य राशि का लेखांकन भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार किया जाता है, जैसा मापा गया है:

(क) परिशोधित लागत;

- (ख) अन्य व्यापक आय के द्वारा उचित मूल्य पर; अथवा
- (ग) लाभ अथवा हानि के द्वारा उचित मूल्य पर ।
25. यदि प्रदानकर्ता से देय राशि को परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के द्वारा उचित मूल्य पर मापा जाता है, तो भारतीय लेखा मानक 109 यह अपेक्षा करता है कि प्रभावी ब्याज विधि द्वारा की गयी ब्याज की गणना को लाभ या हानि में मान्यता दी जाए।
- अमूर्त सम्पत्ति**
26. भारतीय लेखा मानक 38 इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 17 तथा 18 के अनुसार मान्य अमूर्त आस्ति पर लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 45-47 गैर-मौद्रिक आस्ति अथवा आस्तियों अथवा मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक आस्तियों के संयोजन में विनिमय में अधिगृहीत अमूर्त आस्तियों के माप पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को प्रदान की गयीं मदें**
27. इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 11 के अनुसार, मूलभूत संरचना मदें जिन पर सेवा व्यवस्था के प्रयोजन से प्रदानकर्ता द्वारा परिचालन की अनुमति दी जाती है, उन्हें परिचालक की सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर नहीं माना जाता । प्रदानकर्ता परिचालक को अन्य मदें भी प्रदान कर सकता है जिन्हें परिचालक अपने पास रख सकता है अथवा जैसा चाहे उनका लेनदेन कर सकता है। यदि इस प्रकार की आस्तियां सेवा के लिए प्रदानकर्ता के द्वारा भुगतान योग्य प्रतिफल का भाग बनता है तो उन्हें भारतीय लेखा मानक 20 में यथा परिभाषित सरकारी अनुदान नहीं माना जाता । इसके बजाए, उनका लेखा जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115 में परिभाषित है, लेन-देन कीमत के भाग की तरह किया जाता है ।

परिशिष्ट ग के प्रयोग के लिए मार्गदर्शन

यह प्रयोग-मार्गदर्शन (प्रमा) परिशिष्ट ग का अभिन्न अंग है।

कार्यक्षेत्र (परिशिष्ट ग का अनुच्छेद 5)

प्रमा1: परिशिष्ट ग का अनुच्छेद 5 विनिर्दिष्ट करता है कि मूलभूत संरचना परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है बशर्ते जब निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं :

(क) प्रदानकर्ता यह नियंत्रित अथवा विनियमित करता है कि परिचालक को मूलभूत संरचना के साथ क्या सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, उन्हें ये सेवाएं अनिवार्यतया किसे प्रदान करनी चाहिए तथा किस कीमत पर करनी चाहिए, तथा

(ख) प्रदानकर्ता व्यवस्था की अवधि के अंत में मूलभूत संरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट को हित स्वामित्व, हितग्राही अधिकार अथवा अन्य प्रकार के द्वारा नियंत्रित करता है।

प्रमा2: उपर्युक्त (क) में दी गयी शर्त में संदर्भित नियंत्रण अथवा विनियमन ठेके अथवा अन्य रूप से (जैसे एक विनियामक द्वारा) हो सकता है तथा इसमें वे परिस्थितियां सम्मिलित हैं जिनमें प्रदानकर्ता सभी उत्पादन खरीद लेता है तथा जिसमें कुछ अथवा सभी उत्पादन अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीद लिए जाते हैं। इस शर्त को लागू करने में, प्रदानकर्ता तथा अन्य संबंधित पक्षों पर एक साथ ही विचार किया जाएगा। यदि प्रदानकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है, संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक हित में कार्यरत कोई विनियामक इस परिशिष्ट ग के प्रयोजन के लिए प्रदानकर्ता से संबंधित ही माना जायगा।

प्रमा3: उपर्युक्त (क) में दी गयी शर्त के प्रयोजन के लिए, प्रदानकर्ता के पास कीमत का पूर्ण नियंत्रण होने की आवश्यकता नहीं है। कीमत को प्रदानकर्ता, अनुबंध अथवा विनियामक कोई भी विनियमित कर सकता है, उदाहरण के लिए, जैसे कि कैपिंग तंत्र। यद्यपि, शर्त करार के सार अनुसार लागू होगी। गैर-सारवान विशेषताओं जैसे कि सीमा यानि 'कैप' का प्रयोग बहुत ही कम परिस्थितियों में किया जाएगा। इसके विपरीत, यदि उदाहरण के लिए एक अनुबंध परिचालक को कीमत निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है और जो भी अतिरिक्त लाभ होगा उसे प्रदानकर्ता को वापिस करना है, तो ऐसे में परिचालक का प्रतिफल सीमित हो जाएगा और साथ ही नियंत्रण जांच के कीमत तत्व भी पूरा हो जाता है।

प्रमा4: उपर्युक्त 'ख' की शर्त के प्रयोजन के लिए, प्रदानकर्ता का किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित पर नियंत्रण परिचालक की बिक्री अथवा मूलभूत संरचना को गिरवी रखने की व्यावहारिक समर्थता दोनों ही सीमित हो जाती हैं तथा प्रदानकर्ता को व्यवस्था की अवधि में सतत उपयोग का अधिकार देता है। मूलभूत संरचना का अवशिष्ट हित मूलभूत संरचना का वह अनुमानित चालू मूल्य है मानो कि व्यवस्था की अवधि के अन्त का समय हो गया है और यह उस समय की प्रत्याशित परिस्थिति है।

प्रमा5: नियंत्रण और प्रबन्धन दोनों अलग-अलग हैं। यदि प्रदानकर्ता परिशिष्ट ग के अनुच्छेद 5 (क) में वर्णित नियंत्रण की डिग्री तथा मूलभूत संरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित दोनों को रखता है, तो परिचालक प्रदानकर्ता की तरफ से मूलभूत संरचना का प्रबन्ध ही कर रहा है, चाहे कई मामलों में इसमें कई तरह के प्रबन्धकीय स्वविवेकाधिकार हो सकते हैं।

प्रमा6: उपर्युक्त 'क' और 'ख' दोनों की शर्तें एक साथ इस बात की पहचान करती हैं कि कब मूलभूत संरचना, किसी अपेक्षित पुर्नस्थापना सहित (देखिए परिशिष्ट ग का अनुच्छेद 21), समस्त आर्थिक जीवन प्रदानकर्ता द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। उदाहरणतया, यदि परिचालक को मूलभूत संरचना की एक मद का एक भाग व्यवस्था की अवधि के दौरान पुर्नस्थापित करना पड़ता है (जैसे कि सड़क की ऊपरी सतह या परत या भवन की छत) तब मूलभूत संरचना की वह मद सम्पूर्ण रूप से विचार में ली जाएगी। इस प्रकार 'ख' की शर्त पूरी मूलभूत संरचना के लिए लागू होगी और इसमें वह भाग भी सम्मिलित रहेगा जिसे पुर्नस्थापित किया जाता है, अगर प्रदानकर्ता उस भाग की अंतिम पुर्नस्थापना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित का नियंत्रण करता है।

प्रमा7: कभी-कभी मूलभूत संरचना का प्रयोग परिशिष्ट ग के अनुच्छेद 5(क) में यथावर्णित तरीके से अंशतः विनियमित किया जाता है और कुछ भाग अनियमित रह जाता है। लेकिन, इस व्यवस्था के अनेक रूप हैं :-

(क) एक मूलभूत संरचना जिसे भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है और वह स्वतंत्र रूप से परिचालित की जा सकती है और वह भारतीय लेखा मानक 36 में यथावर्णित एक नकदी-सृजक इकाई की परिभाषा को पूरा करती है, उसका विश्लेषण अलग से किया जाएगा यदि इसे पूरी तरह से अविनियमित प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरणतया, इसे एक अस्पताल के निजी खंड (विंग) पर लागू किया जा सकता है जब कि पूरा अस्पताल प्रदानकर्ता द्वारा आम रोगियों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) जब पूरी तरह से सहायक गतिविधियां (जैसे कि अस्पताल की एक दुकान) अविनियमित होती हैं तो नियंत्रण जांच इस तरह से की जाती जैसे कि वे सेवाएं विद्यमान ही न हों क्योंकि ऐसे मामलों में प्रदानकर्ता इन सेवाओं को नियंत्रण ठीक वैसे करता है जैसे कि परिशिष्ट ग के अनुच्छेद 5 में वर्णित किया गया है। अनुषंगी गतिविधियों का अस्तित्व मूलभूत संरचना के प्रदानकर्ता के नियंत्रण को कम नहीं करता।

प्रमाणः एक परिचालक अनुच्छेद प्रमाण 7(क) में यथावर्णित अलग मूलभूत संरचना के प्रयोग का अधिकार रखता है। वह इस बात का भी अधिकार रखता है कि अनुच्छेद प्रमाण 7(ख) में यथावर्णित सहायक अविनियमित सेवाओं को देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं का प्रयोग करें। दोनों में से प्रत्येक मामले में, प्रदानकर्ता की ओर से परिचालक के लिए एक पट्टा होगा, जिसका लेखा भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसरण में किया जाएगा।

परिशिष्ट घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं : प्रकटन

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

मुद्दे

1. एक प्रतिष्ठान (परिचालक) ऐसी सेवा जो जनता को प्रमुख आर्थिक तथा सामाजिक सुविधाएं प्रदान करती है, प्रदान करने के लिए एक अन्य प्रतिष्ठान प्रदानकर्ता के साथ व्यवस्था में कर सकता है। प्रदानकर्ता एक सरकारी संस्था सहित सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान हो सकता है। सेवा रियायत व्यवस्था के उदाहरण हैं, जल उपचार तथा आपूर्ति सुविधा, मोटरवे, कार पार्क, सुरंगें, पुल, हवाई जहाज तथा दूरसंचार नेटवर्क हैं। व्यवस्था के उदाहरण सेवा रियायत व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें अपनी आंतरिक सेवाओं के परिचालन को आउटसोर्स करने के लिए एक प्रतिष्ठान सम्मिलित होता है (इन सेवाओं के उदाहरण हैं कर्मचारी कैफेटेरिया, भवन अनुरक्षण, लेखांकन तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कार्य)।
2. एक सेवा रियायत व्यवस्था में प्रायः एक प्रदानकर्ता होता है जो परिचालक को रियायत की अवधि के लिए निम्नलिखित प्रदान करता है:
 - (क) सेवाओं को प्रदान करने का अधिकार जो जनता को आर्थिक तथा सामाजिक सुविधाएं प्रदान करती है; तथा
 - (ख) कुछ मामलों में, परिचालक के लिए विनियम में विशिष्ट मूर्त आस्तियों, अमूर्त आस्तियों अथवा वित्तीय आस्तियों के उपयोग का अधिकार;
 - (ग) इसके बदले में प्रदानकर्ता को रियायत अवधि के दौरान कुछ शर्तों के अनुसार सेवा को प्रदान करने की प्रतिबद्धता, तथा
 - (घ) जब लागू हों, रियायत अवधि के आरंभ में प्राप्त तथा/ अथवा रियायत अवधि के दौरान अधिगृहीत अधिकार को रियायत अवधि के अंत में वापसी करने की प्रतिबद्धता।
3. सभी सेवा रियायत व्यवस्था मामलों की सामान्य विशेषता यह है कि परिचालक सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने के लिए अधिकार को प्राप्त करता है तथा जन सेवा प्रदान करने की बाध्यता को वहन करता है।
4. मुद्दा यह है कि एक परिचालक तथा प्रदानकर्ता वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में क्या सूचना प्रकट करें।
5. कुछ सेवा रियायत व्यवस्था के मामलों में कुछ पक्षों तथा प्रकटनों का लेखा मानकों द्वारा वर्णन किया जाता है (उदाहरणतः, सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों के अधिग्रहण के लिए भारतीय लेखा मानक 16, आस्तियों के पट्टों के लिए भारतीय लेखा मानक 17 तथा अमूर्त आस्तियों के अधिग्रहण के लिए भारतीय लेखा मानक 38 लागू होता है। लेकिन, एक सेवा रियायत व्यवस्था में कार्य-निष्पादक अनुबंध व्याप्त हो सकते हैं जो लेखा मानकों से संबंधित नहीं हैं बशर्ते वे अनुबंध दुर्भर न हों, जिनमें भारतीय लेखा मानक 37 लागू होता है। अतः, यह परिशिष्ट सेवा रियायत व्यवस्था के अतिरिक्त प्रकटनों का वर्णन करता है।

लेखा सिद्धांत

6. टिप्पणियों में एक सेवा रियायत व्यवस्था के सभी पहलुओं के उपयुक्त प्रकटन के निर्धारण पर विचार किया जाये। एक परिचालक तथा प्रदानकर्ता प्रत्येक अवधि में निम्न को प्रकट करेगा--
 - (क) व्यवस्था का विवरण;
 - (ख) व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्तें जो भावी नकद प्रवाहों की राशि, समय तथा निश्चितता को प्रभावित कर सकती हैं (उदाहरणतः रियायत की अवधि, पुनः कीमत की तिथियां तथा वे आधार जिन पर पुनः कीमत तथा पुनः समझौता का निर्धारण किया जाता है);
 - (ग) निम्नलिखित की प्रकृति व सीमा (जैसे मात्रा, समय-अवधि या यथोचित राशि):
 - (i) विशिष्ट आस्ति के उपयोग का अधिकार;
 - (ii) सेवा प्रदान करने की बाध्यता अथवा सेवा प्रदान करने की अवज में प्रत्याशित अधिकार ;
 - (iii) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों के अधिग्रहण अथवा बनाने की बाध्यता;
 - (iv) रियायत अवधि के अंत में विशिष्ट आस्तियों को प्राप्त करने के अधिकार अथवा सुपुर्द करने की बाध्यता;

- (v) नवीकरण तथा निरस्तीकरण के विकल्प; तथा
- (vi) अन्य अधिकार तथा बाध्यताएँ (उदाहरणतः प्रमुख ओवरहाल);
- (घ) अवधि के दौरान व्यवस्था में होने वाले बदलाव; तथा
- ङ) किस प्रकार से सेवा व्यवस्था का वर्गीकरण किया जाना है।
- 6क एक परिचालक एक वित्तीय आस्ति अथवा एक अमूर्त आस्ति के लिए निर्माण सेवा के विनिमय पर अवधि में मान्य राजस्व तथा लाभ अथवा हानि की राशि को प्रकट करेगा।
7. इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 6 के अनुसार, अपेक्षित प्रकटन प्रत्येक सेवा रियायत व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत रूप से अथवा सेवा रियायत व्यवस्था की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक साथ किया जायेगा। एक श्रेणी एक जैसी प्रकृति की सेवाओं का सेवा रियायत व्यवस्था समूह है (उदाहरण के लिए, महसूल (टोल) का संग्रहण, दूरसंचार तथा जल उपचार सेवाएँ)।

परिशिष्ट ड. अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अभिन्न अंग है।

यह परिशिष्ट उन परिशिष्टों की सूची दे रहा है जो अन्य लेखा मानकों का भाग हैं और भारतीय लेखा मानक 115, 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं।

1. परिशिष्ट ख, पट्टे के विधिक स्वरूपयुक्त लेन-देनों के सारत्व का मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे, में समाविष्ट।
2. परिशिष्ट क, अमूर्त आस्तियां - वेबसाइट लागतें भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त आस्तियों में समाविष्ट।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन यह है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115 और तदनुसारी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 115, 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व', 'आई एफ आर आई सी' 12 'सेवा रियायत व्यवस्था' तथा एस आई सी 29 'सेवा रियायत व्यवस्था प्रकटन' के बीच मुख्य अंतरों को स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 115, 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व', 'आई एफ आर आई सी' 12 'सेवा रियायत व्यवस्थाएं' और 'एस आई सी' 29 'सेवा रियायत व्यवस्थाएं: प्रकटन' के साथ तुलना।

1. भारतीय लेखा मानक 115 में अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 15, में दिये गये संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक 115 में इस दृष्टि से नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन प्रावधान, जहां उचित समझा गया है, भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथम बार अंगीकरण, में सम्मिलित कर दिये गये हैं जो कि आई एफ आर एस 1, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का अंगीकरण के अनुरूप है।
3. आई एफ आर एस 15 के अनुच्छेद 15 के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिफल की राशि शास्तियों (पेनेल्टीज) के कारण अलग-अलग हो सकती है। फिर भी, भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 51 का संशोधन उसमें (अनुच्छेद 51 में) दी गयी उदाहरणों की सूची में से 'शास्तियों (पेनेल्टीज)' हटाने के आशय से किया गया है जिसके कारण प्रतिफल की राशि अलग हो सकती है। तथापि, 'शास्तियों' के लेखा व्यवहार को स्पष्ट करने के आशय से अनुच्छेद 51 कक सम्मिलित किया गया है।
4. अनुच्छेद 109 कक इस आशय से जोड़ा गया है ताकि एक प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण में मान्य राजस्व में शामिल उत्पाद शुल्क की राशि को अलग से प्रस्तुत कर सके।
5. अनुच्छेद 26 कक इस आशय से जोड़ा गया है जिसमें लाभ-हानि विवरण में मान्य राजस्व राशि का मिलान उस अनुबंधित कीमत के साथ प्रस्तुत किया जाए जिसमें प्रत्येक समायोजन के मद की प्रकृति व राशि को अलग-अलग प्रदर्शित किया हो।
6. परिशिष्ट ग-प्रयोग-सम्बंधी दिशा-निर्देश - अनुच्छेद ख 20 कक इस आशय से शामिल किया गया है कि जब ग्राहक को शर्त रहित वापसी के अधिकार के साथ उत्पाद का नियंत्रण अन्तरित किया जाता है तो उसका लेखा कैसे किया जाए।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1**वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण**

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाईप व सामान्य टाईप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाईप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. यह भारतीय लेखा मानक सामान्य प्रयोजन वाले वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण का आधार निर्धारित करता है ताकि प्रतिष्ठान पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों और अन्य प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरणों में तुलनात्मकता सुनिश्चित कर सके। यह वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण, उनकी संरचना के लिए मार्गदर्शन और उनकी विषय-वस्तु की न्यूनतम आवश्यकताओं सम्बन्धी समग्र अपेक्षाओं को निरूपित करता है।

कार्यक्षेत्र

2. एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों के अनुसार अपने सामान्य प्रयोजन वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए इस मानक का प्रयोग करेगा।
3. अन्य भारतीय लेखा मानक विशिष्ट लेन-देनों और अन्य घटनाओं की मान्यता, माप और प्रकटन के लिए अपेक्षाओं को निरूपित करते हैं।
4. यह भारतीय लेखा मानक, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34, *अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग* के अनुसार तैयार की गई संघनित अन्तरिम वित्तीय विवरणों की संरचना और विषय-वस्तु पर लागू नहीं होता है। लेकिन, इसके अनुच्छेद 15-35 ऐसे वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं। यह मानक सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जो भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण* के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरण और भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण* के अनुसार पृथक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं।
5. यह भारतीय लेखा मानक, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (पब्लिक सैक्टर बिजनेस एंटीटिज) सहित लाभ मूलक प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त है। यदि निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-लाभकारी (नॉट-फॉर-प्रोफिट) गतिविधियों वाले प्रतिष्ठान इस मानक को लागू करते हैं, तो वे अपने आप वित्तीय विवरणों और वित्तीय विवरणों की विशेष रेखीय मर्दों के लिए प्रस्तुत वर्णन में तदनुसार संशोधन कर सकते हैं।
6. इसी तरह, वे प्रतिष्ठान जिनकी शेयर पूंजी 'इक्विटी' नहीं होती उनके तब वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण को सदस्यों के हितों के लिए तदनुसार अनुकूल बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

परिभाषाएं

7. इस भारतीय लेखा मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है:

सामान्य प्रयोजन वाले वित्तीय विवरण वे विवरण हैं (जिनका उल्लेख वित्तीय विवरणों के रूप में किया जाता है), जो उन उपयोगकर्ताओं की सूचना-संबन्धी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो इस स्थिति में नहीं हैं जिनके लिए वे प्रतिष्ठान को उनकी विशेष सूचनाओं के लिए रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित हो।

अव्यवहार्य वह स्थिति है जब कोई प्रतिष्ठान सभी युक्तिसंगत प्रयासों के बाद भी एक अपेक्षा को लागू न कर पाये तो ऐसी स्थिति में वह अपेक्षा अव्यवहार्य मानी जायेगी।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) वे मानक हैं जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विहित हैं।

मर्दों की सारवान (महत्त्वपूर्ण) चूक या त्रुटिपूर्ण कथन तब सारवान (महत्त्वपूर्ण) होता है, जब वे व्यक्तिशः या सामूहिक रूप से उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं जिन्हें वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता उपयोग में लाते हैं। 'सारवानता' चूक या त्रुटिपूर्ण कथन के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है और इसका निर्णय इसके इर्द-गिर्द की परिस्थितियों पर आधारित होता है। मर्द का आकार या प्रकृति, या फिर दोनों का मिश्रण, निर्धारक तत्व हो सकता है।

यह निर्धारित करना कि चूक या त्रुटिपूर्ण कथन उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और यह इस प्रकार सारवान है, इसके लिए उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं पर भी विचार करने की आवश्यकता होती है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी *वित्तीय विवरण तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतिकरण की मूलभूत कार्यपद्धति* अनुच्छेद 25 में यह उल्लेख है कि 'उपयोगकर्ताओं को कारोबार, आर्थिक गतिविधियों और लेखा की काफी हद तक जानकारी है और वे सूचना का अध्ययन ध्यानपूर्वक करने में इच्छुक हैं'। अतः यह निर्धारण करते हुए यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कैसे इन लक्षणों वाले उपयोगकर्ता आर्थिक निर्णय लेने में प्रभावित होने के लिए समुचित रूप से प्रत्याशित हो सकते हैं।

टिप्पणियाँ वे उल्लेख हैं, जो तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण 'इक्विटी' में परिवर्तन विवरण और व नकदी प्रवाह विवरण में दी गयी सूचना के अतिरिक्त हैं। इन टिप्पणियों में वर्णनात्मक उल्लेख या विवरणों में प्रस्तुत मदों का ब्यौरा और उन मदों की सूचना दी जाती है जो विवरणों में मान्यता के लिए योग्यता प्राप्त नहीं करती हैं।

अन्य व्यापक आय में उस आय और व्यय (पुनर्वर्गीकरण समायोजन सहित) की वे मदें आती हैं, जो अन्य भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षा या अनुमति के अनुसार लाभ या हानि में मान्य नहीं हैं। अन्य व्यापक आय में निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं :-

- (क) पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन [देखें भारतीय लेखा मानक 16, सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा भारतीय लेखा मानक 38, अमूर्त आस्तियाँ] ;
- (ख) भारतीय लेखा मानक 19, कर्मचारी लाभ के अनुसार निश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्माप;
- (ग) विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के रूपान्तरण के फलस्वरूप लाभ (गेन्ज) और हानियाँ [देखें भारतीय लेखा मानक 21, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव];
- (घ) भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतों के अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट 'इक्विटी' लिखतों में निवेशों से लाभ (गेन्ज) व हानियाँ;
- (घ क) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.1.2 के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय आस्तियों से लाभ (गेन्ज) व हानियाँ।
- (ङ) नकद प्रवाह प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षात्मक लिखतों पर लाभों (गेन्ज) व हानियों और उन प्रतिरक्षात्मक लिखतों के लाभों (गेन्ज) व हानियों का प्रभावी भाग जिनके 'इक्विटी' लिखतों में प्रतिरक्षात्मक लिखतें भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयी हैं। [देखें भारतीय लेखा मानक 109 का अध्याय 6];
- (च) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट विशेष दायित्वों के लिए, दायित्वों के सारण जोखिम में परिवर्तनों के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन की राशि। [देखें भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद 5.7.7];
- (छ) अन्तर्विष्ट मूल्य और एक विकल्प अनुबंध को अलग करने पर विकल्पों के समय मूल्य में परिवर्तन तथा केवल प्रतिरक्षात्मक लिखत के नामोद्देशन पर अन्तर्विष्ट मूल्य में परिवर्तन [देखें भारतीय लेखा मानक 109 का अध्याय 6];
- (ज) वायदा अनुबंध के वायदा तत्व और हाजिर (स्पाट) तत्व को अलग करते समय वायदा अनुबंधों के वायदा तत्वों में परिवर्तन और प्रतिरक्षात्मक लिखत के रूप में वित्तीय लिखत के नामोद्देशन से अलग करने पर एक वित्तीय लिखत का विवेश मुद्रा आधार के विस्तार के मूल्य में परिवर्तन और हाजिर (स्पाट) तत्व में परिवर्तनों के केवल प्रतिरक्षात्मक लिखत का नामोद्देशन। [देखें भारतीय लेखा मानक 109 का अध्याय 6]

स्वामी, वे व्यक्ति हैं जो उन लिखतों के धारक हैं और जिन्हें 'इक्विटी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

लाभ या हानि कुल आय में से व्यय घटाने (लाभ) या व्यय में से आय घटाने (हानि) की स्थिति है, लेकिन, इस कुल आय में अन्य व्यापक आय के घटक सम्मिलित नहीं होंगे।

पुनर्वर्गीकृत समायोजन वे राशियाँ हैं जिन्हें वर्तमान अवधि में लाभ या हानि हेतु वर्गीकृत किया गया है और जिन्हें वर्तमान या पूर्व अवधियों में व्यापक आय के रूप में मान्यता दी थी।

कुल व्यापक आय एक अवधि के दौरान 'इक्विटी' में हुआ परिवर्तन है जो कि लेन देनों और अन्य घटनाओं से उत्पन्न हुआ हो। लेकिन, इन में वे परिवर्तन शामिल नहीं हैं जो स्वामियों की हैसियत के रूप में स्वामियों के साथ लेन-देनों के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हुए हों।

कुल व्यापक आय में लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के सभी घटक सम्मिलित हैं।

8. [देखें परिशिष्ट 1]

8 क निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग भारतीय लेखा मानक 32, वित्तीय लिखतों : प्रस्तुतिकरण में किया गया है जो भारतीय लेखा मानक 32 में विनिर्दिष्ट है :

- (क) पुटेबल लिखतें वे हैं जो 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत की गयी हैं [भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 16 क और 16 ख में यथा वर्णित] ।

- (ख) एक लिखत जो केवल परिसमापन की अवस्था में तथा तब जब वह एक 'इक्विटी' लिखत के रूप में वर्गीकृत हो, प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों का आनुपातिक भाग अन्य पक्ष को सौंपने का बाध्यता प्रतिष्ठान पर डालती है। [भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 16 ग और 16 घ में यथा वर्णित]।

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों का प्रयोजन

9. वित्तीय विवरण किसी प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति और वित्तीय कार्य-निष्पादन की संरचित प्रस्तुति है। वित्तीय विवरणों का उद्देश्य किसी प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाहों(कैश फ्लो) के बारे में सूचना प्रदान करना है जोकि अनेक प्रकार के उपयोगकर्ताओं को आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होता है। वित्तीय विवरण इस बात के भी प्रतीक हैं, कि प्रबंधन को जो संसाधन उपलब्ध करवाए गये थे उनका उसने किस बखूबी ढंग से उपयोग किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय विवरण एक प्रतिष्ठान के बारे में निम्नलिखित सूचना प्रदान करते हैं :-

- (क) आस्तियां ;
- (ख) दायित्व ;
- (ग) 'इक्विटी' ;
- (घ) लाभ और हानि सहित आय एवं व्यय ;
- (ङ) स्वामियों द्वारा स्वामियों की हैसियत से किया गया अंशदान तथा उनको उसी हैसियत से किया गया वितरण, और
- (च) नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)

यह सूचना, टिप्पणियों में दी गई अन्य सूचना के साथ, वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को प्रतिष्ठान के भावी नकदी प्रवाहों की और विशेषकर उनकी समय-अवधि और निश्चितता के सम्बन्ध में पूर्वानुमान लगाने में सहायता करती है।

वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण समुच्चय (सैट)

10. वित्तीय विवरणों के एक सम्पूर्ण समुच्चय (सैट) में निम्नलिखित विवरण / उल्लेख होते हैं :

- (क) एक अवधि की समाप्ति पर एक तुलन पत्र ;
- (ख) एक अवधि का लाभ हानि विवरण ;
- (ग) अवधि के लिए 'इक्विटी' में परिवर्तनों का विवरण ;
- (घ) अवधि के नकदी प्रवाह का विवरण ;
- (ङ) टिप्पणियां, जिनमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं दी जाती हैं ; और
- (ङ क) अनुच्छेदों 38 व 38 क में यथाविनिर्दिष्ट गत अवधि की तुलनात्मक सूचना ;
- (च) गत अवधि के प्रारम्भ का तुलन पत्र, जब प्रतिष्ठान अनुच्छेदों 40क - 40घ के अनुसार एक लेखा नीति को पूर्व प्रभाव से लागू करता है या वित्तीय विवरणों की मदों के बारे में पूर्व प्रभाव से पुनर्कथन करता है या फिर वह वित्तीय विवरणों में मदों का पुनर्वर्गीकरण करता है।

- 10 क प्रतिष्ठान लाभ या हानि एवं अन्य व्यापक आय के साथ एक एकल लाभ-हानि विवरण दो खंडों में प्रस्तुत करेगा। ये खंड अन्य व्यापक आय खंड पहले सीधे लाभ या हानि खंड के साथ एक-साथ प्रस्तुत किये जाएंगे।

11. एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों के एक सम्पूर्ण समुच्चय (सैट) में सम्मिलित सभी वित्तीय विवरणों को एक-समान प्रमुखता के साथ प्रस्तुत करेगा।

12. [देखें परिशिष्ट 1]

13. अनेक प्रतिष्ठान, वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त, प्रबंधन की ओर से एक वित्तीय समीक्षा पत्र भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें प्रतिष्ठान के वित्तीय कार्य निष्पादन और वित्तीय स्थिति के मुख्य लक्षण / विशेषताएं और इसके समक्ष प्रमुख अनिश्चितताओं का उल्लेख किया जाता है। ऐसे समीक्षा पत्र या रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं :

- (क) वित्तीय कार्य निष्पादन को निर्धारित करने वाले दबाव और प्रमुख घटक जिनमें यह भी शामिल होता है कि जिस वातावरण में प्रतिष्ठान कार्य कर रहा है, उसमें हुए या हो रहे परिवर्तन, उन परिवर्तनों का प्रतिष्ठान पर प्रभाव और प्रतिष्ठान की इन परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया, प्रतिष्ठान की कार्य निष्पादन को बढ़ाने व उसके अनुरक्षण के लिए निवेश नीति और लाभांश की नीति सहित ;

- (ख) प्रतिष्ठान के निधि स्रोत और इसका दायित्व-‘इक्विटी’ अनुपात का लक्ष्य; तथा
- (ग) प्रतिष्ठान के वे संसाधन जिन्हें भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तुलन पत्र में मान्यता नहीं दी गई है।
14. बहुत-से प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अन्य रिपोर्ट और विवरण भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे पर्यावरणात्मक रिपोर्टें व मूल्यवर्धक विवरण विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए जिनका पर्यावरण से सीधा सम्बन्ध है और जब कर्मचारियों को महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता माना जाता है। रिपोर्ट एवं विवरण जो वित्तीय विवरणों के बाहर प्रस्तुत किए गये हों वे इस भारतीय लेखा मानक के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं।

सामान्य लक्षण

सत्य एवं उचित रूप का प्रस्तुतिकरण और भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन

15. वित्तीय विवरण, प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और नकदी प्रवाहों का सत्य एवं उचित रूप प्रस्तुत करेंगे। सत्य एवं उचित रूप की प्रस्तुति के लिए मूलभूत कार्य विधि के ढांचे में दी गयीं आस्तियों, दायित्वों, आय और व्यय की परिभाषाओं और मान्यता मानदण्डों के अनुसार लेन-देनों, अन्य घटनाओं और परिस्थितियों के प्रभावों का निष्ठावान प्रस्तुतिकरण करना आवश्यक होता है। भारतीय लेखा मानकों का प्रयोग और जहां अतिरिक्त प्रकटन आवश्यक हो, यह माना जाता है कि वित्तीय विवरण प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति का सत्य एवं उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।
16. एक प्रतिष्ठान जब वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करता है तो वह इस आशय का टिप्पणियों में साफ और स्पष्ट वर्णन करेगा। एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों को तब तक ऐसे वर्णित नहीं करेगा कि ये भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करती हैं जब तक कि ये भारतीय लेखा मानक की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन ना करती हो।
17. वास्तव में, सभी परिस्थितियों में, सत्य एवं उचित रूप की प्रस्तुति केवल प्रतिष्ठान पर लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सत्य एवं उचित रूप की प्रस्तुति के लिए प्रतिष्ठान को निम्नलिखित की भी आवश्यकता होती है:-
- (क) भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियों* के अनुसार लेखा नीतियों का चयन और प्रयोग करना। भारतीय लेखा मानक 8 प्राधिकृत मार्गदर्शन की एक क्रमबद्ध शृंखला निर्धारित करता है, जब किसी मद पर कोई भारतीय लेखा मानक विशिष्ट रूप से लागू न हो तो उस स्थिति में प्रबंधन इस शृंखला से मार्गदर्शन प्राप्त कर विचार कर सकता है।
- (ख) लेखा नीतियों सहित सूचना को इस तरह से प्रस्तुत करना कि वह उपयुक्त, विश्वसनीय, तुलनीय और बोधगम्य सूचना उपलब्ध कराये।
- (ग) जब भारतीय लेखा मानकों के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट लेन-देनों, अन्य घटनाओं और परिस्थितियों में प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति और वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रभाव समझने के लिए अपर्याप्त हो, तो अतिरिक्त सूचना का प्रकटन करना।
18. एक प्रतिष्ठान अनुपयुक्त लेखा नीतियों का शोधन, प्रयोग में लायी गयी लेखा नीतियों के प्रकटन या टिप्पणियों द्वारा या व्याख्यात्मक सामग्री देकर नहीं कर सकता।
19. अत्यन्त विरल परिस्थितियों में, जहां प्रबंधन यह निष्कर्ष निकालता है कि एक भारतीय लेखा मानक की किसी अपेक्षा का अनुपालन करना इतना भ्रामक होगा कि वह मूलभूत पद्धति ढांचे में यथावर्णित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के साथ अन्तर्विरोध उत्पन्न कर रहा है तो प्रतिष्ठान इस अपेक्षा से अनुच्छेद 20 में उल्लिखित व्यवहार द्वारा विचलन करेगा बशर्ते नियामक मूलभूत पद्धति ढांचा इस प्रकार के विचलन की अपेक्षा करता हो या इस तरह के विचलन को अन्यथा प्रतिबंधित न करता हो।
20. जब कोई प्रतिष्ठान, अनुच्छेद 19 के अनुसार भारतीय लेखा मानक की किसी अपेक्षा से विचलन करता है तो इसको यह प्रकट करना होगा :
- (क) प्रतिष्ठान का प्रबंधन इस निष्कर्ष देता है कि वित्तीय विवरण प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और नकदी प्रवाहों का सत्य और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।
- (ख) प्रतिष्ठान ने सत्य एवं उचित रूप प्रस्तुत करने के लिए किसी एक विशिष्ट अपेक्षा का विचलन करने के अतिरिक्त लागू भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन किया है।
- (ग) भारतीय लेखा मानक का शीर्षक या नाम जिससे प्रतिष्ठान ने विचलन किया है, विचलन की प्रकृति, भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित लेखा व्यवहार सहित, वे कारण, कि क्यों इन परिस्थितियों में अपेक्षित लेखा व्यवहार लेखा सहित, के अनुपालन से इतना भ्रम होगा कि मूलभूत पद्धति ढांचे में वित्तीय विवरणों के प्रयोजन से यह अन्तर्विरोधी है, और अंगीकृत लेखा व्यवहार, और

- (घ) प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के प्रत्येक मद पर विचलन का वित्तीय प्रभाव जिसे भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षा के अनुपालन में दर्शाया गया होता ।
21. जब एक प्रतिष्ठान पूर्व अवधि में, एक भारतीय लेखा मानक की अपेक्षा से विचलित हुआ हो, और ऐसा विचलन वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की राशियों को प्रभावित करता हो, तो वह प्रतिष्ठान अनुच्छेद 20 (ग) और (घ) में निरूपित प्रकटन करेगा ।
22. अनुच्छेद 21 जब लागू होता है, उदाहरणार्थ, एक प्रतिष्ठान आस्तियों या दायित्वों के माप के लिए एक भारतीय लेखा मानक की अपेक्षा का पूर्व अवधि में विचलन करता हो और वह विचलन वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में मान्य सम्पत्तियों और दायित्वों के परिवर्तन के माप को प्रभावित करता हो ।
23. अत्यंत विरल परिस्थितियों में, जब प्रबन्धन यह निष्कर्ष निकालता है कि एक भारतीय लेखा मानक की अपेक्षा का अनुपालन इतना भ्रमक होगा कि मूलपद्धति ढांचे में यथा वर्णित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के साथ इसका अन्तर्विरोध होगा, परन्तु उपयुक्त नियामक मूलभूत पद्धति ढांचा इस अपेक्षा से विचलन को प्रतिबन्धित करता है तो प्रतिष्ठान यथा संभव सीमा तक, अनुपालन के इलाक़ में भ्रमक पहलुओं को, निम्नलिखित को प्रकट करके कम करेगा :-
- (क) विवादित भारतीय लेखा मानक का शीर्षक, अपेक्षा की प्रकृति और वह कारण जिससे कि प्रबन्धन ने यह निष्कर्ष निकाला कि क्यों इस अपेक्षा का अनुपालन इन परिस्थिति में इतना भ्रमक होगा कि इससे मूलपद्धति ढांचे में यथा वर्णित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य से इसका अन्तर्विरोध होगा ; और
- (ख) प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए, वित्तीय विवरणों में उल्लिखित प्रत्येक मद के लिए समायोजन जो कि प्रबन्धन के निष्कर्ष के अनुसार जरूरी है ताकि सत्य एवं उचित रूप प्रस्तुत की जा सके ।
24. अनुच्छेदों 19-23 के प्रयोजनार्थ, सूचना का एक मद वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के साथ अन्तर्विरोधी होगा जब यह लेन-देनों, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों का वह निष्ठावान प्रस्तुतिकरण नहीं करता, जो कि प्रस्तुत करना इससे आशय है या यथोचित प्रस्तुति के लिए इससे अपेक्षा की जा सकती है, तो इससे परिणामतया वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं द्वारा लिये गये आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की संभावना है। यह निर्धारण करते समय कि एक भारतीय लेखा मानक की किसी विशिष्ट अपेक्षा के अनुपालन द्वारा भ्रम की स्थिति होती है जो कि मूल-पद्धति ढांचे में वर्णित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के साथ अन्तर्विरोध करेगी तो प्रबंधन निम्नलिखित पर विचार करता है :
- (क) विशेष परिस्थितियों में वित्तीय विवरणों का उद्देश्य क्यों पूरा नहीं होता है; और
- (ख) इस प्रतिष्ठान की परिस्थितियाँ अन्य उन प्रतिष्ठानों से कैसे भिन्न हैं, जो इस अपेक्षा का अनुपालन कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार की परिस्थितियों में अन्य प्रतिष्ठान इस अपेक्षा का अनुपालन कर रहे हैं तो यह पूर्व धारणा खण्डनीय है कि प्रतिष्ठान द्वारा इस अपेक्षा का अनुपालन इतना भ्रमक नहीं होगा कि वह मूल पद्धति ढांचे में निर्धारित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य का अन्तर्विरोध करेगा ।

चलायमान समुत्थान

25. वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्रबन्धन प्रतिष्ठान के चलायमान समुत्थान के रूप में निरन्तर चलते रहने की योग्यता का निर्धारण करेगा । एक प्रतिष्ठान चलायमान समुत्थान के आधार पर तब तक वित्तीय विवरण तैयार करेगा जब तक प्रबन्धन का इरादा या तो प्रतिष्ठान बन्द करने का न हो या व्यापार बन्द करे या फिर इसके पास इसके सिवाय ऐसा कोई वास्तविक विकल्प न हो। जब प्रबन्धन अपने निर्धारण में इस स्थिति के प्रति अवगत है कि महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं से संबंधित घटनाएं या परिस्थितियाँ प्रतिष्ठान के उस चलायमान समुत्थान के रूप में जारी रहना सन्देहास्पद है तो प्रतिष्ठान उन अनिश्चितताओं को प्रकट करेगा। जब प्रतिष्ठान वित्तीय विवरण चलायमान समुत्थान के आधार पर तैयार नहीं करता, तो यह इस तथ्य को प्रकट करेगा और साथ ही यह उल्लेख करेगा कि वित्तीय विवरण किस आधार पर तैयार किये गये हैं और किन कारणों से प्रतिष्ठान को चलायमान समुत्थान नहीं माना गया है।
26. चलायमान समुत्थान की संकल्पना की उपयुक्तता के निर्धारण में प्रबन्धन भविष्य के बारे में सभी उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखकर विचार करता है जो कि कम से कम रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के 12 महीने तक हो, परन्तु इतने तक ही सीमित भी न हो। विचार की सीमा प्रत्येक मामले में तथ्यों पर निर्भर करती है। जब एक प्रतिष्ठान का लाभकारी परिचालन का इतिहास रहा हो और उसकी वित्तीय संसाधनों तक पहुँच सुगम हो, तो वह प्रतिष्ठान बिना किसी विस्तृत विश्लेषण के इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि चलायमान समुत्थान का आधार उसके लिए उपयुक्त है। लेकिन अन्य मामलों में, इससे पूर्व कि वह अपने आपको यह संतुष्ट कर सके कि उनके लिए चलायमान समुत्थान का आधार उपयुक्त है, प्रतिष्ठानों को अपनी वर्तमान और संभावित लाभ- योग्यता, ऋण पुनर्भुगतान की समयसूचियाँ और प्रतिस्थापन वित्त के संभावित स्रोत आदि अनेक घटकों पर विचार करना आवश्यक है।

लेखा का प्रोद्भूत आधार

27. एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरण, नकदी प्रवाह विवरण को छोड़कर, लेखा प्रोद्भव आधार पर तैयार करेगा।
28. जब लेखों के प्रोद्भव आधार का उपयोग किया जाता है, तो प्रतिष्ठान मूलपद्धति के ढांचे में दी गयी परिभाषा व मान्यता मानदण्ड की सन्तुष्टि के आधार पर आस्तियां, दायित्व, 'इक्विटी' आय और व्यय जैसी मदों (वित्तीय विवरणों के घटक) को मान्यता देता है।
- सारवानता एवं एकीकरण**
29. एक प्रतिष्ठान एक समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण (सारवान) वर्ग को अलग से प्रस्तुत करेगा। असमान प्रकृति या कार्य वाली मदों को, जब तक वे सारहीन नहीं हैं, अलग-से प्रस्तुत करेगा, उस स्थिति को छोड़कर जब विधि द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो।
30. वित्तीय विवरण बड़ी संख्या में उन लेन देनों और अन्य घटनाओं के फलस्वरूप तैयार किये जाते हैं जिन्हें प्रकृति या कार्य के आधार पर वर्गों में एकीकृत किया जा सकता है। एकीकरण और वर्गीकरण प्रक्रिया का अन्तिम चरण आंकड़ों को संघनित और वर्गीकृत रूप से प्रस्तुत करना, जो कि वित्तीय विवरणों की रेखीय मद (लाइन आयटम) बनते हैं। यदि कोई एक रेखीय मद अपने में अकेले महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसे विवरणों या टिप्पणियों में अन्य मदों के साथ एकीकृत कर दिया जाता है। यदि कोई मद पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण (सारवान) नहीं है कि उसे विवरण में अलग से प्रस्तुत करना आवश्यक हो तो उसे टिप्पणियों में अलग-से प्रस्तुत किया जा सकता है।
31. एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक के अनुसार एक मद का, जो महत्वपूर्ण (सारवान) नहीं है, तब तक प्रकटन नहीं करेगा, उस स्थिति को छोड़कर जब विधि द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो।
- समंजन (ऑफसेटिंग)**
32. जब तक किसी भारतीय लेखा मानक की अपेक्षा या अनुमति न हो, एक प्रतिष्ठान आस्तियों एवं दायित्वों, और आय एवं व्यय को समंजन (ऑफसेट) नहीं करेगा।
33. एक प्रतिष्ठान आस्तियों एवं दायित्वों और आय एवं व्यय दोनों को अलग-अलग प्रस्तुत करता है। लाभ और हानि के विवरण या तुलन पत्र में जब कोई समंजन (ऑफसेट) किया जाता है, ऐसी स्थिति को छोड़कर जब समंजन (ऑफसेटिंग) लेन देन या घटना का सार प्रकट करता है, वित्तीय विवरणियों के उपयोगकर्ताओं की उस योग्यता को वाधित या न्यून करता है जो लेन-देनों, अन्य घटनाओं और परिस्थितियों को समझने और उसके साथ-साथ प्रतिष्ठान के भावी नकदी प्रवाहों का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। आस्तियों को मूल्यांकन भत्ता घटाकर मापना उदाहरणार्थ : सूचीबद्ध सामान पर अप्रचलित माल के अंश और प्राप्य राशियों पर अशोध्य ऋण के अंश माप समंजन (ऑफसेटिंग) की श्रेणी में नहीं आता।
34. भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व* एक प्रतिष्ठान से अपेक्षा करता है कि वह ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व का माप प्रतिफल की उस राशि पर करे जिसकी वह वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के अन्तरण पर पात्रता के रूप में आशा करता है उदाहरणार्थ मान्य राजस्व की राशि प्रतिष्ठान द्वारा दिये जाने वाले व्यापार (ट्रेड) बट्टे व परिमाण छूटों को प्रदर्शित करता है। एक प्रतिष्ठान अपनी सामान्य गतिविधियों के दौरान उन लेन-देनों को भी करता है जो कि राजस्व तो उत्पन्न नहीं करते परन्तु मुख्य राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से प्रासंगिक हैं। एक प्रतिष्ठान लेन-देनों के परिणाम को आय में से उन लेन-देनों से उत्पन्न संबंधित खर्चों को घटा कर प्रस्तुत करता है जब यह प्रस्तुतिकरण लेन-देन या अन्य घटना के सार को दर्शाता है उदाहरणार्थ:
- (क) एक प्रतिष्ठान निवेशों और परिचालन आस्तियों सहित गैर-चालू आस्तियों के निपटान पर लाभ (गेन्ज) और हानि को सम्पत्ति के निपटान पर प्रतिफल राशि में से आस्ति की अग्रणीत राशि व विक्रय व्यय घटाकर प्रस्तुत करता है।
- (ख) एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां* के अनुसरण में मान्य एक प्रावधान से सम्बद्धित व्यय जो किसी तीसरे पक्ष के साथ एक अनुबंधात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति किया गया है, को उस संबंधित प्रतिपूर्ति में से घटा कर प्रस्तुत कर सकता है (उदाहरणार्थ एक आपूर्तिकर्ता का वारंटी करार)।
35. इसके अतिरिक्त एक प्रतिष्ठान एक प्रकार के लेन देनों के समूह से उत्पन्न जैसे कि विदेशी विनिमय लाभ और हानि या खरीद-बिक्री के लिए धारित वित्तीय लिखतों से लाभ और हानि लाभ और हानि को भी निवल / शुद्ध आधार पर प्रस्तुत करता है। परन्तु यदि ये लाभ और हानियां सारवान या (महत्वपूर्ण) हैं तो प्रतिष्ठान उन्हें अलग से प्रस्तुत करता है।
- रिपोर्टिंग की आवृत्ति**
36. एक प्रतिष्ठान कम से कम वर्ष में एक बार वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण समुच्चय (सेट) (तुलनात्मक सूचना के साथ) प्रस्तुत करेगा। जब प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि की सीमा में कोई परिवर्तन करता है और एक वर्ष से अधिक या कम समय के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है तो वह प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों की अवधि के अतिरिक्त निम्नलिखित के बारे में प्रकटन करेगा :
- (क) लम्बी या कम अवधि के प्रयोग का कारण ; और
- (ख) यह तथ्य कि वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गयी राशियां पूर्णतया तुलनात्मक नहीं हैं।

37. [देखें परिशिष्ट 1]

तुलनात्मक सूचना

न्यूनतम तुलनात्मक सूचना

38. सिवाय इसके कि भारतीय लेखा मानक इसकी अनुमति दें या अन्यथा अपेक्षा करें, एक प्रतिष्ठान वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित सभी राशियों के बारे में पूर्व अवधि से संबंधित तुलनात्मक सूचना प्रस्तुत करेगा। एक प्रतिष्ठान वर्णात्मक सूचना के लिए तुलनात्मक सूचना भी सम्मिलित करेगा यदि वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को समझने के लिए यह उपयुक्त हो।

38 क एक प्रतिष्ठान कम से कम न्यूनतम तौर पर दो तुलनपत्र, दो लाभ-हानि विवरण, दो नकदी प्रवाह विवरण और दो 'इक्विटी' में परिवर्तन विवरण और सम्बंधित टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

38 ख कुछ मामलों में गत अवधियों के वित्तीय विवरणों में दी गयी वर्णनात्मक सूचना चालू अवधि में भी प्रासंगिक / उपयुक्त होती है। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान वर्तमान अवधि में एक कानूनी विवाद का प्रकटन करता है जिसका परिणाम गत अवधि के अन्त में अनिश्चित था और उसका समाधान अभी होना बाकी है। उपयोगकर्ता इस सूचना के प्रकटन से लाभान्वित हो सकते हैं कि गत अवधि के अन्त में इस विषय में अनिश्चितता उपस्थित थी और इस अनिश्चितता के समाधान के लिए जो कदम उठाए गये हैं।

अतिरिक्त तुलनात्मक सूचना

38 ग भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम तुलनात्मक सूचना के अतिरिक्त कोई ओर तुलनात्मक सूचना भी प्रस्तुत कर सकता है बशर्ते वह उस सूचना को भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में तैयार करता है। यह तुलनात्मक सूचना अनुच्छेद 10 में दी गयी एक या अधिक विवरणों से बनी हो सकती है लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह वित्तीय विवरणों के पूरे समूच्चय (सैट) के रूप में तैयार की गयी हो। इस मामले में प्रतिष्ठान इन अतिरिक्त विवरणों की सम्बंधित टिप्पणी सूचना देगा।

38 घ उदाहरण के रूप में, एक प्रतिष्ठान लाभ-हानि का एक तीसरा विवरण (जिसमें वह गत अवधि, वर्तमान अवधि और कोई और तुलनात्मक अवधि सम्मिलित करता है)। यद्यपि, प्रतिष्ठान के लिए तीसरा तुलनपत्र, एक तीसरा नकदी प्रवाह विवरण या इक्विटी में परिवर्तनों का तीसरा विवरण (यानि तीसरा अतिरिक्त तुलनात्मक विवरण) प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में अतिरिक्त लाभ-हानि विवरण से सम्बंधित तुलनात्मक सूचना दे।

39. (देखें परिशिष्ट 1)

40. (देखें परिशिष्ट 1)

लेखा नीति में परिवर्तन, पूर्वप्रभावी पुनर्कथन अथवा पुनर्वर्गीकरण

40 क एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद (38क) की अपेक्षानुसार न्यूनतम तुलनात्मक विवरणों के अतिरिक्त गत अवधि के प्रारम्भ में एक तृतीय (तीसरा) तुलनपत्र प्रस्तुत करेगा, यदि

(क) वह पूर्वप्रभावी लेखा नीति का प्रयोग करते हुए अपने वित्तीय विवरणों के मदों का पुनर्कथन करता है या अपने वित्तीय विवरणों के मदों को पुनर्वर्गीकृत करता है; और

(ख) इस पूर्वप्रभावी प्रयोग, पूर्वप्रभावी पुनर्कथन या पुनर्वर्गीकरण का गत अवधि के प्रारम्भ के तुलनपत्र की सूचना पर एक सारवान प्रभाव है।

40 ख उपर्युक्त अनुच्छेद (40क) में दी गयी परिस्थितियों में एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित तीन तुलनपत्र प्रस्तुत करेगा:

(क) चालू अवधि के अन्त में

(ख) गत अवधि के अन्त में; और

(ग) गत अवधि के प्रारम्भ में।

40 ग जब एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनुच्छेद 40क के अनुसरण में अतिरिक्त तुलनपत्र प्रस्तुत करे तो वह अनुच्छेदों 41-44 और भारतीय लेखा मानक 8 द्वारा अपेक्षित सूचना को भी अवश्य प्रकट करेगा। फिर भी, उसे गत अवधि के आरम्भ में प्रारम्भिक तुलनपत्र से सम्बंधित टिप्पणियां देने की आवश्यकता नहीं है।

40 घ प्रारम्भिक तुलनपत्र की तिथि गत अवधि की प्रारम्भिक तिथि होगी बेशक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण तुलनात्मक सूचना गत अवधियों की क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हों (जैसे कि अनुच्छेद 38 ग में अनुमति दी गयी है।)

41. यदि प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों में मदों की प्रस्तुति या वर्गीकरण में कोई परिवर्तन करता है तो वह तुलनात्मक राशियों का भी पुनर्वर्गीकरण करेगा बशर्ते पुनर्वर्गीकरण करना अव्यवहार्य न हो। जब प्रतिष्ठान तुलनात्मक राशियों का पुनर्वर्गीकरण करता है तो वह निम्नलिखित भी प्रकट करेगा (गत अवधि के प्रारम्भ पर पुनर्वर्गीकरण सहित):
- (क) पुनर्वर्गीकरण की प्रकृति;
 - (ख) पुनर्वर्गीकृत प्रत्येक मद या मदों की श्रेणी की राशि ; और
 - (ग) पुनर्वर्गीकरण का कारण
42. जब तुलनात्मक राशियों का पुनर्वर्गीकरण अव्यवहार्य हो तो प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :
- (क) राशियों को पुनर्वर्गीकृत न करने का कारण, और
 - (ख) यदि राशियां पुनर्वर्गीकृत कर दी जाती हैं तो किये जाने वाले समायोजनों की प्रकृति।
43. सूचना की अन्तर-अवधि तुलनात्मकता को बढ़ाना विशेषतया पूर्वानुमान प्रयोजनों के लिए वित्तीय सूचना में प्रवृत्ति (ट्रेंडज) के आंकलन करने की अनुमति, उपयोगकर्ताओं को आर्थिक निर्णय लेने के लिए सहायक होती है। कुछ परिस्थितियों में, वर्तमान अवधि में तुलनात्मकता प्राप्त करने के लिए तत्काल पूर्व अवधि में तुलनात्मक सूचना का पुनर्वर्गीकरण अव्यवहार्य होता है। उदाहरणार्थ, किसी प्रतिष्ठान ने पूर्व अवधि (यों) में आँकड़ों का संग्रह इस प्रकार न किया हो कि पुनर्वर्गीकरण किया जा सके और अब सूचना फिर से एकत्रित करना अव्यवहार्य हो।
44. भारतीय लेखा मानक 8, तुलनात्मक सूचना में अपेक्षित समायोजनों को निरूपित करता है जब कोई प्रतिष्ठान लेखा नीति में परिवर्तन करता है या किसी त्रुटि को ठीक करता है।
- प्रस्तुतिकरण की एकरूपता**
45. एक प्रतिष्ठान एक अवधि से अगली अवधि तक वित्तीय विवरणों में मदों का प्रस्तुतिकरण और वर्गीकरण निम्नलिखित को छोड़कर उसी रूप में जारी रखेगा :
- (क) यह स्पष्ट है, कि प्रतिष्ठान के परिचालन की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन या वित्तीय विवरणों के पुनरावलोकन को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा मानक 8 के अधीन लेखा नीतियों के चयन और प्रयोग के मानदंडों के अनुरूप अन्य प्रस्तुतिकरण या वर्गीकरण और अधिक उपयुक्त होगा ; या
 - (ख) एक भारतीय लेखा मानक प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन की अपेक्षा करता है।
46. उदाहरणार्थ, एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण या निपटान, या वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण का पुनरावलोकन, वित्तीय विवरणों को अलग ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता का सुझाव दे सकता है। एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण तभी परिवर्तित करता है, यदि परिवर्तित हुआ प्रस्तुतिकरण उपयोगकर्ताओं को अधिक विश्वसनीय तथा और अधिक संगत सूचना प्रदान करता हो तथा संशोधित संरचना को आगे कायम रखने की संभावना है ताकि तुलनात्मकता की क्षतिग्रस्तता न हो। परिवर्तित प्रस्तुतिकरण करते समय प्रतिष्ठान अपनी तुलनात्मक सूचना का पुनर्वर्गीकरण अनुच्छेद 41 और 42 के अनुसार करता है।

संरचना एवं विषय-वस्तु

परिचय

47. यह मानक, तुलन पत्र या लाभ-हानि विवरण या 'इक्विटी' में परिवर्तनों के विवरण में विशिष्ट प्रकटनों की अपेक्षा करता है और अन्य रेखीय मदों को टिप्पणियों में या उन विवरणों में प्रकटन की अपेक्षा करता है। भारतीय लेखा मानक 7, नकदी प्रवाह विवरण नकद प्रवाह सूचना के प्रस्तुतिकरण की अपेक्षाएं स्पष्ट करता है।
48. यह मानक कभी-कभी 'प्रकटन' शब्द को विस्तृत अर्थ में प्रयोग करता है, जिसमें वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत मद समाविष्ट है। अन्य भारतीय लेखा मानक भी प्रकटनों की अपेक्षा करते हैं। जब तक इस मानक में या अन्य भारतीय लेखा मानकों में कहीं विपरीत उल्लेख न किया गया हो, ऐसे प्रकटनों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में किया जा सकता है।

वित्तीय विवरणों की पहचान

49. एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों की स्पष्ट पहचान करेगा और एक ही प्रकाशित दस्तावेज में दी गई अन्य सूचना से उसकी भिन्नता को भी स्पष्ट करेगा
50. भारतीय लेखा मानक केवल वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं और यह जरूरी नहीं है कि वे एक वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत अन्य सूचनाओं, एक विनियामक फाइलिंग या अन्य किसी दस्तावेज पर भी लागू हों। अतएव यह महत्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ता भारतीय

- लेखा मानकों के अनुसार तैयार की गयी सूचना, और अन्य सूचना जो उनके लिए उपयोगी हो सकती है पर वह भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षाओं के अधीन नहीं है, इन दोनों में अन्तर कर सके।
51. एक प्रतिष्ठान प्रत्येक वित्तीय विवरण और टिप्पणियों की स्पष्ट पहचान करेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना का प्रमुखता से प्रदर्शन करेगा और यदि आवश्यक हों तो प्रस्तुत सूचना को समझने योग्य बनाने के लिए उसे दोहरायेगा भी :-
- (क) रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान का नाम या पहचान के अन्य तरीके और गत रिपोर्टिंग अवधि के अन्त से उस सूचना में कोई परिवर्तन ;
- (ख) यह कि, वित्तीय विवरण किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान के हैं या प्रतिष्ठानों के एक समूह के हैं ;
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के समापन की तिथि या वित्तीय विवरणों के समुच्चय (सेट) या टिप्पणियों में व्याप्त अवधि ;
- (घ) प्रस्तुतिकरण की मुद्रा (करेंसी) भारतीय लेखा मानक 21 द्वारा यथा परिभाषित ; तथा
- (ङ) वित्तीय विवरणों में राशियों को प्रस्तुत करने में प्रयुक्त पूर्णांकित (राउन्डिंग ऑफ) स्तर ।
52. एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 51 में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी पृष्ठों, विवरणों, टिप्पणियों, कॉलमों और इसी तरह अन्य स्थानों पर उपयुक्त शीर्षक प्रदान करता है। ऐसी सूचना की सर्वोत्तम प्रस्तुति के निर्धारण के लिए सूझ-बूझ की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, जब एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों का इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण करता है, तो इसके लिए वह हमेशा अलग पृष्ठों का उपयोग नहीं करता है तब प्रतिष्ठान उपर्युक्त मदों को वित्तीय विवरणों से इस तरह से शामिल किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि यह सूचना समझ में आ सके ।
53. एक प्रतिष्ठान प्रायः वित्तीय विवरणों को और अधिक समझने लायक बनाने के लिए सूचना को प्रस्तुति मुद्रा में हजारों, लाखों, मिलियन या करोड़ों की ईकाइयों में प्रस्तुत करता है। ऐसा करना तब तक स्वीकार्य है जब तक प्रतिष्ठान द्वारा राशियों के पूर्णांकों (राउन्डिंग ऑफ) के स्तर का प्रकटन करता है और कहीं कोई सारवान सूचना नहीं छोड़ता है।

तुलन-पत्र

तुलन-पत्र में प्रस्तुत की जानी वाली सूचना

54. तुलन-पत्र में न्यूनतम तौर पर वे रेखीय मदें सम्मिलित होंगी जो निम्नलिखित राशियां प्रस्तुत करती हैं :-
- (क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर ;
- (ख) निवेश सम्पत्ति ;
- (ग) अमूर्त आस्तियां ;
- (घ) वित्तीय आस्तियां (ङ), (ज), (झ) के अंतर्गत दिखायी गयी राशियों को छोड़कर ;
- (ङ) 'इक्विटी' विधि के प्रयोग द्वारा लेखांकित निवेश ;
- (च) भारतीय लेखा मानक 41, कृषि के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत जैविक आस्तियां ;
- (छ) सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) ;
- (ज) व्यापार एवं अन्य प्राप्त राशियां ;
- (झ) नकदी एवं नकदी-तुल्य ;
- (ञ) भारतीय लेखा मानक 105, बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत कुल आस्तियां और निपटान समूह में सम्मिलित वे आस्तियां जिनको बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत किया गया है ;
- (ट) व्यापार एवं अन्य देय राशियां ;
- (ठ) प्रावधान ;
- (ड) वित्तीय दायित्व [(ट) तथा (ठ) में दिखायी गयी राशियों को छोड़कर] ;
- (ढ) भारतीय लेखा मानक 12, आयकर में यथापरिभाषित वर्तमान कर हेतु दायित्व एवं आस्तियां ;
- (ण) भारतीय लेखा मानक 12, आयकर में यथापरिभाषित आस्थगित कर दायित्व एवं आस्थगित कर आस्तियां ;
- (त) भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार निपटान समूहों में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत दायित्व ;
- (थ) गैर-नियंत्रक हित जिन्हें 'इक्विटी' के अन्दर ही प्रस्तुत किया गया है ; और

- (द) पुरोधृत पूंजी तथा कोष जो मूल प्रतिष्ठान के स्वामियों से आरोप्य हैं।
55. एक प्रतिष्ठान तुलन पत्र में अतिरिक्त रेखीय मदों, शीर्षकों और उप-योगों (जोड़ों) को प्रस्तुत करेगा जब उस प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए ऐसा प्रस्तुतिकरण उपयुक्त / संगत है।
56. जब एक प्रतिष्ठान अपने तुलन-पत्र में चालू एवं गैर-चालू आस्तियां और चालू एवं गैर-चालू दायित्वों को अलग वर्गीकरणों के रूप में प्रस्तुत करता है, तो यह आस्थगित कर आस्तियों (दायित्वों) को चालू आस्तियों (दायित्वों) के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा।
57. यह मानक प्रतिष्ठान द्वारा मदों को प्रस्तुत करने के लिए कोई अनुक्रम या प्रारूप (फार्मेट) नियत नहीं करता। अनुच्छेद 54 केवल मदों की सूची प्रस्तुत करता है जो कि प्रकृति या कार्य में इतनी अलग होती है जिन्हें तुलन पत्र में अलग प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त :
- (क) रेखीय मदों को सम्मिलित किया जाता है जब किसी मद का आकार, प्रकृति या कार्य, या ऐसी समान मदों का एकीकरण ऐसा हो कि अलग प्रस्तुतिकरण प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए आवश्यक हो ;
- (ख) प्रयुक्त निरूपण और मदों का अनुक्रम या समान मदों का एकीकरण प्रतिष्ठान की प्रकृति और इसके लेन-देनों के अनुसार इसलिए संशोधित किये जाते हैं ताकि प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए आवश्यक सूचना प्रदान की जा सके। उदाहरणार्थ, एक वित्तीय संस्थान उपर्युक्त निरूपण को ऐसे संशोधित कर सकता है ताकि वित्तीय संस्थान के परिचालन की उपयुक्त / संगत सूचना प्रदान की जा सके।
58. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित के आधार पर यह विवेकपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या अतिरिक्त मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाये या नहीं :-
- (क) आस्तियों की प्रकृति और तरलता (लिक्विडिटी);
- (ख) प्रतिष्ठान के भीतर आस्तियों का कार्य ; और
- (ग) दायित्वों की राशियां, प्रकृति और समय।
59. विभिन्न श्रेणियों की आस्तियों के लिए विभिन्न माप आधारों का प्रयोग यह सुझाव देता है कि उनकी प्रकृति या कार्य भिन्न है तथा अतएव, एक प्रतिष्ठान उनको अलग रेखीय मदों के रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ, सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की विभिन्न श्रेणियों को भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार लागत या पुनर्मूल्यांकित राशियों पर अग्रणीत किया जा सकता है।
- चालू / गैर-चालू में अन्तर**
60. एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 66-76 के अनुसार अपने तुलन-पत्र में चालू और गैर-चालू आस्तियों तथा चालू और गैर-चालू दायित्वों का अलग से वर्गीकरण करता है, सिवाय इसके जब तरलता/ चलनिधी पर आधारित प्रस्तुतीकरण द्वारा प्रदत्त सूचना विश्वसनीय तथा और अधिक उपयुक्त / संगत हो। जब यह अपवाद (एक्सेप्शन) लागू होता है तो प्रतिष्ठान सभी आस्तियों और दायित्वों को तरलता अनुक्रम में ही प्रस्तुत करेगा।
61. प्रस्तुतिकरण का कोई भी तरीका अपनाया जाये, प्रतिष्ठान प्रत्येक आस्ति और दायित्व की रेखीय मद की राशि को प्रकट करेगा जिसके बारह माह से अधिक समय पश्चात् वसूलने या चुकाये जाने की संभावना (प्रत्याशा) है जिनमें वे राशियां मिलती हैं जिनकी वसूली या चुकाया जाने की संभावना निम्नलिखित होती है :
- (क) रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह से अधिक नहीं हो, और
- (ख) रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह से अधिक।
62. जब एक प्रतिष्ठान एक स्पष्ट पहचानयोग्य परिचालन चक्र में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है, तो तुलन-पत्र में चालू और गैर-चालू आस्तियों तथा दायित्वों का अलग-अलग वर्गीकरण, शुद्ध आस्तियों, जो कि कार्यशील पूंजी के रूप में निरन्तर परिचालन में कार्यरत रहती है तथा जो कि प्रतिष्ठान के दीर्घकालीन परिचालन में प्रयोग में रहती है, में अन्तर कर उपयोगी सूचना प्रदान करता है। यह उन आस्तियों, जो कि वर्तमान परिचालन चक्र में ही वसूल हो जाएंगी, और उन दायित्व, जो कि उसी अवधि में चुकाने के लिए परिशोध्य हो जायेगी, को विशिष्ट रूप से दर्शाता (हाइलाइट) है।
63. कुछ प्रतिष्ठानों, जैसे कि वित्तीय संस्थान के मामले में जब आस्तियों और दायित्वों का तरलता के बढ़ते या घटते अनुक्रम में प्रस्तुतिकरण होता है तो वह ऐसी सूचना प्रदान करता है जो चालू और गैर-चालू प्रस्तुतिकरण की तुलना में विश्वसनीय तथा और अधिक उपयुक्त / संगत होती है क्योंकि प्रतिष्ठान (वित्तीय संस्थान) एक स्पष्ट पहचान योग्य परिचालन चक्र में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति नहीं करता।
64. अनुच्छेद 60 को लागू करने में, एक प्रतिष्ठान को यह अनुमति है कि वह कुछ आस्तियों और दायित्वों को चालू और गैर-चालू वर्गीकरण में तथा अन्य को तरलता के क्रम में प्रस्तुत करे। ऐसा करने से प्रदत्त सूचना विश्वसनीय तथा और अधिक उपयुक्त / संगत

होती है। जब प्रतिष्ठान के विविध परिचालन हों तो प्रस्तुतिकरण के लिए उपर्युक्त मिश्रित आधार की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है।

65. आस्तियों और दायित्वों की वसूली की प्रत्याशित (एक्सपेक्टिड) तिथियों संबंधी सूचना एक प्रतिष्ठान की तरलता तथा शोधक्षमता के निर्धारण में उपयोगी होती है। भारतीय लेखा मानक 107, *वित्तीय लिखतें: प्रकटन* वित्तीय आस्तियों और वित्तीय दायित्वों की परिपक्वता तिथियों के प्रकटन की अपेक्षा करता है। वित्तीय आस्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां और वित्तीय दायित्वों में व्यापारिक और अन्य देय राशियां सम्मिलित होती हैं। इसलिए कि आस्तियां और दायित्व चाहे चालू और गैर-चालू रूप में वर्गीकृत की जायें या नहीं, गैर-मौद्रिक आस्तियों जैसे सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) की वसूली की प्रत्याशित तिथि तथा दायित्वों जैसे प्रावधान के निपटान की प्रत्याशित तिथि के बारे में सूचना भी उपयोगी होती है। उदाहरणार्थ, एक प्रतिष्ठान सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) की उस राशि को प्रकट करता है जिसकी उसे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह से अधिक समय में वसूल होने की आशा / संभावना है।

चालू आस्तियां

66. एक प्रतिष्ठान किसी आस्ति को चालू आस्ति के रूप में तब वर्गीकृत करेगा, जब :

- (क) वह सामान्य परिचालन चक्र में आस्ति से राशी प्राप्त करने की (वसूली) आशा करता है या उसके विक्रय या उपभोग का इरादा रखता है ;
- (ख) वह आस्ति का धारण मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन के लिए करता है ;
- (ग) वह यह आशा करता है कि रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् के बारह माह के अंदर आस्ति से (वसूली) राशि प्राप्त हो जाएगी ; या
- (घ) आस्ति नकद या एक नकदी तुल्य है [जैसा कि भारतीय लेखा मानक 7 में परिभाषित है] जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माह तक, वह आस्ति किसी दायित्व के निपटान (चुकाए जाने) के लिए प्रयुक्त अथवा विनिमय के लिए, परिसीमित न हो ।

एक प्रतिष्ठान अन्य आस्तियों को गैर-चालू आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करेगा ।

67. यह मानक शब्द 'गैर-चालू' का प्रयोग दीर्घकालीन प्रकृति की मूर्त, अमूर्त और वित्तीय आस्तियों को सम्मिलित करने के लिए करता है। जब तक अर्थ स्पष्ट है यह किसी अन्य वैकल्पिक निरूपण के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगाता ।
68. एक प्रतिष्ठान का परिचालन चक्र, प्रसंसकरण प्रोसेसिंग हेतु आस्तियों के अधिग्रहण और उनकी नकद या नकदी-तुल्य में वसूली के बीच का समय है। जब प्रतिष्ठान का सामान्य परिचालन चक्र स्पष्टतः पहचानयोग्य न हो तो इसे बारह माह माना जाता है। चालू आस्तियों में वे आस्तियां [जैसे कि सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) और व्यापारिक प्राप्य राशियां] सम्मिलित होती हैं जो सामान्य परिचालन चक्र के अंग के रूप में बेची जाती हैं, उपयोग में लायी जाती हैं या राशि वसूल की जाती हैं, भले ही रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह के भीतर उनकी वसूली की आशा न हो । चालू आस्तियों में वे आस्तियां सम्मिलित हैं जो कि मुख्यतया व्यापारिक प्रयोजन के लिए धारित हैं [उदाहरणों में ऐसी वित्तीय आस्तियां सम्मिलित हैं जो भारतीय लेखा मानक 109 में व्यापार के लिए धारित की परिभाषा को पूरा करती हैं।] और गैर-चालू वित्तीय आस्तियों का चालू भाग है।

चालू दायित्व

69. एक प्रतिष्ठान दायित्व को चालू दायित्व के रूप में तब वर्गीकृत करेगा, जब:

- (क) वह दायित्व को सामान्य परिचालन चक्र में निपटाने (चुकाने) की आशा करता हो ;
- (ख) वह दायित्व को मुख्यतया व्यापारिक प्रयोजन के लिए धारित करता हो ;
- (ग) वह दायित्व रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह में ही निपटान (चुकाने) के लिए देय हो ; या
- (घ) इसके पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माह के लिए निपटान स्थगित करने का शर्तरहित अधिकार न हो (देखिये अनुच्छेद 73) यदि प्रतिपक्ष के विकल्प पर दायित्व की शर्तों पर निपटान 'इक्विटी' लिखतों के निर्गम द्वारा किया जाता है तो इससे वर्गीकरण प्रभावित नहीं होता ।

एक प्रतिष्ठान अन्य सभी दायित्वों को गैर-चालू दायित्वों के रूप में वर्गीकृत करेगा ।

70. कुछ चालू दायित्व जैसे कि व्यापार से संबंधित देय राशियां और कर्मचारियों के लिए कुछ उपार्जन तथा अन्य परिचालन लागतें, प्रतिष्ठान के सामान्य परिचालन चक्र में प्रयोग में लायी गयी कार्यशील पूंजी के ही भाग होते हैं। एक प्रतिष्ठान ऐसी परिचालन मदों को चालू दायित्व के रूप में ही वर्गीकृत करता है भले ही वे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह से अधिक समय पर निपटान

- (चुकाने) के लिए देय हो। एक जैसा सामान्य परिचालन चक्र एक प्रतिष्ठान की आस्तियों और दायित्वों के वर्गीकरण पर लागू होता है। जब प्रतिष्ठान का सामान्य परिचालन चक्र स्पष्टतः पहचान योग्य न हो तो यह बारह माह ही माना जाएगा।
71. अन्य चालू दायित्व सामान्य परिचालन चक्र के भाग के रूप में नहीं निपटायी (चुकायी) जाती, लेकिन वे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह के अन्दर निपटान (चुकाने) के लिए देय होती हैं या मुख्यतया व्यापारिक प्रयोजनों के लिए धारित की जाती हैं। उदाहरणों में कुछ ऐसे वित्तीय दायित्व हैं जो भारतीय लेखा मानक 109 में व्यापार के लिए धारित की परिभाषा को पूरा करते हैं, बैंक ओवरड्रॉफ्ट और गैर-चालू वित्तीय दायित्वों का चालू भाग, देय लाभांश, आयकर और अन्य गैर-व्यापारिक राशियाँ। अनुच्छेद 74 और 75 के अधीन वे वित्तीय दायित्व, जो कि दीर्घ-कालीन आधार पर वित्त प्रदान करती हैं (प्रतिष्ठान के सामान्य परिचालन चक्र में प्रयुक्त कार्यशील पूंजी का भाग नहीं हैं) और रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह के अन्दर निपटान के लिए देय न हों, गैर-चालू दायित्व हैं।
72. एक प्रतिष्ठान अपनी वित्तीय दायित्वों को तब चालू दायित्वों के रूप में वर्गीकृत करता है जब वे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह के अन्दर निपटान के लिए देय हो, भले ही :
- (क) मूल अवधि बारह माह से अधिक की अवधि हो, और
- (ख) दीर्घावधि आधार पर पुनर्वित्त या भुगतान की समय-सारणी पुनः बनाने करार, रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् और वित्तीय विवरणों के जारी करने के अनुमोदन से पूर्व पूरा होता हो।
73. यदि एक प्रतिष्ठान को यह आशा है और उसे ऐसा करने का विवेकाधिकार है कि वह किसी मौजूदा ऋण सुविधा के अधीन बाध्यता को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माह आगे के लिए पुनर्वित्त करने या बाध्यता को अन्तरित (स्थगित) कर ले, तो वह इस बाध्यता को गैर-चालू बाध्यता के रूप में वर्गीकृत करता है भले ही अन्यथा यह अल्प-काल में ही देय क्यों न हो। लेकिन, जब प्रतिष्ठान के पास पुनर्वित्त करने या बाध्यता को अगली अवधि में अन्तरित (स्थगित) करने का विवेकाधिकार न हो (उदाहरणार्थ, पुनर्वित्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है), तो प्रतिष्ठान बाध्यता के पुनर्वित्त करने की संभावना पर विचार नहीं करता और बाध्यता को चालू बाध्यता के रूप में वर्गीकृत करता है।
74. जब एक प्रतिष्ठान एक दीर्घावधि ऋण व्यवस्था के सारवान प्रावधान का रिपोर्टिंग अवधि पर या उसके समापन से पूर्व उल्लंघन करता है और उसके परिणामस्वरूप दायित्व रिपोर्टिंग तिथि को मांग पर देय हो जाता है तो वह दायित्व को चालू दायित्व के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है, यदि ऋणदाता रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् और वित्तीय विवरण जारी करने के अनुमोदन पूर्व इस उल्लंघन के फलस्वरूप भुगतान की मांग न करने के लिए सहमत हो गया हो।
75. लेकिन, प्रतिष्ठान ऐसे दायित्व को गैर-चालू दायित्व के रूप में वर्गीकृत करेगा, यदि ऋणदाता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में रियायत अवधि जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माह हो, को उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो जाए, जिस अवधि में प्रतिष्ठान उल्लंघन का सुधार कर सकता है और इस बीच ऋणदाता तत्काल पुनर्भुगतान की मांग नहीं कर सकता।
76. [देखे परिशिष्ट 1]
- तुलन-पत्र या टिप्पणियों में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना**
77. एक प्रतिष्ठान प्रस्तुत रेखीय मदों का उपवर्गीकरण अपने तुलन-पत्र या टिप्पणियों में प्रकट करेगा, जो प्रतिष्ठान के परिचालनों के लिए उपयुक्त तरीके से वर्गीकृत हो
78. उपवर्गीकरणों में प्रदत्त ब्यौरा भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षाओं तथा संबंधित राशियों के आकार, प्रकृति और कार्य पर निर्भर करती है। उपवर्गीकरण के आधार का निर्णय लेने के लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद 58 में वर्णित घटकों का भी उपयोग करता है। प्रत्येक मद के लिए प्रकटन भिन्न-भिन्न हो सकते हैं उदाहरणार्थ :
- (क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मदों को भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
- (ख) प्राप्य राशियों को व्यापारिक ग्राहकों से प्राप्य राशियों, सम्बद्ध पक्षों से प्राप्य राशियों, पूर्वभुगतानों और अन्य राशियों में विभाजित किया जाता है ;
- (ग) सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) को भारतीय लेखा मानक 2, 'सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)' के अनुसार, बिक्री माल, उत्पादन आपूर्तियों, सामग्री, निर्माणाधीन सामग्री और तैयार माल जैसे वर्गों में विभाजित किया जाता है ;
- (घ) प्रावधानों को कर्मचारी लाभों और अन्य मदों के लिए प्रावधानों में विभाजित किया जाता है ;
- (ङ) 'इक्विटी' पूंजी तथा आरक्षित राशियों को विभिन्न श्रेणियों जैसे कि प्रदत्त पूंजी, शेयर प्रीमियम और आरक्षित राशियों में विभाजित किया जाता है।

79. एक प्रतिष्ठान तुलन-पत्र में या 'इक्विटी' में परिवर्तनों के विवरण या टिप्पणियों में निम्नलिखित को प्रकट करेगा :

(क) शेयर पूंजी की प्रत्येक श्रेणी के लिए :

- (i) अधिकृत शेयरों की संख्या ;
- (ii) निर्गमित तथा पूर्ण प्रदत्त और निर्गमित परन्तु पूर्ण प्रदत्त नहीं, शेयरों की संख्या ;
- (iii) प्रति शेयर सम मूल्य, या कि शेयर जिनका कोई सम मूल्य नहीं है ;
- (iv) अवधि के प्रारंभ और अन्त में बकाया शेयरों का मिलान ;
- (v) लाभांश वितरण और पूंजी पुर्न भुगतान पर प्रतिबंध सहित सम्बद्ध श्रेणी से जुड़े अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध ;
- (vi) प्रतिष्ठान में शेयर, प्रतिष्ठान या इसकी अनुषंगियों या सहयोगी प्रतिष्ठानों द्वारा धारित शेयर; और
- (vii) शेयरों की बिक्री हेतु विकल्पों और अनुबंधों के अधीन आरक्षित शेयर, निबंधनों और राशियों सहित ; और

(ख) 'इन्वेंट्रीज' के अन्तर्गत प्रत्येक आरक्षित निधि (राशि) की प्रकृति एवं प्रयोजन का वर्णन

80. एक प्रतिष्ठान जिसकी पूंजी शेयरों द्वारा सीमित नहीं की गयी है, जैसे कि एक कंपनी जो गारंटी द्वारा सीमित है, वह प्रतिष्ठान अनुच्छेद 79 (क) द्वारा अपेक्षित सूचना के समान सूचना का प्रकटन करेगी जिसमें अवधि के दौरान 'इक्विटी' हितों की प्रत्येक श्रेणी और अधिकारों, अधिमानों और 'इक्विटी' हितों की प्रत्येक श्रेणी से जुड़े हुए प्रतिबंधों के परिवर्तनों को प्रकट करेगी ।

80क यदि एक प्रतिष्ठान ने वित्तीय दायित्वों व 'इक्विटी' के बीच निम्नलिखित का पुनर्वर्गीकरण किया है :

(क) एक पुटेबल वित्तीय लिखत जिसे 'इक्विटी' लिखत के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ; या

(ख) वह लिखत जो प्रतिष्ठान पर यह बाध्यता सौंपती हो कि वह प्रतिष्ठान उस की शुद्ध आस्तियों का आनुपातिक अंश सिर्फ परिसमापन पर दूसरे पक्ष को सौंपेगा और जिसे 'इक्विटी' लिखत के रूप में ही वर्गीकृत किया गया है

तो वह प्रतिष्ठान प्रत्येक श्रेणी (वित्तीय दायित्व या इक्विटी) में आपस में अन्तरित पुनर्वर्गीकृत राशि और पुनर्वर्गीकरण का समय व कारण को प्रकट करेगा ।

लाभ - हानि विवरण

81. [देखें परिशिष्ट 1]

81 क लाभ-हानि का विवरण, लाभ या हानि एवं अन्य व्यापक आय खंडों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी प्रस्तुत करेगा:

(क) लाभ या हानि

(ख) कुल अन्य व्यापक आय; और

(ग) अवधि की व्यापक आय जो लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय का योग है।

81 ख एक प्रतिष्ठान लाभ या हानि और व्यापक आय खंडों के अतिरिक्त अवधि का लाभ या हानि एवं अन्य व्यापक आय के आबंटन के रूप में निम्नलिखित मदों को भी प्रस्तुत करेगा:

(क) निम्नलिखित से आरोप्य अवधि का लाभ या हानि

(i) गैर नियंत्रक हित; एवं

(ii) मूल प्रतिष्ठान के स्वामी।

(ख) निम्नलिखित से आरोप्य अवधि की व्यापक आय

(i) गैर नियंत्रक हित; एवं

(ii) मूल प्रतिष्ठान के स्वामी।

लाभ-हानि विवरण में लाभ या हानि खंड में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

82. अन्य भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित मदों के अतिरिक्त लाभ एवं हानि के विवरण के लाभ या हानि खंड में निम्नलिखित रेखीय मदों का समावेश किया जाएगा जो अवधि के लिए राशियां प्रस्तुत करती हैं :-

(क) राजस्व, जिसमें प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए संगणित ब्याज राजस्व अलग-से प्रस्तुत किया जाएगा।

(क क) परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय आस्तियों की अमान्यता से उत्पन्न लाभ (गेन्ज़) व हानियां

- (ख) वित्तीय लागतें
- (ख क) भारतीय लेखा मानक 109 के खंड 5(5) के अनुसार निर्धारित की गई क्षतिग्रस्तता हानियां (जिनमें क्षतिग्रस्तता हानियां या क्षतिग्रस्तता लाभों का विपर्याय (उलटाव) भी सम्मिलित है।)
- (ग) सहयोगी प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों के लाभ या हानि का अंश जिसका लेखा 'इक्विटी' विधि का प्रयोग करके किया गया है।
- (ग क) यदि वित्तीय आस्ति परिशोधित लागत माप श्रेणी से निकाल कर पुनर्वर्गीकृत की जाती है ताकि इसका माप लाभ (प्राफिट) या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर किया जाए तो वित्तीय आस्ति की पूर्ववर्ती परिशोधित लागत और इसके पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य के बीच के अन्तर से उत्पन्न कोई लाभ (गेन) या हानि (जैसा कि भारतीय लेखा मानक 109 में वर्णित है);
- (ग ख) यदि एक वित्तीय आस्ति आय व्यापक आय माप श्रेणी के माध्यम से उचित मूल्य से निकाल कर पुनर्वर्गीकृत की जाती है ताकि इसका माप लाभ (प्राफिट) या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है तो अन्य व्यापक आय में गत मान्य संचित लाभ (गेन) या हानि जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।
- (घ) कर व्यय
- (ङ) (देखें परिशिष्ट 1)
- (ङ क) सभी बंद परिचालनों के लिए एकल राशि (देखें भारतीय लेखा मानक 105)
- (च) (देखें परिशिष्ट 1)
- अन्य व्यापक आय खंड में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना
- 82 क अन्य व्यापक आय खंड अवधि में अन्य व्यापक आय की राशियों की रेखीय मदों को प्रस्तुत करेगा जिन्हें प्रकृति (सहयोगी प्रतिष्ठानों व संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय के उस अंश सहित जिसका लेखा इक्विटी विधि का प्रयोग करके किया जाता है) अनुसार वर्गीकृत और जिन्हें भारतीय लेखा मानक में अनुसरण में समूह में रखा जाता है।
- (क) इन्हें बाद में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा ।
- (ख) जब विशिष्ट शर्तें पूरी होंगी तब बाद में लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाएगा ।
83. [देखें परिशिष्ट 1]
84. [देखें परिशिष्ट 1]
85. एक प्रतिष्ठान लाभ और हानि विवरण में अतिरिक्त रेखीय मदों, शीर्षकों और उप-योगों का प्रस्तुतिकरण करेगा जब ऐसा प्रस्तुतिकरण प्रतिष्ठान के वित्तीय निष्पादन को समझने हेतु उपयुक्त / संगत है।
86. क्योंकि एक प्रतिष्ठान की विभिन्न गतिविधियों, लेन-देनों और घटनाओं के प्रभाव की आवृत्ति, लाभ (गेन) या हानि की समभाव्यता एवं अनुमान अलग-अलग है, वित्तीय कार्य निष्पादन के घटकों का प्रकटन, वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय निष्पादन समझने और भविष्य के कार्य निष्पादन का पूर्वानुमान लगाने के लिए सहायता करता है। एक प्रतिष्ठान लाभ और हानि विवरण में अतिरिक्त रेखीय मदों को सम्मिलित करता है और यह प्रयोग में लाये गये वर्णनों तथा मदों के अनुक्रम को भी संशोधित करता है जब ऐसा करना वित्तीय निष्पादन के घटकों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो । एक प्रतिष्ठान सारवानता और आय एवं व्यय की मदों की प्रकृति और कार्य सहित कारकों पर विचार करता है। उदाहरणार्थ, एक वित्तीय संस्थान परिचालनों के लिए प्रासंगिक सूचना को प्रदान करने के लिए वर्णनों को संशोधित कर सकता है। एक प्रतिष्ठान आय और व्यय की मदों को परस्पर समायोजित (ऑफसेट) नहीं करता जब तक कि अनुच्छेद 32 में दिये गये मानदंडों का पालन हो न रहा हो ।
87. एक प्रतिष्ठान आय या व्यय की किन्हीं मदों को लाभ और हानि विवरण या टिप्पणियों में असाधारण मदों के रूप में प्रकट नहीं कर सकता ।
- अवधि का लाभ या हानि
88. एक प्रतिष्ठान अवधि में आय और व्यय की सभी मदों को लाभ या हानि में मान्यता देगा जब तक कि कोई भारतीय लेखा मानक कोई अन्यथा अनुमति न दे या अपेक्षा न करे ।
89. कुछ भारतीय लेखा मानक उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करते हैं जब एक प्रतिष्ठान वर्तमान अवधि में विशिष्ट मदों को लाभ या हानि के बाहर मान्यता देता है। भारतीय लेखा मानक 8 दो ऐसी ही परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करता है अर्थात् त्रुटियों का सुधार और लेखा नीतियों में परिवर्तनों का प्रभाव । अन्य भारतीय लेखा मानक यह अपेक्षा करते हैं या अनुमति देते हैं, अन्य व्यापक आय

के वह घटक, जो कि मूलभूत पद्धति (फरेमवर्क) में दी गयी आय या व्यय की परिभाषा को पूरा करते हैं उन्हें लाभ या हानि से बाहर रखा जाता है (देखिये अनुच्छेद 7)।

अवधि की अन्य व्यापक आय

90. एक प्रतिष्ठान या तो लाभ-हानि विवरण में या टिप्पणियों में अन्य व्यापक आय के प्रत्येक मद से सम्बंधित आयकर की राशि का प्रकटन करेगा जिसमें पुनर्वर्गीकृत समायोजन भी शामिल होंगे।

91. एक प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय की मदों का प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से एक प्रकार से कर सकता है:

(क) सम्बंधित कर प्रभावों को घटाकर, या

(ख) सम्बंधित कर प्रभावों से पूर्व उन मदों से सम्बंधित आय-कर की कुल राशि को एकल राशि के रूप में प्रदर्शित करके।

यदि एक प्रतिष्ठान उपर्युक्त में से (ख) का चयन करता है तो वह कर का आबंटन उन मदों के बीच करेगा जो बाद में लाभ या हानि खंड में पुनर्वर्गीकृत हो सकते होंगे और जो बाद में लाभ या हानि खंड में पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे।

92. एक प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय के घटकों से सम्बंधित पुनर्वर्गीकरण समायोजनों का प्रकटन करेगा।

93. अन्य भारतीय लेखा मानक यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि पूर्व में अन्य व्यापक आय के रूप में मान्य राशियां क्यों और कब लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत की जाती हैं। इस मानक में ऐसे पुनर्वर्गीकरणों को पुनर्वर्गीकरण समायोजनों के रूप में संदर्भित किया गया है। एक पुनर्वर्गीकरण समायोजन अवधि विशेष के अन्य व्यापक आय के सम्बंधित घटक के साथ सम्मिलित किया जाता है यह बताते हुए कि समायोजन लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत है। इन राशियों को वर्तमान या पूर्व अवधियों में वसूल न किए गए लाभ (गेन) के रूप में मान्य किया गया हो। उस अवधि की कुल व्यापक आय में से वसूल न किये गये लाभों (गेन्ज) को अनिवार्यतः घटाना चाहिए जिस अवधि में कि वसूले लाभों (गेन्ज) को लाभ (प्राफिट) या हानि हेतु पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, ताकि उन्हें व्यापक आय में दो बार जोड़ा जाने से बचाया जा सके।

94. एक प्रतिष्ठान लाभ और हानि विवरण या टिप्पणियों में पुनर्वर्गीकरण समायोजनों को प्रस्तुत कर सकता है। एक प्रतिष्ठान यदि टिप्पणियों में पुनर्वर्गीकरण समायोजनों को प्रस्तुत करता है तो वह सम्बंधित पुनर्वर्गीकरण समायोजनों के पश्चात् अन्य व्यापक आय की मदों को प्रस्तुत करता है।

95. पुनर्वर्गीकरण समायोजन तब उत्पन्न होते हैं जब, उदाहरणार्थ, विदेशी परिचालन के निपटान पर [देखें भारतीय लेखा मानक 21], और जब हैजड पूर्वानुमान नकदी प्रवाह लाभ या हानि को प्रभावित करता है [देखें भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद 6.5.11(घ) नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा के संबंध में]।

96. पुनर्वर्गीकरण समायोजन भारतीय लेखा मानक 16 या भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार मान्य पुनर्मूल्यांकन आधिक्य में परिवर्तनों या भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार पारिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं के माप पर उत्पन्न नहीं होते। इन घटकों को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता और बाद की अवधियों में लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता। पुनर्मूल्यांकन आधिक्य में परिवर्तनों को बाद की अवधियों में धारित अर्जन में, जैसे-2 आस्ति का प्रयोग होता है या जब यह गैर-मान्य हो जाती है, अंतरित किया जा सकता है। [देखें भारतीय लेखा मानक 16 और भारतीय लेखा मानक 38]; भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसरण में पुनर्वर्गीकरण समायोजन तब उत्पन्न नहीं होते यदि एक नकदी प्रवाह हैज या एक विकल्प के समय मूल्य के लेखा (या वायदा अनुबंध के वायदा तत्व या एक वित्तीय लिखत के विदेशी मुद्रा आधारित विस्तार) उन राशियों में परिणत होता है जिन्हें नकदी प्रवाह हैज आरक्षित निधि या इक्विटी के पृथक घटक से हटा ली जाती हैं और सीधे ही प्रारम्भिक लागत या एक आस्ति या दायित्व की अन्य अग्रणीत राशि में सम्मिलित की जाती है, इन राशियों को सीधे ही आस्तियों या दायित्वों में अन्तरित किया जाता है।

लाभ - हानि विवरण या टिप्पणियों में दी जाने वाली सूचना

97. जब आय या व्यय की मदें सारवान हों, एक प्रतिष्ठान उनकी प्रकृति और राशि को अलग-से प्रकट करेगा।

98. वह परिस्थितियां जिनमें आय और व्यय की मदों को अलग-से प्रकट करना पड़ता है, में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) सूचीबद्ध सामान (इनवेंट्री) को शुद्ध नकदीकरण योग्य मूल्य या सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वसूलयोग्य राशि पर अवमूल्यित करना और इसके साथ ही ऐसी अवमूल्यित राशियों का विपर्यास (उलटाया जाना) करना ;

(ख) एक प्रतिष्ठान की गतिविधियों की पुनर्संरचना और पुनर्संरचना लागतों के लिए किये गये किसी भी प्रावधान का विपर्यास;

(ग) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों का निपटान ;

(घ) निवेशों का निपटान ;

- (ड) बंद परिचालन
(च) मुकद्दमों का निपटान ; और
(छ) अन्य प्रावधानों के विपर्यास
99. एक प्रतिष्ठान लाभ या हानि में व्यय की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत मान्य व्ययों का विश्लेषण प्रस्तुत करेगा ।
100. अनुच्छेद 99 के अनुसार, लाभ और हानि विवरण में विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित किया गया है।
101. व्ययों का उपवर्गीकरण वित्तीय निष्पादन घटकों पर प्रकाश डालने हेतु किया जाता है जो आवृत्ति, लाभ (गेन) या हानि की संभाव्यता और पूर्व अनुमान योग्यता से भिन्न हो सकते हैं। यह विश्लेषण अनुच्छेद 102 में दिये गये प्रारूप अनुसार किया जाता है।
102. 'व्यय की प्रकृति' विधि पर आधारित विश्लेषण में, एक प्रतिष्ठान व्ययों को उनकी प्रकृति अनुसार (उदाहरणार्थ, मूल्यह्रास, सामग्री का क्रय, परिवहन लागतें, कर्मचारी लाभ (सुविधाएं) और विज्ञापन लागतें) लाभ या हानि में एकीकृत करता है, और प्रतिष्ठान के अंदर कार्यों के आधार पर पुनरावंटित नहीं करता । यह विधि लागू करने में आसान है क्योंकि व्ययों को कार्यों के आधार पर आंबटन की आवश्यकता नहीं होती । व्यय की प्रकृति विधि आधारित वर्गीकरण का एक उदाहरण नीचे दिया गया है:
- | | | |
|---|---|-----|
| राजस्व | | X |
| अन्य आय | | X |
| तैयार माल और निर्माणाधीन माल में परिवर्तन | X | |
| कच्चा माल और इस्तेमाल में सामग्री | X | |
| कर्मचारी लाभ व्यय | X | |
| मूल्यह्रास और परिशोध्य व्यय | X | |
| अन्य व्यय | X | |
| कुल व्यय | | (X) |
| कर पूर्व लाभ | | X |
103. [देखें परिशिष्ट 1]
104. [देखें परिशिष्ट 1]
105. [देखें परिशिष्ट 1]
- 'इक्विटी' में परिवर्तनों का विवरण
- 'इक्विटी' में परिवर्तनों के विवरण में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना
106. एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 10 द्वारा अपेक्षित 'इक्विटी' में परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत करेगा । 'इक्विटी' में परिवर्तनों के विवरण में निम्नलिखित सम्मिलित किये जाएंगे:--
- (क) अवधि की कुल व्यापक आय, जिसे मूल प्रतिष्ठान के स्वामियों और गैर-नियंत्रक हितों में अलग-अलग दिखाया जाएगा ;
- (ख) 'इक्विटी' के प्रत्येक घटक के लिए, भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार मान्य पूर्वप्रभावी उपयोग के प्रभाव या पूर्वप्रभावी पुनर्कथन ;
- (ग) [देखें परिशिष्ट 1] ;
- (घ) 'इक्विटी' के प्रत्येक घटक हेतु अवधि के प्रारंभ और अंत में अग्रणीत राशि के बीच मिलान । निम्नलिखित से उत्पन्न प्रत्येक परिवर्तन को पृथक-पृथक (न्यूनतम तौर पर) प्रकट किया जाएगा :
- (i) लाभ या हानि ;
- (ii) अन्य व्यापक आय ;
- (iii) स्वामियों के साथ स्वामियों की हैसियत से लेन-देन, जिनमें स्वामियों द्वारा किये गये अंशदान और उनको किया गया वितरण तथा अनुषंगी प्रतिष्ठानों में स्वामित्व हित परिवर्तन जिसके परिणामतः नियंत्रण नहीं घटता, शामिल है, को अलग-अलग दिखाया जाएगा ; तथा

- (iv) 'इक्विटी' में प्रत्यक्ष रूप से मान्य कोई मद जैसे कि भारतीय लेखा मानक 103 के अनुच्छेद 36 क के साथ पूंजी में आरक्षित राशि के रूप में प्रत्यक्ष रूप से मान्य राशि ।

टिप्पणियों में या 'इक्विटी' में परिवर्तनों के विवरण में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

- 106.(क) 'इक्विटी' के प्रत्येक घटक हेतु एक प्रतिष्ठान, या तो इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में या टिप्पणियों में; अन्य व्यापक आय का मदवार विश्लेषण प्रस्तुत करेगा । [देखें अनुच्छेद 106 (घ) (ii)]
107. एक प्रतिष्ठान या तो 'इक्विटी' में परिवर्तन विवरण या टिप्पणियों में अवधि में लाभांश की राशि जो कि स्वामियों को वितरण की तरह मान्य हो, और प्रति शेयर लाभांश की संबद्ध राशि प्रस्तुत करेगा ।
108. अनुच्छेद 106 में 'इक्विटी' के घटकों में, उदाहरणार्थ, अंशदान की गई 'इक्विटी' की प्रत्येक श्रेणी, अन्य व्यापक आय की प्रत्येक श्रेणी का संचयित शेष और धारित अर्जन सम्मिलित है।
109. रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अन्त के बीच एक प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' में परिवर्तन उस अवधि के दौरान शुद्ध आस्तियों में कमी या वृद्धि दर्शाती है। स्वामियों के साथ उनकी स्वामी की हैसियत से लेन-देन (जैसे कि 'इक्विटी' अंशदान, प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिष्ठान के स्वयं के 'इक्विटी' लिखतें का पुनः अधिग्रहण, और लाभांश) और ऐसे लेन-देनों से सम्बद्ध प्रत्यक्ष लेन-देन लागतों को छोड़कर एक अवधि में 'इक्विटी' में कुल मिलाकर परिवर्तन उस अवधि में प्रतिष्ठान की गतिविधियों से उत्पन्न लाभ (गेन) और हानि सहित आय और व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को दर्शाता है।
110. भारतीय लेखा मानक 8 लेखा नीतियों में परिवर्तनों को प्रभावी बनाने हेतु पूर्व प्रभावी समायोजनों की अपेक्षा करता है, जहां तक व्यवहार्य हो, सिवाय जब कि अन्य भारतीय लेखा मानक के संक्रमणकालीन प्रावधान अन्यथा अपेक्षा करते हैं। भारतीय लेखा मानक 8 पूर्व प्रभावी अवधि से त्रुटियों के सुधार के पुनर्कथन की भी अपेक्षा करता है, जहां तक व्यवहार्य हो । पूर्व प्रभावी समायोजन और पुनर्कथन 'इक्विटी' में परिवर्तन नहीं है बल्कि वे धारित अर्जन के प्रारंभिक शेष में समायोजन है, सिवाय इसके जब एक भारतीय लेखा मानक 'इक्विटी' के अन्य घटक के पुनर्प्रभावी समायोजन की मांग करता है। अनुच्छेद 106 (ख) लेखा नीतियों में परिवर्तन के फलस्वरूप 'इक्विटी' के प्रत्येक घटक के सम्पूर्ण समायोजन तथा पृथक रूप में त्रुटियों के सुधार को 'इक्विटी' में परिवर्तन विवरण में प्रकटन की अपेक्षा करता है। ये समायोजन प्रत्येक पूर्व अवधि और अवधि के प्रारंभ में प्रकट किये जाते हैं।

नकदी प्रवाह विवरण

111. नकदी प्रवाह सूचना वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को प्रतिष्ठान के नकदी या नकदी तुल्य उत्पन्न करने की योग्यता और उन नकदी प्रवाहों को प्रतिष्ठान की आवश्यकताओं के उपयोग की योग्यता के निर्धारण का आधार प्रदान करता है। भारतीय लेखा मानक 7 नकदी प्रवाह सूचना के प्रस्तुतिकरण व प्रकटन हेतु अपेक्षाएं निर्धारित करता है।

टिप्पणियां

संरचना

112. टिप्पणियां निम्नलिखित के बारे में की जाएंगी :

- (क) वित्तीय विवरणों के तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखा आधार और अनुच्छेद 117-124 के अनुसार प्रयुक्त विशिष्ट लेखा नीतियों के बारे में सूचना प्रदान करना;
- (ख) भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित सूचना का प्रकटन जो कि वित्तीय विवरणों में अन्यत्र प्रस्तुत नहीं की गई है; और
- (ग) वित्तीय विवरणों में सूचना जो अन्यत्र प्रस्तुत न हो लेकिन जो उनको समझने के लिए उपयुक्त / संगत है।

113. एक प्रतिष्ठान सुव्यवस्थित तरीके-से टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा । तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण 'इक्विटी' में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह विवरण में प्रत्येक मद का टिप्पणियों में वर्णित सम्बंधित सूचना को प्रति-संदर्भित करेगा ।

114. एक प्रतिष्ठान, वित्तीय विवरणों को समझने और उनकी अन्य प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों से तुलना हेतु उपयोगकर्ताओं की सहायताार्थ टिप्पणियों को निम्न क्रम में प्रस्तुत करेगा :

- (क) भारतीय लेखा मानकों के साथ अनुपालन विवरण (देखें अनुच्छेद 16) ;
- (ख) लागू की गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार (देखें अनुच्छेद 117) ;
- (ग) तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, 'इक्विटी' में परिवर्तनों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुत मदों के लिए सहायक सूचना ठीक उसी क्रम में प्रस्तुत करेगा जिसमें कि प्रत्येक विवरण व प्रत्येक रेखीय मद प्रस्तुत की जाती है; और
- (घ) निम्नलिखित सहित अन्य प्रकटन :

- (i) आकस्मिक दायित्व [देखें भारतीय लेखा मानक 37] और गैर-मान्य अनुबंधात्मक वचनबद्धताएं; और
- (ii) गैर-वित्तीय प्रकटन, उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान के वित्तीय जोखिम प्रबन्धन उद्देश्य और नीतियां [देखें भारतीय लेखा मानक 107];
115. कुछ परिस्थितियों में टिप्पणियों में विशिष्ट मदों के क्रम में बदलाव आवश्यक या इच्छित हो सकता है। उदाहरणार्थ, एक प्रतिष्ठान लाभ या हानि में मान्य उचित मूल्य में परिवर्तन की सूचना को वित्तीय लिखतों की परिपक्वता सूचना के साथ मिला सकता है, यद्यपि पहला प्रकटन लाभ और हानि विवरण से सम्बंधित है और बाद वाला तुलन-पत्र से सम्बंधित है। तथापि, एक प्रतिष्ठान जहां तक व्यवहार्य हो टिप्पणियों के लिए एक सुव्यवस्थित संरचना ही धारित करता है।
116. एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों के पृथक भाग के रूप में वित्तीय विवरणों के निर्माण के आधार और विशिष्ट लेखा नीतियों के बारे में अलग अनुभाग (खंड) में सूचना प्रदान करने हेतु टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।
- लेखा नीतियों का प्रकटन**
117. एक प्रतिष्ठान महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश में प्रकट करेगा :
- (क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त माप आधार(ों), और
- (ख) वित्तीय विवरणों को समझने के लिए उपयुक्त / संगत प्रयुक्त अन्य लेखा नीतियां
118. एक प्रतिष्ठान के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वह उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त माप आधार या आधारों (उदाहरणार्थ, ऐतिहासिक लागत, वर्तमान लागत, शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, उचित मूल्य, या प्राप्त हो सकने वाली राशि) की जानकारी दे, क्योंकि प्रतिष्ठान जिस आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार करता है उससे उपयोगकर्ताओं का विश्लेषण महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। जब एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों में एक से अधिक माप आधारों को प्रयोग में लाता है उदाहरणार्थ जब विशेष श्रेणी की आस्तियां पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं तो यह एक पर्याप्त संकेत देता है कि किस श्रेणी की आस्तियों और दायित्वों को कौन सा माप आधार अपनाया है।
119. यह निश्चित करते समय कि क्या किसी विशिष्ट लेखा नीति का प्रकटन किया जाये, तो प्रबन्धन विचार करता है कि क्या प्रकटन उपयोगकर्ताओं के लिए यह समझने में सहायक होगा कि किस प्रकार लेन-देन, अन्य घटनाएं और परिस्थितियां वित्तीय निष्पादन और वित्तीय स्थिति में प्रतिबिंबित हैं। विशिष्ट वित्तीय लेखा नीतियों का प्रकटन उपयोगकर्ताओं के लिए तब विशेष उपयोगी हो जाता है, जब वे नीतियां भारतीय लेखा मानकों द्वारा स्वीकृत विकल्पों में से चयनित हों। इसका एक उदाहरण है व्यापार-तिथि लेखा या निपटान-तिथि लेखा में से किसी एक का प्रयोग करते हुए वित्तीय आस्तियों का नियमित आधार पर खरीद या बिक्री का प्रकटन। [देखें भारतीय लेखा मानक 109, 'वित्तीय लिखतें'] कुछ भारतीय लेखा मानक विशेष रूप से विशिष्ट लेखा नीतियों के प्रकटनों की अपेक्षा करता है जिनमें अनुमत विभिन्न लेखा नीतियों में प्रबन्धन द्वारा किये गये चयनों के बारे में प्रकटन सम्मिलित होते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय लेखा मानक 16 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की श्रेणियों में प्रयुक्त माप आधारों के प्रकटन की अपेक्षा करता है।
120. प्रत्येक प्रतिष्ठान अपने परिचालनों की प्रकृति नीतियों पर विचार करता है जो वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं द्वारा उस प्रकार के प्रतिष्ठान हेतु प्रकटन के लिए अपेक्षित हैं। उदाहरणार्थ, उपयोगकर्ता एक प्रतिष्ठान जिसे आयकर देना होता है उसे आयकर संबंधी लेखा नीतियों, स्थगित कर दायित्वों और आस्तियों पर लागू नीतियों सहित, के प्रकटन की अपेक्षा रखेंगे। जब एक प्रतिष्ठान का महत्त्वपूर्ण विदेशी परिचालन हो या विदेशी विनिमय लेन-देन हों, तो उपयोगकर्ता विदेशी विनिमय लाभ और हानि की मान्यता संबंधी लेखा नीतियों के प्रकटन की अपेक्षा रखेंगे।
121. भले ही धनराशियां वर्तमान या पूर्व अवधियों के लिए सारवान न हों लेकिन एक लेखा नीति प्रतिष्ठान के परिचालन की प्रकृति के कारण महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं। यह प्रकट करना भी उपर्युक्त होगा कि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण का लेखा नीति भारतीय लेखा मानक द्वारा विशिष्टतः आवश्यक नहीं है परन्तु प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8 के अनुरूप इसे चयनित और लागू करता है।
122. एक प्रतिष्ठान, प्रबन्धन द्वारा प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों के लागू करने की प्रक्रिया में लिये गये विवेकपूर्ण निर्णय, (देखें अनुच्छेद 125), जो कि वित्तीय विवरणों में मान्य धनराशियों पर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, को महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों या अन्य टिप्पणियों के सारांश में प्रकट करेगा।
123. प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन अनेक विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, प्राक्कलनों के अतिरिक्त, जो कि वित्तीय विवरणों में मान्य धनराशियों को महत्त्वपूर्ण प्रभावित कर सकती है। उदाहरणार्थ, प्रबंधन निम्न के निर्धारण हेतु विवेकपूर्ण निर्णय लेता है :
- (क) [देखें परिशिष्ट 1]

- (ख) जब वित्तीय आस्तियों और पट्टे पर आस्तियों के स्वामित्व सम्बंधित महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल सारभूत रूप से अन्य प्रतिष्ठानों को हस्तांतरित किये जाते हैं ;
- (ग) क्या, वास्तविक अर्थ में, माल की विशिष्ट बिक्रियां वित्तपोषण व्यवस्थाएं हैं और इसलिए राजस्व उत्पन्न नहीं करती ; और
- (घ) क्या एक वित्तीय आस्ति की अनुबंधात्मक शर्तें एक विनिर्दिष्ट तिथि पर नकदी प्रवाहों का सृजन करती हैं जो कि पूरी तरह से बकाया मूलधन पर मूल व ब्याज का भुगतान हैं।
124. अनुच्छेद 122 के अनुसार किये गये कुछ प्रकटन अन्य भारतीय लेखा मानकों में भी अपेक्षित हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय लेखा मानक 112, *अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रकटन* एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह उन विवेकपूर्ण निर्णयों का प्रकटन कर दे जो उसने यह निर्धारित करने के लिए लिये हैं कि क्या उसका अन्य प्रतिष्ठान पर नियंत्रण है या नहीं। भारतीय लेखा मानक 40 निवेश सम्पत्ति, जब सम्पत्ति का वर्गीकरण कठिन हो, तो स्वामी-धारित सम्पत्ति और व्यवसाय के सामान्य प्रसरण में बिक्री हेतु धारित सम्पत्ति में अन्तरभेद के लिए विकसित मानदंडों के प्रकटन की मांग करता है।

अनुमान अनिश्चितता के स्रोत

125. एक प्रतिष्ठान, भविष्य के बारे में की गई उन अवधारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर अनुमान की अनिश्चितता के अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों की सूचना प्रकट करेगा जिनमें निहित महत्वपूर्ण जोखिम के परिणाम स्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और दायित्वों की धनराशियों की अग्रणीत राशियों में समायोजन जरूरी होता है। उन आस्तियों और दायित्वों के संबंध में टिप्पणियां निम्नलिखित जानकारीयां सम्मिलित करेंगी।

(क) उनकी प्रवृत्ति, और

(ख) रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर उनकी अग्रणीत राशि।

126. कुछ आस्तियों और दायित्वों की अग्रणीत (कैरिंग) धनराशियों का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर उन आस्तियों और दायित्वों पर अनिश्चित भावी घटनाओं के प्रभावों के अनुमान की अपेक्षा करता है। उदाहरणार्थ, हाल ही में संप्रेक्षित (ओब्जर्व्ड) बाजार कीमतों की अनुपस्थिति में, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की विभिन्न श्रेणियों की वसूलीयोग्य धनराशि, सामग्रियों पर तकनीकी अप्रचलन के प्रभाव, चल रहे मुकदमों के भावी परिणाम के विषय में प्रावधानों, और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों जैसे कि पेंशन बाध्यता का, पूर्वानुमान (फ्यूचर आरेंटिड ऐसटिमेसट) आवश्यक है। इन अनुमान में ऐसी मदों, जैसे कि नकदी प्रवाहों या बट्टा दरों के लिए जोखिम समायोजन, वेतनों में भावी परिवर्तन और अन्य लागतों के प्रभावित करने वाले भावी परिवर्तन, के बारे में अवधारणाएँ सम्मिलित हैं।
127. अनुच्छेद 125 के अनुसार प्रकटित अवधारणाएँ और अनुमान अनिश्चितता के अन्य स्रोत उन अनुमानों से सम्बद्ध हैं जो कि प्रबन्धन से सर्वाधिक कठिन, विषयनिष्ठ और जटिल विवेकपूर्ण निर्णयों की अपेक्षा करते हैं। अनिश्चितताओं के संभाव्य भावी संकल्प / स्थिरता को प्रभावित करने वाले परिवर्तनशील घटकों और अवधारणाओं की संख्या में जैसे वृद्धि होती है, वे विवेकपूर्ण निर्णय और अधिक विषयनिष्ठ तथा जटिल हो जाते हैं, और आस्तियों तथा दायित्वों की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों की परिणामतः सारवान समायोजनों की संभाव्यता सामान्यतः यथानुसार बढ़ जाती है।
128. अनुच्छेद 125 उन भारी जोखिम वाली आस्तियों और दायित्व जिनकी अग्रणीत राशि अगले वित्त वर्ष में सारवान रूप में बदल सकती है, यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर, उनके उचित मूल्य का माप एक उस ही जैसी आस्ति या दायित्व के लिए एक सक्रिय बाज़ार में अंकित (कोटेड) कीमत पर होते हैं। ऐसे उचित मूल्य अगले ही वित्त वर्ष के भीतर सारवान रूप में बदल सकते हैं, परन्तु ये परिवर्तन रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर अवधारणाओं या अनुमान अनिश्चितता के अन्य स्रोतों के कारण उत्पन्न नहीं होंगे।
129. एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 125 के प्रकटन इस प्रकार करता है जोकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को प्रबन्धन द्वारा भविष्य के बारे में और अनुमान अनिश्चितता के अन्य स्रोतों के बारे में किये गये विवेकपूर्ण निर्णयों को समझने में सहायक हो। प्रदत्त सूचना की प्रकृति और विस्तार अवधारणाओं की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। एक प्रतिष्ठान द्वारा किये जाने वाले प्रकटनों के प्रकारों के उदाहरण हैं :
- (क) अवधारणाओं या अन्य अनुमान अनिश्चितता की प्रकृति ;
- (ख) आगे ले जायी गयी राशियों की परिगणना की विधियों, अवधारणाओं और पूर्वानुमानों के प्रति संवेदनशीलता, संवेदनशीलता के कारणों सहित ;
- (ग) एक अनिश्चितता की संभावित स्थिरता और अगले वित्त वर्ष में प्रभावित आस्तियों तथा दायित्वों की अग्रणीत राशि के सम्बद्ध में समुचित रूप से संभाव्य परिणामों की सीमा ; और

- (घ) अगर अनिश्चितता अभी भी अनिर्णीत हो तो, उन आस्तियों तथा दायित्वों से सम्बंधित अतीतगत अवधारणाओं में परिवर्तन का वर्णन ।
130. यह मानक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 125 के अधीन प्रकटन हेतु बजट सूचना या पूर्वानुमानों के प्रकटन की मांग नहीं करता ।
131. कभी-कभी रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर किसी अवधारणा या अनुमान अनिश्चितता के अन्य स्रोत के संभावित प्रभावों की सीमा का प्रकटन अव्यवहार्य होता है। ऐसे मामलों में, प्रतिष्ठान यह प्रकटन करता है कि वर्तमान जानकारी के आधार पर, यह समुचित रूप से संभव है कि अगले ही वित्त वर्ष के परिणाम अवधारणा से अलग हैं इसके कारण प्रभावित आस्तियों और दायित्वों की अग्रणीत राशि में सारवान समायोजन आवश्यक हो सकते हैं। सभी मामलों में, प्रतिष्ठान अवधारणा से प्रभावित विशिष्ट आस्ति या दायित्व की प्रकृति (या आस्तियों व दायित्वों की श्रेणी) और अग्रणीत (कैरिंग) राशि का प्रकटन करता है।
132. अनुच्छेद 122 के अन्तर्गत प्रकटित विशिष्ट विवेकपूर्ण निर्णय जो कि प्रबन्ध ने लेखा नीतियों के परिपालन की प्रक्रिया में किये हैं वे अनुच्छेद 125 के अधीन अनुमान अनिश्चितता के स्रोतों के प्रकटन से संबंधित नहीं हैं।
133. भारतीय लेखा मानक उन कुछ अवधारणाओं के प्रकटन की मांग करते हैं जो अन्यथा अनुच्छेद 125 के अनुसार आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ भारतीय लेखा मानक 37, विशिष्ट परिस्थितियों में, प्रावधानों की श्रेणियों को प्रभावित करने वाली भावी घटनाओं से सम्बंधित प्रधान अवधारणाओं के प्रकटन की अपेक्षा करता है। भारतीय लेखा मानक 113, उचित मूल्य माप प्रतिष्ठान द्वारा प्रयुक्त महत्वपूर्ण अवधारणाओं के प्रकटन की अपेक्षा करता है (जिनमें मूल्यांकन तकनीक या तकनीकें और निविष्टियां शामिल हैं) जब उचित मूल्य पर अग्रणीत आस्तियों व दायित्वों का मूल्य मापा जाता है।

पूंजी

134. एक प्रतिष्ठान इसके वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को पूंजी प्रबंध हेतु प्रतिष्ठान के उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं के आंकलन में सहायता के लिए सूचना का प्रकटन करेगा ।
135. अनुच्छेद 134 के अनुपालन हेतु, प्रतिष्ठान निम्नलिखित प्रकट करता है :
- (क) पूंजी के प्रबंधनार्थ इसके उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं की गुणात्मक सूचना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-
- (i) इसका वर्णन कि यह पूंजी के रूप में क्या प्रबंध करता है ;
 - (ii) जब एक प्रतिष्ठान बाहर से थोपी गयी पूंजी आवश्यकताओं के अधीन हो तो उन आवश्यकताओं की प्रकृति और कैसे उन आवश्यकताओं को पूंजी प्रबन्ध में सम्मिलित किया गया है ; और
 - (iii) यह कैसे इसके पूंजी प्रबंधनार्थ उद्देश्यों को पूरा कर रही है।
- (ख) यह पूंजी के रूप में क्या प्रबंध कर रहा है इसके बारे में परिमाणात्मक आकड़ों का सारांश। कुछ प्रतिष्ठान, कुछ वित्तीय दायित्वों (जैसे कि सहायक ऋणों के कुछ प्रकार) को पूंजी के भाग के रूप में मानते हैं। अन्य प्रतिष्ठान पूंजी को 'इक्विटी' के कुछ घटकों (जैसे कि नकदी प्रवाह हैजिस से उत्पन्न घटक)से परे मानते हैं ;
- (ग) पूर्व अवधि से (क) और (ख) में कोई परिवर्तन ।
- (घ) क्या अवधि में इसने बाहर से थोपी गयी पूंजी आवश्यकताओं, जिसके अधीन यह है, का अनुपालन किया ।
- (ङ) जब प्रतिष्ठान ने इस प्रकार से बाहर से थोपी गयी पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया, ऐसे अनुपालन अवज्ञा के परिणाम ।

प्रतिष्ठान ऐसे प्रकटनों के लिए मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों को आन्तरिक रूप से प्रदत्त सूचना पर आधारित रहती है।

136. एक प्रतिष्ठान पूंजी का प्रबंध कई तरीकों से कर सकता है और विभिन्न पूंजी आवश्यकताओं के अधीन हो सकता है। उदाहरणार्थ, एक व्यवसाय समूह में बीमा गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों को चलाने वाले प्रतिष्ठान समाविष्ट हो सकते हैं और वे प्रतिष्ठान अनेक क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत परिचालन कर सकते हैं। जब पूंजी आवश्यकताओं का एकीकृत प्रकटन और पूंजी का किस प्रकार प्रबंधन किया जाता है, एक प्रतिष्ठान के पूंजी संसाधनों को समझने के लिए वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता को उपयोगी सूचना न प्रदान करें या भ्रमित करें तो प्रतिष्ठान प्रत्येक पूंजी आवश्यकता के बारे में प्रतिष्ठान जिसके अधीन है, अलग प्रकटन करेगा ।

'इक्विटी' के रूप में वर्गीकृत पुटेबल वित्तीय लिखतें

- 136 क 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत पुटेबल वित्तीय आस्तियों के लिए, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्रकटन करेगा (उस सीमा तक जहां इसका प्रकटन कहीं और स्थान पर नहीं किया गया है):--

(क) इक्विटी के रूप में वर्गीकृत राशि के मात्रात्मक आंकड़ों (डाटा) का सारांश;

- (ख) इसकी लिखतों की पुनर्खरीद या मोचन की बाध्यता के प्रबंधन के लिए इसके उद्देश्य, नीतियां और प्रक्रियाएं जो जब लिखतों के धारकों द्वारा अपेक्षित हैं और उनमें यदि गत अवधि से कोई परिवर्तन है तो उसे भी शामिल किया जाएगा।
- (ग) वित्तीय लिखतों की उस श्रेणी के मोचन या पुनर्खरीद पर प्रत्याशित नकदी प्रवाह; और
- (घ) मोचन या पुनर्खरीद पर प्रत्याशित नकदी प्रवाह किस प्रकार निर्धारित किए गए हैं, के बारे में सूचना।
- अन्य प्रकटन
137. एक प्रतिष्ठान टिप्पणियों में प्रकट करेगा
- (क) वित्तीय विवरणों के जारी करने के अनुमोदन पूर्व प्रस्तावित या घोषित लाभांश की धनराशि परन्तु जिसे अवधि के दौरान स्वामियों के वितरण के लिए मान्यता नहीं दी गई है, और प्रति अंश सम्बद्ध धनराशि; और
- (ख) गैर-मान्य संचित अधिमान लाभांश की राशि;
138. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित प्रकट करेगा, यदि वित्तीय विवरणों के साथ प्रकाशित सूचना में अन्य कहीं प्रकट न किया हुआ हो;
- (क) प्रतिष्ठान का अधिवास और विधिक स्वरूप, इसके निगमीकरण का देश और पंजीकृत कार्यालय (या प्रधान व्यवसायिक स्थान, अगर पंजीकृत कार्यालय से यह भिन्न हो) का पता;
- (ख) प्रतिष्ठान के परिचालन की प्रकृति और इसकी मुख्य गतिविधियों का वर्णन;
- (ग) मूल प्रतिष्ठान और समूह विशेष क्रमांतिम मूल प्रतिष्ठान का नाम; और
- (घ) यदि यह एक सीमित जीवन प्रतिष्ठान है, तो इसके जीवन की दीर्घता के बारे में सूचना।

परिशिष्ट क

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट विषयों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 का अभिन्न अंग है।

यह परिशिष्ट विभिन्न परिशिष्टों की सूची प्रस्तुत करता है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं और भारतीय लेखा मानकों 1 के लिए भी संदर्भ का कार्य करते हैं।

- 1 भारतीय लेखा मानक 10, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं का परिशिष्ट 'क' स्वामियों को गैर नकद आस्तियों का वितरण में समाविष्ट
- 2 भारतीय लेखा मानक 16, सम्पत्ति संयंत्र व उपस्कर का परिशिष्ट 'क' मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली एवं इसी तरह के दायित्वों में परिवर्तन में समाविष्ट
- 3 भारतीय लेखा मानक 19, कर्मचारी लाभ का परिशिष्ट 'ख' अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 19, निश्चित लाभ आस्ति की सीमा, वित्तपोषण की न्यूनतम अपेक्षाएं और उनका अंतर्व्यवहार में समाविष्ट
- 4 भारतीय लेखा मानक 38, अमूर्त आस्तियों का परिशिष्ट 'क' अमूर्त आस्तियां --- वेबसाईट लागतें में समाविष्ट
- 5 भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतों का परिशिष्ट 'ड' 'इक्विटी' लिखतों द्वारा वित्तीय दायित्वों का भुगतान में समाविष्ट
- 6 भारतीय लेखा मानक 37, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियों का परिशिष्ट 'ग' उगाही (लेवी)।
- 7 भारतीय लेखा मानक 16, सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का परिशिष्ट 'ख' सतही खान के उत्पादन चरण में निकासी लागतें।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 1 वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण के बीच, यदि कोई अंतर हों, तो उन्हें स्पष्ट करना है।

अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण के साथ तुलना

1. लाभ-हानि विवरण तैयार करने के संबंध में, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, एकल-विवरण पद्धति या द्वि-विवरण पद्धति के अनुगमन का विकल्प प्रदान करता है। भारतीय लेखा मानक 1 के अनुच्छेद 10क में यह व्यवस्था की गयी है कि एक प्रतिष्ठान दो खंडों में प्रस्तुत लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के साथ एक एकल लाभ या हानि

- और अन्य व्यापक आय विवरण प्रस्तुत कर सकता है अथवा प्रतिष्ठान लाभ या हानि के पृथक विवरण में लाभ या हानि खंड प्रस्तुत कर सकता है जो उस विवरण के तत्काल पहले होगा जो व्यापक आय प्रस्तुत करता है जो लाभ या हानि के साथ प्रारंभ होती होगी। अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 एकल विवरण पद्धति की अनुमति देता है तदनुसार अनुच्छेद 10क को संशोधित कर दिया गया है।
2. भारतीय लेखा मानक 1 में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'लाभ-हानि एवं अन्य व्यापक आय विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है। रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के प्रयोजन के संदर्भ में 'वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए प्राधिकारिता' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदन' का प्रयोग किया गया है। शब्दों 'उचित प्रस्तुतिकरण' के स्थान पर शब्दों 'सत्य एवं उचित रूप' का प्रयोग किया गया है।
 3. अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक 1, का अनुच्छेद 8 प्रतिष्ठानों को वित्तीय विवरणों के शीर्षकों हेतु विभिन्न शब्दावली प्रयुक्त करने का विकल्प देता है। भारतीय लेखा मानक 1 को परिवर्तित किया गया है ताकि विकल्पों को हटाकर सभी प्रतिष्ठानों द्वारा एक ही शब्दावली का प्रयोग करने की अपेक्षा करता है। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 1 में अनुच्छेद 8 को इस आशय के साथ रहने दिया गया है ताकि इस मानक के अनुच्छेदों की संख्या की क्रमबद्धता अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक की अनुच्छेद संख्याओं के साथ बनी रहे। अनुच्छेद 10 में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किये गये हैं।
 4. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 का अनुच्छेद 37 एक विशेष अवधि की अनुमति देता है। उदाहरणार्थ, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए 52 सप्ताह की अवधि प्रदान करता है। चूंकि भारतीय लेखा मानक 1 ऐसी कोई अनुमति नहीं देता, अतः इसमें से इसे हटा दिया गया है। फिर भी, अनुच्छेद 37 को भारतीय लेखा मानक में इस आशय से रहने दिया गया है ताकि उसकी अनुच्छेद अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक की अनुच्छेद की संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे।
 5. अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक का अनुच्छेद 99 एक प्रतिष्ठान से लाभ या हानि में मान्य व्यय के विश्लेषण की अपेक्षा करता है जो कि प्रतिष्ठान के भीतर उनकी प्रकृति या उनके कार्य पर आधारित वर्गीकरण का उपयोग करता है। भारतीय लेखा मानक 1 केवल प्रकृति-आधारित व्यय वर्गीकरण की अपेक्षा करता है। अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 में निम्नलिखित अनुच्छेद के कार्य अनुसार व्यय वर्गीकरण के संदर्भ में हैं। भारतीय लेखा मानक 1 में इन अनुच्छेदों को इस आशय से रहने दिया गया है ताकि इस मानक के अनुच्छेदों की संख्या की क्रमबद्धता अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ बनी रहे :-
 - (i) अनुच्छेद 103
 - (ii) अनुच्छेद 104
 - (iii) अनुच्छेद 105
 6. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 1 में निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटाए गये' के रूप में प्रदर्शित हैं। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ उक्त अनुच्छेदों की संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, अतः इस आशय से इन अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक में रहने दिया गया है:-
 - (i) अनुच्छेद 12
 - (ii) अनुच्छेद 39-40
 - (iii) अनुच्छेद 81
 - (iv) अनुच्छेद 82(ड)
 - (v) अनुच्छेद 82(च)-(i)
 - (vi) अनुच्छेद 83-84
 - (vii) अनुच्छेद 106(ग)
 - (viii) अनुच्छेद 123(क)
 7. अनुच्छेद 29 व 31 सारवानता एवं एकीकरण पर चर्चा करते हैं। इन अनुच्छेदों को इस आशय से संशोधित किया गया है ताकि उनमें 'उस स्थिति को छोड़कर, जब विधि द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो' शब्दों को सम्मिलित किया जा सके।
 8. भारतीय लेखा मानक 1 का अनुच्छेद 106(घ)(iv), 'इक्विटी' के प्रत्येक घटक के लिए अवधि के प्रारंभ और अन्त की अग्रणीत राशि के बीच समाधान (मिलान) के प्रकटन पर चर्चा करता है। इसे भारतीय लेखा मानक 103 में यथा विहित व्यवहार के अनुरूप व्यावसायिक संयोजन पर उत्पन्न मोलभाव पर खरीद से हुए लाभ (गेन) की मान्यता सम्बंधी प्रकटन को सम्मिलित करने के लिए संशोधित कर दिया गया है।

9. अनुच्छेद 74 को भी यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित कर दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण (सारवान) उपबंध के उलंघन होने पर जिसके लिए ऋणदाता ने वित्तीय विवरण जारी के अनुमोदन से पूर्व ऋणदाता ने माफी के लिए सहमति दे दी है अतः दीर्घावधि ऋण व्यवस्था को चालू में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 76 को हटा दिया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 2

सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज)

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस लेखा मानक का उद्देश्य सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) के लिए लेखा व्यवहार निर्धारित करना है। सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) के लेखा में मुख्य मुद्दा लागत की राशि को एक आस्ति के रूप में मान्यता देना है तथा इसे आगे तब तक ले जाना है जब तक संबंधित राजस्व को मान्यता न दे दी जाती। यह मानक लागत के निर्धारण तथा शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य में किसी अपलेखन सहित किसी व्यय के रूप में बाद की मान्यता का वर्णन करता है। यह उन लागत फार्मूलों पर भी दिशा-निर्देश देता है जिन्हें सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) की लागत के निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

कार्यक्षेत्र

2. यह मानक निम्नलिखित को छोड़कर सभी सूचीबद्ध सामान (इंवेंटरी) पर लागू होता है :-

(क) (देखें परिशिष्ट 1);

(ख) वित्तीय लिखतें (देखिए भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 *वित्तीय लिखतें*) और भारतीय लेखा मानक 32 *वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतिकरण*; एवं

(ग) कृषि -संबंधी गतिविधियां एवं फसल की कटाई के समय कृषि पैदावार से संबंधित जैविक आस्तियां (जीवित पशु या पौधे) [देखिए भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 41 *कृषि*]

3. यह मानक निम्नलिखित के सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) के माप पर लागू नहीं होता है :-

(क) कृषि व वन उत्पादों, फसल के बाद कृषि उत्पाद, और खनिजों व खनिज उत्पादों के उत्पादक, बशर्ते ये उत्पाद उस सीमा तक मापे जाते हैं जिस सीमा तक इस प्रकार के उद्योगों की सुस्थापित प्रथाओं / व्यवहारों के अनुसरण में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य मापा जाता है। जब ये सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापे जाते हैं तो उनके इस मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि के लाभ या हानि में, माना जाता है।

(ख) पण्य (वस्तु) दलाल विक्रेता जो अपने सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) को बिक्री लागत से घटाकर उचित मूल्य पर मापते हैं। जब ये सूचीबद्ध सामान बिक्री लागत से घटाकर उचित मूल्य पर मापे जाते हैं तो बिक्री लागत से घटाकर उचित मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन के दौरान लाभ या हानि, में माना जाता है।

4. अनुच्छेद 3(क) में संदर्भित सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) को उत्पादन के किन्हीं चरणों में शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए, यह तब होता है जब कृषि की फसलें काट ली जाती हैं अथवा खनिज निकाल लिये जाते हैं और किसी वायदा अनुबंध अथवा सरकारी गारंटी के अधीन उसकी बिक्री सुनिश्चित हो अथवा जब एक सक्रिय बाजार उपलब्ध हो या फिर बिक्री की असफलता के जोखिम न के बराबर हो। ऐसे में इस सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) को इस मानक के माप के कार्यक्षेत्र से हटा दिया जाता है।

5. दलाल-व्यापारी वह है जो अन्य व्यक्तियों की ओर से अथवा अपनी ओर से वस्तुओं का क्रय अथवा विक्रय करता है। अनुच्छेद 3 (ख) में संदर्भित सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) मुख्यतः शीघ्र ही भविष्य में बिक्री के उद्देश्य तथा कीमत में उतार-चढ़ाव अथवा व्यापार की दलाली में मार्जिन से लाभ अर्जित करने के लिए अधिगृहीत किया जाता है तब उसे इस मानक के माप के कार्य क्षेत्र से हटा दिया जाता है। जब इस सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) को उचित मूल्य से बिक्री की लागत घटाकर मापा जाता है तो उसे इस मानक के माप से हटा दिया जाता है।

परिभाषाएं

6. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :-

सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) निम्नलिखित के रूप में आस्तियां हैं -

(क) व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में बिक्री के लिए रखा गया सामान;

(ख) ऐसी बिक्री के लिए उत्पादन प्रक्रिया में सामान ; या

(ग) उत्पादन प्रक्रिया या सेवाएं प्रदान करते समय उपभोग में लायी जाने वाली सामग्रियाँ या आपूर्तियाँ ।

शुद्ध वसूली - योग्य मूल्य - व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में वह अनुमानित विक्रय कीमत है जिसमें से कार्य पूरा होने तक की अनुमानित लागत और विक्रय करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाया जाता है।

उचित मूल्य - वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 113, *उचित मूल्य माप*) ।

7. शुद्ध वसूली योग्य मूल्य उस शुद्ध राशि को कहते हैं जिस पर एक प्रतिष्ठान व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) की बिक्री से वसूल करने की अपेक्षा करता है। उचित मूल्य उस कीमत को दर्शाता है जो एक सुव्यवस्थित लेन-देन में उसी सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) को बेचने के लिए मुख्य (या बहुत-ही लाभप्रद) बाजार में होता है और यह लेन-देन माप तिथि को दो बाजार प्रतिभागियों के बीच होता है। एक ग्राहक के साथ अनुबंध को पूरा करने के लिए खर्च की गई लागतें जो सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) (या अन्य मानक के अंतर्गत आस्तियों) के रूप में उत्पन्न नहीं होती उनका भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* के अनुसरण में किया जाता है। इन दोनों में पहली राशि प्रतिष्ठान विशिष्ट है जबकि दूसरी राशि प्रतिष्ठान विशिष्ट नहीं है। सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य के बराबर नहीं हो सकता ।
8. सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) में, क्रय तथा पुनः बिक्री के लिए रखी गयी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जिनमें, उदाहरण के लिए, एक खुदरा व्यापारी द्वारा क्रय किया गया और पुनः बिक्री के लिए रखा गया व्यापार का सामान अथवा पुनः बिक्री के लिए रखी गयी भूमि या अन्य संपत्ति सम्मिलित है। सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) में प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित वस्तुएं, निर्माणाधीन वस्तुएं और वह सामग्री या आपूर्ति भी शामिल है जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लायी जाती है।

सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्रीज) का माप

9. सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्रीज) का माप, लागत व शुद्ध वसूली-योग्य मूल्य, इन दोनों में जो भी कम है, उस पर किया जाएगा ।

सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्रीज) की लागत

10. सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) की लागत में, सभी क्रय लागतें, संपरिवर्तन लागतें तथा सूचीबद्ध सामान को वर्तमान स्थान व स्थिति तक लाने की लागतें सम्मिलित की जाएगीं ।

क्रय लागतें

11. सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्रीज) की क्रय लागतों में, क्रय कीमत, आयात शुल्क और अन्य कर (लेकिन बाद में प्रतिष्ठान के द्वारा कर अधिकारियों से यदि कोई वसूली योग्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसे छोड़कर), और परिवहन, आदान-प्रदान और ऐसी अन्य लागतें जो तैयार वस्तुओं, सामग्री व सेवाएं अर्जित करने में प्रत्यक्ष रूप से निहित होती हैं, सम्मिलित होंगी । लेकिन, इस सभी के बाद, व्यापार बट्टे (छूट) और ऐसी ही अन्य रियायती मदें क्रय लागत के निर्धारण के समय घटा ली जाती हैं।

संपरिवर्तन लागतें

12. सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्रीज) की संपरिवर्तन लागतों में उत्पादन इकाइयों से प्रत्यक्षतः संबंधित लागतें, जैसे कि प्रत्यक्ष श्रम शामिल होती हैं। इसमें वे व्यवस्थित आबंटन वाले स्थिर और परिवर्तनशील उपरिव्यय भी सम्मिलित हैं जो कि सामग्री को तैयार माल में परिवर्तन करने के लिए खर्च किए जाते हैं। स्थिर उत्पादन उपरिव्यय वे अप्रत्यक्ष लागतें हैं जो उत्पादन सापेक्ष नहीं हैं यानि, उत्पादन की मात्रा भले कोई भी हो वे स्थिर रहती हैं, जैसे कि कारखाना, भवनों एवं उपस्करों का अवक्षयण (मूल्यह्रास), व अनुरक्षण (रखरखाव) और कारखाना के प्रबंधन व प्रशासन पर खर्च। परिवर्तनशील उत्पादन उपरिव्यय वे प्रत्यक्ष लागतें हैं, जो उत्पादन की मात्रा से सीधी या लगभग सीधी जुड़ी होती हैं और उत्पादन सापेक्ष हैं यानि उत्पादन की मात्रा के अनुसार हैं और उत्पादन कीमतानुसार परिवर्तित होती रहती हैं, जैसे की अप्रत्यक्ष सामग्रियां और अप्रत्यक्ष श्रम ।
13. संपरिवर्तन की लागतों में, स्थिर उत्पादन उपरिव्यय का आवंटन उत्पादन सुविधाओं की सामान्य क्षमता पर आधारित होता है। सामान्य क्षमता सुनियोजित रखरखाव के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता की हानि पर ध्यान देते हुए, सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ अवधियों या मौसमों में औसत तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित उत्पादन है। उत्पादन के वास्तविक स्तर का भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते यह सामान्य क्षमता के आसपास हो । उत्पादन की प्रत्येक इकाई को आवंटित स्थिर उत्पादन उपरिव्यय की रकम, कम उत्पादन या अप्रयुक्त संयंत्र के परिणाम स्वरूप नहीं बढ़ती । अनावंटित उपरिव्यय, जिस अवधि में, खर्च किए जाते हैं उन्हें व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। असामान्य तौर पर, अधिक उत्पादन की अवधियों में उत्पादन की प्रत्येक इकाई को आवंटित स्थिर उत्पादन उपरिव्यय की रकम घटती है, जिसे सूचीबद्ध सामान की लागत से ऊपर नहीं मापा जाता । परिवर्तनशील उत्पादन उपरिव्यय, उत्पादन सुविधाओं के वास्तविक प्रयोग के आधार पर उत्पादन की प्रत्येक इकाई को आवंटित किए जाते हैं।

14. किसी उत्पादन प्रक्रिया में एक साथ एक से अधिक उत्पाद भी उत्पादित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह वह स्थिति है, जब संयुक्त उत्पाद उत्पादित किए जाते हैं और जहां एक उत्पाद तो मुख्य उत्पाद होता है जबकि दूसरा उत्पाद एक उप-उत्पाद होता है। जब प्रत्येक उत्पाद की संपरिवर्तन लागतें अलग से मान्य नहीं होती हैं तो उन्हें उत्पादों के बीच तर्कसंगत और समान आधार पर आबंटित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह आबंटन प्रत्येक उत्पाद के सापेक्ष बिक्री मूल्य पर होता है जब उत्पादन प्रक्रिया के प्रक्रम में जब उत्पाद अलग से मान्य हो जाता है या फिर उत्पाद के पूरे होने पर, उसे निर्धारित किया जाता है। अधिकतर, उप-उत्पाद प्रकृतिवश मामूली होते हैं। जब ऐसा मामला हो तो उन्हें प्रायः शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर मापा जाता है और यह मूल्य मुख्य उत्पाद की लागत से घटाया जाता है। परिणामस्वरूप, मुख्य उत्पाद की अग्रणीत (कैरिंग) राशि उसकी लागत से कोई विशेष अलग नहीं होती है।

अन्य लागतें

15. अन्य लागतें सूचीबद्ध सामान की लागत में केवल उस सीमा तक शामिल की जाती हैं जिस सीमा तक वे सूचीबद्ध सामान को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए खर्च की जाती हैं। उदाहरण के लिए, सूचीबद्ध सामान की लागत में, उत्पादन उपरिव्यय के अतिरिक्त अन्य उपरिव्यय भी शामिल होते हैं जो विशिष्ट ग्राहकों के लिए तैयार किए जाने वाले उत्पादों (जैसे कि विशेष डिजाइन आदि) पर खर्च होते हैं।
16. सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) की लागत में से हटायी गयी लागतों के उदाहरण यहां नीचे दिए जा रहे हैं जिनकी उस अवधि में हुई, व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कि वे खर्च हुई हैं।
- (क) बेकार सामग्रियों की असामान्य राशियां, श्रम या अन्य उत्पादन लागतें ;
 - (ख) भंडारण लागतें, जब तक कि ये लागतें आगामी उत्पादन प्रक्रम के पूर्व उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक नहीं हैं ;
 - (ग) प्रशासनिक उपरिव्यय, जो सूचीबद्ध सामान को उनके वर्तमान स्थान (लोकेशन) और स्थिति में लाने में योगदान नहीं देते; और
 - (घ) विक्रय लागतें
17. भारतीय लेखा मानक 23, *उधार की लागतें*, ऐसी कुछ सीमित परिस्थितियों की पहचान करता है जहां उधार की लागतों को सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) की लागतों में सम्मिलित कर लिया जाता है।
18. एक प्रतिष्ठान अस्थिगत भुगतान की शर्त पर सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) का क्रय कर सकता है। जब की गई व्यवस्था प्रभावी रूप से वित्त तत्व को समाहित करती है तब वह तत्व उदाहरण के लिए, सामान्य ऋण शर्त की क्रय कीमत तथा किए गए भुगतान की राशि के बीच अंतर को वित्त की अवधि में ब्याज के रूप में व्यय की मान्यता देता है।

सेवा प्रदानकर्ता के सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) की लागत

19. (देखें परिशिष्ट 1)

जैविक आस्तियों से उत्पन्न कृषि उत्पाद की लागत

20. भारतीय लेखा मानक 41, *कृषि के अनुसरण* में, कृषि उत्पाद के रूप में सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री), जिसे प्रतिष्ठान ने जैविक आस्तियों से पैदा किया है, उस माप की अनुमानित लागत को उचित मूल्य में से घटाकर आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। इस मानक की लागू होने की तिथि पर इंवेंट्री की यह लागत है।

लागत माप की तकनीकें

21. यदि परिणाम लागत के नजदीक या उसके लगभग बराबर हैं तो सूचीबद्ध सामान की लागत के माप की कुछ तकनीकों, जैसे कि मानक लागत पद्धति का या फुटकर पद्धति का प्रयोग सुविधा के लिए किया जा सकता है। मानक लागतें, सामग्रियों और पूर्तियों के उपभोग, श्रम, दक्षता तथा क्षमता उपयोग के सामान्य स्तरों को ध्यान में रखती हैं। उनका नियमित रूप से पुनर्विलोकन और यदि आवश्यक हो तो विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण किया जाता है।
22. फुटकर पद्धति का प्रयोग प्रायः फुटकर व्यापार में किया जाता है जहां बड़ी संख्या में तीव्र गति से बदल रही उन मदों के सूचीबद्ध सामान को मापने के लिए किया जाता है, जिनका लाभ-अंतर समान हो और जिनके लिए अन्य लागत पद्धतियों का प्रयोग करना अव्यवहारिक हो। सूचीबद्ध सामान की लागत, सूचीबद्ध सामान के बिक्री मूल्य से उचित सकल लाभ के प्रतिशत को घटाकर निर्धारित किया जाता है। प्रयुक्त प्रतिशत उस सूचीबद्ध सामान को ध्यान में रखता है, जो उसकी वास्तविक बिक्री कीमत से नीचे लाया जा चुका हो। प्रत्येक फुटकर विभाग के लिए, प्रायः एक औसत प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है।

लागत सूत्र

23. ऐसी मदें, जिन्हें सामान्य रूप से आपस में बदला नहीं जा सकता है और जिन्हें विशिष्ट परियोजनाओं के लिए माल या सेवाओं के रूप में सूचीबद्ध सामान की मदें तैयार की जाती हैं और अलग की जाती हैं उनकी लागत को, पृथक लागतों की विनिर्दिष्ट पहचान द्वारा नियत किया जाएगा।
24. लागत की विनिर्दिष्ट पहचान से यह अभिप्राय है कि विनिर्दिष्ट लागत सूचीबद्ध सामान से संबंधित है। यह उन मदों के लिए सही निरूपण है जो इस बात की परवाह किए बिना कि चाहे वे खरीदी या उत्पादित की गई हैं या नहीं, विशिष्ट परियोजना के लिए अलग रखी जाती हैं। तथापि जब सूचीबद्ध सामान की ऐसी मदों की संख्या अधिक होती है जो आमतौर पर परस्पर बदली नहीं जा सकती हैं तो उनकी लागतों की विनिर्दिष्ट पहचान अनुपयुक्त है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कोई उपक्रम सूचीबद्ध सामान में रहने वाली शेष मदों को अभिनिश्चित करने की विशिष्ट पद्धति का चुनाव करके अवधि के शुद्ध लाभ या हानि पर पूर्वनिर्धारित प्रभावों को प्राप्त कर सकता है।
25. अनुच्छेद 23 में यथावर्णित सूचीबद्ध सामान से भिन्न सूचीबद्ध सामान की लागत का निर्धारण 'पहले- आना, पहले- जाना' (फीफो) या भारित औसत लागत सूत्र का प्रयोग करते हुए किया जाना चाहिए। एक प्रतिष्ठान एक ही तरह के समस्त व्यापारिक स्कंध, जिसका प्रतिष्ठान के लिए एक ही उपयोग है, के लिए एक ही लागत सूत्र का प्रयोग करेगा। लेकिन जहां सूचीबद्ध सामान की किस्म या उपयोग अलग-अलग हैं उनके लिए अलग लागत सूत्रों का प्रयोग तर्कसंगत है।
26. उदाहरण के लिए, एक परिचालन खंड में प्रयुक्त इन्वेंट्री का उपयोग एक प्रतिष्ठान के लिए एक अन्य परिचालन खंड में प्रयुक्त सूचीबद्ध सामान से भिन्न इकाई हो सकता है। लेकिन इन्वेंट्री के भौगोलिक स्थान (लॉकेशन) (अथवा संबंधित कर नियमों) में अंतर विभिन्न लागत फार्मूला के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।
27. 'फीफो' यानि 'पहले - आना, पहले- जाना' सूत्र मानता है कि सूचीबद्ध सामान की वे मदें जो पहले खरीदी या उत्पादित की गई थीं उनका उपभोग पहले किया जाता है या वे पहले बेची जाती हैं, और इस तरह अवधि के अंत में सूचीबद्ध सामान की शेष रह जाने वाली मदें वे होती हैं जो अभी हाल ही में खरीदी या उत्पादित की गई हैं। ' भारित औसत लागत ' सूत्र के अंतर्गत प्रत्येक मद की लागत का निर्धारण अवधि की शुरुआत पर समान मदों की लागतों और अवधि के दौरान खरीदी गई या उत्पादित सामान मदों की लागत के भारित औसत से किया जाता है। औसत की गणना, उद्यम की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, आवधिक आधार पर या प्रत्येक अतिरिक्त लादान (शिपमेंट) प्राप्त किए जाने के समय की जा सकती है।

शुद्ध वसूली- योग्य मूल्य

28. सूचीबद्ध सामान की लागत वसूल नहीं हो सकती, यदि वह सूचीबद्ध सामान या तो क्षतिग्रस्त हो गया हो या फिर वह पूर्णतः या अंशतः अप्रचलित हो गया हो, या उसकी बिक्री कीमतें गिर गई हों। यदि कार्यपूर्ण होने की अनुमानित लागतें या बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें बढ़ गई हों तो भी सूचीबद्ध सामान की लागतें वसूल नहीं हो सकती हैं। सूचीबद्ध सामान की लागत को शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य तक अपलिखित करने की प्रथा इस विचार के अनुरूप है कि आस्तियों को उनकी बिक्री या प्रयोग से प्राप्त होने वाली प्रत्याक्षित राशि से अधिक रकम पर नहीं लिया जाना चाहिए।
29. सूचीबद्ध सामान को सामान्यतः शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य तक मद-दर-मद आधार पर उपलिखित किया जाता है। तथापि कुछ परिस्थितियों में, एक जैसी और संबंधित मदों को समूहबद्ध करना उपयुक्त हो सकता है। यह समान उत्पादन रेखा से संबंधित सूचीबद्ध सामान है, जिसके उद्देश्य या अंतिम उपयोग समान है और जो समान भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित और विपणित किया जाता है और जिसे व्यवहार में उस उत्पादन रेखा में अन्य मदों से अलग मूल्यांकित नहीं किया जा सकता। सूचीबद्ध सामान के वर्गीकरण के आधार पर सूचीबद्ध सामान को अपलिखित करना उपयुक्त नहीं है, उदाहरण के लिए जैसे कि तैयार माल या विशिष्ट परिचालन खंड में सभी सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)।
30. शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य के अनुमान, सूचीबद्ध सामान द्वारा अपेक्षित मूल्य के विषय में लगाए गए अनुमानों के समय उपलब्ध अत्यधिक विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित हैं। यह अनुमान तुलनपत्र की तारीख के बाद घटने वाली घटनाओं से प्रत्यक्षतः संबंधित कीमत या लागत के परिवर्तनों पर उस सीमा तक विचार करते हैं, जिस तक ऐसी घटनाएं तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान स्थितियों की पुष्टि करती हैं।
31. शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य के अनुमान, सूचीबद्ध सामान को धारित करने के प्रयोजन पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिए, पुष्टि प्राप्त विक्रय या सेवा अनुबंध को पूरा करने के लिए रखे गए सूचीबद्ध सामान की मात्रा का शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, अनुबंध कीमतों पर आधारित होता है। यदि विक्रय अनुबंध रखे गए सूचीबद्ध सामान की मात्रा से कम के लिए है तो अतिरिक्त सूचीबद्ध सामान का शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य सामान्य विक्रय मूल्यों पर आधारित होता है। फर्म की बिक्री अनुबंधों या फर्म की क्रय अनुबंधों में कुछ ऐसे प्रावधान भी हो सकते हैं जहां सूचीबद्ध सामान की मात्रा अधिक हो। ऐसे प्रावधानों पर विचार भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां* के अंतर्गत किया जाता है।

32. सूचीबद्ध सामान के उत्पादन में प्रयोग हेतु (रखी गई) सामग्रियों और अन्य पूर्तियों को लागत से नीचे अपलिखित नहीं किया जाता है, यदि तैयार उत्पाद जिसमें वे सम्मिलित होंगे, लागत पर या लागत से ऊपर विक्रय किए जाने के लिए प्रत्याक्षित हैं। तथापि, जब सामग्रियों की कीमत में कमी हो रही हो और यह अनुमान लगाया जा रहा हो कि तैयार उत्पादों की लागत शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य से अधिक होगी, तो सामग्रियों शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य तक अपलिखित की जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, सामग्रियों की प्रतिस्थापना लागत, उनके वसूलीयोग्य मूल्य का सर्वोत्तम उपलब्ध माप हो सकता है।
33. प्रत्येक आगामी अवधि में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य की नये सिरे से समीक्षा की जाती है जब परिस्थिति जिनमें पहले सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) को लागत से नीचे अवलिखित किया जाना भी विद्यमान नहीं है अथवा जब परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों के कारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में वृद्धि का स्पष्ट साक्ष्य है, अवलिखित राशि को उलटा दिया जाता है (अर्थात् मूल अवलेखन की राशि तक ही सीमित रहेगा)। ताकि नई अग्रणीत (कैरिंग) राशि लागत तथा पुनरीक्षित शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य से कम रहे। उदाहरण के लिए, जब सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की एक मद जिसकी बिक्री कीमत में कमी आने पर उसे शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर अग्रणीत किया जाता है, बाद की अवधि से हाथ में है तथा इसकी बिक्री कीमत में भी वृद्धि हो गयी है।

व्यय के रूप में मान्यता

34. जब सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) को बेचा जाता है तो इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि को संबंधित संपत्ति की मान्यता वाली अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी। इन्वेंट्री के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य तक अवलेखन की राशि तथा इन्वेंट्री की सभी हानि को अवलेखन अथवा उत्पन्न हानि की अवधि में व्यय के रूप में मान्यता होगी। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में वृद्धि से उत्पन्न सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) का किसी अवलेखन के किसी उलटने से उत्पन्न होने वाली राशि को व्यय के रूप में सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की राशि में कटौती के रूप में मान्यता दी जाएगी।
35. कुछ सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) को अन्य संपत्ति खाता में आवंटित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, स्वयं निर्मित संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर के घटक के रूप में प्रयुक्त सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री)। इस तरीके से, एक अन्य संपत्ति में आवंटित सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) को उस संपत्ति के उपयोगी जीवन तक एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

प्रकटन

36. वित्तीय विवरण निम्नलिखित को प्रकट करेंगे:
- (क) प्रयुक्त लागत सूत्र सहित सूचीबद्ध सामान के मापने में अपनाई गई लेखा नीतियां ;
 - (ख) सूचीबद्ध सामान की कुल अग्रणीत (कैरिंग) राशि और प्रतिष्ठान के लिए उपयुक्त वर्गीकरणों में अग्रणीत राशि ;
 - (ग) बिक्री लागत को घटाकर उचित मूल्य पर ले जायी गई इन्वेंट्री की (कैरिंग) राशि ;
 - (घ) अवधि के दौरान, व्यय के रूप में मान्य सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की राशि ;
 - (ङ) अनुच्छेद 34 के अनुसार अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्य सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की अवलिखित राशि ;
 - (च) किसी उलटाए गए अपलिखन की वह राशि जिसे अनुच्छेद 34 के अनुसार अवधि के दौरान व्यय के रूप में सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की मान्य कटौती राशि के रूप में मान्यता दी गई है ;
 - (छ) वे परिस्थितियां व घटनाएं जिनके कारण अनुच्छेद 34 के अनुसार (इन्वेंट्रीज का) अवलिखित उलटाया गया है ; और
 - (ज) देयताओं की जमानत के रूप में गिरवी रखे गये सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि।
37. सूचीबद्ध सामान के विभिन्न वर्गीकरणों में रखी गई सूचीबद्ध सामान की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों की और इन आस्तियों में परिवर्तन की सीमा से संबंधित जानकारी वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है। सूचीबद्ध सामान के सामान्य वर्गीकरण में वस्तुएं, उत्पादन की आपूर्तियां, निर्माणाधीन एवं तैयार वस्तुएं आती हैं।
38. [देखिये परिशिष्ट 1]
39. एक प्रतिष्ठान लाभ अथवा हानि के लिए एक फॉर्मेट को अपनाता है जिसके परिणामस्वरूप, अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्य सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की लागत के अतिरिक्त राशि का प्रकटन होता है। इस फॉर्मेट के अंतर्गत, एक प्रतिष्ठान व्यय की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण का उपयोग कर व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस मामले में, प्रतिष्ठान उन लागतों को प्रकट करेगा जो कच्चे माल और उपभोग की वस्तुओं, श्रम लागतों व अन्य लागतों के साथ-साथ अवधि के दौरान सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) के शुद्ध परिवर्तन के रूप में खर्च की गयीं हैं।

परिशिष्ट क

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 2 का अभिन्न अंग है।

यह परिशिष्ट उस परिशिष्ट का उल्लेख करता है जो अन्य भारतीय लेखा मानक का अंग है और इस भारतीय लेखा मानक 2 सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) के लिए संदर्भ का कार्य करता है।

1. परिशिष्ट 'क' अमूर्त आस्तियां — वेबसाइट लागतें, भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त आस्तियां, में समाविष्ट।
2. परिशिष्ट ख एक सतही खान के उत्पादन चरण की निकासी लागतें (स्ट्रिपिंग कॉस्ट्स), भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर, में समाविष्ट।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 2 सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 2 'सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)' के बीच यदि कोई प्रमुख अन्तर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 2 सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 2 का अनुच्छेद 38, जो सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) की मान्यता के संबंध में विचार करता है और 'सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)' को कार्य अनुसार वर्गीकरण के आधार पर व्यय मानता है, इस आशय से हटा दिया गया है कि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 में प्रतिष्ठान के अन्दर कार्य के आधार पर वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए लाभ या हानि में मान्य व्यय विश्लेषण की प्रस्तुति का विकल्प नहीं रह गया है और भारतीय लेखा मानक 1 में व्यय का केवल प्रकृति अनुसार वर्गीकरण आवश्यक है। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 2 के अनुच्छेद संख्याओं में क्रमबद्धता बनी रहे, यह अनुच्छेद संख्या भारतीय लेखा मानक 2 में रखी गयी है।
2. निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याएं अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई एस) 2 में 'हटायी गयी' नजर आती हैं। चूंकि लेखा मानक (आई ए एस) 2 के साथ भारतीय लेखा मानक 2 की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमता बनी रहें अतः भारतीय लेखा मानक 2 में उन अनुच्छेद संख्याओं को रहने दिया गया है, अर्थात्-
 - (i) अनुच्छेद 2 (क)
 - (ii) अनुच्छेद 19

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 7

नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट)

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

किसी भी प्रतिष्ठान की नकदी प्रवाह संबंधी सूचना वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है जिसके आधार पर वे प्रतिष्ठान द्वारा नकदी तथा नकदी-तुल्यों की सृजन की क्षमता का आंकलन कर सकते हैं और उन नकदी प्रवाहों का इस्तेमाल करने की प्रतिष्ठान की जरूरतों का पता लगा सकते हैं। उपयोगकर्ताओं द्वारा जो आर्थिक निर्णय लिये जाते हैं उसके लिए यह जरूरी है कि प्रतिष्ठान की नकदी एवं नकदी-तुल्य के सृजन की क्षमता तथा उनके सृजन के समय एवं निश्चितता का मूल्यांकन किया जाये।

इस मानक का उद्देश्य है प्रतिष्ठान की नकदी तथा नकदी-तुल्यों के नकदी प्रवाह विवरणों के माध्यम से ऐतिहासिक परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना जिसमें परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से अवधि के दौरान नकदी प्रवाह के वर्गीकरण का पता लगाया जा सकता है।

कार्यक्षेत्र

1. कोई भी प्रतिष्ठान इस मानक की अपेक्षाओं के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार करेगा और जिस अवधि के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना है उसे उस प्रत्येक अवधि के लिए वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करेगा।
2. [परिशिष्ट 1 देखें]।
3. किसी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की रुचि इसमें होती है कि प्रतिष्ठान किस प्रकार नकदी एवं नकदी-तुल्यों का सृजन करता है और किस प्रकार इनका उपयोग करता है। यह बात सच है कि भले ही प्रतिष्ठान की गतिविधियां कुछ भी हों और भले ही प्रतिष्ठान का उत्पाद नकदी हो, जैसे कि वित्तीय प्रतिष्ठानों के मामले में है। प्रतिष्ठानों की प्रमुख राजस्व उत्पादक

गतिविधियां कितनी भी अलग-अलग क्यों न हों उन्हें समान कारणों से नकदी की जरूरत होती है। उन्हें अपने परिचालनों के संचालन, अपने दायित्वों के भुगतान और अपने निवेशकों को प्रतिफल प्रदान करने के लिए नकदी की आवश्यकता होती है। तदनुसार, इस मानक की यह अपेक्षा है कि सभी प्रतिष्ठान नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करें।

नकदी प्रवाह सूचना के लाभ

- जब नकदी प्रवाह विवरण का इस्तेमाल अन्य वित्तीय विवरणों के साथ किया जाता है तो वह ऐसी सूचना प्रदान करता है जिससे उपयोगकर्ता किसी प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों में होने वाले परिवर्तनों, उसके वित्तीय ढांचे (उसकी अर्थ-सुलभता और शोधन-क्षमता सहित) तथा बदलती हुई परिस्थितियों और अवसरों के अनुरूप अपने को ढालने के लिए नकदी प्रवाह की रकम और समय को प्रभावित करने की योग्यता को जान पाता है। नकदी प्रवाह सूचना किसी प्रतिष्ठान की नकदी तथा नकदी-तुल्य सृजन की क्षमता का निर्धारण करने में सहायक होती है और इसकी मदद से उपयोगकर्ता ऐसे मॉडल तैयार कर पाता है जिससे विभिन्न प्रतिष्ठानों के भावी नकदी प्रवाह के मौजूदा मूल्य की तुलना की जा सकती है। इससे विभिन्न प्रतिष्ठानों के परिचालन कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग की तुलनात्मकता भी बढ़ती है क्योंकि एक ही प्रकार के लेन-देनों और घटनाओं के लिए भिन्न-भिन्न लेखा पद्धतियों के इस्तेमाल करने के प्रभाव इससे हट जाते हैं।
- ऐतिहासिक नकदी प्रवाह सूचना का इस्तेमाल प्रायः भावी नकदी प्रवाह की राशि, समय और निश्चितता के लिए किया जाता है। भावी नकदी प्रवाह का अतीत में निर्धारण करने की परिशुद्धता की जांच करने तथा लाभप्रदता एवं शुद्ध नकदी प्रवाह के बीच संबंध पता लगाने और बदलती कीमतों का प्रभाव जानने में भी यह उपयोग होता है।

परिभाषाएं

- इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहाँ विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है।

नकदी - इसमें हाथ में नकदी तथा मांग जमा शामिल होते हैं।

नकदी-तुल्य - ऐसे निवेश जो अल्पावधि और बहुत अधिक अर्थ - सुलभ हों और जिन्हें ज्ञात नकद-राशियों में बदला जा सकता हो तथा जिनके मूल्य में होने वाला परिवर्तन कोई विशेष न हो।

नकदी प्रवाह - इसका अर्थ है नकदी व नकदी-तुल्यों का अंतः एवं बहिः प्रवाह।

परिचालन गतिविधियाँ - इससे प्रतिष्ठान की राजस्व सृजन करने वाली मुख्य गतिविधियाँ तथा ऐसी गतिविधियाँ अभिप्रेत हैं जो निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियाँ न हों।

निवेश गतिविधियाँ - इसका अर्थ है दीर्घावधि आस्तियों और ऐसे अन्य निवेशों का अधिग्रहण तथा निपटान जो नकदी-तुल्यों में सम्मिलित न हों।

वित्तपोषण गतिविधियाँ - वे गतिविधियाँ हैं जो प्रतिष्ठान में लगायी गई 'इक्विटी' और उधारों के आकार एवं संरचना में परिवर्तन लाती हैं।

नकदी तथा नकदी-तुल्य

- नकदी-तुल्य इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनसे अल्पकालीन नकदी देनदारियाँ निपटायी जा सकें ये निवेश तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं रखे जाते हैं। कोई भी निवेश तभी नकदी-तुल्य माना जायेगा जब वह नकदी की ज्ञात राशि में तत्काल परिवर्तनीय हो और उसके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नाम मात्रों का महत्वहीन हो। इसलिए, आमतौर पर कोई भी निवेश नकदी- तुल्य तब कहलाता है जब उसकी परिपक्वता अवधि कम हो, उदाहरण के लिए अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे भी कम। 'इक्विटी' निवेशों को नकदी-तुल्यों में तब तक शामिल नहीं किया जाता जब तक वे वास्तव में नकदी तुल्य न हों, उदाहरण के लिए, परिपक्वता की अल्पावधि के भीतर तथा निश्चित तिथि तक विमोचन योग्य अधिगृहीत अधिमान शेयर।
- बैंक उधार प्रायः वित्तपोषण गतिविधियाँ माने जाते हैं। बहरहाल, बैंक अधिशेष जो मांग पर प्रतिदेय हों वे प्रतिष्ठान के नकदी प्रबंधन का अभिन्न अंग माने जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट नकदी तथा नकदी-तुल्यों के अवयव (अंग) माने जाते हैं। ऐसी बैंकिंग व्यवस्थाओं का एक लक्षण यह है कि बैंक-शेष में प्रायः (उतारचढ़ाव आते रहते हैं और यह कभी घनात्मक (पोस्टिव) शेष तथा कभी ऋणात्मक (ओवरड्राउन) शेष में बदलता रहता है)।
- नकदी प्रवाह में, नकदी तथा नकदी-तुल्यों वाली वस्तुओं के परस्पर होने वाले परिवर्तनों शामिल नहीं हैं क्योंकि वे प्रतिष्ठान विशेष के नकदी प्रबंधन का अंग होते हैं न कि उसके परिचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों के। नकदी प्रबंधन में नकदी तुल्यों में अधिक नकद का निवेश शामिल होता है।

नकदी-प्रवाह विवरण का प्रस्तुतिकरण

10. नकदी प्रवाह विवरण में अवधि के दौरान हुए नकदी प्रवाह की सूचना परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में वर्गीकृत की जायेगी।
11. कोई भी प्रतिष्ठान परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले अपने नकदी प्रवाह की प्रस्तुति ऐसे ढंग से करती है जो उसके कारोबार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। गतिविधियों के अनुसार वर्गीकरण से ऐसी सूचना मिलती है जिससे उपयोगकर्ताओं को उन गतिविधियों का प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति तथा उसकी नकदी और नकदी-तुल्यों की राशि पर प्रभाव का पता चलता है। इस सूचना से उन गतिविधियों के बीच के संबंध का भी आंकलन किया जा सकता है।
12. किसी एक एकल लेन-देन में ऐसे नकदी प्रवाह भी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें अलग-अलग वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब आस्थगित भुगतान के आधार पर ली गयी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद की किस्त का भुगतान किया जाता है, तो ब्याज घटक को वित्तपोषण गतिविधियों के अंतर्गत और ऋण घटक को निवेश गतिविधियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन गतिविधियां

13. परिचालन गतिविधियों से जो नकदी प्रवाह की राशि उद्भूत होती है वह इस बात का मुख्य संकेत देती है कि प्रतिष्ठान ने ऋण चुकाने, अपनी परिचालन क्षमता के रख-रखाव, लाभांशों के भुगतान तथा नये निवेश करने के लिए बाहरी वित्तपोषण के सहारे बिना पर्याप्त नकदी प्रवाह सृजित कर लिये हैं। भावी परिचालन नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी में अन्य सूचना के साथ-साथ ऐतिहासिक परिचालन नकदी प्रवाह के विशिष्ट अवयवों के संबंध में सूचना उपयोगी होती है।
14. परिचालन गतिविधियों से होने वाला नकदी-प्रवाह मुख्य रूप से प्रतिष्ठान की मुख्य राजस्व उत्पादक गतिविधियों से उद्भूत होता है। इसलिए, यह सामान्यतया उन लेन-देनों और अन्य घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो लाभ या हानि के निर्धारक होते हैं। परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-
 - (क) वस्तुओं की बिक्री तथा सेवाएं प्रदान करने से मिलने वाली नकद-राशि ;
 - (ख) रॉयल्टी, फीस, कमीशन और अन्य प्रकार के राजस्व से मिलने वाली नकद-राशि ;
 - (ग) वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को नकद-भुगतान ;
 - (घ) कर्मचारियों को तथा उनकी ओर से नकद-भुगतान ;
 - (ङ) बीमा प्रतिष्ठान के प्रीमियम व दावों, वार्षिकी तथा अन्य पॉलिसी लाभों से संबंधित नकद प्राप्तियां तथा नकद भुगतान ;
 - (च) आयकर के लिए किया गया नकद-भुगतान अथवा प्राप्त रिफंड जब तक कि उन्हें विशेष रूप से वित्तपोषण तथा निवेश गतिविधियों से न जोड़ा जा सकता हो ; और
 - (छ) 'डीलिंग' और 'ट्रेडिंग' प्रयोजनों के लिए की गयी अनुबंधों संबंधी नकद प्राप्तियां एवं भुगतान ;
 कुछ लेन-देन ऐसे भी होते हैं जैसे किसी संयंत्र की किसी मद की बिक्री, जिनसे लाभ या हानि होती है और उन्हें मान्य लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है। ऐसे लेन-देन से संबंधित नकद प्रवाह निवेश-गतिविधियों से हुए नकद-प्रवाह होते हैं। लेकिन, ऐसी आस्तियों, जिन्हें तो औरों को पहले किराये पर देने के लिए और बाद में बिक्री के लिए धारित किया जाता है, उनके निर्माण या अर्जन के लिए किया जाने वाला नकद भुगतान भारतीय लेखा मानक 16, *संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर* के अनुच्छेद, 68 'क' के अनुसरण में परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह की श्रेणी में आता है। इस तरह की आस्तियों से किराया व बाद में इनकी बिक्री से नकद प्राप्तियां भी परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह ही हैं।
15. कोई प्रतिष्ठान 'डीलिंग' अथवा 'ट्रेडिंग' के प्रयोजन से भी प्रतिभूतियां व ऋण रख सकती है, ऐसा होने पर वे विशेष रूप से पुनः बिक्री के लिए अर्जित सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) मानी जायेंगी। इसलिए प्रतिभूतियों की डीलिंग अथवा ट्रेडिंग के क्रय और विक्रय से हुआ नकद-प्रवाह परिचालन गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसी प्रकार, वित्तीय प्रतिष्ठानों द्वारा दिये गये नकद-अग्रिम तथा ऋण प्रायः परिचालन गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किये जाने हैं क्योंकि वे उस प्रतिष्ठान की मुख्य राजस्व-उत्पादक गतिविधियों से संबद्ध होते हैं।

निवेश गतिविधियां

16. निवेश गतिविधियों से उत्पन्न नकद-प्रवाह का अलग से प्रकटन देना महत्वपूर्ण है क्योंकि नकद-प्रवाह से यह पता चलता है कि भावी आय और नकद-प्रवाह का सृजन करने के लिए संसाधनों हेतु किस सीमा तक व्यय किया गया है। जिन खर्चों को तुलन-पत्र में मान्य आस्ति के रूप में दर्शाया जाता है केवल वही खर्च निवेश गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किये जाने के योग्य हैं। निवेश-गतिविधियों से उत्पन्न नकदी-प्रवाह के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-
 - (क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त तथा अन्य दीर्घकालीन आस्तियों के अर्जन के लिए नकद भुगतान। इन भुगतानों में पूंजीगत विकास की लागत तथा स्वयं निर्मित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर शामिल हैं ;

- (ख) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त तथा अन्य दीर्घकालीन आस्तियों की बिक्री से नकद-प्राप्तियां;
- (ग) अन्य प्रतिष्ठानों की 'इक्विटी' अथवा ऋण लिखतों तथा संयुक्त उद्यमों में हित अर्जित करने के लिए किये गये नकद भुगतान (उन लिखतों हेतु भुगतान को छोड़कर जिन्हें या तो नकदी के तुल्य माना गया है या जो 'डीलिंग' या 'ट्रेडिंग' के प्रयोजनों के लिए किये गये हैं);
- (घ) अन्य प्रतिष्ठानों की 'इक्विटी' अथवा ऋण लिखतों तथा संयुक्त उद्यमों में हित की बिक्री करने पर नकद प्राप्ति (उन लिखतों की प्राप्ति को छोड़कर जिन्हें या तो नकदी के तुल्य माना गया है या जो डीलिंग या 'ट्रेडिंग' के प्रयोजनों के लिए किये गये हैं);
- (ङ) अन्य पार्टी/पक्ष को दिये गये नकद अग्रिम एवं ऋण (किसी वित्तीय संस्था के अग्रिमों एवं ऋणों को छोड़कर);
- (च) अन्य पक्षों को दिये गये नकद अग्रिमों और ऋणों की चुकौती से नकद प्राप्ति (किसी वित्तीय संस्था के अग्रिमों और ऋणों को छोड़कर);
- (छ) भावी अनुबंधों, वायदा अनुबंधों, विकल्प अनुबंधों और विनिमय (स्वैप) अनुबंधों के नकद भुगतान सिवाय उन परिस्थितियों के जब ये अनुबंधों 'डीलिंग' अथवा 'ट्रेडिंग' के प्रयोजनों से की गयी हों अथवा भुगतानों को वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;
- (ज) भावी अनुबंधों, वायदा अनुबंधों, विकल्प अनुबंधों और विनिमय (स्वैप) अनुबंधों की नकद प्राप्ति सिवाय उन परिस्थितियों के जब ये अनुबंधों 'डीलिंग' अथवा 'ट्रेडिंग' के प्रयोजनों की गयी हों अथवा प्राप्ति को वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

जब किसी अनुबंध को पता लगायी जा सकने वाली स्थिति के बचाव (हैज) के विचार से किया गया हो तो अनुबंध के नकदी प्रवाह भी उसी ढंग से वर्गीकृत किये जायेंगे जिस प्रकार से स्थिति के नकदी प्रवाह का बचाव किया जा रहा हो।

वित्तपोषण गतिविधियां

17. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न नकद प्रवाह का अलग से प्रकटन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिष्ठान को पूंजी प्रदान करने वालों के भावी नकदी-प्रवाह के दावों का अनुमान लगाने के लिए यह उपयोगी है। वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाहों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

- (क) शेयरों अथवा अन्य 'इक्विटी' लिखतों के निर्गम से नकद प्राप्ति;
- (ख) प्रतिष्ठान के शेयरों के अर्जन अथवा प्रतिदान (रीडीम) के लिए स्वामिया को नकद भुगतान;
- (ग) ऋण-पत्रों, ऋणों, नोटों, बंध-पत्रों, बंधकों तथा अन्य अल्प अथवा दीर्घ-कालीन उधारों के निर्गम से प्राप्त नकद राशियां;
- (घ) उधार ली गयी राशियों की नकद चुकौती, तथा
- (ङ) वित्तीय पट्टे से संबंधित बकाया देयता को कम करने के लिए पट्टाकर्ता द्वारा किया गया नकद भुगतान।

परिचालन गतिविधियों से नकदी-प्रवाहों की रिपोर्टिंग

18. प्रतिष्ठान निम्नलिखित में से एक विधि का इस्तेमाल करते हुए परिचालन गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाहों की सूचना देगी :

- (क) प्रत्यक्ष विधि : जिसके द्वारा सकल नकद प्राप्ति और सकल नकद भुगतान की प्रमुख श्रेणियों का प्रकटन दिया जाता है, अथवा
- (ख) अप्रत्यक्ष विधि : जिसके द्वारा नकदी से भिन्न किस्म के लेन-देन के प्रभावों, किसी अतीत या भावी परिचालन की नकद प्राप्ति अथवा भुगतानों के स्थगन अथवा उपचय, एवं निवेश अथवा वित्तपोषण द्वारा नकदी प्रवाह से संबद्ध आय अथवा व्यय मदों का लाभ अथवा हानि में समायोजन किया जाता है।

19. प्रतिष्ठानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हुए परिचालन गतिविधियों से होने वाले नकदी-प्रवाहों की सूचना दें। प्रत्यक्ष विधि में ऐसी सूचना होती है जो भावी नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने में उपयोगी हो सकती है तथा वह सूचना अप्रत्यक्ष विधि में उपलब्ध नहीं होती। प्रत्यक्ष विधि में सकल नकद प्राप्ति और सकल नकद भुगतानों की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में सूचना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से प्राप्त की जा सकती है:-

- (क) प्रतिष्ठान के लेखा-संबंधी रिकार्डों से, अथवा
- (ख) निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में लाभ-हानि खाते के विवरण में विक्रयों, विक्रय लागतों (वित्तीय संस्था के लिए ब्याज एवं ऐसी ही आय तथा ब्याज व्यय और ऐसे ही प्रभार) तथा लाभ-हानि विवरण की अन्य मदों का समायोजन :-

- (i) सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) और परिचालन प्राप्य राशियों तथा देय-राशियों में अवधि के दौरान परिवर्तन;
 - (ii) नकदी से भिन्न अन्य मदें; और
 - (iii) ऐसी अन्य मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश अथवा वित्तपोषण नकदी प्रवाह हैं ।
20. अप्रत्यक्ष विधि के अधीन परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह का निर्धारण निम्नलिखित के प्रभाव से लाभ अथवा हानि का समायोजन किया जाता है :-
- (क) अवधि के दौरान सूचीबद्ध सामान तथा परिचालन प्राप्य राशियों तथा देय-राशियों में परिवर्तन;
 - (ख) नकदी से भिन्न मदें जैसे मूल्यह्रास, प्रावधान, आस्थगित कर, न वसूल हुए विदेशी मुद्रा लाभ और हानियां तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों के अवितरित लाभ; और
 - (ग) ऐसी अन्य मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश अथवा वित्तपोषण नकदी प्रवाह हैं ।
- विकल्प के रूप में, परिचालन गतिविधियों से होने वाले शुद्ध नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि से लाभ-हानि विवरण में प्रकटित राजस्व और व्यय के रूप में और अवधि के दौरान सूचीबद्ध सामान तथा परिचालन का प्राप्य और देय राशियों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहों की रिपोर्टिंग

21. प्रत्येक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 22 और 24 में उल्लिखित सीमा तक के नकदी प्रवाहों को छोड़कर निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से हुई सकल नकद प्राप्तियां एवं सकल नकद भुगतानों की मुख्य श्रेणियों की अलग-अलग सूचना देगा।

शुद्ध आधार पर नकदी-प्रवाह की सूचना देना

22. निम्नलिखित परिचालन निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाहों की सूचना भी शुद्ध आधार पर दी जा सकती है :-

- (क) ग्राहकों की ओर से नकद प्राप्तियां तथा भुगतान जब नकद-प्रवाह से प्रतिष्ठान की गतिविधियां नहीं बल्कि ग्राहक की गतिविधियां परिलक्षित होती हों, और
- (ख) ऐसी मदों के लिए नकद प्राप्तियां तथा भुगतान जिनमें टर्न ओवर जल्दी हो, रकम बड़ी हो और परिपक्वता अल्पकालीन हो ।

23. अनुच्छेद 22 (क) में जिन प्राप्तियों और भुगतानों का उल्लेख है उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

- (क) बैंक की मांग जमा राशियों को स्वीकार करना तथा चुकाया जाना;
- (ख) किसी निवेश-प्रतिष्ठान द्वारा ग्राहकों के लिए रखी गयी निधियां; और
- (ग) सम्पत्तियों के स्वामियों की ओर से इक्वटे किये गये किराये तथा उन्हें किया गया किराया भुगतान ।

- 23.(क) अनुच्छेद 22 (ख) में जिन प्राप्तियों और भुगतानों का उल्लेख है उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

- (क) क्रेडिट कार्ड ग्राहकों का मूलराशि;
- (ख) निवेशों का क्रय व विक्रय; और
- (ग) अन्य अल्प-कालीन उधार, उदाहरण के लिए ऐसे उधार जिनकी परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

24. किसी वित्तीय संस्था की निम्नलिखित गतिविधियों से उद्भूत नकदी-प्रवाह की सूचना शुद्ध आधार पर दी जानी चाहिए:-

- (क) निश्चित परिपक्वता तिथि वाली नकद प्राप्तियां तथा भुगतान जो जमा-राशियों की स्वीकृति और चुकौती के लिए हों;
- (ख) अन्य वित्तीय संस्थानों के पास रकम जमा करवाना तथा उस जमा रकम को उनसे निकलवाना; और
- (ग) ग्राहकों को दिये गये नकद अग्रिम और ऋण तथा उन अग्रिमों और ऋणों की चुकौती ।

विदेशी मुद्रा नकदी-प्रवाह

25. विदेशी मुद्रा में होने वाले लेन-देनों से उद्भूत नकदी-प्रवाहों को प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किया जायेगा । ऐसा करने के लिए विदेशी मुद्रा की राशि पर नकदी प्रवाह की तिथि को लागू कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू होगी ।
26. किसी विदेशी अनुषंगी के नकदी प्रवाह को नकदी प्रवाह तारीख की कार्यात्मक मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर पर रूपांतरित किया जायेगा ।

27. नकदी-प्रवाह जो विदेशी मुद्रा में हो उसकी सूचना भारतीय लेखा मानक 21 *विदेशी मुद्रा में परिवर्तनों का प्रभाव* के अनुरूप होगी। इससे ऐसे विनिमय दर को प्रयोग करने की अनुमति मिलती है जो वास्तविक दर के करीब होती है। उदाहरण के लिए किसी विदेशी अनुषंगी के विदेशी मुद्रा लेन-देनों अथवा नकदी प्रवाहों को रूपांतरित करने के लिए एक अवधि की भारत औसत विनिमय दर का इस्तेमान किया जायेगा। बहरहाल, भारतीय लेखा मानक 21 इस बात की अनुमति नहीं देता कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी अनुषंगी के नकदी प्रवाह को रूपांतरित करते समय लागू विनिमय दर का प्रयोग किया जाये।
28. विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों के फलस्वरूप जो लाभ या हानियाँ हुई हों यदि वे वसूल न हुई हों तो उन्हें नकदी प्रवाह नहीं माना जाएगा। बहरहाल, विदेशी मुद्रा में रखी गई अथवा प्राप्त नकदी अथवा नकदी-तुल्य पर विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तनों के जो प्रभाव होंगे उनकी सूचना नकदी प्रवाह विवरणों में इस तरह दी जायेगी ताकि अवधि के प्रारंभ और अंत में नकदी और नकदी तुल्यों का मिलाप हो सके। यह रकम परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी-प्रवाह के अनुसार अलग-अलग दिखायी जायेगी और इसमें यदि कोई अंतर है तो इसे इस तरह शामिल किया जायेगा कि मानो वे नकद प्रवाह विनिमय दरों की अवधि के अंत में रिपोर्ट किये गये हैं।
29. (देखें परिशिष्ट 1)
30. (देखें परिशिष्ट 1)

ब्याज और लाभांश

31. प्राप्त तथा प्रदत्त ब्याज और लाभांश से होने वाले नकदी प्रवाह का प्रकटन अलग-अलग किया जाएगा। वित्तीय संस्था के मामले में प्रदत्त ब्याज एवं प्राप्त ब्याज और लाभांश को परिचालन गतिविधियों से उद्भूत नकदी प्रवाहों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में प्रदत्त ब्याज से उद्भूत नकदी प्रवाहों को वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाहों के रूप में तथा प्राप्त लाभांशों को निवेश गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाहों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रदत्त लाभांशों को वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
32. किसी अवधि के दौरान प्रदत्त कुल ब्याज की कुल राशि, चाहे लाभ अथवा हानि में व्यय के रूप में मानी गयी हो अथवा भारतीय लेखा मानक 23, *उधार की लागत* के अनुसार पूंजीकृत की गई हो, उसे नकदी प्रवाह विवरण में प्रकटित किया जायेगा।
33. वित्तीय संस्था के मामले में प्रदत्त ब्याज एवं प्राप्त ब्याज और लाभांश को प्रायः परिचालन नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन, अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में इन नकदी प्रवाहों को वर्गीकृत किये जाने के संबंध में कोई एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि प्रदत्त ब्याज और प्राप्त ब्याज और लाभांश को परिचालन नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि उनसे लाभ अथवा हानि का निर्धारण होता है। बहरहाल, यह अधिक उपयुक्त होगा कि प्रदत्त ब्याज और प्राप्त ब्याज और लाभांश क्रमशः वित्तपोषण नकदी प्रवाह तथा निवेश नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाए क्योंकि ये वित्तीय संसाधन प्राप्त करने की लागतें अथवा निवेशों से होने वाली प्राप्तियां हैं।
34. कुछ लोगों का यह भी मत है कि प्रदत्त लाभांशों को परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह के एक अंग (अवयव) के रूप में वर्गीकृत किया जाए ताकि उपयोगकर्ताओं को यह पता लगाने में मदद मिल सके कि परिचालन नकदी प्रवाह में से लाभांश का भुगतान करने में प्रतिष्ठान की कितनी क्षमता है। बहरहाल, यह अधिक उपयुक्त माना जाता है कि प्रदत्त लाभांशों को वित्तपोषण गतिविधियों से उद्भूत नकदी प्रवाहों के रूप में वर्गीकृत किया जाये क्योंकि वे वित्तीय संसाधन प्राप्त करने की लागत हैं।

आय पर कर

35. आयकर से होने वाले नकदी प्रवाहों का प्रकटन अलग से किया जाएगा और उन्हें तब तक परिचालन गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा जब तक उन्हें विशेष रूप से वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों के साथ संबद्ध न किया जाए।
36. आय कर ऐसे लेन-देनों पर होते हैं जिनसे ऐसे नकदी प्रवाह होते हैं जिन्हें नकदी प्रवाह विवरण में परिचालन, निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाता है। यद्यपि कर-व्यय को तुरंत निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों से संबद्ध किया जा सकता है तथापि संबंधित कर नकदी प्रवाहों की प्रायः पहचान करना अव्यवहारिक होता है और वे अंतर्निहित लेन-देन के नकदी प्रवाह से भिन्न अवधि में उद्भूत हो सकते हैं। इसलिए, प्रदत्त करों को प्रायः परिचालन गतिविधियों से उद्भूत नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बहरहाल, जब कर संबंधी नकदी प्रवाह को किसी ऐसे लेन-देन से संबद्ध करना व्यावहारिक हो जिससे ऐसे नकदी प्रवाह उद्भूत हों जिन्हें निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो उस कर-नकदी प्रवाह को, जैसा भी उचित हो, निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जब कर-संबंधी नकदी प्रवाह को एक-से अधिक श्रेणी की गतिविधियों में बांटा गया हो तो प्रदत्त करों कि कुल राशि प्रकटित की जाती है।

अनुषंगियों, सहयोगी प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

37. किसी सहयोगी प्रतिष्ठान, एक संयुक्त उद्यम अथवा अनुषंगी में किये गये निवेश का हिसाब लगाते समय जब 'इक्विटी' या लागत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है तो निवेशक नकदी प्रवाह विवरण में सूचना देते समय केवल अपने और निवेशिती के बीच होने वाले नकदी प्रवाहों की सूचना देता है। उदाहरण के लिए, लाभांशों और अग्रिमों से सम्बंधित सूचना।
38. एक प्रतिष्ठान जो इक्विटी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए अपने एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में हित की सूचना देता है वह अपने नकदी प्रवाह विवरण में सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में अपने निवेशों संबंधी नकदी प्रवाह एवं अपने तथा सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के बीच वितरण और अन्य भुगतानों अथवा प्राप्तियों को शामिल करता है।

अनुषंगियों तथा अन्य कारोबारों के बीच स्वामित्व हितों में परिवर्तन

39. अनुषंगियों तथा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण पाने अथवा खो देने के फलस्वरूप हुआ कुल नकदी प्रवाह अलग से प्रस्तुत किया जायेगा और उसे निवेश गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।
40. अवधि के दौरान, अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा उन पर से नियंत्रण खो देने के संबंध में कोई प्रतिष्ठान निम्नलिखित की कुल सूचना देगा :-
- (क) कुल प्रदत्त अथवा प्राप्त प्रतिफल राशि :
- (ख) प्रतिफल राशि का वह हिस्सा जिसमें नकदी अथवा नकदी तुल्य हों ;
- (ग) अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों जिन पर नियंत्रण प्राप्त किया गया है अथवा खो दिया गया है उनमें नकदी अथवा नकदी तुल्यों की राशि ; और
- (घ) जिन अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण प्राप्त किया गया है अथवा खो दिया गया है उनकी नकदी अथवा नकदी तुल्यों को छोड़कर आस्तियों और देयताओं की राशि, जिनकी प्रत्येक प्रमुख श्रेणी का सार प्रस्तुत किया जायेगा।
- 40क एक निवेश प्रतिष्ठान जिसकी भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण* में परिभाषा दी गई है, उसे एक अनुषंगी प्रतिष्ठान में निवेश पर अनुच्छेद 40 (ग) और 40 (घ) का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है जिसे लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापना अपेक्षित है।
41. अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा उन पर से नियंत्रण खो देने के नकदी प्रवाह प्रभावों का एक लाइन मदों के रूप में अलग प्रस्तुतिकरण से तथा अर्जित या निपटायी गयी आस्तियों एवं देयताओं की राशि की जानकारी से उन नकदी प्रवाहों तथा अन्य परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों संबंधी नकदी प्रवाहों का अंतर पता लगता है। नियंत्रण खोने के कारण नकदी-प्रवाह के प्रभावों को नियंत्रण पाने के नकदी प्रवाहों में से कम नहीं किया जाता।
42. अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा उन पर से नियंत्रण खो देने के प्रदत्त अथवा प्राप्त प्रतिफल की कुल राशि ऐसे लेन-देन -स्थितियों अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अर्जित अथवा निपटायी गयी नकदी अथवा नकदी तुल्यों की सूचना नकदी प्रवाह विवरण में शुद्ध दी जाती है।
- 42 क. किसी अनुषंगी के स्वामित्व हितों में परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नियंत्रण नहीं खोता है उनसे उत्पन्न नकदी प्रवाहों को वित्तपोषण गतिविधियों से उद्भूत नकदी प्रवाह माना जाएगा। लेकिन तब जब अनुषंगी निवेश, प्रतिष्ठान द्वारा धारित नहीं है, निवेश प्रतिष्ठान की परिभाषा भारतीय लेखा मानक 110 में दी गयी है और वह लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापा जाना अपेक्षित है।
- 42 ख. किसी अनुषंगी के स्वामित्व हितों में हुए जिन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जैसे कि मूल प्रतिष्ठान द्वारा बाद में अनुषंगी की इक्विटी लिखतों का क्रय अथवा विक्रय होता है उन्हें इक्विटी लेनदेन के रूप में दिखाया जाता है [देखें भारतीय लेखा मानक 110] लेकिन ऐसा तब तक है जब तक कि अनुषंगी प्रतिष्ठान निवेश प्रतिष्ठान द्वारा धारित नहीं है और तब यह लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापा जाना अपेक्षित है। *तदनुसार, उसके परिणाम के रूप में होने वाले नकदी प्रवाहों को उसी रूप में वर्गीकृत किया जाता है जैसा कि अनुच्छेद 17 में वर्णित स्वामित्व सहित अन्य लेन-देन को किया जाता है।*

गैर-नकदी लेन-देन

43. जिन निवेश और वित्तपोषण लेन-देन में नकदी अथवा नकदी तुल्यों की जरूरत नहीं होती उन्हें नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह के लेन-देन को अन्यत्र वित्तीय विवरणों में इस रूप में प्रकटित किया जाएगा कि निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के संबंध में पूर्ण प्रासंगिक सूचना मिल जाये।
44. बहुत-सी निवेश व वित्तपोषण गतिविधियां जो मौजूदा नकदी प्रवाह को प्रभावित नहीं करती, उनका प्रतिष्ठान की पूंजी और आस्ति संरचना पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। नकदी प्रवाह विवरण में से नकदी से भिन्न लेन-देन को निकाल देना नकदी प्रवाह विवरण के

उद्देश्य के अनुरूप ही है क्योंकि इन मदों में मौजूदा अवधि का नकदी प्रवाह शामिल नहीं है। नकदी से भिन्न लेन-देन के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

- (क) सीधे ही देयताओं को अपना कर अथवा वित्तीय पट्टे के माध्यम से आस्तियों का अधिग्रहण
- (ख) इक्विटी निर्गम द्वारा किसी प्रतिष्ठान का अधिग्रहण, और
- (ग) ऋण को 'इक्विटी' में बदलना

नकदी और नकदी- तुल्यों के घटक

45. कोई भी प्रतिष्ठान नकदी और नकदी तुल्यों के घटकों की प्रकटना करेगा और अपने नकदी प्रवाह विवरण में रकमों का मिलान तुलन पत्र में बतायी गयी समान मदों से प्रस्तुत करेगा।
46. विश्वभर में नकदी प्रबंध की अनेक प्रथायें तथा बैंकिंग व्यवस्थाएं देखते हुए तथा, भारतीय लेखा-मानक 1 *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण* का अनुपालन करते हुए प्रत्येक प्रतिष्ठान अपनी नीति प्रकटित करता है जो नकदी और नकदी तुल्यों के स्वरूप को तय करने के लिए अपनाता है।
47. नकदी और नकदी तुल्यों का स्वरूप तय करने वाली किसी भी नीति (पॉलिसी) में किसी परिवर्तन का प्रभाव, *उदाहरण के लिए, वित्तीय लिखतों के वर्गीकरण में बदलाव को, जो पहले प्रतिष्ठान के निवेश पोर्टफोलियों का हिस्सा मानी जाती थी, भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुसार सूचित किया जाता है।*

अन्य प्रकटन

48. प्रत्येक प्रतिष्ठान, प्रबंधन की टिप्पणियों के साथ प्रतिष्ठान के पास रखे गये प्रमुख नकदी और नकदी तुल्यों के शेषों की राशि का प्रकटन करेगा जो समूह¹ द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
49. ऐसी बहुत-सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें प्रतिष्ठान की नकदी और नकदी तुल्य समूह² के प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती। इन उदाहरणों में शामिल हैं अनुषंगी जो किसी ऐसे देश में कार्य कर रही हैं जहां विदेशी मुद्रा नियंत्रण और अन्य विधिक प्रतिबंध लागू होते हैं के पास नकदी और नकदी तुल्य के शेष जो मूल प्रतिष्ठान और अन्य अनुषंगियों के आम उपयोग के लिए उपलब्ध न हो।
50. किसी प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति अथवा तरलता को समझने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सूचना प्रासंगिक होती है। प्रबंधन की टिप्पणी सहित इस सूचना के प्रकटन को प्रोत्साहित किया जाता है और इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :-
 - (क) अनाहरित उधार सुविधाओं की राशि, जो भावी परिचालन गतिविधियों के संचालन तथा पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के भुगतान लिए उपलब्ध हो। इन सुविधाओं पर यदि किसी प्रकार के प्रतिबंध हैं तो उनके संकेत दे;
 - (ख) (देखें परिशिष्ट 1);
 - (ग) नकदी प्रवाह की ऐसी कुल राशि जो परिचालन क्षमता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हो तथा उस नकदी-प्रवाह से भिन्न हो जो परिचालन क्षमता बनाये रखने के लिए अपेक्षित हो; और
 - (घ) प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खण्ड की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से उद्भूत नकदी- प्रवाह की राशि (देखें भारतीय लेखा मानक 108, *परिचालन खण्ड*)।
51. नकदी- प्रवाह जो परिचालन क्षमताओं में वृद्धि की जानकारी देते हैं तथा नकदी-प्रवाह जो परिचालन क्षमता को बनाये रखने के लिए जरूरी हैं उनका अलग- अलग प्रकटन देने से उपयोगकर्ता को यह पता लगता है कि क्या प्रतिष्ठान परिचालन क्षमता को बनाये रखने के लिए पर्याप्त निवेश कर रहा है। यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो संभव है वह अपनी मौजूदा तरलता और स्वामिया को वितरण के खातिर भावी लाभप्रदता को संकट में डाल रहा होगा।
52. खण्डों के नकदी प्रवाह की जानकारी से उपयोगकर्ताओं को समग्र रूप से प्रतिष्ठान के कारोबार के नकदी- प्रवाह तथा उसके घटक के बीच संबंधों एवं खण्डों के नकदी प्रवाह की उपलब्धता और उनकी परिवर्तनशीलता का पता चलता है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि यदि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 7 और तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 7, नकदी प्रवाह विवरण के बीच, यदि कोई प्रमुख अंतर हैं, तो उन्हें स्पष्ट किया जाये।

¹पृथक वित्तीय विवरणों के मामले में भी ये अपेक्षाएं समान रूप से लागू होंगी।

²पूर्वोक्त

अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएस) 7 नकदी प्रवाह विवरण के साथ तुलना

भारतीय लेखा मानक 7 और अंतरराष्ट्रीय लेखा-मानक 7, नकदी प्रवाह विवरण में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

1. वित्तीय प्रतिष्ठानों से भिन्न प्रतिष्ठानों के मामले में अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 7 यह विकल्प देता है कि प्रदत्त ब्याज और प्राप्त ब्याज तथा लाभांशों को परिचालन नकदी प्रवाह की मद के रूप में वर्गीकृत किया जाये। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 7 ऐसा कोई विकल्प नहीं देता और यह अपेक्षा करता है कि इन मदों को क्रमशः वित्तपोषण गतिविधि और निवेश गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया जाये (अनुच्छेद 33 देखें)
2. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 7 यह विकल्प देता है कि प्रदत्त लाभांश को परिचालन गतिविधि की मद के रूप में वर्गीकृत किया जाये। परंतु भारतीय लेखा मानक 7 यह अपेक्षा करता है कि इसे केवल वित्तपोषण गतिविधि के अंग के रूप में वर्गीकृत किया जाये (अनुच्छेद 34 देखें)।
3. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
4. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 7 के अनुच्छेद 2 में यह उल्लेख किया गया है कि इसी लेखा मानक अर्थात् आई ए एस 7 के पूर्ववर्ती संस्करण का अधिक्रमण कर दिया गया है अतः उसे भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 7 से हटा दिया गया है क्योंकि इस लेखा मानक अर्थात् इंड ए एस 7 में यह प्रासंगिक नहीं है। लेकिन, अनुच्छेद संख्या 2 को इंड ए एस 7 में रख लिया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 7 के अनुच्छेदों से क्रमबद्धता बनी रहे।
5. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 7 में निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटाये गये' इंगित हैं। अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 7 में अनुच्छेदों की संख्या के साथ क्रमबद्धता बनाये रखने के लिए इन (निम्नलिखित) अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 7 में रहने दिया गया है -
 - (i) अनुच्छेद 29
 - (ii) अनुच्छेद 30
 - (iii) अनुच्छेद 50 (ख)

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8**लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां**

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य है लेखा नीतियों के चयन व परिवर्तन के साथ-साथ लेखा नीतियों में परिवर्तनों के प्रकटन एवं लेखा व्यवहार तथा लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन व त्रुटियों को ठीक करने के लिए मानदंड निर्धारित करना। इस मानक का उद्देश्य यह भी है कि एक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की प्रसांगिता व विश्वसनीयता के साथ-साथ उनकी किन्हीं दूसरे प्रतिष्ठानों के साथ तुलनात्मकता कैसे बढ़ायी जाए।
2. लेखा नीतियों में परिवर्तनों को छोड़कर, लेखा नीतियों के प्रकटन की अपेक्षाओं को भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, के अंतर्गत दिया गया है।

कार्यक्षेत्र

3. इस मानक को लेखा नीतियों के चयन व इस्तेमाल और लेखा नीतियों में परिवर्तनों के लेखे, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन और पूर्व अवधि की त्रुटियों को ठीक करने के लिए लागू किया जाएगा।
4. पूर्व अवधि की त्रुटियों को ठीक करने और लेखा नीतियों में परिवर्तनों को लागू करने के लिए पूर्वप्रभाव से किये गये समायोजनों से कर प्रभावों का लेखा व प्रकटन भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 12, आयकर, के अनुसरण में किया जाएगा।

परिभाषाएं

5. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयोग की गयी है :

लेखा नीतियां वे विशिष्ट सिद्धांत, आधार, प्रथाएं, नियम व व्यवहार हैं जो एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने के लिए लागू करता है।

लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन से अभिप्राय है आस्ति या दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि अथवा आस्तियों व दायित्वों से संबंधित लाभों व बाध्यताओं के वर्तमान या भविष्य में प्रत्याशित स्तर के मूल्यांकन के फलस्वरूप किसी आस्ति के आवधिक उपभोग की

राशि के समायोजन। लेखा प्राक्कलनों (अनुमानों) में परिवर्तन नयी सूचना अथवा नये परिवर्तनों के फलस्वरूप होते हैं। अतः इन्हें त्रुटियों को ठीक करना नहीं कहा जा सकता।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) से अभिप्राय उन मानकों (स्टैंडर्ड्स) से है जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

मदों की सारवान (महत्वपूर्ण) चूक या त्रुटिपूर्ण कथन तब तक सारवान (महत्वपूर्ण) होते हैं, जब तक कि वे व्यक्तिशः या सामूहिक रूप से उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं जिन्हें वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता लेते हैं। 'सारवानता' चूक या त्रुटिपूर्ण कथन के आकार व प्रकृति पर निर्भर करती है और इसका निर्णय इसके आस पास की परिस्थितियों पर आधारित होता है। मद का आकार या प्रकृति, या फिर दोनों का मिश्रण, निर्धारक तत्व होता है।

पूर्व अवधि की त्रुटियों से अभिप्राय उन चूकों या त्रुटिपूर्ण कथनों से है जो एक प्रतिष्ठान की एक या एक से अधिक की पूर्व अवधियों की वित्तीय विवरणों से संबंधित हैं और जो निम्नलिखित स्थितियों में विश्वस्त सूचना के प्रयोग करने में असफलता या दुरुपयोग के कारण हुई हैं:

क) यह सूचना उस समय उपलब्ध थी जब उन अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित थे; और

ख) वह सूचना उन वित्तीय विवरणों के तैयार करने और प्रस्तुत करने के समय समुचित रूप से प्राप्त की जा सकती थी।

इन त्रुटियों में गणितीय त्रुटियों, लेखा नीतियों के प्रयोग की त्रुटियों, तथ्यों की अनदेखी या उन्हें गलत रूप से प्रस्तुत करना और धोखाधड़ी (फ्राड) के प्रभाव सम्मिलित हैं।

पूर्वप्रभावी प्रयोग का अभिप्राय यह है कि एक नई लेखा नीति को लेनदेनों, अन्य घटनाओं व परिस्थितियों पर ऐसे लागू करना कि मानों वह नीति पहले से ही प्रयोग में लायी जा रही थी।

पूर्वप्रभावी पुनर्कथन से अभिप्राय वित्तीय विवरणों के घटकों की राशियों की मान्यता (या पहचान), माप व प्रकटन को ऐसे ठीक करना कि मानो यह त्रुटि पहले कभी हुई ही नहीं थी।

अव्यवहार्य से अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई प्रतिष्ठान हर समुचित प्रयास करने पर भी उसे लागू नहीं कर सकता। एक विशेष पूर्व अवधि में एक लेखा नीति में पूर्वप्रभाव से परिवर्तन को लागू करना या पूर्वप्रभाव से पुनर्कथन निम्नलिखित स्थितियों में त्रुटि को ठीक करना अव्यवहार्य हो सकता है:

(क) पूर्वप्रभावी प्रयोग या पूर्वप्रभावी पुनर्कथन के प्रभाव निश्चित नहीं किये जा सकते हों;

(ख) पूर्वप्रभावी प्रयोग या पूर्वप्रभावी पुनर्कथन में ऐसी कुछ पूर्व धारणाएं अपेक्षित हों जिनसे यह पता चले कि उस अवधि के दौरान प्रबंधन का आशय या उद्देश्य क्या था; अथवा

(ग) पूर्वप्रभावी प्रयोग या पूर्वप्रभावी पुनर्कथन में राशियों के महत्वपूर्ण प्राक्कलन (अनुमान) अपेक्षित हों और इन प्राक्कलनों की सूचना का वस्तुनिष्ठ रूप में पता लगाना निम्नलिखित स्थितियों में असंभव है:

(i) उस तारीख (उन तारीखों) पर जिन पर कि उन राशियों को मान्यता दी जाती है, वे मापी जाती हैं या उनका प्रकटन किया जाता है, सूचना दी जाती है उन पर मौजूदा परिस्थितियों का साक्ष्य (प्रमाण) देना; और

(ii) उस स्थिति में उपलब्ध जब उस पूर्ववर्ती अवधि के वित्तीय विवरण किसी अन्य सूचना के आधार पर जारी करने के लिए अनुमोदित किए जाते हैं।

भावी प्रयोग - लेखा नीति में परिवर्तन और लेखा प्राक्कलन में संभावित परिवर्तन के प्रभाव को मान्यता देने का भावी प्रयोग क्रमानुसार इस प्रकार से है:

(क) नीति परिवर्तन की तारीख के बाद नई लेखा नीति को उन लेन-देनों, अन्य घटनाओं और परिस्थितियों पर लागू करना जो उस तारीख के बाद घटित हुई हों; और

(ख) परिवर्तन से प्रभावित वर्तमान व भावी अवधियों के लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के प्रभाव को मान्यता देना।

6. इस बात का मूल्यांकन करना कि चूक या त्रुटिपूर्ण कथन उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं और ये कितने महत्वपूर्ण हैं इसके लिए उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं पर भी विचार करना आवश्यक है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने की मूलभूत पद्धति के अनुच्छेद 25 में यह उल्लेख है कि "उपयोगकर्ताओं से यह आशा की जाती है कि उन्हें अपने कारोबार व आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ लेखे की समुचित जानकारी है और वे समुचित तत्परता से सूचना के अध्ययन की इच्छा हैं।" अतः निर्धारण

करते हुए यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कैसे इन लक्षणों वाले उपयोगकर्ता आर्थिक निर्णय लेने में प्रभावित होने के लिए समुचित रूप से अपेक्षित हो सकते हैं।

लेखा नीतियां

लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयोग

7. जब कोई भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) विशेष तौर पर किसी लेन-देन, अन्य घटना या परिस्थिति पर लागू होता है, तो उस मद पर लागू लेखा नीति या नीतियां इस भारतीय लेखा मानक द्वारा निर्धारित होंगी।
8. भारतीय लेखा मानक उन लेखा, नीतियों को निर्धारित करते हैं, जो उन वित्तीय विवरणों का सृजन करती हैं जो लेन-देनों, व अन्य घटनाओं व परिस्थितियों के बारे में प्रासंगिक व विश्वसनीय सूचना प्रदान करती हैं, जिन पर ये मानक लागू होते हैं उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें प्रयोग करने का प्रभाव मामूली हो। लेकिन एक प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन या नकदी प्रवाह की विशेष प्रस्तुति की प्राप्ति के लिए लेखा के किसी भी त्रुटिपूर्ण व मामूली विचलन की उपस्थिति या उसकी उपेक्षा उचित नहीं है।
9. भारतीय लेखा मानकों के साथ प्रतिष्ठानों की सहायता और उनकी अपेक्षा अनुसार इन्हें लागू करने के लिए दिशा निर्देश भी संलग्न हैं और वे उन लेखा मानकों के अभिन्न अंग हैं।
10. किसी लेन देन, अन्य घटना या परिस्थिति के प्रयोग के लिए जहां कोई विशेष भारतीय लेखा मानक लागू नहीं होता है, प्रबंधन अपने विवेकानुसार एक ऐसी लेखा नीति के विकास व लागू करने का निर्णय लेगा जोकि निम्नलिखित प्रकार की सूचना प्रदान करेगा:
 - (क) ऐसी सूचना जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता अनुसार उनके आर्थिक निर्णयों के लिए आवश्यक हो; और
 - (ख) सूचना विश्वसनीय हो और वित्तीय विवरण निम्नलिखित की पूर्ति कर सकें :
 - (i) विवरण प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही चित्रण हों ;
 - (ii) विवरण मात्र वैधानिक अपेक्षा की की पूर्ति न होकर वे प्रतिष्ठान के लेन-देनों, अन्य घटनाओं व परिस्थितियों के सारतत्त्व को भी प्रदर्शित कर सकें;
 - (iii) वे किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त न होकर तटस्थ हों ;
 - (iv) वे विवेकपूर्ण हों ; तथा
 - (v) वे हर प्रकार से पूर्ण हों यानि उनमें सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं समाविष्ट हों।
11. उपर्युक्त अनुच्छेद 10 में यथा वर्णित विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए, प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों का भी संदर्भ लेगा और उनके लागू करने की व्यवहार्यता पर भी घटते क्रम में विचार करेगा:
 - (क) ऐसे ही मामलों या इनसे संबंधित मामलों के लिए लागू लेखा मानकों की क्या अपेक्षाएं हैं; और
 - (ख) मूलभूत पद्धति में आस्तियों, दायित्वों, आय व व्यय की परिभाषाएं, मान्यता - मानदंड व माप संकल्पनाएं क्या हैं।
12. उपर्युक्त अनुच्छेद 10 में यथावर्णित विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए, प्रबंधन पहले अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं, और इसके अभाव में, लेखा संबंधी साहित्य और उद्योग में स्वीकृत व्यवहारों, अन्य मानक निर्धारक निकायों द्वारा लेखा मानकों के विकास के लिए प्रयोग में लायी जा रही मूलभूत पद्धति के अनुसार की गयी घोषणाओं को विचार में लाएगा। लेकिन, उस सीमा तक कि इनका अनुच्छेद 11 में दिये गये स्रोतों के साथ कोई अन्तर्विरोध नहीं होना चाहिए।

लेखा नीतियों की एकरूपता

13. जब तक कोई भारतीय लेखा मानक ऐसी मदों के वर्गीकरण के लिए जिनमें अलग नीतियां उपयुक्त हो सकती हैं, आवश्यक न समझे या छूट दे, एक प्रतिष्ठान एक जैसे लेनदेनों, अन्य घटनाओं व परिस्थितियों के लिए एक ही तरह की लेखा नीतियों को चयन एवं प्रयोग करेगा। यदि कोई भारतीय लेखा मानक ऐसे वर्गीकरण के लिए आवश्यक समझता है या छूट देता है, तो उपयुक्त लेखा नीति का चयन करके उसे प्रत्येक श्रेणी में समान रूप से लागू किया जाएगा।

लेखा नीतियों में परिवर्तन

14. कोई भी प्रतिष्ठान निम्नलिखित स्थितियों में ही लेखा नीति में परिवर्तन करेगा :
 - क) यदि परिवर्तन भारतीय लेखा मानक के अनुसार अपेक्षित है; या

- (ख) यदि परिवर्तन से प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन या नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) पर उसके लेनदेनों, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों के प्रभाव के बारे में वित्तीय विवरण विश्वस्त और अधिक प्रासांगिक सूचना प्रदान करते हैं।
15. वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को एक प्रतिष्ठान की वित्तीय विवरणों को अलग-अलग समय में तुलना करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वह प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन या नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) में परिवर्तन के रुख को जान सकें। इसके लिए, यह आवश्यक है कि प्रत्येक अवधि और एक अवधि से दूसरी अवधि में तब तक उन्हीं लेखा मानकों को लागू किया जाएगा जब तक अनुच्छेद 14 में दिये गये मानदंडों में किसी एक मानदंड के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक न हो।
16. निम्नलिखित स्थितियों को लेखा नीतियों में परिवर्तन नहीं कहा जाएगा:
- (क) एक लेखा नीति का प्रयोग जिसमें विचाराधीन अवधि और गत अवधि के लेनदेनों, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों में विशेष अंतर हो; और
- (ख) एक नई लेखा नीति का प्रयोग जिसमें विचाराधीन अवधि की तुलना में गत अवधि में वे लेन-देन, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों या तो विद्यमान न थीं या फिर कोई विशेष नहीं थीं।
17. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16, *सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर* अथवा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 38, *अमूर्त आस्तियां* के अनुसरण में आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए नीति के प्रारंभिक प्रयोग को भारतीय लेखा मानक 16 या भारतीय लेखा मानक 38 न कि इस मानक के अनुसरण में पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखा नीति में परिवर्तन माना जाएगा।
18. अनुच्छेद 19-31 उपर्युक्त अनुच्छेद 17 में यथा उल्लिखित परिवर्तन पर लागू नहीं होंगे।
- लेखा नीतियों में परिवर्तनों का प्रयोग**
19. अनुच्छेद 23 के अधीन के रहते हुए:
- (क) कोई भी प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) को प्रारंभिक प्रयोग के परिणामस्वरूप लेखा नीति में यदि कोई परिवर्तन करता है तो उसे वह परिवर्तन उस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के विशिष्ट संक्रमणकालीन उपबंधों के, यदि कोई हैं, अनुसरण में ही करेगा; और
- (ख) जब प्रतिष्ठान उस भारतीय लेखा मानक जिसमें परिवर्तन करने के विशिष्ट संक्रमणकालीन उपबंध नहीं हैं, या स्वेच्छिक रूप से भारतीय लेखा मानक के प्रारम्भिक प्रयोग पर लेखा नीति में परिवर्तन करता है तो वह इस परिवर्तन को पूर्व प्रभाव से ही लागू करेगा।
20. इस मानक के प्रयोजन के लिए, किसी भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का पूर्वप्रभावी प्रयोग लेखा नीति में स्वेच्छिक परिवर्तन नहीं कहा जाएगा।
21. यदि किसी लेन-देन, अन्य घटना या परिस्थिति के लिए कोई भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) विशेष रूप से लागू नहीं होता है तो प्रतिष्ठान का प्रबंधन उपर्युक्त अनुच्छेद 12 के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं में से और इसके अभाव में, अन्य ऐसे मानक निर्धारक निकायों की, जो इसी तरह का संकल्पनात्मक मूलपद्धति के अनुरूप लेखा मानक तैयार करते हैं, घोषणाओं के अनुरूप लेखा नीति को लागू कर सकता है। यदि इस प्रकार की घोषणा के परिपेक्ष्य में संशोधन का अनुसरण करते हुए वह प्रतिष्ठान लेखा नीति में परिवर्तन का चुनाव करता है तो ऐसा परिवर्तन लेखा नीति में स्वेच्छिक परिवर्तन माना जाएगा और वह उसी रूप में प्रकट होगा।

पूर्वप्रभावी प्रयोग

22. अनुच्छेद 23 के अधीन रहते हुए, जब लेखा नीति में परिवर्तन को उपर्युक्त अनुच्छेद 19 (क) या (ख) के अंतर्गत पूर्वप्रभाव से लागू किया जाता है, तो प्रतिष्ठान प्रस्तुत सबसे पुरानी अवधि की 'इक्विटी' के प्रत्येक प्रभावित अवयव के प्रारम्भिक शेष और प्रस्तुत प्रत्येक पूर्वावधि की प्रकट तुलनात्मक राशियों को यह मानकर समायोजित करेगा कि नई लेखा नीति पहले से ही लागू थी।

पूर्वप्रभावी प्रयोग की सीमाएं

23. जहां अनुच्छेद 19 (क) या (ख) के अनुसार पूर्वप्रभावी प्रयोग अपेक्षित है, लेखा नीति में परिवर्तन, इस सीमा को छोड़कर जहां अवधि विशेष के प्रभावों या परिवर्तन के संचित प्रभाव का निर्धारण करना अव्यवहार्य है, पूर्वप्रभाव से ही किया जाएगा।
24. जब इस बात का पता लगाना अव्यवहार्य हो कि एक लेखा नीति के परिवर्तन से एक या एक से अधिक प्रस्तुत अवधियों की तुलनात्मक सूचना पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रतिष्ठान नयी लेखा नीति को लागू करने के लिए आस्तियों व दायित्वों के आंकड़ों को उस पुरानी अवधि के आरंभ में ले जाएगा जिसका पूर्वप्रभाव से प्रयोग व्यवहार्य हो। यह अवधि चालू अवधि भी हो सकती है। इसमें प्रतिष्ठान उस अवधि की पूंजी के प्रत्येक प्रभावित अवयव के प्रारंभिक शेष में तदनुरूपी समायोजन करेगा।

25. जब इस बात का पता लगाना अव्यवहार्य हो कि नई लेखा नीति को सभी पूर्व अवधियों पर लागू करने से चालू अवधि के प्रारंभ में संचित प्रभाव कैसा रहा, प्रतिष्ठान नई लेखा नीति को आने वाले समय की यथा व्यवहार्य शीघ्रातिशीघ्र तारीख से लागू करने के लिए तुलनात्मक सूचना का समायोजन करेगा।
26. जब प्रतिष्ठान एक नयी लेखा नीति को पूर्वप्रभाव से लागू करता है तो वह उसे यथा संभव पुरानी से पुरानी पूर्व अवधियों की तुलनात्मक सूचना पर लागू करता है। पुरानी अवधि पर पूर्वप्रभावी प्रयोग तब तक व्यवहार्य नहीं है जब तक उस अवधि के आदि व अन्त के तुलन पत्रों पर संचित प्रभाव का निर्धारण व्यवहार्य है। वित्तीय विवरणों के समायोजन की राशि प्रस्तुत पुरानी से पुरानी अवधि की इक्विटी के प्रत्येक प्राभावित अवयव के आदि शेष में शामिल की जाती है। आमतौर पर समायोजन प्रतिधारित आय में ही किया जाता है लेकिन कभी-कभी यह समायोजन इक्विटी के किसी अन्य अवयव में भी किया जा सकता है (उदाहरणार्थ जैसे कि किसी भारतीय लेखा मानक के अनुपालन के लिए) पुरानी अवधियों को कोई अन्य सूचना जैसे वित्तीय आंकड़ों का ऐतिहासिक सारांश, भी यथा व्यवहार्य पुरानी से पुरानी अवधि तक समयोजित किया जा सकता है।
27. जब किसी प्रतिष्ठान के लिए एक नई लेखा नीति को पूर्वप्रभाव से लागू करना इसलिए अव्यवहार्य होता है क्योंकि यह नई लेखा नीति को पुरानी सभी अवधियों पर लागू करने से संचित प्रभाव का निर्धारण नहीं कर सकता तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 25 के अनुसार नयी नीति को यथा व्यवहार्य शीघ्र से शीघ्र भावी अवधि के प्रारंभ से ही लागू करेगा, अतः वह उस तारीख से पूर्व की आस्तियों, दायित्वों व 'इक्विटी' के संचित समायोजन के उस अंश की गणना नहीं करेगा। लेखा नीति में परिवर्तन की अनुमति उस स्थिति में भी दी जाती है जब किसी पूर्व अवधि में नीति का भावी प्रयोग व्यवहार्य न हो। अनुच्छेद 50 - 53 में इस संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है कि नई लेखा नीति एक या एक से अधिक पूर्व अवधियों में कब अव्यवहार्य होती है।

प्रकटन

28. जब किसी भारतीय लेखा मानक के प्रारंभिक प्रयोग का प्रभाव वर्तमान अवधि या किसी पूर्व अवधि पर पड़ता हो तो उसका प्रभाव उस स्थिति को छोड़कर पड़ेगा जहां समायोजन की राशि का निर्धारण अव्यवहार्य हो अथवा उसका प्रभाव भावी अवधियों पर भी पड़ता हो को ऐसे में, प्रतिष्ठान निम्नलिखित बातों को प्रकट करेगा:
- (क) भारतीय लेखा मानक का शीर्षक;
 - (ख) जब लागू, होगा तो लेखा नीति में परिवर्तन इसके संक्रमणकालीन उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
 - (ग) लेखा नीति में परिवर्तन की प्रकृति ;
 - (घ) जब यह लागू होगा, तो इसके संक्रमणकालीन उपबंधों का वर्णन ;
 - (ङ) जब यह लागू होगा तो इसके संक्रमणकालीन उपबंधों का भावी अवधियों पर प्रभाव;
 - (च) प्रस्तुत वर्तमान अवधि और पूर्व की प्रत्येक अवधि में यथा व्यवहार्य सीमा तक, समायोजन की राशि इसे निम्न हेतु प्रकट किया जाएगा:
 - (i) प्रत्येक वित्तीय विवरण की समरूपी प्रभावित मद हेतु ; तथा
 - (ii) यदि भारतीय लेखा मानक 33, प्रति शेयर अर्जन प्रतिष्ठान पर लागू होता है तो प्रत्येक शेयर मूल व अविमिश्रित अर्जन हेतु ;
 - (छ) प्रस्तुत अवधियों से पूर्व की अवधियों से संबंधित समायोजन की राशि, यथा व्यवहार्य सीमा तक; तथा
 - (ज) यदि अनुच्छेद 19 (क) या (ख) के अनुसार एक निश्चित पूर्व अवधि प्रस्तुत अवधियों से पूर्व की अवधियों का पूर्वप्रभावी प्रयोग अव्यवहार्य है तो उन परिस्थितियों का उल्लेख जिनके फलस्वरूप वह स्थिति उत्पन्न हुई है और इस बात का विवरण कि प्रयुक्त लेखा नीति में परिवर्तन कैसे और कब से लागू हुआ है।
- आगामी अवधियों के वित्तीय विवरणों में उपर्युक्त प्रकटनों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।
29. जब लेखा नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का प्रभाव वर्तमान अथवा किसी पूर्ण अवधि पर पड़ता हो लेकिन जिसमें समायोजन की राशि का निर्धारण अव्यवहार्य हो अथवा उसका प्रभाव भावी अवधियों पर भी पड़ता हो, ऐसी स्थितियों को छोड़कर शेष मामलों में प्रतिष्ठान निम्नलिखित बातों को प्रकट करेगा:
- (क) लेखा नीति में परिवर्तन की प्रकृति;
 - (ख) उन कारणों का उल्लेख जिनमें यह स्पष्ट होगा कि उस नयी लेखा नीति के प्रयोग से विश्वस्त व अधिक प्रासांगिक सूचना उपलब्ध होगी;

- (ग) प्रस्तुत वर्तमान अवधि और प्रत्येक पूर्व अवधि के लिए, यथा व्यवहार्य सीमा तक समायोजन की राशि। इसे निम्नलिखित हेतु प्रकट किया जाएगा:
- (i) प्रभावित प्रत्येक वित्तीय विवरण की समरूप प्रभावित मद हेतु; और
- (ii) यदि भारतीय लेखा मानक 33 उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है तो उसके प्रत्येक शेयर मूल व अवमिश्रित (डायल्यूटेड) अर्जन हेतु;
- (घ) प्रस्तुत अवधियों से पूर्व की अवधियों से संबंधी समायोजन की राशि, यथा व्यवहार्य सीमा तक; और
- (ङ) यदि निश्चित पूर्व अवधि या प्रस्तुत अवधियों से पूर्व की अवधियों का पूर्वप्रभावी प्रयोग अव्यवहार्य है तो उन परिस्थितियों का उल्लेख जिनके फलस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हुई है और इस बात का विवरण कि प्रयुक्त लेखा नीति में परिवर्तन कैसे और कब से हुआ है।

आगामी अवधियों के वित्तीय विवरणों में उपर्युक्त प्रकटनों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

30. जब कोई प्रतिष्ठान उस नये भारतीय लेखा मानक का प्रयोग नहीं करता जो जारी तो हो चुका है लेकिन अभी प्रभावी नहीं हुआ है तो यह प्रतिष्ठान अपने प्रकटन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करेगा:
- (क) यह तथ्य; और
- (ख) उस सूचना का उल्लेख जो या तो ज्ञात है या फिर उसका समुचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि नये भारतीय लेखा मानक के प्रयोग का प्रतिष्ठान की प्रारंभिक प्रयोग की अवधि के वित्तीय विवरणों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
31. अनुच्छेद 30 के अनुपालन में, यदि प्रतिष्ठान अपने प्रकटन पर विचार करता है तो निम्नलिखित बातों का उल्लेख करेगा:
- (क) नये भारतीय लेखा मानक का शीर्षक;
- (ख) लेखा नीति में तत्काल पड़ने वाले एक या एक से अधिक परिवर्तनों की प्रकृति;
- (ग) भारतीय लेखा मानक प्रयोग करने की अपेक्षित तारीख;
- (घ) उस तिथि का उल्लेख जिस पर प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक प्रथमतया प्रयोग में लाना चाहता है; और
- (ङ.) इन दोनों में से किसी एक का उल्लेख;
- (i) भारतीय लेखा मानक के प्रारंभिक प्रयोग से प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इस बारे में विचार विमर्श; अथवा
- (ii) यदि उस प्रभाव की जानकारी नहीं है और न ही उसका कोई समुचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो उसके बारे में विवरण।

लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन

32. कारोबार की गतिविधियों में अन्तर्निहित अनिश्चितताओं के फलस्वरूप, वित्तीय विवरणों में अनेक मदों को ठीक-ठीक से मापा नहीं जा सकता लेकिन उन्हें अनुमानित रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है जिसे प्राक्कलन कहते हैं। प्राक्कलन में हाल ही में उपलब्ध और विश्वसनीय सूचना के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय शामिल किये जाते हैं। उदाहरणतया निम्नलिखित पर अनुमान लगाए जाते हैं :
- (क) अशोध्य ऋण;
- (ख) कालातीत सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री);
- (ग) वित्तीय आस्तियों या वित्तीय दायित्वों का उचित मूल्य;
- (घ) मूल्यह्रासयोग्य आस्तियों में सन्निहित आस्तियों का उपयोगी जीवन, अथवा भावी आर्थिक लाभों के उपभोग का संभावित प्रतिमान; और
- (ङ) वारंटी बाध्यता।
33. समुचित प्राक्कलन वित्तीय विवरण तैयार करने का अनिवार्य अंग है और यह वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता का अवमूल्यन नहीं करता है।
34. किसी भी प्राक्कलन को संशोधित किया जा सकता है जो उस स्थिति में संभव है कि जिन परिस्थितियों में प्राक्कलन किया गया वे ही बदल जाएं या फिर नई सूचना या अधिक अनुभव के बाद ऐसा करना आवश्यक हो जाए। प्रकृतिवश, एक प्राक्कलन का संशोधन पूर्व अवधियों से संबंधित नहीं होता है और न ही यह त्रुटियों को ठीक करता है।

35. जब माप के आधार में परिवर्तन कर दिया जाता है तो यह एक लेखा नीति में परिवर्तन है, न कि लेख के प्राक्कलन में परिवर्तन, लेकिन जब लेखा नीति में परिवर्तन और लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन का अन्तर स्पष्ट न हो या दोनों में भेद करना कठिन हो जाए तो उस परिवर्तन को लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन ही माना जाएगा।
36. उन परिवर्तनों को छोड़कर जिन पर अनुच्छेद 37 लागू होता है, अन्य लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ-हानि में भावी मान्यता निम्नलिखित स्थितियों में दी जाएगी:
- (क) परिवर्तन की अवधि में यदि परिवर्तन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है: अथवा
- (ख) परिवर्तन की अवधि और भावी अवधियों में यदि परिवर्तन दोनों को प्रभावित करता है।
37. उस सीमा तक कि लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन आस्तियों व दायित्वों में परिवर्तन करते हैं या फिर वह 'इक्विटी' की किसी एक मद से संबंधित है, तो उसे संबंधित आस्ति दायित्व या 'इक्विटी' की मद की अग्रणीत राशि को परिवर्तन की अवधि में समायोजित करके देखा (माना) जाएगा।
38. एक लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के प्रभाव की भावी मान्यता का अर्थ है कि परिवर्तन प्राक्कलन के परिवर्तन की तारीख से लेन-देनों, अन्य घटनाओं व परिस्थितियों पर लागू होता है। लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन केवल वर्तमान अवधि के लाभ या हानि या वर्तमान के साथ-साथ भावी अवधियों के लाभ या हानि को प्रभावित कर सकता है। उदाहरणतया चूंकि अशोध्य ऋणों की राशि में प्राक्कलन में परिवर्तन केवल वर्तमान अवधि के लाभ या हानि को प्रभावित करता है अतः उसे वर्तमान अवधि में ही देखा (माना) जाता है। लेकिन, मूल्यहास-योग्य आस्ति के अनुमानित लाभकारी जीवन या उसके भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के प्रतिमान से आस्ति के मूल्यहास, व्यय को प्रभावित करता है और यह प्रभाव न केवल वर्तमान अवधि तक रहता अपितु जब तक उस आस्ति का लाभकारी जीवन है तब तक की प्रत्येक अवधि में भी रहेगा। दोनों ही मामलों में वर्तमान अवधि के परिवर्तन का प्रभाव वर्तमान अवधि में आय या व्यय के रूप में ही देखा जाएगा। अगर कोई प्रभाव भावी अवधियों पर पड़ता है, तब वह इन भावी अवधियों के आय या व्यय के रूप में माना जाएगा।
- प्रकटन**
39. उन भावी अवधियों के मामले में जहां प्रभाव का अनुमान लगाना अव्यवहार्य होगा, के अलावा एक प्रतिष्ठान लेखा प्राक्कलन में हुए परिवर्तन के प्रभाव की प्रकृति व राशि वर्तमान अवधि में और इसी तरह भावी अवधियों में संभावित प्रभाव की प्रकृति व राशि का प्रकटन करेगी।
40. लेकिन यदि भावी अवधियों में परिवर्तन के प्रभाव की राशि का प्रकटन इस नाते नहीं किया गया कि उसका अनुमान लगाना अव्यवहार्य है तो प्रतिष्ठान इस तथ्य का उल्लेख अपने प्रकटन में करेगा।

त्रुटियां

41. त्रुटियां वित्तीय विवरणों के अवयवों की मान्यता (पहचान), प्रस्तुति अथवा प्रकटन कहीं भी हो सकती है यदि प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन या नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के विशेष प्रस्तुतिकरण के समय जानबूझकर महत्वपूर्ण अथवा मामूली भी त्रुटियां की जाती हैं तो उसे यह माना जाएगा कि प्रतिष्ठान ने वित्तीय विवरण तैयार करने में भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया है। वर्तमान अवधि की संभावित त्रुटियां यदि उसी अवधि में ढूंढ ली जाती हैं तो उन्हें विवरणों को जारी करने और अनुमोदन से पूर्व ही ठीक कर लिया जाता है। लेकिन, कई बार महत्वपूर्ण त्रुटियां भी उस अवधि में नहीं ढूंढी जा पातीं लेकिन जब उनका बाद की किसी अवधि में पता चलता है तो उन्हें ठीक करके उस अवधि के वित्तीय विवरणों की तुलनात्मक सूचना में प्रस्तुत किया जाता (देखिए अनुच्छेद 42 - 47)
42. अनुच्छेद 43 के अधीन रहते हुए, प्रतिष्ठान पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को पूर्वप्रभाव से ठीक करके जारी करने के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरणों के प्रथम सैट में ही निम्नलिखित के अनुसार प्रस्तुत करेगा:
- (क) जिस अवधि (जिन अवधियों) में त्रुटियां हुई हैं उस अवधि (उन अवधियों) की तुलनात्मक राशियों के साथ पुनः वर्णित करेगा; अथवा
- (ख) यदि त्रुटि प्रस्तुत पुरानी अवधि से पूर्व हुई है तो इस स्थिति में आस्तियों, दायित्वों व 'इक्विटी' के उस प्रस्तुत पुरानी से पुरानी अवधि के प्रारम्भिक शेष पुनः वर्णित किये जाएंगे।

पूर्वप्रभावी पुनर्कथन की सीमाएं

43. जब तक विशेष अवधि के प्रभावों या त्रुटि के संचित प्रभाव का निर्धारण अव्यवहार्य न हो, पुरानी अवधि की त्रुटि पूर्वप्रभाव से पुनर्कथन या पुनः वर्णन द्वारा ठीक की जाएगी।

44. जब प्रस्तुत एक या एक से अधिक पूर्व अवधियों की तुलनात्मक सूचना में किसी त्रुटि की अवधि विशेष प्रभाव निर्धारित करना अव्यवहार्य हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान उस पुरानी अवधि की आस्तियों, दायित्वों व 'इक्विटी' के प्रारंभिक शेषों की पुनर्व्याख्या या पुनर्कथन करेगा, जिसका पूर्वप्रभावी पुनर्कथन व्यवहार्य है (यह अवधि वर्तमान अवधि भी हो सकती है)
45. त्रुटि की सभी पुरानी अवधियों का संचित प्रभाव वर्तमान अवधि के प्रारंभ में किस प्रकार पड़ा यह निर्धारित करना जब अव्यवहार्य हो तो प्रतिष्ठान भावी उस शीघ्रातिशीघ्र अवधि से, जो व्यवहार्य है, त्रुटि को ठीक करते हुए तुलनात्मक सूचना के रूप में पुनर्कथन प्रस्तुत करेगा।
46. पुरानी अवधि की त्रुटि जब ठीक कर ली जाती है तो वह उस अवधि के लाभ या हानि में शामिल नहीं की जाएगी जिसमें की वह त्रुटि दूढ़ी जाती है। पुरानी अवधियों की प्रस्तुत कोई भी सूचना, जिसमें वित्तीय आंकड़ों का ऐतिहासिक सारांश शामिल है, यथा व्यवहार्य, पुरानी से पुरानी अवधि से पुनर्कथन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।
47. जब पूर्व की सभी अवधियों में किसी त्रुटि की राशि का निर्धारण करना अव्यवहार्य हो (जैसे लेखा नीति के प्रयोग में त्रुटि करना) तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 45 के अनुसरण में जो भी शीघ्रातिशीघ्र आगे की अवधि व्यवहार्य होगी उसमें तुलनात्मक सूचना का पुनर्कथन करेगा। अतः इस स्थिति में वह इस तारीख से पहले की आस्तियों, दायित्वों व 'इक्विटी' के संचित पुनर्कथन के अंश पर कोई ध्यान नहीं देगा। अनुच्छेद 50-53 में इस बारे में मार्गदर्शन दिया गया है कि जब पूर्व की एक या एक से अधिक की अवधियों की त्रुटि का निराकरण अव्यवहार्य हो तो क्या किया जाए।
48. त्रुटियों का निराकरण और लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन दो अलग-अलग चीजें हैं। लेखा प्राक्कलन प्रकृतिवश वे अनुमान हैं जिन्हें अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणतया, किसी आकस्मिकता के फलस्वरूप लाभ या हानि की मान्यता (पहचान) त्रुटि का निराकरण नहीं है।

गत अवधि की त्रुटियों का प्रकटन

49. अनुच्छेद 42 का अनुसरण करने के लिए, प्रतिष्ठान निम्नलिखित बातों का प्रकटन करेगा:
 - (क) पूर्व अवधि की त्रुटि की प्रकृति;
 - (ख) प्रस्तुत प्रत्येक पूर्व अवधि के लिए व्यवहार्य सीमा तक निराकरण की राशि जिसे निम्नलिखित हेतु प्रकट किया जाएगा:
 - (i) प्रत्येक वित्तीय विवरण में समरूपी प्रभावित मद ; और
 - (ii) यदि भारतीय लेखा मानक 33 प्रतिष्ठान पर लागू होता है तो प्रति शेयर मूल या अवमिश्रित अर्जन ;
 - (ग) प्रस्तुत सबसे पुरानी अवधि के प्रारंभ में निराकरण की राशि; और
 - (घ) यदि किसी विशेष पुरानी अवधि के लिए पूर्वप्रभावी पुनर्कथन अव्यवहार्य है तो उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा जिनके कारण वह स्थिति बनी थी और इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा कि त्रुटि का निराकरण कैसे और कब से किया गया है।

आगामी अवधियों के वित्तीय विवरणों में उपर्युक्त प्रकटनों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

पूर्वप्रभावी प्रयोग एवं पूर्वप्रभावी पुनर्कथन के संबंध में अव्यवहार्यता

50. कुछ परिस्थितियों में, एक या एक से अधिक पुरानी अवधियों और वर्तमान अवधि की तुलना करने के लिए पुरानी अवधि (अवधियों) को समायोजित करना अव्यवहार्य होता है। उदाहरणतया, नयी लेखा नीति को जब पूर्वप्रभाव से प्रयोग में लाया जाना है (इसमें अनुच्छेद 51-53 के प्रयोजन, पुरानी अवधि पर भावी रूप से प्रयोग करना भी शामिल है) और पूर्व में इस अनुसार आंकड़े एकत्र ही नहीं किये गये थे अथवा पूर्व की त्रुटि को ठीक करने के लिए पूर्वप्रभावी पुनर्कथन और यह भी अव्यवहार्य हो सकता है कि वह अपेक्षित सूचना फिर से एकत्र न हो पाए।
51. कई बार लेन-देन, अन्य घटनाओं अथवा परिस्थितियों के लिए वित्तीय विवरणों के उन अवयवों पर जो इन्हें वित्तीय विवरणों में मान्यता देते हैं या प्रकट करते हैं, एक नई लेखा नीति लगाने के लिए प्राक्कलन करने की आवश्यकता पड़ती है, प्राक्कलन (अनुमान) प्रक्रिया मूलतः व्यक्तिनिष्ठ होती है और अनुमान सूचित अवधि के बाद भी लगाये जा सकते हैं। लेकिन जब कोई लेखा नीति पूर्वप्रभाव से लागू की जाती है या पूर्व अवधि की त्रुटि का पूर्वप्रभाव से पुनर्कथन किया जाता है तो इस स्थिति में अनुमान लगाना और कठिन हो जाता है क्योंकि प्रभावित लेन-देन घटी अन्य घटना या परिस्थिति का लम्बा समय निकल चुका होता है। फिर भी अनुमान लगाने का पुरानी अवधियों का उद्देश्य वही रहता है जो कि वर्तमान अवधि का है। जैसे कि जब अमुक लेन-देन अन्य घटना या परिस्थिति जब घटित हुए तब क्या हालात थे और उन्हें इन अनुमानों में उन हालात को प्रदर्शित करना।
52. अतः जब किसी नयी लेखा नीति का पूर्वप्रभाव से प्रयोग किया जाता है या किसी पुरानी अवधि की त्रुटि का निराकरण किया जाता है तो इसके लिए निम्नलिखित जानकारी जो अन्य जानकारी अलग है, अपेक्षित होती है:

(क) सूचना उन हालात का साक्ष्य दे जो हुए लेन-देन, घटित अन्य घटना या परिस्थिति की तारीख को विद्यमान थे; और

(ख) जब पुरानी अवधि के वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए थे तब वह सूचना उपलब्ध हो सकती थी।

प्राक्कलनों (अनुमानों) की कुछ किस्मों के लिए (उदाहरणतया, एक उचित मूल्य माप जो महत्वपूर्ण लेकिन गैर-दृष्टिगोचर निविष्टियों (इनपुट) का प्रयोग करता है) यह अव्यवहार्य है कि उनमें भेद या अन्तर किया जाए। जब पूर्वप्रभाव से प्रयोग या पूर्वप्रभाव के पुनर्कथन के लिए कोई महत्वपूर्ण प्राक्कलन (अनुमान) अपेक्षित हों और उनमें इस प्रकार की दो सूचनाओं में अंतर करना संभव न हो तो ऐसी स्थिति में नई लेखा नीति का प्रयोग या पूर्व अवधि की त्रुटि को पूर्वप्रभाव से ठीक करना अव्यवहार्य हो जाता है।

नयी लेखा नीति का प्रयोग करते समय या पूर्व अवधि की राशियों को ठीक करते समय पूर्व अवधि में प्रबंधन की क्या मान्यताएं थी या पूर्व अवधि में पहचान की गयी, मापी गयी और प्रकट की गयी राशियों के अनुमान क्या था इस बारे में पश्चदृष्टि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरणतया, जब प्रतिष्ठान पूर्व अवधि की उस त्रुटि को ठीक करती जो भारतीय लेखा मानक 19, *कर्मचारी लाभ*, के अनुसरण कर्मचारियों की जमा बीमारी की छुट्टी के दायित्व की गणना की त्रुटि को ठीक करती है, तो वह उस सूचना पर ध्यान नहीं देगी जो कि असामान्य तौर पर फैले इन्फ्लूएंजा सीजन से संबंधित है और वह सूचना बाद के समय में उस समय प्राप्त हुई जब कि पिछली अवधि के वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित हो चुके थे। यह तथ्य कि पूर्व अवधि की तुलनात्मक सूचना को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण प्राक्कलन बार-बार अपेक्षित होता है, विश्वसनीय समायोजन या तुलनात्मक सूचना को ठीक करने से नहीं रोकता है।

परिशिष्ट क

अन्य लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 का अभिन्न अंग है।

परिशिष्ट 'ख' — विशिष्ट बाजार — अवशिष्ट विद्युत एवं इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर में भागीदारी से उत्पन्न दायित्वए, भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तिया, भारतीय लेखा मानक 8 के लिए संदर्भ का कार्य करता है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 8 लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां के बीच यदि कोई प्रमुख अंतर हों तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 8 'लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां' के साथ तुलना

- इसमें भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है। इसी तरह, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के प्रयोजन के निमित्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने के लिए प्राधिकार' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदन' का प्रयोग किया गया है।
- अनुच्छेद 9 भारतीय लेखा मानकों के साथ संलग्न दिशा-निर्देशों की स्थिति पर चर्चा करता है। ये दिशा-निर्देश लेखा मानकों के अभिन्न और गैर-अभिन्न अंगों के रूप में हैं। इस अनुच्छेद अर्थात् 9 को इस आशय से संशोधित कर दिया गया है कि दिशानिर्देश में गैर-भिन्न अंग के संदर्भ में पाठ को हटा दिया गया है। इस तरह के दिशा-निर्देशों को मानकों में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 12 में यह वर्णित किया गया है कि किसी एक भारतीय लेखा मानक की अनुपस्थिति में, प्रबंधन सबसे पहले अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की हाल ही की घोषणाओं को विचार में लेगा।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 10

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

- इस मानक का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि:

- एक प्रतिष्ठान को रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं को अपने वित्तीय विवरणों में कब समायोजित करना चाहिए, और
- एक प्रतिष्ठान द्वारा अपने वित्तीय विवरणों को जारी करने की अनुमोदित तिथि एवं रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं का प्रकटन।

यह मानक यह भी आवश्यक समझता है कि एक प्रतिष्ठान को अपने वित्तीय विवरण चलायमान प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार नहीं करने चाहिए अगर रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि चलायमान प्रतिष्ठान की अवधारणा उसके लिए उचित नहीं है।

कार्यक्षेत्र

2. यह मानक रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के लेखांकन एवं प्रकटन पर लागू होता है।

परिभाषाएं

3. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :-

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं ये वे घटनाएं हैं, जो चाहे अनुकूल हों फिर या प्रतिकूल, जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत और उस तिथि, जिसको कम्पनी के मामले में निदेशक-मंडल द्वारा और अन्य किसी प्रस्थान के मामले में तदनुसूची अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित करने के बीच घटित हुई हों। ये घटनाएं निम्नलिखित दो प्रकार की हो सकती हैं :-

(क) एक, वे जो रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में विद्यमान परिस्थितियों के साक्ष्य उपलब्ध कराती हों (*रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोज्य घटनाएं*) और -

(ख) दूसरे, वे जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की ओर संकेत करती हैं (*रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर-समायोज्य घटनाएं*)।

उपर्युक्त के बावजूद, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में या उससे पूर्व दीर्घावधि ऋण व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रावधान में कोई उल्लंघन होता है और उसका यह प्रभाव पड़ता है कि दायित्व रिपोर्टिंग तिथि की मांग पर देय जो जाता है, वित्तीय विवरणों के जारी करने के अनुमोदन से पूर्व ऋणदाता का यह करार की उल्लंघन के परिणामस्वरूप भुगतान की मांग नहीं की जाएगी, उसे एक समायोज्य घटना समझा जाएगा।

4. वित्तीय विवरणों को जारी करने के अनुमोदन के लिए शामिल प्रक्रिया, प्रबंधन संरचना, सांविधिक अपेक्षाओं और वित्तीय विवरणों के तैयार करने एवं उन्हें अंतिम रूप देने की अनुगणित प्रक्रियाओं पर निर्भर होने पर अलग-अलग हो सकती है।
5. कुछ मामलों में, प्रतिष्ठान को अपने वित्तीय विवरण को मंडल (बोर्ड) द्वारा अनुमोदन के बाद शेयर धारकों के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करनी होती है। ऐसी स्थिति में, वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित तिथि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि मानी जाएगी, न कि निवेशकों द्वारा वित्तीय विवरणों को अनुमोदन करने की तिथि।
6. कुछ मामलों में, प्रतिष्ठान के प्रबंधन को वित्तीय विवरण जारी करने से पूर्व पर्यवेक्षी बोर्ड (गैर कार्यकारी अधिकारियों से गठित) को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने होते हैं। ऐसी स्थिति में, वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए तभी अनुमोदित माना जाता है जबकि वे प्रबंधन द्वारा पर्यवेक्षी बोर्ड को प्रस्तुत किये जाते हैं।

उदाहरण

18 मार्च 20X2 को, प्रतिष्ठान के प्रबंधन ने अपने वित्तीय विवरणों को पर्यवेक्षी बोर्ड को निर्गम के लिए मंजूरी दी है। पर्यवेक्षी बोर्ड पूरी तरह से गैर कार्यकारी अधिकारियों से गठित किया गया है और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा अन्य प्रतिनिधि जिनका प्रतिष्ठान में हित है शामिल होते हैं। पर्यवेक्षी बोर्ड ने 26 मार्च 20X2 को वित्तीय विवरण अनुमोदित कर दिये। ये वित्तीय विवरण शेयर धारकों एवं अन्य को 1 अप्रैल 20X2 को उपलब्ध करा दिये जाते हैं। शेयर धारक 15 मई 20X2 को सम्पन्न अपनी वार्षिक बैठक में इन वित्तीय विवरणों को अनुमोदित कर देते हैं। अब प्रतिष्ठान इन वित्तीय विवरणों को 17 मई 20X2 को सम्बन्धित नियामक निकाय को प्रस्तुत कर देता है।

इस स्थिति में, वित्तीय विवरणों को जारी करने के अनुमोदन की तिथि 18 मार्च 20X2 मानी जाएगी (जिस पर कि प्रबंधन ने पर्यवेक्षी बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी दी थी)।

7. रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटित होने वाली घटनाओं में वे सभी घटनाएं सम्मिलित होती हैं जो कि वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित की तारीख तक घटित हुई हैं भले ही वे घटनाएं लाभ या अन्य चयनित वित्तीय सूचना की सार्वजनिक घोषणा के बाद भी घटित हुई हैं।

मान्यता एवं माप

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की समायोज्य घटनाएं

8. एक प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के बाद की समायोज्य घटनाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करेगा।
9. नीचे रिपोर्टिंग अवधि के बाद उन समायोज्य घटनाओं के उदाहरण दिये जा रहे हैं जो प्रतिष्ठान के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने के लिए आवश्यक है या उन मदों को मान्यता देने के लिए आवश्यक है जिन्हें पहले मान्यता नहीं दी गयी है:-
 - (क) रिपोर्टिंग अवधि के बाद एक कोर्ट मामले का निपटारा जिसमें यह पुष्टि होती है कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्रतिष्ठान का दायित्व विद्यमान था। प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक आस्तियां*, के अनुसरण में इस कोर्ट मामले से सम्बन्धित मान्यताप्राप्त किसी पिछले प्रावधान या मान्यताप्राप्त नए प्रावधान को समायोजित करेगा। प्रतिष्ठान आकस्मिक देयता का प्रकटन इसलिए नहीं करेगा कि निपटान में यह एक अतिरिक्त साक्ष्य है और जो भारतीय लेखामानक 37 के अनुच्छेद 16 के अधीन विचारणीय है।
 - (ख) रिपोर्टिंग अवधि के बाद यह सूचना मिलना जो संकेत करे कि आस्ति रिपोर्टिंग अवधि के अन्त तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है या उस आस्ति की पहले से मान्य क्षति के कारण हुई हानि का समायोजन किया जाना है। उदाहरणार्थ:
 - (i) रिपोर्टिंग अवधि के बाद एक ग्राहक का दिवालियापन, आमतौर पर यह पुष्टि करता है कि रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में ग्राहक ऋण-क्षीण था; और
 - (ii) रिपोर्टिंग अवधि के बाद माल की बिक्री जब यह साक्ष्य दे कि रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में माल का निबल वसूली योग्य मूल्य था।
 - (ग) रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात क्रय की गयी आस्तियों की लागत या रिपोर्टिंग अवधि के अन्त से पूर्व विक्रय की गयी आस्तियों से प्राप्त राशियों का निर्धारण।
 - (घ) यदि प्रतिष्ठान को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात, पूर्व की किन्हीं घटनाओं के परिणामस्वरूप किसी विद्यमान विधिक (कानूनी) या संरचनात्मक वाध्यता के कारण लाभ-वितरण या बोनस के रूप में कोई भुगतान करना आवश्यक है तो उसका निर्धारण। [देखें भारतीय लेखा मानक 19, *कर्मचारियों के लाभ*]
 - (ङ) किसी धोखाधड़ी (फ्रॉड) या त्रुटि का पता चलना और जिससे यह प्रदर्शित हो कि वित्तीय विवरण गलत हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की गैर-समायोज्य घटनाएं

10. कोई भी प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर समायोज्य घटनाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को समायोजित नहीं करेगा।
11. रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर-समायोज्य घटना का एक उदाहरण है - रिपोर्टिंग अवधि के अन्त और वित्तीय विवरणों के जारी करने के लिए अनुमोदन की तारीख के बीच निवेशों के उचित मूल्य में गिरावट होना। उचित मूल्य में गिरावट आमतौर पर रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में निवेशों की स्थिति से संबंधित नहीं होती बल्कि वह उन परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करती है जो उसके बाद उत्पन्न हुई हो। अतः प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों में निवेशों की मान्यताप्राप्त राशियों को समायोजित नहीं करता। इसी तरह, प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में निवेशों की प्रकट राशियों की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी नहीं देता हालाँकि उसे अनुच्छेद 21 के अनुसार अतिरिक्त सूचना के रूप में प्रकटन करना पड़ सकता है।

लाभांश

12. यदि कोई प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर इक्विटी लिखतों के धारकों को कोई लाभांश [भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतिकरण* में यथा परिभाषित] घोषित करता है तो वह रिपोर्टिंग अवधि के अन्त पर इन लाभांशों को देयता के रूप में मान्यता नहीं देगा।
13. अगर लाभांश रिपोर्टिंग अवधि के बाद लेकिन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित करने से पहले घोषित किये जाते हैं तो इन लाभांशों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी क्योंकि उस समय इस सम्बंध में प्रतिष्ठान का कोई दायित्व नहीं है। ऐसे लाभांश भारतीय लेखा मानक 1, *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण* के अनुसरण में टिप्पणियों में प्रकटित किये जाएंगे।

चलायमान प्रतिष्ठान

14. एक प्रतिष्ठान अपनी वित्तीय विवरणों को चलायमान प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार नहीं करेगा यदि प्रबंधन यह निर्धारित करता है कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद या तो प्रतिष्ठान का कारोबार बन्द कर दिया जाएगा या उसका व्यापार बन्द कर दिया जाएगा या फिर उसके पास ऐसा कोई ठोस विकल्प नहीं है कि वह इस सम्बंध में क्या करेगा।

15. रिपोर्टिंग अवधि के बाद, परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति में गिरावट इस बात की आवश्यकता महसूस करवाती है कि क्या चलायमान प्रतिष्ठान की अवधारणा अब भी उचित है ? यदि यह अवधारणा आगे उचित नहीं लगती तो इसका प्रभाव व्यापक होगा और यह मानक यह अपेक्षा करता है कि लेखांकन के आधार में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है न कि लेखांकन के मूल आधार के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त राशियों का कोई समायोजन किया जाए ।
16. भारतीय लेखा मानक 1 अपेक्षित प्रकटन को इस प्रकार विनिर्दिष्ट करता है:
 - (क) वित्तीय विवरण चलायमान प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार नहीं किये गये हैं; यदि
 - (ख) प्रबंधन को यह अहसास है कि घटनाओं या स्थितियों के सम्बंध में क्या महत्वपूर्ण (या सारवान) अनिश्चितताएं हैं जो प्रतिष्ठान को चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की योग्यता पर एक बड़ा सन्देह प्रकट करती है। ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां जो प्रकटन की अपेक्षा करती हैं वे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् उत्पन्न हो सकती हैं।

प्रकटन

निर्गम की अनुमोदन तिथि

17. प्रतिष्ठान उस तिथि को प्रकट करेगा जिस तिथि को उसके वित्तीय विवरण जारी करने (निर्गम) के लिए अनुमोदित किये गये हैं और यह अनुमोदन किसने दिया है। यदि प्रतिष्ठान के स्वामियों या अन्य व्यक्तियों के पास वित्तीय विवरणों को जारी करने के बाद संशोधन करने की शक्ति है, तो वह प्रतिष्ठान इस तथ्य को भी साथ ही प्रकट करेगा ।
18. उपयोगकर्ताओं के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय विवरण को निर्गम के लिए कब अनुमोदित किया गया है क्योंकि ये वित्तीय विवरण निर्गम की तिथि के बाद की घटनाओं को प्रतिबिम्बित नहीं करते ।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत की परिस्थितियों का अद्यतन प्रकटन

19. यदि एक प्रतिष्ठान को रिपोर्टिंग अवधि के बाद उन परिस्थितियों के बारे में सूचना प्राप्त होती है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान थीं, तो वह उस नई सूचना के अनुसार उन परिस्थितियों के प्रकटन को अद्यतन करेगा ।
20. कुछ मामलों में, प्रतिष्ठान को अपनी वित्तीय विवरणों के प्रकटन को अद्यतन करना आवश्यक हो जाता है ताकि इनमें रिपोर्टिंग अवधि के बाद की सूचना प्रतिबिम्बित हो सके भले वह सूचना वित्तीय विवरणों में मान्यता राशि को प्रभावित न भी करती हो । इसका एक उदाहरण यह है कि जब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक आकस्मिक देयता विद्यमान थी और इसके होने का साक्ष्य रिपोर्टिंग अवधि के बाद उपलब्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानक 37 के तहत इस आशय से कि क्या इसे मान्यता दी जाये या फिर प्रावधान में परिवर्तन किया जाए, प्रतिष्ठान आकस्मिक देयता के प्रकटन को प्राप्त साक्ष्य की दृष्टि से अद्यतन करे ।

रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर समायोज्य घटनाएं

21. अगर रिपोर्टिंग अवधि के बाद, गैर समायोज्य घटनाएं महत्वपूर्ण या सारवान हैं तो इन घटनाओं का प्रकटन न किया जाना वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के उन आर्थिक निर्णय को प्रभावित हो सकते हैं जो उन्होंने इन विवरणों के आधार पर लिये हैं। इस प्रकार प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के बाद निम्नलिखित की दृष्टि से प्रत्येक गैर-समायोज्य घटना की महत्वपूर्ण श्रेणी को प्रकट करेगा :-
 - (क) घटना की प्रकृति, और
 - (ख) इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान अथवा यह विवरण कि प्रभाव का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है।
22. नीचे रिपोर्टिंग अवधि के बाद की उन गैर समायोज्य घटनाओं के उदाहरण दिये जा रहे हैं जो आमतौर पर प्रकटन में पाये जाते हैं :-
 - (क) रिपोर्टिंग अवधि के बाद, एक प्रमुख कारोबारी संयोजन, जिसका भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन*, के अनुसार विशेष प्रकटन अपेक्षित है अथवा प्रतिष्ठान के प्रमुख अनुषंगी का निपटान ;
 - (ख) परिचालन बंद करने की योजना की घोषणा ;
 - (ग) आस्तियों का बड़ी मात्रा में खरीद, विक्रय के लिए रखी गयी आस्तियों का वर्गीकरण भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन*, के अनुसरण में आस्तियों के अन्य निपटान या सरकार द्वारा प्रमुख आस्तियों का अधिग्रहण ;
 - (घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद, एक प्रमुख उत्पादन संयंत्र में आग लगने से विनाश;
 - (ङ) एक प्रमुख पुनर्गठन की घोषणा करना या इस पुनर्गठन का कार्यान्वयन प्रारम्भ करना (देखें भारतीय लेखा मानक 37);

- (च) रिपोर्टिंग अवधि के बाद, साधारण शेयर का प्रमुख लेन देन और संभावी साधारण शेयर का कोई प्रमुख लेन-देन (भारतीय लेखा मानक 33, *प्रति शेयर आय*, यह अपेक्षा करता है कि एक प्रतिष्ठान ऐसे लेन देन के विवरण को प्रकट करे लेकिन उन लेन-देन को छोड़कर जो लेन देन पूंजीकरण या बोनस जारी, शेयरों का विभाजन या उनका विपरीत विभाजन से सम्बंधित हैं और इस मानक के अन्तर्गत इनका समायोजन आवश्यक है) ;
- (छ) आस्ति मूल्य अथवा विदेशी विनिमय दरों में रिपोर्टिंग अवधि के बाद असामान्य रूप से बड़े परिवर्तन;
- (ज) रिपोर्टिंग अवधि के बाद, कर दरों में या लागू कर कानूनों में परिवर्तन या इस प्रकार की कोई घोषणा जो कि वर्तमान और आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हो [देखिए भारतीय लेखा मानक 12, *आयकर*];
- (झ) महत्वपूर्ण वचनबद्धताओं या आकस्मिक देयताओं में प्रवेश, उदाहरण के लिए जैसे कोई महत्वपूर्ण गारंटियां जारी करना; और
- (ञ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की किन्हीं घटनाओं से उत्पन्न कोई बड़ा मुकदमा शुरू होना ।

परिशिष्ट क

स्वामियों को गैर नगद आस्तियों का वितरण³

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 10 का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

1. कभी-कभी एक प्रतिष्ठान अपने स्वामिया⁴ को, स्वामियों की हैसियत से, ऐसी आस्तियों का लाभांश के रूप में वितरण करता है जो प्रकृति में नकद नहीं होतीं और जिन्हें गैर-नकद आस्तियां या परिसम्पत्तियां कहा जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, वह प्रतिष्ठान स्वामियों को यह विकल्प देता है वे लाभांश को गैर-नकद आस्तियों (परिसम्पत्तियों) या नकद विकल्प के रूप में प्राप्त करें।
2. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) यह मार्गदर्शन नहीं देते कि प्रतिष्ठान अपने स्वामियों को ऐसे वितरणों (जिन्हें सामान्यतया लाभांश कहा जाता है) का माप कैसे करें। भारतीय लेखा मानक 1 एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि स्वामियों को दिए जाने वाले ऐसे लाभांश का ब्यौरा ईक्विटी में परिवर्तनों या वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दें।

कार्यक्षेत्र

3. यह परिशिष्ट एक प्रतिष्ठान द्वारा अपने स्वामियों को, जो स्वामी की हैसियत से काम करते हैं, आस्तियों के निम्नलिखित प्रकार के गैर पारस्परिक वितरणों पर लागू होता है:
 - (क) गैर नकदी आस्तियों का वितरण [उदाहरणार्थ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, कारोबार जैसी मदों जिन्हें भारतीय लेखा मानक 103 में परिभाषित किया गया है और अन्य प्रतिष्ठान या निपटान समूहों में स्वामित्व हित जिन्हें भारतीय लेखा मानक 105 में परिभाषित किया गया है]।
 - (ख) ऐसे वितरण, जो स्वामियों को गैर नकद आस्तियों या नकद तुल्य में से किसी एक में प्राप्त करने का विकल्प देते हैं।
4. यह परिशिष्ट केवल उन वितरणों पर लागू होता है जहाँ 'ईक्विटी' लिखतों की एक श्रेणी के सभी स्वामियों को एक समान रूप से लिया जाता है।
5. यह परिशिष्ट ऐसी गैर नकदी आस्ति के वितरण पर लागू नहीं होता है जो कि वितरण से पहले और वितरण के बाद केवल एक ही पक्ष (पार्टी) या पक्षों (पार्टियों) द्वारा मूलभूत रूप से नियंत्रित की जाती हों। यह अपवर्जन, वितरणकर्ता प्रतिष्ठान की उन वित्तीय विवरणों पर लागू होता है जो अलग, व्यक्तिगत व समेकित हैं।
6. अनुच्छेद 5 के अनुसार, यह परिशिष्ट उस स्थिति में लागू नहीं होता है जब गैर नकद आस्ति वितरण से पहले और वितरण के बाद उन्हीं पक्षों (पार्टियों) द्वारा मूलभूत रूप से नियंत्रित हो। भारतीय लेखा मानक 103 के परिशिष्ट ग के अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है कि 'व्यक्तियों का एक समूह जब एक प्रतिष्ठान में किसी अनुबंधात्मक व्यवस्था के परिणामस्वरूप सामूहिक रूप से वित्तीय व परिचालनात्मक नीतियों को शासित करने की शक्ति रखता है और प्रतिष्ठान के क्रिया कलापों से लाभान्वित होता है और वह अंतिम सामूहिक शक्ति अस्थायी नहीं है तो यह माना जाएगा कि समूह के वे व्यक्ति प्रतिष्ठान को नियंत्रित करते हैं'। अतः यह वितरण इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र से बाहर है जहां वितरण से पूर्व और बाद में एक ही व्यक्ति आस्तियों को नियंत्रित करता है। इस परिशिष्ट कार्यक्षेत्र से बाहर रहने के लिए यह आवश्यक है कि शेयर धारकों का ऐसा समूह जो वितरण प्राप्त कर रहा है वह एक प्रतिष्ठान में एक अनुबंधात्मक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप एक सामूहिक शक्ति का एक अंग हो।

³ यह परिशिष्ट अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात पर भी विचार करता है कि स्वामियों को देय लाभांश का प्रकटन कब किया जाये।

⁴ भारतीय लेखा मानक 1 का अनुच्छेद 7 यह परिभाषित करता है कि स्वामी 'ईक्विटी' के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारक हैं।

7. अनुच्छेद 5 के अनुसार, यह परिशिष्ट उस स्थिति में भी लागू नहीं होता है जब एक प्रतिष्ठान अपने कुछ स्वामित्व हित अपनी एक अनुषंगी कम्पनी में वितरित करती है लेकिन अनुषंगी कंपनी पर अपना नियंत्रण बरकरार रखती है। प्रतिष्ठान का ऐसा वितरण भारतीय लेखा मानक 110 के अनुसरण वितरण में अनुषंगी लेखे में गैर-नियंत्रणकारी हित की मान्यता के अन्तर्गत आता है।
8. यह परिशिष्ट प्रतिष्ठान द्वारा केवल ऐसे लेखे को संबोधित करता है जो गैर-नकद आस्तियों के वितरण का निर्माण करता हो। यह उन शेयरधारकों के लेखांकन पर लागू नहीं होता है जो यह वितरण प्राप्त करते हैं।

मुद्दे

9. जब एक प्रतिष्ठान वितरण की घोषणा करता है और उस पर अपने स्वामियों को संबंधित आस्तियां वितरित करने का दायित्व है, तब उसे देय लाभांश की देयता को मान्यता देनी ही होगी। परिणामस्वरूप, यह परिशिष्ट निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करता है:
 - (क) प्रतिष्ठान देय लाभांश की मान्यता कब करेगा ;
 - (ख) प्रतिष्ठान देय लाभांश का माप कैसे करेगा ;
 - (ग) जब प्रतिष्ठान देय लाभांश का निपटान कर देता है तो वह वितरित आस्तियों की वहन अग्रणीत (कैरिंग) राशि और देय लाभांश की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के बीच के अंतर का लेखांकन कैसे करेगा ।

लेखा सिद्धान्त

देय लाभांश को मान्यता कब दी जाए

10. लाभांश के भुगतान की देयता तब मान्य होगी जब लाभांश समुचित रूप से प्राधिकृत हो और वह प्रतिष्ठान के विवेक पर बिलकुल न हो। यह निम्नलिखित में से किसी एक की तिथि पर होगा :
 - (क) उस तिथि से जब लाभांश की घोषणा, उदाहरण के लिए, प्रबंधन या निदेशक मंडल के द्वारा, संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होती है, जैसे शेयरधारकों, अगर क्षेत्राधिकार ऐसे अनुमोदन की अपेक्षा करता है; तथा
 - (ख) उस तिथि से जब लाभांश की घोषणा होती है, उदाहरण के लिए, प्रबंधन या निदेशक मंडल द्वारा, अगर क्षेत्राधिकार अतिरिक्त अनुमोदन की अपेक्षा करता है।

देय लाभांश का माप

11. एक प्रतिष्ठान अपने स्वामियों को गैर नकद आस्तियों के रूप में दिए गए लाभांश की देयता का माप वितरित की जाने वाली आस्तियों के उचित मूल्य पर करेगा।
12. यदि प्रतिष्ठान अपने स्वामियों को गैर नकद आस्ति या नकद रूप में से एक को चुनने का विकल्प देता है, तो वह देय लाभांश का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक विकल्प के उचित मूल्य और स्वामियों द्वारा चयनित विकल्प की प्रायिकता दोनों पर विचार करेगा।
13. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में और निपटान की तारीख को, प्रतिष्ठान देय लाभांश की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की समीक्षा और समोचना उस राशि से करेगा जो वितरित राशि में समोचित इक्विटी में मान्य देय लाभांश की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में परिवर्तन की राशि है।

जब प्रतिष्ठान देय लाभांश का निपटान करता है तो संवितरित आस्तियों की अग्रणीत राशि और देय लाभांश के अग्रणीत राशि के बीच अन्तर का लेखा।

14. जब एक प्रतिष्ठान देय लाभांश का निपटान करता है तो वह लाभ या हानि वितरित की जाने वाली आस्तियों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि और देय लाभांश के अग्रणीत राशि के अंतर की, यदि कोई हो, मान्यता करेगा।

प्रस्तुति एवं प्रकटन

15. प्रतिष्ठान अनुच्छेद 14 में यथावर्णित अंतर को लाभ या हानि में एक अलग रेखीय मद (लाइन आइटम) के रूप में प्रकट करेगा।
16. प्रतिष्ठान निम्नलिखित जानकारी को, यदि लागू हो, प्रकट करेगा :
 - (क) अवधि के प्रारम्भ और अंत में देय लाभांश की अग्रणीत (कैरिंग) राशि; और
 - (ख) वितरित की जाने वाली आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 13 के अनुसार, इस अवधि में मान्य अग्रणीत (कैरिंग) राशि में वृद्धि या कमी।
17. अगर एक प्रतिष्ठान एक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद, लेकिन वित्तीय विवरणियां जारी करने के अनुमोदन से पहले, एक गैर नकद आस्ति को लाभांश के रूप में वितरित करने की घोषणा करता है तो वह निम्नलिखित को भी प्रकट करेगा:

- (क) वितरित की जा रही आस्ति की प्रकृति;
- (ख) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वितरित की जाने वाली आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि; और
- (ग) यदि अग्रणीत (कैरिंग) राशि उचित मूल्य से अलग है तो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वितरित की जाने वाली आस्ति का विधियों उचित मूल्य क्या होगा। साथ ही प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 113 के अनुच्छेद 93 (ख), (घ), (छ) और 99 के अनुसरण में उस विधि (विधियों) को भी प्रकट करेगा जिस पर उचित मूल्य मापा गया है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 10 और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' एवं 'आई एफ आर आई सी' 17, स्वामियों को गैर आस्तियों का वितरण के बीच, यदि कोई प्रमुख अंतर हों, तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 10, 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' एवं 'आई एफ आर आई सी' 17 के साथ तुलना

1. इस मानक में अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' का प्रयोग किया गया है। इसी तरह, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के प्रयोजन के निमित्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने के लिए प्राधिकार' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदन' का प्रयोग किया गया है।
2. भारतीय लेखा मानक 1, में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के बाद की परिभाषा में यह प्रावधान किया गया है कि यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में या उससे पूर्व दीर्घावधि ऋण व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रावधान में कोई उल्लंघन होता है और उसका यह प्रभाव पड़ता है की दायित्व रिपोर्टिंग तिथि को मांग पर देय हो जाता है, वित्तीय विवरणों के जारी करने के अनुमोदन से पूर्व ऋणदाता, का यह करार कि उल्लंघन के परिणामस्वरूप भुगतान की मांग नहीं की जाएगी, उसे एक समायोज्य घटना समझा जाएगा।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 12

आयकर

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप दो प्रकार के अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप के अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

इस मानक का उद्देश्य, आयकरों के लिए लेखा प्रतिपादित करना है। आयकरों के लेखा में मुख्य विषय यह है कि वर्तमान तथा भावी करों के परिणामों का लेखा कैसे किया जाए :-

- (क) एक प्रतिष्ठान के तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त आस्तियों (दायित्वों) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की भविष्य में वसूली (राशि का भविष्य में निपटान); और
- (ख) एक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में मान्यताप्राप्त चालू अवधि के लेन-देन तथा अन्य घटनाएं।

यह किसी आस्ति अथवा दायित्व की मान्यता में निहित है कि विचाराधीन प्रतिष्ठान उस आस्ति या दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली अथवा निपटान की प्रत्याशा करता है। यदि इसकी यह संभावना है कि अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली अथवा निपटान भविष्य के कर भुगतानों की राशि को बड़ा (छोटा) बना देंगे जो कि यदि ऐसी वसूली अथवा निपटान का कोई कर प्रभाव न होता। यह मानक किसी प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी आस्थगित कर दायित्व (आस्थगित कर आस्ति) को किन्हीं सीमित अपवादों के साथ मान्यता दे।

यह मानक किसी प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है वह लेन देनों तथा अन्य घटनाओं के कर परिणामों का उसी तरह से लेखा करे जैसा कि यह स्वयं लेन-देनों तथा अन्य घटनाओं का लेखा करता है। इस प्रकार, लाभ अथवा हानि में लेन-देनों तथा अन्य घटनाओं को जिस प्रकार मान्यता दी जाती है उसी प्रकार लाभ अथवा हानि में सम्बन्धित कर प्रभाव को भी मान्यता दी जाएगी। लेकिन, जिन लेन-देनों अथवा अन्य घटनाओं की लाभ अथवा हानि से बाहर (या तो अन्य व्यापक आय में अथवा प्रत्यक्ष रूप में इक्विटी में) मान्यता दी जाती है तो सम्बन्धित किसी भी कर प्रभाव को लाभ अथवा हानि से बाहर (या तो अन्य व्यापक आय में अथवा प्रत्यक्ष रूप में इक्विटी में मान्यता दी जाएगी)। इसी तरह, किसी व्यावसायिक संयोजन में, आस्थगित कर आस्तियों तथा दायित्वों की मान्यता उस व्यावसायिक संयोजन में उत्पन्न ख्याति (गुडविल) की राशि अथवा मान्यताप्राप्त मोल-भाव से खरीद द्वारा लाभ की राशि को प्रभावित करती है।

यह मानक अप्रयुक्त कर हानियों अथवा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता वित्तीय विवरणों में आयकर की प्रस्तुति और आयकर-सम्बन्धी सूचना के प्रकटन पर चर्चा करता है।

कार्यक्षेत्र

1. यह मानक आयकरों के लेखा पर लागू होगा।
2. इस मानक के प्रयोजनों के लिए आयकरों में सभी घरेलू और विदेशी कर सम्मिलित हैं जो करयोग्य लाभों पर आधारित होते हैं। आयकरों में रोककर रखे गये कर जैसे कर भी सम्मिलित होते हैं, जो कि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को संवितरण पर अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहायक प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त व्यवस्था द्वारा देय हैं।
3. [देखें परिशिष्ट 1]।
4. यह मानक सरकारी अनुदानों (देखिये भारतीय लेखा मानक 20 सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन) अथवा निवेश-कर क्रेडिटों की लेखा विधियों पर विचार नहीं करता। तथापि, यह मानक उन अस्थायी अंतरों के लेखा पर विचार करता है जो ऐसे अनुदानों अथवा निवेश-कर क्रेडिटों से उत्पन्न होते हैं।

परिभाषाएं

5. इस मानक के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शब्दाब्जी का यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयोग किया गया है :-

लेखा लाभ कर-व्यय कटौती से पूर्व किसी अवधि का लाभ अथवा हानि है।

कर-योग्य लाभ (कर हानि) किसी अवधि का लाभ (हानि) है, जो कर प्राधिकारियों द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता (जाती) है जिस पर कि आयकर देय (वसूली योग्य) होता है।

कर व्यय (कर आय) वह सकल राशि है जो कि चालू कर तथा आस्थगित कर के संबंध में किसी अवधि के लिए लाभ अथवा हानि के निर्धारण में सम्मिलित होती है।

चालू कर किसी अवधि के लिए करयोग्य लाभ (कर हानि) के सम्बन्ध में देय (वसूलनीय) करों की राशि है।

आस्थगित कर दायित्व आयकर की वे राशियां हैं जो करयोग्य अस्थायी अन्तरों के सम्बन्ध में भविष्य की अवधियों में देय हैं।

आस्थगित कर आस्तियां आयकर की वे राशियां हैं जो निम्नलिखित के सम्बन्ध में भविष्य की अवधियों में वसूलनीय हैं।

(क) कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर

(ख) अप्रयुक्त कर हानियों की आगे ले जायी जाने वाली राशियां; तथा

(ग) अप्रयुक्त अग्रणीत कर क्रेडिट

अस्थायी अन्तर वे अंतर हैं जो तुलन पत्र और इसके कर-आधार में किसी आस्ति अथवा दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के बीच के होते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक अस्थायी अन्तर हो सकता है:

(क) *कर योग्य अस्थायी अन्तर* वह अस्थायी अन्तर है जो भविष्य की अवधियों के करयोग्य लाभ (कर हानि) निर्धारित करने में करयोग्य राशियों के परिणामस्वरूप होंगे जब आस्ति अथवा दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि वसूली जाती है अथवा निपटायी जाती है; अथवा

(ख) *कटौति योग्य अस्थायी अन्तर* वह अस्थायी अन्तर है जो कि उन राशियों के परिणामस्वरूप होंगे जो भविष्य की अवधियों के करयोग्य लाभ (कर हानि) निर्धारित करने में कटौतियोग्य है, जब आस्ति अथवा दायित्व की अग्रणीत राशि की वसूली की जाती है अथवा निपटान किया जाता है।

किसी आस्ति अथवा दायित्व का *कर-आधार* कर प्रयोजनों के लिये उस आस्ति अथवा दायित्व की सम्मिलित राशि है।

6. *कर व्यय (कर आय)* में चालू कर व्यय (चालू कर आय) तथा आस्थगित कर व्यय (आस्थगित कर आय) समाविष्ट है।

कर आधार

7. किसी आस्ति को कर-आधार की वह राशि है जो किसी करयोग्य आर्थिक लाभों के प्रति कर प्रयोजनों के लिये कटौतियोग्य होगी जो कि आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि वसूल किये जाने पर किसी प्रतिष्ठान में प्रवाहित होगी। यदि वे आर्थिक लाभ करयोग्य नहीं होंगे तो जो आस्ति के कर-आधार उसका अग्रणीत (कैरिंग) राशि के बराबर हैं।

उदाहरण

1. एक मशीन की लागत 100 रुपये हैं। कर प्रयोजनों के लिये, 30 रुपये के मूल्यहास की कटौती चालू तथा पूर्व अवधियों में पहले ही की जा चुकी है तथा शेष लागत भविष्य की अवधियों में कटौति योग्य होगी, या तो मूल्यहास के रूप में अथवा निपटान पर कटौती के जरिये। मशीन का प्रयोग करके उत्पन्न राजस्व कर योग्य है। मशीन के निपटान पर कोई भी लाभ कर प्रयोजनों के लिये करयोग्य होगा तथा मशीन के निपटान पर हानि कर प्रयोजनों के लिए कटौति योग्य होगी। *मशीन का कर-आधार 70 रुपये है।*
2. प्राप्य ब्याज की अग्रणीत (कैरिंग) राशि 100 रुपये है। सम्बद्ध ब्याज राजस्व पर नकदी आधार पर कर लगाया जायेगा। *प्राप्य ब्याज का कर-आधार शून्य है।*
3. व्यापार प्राप्य की अग्रणीत (कैरिंग) राशि 100 रुपये है। संबंधित राजस्व पहले से ही करयोग्य लाभ (कर हानि) में सम्मिलित है। *व्यापार प्राप्य का कर-आधार 100 रुपये है।*
4. किसी अनुषंगी कम्पनी से प्राप्य लाभांश की अग्रणीत (कैरिंग) राशि 100 रुपये है। लाभांश करयोग्य नहीं है। सारांश में, *आस्ति की समस्त अग्रणीत (कैरिंग) राशि आर्थिक लाभों के प्रति कटौतियोग्य है। परिणामस्वरूप प्राप्य लाभांशों का कर-आधार 100 रुपये है।* ^(क)
5. एक प्राप्य ऋण की अग्रणीत (कैरिंग) राशि 100 रुपये है। ऋण की वापसी अदायगी का कोई कर परिणाम नहीं होगा। *ऋण का कर-आधार 100 रुपये है।*

^(क) इस विश्लेषण में, यहां कोई करयोग्य अस्थायी अन्तर नहीं है। एक वैकल्पिक विश्लेषण में प्राप्य उपचित लाभांश का कर-आधार 'शून्य' है और परिणामस्वरूप 100 रुपये अस्थायी करयोग्य अन्तर पर शून्य कर-आधार लागू होगा। दोनों ही विश्लेषणों में कोई आस्थगित कर दायित्व नहीं है।

8. दायित्व का कर आधार उसकी अग्रणीत वह राशि है जिसमें से आगामी अवधियों में उन दायित्वों के संबंध में, कर उद्देश्यों के लिए, कटौतियोग्य राशि को घटाकर तैयार किया गया है। अग्रिम रूप से प्राप्त राजस्व के मामले में दायित्व पर कर का आधार, जो आगामी अवधियों में राजस्व की राशि करयोग्य नहीं है उसे घटाकर, तैयार किया गया है।

उदाहरण

1. चालू दायित्वों में 100 रुपये की अग्रणीत राशि सहित प्रोद्भूत खर्चें शामिल हैं। कर उद्देश्यों के लिए नकदी आधार पर संबंधित खर्च घटाए जाएंगे। *प्रोद्भूत खर्चों का कर आधार शून्य है।*
2. चालू दायित्वों में अग्रिम रूप से प्राप्त ब्याज राजस्व 100 रुपये की अग्रणीत राशि सहित शामिल है। संबंधित ब्याज राजस्व पर नकदी आधार पर कर लगाया गया था। *अग्रिम रूप से प्राप्त ब्याज का कर-आधार शून्य है।*
3. चालू दायित्वों में 100 रुपये की अग्रणीत राशि सहित प्रोद्भूत खर्चें शामिल हैं। कर उद्देश्यों के लिए संबंधित खर्चें पहले से ही घटा दिये गये हैं। *प्रोद्भूत खर्चों का कर आधार शून्य है।*
4. चालू दायित्वों में 100 रुपये की अग्रणीत राशि के साथ प्रोद्भूत जुर्माने एवं पैनलियां हैं। जुर्माने एवं पैनलियां कर प्रयोजनों के लिये कटौतियोग्य नहीं हैं। *प्रोद्भूत जुर्माने और पैनलियों का करयोग्य आधार 100 रुपये है।* ^(क)
5. एक देय ऋण राशि की 100 रुपये अग्रणीत राशि है। ऋण की चुकौती के लिए कोई कर नहीं होगा। *ऋण का कर-आधार 100 रुपये है।*

(क) इस विश्लेषण के अन्तर्गत, कोई अस्थायी अन्तर कटौतियोग्य नहीं है। वैकल्पिक विश्लेषण यह है कि देय जुर्मानों एवं पैनलियों पर कर-आधार 'शून्य' है और 100 रुपये के कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर को शून्य कर की दर लगाया जाएगा। दोनों विश्लेषणों में कोई आस्थगित कर आस्ति नहीं है।

9. कुछ मदों का कर-आधार है परन्तु तुलन-पत्र में आस्तियों तथा दायित्वों के रूप में इन्हें मान्यता नहीं दी जाती। उदाहरण के लिये प्रारम्भिक खर्चों को उस अवधि का लेखा लाभ निर्धारित करने के खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में खर्च किये गये हैं परन्तु बाद की अवधि (अवधियों) तक करयोग्य लाभ (कर हानि) निर्धारित करने में कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रारम्भिक खर्चों के कर-आधार का बीच का अन्तर जो कि कराधान नियमों के अन्तर्गत भविष्य की अवधियों में कटौती के रूप में अनुमत राशि होते हैं, तथा शून्य अग्रणीत (कैरिंग) राशि कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर है जो कि एक आस्थगित कर आस्ति में परिणत होता है।
10. जहां किसी आस्ति अथवा दायित्व के कर-आधार का तत्काल आभास नहीं होता तो यह उपयोगी होगा कि उस मूलभूत सिद्धांत पर विचार किया जाए जिस पर यह मानक आधारित है ; कि एक प्रतिष्ठान, कुछ सीमित अपवादों के साथ, आस्थगित कर दायित्व

(आस्ति) को मान्यता देता है जब कभी किसी आस्ति अथवा दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली अथवा निपटान उन भावी कर दायित्वों से अधिक (कम) की जायेगी यदि इस प्रकार की वसूली अथवा निपटान का कोई कर परिणाम न होता। उत्तरवर्ती अनुच्छेद 51 क का उदाहरण 'ग' उन परिस्थितियों को स्पष्ट करता है जो इस मूलभूत सिद्धांत पर विचार करने के लिये उपयोगी हो सकता है, उदाहरण के लिये, किसी आस्ति अथवा दायित्व का कर-आधार वसूली अथवा निपटान के अपेक्षित ढंग पर आधारित होता है।

11. कर-आधार समूह के प्रत्येक प्रतिष्ठान की कर विवरणियों के सन्दर्भ द्वारा निर्धारित होता है। कुछ क्षेत्राधिकारों में, समेकित वित्तीय विवरणों में, उपयुक्त कर-आधार के साथ समेकित वित्तीय विवरणों में आस्तियों तथा दायित्वों की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों की तुलना करके अस्थायी अन्तर निर्धारित किये जाते हैं। कर-आधार उन क्षेत्राधिकारों में, जिनमें इस प्रकार की विवरणी दायर की जाती है, किसी समेकित कर विवरणी के सन्दर्भ द्वारा निर्धारित होता है।

चालू कर दायित्वों तथा चालू कर आस्तियों को मान्यता

12. चालू तथा पूर्व अवधियों के चालू करों को जिस सीमा तक अदा नहीं किया गया है, दायित्व के रूप में मान्यता दी जाएगी। यदि चालू तथा पूर्व अवधियों के सम्बन्ध में पहले ही अदा की गयी राशि उन अवधियों के लिये देय राशि से बढ़ जाती है तो आधिक्य को आस्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी।
13. कर हानि से सम्बन्धित लाभ को, जिसे पूर्व अवधि के चालू कर की वसूली करने के लिये पीछे लाया जा सकता है, आस्ति के रूप में मान्यता दी जायेगी।
14. जब पूर्व अवधि के चालू कर की वसूली के लिये कर हानि को प्रयोग में लाया जाता है, तब प्रतिष्ठान उस लाभ को उस अवधि में आस्ति के रूप में मान्यता देता है जिस अवधि में कर हानि होती है क्योंकि यह सम्भव है कि लाभ प्रतिष्ठान को प्रवाहित होगा तथा लाभ विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

आस्थगित कर दायित्वों तथा आस्थगित कर आस्थियों की मान्यता

करयोग्य अस्थायी अन्तर

15. एक आस्थगित कर दायित्व को समस्त करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जायेगी इसके सिवाय, इस सीमा तक कि आस्थगित कर दायित्व निम्नलिखित से उत्पन्न होती है :

(क) ख्याति (गुडविल) की प्रारंभिक मान्यता ; अथवा

(ख) किसी लेन-देन में आस्ति अथवा दायित्व की मान्यता, जो कि

(i) व्यावसायिक संयोजन नहीं है ; तथा

(ii) लेन-देन के समय पर जो न तो लेखा लाभ को और न ही करयोग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करती है।

तथापि, अनुषंगी प्रतिष्ठानों, शाखाओं तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों और संयुक्त व्यवस्थाओं व्यवस्था में हितों में निवेशों के साथ करयोग्य अस्थायी अन्तरों के लिए, एक आस्थगित कर दायित्व को अनुच्छेद 39 के अनुसरण में मान्यता दी जाएगी।

16. किसी आस्ति की मान्यता में यह अर्न्तनिहित है कि इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि उन आर्थिक लाभों के रूप में वसूल की जायेगी जो भविष्य की अवधियों में प्रतिष्ठान में प्रवाहित होंगे। जब आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि इसके कर-आधार से बढ़ जाती है तो करयोग्य आर्थिक लाभों की करयोग्य राशि उस राशि से बढ़ जायेगी, जो कि कर प्रयोजनों के लिए कटौती के रूप में मंजूर की जाती है। यह अंतर करयोग्य अस्थायी अंतर है तथा भावी अवधियों में परिणामस्वरूप आयकरों की अदायगी करने का दायित्व एक आस्थगित कर दायित्व है। चूंकि प्रतिष्ठान आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली करता है तो करयोग्य अस्थायी अंतर उलट जायेगा तथा प्रतिष्ठान के पास करयोग्य लाभ होगा। यह इसको सम्भव बना देता है कि लाभ कर भुगतानों के रूप में प्रतिष्ठान से प्रवाहित होंगे। अतः यह मानक अनुच्छेद 15 तथा 39 में वर्णित कुछ परिस्थितियों को छोड़कर समस्त आस्थगित कर दायित्वों को मान्यता देने की अपेक्षा करता है।

उदाहरण

एक आस्ति जिसकी लागत 150 रुपये है और उसकी अग्रणीत लागत राशि 100 रुपये है। कर प्रयोजनों के लिये संचयी मूल्यद्वास 90 रुपये है तथा कर दर 25 % है।

आस्ति का कर-आधार 60 रुपये है (150 रुपये की लागत में से संचयी कर मूल्यद्वास 90 रुपये घटाकर)। 100 रुपये की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली के लिए प्रतिष्ठान 100 रुपये की करयोग्य आय अवश्य अर्जित करेगा परन्तु वह केवल 60 रुपये की कर मूल्यद्वास की कटौती कर पाएगा। इसके परिणामस्वरूप, प्रतिष्ठान 10 रुपये (40 रुपये पर 25 %) आयकर की अदायगी करेगा जब

यह आस्ति की अग्रणीत राशि की वसूली करता है। अग्रणीत (कैरिंग) राशि 100 रुपये तथा कर-आधार 60 रुपये के बीच का अंतर 40 रुपये का करयोग्य अस्थायी अंतर है। अतः प्रतिष्ठान 10 रुपये की आस्थगित कर दायित्व (40 रुपये का 25 %) को मान्यता देता है जो कि आयकरों का प्रतिनिधित्व करती है। वह इसकी तब अदायगी करेगा जब आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली करता है।

17. कुछ अस्थायी अंतर तब उत्पन्न होते हैं जब एक अवधि में आय अथवा व्यय लेखा लाभ में सम्मिलित होता है, परन्तु एक भिन्न अवधि में करयोग्य लाभ में सम्मिलित होता है। अस्थायी अंतरों को प्रायः समय अंतरों के रूप में वर्णित किया जाता है। इस प्रकार के अस्थायी अंतरों के निम्नलिखित उदाहरण हैं जो कि करयोग्य अस्थायी अंतर हैं और अंततः जो आस्थगित कर दायित्वों में परिणित होते हैं।
- (क) ब्याज आय एक समय अनुपात आधार पर लेखा लाभ में सम्मिलित की जाती है परन्तु, कुछ क्षेत्राधिकारों में इसे करयोग्य लाभ में सम्मिलित किया जा सकता है जब नकदी संग्रहीत की जाती है। तुलन पत्र में इस प्रकार के राजस्वों के सम्बन्ध में मान्यताप्राप्त किसी भी प्राप्य का कर-आधार शून्य है क्योंकि राजस्व (आय) करयोग्य लाभ को तब तक प्रभावित नहीं करता जब तक कि नकदी संग्रहीत नहीं हो जाती।
 - (ख) करयोग्य लाभ (कर हानि) के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यह्रास लेखा लाभ के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यह्रास से भिन्न हो सकता है। अस्थायी अंतर, आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा इसके कर-आधार का बीच का अंतर है जो कि चालू तथा पूर्व की अवधियों का करयोग्य लाभ निर्धारित करने में कराधान कानूनों के अन्तर्गत अनुमत उस आस्ति से संबंधित सभी कटौतियों को कम करके आस्ति की मूल लागत है। एक करयोग्य आय अंतर तब उत्पन्न होता है तथा आस्थगित कर दायित्व में परिणत होता है जब कर मूल्यह्रास बढ़ता है (यदि कर मूल्यह्रास की वृद्धि दर लेखा मूल्यह्रास से कम दर की है तो एक कटौतियोग्य अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है, तथा वह एक आस्थगित कर आस्ति में परिणत होता है); तथा
 - (ग) विकास लागतों को पूंजीकरण में परिणत किया जा सकता है तथा लेखा लाभ निर्धारित करने में भविष्य की अवधियों उसे परिशोधित किया जा सकता है परन्तु उस अवधि में करयोग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती की जा सकती है जिस अवधि में खर्च किया गया है। इस प्रकार की विकास की लागतों का शून्य कर आधार है क्योंकि उनकी कटौती पहले ही करयोग्य लाभ से कर ली गई होती है। अस्थायी अन्तर विकास लागतों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा उनका कर-आधार के शून्य होने के बीच का अन्तर है।
18. अस्थायी अन्तर तब भी उत्पन्न होते हैं जब :
- (क) किसी व्यावसायिक संयोजन में अभिज्ञेय अधिगृहीत आस्तियां तथा ग्रहण की गई दायित्व भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन* के अनुसार उचित मूल्यों पर मान्यता दी जाती है परन्तु कर प्रयोजनों के लिये कोई समतुल्य समायोजन नहीं किया जाता (देखें अनुच्छेद 19)
 - (ख) आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा कर प्रयोजनों के लिये कोई समतुल्य समायोजन नहीं किया जाता (देखें अनुच्छेद 20)
 - (ग) व्यावसायिक संयोजन में उत्पन्न ख्याति (गुडविल) (देखें अनुच्छेद 21)
 - (घ) प्रारम्भिक मान्यता पर किसी आस्ति अथवा दायित्व का कर-आधार इसकी प्रारम्भिक अग्रणीत (कैरिंग) राशि से भिन्न होता है, उदाहरण के लिये जब किसी प्रतिष्ठान को आस्तियों से सम्बद्ध गैर-कर-योग्य सरकारी अनुदानों से लाभ होता है (देखें अनुच्छेद 22 तथा 33); अथवा
 - (ङ) अनुषंगियों, शाखाओं तथा सहयोगी अथवा संयुक्त व्यवस्थाओं के हित में निवेशों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि निवेश अथवा हित के कर-आधार से भिन्न हो जाती है। (देखें अनुच्छेद 38-45)।

व्यावसायिक संयोजन

19. सीमित अपवादों के साथ, व्यावसायिक संयोजन में अभिज्ञेय अधिगृहीत आस्तियों तथा ग्रहण की गई दायित्वों को अधिग्रहण की तिथि पर उनके उचित मूल्यों पर मान्यता दी जाती है। अस्थायी अन्तर तब उत्पन्न होते हैं जब अभिज्ञेय अधिगृहीत आस्तियां तथा ग्रहण की गई दायित्व व्यावसायिक संयोजन द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं अथवा भिन्न रूप से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिये, किसी आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि उचित मूल्य तक बढ़ जाती है परन्तु आस्ति का कर-आधार पूर्व स्वामी की लागत पर रहता है, एक करयोग्य अस्थायी अन्तर उत्पन्न होता है जो आस्थगित कर दायित्व में परिणत होता है। परिणामस्वरूप आस्थगित कर दायित्व ख्याति (गुडविल) को प्रभावित करती है। (देखें अनुच्छेद 66)।

उचित मूल्य पर अग्रणीत आस्तियां

20. भारतीय लेखा मानक उचित मूल्य पर किन्हीं आस्तियों को लिये जाने अथवा पुनर्मूल्यांकित किये जाने हेतु अनुमति देते हैं या अपेक्षा करते हैं (देखें उदाहरण के लिये भारतीय लेखा मानक 16 *सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर*, भारतीय लेखा मानक 38 *अमूर्त आस्तियाँ*, भारतीय लेखा मानक 109 *वित्तीय लिखतें*)। कुछ क्षेत्राधिकारों में, उचित मूल्य के प्रति किसी आस्ति का पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्कथन चालू अवधि के लिये करयोग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप आस्ति का कर-आधार समायोजित होता है तथा कोई अस्थायी अन्तर उत्पन्न नहीं होता। अन्य क्षेत्राधिकारों में किसी आस्ति का पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्कथन अवधि में करयोग्य लाभ को प्रभावित नहीं करता तथा, परिणामस्वरूप आस्ति का कर-आधार समायोजित नहीं होता। फिर भी, अग्रणीत (कैरिंग) राशि की भावी वसूली प्रतिष्ठान के करयोग्य आर्थिक लाभों के प्रवाह में परिणत होगी तथा राशि, जो कि कर प्रयोजनों के लिये कटौतयोग्य होगी, उन आर्थिक लाभों की राशि से भिन्न होगी। किसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा कर-आधार के बीच का अन्तर एक अस्थायी अन्तर है तथा एक आस्थगित कर दायित्व अथवा आस्ति को बढ़ावा देता है। यह तब भी सच है यदि :

- (क) प्रतिष्ठान आस्ति का निपटान करने का इरादा नहीं रखता। ऐसे मामलों में, आस्ति की पुनर्मूल्यांकित अग्रणीत (कैरिंग) राशि प्रयोग के जरिये वसूली जायेगी तथा यह करयोग्य आय को उत्पन्न करेगी जोकि मूल्यह्रास से बढ़ जाती है जो भावी अवधियों में कर प्रयोजनों के लिये अनुमतियोग्य होगी ; अथवा
- (ख) पूंजीगत लाभों पर कर आस्थगित हो जाता है यदि आस्ति के निपटान की प्राप्तियां समान आस्तियों में निवेश की जाती हैं। ऐसे मामलों में कर समान आस्तियों की बिक्री अथवा प्रयोग पर अन्ततः देय हो जाता है।

ख्याति (गुडविल)

21. किसी व्यावसायिक संयोजन में उत्पन्न ख्याति का माप नीचे (क) से (ख) पर आधिक्य के रूप में किया जाता है :-

- (क) निम्नलिखित को कुल मिलाकर :
 - (i) भारतीय लेखा मानक 103 के अनुसार माप किया गया अन्तरित प्रतिफल, जिसमें सामान्यतया अधिग्रहण तिथि का उचित मूल्य अपेक्षित है ;
 - (ii) भारतीय लेखा मानक 103 के अनुसार अधिग्रहणिति में किसी गैर-नियंत्रित हित की राशि की मान्यता ; तथा
 - (iii) किसी व्यावसायिक संयोजन जो विभिन्न, चरणों में किया गया है उस स्थिति में अधिग्रहणकर्ता का अधिग्रहणिति में पूर्ववर्ती धारित ईक्विटी हित का अधिग्रहण-तिथि पर उचित मूल्य
- (ख) अभिज्ञेय अधिगृहीत आस्तियों एवं ग्रहण की गयी दायित्वों की अधिग्रहण तिथि पर शुद्ध राशियां जिन्हें भारतीय लेखा मानक 103 के अनुसार मापा गया है।

करयोग्य लाभ को निर्धारित करने में कटौतियोग्य खर्च के रूप में ख्याति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में अनेक क्षेत्राधिकार कटौतियों की मंजूरी नहीं देते, इसके अतिरिक्त उस प्रकार के क्षेत्राधिकारों में ख्याति की लागत कटौतियोग्य नहीं है जब कोई अनुषंगी आधारभूत व्यावसाय का निपटान करती है। इस प्रकार के क्षेत्राधिकारों में ख्याति (गुडविल) का कर-आधार शून्य है। ख्याति (गुडविल) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा इसके शून्य के कर-आधार के बीच का कोई भी अन्तर करयोग्य अस्थायी अन्तर है। तथापि यह मानक परिणत हो रही आस्थगित कर दायित्व की मान्यता की अनुमति नहीं देता क्योंकि ख्याति (गुडविल) को अवशिष्ट रूप में मापा जाता है तथा आस्थगित कर दायित्व की मान्यता से ख्याति (गुडविल) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में वृद्धि होगी।

- 21(क). किसी आस्थगित कर दायित्व में उत्तरवर्ती कटौतियां, जो कि अमान्य हैं क्योंकि यह ख्याति (गुडविल) की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न होती हैं और इसे ख्याति (गुडविल) की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न के रूप में भी माना जाता है तथा इसे अनुच्छेद 15 (क) के अन्तर्गत मान्यता नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिये, यदि किसी व्यावसायिक संयोजन में कोई प्रतिष्ठान 100 रुपये की ख्याति (गुडविल) को मान्यता देता है जिसका कर-आधार शून्य है तो अनुच्छेद 15 (क) प्रतिष्ठान पर परिणत आस्थगित कर दायित्व को मान्यता देने की अनुमति नहीं देता है। यदि बाद में उस ख्याति (गुडविल) के लिये 20 रुपये की क्षतिग्रस्तता को मान्यता देता है तो उस ख्याति (गुडविल) से सम्बन्धित कर अस्थायी अन्तर की 100 रुपये से घटकर 80 रुपये हो जायेगा जिसके फलस्वरूप अमान्य आस्थगित कर दायित्व के मूल्य में कमी होगी। अमान्य आस्थगित कर दायित्व के मूल्य में कमी को ख्याति (गुडविल) की प्रारम्भिक मान्यता से संबंधित है तथा इसलिए अनुच्छेद 15 (क) के अन्तर्गत मान्य होने से प्रतिबन्धित है।
- 21(ख). गुडविल से सम्बन्धित करयोग्य अस्थायी अन्तरों के लिये आस्थगित कर दायित्वों को तथापि उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस सीमा तक ख्याति (गुडविल) के प्रारम्भिक पहचान से उत्पन्न नहीं होती। उदाहरण के लिये यदि किसी व्यावसायिक संयोजन में कोई प्रतिष्ठान 100 रुपये की ख्याति (गुडविल) को मान्यता देता है जो कि अधिग्रहण के वर्ष में प्रारम्भ के वर्ष में प्रारम्भ होकर 20 % प्रतिवर्ष, अधिग्रहण के वर्ष से शुरु करते हुए, की दर से कर प्रयोजन के लिये कटौतियोग्य है, प्रारम्भिक मान्यता पर

ख्याति (गुडविल) का कर-आधार 100 रुपये हैं तथा अधिग्रहण के वर्ष की समाप्ति पर 80 रुपये हैं। यदि अधिग्रहण के वर्ष की समाप्ति पर ख्याति (गुडविल) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि 100 रुपये अपरिवर्तनीय रहती है तो 20 रुपये की करयोग्य अस्थायी अन्तर उस वर्ष की समाप्ति पर उत्पन्न होता है। चूंकि करयोग्य अस्थायी अन्तर ख्याति (गुडविल) की प्रारंभिक मान्यता से सम्बन्धित नहीं होता है, परिणामस्वरूपी आस्थगित दायित्व कर दायित्व मान्य है।

आस्ति अथवा दायित्व की प्रारंभिक मान्यता

22. एक अस्थायी अन्तर किसी आस्ति अथवा दायित्व की प्रारंभिक पहचान पर उत्पन्न हो सकता है, उदाहरण के लिये यदि किसी आस्ति की आंशिक अथवा समस्त लागत कर प्रयोजनों के लिये कटौतियोग्य नहीं होगी। इस प्रकार के अस्थायी अन्तर की लेखा विधि लेन-देन की प्रकृति पर आधारित होती है जिससे आस्ति अथवा दायित्व की प्रारंभिक मान्यता हुई है :

- (क) व्यावसायिक संयोजन में एक प्रतिष्ठान किसी आस्थगित कर दायित्व अथवा आस्ति को मान्यता प्रदान करता है तथा इससे ख्याति (गुडविल) अथवा मोल-भाव खरीद लाभ प्रभावित होता है जिसे यह मान्यता देता है (देखें अनुच्छेद 19)
- (ख) यदि लेन-देन या तो लेखा लाभ या करयोग्य लाभ को प्रभावित करता है, एक प्रतिष्ठान किसी भी आस्थगित कर दायित्व अथवा आस्ति को मान्यता देता है तथा परिणत हो रहे आस्थगित कर खर्च अथवा आय को लाभ अथवा हानि में मान्यता देता है (देखें अनुच्छेद 59)
- (ग) यदि लेन-देन व्यावसायिक संयोजन नहीं है, तथा न तो लेखा लाभ को न ही करयोग्य लाभ को प्रभावित करता है, तो एक प्रतिष्ठान, अनुच्छेद 15 तथा 24 द्वारा दी गई छूट के अभाव में परिणत हो रही आस्थगित कर दायित्व अथवा आस्ति को मान्यता देगा तथा उसी राशि के द्वारा आस्ति अथवा दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को समायोजित करेगा। इस प्रकार का समायोजन वित्तीय विवरणों को कम पारदर्शी बना देगा। अतः यह मानक, परिणत होने वाली कर दायित्व अथवा आस्ति को मान्यता देने हेतु एक प्रतिष्ठान को, या तो प्रारंभिक मान्यता पर या तदनन्तर अनुमति नहीं देगा (देखें नीचे उदाहरण) इसके अतिरिक्त एक प्रतिष्ठान अमान्य आस्थगित कर दायित्व में उत्तरवर्ती परिवर्तनों को मान्यता नहीं देता क्योंकि आस्ति मूल्यद्वारा सिद्ध हो गई है।

अनुच्छेद 22 (ग) को स्पष्ट करते हुए दृष्टांत उदाहरण

एक प्रतिष्ठान उस आस्ति को प्रयोग करने की अपेक्षा करता है जिसकी पांच वर्ष के पूर्णतः लाभदायक अवधि में 1000 रुपये लागत है तथा बाद में अवशिष्ट मूल्य शून्य है। कर दर 40 % है। आस्ति का मूल्यद्वारा कर प्रयोजनों के लिये कटौतियोग्य नहीं है। निपटान पर कोई भी पूंजीगत लाभ करयोग्य नहीं होगा तथा कोई भी पूंजीगत हानि कटौतियोग्य नहीं होगी। जैसे यह आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली करता है प्रतिष्ठान 1000 रुपये की करयोग्य आय अर्जित करेगा तथा 400 रुपये कर की अदायगी करेगा। प्रतिष्ठान 400 रुपये की परिणत हो रही आस्थगित कर दायित्व को मान्यता नहीं देता क्योंकि यह आस्ति की प्रारंभिक मान्यता से निकलता है। आगामी वर्ष में आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि 800 रुपये है। 800 रुपये की करयोग्य आय अर्जित करने में प्रतिष्ठान 320 रुपये के कर की अदायगी करेगा। प्रतिष्ठान 320 रुपये की आस्थगित कर दायित्व को मान्यता नहीं देता क्योंकि यह आस्ति की प्रारंभिक मान्यता से निकलता है।

23. भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण* के अनुसार किसी मिश्रित वित्तीय लिखत का जारीकर्ता (उदाहरण के लिये एक परिवर्तनीय बांड) लिखत के दायित्व घटक को दायित्व के रूप में तथा इक्विटी घटक को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत करता है। कुछ क्षेत्राधिकारों में, प्रारंभिक मान्यता पर दायित्व घटक का कर-आधार दायित्व तथा इक्विटी घटकों की कुल प्रारंभिक राशि के बराबर होगा। परिणत हो रहे करयोग्य अस्थायी अन्तर दायित्व घटक से पृथक् रूप में इक्विटी घटक के प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होते हैं। अतः अनुच्छेद 15 (ख) में दिया गया अपवाद लागू नहीं होता। परिणामस्वरूप एक प्रतिष्ठान परिणत हो रही आस्थगित कर दायित्व को मान्यता देता है। अनुच्छेद 61(क) के अनुसार आस्थगित कर इक्विटी घटक की अग्रणीत (कैरिंग) राशि पर सीधे ही चार्ज किया जाता है। अनुच्छेद 58 के अनुसार, आस्थगित कर दायित्व में परवर्ती परिवर्तनों को आस्थगित कर व्यय (आय) के रूप में लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर

24. एक आस्थगित कर आस्ति को उस सीमा तक समस्त कटौतियोग्य अस्थायी अन्तरों के लिये मान्यता दी जायेगी कि यह सम्भव लगे कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर प्रयोग में लाया जा सकता है जब तक कि आस्थगित कर आस्ति किसी लेन-देन में किसी आस्ति अथवा दायित्व की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होती है कि वह:

(क) व्यावसायिक संयोजन नहीं है; तथा

(ख) लेन-देन के समय पर न तो लेखा लाभ को, न ही करयोग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करती है।

तथापि, अनुबंधियों, शाखाओं तथा सहयोगियों तथा संयुक्त व्यवस्थाओं में हितों में निवेशों के साथ सम्बद्ध कटौतियोग्य अन्तरों के लिये एक आस्थगित कर आस्ति को अनुच्छेद 44 के अनुसार मान्यता दी जायेगी।

25. किसी दायित्व की मान्यता में यह निहित होता है कि अग्रणीत (कैरिंग) राशि का निपटान आर्थिक लाभों द्वारा प्रतिष्ठान के संसाधनों के एक बहिर्प्रवाह के जरिये भविष्य की अवधियों में किया जायेगा। जब प्रतिष्ठान से संसाधन प्रवाहित होते हैं उनकी समस्त राशियां अथवा अंश उस एक अवधि के करयोग्य लाभ को निर्धारित करने में कटौती की जा सकती है जो अवधि उस अवधि के बाद होगी जिस पर कि दायित्व को मान्यता दी जाती है। ऐसे मामलों में एक अस्थायी अन्तर की मौजूदगी, दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा इसके कर-आधार के बीच, रहती है। तदनुसार एक आस्थगित कर आस्ति आयकरों के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है जो कि भविष्य की अवधियों के दौरान वसूलीयोग्य होगी जब दायित्व के उस भाग की मंजूरी कर लाभ निर्धारित करने में कटौती के रूप में दी जाती है। इसी प्रकार यदि किसी आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि इसके कर-आधार से कम होती है तो अन्तर उन आयकरों के सम्बन्ध में एक आस्थगित कर आस्ति में वृद्धि करते हैं जो कि भावी अवधियों में वसूलीयोग्य होंगे।

उदाहरण

एक प्रतिष्ठान ग्रेच्युटी तथा अवकाश भुगतान के लिये प्रावधान करके ग्रेच्युटी तथा अवकाश भुगतान खर्चों हेतु 100 रुपये की दायित्व को मान्यता देता है। कर प्रयोजनों के लिये ग्रेच्युटी तथा अवकाश भुगतान से सम्बन्धित कोई भी राशि तब तक कटौतियोग्य नहीं होगी जब तक कि प्रतिष्ठान इसकी अदायगी नहीं कर देता। कर दर 25 % है।

दायित्व का कर-आधार शून्य है (अग्रणीत (कैरिंग) राशि 100 रुपये से वह राशि कम करके जो भविष्य की अवधियों में उस दायित्व से सम्बन्धित कर प्रयोजनों के लिये कटौतियोग्य होगी)। इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि के लिये दायित्व का निपटान करने के लिये प्रतिष्ठान 100 रुपये की राशि द्वारा इसके भविष्य के करयोग्य लाभ को कम करेगा तथा, परिणामस्वरूप इसके भावी कर भुगतानों में 25 रुपये (25 % पर 100 रुपये) कम कर देगा। 100 रुपये की अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा कर-आधार शून्य के बीच का अन्तर एक कटौतियोग्य अस्थायी अंतर रुपये 100 है। अतः प्रतिष्ठान 25 रुपये (100 पर 25 %) की आस्थगित कर आस्ति को मान्यता देता है, बशर्ते कि यह सम्भावित है कि प्रतिष्ठान कर भुगतानों में कटौती से फायदे के विषय में भावी अवधियों में पर्याप्त करयोग्य लाभ अर्जित करेगा।

26. कटौतियोग्य अस्थायी अंतरों के निम्नलिखित उदाहरण हैं जो आस्थगित कर आस्तियों में परिणत होते हैं :
- सेवा निवृत्ति लाभ की लागतें लेखा लाभ निर्धारित करने में शामिल होती हैं क्योंकि सेवा कर्मचारी द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, परन्तु करयोग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती तब की जाती है जब अंशदान या तो प्रतिष्ठान द्वारा एक निधि में अदा किया जाता है अथवा जब सेवा निवृत्ति लाभ प्रतिष्ठान द्वारा अदा किये जाते हैं। दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा इसके कर-आधार के बीच एक अस्थायी अंतर मौजूद रहता है। दायित्व का कर-आधार सामान्यतया शून्य है। इस प्रकार कटौतियोग्य अस्थायी अंतर एक आस्थगित कर आस्ति में परिणत होता है, जैसे ही आर्थिक लाभ करयोग्य लाभों से कटौती के रूप में प्रतिष्ठान को प्रवाहित होंगे जब अंशदान अथवा सेवा निवृत्त लाभ अदा किये जाते हैं ;
 - प्रारंभिक खर्चों को, उस अवधि में जिसमें यह खर्च किये गये हैं, लेखा लाभ निर्धारित करने में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु करयोग्य लाभ (कर हानि) निर्धारित करने में कटौती के रूप में अनुमति बाद की अवधि(यों) तक, दी जाए। प्रारंभिक खर्चों के कर-आधार, कराधान नियमों के अन्तर्गत भावी अवधियों में कटौती के रूप में अनुमत राशि होते हुए, तथा अग्रणीत (कैरिंग) राशि शून्य के बीच का अंतर एक कटौतियोग्य अस्थायी अंतर है जो कि एक आस्थगित कर आस्ति में परिणत हो जाता है।
 - सीमित अपवादों को छोड़कर एक प्रतिष्ठान अधिग्रहण तिथि को उचित मूल्यों पर व्यवसाय संयोजन में अधिगृहीत अभिज्ञेय आस्तियों तथा ग्रहीत दायित्वों को मान्यता देता है। जब ग्रहीत दायित्व को अधिग्रहण तिथि पर मान्यता दी जाती है परन्तु किसी बाद की अवधि तक करयोग्य लाभ निर्धारित करने में संबंधित लागतों की कटौती नहीं की जाती। एक आस्थगित कर आस्ति तब भी उत्पन्न होती है जब अधिगृहीत अभिज्ञेय आस्ति का उचित मूल्य इसके कर-आधार से कम होता है। दोनों ही मामलों में परिणामस्वरूप आस्थगित कर आस्ति, ख्याति (गुडविल) (देखें अनुच्छेद 66) को प्रभावित करता है ; तथा
 - कुछ आस्तियां उनके उचित मूल्य पर आगे ले जायी जा सकती हैं अथवा, कर प्रयोजनों के लिए किये जा रहे समान संयोजन के बिना पुनर्मूल्यांकित की जा सकती हैं (देखें अनुच्छेद 20)। एक कटौतियोग्य अस्थायी अंतर उत्पन्न हो जाता है यदि आस्ति का कर आधार इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि से बढ़ जाता है।
27. कटौतियोग्य अस्थायी अन्तरों का उलटाव भविष्य की अवधियों के करयोग्य लाभों को निर्धारित करने में कटौतियों में परिणत होते हैं। तथापि कर भुगतानों में कटौतियों के रूप में आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान को केवल तब ही प्रवाहित होंगे जब यह पर्याप्त करयोग्य लाभ अर्जित करता है जिसके प्रति कटौतियों का समंजन (आफ सैट) किया जा सकता है। अतः एक प्रतिष्ठान केवल तब ही आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता देता है जब यह संभावित है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके प्रति कटौतियोग्य अस्थायी अन्तरों को प्रयोग में लाया जा सकता है।

28. यह संभावित है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति एक कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर तब ही प्रयोग में लाया जा सकता है जब उसी कराधान प्राधिकरण तथा उसी कराधान प्रतिष्ठान से सम्बन्धित पर्याप्त कराधान अस्थायी अन्तर हों जिनका उलटाव होना अपेक्षित हो:

(क) उसी अवधि में जिसमें कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर की अपेक्षित विपर्यय हो; अथवा

(ख) उन अवधियों में जिनमें आस्थगित कर आस्ति से उत्पन्न किसी कर हानि को वापस ले जाया जा सके अथवा आगे ले जाया सके।

इस प्रकार की परिस्थितियों में आस्थगित कर आस्ति को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर उत्पन्न हों।

29. जब उसी कराधान प्राधिकरण तथा उसी करयोग्य प्रतिष्ठान से सम्बन्धित अपर्याप्त करयोग्य अस्थायी अन्तर है, आस्थगित कर आस्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है :

(क) यह सम्भाव्य है कि प्रतिष्ठान को उसी अवधि में उसी कराधान प्राधिकरण तथा उसी करयोग्य प्रतिष्ठान से सम्बन्धित पर्याप्त करयोग्य लाभ होगा जैसा कि कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर का विपर्यय (अथवा उन अवधियों में जिनमें आस्थगित कर आस्ति से उत्पन्न किसी कर हानि को पीछे अथवा आगे ले जाया जा सकता है) इस बात का मूल्यांकन करने में कि क्या इससे भावी अवधियों में पर्याप्त करयोग्य लाभ होगा इसके लिए एक प्रतिष्ठान कटौतियोग्य अस्थायी अन्तरों से उत्पन्न करयोग्य राशियों पर ध्यान नहीं देता है जोकि भावी अवधियों में उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इन कटौतियोग्य अस्थायी अन्तरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्ति को स्वयं ही उपयोग में लाये जाने के उद्देश्य से भावी करयोग्य लाभ की अपेक्षा होगी।

(ख) प्रतिष्ठान को कर आयोजना अवसर उपलब्ध हैं जो कि उपयुक्त अवधियों में करयोग्य लाभ सृजित करेंगी।

30. कर आयोजन अवसर ऐसी कार्यवाहियाँ हैं जो प्रतिष्ठान कर हानि अथवा कर क्रेडिट अग्रणीत की समाप्ति से पूर्व एक विशिष्ट अवधि में कर आय के सृजन अथवा वृद्धि हेतु कार्यवाई करता है। उदाहरण के लिये, कुछ क्षेत्राधिकारों में, करयोग्य लाभ का सृजन अथवा उसमें वृद्धि निम्नलिखित द्वारा की जा सकती है :

(क) या तो प्राप्त अथवा प्राप्य के आधार पर ब्याज आय पर कर लगाये जाने को चुनने द्वारा

(ख) करयोग्य लाभ से कुछ कटौतियों के लिये दावा आस्थगित करने द्वारा

(ग) आस्तियों की बिक्री, तथा वापस पट्टा दिये जाने द्वारा जो कि मूल्यवृद्धि हुई है परन्तु जिसके लिये इस प्रकार की मूल्यवृद्धि को परिलक्षित करने हेतु कर-आधार को समायोजित किया गया है; और

(घ) आस्ति की बिक्री द्वारा जो गैर-करयोग्य आय को सृजित करती है (जैसे कि कुछ क्षेत्राधिकारों में, एक सरकारी बांड) ताकि अन्य निवेश की खरीद की जा सके जिसके लिए करयोग्य आय का सृजन होता है।

जहां कर आयोजन (टैक्स प्लानिंग) अवसर करयोग्य लाभ को बाद की अवधि से पूर्व की अवधि में कर देते हैं, कर हानि अथवा कर क्रेडिट अग्रणीत करने का उपयोग भावी मूल अस्थायी अन्तरों के अलावा करयोग्य लाभ की मौजूदगी पर निर्भर करता है।

31. जब किसी प्रतिष्ठान की हाल की हानियों का एक इतिहास है, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 35 तथा 36 के मार्गदर्शन पर विचार करता है।

32. [देखें परिशिष्ट 1]

ख्याति (गुडविल)

- 32 (क) यदि एक व्यावसायिक संयोजन में उत्पन्न (उद्भूत) अग्रणीत (कैरिंग) राशि इसके कर-आधार से कम है तो अन्तर एक आस्थगित कर आस्ति होता है। ख्याति (गुडविल) की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न आस्थगित कर आस्ति को उस सीमा तक एक व्यावसायिक संयोजन के लिये लेखा के अंश के रूप में मान्यता दी जायेगी जिस सीमा तक यह सम्भाव्य हो कि करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिसके प्रति कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर को उपयोग में लाया जा सकता है।

किसी आस्ति अथवा दायित्व की प्रारंभिक मान्यता

33. एक मामले में, जब एक आस्थगित कर आस्ति किसी आस्ति की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न होती है जब एक आस्ति से सम्बन्धित गैर-करयोग्य सरकारी अनुदान की आस्ति को आस्थगित आय के रूप में स्थापित किया जाता है और उस मामले में आस्थगित आय तथा इसके शून्य कर-आधार के बीच का अंतर एक कटौतियोग्य अस्थायी अंतर है। इस मामले में, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 22 में दिये गये कारण के परिणामस्वरूप आस्थगित कर आस्ति को मान्यता नहीं देता।

अप्रयुक्त कर हानियाँ तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट

34. एक आस्थगित कर आस्ति को आगे ले जाए अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के लिए उस सीमा तक मान्यता दी जायेगी जब यह सम्भाव्य हो कि वह भावी करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिसके प्रति अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
35. अप्रयुक्त कर हानियों तथा कर क्रेडिटों को आगे ले जाने से एक आस्थगित कर आस्ति को मान्यता देने का मानदंड वही है जो कि कटौतियोग्य अस्थायी कर अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता देने के लिए है। तथापि, अप्रयुक्त कर हानियों की मौजूदगी ठोस साक्ष्य है कि भावी करयोग्य लाभ उपलब्ध न हो। अतः जब प्रतिष्ठान के पास हाल की हानियों का एक इतिहास हो तो प्रतिष्ठान केवल उस सीमा तक अप्रयुक्त कर हानियों अथवा कर क्रेडिटों से उत्पन्न एक आस्थगित कर आस्ति को मान्यता देता है कि प्रतिष्ठान के पास पर्याप्त करयोग्य अस्थायी अंतर है अथवा एक संतोषजनक अन्य साक्ष्य है कि पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध है जिसके प्रति अप्रयुक्त कर हानियों अथवा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को प्रतिष्ठान द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में अनुच्छेद 82 आस्थगित कर आस्ति की राशि तथा इसकी मान्यता को समर्थन देने वाले साक्ष्य की प्रकृति के प्रकटन की अपेक्षा करता है।
36. एक प्रतिष्ठान उस संभाव्यता के मूल्यांकन में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करता है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति अप्रयुक्त कर हानियों अथवा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को प्रयोग में लाया जा सकता है :-
- (क) क्या प्रतिष्ठान के पास उसी कराधान प्राधिकरण तथा उसी करयोग्य प्रतिष्ठान से संबंधित पर्याप्त करयोग्य अस्थायी अंतर हैं जो कि करयोग्य राशियों के परिणामस्वरूप होंगे जिनके प्रति अप्रयुक्त कर हानियों अथवा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को उनकी समाप्ति से पूर्व प्रयोग में लाया जा सकता है ;
 - (ख) क्या यह संभाव्य है कि प्रतिष्ठान के पास अप्रयुक्त कर हानियां अथवा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों की समाप्ति से पूर्व करयोग्य लाभ होंगे ;
 - (ग) क्या अप्रयुक्त कर हानियां अभिज्ञेय कारणों के परिणामस्वरूप हुई हैं जिनकी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है ; तथा
 - (घ) क्या कर आयोजन अवसर (देखें अनुच्छेद 30) प्रतिष्ठान को उपलब्ध हैं जो कि उस अवधि में करयोग्य लाभ का सृजन करेंगे जिनमें कि अप्रयुक्त कर हानियों अथवा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को प्रयोग में लाया जा सकता है।

उस सीमा तक यह संभव नहीं है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति अप्रयुक्त कर हानियां अथवा अप्रयुक्त कर क्रेडिट प्रयोग में लाये जा सकते हैं, आस्थगित कर आस्ति को मान्यता नहीं दी जाती।

अमान्य आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

37. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रतिष्ठान अमान्य आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। प्रतिष्ठान पूर्ववर्ती अमान्य आस्थगित कर आस्ति को उस सीमा तक मान्यता देता है कि यह सम्भाव्य हो गया है कि भविष्य में पर्याप्त कर लाभ आस्थगित कर आस्ति की वसूली होने हेतु मंजूरी प्रदान करेगा। उदाहरण के लिये व्यापारिक शर्तों में सुधार इसे अधिक सम्भाव्य बना सकता है कि प्रतिष्ठान आस्थगित कर आस्ति के लिये भविष्य में करयोग्य लाभार्जित कर पायेगा ताकि वह अनुच्छेद 24 अथवा 34 में दिये गये मान्यता मानदंड को पूरा कर सके। इसका दूसरा उदाहरण वह है कि जब कोई प्रतिष्ठान व्यावसायिक संयोजन की तिथि को अथवा बाद में आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। (देखें अनुच्छेद 67 अथवा 68)।

अनुषंगियों, शाखाओं तथा सहयोगियों तथा संयुक्त व्यवस्थाओं में हित में निवेश

38. अस्थायी अंतर तब उत्पन्न होते हैं जब अनुषंगियों, शाखाओं तथा सहयोगियों अथवा संयुक्त व्यवस्थाओं में हितों (अर्थात् मूल प्रतिष्ठान अथवा अनुषंगी, शाखा सहयोगी अथवा निवेशिनी की शुद्ध आस्तियों के निवेशक के भाग ख्याति (गुडविल) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि सहित) में निवेशों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि कर-आधार (जो प्रायः लागत होती है) से भिन्न हो जाती है। इस प्रकार के अंतर निम्नलिखित विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैं, उदाहरण के लिए :
- (क) अनुषंगियों, शाखाओं तथा सहयोगियों अथवा संयुक्त व्यवस्थाओं के अवितरित लाभों की मौजूदगी ;
 - (ख) विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जब एक मूल प्रतिष्ठान तथा इसकी अनुषंगी विभिन्न देशों में स्थित है ; तथा
 - (ग) वसूलीयोग्य राशि के प्रति किसी सहयोगी के किसी निवेश की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में कोई कटौती।
- समेकित वित्तीय विवरणों में अस्थायी अंतर मूल प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों में उस निवेश के साथ संबद्ध अस्थायी अंतर से भिन्न हो सकते हैं यदि मूल लागत अथवा पुनर्मूल्यांकित राशि पर इसके पृथक वित्तीय विवरणों में निवेश रखता है।
39. प्रतिष्ठान अनुषंगियों, शाखाओं तथा सहयोगियों में निवेशों तथा संयुक्त व्यवस्थाओं में हितों के साथ संबद्ध समस्त करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए एक आस्थगित कर दायित्व को मान्यता देगा, इसमें सिवाय इसके कि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हों :

- (क) मूल प्रतिष्ठान, निवेशक, संयुक्त उद्यमी अथवा संयुक्त परिचालक अस्थायी अंतर के विपर्याय (उलटने) के समय को नियंत्रित करने में समर्थ हो ; तथा
- (ख) यह सम्भव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं जायेगा ।
40. चूंकि एक मूल प्रतिष्ठान अपने अनुषंगी की लाभांश नीति को नियंत्रित करता है, यह उस निवेश के साथ संबद्ध अस्थायी अंतरों के विपर्याय के समय को नियंत्रित करने में समर्थ होता है (न केवल अवितरित लाभों से उत्पन्न अस्थायी अंतरों सहित परंतु किसी विदेशी विनिमय रूपान्तर अंतरों से भी)। इसके अतिरिक्त आयकरों की राशि निर्धारित करने में प्रायः यह अव्यवहारिक होगा कि वह अस्थायी अंतर विपर्याय की स्थिति में ही देय होंगे । अतः जब मूल प्रतिष्ठान ने यह निर्धारित कर लिया है, कि वे लाभ ज्ञात भविष्य में संवितरित नहीं किये जायेंगे तो मूल प्रतिष्ठान आस्थगित कर दायित्व मान्य नहीं करता है। यही विचारधारा शाखाओं में निवेशों पर भी लागू होते हैं।
41. किसी प्रतिष्ठान की गैर-मौद्रिक आस्तियों तथा दायित्वों का माप इसकी कार्यात्मक मुद्रा में किया जाता है [देखें भारतीय लेखा मानक 21 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव] । यदि प्रतिष्ठान का करयोग्य लाभ अथवा कर हानि (तथा अतः इसकी गैर-मौद्रिक आस्तियों तथा दायित्वों का कर-आधार) किसी भिन्न (दूसरी) मुद्रा में किया जाता है तो विनिमय दर में परिवर्तनों से अस्थायी अंतरों में वृद्धि होती है जो कि किसी मान्यताप्राप्त आस्थगित कर दायित्व अथवा (अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत) आस्ति में परिणामस्वरूप होती है। परिणामी आस्थगित कर लाभ अथवा हानि में चार्ज किया जाता है अथवा क्रेडिट किया जाता है (देखें अनुच्छेद 58)।
42. किसी सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेशक उस प्रतिष्ठान को नियंत्रित नहीं करता तथा साथ ही वह प्रायः इसकी लाभांश नीति निर्धारित करने की स्थिति में नहीं होता है। अतः सहयोगी के लाभों की अपेक्षा करते उस करारनामा के अभाव में कि सहयोगी के लाभ ज्ञात भविष्य में संवितरित नहीं किये जायेंगे, एक निवेशक सहयोगी में निवेश के साथ सम्बद्ध कर अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर दायित्व को मान्यता देता है। कुछ मामलों में, एक निवेशक कर की राशि निर्धारित करने के लिए समर्थ नहीं होता जो कि देय होगी यदि यह सहयोगी में इसके निवेश की लागत वसूल करता है परन्तु यह निर्धारित कर सकता है कि यह एक न्यूनतम राशि के बराबर अथवा उससे अधिक होगी। ऐसे मामलों में, आस्थगित कर दायित्व का माप इस राशि पर किया जाता है।
43. किसी संयुक्त व्यवस्था की पार्टियों के बीच व्यवस्था सामान्यतया लाभों के वितरण करने सम्बन्धित कार्य से होता है तथा पता लगाती है कि ऐसे मामलों में सभी पार्टियों अथवा पार्टियों के समूह की सहमति अपेक्षित है अथवा नहीं । जब संयुक्त उद्यमी या संयुक्त परिचालक संयुक्त व्यवस्था के लाभों के वितरण में अपने हिस्से के वितरण के समय पर नियंत्रण कर सकता है तथा इस बात की भी संभावना है कि लाभ निकट भविष्य में संवितरित नहीं किये जायेंगे, एक आस्थगित कर दायित्व को मान्यता नहीं दी जाती है।
44. एक प्रतिष्ठान अनुषंगियों, शाखाओं तथा सहयोगियों में उसके निवेशों तथा संयुक्त व्यवस्थाओं में इसके हितों से उत्पन्न सभी कटौतियोग्य अस्थायी अन्तरों के लिये आस्थगित कर आस्ति को, उस सीमा तक, और केवल उस सीमा तक, मान्यता देगा, जब यह सम्भावना है कि
- (क) सभी अस्थायी अन्तर निकट भविष्य में उलट जायेंगे; तथा
- (ख) करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके प्रति अस्थायी अन्तर प्रयोग में लाये जा सकते हैं,
45. यह निर्णय करने के लिये कि क्या एक आस्थगित कर आस्ति के अनुषंगियों, शाखाओं तथा सहयोगियों में निवेशों तथा संयुक्त व्यवस्थाओं में इसके हितों से सम्बद्ध कटौतियोग्य कर अन्तरों के लिये मान्यता दी जाती है अथवा नहीं, एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 28 से 31 में दिये गये मार्गदर्शन को विचार में लेता है।
- माप**
46. चालू तथा पूर्व अवधियों के लिये चालू कर दायित्व (आस्तियां) कराधान प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली (से वसूल की जाने वाली) अपेक्षित राशि पर, कर दरों (तथा कर कानूनों) का प्रयोग करते हुए जो कि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक अधिनियमित की गई है अथवा मूलभूत रूप में अधिनियमित की गई है, मापी जायेगी ।
47. आस्थगित कर आस्तियां तथा दायित्व उन दरों पर मापी जायेंगी जो कि उस अवधि के लिये लागू की जानी अपेक्षित हैं जब आस्ति की वसूली की जाती है अथवा दायित्व का निपटान होता है, जो उन दरों (तथा कर कानूनों) पर आधारित है जो कि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक अधिनियमित की गई है अथवा मूलभूत रूप में अधिनियमित की गई है।
48. चालू तथा आस्थगित कर आस्तियां तथा दायित्व अधिनियमित की गई कर दरों (तथा कर कानूनों) का प्रयोग करके सामान्यतया मापी जाती हैं। तथापि, कुछ क्षेत्राधिकारों में सरकार द्वारा की गई कर दरों (तथा कर कानूनों) की घोषणाओं का वास्तविक

- अधिनियम का मूलभूत प्रभाव होगा जो कि अनेक महीनों की अवधियों तक घोषणाएं अमल में लायी जा सकती हैं। इन परिस्थितियों में कर आस्तियां तथा दायित्व घोषित कर दर (तथा कर कानूनों) का प्रयोग करते हुए मापी जाती हैं।
49. जब करयोग्य आय के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कर दरें लगाई जाती हैं, कर आस्तियां एवं दायित्व, उन औसत दरों का प्रयोग करते हुए मापी जाती हैं जो कि करयोग्य लाभ (कर हानि) की उन अवधियों पर लागू होगा जिसमें अस्थायी अन्तरों को उलटना अपेक्षित है।
50. [देखें परिशिष्ट 1]
51. आस्थगित कर दायित्वों तथा आस्थगित कर आस्तियों का माप उन परिणामों को परिलक्षित करेगा जो उस ढंग में अमल में लाये जायेंगे जिसमें कि आस्तियों तथा दायित्वों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली करने अथवा निपटान करने के लिये रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रतिष्ठान अपेक्षा करता है।
- 51 क कुछ क्षेत्राधिकारों में जिस ढंग से प्रतिष्ठान आस्ति की (दायित्व) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि वसूल (का निपटान) करता है यह या तो इनमें से एक अथवा दोनों का प्रभावित कर सकता है :
- (क) लागू कर दर जब प्रतिष्ठान आस्ति (दायित्व) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि वसूल (निपटान) करता है; तथा
- (ख) आस्ति (दायित्व) का कर-आधार
- ऐसे मामलों में कर दर तथा कर-आधार का प्रयोग करते हुए कोई प्रतिष्ठान अस्थगित कर दायित्वों तथा अस्थगित कर आस्तियों का माप करता है जो कि वसूली अथवा निपटान के अपेक्षित ढंग के साथ अनुकूल है।

उदाहरण क

संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की एक मद की अग्रणीत (कैरिंग) राशि 100 रुपये है तथा कर-आधार 60 रुपये है। यदि मद बेची गई है तो कर दर 20% तथा 30 % की कर दर अन्य आय पर लागू होगी।

प्रतिष्ठान 8 रुपये (40 रुपये का 20 प्रतिशत) की आस्थगित कर दायित्व को मान्यता देता है यदि यह बिना आगे प्रयोग के मद की बिक्री की अपेक्षा करता है तथा 12 रुपये (40 रुपये का 30 प्रतिशत) की आस्थगित कर दायित्व यदि यह मद को रखना चाहता है तथा प्रयोग के द्वारा इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली करता है।

उदाहरण ख

संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की एक मद की लागत 100 रुपये है और अग्रणीत (कैरिंग) राशि 80 रुपये की है जिसे 150 रुपये पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है। कर प्रयोजनों के लिये कोई समान समायोजन नहीं किया गया है। कर प्रयोजनों के लिये संचयी मूल्यद्वास 30 रुपये है तथा कर दर 30 % है यदि आस्ति लागत से अधिक पर बेची जाती है तो 30 रुपये का संचयी कर मूल्यद्वास करयोग्य आय में सम्मिलित किया जायेगा परन्तु लागत से अधिक बिक्री प्राप्तियां करयोग्य नहीं होगी।

मद का कर-आधार 70 रुपये है तथा 80 रुपये का करयोग्य अस्थायी अन्तर है यदि प्रतिष्ठान मद का प्रयोग करके अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली की अपेक्षा करता है तो यह 150 रुपये की करयोग्य आय अवश्य सृजित करे। परन्तु केवल यह 70 रुपये के मूल्यद्वास की कटौती हो पायेगी। इस आधार पर 24 रुपये (30 % पर 80 रुपये) आस्थगित कर दायित्व है। यदि प्रतिष्ठान 150 रुपये की प्राप्तियों के लिए तत्काल मद की बिक्री करके अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली की अपेक्षा करता है तो आस्थगित कर दायित्व का आकलन नीचे दिये अनुसार किया जाएगा:

(नोट)	करयोग्य अस्थायी अन्तर (राशि रुपये में)	कर दर	आस्थगित कर दायित्व (राशि रुपये में)	:-
संचयी कर मूल्यद्वास	30	30 %	9	
लागत से अधिक प्राप्तियां	50	शून्य	-	
कुल	80		9	

अनुच्छेद 61 क के अनुसार पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न अतिरिक्त आस्थगित कर की अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।)

उदाहरण ग

तथ्य जैसा कि उदाहरण ख में दिये गये हैं, उसमें सिवाय इसके कि यदि मद लागत से अधिक पर बेची जाती है, संचयी कर मूल्यहास करयोग्य आय (30 % पर कर लगाया गया) तथा 110 रुपये की मुद्रास्फीति लागत कटौती के पश्चात् बिक्री प्राप्तियों पर 40% पर कर लगाया जायेगा।

यदि प्रतिष्ठान मद का प्रयोग करके अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली के लिये अपेक्षा करता है तो यह 150 रुपये की करयोग्य आय अवश्य सृजित करता है परन्तु 70 रुपये की मूल्यहास कटौती हो पायेगी। इस आधार पर कर-आधार 70 रुपये है, करयोग्य अस्थायी अन्तर 80 रुपये है तथा आस्थगित कर दायित्व 24 रुपये (30 % पर 80 रुपये) है जैसा कि उदाहरण ख में है।

यदि प्रतिष्ठान 150 रुपये की प्राप्तियों के लिये मद की तत्काल बिक्री करके अग्रणीत (कैरिंग) राशि को वसूल करने की अपेक्षा करता है तो प्रतिष्ठान 110 रुपये की सूचीबद्ध लागत की कटौती कर पायेगा। 40 रुपये की शुद्ध प्राप्तियों पर 40 % कर लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 30 रुपये का संचयी कर मूल्यहास करयोग्य आय में सम्मिलित किया जायेगा तथा 30 % कर लगाया जायेगा। इस आधार पर कर-आधार 80 रुपये है (110 रुपये कम 30 रुपये) व करयोग्य अस्थायी अन्तर 70 रुपये है तथा 25 रुपये (40 % पर 40 रुपये जमा 30 % पर 30 रुपये) आस्थगित कर दायित्व है। यदि इस उदाहरण में कर-आधार तत्काल स्पष्ट नहीं होता है, यह उपयोगी होगा कि अनुच्छेद 10 में निर्दिष्ट मूलभूत सिद्धान्तों पर विचार किया जाए।

(नोट : अनुच्छेद 61 क के अनुसार अतिरिक्त आस्थगित कर को जो कि पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न होता है, अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।)

51 ख यदि भारतीय लेखा मानक 16 में पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करते हुए मापी गयी गैर-मूल्यहास योग्य आस्ति से आस्थगित कर-दायित्व या आस्थगित कर-आस्ति उत्पन्न होती है तो आस्थगित कर-दायित्व या आस्थगित कर-आस्ति का माप बिक्री द्वारा गैर-मूल्यहास योग्य आस्ति की अग्रणीत राशि की वसूली के कर परिणामों को प्रदर्शित करेगा, भले उस आस्ति की अग्रणीत राशि के माप का कोई भी आधार क्यों न हो। तदनुसार, यदि कर कानून यह विनिर्दिष्ट करता है कि एक आस्ति के प्रयोग से निकाली गयी कर योग्य राशि पर लागू कर दर उस कर-दर से भिन्न है जो आस्ति के प्रयोग से निकाली गयी कर योग्य राशि पर लागू होती है तो इन दरों में से पहली दर गैर-मूल्यहास योग्य आस्ति से संबंधित आस्थगित कर दायित्व या आस्ति के माप से संबंधित है।

51 ग-51 घ (देखें परिशिष्ट 1)

51 ड. आस्थगित कर आस्तियों के माप को मान्यता देते समय इस मानक का अनुच्छेद 51 ख, अनुच्छेद 24-33 (कटौती योग्य अस्थायी अन्तर) और अनुच्छेदों 34-36 [अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर जमा राशियों (क्रेडिट्स)] में दिये गये सिद्धान्तों को लागू करने की अपेक्षाओं में परिवर्तन नहीं करता है।

52. [हटाया गया और इसे नई संख्या 51 क दी गयी है]

52 क कुछ क्षेत्राधिकारों में आय पर कर उच्चतर अथवा निम्नतर पर देय है यदि समस्त शुद्ध लाभ अथवा उसका अंश अथवा रोकी गई अर्जन आय (बचत) प्रतिष्ठान के शेयर धारकों को लाभांश के रूप में अदा की गई है। कुछ अन्य क्षेत्राधिकारों में आय पर कर वापसीयोग्य अथवा देय है यदि समस्त शुद्ध लाभ अथवा उसका अंश अथवा रोकी गई अर्जन आय (बचत) प्रतिष्ठान के शेयर धारकों को लाभांश के रूप में अदा की गई है। इन परिस्थितियों में चालू तथा आस्थगित कर आस्तियां तथा दायित्वों की माप असंवितरित लाभों पर लागू कर दर पर की जाती है।

52 ख अनुच्छेद 52 क में वर्णित परिस्थितियों में लाभांशों के आयकर परिणामों को मान्यता दी जाती है जब लाभांश अदायगी के लिए एक दायित्व को मान्यता दी जाए। लाभांशों के आयकर परिणाम सीधे ही अधिकतर भूतकाल के लेन-देनों अथवा घटनाओं से होते हैं न कि स्वामियों को दिये जाने वाले संवितरणों से। अतः लाभांशों के आयकर परिणामों (निष्कर्ष) को उस अवधि के लिए लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है जैसा कि अनुच्छेद 58 में अपेक्षित है इसमें सिवाय उस सीमा तक कि लाभांशों के आयकर परिणाम अनुच्छेद 58 (क) तथा (ख) में वर्णित परिस्थितियों से उत्पन्न हों।

अनुच्छेद 52 (क) तथा (ख) को स्पष्ट करते हुए उदाहरण

निम्नलिखित उदाहरण एक क्षेत्राधिकार में एक प्रतिष्ठान की चालू तथा आस्थगित कर आस्तियों तथा दायित्वों के संबंध में चर्चा करता है जहां आयकर अवितरित लाभों (50 %) पर उच्चतर दर पर देय हैं और जब लाभ वितरित हो जाता है तो वह राशि वापस की जा सकती है। 31 दिसम्बर 2011 की रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रतिष्ठान अवधि के पश्चात् प्रस्तावित अथवा घोषित लाभांशों के लिए दायित्व को मान्यता नहीं देता। इसके परिणामस्वरूप, 20X1 में किन्हीं भी लाभांशों को मान्यता नहीं दी जाती। 20X1 के लिए करयोग्य आय 1,00,000 रुपये है। वर्ष 20X1 के लिए शुद्ध करयोग्य अस्थायी अंतर 40,000 रुपये है।

प्रतिष्ठान 50,000 रुपये की चालू कर दायित्व तथा चालू आयकर को मान्यता देता है। भावी लाभांशों के परिणामस्वरूप संभाव्य वसूलीयोग्य राशि के लिए किसी आस्ति को मान्यता नहीं दी जाती। प्रतिष्ठान 20,000 रुपये (40,000 रुपये पर 50 %) की आस्थगित कर दायित्व तथा

आस्थगित कर व्यय को भी मान्यता देता है जो कि उन आयकरों का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रतिष्ठान अदा करेगा जब यह संवितरित लाभों पर लागू कर दर पर आधारित इसकी आस्तियों तथा दायित्वों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को वसूल करता है अथवा उसका निपटान करता है।

इसके पश्चात् 15 मार्च 20X2 को प्रतिष्ठान पिछले परिचालित लाभों से 10,000 रुपये लाभांश दायित्व के रूप में मान्यता देता है।

15 मार्च 20X2 को प्रतिष्ठान चालू कर आस्ति के रूप में तथा 20X2 के चालू आयकर खर्च की कटौती के रूप में 1500 रुपये (दायित्व के रूप में मान्यताप्राप्त लाभांशों का 15 %) के आयकरों की वसूली के रूप में मान्यता देता है।

53. आस्थगित कर आस्तियों तथा दायित्वों को बट्टागत नहीं किया गया है।

54. बट्टागत आधार पर आस्थगित कर आस्तियों तथा दायित्वों के विश्वसनीय निर्धारण के लिए यह अपेक्षित है कि प्रत्येक अस्थायी अंतर को प्रतिवर्तित करने के समय को विस्तृत रूप से नियत किया जाए। बहुत से मामलों में इस प्रकार की समय-सारणी बनाना व्यवहार्य नहीं है अथवा अत्यधिक जटिल है। अतः आस्थगित कर आस्तियों तथा दायित्वों को बट्टागत करने की अपेक्षा करना उपयुक्त नहीं है। बट्टागत (डिस्काउंटिंग) की अनुमति देना, अपेक्षा न करना, आस्थगित कर आस्तियों तथा दायित्वों में परिणत हो जायेगा जो कि प्रतिष्ठानों के बीच तुलनीय नहीं होगा। अतः यह मानक आस्थगित कर आस्तियों तथा दायित्वों बट्टागत करने की अपेक्षा नहीं करता अथवा न ही अनुमति देता है।

55. अस्थायी अंतर किसी आस्ति अथवा दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के संदर्भ द्वारा निर्धारित होते हैं। यह वहां भी लागू होता है जहां अग्रणीत (कैरिंग) राशि स्वयं ही बट्टागत आधार पर निर्धारित होती है, उदाहरण के लिए सेवा निवृत्त लाभ दायित्वों के मामलों में (देखें भारतीय लेखा मानक 19, *कर्मचारी लाभ*)।

56. एक आस्थगित कर आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जायेगी एक प्रतिष्ठान किसी आस्थगित कर आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को उस सीमा तक कम कर देगा कि अंततः यह संभाव्य नहीं है कि पर्याप्त करयोग्य लाभ प्रयोग में लायी जाने वाले उस सम्पूर्ण आस्थगित कर आस्ति को अथवा उसमें अंश के लाभ को अनुमति देने के लिए उपलब्ध रहेगा। ऐसी कोई भी कटौती उस सीमा तक प्रतिवर्तित की जायेगी कि यह सम्भाव्य बन जाये कि पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जायेगा।

चालू तथा आस्थगित कर की मान्यता

57. किसी लेन-देन अथवा अन्य घटना के चालू तथा आस्थगित प्रभावों के लिए लेखांकन लेन-देन, अथवा घटना के स्वयं के लिए लेखांकन के साथ सुसंगत है। अनुच्छेद 58 से 68 ग इस सिद्धान्त को अमल में लाता है।

लाभ अथवा हानि में मान्यताप्राप्त मदें

58. चालू तथा आस्थगित कर को आय अथवा खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है तथा लाभ व हानि में अवधि के लिए सम्मिलित किया जाता है, इसमें सिवाय उस सीमा तक कि कर निम्नलिखित से उत्पन्न होता है :

(क) एक लेन-देन अथवा घटना, जो कि उसी अवधि में अथवा भिन्न अवधि में, लाभ व हानि से बाहर, या तो अन्य व्यापक आय अथवा सीधे ही ईक्विटी में, मान्यता दी जाती है (देखें अनुच्छेद 61 क-65); अथवा

(ख) एक व्यावसायिक संयोजन (भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण* द्वारा यथापरिभाषित निवेश प्रतिष्ठान द्वारा अनुषंगी का अधिग्रहण) जिसे अनुषंगी को लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापना अपेक्षित है (देखें अनुच्छेद 66-68)।

59. अधिकांश आस्थगित कर दायित्व तथा आस्थगित कर आस्तियां वहां उत्पन्न होती हैं जहां आय अथवा व्यय एक अवधि में लेखा लाभ में सम्मिलित किये जाते हैं। परिणामस्वरूप आस्थगित कर को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है। उदाहरण है जब

(क) ब्याज, रॉयल्टी अथवा लाभांश राजस्व बकाया राशियों में प्राप्त होते हैं तथा भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* या भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें*, जो भी उपयुक्त हों, जिस पर लेखा लाभ में सम्मिलित किये जाते हैं, परन्तु नकदी आधार पर करयोग्य लाभ (कर हानि) में सम्मिलित किये जाते हैं; तथा

(ख) अमूर्त आस्तियों की लागतों को भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार पूंजीगत किया गया है तथा लाभ अथवा हानि में परिशोधित किया जा रहा है, परन्तु कर प्रयोजनों के लिए कटौती की जाती है, जब उन पर खर्च किया जाता है।

60. आस्थगित कर आस्तियों तथा दायित्वों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में परिवर्तन हो सकता है, चाहे संबद्ध अस्थायी अंतरों की राशि में कोई परिवर्तन हो अथवा नहीं।

उदाहरण के लिए, यह निम्नलिखित के परिणामस्वरूप हो सकता है :

(क) कर दरों अथवा कर कानूनों में अन्तर से;

- (ख) आस्थगित कर आस्तियों की वसूली योग्यता के पुनर्मूल्यांकन से; अथवा
- (ग) किसी आस्ति की वसूली के अपेक्षित ढंग में परिवर्तन से।
- परिणामी आस्थगित कर को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है, इसमें उस सीमा को छोड़कर कि यह लाभ अथवा हानि से बाहर पूर्ववर्ती मान्यताप्राप्त मदों से सम्मिलित है (देखें अनुच्छेद 63)
- लाभ अथवा हानि से बाहर मान्यताप्राप्त मदें**
61. [देखें परिशिष्ट 1]।
- 61 क चालू कर तथा आस्थगित कर को लाभ अथवा हानि के बाहर मान्यता दी जायेगी यदि कर उन मदों से संबंधित है जिन्हें कि उसी अथवा भिन्न अवधि में लाभ अथवा हानि के बाहर मान्यता दी जाती है। अतः चालू कर तथा आस्थगित कर जो कि उसी अथवा भिन्न अवधि में उन मदों से संबंधित है जो कि मान्यताप्राप्त हैं :
- (क) अन्य व्यापक आय में, को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जायेगी (देखें अनुच्छेद 62);
- (ख) ईक्विटी में प्रत्यक्षतया, 'ईक्विटी' में प्रत्यक्षतया मान्यता दी जाएगी (देखें अनुच्छेद 62क)।
62. अन्य व्यापक आय में मान्यता देने के लिए भारतीय लेखा मानक कुछ मदों की अपेक्षा कर सकता है अथवा उनकी अनुमति दे सकता है। ऐसी मदों के उदाहरण इस प्रकार हैं : -
- (क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न अग्रणीत (कैरिंग) राशि में परिवर्तन (देखें भारतीय लेखा मानक 16) ; और
- (ख) [देखिये परिशिष्ट 1]
- (ग) विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के रूपान्तरण पर उत्पन्न विनिमय अंतर (देखें भारतीय लेखा मानक 21)
- (घ) [देखिये परिशिष्ट 1]
- 62(क) भारतीय लेखा मानक ईक्विटी में क्रेडिट किये जाने अथवा चार्ज किये जाने हेतु विशेष मदों की अपेक्षा करता है। विशेष मदों के उदाहरण इस प्रकार हैं :
- (क) लेखा नीति को पूर्व प्रभाव से लागू करने अथवा किसी त्रुटि को ठीक करने में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप प्रतिधारित आय के प्रारम्भिक शेष का समायोजन। (देखें भारतीय लेखा मानक 8 लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां)
- (ख) किसी मिश्रित वित्तीय लिखत के ईक्विटी घटक की प्रारम्भिक पहचान पर उत्पन्न राशियां (देखें अनुच्छेद 23)।
63. आपवादिक परिस्थितियों में से चालू तथा आस्थगित कर की राशि के निर्धारण में कठिनाई हो सकती है जो लाभ या हानि से बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है (या तो अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे ही ईक्विटी में) उदाहरण के लिए, यह मामला वह हो सकता है ; जब
- (क) आय पर कर की दरें प्रगामी (ग्रेच्युएटिड) हैं तथा वह कर दर निर्धारण करना असम्भव है जिस पर कि करयोग्य लाभ (कर हानि) के विशिष्ट घटक पर कर लगाया गया है;
- (ख) कर दर अथवा अन्य दर नियम उस मद से संबंधित (पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से) आस्थगित अथवा दायित्व को प्रभावित करते हैं, जिन्हें कि पहले लाभ अथवा हानि के बाहर मान्यता दी गई थी; तथा
- (ग) एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि एक आस्थगित कर आस्ति को मान्यता दी जाए, अथवा पूर्ण रूप से अब मान्यता नहीं दी जाये, तथा आस्थगित कर आस्ति (पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से) उस मद से संबंधित है जिसे कि पहले लाभ अथवा हानि से बाहर मान्यता दी गयी थी।
- ऐसे मामलों में, उन मदों से संबंधित चालू तथा आस्थगित कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि से बाहर मान्यता दी गई है, संबंधित कर क्षेत्राधिकार अथवा अन्य विधि, जो इन परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त आवंटन प्राप्त करती है, में प्रतिष्ठान के चालू तथा आस्थगित कर के तर्कसंगत यथानुपात आवंटन पर आधारित है।
64. भारतीय लेखा मानक 16 विशेष रूप से इस बात का उल्लेख नहीं करता है, कि प्रतिष्ठान एक पुनर्मूल्यांकित आस्ति के मूल्यद्वारा अथवा परिशोधन के बीच के अंतर के बराबर की राशि पुनर्मूल्यांकन बचत से प्रतिधारित आय को प्रत्येक वर्ष अंतरित (ट्रांसफर) करेगा। यदि कोई प्रतिष्ठान इस प्रकार का कोई अंतरण करता है तो अंतरित राशि किसी भी संबंधित आस्थगित कर की शुद्ध राशि है। इसी प्रकार के विचार संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की किसी मद के निपटान पर किये गये अन्तरणों पर लागू होते हैं।

65. जब कर प्रयोजनों के लिए किसी आस्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा वह पुनर्मूल्यांकन एक पूर्ण अवधि के लेखा पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है अथवा उस अवधि से संबंधित है जिस पर कि भविष्य की अवधि में किया जाना अपेक्षित है, आस्ति पुनर्मूल्यांकन तथा कर-आधार का समायोजन दोनों ही को उन अवधियों की अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है जिसमें कि वे होती हैं। तथापि, यदि किसी पूर्व अवधि के लेखा पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नहीं है अथवा उस अवधि से भी संबंधित नहीं है जिस पर कि भविष्य की अवधि में किया जाना अपेक्षित है, कर-आधार के समायोजन के कर प्रभावों को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।
- 65(क) जब कोई प्रतिष्ठान अपने शेयर धारकों को लाभांशों की अदायगी करता है तो उसे शेयर धारकों की ओर से करायान प्राधिकारियों को लाभांशों के अंश की अदायगी करना अपेक्षित है। अनेक क्षेत्राधिकारों में, उस राशि का उल्लेख रोक कर रखे गये कर के रूप में किया जाता है। करायान प्राधिकारियों को अदा की गयी अथवा अदा की जाने वाली इस प्रकार की राशि को लाभांशों के अंश के रूप में इक्विटी पर चार्ज किया जाता है।

व्यावसायिक संयोजन से उत्पन्न आस्थगित कर

66. अनुच्छेद 19 तथा 26 (ग), में वर्णित किये गये अनुसार किसी व्यावसायिक संयोजन में अस्थायी अंतर उत्पन्न हो सकते हैं। भारतीय लेखा मानक 103 के अनुसार एक प्रतिष्ठान किन्हीं परिणामी कर आस्तियों (उस सीमा तक कि वे अनुच्छेद 24 के मान्यता मानदंड को पूरा करते हैं) अथवा आस्थगित कर दायित्वों को अधिग्रहण की तारीख पर अभिज्ञेय आस्तियों तथा दायित्वों के रूप में मान्यता देता है। परिणामस्वरूप वे आस्थगित कर आस्तियां तथा आस्थगित कर दायित्व ख्याति अथवा मोल-भाव खरीद लाभ, जिसे प्रतिष्ठान मान्यता देता है, की राशि को प्रभावित करती हैं। तथापि, अनुच्छेद 15 (क) के अनुसार एक प्रतिष्ठान ख्याति (गुडविल) की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न आस्थगित कर दायित्वों को मान्यता नहीं देता।
67. व्यावसायिक संयोजन के परिणामस्वरूप, अधिग्रहणकर्ता की पूर्व-अधिग्रहण आस्थगित कर आस्ति की वसूली की सम्भाव्यता में अंतर हो सकता है। एक अधिग्रहणकर्ता इसे सम्भाव्य के रूप में विचार कर सकता है कि यह इसकी अपनी आस्थगित कर की वसूली करेगा कि उसे व्यावसायिक संयोजन से पूर्व मान्यता नहीं दी गई थी। उदाहरण के लिए, अधिग्रहीती के भावी करयोग्य लाभ के प्रति अप्रयुक्त कर हानियों के लाभ को प्रयोग करने के लिए समर्थ हो सकता है। विकल्प के रूप में, व्यावसायिक संयोजन के परिणामस्वरूप यह अब हो सकता है। सम्भाव्य न हो कि भावी कर लाभ वसूली के लिए आस्थगित कर आस्ति की मंजूरी देगा। ऐसे मामलों में, अधिग्रहणकर्ता व्यावसायिक संयोजन की अवधि में आस्थगित कर आस्ति में परिवर्तन को मान्यता देता है, परन्तु व्यावसायिक संयोजन के लिए लेखा के अंग के रूप में इसे सम्मिलित नहीं करता। अतः अधिग्रहणकर्ता ख्याति अथवा मोल-भाव खरीद लाभ, जो व्यावसायिक संयोजन में मान्य है, को मापने में इसको विचार में नहीं लेता है।
68. अधिग्रहणित की आयकर हानि के संभावित लाभ को आगे ले जाया जाता है या अन्य आस्थगित कर आस्तियों की पृथक मान्यता का मानदंड पूरा नहीं हो सकता है तब जब एक व्यावसायिक संयोजन का प्रारम्भ से लेखा किया जाता है और बाद में शायद उसकी प्राप्ति भी हो जाए। एक एक प्रतिष्ठान अधिग्रहीत आस्थगित कर लाभों को मान्यता देगा जिन्हें कि वह व्यावसायिक संयोजन के बाद निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करता है :-

- (क) माप अवधि के अन्दर मान्यताप्राप्त अधिग्रहीत आस्थगित कर लाभ जो कि तथ्यों व परिस्थितियों के बारे में उन नवीन सूचना के परिणामस्वरूप हैं जो अधिग्रहण तिथि को मौजूद थी, उन्हें अधिग्रहण से संबंधित ख्याति की किसी अग्रणीत राशि को कम करने के लिए लागू किया जाएगा। यदि ख्याति की अग्रणीत राशि शून्य है, तो कोई शेष आस्थगित कर लाभ को अन्य विस्तृत आय और संचित इक्विटी में पूंजीगत प्रारक्षित राशि में मान्यता दी जाएगी या पूंजीगत प्रारक्षित राशि में सीधे मान्यता दी जाएगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा भारतीय लेखा मानक 103 का अनुच्छेद 34 या 36 (क) लागू किया गया होता यदि अधिग्रहण तिथि को माप अवधि के समायोजनों की जानकारी होती।
- (ख) अन्य सभी अधिग्रहीत आस्थगित कर लाभ प्राप्त होने पर लाभ या हानि में (या यदि यह मानक लाभ या हानि के बाहर ऐसी अपेक्षा करता है) मान्य होंगे।

शेयर आधारित भुगतान-संबंधी लेन-देनों से उत्पन्न चालू तथा आस्थगित कर

- 68(क) कुछ क्षेत्राधिकारों में एक प्रतिष्ठान कर कटौती (अर्थात् करयोग्य लाभ निर्धारित करने में जो राशि कटौतियोग्य है) प्राप्त करता है जो कि प्रतिष्ठान के शेयरों, शेयर विकल्पों अथवा अन्य इक्विटी लिखतों में अदा किए गए पारिश्रमिक से संबंधित है। उस कर कटौती की राशि संबंधित संचयी पारिश्रमिक से भिन्न होती है, तथा बाद की लेखा अवधि में उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठान कुछ क्षेत्राधिकारों में भारतीय लेखा मानक 102, *हिस्सा आधारित भुगतान*, के अनुसार अदा किए गए शेयर विकल्पों के लिए विचार में लेने के रूप में प्राप्त कर्मचारी सेवाओं के उपयोग के लिए खर्च को मान्यता दे सकता है तथा तब तक कर कटौती को

प्राप्त नहीं करता है जब तक कि प्रयोग की तारीख पर प्रतिष्ठान की शेयर कीमत पर आधारित कर कटौती के माप के साथ शेयर विकल्पों का प्रयोग किया जाता है।

- 68(ख) जैसे कि इस मानक के अनुच्छेद 9 तथा 26 (ख) में प्रारंभिक खर्चों पर चर्चा की गयी है, साथ अब तक प्राप्त की गयी कर्मचारी की सेवाओं के कर-आधार (कराधान नियमों के अन्तर्गत भावी अवधियों में कटौती के रूप में अनुमत राशि होते हुए), तथा शून्य अग्रणीत (कैरिंग) राशि के बीच का अन्तर कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर है जो कि आस्थगित कर आस्ति के परिणामस्वरूप है। यदि कराधान नियमों के अन्तर्गत भावी अवधियों में कटौती के रूप में अनुमत की गई राशि अवधि की समाप्ति पर ज्ञात नहीं होती है तो इसका आकलन किया जायेगा जो कि अवधि की समाप्ति पर उपलब्ध सूचना पर आधारित है। उदाहरण के लिये कराधान नियमों के अन्तर्गत भावी अवधियों में अनुमत की गई राशि भावी अवधि पर प्रतिष्ठान की शेयर कीमत आधारित है जो कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर की माप अवधि की समाप्ति पर प्रतिष्ठान के हिस्से की कीमत पर आधारित होनी चाहिये।
- 68(ग) अनुच्छेद 68 क में उल्लेख किये गये अनुसार कर कटौती की राशि अथवा आकस्मिक भावी कर कटौती, जो कि अनुच्छेद 68 (ख) के अनुसार मापी गई है, संबंधित संचयी पारिश्रमिक खर्च से भिन्न हो सकती है। मानक कर अनुच्छेद 58 यह अपेक्षा करता है कि चालू तथा आस्थगित कर की आय अथवा व्यय के रूप में मान्यता दी जाये तथा अवधि के लिए लाभ अथवा हानि में सम्मिलित किया जाए, इसमें सिवाय इस सीमा तक कि कर को (क) एक लेन-देन अथवा घटना जिसे कि मान्यता लाभ अथवा हानि के बाहर उसी अथवा भिन्न अवधि उत्पन्न हो अथवा (ख) एक व्यावसायिक संयोजन (एक अनुषंगी प्रतिष्ठान के एक निवेश प्रतिष्ठान द्वारा अधिग्रहण से भिन्न, जो लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापा जाना अपेक्षित है) में मान्यता दी जाती है। यदि कर कटौती की राशि (अथवा आकलित भावी कर कटौती) सम्बद्ध संचयी पारिश्रमिक खर्च की राशि से बढ़ जाती है, यह इस बात का उल्लेख करता है कि कर कटौती न केवल पारिश्रमिक व्यय से संबंधित है परन्तु इक्विटी मद से भी संबंधित है। इस स्थिति में सहयोगी चालू अथवा आस्थगित कर के आधिक्य को सीधे ही इक्विटी में मान्यता दी जाए।

प्रस्तुतिकरण

कर आस्तियां तथा कर दायित्व

69-70. [देखिये परिशिष्ट 1]

परस्पर समायोजन (आफ-सैट)

71. एक प्रतिष्ठान चालू कर आस्तियों तथा चालू कर दायित्वों को समायोजित (आफसैट) करेगा यदि, तथा केवल यदि :
- (क) प्रतिष्ठान का मान्यताप्राप्त राशियों के समायोजन के लिए कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है ; तथा
- (ख) प्रतिष्ठान या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने या फिर आस्ति की वसूली करने के साथ-साथ दायित्व का निपटान करने की अपेक्षा करता है।
72. यद्यपि चालू कर आस्तियों तथा दायित्वों को अलग से मान्यता दी जाती है तथा मापा जाता है, वे तुलन-पत्र में परस्पर समायोजित की जाती हैं बशर्ते कि मानदण्ड भारतीय लेखा मानक 32 में वित्तीय विवरणों के लिये स्थापित मानदण्डों के समान हों। एक प्रतिष्ठान आम तौर पर चालू कर दायित्व के प्रति चालू कर आस्ति को परस्पर समायोजित करने का कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार रखता है जब उसी कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये आयकरों से वे संबंधित हैं तथा कराधान कानून कराधान को एकल शुद्ध भुगतान करने अथवा प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।
73. समेकित वित्तीय विवरणों में, किसी समूह के एक प्रतिष्ठान की चालू कर आस्ति समूह में दूसरे प्रतिष्ठान की चालू कर दायित्व के प्रति परस्पर समायोजित (आफसैट) है यदि, तथा केवल यदि, संबंधित प्रतिष्ठान एकल शुद्ध भुगतान करने अथवा प्राप्त करने का एक कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार रखते हैं तथा प्रतिष्ठान इस प्रकार के शुद्ध भुगतान को करने अथवा प्राप्त करने अथवा आस्ति की वसूली करने तथा साथ ही साथ दायित्व का निपटान करने का इरादा रखती हैं।
74. एक प्रतिष्ठान आस्थगित कर आस्तियों तथा आस्थगित कर दायित्वों को समायोजित (ऑफसैट) करेगा यदि, तथा केवल यदि :
- (क) प्रतिष्ठान के पास चालू कर दायित्वों के प्रति चालू कर दायित्वों के प्रति चालू कर आस्तियों को परस्पर समायोजित (सैटऑफ) करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है ; तथा
- (ख) आस्थगित कर आस्तियां तथा आस्थगित कर दायित्व निम्नलिखित में से किसी एक पर उसी कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये आयकरों से संबंधित हैं:
- वही करयोग्य प्रतिष्ठान; अथवा
 - विभिन्न करयोग्य प्रतिष्ठान जो या तो शुद्ध आधार पर चालू कर दायित्व तथा आस्तियों का निपटान करने अथवा आस्तियों की वसूली करने तथा साथ ही साथ दायित्वों का निपटान करने की अपेक्षा रखते हैं, प्रत्येक

भावी अवधि में जिसमें कि आस्थगित कर दायित्वों अथवा आस्तियों की महत्वपूर्ण राशियों का निपटान किया जाना अथवा वसूल किया जाना अपेक्षित है।

75. प्रत्येक अस्थायी अन्तर के प्रत्यावर्तन के समयापन की विस्तृत समय-सारणी की आवश्यकता से बचने के लिये यह मानक अपेक्षा करता है कि प्रतिष्ठान उसी करयोग्य प्रतिष्ठान की आस्थगित कर दायित्व के प्रति आस्थगित कर को परस्पर समायोजित (सैटऑफ) करे यदि, तथा केवल यदि, वे उसी कराधान प्राधिकारी द्वारा लगाये गये करों से वे संबंधित हैं तथा प्रतिष्ठान के पास चालू कर दायित्वों के प्रति चालू कर आस्तियों को प्रतिसंतुलित करने का कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार है।
76. आसाधारण परिस्थितियों में प्रतिष्ठान के पास कुछ अवधियों के लिए न कि अन्यो के लिए शुद्ध का निपटान करने हेतु प्रति संतुलित करने का कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार तथा इरादा हो सकता है। इन असाधारण परिस्थितियों में विस्तृत समय-सारणी की आवश्यकता हो सकती है ताकि विश्वसनीय रूप से यह स्थापित किया जा सके कि क्या एक करयोग्य प्रतिष्ठान की आस्थगित कर दायित्व उसी अवधि में बढ़े हुए कर भुगतानों में परिणत होगी जिसमें कि अन्य करयोग्य प्रतिष्ठान की आस्थगित कर आस्ति उस द्वितीय करयोग्य प्रतिष्ठान द्वारा घटे हुए भुगतानों में परिणत होगी।

कर व्यय

साधारण कार्य कलापों से लाभ अथवा हानि से संबंधित कर खर्च (आय)

77. साधारण कार्य कलापों से लाभ अथवा हानि से संबंधित कर खर्च (आय) को लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत किया जायेगा।

77 क. [देखें परिशिष्ट 1]।

आस्थगित विदेशी कर दायित्वों अथवा आस्तियों पर विनिमय अंतर

78. भारतीय लेखा मानक 21 यह अपेक्षा करता है कि कुछ विनिमय अंतरों को आय अथवा व्यय के रूप में मान्यता दी जाए परन्तु यह विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता कि इस प्रकार के अंतरों को लाभ-हानि विवरण में कहां प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार जहां आस्थगित विदेशी कर दायित्वों तथा आस्तियों पर विनिमय अंतरों को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, वहां इस प्रकार के अंतरों को आस्थगित व्यय (आय) के रूप में वगीकृत किया जा सकता है, यदि वह प्रस्तुतिकरण वित्तीय विवरण प्रयोक्ताओं द्वारा अधिक लाभदायक समझा जाए।

प्रकटन

79. कर व्यय (आय) के प्रमुख घटकों को पृथक रूप में प्रकट किया जाएगा।

80. कर व्यय (आय) के घटकों में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं :

(क) चालू कर व्यय (आय);

(ख) पूर्व अवधियों के चालू कर के लिए अवधि में मान्यताप्राप्त कोई भी समायोजन;

(ग) अस्थायी अन्तरों के प्रवर्तन तथा विपर्याय से संबंधित आस्थगित कर व्यय (आय) की राशि ;

(घ) कर दरों में परिवर्तनों अथवा नये करों के लगाये जाने से संबंधित आस्थगित कर व्यय (आय) की राशि ;

(ङ) पूर्व अवधि की पूर्ववर्ती अमान्य कर हानि, कर क्रेडिट अथवा अस्थायी अन्तरों, जो कि चालू कर व्यय को कम करने के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं, से उत्पन्न लाभ की राशि;

(च) पूर्व अवधि की पूर्ववर्ती अमान्य कर हानि, कर क्रेडिट अथवा अस्थायी अन्तरों से लाभ की राशि जो कि आस्थगित कर व्यय को कम करने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं; (छ) अनुच्छेद 56 के अनुसार किसी आस्थगित कर आस्ति की अवलिखित, अथवा पूर्व अवलिखित के विपर्याय से उत्पन्न आस्थगित कर व्यय; और

(ज) लेखा पॉलिसियों में उन परिवर्तनों तथा त्रुटियों से संबंधित कर व्यय (आय) जो कि भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार लाभ अथवा हानि में सम्मिलित किये जाते हैं, क्योंकि उनका पूर्ववर्ती प्रभाव से लेखा नहीं किया जा सकता;

81. निम्नलिखित को भी पृथक रूप में प्रकट किया जायेगा।

(क) उन मदों से संबंधित कुल चालू तथा आस्थगित कर जिनको इक्विटी में सीधे ही चार्ज अथवा क्रेडिट किया गया है (देखें अनुच्छेद 62 क);

(क ख) अन्य व्यापक आय के प्रत्येक घटक से संबंधित आयकर की राशि (देखें अनुच्छेद 62 तथा भारतीय लेखा मानक 1);

(ख) [देखें परिशिष्ट 1];

(ग) निम्नलिखित दोनों में से अथवा किसी एक में कर व्यय (आय) तथा लेखा लाभ के बीच सम्बन्ध का एक स्पष्टीकरण :

- (i) कर व्यय (आय) तथा लागू कर दर (दरों) द्वारा गुणा करके लेखा लाभ के गुणनफल के बीच संख्यात्मक मिलान और इसके साथ ही यह आधार भी प्रकट करना जिस पर लागू कर दर (दरें) आकलित की गई हैं (हैं) ; अथवा

- (ii) औसत प्रभावी कर दर तथा लागू कर दर के बीच संख्यात्मक समाधान, जिसमें उस आधार को भी प्रकट किया गया हो जिस पर कि लागू कर दर आकलित की गई है ;
- (घ) पूर्व लेखा अवधि की तुलना में लागू कर दर (दरों) में परिवर्तनों का एक स्पष्टीकरण; (ङ) कटौति योग्य कर अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों, तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों की राशि (तथा समाप्त तिथि, यदि कोई हो) जिसके लिये तुलन-पत्र में किसी आस्थगित कर आस्ति को मान्यता नहीं दी गई है;
- (च) अनुषंगियों, शाखाओं तथा सहयोगियों में निवेशों तथा संयुक्त व्यवस्थाओं में हितों के साथ सम्बद्ध अस्थायी अन्तरों की कुल राशि जिसके लिये आस्थगित कर दायित्वों को मान्यता नहीं दी गई है (देखें अनुच्छेद 39);
- (छ) प्रत्येक प्रकार के अस्थायी अन्तर के संबंध में तथा प्रत्येक प्रकार की अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के सम्बन्ध में:
- (i) प्रस्तुत की गयी प्रत्येक अवधि के तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त आस्थगित कर आस्तियों तथा दायित्व की राशि;
- (ii) लाभ अथवा हानि में मान्यताप्राप्त आस्थगित कर आय अथवा व्यय की राशि यदि तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त राशियों में परिवर्तनों से यह स्पष्ट नहीं है।
- (ज) निम्नलिखित से सम्बन्धित बन्द परिचालनों के कर व्यय के सम्बन्ध में:
- (i) बन्द परिचालन पर लाभ अथवा हानि ; तथा
- (ii) प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि के लिये अनुरूप संगत राशियों के साथ मिलाकर अवधि के लिये बन्द परिचालनों के सामान्य कार्य कलापों से लाभ अथवा हानि ;
- (झ) प्रतिष्ठान के शेयर होल्डरों के लाभांशों के आयकर परिणामों की राशि, जो कि वित्तीय विवरणों के निर्गम हेतु अनुमोदन पूर्व प्रस्तावित अथवा घोषित की गई थी, परन्तु उन्हें वित्तीय विवरणों में दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है;
- (ञ) यदि कोई व्यावसायिक संयोजन, जिसमें कि प्रतिष्ठान अधिग्रहणकर्ता है, इसकी पूर्व अधिग्रहण आस्थगित कर आस्ति (देखें अनुच्छेद 67) के लिये मान्यताप्राप्त राशि में परिवर्तन करता है तो उस परिवर्तन की राशि ; तथा
- (ट) यदि किसी व्यावसायिक संयोजन में अधिगृहीत आस्थगित कर लाभों को अधिग्रहण की तिथि पर मान्यता नहीं दी जाती है परन्तु अधिग्रहण तिथि (देखें अनुच्छेद 68) के पश्चात् इन्हें मान्यता दी जाती है तो घटना अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन का वर्णन जिससे कि मान्यता दिये जाने के लिए आस्थगित कर लाभ हुए हैं।
82. एक प्रतिष्ठान आस्थगित कर आस्ति की राशि तथा इसकी मान्यता को समर्थन कर रहे साक्ष्य की प्रकृति को प्रकट करेगा, जब :
- (क) आस्थगित कर आस्ति का उपयोग मौजूदा करयोग्य अस्थगित अन्तरों के प्रत्यावर्तन से उत्पन्न लाभों के आधिक्य में भावी करयोग्य लाभों पर आधारित है; तथा
- (ख) प्रतिष्ठान को कर क्षेत्राधिकार में, जिससे कि आस्थगित कर आस्ति संबंधित है या तो चालू अथवा पूर्ववर्ती अवधि में हानि हुई है।
- 82 क. अनुच्छेद 52 क में वर्णित परिस्थितियों में एक प्रतिष्ठान संभाव्य आयकर परिणामों की प्रकृति को प्रकट करेगा जो कि इसके शेयर धारकों को लाभांशों के भुगतान के परिणामस्वरूप होगी । इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान संभाव्य आयकर परिणामों की राशियों को प्रकट करेगा जो कि व्यवहार्यतौर पर निर्धारण योग्य हैं तथा क्या ऐसे संभाव्य आयकर परिणाम हैं जो व्यवहार्यतौर पर निर्धारण योग्य नहीं हैं।
83. [देखें परिशिष्ट 1] ।
84. अनुच्छेद 81 (ग) द्वारा अपेक्षित प्रकटन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को यह समझने के लिए योग्य कर देता है कि क्या कर व्यय (आय) तथा लेखा लाभ के बीच संबंध असामान्य हैं तथा उन महत्वपूर्ण तत्वों को भी समझलेगें जो भविष्य में संबंध को प्रभावित करते हैं। कर व्यय (आय) तथा लेखा लाभ के बीच संबंध ऐसे तत्वों को राजस्व के रूप में प्रभावित करते हैं जो कि कराधान से छूट प्राप्त हैं, खर्चे जो कि करयोग्य लाभ (कर हानि), कर हानियों के प्रभाव तथा विदेशी कर दरों के प्रभाव निर्धारित करने में कटौतियोग्य नहीं हैं।
85. कर व्यय (आय) तथा लेखा लाभ के बीच संबंध स्पष्ट करने में एक प्रतिष्ठान लागू कर दर का प्रयोग करता है जो कि इसके वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक अर्थपूर्ण जानकारी प्रदान करता है प्रायः अत्यधिक अर्थपूर्ण दर देश में घरेलू कर दर है जिसमें कि प्रतिष्ठान का निवास है, करयोग्य लाभ (कर हानि) के पर्याप्त रूप में एक समान स्तर पर आकलित किन्हीं स्थानीय करों के लिये लागू दरों सहित राष्ट्रीय करों के लिये लागू कर दर को मिलाकर, तथापि अनेक क्षेत्राधिकारों में परिचालित किसी प्रतिष्ठान के लिये यह अधिक अर्थपूर्ण होगा कि प्रत्येक व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार में घरेलू दर का प्रयोग करते हुए तैयार किये गये पृथक

समाधानों को जोड़ा जाये। निम्नलिखित उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि कैसे लागू कर दर का चुनाव संख्यात्मक समाधान के प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करता है।

अनुच्छेद 85 को स्पष्ट करते हुए उदाहरण

19X2 में एक प्रतिष्ठान का अपने क्षेत्राधिकार (देश क) में लेखा लाभ 1500 रुपये (19X1 : 2000 रुपये) है तथा देश ख में 1500 रुपये (19X1 : 500 रुपये) है। देश क में कर दर 30 % है तथा देश ख में 20 % है। देश क में 100 रुपये (19X1 : 200 रुपये) खर्च कर प्रयोजनों के लिये कटौतयोग्य नहीं है।

घरेलू कर दर के समाधान का निम्नलिखित उदाहरण है।

	(रुपये)	
	19X1	19X2
लेखा लाभ	2,500	3,000
30 % की घरेलू दर पर कर	750	900
उन खर्चों का कर प्रभाव जो कि कर प्रयोजनों के लिये कटौतयोग्य नहीं है	60	30
देश ख में निम्नतर कर दरों का प्रभाव	(50)	(150)
कर व्यय	760	780

86. औसत प्रभावी कर दर वह कर व्यय (आय) है जो कि लेखा लाभ द्वारा विभाजित की गयी है।

87. प्रायः अनुषंगियों, शाखाओं तथा सहयोगियों में निवेशों तथा संयुक्त व्यवस्थाओं में हितों से उत्पन्न अमान्य आस्थगित कर दायित्वों की राशि आकलित करना अव्यवहारिक होगा (देखें अनुच्छेद 39) अतः यह मानक एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि रेखांकित अस्थायी अन्तरों की कुल राशि को प्रकट करे परन्तु आस्थगित कर दायित्वों को प्रकट करने की अपेक्षा नहीं है। इसके बावजूद, जहां व्यवहार्य हो, अमान्य आस्थगित कर दायित्वों की राशियां प्रकट करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया जाता क्योंकि वित्तीय विवरण प्रयोक्ताओं के लिए ऐसी जानकारी लाभदायक हो सकती है।

87(क) अनुच्छेद 82 क यह अपेक्षा करता है कि प्रतिष्ठान संभाव्य आयकर परिणामों की प्रकृति प्रकट करे जो कि शेयर धारकों को लाभांशों के भुगतान से उत्पन्न होंगे। प्रतिष्ठान उन आयकर पद्धतियों तथा तत्वों के महत्वपूर्ण लक्षणों को प्रकट करता है जो लाभांशों के संभाव्य आयकर परिणामों की राशि को प्रभावित करेंगे।

87 (ख) कभी कभी संभाव्य आयकर परिणामों की कुल राशि आकलित करना व्यावहारिक नहीं होता जो कि शेयर धारकों को लाभांशों के भुगतान से उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिये यह वह मामला हो सकता है जहां किसी प्रतिष्ठान के पास विदेशी अनुषंगियों की बड़ी संख्या हो। तथापि, ऐसी परिस्थितियों में कुल राशि का कुछ अंश आसानी से निर्धारणयोग्य हो सकता है। उदाहरण के लिए एक समेकित समूह एक मूल प्रतिष्ठान तथा इसकी कुछ अनुषंगियों ने असंवितरित लाभों पर उच्च दर पर आयकर की अदायगी कर दी है तथा उस राशि को जानते हैं जो कि समेकित रोकी गयी प्राप्तियों से शेयरधारकों को भावी लाभांशों के भुगतान पर वापस की जायेगी। इस मामले में, वह वापसीयोग्य राशि प्रकट की जाती है। यदि लागू हो प्रतिष्ठान यह भी प्रकट करता है कि अतिरिक्त सम्भाव्य आय पर परिणाम हैं जो व्यावहारिक रूप से निर्धारणयोग्य नहीं हैं। मूल प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों में, यदि कोई हों, सम्भाव्य आयकर परिणामों का प्रकटन मूल प्रतिष्ठान की रोकी गयी प्राप्तियों से संबंधित है।

87.(ग) एक प्रतिष्ठान को अनुच्छेद 82 क में प्रकटन देना अपेक्षित है तथा प्रतिष्ठान अनुषंगियों, शाखाओं तथा सहयोगियों में निवेशों अथवा संयुक्त व्यवस्थाओं में हितों से भी संबद्ध अस्थायी अंतरों से संबंधित प्रकटन की अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे मामलों में एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 82 क के अंतर्गत प्रकट की जाने वाली सूचना निर्धारित करने में इस पर विचार करता है। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा की जा सकती है, कि वह उन अनुषंगियों में निवेशों के साथ संबद्ध अस्थायी अंतरों की कुल राशि को प्रकट करे (देखें अनुच्छेद 81 (च))। यदि अमान्य आस्थगित कर दायित्वों की राशियां आकलित करना अव्यवहारिक है (देखें अनुच्छेद 87) तो लाभांशों के सम्भाव्य आयकर परिणामों की राशियां हो सकती हैं जो कि इन अनुषंगियों के संबंध में व्यावहारिक रूप से निर्धारणयोग्य नहीं हैं।

88. एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 37 *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक आस्तियां* के अनुसार कोई भी कर संबंधी आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक आस्तियों को प्रकट करता है। आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक आस्तियां, उदाहरण के लिए, कराधान प्राधिकारियों के समाधान न किये गये विवादों से उत्पन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार जहां रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कर दरें अथवा कर कानून बनाये जाते हैं अथवा घोषित किये जाते हैं एक प्रतिष्ठान अपने चालू तथा आस्थगित कर आस्तियों तथा

दायित्वों पर उन परिवर्तनों के किसी महत्वपूर्ण प्रभाव को प्रकट करता है (देखें भारतीय लेखा मानक 10 रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् की घटनाएँ)

परिशिष्ट क

आयकर प्रतिष्ठान अथवा इसके शेयर धारकों की कर-संबंधी स्थिति में परिवर्तन

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 12 का अभिन्न अंग है।

मुद्दा

1. किसी प्रतिष्ठान अथवा इसके शेयरधारकों की कर स्थिति में परिवर्तन से एक प्रतिष्ठान के लिए इसकी कर दायित्वों अथवा आस्तियों में बढ़ोतरी अथवा कमी के रूप में परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह प्रतिष्ठान की इक्विटी लिखतों को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करने पर अथवा प्रतिष्ठान की पुनर्संरचना पर ये परिणाम हो सकते हैं। यह किसी नियंत्रक शेयर धारक के विदेश में चले जाने पर भी हो सकता है। इस प्रकार की घटना के परिणामस्वरूप एक प्रतिष्ठान पर भिन्न रूप में कर लगाया जा सकता है। एक प्रतिष्ठान उदाहरण के लिए, कर प्रोत्साहनों से लाभ ले सकता है अथवा हानि उठा सकता है, अथवा भविष्य में भिन्न कर दर के अधीन आ सकता है।
2. किसी प्रतिष्ठान अथवा इसके शेयरधारकों की कर स्थिति में परिवर्तन होने से प्रतिष्ठान की चालू कर दायित्वों अथवा आस्तियों पर तत्काल प्रभाव पड़ सकता है। परिवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा मान्यताप्राप्त आस्थगित कर दायित्वों तथा आस्तियों को बढ़ा अथवा घटा भी सकता है, जो कि कर परिणामों पर कर स्थिति के परिवर्तन के प्रभाव पर आधारित है जो प्रतिष्ठान की आस्तियों तथा दायित्वों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली अथवा इसके निपटान से उत्पन्न होंगी।
3. विषय यह है कि कैसे एक प्रतिष्ठान इसकी अथवा उसके शेयरधारकों की कर स्थिति में कर परिणामों का लेखा करेगा।

लेखा सिद्धान्त

4. किसी प्रतिष्ठान अथवा इसके शेयर धारकों की कर स्थिति में परिवर्तन से लाभ अथवा हानि के बाहर मान्यताप्राप्त राशियों में बढ़ोतरी अथवा कमी नहीं होती है। कर स्थिति में परिवर्तन के चालू तथा आस्थगित कर परिणाम अथवा हानि में सम्मिलित किये जायेंगे, बशर्ते ये अन्य व्यापक आय में या इक्विटी की मान्यताप्राप्त राशि अथवा मान्यताप्राप्त राशियों पर सीधे ही प्रत्यक्ष क्रेडिट अथवा चार्ज ले लिये हों व कर उसी अथवा भिन्न अवधि में लेन-देनों तथा घटनाओं से संबंधित हों। वे कर परिणाम जो कि उसी अथवा भिन्न अवधि में (लाभ अथवा हानि में सम्मिलित नहीं) इक्विटी की मान्यताप्राप्त राशि में परिवर्तनों से संबंधित हों सीधे ही इक्विटी पर प्रभारित (चार्ज) अथवा क्रेडिट किये जायेंगे। उन कर परिणामों को, जो कि अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त राशियों से संबंधित हैं, उन्हें अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जायेगी।

परिशिष्ट 'ख'

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट उस परिशिष्ट का उल्लेख करता है जो अन्य भारतीय लेखा मानक का अंग है और इस भारतीय लेखा मानक 12, आयकर, के लिए संदर्भ का कार्य करता है।

1. परिशिष्ट 'क' भारतीय लेखा मानक 29 'उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग' के अन्तर्गत पुनर्कथन दृष्टिकोण का प्रयोग — भारतीय लेखा मानक 29 'उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थ व्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग' में समाविष्ट।
2. परिशिष्ट ग, उगाही (लेवी) भारतीय लेखा मानक 37, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां, में समाविष्ट।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि इस भारतीय लेखा मानक 12 तथा अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 12, आयकर, और 'एस आई सी' 25, आयकर — एक प्रतिष्ठान या इसके शेयरधारकों की कर स्थिति में परिवर्तन, के बीच यदि कोई प्रमुख अन्तर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 12 आयकर के साथ तुलना

1. 'एस आई सी' 25 में दिये गये संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 12 में नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित समझा गया है, 'आई एफ आर एस' 1 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमबार अंगीकरण के तदनुसूची भारतीय लेखा मानक 101 'भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण' में सम्मिलित कर दिये गये हैं।

2. भिन्न शब्दावली को प्रयोग किया गया है जैसाकि वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ शब्द 'तुलन-पत्र' को 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर और शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' को 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर और इसी तरह रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 'जारी करने के लिए अनुमोदित' शब्दों को 'जारी करने के लिए प्राधिकृत' के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है।
3. पृथक आय विवरण में कर व्यय (आय) की प्रस्तुतिकरण के संबंध में अपेक्षाओं को, जहां पृथक आय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, हटा दिया गया है। यह परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 1 में द्वि-विवरण दृष्टिकोण विषयक विकल्प के हटाने के फलस्वरूप है। भारतीय लेखा मानक 1 यह अपेक्षा करता है कि लाभ या हानि के घटकों और अन्य व्यापक आय घटकों के एक अंग के रूप में लाभ या हानि विवरण का एक-ही हिस्से के रूप में प्रस्तुत किये जाएंगे।
4. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 12 में निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याएं 'हटायी गयी' के रूप में प्रदर्शित हैं। 'आई ए एस' 12 की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता भारतीय लेखा मानक 12 के साथ बनी रहे अतः इस आशय से उन्हें इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 12 में रहने दिया गया है:
 - (i) अनुच्छेद 3
 - (ii) अनुच्छेद 32
 - (iii) अनुच्छेद 50
 - (iv) अनुच्छेद 61
 - (v) अनुच्छेद 62 (ख) और (घ)
 - (vi) अनुच्छेद 69
 - (vii) अनुच्छेद 70
 - (viii) अनुच्छेद 77 (क)
 - (ix) अनुच्छेद 81 (ख)
 - (x) अनुच्छेद 83
5. भारतीय लेखा मानक 40 में उचित मूल्य मॉडल की अनुमति न होने के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 51 ग-51 घ को हटाया गया है तथा भारतीय लेखा मानक 12 के निम्नलिखित अनुच्छेदों को संशोधित कर दिया गया है :
 - (i) अनुच्छेद 20
 - (ii) अनुच्छेद 51 ड.
6. 'आई एफ आर एस' 3, 'व्यावसायिक संयोजन' की तुलना में भारतीय लेखा मानक 103 'व्यावसायिक संयोजन' में मोल-भाव खरीद पर लाभ के लिए भिन्न लेखा प्रतिपादन के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 68 (क) को संशोधित कर दिया गया है।
7. भारतीय लेखा मानक 20 में संबंधित आस्ति की लागत से विशिष्ट अनुदान की कटौती के विकल्प की अनुमति न होने के कारण भारतीय लेखा मानक 12 का अनुच्छेद 33 संशोधित कर दिया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य, एक प्रतिष्ठान की सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए लेखा प्रक्रिया निर्धारित करना है ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उसकी सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश और ऐसे निवेश में परिवर्तनों के बारे में सूचना की आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लेखों के प्रमुख मुद्दे हैं : आस्तियों की मान्यता, उनकी अग्रणीत (कैरिंग) राशियों का निर्धारण और मूल्यह्रास प्रभार तथा उनके संबंध में मान्य क्षतिग्रस्तता हानियां।

कार्यक्षेत्र

2. यह मानक सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लेखे पर लागू किया जाएगा, सिवाय इसके, जब लेखे के लिए कोई अन्य भारतीय लेखा मानक किसी अलग लेखा विधि की अपेक्षा करता है या इसकी अनुमति देता है।

3. यह मानक निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है :-

- (क) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105 *बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन* के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर।
 - (ख) धारक पादपों (पौधों) को छोड़कर कृषिक कार्यकलापों से संबंधित जैविक आस्तियां [देखें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 41 *कृषि*]। यह मानक धारक पादपों पर तो लागू होता है लेकिन उनके उत्पाद पर लागू नहीं होता।
 - (ग) खोज और मूल्यांकन आस्तियों की मान्यता और माप (देखें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 106, *खनिज संसाधनों की खोज और उनका मूल्यांकन*)।
 - (घ) खनिज अधिकार और खनिज रिजर्व, जैसे कि तेल, प्राकृतिक गैस और इससे मिलते-जुलते पुनरुत्पादन-रहित संसाधन।
- लेकिन, यह लेखा मानक उन सम्पत्तियों, संयंत्रों और उपस्करों पर लागू होता है जो उपर्युक्त (ख)-(घ) में वर्णित आस्तियों के विकास या रखरखाव में प्रयोग होते हैं।

4. अन्य भारतीय लेखा मानक सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद की मान्यता के लिए इस मानक से भिन्न किसी अलग दृष्टिकोण की अपेक्षा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय लेखा मानक 17, *पट्टे*, एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी पट्टाशुदा सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के एक मद की मान्यता का मूल्यांकन जोखिमों व पुरस्कारों के अन्तरण के आधार पर करे। हालांकि, ऐसे मामलों में इन आस्तियों की लेखा विधि के अन्य पहलु, जिनमें मूल्यहास भी शामिल है, इस मानक द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

5. भारतीय लेखा मानक 40, *निवेश सम्पत्ति*, के अनुसरण में, एक प्रतिष्ठान निवेश सम्पत्ति के लेखे के लिए इस लेखा मानक में दिये गये लागत मॉडल का प्रयोग करेगा।

परिभाषाएं

6. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :

एक धारक पादप वह जीवित पादप है :

- (क) जो कृषि उत्पाद के उत्पादन या आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है;
- (ख) जिससे यह आशा की जाती है कि वह एक से अधिक अवधियों में उत्पाद को धारित करेगा; और
- (ग) जिसे प्रासांगिक अनुपयोगी चीजों (स्केप) की बिक्रीयों को छोड़कर उसकी कृषि उत्पाद के रूप में बेचे जाने की अल्प संभावना है।

अग्रणीत (कैरिंग) राशि वह राशि है, जिस पर किसी आस्ति की मान्यता संचित मूल्यहास तथा संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर की जाती है।

लागत एक नकद या नकदी तुल्य राशि अथवा अन्य प्रतिफल का उचित मूल्य है जिसे किसी आस्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए भुगतान किया जाता है या जहां लागू है, यह वह आरोपित राशि है जिस पर अन्य भारतीय लेखा मानक जैसे कि भारतीय लेखा मानक 102, *शेयर आधारित भुगतान*, की विभिन्न अपेक्षाओं के अनुसार प्रारम्भ में किसी आस्ति को मान्यता दी गई हो।

मूल्यहासयोग्य राशि वह राशि है जो किसी आस्ति की लागत है या लागत हेतु वह वैकल्पिक अन्य राशि है जिनमें से उसका अवशिष्ट मूल्य घटा दिया जाता है।

मूल्यहास किसी आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान मूल्यहासयोग्य राशि का एक व्यवस्थित आबंटन है।

प्रतिष्ठान - विशेष मूल्य वह मूल्य है जिसे प्रतिष्ठान किसी आस्ति के निरन्तर उपयोग से नकद प्रवाह (कैश फ्लो) के वर्तमान मूल्य के रूप में पाने की आशा करता है व इसके उपयोगी जीवन के बाद निपटान पर या फिर किसी दायित्व के भुगतान के समय खर्च करने की आशा करता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अन्तरण पर अदा की जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 113, *उचित मूल्य माप*)।

क्षतिग्रस्तता हानि किसी आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि उसकी वसूलीयोग्य राशि से जितनी अधिक है।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर वे मूर्त मर्दे हैं, जो -

- (क) वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति के उपयोग के लिए, अन्य को किराये के लिए, या फिर प्रशासनिक उपयोग के लिए धारित की जाती हैं; और

(ख) जिनके एक-से अधिक अवधियों के दौरान इस्तेमाल किये जाने की संभावना हो।

वसूलीयोग्य राशि किसी आस्ति के उचित मूल्य से बिक्री लागत घटाकर जो राशि शेष रहती है और इसके प्रयोग में मूल्य की राशि, इन दो में से जो राशि अधिक है उसे वसूलीयोग्य राशि कहा जाता है।

अवशिष्ट मूल्य किसी आस्ति का अवशिष्ट मूल्य वह अनुमानित राशि है जो कोई प्रतिष्ठान वर्तमान में आस्ति की आयु पूरी होने और उपयोगी जीवन के अन्त में उसके निपटान पर अनुमानित लागतों को घटाने के पश्चात् प्राप्त करने की आशा करता है।

उपयोगी जीवन किसी आस्ति के उपयोगी जीवन से तात्पर्य है -

(क) वह अवधि जिसमें कोई आस्ति किसी प्रतिष्ठान द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहती है ; या

(ख) किसी प्रतिष्ठान द्वारा उस आस्ति से उत्पादन की संख्या या इससे मिलती-जुलती इकाईयों के प्राप्त होने की आशा।

मान्यता

7. किसी सम्पत्ति, संयंत्र, और उपस्कर की एक मद की लागत को किसी आस्ति के रूप में मान्यता तभी दी जायेगी, यदि और केवल यदि :

(क) यह संभव है कि इस मद के साथ जुड़े भावी आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान को प्राप्त होंगे।

(ख) इस मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।

8. अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स), अतिरिक्त (स्टैंड बाई) उपस्कर व सहायक उपस्कर को इस भारतीय लेखा मानक के अनुसरण में मान्यता तब दी जाती है जब वह सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर की परिभाषा को पूरा करते हैं, वरन वे सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) में वर्गीकृत किये जाते हैं।

9. यह मानक मान्यता के माप की किसी इकाई को निर्धारित नहीं करता है अर्थात् सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद कैसे बनती है। अतः किसी प्रतिष्ठान की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मान्यता के मानदण्ड का निर्णय लिया जा सकता है। यह उपयुक्त होगा कि गैर-महत्वपूर्ण मदों, जैसे कि सांचों, औजारों और झाड़ियों की अलग-अलग मदों को एक-साथ लिया जाए तथा उनके समूचे मूल्य पर मानदण्ड को लागू किया जाए।

10. इस मान्यता सिद्धान्त के अन्तर्गत, एक प्रतिष्ठान अपनी समस्त सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर लागतों का मूल्यांकन उस समय करता है जब उन पर वह व्यय करता है। इन लागतों में सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद को प्राप्त करने या उसके निर्माण करने के लिए खर्च किये गये प्रारम्भिक व्यय के अलावा वह व्यय भी शामिल होता है जो बाद में इसके किसी भाग को जोड़ने/बदलने या उसके रखरखाव के लिए खर्च किया जाता है।

प्रारम्भिक लागतें

11. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों को सुरक्षा या पर्यावरण कारणों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधिग्रहण से, भले ही किसी वर्तमान मद से भविष्य में सीधे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं भी हो, लेकिन, यह संभव है कि अन्य आस्तियों से भविष्य में प्रतिष्ठान को आर्थिक लाभ मिलें उसके लिए यह आवश्यक हों। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की ऐसी मदें आस्तियों की मान्यता के लिए योग्यता प्राप्त करती हैं, क्योंकि प्रतिष्ठान को भविष्य में ऐसे आर्थिक लाभ मिल सकते हैं जो, निस्सन्देह, उससे अधिक होंगे जो उनके न होने पर होते। उदाहरणार्थ, कोई रासायनिक विनिर्माता खतरनाक रसायनों के उत्पादन और भण्डारण के लिए एक नई रसायन विस्थापन की प्रक्रिया स्थापित करता है जो पर्यावरणी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक है। इस व्यवस्था में लगाये गये अतिरिक्त संयंत्र की मान्यता आस्ति के रूप में की जाती है, क्योंकि उसके बिना वह प्रतिष्ठान रसायनों का विनिर्माण और विक्रय नहीं कर सकता। इस प्रकार की ऐसी किसी आस्ति और इससे सम्बद्ध किसी अन्य आस्ति की परिणामस्वरूप अग्रणीत (कैरिंग) राशि की क्षतिग्रस्तता के लिए समीक्षा भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता*, के अनुसार की जाएगी।

उत्तरवर्ती लागतें

12. अनुच्छेद 7 में दिये गये मान्यता सिद्धान्त के अन्तर्गत, कोई भी प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद की अग्रणीत राशि में मद की दिन-प्रतिदिन की रखरखाव लागतों को मान्यता में शामिल नहीं करता है। इसकी बजाय, खर्च की गयी यह लागतें लाभ या हानि में मान्य होती हैं। दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग लागतों में मुख्यतया श्रम तथा उपभोग्य वस्तुओं (खपत) पर खर्च होने वाली लागतें आती हैं। इनमें छोटे पुर्जों की लागतें शामिल रहती हैं। इस प्रयोजन से किये गये सभी खर्च प्रायः सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की संबंधित मद के 'मरम्मत और रखरखाव' व्यय की श्रेणी में आते हैं।

13. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की कुछ मदों के पुर्जों को नियमित रूप से एक अवधि के बाद बदलना जरूरी हो जाता है। उदाहरणार्थ, भट्टी (फर्नेस) को निश्चित कुछ घण्टों के प्रयोग के बाद रिलाइनिंग की आवश्यकता होती है या वायुयान की आंतरिक मदों जैसे कि सीटों और गेली को एयरफ्रेम के जीवन काल के दौरान कई बार बदलना पड़ता है। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की कुछ मदों को इस तरह से भी अधिगृहीत किया जाता है कि उन्हें बार-बार या बहुत जल्दी न बदलना पड़े जैसे कि भवन की आंतरिक दीवारों को बार-बार नहीं बदला जाता है या कभी-कभार बदला जाता है। मान्यता सिद्धान्त के अनुच्छेद 7 के अन्तर्गत एक प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद की अग्रणीत राशि में ऐसी मद के पुर्जों को बदलने की लागत तभी शामिल करता है जब कि लागत के समय वह मान्यता कसौटी को पूरा करते हैं। जिन पुर्जों को बदल दिया जाता है उनकी अग्रणीत राशि को इस मानक (देखें अनुच्छेद 67-72) के गैर-मान्यता प्रावधानों के अनुसार अमान्य कर दिया जाता है।
14. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (उदाहरणार्थ एक वायुयान) की कोई मद परिचालन में जारी रहे, इसके लिए नियमित मुख्य निरीक्षण किये जाते हैं ताकि दोषों या कमियों का पता चलता रहे और उन्हें समय पर दूर किया जा सके, इसमें यह जरूरी नहीं कि उस मद के पुर्जों को बदला भी जाए। जब कोई मुख्य निरीक्षण किया जाता है तो सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में उसकी लागत को बदलने की लागत के रूप में मान्यता दी जाती है बशर्ते मान्यता प्रदान करने की कसौटी पूरी हो। पूर्व निरीक्षण की लागत की किसी शेष अग्रणीत राशि (भौतिक पुर्जों से भिन्न) को अमान्य कर दिया जाता है। यह पूर्व निरीक्षण की लागत को लेन-देन में विनिर्दिष्ट न किये जाने की स्थिति में भी हो सकता है जिसके दौरान मद को प्राप्त किया गया या निर्मित किया गया था। यदि आवश्यक हो तो इसी भांति के भावी निरीक्षण की अनुमानित लागत को इस संकेत के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है कि जब मद को प्राप्त या निर्मित किया गया था तो वर्तमान निरीक्षण के घटक की लागत क्या थी।

मान्यता पर माप

15. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वह मद जो किसी आस्ति के रूप में मान्यता के लिए अहर्ता प्राप्त करती है तो उसका माप उसकी लागत पर ही किया जाएगा।

लागत के घटक

16. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद की लागत में निम्नलिखित शामिल रहते हैं :
- क) मद का खरीद मूल्य जिसमें आयात शुल्क, गैर-वापसीयोग्य खरीद कर, लेकिन व्यापार बट्टा और छूट को घटाने के पश्चात्।
 - ख) किसी भी आस्ति को स्थल विशेष तक लाने या प्रबन्धन द्वारा वांछित तरीके से परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागतें।
 - ग) मद को विखण्डित करने, हटाने और स्थल विशेष को, जिस पर इसे लगाया गया था, वापस पहले जैसा करने की प्रारंभिक अनुमानित लागतें, जिनके लिए प्रतिष्ठान मद के अधिग्रहण या सूचीबद्ध सामान (स्टॉक) के उत्पादन के अलावा प्रयोग के दौरान, खर्च करने के लिए बाध्यकारी हैं।
17. प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागतों के उदाहरण इस प्रकार हैं :
- (क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद के निर्माण या प्राप्ति से सीधे उत्पन्न कर्मचारियों के लाभों की लागत (भारतीय लेखा मानक 19 *कर्मचारियों के लाभ* में यथा परिभाषित) ;
 - (ख) स्थल की तैयारी की लागतें ;
 - (ग) प्रारंभिक सुपुर्दगी और लदाई-उतराई की लागतें ;
 - (घ) संस्थापना व जोड़-जुड़ाई की लागतें ;
 - (ङ) क्या आस्ति ठीक से कार्य कर रही है, इसकी परीक्षण जांच करवाने की लागतें जिनमें स्थल पर आस्ति को लाने और कार्य योग्य बनाने के समय जो उत्पादन किया गया है उसकी बिक्री को घटाया जाएगा [जैसेकि परीक्षण के दौरान हुआ नमूना (सैम्पल) का उत्पादन]।
 - (च) व्यावसायिक फीस
18. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 2 *सूचीबद्ध सामान*, (इन्वेंट्रीज) को उन लागतों पर लागू करता है जो उसके लिए मद को विखंडित करने, हटाने तथा स्थल को प्रयोग के बाद वापस पहले जैसा करने के लिए बाध्यकारी हैं, ये लागतें उस अवधि के दौरान मद के सूचीबद्ध सामान के उत्पादन के लिए प्रयोग के परिणामस्वरूप खर्च की गयी हैं। इन लागतों की बाध्यताओं का लेखा भारतीय लेखा मानक 2 या

- भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार और इनकी मान्यता व माप भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां*, के अनुसरण में किया जाता है।
19. जो लागतें सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद की लागतें नहीं मानी जाती हैं उनके उदाहरण इस प्रकार हैं :
- (क) नई सुविधा प्रारंभ करने की लागतें;
 - (ख) नया उत्पाद अथवा सेवा शुरू करने की लागतें (विज्ञापन तथा प्रोन्नति के क्रियाकलापों की लागतों सहित);
 - (ग) नये स्थान पर अथवा ग्राहकों की नयी श्रेणी के साथ व्यवसाय शुरू करने की लागतें (स्टाफ प्रशिक्षण की लागतों सहित); और
 - (घ) प्रशासनिक तथा अन्य सामान्य उपरि-व्यय।
20. संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में लागतों की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब मद ऐसे स्थल तथा स्थिति में हो, जो प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से परिचालन के योग्य हो। अतः एक मद को प्रयोग में लाने अथवा पुनःस्थापित करने की लागत को उस मद की अग्रणीत लागत में शामिल नहीं किया जाता। उदाहरणतया, संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में निम्नलिखित लागतों को शामिल नहीं किया जाएगा :
- (क) जहां मद प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके के अनुसार परिचालन के योग्य तो है लेकिन उसका अभी उपयोग किया जाना है अथवा उसका उपयोग पूर्ण क्षमता से नहीं किया जा रहा है, इससे सम्बंधित खर्च की गयी लागतें ;
 - (ख) प्रारंभिक परिचालनगत हानियां, उदाहरणतया, जब मद के उत्पादन की मांग उत्पन्न हो रही हो, उस बीच हुई हानियाँ ;
 - (ग) प्रतिष्ठान के कुछ अथवा सभी परिचालनों को अन्यत्र ले जाने अथवा पुनर्गठित करने की लागतें।
21. संपत्ति संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद के निर्माण अथवा विकास के समय कुछ परिचालन-कार्य ऐसे हो सकते हैं जो कि उस मद को उस स्थल तथा स्थिति में लाने जो कि प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके के अनुसार परिचालन के योग्य बनाने के लिए आवश्यक नहीं हैं। ऐसे प्रासंगिक परिचालन कार्य निर्माण अथवा विकास-संबंधी क्रियाकलापों के दौरान अथवा पहले हो सकते हैं। उदाहरणतया, जब तक भवन का निर्माण-कार्य शुरू न हो, स्थल का उपयोग कार पार्किंग के लिए करना और आय अर्जित करना। चूंकि प्रासंगिक परिचालन-कार्य मद को प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके के अनुसार ऐसे स्थल तथा स्थिति में लाने के लिए आवश्यक नहीं हैं, प्रासंगिक परिचालन-कार्य से संबंधित आय तथा व्यय को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाएगी तथा उसे आय व व्यय के संबंधित वर्गीकरण में डाला जाएगा।
22. स्वनिर्मित आस्ति की लागत का निर्धारण खरीदी आस्ति के सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जाता है। यदि कोई प्रतिष्ठान सामान्य कारोबार के दौरान, समरूप आस्तियों की बिक्री करता है तो आस्ति की लागत सामान्यतः वैसे ही मानी जाएगी जैसे कि आस्ति का निर्माण बिक्री के लिए हो [देखें भारतीय लेखा मानक 2]। अतः, ऐसी लागतों का निर्धारण करते समय आंतरिक लाभों को घटाया जाता है। इसी प्रकार, स्वनिर्मित आस्ति के निर्माण के समय असाधारण बेकार सामग्री, श्रम तथा अन्य संसाधनों में राशियों को आस्ति की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। भारतीय लेखा मानक 23, *उधार की लागतें*, द्वारा स्वनिर्मित संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की अग्रणीत राशि में ब्याज की श्रेणी को एक घटक के रूप में माना गया है।
- 22 क धारक पादपों का लेखा ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे कि सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की स्व-निर्मित मदों का उसके प्रबंधन (मैनेजमेंट) द्वारा वांछित तरीके अनुसार परिचालन के लिए आवश्यक स्थिति में लाने से पहले किया जाता है। परिणामस्वरूप, इस मानक में 'निर्माण' के संदर्भ में उन कार्यकलापों को भी लिया जाएगा जो धारक पादपों की खेती के लिए आवश्यक हैं जो कि उन धारक पादपों को प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके के अनुसार कार्य करने की स्थिति से पहले होते हैं।

लागत का माप

23. किसी संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत, मान्यता तिथि को उसकी नकद कीमत के बराबर होती है। यदि भुगतान सामान्य ऋण शर्तों से आस्थगित होता है तो समान नकद कीमत व कुल भुगतान के अंतर को ऋण अवधि के दौरान ब्याज के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक उसे भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार पूंजीकृत न किया गया हो।
24. संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक या एक से अधिक मदों को गैर-मौद्रिक आस्तियों अथवा मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक दोनों आस्तियों के बदले अधिगृहीत किया जा सकता है। आगे की चर्चा एक गैर-मौद्रिक आस्ति को दूसरी गैर-मौद्रिक आस्ति के साथ विनिमय से अधिगृहीत करने पर की गई है, परन्तु यह पिछले वाक्य में दिए गए सभी विनिमयों पर भी लागू है। ऐसी संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती है, जबकि (क) विनिमय द्वारा लेन-देन में वाणिज्यिक तत्व का अभाव न हो ; अथवा (ख) प्रदान की गई आस्ति अथवा प्राप्त की गई आस्ति का उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से माप योग्य हो। उपार्जित मद की लागत का निर्धारण इसी प्रकार किया जाता है, भले ही प्रतिष्ठान बदले में दी गयी आस्ति को तत्काल अमान्य न कर पाए। यदि उपार्जित मद की

लागत का निर्धारण उचित मूल्य पर न हो पाए, तो उसकी लागत का निर्धारण बदले में दी गयी आस्ति की अग्रणीत राशि पर किया जाएगा।

25. किसी विनिमय द्वारा लेन-देन में क्या कोई वाणिज्यिक सारत्व है या नहीं इसका निर्धारण करने के लिए एक प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करता है कि लेनदेन से उसके भावी नकदी प्रवाह पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा। विनिमय द्वारा लेनदेन में वाणिज्यिक तत्व होता है, यदि :

- (क) प्राप्त की गयी आस्ति का उसके नकदी प्रवाह विन्यास (जोखिम, समय तथा राशि) अन्तरित की गयी आस्ति से भिन्न हो,
- (ख) विनिमय लेन-देन के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान के परिचालन के प्रभावित विशिष्ट भाग के मूल्य में परिवर्तन हुआ हो ; तथा
- (ग) उपर्युक्त (क) अथवा (ख) में अंतर विनिमय की गई आस्तियों के उचित मूल्य के संबंध में महत्वपूर्ण हो।

यह निर्धारित करने के प्रयोजन से कि एक विनिमय लेनदेनों में क्या कोई वाणिज्यिक सारत्व है, लेनदेन से प्रभावित प्रतिष्ठान के परिचालनों के भाग का प्रतिष्ठान विशिष्ट मूल्य करोपरान्त नकदी प्रवाहों को परिलक्षित करेगा। इन विश्लेषणों का परिणाम विस्तृत गणनाएं किए बिना भी स्पष्ट हो सकता है।

26. एक आस्ति का उचित मूल्य तब विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, यदि (क)तर्कसंगत उचित मूल्य मापों के परास (रेंज) में परिवर्तनशीलता उस आस्ति के संबंध में महत्वपूर्ण न हो ; अथवा (ख)परास (रेंज) के अंदर, विभिन्न प्रावधानों की संभाव्यताओं का तर्कसंगत निर्धारण करके उचित मूल्य के माप के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि एक प्रतिष्ठान प्राप्त आस्ति या बदले में दी हुई आस्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से माप सकता है तो बदले में दी हुई आस्ति का उचित मूल्य प्राप्त आस्ति की लागत के माप के लिए प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते जब प्राप्त आस्ति का उचित मूल्य अपेक्षया अधिक स्पष्ट न हो।
27. वित्तीय पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा धारित सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

28. [देखें परिशिष्ट 1]।

मान्यता के पश्चात् माप

29. प्रतिष्ठान अपनी लेखा नीति के लिए, अनुच्छेद 30 के अनुसार लागत मॉडल अथवा अनुच्छेद 31 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन मॉडल का चयन करेगा तथा उस नीति को सम्पूर्ण श्रेणी की सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के लिए अपनाएगा।

लागत मॉडल

30. आस्ति के रूप में मान्य होने के पश्चात्, सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद की लागत से संचित मूल्यहास तथा संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को घटाकर अग्रणीत (कैरी) की जाएगी।

पुनर्मूल्यांकन मॉडल

31. आस्ति के रूप में मान्य होने के पश्चात्, सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद जिसका उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से जा सकता है उसे पुनर्मूल्यांकित राशि पर अग्रणीत किया जाएगा जो मूल्यांकन की तिथि का उचित मूल्य होगा लेकिन उसमें से उत्तरवर्ती संचित मूल्यहास और उत्तरवर्ती संचित क्षतिग्रस्तता हानियां घटायी जाएगी। पुनर्मूल्यांकन को पर्याप्त नियमित रूप से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अग्रणीत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य द्वारा निर्धारित राशि से अधिक भिन्न न हो।

32. [देखें परिशिष्ट 1]।

33. [देखें परिशिष्ट 1]।

34. पुनर्मूल्यांकित सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के उचित मूल्य के पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति उसके उचित मूल्यों में परिवर्तनों पर निर्भर करती है। जब पुनर्मूल्यांकित आस्ति का उचित मूल्य अग्रणीत मूल्य से भिन्न हो तो उसका दोबारा पुनर्मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की कुछ मदों के उचित मूल्य में अस्थिर तथा महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, अतः उनका वार्षिक पुनर्मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की ऐसी मदें जिनके उचित मूल्य में मामूली बदलाव होते हैं उनका पुनर्मूल्यांकन इतनी शीघ्रता से कराया जाना आवश्यक नहीं है। बल्कि, ऐसी मदों का तीन या पाँच वर्ष के अंतराल पर पुनर्मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक हो सकता है।

35. जब सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी एक मद का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो पुनर्मूल्यांकित राशि में आस्ति की अग्रणीत राशि को समायोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की तिथि को निम्नलिखित में से किसी एक तरीके अनुसार आस्ति के साथ व्यवहार किया जाता है:--

- (क) सकल अग्रणीत राशि को इस तरह समायोजित किया जाएगा, जो आस्ति की अग्रणीत राशि के पुनर्मूल्यांकन के अनुरूप हो। उदाहरणस्वरूप सकल अग्रणीत राशि प्रलक्षणीय (दृष्टिगोचर) बाजार आंकड़ों के संदर्भ में पुनर्कथित की जा सकती है या इसे अग्रणीत राशि में परिवर्तन के समानुपात में पुनर्कथित किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकन की तिथि पर संचित मूल्यहास, संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को ध्यान में रखकर सकल अग्रणीत राशि व आस्ति की अग्रणीत राशि के बीच अन्तर के समान समायोजित किया जाता है; अथवा
- (ख) संचित मूल्यहास को आस्ति की सकल अग्रणीत राशि से समाप्त किया जाता है।
- संचित मूल्यहास के समायोजन की राशि अग्रणीत राशि की वृद्धि या कमी का भाग बनती है और इसका लेखा अनुच्छेद 39 व 40 के अनुसार किया जाता है।
36. जब सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी एक मद का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उस सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की सम्पूर्ण श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
37. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की सम्पूर्ण श्रेणी का तात्पर्य समान प्रकृति तथा प्रतिष्ठान द्वारा परिचालन हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली आस्तियों के समूह से है। अलग-अलग श्रेणियों के उदाहरण इस प्रकार हैं :
- (क) भूमि ;
- (ख) भूमि तथा भवन ;
- (ग) मशीनरी ;
- (घ) समुद्री-जहाज ;
- (ङ) वायुयान ;
- (च) मोटर वाहन ;
- (छ) फर्नीचर तथा फिक्सचर ;
- (ज) कार्यालय उपस्कर ; एवं
- (झ) धारक पादप ।
38. आस्तियों का चुनिन्दा पुनर्मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों की राशियों जो कि भिन्न-भिन्न तिथियों की लागतों व मूल्यों के मिश्रण, की रिपोर्टिंग से बचने के लिए सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक श्रेणी की मदों का पुनर्मूल्यांकन एक-साथ किया जाता है। फिर भी, एक श्रेणी की आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन रोलिंग आधार पर किया जा सकता है बशर्ते, उन आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन लघु अवधि में पूरा कर लिया जाए तथा पुनर्मूल्यांकन अद्यतन भी बना रहे ।
39. यदि पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी आस्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि होती है तो ऐसी वृद्धि अन्य व्यापक आय में मान्य होगी तथा ईक्विटी में पुनर्मूल्यांकन अधिशेष शीर्ष में संचित की जाएगी । परन्तु, यह वृद्धि लाभ या हानि में उस सीमा तक ही मान्य होगी जितनी उस आस्ति की पूर्व में मान्य लाभ हानि पुनर्मूल्यांकन कमी को उलटाती हो ।
40. यदि पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी आस्ति की अग्रणीत राशि में कमी होती है तो इस कमी को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाएगी । परन्तु, यह कमी अन्य व्यापक आय में उसी सीमा तक मान्य होगी जितना कि उस आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में क्रेडिट शेष हो । अन्य व्यापक आय में मान्य कमी ईक्विटी पुनर्मूल्यांकन अधिशेष शीर्ष में संचित राशि को कम कर देगी ।
41. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी एक मद के लिए ईक्विटी में सम्मिलित पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को आस्ति की अमान्यता पर सीधे प्रतिधारित आय (रिटेंड अरनिंग्स) में अंतरित किया जाएगा । आस्ति का उपयोग समाप्त होने अथवा उसका निपटान होने पर सम्पूर्ण अधिशेष को अंतरित किया जा सकता है। परन्तु, यदि प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति का उपयोग किया जा रहा हो तो अधिशेष का कुछ भाग ही अंतरित किया जाएगा । ऐसे मामले में, अंतरित अधिशेष की राशि आस्ति की पुनर्मूल्यांकित अग्रणीत राशि पर आधारित मूल्यहास तथा मूल लागत पर आधारित मूल्यहास की राशि का अंतर होगी । पुनर्मूल्यांकित अधिशेष से प्रतिधारित आय में अंतरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से नहीं किया जाता है।
42. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, आय पर कर के प्रभाव को, यदि कोई हो, भारतीय लेखा मानक 12, आयकर के अनुसार मान्यता दी जाएगी तथा उसे प्रकट किया जाएगा ।

मूल्यहास

43. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद के प्रत्येक भाग की लागत यदि मद की कुल लागत में महत्वपूर्ण है तो उसका मूल्यहास अलग-से लगाया जाएगा।
44. प्रतिष्ठान द्वारा सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद की मान्य प्रारंभिक लागत को उसके महत्वपूर्ण भागों में आवंटित किया जाता है तथा इसके प्रत्येक भाग का अलग-से मूल्यहास लगाया जाता है। उदाहरणतया, एयरक्राफ्ट के इंजन तथा एयरफ्रेम का अलग-अलग मूल्यहास लगाया जाना उचित होगा चाहे वह अपनी हो अथवा वित्तीय पट्टे (लीज़) पर हो। इसी प्रकार, यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा परिचालन पट्टे (लीज़) के अंतर्गत संपत्ति अधिगृहीत की गई हो, जिसमें वह पट्टाकर्ता हो, उस मद की दर्शायी गई लागत का, जिनकी पट्टे (लीज़) की शर्तें बाज़ार की स्थिति के अनुकूल अथवा प्रतिकूल हो सकती हैं, अलग-से मूल्यहास किया जाना उचित होगा।
45. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद के महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवनकाल तथा मूल्यहास की पद्धति उसी मद के दूसरे महत्वपूर्ण भाग के जीवनकाल व मूल्यहास पद्धति जैसी ही हो सकती है। ऐसे भागों का मूल्यहास प्रभारित करने के लिए उनका समूह बनाया जा सकता है।
46. प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद के कुछ भागों का जहां अलग-से मूल्यहास लगाता है वहीं वह उस मद के शेष भाग का भी अलग-से मूल्यहास लगाता है। मद के शेष भागों का व्यक्तिगत तौर पर कोई महत्व नहीं होता। यदि प्रतिष्ठान इन भागों के लिए अलग-अलग प्रत्याशा रखता है तो शेष भाग का मूल्यहास लगाने के लिए सन्निकटता तकनीकों को अपनाया जा सकता है जो उसके भागों की उपभोग प्रणाली तथा / अथवा उपयोगी जीवनकाल का सही-सही चित्रण करे।
47. प्रतिष्ठान किसी मद के अलग-अलग भागों का अलग-से मूल्यहास लगा सकता है जिनकी लागत उस मद की कुल लागत में महत्वपूर्ण न हो।
48. प्रत्येक अवधि के मूल्यहास को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाएगी बशर्ते उसे अन्य आस्ति की अग्रणीत राशि में शामिल न किया गया हो।
49. एक अवधि के मूल्यहास को सामान्यतः लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है। परंतु कभी-कभी आस्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों को अन्य आस्ति की उत्पत्ति में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में मूल्यहास प्रभार अन्य आस्ति की लागत का भाग बन जाता है तथा उसे इसकी अग्रणीत राशि में शामिल कर लिया जाता है। उदाहरणतया, विनिर्माण करने वाले संयंत्र तथा उपस्कर के मूल्यहास को सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) के परिवर्तन की लागत में शामिल करना (देखें भारतीय लेखा मानक 2)। इसी प्रकार, विकास गतिविधियों में शामिल सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के मूल्यहास को भारतीय लेखा मानक 38, *अमूर्त आस्तियाँ*, के अनुसरण में मान्य अमूर्त आस्ति की लागत में शामिल किया जा सकता है।

मूल्यहास-योग्य राशि तथा मूल्यहास अवधि

50. एक आस्ति की मूल्यहासयोग्य राशि उसके उपयोगी जीवनकाल के दौरान व्यवस्थित ढंग से आवंटित की जाएगी।
51. एक आस्ति के अवशिष्ट मूल्य तथा उपयोगी जीवन को कम-से-कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाएगी। यदि आशाएं पूर्व के अनुमानों से भिन्न हों तो परिवर्तन / परिवर्तनों का लेखा उसी प्रकार किया जाएगा जैसे कि भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियाँ, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियाँ*, के अनुसरण में एक प्राक्कलन में परिवर्तन का लेखा किया जाता है।
52. मूल्यहास को तब भी मान्यता दी जाती है भले आस्ति का उचित मूल्य उसकी अग्रणीत राशि से अधिक क्यों न हो, जब तक आस्ति का अवशिष्ट मूल्य उसकी अग्रणीत राशि से अधिक न हो। आस्ति की मरम्मत व रखरखाव इस बात का सूचक नहीं है कि आस्ति के मूल्यहास की जरूरत नहीं है।
53. एक आस्ति के मूल्यहासयोग्य राशि का निर्धारण उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर किया जाता है। व्यवहार में चूंकि आस्ति का अवशिष्ट मूल्य प्रायः नाममात्र ही होता है अतः मूल्यहासयोग्य राशि की गणना में उसका कोई महत्व नहीं है।
54. एक आस्ति का अवशिष्ट मूल्य बढ़कर अग्रणीत राशि के बराबर अथवा उससे अधिक हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो उसका मूल्यहास शून्य होगा। यह तब तक शून्य ही रहेगा जब तक इसका अवशिष्ट मूल्य घटकर आस्ति की अग्रणीत की राशि से कम नहीं हो जाता।
55. आस्ति का मूल्यहास तभी शुरू होता है जब वह आस्ति उसके उपयोग के लिए उपलब्ध होती है अर्थात् जब वह उस स्थल तथा स्थिति में हो जब वह प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से परिचालन के योग्य हो। आस्ति का मूल्यहास उस तिथि से बन्द हो जाता है जिस तिथि को आस्ति को भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत कर दी जाती है या फिर उस निपटान समूह में शामिल की जाती है जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, या उस तिथि से जब आस्ति अमान्य हो जाती है, जो भी इन दोनों में से जल्दी हो। अतः जब आस्ति प्रयोग में न हो अथवा उसका सक्रिय उपयोग न किया जा रहा हो तब भी आस्ति के पूर्णतः मूल्यहासित होने तक उसका मूल्यहास लगाया जाना जारी रहता है। फिर भी, मूल्यहास की उपयोग की विधियों के अनुसार, जब उत्पादन बन्द हो जाता है तब मूल्यहास शून्य हो सकता है।

56. प्रतिष्ठान को किसी आस्ति में अन्तर्निहित भावी आर्थिक लाभ मुख्य रूप से उसके उपयोग द्वारा प्राप्त होते हैं। परंतु, अन्य कारणों से, जैसे कि, तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से अप्रचलित होने और टूट-फूट के परिणामस्वरूप प्रयोग में न रहने से आस्ति से जो आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सकते थे, वे कम हो जाते हैं। अतः आस्ति के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित सभी घटकों पर विचार किया जाता है:-
- (क) आस्ति का प्रत्याशित उपयोग । उपयोग का मूल्यांकन आस्ति की प्रत्याशित क्षमता अथवा भौतिक उत्पादन पर निर्भर करता है ;
 - (ख) प्रत्याशित भौतिक टूट-फूट, जोकि उसके परिचालन कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि, आस्ति का उपयोग कितनी शिफ्टों के लिए किया जाना है, उसकी मरम्मत तथा रख-रखाव का क्या कार्यक्रम है और जब आस्ति प्रयोग में नहीं है तो उसकी देख-रेख व रखरखाव कैसे होगा ;
 - (ग) उत्पादन में परिवर्तन अथवा सुधार होने अथवा उत्पाद की बाजार की मांग में परिवर्तन होने अथवा आस्ति की उत्पादन सेवा में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप तकनीकी अथवा वाणिज्यिक अप्रयुक्तता । एक आस्ति का प्रयोग करते हुए तैयार की गयी एक मद की विक्रय कीमत में प्रत्याशित भावी कटौतियां, आस्ति की तकनीकी व वाणिज्यिक अप्रयुक्तता की प्रत्याशा का संकेत देती हैं जो बदले में आस्ति में सन्निहित भावी आर्थिक लाभों की कटौती को प्रदर्शित कर सकती हैं।
 - (घ) आस्ति के प्रयोग की कानूनी अथवा इसी तरह की अन्य सीमाएं, जैसे कि संबंधित पट्टों (लीजों) की तिथियों का समापन ।
57. किसी आस्ति का उपयोगी जीवनकाल प्रतिष्ठान द्वारा उसके प्रत्याशित उपयोग के आधार पर परिभाषित किया जाता है। प्रतिष्ठान की आस्ति प्रबंधन नीति में निर्दिष्ट अवधि के बाद अथवा भावी आर्थिक लाभों के निर्दिष्ट अंश तक उपभोग के बाद आस्ति के निपटान का निर्णय लिया जा सकता है। अतः, आस्ति का उपयोगी जीवनकाल उसके आर्थिक जीवनकाल से कम हो सकता है। किसी आस्ति के उपयोगी जीवनकाल निर्धारण करने वाला मामला है जो कि प्रतिष्ठान उसी प्रकार की आस्तियों के प्रयोग के अनुभव के आधार पर कर सकता है।
58. भूमि तथा भवन पृथक्योग्य आस्तियां हैं तथा उनका लेखा भी पृथक् रूप से किया जाता है, भले उन्हें एक-साथ अधिगृहीत क्यों न किया गया हो । कुछेक अपवादों को छोड़कर, जैसे कि, उत्खनन तथा वह स्थान जिसका प्रयोग फिलिंग के लिए है, भूमि का असीमित उपयोगी जीवनकाल होता है, अतः, उसका मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता है। भवनों का उपयोगी जीवनकाल सीमित होता है, अतः, वे मूल्यह्रासयोग्य आस्तियां हैं, जिस भूमि पर भवन बना हो उसके मूल्य में वृद्धि हो तो उस वृद्धि का प्रभाव भवन की मूल्यह्रास राशि निर्धारित करने पर नहीं पड़ता है।
59. यदि भूमि की लागत में स्थान (साइट) को विखंडित करने, हटाने तथा पूर्व की स्थिति में लाने की लागत भी शामिल हो तो इन लागतों से अर्जित लाभ की अवधि के दौरान भू-आस्ति के ऐसे भाग का मूल्यह्रास लगाया जाना चाहिए । कुछ मामलों में, भूमि का स्वयं सीमित उपयोगी जीवनकाल हो सकता है। ऐसी स्थिति में, उससे व्युत्पन्न लाभों के आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाना चाहिए ।

मूल्यह्रास विधि

60. किसी आस्ति के मूल्यह्रास के लिए अपनाई गई विधि द्वारा उस तरीके का पता चलता है कि प्रतिष्ठान भावी आर्थिक लाभों का किस तरह से उपभोग करने की आशा करता है।
61. एक आस्ति पर जो भी मूल्यह्रास विधि लागू की जाती है उसकी कम-से-कम प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जानी चाहिए । आस्ति में अन्तर्निहित भावी आर्थिक लाभों के प्रत्याशित उपभोग के तरीके में यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन हो तो मूल्यह्रास विधि में परिवर्तन कर देना चाहिए ताकि परिवर्तित तरीका परिलक्षित हो सके । ऐसे परिवर्तन को भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसरण में प्राक्कलन में परिवर्तन के तौर पर लेखा किया जाएगा ।
62. एक आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान मूल्यह्रासयोग्य राशि आंशिक करने के लिए विभिन्न प्रकार की मूल्यह्रास विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि सीधी रेखा विधि, घटता शेष विधि तथा उत्पादन इकाई विधि । सीधी रेखा विधि के अंतर्गत यदि आस्ति के अवशिष्ट मूल्य में कोई परिवर्तन न हो तो आस्ति के उपयोगी जीवनकाल पर हमेशा एक-सा प्रभार लगाया जाता है। घटता शेष विधि के अंतर्गत आस्ति के उपयोगी जीवनकाल में प्रभार क्रमशः कम होता जाता है। उत्पादन इकाई विधि के अंतर्गत आस्ति के प्रत्याशित प्रयोग अथवा उत्पादन के आधार पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी विधि का चयन किया जाता है जो आस्ति में सन्निहित भावी आर्थिक लाभ के प्रत्याशित उपभोग तरीके को परिलक्षित करता है उस विधि को सभी अवधियों के लिए समान रूप से लागू किया जाता है और तब तक जब तक कि प्रत्याशित उपभोग के तरीके में कोई परिवर्तन स्पष्ट न हो ।
- 62 क एक मूल्यह्रास विधि, जो राजस्व पर आधारित है, जो कि उन गतिविधियों से उत्पन्न होता है जिसमें एक आस्ति का प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त नहीं है। एक आस्ति के प्रयोग सहित गतिविधि द्वारा सृजित राजस्व, सामान्यतया उन कारकों को प्रदर्शित करता है जो आस्ति के आर्थिक लाभों के उपभोग से भिन्न हैं। उदाहरणस्वरूप, राजस्व अन्य निविष्टियों (इन्पुट्स) व प्रक्रियाओं,

बिक्री गतिविधियों और बिक्री मात्राओं व कीमतों में परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होता है। राजस्व का कीमत घटक मुद्रास्फीति से प्रभावित हो सकता है, जिसका आस्ति के उपभोग के तरीके से कुछ लेना-देना नहीं हो।

क्षतिग्रस्तता

63. यह निर्धारित करने के लिए कि सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की कोई मद क्षतिग्रस्त है, प्रतिष्ठान द्वारा भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता*, का अनुसरण किया जाता है। इस मानक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति की अग्रणीत राशि की समीक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए, आस्ति की वसूली-योग्य राशि का निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए और क्षतिग्रस्तता हानि को वह कब मान्यता देता है या दी गयी मान्यता को कब वापस लेता है।

64. [देखें परिशिष्ट 1]

क्षतिग्रस्तता की प्रतिपूर्ति

65. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों के क्षतिग्रस्त होने, खोने अथवा छोड़ने से हुए नुकसान की तृतीय पक्ष से प्रतिपूर्ति को तब लाभ अथवा हानि में डाला जाता है जब वह प्रतिपूर्ति प्राप्य हो जाती है।
66. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों की क्षतिग्रस्तता या हानियां, तृतीय पक्षों (थर्ड पार्टीज) से दावे या प्रतिपूर्ति के भुगतान और उत्तरवर्ती किसी क्रय अथवा निर्माण द्वारा आस्तियों का प्रतिस्थापन पृथक आर्थिक घटनाएं हैं तथा उनका लेखा अलग-से निम्नलिखित रूप से किया जाएगा :
- (क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की क्षतिग्रस्तता को भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसरण में मान्यता दी जाती है;
 - (ख) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों का उपयोग समाप्त हो जाने अथवा उनका निपटान कर देने पर उन्हें इस भारतीय लेखा मानक के अनुसरण में अमान्य किया जाता है;
 - (ग) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों के क्षतिग्रस्त होने, खोने अथवा छोड़ने से हुए नुकसान की तृतीय पक्ष से प्राप्य प्रतिपूर्ति को, जब वह प्राप्य हो, लाभ अथवा हानि में डाला जाता है; और
 - (घ) प्रतिस्थापन के रूप में सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों की पुनर्बहाली, खरीद या निर्माण की लागत का निर्धारण इस मानक के अनुसरण में किया जायेगा।

अमान्यता

67. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की किसी एक मद की अग्रणीत राशि की मान्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में अमान्य हो जाएगी :
- (क) निपटान पर: अथवा
 - (ख) जब उसके उपयोग अथवा निपटान से भावी आर्थिक लाभों की प्रत्याक्षा न हो।
68. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की किसी मद की मान्यता समाप्त होने से लाभ अथवा हानि को उस समय लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाएगा, जब उस मद की मान्यता समाप्त होती है (जब तक भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसार बिक्री और वापसी पट्टे पर (लीज़ बैक) से अन्यथा कोई अपेक्षा न हो)। लाभों को राजस्व के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
68. क लेकिन, यदि प्रतिष्ठान द्वारा अपने सामान्य क्रियाकलापों के अंतर्गत और नेमी (रुटीन) रूप में, ऐसी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों की बिक्री की जाती है जो उसने दूसरों को किराए पर देने के लिए धारित की थीं, अब उन्हें किराए पर न देकर बिक्री के लिए धारित करता है तो ऐसी आस्तियों को अग्रणीत मूल्य पर सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) में अंतरित करेगा। ऐसी आस्तियों की बिक्री से प्राप्त राशियों को भारतीय लेखा मानक 115 *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व* के अनुसरण में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाएगी। जब व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों के अंतर्गत बिक्री के लिए रखी आस्तियों को सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) में अंतरित किया जाता है तो इस स्थिति में भारतीय लेखा मानक 105 लागू नहीं होगा।
69. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की किसी मद का निपटान विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है [उदाहरणतया, बिक्री द्वारा, वित्तीय पट्टे (लीज़) द्वारा अथवा दान द्वारा]। संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की एक मद के निपटान की तिथि वही तिथि होती है जिस पर मद प्राप्तकर्ता भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसरण में कार्य निष्पादन बाध्यता कब पूरी हुई इसके निर्धारण की अपेक्षाओं के अनुसार नियंत्रण ग्रहण करता है। भारतीय लेखा मानक 17 बिक्री तथा वापसी पट्टे पर (लीज़ बैक) द्वारा निपटान की स्थिति में लागू होता है।
70. अनुच्छेद 7 में दिये गये मान्यता सिद्धान्त के अंतर्गत यदि एक प्रतिष्ठान संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में मद के भाग के लिए प्रतिस्थापन की लागत को मान्यता देता है तो यह प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि को अमान्य कर देता है, इस बात को ध्यान किए बिना कि प्रतिस्थापित भाग की लागत का अलग से मूल्यह्रास किया गया था या नहीं। यदि प्रतिष्ठान के लिए

प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि को निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है तो यह संकेतक के रूप में उस प्रतिस्थापन की लागत का प्रयोग कर सकता है जो उस समय थी जब इसे अर्जित या निर्मित किया गया था।

71. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की गैर-मान्यता से उद्भूत लाभ या हानि को शुद्ध निपटान प्राप्तियों, यदि कोई है, तथा मद की अग्रणीत राशि के बीच अन्तर के रूप में निर्धारित किया जायेगा।
72. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की अमान्यता से उत्पन्न लाभ (गेन) या हानि में शामिल, प्रतिफल की राशि भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 47-72 में लेन-देन कीमत के निर्धारण की अपेक्षाओं के अनुसरण में निश्चित की जाती है। लाभ या हानि में शामिल प्रतिफल की प्राक्कलित राशि में उत्तरवती परिवर्तनों का लेखा भारतीय लेखा मानक 115 में लेन-देन कीमत में परिवर्तनों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है।

प्रकटन

73. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की प्रत्येक श्रेणी के लिए वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को प्रकट किया जाएगा :

- (क) सकल अग्रणीत राशि के निर्धारण के लिए प्रयुक्त माप आधार ;
- (ख) प्रयुक्त मूल्यहास पद्धतियां ;
- (ग) उपयोगी जीवन या प्रयुक्त मूल्यहास दरें ;
- (घ) अवधि के आरंभ तथा अंत में सकल अग्रणीत राशि तथा संचित मूल्यहास (संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को मिलाकर), और
- (ङ) अवधि के आरंभ तथा अंत में अग्रणीत राशि का मिलान जिस में निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा :
 - i. अभिवृद्धियां ;
 - ii. भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसरण में, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत या निपटान समूह में सम्मिलित के रूप में वर्गीकृत आस्तियां और अन्य निपटान ;
 - iii. व्यवसायिक संयोजनों के माध्यम से अधिग्रहण ;
 - iv. अनुच्छेद 31, 39 व 40 के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकनों से और भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार अन्य व्यापक आय में मान्य या उल्टायी गयी क्षतिग्रस्तता हानियों के परिणामस्वरूप वृद्धियां या कमियां ;
 - v. भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार लाभ या हानि में मान्य क्षतिग्रस्तता हानियां ;
 - vi. भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार लाभ या हानि में उल्टायी गयी क्षतिग्रस्तता हानियां ;
 - vii. मूल्यहास ;
 - viii. रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के प्रस्तुति मुद्रा में विदेशी परिचालन के रूपांतरण सहित कार्यकारी मुद्रा (फंक्शनल करेंसी) से विभिन्न प्रस्तुति मुद्रा में वित्तीय विवरणों के रूपांतरण से उद्भूत शुद्ध विनिमय अन्तर; और
 - ix. अन्य परिवर्तन

74. वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को भी प्रकट किया जाएगा :

- (क) हक (टाइटल) पर प्रतिबंधों का आस्तित्व व राशियां, तथा दायित्वों के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर ;
- (ख) इसके निर्माण की अवधि में सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में मान्य व्ययों की राशि ;
- (ग) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के अधिग्रहण के लिए अनुबंधात्मक प्रतिबद्धताओं की राशि; और
- (घ) यदि इसे लाभ एवं हानि विवरणों में अलग-से नहीं प्रकट किया जाता है तो सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों के लिए तृतीय पक्ष से क्षतिपूर्ति की राशि जिसकी क्षति हुई थी या खो गयी थी अथवा छोड़ी गई थी उसे लाभ या हानि में शामिल कर लिया गया है।

75. मूल्यहास पद्धति के चयन तथा आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल के अनुमान का निर्णय एक आकलन का विषय है। इसलिए, अपनाई गई पद्धतियों और अनुमानित उपयोगी जीवनकाल या मूल्यहास दरों का प्रकटन वित्तीय विवरण के उपयोगताओं को सूचना उपलब्ध करवाता है जिससे उन्हें प्रबंधन द्वारा चुनी गई नीतियों की समीक्षा करने और अन्य प्रतिष्ठानों के साथ की जाने वाली तुलनाओं के लिए मदद मिलती है। इसी प्रकार के कारणों के लिए, निम्नलिखित प्रकटन भी आवश्यक है :

- (क) एक अवधि के दौरान मूल्यहास, भले ही इसे लाभ या हानि में या अन्य आस्तियों की लागत के भाग में मान्यता दी गई हो ; और

- (ख) अवधि के अंत में संचित मूल्यहास ।
76. भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार एक प्रतिष्ठान लेखा प्राक्कलन में उस परिवर्तन की किस्म व प्रभाव को प्रकट करता है जिस का चालू अवधि में या बाद की अवधियों में प्रभाव पड़ने की आशा है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के लिए ऐसे प्रकटन निम्नलिखित से संबंधित प्राक्कलनों में परिवर्तनों से उत्पन्न हो सकते हैं :
- (क) अवशिष्ट मूल्य ;
- (ख) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों के विखंडन, हटाने या पुनर्बहाली मदों की अनुमानित लागतें ;
- (ग) उपयोगी जीवन ; और
- (घ) मूल्यहास पद्धतियां ।
77. यदि सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों की पुनर्मूल्यांकित राशियों में वर्णन किया जाता है तो भारतीय लेखा मानक 113 द्वारा अपेक्षित प्रकटनों के अतिरिक्त निम्नलिखित को प्रकट किया जाएगा :
- (क) पुनर्मूल्यांकन की प्रभावी तिथि;
- (ख) क्या किसी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता को शामिल किया गया था ;
- (ग) [देखें परिशिष्ट 1] ।
- (घ) [देखें परिशिष्ट 1] ।
- (ङ) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की प्रत्येक पुनर्मूल्यांकित श्रेणी के लिए, मान्य की जाने वाली अग्रणीत राशि, यदि आस्तियों को लागत मॉडल के अंतर्गत लिया जाता ; और
- (च) पुनर्मूल्यांकन अधिशेष जिसमें अवधि के लिए परिवर्तन एवं शोयरधारकों को शेष के संवितरण पर किन्हीं प्रतिबंधों का संकेत है।
78. भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार, एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 73 (ङ) (IV) - (VI) द्वारा अपेक्षित सूचना के अलावा संपत्ति, संयंत्र व उपस्करों की क्षतिग्रस्तता की सूचना को भी प्रकट करेगा ।
79. वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सूचना भी उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हो सकती है :
- (क) अस्थायी रूप से बेकार पड़ी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की अग्रणीत राशि ;
- (ख) किसी पूर्णतया मूल्यहासित सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की, जो अभी भी प्रयोग में है ; सकल अग्रणीत राशि ;
- (ग) सक्रिय प्रयोग से निवृत्त सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की अग्रणीत राशि जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है ; और
- (घ) जब लागत मॉडल प्रयोग किया है, सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों का उचित मूल्य जब यह अग्रणीत राशि से बहुत अधिक भिन्न है।
- अतः, प्रतिष्ठानों को इन राशियों को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

परिशिष्ट क

मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली और इसी प्रकार के अन्य दायित्वों में परिवर्तन

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

1. बहुत-से प्रतिष्ठानों पर सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों को विखंडित करने, हटाने तथा पुनर्बहाली का दायित्व होता है। इस परिशिष्ट में, ऐसी बाध्यताओं को विस्थापन, पुनर्बहाली तथा इसी प्रकार के दायित्वों के रूप में उल्लिखित किया गया है। भारतीय लेखा मानक 16 के अंतर्गत सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों की लागतों में मद के विखंडन एवं हटाने और जिस स्थान पर मद स्थित है उसकी पुनर्बहाली की लागतों का आंशिक प्राक्कलन (अनुमान) शामिल होता है, इसके लिए, प्रतिष्ठान अपने ऊपर तब बाध्यता लेता है, जब मद को अर्जित करता है या सूचीबद्ध सामान (इवेंट्री) को उत्पन्न करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए उस अवधि में मद के प्रयोग के परिणामस्वरूप ऐसा होता है। भारतीय लेखा मानक 37 में ये अपेक्षाएं हैं कि विस्थापन, पुनर्बहाली तथा इसी प्रकार के दायित्वों का किस प्रकार से माप किया जाए । इस परिशिष्ट में इस मार्गदर्शन की व्यवस्था है कि मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली और इसी प्रकार के दायित्वों के माप में परिवर्तनों के प्रभाव का लेखा किस प्रकार किया जाए ।

कार्यक्षेत्र

2. यह परिशिष्ट एक मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली और इसी प्रकार के दायित्वों के माप में परिवर्तनों पर लागू होता है जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं -

- (क) भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की लागत के भाग के रूप में मान्य ; और
(ख) भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार, दायित्व के रूप में मान्य ।

उदाहरण के लिए, विस्थापन, पुनर्बहाली या इसी प्रकार के दायित्व संयंत्र के विस्थापन, खननीय उद्योगों में पर्यावरणीय क्षति की पुनर्बहाली या उपस्कर को हटाने के रूप में हो सकता है।

मुद्दा

3. इस परिशिष्ट से पता चलता है कि निम्नलिखित घटनाओं का मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली या इसी प्रकार के दायित्व के माप पर क्या परिवर्तन होता है और इस का किस प्रकार से लेखा किया जाए :

- (क) आर्थिक लाभों से संपन्न संसाधनों के अनुमानित वहिर्प्रवाह (जैसे कि नकदी प्रवाह) में परिवर्तन जो बाध्यता के निर्वाह के लिए अपेक्षित हैं।
(ख) भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 47 में यथा परिभाषित चालू बाजार-आधारित बट्टा-दर में परिवर्तन (जिसमें धन के समय मूल्य और दायित्व विशेष के जोखिम में परिवर्तन शामिल हैं) और
(ग) वृद्धि जिससे समय व्यतीत होने का बोध होता है (और इसे बट्टे की वापसी भी कहा जाता है)।

लेखा सिद्धान्त

4. मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली और इसी प्रकार के दायित्व के माप में परिवर्तन, जो अनुमान समय या बाध्यताओं के निर्वहन के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों से संपन्न संसाधनों के वहिर्प्रवाह की मात्रा में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होते हैं, या बट्टा-दर में परिवर्तन, इन्हें नीचे दिए गए अनुच्छेद 5-7 के अनुसार लेखा किया जाएगा ।
5. यदि संबंधित आस्ति का माप लागत मॉडल का प्रयोग करते हुए किया गया है :
- (क) नीचे (ख) के अधीन, दायित्व में परिवर्तनों को चालू अवधि में संबंधित आस्ति की लागत में या तो जोड़ा जाएगा या फिन् उससे घटाया जाएगा ।
- (ख) आस्ति की लागत से घटायी गयी राशि इसकी अग्रणीत राशि से अधिक नहीं होगी । यदि दायित्व में कमी आस्ति की अग्रणीत राशि से अधिक होती है तो आधिक्य को लाभ या हानि में तत्काल मान्यता दी जाएगी ।
- (ग) यदि समायोजन से आस्ति की लागत में वृद्धि होती है, तो प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि क्या यह एक ऐसा संकेत है कि आस्ति की अग्रणीत नई राशि की पूरी तरह से वसूली नहीं हो सकती है। यदि यह ऐसा ही संकेत है तो प्रतिष्ठान इसकी वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाते हुए क्षतिग्रस्तता के लिए आस्ति की जांच करेगा और भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसरण में किसी भी क्षतिग्रस्तता हानि का लेखा करेगा ।
6. यदि संबंधित आस्ति का माप पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करते हुए किया जाता है :
- (क) दायित्व में परिवर्तन, उस आस्ति पर पहले मान्य पुनर्मूल्यांकन अधिशेष या घाटे में निम्नलिखित के रूप में बदलाव कर सकते हैं, अर्थात् :
- (i) दायित्व में कमी [नीचे (ख) के अधीन] अन्य व्यापक आय में मान्य होगी और 'इक्विटी' के अन्दर पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में वृद्धि करेगी सिवाय इसके कि यह उस सीमा तक लाभ या हानि में मान्य होगी जो कि यह आस्ति पर पुनर्मूल्यांकन घाटे को उलटाता है जो पहले लाभ या हानि में मान्य था ;
- (ii) दायित्व में वृद्धि लाभ या हानि में मान्य होगी सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय में मान्य होगी और उस आस्ति के संबंध में पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में मौजूद किसी क्रेडिट शेष की सीमा तक इक्विटी के अन्दर पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को कम करेगी।
- (ख) यदि आस्ति को लागत मॉडल पर अग्रणीत किया जाता है और दायित्व में कमी उस अग्रणीत राशि से बढ़ जाती है तो उस आधिक्य को लाभ या हानि में तत्काल मान्यता दी जाएगी ।
- (ग) दायित्व में परिवर्तन इस बात का संकेत देता है कि आस्ति को पुनर्मूल्यांकित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अग्रणीत राशि उस राशि में ज्यादा भिन्न न हो जाए जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य का प्रयोग करते हुए निर्धारित की जाएगी । इस प्रकार का कोई पुनर्मूल्यांकन (क) के अंतर्गत लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्य राशियों को

निर्धारित करने में हिसाब में लिया जाएगा। यदि पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है तो उस श्रेणी की सभी आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित किया जाएगा।

- (घ) भारतीय लेखा मानक 1 की अपेक्षा है कि अन्य व्यापक आय या व्यय के प्रत्येक घटक का लाभ या हानि के विवरण में प्रकटन किया जाए। इस अपेक्षा का पालन करने में, दायित्व में परिवर्तन से उद्भूत पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन की अलग से पहचान की जाएगी और उसका प्रकटन किया जाएगा।
7. आस्ति की समायोजित मूल्यहास योग्य राशि का ह्रास इसके उपयोगी जीवन में होता है। इसलिए, जब एक बार संबंधित आस्ति अपने उपयोगी जीवन के अंत तक पहुँच जाती है, दायित्व में सभी उत्तरवर्ती परिवर्तन वैसे ही लाभ या हानि में मान्य होंगे जैसे-जैसे वे घटित होते हैं। यह लागत मॉडल तथा पुनर्मूल्यांकन मॉडल दोनों के अंतर्गत ही लागू होता है।
8. बट्टे की आवधिक वापसी (अनवाइडिंग) जैसे-जैसे घटित होती है वित्त लागत के रूप में लाभ या हानि में मान्य होगी। भारतीय लेखा मानक 23 के अंतर्गत पूंजीकरण की अनुमति नहीं है।

परिशिष्ट ख

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

एक सतही खान के उत्पादन चरण की निकासी लागतें (स्ट्रिपिंग कॉस्ट्स)

पृष्ठभूमि

- (1) सतही खान परिचालनों में, प्रतिष्ठानों के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वे खान की बेकार सामग्रियों (अधिभार) को हटाने की व्यवस्था करें ताकि उनकी खनिज अयस्क के भंडार तक की पहुँच सुगम हो। इस बेकार सामग्री के हटाने की गतिविधि को 'निकासी' (स्ट्रिपिंग) के रूप में जाना जाता है।
- (2) खान में विकास चरण में (यानि उत्पादन प्रारम्भ होने से पूर्व की स्थिति), सामान्यतया निकासी लागतों को भवन, खान के विकास व निर्माण की मूल्यहास योग्य राशि के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। जब उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है तो इन पूंजीकृत लागतों को सामान्यतया उत्पादन विधि की इकाईयों का प्रयोग करते हुए एक प्रणाली के आधार पर मूल्यहासित या परिशोधित किया जाता है।
- (3) एक प्रतिष्ठान खान के उत्पादन चरण के दौरान अनावश्यक सामग्री को हटाने और निकासी लागतें खर्च करने के क्रम को जारी रख सकता है।
- (4) यह जरूरी नहीं कि उत्पादन चरण में निकासी में हटायी गयी सामग्री पूरी तरह से बेकार हो बल्कि वह प्रायः कुछ बेकार और कुछ अयस्क (कच्ची धातु) का मिश्रण होती है। अयस्क व बेकार का अनुपात अलाभकारी कम कोटि (ग्रेड) से लाभकारी उच्च कोटि (ग्रेड) तक के परास (रेंज) में हो सकता है। अयस्क की कम मात्रा और बेकार सामग्री के हटाने से कुछ उपयोगी सामग्री का उत्पादन हो सकता है जिसे सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) के निर्माण में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस सामग्री के हटाने से उस गहन स्तर तक पहुँचा जा सकता है जहां अयस्क की मात्रा बेकार सामग्री की मात्रा से अधिक हो। अतः इस बेकार सामग्री की निकासी से प्रतिष्ठान को दोहरा लाभ हो सकता है यानि एक और तो उपयोगी अयस्क की प्राप्ति जिससे सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) का निर्माण होता है, दूसरे उपयोगी सामग्री तक बेहतर पहुँच जहां से भविष्य में अधिक मात्रा में अयस्क निकाला जा सकता है।
- (5) यह परिशिष्ट इस बात पर विचार करता है कि उक्त दोनों लाभों (फायदों) का पृथक रूप से लेखा कब और कैसे किया जाए और साथ ही दोनों लाभों का माप प्रारम्भ और बाद में कैसे किया जाए।

कार्यक्षेत्र

- (6) यह परिशिष्ट बेकार सामग्री हटाने की लागतों पर लागू होता है जो कि खान के उत्पादन चरण (कच्ची धातु निकालना) के दौरान सतही खनन गतिविधि के दौरान खर्च की जाती हैं जिन्हें 'उत्पादन निकासी लागतें' कहा जाएगा।

मुद्दे

- (7) यह परिशिष्ट निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करता है:-
 - (क) एक आस्ति के रूप में उत्पादन से सम्बंधित निकासी लागतों की मान्यता;
 - (ख) निकासी गतिविधि आस्ति का प्रारम्भिक माप; और
 - (ग) निकासी गतिविधि आस्ति का उत्तरवर्ती माप।

लेखा-सिद्धान्त

उत्पादन से सम्बंधित निकासी लागतों की एक आस्ति के रूप में मान्यता

- (8) निकासी गतिविधि से लाभ जहां तक सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) के निर्माण के रूप हो, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 2 'सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)' के सिद्धान्तों के अनुसरण में अनावश्यक सामग्री को हटाने (निकासी) की गतिविधि की लागत का लेखा करेगा। जहां तक अधिक मात्रा में अयस्क के भंडार तक पहुंच का प्रश्न है, प्रतिष्ठान इन लागतों को गैर चालू आस्ति अर्थात् निकासी गतिविधि आस्ति के रूप में मान्यता देगा, बशर्ते नीचे दिये गये अनुच्छेद 9 का मानदंड पूरा होता है।
- (9) एक प्रतिष्ठान एक निकासी गतिविधि आस्ति को मान्यता तभी, और केवल तभी, देगा जब निम्नलिखित सभी अपेक्षाएं पूरी होती हों, अर्थात् --
- (क) इस बात की संभावना हो कि निकासी गतिविधि से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ (अयस्क खंड तक बेहतर पहुंच) प्रतिष्ठान को मिलेंगे;
- (ख) प्रतिष्ठान अयस्क खंड के उस घटक की पहचान कर सकता है जिसके लिए बेहतर पहुंच की गयी है; और
- (ग) उस घटक से सम्बद्ध निकासी गतिविधि से सम्बंधित लागतें विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती हैं।
- (10) निकासी गतिविधि आस्ति का लेखा मौजूदा आस्ति के एक अतिरिक्त भाग के रूप में या वृद्धि के रूप में किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, निकासी गतिविधि आस्ति का लेखा मौजूदा आस्ति के एक भाग के रूप में किया जाएगा।
- (11) निकासी गतिविधि आस्ति का मूल्य या अमूल्य आस्ति के रूप में वर्गीकरण मौजूदा आस्ति के अनुरूप ही होगा। दूसरे शब्दों में प्रतिष्ठान मौजूदा आस्ति की प्रकृति के अनुसार ही निकासी गतिविधि आस्ति का मूल्य या अमूल्य के रूप में निर्धारित करेगा।

निकासी (स्ट्रिपिंग) गतिविधि आस्ति का प्रारंभिक माप

- (12) प्रतिष्ठान प्रारम्भ में निकासी (स्ट्रिपिंग) गतिविधि आस्ति का माप लागत पर करेगा। यह उपरिव्यय लागतों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित आबंटन के साथ-साथ अयस्क (कच्ची धातु) के पता लगाये गये घटक की बेहतर पहुंच की निकासी गतिविधि के संचालन के लिए प्रत्यक्ष रूप से खर्च की गयी लागतों का संचय है। प्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित इन उपरिव्यय लागतों में शामिल लागतों के उदाहरणों में खान के उस घटक की देखभाल करने वाले पर्यवेक्षक की वेतन और निकासी गतिविधि के संचालन के लिए विशेष रूप से किराये पर लिए गये उपस्कर (मशीनरी) का किराया आदि लागतों का आबंटन सम्मिलित है। कुछ ऐसे आकस्मिक परिचालन भी उस समय हो सकते हैं जब उत्पादन निकासी गतिविधि चल रही हो पर वे आयोजनबद्ध तरीके से उत्पादन निकासी गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं भी हो सकते। ऐसे आकस्मिक परिचालनों से सम्बंधित लागत को निकासी गतिविधि आस्ति की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के आकस्मिक परिचालन का उदाहरण, उस क्षेत्र में जहां निकासी अभियान चल रहा है एक पहुंच सड़क का निर्माण करना, हो सकता है।
- (13) जब निकासी गतिविधि आस्ति की लागतें और निर्मित सूचिबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की लागतों की पहचान अलग से न हो सकती हो तो प्रतिष्ठान उत्पादन निकासी लागतों का आबंटन निर्मित सूचिबद्ध सामान (इन्वेंट्री) और निकासी गतिविधि आस्ति के बीच करेगा और इसके लिए वह सम्बंधित उत्पादन माप पर आधारित आबंटन आधार का प्रयोग करेगा। यह उत्पादन माप अयस्क खंड के पता लगाये गये घटक के लिए आकलित किया जाएगा और इसे भविष्य में होने वाले भावी लाभ के सृजन के लिए एक 'बेचमार्क' के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार के मापों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:-
- (क) प्रत्याशित लागत की तुलना में उत्पादित सूचिबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की लागत;
- (ख) अयस्क उत्पादन की दी गयी मात्रा के लिए, प्रत्याशित मात्रा की तुलना में निकाली गयी बेकार सामग्री (वेस्ट) की मात्रा; और
- (ग) उत्पादित अयस्क की दी गयी मात्रा के लिए, निकाले जाने वाले प्रत्याशित खनिज वस्तु की तुलना में निकाले गये अयस्क की खनिज वस्तु।

- 13क उत्पादन माप का आकलन उस आधार पर नहीं किया जाएगा जो बिक्री मूल्यों पर आधारित हो। निकासी लागतों के संदर्भ में बिक्री मूल्यों पर आधारित आधार उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह चल रही गतिविधि से निकट रूप से सम्बंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि सम्बंधित सामग्री की चालू बिक्री कीमत आबंटन आधार के निर्धारण के लिए प्रयुक्त की जाती है तो वही चालू बिक्री कीमत निकाले गये अयस्क (कच्ची धातु) और पहचाने गये घटक दोनों में खनिज के परिमाण में लागू की जाएगी। अतः प्रासांगिक परिवर्तनशील कारक निकाले गये अयस्क और पहचाने गये घटक दोनों में खनिज का परिमाण (मात्रा) होगा, यानि चालू बिक्री कीमत आबंटन आधार को परिवर्तित नहीं करेगी। भावी बिक्री कीमत का आधार के रूप में प्रयोग करने में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। अनेक खनिजों की बाजार कीमतों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति बनी रहती है, अतः भविष्य में निकाले जाने वाले अयस्क की भावी बिक्री कीमत क्या होगी, यह पता लगाना कठिन है। इससे ज्यादा कठिनाइयां तब आती हैं जब एक अयस्क निकाला जाता है और एक-से अधिक चाहे उप-उत्पाद के रूप में या संयुक्त उत्पादों के रूप में खनिज विद्यमान हों।

निकासी गतिविधि आस्ति का उत्तरवर्ती माप

- (14) प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात्, निकासी गतिविधि आस्ति को इसकी लागत या मूल्यहास या परिशोधन और क्षतिग्रस्त हानियां घटाकर इसकी पुनर्मूल्यांकित राशि पर अग्रणीत किया जाएगा और यह ऐसे ही किया जाएगा जैसे कि मौजूदा आस्ति, जिसकी निकासी गतिविधि आस्ति एक भाग है, अग्रणीत की जाती है।
- (15) निकासी गतिविधि आस्ति उस अयस्क खंड के पहचान किये गये घटक के प्रत्याशित उपयोगी जीवन (कार्यकाल) के दौरान एक सुव्यवस्थित आधार पर मूल्यहासित या परिशोधित की जाएगी जो निकासी गतिविधि के परिणामस्वरूप और अधिक पहुंच में आता है। उत्पादन विधि की ईकाइयों का प्रयोग तब किया जाएगा जब कोई और विधि अधिक उपयुक्त ना हो।
- (16) अयस्क (कच्ची धातु) के पहचाने गये घटक का प्रत्याशित उपयोगी जीवन (कार्यकाल), जिसे निकासी गतिविधि आस्ति को मूल्यहासित करने या परिशोधित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उस प्रत्याशित उपयोगी जीवन (कार्यकाल) से भिन्न होगा जो स्वयं खान और खान-जीवन से सम्बंधित आस्तियों को मूल्यहासित करने या परिशोधित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके अपवादस्वरूप, वे सीमित परिस्थितियां हैं जब निकासी गतिविधि शेष सम्पूर्ण अयस्क खंड पर बेहतर पहुंच प्रदान करती है। उदाहरणतया, ऐसा तब हो सकता है जब खान के उपयोगी जीवन (कार्य-काल) का अन्तिम चरण हो जहां पहचाना गया घटक निकाले जाने वाले अयस्क खंड के अन्तिम भाग को प्रदर्शित करता है।

परिशिष्ट ग :

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

इस परिशिष्ट में उन परिशिष्टों को सूचीबद्ध किया गया है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं तथा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16, सम्पत्ति संयंत्र व उपस्कर के लिए भी संदर्भ का कार्य करते हैं।

- 1 परिशिष्ट 'ग' सेवा रियायत व्यवस्थाएं भारतीय लेखा मानक 115, 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' में समाविष्ट।
- 2 परिशिष्ट 'घ' सेवा रियायत व्यवस्थाएं : प्रकटन भारतीय लेखा मानक 115, 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' में समाविष्ट।
- 3 परिशिष्ट 'ग' यह निर्धारित करना कि की गयी व्यवस्था में कोई पट्टा है, भारतीय लेखा मानक 17 पट्टे में समाविष्ट।
- 4 परिशिष्ट 'क' अमूर्त आस्तियां ----- वेबसाइट लागते द्रभारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त आस्तियां में समाविष्ट।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16 तथा अन्तरराष्ट्रीय लेखा बोर्ड द्वारा जारी तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 16 'सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर', 'आई एफ आर आई सी' 1, 'मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली तथा ऐसी देयताओं में परिवर्तन' एवं 'आई एफ आर आई सी' 20, 'एक सतही खान के उत्पादन चरण में निकाली (स्ट्रिपिंग) लागतों' के बीच, यदि कोई मुख्य अन्तर है, तो उन्हें स्पष्ट करना है।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 16 सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर, 'आई एफ आर आई सी' 1, एवं 'आई एफ आर आई सी' 20 के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 16, एवं 'आई एफ आर आई सी' 1 एवं 'आई एफ आर आई सी' 20 में दिये गये संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16 में नहीं दिये गये हैं, क्योंकि भारतीय लेखा मानकों के सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित समझा गया है, 'आई एफ आर एस' 1 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण के तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण, में सम्मिलित कर लिये गये हैं।
2. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
3. अनुच्छेद 28 को हटा दिया गया है क्योंकि भारतीय लेखा मानक 20 'सरकारी अनुदान एवं सरकारी सहायता का प्रकटन' सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर की किसी मद की अग्रणीत राशि को उस सीमा तक कम करने के विकल्प की अनुमति नहीं देता, जितना उस मद के संबंध में सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है जबकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 20 इसकी अनुमति देता है। लेकिन, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 16 के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 16 में इस अनुच्छेद को जारी रखा गया है।
4. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 16 में निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याएं 'हटाया गयी' के रूप में उल्लिखित हैं। लेकिन अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 16 के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए इन अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 16 में जारी रखा गया है:-
 - (i) अनुच्छेद 32-33
 - (ii) अनुच्छेद 64

- (iii) अनुच्छेद 77 (ग) - (घ)
5. चूंकि, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 40 निवेश संपत्ति उचित मूल्य के प्रयोग के लिए प्रतिषिद्ध करता है अतः भारतीय लेखा मानक 16 का अनुच्छेद 5 संशोधित कर दिया गया है।
6. परिशिष्ट 'ख' का अनुच्छेद 12 संशोधित कर दिया गया है और परिशिष्ट 'ख' का अनुच्छेद 13 क जोड़ा गया है ताकि अनुच्छेद 12 व 13 की अपेक्षाओं पर दिशा-निर्देश दिये जा सकें।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 17

पढ़ें

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य, पट्टाकर्ताओं एवं पट्टेदारों दोनों के लिए पट्टों से संबंधित उपयुक्त लेखनीतियों का निर्धारण एवं प्रकटन करना है।

कार्यक्षेत्र

2. यह मानक निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी पट्टों के लेखा पर लागू होगा :

- (क) खनिजों, तेल, प्राकृतिक गैस एवं इसी प्रकार के गैर-पुनरुत्पादक स्रोतों की खोज अथवा उपयोग के लिए पट्टे ; और
- (ख) चलचित्र, वीडियो रिकॉर्डिंग, नाटक, पाण्डुलिपियों, पेटेंट और कॉपीराइट जैसे मर्दों के लाइसेंस देने के करार ;

तथापि, यह मानक निम्नलिखित के माप के आधार के रूप में लागू नहीं होगा :

- (क) पट्टेदारों द्वारा धारित वह सम्पत्ति जिसका निवेश संपत्ति के रूप में लेखा किया जाता है [देखें भारतीय लेखा मानक 40, निवेश संपत्ति]
 - (ख) पट्टाकर्ताओं द्वारा परिचालन पट्टों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई पट्टे के लिए निवेश संपत्ति [देखें भारतीय लेखा मानक 40, निवेश संपत्ति]
 - (ग) पट्टेदारों द्वारा वित्तीय पट्टों के अन्तर्गत धारित जैविक आस्तियां जो भारतीय लेखा मानक 41, कृषि के कार्यक्षेत्र में हैं; अथवा
 - (घ) पट्टाकर्ताओं द्वारा परिचालन पट्टों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई जैविक आस्तियां, जो भारतीय लेखा मानक 41, कृषि के कार्यक्षेत्र में हैं।
3. यह मानक उन करारों पर भी लागू होता है जो आस्तियों के उपयोग के अधिकार का स्थानान्तरण करते हैं भले ही पट्टाकर्ता की अधिकतर सेवाएं इस प्रकार की आस्तियों के परिचालन व रखरखाव के लिए मांगी जाती हो। यह मानक उन करारों पर लागू नहीं होता जो सेवाओं के अनुबंधों के रूप में हैं जो अनुबंध के एक पक्ष से दूसरे पक्ष को आस्तियों के प्रयोग का अधिकार स्थानान्तरित नहीं करते हैं।

परिभाषाएं

4. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :

पट्टा एक ऐसा करार है जिसके द्वारा एक पट्टाकर्ता एक पट्टेदार को एक भुगतान अथवा भुगतानों की श्रृंखला के बदले में एक आस्ति का एक संविदित समयावधि के लिए उपयोग करने का अधिकार देता है।

वित्तीय पट्टा वह पट्टा है जो एक आस्ति के स्वामित्व से संबंधित अधिकतर सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों का स्थानान्तरण करता है, भले ही उसका हक (टाइटल) अन्ततः स्थानान्तरित किया जाता है या नहीं।

परिचालन पट्टा एक ऐसा पट्टा है जो वित्तीय पट्टे से भिन्न है।

गैर-रद्द करने योग्य पट्टा वह पट्टा है जिसे केवल तभी रद्द किया जा सकता है, जब -

- (क) किसी अल्प आकस्मिकता के घटित होने पर;
- (ख) पट्टाकर्ता की अनुमति हो;

- (ग) पट्टेदार उसी आस्ति अथवा उसके बराबर किसी अन्य आस्ति के लिए उसी पट्टाकर्ता के साथ एक नये पट्टा करार की शुरुआत करता है; अथवा
- (घ) पट्टेदार द्वारा पट्टे के प्रारम्भ में अतिरिक्त राशि के भुगतान पर जिसमें पट्टे का जारी रहना तर्कसंगत रूप से निश्चित हो।

पट्टे का प्रारंभ वह तिथि है जो पट्टे के करार की तिथि और पक्षकारों द्वारा पट्टे के मुख्य प्रावधानों की वचनबद्धता की तिथि में से पहले पड़ती हो। इस तिथि पर:

- (क) एक पट्टा को परिचालन अथवा वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और
- (ख) एक वित्तीय पट्टे की स्थिति में, पट्टे की अवधि के आरंभ में मान्यता दी जाने वाली राशियां निर्धारित की जाती हैं।

पट्टे की अवधि का प्रारंभ से आशय उस तिथि से है जिस तिथि से पट्टेदार पट्टाकृत आस्ति के उपयोग का हकदार होता है। यह तिथि पट्टे की प्रारंभिक मान्यता की तिथि है (अर्थात् पट्टे के परिणामस्वरूप आस्तियों, दायित्वों, आय अथवा व्यय की, जो भी उपयुक्त हो, मान्यता)

पट्टा अवधि वह रकम करने योग्य अवधि है। जिस के लिए पट्टेदार ने आस्ति के पट्टे की उस अवधि के लिए अनुबंध किया है जिसमें वह आगे की कोई अवधियां शामिल होती हैं जिसके लिए पट्टेदार के पास यह विकल्प रहता है कि वह किसी भुगतान के साथ या उसके बिना पट्टे को आगे जारी रखेगा, जब पट्टे के प्रारम्भ में यह तर्कसंगत रूप से निश्चित होता है कि पट्टेदार इस विकल्प का उपयोग करेगा।

पट्टे का न्यूनतम भुगतान वह भुगतान है जो कि पट्टेदार पट्टे की अवधि के दौरान करता हो अथवा जिसका किया जाना अपेक्षित हो लेकिन इसमें उसके द्वारा अदा किया जाने वाला या उसके द्वारा, पट्टाकर्ता को प्रतिपूर्ति किया गया आकस्मिक किराया, सेवाओं और कर की लागतें तथा निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

- (क) एक पट्टेदार के लिए, पट्टेदार के द्वारा, अथवा पट्टेदार से संबंधित किसी पक्ष (पार्टी) द्वारा गारंटीकृत राशियां, अथवा
- (ख) पट्टाकर्ता के लिए, पट्टाकर्ता को निम्नलिखित द्वारा गारंटीकृत कोई अवशिष्ट मूल्य:
- पट्टेदार ;
 - पट्टेदार से संबंधित कोई पक्ष (पार्टी) ; अथवा
 - तृतीय पक्ष, जो पट्टेदार से संबंधित नहीं है लेकिन गारंटी के अन्तर्गत बाध्यताओं के संपादन के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है।

तथापि, यदि पट्टेदार के पास यह विकल्प है कि वह आस्ति को उस कीमत पर खरीद सकता है, जो कि उस तिथि के उचित मूल्य से काफी कम है और जिस पर कि वह विकल्प प्रयोज्य (प्रयोग में लाने योग्य) है और यह पट्टे के प्रारंभ में तर्कसंगत आधार पर निश्चित है, कि विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। तब न्यूनतम पट्टा भुगतानों में वे न्यूनतम भुगतान शामिल होते हैं जो खरीद विकल्प के प्रयोग के प्रत्याशित तिथि तक की पट्टे की अवधि के दौरान देय हैं

उचित मूल्य वह राशि है जिस पर ज्ञानवान व इच्छुक पक्षों के बीच स्वतंत्र लेनदेन के रूप में एक आस्ति का विनिमय किया जा सके या एक दायित्व का निपटारा किया जा सके।

आर्थिक जीवन काल से आशय निम्नलिखित में से किसी एक से है :

- (क) वह समयावधि जिसमें, एक या एक-से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी आस्ति को आर्थिक दृष्टि से उपयोग में लाये जाने की संभावना है; अथवा
- (ख) उत्पादन इकाइयों की संख्या अथवा इसी तरह की इकाइयों की संख्या जो एक या एक-से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा आस्ति से प्राप्त होने संभावित है।

उपयोगी जीवन वह अनुमानित शेष अवधि है जिसमें पट्टे की अवधि के आरंभ से लेकर पट्टे की किसी अवधि की सीमा के बिना आस्ति में व्याप्त आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।

गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य:

- (क) पट्टेदार के लिए, अवशिष्ट मूल्य का वह भाग है जिसकी पट्टेदार अथवा पट्टेदार से संबंधित किसी पक्ष (पार्टी) द्वारा गारंटी दी जाती है (गारंटी की राशि वह अधिकतम राशि होती है जो किसी भी स्थिति में देय हो सकती है); और

- (ख) पट्टाकर्ता के लिए, अवशिष्ट मूल्य का वह भाग है जिसकी पट्टेदार अथवा पट्टाकर्ता से असम्बंधित तीसरे पक्ष द्वारा गारंटी दी जाती है और साथ ही वह पक्ष गारंटी के अन्तर्गत बाध्यताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम हो

गैर-गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य पट्टे पर ली गई आस्ति के अवशिष्ट मूल्य का वह भाग है पट्टाकर्ता के लिए जिसकी वसूली सुनिश्चित नहीं होती है और न ही पट्टाकर्ता से संबंधित पक्ष (पार्टी) द्वारा कोई गारंटी दी जाती है।

आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें वे वृद्धिशील लागतें हैं जो पट्टे से सम्बंधित बातचीत और व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य (अट्रीब्यूटेबल) होती हैं, लेकिन इनमें निर्माता अथवा डीलर पट्टाकर्ताओं द्वारा उपगत की गई लागतें सम्मिलित नहीं होते हैं।

पट्टे का सकल निवेश में निम्नलिखित का जोड़ शामिल होता है :

(क) वित्तीय पट्टे के अन्तर्गत पट्टाकर्ता द्वारा प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतान, और

(ख) पट्टाकर्ता को प्राप्त होने वाला कोई गैर-गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य।

पट्टे में शुद्ध निवेश वह सकल निवेश है, जो पट्टे में लागू बट्टागत ब्याजदर के रूप में अन्तर्निहित है।

गैर-अर्जित वित्तीय आय निम्नलिखित दोनों का अंतर होती है:

(क) पट्टे में सकल निवेश; और

(ख) पट्टे में शुद्ध निवेश।

पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर पट्टे के आरंभ में वह बट्टागत दर है जो इन दोनों के कुल वर्तमान मूल्य को निमित्त करता है (क) न्यूनतम पट्टा भुगतान और (ख) गैर-गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य जो निम्नलिखित दोनों के जोड़ के बराबर है —

(i) पट्टाकृत आस्ति का उचित मूल्य, और (ii) पट्टाकर्ता की आरंभिक प्रत्यक्ष लागत।

पट्टेदार की वृद्धिशील उधार ब्याज दर वह ब्याज दर होती है जो पट्टेदार उसी प्रकार के किसी पट्टे के लिए भुगतान करता है, अथवा, यदि वह निर्धारणयोग्य नहीं है तो वह दर होती है जो पट्टे के आरंभ में पट्टेदार को उसी अवधि के लिए उसी प्रकार की प्रतिभूति पर आस्ति की खरीद के लिए आवश्यक निधि व्यय करने के लिए उधार पर उपगत (इन्कर) करनी पड़ती है।

आकस्मिक किराया पट्टे के भुगतानों का वह भाग है जिसकी राशि निश्चित नहीं होती है लेकिन, वह ऐसे कारक/तत्व की भावी राशि पर आधारित है जो कि समय के गमन अलावा अन्य किसी कारण से परिवर्तित होता है (जैसे भावी बिक्रियों का प्रतिशत, भावी प्रयोग की राशि, भावी मूल्य सूचकांक, ब्याज की भावी बाजार दरें)।

5. पट्टा करार में अथवा प्रतिबद्धता में पट्टे के प्रारंभ और पट्टा अवधि के प्रारम्भ के बीच की अवधि के दौरान निर्माण में परिवर्तनों के पट्टा भुगतानों या पट्टागत संपत्ति की अधिग्रहण लागत या लागत अथवा मूल्य के अन्य माप में परिवर्तनों जैसे कि सामान्य कीमत स्तर या पट्टे के वित्तपोषण की पट्टाकर्ता की लागतें, को समायोजित करने के प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं। यदि ऐसा है तो इस मानक के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव पट्टे के शुरू होने के समय से माना जाएगा।
6. पट्टे की परिभाषा में किसी आस्ति के किराए के अनुबंध भी शामिल हैं जिनमें आस्ति किराये पर लेने वाले को सहमत शर्तों को पूरा करने पर आस्ति का मालिकाना हक प्राप्त करने के विकल्प का प्रावधान अंतर्निहित है। इन अनुबंधों को कई बार किराया-खरीद अनुबंध (हायर पर्चेस कांट्रेक्ट्स) के रूप में जाना जाता है।
- 6 क भारतीय लेखा मानक 17 परिभाषिक शब्द 'उचित मूल्य' का प्रयोग इस तरह से करता है, जो भारतीय लेखा मानक 113, उचित मूल्य माप में दी गई परिभाषा से कुछ भिन्न है। अतः भारतीय लेखा मानक 17 का प्रयोग करते समय एक प्रतिष्ठान उचित मूल्य का माप भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसार करता है, न कि लेखा मानक 113 के अनुसार।

पट्टों का वर्गीकरण

7. इस मानक में अपनाया गया पट्टों का वर्गीकरण, पट्टाकर्ता अथवा पट्टेदार के पास पट्टाकृत आस्ति के स्वामित्व से प्रासंगिक जोखिमों एवं प्रतिफलों की सीमा पर आधारित है। जोखिमों में निष्क्रिय क्षमता अथवा अप्रचलित तकनीक और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के कारण प्रतिफलों में परिवर्तनों से होने वाली हानियों की संभावनाएं सम्मिलित हैं। आस्ति के आर्थिक जीवन के दौरान लाभप्रद परिचालन की अपेक्षा/प्रत्याशा (एक्सपेक्टेडेशन) और मूल्य में वृद्धि से होने वाला लाभ (गेन) अथवा अवशिष्ट मूल्य की वसूली, प्रतिफलों के प्रतीक हो सकते हैं।
8. एक पट्टे को वित्तीय पट्टा के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि यह स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिमों और प्रतिफलों को सारभूत रूप से स्थानान्तरित करता है। एक पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि यह स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को सारभूत रूप से स्थानान्तरित नहीं करता है।

9. चूंकि पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार के बीच लेनदेन पट्टे के करार पर आधारित हैं अतः यह उचित होगा कि संगत परिभाषाएं ही प्रयुक्त की जाएं। इन परिभाषाओं का पट्टाकर्ता और पट्टादार की भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने का यह परिणाम हो सकता है कि वही एक पट्टा उन दोनों द्वारा भिन्न वर्गीकृत किया जाए। उदाहरण के लिए, यह मामला हो सकता है कि पट्टेदार से असंबद्ध पक्ष (पार्टी) द्वारा उपलब्ध कराई गई अवशिष्ट मूल्य की गारंटी से पट्टाकर्ता को लाभ होता है।
10. कोई पट्टा वित्तीय पट्टा है अथवा परिचालन पट्टा है, यह अनुबंध के स्वरूप की अपेक्षा लेन देन के सार पर निर्भर करता है।⁵ नीचे कुछ ऐसी परिस्थितियों के उदाहरण दिये जा रहे हैं जो अकेले अथवा संयुक्त रूप से पट्टे को आमतौर पर वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती हैं :
- (क) जब पट्टा पट्टेदार को आस्ति का स्वामित्व पट्टा अवधि के अन्त में स्थानान्तरित करता है ;
- (ख) जब पट्टेदार के पास यह विकल्प होता है कि वह आस्ति को उस कीमत पर खरीद सकता है जो विकल्प के प्रयोज्य (प्रयोग में लाने योग्य) की तिथि के उचित मूल्य से काफी कम होनी अपेक्षित है और पट्टे के प्रारंभ में यह तर्कसंगत आधार पर निश्चित है कि विकल्प का प्रयोग किया जाएगा।
- (ग) आस्ति की पट्टा अवधि उसकी आर्थिक जीवनकाल के अधिकांश भाग के लिए है भले ही स्वत्व (टाइटल) स्थानान्तरित न किया जाए;
- (घ) पट्टा के आरंभ में, न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य कम से कम पट्टाकृत आस्ति के उचित मूल्य के सारभूत रूप से बराबर हैं; और
- (ङ) पट्टाकृत आस्तियां ऐसी विशेष प्रकृति की हैं कि उन्हें केवल पट्टेदार ही बड़े रूपांतरण के बिना प्रयोग कर सकता है।
11. परिस्थितियों के ऐसे संकेत जो अकेले अथवा संयुक्त रूप से पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं इस प्रकार:
- (क) यदि पट्टेदार पट्टा रद्द कर सकता है तो पट्टाकर्ता को उसके रद्द किये जाने से होने वाली हानियां पट्टेदार द्वारा वहन की जाएंगी ;
- (ख) पट्टेदार को उपचित होने वाले अवशिष्ट के उचित मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ावों से होने वाली लाभ एवं हानियां (उदाहरणतयः, पट्टे के अंत में अधिकांशतः बिक्री प्राप्तियों के बराबर किराए में छूट के तौर पर) ; और
- (ग) जब पट्टेदार आगे की अवधि के लिए बाजार किराये से सारभूत रूप से कम किराये पर पट्टे को जारी रखने की क्षमता रखता हो।
12. उपर्युक्त अनुच्छेद 10 एवं 11 में दिए गए उदाहरण एवं संकेत सदैव निर्णयात्मक नहीं होते हैं। यदि अन्य विशेषताओं से यह स्पष्ट हो कि स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिम एवं प्रतिफल सारभूत रूप से स्थानान्तरित नहीं होते हैं तो उस पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरणतः, ऐसा हो सकता है कि पट्टे के अंत में आस्ति का स्वामित्व उस समय लागू उचित मूल्य के बराबर परिवर्ती भुगतानों पर किया जाता है अथवा यदि कोई आकस्मिक किराए हों तो उनके परिणामस्वरूप पट्टेदार को सारभूत रूप से सभी जोखिम एवं प्रतिफल नहीं होते हैं।
13. पट्टे का वर्गीकरण पट्टे के आरंभ में किया जाता है। यदि किसी समय, पट्टेदार एवं पट्टाकर्ता पट्टे के प्रावधानों में पट्टे के नवीकरण के अलावा अन्य ऐसे तरीके से परिवर्तन करने पर सहमत हो जाते हैं जिससे अनुच्छेद 7-12 के अन्तर्गत दिए गए मानदण्डों के अन्तर्गत पट्टे का वर्गीकरण बदल जाता है, बशर्ते परिवर्तित शर्तें पट्टे के आरम्भ से प्रभावी हों तो संशोधित करार को इसकी अवधि के लिए करार माना जाएगा। तथापि, प्राक्कलनों में परिवर्तन (उदाहरण के लिए, पट्टाकृत संपत्ति के आर्थिक जीवन अथवा अवशिष्ट मूल्य के प्राक्कलन में परिवर्तन), अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन (उदाहरण के लिए पट्टेदार द्वारा चूक), लेखों के प्रयोजनों के लिए पट्टे के नए वर्गीकरण की स्थिति उत्पन्न नहीं करते हैं।
- 14.-15. [देखें परिशिष्ट 1]
- 15 क. जब किसी पट्टे में, भूमि एवं भवन दोनों घटक शामिल हों तो प्रतिष्ठान प्रत्येक घटक के वर्गीकरण का निर्धारण वित्तीय अथवा परिचालन पट्टे के रूप में अनुच्छेद 7-13 के अनुसार अलग-अलग करता है। यह निर्धारित करने के लिए कि भूमि घटक परिचालन पट्टा है अथवा वित्तीय पट्टा है इसके लिए महत्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि भूमि हमेशा अनिश्चित आर्थिक जीवनकाल वाली होती है।
16. जब कभी भी भूमि एवं भवनों के पट्टे के वर्गीकरण एवं लेखा के लिए आवश्यक हो, न्यूनतम पट्टा भुगतान [एकमुश्त तत्काल (अपफ्रंट) भुगतान सहित] पट्टे के आरंभ में ही भूमि घटक एवं भवन घटकों के बीच उनके पट्टा हितों से संबंधित उचित मूल्य के

⁵ परिशिष्ट 'ख' पट्टे के विधिक स्वरूपयुक्त लेनदेनों के सारत्व का मूल्यांकन भी देखें।

समानुपात में आवंटित किया जाता है। यदि इन दोनों घटकों के बीच पट्टा भुगतान समुचित रूप से आवंटित नहीं किए जा सकते हों तो संपूर्ण पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि दोनों घटक परिचालन पट्टे हैं तो ऐसी स्थिति में उस संपूर्ण पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

17. भूमि एवं भवनों के पट्टे के लिए, जिसमें राशि जिसे अनुच्छेद 20 के अनुसार प्रारंभ में भूमि घटक के लिए मान्यता प्राप्त है लेकिन वह राशि महत्वहीन है तो ऐसे में भूमि एवं भवनों के पट्टे के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए एकल इकाई पट्टा माना जाएगा और उसे अनुच्छेद 7-13 के अनुसार एक वित्तीय पट्टे अथवा एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे मामले में, भवनों का आर्थिक जीवन पट्टाकृत आस्ति के संपूर्ण आर्थिक जीवनकाल के जैसे माना जाता है।

18.-19. [देखें परिशिष्ट 1]

पट्टेदारों के वित्तीय विवरणों में पट्टे

वित्तीय पट्टे

प्रारंभिक मान्यता

20. पट्टे की अवधि के आरंभ में, पट्टेदार वित्तीय पट्टों को अपने तुलन-पत्रों में पट्टाकृत आस्ति के उचित मूल्य के बराबर राशि पर आस्तियों और दायित्वों के रूप में मान्यता देगा या, यदि यह कम है, तो न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मान्यता देगा, यह दोनों ही पट्टे के आरंभ में ही निर्धारित होगी। न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य की गणना में प्रयुक्त होने वाले बट्टा दर पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर है, यदि यह निर्धारित करना व्यावहारिक है, और यदि व्यावहारिक नहीं है तो पट्टेदार की वृद्धिशील ऋण दरों का प्रयोग किया जाएगा। पट्टेदार की कोई आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को आस्ति के रूप में मान्यता प्राप्त राशि में जोड़ा जाएगा।
21. लेन-देनों एवं अन्य घटनाओं का लेखा उनके सार एवं वित्तीय वास्तविकता के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा न कि केवल कानूनी स्वरूप में। यद्यपि, पट्टा करार का कानूनी स्वरूप यह है कि पट्टेदार पट्टाकृत आस्ति का कोई कानूनी हक (टाइटल) ग्रहण नहीं कर सकता, किन्तु वित्तीय पट्टों के मामले में सार एवं वित्तीय वास्तविकता यह है कि पट्टेदार पट्टाकृत आस्ति का प्रयोग आर्थिक लाभों के लिए उसकी आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग के लिए उस अधिकार के लिए उतनी राशि के भुगतान की बाध्यता के बदले में ग्रहण करता है जो पट्टे के आरंभ होने के समय, आस्ति के उचित मूल्य तथा संबंधित वित्तीय प्रभार के लगभग जो है।
22. यदि ऐसे पट्टाकृत लेनदेन पट्टेदार के तुलनपत्र में परिलक्षित नहीं होते हैं, तो प्रतिष्ठान के आर्थिक स्रोतों एवं बाध्यताओं का स्तर कम आंका जाता है जिससे वित्तीय अनुपात विकृत होते हैं। अतः यह उचित होगा कि भावी पट्टा भुगतानों की अदायगी के लिए पट्टेदार के तुलनपत्र में वित्तीय पट्टे को दोनों एक आस्ति और एक बाध्यता के रूप में मान्यता दी जाती है। पट्टे अवधि के आरंभ के समय भावी पट्टा भुगतानों, आस्ति एवं दायित्व को तुलनपत्र में एक समान राशि पर मान्यता दी जाती है। जिसमें पट्टेदार की किसी आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को छोड़ दिया जाता है जो कि आस्ति के रूप में मान्य राशि में जोड़ी जाती है।
23. पट्टाकृत आस्तियों के दायित्वों को वित्तीय विवरणों में पट्टाकृत आस्तियों में से घटाकर प्रस्तुत करना सही नहीं है। यदि तुलनपत्र में दायित्वों के प्रस्तुतिकरण में चालू और गैर-चालू दायित्वों को अलग से दर्शाया जाता है तो पट्टाकृत दायित्वों का भी उसी रूप में दिखाया जाएगा।
24. आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें प्रायः विशेष पट्टाकृत क्रियाकलापों पर व्यय की जाती हैं, जैसे कि पट्टा व्यवस्थाओं की बातचीत एवं प्राप्त करने में होती है। ये लागतें पट्टेदार द्वारा वित्तीय पट्टे के क्रिया-कलापों का निष्पादन करने में प्रत्यक्षतः आरोप्य होती हैं और आस्ति के रूप में मान्य राशि में जोड़ दी जाती हैं।

उत्तरवर्ती माप

25. न्यूनतम पट्टा भुगतान, बकाया दायित्व में कटौती एवं वित्तीय प्रभार के बीच बांटा जाएगा। वित्तीय प्रभार पट्टे की अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि पर आवंटित किया जाता है ताकि दायित्व के बाकी बचे बकाया शेष पर ब्याज की स्थिर अवधिक दर लगाई जा सके। आकस्मिक किराए, जिस अवधि में उपगत किए जाते हैं उसी अवधि में खर्च के रूप में प्रभारित किए जाएंगे।
26. व्यवहार में, पट्टे की अवधि के दौरान वित्तीय प्रभार के आवंटन में, पट्टेदार गणना की सरलता के लिए लगभग राशि का उपयोग भी कर सकता है।
27. एक वित्तीय पट्टा, प्रत्येक लेखा अवधि के लिए वित्तीय खर्च के साथ-साथ मूल्याहसयोग्य आस्तियों के मूल्यहास व्यय को जन्म देता है। मूल्यहासयोग्य पट्टाकृत आस्तियों के लिए मूल्यहास नीति वही होगी जो स्वामित्वाधीन मूल्यहासयोग्य आस्तियों के लिए है और मान्य मूल्यहास की गणना भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा भारतीय लेखा मानक 38, अमूर्त आस्तियों के अनुसार की जाएंगी। यदि इस बात की कोई तर्कसंगत निश्चितता नहीं है कि पट्टाकर्ता पट्टा अवधि के अंत

तक पट्टा का स्वामित्व प्राप्त कर लेगा तो आस्ति पट्टा अवधि तथा इसके उपयोगी जीवनकाल में से जो भी अवधि कम है उसके अंदर पूर्णतः मूल्यहासित कर दी जाएगी।

28. पट्टाकृत आस्ति की मूल्यहासयोग्य राशि प्रत्याशित प्रयोग की अवधि के दौरान प्रत्येक लेखा अवधि पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित की जाएगी जो कि पट्टेदार द्वारा स्वामित्वाधीन मूल्यहासयोग्य आस्तियों के लिए अपनायी गयी मूल्यहास नीति के अनुरूप होगी। यदि तर्कसंगत आधार पर यह निश्चित है कि पट्टेदार पट्टा अवधि के अन्त तक स्वामित्व ग्रहण कर लेगा तो आस्ति प्रत्याशित उपयोग अवधि ही उसका उपयोगी जीवनकाल होगा अन्यथा आस्ति पट्टा अवधि तथा उपयोगी जीवनकाल, इनमें जो भी अवधि कम है, उस दौरान मूल्यहासित की जाएगी।
29. किसी आस्ति के मूल्यहास की व्यय राशि तथा अवधि का वित्तीय व्यय का जोड़ शायद ही उस अवधि के पट्टा भुगतान के समान हो और, इसलिए, देय पट्टा भुगतानों को व्यय के रूप में मान्यता देना उचित नहीं है। तदनुसार, आस्ति अवधि के आरंभ होने के बाद आस्ति एवं संबंधित दायित्व राशि के बराबर होने की कोई संभावना नहीं होती।
30. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पट्टाकृत आस्ति क्षतिग्रस्त हो गई है, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्ता* का प्रयोग करता है।

प्रकटन

31. पट्टेदार भारतीय लेखा मानक 107, *वित्तीय लिखतें* : प्रकटन की अपेक्षाओं को पूरा करने के अतिरिक्त, वित्तीय पट्टों के लिए निम्नलिखित का भी प्रकटन करेगा:
 - (क) आस्ति की प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शुद्ध अग्रणीत राशि।
 - (ख) रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में कुल भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान और उनका वर्तमान मूल्य के बीच समाधान (मिलान)। इसके अलावा प्रतिष्ठान को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कुल भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान और उनके वर्तमान मूल्य निम्नलिखित प्रत्येक अवधि के लिए प्रकट करना होगा :
 - (i) जो एक वर्ष के पश्चात् न हो;
 - (ii) एक वर्ष से पश्चात् हो और पांच वर्षों के पश्चात् न हो;
 - (iii) पांच वर्षों के पश्चात्;
 - (ग) अवधि के दौरान, खर्च के रूप में मान्य आकस्मिक किराए।
 - (घ) रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में, गैर- रद्द करने योग्य उपपट्टे के अन्तर्गत प्राप्त किए जाने वाले भावी कुल न्यूनतम उपपट्टा भुगतान।
 - (ङ) पट्टेदार की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं का सामान्य ब्यौरा, जिसमें निम्नलिखित तो शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं हैं:
 - (i) वह आधार जिस पर देय आकस्मिक किराया निर्धारित किया गया है ;
 - (ii) नवीकरण अथवा खरीद विकल्पों का अस्तित्व एवं शर्तें तथा वृद्धिकरण खंड; और
 - (iii) पट्टा व्यवस्थाओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, जैसे कि लाभांशों, अतिरिक्त ऋण तथा भावी पट्टे से संबंधित प्रतिबंध।
32. इसके अलावा, पट्टेदार वित्तीय पट्टों के अन्तर्गत, पट्टाकृत आस्तियों के लिए भारतीय लेखा मानक 16, भारतीय लेखा मानक 36, भारतीय लेखा मानक 38, भारतीय लेखा मानक 40, तथा भारतीय लेखा मानक 41, के अनुसार प्रकटन की अपेक्षाओं का प्रयोग करता है।

परिचालन पट्टे

33. परिचालन पट्टे के अन्तर्गत पट्टा भुगतान, पट्टे की अवधि के दौरान तब तक सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में तब तक मान्य होंगे जब तक निम्नलिखित में से कोई एक न हो।
 - (क) कोई और सुव्यवस्थित आधार जो उपयोगकर्ता के लाभ के समय ढंग (टाइम पैटर्न) का अधिक प्रतिनिधित्व करता हो, बेशक पट्टाकर्ताओं को भुगतान उस आधार पर न हों; अथवा

- (ख) पट्टाकर्ता को भुगतान इस तरह से संरचित किए जाते हैं जिनमें इस प्रकार की वृद्धि हो ताकि प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति की प्रतिपूर्ति हो सके। यदि पट्टाकर्ता को भुगतान परिवर्तित सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न किन्हीं अन्य कारकों के कारण होते हैं तब यह शर्त पूरी नहीं होती है।⁶
34. परिचालन पट्टों के लिए, पट्टा भुगतान (जैसे बीमा एवं रखरखाव जैसी सेवाओं की लागतों को छोड़कर) तब तक सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्य होते हैं जब तक कि उपयोगकर्ता के लाभ की पद्धति के कोई अन्य सुव्यवस्थित प्रतिनिधित्व का आधार नहीं मिल जाता, भले ही भुगतान उस आधार पर न किए गए हों।
- प्रकटन**
35. पट्टेदार भारतीय लेखा मानक 107 की अपेक्षाओं की पूर्ति के अलावा परिचालन पट्टों के लिए निम्नलिखित प्रकटन करेगा:
- (क) गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के अन्तर्गत प्रत्येक के लिए निम्नलिखित अवधियों के लिए भावी कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान :
- (i) एक वर्ष के पश्चात् न हो;
- (ii) एक वर्ष के पश्चात् तथा पांच वर्षों के पश्चात् न हो;
- (iii) पांच वर्षों के पश्चात्।
- (ख) रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में गैर-रद्द करने योग्य उपपट्टों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले भावी कुल न्यूनतम उपपट्टा भुगतान।
- (ग) न्यूनतम पट्टा भुगतानों, आकस्मिक किराए एवं उपपट्टा भुगतान की पृथक राशियों के साथ अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्य पट्टा एवं उपपट्टा भुगतान,।
- (घ) पट्टेदार के महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं का सामान्य विवरण जिसमें निम्नलिखित तो शामिल हैं लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :
- (i) वह आधार जिस पर देय आकस्मिक किराया निर्धारित किया गया है ;
- (ii) नवीकरण अथवा खरीद विकल्पों का आस्तित्व एवं शर्तें तथा वृद्धिकरण खंड; और
- (iii) पट्टा व्यवस्थाओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, जैसे कि वे संबंधित लाभांशों, अतिरिक्त ऋण तथा भावी पट्टे से संबंधित प्रतिबंध।

पट्टाकर्ताओं के वित्तीय विवरणों में पट्टे

वित्तीय पट्टे

प्रारंभिक मान्यता

36. पट्टाकर्ता अपने तुलनपत्रों में वित्तीय पट्टे के अन्तर्गत धारित आस्तियों को मान्यता देगा तथा उन्हें पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर प्राप्य राशि के रूप में दर्शाएगा।
37. वित्तीय पट्टे के अन्तर्गत पट्टाकर्ता द्वारा कानूनी स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिम एवं प्रतिफल सारभूत रूप से स्थानान्तरित कर दिए जाते हैं और इसलिए पट्टाकर्ता द्वारा प्राप्य पट्टा भुगतान को मूलधन तथा वित्तीय आय की चुकौती हेतु पट्टाकर्ता को उसके निवेश एवं सेवाओं की प्रतिपूर्ति एवं प्रतिफल के रूप में समझा जाता है।
38. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें प्रायः पट्टाकर्ता द्वारा उपगत की जाती हैं और उन में राशियां जैसे कमीशन, कानूनी फीस तथा आंतरिक लागतें शामिल होती हैं, जो वृद्धिशील होती हैं तथा पट्टे की बातचीत करने तथा व्यवस्था करने से प्रत्यक्षतः अरोप्य होती हैं। इनमें सामान्य ऊपरी व्यय जैसे कि बिक्री एवं मार्केटिंग टीम द्वारा किये गये व्यय शामिल नहीं होते हैं। विनिर्माता अथवा डीलर पट्टाकर्ता के अलावा अन्य वित्तीय पट्टों में, आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें, प्राप्य वित्तीय पट्टे के आरंभिक माप में शामिल होती हैं तथा पट्टा अवधि के दौरान मान्य आय की राशि को घटा देती हैं। पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर को इस तरह परिभाषित किया गया है कि आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें प्राप्य वित्तीय पट्टे में स्वतः ही शामिल हो जाती हैं और उन्हें अलग-से जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बातचीत करने और पट्टे की व्यवस्था करने के संबंध में विनिर्माता अथवा डीलर पट्टाकर्ता द्वारा किए गए व्यय को आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों

⁶परिशिष्ट 'क' परिचालन पट्टे - प्रोत्साहन भी देखें

की परिभाषा से हटा दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें पट्टे में शुद्ध निवेश से हटा दिया जाता है और जब बिक्री लाभ को मान्यता दी जाती है तो उसे व्यय के रूप में मान लिया जाता है जो कि वित्तीय पट्टे में सामान्यतः पट्टे के प्रारंभ में होता है।

उत्तरवर्ती माप

39. वित्तीय आय की मान्यता एक ऐसे ढांचे पर आधारित होगी, जो वित्तीय पट्टे में पट्टाकर्ता के शुद्ध निवेश पर स्थिर आवधिक प्रतिफलों की दर को प्रतिबिंबित करता है।
40. एक पट्टाकर्ता वित्तीय आय का आवंटन पट्टा अवधि पर विधिपूर्वक व विवेकपूर्ण आधार पर करता है। इस आय का आवंटन ऐसे ढांचे पर आधारित होता है जो वित्तीय पट्टे में पट्टाकर्ता के शुद्ध निवेश पर स्थिर आवधिक प्रतिफलों को दर्शाते हैं। उस अवधि से संबंधित पट्टा भुगतान सेवाओं की लागतों को छोड़कर पट्टे के सकल निवेश में से मूलधन एवं अनर्जित वित्तीय आय में से घटाकर निकाला जाता है।
41. पट्टे में पट्टाकर्ता के सकल निवेश की गणना में प्रयुक्त प्राक्कलित गैर-गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य की नियमित आधार से समीक्षा की जाती है। यदि प्राक्कलित गैर-गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य में कोई गिरावट आती है तो पट्टे की अवधि में आय के आवंटन को संशोधित किया जाता है तथा उपचित राशियों में यदि कोई कमी होती है तो उसे तत्काल मान्यता दी जाती है।
- 41क. वित्तीय पट्टे के अंतर्गत, एक आस्ति जो भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन* के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है (अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह सहित) उसका लेखा उस भारतीय लेखा मानक के अनुसरण में किया जाएगा।
42. विनिर्माता अथवा डीलर पट्टाकर्ता अवधि के दौरान बिक्री लाभ अथवा हानि को प्रतिष्ठान द्वारा सीधे ही होने वाली बिक्री के मामले में अपनाई गयी नीति के अनुसार मान्यता देगा। यदि कृत्रिम रूप से कम ब्याज दर अंकित की जाती है तो बिक्री लाभ उस सीमा तक प्रतिबंधित होगा जो कि तब लागू होती अगर ब्याज की बाजार दर प्रभारित की गई होती है। पट्टे की बातचीत और व्यवस्था के संबंध में विनिर्माता या डीलर पट्टाकर्ताओं द्वारा उपचित लागतें व्यय के रूप में मान्य होंगी जब बिक्री लाभ को मान्यता दी जाती है।
43. विनिर्माता अथवा डीलर प्रायः ग्राहकों को आस्ति को पट्टे पर लेने अथवा खरीद लेने का विकल्प देते हैं। विनिर्माता अथवा डीलर पट्टाकर्ता द्वारा आस्ति के वित्तीय पट्टा पर निम्नलिखित दो प्रकार की आय होती है :
 - (क) लाभ अथवा हानि जो उस लाभ अथवा हानि के बराबर है जो पट्टाकर्ता की जा रही आस्ति की सामान्य विक्रय मूल्य, जो किसी लागू परिमाण अथवा व्यापार छूटों को प्रतिबिंबित करता है, पर सीधे की गयी बिक्री के फलस्वरूप होते हैं ; और
 - (ख) पट्टा अवधि के दौरान वित्तीय आय
44. विनिर्माता अथवा डीलर पट्टाकर्ता द्वारा पट्टा अवधि के आरंभ में मान्य बिक्री राजस्व आस्ति का उचित मूल्य है, अथवा, यदि यह कम है तो ब्याज की बाजार दर पर संगणित, पट्टाकर्ता को मिलने वाले न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य है। पट्टा अवधि के प्रारंभ में मान्य विक्रय लागत या तो लागत ही है अथवा पट्टाकर्ता संपत्ति की अग्रणीत राशि है, यदि यह अलग है जिसमें से गैर-गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के वर्तमान मूल्य को घटाकर बिक्री की लागत निकाली जाएगी। बिक्री राजस्व एवं बिक्री की लागत के बीच का अंतर बिक्री लाभ है जिसे प्रतिष्ठान की सीधे ही होने वाली बिक्रियों की नीति के अनुसार मान्यता दी जाती है।
45. विनिर्माता अथवा डीलर पट्टाकर्ता कई बार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कृत्रिम रूप से कम ब्याज दरें अंकित करते हैं। बिक्री के समय मान्य लेन-देन से प्राप्त कुल आय का अधिकांश भाग ऐसी ब्याज दर का प्रयोग करने के फलस्वरूप होता है। यदि कृत्रिम रूप से ब्याज दर कम अंकित की जाती है तो बिक्री लाभ उस सीमा तक प्रतिबंधित किया जाता है जो कि तब लागू होती अगर ब्याज की बाजार दर प्रभारित होती।
46. बातचीत करने तथा वित्तीय पट्टा की व्यवस्था करने के संबंध में विनिर्माता अथवा डीलर पट्टाकर्ता द्वारा खर्च की गई लागतें पट्टा अवधि के प्रारंभ में व्यय के रूप में मान्य होती हैं क्योंकि वे मुख्यतः विनिर्माता अथवा डीलर के विक्रय लाभ को अर्जित करने (आमदनी) से संबंधित हैं।

प्रकटन

47. पट्टाकर्ता भारतीय लेखा मानक 107 की अपेक्षाओं को पूरा करने के अलावा वित्तीय पट्टों के लिए निम्नलिखित का भी प्रकटन करेंगे :

- (क) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पट्टे में किये गये सकल निवेश और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के बीच मिलान। इसके अलावा, प्रतिष्ठान पट्टे में सकल निवेश और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का निम्नलिखित प्रत्येक अवधि के लिए प्रकटन करेगा :
- एक वर्ष के पश्चात् न हो ;
 - एक वर्ष के पश्चात् हो और पांच वर्षों के पश्चात् न हो;
 - पांच वर्षों के पश्चात् ।
- (ख) अनर्जित वित्तीय आय ।
- (ग) पट्टाकर्ता के लाभ के लिए उपचित गैर- गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य ।
- (घ) गैर-संग्रहणीय प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों के लिए संचित भत्ता ।
- (ङ) अवधि के दौरान, आय के रूप में मान्य आकस्मिक किराए ।
- (च) पट्टाकर्ता की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं का सामान्य विवरण ।
48. वृद्धि के एक सूचक के रूप में प्रायः यह भी लाभदायक होगा कि अवधि के दौरान जुड़े नए व्यवसाय में रद्द किये गए पट्टों की संबंधित राशियां घटा देने के बाद अनर्जित आय को घटाकर सकल निवेश प्रकटन किया जाए ।
- परिचालन पट्टे**
49. पट्टाकर्ता अपने तुलन-पत्र में, परिचालन पट्टों के तहत पट्टाकृत आस्तियों को उनकी प्रकृति के अनुसार, दर्शाएंगे ।
50. पट्टा अवधि के दौरान, परिचालन पट्टों से प्राप्त पट्टा आय को (बीमा और रख-खाव जैसी सेवाओं की राशियों को छोड़कर) सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब निम्नलिखित दोनों में से एक नहीं होता है:
- कोई और सुव्यवस्थित आधार जो उस समय ढंग (टाइम पैटर्न) का अधिक प्रतिनिधित्व करता हो जिसके उपयोग में पट्टाकृत आस्ति से सृजित लाभ घट जाता है बेशक पट्टाकर्ताओं को भुगतान उस आधार पर न हो ; अथवा
 - पट्टाकर्ता को भुगतान इस तरह से संरचित किए जाते हैं जिन्हें इस प्रकार की वृद्धि हो ताकि प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति प्रतिपूर्ति हो सके यदि पट्टाकर्ता को भुगतान परिवर्तन सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न किन्हीं अन्य कारकों के कारण होते हैं तब यह शर्तें पूरी नहीं होती हैं ।⁷
51. पट्टागत आय को अर्जित करने में लगी लागतें, मूल्यहास सहित खर्च के रूप में मान्य समझी जाएंगी । पट्टा आय (बीमा एवं रखरखाव के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाओं की प्राप्तियों को छोड़कर) तब तक पट्टा अवधि के लिए सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त मानी जाएंगी चाहे प्राप्तियां ऐसे आधार पर प्राप्त न हुई हो जब तक कि समयगत ढांचे का और अधिक प्रतिनिधिपरक कोई क्रमबद्ध आधार नहीं मिल जाता जो कि पट्टाकृत आस्ति से प्राप्त लाभ का प्रयोग कम नहीं हो जाता ।
52. परिचालन पट्टे के बारे में बातचीत एवं व्यवस्था करने में पट्टेदार द्वारा व्यय की गई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पट्टाकृत आस्ति की अग्रणीत राशि में जोड़ दिया जाएगा तथा पट्टा अवधि में व्यय के रूप में उसी तरह मान्यता दी जाएगी जैसे कि पट्टा आय के संबंध में दी जाती है।
53. मूल्यहास योग्य पट्टाकृत आस्तियों के लिए मूल्यहास नीति पट्टाकर्ता की उसी प्रकार की आस्तियों के लिए लागू सामान्य मूल्यहास नीति के अनुरूप होगी और मूल्यहास की गणना भारतीय लेखा मानक 16 तथा भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार की जाएगी ।
54. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पट्टाकृत आस्ति क्षतिग्रस्त हो गई है, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 36 को लागू करता है
55. एक विनिर्माता अथवा डीलर पट्टाकर्ता परिचालन पट्टे में किसी बिक्री लाभ को मान्यता नहीं देता क्योंकि वह बिक्री के समतुल्य नहीं होता है।
- प्रकटन**
56. परिचालन पट्टों के लिए, पट्टाकर्ता भारतीय लेखा मानक 107 की अपेक्षाओं को पूरा करने के अलावा निम्नलिखित को भी प्रकट करेगा :

⁷ परिशिष्ट 'क' परिचालन पट्टे - प्रोत्साहन भी देखें

- (क) गैर- रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के अन्तर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नलिखित में सकल अथवा प्रत्येक अवधि के लिए
- (i) एक वर्ष के पश्चात् न हो ;
 - (ii) एक वर्ष के पश्चात् हो एवं पांच वर्ष के पश्चात् न हो ;
 - (iii) पांच वर्षों के पश्चात् ।
- (ख) अवधि के दौरान, आय के रूप में मान्य कुल आकस्मिक किराए ।
- (ग) पट्टाकर्ता की पट्टागत व्यवस्थाओं का सामान्य विवरण ।
57. इसके अलावा, परिचालन पट्टों के अन्तर्गत दी गई आस्तियों के लिए भारतीय लेखा मानक 16, भारतीय लेखा मानक 36, भारतीय लेखा मानक 38, भारतीय लेखा मानक 40 एवं भारतीय लेखा मानक 41, की प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं पट्टाकर्ताओं पर लागू होती हैं।

बिक्री एवं वापसी पट्टा संबंधी लेन-देन

58. बिक्री एवं वापसी पट्टा (लीज बैक) संबंधी लेन-देन में आस्ति की बिक्री एवं उसी आस्ति का वापसी पट्टा शामिल है पट्टा भुगतान और बिक्री मूल्य सामान्यतः एक-दूसरे पर आश्रित होते हैं क्योंकि उन पर बातचीत एक पैकेज के रूप में होती है। बिक्री एवं वापसी पट्टा संबंधी लेन-देन का लेखा व्याप्त पट्टे की किस्म पर निर्भर करता है।
59. यदि बिक्री एवं वापसी पट्टा संबंधी लेन-देन एक वित्तीय पट्टे में परिणत होता है तो अग्रणीत राशि के ऊपर से कोई भी अधिक बिक्री प्राप्तियां विक्रेता पट्टेदार (पट्टाधारी) द्वारा तत्काल आय के रूप में नहीं मानी जाएगी, बल्कि इसे आस्थगित रखा जाएगा और पट्टा अवधि के दौरान इसे परिशोधित किया जाएगा ।
60. यदि वापसी पट्टा (लीज बैक) एक वित्तीय पट्टा है तो लेन-देन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा पट्टाकर्ता पट्टेदार को आस्ति को प्रतिभूति के रूप में रखकर वित्त उपलब्ध कराता है। इस कारण से अग्रणीत राशि के ऊपर बिक्री से प्राप्ति के अधिकांश को आय के रूप में मानना उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार की अधिकांश राशि को आस्थगित रखा जाता है और पट्टा अवधि के दौरान इसे परिशोधित किया जाता है।
61. यदि बिक्री एवं वापसी पट्टा लेन-देन परिचालन पट्टे में परिणत होते हैं और यह स्पष्ट है कि लेन-देन उचित मूल्य पर किया गया है इसलिए कोई भी लाभ अथवा हानि तत्काल मान्य कर दी जाएगी । यदि बिक्री मूल्य उचित मूल्य से कम है तो कोई भी लाभ अथवा हानि तत्काल मान्य कर दी जाएगी, सिवाय इसके कि यदि हानि की भरपाई भावी पट्टा भुगतानों द्वारा बाजार मूल्य से कम पर की जाती है। इस स्थिति में आस्ति को जिस अवधि के दौरान प्रयोग में लाया जाना है उसे पट्टा भुगतानों के अनुपात में आस्थगित एवं परिशोधित किया जाएगा । यदि बिक्री मूल्य उचित मूल्य से ऊपर है तो उस अधिकांश को जिस अवधि के लिए आस्ति प्रयोग में लायी जानी है उस अवधि के लिए आस्थगित एवं परिशोधित माना जाएगा ।
62. यदि वापसी पट्टा परिचालन पट्टा है और पट्टा भुगतान तथा बिक्री मूल्य उचित मूल्य पर है तो उसे वास्तव में एक सामान्य बिक्री लेन-देन माना जाएगा और किसी भी लाभ या हानि को तत्काल मान्यता दी जाएगी ।
63. परिचालन पट्टों के लिए, यदि बिक्री तथा वापसी पट्टा लेन-देन के समय उचित मूल्य आस्ति की अग्रणीत राशि से कम है तो अग्रणीत राशि और उचित मूल्य राशि के बीच के अंतर की राशि के बराबर हानि को तत्काल मान्यता दी जाएगी ।
64. वित्तीय पट्टों के लिए, कोई समायोजन तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि मूल्य में कोई क्षतिग्रस्तता नहीं है । इस स्थिति में भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार अग्रणीत राशि को घटाकर वसूली योग्य राशि तक लाया जाएगा ।
65. पट्टेदारों एवं पट्टाकर्ताओं दोनों की प्रकटन अपेक्षाएं बिक्री एवं वापसी पट्टा लेन-देनों पर समान रूप से लागू होती हैं। महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं के अपेक्षित विवरण करार के विशिष्ट या असामान्य प्रावधानों या बिक्री तथा वापसी पट्टा लेन-देनों की शर्तों का प्रकटन करता है।
66. बिक्री एवं वापसी पट्टा लेन-देन भारतीय लेखा मानक 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण में अलग प्रकटन मानदण्डों को उत्प्रेरित कर सकते हैं।

परिशिष्ट क

परिचालन पट्टे — प्रोत्साहन

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

मुद्दे

1. एक नये अथवा नवीकृत परिचालन पट्टे की बातचीत में, पट्टाकर्ता पट्टेदार को करार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऐसे प्रोत्साहनों के उदाहरणों में, पट्टेदार को तत्काल नकद भुगतान अथवा पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार की लागतों को ग्रहण करने या उनकी प्रतिपूर्ति (जैसेकि पुनर्स्थापन-लागतें, पट्टेदारी सुधार एवं पट्टेदार की पूर्व व्यापी पट्टा वचनबद्धता से संबद्ध लागतें) की प्रतिपूर्ति या उन्हें ग्रहण करना शामिल है। वैकल्पिक रूप से, पट्टा मियाद की आरंभिक अवधि में किराया-मुक्त या कम किराये पर सहमत हुआ जा सकता है।
2. मुद्दा यह है कि एक परिचालन पट्टे में पट्टेदार एवं पट्टाकर्ता दोनों के वित्तीय विवरणों में प्रोत्साहनों को कैसे मान्यता दी जाए।

लेखा सिद्धान्त

3. नए अथवा नवीकृत परिचालन पट्टे के करार में सभी प्रोत्साहनों को पट्टाकृत आस्ति के प्रयोग की सहमति के आधार पर शुद्ध प्रतिफल के अभिन्न भाग के रूप में मान्यता दी जाती है, चाहे प्रोत्साहन की प्रकृति अथवा स्वरूप अथवा भुगतानों की समय सीमा कुछ भी हो।
4. पट्टाकर्ता पट्टे की अवधि के दौरान किराये की आय को घटाकर प्रोत्साहनों की सकल लागत को सीधी रेखा के आधार पर तब तक मान्यता देगा जब तक कि कोई अन्य प्रणालीगत आधार पर समयगत ढांचे का प्रतिनिधित्व नहीं होता है जिससे कि पट्टाकृत आस्ति का लाभ कम हो जाए।
5. पट्टेदार प्रोत्साहनों के सकल लाभ को तब तक सीधी रेखा के आधार पर पट्टा अवधि के किराये व्यय में कटौती के रूप में मान्यता देगा जब तक कि पट्टाकृत आस्ति के प्रयोग से पट्टेदार को प्राप्त लाभ पर समयगत ढांचे के प्रतिनिधित्व का कोई अन्य प्रणालीगत आधार नहीं मिल जाता।
6. पट्टेदार द्वारा व्यय की गई लागतें, जिनमें पहले से मौजूद पट्टा लागतें भी शामिल हैं (उदाहरण के लिए पट्टा समाप्ति, पुनर्स्थापन, अथवा पट्टादारी सुधार), पट्टेदार द्वारा उन लागतों पर लागू मानकों के आधार पर लेखा किया जाएगा। इन लागतों में, प्रोत्साहन व्यवस्था के माध्यम से प्रभावी रूप से लागतों की प्रतिपूर्ति भी शामिल है।

परिशिष्ट ख**पट्टे के विधिक स्वरूपयुक्त लेन-देनों के सारत्व का मूल्यांकन**

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

मुद्दा

1. एक प्रतिष्ठान किसी असंबद्ध पक्ष (पार्टी) अथवा पक्षों (निवेशक) के साथ एक लेनदेन अथवा सुसंरचित लेन-देनों (व्यवस्था) की एक ऐसी शृंखला के लिए सहमत होता है जो पट्टे के कानूनी रूप में है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान एक निवेशक को आस्तियों को पट्टे पर दे सकता है और उन्हीं आस्तियों को पट्टे पर वापस भी ले सकता है, अथवा वैकल्पिक रूप में, आस्तियों को कानूनी रूप से बेच सकता है और उसी आस्ति को वापस पट्टे पर भी ले सकता है। प्रत्येक व्यवस्था का स्वरूप और उसकी शर्तें एवं निबंधन काफी हद तक भिन्न-भिन्न हो सकता है। पट्टा और पुनःपट्टा उदाहरण में, यह हो सकता है कि व्यवस्था निवेशक को कर लाभ देने के लिए बनायी गयी हो जिसे प्रतिष्ठान के साथ शुल्क के रूप में शेयर करने के लिए भी किया गया हो, न कि आस्ति के प्रयोग का अधिकार देने के लिए।
2. जब निवेशक के साथ पट्टे के विधिक स्वरूप की व्यवस्था होती है तो मुद्दे इस प्रकार होते हैं :
 - (क) यह कैसे निर्धारित किया जाए कि लेन-देनों की शृंखला परस्पर संबद्ध है और एक लेन-देन के रूप में कैसे उसका लेखा किया जाए।
 - (ख) क्या व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 17 के अन्तर्गत दी गई परिभाषा के अनुरूप है, यदि नहीं है तो :
 - (i) क्या एक अलग निवेश खाता और पट्टा भुगतान दायित्व मौजूद हैं जिन्हें प्रतिष्ठान की आस्तियों एवं दायित्वों के रूप में दर्शाया जाता है;
 - (ii) प्रतिष्ठान द्वारा व्यवस्था से संबद्ध अन्य दायित्वों का किस प्रकार लेखांकन किया जाएगा ; और
 - (iii) प्रतिष्ठान एक निवेशक से प्राप्त होने वाले शुल्क को कैसे लेखांकित करेगा।

लेखा सिद्धान्त

3. लेन-देनों की शृंखला जिसमें पट्टे का विधिक स्वरूप व्याप्त है और उन एक लेन-देन के लेखा से जुड़ा हुआ है जब समग्र आर्थिक प्रभाव को सभी लेन-देनों के सामूहिक संदर्भ में ही समझा जा सकता हो। ऐसा तभी हो सकता है जब शृंखला के सभी लेन-देन परस्पर गहन रूप से जुड़े हों, एकल लेन-देन के रूप में परक्राम्यित हों, समवर्ती रूप से हों अथवा लगातार क्रमबद्ध रूप से संबद्ध हों।
4. लेखांकन में व्यवस्था के सारत्व परिलक्षित किया जाएगा। व्यवस्था के सभी पहलुओं एवं निहितार्थों के सारत्व को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकित किया जाएगा। इसके साथ ही, उन पहलुओं एवं निहितार्थों के महत्व को भी ध्यान में रखा जाएगा जिनका आर्थिक प्रभाव है।
5. भारतीय लेखा मानक 17 तब लागू होता है जब किसी व्यवस्था का सारत्व सहमत समयावधि के लिए किसी आस्ति के प्रयोग का अधिकार देता हो। अलग-अलग संकेत स्पष्ट करता है कि व्यवस्था में, सार रूप में, भारतीय लेखा मानक 17 के अन्तर्गत पट्टा शामिल नहीं भी हो सकता है :
 - (क) एक प्रतिष्ठान अपने पास रखी आस्ति के स्वामित्व में सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को प्रतिधारित करता है और व्यवस्था होने से पहले की तरह उन्हीं सारे अधिकारों का अधिकांशतया उपयोग करता है ;
 - (ख) व्यवस्था का मुख्य कारण कर विशेष के परिणामों को प्राप्त करना है, न कि आस्ति के प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करना है, और
 - (ग) यह विकल्प उन शर्तों में शामिल है जो कि इसके प्रयोग को निश्चित करता है। (उदाहरणतया एक 'पुट ऑप्शन' (बिक्री विकल्प) जो उस कीमत पर प्रयोग योग्य है जो इस प्रयोग योग्य प्रत्याशित उचित मूल्य से काफी अधिक है)।
6. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में *वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने हेतु मूलभूत पद्धति*, के अनुच्छेद 49-64 में परिभाषाएं एवं मार्गदर्शन यह निर्धारित करने के लिए लागू किया जाएगा कि क्या एक अलग निवेश खाता एवं पट्टा भुगतान दायित्व प्रतिष्ठान की आस्तियों व देयताओं को दर्शाते हैं या नहीं। मार्गदर्शन में समूचे रूप से दर्शाया गया है कि सार संकेतकों रूप में, अलग निवेश खाते एवं पट्टा भुगतान दायित्व आस्ति एवं देयता की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं और प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित मान्य नहीं होंगे।
 - (क) एक प्रतिष्ठान अपने उद्देश्यों के कारण निवेश खाता पर नियंत्रण करने के लिए सक्षम नहीं है और न ही पट्टा भुगतानों के लिए बाध्य है। उदाहरण के लिए, यह तब होता है जब एक पूर्वप्रदत्त राशि निवेशक के हित के लिए एक अलग निवेश खाते में रख दी जाती है और उसे केवल निवेशक के भुगतान के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। निवेशक इस बात के लिए सहमत हो जाता है कि पट्टा भुगतान बाध्यता निवेश खाते की निधियों से अदा किया जाएगा और प्रतिष्ठान निवेश खाते से निवेशक का भुगतान रोकने के लिए सक्षम नहीं है।
 - (ख) प्रतिष्ठान को निवेशक से प्राप्त किसी शुल्क की समूची राशि की प्रतिपूर्ति करने का केवल मामूली-सा जोखिम है और उसे थोड़ी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ सकता है अथवा, जब शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है तो अन्य बाध्यता (अर्थात् गारंटी) के अन्तर्गत भुगतान करने का केवल मामूली जोखिम होता है। उदाहरण के लिए, भुगतान का मामूली जोखिम केवल तब होता है जब व्यवस्था की शर्तों के अनुसार पूर्व प्रदत्त राशि जोखिम-मुक्त आस्तियों में निवेश कर दी जाती है और पट्टा भुगतान बाध्यता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह सृजित रहने की आशा हो ; और
 - (ग) व्यवस्था के आरम्भ में प्रारम्भिक नकदी प्रवाह के अलावा, व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्याशित केवल वही नकदी प्रवाह पट्टा भुगतान है जो प्रारम्भिक नकदी प्रवाह के साथ खोले गये बिल्कुल अलग निवेश खाता में आहरित निधियों से पूरे किए जाएंगे।
7. व्यवस्था के शीघ्र समाप्त करने पर दी गई किंही गारंटियों एवं वहन की गयी बाध्यताओं, बाध्यताओं का लेखा सहित अन्य दायित्व भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां*, भारतीय लेखा मानक 109 *वित्तीय लिखतें* अथवा भारतीय लेखा मानक 104 *बीमा अनुबंध* के अन्तर्गत शर्तों के आधार पर किया जाएगा।
8. भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* में दी गयी अपेक्षाएं प्रत्येक व्यवस्था की परिस्थितियों एवं तथ्यों के निर्धारण करने में प्रयुक्त होगी कि प्रतिष्ठान को शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली आय को कब मान्यता दी जाए। ऐसे कारक, जैसे कि, क्या शुल्क अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण भावी कार्य-निष्पादन दायित्वों के रूप में लगातार संलग्न रहना आवश्यक है, क्या जोखिम प्रतिधारित है, यह कि, किसी गारंटी व्यवस्था की शर्त है और शुल्क के पुनर्भुगतान का कोई जोखिम है आदि सभी पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार के संकेत, जो व्यक्तिगत रूप से दर्शाते हैं कि समस्त शुल्क, जब आय के रूप में मान्य हो, यदि व्यवस्था के आरंभ में प्राप्त हो तो निम्नलिखित को उनमें शामिल करना सही नहीं होगा :
 - (क) बाध्यता को या तो पूरा करना या प्रमुख गतिविधियों से दूर रहना प्राप्त शुल्क के अर्जन की एक शर्त हो। अतः विधिक रूप से बाध्यकारी व्यवस्था का निष्पादन व्यवस्था द्वारा यथापेक्षित कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं है।

- (ख) चिह्नित आस्ति के प्रयोग करने की सीमाएं लगा दी गयी हैं जिनसे प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति के प्रयोग की (सम्पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बंधक रखना, बेचना, या गिरवी रखना) क्षमता प्रतिबंधित करने का व्यवहारिक प्रभाव एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है ;
- (ग) शुल्क की किसी राशि की प्रतिपूर्ति की संभावना और कुछ अतिरिक्त राशि के भुगतान की संभावना कम नहीं है। उदाहरण के लिए यह तब होता है जब ;
- (i) चिह्नित आस्ति वह विशेष आस्ति नहीं है जो प्रतिष्ठान को उसके व्यवसाय के संचालन के लिए अपेक्षित है। अतः यह संभव है कि प्रतिष्ठान व्यवस्था को जल्दी समाप्त करने के लिए राशि का भुगतान कर दें, अथवा
- (ii) व्यवस्था की शर्तों के अनुसार प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा हो या उसे कुछ अथवा पूर्ण विवेकाधिकार हो कि वह जोखिम (अर्थात् मुद्रा, ब्याज दर अथवा ऋण जोखिम) की एक मामूली राशि की आस्ति में पूर्व प्रदत्त राशि का निवेश कर दे। इस परिस्थिति में, निवेश के मूल्य का जोखिम पट्टा भुगतान बाध्यताओं को पूरा करने में नगण्य नहीं होगा। अतः यह संभव है कि प्रतिष्ठान को कुछ राशि का भुगतान करना पड़ ही जाए।
9. शुल्क को लाभ एवं हानि के विवरण में उसकी आर्थिक स्थिति एवं प्रकृति के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रकटन

10. व्यवस्था के सभी पहलू, जो वस्तुतः भारतीय लेखा मानक 17 के अन्तर्गत पट्टे में व्याप्त नहीं हैं, समुचित प्रकटन के निर्धारण के लिए विचार में लिए जाएंगे जो कि व्यवस्था को समझने तथा अपनायी गई लेखा प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। एक प्रतिष्ठान प्रत्येक अवधि में, निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :
- (क) व्यवस्था के विवरण में ये शामिल होंगे –
- (i) चिह्नित आस्ति और उसके प्रयोग पर कोई प्रतिबंध ;
- (ii) व्यवस्था की अवधि और अन्य महत्वपूर्ण शर्तें ;
- (iii) किन्हीं विकल्पों सहित ऐसे लेनदेन जो आपस में संबद्ध हैं ; और
- (ख) प्राप्त किसी शुल्क पर लागू लेखा पद्धति, उस अवधि में आय के रूप में मान्य राशि, और लाभ और हानि विवरण की रेखीय मद जिसमें कि वह शामिल है।
11. इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 10 के अनुसार अपेक्षित प्रकटन प्रत्येक व्यवस्था के लिए अलग-अलग अथवा व्यवस्था की प्रत्येक श्रेणी के लिए सकल रूप से प्रदान किये जाएंगे। श्रेणी से तात्पर्य एक-जैसी प्रकृति (उदाहरणतः शक्ति संयंत्र) की चिह्नित आस्तियों की व्यवस्थाओं के समूह से है।

परिशिष्ट ग

यह निर्धारित करना कि क्या की गयी व्यवस्था में कोई पट्टा समाविष्ट है

यह परिशिष्ट इस भारतीय मानक लेखा का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

1. एक प्रतिष्ठान एक ऐसी व्यवस्था के लिए सहमत होता है जिसमें एक या संबंधित लेनदेनों की शृंखला सम्मिलित है और वह पट्टे का विधिक स्वरूप नहीं लेती अपितु एक लेकिन भुगतान या भुगतानों की शृंखला के बदले में एक आस्ति (अर्थात् संपत्ति, संयंत्र या उपस्कर) के प्रयोग का अधिकार देता है। व्यवस्थाओं के उदाहरणों में एक प्रतिष्ठान (आपूर्तिकर्ता) प्रायः संबद्ध सेवाओं सहित दूसरे प्रतिष्ठान (क्रेता) को आस्ति के प्रयोग के लिए ऐसे अधिकार प्रदान कर सकता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :
- बाहरी 'आउटसोर्सिंग' व्यवस्थाएं (उदाहरणतः किसी प्रतिष्ठान के आंकड़ा संसाधन कार्यों की आउट सोर्सिंग)
 - दूर-संचार उद्योग की व्यवस्थाएं जिनमें नैटवर्क क्षमता वाले आपूर्तिकर्ता खरीददार को क्षमता के उपयोग के अधिकार उपलब्ध कराने की अनुबंध करते हैं।
 - 'लो अथवा भुगतान करो' और इसी प्रकार की अनुबंधों जिनमें क्रेता को निर्दिष्ट भुगतान अवश्य करने होते हैं, भले वे अनुबंध के उत्पादों अथवा सेवाओं को लें अथवा नहीं (उदाहरणतः 'लो अथवा भुगतान करो' अनुबंध में आपूर्तिकर्ता को पावर जेनरेटर की शक्ति का उपयोग करना होता है)।

- 2 इस परिशिष्ट में यह निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश दिया गया है कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं पट्टे में हैं या उनमें पट्टे समाविष्ट हैं और उनका लेखा भारतीय लेखा मानक 17, के अनुसार किया जाए। इस परिशिष्ट में यह निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं है कि ऐसे पट्टे को भारतीय लेखा मानक 17, के अंतर्गत किस प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- 3 कुछ व्यवस्थाओं में चिह्नित पट्टाकृत आस्ति, जो पट्टा का बड़ी आस्ति का एक भाग होती है। इस परिशिष्ट में इस पर कोई चर्चा नहीं की गयी है कि जब एक बड़ी आस्ति के भाग एक चिह्नित आस्ति होती है तो भारतीय लेखा मानक 17 के प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। इसके बावजूद, ऐसी व्यवस्था जिनमें चिह्नित आस्ति भारतीय लेखा मानक 16 या भारतीय लेखा मानक 38 के लेखा की ईकाई का प्रतिनिधित्व करती है तो वह इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।

कार्यक्षेत्र

4. यह परिशिष्ट उन व्यवस्थाओं पर लागू नहीं होता :
 - (क) जिनमें पट्टे भारतीय लेखा मानक 17 के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, अथवा इसमें समाविष्ट नहीं हैं; अथवा
 - (ख) भारतीय लेखा मानक 115, सेवा रियायत व्यवस्थाएं के परिशिष्ट ग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत व्यवस्थाएं हैं।

मुद्दे

5. इस परिशिष्ट में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी है :—
 - (क) यह कैसे निर्धारित किया जाए कि व्यवस्था, भारतीय लेखा मानक 17 में दी गयी परिभाषा के अनुसार पट्टा है या उसमें पट्टा समाविष्ट है ;
 - (ख) व्यवस्था एक पट्टा है अथवा उसमें पट्टा समाविष्ट है, उसका मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कब किया जाए ; और
 - (ग) यदि व्यवस्था एक पट्टा है अथवा इसमें पट्टा समाविष्ट है तो व्यवस्था में अन्य कोई और घटकों के भुगतानों को पट्टा भुगतानों से कैसे अलग किया जाए।

लेखा- सिद्धान्त

यह निर्धारित करना कि क्या की गयी व्यवस्था कोई पट्टा है अथवा इसमें कोई पट्टा समाविष्ट है

6. यह निर्धारित करना कि की गयी व्यवस्था कोई पट्टा है अथवा इसमें कोई पट्टा समाविष्ट है पट्टा व्यवस्था के सारत्व पर आधारित होगा और मूल्यांकन यह अपेक्षा करता है :
 - (क) व्यवस्था की पूर्ति विशेष आस्ति अथवा आस्तियों के प्रयोग पर निर्भर करती है; और
 - (ख) की गयी व्यवस्था, आस्ति को प्रयोग के अधिकार प्रदान करता है।

व्यवस्था का पूरा होना विशिष्ट आस्ति के प्रयोग पर निर्भर करता है

7. हालांकि, व्यवस्था के अन्तर्गत, एक विशिष्ट आस्ति को स्पष्ट रूप से अभिज्ञात किया जाता है, अतएव यह पट्टे का विषय नहीं है कि व्यवस्था की शर्तें उस विशिष्ट आस्ति के प्रयोग पर निर्भर नहीं करती। उदाहरणतः, यदि आपूर्तिकर्ता माल अथवा सेवाओं की निर्दिष्ट मात्रा की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है और उसे व्यवस्था के अन्तर्गत निर्दिष्ट न होने वाली आस्तियों के अलावा उस माल अथवा सेवाओं को उपलब्ध कराने की योग्यता एवं अधिकार है तो निर्दिष्ट आस्ति पर व्यवस्था के पूरा होने की शर्त-निर्भर नहीं है और व्यवस्था में आस्ति पट्टाकृत नहीं है। एक वारंटी बाध्यता जो उसी आस्ति अथवा उसी प्रकार की आस्ति के प्रतिस्थापन में यह अनुमति देता है अथवा अपेक्षा करता है कि जब आस्ति समुचित रूप से परिचालित नहीं हो रही तो वह पट्टा व्यवहार से बाधित नहीं है। इसके अलावा संविदात्मक प्रावधान (आकस्मिक अथवा अन्यथा) किसी विशिष्ट तारीख पर अथवा उसके बाद किसी भी कारण से आपूर्तिकर्ता को अन्य आस्तियों को प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा से अलग नहीं रखते।
8. उदाहरणतः कोई आस्ति निर्दिष्ट की गई है, आपूर्तिकर्ता के पास केवल एक आस्ति का स्वामित्व है जिसके लिए वह व्यवस्था की देयता पूरा कर सकता है और आर्थिक रूप से आपूर्तिकर्ता के लिए यह व्यवहार्य अथवा लाभदायक नहीं है कि वह वैकल्पिक आस्तियों के प्रयोग से अपने दायित्व को पूरा करे।

की गयी व्यवस्था आस्ति के प्रयोग के अधिकार को प्रकट करती है

9. यदि व्यवस्था क्रेता (पट्टेदार) को पट्टागत आस्ति के प्रयोग में नियंत्रण का अधिकार देता है तो की गयी व्यवस्था आस्ति के प्रयोग का अधिकार देता है। अन्तर्निहित आस्ति के प्रयोग के संबंध में नियंत्रण का अधिकार तब दिया जाता है जबकि निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूरी होती हो :

- (क) क्रेता के पास आस्ति के परिचालन की योग्यता अथवा अधिकार है अथवा वह आस्ति का प्रयोग दूसरों को इस ढंग से करने का निर्देश देता है कि आस्ति की अन्य उपयोगिता अथवा उत्पादनों से मामूली रूप से थोड़ी ज्यादा राशि प्राप्त करता हो अथवा नियंत्रण करता हो जिस ढंग से उसका निर्धारण किया जा सकता है।
- (ख) क्रेता के पास चिह्नित आस्ति को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने की योग्यता अथवा अधिकार हो जब उसे आस्ति की अन्य उपयोगिता अथवा उत्पादन की मामूली रूप से थोड़ी ज्यादा राशि प्राप्त करना हो अथवा नियंत्रण करना हो।
- (ग) तथ्यों एवं परिस्थितियों से पता चलता है कि यह संभावना कम है कि क्रेता के अलावा एक अथवा एक से अधिक पार्टियाँ व्यवस्था की अवधि के दौरान आस्ति द्वारा उत्पन्न अथवा उत्पादित अन्य उपयोगिता अथवा उत्पादन की मामूली रूप से थोड़ी ज्यादा राशि ले और क्रेता उस उत्पादन के लिए जो मूल्य चुकाएगा वह ना तो उत्पादनों की प्रति इकाई के आधार पर संविदात्मक रूप से निर्धारित है और ना ही उत्पादनों के संवितरण के समय लागू उत्पादन की प्रति इकाई बाजार मूल्य के बराबर है।

यह मूल्यांकन अथवा पुनर्मूल्यांकन करना कि क्या की गयी व्यवस्था कोई एक पट्टा है अथवा इसमें एक पट्टा समाविष्ट है

10. इस बात का निर्धारण करना कि क्या की गयी व्यवस्था में एक पट्टा समाविष्ट है, यह व्यवस्था के प्रारम्भ में ही किया जाएगा और वह व्यवस्था की तिथि और व्यवस्था की मूल शर्तों पर, पार्टियों द्वारा प्रतिबद्धता की तारीख में से जो भी पहले है उस पर, सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है। व्यवस्था के आरंभ होने के बाद पट्टा में व्यवस्था समाविष्ट है अथवा नहीं, इस बात का पुनर्मूल्यांकन तभी किया जाएगा जब निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी हो :

- (क) अनुबंधात्मक शर्तों में परिवर्तन है और यह परिवर्तन केवल तभी होता है जब परिवर्तन व्यवस्था के नवीकरण अथवा विस्तार से संबंधित न हो।
- (ख) पार्टियों द्वारा व्यवस्था के विस्तार की सहमति अथवा नवीकरण के विकल्प का प्रयोग तभी किया जाता है जबकि आस्ति की शर्तों में नवीकरण एवं विस्तार भारतीय लेखा मानक 17 के अनुच्छेद 4 के अनुसार पट्टा शर्तों में प्रारम्भ से ही शामिल न की गई हों। मूल व्यवस्था की अवधि के अंत से पहले मूल व्यवस्था में किसी भी शर्त में जब तक संशोधन शामिल नहीं होता है तब तक नवीकरण अथवा अवधि विस्तार अनुच्छेद 6-9 में नवीकरण अथवा अवधि विस्तार संबंधित शर्तों के आधार पर ही मूल्यांकित किए जाएंगे।
- (ग) निर्धारण में यह परिवर्तन हुआ है कि शर्तों की पूर्ति क्या किसी निर्दिष्ट आस्ति पर निर्भर है।
- (घ) आस्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, उदाहरणतः, संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर में प्रत्यक्षतः कोई बड़ा परिवर्तन।

11. व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन की तारीख के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। प्राक्कलन में परिवर्तन (उदाहरणतः क्रेता अथवा अन्य संभावित क्रेताओं को सुपुर्द की जाने वाली राशि का प्राक्कलन) पुनर्मूल्यांकन को उत्प्रेरित नहीं करेगा। यदि किसी व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन होता है और यह पट्टा को समाविष्ट करने (अथवा पट्टा को समाविष्ट नहीं करने) के लिए मूल्यांकित किया जाता है तो पट्टे का लेखा निम्न प्रकार से लागू होगा (अथवा लागू नहीं होगा)।

- (क) अनुच्छेद 10 के (क), (ग) अथवा (घ) के मामले में जब परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हो तो पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है।
- (ख) अनुच्छेद 10 के (ख) के मामले में, नवीकरण अथवा अवधि विस्तार के आरंभ से।

अन्य भुगतानों से पट्टा भुगतानों को अलग करना

12. यदि किसी व्यवस्था में पट्टा समाविष्ट है तो व्यवस्था करने वाली पार्टियों पर भारतीय लेखा मानक 17 की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवस्था का पट्टा सारत्व तब तक लागू होगी जब तक कि भारतीय लेखा मानक 17 के अनुच्छेद 2 के अनुसार उन अपेक्षाओं में छूट नहीं मिलती। तदनुसार, यदि कोई व्यवस्था पट्टा में समाविष्ट है तो वह पट्टा भारतीय लेखा मानक 17 के अनुच्छेद 7-17 के अनुसार वित्तीय पट्टा अथवा परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। व्यवस्था के अन्य घटक जो भारतीय लेखा मानक 17 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उनका लेखा अन्य भारतीय लेखा मानकों के अनुसार किया जाएगा।
13. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 17 की अपेक्षाओं को लागू करने के उद्देश्य से व्यवस्था में अपेक्षित भुगतानों एवं अन्य प्रतिफलों को व्यवस्था के शुरु में ही अलग किया जाएगा अथवा जो पट्टे पर है उस व्यवस्था के पुनर्मूल्यांकन पर तथा जो अन्य घटक हैं उनका संबंधित उचित मूल्य के आधार पर पुनर्मूल्यांकन होगा। भारतीय लेखा मानक 17 के अनुच्छेद 4 में परिभाषित न्यूनतम पट्टा भुगतानों में केवल पट्टे के आस्ति के प्रयोग का अधिकार) भुगतान शामिल होंगे और व्यवस्था के अन्य घटकों के भुगतान शामिल नहीं होंगे (उदाहरणतः प्राप्तियों की लागत एवं सेवाओं के लिए)।

14. कुछ मामलों में, पट्टा भुगतानों से व्यवस्था के अन्य भुगतानों को अलग करने के लिए, क्रेता को प्राक्कलन करने के तकनीक का प्रयोग करना अपेक्षित होगा। उदाहरण के लिए, क्रेता समान आस्ति के संदर्भ, जिसमें दूसरा कोई घटक समाविष्ट नहीं है, गत पट्टागत व्यवस्था संबंधी भुगतानों का प्राक्कलन कर सकता है अथवा तुलनात्मक व्यवस्था के संदर्भ द्वारा की गई व्यवस्था में अन्य घटकों के लिए भुगतानों हेतु प्राक्कलन करने और उसके बाद इन भुगतानों को व्यवस्था के अधीन कुल भुगतानों में से घटाकर प्राक्कलन किया जाएगा।
15. यदि कोई क्रेता विश्वसनीय रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भुगतानों को अलग किया जाना अव्यावहारिक है तो यह निम्न प्रकार होगा :
 - (क) वित्तीय पट्टे के संबंध में, वह पट्टे के विषय के रूप में अनुच्छेद 7 व 8 में पहचान की गयी आस्ति के उचित मूल्य के समान राशि पर आस्तियाँ दायित्व को मान्यता देगा। बाद में, दायित्व भुगतान होने पर घटा दिये जाएंगे और खरीददार (क्रेता) की वृद्धिशील उधार की ब्याज दर का प्रयोग करते हुए दायित्व पर वित्तीय प्रभार लगाए जाएंगे।
 - (ख) परिचालन पट्टे के मामले में, सभी भुगतानों को पट्टा व्यवस्था के अन्तर्गत माना जाएगा।
 - (ग) परिचालन पट्टे के मामले में, व्यवस्था के अन्तर्गत सभी भुगतानों को भारतीय लेखा मानक 17 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटन के अनुपालन के उद्देश्य से पट्टा भुगतान माना जाएगा, लेकिन:
 - (i) अन्य व्यवस्थाओं के न्यूनतम पट्टा भुगतान से उन भुगतानों का अलग-से प्रकटन जो गैर-पट्टा घटकों के भुगतानों को शामिल नहीं करते और
 - (ii) इस बात का उल्लेख करना कि व्यवस्था के अंतर्गत प्रकट किए गए भुगतानों में गैर-पट्टा घटकों के भुगतान भी शामिल हैं।

परिशिष्ट घ

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 17 का अभिन्न अंग है।

यह परिशिष्ट उन परिशिष्टों की सूची प्रस्तुत करता है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं और इस भारतीय लेखा मानक 17 पट्टे के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं।

1. भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व* में समाविष्ट परिशिष्ट ग सेवा रियायत व्यवस्थाएं,।
2. भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व* में समाविष्ट परिशिष्ट घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं: प्रकटन।
3. भारतीय लेखा मानक 38 '*अमूर्त आस्तियाँ*' में समाविष्ट परिशिष्ट 'क' अमूर्त आस्तियाँ वेबसाइट लागते हैं।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 17, पट्टे का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन, इस भारतीय लेखा मानक तथा तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 17, पट्टे, 'एस आई सी' 15, 'परिचालन पट्टे-प्रोत्साहन', 'एस आई सी' 27, 'पट्टे के विधिक स्वरूप में व्याप्त लेन-देनों के सार का मूल्यांकन' और 'आई एफ आर आई सी' 4 'यह निर्धारित करना कि क्या व्यवस्था में पट्टा समाविष्ट है', के बीच यदि कोई प्रमुख अन्तर है तो उन्हें स्पष्ट करना है।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 17, पट्टे, 'एस आई सी' 15, 'एस आई सी' 27 तथा 'आई एफ आर आई सी' 4 के साथ तुलना

1. भूमि तथा भवन घटकों के माप से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 17 का अनुच्छेद 18, जब पट्टेदार का हित भूमि तथा भवनों दोनों में भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 40 '*निवेश संपत्ति*' के अनुसार जब उचित मूल्य मॉडल अपनाया जाता है तब निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तथा निवेश संपत्ति के रूप में परिचालन पट्टे के अन्तर्गत धारित संपत्ति हित के साथ लेनदेन से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 17 के अनुच्छेद 19, यदि निवेश संपत्ति की परिभाषा की अन्यथा पूर्ति की गई है और उचित मॉडल लागू किया जाता है, को इस आशय से हटाया गया है क्योंकि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 40 '*निवेश संपत्ति*' उचित मूल्य मॉडल के प्रयोग का प्रतिषेध करता है। तथापि, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 17 की संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाये रखने के लिए, भारतीय लेखा मानक 17 में इन अनुच्छेद संख्याओं (यानि 18 व 19) को रहने दिया गया है।
2. अनुच्छेद 33 व 50 को संशोधित कर दिया गया है ताकि पट्टे की किराया वृद्धि प्रत्याशित मुद्रास्फीति के अनुसार हो और पट्टाकर्ता को मुद्रास्फीति की लागत की प्रतिपूर्ति हो जाए। किराये में वृद्धि सीधी रेखा के आधार पर नहीं होगी।

3. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 17 में अनुच्छेद संख्या 14 एवं 15 'हटाये गये' के रूप में प्रदर्शित हैं। फिर भी अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 17 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से, इन अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 17 में रहने दिया गया है।
4. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 17 तथा 'आई एफ आर आई सी' 4 में दिये गये संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 17 में नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित समझा गया है, 'आई एफ आर एस' 1 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथम बार अंगीकरण के तदनुसूची भारतीय लेखा मानक 101 भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
5. इस मानक में विभिन्न शब्दावली प्रयुक्त की गई है अर्थात् शब्द 'तुलन-पत्र' को शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर और शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' को शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है।
6. 'संबद्ध लेन-देनों के उदाहरण' अथवा 'एक व्यवस्था का सार' के निम्नलिखित संदर्भ, हालांकि 'एस आई सी' 27 के अभिन्न अंग नहीं हैं, भारतीय लेखा मानक 17 में सम्मिलित किये गये हैं :
 - (i) परिशिष्ट ख के अनुच्छेद 2 (ख)(i) में 'संबद्ध लेन-देनों के उदाहरण' के अनुच्छेद 2 (क) का संदर्भ।
 - (ii) परिशिष्ट ख के अनुच्छेद 3 में 'संबद्ध लेन-देनों के उदाहरण' में दिये गये दृष्टांत के संदर्भ।
 - (iii) परिशिष्ट ख के अनुच्छेद 5 में 'व्यवस्था का सार' के अधीन दिये गये दृष्टांत का संदर्भ।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 19

कर्मचारी लाभ

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं)।

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य कर्मचारी लाभों के लेखा एवं प्रकटन को निर्धारित करना है। मानक अपेक्षा करता है कि प्रतिष्ठान निम्नलिखित को मान्यतादे:
 - (क) जब किसी कर्मचारी ने भविष्य में प्रदत्त होने वाले कर्मचारी लाभों के बदले सेवा प्रदान की हो, उससे संबंधित दायित्व; तथा
 - (ख) जब एक कर्मचारी, कर्मचारी लाभों के बदले में अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो उस से प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभ से संबंधित व्यय।

कार्यक्षेत्र

2. यह मानक एक नियोजक द्वारा, उन कर्मचारी लाभों को छोड़कर जिन पर भारतीय लेखा मानक 102, शेरर- आधारित भुगतान, लागू होता है, उन समस्त कर्मचारी लाभों के लेखा में प्रयुक्त होता है।
3. यह मानक कर्मचारी लाभ योजनाओं की रिपोर्टिंग को संबंधित करता है।
4. जिन कर्मचारी लाभों पर यह मानक लागू होता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - (क) की औपचारिक योजनाओं के अधीन है अथवा एक प्रतिष्ठान और व्यक्तिगत कर्मचारी, कर्मचारियों के समूह अथवा उनके प्रतिनिधियों के बीच अन्य औपचारिक करारों के अधीन है;
 - (ख) जिससे विधायी अपेक्षाओं के अधीन, अथवा उद्योग व्यवस्थाओं के माध्यम से, जिनके द्वारा प्रतिष्ठानों से राष्ट्रीय, राज्य, उद्योग अथवा अन्य बहु-नियोजक योजनाओं में अंशदान की अपेक्षा की जाती है;
 - (ग) उन अनौपचारिक व्यवहारों द्वारा जिनसे परिकल्पित दायित्वों की उत्पत्ति होती है। अनौपचारिक व्यवहारों से परिकल्पित दायित्व वहाँ उत्पन्न होते हैं जहां प्रतिष्ठान के पास कर्मचारी लाभों के भुगतान के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता है। परिकल्पित दायित्व का एक उदाहरण यह है जहां प्रतिष्ठान के अनौपचारिक व्यवहारों में परिवर्तन होने पर कर्मचारी के साथ इसके संबंध को अस्वीकार्य हानि पहुंच सकती है।
5. कर्मचारी लाभों में शामिल हैं:

- (क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ, जैसेकि निम्नलिखित हैं, यदि उनके निपटान की संभावना वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवाएं दी हैं, की समाप्ति के बाद के बारह महीने के भीतर हैं:
- (i) मजदूरी, वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा अंशदान (सहयोग);
 - (ii) प्रदत्त वार्षिक छुट्टी तथा प्रदत्त बीमारी छुट्टी;
 - (iii) लाभ वितरण एवं बोनस; तथा
 - (iv) वर्तमान कर्मचारियों के लिये गैर-मौद्रिक लाभ (जैसे कि चिकित्सीय देखभाल, आवास, कारें तथा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त (सब्सिडी) माल (वस्तुएं) अथवा सेवाएं);
- (ख) नियोजन-पश्चात् लाभ, जैसेकि निम्नलिखित हैं:
- (i) सेवा-निवृत्ति लाभ (उदाहरण के लिए, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान); और
 - (ii) अन्य नियोजन पश्चात् लाभ; जैसे कि नियोजन पश्चात् जीवन बीमा तथा नियोजन पश्चात् चिकित्सीय देखभाल;
- (ग) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ जैसेकि निम्नलिखित हैं:
- (i) दीर्घावधि प्रदत्त अनुपस्थितियों, जैसेकि दीर्घ-सेवा अवकाश अथवा विराम (सबेटिकल) अवकाश;
 - (ii) जुबली या अन्य दीर्घसेवा लाभ; तथा
 - (iii) दीर्घावधि अपंगता/अशक्तता लाभ; और
- (घ) सेवा समाप्ति लाभ ।
6. कर्मचारी लाभों में या तो कर्मचारियों को या उनके आश्रितों को अथवा लाभभोगियों को दिए गए लाभ शामिल होते हैं और उनका निपटान भुगतान करके (अथवा वस्तुओं या सेवाओं के रूप में प्रावधान करके) सीधे या तो कर्मचारियों, उनके पति/पत्नी, बच्चे अथवा अन्य आश्रितों या अन्यो को, जैसेकि बीमा कंपनियों, किया जा सकता है।
7. एक कर्मचारी एक प्रतिष्ठान को पूर्णकालिक अंशकालिक, स्थायी, अनियत (आकस्मिक) अथवा अस्थायी आधार पर सेवाएं दे सकता है। इस मानक के उद्देश्य से, कर्मचारियों में निदेशकों एवं अन्य प्रबंधन कार्मिक शामिल होते हैं।

परिभाषाएं

8. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयोग किया गया है:

कर्मचारी लाभों की परिभाषाएं

कर्मचारी लाभ में एक प्रतिष्ठान द्वारा कर्मचारी को उनके द्वारा की गई सेवा के बदले दिए गए अथवा सेवा समाप्ति के लिए दिए गए प्रतिफलों के सभी रूप शामिल होते हैं।

अल्पावधि कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ हैं (सेवा समाप्ति लाभों से भिन्न) जिनके पूर्णतः निपटान हो जाने की संभावना वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारीयों ने संबंधित सेवा प्रदान की है कि समाप्ति के बाद बारह महीने के भीतर हो जाने की संभावना है।

नियोजन-पश्चात् लाभ वे कर्मचारी लाभ हैं (सेवा समाप्ति लाभों एवं अल्पावधि कर्मचारी लाभों से भिन्न) जो सेवा पूरी होने के पश्चात् देय हैं।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ, अल्पावधि कर्मचारी लाभों, नियोजन-पश्चात् लाभों तथा सेवा समाप्ति लाभों से भिन्न अन्य सभी कर्मचारी लाभ होते हैं।

सेवा समाप्ति कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ हैं जो एक कर्मचारी को उसकी सेवा समाप्ति के बदले दिये जाते हैं, निम्नलिखित में से एक के परिणामस्वरूप:

- (क) एक प्रतिष्ठान द्वारा एक कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का निर्णय उसकी सामान्य सेवा निवृत्ति की तिथि के पहले लिया जाता है; या

- (ख) एक कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा समाप्त करने के बदले में प्रस्ताव किए गए लाभों को स्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है ।

योजनाओं के वर्गीकरण से संबंधित परिभाषाएं

नियोजन-पश्चात् लाभ योजनाएं वे औपचारिक अथवा अनौपचारिक व्यवस्थाएँ होती हैं जिसके अधीन एक प्रतिष्ठान एक या अधिक कर्मचारियों के लिये नियोजन-पश्चात् लाभ देता है।

निश्चित अंशदान योजनाएं नियोजन-पश्चात् वे लाभ योजनाएं हैं जिनके अधीन एक प्रतिष्ठान एक अलग (पृथक) प्रतिष्ठान (फंड) में निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है और प्रतिष्ठान का आगे किसी भी अंशदान के भुगतान करने का कोई कानूनी या परिकल्पित

दायित्व नहीं होगा यदि फंड में वर्तमान तथा पूर्व अवधियों में कर्मचारी द्वारा की गई सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी लाभों के भुगतान के लिये पर्याप्त आस्तियां धारित नहीं की जाती हैं।

निश्चित लाभ योजनाएं निश्चित अंशदान योजनाओं के अलावा अन्य सभी नियोजन-पश्चात् लाभ योजनाएं हैं।

बहु-नियोजक योजनाएं निश्चित अंशदान योजनाएं (सरकारों की योजनाओं से भिन्न) अथवा निश्चित लाभ योजनाएं (सरकारों की योजनाओं से भिन्न) होती हैं जो:

- (क) उन विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा अंशदान की गई आस्तियां एकत्रित करती हैं जो सामान्य नियंत्रण के अधीन नहीं होते हैं; और
- (ख) उन आस्तियों का प्रयोग एक से अधिक प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को लाभों को देने के लिए किया जाता है तथा यह इस आधार पर किया जाता है कि अंशदान तथा लाभ के स्तरों का निर्धारण उस प्रतिष्ठान की पहचान किये बिना किया जाता है जो कर्मचारियों को नियोजित करता है।

निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) से संबंधित परिभाषाएं

निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) घाटा या अधिक्य होता है जिसे, एक निवल निश्चित लाभ आस्ति को आस्ति की उच्चतम सीमा तक सीमित करने के लिए किसी प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

घाटा या अधिक्य निम्नलिखित होते हैं:

- (क) निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य घाटा
- (ख) योजनागत आस्तियों का (यदि कोई हों) उचित मूल्य।

आस्ति की उच्चतम सीमा योजना से धन वापसी अथवा योजना में किये जाने वाले भावी अंशदान में होने वाली कटौतियों के रूप में उपलब्ध किसी भी आर्थिक लाभों का वर्तमान मूल्य होता है।

निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य किसी योजनागत आस्तियों की कटौती किये बिना वर्तमान तथा पूर्व की अवधियों में कर्मचारी सेवा के फलस्वरूप उत्पन्न बाध्यता का निपटान करने के लिये संभावित भावी भुगतानों का वर्तमान मूल्य होता है।

योजनागत आस्तियों में निम्नलिखित शामिल होते हैं:

- (क) दीर्घावधि कर्मचारी लाभ फंड में धारित आस्तियां और
- (ख) अर्हक बीमा पॉलिसियां

दीर्घावधि कर्मचारी लाभ फंड में धारित आस्तियां वे आस्तियां हैं (रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान द्वारा जारी अहस्तांतरणीय वित्तीय लिखतों के अलावा) जो:

- (क) एक ऐसे प्रतिष्ठान (फंड) द्वारा धारित की जाती हैं जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से कानूनी तौर पर अलग होती हैं और केवल कर्मचारी लाभों के भुगतान हेतु या निधिकरण हेतु विद्यमान होती हैं; और
- (ख) केवल कर्मचारी लाभों का भुगतान करने अथवा निधिकरण हेतु प्रयोग किए जाने के लिये उपलब्ध होती हैं किन्तु रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के स्वयं के लेनदारों के लिये (दिवालियापन के मामलों में भी) उपलब्ध नहीं होती हैं तथा रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को वापस नहीं की जा सकती है, जबतक कि निम्नलिखित में से एक स्थिति न हो :
 - (i) फंड की शेष आस्तियां योजना अथवा रिपोर्टिंग करने वाले प्रतिष्ठान के सभी संबंधित कर्मचारी लाभ बाध्यताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो; या
 - (ii) आस्तियां रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को पहले ही प्रदत्त कर्मचारी लाभों के लिए इसकी प्रतिपूर्ति हेतु वापस कर दी गई हो।

*एक अर्हक बीमा पॉलिसी** उस बीमाकर्ता द्वारा जारी वह बीमा पॉलिसी है जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की सम्बद्ध पार्टी नहीं है (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 24 सम्बद्ध पार्टी प्रकटनों में परिभाषित है), यदि पॉलिसी की प्राप्ति:

- (क) केवल निश्चित लाभ योजना के अधीन कर्मचारी लाभों के भुगतान अथवा निधिकरण के लिए प्रयोग की जा सकती है और
- (ख) रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के स्वयं के लेनदारों के लिए (दिवालियापन के मामलों में भी) उपलब्ध नहीं है और रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को भुगतान नहीं की जा सकती है, जबतक कि निम्न में से एक स्थिति न हो:
 - (i) प्राप्ति उन अधिक्य आस्तियों को दर्शाती है जो सभी संबंधित कर्मचारी लाभ बाध्यताओं को पूरा करने हेतु पॉलिसी के लिये आवश्यक नहीं होती हैं; या

* एक अर्हकबीमा पॉलिसी जरूरी नहीं है कि एक बीमा अनुबंध हो, जैसाकि भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध* में परिभाषित है।

- (ii) प्राप्तिरिपोर्टिंग प्रतिष्ठान द्वारा पहले ही प्रदत्त कर्मचारी लाभों के लिए इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिये वापस कर दी जाती है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 113, उचित मूल्य माप)।

निश्चित लाभ लागत से संबंधित परिभाषाएं

सेवा लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) वर्तमान सेवा लागत, जो वर्तमान अवधि में कर्मचारी सेवा के फलस्वरूप निश्चित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में बढ़ोतरी है
- (ख) गत सेवा लागत, जो गत अवधियों में कर्मचारी सेवाओं के लिए निश्चित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन है, जो कि योजनागत संशोधन (निश्चित लाभ योजना का आरम्भ करना या वापस ले लेना अथवा परिवर्तन करना) अथवा कटौती (प्रतिष्ठान द्वारा योजना में शामिल कर्मचारियों की संख्या में महत्वपूर्ण कटौती) परिणामस्वरूप होते हैं; तथा
- (ग) निपटान होने पर कोई लाभ (गेन) या हानि होना।

निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज, निवल निश्चित ब्याज दायित्व (आस्ति) में अवधि के दौरान हुआ परिवर्तन है जो समय के व्यातिक्रम से उत्पन्न होता है।

निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्माप में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) बीमांकिक लाभ एवं हानियां;
- (ख) निवल निश्चित लाभ (गेन) दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल; तथा
- (ग) आस्ति की उच्चतम सीमा के प्रभाव में परिवर्तन, निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज में सम्मिलित राशियों को छोड़कर।

बीमांकिक लाभ एवं हानियां निश्चित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में निम्नलिखित के फलस्वरूप परिवर्तन होते हैं :

- (क) अनुभव समायोजन (पूर्व बीमांकिक अवधारणाओं और वास्तविक रूप में घटित होने के बीच के अन्तरों का प्रभाव); तथा
- (ख) बीमांकिक अवधारणाओं में परिवर्तनों का प्रभाव।

योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल में योजनागत आस्ति पर प्राप्त तथा अप्राप्त लाभों (गेन) एवं हानियों के साथ-साथ योजनागत आस्तियों पर ब्याज, लाभांश और योजनागत आस्तियों से व्युत्पन्न अन्य शामिल होती हैं, और इनमें से निम्नलिखित घटा दिये जाएंगे:

- (क) योजनागत आस्तियों के प्रबंध करने की लागतें तथा
- (ख) निश्चित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य का माप करने के लिये प्रयुक्त बीमांकिक अवधारणाओं में सम्मिलित कर को छोड़कर योजना द्वारा स्वयं देय किसी प्रकार का कर।

निपटान एक लेन देन है जो कर्मचारियों को या उनके पक्ष में लाभों के उन भुगतान के अलावा जो योजना की शर्तों में निर्धारित हैं तथा बीमांकिक अवधारणाओं में शामिल हैं निश्चित लाभ योजना के अधीन दिये गए लाभों के अंश या समस्त लाभों के लिये सभी अतिरिक्त कानूनी अथवा परिकल्पित बाध्यताओं को निष्कासित कर देता है।

अल्पावधि कर्मचारी लाभ

9. अल्पावधि कर्मचारी लाभों में निम्नलिखित जैसी मदें शामिल होती हैं यदि उनके पूर्णतः निपटान की संभावना वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं समाप्त हो जाने के बाद के बारह महीने के भीतर :

- (क) मजदूरी, वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा अंशदान;
- (ख) प्रदत्त वार्षिक छुट्टी तथा प्रदत्त बीमारी छुट्टी;
- (ग) लाभ वितरण तथा बोनस; तथा
- (घ) वर्तमान कर्मचारियों के लिये गैर-मौद्रिक लाभ तथा चिकित्सीय देखभाल, आवास, कारें तथा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता (सब्सिडी) प्राप्त वस्तुएँ अथवा सेवाएं।

10. एक प्रतिष्ठान को अल्पावधि कर्मचारी लाभ के पुनर्वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, यदि प्रतिष्ठान की निपटान के समय में परिवर्तन की प्रत्याशाएं अस्थायी हैं। तथापि, यदि लाभ की विशेषता परिवर्तित होती है (जैसेकि गैर संचित होने वाले लाभ से संचित

होने वाले लाभ में परिवर्तन होना) अथवा यदि निपटान के समय में परिवर्तन होने की प्रत्याशाएं अस्थायी नहीं हैं तो प्रतिष्ठान विचार करता है कि लाभ अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की परिभाषा को तब भी पूरा करता है अथवा नहीं।

मान्यता एवं माप

समस्त अल्पावधि कर्मचारी लाभ

11. जब कोई कर्मचारी एक प्रतिष्ठान में लेखा अवधि के दौरान सेवा प्रदान करता है, तब प्रतिष्ठान उस सेवा के बदले में भुगतान किये जाने वाले प्रत्याशित अल्पावधि कर्मचारी लाभों की गैर-बट्टागत राशि को निम्न प्रकार मान्यता देगा :

- (क) दायित्व के रूप में (प्रोद्भूत व्यय) पहले से भुगतान की गई किसी राशि को घटाने के बाद/यदि पहले भुगतान की गई राशि गैर-बट्टागत लाभों की राशि से अधिक हो जाती है तो प्रतिष्ठान उस अधिक राशि को आस्ति (पूर्व प्रदत्त व्यय) के रूप में उस सीमा तक मान्यता देगा जहाँ तक पूर्व प्रदत्त राशि निर्देशित करती हो, उदाहरणार्थ, भविष्य के भुगतानों में कमी अथवा नकद वापसी के रूप में हों।
- (ख) व्यय के रूप में, जब तक कि कोई अन्य भारतीय लेखा मानक आस्ति की लागत में लाभों को सम्मिलित करने की अपेक्षा नहीं करता है अथवा अनुमति नहीं देता है (उदाहरण के लिए देखें भारतीय लेखा मानक 2, सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) तथा भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर)।

12. अनुच्छेद 13, 16 एवं 19 यह स्पष्ट करता है कि एक प्रतिष्ठान प्रदत्त अनुपस्थितियों, लाभ वितरण और बोनस योजनाओं के रूप में अल्पावधि कर्मचारी लाभों में कैसे अनुच्छेद 11 को लागू करेगा।

अल्पावधि प्रदत्त अनुपस्थितियां

13. एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 11 के अधीन प्रदत्त अनुपस्थितियों के रूप में अल्पावधि कर्मचारी लाभों की प्रत्याशित लागत को निम्न प्रकार मान्यता देगा:

- (क) संचयी प्रदत्त अनुपस्थितियों के मामले में जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, जिससे भविष्य में प्रदत्त अनुपस्थितियों के लिये उनकी पात्रता बढ़ जाती है।
- (ख) गैर-संचयी प्रदत्त अनुपस्थितियों के लिये, जब अनुपस्थितियाँ होती हैं।

14. एक प्रतिष्ठान कर्मचारियों को विभिन्न कारणों के लिए अनुपस्थिति हेतु भुगतान कर सकता है जिनमें अवकाश, बीमारी और अल्पकालिक विकलांगता, मातृत्व या पैतृत्व, जूरी सेवा तथा मिलिटरी सेवा शामिल हैं। प्रदत्त अनुपस्थितियों के लिए पात्रता निम्नलिखित दो श्रेणियों में आती है:

- (क) संचयी; तथा
- (ख) गैर-संचयी।

15. संचयी प्रदत्त अनुपस्थितियां वे अनुपस्थितियां होती हैं जो आगे ले जायी जाती हैं और भावी अवधियों में प्रयोग की जा सकती हैं यदि वर्तमान अवधि की पात्रता का प्रयोग पूर्णतः नहीं किया गया है। संचयी प्रदत्त अनुपस्थितियां या तो निहित होती हैं (दूसरे शब्दों में कर्मचारी प्रतिष्ठान छोड़ने पर अप्रयुक्त पात्रता हेतु नकद भुगतान के लिये पात्र होते हैं) या अनिहित होती हैं (जब कर्मचारी प्रतिष्ठान छोड़ने पर अप्रयुक्त पात्रता हेतु नकद भुगतान के लिए पात्र नहीं होते हैं)। जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं तब एक बाध्यता उत्पन्न होती है जिससे भावी प्रदत्त अनुपस्थितियों के लिये उनकी पात्रता में वृद्धि होती है। बाध्यता विद्यमान रहती है, और मान्य भी होती है, भले ही प्रदत्त अनुपस्थितियां अनिहित होती हैं, हालांकि यह संभावना कि कर्मचारी संचयी अनिहित पात्रता के प्रयोग से पहले प्रतिष्ठान को छोड़ सकते हैं जो उस बाध्यता के माप को प्रभावित करती है।

16. एक प्रतिष्ठान संचयी प्रदत्त अनुपस्थितियों की प्रत्याशित लागत को अतिरिक्त लागत के रूप में मापेगा जिसे प्रतिष्ठान अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की प्रत्याशा करता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में संचित हुई है।

17. पूर्व अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट पद्धति अतिरिक्त भुगतानों की राशि पर बाध्यता को मापती है जिनका सिर्फ इस तथ्य से उत्पन्न होना प्रत्याशित है कि लाभ संचित होते हैं। अधिकांश मामलों में एक प्रतिष्ठान को यह प्राक्कलन करने के लिए व्यापक गणनाएं करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है कि अप्रयुक्त प्रदत्त अनुपस्थितियों, के लिए बाध्यताएं नहीं हैं। उदाहरण के लिये, बीमारी की छुट्टी की बाध्यता का केवल तभी सारवान होने की संभावना है यदि औपचारिक अथवा अनौपचारिक सहमति है जिससे कि अप्रयुक्त प्रदत्त बीमारी की छुट्टी को प्रदत्त वार्षिक छुट्टी के रूप में लिया जा सकता है।

अनुच्छेद 16 व 17 का दृष्टान्त देने वाला उदाहरण

एक प्रतिष्ठान में 100 कर्मचारी हैं और सभी प्रत्येक वर्ष के लिए पांच कार्य दिवसों की प्रदत्त बीमारी की छुट्टी लेने के पात्र हैं। अप्रयुक्त बीमारी की छुट्टी को एक कलेंडर वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा सकता है। बीमारी की छुट्टी पहले चालू वर्ष की पात्रता में से ली जा सकती है और

तत्पश्चात् पूर्व वर्ष से (लीफो आधार) आगे लाये गए किसी भी शेष में से लि जा सकती है। 31 दिसम्बर 20X1 को प्रत्येक कर्मचारी का औसत अप्रयुक्त पात्रता दो दिनों की है। अनुभव के आधार पर जिसका जारी रहना अपेक्षित है, प्रतिष्ठान यह अपेक्षा करता है कि वर्ष 20X2 में 92 कर्मचारी पाँच दिनों से अधिक प्रदत्त बीमारी की छुट्टी नहीं लेंगे और शेष बचे आठ कर्मचारी में से प्रत्येक औसतन साढ़े छह दिनों की छुट्टी लेंगे।

प्रतिष्ठान प्रत्याशा करता है कि इस अप्रयुक्त पात्रता के फलस्वरूप वह अतिरिक्त बारह दिनों की बीमारी की छुट्टी के लिए भुगतान करेगा जो 31 दिसम्बर 20X1 को (आठ कर्मचारियों में से प्रत्येक के लिए डेढ़ दिन ($1\frac{1}{2}$)) संचित हुई है। अतः प्रतिष्ठान 12 दिनों के बराबर बीमारी भुगतान दायित्व के रूप में मान्यता देगा।

18. गैर-संचित प्रदत्त अनुपस्थितियाँ अग्रणीत नहीं होती हैं: यदि चालू अवधि की पात्रता का प्रयोग पूर्णतः नहीं किया जाता है तो वे समाप्त हो जाती हैं और कर्मचारियों को प्रतिष्ठान छोड़ने पर अप्रयुक्त पात्रता के लिए नकद भुगतान का पात्र नहीं होता है। यह आमतौर पर बीमारी भुगतान (उस सीमा तक जिससे अप्रयुक्त पिछली पात्रता भावी पात्रता को नहीं बढ़ाती है), मातृत्व या पितृत्व छुट्टी तथा जूरी सेवा अथवा मिलिटरी सेवा के लिए प्रदत्त अनुपस्थितियाँ हैं। एक प्रतिष्ठान किसी दायित्व अथवा व्यय को तब तक मान्यता नहीं देता है जब तक कि अनुपस्थिति का समय नहीं आता है, क्योंकि कर्मचारी की सेवा लाभ की राशि में वृद्धि नहीं करती है।

लाभ वितरण तथा बोनस योजनाएँ

19. एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 11 के अधीन लाभ वितरण तथा बोनस भुगतानों की प्रत्याशित लागत को तभी, और केवल तभी मान्यता देगा जब:

- (क) प्रतिष्ठान को पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप ऐसे भुगतानों को करने के लिए वर्तमान कानूनी या परिकल्पित बाध्यता हो, तथा
(ख) बाध्यताओं का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

वर्तमान बाध्यता केवल तभी, और केवल तभी, मौजूद होती है जब प्रतिष्ठान के पास भुगतानों को करने के अलावा कोई और वास्तविक विकल्प नहीं होता।

20. कुछ लाभ वितरण योजनाओं के अधीन, कर्मचारी लाभ का हिस्सा केवल तभी प्राप्त करते हैं जब वे प्रतिष्ठान में एक विनिर्दिष्ट अवधि तक काम करते (बनें) रहते हैं। चूंकि कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं इसलिये ऐसी योजनाएं परिकल्पित बाध्यता का सृजन करती हैं और यदि वे विनिर्दिष्ट अवधि के अन्त तक सेवा में बने रहते हैं तो उन्हें प्रदत्त की जाने वाली राशि में वृद्धि हो जाती है। ऐसी परिकल्पित बाध्यताओं का माप इस संभावना को दर्शाता है कि कुछ कर्मचारी लाभ वितरण भुगतान प्राप्त किये बिना ही छोड़ कर जा सकते हैं।

अनुच्छेद 20 का दृष्टांत देने वाला उदाहरण

एक लाभ वितरण योजना में एक प्रतिष्ठान से अपेक्षा की जाती है कि वह उन कर्मचारियों को, जिन्होंने पूरे वर्ष सेवा प्रदान की है, वर्ष में हुए अपने लाभ का विनिर्दिष्ट अनुपात में भुगतान करे। यदि वर्ष के दौरान कोई कर्मचारी सेवा नहीं छोड़ता है तो उस वर्ष के लिए कुल लाभ वितरण भुगतान लाभ का 3 प्रतिशत होगा। प्रतिष्ठान प्राक्कलन करता है कि स्टाफ टर्नओवर भुगतान को घटाकर लाभ का 2.5 प्रतिशत पर ले आएगी।

प्रतिष्ठान लाभ के 2.5 प्रतिशत को दायित्व तथा व्यय के रूप में मान्यता देता है।

21. प्रतिष्ठान का बोनस भुगतान करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं भी हो सकता है। फिर भी, कुछ मामलों में, एक प्रतिष्ठान में बोनसों के भुगतान करने की प्रथा है। ऐसे मामलों में प्रतिष्ठान का यह परिकल्पित बाध्यता है क्योंकि प्रतिष्ठान को बोनस भुगतान करने के सिवाय कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता है। बाध्यता का माप इस संभावना को दर्शाता है कि कुछ कर्मचारी बोनस प्राप्त किये बिना प्रतिष्ठान छोड़ सकते हैं।
22. एक प्रतिष्ठान लाभ वितरण अथवा बोनस योजना के अधीन अपने कानूनी अथवा परिकल्पित बाध्यता का विश्वसनीय प्राक्कलन तभी और तभी कर सकता है जब:
- (क) योजना की औपचारिक शर्तों में लाभ की राशि को निर्धारित करने के लिये फार्मूला अन्तर्विष्ट होता है;
- (ख) वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित होने से पहले प्रतिष्ठान प्रदत्त की जाने वाली राशियों को निर्धारित करता है; तथा
- (ग) पिछली प्रथा प्रतिष्ठान के परिकल्पित बाध्यता की राशि का स्पष्ट साक्ष्य देती है।
23. लाभ वितरण तथा बोनस योजनाओं के अधीन बाध्यता कर्मचारी की सेवा के परिणामस्वरूप होती है न कि प्रतिष्ठान के स्वामियों के साथ लेन-देन करने के परिणामस्वरूप है। इसलिये एक प्रतिष्ठान लाभ वितरण तथा बोनस योजनाओं की लागत को लाभ के वितरण के रूप में मान्यता नहीं देता है बल्कि एक व्यय के रूप में मान्यता देता है।

24. यदि वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, की समाप्ति के पश्चात् बारह महीने के भीतर लाभ वितरण तथा बोनस भुगतानों के पूर्णतः निपटान हो जाने की आशा नहीं की जाती है तो वे भुगतान अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ होते हैं (अनुच्छेद 153-158 देखें)।

प्रकटन

25. यद्यपि यह मानक अल्पावधि कर्मचारी लाभों के बारे में विशिष्ट प्रकटनों की अपेक्षा नहीं करता है परंतु अन्य भारतीय लेखा मानकों में प्रकटनों की अपेक्षा हो सकती है। उदाहरण के लिये, भारतीय लेखा मानक 24 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लिये कर्मचारी लाभों के बारे में प्रकटनों की अपेक्षा करता है। भारतीय लेखा मानक 1, *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण*, कर्मचारी लाभों के व्यय के प्रकटन की अपेक्षा करता है।

नियोजन पश्चात् लाभ: निश्चित अंशदान योजनाओं एवं निश्चित लाभ योजनाओं में अन्तर

26. नियोजन पश्चात् लाभों में निम्नलिखित जैसी मदें शामिल हैं:

(क) सेवा निवृत्ति लाभ (उदाहरण के लिए, सेवानिवृत्ति पर पेंशन एवं एकमुश्त भुगतान); तथा

(ख) अन्य नियोजन पश्चात् लाभ, जैसाकि नियोजन पश्चात् जीवन बीमा और नियोजन पश्चात् चिकित्सा देखभाल।

वे व्यवस्थाएं जिनके द्वारा एक प्रतिष्ठान नियोजन पश्चात् लाभ प्रदान करता है, नियोजन पश्चात् लाभ योजनाएं होती हैं। एक प्रतिष्ठान सभी ऐसी व्यवस्थाओं पर इस मानक का प्रयोग करता है चाहे वे अंशदानों को प्राप्त करने तथा लाभों का भुगतान करने के लिए एक अलग प्रतिष्ठान की स्थापना को शामिल करता है अथवा नहीं।

27. नियोजन पश्चात् लाभ योजनाओं को या तो निश्चित अंशदानयोजनाओं या निश्चित लाभ योजनाओं के रूप में योजना के नियमों एवं शर्तों से प्रोद्भूत आर्थिक सारत्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

28. निश्चित अंशदान योजनाओं के अधीन प्रतिष्ठान की कानूनी अथवा परिकल्पित बाध्यता उस राशि तक सीमित होती है जितने के लिए यह निधि में अंशदान करने के लिये सहमत होता है। इसलिए, कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई नियोजन पश्चात् लाभों की राशि नियोजन पश्चात् लाभ योजना अथवा एक बीमा कंपनी को प्रतिष्ठान (और शायद कर्मचारी द्वारा भी) द्वारा दिए गए अंशदानों और उन अंशदानों से उत्पन्न निवेश प्रतिफल के द्वारा निर्धारित होती है। फलतः बीमांकिक जोखिम (यह कि लाभा आशा से कम हो सकते हैं) एवं निवेश जोखिम (जिसमें निवेशित आस्तियां प्रत्याशित लाभ को पूरा करने के लिये अपर्याप्त हों), वास्तविक रूप से, कर्मचारी पर पड़ते हैं।

29. ऐसे मामलों के उदाहरण, जहाँ एक प्रतिष्ठान की बाध्यता उस राशि तक सीमित नहीं है जिसके लिए यह निधि में अंशदान करने के लिए सहमत होता है, वह है जब प्रतिष्ठान की निम्नलिखित के माध्यम से कानूनी एवं परिकल्पित बाध्यता होती है

(क) योजनागत लाभ फार्मूला जो सिर्फ अंशदानों की राशि से ही संबद्ध नहीं रहता है और यदि आस्तियां योजनागत लाभ फार्मूला में लाभों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त होती है तो प्रतिष्ठान से और अतिरिक्त अंशदान देने की अपेक्षा करता है;

(ख) योजना के माध्यम से या तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अंशदानों पर विनिर्दिष्ट प्रतिफल की गारंटी; अथवा

(ग) वे अनौपचारिक कार्य-व्यवहार जो परिकल्पित बाध्यता का सृजन करते हैं। उदाहरण के लिये, एक परिकल्पित बाध्यता वहां उत्पन्न हो सकती है जहाँ एक प्रतिष्ठान का मुद्रास्फीति के साथ प्रगति बनाए रखने के लिए पूर्व कर्मचारियों का लाभ बढ़ाने का इतिहास रहा है भले ही जहाँ ऐसा करने के लिये कोई कानूनी बाध्यता नहीं हो।

30. निश्चित लाभ योजनाओं के अधीन:

(क) प्रतिष्ठान की बाध्यता वर्तमान तथा भूतपूर्व कर्मचारियों के लिये सहमत लाभों को प्रदान करना होता है; और

(ख) बीमांकिक जोखिम (जिसमें प्रत्याशित से अधिक लाभों की लागत होगी) तथा निवेशगत जोखिम वस्तुतः प्रतिष्ठान पर आता है। यदि बीमांकिक अथवा निवेश अनुभव प्रत्याशा से अधिक खराब होते हैं तो प्रतिष्ठान की बाध्यता में वृद्धि हो सकती है।

31. अनुच्छेद 32-49 निश्चित अंशदान योजनाओं तथा निश्चित लाभ योजनाओं के बीच, बहु-नियोजक योजनाओं के संदर्भ में, सामान्य नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों के बीच जोखिम बांटने वाली निश्चित लाभ योजनाओं, सरकारी योजनाओं तथा बीमाकृत लाभों के संदर्भ में अन्तर को स्पष्ट किया गया है।

बहु-नियोजक योजनाएँ

32. एक प्रतिष्ठान बहुनियोजक योजना (किसी परिकल्पित बाध्यता सहित जो औपचारिक शर्तों के बाहर जाती है) को योजना की शर्तों के अधीन निश्चित अंशदान योजना अथवा निश्चित लाभ योजना के रूप में वर्गीकृत करेगा।

33. यदि एक प्रतिष्ठान, जब तक कि अनुच्छेद 34 लागू नहीं होता है, बहु-नियोजक निश्चित लाभ योजना में भाग लेता है तो वह :

- (क) निश्चित लाभबाध्यता, योजनागत आस्तियों तथा योजना से सम्बद्ध लागत के अनुपातिक हिस्से का लेखा उसी तरीके से करेगा जैसा कि किसी अन्य निश्चित लाभ योजना का किया जाता है; और
- (ख) अनुच्छेदों 135-148 (अनुच्छेद 148 (घ) को छोड़कर) द्वारा अपेक्षित सूचना को प्रकट करेगा।
34. जब बहु-नियोजक निश्चित लाभ योजना के लिए निश्चित लाभ लेखा का प्रयोग करने के लिये पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं होती है तब प्रतिष्ठान निम्नलिखित करेगा:
- (क) अनुच्छेदों 51 और 52 के अनुरूप योजना का लेखा करेगा मानो यह निश्चित अंशदान योजना रही हो; और
- (ख) अनुच्छेद 148 द्वारा अपेक्षित सूचना का प्रकटन करेगा।
35. बहु-नियोजक निश्चित लाभ योजना का एक उदाहरण वह है जहाँ:
- (क) योजना पे-एस-यु-गो आधार पर वित्तपोषित है: अंशदान उस एक स्तर पर निर्धारित किया जाता है जो कि उसी अवधि में देय होने वाले लाभों के भुगतान हेतु पर्याप्त होने के लिए प्रत्याक्षित है तथा वर्तमान अवधि के दौरान अर्जित भावी लाभों को भावी अंशदानों में से प्रदत्त किया जाएगा; और
- (ख) कर्मचारियों के लाभ उनकी सेवा की प्रत्याहारित अवधि द्वारा निर्धारित होते हैं तथा सहभागिता करने वाले प्रतिष्ठानों के पास योजना तारीख तक कर्मचारियों द्वारा अर्जित लाभों के लिये अंशदान अदा किये बिना योजना से प्रत्याहार करने का कोई वास्तविक साधन नहीं है। ऐसी योजना प्रतिष्ठान के लिये बीमांकिक जोखिम सृजित करती है, यदि रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में पहले ही अर्जित लाभों की अन्तिम लागत प्रत्याशा से अधिक है तो प्रतिष्ठान को या तो अपना अंशदान बढ़ाना होगा या कर्मचारियों को लाभों में कटौती स्वीकार करने के लिए सहमत करना होगा। इसलिये ऐसी योजना निश्चित लाभ योजना होती है।
36. जहाँ बहु-नियोजक निश्चित लाभ योजना के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है, वहाँ एक प्रतिष्ठान निश्चित लाभबाध्यता, योजनागत आस्तियों तथा योजना से सम्बद्ध नियोजन पश्चात् लागत में अपने अनुपातिक हिस्से का लेखा उसी तरह करेगा जैसा कि किसी अन्य निश्चित लाभ योजना के लिये लिया जाता है। फिर भी, एक प्रतिष्ठान लेखा के उद्देश्यों से योजना की वित्तीय स्थिति तथा कार्य निष्पादन में अंतर्निहित अपने हिस्से की पहचान करने योग्य नहीं हो सकेगा। यह हो सकता है, यदि:
- (क) योजना सहभागिता प्रतिष्ठानों को दूसरे प्रतिष्ठानों के वर्तमान तथा पूर्ववर्ती कर्मचारियों से सम्बद्ध बीमांकिक जोखिमों के प्रति अभिदर्शित करती है जिसका परिणाम होता है कि बाध्यता, योजनागत आस्तियों तथा योजना में सहभागी होने वाले अलग-अलग प्रतिष्ठानों की लागत का आवंटन करने के लिये कोई संगत एवं विश्वसनीय आधार नहीं होता है;
- (ख) प्रतिष्ठान को इस मानक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये योजना के बारे में पर्याप्त सूचना प्राप्त नहीं है।
- वैसे मामलों में, एक प्रतिष्ठान योजना का इस तरह से लेखा करता है मानों यह निश्चित अंशदान योजना हो तथा अनुच्छेद 148 द्वारा अपेक्षित सूचना प्रकट करता हो।
37. बहु-नियोजक योजना और इसके सहभागियों के बीच एक संविदागत करार हो सकता है जो यह निर्धारित करता है कि योजना के अधिक्य को सहभागियों में कैसे वितरित किया जाएगा (अथवा घाटे की पूर्ति कैसे की जाएगी)। ऐसे करारनामों वाली बहु-नियोजक योजना में एक सहभागी जो अनुच्छेद 34 के अनुसार निश्चित अंशदान योजना के रूप में योजना का लेखा करता है, संविदागत करारनामों से उत्पन्न होने वाली आस्ति अथवा दायित्व तथा लाभ अथवा हानि में परिणामी आय एवं व्यय को मान्यता देगा।

अनुच्छेद 37 का दृष्टांत देने वाला उदाहरण

एक प्रतिष्ठान बहु-नियोजक निश्चित लाभ योजना में भाग लेता है जो भारतीय लेखा मानक 19 के आधार पर योजनागत मूल्यांकन तैयार नहीं करता है। अतएव यह योजना के लिये लेखा इस प्रकार करता है मानों यह निश्चित अंशदायी योजना थी। एक गैर-भारतीय लेखा मानक 19 का निधियन मूल्यांकन योजना में 100 मिलियन रुपये का घाटा दर्शाता है। संविदा के अधीन योजना में भाग लेने वाले नियोजकों के साथ अंशदानों की अनुसूची पर योजना की यह सहमति है जिससे कि अगले पाँच वर्षों में घाटे को खत्म कर दिया जाएगा। प्रतिष्ठान का संविदा के अधीन कुल अंशदान 8 मिलियन रुपये है।

प्रतिष्ठान मुद्रा के समय मूल्य के लिए समायोजित अंशदानों के लिए दायित्व और लाभ अथवा हानि में समान व्यय को मान्यता देता है।

38. बहु-नियोजक योजना सामूहिक प्रशासन योजनाओं से भिन्न है। एक सामूहिक प्रशासन योजना सिर्फ एकल नियोजक योजनाओं का एकत्रीकरण है जो संयोजित होते हैं ताकि भाग लेने वाले नियोजक निवेश के उद्देश्यों के लिये तथा निवेश प्रबंधन तथा प्रशासनिक लागतों को कम करने लिये अपनी आस्तियों को इकट्ठा कर सकें किन्तु विभिन्न नियोजकों के दावे अकेले उनके कर्मचारियों के लाभ के लिए पृथक कर दिए जाते हैं। सामूहिक प्रशासन योजनाएँ विशेष लेखा संबंधी समस्याएँ उत्पन्न नहीं करती हैं क्योंकि सूचना उन्हें शीघ्र उसी रूप में उपलब्ध हो जाती है जैसा कि किसी अन्य एकल नियोजक योजना के लिये उपलब्ध होती है और क्योंकि ऐसी योजनाएँ भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों को अन्य प्रतिष्ठानों के वर्तमान एवं पूर्ववर्ती कर्मचारियों से संबद्ध बीमांकिक जोखिमों के लिये अभिदर्शित नहीं

करती है। इस मानक में दी गई की परिभाषाएं यह अपेक्षा करती हैं कि प्रतिष्ठान योजना की शर्तों के अनुसार (किसी भी प्रकार के परिकल्पित बाध्यता सहित जो औपचारिक शर्तों से बाहर हैं) निश्चित अंशदान योजना अथवा निश्चित लाभ योजना के अनुसरण में सामूहिक प्रशासन योजना का वर्गीकरण करे।

39. बहु-नियोजक निश्चित लाभ योजना के समापन अथवा बहु-नियोजक निश्चित लाभ योजना से प्रतिष्ठान के प्रत्याहार से संबंधित दायित्व को कब मान्यता दी जाए और उसे कैसे माप किया जाए इसका निर्धारण करने के लिये एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां*, का प्रयोग करेगा।

सामान्य नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों के बीच जोखिमों को बांटने वाली निश्चित लाभ योजनाएं

40. सामान्य नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों के बीच जोखिमों को बांटने वाली निश्चित लाभ योजनाएँ बहु-नियोजक योजनाएँ नहीं होती हैं, उदाहरण के लिये मूल प्रतिष्ठान तथा इसकी अनुषंगी प्रतिष्ठान।
41. ऐसी एक योजना में भाग लेने वाला एक प्रतिष्ठान समग्र योजना के बारे में समग्र सूचना प्राप्त करेगा जिसे इस मानक के अनुसार उन अवधारणाओं के आधार पर मापा जाता है जो योजना पर समग्र रूप से लागू होती हैं। इस मानक के अनुसार मापी गई समग्र योजना के लिये निम्न निश्चित लाभ लागत को व्यक्तिगत समूह प्रतिष्ठानों के प्रति प्रभारित करने के लिए यदि कोई संविदात्मक करारनामा या विनिर्दिष्ट पॉलिसी है, तो प्रतिष्ठान अपने पृथक अथवा व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में इस तरह प्रभारित की गई निम्न निश्चित लाभ लागत को मान्यता देगा। यदि ऐसा कोई करारनामा या पॉलिसी नहीं है तो निम्न निश्चित लाभ लागत को उस समूह प्रतिष्ठान के पृथक अथवा व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में मान्यता दिया जाएगा जो योजना के लिये कानूनी रूप से प्रयोजक नियोजक है। समूह के अन्य प्रतिष्ठान अपने पृथक अथवा व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में उस अवधि के लिये देय अपने अंशदान के बराबर लागत को मान्यता देंगे।
42. ऐसी योजना में भाग लेना प्रत्येक व्यक्तिगत समूह प्रतिष्ठान के लिये संबंधित पार्टी लेन-देन है। इसलिये एक प्रतिष्ठान अपने पृथक अथवा व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में अनुच्छेद 149 द्वारा अपेक्षित सूचना प्रकट करेगा।

सरकारी योजनाएँ

43. एक प्रतिष्ठान सरकारी योजना के लिए लेखा उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार एक बहु-नियोजक योजना के लिये होता है (अनुच्छेद 32-39 देखें)।
44. सरकारी योजनाएँ सभी प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिए (अथवा किसी विशेष श्रेणी के सभी प्रतिष्ठान, उदाहरण के लिये, एक विशिष्ट उद्योग) अधिनियम द्वारा स्थापित होती हैं तथा राष्ट्रीय अथवा स्थानीय सरकार या अन्य निकाय द्वारा (उदाहरण के लिये, इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित स्वायत्तता प्राप्त एजेंसी) परिचालित होती हैं जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के नियंत्रण या प्रभाव से बाहर हैं। प्रतिष्ठान द्वारा स्थापित कुछ योजनाएँ अनिवार्य लाभों, उन लाभों के प्रतिस्थानी रूप में, जो सरकारी योजना के अधीन अन्यथा शामिल होते हैं, तथा अतिरिक्त स्वैच्छिक लाभों दोनों ही उपलब्ध करती हैं। ऐसी योजनाएँ सरकारी योजनाएँ नहीं हैं।
45. सरकारी योजनाएँ योजना के अधीन प्रतिष्ठान की बाध्यता पर निर्भर करते हुए निश्चित लाभ अथवा निश्चित अंशदान के रूप में, वर्णित होती हैं। अधिकांश सरकारी योजनाएँ पे-एस-यु-गो के आधार पर निधिबद्ध होती हैं: अंशदान एक स्तर पर नियत होते हैं जो उसी अवधि में देय होने वाले अपेक्षित लाभों के भुगतान के लिये पर्याप्त होने के लिए प्रत्याशित होते हैं: वर्तमान अवधि के दौरान अर्जित भावी लाभों को भावी अंशदानों में से भुगतान किया जाएगा। फिर भी, अधिकांश सरकारी योजनाओं में प्रतिष्ठान की उन भावी लाभों के भुगतान की कोई विधिक या परिकल्पित बाध्यता नहीं होती है: इसकी एकमात्र बाध्यता अंशदानों का भुगतान करना है जब वे देय होते हैं और यदि प्रतिष्ठान सरकारी योजना के सदस्यों का नियोजक नहीं रहता है तो पिछले वर्षों में इसके अपने कर्मचारियों द्वारा अर्जित लाभों को अदा करने की इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी। इस कारण से, सरकारी योजनाएँ आमतौर पर निश्चित अंशदान योजनाएँ होती हैं। तथापि, जब सरकारी योजनाएँ एक निश्चित लाभ योजनाएँ होती हैं तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 32-39 का प्रयोग करता है।

बीमाकृत लाभ

46. एक प्रतिष्ठान नियोजन पश्चात् लाभ योजना के निधिकरण के लिये बीमा प्रीमियमों का भुगतान कर सकता है। प्रतिष्ठान ऐसी योजना को तब तक निश्चित अंशदान योजना समझेगा जब तक कि प्रतिष्ठान की निम्नलिखित में से किसी एक के लिए कानूनी या परिकल्पित बाध्यता योजना द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से न हो:
- (क) कर्मचारी लाभों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने के लिए जब वे देय हो जाते हैं; अथवा
- (ख) यदि बीमाकर्ता वर्तमान और पूर्व अवधियों में कर्मचारी सेवा से संबंधित सभी अतिरिक्त कर्मचारी लाभों का भुगतान नहीं करता है, तो भावी राशियों के भुगतान के लिए।

यदि प्रतिष्ठान ऐसी कानून या परिकल्पित बाध्यता धारण करता है तो प्रतिष्ठान योजना को निश्चित लाभ योजना के रूप में समझेगा।

47. एक बीमा पॉलिसी द्वारा बीमाकृत लाभों का प्रतिष्ठान की कर्मचारी लाभों के लिए बाध्यता से प्रत्यक्ष (सीधा) अथवा स्वतः संबंध होने की आवश्यकता नहीं है। नियोजन पश्चात् लाभ योजनाओं के लिए जिसमें बीमा पॉलिसियों समाविष्ट हैं, लेखा एवं निधिकरण के बीच वैसे ही अंतर किया जाता है जैसा कि अन्य निधिकृत योजनाओं के लिए किया जाता है।

48. जहाँ एक प्रतिष्ठान बीमा पॉलिसी में अंशदान करके सेवा पश्चात् लाभ की बाध्यता का निधिकरण करता है जिसके अधीन प्रतिष्ठान (या तो प्रत्यक्ष रूप से योजना के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से, भावी प्रीमियमों के निर्धारण तंत्र के माध्यम से अथवा बीमाकर्ता के साथ संबंधित पार्टी के संबंध के माध्यम से) कानूनी या परिकल्पित बाध्यता धारण करता है तब प्रीमियमों का भुगतान निश्चित अंशदान व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह इस बात का संकेत करता है कि प्रतिष्ठान:
- (क) अर्हकारी बीमा पॉलिसी का लेखा योजनागत आस्ति के रूप में करता है (अनुच्छेद 8 देखें); अथवा
- (ख) अन्य बीमा पॉलिसियों को प्रतिपूर्ति अधिकारों के रूप में मान्यता देता है (यदि पॉलिसियाँ अनुच्छेद 116 में दिये गए मानदण्ड को पूरा करता है)।
49. जब एक बीमा पॉलिसी एक विनिर्दिष्ट योजना सहभागी अथवा योजना सहभागियों के समूह के नाम में होती है और प्रतिष्ठान को पॉलिसी पर हुई किसी प्रकार की हानि को ग्रहण करने की कोई कानूनी या परिकल्पित बाध्यता नहीं होती है तब प्रतिष्ठान की कर्मचारियों को लाभों के भुगतान करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होती है बल्कि लाभों के भुगतान करने का पूरा उत्तरदायित्व बीमाकर्ता का हो जाता है। ऐसी संविदाओं के अधीन निर्धारित प्रीमियमों का भुगतान वस्तुतः कर्मचारी लाभ बाध्यता का निपटान करना होता है न कि बाध्यताओं की पूर्ति के लिए एक निवेश। फलस्वरूप, प्रतिष्ठान की आस्ति या दायित्व नहीं होता है। इसलिये, एक प्रतिष्ठान ऐसे भुगतानों को निश्चित अंशदान योजना के लिए अंशदान समझता है।

नियोजन पश्चात् लाभ: निश्चित अंशदान योजनाएं

50. निश्चित अंशदान योजनाओं का लेखा बिल्कुल सरल है क्योंकि प्रत्येक अवधि के लिए रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की बाध्यता उस अवधि के लिए अंशदान दी जाने वाली राशियों द्वारा निर्धारित होता है। फलतः कोई बीमांकिक अवधारणाएं बाध्यता अथवा व्यय को मापने के लिए अपेक्षित नहीं हैं और न किसी प्रकार की बीमांकिक लाभ या हानि की संभावना है। इसके अतिरिक्त, बाध्यताओं को गैर-बट्टागत आधार पर मापा जाता है, सिवाय वहाँ के जहाँ वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा करते हैं, की समाप्ति के बारह महीने के भीतर उनके पूर्णतः निपटान किये जाने की आशा नहीं की जाती है।

मान्यता एवं माप

51. जब एक कर्मचारी एक अवधि के दौरान प्रतिष्ठान को सेवा प्रदान करता है, तो प्रतिष्ठान उस सेवा के बदले में निश्चित अंशदान योजना में देय अंशदान को निम्नलिखित प्रकार से मान्यता देगा:
- (क) पहले प्रदत्त किसी अंशदान की कटौती करने के पश्चात् दायित्व (प्रोद्भूत व्यय) के रूप में। यदि पहले प्रदत्त अंशदान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त के पहले की गई सेवा के लिये देय अंशदान से अधिक होता है तो प्रतिष्ठान उस अतिरिक्त अंशदान को उस सीमा तक एक आस्ति (पूर्वदत्त व्यय) के रूप में मान्यता देगा जहाँ तक पूर्व भुगतान के रूप में होगी; उदाहरण के लिये भावी भुगतानों में कटौती अथवा नकद वापसी।
- (ख) एक व्यय के रूप में, जब तक दूसरा भारतीय लेखा मानक आस्ति की लागत में अंशदान के समावेश की अपेक्षा नहीं करता या इसकी अनुमति नहीं देता है तबतक एक व्यय के रूप में (उदाहरण के लिये भारतीय लेखा मानक 2 तथा भारतीय लेखा मानक 16 देखें)।
52. जब एक निश्चित अंशदान योजना में किए गए अंशदानों को वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा करते हैं, की समाप्ति के पश्चात् बारह महीने के भीतर पूर्ण रूप से निपटाया जाना प्रत्याशित नहीं है, तब उन्हें अनुच्छेद 83 में विनिर्दिष्ट बट्टा दर का प्रयोग करते हुए बट्टागत किए जाएंगे।

प्रकटन

53. एक प्रतिष्ठान निश्चित अंशदान योजनाओं के लिये व्यय के रूप में मान्य की गई राशि का प्रकटन करेगा।
54. जहाँ भारतीय लेखा मानक 24 द्वारा अपेक्षित है, वहाँ एक प्रतिष्ठान प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लिये निश्चित अंशदान योजनाओं में किये गए अंशदानों के बारे में सूचना का प्रकटन करता है।

नियोजन पश्चात् लाभ: निश्चित लाभ योजनाएं

55. निश्चित लाभ योजनाओं का लेखा जटिल है क्योंकि बीमांकिक अवधारणाएं बाध्यता एवं व्यय को मापने के लिये अपेक्षित होते हैं और बीमांकिक लाभों एवं हानियों की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, बाध्यताओं को बट्टागत आधार पर मापा जाता है क्योंकि वे कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने के बहुत वर्षों बाद निपटाये जा सकते हैं।

मान्यता एवं माप

56. निश्चित लाभ योजनाएँ अनिधिबद्ध हो सकती हैं अथवा वे प्रतिष्ठान द्वारा, और कभी-कभी इसके कर्मचारियों द्वारा, एक प्रतिष्ठान में, अथवा निधि में, जो कानूनी रूप से रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से अलग होता है, और जिससे कर्मचारी लाभों के भुगतान किये जाते हैं, दिए गए अंशदानों द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः निधिबद्ध हो सकती हैं। जब निधिबद्ध लाभों के भुगतान देय होते हैं तब वे न केवल निधि की वित्तीय स्थिति और निवेश निष्पादन पर निर्भर होते हैं बल्कि निधि की आस्तियों में किसी प्रकार की कमी को लाभकर बनाने के लिये

प्रतिष्ठान के सामर्थ्य और इच्छा पर निर्भर होते हैं। इसलिये प्रतिष्ठान, वस्तुतः योजना से संबद्ध बीमांकिक तथा निवेश जोखिमों की हामीदारी (जोखिम अंकन) करता है। फलतः निश्चित लाभ योजना के लिये मान्यता दिया गया व्यय अनिवार्यतः उस अवधि के लिये देय अंशदान की राशि नहीं होती है।

57. निश्चित लाभ योजनाओं के लिए प्रतिष्ठान द्वारा लेखा में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

(क) घाटे या अधिशेष का निर्धारण करना। इसमें शामिल है:

- (i) बीमांकिक तकनीक का प्रयोग करते हुए, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट प्रणाली द्वारा प्रतिष्ठान के उन लाभों की अन्तिम लागत का विश्वसनीय प्राक्कलन तैयार करना जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के प्रतिफल के लिए अर्जित किया है (अनुच्छेद 67-69 देखें)। प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्तमान और पूर्व अवधियों में कितना लाभ आरोप्य है इसका निर्धारण करे, और जनसांख्यिकी चरों के बारे में (जैसे कर्मचारी टर्नओवर और मर्त्यता) प्राक्कलन (बीमांकिक अवधारणाएं) बनाएं और वित्तीय चरों के बारे में प्राक्कलन बनाएं जैसे वेतन और चिकित्सा लागतों में भावी वृद्धियां जो लाभ की लागत को प्रभावित करेंगे (अनुच्छेद 75-98 देखें)।
- (ii) निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य और वर्तमान सेवा लागत का निर्धारण करने के लिए उस लाभ को बट्टागत करना (अनुच्छेद 67-69 तथा 83-86 देखें)।
- (iii) निश्चित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में से किसी योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की कटौती (अनुच्छेद 113-115 देखें)।

(ख) निवल निश्चित लाभ आस्ति को आस्ति की ऊपरी सीमा तक सीमित करते हुए किसी प्रभाव के लिये समायोजित करते हुए ऊपर (क) में निर्धारित घाटे अथवा अधिशेष के रूप में निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) की राशि का निर्धारण (अनुच्छेद 64 देखें)।

(ग) लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होने वाली राशियों का निर्धारण :

- (i) वर्तमान सेवा लागत (अनुच्छेद 70-74 देखें)।
- (ii) पर कोई पिछली सेवा लागत और निपटान लाभ अथवा हानि (अनुच्छेद 99-112 देखें)।
- (iii) निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज (अनुच्छेद 123-126 देखें)।

(घ) अन्य व्यापक आय में मान्य होने वाला निवल निश्चित लाभ दायित्व के पुर्नमापों (आस्ति) का निर्धारण, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) बीमांकिक लाभ एवं हानियां (अनुच्छेद 128-129 देखें)
- (ii) निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल (अनुच्छेद 130 देखें); तथा
- (iii) निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर आस्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव में कोई परिवर्तन (अनुच्छेद 64 देखें)।

जहाँ प्रतिष्ठान की एक से अधिक निश्चित लाभ योजना है, वहाँ प्रतिष्ठान प्रत्येक सारवान योजना के लिये इन कार्यविधियों का अलग-अलग प्रयोग करता है।

58. एक प्रतिष्ठान पर्याप्त नियमितता के साथ निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) का निर्धारण करता है जिससे वित्तीय विवरणों में मान्य की गई राशियां उन राशियों से सारवान रूप से कोई अलग नहीं होगी जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में निर्धारित किया जाएगा।

59. यह मानक प्रोत्साहित करता है, किन्तु अपेक्षा नहीं करता, एक प्रतिष्ठान को सभी महत्वपूर्ण सेवा पश्चात् लाभ दायित्वों के माप में अर्हताप्राप्त बीमांकिक को समाविष्ट करने के लिए। व्यवहारिक कारणों से एक प्रतिष्ठान अर्हता प्राप्त बीमांकिक को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पहले ही दायित्व का व्यापक मूल्यांकन कर लेने के लिये अनुरोध कर सकता है। फिर भी, उस मूल्यांकन के परिणाम किसी महत्वपूर्ण लेन-देनों के लिये और रिपोर्टिंग अवधि के अन्त तक परिस्थितियों में (बाजार दरों एवं ब्याज दरों में परिवर्तनों सहित) अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए) अद्यतन किये जाते हैं।

60. कुछ मामलों में, प्राक्कलनों, औसतों तथा संगणात्मक तत्काल विधियों (शार्टकटों) से इस मानक में दिए गए विस्तृत संगणात्मक उदाहरणों की विश्वसनीय सन्निकटन गणना तक पहुँचा जा सकता है।

परिकल्पित बाध्यता के लिए लेखा

61. एक प्रतिष्ठान न केवल निश्चित लाभ योजना की औपचारिक शर्तों के अधीन इसकी कानूनी बाध्यता के लिये लेखा करेगा बल्कि किसी परिकल्पित बाध्यता के लिये भी लेखा करेगा जो प्रतिष्ठान की अनौपचारिक कार्य-व्यवहारों से उत्पन्न होती है। जहाँ प्रतिष्ठान को कर्मचारी लाभों का भुगतान करने के सिवाय कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता है, वहाँ अनौपचारिक कार्य-व्यवहार

एक परिकल्पित बाध्यता को उत्पन्न करते हैं। परिकल्पित बाध्यता का एक उदाहरण यह है कि जहाँ प्रतिष्ठान की अनौपचारिक कार्य-व्यवहार में परिवर्तन होना कर्मचारियों के साथ इसके संबंध में अस्वीकार्य क्षति का कारण होगा।

62. निश्चित लाभ योजना की औपचारिक शर्तें योजना के अधीन एक प्रतिष्ठान को इसकी बाध्यता को समाप्त करने की अनुमति दे सकती हैं। फिर भी, एक प्रतिष्ठान के लिये योजना के अधीन (भुगतान के बिना) अपनी बाध्यता को समाप्त करना आमतौर पर कठिन होता है यदि कर्मचारियों को रोका जाना है। इसलिये, प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में, नियोजन पश्चात् लाभों के लिए लेखा मानता है कि एक प्रतिष्ठान जो वर्तमान में ऐसे लाभों के लिए वायदा कर रहा है, कर्मचारियों के शेष कार्यकालों में ऐसा करना जारी रखेगा।

तुलन पत्र

63. एक प्रतिष्ठान तुलन-पत्र में निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) को मान्यता देगा।
64. जब एक प्रतिष्ठान की निश्चित लाभ योजना में अधिशेष होती है तब यह निवल निश्चित लाभ आस्ति को निम्नलिखित में से सबसे कम राशि पर मापा जाएगा:
- (क) निश्चित लाभ योजना में अधिशेष; और
- (ख) अनुच्छेद 83 में विनिर्दिष्ट बट्टा दर का प्रयोग करके निर्धारित की गई आस्ति की ऊपरी सीमा।
65. जहाँ निश्चित लाभ योजना में अधिक निधि जमा होती है अथवा जहाँ बीमांकिक लाभ उत्पन्न होते हैं, वहाँ एक निवल निश्चित लाभ आस्ति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे मामलों में एक प्रतिष्ठान एक निवल निश्चित लाभ आस्ति को मान्यता देता है क्योंकि:
- (क) प्रतिष्ठान उस साधन का नियंत्रण करता है जो भावी लाभों को उत्पन्न करने के लिये अधिशेष का प्रयोग करने की क्षमता रखता है;
- (ख) वह नियंत्रण पिछली घटनाओं (प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त अंशदान तथा कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा) का परिणाम है; और
- (ग) एक प्रतिष्ठान को भावी आर्थिक लाभ भावी अंशदानों में कटौती अथवा नकद वापसी के रूप में उपलब्ध होते हैं या तो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिष्ठान को या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी घाटे वाली योजना को।

मान्यता एवं माप: निश्चित लाभ बाध्यताओं तथा चालू सेवा लागत का वर्तमान मूल्य

66. निश्चित लाभ योजना की अन्तिम लागत कई चरों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि अन्तिम वेतनों, कर्मचारी का टर्नओवर तथा मर्त्यता, कर्मचारी के अंशदान तथा चिकित्सा लागतों की प्रवृत्ति। योजना की अन्तिम लागत अनिश्चित है और यह अनिश्चितता दीर्घकालीन समय तक बने रहने की संभावना है। नियोजन पश्चात् लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य और संबंधित चालू सेवा लागत के माप के लिए निम्नलिखित आवश्यक हैं:
- (क) एक बीमांकिक मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना (अनुच्छेद 67-69 देखें);
- (ख) सेवा अवधियों को लाभ आरोपण करना (अनुच्छेद 70-74); और
- (ग) बीमांकिक अवधारणाएं तय करना (अनुच्छेद 75-78)।

बीमांकिक मूल्यांकन विधि

67. एक प्रतिष्ठान अपने निश्चित लाभ बाध्यताओं तथा संबंधित चालू सेवा लागत का वर्तमान मूल्य और, जहाँ लागू होगा, गत सेवा लागत को निर्धारित करने के लिये प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करेगा।
68. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि (कभी-कभी सेवा के आनुपातिक प्रोद्भूत लाभ विधि अथवा लाभ/सेवा के वर्षों विधि के रूप में जाना जाता है) सेवा की प्रत्येक अवधि को लाभ पात्रता की (अनुच्छेद 70-74 देखें) अतिरिक्त इकाई को उत्पन्न करने के रूप में देखती है और अन्तिम बाध्यता को तय करने के लिये प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है (अनुच्छेद 75-98)।

अनुच्छेद 68 का दृष्टांत देने वाला उदाहरण

सेवा समाप्ति पर एक मुश्त लाभ देय होता है तथा यह प्रत्येक वर्ष की सेवा के अन्तिम वेतन का 1 प्रतिशत के बराबर होता है। वर्ष 1 में वेतन 10,000/-रूपये हैं और प्रत्येक वर्ष 7 प्रतिशत (चक्रवृद्धि) की दर से बढ़ता मान लिया जाता है। प्रयुक्त बट्टा दर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। निम्नलिखित सारणी यह दर्शाती है कि एक कर्मचारी जिसके 5 वर्ष के अन्त में सेवा छोड़ने की प्रत्याशा है, उसके लिए बाध्यता किस प्रकार बढ़ेगी, यह मानते हुए कि बीमांकिक अवधारणाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है,। आसानी के लिये, इस संभावना को दर्शाने के लिए कि कर्मचारी प्रतिष्ठान को पहले या बाद की तारीख में भी छोड़ सकता है, आवश्यक अतिरिक्त समायोजन को यह उदाहरण अनदेखा कर देता है।

वर्ष	1	2	3	4	5

	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
निम्नलिखित को आरोपण किए					
लाभ					
- पूर्व वर्षों के लिए	0	131	262	393	524
- चालू वर्ष	131	131	131	131	131
(अन्तिम वेतन का 1%)					
- चालू और पूर्व वर्षों में	<u>131</u>	<u>262</u>	<u>393</u>	<u>524</u>	<u>655</u>
प्रारंभिक बाध्यता	-	89	196	324	476
10% पर ब्याज	-	09	20	33	48
वर्तमान सेवा लागत	<u>89</u>	<u>98</u>	<u>108</u>	<u>119</u>	<u>131</u>
अन्तिम बाध्यता	<u>89</u>	<u>196</u>	<u>324</u>	<u>476</u>	<u>655</u>
टिप्पणी(नोट):					
1. प्रारंभिक बाध्यता पूर्व वर्षों को आरोपण किए गए लाभों का वर्तमान मूल्य होती है।					
2. चालू / सेवा लागत वर्तमान वर्ष को आरोपण किए गए लाभों का वर्तमान मूल्य है।					
3. अन्तिम बाध्यता चालू और पूर्व के वर्षों को आरोपण किए गए लाभों का वर्तमान मूल्य है।					

69. एक प्रतिष्ठान संपूर्ण नियोजन पश्चात् लाभ बाधता को बट्टागत करता है भले ही, बाध्यता के एक भाग को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह महीने के भीतर निपटाये जाने की संभावना है।

सेवा अवधियों के लिए लाभ आरोपण

70. अपनी निश्चित लाभ बाध्यताओं तथा संबंधित वर्तमान सेवा लागत, के वर्तमान मूल्य और यदि लागू हो तो, गत सेवा लागत के निर्धारण करने में प्रतिष्ठान योजना के लाभ फॉर्मूला के अर्न्तगत सेवा अवधियों को लाभ का आरोपण करेंगे। तथापि, यदि एक कर्मचारी की बाद के वर्षों की सेवा के परिणामस्वरूप पूर्व वर्षों में की गई सेवा की अपेक्षा सारवान रूप से उच्च स्तर के लाभ होते हैं तो प्रतिष्ठान निम्नलिखित तारीख से सीधी-रेखा आधार पर लाभ का आरोपण करेगा:

(क) वह तारीख जब कर्मचारी द्वारा की गई सेवा योजना के अधीन (चाहे लाभ भावी सेवा पर सशर्त हैं अथवा नहीं) लाभों की तरफ पहले ले जाती है तब तक

(ख) वह तारीख जब कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त सेवा योजना के अधीन अतिरिक्त लाभों, अतिरिक्त वेतन वृद्धि के होने के अलावा, की कोई सारवान राशि की तरफ नहीं ले जाएगी।

71. प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि एक प्रतिष्ठान से अपेक्षा करती है कि वह चालू अवधि (चालू सेवा लागत निर्धारित करने के लिए) तथा चालू और पूर्व अवधियों (निश्चित लाभ बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए) को लाभ का आरोपण करे। प्रतिष्ठान उन अवधियों को लाभ का आरोपण करता है जिसमें नियोजन पश्चात् लाभों को देने की बाध्यता उत्पन्न होती है। यह बाध्यता इसलिये उत्पन्न होती है क्योंकि कर्मचारी नियोजन पश्चात् लाभों के बदले में सेवाएं देते हैं जो एक प्रतिष्ठान भावी रिपोर्टिंग अवधियों में भुगतान करने की आशा करता है। बीमांकिक तकनीकें प्रतिष्ठान को दायित्व की मान्यता को उचित सिद्ध करने के लिये पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ उस बाध्यता को मापने के लिए अनुमति देते हैं।

अनुच्छेद 71 दृष्टांत देने वाला उदाहरण

1. एक निश्चित लाभ योजना सेवानिवृत्ति पर प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिये 100 रु. का एकमुश्त लाभ देता है।

100 रु. का लाभ प्रत्येक वर्ष को आरोपण किया जाता है। चालू सेवा लागत 100 रु. की वर्तमान मूल्य है। निश्चित लाभ बाधता का वर्तमान मूल्य 100 रु. का वर्तमान मूल्य है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अन्त तक के सेवा वर्षों की संख्या से गुणा किया जाता है।

यदि लाभ जब कर्मचारी प्रतिष्ठान को छोड़ता है तत्काल देय हो जाता है, तब चालू सेवा लागत तथा निश्चित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य उस तारीख को प्रतिबिम्बित करता है जिस तारीख पर कर्मचारी के प्रतिष्ठान छोड़ने की प्रत्याशा होती है। अतएव, बट्टागत के

प्रभाव के कारण, ये राशियां उन राशियों से कम होते हैं जो तब निर्धारित किया जाता यदि कर्मचारी ने रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में सेवा छोड़ दी होती।

- योजना के अन्तर्गत सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये अन्तिम वेतन का 0.2 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाता है। पेंशन 65 वर्ष की आयु से देय होता है।

प्रत्याशित सेवनिवृत्ति की तारीख से मृत्यु की प्रत्याशित तारीख तक देय प्राक्कलित अंतिम वेतन के 0.2 प्रतिशत के बराबर की मासिक पेंशन के वर्तमान मूल्य के बराबर लाभ का सेवा के प्रत्येक वर्ष को आरोपण किया जाता है। चालू सेवा लागत उस लाभ का वर्तमान मूल्य है। निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य अन्तिम वेतन के 0.2 प्रतिशत मासिक पेंशन भुगतानों का वर्तमान मूल्य होता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अन्त तक के सेवा वर्षों से गुणा किया जाता है। चालू सेवा लागत तथा निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य बट्टागत होते हैं क्योंकि पेंशन भुगतान 65 वर्ष की आयु से शुरू होती है।

- निश्चित लाभ योजना के अधीन कर्मचारी सेवा से बाध्यता का सृजन होता है, बेशक लाभ भावी नियोजन की शर्तों पर है (अन्य शब्दों में वे निहित नहीं हैं)। निहित तारीख के पहले कर्मचारी सेवा परिकल्पित बाध्यता का सृजन करती है क्योंकि प्रत्येक क्रमिक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में भावी सेवा की मात्रा जिसे एक कर्मचारी लाभ के पात्र होने के पहले प्रदान करेगा, कम हो जाती है। एक प्रतिष्ठान इसके निश्चित लाभ बाध्यता का माप करने में इस संभावना पर विचार करता है कि कुछ कर्मचारी किसी निहित अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से, यद्यपि कुछ नियोजन पश्चात् लाभों, उदाहरणार्थ, सेवा पश्चात् चिकित्सीय लाभ, केवल तभी भुगतान देय होते हैं यदि विनिर्दिष्ट घटना घटती है जब एक कर्मचारी नियोजित नहीं रहता है, परंतु बाध्यता सृजित होती है जब कर्मचारी सेवा देता है जो लाभ के लिये पात्रता प्रदान करेगी यदि विनिर्दिष्ट घटना घटित होती है। यह संभावना कि विनिर्दिष्ट घटना घटित होगी, इससे बाध्यता का माप प्रभावित होता है किन्तु यह निर्धारित नहीं होता है कि क्या बाध्यता विद्यमान होता है।

अनुच्छेद 72 का दृष्टांत देन वाला उदाहरण

- एक योजना सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 100 रु. के लाभ का भुगतान करता है। यह लाभ 10 वर्षों की सेवा के पश्चात् निहित होते हैं।
100 रु. का लाभ प्रत्येक वर्ष को आरोपण किया जाता है। प्रत्येक प्रथम 10 वर्षों में चालू सेवा लागत तथा बाध्यता का वर्तमान मूल्य इस संभावना को प्रतिबिम्बित करता है कि कर्मचारी 10 वर्षों की सेवा पूरी नहीं भी कर सकते।
- एक योजना प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिये 25 वर्ष की आयु के पहले की सेवा को छोड़कर 100 रु. के लाभ का भुगतान करती है। लाभ तुरंत निहित होते हैं।
25 वर्ष की आयु के पहले की सेवा के लिए किसी लाभ का आरोपण नहीं होता है क्योंकि उस तारीख के पहले की गई सेवा से कोई लाभ नहीं होते हैं सशर्त अथवा बिना शर्त के। 100 रु. के लाभ को प्रत्येक परवर्ती वर्ष को आरोपण किया जाता है।

- बाध्यता उस तारीख तक बढ़ता है जब तक कर्मचारी द्वारा की गई अतिरिक्त सेवा का परिणाम अतिरिक्त लाभों की सारवान राशि के रूप में नहीं होती है। इसलिये, सभी लाभ उन अवधियों को आरोपण किए जाते हैं जो उस तारीख को या उसके पहले समाप्त होते हैं। योजना के लाभ फार्मूला के अधीन व्यक्तिगत लेखावधि को लाभ का आरोपण किया जाता है। फिर भी, यदि बाद के वर्षों में एक कर्मचारी की सेवा पूर्व के वर्षों की अपेक्षा लाभ को सारवान रूप से उच्चतर स्तर पर ले जाती है तो एक प्रतिष्ठान सीधी रेखा आधार पर लाभ का आरोपण उस तारीख तक करता है जब तक कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त सेवा का परिणाम अतिरिक्त लाभों की एक सारवान मात्रा नहीं होती है। ऐसा इसलिये है क्योंकि कर्मचारी की सेवा संपूर्ण अवधि में अंततः लाभ को उस उच्चतर स्तर पर ले जाएगी।

अनुच्छेद 73 का दृष्टांत देने वाला उदाहरण

- एक योजना 1000 रु. के एकमुश्त लाभ का भुगतान करता है जो 10 वर्षों की सेवा के बाद निहित होता है। योजना परवर्ती सेवा के लिये आगे कोई लाभ नहीं देती है।
100 रु. (1000 रु. 10 से विभाजित) के लाभ का प्रत्येक प्रथम 10 वर्षों को आरोपण किया जाता है।
प्रत्येक प्रथम 10 वर्षों में चालू सेवा लागत इस संभावना को प्रतिबिम्बित करती है कि कर्मचारी 10 वर्षों की सेवा को पूरा नहीं भी कर सकता है। किसी लाभ को परवर्ती वर्षों को आरोपण नहीं किया जाता है।
- एक योजना 2000 रु. का एकमुश्त सेवा निवृत्ति लाभ उन सभी कर्मचारियों को अदा करता है जो 20 वर्षों की सेवा के पश्चात् 55 वर्ष की आयु में भी नियोजित है, अथवा जो 65 वर्ष की आयु में, उनकी सेवा की अवधि में विचार किये बिना अब भी नियोजित है।
जो कर्मचारी 35 वर्ष की आयु के पहले कार्यग्रहण करते हैं उनकी सेवा योजना के अधीन सर्वप्रथम 35 वर्ष की आयु में लाभों को प्रदान करती है। एक कर्मचारी 30 वर्ष की आयु में नौकरी छोड़ सकता है और फिर 33 वर्ष की आयु में वापस आ सकता है परंतु इससे लाभों की राशि या समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे लाभ और अधिक सेवा के साथ सशर्त होते हैं। साथ ही, 55 वर्ष की आयु से अधिक

की सेवा का परिणाम अतिरिक्त लाभों की कोई सारवान राशि नहीं होगी। इन कर्मचारियों के लिये, प्रतिष्ठान 35 वर्ष की आयु से 55 वर्ष की आयु तक प्रत्येक वर्ष के लिये 100 रु. (2000 रु. विभाजित 20 से) के लाभ का आरोपण करेगा।

जो कर्मचारी 35 और 45 वर्ष की आयु के बीच कार्यग्रहण करते हैं उनकी 20 वर्षों से अधिक की सेवा का परिणाम अतिरिक्त लाभों की सारवान राशि नहीं होती है। इन कर्मचारियों के लिये प्रतिष्ठान प्रत्येक प्रथम 20 वर्षों के लिये 100 रु. (2000 रु. विभाजित 20 से) के लाभ का आरोपण करता है।

जो कर्मचारी 55 वर्ष की आयु में कार्यग्रहण करते हैं उनकी 10 वर्षों से अधिक की सेवा का परिणाम अतिरिक्त लाभों की सारवान राशि नहीं होता है। इन कर्मचारियों के लिये प्रतिष्ठान प्रत्येक प्रथम 10 वर्षों के लिये 200 रु. (2000 रु. विभाजित 10 से) के लाभ का आरोपण करता है।

सभी कर्मचारी के लिये चालू सेवा लागत तथा बाध्यता का वर्तमान मूल्य इस संभावना को प्रतिबिम्बित करता है कि कर्मचारी आवश्यक सेवा अवधि पूरा नहीं भी कर सकता।

3. नियोजन पश्चात् चिकित्सा योजना के तहत यदि कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम सेवा करने के बाद छोड़ता है तो उसे नियोजन पश्चात् चिकित्सा लागतों के 40 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है तथा यदि कर्मचारी 20 अथवा अधिक वर्षों के बाद छोड़ता है तो उन लागतों के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है।

योजना के लाभ फार्मूला के अधीन एक प्रतिष्ठान प्रत्याशित चिकित्सीय लागतों के वर्तमान मूल्य का 4 प्रतिशत (40 प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर) प्रथम 10 वर्षों में प्रत्येक के लिये तथा 1 प्रतिशत (10 प्रतिशत का 10 से विभाजन द्वारा) द्वितीय 10 वर्षों में प्रत्येक के लिए आरोपण किया जाता है प्रत्येक वर्ष में वर्तमान सेवा लागत में इस बात की संभावना प्रतिबिम्बित होती है कि कर्मचारी सभी लाभों अथवा अंश को अर्जित करने के लिये आवश्यक सेवा अवधि पूरी नहीं भी कर सकता। 10 वर्षों के अन्दर सेवा छोड़ने वाले प्रत्याशित कर्मचारियों के लिए कोई लाभ का आरोपण नहीं होता है।

4. नियोजन पश्चात् चिकित्सा योजना के तहत यदि कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्षों से कम के बाद सेवा छोड़ता है तो कर्मचारी की नियोजन पश्चात् चिकित्सीय लागत के 10 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति होती है तथा यदि कर्मचारी 20 या अधिक वर्षों के बाद छोड़ता है तो उसे 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति होती है।

पूर्व वर्षों की अपेक्षा लाभ को बाद के वर्षों में की गई सेवा से सारवान रूप से उच्चतर स्तर के लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिये 20 या अधिक वर्षों के बाद सेवा छोड़ने वाले प्रत्याशित कर्मचारियों के लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद 71 के अधीन सीधी रेखा आधार पर लाभ का आरोपण करेगा। 20 वर्षों से अधिक की सेवा से अतिरिक्त लाभों को किसी सारवान राशि तक नहीं बढ़ाया जा सकेगा। इसलिये प्रथम 20 वर्षों के प्रत्येक वर्ष को आरोपण किया गया लाभ प्रत्याशित चिकित्सीय लागत के वर्तमान मूल्य का 2.5 प्रतिशत (50 प्रतिशत को 20 से विभाजित करने पर) है।

जिन कर्मचारियों का 10 से 20 वर्षों के बीच सेवा छोड़ना प्रत्याशित है उनके लिए प्रथम 10 वर्षों को आरोपण किया गया लाभ प्रत्याशित चिकित्सीय लागतों के वर्तमान मूल्य का 1 प्रतिशत है।

उन कर्मचारियों के लिए 10 वर्षों के अन्त और सेवा छोड़ने की प्रत्याशित तारीख के बीच की सेवा के लिये किसी लाभ का आरोपण नहीं किया गया है।

10 वर्षों के अन्दर सेवा छोड़ने वाले प्रत्याशित कर्मचारियों के लिये लाभ का आरोपण नहीं किया गया है।

5. एक प्रतिष्ठान में 1000 कर्मचारी हैं। साविधिक अपेक्षा अनुसार, एक कर्मचारी को उनकी सेवा समाप्त होने पर कम से कम पांच वर्षों की निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद (क) उनकी अधिवाषिता पर अथवा, प्रदान करने के बाद (ख) उनकी सेवानिवृत्ति अथवा त्याग पत्र पर, (ग) दुर्घटना या बीमारी के कारण उनकी मृत्यु या विकलंगता पर देय होती है बशर्ते उसने कम से कम 5 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी की है। 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करना वहां आवश्यक नहीं है जहाँ किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति उसकी मृत्यु या विकलंगता के कारण हुई है। देय राशि का निर्धारण सेवा वर्षों की संख्या तथा अन्तिम आहरित वेतन से संबद्ध फार्मूला द्वारा किया जाता है। विधि अनुसार देय राशि 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। उपदान (ग्रेज्युटी) देय होगी।

सेवा के प्रत्येक वर्ष को आरोपण की गई उपदान की राशि की गणना निम्न प्रकार की जाएगी:

उन कर्मचारियों की संख्या की उपेक्षा कर दी जाएगी जिनके द्वारा योग्यता मापदण्ड पूरे होने की संभावना नहीं है।

अन्य कर्मचारियों को उनकी प्रत्याशित सेवा अवधि के अनुसार समूहबद्ध किया जाएगा तथा मृत्युदर, विकलंगता तथा 5 वर्षों के बाद के त्याग-पत्र को भी विचार में लिया जाएगा। प्रतिदेय ग्रेज्युटी की गणना सेवा अवधि और सेवा समाप्ति पर वेतन के आधार पर तथा पदोन्नति और वेतनवृद्धि आदि को मानते हुए, अधिशासी कानून में निर्धारित फार्मूले के साथ की जाएगी।

उन कर्मचारियों के लिये जिनके लिये सेवा की प्रत्याशित अवधि पर फार्मूला के अनुसार देय राशि 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं होती है, उनके लिये देय राशि को सेवा की प्रत्याशित अवधि से विभाजित किया जाएगा और परिणामी राशि का 5 वर्षों की विनिर्धारित अवधि के पहले की अवधि समेत प्रत्याशित सेवा अवधि की प्रत्येक वर्ष के प्रति आरोपण किया जाएगा।

शेष बचे कर्मचारियों के मामले में, फार्मूला के अनुसार की राशि 10 वर्षों की प्रत्याशित सेवावधि से 10,00,000 रु. अधिक हो जाती है और 8 वर्षों के अन्त में ही 10, 00, 000 रु. की सांविधिक सीमा राशि तक पहुंच जाती है। 1,25,000 रु. का (10,00,000 को 8 से विभाजित करने पर) प्रथम 8 वर्षों की प्रत्येक वर्ष को आरोपण किया जाता है। इस मामले में, परवर्ती दो वर्षों में कोई लाभ का आरोपण नहीं होता है। यह इसलिये क्योंकि 8 वर्षों से अधिक सेवा अतिरिक्त लाभों की सारवान राशि प्रदान नहीं करती है।

74. जहाँ लाभ की राशि सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये अन्तिम वेतन का स्थिर अनुपात होता है वहाँ भावी वेतन वृद्धि बाध्यता का निपटान करने के लिये अपेक्षित राशि को प्रभावित करेगा जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पहले सेवा के लिये विद्यमान होती है किन्तु किसी अतिरिक्त बाधता का सृजन नहीं करता है। इसलिये:

(क) अनुच्छेद 70 (ख) के उद्देश्य के लिये वेतनों में बढ़ोत्तरी अतिरिक्त लाभों को नेतृत्व करती है, यद्यपि लाभों की राशि अन्तिम वेतन पर निर्भर होती है; और

(ख) प्रत्येक अवधि को आरोपण की गई लाभ की राशि उस वेतन का स्थिर अनुपात होता है जिससे लाभ जुड़ा रहता है।

अनुच्छेद 74 का दृष्टांत देने वाला उदाहरण

कर्मचारी 55 वर्ष की आयु के पहले सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये अन्तिम वेतन के 3 प्रतिशत लाभ के पात्र है।

प्राक्कलित अन्तिम वेतन के 3 प्रतिशत का लाभ 55 वर्ष की आयु तक प्रत्येक वर्ष को आरोपण किया जाता है। यह वह तारीख है जब कर्मचारी द्वारा की गई अतिरिक्त सेवा योजना के अधीन अतिरिक्त लाभों की किसी सारवान राशि का नेतृत्व नहीं करती है। उस आयु के पश्चात् कोई लाभ सेवा को आरोपण नहीं होता है।

बीमांकिक अवधारणाएं

75. बीमांकिक अवधारणाएं अपक्षपाती तथा पारस्परिक सामंजस्य वाली होंगी।

76. बीमांकिक अवधारणाएं प्रतिष्ठान के उन चरों का सर्वोत्तम प्राक्कलन है जो नियोजन पश्चात् लाभों को देने के लिए अन्तिम लागत का निर्धारण करेगी। बीमांकिक मान्यताओं में निम्नलिखित होते हैं :

(क) वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों (और उनके आश्रितों) जो लाभ के लिए पात्र हो के भावी लक्ष्यों के बारे में जनसंख्यिक अवधारणाएं। जनसंख्यिक अवधारणाएं निम्नलिखित मामलों के बारे में चर्चा करती हैं जैसे:

- (i) मर्त्यता (अनुच्छेद 81 और 82 देखें);
- (ii) कर्मचारी टर्नओवर, विकलंगता तथा शीघ्र सेवानिवृत्ति की दरें;
- (iii) आश्रितों सहित योजना सदस्यों का अनुपात जो लाभों के पात्र होंगे;
- (iv) योजना सदस्यों का अनुपात जो योजना शर्तों के अधीन उपलब्ध भुगतान विकल्प के प्रत्येक स्वरूप का चयन करेगा; तथा
- (v) चिकित्सीय योजनाओं के अंतर्गत दावों की दरें।

(ख) निम्नलिखित मदों से संबंधित वित्तीय मान्यताएं जैसे -

- (i) बट्टागत दर (अनुच्छेद 83-86 देखें);
- (ii) कर्मचारियों द्वारा पूरे किये जाने वाले किसी भी लागत को छोड़कर लाभ के स्तर और भावी वेतन (अनुच्छेद 87-95 देखें);
- (iii) चिकित्सीय लाभों के मामलों में भावी लागतों सहित दावों की कार्यवाही की लागतें (अर्थात् लागतें जो कानूनी एवं समंजक के शुल्क सहित दावों के प्रक्रमण एवं दावों के समाधान करने में खर्च की जाएंगी) (अनुच्छेद 96-98 देखें); और
- (iv) रिपोर्टिंग तारीख के पहले सेवा से संबंधित अंशदानों पर या उस सेवा के परिणामतः लाभों पर योजना द्वारा देय कर।

77. बीमांकिक मान्यताएं अपक्षपाती होती हैं यदि वे न तो अविवेकी होती हैं और न अत्याधिक रूढ़िवादी होती हैं।

78. यदि बीमांकिक मान्यताएं, मुदास्फीति, वेतनवृद्धि की दरों तथा बट्टागत दरों जैसे तथ्यों के बीच आर्थिक संबंध को प्रतिबिंबित करते हैं तो वे पारस्परिक सामंजस्य वाली होती हैं। उदाहरण के लिये, वे सभी मान्यताएं जो किसी भावी अवधि की विशिष्ट मुदास्फीति स्तर

(जैसे ब्याज दरों, वेतन तथा लाभ वृद्धियों के बारे में मान्यताएं) पर निर्भर करती है, उस अवधि में भी समान मुद्रास्फीति स्तर को मानेगी।

79. एक प्रतिष्ठान बट्टा दर तथा अन्य वित्तीय मान्यताओं को तबतक नाममात्र /सामान्य उल्लिखित शर्तों में निर्धारित करता है जबतक कि वास्तविक (मुद्रास्फीति-समायोजित) शर्तों में किया गया प्राक्कलन अधिक विश्वसनीय नहीं होता है, उदाहरण के लिए उच्च मुद्रास्फीतिशाली अर्थव्यवस्थाओं में (भारतीय लेखा मानक 29, *उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग*) देखें अथवा लाभ सूचकांक संबद्ध होते हैं तथा उसी मुद्रा तथा अवधि के सूचकांक-संबद्ध बाण्डों का गहन बाजार होता है।
80. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, वित्तीय अवधारणाएं बाजार की अपेक्षाओं उस अवधि में जिसमें बाध्यताओं का निपटान किया जाना है, पर आधारित होंगी।

वास्तविक अवधारणाएँ: मर्त्यता

81. एक प्रतिष्ठान नियोजन के दौरान और उसके पश्चात् दोनों में, योजना सदस्यों की मर्त्यता के अपने सर्वोत्तम प्राक्कलन के संदर्भ द्वारा अपनी मर्त्यता अवधारणाओं का निर्धारण करता है।
82. लाभ की अन्तिम लागत का प्राक्कलन करने के लिए एक प्रतिष्ठान मर्त्यता में प्रत्याशित परिवर्तनों को विचार में लेता है जैसेकि मर्त्यता सुधारों के प्राक्कलन के आधार पर मानक मर्त्यता सारणी में संशोधन।

बीमांकिक अवधारणाएँ : बट्टागत दर

83. नियोजन पश्चात् लाभ बाध्यताओं (निधिबद्ध तथा अनिधिबद्ध) दोनों को बट्टागत करने के लिये प्रयुक्त दर, रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में सरकारी बाण्डों पर बाजार प्रतिफल का संदर्भ लेकर निर्धारित की जाएगी। तथापि, भारत से बाहर कार्यरत अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम एवं शाखाएं नियोजन-पश्चात् लाभ योजनाओं के कारण उत्पन्न नियोजन-पश्चात् लाभ बाध्यताओं को उस दर पर बट्टागत करेगी जो उच्च गुणवत्ता वाले कार्पोरेट बाण्डों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में निश्चित की गयी है। यदि ऐसे अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम एवं शाखाएं ऐसे देशों में कार्यरत हैं जहां इस प्रकार के बाण्डों के लिए गहन बाजार (डीप मार्केट) नहीं है तो उस देश के सरकारी बाण्डों की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का प्रयोग किया जाएगा। सरकारी बाण्डों या कार्पोरेट बाण्डों की मुद्रा और अवधि नियोजन-पश्चात् लाभ बाध्यताओं की मुद्रा तथा प्राक्कलित अवधि के अनुरूप होगी।
84. एक बीमांकिक अवधारणा जिसका कि सारवान प्रभाव बट्टागत दर होती है। बट्टागत दर धन के समय-मूल्य को प्रतिबिम्बित करती है किन्तु बीमांकिक या निवेश जोखिम को नहीं। इसके अलावा, बट्टागत दर प्रतिष्ठान के लेनदारों द्वारा वहन किए जाने वाले प्रतिष्ठान विशिष्ट ऋण जोखिम को प्रदर्शित नहीं करता है और न ही यह उस जोखिम को प्रदर्शित करती है कि भावी अनुभव बीमांकिक अवधारणाओं से भिन्न हो सकता है।
85. बट्टागत दर लाभ भुगतानों के प्राक्कलित समय को प्रदर्शित करती है। व्यवहार में, एक प्रतिष्ठान अक्सर उस एकल भारित औसत बट्टागत दर लागू करके इसे पूरा करता है जो लाभ भुगतानों के प्राक्कलित समय तथा राशि तथा मुद्रा जिसमें लाभों को प्रदत्त किया जाना है को प्रदर्शित करती है।
86. कुछ मामलों में पर्याप्त रूप से लंबी परिपक्वता अवधि वाले सरकारी बाण्डों का ऐसा गहन बाजार नहीं भी हो सकता जो कि सभी लाभ भुगतानों की प्राक्कलित परिपक्वता अवधि से मेल खाती हो। ऐसे मामलों में, एक प्रतिष्ठान अल्पावधि भुगतानों को बट्टागत करने के लिये उपयुक्त अवधि की चालू बाजार दरों का प्रयोग करता है, तथा प्रतिफल (वक्र) के साथ वर्तमान बाजार दरों का बहिर्वेशन करके दीर्घतर परिपक्वता अवधियों के लिये बट्टागत दर का प्राक्कलन करता है। निश्चित लाभ बाध्यता का कुल वर्तमान मूल्य के उन लाभों के अंश के लिये लागू की गई बट्टागत दर के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होने की संभावना नहीं है जो उपलब्ध सरकारी बाण्डों की अन्तिम परिपक्वता अवधि से बाहर देय हो।

बीमांकिक अवधारणाएँ: वेतन, लाभ तथा चिकित्सीय लागतें

87. एक प्रतिष्ठान अपनी निश्चित लाभ बाध्यताओं का उस आधार पर माप करेगा जो निम्नलिखित को प्रदर्शित करता है:
- (क) रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में योजना की शर्तों में निर्दिष्ट लाभ (अथवा किसी परिकल्पित बाध्यता से होने वाले परिणाम जो उन शर्तों से परे हैं) ;
 - (ख) कोई भी प्राक्कलित भावी वेतन वृद्धियां जो देय लाभों को प्रभावित करती हैं;
 - (ग) भावी लाभों की लागत में नियोजक के हिस्से पर किसी सीमा का प्रभाव;
 - (घ) कर्मचारियों अथवा तीसरी पार्टियों द्वारा अंशदान जो प्रतिष्ठान के लिए उन लाभों की अन्तिम लागत को कम कर देता है; तथा

- (ड.) किसी सरकारी लाभों के स्तर में प्राक्कलित भावी परिवर्तन जो निश्चित लाभ योजना के अधीन देय लाभ को प्रभावित करते हैं, यदि, और केवल यदि, निम्नलिखित में से एक स्थिति हो:
- वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति से पहले अभिनीत किए गए थे; अथवा
 - ऐतिहासिक आंकड़े अथवा अन्य विश्वसनीय साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि सरकारी लाभ पूर्वानुमेय रूप से परिवर्तित होंगे उदाहरणस्वरूप, सामान्य मूल्य स्तरों अथवा सामान्य वेतनस्तरों में भावी परिवर्तनों के अनुसार।
88. बीमांकिक अवधारणाएं उन भावी लाभ परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में योजना की औपचारिक शर्तों में निर्दिष्ट होते हैं (अथवा परिकल्पित बाध्यता जो उन शर्तों से परे हैं)। यह मामला निम्नप्रकार है, यदि, उदाहरणार्थ:
- प्रतिष्ठान का इतिहास लाभों में वृद्धि करना है, उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति के प्रभावों को दूर करना और ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इस कार्य-व्यवहार में भविष्य में परिवर्तन होगा;
 - प्रतिष्ठान या तो योजना की औपचारिक शर्तों (अथवा परिकल्पित बाध्यता जो उन शर्तों से परे हैं) या विधान द्वारा योजना के सहभागियों के लाभ के लिये योजना में किसी अधिशेष का प्रयोग करने के लिये बाध्य होता है (अनुच्छेद 108 (ग) देखें); अथवा
 - निष्पादन लक्ष्य या अन्य मानदण्ड की प्रतिक्रिया से लाभों में अन्तर आ जाता है। उदाहरण के लिये, योजना की शर्तों में यह उल्लेख हो सकता है कि यह कम लाभों का भुगतान करेगा अथवा कर्मचारियों से अतिरिक्त अंशदान की अपेक्षा करेगा यदि योजनागत आस्तियां अपर्याप्त होती हैं। बाध्यता का माप निष्पादन लक्ष्य अथवा अन्य मानदण्ड के प्रभाव के सर्वोत्तम प्राक्कलन को प्रतिबिम्बित करता है।
89. बीमांकिक अवधारणाएं भविष्य में होने वाले लाभ में उन परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित नहीं करती हैं जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में योजना (अथवा परिकल्पित बाध्यता) की औपचारिक शर्तों में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। ऐसे परिवर्तनों का परिणाम निम्नलिखित होगा:
- गत सेवा लागत, उस सीमा तक जिस सीमा तक परिवर्तन के पहले सेवा हेतु वे लाभों में परिवर्तन करते हैं; और
 - परिवर्तन के बाद की अवधियों के लिये चालू सेवा लागत, उस सीमा तक जिस सीमा तक परिवर्तन के बाद की सेवा के लिये वे लाभों में परिवर्तन करते हैं।
90. भावी वेतन वृद्धियों के प्राक्कलन में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य प्रासंगिक तथ्यों जैसे सेवा बाजार में मांग और पूर्ति पर विचार किया जाता है।
91. कुछ निश्चित लाभ योजनाएं उन अंशदानों को सीमित करती हैं जिनका भुगतान करना एक प्रतिष्ठान द्वारा अपेक्षित है। लाभों की अन्तिम लागत अंशदानों पर सीमा के प्रभाव को ध्यान में रखती है। अंशदानों पर सीमा लगाने का प्रभाव निम्नलिखित में से लघुत्तर पर निर्धारित होता है:
- प्रतिष्ठान का प्राक्कलित जीवन ; तथा
 - योजना का प्राक्कलित जीवन।
92. कुछ निश्चित लाभ योजनाओं में कर्मचारियों अथवा तीसरी पार्टियों द्वारा योजना की लागत में अंशदान देना अपेक्षित है। कर्मचारियों द्वारा अंशदान किया जाना प्रतिष्ठान के लाभों की लागत को कम कर देता है। एक प्रतिष्ठान यह विचार करता है कि क्या तीसरी पार्टी का अंशदान प्रतिष्ठान के लाभ की लागत को कम करता है, या अनुच्छेद 116 में यथावर्णित एक प्रतिपूर्ति अधिकार है। कर्मचारियों या तीसरी पार्टी द्वारा किया गया अंशदान या तो योजना की औपचारिक शर्तों में निरूपित है (अथवा परिकल्पित बाध्यता से उत्पन्न होता है जो उन शर्तों से परे हैं) या विवेकाधिकार है। कर्मचारियों या तीसरी पार्टियों द्वारा किया गया विवेकाधीन अंशदान योजना में किए गए भुगतान द्वारा सेवा लागत को कम करता है।
93. योजना की औपचारिक शर्तों में निर्दिष्ट कर्मचारियों अथवा तीसरी पार्टियों द्वारा किया गया अंशदान या तो सेवा लागत को कम करती है (यदि वे सेवा से संबंधित हैं), अथवा निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) (यदि वह सेवा से संबंधित नहीं हैं) के पुनर्मापों को प्रभावित करती है। सेवा से संबंधित न होने वाले अंशदानों का एक उदाहरण इस प्रकार है जब अंशदान योजनागत आस्तियों पर हानियों या बीमांकिक हानियों से उत्पन्न घाटे को कम करने के लिए अपेक्षित है। यदि कर्मचारियों तथा तीसरी पार्टियों से प्राप्त अंशदान सेवा से संबंधित है तो वे निम्नलिखित अनुसार सेवा लागत कम करते हैं:
- यदि अंशदानों की राशि सेवा के वर्षों की संख्या पर आधारित है तो प्रतिष्ठान अंशदानों का अनुच्छेद 70 द्वारा अपेक्षित सकल लाभ के लिए अपेक्षित आरोपण विधि का प्रयोग करते हुए सेवा अवधियों को आरोपण करेगा (अर्थात् या तो योजना के अंशदान फार्मूला के प्रयोग से या फिर सरल रेखा के आधार पर); अथवा
 - यदि अंशदानों की राशि सेवा वर्षों की संख्या से स्वतंत्र है तो प्रतिष्ठान को यह अनुमति है कि वह ऐसे अंशदानों को उस अवधि के लिए सेवा लागत में कमी के रूप में मान्यता दे जिस अवधि में संबंधित सेवा प्रदान की गई है। सेवा वर्षों की संख्या से स्वतंत्र

अंशदानों के उदाहरणों में वे अंशदान शामिल हैं जो कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है या पूरे सेवा काल के लिए एक निश्चित राशि होती है या फिर कर्मचारी की आयु पर निर्भर होता है।

परिशिष्ट क में इससे प्रयोग संबंधित मार्गनिर्देश का उल्लेख किया गया है।

94. कर्मचारियों अथवा तीसरी पार्टियों के अंशदानों में, जिनका आरोपण उपयुक्त अनुच्छेद 93 (क) के अनुसार सेवा अवधियों को किया जाता है, परिवर्तनों के परिणाम निम्नलिखित के रूप में होते हैं:
 - (क) चालू तथा गत सेवा लागत (यदि वे परिवर्तन योजना की औपचारिक शर्तों में निरूपित नहीं हैं और परिकल्पित बाध्यता से उत्पन्न नहीं होते हैं); अथवा
 - (ख) बीमांकिक लाभ (गेन) एवं हानियां (यदि वे परिवर्तन योजना की औपचारिक शर्तों में निरूपित हैं, या परिकल्पित बाध्यता से उत्पन्न होते हैं)।
95. कुछ नियोजन पश्चात् लाभ ऐसे चरों से संबंधित होते हैं, जैसे सरकारी सेवानिवृत्ति लाभ या सरकारी चिकित्सीय सहायता का स्तर। ऐसे लाभों का माप, ऐतिहासिक अथवा अन्य विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित ऐसी परिवर्तनशील चरों के सर्वोत्तम प्राक्कलन को प्रतिबिम्बित करता है।
96. चिकित्सीय लागतों के बारे में अवधारणाएं चिकित्सीय सेवाओं की लागतों में प्रकल्पित भावी परिवर्तनों को विचार लेगी जो की मुद्रास्फीति तथा चिकित्सीय लागतों में विशिष्ट परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होते हैं।
97. नियोजन पश्चात् चिकित्सीय लाभों के माप में भावी दावों का स्तर तथा आवृत्ति तथा उन दावों को पूरा करने की लागत, के बारे में अवधारणाएं अपेक्षित हैं। एक प्रतिष्ठान अपने अनुभव के बारे में ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर, जहां आवश्यक है, अन्य प्रतिष्ठानों, बीमा कंपनियों, चिकित्सा प्रबंधकों एवं स्रोतों से ऐतिहासिक आंकड़ों द्वारा संपूरित भावी चिकित्सीय लागतों का प्राक्कलन करता है। भावी चिकित्सीय लागतों का प्राक्कलन तकनीकी प्रगतियों (उन्नतियों) के प्रभाव, स्वास्थ्य देखभाल उपयोगिता अथवा डिलीवरी के तरीके तथा योजनागत सहभागियों की स्वास्थ्य स्थिति में परिवर्तनों पर विचार करता है।
98. दावों का स्तर एवं आवृत्ति विशेष रूप से कर्मचारियों की (और उनके आश्रितों) आयु, स्वास्थ्य स्थिति तथा लिंग के प्रति संवेदनशील होते हैं और अन्य तथ्यों, तथा भौगोलिक स्थिति के प्रति भी संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिये, ऐतिहासिक आंकड़े उस सीमा तक समायोजित किये जाते हैं कि जनसंख्या का जनसांख्यिकी मिश्रण उस जनसंख्या से भिन्न होता है जो आंकड़ों के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त होता है। वे वहाँ भी समायोजित होते हैं जहाँ इसके विश्वसनीय साक्ष्य हैं कि ऐतिहासिक प्रवृत्तियां जारी नहीं रहेगी।

गत सेवा लागत तथा निपटान पर लाभ या हानि

99. गत सेवा लागत, अथवा निपटान पर लाभ अथवा हानि का निर्धारण करने के पहले एक प्रतिष्ठान योजनागत आस्तियों का वर्तमान उचित मूल्य तथा वर्तमान बीमांकिक अवधारणाओं (वर्तमान बाजार ब्याज दरों तथा अन्य वर्तमान बाजार मूल्यों) का प्रयोग करते हुए निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) का पुनर्माप करेगा जो योजनागत संशोधन, कटौती अथवा निपटान के पहले योजना के अधीन प्रस्तावित लाभों को प्रदर्शित करेगा।
100. एक प्रतिष्ठान द्वारा योजनागत संशोधन के परिणामस्वरूप गत सेवा लागत, कटौती के परिणामस्वरूप गत सेवा लागत और निपटान पर होने वाले लाभ या हानि के बीच अन्तर करने की आवश्यकता नहीं होती है यदि लेन-देन एक साथ घटित होते हैं। कुछ मामलों में, एक योजनागत संशोधन निपटान के पहले घटित हो जाता है जैसेकि जब एक प्रतिष्ठान योजना के अंतर्गत लाभों में परिवर्तन करता है तथा बाद में संशोधित लाभों का निपटारा करता है। उन मामलों में एक प्रतिष्ठान निपटान पर होने वाले किसी लाभ या हानि के पहले गत सेवा लागत को मान्यता देता है।
101. एक निपटान योजनागत संशोधन तथा कटौती के साथ तब घटित होता है यदि योजना समाप्त कर दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप बाध्यता का निपटारा हो जाता है और योजना बन्द हो जाती है। तथापि, योजना की समाप्ति निपटान नहीं होता है यदि योजना को एक नयी योजना के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जो लाभों का प्रस्ताव करती है जो, वास्तव में पहले जैसे ही होते हैं।

गत सेवा लागत

102. गत सेवा लागत योजनागत संशोधन अथवा कटौती के परिणामस्वरूप निश्चित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन होता है।
103. एक प्रतिष्ठान गत सेवा लागत को निम्नलिखित तारीखों में से पहले वाली तारीख को व्यय के रूप में मान्यता देता है:
 - (क) जब योजनागत संशोधन अथवा कटौती घटित होती है; और
 - (ख) जब प्रतिष्ठान संबंधित पुनर्संरचना लागतों (भारतीय लेखा मानक 37 देखें) अथवा सेवा समाप्ति लाभों (अनुच्छेद 165 देखें) को मान्यता देता है।

104. योजनागत संशोधन तब होता है जब एक प्रतिष्ठान निश्चित लाभ योजना को शुरू करता है अथवा वापस ले लेता है या मौजूदा निश्चित लाभ योजना के अंतर्गत देय लाभों में परिवर्तन कर देता है।
105. कटौती तब घटित होती है जब एक प्रतिष्ठान योजना में शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या में महत्वपूर्ण रूप से कमी करता है। कटौती वियुक्त घटना से उत्पन्न हो सकती है, जैसे एक संयंत्र का बंद होना, परिचालन को बन्द कर देना या योजना को समाप्त करना या निलम्बित (आस्थगित) रखना।
106. गत सेवा लागत या तो धनात्मक होती है (जब लाभों को आरंभ किया जाता है या वे परिवर्तित किये जाते हैं जिससे निश्चित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होती है) अथवा ऋणात्मक हो सकती है (जब लाभों को वापस ले लिया जाता है या परिवर्तित कर दिये जाते हैं जिससे कि निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य घट जाता है)।
107. जहाँ एक प्रतिष्ठान मौजूदा निश्चित लाभ योजना के अधीन देय लाभों को कम कर देता है, और उसी समय उन्ही कर्मचारियों के लिये योजना के अंतर्गत देय अन्य लाभों को बढ़ा देता है तो प्रतिष्ठान उस परिवर्तन को एकल निवल परिवर्तन के रूप में मानता है।
108. गत सेवा लागत में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है:
 - (क) गतवर्षों में की गई सेवा के लिए लाभों के भुगतान की बाध्यता पर वास्तविक तथा पूर्व में कल्पित वेतन में बढ़ोतरियों के बीच अन्तरों का प्रभाव (गत कोई सेवा लागत नहीं है क्योंकि बीमांकिक अवधारणाएं अनुमानित वेतनों की अनुमति देती हैं);
 - (ख) विवेकाधीन पेंशन बढ़ोतरियों का न्यून प्राक्कलन तथा अधि प्राक्कलन जब एक प्रतिष्ठान को ऐसी बढ़ोतरियों को प्रदान करने की परिकल्पित बाध्यता है (यहाँ कोई गत सेवा लागत नहीं है क्योंकि बीमांकिक अवधारणाएं ऐसी बढ़ोतरियों की अनुमति देती हैं);
 - (ग) लाभ सुधारों के प्राक्कीलन जो बीमांकिक लाभों से या उन योजनागत आस्तियों के प्रतिफलों से प्राप्त होते हैं जिन्हें वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है अगर प्रतिष्ठान या तो योजना की औपचारिक शर्तों (या एक परिकल्पित बाध्यता जो उन शर्तों के अतिरिक्त है) या विधान द्वारा योजना के सहभागियों के लाभ के लिये योजना की किसी भी अधिशेष का उपयोग करने के लिये बाध्य है, भले ही, लाभ में बढ़ोतरी को औपचारिक रूप से अधिनिर्णीत नहीं किया गया है (यहाँ कोई गत सेवा लागत नहीं है क्योंकि बाध्यता में परिणामी वृद्धि बीमांकिक हानि होती है, अनुच्छेद 88 देखें); तथा
 - (घ) निहित लाभों में वृद्धि (अर्थात् वे लाभ जो भावी नियोजन होना पर सशर्त नहीं होते हैं, अनुच्छेद 72 देखें) जब नये अथवा संशोधित लाभों के अभाव में कर्मचारी निहित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं (यहाँ कोई गत सेवा लागत नहीं होती है क्योंकि प्रतिष्ठान ने लाभों की प्राक्कलित लागत को वर्तमान सेवा लागत के रूप में मान्यता दी है क्योंकि सेवा दी गई थी)।

निपटान पर लाभ (गेन) और हानियां

109. निपटान पर होने वाला लाभ अथवा हानि निम्नलिखित के बीच का अन्तर होता है:
 - (क) निपटान की जाने वाली निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य जिसे कि निपटान की तारीख को निर्धारित किया गया है; और
 - (ख) निपटान मूल्य, निपटान के संबंध में प्रतिष्ठान द्वारा अन्तरित की गई कोई योजनागत आस्तियां तथा प्रत्यक्ष रूप से किए गए किसी प्रकार के भुगतानों सहित।
110. एक प्रतिष्ठान तब निश्चित लाभ योजना के निपटान होने पर लाभ या हानि को मान्यता देगा जब निपटान होता है।
111. एक निपटान तब होता है जब एक प्रतिष्ठान लेन-देन में सम्मिलित होता है जो निश्चित लाभ योजना (योजनागत शर्तों के अनुरूप और बीमांकिक अवधारणाओं में सम्मिलित किये गये कर्मचारियों को या उनकी ओर से लाभों के भुगतान के अलावा) के अधीन दिये गए लाभों के अंश या सभी प्रकार के लाभों के लिये आगे के सभी कानूनी अथवा परिकल्पित बाध्यता को समाप्त कर देता है। उदाहरण के लिये, एक बीमा कंपनी को बीमा पॉलिसी की खरीद के माध्यम से योजना के अधीन महत्वपूर्ण नियोजक बाध्यताओं का एकल स्थान्तरण निपटान होता है, जबकि विनिर्दिष्ट नियोजन पश्चात् लाभों को प्राप्त करने के उनके अधिकार के बदले में योजना के सहभागियों को योजना की शर्तों के अधीन एकमुश्त नकद भुगतान किया जाना निपटान नहीं होता है।
112. कुछ मामलों में, एक प्रतिष्ठान वर्तमान एवं गत अवधियों में कर्मचारी द्वारा की गई सेवा से संबंधित कुछ या सभी कर्मचारी लाभों के निधिकरण के लिये बीमा पॉलिसी लेता है। ऐसी बीमा पॉलिसियों को अधिग्रहण निपटान नहीं होता है जहां यदि बीमाकर्ता बीमा पॉलिसी में विनिर्दिष्ट कर्मचारी लाभों का भुगतान नहीं करता है तो प्रतिष्ठान अतिरिक्त राशियों के भुगतान का कानूनी अथवा परिकल्पित बाध्यता धारण करता है (अनुच्छेद 46 देखें)। अनुच्छेद 116-119 ऐसी बीमापॉलिसियों, जो योजनागत आस्तियां नहीं होती हैं, के अधीन मान्यता एवं प्रतिपूर्ति अधिकारों के माप पर चर्चा करता है।

मान्यता एवं माप: योजनागत आस्तियां

योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य

113. घाटे अथवा अधिशेष के निर्धारण करने में किसी योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य को निश्चित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में से घटा दिया जाता है।
114. योजनागत आस्तियों में रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान द्वारा निधि को अप्रदत्त अंशदानों के साथ-साथ प्रतिष्ठान द्वारा जारी और निधि द्वारा धारित किसी अहस्तांतरणीय वित्तीय लिखतों को शामिल नहीं किया जाता। योजनागत आस्तियों को निधि के उन किन्हीं भी दायित्वों द्वारा कम कर दिया जाता है जो कर्मचारी लाभों से संबद्ध नहीं होते हैं, उदाहरणार्थ, व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों से उत्पन्न व्यापार एवं अन्य देयों तथा दायित्वों।
115. जहां योजनागत आस्तियों में अर्हक बीमा पॉलिसियां सम्मिलित होती हैं जो योजना के अधीन देय कुछ या सभी लाभों की राशि एवं समय से बिल्कुल मेल खाते हैं, वहां उन बीमा पॉलिसियों का उचित मूल्य संबंधित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य माना जाता है (यदि बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत प्राप्य राशियां पूर्णतः वसूली योग्य नहीं हैं तो किसी प्रकार की अपेक्षित कमी के अधीन)।

प्रतिपूर्तियां

116. जब और केवल जब यह लगभग निश्चित होता है कि अन्य निश्चित लाभ बाध्यता का निपटारा करने के लिए अपेक्षित कुछ या सभी व्ययों की प्रतिपूर्ति करेगी तब प्रतिष्ठान निम्नप्रकार करेगा:
 - (क) प्रतिपूर्ति करने के अपने अधिकार को एक अलग आस्ति के रूप में मान्यता देगा। प्रतिष्ठान उचित मूल्य पर आस्ति का माप करेगा।
 - (ख) उचित मूल्य की प्रतिपूर्ति करने के अपने अधिकार के उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को उसी तरीके से अलग-अलग किया जाएगा और मान्यता दी जाएगी जैसे कि योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों के लिये किये जाते हैं (अनुच्छेद 124 एवं 125 देखें)। अनुच्छेद 120 के अनुसार मान्यता प्राप्त निश्चित लाभ लागत के घटकों को प्रतिपूर्ति के अधिकार की अग्रणीत राशि में परिवर्तनों से संबंधित राशियों से कम करके मान्यता दी जा सकती है।
117. कभी-कभी एक प्रतिष्ठान निश्चित लाभ बाध्यता का निपटारा करने हेतु अपेक्षित कुछ या समस्त व्यय के भुगतान के लिए अन्य पार्टी, जैसे बीमाकर्ता, द्वारा अपेक्षा करता है। अर्हक बीमा पॉलिसियां, जैसाकि अनुच्छेद 8 में वर्णित हैं, योजनागत आस्तियां हैं। एक प्रतिष्ठान अर्हक बीमा पॉलिसियों के लिये उसी तरीके से लेखा करता है जैसे सभी अन्य योजनागत आस्तियों के लिए तथा अनुच्छेद 116 प्रासंगिक नहीं है (अनुच्छेद 46-49 एवं 115 देखें)।
118. जब एक प्रतिष्ठान द्वारा धारित बीमा पॉलिसी एक अर्हक बीमा पॉलिसी नहीं होती है, तब वह बीमा पॉलिसी योजनागत आस्ति नहीं होती है। अनुच्छेद 116 ऐसे मामलों के लिये प्रासंगिक होते हैं और प्रतिष्ठान निश्चित लाभ में घाटे या अधिशेष का निर्धारण करने में कटौती के रूप में मान्यता देने की बजाय बीमा पॉलिसी के अधीन प्रतिपूर्ति करने के अपने अधिकार को एक पृथक आस्ति के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 140 (ख) प्रतिष्ठान से अपेक्षा करता है कि वह प्रतिपूर्ति अधिकार तथा संबंधित बाध्यता के बीच के संबंध का संक्षिप्त विवरण को प्रकट करें।
119. यदि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का वह अधिकार उत्पन्न होता है जो निश्चित लाभ योजना के अंतर्गत देय कुछ या समस्त लाभों की राशि एवं समय से बिल्कुल मेल खाता है, तो प्रतिपूर्ति अधिकार का उचित मूल्य संबंधित बाध्यता (यदि प्रतिपूर्ति पूर्णतः वसूली योग्य नहीं है तो अपेक्षित किसी भी प्रकार की कमी के अधीन) का वर्तमान मूल्य माना जाता है।

निश्चित लाभ लागत के घटक

120. एक प्रतिष्ठान निश्चित लाभ लागत के घटकों को निम्न प्रकार से उस सीमा तक मान्यता देगा जिस सीमा तक एक आस्ति की लागत में अन्य भारतीय लेखा मानक उनके समावेशन की अपेक्षा करता है अथवा अनुमति देता है:
 - (क) लाभ अथवा हानि में सेवा लागत (अनुच्छेद 66-112 देखें);
 - (ख) लाभ अथवा हानि में निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज (अनुच्छेद 123-126 देखें);
 - (ग) अन्य व्यापक आय में निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्माप (अनुच्छेद 127-130 देखें)।
121. अन्य भारतीय लेखा मानकों में आस्तियां, जैसे माल सूचियां तथा संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की लागत में ही कुछ कर्मचारी लाभ लागतों के समावेशन की अपेक्षा की जाती है (भारतीय लेखा मानक 2 एवं भारतीय लेखा मानक 16 देखें)। ऐसी आस्तियों की लागत में सम्मिलित की गई कोई नियोजन पश्चात् लाभ लागत अनुच्छेद 120 में सूचीबद्ध घटकों के उचित अनुपात को सम्मिलित करती है।
122. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्मापों को परवर्ती अवधि में लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त उन राशियों को इक्विटी के अंतर्गत अन्तरित कर सकता है।

निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज

123. निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज को अनुच्छेद 83 में विनिर्दिष्ट बट्टा दर को निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा, और दोनों, वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में निर्धारित किये जाएंगे तथा अवधि के दौरान अंशदान तथा लाभ भुगतानों के परिणामस्वरूप निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) में हुए किसी परिवर्तनों को भी विचार में लिया जाता है।
124. निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज को योजनागत आस्तियों पर ब्याज आय, निश्चित लाभ बाध्यता पर ब्याज लागत तथा अनुच्छेद 64 में उल्लिखित आस्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव पर ब्याज के रूप में समाविष्ट करते हुए देखा जा सकता है।
125. योजनागत आस्तियों पर ब्याज आय योजनागत आस्तियों पर प्राप्त प्रतिफल का घटक होता है, और अनुच्छेद 83 में विनिर्दिष्ट बट्टागत दर को योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य से गुणा करके निर्धारित किया जाता है, तथा दोनों, वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में अंशदानों के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान धारित योजनागत आस्तियों में हुए किसी प्रकार के परिवर्तनों तथा लाभ भुगतानों को विचार में लेकर निर्धारित किया जाता है। योजनागत आस्तियों पर ब्याज आय तथा योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल के बीच के अन्तर को निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्माप में शामिल किया जाता है।
126. आस्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव पर ब्याज आस्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव में हुए कुल परिवर्तन का भाग होता है और इसका निर्धारण अनुच्छेद 83 में विनिर्दिष्ट बट्टागत दर से आस्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव को गुणा करके निर्धारित किया जाता है तथा दोनों, वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में निर्धारित किए जाते हैं। उस राशि तथा आस्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव में हुए कुल परिवर्तन के बीच के अन्तर को निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्माप में शामिल किया गया है।

निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्माप

127. निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्माप में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) बीमांकिक लाभ तथा हानियां (अनुच्छेद 128 व 129 देखें);
- (ख) निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज में सम्मिलित राशियों को छोड़कर (अनुच्छेद 125 देखें) योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल (अनुच्छेद 130 देखें); तथा
- (ग) निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज में सम्मिलित राशियों को छोड़कर (अनुच्छेद 126 देखें) आस्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन
128. बीमांकिक अवधारणाओं एवं अनुभव समायोजनों में परिवर्तनों के कारण निश्चित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में हुई बढोतरियों या कमियों के परिणामस्वरूप बीमांकिक लाभ अथवा हानियां होती हैं। बीमांकिक लाभों एवं हानियों के कारणों में निम्नलिखित शामिल होते हैं, उदाहरणार्थ:
- (क) कर्मचारी टर्नोवर, शीघ्र सेवानिवृत्ति अथवा मर्त्यता या वेतनों, लाभों (यदि स्फुटिकारी लाभ वृद्धियों के लिये योजना की औपचारिक या परिकल्पित शर्तों में व्यवस्था की गई है) अथवा चिकित्सीय लागतों में वृद्धियों की अप्रत्याशित उच्च या निम्न दरें;
- (ख) लाभ भुगतान विकल्पों से संबंधित अवधारणाओं में परिवर्तनों का प्रभाव;
- (ग) भावी कर्मचारी टर्नोवर, शीघ्र सेवानिवृत्ति या मर्त्यता या वेतनों में बढोतरियों, लाभों (यदि स्फुटिकारी लाभ वृद्धियों के लिये योजना की औपचारिक या परिकल्पित शर्तों में व्यवस्था की गई है) अथवा चिकित्सीय लागतों के प्राक्कलनों में परिवर्तनों का प्रभाव; तथा
- (घ) बट्टादर में परिवर्तनों का प्रभाव ।
129. बीमांकिक लाभ एवं हानियों में निश्चित लाभ योजना को प्रारंभ करने, संशोधन करने, कटौती करने या निपटान करने के कारण निश्चित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में हुए परिवर्तनों को, अथवा निश्चित लाभ योजना के अधीन देय लाभों में हुए परिवर्तनों को शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे परिवर्तनों का परिणाम गत सेवा लागत, अथवा निपटान पर हुए लाभ या हानियां होते हैं।
130. योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल का निर्धारण करने में एक प्रतिष्ठान निश्चित लाभ बाध्यता को मापने के लिये प्रयुक्त बीमांकिक मान्यताओं में शामिल किए गए कर के अलावा योजनागत आस्तियों का प्रबंध करने की लागतों तथा योजना द्वारा स्वयं देय किसी प्रकार के कर को घटाता है (अनुच्छेद 76)। अन्य प्रशासनिक लागतों को योजनागत आस्तियों पर मिलने वाले प्रतिफल में से नहीं घटाया जाता है।

प्रस्तुतिकरण

समंजन

131. एक प्रतिष्ठान एक योजना से संबंधित आस्ति का दूसरी योजना से संबंधित बाध्यता के प्रति तब समंजन करेगा जब, और केवल जब:
- (क) प्रतिष्ठान के पास दूसरी योजना के अंतर्गत बाध्यताओं का निपटान करने के लिए एक योजना के अधिशेष का उपयोग करने का कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार होता है; तथा
- (ख) प्रतिष्ठान या तो निवल आधार पर बाध्यताओं का निपटान या एक योजना के अधिशेष की वसूली तथा दूसरी योजना के अधीन बाध्यता के निपटान को साथ-साथ करना चाहता है।
132. समंजन मानदण्ड ठीक वैसे है जिन्हे भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतिकरण* में वित्तीय लिखतों के लिये सुस्थापित किये गए हैं।

चालू/गैर-चालू का अन्तर

133. कुछ प्रतिष्ठान चालू आस्तियों तथा बाध्यताओं से गैर-चालू आस्तियों एवं दायित्वों में अन्तर करते हैं। यह मानक यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि एक प्रतिष्ठान को नियोजन पश्चात् लाभों से उत्पन्न आस्तियों एवं दायित्वों के चालू एवं गैर-चालू अंशों में अन्तर करना चाहिए या नहीं।

निश्चित लाभ लागत के घटक

134. अनुच्छेद 120 एक प्रतिष्ठान से अपेक्षा करता है कि वह लाभ अथवा हानि में सेवा लागत तथा निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज को मान्यता दें। यह मानक यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि एक प्रतिष्ठान को सेवा लागत तथा निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज को कैसे प्रस्तुत करना चाहिये। एक प्रतिष्ठान उन घटकों को भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसार प्रस्तुत करता है।

प्रकटन

135. एक प्रतिष्ठान वह सूचना प्रकट करेगा जो:
- (क) इसकी निश्चित लाभ योजनाओं की विशेषताओं तथा उनसे सम्बद्ध जोखिमों को स्पष्ट करती है (अनुच्छेद 139 देखें);
- (ख) इसके वित्तीय विवरणों में इसकी निश्चित लाभ योजनाओं से उत्पन्न राशियों की पहचान करता है तथा स्पष्ट करता है (अनुच्छेद 140-144 देखें); तथा
- (ग) यह वर्णन करता है कि इसकी निश्चित लाभ योजनाएँ कैसे प्रतिष्ठान के भावी नकदी प्रवाहों की राशि, समय तथा अनिश्चितता को प्रभावित कर सकती हैं (अनुच्छेद 145-147 देखें)।
136. अनुच्छेद 135 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी पर विचार करेगा:
- (क) प्रकटन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये आवश्यक ब्यौरा का स्तर;
- (ख) विभिन्न अपेक्षाओं में से प्रत्येक पर कितना अधिक महत्व दिया जा सकता है;
- (ग) कितना अधिक एकत्रीकरण अथवा गैर-एकत्रीकरण किया जा सकता है; तथा
- (घ) क्या वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता को प्रकट की गई मात्रात्मक सूचना का मूल्यांकन करने के लिये अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है।
137. यदि इस मानक और अन्य भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार किये गए प्रकटन अनुच्छेद 135 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है, तो एक प्रतिष्ठान उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक अतिरिक्त सूचना प्रकट करेगा। उदाहरण के लिये, एक प्रतिष्ठान निश्चित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य का विश्लेषण प्रस्तुत करेगा जो बाध्यता की प्रकृति, विशेषताओं एवं जोखिमों में अंतर करता है। ऐसे प्रकटन निम्नलिखित में अंतर कर सकता है:
- (क) उन राशियों के बीच जो सक्रिय सदस्यों, आस्थगित सदस्यों तथा पेशनरों की होती हैं।
- (ख) निहित लाभों और उन लाभों के बीच जो निहित नहीं हैं परंतु प्रोद्भूत हैं।
- (ग) सशर्त लाभो, भावी वेतन बढ़ोतरियों को आरोप्य राशियों और अन्य लाभों के बीच।

138. एक प्रतिष्ठान यह मूल्यांकन करेगा कि सारवान रूप से भिन्न जोखिमों वाली योजनाओं अथवा योजनाओं के समूहों में अंतर करने के लिये कुछ या सभी प्रकटनों का गैर-एकत्रीकरण किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिये एक प्रतिष्ठान योजनाओं के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से एक या अधिक को दर्शाते हुए प्रकटन का गैर-एकत्रीकरण कर सकता है:
- (क) विभिन्न भौगोलिक अवस्थितियां।
 - (ख) विभिन्न विशेषताएं, जैसे एक समान वेतन पेंशन योजनाएं, अन्तिम वेतन पेंशन योजनाएं अथवा नियोजन पश्चात् चिकित्सीय योजनाएं।
 - (ग) विभिन्न नियामक वातावरण।
 - (घ) विभिन्न रिपोर्टिंग खण्ड।
 - (ङ.) विभिन्न निधिकरण व्यवस्थाएँ (अर्थात् पूर्णतः अनिधिबद्ध, पूर्णतः या अंशतः निधिबद्ध)।

निश्चित लाभ योजनाओं की विशेषताएं तथा उनसे संबंधित जोखिम

139. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्रकटन करेगा:

- (क) अपनी निश्चित लाभ योजनाओं की विशेषताओं के बारे में सूचना, जिसमें शामिल है:
 - (i) योजना द्वारा दिये गए लाभों की प्रकृति (अर्थात् अन्तिम वेतन निश्चित लाभ योजना अथवा गारंटी के साथ अंशदान - आधारित योजना)।
 - (ii) नियामक ढाँचे का विवरण जिसमें योजना कार्य करती है, उदाहरण के लिए, किसी निम्नतम निधिकरण अपेक्षाओं का स्तर और योजना पर नियामक ढाँचे का कोई प्रभाव जैसे कि आस्ति की ऊपरी सीमा (अनुच्छेद 64 देखें)।
 - (iii) योजना के अधिशासन के लिये किसी अन्य प्रतिष्ठान के उत्तरदारियत्वों का विवरण, उदाहरण के लिए, योजना के न्यासियों अथवा बोर्ड सदस्यों के उत्तरदायित्व।
- (ख) उन जोखिमों का विवरण जिसमें योजना प्रतिष्ठान को अभिदर्शित करती है, किसी असामान्य, प्रतिष्ठान विशेष अथवा योजना विशेष जोखिमों और जोखिम के किसी महत्वपूर्ण केन्द्रीयकरणों पर महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिये, यदि योजनागत आस्तियां प्रमुखतः निवेशों की किसी एक श्रेणी, अर्थात् संपत्ति, में निवेशित की गई है तो योजना प्रतिष्ठान को संपत्ति बाजार जोखिमों की केन्द्रीयकरणों के प्राप्त अभिदर्शित करती है।
- (ग) किसी योजनागत संशोधनों, कटौतियों तथा निपटानों का विवरण।

वित्तीय विवरणों में राशियों का स्पष्टीकरण

140. एक प्रतिष्ठान प्रारंभिक शेष से अन्तिम शेष में प्रत्येक निम्नलिखित के लिए यदि लागू होती है, समाधान उपलब्ध कराएगा :

- (क) निम्नलिखित के लिये अलग-अलग समाधान दर्शानेवाला निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति):
 - (i) योजनागत आस्तियां।
 - (ii) निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य।
 - (iii) आस्ति की ऊपरी सीमा का प्रभाव।
- (ख) किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति का अधिकार एक प्रतिष्ठान किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति के अधिकार और संबंधित बाध्यता के बीच के सम्बन्ध का भी वर्णन करेगा।

141. अनुच्छेद 140 में सूचीबद्ध प्रत्येक समाधान निम्नलिखित प्रत्येक को, यदि लागू हो तो, दर्शाएगा:

- (क) चालू सेवा लागत।
- (ख) ब्याज आय अथवा व्यय।
- (ग) अलग-अलग से दर्शायी जाने वाली निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्माप:
 - (i) योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल, (ख) में ब्याज में सम्मिलित राशियों को छोड़कर।
 - (ii) जनसंख्या की अवधारणाओं में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियां (अनुच्छेद 76 (क) देखें)।
 - (iii) वित्तीय अवधारणाओं में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियां (अनुच्छेद 76 (ख) देखें)।

- (iv) ऊपर (ख) में ब्याज में सम्मिलित राशियों को छोड़कर, आस्ति की ऊपरी सीमा के लिए निवल निश्चित लाभ आस्ति को सीमित करने के प्रभाव में परिवर्तन। एक प्रतिष्ठान यह भी प्रकट करेगा कि इसने अधिकतम उपलब्ध आर्थिक लाभ को कैसे निर्धारित किया गया है, अर्थात् लाभ या तो अंशदानों की वापसियों, भावी अंशदानों की कटौतियों के रूप में होंगे या दोनों के सम्मिलित रूप में होंगे।
- (घ) गत सेवा लागत तथा निपटानों से उत्पन्न लाभ एवं हानियां। जैसाकि अनुच्छेद 100 द्वारा अनुमति प्राप्त है, गत सेवा लागत तथा निपटानों से उत्पन्न लाभ एवं हानियों में अंतर किये जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि वे एक साथ घटित होते हैं।
- (ङ.) विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव।
- (च) योजना में अंशदान, नियोजक द्वारा तथा योजना के सहभागियों द्वारा किए गए अंशदानों को अलग-अलग दर्शाते हुए।
- (छ) किसी निपटान के संबंध में प्रदत्त राशि को अलग से दर्शाते हुए योजना से प्राप्त भुगतान।
- (ज) व्यवसायिक संयोजनों तथा निपटानों का प्रभाव।
142. एक प्रतिष्ठान योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का उन श्रेणियों में विसमूहन करेगा जो उन आस्तियों की प्रकृति और जोखिमों में भेद करती हैं तथा योजनागत आस्ति की प्रत्येक श्रेणी को उनमें उप-विभाजित करेगा जिसका सक्रिय बाजार में उद्धृत बाजार मूल्य होता है (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 113 *उचित मूल्य माप* में परिभाषित) और उनका जिनका नहीं होता है। उदाहरण के लिये, और अनुच्छेद 136 में चर्चित प्रकटन के स्तर पर विचार करते हुए, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित के बीच भेद कर सकेगा:
- (क) नकदी तथा नकदी तुल्य;
- (ख) इक्विटी लिखतें (उद्योग के प्रकार, कंपनी के आकार, भूगोल आदि द्वारा विभाजित किए गए);
- (ग) ऋण लिखतें (निगमकर्ता का प्रकार, साख गुणवत्ता, भूगोल आदि द्वारा विभाजित किया हुआ);
- (घ) स्थावर संपदा (भूगोल आदि द्वारा विभाजित किया हुआ);
- (ङ.) व्युत्पन्नताएं (संविदा में अन्तर्निहित जोखिम के प्रकार के अनुसार विभाजित, उदाहरण के लिये ब्याज दर संविदाएं, विदेशी विनिमय संविदाएं, इक्विटी संविदाएं, ऋण संविदाएं, दीर्घकालिक (स्वैप, आदि);
- (च) निवेश निधियां (निधि के प्रकार द्वारा विभाजित किया हुआ);
- (छ) आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां; तथा
- (ज) संरचनागत ऋण।
143. एक प्रतिष्ठान योजनागत आस्तियों के रूप में धारित प्रतिष्ठान की स्वयं की हस्तान्तरणीय वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य को प्रकट करेगा, और योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य, जो प्रतिष्ठान द्वारा धारित की हुई संपत्ति है, या उसके द्वारा प्रयुक्त अन्य आस्तियां हैं।
144. एक प्रतिष्ठान निश्चित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाओं को प्रकट करेगा (अनुच्छेद 76 देखें)। ऐसे प्रकटन चरों में होंगे (अर्थात् पूर्ण प्रतिशतता के रूप में होंगे और केवल विभिन्न प्रतिशतताओं तथा अन्य चरों के बीच मार्जिन के रूप में नहीं होंगे)। जब एक प्रतिष्ठान योजनाओं के समूहन के लिये प्रकटनों को पूर्णतः उपलब्ध कराता है, तब यह ऐसे प्रकटनों को भारित औसतों अथवा अपेक्षाकृत संकीर्ण सीमाओं के रूप में उपलब्ध कराएगा।

भावी नकदी प्रवाहों की राशि, समय तथा अनिश्चितता

145. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित प्रकट करेगा:

- (क) रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में प्रत्येक महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणा के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण (जैसाकि अनुच्छेद 144 के अन्तर्गत प्रकट किया गया है) जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे निश्चित लाभ बाध्यता प्रासंगिक बीमांकिक अवधारणों में हुए परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हुए होंगे जो उस तारीख को विवेक युक्तियुक्त रूप से संभव हुए थे।
- (ख) ऊपरी (क) द्वारा अपेक्षित संवेदनशीलता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त पद्धतियाँ तथा अवधारणाएं और उन पद्धतियों की परिसीमाएं।
- (ग) पूर्ण अवधि से संवेदनशीलता विश्लेषणों में प्रयुक्त पद्धतियों एवं अवधारणाओं में हुए परिवर्तनों तथा उन परिवर्तनों के लिए कारण।

146. एक प्रतिष्ठान योजना अथवा प्रतिष्ठान द्वारा प्रयुक्त किसी आस्ति दायित्व मिलान नीतियों के वर्णन का प्रकटन करेगा साथ ही साथ वार्षिकियों तथा जोखिमों के प्रबंध के लिए अन्य तकनीकों के प्रयोग का प्रकटन करेगा, जैसेकि दीर्घावधि स्वैप।

147. प्रतिष्ठान के भावी नकदी प्रवाहों पर निश्चित लाभ योजना के प्रभाव का संकेत देने के लिये प्रतिष्ठान निम्नलिखित प्रकट करेगा:

- (क) किसी निधिकरण व्यवस्थाओं तथा निधिकरण नीति का वर्णन जो भावी अंशदानों को प्रभावित करते हैं।
- (ख) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिये योजना में प्रत्याशित अंशदान ।
- (ग) निश्चित लाभ बाध्यता की परिपक्वता अवधि की रूपरेखा के बारे में सूचना। इसमें निश्चित लाभ बाध्यता का भारित औसत समयावधि शामिल होगी और लाभ भुगतानों के समय के वितरण के बारे में अन्य सूचना भी शामिल हो सकती है, जैसेकि लाभ भुगतानों का परिपक्वता अवधि विश्लेषण ।

बहु-नियोजक योजनाएँ

148. यदि एक प्रतिष्ठान बहु-नियोजक निश्चित लाभ योजना में भाग लेता है तो यह निम्नलिखित को प्रकट करेगा:

- (क) निधिकरण व्यवस्थाओं का विवरण जिसमें प्रतिष्ठान के अंशदानों की दर तथा कोई निम्नतम निधिकरण करने की अपेक्षाएं को निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति शामिल होती है ।
- (ख) उस सीमा का विवरण जिस सीमा तक प्रतिष्ठान बहु-नियोजक योजना की शर्तों व नियमों के अंतर्गत अन्य प्रतिष्ठान की बाध्यताओं के लिये योजना के प्रति उत्तरदायी हो सकता है।
- (ग) निम्नलिखित पर घाटे या अधिशेष के किसी सहमत आबंटन का विवरण:
 - (i) योजना को समाप्त करना; अथवा
 - (ii) प्रतिष्ठान का योजना से प्रत्याहार ।
- (घ) यदि प्रतिष्ठान उस योजना का लेखा इस प्रकार करता है मानो यह अनुच्छेद 34 के अनुसार एक निश्चित अंशदान योजना थी, तो यह ऊपर (क)-(ग) तक में अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त तथा अनुच्छेद 139-147 में अपेक्षित सूचना की बजाय निम्नलिखित को प्रकट करेगा:
 - (i) यह तथ्य की योजना एक निश्चित लाभ योजना है।
 - (ii) वह कारण जिससे कि निश्चित लाभ योजना के रूप में योजना का लेखा करने के लिये प्रतिष्ठान को सक्षम करने के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है।
 - (iii) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिये योजना में प्रत्याशित अंशदान।
 - (iv) योजना में किसी भी प्रकार के घाटे या अधिशेष के बारे में सूचना, जो भावी अंशदानों की राशि को प्रभावित कर सकते हैं और साथ ही साथ उस घाटे या अधिशेष के निर्धारण के लिये प्रयुक्त आधार तथा प्रतिष्ठान के लिए निहितार्थ, यदि कोई हो, के बारे में सूचना ।
 - (v) अन्य भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों की तुलना में योजना में प्रतिष्ठान की भागीदारी के स्तर का संकेत। ऐसे मापों के उदाहरणों में, जो ऐसा संकेत दे सकते हैं, योजना के कुल अंशदानों में प्रतिष्ठान का अनुपात अथवा प्रतिष्ठान का सक्रिय सदस्यों, सेवानिवृत्त सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों, जो लाभों के हकदार हैं, की कुल संख्या का अनुपात शामिल है।

सामान्य नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों के बीच जोखिम बांटने वाली निश्चित लाभ योजनाएं

149. यदि एक प्रतिष्ठान एक ऐसी निश्चित लाभ योजना में भाग लेता है जो सामान्य नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों के बीच जोखिमों को बांटती है, तो यह निम्नलिखित प्रकट करेगा:

- (क) निवल निश्चित लाभ लागत को प्रभारित करने के लिये संविदागत करार या निर्दिष्ट नीति अथवा यह तथ्य कि ऐसी कोई नीति नहीं है।
- (ख) प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले अंशदान का निर्धारण करने की नीति।
- (ग) यदि प्रतिष्ठान अनुच्छेद 41 में दिए गए रूप में निवल निश्चित लाभ लागत के आबंटन के लिये लेखा करता है, तो अनुच्छेद 135-147 द्वारा समग्र योजना के बारे में सभी अपेक्षित सूचना ।
- (घ) यदि प्रतिष्ठान अनुच्छेद 41 में दिए गए रूप में उस अवधि के लिये देय अंशदान के लिये लेखा करता है, तो समग्र रूप में योजना के बारे में सभी सूचना जो कि अनुच्छेद 135-137, 139, 142-144 तथा 147 (क) एवं (ख) द्वारा अपेक्षित है।

150. अनुच्छेद 149 (ग) एवं (घ) द्वारा अपेक्षित सूचना अन्य समूह के प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में प्रकटनों के प्रति-निर्देश द्वारा प्रकट की जा सकती है यदि:

- (क) वह समूह प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण योजना के लिए अपेक्षित सूचना को अलग से निश्चित करते हैं तथा प्रकट करते हैं; और
- (ख) वह समूह प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण उन्हीं शर्तों पर प्रयोगकर्ता को उपलब्ध होते हैं जिस प्रकार प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण होते हैं तथा उसी समय पर अथवा उससे पहले उपलब्ध होते हैं जब प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण उपलब्ध होते हैं।

अन्य भारतीय लेखा मानकों में प्रकटन अपेक्षाएँ

151. जहाँ भारतीय लेखा मानक 24 द्वारा अपेक्षित है, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित के बारे में सूचना प्रकट करता है:

- (क) नियोजन पश्चात् लाभ योजनाओं के साथ संबंधित पार्टी लेन-देन; और
- (ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लिए नियोजन पश्चात् लाभ।

152. जहाँ भारतीय लेखा मानक 37 द्वारा अपेक्षित है, वहाँ एक प्रतिष्ठान नियोजन पश्चात् लाभ बाध्यताओं से उत्पन्न आकस्मिक दायित्वों के बारे में सूचना प्रकट करता है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

153. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों में निम्नलिखित जैसी मदें शामिल हैं यदि उनका उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीने के भीतर पूर्णतः निपटान होना प्रत्याशित नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं:

- (क) दीर्घावधि प्रदत्त अनुपस्थितियाँ जैसेकि दीर्घ-सेवा अथवा विराम (सबेटिकल) अवकाश;
- (ख) जुबली या अन्य दीर्घ-सेवालाभ;
- (ग) दीर्घावधि विकलांगता लाभ;
- (घ) लाभ-सहभाजन एवं बोनस; तथा
- (ङ.) आस्थगित (विलम्बित) पारिश्रमिक।

154. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों का माप आमतौर पर अनिश्चितता के उसी श्रेणी के अधीन नहीं होता है जैसा नियोजन पश्चात् लाभों के माप में होती है। इस कारण से, यह मानक अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए सरल लेखा पद्धति की अपेक्षा करता है। नियोजन पश्चात् लाभों के लिए अपेक्षित लेखांकन से भिन्न, यह तरीका अन्य व्यापक आय में पुनर्मापों को मान्यता नहीं देता है।

मान्यता एवं माप

155. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ योजना में घाटे या अधिशेष को मान्यता देने तथा माप करने में एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 56-98 तथा 113-115 का प्रयोग करेगा। एक प्रतिष्ठान किसी प्रकार के प्रतिपूर्ति अधिकार को मान्यता देने तथा माप करने में अनुच्छेद 116-119 का प्रयोग करेगा।

156. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए एक प्रतिष्ठान लाभ अथवा हानि में निम्नलिखित राशियों के निवल जोड़ को मान्यता देगा, सिवाय उस सीमा तक छोड़कर जब दूसरा भारतीय लेखा मानक एक आस्ति की लागत में उनके समावेशन की अपेक्षा करता है:

- (क) सेवा लागत (अनुच्छेद 66-112 देखें);
- (ख) निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज (अनुच्छेद 123-126 देखें); तथा
- (ग) निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) की पुनर्माप (अनुच्छेद 127-130 देखें)।

157. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ का एक रूप दीर्घावधि विकलांगता लाभ है। यदि लाभ का स्तर सेवा की अवधि पर निर्भर करता है तो एक बाध्यता उत्पन्न होती है जब सेवा प्रदान की जाती है। उस, बाध्यताबाध्यता का माप उस संभावना को प्रदर्शित करता है कि भुगतान अपेक्षित होगा और समयावधि, जिसके लिये भुगतान किया जाना प्रत्याशित है। यदि किसी विकलांग कर्मचारी की सेवा-वर्षों पर विचार किये बिना लाभ का स्तर वही होता है, तो उन लाभों की प्रत्याशित लागत को तब मान्यता दी जाती है जब वैसी घटनाएँ घटती हैं जो दीर्घावधि विकलांगता का कारण होता है।

प्रकटन

158. यद्यपि यह मानक अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के बारे में विशिष्ट प्रकटनों की अपेक्षा नहीं करता है, फिर भी, अन्य भारतीय लेखा मानकों में प्रकटन अपेक्षित हो सकते हैं। उदाहरण के लिये, भारतीय लेखा मानक 24 प्रमुख महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के लिए कर्मचारी लाभों के बारे में प्रकटनों की अपेक्षा करता है। भारतीय लेखा मानक 1 कर्मचारी लाभों के व्यय के प्रकटनों की अपेक्षा करता है।

सेवा समाप्ति लाभ

159. यह मानक सेवा समाप्ति लाभों पर अन्य कर्मचारी लाभों से अलग चर्चा करता है क्योंकि वह घटना जो एक बाध्यता को उत्पन्न करती है, वह कर्मचारी सेवा नहीं बल्कि सेवा समाप्ति है। सेवा समाप्ति लाभ या तो प्रतिष्ठान के सेवा समाप्त करने के निर्णय का परिणाम होते हैं या प्रतिष्ठान के सेवा समाप्ति के बदले में दिये गए लाभों के प्रस्ताव को स्वीकार करने के कर्मचारी के निर्णय का परिणाम होते हैं।
160. सेवा समाप्ति लाभों में प्रतिष्ठान के प्रस्ताव के बिना कर्मचारी के अनुरोध पर नियोजन-समाप्ति के परिणामस्वरूप अथवा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप मिलने वाले कर्मचारी लाभ शामिल नहीं होते हैं क्योंकि वे लाभ नियोजन पश्चात् लाभ होते हैं। कुछ प्रतिष्ठान कर्मचारी के अनुरोध पर सेवा समाप्ति पर मिलने वाला लाभ (वास्तव में नियोजन पश्चात् लाभ) प्रतिष्ठान के अनुरोध पर सेवा समाप्ति के लिये मिलने वाले लाभों से निम्नतर स्तर पर देते हैं। प्रतिष्ठान के अनुरोध पर प्रदान किए जाने वाले अधिक लाभ और कर्मचारी के अनुरोध पर नियोजन समाप्ति पर प्रदान किए जाने वाले लाभ के बीच अंतर सेवा समाप्ति लाभ होते हैं।
161. कर्मचारी लाभ का स्वरूप यह निर्धारित नहीं करते हैं कि यह सेवा के बदले में दिया गया है या कर्मचारी की सेवा समाप्ति के बदले में दिया गया है। सेवा समाप्ति लाभ विशिष्ट रूप से एक मुश्त भुगतान होते हैं, किन्तु कभी-कभी निम्नलिखित भी उनमें शामिल होते हैं:
- (क) नियोजन पश्चात् लाभों में बढ़ोतरी, कर्मचारी लाभ योजना के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से।
- (ख) यदि कर्मचारी आगे ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं करता है जो प्रतिष्ठान को आर्थिक लाभ देती है तो विनिर्दिष्ट नोटिस अवधि के अन्त तक का वेतन।
162. इस बात के संकेतक कि कर्मचारी लाभ सेवाओं के बदले में दिया जा रहा है, निम्नलिखित हैं:
- (क) लाभ प्रदान की जाने वाली भावी सेवा पर सशर्त होता है (लाभों के सहित जो यदि और अधिक सेवा उपलब्ध करायी जाती है तो बढ़ते हैं)।
- (ख) कर्मचारी लाभ योजना की शर्तों के अनुसार लाभ प्रदान किया जाता है।
163. कुछ सेवा समाप्ति लाभों को मौजूदा कर्मचारी लाभ योजना की शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिये, वे विधान, रोजगार संविदा अथवा युनियन करारों द्वारा विनिर्दिष्ट हो सकते हैं अथवा नियोजक के इसी तरह के लाभों को देने के पूर्व कार्य-व्यवहार के परिणाम के रूप में अन्तर्निहित होते हैं। दूसरे उदाहरण के रूप में यदि एक प्रतिष्ठान अल्पावधि से अधिक के लिये उपलब्ध लाभों का प्रस्ताव करता है अथवा प्रस्ताव एवं वास्तविक सेवा समाप्ति की प्रत्याशित तारीख के बीच अल्पावधि से अधिक का समय है तो प्रतिष्ठान यह विचार करता है कि इसने नई कर्मचारी लाभ योजना स्थापित कर दी है और इसलिये क्या उस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित लाभ सेवा निवृत्ति लाभ है या नियोजन पश्चात् लाभ है। कर्मचारी लाभ योजना की शर्तों के अनुसार दिए गए कर्मचारी लाभ सेवा समाप्ति है यदि वे प्रतिष्ठान के कर्मचारी की सेवा समाप्ति के निर्णय का परिणाम होता है और प्रदान की जाने वाली भावी सेवाओं के लिये सशर्त नहीं होते हैं।
164. कुछ कर्मचारी लाभ कर्मचारी के प्रस्थान के कारण पर विचार किये बिना दिये जाते हैं। ऐसे लाभों के भुगतान निश्चित हैं (बशर्ते कोई निहित या निम्नतम सेवा अपेक्षाएं न हों) किन्तु उनके भुगतान का समय अनिश्चित है। यद्यपि, ऐसे लाभ सेवा समाप्ति क्षतिपूर्तियां अथवा सेवा समाप्ति ग्रेच्युटी के रूप में कुछ क्षेत्राधिकारों में वर्णित किये गये हैं, इसलिये वे सेवा समाप्ति लाभों की बजाय नियोजन पश्चात् लाभ हैं और प्रतिष्ठान उनका लेखा नियोजन पश्चात् लाभ के रूप में करता है।

मान्यता

165. एक प्रतिष्ठान सेवा समाप्ति लाभों के दायित्व और व्यय को निम्नलिखित तारीखों में से पहले वाली तारीख पर मान्यता देगा:
- (क) जब प्रतिष्ठान उन लाभों के प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता है; तथा
- (ख) जब एक प्रतिष्ठान पुनर्संरचना की लागत को मान्यता देता है जो भारतीय लेखा मानक 37 के कार्यक्षेत्र के अन्दर है और जिसमें सेवा समाप्ति लाभों के भुगतान सम्मिलित हैं।
166. सेवा समाप्ति के बदले में लाभों के प्रस्ताव को स्वीकार करने के कर्मचारी के निर्णय के परिणामस्वरूप देय सेवा समाप्ति लाभों के लिये, वह समय जब एक प्रतिष्ठान सेवा समाप्ति लाभों के प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता है निम्नलिखित में से जो पहले होता है, वह होता है:
- (क) जब कर्मचारी प्रस्ताव को स्वीकार करता है; तथा
- (ख) जब प्रतिष्ठान प्रस्ताव को वापस लेने की क्षमता प्रतिबंध (अर्थात् कानूनी, नियामक अथवा संविदात्मक अपेक्षा या अन्य प्रतिबन्ध) होता है। यह तब होगा जब प्रस्ताव दिया जाता है और यदि प्रस्ताव के समय प्रतिबंध विद्यमान रहता है।

167. कर्मचारी के सेवा समाप्त करने के प्रतिष्ठान के निर्णय के परिणामस्वरूप देय सेवा समाप्ति लाभों के लिये प्रस्ताव को प्रतिष्ठान तब वापस नहीं ले सकता है जब प्रतिष्ठान ने निम्नलिखित सभी मानदण्डों को पूरा करते हुए सेवा समाप्ति की योजना के बारे में प्रभावित कर्मचारियों को सूचित कर दिया है:
- (क) योजना को पूरा करने के लिये अपेक्षित कार्य यह संकेत करते हैं कि यह असंभावित है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाएंगे।
 - (ख) योजना उन कर्मचारियों की संख्या, जिनकी सेवा समाप्त की जानी है, उनके कार्य का वर्गीकरण अथवा कार्यों और उनके स्थानों (किन्तु योजना के प्रत्येक व्यक्तिगत कर्मचारी की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है) तथा संभावित समापन की तारीख की पहचान करती है।
 - (ग) योजना उन सेवा समाप्ति लाभों को संस्थापित करती है जो कर्मचारी काफी विस्तार में प्राप्त करेगा जिससे कि कर्मचारी उन लाभों के प्रकार एवं राशि का निर्धारण कर सकेंगे जो वे तब प्राप्त करेंगे जब उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है।
168. जब एक प्रतिष्ठान सेवा समाप्ति लाभों को मान्यता देता है तब प्रतिष्ठान को योजनागत संशोधन तथा अन्य कर्मचारी लाभों की कटौती का भी लेखा करना पड़ सकता है (अनुच्छेद 103 देखें)।

माप

169. एक प्रतिष्ठान प्रारंभिक मान्यता पर सेवा-समाप्ति लाभों को मापेगा और कर्मचारी लाभ की प्रकृति के अनुसार परवर्ती परिवर्तनों का माप करेगा और मान्यता देगा, बशर्ते कि यदि सेवा-समाप्ति लाभ नियोजन-पश्चात् लाभों में हुई बढ़ोतरी है तो प्रतिष्ठान नियोजन-पश्चात् लाभों की अपेक्षाओं को लागू करेगा। अन्यथा:
- (क) यदि सेवा समाप्ति लाभों का उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जिसमें सेवा-समाप्ति लाभ को मान्यता दी जाती है के बारह महीने के भीतर पूर्णतः निपटान किया जाना प्रत्याशित है, तो प्रतिष्ठान अल्पावधि कर्मचारी लाभों की अपेक्षाओं को लागू करेगा।
 - (ख) यदि सेवा-समाप्ति लाभों का वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात् बारह महीने के भीतर पूर्णतः निपटान किया जाना प्रत्याशित नहीं है तो प्रतिष्ठान अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों की अपेक्षाओं को लागू करेगा।
170. चूंकि सेवा समाप्ति लाभ सेवा के बदले नहीं दिए जाते हैं, इसलिये सेवा अवधियों के प्रति लाभों के आरोपण से संबंधित अनुच्छेद 70-74 प्रासंगिक नहीं हैं।

अनुच्छेद 159-170 का दृष्टांत देने वाले उदाहरण

पृष्ठभूमि

हाल में हुए अधिग्रहण के परिणामस्वरूप एक प्रतिष्ठान 10 (दस) महीने में एक फैक्ट्री को बंद करने की और, उस समय फैक्ट्री के सभी शेष कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की योजना बनाता है। चूंकि प्रतिष्ठान को फैक्ट्री पर कुछ संविदाओं को पूर्ण करने के लिए कर्मचारियों की दक्षता की आवश्यकता है, इसलिए यह निम्न प्रकार सेवा-समाप्ति की योजना की घोषणा करता है। प्रत्येक कर्मचारी, जो फैक्ट्री के बंद होने तक सेवा में रहता है और काम करता है, वह सेवा-समाप्ति की तारीख को 30,000/- रुपये तक नकद भुगतान प्राप्त करेगा। फैक्ट्री के बंद होने के पहले सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों को 10,000/- रुपये दिए जाएंगे।

फैक्ट्री में 120 कर्मचारी हैं। योजना की घोषणा करते समय प्रतिष्ठान उनमें से 20 कर्मचारियों द्वारा फैक्ट्री के बंद होने के पहले सेवा छोड़ने की प्रत्याशा करता है। इसलिए, योजना के अंतर्गत कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्प्रवाह 3,20,000/- रुपये (अर्थात् 20X10,000 रु + 100X30,000 रु.) है। जैसा कि अनुच्छेद 160 में अपेक्षित है, प्रतिष्ठान सेवा-समाप्ति के बदले में दिए गए लाभों का सेवा-समाप्ति के लाभों रूप में लेखा करता है और सेवाओं के बदले में दिए गए लाभों का अल्पावधि कर्मचारी लाभों के रूप में लेखा करता है।

सेवा-समाप्ति लाभ

सेवा-समाप्ति के बदले में दिया गया लाभ 10,000/- रु. है। यह वह राशि है जो एक प्रतिष्ठान को इस बात पर ध्यान दिय बिना कि कर्मचारी फैक्ट्री के बंद होने तक सेवा में बने रहते हैं और कार्य करते हैं अथवा वे बन्द होने के पहले छोड़ देते हैं, सेवा-समाप्ति के लिए भुगतान करने होंगे, भले ही, कर्मचारी बन्द होने के पहले सेवा छोड़ सकते हैं, फिर भी, सभी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति प्रतिष्ठान के फैक्ट्री को बंद करने और उनकी सेवा समाप्त करने के निर्णय का परिणाम है (अर्थात् सभी कर्मचारी तब सेवा छोड़ेंगे जब बन्द हो जाता)। इसलिए प्रतिष्ठान कर्मचारी लाभ योजना के अनुसार दिये गए सेवा-समाप्ति लाभों के लिए 1,200,000/- रु. (120X रु. 10,000/-) के दायित्व को इन दोनों में से

जो पहले होता है तब मान्यता देता है: जब सेवा-समाप्ति की योजना की घोषणा की जाती है या जब प्रतिष्ठान फैक्टरी के बंदीकरण से संबंधित पुनर्संरचना लागतों को मान्यता देता है।

सेवा के बदले में दिए गए लाभ

वृद्धिशील लाभ जो कर्मचारी प्राप्त करेंगे यदि वे दस महीने की पूरी अवधि के लिए सेवाएं देते हैं, उस अवधि के दौरान दी गई सेवाओं के बदले में होते हैं। प्रतिष्ठान उनका अल्पावधि कर्मचारी लाभों के रूप में लेखा करता है क्योंकि प्रतिष्ठान उन्हें वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीने के भीतर निपटान कर लेने की प्रत्याशा करता है। इस उदाहरण में बटुटागत करना अपेक्षित नहीं होता है, इसलिए ₹.2,00,000/- (₹.20,00,000×10) के व्यय को दस महीने की सेवा अवधि के दौरान प्रत्येक माह में दायित्व की अग्रणी राशि में तदनु रूपी वृद्धि के साथ मान्यता दी जाती है।

प्रकटन

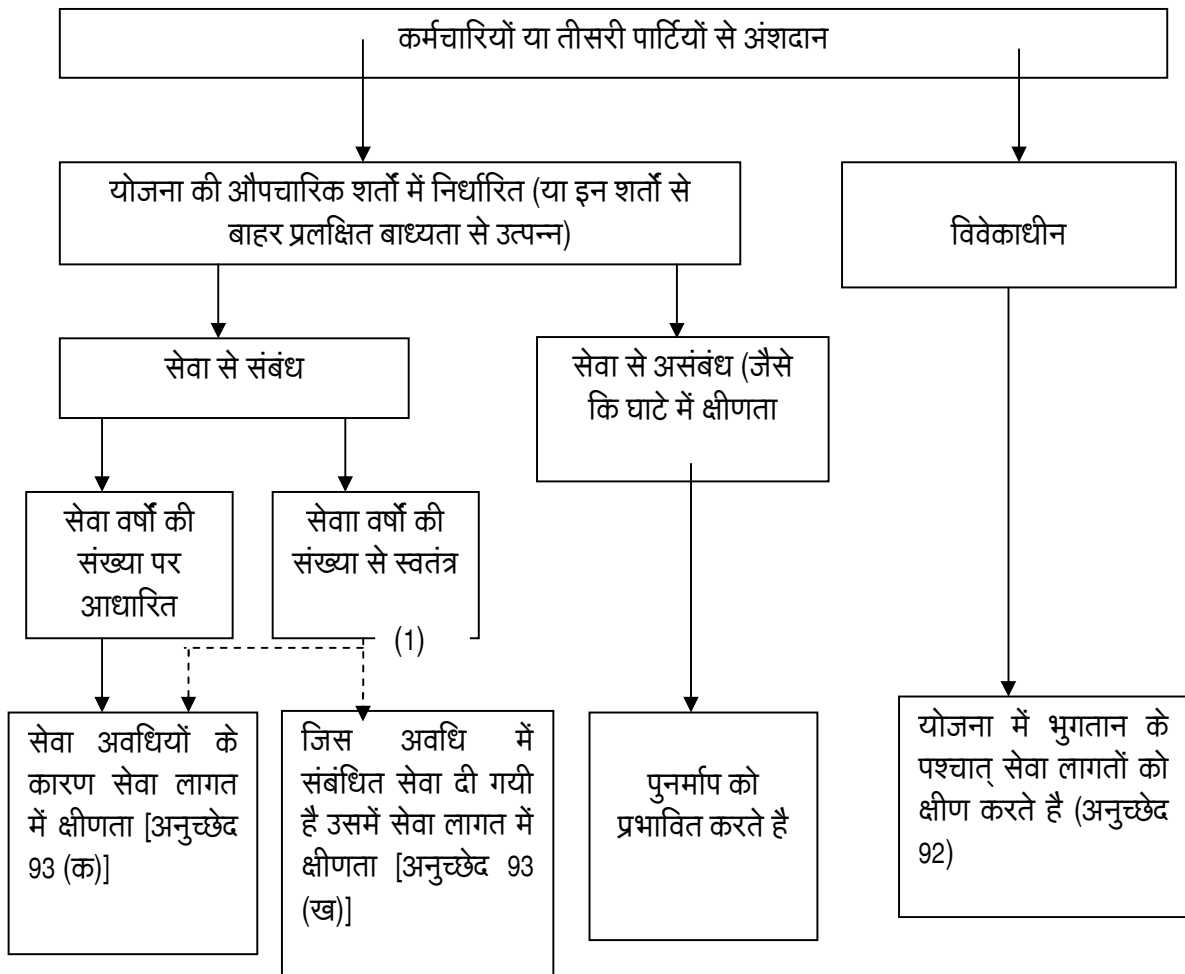
171. यद्यपि यह मानक सेवा-समाप्ति लाभों के बारे में विशिष्ट प्रकटनों की अपेक्षा नहीं करता है किन्तु अन्य भारतीय लेखा मानकों में प्रकटनों की अपेक्षा की जा सकती है। उदाहरण के लिये, भारतीय लेखा मानक 24 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लिए कर्मचारी लाभों के बारे में प्रकटनों की अपेक्षा करता है। भारतीय लेखा मानक 1 कर्मचारी लाभ व्यय के प्रकटन की अपेक्षा करता है।

परिशिष्ट क

प्रयोग संबंधी मार्ग निर्देश

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है। यह अनुच्छेद 92-93 के प्रयोग का वर्णन करता है और इसका वही प्राधिकार है जो कि इस भारतीय लेखा मानक के अन्य अंगों का है।

क1 कर्मचारियों या तीसरी पार्टियों से अंशदान



(1) बिंदु युक्त रेखा का आशय यह है कि प्रतिष्ठान को दोनों में से किसी भी एक लेखा विधि के चयन की अनुमति है।

परिशिष्ट ख**भारतीय लेखा मानक 19- निश्चित लाभ आस्ति की सीमा, न्यूनतम निधिकरण की अपेक्षाएं और उनकी अन्तर्क्रिया**

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

1. भारतीय लेखा मानक 19 का अनुच्छेद 64 निवल निश्चित लाभ आस्ति के माप को निश्चित लाभ योजना में अधिशेष और आस्ति की उच्चतम सीमा में जो कम हो उस तक सीमित करता है। भारतीय लेखा मानक 19 का अनुच्छेद 8 आस्ति की उच्चतम सीमा को “योजना से वापसियों अथवा योजना के भावी अंशदानों में कटौतियों के रूप में किसी प्रकार के आर्थिक लाभों का वर्तमान मूल्य” के रूप में परिभाषित करता है। ये प्रश्न उठते हैं कि वापसी अथवा भावी अंशदानों में कटौतियों को कब उपलब्ध समझा जाना चाहिए, खासकर जब निम्नतम निधिकरण अपेक्षा विद्यमान रहती है।
2. कर्मचारी लाभ योजना के सदस्यों को किया गया नियोजन पश्चात् लाभ वादा की सुरक्षा में सुधार के लिये बहुत से देशों में न्यूनतम निधिकरण अपेक्षाएं विद्यमान होती हैं। ऐसी अपेक्षाएं सामान्यतः न्यूनतम राशि अथवा अंशदानों के स्तर को अनुबंध करती हैं जिसे दी गई अवधि के दौरान योजना को अवश्य दिया जाना चाहिए। इसलिये, न्यूनतम निधिकरण अपेक्षाएं भावी अंशदानों को कम करने के लिये प्रतिष्ठान की क्षमता को सीमित कर सकता है।
3. इसके अलावा, निश्चित लाभ आस्ति के माप पर परिसीमा का होना न्यूनतम निधिकरण अपेक्षा के दुर्वह होने का कारण हो सकता है। सामान्यतः, योजना के लिये अंशदानों के करने की अपेक्षा निश्चित लाभ आस्ति अथवा दायित्व के माप को प्रभावित नहीं करेगी। इसका कारण यह है कि एक बार जो अंशदान प्रदत्त किया जाता है वे योजनागत आस्तियां हो जाती हैं और इसलिए, अतिरिक्त निवल दायित्व शून्य हो जाता है। फिर भी, न्यूनतम निधिकरण अपेक्षा दायित्व को उत्पन्न कर सकती है यदि एक बार प्रदत्त कर दिए गए अपेक्षित अंशदान प्रतिष्ठान को प्राप्त नहीं होंगे।

3क (परिशिष्ट 1 देखें)

कार्यक्षेत्र

4. यह परिशिष्ट सभी नियोजन-पश्चात् निश्चित लाभों तथा अन्य दीर्घावधि कर्मचारी निश्चित लाभों पर लागू होता है।
5. इस परिशिष्ट के उद्देश्य के लिये न्यूनतम निधिकरण अपेक्षाएं किसी भी प्रकार की वे अपेक्षाएं हैं जो नियोजन-पश्चात् अथवा अन्य दीर्घावधि निश्चित लाभ योजना के निधिकरण के लिये हैं।

मुद्दे

6. इस परिशिष्ट में निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित किया गया है:
 - (क) कब वापसियों अथवा भावी अंशदानों में कटौतियों को भारतीय लेखा मानक 19 के अनुच्छेद 8 में आस्ति की उच्चतम सीमा की परिभाषा के अनुसार उपलब्ध समझा जाना चाहिए।
 - (ख) कैसे न्यूनतम निधिकरण अपेक्षा भावी अंशदानों में कटौतियों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है।
 - (ग) कब न्यूनतम निधिकरण अपेक्षा दायित्व को उत्पन्न कर सकती है।

सिद्धान्त**भावी अंशदानों में कटौती अथवा वापसी की उपलब्धता**

7. एक प्रतिष्ठान योजना की शर्तों एवं नियमों और योजना के क्षेत्राधिकार में किसी सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार भावी अंशदानों में कटौती अथवा वापसी की उपलब्धता का निर्धारण करेगा।
8. भावी अंशदानों में कटौती अथवा वापसी के रूप में एक आर्थिक लाभ तब उपलब्ध होता है यदि प्रतिष्ठान योजना की अवधि में किसी समय पर उसको वसूल कर सकता है या जब योजना के दायित्वों का निपटान होता है।
9. उपलब्ध आर्थिक लाभ इस पर निर्भर नहीं करता है कि प्रतिष्ठान अधिशेष का उपयोग कैसे करना चाहता है। एक प्रतिष्ठान अधिकतम आर्थिक लाभ का निर्धारण करेगा जो भावी अंशदानों में कटौतियों, वापसियों अथवा दोनों के सम्मिश्रण से उपलब्ध होता है। एक प्रतिष्ठान भावी अंशदानों में कटौतियों तथा वापसियों के सम्मिश्रण से प्राप्त आर्थिक लाभों को उन अवधारणाओं के आधार पर मान्यता नहीं देगा जो कि परस्पर अनन्य हैं।
10. भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसार प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में प्राक्कलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोतों के बारे में सूचना का प्रकटन करेगा जिसके परिणामस्वरूप तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति अथवा दायित्व की अग्रणीत राशि में महत्वपूर्ण

समायोजन का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है। इसमें अधिशेष की वर्तमान वसूली क्षमता पर किसी प्रकार के प्रतिबंधों का प्रकटन अथवा उपलब्ध आर्थिक लाभ की राशि निर्धारण के लिये प्रयुक्त आधार का प्रकटन शामिल हो सकता है।

वापसी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ

वापसी का अधिकार

11. एक प्रतिष्ठान को केवल तभी वापसी उपलब्ध होती है यदि प्रतिष्ठान के पास वापसी का शर्त रहित अधिकार होता है:
 - (क) योजनाकाल के दौरान यह माने बिना कि योजनागत दायित्वों की वापसी प्राप्त करने के लिए अवश्य निपटा लिए जाने चाहिए (उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्राधिकारों में, प्रतिष्ठान को योजनाकाल के दौरान, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि योजनागत दायित्वों का निपटान हो गया है, वापसी का अधिकार हो सकता है); अथवा
 - (ख) योजना दायित्वों का उस समयावधि के दौरान क्रमिक भुगतान मानते हुए जबतक कि सभी सदस्यों ने योजना को छोड़ नहीं दिया हो; अथवा
 - (ग) योजनागत दायित्वों के पूर्ण निपटान को एकल घटना के रूप में मानते हुए (अर्थात् योजना समाप्ति के रूप में)।
12. यदि प्रतिष्ठान का अधिशेष की वापसी का अधिकार एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या न होने पर निर्भर करता है, जो पूर्णतः इसके नियंत्रण में नहीं होते हैं, तो प्रतिष्ठान के पास शर्तरहित अधिकार नहीं होता है और, आस्ति को मान्यता नहीं देगा।

आर्थिक लाभ का माप

13. एक प्रतिष्ठान वापसी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का माप रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में अधिशेष की राशि (योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में से निश्चित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य को घटा कर प्राप्त राशि) जिसे प्रतिष्ठान को वापसी के रूप में कोई भी संबद्ध लागतों को घटा करके प्राप्त करने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए यदि वापसी आयकर के अलावा अन्य कर के अधीन है तो प्रतिष्ठान वापसी का माप उस कर को घटा कर करेगा।
14. जब योजना समाप्त हो जाती है (अनुच्छेद 11 (ग)) तब प्रतिष्ठान वापसी की उपलब्ध राशि का माप करने में योजनागत दायित्वों का निपटान करने तथा वापसी करने की लागतों को योजना में शामिल करेगा। उदाहरण के लिये, प्रतिष्ठान व्यावसायिक फीस यदि यह प्रतिष्ठान की बजाय योजना द्वारा प्रदत्त की गई है और किसी बीमा प्रीमियमों की लागतों, जो समाप्ति पर दायित्व को सुरक्षित रखने के लिये अपेक्षित हो सकते हैं, को भी काटेगा।
15. यदि वापसी की राशि एक निश्चित राशि होने की बजाय अधिशेष की पूर्ण राशि अथवा उसके अनुपात के रूप में निर्धारित की जाती है तो प्रतिष्ठान मुद्रा के समय मूल्य के लिए कोई समायोजन नहीं करेगा, भले ही, वापसी किसी भावी तारीख में ही वसूली योग्य होती है।

अंशदान कटौती के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ

16. यदि भावी सेवा से संबंधित अंशदानों के लिये कोई न्यूनतम निधिकरण अपेक्षा नहीं है तो भावी अंशदानों में की गई कटौतियों के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ, योजना के प्रत्याशित काल तथा प्रतिष्ठान के प्रत्याशित जीवन में से जो भी छोटा होगा, उसकी प्रत्येक अवधि के दौरान प्रतिष्ठान की भावी सेवा लागत होते हैं। प्रतिष्ठान की भावी सेवा लागत में उन राशियों को छोड़ दिया जाता है जो कर्मचारियों द्वारा वहन की जाती है।
17. एक प्रतिष्ठान उन अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए भावी सेवा लागतों का निर्धारण करेगा जो निश्चित लाभ बाध्यता का निर्धारण करने में प्रयुक्त अवधारणाओं के और उन स्थितियों के अनुरूप है जो भारतीय लेखा मानक 19 द्वारा यथानिर्धारित रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में विद्यमान होती है। इसलिये, प्रतिष्ठान भविष्य में योजना द्वारा दिये जाने वाले लाभों में किसी परिवर्तन को तबतक नहीं मानेगा जबतक योजना में संशोधन नहीं होता है और भविष्य में स्थिर श्रमिक संख्या को तबतक मानेगा जबतक प्रतिष्ठान योजना द्वारा सम्मिलित किए कर्मचारियों की संख्या में कमी नहीं करता है। बाद के मामले में, भावी श्रमिक संख्या के बारे में अवधारणा में कटौती शामिल की जाएगी।

भावी अंशदानों के कटौती के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ पर न्यूनतम निधिकरण की अपेक्षा का प्रभाव

18. एक प्रतिष्ठान उन अंशदानों में दी गई तारीख पर किसी न्यूनतम निधिकरण अपेक्षा का विश्लेषण करेगा जो (क) न्यूनतम निधिकरण आधार पर गतसेवा की किसी मौजूदा कमी तथा (ख) भावी सेवा को सुरक्षित करने के लिये अपेक्षित है।
19. पहले ही प्राप्त सेवाओं के संबंध में न्यूनतम निधिकरण आधार पर किसी मौजूदा कमी को सुरक्षित करने के लिये किए गए अंशदान भावी सेवा के लिये किये जाने वाले भावी अंशदानों को प्रभावित नहीं करते हैं। वे अनुच्छेद 23-26 के अनुसार एक दायित्व को उत्पन्न कर सकते हैं।
20. यदि भावी सेवा से संबंधित अंशदानों के लिये एक न्यूनतम निधिकरण अपेक्षा है, तो भावी अंशदानों में कटौती के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ निम्नलिखित का जोड़ होता है:

- (क) कोई भी राशि जो भावी सेवा के लिये भावी न्यूनतम निधिकरण के लिए अपेक्षित अंशदानों को कम करती है क्योंकि प्रतिष्ठान ने पूर्वभुगतान किया है (अर्थात् भुगतान करने के लिए अपेक्षित होने से पहले राशि का भुगतान कर दिया गया है); और
- (ख) अनुच्छेद 16 एवं 17 के अनुसार प्रत्येक अवधि में प्राक्कलित भावी सेवा लागत में से प्राक्कलित न्यूनतम निधिकरण के लिए अपेक्षित अंशदानों को घटा कर राशि जो उन अवधियों में भावी सेवा के लिए अपेक्षित होंगे यदि इसके लिये कोई पूर्वभुगतान नहीं किया गया है जैसाकि (क) में वर्णित है।
21. एक प्रतिष्ठान न्यूनतम निधिकरण आधार का प्रयोग करते हुए निर्धारित किसी मौजूद अधिशेष के प्रभाव को ध्यान में रखकर, किन्तु अनुच्छेद 20 के वर्णित पूर्व भुगतान को छोड़कर, भावी सेवा के लिये भावी न्यूनतम निधिकरण के लिये अपेक्षित अंशदानों का प्राक्कलन करेगा। एक प्रतिष्ठान न्यूनतम निधिकरण आधार से संगत अवधारणाओं का प्रयोग करेगा और किसी ऐसे तथ्यों के लिए जो उस आधार द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं हैं निश्चित लाभ बाध्यता का निर्धारण करने के लिये प्रयुक्त अवधारणाओं से संगत अवधारणाओं का प्रयोग करेगा तथा उस स्थिति से संगत जो रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में विद्यमान होती है, जैसाकि भारतीय लेखा मानक 19 द्वारा निर्धारित है, अवधारणाओं का प्रयोग करेगा। प्राक्कलन में प्रतिष्ठान के न्यूनतम अंशदानों के भुगतान करने के परिणामस्वरूप प्रत्याशित किसी परिवर्तन को शामिल करेगा जब वे देय होते हैं। फिर भी, प्राक्कलन में न्यूनतम निधिकरण आधार की शर्तों एवं नियमों में प्रत्याशित उन परिवर्तनों के प्रभाव को शामिल नहीं किया जाएगा जिनके लिए रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में वास्तविक रूप से अधिनियम नहीं बनाया गया है अथवा जिन पर संविदात्मक रूप से सहमति हो पायी है।
22. जब एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 20(ख) में वर्णित राशि का निर्धारण करता है और यदि भावी सेवा के लिये भावी न्यूनतम निधिकरण के लिये अपेक्षित अंशदान किसी दी गई अवधि में भावी सेवा लागत से अधिक हो जाता है तो वह अधिक राशि भावी अंशदानों में कटौती के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ की राशि को कम कर देती है। तथापि, अनुच्छेद 20(ख) में वर्णित राशि कभी भी शून्य से कम नहीं हो सकती है।

कब न्यूनतम निधिकरण अपेक्षा दायित्व को उत्पन्न कर सकती है

23. यदि एक प्रतिष्ठान की न्यूनतम निधिकरण अपेक्षा के अंतर्गत बाध्यता है कि वह पहले से प्राप्त सेवाओं के संबंध में न्यूनतम निधिकरण के आधार पर मौजूदा कमी को सुरक्षित करने के लिये अंशदानों का भुगतान करे, तो प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि देय अंशदान जब उन्हें योजना में अदा कर दिया जाता है, तो वे भावी अंशदानों में कटौती होने या वापसी होने के रूप में उपलब्ध होंगे।
24. उस सीमा तक, जहाँ तक कि देय अंशदानों को योजना के अंतर्गत भुगतान कर दिये जाने के बाद वे उपलब्ध नहीं होंगे, प्रतिष्ठान बाध्यता से उत्पन्न होने पर दायित्व को मान्यता देगा। दायित्व या तो निवल निश्चित लाभ आस्ति को कम करेगा या निवल निश्चित लाभ दायित्व को बढ़ा देगा जिससे कि भारतीय लेखा मानक 19 का अनुच्छेद 64 लागू करने के परिणामस्वरूप कोई लाभ अथवा हानि प्रत्याशित नहीं होती है जब अंशदानों का भुगतान कर दिया जाता है।

25-26 (परिशिष्ट 1 देखें)

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का उद्देश्य केवल भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 19 तथा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 19 कर्मचारी लाभ, और आई एफ आर आई सी 14, निश्चित लाभ आस्ति की सीमा, न्यूनतम निधिकरण की अपेक्षाएं और उनकी अन्तर्क्रिया, के बीच प्रमुख अन्तरों, यदि कोई हों, को स्पष्ट करना है :

आई एफ आर एस 19, कर्मचारी लाभ, तथा आई एफ आर आई सी 14 के साथ तुलना

1. अनुच्छेद 25-26 आई एफ आर आई सी 14 में हटा दिए गए हैं। आई एफ आर आई सी 14 के अनुच्छेद संख्याओं के साथ सामंजस्य बनाये रखने के लिए, अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 19 के परिशिष्ट ख में रख लिया गया है।
2. भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसरण में नियोजन पश्चात् लाभ बाध्यता को बटुटागत करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दर सरकारी बाण्डों की बाजार आय (मार्किट ईल्ड) के संदर्भ में निश्चित की जाएगी जबकि अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 19 के अधीन सरकारी बाण्डों का प्रयोग तभी किया जाएगा जब उच्च गुणवत्ता कारपोरेट बाण्डों के लिए कोई गहन बाजार (डीप मार्किट) न हों। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 19 की इस संबंध में अपेक्षाएं भारत से बाहर कार्यरत् अनुषंगी प्रतिष्ठानों, सहयोगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों और शाखाओं के लिए उपयुक्त संशोधनों के साथ रहने दी गयी हैं।
3. भारतीय उपदान नियमावली के अंतर्गत उच्चतम सीमा के अधीन उपदान (ग्रेच्युटी) के व्यवहार के दृष्टांत के लिए उदाहरण अनुच्छेद 73 में सम्मिलित किया गया है।

4. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरण के लिए शब्द 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर 'तुलन-पत्र' का प्रयोग किया गया है। रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के प्रयोजन के विचार्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शब्द 'वित्तीय विवरण जारी करने का प्राधिकार' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने का अनुमोदन' का प्रयोग किया गया है।
5. परिशिष्ट 'ख' का अनुच्छेद 3क हटा दिया गया है क्योंकि यह अनुच्छेद आई एफ आर आई सी 14 के संशोधन पर कारण के साथ चर्चा करता है और भारतीय लेखा मानक 19 के लिए अप्रासंगिक है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 20

सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाईप व सामान्य टाईप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाईप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

कार्य-क्षेत्र

1. यह मानक सरकारी अनुदान के लेखा एवं सरकारी सहायता के प्रकटन और अन्य प्रकार की सरकारी सहायता के प्रकटन पर लागू होगा।
2. यह मानक निम्नलिखित पर चर्चा नहीं करता :
 - (क) वित्तीय विवरणों में बदलती कीमतों के प्रभावों या इसी प्रकार के प्रभावों को अनुपूरक सूचना में परिलक्षित करते हुए सरकारी अनुदान के लेखा में उत्पन्न होने वाली विशेष समस्याएं।
 - (ख) सरकारी सहायता जिसे लाभ के रूप में एक प्रतिष्ठान को प्रदान किया गया है और जो करयोग्य लाभ एवं हानि के निर्धारण में उपलब्ध है अथवा आयकर दायित्व के आधार पर निर्धारित अथवा सीमित है। इस प्रकार के लाभ के उदाहरण हैं: आयकर छूट, निवेश कर क्रेडिट, मूल्यहास में वृद्धि आदि।
 - (ग) प्रतिष्ठान के स्वामित्व में सरकारी सहभागिता।
 - (घ) भारतीय लेखा मानक 41 कृषि, में व्याप्त सरकारी अनुदान।

परिभाषाएं

3. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :

सरकार से तात्पर्य सरकार, सरकारी एजेंसियां तथा इसी प्रकार के निकाय चाहे वे स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय क्यों न हों।

सरकारी सहायता से तात्पर्य है किन्हीं निश्चित मापदंडों के अन्तर्गत अहर्ता प्राप्त प्रतिष्ठान अथवा अनेक प्रतिष्ठान को आर्थिक लाभ प्रदान करने की कार्रवाई। इस मानक के प्रयोजन के लिए, सरकारी सहायता में वे लाभ सम्मिलित नहीं हैं जो कार्रवाई द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य व्यापारिक परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं जैसे कि विकास क्षेत्रों में मूलभूत ढांचा उपलब्ध करवाने का प्रावधान अथवा प्रतिस्पर्धी कर्ताओं पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाना।

सरकारी अनुदान से तात्पर्य उस सहायता से है जो सरकार द्वारा एक प्रतिष्ठान को उसकी परिचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों की विगत अथवा भावी अनुपालना के प्रतिफल के रूप में संसाधनों के अंतरण द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें सरकारी सहायता के वे स्वरूप सम्मिलित नहीं हैं जिन पर तर्कसंगत आधार पर एक मूल्य नहीं रखा जाता है और सरकार के साथ होने वाले लेन-देनों को प्रतिष्ठान के सामान्य व्यापारिक लेन-देनों से अलग नहीं किया जा सकता।⁶

आस्तियों से संबंधित अनुदान से तात्पर्य उस सरकारी अनुदान से है जिसकी प्राथमिक शर्त यह है कि उसका अहर्ता प्राप्त प्रतिष्ठान दीर्घकालीन आस्तियों का क्रय निर्णय अथवा अन्य रूप से अधिगृहण करे। सहायक शर्तों के रूप में, ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जैसे कि आस्तियों की किस्म या स्थान या अवधियों जिसमें कि वे आस्तियां प्राप्त या रखी जा सकें।

आय से संबंधित अनुदान वह सरकारी अनुदान है जो आस्तियों से सम्बंधित नहीं है।

माफी योग्य ऋण वे ऋण हैं जिन्हें ऋणदाता कुछ निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत वापस न लेने की वचनबद्धता देता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अन्तरण पर अदा की जाती है। (देखें भारतीय लेखा मानक 113, *उचित मूल्य माप*)।

⁶ देखें परिशिष्ट 'क' - सरकारी सहायता - परिचालन-सम्बंधी गतिविधियों का कोई विशिष्ट सम्बंध नहीं है

4. सरकारी सहायता के अनेक स्वरूप हो सकते हैं जो दी जाने वाली सहायता की प्रकृति तथा इसके साथ जुड़ी शर्तों के अनुसार भिन्न-भिन्न हों। सहायता देने का प्रयोजन यह है एक प्रतिष्ठान उस कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित हो जो सामान्यतः वह उस स्थिति में नहीं करता यदि उसे वह सहायता न दी जाए।
5. एक प्रतिष्ठान द्वारा सरकारी सहायता की प्राप्ति दो कारणों से वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रथम यह कि यदि संसाधन अंतरित कर दिये गये हैं तो अंतरण को लेखों के लिए कोई उपयुक्त कार्य पद्धति का पता लगाया जाए। दूसरा यह संकेत देना कि इस सहायता से सम्बंधित प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि में किस सीमा तक लाभान्वित हुआ है। इससे प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को गत अवधि तथा अन्य प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरणों से तुलना करने में सुलभता प्रदान होती है।
6. सरकारी अनुदान को कभी-कभी अन्य संज्ञाओं जैसे सहायता, आर्थिक सहायता अथवा प्रिमियम से भी जाना जाता है।

सरकारी अनुदान

7. उचित मूल्य पर गैर मौद्रिक अनुदान सहित सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जायेगी जब तक यह तर्कसंगत आश्वासन न हो कि :
(क) प्रतिष्ठान उनके साथ जुड़ी शर्तों का पालन करेगा; तथा
(ख) अनुदान प्राप्त हो जाएगा।
8. एक सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक एक तर्कसंगत आश्वासन न हो कि प्रतिष्ठान इससे जुड़ी शर्तों की अनुपालना करेगा तथा यह कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा। अनुदान की प्राप्ति स्वयं में पूर्ण साक्ष्य प्रदान नहीं करता है कि अनुदान से जुड़ी शर्तों को पूरा कर लिया गया है अथवा पूरा कर दिया जाएगा।
9. जिस ढंग से अनुदान प्राप्त किया जाता है वह अनुदान के संबंध में अपनाये जाने वाली लेखांकन विधि को प्रभावित नहीं करता। इसलिए एक अनुदान को उसी विधि से लेखांकित किया जाता है चाहे वह अनुदान नकद रूप में प्राप्त हो अथवा एक ही सरकार की दायित्व में कटौती के रूप में प्राप्त हुआ हो।
10. सरकार से माफीयोग्य ऋण को सरकारी अनुदान ही माना जाता है जब इस बात का तर्कसंगत आश्वासन हो कि प्रतिष्ठान ऋण की माफी की सभी शर्तों को पूरा करेगा।
- 10क बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभ को भी सरकारी अनुदान माना जाता है। ऋण को भारतीय लेखा मानक 109 *वित्तीय लिखतें* के अनुसरण में मान्यता एवं माप को मान्यता दी जाती है। ब्याज की बाजार से कम दर के लाभ को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार निर्धारित ऋण की आरंभिक अग्रणीत (कैरिंग) मूल्य तथा प्राप्त राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जायगा। लाभ को इस मानक के अनुसार लेखांकित किया जाता है। प्रतिष्ठान उन शर्तों तथा बाध्यताओं पर विचार करेगा जो लागतों की पहचान के लिए ऋण के लाभ की क्षतिपूर्ति करती है और जिन्हें पूरा किया गया है अथवा अवश्य पूरा किया जाएगा।
11. जब एक बार सरकारी अनुदान की मान्यता हो जाती है तो किसी भी सम्बंधित आकस्मिक दायित्व अथवा आकस्मिक आस्ति को भारतीय लेखा मानक 37 *प्रावधान: आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां* के अनुसरण माना जाता है।
12. एक प्रतिष्ठान सम्बंधित लागतों को क्षतिपूर्ति के विचार से जिस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता देता है उसी अवधि की लाभ या हानि में एक व्यवस्थित आधार पर सरकारी अनुदान को मान्यता देता है।
13. सरकारी अनुदान के लेखों के लिए दो वृहत दृष्टिकोण हैं, एक पूंजी दृष्टिकोण जिसके अन्तर्गत अनुदान को लाभ अथवा हानि के बाहर मान्यता दी जाती है तथा दूसरा आय दृष्टिकोण जिसके अन्तर्गत अनुदान को एक अथवा एक से अधिक अवधियों में लाभ अथवा हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।
14. वे जो पूंजी दृष्टिकोण के समर्थक हैं वे ये तर्क देते हैं कि :
(क) सरकारी अनुदान एक प्रकार के वित्तीय यंत्र हैं और उन्हें तुलनपत्र में इसी रूप में लेना चाहिए न कि लाभ या हानि में व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में उनकी मान्यता की जानी चाहिए। क्योंकि कोई भी वापसी अदायगी (repayment) अपेक्षित नहीं है, ऐसे अनुदानों को लाभ अथवा हानि के बाहर मान्यता देनी चाहिए।
(ख) सरकारी अनुदान को लाभ अथवा हानि में मान्यता देना अनुपयुक्त होगा क्योंकि उन्हें अर्जित नहीं किया जाता। वे बिना किसी लागत के सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रोत्साहन हैं।
15. आय दृष्टिकोण के समर्थन में ये तर्क दिये जाते हैं :
(क) क्योंकि सरकारी अनुदान शेयरधारकों से अलग एक स्रोत से प्राप्तियां हैं, उनकी सीधे रूप से 'इक्विटी' में मान्यता नहीं देनी चाहिए परन्तु उन्हें उपयुक्त अवधि में लाभ अथवा हानि में मान्यता देनी चाहिए।

- (ख) ऐसा बहुत कम होता है जब सरकारी अनुदान किसी बिना प्रयोजन के होती है। प्रतिष्ठान उन्हें उनकी शर्तों के अनुपालन और विचाराधीन बाध्यताओं को पूरा करके अर्जित करता है। अतः सम्बंधित लागतों को क्षतिपूर्ति के विचार से जिस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है उसी अवधि में इन अनुदानों की लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।
- (ग) क्यों कि आय और अन्य कर व्यय है, और चूँकि सरकारी अनुदान सरकार की आर्थिक नीतियों का एक अंश है, अतः उन्हें लाभ-हानि में इन पर भी इसी रूप से विचार करना तर्कसंगत है।
16. यह आय दृष्टिकोण का मूल है कि प्रतिष्ठान सम्बंधित मामलों को क्षतिपूर्ति के विचार से जिस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता देता है उसी अवधि की लाभ या हानि व्यवस्थित आधार पर सरकारी अनुदान को मान्यता देती है। प्राप्ति के आधार पर लाभ या हानि में सरकारी अनुदान की मान्यता उपचित लेखांकन पूर्वधारणा के अनुसार नहीं है। [देखें भारतीय लेखा मानक 1 *वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति*] तथा यह केवल तभी स्वीकार्य है यदि जिस अवधि में यह अनुदान प्राप्त किया गया था उससे भिन्न किसी अवधि में इसके आवंटन के लिए कोई आधार विद्यमान न हो।
17. ज्यादातर मामलों में जिन अवधियों में एक प्रतिष्ठान एक सरकारी अनुदान से सम्बंधित लागत अथवा व्यय को मान्यता देता है वे तुरंत ज्ञातव्य होती हैं। अतः विशिष्ट व्यय की मान्यता में अनुदानों की मान्यता उसी अवधि के लाभ अथवा हानि में की जाती है जिसमें कि वह व्यय हुआ है। इसी प्रकार, मूल्यह्रास-योग्य आस्तियों से सम्बंधित अनुदान को प्रायः विभिन्न अवधियों में तथा उसी अनुपात में मान्यता दी जाती है जिस अनुपात में इन आस्तियों पर मूल्य ह्रास व्यय को मान्यता दी जाती है।
18. गैर मूल्यह्रास-योग्य आस्तियों से सम्बंधित अनुदानों में कुछ बाध्यताओं को पूरा करने की भी आवश्यकता हो सकती है। अतः जिस अवधि में बाध्यता को पूरा करने की लागत को वहन किया जाता है उसी अवधि के लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है। उदाहरण के रूप में, भूमि के रूप में अनुदान स्थान पर भवन का निर्माण सशर्त हो सकता है तथा अनुदान को लाभ अथवा हानि में भवन के जीवन के आधार पर मान्यता देना उपयुक्त होगा।
19. कभी - कभी एक अनुदान को वित्तीय या आर्थिक सहायता के पैकेज के एक भाग के रूप में प्राप्त किया जाता है जिसके साथ कई शर्तें जुड़ी होती हैं। इस प्रकार के मामले में लागत तथा व्यय सम्बंधी उस शर्त की पहचान पर ध्यान करने की आवश्यकता है जो अवधि का निर्धारण करती है जिसमें वह अनुदान अर्जित किया जायगा। अनुदान के एक भाग को एक आधार पर तथा दूसरे भाग को एक अन्य आधार पर आवंटित करना उपयुक्त होगा।
20. एक सरकारी अनुदान, जो पहले से उत्पन्न व्यय अथवा हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में अथवा भविष्य से सम्बंधित लागत के बिना प्रतिष्ठान को तुरंत वित्तीय सहायता के प्रयोजन से प्राप्य हो उसकी मान्यता उसी अवधि के लाभ अथवा हानि में की जाएगी जिसमें कि वह प्राप्त होती है।
21. कुछ परिस्थितियों में, एक सरकारी अनुदान को प्रतिष्ठान के विशिष्ट व्यय को करने के लिए एक प्रोत्साहन की बजाय तुरंत वित्तीय सहायता देने के प्रयोजन से प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार का अनुदान एक विशेष प्रतिष्ठान तक सीमित हो सकता है तथा वह हितग्राहियों की समस्त श्रेणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। इन परिस्थितियों के अनुसार, प्रतिष्ठान जिस अवधि में इसे प्राप्त करने के लिए अहर्ता प्राप्त करता है उस अवधि के लाभ अथवा हानि में अनुदान की मान्यता की जाएगी, इस प्रकटन के साथ कि यह सुनिश्चित हो कि प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है।
22. सरकारी अनुदान गत अवधि में हुए व्यय हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिष्ठान प्राप्य हो सकता है। इस प्रकार के अनुदान को अवधि के लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है जिससे यह प्राप्य हो जाता है, इस प्रकटन के साथ कि यह सुनिश्चित रहे कि इसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है।

गैर मौद्रिक सरकारी अनुदान

23. एक सरकारी अनुदान गैर मौद्रिक आस्ति के अंतरण का स्वरूप ले सकता है जैसे प्रतिष्ठान के उपयोग के लिए भूमि अथवा अन्य संसाधन। इन परिस्थितियों में, गैर मौद्रिक आस्ति का निर्धारण उचित मूल्य पर किया जाता है और अनुदान तथा आस्ति दोनों का लेखा उचित मूल्य पर किया जाता है।

आस्तियों से सम्बंधित अनुदान की प्रस्तुति

24. उचित मूल्य पर गैर मौद्रिक अनुदानों सहित आस्तियों से सम्बंधित सरकारी अनुदान को तुलनपत्र में आस्थगित आय के अनुदान की स्थापना के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
25. [देखें परिशिष्ट 1]।

26. अनुदान जो आस्थगन आय के रूप में स्थापित किया गया है उसे लाभ अथवा हानि में आस्ति की उपयोगी जीवन में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है।
27. [देखें परिशिष्ट 1]।
28. आस्तियों के क्रय तथा सम्बंधित अनुदान की प्राप्ति से एक प्रतिष्ठान के नकदी प्रवाह में प्रमुख परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं। इस कारण तथा आस्तियों में सकल निवेश को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के परिवर्तन प्रायः नकदी प्रवाह के विवरण में पृथक मद के रूप में प्रकटित किये जाते हैं।

आय से सम्बंधित अनुदान की प्रस्तुति

29. आय से सम्बंधित अनुदान को लाभ अथवा हानि के भाग में या तो पृथक रूप से अथवा सामान्य शीर्ष जैसे 'अन्य आय' के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है। विकल्प के रूप में, उन्हें सम्बंधित व्यय की रिपोर्टिंग में से घटाया जाता है।
- 29क [देखें परिशिष्ट 1]।
30. प्रथम तरीके के समर्थक यह दावा करते हैं कि आय तथा व्यय मदों को निवल करना अनुपयुक्त है तथा व्यय से अनुदान को अलग करने से अनुदान द्वारा प्रभावित न होने वाले अन्य व्यय के साथ तुलना सुलभ होती है। दूसरे तरीके में, यह तर्क दिया जाता है कि यदि अनुदान उपलब्ध नहीं होता तो व्यय भी नहीं किया जाता तथा इस प्रकार अनुदान को समायोजित (ऑफसेट) किये बिना व्यय की प्रस्तुति भ्रामक हो सकती है।
31. आय से सम्बंधित अनुदान की प्रस्तुति के लिए दोनों तरीकों को स्वीकार्य माना जाता है। अनुदान का प्रकटन वित्तीय विवरण के उपयुक्त ज्ञान के लिए आवश्यक हो सकता है। आय अथवा व्यय की किसी मद पर अनुदानों के प्रभाव का प्रकटन, जिसे पृथक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता है, आमतौर पर उपयुक्त है।

सरकारी अनुदान का पुनर्भुगतान

32. एक सरकारी अनुदान जो पुनर्भुगतान योग्य बन जाता है लेखा प्राक्कलन (अनुमान) में परिवर्तन के रूप में लेखांकित किया जायगा। (देखें भारतीय लेखा मानक 8 *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां*) आय से सम्बंधित अनुदान के पुनर्भुगतान को पहले अनुदान के सम्बंध में मान्य किसी गैर परिशोधित आस्थगित क्रेडिट पर लागू किया जाएगा। इस सीमा तक जब पुनर्भुगतान इस प्रकार के किसी आस्थगित क्रेडिट से अधिक है, अथवा जहां पर कोई आस्थगित क्रेडिट विद्यमान ही नहीं है, पुनर्भुगतान की तुरंत लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जायगी। आस्ति से संबंधित अनुदान को भुगतान योग्य राशि द्वारा आस्थगित आय शेष को कम कर मान्यता दी जायगी।
33. [देखें परिशिष्ट 1]।

सरकारी सहायता

34. अनुच्छेद 3 में सरकारी अनुदान की परिभाषा से वर्जित सरकारी सहायता के कुछ ऐसे स्वरूप हैं जिन पर उचित रूप से कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता तथा सरकार के साथ लेनदेनों को प्रतिष्ठान के सामान्य व्यापारिक लेनदेनों से अलग नहीं किया जा सकता।
35. ऐसी सहायता के उदाहरण, जिन पर उचित रूप से कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है निःशुल्क तकनीकी अथवा विपणन सलाह तथा गारंटी का प्रावधान। सहायता का वह उदाहरण, जिसे प्रतिष्ठान के सामान्य व्यापारिक लेनदेनों से अलग नहीं किया सकता, हैं -- सरकार की आपूर्ति नीति जो प्रतिष्ठान की बिक्री के भाग के लिए उत्तरदायी है। लाभ की विद्यमानता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता परन्तु सरकारी सहायता से व्यापारिक गतिविधि को अलग करने का प्रयास एक पक्षीय हो सकता है।
36. उपर्युक्त उदाहरण में लाभ का महत्व इस प्रकार का है कि सहायता की प्रकृति, सीमा तथा अवधि का प्रकटन आवश्यक है ताकि वित्तीय विवरण भ्रामक न हो।
37. [देखें परिशिष्ट 1]।

38. इस मानक में, सरकारी सहायता में सामान्य परिवहन और संचार नेटवर्क के सुधार द्वारा तथा मूलभूत ढांचे की व्यवस्था और सुधरी सुविधाओं की आपूर्ति, जैसे सिंचाई अथवा जल प्रदाय पर समस्त स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए आधार पर उपलब्ध है, सम्मिलित नहीं हैं।

प्रकटन

39. निम्नलिखित मामलों का प्रकटन किया जाएगा :

- (क) वित्तीय विवरणों में अपनायी जाने वाली प्रस्तुति पद्धतियों सहित सरकारी अनुदानों के लिए अपनायी गयी लेखा नीति ;
- (ख) वित्तीय विवरणों में मान्य सरकारी अनुदानों का स्वरूप तथा सीमा और सरकारी सहायता की अन्य किस्मों का संकेत जिनसे प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुआ है ; और
- (ग) मान्य की गई सरकारी सहायता से संबद्ध अपूर्ण शर्तें एवं अन्य आकस्मिकताएं।

परिशिष्ट क

सरकारी सहायता - परिचालन-संबंधी गतिविधियों से कोई विशिष्ट सम्बंध नहीं है

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 20 का अभिन्न अंग है।

मुद्दा

1. कुछ देशों में, प्रतिष्ठानों को सरकारी सहायता का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों अथवा उद्योग क्षेत्रों में या तो व्यापारिक गतिविधियों के प्रोत्साहन अथवा दीर्घकालीन सहायता के रूप में है। इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने की शर्त प्रतिष्ठान की परिचालन गतिविधि से विशिष्ट रूप से जुड़ी नहीं हो सकती। इस प्रकार की सहायता का उदाहरण सरकार द्वारा उन प्रतिष्ठानों को संसाधनों का अंतरण है जो -
 - (क) एक विशेष उद्योग में परिचालन करते हैं ;
 - (ख) हाल में, निजिकृत उद्योगों में परिचालन जारी रखते हैं।
 - (ग) अविकसित क्षेत्रों में व्यापार को चलाना जारी रखते हैं अथवा आरंभ करते हैं।
2. मुद्दा यह है कि क्या इस प्रकार की 'सरकारी सहायता' भारतीय लेखा मानक 20 के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी सहायता में आती है तो इस मानक के अनुसार लेखांकन किया जाना चाहिए।

लेखा सिद्धांत

3. प्रतिष्ठानों को 'सरकारी सहायता' की परिभाषा भारतीय लेखा मानक 20 में दी गयी है और कुछ क्षेत्रों अथवा उद्योग क्षेत्र में परिचालन करने की आवश्यकता के अतिरिक्त प्रतिष्ठान की परिचालन सम्बंधी गतिविधियों के सम्बंध में विशेष रूप से कोई शर्त नहीं है। इसलिए, इस प्रकार के अनुदान को सीधे रूप से शेयरधारकों के हितों में क्रेडिट नहीं करना चाहिए।

परिशिष्ट ख

अन्य लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ में

यह परिशिष्ट इस लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

1. भारतीय लेखा मानक 37, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियों में समाविष्ट परिशिष्ट 'ग' उगाही।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 20 और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 20 सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन

और 'एस आई सी' 10 'सरकारी सहायता परिचालन संबंधी गतिविधियों से कोई विशिष्ट संबंध नहीं' के बीच यदि कोई मुख्य अंतर हों तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 20 सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन और एस आई सी 10 के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 20 यह विकल्प देता है कि गैर-मौद्रिक सरकारी अनुदानों को या तो उनके उचित मूल्य पर मापा जाए या फिर उनके नाममात्र मूल्य पर। भारतीय लेखा मानक 20 ये अपेक्षा करता है की ऐसे अनुदानों को केवल उचित मूल्य पर मापा जाए। इस प्रकार भारतीय लेखा मानक 20 के अंतर्गत इन अनुदानों को नाममात्र के मूल्य पर मापने का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 20 आस्तियों से संबंधित अनुदानों को, जिनमें गैर-मौद्रिक अनुदान भी सम्मिलित है, अनुदान को आस्थगित आय के रूप में निर्धारित कर या आस्ति की अग्रणीत राशि निकालने के लिए अनुदान को घटा कर तुलन-पत्र में उचित मूल्य पर प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान करता है। भारतीय लेखा मानक 20 इन अनुदानों को तुलन-पत्र में केवल आस्थगित आय के रूप में निर्धारित कर प्रस्तुति की अपेक्षा करता है। अतः भारतीय लेखा मानक 20 में इन अनुदानों को आस्ति की अग्रणीत राशि निकालने के लिए अनुदान की राशि घटाकर इन अनुदानों को प्रस्तुत करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 32 को संशोधित किया गया है और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 20 के निम्नलिखित अनुच्छेद, जो आस्तियों से संबंधित अनुदानों की प्रस्तुति के विकल्पों के संदर्भ में है, भारतीय लेखा मानक 20 में से हटा दिये गये हैं। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 20 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए इन अनुच्छेदों की संख्या का उल्लेख भारतीय लेखा मानक 20 में किया गया है।
 - (i) अनुच्छेद 25
 - (ii) अनुच्छेद 27
 - (iii) अनुच्छेद 33
3. अलग-से आय विवरण में आय से संबंधित अनुदानों की प्रस्तुति के बारे में वे अपेक्षाएं हटा दी गयी हैं जिनके बारे में अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 20 के अनुच्छेद 29 'क' के अंतर्गत अलग-से आय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यह परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 1 की दो विवरणों के दृष्टिकोण के बारे में विकल्प को हटाने के परिणामस्वरूप है। भारतीय लेखा मानक 1 यह अपेक्षा करता है कि लाभ या हानि के घटक और अन्य व्यापक आय के घटक लाभ-हानि विवरण के अंग के रूप में प्रस्तुत किये जाएंगे। फिर भी, अनुच्छेद संख्या 29 'क' को भारतीय लेखा मानक 20 में इस कारण रखा गया है ताकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 20 की अनुच्छेद संख्याओं से उसकी क्रमबद्धता बनी रहे।
4. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
5. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 20 में अनुच्छेद संख्या 37 'हटाया गया' के रूप में प्रदर्शित है। अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 20 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए यह अनुच्छेद संख्या भारतीय लेखा मानक 20 में रखी गयी है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 21**विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव**

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. एक प्रतिष्ठान अपनी विदेशी गतिविधियों को दो प्रकार से संचालित कर सकता है। अर्थात्, एक विदेशी मुद्रा में लेन-देनों के द्वारा या दूसरा, इसका विदेशी परिचालन के द्वारा। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को विदेशी मुद्रा में भी प्रस्तुत कर सकता है। इस मानक का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि प्रतिष्ठान के विदेशी मुद्रा लेन-देनों व परिचालन को उसका वित्तीय विवरणियों में कैसे शामिल किया जाये और वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत मुद्रा में कैसे रूपांतरित किया जाये।
2. प्रमुख मुद्दे ये हैं कि विनिमय की किस दर का उपयोग किया जाए तथा वित्तीय विवरणों में विनिमय दर परिवर्तन के प्रभाव को किस प्रकार रिपोर्ट किया जाये।

कार्यक्षेत्र

3. यह मानक निम्नलिखित पर लागू होगा:

- (क) भारतीय लेखा-मानक (इंड ए एस) 109 'वित्तीय लिखतों के कार्यक्षेत्र के दायरे में आने वाले व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) लेन-देनों तथा शेषों को छोड़कर विदेशी मुद्राओं के लेन-देनों तथा शेषों के लेखे में ;
- (ख) विदेशी परिचालनों के परिणामों तथा वित्तीय स्थिति के रूपांतरण में जिन्हें समेकन, अथवा इक्विटी विधि द्वारा प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है ; तथा
- (ग) प्रस्तुति मुद्रा में एक प्रतिष्ठान के परिणामों तथा वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने में।

4. भारतीय लेखा-मानक (इंड ए एस) 109 कई विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न (डेरिवेटिवों) पर लागू होता है अतः तदनुसार इन व्युत्पन्न को इस मानक के कार्यक्षेत्र से हटा दिया गया है। वे विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) जो भारतीय लेखा-मानक (इंड ए एस) 109 के कार्यक्षेत्र में नहीं हैं (उदाहरणतया कुछ विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) जो अन्य अनुबंधों में सन्निहित हैं) वे इस लेखामानक के कार्यक्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त, यह भारतीय लेखा मानक उस स्थिति में भी लागू होता है जब एक प्रतिष्ठान व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) से संबंधित राशि का कार्यात्मक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरित करता है।
5. यह मानक विदेशी मुद्रा की मदों के प्रतिरक्षा (हेज) लेखा जिसमें विदेशी परिचालन में शुद्ध निवेश की प्रतिरक्षा (हैजिंग) सम्मिलित है, पर लागू नहीं होता। भारतीय लेखा-मानक (इंड ए एस) 109 हेज लेखा पर लागू होता है।
6. यह मानक एक प्रतिष्ठान की विदेशी मुद्रा में वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर लागू होता है तथा भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) की अनुपालना के रूप में रूपांतरण पर परिणामी वित्तीय विवरणों की अपेक्षाएं निर्धारित करता है। विदेशी मुद्रा में जहां ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं, यह भारतीय लेखा मानक प्रकट की जाने वाली सूचना को विनिर्दिष्ट करता है।
7. यह मानक विदेशी मुद्रा के लेन-देनों से अथवा विदेशी परिचालन के नकद प्रवाह से उत्पन्न नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरणों की प्रस्तुति पर लागू नहीं होता [देखें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 7, *नकदी प्रवाहों, के विवरण*]
- 7 क यह मानक दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर लागू नहीं होता है जिनके लिए प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 101 के परिशिष्ट 'घ' के अनुच्छेद घ 13 कक में दी गयी छूट का चयन करता है। इस प्रकार के प्रतिष्ठान ऐसी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के लिए चयन की गई लेखा नीति को जारी रख सकते हैं।

परिभाषाएं

8. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है।
अन्तिम दर वह तत्काल विनिमय दर है जो रिपोर्ट करने की अवधि के अन्त में होती है।
विनिमय अंतर वह अंतर है जो विभिन्न विनिमय दरों पर एक मुद्रा की दी गयी यूनितों के अन्य मुद्रा में रूपांतरित करने से उत्पन्न होता है।
विनिमय दर दो मुद्राओं के विनिमय का अनुपात है।
उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 113, *उचित मूल्य माप*)।

विदेशी मुद्रा वह मुद्रा है जो प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न है।

विदेशी परिचालन विचाराधीन प्रतिष्ठान का वह स्वरूप है जो उसकी अनुषंगी सहयोगी, संयुक्त व्यवस्था या शाखा के रूप में है और जिसकी गतिविधियाँ रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के देश से भिन्न देश या उसकी मुद्रा से भिन्न मुद्रा पर आधारित अथवा परिचालित होती हैं।

कार्यात्मक मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें प्रतिष्ठान 'प्राथमिक आर्थिक वातावरण' में परिचालन करता है।

समूह वह स्वरूप है जिसमें मूल प्रतिष्ठान के साथ-साथ उसके सभी अनुषंगी प्रतिष्ठान भी सम्मिलित होते हैं।

मौद्रिक मदें रखी मुद्रा की इकाइयाँ और आस्तियाँ व दायित्वों का उस मुद्रा की निश्चित या निर्धारण योग्य संख्या में या तो प्राप्ति होती है या उसमें उनका भुगतान किया जाता।

विदेशी परिचालन में शुद्ध निवेश विचाराधीन प्रतिष्ठान के हित की वह राशि है जो उसके परिचालन में शुद्ध आस्तियों के रूप में व्याप्त है।

प्रस्तुति मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

तत्काल विनिमय दर वह विनिमय दर है जिसमें सुपुर्दगी तुरन्त की जाती है।

परिभाषाओं का विस्तार

कार्यात्मक मुद्रा

9. प्राथमिक आर्थिक वातावरण जिसमें सामान्यतया एक प्रतिष्ठान अपने परिचालन में प्राथमिक रूप से नकदी का अर्जन व व्यय करता है। एक प्रतिष्ठान अपनी कार्यात्मक मुद्रा के निर्धारण में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करता है :

(क) मुद्रा :

- (i) जो कि मुख्यतया प्रतिष्ठानों की वस्तुओं व सेवाओं की बिक्रय कीमत को प्रभावित करती है। प्रायः यह वह मुद्रा होगी जिसमें किसी प्रतिष्ठान की वस्तुओं व सेवाओं की बिक्रय कीमत अंकित होती है और उसी में इनका निपटान किया जाता है ; तथा
- (ii) यह किसी देश की है जिसकी प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्तियाँ तथा विनियम वस्तुओं व सेवाओं की बिक्रय कीमत को मुख्यतया निर्धारित करते हैं।

(ख) वह मुद्रा है जो मुख्यतया वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्रदान करने वाले श्रम, सामग्री तथा अन्य की लागतों को प्रभावित करती है। (यह प्रायः वह मुद्रा है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं लागतों को अंकित किया जाता है और उसमें इनका निपटान किया जाता है।)

10. निम्नलिखित तत्व भी एक प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा का साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं :

(क) मुद्रा जिसमें वित्तपोषण गतिविधियों से (जैसे ऋण और 'इक्विटी' लिखतें जारी करना) निधियाँ अर्जित की जाती हैं।

(ख) मुद्रा जिसमें आमतौर पर परिचालन गतिविधियों से प्राप्तियाँ रखी जाती हैं।

11. विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा के निर्धारण में निम्नलिखित कुछ और तत्वों पर भी विचार किया जाता है, तथा जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इसकी कार्यात्मक मुद्रा वही है जो 'विचाराधीन प्रतिष्ठान' की है। (इस संदर्भ में 'विचाराधीन प्रतिष्ठान' वह है जिसकी विदेशी परिचालन के रूप में एक अनुषंगी, शाखा, सहयोगी अथवा संयुक्त व्यवस्था है।) :

(क) यह कि, क्या विदेशी परिचालन की गतिविधियों को विचाराधीन प्रतिष्ठान के विस्तार के रूप में चलाने के बजाय इसके कि, इसे स्वायत्तता रूप से चलाया जा रहा है। इन दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति का उदाहरण है-जब विदेशी परिचालन केवल विचाराधीन प्रतिष्ठान से माल का आयात कर बिक्री करता है और उसे बिक्री राशियाँ भेजता है। दूसरी स्थिति के उदाहरण में, जब परिचालन से नकदी व अन्य मौद्रिक मदों का संग्रहण करता है, व्यय पर खर्च करता है, आय का अर्जन करता है और ऋण की व्यवस्था करता है और यह सब वह मुख्य रूप से स्थानीय मुद्रा में ही करता है।

(ख) क्या विचाराधीन प्रतिष्ठान के साथ लेन-देन विदेशी परिचालन की गतिविधियों के अनुपात में ज्यादा है या कम।

(ग) क्या विदेशी परिचालन की गतिविधियों से नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विचाराधीन प्रतिष्ठान के नकद प्रवाह को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और क्या यह नकदी उस प्रतिष्ठान को तुरन्त भेजी जा सकती है।

- (घ) क्या विदेशी परिचालन के पास अपनी गतिविधियों से नकद प्रवाह अपने वर्तमान व सामान्यतया अपेक्षित ऋण दायित्वों को अदा करने के लिए पर्याप्त है और इसके लिए उसे विचाराधीन परिचालन से कोई निधि (फंड) प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
12. जब उपर्युक्त संकेतक मिश्रित हैं और कार्यात्मक मुद्रा स्पष्ट नहीं है, प्रबन्धन कार्यात्मक मुद्रा के निर्धारण के लिए अपनी विवेक का ऐसा उपयोग करता है जो अन्तर्निहित लेन-देनों, घटनाओं तथा परिस्थितियों के आर्थिक प्रभाव का सर्वाधिक निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व करता है। इस दृष्टि से, प्रबन्धन अनुच्छेद 10 तथा 11 में दिये गये संकेतकों पर विचार करने से पूर्व अनुच्छेद 9 में दिये गये प्राथमिक संकेतकों को वरीयता देता है क्योंकि अनुच्छेद 10 तथा 11 के संकेतक एक प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा के निर्धारण के लिए अतिरिक्त सहायक साक्ष्य के रूप में तैयार किये गये हैं।
13. एक प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा इसके अन्तर्निहित लेन-देनों, घटनाओं व परिस्थितियों को परिलक्षित करती है जो इसके लिए प्रासंगिक है। तदनुसार, जब एक बार कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण कर लिया जाता है तो उसे तब तक नहीं बदला जाता जब तक अन्तर्निहित लेन-देनों, घटनाओं तथा परिस्थितियों में परिवर्तन न हो जाए।
14. यदि प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा एक उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा है तो उस प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक 29, *उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग*, पुनर्कथन किया जाता है। कोई भी प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 29 के अनुसरण में इनके पुनर्कथन से बच नहीं सकता। यदि, उदाहरणस्वरूप, उसने इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार निर्धारित कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न किसी अन्य मुद्रा को अपनी कार्यात्मक मुद्रा के रूप में अपनाया है (जैसे कि वह मुद्रा उसके मूल प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा है)

विदेशी परिचालन में शुद्ध निवेश

15. एक प्रतिष्ठान की कोई ऐसी मौद्रिक मद हो सकती है जो विदेशी परिचालन से या तो प्राप्य हो या फिर भुगतान योग्य है। इसी तरह, एक मद जिसका निपटान न तो नियोजित है और न ही निकट भविष्य में इसके उत्पन्न होने की संभावना है, सार रूप में यह उस प्रतिष्ठान का अपने विदेशी परिचालन में शुद्ध निवेश का एक भाग है तथा इसका लेखा अनुच्छेद 32 तथा 33 के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार की मौद्रिक मदों में दीर्घकालीन प्राप्य राशियाँ अथवा ऋण तो सम्मिलित किये जा सकते हैं लेकिन, उनमें व्यापारिक प्राप्य राशियाँ अथवा व्यापारिक भुगतान योग्य राशियाँ सम्मिलित नहीं की जा सकती।
- 15क. अनुच्छेद 15 में यथा वर्णित एक प्रतिष्ठान जिसकी विदेशी परिचालन से प्राप्य राशि भुगतान योग्य राशि के रूप में कोई मौद्रिक मद है वह प्रतिष्ठान एक समूह की अनुषंगी भी हो सकती है। उदाहरणार्थ एक प्रतिष्ठान का दो अनुषंगी प्रतिष्ठान 'क' तथा 'ख' है। इनमें से अनुषंगी 'ख' एक विदेशी परिचालन है। अनुषंगी 'क' अनुषंगी 'ख' को ऋण प्रदान करता है। अब अनुषंगी 'क' का अनुषंगी 'ख' से प्राप्य ऋण प्रतिष्ठान का अनुषंगी 'ख' में शुद्ध निवेश के एक भाग के रूप में होगा बशर्ते ऋण का निपटान न तो नियोजित है और न ही निकट भविष्य में इसके निपटान की कोई संभावना है। यह उस स्थिति में भी सत्य होगा यदि अनुषंगी 'क' स्वयं में एक विदेशी परिचालन हो।

मौद्रिक मदें

16. मौद्रिक मद की मुख्य विशेषता यह है कि मुद्रा की एक निश्चित मात्रा अथवा निर्धारण- योग्य इकाइयों में प्राप्त करने का अधिकार (अथवा सुपुर्दगी का दायित्व)। उदाहरणार्थ - पेंशन तथा अन्य कर्मचारी लाभों का नकद भुगतान करना, प्रावधान जिनका नकद भुगतान किया जाना है, और नकद लाभांश जिन्हें दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है। इसी तरह, प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों की परिवर्तनशील राशि की प्राप्ति (अथवा सुपुर्दगी) की अनुबंध या आस्तियों की परिवर्तनशील राशि जिसे उचित मूल्य में प्राप्त (सुपुर्द) किया जाना है और वह मुद्रा की निश्चित मात्रा अथवा निर्धारण योग्य इकाइयों की संख्या के समान है वह एक मौद्रिक मद है। इसके विपरीत, एक गैर-मौद्रिक मद की मुख्य विशेषता यह है कि मुद्रा में एक निश्चित अथवा निर्धारण योग्य इकाइयों की संख्या में प्राप्त करने का अधिकार (अथवा सुपुर्द करने का दायित्व) नहीं होता। उदाहरणतया, वस्तुओं व सेवाओं के लिए पूर्व भुगतान राशियाँ (जैसे कि अग्रिम किराया) 'गुडविल', अमूर्त आस्तियाँ, सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर तथा ऐसे प्रावधान जिनका निपटान गैर-मौद्रिक आस्तियों की सुपुर्दगी द्वारा किया जाना है।

इस लेखा-मानक द्वारा अपेक्षित दृष्टिकोण का सारांश

17. वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रत्येक प्रतिष्ठान, चाहे वह एक 'एकल' (स्टैंड अलोन) प्रतिष्ठान है या विदेशी परिचालन के रूप में एक प्रतिष्ठान है (जैसे एक मूल प्रतिष्ठान) या विदेशी परिचालन (जैसे कि एक अनुषंगी अथवा शाखा) - अनुच्छेद 9-14 के अनुसार अपनी कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण करता है। प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा मदों को अपनी कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित करता है तथा अनुच्छेद 20-37 व 50 के अनुसार इस प्रकार के रूपांतरण के प्रभाव को रिपोर्ट करता है।
18. कई रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान अनेक अलग-अलग प्रतिष्ठानों से मिलकर बने होते हैं। (जैसे कि, एक समूह एक मूल प्रतिष्ठान तथा इसकी एक अथवा एक से अधिक अनुषंगी प्रतिष्ठानों से मिलकर बना होता है)। विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों का, चाहे वे समूह के सदस्य हैं अथवा नहीं, सहायक प्रतिष्ठानों अथवा संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश हो सकता है। इन प्रतिष्ठानों की शाखाएं हो सकती हैं। विचाराधीन

रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी वित्तीय स्थिति तथा परिणामों को उस मुद्रा में रूपांतरित करें जिसमें विचाराधीन प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करता है। यह भारतीय लेखा मानक विचाराधीन प्रतिष्ठान की प्रस्तुति मुद्रा को किसी मुद्रा (अथवा किन्हीं मुद्राओं) में होने की अनुमति प्रदान करता है। यदि विचाराधीन प्रतिष्ठान के अंदर किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा, प्रस्तुति मुद्रा से भिन्न है तो उसके वित्तीय परिणाम व वित्तीय स्थिति अनुच्छेद 38-50 के अनुसार रूपांतरित की जाएगी।

19. यह भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने वाले 'एकल' (स्टैंड अलोन) प्रतिष्ठान अथवा भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण*, के अनुसरण में अलग-से वित्तीय विवरण तैयार करने वाले प्रतिष्ठान को किसी मुद्रा अथवा मुद्राओं में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यदि प्रतिष्ठान की प्रस्तुति मुद्रा इसकी कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न है तो इसके वित्तीय परिणाम एवं स्थिति अनुच्छेद 38-50 के अनुसार प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरित किये जाएंगे।

कार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा के लेन-देनों की रिपोर्टिंग

प्रारम्भिक मान्यता

20. विदेशी मुद्रा में एक लेन देन एक ऐसा लेन-देन है जिसे विदेशी मुद्रा में ही अंकित किया जाता है और उसका निपटान भी उसी मुद्रा में करना आवश्यक है। इसमें निम्नलिखित रूप से उत्पन्न लेन-देन भी शामिल हैं :
- (क) जब एक प्रतिष्ठान वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय अथवा विक्रय विदेशी मुद्रा में अंकित कीमत में करता है ;
- (ख) जब प्रतिष्ठान निधि (फंड) को ऋण पर लेता अथवा उधार देता है और भुगतान अथवा प्राप्ति राशि एक विदेशी मुद्रा में करना आवश्यक होती है ; अथवा
- (ग) या फिर, प्रतिष्ठान आस्तियों का अधिग्रहण या निपटान अथवा देयताओं पर व्यय या निपटान विदेशी मुद्रा में करता है।
21. विदेशी मुद्रा में लेन-देन प्रारम्भिक मान्यता पर कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किया जाएगा। इसके लिए, विदेशी मुद्रा की राशि पर कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच लेन-देन की तारीख की तत्काल विनिमय दर (स्पाट एक्सचेंज रेट) लागू होगा।
22. लेन-देन की तिथि वह है जिस पर लेन-देन भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुसार पहली बार मान्यता के लिए अहर्ता प्राप्त करता है। व्यावहारिक कारणों से, जो दर लेन-देन की तिथि पर वास्तविक दर के करीब है प्रायः उसे ही प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक सप्ताह अथवा माह की औसत दर को उस अवधि के दौरान हुए प्रत्येक विदेशी मुद्रा से सभी लेन-देनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन, यदि एक अवधि की विनिमय दर में बहुत उतार-चढ़ाव रहता है तो इस स्थिति में उस अवधि के लिए औसत दर का उपयोग उपयुक्त नहीं है।

उत्तरवर्ती रिपोर्ट अवधियों के अंत में रिपोर्टिंग

23. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में:

- (क) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों का स्पांतरण अंतिम दर पर किया जाएगा।
- (ख) गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें एक विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है, लेन-देन की तिथि पर विनिमय दर पर रूपांतरित किया जाएगा।
- (ग) गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें एक विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापा जाता है, उस तिथि की विनिमय दर पर रूपांतरित किया जाएगा जिस तिथि पर उचित मूल्य पर मापा गया था।

24. एक मद की अग्रणीत (कैरिंग) राशि का निर्धारण अन्य प्रासंगिक लेखा-मानकों के साथ सम्बद्ध करके निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को भारतीय लेखा मानक 16, *सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर* के अनुसरण में उचित मूल्य अथवा ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जा सकता है। चाहे अग्रणीत (कैरिंग) राशि का निर्धारण ऐतिहासिक लागत के आधार पर हो या उचित मूल्य के आधार पर हो, लेकिन जब राशि का निर्धारण एक विदेशी मुद्रा में किया है तब यह इस मानक के अनुसार इस राशि को कार्यात्मक मुद्रा में ही रूपांतरित किया जाएगा।
25. कुछ मदों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि का निर्धारण दो अथवा दो से अधिक राशियों की तुलना करके निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, व्यापारिक स्कंध (इंवेंटरी) की (कैरिंग) राशि भारतीय लेखा मानक 2, *सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज)* के अनुसार लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो राशि कम है, उस पर रहेगी। इसी तरह भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता*, के अनुसार, एक ऐसी सम्पत्ति जिसमें क्षतिग्रस्त होने के संकेत हैं उसकी कैरिंग राशि संभावित क्षतिग्रस्तता हानियों और प्राप्य राशि पर विचार के पूर्व की राशि से कम होगी। जब इस प्रकार की सम्पत्ति गैर मौद्रिक हो तथा उसे एक विदेशी मुद्रा में मापा जाना है तो ऐसी स्थिति में अग्रणीत (कैरिंग) राशि का निर्धारण निम्नलिखित अनुसार तुलना के आधार पर किया जाएगा:

- (क) लागत अथवा अग्रणीत (कैरिंग) राशि, जैसा उचित हो, का रूपांतरण उस तिथि की विनियम दर पर होगा, जब उस राशि का निर्धारण किया गया था। (अर्थात् उस दर पर जो लेन-देन की तारीख को थी और मद ऐतिहासिक लागत पर मापी गयी थी); और
- (ख) शुद्ध वसूली योग्य मूल्य अथवा वसूली योग्य राशि, जैसा उचित हो, उस तिथि की विनियम दर पर रूपांतरित होगा जिस तिथि पर उसका मूल्य निर्धारित किया गया था (उदाहरणतया रिपोर्टिंग अवधि के अंत की अंतिम दर)।

इस तुलना का यह प्रभाव हो सकता है कि क्षति से हुई हानि की मान्यता कार्यात्मक मुद्रा में की जाएगी न कि विदेशी मुद्रा में, और इसके विपरीत की स्थिति तदनुसार ही होगी।

26. जब विनियम की अनेक दरें उपलब्ध हों तो ऐसी स्थिति में केवल वही एक दर प्रयोग में लायी जाएगी जिस पर भविष्य में लेन-देन का नकदी प्रवाह प्रस्तुत किया जाएगा या फिर शेष का निपटान किया जाएगा बशर्ते और नकदी प्रवाह व माप की तारीख एक ही रही हो। लेकिन जब दो मुद्राओं में विनियमता अस्थायी रूप से नहीं हो रही हो उस स्थिति में वही बाद की प्रथम विनियम दर लागू रहेगी जिस पर विनियम संभव हो सके।

विनियम अन्तरों की मान्यता

27. जैसा अनुच्छेद 3 (क) तथा 5 में नोट किया गया है कि भारतीय लेखा-मानक 109 विदेशी मुद्रा की मदों के प्रतिरक्षा (हैज) लेखांकन पर लागू होता है। प्रतिरक्षा (हैज) लेखांकन का प्रयोग प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह विनियम के कुछ अंतरों को इस मानक द्वारा अपेक्षित विनियम अंतरों के व्यवहार से भिन्न रूप से ले और उसका लेखांकन भी अलग से करे। उदाहरण के लिए भारतीय लेखा-मानक 39 यह अपेक्षा करता है ऐसी मुद्रा मदों पर विनियम अन्तर, जो नकदी प्रवाह हेज में हैजिंग लिखतों के रूप में अहर्ता प्राप्त है वे प्रारम्भ में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय मान्यताप्राप्त होंगे जिस सीमा तक प्रतिरक्षा (हैज) प्रभावी है।
28. मौद्रिक मदों के निपटान अथवा मौद्रिक मदों के उन दरों पर जिन पर अवधि के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों की प्रारम्भिक मान्यता पर जिन दरों पर रूपांतरण किया गया था उनसे भिन्न दरों पर रूपांतरण से यदि विनियम अंतर उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुच्छेद 32 में यथावर्णित को छोड़ कर उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।
29. जब किसी विदेशी मुद्रा के लेन-देन से मौद्रिक मद उत्पन्न होती है तथा लेन-देन की तिथि तथा निपटान की तिथि के बीच विनियम दर पर कोई परिवर्तन हो तो उससे भी एक विनियम अंतर उत्पन्न होता है। जब लेन-देन उसी लेखा अवधि में निपटा दिया जाता है जिसमें कि वह लेन-देन किया जाता है तो इस अवधि के सभी विनियम अंतरों की मान्यता उसी अवधि में दी जाएगी। लेकिन, जब लेन-देन का निपटान बाद की लेखा अवधि में किया जाता है तो निपटान अवधि तक की प्रत्येक अवधि तक के विनियम अंतर उस दौरान की विनियम दरों के आधार पर निर्धारित किये जाएंगे।
30. जब एक गैर मौद्रिक मद पर लाभ या हानि की अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है, उस लाभ या हानि का कोई भी विनियम घटक अन्य विस्तृत आय में मान्य होगा। इसके विपरीत, जब एक गैर मौद्रिक दर पर लाभ या हानि की मान्यता लाभ या हानि में होती है, तो उस लाभ या हानि के विनियम घटक की मान्यता भी लाभ या हानि में होगा।
31. अन्य भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) में यह अपेक्षा की गयी है कि कुछ लाभ व हानियों की मान्यता अन्य व्यापक आय में की जाए। उदाहरण के लिए, भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के पुनर्मूल्यांकन पर कोई लाभ व हानि होती है तो उसकी मान्यता अन्य व्यापक आय में की जाएगी। जब इस प्रकार की सम्पत्ति को विदेशी मुद्रा में मापा जाता है तो इस मानक के अनुच्छेद 23 (ग) के अनुसार पुनर्मूल्यांकित राशि को निर्धारण की तिथि दर पर रूपांतरित किया जाता है। यदि ऐसा करने से कोई विनियम अंतर आता है तो उसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाएगी।
32. एक मौद्रिक मद से उत्पन्न विनियम अंतर जो विचाराधीन प्रतिष्ठान के विदेशी परिचालन (अनुच्छेद 15 देखें) में शुद्ध निवेश का भाग बनता है तो उसे प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों अथवा विदेशी परिचालन के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में, जैसा भी उपयुक्त हो, लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जायगी। वित्तीय विवरणों में, विदेशी परिचालन के साथ-साथ विचाराधीन प्रतिष्ठान दोनों शामिल हैं। (उदाहरणतया, समेकित वित्तीय विवरण, जब विदेशी परिचालन प्रतिष्ठान की एक अनुषंगी है) इस में विनियम अन्तरों को प्रारम्भ में अन्य व्यापक आय में माना जाएगा और बाद में अनुच्छेद 48 के अनुसार शुद्ध निवेश के निपटान के बाद इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।
33. जब एक मौद्रिक मद विदेशी परिचालन में एक विचाराधीन प्रतिष्ठान के शुद्ध निवेश का एक भाग बनती है और वह उस रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा में दर्शायी जाती है तो अनुच्छेद 28 के अनुसार विदेशी परिचालन के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में विनियम अंतर उत्पन्न होता है। यदि ऐसी किसी मद को विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा में दर्शाया जाता है तो अनुच्छेद 28 के अनुसार विचाराधीन प्रतिष्ठान के अलग से तैयार किये जाने वाले वित्तीय विवरणों में विनियम अन्तर उत्पन्न होता है। यदि इस तरह की मद जो कि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान या विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न मुद्रा में दर्शायी गयी है, रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों व विदेशी परिचालन के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में अनुच्छेद 28 के अनुसार विनियम अन्तर उत्पन्न होता है, इस

तरह के विनिमय अंतर वित्तीय विवरणों में अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है, जिनमें विदेशी परिचालन और रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं, (उदाहरणतया, ऐसे वित्तीय विवरण जिनमें विदेशी परिचालन समेकित किये गये हैं, या फिर इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखांकित किये गये हैं।)

34. जब कोई प्रतिष्ठान अपनी पुस्तकें व रिकार्ड अपनी कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न किसी अन्य मुद्रा में रखता है तो वित्तीय विवरण तैयार करते समय वह सभी राशियों को अनुच्छेद 20-26 के अनुसार अपनी कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित करेगा। इस प्रकार, कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरण में भी वही राशियां प्राप्त होंगी जैसे कि आरम्भ में कार्यात्मक मुद्रा के प्रयोग से प्राप्त होनी थीं। उदाहरणतया, मौद्रिक मर्दे अन्तिम दर के प्रयोग द्वारा कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित की जाती है और गैर मौद्रिक मर्दे ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापी जाती है और मान्यता अनुसार लेन-देन की तारीख की विनिमय दर का प्रयोग कर रूपांतरित की जाती है।

कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन

35. जब एक प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन होता है, तब प्रतिष्ठान परिवर्तन की तिथि से आगे की नयी कार्यात्मक मुद्रा पर लागू रूपांतरण प्रक्रिया का प्रयोग करेगा।
36. जैसे अनुच्छेद 13 में नोट किया गया है, एक प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा उन अन्तर्निहित लेन-देनों घटनाओं तथा परिस्थितियों को परिलक्षित करता है जो प्रतिष्ठान के लिए प्रासंगिक हैं। तदनुसार, जब एक बार कार्यात्मक मुद्रा निर्धारित कर ली जाती है इसे तभी बदला जा सकता है यदि उन अन्तर्निहित लेन-देनों, घटनाओं तथा परिस्थितियों में परिवर्तन हो। उदाहरण के लिए, मुद्रा में परिवर्तन मुख्यतया वस्तु की तथा सेवाओं विक्रय कीमतों को प्रभावित करता है अतः इससे एक प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन संभव है।
37. कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन भावी प्रभाव से लेखांकित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक प्रतिष्ठान परिवर्तन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग कर सभी मर्दों को नई कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित करता है। गैर मौद्रिक मर्दों की परिणाम स्वरूप रूपांतरित राशियां उनकी ऐतिहासिक लागत के रूप में ली जाती हैं। अनुच्छेद 32 तथा 39 (ग) के अनुसार अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त एक विदेशी परिचालन के रूपांतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर को परिचालन के निपटान तक इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता।

कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न प्रस्तुति मुद्रा का उपयोग

प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरण

38. एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को किसी एक मुद्रा (अथवा मुद्राओं) में प्रस्तुत कर सकता है। यदि प्रस्तुति मुद्रा प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न है, तो वह अपने वित्तीय परिणामों तथा वित्तीय स्थिति को प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरित करता है। उदाहरणतया, जब एक समूह में विभिन्न प्रतिष्ठान हैं और प्रत्येक प्रतिष्ठान की कार्यमुद्रा अलग-अलग है तो प्रत्येक प्रतिष्ठान के वित्तीय परिणाम तथा स्थिति को एक सामान्य मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा ताकि समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जा सकें।
39. एक प्रतिष्ठान के, जिसकी कार्यात्मक मुद्रा अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था की मुद्रा नहीं है, वित्तीय परिणाम तथा स्थिति निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग कर एक अलग प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरित किये जाएंगे :
- (क) प्रस्तुत प्रत्येक तुलन-पत्र (तुलनात्मक सहित) की आस्तियों तथा दायित्वों को तुलन पत्र की तिथि की अंतिम दर पर रूपांतरित किया जायगा;
- (ख) प्रस्तुत लाभ तथा हानि के प्रत्येक विवरण (तुलनात्मक सहित) के आय तथा व्यय को लेन-देनों की तिथियों की विनिमय-दर पर रूपांतरित किया जायगा; तथा
- (ग) सभी परिणामस्वरूप विनिमय अंतर अन्य व्यापक आय में मान्य होंगे।
40. व्यावहारिक कारणों से, एक दर को, जो लेन-देनों की तिथियों की विनिमय दरों के लगभग है, उदाहरणार्थ, एक अवधि की औसत दर, प्रायः आय व व्यय की मर्दों के रूपांतरण के लिए प्रयुक्त की जाती है। यदि विनिमय दरों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव है तो ऐसी स्थिति में उस अवधि के लिए औसत दर का उपयोग करना उपयुक्त नहीं है।
41. अनुच्छेद 39 (ग) में संदर्भित विनिमय अंतर निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं :
- (क) आय एवं व्यय को लेन-देनों की तारीखों की विनियम दरों पर तथा आस्तियों एवं दायित्वों को अन्तिम दर पर रूपांतरित करना।
- (ख) प्रारंभिक शुद्ध आस्तियों को अंतिम दर पर, जो कि पिछली अंतिम दर से भिन्न होगी, रूपांतरित करना।

इन विनिमय अन्तरों को लाभ तथा हानि में मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि विनिमय दरों में परिवर्तनों का परिचालनों के वर्तमान तथा भावी नकदी प्रवाहों पर कम अथवा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक विदेशी परिचालन का निपटान नहीं कर दिया जाता, विनिमय

- अंतरों की संचिद्र राशि को 'इक्विटी' के एक अलग घटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे विदेशी परिचालन, जो केवल समेकित हैं लेकिन पूर्णतया स्वामित्व में नहीं हैं, से सम्बन्धित हैं विनिमय अंतर और रूपांतरण से उत्पन्न और गैर-नियंत्रक हितों से सम्बन्धित एकत्रित विनिमय अंतर, समेकित तुलनपत्र में गैर-नियंत्रक हितों के रूप में आवंटित किये जाते हैं और उनको तदनु रूप और एक भाग के रूप में मान्यता दी जाती है।
42. एक प्रतिष्ठान के वित्तीय परिणामों तथा स्थिति को, जिसकी कार्यात्मक मुद्रा एक अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था की मुद्रा है, निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा एक-अलग प्रस्तुत मुद्रा में रूपांतरित किया जाएगा :
- (क) सभी राशियों को (अर्थात् आस्तियां, दायित्वों, 'इक्विटी' की मदें, आय व व्यय जिनमें तुलनात्मक भी सम्मिलित हैं) बिल्कुल हाल ही के तुलन पत्र की तिथि की अंतिम दर पर रूपांतरित किया जायेगा। लेकिन इसका निम्नलिखित अपवाद होगा:
- (ख) जब राशियों को गैर-अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था की मुद्रा द्वारा रूपांतरित किया जाता है तो इस स्थिति में तुलनात्मक राशियां वे होंगी जिन्हें गत वर्ष के वित्तीय विवरणों में चालू वर्ष की राशियों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। (यानि उन्हें कीमत स्तर में बाद के परिवर्तन या विनिमय दरों के बाद में परिवर्तनों में समायोजित नहीं किया गया है)
43. जब प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा एक अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था की मुद्रा है तो वह प्रतिष्ठान अनुच्छेद 42 में दी गयी रूपान्तरण विधि का प्रयोग करने से पूर्व अपने वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक 29 'अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थ व्यवस्था' के अनुसरण में पुनः वर्णित करेगा। लेकिन, यह बात तुलनात्मक राशियों पर लागू नहीं होगी क्योंकि वे गैर-अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था [देखिए अनुच्छेद 42(ख)] की मुद्रा में रूपान्तरित की जाती हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था वाली नहीं रहती तथा प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 29 अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार वित्तीय विवरणों को पुनः वर्णित नहीं करता तो वह प्रतिष्ठान जिस तारीख को अपने वित्तीय विवरणों का पुनः वर्णन करना बंद कर देता है उसी तारीख के कीमत स्तर की पुनर्वर्णित राशियों के प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरण के लिए ऐतिहासिक लागतों का उपयोग करेगा।
- विदेशी परिचालन का रूपांतरण**
44. अनुच्छेद 38-43 के अतिरिक्त अनुच्छेद 45-47, तब लागू होता है जब एक विदेशी परिचालन के वित्तीय परिणाम तथा स्थिति का प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरण किया जाता है ताकि विचाराधीन प्रतिष्ठान विदेशी परिचालन को अपने विवरणों में समेकन, 'इक्विटी' विधि द्वारा सम्मिलित कर सके।
45. विचाराधीन प्रतिष्ठान के वित्तीय परिणामों व स्थिति में विदेशी परिचालन का समावेश करने के लिए समेकन की सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है जिसमें समूह की अनुषंगी निकाय के साथ परस्पर शेषों व लेन-देनों को हटाना पड़ता है। (देखिए भारतीय लेखा मानक 110), *समेकित वित्तीय विवरण*, लेकिन, इसमें मौद्रिक आस्ति (या दायित्व), चाहे वह लघु अवधि की हैं या दीर्घावधि की हैं, समेकित वित्तीय विवरण में मुद्रा के उतार चढ़ाव के प्रभाव को दर्शाये बिना तदनु रूपी समूह की पारस्परिक देयता (आस्ति) से नहीं हटाया जा सकता। ऐसा यं है क्योंकि मौद्रिक मद उस वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है जो एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में परिवर्तन से विचाराधीन प्रतिष्ठान को मौद्रिक उतार-चढ़ाव के कारण कुछ लाभ या हानि होती है। इस तरह विचाराधीन प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में विनिमय अन्तर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। यदि यह अनुच्छेद 32 के अनुसार परिस्थितियों के कारण है तो इसकी अन्य व्यापक आय में मान्यता कर दी जाती है और इसे 'इक्विटी' के एक अलग घटक में तब तक एकत्र किया जाता है जब तक कि विदेशी परिचालन का निपटान नहीं हो जाता है।
46. जब विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण विचाराधीन प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की तिथि से भिन्न हो तो विदेशी परिचालन विचाराधीन प्रतिष्ठान के विवरणों की तिथि पर अपने वित्तीय विवरण प्रायः अतिरिक्त रूप से तैयार करता है। जब ऐसा नहीं किया जाता तब भारतीय लेखा मानक 110 एक अन्य तिथि की अनुमति प्रदान करता है बशर्ते इस तिथि का अंतर तीन माह से अधिक न हो तथा इन अलग-अलग तिथियों के मध्य उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण लेन-देनों व अन्य घटनाओं के प्रभाव के लिए आवश्यक समायोजन कर लिया जाता है। इस प्रकार के मामले में, विदेशी परिचालन की आस्तियां एवं देयताओं का विदेशी परिचालन की रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर विनिमय दर पर रूपांतरित किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 110 के अनुसार विनिमय दर के महत्वपूर्ण परिवर्तन को रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक समायोजन कर लिया जाता है। भारतीय लेखा मानक 28 के अनुसरण में यही दृष्टिकोण सहयोगी प्रतिष्ठानों व संयुक्त उद्यमों में इक्विटी विधि का प्रयोग करने में उपयोग में लाया जाता है।
47. विदेशी परिचालन के अधिग्रहण पर उत्पन्न किसी ख्याति तथा विदेशी परिचालन के अधिग्रहण पर उत्पन्न आस्तियों एवं दायित्वों की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों के उचित मूल्य पर किन्हीं समायोजनों को विदेशी परिचालन की आस्तियां व दायित्वों माना जायेगा।

अतः उन्हें विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा तथा उन्हें अनुच्छेद 39 तथा 42 के अनुसार अंतिम दर पर रूपांतरित किया जायगा।

विदेशी परिचालन का निपटान अथवा आंशिक निपटान

48. एक विदेशी परिचालन के निपटान पर उसके विनिमय अंतरों की संचित राशि जिसकी अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गयी थी और 'इक्विटी' के एक अलग घटक में संग्रहण किया गया था उसे इक्विटी से लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत (एक पुनर्वर्गीकरण समायोजना के रूप में) किया जाएगा जब निपटान पर लाभ या हानि मान्यता होगी। (देखें भारतीय लेखा मानक 1 *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण*)।
- 48 क. एक विदेशी परिचालन के समस्त हितों का निपटान करने के अतिरिक्त, निम्नलिखित आंशिक निपटानों का निपटानों के रूप में लेखा किया जाता है।
- (क) जब आंशिक निपटान व्याप्त होता है, एक अनुषंगी पर नियंत्रण की समाप्ति जिसमें विदेशी परिचालन भी सम्मिलित है, चाहे प्रतिष्ठान अपने पूर्ववर्ती अनुषंगी प्रतिष्ठान में आंशिक निपटान के बाद कोई गैर नियंत्रण प्रतिधारित करता है, और
- (ख) जब संयुक्त व्यवस्था में एक हित के आंशिक निपटान के बाद प्रतिधारित हित या एक सहयोगी प्रतिष्ठान में एक हित के आंशिक निपटान जिसमें एक विदेशी परिचालन है वह एक वित्तीय आस्ति है और उसमें एक विदेशी परिचालन भी शामिल है।
- 48 ख. एक अनुषंगी, जिसमें विदेशी परिचालन भी सम्मिलित है, के निपटान पर उस विदेशी परिचालन से संबंधित विनिमय अंतर की संग्रहीत राशि जो गैर-नियंत्रित हित से जुड़ी है उसे अमान्य किया जाएगा लेकिन उसे लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- 48 ग. यदि अनुषंगी का, जिसमें विदेशी परिचालन भी सम्मिलित है, आंशिक निपटान किया जाता है तो प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय में मान्य विनिमय अंतर की संग्रहीत राशि का अनुपातिक अंश को उस विदेशी परिचालन में गैर नियंत्रित हित में पुनः बांटेगी। विदेशी परिचालन के किसी अन्य आंशिक निपटान में प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय में मान्य विनिमय अंतर की संग्रहीत राशि के केवल अनुपातिक अंश को ही लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत करेगा।
- 48 घ. एक विदेशी परिचालन में एक प्रतिष्ठान के हित का आंशिक निपटान प्रतिष्ठान के स्वामित्व हित में विदेशी परिचालन तक की कटौती है न कि अनुच्छेद 48 क अनुसार कटौतियां, क्योंकि उनका लेखांकन निपटान के रूप में किया जाता है।
49. एक प्रतिष्ठान अपने विदेशी परिचालन की बिक्री, समापन, शेयर पूंजी का पुनर्भूगतान अथवा समस्त अथवा एक भाग के त्याग के जरिये अपने हित का पूर्ण निपटान अथवा आंशिक निपटान कर सकता है। एक विदेशी परिचालन की अग्रणीत (केरिंग) राशि का अपलिखन, इस कारण कि स्वयं हानियों या क्षति निवेशक द्वारा मान्य की गयी है को आंशिक निपटान नहीं कहा जाएगा। तदनुसार, अन्य व्यापक आय में मान्य विदेशी विनिमय के लाभ अथवा हानि के किसी भाग को अपलिखन के समय लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

सभी विनिमय अंतरों का कर - प्रभाव

50. एक प्रतिष्ठान (विदेशी परिचालन सहित) जब कोई विदेशी मुद्रा में कोई लेन-देन करता है और उससे कोई लाभ व हानि होती है और वित्तीय परिणामों व स्थिति का किस अन्य मुद्रा में रूपांतरण किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 12, *आयकर*, इन प्रभावों पर लागू होता है।

प्रकटन

51. अनुच्छेद 53 तथा 55-57 में 'कार्यात्मक मुद्रा' के संदर्भ समूह के साथ-साथ मूल प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा पर भी लागू होते हैं।
52. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
- (क) लाभ तथा हानि में मान्यताप्राप्त विनिमय अंतरों की राशि, अपवाद भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसरण में लाभ अथवा हानि के जरिये उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय लिखतों से उत्पन्न अन्तर ; और
- (ख) अन्य व्यापक आय में मान्य तथा 'इक्विटी' साम्या के एक पृथक घटक में संग्रहीत शुद्ध विनिमय अंतर, तथा अवधि के आरम्भ तथा अंत में इस प्रकार के विनिमय अंतरों की राशि का मिलान।
53. जब प्रस्तुति मुद्रा कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न हो तो उस तथ्य का उल्लेख कार्यात्मक मुद्रा के प्रकटन और अलग प्रस्तुति मुद्रा के प्रयोग के कारण के साथ ही किया जाएगा।
54. जब विचाराधीन (रिपोर्टिंग) प्रतिष्ठान अथवा उसके किसी विशेष विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन हो इस तथ्य का उल्लेख और कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन के कारण और तिथि को प्रकट किया जाएगा।

55. जब कोई प्रतिष्ठान उस मुद्रा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है जो उसकी कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न है तो उसे भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) की अनुपालन के रूप में वित्तीय विवरणों में उल्लेख करना होगा कि अनुच्छेद 39 तथा 42 के अनुसार उसने रूपांतरण की विधि सहित लागू प्रत्येक भारतीय मानक की सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।
56. कई बार प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों अथवा अन्य वित्तीय सूचना को ऐसी मुद्रा में प्रस्तुत करता है जो उसकी कार्यात्मक मुद्रा नहीं होती और वह अनुच्छेद 55 की अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं करता है। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों में कुछ चुनी हुई मदों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करता है अथवा उसकी कार्यात्मक मुद्रा एक अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था की मुद्रा नहीं है और सर्वाधिक नवीन अंतिम दर पर वित्तीय विवरणों की सभी मदों को रूपांतरित करता है। इस प्रकार के परिवर्तन भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुसार नहीं हैं तथा उनका अनुच्छेद 57 में दी गयी व्यवस्था अनुसार प्रकटन आवश्यक है।
57. जब कोई प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरण अथवा अन्य वित्तीय सूचना को एक मुद्रा में प्रदर्शित करता है जो उसकी कार्यात्मक मुद्रा अथवा प्रस्तुति मुद्रा से भिन्न है तथा अनुच्छेद 55 की अपेक्षाएं भी पूरी नहीं की गयी हैं, तो वह प्रतिष्ठान निम्नलिखित कार्यवाई करेगा :
- (क) उस सूचना को अनुपूरक सूचना के रूप में भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) द्वारा अपेक्षित के साथ अंतर को स्पष्ट करेगा ;
 - (ख) उस मुद्रा को प्रकट करेगा जिसमें अनुपूरक सूचना को प्रदर्शित किया गया है ; और
 - (ग) प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा तथा अनुपूरक सूचना को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त रूपांतरण विधि को भी प्रकट करेगा ।

परिशिष्ट क

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 21 का अभिन्न अंग है।

इस परिशिष्ट में उस परिशिष्ट का उल्लेख किया गया है जो अन्य लेखा मानक का अंग है और जो भारतीय लेखा मानक 21, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव, के लिए संदर्भ का कार्य करता है।

- 1 परिशिष्ट ग, विदेशी परिचालन में शुद्ध निवेश की प्रतिरक्षा (हैज) - भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतें, में समाविष्ट है और इस मानक के लिए संदर्भ का कार्य करता है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 21 और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 21 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के बीच यदि कोई प्रमुख अन्तर है वो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 21 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 21 में दिये गये संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक 21 में इस दृष्टि से नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित है, भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण, में जोकि 'आई एफ आर एस' 1 (अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथम बार अंगीकरण) के अनुरूप है।
2. पूर्ववती 'जी ए ए पी' (गैप) के अनुसार प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों में मान्य दीर्घविधि विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदों के रूपान्तरण से उत्पन्न विनिमय अन्तरों के लेखा के लिए अपनायी गयी नीति को जारी रखने की अनुमति के लिए भारतीय लेखा मानक 101 को परिशिष्ट घ अनुच्छेद 13 क के अपवाद के विकल्प के लिए चूँकि प्रतिष्ठान ने चयन किया है अतः दीर्घविधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को कार्यक्षेत्र से बाहर रखने के लिए अनुच्छेद 7 क को शामिल किया गया है।
3. रिपोर्टिंग मुद्रा या महत्वपूर्ण विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 21 यह अपेक्षा करता है कि इस तथ्य का प्रकटन किया जाए और यह भी कि किस कारण से कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन किया गया है। भारतीय लेखा मानक 21 कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन की तिथि के अतिरिक्त प्रकटन की अपेक्षा करता है।
4. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 23

उधार की लागतें

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

मुख्य सिद्धान्त

1. उधार की लागतें जिनका अर्हता प्राप्त आस्ति के अर्जन, निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध है वे उस आस्ति की लागत का हिस्सा बनती हैं। शेष उधार लागतें व्यय के रूप में मान्य होती हैं।

कार्यक्षेत्र

2. एक प्रतिष्ठान, इस मानक को उधार की लागतों के लेखे के लिए लागू करेगा।
3. यह मानक 'इक्विटी', जिसमें अधिमानी पूंजी, जिसे देयता में वर्गीकृत नहीं किया गया है सम्मिलित है, की वास्तविक या अभ्यारोपित लागत पर विचार नहीं करता है।
4. कोई भी प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक को उन उधार की लागतों पर लागू नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सम्बन्धित हैं :-
 - (क) एक अर्हता प्राप्त आस्ति, जिसका उचित मूल्य पर माप किया गया है। (उदाहरणतया, भारतीय लेखा मानक 41, कृषि, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत एक जैविक आस्ति)
 - (ख) सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज), जिसका या तो निर्माण किया जाता है या फिर उसका उत्पादन किया जाता है और वह निर्माण/उत्पादन एक बड़े स्तर पर और बार-बार किया जाता है।

परिभाषाएं

5. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहाँ विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :

उधार की लागतें - जब एक प्रतिष्ठान निधियां उधार में लेता है तब ब्याज एवं अन्य लागतों के रूप में जिस राशि का व्यय करता है।

अर्हता प्राप्त आस्ति - वह आस्ति है जिसके वांछित उपयोग या विक्रय के लिए तैयार करने के लिए अनिवार्य रूप से एक महत्वपूर्ण समय लगता है।
6. उधार की लागतों में निम्नलिखित शामिल हैं :
 - (क) भारतीय लेखा मानक 109 - *वित्तीय लिखतें* में यथावर्णित प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए ब्याज स्वरूप व्यय का आकलन ;
 - (ख) [देखिये परिशिष्ट 1]
 - (ग) [देखिये परिशिष्ट 1]
 - (घ) भारतीय लेखा मानक 17 पट्टे के अनुसरण में मान्य वित्तीय पट्टों के संबंध में वित्तीय प्रभार ; और
 - (ङ.) ऐसे विनिमय अन्तर जो विदेशी मुद्रा के रूप में लिये गये उधारों से उत्पन्न हैं और उस सीमा तक कि उन्हें ब्याज लागत के रूप में समायोजन माना जाता है।
- 6(क) अनुच्छेद 6 (ङ) के अनुसरण में उधार लागतों के रूप में अपेक्षित विनिमय अंतर के संबंध में उसमें वर्णित समायोजनों में पहुंचने का तरीका इस प्रकार होगा :
 - (i) समायोजन उस राशि का होगा जो उस सीमा के समान है जिसमें विनिमय हानि कार्यात्मक मुद्रा में उधार लागत और विदेशी मुद्रा में उधार लागत के अंतर से अधिक नहीं होगी।
 - (ii) जहां कहीं भी अप्राप्त विनिमय हानि होती है जो ब्याज के समायोजन के रूप में ली जाती है और बाद में उसी उधार के निपटान या रूपान्तरण के संबंध में प्राप्त या अप्राप्त लाभ होता है तो उस लाभ को समायोजन के रूप में पिछली बार मान्य हानि की सीमा तक समायोजित ब्याज के रूप में मान्यता दी जाती है।
7. परिस्थितियों के अनुसार, निम्नलिखित में से कोई भी अर्हता प्राप्त आस्ति हो सकती है :
 - (क) सूचीबद्ध सामान
 - (ख) विनिर्माणकारी संयंत्र
 - (ग) ऊर्जा उत्पादन सुविधाएं

- (घ) अमूर्त आस्तियाँ
- (ङ) निवेश संपत्तियाँ
- (च) धारक पादप

वित्तीय आस्तियाँ और वह सूचीबद्ध सामान जो कम समय में या तो निर्मित किये जाते हैं या उत्पादित किए जाते हैं, अर्हक आस्तियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसी तरह, वे आस्तियाँ जो अर्जित करते समय वांछित उपयोग या विक्रय के लिए तैयार होती हैं, वे भी अर्हक आस्तियाँ नहीं हैं।

मान्यता

8. एक प्रतिष्ठान उन उधार लागतों का पूंजीकरण करेगा जो अर्हता प्राप्त आस्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्षतया आरोप्य (अट्रिब्यूटेबल) हैं और आस्ति की लागत का एक भाग हैं। प्रतिष्ठान अन्य उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता देगा जिसमें उसने उसको खर्च किया है।
 9. उधार लागतें जो एक अर्हता प्राप्त आस्ति के ग्रहण या अर्जन, निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्षतया आरोप्य (अट्रिब्यूटेबल) हैं उस आस्ति की लागत के अंतर्गत आते हैं। इन उधार लागतों को आस्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना होती है कि वे प्रतिष्ठान के भावी आर्थिक लाभ हो सकते हैं और उनका विश्वसनीय या उचित माप हो सकता है। जब प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 29 उच्च मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग को लागू करता है तो वह इस व्यय को उधार लागतों का अंश मानता है जो इस मानक के अनुच्छेद 21 के अनुसरण में उसी अवधि में मुद्रास्फीति की प्रतिपूर्ति करता है।
- पूंजीकरण के लिए पात्र उधार की लागतें**
10. उधार लागतें, जो एक अर्हता प्राप्त आस्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्षतया आरोप्य (अट्रिब्यूटेबल) हैं, वो उधार लागतें हैं जो उस स्थिति में बचाई जा सकती थी अगर उन्हें अर्हता प्राप्त आस्ति पर व्यय नहीं किया जाता। जब एक प्रतिष्ठान निधि को केवल एक विशिष्ट अर्हता प्राप्त आस्ति अर्जन करने के लिए उधार के रूप में लेता है तो उन उधार लागतों को जो अर्हता प्राप्त आस्ति से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है।
 11. कई बार यह जानना कठिन होता है कि विशिष्ट उधारों और एक अर्हता प्राप्त आस्ति के बीच प्रत्यक्ष रूप से क्या संबंध है और उन उधारों, जो परिहार्य हो यानि जिससे बचा जा सकता हो, का निर्धारण कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए ऐसी कठिनाई तब होती है जब प्रतिष्ठान की वित्तीय गतिविधियों का समन्वय केन्द्रीय रूप से होता है। कठिनाईयें तब भी होती हैं जब एक समूह निधियों को भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर उधार लेने के लिए विभिन्न ऋण लिखतों का उपयोग करता है और उन निधियों को अपने ही समूह के अन्य प्रतिष्ठानों को उधार (लैंड) देता है। दूसरी जटिलताएं तब आती हैं जब ऐसे कर्ज का उपयोग किया जाए जो कि विदेशी मुद्रा में हो और समूह उच्च मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं और लोचपूर्ण विनिमय दरों में परिचालन करता है। परिणामस्वरूप, उन उधार लागतों की राशि का निर्धारण करना कठिन हो जाता है जो अर्हता प्राप्त आस्ति के अर्जन से प्रत्यक्षतया आरोप्य (अट्रिब्यूटेबल) है और जिनके लिए अधिक विवेक प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।
 12. उस सीमा तक जब प्रतिष्ठान विशेष रूप से अर्हता प्राप्त आस्ति के अर्जन के लिए निधियाँ उधार लेता है, प्रतिष्ठान उन उधार लागतों की राशि जो पूंजीकरण के लिए योग्य हैं का निर्धारण ऐसे करेगा जैसे एक अवधि में वास्तव में उधार लागतों के रूप में खर्च की गयी राशि में से उन उधारों के अस्थायी निवेश से प्राप्त आय को घटा दिया जाता है।
 13. अर्हता प्राप्त आस्ति के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था का ये परिणाम हो सकता है कि प्रतिष्ठान, कुछ या समस्त निधियों का उपयोग अर्हता प्राप्त आस्ति के लिए खर्च करने से पूर्व, उधार निधियों का अर्जन करता है और संबंध उधार लागतों पर खर्च करता है। इन परिस्थितियों में, निधियों को जब तक अर्हता प्राप्त आस्ति पर खर्च न हो अस्थायी रूप से निवेश कर दी जाती है इस अवधि के दौरान पूंजीकरण के लिए योग्य उधार लागतों की राशि का निर्धारण करने के लिए खर्च की गई उधार लागतों में से निवेश से प्राप्त आय घटा दी जाती है।
 14. एक प्रतिष्ठान आमतौर पर जिस सीमा तक निधियाँ उधार लेता है और उसे अर्हता प्राप्त आस्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, वह प्रतिष्ठान अर्हता प्राप्त आस्ति पर किये गये व्यय पर पूंजीकरण की दर लागू करे पूंजीकरण के लिए योग्य उधार लागतों की राशि का निर्धारण करेगा। पूंजीकरण की दर उधार लागतों की भारयुक्त औसत होगी जो अर्हता प्राप्त आस्ति के अर्जन के प्रयोजन से प्राप्त उधार राशि की बजाय प्रतिष्ठान की एक अवधि की बकाया उधार राशि पर लागू होगी। प्रतिष्ठान एक अवधि में जितनी उधार लागत का पूंजीकरण करता है वह उस राशि से अधिक नहीं होगी जोकि वह उस अवधि में खर्च करता है।
 15. कुछ परिस्थितियों में, उधार की लागतों की भारयुक्त औसत की गणना करते समय यह उचित होगा कि मूल प्रतिष्ठान और उसके अनुषंगी प्रतिष्ठानों की सभी उधार राशियों को शामिल कर लिया जाए। अन्य परिस्थितियों में प्रत्येक अनुषंगी के लिए यह उचित होगा कि वह अपने उधारों पर लागू उधार लागतों की भारयुक्त औसत का प्रयोग करें।

अर्हता-प्राप्त आस्ति की अग्रणीत राशि का वसूली-योग्य राशि से आधिक्य

16. जब अर्हता प्राप्त आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि या प्रत्याशित अंतिम लागत उसकी वसूली योग्य राशि से या शुद्ध प्राप्य मूल्य से अधिक हो, तो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में अग्रणीत (कैरिंग) राशि को अवलिखित या अपलिखित कर दिया जाता है। कुछ परिस्थितियों में अन्य भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षाओं के अनुसरण में अवलिखित या अपलिखित राशि को प्रतिलिखित कर दिया जाता है।

पूँजीकरण का प्रारम्भ

17. एक प्रतिष्ठान अर्हता प्राप्त आस्ति की लागत के एक अंश के रूप में उधार की लागत का पूँजीकरण का प्रारम्भ प्रारंभिक तारीख से करेगा। पूँजीकरण की प्रारम्भिक तारीख वही होगी जिस पर प्रतिष्ठान प्रथम बार निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरी करता है:

(क) वह आस्ति पर व्यय खर्च करता है;

(ख) वह उधार की लागत खर्च करता है; और

(ग) वह उस कार्यकलापों को करता है जो आस्ति के प्रत्याशित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने में आवश्यक हैं।

18. अर्हता प्राप्त आस्ति पर व्यय में केवल वही व्यय शामिल होंगे जो कि नकद भुगतान, अन्य आस्तियों के अन्तरण या ब्याजयुक्त देयताओं के रूप में हैं। इस व्यय में से वह राशि घटा दी जाती है जो प्रगति भुगतान या आस्ति के संबंध में अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है। (देखें भारतीय लेखा मानक 20 सरकारी अनुदान का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन)। एक अवधि में औसत अग्रणीत राशि, इसमें वह उधार लागते जो पहले पूँजीकृत की गयी थी शामिल है, आमतौर पर उस व्यय राशि के करीब होगी जिस पर उस अवधि में पूँजीकरण की दर लागू की गयी है।

19. एक आस्ति को प्रत्याशित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने के लिए जो भी गतिविधियाँ या कार्य-कलाप आवश्यक हैं वे आस्ति के भौतिक निर्माण के अतिरिक्त हैं। इनमें निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व तकनीकी व प्रशासनिक कार्य शामिल हैं जैसे कि निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व परमिट अर्जित करने से संबंधित गतिविधियाँ। लेकिन, इन गतिविधियों में आस्ति की देख-रेख जैसे कार्य शामिल नहीं हैं जब कोई उत्पादन या विकास (डेवलपमेंट) न हो रहा हो जो आस्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन करता हो। उदाहरणार्थ, भूमि के विकास के लिए खर्च की गयी उधार लागतें उस अवांछित पूँजीकृत करता है जब विकास-संबंधी गतिविधियाँ चल रही थी। लेकिन, ऐसी उधार लागतें भवन बनाने के लिए ग्रहण की गई भूमि पर खर्च होती है और उसमें कोई संबंधित विकास गतिविधि नहीं है वह पूँजीकरण के योग्य नहीं है।

पूँजीकरण का स्थगन

20. एक प्रतिष्ठान उधार लागतों का पूँजीकरण उस समय स्थगित करेगा जब बढ़ायी गयी अवधि में वह अर्हता प्राप्त आस्ति का सक्रिय विकास स्थगित रखता है।

21. एक प्रतिष्ठान ऐसे समय में या ऐसी अवधि में उधार लागतें खर्च कर सकता है जिसमें वह आस्ति को प्रत्याशित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने की आवश्यक गतिविधियों को स्थगित रखता है। ये लागतें अंशतः पूर्ण आस्तियों को ग्रहण करने की लागतें हैं और वे पूँजीकरण के योग्य नहीं हैं। लेकिन उस अवधि में जब एक प्रतिष्ठान विशेष रूप से तकनीकी व प्रशासनिक कार्य कर रहा होता है तब वह उधार लागतों के पूँजीकरण को स्थगित नहीं करता। इसी तरह, जब आस्ति के प्रत्याशित उपभोग या बिक्री की प्रक्रिया अस्थायी रूप से देरी करना आवश्यक हो तो तब भी उधार लागतों का पूँजीकरण स्थगित नहीं होता। उदाहरणतया: पूँजीकरण, उस बढ़ाई गयी अवधि में जारी रहता है जब एक पुल निर्माण कार्य पानी का स्तर ऊँचा होने से विलंबित होता है, अगर शामिल भौगोलिक क्षेत्र में निर्माण की अवधि के दौरान ऐसे पानी का स्तर ऊँचा होना सामान्य है।

पूँजीकरण की समाप्ति

22. एक प्रतिष्ठान उधार की लागतों का पूँजीकरण तब बन्द कर देता है जब वे गतिविधियाँ या कार्य-कलाप पूरे हो जाते हैं, जो अर्हता प्राप्त आस्ति का प्रत्याशित उपयोग या बिक्री की तैयारी के लिए आवश्यक थे।

23. एक आस्ति साधारणतया अपने प्रत्याशित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार समझी जाती है जबकि उसका भौतिक निर्माण कार्य खत्म हो चुका होता है भले ही कुछ रूटीन किस्म के प्रशासनिक काम अभी चल रहे होते हैं। अगर मामूली संशोधन, जैसे कि खरीददार या उपभोगता की अपेक्षा के अनुसार संपत्ति की सजावट, शेष है, वो यह प्रकट करता है कि मुख्य रूप से सारे कार्य-कलाप खत्म हो गये हैं।

24. जब एक प्रतिष्ठान अर्हता-प्राप्त आस्ति का निर्माण विभिन्न चरणों या भागों में खत्म करता है और हर चरण अथवा भाग उपयोग के लिए उपयुक्त हो जबकि दूसरे चरणों का अथवा भागों का निर्माण चल रहा हो, प्रतिष्ठान उधार लागत का पूंजीकरण रोक देगा जब उस भाग को उसके प्रत्याशित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने के सारे आवश्यक कार्य-कलाप खत्म हो गये हों।
25. एक कारोबार (बिजनेस) पार्क जिसमें कई भवन सम्मिलित हैं, जिसमें से हर भवन व्यक्तिगत (इन्डीविजुअली) उपयोग हो सकता है, एक अर्हता प्राप्त आस्ति का उदाहरण है जिसका जो भी भाग पूर्ण हो जाता है उपयोग कर लिया जाता है जबकि शेष भाग निर्माणाधीन होते हैं। एक अर्हता प्राप्त आस्ति, जिसका निर्माण पूरा करना आवश्यक है किसी भी भाग के उपयोग करने से पूर्व, का उदाहरण है एक औद्योगिक संपदा जिसमें कई प्रसंस्करण शामिल हैं जो समान स्थल पर संपदा के विभिन्न भागों में एक अनुक्रम के अग्रणीत (कैरिड) किए जाते हैं। जैसे कि एक इस्पात मिल।

प्रकटन

26. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :

- (क) अवधि के दौरान, पूंजीकृत की गयी उधार लागतों की राशि ; तथा
- (ख) पूंजीकरण के लिए योग्य पात्र उधार लागतों की राशि के निर्धारण के लिए उपयोग की गयी पूंजीकरण दर।

परिशिष्ट क

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का एक अभिन्न अंग है।

1. भारतीय लेखा मानक 16 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर में समाविष्ट परिशिष्ट 'क' (मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली एवं इसी तरह के दायित्वों में परिवर्तन) भी इस लेखा मानक के लिए संदर्भ है।
2. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व, में समाविष्ट परिशिष्ट ग सेवा रियायत व्यवस्थाएं भी इस भारतीय लेखा मानक के लिए संदर्भ है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 23 और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 23 उधार की लागतों के बीच, यदि कोई, मुख्य अंतर हों तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 23 उधार की लागतों के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 23 इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं देता है कि अनुच्छेद 6 (ड) में निर्धारित समायोजन का निर्धारण कैसे किया जाए। अनुच्छेद 6 'क' को भारतीय लेखा मानक 23 में इसी दिशा-निर्देश के प्रयोजन से जोड़ा गया है।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 23 में निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याएं 'हटायी गयीं' के रूप में प्रदर्शित हैं। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 23 में इन अनुच्छेद संख्याओं को इस आशय से रखा गया है ताकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 23 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे :
 - (i) अनुच्छेद 6 (ख)
 - (ii) अनुच्छेद 6 (ग)
3. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 23 के संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 23 में नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित समझा गया, आई एफ आर एस 1 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमबार अंगीकरण के अनुरूप भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101 भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण में समाविष्ट कर लिये गये हैं।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 24

सम्बन्धित पक्ष के सम्बंध में प्रकटन

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में इस आशय का भी प्रकटन किया जाए कि संबंधित पक्षों (पार्टियों) के विद्यमान रहने के कारण तथा इन पक्षों के साथ लेन-देनों और बकाया शेषों, जिनमें वायदे भी सम्मिलित हैं, का प्रतिष्ठान वित्तीय स्थिति और लाभ या हानि पर प्रभाव हो सकता है।

कार्यक्षेत्र

2. प्रस्तुत मानक निम्नलिखित मामलों में लागू किया जायेगा :-
 - (क) संबंधित पक्ष के संबंधों और लेन-देनों की पहचान ;
 - (ख) प्रतिष्ठान और इससे संबंधित पक्षों के बीच वायदों सहित बकाया शेषों की पहचान ;
 - (ग) उन परिस्थितियों की पहचान जिनमें मद (क) और (ख) के तहत प्रकटन की आवश्यकता है ; एवं
 - (घ) उन मदों के बारे में किये गये प्रकटनों का निर्धारण ।
3. यह मानक मूल प्रतिष्ठान, या निवेशकों, जिनका निवेशिती के साथ संयुक्त नियंत्रण है या उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, के संबंधित पक्ष के सम्बंधों, लेन-देनों व की गयी वचनबद्धताओं सहित बकाया शेषों के समेकित या पृथक वित्तीय विवरणों का प्रकटन भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण*, या भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण*, के अनुसरण में प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है । यह मानक एकल वित्तीय विवरणों पर भी लागू होता है।
4. एक समूह में अन्य प्रतिष्ठानों के साथ संबंधित पक्ष के लेन-देनों और बकाया शेष एक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में प्रकट किये जायेंगे । पक्ष (पार्टी) के अंतरसमूह लेन-देनों और बकाया शेषों को समूह की समेकित विवरणों को तैयार करने में समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन इसमें वे शामिल नहीं हैं जो लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापे गये निवेश प्रतिष्ठान और उसके अनुषंगी प्रतिष्ठानों के बीच की हैं।
- 4क प्रस्तुत मानक में निर्धारित सम्बंधित पक्ष के प्रकटन की अपेक्षाएं उन परिस्थितियों में लागू नहीं की जाएंगी जहां इस प्रकार का प्रकटन रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के गोपनीयता कर्तव्यों जो किसी कानून, नियामक अथवा इसी प्रकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अपेक्षित हैं के साथ अन्तर्विरोध रखता है ।
- 4ख यदि किसी कानून, नियामक अथवा इसी प्रकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अधिशासित प्रतिष्ठान को इस प्रकार की निषेधाज्ञा दी गयी है कि वह प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को प्रकट न करे तो इस प्रकार की सूचना प्रकट नहीं की जाएगी । उदाहरण के लिए, बैंकों को कानून में अधिकार दिये गये हैं कि वे अपने ग्राहकों के लेन-देनों को गोपनीय रखें, अतः यह मानक ग्राहकों की गोपनीयता को प्रकट करने के बारे में कोई जोर नहीं देगा ।

संबंधित पक्ष के संबंध में प्रकटन का प्रयोजन

5. पक्षों (पार्टियों) के आपसी संबंध किसी भी वाणिज्य अथवा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान कार्यों को अपनी अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कम्पनियों के साथ बार-बार आदान-प्रदान करते हैं । इन परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान अपने नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव द्वारा निवेशिती की वित्तीय और परिचालन सम्बंधी गतिविधियों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाता है ।
6. सम्बंधित पक्षीय संबंध प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति अथवा लाभ या हानि पर प्रभाव डाल सकते हैं। सम्बंधित पक्ष (पार्टियाँ) ऐसे लेन-देन कर सकते हैं जो असम्बंधित पक्षों के बीच नहीं होते । उदाहरण के लिये, एक प्रतिष्ठान अपनी वस्तुओं को अपने मूल प्रतिष्ठान को लागत पर बेचता है, उन शर्तों पर वह अन्य ग्राहकों को शायद न बेचें । इसके साथ-साथ सम्बंधित पक्षों के लेन-देन की राशियां असम्बंधित पक्षों जैसी नहीं हो सकती ।
7. प्रतिष्ठान के लाभ या हानि और वित्तीय स्थिति सम्बंधित पक्ष के सम्बंध के कारण प्रभावित हो सकती है, बेशक इन दोनों के बीच कोई लेन-देन हुआ हो या नहीं भी। दोनों के बीच मात्र सम्बंध से ही प्रतिष्ठान व सम्बंधित पक्षों के बीच लेन-देन प्रभावित हो जाते हैं। उदाहरण के लिये, एक अनुषंगी प्रतिष्ठान अपने एक व्यापार सहभागी के साथ सम्बंध समाप्त कर सकता है इसलिए कि उसके मूल प्रतिष्ठान इसी प्रकार के व्यवसाय में एक सह-अनुषंगी को खरीद लिया है। इसके विपरीत, एक पक्ष इसलिए कार्य करने से हट जाता है कि दूसरा पक्ष अधिक प्रभावशील है। उदाहरणतया मूल प्रतिष्ठान जब अपनी अनुषंगी को यह निर्देश दे कि वह अनुसंधान व विकास कार्य न करे।
8. इन कारणों से, प्रतिष्ठान के लेन-देनों, बकाया शेषों, जिनमें वायदे भी सम्मिलित हैं, और सम्बंधित पक्षों (पार्टियों) के साथ संबंध की जानकारी, वित्तीय विवरणों के, जिनमें प्रतिष्ठान द्वारा सामना किये जा रहे जोखिमों व अवसरों का मूल्यांकन सम्मिलित है, उपयोगकर्ताओं के मूल्यांकनों को प्रभावित कर सकती है।

परिभाषाएं

9. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है:

संबंधित पक्ष (या पार्टी) से आशय उस व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान से है, जो उस प्रतिष्ठान से जुड़ा है जो वित्तीय विवरणों को तैयार करता है, (प्रस्तुत मानक में इसे 'रिपोर्टिंग या विचाराधीन प्रतिष्ठान' कहा गया है)। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

- (क) एक व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति के परिवार का नजदीकी सदस्य जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ है, और वह व्यक्ति -
 - i. रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से अकेले अथवा संयुक्त रूप से नियंत्रण रखता हो;
 - ii. रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता हो;
 - iii. रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान अथवा उसके मूल प्रतिष्ठान के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो।
- (ख) एक प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से संबंधित है यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी करता हो ;
 - i. प्रतिष्ठान और रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान एक ही समूह के सदस्य हों (इसका अर्थ है कि मूल प्रतिष्ठान, उसकी अनुषंगी तथा सम-अनुषंगी किसी दूसरे से संबंधित है)।
 - ii. एक प्रतिष्ठान दूसरे प्रतिष्ठान का सहायक अथवा संयुक्त उद्यम हो (अथवा एक सहायक अथवा संयुक्त उद्यम उसी समूह के सदस्य हों, जिसका दूसरा प्रतिष्ठान सदस्य है)।
 - iii. दोनों प्रतिष्ठान तृतीय पक्ष (पार्टी) के संयुक्त उद्यम हों;
 - iv. एक प्रतिष्ठान तृतीय प्रतिष्ठान का संयुक्त उद्यम है जबकि दूसरा प्रतिष्ठान तीसरे प्रतिष्ठान का सहायक प्रतिष्ठान है ;
 - v. प्रतिष्ठान उन कर्मचारियों की नियोजन पश्चात् लाभ योजना है जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान या उससे संबंधित प्रतिष्ठान से सम्बंधित हों। यदि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान स्वयं ही ऐसी एक योजना हो तो नियोक्ताओं के प्रायोजक भी रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से संबंधित हैं।
 - vi. प्रतिष्ठान पर मद सं. (क) में दिये गये किसी व्यक्ति का नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण हों;
 - vii. व्यक्ति जिसकी पहचान मद सं. (क) (i) के तहत की गई है, उसका प्रतिष्ठान के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव हो, अथवा वह प्रतिष्ठान (अथवा मूल प्रतिष्ठान) के प्रमुख प्रबंध तंत्र के कर्मचारी - वर्ग का सदस्य हो।
 - viii. प्रतिष्ठान या इसके अंश के रूप में एक समूह का कोई सदस्य रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान या उनके मूल प्रतिष्ठान को प्रमुख प्रबंधन कार्मिक सेवाएं देता है।

सम्बंधित पक्ष का लेन-देन का तात्पर्य उन संसाधनों, सेवाओं और दायित्वों के अन्तरण से है जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान और सम्बंधित पक्ष के बीच में होते हैं और चाहे उसके लिए कोई कीमत ली जाती हो या नहीं।

एक व्यक्ति के परिवार के निकट के सदस्य से आशय उन सदस्यों से है जो प्रतिष्ठान और निम्नलिखित के साथ व्यवहार में उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं या उससे प्रभावित हो सकते हैं :-

- (क) उस व्यक्ति के बच्चे, पति-पत्नी (जैसी स्थिति हो) या घरेलू साझेदार, भाई, बहन पिता या माता ;
- (ख) उस व्यक्ति के पति-पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के बच्चे या घरेलू साझेदार ; और
- (ग) उस व्यक्ति के या उसकी पति-पत्नी (जैसी स्थिति हो) के आश्रित या घरेलू साझेदार ;

क्षतिपूर्ति से तात्पर्य उन सभी कर्मचारी लाभों से है जो भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ में यथा परिभाषित हैं और वे कर्मचारी लाभ जिन पर भारतीय लेखा मानक 102 शेयर आधारित भुगतान लागू होता है। उन सभी प्रकार के लाभों को कर्मचारी लाभ माना जायेगा जिनका भुगतान प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है अथवा किया जाना है या जिनका प्रावधान प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है अथवा प्रतिष्ठान की ओर से ली गई सेवाओं के बदले में देय हों। इसमें वे भुगतान भी सम्मिलित हैं जो प्रतिष्ठान द्वारा मूल कम्पनी की ओर से किये गये हैं। क्षतिपूर्ति में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (क) वर्तमान कर्मचारियों को देय अल्प अवधि कर्मचारी लाभ, जैसे मजदूरी, वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान, वार्षिक छुट्टियों अथवा बीमारी की छुट्टियों का भुगतान, लाभ भाग और बोनस (यदि अवधि के 12 महीनों के अंदर देय हों) तथा गैर आर्थिक लाभ (जैसे चिकित्सा सुविधा, आवास, कार और निःशुल्क एवं रियायती मूल्य पर वस्तुयें तथा सेवायें);
- (ख) नियोजन पश्चात् लाभ जैसे पेंशन, सेवा निवृत्ति के उपरांत लाभ, सेवा निवृत्ति के उपरांत बीमा और सेवा निवृत्ति के उपरांत चिकित्सा सुविधा ;
- (ग) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ, जैसे दीर्घकालीन अवकाश, विशेष प्रकार के अवकाश के लाभ जैसे अध्ययन या विश्राम अवकाश, दीर्घकालीन सेवा लाभ, दीर्घकालीन अपंगता लाभ और जो अवधि के अन्त से 12 माह की अवधि तक पूर्णतया देय नहीं हैं, लाभ भाग, बोनस तथा आस्थगिक क्षतिपूर्ति भुगतान शामिल।

(घ) सेवा समाप्ति पर देय लाभ; और

(ङ) शेयर आधारित भुगतान।

प्रबंध-तंत्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जो प्रतिष्ठान के आयोजन, दिशा निर्धारण तथा नियंत्रण से संबंधित गतिविधियों में दखल रखते हों चाहे वे दखल प्रत्यक्ष रूप से हों अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। इनमें प्रतिष्ठान के निदेशक (चाहे वे कार्यकारी हों अथवा अन्य) भी शामिल हैं।

सरकार से तात्पर्य सरकार, सरकारी एजेंसियों और ऐसे निकायों से है, चाहे वे स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतराष्ट्रीय क्यों न हों।

सरकार से संबंधित प्रतिष्ठान वह प्रतिष्ठान है जो कि या तो सरकार द्वारा नियंत्रित है अथवा संयुक्त रूप से नियंत्रित है या फिर जिस पर महत्वपूर्ण सरकारी प्रभाव हो।

‘नियंत्रण,’ ‘निवेश प्रतिष्ठान’ ‘संयुक्त नियंत्रण’ एवं ‘महत्वपूर्ण प्रभाव’ शब्द भारतीय लेखा मानक 110, भारतीय लेखा मानक 111, संयुक्त व्यवस्थाएँ, और भारतीय लेखा मानक 28 सहयोगी प्रतिष्ठान एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश, में प्रयुक्त हैं और उनका इस मानक में प्रयोग भी उन्हीं अर्थों में किया गया है।

10. प्रत्येक पक्ष-सम्बंधी संभावित सम्बंध का विचार करते समय संबंध सार पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है न कि मात्र उसके विधिक (कानूनी) स्वरूप पर।

11. इस मानक के संदर्भ में, निम्नलिखित पक्ष, संबंधित पक्ष (पार्टियाँ) नहीं हैं :

(क) कोई दो प्रतिष्ठान मात्र इसलिये क्योंकि उनके निदेशक एक ही व्यक्ति हैं अथवा दोनों प्रतिष्ठानों के प्रबंधतंत्र में महत्वपूर्ण सदस्य एक ही हैं या चूंकि एक प्रतिष्ठान का ऐसा कोई एक सदस्य दूसरे प्रतिष्ठान में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता हो ;

(ख) कोई दो संयुक्त उद्यमी केवल इस कारण से कि उनकी संयुक्त उद्यम में संयुक्त नियंत्रण की साझेदारी है ;

(ग) (i) वित्त प्रदाता;

(ii) ट्रेड यूनियन;

(iii) जन उपयोगी संस्थान; और

(iv) सरकारी विभाग और एजेंसियाँ जिनका रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान पर कोई नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न हो;

उनका प्रतिष्ठान के साथ सम्बंध मात्र लेन-देन की सामान्य प्रक्रिया से है (भले ही वे प्रतिष्ठान की कार्य स्वतंत्रता को प्रभावित करे अथवा किसी निर्णय लेने संबंधित प्रक्रिया में सम्मिलित हों)।

(घ) कोई ग्राहक, आपूर्तिकर्ता (सप्लायर), फ्रेंचाइजर, वितरक अथवा सामान्य एजेंसी, जिनके साथ प्रतिष्ठान का महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है और इस तरह मात्र केवल कि उन पर प्रतिष्ठान की आर्थिक निर्भरता है;

12. संबंधित पक्ष (पार्टी) की परिभाषा में किसी सहायक प्रतिष्ठान में अनुषंगी प्रतिष्ठान और संयुक्त उद्यम में उसके अनुषंगी प्रतिष्ठान भी सम्मिलित हैं। अतः उदाहरणार्थ, एक सहायक प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठान और एक निवेशक जिसका सहायक प्रतिष्ठान में महत्वपूर्ण प्रभाव है, वे एक दूसरे से सम्बंधित हैं।

प्रकटन

सभी प्रतिष्ठान

13. मूल प्रतिष्ठान और उसकी अनुषंगी कम्पनियों के बीच के संबंधों का प्रकटन किया जायेगा, भले ही उनके बीच किसी भी प्रकार के लेन-देन होते हैं या नहीं। कोई प्रतिष्ठान अपने मूल प्रतिष्ठान और अपने अन्तिम नियंत्रक पक्ष (पार्टी), यदि अलग हैं, के नाम का प्रकटन करेगा। यदि मूल प्रतिष्ठान अथवा उसका अन्तिम नियंत्रक पक्ष समेकित वित्तीय विवरण जन-साधारण के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं करवाता तो वह उस वरिष्ठतम मूल प्रतिष्ठान का नाम प्रकट करेगा जो यह समेकित वित्तीय विवरण उपलब्ध करवाता है।

14. किसी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को इस बात की जानकारी देने के लिये कि प्रतिष्ठान पर सम्बंधित पक्ष (पार्टी) के संबंध के क्या प्रभाव हैं, यह उपयुक्त होगा कि जब नियंत्रण मौजूद है तो सम्बंधित पक्ष के साथ सम्बंधों को प्रकट किया जाए बेशक उनके बीच किसी प्रकार के लेन देन होते हैं या नहीं। ऐसा इसलिये है कि मौजूद नियंत्रण संबंध के कारण रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को अपने वित्तीय एवं परिचालन सम्बंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने में रुकावट होती है। जहां नियंत्रण विद्यमान रहता है, संबंधित पक्ष (पार्टी) के नाम और सम्बंधित पक्ष (पार्टी) के स्वरूप का प्रकटन कभी कभी प्रतिष्ठान की भावी संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए कम से कम उतना प्रासंगिक तो होता ही है, जितना कि वित्तीय विवरण में प्रस्तुत परिचालन सम्बंधी परिणाम व वित्तीय स्थिति होती है। इस प्रकार का सम्बंधित पक्ष (पार्टी) यह स्थापित करता है कि प्रतिष्ठान की साख की स्थिति (क्रेडिट स्टैंडिंग) क्या है, कच्चे माल के स्रोत व मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाए और यह निर्धारित करना कि उत्पाद किन्हीं बेचा जाएगा और वह किस मूल्य पर बेचा जाएगा।

15. मूल प्रतिष्ठान और उसकी अनुषंगी कम्पनियों के बीच सम्बंधित पक्ष सम्बंधों के प्रकटन की अपेक्षा भारतीय लेखा मानक 27 और भारतीय लेखा मानक 112, *अन्य प्रतिष्ठान में हितों का प्रकटन*, की अपेक्षाओं के अतिरिक्त है।
16. अनुच्छेद 13 क्रम में अगले वरिष्ठतम मूल प्रतिष्ठान से सम्बंधित है। यह समूह के प्रथम मूल प्रतिष्ठान से ऊपर का मूल प्रतिष्ठान जो जन-साधारण के प्रयोग के लिये समेकित वित्तीय विवरण तैयार करता है।
17. प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण प्रबंध कार्मिकों को देय समग्र और निम्नलिखित श्रेणियों की मदवार राशि का प्रकटन करेगा:
 - (क) अल्प अवधि कर्मचारी लाभ;
 - (ख) नियोजन पश्चात् लाभ;
 - (ग) अन्य दीर्घावधि लाभ
 - (घ) सेवा समाप्ति लाभ; और
 - (ङ) शेयर आधारित लाभ।
- 17क यदि एक प्रतिष्ठान एक अन्य प्रतिष्ठान से प्रमुख प्रबंधन कार्मिक सेवाएं प्राप्त करता है तो प्रबंध प्रतिष्ठान द्वारा प्रबंध प्रतिष्ठान कर्मचारियों या निर्देशकों को दी गयी या दी जाने वाली प्रतिपूर्ति पर प्रतिष्ठान के लिए अनुच्छेद 17 की अपेक्षाएँ लागू करना आवश्यक नहीं है।
18. यदि किसी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जाने की अवधि के दौरान संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन होते हैं तो प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक होगा कि वह संबंधित पार्टी के साथ संबंधों के स्वरूप और उस सूचना को प्रकट करेगा जो हुए लेन देनों और बकाया शेषों जिनमें वायदे भी सम्मिलित हैं, से सम्बंधित हों। यह सूचना वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को यह जानने के लिए आवश्यक है कि इन विवरणों पर इन सम्बंधों का क्या संभावित प्रभाव होगा। प्रकटन की ये अपेक्षाएँ अनुच्छेद 17 के तहत दी गयी अपेक्षाओं के अतिरिक्त हैं। इन प्रकटनों के तहत कम से कम निम्नलिखित मदों का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा:
 - (क) लेन-देनों की राशि;
 - (ख) बकाया शेषों की राशि जिनमें किये गये वायदे भी सम्मिलित हैं, और
 - (i) उनकी शर्तें व निबंधन, साथ ही कि क्या वे सुरक्षित हैं और निपटान में प्रतिफल का स्वरूप क्या होगा; और
 - (ii) दी गई अथवा ली गई किन्हीं गारंटियों का विवरण;
 - (ग) बकाया शेष राशि से संबंधित संदिग्ध ऋणों के लिये किया गया प्रावधान; तथा
 - (घ) संदर्भित अवधि के दौरान, संबंधित पक्षों (पार्टियों) से प्राप्त अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये मान्य प्राप्त व्यय।
- 18क एक अलग प्रबंधन प्रतिष्ठान द्वारा दी जा रही प्रमुख प्रबंधन कार्मिक सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रतिष्ठान द्वारा खर्च की गयी राशियों का प्रकटन किया जाएगा।
19. अनुच्छेद 18 के तहत प्रकटन निम्नलिखित श्रेणियों की प्रत्येक मदों के लिए अलग अलग किए जाएंगे :
 - (क) मूल प्रतिष्ठान;
 - (ख) संयुक्त नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान अथवा वे प्रतिष्ठान जिनका प्रतिष्ठान पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो;
 - (ग) अनुषंगी प्रतिष्ठान;
 - (घ) सहायक प्रतिष्ठान;
 - (ङ) संयुक्त उद्यम जिनमें प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यमी के रूप में हो;
 - (च) प्रतिष्ठान अथवा मूल प्रतिष्ठान के प्रबंध तंत्र के प्रमुख कार्मिक; एवं
 - (छ) अन्य संबंधित पक्ष।
20. जहां तक तुलनपत्र या टिप्पणियों में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का सम्बंध है, अनुच्छेद 19 के तहत विभिन्न श्रेणियों से संबंधित पक्षों को देय अथवा उनसे प्राप्त राशियों का वर्गीकरण, भारतीय लेखा मानक 1 *वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति* के तहत अपेक्षित प्रकटन की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होगा। श्रेणियों को विस्तृत किया गया है ताकि संबंधित पक्ष के बकाया शेषों का व्यापक विश्लेषण प्राप्त हो सके और इसका प्रयोग संबंधित पक्ष के लेन-देनों के लिए किया जा सके।
21. निम्नलिखित लेन-देन यदि संबंधित पक्ष के साथ होते हैं तो उनका प्रकटन किया जाएगा -
 - (क) खरीदी गई अथवा बिक्री की गई वस्तुएं (तैयार अथवा निर्माणाधीन);
 - (ख) खरीदी गई अथवा बिक्री की गई संपत्ति अथवा अन्य आस्तियां;

- (ग) सेवाओं का लिया जाना अथवा प्रदान किया जाना ;
- (घ) पट्टे ;
- (ङ) अनुसंधान और विकास का हस्तांतरण;
- (च) अनुज्ञा अनुबंधों के अधीन हस्तांतरण;
- (छ) वित्तीय प्रबंधों के अंतर्गत हस्तांतरण (नकद अथवा अन्य प्रकार के ऋण और इक्विटी अंशदानों सहित)
- (ज) गारंटियों अथवा सांपाश्विक के प्रावधान ;
- (झ) भविष्य में किसी विशेष किसी घटना के होने या न होने पर कुछ करने की वचनबद्धताएं जिनमें निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध¹ (मान्य व अमान्य) भी शामिल हैं ;
- (ण) प्रतिष्ठान की ओर से अथवा प्रतिष्ठान के द्वारा संबंधित पाटी की ओर से दायित्वों के किये गये निपटान; और
- (ट) प्रबंधन (मैनेजमेंट) से संबंधित अनुबंध, जिनमें कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति भी शामिल है ।
22. परिभाषित लाभ योजना, जो समूह के बीच समूह प्रतिष्ठानों में जोखिमों का बंटवारा करती है, के तहत मूल प्रतिष्ठान अथवा अनुषंगी प्रतिष्ठान द्वारा की गई सहभागिता, जोकि संबंधित पक्षों के बीच एक लेन-देन है । [देखें भारतीय लेखा मानक 19 का अनुच्छेद 42] ।
23. संबंधित पक्षों के लेन-देनों के प्रकटन उन्हीं शर्तों पर किये जाते हैं जो स्वतंत्र लेन-देनों के समान हों और यदि ये शर्तें पूरी हो सकती हों ।
24. एक ही प्रकार की मदों का प्रकटन समेकित रूप में किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में संबंधित पक्ष के बीच हुए लेन-देनों के प्रभाव को समझने के लिए पृथक् रूप में प्रकट करना आवश्यक हो ।
- 24क व्यक्तिगत संबंधित पक्षों के बीच हुए विशेष प्रकार के लेन-देनों का प्रकटन आमतौर पर अधिक विस्तार के कारण आसानी से समझ पाना संभव नहीं होता । इस प्रकार, एक प्रकार के संबंधित पक्षों की एक ही प्रकार की मदों का प्रकटन समेकित रूप में किया जा सकता है । फिर भी, ऐसा इस तरह से न हो कि मुख्य लेन-देनों का महत्व ही अस्पष्ट हो जाये। इस कारण से स्थिर आस्तियों की बिक्री अथवा खरीद को अन्य वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री के साथ समेकित रूप में न दर्शाया नहीं जाता । न ही किसी व्यक्तिगत पक्ष का किसी सम्बंधित पक्ष के लेन-देनों को समेकित करके दर्शाया जाए ।
- सरकार से संबंधित प्रतिष्ठान**
25. किसी रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को संबंधित पक्ष के लेन-देनों और वायदों सहित बकाया शेषों के बारे में अनुच्छेद 18 के तहत अपेक्षित प्रकटन से छूट दी गई है :
- (क) सरकार जिसका रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है;
- (ख) कोई दूसरा प्रतिष्ठान, जो संबंधित पक्ष (पाटी) है अगर प्रतिष्ठान व सम्बंधित पक्ष दोनों पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव हो ।
26. यदि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान अनुच्छेद 25 के तहत दी गई छूट का प्रयोग करता है तो उसे अनुच्छेद 25 के तहत लेन-देनों और सम्बंधित बकाया शेषों के बारे में निम्नलिखित का प्रकटन करना होगा :
- (क) सरकार का नाम और रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के साथ उसके संबंधों की प्रकृति (यानि नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव);
- (ख) निम्नलिखित की पर्याप्त और विस्तृत रूप में जानकारी जिससे कि प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता इस बात का समझ सकें कि संबंधित पक्षों के लेन-देन का प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों पर क्या प्रभाव पड़ा है :
- (i) प्रत्येक महत्वपूर्ण लेन-देन का स्वरूप और राशि ; और
- (ii) अन्य लेन-देन जो व्यक्तिगत आधार पर न होकर सामूहिक आधार पर महत्वपूर्ण हों, उनकी गुणात्मक व मात्रात्मक विशेषता का संकेत । इन लेन-देनों के प्रकार अनुच्छेद 21 में सूचीबद्ध किये गये हैं ।

¹ भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां' निष्पादित किये जाने वाले ऐसे अनुबंध को परिभाषित करता है जो ऐसे अनुबंध हैं जहां दोनों में से किसी भी पक्ष ने अपनी बाध्यताओं में से किसी भी बाध्यता का निर्वहन नहीं किया है अथवा दोनों ने अपनी बाध्यताओं को समान रूप से और आंशिक रूप निर्वहन किया है ।

27. अनुच्छेद 26 (ख) में की गयी अपेक्षा के अनुसार किस स्तर तक प्रकटन किया जाए इसके निर्णय के विवेक के लिए रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान सम्बंधित पक्ष के सम्बंध की समीपता और अन्य उन सम्बंधी तत्वों पर विचार करेगा कि लेन-देन को महत्व का स्तर क्या है और निम्नलिखित किस प्रकार से हैं :
- (क) आकार के संबंध में महत्व;
 - (ख) गैर-विपणन शर्तों पर संचालन;
 - (ग) दिन-प्रतिदिन के सामान्य व्यवसायिक परिचालनों से हटकर, जैसे, व्यवसाय की खरीद और बिक्री;
 - (घ) विनियामक अथवा पर्यवेक्षी प्राधिकारियों को प्रकटन;
 - (ङ) वरिष्ठ प्रबंधकतंत्र को रिपोर्ट करना;
 - (च) शेयर धारकों की स्वीकृति के अधीन।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 24 और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 24 संबंधित पार्टों के सम्बंध में प्रकटन के बीच यदि कोई प्रमुख अंतर हों तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक 24, संबंधित पार्टों के सम्बंध में प्रकटन के साथ तुलना

1. भारतीय लेखा मानक 24 में प्रकटन, जो वैधानिक/नियामक गोपनीयता अपेक्षाओं के अन्तर्विरोधी है, उनका प्रकटन अपेक्षित नहीं है, क्योंकि भारतीय लेखा मानक किसी वैधानिक/नियामक अपेक्षाओं के प्रतिकूल नहीं जा सकता। (भारतीय लेखा मानक 24 के अनुच्छेद 4क और 4 ख)।
2. भारतीय लेखा मानक 24 में अनुच्छेद 24 में 'क' जोड़ा गया है। यह प्रकटन लेन-देनों के जोड़ के संबंध में स्पष्टीकरण-संबंधी मार्गदर्शन देता है।
3. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया *वित्तीय स्थिति का विवरण* के स्थान पर शब्द *तुलन-पत्र* का प्रयोग किया गया है।
4. अनुच्छेद 14 को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है कि नियंत्रण के दौरान सम्बन्धित पक्ष (पार्टी) सम्बन्ध को प्रकट करने का कारण क्या है।
5. अनुच्छेद 21 में सम्बन्धित पक्ष (पार्टी) लेन-देन का उदाहरण, 'ट' प्रबंधन से संबंधित अनुबंध जिनमें कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति शामिल है, जोड़ा गया है।
6. अनुच्छेद 9 में व्यक्ति के परिवार के निकटवर्ती सदस्यों की परिभाषा का संशोधन करके उसमें भाई, बहन, पिता और माता को भी परिवार सदस्यों की श्रेणी में रख दिया गया है जो कि प्रभावित कर सकते हैं या हो सकते हैं।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 27

पृथक वित्तीय विवरण

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप और साधारण टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के सूचक हैं)।

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरण तैयार करने के समय अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएटों) में निवेशों की लेखांकन तथा प्रकटन अपेक्षाओं का निर्धारण करना है।

कार्यक्षेत्र

2. प्रतिष्ठान जब पृथक वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए चयन करता है अथवा जब विधि द्वारा अपेक्षित होता है तब इस मानक का प्रयोग अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों के लेखा में किया जाएगा।
3. यह मानक ऐसा आदेश नहीं देता है कि कौन से प्रतिष्ठान पृथक वित्तीय विवरण तैयार करेंगे। अपितु, यह तब लागू होता है जब प्रतिष्ठान वे पृथक वित्तीय विवरण तैयार करता है जो भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप है।

परिभाषाएँ

4. इस मानक में, निम्नलिखित शब्दावली विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयुक्त की गयी है :

समेकित वित्तीय विवरण एक समूह के वे वित्तीय विवरण हैं जिनमें मूल प्रतिष्ठान एवं उसके अनुषंगियों की आस्तियों, दायित्वों, 'इक्विटी' आय, व्ययों एवं नकदी प्रवाहों को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि वे एक आर्थिक प्रतिष्ठान की हों।

पृथक वित्तीय विवरण वे विवरण हैं जो एक मूल प्रतिष्ठान (अर्थात् अनुषंगी पर नियंत्रण रखने वाला निवेशक) द्वारा, अथवा उस निवेशक द्वारा, जिसका एक निवेशिती जिसमें निवेशों का लेखा लागत पर अथवा भारतीय लेखा मानक 39, वित्तीय लिखतें: मान्यता एवं माप के अनुसार किया जाता है, पर संयुक्त नियंत्रण है महत्वपूर्ण प्रभाव है,

5. भारतीय लेखा मानक 110, समेकित वित्तीय विवरण, के परिशिष्ट 'क', भारतीय लेखा मानक 111, संयुक्त व्यवस्थाएं के परिशिष्ट 'क' तथा भारतीय लेखा मानक 28, सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएटों) तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित शब्दावली को परिभाषित किया गया है :
 - सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट)
 - निवेशिती का नियंत्रण
 - समूह
 - निवेश 'इक्विटी'
 - संयुक्त नियंत्रण
 - संयुक्त उद्यम
 - संयुक्त उद्यमकर्ता
 - मूल प्रतिष्ठान
 - महत्वपूर्ण प्रभाव
 - अनुषंगी
6. पृथक वित्तीय विवरण में वे विवरण हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों अथवा उन वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमें सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएटों) अथवा संयुक्त उद्यमों को अनुच्छेद 8-8क में दी गई परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखा किया जाता है पृथक वित्तीय विवरणों को उन विवरणों के साथ संलग्न करने अथवा साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
7. ऐसे वित्तीय विवरण जिनमें इक्विटी पद्धति लागू की जाती है, पृथक वित्तीय विवरण नहीं होते हैं। इन्हें समेकित वित्तीय विवरण कहा जा सकता है। इसी प्रकार, एक प्रतिष्ठान को वित्तीय विवरण प्रतिष्ठान जिसकी कोई अनुषंगी, सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम में कोई हित नहीं है, पृथक वित्तीय विवरण नहीं है।
8. एक प्रतिष्ठान, जिसे भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद 4(क) के अनुसरण में वित्तीय विवरणों के समेकन से या भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 17 द्वारा 'इक्विटी' विधि का प्रयोग करने से छूट दी गयी है वे केवल पृथक वित्तीय विवरण को ही सिर्फ अपने वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।
- 8क. एक निवेश प्रतिष्ठान जिसे चालू अवधि और प्रस्तुत सभी तुलनात्मक अवधियों में अपने सभी अनुषंगी प्रतिष्ठानों में भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद 31 के अनुसरण में समेकन की छूट को लागू करना अपेक्षित है वह केवल पृथक वित्तीय विवरण को ही सिर्फ अपने वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत करता है।

वित्तीय विवरण तैयार करना

9. पृथक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 10 में दिये गए को छोड़कर सभी लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किये जाएंगे।
10. जब एक प्रतिष्ठान पृथक वित्तीय विवरण तैयार करता है तब यह अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएटों) में निवेशों को निम्नलिखित में से एक पर लेखा करेगा:
 - (क) लागत पर, अथवा
 - (ख) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार
 प्रतिष्ठान निवेश की प्रत्येक क्र श्रेणी के लिए एक ही लेखा विधि का प्रयोग करेगा। जिन निवेशों का लेखा लागत पर हुआ है उन्हें भारतीय लेखा मानक 105, बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन के अनुसरण में लेखा करेगा। जब उन निवेशों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है (अथवा उस निपटान समूह में शामिल किया जाता है जिसे बिक्री के

- लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है) ऐसी परिस्थितियों में भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लेखा किए गए निवेशों का माप परिवर्तित नहीं होता है।
11. यदि एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लाभ अथवा हानि के माध्यम से सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोसिएटों) अथवा संयुक्त उद्यमों में अपने निवेशों का उचित मूल्य पर माप करने के लिए भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 18 के अनुसार चयन करता है तो यह उन निवेशों को उसी प्रकार से अपने पृथक वित्तीय विवरणों में भी लेखा करेगा।
- 11क यदि एक मूल प्रतिष्ठान से भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद 31 के अनुसरण में यह अपेक्षा है कि वह भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर एक अनुषंगी प्रतिष्ठान में अपने निवेशों का माप करे तो वह अपने पृथक वित्तीय विवरणों अनुषंगी प्रतिष्ठान में अपने निवेशों का लेखा उसी प्रकार करेगा।
- 11ख जब एक मूल प्रतिष्ठान एक निवेश प्रतिष्ठान के रूप में नहीं रहता है या निवेश प्रतिष्ठान बन जाता है तो वह इस स्थिति के परिवर्तन की तिथि से इस परिवर्तन का लेखा इस प्रकार करेगा :-
- (क) जब प्रतिष्ठान निवेश प्रतिष्ठान के रूप में नहीं रहता है अनुच्छेद 10 के अनुसार-
- (i) वह अनुषंगी प्रतिष्ठान में एक निवेश का लेखा लागत पर करेगा। स्थिति के परिवर्तन की तिथि पर अनुषंगी प्रतिष्ठान के उचित मूल्य को उस तिथि की मानी गयी लागत के रूप में प्रयोग किया जाएगा; अथवा
- (ii) वह भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसरण में अनुषंगी प्रतिष्ठान में एक निवेश का लेखा करना जारी रखेगा।
- (ख) जब एक प्रतिष्ठान एक निवेश प्रतिष्ठान बन जाता है तो वह भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसरण में लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर अनुषंगी प्रतिष्ठान में एक निवेश का लेखा करेगा। अनुषंगी प्रतिष्ठान की गत अग्रणीत राशि और निवेशक की स्थिति की परिवर्तन की तिथि के अन्तर को लाभ (प्रोफिट) अथवा हानि में लाभ (गेन) अथवा हानि के रूप में मान्यता दी जाएगी। उन अनुषंगी प्रतिष्ठानों की अन्य व्यापक आय में गत मान्य किसी उचित मूल्य समायोजन की संचित राशि को इस तरह से लिया जाएगा कि मानो प्रतिष्ठान ने स्थिति के परिवर्तन की तिथि पर उन अनुषंगी प्रतिष्ठानों का निपटान कर दिया है।
- 12 एक प्रतिष्ठान अपने पृथक वित्तीय विवरणों में लाभ अथवा हानि में एक अनुषंगी, एक संयुक्त उद्यम अथवा एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोसिएट) से प्राप्त लाभांश को तब मान्यता देगा जब लाभांश प्राप्त करने का उसका अधिकार संस्थापित हो जाता है।
- 13 जब एक मूल प्रतिष्ठान एक नये प्रतिष्ठान को मूल प्रतिष्ठान के रूप में संस्थापित कर अपने समूह की संरचना का, पुनर्विन्यास करता है जो निम्नलिखित मानदण्ड को पूरा करता है :
- (क) नया मूल प्रतिष्ठान प्रारंभिक मूल प्रतिष्ठान के मौजूदा इक्विटी लिखतों के बदले में इक्विटी लिखतें जारी करके प्रारंभिक मूल प्रतिष्ठान पर नियंत्रण प्राप्त करता है ;
- (ख) नये समूह और मूल समूह की आस्तिया एवं दायित्व पुनर्गठन के तुरंत पहले और बाद में एक समान रहती हैं; और
- (ग) पुनर्गठन के तुरंत पहले और बाद में प्रारंभिक मूल प्रतिष्ठान के स्वामियों का प्रारंभिक समूह एवं नये समूह की निवल आस्तियों में निरपेक्ष और सापेक्ष हित लाभ एक-जैसे ही रहते हैं,
- और नया मूल प्रतिष्ठान अपने पृथक वित्तीय विवरण में प्रारंभिक प्रतिष्ठान में अपने निवेशों को अनुच्छेद 10 (क) के अनुसार लेखा करता है और नया प्रतिष्ठान पुनर्गठन की तिथि पर प्रारंभिक मूल प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई इक्विटी मदों में अपने शेयर की लागत अग्रणी राशि पर माप करेगा।
- 14 इसी तरह, एक प्रतिष्ठान जो मूल प्रतिष्ठान नहीं है, मूल प्रतिष्ठान के रूप में एक नया प्रतिष्ठान इसी तरीके से स्थापित कर सकता है जो अनुच्छेद 13 में दिये गये मानदण्ड को पूरा करता है। ऐसे पुनर्गठनों के लिए, अनुच्छेद 13 में दी गई अपेक्षाएं समान रूप से लागू होती हैं। ऐसे मामलों में 'आरंभिक मूल प्रतिष्ठान' तथा 'आरंभिक मूल समूह' के संदर्भ 'आरंभिक मूल प्रतिष्ठान' के लिए हैं।
- प्रकटन**
- 15 एक प्रतिष्ठान अपने पृथक वित्तीय विवरणों में प्रकटन उपलब्ध कराने के लिए अनुच्छेद 16 और 17 में दी गई अपेक्षाओं सहित सभी लागू भारतीय लेखा मानकों का प्रयोग करेगा।
- 16 जब एक मूल प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद 4(क) के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार न करने का चयन करता है और पृथक वित्तीय विवरण तैयार करता है, तो वह पृथक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को प्रकट करेगा :-
- (क) यह तथ्य कि वित्तीय विवरण पृथक वित्तीय विवरण हैं; समेकित वित्तीय विवरणों की छूट का प्रयोग कर लिया गया है; प्रतिष्ठान जिसके समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों को अनुपालन करते हैं और जिन्हें सार्वजनिक प्रयोग के

लिए प्रदर्शित किया गया है, का नाम और व्यवसाय का प्रमुख स्थान (निगमीकरण का देश यदि भिन्न हो); और वह पता जिस पर वे समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त हो सकते हैं।

- (ख) अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी प्रतिष्ठानों में महत्वपूर्ण निवेशों की सूची और-
- (i) उन निवेशितियों के नाम;
 - (ii) उन निवेशितियों के व्यवसाय का प्रमुख स्थान (और निगमीकरण का देश, यदि भिन्न हो); और
 - (iii) उन निवेशितियों में धारित स्वामित्व हित का अनुपात (यदि मताधिकार भिन्न हो तो उसका अनुपात)।
- (ग) उपर्युक्त (ख) में सूचित निवेशों के लेखा में प्रयुक्त विधि का विवरण।
- 16(क) जब एक निवेश प्रतिष्ठान, जो एक मूल प्रतिष्ठान है, उपर्युक्त अनुच्छेद 8क के अनुसार पृथक वित्तीय विवरणों के एक मात्र अपने वित्तीय विवरणों के रूप में तैयार करता है तो वह इस तथ्य को प्रकट करेगा। निवेश प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 112, *अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रकटन* की अपेक्षानुसार निवेश प्रतिष्ठानों से संबंधित प्रकटन भी प्रस्तुत करेगा।
- 17 जब एक मूल प्रतिष्ठान (अनुच्छेद 16-16क में व्याप्त मूल प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त) अथवा एक निवेशक, जिसका निवेशिती पर संयुक्त नियंत्रण है अथवा उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, जब अपने पृथक विवरण तैयार करता है तब वह मूल प्रतिष्ठान अथवा निवेशक उन विवरणों की पहचान करेंगे जो संबंधित भारतीय लेखा मानक 110, भारतीय लेखा मानक 111 अथवा भारतीय लेखा मानक 28 के अनुसार तैयार किये गए हैं। मूल प्रतिष्ठान अथवा निवेशक अपने पृथक वित्तीय विवरणों में भी निम्नलिखित का प्रकटन करेगा:
- (क) यह तथ्य कि, विवरण पृथक वित्तीय विवरण है।
- (ख) अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएटों) में महत्वपूर्ण निवेशों की सूची, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाएगा -
- (i) उन निवेशितियों के नाम।
 - (ii) उन निवेशितियों के कारोबार का मुख्य स्थान (और निगमीकरण का देश, यदि भिन्न है)।
 - (iii) उन निवेशितियों में धारित स्वामित्व हित का अनुपात (और मताधिकार का अनुपात, यदि भिन्न हो)।
- (ग) ऊपर (ख) के अंतर्गत सूचीबद्ध निवेशों के लेखे में प्रयुक्त विधि का वर्णन।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन केवल भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 27 तथा अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची (आई ए एस) 27, पृथक वित्तीय विवरण के बीच प्रमुख अन्तर, यदि कोई हों, को स्पष्ट करना है।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 27, पृथक वित्तीय विवरण के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 27 का अनुच्छेद 17(क) यह अपेक्षा करता है कि पृथक वित्तीय विवरण तैयार करने के कारण का प्रकटन किया जाए यदि ऐसा करना विधि (कानून) द्वारा अपेक्षित नहीं है। चूंकि कम्पनी अधिनियम में पृथक वित्तीय विवरण तैयार करना अनिवार्य है अतः इस प्रकार की अपेक्षा को हटाने के लिए अनुच्छेद 17(क) संशोधित कर दिया गया है।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 27 प्रतिष्ठानों को इस बात की अनुमति देता है कि वे अपने पृथक वित्तीय विवरणों में अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेशों के लेखे के लिए 'इक्विटी' विधि का प्रयोग करें। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 27 में यह विकल्प नहीं दिया गया है क्योंकि 'इक्विटी' विधि लागत और उचित मूल्य की तरह मापन का आधार नहीं है बल्कि यह समेकन का एक तरीका है अतः इससे लेखा में धारणात्मक रूप से एकरूपता नहीं बनती।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 28

सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप एवं सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

- 1 इस मानक का उद्देश्य सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) में निवेशों के लिए लेखा निर्धारित करना तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के लेखे के समय 'इक्विटी' विधि के प्रयोग की अपेक्षाओं को निश्चित करना है।

कार्यक्षेत्र

- 2 यह मानक उन सभी प्रतिष्ठानों द्वारा लागू किया जाएगा, जो निवेशक हैं और उनका एक निवेशिती पर संयुक्त नियंत्रण है या फिर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव है।

परिभाषाएं

- 3 इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है:

एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) वह प्रतिष्ठान है जिस पर निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।

समेकित वित्तीय विवरण एक समूह के वे वित्तीय विवरण हैं जिनमें मूल प्रतिष्ठान एवं इसके अनुषंगी प्रतिष्ठानों की आस्तियां, दायित्व, इक्विटी, आय, व्यय एवं नकदी प्रवाहों को एकल आर्थिक प्रतिष्ठान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इक्विटी विधि लेखा की वह विधि है जिसके द्वारा निवेश को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशिती की निवल आस्तियों में निवेशक के अंश में अधिग्रहण के पश्चात् होने वाले परिवर्तन के समायोजित किया जाता है। निवेशिती के लाभ या हानि में जो निवेशक के लाभ या हानि का अंश है वह निवेशक के लाभ या हानि में शामिल होता है। और निवेशिती की अन्य व्यापक आय में जो निवेशक का अंश है वह निवेशक की अन्य व्यापक आय में शामिल होता है।

एक संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षों का संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण वह नियंत्रण है जिसमें एक व्यवस्था के नियंत्रण की भागीदारी अनुबंधात्मक रूप से सहमति होती है और यह केवल तभी आस्तित्व में आता है जब संबंधित गातिविधियों के बारे में लिये जाने वाले निर्णयों में सभी भागीदार नियंत्रक पक्षों (पार्टियों) की सर्वसम्मति आवश्यक होती है।

एक संयुक्त उद्यम वह संयुक्त व्यवस्था है जिसमें व्यवस्था के नियंत्रक पक्षों (पार्टियों) का उस व्यवस्था की निवल आस्तियों पर अधिकार होता है।

एक संयुक्त उद्यमी संयुक्त उद्यम का वह पक्ष (पार्टी) है जिसका उस संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण होता है।

महत्वपूर्ण प्रभाव वह अधिकार है जिसमें निवेशिती के वित्तीय एवं परिचालन-संबंधी नीतिगत निर्णयों में साझेदारी तो होती है किन्तु उन नीतियों के ऊपर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है।

- 4 निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण* के अनुच्छेद 4 तथा भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण* के परिशिष्ट 'क' में दी गयी है और इस मानक में भी इनका प्रयोग भारतीय लेखा मानकों में विनिर्दिष्ट अर्थों में ही किया गया है:

- एक निवेशिती पर नियंत्रण
- समूह
- मूल प्रतिष्ठान
- पृथक वित्तीय विवरण
- अनुषंगी प्रतिष्ठान

महत्वपूर्ण प्रभाव

- 5 यदि एक प्रतिष्ठान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (जैसेकि अनुषंगी प्रतिष्ठानों के माध्यम से), निवेशिती के मताधिकार का 20 प्रतिशत या इससे अधिक अधिकार धारण करता है तो यह मान लिया जाता है कि उस प्रतिष्ठान का निवेशिती में महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन तब जब यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो रहा हो कि ऐसी कोई स्थिति है। इसके विपरीत, यदि प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (जैसेकि अनुषंगी प्रतिष्ठानों के माध्यम से), निवेशिती के मताधिकार का 20 प्रतिशत से कम अधिकार धारण करता है तो यह मान लिया जाएगा कि प्रतिष्ठान का निवेशिती में महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है लेकिन तब जब ऐसा प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता हो। यह जरूरी नहीं कि एक अन्य निवेशक का अधिकांश या बहुमत स्वामित्व एक प्रतिष्ठान को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने से रोके।

- 6 किसी प्रतिष्ठान का महत्वपूर्ण प्रभाव आमतौर पर निम्नलिखित एक या एक से अधिक तरीकों से प्रमाणित होता है:

(क) निवेशिती के निदेशक-मंडल अथवा इसके समकन किसी शासी निकाय में प्रतिनिधित्व;

- (ख) लाभांशों अथवा अन्य वितरणों के बारे में लिये जाने वाले निर्णयों में भागीदारी सहित नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी;
- (ग) प्रतिष्ठान तथा इसके निवेशिती के बीच सारवान लेन-देन;
- (घ) प्रबंधकीय कार्मिकों में फेरबदल; अथवा
- (ङ) अनिवार्य तकनीकी सूचना का प्रावधान।
- 7 एक प्रतिष्ठान ऐसे शेयर वारंटों, शेयर कॉल विकल्पों, ऋण या 'इक्विटी' लिखतों का स्वामी हो सकता है जो साधारण शेयरों अथवा उसी प्रकार की अन्य लिखतों, में परिवर्तनीय है और इनको यदि प्रयोग किया जाए अथवा इन्हें परिवर्तित किया जाए तो इनमें अन्य प्रतिष्ठान के वित्तीय या परिचालन नीतियों पर प्रतिष्ठान को अतिरिक्त मताधिकार दिलाने या अन्य प्रतिष्ठान के मताधिकारों (जैसेकि संभावित मताधिकार) को कम करने का सामर्थ्य होता है। संभावित मताधिकारों का अस्तित्व और प्रभाव, जो वर्तमान में प्रयोग करने योग्य या परिवर्तनीय है, और जिसमें अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा धारित संभावित मताधिकार भी शामिल होते हैं, पर विचार तब होता है जब यह निर्धारित किया जा रहा हो कि प्रतिष्ठान का महत्वपूर्ण प्रभाव है अथवा नहीं। संभावित मताधिकार वर्तमान में प्रयोग करने योग्य या परिवर्तनीय नहीं होते हैं, जब, उदाहरणस्वरूप, इन्हें तबतक प्रयोग अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकता हो जबतक कि भावी तिथि आ न जाए अथवा भावी घटना घटित न हो जाए।
- 8 यह निर्धारित करने में कि संभावित मताधिकार महत्वपूर्ण प्रभाव में योगदान देता है या नहीं, प्रतिष्ठान प्रबंधन की मंशा एवं उन संभावित अधिकारों को प्रयोग करने अथवा परिवर्तित करने की वित्तीय क्षमता को छोड़कर, उन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों की (संभावित मताधिकारों का प्रयोग करने और अन्य अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं की शर्तोंसहित, जिनपर व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से विचार किया गया हो) जांच करता है जो संभावित मताधिकारों को प्रभावित करते हैं।
- 9 एक प्रतिष्ठान एक निवेशिती पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव खो देता है जब वह उस निवेशिती के वित्तीय तथा परिचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में सहभागी होने का अधिकार खो देता है। महत्वपूर्ण प्रभाव की हानि निरपेक्ष अथवा सापेक्ष स्वामित्व स्तरों के परिवर्तन के साथ या उसके बिना हो सकती है। यह तब हो सकता है, उदाहरण के लिए, जब एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) सरकार, न्यायलय, प्रशासक अथवा नियामक के नियंत्रणाधीन हो जाता है। ऐसा अनुबंधात्मक व्यवस्था के परिणामस्वरूप भी हो सकता है।
- ‘इक्विटी’ विधि**
- 10 ‘इक्विटी’ विधि के अन्तर्गत, एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारम्भिक मान्यता पर लागत पर मान्यता दी जाती है तथा अधिग्रहण की तिथि के बाद निवेशिती के लाभ या हानि में निवेशक के हिस्से को मान्यता देने के लिए अग्रणीत राशि में बढ़ोत्तरी या कमी की जाती है। निवेशिती के लाभ या हानि में निवेशक के हिस्से को निवेशक के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। निवेशिती से प्राप्त वितरण, निवेश की अग्रणीत राशि को कम कर देते हैं। चूंकि निवेशिती की व्यापक आय में परिवर्तन के कारण, निवेशक का निवेशिती में आनुपातिक हित परिवर्तित हो जाता है, इसलिए भी अग्रणीत राशि में समायोजन आवश्यक हो सकता है। ऐसे परिवर्तनों में, संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों के पुनर्मूल्यांकन तथा विदेशी विनिमय रूपान्तरण के अन्तर्गत् से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। उन परिवर्तनों में निवेशक के हिस्से को निवेशक की अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 1, *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण*)।
- 11 प्राप्त वितरणों के आधार पर आय की मान्यता, एक निवेशक द्वारा सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश करने पर निवेशक द्वारा अर्जित आय का पर्याप्त माप नहीं हो सकता, क्योंकि, प्राप्त वितरण सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन से बहुत कम संबंध रखता है। चूंकि निवेशक का निवेशिती पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, अतः निवेशक का सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन में तथा, इसके परिणामस्वरूप, निवेश के प्रतिफल में हित है। निवेशक इस हित के लेखे के लिए अपने वित्तीय विवरणों के कार्य-क्षेत्र में विस्तार करता है और जिसमें वह निवेशिती के लाभ अथवा हानि में अपने हिस्से को शामिल करता है। परिणामस्वरूप, ‘इक्विटी’ विधि का प्रयोग निवेशक की निवल आस्तियों तथा लाभ या हानि की रिपोर्टिंग को और अधिक सूचनापरक बनाता है।
- 12 जब संभावित मताधिकार अथवा समाविष्ट संभावित मताधिकार युक्त अन्य व्युत्पन्न मौजूद होते हैं तब एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम में एक प्रतिष्ठान का हित केवल मौजूदा स्वामित्व हितों के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा संभावित मताधिकारों व अन्य व्युत्पन्न लिखतों का संभावित प्रयोग या परिवर्तन, जब तक अनुच्छेद 13 लागू न हो, प्रतिबिम्बित नहीं होता।
- 13 कुछ परिस्थितियों में वस्तुतः एक प्रतिष्ठानों को, लेन-देन के परिणामस्वरूप एक मौजूदा स्वामित्व होता है जो उसे वर्तमान में स्वामित्व के हित से संबंधित प्रतिफल पाने की पहुँच देता है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान को आबंटित अनुपात उन संभावित अधिकारों तथा अन्य व्युत्पन्न लिखतों के संभाव्य प्रयोग को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है जो प्रतिष्ठान को वर्तमान में प्रतिफल प्रदान होने की पहुँच देता है।

- 14 भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें:उन (एसोशिएट्स) सहयोगी प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में हितों पर लागू नहीं होता है* जिनका लेखा 'इक्विटी' विधि द्वारा किया जाता है। वस्तुतः जब संभावित मताधिकार युक्त लिखतें सामान्यतया: एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में स्वामित्व हित से संबंधित प्रतिफल पाने की पहुँच देती है तब वे लिखतें भारतीय लेखा मानक 109 के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी मामलों में, एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में संभावित मताधिकार युक्त लिखतों का लेखा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार नहीं किया जाता है।
- 15 जब तक एक सहयोगी (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में किया गया निवेश या निवेश का एक भाग भारतीय लेखा मानक 105, '*बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियाँ एवं बन्द परिचालन*' के अनुसार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तब तक निवेश या निवेश में प्रतिधारित किसी हित को, जिसे बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, गैर-चालू आस्ति के रूप में ही वर्गीकृत किया जाएगा।

‘इक्विटी’ विधि का प्रयोग

- 16 एक निवेशिती पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला एक प्रतिष्ठान, उस निवेश को छोड़कर जो अनुच्छेद 17-19 के अनुसार छूट के योग्य है, 'इक्विटी' विधि का प्रयोग करते हुए एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में अपने निवेश का लेखा करेगा।

इक्विटी विधि प्रयोग करने से छूट

- 17 एक प्रतिष्ठान को एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में अपने निवेश के लिए इक्विटी विधि का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है यदि प्रतिष्ठान एक मूल प्रतिष्ठान है और उसे भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद 4 (क) की कार्यक्षेत्र छूट के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की छूट प्राप्त है या फिर यदि निम्नलिखित सभी लागू होते हैं:-
- (क) प्रतिष्ठान किसी अन्य प्रतिष्ठान की पूर्ण स्वामित्व में अनुषंगी प्रतिष्ठान या अंशतः स्वामित्व में अनुषंगी प्रतिष्ठान है, और अन्य स्वामियों उनके सहित जो मत देने के लिए अन्यथा पात्र नहीं हैं को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं है और वह प्रतिष्ठान इक्विटी विधि का प्रयोग नहीं कर रहा है।
 - (ख) प्रतिष्ठान की ऋण (डेट) और इक्विटी लिखतें एक सार्वजनिक बाजार (पब्लिक मार्केट) में खरीदी या बेची नहीं जाती हैं। (यह सार्वजनिक बाजार स्थानीय व क्षेत्रीय बाजारों के साथ-साथ घरेलू या विदेशी स्टाक एक्सचेंज या ओवर-द-काउन्टर बाजार हो सकता है)।
 - (ग) प्रतिष्ठान ने प्रतिभूति आयोग या अन्य नियामक संगठन में, सार्वजनिक बाजार में लिखतों की कोई श्रेणी जारी करने के लिए, अपने वित्तीय विवरण न तो फाइल किये हैं और न ही फाइल करने की क्रिया कर रहा है।
 - (घ) प्रतिष्ठान का आधारभूत या मध्यवर्ती मूल प्रतिष्ठान अपने समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार करता है और वे सार्वजनिक प्रयोग के लिए उपलब्ध होते हैं।
- 18 जब एक प्रतिष्ठान ने किसी सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में निवेश धारित किया है या फिर निवेश को अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे प्रतिष्ठान के माध्यम से धारित किया है जो उद्यम पूंजी संगठन, या म्यूचल फंड, यूनिट ट्रस्ट और निवेश संबद्ध बीमा फंड्स सहित इसी प्रकार के प्रतिष्ठान है तब वह प्रतिष्ठान उन सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) या संयुक्त उद्यमों में किये गए उन निवेशों को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर माप करने के लिए चयन कर सकता है।
- 19 जब एक प्रतिष्ठान का एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) में ऐसा निवेश होता है, जिसका एक अंश उद्यम पूंजी संगठन, या म्यूचल फंड, यूनिट ट्रस्ट और निवेश संबद्ध बीमा फंड्स सहित इसी प्रकार के प्रतिष्ठान है के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से धारित किया गया है, तब प्रतिष्ठान सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) में किये गए उस अंश को, इस पर ध्यान दिये बिना कि निवेश के उस अंश पर उद्यम पूंजी संगठन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव है या नहीं, भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार लाभ अथवा हानि के द्वारा उचित मूल्य पर माप करने के लिए चयन कर सकता है। यदि प्रतिष्ठान ऐसा चयन करता है तो प्रतिष्ठान सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) में अपने निवेश के शेष अंश के लिए इक्विटी विधि को लागू करेगा जो कि उद्यम पूंजी संगठन के माध्यम से धारित नहीं की गयी है।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण

- 20 एक प्रतिष्ठान एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम में किए गए उस निवेश या निवेश के एक अंश पर भारतीय लेखा मानक 105 लागू करेगा जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किये जाने के मानदण्ड को पूरा करता है। एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में किये गये निवेश के किसी प्रतिधारित, अंश का, जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए तब तक लेखा किया जाएगा जब तक कि उस अंश का, जो बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत है, निपटान नहीं हो जाता है। निपटान हो जाने के बाद, एक प्रतिष्ठान सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में

- प्रतिधारित किसी हित का भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार तब तक लेखा करेगा जब तक कि प्रतिधारित हित एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम बना रहता है। इस मामले में, प्रतिष्ठान 'इक्विटी' विधि का प्रयोग करता है।
- 21 जब किसी सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में किया गया एक निवेश या निवेश का कोई अंश जिसे पहले बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अब बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत किये जाने के मानदण्ड को पूरा नहीं करता है तब इसका बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की तिथि से ही पूर्वव्यापी प्रभाव से 'इक्विटी' विधि का प्रयोग करते हुए लेखा किया जाएगा। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण करने तक कि अवधियों के वित्तीय विवरणों को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

'इक्विटी' विधि का प्रयोग बन्द करना

- 22 एक प्रतिष्ठान 'इक्विटी' विधि का प्रयोग उस तिथि से बन्द कर देगा जब वह निवेश निम्न प्रकार से एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम नहीं रहता :
- (क) यदि निवेश एक अनुषंगी प्रतिष्ठान का स्वरूप ग्रहण कर लेता है तो प्रतिष्ठान अपने निवेश का भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन*, तथा भारतीय लेखा मानक 110 के अनुसार लेखा करेगा;
- (ख) यदि पूर्ववर्ती सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में प्रतिधारित हित एक वित्तीय आस्ति है तो प्रतिष्ठान प्रतिधारित हित का उचित मूल्य पर माप करेगा। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्रतिधारित हित के उचित मूल्य को एक वित्तीय आस्ति के रूप में प्रारम्भिक मान्यता पर इसका उचित मूल्य समझा जाएगा। प्रतिष्ठान निम्नलिखित के बीच किसी प्रकार के अन्तर को लाभ या हानि में मान्यता देगा : -
- (i) सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में प्रतिधारित हित या हित के अंश के निपटान से प्राप्त राशियों का उचित मूल्य; और
- (ii) जिस तिथि को इक्विटी विधि बन्द कर दी गई थी उस तिथि पर निवेश की अग्रणीत राशि।
- (ग) जब एक प्रतिष्ठान इक्विटी विधि का प्रयोग बन्द कर देता है तब प्रतिष्ठान उस निवेश के संबंध में अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्यता-प्राप्त सभी राशियों का उसी आधार पर लेखा करेगा जैसाकि निवेशिती द्वारा संबंधित आस्तियों या दायित्वों को प्रत्यक्ष रूप से निपटान करने पर जरूरी होता है।
- 23 अतः, यदि निवेशिती द्वारा पूर्व में अन्य व्यापक आय में मान्यता लाभ (गेन) या हानि संबंधित आस्तियों या दायित्वों के निपटान के समय लाभ (प्रोफिट) या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता, तब प्रतिष्ठान इक्विटी विधि का प्रयोग बन्द करने पर लाभ (गेन) या हानि को इक्विटी से लाभ (प्रोफिट) या हानि में (पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में) पुनर्वर्गीकृत करेगा। उदाहरण के लिए, यदि एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में विदेशी परिचालन से संबंधित संचयी विनिमय अन्तर है तथा प्रतिष्ठान इक्विटी विधि का प्रयोग बन्द कर देता है तो प्रतिष्ठान विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ (गेन) अथवा हानि को लाभ (प्रोफिट) अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत करेगा जिसे पूर्व विदेशी विनिमय के संबंध में अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी।
- 24 यदि एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) में किया गया निवेश एक संयुक्त उद्यम में निवेश बन जाए अथवा एक संयुक्त उद्यम में किया गया निवेश सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश बन जाए, तो प्रतिष्ठान इक्विटी विधि को लागू करना जारी रखेगा और प्रतिधारित हित का पुनर्माप नहीं करेगा।

स्वामित्व हित में परिवर्तन

- 25 यदि किसी सहयोगी प्रतिष्ठान या किसी संयुक्त उद्यम में किसी प्रतिष्ठान के स्वामित्व हित में कमी कर दी जाती है, किन्तु, प्रतिष्ठान इक्विटी विधि का प्रयोग जारी रखता है तो प्रतिष्ठान लाभ (गेन) या हानि के उस अंश को लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत करेगा जो पूर्व में स्वामित्व हित में की गई कटौती (कमी) से संबंधित था और उसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी, ठीक वैसे ही जैसे कि उस लाभ (गेन) या हानि को संबंधित आस्तियों या दायित्वों के निपटान पर लाभ (प्रोफिट) या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित था।

इक्विटी विधि की प्रक्रियाएँ

- 26 अधिकांश प्रक्रियाएँ जो इक्विटी विधि को लागू करने के लिए उपयुक्त हैं, भारतीय लेखा मानक 110 में वर्णित समेकन प्रक्रियाओं की तरह ही हैं। इसके अतिरिक्त, अवधारणाओं से अंतर्निहित प्रक्रियाएँ, जो कि, अनुषंगी प्रतिष्ठान के अधिग्रहण के लेखे के लिए प्रयुक्त की गई हैं; एक सहयोगी प्रतिष्ठान या एक संयुक्त उद्यम में किये गए निवेश के अधिग्रहण के लेखे में भी अपनायी जाती हैं।
- 27 एक सहयोगी प्रतिष्ठान या एक संयुक्त उद्यम में एक समूह का अंश मूल प्रतिष्ठान या इसके अनुषंगी प्रतिष्ठानों द्वारा उस सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में धारिताओं का कुल जोड़ होता है। समूह के अन्य सहयोगी प्रतिष्ठानों या संयुक्त उद्यमों में धारिताओं को इस प्रयोजन के लिए नजर अन्दाज कर दिया जाता है। जब एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम के अनुषंगी

- प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम होते हैं तब इक्विटी विधि को लागू करने के लिए उस लाभ अथवा हानि, अन्य व्यापक आय तथा निवल आस्तियों को हिसाब में लिया जाता है जिन्हें सहयोगी प्रतिष्ठानों या संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों में (सहयोगी प्रतिष्ठानों अथवा संयुक्त उद्यमों के लाभ अथवा हानि, अन्य व्यापक आय इसके सहयोगी प्रतिष्ठानों अथवा संयुक्त उद्यमों की निवल आस्तियों के अंश सहित) एक समान लेखा नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए किसी प्रकार के आवश्यक समायोजनों के बाद, मान्यता दी गयी है (देखें अनुच्छेद 35 व 36 ।)
- 28 एक प्रतिष्ठान (अपने समेकित अनुषंगी प्रतिष्ठान सहित) और इसके सहयोगी प्रतिष्ठान तथा संयुक्त उद्यम के बीच आरोही व अवरोही ('अपस्ट्रीम' व 'डाउनस्ट्रीम') लेन-देनों से होने वाले लाभों (गेन) एवं हानियों को प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में केवल सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के निवेशक के असंबद्धित हितों तक की सीमा तक ही मान्यता दी जाती है। उदाहरणार्थ, आरोही (अपस्ट्रीम) लेन-देन, सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम से निवेशक को की गई आस्तियों की बिक्रियां होती हैं। इसी तरह, उदाहरणस्वरूप, अवरोही (डाउनस्ट्रीम) लेन-देन निवेशक से इसके सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम को की गई आस्तियों की बिक्रियां व अंशदान होते हैं। इन लेन-देनों के फलस्वरूप सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम को होने वाले लाभों (गेन) या हानियों में निवेशक के अंश को विलुप्त कर दिया जाता है।
- 29 जब अवरोही लेन-देन, विक्रय की जाने वाली अथवा अंशदान की जाने वाली आस्तियों के निवल वसूली-योग्य मूल्य में कमी अथवा उन आस्तियों की क्षतिग्रस्तता हानि के प्रमाण देते हैं, तब उन हानियों को निवेशक द्वारा पूर्णतया मान्यता दी जाएगी। जब आरोही लेन-देन, खरीदी जाने वाली आस्तियों के निवल वसूली-योग्य मूल्य में कमी अथवा उन आस्तियों की क्षतिग्रस्तता हानि के प्रमाण देते हैं, तब निवेशक उन हानियों में अपने अंश को मान्यता देगा।
- 30 एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम, में एक इक्विटी हित के बदले में एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम को गैर-मौद्रिक आस्ति के अंशदान का लेखा, उस स्थिति को छोड़कर जब अंशदान में वाणिज्यिक तत्व का अभाव हो, अनुच्छेद 28 के अनुसार किया जाएगा। इस शब्द वाणिज्यिक तत्व का वर्णन भारतीय लेखा मानक 16 *संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण* में किया गया है। यदि ऐसे अंशदान में वाणिज्यिक तत्व का अभाव होता है तो लाभ (गेन) या हानि को अप्राप्त समझा जाता है और इसे तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि अनुच्छेद 31 भी लागू नहीं होता हो। ऐसी प्राप्त न हुए लाभों (गेन) या हानियों को इक्विटी विधि का प्रयोग करके उस निवेश के लेखा से विलुप्त कर दिया जाएगा और प्रतिष्ठान के समेकित तुलन-पत्र में अथवा प्रतिष्ठान के तुलन-पत्र में, जिनमें निवेशों का लेखा इक्विटी विधि का प्रयोग करके किया जाता है, आस्थगित लाभों (गेन) या हानियों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
- 31 एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में इक्विटी हित प्राप्त करने के अतिरिक्त, यदि एक प्रतिष्ठान मौद्रिक या गैर-मौद्रिक आस्तियां प्राप्त करता है तो प्रतिष्ठान प्राप्त मौद्रिक या गैर-मौद्रिक आस्तियों से संबंधित गैर-मौद्रिक अंशदान पर हुए लाभ (गेन) अथवा हानि के अंश को पूर्णरूप से लाभ या हानि में मान्यता देता है।
- 32 एक निवेश का लेखा इक्विटी विधि का प्रयोग करके उस तिथि से किया जाता है जब से वह एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम हो जाता है। निवेश के अधिग्रहण पर निवेश की लागत तथा निवेशिती की पहचान योग्य आस्तियों एवं दायित्वों के निवल उचित मूल्य में प्रतिष्ठान के अंश के बीच किसी अन्तर का लेखा निम्न प्रकार से किया जाएगा:-
- (क) एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम से संबंधित साख (गुडविल) को निवेश की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है। उस साख के परिशोधन की अनुमति नहीं है।
- (ख) निवेश की लागत पर निवेशिती की पहचान-योग्य आस्तियों अथवा दायित्वों के निवल उचित मूल्य में प्रतिष्ठान के हिस्से के किसी अतिरिक्त अंश को उस अवधि में आरक्षित पूंजी के रूप में इक्विटी में सीधे ही मान्यता दे दी जाती है जिस अवधि में निवेश अधिगृहीत किया गया है।
- अधिग्रहण के पश्चात्, सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के लाभ या हानि में प्रतिष्ठान के हिस्से के समायोजन, जैसे कि, अवक्षयी आस्तियों के अधिग्रहण की तिथि के उचित मूल्यों पर आधारित मूल्यहास का लेखा किया जाता है। इसी तरह, अधिग्रहण के पश्चात् सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के लाभ या हानि में प्रतिष्ठान के हिस्से का उचित समायोजन क्षतिग्रस्तता हानियों के लिए किया जाता है, जैसेकि, साख अथवा संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की क्षतिग्रस्तता हानियों के लिए।
- 33 प्रतिष्ठान इक्विटी विधि के प्रयोग में सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के सर्वाधिक नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों का प्रयोग करता है। जब प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति से भिन्न हो, तब सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम प्रतिष्ठान के प्रयोग के लिए अपने वित्तीय विवरणों को उसी तिथि के अनुसार तैयार करता है जो कि प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की हो, यदि यह करना व्यावहारिक न हो।
- 34 जब अनुच्छेद 33 के अनुसार, इक्विटी विधि को लागू करने में सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के उन वित्तीय विवरणों का प्रयोग किया जाता है जो प्रतिष्ठान द्वारा प्रयोग की गई तिथि से भिन्न तिथि पर तैयार किए गए हैं। तब दोनों तिथियों के बीच होने वाले महत्वपूर्ण लेन-देनों अथवा घटनाओं के प्रभावों का समायोजन किया जाएगा। किसी भी मामले में सहयोगी प्रतिष्ठान या

- संयुक्त उद्यम की रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तथा प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बीच तीन महीने से अधिक का अन्तर नहीं होगा। रिपोर्टिंग अवधियों का विस्तार तथा रिपोर्टिंग अवधियों की समाप्तियों के बीच का अन्तर एक अवधि-से-दूसरी तक एक-जैसा ही होगा।
- 35 प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण एक-जैसी परिस्थितियों में, एक-जैसे लेन-देन तथा एक-जैसी घटनाओं के लिए समरूप लेखा नीतियों का प्रयोग करते हुए तब तक तैयार किए जाएंगे जब तक कि एक सहयोगी प्रतिष्ठान के मामले में, ऐसा करना अव्यवहारिक न हो।
- 36 यदि एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम एक - समान परिस्थितियों में एक-जैसे लेन-देनों अथवा एक-जैसी घटनाओं के लिए प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों से भिन्न लेखा-नीतियों का प्रयोग करता है तो सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम की लेखा नीतियों को प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों के समरूपी बनाने के लिए, तब समायोजन किए जाएंगे जब सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण प्रतिष्ठान द्वारा इक्विटी विधि लागू करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
- 37 यदि एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम के पास बकाया संचयी अधिमान शेयर हैं जो प्रतिष्ठान से भिन्न पार्टियों द्वारा धारित हैं और इक्विटी के रूप में वर्गीकृत हैं, तो प्रतिष्ठान ऐसे शेयरों पर लाभांशों के समायोजन के बाद लाभ या हानि के अपने अंश की गणना करता है, भले ही ये लाभांश घोषित किये गये हों या नहीं।
- 38 यदि सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम की हानियों में प्रतिष्ठान का अंश, सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में इसके हित के समान या अधिक होता है तो प्रतिष्ठान आगे की हानियों के अपने अंश को मान्यता देना बंद कर देता है। सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में हित उस सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में निवेश की अग्रणीत राशि होती है जिसे इक्विटी विधि के प्रयोग के साथ-साथ किन्ही दीर्घकालिक हितों, जो वास्तव में प्रतिष्ठान के सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में निवल निवेश का अंश हैं, के आधार पर निश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक मद, जिसके लिए निपटान न तो योजनागत है और न ही निकट भविष्य में उसके निपटान की कोई संभावना है, वास्तव में उस सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिष्ठान के निवेश का विस्तार है। ऐसी मदों में अधिमान शेयरों तथा दीर्घकालिक प्राप्य राशियां अथवा ऋणों को तो शामिल किया जा सकता है, किन्तु व्यापार से प्राप्य राशियां, व्यापार की देय राशियां अथवा ऐसी कोई दीर्घकालिक प्राप्य राशियों, को, जिसके लिए पर्याप्त संपार्श्विक प्रतिभूति विद्यमान है, जैसे कि, जमानती ऋण, शामिल नहीं किया जाता। सामान्य शेयरों में प्रतिष्ठान के निवेश के अधिक्य में इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए मान्य हानियां प्रतिष्ठान के हित के अन्य घटकों पर एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में उनकी वरीयता के विपरीत क्रम में (अर्थात् परिसमापन को प्राथमिकता) प्रयोग में लायी जाती हैं।
- 39 प्रतिष्ठान के हित के शून्य हो जाने के बाद केवल उस सीमा तक अतिरिक्त हानियों का प्रावधान किया जाता है और दायित्व को मान्यता दी जाती है जिस सीमा तक प्रतिष्ठान ने विधिक या प्रलक्षित बाध्यताओं को ग्रहण कर लिया है अथवा उसने सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान कर दिया है। यदि सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम बाद में लाभों को रिपोर्ट करता है तो प्रतिष्ठान उन अपने हिस्से के लाभों में तभी मान्यता देता है जब लाभों में उसका हिस्सा अमान्य हानियों में उसके हिस्से के समान हों।

क्षतिग्रस्तता हानियां

- 40 अनुच्छेद 38 के अनुसार सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम की हानियों को मान्यता देने के साथ-साथ इक्विटी विधि को लागू करने के बाद, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 41क-41ग का प्रयोग करता है यह निर्धारित करने के लिए करता है कि क्या यह ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण है कि सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में उसका निवल निवेश क्षतिग्रस्त तो नहीं है।
- 41 प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 में दी गयी क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं को सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में अपने उन हितों पर लागू करता है जो इस लेखा मानक भारतीय लेखा मानक 109 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हैं और जिनका निवल निवेश में कोई अंश नहीं है।
- 41क एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में निवल निवेश क्षतिग्रस्त है और क्षतिग्रस्तता हानियां तब होती हैं जब और केवल जब उस क्षतिग्रस्तता का स्पष्ट प्रमाण है जो एक निवल निवेश (एक हानि की घटना) की प्रारंभिक मान्यता के बाद हुई एक या एक से अधिक घटनाओं के फलस्वरूप है और उस हानि की घटना अथवा घटनाओं का प्रभाव विश्वसनीय रूप से प्राक्कलित किये जाने वाले निवल निवेश के अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों पर पड़ता है। यह संभव नहीं है कि उस एक अलग घटना का पता लगया जाए जिससे कि क्षतिग्रस्तता होती है। बल्कि, अनेक घटनाओं के मिश्रित प्रभाव के कारण क्षतिग्रस्तता हो सकती है। भावी घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रत्याशित हानियां चाहे उनका होना कितना भी संभावित हो, को मान्यता नहीं दी जाती है। निवल निवेश क्षतिग्रस्तता के वस्तुनिष्ठ प्रमाण में दृष्टिगोचर आंकड़े (डाटा) शामिल होते हैं जो निम्नलिखित हानि घटनाओं के प्रति प्रतिष्ठान का ध्यान आकर्षित करते हैं:-
- (क) सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई;
- (ख) सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करना, जैसेकि, भुगतानों में चूक या टाल-मटोल करना;

- (ग) उस आर्थिक या कानूनी कारणों जिनसे सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम को वित्तीय कठिनाई हुई है, प्रतिष्ठान द्वारा सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम को वह रियायत देना जो प्रतिष्ठान अन्यथा देने का विचार नहीं करता;
- (घ) इसकी संभावना है कि सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम या तो दिवालियापन के कगार पर है या उसका कोई अन्य वित्तीय पुनर्गठन हो सकता है ; या
- (ङ.) सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की वित्तीय कठिनाईयों के चलते निवल निवेश के सक्रिय बाजार का गायब हो जाना ।
- 41ख चूंकि सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की इक्विटी या वित्तीय लिखतें सार्वजनिक रूप से खरीदी-बेची नहीं जा रही हैं और इस लिए सक्रिय बाजार गायब होना, यह क्षतिग्रस्तता का प्रमाण नहीं है। एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या उसके उचित मूल्य में कमी भी क्षतिग्रस्तता का प्रमाण नहीं है लेकिन इस अन्य उपलब्ध सूचना के साथ क्षतिग्रस्तता का प्रमाण समझा जा सकता है।
- 41ग अनुच्छेद 41 क में दी गयी घटनाओं के प्रकार के अतिरिक्त सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की इक्विटी लिखतों में निवल निवेश की क्षतिग्रस्तता के वस्तुनिष्ठ प्रमाण में प्रौद्योगिकी बाजार आर्थिक या कानूनी परिवेश, जिनमें कि वह सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम परिचालन करता है और यह संकेत करते हैं कि इक्विटी लिखत की निवेश लागत भी वसूल नहीं होगी। एक इक्विटी लिखत में निवेश के उचित मूल्य में एक महत्वपूर्ण अथवा दीर्घकालिक गिरावट जिससे वह उचित मूल्य इसकी लागत से नीचे हो जाता है, यह भी क्षतिग्रस्तता का वस्तुनिष्ठ प्रमाण है ।
- 42 क्योंकि साख (गुडविल), जो एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में किये गए निवल निवेश की अग्रणीत राशि का भाग होती है, उसे अलग-से मान्यता नहीं दी जाती है, इसलिए, भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता* में साख की क्षतिग्रस्तता की जांच की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए क्षतिग्रस्तता की जांच अलग-से नहीं की जाती है। इसके बजाय, जब कभी भी अनुच्छेद 41क-41ग का प्रयोग यह दर्शाता है कि निवल निवेश क्षतिग्रस्त हो सकता है, निवेश की समस्त अग्रणीत राशि को भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार क्षतिग्रस्तता के लिए एकल आस्ति के रूप में इसकी अग्रणीत राशि के साथ इसकी वसूली योग्य राशि (**प्रयोग मूल्यो तथा विक्रय लागत घटा कर उचित मूल्य में से, जो भी अधिक है**) की तुलना करके जांच की जाती है। उन परिस्थितियों में साख (गुडविल) सहित मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्तता हानि किसी उस आस्ति को आबंटित नहीं होता है जो सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में किए गए निवल निवेश की अग्रणीत राशि का भाग होती है। तदनुसार, उस क्षतिग्रस्तता हानि का कोई विपर्याय (उलटाव) भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार उस सीमा तक मान्य होता है जिस तक निवल निवेश की वसूली-योग्य राशि बाद में बढ़ती है। निवल निवेश का प्रयोग किए जा रहे मूल्य का निर्धारण करते समय प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्राक्कलन करता है:
- (क) सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के परिचालनों से नकदी प्रवाहों सहित सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम द्वारा उत्पादित होने वाले प्राक्कलित भावी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य में इसका भाग तथा निवेश के अन्तिम निपटान से होने वाली प्राप्तियां; या
- (ख) निवेश से प्राप्त होने वाले लाभांशों तथा इसके अन्तिम निपटान से उत्पन्न प्राक्कलित भावी नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य। उपयुक्त अवधारणाओं का प्रयोग करने पर, दोनों विधियां एक-ही परिणाम देती हैं।
- 43 एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में किये गए निवेश की वसूली-योग्य राशि प्रत्येक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के लिए तब तक निर्धारित की जाएगी जब तक कि सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम निरंतर प्रयोग से ऐसे नकदी अंतर्प्रवाह पैदा नहीं करता है जो मुख्य रूप से प्रतिष्ठान की अन्य आस्तियों से स्वतंत्र होते हैं ।

पृथक वित्तीय विवरण

- 44 एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में किया गया निवेश भारतीय लेखा मानक 27 के अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों में लेखा किया जाएगा।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन केवल भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 28, सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएटों) तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश और अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 28, सहयोगी प्रतिष्ठानों तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश के बीच प्रमुख अन्तरों को, यदि कोई हों, स्पष्ट करना है:

अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 28, सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश के साथ तुलना

- 1 अनुच्छेद 32 (ख) को भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन* के अनुसार संशोधित किया गया है जिसमें निवेश की लागत पर निवेशिती की पहचान योग्य आस्तियों एवं दायित्वों के निवल उचित मूल्य में निवेशक के अंश के अधिशेष को आरक्षित पूंजी में अन्तरित किया जाता है। जबकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 28 में इसे लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है ।

- 2 भारतीय लेखा मानक 28 का अनुच्छेद 35 एक-समान लेखा नीतियों के प्रयोग की अपेक्षा करता है, जब तक कि एक सहयोगी प्रतिष्ठान के मामले में यह अव्यवहारिक न हो। अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 28 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि निवेशक का सहायक प्रतिष्ठान पर 'नियंत्रण' नहीं होता है। यह सहयोगी प्रतिष्ठान को अतिरिक्त वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रभावित नहीं कर सकता अथवा उससे यह भी अपेक्षा नहीं कर सकता कि वह सहयोगी प्रतिष्ठान उन लेखा नीतियों का पालन करें जिनका वह अनुसरण करता है।
- 3 इस लेखा मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जोकि मौजूदा कानून में प्रयोग होती है, जैसेकि, शब्द 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' का प्रयोग किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 29

उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप एवं सामान्य टाइप में अनुच्छेद दिए गए हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का प्राधिकार समान है। मोटे टाइप में दिये गये अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के सूचक हैं)

कार्यक्षेत्र

1. यह मानक एक प्रतिष्ठान के समेकित विवरणों सहित उन वित्तीय विवरणों पर लागू किया जाएगा जिसकी कार्यात्मक मुद्रा उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा है।
2. एक उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था में, बिना पुनर्कथन स्थानीय मुद्रा में परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति की रिपोर्टिंग लाभदायक नहीं है। धन एक ऐसी दर पर अपनी क्रय शक्ति इस हद तक खो देता है कि अलग-अलग समय में हुए लेन-देनों और घटित घटनाओं और यहां तक कि एक-ही लेखा अवधि में राशियों की तुलना भ्रामक हो जाती है।
3. यह मानक एक ऐसी सम्पूर्ण दर निर्धारित नहीं करता जिस पर कि उच्च मुद्रास्फीति उत्पन्न मानी जाये। यह केवल विवेक पूर्ण निर्णय पर ही निर्भर करता है कि इस लेखा मानक के अनुसरण में वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन कब आवश्यक हो जाता है। उच्च मुद्रास्फीति एक देश के आर्थिक परिवेश की विशेषताओं से इंगित होती है, जिनमें निम्नलिखित तो सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन, ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :-
 - (क) साधारण जनता अपने धन को गैर मौद्रिक आस्तियों अथवा किसी तुलनात्मक रूप से स्थिर विदेशी मुद्रा में रखना पसंद करती है। स्थानीय मुद्रा में धारित राशियों को तत्काल निवेशित कर दिया जाता है ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे;
 - (ख) साधारण जनता मौद्रिक राशियों को स्थानीय मुद्रा में न रखकर अपेक्षाकृत रूप से स्थिर विदेशी मुद्रा में रखना पसंद करती है। कीमतों को भी उसी मुद्रा उद्धरित किया जा सकता है;
 - (ग) उधार पर बिक्री और खरीद की कीमतों को इस प्रकार से रखा जाता है कि उधार की अवधि के बीच क्रय शक्ति की संभावित हानि की क्षतिपूर्ति हो जाए, भले ही वह अवधि कम क्यों न हो;
 - (घ) ब्याज दरें, वेतन और कीमतें, कीमत सूचकांक से संबद्ध रहती हैं; तथा
 - (ङ.) तीन वर्षों के दौरान, संचित मुद्रा स्फीति की दर 100 प्रतिशत के आसपास या फिर इससे भी अधिक हो जाती है।
4. यह अधिक अधिमान योग्य होगा कि सभी प्रतिष्ठान, जोकि उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की ही मुद्रा में रिपोर्ट करते हैं, इस मानक को उसी तिथि से लागू करें। फिर भी, यह मानक किसी प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ से ही लागू हो जायेगा, जिस अवधि में वह उस देश में उच्च मुद्रास्फीतिशील की विद्यमानता की पहचान करता है जिस देश की मुद्रा में वह रिपोर्ट करता है।

वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन

5. समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सामान्य या विशेष राजनैतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक दबावों के परिणामस्वरूप कीमतों में परिवर्तन होते रहते हैं। विशेष दबावों में, जैसे कि, मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन तथा प्रौद्योगिकीकरण के परिवर्तनों से वस्तु-विशेष की कीमतों में तेजी से वृद्धि या कमी होती है जो काफी एवं एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से हो सकती है। इसके अतिरिक्त, सामान्य दबावों में कीमतों में सामान्य परिवर्तन हो सकता है और इससे धन की सामान्य क्रय शक्ति भी प्रभावित होती है।
6. प्रतिष्ठान जोकि अपने वित्तीय विवरण लेखे की ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार करते हैं वे ऐसा कीमतों के सामान्य स्तर में परिवर्तन अथवा मान्य आस्तियों या दायित्वों की विशेष कीमतों की वृद्धि पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका अपवाद केवल वही आस्तियां व दायित्व हैं जिन्हें प्रतिष्ठान उनके उचित मूल्य पर माप करने की अपेक्षा करता है या चयन करता है। उदाहरणतया, सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन उचित मूल्य के आधार पर किया जा सकता है जबकि जैविक आस्तियों को सामान्यतया उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेकिन, कुछ प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को चालू लागत दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत करते हैं जोकि धारित आस्तियों की विशेष कीमतों में परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हैं।

7. एक उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था में तैयार किए गए वित्तीय विवरण, चाहे वे ऐतिहासिक लागत दृष्टिकोण के आधार पर हों या फिर चालू लागत दृष्टिकोण के आधार पर, तभी लाभदायक हो सकते हैं जबकि उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप इकाई के संदर्भ में स्पष्ट किया जाए। इसके फलस्वरूप, यह मानक उन्हीं प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरणों पर लागू होता है जोकि उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा में रिपोर्ट करते हैं। इस मानक द्वारा अपेक्षित जानकारी की गैर-पुनर्कथन विवरणों के पूरक के रूप में प्रस्तुति की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, पुनर्कथन से पूर्व वित्तीय विवरणों की अलग-से प्रस्तुति को भी हतोत्साहित किया जाता है।
8. एक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण जिसकी कार्यात्मक मुद्रा एक उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा है, चाहे वे विवरण ऐतिहासिक लागत दृष्टिकोण पर आधारित हैं या चालू लागत दृष्टिकोण पर उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप इकाई पर वर्णित किया जायेगा। भारतीय लेखा मानक 1, *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण* में अपेक्षित पूर्व अवधि के तदनुरूपी आंकड़ें और अन्य कोई सूचना भी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप इकाई पर ही वर्णित की जाएगी। भिन्न-भिन्न प्रस्तुति मुद्रा में तुलनात्मक राशियों को प्रस्तुत करने के प्रयोजन से लेखा मानक 21, *विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव* के अनुच्छेद 42 (ख) और 43 लागू होते हैं।
9. शुद्ध मौद्रिक स्थिति पर हुई प्राप्ति अथवा हानि, लाभ अथवा हानि में सम्मिलित की जाएगी और उसका अलग-से उल्लेख किया जायेगा।
10. इस मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन कुछ प्रक्रियाओं को लागू करने और विवेकपूर्ण निर्णयों के प्रयोग की अपेक्षा करता है। पुनर्कथित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित परिणामस्वरूप राशियों की उपयुक्तता की बजाय इन प्रक्रियाओं का सतत् रूप से उपयोग और विवेकपूर्ण निर्णय का निरंतर प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण है।

ऐतिहासिक लागत वित्तीय विवरण

तुलन-पत्र

11. तुलन-पत्र की राशियां यदि पहले रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में चालू माप इकाई के संदर्भ वर्णित नहीं की गयी हैं, तो उनका पुनर्कथन उन्हें सामान्य कीमत सूचकांक को प्रयोग करते हुए किया जाता है।
12. मौद्रिक मदों का पुनर्कथन नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू मौद्रिक इकाई के संदर्भ में पहले ही व्यक्त किया जाता है। मौद्रिक मदें वे होती हैं जो राशि धन के रूप में धारित (रखी हुई) होती हैं और धन के रूप में ही या तो प्राप्त होती हैं या फिर अदा की जाती हैं।
13. आस्तियां और दायित्वों का, जो कीमतों में परिवर्तन के करार से संबद्ध होता है, जैसे कि सूचकांक से संबद्ध बांड और ऋण, का समायोजन करार के अनुसार किया जाता है ताकि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि को ज्ञात किया जा सके। इन मदों को पुनर्कथित तुलन-पत्र में समायोजित राशि के रूप में अग्रणीत किया जाता है।
14. शेष अन्य आस्तियां तथा दायित्व गैर मौद्रिक मदें होती हैं। कुछ गैर मौद्रिक मदें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू राशियों के रूप में अग्रणीत की जाती हैं, जैसे कि, वसूली योग्य शुद्ध मूल्य और उचित मूल्य, अतः इनका पुनर्कथन नहीं किया जाता है। अन्य सभी गैर मौद्रिक आस्तियों तथा दायित्वों का पुनर्कथन किया जाता है।
15. अधिकतर गैर मौद्रिक मदें लागत पर या मूल्यहास घटा कर लागत पर अग्रणीत की जाती हैं। अतः उन्हें अधिग्रहण किये जाने की तिथि की चालू राशियों पर वर्णित किया जाता है। प्रत्येक मद की पुनर्कथित लागत या मूल्यहास घटाकर लागत का निर्धारण ऐतिहासिक लागत और संचित मूल्यहास, मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को लागू करके किया जाता है जो अधिग्रहण की तिथि से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक होता है। उदाहरण के लिए, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, कच्चे माल का सूचीबद्ध सामान, माल, प्रतिष्ठा (गुडविल), पेटेंट, ट्रेडमार्क और इसी प्रकार की आस्तियों का पुनर्कथन उनकी क्रय तिथि से किया जाता है। पूरी तरह से तैयार व आंशिक रूप से तैयार माल के सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) का पुनर्कथन उन तिथियों से किया जाता है जिन पर उनकी खरीद और संपरिवर्तन (कनवर्जन) की लागत होती है।
16. संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मदों के अधिग्रहण का तिथिवार विस्तृत रिकार्ड उपलब्ध न हो और न ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी दुर्लभ परिस्थितियों में, यह आवश्यक हो जाता है कि इस मानक को लागू करने की पहली अवधि में इन मदों के मूल्य स्वतंत्र व्यावसायिक आकलन करवाकर उनके पुनर्कथन का आधार बनाया जाए।
17. इस मानक की अपेक्षानुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के पुनर्कथन के लिए, शायद इन अवधियों के सामान्य कीमत सूचकांक उपलब्ध न हों। इन परिस्थितियों में, अनुमान आधार का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है, उदाहरणार्थ, कार्यात्मक मुद्रा और तुलनात्मक रूप से विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर में परिवर्तन।

18. कुछ गैर मौद्रिक मदों को अधिग्रहण या तुलन-पत्र की तिथि के अलावा अन्य तिथियों की विद्यमान राशियों पर अग्रणीत किया जाता है, उदाहरणार्थ, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर जिनका पुनर्मूल्यांकन कुछ पहले की तिथि पर किया गया है। इन मामलों में, अग्रणीत राशियों का पुनर्कथन पुनर्मूल्यांकन की तिथि से किया जाएगा।
19. एक गैर मौद्रिक मद की पुनर्कथित राशि उपयुक्त इंड ए एस के अनुसार कम की जाती है जब वह इसकी वसूली-योग्य राशि से अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों, साख (गुडविल) और ट्रेडमार्कों के पुनर्कथन की राशियां वसूली होने योग्य राशि तक कम कर दी जाती हैं और सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की पुनर्कथन राशियां शुद्ध वसूली योग्य मूल्य तक कम कर दी जाती हैं।
20. उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था में एक निवेशिती जो 'इक्विटी' विधि के आधार पर लेखा तैयार करता है वह उच्च मुद्रास्फीतिशील की मुद्रा में रिपोर्ट कर सकता है। इस प्रकार के निवेशिती का तुलन पत्र तथा लाभ और हानि विवरण इस लेखा मानक के अनुसार पुनर्कथित किया जाता है ताकि शुद्ध आस्तियों और लाभ या हानि में निवेशक के हिस्से की गणना की जा सके। जब निवेशिती के पुनर्कथित वित्तीय विवरणों को विदेशी मुद्रा में व्यक्त किया जाता है तो उन्हें अंतिम तिथियों पर ही रूपांतरित किया जाता है।
21. आमतौर पर, मुद्रास्फीति के प्रभाव को उधार लागतों में मान्यता दी जाती है। यह उचित नहीं होगा कि उधार द्वारा वित्तपोषित पूंजीगत खर्चों और उधार लागतों के उस भाग को पूंजीकृत करने जो उस अवधि की मुद्रास्फीति की क्षतिपूर्ति करे, इन दोनों का पुनर्कथन करना उचित नहीं होगा। उधार लागतों के उस भाग को उस अवधि में, जिसमें कि वे लागतें खर्च हुई हैं, एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
22. एक प्रतिष्ठान किसी व्यवस्था के तहत आस्तियों का अधिग्रहण कर सकता है जिसके अंतर्गत उसे स्पष्ट ब्याज प्रभार खर्च करने के बिना ही भुगतान को स्थगित करने की अनुमति होती है। जिन मामलों में ब्याज की राशि का आंकलन करना अव्यवहार्य हो, ऐसी आस्तियों को खरीद की तिथि की बजाय भुगतान की तिथि से पुनर्कथित किया जाता है।
23. [देखें परिशिष्ट 1]
24. इस मानक के लागू किये जाने की प्रथम अवधि के आरंभ में, प्रतिधारित अर्जन व पुनर्मूल्यांकन आधिक्य को छोड़कर स्वामियों की 'इक्विटी' के घटकों का पुनर्कथन सामान्य कीमत सूचकांक के प्रयोग द्वारा उस तिथि से किया जाता है जिस पर इन घटकों का अंशदान हुआ है या अन्यथा वे उत्पन्न हुए हैं। पिछली अवधियों में यदि कोई पुनर्मूल्यांकित आधिक्य उत्पन्न हुआ तो उसे हटा दिया जाता है। पुनर्कथित प्रतिधारित अर्जनों को पुनर्कथित तुलन पत्र में अन्य समस्त राशियों से लिया जाता है।
25. प्रथम अवधि के अंत और उसके पश्चात् की अवधियों में, स्वामियों की 'इक्विटी' के सभी घटकों का पुनर्कथन सामान्य कीमत सूचकांक के द्वारा अवधि के प्रारंभ से या अंशदान की तिथि से, यदि वह बाद की है तो उस, से पुनर्कथन किया जाता है। इस अवधि के दौरान स्वामियों की इक्विटी में परिवर्तनों का प्रकटन भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसार किया जाता है।

लाभ - हानि विवरण

26. इस मानक की यह अपेक्षा है कि लाभ-हानि विवरण में सभी मदें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप इकाई के रूप में व्यक्त हों। अतः सभी राशियों को उन तिथियों से सामान्य कीमत सूचकांक में परिवर्तन के अनुसार पुनर्कथित करना आवश्यक है जब आय व व्यय की मदें प्रारंभ में वित्तीय विवरणों में दर्ज की जाती हैं।

शुद्ध मौद्रिक स्थिति पर लाभ (गेन) अथवा हानि

27. मुद्रास्फीति की अवधि, में एक प्रतिष्ठान जोकि वित्तीय दायित्वों से अधिक वित्तीय आस्तियां अपने पास रखता है अपनी क्रय शक्ति खो देता है, जबकि इसके विपरीत एक प्रतिष्ठान जिसके वित्तीय दायित्व उसकी आस्तियों से अधिक हैं, क्रय शक्ति उस हद तक ग्रहण करता है, जहां आस्तियां और दायित्व कीमतों स्तर से संबद्ध न हों। शुद्ध मौद्रिक स्थिति पर यह लाभ (गेन) अथवा हानि, गैर मौद्रिक आस्तियों, स्वामियों की 'इक्विटी', लाभ एवं हानि विवरण की मदों और आस्तियों व दायित्वों से संबद्ध सूचकांक के समायोजन के परिणामस्वरूप अंतर से उत्पन्न हो सकती है। लाभ (गेन) या हानि का अनुमान उस अवधि में मौद्रिक आस्तियों व दायित्वों के अंतर को भारित औसत आधार पर सामान्य मूल्य सूचकांक में परिवर्तन का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है।
28. शुद्ध मौद्रिक स्थिति पर लाभ (गेन) या हानि, लाभ या हानि में सम्मिलित होती है। अनुच्छेद 13 के अनुसरण में कीमतों में परिवर्तन करार से संबद्ध आस्तियों एवं दायित्वों का समायोजन शुद्ध मौद्रिक स्थिति पर लाभ (गेन) या हानि द्वारा समंजित (आफसेट) हो जाता है। अन्य आय व व्यय मदें, जैसे कि ब्याज आय व व्यय और निवेशित या उधार निधियों से संबद्ध विदेशी विनिमय अंतर, भी शुद्ध मौद्रिक स्थिति से संबद्ध हैं। हालांकि, ये मदें अलग-से प्रकट की जाती हैं परन्तु इस संदर्भ में यह सहायक होगा कि इन्हें लाभ हानि विवरण में शुद्ध मौद्रिक स्थिति में लाभ (गेन) या हानि के साथ प्रस्तुत किया जाए।

चालू लागत वित्तीय विवरण

तुलन-पत्र

29. चालू लागत पर वर्णित मदों का पुनर्कथन नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें पहले ही रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप इकाई के संदर्भ में वर्णित किया जा चुका है। तुलन-पत्र में अन्य मदों का अनुच्छेद 11 से 25 के अनुसरण में पुनर्कथन किया जाता है।

लाभ-हानि विवरण

30. पुनर्कथन से पूर्व, लाभ-हानि के चालू लागत विवरण में सामान्यता उन लागतों को रिपोर्ट किया जाता है जो ऐसे समय रहती हैं जिस पर अन्तर्निहित लेन-देन होते हैं या घटनाएं घटती हैं। बिक्रियों की लागत और मूल्यह्रास, उपभोग के समय चालू लागतों पर दर्ज किया जाता है जबकि बिक्रियां व अन्य व्यय उस समय दर्ज किये जाते हैं जब वे होते हैं। अतः सभी राशियों को चालू माप इकाई और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सामान्य कीमत सूचकांक का प्रयोग करते हुए पुनर्कथित किया जाना आवश्यक है।

शुद्ध मौद्रिक स्थिति पर लाभ (गेन) या हानि

31. शुद्ध मौद्रिक स्थिति पर लाभ (गेन) अथवा हानि का लेखा अनुच्छेद 27 और 28 के अनुसार किया जाएगा।

कर

32. इस मानक के अनुसार पुनर्कथित वित्तीय विवरणों में, तुलन-पत्र में व्यक्तिगत आस्तियों और दायित्वों की अग्रणीत राशि व उनके कर आधारों के बीच अंतर हो सकते हैं। इन अंतरों का लेखा इंड ए एस 12 आयकर के अनुसार किया जाता है।

नकदी प्रवाहों का विवरण

33. यह मानक अपेक्षा करता है कि नकदी प्रवाहों के विवरण में सभी मदें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप इकाई पर वर्णित की जाएं।

तदनुसूची अंक

34. पिछली रिपोर्टिंग अवधि के तदनुसूची अंक को, चाहे वे ऐतिहासिक लागत दृष्टिकोण पर आधारित हों अथवा चालू लागत दृष्टिकोण पर, सामान्य कीमत सूचकांक के आधार पर पुनर्कथित किया जाता है ताकि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप इकाई के अनुसार तुलनात्मक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जा सकें। पूर्व अवधियों की प्रकट सूचना भी अवधि के अंत पर चालू माप इकाई पर वर्णित की जाती है। भिन्न प्रस्तुतिकरण मुद्रा में तुलनात्मक राशि को प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए इंड ए एस 21 का अनुच्छेद 42 (ख) और 43 लागू होता है।

समेकित वित्तीय विवरण

35. एक मूल प्रतिष्ठान की, जो उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा में रिपोर्ट करता है, कुछ अनुषंगी प्रतिष्ठान हो सकते हैं और वे भी उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा में ही रिपोर्ट करते हैं। इस प्रकार के किसी अनुषंगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को उस देश के, जिसकी मुद्रा में वह रिपोर्ट करता है, सामान्य कीमत सूचकांक के अनुसार पुनर्कथित किया जाना आवश्यक है और उसके बाद ही मूल प्रतिष्ठान द्वारा जारी समेकित विवरण में उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई अनुषंगी प्रतिष्ठान विदेशी हो तो उसके पुनर्कथित वित्तीय विवरण अंतिम दरों पर रूपांतरित किये जाएंगे। ऐसे अनुषंगी प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरण जो उच्च मुद्रा स्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में रिपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें भारतीय लेखा मानक 21 के अनुसार व्यवहार में लिया जाता है।
36. अलग-अलग समाप्ति तिथियों की रिपोर्टिंग अवधियों के वित्तीय विवरणों को समेकित किया जाता है, सभी मदों को, चाहे वे गैर मौद्रिक हों अथवा मौद्रिक, वित्तीय विवरणों को समेकित किये जाने की तिथि पर चालू माप इकाई पर पुनर्कथित करना आवश्यक हो जाता है।

सामान्य कीमत सूचकांक का चयन एवं प्रयोग

37. इस मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन की यह अपेक्षा रहती है कि उनमें ऐसे सामान्य मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाए जो सामान्य क्रय शक्ति में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। यह और भी अधिक उचित होगा कि वे सभी प्रतिष्ठान, जो एक - जैसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा में रिपोर्ट करते हैं एक -जैसे कीमत सूचकांक का ही प्रयोग करें।

उच्च मुद्रा स्फीतिशील अर्थव्यवस्थाएं न रहना

38. जब एक अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीतिशील अवस्था में नहीं रहती है और प्रतिष्ठान इस भारतीय मानक के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना और प्रस्तुत करना बंद कर देता है तो यह बाद के वित्तीय विवरणों में अग्रणीत राशियों के लिए गत अवधि के अंत पर चालू माप इकाईयों में व्यक्त राशि को आधार के रूप में मानेगा।

प्रकटन

39. निम्नलिखित प्रकटन किए जाएंगे :

- (क) यह तथ्य कि, गत अवधियों के वित्तीय विवरण और तदनुसूची अंक कार्यात्मक मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति में परिवर्तनों के रूप में पुनर्कथित किये गये हैं, और जिसके फलस्वरूप रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप इकाई के अनुरूप वर्णित किये गये हैं ;
- (ख) यह कि, क्या वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत दृष्टिकोण पर आधारित हैं या कि चालू लागत दृष्टिकोण पर ; तथा
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कीमत सूचकांक की पहचान और उसका स्तर और चालू तथा गत अवधियों के दौरान कीमत सूचकांक में गतिविधि;
- (घ) अर्थव्यवस्था में विद्यमान उच्च मुद्रास्फीति स्थिति की समयावधि ।

40. इस मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटनों का आशय वित्तीय विवरणों में मुद्रास्फीति के प्रभावों के व्यवहार के आधार को स्पष्ट करना है। उनका आशय उस अन्य जानकारी को भी प्रदान करना है जिससे उस आधार तथा फलस्वरूप राशियों को समझा जा सके।

परिशिष्ट क

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 29 उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत पुनर्कथन दृष्टिकोण का प्रयोग लागू करना

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

1. यह परिशिष्ट यह मार्गदर्शन प्रदान करता है कि भारतीय लेखा मानक 29 की अपेक्षाओं को उस रिपोर्टिंग अवधि में कैसे लागू किया जाए जिसमें प्रतिष्ठान अपनी कार्यात्मक मुद्रा की अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति² की मौजूदगी महसूस करता है जबकि पिछली अवधि में वह अर्थव्यवस्था उच्च-मुद्रास्फीति के दौर में नहीं थी। इस तरह, प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक 29 के अनुसरण में पुनर्कथित करता है।

मुद्दे

2. इस परिशिष्ट में जिन प्रश्नों का समाधान किया गया है वे इस प्रकार हैं :
 - क) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 29 के अनुच्छेद 8 में दी गयी यह अपेक्षा कि 'रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप इकाई के संदर्भ में कथित' की व्याख्या उस समय कैसी की जाए जब प्रतिष्ठान इस लेखा मानक को लागू करता है।
 - ख) प्रतिष्ठान द्वारा अपने पुनर्कथित वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक आस्थगित कर मदों का लेखा कैसे किया जाए।

लेखा उपचार

3. उस रिपोर्टिंग अवधि में जिसमें प्रतिष्ठान अपनी कार्यात्मक मुद्रा की अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रा स्फीति की मौजूदगी की पहचान करता है जबकि पूर्व अवधि में वह उच्च मुद्रास्फीति में नहीं थी, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 29 की अपेक्षाओं को इस तरह से लागू करेगा कि मानों अर्थव्यवस्था हमेशा से ही उच्च मुद्रास्फीतिशील रही है। अतः, गैर मौद्रिक मदों के ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापने पर पुरानी-से-पुरानी अवधि के प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के प्रारंभिक तुलन पत्र को इस तरह से पुनर्कथित किया जाएगा ताकि जिस तिथि को आस्तियां अधिगृहीत की गयी थीं अथवा दायित्व उत्पन्न हुए थे या ग्रहण किये गये थे उस तिथि से मुद्रास्फीति के प्रभाव को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक परिलक्षित किया जाएगा। आस्ति के अधिग्रहण या दायित्वों के ग्रहण से भिन्न तिथियों में चालू राशियों पर प्रारंभिक तुलन-पत्र अग्रणीत गैर मौद्रिक मदें, पुनर्कथन रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मुद्रास्फीति के प्रभाव को उन तिथियों से लेगा जिन पर वे अग्रणीत चालू राशियां रिपोर्टिंग अवधि तक निश्चित न थीं।
4. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, आस्थगित कर की मदों को भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 12 के अंतर्गत मान्यता दी जाती है और उनका माप किया जाता है। यद्यपि रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रारंभिक तुलन पत्र आस्थगित करों के अंक निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किये जाएंगे :
 - क) प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभिक तुलन पत्र की तिथि पर गैर-मौद्रिक मदों की नाममात्र अग्रणीत राशि का पुनर्कथन करके भारतीय लेखा मानक 29 के अनुसरण में आस्थगित कर मदों का पुनर्माप करता है जिसके लिए वह उस तिथि की माप इकाई का प्रयोग करता है।
 - ख) उपर्युक्त (क) के अनुसार फिर से मापी गयी आस्थगित कर मदों का पुनर्कथन प्रारंभिक तुलन पत्र की तिथि से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक माप इकाई में परिवर्तन से किया जाएगा।

प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 29 का प्रयोग करते हुए रिपोर्टिंग अवधि के पुनर्कथित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किसी तुलनात्मक अवधि के प्रस्तुत प्रारंभिक तुलन पत्र में आस्थगित कर मदों के पुनर्कथन के लिए उपर्युक्त (क) तथा (ख) में दिये गये दृष्टिकोण का प्रयोग करता है।
5. प्रतिष्ठान द्वारा अपने वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन करने के उपरांत, परवर्ती वित्तीय विवरणों, जिनमें आस्थगित कर की मदें भी सम्मिलित हैं, तदनुरूपी अंक का पुनर्कथन रिपोर्टिंग अवधि में माप इकाई में परिवर्तन द्वारा किया जायेगा जिसका पुनर्कथन पूर्व की रिपोर्टिंग अवधि की वित्तीय विवरणों में पहले ही किया जा चुका हो।

² उच्च मुद्रास्फीति की पहचान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 29 के अनुच्छेद 3 में दिये गये मानदंड के अनुसार प्रतिष्ठान के विवेकपूर्ण निर्णय पर आधारित है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का उद्देश्य मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस 29) और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 29 उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं 'आई एफ आर आई सी' 7, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 29, उच्च मुद्रा स्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग, के अधीन पुनर्कथन दृष्टिकोण का प्रयोग, के बीच यदि कोई प्रमुख अंतर हों तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक 29, उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं 'आई एफ आर आई सी' 7 के साथ तुलना

1. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 29, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 29 की तुलना में अर्थव्यवस्था में मौजूद उच्च मुद्रास्फीतिशील स्थिति की अवधि के संबंध में अतिरिक्त प्रकटन की अपेक्षा करता है।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 29 में अनुच्छेद 23 'हटाया गया' के रूप में प्रदर्शित है। चूंकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 29 के साथ भारतीय लेखा मानक 29 की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, अतः इस अनुच्छेद संख्या को भारतीय लेखा मानक 29 में जारी रखा गया है।
3. भारतीय लेखा मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 32

वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में शामिल हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. [देखें परिशिष्ट 1]
2. इस मानक का उद्देश्य दायित्वों अथवा 'इक्विटी' के रूप में वित्तीय लिखतें प्रस्तुत करने एवं वित्तीय आस्तियों का समंजित (ऑफसेटिंग) करना है। यह जारीकर्ता के परिपेक्ष्य से, वित्तीय लिखतों के वित्तीय आस्तियों, वित्तीय दायित्वों तथा 'इक्विटी' लिखतों में वर्गीकरण तथा संबंधित ब्याज, लाभांशों, हानियों तथा लाभों (गेन्ज) के वर्गीकरण तथा उन परिस्थितियों पर लागू होता है जिनमें वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों का समंजित (ऑफसेट) किया जाना चाहिए।
3. इस मानक के सिद्धांत, भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखतें में वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों की मान्यता एवं माप तथा भारतीय लेखा मानक 107 वित्तीय लिखतें: प्रकटन में उनके बारे में सूचना के प्रकटन संबंधी सिद्धांतों के अनुपूरक हैं।

कार्यक्षेत्र

4. यह मानक निम्नलिखित को छोड़कर उन सभी प्रतिष्ठानों के सभी प्रकार के वित्तीय लिखतों पर लागू किया जाएगा :
 - (क) वे प्रतिष्ठान जिनका अनुषंगी प्रतिष्ठानों, सहयोगी प्रतिष्ठानों अथवा संयुक्त उद्यमों में हित हैं और जिनका लेखा भारतीय लेखा मानक 27, पृथक वित्तीय विवरण, भारतीय लेखा मानक 28, सहयोगी प्रतिष्ठानों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश, अथवा भारतीय लेखा मानक 110 में, समेकित वित्तीय विवरण, में किया जाता है। लेकिन, कुछ मामलों में, भारतीय लेखा मानक 110, भारतीय लेखा मानक 27 अथवा भारतीय लेखा मानक 28 एक प्रतिष्ठान से अपेक्षा करते हैं या उसे इस बात की अनुमति देते हैं कि वह प्रतिष्ठान, अनुषंगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में हित के लेखा के लिए भारतीय लेखा मानक 109 को भी प्रयोग में ला सकता है। उन मामलों में, प्रतिष्ठान इस मानक की अपेक्षाओं को लागू करेंगे। प्रतिष्ठान इस मानक को उन सभी व्युत्पन्न (डिरीवेटिव्स) पर भी लागू करेंगे जो अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यमों में हितों से संबंधित हैं।
 - (ख) कर्मचारी लाभ योजनाओं के अन्तर्गत नियोक्ताओं के अधिकारों एवं बाध्यताओं पर, जिन पर भारतीय लेखा मानक 19, कर्मचारी लाभ, लागू होता है।
 - (ग) [देखें परिशिष्ट 1]
 - (घ) बीमा अनुबंध जो कि भारतीय लेखा मानक 104, बीमा अनुबंध, में परिभाषित हैं। फिर भी, तथापि, यह उन व्युत्पन्न (डिरीवेटिव्स) पर लागू होता है जो बीमा अनुबंधों में निहित हैं और यदि भारतीय लेखा मानक 109 प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा

करता है कि वह उनका अलग-से लेखांकन करे। इसके अतिरिक्त, एक बीमा जारीकर्ता जब अनुबंधों की मान्यता तथा माप के लिए भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करता है तो वह वित्तीय गारंटी अनुबंधों की मान्यता एवं माप के लिए इस मानक का भी प्रयोग करेगा। परंतु यदि जारीकर्ता भारतीय लेखा मानक 104 के अनुच्छेद 4 (घ) के अनुसरण में प्रयोग के लिए चयन करता है तो वह उनकी मान्यता व माप के लिए भारतीय लेखा मानक 104 का प्रयोग।

(ड.) वित्तीय लिखतें जोकि भारतीय लेखा मानक 104 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, क्योंकि उनमें स्वैच्छिक सहभागिता के लक्षण शामिल हैं। इन लिखतों के जारीकर्ता को वित्तीय दायित्वों तथा 'इक्विटी' लिखतों के बीच के अंतर स्पष्ट करने वाले लक्षण अनुच्छेद संख्याओं 15- 32 तथा प्रमा 25 - प्रमा 35 को लागू करने से छूटप्राप्त है। तथापि ये लिखतें इस मानक की अन्य सभी अपेक्षाओं के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, यह मानक उन व्युत्पन्नो पर लागू होता है जो इन लिखतों में निहित हैं। (देखें भारतीय लेखा मानक 109)।

(च) शेयर आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के अंतर्गत निम्नलिखित को छोड़कर, वित्तीय लिखतें, अनुबंधों तथा दायित्व जिन पर कि भारतीय लेखा मानक 102, *शेयर-आधारित भुगतान*, लागू होता है :

- (i) इस मानक के अनुच्छेद 8-10 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अनुबंध जिन पर यह मानक लागू होता है,
- (ii) इस मानक के अनुच्छेद 33 व 34 जोकि कर्मचारी शेयर विकल्प योजनाओं, कर्मचारी शेयर खरीद योजनाओं और अन्य शेयर अन्य आधारित भुगतान व्यवहारों के संबंध में खरीदे गये, बेचे गये अथवा रद्द किये गये ट्रेजरी शेयरों पर लागू होंगे।

5-7. [देखें परिशिष्ट 1]

8. यह मानक गैर-वित्तीय मद की खरीद अथवा बिक्री के लिए उन अनुबंधों के लिए लागू किया जायेगा जिनका नकदी अथवा दूसरे वित्तीय लिखत में अथवा वित्तीय लिखतों के विनिमय (अदला-बदली) द्वारा निपटान किया जायेगा जैसे कि वे अनुबंध वित्तीय लिखतें ही हों, लेकिन इनमें वे अनुबंधों शामिल नहीं हैं जो प्रतिष्ठान की प्रत्याशित खरीद, बिक्री अथवा प्रयोग की अपेक्षाओं के अनुसार किसी गैर-वित्तीय मद की प्राप्ति अथवा सुपुर्दगी के प्रयोजन के लिए की गई हैं और जिन्हें निरन्तर रूप से धारित किया गया है। तथापि, इस मानक का प्रयोग उन अनुबंधों पर भी किया जाएगा जिन्हें प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 2.5 के अनुसरण में लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर माप के लिए नामोदृष्टि करता है।

9. ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा गैर-वित्तीय मद की खरीद अथवा बिक्री के लिए किसी अनुबंध को शुद्ध नकदी में अथवा अन्य वित्तीय लिखत में अथवा वित्तीय लिखतों के विनिमय द्वारा (अदला-बदली) करके निपटाया जा सकता है और इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- (क) जब अनुबंध की शर्तें, किसी भी पक्ष (पार्टी) को नकदी अथवा अन्य वित्तीय लिखत में अथवा वित्तीय लिखतों के विनिमय (अदला-बदली) द्वारा शुद्ध रूप से इसके निपटान के लिए अनुमति देती हों।
- (ख) जब नकदी में अथवा अन्य वित्तीय लिखत अथवा वित्तीय लिखतों के विनिमय (अदला-बदली) में शुद्ध निपटान किये जाने की योग्यता अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट नहीं है परंतु प्रतिष्ठान की नकदी में अथवा अन्य वित्तीय लिखत में अथवा वित्तीय लिखतों के विनिमय (अदला-बदली) द्वारा [चाहे प्रतिपक्ष (काउंटर पक्ष) के साथ, समंजक (ऑफसेटिंग) अनुबंधों द्वारा अथवा प्रयोग या कालातीत से पूर्व अनुबंध की बिक्री करके] इस प्रकार की अनुबंधों के निपटान की प्रथा है ;
- (ग) जब, इसी प्रकार के अनुबंधों के लिए, प्रतिष्ठान की यह प्रथा रही हो कि वह अन्तर्निहित की सुपुर्दगी प्राप्त कर ले तथा कीमत में अथवा व्यापारी के मार्जिन में अल्पावधि वाले उतार-चढ़ावों से लाभ प्राप्त करे ; तथा
- (घ) जब गैर-वित्तीय मद, जोकि अनुबंध का विषय है और जिसे तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एक अनुबंध में, जिस पर (ख) अथवा (ग) लागू होता है, प्रतिष्ठान की अपेक्षित खरीद, बिक्री अथवा प्रयोग की अपेक्षाओं के अनुसार गैर-वित्तीय मद की प्राप्ति या सुपुर्दगी के प्रयोजन के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है तथा जो तदनुसार, इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। अन्य अनुबंधों का, जिन पर अनुच्छेद 8 लागू होता है, मूल्यांकन यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या वे अनुबंध प्रतिष्ठान की अपेक्षित खरीद, बिक्री अथवा प्रयोग अपेक्षा के अनुसार गैर-वित्तीय मद की प्राप्ति या सुपुर्दगी के प्रयोजन के लिए किए गए हैं तथा इन्हें निरन्तर रूप से धारित किया गया है और तदनुसार क्या वे इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

10. किसी गैर-वित्तीय मद को खरीदने अथवा बेचने के लिए एक लिखित विकल्प, जिसे अनुच्छेद 9 (क) अथवा (घ) के अनुसार शुद्ध नकदी में अथवा अन्य वित्तीय लिखत में अथवा वित्तीय लिखतों के विनिमय (अदला-बदली) द्वारा निपटाया जा सकता है, इस मानक के कार्यक्षेत्र में आता है। इस प्रकार का अनुबंध, प्रतिष्ठान की अपेक्षित खरीद, बिक्री अथवा प्रयोग अपेक्षाओं के अनुसार गैर-वित्तीय मद की प्राप्ति अथवा सुपुर्दगी के प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता।

परिभाषाएं (अनुच्छेद दिनि 3 - दिनि 23 भी देखें)

11. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :

वित्तीय लिखत वह अनुबंध है जो एक प्रतिष्ठान की वित्तीय आस्ति तथा दूसरे प्रतिष्ठान के वित्तीय दायित्व अथवा 'इक्विटी' लिखत एक प्रतिष्ठान को वित्तीय आस्ति का सृजन करती है।

वित्तीय आस्ति एक आस्ति है जो निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती है :

- (क) नकदी ;
- (ख) अन्य प्रतिष्ठान की एक 'इक्विटी' लिखत ;
- (ग) एक अनुबंधात्मक अधिकार जो निम्नलिखित किसी प्रयोजन के निमित्त हो सकता है :
 - (i) नकदी अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान से अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने के लिए ; अथवा
 - (ii) प्रतिष्ठान के पक्ष संभावित शर्तों के अंतर्गत अन्य प्रतिष्ठान के साथ वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय दायित्वों की अदला-बदली के लिए ; अथवा
- (घ) एक अनुबंध जिसे प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों में निपटाया जायेगा अथवा जा सकता है और जो :
 - (i) एक गैर-व्युत्पन्न (नॉन-डेरिवेटिव) जिसके लिए प्रतिष्ठान परिवर्तनीय संख्या में अपनी स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों को प्राप्त करने के लिए बाध्य हो अथवा बाध्य हो सकता है ; अथवा
 - (ii) एक व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) है जिसका निपटान नकदी की निश्चित राशि अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के लिए अपनी प्रतिष्ठान की लिखतों की निश्चित संख्या की अदला-बदली से भिन्न विधि से करेगा अथवा कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए, प्रतिष्ठान स्वयं की लिखतों में, अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख के अनुसार 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत पुटेबल वित्तीय लिखतें वे लिखतें हैं जोकि प्रतिष्ठान पर यह बाध्यता लगाती हैं कि वह केवल परिसमापन की स्थिति में प्रतिष्ठान की नकदी आस्तियों के अनुपात में शेयर अन्य पक्ष (पार्टी) को सुपुर्द करेगा तथा वे अनुच्छेद 16 ग व 16 घ के अनुसार 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत हैं अथवा वे लिखतें जोकि प्रतिष्ठान को स्वयं की अपनी 'इक्विटी' लिखतों की भावी प्राप्ति अथवा सुपुर्दगी के लिए अनुबंधित होती हैं, शामिल नहीं होती हैं।

वित्तीय दायित्व यह एक ऐसी दायित्व है, जो कि :

- (क) निम्न लिखित के प्रयोजनार्थ एक अनुबंधात्मक बाध्यता है :
 - (i) एक अन्य प्रतिष्ठान को नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति सुपुर्द करना ;
 - (ii) प्रतिष्ठान के लिए संभावित प्रतिकूल शर्तों के अंतर्गत अन्य प्रतिष्ठान के साथ वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय दायित्वों की अदला-बदली करना ; अथवा
- (ख) एक ऐसा अनुबंध जोकि प्रतिष्ठान की स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों में निपटाया जाएगा अथवा जा सकता है, और जो :
 - (i) एक गैर-व्युत्पन्न है जिसके लिए प्रतिष्ठान अपनी स्वयं की लिखतों को एक परिवर्तनीय संख्या में सुपुर्द करने के लिए बाध्य है अथवा बाध्य हो सकता है ; अथवा
 - (ii) एक व्युत्पन्न है जोकि प्रतिष्ठान की स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों की एक निश्चित संख्या के लिए नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति की किसी निश्चित राशि की अदला-बदली से भिन्न किसी अन्य विधि से निपटाया जायेगी अथवा जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए, किसी भी मुद्रा की निश्चित राशि के लिए प्रतिष्ठान की स्वयं की अपनी 'इक्विटी' लिखतों को अधिग्रहण करने के लिए अधिकार विकल्प अथवा अधिपत्र 'इक्विटी' लिखत है, यदि प्रतिष्ठान अपने गैर-व्युत्पन्न 'इक्विटी' लिखतों के समान वर्ग के अपने समस्त मौजूदा स्वामियों को आनुपातिक रूप से अधिकार, विकल्प अथवा अधिपत्र प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रतिष्ठान की अपनी स्वयं की लिखतों के 'इक्विटी' लिखतों के अर्जन हेतु विदेशी मुद्रा के मूल्यवर्ग के परिवर्तनीय बॉण्ड में सन्निहित 'इक्विटी' परिवर्तन विकल्प एक 'इक्विटी' लिखत है यदि इसका प्रयोग मूल्य किसी मुद्रा में निर्धारित हो । साथ ही इन प्रयोजनों के लिए भी प्रतिष्ठान की अपनी स्वयं की 'इक्विटी' लिखतें में वे पुटेबल, वित्तीय लिखतें भी सम्मिलित नहीं होती जोकि अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख के अनुसार 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत हैं, लिखतें जो किसी प्रतिष्ठान पर केवल परिसमापन पर प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों के किसी यथानुपात अंश को अन्य पक्ष (पार्टी) को सुपुर्द करने के लिए आस्ति पर बाध्यता लागू करती हैं और अनुच्छेद 16 ग व 16 घ के अनुसार 'इक्विटी' लिखतों के रूप में, वर्गीकृत की जाती हैं अथवा लिखतें जोकि प्रतिष्ठान की अपनी स्वयं की लिखतों की भावी प्राप्ति अथवा सुपुर्दगी के लिए अनुबंध हैं।

अपवाद के रूप में, एक लिखत को, जोकि किसी वित्तीय दायित्व की परिभाषा को पूरा करती है, एक 'इक्विटी' लिखत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उसके पास सभी विशिष्टताएं हैं और अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ की शर्तों को पूरा करती है।

इक्विटी लिखत एक अनुबंध है जो किसी प्रतिष्ठान की आस्तियों में से उसके सभी दायित्वों को एक अवशिष्ट हित का साक्ष्य होती है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 113, उचित मूल्य माप)।

एक *पुटेबल लिखत* वह वित्तीय लिखत है जोकि धारक को नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के लिए जारीकर्ता को लिखत पुनः बिक्री करने का अधिकार देता है अथवा किसी अनिश्चित घटना होने पर अथवा भावी लिखतधारक की मृत्यु होने पर अथवा सेवानिवृत्ति पर, जारीकर्ता को अपने आप वापस विक्रय हो जाता है।

12. निम्नलिखित शब्दावली भारतीय लेखा मानक 109 के परिशिष्ट क में यथापरिभाषित अर्थों के साथ इस मानक में प्रयुक्त की गयी है :

- एक वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत
- अमान्यता
- व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)
- प्रभावी ब्याज विधि
- वित्तीय गारंटी अनुबंध
- लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्व
- दृढ़ वचनबद्धता
- पूर्वानुमानित लेन-देन
- हैजप्रभावशीलता
- हैजड मद
- हैजिंग लिखत
- व्यापार के लिए धारित
- नियमित रूप में खरीद अथवा बिक्री
- लेन-देन लागतें

13. इस मानक में 'अनुबंध' अथवा 'अनुबंधात्मक' से अभिप्रायः दो या दो से अधिक पक्षों (पार्टियों) के बीच ऐसा करार है जिसके स्पष्ट आर्थिक परिणाम होते हैं और करार के पक्षों के पास इससे बचने का यदि कोई स्वविवेकाधिकार है तो वह बहुत ही कम है। क्योंकि निष्पादित करार कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। अनुबंधों और इस प्रकार से वित्तीय लिखतें, विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं और यह जरूरी नहीं कि वह लिखित में ही हो।

14. इस मानक में, 'प्रतिष्ठान' शब्द के अन्तर्गत व्यक्ति, साझेदारी फर्म, निगमित निकाय, न्यास व सरकारी एजेंसियां शामिल हैं।

प्रस्तुतिकरण

दायित्व एवं 'इक्विटी' (अनुच्छेद दिनि 13 - दिनि 14 त्र तथा दिनि 25 - दिनि 29 क भी देखें)

15. वित्तीय लिखत का जारीकर्ता प्रारंभिक मान्यता पर अनुबंधात्मक व्यवस्था तथा वित्तीय दायित्व, वित्तीय आस्ति तथा 'इक्विटी' लिखत की परिभाषाओं के सार के अनुसार वित्तीय दायित्व, वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय लिखत के रूप में लिखत अथवा इसके घटक अंगों में वर्गीकृत करेगा।

16. जब कोई जारीकर्ता अनुच्छेद 11 की परिभाषाओं को यह निर्धारित करने के लिए लागू करता है कि क्या कोई वित्तीय लिखत एक वित्तीय दायित्व की बजाय एक 'इक्विटी' लिखत है तो उक्त लिखत एक 'इक्विटी' लिखत तभी होगी जब वह नीचे (क) तथा (ख) में दी गई दोनों शर्तें पूरी करती हो :

- (क) लिखत में कोई निम्नलिखित प्रकार का कोई अनुबंधात्मक बाध्यता सम्मिलित नहीं है :
- (i) नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति अन्य प्रतिष्ठान को सुपुर्द करना; अथवा
 - (ii) अन्य प्रतिष्ठान के साथ उन शर्तों के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय दायित्वों की अदला-बदली करना जो संभावित रूप से जारीकर्ता के पक्ष में नहीं हैं।
- (ख) यदि लिखत जारीकर्ता की अपनी स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों में निपटायी जायेगी अथवा निपटायी जा सकती है, तो यह -
- (i) एक गैर-व्युत्पन्न (नान-डैरीवेटिव) है जिसमें जारीकर्ता के लिए इसके अपने 'इक्विटी' लिखतों की परिवर्तनीय संख्या में सुपुर्द करने हेतु कोई अनुबंधात्मक बाध्यता नहीं है; अथवा
 - (ii) एक व्युत्पन्न (डैरीवेटिव) है जोकि इसकी अपनी 'इक्विटी' लिखतों के लिए नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति की कोई निश्चित राशि की अदला-बदली करके केवल जारीकर्ता द्वारा निपटायी जायेगी। इस प्रयोजन के लिए, किसी मुद्रा (करेंसी) की निश्चित राशि के लिए प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों की निश्चित संख्या को प्राप्त करने के लिए अधिकार, विकल्प अथवा अधिपत्र 'इक्विटी' लिखते हैं बशर्ते प्रतिष्ठान अपनी गैर-व्युत्पन्न 'इक्विटी' लिखतों के इसी वर्ग के मौजूदा स्वामियों को यथानुपात अधिकार, विकल्प अथवा अधिपत्र प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रतिष्ठान के अपने स्वयं के स्थिर संख्या के 'इक्विटी' लिखतों के अर्जन हेतु विदेशी मुद्रा के मूल्यवर्ग के परिवर्तनीय बॉण्ड में सन्निहित 'इक्विटी' परिवर्तन विकल्प एक 'इक्विटी' लिखत है यदि इसका प्रयोग मूल्य किसी मुद्रा में निश्चित हो। साथ ही, इन प्रयोजनों के लिए, जारीकर्ता की स्वयं की अपनी 'इक्विटी' लिखतें उन लिखतों को सम्मिलित नहीं करती जिनमें समस्त लक्षण हैं और अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ में वर्णित परिभाषा पूरी होती है अथवा लिखतें जोकि जारीकर्ता की स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों की प्राप्ति अथवा सुपुर्दगी के लिए अनुबंध है।
- एक अनुबंधात्मक दायित्व, जिसमें व्युत्पन्न वित्तीय लिखत से उत्पन्न दायित्व भी सम्मिलित है, परिणामित जो कि जारीकर्ता की स्वयं की अपनी 'इक्विटी' लिखतों की भावी प्राप्ति या सुपुर्दगी में परिणत होंगी अथवा परिणामित हो सकती है परंतु उपर्युक्त (क) तथा (ख) शर्तों को पूरा नहीं करती है, एक 'इक्विटी' लिखत नहीं है। अपवाद के रूप में, एक लिखत जोकि एक वित्तीय दायित्व की परिभाषा को पूरा करती है, एक 'इक्विटी' लिखत में वर्गीकृत की गई है बशर्ते इसके पास वे सभी लक्षण हैं तथा अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा वह अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ की शर्तों को पूरा करती है।

पुटेबल लिखतें

- 16क एक पुटेबल वित्तीय लिखत में जारीकर्ता के लिए अनुबंधात्मक बाध्यता शामिल होती है ताकि बिक्री (पुट) के प्रयोग पर नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के लिए वह पुनर्खरीद अथवा मोचन कर सके। वित्तीय दायित्व की परिभाषा के अपवाद के रूप में, एक लिखत को, जिसमें इस प्रकार कि बाध्यता सम्मिलित है, एक 'इक्विटी' लिखत के रूप में वर्गीकृत की जाती है बशर्ते, इसमें निम्नलिखित सभी लक्षण हैं :
- (क) प्रतिष्ठान के परिसमापन की स्थिति में, यह धारक को प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों की यथानुपात अंशधारिता का हकदार बनाता है। प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियां वे आस्तियां हैं जोकि आस्तियों के अन्य सभी दावों की कटौती के पश्चात् बची रहती हैं। एक यथानुपात अंशधारिता का निर्धारण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है :
- (i) समापन पर प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों को समान राशि की ईकाईयों में विभाजित करके ; तथा
 - (ii) वित्तीय लिखतधारक द्वारा प्रतिधारित ईकाईयों की संख्या द्वारा उस राशि को गुणा करना ।
- (ख) यह लिखत उन लिखतों के उस वर्ग में आती है जो कि लिखतों के अन्य समस्त वर्गों के अधीनस्थ है। इस प्रकार के वर्ग में रहने के लिए :
- (i) परिसमापन पर प्रतिष्ठान की आस्तियों के अन्य दावों पर लिखत की कोई प्राथमिकता नहीं रहती है, तथा
 - (ii) लिखतों के अन्य सभी वर्गों के अधीन लिखत के एक वर्ग में होने से पूर्व अन्य लिखत में इस लिखत के परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- (ग) लिखतों के सभी वर्गों के अधीन लिखतों के वर्ग में सभी वित्तीय लिखतों के एक समान लक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए, वे सभी अनिवार्यतः पुटेबल हों एक वर्ग की सभी लिखतों की पुनर्खरीद अथवा मोचन कीमत के संगणना के लिए प्रयुक्त तथा फार्मूलों अथवा अन्य विधि एक एक ही होगी ।
- (घ) नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के लिए लिखत की पुनर्खरीद अथवा मोचन हेतु जारीकर्ता के लिए अनुबंधात्मक बाध्यता के अलावा, उन शर्तों के अंतर्गत, जो प्रतिष्ठान के लिए सम्भाव्यतया प्रतिकूल हैं, किसी अन्य प्रतिष्ठान के साथ वित्तीय आस्तियों

अथवा वित्तीय दायित्वों की अदला-बदली के लिए अथवा अन्य प्रतिष्ठान को नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति की सुपुर्दगी के लिए लिखत अन्य कोई अनुबंधात्मक बाध्यता शामिल नहीं करता तथा यह कोई ऐसी अनुबंध नहीं है जोकि उप अनुच्छेद (ख) में वित्तीय दायित्व की निर्धारित परिभाषा अनुसार प्रतिष्ठान की स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों में निपटायी जायेगी अथवा निपटायी जा सकती है।

- (ड.) लिखत की अवधि (जीवन) से संबंधित कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह बहुत कुछ लाभ अथवा हानि मान्य शुद्ध आस्तियों में परिवर्तन, प्रतिष्ठान की मान्य व अमान्य शुद्ध आस्तियों की लिखत के जीवनकाल के उचित मूल्य में परिवर्तन (लेकिन ऐसी लिखत अथवा अनुबंध के किन्हीं प्रभावों को छोड़कर) पर आधारित है।
- 16ख 'इक्विटी' लिखत के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली एक लिखत के लिए, उपर्युक्त सभी लक्षणों वाली लिखत के अतिरिक्त जारीकर्ता की कोई अन्य वित्तीय लिखत अथवा अनुबंध न हो जिसमें :

- (क) कुल नकदी प्रवाह बहुत-कुछ लाभ अथवा हानि, मान्य शुद्ध आस्तियों में परिवर्तन, अथवा प्रतिष्ठान की मान्य व अमान्य शुद्ध आस्तियों की लिखत के जीवनकाल के उचित मूल्य में परिवर्तन पर (ऐसी लिखतों अथवा अनुबंध के किन्हीं प्रभावों को छोड़कर) आधारित है ; तथा
- (ख) बिक्रीयोग्य लिखतधारकों के अवशिष्ट प्रतिफल को पर्याप्त रूप में प्रतिबंधित करने अथवा निश्चित करने के प्रभाव।

इस शर्त को लागू करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद 16 क में वर्णित किसी लिखत के धारक के साथ गैर-वित्तीय अनुबंधों पर विचार नहीं करेगा जिनकी ऐसी अनुबंधात्मक निबंधनों तथा शर्तें एवं नियम हैं जोकि किसी समान अनुबंध के निबंधनों तथा शर्तों की तरह हैं जो किसी गैर-लिखतधारक तथा जारीकर्ता प्रतिष्ठान के बीच संपन्न हुए हों। यदि प्रतिष्ठान यह निर्धारण नहीं कर सकता कि यह शर्त पूरी हो जाएगी तो वह इस बिक्रीयोग्य लिखत को एक 'इक्विटी' लिखत के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा।

लिखतें अथवा लिखतों के घटक, जो प्रतिष्ठान पर केवल परिसमापन की स्थिति में अन्य पक्ष (पार्टी) को शुद्ध आस्तियों का समानुपात अंश सुपुर्द करने की बाध्यता बनाते हैं।

- 16ग कुछ वित्तीय लिखतें जारीकर्ता प्रतिष्ठान के लिए एक अनुबंधात्मक बाध्यता सम्मिलित करती हैं ताकि वह अन्य पक्ष (पार्टी) को केवल परिसमापन पर इसकी शुद्ध आस्तियों के यथानुपात अंश (शेयर) को सुपुर्द करे। यह बाध्यता इस लिए उत्पन्न होता है कि परिसमापन या तो अवश्य घटित होगा तथा वह प्रतिष्ठान के नियंत्रण से बाहर होगा (उदाहरणतया, एक निश्चित जीवनकालीन प्रतिष्ठान) अथवा जिसका परिसमापन घटित होना अनिश्चित हो किन्तु यह लिखतधारक के विकल्प पर निर्भर हो। वित्तीय दायित्व की परिभाषा के अपवाद के रूप में एक लिखत जोकि इस प्रकार की बाध्यता को सम्मिलित करता है इसे 'इक्विटी' लिखत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है बशर्ते उसमें निम्नलिखित सभी लक्षण हों:

- (क) यह प्रतिष्ठान के परिसमापन की स्थिति में, प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों के यथानुपात अंश के लिए धारक को हक प्रदान करता है। प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियां वे आस्तियां हैं जो आस्तियों पर सभी अन्य दावों को घटाने के पश्चात् शेष रहती हैं। एक यथानुपात अंश निम्नलिखित के आधार पर निर्धारित होता है :
- प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों को, समान राशि की इकाईयों में विभाजित करके; तथा
 - वित्तीय लिखतधारक द्वारा प्रतिधारित इकाईयों की संख्या द्वारा उस राशि को गुणा करके।
- (ख) यह लिखत उन लिखतों के उस वर्ग में आती है जोकि लिखतों की समस्त वर्गों के अधीनस्थ है। इस प्रकार के वर्ग में रहने के लिए लिखत :
- परिसमापन पर प्रतिष्ठान की आस्तियों के अन्य दावों पर लिखत की कोई प्राथमिकता नहीं रहती है, तथा
 - लिखतों के अन्य सभी वर्गों के अधीन लिखत के एक वर्ग में होने से पूर्व अन्य लिखत में इस लिखत के परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

- (ग) लिखतों की समस्त अन्य वर्गों के अधीन लिखतों की वर्ग में समस्त वित्तीय लिखतों के पास परिसमापन पर शुद्ध आस्तियों के यथानुपात अंश सुपुर्दगी के लिए 'इक्विटी' जारीकर्ता प्रतिष्ठान के लिए, एक समरूप अनुबंधात्मक दायित्व अवश्य होना चाहिए।

- 16घ किसी लिखत के लिए जिसे एक 'इक्विटी' लिखत में वर्गीकृत किया जाना है, लिखत में उपर्युक्त समस्त विशेषताएं होने के अतिरिक्त, जारीकर्ता के पास अवश्य ही कोई अन्य ऐसी लिखत अथवा अनुबंध नहीं होना चाहिए, जिसमें :

- (क) कुल नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप में लाभ अथवा हानि, मान्यता प्राप्त शुद्ध आस्तियों में परिवर्तन अथवा प्रतिष्ठान की मान्यताप्राप्त तथा अमान्यताप्राप्त शुद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन पर आधारित (ऐसी लिखतें अथवा अनुबंध में किन्हीं भी प्रभावों को छोड़कर) है, तथा

(ख) लिखतधारकों को अवशिष्ट प्रतिफल को पर्याप्त रूप में प्रतिबंधित करने अथवा निश्चित करने के प्रभाव ।

इस शर्त को लागू करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठान 16 ग में वर्णित किसी लिखत के धारक के साथ गैर-वित्तीय अनुबंध पर विचार नहीं करेगा जिसकी अनुबंधात्मक निबंधन तथा शर्तें हैं और किसी समान अनुबंध के ऐसे अनुबंधात्मक निबंधन तथा शर्तों के समान हैं जो किसी गैर-लिखतधारक तथा जारीकर्ता प्रतिष्ठान के बीच घटित हुआ हो। यदि प्रतिष्ठान यह निर्धारण नहीं कर सकता कि इस शर्त को पूरा किया जा सकता है तो वह इस लिखत को एक 'इक्विटी' लिखत के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा ।

पुटेबल लिखतों तथा ऐसी लिखतों का पुनर्वर्गीकरण जोकि प्रतिष्ठान पर एक ऐसी बाध्यता लगाता है कि वह अन्य पक्ष (पार्टी) को केवल परिसमापन पर प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों के यथानुपात अंश सुपुर्द करेगा ।

16ड. प्रतिष्ठान किसी वित्तीय लिखत को अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ के अनुसार उस तिथि से 'इक्विटी' लिखत में वर्गीकृत करेगा जब लिखत के पास सभी विशेषताएं हों तथा वह इन अनुच्छेदों में दी गयी शर्तों को पूरा करती हों। प्रतिष्ठान वित्तीय लिखत का उस तिथि से पुनर्वर्गीकरण करेगा जब लिखत के पास वे सभी विशेषताएं समाप्त हो जाती हों तथा इन अनुच्छेदों में दी गयी सभी शर्तें पूरी नहीं होती हों । उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रतिष्ठान अपनी सभी जारी और बकाया गैर-बिक्रीयोग्य और कोई पुटेबल लिखतों का मोचन करता है और इन लिखतों में वे सभी विशेषताएं हैं और वे अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख की सभी शर्तों को पूरा करती हैं, प्रतिष्ठान पुटेबल लिखतों को उस तिथि से पुनर्वर्गीकृत करेगा जिस तिथि को वह गैर-पुटेबल लिखतों का मोचन करता है।

16च प्रतिष्ठान अनुच्छेद 16 (ड.) के अनुसार, किसी लिखत के पुनर्वर्गीकरण का लेखा नीचे दिये अनुसार करेगा :

(क) यह किसी 'इक्विटी' लिखत को इस तिथि से वित्तीय दायित्व के रूप में पुनर्वर्गीकृत करेगा जब लिखत के सभी विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं अथवा वह अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। वित्तीय दायित्व का माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि को लिखत के उचित मूल्य पर किया जायेगा। प्रतिष्ठान पुनर्वर्गीकरण की तिथि को 'इक्विटी' लिखत की अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य के बीच के अंतर को 'इक्विटी' में मान्यता देगा ।

(ख) यह वित्तीय दायित्व को इस तिथि से 'इक्विटी' लिखत के रूप में पुनर्वर्गीकृत करेगा जब लिखत के पास सभी विशेषताएं हों तथा वह अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ की शर्तों को पूरा करता है। 'इक्विटी' लिखत का माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि को वित्तीय दायित्व के अग्रणीत मूल्य पर किया जाएगा ।

नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति की सुपुर्दगी के लिए कोई अनुबंधात्मक बाध्यता नहीं है [अनुच्छेद 16 क]

17. अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ में वर्णित परिस्थितियों के अपवादस्वरूप 'इक्विटी' लिखत से वित्तीय दायित्व में अंतर करने में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक पक्ष (पार्टी) का लक्षण वित्तीय लिखत (जारीकर्ता) के साथ एक अनुबंधात्मक बाध्यता का अस्तित्व है जिसके अनुसार वह या तो नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति को अन्य पक्ष (पार्टी) (धारक) को सुपुर्द करेगा अथवा इन शर्तों के अंतर्गत धारक के साथ वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय दायित्वों की अदला-बदली करेगा जोकि जारीकर्ता के लिए सम्भाव्य रूप से प्रतिकूल हो सकती है। यद्यपि, 'इक्विटी' लिखत के धारक को 'इक्विटी' के किन्हीं लाभान्शों का अथवा 'इक्विटी' का या यथानुपात अंश संवितरण प्राप्त करने का हक हो सकता है, लेकिन, जारीकर्ता के पास इस प्रकार के संवितरण करने के लिए कोई अनुबंधात्मक बाध्यता नहीं होती है क्योंकि अन्य पक्ष (पार्टी) को नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति सुपुर्द करने के लिए इसमें ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती है।

18. प्रतिष्ठान के तुलन पत्र में वित्तीय लिखत के वर्गीकरण को इसका सारत्व निर्धारित करता है, न कि उसका कानूनी रूप, सारत्व (सब्सटेंस) तथा कानूनी रूप आमतौर पर समरूप होते हैं न कि हमेशा । कुछ वित्तीय लिखतें 'इक्विटी' के कानूनी रूप को धारण करती हैं परंतु सारत्व में वे दायित्व होते हैं जबकि अन्य में 'इक्विटी' लिखतों व वित्तीय दायित्वों की विशेषताएं मिली-जुली होती हैं। उदाहरण के लिए :

(क) अधिमानी शेयर जो जारीकर्ता द्वारा निश्चित अथवा निर्धारण योग्य भावी तिथि पर निश्चित निर्धारणयोग्य राशि के एक वित्तीय विलेख है। अनिवार्य मोचन के लिए प्रावधान करता है अथवा धारक को यह अधिकार देता है कि निश्चित अथवा निर्धारण योग्य राशि के लिए एक निश्चित तिथि को अथवा उसके बाद जारीकर्ता लिखत का मोचन करे ।

(ख) वित्तीय लिखत एक वित्तीय दायित्व है जो धारक को अधिकार देती है जारीकर्ता नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति पर वापस खरीद से (एक बिक्रीयोग्य लिखत) है, और उसमें अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ के अनुसारण में 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत वित्तीय लिखतें शामिल नहीं हैं। वित्तीय लिखत तब भी एक वित्तीय दायित्व है जब नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्तियों की राशि का निर्धारण सूचकांक या किसी अन्य मद के आधार पर होता है जिसकी बढ़ने अथवा घटने की संभावना होती है। नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के लिए जारीकर्ता को वापस लिखत प्रस्तुत करने हेतु धारक के लिए किसी विकल्प के अस्तित्व से यह अभिप्राय है कि पुटेबल लिखत किसी वित्तीय दायित्व की परिभाषा को पूरा करती है और इसमें अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ के अनुसार 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत की गई वे

लिखतें शामिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए समय सीमा रहित म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट, साझेदारी तथा कुछ सहकारी प्रतिष्ठान अपने यूनिटधारकों अथवा सदस्यों को नकदी के लिए किसी भी समय जारीकर्ता में अपने हितों को विमोचित करने का अधिकार दे सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप यूनिटधारकों अथवा सदस्यों के हित वित्तीय दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं लेकिन इनमें अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ के अनुसार 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत लिखतें शामिल नहीं हैं। तथापि, वित्तीय दायित्व के रूप में वर्गीकरण, 'यूनिटधारकों से संबंधित शुद्ध आस्ति मूल्य' और 'यूनिटधारकों' से जैसे वर्णनकर्ताओं के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करता तथा जिसकी कोई अंशधारित 'इक्विटी' (जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड तथा यूनिट ट्रस्ट, देखें दृष्टांत उदाहरण 7) अथवा अतिरिक्त प्रकटन का प्रयोग नहीं है ताकि यह दिखाया जा सके कि कुल सदस्यों के हित रिजर्व जैसी उन मदों को सम्मिलित करते हैं जो कि 'इक्विटी' की परिभाषा को पूरा करती हैं तथा पुटेबल लिखतें उन्हें सम्मिलित नहीं करतीं।

19. यदि किसी प्रतिष्ठान के पास ऐसा कोई शर्तरहित अधिकार नहीं है जिसे अनुबंधात्मक बाध्यता के निपटान के लिए नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति को सुपुर्द करने से बचाया जा सके, जो बाध्यता वित्तीय दायित्व की परिभाषा को पूरा करता है, लेकिन इसमें वे लिखतें शामिल नहीं हैं जो कि अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ के अनुसार 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। उदाहरण के लिए :

- (क) अनुबंधात्मक बाध्यता के भुगतान संतुष्टि के लिए किसी प्रतिष्ठान की योग्यता पर प्रतिबंध जैसे कि विदेशी मुद्रा की सुलभता की कमी अथवा नियामक प्राधिकरण से भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता, प्रतिष्ठान के अनुबंधात्मक बाध्यता अथवा लिखत के अंतर्गत धारक के अनुबंधात्मक अधिकार को अस्वीकार नहीं करता है।
- (ख) एक अनुबंधात्मक बाध्यता, जो कि मोचन के अधिकार का प्रयोग करने वाले प्रति पक्ष पर सशर्त है, क्योंकि नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति से बचने के लिए प्रतिष्ठान के पास कोई शर्तरहित अधिकार नहीं है।

20. एक वित्तीय लिखत, जो कि नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति सुपुर्द करने के लिए स्पष्ट रूप से अनुबंधात्मक बाध्यता स्थापित नहीं करती, वह अपनी शर्तों तथा निबंधनों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बाध्यता स्थापित कर सकती है। उदाहरण के लिए :

- (क) एक वित्तीय लिखत कोई गैर-वित्तीय दायित्व सम्मिलित कर सकता है जिसका निपटान अवश्य किया जाए बशर्ते प्रतिष्ठान संवितरण करने अथवा लिखत का मोचन करने के लिए असफल रहता है। यदि प्रतिष्ठान, गैर-वित्तीय बाध्यता का निपटान केवल नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के अंतरण से बच सकता है तब वित्तीय लिखत एक वित्तीय दायित्व है।
- (ख) एक वित्तीय लिखत एक वित्तीय दायित्व है बशर्ते निपटान पर प्रतिष्ठान निम्नलिखित में से किसी को सुपुर्द करता है :
 - (i) नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति; अथवा
 - (ii) इसके अपने शेयर जिनका मूल्य नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के मूल्य से काफी रखने के लिए निर्धारित किया जाता है।

यद्यपि, प्रतिष्ठान नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति सुपुर्द करने के लिए स्पष्ट रूप से अनुबंधात्मक बाध्यता नहीं रखता, शेयर निपटान विकल्प का मूल्य ऐसा है कि प्रतिष्ठान नकदी में निपटान करेगा। किसी भी स्थिति में, धारक के पास वस्तुतः इस राशि की गारंटीशुदा रसीद है जो कि कम से कम नकदी निपटान विकल्प के बराबर है (देखें अनुच्छेद 21)।

प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों में निपटान [अनुच्छेद 16 ख]

21. केवल इसलिये कोई 'इक्विटी' लिखत एक अनुबंध नहीं है कि यह प्रतिष्ठान की स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों की प्राप्ति अथवा सुपुर्दगी में परिणत हो सकती है। स्वयं के शेयरों अथवा विभिन्न प्रकार के अन्य 'इक्विटी' लिखतों को प्राप्त करने अथवा सुपुर्द करने के लिए एक प्रतिष्ठान का एक ऐसा अनुबंधात्मक अधिकार हो सकता है जो प्राप्त की गयी अथवा सुपुर्द की गई प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों की उचित मूल्य अनुबंधात्मक अधिकार अथवा बाध्यता की राशि के बराबर हो। ऐसा अनुबंधात्मक अधिकार अथवा बाध्यता एक निश्चित राशि के लिए हो सकता है अथवा उस राशि के लिए हो सकता है जिसमें प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों के बाजार मूल्य की अस्थिरता में परिवर्तनों के संदर्भ में आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से उतार चढ़ाव होता है (उदाहरणार्थ, एक ब्याज दर एक वस्तु कीमत अथवा एक वित्तीय लिखत कीमत)। दो उदाहरण हैं (क) प्रतिष्ठान की बहुत-सी अपनी 'इक्विटी' लिखतों की सुपुर्दगी के लिए एक अनुबंध जो 100 रुपये के मूल्य के बराबर है तथा (ख) प्रतिष्ठान की बहुत सी अपनी 'इक्विटी' लिखतों की सुपुर्दगी के लिए एक अनुबंध जो कि सोने के 100 आउन्स के मूल्य के बराबर है। इस प्रकार के अनुबंध प्रतिष्ठान का एक वित्तीय दायित्व है चाहे प्रतिष्ठान अपनी 'इक्विटी' लिखतों की सुपुर्दगी द्वारा इसका अवश्य निपटान करें अथवा वह कर सकता है। यह एक 'इक्विटी' लिखत नहीं है क्योंकि प्रतिष्ठान अनुबंध का निपटान करने के लिए एक साधन के रूप में बहुत-सी अपनी लिखतों का प्रयोग करता है। तदनुसार, अनुबंध अपनी सभी दायित्वों को घटाकर प्रतिष्ठान की आस्तियों में अवशिष्ट हित का साक्ष्य उपलब्ध नहीं करता।

22. अनुच्छेद 22 क में किये गये उल्लेख को छोड़कर, एक अनुबंध जोकि प्रतिष्ठान द्वारा नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति की निश्चित राशि के लिए की अदला-बदली में अपनी ही 'इक्विटी' लिखतों की निश्चित प्रतिष्ठान संख्या (प्राप्त करके अथवा) सुपुर्द करके निपटायी जाये, एक 'इक्विटी' लिखत है। उदाहरण के लिए, एक जारी शेयर विकल्प, जोकि प्रतिपक्ष को निश्चित कीमत पर प्रतिष्ठान के शेयर खरीदने अथवा बतायी गयी निश्चित मूलधन राशि पर बांड खरीदने के लिए अधिकार देता है, एक 'इक्विटी' लिखत है। बाजार की ब्याज-दरों में विभिन्नता से उत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्य में परिवर्तन जोकि अदा की जाने वाली अथवा प्राप्त की जाने वाली नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्तियों की राशि को प्रभावित नहीं करता है अथवा अनुबंध निपटान पर प्राप्त की जाने वाली अथवा सुपुर्द की जाने वाली 'इक्विटी' लिखतों की संख्या 'इक्विटी' लिखत होने से अनुबंध को प्रतिबंधित नहीं करती है। प्राप्त किया गया कोई भी प्रतिफल (जैसे कि, प्रतिष्ठान के अपने शेयरों पर लिखित विकल्प अथवा अधिपत्र के लिए प्राप्त प्रीमियम) 'इक्विटी' में सीधे ही जोड़ा जाता है। अदा किये गये प्रतिफल (जैसे कि खरीदे गये विकल्प के लिए अदा किया गया प्रीमियम) की कटौती सीधे ही 'इक्विटी' से की जायेगी। 'इक्विटी' लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन की वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।
- 22क किसी अनुबंध में निपटान पर प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अथवा सुपुर्द किये जाने वाले प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों की सभी विशेषताओं के साथ तथा अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख में वर्णित शर्तों को पूरा करते हुए बिक्रीयोग्य वित्तीय लिखतें हैं अथवा लिखतें सभी विशेषताओं के साथ केवल परिसमापन पर तथा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ में वर्णित शर्तों को पूरा करते हुए प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों का यथानुपात अंश अन्य पक्ष (पार्टी) को सुपुर्द करने के लिए प्रतिष्ठान के बाध्यता से संबंधित है। यह अनुबंध एक वित्तीय आस्ति अथवा एक वित्तीय दायित्व है। इसमें वह अनुबंध शामिल है जिसे निश्चित नकद राशि अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के लिए की अदला-बदली में ऐसी लिखतों की निश्चित संख्या प्राप्त करते हुए निपटारा जाएगा।
23. अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ में वर्णित परिस्थितियों के अपवाद के स्वरूप एक अनुबंध जिसमें प्रतिष्ठान के लिए एक बाध्यता सम्मिलित होता है ताकि प्रतिष्ठान नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के लिए स्वयं की अपनी 'इक्विटी' लिखतों की खरीद कर सके। मोचन राशि के वर्तमान मूल्य के लिए वित्तीय दायित्व को बढ़ावा देता है (उदाहरण के लिए, वायदा पुनर्खरीद कीमत, विकल्प प्रयोग कीमत अथवा अन्य मोचन राशि के वर्तमान मूल्य के लिए)। यह वह मामला है यदि जब अनुबंध स्वयं एक 'इक्विटी' लिखत हो। इसका एक उदाहरण है जब नकदी के लिए स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों की खरीद के लिए वायदा अनुबंध के अंतर्गत प्रतिष्ठान का बाध्यता है। वित्तीय दायित्व की प्रारम्भिक तौर पर मोचन राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और इसे 'इक्विटी' से पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। तत्पश्चात्, वित्तीय दायित्व को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार मापा जाता है। यदि अनुबंध सुपुर्दगी के बिना समाप्त हो जाती है तो वित्तीय दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि 'इक्विटी' के प्रति पुनर्वर्गीकृत की जाती है। अपनी स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों की खरीद के लिए एक प्रतिष्ठान का अनुबंधात्मक बाध्यता मोचन राशि के वर्तमान मूल्य के लिए वित्तीय दायित्व को बढ़ावा देता है चाहे खरीद की बाध्यता मोचन का अधिकार प्रयोग करते हुए प्रतिपक्ष पर सशर्त है (उदाहरण के लिए, एक लिखत विक्रय विकल्प जो प्रतिपक्ष को यह अधिकार देता है कि वह निश्चित जीवन के लिए प्रतिष्ठान की स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों को प्रतिष्ठान को बिक्री कर सके)।
24. एक अनुबंध, परिवर्तनीय नकद राशि अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के लिए (अदला-बदली) में प्रतिष्ठान की स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों की निश्चित संख्या सुपुर्द करते हुए अथवा प्राप्त करते हुए प्रतिष्ठान द्वारा निपटायी जाएगी, एक वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय दायित्व है। उदाहरण स्वरूप अनुबंध है जो सोने के 100 आउन्स के मूल्य के बराबर आकलित नकदी की राशि के लिए बदले में स्वयं की 100 'इक्विटी' लिखतों को सुपुर्द करने के लिए की गई है।

आकस्मिक निपटान प्रावधान

25. एक वित्तीय लिखत प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति सुपुर्द करने के लिए अथवा अन्यथा वह इसका निपटान इस प्रकार से करे कि दोनों ही लिखत के जारीकर्ता अथवा लिखत के धारक के नियंत्रण से बाहर की भविष्य की अनिश्चित घटनाओं अथवा अनिश्चित परिस्थितियों के आ जाने पर जैसे कि स्टाक बाजार सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ब्याज दर अथवा कराधान अपेक्षाओं अथवा जारीकर्ता की भावी राजस्व शुद्ध आय अथवा ऋण 'इक्विटी' अनुपात में परिवर्तन होने अथवा न होने की स्थिति में यह एक वित्तीय दायित्व होगी। इस प्रकार की लिखत के जारीकर्ता को नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति की सुपुर्दगी (अथवा दूसरी दृष्टि से इस प्रकार यह वित्तीय दायित्व होगी) से बचने के लिए कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है। अतः यह जारीकर्ता की वित्तीय दायित्व है, बशर्ते कि :
- (क) आकस्मिक निपटान प्रावधान का ऐसा अंश न हो जोकि नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के निपटान की अपेक्षा करें (अथवा अन्यथा इस प्रकार यह कि यह एक वित्तीय दायित्व होगी) वास्तविकता नहीं है;
- (ख) जारीकर्ता से यह अपेक्षा न हो है कि वह केवल जारीकर्ता के परिसमापन की स्थिति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति में (अथवा अन्यथा इस प्रकार यह इसका निपटान करे कि वह वित्तीय दायित्व होगी) दायित्व का निपटान करें; अथवा
- (ग) लिखत के पास वे सभी विशेषताएं हैं और वह अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख की शर्तों को पूरा करती हैं।

निपटान विकल्प

26. जब एक व्युत्पन्न वित्तीय लिखत एक पक्ष को यह चुनने का विकल्प देती है कि इसका कैसे निपटान हो (उदाहरण के लिए, जारीकर्ता अथवा धारक शुद्ध नकदी में अथवा नकदी में शेयरों की अदला-बदली द्वारा निपटान का चुनाव कर सकता है), यह एक वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय दायित्व है बशर्ते कि सभी निपटान विकल्प एक 'इक्विटी' लिखत के रूप में परिणत नहीं होते।
27. निपटान विकल्प के साथ एक व्युत्पन्न वित्तीय लिखत का उदाहरण वह वित्तीय दायित्व है जो एक शेयर विकल्प है कि जारीकर्ता नकदी में अथवा अपने ही शेयर नकदी के लिए की अदला-बदली करके निपटान करने के लिए निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार, प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों की अदला-बदली में किसी गैर-वित्तीय मद को खरीदने अथवा बेचने के लिए कुछ अनुबंधों इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंदर हैं क्योंकि वे या तो गैर-वित्तीय मद की सुपुर्दगी द्वारा अथवा शुद्ध नकदी में या फिर किसी अन्य वित्तीय लिखत में निपटायी जा सकती हैं (देखें अनुच्छेद 8-10)। इस प्रकार की अनुबंधों, वित्तीय आस्तियां अथवा वित्तीय दायित्व तो हैं लेकिन 'इक्विटी' लिखत नहीं हैं।

यौगिक (संयुक्त) वित्तीय लिखतें (देखें अनुच्छेद दिनि 30 - दिनि 35)

28. गैर-व्युत्पन्न (नॉन-डेरिवेटिव) वित्तीय लिखतों का जारीकर्ता वित्तीय लिखत की शर्तों का यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन करेगा कि क्या इसमें दायित्व तथा 'इक्विटी' दोनों ही के घटक हैं। इस प्रकार के घटकों को पृथक रूप में अनुच्छेद 15 के अनुसार वित्तीय दायित्वों, वित्तीय आस्तियों अथवा 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।
29. एक प्रतिष्ठान एक वित्तीय लिखत के घटकों को अलग-से मान्यता प्रदान करता है जो (क) प्रतिष्ठान की वित्तीय दायित्व का सृजन करते हैं तथा (ख) प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' लिखत में परिवर्तित करने के लिए लिखत के धारक को विकल्प प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, बॉण्ड अथवा इसी प्रकार की लिखत, धारक द्वारा साधारण शेयरों की एक निश्चित संख्या तक परिवर्तन योग्य है, एक मिश्रित वित्तीय लिखत है। प्रतिष्ठान के परिप्रेक्ष्य, में इस प्रकार की लिखत के दो घटक होते हैं अर्थात् एक, वित्तीय दायित्व (नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति की सुपुर्दगी के लिए एक अनुबंधात्मक व्यवस्था) तथा दूसरा, एक 'इक्विटी' लिखत (एक मांग विकल्प (कॉल ऑप्शन) जिसमें समय की एक निश्चित अवधि के लिए धारक को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह इसे प्रतिष्ठान के साधारण शेयरों की निश्चित संख्या में परिवर्तित कर सके) इस प्रकार की लिखत को जारी करने का आर्थिक प्रभाव पर्याप्त रूप में वहीं है जैसाकि शीघ्र निपटान के प्रावधान के साथ एक ऋण लिखत और साधारण शेयरों की खरीद के वारंट जारी करना या एक ऐसा ऋण लिखत जारी करना जो शेयर खरीद वारंटों के रूप में अलग की जा सकती हो। तदनुसार, सभी मामलों में प्रतिष्ठान, दायित्व तथा 'इक्विटी' लिखतों को अपने तुलन पत्र में पृथक रूप में प्रस्तुत करता है।
30. परिवर्तन योग्य लिखतों के दायित्व तथा 'इक्विटी' घटक के रूप में वर्गीकरण को परिवर्तन विकल्प के भाग की संभाव्यता में परिवर्तन के परिणामस्वरूप संशोधित नहीं किया जाता है चाहे कुछ धारकों को विकल्प का प्रयोग आर्थिक रूप से लाभदायक होना प्रतीत हो सकता हो। संभवतः धारक इस रूप में हमेशा कार्यवाही न करे जैसाकि उनसे आशा की जाती है क्योंकि, उदाहरण के लिए, परिवर्तन के फलस्वरूप धारकों के बीच आयकर परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन की संभाव्यता भी समय-समय पर बदल। भविष्य में, भुगतान के लिए प्रतिष्ठान की अनुबंधात्मक बाध्यता तब तक बकाया रहेगा जब तक यह परिवर्तन, लिखत की परिपक्वता अथवा कुछ अन्य लेन-देन के जरिये समाप्त नहीं हो जाता।
31. भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के माप संबंधी चर्चा करता है। 'इक्विटी' लिखतें वे लिखतें हैं जोकि अपनी सभी दायित्वों को घटाकर प्रतिष्ठान की आस्तियों में अवशिष्ट हित का प्रमाण देती हैं। अतः, जब मिश्रित वित्तीय लिखत की प्रारंभिक अग्रणीत राशि इसके 'इक्विटी' तथा दायित्व घटकों को आवंटित की जाती है तो दायित्व घटक के लिए अलग से निर्धारित पूर्ण राशि के रूप में लिखत के उचित मूल्य से कटौती करने के पश्चात् 'इक्विटी' घटक आवंटित की जाती है। 'इक्विटी' घटक (जैसेकि 'इक्विटी' परिवर्तन विकल्प) को छोड़कर मिश्रित वित्तीय लिखत में सन्निहित अंतर्गत किसी भी व्युत्पन्न लक्षण (जैसे कि मांग विकल्प) का मूल्य दायित्व घटक में सम्मिलित किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर दायित्व तथा 'इक्विटी' लिखतों को आवंटित अग्रणीत राशियों का योग हमेशा उस उचित मूल्य के बराबर होगा जोकि लिखत को पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है। प्रारंभिक तौर पर पृथक रूप में लिखत के संघटकों को मान्यता देने से कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती।
32. अनुच्छेद 31 में वर्णित दृष्टिकोण के अंतर्गत, साधारण शेयरों में परिवर्तन योग्य बॉण्ड का जारीकर्ता पहले उस समान प्रकार की दायित्व (जिसमें कोई भी सन्निहित गैर 'इक्विटी' व्युत्पन्न विशेषता सम्मिलित है) के उचित मूल्य के माप द्वारा दायित्व घटक की अग्रणीत राशि निर्धारित करता है जिसका कोई सहयोगी प्रतिष्ठान 'इक्विटी' संघटक नहीं होता। साधारण शेयरों को बदलने हेतु विकल्प द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली 'इक्विटी' लिखतों की अग्रणीत राशि तब संपूर्ण मिश्रित वित्तीय लिखत के उचित मूल्य से वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य में कटौती द्वारा निर्धारित की जाती है।

ट्रेजरी शेयर (अनुच्छेद दिनि 36 भी देखें)

33. यदि कोई प्रतिष्ठान अपनी ही 'इक्विटी' लिखतों का पुनर्ग्रहण करता है तो उन लिखतों (ट्रेजरी शेयरों) को 'इक्विटी' में से घटाया जाएगा। किसी प्रतिष्ठान की स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों की खरीद, बिक्री जारी करने अथवा रद्द करने पर लाभ अथवा हानि में कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। ये ट्रेजरी शेयर प्रतिष्ठान अथवा समेकित समूह के अन्य सदस्यों द्वारा ग्रहण व धारित किये जा सकते हैं। अदा अथवा प्राप्त प्रतिफल को सीधे 'इक्विटी' में मान्यता दी जाएगी।
34. भारतीय लेखा मानक 1, *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण*, के अनुसार, प्रतिधारित ट्रेजरी शेयरों की राशि पृथक रूप में या तो तुलन पत्र में या फिर टिप्पणियों में प्रकट की जायेगी। एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 24, *संबंधित पक्ष के संबंध में प्रकटन*, के अनुसार प्रकटन का प्रावधान करता है। बशर्ते प्रतिष्ठान संबंधित पक्षों से इसकी अपनी 'इक्विटी' लिखतों का पुनर्ग्रहण करता है।

ब्याज, लाभांश, हानियां व लाभ (अनुच्छेद दिनि 37 भी देखें)

35. किसी वित्तीय लिखत अथवा एक घटक से संबंधित ब्याज लाभांश, हानि व लाभ को, जोकि वित्तीय दायित्व है, लाभ अथवा हानि में आय अथवा व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसी 'इक्विटी' लिखत के धारकों को प्रतिष्ठान द्वारा संवितरण को सीधे ही 'इक्विटी' में मान्यता दी जाएगी। किसी 'इक्विटी' लेन-देन की लेन-देन लागतों को 'इक्विटी' से
- 35क एक इक्विटी लिखत के धारकों के संवितरण का आयकर और इक्विटी लेन-देन की लेन-देन लागतों का लेखा भारतीय लेखा मानक 12, *आयकर*, के अनुसार किया जाएगा।
36. वित्तीय दायित्व अथवा 'इक्विटी' लिखत के रूप में वित्तीय लिखत का वर्गीकरण यह निर्धारित करता है कि उस लिखत से संबंधित ब्याज, लाभांश, हानियां तथा लाभ को लाभ अथवा हानि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है। इस प्रकार शेयरों पर लाभांश भुगतानों को, जिन्हें पूर्ण रूप से दायित्वों के रूप में मान्यता दी गई है, उसी तरह से व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस प्रकार कि किसी बॉण्ड पर ब्याज को दी जाती है। इसी प्रकार वित्तीय दायित्वों के मोचन अथवा पुनर्वित्त से सम्बद्ध लाभों तथा हानियों को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है, जबकि 'इक्विटी' लिखतों के मोचन अथवा पुनर्वित्त को 'इक्विटी' में परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। किसी 'इक्विटी' लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।
37. आमतौर पर प्रतिष्ठान जब भी अपनी 'इक्विटी' लिखतों को जारी अथवा अर्जित करता है तो उसे विभिन्न लागतें वहन करनी पड़ेगी। उन लागतों में पंजीकरण और अन्य नियामक शुल्क, कानूनी, लेखा व अन्य व्यावसायिक परामर्शदाताओं को अदा की गयीं राशियां, मुद्रण लागतें तथा स्टाम्प ड्यूटी आदि सम्मिलित हो सकती हैं। किसी 'इक्विटी' लेन-देन की लेन-देन लागतों को उस सीमा तक 'इक्विटी' (किसी भी संबंधित आयकर लाभ को घटाकर लेखे में शुद्ध रूप कटौती के रूप में लिया जाता है और उन्हे जिस सीमा तक वे वृद्धिशील लागतें हैं सीधे ही 'इक्विटी' लेन-देन से संबंधित है तथा अन्यथा उनसे बचा जा सकता है। किसी 'इक्विटी' लेने देन की परिव्यक्त लागतों, को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
38. लेन-देन लागतें, जोकि मिश्रित वित्तीय लिखत के जारी किये जाने से संबंधित हैं, प्राप्तियों के आवंटन के अनुपात में लिखतों के दायित्व तथा 'इक्विटी' घटकों को आवंटित की जाती है। लेन-देन लागतें, जोकि संयुक्त रूप से एक से अधिक लेन-देनों (उदाहरण के लिए, कुछ शेयरों की समवर्ती प्रस्तुति तथा अन्य शेयरों को स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की लागतें) से संबंधित होती हैं, उन लागतों को आवंटित की जाती हैं जो इस आवंटन के आधार को प्रयोग में लाती हैं तथा जो अन्य लेन-देनों के साथ तर्कसंगत तथा सुसंगत हैं।
39. एक अवधि में लेन-देन लागतों की राशि का लेखा, 'इक्विटी' की कटौती के रूप में किया जाता है, और इसे पृथक रूप में भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसरण में पृथक रूप से प्रकट किया जाता है। 40. व्यय के रूप में वर्गीकृत लाभांश लाभ-हानि विवरण में या तो अन्य दायित्वों पर ब्याज के साथ अथवा पृथक मद के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस मानक की अपेक्षाओं के अतिरिक्त, ब्याज तथा लाभांश का प्रकटन भारतीय लेखा मानक 1 तथा भारतीय लेखा मानक 107 की अपेक्षाओं के अधीन है। कुछ परिस्थितियों में कर कटौती जैसे ब्याज व लाभांशों के बीच अंतरों के कारण यह वांछनीय है कि उनका प्रकटन लाभ-हानि विवरण में पृथक रूप में किया जाए। कर प्रभावों का प्रकटन भारतीय लेखा मानक 12 के अनुसार किया जाता है।
41. वित्तीय दायित्व की अग्रणीत राशि में परिवर्तनों से संबंधित लाभ व हानियों को लाभ अथवा हानि में आय अथवा व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है चाहे वह उस लिखत से संबंधित हो जिसमें नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति [देखें अनुच्छेद 18 (ख)] के लिए बदले में प्रतिष्ठान की आस्तियों में अवशिष्ट ब्याज का अधिकार सम्मिलित है। भारतीय लेखा मानक 1 के अंतर्गत प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण में इस प्रकार की लिखत को अलग-से पुर्नमाप से उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को प्रस्तुत करता है।

वित्तीय आस्ति एवं वित्तीय दायित्व का समंजन (ऑफसेटिंग) (अनुच्छेद दिनि 38 व दिनि 109 भी देखें)

42. वित्तीय आस्ति एवं वित्तीय दायित्व को समंजित (ऑफसेट) किया जाएगा और तुलन-पत्र में उसे केवल शुद्ध राशि के क्रम में प्रस्तुत किया जाएगा लेकिन तब, और केवल तभी, जब :
- (क) प्रतिष्ठान के पास वर्तमान में मान्यताप्राप्त राशियां के समंजन का कानूनी रूप से लागू किये जाने का अधिकार हो ; तथा
- (ख) प्रतिष्ठान की या तो शुद्ध आधार पर या फिर आस्ति की वसूली और दायित्व का निपटान एक-साथ करने की इच्छा हो।

एक वित्तीय आस्ति के, जो अमान्यता के लिए योग्य नहीं है अंतरण के लेखा के लिए प्रतिष्ठान हस्तांतरित तथा सहभागी दायित्व को समंजित (ऑफसेट) नहीं करेगा (भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद 3.2.22 देखें) ।

43. यह मानक शुद्ध आधार पर वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करता है और ऐसा करते समय प्रतिष्ठान की दो या दो से अधिक वित्तीय लिखतों का निपटान करने से प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों को प्रदर्शित करता है। जब कोई प्रतिष्ठान एकल शुद्ध राशि प्राप्त करने अथवा अदा करने का अधिकार रखता है और इस प्रकार का इरादा भी रखता है तो वास्तव में इसके पास एक एकल वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय दायित्व होती है। अन्य परिस्थितियों में वित्तीय आस्तियां एवं वित्तीय दायित्व प्रतिष्ठान के संसाधनों अथवा बाध्यताओं के रूप में इनकी विशेषताओं के अनुरूप से एक-दूसरे से पृथक प्रस्तुत की जाती हैं। एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 13 ख-13ड में अपेक्षित सूचना की भारतीय लेखा मानक 107 के अनुच्छेद 13 के कार्यक्षेत्र में मान्यत वित्तीय लिखतों के लिए प्रकट करेगा।
44. मान्य वित्तीय आस्ति तथा मान्य वित्तीय दायित्व का समंजन (ऑफसेटिंग) तथा शुद्ध राशि का प्रस्तुतिकरण वित्तीय आस्ति एवं वित्तीय दायित्व की अमान्यता से भिन्न है। यद्यपि, ऑफसेटिंग किसी लाभ अथवा हानि की मान्यता में उत्पत्ति नहीं करता, वित्तीय लिखत की अमान्यता के परिणामस्वरूप तुलन-पत्र से पूर्ववर्ती मान्य मद व दायित्व हट जायेगी परंतु परिणामस्वरूप यह किसी लाभ अथवा हानि की मान्यता भी हो सकती है।
45. समंजन (ऑफसेटिंग) का अधिकार देनदार का अनुबंध या अन्य रूप से कानूनी अधिकार है जिसके अन्तर्गत वह ऋणी को देय राशि और उससे प्राप्य राशि का पूर्ण अथवा आंशिक निपटान कर सकता है। असामान्य परिस्थितियों में, ऋणी को देय राशि के प्रति अन्य पार्टी से प्राप्य राशि को समंजित (ऑफसेट) करने के लिए देनदार के पास एक कानूनी अधिकार होता है बशर्ते कि तीनों पक्षों के बीच में इस संबंध में कोई करारनामा हो जो स्पष्ट रूप में देनदार के समंजन (ऑफसेटिंग) अधिकार को स्थापित करता है। क्योंकि समंजन (ऑफसेटिंग) का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इस अधिकार का समर्थन करने वाली शर्तें एक कानूनी कार्यक्षेत्र से दूसरे कार्यक्षेत्र में भिन्न हो सकती हैं तथा इस संबंध में संबंधित पक्षों के बीच संबंधों पर लागू कानूनों पर विचार किये जाने की आवश्यकता भी हो सकती है।
46. किसी वित्तीय आस्ति तथा किसी वित्तीय दायित्व के समंजन (ऑफसेटिंग) के लिए लागू किये जाने वाले अधिकार की मौजूदगी किसी वित्तीय आस्ति तथा किसी वित्तीय दायित्व के साथ संबद्ध अधिकारों व बाध्यताओं का प्रभावित करती है तथा ऋण व तरलता जोखिम के प्रति किसी प्रतिष्ठान का रु-बरु कर सकती है। फिर भी, अधिकार की मौजूदगी ही अपने आप समंजन के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है। अधिकार का प्रयोग करने अथवा साथ-साथ निपटान करने के इरादे के अभाव में प्रतिष्ठान के भावी नकदी प्रवाहों की राशि तथा समय प्रभावित नहीं होते। जब कोई प्रतिष्ठान अधिकार का प्रयोग अथवा साथ-साथ निपटान करना चाहता है तो शुद्ध आधार पर आस्ति तथा दायित्व का प्रस्तुतिकरण प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह की राशि या समय अधिक उपयुक्त रूप में प्रदर्शित होते हैं और साथ ही जोखिम भी, जिसके लिए कि वह नकदी प्रवाह अनावरित होते हैं। ऐसा करने के कानूनी अधिकार के बिना शुद्ध आधार पर निपटान करने के लिए एक या दोनों पक्षों का इरादा समंजन (ऑफसेटिंग) को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत वित्तीय आस्ति एवं वित्तीय दायित्व से संबद्ध अधिकार तथा दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता।
47. विशेष आस्तियों तथा बाध्यताओं के निपटान के संबंध में प्रतिष्ठान के आशय, इसके सामान्य कारोबार के संव्यवहारों, वित्तीय बाजारों की अपेक्षाओं तथा अन्य परिस्थितियों से प्रभावित हो सकते हैं। वित्तीय बाजारों की अपेक्षाएं और अन्य परिस्थितियां शुद्ध के आधार पर निपटान करने अथवा साथ-साथ निपटान करने की योग्यता को सीमित कर सकती हैं। जब किसी प्रतिष्ठान के पास समंजन का अधिकार तो होता है परंतु वह शुद्ध के आधार पर अथवा आस्ति की वसूली के साथ-साथ दायित्व का निपटान करने का इरादा नहीं रखता। तब प्रतिष्ठान की ऋण जोखिम स्थिति पर अधिकार के प्रभाव का प्रकटन भारतीय लेखा मानक 107 के अनुच्छेद 36 के अनुसार किया जाता है।
48. दो वित्तीय लिखतों का साथ-साथ निपटान, उदाहरण के लिए, संगठित वित्तीय बाजार में समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाउस) के परिचालन द्वारा अथवा आमने-सामने विनिमय (अदला-बदली) द्वारा किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, नकदी प्रवाह वस्तुतः एक शुद्ध राशि के बराबर होते हैं और इसमें ऋण अथवा तरलता जोखिम के प्रति किसी प्रकार की संभावना नहीं होती है। अन्य परिस्थितियों में, एक प्रतिष्ठान पृथक राशियों की प्राप्ति तथा अदायगी द्वारा दो लिखतों का निपटान कर सकता है जिसमें वह आस्ति की पूरी राशि के लिए ऋण जोखिम तथा दायित्व की पूरी राशि के लिए तरलता जोखिम के प्रति अनावरित होता है। तदनुसार, वित्तीय आस्ति की वसूली तथा वित्तीय दायित्व के निपटान को तभी साथ-साथ माना जाता है जब ये लेन-देन एक ही समय में संपन्न हुए हों। इसी प्रकार के जोखिम महत्वपूर्ण हो सकते हैं भले वे चाहे संक्षिप्त क्यों न हों, तदनुसार, किसी वित्तीय आस्ति की वसूली तथा जिसकी वित्तीय दायित्व का निपटान तभी एक-साथ माना जाता है जब ये लेन-देन इसी क्षण संपन्न होता है।
49. अनुच्छेद 42 में निर्धारित शर्तें सामान्यतया तब तक पूरी हुई मानी जाती और समंजन (ऑफसेटिंग) आमतौर पर अनुपयुक्त होता है जब :

- (क) अनेक प्रकार की विभिन्न वित्तीय लिखतों को एकल वित्तीय लिखते की विशेषताओं के बराबर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है (एक सिनथेटिक लिखतें);
- (ख) समान प्राथमिक जोखिम से अनावरित (उदाहरणार्थ, वायदा अनुबंधों अथवा व्युत्पन्न लिखतों के पोर्टफोलियो के अन्तर्गत आस्तियां वदायित्व) वित्तीय लिखतों से उत्पन्न वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों किन्तु जिनमें विभिन्न प्रतिपक्ष (काउन्टर पार्टियां) सम्मिलित होती हैं;
- (ग) वित्तीय अथवा अन्य आस्तियां, जो प्रतिभूति-सीमित वित्तीय दायित्वों (नॉन-रिकोर्स) के लिए समपार्श्विक रूप में गिरवी (प्लेज) रखी जाती हैं ;
- (घ) बाध्यता के निपटान में (उदाहरण के लिए, डूबती ऋण शोधन निधि व्यवस्था) देनदार द्वारा स्वीकार की गई उन आस्तियों के बिना किसी दायित्व को चुकाने के प्रयोजन के लिए लेनदार द्वारा विश्वास में वित्तीय आस्तियां उपास्त की जाती हैं; या
- (ङ.) हानियों में वृद्धि करने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप, अग्रणीत किये गये दायित्व किसी बीमा अनुबंध के अंतर्गत किये गये दावे के कारण तीसरे पक्ष से वसूल किये जाने अपेक्षित हैं।
50. जब प्रतिष्ठान एकल प्रतिपक्ष के साथ अनेक वित्तीय लिखत लेन-देन करता है जोकि प्रतिपक्ष (काउन्टर पार्टी) के साथ 'मास्टर नैटिंग व्यवस्था' कर सकता है। इस प्रकार के करारनामा में, किसी अनुबंध में चूक होने अथवा इसकी समाप्ति हो जाने की स्थिति में करारनामा द्वारा आवृत (कवर) सभी वित्तीय लिखतों के एकल शुद्ध निपटान के प्रावधान होता है। ये व्यवस्थाएं आमतौर पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लायी जाती हैं ताकि दिवालियापन (बैंककरप्सी) अथवा अन्य परिस्थितियों, जिनके परिणामस्वरूप प्रतिपक्ष अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है, की स्थिति में हानि के प्रति बचाव का प्रावधान किया जा सके। एक 'मास्टर नैटिंग व्यवस्था' सामान्यतया समंजन (ऑफसेटिंग) अधिकार सृजित करती है और बाध्य करती है तथा कारोबार की सामान्य स्थिति में हुई अप्रत्याशित चूक अथवा अन्य परिस्थितियों के फलस्वरूप केवल व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों की वसूली अथवा निपटान को प्रभावित करती है। एक 'मास्टर नैटिंग व्यवस्था' समंजन के लिए आधार प्रदान नहीं करती जब तक कि अनुच्छेद 42 के दोनों ही मापदंड पूरे न होते हो। जब 'मास्टर नैटिंग व्यवस्था' के अंतर्गत वित्तीय आस्तियां एवं वित्तीय दायित्व समंजित (ऑफसेट) नहीं होती तो ऋण जोखिम के प्रति किसी प्रतिष्ठान का अनावरित होना व्यवस्था का प्रकटन भारतीय लेखा मानक 107 के अनुच्छेद 36 के अनुसार किया जाता है।

परिशिष्ट क

प्रयोग-संबंधी दिशा-निर्देश (दिनि)

भारतीय लेखा मानक 32, वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

- दिनि 1 यह प्रयोग-संबंधी मार्गदर्शन (दिनि) इस मानक के विशिष्ट पहलुओं को लागू किये जाने के बारे में स्पष्टीकरण देता है।
- दिनि 2 यह मानक वित्तीय लिखतों की मान्यता अथवा माप के संबंध में चर्चा नहीं करता है। वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों की मान्यता तथा माप के बारे में अपेक्षाएं भारतीय लेखा मानक 109 में दी गई हैं।

परिभाषाएं (अनुच्छेद 11 - 14)

वित्तीय आस्तियां एवं वित्तीय दायित्व

- दिनि 3 मुद्रा (नकदी) एक वित्तीय आस्ति है क्योंकि यह विनिमय के माध्यम का प्रतिनिधित्व करती है। अतः यह वह आधार है जिस पर सभी लेन-देनों को मापा जाता है तथा उन्हें मान्यता दी जाती है। किसी बैंक अथवा समान वित्तीय संस्था में नकदी की जमा एक वित्तीय आस्ति है क्योंकि वह जमाकर्ता के अनुबंधात्मक अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है। संस्था से नकदी प्राप्त करने के लिए अथवा वित्तीय दायित्व के भुगतान में लेनदार के पक्ष में शेष के प्रति चैक अथवा समान लिखत आहरित करने के लिए प्रतिनिधित्व करती है।
- दिनि 4 भविष्य में नकदी प्राप्त करने के लिए अनुबंधात्मक अधिकार का प्रतिनिधित्व कर रही वित्तीय आस्तियों तथा भविष्य में नकदी प्रदान करते हेतु अनुबंधात्मक बाध्यता का प्रतिनिधित्व कर रहे तदनुसारी वित्तीय दायित्वों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं :
- (क) प्राप्य तथा देय व्यापार खाते ;
- (ख) प्राप्य तथा देय नोट ;
- (ग) प्राप्य तथा देय ऋण ; तथा
- (घ) प्राप्य तथा देय बॉण्ड

- प्रत्येक मामले में, एक पक्ष का नकदी प्राप्त करने का अनुबंधात्मक अधिकार (अथवा अदायगी करने की बाध्यता) अन्य पक्ष के तदनुसूची अदा करने की बाध्यता (प्राप्त करने के अधिकार) के सदृश होता है।
- दिनि 5 वित्तीय लिखत की अन्य किस्म वह है जिसमें प्राप्त आर्थिक लाभ या छोड़े गये लाभ नकदी से भिन्न एक वित्तीय आस्ति है। उदाहरणस्वरूप, सरकारी बॉण्डों की अदायगी के लिए एक नोट धारक को प्राप्त करने का अनुबंधात्मक अधिकार प्रदान करता है। और जारीकर्ता को सरकारी बॉण्ड लेकिन नकदी नहीं, सुपुर्द करने की अनुबंधात्मक बाध्यता प्रदान करता है। बॉण्ड वित्तीय आस्तियां हैं क्योंकि वे जारीकर्ता सरकार को नकदी अदा करने के बाध्यता को प्रतिबिंबित करती हैं। इसी तरह नोट एक वित्तीय आस्ति है जो नोट धारक के लिए वित्तीय आस्ति है और नोट जारीकर्ता के लिए वित्तीय बाध्यता है।
- दिनि 6 शाश्वत (परपेचुअल) ऋण लिखते (जैसे कि शाश्वत बाण्ड, ऋणपत्र (डिबेंचर) तथा पूंजीगत नोट) आमतौर पर धारक को अनुबंधात्मक अधिकार देती है कि वह भविष्य में अनिश्चित तिथियों तक ब्याज प्राप्त करता रहे लेकिन उसे यह अधिकार नहीं है कि वह मूलधन को लम्बे समय तक वापस ले या उसे वापस दे। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान इस अपेक्षा के साथ वित्तीय लिखत जारी कर सकता है कि बताये गये सममूल्य पर अथवा 1,000 रुपये की मूलधन राशि पर लागू की गयी 8 प्रतिशत ब्याज दर के बराबर निरंतर वार्षिक भुगतान करे। यह मानते हुए कि जारी करते समय उसकी बाजार-दर 8 प्रतिशत है, जारीकर्ता प्रारंभिकमान्यता पर 1,000 रुपये में उचित मूल्य (वर्तमान मूल्य) वाला भविष्य के ब्याज भुगतानों का लिखत के रूप में एक अनुबंधात्मक बाध्यता मानता है। लिखत के धारक तथा जारीकर्ता की क्रमशः एक वित्तीय आस्ति तथा एक वित्तीय बाध्यता होता है।
- दिनि 7 वित्तीय लिखतों को प्राप्त करने, सुपुर्द करने तथा की अदला-बदली करने के लिए एक अनुबंधात्मक अधिकार अथवा अनुबंधात्मक बाध्यता के होने से ही वह अपने आप में वित्तीय लिखत बन जाती है। अनुबंधात्मक अधिकार अथवा अनुबंधात्मक बाध्यताओं की शृंखला एक वित्तीय लिखत की परिभाषा को पूरा करती है यदि यह अन्ततः नकदी प्राप्ति अथवा भुगतान अथवा किसी 'इक्विटी' लिखत की प्राप्ति अथवा जारी करने की ओर अग्रसर करे।
- दिनि 8 किसी अनुबंधात्मक बाध्यता को संतुष्ट करने के लिए अनुबंधात्मक अधिकार का प्रयोग अथवा अपेक्षा की योग्यता नितांत भी हो सकती है अथवा भविष्य में घटित होने वाली आकस्मिक हो सकती है। उदाहरण के लिए, वित्तीय गारंटी गारंटर से नकदी प्राप्त करने के लिए लेनदार का एक अनुबंधात्मक अधिकार होता है तथा यदि उधारकर्ता चूक करता है तो लेनदार गारंटर से राशि को प्राप्त करने का तदनुसूची अनुबंधात्मक बाध्यता रखता है। अनुबंधात्मक अधिकार तथा बाध्यता भूतकाल के किसी लेन-देन अथवा घटना (गारंटी ग्रहण करना) के कारण ही मौजूद होते हैं, यद्यपि लेनदार के अपने अधिकार के प्रयोग करने की योग्यता तथा अपने बाध्यता के अंतर्गत गारंटर द्वारा निष्पादन-संबंधी अपेक्षा, दोनों ही उधारकर्ता द्वारा भावी चूक की कार्यवाही पर आकस्मिक हैं। एक आकस्मिक अधिकार तथा बाध्यता वित्तीय आस्ति एवं वित्तीय दायित्व की परिभाषा को पूरा करते हैं यद्यपि इस प्रकार की आस्तियों तथा दायित्वों को हमेशा वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती। इन आकस्मिक अधिकारों तथा बाध्यताओं में से कुछ भारतीय लेखा मानक 104 के कार्यक्षेत्र के अंदर बीमा अनुबंधों हो सकते हैं।
- दिनि 9 भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे, के अधीन एक वित्त पट्टा, पट्टाकर्ता को प्राप्त करने की एक योग्यता तथा पट्टेदार को भुगतान करने की एक बाध्यता, भुगतानों की एक प्रवाह युक्त शृंखला होती है और वह करार के अन्तर्गत मूलधन तथा ब्याज के मिश्रित भुगतानों की तरह मानी जाती है। पट्टाकर्ता, पट्टा आस्ति की बजाय पट्टा अनुबंध के अंतर्गत प्राप्य राशि में अपने निवेश को लेखांकित करता है। दूसरी ओर, एक परिचालन पट्टा पूर्ण न की जाने वाली अनुबंध के रूप में समझा जाता है जो सेवा के लिए शुल्क की भांति बदले में भावी अवधियों में ऐसी आस्ति के प्रयोग के प्रतिफल हेतु पट्टेकर्ता की वचनबद्धता है। पट्टाकर्ता अनुबंध के अंतर्गत भविष्य में प्राप्य किसी राशि की बजाय पट्टा दी गयी आस्ति का लेखा रखता है। तदनुसार, एक वित्तीय पट्टा एक वित्तीय लिखत मानी जाती है जबकि एक परिचालन पट्टा वित्तीय लिखत नहीं मानी जाती (सिवाय चालू रूप से प्राप्य व देय व्यक्तिगत भुगतानों को छोड़कर)।
- दिनि 10 भौतिक आस्तियां (जैसे कि व्यापारिक स्कंध, संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर) पट्टाकृत आस्तियां तथा अमूर्त आस्तियां (जैसे कि पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्क) वित्तीय आस्तियां नहीं हैं। इस प्रकार की भौतिक तथा अमूर्त आस्तियों के नियंत्रण से नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के प्रवाह उत्पन्न करने का अवसर सृजित होता है परन्तु इस नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने के लिए वर्तमान अधिकार का सृजन नहीं करता।
- दिनि 11 आस्तियां, (जैसे कि पूर्व प्रदत्त व्यय) जिनसे भविष्य में मिलने वाले माल अथवा सेवाओं के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, न कि नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के रूप में प्राप्त करने का अधिकार, वे वित्तीय आस्तियां नहीं हैं। इसी प्रकार, आस्थगित आय तथा अधिकतर वारंटी बाध्यता वित्तीय दायित्व नहीं हैं क्योंकि उनसे संबद्ध आर्थिक लाभों का बहिर्प्रवाह माल तथा सेवाओं की सुपुर्दगी होती है न कि नकदी अथवा वित्तीय आस्ति की अदायगी का कोई अनुबंधात्मक बाध्यता।
- दिनि 12 ऐसे दायित्व अथवा आस्तियां जो अनुबंधात्मक नहीं हैं (जैसा कि सरकार द्वारा लागू सांविधिक अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप सृजित आयकर) वित्तीय दायित्व अथवा वित्तीय आस्तियां नहीं होती हैं। आय करों का लेखा भारतीय लेखा मानक 12 के अनुरूप किया

जाता है। इसी प्रकार प्रलक्षितबाध्यताएं, जो, भारतीय लेखा मानक 37, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आस्तियां में परिभाषित, अनुबंधों से उत्पन्न नहीं होती हैं और न ही वे वित्तीय दायित्व हैं।

‘इक्विटी’ लिखतें

- दिनि 13 ‘इक्विटी’ लिखतों के उदाहरणों में नान-पुटेबल साधारण शेयर, कुछ पुटेबल लिखतें (देखें अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख), कुछ लिखतें जो प्रतिष्ठान पर एक दायित्व होते हैं कि वह केवल परिसमापन (देखें अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ) पर प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों के यथानुपात शेयर अन्य पक्ष (पार्टी) को सुपुर्द करें, अधिमान शेयर के कुछ प्रकार (देखें अनुच्छेद दिनि 25 तथा दिनि 26), तथा वारंट अथवा लिखत मांग विकल्प (कॉल ऑप्शन) जोकि धारक को नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति की निश्चित राशि के लिए जारीकर्ता प्रतिष्ठान में गैर-बिक्रीयोग्य साधारण शेयरों की एक निश्चित संख्या में अंशदान करने अथवा खरीद के लिए अनुमति देते हैं, शामिल हैं। नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति की निश्चित संख्या के लिए विनिमय में प्रतिष्ठान की अपनी ‘इक्विटी’ लिखतों की निश्चित संख्या जारी करने अथवा खरीद करने के लिए जो प्रतिष्ठान की बाध्यता होती है, वह प्रतिष्ठान की एक ‘इक्विटी’ लिखत है (लेकिन, अनुच्छेद 22 क में उल्लिखित को छोड़कर)। तथापि, यदि ऐसी अनुबंध में नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति की अदायगी के लिए प्रतिष्ठान की बाध्यता शामिल है (अनुच्छेद 16 के तथा 16ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ के अनुसार ‘इक्विटी’ के रूप में वर्गीकृत अनुबंध को छोड़कर,) तो इसमें मोचन राशि के वर्तमान मूल्य के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है (देखें अनुच्छेद दिनि 27 क) वह नान-पुटेबल साधारण शेयरों का जारीकर्ता एक दायित्व को ग्रहण करता है जब औपचारिक रूप से वितरण करता है और ऐसा करने के लिए शेयरधारकों के प्रति कानूनी रूप से बाध्य हो जाता है। ऐसा लाभांश की घोषणा के पश्चात् अथवा जब प्रतिष्ठान का समापन किया जा रहा हो तथा दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् शेष बची आस्तियां शेयरधारकों को वितरित की जानी हों।
- दिनि 14 प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त किया गया खरीद मांग विकल्प (काल ऑप्शन) अथवा ऐसी ही अन्य अनुबंध, जोकि इसे, निश्चित नकद राशि अथवा अन्य वित्तीय आस्ति की सुपुर्दगी हेतु बदले में इसकी स्वयं की ‘इक्विटी’ लिखतों के पुनर्ग्रहण का अधिकार देती है, प्रतिष्ठान की वित्तीय आस्ति नहीं है (लेकिन अनुच्छेद 22 क में उल्लिखित को छोड़कर)। इसके स्थान पर, ऐसी अनुबंध के लिए अदा किया गया कोई प्रतिफल, ‘इक्विटी’ में से घटा दिया जाता है।

लिखतों का वर्ग जोकि अन्य सभी वर्गों के अधीनस्थ है [अनुच्छेद 16 क (ख) और 16 ग (ख)]

- दिनि 14क अनुच्छेद 16 क तथा 16 ग की विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि वित्तीय लिखत उन लिखतों की श्रेणी में है जो सभी अन्य श्रेणियों के अधीन है।
- दिनि 14ख जब यह निर्धारण करना हो कि क्या लिखत अधीनस्थ श्रेणी में हैं, तो प्रतिष्ठान परिसमापन पर लिखतों के दावे का मूल्यांकन करता है मानो यह उस तिथि को परिसमाप्त हो गया था जब यह लिखत को वर्गीकृत करता है। एक प्रतिष्ठान वर्गीकरण को पुनर्निर्धारण करेगा यदि संबंधित परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिष्ठान दूसरा वित्तीय विवरण जारी करता है तो प्रश्नाधीन लिखत चाहे लिखत की श्रेणी में हो अथवा नहीं, यह उसे प्रभावित करता है जो सभी अन्य श्रेणियों के अधीनस्थ है।
- दिनि 14ग एक लिखत जिसे प्रतिष्ठान के परिसमापन पर अधिमान्य अधिकार है वह प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों का समानुपातिक हिस्सा का हकदारी लिखत नहीं है। उदाहरण के लिए, एक लिखत को परिसमापन पर अधिमान्य अधिकार है यदि यह धारक को परिसमापन पर निश्चित लाभांश का अधिकार देता है जो प्रतिष्ठान के शुद्ध आस्तियों हिस्सा के अतिरिक्त है जबकि अधीनस्थ श्रेणी की अन्य लिखतों को प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों के समानुपातिक हिस्सा रहने पर भी परिसमापन पर वही अधिकार नहीं दिया गया है।
- दिनि 14घ यदि प्रतिष्ठान को वित्तीय लिखतों की केवल एक ही श्रेणी है तो उस श्रेणी को सभी अन्य श्रेणियों के अधीनस्थ श्रेणी के रूप में ही माना जाएगा।
- दिनि 14ङ लिखत के जीवन पर लिखत के अनुमानित कुल नकदी प्रवाह व्यापक रूप से लाभ अथवा हानि, मान्य शुद्ध आस्तियों में परिवर्तन अथवा लिखत के जीवन पर प्रतिष्ठान की मान्य एवं अमान्य शुद्ध आस्तियों के उचित मूल्य पर आधारित होने चाहिए। लाभ अथवा हानि तथा मान्य शुद्ध आस्तियां संबंधित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप मापी जाएंगी।

प्रतिष्ठान के स्वामी के अलावा लिखत धारक द्वारा प्रविष्ट किया गया लेन-देन [अनुच्छेद 16 क (ख) और 16 ग]

- दिनि 14च पुटेबल वित्तीय लिखत का धारक अथवा एक लिखत जो प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों का समानुपातिक हिस्सा किसी दूसरी पार्टी को सुपुर्द करने का बाध्यता प्रतिष्ठान पर लागू होता है तथा उस स्वामी की भूमिका के अलावा प्रतिष्ठान के साथ केवल परिसमापन पर लेन-देनों में प्रवेश कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक लिखत धारक प्रतिष्ठान का एक कर्मचारी भी हो सकता है। केवल नकदी प्रवाह तथा लिखत के अनुबंधगत शर्तों एवं निबंधनों जो लिखतधारक से प्रतिष्ठान के स्वामी के रूप में संबद्ध होते हैं, पर तभी विचार किया जाएगा जब यह निर्धारण किया जाएगा कि क्या लिखत को अनुच्छेद 16 क अथवा अनुच्छेद 16 ग के अधीन ‘इक्विटी’ के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

दिनि 14छ एक उदाहरण लिमिटेड (सीमित) साझेदारी (पार्टनरशिप) का है जिसमें सीमित तथा आम (सामान्य) भागीदार हैं। कुछ आम भागीदार प्रतिष्ठान को यह गारंटी को देने के लिए उन्हें पारिश्रमिक भी मिल सकता है। ऐसी स्थिति में, गारंटी तथा संबद्ध नकदी प्रवाह लिखत धारकों से गारंटर की भूमिका के रूप में न कि प्रतिष्ठान के स्वामी की भूमिका के रूप में संबंधित होगा। इसलिए, ऐसी गारंटी तथा संबद्ध नकदी प्रवाह सामान्य साझेदारों के सीमित साझेदारों को अधीनस्थ के रूप में समझे जाने के परिणामस्वरूप नहीं होंगे और यह निर्धारण करते समय ध्यान नहीं दिया जाएगा कि सीमित साझेदारी लिखतों तथा सामान्य साझेदारी लिखतों की अनुबंधगत शर्तें एक जैसी हैं अथवा नहीं।

दिनि 14ज दूसरा उदाहरण लाभ अथवा हानि हिस्सेदारी व्यवस्था का है जिसमें चालू तथा पिछले वर्षों के दौरान दी गई सेवाओं अथवा सृजित व्यवसाय के आधार पर लिखत धारकों को लाभ अथवा हानि आवंटित किये जाते हैं। ऐसी व्यवस्था लिखत धारकों के साथ उनके गैर-स्वामी की भूमिका में किये गए लेन-देन हैं और उन पर अनुच्छेद 16 क अथवा अनुच्छेद 16 ग में सूचीबद्ध विशेषताओं का निर्धारण करने समय विचार नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, लाभ अथवा हानि हिस्सेदारी व्यवस्था जिसमें उनके लिखतों की सामान्य राशि के आधार पर लिखत धारकों को आवंटित होते हैं।

दिनि 14झ लिखत धारक (गैर-स्वामी की भूमिका के रूप में) तथा निर्गमकर्ता प्रतिष्ठान के बीच लेन-देन का नकदी प्रवाह तथा अनुबंधगत शर्तों एवं निबंधनों को एक ही जैसे लेन-देन के समान होना चाहिए जो गैर-लिखत धारक तथा निर्गमकर्ता प्रतिष्ठान के बीच हो सकता है।

कुल नकदी प्रवाहों के साथ कोई अन्य वित्तीय लिखत अथवा अनुबंध नहीं जो व्यापक रूप से लिखत धारक (अनुच्छेद 16ख तथा 16घ) के अवशिष्ट प्रतिफल निश्चित अथवा सीमित करता है।

दिनि 14ञ वित्तीय लिखत जो 'इक्विटी' के रूप में वर्गीकरण की शर्त जो अन्यथा अनुच्छेद 16 क अथवा 16 ग में मानदण्ड को पूरा करता है, वह यह है कि प्रतिष्ठान को कोई अन्य वित्तीय लिखत अथवा अनुबंध जो (क) लाभ अथवा हानि पर व्यापक रूप से आधारित कुल नकदी प्रवाह मान्य एवं अमान्य शुद्ध आस्तियों को उचित मूल्य में परिवर्तन तथा (ख) अवशिष्ट आय को व्यापक रूप से अथवा निश्चित करने का प्रभाव है। निम्नलिखित लिखत, जब असंबद्ध पार्टियों के साथ सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर निष्पादित होता है, तो उन लिखतों को रोकने की संभावना नहीं होती है जो अन्यथा अनुच्छेद 16 क अथवा अनुच्छेद 16 ग में 'इक्विटी' के रूप में वर्गीकृत किये जाने से संबंधित मानदण्डों को पूरा करता है :

(क) प्रतिष्ठान की विशिष्ट आस्तियों पर व्यापक रूप से आधारित कुल नकदी प्रवाहों वाली लिखते।

(ख) राजस्व की प्रतिशतता पर आधारित कुल नकदी प्रवाहों वाली लिखते।

(ग) प्रतिष्ठान को दी गई सेवाओं के लिए व्यक्तिगत कर्मचारियों को प्रतिफल के लिए तैयार की गई अनुबंधों।

(घ) दी गई सेवाएं अथवा उपलब्ध करायी गई वस्तुओं पर लाभ की मामूली प्रतिशतता के भुगतान के लिए अनुबंधों।

व्युत्पन्न (डैरीवेटिव) वित्तीय लिखतें

दिनि 15 वित्तीय लिखतों में प्राथमिक लिखते (जैसे कि प्राप्य राशियां, देय राशियां तथा 'इक्विटी' लिखतें) तथा व्युत्पन्न वित्तीय लिखते (जैसेकि वित्तीय विकल्प, भावी तथा वायदा राशियां, ब्याज दर विनिमय (इंटरस्ट रेट स्वापस) तथा मुद्रा विनिमय (करेंसी स्वापस)) सम्मिलित हैं। व्युत्पन्न (डैरीवेटिव) वित्तीय लिखते किसी वित्तीय लिखत की परिभाषा को पूरा करते हैं तथा तदनुसार, इस मानक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

दिनि 16 व्युत्पन्न (डैरीवेटिव) वित्तीय लिखते उन अधिकारों तथा बाध्यताओं को सृजित करती हैं जो किसी चिन्हित प्राथमिक वित्तीय लिखत में निहित होती हैं तथा उसे अधिक वित्तीय जोखिमों को पक्षों (पार्टियों) के बीच एक या एक से अधिक वित्तीय जोखिमों को अंतरित करने का प्रभाव रखती हैं। प्रारंभिक तौर पर, व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें एक अनुबंधात्मक अधिकार देती हैं ताकि पार्टी संभाव्यता अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत अन्य पक्ष (पार्टी) के साथ वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों की अदला-बदली कर सके अथवा एक अनुबंधात्मक बाध्यता देती हैं ताकि पक्ष (पार्टी) संभाव्यता अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत अन्य पक्ष (पार्टी) के साथ वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों की अदला-बदली कर सके। तथापि, वे सामान्यतया³ यह अधिकांश, किन्तु समस्त व्युत्पन्नों के मामले में नहीं, सत्य है, उदाहरण तथा कुछ परस्पर लेन-देन की मुद्रा ब्याज दर विनिमयों (इंटरस्ट रेट स्वापस) में मूलधन आरम्भ में विनिमय होता है और (पुनर्विनिमय परिपक्वता पर होता है)। 'अनुबंध की शुरुआत में चिन्हित प्राथमिक वित्तीय लिखत का अंतरण

³ यह ज्यादातर व्युत्पन्नों में तो सत्य है लेकिन सभी में नहीं, उदाहरणतया कुछ क्रॉस-करेंसी ब्याज-दर विनिमयों में मूलधन प्रारम्भ में ही विनिमित हो जाता है (और परिपक्वता पर पुनःविनिमित होता है)।

परिभाषित नहीं होता, न ही अनुबंध की परिपक्वता पर आवश्यक रूप में इस प्रकार का अंतरण होता है। क्योंकि विनिमय की शर्तें, व्युत्पन्न लिखत की शुरुआत में निर्धारित होती हैं जैसाकि वित्तीय बाजारों में कीमतें उन शर्तों में परिवर्तन कर देती हैं जो या तो अनुकूल हो जाती हैं या प्रतिकूल हो जाती हैं।'

दिनि 17 वित्तीय आस्तियां अथवा वित्तीय दायित्व (अर्थात् प्रतिष्ठान की स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों के अलावा वित्तीय लिखतें) धारक को यह अधिकार देती है कि वह अनुबंध को चिन्हित करते हैं वित्तीय लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों के साथ सहयोगी प्रतिष्ठान संभाव्य भावी आर्थिक लाभों को प्राप्त कर सके। धारक का अनुबंधात्मक अधिकार तथा लेखक का बाध्यता क्रमशः एक वित्तीय आस्ति तथा एक वित्तीय दायित्व की परिभाषा को पूरा करते हैं। किसी विकल्प अनुबंध को चिन्हित करते हुए वित्तीय लिखत अन्य प्रतिष्ठानों तथा ब्याज अग्रणीत लिखतों और शेयरों सहित कोई भी वित्तीय आस्ति हो सकती है। एक विकल्प जो लेखक से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह एक ऋण पत्र जारी करे, न कि वित्तीय आस्ति को अंतरित करे, परंतु विकल्प चिन्हित करता हुआ विकल्प धारक की वित्तीय आस्ति को गठित करेगा यदि विकल्प का प्रयोग किया जाए। संभाव्य अनुकूल शर्तों के अंतर्गत वित्तीय आस्ति की अदला-बदली करने का विकल्प धारक का अधिकार तथा संभाव्य प्रतिकूल शर्तों के अंतर्गत वित्तीय आस्ति की अदला-बदली करने का लेखक की बाध्यता, विकल्प के प्रयोग पर बदली जाने वाली चिन्हित वित्तीय आस्ति से भिन्न हैं। धारक के अधिकार की प्रकृति और लेखक की बाध्यता इस संभावना से प्रभावित नहीं हो सकता कि विकल्प का प्रयोग किया जायेगा।

दिनि 18 एक व्युत्पन्न वित्तीय लिखत का दूसरा उदाहरण एक वायदा अनुबंध है जिसका निपटान छह महीने की अवधि में किया जायेगा जिसमें एक पार्टी (खरीदार) निश्चित दर वाले सरकारी बांड के अंकित मूल्य रुपये 1,000,000 के बदले में रुपये 1000,000 नकदी में सुपुर्द करने का वचन देता है तथा दूसरी पार्टी रुपये 1000,000 मद के बदले में निश्चित दर सरकारी बांडों का 1,000,000 रुपये अंकित राशि सुपुर्द करने के लिए वचन देता है। छह माह के दौरान दोनों ही पार्टियों का वित्तीय लिखतों के विनिमय का अनुबंधात्मक अधिकार तथा अनुबंधात्मक बाध्यता है। यदि सरकारी बांडों का बाजार मूल्य रुपये 1000,000 से अधिक हो जाता है तो परिस्थितियां खरीदार के अनुकूल और विक्रेता के प्रतिकूल होंगी यदि बाजार मूल्य रुपये 1,000,000 से कम हो जाता है तो प्रभाव विपरीत होगा। खरीदार के पास मांग के अंतर्गत अधिकार के समान ही एक अनुबंधात्मक अधिकार (एक वित्तीय आस्ति) है तथा लिखित विक्रय (पुट) विकल्प के अंतर्गत के समान एक अनुबंधात्मक बाध्यता (एक वित्तीय दायित्व) विक्रेता का रखे गये विक्रय (पुट) विकल्प के अंतर्गत अधिकार के समान एक अनुबंधात्मक अधिकार (एक वित्तीय आस्ति) है तथा लिखे गये विक्रय (पुट) विकल्प के अंतर्गत दायित्व (एक वित्तीय दायित्व) है। विकल्पों की भांति, ये अनुबंधात्मक अधिकार तथा दायित्व पृथक वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय बाध्यताएं स्थापित करते हैं तथा चिन्हित (अंडरलाईंग) वित्तीय लिखत विनिमय किये जाने वाले (बाण्ड तथा नकदी) से भिन्न हैं। किसी वायदा अनुबंध की दोनों ही पार्टियों के पास सहमत समय पर एक दायित्व निभाना होता है जबकि किसी विकल्प अनुबंध के अंतर्गत कार्य निष्पादन केवल तभी होता है जब कभी विकल्प का धारक इसके प्रयोग करने का चुनाव करता है।

दिनि 19 अनेक प्रकार की व्युत्पन्न लिखतों में भावी विनिमय करने का अधिकार तथा बाध्यताएं सम्मिलित होता है जिसमें ब्याज दर तथा करेंसी विनिमय, ब्याज दर कैस, कॉलर्स तथा फ्लोर्स, ऋण वचनबद्धताएं, नोट जारी करने की सुविधाएं तथा साख-पत्र शामिल हैं। एक ब्याज दर विनिमय अनुबंध को किसी वायदा अनुबंध के परिवर्तित रूप माना जा सकता है जिसमें पार्टियां नकदी राशि के भावी श्रृंखलावद्ध विनिमय करने के लिए सहमत होती हैं जिनमें एक राशि की गणना चल ब्याज दर के संदर्भ में तथा दूसरी की स्थिर ब्याज दर के संदर्भ में की जाती है। भावी अनुबंधों वायदा अनुबंधों की एक और विभिन्नता है जोकि मुख्यतया इस रूप में भिन्न हैं कि अनुबंध विनिमय को मानकीकृत किया गया है तथा वह है। (एक दूसरा परिवर्तित रूप है जिसमें मुख्यतः यह अंतर होता है कि अनुबंधों मानकीकृत होती विनिमय पर खरीदी या बेची जाती है।)

गैर-वित्तीय मदों को खरीदने अथवा बेचने के लिए अनुबंध (अनुच्छेद 8 - 10)

दिनि 20 गैर-वित्तीय मदों को खरीदने अथवा बेचने के लिए किए गए अनुबंध किसी वित्तीय लिखत की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि किसी गैर-वित्तीय आस्ति अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए एक पक्ष (पार्टी) का अनुबंधात्मक अधिकार तथा दूसरी पक्ष (पार्टी) का अनुषंगी बाध्यता किसी वित्तीय आस्ति को प्राप्त करने, सुपुर्द करने अथवा की अदला-बदली करने के लिए किसी भी पक्ष (पार्टी) का वर्तमान अधिकार अथवा बाध्यता स्थापित नहीं करती। उदाहरण के लिए, ऐसी अनुबंधों जो केवल किसी गैर-वित्तीय मद चांदी का भावी अथवा वायदा विकल्प वाली अनुबंध की प्राप्ति अथवा सुपुर्दगी द्वारा निपटाई जाती है वे वित्तीय लिखतें नहीं होती हैं। अनेक वस्तु अनुबंधों इसी प्रकार की होती हैं। कुछ मानकीकृत प्रकार की हैं और अधिकार उसी ढंग में संगठित बाजारों में खरीदा या बेचा जाता है (जैसेकि कुछ व्युत्पन्न लिखतें)। उदाहरण के लिए, वस्तु भावी अनुबंध लायी जा सकती है और नकदी के लिए बेची जा सकती है क्योंकि विनिमय पर सूचीबद्ध किया जाता है अथवा उसका व्यापार किया जाता है और बहुत बाद एक हाथ से दूसरे हाथ में व्यापार चलता है तथापि अनुबंध को खरीदने अथवा बेचने वाली पार्टियां वास्तव में चिन्हित वस्तु का व्यापार कर रही हैं। नकदी के लिए किसी वस्तु अनुबंध की खरीद अथवा बिक्री के लिए योग्यता, जिस सुलभता के साथ यह खरीदी अथवा बेची जाए तथा वस्तु को प्राप्त करने अथवा सुपुर्द करने के लिए दायित्व के किसी नकदी निपटान को बेचान करने की संभाव्यता इस रूप में अनुबंध के मूल गुण को नहीं बदलती है जो एक वित्तीय लिखत का सृजन करती है। तथापि गैर-वित्तीय मदों को खरीदने अथवा बेचने के लिए

- कुछ अनुबंध जो शुद्ध रूप में अथवा वित्तीय विवरणों की अदला-बदली करके निपटाई जा सकती हैं अथवा जिसमें गैर-वित्तीय मद सुलभता से नकदी में परिवर्तन योग्य हैं वे अनुबंध मानक के कार्यक्षेत्र के अंदर हैं जैसाकि वे वित्तीय लिखतें थी (देखें अनुच्छेद 8)
- दिनि 21 भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व*, में यथापेक्षित को छोड़कर, अनुबंध जिसमें कि भौतिक आस्तियों की प्राप्ति अथवा सुपुर्दगी समाहित है किसी एक पक्ष (पार्टी) की वित्तीय आस्ति में तथा एक अन्य पक्ष (पार्टी) की वित्तीय दायित्व में वृद्धि नहीं करती जब तक कि कोई अनुरूप (कोरस्पेंडिंग) भुगतान उस तिथि तक आस्थगित नहीं हो जाता जिस तिथि को भौतिक आस्तियां अंतरित नहीं हो जाती। इस प्रकार का मामला व्यापार ऋण पर माल की खरीद अथवा बिक्री के मामले में होता है।
- दिनि 22 कुछ अनुबंध वस्तु सम्बद्ध हैं परंतु वस्तु की मूर्त प्राप्ति अथवा सुपुर्दगी के जरिये निपटान समाहित नहीं होता। वे नगदी भुगतानों के जरिये निपटान करते हैं जोकि अनुबंध में एक फार्मूला के अनुसार निर्धारित होते हैं न कि निश्चित राशियों के भुगतान के जरिये। उदाहरण के लिए, तेल की किसी निश्चित मात्रा के प्रति बॉण्ड की परिपक्वता पर परिचालित तेल की बाजार कीमत को लागू करके बॉण्ड की मूलधन राशि आकलित की जा सकती है मूल को किसी वस्तु की कीमत में संदर्भ द्वारा सूचीबद्ध किया जाए। परन्तु केवल नकदी में निपटारा किया जाता है इस प्रकार की अनुबंध वित्तीय लिखत का गठन करती है।
- दिनि 23 वित्तीय लिखत की परिभाषा एक अनुबंध को भी एक कार्यनिष्ठ कर लेता है जो वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय दायित्व के अतिरिक्त गैर-वित्तीय आस्ति अथवा गैर-वित्तीय दायित्व में वृद्धि करती है। इस प्रकार की वित्तीय लिखतें प्रायः एक पक्ष (पार्टी) की गैर-वित्तीय आस्ति के लिए एक वित्तीय आस्ति की अदला-बदली करने के लिए विकल्प प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, एक तेल संबद्ध बॉण्ड धारक को यह अधिकार देता है कि वह निश्चित आवधिक ब्याज भुगतान सहित तथा परिपक्वता का, नकदी की निश्चित राशि प्राप्त करे जिसके साथ यह विकल्प भी है कि वह तेल की निश्चित मात्रा के लिए मूलधन राशि की अदला-बदली करे। इस विकल्प के प्रयोग करने की अपेक्षा समय समय पर भिन्न होगी जोकि बॉण्ड में निहित तेल (विनिमय कीमत) के लिए नकदी के विनिमय अनुपात से संबंध तेल के उचित मूल्य पर आधारित है इस विकल्प के प्रयोग के संबंध में बॉण्ड धारक के इरादों से घटक आस्तियों के आधार प्रभावित नहीं होते। धारक की वित्तीय आस्ति तथा जारीकर्ता की वित्तीय दायित्व बॉण्ड को एक वित्तीय लिखत बनाते हैं, चाहे आस्तियों तथा दायित्वों के अन्य प्रकार भी सृजित किये गये हों।
- दिनि 24 (देखें परिशिष्ट 1)

प्रस्तुतिकरण

दायित्व एवं 'इक्विटी' (अनुच्छेद 15-27)

नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति सुपुर्द करने के लिए कोई अनुबंधात्मक दायित्व नहीं (अनुच्छेद 17-20)

- दिनि 25 अधिमानी शेयर विभिन्न अधिकारों के साथ जारी किये जा सकते हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई अधिमानी शेयर वित्तीय दायित्व है अथवा 'इक्विटी' लिखत, जारीकर्ता यह निर्धारित करने के लिए शेयर से संबंधित विशेष अधिकारों का मूल्यांकन करता है कि क्या यह वित्तीय दायित्व के मूल गुण को प्रदर्शित करता है अथवा नहीं। उदाहरण के लिए, एक अधिमानी शेयर में जिसमें एक निर्धारित तिथि को अथवा धारक के विकल्प पर चुकौती का प्रावधान है। जिसमें वित्तीय दायित्व समाहित होती है क्योंकि जारीकर्ता शेयर के धारक को वित्तीय आस्तियां अंतरित करने के लिए बाध्यता रखता है। अधिमानी शेयर की चुकौती करने के लिए किसी बाध्यता को संतुष्ट करने हेतु किसी जारीकर्ता की संभाव्य अक्षमता जब ऐसा अनुबंधात्मक रूप से करना अपेक्षित हो यदि निधियों की कमी, संविधिक प्रतिबंध अथवा अपर्याप्त लाभ अथवा रिजर्व की कमी के कारण हो, बाध्यता को नहीं नकारती है। नकदी के लिए शेयरों की चुकौती करने हेतु जारीकर्ता का विकल्प किसी वित्तीय दायित्व की परिभाषा को पूरा नहीं करता है क्योंकि जारीकर्ता के पास शेयरधारकों को वित्तीय आस्तियां अंतरित करने के लिए वर्तमान बाध्यता नहीं होगा। इस मामले में शेयरों की चुकौती केवल जारीकर्ता के स्वेच्छाधिकार पर होती है। तथापि एक बाध्यता आ सकता है जब शेयरों का जारीकर्ता अपने विकल्प का प्रयोग सामान्यतया शेयरों की औपचारिक अधिसूचना जारी करके करे। जो आमतौर पर शेयरधारकों की औपचारिक अधिसूचना द्वारा किया जाता है।
- दिनि 26 जब अधिमानी शेयर गैर-प्रतिदेय हों, उपयुक्त वर्गीकरण का निर्धारण उन अन्य अधिकारों द्वारा किया जाता है। जो उनसे सम्बद्ध हैं। वर्गीकरण अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं के आधार मूल्यांकन तथा वित्तीय दायित्व तथा 'इक्विटी' लिखत की परिभाषाओं के आधार पर होता है। जब अधिमान शेयरों के धारकों को वितरण, चाहे संचयी अथवा गैर-संचयी, जारीकर्ता के स्वेच्छाधिकार पर हैं। तो शेयर इक्विटी लिखतें हैं। 'इक्विटी' लिखत अथवा वित्तीय दायित्व के रूप में अधिमान शेयर का वर्गीकरण निम्नलिखित द्वारा प्रभावित नहीं होता, उदाहरणार्थ:
- (क) वितरण करने का इतिहास;
- (ख) भविष्य में वितरण करने का इरादा;

- (ग) यदि संवितरण नहीं किये गये हैं तो जारीकर्ता के साधारण शेयरों की कीमत पर एक संभाव्य नकारात्मक प्रभाव (साधारण शेयरों पर लाभांशों की अदायगी पर प्रतिबन्ध के कारण यदि अधिमानी शेयरों को लाभांशों की अदायगी नहीं की गई है);
- (घ) जारीकर्ता के रिजर्व की राशि;
- (ङ) एक अवधि के लिए जारीकर्ता की लाभ अथवा हानि की अपेक्षा; अथवा
- (च) अवधि के लिए लाभ अथवा हानि की राशि को प्रभावित करने हेतु जारीकर्ता की योग्यता अथवा अयोग्यता।

प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों में निपटान (अनुच्छेद 21-24)

दिनि 27 निम्नलिखित उदाहरण यह दर्शाते हैं कि कैसे प्रतिष्ठान की स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों पर अनुबंधों के विभिन्न प्रकारों को वर्गीकृत किया जाए:

- (क) एक अनुबंध जिसका निपटान भविष्य के लिए सोच विचार के बिना प्रतिष्ठान द्वारा अपने ही शेयरों की निश्चित संख्या प्राप्त करके अथवा सुपुर्द करके अथवा नकदी की निश्चित राशि अथवा अन्य वित्तीय आस्ति के लिए अपने ही शेयरों की निश्चित संख्या को की अदला-बदली करके किया जायेगा, एक 'इक्विटी' लिखत है (अनुच्छेद 22 क में सूचित किये गये को छोड़कर)। तदनुसार, इस प्रकार के अनुबंध के लिए प्राप्त किया गया अथवा अदा किया गया कोई भी प्रतिफल सीधे ही 'इक्विटी' में जमा करके दिया जायेगा अथवा सीधे ही 'इक्विटी' से कटौती की जायेगी। इसका एक उदाहरण, जारी किया गया वह शेयर विकल्प है जो प्रतिपक्ष को नकदी की निश्चित राशि के लिए प्रतिष्ठान के शेयरों की निश्चित संख्या खरीदने का अधिकार देता है। तथापि यदि अनुबंध नकदी अथवा निश्चित अथवा निश्चय (निर्धारण योग्य) तिथि पर अथवा मांग पर अन्य वित्तीय आस्ति के लिए प्रतिष्ठान के स्वयं के अपने शेयरों की खरीद (चुकोती) के लिए प्रतिष्ठान से अपेक्षा करे तो प्रतिष्ठान चुकोती राशि के वर्तमान मूल्य के लिए किसी वित्तीय दायित्व को मान्यता भी देता है उन लिखतों को छोड़कर जिनमें सभी लक्षण हैं तथा अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ की शर्तों को पूरा करती हों। एक वायदा अनुबंध के अंतर्गत प्रतिष्ठान की दायित्व का एक यह उदाहरण है कि नकदी की निश्चित राशि के लिए प्रतिष्ठान अपने ही शेयरों की निश्चित संख्या की पुनर्खरीद करे।
- (ख) नकदी के लिए उसके अपने शेयरों की खरीद करने हेतु प्रतिष्ठान की बाध्यता का मोचन राशि के वर्तमान मूल्य के लिए वित्तीय दायित्व के बढावा देता है चाहे प्रतिष्ठान का दायित्व अनेक शेयरों की पुनर्खरीद के लिए निश्चित नहीं है अथवा मोचन का अधिकार प्रयोग करते हुए प्रतिपक्ष पर बाध्यता शर्त के साथ है (अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा 16 ग तथा 16 घ में सूचित किये गये को छोड़कर) सशर्त बाध्यता का एक उदाहरण एक जारी किया गया विकल्प है जो प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह नकदी के लिए अपने शेयरों की पुनर्खरीद करे यदि प्रतिपक्ष (पार्टी) अपने विकल्प का प्रयोग करती है।
- (ग) एक अनुबंध जिसका निपटान नकदी में किया जायेगा अथवा अन्य वित्तीय आस्ति एक वित्तीय आस्ति है अथवा वित्तीय दायित्व है चाहे नकदी की राशि अथवा अन्य वित्तीय आस्ति जो कि प्राप्त की गई है अथवा सुपुर्द की गई है प्रतिष्ठान की स्वयं की 'इक्विटी' की बाजार कीमत में परिवर्तनों पर आधारित है (अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ में सूचित किये गये को छोड़कर)। एक उदाहरण शुद्ध नकदी निपटान शेयर विकल्प है।
- (घ) एक अनुबंध जिसका कि प्रतिष्ठान के स्वयं के शेयरों की परिवर्तनीय संख्या में निपटान किया जायेगा जिसका मूल्य एक निश्चित राशि अथवा चिन्हित परिवर्तनीय (उदाहरणार्थ एक वस्तु कीमत) में परिवर्तनों पर आधारित राशि है जोकि वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय दायित्व है। एक उदाहरण है, सोना खरीदने के लिए एक लिखित विकल्प कि यदि प्रयोग में लाया जाए, प्रतिष्ठान द्वारा उन लिखतों, जो विकल्प अनुबंध के मूल्य के बराबर है की सुपुर्दगी करके प्रतिष्ठान की स्वयं की लिखतों में शुद्ध पर निपटान किया जाता है। इस प्रकार का अनुबंध एक वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय दायित्व है चाहे प्रतिष्ठान की स्वयं की शेयर कीमत चिन्हित परिवर्तनीय है न कि सोना। इसी प्रकार एक अनुबंध जिसका निपटान प्रतिष्ठान स्वयं के शेयरों की निश्चित संख्या में होता है, परंतु अधिकारों में, जिनसे वे शेयर संबद्ध है, भिन्नता होगी ताकि निपटान मूल्य किसी एक चिन्हित परिवर्तनीय में प्रभारों पर आधारित एक निश्चित राशि अथवा एक राशि के बराबर होगा, एक वित्तीय आस्ति अथवा एक वित्तीय दायित्व है।

आकस्मिक निपटान के प्रावधान (अनुच्छेद 25)

दिनि 28 अनुच्छेद 25 में यह अपेक्षित है कि यदि किसी आकस्मिक निपटान प्रावधान का एक हिस्सा जिसमें कि नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति में निपटान की अपेक्षा हो सकती थी (अथवा दूसरे रूप में वह वित्तीय दायित्व होते हुए लिखत में परिणामित होगी) वास्तविक नहीं है, निपटान प्रावधान वित्तीय लिखत के वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता। इस प्रकार एक अनुबंध जिसमें किसी घटना के घटित होने पर नकदी में अथवा केवल प्रतिष्ठान के स्वयं के शेयरों की परिवर्तनीय संख्या में निपटान होना अपेक्षित है। यह अत्यंत न्यून (रेयर), अत्यधिक असामान्य तथा जिसके घटित होने की बहुत कम संभावना हो, एक 'इक्विटी' लिखत है। इसी प्रकार प्रतिष्ठान के स्वयं के शेयरों की निश्चित संख्या में निपटान अनुबंधात्मक रूप में परिस्थितियों में छोड़ा जा सकता है जोकि प्रतिष्ठान

के नियंत्रण के बाहर है परंतु यदि इन परिस्थितियों में घटित होने की वास्तविक संभावनाएं न हों, 'इक्विटी' लिखत के रूप में वर्गीकरण उपयुक्त है।

समेकित वित्तीय विवरणों में संव्यहार

दिनि 29 समेकित वित्तीय विवरणों में एक प्रतिष्ठान गैर-नियंत्रक हित प्रस्तुत करता है अर्थात् 'इक्विटी' में अन्य पार्टियों के हित तथा भारतीय भारतीय लेखा मानक 1 तथा भारतीय लेखा मानक 110 के अनुसार जब समेकित वित्तीय विवरणों में वित्तीय लिखत (अथवा उसका एक घटक) का वर्गीकरण करते समय एक प्रतिष्ठान समूह के सदस्यों तथा लिखत के धारकों को यह निर्धारित करने लिए विचार में लेता है कि क्या संपूर्ण समूह का लिखत के संबंध में नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति की सुपुर्दगी करने अथवा उस ढंग में निपटान करने की बाध्यता है जिसका परिणाम दायित्व वर्गीकरण है। जब समूह में सहयोगी प्रतिष्ठान एक वित्तीय लिखत जारी करता है तथा एक मूल प्रतिष्ठान अथवा अन्य समूह प्रतिष्ठान लिखत (अर्थात् एक गारंटी) के धारकों के साथ सीधे ही अतिरिक्त शर्तों पर सहमत हैं तो हो सकता है कि समूह संवितरणों अथवा मोचन का स्वैच्छाधिकार न हो। यद्यपि सहयोगी प्रतिष्ठान अपने व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में इन अतिरिक्त शर्तों पर ध्यान दिये बिना उचित रूप में लिखत का वर्गीकरण कर सकता है। समूह के सदस्यों तथा लिखत के धारकों के बीच अन्य करारनामों के प्रभाव पर विचार किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समेकित वित्तीय विवरणों में संपूर्ण समूह द्वारा किये गये अनुबंध तथा लेन-देन प्रतिबिम्बित हों। इस सीमा तक कि ऐसी कोई बाध्यता है अथवा निपटान प्रावधान है तो लिखत (अथवा इसका घटक जोकि बाध्यता के अधीन है) समेकित वित्तीय विवरणों में वित्तीय दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

दिनि 29क लिखतों के कुछ प्रकार, जोकि प्रतिष्ठान पर अनुबंधात्मक बाध्यता लगाते हैं, अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ के अनुसार 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं। इन अनुच्छेदों के अनुसार वर्गीकरण इन सिद्धांतों के अपवाद हैं जो किसी लिखत के प्रति इस मानक में अन्यथा लागू किये जाते हैं। यह अपवाद समेकित वित्तीय विवरणों में गैर-नियंत्रित हितों के वर्गीकरण तक विस्तारित नहीं किये जाते। अतः पृथक अथवा व्यक्तिगत विवरणों, जो गैर-नियंत्रित हित हैं, में अनुच्छेद 16 क तथा 16 ख अथवा अनुच्छेद 16 ग तथा 16 घ के अनुसार 'इक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत लिखतें समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में दायित्वों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

मिश्रित वित्तीय लिखतें (अनुच्छेद 28 - 32)

दिनि 30 अनुच्छेद 28 केवल गैर-व्युत्पन्न मिश्रित वित्तीय विवरणों के जारीकर्ताओं के मामले में लागू होते हैं। अनुच्छेद 28 धारकों के परिप्रेक्ष्य से योगिक लिखतों के मामले में कार्यवाई नहीं करता। भारतीय लेखा मानक 109 उन वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण व माप पर चर्चा करता है जो धारक के परिप्रेक्ष्य में मिश्रित वित्तीय लिखतें हैं।

दिनि 31 मिश्रित वित्तीय लिखत का एक सामान्य फार्म सम्मिलित परिवर्तन विकल्प के सहित है जैसे कि बॉण्ड को जारीकर्ता के साधारण शेयरों में परिवर्तनीय, तथा संलग्न व्युत्पन्न लक्षणों के बिना एक ऋण लिखत है। अनुच्छेद 28 इस प्रकार के वित्तीय लिखत में जारीकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह तुलन पत्र में दायित्व घटक तथा 'इक्विटी' घटक को पृथक रूप में प्रस्तुत करे, जोकि निम्न प्रकार है :

(क) ब्याज तथा मूल राशि का निर्धारित भुगतान करने के लिए जारीकर्ता की बाध्यता एक वित्तीय दायित्व है जोकि तब तक मौजूद रहती है जब तक कि लिखत परिवर्तित नहीं हो जाती। प्रारंभिक मान्यता पर दायित्व घटक का उचित मूल्य भावी नकदी प्रवाहों के अनुबंधात्मक निर्धारित प्रवाह का बाजार मूल्य है जोकि तुलन पत्र ऋण स्थिति की लिखतों के प्रति तथा पर्याप्त रूप में वही नकदी प्रवाह उन्हीं शर्तों पर प्रदान करते हुए तथा परिवर्तन विकल्प के बिना बाजार द्वारा इस समय लागू ब्याज दर पर बट्टागत है।

(ख) 'इक्विटी' लिखत जारीकर्ता की 'इक्विटी' में दायित्व को परिवर्तित करने के लिए एक संनिहित विकल्प है। इस विकल्प का प्रारंभिक मान्यता पर मूल्य है चाहे यह विकल्प आउट आफ दि मनी है।

दिनि 32 परिपक्वता पर परिवर्तनीय लिखत में परिवर्तन पर प्रतिष्ठान दायित्व घटक को अमान्य कर देता है और इसे 'इक्विटी' के रूप में मान्यता देता है। मूल 'इक्विटी' घटक के 'इक्विटी' रूप में शेष रहता है (यद्यपि 'इक्विटी' के अंदर ही एक लाइन मद से दूसरी में अंतरित कर दिया जाए) परिपक्वता का परिवर्तन होने पर कोई लाभ अथवा हानि नहीं है।

दिनि 33 जब कोई प्रतिष्ठान परिपक्वता में पूर्व परिवर्तनीय योग्य लिखत को समय पूर्व मोचन अथवा पुनर्खरीद के जरिये, जिसमें मूल परिवर्तन विशिष्ट सुविधाओं में परिवर्तन नहीं होता, समाप्त करता है, प्रतिष्ठान अदा किये गये प्रतिफल तथा लेन-देन की तिथि को दायित्व तथा लिखत के 'इक्विटी' घटकों के प्रति पुनर्खरीद अथवा मोचन के लिए कोई भी लेन-देन लागतों को आवंटित करता है। पृथक घटकों को अदा किये गये प्रतिफल तथा लेन-देन लागतों को आवंटित करने में प्रयोग में लायी गयी विधि में मेल खाती है

जोकि प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त हुए पृथक घटकों को मूल आवंटन की प्रयोग में लायी गयी है जब परिवर्तनीय लिखत अनुच्छेद 28-32 के अनुसार जारी की गई थी।

दिनि 34 एक बार जब प्रतिफल का आवंटन हो जाता है इसके फलस्वरूप हुए किसी भी लाभ अथवा हानि के संबंध में घटक पर लागू लेखा सिद्धांतों के अनुसार कारवाई की जाती है, जोकि निम्न प्रकार है :

(क) दायित्व घटक से संबंधित लाभ अथवा हानि की राशि को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है; तथा

(ख) 'इक्विटी' घटक से संबंधित प्रतिफल की राशि को 'इक्विटी' में मान्यता दी जाती है।

दिनि 35 समय पूर्व परिवर्तन के लिए प्रेरित करने हेतु प्रतिष्ठान परिवर्तनीय लिखत की शर्तों में संशोधन कर सकता है। उदाहरण के लिए, अधिक अनुकूल परिवर्तन अनुपात प्रस्तुत करके अथवा, निर्धारित तिथि से पूर्व परिवर्तन की स्थिति में अन्य अतिरिक्त प्रतिफल की अदायगी करके जिस तिथि को शर्तों में संशोधन किया गया है, संशोधित शर्तों के अंतर्गत प्राप्त धारक के उचित मूल्य तथा धारक के उचित मूल्य के बीच के अंतर को, जोकि मूल शर्तों के अंतर्गत प्राप्त हो गया होगा, लाभ अथवा हानि में हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

ट्रेजरी शेयर (अनुच्छेद 33 तथा 34)

दिनि 36 किसी प्रतिष्ठान की स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों को वित्तीय आस्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती चाहे जो भी कारण हो जिसके लिए उन्हें पुनःप्राप्त किया गया है। अनुच्छेद 33 प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी स्वयं की 'इक्विटी' लिखतों को पुनःप्राप्त करे ताकि 'इक्विटी' से इस 'इक्विटी' लिखतों की कटौती की जा सके। तथापि जब कोई प्रतिष्ठान अन्यों की ओर से अपनी स्वयं की 'इक्विटी' को रोककर रखती है। उदाहरणार्थ, किसी ग्राहक की ओर से एक वित्तीय संस्थान द्वारा अपनी 'इक्विटी' को रोककर रखता है यह एक एजेंसी संबंध है तथा इसके परिणामस्वरूप उन धारणों (होलडिंग) को प्रतिष्ठान के तुलन पत्र में शामिल नहीं किया जाता।

ब्याज, लाभांश हानियां तथा लाभ (अनुच्छेद 35 - 41)

दिनि 37 निम्नलिखित उदाहरण किसी मिश्रित वित्तीय आस्ति पर अनुच्छेद 35 का लागू किया जाना स्पष्ट करता है। मान लें कि एक गैर-संचयी अधिमानी शेयर पांच वर्षों में नकदी के लिए अनिवार्य रूप से मोचन योग्य है परंतु मोचन तिथि से पूर्व लाभांशों का भुगतान प्रतिष्ठान के स्वैच्छाधिकार पर है। इस प्रकार की लिखत मोचन राशि को वर्तमान मूल्य होते हुए दायित्व घटक के साथ एक मिश्रित वित्तीय लिखत है। इस घटक पर कटौती को हटाये जाने को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है तथा ब्याज खर्च के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'इक्विटी' घटक के संबंध में अदा किया गया किसी भी लाभांश को तदनुसार लाभ अथवा हानि के संवितरण के रूप में मान्यता दी जाती है। इस प्रकार का संयवहार लागू होगा यदि मोचन अनिवार्य न होकर धारक की स्वेच्छा पर हो अथवा यदि शेयर साधारण शेयरों की विभिन्न संख्या में अनिवार्य रूप से परिवर्तन योग्य हों जो एक निश्चित राशि अथवा चिन्हित परिवर्तन (जैसेकि वस्तु) में परिवर्तनों पर आधारित राशि के बराबर आंकलित की गई हो तो तथापि, यदि अप्रदत्त लाभांश मोचन राशि में जोड़ी जाती हैं, संपूर्ण लिखत एक दायित्व है इस प्रकार के मामले में कोई भी लाभांश हो वे ब्याज खर्च के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।

वित्तीय आस्ति एवं वित्तीय दायित्व का समंजन (ऑफसेटिंग) (अनुच्छेद 42 - 50)

दिनि 38 [देखें परिशिष्ट 1]

मानदंड की एक प्रतिष्ठान वर्तमान में मान्य राशियों के समंजन के लिए कानूनी से प्रवर्तनीय अधिकार रखता है (अनुच्छेद 42 क)

दिनि 38 क समंजन का अधिकार वर्तमान में उपलब्ध हो सकता है या फिर यह भविष्य में किसी घटना पर भी हो सकता है (उदाहरणार्थ, यह अधिकार केवल किसी भावी घटना, जैसेकि, किसी प्रतिपक्ष, की चूक, ऋण चुकाने में असक्षम या दिवालियापन, के घटित होने पर ही उत्प्रेरित या प्रयोग योग्य हो सकता है।) यदि समंजन (परस्पर समंजित या सेट आफ करना) का अधिकार किसी भावी घटना के घटित होने पर संभावित न भी हो तो भी वह व्यवसाय के सामान्य क्रम में अथवा किसी एक या सभी प्रतिपक्षों द्वारा चूक करने की घटना या ऋण चुकाने में असक्षम होने या दिवालिया होने की घटना में भी कानूनी रूप से प्रवर्तनीय (लागू करने योग्य है)।

दिनि 38 ख अनुच्छेद 42 (क) के मानदंड की पूर्ति के लिए, एक प्रतिष्ठान के पास समंजन का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होना ही चाहिए। इसका अभिप्रायः यह है कि समंजन का अधिकार निम्नलिखित दशा में होगा:

(क) यह भावी घटना पर अवश्य संभावित न हो;

(ख) यह निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में कानूनी से अवश्य प्रवर्तनीय हो:

(i) व्यवसाय के सामान्य क्रम में;

(ii) चूक की घटना पर; और

(iii) प्रतिष्ठान और इसके प्रतिपक्षों (पार्टियों) के दिवालियापन की घटना पर।

दिनि 38 ग समंजन (सैट आफ) के अधिकार की प्रकृति व सीमा, इसके प्रयोग से संलग्न किन्ही शर्तों और यह कि क्या यह चूक की घटना या ऋण चुकौती की अक्षमता या दिवालियापन की स्थिति में भी रहेगी, सहित, एक कानूनी क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में अलग-अलग हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप, यह नहीं माना जा सकता कि व्यवसाय के सामान्य क्रम से बाहर भी समंजन का अधिकार स्वतः ही मिल जाएगा। उदाहरणार्थ, एक क्षेत्राधिकार के दिवालियापन या ऋण चुकौती अक्षमता के कानून किन्ही परिस्थितियों में दिवालियापन या ऋण चुकौती की अक्षमता की स्थिति में समंजन अधिकार को निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं।

दिनि 38 घ पक्षों (पार्टियों) के बीच संबंधों पर लागू कानून (जैसे कि, अनुबंधात्मक प्रावधान, अनुबंध के शासी कानून, या पक्षों के लिए चूक, ऋण चुकौती अक्षमता या दिवालियापन से संबंधित कानून) यह विचार करने के लिए आवश्यक नहीं है कि क्या समंजन का अधिकार सामान्य व्यवसाय के क्रम में प्रतिष्ठान और सभी प्रतिपक्षों की चूक, ऋण चुकौती की अक्षमता या दिवालियापन की घटना में प्रवर्तनीय है या नहीं। [जैसेकि अनुच्छेद दिनि 38 ख (ख) में विनिर्दिष्ट है]

मानदंड कि एक प्रतिष्ठान या तो निवल आधार पर अथवा आस्ति की वसूली और दायित्व का निपटान दोनों साथ-साथ के आधार पर निपटान की मंशा रखता है (अनुच्छेद 42 ख)

दिनि 38 ड अनुच्छेद 42 (ख) के मानदंड की पूर्ति के लिए, एक प्रतिष्ठान निवल आधार पर या आस्ति की वसूली और दायित्व का निपटान, दोनों एक साथ के आधार पर निपटान की मंशा अवश्य रखता है। यद्यपि, उस प्रतिष्ठान को निवल आधार पर निपटान का अधिकार हो सकता है लेकिन फिर भी वह निपटान आस्ति की वसूली और दायित्व के निपटान के रूप में अलग-अलग भी कर सकता है।

दिनि 38 च यदि एक प्रतिष्ठान राशियों का निपटान (भुगतान) इस तरह से करता है कि परिणामस्वरूप राशि वस्तुएं निवल निपटान (भुगतान) के समान हैं, तो इस स्थिति में वह अनुच्छेद 42 (ख) में दिये गये मानदंड को ही पूरा कर सकता है। ऐसा तब होता है जब, और केवल जब, सकल निपटान तंत्र की विशेषताएं ऐसी हैं जो ऋण व तरलता जोखिम को या तो समाप्त (विलुप्त) कर देती हैं या महत्वहीन कर देती हैं और वे प्राप्य राशियों और देय राशियों को एक एकल निपटान प्रक्रिया या चक्र में विकसित करती हैं। उदाहरणस्वरूप, एक सकल निपटान प्रणाली जिसमें निम्नलिखित सभी विशेषताएं हैं वह अनुच्छेद 42 (ख) के निवल निपटान के मानदंड की पूर्ति करती है:

- (क) समंजन (सैटआफ) के लिए पात्र वित्तीय आस्तियां व वित्तीय दायित्व प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) के लिए एक-ही समय पर प्रस्तुत की जाती हैं;
- (ख) जब एक बार वित्तीय आस्तियां और वित्तीय दायित्व प्रक्रिया (प्रोसेस करने) के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, पक्ष (पार्टियों) निपटान बाध्यता को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध (वचनबद्ध) हैं;
- (ग) जब आस्तियां व दायित्वों को प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) के लिए एक बार प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उनसे उत्पन्न नकदी प्रवाहों में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है (बशर्त प्रक्रिया असफल नहीं हो जाती है) (देखें नीचे घ);
- (घ) वे आस्तियां व दायित्व जो संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में हैं उनका निपटान तभी होगा जब प्रतिभूतियों का अंतरण हो जाता या इससे कोई मिलती-जुलती कोई अन्य प्रणाली हो (जैसेकि सुपुर्दगी बनाम भुगतान) ताकि यदि प्रतिभूतियों का अन्तरण सफल नहीं होता (यानि प्रतिभूतियां अन्तरित नहीं होती हैं) तो वह प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) भी असफल होगी जिसमें कि वे संबंधित प्राप्य या देय राशि, जिसके लिए वह प्रतिभूति सांपार्श्विक की गयी है, वह भी असफल मानी जाएंगी (और ऐसा ही विलोम स्थिति में भी होगा) ;
- (ड) कोई लेन-देन, जो उपर्युक्त (घ) अनुसार असफल होता है, उसे प्रक्रिया में पुनः दर्ज किया जाएगा और तब तक जब तक उसका निपटान हो नहीं जाता है;
- (च) निपटान उसी निपटान संस्थान (जैसे कि एक, निपटान या भुगतान बैंक, एक केन्द्रीय बैंक या फिर एक केन्द्रीय प्रतिभूति डिपाजट्री); और
- (छ) एक 'अन्त दिवसी' (इंट्रा डे) ऋण सुविधा है जो इतनी पर्याप्त अधिकर्ष (ओवरड्राफ्ट) राशियां उपलब्ध करवाती है जो भुगतानों की प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) को निपटान तिथि पर सक्षम बनाती है और यह बिल्कुल निश्चित है कि यह 'अन्तः दिवसीय' ऋण सुविधा जब भी जरूरत पड़ेगी स्वीकृत हो जाएगी।

दिनि 39 मानक तथाकथित संश्लिष्ट(सिंथेटिक) 'लिखतों' अन्य लिखत की विशेषताओं का अनुकरण करने के लिए ग्रहण की जाती हैं। उनके लिए कोई विशेष महत्व नहीं देता है। उदाहरण के लिए, उस ब्याज दर विनिमय के साथ अस्थायी दर दीर्घावधि ऋण जिसमें अस्थायी भुगतान प्राप्त करना और स्थायी भुगतान प्राप्त करने की संश्लिष्ट स्थायी दर दीर्घावधि ऋण, संलिप्त है। प्रत्येक वित्तीय

लिखत जो मिलकर संश्लिष्ट लिखत का निर्माण करती है तथा इसकी अपनी ही शर्तों तथा निबंधनों के साथ यह अनुबंधात्मक अधिकार अथवा बाध्यता का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक को पृथक रूप में अंतरित अथवा निपटाया जा सकता है। प्रत्येक वित्तीय लिखत को उन जोखिमों से सामना करना पड़ता है जो कि अन्य वित्तीय लिखतों के जोखिमों से भिन्न हैं। तदनुसार, जब एक संश्लिष्ट लिखत में वित्तीय आस्ति एक संश्लिष्ट आस्ति है तो अन्य लिखत एक दायित्व है। वे समंजित नहीं हैं तथा निवल आधार पर प्रतिष्ठान के तुलन पत्र में प्रस्तुत किये जाते हैं बशर्ते अनुच्छेद 42 में समंजन के लिए मानदण्ड को पूरा करें।

परिशिष्ट ख

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

इस परिशिष्ट में उन परिशिष्टों की सूची दी गयी है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं तथा भारतीय लेखा मानक 32 वित्तीय लिखतें, प्रस्तुतिकरण के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं।

1. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व, के परिशिष्ट ग, सेवा रियायत व्यवस्थाएं में समाविष्ट।
2. भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतें, के परिशिष्ट घ 'इक्विटी लिखतों के साथ वित्तीय दायित्वों को समाप्त करना' में समाविष्ट।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 32 और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 32, वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण के बीच यदि कोई प्रमुख अन्तर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 32 वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण के साथ तुलना

1. अनुच्छेद 11 (ख) (ii) 'वित्तीय दायित्व' की परिभाषा के अपवादस्वरूप, अपनी 'इक्विटी' लिखतें निश्चित संख्या में प्राप्त बशर्ते एक मुद्रा में प्रयोग मूल्य निश्चित है। भारतीय लेखा मानक 32 विदेशी मुद्रा में अंकित परिवर्तनीय बॉण्ड में सन्निहित 'इक्विटी' परिवर्तन विकल्प पर यह विचार करता है। यह अपवाद अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 32 में नहीं दिया गया है।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 32 के संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक 32 में नहीं दिये गये हैं। जहां उपयुक्त समझा गया, वे आई एफ आर एस 1 'अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथम बार अंगीकरण' के अनुरूप भारतीय लेखा मानक 101 'भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण' में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
3. मौजूदा कानूनों में प्रयुक्त शब्दावली से भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' का और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
4. जहां पृथक आय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, पृथक आय विवरण में व्यय के रूप में वर्गीकृत लाभानाशों की प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाएं हटा दी गयीं हैं। यह परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 1 में द्विविवरण दृष्टिकोण के विकल्प को हटाने के परिणामस्वरूप है। भारतीय लेखा मानक 1 यह अपेक्षा करता है कि लाभ या हानि के घटक और अन्य व्यापक आय के घटक लाभ या हानि विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किये जाएं।
5. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 32 में निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटा दिये गये' के रूप में उल्लिखित हैं। लेकिन, इनकी भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे, अतः इस आशय से इन्हें भारतीय लेखा मानक में रहने दिया गया है:
 - (i) अनुच्छेद 1
 - (ii) अनुच्छेद 4 (ग)
 - (iii) अनुच्छेद 5-7
 - (iv) परिशिष्ट 'क' का दिनि 24
 - (v) परिशिष्ट क का दिनि 38।
6. दृष्टांत उदाहरणों के निम्नलिखित संदर्भ, जो अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 32 के अभिन्न अंग नहीं हैं, भारतीय लेखा मानक 32 में सम्मिलित कर लिये गये हैं:
 - (i) अनुच्छेद 18 (ख) में दृष्टांत उदाहरणों के उदाहरण 7 का संदर्भ।
 - (ii) अनुच्छेद 18 (ख) में दृष्टांत उदाहरणों के उदाहरण 8 का संदर्भ।

(iii) अनुच्छेद 28 के ऊपर शीर्षक में दिये गये दृष्टांत उदाहरणों के उदाहरणों 9-12 का संदर्भ।

भारतीय लेखा मानक 33

प्रति शेयर अर्जन

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप और साधारण टाइप में अनुच्छेद हैं, इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य प्रति शेयर अर्जन के निर्धारण तथा प्रस्तुतिकरण के लिए सिद्धांत प्रतिपादित करना है ताकि एक-जैसी रिपोर्टिंग अवधि में विभिन्न प्रतिष्ठानों तथा एक ही प्रतिष्ठान की विभिन्न रिपोर्टिंग अवधियों के बीच तुलनात्मक कार्यकुशलता को सुधारा जा सके। चाहे 'अर्जनों' के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विभिन्न लेखा नीतियों के कारण प्रति शेयर अर्जन के आंकड़ों की सीमाएं हैं, फिर भी, एक निरंतर रूप से निर्धारित विभाजक (डिनोमिनेटर) वित्तीय रिपोर्टिंग को परिष्कृत करता है। अतः, इस मानक का केन्द्र- बिन्दु (फोकस) प्रति शेयर अर्जन की गणना के विभाजक (डिनोमिनेटर) पर है।

कार्यक्षेत्र

2. यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) उन कंपनियों पर लागू होता है जिन्होंने साधारण शेयर⁴ जारी किए हैं, जिन पर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) लागू है।

[देखें परिशिष्ट 1]

3. एक प्रतिष्ठान, जो प्रति शेयर अर्जन को प्रकट करता है, इस मानक के अनुसार प्रति शेयर अर्जन की गणना तथा प्रकटन करता है।
4. जब एक प्रतिष्ठान क्रमशः भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण* और भारतीय लेखा मानक 27 *समेकित तथा पृथक वित्तीय विवरण* के अनुसरण में तैयार किये गये समेकित व पृथक वित्तीय विवरण दोनों को प्रस्तुत करता है तो इस मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटन भी समेकित व पृथक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किये जाएंगे। समेकित विवरणों में इस प्रकार के प्रकटन समेकित सूचना और पृथक वित्तीय विवरणों में इस प्रकार के प्रकटन पृथक वित्तीय विवरणों पर आधारित होंगे। एक प्रतिष्ठान समेकित वित्तीय विवरणों में प्रतिशेयर अर्जन पृथक वित्तीय विवरणों में इस सूचना के आधार पर और पृथक वित्तीय विवरणों में, प्रतिशेयर अर्जन समेकित वित्तीय विवरणों में दी गयी सूचना के आधार पर प्रस्तुत नहीं करेगा।

4 क. [देखें परिशिष्ट 1]

परिभाषाएं

5. इस मानक में प्रयुक्त शब्दावली यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयुक्त की गयी है :
अनविमिश्रित (एन्टी-डायल्यूशन) प्रति शेयर आय में वृद्धि या प्रतिशेयर हानि में कमी है जो इस अवधारणा के परिणामस्वरूप है कि परिवर्तनीय लिखतें परिवर्तित कर दी गयी हैं, विकल्पों या वारंटों का प्रयोग किया गया है या साधारण शेयरों को निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर जारी किया गया है।
एक आकस्मिक शेयर करार वह करार है जिसके आधार पर विशिष्ट शर्तें पूरी होने पर शेयर जारी किया जाना निर्भर करता है।
आकस्मिक निर्गमयोग्य साधारण शेयर वे साधारण निर्गमयोग्य शेयर हैं जो एक आकस्मिक शेयर करार में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरे होने पर कम अथवा बिना नकद अथवा अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमयोग्य हैं।
अविमिश्रण (डायल्यूशन) प्रति शेयर आय में कटौती या प्रतिशेयर हानि में वृद्धि इस अवधारणा के परिणामस्वरूप है कि परिवर्तनीय लिखतों को परिवर्तित कर दी गयी हैं, विकल्पों अथवा वारंटों का उपयोग किया गया है अथवा कि विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने पर साधारण शेयरों को निर्गमित किया गया है।
विकल्प, वारंट तथा उनके समतुल्य वे वित्तीय लिखतें हैं जो धारक को साधारण शेयरों का क्रय करने का अधिकार देती हैं।
एक साधारण शेयर एक 'इक्विटी' लिखत है जो 'इक्विटी' लिखतों की सभी अन्य श्रेणियों के अधीनस्थ हैं।
एक संभाव्य साधारण शेयर एक वित्तीय लिखत अथवा एक अन्य अनुबंध है जो इसके धारक को साधारण शेयरों के लिए हकदार बनाती है।

⁴ भारतीय संदर्भ में शब्द 'साधारण शेयर' शब्दों 'इक्विटी शेयर' के तुल्य हैं।

- साधारण शेयरों पर बिक्री (पट) विकल्प वे अनुबंधों हैं जो धारक को एक दी गयी अवधि के लिए और एक विनिर्दिष्ट मूल्य पर साधारण शेयरों को बेचने का अधिकार देती हैं।
6. साधारण शेयर, अवधि के लाभ में केवल तभी भागीदारी करते हैं जब अधिमानी शेयरों जैसे अन्य प्रकार के शेयरों ने भागीदारी कर ली हो। एक प्रतिष्ठान के पास साधारण शेयरों की एक से अधिक श्रेणियां हो सकती हैं। एक-जैसी श्रेणी के साधारण शेयरों का लाभांश प्राप्त करने का एक-जैसा अधिकार होता है।
 7. संभाव्य साधारण शेयरों के उदाहरण इस प्रकार हैं :
 - (क) अधिमान शेयरों सहित, वित्तीय दायित्व अथवा 'इक्विटी' लिखतें जो साधारण शेयरों में परिवर्तनीय हैं;
 - (ख) विकल्प तथा वारंट;
 - (ग) ऐसे शेयर जो अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप, शर्तों के पूरे होने पर जारी किए जाएंगे, जैसे कि व्यवसाय अथवा अन्य आस्तियों की खरीद।
 8. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 32 वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण में परिभाषित शब्दावली का प्रयोग इस लेखा मानक में भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 32 के अनुच्छेद 11 के अनुसार किया गया है जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 32 वित्तीय लिखत, वित्तीय आस्ति, वित्तीय दायित्व एवं 'इक्विटी' लिखत को परिभाषित करने के साथ-साथ उन परिभाषाओं के प्रयोग के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान करता है। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 113, उचित मूल्य माप, उचित मूल्य को परिभाषित करती है और उस परिभाषा के प्रयोग के लिए अपेक्षाएं निरूपित करता है।

माप

प्रति शेयर मूल अर्जन

9. एक प्रतिष्ठान, मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि के लिए प्रति शेयर मूल अर्जन राशि की गणना करेगा तथा, यदि प्रस्तुत किया जाता है, इन 'इक्विटी' धारकों से संबंधित निरंतर परिचालनों से लाभ अथवा हानि के लिए भी प्रति शेयर मूल अर्जन राशि की गणना करेगा।
10. प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों यानि विभाजक (डीनोमिनेटर) की भारित औसत संख्या द्वारा मूल प्रतिष्ठान यानि विभाजक (न्यूमरेटर) के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि को विभाजित करके की जायेगी।
11. प्रति शेयर सूचना का उद्देश्य मूल अर्जन रिपोर्टिंग अवधि में प्रतिष्ठान के कार्यनिष्पादन में एक मूल प्रतिष्ठान के प्रत्येक साधारण शेयर के हितों का उपाय प्रदान करना है।

अर्जन

12. प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित के संबंध में मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित राशि :
 - (क) मूल प्रतिष्ठान से संबंधित निरंतर परिचालनों से लाभ अथवा हानि; तथा
 - (ख) मूल प्रतिष्ठान से संबंधित लाभ अथवा हानि।

अधिमान लाभांशों, अधिमान शेयरों के निपटान से उत्पन्न अंतरों तथा 'इक्विटी' के रूप में वर्गीकृत अधिमान शेयरों के अन्य प्रकार के इसी प्रभावों के लिए करोपरान्त समायोजित की गई (क) तथा (ख) की राशियां होंगी।

जहां आय या व्यय की कोई मद जिसे भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में लाभ या हानि में अन्यथा मान्यता देना आवश्यक है उसे प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना के लिए प्रतिभूतियों के प्रीमियम खाता अन्य प्रारक्षित निधियों के नाम डाला जाना है या जमा किया जाना है उसके संबंध में राशि की चालू परिचालनों के लाभ या हानि में से काटी जाएगी।
13. मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित आय तथा व्यय की सभी मदें, जिन्हें एक अवधि में बाध्यताओं के रूप में वर्गीकृत अधिमान शेयरों पर कर व्यय तथा लाभांशों सहित मान्यता दी जाती है, उन्हें मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित अवधि के लिए लाभ अथवा हानि निर्धारित करने में सम्मिलित किया जाता है। (देखें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1)
14. लाभ अथवा हानि में से अधिमान लाभांशों की करोपरान्त राशि घटाकर इस प्रकार होगी :
 - (क) अवधि के संबंध में घोषित गैर-संचयी अधिमान शेयरों पर किन्हीं अधिमान लाभांशों की करोपरान्त राशि; तथा

- (ख) अवधि के लिए अपेक्षित संचयी अधिमान शेयरों के लिए अधिमान लाभांशों की करोपरान्त राशि भले ही लाभांशों की घोषणा की गई है अथवा नहीं। अवधि के लिए अधिमान लाभांशों की राशि में गत अवधियों के संबंध में वर्तमान अवधि के दौरान प्रदत्त या घोषित संचयी अधिमान शेयरों के अधिमान लाभांशों की राशि सम्मिलित नहीं है।
15. एक प्रतिष्ठान द्वारा बट्टे पर अधिमान शेयर बेचने पर उसे जो प्रारम्भ में कम लाभांश मिलता है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए और निवेशकों द्वारा प्रीमियम पर अधिमान शेयरों की खरीद करने पर उन्हें जो बाद की अवधियों में बाजार से अधिक लाभांश प्राप्त होता है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए जो अधिमान शेयर दिये जाते हैं उन्हें कभी-कभी बढ़ती दर के अधिमान शेयर कहा जाता है। बढ़ती दर पर अधिमान शेयरों के किसी निर्गम के मूल बट्टा अथवा प्रीमियम का प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके प्रतिधारित आय के लिए परिशोधित किया जाता है तथा प्रति शेयर अर्जन की गणना के प्रयोजन के लिए अधिमान लाभांश के रूप में माना जाता है [इस पर विचार किये बिना कि क्या इस प्रकार के बट्टा अथवा प्रीमियम को कानून की अपेक्षाओं के ध्यान में रखते हुए प्रतिभूति प्रीमियम खाता में नामे (डेबिट) अथवा जमा (क्रेडिट) किया गया है या नहीं]।
16. अधिमान शेयरों को एक प्रतिष्ठान के धारकों को निविदा (टेंडर) प्रस्ताव के अंतर्गत पुनः क्रय किया जा सकता है। अधिमान शेयरों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक अधिमान शेयरधारकों को अदा किए गए प्रतिफल के उचित मूल्य का अधिमूल्य अधिमान शेयरों के धारकों को प्रतिफल तथा प्रतिष्ठान के लिए रखे अर्जन के प्रभार का प्रतिनिधित्व करता है। मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि की गणना में इस राशि की कटौती की जाती है।
17. परिवर्तनीय अधिमान शेयरों के पहले परिवर्तन को मूल परिवर्तन की मूल शर्तों में अनुकूल परिवर्तनों अथवा अतिरिक्त प्रतिफल के भुगतान के जरिये प्रतिष्ठान द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। साधारण शेयरों के उचित मूल्य से अधिक अथवा परिवर्तन की मूल शर्तों के अंतर्गत निर्गमयोग्य साधारण शेयरों के ऊपर अन्य प्रतिफल का भुगतान अधिमान शेयरधारकों का प्रतिफल है तथा मूल प्रतिष्ठान के साधारण इक्विटीधारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि की गणना में इसे घटाया जाता है।
18. 'इक्विटी' अधिग्रहण शेयरों के निपटान के लिए अदा किये गये प्रतिफल के उचित मूल्य से ऊपर अधिमान शेयरों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के किसी भी अधिक्य को मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि की गणना में जोड़ा जाता है।

शेयर

19. प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना के प्रयोजन के लिए, साधारण शेयरों की संख्या अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या होगी।
20. अवधि के दौरान, बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग इस संभावना को प्रतिबिंबित करता है कि किसी समय पर बकाया शेयरों की बड़ी अथवा छोटी संख्या के परिणामस्वरूप, अवधि के दौरान शेयरधारकों की पूंजी की राशि घटती-बढ़ती रहती है। अवधि के दौरान, बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या, अवधि के दौरान जारी अथवा वापस खरीदे गये साधारण शेयरों की संख्या जोकि समय भारित गुणक द्वारा गुणा द्वारा समायोजित कर अवधि के आरंभ पर बकाया साधारण शेयरों की गुणक है। समय भार गुणक दिनों की संख्या है जो कुल दिनों की संख्या के अनुपात में है और उनमें शेयर बकाया रहते हैं, कई परिस्थितियों में, भारित औसत का उचित अनुमान भी पर्याप्त होता है।
21. शेयरों को प्रायः प्राप्य प्रतिफल की तिथि (जो प्रायः उनके निर्गम की तिथि है) से शेयरों की भारित औसत संख्या में सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए :
- (क) आमतौर पर नकदी के बदले जारी साधारण शेयरों को उस समय सम्मिलित किया जाता है जब नकदी प्राप्य हो ;
- (ख) साधारण अथवा अधिमान शेयरों पर लाभांशों के स्वैच्छिक पुनर्निवेश पर जारी साधारण शेयरों को उस समय सम्मिलित किया जाता है जब लाभांशों को पुनः निवेशित किया जाता है ;
- (ग) ऋण लिखत को साधारण शेयरों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप जारी साधारण शेयरों को उस तिथि से सम्मिलित किया जाता है जब ब्याज अर्जित होना बंद हो जाता है;
- (घ) अन्य वित्तीय लिखतों पर ब्याज अथवा मूलधन के स्थान पर जारी साधारण शेयरों को उस तिथि से सम्मिलित किया जाता है जब ब्याज अर्जित होना बंद हो जाता है ;
- (ङ.) प्रतिष्ठान के दायित्व के निपटान के बदले जारी साधारण शेयरों को निपटान तिथि से सम्मिलित किया जाता है;
- (च) नकदी के अतिरिक्त, एक सम्पत्ति के अधिग्रहण के प्रतिफल के रूप में जारी साधारण शेयरों को अधिग्रहण की मान्यता की तिथि से सम्मिलित किया जाता है ; और
- (छ) प्रतिष्ठान को सेवाएं प्रदान करने के एवज में जारी साधारण शेयरों को तब सम्मिलित किया जाता है जब वे सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

- साधारण शेयरों को सम्मिलित करने के समय का निर्धारण उनके निर्गम से जुड़ी नियम एवं शर्तों के द्वारा किया जाता है। निर्गम से जुड़ी किसी अनुबंध के सारत्व पर उचित रूप से विचार किया जाता है।
22. एक व्यावसायिक संयोजन में अंतरित प्रतिफल के भाग के रूप में जारी साधारण शेयरों को अधिग्रहण तिथि से शेयरों की भारित औसत संख्या में सम्मिलित किया जाता है। यह इसलिए क्योंकि अधिग्रहणकर्ता उस तिथि से अधिग्रहणिति के लाभ तथा हानि को अपनी लाभ तथा हानि विवरण में समाविष्ट करता है।
23. साधारण शेयर जिन्हें अनिवार्य परिवर्तनीय लिखत के परिवर्तन पर जारी किया जाता है उन्हें अनुबंध के प्रारंभ की तिथि से प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में सम्मिलित किया जाता है।
24. आकस्मिक रूप से जारीयोग्य शेयरों को बकाया के रूप में माना जाता है तथा उन्हें केवल उस तिथि से प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में सम्मिलित किया जाता है जब सभी आवश्यक शर्तें पूरी हो जाती हैं (अर्थात् जब घटनाएं घटित होती हैं)। शेयर जो केवल समय व्यतीत होने के पश्चात् जारीयोग्य हैं वे आकस्मिक रूप से जारीयोग्य शेयर नहीं हैं क्योंकि समय का व्यतीत होना एक निश्चितता है। बकाया साधारण शेयर जो आकस्मिक रूप से वापसीयोग्य हैं (अर्थात् जिनकी वापस मांग की जा सकती है) उन्हें बकाया नहीं माना जाता है और प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना से अलग कर दिया जाता है लेकिन तब जब तक वे कि शेयर वापस काल कर नहीं लिये जाते।
25. [देखें परिशिष्ट 1]
26. प्रस्तुत एक या सभी अवधियों के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या को उन घटनाओं के लिए, संभाव्य साधारण शेयरों के परिवर्तन के अतिरिक्त, समायोजित किया जायेगा जिन्हें संसाधनों में तदनुरूपी परिवर्तन के बिना बकाया साधारण शेयरों की संख्या अविमिश्रित हो गयी है।
27. संसाधनों में तदनुरूपी परिवर्तन किये बिना, साधारण शेयरों को जारी किया जा सकता है, अथवा बकाया साधारण शेयरों की संख्या में कमी आ सकती है। उदाहरणों में सम्मिलित हैं :
- (क) एक पूंजीकरण अथवा बोनस निर्गम (जिसे कभी-कभी स्टॉक लाभांश के रूप में संदर्भित किया जाता है) ;
- (ख) किसी अन्य निर्गम में एक बोनस तत्व, उदाहरण के लिए मौजूदा शेयरधारकों को अधिकार निर्गम में बोनस तत्व ;
- (ग) शेयर विभाजन ; और
- (घ) शेयर विभाजन को उलटना (शेयरों के समेकन) ।
28. पूंजीकरण अथवा बोनस निर्गम अथवा शेयर विभाजन में साधारण शेयरों को बिना किसी अतिरिक्त प्रतिफल के मौजूदा शेयरधारकों को जारी किया जाता है, अतः, बकाया साधारण शेयरों की संख्या संसाधनों में वृद्धि के बिना बढ़ जाती है। घटना से पूर्व, बकाया साधारण शेयरों की संख्या को बकाया साधारण शेयरों की संख्या में अनुपातिक परिवर्तन के साथ इस तरह समायोजित किया जाता है मानो कि वह घटना प्रस्तुत सबसे पुरानी पहले की अवधि के आरंभ में हुई हो। उदाहरण के लिए, एक निर्गम के बोनस के लिए दो बोनस निर्गम से पूर्व बकाया साधारण शेयरों की संख्या को साधारण शेयरों की कुल नई संख्या को प्राप्त करने के लिए तीन द्वारा गुणा किया जाता है।
29. साधारण शेयरों का समेकन सामान्यतया संसाधन में तदनुरूपी कमी के बिना भी बकाया साधारण शेयरों की संख्या को कम करता है। फिर भी, जब समग्र प्रभाव उचित मूल्य पर शेयरों की पुनर्खरीद हो तो बकाया साधारण शेयरों की संख्या में कमी संसाधनों में तदनुरूपी कमी के परिणामस्वरूप होगी। इसका एक उदाहरण यह है जब विशेष लाभांश के साथ शेयर समेकन सम्मिलित हो। अवधि, जिसमें संयुक्त लेन-देन होता है, उसके बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या को विशेष लाभांश की मान्यता की तिथि से साधारण शेयरों की संख्या में कटौती के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जन

30. एक प्रतिष्ठान मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि के लिए प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना करेगा और यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उन 'इक्विटी' धारकों से संबंधित निरंतर परिचालनों से लाभ अथवा हानि की गणना करेगा।
31. प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के प्रयोजन के लिए, एक प्रतिष्ठान मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि तथा सभी अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित करेगा।

32. प्रति शेयर अविमिश्रितों का उद्देश्य, अवधि के दौरान बकाया सभी अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों के हितों को प्रभाव देते हुए एक प्रतिष्ठान के कार्यनिष्पादन में प्रत्येक साधारण शेयर के हित के माप के लिए, प्रति शेयर मूल अर्जनों के अनुसार है। इसके परिणामस्वरूप :
- (क) मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि को अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों के संबंध में अवधि में मान्यता प्राप्त लाभांश तथा ब्याज की करोपरांत राशि के द्वारा बढ़ाया जाता है तथा आय अथवा व्यय में परिवर्तन के किसी अन्य परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है जो अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों के परिवर्तन का परिणाम होगा; तथा
- (ख) बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या को अतिरिक्त साधारण शेयरों को अविमिश्रित की संख्या द्वारा बढ़ाया जाता है, यह मानकर कि सभी अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों का परिवर्तन होगा।

अर्जन

33. प्रति शेयर अविमिश्रितों की गणना के प्रयोजन के लिए, एक प्रतिष्ठान मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि को समायोजित करेगा जैसा कि निम्नलिखित अनुसार करोपरांत प्रभाव के द्वारा अनुच्छेद 12 के अनुसार गणना की जाती है।
- (क) मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि पर निकालने में घटायी गयी अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों से संबंधित कोई भी लाभांश अथवा अन्य मदें जैसा कि अनुच्छेद 12 के अनुसार गणना की गयी है ;
- (ख) अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों से संबंधित अवधि में मान्य कोई भी ब्याज ; तथा
- (ग) आय या व्यय में कोई अन्य परिवर्तन जो अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों के परिवर्तन के परिणामस्वरूप होंगे।
34. संभाव्य साधारण शेयरों को साधारण शेयरों में अविमिश्रित करने के पश्चात्, अनुच्छेद 33 (क)-(ग) में पहचानी गयी मदें अब उत्पन्न नहीं होती हैं। इसकी बजाय, नये साधारण शेयर मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ तथा हानि में सहभागिता के लिए हकदार हैं। अतः मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि को, जिसकी गणना अनुच्छेद 12 के अनुसार की गई है, अनुच्छेद 33 (क)-(ग) में पहचानी गयी मदें तथा किन्हीं संबंधित करों को समायोजित किया जाता है। संभाव्य साधारण शेयरों से संबंधित व्यय में प्रभावी ब्याज पद्धति के अनुसार लेखांकित लेन-देन लागतें तथा बट्टे सम्मिलित हैं (देखें भारतीय लेखा मानक 109)
35. संभाव्य साधारण शेयरों का परिवर्तन आय अथवा व्यय में परिणामस्वरूपी परिवर्तन की तरफ ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, संभाव्य साधारण शेयरों से संबंधित ब्याज व्यय में कमी तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ में वृद्धि अथवा हानि में कटौती एक गैर स्वैच्छिक कर्मचारी लाभ हिस्सा योजना से संबंधित व्यय में वृद्धि की तरफ ले जा सकता है। प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के प्रयोजन के लिए, मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि को आय अथवा व्यय में इस प्रकार के किसी परिणामस्वरूपी परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है।

शेयर

36. प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना के प्रयोजन के लिए, साधारण शेयरों की संख्या अनुच्छेद 19 तथा 26 के अनुसार आकलित साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ-साथ सभी अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों को साधारण शेयरों में परिवर्तन पर जारी किये जाने वाले साधारण शेयर की भारित औसत संख्या होगी। अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों को अवधि के आरंभ पर अथवा यदि बाद में संभाव्य साधारण शेयरों की जारी करने की तिथि पर साधारण शेयरों में परिवर्तित हुआ माना जाएगा।
37. अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों का निर्धारण प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से किया जायेगा। वर्ष-से-तिथि अवधि में सम्मिलित अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों की संख्या प्रत्येक अंतरिम गणना में सम्मिलित अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों का भारित औसत नहीं है।
38. संभाव्य साधारण शेयरों को उस अवधि के लिए भारित किया जाता है जिसमें वे बकाया हैं। संभाव्य साधारण शेयर को, जिन्हें निरस्त किया जाता है, अथवा अवधि के दौरान कालातीत होने दिया जाता है, प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के लिए अवधि की केवल उस भाग में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें वे बकाया थे। अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों, जिन्हें अवधि के दौरान साधारण शेयरों में परिवर्तित किया जाता है, अवधि के आरंभ से परिवर्तन की तिथि तक प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में सम्मिलित किया जाता है, परिणामतया साधारण शेयरों को दोनों प्रति शेयर मूलभूत तथा अविमिश्रित अर्जनों में सम्मिलित किया जाता है।
39. साधारण शेयरों की संख्या जिसे अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों के परिवर्तन पर जारी किया जाना है उन्हें संभाव्य साधारण शेयरों की शर्तों से निर्धारित किया जाता है। जब परिवर्तन के एक से अधिक आधार मौजूद होते हैं तो गणना संभाव्य साधारण शेयरों के धारकों के मत से सर्वाधिक लाभप्रद परिवर्तन दर पर अथवा प्रयोग मूल्य को ग्रहण करती है।

40. एक अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यमी अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान, मूल प्रतिष्ठान उद्यमी अथवा ऐसे निवेशक से जिनका निवेशिती के साथ संयुक्त नियंत्रण या उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, को छोड़कर अन्य पक्षों पार्टियों को संभाव्य साधारण शेयर जारी कर सकता है जो सहायक, संयुक्त उद्यमी अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान के साधारण शेयर अथवा मूल प्रतिष्ठान अथवा ऐसे निवेशक जिनका निवेशिती के साथ संयुक्त नियंत्रण है या उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, (रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान) के साधारण शेयरों में परिवर्तनीय हैं। यदि अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यमी अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान के इन संभाव्य साधारण शेयर को रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान का प्रति शेयर मूल अर्जन का अविमिश्रित प्रभाव है उन्हें प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना में सम्मिलित किया जाता है।

अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयर

41. संभाव्य साधारण शेयरों को अविमिश्रित माना जायेगा जब, तथा केवल जब, उनका साधारण शेयरों में परिवर्तन जारी परिचालनों से प्रति शेयर अर्जन कम हो जाएगा अथवा प्रति शेयर हानि में वृद्धि होगी।
42. एक प्रतिष्ठान मूल प्रतिष्ठान से संबंधित चालू परिचालनों से लाभ अथवा हानि को नियंत्रण संख्या के रूप में प्रयोग करता है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि क्या संभाव्य साधारण शेयर अविमिश्रित (डायल्यूटिव) हैं अथवा अनविमिश्रित (एन्टी-डायल्यूटिव) हैं। मूल प्रतिष्ठान से संबंधित चालू परिचालनों से लाभ अथवा हानि को अनुच्छेद 12 के अनुसार समायोजित किया जाता है और बंद परिचालनों से संबंधित मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता।
43. संभाव्य साधारण शेयर अनविमिश्रित (एन्टी डायल्यूटिव) हैं जब उनका साधारण शेयरों में परिवर्तन चालू परिचालनों से प्रति शेयर अर्जन को बढ़ाता है अथवा प्रति शेयर हानि को घटाता है। प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना संभाव्य साधारण शेयरों के परिवर्तन, प्रयोग अथवा अन्य निर्गम के स्वरूप को ग्रहण नहीं करता जिसका प्रति शेयर अर्जन पर अनविमिश्रित (एन्टी डायल्यूटिव) प्रभाव हो।
44. यह निर्धारित करने के लिए कि संभाव्य साधारण शेयर क्या अविमिश्रित (डायल्यूटिव) अथवा अनविमिश्रित (एन्टी डायल्यूटिव) हैं, प्रत्येक निर्गम अथवा संभाव्य साधारण शेयरों की शृंखला को पूर्ण की बजाय पृथक रूप से विचार किया जाता है। वह क्रम जिसमें से संभाव्य साधारण शेयरों पर विचार किया जाता है प्रभावित कर सकते हैं कि क्या वे अविमिश्रित हैं। अतः, प्रति शेयर मूल अर्जन की अविमिश्रितता को अधिकतम करने के लिए, प्रत्येक निर्गम अथवा संभाव्य साधारण शेयरों की शृंखला को सबसे अधिक अविमिश्रित से सबसे कम अविमिश्रितता के क्रम में विचार किया जाता है अर्थात् प्रति वृद्धिशील शेयर न्यूनतम अर्जन के साथ अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों को प्रति वृद्धिशील शेयर उच्चतर अर्जन से पूर्व प्रति शेयर अविमिश्रित गणना में सम्मिलित किया जाता है। विकल्पों तथा वारंटों को सामान्यतया पहले सम्मिलित किया जाता है क्योंकि वे गणना के गणक को प्रभावित नहीं करते हैं।

विकल्पों, वारंटों तथा उनके समतुल्यों

45. प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के प्रयोजन के लिए, एक प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान के अविमिश्रित विकल्पों तथा वारंटों का प्रयोग करेगा। इन लिखतों से मानी गई राशि को अवधि के दौरान साधारण शेयरों की औसत बाजार मूल्य पर साधारण शेयरों के निर्गम से प्राप्त हुआ माना जाता है। जारी साधारण शेयरों की संख्या तथा साधारण शेयरों की संख्या जिसके बीच का अंतर को अवधि के दौरान साधारण शेयरों की औसत बाजार मूल्य पर जारी किया जाता तो उन्हें प्रतिफल के बिना एक साधारण शेयरों के निर्गम के रूप में माना जाएगा।
46. विकल्प तथा वारंट अविमिश्रित हैं जब वे अवधि के दौरान साधारण शेयरों को औसत बाजार मूल्य से कम के लिए साधारण शेयरों के निर्गम में परिणत होंगे। परिवर्तनीयता की राशि अवधि के दौरान निर्गम मूल्य कम करके साधारण शेयरों का औसत बाजार मूल्य है। इसलिए, प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के लिए संभाव्य साधारण शेयर निम्नलिखित दोनों के संयोग से निर्मित माने जाते हैं :
- (क) अवधि के दौरान, उनके औसत बाजार मूल्य पर साधारण शेयरों की निश्चित संख्या को जारी करने का एक अनुबंध। इस प्रकार के साधारण शेयरों को उचित मूल्यतः, तथा न ही तो अविमिश्रित और न ही अनविमिश्रित (एन्टी डायल्यूटिव) माना जाता है। उन्हें प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के लिए अनदेखा किया जाता है।
- (ख) बिना प्रतिफल के साधारण शेयरों को जारी करने का एक अनुबंध। इस प्रकार के साधारण शेयर कोई राशि सृजित नहीं करते तथा बकाया साधारण शेयरों से संबंधित लाभ अथवा हानि पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः, इस प्रकार के शेयर अविमिश्रित हैं तथा प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना में बकाया साधारण शेयरों की संख्या में जोड़ा जाता है।
47. विकल्पों तथा वारंटों का अविमिश्रित प्रभाव केवल तभी है जब अवधि के दौरान साधारण शेयरों का औसत बाजार मूल्य विकल्प अथवा वारंट की मूल्य से अधिक होता है (अर्थात् तभी जब वे 'धन में' हैं)। पहले से रिपोर्ट किये गये प्रति शेयर अर्जन को साधारण शेयरों की मूल्यों में परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित नहीं किया जाता।
- 47क. वे शेयर विकल्प तथा अन्य शेयर आधारित भुगतान व्यवस्थाएं जिन पर भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 102 शेयर आधारित भुगतान लागू होता है, अनुच्छेद 46 में संदर्भित निर्गम मूल्य तथा अनुच्छेद 47 में संदर्भित प्रयोग मूल्य में शेयर विकल्प तथा अन्य शेयर आधारित

भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत भविष्य में प्रतिष्ठान को आपूर्ति की जाने वाली किसी वस्तु अथवा सेवा के भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 102 के अनुसरण में मापे गये उचित मूल्य को सम्मिलित किया जायेगा।

48. निश्चित अथवा निर्धारण योग्य शर्तों के साथ कर्मचारी शेयर विकल्प तथा गैर निहित साधारण शेयरों को प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के विकल्प के रूप में माना जाता है चाहे वे निहित होने पर आकस्मिक हो सकते हैं। उन्हें देने की तिथि पर बकाया माना जाता है। कार्य-निष्पादन आधारित कर्मचारी शेयर विकल्पों को आकस्मिक रूप से जारीयोग्य शेयरों के रूप में माना जाता है क्योंकि उनका निर्गम समय के व्यतीत के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट शर्तों की संतुष्टि पर प्रासंगिक है।

परिवर्तनीय लिखतें

49. परिवर्तनीय लिखतों का अविमिश्रित प्रभाव अनुच्छेद 33 तथा 36 के अनुसार प्रति शेयर अविमिश्रित में प्रतिबिंबित होगा।
50. परिवर्तनीय अधिमान शेयर अनविमिश्रित (एन्टी डायल्यूटिड) हैं जहां कहीं परिवर्तन पर प्राप्य प्रति साधारण शेयर वर्तमान अवधि के लिए इस प्रकार के शेयरों पर संचित अथवा घोषित शेयरों पर लाभांश की राशि प्रति शेयर मूल अर्जन से अधिक हो जाती है। इसी प्रकार, परिवर्तनीय ऋण अनविमिश्रित हैं जहां भी परिवर्तन पर प्राप्य प्रति साधारण शेयर इसके ब्याज (शुद्ध कर तथा आय या व्यय में अन्य परिवर्तन) प्रति शेयर मूल अर्जन से अधिक हो जाता है।
51. परिवर्तनीय अधिमान शेयरों का विमोचन अथवा प्रेरित परिवर्तन पहले से बकाया परिवर्तनीय अधिमान शेयरों के एक भाग को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार के मामले में, अनुच्छेद 17 से संदर्भित अधिक प्रतिफल उन शेयरों से जुड़ा है जो निर्धारण के प्रयोजन के लिए विमोचित अथवा अविमिश्रित किया जाता है चाहे शेष बकाया अधिमान शेयर अविमिश्रित हैं अथवा नहीं। विमोचित अथवा अविमिश्रित शेयरों को उन शेयरों से पृथक माना जाता है जो विमोचित अथवा अविमिश्रित शेयर नहीं हैं।

आकस्मिक निर्गमयोग्य शेयर

52. जैसा कि प्रति शेयर मूल अर्जनों की गणना में आकस्मिक रूप से जारी करने योग्य साधारण शेयरों को बकाया के रूप में माना जाता है तथा प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में सम्मिलित किया जाता है यदि शर्तें पूरी हों (अर्थात् घटनाएं हुई हैं)। आकस्मिक रूप से जारीयोग्य शेयर अवधि के प्रारंभ से सम्मिलित किये जाते हैं (आकस्मिक शेयर करार की तिथि से, यदि बाद में)। यदि शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो अविमिश्रित प्रति शेयर आकलन में सम्मिलित आकस्मिक जारीयोग्य शेयर उन शेयरों की संख्या पर आधारित हैं जोकि जारीयोग्य होगी। यदि अवधि की समाप्ति आकस्मिक अवधि की समाप्ति होगी। जब आकस्मिक अवधि समाप्त होने पर पुनर्कथन की तब तक अनुमति नहीं है जब तक शर्तें पूरी नहीं हो जाता।
53. यदि अवधि के लिए प्राप्तियों की विनिर्दिष्ट राशि की प्राप्ति अथवा रखरखाव आकस्मिक निर्गम की शर्त है तथा वह राशि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्राप्त कर ली गई है तो अतिरिक्त अवधि के लिए रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति से उसका रखरखाव अवश्य किया जाए, तब अतिरिक्त साधारण शेयरों को बकाया के रूप में माना जाता है। यदि प्रभाव अविमिश्रित है जब प्रति शेयर परिवर्तन प्राप्तियों को आकलित किया जाता है। उस मामले में, प्रति शेयर अविमिश्रित प्राप्तियों का आकलन उन साधारण शेयरों की संख्या पर आधारित है जोकि तभी जारी किये जायेंगे यदि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अर्जन की राशि आकस्मिक अवधि की समाप्ति पर अर्जन की राशि भी होती है, क्योंकि अर्जनों में भविष्य की अवधियों में परिवर्तन हो सकता है, प्रति शेयर मूल अर्जनों का आकलन इस प्रकार आकस्मिक रूप से जारी किये गये शेयरों को जब तक सम्मिलित नहीं किया जाता जब तक आकस्मिक अवधि समाप्ति नहीं हो जाती क्योंकि सभी आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।
54. आकस्मिक रूप से जारीयोग्य साधारण शेयरों की संख्या, साधारण शेयरों की भविष्य की बाजार मूल्य पर निर्भर हो सकती हैं। उस मामले में, यदि प्रभाव अविमिश्रित है, प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना जारी किये जाने वाले साधारण शेयरों की उस संख्या पर आधारित है यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, बाजार मूल्य आकस्मिक अवधि के अंत की बाजार कीमत होती। यदि शर्त समय की अवधि के दौरान बाजार मूल्य के औसत पर आधारित है जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद भी रहता है। उस समय की अवधि के लिए जो कालातीत हो गयी है, औसत का उपयोग किया जाता है। क्योंकि भविष्य में बाजार कीमत में परिवर्तन हो सकता है, अतः प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में इस प्रकार के आकस्मिक जारीयोग्य साधारण शेयर तब तक सम्मिलित नहीं होते जब तक आकस्मिक अवधि की समाप्ति न हो क्योंकि सभी आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया गया है।
55. आकस्मिक निर्गम योग्य साधारण शेयरों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उन साधारण शेयरों का भविष्य में अर्जन क्या है तथा उनकी भविष्य में कीमतें क्या होंगी। इस प्रकार के मामलों में साधारण शेयरों की संख्या में प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना में दोनों ही शर्तें आधारित हैं (अर्थात् तिथि तक अर्जन तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर वर्तमान समय कीमत)। आकस्मिक रूप से निर्गमयोग्य साधारण शेयरों को प्रति शेयर अविमिश्रित गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता जब तक कि दोनों शर्तें पूरी हो न गयी हो।

56. अन्य मामलों में, आकस्मिक निर्गमयोग्य साधारण शेयरों की संख्या बाजार मूल्य अथवा अर्जन के अतिरिक्त शर्त पर आधारित है। (उदाहरण के लिए, एक विनिर्दिष्ट संख्या तक खुदरा स्टोर खोलना)। इस प्रकार के मामलों में यह मान लिया जाता है कि शर्त की वर्तमान स्थिति में आकस्मिक अवधि के अंत तक कोई बदलाव नहीं होगा, आकस्मिक निर्गमयोग्य साधारण शेयरों के रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर स्थिति के अनुसार प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में सम्मिलित किया जाता है।
57. आकस्मिक रूप से निर्गमयोग्य संभाव्य साधारण शेयरों को (आकस्मिक शेयर करार द्वारा व्याप्त के अतिरिक्त, जैसा कि आकस्मिक निर्गम-योग्य परिवर्तनीय लिखतों) प्रति शेयर अविमिश्रित में निम्नलिखित अनुसार सम्मिलित किया जाता है :
- (क) एक प्रतिष्ठान निर्धारित करता है कि क्या संभाव्य साधारण शेयर को अनुच्छेद 52-56 में आकस्मिक साधारण शेयर के अनुसार उसके निर्गम के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर निर्गमयोग्य माना जा सकता है, अथवा नहीं, तथा
- (ख) यदि उन संभाव्य साधारण शेयरों को प्रति शेयर अविमिश्रित में प्रतिबिंबित किया जाए तो एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि अनुच्छेदों 45-48 में विकल्पों व वारंटों के प्रावधानों, अनुच्छेदों 49-51 में परिवर्तनीय लिखतों के प्रावधानों, अनुच्छेदों 58-61 में उन प्रावधानों जिनमें साधारण शेयरों या नकदी से अनुबंधों का निपटान किया जा सकता है या अन्य प्रावधानों से जो उचित हों, का अनुसरण करने हुए प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
- लेकिन, प्रयोग अथवा परिवर्तन को प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना के प्रयोजन के लिए तब तक नहीं माना जाता है जब तक इसी प्रकार के बकाया संभाव्य साधारण शेयरों के जो आकस्मिक निर्गमयोग्य नहीं हैं, प्रयोग अथवा परिवर्तन को माना गया है।

अनुबंध जिन्हें साधारण शेयरों अथवा नकद रूप में निपटाया जा सकता है

58. जब एक प्रतिष्ठान ने एक अनुबंध को जारी किया जिसे प्रतिष्ठान के विकल्प पर साधारण शेयरों अथवा नकद में निपटाया जा सकता है, प्रतिष्ठान परिकल्पना कर सकता है कि अनुबंध को साधारण शेयरों में निपटाया जा सकता है तथा परिणामतया संभाव्य साधारण शेयरों को प्रति शेयर अविमिश्रित में सम्मिलित किया जाएगा यदि प्रभाव अविमिश्रित है।
59. जब एक आस्ति अथवा दायित्व के रूप में लेखा प्रयोजनों के लिए अनुबंध को प्रस्तुत किया जाता है अथवा जो एक 'इक्विटी' घटक तथा एक दायित्व घटक रखता है, तो प्रतिष्ठान लाभ अथवा हानि में किन्हीं परिवर्तनों के लिए विभाज्य (न्यूमिरेटर) को समायोजित करेगा जोकि अवधि के दौरान परिणत होगा यदि अनुबंध को एक 'इक्विटी' लिखत के रूप में पूर्ण रूप से वर्गीकृत किया गया है। वह समायोजन उन समायोजनों के समान है जो अनुच्छेद 33 में अपेक्षित हैं।
60. अनुबंधों जिन्हें धारक के विकल्प पर साधारण शेयर अथवा नकद रूप में निपटान किया जा सकता है, नकद निपटान तथा शेयर निपटान के अधिक अविमिश्रित को प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में प्रयुक्त किया जायेगा।
61. अनुबंध का एक उदाहरण जिसे साधारण शेयरों अथवा नकद में निपटान किया जा सकता है वह एक ऋण लिखत है। परिपक्वता पर प्रतिष्ठान को नकद अथवा स्वयं के साधारण शेयरों में मूल धन का निपटान का सीमित अधिकार देता है। एक अन्य उदाहरण लिखित बिक्री (पुट) विकल्प है जो धारक को साधारण शेयरों अथवा नकद में निपटान का विकल्प देता है।

क्रय विकल्प

62. क्रय किये गये बिक्री विकल्प (पुट ऑप्शनस) तथा क्रय किये गये मांग विकल्प (कॉल ऑप्शनस) (अर्थात् एक प्रतिष्ठान द्वारा अपने साधारण शेयरों पर धारित विकल्प) जैसे अनुबंधों को प्रति शेयर अविमिश्रित (डायल्यूटेड) अर्जन की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि उन्हें सम्मिलित करना अनविमिश्रित (एन्टी डायल्यूटिव) होगा। बिक्री (पुट) विकल्प का तभी प्रयोग किया जायेगा यदि प्रयोग मूल्य बाजार मूल्य से अधिक हो तथा मांग विकल्पों (कॉल ऑप्शनस) का उपयोग तभी किया जाएगा यदि उपयोग मूल्य बाजार मूल्य से कम रहा हो।

लिखित बिक्री (पुट)विकल्प

63. अनुबंधों जिनमें प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा रहती है कि वह स्वयं के शेयरों को, जैसे कि लिखित बिक्री (पुट)विकल्प तथा वायदा क्रय अनुबंध को पुनः क्रय कर ले, प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जन की गणना में दर्शाया जाता है बशर्ते प्रभाव अविमिश्रित है। यदि ये अनुबंधों अवधि के दौरान 'धन में' हैं (अर्थात् प्रयोग अथवा निपटान कीमत उस अवधि में औसत बाजार मूल्य से ऊपर है) प्रति शेयर अर्जन पर संभाव्य अविमिश्रित प्रभाव की गणना इस प्रकार की जायेगी :
- (क) यह कल्पना की जाएगी कि अवधि के आरंभ में अनुबंध को पूरा करने के लिए आय को बढ़ाने के लिए पर्याप्त साधारण शेयरों को जारी किया जाएगा (अवधि के दौरान औसत बाजार मूल्य पर);
- (ख) यह कल्पना की जाएगी कि निर्गम से प्राप्तियों को अनुबंध को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है (अर्थात् साधारण शेयरों को वापस क्रय करने हेतु); तथा

- (ग) वृद्धिशील साधारण शेयर (जारी कल्पित साधारण शेयरों की संख्या तथा अनुबंध की संतुष्टि से प्राप्त साधारण शेयरों की संख्या के बीच अंतर) को प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।

पूर्ववर्ती समायोजन

64. यदि पूंजीकरण, बोनस निर्गम अथवा शेयर विभाजन के कारण साधारण शेयरों अथवा संभाव्य साधारण शेयरों की संख्या में वृद्धि होती है अथवा प्रतिकूल शेयर विभाजन के परिणामस्वरूप कमी होती है तो प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जनों को गणना को पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित किया जाएगा। यदि ये परिवर्तन रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् परंतु निर्गम के लिए वित्तीय विवरण को अनुमोदित करने से पूर्व उत्पन्न होते हैं, उन तथा प्रस्तुत किसी गत अवधि के वित्तीय विवरणों के लिए प्रति शेयर गणना शेयरों की नई संख्या पर आधारित होगी। तथापि प्रति शेयर गणना शेयरों की संख्या में इस प्रकार के परिवर्तन प्रतिबिम्बित होते हैं, को प्रकट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत सभी अवधि की मूल तथा अविमिश्रित अर्जनों को लेखांकित लेखा नीतियों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, समायोजन तथा त्रुटि के प्रभाव के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित किया जाएगा।
65. एक प्रतिष्ठान प्रति शेयर अर्जन गणना अथवा संभाव्य साधारण शेयरों का साधारण शेयरों में परिवर्तन के लिए प्रयुक्त अनुमानों में परिवर्तन के लिए प्रस्तुत किसी गत अवधि के प्रति शेयर अविमिश्रित को पुनः प्रस्तुत नहीं करता।

प्रस्तुतिकरण

66. एक प्रतिष्ठान अवधि के लिए लाभ में भिन्न अधिकार रखने वाले साधारण शेयरों के प्रत्येक वर्ग के लिए अवधि हेतु मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित चालू परिचालनों से लाभ अथवा हानि के लिए प्रति शेयर मूलभूत तथा अविमिश्रित अर्जनों को लाभ व हानि विवरण में प्रस्तुत करेगा। एक प्रतिष्ठान प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए बराबर के महत्व के साथ प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जन को प्रस्तुत करेगा।
67. प्रति शेयर अर्जन को प्रत्येक अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिसके लिए लाभ तथा हानि विवरण प्रस्तुत किया है। यदि प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों को कम से कम एक अवधि के लिए रिपोर्ट किया जाता है इसे प्रस्तुत सभी अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा चाहे यह प्रति शेयर मूल अर्जन के बराबर है। यदि प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जन बराबर हैं तो दोहरे प्रस्तुतिकरण को लाभ तथा हानि के विवरण में एक लाइन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

67क [देखें परिशिष्ट 1]

68. एक प्रतिष्ठान जो बंद परिचालनों को रिपोर्ट करता है या तो लाभ तथा हानि के विवरण में अथवा टिप्पणियों में बंद परिचालनों के लिए प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित राशि को प्रकट करेगा।

68क [देखें परिशिष्ट 1]

69. एक प्रतिष्ठान प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित को प्रस्तुत करेगा चाहे राशियां नकारात्मक हों (अर्थात् प्रति शेयर हानि)

प्रकटन

70. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :

- (क) प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित की गणना में विभाज्य (न्यूमेरेटर) के रूप में प्रयुक्त राशियां तथा अवधि के लिए मूल प्रतिष्ठान से जुड़े लाभ अथवा हानि की उन राशियों का एक समाधान। समाधान लिखतों की प्रत्येक श्रेणी का व्यक्तिगत प्रभाव सम्मिलित होगा जो प्रति शेयर अर्जन को प्रभावित करता है।
- (ख) प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जन की गणना में मानक के रूप में प्रयुक्त साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या तथा एक अन्य से इन मानकों का समाधान (मिलान)। समाधान में लिखतों की प्रत्येक श्रेणी का व्यक्तिगत प्रभाव सम्मिलित होगा जो प्रति शेयर अर्जन को प्रभावित करता है।
- (ग) लिखतें (आकस्मिक रूप से निर्गमयोग्य शेयरों सहित) जो संभाव्य रूप से भविष्य में प्रति शेयर मूल अर्जन को अविमिश्रित कर सकती हैं, परंतु प्रति शेयर अविमिश्रित (डायल्यूटिव) की गणना में सम्मिलित नहीं की जा सकती क्योंकि वे प्रस्तुत अवधियों के लिए अनविमिश्रित (एन्टी-डायल्यूटिव) हैं।
- (घ) अनुच्छेद 64 के अनुसार लेखांकित के अतिरिक्त साधारण शेयर लेन-देनों अथवा संभाव्य साधारण शेयर लेन-देनों के ब्यौरे जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् होते हैं तथा जिनके अवधि के अंत में बकाया साधारण शेयरों अथवा संभाव्य बकाया शेयरों की संख्या को उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित किया है यदि वे लेन-देन रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पूर्व बकाया हुए होते।

71. अनुच्छेद 70 (घ) में लेन-देनों के उदाहरणों में निम्न सम्मिलित हैं:

- (क) नकदी के लिए शेयरों का एक निर्गम ;

- (ख) शेयरों का एक निर्गम जब प्राप्तियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया ऋण अथवा अधिमान शेयरों के पुनर्भुगतान के लिए प्रयुक्त किया जाता है ;
- (ग) बकाया साधारण शेयरों का विमोचन ;
- (घ) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया संभाव्य साधारण शेयरों का साधारण शेयरों में परिवर्तन अथवा प्रयोग ;
- (ङ.) विकल्पों, वारंटों अथवा परिवर्तनीय लिखतों का निर्गम ; तथा
- (च) शर्तों की उपलब्धि जो आकस्मिक रूप से निर्गम योग्य शेयरों में परिणामस्वरूपी होगी। प्रति शेयर अर्जन राशियों को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् हुए इस प्रकार के लेन-देनों के लिए समायोजित नहीं किया जाता क्योंकि इस प्रकार के लेन देन अवधि के लिए लाभ अथवा हानि को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त पूंजी की राशि को प्रभावित नहीं करते।
72. वित्तीय लिखतें तथा अन्य अनुबंध संभाव्य साधारण शेयरों का सृजन कर रहे हैं वे उन शर्तों को समेकित कर सकती हैं जो प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जनों को प्रभावित करते हैं। ये शर्तें निर्धारित कर सकती हैं कि क्या कोई संभाव्य साधारण शेयर अविमिश्रित हैं अथवा नहीं तथा यदि ऐसा है तो बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या पर प्रभाव तथा साधारण 'ईक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि का कोई परिणामस्वरूपी: समायोजन। इस प्रकार की वित्तीय लिखत तथा अन्य अनुबंधों की शर्तों के प्रकटन को प्रोत्साहित किया जाता है चाहे यह अन्यथा आवश्यक नहीं है। (देखें भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें : प्रकटन*) ।
73. यदि एक प्रतिष्ठान प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जनों के अतिरिक्त इस मानक के द्वारा अपेक्षित के अतिरिक्त लाभ तथा हानि के विवरण की रिपोर्टिंग घटक का प्रयोग कर प्रति शेयर राशि को प्रकट करता है तो इस प्रकार की राशि की गणना इस मानक के अनुसार निर्धारित साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर गणना की जायेगी। इस प्रकार के घटक से संबंधित प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित राशि को बराबर के महत्व के साथ प्रकट किया जाएगा तथा टिप्पणी में प्रस्तुत किया जाएगा। एक प्रतिष्ठान उन आधारों का संकेत देगा जिस पर विभाज्य [न्यूमरेटर(ी)] का निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रति शेयर राशि कर पूर्व है अथवा करोपरांत है। यदि लाभ तथा हानि के विवरण का घटक को प्रयुक्त किया गया है जिसे लाभ तथा हानि के विवरण में लाईन मद के रूप में रिपोर्ट नहीं किया है तो प्रयुक्त घटक तथा लाभ व हानि के विवरण में रिपोर्ट की गई लाईन मद के बीच एक समाधान (मिलान) प्रदान किया जायेगा।

73 क [देखें परिशिष्ट 1]।

परिशिष्ट क

प्रयोग-संबंधी दिशा-निर्देश

यह परिशिष्ट इस मानक का अभिन्न अंग है

मूल प्रतिष्ठान से संबंधित लाभ अथवा हानि

- प्र 1 समेकित वित्तीय विवरणों पर आधारित प्रति शेयर अर्जन की गणना के प्रयोजन के लिए, मूल प्रतिष्ठान से संबंधित लाभ अथवा हानि गैर नियंत्रण हितों के लिए समायोजन के पश्चात् समेकित प्रतिष्ठान का लाभ अथवा हानि कहलाता है।

अधिकार निर्गम

- प्र 2 संभाव्य साधारण शेयरों के प्रयोग अथवा परिवर्तन के समय पर साधारण शेयरों का निर्गम प्रायः बोनस तत्व को बढ़ावा नहीं देता है। यह इसलिए क्योंकि संभाव्य साधारण शेयरों को प्रायः उचित मूल्य के लिए जारी नहीं किया जाता, जिसका परिणाम प्रतिष्ठान को उपलब्ध संसाधन में आनुपातिक परिवर्तन है। अधिकार निर्गम में, यद्यपि प्रयोग मूल्य प्रायः शेयरों के उचित मूल्य से कम है, इसलिए, जैसा अनुच्छेद 27 (ख) में नोट किया गया है, इस प्रकार के अधिकार निर्गम में बोनस तत्व सम्मिलित होता है। यदि अधिकार निर्गम को सभी विद्यमान शेयरधारकों को प्रस्तुत किया जाता है तो अधिकार निर्गम से पूर्व सभी अवधि के लिए प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जनों की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की संख्या निर्गम के पूर्व बकाया साधारण शेयरों की संख्या है जिसे निम्न फैक्टर से गुणा किया जाता है।

अधिकारों के प्रयोग से एकदम पूर्व प्रति शेयर उचित मूल्य

प्रति शेयर सैद्धांतिक अधिकार पूर्व उचित मूल्य

प्रति शेयर सैद्धांतिक अधिकार-पूर्व उचित मूल्य की गणना अधिकार के प्रयोग से एकदम पूर्व शेयरों का योग उचित मूल्य में अधिकार के प्रयोग से राशि को जोड़कर तथा अधिकार के प्रयोग के पश्चात् बकाया शेयरों की संख्या द्वारा विभाजित करके की जाती है। जहां पर अधिकार उपयोग तिथि से पूर्व शेयरों से पृथक सार्वजनिक रूप से, व्यापारित होते हैं, उचित मूल्य को अधिकारों के साथ ट्रेड (खरीद-फरोक्त) किये गये शेयरों की तिथि को अंतिम मूल्य पर मापा जाता है।

नियंत्रण संख्या

- प्र 3 अनुच्छेदों 42 तथा 43 में वर्णित नियंत्रण संख्या धारणा के लागू होने के दृष्टांत के लिए मान लें कि मूल प्रतिष्ठान से संबंधित चालू परिचालनों से रुपये 4800 का प्रतिष्ठान को लाभ है, मूल प्रतिष्ठान से संबंधित बन्द परिचालनों के प्रतिष्ठान को (रु 7200) की हानि है मूल प्रतिष्ठान से जुड़ी हानि (रु 2400) है तथा 2000 के साधारण शेयर तथा 400 के संभाव्य साधारण शेयर बकाया हैं। प्रति शेयर जारी परिचालनों के लिए प्रतिष्ठान की मूल प्राप्तियां रुपये 2.40 हैं बन्द परिचालनों के लिए (रु 3.60) है तथा हानि के लिए (रु 1.20) है। प्रति शेयर अविमिश्रित प्राप्तिओं की गणना में 5400 संभाव्य साधारण शेयरों को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि जारी परिचालनों के लिए प्रति शेयर रु 200 की परिणामस्वरूपी प्राप्तियां अविमिश्रित हैं, मानो 400 संभाव्य साधारण शेयरों का कोई लाभ अथवा हानि प्रभाव नहीं है क्योंकि मूल प्रतिष्ठान से संबंधित चालू परिचालनों से लाभ नियंत्रण संख्या है। प्रतिष्ठान प्रति शेयर अन्य प्राप्ति राशियों की गणना में उन 400 संभाव्य साधारण शेयरों को भी सम्मिलित करता है भले ही प्रति शेयर राशियों की परिणामस्वरूपी प्राप्तियां प्रति शेयर राशियों की उनकी तुलनात्मक रूप से मूलभूत प्राप्तिओं के प्रति अनविमिश्रित (एन्टी-डायल्यूटिव) हैं अर्थात् प्रति शेयर हानि बंद परिचालनों से प्रति शेयर (रु 3.00) कम है तथा हानि के लिए प्रति शेयर (रु 1.00) है।

साधारण शेयरों का औसत बाजार मूल्य

- प्र 4 प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना के प्रयोजन के लिए, जारी किये जाने वाले कल्पित साधारण शेयरों के औसत बाजार मूल्य की गणना अवधि के दौरान साधारण शेयरों के औसत बाजार मूल्य पर की जाती है। सैद्धांतिक रूप से, एक प्रतिष्ठान का साधारण शेयरों के लिए प्रत्येक बाजार लेन-देन को औसत बाजार मूल्य के निर्धारण में सम्मिलित किया जा सकता है। व्यावहारिक मामले के रूप में, तथापि, साप्ताहिक अथवा मासिक मूल्यों की एक सरल औसत प्रायः पर्याप्त होती है।
- प्र 5 सामान्यता, औसत बाजार मूल्य की गणना के लिए बाजार के बंद होने के समय के मूल्य पर्याप्त हैं। जब मूल्य में व्यापक रूप से उतार चढ़ाव होता है, तथापि, प्रायः उच्च तथा कम न्यून मूल्यों का औसत अधिक प्रतिनिधित्व मूल्य को प्रस्तुत करता है। औसत बाजार मूल्य की गणना के लिए प्रयुक्त पद्धति का सतत रूप से तब तक प्रयोग किया जाता है जब तक यह बदली परिस्थितियों के कारण अन्य प्रतिनिधित्व न करती हो। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान जो तुलनात्मक रूप से स्थिर मूल्य का कई वर्षों से औसत बाजार मूल्य की गणना के लिए अंतिम बाजार मूल्य का उपयोग करता है उच्च तथा न्यूनतम मूल्य का औसत में परिवर्तन कर सकता है यदि मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव आता है तथा बंद बाजार मूल्य अब प्रतिनिधि औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

विकल्प, वारंट तथा उसके समतुल्य

- प्र 6 विकल्पों अथवा परिवर्तनीय लिखतों को क्रय करने हेतु वारंटों को परिवर्तनीय लिखतों के क्रय के उपयोग के लिए माना जाता है जब प्रयोग की तब तक कल्पना नहीं की जाती जब तक इसी प्रकार की बकाया परिवर्तनीय लिखतें यदि कोई हैं, के परिवर्तन की भी कल्पना की गई हो। लेकिन, परिवर्तन की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक इसी प्रकार की बकाया परिवर्तनीय लिखतों के परिवर्तन की, यदि कोई हैं, कल्पना न की जाए।
- प्र 7 विकल्प अथवा वारंट प्रयोग मूल्य के सभी अथवा अंश के भुगतान में प्रतिष्ठान (अथवा इसका मूल अथवा एक अनुषंगी प्रतिष्ठान) की ऋण अथवा अन्य लिखतों को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है अथवा अनुमति दे सकता है। प्रति शेयर तन अर्जनों की गणना में, उपरोक्त विकल्प अथवा वारंट का अविमिश्रित प्रभावित होता है यदि (क) अवधि के लिए संबंधित साधारण शेयरों की औसत बाजार मूल्य प्रयोग मूल्य से अधिक हो जाती है अथवा (ख) प्रस्तुत की जाने वाली लिखतों की बिक्री मूल्य उस मूल्य से कम है जिसे विकल्प अथवा वारंट करार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है तथा परिणामतया बट्टा उपयोग पर प्राप्य साधारण शेयरों की बाजार मूल्य से कम पर एक प्रभावी उपयोग मूल्य को स्थापित करता है। प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में, उन विकल्पों अथवा वारंटों को प्रयोग किया माना जाता है तथा ऋण अथवा अन्य लिखतों को प्रस्तुत किया माना जाता है। यदि नकद को प्रस्तुत करना विकल्प अथवा वारंट धारकों के लिए अधिक लाभप्रद है तथा अनुबंध नकद को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, नकदी की प्रस्तुति ग्रहण की जाती है। प्रस्तुत किये जाने वाले किसी ग्रहण किये गये ऋण पर ब्याज (कर का शुद्ध) को न्यूमिरेटर के समायोजन के रूप में वापस जोड़ा जाता है।
- प्र 8 इसी प्रकार का संव्यवहार अधिमान शेयरों को जिनका उसी तरह का प्रावधान है अथवा अन्य प्रलेख जिनका परिवर्तन विकल्प है को दिया जाता है जो निवेशक को एक अनुकूल परिवर्तन दर लिये नकद के भुगतान की अनुमति देता है।
- प्र 9 कुछ लिखतों अथवा वारंटों की अंतर्निहित शर्तों में उन लिखतों के प्रयोग से प्राप्त राशियों की अपेक्षा की जा सकती है जोकि प्रतिष्ठान के ऋण अथवा अन्य लिखतों के विमोचन के लिए प्रयोग में लायी जाती हैं। प्रति शेयर अविमिश्रित प्राप्तिओं के आकलन में उन विकल्पों अथवा वारंटों को प्रयोग किया गया माना जाता है तथा साधारण शेयरों की खरीद के बजाय इसकी औसत बाजार मूल्य पर ऋ. ण के क्रय हेतु प्राप्तिओं को प्रयोग में लाया जाता है। तथापि ऋण की कल्पित खरीद के लिय प्रयुक्त राशि से अधिक कल्पित प्रयोग से प्राप्त अधिव्य प्राप्तिओं को प्रति शेयर अविमिश्रित प्राप्तिओं की गणना में विचार में लिया जाता है (अर्थात् साधारण शेयरों की वापस खरीद हेतु प्रयोग में लाये जाने के लिए कल्पित) खरीदे गये कल्पित किसी ऋण पर ब्याज (कर का शुद्ध) को विभाज्य (न्यूमरेटर) के समायोजन के रूप में वापस जोड़ा जाता है।

लिखित 'पुट' विकल्प

- प्र 10 अनुच्छेद 63 के लागू करने के दृष्टांत के लिए, कल्पना करें कि एक प्रतिष्ठान 35 रु. के एक प्रयोग मूल्य के साथ अपने साधारण शेयरों पर बकाया 120 लिखित 'पुट' विकल्प है। अवधि के लिए इसके साधारण शेयरों का औसत बाजार मूल्य 28 रु. है। प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में प्रतिष्ठान कल्पना करता है कि इसने 4200 रु. के 'पुट' दायित्व को संतुष्ट करने के लिए अवधि के आरंभ में 28 रु. प्रति शेयर 150 शेयरों को निर्गमित किया है। निर्गमित 150 साधारण शेयरों तथा 'पुट' विकल्प को संतुष्ट करने के लिए प्राप्त 120 साधारण शेयरों (30 वृद्धिगत साधारण शेयर) के बीच अंतर को प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में डेनोमिनेटर में जोड़ा जाता है।

अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों अथवा सहयोगी प्रतिष्ठानों की लिखतें

- प्र 11 अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान के संभाव्य साधारण शेयरों को या तो अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान में या मूल, प्रतिष्ठान अथवा ऐसे निवेशक जिनका निवेशिती के साथ संयुक्त नियंत्रण है या उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव है (रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान) में परिवर्तनीय को नीचे दिये अनुसार प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में सम्मिलित किया जाता है :

- (क) एक अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान द्वारा जारी लिखतों जो उनके धारकों को अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान के साधारण शेयरों को प्राप्त करने के लिए समर्थन करता है, को अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान की प्रति शेयर अविमिश्रित डाटा की गणना में सम्मिलित किया जाता है। उन प्रति शेयर अविमिश्रित प्राप्तियों को तब अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान की लिखतों को रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की प्राप्तियों में सम्मिलित किया जाता है।
- (ख) अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान की लिखतें जोकि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के साधारण शेयरों में परिवर्तनीय हैं, को प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना के प्रयोजन के लिए रिपोर्टिंग को संभाव्य साधारण शेयरों को विचार में लिया जाता है। इसी प्रकार अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान द्वारा भी विकल्पों अथवा वारंटों को रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के साधारण शेयरों की खरीद के लिए, प्रति शेयर समेकित अविमिश्रितों की गणना में रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के भावी साधारण शेयरों के बीच विचार में लिया जाता है।

- प्र 12 रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान द्वारा जारी लिखतें जो एक अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान के साधारण शेयरों में परिवर्तनीय हैं का प्रति शेयर अर्जन प्रभाव के निर्धारण के उद्देश्य के लिए, लिखतों में परिवर्तन किया माना गया है तथा अनुच्छेद 33 के अनुसार जैसा आवश्यक है, विभाज्य (न्यूमरेटर) (मूल प्रतिष्ठान का साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि) को समायोजित किया गया है।

उन समायोजनों के अतिरिक्त, विभाज्य (न्यूमरेटर) को रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान द्वारा रिकार्ड किए लाभ अथवा हानि (जैसे लाभांश आय अथवा 'इक्विटी' पद्धति आय) में परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है जोकि ग्रहण किये गये परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान की बकाया के साधारण शेयरों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है। प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना का विभाजक प्रभावित नहीं होता क्योंकि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के बकाया साधारण शेयरों की संख्या ग्रहण किये गये परिवर्तन से नहीं बदलता।

सहभागी 'इक्विटी' लिखतें तथा द्वि-वर्गीय साधारण शेयर

- प्र 13 कुछ प्रतिष्ठान निम्नलिखित को 'इक्विटी' में शामिल करते हैं :

- (क) लिखत जो एक समय सहभागिता की उच्च सीमा (उदाहरण के लिए, प्रति शेयर पर विनिर्दिष्ट राशि तक परंतु उससे आगे नहीं) के साथ पूर्व निर्धारित फार्मूला (उदाहरण के लिए, एक के लिए दो) के अनुसार साधारण शेयरों के साथ लाभांश में सहभागिता करती है।
- (ख) साधारण शेयरों की एक अन्य श्रेणी से भिन्न लाभांश दर के साथ साधारण शेयरों की एक श्रेणी परंतु पूर्व अथवा वरिष्ठ अधिकारों के बिना।

- प्र 14 प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना के प्रयोजन के लिए, अनुच्छेद 13 में वर्णित उन लिखतों के लिए परिवर्तन की कल्पना की है। उन लिखतों के लिए जो साधारण शेयरों की श्रेणी में परिवर्तनीय नहीं हैं, अवधि के लिए लाभ अथवा हानि को प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जनों की गणना के लिए कल्पना की जाती हो साधारण शेयरों में परिवर्तनीय है यदि प्रभाव अविमिश्रित है। उन लिखतों के लिए जोकि शेयरों की विभिन्न श्रेणियों में परिवर्तनीय नहीं हैं अवधि के लिए लाभ अथवा हानि को शेयरों की विभिन्न श्रेणियों तथा सहभागी 'इक्विटी' लिखतों में असंवितरित प्राप्तियों में सहभागिता हेतु उनके लाभांश अधिकारों अथवा अधिकारों के अनुसार आवंटित किया जाता है।

- (क) मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि को (लाभ को घटाकर तथा हानि को बढ़ाकर) को शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अवधि में घोषित लाभांश की राशि तथा लाभांश की संविदात्मक राशि (अथवा सहभागी बॉण्ड पर ब्याज) जिसका अवधि के लिए भुगतान करना चाहिए (उदाहरण के लिए, बिना भुगतान संचयी लाभांश) के लिए समायोजित करना चाहिए।
- (ख) शेष लाभ अथवा हानि को इस सीमा तक साधारण शेयरों तथा सहभागी इक्विटी शेयरों में आवंटित करता है कि प्रत्येक प्रलेख शेयरों के अर्जन में हिस्सा रखता है जैसे अवधि के लिए सभी लाभ अथवा हानि को वितरित कर दिया है। 'इक्विटी' प्रलेख को प्रत्येक श्रेणी को आवंटित राशि तथा सहभागिता विशेषता के लिए आवंटित राशि को छोड़कर निर्धारित की जाती है।
- (ग) लिखतों को प्रति शेयर अर्जन के निर्धारण के लिए 'इक्विटी' लिखित की प्रत्येक श्रेणी से आवंटित लाभ अथवा हानि की कुल राशि को बकाया लिखतों की संख्या, जिसमें लिखत की प्रति शेयर अर्जन को आवंटित किया जाता है।
- प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना के लिए, सभी संभाव्य साधारण शेयर को, जिन्हें यह माना गया है कि वे जारी कर दिये गये हैं, बकाया साधारण शेयरों में सम्मिलित कर दिया जाता है।

आंशिक प्रदत्त शेयर

- प्र15 जहां पर साधारण शेयरों को जारी तो कर दिया गया है परंतु पूर्ण अदायगी नहीं की गई है उन्हें प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में साधारण शेयर के एक हिस्से के रूप में उस सीमा तक माना जाता है कि वे एक पूर्णतया प्रदत्त शेयर की तुलना में अवधि के दौरान लाभांश में सहभागिता के लिए हकदार थे।
- प्र16 उस सीमा तक आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर अवधि के दौरान लाभांश में सहभागिता के लिए हकदार नहीं है, को प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में वारंट अथवा विकल्प के समतुल्य माना गया है। बकाया शेष को साधारण शेयरों के क्रय में प्रयुक्त राशि को प्रतिनिधित्व के रूप में माना गया है। प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों में सम्मिलित शेयरों की संख्या अभिदल शेयरों की संख्या तथा क्रय के लिए कल्पित शेयरों की संख्या के बीच का अंतर है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि यदि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33 और तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 33 प्रति शेयर अर्जन के बीच कोई प्रमुख अंतर हैं तो उन्हें स्पष्ट किया जाये।

अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 33 प्रति शेयर अर्जन के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा-मानक 33 में यह व्यवस्था है कि जब एक प्रतिष्ठान समेकित वित्तीय विवरणों तथा पृथक वित्तीय विवरणों, दोनों को प्रस्तुत करता है तो वह प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस) संबंधी सूचना केवल समेकित वित्तीय विवरणों में ही देता है जबकि भारतीय लेखा मानक 33 यह अपेक्षा करता है कि प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस) संबंधी सूचना समेकित वित्तीय विवरणों व पृथक वित्तीय विवरणों दोनों में प्रकट की जाए।
2. इसमें मौजूदा कानूनों से भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उदाहरणतया, शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है। इसी तरह, रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् की घटनाओं के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 'वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए प्राधिकार' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदन' का प्रयोग किया गया है।
3. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 33 का अनुच्छेद 2 यह अपेक्षा करता है कि संपूर्ण मानक निम्नलिखित पर लागू होता है :

(क) एक प्रतिष्ठान के पृथक या व्यक्तिगत वित्तीय विवरण :

 - (i) जिसके साधारण शेयर या संभाव्य साधारण शेयर एक सार्वजनिक बाजार (स्थानीय व क्षेत्रीय बाजारों सहित एक स्थानीय या विदेशी स्टॉक एक्सचेंज या काउंटर पर बाजार) में खरीदे-बेचे (ट्रेड) किये जाते हैं ; अथवा
 - (ii) वह अपने वित्तीय विवरणों को प्रतिभूतियों के विनियामक या अन्य विनियामक संगठन के पास सार्वजनिक बाजार में साधारण शेयर जारी करने के लिए फाइल करता है या फाइल करने की प्रक्रिया में है, और

(ख) मूल प्रतिष्ठान सहित समूह के समेकित वित्तीय विवरण :

जिसके साधारण शेयर अथवा संभाव्य साधारण शेयर एक सार्वजनिक बाजार (स्थानीय व क्षेत्रीय बाजारों सहित एक स्थानीय या विदेशी स्टॉक एक्सचेंज या काउंटर पर मार्केट) में खरीदे-बेचे (ट्रेड) किये जाते हैं; अथवा

 - (i) वह अपने वित्तीय विवरणों को प्रतिभूतियों के विनियामक या अन्य विनियामक संगठन के पास सार्वजनिक बाजार में साधारण शेयर जारी करने के लिए फाइल करता है या फाइल करने की प्रक्रिया में है, और

यह, यह भी अपेक्षा करता है कि एक प्रतिष्ठान जो प्रति शेयर अर्जन को प्रकट करता है वह इस मानक के अनुसरण में प्रति शेयर अर्जन की गणना व प्रकटन करेगा।

भारतीय लेखा मानक में से उपर्युक्त को हटा दिया गया है क्योंकि भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) की प्रयोज्यता या अपवाद कंपनी अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाई गयी नियमावली द्वारा अधिशासित होते हैं। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 33 में अनुच्छेद संख्या को इस आशय से जारी रहने दिया गया है ताकि इस भारतीय लेखा मानक की अनुच्छेद संख्याओं की अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 33 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे।

4. भारतीय लेखा मानक 33 के अनुच्छेद संख्या 4 को इस आशय से संशोधित कर दिया गया है कि एक प्रतिष्ठान समेकित वित्तीय विवरणों में दी गयी सूचना के आधार पर 'प्रति शेयर अर्जन' को पृथक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत नहीं करेगा। इसी तरह, जैसे कि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 33 में अपेक्षा है, कि पृथक वित्तीय विवरणों पर आधारित प्रति शेयर अर्जन सूचना को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
5. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33 में अनुच्छेद संख्या 12 के बाद एक अनुच्छेद इस प्रकार जोड़ दिया गया है, अर्थात्:

“जहां आय या व्यय की मद जिसे भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में लाभ या हानि में अन्यथा मान्यता देना आवश्यक है उसे प्रतिशेयर मूल अर्जन की गणना के लिए प्रतिभूतियों के प्रीमियम खाता अन्य प्रारक्षितों के नामे डाला जाना है या जमा किया जाना है उसके संबंध में राशि चालू परिचालनों के लाभ या हानि में से काटी जाएगी”।
6. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33 में अनुच्छेद 15 को एक वाक्य जोड़कर संशोधित किया गया है अर्थात् 'इस पर विचार किये बिना कि क्या इस प्रकार के बट्टा अथवा प्रीमियम को कानून की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूति प्रीमियम खाता में नामे (डेबिट) अथवा जमा (क्रेडिट) किया गया है या नहीं' ताकि आगे यह स्पष्ट किया जाए कि ऐसे बट्टा या प्रीमियम को प्राप्त अर्जन में परिशोधित किया जाएगा।
7. जहां अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33 के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अन्तर्गत एक पृथक आय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, और पृथक आय विवरण में आधारभूत व सम्मिश्रित प्रति शेयर अर्जन और बन्द परिचालनों के एक पृथक आय विवरण में प्रति शेयर मूल एवं अविमिश्रित अर्जन की रिपोर्ट किये गये घटक का प्रयोग किये करते हुए प्रति शेयर की राशि के प्रकटन विषयक अपेक्षाएं हटा दी गयी हैं;
 - (i) अनुच्छेद 4 क
 - (ii) अनुच्छेद 67 क
 - (iii) अनुच्छेद 68 क
 - (iv) अनुच्छेद 73 क

यह परिवर्तन भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 के द्वि-विवरण दृष्टिकोण विषयक विकल्प के हटाने के परिणामस्वरूप है। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 यह अपेक्षा करता है लाभ या हानि के घटक और अन्य व्यापक आय के घटक लाभ हानि विवरण के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किये जाएंगे। फिर भी, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33 में उक्त अनुच्छेद संख्याओं को इस आशय से रहने दिया गया है ताकि उनकी क्रमबद्धता अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 33 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ बनी रहे।
8. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 33 की अनुच्छेद संख्या 25 को 'हटाया गया' के रूप में प्रदर्शित किया गया है। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 33 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे, अतः भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33 में इस अनुच्छेद संख्या को रहने दिया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34

अंतरिम वित्तीय विवरण

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे एवं सामान्य टाइप में अनुच्छेद दिये गये हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में दिये गये अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के सूचक हैं)

उद्देश्य

इस मानक का उद्देश्य अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की न्यूनतम विषयवस्तु और मान्यता एवं माप सिद्धांतों को निर्धारित करने के साथ-साथ एक अंतरिम अवधि के लिए वित्तीय विवरणों को पूर्ण अथवा संघनित रूप में निर्धारित करना है। समय पर और विश्वसनीय आधार पर प्रस्तुत की गई वित्तीय रिपोर्टिंग निवेशकों, ऋणदाताओं तथा अन्य की प्रतिष्ठान द्वारा आय अर्जित करने की क्षमता, नकदी प्रवाह, वित्तीय स्थिति और तरलता को समझने की योग्यता में सुधार करती है।

कार्यक्षेत्र

- यह मानक ऐसी अपेक्षा नहीं करता कि किन प्रतिष्ठानों को अपनी अंतरिम रिपोर्ट कितनी बार अथवा अंतरिम अवधि के कितने समय बाद प्रकाशित करनी चाहिए। फिर भी, सरकारों, प्रतिभूति नियामकों, स्टॉक एक्सचेंजों एवं लेखा निकायों द्वारा उन प्रतिष्ठानों से प्रायः यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्टों⁵ को प्रकाशित करें जिनकी ऋण अथवा 'इक्विटी' प्रतिभूतियां जनता के बीच खरीदी व बेची (ट्रेडिंग) जाती हैं। यह मानक उस स्थिति में लागू होता है जब प्रतिष्ठान के लिए लेखा मानकों के अनुसरण में अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है या ऐसा करने के लिए वह चुनाव करता है।

[देखें परिशिष्ट 1]

- प्रत्येक वित्तीय रिपोर्ट को, चाहे वह वार्षिक हो अथवा अंतरिम, भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है। यह तथ्य कि एक प्रतिष्ठान ने किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्टें प्रदान नहीं की हैं अथवा अंतरिम वित्तीय रिपोर्टें प्रदान तो की हैं, लेकिन, इस मानक के पालन के अनुसार नहीं की हैं तो इससे उन्हें इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वे अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुरूप तैयार व प्रस्तुत न करें बशर्ते वे ऐसा अन्यथा करते हों।
- यदि किसी प्रतिष्ठान की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुपालन का उल्लेख है तो उस स्थिति में प्रतिष्ठान को मानक की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, ऐसे कुछ अपेक्षित प्रकटनों पर चर्चा की गयी है।

परिभाषाएं

- प्रस्तुत मानक में निम्नलिखित शब्दावली का यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयोग किया गया है :
अंतरिम अवधि का आशय वित्तीय रिपोर्टिंग की उस अवधि से है जो पूर्ण वित्तीय वर्ष की अवधि से कम होती है।
अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट का आशय किसी उस वित्तीय रिपोर्ट से है जिसमें या तो वित्तीय विवरणों का पूरा समुच्चय (सैट) होता है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 1 में वर्णित है, या फिर अथवा अंतरिम अवधि के लिए संघनित वित्तीय विवरणों का एक समुच्चय (सैट) होता है (जैसा कि प्रस्तुत मानक में वर्णित है)।

अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की विषयवस्तु

- भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसार, वित्तीय विवरणों के पूरे समुच्चय (सैट) में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होते हैं:
 (क) अवधि के अंत तक का तुलन-पत्र ;
 (ख) अवधि के लाभ एवं हानि का विवरण ;
 (ग) अवधि की इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण ;
 (घ) अवधि के नकदी प्रवाहों का विवरण ;
 (ङ.) महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना विषयक टिप्पणियां ;
 (च) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुच्छेदों 38 और 38 (क) में विनिर्दिष्ट पूर्व अवधि से संबंधित तुलनात्मक सूचना; एवं
 (छ) जब प्रतिष्ठान पूर्ववर्ती प्रभाव से कोई लेखा-नीति लागू करता है अथवा अपने वित्तीय विवरणों की मदों पर पुनर्कथन पूर्वप्रभाव से करता है अथवा अपने वित्तीय विवरणों में दी गयी मदों का पुनर्वर्गीकरण करता है अथवा जब वह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुच्छेदों 40 क-40 घ के अनुसरण में अपने वित्तीय विवरणों की मदों का पुनर्वर्गीकरण करता है तो पूर्व अवधि के आरंभ का तुलन-पत्र।
- समयबद्धता तथा लागत विचारों के हित में तथा पहले रिपोर्ट की गयी जानकारी की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, एक प्रतिष्ठान के लिए यह अपेक्षित है या फिर वह ऐसा करने के लिए चयन कर सकता है कि वह अन्तरिम तिथियों के वार्षिक वित्तीय विवरणों की तुलना में कम सूचना प्रस्तुत करे। इस मानक में अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट की न्यूनतम विषयवस्तु की जिसमें संघनित वित्तीय विवरण एवं चयनित व्याख्यात्मक टिप्पणियां भी सम्मिलित हैं, परिभाषा दी जाती है। अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट से आशय है वार्षिक वित्तीय विवरणों के

⁵ गैर लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीबद्ध करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) के खंड 41 के अधीन तैयार व प्रस्तुत करना अपेक्षित है लेकिन वे इस मानक के अनुच्छेद 4 में यथापरिभाषित 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट' की श्रेणी में नहीं आते हैं।

नवीनतम पूर्ण समुच्चय (सैट) में अद्यतन स्थिति प्रदान करना। अतः यह रिपोर्ट नये कार्यकलापों, घटनाओं और परिस्थितियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करती है, न कि पहले से दी गयी सूचनाओं को फिर से दोहराती है।

7. यह मानक किसी प्रतिष्ठान को अपनी अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संघनित वित्तीय विवरणों की चयनित व्याख्यात्मक टिप्पणियों की बजाय वित्तीय विवरणों के पूर्ण समुच्चय (सैट) [लेखा मानक 1 में यथा वर्णित] प्रकाशन को निषिद्ध या निरुत्साहित करने की मंशा नहीं रखता है। इसी तरह, यह मानक एक प्रतिष्ठान को संघनित वित्तीय विवरणों में न्यूनतम रेखीय मदों से अधिक मदों या (इस मानक में यथा वर्णित) चयनित व्याख्यात्मक टिप्पणियों को सम्मिलित करने को भी निषिद्ध या निरुत्साहित नहीं करता। इस मानक में दिये गये मान्यता एवं माप सिद्धांत भी अन्तरिम अवधि के समस्त वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं और इन विवरणों में इस मानक द्वारा और अन्य लेखा मानकों (इंड ए एस) द्वारा अपेक्षित सभी प्रकटन (विशेषकर, अनुच्छेद 16 क में यथावर्णित चयनित प्रकटन संबंधी टिप्पणियां) सम्मिलित हैं।

अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट के न्यूनतम घटक

8. किसी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में कम-से-कम निम्नलिखित न्यूनतम घटक सम्मिलित होंगे :

- (क) एक संघनित तुलन-पत्र ;
- (ख) लाभ हानि का संघनित विवरण ;
- (ग) इक्विटी में परिवर्तनों का संघनित विवरण;
- (घ) नकदी के प्रवाहों का संघनित विवरण ; एवं
- (ङ) चयनित व्याख्यात्मक टिप्पणियां।

8. (क) [देखें परिशिष्ट 1]

अंतरिम वित्तीय विवरणों का स्वरूप एवं विषयवस्तु

9. यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों का पूरा समुच्चय (सैट) प्रकाशित किया जाता है तो उन वित्तीय विवरणों के पूर्ण समुच्चय (सैट) के लिए इन विवरणों का स्वरूप एवं विषयवस्तु भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 की अपेक्षाओं के अनुसार होगी।
10. यदि प्रतिष्ठान अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में संघनित वित्तीय विवरणों को प्रकाशित करता है तो वह इन संघनित वित्तीय विवरणों में मानक के अनुसार कम-से-कम अपने प्रतिष्ठान द्वारा हाल ही के वार्षिक विवरणों में शामिल की गई प्रत्येक जानकारी के शीर्ष एवं उप-योगों (जोड़ों) और चयनित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का भी उल्लेख करेगा। यदि संघनित अंतरिम वित्तीय विवरणों में किसी चूक के कारण कोई भ्रामक जानकारी की आशंका हो तो उसके लिए अतिरिक्त रेखीय मदें अथवा टिप्पणियां जोड़ी जायेंगी।
11. एक ऐसे विवरण में, जिसमें एक अंतरिम अवधि के लिए लाभ अथवा हानि के घटक प्रस्तुत किये जाते हैं, एक प्रतिष्ठान जब वह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33, *प्रति शेयर आय*, के कार्यक्षेत्र में हो, उस अवधि के लिए प्रति शेयर मूल (बेसिक) अर्जन (आय) व विमिश्रित (डायल्यूटेड) अर्जन (आय) को भी प्रस्तुत करेगा।

- 11(क) [देखें परिशिष्ट 1]

12. [देखें परिशिष्ट 1]

13. [देखें परिशिष्ट 1]

14. यदि प्रतिष्ठान द्वारा हाल ही में प्रस्तुत की गयी वार्षिक रिपोर्ट समेकित रूप में है तो अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट भी समेकित आधार पर ही तैयार की जायेगी। मूल प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरण उसके अभी हाल ही के वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट के न तो अनुरूप होंगे और न ही तुलनीय। यदि प्रतिष्ठान की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त पृथक वित्तीय विवरण भी शामिल हैं तो यह मानक न तो मूल प्रतिष्ठान के पृथक विवरणों को प्रतिष्ठान की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में शामिल करने की अपेक्षा करता है और न ही उसका निषेध करता है।

महत्वपूर्ण घटनाएं एवं लेन-देन

15. एक प्रतिष्ठान अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में इन घटनाओं तथा लेन-देनों को सम्मिलित करेगा जो प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति व कार्य-निष्पादन में परिवर्तनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन घटनाओं तथा लेन-देनों से संबंधित प्रकट जानकारी गत वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर संबंधित जानकारी को अद्यतन करेगी।
- 15(क) एक प्रतिष्ठान की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट का उपयोगकर्ता इस प्रतिष्ठान की अद्यतन वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को प्राप्त कर सकता है। अतः एक अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की टिप्पणियों के लिए यह अनावश्यक होगा कि वह उस जानकारी का उल्लेख करे जो महत्वपूर्ण नहीं है या फिर गत वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में सम्मिलित की जा चुकी है।

15(ख) निम्नलिखित सूची उन महत्वपूर्ण घटनाओं तथा लेन-देनों से संबंधित है जिनके लिए प्रकटन अपेक्षित है। लेकिन, यह सूची विस्तृत नहीं है :

- (क) सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्रीज) का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में अवलिखन तथा ऐसे अवलिखन को उलटाना ;
- (ख) वित्तीय आस्तियों, संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर, अमूर्त आस्तियों, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न आस्तियों व अन्य आस्तियों की क्षतिग्रस्तता से हानि को मान्यता तथा ऐसी क्षतिग्रस्तता हानि को उलटाना ;
- (ग) पुनर्संरचना की लागतों के लिए किन्हीं प्रावधानों को उलटाना ;
- (घ) संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की मदों का अधिग्रहण तथा निपटान ;
- (ङ) संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की खरीद के लिए वचनबद्धता ;
- (च) मुकदमों के संबंध में समझौते ;
- (छ) पूर्व अवधि की त्रुटियों का समाधान ;
- (ज) व्यवसाय अथवा उन आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे प्रतिष्ठान की वित्तीय आस्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य प्रभावित होता है और यह कि क्या उन आस्तियों एवं देयताओं को उचित मूल्य अथवा परिशोधित लागत पर मान्यता दी जाती है ;
- (झ) किसी ऋण में चूक अथवा ऋण करार का उल्लंघन जिनका रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक या इससे पूर्व निराकरण नहीं किया गया है ;
- (ञ) संबंधित पक्ष (पार्टी) लेन-देन ;
- (ट) वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य को मापने में प्रयोग की जाने वाली उच्चतर उचित मूल्य स्तरों के बीच अंतरण ;
- (ठ) उन वित्तीय आस्तियों के प्रयोजन अथवा प्रयोग में परिवर्तन के फलस्वरूप उन आस्तियों के वर्गीकरण में परिवर्तन ; एवं
- (ड) आकस्मिक दायित्वों अथवा आकस्मिक आस्तियों में परिवर्तन ;

15(ग) उपर्युक्त अनुच्छेद 15 (ख) में सूचीबद्ध मदों में अनेक मदों के लिए अलग-अलग भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) दिशा निर्देश देते हैं। जब कोई घटना अथवा लेन-देन गत वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि से एक प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति अथवा कार्य-निष्पादन में परिवर्तनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है तो इसकी आंतरिक वित्तीय रिपोर्ट में आवश्यक स्पष्टीकरण तथा वह अद्यतन जानकारी दी जानी चाहिए जो गत वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित हो ।

16-18 [देखें परिशिष्ट 1]

अन्य प्रकटन

16 क. अनुच्छेद 15-15 ग के अनुसार, महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रकट करने के अतिरिक्त प्रतिष्ठान अपने अंतरिम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित सूचना सम्मिलित करेगा बशर्ते यह अंतरिम रिपोर्ट में कहीं और प्रकट न किया गया हो। यह सूचना सामान्यता एक वित्तीय वर्ष-से-तिथि तक आधार पर रिपोर्ट की जायेगी।

- (क) एक विवरण इस आशय से कि अंतरिम वित्तीय विवरणों में आकलन की वही लेखा-नीतियां अपनायी गयी हैं जो कि अत्यंत हाल ही के वार्षिक वित्तीय विवरणों में अपनायी गयी थीं । यदि उन नीतियों या पद्धतियों में कोई परिवर्तन किया गया है तो उस परिवर्तन की प्रकृति तथा प्रभाव का भी उल्लेख किया जाएगा ।
- (ख) अंतरिम परिचालनों की मौसमी अथवा चक्रीय स्थिति के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणियां।
- (ग) उन आस्तियों, देयताओं, 'इक्विटी', शुद्ध आय अथवा नकदी प्रवाहों को प्रभावित करने वाली मदों की प्रकृति तथा राशि।
- (घ) चालू वित्तीय वर्ष की पूर्व अंतरिम अवधियों में रिपोर्ट की गई राशियों के प्राक्कलनों में परिवर्तनों अथवा पूर्व वित्तीय वर्षों में रिपोर्ट की गयी राशियों के प्राक्कलनों में परिवर्तन की प्रकृति तथा राशि।
- (ङ) ऋण तथा 'इक्विटी' प्रतिभूतियों के निर्गम, पुनर्खरीद तथा पुनर्भुगतान।
- (च) सामान्य अंशों तथा अन्य शेयरों के लिए पृथक रूप में अदा किये गये लाभांश (सकल अथवा प्रति शेयर)⁶
- (छ) निम्नलिखित खण्डीय सूचना (खण्डीय सूचना का प्रकटन एक प्रतिष्ठान की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में केवल तभी अपेक्षित है यदि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 108, *परिचालन खण्ड*, यह अपेक्षा करता है कि प्रतिष्ठान अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में खण्डीय सूचना को प्रकट करेगा):

⁶ यहां 'सामान्य अंशों' से तात्पर्य इक्विटी शेयरों से है।

- (i) बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व, यदि प्रमुख परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा खण्डीय लाभ अथवा हानि के माप की समीक्षा करने में शामिल किया जाता है अथवा अन्यथा, प्रमुख परिचालन निर्णयकर्ता को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाता है।
 - (ii) अन्तः खण्डीय राजस्व, यदि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा खण्डीय लाभ अथवा हानि के माप की समीक्षा में शामिल किया जाता है अथवा अन्यथा मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाता है।
 - (iii) एक खण्डीय लाभ अथवा हानि का माप।
 - (iv) एक विशेष रिपोर्ट योग्य खण्ड की कुल आस्तियों व दायित्वों का माप बशर्ते ये राशियां नियमित आधार पर मुख्य परिचालन निर्णायक को प्रदान की जाती हैं और उस रिपोर्ट योग्य खण्ड के गत वार्षिक विवरणों की प्रकट राशि में कोई सारवान (विशेष) परिवर्तन है।
 - (v) खण्डीय आधार पर अथवा खण्डीय लाभ अथवा हानि के माप के आधार पर गत वार्षिक वित्तीय विवरणों से अंतरों का वर्णन।
 - (vi) कर व्यय (कर आय) तथा बन्द परिचालनों से पूर्व, प्रतिष्ठान के लाभ अथवा हानि के प्रति लाभ अथवा हानि के कुल रिपोर्ट योग्य खण्डों के उपायों का समाधान। तथापि, यदि कोई प्रतिष्ठान कर व्यय (आय कर) के रूप में रिपोर्ट योग्य खण्डीय मदों को आबंटित करता है तो प्रतिष्ठान इन मदों के पश्चात् लाभ अथवा हानि के प्रति लाभ अथवा हानि के कुल खण्ड मापों का समाधान कर सकता है। समाधान वाली सारवान मदों की पृथक रूप से पहचान की जायेगी तथा इस समाधान में उनका वर्णन किया जायेगा।
- (ज) अंतरिम अवधि के पश्चात् की घटनाएं जिन्हें अंतरिम अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में प्रतिबिम्बित नहीं किया गया है।
- (झ) अंतरिम अवधि के दौरान, प्रतिष्ठान की संरचना में परिवर्तनों का प्रभाव जिसमें व्यवसाय संयोजन अनुषंगियों पर नियंत्रण प्राप्त करना अथवा खोना तथा दीर्घावधि निवेश, पुनर्संरचना तथा बन्द किये गये परिचालन शामिल हैं। व्यवसाय संयोजनों के मामले में, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 103 *व्यवसाय संयोजन* द्वारा अपेक्षित सूचना प्रकट करेगा।
- (ञ) वित्तीय लिखतों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 113, *उचित मूल्य माप*, के अनुच्छेदों 91-93 (ज), 94-96, 98 व 99 और भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 107, *वित्तीय लिखतें : प्रकटन* के अनुच्छेदों 25, 26 और 28-30 द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य प्रकटन।
- (ट) निवेश प्रतिष्ठानों के रूप में अस्तित्व में आने वाले या इस रूप में समाप्त होने वाले प्रतिष्ठानों के लिए यथा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 110, *समेकित वित्तीय विवरण*, एवं भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 112, अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रकटन, अनुच्छेद 9 ख, में यथा वर्णित।
- (ड.) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व*, के अनुच्छेदों 114-115 द्वारा अपेक्षित ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का पृथकीकरण।

भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुपालन का प्रकटन

19. यदि किसी प्रतिष्ठान की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट इस मानक के अनुपालन के अनुसार प्रस्तुत की गई हो तो इस तथ्य की घोषणा की जाएगी। किसी प्रतिष्ठान की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट को भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुरूप तब तक नहीं माना जायेगा जब तक उसमें भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के तहत सभी सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन न किया गया हो।

अंतरिम वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की अवधियां

20. निम्नलिखित अवधियों के लिए अंतरिम वित्तीय रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिनमें अन्तरिम वित्तीय विवरण (संघनित या पूर्ण) सम्मिलित हैं :
- (क) चालू अंतरिम अवधि के अंत में तुलन-पत्र तथा वित्तीय वर्ष के तुरंत पूर्व के अंत का तुलनात्मक तुलन-पत्र।
 - (ख) चालू अंतरिम अवधि के लिए लाभ व हानि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के तुरंत पूर्व की तुलनात्मक अंतरिम अवधियों (चालू तथा वर्ष-से-तिथि तक) के लिए लाभ व हानि के तुलनात्मक विवरण सहित चालू वित्तीय वर्ष-से-तिथि के लिए संचित तौर पर।
 - (ग) तत्काल गत वित्तीय वर्ष की समान वर्ष-से-तिथि की अवधि के तुलनात्मक विवरण के साथ चालू वित्तीय वर्ष से तिथि तक संचित इक्विटी में 'परिवर्तनों' का विवरण।

- (घ) वित्तीय वर्ष के तुरंत पूर्व की तुलनात्मक वर्ष-से-तिथि तक की अवधि के लिए तुलनात्मक विवरण सहित चालू वित्तीय वर्ष-से-तिथि तक के लिए संचित तौर पर नकदी प्रवाहों का विवरण।
21. किसी ऐसे प्रतिष्ठान के लिए जिसका व्यवसाय बिल्कुल मौसमी हो, अंतरिम अवधि की समाप्ति तक बारह महीनों के लिए वित्तीय सूचना तथा पूर्व बारह महीनों के लिए तुलनात्मक सूचना लाभदायक हो सकती है तदनुसार जिन प्रतिष्ठानों का व्यवसाय बिल्कुल मौसमी हो पूर्व के अनुच्छेदों में मांगी गई जानकारी के अतिरिक्त ऐसी जानकारी रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित की जा सकती है।
22. [देखें परिशिष्ट 1]

सारवानता

23. अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए यह निर्णय लेना कि कैसे मद की पहचान, माप, वर्गीकरण अथवा प्रकटन किया जाए, सारवानता (मैटिरियलिटी) का मूल्यांकन अंतरिम अवधि के वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के आधार पर होगा। सारवानता का मूल्यांकन करते समय, यह मान्यता दी जायेगी कि अंतरिम माप वार्षिक वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के माप की बजाय बहुत हद तक प्राक्कलनों पर निर्भर करता है।
24. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)¹ तथा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8, *लेखा-नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन तथा त्रुटियां*, एक मद को सारवान या महत्वपूर्ण के रूप में परिभाषित करते हैं यदि इसकी चूक अथवा त्रुटिपूर्ण कथन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 बन्द परिचालन (उदाहरण के लिए) सहित महत्वपूर्ण मदों के पृथक प्रकटन की अपेक्षा की गयी है तथा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8, *लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन त्रुटियों तथा लेखा-नीतियों में परिवर्तनों की अपेक्षा करता है।* इन दोनों मानकों में सारवानता के बारे में परिमाण संबंधी मार्गदर्शन नहीं दिया गया है।
25. यद्यपि सारवानता (महत्वपूर्णता) के मूल्यांकन के लिए हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है, फिर भी प्रस्तुत मानक अंतरिम अवधि के लिए प्रस्तुत किये गये आंकड़ों की मान्यता और प्रकटन निर्णय आधारित है, जिसका कारण अंतरिम आंकड़ों को ठीक प्रकार से समझने से है। अतः, उदाहरणस्वरूप, असामान्य रूप से ही दी गई मदों, लेखा-नीतियों और प्रस्तुत अनुमानों में दिये गये परिवर्तनों की जानकारीयों की अंतरिम अवधि के आंकड़ों के रूप में पहचान की जाती है और उनका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है ताकि इनके घोषित न किये जाने की वजह से किसी प्रभाव के भ्रम की स्थिति पैदा न हो। कुल मिलाकर इस बात का सुनिश्चय किया जाता है कि अंतरिम रिपोर्ट में सभी अपेक्षित जानकारीयों दी गई हैं जिनसे कि अंतरिम अवधि के दौरान प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति और उसकी कार्यकुशलता का पता लगाया जा सके।

वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकटन

26. यदि किसी वित्तीय वर्ष की अंतिम अंतरिम अवधि के दौरान, प्रस्तुत की गई अंतरिम रिपोर्ट में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, किन्तु उक्त अंतिम अंतरिम अवधि के लिए कोई पृथक वित्तीय रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं की गई है। प्राक्कलन में इस परिवर्तन की प्रकृति व राशि उस वित्तीय वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में प्रकट की जाएगी।
27. भारतीय लेखा मानक 8 प्राक्कलन में परिवर्तन की प्रकृति तथा (यदि व्यवहार्य हो) मात्रा के प्रकटन की अपेक्षा करता है जिसका या तो चालू अवधि में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है या फिर उत्तरवर्ती अवधियों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा है। इस मानक का अनुच्छेद 16 क (घ) एक अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में इसी प्रकार के प्रकटन की अपेक्षा करता है। उदाहरणों में, अवलिखित सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री), पुनर्संरचनाओं अथवा क्षतिग्रस्त हानियों से संबंधित अंतिम अंतरिम अवधि में प्राक्कलन में परिवर्तन सम्मिलित हैं जोकि वित्तीय वर्ष की एक पूर्व अंतरिम अवधि में रिपोर्ट की गई थी। पूर्ववर्ती अनुच्छेद में अपेक्षित प्रकटन भारतीय लेखा मानक 8 के अनुरूप है तथा जो मात्र प्राक्कलन में परिवर्तन के सीमित कार्यक्षेत्र तक ही अभिष्ट है। एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षित नहीं है कि वह अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में अंतरिम अवधि की अतिरिक्त वित्तीय सूचना को सम्मिलित करे।

मान्यता एवं माप

वार्षिक की तरह ही लेखा-नीतियां

28. प्रतिष्ठान द्वारा अपनी अंतरिम वित्तीय विवरणों में उन्हीं लेखा-नीतियों का प्रयोग किया जायेगा जिनका कि वार्षिक वित्तीय विवरणों में किया जाता है लेकिन उन लेखा-नीति परिवर्तनों को छोड़कर जो हाल ही में वार्षिक वित्तीय विवरणों की तिथि के पश्चात् किये जाते हैं और जो आगामी वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित होते हैं। तथापि, एक प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग आवृत्ति (वार्षिक, छमाही अथवा तिमाही) वार्षिक परिणामों के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अंतरिम रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन वर्ष-से-तिथि तक के आधार पर किया जायेगा।

29. इस अपेक्षा में कि एक प्रतिष्ठान अपने अंतरिम वित्तीय विवरणों में उन्हीं लेखा-नीतियों का प्रयोग करता है जिनका कि वार्षिक विवरणों में, इसमें यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक अवधि के माप इस तरह से किये जाते हैं कि मानो प्रत्येक अवधि अलग और एक स्वतंत्र रिपोर्टिंग अवधि है। किन्तु अंतरिम अवधि के लिए मान्यताप्राप्त आस्तियों, दायित्वों, आय और व्यय के लिए निर्धारित किये गये सिद्धांत वही रहेंगे, जोकि वार्षिक वित्तीय विवरणों के लिए निर्धारित हैं। तथापि इस बात का प्रावधान करते हुए एक प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग की आवृत्ति इसके वार्षिक परिणामों के माप को प्रभावित नहीं करेगी, अनुच्छेद 28 यह स्वीकार करता है कि एक अंतरिम अवधि एक वृहद् वित्तीय वर्ष का एक भाग है। वर्ष-से-तिथि के माप चालू वित्तीय वर्ष की पूर्ववर्ती अन्तरिम अवधियों की रिपोर्ट की गयी राशियों के अनुमानों के परिवर्तनों में सम्मिलित होते हैं। लेकिन, अन्तरिम अवधियों की आस्तियों, दायित्वों आय व व्यय की मान्यता के सिद्धांत वही हैं जो कि वार्षिक वित्तीय विवरणों के होते हैं।
30. **उदाहरण के लिए :**
- (क) एक अंतरिम रिपोर्ट में अवलिखित सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) से हानियों, पुनर्गठनों अथवा क्षतिग्रस्तताओं की मान्यता और उनके माप के सिद्धांत वही हैं जो कि प्रतिष्ठान द्वारा अपनी वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रयोग किये जाते हैं। लेकिन, यदि किसी एक अंतरिम अवधि में ऐसी मदों को मान्यता दी जाती है और उनका माप किया जाता है और उसके बाद के वित्तीय वर्ष की अंतरिम अवधि में प्राक्कलन परिवर्तित हो जाता है तो बाद की अन्तरिम अवधि में मूल प्राक्कलन को हानि की अतिरिक्त राशि के उपार्जन द्वारा अथवा पहले से मान्यताप्राप्त राशि के विपर्यय (उलटाव) से परिवर्तित कर दिया जाता है।
- (ख) एक लागत जो एक अंतरिम अवधि की समाप्ति पर किसी आस्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती है तो वह तुलन-पत्र में तब तक आस्थगित नहीं की जाती जब तक भविष्य में इस पुष्टि की सूचना नहीं मिल जाती कि उस आस्ति की परिभाषा को पूरा कर लिया है अथवा एक वित्तीय वर्ष के अंदर अंतरिम अवधियों में सुगम आय का अर्जन कर लिया है ; तथा
- (ग) आयकर व्यय को उस प्रत्येक अंतरिम अवधि में मान्यता दी जाती है जो पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित भारित औसत वार्षिक आयकर के सर्वोत्तम प्राक्कलन (अनुमान) पर आधारित है। एक अंतरिम अवधि में आयकर व्यय के लिए उपचित राशियों को उस वित्तीय वर्ष की उत्तरवर्ती अंतरिम अवधि में समायोजित करना होगा यदि वार्षिक आयकर दर के प्राक्कलन में परिवर्तन होता है।
31. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में *वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके प्रस्तुतिकरण संबंधी कार्यपद्धति* के अंतर्गत, मान्यता 'एक प्रक्रिया है जिसमें तुलन-पत्र लाभ-हानि विवरण में उस मद को सम्मिलित किया जाता है जो एक तत्व की परिभाषा को पूरा करती है तथा मान्यता के मानदंड को पूरा करती है'। आस्तियों, दायित्वों, आय और व्यय की परिभाषाएं वार्षिक तथा अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग दोनों ही अवधियों की समाप्ति पर मान्यता के आधारभूत हैं।
32. आस्तियों के लिए आगामी आर्थिक लाभों के परीक्षण, अंतरिम अवधियों की तिथियों और प्रतिष्ठान के पूरे वर्ष की अंतिम अवधि की तिथि, दोनों के लिए एक जैसे ही हैं। लागतें अपनी प्रकृति के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर और अंतरिम अवधियों की तिथियों किसी पर आस्ति की अर्हक नहीं होंगी। इसी प्रकार अंतरिम रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति की तिथि पर एक दायित्व मौजूदा बाध्यता का अवश्य प्रतिनिधित्व करेगी जैसा कि एक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वह करती है।
33. आय (राजस्व) और व्यय की एक अनिवार्य विशेषता यह है कि आस्तियों और दायित्वों का संबंधित अन्तर्प्रवाह एवं बहिः प्रवाह पहले ही हो चुका है। यदि वे अन्तर्प्रवाह तथा बहिः प्रवाह पहले ही हो चुके हैं तो संबंधित राजस्व तथा व्यय को मान्यता दी जाती है और यदि वे पहले नहीं हुए हैं तो यह मान्यता नहीं दी जाएगी। *कार्यपद्धति* में यह स्पष्ट किया गया है कि व्ययों को लाभ-हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है जब एक आस्ति में कमी या एक दायित्व में वृद्धि के कारण भावी आर्थिक लाभों में कमी होती है और उसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है ... (यह) *कार्यपद्धति* तुलन-पत्र में उन मदों को मान्यता देने की अनुमति नहीं देती जो आस्तियों अथवा दायित्वों की परिभाषा को पूरा नहीं करती हैं।
34. अपने वित्तीय विवरणों में सूचित आस्तियों, दायित्वों, आय, व्यय तथा नकदी प्रवाहों का माप करने में एक प्रतिष्ठान जो केवल वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करता है वह केवल उसी सूचना को विचार में लेता है जो संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध हो। इसका मूल्यांकन, वास्तव में, वर्ष-से-तिथि तक के आधार पर होता है।
35. एक प्रतिष्ठान जो छमाही आधार पर रिपोर्ट करता है वह अपने प्रथम छमाही के वित्तीय विवरणों में माप के लिए उस सूचना का उपयोग करता है जो वर्ष के मध्य या उसके तुरंत बाद उपलब्ध हो। इसी तरह, 12 माह की अवधि के वित्तीय विवरणों में उस सूचना का उपयोग करता है जो 12 माह के दौरान या उसके तुरन्त बाद उपलब्ध हो। बारह माह के माप प्रथम छमाही अवधि की रिपोर्ट की गयी राशियों के प्राक्कलनों में संभावित परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करेगा। पहले छह महीनों की अवधि की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में सूचित राशियां पूर्व प्रभाव से समायोजित नहीं की जाती। अनुच्छेद 16 क (घ) तथा 26 में यह अपेक्षा है कि प्राक्कलनों (अनुमानों) में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों की प्रकृति तथा मात्रा प्रकट की जाए।

36. एक प्रतिष्ठान जो छमाही की बजाय अधिक आवृत्ति में रिपोर्ट करता है तो वह अपने वित्तीय विवरणों के प्रत्येक समुच्चय (सैट) को तैयार करने के लिए उपलब्ध जानकारी का प्रयोग करते हुए प्रत्येक अंतरिम अवधि के लिए वर्ष-से-तिथि तक के आधार पर आय तथा व्यय का माप करता है। चालू अंतरिम अवधि में रिपोर्ट की गई आय व्यय की राशियां वित्तीय वर्ष की पूर्व अंतरिम अवधियों में सूचित राशियों के प्राक्कलनों में हुए किन्हीं भी परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करेगी। पूर्व अंतरिम अवधियों में सूचित राशियों को पूर्ववर्ती प्रभाव से समायोजित नहीं किया जाता। तथापि अनुच्छेद 16 क (घ) तथा 26 में यह अपेक्षा की गयी है कि प्राक्कलनों (अनुमानों) यदि कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं तो उनकी प्रकृति तथा मात्रा को प्रकट किया जाए।

मौसमी, चक्रीय, अथवा अनियमित आधार पर प्राप्त राजस्व

37. एक वित्तीय वर्ष के अंदर मौसमी, चक्रीय अथवा आकस्मिक आधार पर प्राप्त राजस्व को अंतरिम तिथि के रूप में पूर्वानुमानित और स्थगित नहीं किया जायेगा यदि पूर्वानुमानित अथवा आस्थगित राजस्व प्रतिष्ठान के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपर्युक्त न हो।
38. राजस्वों के उदाहरणों में लाभांश राजस्व, रायल्टियां और सरकारी अनुदान शामिल हैं। कुछ प्रतिष्ठान एक वित्तीय वर्ष की अन्य अंतरिम अवधियों के बजाय कुछ अंतरिम अवधियों में लगातार अधिक राजस्व अर्जित करते हैं, उदाहरण के लिए, जैसे कि खुदरा व्यापारियों के मौसमी राजस्व। इस प्रकार के राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है, जब वह उत्पन्न होता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान असमान रूप से खर्च की गयी लागतें

39. प्रतिष्ठान के वित्तीय वर्ष के दौरान असमान रूप से खर्च की गई लागतें अंतरिम रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए पूर्वानुमानित अथवा आस्थगित होंगी और वे तभी, और केवल तभी की जायेंगी यदि वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इस प्रकार की लागत पूर्वानुमानित अथवा आस्थगित करने के लिए भी उपयुक्त हों।

40. [देखें परिशिष्ट 1]

प्राक्कलनों का प्रयोग

41. किसी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में अपनायी जाने वाली माप प्रक्रिया को इस प्रकार से प्रयोग में लाया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणामी सूचना विश्वसनीय है और प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति अथवा कार्यनिष्पादन को समझने के लिए संबंधित सभी सूचना उपयुक्त रूप में प्रकट की गई है। हालांकि, वार्षिक तथा अंतरिम वित्तीय रिपोर्टों दोनों में ही माप प्रायः तर्कसंगत प्राक्कलनों (अनुमानों) पर आधारित होता है, अतः वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की बजाय अंतरिम वित्तीय रिपोर्टों को तैयार करने में सामान्यतया प्राक्कलन पद्धतियों का अधिक प्रयोग होता है।

42. [देखें परिशिष्ट 1]

पूर्व में रिपोर्ट की गई अंतरिम अवधियों का पुनर्कथन

43. उस परिवर्तन को छोड़कर जो एक नये भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) में विनिर्दिष्ट है, लेखा-नीति में हुआ कोई भी परिवर्तन निम्नलिखित द्वारा प्रतिबिम्बित किया जायेगा:

- (क) चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम अवधियों के पूर्व की वित्तीय विवरणों और उसके पूर्व में वित्तीय वर्षों की तुलनात्मक अवधियों का पुनर्कथन जिनका कि भारतीय लेखा मानक 8 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरणी में पुनर्कथन किया जाना अपेक्षित है ; अथवा
- (ख) जब चालू वित्तीय वर्ष की पूर्व अंतरिम अवधियों के वित्तीय विवरणों को समायोजित करते हुए सभी पूर्व अवधियों में नयी लेखा-नीति लागू करने के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संचयी प्रभाव निर्धारित करना अव्यवहारिक हो तथा पूर्व वित्तीय वर्षों की तुलनात्मक अवधियों के मामले में यथाशीघ्र पूर्व तिथि से भावी रूप से नयी लेखा-नीति लागू करना।

44. पूर्ववर्ती सिद्धांत का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान लेन-देनों के एक विशेष वर्ग पर एक ही लेखा-नीति का प्रयोग किया जाए। भारतीय लेखा मानक 8 के अंतर्गत लेखा-नीति में परिवर्तन, यथासंभव व्यवहार्य, पूर्व अवधि वित्तीय आंकड़ों के पुनर्कथन के साथ पूर्ववर्ती प्रभाव से प्रतिबिम्बित होता है। तथापि, यदि पूर्व वित्तीय वर्षों से संबंधित समायोजन की राशि का निर्धारण करना अव्यवहार्य हो तब भारतीय लेखा मानक 8 के अंतर्गत नयी नीति व्यवहार्य यथाशीघ्र तिथि से भावी प्रभाव से लागू की जाती है। अनुच्छेद 43 में सिद्धांत का प्रभाव यह अपेक्षा करता है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंदर लेखा-नीति में कोई भी परिवर्तन या तो पूर्ववर्ती प्रभाव से प्रयोग में लाया जाए या यदि वह व्यवहार्य नहीं हो तो इसे भावी प्रभाव से कम से कम वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से लागू किया जाए।

45. वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परिवर्तनों को अंतरिम तिथि से प्रदर्शित करने की अनुमति देने का प्रभाव किसी एक वित्तीय वर्ष में किये गये कार्यकलापों में लागू करना एक ही प्रकार के कार्यकलापों को दो भिन्न-भिन्न लेखा-नीतियों को अपनाये जाने जैसा होगा। इसके परिणामस्वरूप आवंटन अवधि की कठिनाईयां, परिचालन से संबंधित अस्पष्ट परिणाम और अंतरिम अवधि की जानकारी का विश्लेषण व बोधगम्यता और अधिक जटिल होगी।

परिशिष्ट क

अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग एवं क्षतिग्रस्तता

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 34 (इंड ए एस) का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

1. एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हुई क्षतिग्रस्तता के लिए ख्याति (गुडविल) का मूल्यांकन करे, और यदि आवश्यक हो तो भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार इस तिथि पर क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता भी दे। तथापि उत्तरवर्ती रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर यदि परिस्थितियों में इतना परिवर्तन आ जाए कि क्षतिग्रस्तता हानि को कम किया जा सकता हो, अथवा उससे बचा जा सकता हो बशर्ते क्षतिग्रस्तता का निर्धारण केवल उस तिथि पर किया गया हो। यह परिशिष्ट इस बात पर दिशा-निर्देश देता है कि क्या ऐसी क्षतिग्रस्तता हानियों को कभी उलटाया जा सकता है।
2. यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 34 की अपेक्षाओं तथा भारतीय लेखा मानक 36 में ख्याति (गुडविल) पर क्षतिग्रस्तता हानियों की मान्यता के बीच अंतर्क्रिया और उस अंतर्क्रिया के प्रभाव पर चर्चा करता है।

मुद्दा

3. भारतीय लेखा मानक 34 का प्रयोग अनुच्छेद 28 प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह अपने अंतरिम विवरणों में उन्हीं लेखा-नीतियों का प्रयोग करे जो कि प्रतिष्ठान ने अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रयोग की इसमें यह भी उल्लेख है कि 'प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग आवृत्ति (वार्षिक, अर्धवार्षिक तथा तिमाही) का प्रभाव प्रतिष्ठान वार्षिक परिणामों के माप पर नहीं पड़ेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अंतरिम रिपोर्टिंग प्रयोजनों हेतु माप वर्ष-से-तिथि तक के आधार पर किया जायेगा'।
4. भारतीय लेखा मानक 36 के अनुच्छेद 124 में यह उल्लेख किया गया है कि ख्याति (गुडविल) के लिए मान्य क्षतिग्रस्तता हानि को उत्तरवर्ती अवधि में उलटाया नहीं जायेगा।
- 5-6. [देखें परिशिष्ट 1]
7. यह परिशिष्ट निम्नलिखित मुद्दे पर चर्चा करता है:
क्या एक प्रतिष्ठान को ख्याति (गुडविल) पर एक अंतरिम अवधि में मान्य क्षतिग्रस्तता हानियों को उलटाना चाहिये बशर्ते एक हानि को मान्यता नहीं दी गई हो या कम हानि को तब मान्यता दी मानी जाएगी जब क्षतिग्रस्तता निर्धारण उत्तरवर्ती रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर ही की गई हो।

लेखा सिद्धांत

8. एक प्रतिष्ठान ख्याति (गुडविल) के संबंध में गत अंतरिम अवधि में मान्य एक क्षतिग्रस्तता हानि को नहीं उलटायेगा।
9. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 तथा अन्य भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के बीच संभावित अंतर्विरोध के अन्य क्षेत्रों में समरूपता द्वारा इस लेखा सिद्धांत का विस्तार नहीं करेगा।

परिशिष्ट ख

अन्य भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अभिन्न अंग है।

1. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 37, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियों में समाविष्ट परिशिष्ट ग, उगाही (लेवी)।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि यदि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 और अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34, 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग', एवं 'आई एफ आर आई सी' 10, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग एवं क्षतिग्रस्तता के बीच यदि कोई अंतर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाये।

अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग, एवं 'आई एफ आर आई सी' 10, के साथ तुलना

1. लाभ - हानि विवरणी तैयार करने के संबंध में, अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 34, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग में एकल विवरण दृष्टिकोण अथवा द्वि-विवरण दृष्टिकोण में से किसी एक को अपनाने के विकल्प की व्यवस्था है। परन्तु भारतीय लेखा मानक 34 भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, की तरह, एकल विवरण दृष्टिकोण की अनुमति देता है। अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 34 के अनुच्छेद 8 (क) और 11 (क), जो उक्त विकल्प उपलब्ध करवाते हैं, इसमें से हटा दिये गये हैं। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 34 की अनुच्छेद संख्याओं की भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे अतः इस आशय से इन अनुच्छेद संख्याओं को इसमें रहने दिया गया है।

2. इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अर्थात् शब्दों *वित्तीय स्थिति का विवरण* के स्थान पर शब्द *तुलन-पत्र* और शब्दों *व्यापक आय का विवरण* या *लाभ या हानि एवं अन्य आय विवरण* के स्थान पर शब्दों *लाभ-हानि विवरण* का प्रयोग किया गया है।
3. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34, के अनुच्छेद 1 का अंतिम वाक्य भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 से हटा दिया गया है, क्योंकि यह महसूस किया गया है कि अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अपेक्षा संबंधित कानून अथवा विनियम द्वारा अधिशासित की जानी चाहिए, न कि इसे एक लेखा मानक के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए।
4. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34 में निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याओं को 'हटाये गये' के रूप में दर्शाया गया है चूंकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34 की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता भारतीय लेखा मानक 34 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ बनी रहे अतः इस आशय से भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 34 में इन अनुच्छेद संख्याओं को रहने दिया गया है:
 - (i) अनुच्छेद 13
 - (ii) अनुच्छेद 16
 - (iii) अनुच्छेद 17-18
 - (iv) परिशिष्ट क के अनुच्छेद 5-6
5. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक आई ए एस 34 का अनुच्छेद 12, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 1 में सम्मिलित कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश के लिए संदर्भ का कार्य करता है। इसे भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 से हटा दिया गया है क्योंकि यह (कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश) अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 1 का अभिन्न अंग नहीं है। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34 की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 के साथ बनी रहे, अतः इस आशय से भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 में इन्हें रहने दिया गया है।
6. निम्नलिखित अनुच्छेद दृष्टांत उदाहरणों के संबंध में हैं जो कि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34 का अभिन्न अंग नहीं हैं। इन्हें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 में से हटा दिया गया है। लेकिन दोनों में यानि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34 व भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, इस इस आशय से भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 में इन अनुच्छेद संख्याओं को रहने दिया गया है।
 - (i) अनुच्छेद 22 - 'दृष्टांत उदाहरण' के दृष्टांत 'क' का यह संदर्भ कि एक प्रतिष्ठान छमाही व तिमाही आधार पर अपने विवरण प्रस्तुत करता है।
 - (ii) अनुच्छेद 40 - 'दृष्टांत उदाहरण' के दृष्टांत 'ख' का यह संदर्भ कि अनुच्छेदों 28-39 में सामान्य मान्यता व माप सिद्धांतों का निरूपण किया गया है।
 - (iii) अनुच्छेद 42- 'दृष्टांत उदाहरण' के दृष्टांत 'ग' का यह संदर्भ कि अंतरिम अवधियों में प्राक्कलनों (अनुमानों) का प्रयोग।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 36

आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप दो प्रकार के अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप के अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य उन कार्यविधियों को निर्धारित करना है जिन्हें कोई प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करने के लिए लागू करता है कि उसकी आस्तियों को उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक पर अग्रणीत न किया जाये। किसी आस्ति को उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक पर तब अग्रणीत किया जाता है यदि इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि आस्ति के प्रयोग अथवा बिक्री के माध्यम से वसूल की जाने वाली राशि से अधिक है। यदि ऐसा है तो आस्ति को क्षतिग्रस्तता के रूप में उल्लेख किया जाता है और मानक यह अपेक्षा करता है कि वह प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता दे। मानक यह भी उल्लेख करता है कि कब प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्तता हानि के उलटाव के समय को विषयीय करेगा और प्रकटन की विधि को विनिर्दिष्ट करेगा।

कार्यक्षेत्र

2. यह मानक निम्नलिखित को छोड़कर सभी आस्तियों की क्षतिग्रस्तता के लेखा में प्रयुक्त किया जाएगा :
 - (क) सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) [देखें भारतीय लेखा मानक 2, सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)];

- (ख) अनुबंध आस्तियां और वे आस्तियां जो अनुबंध प्राप्त करने और उसे पूरा करने से उद्भूत हैं और वे भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* के अनुसरण में मान्य हैं;
- (ग) आस्थगित कर आस्तियां [देखें भारतीय लेखा मानक 12, *आयकर*];
- (घ) कर्मचारी लाभों से उद्भूत आस्तियां [देखें भारतीय लेखा मानक 19, *कर्मचारी लाभ*];
- (ङ) वित्तीय आस्तियां जो भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें* के कार्यक्षेत्र में आती हैं;
- (च) [देखिये परिशिष्ट 1];
- (छ) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 41, *कृषि* के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कृषि-संबंधी गतिविधि से संबद्ध जैविक आस्तियां जो बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य पर मापी जाती हैं।
- (ज) भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध* के कार्यक्षेत्र के अंदर आने वाली बीमा अनुबंधों के अन्तर्गत बीमाकर्ता के अनुबंधात्मक अधिकारों से उद्भूत आस्थगित अधिग्रहण लागतें तथा अमूर्त आस्तियां; और
- (झ) भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन* के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियां (अथवा निपटान समूह)।
3. यह मानक सूचीबद्ध सामान तथा निर्माण अनुबंध से उद्भूत आस्तियों, आस्थगित कर आस्तियों, कर्मचारी लाभों से उद्भूत आस्तियां अथवा बिक्री के लिए धारित आस्तियों (अथवा ऐसे निपटान समूह में शामिल की गई जिन्हें बिक्री के लिए इसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है) के रूप में वर्गीकृत आस्तियों पर लागू नहीं होता क्योंकि इन आस्तियों के लिए लागू भारतीय लेखा मानकों में इन आस्तियों की मान्यता एवं माप के लिए अपेक्षाएं शामिल हैं।
4. यह मानक निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियों के लिए लागू होता है:
- (क) भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण* में यथापरिभाषित अनुषंगी प्रतिष्ठान;
- (ख) भारतीय लेखा मानक 28 *सहयोगी प्रतिष्ठानों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश* में यथापरिभाषित सहयोगी प्रतिष्ठान; और
- (ग) भारतीय लेखा मानक 111, *संयुक्त व्यवस्थाएं* के रूप में यथापरिभाषित संयुक्त उद्यम।
- अन्य वित्तीय आस्तियों की क्षतिग्रस्तता के लिए, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 देखें।
5. यह मानक भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली वित्तीय आस्तियों अथवा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 41 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कृषिसंबंधी गतिविधि से सम्बद्ध जैविक आस्तियों, जो बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य पर मापी जाती हैं, पर लागू नहीं होता है। लेकिन यह मानक उन आस्तियों पर लागू होता है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों, जैसे कि भारतीय लेखा मानक 16, *सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर* और भारतीय लेखा मानक 38, *अमूर्त आस्तियां*, के अनुसरण में पुनर्मूल्यांकन राशि (अर्थात् उत्तरवर्ती संचित मूल्यह्रास और उत्तरवर्ती संचित क्षतिग्रस्तता हानियां घटाकर पुनर्मूल्यांकन तिथि के उचित मूल्य) पर अग्रणीत (कैरी) की जाती हैं। आस्ति के उचित मूल्य और निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य के अन्दर एक मात्र अन्तर है आस्ति के निपटान से सम्बंधित प्रत्यक्ष वृद्धशील लागतें।
- (क) यदि निपटान लागतें नगण्य हैं तो पुनर्मूल्यांकित आस्ति की वसूली योग्य राशि अनिवार्य रूप से उसकी पुनर्मूल्यांकित राशि के आसपास या उससे अधिक ही होगी। इस मामले में, पुनर्मूल्यांकन अपेक्षाओं के लागू करने के बाद इस बात की संभावना नहीं है कि पुनर्मूल्यांकित आस्ति क्षतिग्रस्त है और वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है।
- (ख) [देखें परिशिष्ट 1]
- (ग) यदि निपटान लागतें नगण्य नहीं हैं, तो पुनर्मूल्यांकित आस्ति की निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य उसके उचित मूल्य से अवश्य कम होगा। अतः अगर पुनर्मूल्यांकित आस्ति का प्रयोग मूल्य इसके पुनर्मूल्यांकित मूल्य से कम है तो वह पुनर्मूल्यांकित आस्ति क्षतिग्रस्त होगी। इस मामले में, पुनर्मूल्यांकन अपेक्षाओं को लागू करने के बाद प्रतिष्ठान इस मानक का यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग करता है कि क्या वह आस्ति क्षतिग्रस्त है या नहीं।

परिभाषाएं

6. इस मानक में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दावली को यहां विनिर्दिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया गया है:
- अग्रणीत (कैरिंग) राशि* वह राशि है जिस पर आस्ति को किसी संचित मूल्यह्रास (परिशोधन) तथा उस पर संचित क्षतिग्रस्तता हानियों की कटौती के बाद मान्यता प्रदान की जाती है।
- नकदी-जनक इकाई* पहचानयोग्य आस्तियों का वह छोटे से छोटा समूह है जो नकदी प्रवाह का सृजन करता है तथा जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूह से नकदी प्रवाह के लिए वृहद् रूप से स्वतंत्र है।

निगमित आस्तिर्यां ख्याति (गुडविल) से भिन्न ऐसी आस्तियाँ हैं जो समीक्षाधीन नकद जनक इकाई और अन्य नकदी-जनक इकाईयों, दोनों के भावी नकदी प्रवाहों के लिए योगदान करती हैं।

निपटान लागतें वे वृद्धिशील लागतें हैं जो वित्तीय लागतें तथा आयकर व्यय को छोड़कर सीधे ही आस्ति के निपटान अथवा नकदी-जनक इकाई से संबद्ध हैं।

मूल्यहासयोग्य राशि आस्ति की लागत अथवा उसके बदले में वित्तीय विवरणों में लागत के लिए दर्शायी गयी अन्य राशि में से उसका अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद बची हुई राशि है।

मूल्यहास (परिशोधन) एक आस्ति के उपयोगी जीवनकाल की मूल्यहास राशि का व्यवस्थित आवंटन है⁷।

उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 113, उचित मूल्य माप)।

क्षतिग्रस्तता हानि वह राशि है जिसके द्वारा आस्ति अथवा नकदी-जनक इकाई की अग्रणीत (कैरिंग) राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

वसूली योग्य राशि वह राशि है जो आस्ति अथवा नकदी-जनक इकाई के निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य तथा इसके प्रयोग मूल्य दोनों में अधिक है।

उपयोगी जीवनकाल निम्नलिखित दोनों में से कोई एक है :

(क) वह समय अवधि है जिसमें प्रतिष्ठान द्वारा एक आस्ति का प्रयोग किया जाना प्रत्याशित है ; या

(ख) प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति से प्राप्त की जाने वाली प्रत्याशित उत्पादन संख्या अथवा इसी प्रकार की इकाई है।

प्रयोग मूल्य आस्ति अथवा नकदी-जनक इकाई से उत्पन्न होने वाली प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य है।

क्षतिग्रस्त-योग्य आस्ति की पहचान

7. अनुच्छेद 8-17 में यह विनिर्दिष्ट है कि वसूली योग्य राशि को कब निर्धारित किया जाएगा। ये अपेक्षाएं 'एक आस्ति' शब्दों का प्रयोग करती हैं लेकिन व्यक्तिगत आस्ति या एक नकदी-जनक इकाई के रूप में लागू होती हैं। इस मानक का शेष भाग इस प्रकार संरचित किया गया है :

(क) अनुच्छेद संख्याओं 18 - 57 में वसूली योग्य राशि के माप के लिए अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। इन अपेक्षाओं में 'एक आस्ति' शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जिन्हें एक व्यक्तिगत आस्ति तथा एक नकदी-जनक इकाई के लिए समान रूप से प्रयोग किया गया है।

(ख) अनुच्छेद संख्याओं 58-108 में क्षतिग्रस्तता हानियों की मान्यता एवं माप के लिए अपेक्षाओं को निर्दिष्ट किया गया है। सद्भावना (गुडविल) से भिन्न व्यक्तिगत आस्तियों के मान्यता एवं माप पर अनुच्छेद 58-64 में चर्चा की गयी है। अनुच्छेद संख्याओं 65-108 में नकदी-जनक इकाई और ख्याति (गुडविल) की क्षतिग्रस्तता हानियों की मान्यता एवं माप पर विचार किया गया है।

(ग) अनुच्छेद संख्याओं 109-116 में एक आस्ति अर्थात् नकदी-जनक इकाई के लिए पूर्व अवधियों में मान्य क्षतिग्रस्तता हानि का उलटाने की अपेक्षाओं को निर्दिष्ट किया गया है। पुनः ये अपेक्षाएं 'एक आस्ति' शब्दों का प्रयोग करती हैं लेकिन इन्हें एक व्यक्तिगत आस्ति या नकदी-जनक इकाई के लिए समान रूप से प्रयोग किया गया है। एक अलग आस्ति के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं अनुच्छेद संख्याओं 117-121 में और सद्भावना (गुडविल) के लिए अनुच्छेद संख्याओं 124-125 में निर्दिष्ट की गयी हैं। नकदी-जनक इकाई के लिए अनुच्छेद संख्याओं 122 व 123 में अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गयी हैं।

(घ) अनुच्छेद संख्याएं 126-133 आस्तियों तथा नकदी-जनक इकाईयों के लिए क्षतिग्रस्तताओं तथा क्षतिग्रस्तताओं को उलटाने के बारे में प्रकटन की सूचना को विनिर्दिष्ट करती हैं। अनुच्छेद संख्याओं 134-137 में उन नकदी-जनक इकाईयों के लिए अतिरिक्त प्रकटन की अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके लिए ख्याति (गुडविल) अथवा अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त आस्तियों को क्षतिग्रस्तता परीक्षण प्रयोजनों के लिए आबंटित किया गया है।

8. एक आस्ति तब क्षतिग्रस्तता मानी जाती है जब इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। अनुच्छेद संख्याओं 12-14 में कुछ संकेतों को वर्णित किया गया है कि कब क्षतिग्रस्तता हानि हो सकती है। यदि उनमें कोई संकेत मौजूद है तो प्रतिष्ठान को वसूली योग्य राशि का औपचारिक प्राक्कलन करना अपेक्षित होता है। अनुच्छेद 10 में वर्णित को छोड़कर यह मानक एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा नहीं करता कि यदि क्षतिग्रस्तता का कोई संकेत मौजूद नहीं है तो वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक प्राक्कलन करे।

⁷ अमूर्त आस्ति के मामले में, 'परिशोधन' शब्द सामान्यतया 'मूल्यहास' के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है।

9. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, प्रतिष्ठान यह मूल्यांकन करेगा कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि आस्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो प्रतिष्ठान आस्ति की वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन करेगा।
10. क्षतिग्रस्तता का कोई संकेत है या नहीं इस पर कोई विचार किये बिना प्रतिष्ठान निम्नलिखित अनुसार भी कार्यवाही करेगा :
 - (क) वह अनिश्चित उपयोगी जीवन की अमूर्त आस्ति अथवा ऐसी अमूर्त आस्ति जो वसूली योग्य राशि के वार्षिक तौर पर क्षतिग्रस्तता के लिए प्रयोग हेतु अभी उपलब्ध नहीं है, अग्रणीत मूल्य को वसूली योग्य मूल्य से तुलना करते हुए परीक्षण करेगा। यह क्षतिग्रस्तता परीक्षण वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है लेकिन शर्त यह है कि यह प्रत्येक वर्ष उसी समय पर किया जाएगा। अलग-अलग अमूर्त आस्तियों की क्षतिग्रस्तता के लिए अलग-अलग समय में परीक्षण किया जा सकता है। फिर भी, यदि ऐसी अमूर्त आस्ति की चालू वार्षिक अवधि के दौरान आरंभिक रूप से मान्य किया गया था तो उस अमूर्त आस्ति की चालू वार्षिक अवधि के अंत से पूर्व क्षतिग्रस्तता परीक्षण किया जाएगा।
 - (ख) वह अनुच्छेद संख्याओं 80-99 के अनुसार, वार्षिक रूप से क्षतिग्रस्तता के लिए व्यावसायिक संयोजन में अधिगृहीत ख्याति (गुडविल) का परीक्षण करेगा।
11. एक अमूर्त आस्ति की इस योग्यता की परख के लिए कि क्या वह अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली के लिए भविष्य में पर्याप्त आर्थिक लाभ सृजित कर लेगी इसका पता लगाना आस्ति के प्रयोग से पहले आस्ति के बाद की अपेक्षा अधिक अनिश्चित है। अतः, यह मानक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि उस स्थिति में कम-से-कम वर्ष में एकबार क्षतिग्रस्तता का परीक्षण अवश्य किया जाए, जहां अमूर्त आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि उपयोग के लिए अभी उपलब्ध नहीं है।
12. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि आस्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, प्रतिष्ठान कम-से-कम निम्नलिखित संकेतों पर अवश्य विचार करेगा :

सूचना के बाहरी स्रोत

 - (क) इस बात का प्रलक्षणीय संकेत है कि अवधि के दौरान, आस्ति के मूल्य में समय बीतने अथवा सामान्य उपयोग के परिणामस्वरूप भारी और आशा से अधिक कमी हुई है।
 - (ख) अवधि के दौरान, उस वातावरण में जिसमें कि प्रतिष्ठान परिचालन कर रहा है या बाजार में जिसमें आस्ति कार्यरत है प्रौद्योगिकी, बाजार, आर्थिक या विधिक कारणों से या तो महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं या फिर निकट भविष्य में आ सकते हैं और प्रतिष्ठान को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं।
 - (ग) अवधि के दौरान, बाजार ब्याज दरें अथवा निवेशों पर आय की अन्य बाजार दरों में वृद्धि हुई है और उन वृद्धियों से आस्ति के प्रयोग मूल्य की संगणना में प्रयोग में बट्टागत दर के प्रभावित होने की संभावना है और आस्ति की वसूली योग्य राशि में बहुत कमी होने की संभावना है।
 - (घ) प्रतिष्ठान की शुद्ध आस्तियों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि इसके बाजार पूंजीकरण की अपेक्षा अधिक है।

सूचना के आंतरिक स्रोत

 - (ङ) आस्ति के अप्रचलन अथवा भौतिक क्षति के प्रमाण उपलब्ध हैं।
 - (च) अवधि के दौरान, आस्ति के प्रयोग की सीमा व तरीके में प्रतिष्ठान पर प्रतिकूल प्रभाव करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं अथवा निकट भविष्य में इन परिवर्तनों के होने की आशा है। इन परिवर्तनों में, आस्ति का बेकार हो जाना, उस परिचालन को बन्द करने की योजना बनाना अथवा उस परिचालन की पुनर्संरचना करना जिससे वह आस्ति संबंधित है, पहले से प्रत्याशित तिथि से पूर्व ही आस्ति के निपटान की योजना बनाना और आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को अनिश्चित की अपेक्षा निश्चित के रूप में पुनर्निर्धारित करना शामिल हैं।⁸
 - (छ) आंतरिक रिपोर्टिंग से यह साक्ष्य उपलब्ध होता है और उससे यह संकेत मिलता है कि आस्ति का आर्थिक कार्य-निष्पादन आशा से अधिक बदतर है, या होगा।

⁸ जब एक आस्ति जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत (अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह में सम्मिलित है) मानदण्ड को पूरा करती है जो इसे इस मानक के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है और उसका लेखा भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन* के अनुसरण में किया जाता है।

अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान से प्राप्त लाभांश

- (ज) अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश के लिए जब निवेशक निवेश से प्राप्य लाभांश को मान्यता देता है और जब यह साक्ष्य उपलब्ध हो कि :
- (i) पृथक वित्तीय विवरणों में निवेश की अग्रणीत (कैरिंग) राशि संबद्ध ख्याति (गुडविल) सहित निवेशिती की शुद्ध आस्तियों की समेकित वित्तीय विवरणों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक है ; या
 - (ii) लाभांश के घोषित होने की अवधि में अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान की कुल व्यापक आय से लाभांश अधिक है।
13. अनुच्छेद 12 में दी गयी सूची विस्तृत नहीं है। प्रतिष्ठान अन्य संकेतकों से भी यह पता लगा सकता है कि आस्ति क्षतिग्रस्त है या नहीं। इन संकेतों से यह अपेक्षा होती है कि प्रतिष्ठान आस्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करे अथवा ख्याति (गुडविल) के मामले में अनुच्छेद 80-99 के अनुसार क्षतिग्रस्त परीक्षण भी निष्पादित करे।
14. आंतरिक रिपोर्टिंग के साक्ष्य से यह संकेत मिलता है कि आस्ति निम्नलिखित की मौजूदगी में क्षतिग्रस्त हो सकती है:
- (क) आस्ति के अधिग्रहण के लिए नकदी प्रवाह, अथवा इसके परिचालन अथवा रख-रखाव के लिए उत्तरवर्ती नकदी आवश्यकताएं, जो उन मूल रूप से बजट की गई राशियों से बहुत अधिक हैं;
 - (ख) वास्तविक शुद्ध नकदी प्रवाह अथवा आस्ति से परिचालनकारी लाभ अथवा हानि, जो बजट की अपेक्षा से बहुत अधिक खराब हैं ;
 - (ग) बजट किए गये शुद्ध नकदी प्रवाह अथवा परिचालनकारी लाभ में काफी कमी है अथवा आस्ति से होने वाली हानि बजट से बहुत अधिक है ; या
 - (घ) परिचालनकारी हानियां अथवा आस्ति से शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाहों, जब चालू अवधि की राशियों को भविष्य के बजट की राशियों में जोड़ा जाता है।
15. जैसा कि अनुच्छेद 10 में संकेत दिया गया है, यह मानक उस अमूर्त आस्ति, जिसका या तो अनिश्चित उपयोगी जीवनकाल है या फिर वह उपयोग के लिए अभी उपलब्ध नहीं है, और ख्याति (गुडविल) को कम से कम वर्ष में एक बार क्षतिग्रस्तता परीक्षण की अपेक्षा करता है। इसके अलावा, जब अनुच्छेद 10 की अपेक्षाओं का प्रयोग किया जाता है, सारवानता संकल्पना का प्रयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या आस्ति की वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन (अनुमान) लगाया जाएगा या नहीं। उदाहरणतया, यदि गत गणनाओं से यह प्रदर्शित होता है कि आस्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि से बहुत अधिक है तो प्रतिष्ठान की आस्ति की वसूली योग्य राशि के पुनर्नुमान की कोई आवश्यकता नहीं है बशर्ते ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटती हैं जो अन्तर को समाप्त कर देती हैं। इसी प्रकार, पूर्ववर्ती विश्लेषण से पता चल सकता है कि एक आस्ति की वसूली योग्य राशि अनुच्छेद 12 में सूचीबद्ध संकेतकों के एक (या एक से अधिक) के लिए संवेदनशील नहीं है।
16. अनुच्छेद 15 के दृष्टांत के रूप में, यदि बाज़ार की ब्याज दरों अथवा निवेशों पर आय की अन्य बाज़ार दरों में अवधि के दौरान कोई वृद्धि हुई है तो प्रतिष्ठान के लिए निम्नलिखित मामलों में आस्ति की वसूली योग्य राशि के औपचारिक प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं है :
- (क) यदि आस्ति के प्रयोग मूल्य की संगणना में प्रयुक्त बट्टागत दर की इन बाज़ार दरों में वृद्धि द्वारा प्रभावित होने की संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए, अल्पकालीन ब्याज दरों में वृद्धियों का उस आस्ति के लिए प्रयोग में बट्टागत दर पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं हो सकता जिसका लंबा शेष उपयोगी जीवन है।
 - (ख) यदि आस्ति के प्रयोग मूल्य की संगणना में प्रयुक्त बट्टागत दर की इन बाज़ार दरों में वृद्धि द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, लेकिन, वसूली योग्य राशि का पूर्ववर्ती संवेदनशील विश्लेषण यह दर्शाता है कि :
 - (i) यह संभावना नहीं है कि वसूली योग्य राशि में महत्वपूर्ण कमी होगी चूंकि भावी नकद अंतर्प्रवाहों में भी वृद्धि की संभावना है (अर्थात् कुछ मामलों में, प्रतिष्ठान यह प्रदर्शित करने में समर्थ हो सकता है कि यदि बाज़ार दरों में कोई वृद्धि होती है क्षतिपूर्ति के लिए अपने राजस्वों का समायोजन कर सकता है); या
 - (ii) वसूली योग्य राशि में कमी की प्रत्यक्ष क्षतिग्रस्तता हानि में परिणत होने की संभावना नहीं है।
17. यदि ऐसा संकेत है कि आस्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है तो इससे यह भी संकेत मिलता है कि शेष उपयोगी जीवन, मूल्यह्रास (परिशोधन) पद्धति अथवा आस्ति के अविशिष्ट मूल्य की समीक्षा और आस्ति के लिए लागू मानक के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है भले ही आस्ति के लिए किसी क्षतिग्रस्तता हानि की मान्यता नहीं भी दी गयी है।

वसूली योग्य राशि का माप

18. यह मानक वसूली योग्य राशि को आस्ति के या नकदी-जनक इकाई की निपटान लागत घटाकर उचित मूल्य और प्रयोग मूल्य की उच्चतर राशि के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद संख्याओं 19-57 में वसूली योग्य राशि के माप की अपेक्षाओं को निर्धारित किया

- गया है। हालांकि, इन अपेक्षाओं में 'आस्ति' शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन, ये अपेक्षाएं व्यक्तिगत आस्ति या नकदी-जनक इकाई पर भी समान रूप से लागू होती हैं।
19. यह हमेशा जरूरी नहीं है कि एक आस्ति की निपटान लागत घटाकर उचित मूल्य और उसके प्रयोग मूल्य दोनों का निर्धारण किया जाए। यदि इन राशियों में कोई भी राशि आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक हो जाती है तो आस्ति क्षतिग्रस्तता नहीं है और अन्य किसी राशि का प्राक्कलन करना आवश्यक नहीं है।
20. बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य का माप करना उस स्थिति में भी संभव हो सकता है, जब एक समान आस्ति की सक्रिय बाजार में कोई अंकित (कोटेड) कीमत नहीं है। फिर भी, कभी-कभी निपटान लागत को घटाकर उचित मूल्य का माप करना संभव नहीं होता है, क्योंकि, कीमत के उस विश्वसनीय प्राक्कलन का कोई आधार नहीं होता है जिस पर बाजार प्रतिभागियों के बीच वर्तमान बाजार परिस्थितियों में माप तिथि पर एक व्यवस्थित लेन-देन के रूप में आस्ति की बिक्री हो। इस मामले में, प्रतिष्ठान आस्ति के प्रयोग मूल्य का इसकी वसूली योग्य राशि के रूप में उपयोग कर सकता है।
21. यदि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि आस्ति का प्रयोग मूल्य निपटान लागत को घटाकर उचित मूल्य से अधिक है तो आस्ति की लागत घटाकर उचित मूल्य को इसकी वसूली योग्य राशि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह प्रायः उस आस्ति के मामले में हो सकता है जिसे निपटान के लिए धारित किया गया है। यह इस कारण है क्योंकि निपटान के लिए धारित आस्ति के प्रयोग मूल्य मुख्य रूप से शुद्ध निपटान की राशियों से बनता है, क्योंकि आस्ति के निरन्तर प्रयोग से तब तक भावी नकदी का प्रवाह होता है जब तक इसके निपटान की राशि नगण्य होने की संभावना नहीं हो जाती।
22. एक व्यक्तिगत आस्ति के लिए वसूली योग्य राशि तब तक निर्धारित की जाती है जब तक आस्ति उन नकदी प्रवाहों को सृजित करती है जो अन्य आस्तियों अथवा आस्तियों के समूहों से व्यापक रूप से स्वतंत्र होते हैं। यदि यह मामला है तो वसूली योग्य राशि को उस नकदी-जनक इकाई के लिए निर्धारित किया जाता है जिससे आस्ति संबंधित है (देखें अनुच्छेद 65-103), जब तक निम्नलिखित में कोई न हो :
- (क) निपटान लागतें घटाकर आस्ति का उचित मूल्य इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक है ; या
- (ख) आस्ति का प्रयोग मूल्य निपटान लागतें घटाकर आस्ति के उचित मूल्य के करीब प्राक्कलित किया जा सकता हो और निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य को मापा जा सकता हो।
23. कुछ मामलों में, प्राक्कलन, औसत एवं संगणनात्मक सरल उपाय इस मानक में निपटान लागत घटाकर उचित मूल्य या प्रयोग मूल्य के निर्धारण के लिए उदाहरणस्वरूप दी गयी विस्तृत संगणनाओं के तर्कसंगत अनुमान उपलब्ध करवा सकते हैं।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त आस्ति की वसूली योग्य राशि का माप

24. अनुच्छेद 10 में अपेक्षा है कि अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त आस्ति की क्षतिग्रस्तता के वार्षिक परीक्षण के लिए इसकी वसूली योग्य राशि से इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि की तुलना की जाए चाहे भले ऐसा कोई संकेत हो कि यह क्षतिग्रस्तता हो सकती है। फिर भी, हाल ही की पूर्ववर्ती अवधि में की गई ऐसी आस्ति की वसूली योग्य राशि की विस्तृत संगणना को चालू अवधि में उस आस्ति के लिए क्षतिग्रस्तता परीक्षण में प्रयोग में लाया जा सकता है बशर्त निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हों :
- (क) यदि अमूर्त आस्ति निरन्तर प्रयोग से उन नकदी प्रवाहों की सृजक नहीं है जो अन्य आस्तियों अर्थात् आस्तियों के समूह से व्यापक रूप से स्वतंत्र है और इसलिए उस नकदी-जनक इकाई के भाग के रूप में संबंधित है, क्षतिग्रस्तता परीक्षण किया गया है, उस इकाई को तैयार कर रही आस्तियों व दायित्वों में वसूली योग्य राशि की संगणना से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (ख) वसूली योग्य राशि की अभी हाल की संगणना से जो राशि सामने आई है वह पर्याप्त मार्जिन से आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक है; और
- (ग) उन घटित घटनाओं के विश्लेषण और अभी वसूली योग्य राशि की हाल की संगणना के बाद की परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर यह संभावना कम है कि चालू वसूली योग्य राशि निर्धारण आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से कम होगी।

निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य

25.-27.[देखें परिशिष्ट 1]

28. दायित्वों के रूप में मान्य लागतों से भिन्न निपटान लागतों को निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य के माप से घटाया जाता है। ऐसी लागतों के उदाहरणों में विधिक लागतें, सम्पदा शुल्क और इसी प्रकार के लेन-देन कर, आस्ति को हटाने की लागतें, और आस्ति को बिक्री की स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष वृद्धिशील लागतें शामिल हैं। तथापि, सेवा समाप्ति लाभ (भारतीय लेखा मानक 19 में यथापरिभाषित) तथा आस्ति के निपटान के अनुसरण में व्यवसाय को कम करने अथवा पुनर्गठित करने से संबद्ध लागतें प्रत्यक्ष वृद्धिशील लागतें नहीं हैं।

29. कभी-कभी, आस्ति का निपटान क्रेता से यह अपेक्षा करता है कि वह दायित्व को ग्रहण कर ले और केवल निपटान लागतें घटाकर एकमात्र उचित मूल्य आस्ति और दायित्व दोनों के लिए उपलब्ध होता है। अनुच्छेद 78 में ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के बारे में विस्तार से बताया गया है।

प्रयोग मूल्य

30. आस्ति के प्रयोग मूल्य की संगणना में निम्नलिखित तत्वों को प्रदर्शित किया जाएगा :
- (क) उस भावी नकदी प्रवाहों का प्राक्कलन जिनकी प्रतिष्ठान आस्ति से उत्पन्न होने की अपेक्षा करता है ;
 - (ख) उन भावी नकदी प्रवाहों की राशि अथवा समय में संभावित परिवर्तनों के बारे में प्रत्याशाएं ।
 - (ग) चालू बाज़ार जोखिम-मुक्त ब्याज दर द्वारा प्रतिनिधित्व राशि का समय मूल्य ;
 - (घ) आस्ति में निहित अनिश्चितता वहन करने की कीमत ; और
 - (ङ) अंतरलता जैसे अन्य तत्व जिन्हें बाज़ार प्रतिभागी भावी नकदी प्रवाहों की कीमत में प्रदर्शित करते हैं और जिनकी प्रतिष्ठान आस्ति से उत्पन्न होने की अपेक्षा करता है।
31. एक आस्ति के प्रयोग मूल्य के प्राक्कलन में निम्नलिखित चरण शामिल हैं :
- (क) आस्ति के निरंतर प्रयोग एवं इसके अंततोगत्वा निपटान से उत्पन्न भावी नकदी अंतर्प्रवाहों और बहिर्प्रवाहों का प्राक्कलन ; और
 - (ख) उन भावी नकदी प्रवाहों पर उपयुक्त बट्टागत दर का प्रयोग ।
32. अनुच्छेद 30 (ख), (घ) और (ङ) में पता लगाए गए तत्वों को या तो भावी नकदी प्रवाहों के समायोजनों के रूप में या फिर बट्टागत दर के समायोजनों के रूप में प्रतिबिंबित किया जा सकता है। प्रतिष्ठान भावी नकदी प्रवाहों की राशि अथवा समय में संभव भिन्नताओं के बारे में अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए किस दृष्टिकोण को अपनाता है, यह परिणाम भावी नकदी प्रवाहों के प्रत्याशित वर्तमान मूल्य अथवा सभी संभव परिणामों की भारित औसत को प्रतिबिंबित करेगा । परिशिष्ट 'क' आस्ति के प्रयोग मूल्य के माप में मौजूदा मूल्य तकनीकों के प्रयोग पर अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करता है।

भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलनों का आधार

33. प्रयोग मूल्य के माप में प्रतिष्ठान निम्नलिखित कार्रवाई करेगा :
- (क) वह तर्कसंगत एवं सहयोगी अवधारणाओं पर नकदी प्रवाह प्रक्षेपणों को आधार बनाएगा जो उन आर्थिक परिस्थितियों की सीमा में प्रबंधन के सर्वोत्तम प्राक्कलन का प्रतिनिधित्व करता है और जो आस्ति के शेष उपयोगी जीवनकाल में मौजूद रहेगा । बाहरी साक्ष्य को अधिक महत्व दिया जाएगा ।
 - (ख) वह प्रबंधन द्वारा अनुमोदित अभी हाल के वित्तीय बजटों/पूर्वानुमानों पर नकदी प्रवाह प्रक्षेपणों को आधार बनाएगा परन्तु जिनमें प्राक्कलित उन भावी नकद अन्तर्प्रवाहों अथवा बहिर्प्रवाहों को शामिल नहीं करेगा जो भावी संरचनाओं अथवा आस्ति के कार्य-निष्पादन में सुधार अथवा वृद्धि से उत्पन्न हो सकते हैं। इन बजटों/पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्षेपण अधिकतम पांच वर्षों की अवधि को ही व्याप्त (कवर) करेगा जब तक कि इससे लंबी अवधि का औचित्य नहीं बनता हो ।
 - (ग) वह उत्तरवर्ती वर्षों के लिए, एक स्थिर अथवा गिरती वृद्धि दर का प्रयोग करते हुए बजटों/पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्षेपणों के निष्कर्षों के अभी हाल ही के बजटों/अनुमानों द्वारा व्याप्त अवधि से परे नकदी प्रवाह प्रक्षेपणों का अनुमान लगाएगा जब तक किसी वृद्धिशील दर का औचित्य नहीं बनता । यह वृद्धि उत्पादों, उद्योगों अथवा उस देश या उन देशों में, जिसमें/जिनमें प्रतिष्ठान का व्यवसाय है, अथवा उस बाजार के लिए जहां आस्ति का प्रयोग होता है की दीर्घावधि औसत वृद्धि दर से अधिक नहीं होगी बशर्ते किसी उच्चतर दर का औचित्य नहीं बनता हो ।
34. प्रबंधन विगत नकदी प्रवाह प्रक्षेपणों तथा वास्तविक नकदी प्रवाहों के बीच अंतरों के कारणों की जांच द्वारा उन अवधारणाओं की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करता है जिन पर उसके चालू नकद प्रवाह प्रक्षेपण आधारित होते हैं। प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वे अवधारणाएं जिन पर इसके चालू नकदी प्रवाह प्रक्षेपण आधारित हैं, विगत वास्तविक परिणामों के अनुक्रम में हैं बशर्ते उन उत्तरवर्ती घटनाओं अथवा परिस्थितियों के प्रभाव, जो उस समय अस्तित्व में नहीं थीं जबकि वे वास्तविक नकदी प्रवाह सृजित हुए थे, इसे उपयुक्त ठहराये ।
35. पांच वर्षों से लंबी अवधि के लिए भावी नकदी प्रवाहों के विस्तृत, स्पष्ट एवं विश्वसनीय वित्तीय बजट/पूर्वानुमान सामान्यतया उपलब्ध नहीं होते हैं । इस कारण से, प्रबंधन के भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलन अधिकतम पांच वर्षों के लिए हाल ही के बजटों/पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं। प्रबंधन पांच वर्षों से लंबी अवधि के वित्तीय बजटों/पूर्वानुमानों पर आधारित नकदी प्रवाह प्रक्षेपणों का प्रयोग कर सकता है यदि उसे यह विश्वास है कि उसके ये प्रक्षेपण विश्वसनीय हैं और वह उस लंबी अवधि के लिए उचित रूप से नकदी प्रवाहों के प्रक्षेपण के लिए पिछले अनुभव के आधार पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है।

36. आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के अंत तक नकदी प्रवाह प्रक्षेपणों को उत्तरवर्ती वर्षों के लिए वृद्धि दर का प्रयोग करते हुए वित्तीय बजटों/पूर्वानुमानों पर आधारित नकदी प्रवाह प्रक्षेपणों के निष्कर्ष के आधार पर प्राक्कलित किया जाता है। यह दर स्थिर अथवा कम होती है। जब तक दर में वृद्धि उत्पादन अथवा उद्योग जीवन-चक्र में ढांचागत वस्तुनिष्ठ सूचना से मेल खाती है। यदि यह उचित है तो वृद्धि दर शून्य अथवा ऋणात्मक होती है।
37. जब परिस्थितियां अनुकूल हों, प्रतियोगी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए, प्रतिष्ठानों को उत्पादों, उद्योगों अथवा देश या देशों के लिए, जिसमें/जिनमें प्रतिष्ठान परिचालन करता है अथवा बाजार जिसमें आस्ति का प्रयोग किया जाता है, दीर्घकाल (अर्थात् 20 वर्षों) में औसत ऐतिहासिक वृद्धि दर को बढ़ाने में कठिनाई होगी।
38. वित्तीय बजटों/पूर्वानुमानों से सूचना का प्रयोग करने में, प्रतिष्ठान यह विचार करता है कि क्या सूचना से तर्कसंगत एवं सहयोगपूर्ण अवधारणाओं का पता चलता है और उस प्रयोग से प्रबंधन की उन आर्थिक परिस्थितियों के श्रेष्ठतम प्राक्कलनों का पता चलता है जो आस्ति के शेष उपयोगी जीवनकाल में मौजूद रहेंगी।

भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलनों की संरचना

39. भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलनों में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा :
- (क) आस्ति के निरंतर प्रयोग से नकदी प्रवाहों का प्रक्षेपण
- (ख) नकदी प्रवाहों का प्रक्षेपण जो आस्ति के निरंतर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाहों के सृजन के लिए आवश्यक रूप से खर्च किए गए हैं (जिनमें आस्ति को तैयार करने के लिए प्रयुक्त नकदी बहिर्प्रवाह भी शामिल हैं) और जो आस्ति के लिए तर्कसंगत व निरंतर आधार पर सीधे संबंधित हैं अथवा आबंटित हैं ; और
- (ग) आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के अन्त में निपटान पर प्राप्य (या अदा किये जाने वाले) शुद्ध नकदी प्रवाह, यदि कोई हैं।
40. भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलन व बट्टादर सामान्य मुद्रास्फीति से संबंधित कीमत वृद्धि के बारे में संगत अवधारणाओं को प्रतिबिंबित करती है। अतः, यदि बट्टादर में सामान्य मुद्रास्फीति की कीमत वृद्धियों के प्रभाव शामिल हैं तो भावी नकदी प्रवाहों को नाममात्र शर्तों में प्राक्कलित किया जाता है। यदि बट्टादर में सामान्य मुद्रास्फीति से संबंधित कीमत वृद्धियों के प्रभाव शामिल नहीं हैं तो भावी नकदी प्रवाहों को वास्तविक शर्तों में प्राक्कलित किया जाता है। (लेकिन, इनमें कीमत में भावी विशिष्ट वृद्धि अथवा कमी को शामिल किया जाता है।)
41. नकदी बहिर्प्रवाहों के प्रक्षेपणों में आस्ति की रोजमर्रा की सर्विसिंग तथा भावी उपरिव्यय भी शामिल हैं और इन्हें या तो सीधे जोड़ा जाता है या फिर आस्ति के प्रयोग के लिए तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण आधार पर आबंटित किया जाता है।
42. जब एक आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में उस आस्ति को प्रयोग या बिक्री योग्य बनाने के लिए खर्च किये जाने वाले समस्त नकद बहिर्प्रवाहों को सम्मिलित नहीं किया जाता है तो भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलन में वह उस नकद बहिर्प्रवाह सम्मिलित होता है जो कि आस्ति को प्रयोग या बिक्री योग्य बनाने के लिए खर्च हो सकता है। उदाहरणस्वरूप, यह निर्माणाधीन भवन या अपूर्ण विकास परियोजना के मामले में हो सकता है।
43. दोहरी गणना से बचने के लिए, भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलनों में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता :
- (क) आस्तियों से नकदी अन्तर्प्रवाह जिससे ऐसे नकदी अन्तर्प्रवाह प्रोद्भूत होते हैं जो समीक्षाधीन आस्ति (उदाहरण के लिए प्राप्य राशियों जैसी वित्तीय आस्तियां) से नकदी अन्तर्प्रवाहों से व्यापक रूप से स्वतंत्र हैं ; और
- (ख) नकदी बहिर्प्रवाह जो उन बाध्यताएं से संबंधित हैं जिन्हें दायित्वों के रूप में (उदाहरण के लिए प्रतिदेय राशियां, पेंशन अथवा प्रावधान) मान्यता दी गयी है।
44. किसी आस्ति के लिए भावी नकदी प्रवाहों को इसकी चालू स्थिति में प्राक्कलित किया जाएगा। भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलनों में उन भावी अन्तर्प्रवाहों अथवा बहिर्प्रवाहों को शामिल नहीं किया जाएगा जिनकी निम्नलिखित से उत्पन्न होने की आशा है :
- (क) भावी पुनर्संरचना जिसके लिए प्रतिष्ठान अभी प्रतिबद्ध नहीं है ; या
- (ख) आस्ति के कार्यनिष्पादन में सुधार अथवा वृद्धि
45. क्योंकि भावी नकदी प्रवाहों को इसकी मौजूदा स्थिति में आस्ति के लिए प्राक्कलित किया जाता है अतएव प्रयोग मूल्य में निम्नलिखित को दर्शाया नहीं जाता :
- (क) भावी नकदी बहिर्प्रवाह अथवा संबद्ध लागत बचतें (उदाहरण के लिए स्टॉक लागतों में कटौतियां) अथवा लाभ जिनकी उस भावी पुनर्संरचना से उद्भूत होने की प्रत्याशा है जिसके लिए प्रतिष्ठान अभी प्रतिबद्ध नहीं है ; या

- (ख) भावी नकदी बहिर्प्रवाह जिससे आस्ति के कार्यनिष्पादन में सुधार अथवा वृद्धि होगी अथवा संबद्ध नकदी प्रवाह जिसकी ऐसे बहिर्प्रवाहों से उद्भूत होने की आशा है।
46. पुनर्संरचना एक कार्यक्रम है जो प्रबंधन द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित किया जाता है और वह प्रतिष्ठान द्वारा किए गए व्यवसाय के कार्यक्षेत्र को अथवा व्यवसाय के ढंग में अधिक परिवर्तन करता है। भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां* में यह मार्गदर्शन दिया जाता है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि कब एक प्रतिष्ठान पुनर्संरचना के लिए प्रतिबद्ध है।
47. जब एक प्रतिष्ठान पुनर्संरचना के लिए प्रतिबद्ध होता है तो कुछ आस्तियां इस पुनर्संरचना से प्रभावित हो सकती हैं। जब एक बार प्रतिष्ठान पुनर्संरचना के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है तो :
- (क) प्रयोग मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए भावी नकदी अन्तर्प्रवाहों और नकदी बाह्यप्रवाहों के प्राक्कलन, पुनर्संरचना से लागत बचतों एवं अन्य लाभों (प्रबंधन द्वारा अनुमोदित हाल के वित्तीय बजटों/पूर्वानुमानों पर आधारित) को प्रतिबिंबित करते हैं।
- (ख) पुनर्संरचना के लिए भावी नकदी बहिर्प्रवाहों के प्राक्कलनों को भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार पुनर्संरचना प्रावधान में शामिल किया जाता है।
48. जब तक एक प्रतिष्ठान नकदी बहिर्प्रवाह के रूप में व्यय करता है जिससे आस्ति के कार्यनिष्पादन में सुधार अथवा वृद्धि होती है तो भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलन में प्राक्कलित भावी नकदी अंतर्प्रवाह शामिल नहीं होता जिसकी नकदी बहिर्प्रवाह से संबद्ध आर्थिक लाभों में वृद्धि से उद्भूत होने की आशा होती है।
49. भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलनों में मौजूदा स्थिति में आस्ति से उद्भूत प्रत्याशित आर्थिक लाभों के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक भावी नकद बहिर्प्रवाह शामिल होते हैं। जब नकदी-जनक इकाई में विभिन्न प्राक्कलित उपयोगी आस्तियों को समाविष्ट किया जाता है जो इकाई निरंतर परिचालन के लिए अनिवार्य हैं, अतएव अल्पकालीन समय की आस्तियों को प्रतिस्थापन को उस समय इकाई की रोजमर्रा सर्विंसिंग के भाग के रूप में लिया जाता है जब भावी नकदी प्रवाह के प्राक्कलन को इकाई के साथ संबद्ध किया जाता है। इसी प्रकार जब एकमात्र आस्ति विभिन्न प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल के घटकों की होती है तो अल्पकालीन काल के घटकों के प्रतिस्थापन को उस समय आस्ति की रोजमर्रा सर्विंसिंग के भाग के रूप में समझा जाता है जब भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलन को आस्ति द्वारा उद्भूत किया जाता है।
50. भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलन में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाएगा :
- (क) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी अन्तर्प्रवाह अथवा बहिर्प्रवाह ; या
- (ख) आयकर प्राप्ति या अथवा भुगतान।
51. प्राक्कलित भावी नकदी प्रवाहों से उन अवधारणाओं का पता चलता है जो उस तरीके के अनुरूप हैं जिससे बट्टादर निर्धारित होती है। अन्यथा, कुछ अवधारणाओं का प्रभाव यह होगा कि गणना दोबारा हो जाएगी या फिर वह नज़रअंदाज हो जाएगी। क्योंकि धन का समय मूल्य प्राक्कलित भावी नकदी प्रवाहों को बट्टागत करते हुए माना जाता है, अतएव इन नकदी प्रवाहों में वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी अन्तर्प्रवाह अथवा बहिर्प्रवाह को शामिल नहीं किया जाता। इसी प्रकार, चूंकि बट्टादर कर पूर्व आधार पर निर्धारित की जाती है, अतएव भावी नकदी प्रवाहों को कर पूर्व आधार पर प्राक्कलित किया जाता है।
52. किसी आस्ति के निपटान के लिए इसके उपयोगी जीवनकाल के अंत में प्राप्त (या अदा) किए जाने वाले शुद्ध नकदी प्रवाहों का प्राक्कलन वह राशि होगी जो एक प्रतिष्ठान निपटान की प्राक्कलित लागतों की कटौती के बाद ज्ञानवान व इच्छुक पक्षों (पार्टियों) के बीच स्वतन्त्र लेन-देनों के रूप में आस्ति के निपटान से प्राप्त करने की आशा करता है।
53. किसी आस्ति के निपटान के लिए इसके उपयोगी उपयोगी जीवनकाल के अंत में प्राप्त (या अदा) किए जाने वाले शुद्ध नकदी प्रवाहों का प्राक्कलन उसी तरह निर्धारित किया जाता है जैसे निम्नलिखित शुद्ध नकदी प्रवाहों के प्राक्कलन को छोड़कर निपटान लागतों घटाकर उचित मूल्य के लिए किया जाता है :
- (क) एक प्रतिष्ठान उसी प्रकार की आस्तियों के लिए प्राक्कलन की तिथि को परिचालित कीमतों का प्रयोग करता है जो उनके उपयोगी जीवनकाल के अंत में रही हों और उनके समान स्थितियों के अधीन प्रचलित हुई हैं जिनमें आस्ति का उपयोग किया जाएगा।
- (ख) प्रतिष्ठान सामान्य मुदास्फीति और भावी विशिष्ट मूल्य वृद्धि अथवा कमी के कारण दोनों भावी मूल्य वृद्धियों के प्रभाव के लिए उन कीमतों को समायोजित करता है। तथापि, आस्ति के निरन्तर प्रयोग तथा बट्टादर से भावी नकदी प्रवाहों के प्राक्कलन में सामान्य मुद्रा स्फीति के प्रभाव को निकाल दिया जाता है तो प्रतिष्ठान भी निपटान के समय शुद्ध नकदी प्रवाहों के प्राक्कलन से इस प्रभाव को निकाल देता है।
- 53क उचित मूल्य प्रयोग मूल्य से भिन्न हैं। उचित मूल्य उन अवधारणाओं को प्रदर्शित करता है जिनमें बाजार प्रतिभागी उस समय प्रयोग में लाएंगे जब वे आस्ति का मूल्य निर्धारित करते हैं। इसके विपरीत, प्रयोग मूल्य कारकों के उन प्रभावों को प्रदर्शित करता है जो प्रतिष्ठान

के लिए विशेष होते हैं और सामान्य प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होते हैं। उदाहरणतया, उचित मूल्य निम्नलिखित कारकों को उस सीमा तक प्रदर्शित नहीं करता जो कि सामान्यतया बाजार प्रतिभाषियों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं:

- (क) आस्तियों के समूहन से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य (जैसे कि विभिन्न स्थानों में निवेश सम्पत्तियों के पोर्टफोलियो का सृजन);
- (ख) मापी गयी आस्ति व अन्य आस्तियों के बीच सहक्रिया;
- (ग) आस्ति के वर्तमान स्वामी के लिए विशिष्ट कानूनी अधिकार या कानूनी प्रतिबंध; और
- (घ) आस्ति के वर्तमान स्वामी के लिए विशिष्ट कर लाभ या कर भार।

विदेशी मुद्रा में भावी नकदी प्रवाह

54. भावी नकदी प्रवाह उस मुद्रा में प्राक्कलित किये जाते हैं जिनमें वे उद्भूत होते हैं और उस मुद्रा के लिए उपयुक्त बट्टादर का प्रयोग करते हुए बट्टाकृत किया जाएगा। प्रतिष्ठान प्रयोग मूल्य की गणना की तिथि को हाजिर दर (स्पॉट रेट) विनिमय दर का प्रयोग करते हुए मौजूदा मूल्य को रूपांतरित करता है।

बट्टागत दर

55. बट्टादर (दरें) वह पूर्व कर दर (दरें) होगी (होंगी) जो निम्नलिखित के चालू बाज़ार निर्धारणों को प्रतिबिंबित करती है (हैं) :

(क) धन का समय मूल्य; और

(ख) आस्ति के लिए विशिष्ट जोखिम जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह प्राक्कलनों को समायोजित नहीं किया गया है।

56. वह दर जो धन के समय मूल्य के चालू बाज़ार निर्धारणों को प्रतिबिंबित करती है और आस्ति के लिए विशिष्ट जोखिम वह प्रतिफल (रिटर्न) है जिसकी निवेशकों को अपेक्षा होगी यदि उन्हें निवेश का चयन करना होता है जो उसके बराबर राशियों, समय तथा जोखिम प्रोफाइल के नकदी प्रवाहों को उद्भूत करेगी जिसे प्रतिष्ठान आस्ति से प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। यह दर इसी प्रकार की आस्तियों के लिए मौजूदा बाज़ार लेन देनों में अस्पष्ट दर से अथवा सूचीबद्ध प्रतिष्ठान की पूंजी की भारित औसत लागत से प्राक्कलित किया जाता है जिसकी सर्विस संभावित और समीक्षाधीन आस्ति के लिए जोखिमों के अनुसार एकल आस्ति (या आस्तियों की पोर्टफोलियो) है। तथापि, प्रयोग में आस्ति के मूल्य के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में बट्टागत दर (दरें) उन जोखिमों को प्रतिबिंबित नहीं करेगी/करेंगी जिनके लिए भावी नकदी प्रवाह प्राक्कलनों को समायोजित किया गया है। अन्यथा, कुछ अवधारणाओं के प्रभाव से दोहरी गणना हो जाएगी।

57. जब आस्ति विशेष की दर बाज़ार से प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध नहीं होती है तो प्रतिष्ठान बट्टागत दर के प्राक्कलन के लिए अन्य दर (सरोगेट) का प्रयोग करता है। परिशिष्ट 'क' में ऐसी परिस्थितियों में बट्टागत दर के प्राक्कलन पर अतिरिक्त निर्देश उपलब्ध हैं।

क्षतिग्रस्तता हानि की मान्यता एवं माप

58. अनुच्छेद संख्याओं 59-64 में ख्याति (गुडविल) से भिन्न एक व्यक्तिगत आस्ति के लिए क्षतिग्रस्तता हानियों की मान्यता एवं माप की अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है। नकदी-जनक इकाईयों तथा ख्याति (गुडविल) के लिए क्षतिग्रस्तता हानियों की मान्यता एवं माप पर चर्चा अनुच्छेद संख्याओं 65-108 में की गयी है।
59. यदि, तथा केवल यदि, आस्ति की वसूली योग्य राशि अग्रणीत (कैरिंग) राशि से कम है तो आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दी जाएगी। वह कटौती एक क्षतिग्रस्तता हानि है।
60. क्षतिग्रस्तता हानि लाभ अथवा हानि में तत्काल मान्य होगी, जब तक आस्ति दूसरे मानक के अनुसार (उदाहरण के लिए, भारतीय लेखा मानक 16 के पुनर्मूल्यांकन मॉडल के अनुसार) पुनर्मूल्यांकित राशि पर अग्रणीत नहीं की जाती है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति की कोई क्षतिग्रस्तता हानि उस अन्य मानक के अनुसार पुनर्मूल्यांकन की कमी के रूप में मानी जाएगी।
61. गैर-पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर क्षतिग्रस्तता हानि लाभ अथवा हानि में मान्य की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर क्षतिग्रस्तता हानि उस सीमा तक अन्य व्यापक आय में मान्य होगी कि क्षतिग्रस्तता हानि पूरी न की जा सकने वाली हानि उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में राशि से अधिक नहीं है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर पूरी न की जा सकने वाली हानि उस आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को कम करती है।
62. जब क्षतिग्रस्तता हानि की प्राक्कलित राशि संबंधित आस्ति की अग्रणीत राशि से अधिक है तो प्रतिष्ठान दायित्व को तब, और केवल तब, मान्यता प्रदान करेगा जब कि अन्य मानक द्वारा यह अपेक्षित हो।

63. क्षतिग्रस्तता हानि की मान्यता के बाद, आस्ति का मूल्यहास (परिशोधन) प्रभार शेष उपयोगी जीवनकाल में इसके अवशिष्ट मूल्य (यदि कोई है) घटाकर संशोधित अग्रणीत (कैरिंग) राशि को व्यवस्थित आधार पर आबंटित करने के लिए भावी अवधियों में समायोजित की जाएगी।
64. यदि क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता दी जाती है तो कोई भी संबंधित आस्थगित कर आस्तियों अथवा दायित्वों को आस्ति की संशोधित अग्रणीत (कैरिंग) राशि को इसके कर आधार के साथ तुलना करते हुए भारतीय लेखा मानक 12 के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

नकदी-जनक इकाईयां एवं ख्याति (गुडविल)

65. अनुच्छेद संख्याएं 66-108 तथा परिशिष्ट ग उस नकदी-जनक इकाई जिससे आस्ति सम्बंधित है का पता लगाने के लिए उन अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करते हैं और नकदी-जनक इकाईयां तथा ख्याति (गुडविल) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को निर्धारित करते हैं तथा क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता देते हैं।

आस्ति से संबंधित नकदी-जनक इकाई का पता लगाना

66. यदि ऐसा कोई संकेत है कि आस्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है तो प्रत्येक आस्ति की वसूली योग्य राशि को प्राक्कलित किया जाएगा। यदि अलग-अलग आस्ति की वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन संभव नहीं है तो प्रतिष्ठान आस्ति से संबंधित नकदी-जनक इकाई की वसूली योग्य राशि को निर्धारित करेगा।
67. अलग आस्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित नहीं की जा सकती, यदि :
- (क) आस्ति का प्रयोग मूल्य निपटान लागत घटाकर उचित मूल्य के निकट प्राक्कलित नहीं किया जा सकता (उदाहरण के लिए, जब आस्ति के निरंतर उपयोग से भावी नकदी प्रवाहों को नगण्य के रूप में प्राक्कलित नहीं किया जा सकता) और
 - (ख) आस्ति उन नकदी अन्तर्प्रवाहों को सृजित नहीं करती जो मोटेतौर पर अन्य आस्तियों के प्रवाहों से स्वतंत्र हैं।
- ऐसे मामलों में, प्रयोग मूल्य और, इसलिए, वसूली योग्य राशि केवल आस्ति की नकदी-जनक इकाई के लिए निर्धारित की जा सकती है।

उदाहरण

खान प्रतिष्ठान अपनी खान गतिविधियों के संचालन के लिए एक निजी (प्राइवेट) रेलवे का स्वामित्व रखता है। एक निजी रेलवे केवल कबाड़ (स्क्रैप) मूल्य पर ही बेचा जा सकता है और यह उन नकदी प्रवाहों का प्रोद्भूत नहीं कर सकता जो खान की अन्य आस्तियों के नकदी प्रवाहों से मोटेतौर पर स्वतंत्र हैं।

निजी रेलवे की वसूली योग्य राशि को प्राक्कलित करना संभव नहीं है क्योंकि प्रयोग में इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता और संभवतः कबाड़ मूल्य से भिन्न होता है। इसलिए, प्रतिष्ठान निजी रेलवे संबंधित नकदी-जनक इकाई की, अर्थात् संपूर्ण खान, वसूली योग्य राशि को प्राक्कलित करता है।

68. जैसा कि अनुच्छेद 6 में परिभाषित किया गया है, एक आस्ति की नकदी-जनक इकाई उन आस्तियों का लघुतम समूह है जिनमें आस्ति सम्मिलित है तथा नकदी अन्तर्प्रवाहों का सृजन होता है जो कि अन्य आस्तियों अथवा आस्तियों के समूहों से नकदी प्रवाहों के अधिकांश रूप में स्वतंत्र है। एक आस्ति की नकदी-जनक इकाई की पहचान में विवेक सम्मिलित है। यदि एक व्यक्तिगत आस्ति के लिए वसूली योग्य राशि को निर्धारित नहीं किया जा सकता, एक प्रतिष्ठान उन आस्तियों के न्यूनतम समूह की पहचान करता है जो अधिकांश रूप में स्वतंत्र नकदी अन्तर्प्रवाहों का सृजन करती हैं।

उदाहरण

नगरपालिका के साथ अनुबंध के अधीन, एक बस कंपनी सेवाएँ प्रदान करती है। नगरपालिका अलग पाँच रुटों पर न्यूनतम सेवा की अपेक्षा करती है। प्रत्येक रुट के लिए कार्यरत आस्तियाँ तथा प्रत्येक रुट से नकदी प्रवाहों का पता अलग-अलग लगाया जा सकता है। इनमें से एक रुट पर बहुत हानि होती है।

चूंकि प्रतिष्ठान को किसी भी एक बस रुट को कम करने का विकल्प नहीं है, अतएव पता लगाए गए नकदी प्रवाहों का निम्नतम स्तर, जो अन्य आस्तियों अर्थात् आस्तियों के समूह से नकदी प्रवाहों से मोटेतौर पर स्वतंत्र है, एक साथ पाँच रुटों द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह है। प्रत्येक रुट के लिए नकदी-जनक इकाई समग्र रूप से बस कम्पनी है।

69. प्रतिष्ठान के लिए नकदी प्रवाह बाहरी पक्षों (पार्टियों) से प्राप्त नकदी तथा नकदी तुल्य के रूप में है। यह पता लगाने में कि क्या आस्ति (या आस्तियों के समूह) से नकदी प्रवाह अन्य आस्तियों (या आस्तियों के समूह) से नकदी प्रवाह से मोटेतौर पर स्वतंत्र है, प्रतिष्ठान विभिन्न तत्वों पर विचार करता है। इन तत्वों में यह भी शामिल है कि प्रबंधन किस प्रकार प्रतिष्ठान के परिचालनों (जैसे उत्पाद लाइनों,

- व्यवसायों, अलग-अलग स्थानों, जिलों या क्षेत्रीय खण्डों) को देखरेख करता है अथवा प्रबंधन किस प्रकार प्रतिष्ठान की चालू आस्तियों और परिचालनों को जारी रखने अथवा निपटान करने के बारे में निर्णय लेता है।
70. यदि एक सक्रिय बाज़ार आस्ति अथवा आस्तियों के समूह द्वारा उत्पादित आउटपुट के लिए अस्तित्व में है तो वह आस्ति अथवा आस्तियों का समूह, नकदी-जनक इकाई के रूप में जाना जाएगा, भले ही कुछ अथवा समस्त आउटपुट आंतरिक रूप से प्रयोग में लायी जाती है। यदि किसी आस्ति अथवा नकदी-जनक इकाई द्वारा सृजित नकदी अंतर्प्रवाह आंतरिक अंतरण मूल्यांकन (प्राइसिंग) द्वारा प्रभावित होता है तो प्रतिष्ठान प्रबंधन के भावी कीमत (कीमतों) के सर्वोत्तम प्राक्कलन का प्रयोग करेगा जिसे निम्नलिखित के प्राक्कलन में स्वतंत्र लेन-देनों से प्राप्त किया जा सकेगा :
- (क) आस्ति अथवा नकदी-जनक इकाई प्रयोग मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयुक्त भावी नकदी प्रवाह;
- (ख) किन्हीं अन्य आस्तियों अथवा नकदी-जनक इकाईयों के प्रयोग मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयुक्त भावी नकदी प्रवाह जो कि आंतरिक अंतरण मूल्यांकन (प्राइसिंग) द्वारा प्रभावित होते हैं।
71. यदि आस्ति अथवा आस्तियों के समूह द्वारा उत्पादित आंशिक अथवा समस्त आउटपुट प्रतिष्ठान की अन्य इकाईयों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं (उदाहरण के लिए, उत्पादन प्रक्रिया के अन्तर्वर्ती चरण में उत्पाद), तो यह आस्ति अथवा आस्तियों का समूह अलग नकदी-जनक इकाई का निर्माण करता है, बशर्ते प्रतिष्ठान सक्रिय बाज़ार में आउटपुट को बेच पाए। ऐसा इसलिए होता है कि आस्ति अथवा आस्तियों का समूह नकदी प्रवाह के प्रोद्भूत होता है जो अन्य आस्तियों अथवा आस्तियों के समूह से प्रोद्भूत नकदी प्रवाहों से ज्यादातर स्वतंत्र होगा। वित्तीय बजटों/पूर्वानुमानों पर आधारित सूचना का प्रयोग करने में जो नकदी-जनक इकाई, अथवा किसी अन्य आस्ति अथवा आंतरिक अंतरण मूल्यांकन (प्राइसिंग) द्वारा प्रभावित नकदी-जनक इकाई से संबंधित है तो प्रतिष्ठान इस सूचना को समायोजित करता है यदि आंतरिक अंतरण कीमतें प्रबंधन की भावी उन कीमतों के सर्वोत्तम प्राक्कलन को प्रतिबिंबित नहीं करती जिन्हें स्वतंत्र लेन-देनों में प्राप्त किया जा सकता है।
72. नकदी-जनक इकाईयों का उसी आस्ति अथवा उसी प्रकार की आस्तियों के लिए अवधि से अवधि तक लगातार पता लगाया जाएगा जब तक कि परिवर्तन का कोई औचित्य न हो।
73. यदि प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि नकदी-जनक इकाई से संबंधित आस्ति पूर्ववर्ती अवधि से भिन्न है अथवा आस्ति के नकदी-जनक इकाई के लिए कुल आस्तियों के प्रकार में परिवर्तन हो गया है तो अनुच्छेद 130 के अनुसार नकदी-जनक इकाई के बारे में प्रकटन की अपेक्षित है, बशर्ते क्षतिग्रस्तता हानि नकदी-जनक इकाई के लिए मान्य है अथवा उसे उलटाया गया है।
- नकदी-जनक इकाई की वसूली योग्य राशि एवं अग्रणीत (कैरिंग) राशि**
74. नकदी-जनक इकाई की वसूली योग्य राशि नकदी-जनक इकाई की निपटान लागते घटाकर उचित मूल्य एवं इसके प्रयोग मूल्य इन दोनों में से जो अधिक है उसके समान होती है। नकदी-जनक इकाई की वसूली योग्य राशि को निर्धारित करने के प्रयोजन से 'एक आस्ति' को अनुच्छेद संख्याओं 19 - 57 में किसी भी संदर्भ के लिए एक नकदी-जनक इकाई के रूप में पढ़ा जाएगा।
75. नकदी-जनक इकाई की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को ठीक वैसे ही निर्धारित किया जाएगा जैसा कि नकदी-जनक इकाई की वसूली योग्य राशि को निर्धारित किया जाता है।
76. नकदी-जनक इकाई की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में :
- (क) केवल उन आस्तियों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को शामिल किया जाएगा जिसे प्रत्यक्ष रूप से अथवा तर्कसंगत और निरन्तर आधार पर नकदी-जनक इकाई से संबंधित किया जा सकता है या उसे आबंटित किया जा सकता है और जो नकदी-जनक इकाई के प्रयोग मूल्य को निर्धारित करने में भावी नकद अन्तर्प्रवाहों का सृजन करे ; और
- (ख) कोई मान्य दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि शामिल नहीं होगी जब तक नकदी सृजन प्रतिष्ठान की वसूली योग्य राशि इस दायित्व पर विचार किए बिना निर्धारित होती हो।
- ऐसा इसलिए है चूंकि निपटान लागते घटाकर उचित मूल्य एवं नकदी-जनक इकाई के प्रयोग मूल्य को नकदी प्रवाहों को निकाल कर निर्धारित किया जाता है जो उन आस्तियों से संबंधित होता है जो नकदी-जनक इकाई तथा दायित्वों के भाग नहीं होते हैं और जिन्हें मान्य किया गया है (अनुच्छेद 28 तथा 43 देखें)
77. जब आस्तियों की वसूली योग्यता के निर्धारण के लिए समूह बनाया जाता है तो उन सभी आस्तियों को नकदी-जनक इकाई में शामिल करना महत्वपूर्ण है जो या तो नकदी सृजित करती हैं अथवा नकदी अन्तर्प्रवाहों से संबंधित धारा के सृजन के लिए प्रयोग में की जाती हैं। अन्यथा, नकदी-जनक इकाई पूर्णतया वसूली योग्य प्रतीत हो सकती है जब कि उसमें वस्तुतः क्षतिग्रस्तता हानि हुई है। कुछ मामलों में, यद्यपि कुछ आस्तियां नकदी-जनक इकाई के प्राक्कलित भावी नकदी प्रवाहों में योगदान करती हैं, तथापि वे तर्कसंगत व निरन्तर आधार पर नकदी-जनक इकाई को आबंटित नहीं की जा सकती। यह ख्याति (गुडविल) अथवा प्रधान कार्यालय जैसी कार्पोरेट

आस्तियों के मामले में हो सकता है। अनुच्छेद 80-103 में यह स्पष्ट किया गया है कि क्षतिग्रस्तता के लिए नकदी-जनक इकाई की जांच में इन आस्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जा सकता है।

78. नकदी-जनक इकाई की वसूली योग्य राशि को निर्धारित करने के लिए कुछ मान्य दायित्वों पर विचार करना आवश्यक हो सकता है। यह तब हो सकता है जब नकदी-जनक इकाई निपटान में क्रेता दायित्व का ग्रहण कर ले। इस मामले में, नकदी-जनक इकाई का निपटान लागते घटाकर उचित मूल्य (या अंततोगत्वा निपटान से प्राक्कलित नकदी प्रवाह) निपटान की लागत को कम करके नकदी-जनक इकाई तथा दायित्व साथ में आस्तियों की विक्रय कीमत है। नकदी-जनक इकाई की अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा इसकी वसूली योग्य राशि के बीच अर्थपूर्ण तुलना के लिए, दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को नकदी-जनक इकाई के प्रयोग मूल्य तथा इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि दोनों के निर्धारण में कटौती की जाती है।

उदाहरण

एक कम्पनी देश में खान गतिविधि में कार्यरत है जहां विधि (कानून) की अपेक्षा है कि इसके स्वामी को खान कार्य के पूरा करने के बाद खान की पुनर्बहाली अवश्य करे। पुनर्बहाली के एक भाग लागत में अधिभार की पुनर्बहाली भी शामिल है जिसे खान कार्य के आरंभ होने से पूर्व हटाया ही जाना चाहिए। अधिभार की पुनर्बहाली लागत के लिए प्रावधान को तभी मान्य किया गया था जैसे ही अधिभार को हटाया गया था। प्रावधान राशि को खान की लागत के रूप में मान्य किया गया था और खान के उपयोगी जीवनकाल में उसका मूल्यह्रास लगाया जा रहा था। पुनर्बहाली लागतों के प्रावधान की अग्रणीत (कैरिंग) राशि 500 रुपये है जो पुनर्बहाली लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर है।

प्रतिष्ठान खान का क्षतिग्रस्तता परीक्षण कर रहा है। खान के लिए नकदी-जनक इकाई समग्र रूप से खान ही है। प्रतिष्ठान को लगभग 800 रुपये की कीमत पर खान की खरीद के लिए विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कीमत से इस तथ्य का पता चलता है कि क्रेता अधिभार की पुनर्बहाली के लिए दायित्व का ग्रहण करेगा। खान का प्रयोग में मूल्य पुनर्बहाली लागतों को निकाल कर लगभग 1,200 रुपये है। खान की अग्रणीत (कैरिंग) राशि 1,000 रुपये है।

नकदी-जनक इकाई की निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य 800 रुपये है। इस राशि में पुनर्बहाली लागतों का ध्यान रखा गया है जिसका पहले ही प्रावधान किया गया है। परिणामस्वरूप, नकदी-जनक इकाई के लिए प्रयोग मूल्य पुनर्बहाली लागतों पर विचार करने के बाद निर्धारित किया गया है और 700 रुपये (1,200 में 500 कम करके) प्राक्कलित किया गया है। नकदी-जनक इकाई की अग्रणीत (कैरिंग) राशि 500 रुपये है जो पुनर्बहाली लागत (500 रुपये) के लिए प्रावधान की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को कम करके खान की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली योग्य राशि इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक है।

79. व्यावहारिक कारणों से, एक नकदी-जनक इकाई की वसूली योग्य राशि का निर्धारण कई बार उन आस्तियों को, जो नकदी-जनक इकाई का भाग नहीं हैं, (उदाहरणतः प्राप्य राशियां, अथवा अन्य वित्तीय आस्तियां) अथवा दायित्व जिनके पहले से ही मान्य किया गया है (उदाहरणतः देय राशियां, पेंशन एवं अन्य प्रावधान), ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ऐसे मामलों में, नकदी-जनक इकाई की अग्रणीत (कैरिंग) राशि उन आस्तियों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से बढ़ा दी जाती है और उन दायित्वों को अग्रणीत (कैरिंग) राशि में से घटा दिया जाता है।

ख्याति (गुडविल)

नकदी-जनक इकाईयों को आबंटित ख्याति (गुडविल)

80. क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन के लिए, व्यवसायिक संयोजन में अर्जित ख्याति (गुडविल), अधिग्रहण की तिथि से, अर्जक की प्रत्येक नकदी-जनक इकाईयों अथवा नकदी-जनक इकाईयों के समूहों को आबंटित की जाएंगी, जिसके संयोजन की सहक्रियाओं से लाभ होने की अपेक्षा है जिस पर इस बात का ध्यान किए बिना कि अर्जक की अन्य आस्तियां अथवा दायित्व उन प्रतिष्ठानों अथवा प्रतिष्ठानों के समूह को निर्दिष्ट की जाती हैं। प्रत्येक इकाई अथवा इकाईयों का समूह, जिसको ख्याति (गुडविल) अब तक आबंटित की गई है, निम्नलिखित के अनुसार होंगे :

- (क) प्रतिष्ठान के अन्दर निम्नतम स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर ख्याति (गुडविल) आंतरिक प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए मानिटर की जाती है ; और
- (ख) समूह से पहले, भारतीय लेखा मानक 108, परिचालन खंड के अनुच्छेद 5 द्वारा यथापरिभाषित परिचालनकारी खंड से बढ़ा नहीं होगा।

81. व्यवसायिक संयोजन में मान्य ख्याति (गुडविल) ऐसी आस्ति है जो व्यवसायिक संयोजन में अर्जित अन्य आस्तियों से उत्पन्न भावी आर्थिक लाभों को निरूपित करती है जिसे व्यक्तिगत रूप से पता नहीं लगाया गया है और अलग-अलग मान्य नहीं किया गया है। ख्याति (गुडविल) अन्य आस्तियों अथवा आस्तियों के समूह को स्वतंत्र रूप से नकदी प्रवाह को सृजन नहीं करती और प्रायः बहुविध नकदी सृजन इकाईयों के नकदी प्रवाहों में योगदान देती है। ख्याति (गुडविल) कभी कभार अलग अलग नकदी-जनक इकाईयों का गैर-एकतरफा आधार पर आबंटित नहीं की जा सकती बल्कि केवल नकदी-जनक इकाईयों के समूह को की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप

- प्रतिष्ठान के निम्नतम स्तर, जिसमें आंतरिक प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए ख्याति (गुडविल) की देखरेख की जाती है वह कभी कभी नकदी-जनक इकाईयों को शामिल करता है जिससे ख्याति (गुडविल) संबंधित है लेकिन इसे आबंटित नहीं किया जा सकता। नकदी-जनक इकाई के लिए अनुच्छेदों 83 - 99 एवं परिशिष्ट ग में संदर्भों को, जिसके लिए ख्याति (गुडविल) को आबंटित किया जाता है, उन नकदी-जनक इकाईयों के समूह के लिए भी संदर्भों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिसके लिए ख्याति (गुडविल) को आबंटित किया जाता है।
82. अनुच्छेद 80 में दी गयी अपेक्षाओं को जब ख्याति की एक स्तर पर क्षतिग्रस्तता परीक्षण के लिए लागू किया जाता है वह उस तरीके को प्रतिबिंबित करता है कि प्रतिष्ठान अपने परिचालनों का प्रबंध किस तरह से करता है और स्वाभावतया उसकी ख्याति (गुडविल) भी वैसी ही होगी। इसलिए, अतिरिक्त रिपोर्टिंग प्रणाली के विकास की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
83. एक नकदी-जनक इकाई, जिसे ख्याति (गुडविल) की क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन के लिए आबंटित किया जाता है, उस स्तर से मेल नहीं खाती, जिस पर ख्याति (गुडविल) भारतीय लेखा मानक 21, *विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव* के अनुसरण में विदेशी मुद्रा के लाभों एवं हानियों के माप के प्रयोजन के लिए आबंटित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक प्रतिष्ठान से विदेशी मुद्रा लाभों व हानियों के माप के प्रयोजन के लिए अपेक्षाकृत कम स्तरों के लिए ख्याति (गुडविल) आबंटित करने हेतु भारतीय लेखा मानक 21 द्वारा अपेक्षा होगी तो उसी स्तर पर क्षतिग्रस्तता के लिए ख्याति (गुडविल) के परीक्षण की अपेक्षा नहीं है जब तक कि यह आंतरिक प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए उस स्तर पर ख्याति (गुडविल) को भी मानिटर नहीं करता।
84. यदि व्यवसायिक संयोजन में अर्जित ख्याति (गुडविल) का प्रारंभिक आबंटन उस वार्षिक अवधि के अंत से पूर्व पूरा नहीं किया जा सकता जिसमें व्यवसायिक संयोजन प्रभावित हुआ है तो वह प्रारंभिक आबंटन अधिग्रहण-तिथि के बाद शुरू होने वाली प्रथम वार्षिक अवधि के अंत से पूर्व पूरा हो जाएगा।
85. भारतीय लेखा मानक 103, *व्यवसायिक संयोजन* के अनुसार, यदि व्यवसायिक संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन उस अवधि के अंत तक केवल अन्तिम रूप से निर्धारित किए जाते हैं जिसमें संयोजन प्रभावित होता है तो अधिग्रहणकर्ता :
- (क) उन अनंतिम मूल्यों का प्रयोग करते हुए संयोजन के लिए लेखांकन करता है; और
- (ख) माप अवधि के अन्दर प्रारंभिक लेखा को पूरा करने के परिणामस्वरूप उन अनंतिम मूल्यों के लिए किसी समायोजनों को मान्य करना जो अधिग्रहण-तिथि से 12 महीनों से अधिक नहीं होगी।
- इस प्रकार की परिस्थितियों में यह उस वार्षिक अवधि के अंत से पूर्व, जिसमें संयोजन प्रभावित हुआ है, संयोजन में मान्य ख्याति (गुडविल) के आरंभिक आबंटन को पूरा करने के लिए संभव नहीं हो सकता। जब ऐसा मामला हो, तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 133 द्वारा अपेक्षित सूचना प्रकट करता है।
86. यदि ख्याति (गुडविल) नकदी-जनक इकाई को आबंटित की गई है और प्रतिष्ठान उस इकाई के अन्दर परिचालन का निपटान करता है तो निपटाए गए परिचालन से संबद्ध ख्याति (गुडविल) इस प्रकार होगी :
- (क) जब निपटान पर लाभ अथवा हानि निर्धारित की जाती है तो उसे परिचालन की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में शामिल किया जाता है ; और
- (ख) निपटाए गए परिचालन और प्रतिधारित नकदी-जनक इकाई के भाग के सापेक्ष मूल्य के आधार पर मापी जाती है जब तक कि (अन्लेस) प्रतिष्ठान यह प्रदर्शित कर सके कि निपटाए गए परिचालन से संबद्ध ख्याति (गुडविल) किसी अन्य तरीके से बेहतर प्रस्तुत होगी।

उदाहरण

एक प्रतिष्ठान एक परिचालन का 100 रुपये में विक्रय करता है जो नकदी-जनक इकाई का भाग था और जिसके लिए ख्याति (गुडविल) आबंटित की गई थी। प्रतिष्ठान को आबंटित ख्याति (गुडविल) को यादृच्छिक (एक तरफा) को छोड़कर, उस प्रतिष्ठान की अपेक्षा कम स्तर पर आस्ति समूह के साथ पता नहीं लगाया जा सकता अथवा संबद्ध नहीं किया जा सकता। प्रतिधारित नकदी-जनक इकाई के भाग की वसूली योग्य राशि 300 रुपये है।

क्योंकि नकदी-जनक इकाई को आबंटित ख्याति (गुडविल) उस प्रतिष्ठान की अपेक्षा कम स्तर पर आस्ति समूह के साथ पहचानने योग्य नहीं है अथवा उसे संबद्ध नहीं किया जा सकता, अतएव निपटाए गए परिचालन के साथ संबद्ध ख्याति (गुडविल) को निपटाए गए परिचालन और प्रतिष्ठान के प्रतिधारित भाग के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर मापा किया जाता है। इसलिए, नकदी-जनक इकाई को आबंटित ख्याति (गुडविल) का 25 प्रतिशत उस परिचालन की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में शामिल जाएगा जिसे बेचा गया है।

87. यदि प्रतिष्ठान अपने रिपोर्टिंग ढांचे को पुनर्संरचित करता है जिससे कि एक या एक से अधिक नकदी-जनक इकाईयों के संयोजन परिवर्तित होते हैं जिनके लिए ख्याति (गुडविल) को आबंटित किया गया है, ख्याति (गुडविल) को प्रभावित इकाईयों में पुनः आबंटित किया जाएगा। इस पुनराबंटन को उस प्रयोग में समान सापेक्ष मूल्य का प्रयोग करते हुए निष्पादित किया जाएगा जब एक प्रतिष्ठान नकदी-जनक इकाई के अन्दर परिचालन का निपटान करता है जब तक कि प्रतिष्ठान यह प्रदर्शित कर सके कि पुनर्गठित इकाईयों से संबद्ध ख्याति (गुडविल) किसी अन्य तरीके से बेहतर प्रस्तुत होगी।

उदाहरण

ख्याति (गुडविल) पहले नकदी-जनक इकाई 'क' को आबंटित की गई थी। 'क' को आबंटित ख्याति (गुडविल) स्वेच्छाचारी को छोड़कर 'क' की अपेक्षा कम स्तर पर आस्ति समूह का पता नहीं लगाया जा सकता है अथवा उससे संबद्ध नहीं किया जा सकता है। 'क' को विभाजित किया जाना है और तीन अन्य नकदी-जनक इकाईयों 'ख', 'ग', और 'घ' में सम्मिलित किया जाना है।

क्योंकि 'क' को आबंटित ख्याति (गुडविल) 'क' की अपेक्षा कम स्तर पर आस्ति समूह के साथ गैर-एकतरफा राशि से पता नहीं लगाया जा सकता है अथवा संबद्ध नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन भागों को 'ख', 'ग' और 'घ' के साथ सम्मिलित करने से पूर्व 'क' के तीन भागों के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर 'ख', 'ग' और 'घ' भागों को पुनः आबंटित किया गया है।

ख्याति (गुडविल) वाली नकदी-जनक इकाईयों का क्षतिग्रस्तता ख्याति के साथ परीक्षण

88. जैसा कि अनुच्छेद 81 में वर्णित है, जब ख्याति (गुडविल) नकदी-जनक इकाई से संबंधित तो है लेकिन उस इकाई को आबंटित नहीं की गयी है तो इकाई का जब कभी ऐसा संकेत हो कि इकाई क्षतिग्रस्त हो सकती है, इकाई की वसूली योग्य राशि और इकाई की अग्रणीत (कैरिंग) राशि, किसी ख्याति (गुडविल) को छोड़कर, की तुलना करते हुए क्षतिग्रस्तता परीक्षण किया जाएगा। किसी भी क्षतिग्रस्तता हानि को अनुच्छेद 104 के अनुसार मान्य किया जाएगा।
89. यदि अनुच्छेद 88 में वर्णित नकदी-जनक इकाई में अमूर्त आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को शामिल किया जाता है जिसका अनिश्चित उपयोगी जीवन है अथवा अभी उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है और उस सम्पत्ति को नकदी-जनक इकाई के भाग के रूप में केवल क्षतिग्रस्तता परीक्षण किया जा सकता है तो अनुच्छेद 10 के अनुसार क्षतिग्रस्तता के लिए वार्षिक रूप से इकाई के परीक्षण की अपेक्षा होती है।
90. एक नकदी-जनक इकाई का, जिस पर ख्याति (गुडविल) को आबंटित किया गया है, वार्षिक रूप से क्षतिग्रस्तता परीक्षण किया जाएगा, और जब भी ऐसा संकेत है कि इकाई की वसूली योग्य राशि के साथ इकाई की अग्रणीत (कैरिंग) राशि, जिसमें ख्याति (गुडविल) शामिल है, की तुलना करते हुए इकाई क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि प्रतिष्ठान की वसूली योग्य राशि इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक होती है तो उस इकाई को और उस इकाई पर आबंटित ख्याति (गुडविल) को यह समझा जाएगा कि वे क्षतिग्रस्त नहीं हैं। यदि इकाई की अग्रणीत (कैरिंग) राशि इकाई की वसूली योग्य राशि से अधिक है तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 104 के अनुसार क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता देगा।

91-95. (देखें परिशिष्ट 1)

क्षतिग्रस्तता परीक्षणों की समय-सारणी

96. नकदी-जनक इकाई का, जिसके लिए ख्याति (गुडविल) आबंटित की गई है, वार्षिक क्षतिग्रस्तता परीक्षण, वार्षिक अवधि के दौरान किसी भी समय निष्पादित किया जा सकता है बशर्ते परीक्षण प्रत्येक वर्ष उसी समय निष्पादित किया जाता है। विभिन्न नकदी-जनक इकाईयों का विभिन्न समय पर क्षतिग्रस्तता परीक्षण किया जा सकता है। तथापि, यदि नकदी-जनक इकाई को आबंटित कुछ अथवा समस्त ख्याति (गुडविल) को चालू वार्षिक अवधि के दौरान व्यावसायिक संयोजन में अधिगृहीत किया गया है तो उस इकाई का क्षतिग्रस्तता परीक्षण चालू वार्षिक अवधि के अंत से पहले ही कर लिया जाएगा।
97. यदि नकदी-जनक इकाई का गठन करने वाली आस्तियों का, जिनको ख्याति (गुडविल) आबंटित की गई है, उसी समय क्षतिग्रस्तता परीक्षण किया जाता है जब इकाई में ख्याति (गुडविल) शामिल होती है, तो उन आस्तियों का क्षतिग्रस्तता परीक्षण ख्याति (गुडविल) इकाई में शामिल होने से पूर्व किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि नकदी-जनक इकाईयों का गठन उन नकदी-जनक इकाईयों के समूह से होता है जिनको ख्याति (गुडविल) आबंटित की गई है, उनका क्षतिग्रस्तता परीक्षण उसी समय किया जाता है जब इकाईयों के समूह में ख्याति (गुडविल) का किया जाता है तो वह अलग अलग इकाईयों का क्षतिग्रस्तता परीक्षण ख्याति (गुडविल) के समूह में शामिल होने से पूर्व किया जाएगा।
98. नकदी-जनक इकाई के, जिसे ख्याति (गुडविल) आबंटित की गई है, क्षतिग्रस्तता परीक्षण के समय वहां ख्याति (गुडविल) को शामिल करने वाली इकाई के अन्दर आस्ति की क्षतिग्रस्तता के संकेत हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान पहले क्षतिग्रस्तता के लिए आस्ति का परीक्षण करता है और ख्याति (गुडविल) को शामिल करने वाली नकदी-जनक इकाई की क्षतिग्रस्तता के परीक्षण से पूर्व आस्ति की क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता देता है। इसी प्रकार, ख्याति (गुडविल) को शामिल करने वाली इकाईयों के समूह के अन्दर

- नकदी-जनक इकाई के क्षतिग्रस्तता का संकेत हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्तता के लिए पहले नकदी-जनक इकाई का, जिसे ख्याति (गुडविल) आबंटित की गई है, परीक्षण करता है और इकाईयों के समूह की क्षतिग्रस्तता के लिए परीक्षण से पूर्व उस इकाई की क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता देता है।
99. नकदी-जनक इकाई, जिसे ख्याति (गुडविल) आबंटित की गई है, वसूली योग्य राशि की पूर्ववर्ती अवधि में किए गए अत्यन्त हाल ही की विस्तृत संगणना को चालू अवधि में उस इकाई के क्षतिग्रस्तता परीक्षण में प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया गया हो :
- हाल की वसूली योग्य राशि की संगणना के बाद, इकाई की आस्तियों एवं दायित्वों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ हो।
 - हाल की वसूली योग्य राशि की संगणना से एक ऐसी राशि परिणत होती है जो पर्याप्त मार्जिन से प्रतिष्ठान की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक होती है ; और
 - घटनाओं के विश्लेषण पर आधारित जो घटित हुई है और बदली परिस्थितियों के आधार पर हाल की वसूली योग्य राशि की संगणना के पश्चात् यह संभावना बहुत कम रहती है कि एक वर्तमान वसूली योग्य राशि इकाई की मौजूदा अग्रणीत राशि से कम हो ।
- निगमित आस्तियां**
100. निगमित आस्तियों में समूह अथवा प्रभागों की आस्तियां सम्मिलित होती हैं जैसे कि प्रतिष्ठान के मुख्यालय अथवा प्रभाग का भवन, ईडीपी उपस्कर अथवा अनुसंधान केन्द्र । प्रतिष्ठान की संरचना यह निर्धारित करती है कि क्या कोई आस्ति इस मानक में दी गई किसी विशेष नकदी-जनक इकाई के लिए निगमित आस्तियों की परिभाषा में आती है। निगमित आस्तियों के विशिष्ट लक्षण हैं कि वे अन्य आस्तियों अथवा आस्तियों के समूह से स्वतंत्र रहते हुए नकदी प्रवाह का सृजन नहीं करती तथा उनकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि को पूर्ण रूप से समीक्षाधीन नकदी-जनक इकाई से संबद्ध नहीं किया जा सकता है।
101. क्योंकि निगमित आस्तियां पृथक नकदी अन्तर्प्रवाह सृजित नहीं करती हैं, अतएव, एक पृथक निगमित आस्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रबंधन ने आस्ति के निपटान का निश्चय न कर लिया हो । परिणामस्वरूप, यदि ऐसा संकेत है कि निगमित आस्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है तो उस नकदी-जनक इकाई अथवा नकदी-जनक इकाई के समूह की वसूली योग्य राशि का निर्धारण किया जाता है जिससे निगमित आस्ति संबंधित है और इससे इस नकदी-जनक इकाई अथवा नकदी-जनक इकाई के समूह की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से तुलना की जाती है। यदि कोई क्षतिग्रस्तता हानि हो तो उसे अनुच्छेद 104 के अनुसार मान्यता दी जाती है।
102. एक नकदी-जनक इकाई के क्षतिग्रस्तता परीक्षण के लिए, प्रतिष्ठान सभी निगमित आस्तियों की पहचान करेगा जिनका समीक्षाधीन में नकदी-जनक इकाई से संबंध है। यदि निगमित आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि का कोई भाग :
- उस इकाई को तर्कसंगत तथा निरन्तर आधार पर आबंटित किया जा सकता है तो प्रतिष्ठान इकाई को आबंटित निगमित आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के भाग सहित इकाई की अग्रणीत राशि की वसूली योग्य राशि से तुलना करेगा । इसमें यदि कोई क्षतिग्रस्तता हानि होती है तो उसे अनुच्छेद 104 के अनुसार मान्यता दी जाएगी।
 - यदि इकाई को तर्कसंगत व निरन्तर आधार पर आबंटित नहीं किया जा सकता हो तो प्रतिष्ठान निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :
 - निगमित आस्ति को छोड़कर इकाई की वसूली योग्य राशि की उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि के साथ तुलना करेगा तथा अनुच्छेद 104 के अनुसार किसी भी क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता देगा ;
 - नकदी-जनक इकाईयों के उस लघुतम समूह का पता लगाएगा जिसमें समीक्षाधीन नकदी-जनक इकाई शामिल है और जिसमें निगमित आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि का भाग तर्कसंगत व निरन्तर आधार पर आबंटित किया जा सकता है ; और
 - इकाईयों के उस समूह को आबंटित निगमित आस्ति की अग्रणीत राशि के भाग सहित नकदी-जनक इकाईयों के उस समूह की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के साथ की तुलना करेगा। यदि कोई क्षतिग्रस्तता हानि है तो उसे अनुच्छेद 104 के अनुसार मान्यता दी जाएगी ।
103. [देखें परिशिष्ट 1]
- नकदी-जनक इकाई के लिए क्षतिग्रस्तता हानि
104. एक क्षतिग्रस्तता हानि नकदी-जनक इकाई (नकदी-जनक इकाईयों का लघुतम समूह जिसमें ख्याति (गुडविल) अथवा निगमित आस्ति आबंटित की गई है) के लिए मान्य होगी, यदि, और केवल यदि, इकाई (इकाईयों का समूह) की वसूली योग्य राशि इकाई

(इकाईयों के समूह) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से कम है। निम्नलिखित क्रम में इकाई (इकाईयों के समूह) की आस्तियों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को कम करने के लिए क्षतिग्रस्तता हानि आबंटित की जाएगी :

(क) पहले, नकदी-जनक इकाई (इकाईयों के समूह) को आबंटित किसी ख्याति (गुडविल) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को कम किया जाएगा ; और

(ख) उसके बाद, इकाई (इकाईयों के समूह) में प्रत्येक आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के यथानुपात आधार पर इकाई (इकाईयों के समूह) की अन्य आस्तियों के लिए कम किया जाएगा ।

अग्रणीत (कैरिंग) राशियों में इन कटौतियों को व्यक्तिगत आस्तियों पर क्षतिग्रस्तता हानियों के रूप में माना जाएगा और उन्हें अनुच्छेद 60 के अनुसार मान्यता दी जाएगी ।

105. अनुच्छेद 104 के अनुसार क्षतिग्रस्तता हानि के आबंटन में, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित के उच्चतम स्तर से नीचे आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को कम नहीं करेगा :

(क) निपटान लागतें घटाकर इसका उचित मूल्य (यदि माप-योग्य हो);

(ख) इसका प्रयोग मूल्य (यदि निर्धारणयोग्य हो); और

(ग) शून्य

क्षतिग्रस्तता हानि की राशि जिसे अन्यथा आस्ति के लिए आबंटित किया गया है, उसे इकाई (इकाईयों के समूह) की अन्य आस्तियों को यथानुपात आबंटित किया जाएगा ।

106. यदि नकदी-जनक इकाई की प्रत्येक व्यक्तिगत आस्ति की वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन व्यवहार्य नहीं है तो यह मानक ख्याति (गुडविल) से भिन्न उस इकाई की आस्तियों के बीच क्षतिग्रस्तता हानि के एक तरफा आबंटन की अपेक्षा करता है क्योंकि नकदी-जनक इकाई की सभी आस्तियां एक-साथ कार्य करती हैं ।

107. यदि एक व्यक्तिगत आस्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित नहीं की जा सकती (अनुच्छेद 67 देखें) :

(क) आस्ति के लिए क्षतिग्रस्तता हानि मान्य है यदि इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि उसकी तुलना में निपटान लागतें घटाकर इसके अधिक उचित मूल्य और अनुच्छेद 104 व 105 में यथावर्णित अनुसार आबंटन प्रक्रियाओं के परिणामों से ऊँची है ; और

(ख) आस्ति के लिए कोई क्षतिग्रस्तता हानि मान्य नहीं है यदि संबंधित नकदी-जनक इकाई को क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। यह तब भी लागू होता है यदि निपटान लागतों को घटाकर आस्ति का उचित मूल्य इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि से कम है।

उदाहरण

भौतिक रूप से एक मशीन को नुकसान हुआ है किन्तु यह फिर भी काम कर रही है बेशक उतना अच्छा नहीं जितना कि नुकसान से पूर्व करती थी । मशीन की निपटान लागतें घटाकर उसका उचित मूल्य उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि से कम है। मशीन स्वतंत्र रूप से नकदी अंतर्प्रवाह सृजित नहीं करती । आस्तियों का सबसे छोटा पहचानने योग्य समूह, जिसमें मशीन सम्मिलित है, ऐसे नकदी अंतर्प्रवाह सृजित करता है जो कि उत्पाद रेखा, जिससे वह मशीन भी संबंधित है, दूसरी आस्तियों के नकदी अंतर्प्रवाहों से पूर्णतः स्वतंत्र है। उत्पादन रेखा की वसूली योग्य राशि यह प्रदर्शित करती है कि समूची उत्पादन रेखा में क्षतिग्रस्तता नहीं है।

अवधारणा 1 : प्रबन्धन द्वारा स्वीकृत बजट/पूर्वानुमान मशीन को बदलने की प्रबंधन की किसी वचनबद्धता को नहीं दर्शाता ।

केवल मशीन की वसूली योग्य राशि प्राक्कलित नहीं की जा सकती क्योंकि मशीन का प्रयोग मूल्य :

(क) निपटान लागतें घटाकर उसके उचित मूल्य से भिन्न हो सकता है ; और

(ख) केवल उस नकदी-जनक इकाई के लिए निर्धारित हो सकता है जिससे मशीन संबंधित है (उत्पादन रेखा)

चूंकि उत्पादन रेखा क्षतिग्रस्त नहीं है अतएव, मशीन के लिए किसी क्षतिग्रस्तता हानि को मान्य नहीं किया जाता । तथापि, प्रतिष्ठान के लिए मशीन के मूल्यहास की पद्धति अथवा मूल्यहास की अवधि के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता हो सकती है। मशीन के प्रत्याशित शेष उपयोगी जीवन को अथवा प्रतिष्ठान द्वारा आर्थिक लाभों के उपयोग की पद्धति (पैटर्न) को दर्शाने के लिए संभवतः एक मूल्यहास की अल्पावधि या तीव्र मूल्यहास की पद्धति की आवश्यकता है।

अवधारणा 2 : प्रबंधन द्वारा अनुमोदित बजट/पूर्वानुमान मशीन को निकट भविष्य में बदलने तथा बेचने की प्रबंधन की वचनबद्धता को दर्शाता है। मशीन के निपटान तक इसके निरंतर प्रयोग से नकदी प्रवाह नगण्य प्राक्कलित होता है ।

मशीन का प्रयोग मूल्य इसकी निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य के निकट प्राक्कलित हो सकता है। इसलिए, मशीन की वसूली योग्य राशि निर्धारित हो सकती है। जिस नकदी-जनक इकाई (अथवा उत्पादन रेखा) से मशीन संबंधित है उस पर कोई विचार नहीं किया जाता । क्योंकि मशीन का निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि से कम है, अतः मशीन की क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता दी जाती

है।

108. अनुच्छेद 104 और 105 की अपेक्षाओं को लागू करने के पश्चात् एक नकदी-जनक इकाई के लिए किसी शेष क्षतिग्रस्तता हानि की राशि के लिए देनदारी को मान्य किया जाएगा यदि, और केवल यदि, किसी अन्य भारतीय लेखा मानक द्वारा इसकी अपेक्षा हो।

क्षतिग्रस्तता हानि का उलटाव

109. अनुच्छेद 110-116 उस क्षतिग्रस्तता हानि को उलटाने की अपेक्षा को निर्दिष्ट करते हैं जो एक आस्ति अथवा नकदी-जनक इकाई के लिए पूर्व अवधियों में मान्य है। ये अपेक्षाएं 'एक आस्ति' शब्द का प्रयोग करती हैं परन्तु एक पृथक आस्ति अथवा नकदी-जनक इकाई पर भी वह समान रूप से लागू होती है। अनुच्छेद 117 - 121 में पृथक आस्ति के लिए, अनुच्छेद 122 व 123 में नकदी-जनक इकाई के लिए तथा अनुच्छेद 124 व 125 में ख्याति (गुडविल) के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं निर्दिष्ट की गई हैं।
110. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक प्रतिष्ठान को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि पूर्व अवधियों में ख्याति (गुडविल) के अलावा आस्ति के लिए मान्य क्षतिग्रस्तता हानि अब विद्यमान नहीं है अथवा कम हो गई है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो प्रतिष्ठान को उस आस्ति की वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन करना चाहिए।
111. यह निर्धारण करने में कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि पूर्व अवधियों में ख्याति (गुडविल) के अलावा आस्ति के लिए जो क्षतिग्रस्तता हानि मान्य की गई थी अब विद्यमान नहीं है अथवा कम हो गई है, प्रतिष्ठान को कम-से-कम निम्नलिखित संकेतों पर ध्यान देना चाहिए :

सूचना के बाह्य स्रोत

- (क) इस बात के प्रलक्षणीय संकेत हैं कि अवधि के दौरान आस्ति के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ;
- (ख) प्रौद्योगिकी, बाज़ार, आर्थिक अथवा विधिक पर्यावरण जैसी जिन परिस्थितियों में प्रतिष्ठान परिचालन करता है, अथवा बाज़ार जिसमें आस्ति कार्यरत है, इन सभी से प्रतिष्ठान पर अनुकूल प्रभाव के साथ उल्लेखनीय परिवर्तन अवधि के दौरान हुए हैं अथवा निकट भविष्य में होने की आशा है ; और
- (ग) निवेशों पर प्रतिफल (रिटर्न) की बाज़ार ब्याज दरें अथवा अन्य बाज़ार दरें अवधि के दौरान घट गई हैं तथा वे घटी हुई दरें संभवतः आस्ति के प्रयोग मूल्य के प्राक्कलन में प्रयुक्त बट्टागत दर को प्रभावित कर सकती हैं और आस्ति की वसूली योग्य राशि में सारवान वृद्धि कर सकती है।

सूचना के आंतरिक स्रोत

- (घ) अवधि के दौरान प्रतिष्ठान पर अनुकूल प्रभाव के साथ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं अथवा निकट भविष्य में ऐसे अनुकूल परिवर्तन हो सकते हैं उस सीमा तक अथवा उस तरीके से जिसमें आस्ति का प्रयोग किया जाता है अथवा उपयोग करने की आशा है। इन परिवर्तनों में अवधि के दौरान आस्ति की कार्यकुशलता में सुधार अथवा वृद्धि करने अथवा ऐसे परिचालनों की पुनर्संरचना, जिससे आस्ति संबंधित है, सम्मिलित है।
- (ङ) आंतरिक रिपोर्टिंग से साक्ष्य उपलब्ध है जो यह संकेत देता है कि आस्ति की आर्थिक कार्यकुशलता अनुमान की अपेक्षा बेहतर है अथवा होगी।
112. अनुच्छेद 111 में क्षतिग्रस्तता हानि में संभाव्य गिरावट के संकेत मुख्य रूप से अनुच्छेद 12 में संभाव्य क्षतिग्रस्तता हानि के संकेतों को प्रतिबिंबित करते हैं।
113. यदि ऐसा संकेत है कि ख्याति से भिन्न किसी आस्ति में मान्य क्षतिग्रस्तता हानि अब विद्यमान नहीं है अथवा कम हो जाएगी, यह इस ओर संकेत कर सकता है कि आस्ति का शेष उपयोगी जीवन, मूल्यहास (परिशोधन) पद्धति अथवा अवशिष्ट मूल्य का आस्ति पर लागू भारतीय लेखा मानक के अनुसार समीक्षा तथा तदनुसार समायोजन करना चाहिए, चाहे उस आस्ति पर क्षतिग्रस्तता हानि को उलटाया नहीं जाता।
114. पूर्व अवधियों में ख्याति (गुडविल) से भिन्न एक आस्ति के लिए मान्य क्षतिग्रस्तता हानि को उलटाया जाएगा, यदि, और केवल यदि, आस्ति की वसूली योग्य राशि के निर्धारण के लिए प्रयोग किए गए प्राक्कलनों में परिवर्तन हुआ है जब से पिछली क्षतिग्रस्तता हानि को मान्य किया गया था। यदि ऐसी स्थिति है तो आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि, अनुच्छेद 117 में वर्णित को छोड़ कर, उसकी वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दी जाएगी। यह वृद्धि क्षतिग्रस्तता हानि का उलटाव है।
115. क्षतिग्रस्तता हानि का उलटाव विक्रय अथवा प्रयोग द्वारा आस्ति की प्राक्कलित सेवा क्षमता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, उस तिथि से जब पीछे प्रतिष्ठान ने उस आस्ति की क्षतिग्रस्तता हानि को मान्य किया था। अनुच्छेद 130 में एक प्रतिष्ठान से उन प्राक्कलनों में जिसके कारण प्राक्कलित सेवा क्षमता में वृद्धि होती है, परिवर्तन को पहचानने की अपेक्षा की जाती है। प्राक्कलनों में परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- (क) वसूली योग्य राशि के लिए आधार में परिवर्तन (अथवा क्या वसूली योग्य राशि निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य अथवा प्रयोग मूल्य पर आधारित है);
- (ख) यदि वसूली योग्य राशि प्रयोग मूल्य पर आधारित थी, प्राक्कलित नकदी प्रवाहों की राशि अथवा समय में अथवा बट्टा दर में परिवर्तन; अथवा
- (ग) यदि वसूली योग्य राशि निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य पर आधारित थी, तो निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य के घटकों के प्राक्कलन में परिवर्तन।
116. एक आस्ति का प्रयोग मूल्य उस आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक हो सकता है क्योंकि भावी नकद अंतर्प्रवाहों का वर्तमान मूल्य, जैसे-जैसे समीप आता है; वैसे-वैसे वह बढ़ता जाता है। तथापि, आस्ति की सेवा क्षमता में वृद्धि नहीं होती है। अतः क्षतिग्रस्तता हानि को केवल समय के व्यतीत होने पर ही नहीं उलटाया जा सकता है (कभी-कभी उसको बट्टे की 'वापसी' भी कहते हैं) चाहे आस्ति की वसूली योग्य राशि अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक क्यों न हो।

व्यक्तिगत आस्ति की क्षतिग्रस्तता हानि का उलटाव

117. क्षतिग्रस्तता के उलटाव से संबंधित ख्याति (गुडविल) से भिन्न आस्ति की बढ़ी हुई अग्रणीत (कैरिंग) राशि उस अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक नहीं होगी जिसका निर्धारण (परिशोधन अथवा मूल्यहास का शुद्ध) किया जाता जैसे की पूर्व वर्षों में उस आस्ति के लिए किसी क्षतिग्रस्तता हानि को मान्य किया ही नहीं गया था।
118. ख्याति से भिन्न किसी आस्ति की अग्रणीत राशि से ऊपर कोई वृद्धि होती है उसका निर्धारण (परिशोधन अथवा मूल्यहास का शुद्ध) पुनर्मूल्यांकन है जैसे कि पूर्व वर्षों में उस आस्ति की क्षतिग्रस्तता हानि को मान्य किया ही नहीं गया था। ऐसे पुनर्मूल्यांकन के लेखा के लिए, प्रतिष्ठान आस्ति पर लागू भारतीय लेखा मानक का प्रयोग करता है।
119. ख्याति (गुडविल) से भिन्न एक आस्ति की क्षतिग्रस्तता हानि के उलटाव को लाभ या हानि में तुरन्त मान्य किया जाएगा जब तक कि आस्ति को किसी अन्य भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनर्मूल्यांकन राशि पर अग्रणीत ना किया गया हो (उदाहरण के लिए, भारतीय लेखा मानक 16 में पुनर्मूल्यांकन मॉडल)। पुनर्मूल्यांकन आस्ति की क्षतिग्रस्तता के किसी उलटाव को उस अन्य भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनर्मूल्यांकन वृद्धि माना किया जाएगा।
120. पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर किसी क्षतिग्रस्तता हानि का उलटाव अन्य व्यापक आय में मान्य होता है और उस आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में वृद्धि होती है। तथापि, उस सीमा तक कि उसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर क्षतिग्रस्तता हानि को लाभ अथवा हानि में पहले मान्य किया गया था, अतएव उस क्षतिग्रस्तता हानि के उलटाव को लाभ अथवा हानि में भी मान्य किया जाता है।
121. किसी क्षतिग्रस्तता हानि के उलटाव के मान्य करने के बाद, आस्ति के मूल्यहास (परिशोधन) प्रभार को इसके शेष उपयोगी जीवन में व्यवस्थित आधार पर इसके अवशिष्ट मूल्य (यदि कोई है) को घटाकर आस्ति की संशोधित अग्रणीत (कैरिंग) राशि के आबंटन के लिए भावी अवधियों में समायोजित किया जाएगा।

नकदी-जनक इकाई के लिए क्षतिग्रस्तता हानि का उलटाव

122. नकदी-जनक इकाई के लिए क्षतिग्रस्तता हानि का उलटाव ख्याति (गुडविल) को छोड़कर, इकाई की आस्तियों को उन आस्तियों की आनुपातिक अग्रणीत (कैरिंग) राशि, पर आबंटित किया जाएगा। अग्रणीत (कैरिंग) राशियों में इन वृद्धियों को व्यक्तिगत आस्तियों के लिए क्षतिग्रस्तता हानियों के उलटाव के रूप में माना जाएगा और उन्हें अनुच्छेद 119 के अनुसार मान्य किया जाएगा।
123. अनुच्छेद 122 के अनुसार, नकदी-जनक इकाई के लिए क्षतिग्रस्तता हानि का आबंटन करते समय, आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में निम्नलिखित दोनों में जो कम है उससे अधिक नहीं होगी :

(क) इसकी वसूली योग्य राशि (यदि निर्धारणयोग्य है); और

(ख) अग्रणीत (कैरिंग) राशि जिसका निर्धारण (परिशोधन अथवा मूल्यहास का निवल) इस तरह से किया जाता जैसे कि पूर्ववर्ती अवधियों में उस आस्ति के क्षतिग्रस्तता हानि को मान्य किया ही नहीं गया था।

क्षतिग्रस्तता हानि के उलटाव की राशि को, जिसे आस्ति के लिए अन्यथा आबंटित किया जाता है, ख्याति (गुडविल) को छोड़कर इकाई की अन्य आस्तियों को यथानुपात आबंटित किया जाएगा।

ख्याति (गुडविल) की क्षतिग्रस्तता हानि का उलटाव

124. ख्याति (गुडविल) के लिए मान्य क्षतिग्रस्तता हानि को बाद की (सब्सिक्वन्ट) अवधि में उलटाया नहीं जाएगा।
125. भारतीय लेखा मानक 38, *अमूर्त आस्तियां* आंतरिक रूप से सृजित ख्याति (गुडविल) की मान्यता को निषिद्ध करती हैं। उस ख्याति (गुडविल) के लिए क्षतिग्रस्तता हानि की मान्यता के बाद की अवधियों में ख्याति (गुडविल) की वसूली योग्य राशि में किसी प्रकार की

वृद्धि अधिगृहीत ख्याति (गुडविल) के लिए मान्य क्षतिग्रस्तता हानि के उलटाव की अपेक्षा आंतरिक रूप से सृजित ख्याति (गुडविल) में अधिक संभव है।

प्रकटन

126. एक प्रतिष्ठान आस्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :
- अवधि के दौरान, लाभ अथवा हानि में मान्य क्षतिग्रस्तता हानियों की राशि और लाभ-हानि विवरणी की क्रम मदें (लाइन आइटम) जिसमें उन क्षतिग्रस्तता हानियों को शामिल किया गया है।
 - अवधि के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य क्षतिग्रस्तता हानियों की उलटाव की राशि और लाभ-हानि विवरणी की क्रम मदें (लाइन आइटम) जिसमें उन क्षतिग्रस्तता हानियों का उलटाव किया गया है।
 - अवधि के दौरान, अन्य व्यापक आय में मान्य पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर क्षतिग्रस्तता हानियों की राशि।
 - अवधि के दौरान, अन्य व्यापक आय में मान्य पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर क्षतिग्रस्तता हानियों के उलटावों की राशि।
127. आस्तियों की एक श्रेणी में एक प्रतिष्ठान के संचालन में समान प्रकार की और एक जैसे प्रयोग की आस्तियों का समूह होता है।
128. अनुच्छेद 126 में अपेक्षित सूचना आस्तियों की श्रेणी के लिए प्रकट की गई अन्य सूचना के साथ प्रस्तुत की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यह सूचना भारतीय लेखा मानक 16 द्वारा यथापेक्षित अवधि के आरंभ में और अंत में, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के मिलान में शामिल की जा सकती है।
129. एक प्रतिष्ठान, जो भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार खंडीय सूचना रिपोर्ट करता है, वह प्रत्येक रिपोर्ट किए जाने योग्य खंड के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :
- अवधि के दौरान लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय में मान्य क्षतिग्रस्तता हानियों की राशि।
 - अवधि के दौरान, लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय में मान्य क्षतिग्रस्तता हानियों के उलटावों की राशि।
130. एक प्रतिष्ठान एक व्यक्तिगत आस्ति ख्याति (गुडविल) सहित अथवा नकदी-जनक इकाई के लिए अवधि के दौरान मान्य अथवा उलटायी गई क्षतिग्रस्तता हानि के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :
- वे घटनाएं एवं परिस्थितियां जिनसे क्षतिग्रस्तता हानि मान्य हुई है अथवा उसे उलटाया गया है।
 - मान्य अथवा उलटायी गयी क्षतिग्रस्तता हानि की राशि।
 - एक व्यक्तिगत आस्ति के लिए :
 - आस्ति की प्रकृति; और
 - यदि प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार खंडीय सूचना रिपोर्ट करता है तो रिपोर्ट किए जाने योग्य आस्ति से संबंधित खंड।
 - नकदी-जनक इकाई के लिए :
 - नकदी-जनक इकाई का ब्यौरा (जैसे कि क्या यह भारतीय लेखा मानक 108 में यथापरिभाषित उत्पाद रेखा, एक संयंत्र, व्यवसाय परिचालन, एक भौगोलिक क्षेत्र अथवा रिपोर्ट किए जाने योग्य खंड है) ;
 - आस्तियों की श्रेणी और रिपोर्ट किए जाने योग्य खंड द्वारा मान्य अथवा उलटायी क्षतिग्रस्तता हानि की राशि यदि प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसरण में, खंडीय योग्य सूचना रिपोर्ट करता है ; और
 - यदि नकदी-जनक इकाई का पता लगाने के लिए आस्तियों के समूहन से इकाई की वसूली योग्य राशि (यदि कोई है) की नकदी-जनक इकाई के पूर्ववर्ती प्राक्कलन से परिवर्तित हो गयी है तो समुच्चय आस्तियों का चालू एवं पूर्ववर्ती विवरण तथा नकदी-जनक इकाई के परिवर्तन के कारणों का पता लगाया जाता है।
 - आस्ति (नकदी-जनक इकाई) की वसूली योग्य राशि और यह कि क्या आस्ति (नकदी-जनक इकाई) की वसूली योग्य राशि निपटान लागतें घटाकर इसका उचित मूल्य अथवा प्रयोग मूल्य है।
 - यदि वह वसूली योग्य राशि निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य है तो प्रतिष्ठान निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा:
 - उचित मूल्य अनुक्रम का स्तर [देखें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 113] जिसमें आस्ति (नकदी-जनक इकाई) का उचित मूल्य माप पूर्णतया वर्गीकृत किया गया है (बिना यह विचार किये कि 'निपटान लागतें' प्रलक्षणीय (दृष्टिगोचर योग्य) हैं);

- (ii) उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर 2 व स्तर 3 के अन्तर्गत वर्गीकृत उचित मूल्य मापों के लिए निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य का माप करने में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक (तकनीकें) का ब्यौरा। यदि मूल्यांकन तकनीक में कोई परिवर्तन किया गया है तो प्रतिष्ठान उस परिवर्तन के साथ-साथ उसको करने के कारण (कारणों) को भी प्रकट करेगा; और
- (iii) उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर 2 व स्तर 3 के अन्तर्गत वर्गीकृत उचित मूल्य मापों के लिए, वह प्रत्येक मुख्य अवधारणा जिस पर प्रबंधन ने निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य के निर्धारण के लिए आधार बनाया है। मुख्य अवधारणाएं वे हैं जिनमें आस्ति (नकदी-जनक इकाई) की वसूली योग्य राशि बहुत-ही संवेदनशील है। प्रतिष्ठान वर्तमान मूल्य तकनीक का प्रयोग करते हुए निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य का माप करता है तो वह चालू माप और गत माप में प्रयुक्त बढ़ावा दर (दरों) का भी प्रकट करेगा।
- (छ) यदि वसूली योग्य राशि प्रयोग मूल्य है तो प्रयोग मूल्य के चालू प्राक्कलन और पूर्ववर्ती प्राक्कलन में (यदि कोई है) प्रयुक्त बढ़ावा दर (दरें)।
131. एक प्रतिष्ठान उस अवधि के दौरान कुल क्षतिग्रस्तता हानियों और मान्य क्षतिग्रस्तता हानियों के कुल उलटावों के लिए, निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा जिसके लिए अनुच्छेद 130 के अनुसार कोई सूचना प्रकट नहीं की गई है :
- (क) क्षतिग्रस्तता हानियों द्वारा प्रभावित आस्तियों की मुख्य श्रेणियां और क्षतिग्रस्तता हानियों के उलटावों से प्रभावित आस्तियों की मुख्य श्रेणियां ।
- (ख) वे मुख्य घटनाएं एवं परिस्थितियां जिनसे इन क्षतिग्रस्तता हानियों को मान्य किया गया एवं क्षतिग्रस्तता हानियों का उलटाव हुआ ।
132. एक प्रतिष्ठान को अवधि के दौरान आस्तियों (नकदी-जनक इकाईयों) की वसूली योग्य राशि को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में अवधारणाओं को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तथापि, अनुच्छेद 134 में प्रतिष्ठान से नकदी-जनक इकाई की वसूली योग्य राशि के माप के लिए प्रयुक्त में प्राक्कलनों के बारे में सूचना प्रकट करने की अपेक्षा होती है जब ख्याति (गुडविल) अथवा अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त आस्ति को उस इकाई की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में शामिल किया गया हो ।
133. यदि, अनुच्छेद 84 के अनुसार, अवधि के दौरान व्यावसायिक संयोजन में अर्जित ख्याति (गुडविल) का कोई भाग रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नकदी-जनक इकाई (इकाईयों के समूह) को आबंटित नहीं किया गया है तो गैर-आबंटित ख्याति (गुडविल) की राशि उन कारणों सहित कि वह राशि क्यों गैर-आबंटित रह गई है प्रकट की जाएगी ।
- ख्याति (गुडविल) अथवा अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त आस्तियों वाली नकदी-जनक इकाईयों की वसूली योग्य राशियों के माप के लिए प्रयुक्त प्राक्कलन
134. एक इकाई प्रत्येक नकदी-जनक इकाई (इकाईयों के समूह) के लिए (क) - (च) द्वारा अपेक्षित सूचना को प्रकट करेगी जिसके लिए ख्याति (गुडविल) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि अथवा उस इकाई को (इकाईयों के समूह) को आबंटित अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त आस्तियां, प्रतिष्ठान की ख्याति (गुडविल) की कुल अग्रणीत (कैरिंग) राशि अथवा अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त आस्तियों के साथ तुलना में महत्वपूर्ण है :
- (क) इकाई (इकाईयों के समूह) को आबंटित ख्याति (गुडविल) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि।
- (ख) इकाई (इकाईयों के समूह) को आबंटित अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त आस्तियों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि।
- (ग) वह आधार जिससे इकाई (इकाईयों के समूह) की वसूली योग्य राशि को निर्धारित किया गया है (अथवा प्रयोग मूल्य अथवा निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य)
- (घ) यदि इकाई (इकाईयों के समूह) की वसूली योग्य राशि प्रयोग मूल्य पर आधारित है:
- (i) प्रत्येक महत्वपूर्ण अवधारणा जिस पर प्रबंधन ने नवीनतम बजटों/पूर्वानुमानों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए अपने नकदी प्रवाह प्रक्षेपणों को आधार दिया है। महत्वपूर्ण अवधारणाएं वे हैं जिनमें इकाई (इकाईयों के समूह) की वसूली योग्य राशि अत्यधिक संवेदनशील है।
- (ii) प्रत्येक महत्वपूर्ण अवधारणा के लिए निर्दिष्ट मूल्य (मूल्यों) के निर्धारण के लिए प्रबंधन के दृष्टिकोण का विवरण, क्या वे मूल्य विगत अनुभव को प्रतिबिंबित करता है या, यदि उपयुक्त है, सूचना के बाह्य स्रोतों के अनुरूप है और, यदि नहीं, तो कैसे और क्यों वे विगत अनुभव अथवा सूचना के बाह्य स्रोतों से अलग हैं ।
- (iii) वह अवधि जिस पर प्रबंधन ने प्रबंधन द्वारा अनुमोदित वित्तीय बजटों/पूर्वानुमानों पर आधारित नकदी प्रवाहों को प्रक्षेपित किया है तथा जब पांच वर्ष से अधिक अवधि की नकदी-जनक इकाई (इकाईयों के समूह) के लिए प्रयोग में की जाती है तो यह स्पष्टीकरण कि क्यों वह लम्बी अवधि उचित है।

- (iv) नवीनतम बजटों/पूर्वानुमानों द्वारा कवर की गई अवधि के आगे के नकदी अंतर्प्रवाह प्रक्षेपणों के बहिर्वेशन (एक्सट्रापोलेट) के लिए प्रयोग में वृद्धि दर तथा किसी वृद्धि दर का प्रयोग करने के लिए औचित्य जो उन उत्पादों, उद्योगों अथवा देश अथवा देशों के लिए दीर्घकालीन औसत वृद्धि दर से अधिक है जिसमें प्रतिष्ठान परिचालन करता है अथवा उस बाज़ार के लिए जिसमें इकाई (इकाईयों का समूह) कार्यरत है।
- (v) नकदी अंतर्प्रवाह प्रक्षेपणों के लिए प्रयोग में बट्टागत दर (दरें)।
- (ङ) यदि इकाई की (इकाईयों के समूहों की वसूली योग्य राशि निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य पर आधारित है, तो निपटान लागत घटाकर उचित मूल्य के माप में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक (तकनीकें)। प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानक 113 द्वारा अपेक्षित प्रकटनों को देने की आवश्यकता नहीं है। यदि निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य उसी प्रकार की इकाई (इकाईयों के समूहों) की अंकित (कोटेड) कीमत का प्रयोग करते हुए नहीं मापा जाता है तो प्रतिष्ठान निम्नलिखित सूचना का प्रकटन करेगा:
 - (i) प्रत्येक मुख्य अवधारणा जिस पर प्रबंधनतंत्र ने निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य के निर्धारण का आधार बनाया है। मुख्य अवधारणाएं वे हैं जिनमें इकाई (इकाईयों के समूह) की वसूली योग्य राशि बहुत-ही संवेदनशील है।
 - (ii) प्रत्येक मुख्य पूर्वधारणा के लिए निर्दिष्ट मूल्य (मूल्यों) के निर्धारण के लिए प्रबंधन के दृष्टिकोण का विवरण, क्या वे मूल्य विगत अनुभव को प्रतिबिंबित करता है या, यदि उपयुक्त है, सूचना के बाह्य स्रोतों के अनुरूप है, और, यदि नहीं, तो कैसे और क्यों वे विगत अनुभव अथवा सूचना के बाह्य स्रोतों से अलग हैं।
 - (iii)(क) उचित मूल्य अनुक्रम का स्तर [देखें भारतीय लेखा मानक 113] जिसके अन्तर्गत उचित मूल्य का वर्गीकरण पूर्ण रूप से किया गया है ('निपटान लागतों' की प्रलक्षणीयता पर ध्यान दिये बिना)।
 - (iii)(ख) यदि मूल्यांकन तकनीक में कोई परिवर्तन किया गया है तो परिवर्तन के साथ-साथ उसके कारणों का भी उल्लेख करना।

यदि निपटान लागतें घटाकर उचित मूल्य बट्टागत किए गए नकदी प्रवाह पूर्वानुमानों का प्रयोग करते हुए मापा गया है तो प्रतिष्ठान निम्नलिखित सूचना भी प्रकट की करेगा :

- (iii) वह अवधि जिसमें प्रबंधन ने नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान लगाया है।
- (iv) नकदी प्रवाह पूर्वानुमानों के बहिर्वेशन (इक्स्टैपलेट) के लिए प्रयुक्त वृद्धि दर।
- (v) नकदी प्रवाह पूर्वानुमानों के लिए लागू बट्टागत दर (दरें)।
- (च) यदि मुख्य पूर्वधारणा में उचित संभव परिवर्तन की वजह से जिन पर प्रबंधन ने इकाई की (इकाईयों के समूह) की वसूली योग्य राशि के निर्धारण को आधार बनाया है तो, इकाई (इकाईयों के समूह) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होगी :
 - (i) वह राशि जिसके द्वारा इकाई (इकाईयों के समूह) की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक है ;
 - (ii) मुख्य पूर्वधारणा के लिए निर्दिष्ट मूल्य ; और
 - (iii) वह राशि जिसके द्वारा मुख्य पूर्वधारणा के लिए निर्दिष्ट मूल्य (मूल्यों) को, वसूली योग्य राशि के माप के लिए प्रयोग में अन्य भिन्नताओं पर परिवर्तन के किसी परिणामी प्रभावों को शामिल करने के बाद, बदलना चाहिए जिसे इकाई (इकाईयों के समूह) की कुल वसूली योग्य राशियों को उनकी कुल अग्रणीत (कैरिंग) राशियों के बराबर किया जा सके।

135. यदि ख्याति (गुडविल) अथवा अनिश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त आस्तियों की कुछ या समस्त अग्रणीत राशि अनेक नकद सृजक इकाईयों (इकाईयों के समूह) में आबंटित की जाती है और प्रत्येक इकाई (इकाईयों के समूह) को आबंटित राशि प्रतिष्ठान की ख्याति अथवा उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त आस्तियों के समग्र अग्रणीत राशि की तुलना में अधिक नहीं है, तो यह तथ्य इकाईयों (इकाईयों के समूहों) को आबंटित ख्याति अथवा अनिश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त आस्तियों के समग्र अग्रणीत राशि के साथ प्रकट किया जाएगा। इसके अलावा, यदि इन इकाईयों (इकाईयों के समूहों) की वसूली योग्य राशियां उन्हीं प्रमुख पूर्वधारणाओं पर आधारित हैं और ख्याति या अनिश्चित जीवनकाल वाली अमूर्त आस्तियों को आबंटित समग्र अग्रणीत राशि प्रतिष्ठान की ख्याति या अनिश्चित जीवनकाल वाली अमूर्त आस्तियों की राशि की तुलना में अधिक मात्रा में हैं तो प्रतिष्ठान इस तथ्य को निम्नलिखित के साथ प्रकट करेगा :

- (क) इन इकाईयों (इकाईयों के समूहों) को आबंटित ख्याति की सकल अग्रणीत राशि।
- (ख) इन इकाईयों (इकाईयों के समूहों) को आबंटित अनिश्चित जीवनकाल वाली अमूर्त आस्तियों की सकल अग्रणीत राशि।
- (ग) प्रमुख पूर्वधारणाओं का वर्णन।

- (घ) प्रमुख पूर्वधारणाओं के लिए निर्दिष्ट मूल्य (मूल्यों) के निर्धारण के लिए प्रबंधन का दृष्टिकोण और क्या यह (ये) मूल्य गत अनुभव को प्रतिबिंबित करता है (करते हैं) या, यदि उपयुक्त हो, यह (ये) सूचना के बाह्य स्रोतों के अनुसार है (हैं) तथा, यदि नहीं, तो वह (वे) कैसे और क्यों गत अनुभव या सूचना के बाह्य स्रोतों से भिन्न है (हैं)।
- (ङ) यदि प्रमुख पूर्वधारणा (पूर्वधारणाओं) में तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तन से इकाईयों (इकाईयों के समूहों) अग्रणीत राशियों का योग वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो -
- (i) वह राशि जिससे इकाईयों (इकाईयों के समूहों) की कुल वसूली योग्य राशि उनकी अग्रणीत राशियों से अधिक हो जाती है।
- (ii) प्रमुख पूर्वधारणाओं के लिए निर्दिष्ट मूल्य।
- (iii) वह राशि जिससे प्रमुख पूर्वधारणाओं के निर्दिष्ट मूल्य, वसूली योग्य राशि के माप में प्रयुक्त अन्य परिवर्तनों पर परिवर्तन का परिणामस्वरूप प्रभाव को शामिल करने के बाद हुए, इस तरह बदलना चाहिए कि इकाईयों (इकाईयों के समूहों) की कुल वसूली योग्य राशियां उनकी अग्रणीत राशियों के समान हो जाए।
136. नकदी-जनक इकाई (इकाईयों के समूह) की वसूली योग्य राशि की पूर्ववर्ती अवधि में की गयी नवीनतम विस्तृत संगणना को अनुच्छेद 24 अथवा 99 के अनुसार, आगे ले जाया जाए और चालू अवधि में उस इकाई (इकाईयों के समूह) के लिए क्षतिग्रस्तता परीक्षण में प्रयोग में किया जाए बशर्ते विनिर्दिष्ट मापदंड को पूरा कर लिया गया हो। जब यह मामला हो, तो उस इकाई (इकाईयों के समूह) के लिए सूचना, जैसे वसूली योग्य राशि की आगे ले जाई गई संगणना से संबंधित अनुच्छेद 134 व 135 द्वारा अपेक्षित प्रकटनों में शामिल किया गया है।
137. [देखें परिशिष्ट 1]

परिशिष्ट क

प्रयोग मूल्य के माप के लिए वर्तमान मूल्य तकनीकों का प्रयोग

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है। यह प्रयोग मूल्य मापने में मौजूदा मूल्य तकनीकों के प्रयोग पर मार्ग-दर्शन उपलब्ध करवाता है। यद्यपि मार्गदर्शन 'आस्ति' शब्द का प्रयोग करता है, तथापि यह नकदी-जनक इकाई की आस्तियों के समूह के लिए समान रूप से लागू होता है।

वर्तमान मूल्य माप के घटक

- क1. निम्नलिखित तत्व एक साथ आस्तियों के बीच आर्थिक अंतरों का अधिग्रहण करते हैं :
- (क) भावी नकदी प्रवाह अथवा अधिक जटिल मामलों में भावी नकदी प्रवाहों की शृंखला का प्राक्कलन जिसे प्रतिष्ठान आस्ति से उत्पन्न करने की आशा करता है ;
- (ख) उन नकदी प्रवाहों की राशि अथवा समय में संभव भिन्नताओं के बारे में अपेक्षाएं।
- (ग) वर्तमान बाज़ार जोखिम मुक्त ब्याज दर द्वारा प्रस्तुत की गई मुद्रा का समय मूल्य;
- (घ) आस्ति में अन्तर्निहित अनिश्चितता के लिए कीमत; और
- (ङ) अन्य तत्वों को, जिनका कभी-कभी पता नहीं लगाया जा सकता (जैसे अंतरलता), जो बाज़ार सहभागी के उन भावी नकदी प्रवाहों की कीमत का निर्धारण प्रतिबिंबित करेंगे जिनकी प्रतिष्ठान आस्ति से प्राप्त करने की आशा करता है।
- क2. यह परिशिष्ट वर्तमान मूल्य की संगणना में दो विरोधी दृष्टिकोण रखता है, जिसमें किसी को भी परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए आस्ति के प्रयोग में मूल्य के प्राक्कलन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 'पारंपरिक' दृष्टिकोण से, अनुच्छेद 'क1' में वर्णित तत्व (ख) - (ङ) के लिए समायोजनों को बट्टागत दर में अंतःस्थापित किया जाता है। 'प्रत्याशित नकदी प्रवाह' दृष्टिकोण के अंतर्गत तत्व (ख), (घ) एवं (ङ) से जोखिम समायोजित प्रत्याशित नकदी प्रवाहों तक आने के लिए समायोजन करने होते हैं। एक प्रतिष्ठान भावी नकदी प्रवाहों की राशि अथवा समय में संभव भिन्नताओं के बारे में प्रत्याशाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए जो भी दृष्टिकोण अपनाता है, वहां परिणाम भावी नकदी प्रवाहों अथवा सभी संभव परिणामों की भारित औसत के प्रत्याशित मौजूदा मूल्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

सामान्य सिद्धान्त

- क3. भावी नकदी प्रवाहों और ब्याज दरों के प्राक्कलन के लिए प्रयुक्त तकनीकों में विचाराधीन आस्ति के आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए एक स्थिति से दूसरी भिन्न होगी। तथापि, निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्त आस्तियों के माप में मौजूदा मूल्य तकनीकों के किसी प्रयोग को अधिशासित करते हैं :

- (क) बट्टागत नकदी प्रवाहों के लिए प्रयोग में ब्याज दरों में यह अवधारणाएं प्रदर्शित होनी चाहिए जो प्राक्कलित नकदी प्रवाहों में अन्तर्निहित से सापेक्ष हों। अन्यथा, कुछ पूर्व धारणाओं के प्रभाव दोहरे गिने जाएंगे अथवा उपेक्षित कर दिये जाएंगे। उदाहरण के लिए, 12 प्रतिशत की बट्टागत दर प्राप्य ऋणों के संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए लागू की जा सकती है। वह दर विशिष्ट प्रकार के ऋणों से भावी चूकों के बारे में प्रत्याशाओं को प्रतिबिंबित करती है। वही 12 प्रतिशत दर प्रत्याशित नकदी प्रवाह को बट्टागत करने के लिए प्रयोग नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वे नकदी प्रवाह पहले ही भावी चूकों के बारे में अवधारणाओं को प्रतिबिंबित करते हैं।
- (ख) प्राक्कलित नकदी प्रवाह अथवा बट्टागत दरें विचाराधीन आस्ति को एकांगी और असंबद्ध दोनों तत्वों से मुक्त होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आस्ति की प्रत्यक्ष भावी लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए जानबूझकर प्राक्कलित शुद्ध नकदी प्रवाहों को समझते हुए माप में पक्षपात को प्रारंभ करते हैं।
- (ग) प्राक्कलित नकदी प्रवाह अथवा बट्टागत दरों को संभव परिणामों की श्रेणी में प्रतिबिंबित करना चाहिए न कि न्यूनतम बिल्कुल एक अथवा अधिकतम संभावित राशि को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

वर्तमान मूल्य के लिए पारंपरिक एवं प्रत्याशित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण

पारंपरिक दृष्टिकोण

- क 4. वर्तमान मूल्य के लेखांकन प्रयोगों ने पारंपरिक रूप से प्राक्कलित नकदी प्रवाह के एकल सैट और एकल बट्टागत दर का प्रयोग किया है जिसे प्रायः “जोखिम के अनुरूप दर” के रूप में वर्णित किया जाता है। वस्तुतः पारंपरिक दृष्टिकोण से यह पूर्वानुमान होता है कि एकमात्र बट्टागत दर परिपाटी भावी नकदी प्रवाहों और उपयुक्त जोखिम प्रीमियम के बारे में सभी प्रत्याशाओं को सम्मिलित कर सकती है। इसलिए, पारंपरिक दृष्टिकोण बट्टागत दर के चयन पर अत्यधिक बल देता है।
- क 5. कुछ परिस्थितियों में, जिसमें तुलनीय आस्तियों को बाज़ार स्थल में देखा जा सकता है, अतएव पारंपरिक दृष्टिकोण लागू करना अपेक्षाकृत आसान है। अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों वाली आस्तियों के लिए, यह उस ढंग के अनुरूप है जिसमें बाज़ार स्थल सहभागी आस्तियों को वर्णित करते हैं जैसाकि ‘12 प्रतिशत बॉण्ड’ में।
- क 6. तथापि, पारंपरिक दृष्टिकोण से कुछ जटिल माप समस्याएं उचित रूप से नहीं हल की जा सकतीं जैसे गैर-वित्तीय आस्तियों का माप जिसके लिए मद अथवा तुलनीय मद का बाज़ार उपलब्ध नहीं है। “जोखिम के अनुरूप दर” के लिए समुचित अनुसंधान में कम से कम दो मदों के विश्लेषण की अपेक्षा है। एक वह आस्ति जो बाज़ार स्थान में मौजूद है और जिसकी अवलोकिता ब्याज दर है तथा आस्ति का माप किया जा रहा है। परिभाषित की जा रही नकदी प्रवाहों के लिए उचित बट्टागत दर उस अन्य आस्ति में अवलोकनीय ब्याज दर से अनुमानित होना चाहिए। उस निष्कर्ष के लिए, अन्य आस्ति के नकदी प्रवाहों की विशेषताओं को माप की जा रही उन आस्तियों में एकरूपता अवश्य होनी चाहिए। इसलिए, परिमापकर्ता को निम्नलिखित अवश्य करना चाहिए :
- (क) नकदी प्रवाहों के समुच्चय (सैट) का पता लगाना जिसे बट्टागत किया जाएगा;
- (ख) बाज़ार स्थल में दूसरी आस्ति का पता लगाना जिसकी समान नकदी प्रवाह विशेषताएं हों;
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए दो मदों से नकदी प्रवाह सैटों की तुलना करना कि वे एक समान ही हैं। (उदाहरण के लिए, क्या दोनों सैट अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह हैं, अथवा एक अनुबंधात्मक है और दूसरा एक प्राक्कलित नकदी प्रवाह है);
- (घ) यह मूल्यांकित करना कि क्या एक मद में एक तत्व है जो दूसरे में मौजूद नहीं है (उदाहरण के लिए, क्या एक दूसरे की अपेक्षा कम तरल है); और
- (ङ) यह मूल्यांकन करना कि क्या नकदी प्रवाह के दोनों सैटों की परिवर्तित आर्थिक स्थितियों में एक समान रीति में व्यवहार करने (अथवा भिन्न होने) की संभावना है।

प्रत्याशित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण

- क 7. कुछ स्थितियों में, प्रत्याशित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक प्रभावी माप है। माप के विकास में, प्रत्याशित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण एकल नकदी प्रवाह के स्थान पर संभावित नकदी प्रवाहों के बारे में सभी प्रत्याशाओं का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, नकदी प्रवाह 10 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की संभावनाओं के साथ क्रमशः 100 रु., 200 रु., अथवा 300 रु. हो सकता है। प्रत्याशित नकदी प्रवाह 220 रु. है। इस प्रकार, प्रत्याशित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण विचाराधीन नकदी प्रवाहों के प्रत्यक्ष विश्लेषण पर केन्द्रित करते हुए पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न होता है और माप में प्रयुक्त अवधारणाओं के अधिक स्पष्ट विवरणों पर होता है।
- क 8. प्रत्याशित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण मौजूद मूल्य तकनीकों के प्रयोग की अनुमति देता है जब नकदी प्रवाहों का समय अनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए, 1,000 रु. का नकदी प्रवाह क्रमशः 10 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत की संभावनाओं के साथ एक वर्ष, दो

वर्षों अथवा तीन वर्षों में प्राप्त किया जा सकता है। नीचे दिया गया उदाहरण उस स्थिति में प्रत्याशित वर्तमान मूल्य की संगणना को दर्शाता है:

5% पर एक वर्ष में 1,000 का वर्तमान मूल्य	रु. 952.38	
संभाव्यता	10.00 %	रु. 95.24
5.25% पर दो वर्षों में 1,000 का वर्तमान मूल्य	रु. 902.73	
संभाव्यता	60.00 %	रु. 541.64
5.50% पर तीन वर्षों में 1,000 का वर्तमान मूल्य	रु. 851.61	
संभाव्यता	30.00 %	रु. 255.48
प्रत्याशित वर्तमान मूल्य		रु. 892.36

क 9. रु. 892.36 का प्रत्याशित वर्तमान मूल्य रु. 902.73 (60 प्रतिशत की संभाव्यता) के सर्वोत्तम प्राक्कलन की पारंपरिक धारणा से भिन्न है। इस उदाहरण में प्रयोग में पारंपरिक वर्तमान मूल्य संगणना में प्रयोग के लिए नकदी प्रवाहों के संभव समय के बारे में निर्णय की अपेक्षा है और तदनुसार, अन्य समयों की संभाव्यताओं को प्रतिबिंबित नहीं करेगा। यह इस कारण है क्योंकि पारंपरिक वर्तमान मूल्य संगणना में बट्टागत दर समय में अनिश्चितताओं को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता।

क 10. संभावनाओं का प्रयोग प्रत्याशित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण का अनिवार्य तत्व है। कुछ प्रश्न हैं कि क्या उच्च व्यक्तिपरक प्राक्कलन वस्तुतः अस्तित्व रखने वाले की अपेक्षा अधिक यथार्थपरकता का सुझाव देता है। तथापि, पारंपरिक दृष्टिकोण का समुचित प्रयोग करने में (जैसा कि अनुच्छेद 'क 6' में वर्णित किया गया है) प्रत्याशित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण की संगणनात्मक पारदर्शिता को उपलब्ध करवाए बिना उन्हीं प्राक्कलनों एवं व्यक्तिपरकता की अपेक्षा है।

क 11. चालू प्रणाली में विकसित कई प्राक्कलनों में अनौपचारिक रूप से पहले ही प्रत्याशित नकदी प्रवाहों के तत्वों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, लेखाकार प्रायः संभव नकदी प्रवाहों की संभावनाओं के बारे में सीमित सूचना का प्रयोग करते हुए आस्ति के माप की आवश्यकता का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, लेखाकार निम्नलिखित स्थितियों का सामना कर सकते हैं :

(क) प्राक्कलित राशि कहीं-कहीं 50 रु. और 250 रु. के बीच हो सकती है लेकिन कोई राशि किसी अन्य राशि से अधिक होने की संभावना नहीं है। उस सीमित सूचना के आधार पर, प्राक्कलित प्रत्याशित नकदी प्रवाह $150 \text{ रु. } [(50+250) / 2]$ है।

(ख) प्राक्कलित राशि कहीं-कहीं 50 रु. और 250 रु. के बीच है और अधिक संभावित राशि 100 रु. है। तथापि, प्रत्येक राशि से संबद्ध संभावनाएं अज्ञात हैं। उस सीमित सूचना के आधार पर प्राक्कलित प्रत्याशित नकदी प्रवाह रु. $133 - 33 [50 + 100 + 250] / 3]$ है।

(ग) प्राक्कलित राशि 50 रु. (10 प्रतिशत संभावना), 250 रु. (30 प्रतिशत संभावना) अथवा 100 रु. (60 प्रतिशत संभावना) होगी। उस सीमित सूचना के आधार पर, प्राक्कलित प्रत्याशित नकदी प्रवाह $140 \text{ रु. } [50 \times 0.10 + (250 \times 0.30) + (100 \times 0.60)]$ है।

प्रत्येक मामले में, प्राक्कलित प्रत्याशित नकदी प्रवाह न्यूनतम की अधिक संभावना अथवा अधिकतम राशि की अपेक्षा प्रयोग मूल्य का बेहतर प्राक्कलन उपलब्ध करवाने की संभावना है।

क 12. प्रत्याशित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण का प्रयोग लागत-लाभ की विवशताओं के अधीन है। कुछ मामलों में, प्रतिष्ठान की व्यापक डाटा तक पहुंच हो सकती है और कई नकदी प्रवाह परिदृश्यों को विकसित कर सकता है। अन्य मामलों में, प्रतिष्ठान पर्याप्त लागत के बिना नकदी प्रवाहों की भिन्नता के बारे में सामान्य विवरणों की अपेक्षा विकास नहीं कर सकता। प्रतिष्ठान को उस लागत के संतुलन के लिए उस अतिरिक्त विश्वसनीयता के विरुद्ध अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता है जो सूचना माप करवाएगी।

क 13. कुछ लोगों का मत है कि प्रत्याशित नकदी प्रवाह तकनीकें एकल मद अथवा संभव परिणामों की सीमित संख्या की मदों के माप के लिए उपयुक्त नहीं हैं। वे दो संभव परिणामों सहित आस्ति के उदाहरण का प्रस्ताव करते हैं : 90 प्रतिशत संभावना के मामले में नकदी प्रवाह 10 रु. होगा और 10 प्रतिशत संभावना के मामले में नकदी प्रवाह 1,000 रु. होगा। वे मानते हैं कि उस उदाहरण में प्रत्याशित नकदी प्रवाह 109 रु. है और उस परिणाम की आलोचना करते हैं कि वह किसी भी राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करती जिसे अंततोगत्वा अदा किया जा सकता है।

क 14. उपर्युक्त विवरण से यह प्रतिबिंबित होता है कि माप के उद्देश्य के लिहाज से सहमति नहीं बनती है। यदि उद्देश्य खर्च की जाने वाली लागतों का संचय किया जाए तो प्रत्याशित नकदी प्रवाह प्रत्याशित लागत के विश्वसनीय प्राक्कलन का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत नहीं करते। तथापि, यह मानक आस्ति की वसूली योग्य राशि के माप से संबंधित है। इस उदाहरण में आस्ति की वसूली योग्य राशि 10 रु. होने की संभावना नहीं है, यद्यपि वह अधिक संभावित नकदी प्रवाह है। यह इस कारण है क्योंकि 10 रु. के माप आस्ति के माप में नकदी प्रवाह की अनिश्चितता को शामिल नहीं करता। इसके स्थान पर, अनिश्चित नकदी प्रवाह प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह निश्चित नकदी प्रवाह है। कोई विवेकी प्रतिष्ठान इन विशेषताओं वाली आस्ति को 10 रु. में नहीं बेचेगा।

बट्टागत दर

- क 15. प्रतिष्ठान एक आस्ति के प्रयोग मूल्य को मापने के लिए जिस किसी भी दृष्टिकोण को अपनाता है उसमें उन नकदी प्रवाहों को बट्टागत करने के लिए प्रयुक्त ब्याज दरों को जोखिम प्रतिबिंबित नहीं करनी चाहिए जिसके लिए प्राक्कलित नकदी प्रवाहों को समायोजित किया गया है। अन्यथा कुछ पूर्वानुमानों के प्रभाव की दोहरी गणना हो जायेगी।
- क 16. जब एक आस्ति विशिष्ट दर बाज़ार से सीधे उपलब्ध नहीं होती है तो प्रतिष्ठान बट्टागत दर के प्राक्कलन के लिए अन्य दरों का प्रयोग करता है। इसका प्रयोजन निम्नलिखित के लिए यथासंभव बाज़ार निर्धारण के लिए प्राक्कलन करना है :
- (क) आस्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक की अवधियों के लिए धन का समय मूल्य ; और
- (ख) उस सीमा तक अनुच्छेद क1 में वर्णित तत्वों (ख), (घ) एवं (ङ) जिस सीमा तक उन तत्वों को प्राक्कलित नकदी प्रवाहों तक पहुंचने में समायोजन नहीं किए गए हैं।
- क 17. ऐसे प्राक्कलन करते समय, प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में प्रतिष्ठान निम्नलिखित दरों को विचार में ले सकता है :
- (क) तकनीकों जैसे पूंजी आस्ति मूल्यांकन (प्राइसिंग) माडल का प्रयोग करते हुए प्रतिष्ठान की निर्धारित पूंजी की भारित औसत लागत ;
- (ख) प्रतिष्ठान की वृद्धिशील ऋण दर ; और
- (ग) अन्य बाज़ार उधार दरें।
- क 18. तथापि, इन दरों को अवश्य समायोजित किया जाना चाहिए:
- (क) उस तरीके को प्रतिबिंबित करना जिसमें बाज़ार आस्ति की प्राक्कलित नकदी प्रवाहों के साथ संबद्ध विशिष्ट जोखिमों का निर्धारण करेगा ; और
- (ख) उन जोखिमों को छोड़ना जो आस्ति की प्राक्कलित नकदी प्रवाहों के लिये प्रासंगिक नहीं हैं अथवा जिसके लिए प्राक्कलित नकदी प्रवाहों को समायोजित किया गया है।
- उन जोखिमों पर, जैसे देशपरक जोखिम, मुद्रा जोखिम तथा कीमत जोखिम, विचार किया जाना चाहिए।
- क 19. बट्टागत दर प्रतिष्ठान की पूंजी संरचना से स्वतंत्र है और जिस रूप में इकाई ने आस्ति की खरीद को वित्तपोषित किया है क्योंकि आस्ति से उद्भूत प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह उस पर आधारित नहीं है जिसमें कि प्रतिष्ठान ने आस्ति के क्रय को वित्त पोषित किया है।
- क 20. अनुच्छेद 55 पूर्व-कर दर के लिए प्रयुक्त होने वाले बट्टागत दर की अपेक्षा करता है। इसलिए, जब बट्टागत दर के प्राक्कलन के लिए प्रयुक्त आधार कर के बाद है तो वह आधार पूर्व कर दर को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।
- क 21. एक प्रतिष्ठान सामान्यतया आस्ति के प्रयोग मूल्य के प्राक्कलन के लिए एकल बट्टागत दर का प्रयोग करता है। तथापि, एक प्रतिष्ठान विभिन्न भावी अवधियों के लिए अलग बट्टागत दरों का प्रयोग करता है जहां प्रयोग मूल्य विभिन्न अवधियों के लिए जोखिमों में अन्तर के लिए संवेदनशील है अथवा ब्याज दरों की मियादी संरचना के लिए संवेदनशील है।

परिशिष्ट ख**अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ**

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 36 का अभिन्न अंग है।

यह परिशिष्ट उन परिशिष्टों को सूचीबद्ध करता है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं और भारतीय लेखा मानक 36 आस्तियों की क्षतिग्रस्तता का संदर्भ करते हैं।

1. परिशिष्ट क अमूर्त आस्तियाँ-वेबसाइट लागतें भारतीय लेखा मानक 38, अमूर्त आस्तियों में समाविष्ट।
2. परिशिष्ट क मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली एवं इसी प्रकार के दायित्वों में परिवर्तन-- भारतीय लेखा मानक 16 संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर में समाविष्ट।

परिशिष्ट ग**नकदी-जनक इकाईयों का ख्याति (गुडविल) एवं गैर-नियंत्रक हितों के साथ क्षतिग्रस्तता परीक्षण**

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

- ग 1. भारतीय लेखा मानक 103 के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता नीचे दिए गए (ख) से (क) की अधिकता के रूप में अधिग्रहण-तिथि को ख्याति (गुडविल) का माप करता है एवं मान्यता देता है:

(क) निम्नलिखित का जोड़ :

- (i) भारतीय लेखा मानक 103 के अनुसरण में माप किया गया अन्तरित प्रतिफल जिसमें सामान्यतया अधिग्रहण-तिथि पर उचित मूल्य की अपेक्षा होती है;
- (ii) भारतीय लेखा मानक 103 के अनुसरण में अधिग्रहणिति में किसी गैर-नियंत्रणकारी हित की मापी गई राशि; और
- (iii) चरणों में प्राप्त किए गए व्यवसायिक संयोजन में अधिग्रहणकर्ता का अधिग्रहण-तिथि उचित मूल्य जिसने अधिग्रहणिति में पूर्व में 'इक्विटी' हित धारित किया है।

(ख) भारतीय लेखा मानक 103 के अनुसरण में अधिग्रहीत पहचानने योग्य आस्तियों तथा मापी गई अनुमानित दायित्वों की अधिग्रहण-तिथि राशियों का निवल।

ख्याति (गुडविल) का आबंटन

- ग 2. इस मानक का अनुच्छेद 80 व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत ख्याति को अधिग्रहणकर्ता की प्रत्येक नकदी-जनक इकाईयों अथवा नकदी-जनक इकाईयों के समूहों जो संयोजन की सहक्रियाओं से लाभ के लिए प्रत्याशित हैं, को आबंटित करने की अपेक्षा करता है इस बात का ध्यान किये बिना कि अधिग्रहणिति की आस्तियाँ अथवा दायित्व उन इकाईयों अथवा इकाईयों के समूहों को निर्दिष्ट की गई हैं। यह संभव है कि व्यवसायिक संयोजन से उत्पन्न कुछ सहक्रियाएं नकदी-जनक इकाई को आबंटित की जाएंगी जिसमें गैर-नियंत्रणकारी हित की कोई दिलचस्पी नहीं है।

क्षतिग्रस्तता का परीक्षण

- ग 3. क्षतिग्रस्तता परीक्षण में नकदी-जनक इकाई की वसूली योग्य राशि की तुलना नकदी सृजक इकाई की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से किया जाना शामिल है।

- ग 4. यदि एक प्रतिष्ठान उचित मूल्य की अपेक्षा अधिग्रहण-तिथि को अनुषंगी की शुद्ध पहचानयोग्य आस्तियों में इसके समानुपातिक ब्याज के रूप में गैर-नियंत्रण हितों का माप करता है तो गैर-नियंत्रण हितों के लिए उत्तरदायी ख्याति (गुडविल) संबद्ध रोक सृजक इकाई की वसूली योग्य राशि में शामिल की गई हैं लेकिन मूल प्रतिष्ठान की समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य नहीं है। इसके परिणामस्वरूप एक प्रतिष्ठान गैर-नियंत्रण हित के लिए उत्तरदायी ख्याति (गुडविल) को शामिल करने के लिए इकाई को आबंटित ख्याति (गुडविल) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को संग्रहीत करेगा, यह समायोजित अग्रणीत (कैरिंग) राशि निधारित करने के लिए इकाई की वसूली योग्य राशि के साथ तब तुलना की जाएगी कि क्या नकदी-जनक इकाई क्षतिग्रस्त है।

क्षतिग्रस्तता हानि का आबंटन

- ग 5. अनुच्छेद 104 यह अपेक्षा करता है कि पता लगाई गई क्षतिग्रस्तता हानि को पहले इकाई को आबंटित ख्याति (गुडविल) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को कम करने के लिए आबंटित किया जाए और उसके बाद इकाई में प्रत्येक आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के आधार पर यथानुपात इकाई की अन्य आस्तियों पर।

- ग 6. यदि गैर-नियंत्रणकारी हित सहित अनुषंगी, अथवा अनुषंगी का कोई भाग, स्वयं में नकदी-जनक इकाई है तो क्षतिग्रस्तता हानि उसी आधार पर मूल प्रतिष्ठान और गैर-नियंत्रणकारी हित के बीच आबंटित की जाती है जिस पर लाभ अथवा हानि आबंटित की गई है।
- ग 7. यदि गैर-नियंत्रणकारी हित सहित अनुषंगी अथवा अनुषंगी का कोई भाग बड़ी नकदी-जनक इकाई का हिस्सा है तो ख्याति (गुडविल) क्षतिग्रस्तता हानियां नकदी-जनक इकाई के उन भागों को आबंटित की जाती है जिसका गैर-नियंत्रणकारी हित है और वह भाग है जिनका गैर-नियंत्रणकारी हित नहीं है। क्षतिग्रस्तता हानियों को निम्नलिखित के आधार पर नकदी-जनक इकाई के भागों को आबंटित किया जाना चाहिए :
- (क) उस सीमा तक कि क्षतिग्रस्तता नकदी-जनक इकाई में ख्याति (गुडविल) से संबंधित है, जो क्षतिग्रस्तता से पूर्व के भागों की ख्याति (गुडविल) का प्रासंगिक अग्रणीत (कैरिंग) राशि है ; और
- (ख) उस सीमा तक कि क्षतिग्रस्तता नकदी-जनक इकाई पहचानने योग्य आस्तियों से संबंधित हैं, जो क्षतिग्रस्तता के पूर्व भागों की शुद्ध पहचानने योग्य आस्तियों का प्रासंगिक अग्रणीत (कैरिंग) राशि है। इस प्रकार की कोई क्षतिग्रस्तता जो कि इकाई के भाग की प्रत्येक आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के आधार पर यथानुपात प्रत्येक इकाई की आस्तियों के लिए आबंटित की गई है।
- उन भागों में जिसका गैर-नियंत्रणकारी हित है तो क्षतिग्रस्तता हानि उसी आधार पर मूल प्रतिष्ठान एवं गैर-नियंत्रणकारी हित के बीच आबंटित किया गया है जिस पर कि लाभ या हानि आबंटित की गई है।
- ग 8. यदि एक गैर-नियंत्रणकारी हित के लिए उत्तरदायी क्षतिग्रस्तता हानि ख्याति (गुडविल) से संबंधित है जो मूल प्रतिष्ठान की समेकित वित्तीय विवरणी (अनुच्छेद ग 4 देखें) में मान्य नहीं है तो उस को ख्याति (गुडविल) क्षतिग्रस्तता हानि के रूप में मान्य नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में केवल ख्याति (गुडविल) से संबंधित क्षतिग्रस्तता हानि को, जिसे मूल प्रतिष्ठान को आबंटित किया गया है, ख्याति (गुडविल) क्षतिग्रस्तता हानि के रूप में मान्य किया गया है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 36 और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसंगी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 36, 'आस्तियों की क्षतिग्रस्तता' में यदि कोई मुख्य अन्तर हैं तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 36, 'आस्तियों की क्षतिग्रस्तता'

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 36 का अनुच्छेद 2 (च) यह उल्लेख करता है कि यह मानक उस निवेश संपत्ति पर लागू नहीं होगा जो उचित मूल्य पर मापी जाती है। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 36 इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं करता, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 40 केवल लागत मॉडल की ही अनुमति देता है।
2. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 36 के संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 36 में नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित समझा गया, 'आई ए एस' 1 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमबार अंगीकरण के अनुरूप भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101 भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
3. इस मानक में मौजूदा कानूनों से भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
4. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 113, 'उचित मूल्य माप' के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अनुच्छेद हटा दिये गये हैं। फिर भी, उनकी संख्याओं को रहने दिया गया है ताकि उनकी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 36 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे:
 - (i) अनुच्छेद 5(ख)
 - (ii) अनुच्छेद 25-27
5. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 36 में अनुच्छेद 91 - 95 'हटाये गये' के रूप में प्रदर्शित हैं। लेकिन, चूंकि अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 36 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे अतः इस आशय से भारतीय लेखा मानक 36 में उक्त अनुच्छेदों (अर्थात् 91-95) को रहने दिया गया है।
6. दृष्टांत उदाहरणों के निम्नलिखित संदर्भ चूंकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 36 के अभिन्न अंग नहीं हैं अतः इन्हें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 36 में सम्मिलित नहीं किया गया है:
 - (i) अनुच्छेद 47 में दृष्टांत उदाहरणों के उदाहरण 5 का संदर्भ प्रयोग मूल्य गणना पर भावी पुनर्संरचना के प्रभावों के उदाहरण

- (ii) अनुच्छेद 48 में दृष्टांत उदाहरणों के उदाहरण 6 का संदर्भ
 - (iii) अनुच्छेद 64 में दृष्टांत उदाहरणों के उदाहरण 3 का संदर्भ
 - (iv) अनुच्छेद 69 में दृष्टांत उदाहरणों के उदाहरण 1 का संदर्भ जिसमें प्रत्येक नकदी-सृजक ईकाई की पहचान के उदाहरण दिये गये हैं।
7. दृष्टांत उदाहरणों के संदर्भ स्वरूप निम्नलिखित अनुच्छेद चूंकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 36 के अभिन्न अंग नहीं हैं भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 36 से हटा लिये गये हैं। फिर भी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) और भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) दोनों की अनुच्छेद संख्याओं में परस्पर क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से भारतीय लेखा मानक में इन अनुच्छेद संख्याओं को रहने दिया गया है:
- (i) अनुच्छेद 103 दृष्टांत उदाहरणों के उदाहरण 8 का संदर्भ जिसमें निगमित आस्तियों की अपेक्षाओं के प्रयोग के उदाहरण दिये गये हैं।
 - (ii) अनुच्छेद 137 दृष्टांत उदाहरणों के उदाहरण 9 का संदर्भ जिसमें अनुच्छेद 134 व 135 के प्रकटनों के उदाहरण दिये गये हैं।
 - (iii) परिशिष्ट ग का अनुच्छेद ग-9 दृष्टांत उदाहरणों के उदाहरण 7 का संदर्भ - जिसमें ख्याति (गुडविल) सहित गैर-पूर्णस्वामित्व नकदी सृजक ईकाई की क्षतिग्रस्तता परीक्षण के उदाहरण दिये गये हैं।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 37

प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

इस मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मान्यता की उपयुक्त कसौटियों और माप आधारों को प्रावधानों, आकस्मिक दायित्वों एवं आकस्मिक आस्तियों पर लागू किया जाए और दी गई टिप्पणियों में इसके संबंध में पर्याप्त सूचना प्रकट की जाए ताकि उपयोगकर्ता उनकी प्रकृति, समय और राशि को समझ सकें।

कार्यक्षेत्र

1. इस मानक को समस्त प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर प्रावधानों, आकस्मिक दायित्वों एवं आकस्मिक आस्तियों के लेखे में लागू किया जाएगा:
 - (क) निष्पादन-योग्य अनुबंधों के परिणामस्वरूप सिवाय उनके जहाँ अनुबंध दूभर है; और
 - (ख) [देखें परिशिष्ट 1]।
 - (ग) जहाँ दूसरे भारतीय लेखा मानक लागू होते हैं।
2. यह मानक उन वित्तीय लिखतों (गारंटियों को सम्मिलित करते हुए) पर लागू नहीं होता है जो भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखतों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हैं।
3. निष्पादन-योग्य अनुबंधों वे अनुबंध हैं जिनके अधीन या तो किसी पक्ष ने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है या दोनों पक्षों ने समान सीमा तक ही अपने दायित्वों को आंशिक रूप से ही पूरा किया है। यह मानक निष्पादन-योग्य अनुबंधों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक कि वे दूभर न हों।
4. [देखें परिशिष्ट 1]
5. जहाँ यदि कोई अन्य मानक किसी विशेष प्रकार के प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्ति पर चर्चा करता है तब प्रतिष्ठान इस मानक की बजाय उसी मानक को लागू करता है। उदाहरणतया, कुछ विशेष प्रकार के प्रावधानों पर चर्चा निम्नलिखित मानकों में की गयी है :
 - (क) [देखें परिशिष्ट 1]
 - (ख) आयकर (देखें भारतीय लेखा मानक 12, आयकर)
 - (ग) पट्टे (देखें भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे)। लेकिन, चूंकि भारतीय लेखा मानक 17 में दूभर परिचालन पट्टों के लिए कोई विशेष अपेक्षाएं नहीं हैं, यह मानक ऐसे मामलों पर लागू होता है ;
 - (घ) कर्मचारी लाभ (देखें भारतीय लेखा मानक 19, कर्मचारी लाभ);

- (ड.) बीमा अनुबंध (देखें भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध*)। तथापि, यह मानक बीमाकर्ता के प्रावधानों, आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक आस्तियों पर तो लागू होता है, लेकिन, यह उन पर लागू नहीं होता जो भारतीय लेखा मानक 104, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बीमा अनुबंधों के अधीन अनुबंधात्मक बाध्यताओं और अधिकारों से उत्पन्न होते हैं;
- (च) एक व्यावसायिक संयोजन में एक अधिग्राहक (अधिग्रहणकर्ता) के आकस्मिक प्रतिफल (देखें भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन*); और
- (छ) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व (देखें भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व*) लेकिन, जैसे कि भारतीय लेखा मानक 115 के ग्राहकों के साथ उन अनुबंधों पर चर्चा करने के लिए विशेष अपेक्षाओं को समाविष्ट नहीं करता जो या तो दूभर है या फिर हो गये हैं, यह मानक इस प्रकार के मामलों पर लागू होता है।
6. [देखें परिशिष्ट 1]।
7. यह मानक प्रावधानों को अनिश्चित समय या राशि की दायित्वों की तरह परिभाषित करता है। 'प्रावधान' शब्द का प्रयोग कुछ ऐसी मदों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि मूल्यह्रास (अवक्षयण), आस्तियों की क्षतिग्रस्तता और संदिग्ध ऋण। ये आस्तियों की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों के समायोजन हैं और इन पर इस मानक में चर्चा नहीं की जाती।
8. अन्य भारतीय लेखा मानक यह निर्दिष्ट करते हैं कि व्ययों को आस्तियां माना जाए या खर्च। इस मानक में इन विषयों पर चर्चा नहीं की जाती है। तदनुसार, जब प्रावधान किया जाता है तो यह मानक न तो पहचानी गई लागतों के पूंजीकरण को आवश्यक मानता है न ही इसे प्रतिबंधित करता है।
9. यह मानक पुनर्संरचना (बंद परिचालनों सहित) के प्रावधानों पर लागू होता है। जहाँ पुनर्संरचना बंद परिचालनों की परिभाषा को पूरा करती है वहीं भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन* द्वारा अतिरिक्त प्रकटन अपेक्षित हो सकते हैं।

परिभाषाएं

10. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहाँ विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है:

एक *प्रावधान* अनिश्चित समय अथवा राशि का दायित्व है।

एक *दायित्व* भूतकाल की घटनाओं से उत्पन्न प्रतिष्ठान की वर्तमान बाध्यता है जिसके निपटान से आर्थिक लाभ वाले प्रतिष्ठान के आर्थिक लाभों से सन्निहित संसाधनों का बहिर्प्रवाह प्रत्याशित है।

एक *बाध्य घटना* वह घटना है जो कानूनी या प्रलक्षित बाध्यता को सृजित करती है जो प्रतिष्ठान के लिए बाध्यता के निपटान का कोई वास्तविक विकल्प नहीं देती।

एक *कानूनी बाध्यता* वह बाध्यता है जो निम्नलिखित से उत्पन्न होती है :

(क) एक अनुबंध (स्पष्ट या अंतर्निहित) से ;

(ख) विधान से ; अथवा

(ग) कानून के किसी अन्य परिचालन से।

एक *प्रलक्षित बाध्यता* वह बाध्यता है जो प्रतिष्ठान के निम्नलिखित कार्यों से उत्पन्न होती है:

(क) पिछली प्रथा द्वारा स्थापित प्रणाली, प्रकाशित नीतियों या वर्तमान में पर्याप्त रूप से कथन द्वारा एक प्रतिष्ठान अन्य पक्षों को यह संकेत देता है कि वह किन्हीं निश्चित उत्तरदायित्वों को स्वीकार करेगा, और

(ख) परिणामस्वरूप, प्रतिष्ठान अन्य पक्षों की ओर से एक वैध प्रत्याशा उत्पन्न करता है कि वह उन उत्तरदायित्व का वहन करेगा।

एक *आकस्मिक दायित्व* से तात्पर्य यह है :

(क) एक संभावित बाध्यता जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिनकी मौजूदगी एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि करती है जो कि प्रतिष्ठान के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं ; या

(ख) एक वर्तमान बाध्यता जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होती है और जो निम्नलिखित के कारण मान्य नहीं है:

(i) यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों से सन्निहित संसाधनों के बहिर्प्रवाह बाध्यता का निपटान करने के लिए अपेक्षित होंगे, अथवा

(ii) बाध्यता की राशि को पर्याप्त विश्वसनीयता से मापा नहीं जा सकता है।

एक आकस्मिक आस्ति एक संभावित आस्ति है जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसकी मौजूदगी एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि नहीं करती और वह प्रतिष्ठान के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है।

एक दूधर अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें अनुबंध के अंतर्गत बाध्यताओं को पूरा करने की अपरिहार्य लागतें प्रत्याशित लाभ से अधिक होती हैं।

पुनर्संरचना एक कार्यक्रम है जिसे प्रबंधन द्वारा योजनाबद्ध और नियंत्रित किया जाता है और यह निम्नलिखित दोनों में से किसी एक को विशेष रूप से परिवर्तित करता है:

(क) एक प्रतिष्ठान द्वारा किये गए व्यवसाय का कार्यक्षेत्र; या

(ख) तरीका, जिससे व्यवसाय का संचालन किया जाता है।

प्रावधान एवं अन्य दायित्व

11. प्रावधानों को अन्य दायित्वों, जैसे कि व्यापारिक देय और प्रोद्भूत से अलग किया जा सकता है क्योंकि इनमें निपटान के लिए भविष्य के खर्चों के समय अथवा राशि के बारे में अनिश्चितता रहती है। इसके विपरीत :

(क) व्यापारिक देय उस माल या सेवाओं के भुगतान के दायित्व हैं जो प्राप्त हो चुके हैं या जिनकी आपूर्ति हो चुकी है और उनके बीजक बन चुके हैं या उनके लिए औपचारिक ढंग से विक्रेता के साथ समझौता हो चुका है; और

(ख) प्रोद्भूत उस माल और सेवाओं के भुगतान दायित्व हैं जो प्राप्त हो चुके हैं या जिनकी आपूर्ति हो चुकी है लेकिन भुगतान नहीं किये गये हैं। इनका बीजक कटा नहीं है या औपचारिक ढंग से विक्रेता के साथ समझौता नहीं हुआ है। इनमें कर्मचारियों को देय राशियां भी सम्मिलित हैं (उदाहरणतया: प्रोद्भूत अवकाश वेतन से संबंधित राशि)। यद्यपि, कई बार प्रोद्भूत रकम अथवा समय का प्राक्कलन करना पड़ता है, परन्तु सामान्यतः प्रावधान के लिए निश्चितता बहुत कम होती है।

प्रायः प्रोद्भूतको व्यापारिक तथा अन्य देय के एक भाग के रूप में और प्रावधानों को अलग-से दर्शाया जाता है।

प्रावधानों और आकस्मिक दायित्वों के बीच संबंध

12. सामान्य रूप से, समस्त प्रावधान, आकस्मिक होते हैं क्योंकि वे समय या राशि की दृष्टि से अनिश्चित होते हैं। तथापि, इस मानक में 'आकस्मिक' शब्द दायित्वों और आस्तियों के लिए प्रयोग होता है जो मान्य नहीं होती हैं क्योंकि उनके विद्यमान होने की पुष्टि भविष्य की अनिश्चित घटनाओं, जो कि पूर्णतः प्रतिष्ठान के नियंत्रण में नहीं हैं, के होने या न होने से होंगी। इसके अतिरिक्त, शब्द 'आकस्मिक दायित्व' उन दायित्वों के लिए प्रयोग होता है जो कि मान्यता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं।

13. यह मानक, निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट करता है:

(क) प्रावधान, जिनको दायित्व के रूप में मान्यता की जाती है (यह मानकर कि इनका विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है) क्योंकि वे वर्तमान बाध्यता होती हैं और यह संभव है कि बाध्यताओं के निपटान के लिए आर्थिक लाभों से सन्निहित संसाधनों के बहिर्प्रवाह की अपेक्षा होगी; या

(ख) आकस्मिक दायित्व, जिनको दायित्वों के रूप में मान्यता नहीं की जाती है क्योंकि वे निम्नलिखित दोनों में से कोई एक होती हैं :

(1) संभावित बाध्यता, चूंकि इस बात की अभी पुष्टि होनी है कि क्या प्रतिष्ठान की ऐसी कोई वर्तमान बाध्यता है जिसके कारण आर्थिक लाभों से सन्निहित संसाधनों का बहिर्प्रवाह होगा; या

(2) वर्तमान बाध्यताएं, वे हैं जो इस मानक में मान्यता मानदण्ड को पूरा नहीं करती (क्योंकि या तो यह संभव नहीं है कि बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभों से सन्निहित संसाधनों के बहिर्प्रवाह की अपेक्षा रहेगी, या फिर बाध्यता की राशि का पर्याप्त विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

मान्यता

प्रावधान

14. किसी प्रावधान की मान्यता तब होगी, जब:

(क) किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप, किसी प्रतिष्ठान के पास वर्तमान बाध्यता (कानूनी या प्रलक्षित) हो ;

(ख) यह संभव हो कि बाध्यता के निपटान में आर्थिक लाभ से सन्निहित संसाधनों के बहिर्प्रवाह की अपेक्षा होगी; और

(ग) बाध्यता की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता हो।

यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाएगी।

वर्तमान बाध्यता

15. विरल मामलों में, वर्तमान बाध्यता स्पष्ट नहीं होती। ऐसे मामलों में, पूर्ववर्ती घटना से वर्तमान बाध्यता के होने का आभास होता है कि यदि समस्त उपलब्ध साक्ष्य ध्यान में रखे जाएं तो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में न होने की अपेक्षा वर्तमान बाध्यता के होने की अधिक संभावना होती है।
16. प्रायः सभी मामलों में यह स्पष्ट होगा कि क्या पूर्व घटना वर्तमान बाध्यता को जन्म दे चुकी है। कुछ विरले मामलों में उदाहरणतया एक कानूनी मुकदमे में, यह विवाद का विषय है कि या तो कुछ घटनाएं घटी हैं या उन घटनाओं का परिणाम वर्तमान बाध्यता है। इस प्रकार के मामले में सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, उदाहरणार्थ, विशेषज्ञों की राय का समावेश करते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक प्रतिष्ठान यह निश्चित करता है कि क्या कोई बाध्यता विद्यमान है। विचार किये गये साक्ष्य में रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् की घटनाओं द्वारा प्रदत्त किसी अतिरिक्त साक्ष्य को भी सम्मिलित किया जाता है। ऐसे साक्ष्य के आधार पर :
- (क) जहाँ न होने की अपेक्षा इस बात के होने की अधिक संभावना हो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता विद्यमान है, प्रतिष्ठान किसी प्रावधान को मान्यता देता है (यदि मान्यता के मानदंड पूरे होते हों); और
- (ख) जहाँ इस बात की अधिक संभावना हो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कोई वर्तमान बाध्यता विद्यमान नहीं है, प्रतिष्ठान आकस्मिक दायित्व प्रकट करता है, जब तक कि आर्थिक लाभों से सन्निहित संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम न हो (देखें अनुच्छेद 86)।

पूर्व घटना

17. कोई पूर्व घटना जिसका परिणाम एक वर्तमान बाध्यता के रूप में है एक बाध्यकारी घटना कहलाती है। एक घटना के बाध्यकारी घटना होने के लिए यह अनिवार्य है कि उस घटना से उत्पन्न बाध्यता के निपटान के अतिरिक्त प्रतिष्ठान के पास कोई वास्तविक विकल्प न हो। यह मामला केवल वहाँ होता है:
- (क) जहाँ बाध्यता का निपटान विधि (कानून) द्वारा लागू किया जा सकता है; या
- (ख) प्रलक्षित बाध्यता के मामले में, जहाँ घटना(जोकि प्रतिष्ठान का कार्य हो सकता है) अन्य पक्षकारों में एक वैध प्रत्याशा पैदा करता है कि प्रतिष्ठान बाध्यता का पालन करेगा।
18. वित्तीय विवरण एक प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग अवधि के अंत की वित्तीय स्थिति को प्रकट करते हैं, न कि इसकी भविष्य की संभावित स्थिति को। इसलिए, वे लागतें जिनकी भविष्य में परिचालन के लिए आवश्यकता है उनके लिए प्रावधान की मान्यता नहीं की जाती। प्रतिष्ठान तुलन पत्र में केवल उन्हीं दायित्वों को मान्यता देता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रतिष्ठान में विद्यमान होती हैं।
19. एक प्रतिष्ठान के केवल उन्हीं भावी कार्यों को प्रावधानों के रूप में मान्यता दी जाती है जो (यानि इसके व्यवसाय के भावी संचालन) स्वतंत्र रूप से विद्यमान पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की बाध्यता के उदाहरण हैं, गैर-विधिक पर्यावरण क्षति के लिए शास्तियां (आर्थिक दंड) सफाई लागतें जो दोनों ही प्रतिष्ठान भावी कार्यों पर विचार किए बिना निपटान में आर्थिक लाभ से सन्निहित संसाधनों को बहिर्प्रवाह की ओर ले जायेंगी। इसी प्रकार, एक प्रतिष्ठान को एक तेल स्थापना की विस्थापन लागत का प्रावधान उस सीमा तक मान्य करना चाहिये जहाँ तक वह प्रतिष्ठान पहले से हुई क्षति को ठीक करने के लिए उत्तरदायी है। इसके विपरीत, कुछ मामलों में वाणिज्यिक दबाव या विधिक अपेक्षाओं के कारण, एक प्रतिष्ठान भविष्य में एक विशेष तरीके से परिचालन पर व्यय कर सकता है या ऐसा करने की आवश्यकता हो सकती है (उदाहरणतया, एक विशेष प्रकार की फैक्टरी में धुंआ छन्नी का लगाना)। एक प्रतिष्ठान अपने भावी कार्यों द्वारा भविष्य के व्यय से बच सकता है, बशर्ते वह परिचालन के तरीके बदल ले। ऐसे में उसके पास भावी व्यय के लिए कोई वर्तमान दायित्व नहीं है और उसे किसी प्रावधान की मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है।
20. एक बाध्यता में हमेशा एक अन्य पक्षकार भी होता है जिसके प्रति वह बाध्यता बनती है। इसके लिए उस पक्षकार की कोई पहचान जरूरी नहीं है जिसके प्रति बाध्यता है। वास्तव में, यह बाध्यता आम जनता के प्रति भी हो सकती है। क्योंकि, एक बाध्यता में हमेशा अन्य पक्षकार से को दी गई वचनबद्धता अंतर्निहित होती है, जिसका यह आशय होता है कि प्रबंधन अथवा बोर्ड के निर्णय से रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रलक्षित बाध्यता तब तक पैदा नहीं होगी जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पूर्व उन पक्षकारों को, जो निर्णय से प्रभावित होते हैं: पर्याप्त स्पष्ट रूप से निर्णय सूचित न कर दिया जाए, जिससे उन पक्षकारों में यह वैध प्रत्याक्षा पैदा हो जाए कि प्रतिष्ठान अपने उत्तरदायित्वों का पालन करेगा।
21. विधि (कानून) में परिवर्तन के कारण या प्रतिष्ठान के किसी कार्य के कारण (उदाहरणतया: एक पर्याप्त स्पष्ट सार्वजनिक वक्तव्य) के कारण जब एक प्रलक्षित बाध्यता का जन्म होता है, एक घटना की बाध्यता तत्काल उत्पन्न न होकर बाद में हो सकती है। उदाहरणतया: जब पर्यावरण में कोई क्षति हुई हो, हो सकता है उस समय क्षति की पूर्ति का कोई बाध्यता न हो। लेकिन, जब कोई नया कानून बन जाए और उसके अनुसार वर्तमान घटना के कारण हुई क्षति को सुधारना अनिवार्य हो जाये या जब प्रतिष्ठान जनता के बीच इसके सुधार का उत्तरदायित्व स्वीकार कर ले तब वह एक प्रलक्षित बाध्यता बन जाती है।

22. जहाँ प्रस्तावित नये कानून के प्रस्ताव को अन्तिम स्वरूप देना शेष हो तो बाध्यता तभी उत्पन्न होगी जब प्रारूप के अनुसार कानून बन जाए और उसे लागू करना वास्तव में निश्चित हो जाए। इस मानक के प्रयोजनार्थ, ऐसी बाध्यता को कानूनी मान्यता दी है। कानून बनने की परिस्थितियों में अंतर आ जाने से यह कहना असंभव हो जाता है कि कौन-सी एक निश्चित घटना कानून को बनाना सुनिश्चित कर सकती है। अनेक मामलों में जब तक कानून बन न जाये तब तक इसके बारे में वास्तव में सुनिश्चित होना असंभव हो जाता है।

आर्थिक लाभों से सन्निहित संसाधनों का संभावित बहिर्प्रवाह

23. एक दायित्व की मान्यता के अर्हित होने के लिए, न केवल वर्तमान दायित्व का विद्यमान होना आवश्यक है बल्कि उस दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों से सन्निहित संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना भी आवश्यक है। इस मानक के प्रयोजन के लिए⁹, संसाधनों के बहिः प्रवाह या एक घटना के घटने की संभावना तभी बनती है जब घटना के घटने की संभावना घटना के न घटने से अधिक हो। जब यह संभव न हो कि कोई वर्तमान बाध्यता विद्यमान है, प्रतिष्ठान आकस्मिक बाध्यता का प्रकटन करता है, जब तक कि आर्थिक लाभों से सन्निहित संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना नगण्य न हो। (देखिए, अनुच्छेद 86)
24. जहाँ पर समान प्रकार की कई बाध्यताएं हों (उदाहरणतया: उत्पाद वारंटियां या इसी प्रकार की अनुबंधों) इस बात की संभावना कि निपटान में बहिर्प्रवाह आवश्यक होगा यह सभी बाध्यता की श्रेणी पर निर्भर करेगा। यद्यपि किसी एक मद के बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम हो सकती है तो भी यह संभव है कि बाध्यताओं की श्रेणी के निपटान के लिए कुछ संसाधनों का बहिर्प्रवाह आवश्यक है। यदि यह मामला है तो प्रावधान को मान्यता दे दी जाती है (बशर्ते मान्यता की अन्य कसौटियां पूरी हों)।

बाध्यता का विश्वसनीय प्राक्कलन

25. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्राक्कलनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन, इन प्राक्कलनों से विवरणों का विश्वसनीयता को कम नहीं होती है। यह उन प्रावधानों के संबंध में विशेषरूप से सत्य है जो अपनी प्रकृति के कारण तुलन-पत्र में अन्य मदों की अपेक्षा अधिक अनिश्चित हैं। सिवाय बहुत दुर्लभ मामलों में, एक प्रतिष्ठान संभावित परिणामों के परास (रेंज) को निश्चित करने में समर्थ होगा और इसलिए बाध्यता का अनुमान लगा सकता है जिसको प्रावधान की मान्यता के लिए विश्वसनीय रूप से प्रयोग किया जा सकता है।
26. अत्यंत दुर्लभ मामलों में, जहाँ कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता, एक दायित्व विद्यमान होता है जिसकी मान्यता नहीं की जा सकती है। उस दायित्व को एक आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकट किया जाता है। (देखें अनुच्छेद 86)

आकस्मिक दायित्व

27. एक प्रतिष्ठान एक आकस्मिक दायित्व को मान्यता नहीं देगा।

28. अनुच्छेद 8 की अपेक्षा अनुसार, एक आकस्मिक दायित्व को प्रकट किया जाता है बशर्ते आर्थिक लाभ से सन्निहित संसाधन के बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत ही कम है।
29. जहाँ कोई प्रतिष्ठान एक दायित्व के लिए संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी हो, दायित्व के उस भाग को, जिसे अन्य पक्षकारों द्वारा पूरा किये जाने की अपेक्षा है, आकस्मिक दायित्व माना जाता है। प्रतिष्ठान बाध्यता के उस भाग के लिए प्रावधान को मान्यता देता है जिसके लिए आर्थिक लाभ से सन्निहित संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव होता है, सिवाय उन अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों के जहाँ कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
30. आकस्मिक दायित्व ऐसे तरीके से विकसित हो सकता है जिसकी आरम्भ में कोई प्रत्याशा नहीं थी। इसलिए लगातार यह निर्धारित करने के लिए अनुमान लगाया जाता है कि क्या आर्थिक लाभों से सन्निहित संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना है। यदि यह संभावना है कि किसी ऐसी मद के लिए जिसको पूर्व अवधि में आकस्मिक दायित्व माना गया है, उसके लिए भावी आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी तो उस अवधि के वित्तीय विवरणों में जिसमें कि संभावना में परिवर्तन हुआ है, प्रावधान को मान्यता दी जाती है (सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों के, जहाँ पर कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है)।

⁹ यह जरूरी नहीं कि इस मानक में 'संभावित' शब्द की व्याख्या 'न होने की अपेक्षा, होने की अधिक संभावना' अन्य मानकों में भी लागू हो।

आकस्मिक आस्तियां**31. एक प्रतिष्ठान आकस्मिक आस्ति को मान्यता नहीं देता ।**

32. आकस्मिक आस्तियां आमतौर पर गैर-योजनागत या अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं जो प्रतिष्ठान के लिए आर्थिक लाभों के अंतर्प्रवाह की संभावना को उत्पन्न करती हैं। इसका उदाहरण यह है कि प्रतिष्ठान एक दावे का अनुसरण विधिक प्रक्रिया द्वारा कर रहा है जिसका परिणाम निश्चित नहीं है।
33. आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि इसने परिणामस्वरूप उस आय को मान्यता दी जा सकती है जिसे कभी वसूल नहीं किया जा सकता है। यद्यपि, जब आय प्राप्त करना वस्तुतः निश्चित है, तब संबंधित आस्ति आकस्मिक आस्ति को है, इसकी मान्यता उचित है।
34. अनुच्छेद 89 में यथोपक्षित आकस्मिक आस्ति को प्रकट किया जाता है, जहाँ पर आर्थिक लाभों का अन्तर्प्रवाह संभावित है।
35. आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण निरंतर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणों में घटनाओं को उपयुक्त तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। यदि यह वास्तव में निश्चित हो जाता है कि आर्थिक लाभों का अन्तर्प्रवाह उत्पन्न होगा, आस्ति और संबंधित आय को उस अवधि के वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में परिवर्तन हुआ है। यदि आर्थिक लाभों का अन्तर्प्रवाह संभावित हो जाता है तो प्रतिष्ठान आकस्मिक आस्ति प्रकट करता है। (देखें अनुच्छेद 89)

माप**सर्वोत्तम प्राक्कलन****36. प्रावधान की राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक व्यय का सर्वोत्तम अनुमान होगी ।**

37. वर्तमान बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक व्यय का सर्वोत्तम अनुमान वह राशि है, जिसका प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाध्यता के निपटान के लिए विवेकपूर्ण तरीके से भुगतान करेगा या उस समय तृतीय पक्षकार को अंतरित करेगा। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाध्यता के निपटान या अंतरण के लिए सामान्यतः यह असंभव या निषेधाकारी रूप से खर्चीला होगा। तथापि, प्रतिष्ठान द्वारा बाध्यता के निपटान या अंतरण के लिए विवेकपूर्ण तरीके से किये जाने वाले भुगतान की रकम का अनुमान, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक व्यय का सर्वोत्तम अनुमान प्रदान करता है।
38. परिणामों के अनुमानों और वित्तीय प्रभाव का निर्धारण प्रतिष्ठान के प्रबंधन के निर्णय पर होता है, जिसको इसी प्रकार के संव्यवहारों के अनुभव से और कुछ मामलों में, स्वतंत्र विशेषज्ञों की रिपोर्ट से अनुपूरित किया जाता है। विचार किए गए साक्ष्यों में रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् घटनाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कोई अतिरिक्त साक्ष्य भी सम्मिलित होते हैं।
39. प्रावधान के रूप में मान्य राशि के इर्द-गिर्द की अनिश्चितता और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न तरीकों से सुलझाया जाता है। जहाँ मापे जा रहे प्रावधान में अनेकानेक मर्दें अंतर्निहित होती हैं, बाध्यता का अनुमान उनकी सभी सम्बद्ध संभावनाओं द्वारा निकाले गए संभव निष्कर्षों को तोलकर किया जाता है। प्राक्कलन की इस सांख्यिकीय पद्धति का नाम 'प्रत्याशित मूल्य' है। अतः प्रावधान की राशि अलग होगी, जो निर्दिष्ट राशि की हानि की संभावना पर निर्भर करती है कि क्या यह, उदाहरणतया, 60 प्रतिशत या 90 प्रतिशत होगी। जहाँ संभावित निष्कर्षों का निरंतर परास (रेंज) है, तथा उस परास का प्रत्येक बिंदु उतना ही संभावित है जितना कि दूसरा, अतः सीमा/क्षेत्र/विस्तार के मध्य-बिंदु का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण

प्रतिष्ठान वारंटी के साथ वस्तुएं बेचता है, जिसमें ग्राहकों को क्रय के पश्चात् प्रथम छह माह के अंदर यदि कोई निर्माण संबंधी खामी दिखाई देती है उसकी मरम्मत की लागत मिलने की सुविधा होगी। यदि सभी बिक्री किए गए उत्पादों में कोई छोटी - मोटी खामियां नजर आती हैं तो मरम्मत की लागत रु. 1 मिलियन होगी। यदि सभी बिक्री किए गए उत्पादों में बड़ी खामियां का पता लगता है तो मरम्मत की लागत रु. 4 मिलियन होगी। प्रतिष्ठान के पूर्व अनुभव तथा भावी प्रत्याशा बताती हैं कि आगामी वर्ष में बेची गई 75 प्रतिशत वस्तुओं में कोई खामी नहीं होगी, बेची गई 20 प्रतिशत वस्तुओं में छोटी-मोटी खामियां होंगी और बेची गई 5 प्रतिशत वस्तुओं में बड़ी खामियां हो सकती हैं। अनुच्छेद 24 के अनुसार, प्रतिष्ठान प्रवाह की संभावना का अनुमान करता है।

मरम्मत की लागत का प्रत्याशित मूल्य है:

$$(\text{शून्य का } 75\%) + (1 \text{ मिलियन का } 20\%) + (5 \text{ मिलियन का } 5\%) = \text{रु. } 400,000$$

40. जहाँ एकल बाध्यता का माप किया जा रहा है, पृथक अत्यधिक संभावित निष्कर्ष बाध्यता का सर्वोत्तम अनुमान हो सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में भी, प्रतिष्ठान अन्य संभावित निष्कर्षों पर विचार करता है। जहां अन्य संभावित निष्कर्ष अत्यधिक संभावित निष्कर्ष से या तो अत्यधिक उच्चतर अथवा अत्यधिक निम्नतर राशि होगी, उदाहरणतया, यदि कोई प्रतिष्ठान अपने ग्राहक के लिए निर्मित प्रमुख संयंत्र के गंभीर दोष को ठीक करता है तो पृथक अत्यधिक संभावित निष्कर्ष प्रथम प्रयास में सफलता पाने हेतु मरम्मत की लागत रु.

- 1000 हो सकती है किन्तु यदि और अन्य प्रयासों को करने की आवश्यकता की पर्याप्त संभावना रहती है तो इसके लिए बड़ी राशि का प्रावधान निश्चित किया जाता है।
41. प्रावधान को कर पूर्व मापा जाता है, क्योंकि प्रावधान पर कर के परिणाम और उसमें परिवर्तनों को भारतीय लेखा मानक 12, के अधीन वर्णित किया जाता है।
- जोखिम एवं अनिश्चितताएं**
42. किसी प्रावधान के सर्वोत्तम अनुमान प्राप्त करने के लिए उन जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाएगा जो अनिवार्य रूप से कई घटनाओं तथा परिस्थितियों के इर्द-गिर्द रहती हैं।
43. जोखिम परिणामों की परिवर्तनशीलता पर चर्चा करता है। जोखिम का समायोजन उस रकम को बढ़ा सकता है जिस पर दायित्व का माप किया गया है। अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय करने में सावधानी की आवश्यकता होती है ताकि आय या आस्तियों को ज्यादा और व्यय तथा दायित्वों को कम वर्णित न किया जाये। यद्यपि अनिश्चितता अत्यधिक प्रावधान या दायित्व के जानबूझ कर अत्यधिक वर्णन को न्यायसंगत नहीं ठहराती। उदाहरणार्थ, किसी विशेष प्रतिकूल परिणाम की आँकी गयी अनुमानित लागत विवेक के आधार पर अनुमानित की जाती है, उस परिणाम को जानबूझ कर, जो स्थिति की वास्तविकता है, उससे अधिक संभावित नहीं माना जाता। जोखिम एवं अनिश्चितता के समायोजन में पुनरावृत्ति से बचने के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि अन्यथा प्रावधान की राशि पर चर्चा अधिक होगा।
44. व्यय की राशि के इर्द-गिर्द अनिश्चितताओं का प्रकटन अनुच्छेद 85 (ख) के अधीन किया जाता है।
- वर्तमान मूल्य**
45. जहां मुद्रा के समय-मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण (सारवान) है, वहां प्रावधान की राशि बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक प्रत्याशित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।
46. मुद्रा के समय-मूल्य के कारण, नकद बहिर्प्रवाह से संबंधित प्रावधान, जो रिपोर्टिंग अवधि के तुरंत बाद प्रकट होते हैं, बाद में उसी राशि के प्रकट होने वाले नकद बहिर्प्रवाह से अधिक दूधर होते हैं। अतः जहाँ प्रभाव अधिक सारवान हैं प्रावधानों की राशि को बढ़ागत किया जाता है।
47. बढ़ागत दर (दरें) कर-पूर्व दर (दरें) होंगी जो मुद्रा के समय-मूल्य तथा दायित्व से संबंधित विशिष्ट जोखिमों के चालू बाज़ार निर्धारणों को प्रदर्शित करेगी (करेंगी)। बढ़ागत दर (दरें)वे जोखिम प्रदर्शित नहीं करेगी (करेंगी) जिनके लिए भावी नकद प्रवाह प्राक्कलन समायोजित किये गये हैं।
- भावी घटनाएं**
48. भावी घटनाएं जो बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित राशि को प्रभावित कर सकती हैं उन्हें प्रावधान की राशि में परिलक्षित किया जाएगा जहाँ उनके घटित होने का पर्याप्त वस्तुपरक साक्ष्य उपलब्ध होता है।
49. प्रत्याशित भावी घटनाएं प्रावधानों के माप के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उदाहरणतया, एक प्रतिष्ठान यह विश्वास करता है कि स्थल को कार्य की समाप्ति पर साफ करने की लागत प्रौद्योगिकी में भावी परिवर्तनों के कारण कम हो सकती है। मान्य राशि में सफाई के समय उपलब्ध तकनीकी योग्यता, वस्तुपरक पर्यवेक्षण और प्रौद्योगिकी आदि के साक्ष्य परिलक्षित हो सकते हैं। अतः, उदाहरण के लिए, यह उचित होगा कि मौजूदा प्रौद्योगिकी के प्रयोग के अधिक अनुभव और प्रत्याशित कम लागत या मौजूदा प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग या सफाई के पहले की अपेक्षा अधिक जटिल परिचालन की प्रत्याशित लागत को शामिल किया जाए। लेकिन, एक प्रतिष्ठान यह आशा नहीं करता कि सफाई के लिए कोई पूरी तरह से नयी प्राद्योगिकी विकसित हो जाएगी बशर्ते ऐसा कोई इसके लिए स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करना संभव न हो।
50. यदि इस बात का पर्याप्त स्पष्ट साक्ष्य हो कि प्रस्तावित कानून लागू हो जाएगा तो लागू होने से पूर्व की संभावना का मौजूदा बाध्यता के माप पर प्रभाव विचार में लिया जा सकता है। लेकिन व्यवहार में उन अनेक परिस्थितियों में से उस घटना का विशेष रूप से उल्लेख करना असंभव है जो इस बात का स्पष्ट साक्ष्य प्रदान करती हों, इन दोनों बातों का साक्ष्य चाहिए कि कानून की मांग क्या होगी और क्या यह कानून निश्चित रूप से बन ही जाएगा और यथासमय कार्यान्वित भी हो जाएगा। अनेक मामलों में जब तक कानून बन नहीं जाता पर्याप्त स्पष्ट साक्ष्य विद्यमान नहीं होते हैं।
- आस्तियों का प्रत्याशित निपटान**
51. प्रावधान के माप में आस्तियों के प्रत्याशित निपटान से हुए लाभों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

52. आस्तियों के प्रत्याशित निपटान से हुए लाभों को प्रावधान के लिए विचार में नहीं लिया जाता है, चाहे प्रत्याशित निपटान के प्रावधान को उत्पन्न करने वाली घटना से निकटता का संबंध हो। इसके वितरीत, एक प्रतिष्ठान इस मानक द्वारा वर्णित संबंधित आस्तियों के संबंध में निश्चित समय पर आस्तियों के प्रत्याशित निपटान के लाभों को मान्यता देता है।

प्रतिपूर्तियां

53. जहां पर प्रतिपूर्तियां प्रावधान का निपटारा न करने के लिए अपेक्षित कुछ या संपूर्ण व्यय की दूसरे पक्षकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने की आशा है तो प्रतिपूर्ति को तभी और केवल तभी, मान्यता दी जाएगी जब वह वास्तव में निश्चित हो जाए कि प्रतिष्ठान द्वारा बाध्यता का निपटान कर देने पर प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रतिपूर्ति को अलग आस्ति माना जाएगा। प्रतिपूर्ति के लिए मान्य राशि प्रावधान की राशि से अधिक नहीं होगी।
54. लाभ- हानि के विवरण में, प्रावधान से संबंधित व्यय को प्रतिपूर्ति की मान्य राशि से शुद्ध करके दिखाया जा सकता है।
55. कई बार एक प्रतिष्ठान प्रावधान के निपटान के लिए व्यय के पूर्णतया या अंशतः दायित्व के भुगतान के लिए अन्य पक्षकार पर निर्भर हो सकता है। (उदाहरणतया बीमा अनुबंधों, क्षतिपूर्ति खंड या आपूर्तिकर्ताओं की वारंटियां)। अन्य पक्षकार प्रतिष्ठान द्वारा दी गई राशि की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं या प्रत्यक्ष भुगतान कर सकते हैं।
56. अधिकांश मामलों में, प्रतिष्ठान संबंधित संपूर्ण राशि के लिए उत्तरदायी होता है। प्रतिष्ठान को संपूर्ण रकम का भुगतान करना पड़ेगा यदि तीसरा पक्षकार किसी कारण से भुगतान नहीं कर पाता। इस स्थिति में दायित्व की संपूर्ण राशि के लिए प्रावधान को मान्यता दी जाती है और प्रत्याशित प्रतिपूर्ति के लिए एक अलग आस्ति को मान्यता दी जाती है बशर्ते जब यह निश्चित हो जाए यदि प्रतिष्ठान दायित्व का भुगतान कर देता है और उसकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी।
57. कुछ मामलों में, प्रतिष्ठान संबंधित लागतों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि तीसरा पक्षकार भुगतान करने में असमर्थ हो। इस प्रकार के मामलों में, प्रतिष्ठान का उन लागतों के लिए कोई दायित्व नहीं है और उनको प्रावधान में सम्मिलित नहीं किया जाता।
58. जैसा कि, अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि एक बाध्यता जिसके लिए प्रतिष्ठान संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी है, अन्य पक्षकारों द्वारा दायित्व के निपटान की प्रत्याशित सीमा तक आकस्मिक आस्ति है।

प्रावधानों में परिवर्तन

59. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को परिलक्षित करने के लिए उनमें समायोजन किए जाने चाहिए। यदि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभ से सन्निहित संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के निपटान करने के लिए आवश्यक होगा, तो प्रावधान को उलटा दिया जाएगा।
60. जहां बट्टे का उपयोग होता है तो प्रावधान रकम की अग्रणीत (कैरिंग) राशि प्रत्येक अवधि में बढ़ जाती है जो समय के व्यतीत होने को दर्शाती है। इस वृद्धि को उधार लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधानों का प्रयोग

61. एक प्रावधान का प्रयोग केवल उन्हीं खर्चों के लिए किया जाएगा जिनके लिए प्रावधान को मूल रूप से मान्य किया गया था।
62. केवल मूल प्रावधानों से संबंधित व्ययों को ही उसके विरुद्ध नियत किया जाता है। व्ययों को किसी ऐसे प्रावधान से नियत करना जिसको मूलतः किसी और प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई थी, दो अलग-अलग घटनाओं के प्रभाव को धारण करता है।

मान्यता एवं माप नियमों का प्रयोग

भावी परिचालन हानियां

63. भावी प्रचालन हानियों के लिए प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाएगी।
64. भावी परिचालन हानियां अनुच्छेद 10 में दायित्व की परिभाषा और प्रावधान को निर्धारित करने के अनुच्छेद 14 में सामान्य मान्यता कसौटियों को पूरा नहीं करती हैं।
65. भावी परिचालन हानियों की प्रत्याशा इस बात का संकेत है कि परिचालन की कुछ आस्तियों की क्षतिग्रस्तता हो सकती है। एक प्रतिष्ठान इन आस्तियों की क्षतिग्रस्तता का परीक्षण भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता* के अनुसार करता है।

दूभर अनुबंध

66. यदि किसी प्रतिष्ठान के पास कोई दूभर अनुबंध है तो अनुबंध के अधीन वर्तमान बाध्यता को मान्य किया जाएगा और प्रावधान के रूप में राशि को मापा जाएगा।

67. अन्य पक्षकार को क्षतिपूर्ति का भुगतान किये बिना, अनेक अनुबंध (उदाहरणतया कुछ रूटीन क्रय आदेश) रह किये जा सकते हैं। अतः इसके लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। अन्य अनुबंध, अनुबंधकर्ता पक्षकारों में से प्रत्येक के लिए अधिकार तथा बाध्यताएं स्थापित करते हैं। जहां घटनाएं ऐसे अनुबंध को दूभर बनाती हैं तो अनुबंध इस भारतीय लेखा मानक के कार्यक्षेत्र में आ जाता है और एक दायित्व बन जाता है और इसे मान्यता दी जाता है। चूंकि निष्पादक अनुबंध दूभर नहीं होती अतः वह इस मानक के कार्यक्षेत्र से बाहर रहता है।
68. इस भारतीय लेखा मानक में एक दूभर अनुबंध को ऐसे अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें अनुबंध के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने की अपरिहार्य लागतें इसके अधीन प्राप्त होने वाले प्रत्याशित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। एक अनुबंध के अधीन अपरिहार्य लागतें, अनुबंध से बाहर निकलने की न्यूनतम शुद्ध लागत दर्शाती हैं जो कि इसे पूरा करने की लागतें और इसे पूरा न कर पाने से अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति या शास्तियों से न्यूनतर होती हैं।
69. दूभर अनुबंध के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व, कोई प्रतिष्ठान उस अनुबंध से प्रतिबद्ध आस्तियों पर आयी किसी क्षतिग्रस्तता हानि का पता लगाता है (देखें भारतीय लेखा मानक 36)।

पुनर्संरचना

70. वे घटनाएं जो पुनर्संरचना की परिभाषा में आ सकती हैं, उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं :
- (क) एक व्यवसाय की बिक्री या समाप्ति;
 - (ख) एक देश में या क्षेत्र में व्यवसाय को बंद करना या एक देश या क्षेत्र से दूसरे देश अथवा क्षेत्र में पुनर्स्थापित करना ;
 - (ग) प्रबंधतंत्र संरचना में परिवर्तन, उदाहरण के लिए, प्रबंधतंत्र के एक स्तर को समाप्त कर देना; और
 - (घ) आधारभूत पुनर्संरगठन जिनका प्रतिष्ठान के परिचालनों की प्रकृति और क्रियाओं के केन्द्र-बिन्दु (फोकस) पर अधिक प्रभाव है।
71. पुनर्संरचना लागतों के लिए प्रावधान को केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब अनुच्छेद 14 में गई दिए गए प्रावधान के मान्यता की सामान्य कसौटियां पूरी होती हैं। अनुच्छेद 72- 83 यह निश्चित करते हैं कि कैसे पुनर्संरचना हेतु सामान्य मान्यता कसौटियां लागू होती हैं।
72. पुनर्संरचना के लिए प्रलक्षित बाध्यता तभी उत्पन्न होती है जब :
- (क) एक प्रतिष्ठान के पास पुनर्संरचना के लिए व्यापक व औपचारिक योजना है जिसमें कम से कम निम्नलिखित का पता लगाया जा सके :
 - (i) व्यवसाय या संबंधित व्यवसाय का भाग ;
 - (ii) प्रभावित प्रमुख कार्यस्थल ;
 - (iii) कार्यस्थल, कार्य तथा अनुमानित उन कर्मचारियों की संख्या जिनकी सेवा समाप्ति के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी ,
 - (iv) किया जाने वाला व्यय ; और
 - (v) योजना कब क्रियान्वित की जाएगी ; और
 - (ख) प्रतिष्ठान ने उससे प्रभावित कार्यस्थलों में यह वैध प्रत्याशा उत्पन्न कर दी है कि इस योजना का क्रियाव्ययन आरंभ करके या इससे प्रभावित लोगों में इसकी मुख्य विशेषताओं की घोषणा करके पुनर्संरचना की जाएगी।
73. प्रतिष्ठान ने पुनर्संरचना योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है, इससे संबंधित साक्ष्य दिए जायेंगे जैसा कि संयंत्र का विघटन या आस्तियों की बिक्री या योजना की मुख्य विशेषताओं से संबंधित सार्वजनिक घोषणा। पुनर्संरचना की विस्तृत योजना संबंधी सार्वजनिक घोषणा में पुनर्संरचना की प्रलक्षित बाध्यता केवल तभी होगी जब यह ऐसे ढंग से बनी हो तथा इससे ऐसे पर्याप्त व्ययों (अर्थात् योजना की मुख्य विशेषताएं निर्धारित हों) दिए हों जिससे अन्य पक्षकारों जैसा कि ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा कर्मचारियों (अथवा उनके प्रतिनिधियों) में यह वैध प्रत्याशा बनती हो कि प्रतिष्ठान पुनर्संरचना का कार्य करेगा।
74. प्रलक्षित बाध्यता दर्शाने वाली योजना, जब इससे प्रभावित पक्षकारों को सूचित कर दी जाती है इसके क्रियान्वयन की तैयारी यथाशीघ्र शुरू करने व उसे निर्धारित समय- सीमा में पूरा करने की, आवश्यकता होती है जिसके फलस्वरूप योजना में उल्लेखनीय परिवर्तनों की संभावना नहीं रहती। यदि इस बात की आशंका हो कि पुनर्संरचना कार्य रकम से पहले ही अनुचित रूप से विलंबित होता है या पुनर्संरचना कार्य अनुचित रूप से लम्बा समय लेता है, ऐसी स्थिति में अन्य पक्षकारों में यह वैध प्रत्याशा नहीं बनेगी कि प्रतिष्ठान फिलहाल पुनर्संरचना के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि उक्त समय- सीमा में प्रतिष्ठान के पास अपनी योजनाओं में परिवर्तन करने के अवसर रहते हैं।

75. प्रबंधन या बोर्ड द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पूर्व पुनर्संरचना संबंधी लिया गया निर्णय रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रलक्षित बाध्यता को नहीं दर्शाता जब तक कि प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पूर्व निम्नलिखित कार्य न कर दे :
- (क) पुनर्संरचना योजना क्रियान्वयन की शुरुआत: या
- (ख) पुनर्संरचना योजना की मुख्य विशेषताओं की उन प्रभावित पक्षकारों को स्पष्ट ढंग से की गई घोषणा, जिससे उनमें यह वैध प्रत्याशा पैदा हो गई हो कि प्रतिष्ठान पुनर्संरचना करेगा ।
- यदि प्रतिष्ठान पुनर्संरचना योजना क्रियान्वित करना शुरू कर देता है या प्रभावित पक्षकारों को इसकी मुख्य विशेषताएं घोषित कर देता है तो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् ही भारतीय लेखा मानक 10, *रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं*, यथावर्णित प्रकटन अपेक्षित है। यदि पुनर्संरचना महत्वपूर्ण है और गैर- प्रकटन के कारण उपयोगकर्ताओं द्वारा वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं ।
76. यद्यपि, कोई प्रलक्षित बाध्यता केवल प्रबंधन के निर्णय से ही उत्पन्न नहीं होता, तथापि यह बाध्यता ऐसे निर्णय के साथ पूर्व की अन्य घटनाओं का परिणाम भी हो सकते हैं। उदाहरणतया, कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ सेवा समाप्ति के भुगतानों के संबंध में या किसी परिचालन की बिक्री हेतु क्रेताओं से की गई बातचीत पूर्ण हो गई है किंतु उस पर बोर्ड का अभी अनुमोदन लिया जाना है। अनुमोदन प्राप्त होने पर और अन्य पक्षकारों को इसकी सूचना दिए जाने के बाद ही प्रतिष्ठान के लिए अनुच्छेद 72 की शर्तों को पूरा करने की स्थिति में, पुनर्संरचना की प्रलक्षित बाध्यता बनेगी ।
77. कुछ देशों में, अंतिम प्राधिकार बोर्ड के पास होता है। बोर्ड के सदस्यों में, प्रबंधन से भिन्न अन्य हिताधिकारियों के प्रतिनिधि (उदाहरणतया कर्मचारियों के) भी शामिल होते हैं। बोर्ड द्वारा निर्णय लिये जाने से पूर्व ऐसे प्रतिनिधियों को सूचित करना आवश्यक होता है। चूंकि ऐसे बोर्ड के निर्णय में इन प्रतिनिधियों को सूचित करना सम्मिलित होता है, अतः यह पुनर्संरचना हेतु प्रलक्षित बाध्यता बन जाती है।
78. एक परिचालन के विक्रय से कोई बाध्यता उत्पन्न नहीं होती जब तक कि प्रतिष्ठान विक्रय के लिए वचनबद्ध नहीं है अर्थात् वहाँ एक बाध्यकारी विक्रय करार है।
79. यदि प्रतिष्ठान ने किसी परिचालन की बिक्री का निर्णय ले भी लिया हो और सार्वजनिक रूप से निर्णय घोषित कर दिया हो तो भी प्रतिष्ठान एक विक्रय के लिए वचनबद्ध नहीं हो सकता जब तक कि क्रेता की पहचान न हो जाए और बाध्यकारी विक्रय करार निष्पादित न हो । जब तक बाध्यकारी विक्रय करार नहीं है तो प्रतिष्ठान के विचार में परिवर्तन आ सकता है, और वास्तव में उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा यदि उसे स्वीकार्य शर्तों पर क्रेता न मिल सके । जब एक परिचालन की बिक्री को पुनर्संरचना का भाग बन जाती है तो भारतीय लेखा मानक 36 के अधीन परिचालन की आस्तियों की क्षतिग्रस्तता की समीक्षा की जाती है। जब एक बिक्री पुनर्संरचना का केवल एक भाग होती है, बाध्यकारी बिक्री करार होने से पूर्व पुनर्संरचना के अन्य भागों के लिए प्रलक्षित दायित्व पैदा हो सकता है।
80. पुनर्संरचना की प्रावधान में केवल पुनर्संरचना से उत्पन्न प्रत्यक्ष व्ययों को सम्मिलित किया जाएगा जो कि निम्नलिखित दोनों हैं:
- (क) वे आवश्यक रूप से पुनर्संरचना पर खर्च हुए हैं ; और
- (ख) वे प्रतिष्ठान के चल रहे क्रियाकलापों से जुड़े नहीं हैं ।
81. पुनर्संरचना के प्रावधान में ऐसी लागतें सम्मिलित नहीं होती हैं:
- (क) कार्यरत कर्मचारियों की पुनर्स्थापना या पुनर्प्रशिक्षण ;
- (ख) विपणन; या
- (ग) नई प्रणालियों और वितरण नेटवर्कों में निवेश
- इन व्ययों का संबंध व्यवसाय के भविष्य के संचालन से है और वे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनर्संरचना के लिए दायित्व नहीं हैं। ऐसे व्ययों को उसी आधार पर मान्यता दी जाती है, जैसे कि वे पुनर्संरचना से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए हों ।
82. पुनर्संरचना की तारीख तक पहचानयोग्य भावी परिचालन हानियां प्रावधान में सम्मिलित नहीं की जाती हैं जब तक कि वे अनुच्छेद 10 में यथा परिभाषित दुर्भर अनुबंध से संबंधित न हों ।
83. अनुच्छेद 51 की अपेक्षा के अनुसार, आस्तियों के प्रत्याशित निपटान पर लाभों को सम्मिलित नहीं किया जाता है चाहे आस्तियों के निपटान को पुनर्संरचना के भाग के रूप में परिकल्पित किया गया हो ।

84. प्रावधान की प्रत्येक श्रेणी के लिए, प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
- (क) अवधि के आरंभ और अंत पर अग्रणीत (कैरिंग) राशि;
 - (ख) अवधि में किए गए अतिरिक्त प्रावधान, विद्यमान प्रावधानों में वृद्धि सहित;
 - (ग) अवधि के दौरान, प्रयुक्त राशि (अर्थात्: प्रावधान के विरुद्ध उत्पन्न और प्रभारित); तथा
 - (घ) अवधि के दौरान, अप्रयुक्त राशि को उलटाना ।
 - (ङ) समय बीत जाने के कारण बट्टागत राशि में अवधि के दौरान हुई वृद्धि तथा बट्टा दर में किए गए किसी परिवर्तन का प्रभाव ।

तुलनात्मक सूचना अपेक्षित नहीं है

85. प्रतिष्ठान को प्रावधान की प्रत्येक श्रेणी के लिए निम्नलिखित को प्रकट करना होगा :
- (क) बाध्यता की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण और किन्हीं आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह का प्रत्याशित समय ;
 - (ख) इन बहिर्प्रवाहों के बारे में समय या राशि की अनिश्चितता का संकेत । जैसा कि अनुच्छेद 48 में वर्णित है, किसी प्रतिष्ठान को संबंधित भावी घटनाओं के बारे में की गई मुख्य मान्यताओं को प्रकट करना होगा, यदि पर्याप्त सूचना को प्रदान करना अपेक्षित है; और
 - (ग) किसी प्रत्याशित प्रतिपूर्ति की राशि, उस आस्ति की राशि का उल्लेख करते हुए जिसको उस प्रत्याशित प्रतिपूर्ति के लिए मान्यता दी गई है।
86. जब तक निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम हो, किसी प्रतिष्ठान को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक दायित्व की प्रत्येक श्रेणी के लिए आकस्मिक की दायित्व प्रकृति के संक्षिप्त विवरण का प्रकटन करना होगा और जहाँ यह व्यावहारिक हो :
- (क) अनुच्छेद 36-52 के अधीन इसके मापे गये वित्तीय प्रभाव का अनुमान;
 - (ख) किसी बहिर्प्रवाह से संबंधित राशि या समय की अनिश्चितताओं का संकेत ; और
 - (ग) किसी प्रतिपूर्ति की संभावना ।
87. यह निर्धारित करने के लिए कि किस प्रावधान या किन आकस्मिक दायित्वों को एक श्रेणी बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, यह विचार करना आवश्यक है कि मदों की प्रकृति के बारे में एकल विवरण के लिए अनुच्छेद 85 (क) और (ख) और 86 के (क) और (ख) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से समान हैं। इस प्रकार विभिन्न उत्पादों की वारंटी से संबंधित प्रावधान को एकल श्रेणी में मानना उपयुक्त होगा, परंतु कानूनी कार्यवाही के तहत रकमों और सामान्य वारंटी से संबंधित राशियों को एकल श्रेणी राशि में मानना उपयुक्त नहीं होगा ।
88. जहाँ प्रावधान और आकस्मिक दायित्व एक ही प्रकार की परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं, कोई प्रतिष्ठान अनुच्छेद 84- 86 की अपेक्षा के अनुसार प्रकटन इस तरीके से करता है जो प्रावधान और आकस्मिक दायित्व के बीच की कड़ी को दिखाता है।
89. जहां आर्थिक लाभों का अन्तर्प्रवाह संभावित हो, प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक आस्तियों की प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन प्रकट करेगा और जैसा व्यावहारिक हो, उनके वित्तीय प्रभाव का प्राकलन, अनुच्छेद 36-52 में प्रावधानों के लिए निर्धारित सिद्धांतों का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करेगा।
90. यह महत्वपूर्ण है कि आकस्मिक आस्तियों के प्रकटन में आय होने संबंधी संभावनाओं के भ्रमित करने वाले संकेत न दिए जाएं ।
91. जहां पर अनुच्छेद 86- 89 द्वारा अपेक्षित किसी सूचना को प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि वहां जैसा करना व्यावहारिक नहीं है, उस तथ्य को बताना होगा ।
92. बहुत-ही दुर्लभ मामलों में प्रावधान, आकस्मिक दायित्व या आकस्मिक आस्ति के विषय के अनुच्छेद 84-89 में अपेक्षित सभी या कुछ सूचनाओं का प्रकटन अन्य पक्षकारों के साथ विवाद में, प्रतिष्ठान के विरोध में धारणा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मामलों में, प्रतिष्ठान को जानकारी प्रकट करना अपेक्षित नहीं है, परंतु विवाद की सामान्य प्रकृति के साथ यह तथ्य कि क्यों सूचना को प्रकट नहीं किया गया है, उसके कारणों को प्रकट करना होगा ।

परिशिष्ट क

विस्थापन, पुनर्बहाली एवं पर्यावरण-संबंधी पुनर्वास निधियों से उत्पन्न होने वाले हितों के अधिकार

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

1. विस्थापन, पुनर्बहाली एवं पर्यावरण संबंधी पुनर्वास निधियों, जिन्हें एतद् द्वारा 'विस्थापन निधियां' या 'निधियां' कहा जाएगा, का प्रयोजन आस्तियों को अलग - अलग करना है ताकि संयंत्र (जैसे कि नाभिकीय संयंत्र) या किसी उपस्कर के विस्थापन (जैसे कि कोर, या पर्यावरणीय पुनर्वास (जैसा कि जल प्रदूषण के सुधार या खनन भूमि का जीर्णोद्धार) ' के विस्थापन की कुछ अथवा समस्त लागतों को वित्तपोषित करना है।
2. इन निधियों में अंशदान स्वैच्छिक या विनियम या विधि द्वारा अपेक्षित हो सकता है। निधियां निम्नलिखित में से किसी एक रूप में हो सकती हैं ;
 - (क) वे निधियां जो एकल अंशदाता द्वारा अपने स्वयं के विस्थापित दायित्व के कारण चाहे एक ही विशेष स्थल के हो, या भौगोलिक दृष्टि से कई स्थानों पर बिखरें एक से अधिक स्थलों के हों, को वित्तपोषित करने के लिए स्थापित की जाती हैं।
 - (ख) वे निधियां, जो कई अंशदाताओं के द्वारा उनकी अलग-अलग या संयुक्त रूप से विस्थापित बाध्यताओं के वित्तपोषण हेतु स्थापित की जाती हैं, जब अंशदाता अपने अंशदानों तथा उन अंशदानों पर हुए कोई वास्तविक अर्जन, जिसमें से निधियां चलाने संबंधी लागतों के अपने हिस्से को कम करने के पश्चात् के विस्थापन व्ययों की प्रतिपूर्ति पाने के योग्य होते हैं। अंशदाताओं के लिए अतिरिक्त अंशदान देने का दायित्व हो सकता है, उदाहरणतया, किसी अन्य अंशदाता के दिवालिया हो जाने की स्थिति में।
 - (ग) वे निधियां जो कई अंशदाताओं द्वारा उनकी अलग-अलग या संयुक्त रूप से विस्थापित बाध्यताओं के वित्तपोषण हेतु स्थापित की जाती हैं, जब अंशदानों का अपेक्षित स्तर किसी अंशदाता की चालू गतिविधि पर आधारित होता है और उस अंशदाता द्वारा प्राप्त लाभ उसकी पूर्व गतिविधि पर आधारित होता है। ऐसे मामलों में अंशदाता द्वारा दिए गए अंशदान की राशि (चालू गतिविधि पर आधारित) तथा निधि से वसूली योग्य मूल्य (पूर्व गतिविधि पर आधारित) में संभावित बेमेल होता है।
3. ऐसी निधियों में सामान्यतया निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं :
 - (क) निधियां, स्वतंत्र न्यासियों द्वारा अलग-से अधिशासित की जाती हैं।
 - (ख) प्रतिष्ठान (अंशदाता) निधियों में अंशदान करते हैं, जिन्हें आस्तियों की एक श्रृंखला में निवेशित किया जाता है, ये निवेश ऋण और 'इक्विटी' दोनों में हो सकते हैं और ये अंशदाताओं की विस्थापित लागत के भुगतान में सहायता करने हेतु उपलब्ध होते हैं। न्यासी यह निर्धारित करते हैं कि निधि शासी दस्तावेजों तथा लागू किसी विधान या अन्य विनियमों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर अंशदानों का कैसे निवेश किया जाए।
 - (ग) अंशदाताओं के पास विस्थापन लागतों के भुगतान की बाध्यता रहती है। फिर भी अंशदाताओं को वहन की गई विस्थापित लागत तथा निधि की आस्तियों का अंशदाता के अंश में से जो कम हो, निधि से विस्थापित लागतों की प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाती है।
 - (घ) अंशदाताओं की विस्थापित लागतों को पूरा करने के पश्चात् शेष निधि की आस्तियों के किसी आधिक्य पर या तो सीमित अधिकार हो सकता है या कोई फिर अधिकार नहीं हो सकता।

कार्यक्षेत्र

4. यह परिशिष्ट, विस्थापित निधियों से प्राप्त हितों के लिए जिनमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएं होती हैं, अंशदाता के वित्तीय विवरणों में लेखांकन करने हेतु लागू होता है ;
 - (क) आस्तियां अलग-से प्रशासित की जाती हैं (या तो वे अलग विधिक प्रतिष्ठान में रखी जाती हैं या किसी अन्य प्रतिष्ठान में अलग आस्तियों के रूप में रखी जाती हैं) ; और
 - (ख) आस्तियों तक अंशदाता का पहुंच अधिकार सीमित होता है।
5. प्रतिपूर्ति के अधिकार से बाहर जाने वाले निधि में अवशिष्ट हित, जैसे कि समस्त विस्थापन कार्य पूरा हो जाने या निधि के समापन पर वितरण का संविदात्मक अधिकार, एक ' इक्विटी ' लिखत हो सकती है जो भारतीय लेखा मानक 109 के कार्यक्षेत्र में आएगी, न कि इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत।

मुद्दे

6. इस परिशिष्ट में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया है :
 - (क) एक अंशदाता निधि में अपने हितों का लेखा कैसे करेगा ?

- (ख) जब अंशदाता पर यह बाध्यता है कि वह अतिरिक्त अंशदान करे, उदाहरणतया अन्य अंशदाता के दिवालिया हो जाने की स्थिति में, तब वह उस बाध्यता का लेखा कैसे करेगा ?

लेखा सिद्धान्त

निधि में हित का लेखा

7. अंशदाता, विस्थापन लागतों के भुगतान को दायित्व के रूप में मान्यता देगा और निधि में अपने हित को पृथक मानेगा जब तक कि अंशदाता विस्थापन लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तर दायी न हो, बेशक निधि भुगतान न भी करे।
8. अंशदाता भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण*, भारतीय लेखा मानक 111, *संयुक्त व्यवस्थाएं* और भारतीय लेखा मानक 28, *सहायोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश* के संदर्भ में निर्धारित करेगा कि निधि पर उसका नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव है। यदि हां, तो अंशदाता निधि में अपने हित का लेखा उन भारतीय लेखा मानकों के अनुसार करेगा।
9. यदि किसी अंशदाता का निधि पर नियंत्रण, या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है तो अंशदाता भारतीय लेखा मानक 37 के अनुरूप निधि से प्रतिपूर्ति के रूप में प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता देगा और इस प्रतिपूर्ति का माप निम्नलिखित जो भी कम में से होगा उसके अनुसार करेगा :

(क) मान्य विस्थापन दायित्व की राशि ; और

(ख) अंशदाताओं से संबंधित निधि की शुद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में अंशदाता का भाग।

निधि में किए गए अंशदानों तथा उससे हुए भुगतानों से भिन्न प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार के अग्रणीत मूल्य में परिवर्तनों को जिस अवधि में ये परिवर्तन हुए हैं उसके लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

अतिरिक्त अंशदान करने के लिए बाध्यताओं का लेखा

10. जब किसी अंशदाता की संभावित अतिरिक्त अंशदान देने संबंधी बाध्यता हो, उदाहरणतया, अन्य अंशदाता के दिवालिया होने या यदि निधि की निवेश आस्तियों के मूल्य में इस सीमा तक गिरावट हो जाती है कि वे निधि की प्रतिपूर्ति की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हों, तो यह बाध्यता भारतीय लेखा मानक 37, के कार्यक्षेत्र के अधीन एक आकस्मिक दायित्व होती है। अंशदाता दायित्व को तभी मान्यता देगा जब अतिरिक्त अंशदान किया जाना संभावित हो।

प्रकटन

11. अंशदाता, निधि में अपने हितों की प्रकृति और निधि की आस्तियों तक पहुँच संबंधी प्रतिबंधों का प्रकटन करेगा।
12. जब अंशदाता पर संभावित अतिरिक्त अंशदान करने की बाध्यता हो, जिसे दायित्व के रूप में मान्यता न दी गयी हो तो वह भारतीय लेखा मानक 37, के अनुच्छेद 86 द्वारा यथापेक्षित प्रकटन करेगा।
13. जब अंशदाता अनुच्छेद 9 के अनुसार निधि में अपने हित का लेखा करता है तो वह भारतीय लेखा मानक 37, के अनुच्छेद 85 (ग) द्वारा यथापेक्षित प्रकटन करेगा।

परिशिष्ट ख

विशिष्ट बाज़ार अपशिष्ट विद्युती और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर में सहभागिता से उत्पन्न दायित्व¹⁰

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

1. भारतीय लेखा मानक 37 का अनुच्छेद 17 स्पष्ट करता है कि बाध्य घटना एक पूर्व घटना होती है जिसके कारण वर्तमान बाध्यता बनती है कि प्रतिष्ठान के पास उसके निपटान के सिवाए कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं है।
2. भारतीय लेखा मानक 37 को अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रावधान केवल 'पूर्व घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान बाध्यता जिनका प्रतिष्ठान के भावी कार्यों से कोई संबंध नहीं होता' के लिए मान्य होता है।
3. अपशिष्ट विद्युती और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर (डब्ल्यू इ एंड इ इ) संबंधी यूरोपीयन यूनियन के निदेश ने, जो अपशिष्ट (बेकार) उपस्कर के संग्रहण, प्रतिपादन, प्रति प्राप्ति और पर्यावरणीय दृष्टि से ठोस निपटान को विनियमित करता है, ये प्रश्न पैदा किए हैं कि अपशिष्ट (बेकार) विद्युती और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के विखंडन दायित्व को कब मान्यता दी जाए और यह निदेश 'नए और ऐतिहासिक'

¹⁰ यह परिशिष्ट यूरोपीयन यूनियन के संदर्भ में है। फिर भी, यदि भारत सहित अन्य देशों में इस प्रकार के विनियम मौजूद हैं तो इस परिशिष्ट के सिद्धान्त उनमें भी लागू होंगे।

अपशिष्ट और निजी घरेलू अपशिष्ट से भिन्न अपशिष्ट के बीच अंतर स्पष्ट करता है। नए अपशिष्ट 13 अगस्त 2005 के पश्चात् बेचे गए उत्पादों से संबंधित हैं। उक्त तिथि से पूर्व बेचे गए समस्त घरेलू उपस्कर निदेश के प्रयोजनार्थ ऐतिहासिक अपशिष्ट के रूप में लिए माने जाते हैं।

4. निदेश कहता है कि ऐतिहासिक घरेलू उपस्कर की अपशिष्ट प्रबंधन लागत, प्रत्येक सदस्य देश के लागू विधान में निर्दिष्ट अवधि (माप अवधि) के दौरान बाज़ार में उपलब्ध उस किस्म के उपस्कर का उत्पादन करने वाले उत्पादकों द्वारा वहन की जानी चाहिए। निदेश कहता है कि प्रत्येक सदस्य राज्य एक ऐसा तंत्र स्थापित करेगा जिसमें उत्पादक लागतों का अनुपातिक आधार पर, अर्थात् बाज़ार में उपस्कर की किस्म के अनुसार उनके संबंधित अंश के अनुपात में अंशदान करेंगे।
5. इस परिशिष्ट में उपयोग किए गए अनेक शब्दों जैसे कि 'बाज़ार अंश' और 'माप अवधि' अलग-अलग सदस्य देशों के लागू विधान में एकदम अलग परिभाषित हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, माप अवधि का विस्तार एक वर्ष या केवल एक माह हो सकता है। इसी प्रकार से, बाज़ार अंश के माप और बाध्यताओं की संगणना करने की विधि विभिन्न राष्ट्रीय विधानों में भिन्न हो सकती है। तथापि, ये सभी उदाहरण केवल बाध्यता के माप को प्रभावित करते हैं जो इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते।

कार्यक्षेत्र

6. यह परिशिष्ट, ऐतिहासिक घरेलू उपस्कर की बिक्रियों के संबंध में 'डब्ल्यू ई एंड ई ई' के यूरोपियन यूनियन के निदेश के अधीन उत्पादकों के वित्तीय विवरणों, अपशिष्ट प्रबंधन के दायित्वों की मान्यता के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
7. यह परिशिष्ट न तो नए अपशिष्टों पर और न ही निजी घरेलू से भिन्न स्रोतों के ऐतिहासिक अपशिष्टों पर विचार करता है। ऐसे अपशिष्ट प्रबंधन की दायित्व पर भारतीय लेखा मानक 37, में पर्याप्त विचार किया गया है। तथापि, यदि राष्ट्रीय विधान में निजी घरेलू नए अपशिष्ट को निजी घरेलू ऐतिहासिक अपशिष्ट के समान माना जाता है तो इस परिशिष्ट के सिद्धांत भारतीय लेखा मानक 8, के अनुच्छेद 10-12 के अनुक्रम के संदर्भ में लागू होंगे। भारतीय लेखा मानक 8 अनुक्रम उन अन्य विनियमों पर भी प्रासंगिक है, जो यूरोपियन निदेश में निर्दिष्ट लागत संबंधी मॉडल की तरह उसी प्रकार की बाध्यता लगाता है।

मुद्दा

8. यह परिशिष्ट 'डब्ल्यू ई एंड ई ई' के विस्थापन के संदर्भ में यह निर्धारित करता है कि भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 14 (क) के अनुरूप अपशिष्ट प्रबंधन लागतों संबंधी प्रावधानों की मान्यता हेतु बाध्यकारी घटना कैसे संस्थापित होती है :
 - ऐतिहासिक घरेलू उपस्कर का निर्माण या बिक्री ?
 - माप अवधि के दौरान बाज़ार में सहभागिता ?
 - अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के निष्पादन में लागतों का भारग्रहण ?

लेखा सिद्धांत

9. भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 14 (क) के अनुरूप, माप अवधि के दौरान बाज़ार में सहभागिता एक बाध्यकारी घटना है। इसके फलस्वरूप ऐतिहासिक घरेलू उपस्कर की अपशिष्ट प्रबंधन लागतों के लिए कोई दायित्व नहीं बनता क्योंकि ये उत्पाद या तो निर्मित किए गए हैं या बेचे गए हैं। चूंकि, ऐतिहासिक घरेलू उपस्कर संबंधी बाध्यता माप अवधि के दौरान बाज़ार में सहभागिता से संबद्ध है न कि निपटान किए जाने वाली मदों के उत्पादन या बिक्री से। अतः तब तक कोई बाध्यता नहीं होगी जब तक इसकी माप अवधि के दौरान बाज़ार में कोई भाग न हो। बाध्यकारी घटना का समय भी उस विशेष अवधि से असम्बद्ध होगा जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन निष्पादन से संबंधित गतिविधियां की जाती हैं तथा संबंधित लागतें वहन की जाती हैं।

परिशिष्ट ग

उगाही (लेवी)

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

1. एक सरकार एक प्रतिष्ठान पर एक उगाही (लेवी) लगा सकती है। प्रश्न उठता है कि भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां* के अनुसरण में लेखा के लिए उगाही (लेवी) को भुगतान के दायित्व को मान्यता कब दी जाए।

कार्यक्षेत्र

2. यह परिशिष्ट उस दायित्व के लेखे पर चर्चा करता है जो उगाही (लेवी) के भुगतान से संबंधित है। भारतीय लेखा मानक 37, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह उस उगाही (लेवी) के भुगतान से संबंधित है उस दायित्व के लेखे पर भी चर्चा करता है जिसका समय व राशि निश्चित है।

3. यह परिशिष्ट उन लागतों के लेखे पर चर्चा नहीं करता है जो उगाही (लेवी) के भुगतान से संबंधित दायित्व की मान्यता से उत्पन्न होती है। प्रतिष्ठान को चाहिए कि वह, यह निश्चित करने के लिए कि उगाही (लेवी) के भुगतान से आस्ति या व्यय का सृजन होता है या नहीं; संबंधित दायित्व की मान्यता के लिए अन्य मानकों का प्रयोग करें।
4. इस परिशिष्ट के प्रयोजन के लिए, उगाही (लेवी) आर्थिक हितों से सन्निहित संसाधनों का बहिर्प्रवाह होता है जिसे सरकारें प्रतिष्ठानों पर विधि के अनुसार (यानि कानूनों/या विनियमों द्वारा) लगाती है लेकिन, उनमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होते हैं:-
 - (क) संसाधनों के वे बहिर्प्रवाहों (आउटफ्लो) जो अन्य मानकों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं (जैसेकि, भारतीय लेखा मानक 12, आयकर);
 - (ख) कानून तोड़ने पर लगाए जाने वाले जुर्माने या अन्य शास्तियां।
 'सरकार' से अभिप्राय: सरकार, सरकारी एजेंसियां और इसी प्रकार के निकाय से है जो स्थानीय, राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं।
5. एक प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति के अधिग्रहण या सरकार के साथ अनुबंधात्मक करार द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया भुगतान उगाही (लेवी) की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है।
6. एक प्रतिष्ठान इस परिशिष्ट का प्रयोग उन दायित्वों के लिए भी नहीं करेगा जो व्यापार उत्सर्जन योजनाओं से उत्पन्न होते हैं।

मुद्दे

7. एक उगाही (लेवी) के भुगतान से संबंधित दायित्व के लेखे को स्पष्ट करने के लिए, यह परिशिष्ट निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करता है:-
 - (क) वह कौन-सी बाध्यकारी घटना है जो उगाही (लेवी) के भुगतान से संबंधित दायित्व की मान्यता का सृजन करती है।
 - (ख) वह कौन-सी आर्थिक विवशता है जो भावी अवधि में परिचालन जारी रखने के लिए उगाही (लेवी) का भुगतान करने की बाध्यता का सृजन करती है और वह परिचालन द्वारा भविष्य में भी उत्प्रेरित रहती है।
 - (ग) क्या चलायमान प्रतिष्ठान अवधारणा का अभिप्राय: यह है कि प्रतिष्ठान के लिए उगाही (लेवी) का भुगतान करने की मौजूदा बाध्यता है जो भावी अवधि में भी परिचालन द्वारा उत्प्रेरित रहेगी।
 - (घ) उगाही (लेवी) के भुगतान के दायित्व की मान्यता, क्या किसी एक समय या कुछ परिस्थितियों में एक समय के बाद क्रमशः उत्पन्न होगी ?
 - (ङ.) वह कौन-सी बाध्यकारी घटना है जो उगाही (लेवी) के भुगतान से संबंधित दायित्व की मान्यता का सृजन करती है और वह तब उत्प्रेरित होती है जब एक न्यूनतम सीमा पर पहुंचती है?
 - (च) क्या वार्षिक वित्तीय विवरणों और अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में उगाही (लेवी) भुगतान के दायित्व के सिद्धान्त एक ही हैं?

लेखा सिद्धांत

8. वह बाध्यकारी घटना, जो उगाही (लेवी) के भुगतान के दायित्व को उत्पन्न करती है, वह क्रिया है जो उगाही (लेवी) के भुगतान को उत्प्रेरित करती है और जो विधान-सम्मत है। उदाहरणतया, यदि चालू अवधि के दौरान, राजस्व की उत्पत्ति उगाही (लेवी) के भुगतान द्वारा होती है और उस उगाही (लेवी) की गणना गत अवधि में उत्पन्न राजस्व के आधार पर की जाती है तो उस उगाही (लेवी) की बाध्यकारी घटना चालू अवधि में राजस्व की उत्पत्ति है। वर्तमान बाध्यता की उत्पत्ति के लिए गत अवधि में राजस्व की उत्पत्ति आवश्यक तो है, लेकिन, पर्याप्त नहीं है।
9. एक प्रतिष्ठान आर्थिक रूप से भावी अवधि में परिचालन के लिए बाध्य होने के परिणामस्वरूप, इसके लिए प्रलक्षित बाध्यता नहीं रखता कि वह भविष्य में परिचालन द्वारा उत्प्रेरित होकर उगाही (लेवी) का भुगतान करें।
10. चलायमान प्रतिष्ठान की अवधारणा के अन्तर्गत, वित्तीय विवरण तैयार करने का अभिप्राय: यह नहीं है कि प्रतिष्ठान उगाही (लेवी) का भुगतान करने के लिए बाध्य है जो भावी अवधि में परिचालन द्वारा उत्प्रेरित होता है।
11. उगाही (लेवी) के भुगतान के दायित्व को मान्यता क्रमशः दी जाती है यदि बाध्यकारी घटना एक समय बाद घटती है। (जैसे कि उगाही (लेवी) के भुगतान की क्रिया, जो विधान-सम्मत है, उगाही (लेवी) के भुगतान को उत्प्रेरित करती है।) उदाहरणतया, यदि एक समय के बाद, राजस्व की उत्पत्ति एक बाध्यकारी घटना है तो तदनुसारी दायित्व को मान्यता दी जाती है जैसे-जैसे कि राजस्व की उत्पत्ति होती है।
12. यदि उगाही (लेवी) के भुगतान का दायित्व उस समय उत्प्रेरित होता है जब न्यूनतम सीमा पहुंच जाती है तो दायित्व से उत्पन्न बाध्यता इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 8-14 (विशेषकर अनुच्छेद 8 और 11) में स्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप होगी। उदाहरणतया, यदि बाध्यकारी घटना न्यूनतम क्रिया की सीमा तक पहुंच जाती है (जैसेकि, राजस्व की न्यूनतम सृजित बिक्रियां अथवा तैयार किया गया उत्पाद) तो तदनुसारी दायित्व को तब मान्यता दी जाती है जब न्यूनतम क्रिया की सीमा प्राप्त होती है।

13. एक प्रतिष्ठान अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में उन्हीं मान्यता सिद्धान्तों का प्रयोग करेगा जिनका वह वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में करता है। परिणामतया, अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में उगाही (लेवी) के भुगतान का दायित्व:
- (क) यदि अन्तरिम रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उगाही (लेवी) के भुगतान में कोई वर्तमान बाध्यता नहीं है तो वह मान्य नहीं होगा; और
- (ख) यदि अन्तरिम रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उगाही (लेवी) के भुगतान की वर्तमान बाध्यता रहती है तो वह मान्य होगा।
14. एक प्रतिष्ठान एक आस्ति को मान्यता देगा यदि उसने उगाही (लेवी) का पहले ही भुगतान कर दिया है, लेकिन, उस उगाही (लेवी) के भुगतान की अभी कोई वर्तमान बाध्यता नहीं है।

परिशिष्ट घ

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

इस परिशिष्ट में उन परिशिष्टों को सूचीबद्ध किया गया है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं तथा भारतीय लेखा मानक 37, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक आस्तियां के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं।

- (i) भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व में समाविष्ट परिशिष्ट ग सेवा रियायत व्यवस्थाएं तथा परिशिष्ट घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं; प्रकटन।
- (ii) भारतीय लेखा मानक 16 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर में समाविष्ट परिशिष्ट क मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली तथा इसी तरह के दायित्व।
- (iii) भारतीय लेखा मानक 17 पट्टे में समाविष्ट परिशिष्ट - ख पट्टे के कानूनी रूप में व्याप्त लेन-देनों के सार-तत्व का मूल्यांकन।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि यदि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 37 और तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 37 - प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां, आई एफ आर आई सी 5, विस्थापन, पुनर्बहाली, पर्यावरण सम्बन्धी पुनर्वास निधियों से उत्पन्न हितों के अधिकार और आई एफ आर आई सी 6, विशिष्ट बाजार - अपशिष्ट विद्युती एवं इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर में भागीदारी करने से उत्पन्न दायित्व के बीच यदि कोई प्रमुख अंतर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाये।

अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 37 प्रावधान, आकस्मिक दायित्वों एवं आकस्मिक आस्तियां, आई एफ आर आई सी 5, विस्थापन, पुनर्बहाली, पर्यावरण सम्बन्धी पुनर्वास निधियों से उत्पन्न हितों के अधिकार और 'आई एफ आर आई सी' 6, विशिष्ट बाजार - अपशिष्ट विद्युती एवं इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर में भागीदारी करने से उत्पन्न दायित्व एवं 'आई एफ आर आई सी' 21, उगाही (लेवी) के साथ तुलना

1. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 37 और 'आई एफ आर आई सी' 5 एवं 'आई एफ आर आई सी' 6 के संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक 37 में इसलिए नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध 'आई एफ आर एस' 1 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथम बार अंगीकरण के तदनुसूची भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथम बार अंगीकरण में, जहां भी उचित समझा गया, सम्मिलित कर लिये गये हैं।
2. इस मानक में भिन्न प्रकार की शब्दावली प्रयोग की गयी है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' तथा रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटनाओं के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने के लिए प्राधिकार' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदन' किया गया है।
3. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 37, में निम्नलिखित अनुच्छेदों को 'हटाया गया' के रूप में उल्लिखित किया गया है। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 37, की अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 37, के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, इस आशय से इन अनुच्छेदों को भारतीय लेखा मानकों 37, में जारी रखा गया है:
 - (i) अनुच्छेद 1 (ख)
 - (ii) अनुच्छेद 4
 - (iii) अनुच्छेद 5 (क)
 - (iv) अनुच्छेद 6

अमूर्त आस्तियां

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य उन अमूर्त आस्तियों के लिए लेखांकन पद्धति निर्धारित करना है जिनकी चर्चा किसी अन्य मानक में विशेषतौर पर नहीं की गयी है। यह मानक अपेक्षा करता है कि कोई प्रतिष्ठान किसी अमूर्त आस्ति को तभी, और केवल तभी, मान्यता देता है जब वह निर्धारित शर्तें पूरी करता हो। इस मानक में यह भी उल्लेख किया गया है कि अमूर्त आस्तियों की अग्रणीत राशि की गणना कैसे की जाये तथा इसमें अमूर्त आस्तियों को प्रकट करने संबंधी विशेष अपेक्षाएँ क्या हैं।

कार्यक्षेत्र

2. यह मानक निम्नलिखित को छोड़कर अमूर्त आस्तियों का लेखा करने के लिए प्रयुक्त किया जायेगा:

- (क) वे अमूर्त आस्तियां जो किसी अन्य मानक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं ;
- (ख) भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण* में यथापरिभाषित वित्तीय आस्तियां;
- (ग) खोज तथा मूल्यांकन आस्तियों की मान्यता तथा माप [देखें भारतीय लेखा मानक 106, *खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन*] ; और
- (घ) खनिजों, तेल, प्राकृतिक गैस तथा इसी प्रकार के अन्य गैर-पुनरुत्पादक संसाधनों के विकास तथा निकाले जाने पर खर्च ।

3. यदि किसी विशिष्ट किस्म की अमूर्त आस्ति के संबंध में किसी अन्य मानक के अंतर्गत लेखांकन निर्धारित हो तो वह प्रतिष्ठान इस मानक के स्थान पर उस मानक को लागू करेगा । उदाहरण के लिए यह मानक निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा :

- (क) सामान्य व्यवसाय के दौरान, किसी प्रतिष्ठान द्वारा बिक्री के लिए धारित अमूर्त आस्तियां [देखें भारतीय लेखा मानक 2, *सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)*] ।
- (ख) आस्थगित कर आस्तियां [देखें भारतीय लेखा मानक 12, *आयकर*]
- (ग) पट्टे जो भारतीय लेखा मानक 17, *पट्टे के कार्यक्षेत्र* में आते हैं।
- (घ) कर्मचारी लाभों से उद्भूत आस्तियां [देखें भारतीय लेखा मानक 19, *कर्मचारी लाभ*] ।
- (ङ) भारतीय लेखा मानक 32, में यथापरिभाषित वित्तीय आस्तियां । कुछ वित्तीय आस्तियों की मान्यता तथा माप, भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण* भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण* एवं भारतीय लेखा मानक 28, *सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश* के अन्तर्गत आता है।
- (च) किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित ख्याति (गुडविल) [देखें भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन*] ।
- (छ) भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध* के कार्यक्षेत्र में आने वाली बीमा अनुबंधों के अंतर्गत बीमाकर्ता के अनुबंधात्मक अधिकारों से उत्पन्न आस्थगित अर्जन लागतें तथा अमूर्त आस्तियां। भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध* आस्थगित अर्जन लागतों के लिए विशेष प्रकटन की अपेक्षाओं का उल्लेख करता है, न कि अमूर्त आस्तियों के लिए । अतः इस मानक में प्रकटन की अपेक्षाएँ उन अमूर्त आस्तियों पर लागू होंगी ।
- (ज) भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन* के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू अमूर्त आस्तियां (अथवा निपटान समूह में शामिल ऐसी आस्तियां जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत हैं) ।
- (झ) भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व* के अनुसरण में मान्य ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न आस्तियां।

4. कुछ अमूर्त आस्तियां किसी चीज के अन्दर या भौतिक वस्तु के रूप में हो सकती हैं जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के मामले में), कानूनी दस्तावेज़ (लाइसेंस अथवा पेटेंट के मामले में) अथवा फ़िल्म। यदि किसी आस्ति में अमूर्त अथवा मूर्त दोनों ही तत्व हों तो उसे भारतीय लेखा मानक 16, *संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर* के अंतर्गत माना जायेगा अथवा इस मानक के अंतर्गत अमूर्त आस्ति के रूप में । प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करता है कि कौन-सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक कम्प्यूटर-नियंत्रित मशीन टूल किसी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता अतः संबंधित हार्डवेयर के लिए वह सॉफ्टवेयर उसका अभिन्न अंग है और उसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण माना जायेगा । कम्प्यूटर परिचालन प्रणाली (ऑपरेटिंग

- सिस्टम) के लिए भी यही मानदंड लागू होता है। जब सॉफ्टवेयर संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग न हो तो उसे अमूर्त आस्ति माना जाता है।
5. यह मानक अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापन, प्रशिक्षण, शुरुआत, अनुसंधान और विकास-कार्यों पर लागू होता है। अनुसंधान और विकास गतिविधियों से ज्ञान का विकास होता है। इसलिए, यद्यपि इन गतिविधियों से ऐसी आस्तियों का निर्माण हो सकता है जो भौतिक रूप में विद्यमान हों (उदाहरणार्थ, एक प्रोटोटाइप) तथापि आस्ति के अमूर्त घटक अर्थात् उसमें निहित ज्ञान की तुलना में उसका भौतिक पक्ष गौण होता है।
 6. वित्तीय पट्टे के मामले में, उसके अंतर्गत आने वाली आस्ति मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी। प्रारंभिक मान्यता के बाद पट्टेदार इस मानक के अनुसार वित्तीय पट्टे के अंतर्गत रखी गयी अमूर्त आस्ति का लेखा करता है। चल-चित्र फिल्मों, वीडियो रिकार्डिंगों, नाटकों, पांडुलिपियों, पेटेंटों तथा स्वामित्वाधिकारों (कापीराइटों) आदि के लिए लाइसेंस करारों के अंतर्गत अधिकार भारतीय लेखा मानक 17, के कार्यक्षेत्र से बाहर रखे गये हैं और वे इस मानक के अंतर्गत आते हैं।
 7. इस मानक के कार्यक्षेत्र से बाहर वे गतिविधियाँ अथवा लेन-देन होंगे जो इतने विशेषज्ञतापूर्ण हों कि उनसे ऐसे लेखांकन मुद्दे उठें जिन पर अलग ढंग से कार्यवाई अपेक्षित हो। ऐसे मुद्दे खनन उद्योगों के मामले में तेल, गैस तथा खनिज पदार्थों की खोज, विकास व खुदाई पर हुए व्यय तथा बीमा अनुबंधों के लेखांकन के मामले में उठते हैं। इसलिए, यह मानक इस प्रकार की गतिविधियों एवं अनुबंधों पर लागू नहीं होता। बहरहाल, यह मानक प्रयुक्त हुई अन्य मानक आस्तियों (जैसे, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर) तथा खनन उद्योगों में हुए अन्य खर्चों (जैसे, शुरुआती लागतें) अथवा बीमाकर्तारों द्वारा किये गये खर्चों पर लागू होगा।
- 7कक भारतीय लेखा मानक 101, के परिशिष्ट घ के अनुच्छेद घ 22 में दिये गये अपवाद को छोड़कर, प्रथम लेखा मानक की रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से तत्काल पूर्व समाप्त हुई अवधि की वित्तीय विवरणों में मान्य टॉल सड़कों के संबंध में सेवा रियायत व्यवस्थाओं से उत्पन्न अमूर्त आस्तियों को जब प्रतिष्ठान परिशोधित करने के लिए चयन करता है, तो उस प्रतिष्ठान पर इस लेखा मानक में विनिर्दिष्ट परिशोधन विधि लागू नहीं होती है।

परिभाषाएं

8. मानक में प्रयुक्त शब्दावली यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयोग की गयी है :

परिशोधन का अर्थ है किसी अमूर्त आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान उसकी ह्रासमान राशि का व्यवस्थित ढंग से आवंटन।

आस्ति का अर्थ है ऐसा संसाधन :

(क) जो किसी प्रतिष्ठान द्वारा विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप नियंत्रित हो ; और

(ख) जिससे उस प्रतिष्ठान को भविष्य में आर्थिक लाभ मिलने की आशा हो।

अग्रणीत राशि वह राशि है जिस पर संचित परिशोधन एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानियां घटाकर तुलन-पत्र में किसी आस्ति को मान्यता दी जाती है।

लागत वह प्रदत्त नकदी अथवा नकदी-तुल्य राशि अथवा किसी अन्य प्रतिफल का उचित मूल्य है जो किसी आस्ति के अधिग्रहण अथवा निर्माण के समय अथवा जब लागू हो अन्य भारतीय लेखा मानकों, जैसे भारतीय लेखा मानक 102, *शेयर आधारित भुगतान* की विशेष अपेक्षाओं के अनुसार उक्त आस्ति के साथ प्रारंभिक रूप से सम्बद्ध हो।

मूल्यहास-योग्य राशि से तात्पर्य उस राशि से है जो किसी आस्ति की लागत अथवा लागत के एवज में लगायी जाने वाली राशि में से उसके शेष मूल्य को घटाकर बचता है।

विकास का अर्थ है उत्पादन के लिए अनुसंधान के निष्कर्षों अथवा अन्य जानकारी को योजना या डिज़ाइन की नयी अथवा पर्याप्त रूप से सुधारी गयी सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, कार्य-विधियों, कार्य-प्रणालियों अथवा सेवाएं को वाणिज्यिक उत्पादन के शुरु होने अथवा प्रयोग से पूर्व व्यवहार में लाना।

प्रतिष्ठान विशेष मूल्य नकदी प्रवाह का वह वर्तमान मूल्य है जो प्रतिष्ठान किसी आस्ति के सतत् प्रयोग से तथा उसके उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसके निपटान से पाने की आशा करता है अथवा किसी देयता के निपटान पर खर्च करने की आशा करता है।

आस्ति का उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अन्तरण पर अदा की जाती है, (देखें भारतीय लेखा मानक 113, *उचित मूल्य माप*)।

क्षतिग्रस्तता हानि वह राशि है जो किसी आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) लागत इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

अमूर्त आस्ति पहचान-योग्य वह गैर-मौद्रिक आस्ति है जो भौतिक रूप में विद्यमान नहीं होती है।

मौद्रिक आस्तियां वे धारित मुद्रा तथा प्राप्य आस्तियां हैं जो स्थिर या निर्धारित योग्य मुद्रा की राशियों के रूप में हों।

अनुसंधान वह मौलिक तथा सुनियोजित अनुसंधान या जाँच है जो नये वैज्ञानिक अथवा तकनीकी ज्ञान और समझ को प्राप्त करने के लिए की जाती है।

किसी अमूर्त आस्ति का **अवशिष्ट मूल्य** वह अनुमानित राशि है जो कोई प्रतिष्ठान किसी ऐसी आस्ति की अनुमानित निपटान लागत घटाकर वर्तमान में आस्ति को निपटान करके प्राप्त करेगा यदि वह आस्ति पहले ही अपना जीवन-काल और उस आस्ति का उपयोगी जीवनकाल पूरा होने पर संभावित स्थिति में उसे पूरा कर चुकी है।

उपयोगी जीवनकाल का अर्थ है :

- (क) वह अवधि जिसके दौरान कोई आस्ति किसी प्रतिष्ठान के उपयोग के लिए उपलब्ध रह सकती है; अथवा
- (ख) किसी प्रतिष्ठान को आस्ति से मिलने वाले प्रत्याशित उत्पादन अथवा उसी प्रकार की इकाइयों की संख्या।

अमूर्त आस्तियां

9. प्रतिष्ठान समय-समय पर अमूर्त संसाधनों के अधिग्रहण, विकास, अनुरक्षण अथवा बढ़ोतरी जैसे वैज्ञानिक अथवा तकनीकी जानकारी तथा नयी प्रक्रियाओं अथवा कार्य प्रणालियों के डिजाइन और कार्यान्वयन, लाइसेंसों, बौद्धिक संपदा, बाज़ार की जानकारी एवं ट्रेडमार्कों (ब्रांड-नामों और प्रकाशन स्वामित्वों सहित) पर अपने संसाधन खर्च करते हैं अथवा उन्हें इनके संबंध में देयतायें वहन करनी पड़ती हैं। इन प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत घरे में आने वाली मदों के सामान्य उदाहरण हैं, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट, चलचित्र फ़िल्में, ग्राहक-सूचियाँ, बंधक सेवा अधिकार, मछली पकड़ने के लाइसेंस, आयात के कोटे, विशेष विक्रय अधिकार (फ्रैंचाइज़), ग्राहक अथवा आपूर्तिकर्ता संबंध, ग्राहक-निष्ठा, बाज़ार का शेयर तथा विपणन अधिकार।
10. अनुच्छेद 9 में उल्लिखित सभी मदें अमूर्त आस्तियों की परिभाषा को पूरा नहीं करती जैसे कि पता लगाये जाने की योग्यता, किसी संसाधन पर नियंत्रण तथा भावी आर्थिक लाभों का अस्तित्व। यदि कोई मद इस मानक के अर्थ के अन्दर अमूर्त आस्ति की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती तो उसे अर्जित करने पर किया गया खर्च अथवा आंतरिक रूप से उसे सृजित करने पर जो खर्च होता है उसे व्यय के रूप में माना जाता है। बहरहाल, यदि ऐसी मद किसी व्यवसाय के संयोजन के दौरान अधिग्रहीत की जाती है तो वह अर्जन की तिथि पर ख्याति (गुडविल) का अंग मानी जाती है (देखें अनुच्छेद 68)।

पहचान-योग्यता

11. अमूर्त आस्ति की परिभाषा की अपेक्षा के अनुसार अमूर्त आस्ति पहचान योग्य होनी चाहिए ताकि उसे ख्याति (गुडविल) से अलग जाना जा सके। किसी व्यावसायिक संयोजन में मान्य ख्याति (गुडविल) वह आस्ति होती है जो किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अन्य आस्तियों से प्राप्त होने वाले ऐसे भावी आर्थिक लाभों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें न तो अलग-अलग रूप में पहचाना जाता है और न अलग ही माना जाता है। भावी आर्थिक लाभ उन अधिग्रहीत पहचान योग्य आस्तियों के बीच परस्पर ताल-मेल से मिलते हैं जो ऐसी आस्तियों से उद्भूत होते हैं और जो अलग-अलग होने पर वित्तीय विवरणों में मान्यता के योग्य नहीं होते।
12. **किसी आस्ति को पहचान-योग्य तब माना जाता है जब:**
 - (क) वह अलग है, अर्थात् वह अलग किये जाने योग्य हो अर्थात् उसे प्रतिष्ठान से अलग या विभाजित किया जा सकता हो और उसे या तो अलग-अलग से अथवा किसी संबद्ध अनुबंध के साथ पहचान योग्य आस्ति अथवा देयता के साथ प्रतिष्ठान ऐसा करना चाहता भी है अथवा नहीं इसका लिहाज किए बिना बेचा या हस्तांतरित किया जा सके या लाइसेंस या किराये पर दिया जा सके या फिर अदला-बदली की जा सकती हो; अथवा
 - (ख) वह अनुबंधात्मक अथवा अन्य कानूनी अधिकारों से उद्भूत हो भले ही वे अधिकार हस्तांतरण योग्य हों या प्रतिष्ठान से अलग करने योग्य हों अथवा अन्य अधिकारों और देयताओं से अलग किये जा सकते हों।

नियंत्रण

13. कोई भी प्रतिष्ठान किसी आस्ति को तब नियंत्रित करता है जब उस प्रतिष्ठान के पास अंतर्निहित संसाधनों से प्रवाहित होने वाले भावी लाभों को प्राप्त करने और उन लाभों को अन्य किसी के पास जाने देने से रोकने की शक्ति हो। किसी अमूर्त आस्ति से होने वाले भावी आर्थिक लाभों को नियंत्रित करने की किसी प्रतिष्ठान की क्षमता सामान्यतः उन वैध अधिकारों से उद्भूत होती है जब वे अधिकार किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय हों। वैध अधिकारों की अनुपस्थिति में नियंत्रण दिखा पाना अधिक कठिन हो जाता है। बहरहाल, किसी अधिकार को कानूनी रूप से लागू करना नियंत्रण की आवश्यक शर्त नहीं है क्योंकि कोई प्रतिष्ठान किसी अन्य ढंग से भी भावी आर्थिक लाभों को नियंत्रित कर सकता है।
14. बाज़ार और तकनीकी ज्ञान से भी भावी आर्थिक लाभ हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई प्रतिष्ठान इन लाभों को तब भी नियंत्रित कर सकता है जब यह ज्ञान वैध अधिकारों से सुरक्षित हो जैसे प्रकाशनाधिकार (कॉपीराइट), व्यापार करार का प्रतिबंध (जहाँ अनुमति हो) अथवा कर्मचारियों की गोपनीयता रखने संबंधी कानूनी ड्यूटी।

15. किसी भी प्रतिष्ठान में कुशल स्टाफ की टीम हो सकती है और वह प्रतिष्ठान स्टाफ की बढ़ती हुई कुशलता की आवश्यकता का पता लगा सकता है जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण से भावी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। वह प्रतिष्ठान यह भी आशा कर सकता है कि उसका स्टाफ प्रतिष्ठान को अपना कार्य कौशल उपलब्ध कराता रहेगा। बहरहाल, कुशल स्टाफ की टीम से मिलने वाले प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभों पर तथा अमूर्त आस्ति की परिभाषा को लागू करने हेतु उन मदों के लिए प्रशिक्षण से होने वाले भावी आर्थिक लाभों पर प्रतिष्ठान का सामान्यतः अपर्याप्त नियंत्रण होता है। ऐसे ही कारणों से विशेष प्रबंधन अथवा तकनीकी प्रतिभा तब तक अमूर्त आस्ति की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आयेगी जब तक कि उसके प्रयोग एवं उससे उद्भूत होने वाले भावी आर्थिक लाभों के लिए कानूनी अधिकार सुरक्षित न हो तथा वह परिभाषा की अन्य शर्तें पूरी न करती हो।
16. किसी प्रतिष्ठान के पास ग्राहकों का पोर्टफोलियो अथवा बाज़ार में हिस्सा हो सकता है तथा वह ऐसी उम्मीद कर सकता है कि उसके द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप ग्राहकों के साथ बने संबंध और निष्ठा की वजह से ग्राहक उस प्रतिष्ठान के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे। बहरहाल, प्रतिष्ठान के साथ ग्राहकों के संबंधों अथवा उनकी निष्ठा की सुरक्षा के वैध अधिकारों अथवा अन्य तरीकों के अभाव में प्रतिष्ठान के पास ऐसी मदों (उदाहरणार्थ, ग्राहकों का पोर्टफोलियो, बाज़ार में हिस्सा, ग्राहक संबंधों तथा ग्राहक-निष्ठा) आमतौर पर अमूर्त आस्तियों की परिभाषा को पूरा करने के लिए अपर्याप्त नियंत्रण होता है। ग्राहक संबंधों, उनके लिए विनिमय लेन-देन अथवा इसी प्रकार के गैर-अनुबंधात्मक ग्राहक संबंधों (व्यावसायिक संयोजन के भाग के अलावा) की सुरक्षा के कानूनी अधिकारों के अभाव में यह साक्ष्य प्रदान करना है कि उक्त प्रतिष्ठान फिर भी ग्राहक संबंधों से प्रवाहित होने वाले प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभों को नियंत्रित करने में सक्षम है। चूँकि ऐसे विनिमय लेन-देन यह साक्ष्य भी प्रदान करते हैं कि वे ग्राहक संबंध अलग किये जाने योग्य हैं जो ग्राहक-संबंध अमूर्त आस्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

भावी आर्थिक लाभ

17. किसी अमूर्त आस्ति से प्रवाहित होने वाले भावी आर्थिक लाभों में उत्पादों अथवा सेवाओं की बिक्री से मिलने वाला राजस्व, बचत लागत अथवा प्रतिष्ठान द्वारा प्रयोग में लायी जा रही आस्तियों के परिणामस्वरूप होने वाले अन्य लाभ शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी उत्पादन प्रक्रिया में बौद्धिक सम्पदा के प्रयोग से भावी राजस्व बढ़ने की बजाय भावी उत्पादन लागतें घट सकती हैं।

मान्यता एवं माप

18. किसी मद को अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता के लिए जरूरी है कि प्रतिष्ठान यह दिखाये कि वह मद निम्नलिखित शर्तों को पूरी करती है :
- (क) अमूर्त आस्ति की परिभाषा (देखें अनुच्छेद 8-17): और
- (ख) मान्यता मानदंड (देखें अनुच्छेद 21-23)
- यह अपेक्षा प्रारंभ में अमूर्त आस्ति अर्जित करने अथवा आन्तरिक रूप से सृजित करने के लिए आकस्मिक रूप से की गई लागतों और तत्पश्चात् की गयी उन लागतों को उसमें जोड़ने, उसे आंशिक रूप से बदलने अथवा उसकी सर्विस पर लागू होती है।
19. अनुच्छेद 25 से 32 तक में अलग से अर्जित अमूर्त आस्तियों पर लागू मान्यता मानदंडों को प्रयोग करने का उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद 33 से 43 तक में व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अमूर्त आस्तियों पर उनके प्रयोग होने का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि सरकारी अनुदान से अधिग्रहीत अमूर्त आस्तियों को प्रारम्भ में किस प्रकार मापा जाये, अनुच्छेद 45-47 में अमूर्त आस्तियों के विनिमय का उल्लेख है और अनुच्छेद 48-50 में आंतरिक रूप से सृजित ख्याति (गुडविल) के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख है। अनुच्छेद 51-67 में आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों की प्रारंभिक मान्यता और माप का उल्लेख है।
20. अमूर्त आस्तियों का स्वरूप ऐसा होता है कि अधिकांश मामलों में न तो उन आस्तियों की वृद्धि होती है और न ही इसके अंश बदलती हैं। तदनुसार, यह आशा है कि इस मानक में अमूर्त आस्ति और मान्यता मानदंड की परिभाषा पूरी करने की बजाय अधिकांश उत्तरवर्ती खर्चों को किसी वर्तमान अमूर्त आस्ति में विद्यमान भावी आर्थिक लाभ को बनाये रखने की संभावना है परन्तु इसके अतिरिक्त, बाद में होने वाला खर्च पूरे व्यवसाय की बजाय किसी विशेष अमूर्त आस्ति से सीधे रूप से संबद्ध करना प्रायः कठिन होता है। इसलिए बाद में किये जाने वाले खर्च अर्थात् अर्जित अमूर्त आस्तियों की प्रारंभिक मान्यता अथवा आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्ति की समाप्ति के बाद कभी कभार ही उत्तरवर्ती व्यय की आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में मान्यता मिलेगी। अनुच्छेद 63 के अनुरूप ब्राण्डों, मस्तूल शिखरों, प्रकाशन शीर्षों, ग्राहक सूचियों और तत्त्वतः एक जैसी वस्तुओं (चाहे बाहर से अधिग्रहीत की गयी हों अथवा आंतरिक रूप से सृजित हों) को लाभ अथवा हानि में खर्च के रूप में किया गया माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे खर्च को पूरे व्यवसाय के विकास पर किये जाने वाले खर्च से अलग नहीं किया जा सकता।
21. किसी अमूर्त आस्ति को तभी, और केवल तभी, अमूर्त आस्ति माना जायेगा, यदि
- (क) इस बात की संभावना हो कि उस आस्ति से प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ जो आस्ति से जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठान के पास ही आयेंगे : और

(ख) आस्ति की लागत का माप विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है।

22. कोई प्रतिष्ठान ऐसे तर्कसंगत एवं स्वीकार्य मान्यताओं का इस्तेमाल करते हुए प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभों की संभावना का अनुमान लगायेगा जो प्रबन्धन की सर्वोत्तम आर्थिक परिस्थितियों के प्राक्कलन का प्रतिनिधित्व करेंगी और जो आस्ति के सम्पूर्ण उपयोगी जीवनकाल में मौजूद रहेंगी।
23. कोई भी प्रतिष्ठान प्रारंभ में मान्यता के समय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आस्ति के प्रयोग से सम्बन्धित भावी आर्थिक लाभों के प्रवाह के साथ संबद्ध निश्चितता की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए निर्णय करता है और ऐसा करते हुए बाहरी साक्ष्यों को ज्यादा महत्व दिया जायेगा।
24. अमूर्त आस्ति को प्रारंभ में लागत पर मापा जायेगा।

पृथक अधिग्रहण

25. सामान्यतः, किसी अमूर्त आस्ति का अलग से अधिग्रहण करने के लिए जब कोई प्रतिष्ठान किसी मूल्य का भुगतान करता है तो इस संभावना की उम्मीदें परिलक्षित होती हैं कि उस आस्ति में अंतर्निहित प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ उस प्रतिष्ठान को जाएगा। दूसरे शब्दों में, वह प्रतिष्ठान वहां यह उम्मीद करता है कि उस आर्थिक लाभों के अंतर्प्रवाह का समय अथवा राशि भले अनिश्चित हो तब भी वे मिलते रहेंगे। इसलिए अनुच्छेद 21(क) में संभाव्य मान्यता के जिस मानदंड का उल्लेख है उसे अलग से अधिग्रहीत अमूर्त आस्तियों के लिए सतत् संतोषजनक होना समझा गया है।
26. इसके अतिरिक्त, अलग से अधिग्रहीत अमूर्त आस्ति की लागत का माप सामान्यतः विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। उस स्थिति में, यह विशेष रूप से तब ऐसा होता है जब खरीद की राशि नकद अथवा मौद्रिक आस्तियों के रूप में हो।
27. अलग से अधिग्रहीत अमूर्त आस्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:
- (क) उसका खरीद मूल्य जिसमें व्यापार बट्टा और छूट घटा कर आयात शुल्क तथा वापस न होने वाले क्रय-कर शामिल हैं; और
- (ख) उस आस्ति को वांछित उपयोग के लिए तैयार करने पर लगने वाली प्रत्यक्ष लागत।
28. प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित लागत के उदाहरण निम्नलिखित हैं:-
- (क) आस्ति को काम-चलाऊ हालत में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न कर्मचारी लाभों की लागतें [भारतीय लेखा मानक 19, में यथापरिभाषित];
- (ख) आस्ति को काम चलाऊ हालत में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न व्यावसायिक शुल्क; और
- (ग) इस बात की जाँच करने की लागत कि क्या आस्ति ठीक ढंग से कार्य कर रही है।
29. जो व्यय अमूर्त आस्ति की लागत का भाग नहीं है उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं :
- (क) कोई नया उत्पाद अथवा सेवा शुरू करने की लागत (विज्ञापन एवं प्रोत्साहन गतिविधियों की लागतों सहित);
- (ख) किसी नये स्थान पर व्यवसाय चलाने अथवा नयी श्रेणी के ग्राहकों के साथ व्यवसाय करने की लागत (स्टाफ़ के प्रशिक्षण के खर्च की लागत सहित); और
- (ग) प्रशासनिक तथा अन्य सामान्य उपरि लागतें।
30. अमूर्त आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में लागत की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब आस्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित ढंग से परिचालन योग्य आवश्यक स्थिति में हो। इसलिए, किसी अमूर्त आस्ति को प्रयोग में लाने अथवा पुनः प्रयोग के लिए खर्च की गयी राशि को उस आस्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, अमूर्त आस्ति की अग्रणीत राशि में निम्नलिखित लागतें शामिल नहीं होंगी :
- (क) की गई ऐसी लागतें जब प्रबंधन द्वारा वांछित ढंग से परिचालन योग्य किसी आस्ति को अभी प्रयोग में लाया जाना है; और
- (ख) प्रारंभिक परिचालन हानियाँ, जैसे कि ऐसी हानियाँ जो उस समय हुई हैं जब आस्ति से उद्भूत उत्पादन की माँग बन रही हो।
31. कुछ परिचालन कार्य अमूर्त आस्ति के विकास से संबंधित होते हैं, परन्तु वे प्रबंधन द्वारा वांछित ढंग से परिचालन योग्य आवश्यक स्थिति में उस आस्ति को लाने के लिए ज़रूरी नहीं होते। ऐसे प्रासंगिक परिचालन कार्य विकास गतिविधियों के दौरान और इसके पूर्व भी हो सकते हैं। चूँकि ऐसे प्रासंगिक परिचालन कार्य किसी आस्ति को उस स्थिति में लाने के लिए आवश्यक नहीं हैं जो प्रबंधन द्वारा वांछित ढंग से परिचालन करने में समर्थ होने के लिए आवश्यक हों। अतः प्रासंगिक परिचालनों से संबद्ध आय और व्यय को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान लिया जाता है और उन्हें आय और व्यय के संबंधित वर्गीकरण में शामिल कर लिया जाता है।

32. यदि किसी अमूर्त आस्ति का भुगतान सामान्य ऋण की अवधि से अधिक अवधि के लिए स्थगित किया जाता है तो उसकी लागत नकद कीमत के समान होती है। इस राशि और कुल भुगतान के बीच के अंतर को ऋण की अवधि पर ब्याज-खर्च का भुगतान माना जाता है बशर्ते उसका भारतीय लेखा मानक 23, *उधार लागतों* के अनुसार पूँजीकरण न किया गया हो।

व्यावसायिक संयोजन के भाग के रूप में अधिग्रहण

33. भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन* के अनुसार यदि किसी व्यावसायिक संयोजन में कोई अमूर्त आस्ति अधिग्रहीत की जाती है तो उस अमूर्त आस्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख को उसका उचित मूल्य होती है। अमूर्त आस्ति का उचित मूल्य इस बात की संभावना दर्शाता है कि आस्ति में अंतर्निहित प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान को मिलने के प्रति अधिग्रहण तिथि पर बाजार प्रतिभागियों की क्या आशाएं हैं। दूसरे शब्दों में, प्रतिष्ठान यह आशा करता है कि अंतः प्रवाह का समय और राशि भले ही अनिश्चित हों, आर्थिक लाभों का अंतः प्रवाह बना रहेगा। अतः अनुच्छेद 21 (क) में संभावित मान्यता के मानदंड को व्यावसायिक संयोजन में अर्जित आस्तियों के लिए हमेशा संतोषजनक माना जायेगा। यदि किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित किसी आस्ति को अनुबंधात्मक अथवा कानूनी अधिकारों से अलग किया जा सकता हो तो आस्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापने के लिए पर्याप्त सूचना मौजूद होती है। इस प्रकार अनुच्छेद 21 (ख) में व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अमूर्त आस्तियों के लिए विश्वसनीय माप मानदंड हमेशा पूरे हुए माने जाते हैं।

34. इस मानक तथा भारतीय लेखा मानक 103, के अनुरूप कोई अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति की अमूर्त आस्ति को अधिग्रहण की तारीख को ख्याति (गुडविल) से भिन्न, मान्यता प्रदान करेगा चाहे उस आस्ति को अधिग्रहणिति द्वारा व्यावसायिक संयोजन से पूर्व ही मान्यता दे दी गयी हो। इसका यह अर्थ है कि यदि परियोजना अमूर्त आस्ति की परिभाषा पर खरी उतरती हो तो अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति के प्रक्रियाधीन अनुसंधान और विकास परियोजना को ख्याति (गुडविल) से अलग से आस्ति के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अधिग्रहणिति के प्रक्रियाधीन अनुसंधान और विकास परियोजनायें अमूर्त आस्ति की परिभाषा तब पूरी करते हैं जब :

(क) वह आस्ति की परिभाषा पर खरा उतरता हों; और

(ख) वह पहचान योग्य हो अर्थात् अनुबंधात्मक अथवा कानूनी अधिकारों से अलग करने योग्य हो या उनसे उत्पन्न हो।

व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत अमूर्त आस्ति

35. यदि किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अमूर्त आस्ति को अनुबंधात्मक अथवा कानूनी अधिकारों से अलग किया जा सकता हो अथवा उनसे उत्पन्न हो तो आस्ति का उचित मूल्य विश्वसनीय ढंग से मापने के लिए पर्याप्त सूचना मौजूद होती है। अमूर्त आस्ति का उचित मूल्य मापने के लिए प्रयुक्त प्राक्कलनों के लिए जब विभिन्न संभावनाओं वाले संभव परिणाम हो सकते हों तो वह अनिश्चितता आस्ति का उचित मूल्य मापने के साथ जुड़ जाती है।
36. किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अमूर्त आस्ति को भले ही अलग किया जाने वाला हो सकता हो परंतु केवल संबंधित अनुबंध, पहचान योग्य आस्ति अथवा देयता के साथ ही अलग किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अधिग्रहणकर्ता ख्याति (गुडविल) से अलग उस अमूर्त आस्ति को मान्यता प्रदान करता है परन्तु संबंधित मद के साथ मान्यता देता है।
37. अधिग्रहणकर्ता पूरक अमूर्त आस्तियों के समूह को एक एकल आस्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकता है बशर्ते उस अलग-अलग आस्तियों का उपयोगी जीवन-काल एक जैसा ही हो। उदाहरण के लिए 'ब्राण्ड' और 'ब्राण्ड नेम' शब्द ट्रेडमार्क और अन्य मार्कों के लिए पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बहरहाल, 'ब्राण्ड' और 'ब्राण्ड नेम' शब्दों का प्रयोग पूर्व तथा सामान्य विपणन की शब्दावली के रूप में होता है जो ट्रेडमार्क (अथवा सेवामार्क) जैसी पूरक आस्तियों के समूह और उनके ट्रेड नामों, फ़ॉर्मूलों, भोजन बनाने की विधियों और तकनीकी कौशल के संदर्भ के लिए विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होते हैं।

- 38.-41. [देखें परिशिष्ट 1]

अधिग्रहीत प्रक्रियाधीन अनुसंधान एवं विकास परियोजना पर उत्तरवर्ती व्यय

42. अनुसंधान अथवा विकास व्यय जो :

(क) अलग-से अधिग्रहीत प्रक्रियाधीन अनुसंधान अथवा विकास परियोजना अथवा व्यावसायिक संयोजन से संबंधित हो तथा जिसे अमूर्त आस्ति मान लिया गया हो एवं

(ख) उस परियोजना के अधिग्रहण के बाद किया गया हो

उसका लेखा अनुच्छेद 54-62 के अनुसार किया जायेगा।

43. अनुच्छेद 54-62 की अपेक्षाओं को लागू करने का अर्थ है कि अलग-से अर्जित प्रक्रियाधीन अनुसंधान अथवा विकास परियोजना अथवा व्यावसायिक संयोजन में जिसे अमूर्त आस्ति माना गया हो :

(क) यदि यह अनुसंधान पर किया गया व्यय है तो इसे व्यय के रूप में मान्यता दी जायेगी;

- (ख) यदि यह विकास पर व्यय किया गया है तो इसे व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जो अनुच्छेद 57 में अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता के लिए मानदण्डों को पूरा न करता हो; और
- (ग) यदि वह ऐसा विकास व्यय है जो अनुच्छेद 57 के मान्यता सम्बन्धी मानदण्डों को पूरा करता है तो इसे अधिग्रहीत प्रक्रियाधीन अनुसंधान अथवा विकास परियोजना की अग्रणीत राशि में जोड़ा जाता है।

सरकारी अनुदान के रूप में अधिग्रहण

44. कुछ मामलों में, किसी अमूर्त आस्ति को निःशुल्क अथवा नाम मात्र के मूल्य पर अधिग्रहीत किया जा सकता है जो सरकारी अनुदान के रूप में हो सकती है। यह तब हो सकता है जब सरकार किसी प्रतिष्ठान को अमूर्त आस्तियाँ जैसे विमानपत्तन पर उतरने के अधिकार, रेडियो अथवा टेलीविजन स्टेशन चलाने का लाइसेंस, आयात लाइसेंस अथवा कोटा अथवा अन्य प्रतिबंधित संसाधनों तक पहुँचने का अधिकार देती है। भारतीय लेखा मानक 20, *सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन* के अनुसार कोई प्रतिष्ठान अमूर्त आस्तियों तथा अनुदान को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता देता है।

आस्तियों का विनिमय

45. किसी गैर-मौद्रिक आस्ति अथवा आस्तियों अथवा मौद्रिक और गैर-मौद्रिक आस्तियों के संयोजन के बदले में एक अथवा अधिक अमूर्त आस्तियाँ अधिग्रहीत की जा सकती हैं। आगामी विचार-विमर्श केवल एक गैर-मौद्रिक आस्ति का दूसरी गैर-मौद्रिक आस्ति से विनिमय के बारे में है परन्तु यह ऐसे सभी विनिमयों पर लागू होता है जो पूर्ववर्ती वाक्य में वर्णित हैं। इस प्रकार की अमूर्त आस्ति को तब तक उचित मूल्य पर मापा न जायेगा जब तक कि (क) विनिमय लेन-देन में वाणिज्यिक तत्व न हो अथवा (ख) न तो प्राप्त आस्ति और न ही छोड़ी जा चुकी आस्ति का उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से मापने योग्य न हो। यदि प्रतिष्ठान छोड़ी जा चुकी आस्ति को तत्काल अमान्य न कर सकता हो तब भी अर्जित आस्ति का माप इसी ढंग से किया जायेगा। यदि अर्जित आस्ति का माप उचित मूल्य पर न किया गया हो तो उसकी लागत का माप छोड़ी जा चुकी आस्ति की अग्रणीत राशि पर किया जायेगा।
46. कोई भी प्रतिष्ठान किसी लेन-देन के परिणामस्वरूप भावी नकदी प्रवाहों के परिवर्तित होने की संभावनाओं को देखते हुए इस बात का विचार करता है कि क्या विनिमय लेन-देन में वाणिज्यिक तत्व है। किसी विनिमय लेन-देन में निम्न प्रकार वाणिज्यिक तत्व होता है, यदि :

- (क) प्राप्त आस्ति के नकदी प्रवाहों का स्वरूप (अर्थात् जोखिम, समय और राशि) स्थानान्तरित आस्ति के नकदी प्रवाहों के स्वरूप से भिन्न हो; अथवा
- (ख) विनिमय के परिणामस्वरूप, लेन-देन के परिवर्तनों से प्रतिष्ठान के किसी अंश का प्रतिष्ठान से जुड़ा विशेष मूल्य प्रभावित होता हो; और
- (ग) विनिमय की गयी आस्तियों के उचित मूल्य के सम्बन्ध में (क) अथवा (ख) का अन्तर महत्वपूर्ण हो।

यह निर्णय करने के लिए कि किसी विनिमय लेन-देन में वाणिज्यिक तत्व है अथवा नहीं, उस लेन-देन से प्रभावित प्रतिष्ठान के परिचालनों के किसी अंश के लिए प्रतिष्ठान-विशेष के वाणिज्यिक तत्व नकदी प्रवाहों की कर पश्चात् की स्थिति को दर्शायेगा। प्रतिष्ठान विशेष की विस्तृत गणना किये बिना ही इन विश्लेषणों का परिणाम स्पष्ट हो जाएगा।

47. अनुच्छेद 21 (ख) में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी अमूर्त आस्ति की मान्यता के लिए शर्त है कि उससे आस्ति की लागत का माप विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। अमूर्त आस्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है यदि (क) उस आस्ति के तर्कसंगत उचित मूल्य अनुमानों की मापों में परिवर्तनीयता महत्वपूर्ण न हो, अथवा (ख) सीमा के अंदर विविध प्राक्कलनों की सम्भावनाओं का तर्कसंगत रूप से मूल्यांकन किया जा सकता हो और उचित मूल्य के माप में उसका प्रयोग किया जा सकता हो। यदि कोई प्रतिष्ठान प्राप्त आस्ति अथवा छोड़ी गयी आस्ति के उचित मूल्य का विश्वसनीय ढंग से माप करने में समर्थ हो तो छोड़ी गयी आस्ति का उचित मूल्य लागत का माप करने में इस्तेमाल किया जाता है जब तक कि प्राप्त आस्ति के उचित मूल्य का स्पष्ट साक्ष्य न हो।

आन्तरिक रूप से सृजित ख्याति (गुडविल)

48. **आन्तरिक रूप से सृजित ख्याति को आस्ति नहीं माना जायेगा।**
49. कुछ मामलों में, भावी आर्थिक लाभों को सृजित करने के लिए, खर्च किया जाता है परन्तु इससे ऐसी अमूर्त आस्ति का सृजन नहीं होता जो इस मानक के मानदण्डों के अनुसार मान्य हो। ऐसे खर्च को प्रायः आन्तरिक रूप से सृजित ख्याति में योगदान देने के लिए वर्णन किया जाता है। आन्तरिक रूप से सृजित ख्याति को आस्ति के रूप में नहीं माना जाता क्योंकि यह प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित पहचान योग्य ऐसा संसाधन नहीं है (अर्थात् न तो इसे अनुबंध अथवा अन्य विधिक अधिकारों से पृथक किया जा सकता है और न ही यह उनसे उद्भूत होता है) जिसे विश्वसनीय ढंग से लागत पर मापा जा सकता हो।

50. किसी भी समय किसी प्रतिष्ठान के उचित मूल्य तथा उसकी पहचान योग्य शुद्ध आस्तियों की अग्रणीत राशि के बीच का अन्तर अपने भीतर कई ऐसे तत्वों को समाविष्ट किए हो सकता है जो प्रतिष्ठान के उचित मूल्य को प्रभावित करता हो। तथापि, ऐसे अन्तर प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित अमूर्त आस्तियों की लागत को निरूपित नहीं करता है।

आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियां

51. कई बार निम्नलिखित कारणों से यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि आन्तरिक रूप से सृजित कोई अमूर्त आस्ति ऐसी माने जाने योग्य है अथवा नहीं:

- (क) इस बात की पहचान करना कि आन्तरिक रूप से कौन सी अमूर्त आस्ति प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ प्रदान करेगी और वह कब करेगी; और
- (ख) विश्वसनीय ढंग से आस्ति की लागत का निर्धारण करना। कुछ मामलों में आन्तरिक रूप से किसी अमूर्त आस्ति की लागत को सृजित करने की प्रतिष्ठान की आन्तरिक रूप से सृजित ख्याति को बढ़ाने अथवा बनाये रखने की लागत अथवा किये जा रहे दैनन्दिन कार्य को अलग नहीं किया जा सकता।

इसलिए, किसी अमूर्त आस्ति की मान्यता और प्रारम्भिक माप सम्बन्धी सामान्य अपेक्षाओं के साथ साथ कोई प्रतिष्ठान आन्तरिक रूप से सृजित सभी अमूर्त आस्तियों पर अनुच्छेद 52-67 की सभी अपेक्षाएं और मार्गनिर्देश लागू करता है।

52. आन्तरिक रूप से सृजित कोई अमूर्त आस्ति मान्यता के मानदण्ड पूरे करती है या नहीं, इस बात का अनुमान लगाने के लिए कोई प्रतिष्ठान आस्तियों के सृजन को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत करता है :

- (क) अनुसंधान चरण ; और
- (ख) विकास चरण

यद्यपि 'अनुसंधान' और 'विकास' शब्दों को परिभाषित किया गया है लेकिन 'अनुसंधान चरण' और 'विकास चरण' शब्दावली के अर्थ इस मानक के प्रयोजन के लिए और अधिक विस्तृत हैं।

53. यदि कोई प्रतिष्ठान अमूर्त आस्ति का सृजन करने की किसी आन्तरिक परियोजना में अनुसंधान के चरण को विकास के चरण से अलग नहीं कर पाता है तो वह प्रतिष्ठान इस परियोजना पर किए गए खर्च को ऐसा मानता है कि मानो वह केवल अनुसंधान पर किया गया खर्च था।

अनुसंधान चरण

54. अनुसंधान (अथवा आन्तरिक परियोजना के अनुसंधान चरण से) से उद्भूत किसी अमूर्त आस्ति को मान्यता नहीं मिलेगी। अनुसंधान (अथवा आन्तरिक परियोजना के अनुसंधान के चरण) पर किए गए किसी खर्च को खर्च के रूप में माना जायेगा।

55. किसी आन्तरिक परियोजना के अनुसंधान चरण में कोई प्रतिष्ठान यह प्रदर्शित नहीं कर सकता कि एक ऐसी अमूर्त आस्ति विद्यमान है जिससे संभावित भावी आर्थिक लाभों का सृजन होगा। इसलिए इस खर्च को खर्च के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब यह कर दिया जाता है।

56. अनुसंधान गतिविधियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :

- (क) जिन गतिविधियों का उद्देश्य नया ज्ञान प्राप्त करना हो ;
- (ख) अनुसंधान निष्कर्षों के प्रयोगों अथवा अन्य जानकारी के लिए अनुसंधान, मूल्यांकन और अन्तिम चयन;
- (ग) सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, कार्य प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए विकल्पों की अनुसंधान ; और
- (घ) नवीन अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, कार्य प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए संभावित विकल्प बनाने, डिजाइन करने, मूल्यांकन करने और उनका अन्तिम चयन करने के लिए।

विकास चरण

57. विकास (अथवा आन्तरिक परियोजना के विकास संबंधी चरण) से उद्भूत किसी अमूर्त आस्ति को तब मान्यता दी जायेगी जब वह प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी को प्रदर्शित कर सकेगा : -

- (क) अमूर्त आस्ति की तकनीकी व्यवहार्यता को पूरा करना ताकि वह प्रयोग अथवा बिक्री के लिए उपलब्ध हो।
- (ख) अमूर्त आस्ति और उसके प्रयोग अथवा विक्रय की उसकी इच्छा को पूरा करना।
- (ग) अमूर्त आस्ति के प्रयोग अथवा विक्रय की उसकी क्षमता।

- (घ) अमूर्त आस्ति किस प्रकार संभावित भावी आर्थिक लाभ सृजित करेगी। अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिष्ठान अमूर्त आस्ति के उत्पादन (आउट पुट) अथवा अमूर्त आस्ति के लिए बाजार अथवा अमूर्त आस्ति स्वयं के अस्तित्व को प्रदर्शित कर सकता है अथवा यदि उसका प्रयोग आन्तरिक रूप से किया जाना हो तो अमूर्त आस्ति की उपयोगिता भी दर्शा सकता है।
- (ङ) अमूर्त आस्ति के विकास तथा उसके प्रयोग अथवा विक्रय को पूरा करने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता।
- (च) अमूर्त आस्ति के विकास के दौरान, उसपर किए जाने वाले खर्च को विश्वनीय रूप से मापने की इसकी योग्यता।
58. किसी आन्तरिक परियोजना के विकास के दौरान, कोई प्रतिष्ठान कुछ मामलों में किसी अमूर्त आस्ति की पहचान कर सकता है और यह दर्शा सकता है कि वह आस्ति सम्भावित भावी आर्थिक लाभों का सृजन करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परियोजना का विकास चरण अनुसंधान चरण से और अधिक विकसित होता है।
59. विकास सम्बन्धी गतिविधियों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं :
- (क) उत्पादन पूर्व अथवा उपयोग पूर्व प्रोटोटाइप अथवा नमूनों का डिजाइन, निर्माण और उनकी जाँच ;
- (ख) नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उपकरणों, औजारों, सांचों और डाइयों का डिजाइन;
- (ग) किसी प्रायोगिक संयंत्र का डिजाइन, निर्माण और परिचालन जो वाणिज्यिक उत्पादन के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य पैमाने का न हो ; और
- (घ) नयी अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, कार्य प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए चुने हुए विकल्पों का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण।
60. भविष्य में कोई अमूर्त आस्ति किस प्रकार संभावित भावी आर्थिक लाभों का सृजन करेगी, यह दिखाने के लिए कोई प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता* में यथावर्णित सिद्धांतों का उपयोग करते हुए आस्ति से होने वाले भावी आर्थिक लाभों का अनुमान लगाता है। यदि वह आस्ति केवल अन्य आस्तियों के संयोजन से ही आर्थिक लाभों का सृजन करती हो तो वह प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 36, में यथावर्णित नकदी सृजन इकाइयों की अवधारणा को लागू करेगा।
61. किसी अमूर्त आस्ति से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को पूरा करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई व्यवसाय योजना आवश्यक उदाहरण के लिए, तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधनों को दिखाकर, उन संसाधनों को प्राप्त करने की प्रतिष्ठान की क्षमता को दिखाने की आवश्यकता है। कुछ मामलों में, कोई प्रतिष्ठान योजना विशेष के लिए किसी ऋण दाता की ऋण देने की इच्छा जताकर बाह्य वित्त की उपलब्धता दिखा देता है।
62. किसी प्रतिष्ठान की लागत प्रणाली प्रायः आन्तरिक रूप से किसी अमूर्त आस्ति के सृजन की लागत को विश्वसनीय रूप से माप सकती है जैसे कि वेतन तथा कॉपीराइट अथवा लाइसेंस प्राप्त करने अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित करने पर खर्च किया गया अन्य व्यय।
63. **आन्तरिक रूप से सृजित ब्राण्ड, नाम के लिखने की शैली, प्रकाशन शीर्ष, ग्राहकों की सूचियां तथा तत्त्वतः इसी प्रकार की अन्य मदें अमूर्त आस्तियां नहीं मानी जाएंगी।**
64. आन्तरिक रूप से सृजित ब्राण्ड, नाम के लिखने की शैली, प्रकाशन शीर्ष, ग्राहकों की सूचियां तथा तत्त्वतः इसी प्रकार की अन्य मदों पर हुए खर्च को व्यवसाय के समग्र विकास की लागत से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए, ऐसी मदों को अमूर्त आस्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता।
- आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्ति की लागत**
65. अनुच्छेद 24 के प्रयोजन के लिए, आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्ति की लागत उस तारीख से किए गए व्यय की राशि है जब अमूर्त आस्ति अनुच्छेद 21, 22 और 57 में उल्लिखित मान्यता के मानदण्डों को पहली बार पूरा करती है। अनुच्छेद 71 पूर्व में मान्य व्यय को पुनः व्यय के रूप में वर्णित करने से निषेध करता है।
66. आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्ति की लागत में, वे सभी प्रत्यक्ष जुड़ी हुई लागतें निहित हैं जो प्रबन्धन द्वारा वांछित ढंग से आस्ति का सृजन, उत्पादन और उसे तैयार करने के लिए आवश्यक है। प्रत्यक्ष रूप से वांछित लागतों के उदाहरण इस प्रकार हैं :
- (क) अमूर्त आस्ति का सृजन करने के लिए प्रयोग में लाई गई सामग्रियां और सेवाओं की लागतें ;
- (ख) अमूर्त आस्तियों के सृजन से उत्पन्न कर्मचारी लाभों की लागतें [भारतीय लेखा मानक 19 में यथापरिभाषित] ;
- (ग) वैध अधिकार को पंजीकृत कराने के लिए शुल्क ; और
- (घ) अमूर्त आस्ति के सृजन के लिए प्रयुक्त पेटेंट तथा लाइसेंसों का परिशोधन।

भारतीय लेखा मानक 23 में आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्ति की लागत के तत्व के रूप में ब्याज की मान्यता के मानदण्ड का उल्लेख है।

67. आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों की लागत के निम्नलिखित घटक नहीं हैं :

- (क) विक्रय, प्रशासनिक तथा अन्य उपरि व्यय, जब तक कि वह व्यय उस आस्ति को प्रयोग में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध न हों ;
- (ख) आस्ति के योजनागत कार्य-निष्पादन स्थिति प्राप्त करने से पूर्व पहचानी गई अकुशलताएं और प्रारम्भिक परिचालन हानियां; और
- (ग) आस्ति के परिचालन के लिए स्टाफ के प्रशिक्षण पर किया गया व्यय ।

दृष्टांत उदाहरण — अनुच्छेद 65

एक प्रतिष्ठान नयी उत्पादन प्रक्रिया विकसित कर रहा है। 20X5 के दौरान किया गया व्यय 1,000 रुपये था जिसमें से 900 रुपये का व्यय 1 दिसम्बर 20X5 से पहले किया गया और शेष 100 रुपये का खर्च 1 दिसम्बर 20X5 तथा 31 दिसम्बर 20X5 के बीच किया गया। प्रतिष्ठान यह दर्शाने में सक्षम है कि उसने 1 दिसम्बर 20X5 को अमूर्त आस्ति की मान्यता के मानदण्डों को उत्पादन प्रक्रिया के लिए पूरा किया है। प्रक्रिया में अंतर्निहित जानकारी की वसूली योग्य राशि (कार्य विधि के प्रयोग के लिए उपलब्ध होने से पूर्व भावी नकदी (बहिः प्रवाहों सहित) 500 रुपये रहने का अनुमान है।

20X5 के अन्त में उत्पादन प्रक्रिया को 100 रुपये की लागत पर (उस तारीख से किया गया व्यय जब मान्यता के मानदण्ड पूरे हुए अर्थात् 1 दिसम्बर 20X5) अमूर्त आस्ति माना जा रहा है। 1 दिसम्बर 20X5 से पूर्व किये गये रुपये 900 के व्यय को व्यय माना जा रहा है क्योंकि 1 दिसम्बर 20X5 तक मान्यता के मानदण्ड पूरे नहीं हुए थे। यह व्यय तुलनपत्र में मान्य उत्पादन प्रक्रिया की लागत का भाग नहीं है।

20X6 के दौरान किया गया व्यय 2,000 रुपये हैं। 20X6 के अन्त में, प्रक्रिया में अंतर्निहित तकनीकी जानकारी की वसूली योग्य राशि (प्रक्रिया के प्रयोग के लिए उपलब्ध होने से पूर्व भावी नकदी प्रवाहों सहित) 1,900 रुपये रहने का अनुमान है।

20X6 के अंत में उत्पादन प्रक्रिया की लागत 2,100 रुपये हैं (20X5 के अन्त में मान्य 100 रुपये का व्यय जमा 20X6 में मान्य 2,000 रुपये का व्यय। वह प्रतिष्ठान अपनी वसूली योग्य राशि (1,900 रुपये) में क्षतिग्रस्तता हानि (2,100 रुपये) की अग्रणीत राशि के समायोजन के लिए 200 रुपये की क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता प्रदान करता है। यह क्षतिग्रस्तता हानि उत्तरवर्ती अवधि में उलटा दी जायेगी बशर्ते भारतीय लेखा मानक 36 में क्षतिग्रस्तता हानि को उलटाने की आवश्यकता हो।

व्यय की मान्यता

68. अमूर्त मदों पर किया गया व्यय तब तक मान्य व्यय नहीं माना जाएगा जब तक कि वह :

- (क) ऐसी अमूर्त आस्ति की लागत का भाग न हो जो मान्यता के मानदण्ड पूरे करती है (देखें अनुच्छेद 18-67) ; अथवा
- (ख) वह मद किसी व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत न की गयी हो और उसे अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता न दी जा सकती हो। यदि ऐसी स्थिति हो तो वह मद अधिग्रहण की तारीख को ख्याति (गुडविल) के रूप में मान्य राशि का अंग होगी (देखें भारतीय लेखा मानक 103)।

69. कुछ मामलों में, किसी प्रतिष्ठान को भावी आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए व्यय किया जाता है परन्तु ऐसी कोई अमूर्त आस्ति या अन्य आस्ति अधिग्रहीत अथवा सृजित नहीं की जाती जिसे मान्यता प्रदान की जा सके। वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में प्रतिष्ठान ऐसे व्यय को तब व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करता है जब उसे इन वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार हो। सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, प्रतिष्ठान उस व्यय को तब व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करता है जब उसे सेवाएं प्राप्त हो जाएं। उदाहरण के लिए, अनुसंधान पर किया गया व्यय तब व्यय माना जाता है जब वह व्यय कर दिया जाये (देखें अनुच्छेद 54) सिवाए उस स्थिति के जब उसे व्यावसायिक संयोजन के अंग के रूप में प्राप्त किया जाता है। किए गए व्यय को व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करने के अन्य उदाहरणों में शामिल हैं :

- (क) प्रारम्भिक गतिविधियों पर तब तक किया गया व्यय (अर्थात् प्रारम्भिक लागतें), जब तक यह व्यय भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की लागत में शामिल न हों। प्रारम्भिक लागतों में, स्थापना सम्बन्धी लागतें शामिल हो सकती हैं जैसे कि विधिक अथवा सचिवीय लागतें जो विधिक प्रतिष्ठान को स्थापित करने, नयी सुविधा अथवा व्यवसाय प्रारम्भ करने पर किए गए व्यय (अर्थात् प्रारम्भ से पूर्व की लागतें) अथवा नया परिचालन प्रारम्भ करने पर अथवा नये उत्पादों की शुरुआत पर अथवा प्रक्रियाओं पर किया गया व्यय (जैसे परिचालन पूर्व लागतें)।
- (ख) प्रशिक्षण गतिविधियों पर व्यय।
- (ग) विज्ञापन एवं संवर्द्धन गतिविधियों (डाक आदेश सूचियों सहित) पर किया गया व्यय।

- (घ) प्रतिष्ठान के किसी एक हिस्से को अथवा पूरे प्रतिष्ठान को दूसरे स्थान पर ले जाने अथवा उसके पुनर्गठन पर किया गया व्यय ।
- 69क. यदि कोई प्रतिष्ठान किन्हीं वस्तुओं का स्वामी हो तो उन वस्तुओं को प्राप्त करने का उसे अधिकार होता है। इसी प्रकार जब किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी आपूर्ति की अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं का निर्माण किया गया हो तो तब भी उन वस्तुओं को प्राप्त करने का उसे अधिकार होता है और वह प्रतिष्ठान भुगतान करके उनकी सुपुर्दगी की मांग कर सकता है। इस प्रतिष्ठान को सेवाएं तब प्राप्त होती हैं जब आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुबंध के अनुसार उन्हें निष्पादित करके प्रतिष्ठान को सुपुर्द कर दी जाए न कि वह किसी अन्य सेवा की सुपुर्दगी के लिए प्रयोग करे। उदाहरण के लिए, ग्राहकों को कोई विज्ञापन सुपुर्द करना ।
70. अनुच्छेद 68 किसी प्रतिष्ठान को किसी पूर्व भुगतान को आस्ति के रूप में मान्यता प्रदान करने से निवारित नहीं करता जब वस्तुओं के लिए किया गया भुगतान उस प्रतिष्ठान को उन वस्तुओं तक पहुँचने का अधिकार प्रदान करने के लिए अग्रिम के रूप में किया गया हो। इसी प्रकार अनुच्छेद 68 किसी प्रतिष्ठान को किसी आस्ति को पूर्व भुगतान हेतु मान्यता प्रदान करने से निवारित नहीं करता जब सेवाओं के लिए किया गया भुगतान उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अग्रिम के रूप में किया गया हो ।
- विगत व्ययों की आस्ति के रूप में अमान्यता**
71. जिस अमूर्त मद पर हुए खर्च को प्रारम्भ में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गयी थी उसे बाद की किसी तारीख को किसी अमूर्त आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी ।

मान्यता के पश्चात् माप

72. कोई प्रतिष्ठान या तो अनुच्छेद 74 में वर्णित लागत मॉडल का चयन करेगा या अनुच्छेद 75 में वर्णित पुनर्मूल्यांकन मॉडल का चयन अपनी लेखा नीति के लिए करेगा। यदि पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करते हुए किसी अमूर्त आस्ति का लेखा किया गया हो तो उस श्रेणी की अन्य सभी आस्तियों का लेखा भी उसी मॉडल का प्रयोग करते हुए किया जाएगा जब तक कि उन आस्तियों के लिए कोई सक्रिय बाज़ार न हो ।
73. अमूर्त आस्तियों की श्रेणी एक ही किस्म की आस्तियों का ऐसा समूह है जिसका प्रयोग प्रतिष्ठान के कार्यों में किया जाता है। अमूर्त आस्तियों की एक ही श्रेणी की वस्तुओं का पुनर्मूल्यांकन एक साथ किया जाता है ताकि कुछ खास चुनी हुई आस्तियों का मूल्यांकन न हो और वित्तीय विवरणों में राशियों की भिन्न-भिन्न रिपोर्टिंग न हो और विभिन्न तारीखों पर उनकी लागतों और मूल्यों का मिश्रण-सा न दिखाई दे ।

लागत मॉडल

74. प्रारम्भिक मान्यता के बाद, किसी अमूर्त आस्ति को किसी संचित परिशोधन मूल्य तथा संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को घटाकर उसकी लागत पर आगे ले जाया जाएगा ।

पुनर्मूल्यांकन मॉडल

75. प्रारम्भिक मान्यता के बाद, किसी अमूर्त आस्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर आगे ले जाया जायेगा जो पुनर्मूल्यांकन की तारीख को उसका उचित मूल्य होगी जिसमें से उत्तरवर्ती कोई भी संचित परिशोधन मूल्य तथा संचित क्षतिग्रस्तता हानियां घटा दी जाएंगी । इस मानक के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन के प्रयोजन से सक्रिय बाज़ार के संदर्भ में उचित मूल्य का माप किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन ऐसी नियमितता के साथ किए जाएंगे कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्ति की अग्रणीत राशि अपने उचित मूल्य से कोई विशेष भिन्न न हो ।
76. पुनर्मूल्यांकन मॉडल निम्नलिखित की अनुमति नहीं देता :
- (क) उन अमूर्त आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन जिन्हें पहले आस्तियों के रूप में नहीं माना गया है; अथवा
- (ख) अमूर्त आस्तियों की लागत से भिन्न राशियों पर प्रारंभिक मान्यता ।
77. पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग किसी आस्ति की प्रारंभिक लागत पर प्रारंभिक मान्यता के बाद किया जाता है। बहरहाल, यदि किसी अमूर्त आस्ति की लागत के केवल एक भाग को ही आस्ति के रूप में मान्यता दी गयी हो क्योंकि वह आस्ति तब तक मान्यता के मानदण्डों को पूरा नहीं करती थी जब तक उसका कोई भाग इस प्रक्रिया में से न गुजरा हो (देखें अनुच्छेद 65) तो पुनर्मूल्यांकन मॉडल को पूरी आस्ति पर लागू किया जा सकता है।
78. एक अमूर्त आस्ति के लिए एक सक्रिय बाज़ार हो, यह असामान्य है, फिर भी, ऐसा हो भी सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ कार्यक्षेत्रों में मुक्त रूप से हस्तांतरणीय टैक्सी लाइसेंस, मछली पकड़ने के लाइसेंस अथवा उत्पादन कोटा के लिए सक्रिय बाज़ार मौजूद हो सकता है। बहरहाल, ब्राण्डों, समाचार पत्रों के नाम लिखने की शैलियों, संगीत तथा फ़िल्म प्रकाशन अधिकारों, पेटेंटों और ट्रेड मार्कों के लिए सक्रिय बाज़ार मौजूद नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी प्रत्येक आस्ति अपने आप में अलग होती है। साथ ही, यद्यपि अमूर्त आस्तियां खरीदी

- और बेची जाती हैं, अलग-अलग क्रेताओं और विक्रेताओं में अनुबंधों का मोलभाव होता है और लेन-देन अपेक्षाकृत यदा-कदा होते हैं। इन कारणों से एक आस्ति के लिए दिया गया मूल्य दूसरी आस्ति के उचित मूल्य के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करता। इसके अतिरिक्त, प्रायः जनता को इनके मूल्य उपलब्ध नहीं होते।
79. पुनर्मूल्यांकनों का बार-बार होना पुनर्मूल्यांकित होने वाली अमूर्त आस्तियों के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। यदि पुनर्मूल्यांकित आस्ति का उचित मूल्य उसकी अग्रणीत राशि से बहुत अधिक अलग हो तो एक बार और पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। कुछ अमूर्त आस्तियों के उचित मूल्य में महत्वपूर्ण तथा विशेष घट-बढ़ हो सकते हैं जिसके कारण उनका वार्षिक पुनर्मूल्यांकन जरूरी हो जाता है। इस प्रकार से जिन अमूर्त आस्तियों के उचित मूल्य में विशेष घट-बढ़ न होती हो, उनका पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं होती।
80. जब किसी अमूर्त आस्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो पुनर्मूल्यांकन राशि में उस आस्ति की अग्रणीत राशि समायोजित की जाती है पुनर्मूल्यांकन की तिथि को आस्ति को निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से समायोजित किया जाता है:
- (क) सकल अग्रणीत राशि का समायोजन इस ढंग से किया जाता है जो कि आस्ति की अग्रणीत राशि के पुनर्मूल्यांकन की तरह है। उदाहरणस्वरूप, सकल अग्रणीत राशि प्रलक्षणीय बाजार आंकड़ों के संदर्भ में पुनर्कथित (पुनर्वणित) किया जा सकता है या वह अग्रणीत राशि में समानुपातिक परिवर्तन के अनुसार पुनर्कथित (पुनर्वणित) किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकन की तिथि को संचित परिशोधन इस तरह से समायोजित किया जाता है कि सकल अग्रणीत राशि और संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को ध्यान में रखते हुए आस्ति की अग्रणीत राशि के अन्तर के समान हो; अथवा
- (ख) आस्ति की सकल अग्रणीत राशि के विरुद्ध संचित परिशोधन को विलुप्त कर दिया जाता है। संचित परिशोधन की समायोजन राशि अग्रणीत राशि की वृद्धि या कमी का भाग बनती है जिसका लेखा अनुच्छेदों 85 व 86 द्वारा किया जाता है।
81. यदि पुनर्मूल्यांकित अमूर्त आस्तियों की किसी श्रेणी में से किसी एक अमूर्त आस्ति को इसलिए पुनर्मूल्यांकित नहीं किया जा सकता हो क्योंकि उसके लिए कोई सक्रिय बाज़ार नहीं है तो उस आस्ति को उसकी लागत में से संचित परिशोधन तथा क्षतिग्रस्तता हानियों को घटाकर उसकी लागत पर आगे ले जाया जायेगा।
82. यदि किसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति के उचित मूल्य को उसके सक्रिय बाज़ार के संदर्भ में मापा जाना अब संभव न हो तो उसकी अग्रणीत राशि सक्रिय बाज़ार के संदर्भ में कोई उत्तरवर्ती संचित परिशोधन तथा कोई उत्तरवर्ती संचित क्षतिग्रस्तता हानियां घटाकर उसके पिछले मूल्यांकन की तारीख को उसका पुनर्मूल्यांकित मूल्य होगा।
83. किसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति के लिए अब किसी सक्रिय बाज़ार के मौजूद न होने का तथ्य यह संकेत करता है कि वह आस्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है और भारतीय लेखा मानक 36, के अनुसार उसकी जाँच करना जरूरी है।
84. यदि किसी आस्ति के उचित मूल्य का माप किसी बाद की मापन तारीख को सक्रिय बाज़ार के संदर्भ में किया जा सकता हो, तो उस तारीख से पुनर्मूल्यांकन मॉडल लागू किया जायेगा।
85. यदि पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप किसी अमूर्त आस्ति की अग्रणीत राशि बढ़ जाती है तो उस वृद्धि को अन्य व्यापक आय में माना जाएगा तथा पुनर्मूल्यांकन आधिक्य शीर्ष के अन्तर्गत इक्विटी के अधीन उसे संचित किया जायेगा।
86. यदि किसी अमूर्त आस्ति की अग्रणीत राशि पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप घट जाती है तो उस कमी को लाभ अथवा हानि माना जाएगा। लेकिन, उस आस्ति के सम्बन्ध में उस कमी को पुनर्मूल्यांकन आधिक्य के किसी भी क्रेडिट शेष की सीमा तक अन्य व्यापक आय में माना जाएगा। अन्य व्यापक आय में मान्य कमी पुनर्मूल्यांकन आधिक्य शीर्ष के अन्तर्गत इक्विटी की संचित राशि में कमी लाती है।
87. जब आधिक्य की वसूली हो जाये तो 'इक्विटी' में सम्मिलित संचयी पुनर्मूल्यांकन आधिक्य को सीधे ही प्रतिधारित अर्जन में अंतरित किया जाएगा। आस्ति के विमोचन अथवा निपटान के समय पूरे आधिक्य की वसूली की जायेगी। लेकिन, जब प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति का प्रयोग किया जाता है तो आधिक्य का कुछ भाग वसूल किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में, वसूल किया गया आधिक्य, आस्ति की पुनर्मूल्यांकित अग्रणीत राशि पर आधारित परिशोधन तथा आस्ति की ऐतिहासिक लागत पर आधारित मान्य परिशोधन राशि का अन्तर होगा। पुनर्मूल्यांकन आधिक्य से प्रतिधारित अर्जन में राशि का हस्तांतरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से नहीं किया जायेगा।
- उपयोगी जीवन-काल**
88. प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या किसी अमूर्त आस्ति का उपयोगी जीवनकाल सीमित है अथवा असीमित है। यदि वह सीमित है तो उस उपयोगी जीवन-काल का निर्धारण करने वाली उत्पादन यूनिटों अथवा किन्हीं अन्य यूनिटों की संख्या अथवा उपयोगी जीवन-काल की अवधि स्पष्ट की जायेगी। प्रतिष्ठान द्वारा किसी अमूर्त आस्ति को उस परिस्थिति में असीमित उपयोगी जीवन-काल वाली कहा जायेगा जब सभी संबंधित तत्वों के विश्लेषण के आधार पर पहले से ऐसी कोई समय सीमा न निश्चित की जा सके जिसके दौरान वह आस्ति उस प्रतिष्ठान के लिए शुद्ध नकदी प्रवाह अर्जित करेगी।

89. किसी अमूर्त आस्ति का लेखांकन उसके उपयोगी जीवन-काल पर आधारित होता है। अंतकालीन उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति परिशोधित की जाती है (देखें अनुच्छेद 97-106) जबकि अनंत जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति परिशोधित नहीं की जाती (देखें अनुच्छेद 107-110)।
90. अमूर्त आस्ति के जीवन-काल का निर्धारण करने के लिए अनेक तत्वों पर विचार किया जाता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- (क) प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति का कितना प्रयोग होगा तथा क्या कोई अन्य प्रबन्धन टीम उस आस्ति का कुशलतापूर्वक प्रबन्ध कर सकती है;
 - (ख) विशिष्ट उत्पाद के रूप में आस्ति का जीवन चक्र तथा इसी प्रकार की अन्य आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन-काल के संबंध में सार्वजनिक सूचना का उपयोग भी इसी तरह किया जाता है;
 - (ग) तकनीकी, प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक अथवा अन्य किस्म के अप्रचलन;
 - (घ) उस उद्योग की स्थिरता जिसमें यह आस्ति कार्य करती है तथा आस्ति से उद्भूत उत्पादों अथवा सेवाओं की बाज़ार माँग में परिवर्तन ;
 - (ङ) प्रतियोगी अथवा सम्भावित प्रतियोगियों की ओर से प्रत्याशित कार्रवाई ;
 - (च) आस्ति से भविष्य में संभावित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख-रखाव के खर्च का स्तर और उस स्तर पर पहुँचने की प्रतिष्ठान की योग्यता एवं मंशा;
 - (छ) आस्ति पर नियंत्रण की अवधि तथा आस्ति के प्रयोग पर कानूनी अथवा उसी प्रकार की अन्य सीमाएं जैसे कि संबंधित पट्टों की अवधि की समापन तिथियां; और
 - (ज) यह भी कि क्या आस्ति का उपयोगी जीवन-काल प्रतिष्ठान की अन्य आस्तियों के जीवन-काल पर निर्भर करता है।
91. 'अनिश्चित' शब्द का अर्थ 'अनन्त' नहीं है। अमूर्त आस्ति का उपयोगी जीवन-काल यह दर्शाता है कि उसके उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण करते समय उसके कार्य निष्पादन का स्तर बनाए रखने के लिए अपेक्षित व्यय के भावी रख-रखाव का स्तर क्या होगा तथा उस स्तर पर पहुँचने की प्रतिष्ठान की योग्यता तथा मंशा क्या होगी। आस्ति को कार्यनिष्पादन के स्तर पर बनाये रखने के लिए अपेक्षित व्यय से अधिक योजनागत भावी व्यय इस बात के निष्कर्ष पर निर्भर नहीं करेगा कि अमूर्त आस्ति का उपयोगी जीवन-काल अनिश्चित है।
92. प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा अन्य ऐसी बहुत-सी अमूर्त आस्तियों में तेज़ी से हो रहे परिवर्तनों के इतिहास को देखते हुए प्रौद्योगिकी पुरानी हो सकती हैं। अतः यह वह मामला हो सकता है कि उनका उपयोगी जीवन काल (कार्यकाल) छोटा हो एक अमूर्त आस्ति का प्रयोग करते हुए जब एक आस्ति का उत्पादन किया जाता है तो उसकी बिक्री कीमत में प्रत्याशित भावी कटौतियाँ इस बात का संकेत देती हैं कि आस्ति का प्रौद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशा क्या है। इससे आस्ति के भावी आर्थिक लाभों में कटौती प्रतिबिंबित होती है।
93. किसी अमूर्त आस्ति का उपयोगी जीवन-काल बहुत लम्बा अथवा अनिश्चित भी हो सकता है। अनिश्चय की यह स्थिति किसी अमूर्त आस्ति के जीवन-काल का विवेकपूर्ण ढंग से अनुमान लगाने का औचित्य सिद्ध करती है परन्तु यह ऐसा जीवन-काल चुनने को उचित सिद्ध नहीं करती जो व्यावहारिक ढंग से अल्पकालीन हो।
94. जो अमूर्त आस्ति किसी अनुबंधात्मक अथवा कानूनी अधिकारों से उद्भूत होती है उसका उपयोगी जीवन-काल अनुबंधात्मक अथवा अन्य कानूनी अधिकारों की अवधि से अधिक नहीं हो सकता परन्तु उससे कम हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वह प्रतिष्ठान उस आस्ति को कितनी अवधि के लिए प्रयोग में लाने की आशा करता है। यदि अनुबंधात्मक अथवा अन्य कानूनी अधिकार एक ऐसी सीमित अवधि के लिए व्यक्त किए गए हैं और जिनका नवीकरण किया जा सकता है तो अमूर्त आस्तियों का जीवन-काल नवीकरण की अवधि (यों) को तभी शामिल करेगा यदि बिना किसी विशेष लागत के नवीकरण कराने के साक्ष्य मौजूद हों। किसी व्यावसायिक संयोजन में अमूर्त आस्ति के रूप में मान्य पुनः अर्जित अधिकारों का उपयोगी जीवन-काल उस अनुबंध की शेष अनुबंधात्मक अवधि होती है जिसमें अधिकार प्रदान किए गए थे और उसमें नवीकरण अवधि शामिल नहीं होगी।
95. एक अमूर्त आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित करने के लिए आर्थिक तत्व भी हो सकते हैं और कानूनी भी। आर्थिक तत्व यह निर्धारित करते हैं कि प्रतिष्ठान को भावी आर्थिक लाभ कितनी अवधि के लिए मिलते रहेंगे। कानूनी तत्व उस अवधि को नियंत्रित कर सकते हैं जिसके दौरान वह प्रतिष्ठान उन लाभों को प्राप्त कर सकेगा। इन दोनों तत्वों से निश्चित होने वाली अवधि में से जो भी अवधि कम होगी वह उस अमूर्त आस्ति का उपयोगी जीवन-काल होगा।
96. अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित तत्वों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि वह प्रतिष्ठान बिना किसी विशेष लागत के अपने अनुबंधात्मक अथवा अन्य कानूनी अधिकारों का नवीकरण करने में समर्थ होगा:

- (क) संभवतः अनुभव के आधार पर, इस बात का साक्ष्य हो कि अनुबंधात्मक अथवा कानूनी अधिकारों का नवीकरण हो जायेगा। यदि नवीकरण किसी तृतीय पक्ष की सहमति पर निर्भर करता है तो यह इस बात का साक्ष्य हो कि तृतीय पक्ष अपनी सहमति दे देगा;
- (ख) इस बात का साक्ष्य हो कि नवीकरण प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं वे पूरी हो जाएंगी; और
- (ग) नवीकरण पर होने वाली लागत प्रतिष्ठान के लिए कोई विशेष नहीं होगी जब उस नवीकरण से मिलने वाले भावी आर्थिक लाभ उसकी तुलना में अधिक हों।

यदि नवीकरण की लागत प्रतिष्ठान को नवीकरण से होने वाले भावी आर्थिक लाभों की तुलना में अधिक हो तो 'नवीकरण' लागत नवीकरण की तारीख को एक नयी अमूर्त आस्ति अर्जित करने की लागत का प्रतिनिधित्व करती है।

सीमित उपयोगी जीवन-काल की अमूर्त आस्तियां

परिशोधन अवधि एवं परिशोधन पद्धति

97. सीमित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि व्यवस्थित आधार पर उसके उपयोगी जीवन-काल की अवधि के दौरान आवंटित की जायेगी। परिशोधन तब प्रारम्भ होगा जब वह आस्ति प्रयोग के लिए उपलब्ध हो अर्थात् जब वह प्रबन्धन द्वारा वांछित ढंग से परिचालन के योग्य स्थान और स्थिति में हो। जब भारतीय लेखा मानक 105, के अनुसार जिस तारीख को आस्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत (अथवा निपटान समूह में शामिल आस्ति जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है) किया जाता है और जिस तारीख को आस्ति की मान्यता समाप्त की जाती है इनमें से जो भी तारीख पहले होगी उस तारीख को परिशोधन समाप्त हो जायेगा। प्रयुक्त परिशोधन पद्धति यह बताती है कि किस ढंग से प्रतिष्ठान आस्ति के भावी आर्थिक लाभों का उपयोग करेगा। यदि इस पद्धति से निर्धारण विश्वसनीय ढंग से न किया जा सकता हो तो सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक अवधि का परिशोधन प्रभार तब तक लाभ अथवा हानि में माना जाएगा जब तक यह अथवा कोई अन्य मानक इस बात की अनुमति न दे अथवा अपेक्षा न करे कि उसे किसी अन्य आस्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाये।
98. किसी आस्ति के ह्रास योग्य मूल्य को व्यवस्थित आधार पर उसके उपयोगी जीवन-काल में आवंटित करने के लिए अनेक परिशोधन पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। इन पद्धतियों में सीधी रेखा पद्धति, घटता शेष पद्धति और उत्पादन ईकाई पद्धति शामिल हैं। चयनित पद्धति आस्ति में निहित प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभों के प्रत्याशित उपभोग की पद्धति पर आधारित होती है और एक अवधि के बाद दूसरी अवधि के दौरान लगातार उसी पद्धति का प्रयोग किया जायेगा जब तक कि उन भावी आर्थिक लाभों के उपभोग की प्रत्याशित पद्धति में कोई परिवर्तन न हो।
- 98क यह एक खंडनीय मान्यता है कि परिशोधन विधि जोकि एक गतिविधि द्वारा सृजित राजस्व पर आधारित है जिसमें एक अमूर्त आस्ति का प्रयोग होता है, उचित नहीं है। अमूर्त आस्ति के प्रयोग के साथ गतिविधि द्वारा सृजित राजस्व सामान्यतया उन कारकों को प्रतिबिंबित करता है जो अमूर्त आस्ति में सन्निहित लाभों के उपभोग से सीधे संबंधित नहीं हैं। उदाहरणार्थ, राजस्व अन्य निविष्टियों व प्रक्रियाओं, बिक्री गतिविधियों व बिक्री की मात्राओं व कीमतों में परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होता है। राजस्व का कीमत घटक मुद्रास्फीति द्वारा प्रभावित होता है और इसका इस बात से कोई लेन-देन नहीं कि उस आस्ति का उपभोग किस प्रकार से होता है। इस मान्यता से ऊपर केवल सीमित परिस्थितियों में ही उठा जा सकता है जैसेकि:
- (क) जिसमें अमूर्त आस्ति, अनुच्छेद 98 ग के वर्णनानुसार राजस्व का एक माप के रूप में उल्लेख किया जाता है; या
- (ख) जब यह प्रदर्शित हो कि राजस्व व अमूर्त आस्ति के आर्थिक लाभों को उपभोग परस्पर पूरी तरह से जुड़े हैं।
- 98ख अनुच्छेद 98 के अनुसरण में एक उपयुक्त परिशोधन विधि के चयन में, एक प्रतिष्ठान उस प्रमुख प्रतिबंधित कारक का निश्चय कर सकता है जो अमूर्त आस्ति में अन्तर्निहित हो। उदाहरणार्थ, एक अनुबंध जो प्रतिष्ठान के अमूर्त आस्ति के प्रयोग संबंधी अधिकारों को समय के अनुसार पूर्वनिर्धारित वर्षों की संख्या में विनिर्दिष्ट करता है। यानि कितनी ईकाइयां पैदा की गयी या कितना कुल राजस्व हुआ। इस प्रमुख प्रतिबिंबित कारक की पहचान परिशोधन के उपयुक्त आधार की पहचान का प्रारंभिक बिन्दु हो सकता है। लेकिन अन्य आधार का भी प्रयोग किया जा सकता है यदि आर्थिक लाभों के उपभोग का प्रत्याशित ढंग पैटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित कर सके।
- 98ग ऐसे हाल में, जिसमें राजस्व सीमा की निष्पत्ति ही वह प्रमुख सीमित कारक है, जो अमूर्त आस्ति में अन्तर्निहित है, वहाँ उत्पन्न किये जाने वाला राजस्व परिशोधन का उपयुक्त आधार हो सकता है। उदाहरणार्थ, एक प्रतिष्ठान एक सोने की खान में से सोने की खोज और उसे निकालने की रियायत ग्रहण कर सकता है। अनुबंध का समापन सोने के निकालने से सृजित (उत्पन्न) कुल राजस्व की नियत राशि पर आधारित हो सकता है। (उदाहरणार्थ, एक अनुबंध खान में से सोने को निकालने की अनुमति तब तक देता है जब तक सोने की बिक्री से प्राप्त संचित राजस्व 2 बिलियन तक नहीं पहुंच जाता) और वह न तो समय पर आधारित होता और न ही निकाले गये सोने

की मात्रा पर। एक दूसरे उदाहरण में, एक टॉल सड़क के परिचालन का अधिकार कुल नियत राजस्व पर आधारित हो सकता है जो संचयी रूप से उगाहा जाना है (उदाहरणतया, एक अनुबंध टॉल सड़क के परिचालन की अनुमति तब तक देता है जब तक उगाही को जाने वाली राशि संचित रूप से 100 मिलियन रुपये तक पहुंच नहीं जाती)। ऐसे मामले में, जिसमें राजस्व को ही अनुबंध में अमूर्त आस्ति के प्रयोग के लिए मुख्य सीमा कारक के रूप में स्थापित किया गया है, सृजित किये जाने वाला राजस्व अमूर्त आस्ति के परिशोधन का उपयुक्त आधार हो सकता है, बशर्ते अनुबंध यह विनिर्दिष्ट करे कि कितनी राजस्व राशि सृजित की जानी है जिस पर परिशोधन का निर्धारण किया जाए।

99. प्रायः लाभ अथवा हानि में परिशोधन को मान्य किया जाता है। बहरहाल, कभी-कभी किसी आस्ति में निहित भावी आर्थिक लाभ किसी अन्य आस्ति के उत्पादन में प्रयोग कर लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में परिशोधन प्रभार किसी अन्य आस्ति की लागत का अंग बन जाते हैं और उन्हें अग्रणीत राशि में शामिल कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त अमूर्त आस्तियों के परिशोधन को सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है [देखें भारतीय लेखा मानक 2, सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्रीज)]

अवशिष्ट मूल्य

100. सीमित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति के अवशिष्ट मूल्य को तब तक शून्य माना जाता है जब तक:

- (क) किसी तृतीय पक्ष ने आस्ति के उपयोगी जीवन-काल की समाप्ति पर उसे खरीदने की प्रतिबद्धता व्यक्त न की हो; अथवा
- (ख) आस्ति के लिए सक्रिय बाज़ार (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 113, में परिभाषित) न हो; और
 - (i) उस बाज़ार के संदर्भ में शेष मूल्य का निर्धारण किया जा सकता हो; और
 - (ii) इस बात की संभावना हो कि आस्ति के उपयोगी जीवन-काल के अंत में ऐसा बाज़ार मौजूद रहेगा।

101. निश्चित उपयोगी जीवन-काल वाली आस्ति की ह्रासमान राशि अवशिष्ट मूल्य घटाकर निर्धारित की जाती है। यदि अवशिष्ट मूल्य शून्य से अतिरिक्त कुछ और हो तो उसका यह अर्थ होता है कि प्रतिष्ठान को यह आशा है कि वह अमूर्त आस्ति के अंत से पूर्व उसका निपटान कर देगा।

102. आस्ति के अवशिष्ट मूल्य का अनुमान उसी किस्म की ऐसी अन्य आस्ति के निपटान से वसूल होने वाला तथा उसकी बिक्री के अनुमानों पर आधारित होगा जो अपना उपयोगी जीवन-काल समाप्त कर चुका है और जिसने उन्हीं परिस्थितियों में कार्य किया है जिनमें मौजूदा आस्ति का उपयोग होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशिष्ट मूल्य की पुनरीक्षा की जायेगी। भारतीय लेखा मानक 8 *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलन एवं त्रुटियां* के अनुसार आस्ति के अवशिष्ट मूल्य में होने वाले परिवर्तन का लेखा किया जायेगा।

103. अमूर्त आस्ति का अवशिष्ट मूल्य आस्ति की अग्रणीत राशि के बराबर अथवा उससे अधिक बढ़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो आस्ति का परिशोधन प्रभार तब तक शून्य होता है जबतक उसका अवशिष्ट मूल्य बाद में कम होकर आस्ति की अग्रणीत राशि से घट नहीं जाता।

परिशोधन अवधि तथा परिशोधन पद्धति की समीक्षा

104. निश्चित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति की परिशोधन अवधि तथा परिशोधन पद्धति की पुनरीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जायेगी। यदि आस्ति का संभावित उपयोगी जीवन-काल पिछले अनुमानों से भिन्न हो तो परिशोधन अवधि को तदनुसार बदल दिया जायेगा। यदि आस्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग की संभावित पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ हो तो परिशोधन पद्धति में परिवर्तन किया जायेगा ताकि उसमें से परिवर्तित तरीके का संकेत मिल सके। ऐसे परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार लेखा अनुमानों में हुए परिवर्तन माने जायेंगे।

105. अमूर्त आस्ति के जीवन-काल के दौरान यह स्पष्ट हो जायेगा कि उसके उपयोगी जीवन-काल का अनुमान उपयुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए, क्षतिग्रस्तता हानि की मान्यता यह संकेत देगी कि परिशोधन अवधि में परिवर्तन की आवश्यकता है।

106. समय के साथ-साथ, किसी अमूर्त आस्ति से प्रतिष्ठान को मिलने वाले भावी आर्थिक लाभों का तरीका बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट हो सकता है कि सीधी रेखा पद्धति के बजाय परिशोधन की ह्रासमान शेष पद्धति उपयुक्त है। एक और उदाहरण यह है कि, किसी लाइसेंस से मिलने वाले अधिकारों को व्यवसायिक योजना के अन्य घटकों के सम्बन्ध में कार्रवाई होने तक स्थगित रखा जाये। इस मामले में आस्ति से होने वाले आर्थिक लाभ संभवतः बाद की अवधि तक न मिलें।

असीमित उपयोगी जीवन-काल की अमूर्त आस्तियां

107. अनिश्चित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति का परिशोधन नहीं किया जायेगा।

108. भारतीय लेखा मानक 36, के अनुसार किसी प्रतिष्ठान को किसी अमूर्त आस्ति की वसूली योग्य राशि की उसकी अग्रणीत राशि से तुलना करके उसके उपयोगी जीवन-काल की क्षतिग्रस्तता के लिए निम्नलिखित ढंग से जाँच करनी होती है:

- (क) वार्षिक आधार पर; और

(ख) जब कभी इस बात के संकेत मिलें कि अमूर्त आस्ति में क्षतिग्रस्तता हो सकती है।

उपयोगी जीवन-काल के मूल्यांकन की समीक्षा

109. जिस अमूर्त आस्ति का परिशोधन न किया जाना हो उसके उपयोगी जीवन-काल की समीक्षा प्रत्येक अवधि में की जायेगी जिससे यह निश्चित किया जा सके कि क्या घटनाएं एवं परिस्थितियां उस आस्ति के अनिश्चित उपयोगी जीवन-काल का मूल्यांकन करने की पुष्टि करती हैं। यदि वे ऐसा नहीं करती तो उपयोगी जीवन-काल के मूल्यांकन को अनिश्चित से बदल कर निश्चित किया जाना भारतीय लेखा मानक 8, के अनुसार किया गया परिवर्तन माना जायेगा।
110. भारतीय लेखा मानक 36, के अनुसार, किसी अमूर्त आस्ति के जीवन-काल को अनिश्चित के बदले निश्चित के रूप में पुनर्मूल्यांकित किया जाना इस बात का संकेत देता है कि आस्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय लेखा मानक 36, के अनुसार निर्धारित करते हुए प्रतिष्ठान आस्ति की वसूली योग्य राशि की उसकी अग्रणीत राशि से तुलना करते हुए तथा वसूली योग्य राशि की किसी भी अग्रणीत राशि से अधिक राशि को क्षतिग्रस्तता हानि मानते हुए आस्ति की क्षतिग्रस्तता की जाँच कर सकती है।

अग्रणीत राशि की वसूली योग्यता — क्षतिग्रस्तता हानियां

111. कोई अमूर्त आस्ति क्षतिग्रस्त है अथवा नहीं इसका निर्णय करने के लिए कोई प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 36 को लागू करता है। यह मानक बताता है कि प्रतिष्ठान कब और कैसे अपनी आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा करता है और कब वह अपनी क्षतिग्रस्तता हानियों को मान्यता देता है अथवा उनको पलट देता है।

निवृत्ति एवं निपटान

112. अमूर्त आस्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में अमान्य कर दिया जायेगा:

(क) निपटान पर; अथवा

(ख) जब उसके उपयोग अथवा निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो।

113. किसी अमूर्त आस्ति की अमान्यता से होने वाला लाभ अथवा हानि निपटान से मिलने वाली शुद्ध राशि, यदि कोई हो, तथा आस्ति की अग्रणीत राशि के अन्तर से निर्धारित होगी। जब आस्ति को अमान्य करार दे दिया जायेगा तो उसे लाभ अथवा हानि में मान्यता प्रदान की जायेगी (जब तक कि भारतीय लेखा मानक 17 बिक्री अथवा वापसी पट्टे पर अन्यथा अपेक्षा न करता हो)। लाभ को राजस्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जायेगा।
114. अमूर्त आस्ति का निपटान कई ढंग से हो सकता है (उदाहरण के लिए, बिक्री, वित्तीय पट्टे अथवा दान द्वारा)। ऐसी आस्ति के निपटान की तिथि वह तिथि होती है जिस पर प्राप्तकर्ता भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व*, के अनुसार जब कार्यनिष्पादन बाध्यता पूरी करने पर नियंत्रण प्राप्त करता है। भारतीय लेखा मानक 17, बिक्री तथा वापसी पट्टे द्वारा निपटान पर लागू होता है।
115. यदि अनुच्छेद 21 में वर्णित मान्यता सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुसार कोई प्रतिष्ठान आस्ति की अग्रणीत राशि में किसी अमूर्त आस्ति के किसी अंश को बदलने की लागत को भी मान्यता प्रदान करता है तो वह बदले गये अंश की अग्रणीत राशि की मान्यता समाप्त कर देता है। यदि बदले गये अंश की अग्रणीत राशि निर्धारित करना प्रतिष्ठान के लिए व्यवहार्य न हो तो वह बदले गये अंश की लागत का प्रयोग संकेत के रूप में कर सकता है कि अधिग्रहण के समय अथवा आन्तरिक रूप से सृजन के समय उसकी लागत क्या थी।
- 115क किसी व्यावसायिक संयोजन में पुनः अर्जित अधिकार के मामले में यदि अधिकार बाद में किसी तृतीय पक्ष को पुनः जारी किया गया हो (बेचा गया हो) तो संबंधित अग्रणीत राशि, यदि कोई हो, पुनः जारी किए जाने पर लाभ अथवा हानि का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जायेगी।
116. अमूर्त आस्ति की अमान्यता से उत्पन्न लाभ (गेन) या हानि में शामिल प्रतिफल की राशि का निश्चय भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 47-72 में लेन-देन कीमत के निश्चय की अपेक्षाओं अनुसार किया जाता है। लाभ (गेन) या हानि में शामिल प्रतिफल की प्राक्कलित राशि में बाद के परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 115, की लेन-देन कीमत में परिवर्तनों की अपेक्षाओं अनुसार किया जाता है।
117. निश्चित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति का परिशोधन उस समय समाप्त नहीं हो जाता जब अमूर्त आस्ति का प्रयोग न हो रहा हो जब तक कि उस आस्ति का पूर्ण मूल्यह्रास हो जाये अथवा उसे बिक्री के लिए धारित श्रेणी में भारतीय लेखा मानक 105, के अनुसार वर्गीकृत कर दिया जाये (इसमें ऐसे निपटान समूह भी शामिल हैं जिन्हें बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है)।

प्रकटन

सामान्य

118. आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों तथा अन्य अमूर्त आस्तियों के बीच अंतर करते हुए प्रतिष्ठान प्रत्येक श्रेणी की अमूर्त आस्तियों के लिए निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (क) क्या उपयोगी जीवन-काल अनिश्चित है अथवा सीमित, और यदि सीमित है तो उपयोगी जीवन-काल अथवा प्रयुक्त परिशोधन दरें ;
- (ख) निश्चित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्तियों के लिए प्रयुक्त परिशोधन पद्धतियां ;
- (ग) अवधि के प्रारम्भ और अंत में, सकल अग्रणीत राशि और यदि कोई संचित परिशोधन हो (उसमें संचित क्षतिग्रस्तता हानियां जोड़ी जायें) ;
- (घ) लाभ एवं हानि विवरण की लाइन मद (मदें) जिसमें (जिनमें) अमूर्त आस्तियों का कोई परिशोधन शामिल किया गया हो ;
- (ङ) अवधि के प्रारम्भ तथा अंत में अग्रणीत राशि का मिलान जिसमें निम्नलिखित दर्शाए जाएंगे :
- (i) ऐसे परिवर्द्धन जिनमें आंतरिक विकास को अलग से दर्शाया गया है, अलग से अर्जित किया गया है और व्यावसायिक संयोजनों के माध्यम से अर्जित किया गया है ;
 - (ii) भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत की गयी आस्तियां अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में शामिल आस्तियां तथा अन्य निपटान ;
 - (iii) अनुच्छेद 75, 85 और 86 के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप तथा भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार अन्य व्यापक आय में मान्य अथवा पलटी गयी क्षतिग्रस्तता हानियों से वृद्धि अथवा कमी (यदि कोई हों) ;
 - (iv) भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार अवधि के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य क्षतिग्रस्त हानियां (यदि कोई हों) ;
 - (v) भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार अवधि के दौरान लाभ अथवा हानि में पलटी गयी क्षतिग्रस्त हानियां (यदि कोई हों) ;
 - (vi) अवधि के दौरान, मान्य कोई परिशोधन ;
 - (vii) वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत मुद्रा में रूपान्तरित करने पर शुद्ध विनिमय अंतर तथा प्रतिष्ठान के विदेशी कार्य को प्रस्तुती मुद्रा में परिवर्तित करने पर शुद्ध विनिमय अंतर; और
 - (viii) अवधि के दौरान अग्रणीत राशि में अन्य परिवर्तन ।
119. अमूर्त आस्तियों की कोई श्रेणी एक ही किस्म की उन आस्तियों का समूह होती है जिन्हें प्रतिष्ठान के कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। अलग श्रेणियों के उदाहरण इस प्रकार हैं :
- (क) ब्राण्ड नाम ;
 - (ख) समाचार-पत्रों के नाम लिखने की शैलियां तथा प्रकाशन शीर्ष ;
 - (ग) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर ;
 - (घ) लाइसेंस तथा फ्रैंचाइज़ी ;
 - (ङ) प्रकाशनाधिकार (कापीराइट), पेटेंट तथा अन्य औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार, सेवा एवं परिचालन अधिकार ;
 - (च) भोजन बनाने की विधियां, फॉर्मूले, मॉडल्स, डिज़ाइन तथा प्रोटोटाइप्स ; और
 - (छ) विकसित हो रही अमूर्त आस्तियां ;
- उपर्युक्त श्रेणियों को छोटी (बड़ी) श्रेणियों में बाँटा (समूहित किया) जा सकता है यदि उससे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को अधिक संगत सूचना मिल सकती हो ।
120. प्रतिष्ठान अनुच्छेद 118 (ङ) (iii) - (v) द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना के साथ-साथ भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार क्षतिग्रस्त अमूर्त आस्तियों से संबंधित सूचना भी प्रकट करेगा ।
121. भारतीय लेखा मानक 8 यह अपेक्षा करता है कि यदि किसी लेखा अनुमान में वर्तमान अवधि पर विशेष प्रभाव पड़ता हो अथवा बाद की अवधियों में विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो प्रतिष्ठान को उस लेखा अनुमान की प्रकृति तथा राशि की सूचना देनी होगी । ऐसे प्रकटन निम्नलिखित में हुए परिवर्तनों के कारण हो सकते हैं:
- (क) किसी अमूर्त आस्ति के उपयोगी जीवन-काल का मूल्यांकन;
 - (ख) परिशोधन पद्धति; अथवा
 - (ग) अवशिष्ट मूल्य।

122. प्रतिष्ठान निम्नलिखित की भी सूचना देगा:
- (क) जिस अमूर्त आस्ति को अनिश्चित उपयोगी जीवन-काल वाली आँका गया हो उसके लिए आस्ति की अग्रणीत राशि तथा ऐसे कारण जिनके आधार पर अनिश्चित उपयोगी जीवन-काल आँका गया हो। ऐसे कारण बताते समय प्रतिष्ठान ऐसे तत्वों का भी उल्लेख करेगा जिन्होंने यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो कि आस्ति का अनिश्चित उपयोगी जीवन-काल है।
 - (ख) किसी एक अमूर्त आस्ति की अग्रणीत राशि तथा शेष परिशोधन अवधि का विवरण जो कि प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण है।
 - (ग) सरकारी अनुदान के माध्यम से अर्जित तथा प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्य अमूर्त आस्तियां (देखें अनुच्छेद 44) ;
 - (i) इन आस्तियों के लिए प्रारम्भ में मान्य उचित मूल्य ;
 - (ii) इनकी अग्रणीत राशि ; तथा
 - (iii) क्या लागत मॉडल अथवा पुनर्मूल्यांकन मॉडल के अन्तर्गत उन्हें मान्यता के बाद मापा जाता है ?
 - (घ) जिन अमूर्त आस्तियों का स्वामित्व सीमित है तथा अग्रणीत राशि को दायित्वों के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया है उन अमूर्त आस्तियों की अग्रणीत राशि और उनका अस्तित्व।
- (ड.) अमूर्त आस्तियों के अर्जन के लिए अनुबंधात्मक प्रतिबद्धताओं की राशि।
123. जब कोई प्रतिष्ठान ऐसा तत्व / ऐसे तत्व बताता है जिसने / जिन्होंने यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो कि किसी अमूर्त आस्ति का उपयोगी जीवन-काल अनिश्चित है तो वह प्रतिष्ठान अनुच्छेद 90 में दिए गए तत्वों की सूची पर विचार करता है।
- पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करते हुए मान्यता के पश्चात् मापी गयी अमूर्त आस्तियां
124. यदि पुनर्मूल्यांकित राशियों पर अमूर्त आस्तियों की गणना की गयी हो तो प्रतिष्ठान निम्नलिखित के संबंध में सूचना देगा :
- (क) अमूर्त आस्तियों की श्रेणी द्वारा :
 - (i) पुनर्मूल्यांकन की प्रभावी तारीख ;
 - (ii) पुनर्मूल्यांकित अमूर्त आस्तियों की अग्रणीत राशि ; और
 - (iii) यदि अनुच्छेद 74 के अनुसार लागत मॉडल का प्रयोग करते हुए मान्यता के पश्चात् अमूर्त आस्तियों की श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो मापी गयी अग्रणीत राशि और
 - (ख) पुनर्मूल्यांकन आधिक्य की वह राशि जो अवधि के प्रारम्भ तथा अंत में अमूर्त आस्ति से संबंधित हो जिससे शेषरधारकों को शेष राशि के वितरण पर अवधि के दौरान कोई प्रतिबंध ;
 - (ग) [देखें परिशिष्ट 1]।
125. प्रकटन के प्रयोजन से पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की कुल श्रेणियों को बड़ी श्रेणियों में बताना आवश्यक हो सकता है। बहरहाल, यदि ऐसा करने से अमूर्त आस्तियों का ऐसा संयोजन हो जाये कि जिसमें अमूर्त आस्तियों की ऐसी श्रेणियां भी आ जायें जिनमें लागत तथा पुनर्मूल्यांकन मॉडलों के अन्तर्गत मापी गयी दोनों प्रकार की राशियां शामिल होती हों तो ऐसा नहीं किया जायेगा।
- अनुसंधान एवं विकास व्यय
126. अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्य अनुसंधान एवं विकास व्यय की कुल राशि प्रतिष्ठान द्वारा प्रकट की जायेगी।
127. अनुसंधान एवं विकास व्यय में ऐसा सारा व्यय आयेगा जो प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर खर्च किया गया हो (अनुच्छेद 126 के प्रयोजन से प्रकटन अपेक्षा के अनुसार शामिल किये जाने वाले व्यय की किस्म के बारे में मार्गदर्शन हेतु अनुच्छेद 66 और 67 देखें)।
- अन्य सूचनाएं
128. प्रतिष्ठान को निम्नलिखित सूचना प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित तो किया जाता है परन्तु ऐसा करना उससे अपेक्षित नहीं है:
- (क) ऐसी पूर्णतः परिशोधित अमूर्त आस्ति का विवरण जो अभी प्रयोग में ही है ; और
 - (ख) प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित परन्तु आस्तियों के रूप में मान्य न की गयी महत्वपूर्ण अमूर्त आस्तियों का संक्षिप्त विवरण क्योंकि वे इस मानक के अन्तर्गत या तो मान्यता के मानदण्ड पूरे नहीं करती हैं अथवा जो इस मानक के प्रभावी होने से पहले अर्जित अथवा उद्भूत हुई थीं।

परिशिष्ट क**अमूर्त आस्तियां -वैबसाइट लागतें**

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

मुद्दा

1. आन्तरिक प्रयोग के लिए अथवा बाहरी व्यक्तियों के प्रयोग के लिए अपनी वैबसाइट तैयार करने और उसे चलाते रहने के लिए प्रतिष्ठान आन्तरिक व्यय कर सकता है। बाहरी व्यक्तियों के प्रयोग के लिए बनायी गयी वैबसाइट का प्रयोग कई कार्यों के लिए किया जा सकता है जैसे प्रतिष्ठान के अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और विज्ञापन के लिए, इलैक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करने तथा उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए। आन्तरिक प्रयोग के लिए बनाई गयी वैबसाइट का प्रयोग कम्पनी की नीतियों और ग्राहकों की जानकारी रखने तथा सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
2. वैबसाइट तैयार करने के विभिन्न चरणों का विवरण निम्नलिखित हो सकता है :
 - (क) योजना बनाना - इसमें व्यवहार्यता अध्ययन करना, उद्देश्य और विशेषताओं की परिभाषा देना, विकल्पों का मूल्यांकन करना तथा प्राथमिकताएं चुनना शामिल हैं।
 - (ख) एप्लीकेशन तथा आधारभूत विकास - इसमें डोमेन का नाम प्राप्त करना, हार्डवेयर तथा ऑपरेटिंग साफ्टवेयर खरीदना और विकसित करना, विकसित एप्लीकेशन को इंस्टाल एवं स्ट्रैस टेस्टिंग करना।
 - (ग) ग्राफिकल डिजाइन विकसित करना - इसमें वैबपेज की रूपरेखा का डिजाइन तैयार करना शामिल है।
 - (घ) विषय वस्तु विकसित करना - इसमें वैबसाइट विकसित किए जाने का कार्य पूरा होने से पहले वैबसाइट पर पाठ्यवस्तु के रूप में अथवा ग्राफिकल किस्म की सूचना बनाना, खरीदना, तैयार करना और सूचना (अपलोड) करना शामिल है। यह सूचना एक ऐसे अलग डाटाबेस में भी हो सकती है जिसे वैबसाइट में डाल दिया जाये अथवा सीधे ही वैब पृष्ठों पर कोड के रूप में डाला जा सकता है।
3. जब वैबसाइट विकसित करने का कार्य पूरा हो जाये तो परिचालन स्तर (ऑपरेटिंग स्टेज) का काम शुरू हो जाता है। इस चरण में प्रतिष्ठान अपनी वैबसाइट के एप्लीकेशनों, आधारभूत संरचना, ग्राफिकल डिजाइन और विषयवस्तु को बनाये रखता है और उसमें वृद्धि करता है।
4. जब प्रतिष्ठान की अपनी वैबसाइट के आन्तरिक अथवा बाहरी प्रयोग को विकसित करने अथवा उसका प्रयोग करने के लिए आन्तरिक व्यय का लेखांकन किया जाता है तो उसमें निहित मुद्दे निम्नलिखित हैं :
 - (क) क्या वैबसाइट आन्तरिक रूप से तैयार की गयी ऐसी अमूर्त आस्ति है जिसपर भारतीय लेखा मानक 38 लागू होना चाहिए ; और
 - (ख) ऐसे व्यय के लिए उपयुक्त लेखांकन प्रक्रिया।
5. यह परिशिष्ट वैबसाइट के लिए हार्डवेयर खरीदने के लिए किये गये खर्च, उसे विकसित करने तथा ऑपरेटिंग हार्डवेयर पर किए गए खर्च (जैसे वैब सर्वर, स्टेजिंग सर्वर, उत्पादन सर्वर और इन्टरनेट कनेक्शन) पर लागू नहीं है। ऐसा खर्च भारतीय लेखा मानक 16, के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त, जब प्रतिष्ठान किसी ऐसे इन्टरनेट सेवा प्रदाता पर खर्च करता है जो प्रतिष्ठान की वैबसाइट का होस्ट हो तो वह खर्च भारतीय लेखा मानक 1, के अनुच्छेद 88 के अन्तर्गत तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी *भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुसरण में* 'वित्तीय विवरण तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतिकरण विषयक कार्य-पद्धति' के अन्तर्गत व्यय की मान्यता में आता है जब सेवाएं प्राप्त की जाती हैं।
6. भारतीय लेखा मानक 38, उन अमूर्त आस्तियों पर लागू नहीं होता जो भारतीय लेखा मानक 17, की सीमा के भीतर प्रतिष्ठान द्वारा सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान बिक्री के लिए (देखें भारतीय लेखा मानक 2 तथा भारतीय लेखा मानक 115) अथवा पट्टे के लिए रखी गयी हों। तदनुसार, यह परिशिष्ट किसी अन्य प्रतिष्ठान को बेची जाने वाली वैबसाइट विकसित करने अथवा चलाने (अथवा वैबसाइट के सॉफ्टवेयर) पर किये गये खर्च पर लागू नहीं होता। जब कोई वैबसाइट परिचालन पट्टे के अन्तर्गत पट्टे पर दी जाती है तो पट्टाकर्ता इस परिशिष्ट का प्रयोग करता है। जब कोई वैबसाइट वित्तीय पट्टे के अन्तर्गत पट्टे पर दी जाती है तो पट्टे वाली आस्ति की प्रारम्भिक मान्यता के बाद पट्टेदार इस परिशिष्ट को लागू करता है।

लेखा-सिद्धांत

7. किसी प्रतिष्ठान की अपनी ऐसी वैबसाइट जो विकसित करके बनायी गयी है और आन्तरिक अथवा बाहरी प्रयोग के लिए है वह आन्तरिक रूप से बनायी गयी अमूर्त आस्ति कहलाती है जो भारतीय लेखा मानक 38 के अन्तर्गत आती है।
8. जो वैबसाइट स्वयं बनायी गयी हो उसे उसी परिस्थिति में अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब यह मान्यता के संबंध में भारतीय लेखा मानक 38, के अनुच्छेद 21 में वर्णित सामान्य अपेक्षाओं तथा प्रारम्भिक माप की सामान्य अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ भारतीय

- लेखा मानक 38, के अनुच्छेद 57 की अपेक्षाओं को भी पूरा करती हो। विशेषतः, वह प्रतिष्ठान यह बताने में सक्षम हो कि उसकी वैबसाइट भारतीय लेखा मानक 38, के अनुच्छेद 57 (घ) के अनुसार सम्भावित भावी आर्थिक लाभ किस प्रकार प्राप्त करने में सक्षम होगी, जब, उदाहरण के लिए, वैबसाइट द्वारा दिये जाने वाले आदेशों से प्रत्यक्ष राजस्व सहित राजस्व प्राप्त कर सकती है। यदि कोई प्रतिष्ठान यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि उसके उत्पादों को बढ़ावा देने अथवा उन्हें विज्ञापित करने के एक मात्र अथवा प्रमुख उद्देश्य से तैयार की गयी वैबसाइट सम्भावित भावी आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकती है तो ऐसी वैबसाइट तैयार करने पर किये गये सारे खर्च को खर्च माना जायेगा।
9. प्रतिष्ठान की अपनी वैबसाइट विकसित करने तथा उसे चलाने पर किया गया सारा आन्तरिक खर्च भारतीय लेखा मानक 38, के अनुरूप हिसाब में लिया जायेगा। जिन गतिविधियों के लिए खर्च किया गया है उनमें से प्रत्येक के स्वरूप पर किया गया खर्च (उदाहरण के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा वैबसाइट का रख-रखाव) और वैबसाइट के विकास के चरण अथवा विकास के बाद की स्थिति का मूल्यांकन किया जायेगा ताकि उपयुक्त लेखांकन के तरीके का निर्धारण किया जा सके। उदाहरण के लिए :
- (क) योजना बनाने का चरण भारतीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 54-56 में वर्णित अनुसंधान के चरण के समान ही है। इस चरण में किया गया वह खर्च माना जायेगा कि वह उस समय का जब वह किया गया था।
- (ख) प्रयोग तथा आधारभूत संरचना विकसित करने का चरण ग्राफिकल डिजाइन चरण तथा विषयवस्तु विकसित करने का चरण जहाँ तक प्रतिष्ठान के अपने उत्पादन एवं सेवाओं को विज्ञापित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिन्न है भारतीय लेखा मानक 38, के अनुच्छेद 57-64 में वर्णित विकास चरण के समान प्रकृति का ही है। इन चरणों में किया गया खर्च उस समय इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 8 के अनुसार अमूर्त आस्ति के रूप में मान्य वैबसाइट की लागत में शामिल किया जायेगा जब वह खर्च वैबसाइट बनाने उसका उत्पादन करने अथवा तैयार करने के लिए आवश्यक हो जिससे वह प्रबन्धन द्वारा वांछित ढंग से कार्य करने में सक्षम हो सके। उदाहरण के लिए विशेष रूप से वैबसाइट के लिए विषयवस्तु खरीदने अथवा तैयार करने (ऐसी विषयवस्तु से भिन्न जो प्रतिष्ठान की अपनी उत्पादों और सेवाओं का विज्ञापन करती हो अथवा उन्हें बढ़ावा देती हो), अथवा वैबसाइट पर विषयवस्तु का प्रयोग करने में सक्षम बनाने पर किया गया खर्च उसे विकसित करने की लागत में शामिल किया जायेगा जब यह शर्त पूरी होती हो। बहरहाल, भारतीय लेखा मानक 38, के अनुच्छेद 71 के अनुसार अमूर्त आस्ति पर जिस खर्च को पिछले वित्तीय विवरण में प्रारम्भ में व्यय के रूप में माना गया हो उसे बाद की तारीख पर अमूर्त आस्ति की लागत नहीं माना जायेगा (उदाहरणार्थ यदि किसी कॉपीराइट की लागत पूरी तरह परिशोधित हो चुकी हो और बाद में उसे वैबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाये)।
- (ग) विषयवस्तु के विकास चरण पर किये गये खर्च को भारतीय लेखा मानक 38, के अनुच्छेद 69 (ग) के अनुसार उस सीमा तक खर्च माना जायेगा जब विषयवस्तु का विकास प्रतिष्ठान के अपने उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन और बढ़ावा देने के लिए हो (जैसे उत्पादों के डिजिटल फोटोग्राफ)। उदाहरण के लिए जब प्रतिष्ठान के अपने उत्पादों और उनके प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल फोटोग्राफ खींचने पर व्यावसायिक सेवाएं लेने पर किये गये खर्च का लेखांकन किया जाना हो तो उस खर्च को खर्च के रूप में ही माना जायेगा क्योंकि व्यावसायिक सेवाएं उस प्रक्रिया के दौरान ली गयीं न कि तब जब डिजिटल फोटोग्राफ वैबसाइट पर प्रदर्शित किये गये थे।
- (घ) परिचालन चरण तब शुरू होता है जब वैबसाइट को विकसित करने का काम पूरा हो जाये। इस चरण के दौरान किये गये खर्च को तब खर्च के रूप में माना जाता है जब यह खर्च किया जाये जब तक कि वह भारतीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 18 में वर्णित मान्यता के मानदण्डों को पूरा न करता हो।
10. जिस वैबसाइट को इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 8 के अन्तर्गत अमूर्त आस्ति के रूप में माना गया हो उसे भारतीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 72-87 के अन्तर्गत प्रारम्भिक मान्यता सम्बन्धी अपेक्षाओं को लागू करके मापा जायेगा। वैबसाइट के उपयोगी जीवन-काल का सर्वोत्तम अनुमान संक्षिप्त ही होना चाहिए।

परिशिष्ट ख

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 38 का अभिन्न अंग है।

इस परिशिष्ट में उन परिशिष्टों की सूची दी गयी है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं तथा वे भारतीय लेखा मानक 38, अमूर्त आस्तियों के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं।

1. परिशिष्ट ग, सेवा रियायत प्रबंध — भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट।
2. परिशिष्ट घ, सेवा रियायत प्रबंध : प्रकटन — भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट।
3. परिशिष्ट ग, यह निर्धारित करना कि की गयी व्यवस्था एक पट्टा है — भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे में समाविष्ट।
4. परिशिष्ट ख, सतही खान के उत्पादन चरण में निकासी लागतें — भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में समाविष्ट।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखामानक (इंड ए एस) 38 और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखामानक (आई ए एस) 38, 'अमूर्त आस्तियां' एवं 'एस आई सी' 32, 'अमूर्त आस्तियां-वेबसाइट लागतें' के बीच यदि कोई प्रमुख अन्तर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखामानक (आई ए एस) 38, अमूर्त आस्तियां एवं 'एस आई सी' 32 के साथ तुलना

- सरकारी अनुदान के द्वारा एक अमूर्त आस्ति के अधिग्रहण के सम्बंध में, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 38 'अमूर्त आस्तियां' एक प्रतिष्ठान को यह विकल्प प्रदान करता है कि वह आस्ति और अनुदान दोनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर या नाममात्र राशि व इसके वांछित प्रयोग के लिए आस्ति को तैयार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से किये गये व्यय के साथ को मान्यता दे। भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त आस्ति के लिए भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार अनुदान की मान्यता के लिए केवल उचित मूल्य को अनुमति देते हैं।
- अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 38 के संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक 38 में नहीं दिये गये हैं क्योंकि सभी भारतीय लेखा मानकों से सम्बंधित संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित समझे गए, आई एफ आर एस 1 'अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग, मानकों के प्रथमबार अंगीकरण' के तदनुसूची भारतीय लेखा मानक 101 'भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण' में सम्मिलित कर लिये गये हैं।
- इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग गया है जैसे शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलनपत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
- अनुच्छेद 7कक को इस आशय के लिए सम्मिलित किया गया है कि उस प्रतिष्ठान को इस बात से बाहर रखा जाए जो भारतीय लेखा मानक 101 के परिशिष्ट 'घ' के अनुच्छेद 22 में दिये गये अपवाद के अनुसार भारतीय लेखा मानक की प्रथम रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ से तत्काल पहले की समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में मान्य टॉल सडकों के संबंध में सेवा रियायत व्यवस्थाओं से उत्पन्न अमूर्त आस्तियों के परिशोधन का चयन करता है।
- अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक के निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटाए गये' के रूप में प्रदर्शित हैं। भारतीय लेखा मानक 38 व अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 38 भी अनुच्छेद संख्याओं में परस्पर क्रमबद्धता बनी रहे, इस आशय से इन्हें भारतीय लेखा मानक 38 में जारी रखा गया है:-
 - अनुच्छेद 38-41;
 - अनुच्छेद 124(ग)
- दृष्टांत उदाहरणों के निम्नलिखित संदर्भ, जो अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 38 या 'एस आई सी' 32 के अभिन्न अंग नहीं हैं, भारतीय लेखा मानक 38 में सम्मिलित नहीं किये गये हैं:
 - अनुच्छेद 89 में दी गई दृष्टांत उदाहरणों का संदर्भ जिसमें विभिन्न आस्तियों के उपयोगी कार्यकाल (जीवनकाल) का निर्धारण और बाद में उन आस्तियों के उपयोगी कार्यकाल (जीवनकाल) पर आधारित लेखा का संदर्भ दिया गया है।
 - उदाहरणों में प्रदत्त अतिरिक्त दिशा-निर्देश सम्बन्धित 'एस आई सी' 32 के अनुच्छेद 9 का संदर्भ।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 40**निवेश संपत्ति**

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

- इस भारतीय लेखा मानक का उद्देश्य निवेश संपत्ति का लेखा व्यवहार तथा सम्बंधित प्रकटन अपेक्षाओं का निर्धारण करना है।

कार्यक्षेत्र

- यह मानक निवेश संपत्ति की मान्यता, माप एवं प्रकटन पर लागू होगा।
- अन्य बातों के साथ-साथ, यह मानक निवेश संपत्ति हित जो एक पट्टे में धारित है और जिसका लेखा वित्तीय पट्टे के रूप में होता है, उसके पट्टेदार के वित्तीय विवरणों में माप तथा एक निवेश संपत्ति जिसे पट्टेदार को परिचालन पट्टे के रूप में दिया जाता है उसके पट्टाकर्ता के वित्तीय विवरणों में माप पर लागू होता है। यह मानक भारतीय लेखा मानक 17, पट्टों, में व्याप्त उन मामलों पर लागू नहीं होता है जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
 - पट्टों का वित्तीय पट्टों अथवा परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकरण;
 - निवेश संपत्ति से पट्टा आय की मान्यता (भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व, को भी देखें);

- (ग) संपत्ति हित जो एक पट्टे में धारित है और जिसका लेखा परिचालन पट्टे के रूप में होता है, उसका पट्टेदार के वित्तीय विवरण में माप;
- (घ) पट्टाकर्ता का एक वित्तीय पट्टे में शुद्ध निवेश का उसके वित्तीय विवरण में माप;
- (ङ) बिक्री तथा पट्टे पर वापसी (लीज बैक) सम्बंधी लेन-देनों (सौदों) का लेखा; तथा
- (च) वित्तीय पट्टों तथा परिचालन पट्टों के बारे में प्रकटन।
4. यह मानक निम्नलिखित पर लागू नहीं होता:
- (क) कृषि-कार्य से सम्बंधित जैविक आस्तियां (देखें भारतीय लेखा मानक 41, कृषि और भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर); और
- (ख) खनिज अधिकार तथा खनिज कोष (रिजर्व) जैसे तेल, प्राकृतिक गैस तथा इसी प्रकार के गैर-पुनरुत्पादक संसाधन।

परिभाषाएं

5. इस मानक में निर्दिष्ट निम्नलिखित शब्दावली यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में उपयोग की गयी है :

अग्रणीत (कैरिंग) राशि वह राशि है जिस पर एक आस्ति को तुलन-पत्र में मान्यता दी जाती है।

लागत एक नकद या नकदी तुल्य राशि अथवा अन्य प्रतिफल का उचित मूल्य है जिसे किसी आस्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए भुगतान किया जाता है या जहां लागू है, यह वह आरोपित राशि है जिस पर अन्य भारतीय लेखा मानक जैसे कि भारतीय लेखा मानक 102, शेयर-आधारित भुगतान, की विभिन्न अपेक्षाओं के अनुसार प्रारम्भ में किसी आस्ति को मान्यता दी गई हो।

उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 113, उचित मूल्य माप)।

निवेश संपत्ति से अभिप्रायः, निम्नलिखित के उपयोग की बजाय, किराया अर्जित करने अथवा पूंजी की वृद्धि करने अथवा दोनों के लिए (स्वामी के द्वारा अथवा वित्तीय पट्टा के अन्तर्गत पट्टेदार के द्वारा) धारित संपत्ति (जमीन अथवा एक भवन अथवा भवन का हिस्सा अथवा दोनों) से है:

- (क) वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति अथवा प्रशासकीय प्रयोजनों के उपयोग में लायी जाने वाली संपत्ति ; और
- (ख) व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में बिक्री।

स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति से अभिप्राय उस संपत्ति से है जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति अथवा सेवाओं अथवा प्रशासकीय प्रयोजन में उपयोग के लिए (स्वामी के द्वारा अथवा वित्तीय पट्टा के अन्तर्गत पट्टेदार के द्वारा) धारित है।

निवेश संपत्ति अथवा स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति के रूप में संपत्ति का वर्गीकरण

6. [देखें परिशिष्ट 1]

7. निवेश संपत्ति को किराया अर्जित करने अथवा पूंजी की वृद्धि के लिए अथवा दोनों के लिए धारित किया जाता है। अतः एक निवेश संपत्ति एक प्रतिष्ठान द्वारा धारित अन्य आस्तियों से स्वतंत्र रूप से नकद प्रवाह को सृजित करती है। इससे स्वामी (मालिक) द्वारा ग्रहीत संपत्ति और निवेश संपत्ति में अंतर स्पष्ट होता है। वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति (अथवा प्रशासकीय प्रयोजन के लिए) संपत्ति का उपयोग नकद प्रवाहों को सृजित करता है जो न केवल संपत्ति से जुड़ा है परन्तु उत्पादन अथवा आपूर्ति प्रक्रिया में प्रयुक्त अन्य आस्तियों से भी जुड़ा है। भारतीय लेखा मानक 16, स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति पर लागू होता है।

8. निवेश-संपत्ति के निम्नलिखित उदाहरण हैं:

- (क) व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में जमीन को अल्पकालीन बिक्री की बजाय दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि के लिए धारित करना।
- (ख) जमीन को वर्तमान में गैर निर्धारित भावी उपयोग के लिए धारित करना (यदि एक प्रतिष्ठान ने यह निर्धारित नहीं किया है कि यह जमीन को स्वामी ग्रहीत संपत्ति अथवा व्यापार के सामान्य व्यवहार में अल्पकालीन बिक्री के लिए उपयोग करेगा तो जमीन को पूंजी वृद्धि के लिए धारित माना जाएगा)।
- (ग) प्रतिष्ठान के स्वामित्व में (अथवा वित्तीय पट्टा के अन्तर्गत प्रतिष्ठान द्वारा धारित) एक भवन जिसे एक अथवा एक से अधिक परिचालन पट्टों के अन्तर्गत पट्टे पर दिया गया है।
- (घ) एक भवन जो खाली है परन्तु एक अथवा एक से अधिक परिचालन पट्टों के अन्तर्गत पट्टे पर देने के लिए रखा गया है।
- (ङ) संपत्ति जिसे भविष्य में निवेश संपत्ति के रूप में प्रयुक्त करने के लिए निर्मित अथवा विकसित किया गया है।

9. निम्नलिखित उदाहरणों में वे मदे दी गयी हैं जो कि निवेश संपत्ति नहीं हैं और अतः इन्हें इस मानक के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है:

- (क) वह संपत्तियां जिन्हें व्यवसाय के सामान्य कार्यकलापों के अंतर्गत बिक्री के लिए या इस प्रकार की बिक्री के लिए निर्माणाधीन अथवा विकासाधीन [देखें भारतीय लेखा मानक 2, सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)], उदाहरण के लिए, एक संपत्ति जिसे केवल इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत किया गया है कि उसका निकट भविष्य में बिक्री द्वारा निपटान किया जाएगा या विकसित करके फिर बिक्री की जाएगी।
- (ख) [देखें परिशिष्ट 1]।
- (ग) स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति (देखें भारतीय लेखा मानक 16) जिसमें (अन्य बातों के साथ-साथ) भविष्य में उपयोग के लिए स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति, भविष्य में विकास के लिए धारित की गयी संपत्ति जिसे बाद में स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति के रूप में प्रयोग किया जाएगा, कर्मचारियों द्वारा ग्रहीत संपत्ति (चाहे कर्मचारी बाजार दर पर किराये का भुगतान करते हैं अथवा नहीं) तथा स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति जिसे निपटाया जाना है, सम्मिलित हैं।
- (घ) [देखें परिशिष्ट 1]
- (ङ) संपत्ति जिसे वित्तीय पट्टा के अन्तर्गत एक अन्य प्रतिष्ठान को पट्टे पर दिया गया है।
10. कुछ संपत्तियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनका एक भाग किराया अर्जित करने अथवा पूंजी वृद्धि के लिए धारित किया जाता है तथा एक अन्य भाग वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति अथवा प्रशासकीय उपयोग के लिए धारित किया जाता है। यदि इन भागों को पृथक रूप से बेचा जाता है (अथवा वित्त पट्टे के अन्तर्गत पृथक रूप से पट्टे पर दिया जाता है), तो प्रतिष्ठान इन भागों का लेखा भी पृथक रूप से करता है। यदि इन भागों को पृथक रूप से बेचा नहीं जा सकता, संपत्ति तब भी निवेश संपत्ति ही होगी यदि उसका एक तुच्छ भाग वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति अथवा प्रशासकीय प्रयोजन के उपयोग के लिए धारित किया गया हो।
11. कुछ मामलों में, एक प्रतिष्ठान ग्रहीत संपत्ति के कबिजों को सहायक सेवाएँ भी प्रदान करता है। ऐसे में, यदि सेवाएँ पूरी व्यवस्था में तुच्छ हैं, तो वह प्रतिष्ठान इस प्रकार की संपत्ति को निवेश संपत्ति मानता उदाहरणस्वरूप, जब एक कार्यालय भवन का स्वामी इसके पट्टेदारों को, जिनके अधिकार में भवन है, सुरक्षा तथा रखरखाव-सम्बंधी सेवाएँ प्रदान करता है।
12. अन्य मामलों में, जब प्रदान की गयी सेवाएँ महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिष्ठान एक होटल का स्वामी है और उसका प्रबन्ध भी वही करता है, अतिथियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए, चूंकि महत्वपूर्ण हैं, अतः वह स्वामी-प्रबंधित होटल निवेश संपत्ति की बजाय स्वामी ग्रहीत संपत्ति है।
13. यह निर्धारित करना कठिन हो सकता है कि क्या सहायक सेवाएँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि एक संपत्ति निवेश संपत्ति की अहर्ता प्राप्त नहीं कर पाती है। उदाहरण के लिए, जैसे कि होटल का स्वामी कभी-कभी एक प्रबन्धन-अनुबंध के अन्तर्गत अपने कुछ उत्तरदायित्व तृतीय पक्ष को अन्तरित कर देता है। इस प्रकार की अनुबंध की शर्तें काफी हद तक अलग-अलग हो सकती हैं। एक स्थिति (स्पैक्ट्रम) में स्वामी एक निष्क्रिय निवेशक तक सीमित हो सकता है। जबकि दूसरी स्थिति (स्पैक्ट्रम) में वह, मात्र दैनिक कार्यों को आउटसोर्स करता है और होटल के परिचालन द्वारा सृजित नकद प्रवाहों में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण अभिदर्शन उसी के नियंत्रण में रहता है।
14. क्या संपत्ति निवेश संपत्ति के रूप में अहर्ता प्राप्त करती है इसके निर्धारण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रतिष्ठान एक मानदंड विकसित करता है ताकि वह निवेश संपत्ति की परिभाषा तथा अनुच्छेद 7-13 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार सुसंगत रूप से उस विवेकपूर्ण निर्णय का उपयोग करे। अनुच्छेद 75 (ग) के अनुसार, प्रतिष्ठान उस मानदंड को प्रकट करेगा जब वर्गीकरण करना कठिन हो।
- 14 क यह निर्धारित करने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय की भी आवश्यकता है कि क्या निवेश संपत्ति का अधिग्रहण भारतीय लेखा मानक 103, व्यवसायिक संयोजन, के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत एक आस्ति या आस्तियों का एक समूह या फिर एक व्यवसायिक संयोजन का अधिग्रहण है या नहीं। भारतीय लेखा मानक 103 का संदर्भ यह निर्धारण करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या यह व्यावसायिक संयोजन है या नहीं। इस मानक के अनुच्छेदों 7-14 इस बात से संबंधित हैं कि क्या संपत्ति स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति है या निवेश संपत्ति है या नहीं है और यह निर्धारित नहीं करते हैं कि क्या निवेश संपत्ति का अधिग्रहण भारतीय लेखा मानक 103 की परिभाषा के अनुसार एक व्यवसायिक संयोजन है या नहीं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक विशिष्ट लेन-देन भारतीय लेखा मानक 103 की परिभाषा के अनुसार एक व्यवसायिक संयोजन की परिभाषा को पूरा करता है और इस भारतीय लेखा मानक में यथा परिभाषित एक निवेश संपत्ति को सम्मिलित करता है, दोनों मानकों के पृथक प्रयोग की अपेक्षा की जाती है।
15. कुछ मामलों में, एक स्वामी के पास संपत्ति का स्वामित्व है जिसे वह अपने मूल प्रतिष्ठान अथवा अनुषंगी प्रतिष्ठान को पट्टे पर देता है तथा संपत्ति मूल प्रतिष्ठान अथवा अनुषंगी प्रतिष्ठान द्वारा ग्रहीत है। संपत्ति समेकित वित्तीय विवरण में निवेश संपत्ति के रूप में अहर्ता प्राप्त नहीं करता है क्योंकि वह संपत्ति समूह के दृष्टिकोण से स्वामी अधिग्रहीत है। यद्यपि, प्रतिष्ठान के दृष्टिकोण से वह संपत्ति जो उसके स्वामित्व में है, एक निवेश संपत्ति है यदि यह अनुच्छेद 5 में दी गयी परिभाषा को पूरा करती है। अतः पट्टाकर्ता (पट्टादाता) संपत्ति को व्यवित्तगत वित्तीय विवरण में निवेश संपत्ति के रूप में लेखा करता है।

मान्यता

16. निवेश संपत्ति को एक आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब, तथा केवल जब :
- (क) यह संभव है कि निवेश संपत्ति से जुड़े भावी आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान को प्रवाहित होंगे; तथा
- (ख) निवेश संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।
17. एक प्रतिष्ठान इस मान्यता सिद्धांत के अन्तर्गत, सभी निवेश संपत्ति लागतों का उसी समय मूल्यांकन करता है जब इन लागतों का व्यय होता है। इन लागतों में, आरंभ में एक निवेश संपत्ति को अधिग्रहित करने में व्यय की गयी लागत तथा बाद में उस संपत्ति में जोड़ने, उसके एक भाग के प्रतिस्थानापन्न अथवा एक संपत्ति की सर्विसिंग में उत्पन्न लागतें सम्मिलित हैं।
18. अनुच्छेद 16 में दिये गये मान्यता सिद्धांत के अन्तर्गत, एक प्रतिष्ठान एक निवेश संपत्ति की अग्रणीत राशि में इस प्रकार की संपत्ति की प्रतिदिन सर्विसिंग की लागत को मान्यता नहीं देता है। अपितु इन लागतों को, व्यय होने पर, लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है। दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग लागत मुख्यतः मजदूरी तथा उपभोग वस्तुओं पर खर्च होने वाली लागतें जिनमें छोटे पुर्जों की लागतें सम्मिलित हो सकती हैं। इन व्ययों के प्रयोजन को प्रायः संपत्ति की 'मरम्मत तथा अनुरक्षण' के रूप में वर्णित किया जाता है।
19. निवेश संपत्तियों के कुछ भाग प्रतिस्थानापन्न रूप से अधिग्रहीत किया जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आंतरिक दीवारें मूल दीवारों का प्रतिस्थानापन्न हो सकती हैं। मान्यता सिद्धांत के अन्तर्गत, एक प्रतिष्ठान निवेश संपत्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में, लागत के खर्च होने के समय विद्यमान निवेश संपत्ति के हिस्से के प्रतिस्थानापन्न की लागत को मान्यता देता यदि मान्यता मानदंड पूरा होता हो। वे भाग, जिनका प्रतिस्थानापन्न किया गया है, उनकी अग्रणीत राशि की मान्यता इस मानक के गैर मान्यता उपबंध के अनुसार समाप्त कर दी जाती है।

मान्यता पर माप

20. एक निवेश संपत्ति को आरंभ में उसकी लागत पर मापा जायगा। लेन-देन की लागतें आरंभिक माप में सम्मिलित होंगी।
21. क्रय की गयी निवेश संपत्ति की लागत इसकी क्रय कीमत तथा सीधे रूप से जुड़े किसी भी व्यय से मिलकर बनती है। साधे रूप से जुड़े व्यय में कानूनी सेवाओं के लिए पेशेवर शुल्क, सम्पत्ति हस्तांतरण कर तथा अन्य लेन-देन लागतें जैसे व्यय सम्मिलित हैं।
22. [देखें परिशिष्ट 1]
23. निवेश संपत्ति की लागत निम्नलिखित द्वारा नहीं बढ़ायी जाती :
- (क) शुरुआती लागतें (बशर्ते वह प्रबन्धन द्वारा वांछित तरीके के अनुसार परिचालन के योग्य बनाने के लिए आवश्यक न हों),
- (ख) निवेश संपत्ति के कब्जों या अधिभोग के नियोजित स्तर को प्राप्त करने से पूर्व की परिचालन सम्बंधी हानियां, अथवा
- (ग) संपत्ति के निर्माण अथवा विकास में बेकार हुई सामग्री, श्रम अथवा अन्य संसाधनों की व्यय की गयी असामान्य राशि।
24. यदि एक निवेश संपत्ति के लिए भुगतान को आस्थगित किया जाता है, इसकी लागत नकद कीमत समतुल्य है। इस राशि तथा कुल भुगतान के बीच अंतर को ऋण (क्रेडिट) की अवधि के दौरान ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
25. एक पट्टे के अन्तर्गत धारित तथा निवेश-संपत्ति के रूप में वर्गीकृत एक संपत्ति-हित की आरंभिक लागत भारतीय लेखा मानक 17 के अनुच्छेद 20 द्वारा वित्त पट्टा के लिए निर्धारित होगी, अर्थात् संपत्ति के उचित मूल्य तथा न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य में से, जो भी राशि कम है, उस पर आस्ति को मान्यता दी जायगी। एक समतुल्य राशि को उसी अनुच्छेद के अनुसार दायित्व के रूप में मान्यता दी जायगी।
26. एक पट्टे के लिए किसी प्रीमियम के भुगतान को इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम पट्टा भुगतान का भाग माना जायगा, अतः इसे संपत्ति की लागत में तो सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन दायित्व से अलग रखा जाएगा। यदि एक पट्टे के अन्तर्गत धारित संपत्ति-हित को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो वह मद जिसका लेखा उचित मूल्य पर होता है वह वो हित है न कि अंतर्निहित संपत्ति। संपत्ति-हित के उचित मूल्य के माप सम्बंधी मार्गदर्शन अनुच्छेद 33-52 और भारतीय लेखा मानक 113 में निरूपित किए गए हैं। यह मार्गदर्शन उचित मूल्य के माप के लिए भी प्रासंगिक है जब उस मूल्य को आरंभिक मान्यता के प्रयोजनों के लिए लागत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
27. एक अथवा एक से अधिक निवेश संपत्तियों को गैर मौद्रिक अस्ति अथवा आस्तियों अथवा मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक आस्तियों के संयोजन के विनिमय में अधिग्रहीत किया जा सकता है। निम्नलिखित चर्चा एक गैर मौद्रिक आस्ति का एक अन्य आस्ति के विनिमय के संदर्भ में है परन्तु यह पहले के वाक्य में वर्णित सभी प्रकार के विनिमयों पर लागू होती है। इस प्रकार की एक निवेश संपत्ति की लागत को उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक (क) विनिमय लेन-देन में वाणिज्यिक सार का अभाव हो अथवा (ख) प्राप्त संपत्ति अथवा छोड़ी गयी संपत्ति का उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापा न जा सके। अधिग्रहीत संपत्ति को इस तरीके से मापा जाता है यद्यपि एक प्रतिष्ठान

- छोड़ी गयी संपत्ति को तुरंत अमान्य न करे। यदि अधिग्रहीत संपत्ति को उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता तो उसकी लागत को छोड़ी गयी संपत्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि पर मापा जाता है।
28. एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक विनिमय लेन-देन का वाणिज्यिक सार है, इस बात पर विचार करता है कि लेन-देन से उसके भावी नकदी प्रवाह पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा। एक विनिमय लेन-देन का वाणिज्यिक सार तब होता है यदि:
- (क) प्राप्त संपत्ति के नकद प्रवाहों का विन्यास (जोखिम, समय तथा राशि) हस्तांतरित संपत्ति के नकद प्रवाहों के विन्यास से भिन्न है, अथवा
 - (ख) विनिमय के परिणामस्वरूप, लेन-देनों के परिवर्तनों से प्रभावित प्रतिष्ठान के परिचालनों के एक भाग का प्रतिष्ठान-विशिष्ट मूल्य, और
 - (ग) उपर्युक्त (क) अथवा (ख) में अंतर जो विनिमय आस्तियों के उचित मूल्य के सापेक्ष में महत्वपूर्ण है।
- यह निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या एक विनिमय लेन-देन का वाणिज्यिक सार है, लेन-देन द्वारा प्रभावित प्रतिष्ठान के परिचालन के भाग का प्रतिष्ठान-विशिष्ट मूल्य करोपरांत नकद-प्रवाह को प्रतिबिंबित करेगा। इन विश्लेषणों के परिणाम, प्रतिष्ठान द्वारा कोई विस्तृत गणना किये बिना ही स्पष्ट हो सकते हैं।
29. एक आस्ति का उचित मूल्य, विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है यदि (क) तर्कसंगत उचित मूल्य मापों के परास (रेंज) में परिवर्तनशीलता उस आस्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है अथवा (ख) उचित मूल्य का माप करते समय परास (रेंज) के अंदर विभिन्न अनुमानों की संभावनाओं का तर्कसंगत निर्धारण और प्रयोग किया जा सकता है। यदि प्रतिष्ठान प्राप्त संपत्ति अथवा छोड़ी गयी संपत्ति का उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से मापने में समर्थ है, तब छोड़ी गयी संपत्ति के उचित मूल्य को लागत के माप में प्रयुक्त किया जाता है जब तक प्राप्त संपत्ति का उचित मूल्य साफ तौर पर स्पष्ट न हो।

मान्यता के पश्चात् माप

लेखानीति

30. एक प्रतिष्ठान अपनी समस्त निवेश संपत्ति के लिए एक लेखा नीति के रूप में अनुच्छेद 56 में निर्धारित लागत मॉडल को अपनाएगा।
31. [देखें परिशिष्ट 1]
32. यह मानक सभी प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षा करता है कि प्रकटन के प्रयोजन के लिए (बेशक उनसे लागत मॉडल के प्रयोग की अपेक्षा है) निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का माप करें। एक प्रतिष्ठान को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह एक स्वतंत्र मूल्यांकक (वैल्यूअर) से, जिसके पास मान्यता प्राप्त तथा प्रासंगिक व्यवसायिक योग्यता है तथा मूल्यांकन की जाने वाली निवेश संपत्ति के स्थान तथा वर्ग में ताजा अनुभव है, मूल्यांकन के आधार पर निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का माप करे, परन्तु उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसा अवश्य ही करे।

32 क - 32 ग [देखें परिशिष्ट 1]

उचित मूल्य माप

33-35 [देखें परिशिष्ट 1]

36-39 [देखें परिशिष्ट 1]

40. भारतीय लेखा मानक 113 के अनुसरण में निवेश संपत्ति का उचित मूल्य मापते समय, प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उचित मूल्य, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्तमान पट्टे से किराया आय और अन्य अवधारणाओं को प्रदर्शित करता है जो कि बाजार प्रतिभागी चालू बाजार परिस्थितियों में निवेश संपत्ति की कीमत लगाते समय प्रयोग करेंगे।
41. [देखें परिशिष्ट 1]
- 42-47. [देखें परिशिष्ट 1]
48. अपवादात्मक मामलों में, इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि कब प्रतिष्ठान एक निवेश संपत्ति को पहली बार अधिग्रहीत करता है (अथवा कब एक मौजूदा संपत्ति उपयोग में परिवर्तन के पश्चात् पहली बार निवेश संपत्ति बन जाती है) जिसके तर्कसंगत उचित मूल्य मापों के परास (रेंज) में परिवर्तनशीलता इतनी अधिक होगी तथा विभिन्न परिणामों की संभाव्यता का मूल्यांकन करना इतना कठिन होगा कि उचित मूल्य के एकल माप की उपयोगिता निरर्थक हो जाएगी। इससे यह संकेत मिलता है कि संपत्ति का उचित मूल्य निरन्तर आधार पर विश्वसनीय रूप से मापने योग्य नहीं होगा (देखें अनुच्छेद 53)।
49. [देखें परिशिष्ट 1]
50. [देखें परिशिष्ट 1]

51. [देखें परिशिष्ट 1]

52. [देखें परिशिष्ट 1]

उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापने में असमर्थता

53. यह खंडनीय धारणा है कि एक प्रतिष्ठान विश्वसनीय रूप से लगातार आधार पर एक निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का विश्वसनीय रूप से माप कर सकता है। फिर भी, अपवादात्मक मामलों में, स्पष्ट साक्ष्य है कि कब एक प्रतिष्ठान पहली बार एक निवेश संपत्ति को अधिग्रहीत करता है (अथवा कब एक मौजूदा संपत्ति उपयोग में परिवर्तन के पश्चात् पहली बार निवेश संपत्ति बन जाती है) तो एक निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का निरन्तर आधार पर विश्वसनीय रूप से माप नहीं हो सकता। ऐसा तभी होता है जब, और केवल जब, बाज़ार समान संपत्तियों के लिए निष्क्रिय होता है (उदाहरणतया, जब हाल ही में बहुत-कम लेन-देन हुए हैं, कीमतों के कोटेशन वर्तमान नहीं हैं या प्रलक्षित लेन-देन कीमतें यह संकेत देती हैं कि विक्रेता ने बिक्री मजबूरी में की है) और वैकल्पिक विश्वसनीय उचित मूल्य के माप (जैसेकि बट्टागत नकद प्रवाहों के अनुमानों पर आधारित) उपलब्ध नहीं होते हैं। यदि एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि निर्माणाधीन निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का माप विश्वसनीय रूप से नहीं हो सकता लेकिन वह यह आशा करता है कि निर्माण पूरा होने पर निर्माण संपत्ति के उचित मूल्य का माप विश्वसनीय रूप से हो सकता है, वह उस निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को तब मापेगा जब वो उसका उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से माप योग्य बन जाता या फिर निर्माण कार्य पूरा हो जाता है (इनमें से जो भी स्थिति पहले हो उस पर)। यदि एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि निवेश संपत्ति (निर्माणाधीन निवेश संपत्ति से भिन्न) के उचित मूल्य का निरन्तर आधार पर विश्वसनीय रूप से माप नहीं हो सकता है तो वह प्रतिष्ठान अनुच्छेद 79 (ड) (i), (ii) व (iii) की अपेक्षानुसार प्रकटन करेगा।

53 क जब एक प्रतिष्ठान निर्माणाधीन निवेश संपत्ति को, जिसे पहले उचित मूल्य माप पर मापा नहीं गया था, उचित मूल्य पर विश्वसनीय रूप से मापने में समर्थ हो जाता है, तो वह उस संपत्ति का उचित मूल्य का माप करेगा। एक बार जब उस संपत्ति का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो यह माना जाता है कि उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। यदि अनुच्छेद 53 के अनुसार यह मामला ऐसा नहीं है, तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 79 (ड) (i), (ii) व (iii) की अपेक्षानुसार प्रकटन करेगा।

53 ख निर्माणाधीन निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, इस धारणा का खंडन केवल आरंभिक मान्यता पर ही किया जा सकता है। एक प्रतिष्ठान जिसने निर्माणाधीन निवेश संपत्ति की मद को उचित मूल्य पर मापा था, यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि पूर्ण निवेश संपत्ति का उचित मूल्य का माप विश्वसनीय रूप से नहीं किया जा सकता।

54. अपवादात्मक मामलों में, जब एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 53 में दिये गये कारण से अनुच्छेद 79 (ड) (i), (ii) व (iii) द्वारा अपेक्षित प्रकटन के लिए विवश होता है, यह निर्माणाधीन निवेश संपत्ति सहित अन्य समस्त निवेश संपत्ति को उचित मूल्य पर निर्धारित करेगा। इन मामलों में, भले ही प्रतिष्ठान एक निवेश संपत्ति के लिए अनुच्छेद 79 (ड) (i), (ii) व (iii) द्वारा अपेक्षित प्रकटन कर सकता है, तो प्रतिष्ठान बाकी संपत्तियों में से प्रत्येक के लिए अनुच्छेद 79 (ड) द्वारा अपेक्षित प्रकटन के अनुसार उचित मूल्य का निर्धारण जारी रखेगा।

55. यदि एक प्रतिष्ठान ने एक निवेश संपत्ति को पहले उचित मूल्य पर मापा है यह निपटान तक संपत्ति का उचित मूल्य पर माप जारी रखेगा (अथवा जब तक संपत्ति स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति नहीं बन जाती है अथवा प्रतिष्ठान व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में, बाद में बिक्री के लिए संपत्ति को विकसित करना आरंभ नहीं कर देता) यद्यपि बाजार के समान लेन-देन कभी कभार होते हैं अथवा बाजार की कीमतें तुरंत उपलब्ध नहीं होतीं।

लागत मॉडल

56. आरंभिक मान्यता के पश्चात्, एक प्रतिष्ठान अपने सभी निवेश संपत्तियों को, भारतीय लेखा मानक 16 में दिए गए लागत मॉडल की आवश्यकताओं के अनुसार मापेगा, उन निवेश संपत्तियों के अतिरिक्त जो भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन*, के अनुसार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत (अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में सम्मिलित) का मापदंड पूरा करती हैं। वे निवेश संपत्तियाँ जो, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मानदंड को पूरा करती हैं (अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत और निपटान समूह में सम्मिलित हैं), उन्हें भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार मापा जायेगा।

अन्तरण

57. निवेश संपत्ति में अथवा निवेश संपत्ति से अन्तरण तब, और केवल तब ही किया जायगा, जब उपयोग में परिवर्तन हो और जिसका निम्नलिखित द्वारा प्रमाण हो :

(क) निवेश संपत्ति से स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति में हस्तांतरण के लिए स्वामी द्वारा कब्जे या अधिभोग का आरंभ;

(ख) निवेश संपत्ति से सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्रीज) में हस्तांतरण के लिए बिक्री के विचार से विकास का आरंभ;

(ग) स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति से निवेश संपत्ति में हस्तांतरण के लिए स्वामी के कब्जे या अधिभोग की समाप्ति ; अथवा

- (घ) सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्रीज) से निवेश संपत्ति में हस्तांतरण के लिए अन्य पक्ष के हित में एक परिचालन पट्टे का आरंभ;
(ङ) [देखें परिशिष्ट 1]

58. अनुच्छेद 57 (ख) के अनुसार एक प्रतिष्ठान निवेश संपत्ति से सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्रीज) में तभी, और केवल तभी, हस्तांतरण करता है जब बिक्री के विचार से विकास आरंभ करने के साक्ष्य में संपत्ति के उपयोग में परिवर्तन होता है। जब प्रतिष्ठान बिना विकास के निवेश संपत्ति के निपटान का निर्णय लेता है तो वह संपत्ति को निवेश संपत्ति ही मानता है, तब तक जब तक इसे अमान्य नहीं कर दिया जाता (तुलन-पत्र से हटा नहीं दिया जाता) तथा इसे सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्रीज) के रूप में नहीं लेता है। इसी तरह, यदि एक प्रतिष्ठान निवेश संपत्ति के रूप में भविष्य के निरन्तर उपयोग के लिए एक मौजूदा निवेश संपत्ति को पुनः विकसित करना आरंभ करता है, तो वह संपत्ति एक निवेश संपत्ति रहती है तथा उसे पुनः विकास के दौरान स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता।
59. निवेश संपत्ति स्वामी द्वारा अधिग्रहीत संपत्ति तथा सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्रीज) के बीच किसी भी अन्तरण से संपत्ति की हस्तांतरण राशि में परिवर्तन नहीं होता है और न ही माप अथवा प्रकटन के प्रयोजन के लिए उस संपत्ति की लागत में कोई परिवर्तन होता है।

60 - 65 [देखें परिशिष्ट 1]

निपटान

66. एक निवेश संपत्ति का जब निपटान कर दिया जाता है अथवा उसे स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है तथा इस निपटान से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं रहती तो उस निवेश संपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है (तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है)।
67. एक निवेश संपत्ति का निपटान बिक्री अथवा वित्तीय पट्टे में प्रवेश करके प्राप्त किया जा सकता है। निवेश संपत्ति के निपटान की तिथि वहीं होगी जिस तिथि को प्राप्तकर्ता के भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसरण में कार्य निष्पादन बाध्यता की पूर्ति के निर्धारण की अपेक्षाओं के अनुसार निवेश संपत्ति पर नियंत्रण ग्रहण करता है। भारतीय लेखा मानक 17 उस निपटान पर लागू होता है जो वित्तीय पट्टे में प्रवेश, बिक्री और पट्टे पर वापसी (लीज बैक) द्वारा किया जाता है।
68. अनुच्छेद 16 में वर्णित मान्यता सिद्धांत के अनुसार, यदि एक प्रतिष्ठान एक आस्ति की अग्रणीत राशि में एक निवेश संपत्ति के एक भाग के प्रतिस्थापन की लागत को मान्यता देता है, तो यह प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि को अमान्य करता है। एक प्रतिस्थापित भाग वह भाग नहीं हो सकता जिसे पृथक् रूप से मूल्यव्याप्त किया गया हो। यदि एक प्रतिष्ठान के लिए प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि का निर्धारण करना व्यावहारिक नहीं है, यह प्रतिस्थापन की लागत को प्रतिस्थापित भाग की अधिग्रहण अथवा निर्माण के समय कितनी लागत थी, के संकेत के रूप में उपयोग कर सकता है।
69. निवेश संपत्ति की निवृत्ति अथवा निपटान से उत्पन्न लाभ (गेन) अथवा हानि का निर्धारण शुद्ध निपटान राशि तथा आस्ति की अग्रणीत राशि के बीच अन्तर होगा तथा उसकी वापसी अथवा निपटान की अवधि में लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जायगी (बशर्ते भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसार बिक्री और पट्टे पर वापसी (लीज बैक) पर अन्यथा आवश्यक न हो)।
70. निवेश संपत्ति की अमान्यता से उत्पन्न लाभ (गेन) या हानि में सम्मिलित किये जाने वाले प्रतिफल की राशि, भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेदों 47-72 में लेन-देन के निर्धारण की अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित की जाती है। लाभ (गेन) या हानि में सम्मिलित प्रतिफल की अनुमानित राशि में परवर्ती परिवर्तनों का लेखा भारतीय लेखा मानक 115 में लेन-देन कीमत में परिवर्तनों की अपेक्षाओं के अनुसरण में किया जाता है।
71. एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 37 या अन्य मानकों, जो भी उचित हो, उन दायित्वों पर लागू करता है जिन्हें वह निवेश सम्पत्ति के निपटान के बाद रखता है।
72. क्षतिग्रस्त, गुमशुदा या परित्यक्त निवेश संपत्ति के लिए तीसरे पक्षों से प्राप्त क्षतिपूर्ति को लाभ या हानि में तभी मान्य किया जाएगा जब क्षतिपूर्ति प्राप्य हो जाती है।
73. निवेश संपत्ति की क्षतिग्रस्तता या हानियां, तीसरे पक्षों से सम्बंधित दावे या उनसे प्राप्त क्षतिपूर्ति और स्थानापन्न आस्तियों की बाद की खरीद या निर्माण अलग-अलग आर्थिक घटनाएं हैं और इनका लेखा भी अलग-अलग किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं:
- (क) निवेश संपत्ति की क्षतिग्रस्तता को भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसरण में मान्यता दी जाती है ;
- (ख) निवेश संपत्ति की वापसी या निपटान को इस मानक के अनुच्छेद 66-71 के अनुसरण में मान्यता दी जाती है ;
- (ग) क्षतिग्रस्त, गुमशुदा या परित्यक्त निवेश संपत्ति के लिए तीसरे पक्षों से प्राप्त क्षतिपूर्ति को मान्यता लाभ या हानि में तभी मान्य किया जाएगा जब वह प्राप्य होती है ; तथा
- (घ) स्थानापन्न के रूप में बहाल की गयी, खरीदी गयी या निर्मित आस्तियों की लागत का निर्धारण इस मानक के अनुच्छेद 20-29 के अनुसरण में किया जाता है।

प्रकटन

74. नीचे दिये गये प्रकटन भारतीय लेखा मानक 17 में दिये गये प्रकटनों के अतिरिक्त लागू होते हैं। भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसार, निवेश संपत्ति के स्वामी, किये गये पट्टों के सम्बंध में पट्टाकर्ताओं के प्रकटन प्रदान करता है। एक प्रतिष्ठान वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के अन्तर्गत एक निवेश संपत्ति को धारित करता है और किये गये पट्टों में वित्तीय पट्टे के मामले में पट्टेदार के प्रकटन और परिचालन पट्टे के मामले में पट्टाकर्ता के प्रकटन प्रदान करता है।
75. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा:
- (क) निवेश संपत्ति के माप के लिए उसकी लेखनीति ।
 - (ख) [देखें परिशिष्ट 1]
 - (ग) जब वर्गीकरण करना कठिन हो, (देखें अनुच्छेद 14), तो प्रतिष्ठान निवेश संपत्ति को, स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति व व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में बिक्री के लिए धारित संपत्ति से भेद करने के लिए कौन से मानदंड का प्रयोग करता है ।
 - (घ) [देखें परिशिष्ट 1]
 - (ङ) उस सीमा तक जिस पर कि क्या निवेश संपत्ति का उचित मूल्य (जैसा कि वित्तीय विवरणों में मापा अथवा प्रकट किया गया है) एक स्वतंत्र मूल्यांकन के द्वारा, जिसके पास एक मान्यताप्राप्त तथा सम्बंधित व्यावसायिक योग्यता है तथा निवेश संपत्ति जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है, के स्थान तथा श्रेणी में ताजा अनुभव है, किये गये मूल्यांकन पर आधारित है। यदि नहीं है, तो उस तथ्य को भी प्रकट किया जाएगा।
 - (च) निम्नलिखित के लिए लाभ अथवा हानि में मान्य राशियां:
 - (i) निवेश संपत्ति से किराये के रूप में आय;
 - (ii) निवेश संपत्ति के, जिससे अवधि के दौरान किराये के रूप में आय सृजित हुई है, प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत तथा अनुरक्षण सहित);
 - (iii) निवेश संपत्ति से, जिससे अवधि के दौरान किराया सृजित नहीं हुआ है, उत्पन्न प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत तथा अनुरक्षण सहित) ; और
 - (iv) [देखें परिशिष्ट 1]
 - (छ) निवेश संपत्ति की वसूली योग्यता अथवा निपटान से प्राप्त आय व राशि के प्रेषण पर प्रतिबंध की विद्यमानता तथा राशियां ।
 - (ज) निवेश संपत्ति के क्रय, निर्माण अथवा विकास अथवा मरम्मत, अनुरक्षण अथवा वृद्धि की अनुबंधात्मक बाध्यताएं ।
- 76 - 78 [देखें परिशिष्ट 1]
79. अनुच्छेद 75 के द्वारा आवश्यक प्रकटन के अतिरिक्त, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
- (क) प्रयुक्त मूल्यहास की विधियां ;
 - (ख) उपयोगी जीवन अथवा प्रयुक्त मूल्यहास दरें ;
 - (ग) अवधि के आरंभ तथा अंत में सकल अग्रणीत राशि तथा संग्रहीत मूल्यहास (संग्रहीत क्षतिग्रस्तता हानियों को साथ जोड़कर) ;
 - (घ) अवधि के आरंभ तथा अंत में, निम्नलिखित को प्रदर्शित करते हुए निवेश संपत्ति की अग्रणीत राशि का मिलान :
 - (i) जोड़, अधिग्रहण के परिणामस्वरूप जोड़ तथा एक आस्ति की मान्यता के बाद के व्यय के परिणामस्वरूप जोड़ का अलग-अलग प्रकटन ;
 - (ii) व्यवसायिक संयोजन के द्वारा अधिग्रहण के परिणामस्वरूप जोड़ ;
 - (iii) भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार बिक्री के लिए धारण के रूप में वर्गीकृत अथवा बिक्री के लिए धारण के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में तथा अन्य निपटान में आस्तियां ;
 - (iv) मूल्यहास ;
 - (v) भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार अवधि के दौरान, मान्य क्षतिग्रस्तताहानियां तथा उलटायी गयी क्षतिग्रस्तता हानियों की राशि ;

- (vi) एक भिन्न प्रस्तुति मुद्रा में वित्तीय विवरणों के रूपांतरण तथा रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की प्रस्तुति मुद्रा में विदेशी परिचालन के रूपांतरण से उत्पन्न शुद्ध विनिमय अंतर ;
- (vii) सूचीबद्ध समान (इवेंट्रीज) तथा स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति का परस्पर हस्तांतरण ; तथा
- (viii) अन्य परिवर्तन ।
- (ड) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य । अनुच्छेद 53 में वर्णित अपवादात्मक मामलों में, जब एक प्रतिष्ठान निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का माप विश्वसनीय रूप से नहीं कर सकता तो वह निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
 - (i) निवेश संपत्ति का एक विवरण ;
 - (ii) एक स्पष्टीकरण कि उचित मूल्य का विश्वसनीय रूप से माप क्यों नहीं किया जा सकता; तथा
 - (iii) यदि संभव है तो अनुमानों का परास (रेंज), जिसमें उचित मूल्य के रहने की अधिक संभावना है ।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि यदि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 40 और तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 40, निवेश संपत्ति, के बीच यदि कोई प्रमुख अंतर हैं तो उन्हें स्पष्ट किया जाये ।

अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 40, निवेश संपत्ति के साथ तुलना

1. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 प्रारंभिक मान्यता के पश्चात् निवेश संपत्तियों के माप के लिए लागत मॉडल और उचित मूल्य मॉडल दोनों के प्रयोग की (कुछ परिस्थितियों को छोड़कर) अनुमति प्रदान करता है। भारतीय लेखा मानक 40 सिर्फ लागत मॉडल के प्रयोग की अनुमति देता है। अतः भारतीय लेखा मानक 40 में से अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 के उचित मूल्य मॉडल के प्रयोग के निम्नलिखित अनुच्छेदों को हटा दिया गया है। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 40 में इन अनुच्छेद संख्याओं को जारी रखा गया है :
 - (i) अनुच्छेद 6
 - (ii) अनुच्छेद 31
 - (iii) अनुच्छेद 32 क - 32 ग
 - (iv) अनुच्छेद 33 - 35
 - (v) अनुच्छेद 41
 - (vi) अनुच्छेद 50
 - (vii) अनुच्छेद 52
 - (viii) अनुच्छेद 60 - 65
 - (ix) अनुच्छेद 75 (ख)
 - (x) अनुच्छेद 75 (च) (iv)
 - (xi) अनुच्छेद 76 - 78
2. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 में दिये गये संक्रमणकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक 40 में सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन प्रावधान जहां उचित समझा गया है, 'आई एफ आर एस' 1, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमबार अंगीकरण, के अनुरूप भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण, में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
3. जब लागत मॉडल का प्रयोग किया जाता है, भारतीय लेखा मानक 40 निवेश संपत्ति के उचित मूल्यों के प्रकटन की अपेक्षा करता है। चूंकि इस अपेक्षा को भारतीय लेखा मानक 40 में जारी रखा गया है, अतः अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 के अनुच्छेद 53, 53 क, 53 ख, 54 व 55 और कुछ अन्य अनुच्छेदों को संशोधित कर दिया गया है। इन संशोधनों में जब उचित मूल्य का माप विश्वसनीय हो तो लागत मॉडल के प्रयोग के संदर्भ को हटाना सम्मिलित है।
4. जब निवेश संपत्ति की परिभाषा अन्यथा पूरी होती है और उचित मूल्य मॉडल का प्रयोग किया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 निवेश संपत्ति के रूप में एक परिचालन पट्टे में धारित संपत्ति हित के व्यवहार की अनुमति देता है। ऐसे मामलों में, परिचालन पट्टे का लेखा इस प्रकार से किया जाएगा जैसे कि वह एक वित्तीय पट्टा हो । चूंकि भारतीय लेखा मानक 40 उचित मूल्य मॉडल के प्रयोग को

- निषेध करता है, अतः यह व्यवहार भारतीय लेखा मानक 40 में निषेध है। परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 का अनुच्छेद 6 भारतीय लेखा मानक 40 [देखिये उपर्युक्त प्वाइंट 1 (i)] में से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'एक वित्तीय अथवा परिचालन पट्टे के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 के अनुच्छेद 74 में प्रस्तुत' निवेश संपत्ति की व्याख्या भारतीय लेखा मानक 40 में संशोधित करके 'एक वित्तीय पट्टे के अन्तर्गत निवेश संपत्ति के रूप में कर दी गयी है।
5. भारतीय लेखा मानक 40 में उचित मूल्य मॉडल के प्रयोग के मनाही के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 26 (शब्दों 'उचित मूल्य मॉडल' का हटाया जाना), अनुच्छेद 30 और 32 (लेखानीति), अनुच्छेद 33 के ऊपर शीर्षक ('उचित मूल्य मॉडल' की बजाय 'उचित मूल्य निर्धारण'), अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 59 (उचित मूल्य मॉडल से संबंधित भाग का हटाया जाना), अनुच्छेद 68 (उचित मूल्य मॉडल से संबंधित भाग का हटाया जाना), अनुच्छेद 74 के ऊपर शीर्षक ('उचित मूल्य मॉडल एवं लागत मॉडल'), अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 में प्रयुक्त शब्दावली की तुलना में 75 (क) (लेखानीति का प्रकटन), अनुच्छेद 76 ('उचित मूल्य मॉडल' शीर्षक का हटाया जाना), अनुच्छेद 79 ('लागत मॉडल' के ऊपर शीर्षक का हटाया जाना) और अनुच्छेद 79 (शब्दों के 'अनुच्छेद 56 में लागत मॉडल शीर्षक को हटाना') की शब्दावली में कुछ संशोधन किये गये हैं।
 6. इस मानक में अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' का प्रयोग किया गया है।
 7. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 40 में निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटाये गये' के रूप में उल्लिखित है। अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए इन अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 40 में जारी रखा गया है :
 - (i) अनुच्छेद 9 (ख)
 - (ii) अनुच्छेद 9 (घ)
 - (iii) अनुच्छेद 22
 - (iv) अनुच्छेद 36-39
 - (v) अनुच्छेद 42-47
 - (vi) अनुच्छेद 49
 - (vii) अनुच्छेद 51
 - (viii) अनुच्छेद 57 (ड)
 - (ix) अनुच्छेद 75 (घ)

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 41

कृषि

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

इस मानक का उद्देश्य कृषि-संबंधी कार्यकलापों से संबंधित लेखा निरूपण और प्रकटनों का निर्धारण करना है।

कार्यक्षेत्र

1. यह मानक कृषिक कार्यकलापों से संबंधित निम्नलिखित का लेखा करने के लिए लागू किया जाएगा:-
 - (क) जैविक आस्तियां;
 - (ख) फसल की कटाई के समय कृषि-संबंधी उत्पाद और
 - (ग) अनुच्छेद 34 व 35 में समाविष्ट सरकारी अनुदान।
2. यह मानक निम्नलिखित पर लागू नहीं होता:
 - (क) कृषिक कार्यकलापों से संबंधित भूमि (देखें भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और भारतीय लेखा मानक 40, निवेश संपत्ति);
 - (ख) कृषिक कार्यकलाप से संबंधित धारक पादप (बियरर प्लांट) (देखें भारतीय लेखा मानक 16) यद्यपि यह मानक इन धारक पादपों के उत्पाद पर लागू होता है।

- (ग) सरकारी अनुदान जो कि धारक पादप से संबंधित हो (देखें भारतीय लेखा मानक 20, *सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन*); और
- (घ) कृषिक कार्यकलापों से संबंधित अमूर्त आस्तियां (देखें भारतीय लेखा मानक 38, *अमूर्त आस्तियां*)।
3. यह मानक कृषि-संबंधी उस उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो प्रतिष्ठान की जैविक आस्तियों की फसल की कटाई के समय पर कटाई किया गया उत्पाद है। इसके पश्चात्, भारतीय लेखा मानक 2, *सूचीबद्ध सामान* या कोई अन्य लागू मानक का प्रयोग किया जाता है। तदनुसार, यह मानक फसल की कटाई के बाद कृषि-संबंधी उत्पाद के प्रसंस्करण पर विचार नहीं करता। उदाहरणस्वरूप, एक व्यक्ति अंगूर की खेती करता है और उसके बाद वह उन अंगूरों से शराब बनाता है। भले यह प्रसंस्करण-क्रिया कृषि संबंधी क्रिया-कलाप (गतिविधि) का एक तार्किक और स्वाभाविक विस्तार है और घटित होने वाली घटनाएं जैविक रूपांतरण से कुछ मिलती-जुलती हो सकती हैं, लेकिन, इस प्रकार का प्रसंस्करण इस मानक में कृषिक कार्यकलाप की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।
4. नीचे दी गयी तालिका में जैविक आस्तियों, कृषि-उत्पाद और फसल की कटाई के बाद प्रसंस्करण के फलस्वरूप उत्पादों के उदाहरण दिये गये हैं:

जैविक आस्तियां	कृषि उत्पाद	फसल की कटाई के बाद प्रसंस्कृत के फलस्वरूप उत्पाद
भेड़	ऊन	यार्न, कारपेट (गलीचा)
इमारती लकड़ी के पेड़ों का पादपरोपण	काटे गये पेड़	लट्ठे, इमारती लकड़ी या लडकी का तैयार सामान
दुधारू पशु	दूध	पनीर
सूअर	सूअर का मीट	सूअर का पका हुआ मीट खुला या डिब्बा बंद
रूई के पौधे	कटाई की गई रूई	रूई से तैयार धागा या धागे से बुना कपडा
गन्ना	काटा हुआ गन्ना	चीनी
तम्बाकू के पौधे	चुने हुए पत्ते	तैयार तम्बाकू
चाय की झाड़ियां (चाय बागान)	चाय की चुनी हुई पत्तियां	चाय
अंगूर की बेलें	बेल से तोड़े हुए अंगूर	अंगूरों से बनाई गयी शराब
फलवार पेड़	तोड़े हुए फल	परिस्कृत फल
पाम आयल के पेड़	तोड़े हुए फल	पाम आयल
रबड़ के पेड़	कटे हुए रबड़ के पेड़ से निकाला दूध जैसा द्रव्य	रबड़ उत्पाद
कुछ पौधे, उदाहरण के रूप में चाय के पौधे (झाड़ियां), अंगूर की बेलें, पामआयल और रबड़ के पेड़ आमतौर पर 'धारक पादप' की परिभाषा को पूरा करते हैं और वे भारतीय लेखा मानक 16 के अन्तर्गत आते हैं, जबकि इन पौधों, बेलों व पेड़ों पर उगे/लगे फल या उत्पाद जैसोकि चाय की पत्तियां, अंगूर, पामआयल, फल व दूध आदि भारतीय लेखा मानक 41 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।		

परिभाषाएं

कृषि-संबंधी परिभाषाएं

5. इस मानक में प्रयुक्त शब्दावली यहां दिये गये अर्थों में प्रयोग की गयी है:

कृषिक कार्यकलाप यह प्रतिष्ठान का वह प्रबंधन है जिसमें वह जैविक आस्तियों का रूपान्तरण और जैविक आस्तियों की फसल की कटाई करता है ताकि वह उनकी बिक्री करे या कृषि उत्पाद में रूपांतरित करे या फिर अतिरिक्त जैविक आस्तियां सृजित करे।

कृषिक उत्पाद वह कृषि उत्पाद है जो प्रतिष्ठान जैविक आस्तियों की कटाई से प्राप्त करता है।

एक धारक पादप वह जीवित पादप है :

(क) जो कृषि उत्पाद के उत्पादन या आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है;

(ख) जिससे यह आशा की जाती है कि वह एक से अधिक अवधियों में उत्पाद को धारित करेगा; और

(ग) जिसे प्रासांगिक अनुपयोगी चीजों (स्क्रैप) की बिक्रियों को छोड़कर कृषि उत्पाद के रूप में बेचे जाने की अल्प संभावना है।

एक जैविक आस्ति एक जीवित पशु या पादप है।

जैविक रूपान्तरण में विकास प्रक्रिया, अवनति, उत्पादन और प्रजनन की प्रक्रिया निहित है जो जैविक आस्ति में गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन लाती है।

बिक्री की लागतें वे वृद्धिशील लागतें हैं जो प्रत्यक्षतया एक आस्ति के निपटान से आरोप्य (अट्रीब्यूटेबल) हैं, लेकिन, उनमें वित्तीय लागतें व आयकर शामिल नहीं हैं।

जैविक आस्तियों का समूह एक प्रकार के जीवित जानवरों (पशुओं) या पादपों का संग्रहित स्वरूप है।

फसल की कटाई वह क्रिया है जिसमें उत्पाद जैविक आस्ति से अलग किया जाता है या जैविक आस्ति की जीवन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।

5 क. निम्नलिखित धारक पादप नहीं हैं:

- (क) वह पादप जिन्हें इसलिए उगाया जाता है ताकि विकसित होने पर उन्हें कृषि उत्पाद के रूप में बाद में काटा जा सके। (जैसेकि इमारती लकड़ी के लिए पेड़ों को उगाना);
- (ख) वह पादप जिन्हें इसलिए उगाया जाता है कि उन्हें कृषि उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सके और इस बात की बहुत-ही कम संभावना है कि उन्हें प्रतिष्ठान काट कर कृषि उत्पाद की तरह बेचे, लेकिन कुछ गौण अनुपयोगी (स्क्रैप) चीजों की बिक्री को छोड़कर (उदाहरण के तौर पर फलदार पेड़ जो फलों और लट्ठे के रूप में लकड़ी दोनों प्रयोजनों के लिए लगाये जाते हैं); और
- (ग) वार्षिक फसलें (जैसे कि, मक्का एवं गेहूँ)।

5 ख. जब कोई धारक पादप कोई उत्पाद देना बंद कर देता है तो उसे अनुपयोगी चीज समझकर काटकर बेच जा सकता है, जैसे कि जलाने की लकड़ी। इस प्रकार की गौण अनुपयोगी चीज (स्क्रैप) की बिक्री, एक पादप को धारक पादप की परिभाषा, में रहने से नहीं रोकेगी।

5 ग. धारक पादपों पर होने वाला उत्पाद एक जैविक आस्ति है।

6. कृषिक कार्यकलापों में कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं जैसेकि, पशु-पालन, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल, वार्षिक आधार पर या लगातार पैदा की जाने वाली फसलें, बागवानी व पादपरोपण, फूलों की खेती, मछली व अन्य जलजीवों का पालन, आदि। इन विविध क्रियाकलापों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार हैं:

- (क) **परिवर्तन की क्षमता** जीवित पशु व पादप जैविक रूपान्तरण के लिए सक्षम हैं;
- (ख) **परिवर्तन प्रबंधन** प्रबंधन द्वारा ऐसी परिस्थितियां तैयार की जाती हैं जो विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक हों और स्थिरता भी दे। (उदाहरण के लिए, पोषक तत्वों का प्रबंधन, नमी बरकरार रखना, उचित तापमान व प्रकाश)। इस प्रकार के प्रबंधन कृषि-कार्यकलापों को अन्य (या गैर-कृषिक) कार्यकलापों से अलग करता है। उदाहरण के तौर पर, प्रबंधनरहित स्रोतों से फसल की कटाई या उत्पाद प्राप्त करना (जैसे कि, समुद्र में से मछलियां पकड़ना और वनों की कटाई जैसे कार्य कृषिक कार्य-कलापों के अन्तर्गत नहीं आते हैं); और
- (ग) **परिवर्तन का माप** जैविक रूपान्तरण या फसल की कटाई से उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन (जैसेकि वंशानुगत गुण, घनत्व, फल का पकना या उसकी परिपक्वता, चिकनाहट, प्रोटीन तत्व और फाइबर मजबूती) या मात्रा में परिवर्तन (जैसेकि सन्तति, वजन, क्यूविक मीटर, फाइबर लंबाई, व्यास और कलियों की संख्या) को मापना और निगरानी करना एक नेमी (रूटीन) किस्म का प्रबंधन कार्य है।

7. जैविक रूपान्तरण से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं:

- (क) निम्नलिखित द्वारा आस्ति परिवर्तन होता है, (i) विकास (पशु या पादप की मात्रा में वृद्धि या गुणवत्ता में सुधार), (ii) अवनीति (यानि पशु या पादप की मात्रा या गुणवत्ता में गिरावट आना), या (iii) प्रजनन (पशुओं या पादपों में वृद्धि होना); अथवा
- (ख) कृषि-उत्पादों का उत्पादन जैसे कि वानस्पतिक दूध, चायपत्ती, ऊन और पशुओं के दूध।

सामान्य परिभाषाएं

8. इस मानक में प्रयुक्त शब्दावली यहां दिये गये अर्थों में प्रयोग की गयी है:

अग्रणीत राशि वह राशि है जिस पर एक आस्ति को तुलन-पत्र में मान्यता दी जाती है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व अन्तरण पर अदा की जाती है। (देखें भारतीय लेखा मानक 113, **उचित मूल्य माप**)

सरकारी अनुदान वे होते हैं जो भारतीय लेखा मानक 20 में परिभाषित हैं।

9. [देखें परिशिष्ट 1]

मान्यता एवं माप

10. एक प्रतिष्ठान एक जैविक आस्ति या कृषिक उत्पाद को तक तब मान्यता देता है जब, और केवल जब:
 - (क) प्रतिष्ठान गत घटनाओं के फलस्वरूप आस्ति को नियंत्रित करता है;
 - (ख) इस बात की संभावना हो कि आस्ति से संबंधित भावी आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान को प्राप्त होंगे; और
 - (ग) आस्ति का उचित मूल्य या लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है।
 11. कृषिक कार्यकलाप में नियंत्रण का साक्ष्य, उदाहरण के रूप में, पशु के कानूनी स्वामित्व और ब्रांडिंग, या अन्यथा ग्रहण करने पर निशान लगाना, जन्म या दूध छुड़ाना द्वारा निश्चित किया जा सकता है। भावी लाभ सामान्यतया महत्वपूर्ण भौतिक कारकों के माप के मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।
 12. एक जैविक आस्ति को प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाएगा और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बिक्री की लागत घटाकर इसके उचित मूल्य पर मापा जाएगा लेकिन ऐसा अनुच्छेद 30 में वर्णित मामलों में नहीं होता है क्योंकि उसमें उचित मूल्य का माप विश्वसनीय रूप से नहीं किया जा सकता है।
 13. एक प्रतिष्ठान की जैविक आस्तियों की फसल की कटाई से प्राप्त कृषिक उत्पाद का माप फसल की कटाई के समय के उचित मूल्य से बिक्री की लागतें घटा कर किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 2, *सूचीबद्ध सामान*, या किसी अन्य लागू मानक के प्रयोग के समय यह माप उस तिथि की लागत माना जाएगा।
 14. [देखें परिशिष्ट 1]
 15. जैविक आस्ति या कृषिक उत्पाद का उचित मूल्य माप महत्वपूर्ण कारकों के अनुसार जैविक आस्तियों या कृषिक उत्पादों के समूह बनाकर आसानी से किया जा सकता है, जैसेकि, आयु या गुणवत्ता अनुसार समूह बनाना। एक प्रतिष्ठान कारकों का चयन उन तदनुसूची कारकों के अनुसार करता है, जो बाजार में कीमत निर्धारण के लिए प्रयोग होते हैं।
 16. प्रायः प्रतिष्ठान भावी तिथि पर अपनी जैविक आस्तियों या कृषिक उत्पादों को बेचने के लिए अनुबंध करते हैं। जरूरी नहीं कि अनुबंधात्मक कीमतें उचित मूल्य के माप में उपयुक्त हों, क्योंकि, उचित मूल्य बाजार की ऐसी वर्तमान परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है जिनमें बाजार के प्रतिभागी क्रेता व विक्रेता लेन-देन करते हैं। परिणामस्वरूप, अनुबंध के चलते जैविक आस्ति या कृषिक उत्पाद का उचित मूल्य समायोजित नहीं होता। कुछ मामलों में, एक जैविक आस्ति अथवा कृषिक उत्पाद की बिक्री का अनुबंध भारतीय लेखा मानक 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां*, में दी गई दूधर अनुबंध की परिभाषा के अनुसार एक दूधर अनुबंध हो सकता है। भारतीय लेखा मानक 37 दूधर अनुबंधों पर लागू होता है।
 - 17-21 [देखें परिशिष्ट 1]
 22. एक प्रतिष्ठान फसल की कटाई के बाद, आस्तियों के वित्त-पोषण, कराधान या जैविक आस्तियों की पुनर्स्थापना के लिए किसी भी नकदी प्रवाह को सम्मिलित नहीं करता है। (जैसे कि, फसल की कटाई के बाद वन में पादप के पुनरोपण की लागत)।
 23. [देखें परिशिष्ट 1]
 24. कभी-कभी लागत उचित मूल्य के आसपास होती है, विशेषकर तब जब:
 - (क) प्रारंभिक लागत खर्च होने के बाद कुछ जैविक रूपांतरण हो जाता है (जैसेकि, रिपोर्टिंग अवधि के अंत से एकदम पहले पादप का रोपण या एक नये पालतू पशु की खरीद); अथवा
 - (ख) जब जैविक रूपांतरण का कीमत पर कोई खास प्रभाव होने की आशा न हो (जैसेकि, 30 वर्षीय पाइन पादप-रोपण उत्पादन चक्र में प्रारंभिक विकास)।
 25. जैविक आस्तियां प्रायः भौतिक रूप से भूमि से संबद्ध होती हैं (जैसे कि जंगल में पेड़)। भूमि से संबद्ध जैविक आस्तियों के लिए कोई अलग बाजार नहीं भी हो सकता, लेकिन, मिश्रित आस्तियों अर्थात् जैविक आस्तियों, कच्ची भूमि और भू-सुधार के लिए एक पैकेज के रूप में, एक सक्रिय बाजार हो सकता है। एक प्रतिष्ठान जैविक आस्तियों के उचित मूल्य माप के लिए मिश्रित आस्तियों से संबंधित सूचना का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, जैविक आस्तियों के उचित मूल्य को निकालने के लिए कच्ची भूमि और भू-सुधार का उचित मूल्य मिश्रित आस्तियों के उचित मूल्य में से घटाया जा सकता है।
- लाभ (गेन) एवं हानियां**
26. एक जैविक आस्ति के बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य पर की प्रारंभिक मान्यता पर होने वाले लाभ (गेन) एवं हानि और एक जैविक आस्ति की बिक्री की लागतें घटाकर उचित मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले लाभ (गेन) एवं हानि को उस अवधि के लाभ या हानि में सम्मिलित किया जाएगा जिस अवधि में यह उत्पन्न होता है।

27. एक जैविक आस्ति की प्रारंभिक मान्यता पर हानि हो सकती है क्योंकि उसकी 'बिक्री की लागतें घटाकर उचित मूल्य' के निर्धारण में बिक्री लागतें घटायी जाती हैं। एक जैविक आस्ति की प्रारंभिक मान्यता पर लाभ (गेन) हो सकता है जैसेकि जब एक बछड़ा पैदा होता है।
28. एक कृषिक उत्पाद की बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर होने वाला लाभ (गेन) या हानि उस अवधि के लाभ या हानि में सम्मिलित किया जाएगा जिस अवधि में वह उत्पन्न होता है।
29. फसल की कटाई के परिणामस्वरूप कृषिक उत्पाद की प्रारंभिक मान्यता पर लाभ (गेन) या हानि हो सकती है।

उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापने में असमर्थता

30. एक पूर्वधारणा के अनुसार एक जैविक आस्ति को उचित मूल्य पर विश्वस्त रूप से मापा जा सकता है। लेकिन इस पूर्वधारणा का खंडन तभी हो सकता है जब प्रारंभिक मान्यता पर एक जैविक आस्ति की बाजार की अंकित कीमतें उपलब्ध नहीं हों और जिसके लिए वैकल्पिक उचित मूल्य मापों का निर्धारण स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय हो। ऐसे मामलों में, उस जैविक आस्ति का माप किसी संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर इसकी लागत पर मापा जाएगा। जब इस प्रकार की एक जैविक आस्ति का उचित मूल्य विश्वनीय रूप से मापा जा सकता हो तो एक प्रतिष्ठान इसका माप बिक्री लागत को घटाकर इसके उचित मूल्य पर करेगा। जब एक गैर-चालू जैविक आस्ति बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत मानदंड को भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन*, के अनुसरण में पूरा करती है (या बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में शामिल की जाती है), तो यह माना जाता है कि उचित मूल्य का माप विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है।
31. अनुच्छेद 30 की पूर्व-धारणा का खंडन केवल प्रारंभिक मान्यता पर ही हो सकता है। एक प्रतिष्ठान जिसने एक जैविक आस्ति को पहले बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य पर मापा था उसे वह निपटान तक इसी आधार पर, यानि बिक्री मूल्य घटाकर उचित मूल्य पर मापना जारी रखेगा।
32. सभी मामलों, में एक प्रतिष्ठान कृषिक उत्पाद को फसल की कटाई पर बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य पर मापता है। यह मानक इस विचार को प्रदर्शित करता है कि फसल की कटाई के समय कृषि उत्पाद का उचित मूल्य हमेशा विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।
33. एक प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानक 2, भारतीय लेखा मानक 16 और भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता* के अनुसार लागत, संचित मूल्यह्रास और संचित क्षतिग्रस्तता हानियों का निर्धारण करना चाहिए।

सरकारी अनुदान

34. बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य पर मापी गयी एक जैविक आस्ति से संबंधित एक शर्तरहित सरकारी अनुदान को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाएगी जब, और केवल जब, वह सरकारी अनुदान प्राप्य होता है।
35. एक जैविक आस्ति जिसे बिक्री लागतें घटाकर इसके उचित मूल्य पर मापा गया है उससे संबंधित एक सरकारी अनुदान जो कि सशर्त है और तब भी जब सरकारी अनुदान प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी विशिष्ट कृषिक कार्यकालाप में कार्यरत नहीं होगा, प्रतिष्ठान सरकारी अनुदान को लाभ या हानि में तब मान्यता देगा जब, और केवल जब, सरकारी अनुदान से संबद्ध शर्तें पूरी होंगी।
36. सरकारी अनुदानों की शर्तें एवं निबंधन कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि, एक अनुदान प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह एक विशेष स्थान पर पांच वर्ष के लिए कृषि कार्य करे और यदि वह पांच वर्ष से कम समय तक कार्य करता है तो उसे सारा अनुदान वापस करना होगा। इस मामले में अनुदान को लाभ या हानि में तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कार्य का पांच वर्ष का समय पूरा नहीं हो जाता। तथापि, यदि शर्तें इस बात की अनुमति देती हैं कि समय के बीतने के अनुसार वह अनुदान का एक भाग रख सकता है तो वह भाग लाभ या हानि में मान्य होगा।
37. यदि एक सरकारी अनुदान उस जैविक आस्ति से संबंधित है जो संचित मूल्यह्रास और संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर लागत पर मापा जाता है तो उस पर भारतीय लेखा मानक 20 लागू होता है।
38. यह मानक तब भारतीय लेखा मानक 20 से भिन्न व्यवहार की अपेक्षा करता है कि जब प्रतिष्ठान जैविक आस्ति को बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य पर मापता है या जब सरकारी अनुदान प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह कोई विशिष्ट कृषिक कार्यकालाप में कार्यरत नहीं होगा। भारतीय लेखा मानक 20 केवल तब प्रयोग में लाया जाता है जब एक सरकारी अनुदान उस जैविक आस्ति से संबंधित हो जिसका माप किसी संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर उसकी लागत पर मापा जाता है।

प्रकटन

39. [देखें परिशिष्ट 1]।

सामान्य

40. एक प्रतिष्ठान जैविक आस्तियों और कृषिक उत्पाद की प्रारंभिक मान्यता पर चालू अवधि के दौरान उत्पन्न और जैविक आस्तियों के बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य में परिवर्तन से सकल लाभ (गेन) या हानि को प्रकट करेगा।
41. एक प्रतिष्ठान जैविक आस्तियों के प्रत्येक समूह का विवरण प्रदान करेगा।
42. अनुच्छेद 41 द्वारा अपेक्षित प्रकटन वर्णनात्मक या मात्रात्मक हो सकता है।
43. एक प्रतिष्ठान उपभोग्य और धारक या परिपक्व व अपरिपक्व जैविक आस्तियों के बीच, जो भी उपयुक्त हो, में अन्तर करते हुए जैविक आस्तियों के प्रत्येक समूह का मात्रात्मक विवरण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान उपभोग्य जैविक आस्तियों और धारक जैविक आस्तियों की अग्रणीत राशियां समूह द्वारा प्रकट कर सकता है। इसके बाद वह इन अग्रणीत राशियों को परिपक्व व अपरिपक्व आस्तियों में विभक्त कर सकता है। ये भेद वह सूचना प्रदान करते हैं जो भावी नकदी प्रवाहों के समय के निर्धारण में सहायक हो सकती हैं। जिस आधार पर यह भेद किया गया हो, प्रतिष्ठान उस आधार का भी प्रकटन करता है।
44. उपभोग्य जैविक आस्तियां वे हैं जो फसल की कटाई पर कृषिक उत्पाद के रूप में प्राप्त होती हैं या जैविक आस्तियों के रूप में बेची जाती हैं। उपभोग्य जैविक आस्तियों के उदाहरणों में मांस के उत्पादन के लिए पशु पालन, बिक्री के लिए पशु पालन, फार्मों में मछलियां, मक्का, गेहूँ जैसी फसलें, धारक पौधों के उत्पाद इमारती लकड़ी आदि सम्मिलित हैं। धारक जैविक आस्तियां वे हैं जो उपभोग्य जैविक आस्तियों से भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर, वे मवेशी, जिनसे दूध निकाला जाता है, और फलदार पेड़ हैं जिनसे फल उगाए जाते हैं, धारक जैविक आस्तियां हैं। धारक जैविक आस्तियां कृषिक उत्पाद नहीं हैं बल्कि वे उत्पादन के लिए धारित की जाती हैं।
45. जैविक आस्तियों को परिपक्व व अपरिपक्व जैविक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिपक्व जैविक आस्तियां वे हैं जो (उपभोग्य जैविक आस्तियों के लिए) फसल की कटाई के लिए निर्धारित विशिष्टताओं को पूरा करती हैं या वे (धारक जैविक आस्तियों के लिए) नियमित उत्पाद की कटाई के लिए विद्यमान हैं।
46. यदि प्रकाशित वित्तीय विवरणों के साथ निम्नलिखित सूचना का प्रकटन नहीं किया गया है तो प्रतिष्ठान उसका उल्लेख करेगा:
- (क) जैविक आस्तियों के प्रत्येक समूह में संलिप्त इसके कार्याकलापों की प्रकृति; और
- (ख) निम्नलिखित की भौतिक मात्राओं के गैर-वित्तीय माप या प्राक्कलन:
- (i) अवधि के अंत में, प्रतिष्ठान की जैविक आस्तियां का प्रत्येक समूह; और
- (ii) अवधि के दौरान, कृषिक उत्पाद का उत्पादन।
- 47-48 [देखें परिशिष्ट 1]।
49. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्रकटन करेगा:
- (क) जिन जैविक आस्तियों का हक प्रतिबंधित है, उनका आस्तित्व व अग्रणीत राशियां, और दायित्वों के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक की गयी जैविक आस्तियों की अग्रणीत राशियां;
- (ख) जैविक आस्तियों के अधिग्रहण या विकास की वचनबद्धताओं की राशि; और
- (ग) कृषिक कार्यकलापों से संबंधित वित्तीय जोखिम प्रबंधन रणनीतियां।
50. एक प्रतिष्ठान चालू अवधि के प्रारंभ और अन्त के बीच जैविक आस्तियों की अग्रणीत राशि में परिवर्तनों के मिलान को (रिकन्सीलेशन) प्रस्तुत करेगा। इस मिलान में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
- (क) बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य में परिवर्तनों से उत्पन्न लाभ (गेन) या हानि;
- (ख) खरीददारियों के कारण वृद्धियां;
- (ग) भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत जैविक आस्तियों (या निपटान समूह में शामिल जैविक आस्तियां जो कि बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत हैं) और बिक्रियों के कारण कमियां;
- (घ) फसल की कटाई के कारण कमियां;
- (ङ.) व्यवसायिक संयोजनों के परिणामस्वरूप वृद्धियां;
- (च) वित्तीय विवरणों के एक अलग प्रस्तुति मुद्रा में रूपान्तरण और एक वित्तीय परिचालन का रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की प्रस्तुति मुद्रा में रूपान्तरण से उत्पन्न निवल विनिमय अन्तर; और
- (छ) अन्य परिवर्तन।

51. एक जैविक आस्ति का बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य, बाजार में भौतिक परिवर्तनों और कीमत परिवर्तनों दोनों के कारण परिवर्तित हो सकता है। भौतिक और कीमत परिवर्तनों का अलग-अलग प्रकटन वर्तमान अवधि के कार्य-निष्पादन व भावी संभावनाओं के मूल्यांकन में उपयोगी है, विशेषकर जब उत्पादन चक्र एक वर्ष से अधिक की अवधि का हो, ऐसे मामलों में भौतिक परिवर्तनों और कीमतों में परिवर्तनों के कारण लाभ या हानि में सम्मिलित बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य में परिवर्तन की राशि समूह द्वारा या अन्यथा प्रकट करने के लिए प्रतिष्ठान को प्रोत्साहित किया जाता है। यह सूचना सामान्यतया कम उपयोगी होती है जब उत्पादन चक्र एक वर्ष से कम अवधि का हो (जैसेकि, चूजों का पालन या अनाज फसलों का उगाना)।
52. जैविक रूपान्तरण से कई प्रकार के भौतिक परिवर्तन होते हैं जैसेकि, विकास अवनीति, उत्पादन और प्रजनन। प्रत्येक परिवर्तन प्रत्यक्षदर्शी और मापयोग्य है। प्रत्येक भौतिक परिवर्तन का भावी आर्थिक लाभों से सीधा संबंध है। एक जैविक आस्ति के उचित मूल्य में फसल को काटने के कारण जो परिवर्तन है वह भी एक भौतिक परिवर्तन है।
53. कृषिक कार्यकलाप प्रायः जलवायु, रूग्णता (बीमारी) और अन्य प्राकृतिक जोखिमों के प्रति अभिदर्शित रहते हैं। यदि एक घटना घटित होती है तो उससे आय या व्यय की महत्वपूर्ण मद की उत्पत्ति होती है। उस मद की प्रकृति और राशि का प्रकटन भारतीय लेखा मानक, *वित्तीय विवरणों का प्रकटन* के अनुसरण में किया जाता है। इस प्रकार की घटना के उदाहरण हैं, महामारी का फैलना, बाढ़ का आना, भारी सूखा या पाला पडना, और कीड़ों की भरमार।
- उन जैविक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रकटन जिनके उचित मूल्य का माप विश्वसनीय रूप से नहीं किया जा सकता
54. यदि एक प्रतिष्ठान जैविक आस्तियों को किसी संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षतिग्रस्तता हानि घटाकर उनकी लागत पर अवधि के अंत में मापता है (देखें अनुच्छेद 30) तो प्रतिष्ठान इन जैविक आस्तियों के लिए निम्नलिखित को प्रकट करेगा:
- (क) जैविक आस्तियों का ब्यौरा;
- (ख) इस बात का स्पष्टीकरण कि उचित मूल्य का माप विश्वसनीय रूप से क्यों नहीं किया जा सकता;
- (ग) यदि संभव हो, प्राक्कलनों का परास (रेंज) जिसमें उचित मूल्य के होने की बहुत ज्यादा संभावना है;
- (घ) प्रयुक्त मूल्यह्रास विधि;
- (ङ.) उपयोगी कार्यकाल (जीवन) अथवा प्रयुक्त मूल्यह्रास दरें; और
- (च) अवधि के प्रारंभ और अंत में सकल अग्रणीत राशि और संचित मूल्यह्रास (जिसमें संचित क्षतिग्रस्तता हानि भी सम्मिलित है)।
55. यदि वर्तमान अवधि के दौरान एक प्रतिष्ठान जैविक आस्तियों का माप किसी संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर उनकी लागत पर करता है (देखें अनुच्छेद 30) तो वह प्रतिष्ठान इन जैविक आस्तियों के निपटान पर मान्य किसी लाभ (गेन) या हानि को प्रकट करेगा। इसके साथ ही, वह अनुच्छेद 50 के अनुसार मिलान (रिकन्सीलेशन) में इन जैविक आस्तियों से संबंधित राशियों को अलग से प्रकट करेगा। इसके अलावा, मिलान में, लाभ या हानि में सम्मिलित इन जैविक आस्तियों की निम्नलिखित राशियां भी शामिल रहेंगी:
- (क) क्षतिग्रस्तता हानियां;
- (ख) क्षतिग्रस्तता हानियों का उलटाव; और
- (ग) मूल्यह्रास।
56. यदि जैविक आस्तियों का उचित मूल्य जो पहले किसी संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर उनकी लागत पर मापा गया था, चालू अवधि में विश्वसनीय रूप से माप-योग्य बनता है, तो प्रतिष्ठान उन जैविक आस्तियों के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करेगा:
- (क) जैविक आस्तियों का वर्णन;
- (ख) इस बात का स्पष्टीकरण कि उचित मूल्य क्यों विश्वसनीय रूप से माप-योग्य बन गए हैं; और
- (ग) परिवर्तन का प्रभाव।
- सरकारी अनुदान
57. एक प्रतिष्ठान इस मानक में व्याप्त कृषिक कार्यकलाप से संबंधित निम्नलिखित सूचना का प्रकटन करेगा:
- (क) वित्तीय विवरणों में मान्य सरकारी अनुदानों की प्रकृति और सीमा;

- (ख) सरकारी अनुदानों से संबद्ध पूरी न की गयी शर्तें और अन्य आकस्मिकताएं; और
 (ग) सरकारी अनुदानों के स्तर में प्रत्याशित महत्वपूर्ण कमियां।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 41 और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 41 कृषि के बीच यदि कोई प्रमुख अन्तर है तो इन्हे स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 41 कृषि के साथ तुलना

1. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरण के तौर पर शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र विवरण' और शब्दों 'लाभ-हानि विवरण एवं व्यापक आय विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 'आई ए एस' 41 में निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटाए गये' दर्शाए गये हैं। फिर भी, आई ए एस 41 की अनुच्छेद संख्याओं और इंड ए एस 41 की अनुच्छेद संख्याओं में क्रमबद्धता बनी रहे, इंड ए एस 41 की इन अनुच्छेद संख्याओं को जारी रखा गया है:
 - (i) अनुच्छेद 9
 - (ii) अनुच्छेद 14
 - (iii) अनुच्छेद 17-21
 - (iv) अनुच्छेद 23
 - (v) अनुच्छेद 39
 - (vi) अनुच्छेद 47-48

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, 16th February, 2015

G.S.R. 111(E).—In exercise of the powers conferred by Section 133 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the **Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015**.
(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2015
2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Accounting Standards” means the standards of accounting, or any addendum thereto for companies or class of companies as specified in rule 3;
 - (b) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (c) “Annexure” in relation to these rules means the Annexure containing the Indian Accounting Standards (Ind AS) appended to these rules;
 - (d) “entity” means a company as defined in clause (20) of Section 2 of the Act;
 - (e) “financial statements” means financial statements as defined in clause (40) of Section 2 of the Act;
 - (f) “net worth” shall have the meaning assigned to it in clause (57) of Section 2 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.
3. **Applicability of Accounting Standards.** - (1) The accounting standards as specified in the **Annexure** to these rules to be called the Indian Accounting Standards (Ind AS) shall be the accounting standards applicable to classes of companies specified in rule 4.
 - (2) The Accounting standards as specified in **Annexure** to the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 shall be the Accounting Standards applicable to the companies other than the classes of companies specified in rule 4.
 - (3) A company which follows the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified in **Annexure** to these rules in accordance with the provisions of rule 4 shall follow such standards only.
 - (4) A company which follows the accounting standards specified in **Annexure** to the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 shall comply with such standards only and not the Standards specified in **Annexure** to these rules.
4. **Obligation to comply with Indian Accounting Standards (Ind AS).** - (1) The Companies and their auditors shall comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified in **Annexure** to these rules in preparation of their financial statements and audit respectively, in the following manner, namely:—
 - (i) any company may comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) for financial statements for accounting periods beginning on or after 1st April, 2015, with the comparatives for the periods ending on 31st March, 2015, or thereafter;
 - (ii) the following companies shall comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) for the accounting periods beginning on or after 1st April, 2016, with the comparatives for the periods ending on 31st March, 2016, or thereafter, namely:—
 - (a) companies whose equity or debt securities are listed or are in the process of being listed on any stock exchange in India or outside India and having net worth of rupees five hundred crore or more;
 - (b) companies other than those covered by sub-clause (a) of clause (ii) of sub-rule (1) and having net worth of rupees five hundred crore or more;
 - (c) holding, subsidiary, joint venture or associate companies of companies covered by sub-clause (a) of clause (ii) of sub-rule (1) and sub-clause (b) of clause (ii) of sub-rule (1) as the case may be; and

- (iii) the following companies shall comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) for the accounting periods beginning on or after 1st April, 2017, with the comparatives for the periods ending on 31st March, 2017, or thereafter, namely:-
- companies whose equity or debt securities are listed or are in the process of being listed on any stock exchange in India or outside India and having net worth of less than rupees five hundred crore;
 - companies other than those covered in clause (ii) of sub-rule (1) and sub-clause (a) of clause (iii) of sub-rule (1), that is, unlisted companies having net worth of rupees two hundred and fifty crore or more but less than rupees five hundred crore.
 - holding, subsidiary, joint venture or associate companies of companies covered under sub-clause (a) of clause (iii) of sub-rule (1) and sub-clause (b) of clause (iii) of sub-rule (1), as the case may be:

Provided that nothing in this sub-rule, except clause (i), shall apply to companies whose securities are listed or are in the process of being listed on SME exchange as referred to in Chapter XB or on the Institutional Trading Platform without initial public offering in accordance with the provisions of Chapter XC of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

Explanation 1. - SME Exchange shall have the same meaning as assigned to it in Chapter XB of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

Explanation 2. - "Comparatives" shall mean comparative figures for the preceding accounting period.

- (2) For the purposes of calculation of net worth of companies under sub-rule (1), the following principles shall apply, namely:-
- the net worth shall be calculated in accordance with the stand-alone financial statements of the company as on 31st March, 2014 or the first audited financial statements for accounting period which ends after that date;
 - for companies which are not in existence on 31st March, 2014 or an existing company falling under any of thresholds specified in sub-rule (1) for the first time after 31st March, 2014, the net worth shall be calculated on the basis of the first audited financial statements ending after that date in respect of which it meets the thresholds specified in sub-rule (1).

Explanation.- For the purposes of sub-clause (b), the companies meeting the specified thresholds given in sub-rule (1) for the first time at the end of an accounting year shall apply Indian Accounting Standards (Ind AS) from the immediate next accounting year in the manner specified in sub-rule (1).

Illustration - (i) The companies meeting threshold for the first time as on 31st March, 2017 shall apply Ind AS for the financial year 2017-18 onwards.

(ii) The companies meeting threshold for the first time as on 31st March, 2018 shall apply Ind AS for the financial year 2018-19 onwards and so on.

- Standards in **Annexure** to these rules once required to be complied with in accordance with these rules, shall apply to both stand-alone financial statements and consolidated financial statements.
- Companies to which Indian Accounting Standards (Ind AS) are applicable as specified in these rules shall prepare their first set of financial statements in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) effective at the end of its first Indian Accounting Standards (Ind AS) reporting period.

Explanation.- For the removal of doubts, it is hereby clarified that the companies preparing financial statements applying the Indian Accounting Standards (Ind AS) for the accounting period beginning on 1st April, 2016 shall apply the Indian Accounting Standards (Ind AS) effective for the financial year ending on 31st March, 2017.

- Overseas subsidiary, associate, joint venture and other similar entities of an Indian company may prepare its standalone financial statements in accordance with the requirements of the specific jurisdiction:
Provided that such Indian company shall prepare its consolidated financial statements in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) either voluntarily or mandatorily if it meets the criteria as specified in sub-rule (1).
- Indian company which is a subsidiary, associate, joint venture and other similar entities of a foreign company shall prepare its financial statements in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) either voluntarily or mandatorily if it meets the criteria as specified in sub-rule (1).

- (7) Any company opting to apply the Indian Accounting Standards (Ind AS) voluntarily as specified in sub-rule (1) for its financial statements shall prepare its financial statements as per the Indian Accounting Standards (Ind AS) consistently.
- (8) Once the Indian Accounting Standards (Ind AS) are applied voluntarily, it shall be irrevocable and such companies shall not be required to prepare another set of financial statements in accordance with Accounting Standards specified in **Annexure** to Companies (Accounting Standards) Rules, 2006.
- (9) Once a company starts following the Indian Accounting Standards (Ind AS) either voluntarily or mandatorily on the basis of criteria specified in sub-rule (1), it shall be required to follow the Indian Accounting Standards (Ind AS) for all the subsequent financial statements even if any of the criteria specified in this rule does not subsequently apply to it.

5. **Exemptions.-** The insurance companies, banking companies and non-banking finance companies shall not be required to apply Indian Accounting Standards (Ind AS) for preparation of their financial statements either voluntarily or mandatorily as specified in sub-rule (1) of rule 4.

[F. No. 01/01/2009/CL-V(Part)]

AJAI DAS MEHROTRA, Jt. Secy.

Annexure

[See rule 3]

- A. General Instruction. -** (1) Indian Accounting Standards, which are specified, are intended to be in conformity with the provisions of applicable laws. However, if due to subsequent amendments in the law, a particular Indian Accounting Standard is found to be not in conformity with such law, the provisions of the said law shall prevail and the financial statements shall be prepared in conformity with such law.
- (2) Indian Accounting Standards are intended to apply only to items which are material.
 - (3) The Indian Accounting Standards include paragraphs set in bold italic type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold italic type indicate the main principles. An individual Indian Accounting Standard shall be read in the context of the objective, if stated, in that Indian Accounting Standard and in accordance with these General Instructions.

B. Indian Accounting Standards (Ind AS)

Indian Accounting Standard (Ind AS) 101

First-time Adoption of Indian Accounting Standards

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

1. The objective of this Ind AS is to ensure that an entity's *first Ind AS financial statements*, and its interim financial reports for part of the period covered by those financial statements, contain high quality information that:
 - (a) is transparent for users and comparable over all periods presented;
 - (b) provides a suitable starting point for accounting in accordance with *Indian Accounting Standards (Ind ASs)*; and
 - (c) can be generated at a cost that does not exceed the benefits.

Scope

- 2 An entity shall apply this Ind AS in:
 - (a) its first Ind AS financial statements; and
 - (b) each interim financial report, if any, that it presents in accordance with Ind AS 34, *Interim Financial Reporting*, for part of the period covered by its first Ind AS financial statements.
- 3 An entity's first Ind AS financial statements are the first annual financial statements in which the entity adopts Ind ASs, in accordance with Ind ASs notified under the Companies Act, 2013 and makes an explicit and unreserved statement in those financial statements of compliance with Ind ASs.
- 4 [Refer to Appendix 1]
- 4A [Refer to Appendix 1]
- 4B [Refer to Appendix 1]

- 5 This Ind AS does not apply to changes in accounting policies made by an entity that already applies Ind ASs. Such changes are the subject of:
- (a) requirements on changes in accounting policies in Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*; and
 - (b) specific transitional requirements in other Ind ASs.

Recognition and measurement Opening Ind AS Balance Sheet

- 6 An entity shall prepare and present an *opening Ind AS Balance Sheet* at the *date of transition to Ind ASs*. This is the starting point for its accounting in accordance with Ind ASs subject to the requirements of paragraphs D13AA and D22.

Accounting policies

- 7 **An entity shall use the same accounting policies in its opening Ind AS Balance Sheet and throughout all periods presented in its first Ind AS financial statements. Those accounting policies shall comply with each Ind AS effective at the end of its first Ind AS reporting period, except as specified in paragraphs 13–19 and Appendices B–D.**
- 8 An entity shall not apply different versions of Ind ASs that were effective at earlier dates. An entity may apply a new Ind AS that is not yet mandatory if that Ind AS permits early application.

Example: Consistent application of latest version of Ind ASs

Background

The end of entity A's first Ind AS reporting period is 31 March 2017. Entity A decides to present comparative information in those financial statements for one year only (see paragraph 21). Therefore, its date of transition to Ind ASs is the beginning of business on 1 April 2015 (or, equivalently, close of business on 31 March 2015). Entity A presented financial statements in accordance with its *previous GAAP* annually to 31 March each year up to, and including, 31 March 2016.

Application of requirements

Entity A is required to apply the Ind ASs effective for periods ending on 31 March 2017 in:

- a) preparing and presenting its opening Ind AS balance sheet at 1 April 2015; and
- b) preparing and presenting its balance sheet for 31 March 2017 (including comparative amounts for the year ended 31 March 2016), statement of profit and loss, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year to 31 March 2017 (including comparative amounts for the year ended 31 March 2016) and disclosures (including comparative information for the year ended 31 March 2016).

If a new Ind AS is not yet mandatory but permits early application, entity A is permitted, but not required, to apply that Ind AS in its first Ind AS financial statements.

- 9 The transitional provisions in other Ind ASs apply to changes in accounting policies made by an entity that already uses Ind ASs; they do not apply to a *first-time adopter's* transition to Ind ASs, except as specified in Appendices B–D.
- 10 Except as described in paragraphs 13–19 and Appendices B–D, an entity shall, in its opening Ind AS Balance Sheet:
- (a) recognise all assets and liabilities whose recognition is required by Ind ASs;
 - (b) not recognise items as assets or liabilities if Ind ASs do not permit such recognition;
 - (c) reclassify items that it recognised in accordance with previous GAAP as one type of asset, liability or component of equity, but are a different type of asset, liability or component of equity in accordance with Ind ASs; and
 - (d) apply Ind ASs in measuring all recognised assets and liabilities.
- 11 The accounting policies that an entity uses in its opening Ind AS Balance Sheet may differ from those that it used for the same date using its previous GAAP. The resulting adjustments arise from events and transactions before the date of transition to Ind ASs. Therefore, an entity shall recognise those adjustments directly in

retained earnings (or, if appropriate, another category of equity) at the date of transition to Ind ASs.

- 12 This Ind AS establishes two categories of exceptions to the principle that an entity's opening Ind AS Balance Sheet shall comply with each Ind AS:

- (a) paragraphs 14–17 and Appendix B prohibit retrospective application of some aspects of other Ind ASs.
- (b) Appendices C–D grant exemptions from some requirements of other Ind ASs.

Exceptions to the retrospective application of other Ind ASs

- 13 This Ind AS prohibits retrospective application of some aspects of other Ind ASs. These exceptions are set out in paragraphs 14–17 and Appendix B.

Estimates

- 14 **An entity's estimates in accordance with Ind ASs at the date of transition to Ind ASs shall be consistent with estimates made for the same date in accordance with previous GAAP (after adjustments to reflect any difference in accounting policies), unless there is objective evidence that those estimates were in error.**

- 15 An entity may receive information after the date of transition to Ind ASs about estimates that it had made under previous GAAP. In accordance with paragraph 14, an entity shall treat the receipt of that information in the same way as non-adjusting events after the reporting period in accordance with Ind AS 10, *Events after the Reporting Period*. For example, assume that an entity's date of transition to Ind ASs is 1 April 2015 and new information on 15 July 2015 requires the revision of an estimate made in accordance with previous GAAP at 31 March 2015. The entity shall not reflect that new information in its opening Ind AS Balance Sheet (unless the estimates need adjustment for any differences in accounting policies or there is objective evidence that the estimates were in error). Instead, the entity shall reflect that new information in profit or loss (or, if appropriate, other comprehensive income) for the year ended 31 March 2016.

- 16 An entity may need to make estimates in accordance with Ind ASs at the date of transition to Ind ASs that were not required at that date under previous GAAP. To achieve consistency with Ind AS 10, those estimates in accordance with Ind ASs shall reflect conditions that existed at the date of transition to Ind ASs. In particular, estimates at the date of transition to Ind ASs of market prices, interest rates or foreign exchange rates shall reflect market conditions at that date.

- 17 Paragraphs 14–16 apply to the opening Ind AS Balance Sheet. They also apply to a comparative period presented in an entity's first Ind AS financial statements, in which case the references to the date of transition to Ind ASs are replaced by references to the end of that comparative period.

Exemptions from other Ind ASs

- 18 An entity may elect to use one or more of the exemptions contained in Appendices C–D. An entity shall not apply these exemptions by analogy to other items.

- 19 [Refer to Appendix 1]

Presentation and disclosure

- 20 This Ind AS does not provide exemptions from the presentation and disclosure requirements in other Ind ASs.

Comparative information

- 21 An entity's first Ind AS financial statements shall include at least three Balance Sheet, two Statements of profit and loss, two Statements of cash flows and two Statements of changes in equity and related notes, including comparative information for all statements presented.

Non-IndAS comparative information and historical summaries

- 22 Some entities present historical summaries of selected data for periods before the first period for which they present full comparative information in accordance with Ind ASs. This Ind AS does not require such summaries to comply with the recognition and measurement requirements of Ind ASs. Furthermore, some entities present comparative information in accordance with previous GAAP as well as the comparative information required by Ind AS 1. In any financial statements containing historical summaries or comparative information in accordance with previous GAAP, an entity shall:

- (a) label the previous GAAP information prominently as not being prepared in accordance with Ind ASs; and
- (b) disclose the nature of the main adjustments that would make it comply with Ind ASs. An entity need

not quantify those adjustments.

Explanation of transition to Ind ASs

23 An entity shall explain how the transition from previous GAAP to Ind ASs affected its reported Balance sheet, financial performance and cash flows.

23A [Refer to Appendix 1]

23B [Refer to Appendix 1]

Reconciliations

24 To comply with paragraph 23, an entity's first Ind AS financial statements shall include:

- (a) reconciliations of its equity reported in accordance with previous GAAP to its equity in accordance with Ind ASs for both of the following dates:
 - (i) the date of transition to Ind ASs; and
 - (ii) the end of the latest period presented in the entity's most recent annual financial statements in accordance with previous GAAP.
- (b) a reconciliation to its total comprehensive income in accordance with Ind ASs for the latest period in the entity's most recent annual financial statements. The starting point for that reconciliation shall be total comprehensive income in accordance with previous GAAP for the same period or, if an entity did not report such a total, profit or loss under previous GAAP.
- (c) if the entity recognised or reversed any impairment losses for the first time in preparing its opening Ind AS Balance Sheet, the disclosures that Ind AS 36, *Impairment of Assets*, would have required if the entity had recognised those impairment losses or reversals in the period beginning with the date of transition to Ind ASs.

25 The reconciliations required by paragraph 24(a) and (b) shall give sufficient detail to enable users to understand the material adjustments to the Balance Sheet and Statement of profit and loss. If an entity presented a Statement of cash flows under its previous GAAP, it shall also explain the material adjustments to the Statement of cash flows.

26 If an entity becomes aware of errors made under previous GAAP, the reconciliations required by paragraph 24(a) and (b) shall distinguish the correction of those errors from changes in accounting policies.

27 Ind AS 8 does not apply to the changes in accounting policies an entity makes when it adopts Ind ASs or to changes in those policies until after it presents its first Ind AS financial statements. Therefore, Ind AS 8's requirements about changes in accounting policies do not apply in an entity's first Ind AS financial statements.

27A If during the period covered by its first Ind AS financial statements an entity changes its accounting policies or its use of the exemptions contained in this Ind AS, it shall explain the changes between its first Ind AS interim financial report and its first Ind AS financial statements, in accordance with paragraph 23, and it shall update the reconciliations required by paragraph 24(a) and (b).

27AA If an entity adopts the first time exemption option provided in accordance with paragraph D7AA, the fact and the accounting policy shall be disclosed by the entity until such time that those items of Property, plant and equipment, investment properties or intangible assets, as the case may be, are significantly depreciated, impaired or derecognised from the entity's Balance Sheet.

28 If an entity did not present financial statements for previous periods, its first Ind AS financial statements shall disclose that fact.

Designation of financial assets or financial liabilities

29 An entity is permitted to designate a previously recognised financial asset as a financial asset measured at fair value through profit or loss in accordance with paragraph D19A. The entity shall disclose the fair value of financial assets so designated at the date of designation and their classification and carrying amount in the previous financial statements.

29A An entity is permitted to designate a previously recognised financial liability as a financial liability at fair value through profit or loss in accordance with paragraph D19. The entity shall disclose the fair value of

financial liabilities so designated at the date of designation and their classification and carrying amount in the previous financial statements.

Use of fair value as deemed cost

30 If an entity uses fair value in its opening Ind AS Balance Sheet as *deemed cost* for an item of property, plant and equipment, an investment property or an intangible asset (see paragraphs D5 and D7), the entity's first Ind AS financial statements shall disclose, for each line item in the opening Ind AS Balance Sheet:

- (a) the aggregate of those fair values; and
- (b) the aggregate adjustment to the carrying amounts reported under previous GAAP.

Use of deemed cost for investments in subsidiaries, joint ventures and associates

31 Similarly, if an entity uses a deemed cost in its opening Ind AS Balance Sheet for an investment in a subsidiary, joint venture or associate in its separate financial statements (see paragraph D15), the entity's first Ind AS separate financial statements shall disclose:

- (a) the aggregate deemed cost of those investments for which deemed cost is their previous GAAP carrying amount;
- (b) the aggregate deemed cost of those investments for which deemed cost is fair value; and
- (c) the aggregate adjustment to the carrying amounts reported under previous GAAP.

Use of deemed cost for oil and gas assets

31A If an entity uses the exemption in paragraph D8A(b) for oil and gas assets, it shall disclose that fact and the basis on which carrying amounts determined under previous GAAP were allocated.

Use of deemed cost for operations subject to rate regulation

31B If an entity uses the exemption in paragraph D8B for operations subject to rate regulation, it shall disclose that fact and the basis on which carrying amounts were determined under previous GAAP.

Use of deemed cost after severe hyperinflation

31C If an entity elects to measure assets and liabilities at fair value and to use that fair value as the deemed cost in its opening Ind AS Balance Sheet because of severe hyperinflation (see paragraphs D26–D30), the entity's first Ind AS financial statements shall disclose an explanation of how, and why, the entity had, and then ceased to have, a functional currency that has both of the following characteristics:

- (a) a reliable general price index is not available to all entities with transactions and balances in the currency.
- (b) exchangeability between the currency and a relatively stable foreign currency does not exist.

Interim financial reports

32 To comply with paragraph 23, if an entity presents an interim financial report in accordance with Ind AS 34 for part of the period covered by its first Ind AS financial statements, the entity shall satisfy the following requirements in addition to the requirements of Ind AS 34:

- (a) Each such interim financial report shall, if the entity presented an interim financial report for the comparable interim period of the immediately preceding financial year, include:
 - (i) a reconciliation of its equity in accordance with previous GAAP at the end of that comparable interim period to its equity under Ind ASs at that date; and
 - (ii) a reconciliation to its total comprehensive income in accordance with Ind ASs for that comparable interim period (current and year to date). The starting point for that reconciliation shall be total comprehensive income in accordance with previous GAAP for that period or, if an entity did not report such a total, profit or loss in accordance with previous GAAP.
- (b) In addition to the reconciliations required by (a), an entity's first interim financial report in accordance with Ind AS 34 for part of the period covered by its first Ind AS financial statements shall include the reconciliations described in paragraph 24(a) and (b) (supplemented by the details required by paragraphs 25 and 26) or a cross-reference to another published document that includes these reconciliations.
- (c) If an entity changes its accounting policies or its use of the exemptions contained in this Ind AS, it shall explain the changes in each such interim financial report in accordance with paragraph 23 and

update the reconciliations required by (a) and (b).

- 33 Ind AS 34 requires minimum disclosures, which are based on the assumption that users of the interim financial report also have access to the most recent annual financial statements. However, Ind AS 34 also requires an entity to disclose 'any events or transactions that are material to an understanding of the current interim period'. Therefore, if a first-time adopter did not, in its most recent annual financial statements in accordance with previous GAAP, disclose information material to an understanding of the current interim period, its interim financial report shall disclose that information or include a cross-reference to another published document that includes it.

Appendix A

Defined terms

This appendix is an integral part of this Ind AS.

date of transition to Ind ASs	The beginning of the earliest period for which an entity presents full comparative information under Ind ASs in first Ind AS financial statements
deemed cost	An amount used as a surrogate for cost or depreciated cost at a given date. Subsequent depreciation or amortisation assumes that the entity had initially recognised the asset or liability at the given date and that its cost was equal to the deemed cost.
fair value	<i>Fair value</i> is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113.)
first Ind AS financial statements	The first annual financial statements in which an entity adopts <i>Indian Accounting Standards</i> (Ind ASs), by an explicit and unreserved statement of compliance with Ind ASs.
first Ind AS reporting period	The latest reporting period covered by an entity's first Ind AS financial statements
first-time adopter	An entity that presents its first Ind AS financial statements .
Indian Accounting Standards (Ind ASs)	Ind ASs are Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.
opening Ind AS Balance Sheet	An entity's Balance Sheet at the date of transition to Ind ASs .
previous GAAP	The basis of accounting that a first-time adopter used for its statutory reporting requirement in India immediately before adopting Ind AS's. For instance, companies required to prepare their financial statements in accordance with Section 133 of the Companies Act, 2013, shall consider those financial statements as previous GAAP financial statements.

Appendix B

Exceptions to the retrospective application of other Ind ASs

This appendix is an integral part of this Ind AS.

- B1 An entity shall apply the following exceptions:
- derecognition of financial assets and financial liabilities (paragraphs B2 and B3);
 - hedge accounting (paragraphs B4–B6);
 - non-controlling interests (paragraph B7);
 - classification and measurement of financial assets (paragraphs B8–B8C);
 - impairment of financial assets (paragraphs B8D–B8G);
 - embedded derivatives (paragraph B9); and
 - government loans (paragraphs B10–B12).

Derecognition of financial assets and financial liabilities

- B2 Except as permitted by paragraph B3, a first-time adopter shall apply the derecognition requirements in Ind AS 109 prospectively for transactions occurring on or after the date of transition to Ind ASs. For example, if a first-time adopter derecognised non-derivative financial assets or non-derivative financial liabilities in accordance with its previous GAAP as a result of a transaction that occurred before the date of transition to Ind ASs, it shall not recognise those assets and liabilities in accordance with Ind ASs (unless they qualify for recognition as a result of a later transaction or event).
- B3 Despite paragraph B2, an entity may apply the derecognition requirements in Ind AS 109 retrospectively from a date of the entity's choosing, provided that the information needed to apply Ind AS 109 to financial assets and financial liabilities derecognised as a result of past transactions was obtained at the time of initially accounting for those transactions.

Hedge accounting

- B4 As required by Ind AS 109, at the date of transition to Ind ASs an entity shall:
- (a) measure all derivatives at fair value; and
 - (b) eliminate all deferred losses and gains arising on derivatives that were reported in accordance with previous GAAP as if they were assets or liabilities.
- B5 An entity shall not reflect in its opening Ind AS Balance Sheet a hedging relationship of a type that does not qualify for hedge accounting in accordance with Ind AS 109 (for example, many hedging relationships where the hedging instrument is a stand-alone written option or a net written option; or where the hedged item is a net position in a cash flow hedge for another risk than foreign currency risk). However, if an entity designated a net position as a hedged item in accordance with previous GAAP, it may designate as a hedged item in accordance with Ind ASs an individual item within that net position, or a net position if that meets the requirements in paragraph 6.6.1 of Ind AS 109, provided that it does so no later than the date of transition to Ind ASs.
- B6 If, before the date of transition to Ind ASs, an entity had designated a transaction as a hedge but the hedge does not meet the conditions for hedge accounting in Ind AS 109, the entity shall apply paragraphs 6.5.6 and 6.5.7 of Ind AS 109 to discontinue hedge accounting. Transactions entered into before the date of transition to Ind ASs shall not be retrospectively designated as hedges.

Non-controlling interests

- B7 A first-time adopter shall apply the following requirements of Ind AS 110 prospectively from the date of transition to Ind ASs:
- (a) the requirement in paragraph B94 that total comprehensive income is attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance;
 - (b) the requirements in paragraphs 23 and B96 for accounting for changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in a loss of control; and
 - (c) the requirements in paragraphs B97–B99 for accounting for a loss of control over a subsidiary, and the related requirements of paragraph 8A of Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*.

However, if a first-time adopter elects to apply Ind AS 103 retrospectively to past business combinations, it shall also apply Ind AS 110 in accordance with paragraph C1 of this Ind AS.

Classification and measurement of financial assets

- B8 An entity shall assess whether a financial asset meets the conditions in paragraph 4.1.2 or the conditions in paragraph 4.1.2A of Ind AS 109 on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of transition to Ind ASs.
- B8A If it is impracticable to assess a modified time value of money element in accordance with paragraphs B4.1.9B–B4.1.9D of Ind AS 109 on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of transition to Ind ASs, an entity shall assess the contractual cash flow characteristics of that financial asset on the basis of the facts and circumstances that existed at the date of transition to Ind ASs without taking into account the requirements related to the modification of the time value of money element in paragraphs B4.1.9B–B4.1.9D of Ind AS 109. An entity shall disclose the carrying amount at the reporting date of the financial assets whose

contractual cash flow characteristics have been assessed based on the facts and circumstances that existed at the date of transition to Ind ASs without taking into account the requirements related to the modification of the time value of money element in paragraphs B4.1.9B–B4.1.9D of Ind AS 109 until those financial assets are derecognised.

- B8B** If it is impracticable to assess whether the fair value of a prepayment feature is insignificant in accordance with paragraph B4.1.12(c) of Ind AS 109 on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of transition to Ind-ASs, an entity shall assess the contractual cash flow characteristics of that financial asset on the basis of the facts and circumstances that existed at the date of transition to Ind-ASs without taking into account the exception for prepayment features in paragraph B4.1.12 of Ind AS 109. An entity shall disclose the carrying amount at the reporting date of the financial assets whose contractual cash flow characteristics have been assessed based on the facts and circumstances that existed at the date of transition to Ind ASs without taking into account the exception for prepayment features in paragraph B4.1.12 of Ind AS 109 until those financial assets are derecognised.
- B8C** If it is impracticable (as defined in Ind AS 8) for an entity to apply retrospectively the effective interest method in Ind AS 109, the fair value of the financial asset or the financial liability at the date of transition to Ind ASs shall be the new gross carrying amount of that financial asset or the new amortised cost of that financial liability at the date of transition to Ind ASs.

Impairment of financial assets

- B8D** An entity shall apply the impairment requirements in Section 5.5 of Ind AS 109 retrospectively subject to paragraphs B8E, B8F and B8G of this Ind AS.
- B8E** At the date of transition to Ind ASs, an entity shall use reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort to determine the credit risk at the date that financial instruments were initially recognised (or for loan commitments and financial guarantee contracts the date that the entity became a party to the irrevocable commitment in accordance with paragraph 5.5.6 of Ind AS 109) and compare that to the credit risk at the date of transition to Ind ASs (also see paragraphs B8EA–B8EB of this Ind AS).
- B8EA** An entity should seek to approximate the credit risk on initial recognition by considering all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. An entity is not required to undertake an exhaustive search for information when determining, at the date of transition to Ind ASs, whether there have been significant increases in credit risk since initial recognition. If an entity is unable to make this determination without undue cost or effort paragraph B8G of this Ind AS applies.
- B8EB** In order to determine the loss allowance on financial instruments initially recognised (or loan commitments or financial guarantee contracts to which the entity became a party to the contract) prior to the date of initial application, both on transition and until the derecognition of those items, an entity shall consider information that is relevant in determining or approximating the credit risk at initial recognition. In order to determine or approximate the initial credit risk, an entity may consider internal and external information, including portfolio information, in accordance with paragraphs B5.5.1–B5.5.6 of Ind AS 109.
- B8F** When determining whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, an entity may apply:
- (a) the requirements in paragraph 5.5.10 and B5.5.22–B5.5.24 of Ind AS 109; and
 - (b) the rebuttable presumption in paragraph 5.5.11 of Ind AS 109 for contractual payments that are more than 30 days past due if an entity will apply the impairment requirements by identifying significant increases in credit risk since initial recognition for those financial instruments on the basis of past due information.
- B8G** If, at the date of transition to Ind ASs, determining whether there has been a significant increase in credit risk since the initial recognition of a financial instrument would require undue cost or effort, an entity shall recognise a loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses at each reporting date until that financial instrument is derecognised (unless that financial instrument is low credit risk at a reporting date, in which case paragraph B8F(a) applies).

Embedded derivatives

- B9** A first-time adopter shall assess whether an embedded derivative is required to be separated from the host contract and accounted for as a derivative on the basis of the conditions that existed at the later of the date it first became a party to the contract and the date a reassessment is required by paragraph B4.3.11 of Ind AS 109.

Government loans

- B10 A first-time adopter shall classify all government loans received as a financial liability or an equity instrument in accordance with Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*. Except as permitted by paragraph B11, a first-time adopter shall apply the requirements in Ind AS 109, *Financial Instruments*, and Ind AS 20, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*, prospectively to government loans existing at the date of transition to Ind ASs and shall not recognise the corresponding benefit of the government loan at a below-market rate of interest as a government grant. Consequently, if a first-time adopter did not, under its previous GAAP, recognise and measure a government loan at a below-market rate of interest on a basis consistent with Ind AS requirements, it shall use its previous GAAP carrying amount of the loan at the date of transition to Ind ASs as the carrying amount of the loan in the opening Ind AS Balance Sheet. An entity shall apply Ind AS 109 to the measurement of such loans after the date of transition to Ind ASs.
- B11 Despite paragraph B10, an entity may apply the requirements in Ind AS 109 and Ind AS 20 retrospectively to any government loan originated before the date of transition to Ind ASs, provided that the information needed to do so had been obtained at the time of initially accounting for that loan.
- B12 The requirements and guidance in paragraphs B10 and B11 do not preclude an entity from being able to use the exemptions described in paragraphs D19–D19C relating to the designation of previously recognised financial instruments at fair value through profit or loss.

Appendix C**Exemptions for business combinations**

This appendix is an integral part of this Ind AS. An entity shall apply the following requirements to business combinations that the entity recognised before the date of transition to Ind ASs. This Appendix should only be applied to business combinations within the scope of Ind AS 103, Business Combinations.

- C1 A first-time adopter may elect not to apply Ind AS 103 retrospectively to past business combinations (business combinations that occurred before the date of transition to Ind ASs). However, if a first-time adopter restates any business combination to comply with Ind AS 103, it shall restate all later business combinations and shall also apply Ind AS 110 from that same date. For example, if a first-time adopter elects to restate a business combination that occurred on 30 June 2010, it shall restate all business combinations that occurred between 30 June 2010 and the date of transition to Ind ASs, and it shall also apply Ind AS 110 from 30 June 2010.
- C2 An entity need not apply Ind AS 21, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*, retrospectively to fair value adjustments and goodwill arising in business combinations that occurred before the date of transition to Ind ASs. If the entity does not apply Ind AS 21 retrospectively to those fair value adjustments and goodwill, it shall treat them as assets and liabilities of the entity rather than as assets and liabilities of the acquiree. Therefore, those goodwill and fair value adjustments either are already expressed in the entity's functional currency or are non-monetary foreign currency items, which are reported using the exchange rate applied in accordance with previous GAAP.
- C3 An entity may apply Ind AS 21 retrospectively to fair value adjustments and goodwill arising in either:
- (a) all business combinations that occurred before the date of transition to Ind ASs; or
 - (b) all business combinations that the entity elects to restate to comply with Ind AS 103, as permitted by paragraph C1 above.
- C4 If a first-time adopter does not apply Ind AS 103 retrospectively to a past business combination, this has the following consequences for that business combination:
- (a) The first-time adopter shall keep the same classification (as an acquisition by the legal acquirer, a reverse acquisition by the legal acquiree, or a uniting of interests) as in its previous GAAP financial statements.
 - (b) The first-time adopter shall recognise all its assets and liabilities at the date of transition to Ind ASs that were acquired or assumed in a past business combination, other than:
 - (i) some financial assets and financial liabilities derecognised in accordance with previous GAAP (see paragraph B2); and
 - (ii) assets, including goodwill, and liabilities that were not recognised in the acquirer's consolidated Balance Sheet in accordance with previous GAAP and also would not qualify for recognition in accordance with Ind ASs in the separate Balance Sheet of the acquiree (see (f)–

(i) below).

The first-time adopter shall recognise any resulting change by adjusting retained earnings (or, if appropriate, another category of equity), unless the change results from the recognition of an intangible asset that was previously subsumed within goodwill (see (g)(i) below).

- (c) The first-time adopter shall exclude from its opening Ind AS Balance Sheet any item recognised in accordance with previous GAAP that does not qualify for recognition as an asset or liability under Ind ASs. The first-time adopter shall account for the resulting change as follows:
 - (i) the first-time adopter may have classified a past business combination as an acquisition and recognised as an intangible asset an item that does not qualify for recognition as an asset in accordance with Ind AS 38, *Intangible Assets*. It shall reclassify that item (and, if any, the related deferred tax and non-controlling interests) as part of goodwill (unless it deducted goodwill directly from equity in accordance with previous GAAP, see (g)(i) and (i) below) or capital reserve to the extent not exceeding the balance available in that reserve.
 - (ii) the first-time adopter shall recognise all other resulting changes in retained earnings.¹
- (d) Ind ASs require subsequent measurement of some assets and liabilities on a basis that is not based on original cost, such as fair value. The first-time adopter shall measure these assets and liabilities on that basis in its opening Ind AS Balance Sheet, even if they were acquired or assumed in a past business combination. It shall recognise any resulting change in the carrying amount by adjusting retained earnings (or, if appropriate, another category of equity), rather than goodwill/capital reserve.

Immediately after the business combination, the carrying amount in accordance with previous GAAP of assets acquired and liabilities assumed in that business combination shall be their deemed cost in accordance with Ind ASs at that date. If Ind ASs require a cost-based measurement of those assets and liabilities at a later date that deemed cost shall be the basis for cost-based depreciation or

- (e) amortisation from the date of the business combination.
- (f) If an asset acquired, or liability assumed, in a past business combination was not recognised in accordance with previous GAAP, it does not have a deemed cost of zero in the opening Ind AS Balance Sheet. Instead, the acquirer shall recognise and measure it in its consolidated Balance Sheet on the basis that Ind ASs would require in the Balance Sheet of the acquiree. To illustrate: if the acquirer had not, in accordance with its previous GAAP, capitalised finance leases acquired in a past business combination, it shall capitalise those leases in its consolidated financial statements, as Ind AS 17, *Leases*, would require the acquiree to do in its Ind AS Balance Sheet. Similarly, if the acquirer had not, in accordance with its previous GAAP, recognised a contingent liability that still exists at the date of transition to Ind ASs, the acquirer shall recognise that contingent liability at that date unless Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, would prohibit its recognition in the financial statements of the acquiree. Conversely, if an asset or liability was subsumed in goodwill/capital reserve in accordance with previous GAAP but would have been recognised separately under Ind AS 103, that asset or liability remains in goodwill/capital reserve unless Ind ASs would require its recognition in the financial statements of the acquiree.
- (g) The carrying amount of goodwill or capital reserve in the opening Ind AS Balance Sheet shall be its carrying amount in accordance with previous GAAP at the date of transition to Ind ASs, after the following two adjustments:
 - (i) If required by (c)(i) above, the first-time adopter shall increase the carrying amount of goodwill or decrease the carrying amount of capital reserve when it reclassifies an item that it recognised as an intangible asset in accordance with previous GAAP. Similarly, if (f) above requires the first-time adopter to recognise an intangible asset that was subsumed in recognised goodwill or capital reserve in accordance with previous GAAP, the first-time adopter shall decrease the carrying amount of goodwill or increase the carrying amount of

¹ Such changes include reclassifications from or to intangible assets if goodwill was not recognised in accordance with previous GAAP as an asset. This arises if, in accordance with previous GAAP, the entity (a) deducted goodwill directly from equity or (b) did not treat the business combination as an acquisition or (c) recognised capital reserve in a business combination accounted for as an acquisition and the amount of reclassification mentioned in (i) above exceeds the balance available in that reserve.

- capital reserve accordingly (and, if applicable, adjust deferred tax and non-controlling interests).
- (ii) Regardless of whether there is any indication that the goodwill may be impaired, the first-time adopter shall apply Ind AS 36 in testing the goodwill for impairment at the date of transition to Ind ASs and in recognising any resulting impairment loss in retained earnings (or, if so required by Ind AS 36, in revaluation surplus). The impairment test shall be based on conditions at the date of transition to Ind ASs.
 - (h) No other adjustments shall be made to the carrying amount of goodwill / capital reserve at the date of transition to Ind ASs. For example, the first-time adopter shall not restate the carrying amount of goodwill / capital reserve:
 - (i) to exclude in-process research and development acquired in that business combination (unless the related intangible asset would qualify for recognition in accordance with Ind AS 38 in the Balance Sheet of the acquiree);
 - (ii) to adjust previous amortisation of goodwill;
 - (iii) to reverse adjustments to goodwill that Ind AS 103 would not permit, but were made in accordance with previous GAAP because of adjustments to assets and liabilities between the date of the business combination and the date of transition to Ind ASs.
 - (i) If the first-time adopter recognised goodwill in accordance with previous GAAP as a deduction from equity:
 - (i) it shall not recognise that goodwill in its opening Ind AS Balance Sheet. Furthermore, it shall not reclassify that goodwill to profit or loss if it disposes of the subsidiary or if the investment in the subsidiary becomes impaired.
 - (ii) adjustments resulting from the subsequent resolution of a contingency affecting the purchase consideration shall be recognised in retained earnings.
 - (j) In accordance with its previous GAAP, the first-time adopter may not have consolidated a subsidiary acquired in a past business combination (for example, because the parent did not regard it as a subsidiary in accordance with previous GAAP or did not prepare consolidated financial statements). The first-time adopter shall adjust the carrying amounts of the subsidiary's assets and liabilities to the amounts that Ind ASs would require in the subsidiary's Balance Sheet. The deemed cost of goodwill equals the difference at the date of transition to Ind ASs between:
 - (i) the parent's interest in those adjusted carrying amounts; and
 - (ii) the cost in the parent's separate financial statements of its investment in the subsidiary.
 - (k) The measurement of non-controlling interests and deferred tax follows from the measurement of other assets and liabilities. Therefore, the above adjustments to recognised assets and liabilities affect non-controlling interests and deferred tax.

C5 The exemption for past business combinations also applies to past acquisitions of investments in associates, interests in joint ventures and interests in joint operations in which the activity of the joint operation constitutes a business, as defined in Ind AS 103. Furthermore, the date selected for paragraph C1 applies equally for all such acquisitions.

Appendix D

Exemptions from other Ind ASs

This appendix is an integral part of this Ind AS.

- D1 An entity may elect to use one or more of the following exemptions:
- (a) share-based payment transactions (paragraphs D2 and D3);
 - (b) insurance contracts (paragraph D4);
 - (c) deemed cost (paragraphs D5–D8B);
 - (d) leases (paragraphs D9 and D9AA);
 - (e) [Refer to Appendix 1]

- (f) cumulative translation differences (paragraphs D12 and D13);
- (g) investments in subsidiaries, joint ventures and associates (paragraphs D14 and D15);
- (h) assets and liabilities of subsidiaries, associates and joint ventures (paragraphs D16 and D17);
- (i) compound financial instruments (paragraph D18);
- (j) designation of previously recognised financial instruments (paragraphs D19–D19C);
- (k) fair value measurement of financial assets or financial liabilities at initial recognition (paragraph D20);
- (l) decommissioning liabilities included in the cost of property, plant and equipment (paragraphs D21 and D21A);
- (m) financial assets or intangible assets accounted for in accordance with Appendix C to Ind AS 115 Service Concession Arrangements (paragraph D22);
- (n) borrowing costs (paragraph D23);
- (o) [Refer to Appendix 1];
- (p) extinguishing financial liabilities with equity instruments (paragraph D25);
- (q) severe hyperinflation (paragraphs D26–D30);
- (r) joint arrangements (paragraph D31–D31AL);
- (s) stripping costs in the production phase of a surface mine (paragraph D32);
- (t) designation of contracts to buy or sell a non-financial item (paragraph D33);
- (u) revenue from contracts with customers (paragraph D34 - D35); and
- (v) non-current assets held for sale and discontinued operations (paragraph D35AA).

An entity shall not apply these exemptions by analogy to other items.

Share-based payment transactions

- D2 A first-time adopter is encouraged, but not required, to apply Ind AS 102 *Share-based payment* to equity instruments that vested before date of transition to Ind ASs. However, if a first-time adopter elects to apply Ind AS 102 to such equity instruments, it may do so only if the entity has disclosed publicly the fair value of those equity instruments, determined at the measurement date, as defined in Ind AS 102. For all grants of equity instruments to which Ind AS 102 has not been applied (eg, equity instruments vested but not settled before date of transition to Ind ASs, a first-time adopter shall nevertheless disclose the information required by paragraphs 44 and 45 of Ind AS 102. If a first-time adopter modifies the terms or conditions of a grant of equity instruments to which Ind AS 102 has not been applied, the entity is not required to apply paragraphs 26–29 of Ind AS 102 if the modification occurred before the date of transition to Ind ASs.
- D3 A first-time adopter is encouraged, but not required, to apply Ind AS 102 to liabilities arising from share-based payment transactions that were settled before the date of transition to Ind ASs.

Insurance contracts

- D4 An entity shall apply Ind AS 104 Insurance Contracts for annual periods beginning on or after date of transition to Ind ASs. Earlier application is encouraged. If an entity applies this Ind AS 104 for an earlier period, it shall disclose that fact.

In applying paragraph 39(c)(iii), of Ind AS 104 an entity need not disclose information about claims development that occurred earlier than five years before the end of the first financial year in which it applies Ind AS 104. Furthermore, if it is impracticable, when an entity first applies Ind AS 104, to prepare information about claims development that occurred before the beginning of the earliest period for which an entity presents full comparative information that complies with this Ind AS, the entity shall disclose that fact.

When an insurer changes its accounting policies for insurance liabilities, it is permitted, but not required, to reclassify some or all of its financial assets as ‘at fair value through profit or loss’. This reclassification is permitted if an insurer changes accounting policies when it first applies Ind AS 104 and if it makes a subsequent policy change permitted by paragraph 22. The reclassification is a change in accounting policy and Ind AS 8 applies.

Deemed cost

- D5 An entity may elect to measure an item of property, plant and equipment at the date of transition to Ind ASs at its fair value and use that fair value as its deemed cost at that date.
- D6 A first-time adopter may elect to use a previous GAAP revaluation of an item of property, plant and equipment at, or before, the date of transition to Ind ASs as deemed cost at the date of the revaluation, if the revaluation was, at the date of the revaluation, broadly comparable to:
- (a) fair value; or
 - (b) cost or depreciated cost in accordance with Ind ASs, adjusted to reflect, for example, changes in a general or specific price index.
- D7 The elections in paragraphs D5 and D6 are also available for:
- (a) investment property, accounted for in accordance with the cost model in Ind AS 40, *Investment Property*; and
 - (b) intangible assets that meet:
 - (i) the recognition criteria in Ind AS 38 (including reliable measurement of original cost); and
 - (ii) the criteria in Ind AS 38 for revaluation (including the existence of an active market).
- An entity shall not use these elections for other assets or for liabilities.
- D7AA Where there is no change in its functional currency on the date of transition to Ind ASs, a first-time adopter to Ind ASs may elect to continue with the carrying value for all of its property, plant and equipment as recognised in the financial statements as at the date of transition to Ind ASs, measured as per the previous GAAP and use that as its deemed cost as at the date of transition after making necessary adjustments in accordance with paragraph D21 and D21A, of this Ind AS. For this purpose, if the financial statements are consolidated financial statements, the previous GAAP amount of the subsidiary shall be that amount used in preparing and presenting consolidated financial statements. Where a subsidiary was not consolidated under previous GAAP, the amount required to be reported by the subsidiary as per previous GAAP in its individual financial statements shall be the previous GAAP amount. If an entity avails the option under this paragraph, no further adjustments to the deemed cost of the property, plant and equipment so determined in the opening balance sheet shall be made for transition adjustments that might arise from the application of other Ind ASs. This option can also be availed for intangible assets covered by Ind AS 38, *Intangible Assets* and investment property covered by Ind AS 40, *Investment Property*.
- D8 A first-time adopter may have established a deemed cost in accordance with previous GAAP for some or all of its assets and liabilities by measuring them at their fair value at one particular date because of an event such as a privatization or initial public offering.
- (a) If the measurement date is at or before the date of transition to Ind ASs, the entity may use such event-driven fair value measurements as deemed cost for Ind ASs at the date of that measurement.
 - (b) If the measurement date is after the date of transition to Ind ASs, but during the period covered by the first Ind AS financial statements, the event-driven fair value measurements may be used as deemed cost when the event occurs. An entity shall recognise the resulting adjustments directly in retained earnings (or if appropriate, another category of equity) at the measurement date. At the date of transition to Ind ASs, the entity shall either establish the deemed cost by applying the criteria in paragraphs D5–D7 or measure assets and liabilities in accordance with the other requirements in this Ind AS.
- D8A Under some GAAP's exploration and development costs for oil and gas properties in the development or production phases are accounted for in cost centers that include all properties in a large geographical area. A first-time adopter using such accounting under previous GAAP may elect to measure oil and gas assets at the date of transition to Ind ASs on the following basis:
- (a) exploration and evaluation assets at the amount determined under the entity's previous GAAP; and
 - (b) assets in the development or production phases at the amount determined for the cost centre under the entity's previous GAAP. The entity shall allocate this amount to the cost centre's underlying assets pro rata using reserve volumes or reserve values as of that date.

The entity shall test exploration and evaluation assets and assets in the development and production phases for impairment at the date of transition to Ind ASs in accordance with Ind AS 106, *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*, or Ind AS 36 respectively and, if necessary, reduce the amount determined in accordance with (a) or (b) above. For the purposes of this paragraph, oil and gas assets comprise only those

assets used in the exploration, evaluation, development or production of oil and gas.

- D8B Some entities hold items of property, plant and equipment or intangible assets that are used, or were previously used, in operations subject to rate regulation. The carrying amount of such items might include amounts that were determined under previous GAAP but do not qualify for capitalisation in accordance with Ind ASs. If this is the case, a first-time adopter may elect to use the previous GAAP carrying amount of such an item at the date of transition to Ind ASs as deemed cost. If an entity applies this exemption to an item, it need not apply it to all items. At the date of transition to Ind ASs, an entity shall test for impairment in accordance with Ind AS 36 each item for which this exemption is used. For the purposes of this paragraph, operations are subject to rate regulation if they are governed by a framework for establishing the prices that can be charged to customers for goods or services and that framework is subject to oversight and/or approval by a rate regulator (as defined in Ind AS 114, *Regulatory Deferral Accounts*).

Leases

- D9 A first-time adopter may apply paragraphs 6-9 of the Appendix C of Ind AS 17 *Determining whether an Arrangement contains a Lease* to determine whether an arrangement existing at the date of transition to Ind ASs contains a lease on the basis of facts and circumstances existing at the date of transition to Ind AS, except where the effect is expected to be not material.
- D9A If a first-time adopter made the same determination of whether an arrangement contained a lease in accordance with previous GAAP as that required by Appendix C of Ind AS-17 but at a date other than that required by D9 above, the first-time adopter need not reassess that determination when it adopts Ind ASs. For an entity to have made the same determination of whether the arrangement contained a lease in accordance with previous GAAP, that determination would have to have given the same outcome as that resulting from applying Ind AS 17, *Leases*, and Appendix C of Ind AS 17.
- D9AA When a lease includes both land and building elements, a first time adopter may assess the classification of each element as finance or an operating lease at the date of transition to Ind ASs on the basis of the facts and circumstances existing as at that date. If there is any land lease newly classified as finance lease then the first time adopter may recognise assets and liability at fair value on that date; and any difference between those fair values is recognised in retained earnings.

- D10-D11 [Refer to Appendix 1]

Cumulative translation differences

- D12 Ind AS 21 requires an entity:
- (a) to recognise some translation differences in other comprehensive income and accumulate these in a separate component of equity; and
 - (b) on disposal of a foreign operation, to reclassify the cumulative translation difference for that foreign operation (including, if applicable, gains and losses on related hedges) from equity to profit or loss as part of the gain or loss on disposal.
- D13 However, a first-time adopter need not comply with these requirements for cumulative translation differences that existed at the date of transition to Ind ASs. If a first-time adopter uses this exemption:
- (a) the cumulative translation differences for all foreign operations are deemed to be zero at the date of transition to Ind ASs; and
 - (b) the gain or loss on a subsequent disposal of any foreign operation shall exclude translation differences that arose before the date of transition to Ind ASs and shall include later translation differences.

Long Term Foreign Currency Monetary Items

- D13AA A first-time adopter may continue the policy adopted for accounting for exchange differences arising from translation of long-term foreign currency monetary items recognised in the financial statements for the period ending immediately before the beginning of the first Ind AS financial reporting period as per the previous GAAP.

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates

- D14 When an entity prepares separate financial statements, Ind AS 27 requires it to account for its investments in subsidiaries, joint ventures and associates either:
- (a) at cost; or

- (b) in accordance with Ind AS 109.
- D15 If a first-time adopter measures such an investment at cost in accordance with Ind AS 27, it shall measure that investment at one of the following amounts in its separate opening Ind AS Balance Sheet:
- (a) cost determined in accordance with Ind AS 27; or
- (b) deemed cost. The deemed cost of such an investment shall be its:
- (i) fair value at the entity's date of transition to Ind ASs in its separate financial statements; or
- (ii) previous GAAP carrying amount at that date.
- A first-time adopter may choose either (i) or (ii) above to measure its investment in each subsidiary, joint venture or associate that it elects to measure using a deemed cost.

Assets and liabilities of subsidiaries, associates and joint ventures

- D16 If a subsidiary becomes a first-time adopter later than its parent, the subsidiary shall, in its financial statements, measure its assets and liabilities at either:
- (a) the carrying amounts that would be included in the parent's consolidated financial statements, based on the parent's date of transition to Ind ASs, if no adjustments were made for consolidation procedures and for the effects of the business combination in which the parent acquired the subsidiary (this election is not available to a subsidiary of an investment entity, as defined in Ind AS 110, that is required to be measured at fair value through profit or loss); or
- (b) the carrying amounts required by the rest of this Ind AS, based on the subsidiary's date of transition to Ind ASs. These carrying amounts could differ from those described in (a):
- (i) when the exemptions in this Ind AS result in measurements that depend on the date of transition to Ind ASs.
- (ii) when the accounting policies used in the subsidiary's financial statements differ from those in the consolidated financial statements. For example, the subsidiary may use as its accounting policy the cost model in Ind AS 16 *Property, Plant and Equipment*, whereas the group may use the revaluation model.
- A similar election is available to an associate or joint venture that becomes a first-time adopter later than an entity that has significant influence or joint control over it.
- D17 However, if an entity becomes a first-time adopter later than its subsidiary (or associate or joint venture) the entity shall, in its consolidated financial statements, measure the assets and liabilities of the subsidiary (or associate or joint venture) at the same carrying amounts as in the financial statements of the subsidiary (or associate or joint venture), after adjusting for consolidation and equity accounting adjustments and for the effects of the business combination in which the entity acquired the subsidiary. Notwithstanding this requirement, a non-investment entity parent shall not apply the exception to consolidation that is used by any investment entity subsidiaries. Similarly, if a parent becomes a first-time adopter for its separate financial statements earlier or later than for its consolidated financial statements, it shall measure its assets and liabilities at the same amounts in both financial statements, except for consolidation adjustments.

Compound financial instruments

- D18 Ind AS 32 *Financial Instruments: Presentation* requires an entity to split a compound financial instrument at inception into separate liability and equity components. If the liability component is no longer outstanding, retrospective application of Ind AS 32 involves separating two portions of equity. The first portion is in retained earnings and represents the cumulative interest accreted on the liability component. The other portion represents the original equity component. However, in accordance with this Ind AS, a first-time adopter need not separate these two portions if the liability component is no longer outstanding at the date of transition to Ind ASs.

Designation of previously recognised financial instruments

- D19 Ind AS 109 permits a financial liability (provided it meets certain criteria) to be designated as a financial liability at fair value through profit or loss. Despite this requirement an entity is permitted to designate, at the date of transition to Ind ASs, any financial liability as at fair value through profit or loss provided the liability meets the criteria in paragraph 4.2.2 of Ind AS 109 at that date.
- D19A An entity may designate a financial asset as measured at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 4.1.5 of Ind AS 109 on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of transition to Ind ASs.

- D19B An entity may designate an investment in an equity instrument as at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5 of Ind AS 109 on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of transition to Ind ASs.
- D19C For a financial liability that is designated as a financial liability at fair value through profit or loss, an entity shall determine whether the treatment in paragraph 5.7.7 of Ind AS 109 would create an accounting mismatch in profit or loss on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of transition to Ind ASs.

Fair value measurement of financial assets or financial liabilities at initial recognition

- D20 Despite the requirements of paragraphs 7 and 9 of this Ind AS, an entity may apply the requirements in paragraph B5.1.2A (b) of Ind AS 109 prospectively to transactions entered into on or after the date of transition to Ind ASs.

Decommissioning liabilities included in the cost of property, plant and equipment

- D21 Appendix 'A' to Ind AS 16 *Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities* requires specified changes in a decommissioning, restoration or similar liability to be added to or deducted from the cost of the asset to which it relates; the adjusted depreciable amount of the asset is then depreciated prospectively over its remaining useful life. A first-time adopter need not comply with these requirements for changes in such liabilities that occurred before the date of transition to Ind ASs. If a first-time adopter uses this exemption, it shall:
- measure the liability as at the date of transition to Ind ASs in accordance with Ind AS 37;
 - to the extent that the liability is within the scope of Appendix A of Ind AS 16, estimate the amount that would have been included in the cost of the related asset when the liability first arose, by discounting the liability to that date using its best estimate of the historical risk-adjusted discount rate(s) that would have applied for that liability over the intervening period; and
 - calculate the accumulated depreciation on that amount, as at the date of transition to Ind ASs, on the basis of the current estimate of the useful life of the asset, using the depreciation policy adopted by the entity in accordance with Ind ASs.
- D21A An entity that uses the exemption in paragraph D8A(b) (for oil and gas assets in the development or production phases accounted for in cost centers that include all properties in a large geographical area under previous GAAP) shall, instead of applying paragraph D21 or Appendix A of Ind AS 16:
- measure decommissioning, restoration and similar liabilities as at the date of transition to Ind ASs in accordance with Ind AS 37; and
 - recognise directly in retained earnings any difference between that amount and the carrying amount of those liabilities at the date of transition to Ind ASs determined under the entity's previous GAAP.

Financial assets or intangible assets accounted for in accordance with Appendix C, Service Concession Arrangements to Ind AS 115

- D22 A first-time adopter may apply the following provisions while applying the Appendix C to Ind AS 115:
- Subject to paragraph (ii), changes in accounting policies are accounted for in accordance with Ind AS 8, i.e. retrospectively, except for the policy adopted for amortization of intangible assets arising from service concession arrangements related to toll roads recognised in the financial statements for the period ending immediately before the beginning of the first Ind AS financial reporting period as per the previous GAAP..
 - If, for any particular service arrangement, it is impracticable for an operator to apply this Appendix retrospectively at the date of transition to Ind ASs, it shall:
 - recognise financial assets and intangible assets that existed at the date of transition to Ind ASs;
 - use the previous carrying amounts of those financial and intangible assets (however previously classified) as their carrying amounts as at that date; and
 - test financial and intangible assets recognised at that date for impairment, unless this is not practicable, in which case the amounts shall be tested for impairment as at the start of the current period.
 - There are two aspects to retrospective determination: reclassification and remeasurement. It will usually be practicable to determine retrospectively the appropriate classification of all amounts previously

included in an operator's Balance Sheet, but that retrospective remeasurement of service arrangement assets might not always be practicable. However, the fact should be disclosed.

Borrowing costs

D23 [Refer to Appendix 1]

D24 [Refer to Appendix 1]

Extinguishing financial liabilities with equity instruments

D25 A first-time adopter may apply the Appendix E of Ind AS 109 *Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments* from the date of transition to Ind ASs.

Severe hyperinflation

D26 If an entity has a functional currency that was, or is, the currency of a hyperinflationary economy, it shall determine whether it was subject to severe hyperinflation before the date of transition to Ind ASs. This applies to entities that are adopting Ind ASs for the first time, as well as entities that have previously applied Ind ASs.

D27 The currency of a hyperinflationary economy is subject to severe hyperinflation if it has both of the following characteristics:

- (a) a reliable general price index is not available to all entities with transactions and balances in the currency.
- (b) exchangeability between the currency and a relatively stable foreign currency does not exist.

D28 The functional currency of an entity ceases to be subject to severe hyperinflation on the functional currency normalisation date. That is the date when the functional currency no longer has either, or both, of the characteristics in paragraph D27, or when there is a change in the entity's functional currency to a currency that is not subject to severe hyperinflation.

D29 When an entity's date of transition to Ind ASs is on, or after, the functional currency normalisation date, the entity may elect to measure all assets and liabilities held before the functional currency normalisation date at fair value on the date of transition to Ind ASs. The entity may use that fair value as the deemed cost of those assets and liabilities in the opening Ind AS Balance Sheet.

D30 When the functional currency normalisation date falls within a 12-month comparative period, the comparative period may be less than 12 months, provided that a complete set of financial statements (as required by paragraph 10 of Ind AS 1) is provided for that shorter period.

Joint arrangements

D31 [Refer to Appendix 1]

Joint ventures - transition from proportionate consolidation to the equity method

D31AA When changing from proportionate consolidation to the equity method, an entity shall recognise its investment in the joint venture at transition date to Ind ASs. That initial investment shall be measured as the aggregate of the carrying amounts of the assets and liabilities that the entity had previously proportionately consolidated, including any goodwill arising from acquisition. If the goodwill previously belonged to a larger cash-generating unit, or to a group of cash-generating units, the entity shall allocate goodwill to the joint venture on the basis of the relative carrying amounts of the joint venture and the cash-generating unit or group of cash-generating units to which it belonged.

D31AB The balance of the investment in joint venture at the date of transition to Ind ASs, determined in accordance with paragraph D31AA above is regarded as the deemed cost of the investment at initial recognition.

D31AC A first-time adopter shall test investment in joint venture for impairment in accordance with Ind AS 36 at the date of transition to Ind ASs, regardless of whether there is any indication that the investment may be impaired. Any resulting impairment shall be recognised as an adjustment to retained earnings at the date of transition to Ind ASs. The initial recognition exception in paragraphs 15 and 24 of Ind AS 12 Income Taxes does not apply when the entity recognises an investment in a joint venture resulting from applying the transition requirements for joint ventures that had previously been proportionately consolidated.

D31AD If aggregating all previously proportionately consolidated assets and liabilities results in negative net assets, an entity shall assess whether it has legal or constructive obligations in relation to the negative net assets and, if so, the entity shall recognise the corresponding liability. If the entity concludes that it does not have legal or constructive obligations in relation to the negative net assets, it shall not recognise the

corresponding liability but it shall adjust retained earnings at the date of transition to Ind ASs. The entity shall disclose this fact, along with its cumulative unrecognised share of losses of its joint ventures at the date of transition to Ind ASs.

D31AE An entity shall disclose a breakdown of the assets and liabilities that have been aggregated into the single line investment balance at the date of transition to Ind ASs. That disclosure shall be prepared in an aggregated manner for all joint ventures at the date of transition to Ind ASs.

D31AF After initial recognition at the date of transition to Ind ASs, an entity shall account for its investment in the joint venture using the equity method in accordance with Ind AS 28.

Joint operations—transition from the equity method to accounting for assets and liabilities

D31AG When changing from the equity method to accounting for assets and liabilities in respect of its interest in a joint operation, an entity shall, at the date of transition to Ind ASs, derecognise the investment that was previously accounted for using the equity method and any other items that formed part of the entity's net investment in the arrangement in accordance with paragraph 38 of Ind AS 28 and recognise its share of each of the assets and the liabilities in respect of its interest in the joint operation, including any goodwill that might have formed part of the carrying amount of the investment.

D31AH An entity shall determine its interest in the assets and liabilities relating to the joint operation on the basis of its rights and obligations in a specified proportion in accordance with the contractual arrangement. An entity measures the initial carrying amounts of the assets and liabilities by disaggregating them from the carrying amount of the investment at the date of transition to Ind ASs on the basis of the information used by the entity in applying the equity method.

D31AI Any difference arising from the investment previously accounted for using the equity method together with any other items that formed part of the entity's net investment in the arrangement in accordance with paragraph 38 of Ind AS 28, and the net amount of the assets and liabilities, including any goodwill, recognised shall be:

- a. offset against any goodwill relating to the investment with any remaining difference adjusted against retained earnings at the date of transition to Ind ASs, if the net amount of the assets and liabilities, including any goodwill, recognised is higher than the investment (and any other items that formed part of the entity's net investment) derecognised.
- b. adjusted against retained earnings at the date of transition to Ind ASs, if the net amount of the assets and liabilities, including any goodwill, recognised is lower than the investment (and any other items that formed part of the entity's net investment) derecognised.

D31AJ An entity changing from the equity method to accounting for assets and liabilities shall provide a reconciliation between the investment derecognised, and the assets and liabilities recognised, together with any remaining difference adjusted against retained earnings, at the date of transition to Ind ASs.

D31AK The initial recognition exception in paragraphs 15 and 24 of Ind AS 12 does not apply when the entity recognises assets and liabilities relating to its interest in a joint operation.

Transition provisions in an entity's separate financial statements

D31AL An entity that, in accordance with paragraph 10 of Ind AS 27, was previously accounting in its separate financial statements for its interest in a joint operation as an investment at cost or in accordance with Ind AS 109 shall:

- a. derecognise the investment and recognise the assets and the liabilities in respect of its interest in the joint operation at the amounts determined in accordance with paragraphs D31AG–D31AI.
- b. provide a reconciliation between the investment derecognised, and the assets and liabilities recognised, together with any remaining difference adjusted in retained earnings, at the date of transition to Ind ASs.

Stripping costs in the production phase of a surface mine

D32 A first-time adopter may apply the Appendix B of Ind AS 16 *Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine* from the date of transition to Ind ASs. As at transition date to Ind ASs, any previously recognised asset balance that resulted from stripping activity undertaken during the production phase ('predecessor stripping asset') shall be reclassified as a part of an existing asset to which the stripping activity related, to the extent that there remains an identifiable component of the ore body with which the predecessor stripping asset can be associated. Such balances shall be depreciated or amortised over the remaining

expected useful life of the identified component of the ore body to which each predecessor stripping asset balance relates. If there is no identifiable component of the ore body to which that predecessor stripping asset relates, it shall be recognised in opening retained earnings at the transition date to Ind ASs.

Designation of contracts to buy or sell a non-financial item

- D33 Ind AS 109 permits some contracts to buy or sell a non-financial item to be designated at inception as measured at fair value through profit or loss (see paragraph 2.5 of Ind AS 109). Despite this requirement an entity is permitted to designate, at the date of transition to Ind ASs, contracts that already exist on that date as measured at fair value through profit or loss but only if they meet the requirements of paragraph 2.5 of Ind AS 109 at that date and the entity designates all similar contracts.

Revenue from contracts with customers

- D34 A first-time adopter may use one or more of the following practical expedients when applying Ind AS 115 retrospectively:

- (a) for completed contracts, an entity need not restate contracts that begin and end within the same annual reporting period;
- (b) for completed contracts that have variable consideration, an entity may use the transaction price at the date the contract was completed rather than estimating variable consideration amounts in the comparative reporting periods; and
- (c) for all reporting periods presented before the beginning of the first Ind AS reporting period, an entity need not disclose the amount of the transaction price allocated to the remaining performance obligations and an explanation of when the entity expects to recognise that amount as revenue.

- D34AA For any of the practical expedients in paragraph D34 that an entity uses, the entity shall apply that expedient consistently to all contracts within all reporting periods presented. In addition, the entity shall disclose all of the following information:

- (a) the expedients that have been used; and
- (b) to the extent reasonably possible, a qualitative assessment of the estimated effect of applying each of those expedients.

- D35 A first-time adopter is not required to restate contracts that were completed before the earliest period presented. A completed contract is a contract for which the entity has transferred all of the goods or services identified in accordance with previous GAAP.

Non-current assets held for sale and discontinued operations

- D35AA Ind AS 105 requires non-current assets (or disposal groups) that meet the criteria to be classified as held for sale, non-current assets (or disposal groups) that are held for distribution to owners and operations that meet the criteria to be classified as discontinued and carried at lower of its carrying amount and fair value less cost to sell on the initial date of such identification. A first time adopter can:

- (a) measure such assets or operations at the lower of carrying value and fair value less cost to sell at the date of transition to Ind ASs in accordance with Ind AS 105; and
- (b) recognise directly in retained earnings any difference between that amount and the carrying amount of those assets at the date of transition to Ind ASs determined under the entity's previous GAAP.

Appendix E

Short-term exemptions from Ind ASs

[Refer to Appendix 1]

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Ind AS 101, First-time Adoption of Indian Accounting Standards. The purpose of this Appendix is only to highlight major differences between Ind AS 101 and corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards.

Major differences between Indian Accounting Standard (Ind AS) 101 First-time Adoption of Indian Accounting Standards and IFRS 1

1. Paragraph 3 of Ind AS 101 specifies that an entity's first Ind AS financial statements are the first annual financial statements in which the entity adopts Ind ASs in accordance with Ind ASs notified under the Companies Act, 2013 whereas IFRS 1 provides various examples of first IFRS financial statements.

2. Paragraph 4, 4A, 4B, 23A and 23B of IFRS 1 provide various examples of instances when an entity does not apply this IFRS. Ind AS 101 does not provide the same. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 1, the paragraph number is retained in Ind AS 101.
3. IFRS 1 defines previous GAAP as the basis of accounting that a first-time adopter used immediately before adopting IFRS. However, Ind AS 101 defines previous GAAP as the basis of accounting that a first-time adopter used for its reporting requirement in India immediately before adopting Ind AS.
The change makes it mandatory for Indian entities to consider the financial statements prepared in accordance with existing notified Indian accounting standards as was applicable to them as previous GAAP when it transitions to Ind ASs.
4. Under IFRS 1, para C4(c) requires, the first-time adopter shall exclude from its opening Ind AS Balance Sheet any item recognised in accordance with previous GAAP that does not qualify for recognition as an asset or liability under Ind ASs. The first-time adopter shall account for the resulting change in the retained earnings as at the transition date except in certain specific instances where it requires adjustment in the goodwill. In such specific instances where IFRS 1 allows adjustment in the goodwill, under Ind AS 101 it can be adjusted with the Capital reserve to the extent such adjustment amount does not exceed the balance available in Capital reserve.
5. Ind AS 101 in addition to exemptions provided under IFRS 1, also provides certain optional exemptions relating to the long-term foreign currency monetary items and service concession arrangements relating to toll roads. Accordingly, paragraphs 6 and D22 have been modified. Further a heading and paragraph D13AA have been added after paragraph D13.
6. Certain IFRS 1 exceptions to the retrospective application of other IFRS refer to transitional provisions of other IFRSs. However Ind ASs does not provide transitional provisions, accordingly transitional provisions in other IFRSs have been incorporated in the paragraphs B8A, B8B, B8D, B8E, B8EA and B8EB of Ind AS 101.
7. Certain exemptions in Appendix D of IFRS 1 refer to transitional provisions of other IFRSs. However Ind ASs do not provide transitional provisions, accordingly wherever considered an appropriate transitional provision in other IFRSs has been incorporated in the respective exemptions in Appendix D of Ind AS 101. The following paragraphs in IFRS 1 provide the transitional provisions of other IFRSs which are included in Ind AS 101:
 - (i) Paragraph D4 includes the transitional provisions of IFRS 4 *Insurance Contracts*;
 - (ii) Paragraph D9 includes the transitional provisions of IFRIC 4 *Determining whether an Arrangement contains a Lease*;
 - (iii) Paragraph D22 includes the transitional provisions of IFRIC 12 *Service Concession Arrangements*;
 - (iv) Paragraph D25 includes the transitional provisions of IFRIC 19 *Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments*;
 - (v) Paragraph D31 includes the transitional provisions of IFRS 11 *Joint Arrangements*;
 - (vi) Paragraph D32 includes the transitional provisions of IFRIC 20 *Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine*; and
 - (vii) Paragraph D34 and D35 includes the transitional provisions of IFRS 15 *Revenue from contracts customer*.
8. IFRS 1 provides for various optional exemptions that an entity can seek while an entity transitions to IFRS from its previous GAAP. Similar provisions have been retained under Ind AS 101. However, there are few changes that have been made, which can be broadly categorized as follows:
 - (a) *Elimination of effective dates prior to transition date to Ind ASs. IFRS 1 provides for various dates from which a standard could have been implemented. For example,*
Paragraph D2 of IFRS 1 provides that an entity is encouraged, but not required, to apply IFRS 2 *Share-based Payment* to equity instruments that were granted on or before 7 November 2002 or to instruments that were granted after 7 November 2002 and vested before the later of (a) the date of transition to IFRSs and (b) 1 January 2005. However, for Ind AS 101 purposes, all these dates have been changed to coincide with the transition date elected by the entity adopting these converged standards i.e. Ind AS.
 - (b) *Deletion of borrowing cost exemptions not relevant for India:*
Paragraph D23 of IFRS 1 provides for transitional adjustment requiring companies to apply the provisions of IAS 23 prospectively after the transition date to IFRS. However, this was considered as not relevant in Indian situation as AS 16 always required an entity to capitalize borrowing costs as compared to IAS 23 where it provided an option to expense out such borrowing cost.

(c) *Inclusion/modification of existing exemptions to make it relevant for India. For example,*

1. Paragraph D7AA has been added to provide for transitional relief from the retrospective application of Ind AS 16: *Property, Plant and Equipment*. Paragraph D7AA, provides an entity option to use carrying values of all such assets as on the date of transition to Ind ASs, in accordance with previous GAAP as an acceptable starting point under Ind AS. Paragraph 27AA has been included in Ind AS 101 which requires the disclosure that if an entity adopts for first time exemption the option provided in accordance with paragraph D7AA, the fact and the accounting policy shall be disclosed by the entity until such time that those items of property, plant and equipment, investment properties or intangible assets, as the case maybe, are significantly depreciated, impaired or derecognised from the entity's Balance Sheet.
2. Paragraph D9AA has been added to provide for transitional relief while applying Ind AS 17: *Leases*. D9AA provides an entity to use the transition date facts and circumstances for lease arrangements which includes both land and building elements to assess the classification of each element as finance or an operating lease at the transition date to Ind ASs. Also, if there is any land lease newly classified as finance lease then the first time adopter may recognise assets and liability at fair value on that date; any difference between those fair values is recognised in retained earnings.
3. Paragraph D35AA has been added to provide for transitional relief while applying Ind AS 105 - *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*. Paragraph D35AA provides an entity to use the transitional date circumstances to measure such assets or operations at the lower of carrying value and fair value less cost to sell.
9. Appendix E of IFRS 1 on 'Short-term exemptions from IFRSs', however Ind AS 101 does not provide the above said short-term exemption. In order to maintain consistency with Appendix numbers of IFRS 1, the Appendix E is retained in Ind AS 101.
10. IFRS 9 *Financial Instruments* and IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers* are effective from annual period beginning on or after January 1, 2018 and January 1, 2017, respectively. As the above said standards are not yet effective consequential amendments due to these standards have not been incorporated in current version of IFRS 1. However, corresponding Ind AS 109 *Financial Instruments* and Ind AS 115 *Revenue from Contracts with Customer* have been issued with consequential amendments in other IFRS including IFRS 1. Accordingly, there consequential amendments Ind AS 109 and Ind AS 115 have been incorporated in Ind AS 101.
11. Different terminology is used in Ind AS 101, e.g., the term 'Balance Sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.
12. Following paragraph numbers appear as 'deleted' in IFRS 1. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 1, the paragraph numbers are retained in Ind AS 101:
 - (i) Paragraph 19
 - (ii) Paragraph D1(e)
 - (iii) Paragraph D1(o)
 - (iv) Paragraph D10-11
 - (v) Paragraph D 24
 - (vi) Paragraph D 31

Indian Accounting Standard (Ind AS) 102

Share-based Payment

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.).

Objective

1. The objective of this Standard is to specify the financial reporting by an entity when it undertakes a *share-based payment transaction*. In particular, it requires an entity to reflect in its profit or loss and financial position the effects of share-based payment transactions, including expenses associated with transactions in which *share options* are granted to employees.

Scope

2. An entity shall apply this Standard in accounting for all share-based payment transactions, whether or not the

entity can identify specifically some or all of the goods or services received, including:

- (a) *equity-settled share-based payment transactions*,
- (b) *cash-settled share-based payment transactions*, and
- (c) transactions in which the entity receives or acquires goods or services and the terms of the arrangement provide either the entity or the supplier of those goods or services with a choice of whether the entity settles the transaction in cash (or other assets) or by issuing equity instruments,

except as noted in paragraphs 3A–6. In the absence of specifically identifiable goods or services, other circumstances may indicate that goods or services have been (or will be) received, in which case this Standard applies.

3. [Refer Appendix 1]

3A A share-based payment transaction may be settled by another group entity (or a shareholder of any group entity) on behalf of the entity receiving or acquiring the goods or services. Paragraph 2 also applies to an entity that,

- (a) receives goods or services when another entity in the same group (or a shareholder of any group entity) has the obligation to settle the share-based payment transaction, or
- (b) has an obligation to settle a share-based payment transaction when another entity in the same group receives the goods or services,

unless the transaction is clearly for a purpose other than payment for goods or services supplied to the entity receiving them.

4 For the purposes of this Standard, a transaction with an employee (or other party) in his/her capacity as a holder of equity instruments of the entity is not a share-based payment transaction. For example, if an entity grants all holders of a particular class of its equity instruments the right to acquire additional equity instruments of the entity at a price that is less than the fair value of those equity instruments, and an employee receives such a right because he/she is a holder of equity instruments of that particular class, the granting or exercise of that right is not subject to the requirements of this Standard.

5 As noted in paragraph 2, this Standard applies to share-based payment transactions in which an entity acquires or receives goods or services. Goods includes inventories, consumables, property, plant and equipment, intangible assets and other non-financial assets. However, an entity shall not apply this Standard to transactions in which the entity acquires goods as part of the net assets acquired in a business combination as defined by Ind AS 103, *Business Combinations*, in a combination of entities or businesses under common control as described in Appendix C of Ind AS 103, or the contribution of a business on the formation of a joint venture as defined by Ind AS 111, *Joint Arrangements*. Hence, equity instruments issued in a business combination in exchange for control of the acquiree are not within the scope of this Standard. However, equity instruments granted to employees of the acquiree in their capacity as employees (eg in return for continued service) are within the scope of this Standard. Similarly, the cancellation, replacement or other modification of *share-based payment arrangements* because of a business combination or other equity restructurings shall be accounted for in accordance with this Standard. Ind AS 103 provides guidance on determining whether equity instruments issued in a business combination are part of the consideration transferred in exchange for control of the acquiree (and therefore within the scope of Ind AS 103) or are in return for continued service to be recognised in the post-combination period (and therefore within the scope of this Standard).

6 This Standard does not apply to share-based payment transactions in which the entity receives or acquires goods or services under a contract within the scope of paragraphs 8–10 of Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*, or paragraphs 2.4–2.7 of Ind AS 109, *Financial Instruments*.

6A This Standard uses the term ‘fair value’ in a way that differs in some respects from the definition of fair value in Ind AS 113, *Fair Value Measurement*. Therefore, when applying Ind AS 102 an entity measures fair value in accordance with this Standard, not Ind AS 113.

Recognition

7 **An entity shall recognise the goods or services received or acquired in a share-based payment transaction when it obtains the goods or as the services are received. The entity shall recognise a corresponding increase in equity if the goods or services were received in an equity-settled share-based payment transaction, or a liability if the goods or services were acquired in a cash-settled share-based payment transaction.**

8 **When the goods or services received or acquired in a share-based payment transaction do not qualify**

for recognition as assets, they shall be recognised as expenses.

- 9 Typically, an expense arises from the consumption of goods or services. For example, services are typically consumed immediately, in which case an expense is recognised as the counterparty renders service. Goods might be consumed over a period of time or, in the case of inventories, sold at a later date, in which case an expense is recognised when the goods are consumed or sold. However, sometimes it is necessary to recognise an expense before the goods or services are consumed or sold, because they do not qualify for recognition as assets. For example, an entity might acquire goods as part of the research phase of a project to develop a new product. Although those goods have not been consumed, they might not qualify for recognition as assets under the applicable Ind AS.

Equity-settled share-based payment transactions

Overview

- 10 **For equity-settled share-based payment transactions, the entity shall measure the goods or services received, and the corresponding increase in equity, directly, at the fair value of the goods or services received, unless that fair value cannot be estimated reliably. If the entity cannot estimate reliably the fair value of the goods or services received, the entity shall measure their value, and the corresponding increase in equity, indirectly, by reference to² the fair value of the equity instruments granted.**
- 11 To apply the requirements of paragraph 10 to transactions with *employees and others providing similar services*,³ the entity shall measure the fair value of the services received by reference to the fair value of the equity instruments granted, because typically it is not possible to estimate reliably the fair value of the services received, as explained in paragraph 12. The fair value of those equity instruments shall be measured at *grant date*.
- 12 Typically, shares, share options or other equity instruments are granted to employees as part of their remuneration package, in addition to a cash salary and other employment benefits. Usually, it is not possible to measure directly the services received for particular components of the employee's remuneration package. It might also not be possible to measure the fair value of the total remuneration package independently, without measuring directly the fair value of the equity instruments granted. Furthermore, shares or share options are sometimes granted as part of a bonus arrangement, rather than as a part of basic remuneration, e.g. as an incentive to the employees to remain in the entity's employment or to reward them for their efforts in improving the entity's performance. By granting shares or share options, in addition to other remuneration, the entity is paying additional remuneration to obtain additional benefits. Estimating the fair value of those additional benefits is likely to be difficult. Because of the difficulty of measuring directly the fair value of the services received, the entity shall measure the fair value of the employee services received by reference to the fair value of the equity instruments granted.
- 13 To apply the requirements of paragraph 10 to transactions with parties other than employees, there shall be a rebuttable presumption that the fair value of the goods or services received can be estimated reliably. That fair value shall be measured at the date the entity obtains the goods or the counterparty renders service. In rare cases, if the entity rebuts this presumption because it cannot estimate reliably the fair value of the goods or services received, the entity shall measure the goods or services received, and the corresponding increase in equity, indirectly, by reference to the fair value of the equity instruments granted, measured at the date the entity obtains the goods or the counterparty renders service.
- 13A In particular, if the identifiable consideration received (if any) by the entity appears to be less than the fair value of the equity instruments granted or liability incurred, typically this situation indicates that other consideration (ie unidentifiable goods or services) has been (or will be) received by the entity. The entity shall measure the identifiable goods or services received in accordance with this Standard. The entity shall measure the unidentifiable goods or services received (or to be received) as the difference between the fair value of the share-based payment and the fair value of any identifiable goods or services received (or to be received). The entity shall measure the unidentifiable goods or services received at the grant date. However, for cash-settled transactions, the liability shall be remeasured at the end of each reporting period until it is settled in accordance with paragraphs 30–33.

² This Standard uses the phrase 'by reference to' rather than 'at', because the transaction is ultimately measured by multiplying the fair value of the equity instruments granted, measured at the date specified in paragraph 11 or 13 (whichever is applicable), by the number of equity instruments that vest, as explained in paragraph 19.

³ In the remainder of this Standard, all references to employees also include others providing similar services.

Transactions in which services are received

- 14 If the equity instruments granted *vest* immediately, the counterparty is not required to complete a specified period of service before becoming unconditionally entitled to those equity instruments. In the absence of evidence to the contrary, the entity shall presume that services rendered by the counterparty as consideration for the equity instruments have been received. In this case, on grant date the entity shall recognise the services received in full, with a corresponding increase in equity.
- 15 If the equity instruments granted do not vest until the counterparty completes a specified period of service, the entity shall presume that the services to be rendered by the counterparty as consideration for those equity instruments will be received in the future, during the *vesting period*. The entity shall account for those services as they are rendered by the counterparty during the vesting period, with a corresponding increase in equity. For example:
- (a) if an employee is granted share options conditional upon completing three years' service, then the entity shall presume that the services to be rendered by the employee as consideration for the share options will be received in the future, over that three-year vesting period.
 - (b) if an employee is granted share options conditional upon the achievement of a *performance condition* and remaining in the entity's employment until that performance condition is satisfied, and the length of the vesting period varies depending on when that performance condition is satisfied, the entity shall presume that the services to be rendered by the employee as consideration for the share options will be received in the future, over the expected vesting period. The entity shall estimate the length of the expected vesting period at grant date, based on the most likely outcome of the performance condition. If the performance condition is a *market condition*, the estimate of the length of the expected vesting period shall be consistent with the assumptions used in estimating the fair value of the options granted, and shall not be subsequently revised. If the performance condition is not a market condition, the entity shall revise its estimate of the length of the vesting period, if necessary, if subsequent information indicates that the length of the vesting period differs from previous estimates.

Transactions measured by reference to the fair value of the equity instruments granted**Determining the fair value of equity instruments granted**

- 16 For transactions measured by reference to the fair value of the equity instruments granted, an entity shall measure the fair value of equity instruments granted at the *measurement date*, based on market prices if available, taking into account the terms and conditions upon which those equity instruments were granted (subject to the requirements of paragraphs 19–22).
- 17 If market prices are not available, the entity shall estimate the fair value of the equity instruments granted using a valuation technique to estimate what the price of those equity instruments would have been on the measurement date in an arm's length transaction between knowledgeable, willing parties. The valuation technique shall be consistent with generally accepted valuation methodologies for pricing financial instruments, and shall incorporate all factors and assumptions that knowledgeable, willing market participants would consider in setting the price (subject to the requirements of paragraphs 19–22).
- 18 Appendix B contains further guidance on the measurement of the fair value of shares and share options, focusing on the specific terms and conditions that are common features of a grant of shares or share options to employees.

Treatment of vesting conditions

- 19 A grant of equity instruments might be conditional upon satisfying specified vesting conditions. For example, a grant of shares or share options to an employee is typically conditional on the employee remaining in the entity's employment for a specified period of time. There might be performance conditions that must be satisfied, such as the entity achieving a specified growth in profit or a specified increase in the entity's share price. Vesting conditions, other than market conditions, shall not be taken into account when estimating the fair value of the shares or share options at the measurement date. Instead, vesting conditions shall be taken into account by adjusting the number of equity instruments included in the measurement of the transaction amount so that, ultimately, the amount recognised for goods or services received as consideration for the equity instruments granted shall be based on the number of equity instruments that eventually vest. Hence, on a cumulative basis, no amount is recognised for goods or services received if the equity instruments granted do not vest because of failure to satisfy a *vesting condition*, eg. the counterparty fails to complete a specified service period, or a performance condition is not satisfied, subject to the requirements of paragraph 21.

20 To apply the requirements of paragraph 19, the entity shall recognise an amount for the goods or services received during the vesting period based on the best available estimate of the number of equity instruments expected to vest and shall revise that estimate, if necessary, if subsequent information indicates that the number of equity instruments expected to vest differs from previous estimates. On vesting date, the entity shall revise the estimate to equal the number of equity instruments that ultimately vested, subject to the requirements of paragraph 21.

21 Market conditions, such as a target share price upon which vesting (or exercisability) is conditioned, shall be taken into account when estimating the fair value of the equity instruments granted. Therefore, for grants of equity instruments with market conditions, the entity shall recognise the goods or services received from a counterparty who satisfies all other vesting conditions (eg. services received from an employee who remains in service for the specified period of service), irrespective of whether that market condition is satisfied.

Treatment of non-vesting conditions

21A Similarly, an entity shall take into account all non-vesting conditions when estimating the fair value of the equity instruments granted. Therefore, for grants of equity instruments with non-vesting conditions, the entity shall recognise the goods or services received from a counterparty that satisfies all vesting conditions that are not market conditions (eg services received from an employee who remains in service for the specified period of service), irrespective of whether those non-vesting conditions are satisfied.

Treatment of a reload feature

22 For options with a *reload feature*, the reload feature shall not be taken into account when estimating the fair value of options granted at the measurement date. Instead, a *reload option* shall be accounted for as a new option grant, if and when a reload option is subsequently granted.

After vesting date

23 Having recognised the goods or services received in accordance with paragraphs 10–22, and a corresponding increase in equity, the entity shall make no subsequent adjustment to total equity after vesting date. For example, the entity shall not subsequently reverse the amount recognised for services received from an employee if the vested equity instruments are later forfeited or, in the case of share options, the options are not exercised. However, this requirement does not preclude the entity from recognising a transfer within equity, ie a transfer from one component of equity to another.

If the fair value of the equity instruments cannot be estimated reliably⁴

24 The requirements in paragraphs 16–23 apply when the entity is required to measure a share-based payment transaction by reference to the fair value of the equity instruments granted. In rare cases, the entity may be unable to estimate reliably the fair value of the equity instruments granted at the measurement date, in accordance with the requirements in paragraphs 16–22. In these rare cases only, the entity shall instead:

- (a) measure the equity instruments at their *intrinsic value*, initially at the date the entity obtains the goods or the counterparty renders service and subsequently at the end of each reporting period and at the date of final settlement, with any change in intrinsic value recognised in profit or loss. For a grant of share options, the share-based payment arrangement is finally settled when the options are exercised, are forfeited (eg. upon cessation of employment) or lapse (eg. at the end of the option's life).
- (b) recognise the goods or services received based on the number of equity instruments that ultimately vest or (where applicable) are ultimately exercised. To apply this requirement to share options, for example, the entity shall recognise the goods or services received during the vesting period, if any, in accordance with paragraphs 14 and 15, except that the requirements in paragraph 15(b) concerning a market condition do not apply. The amount recognised for goods or services received during the vesting period shall be based on the number of share options expected to vest. The entity shall revise that estimate, if necessary, if subsequent information indicates that the number of share options expected to vest differs from previous estimates. On vesting date, the entity shall revise the estimate to equal the number of equity instruments that ultimately vested. After vesting date, the entity shall reverse the amount recognised for goods or services received if the share options are later forfeited, or lapse at the end of the share option's life.

25 If an entity applies paragraph 24, it is not necessary to apply paragraphs 26–29, because any modifications to

⁴ For example, in case of share options granted to employees, the credit given to an appropriate equity account, say, 'share options outstanding account' (upon receiving the services) may be transferred to another appropriate equity account, say, 'General Reserves' when the options are not exercised.

the terms and conditions on which the equity instruments were granted will be taken into account when applying the intrinsic value method set out in paragraph 24. However, if an entity settles a grant of equity instruments to which paragraph 24 has been applied:

- (a) if the settlement occurs during the vesting period, the entity shall account for the settlement as an acceleration of vesting, and shall therefore recognise immediately the amount that would otherwise have been recognised for services received over the remainder of the vesting period.
- (b) any payment made on settlement shall be accounted for as the repurchase of equity instruments, ie.as a deduction from equity, except to the extent that the payment exceeds the intrinsic value of the equity instruments, measured at the repurchase date. Any such excess shall be recognised as an expense.

Modifications to the terms and conditions on which equity instruments were granted, including cancellations and settlements

- 26 An entity might modify the terms and conditions on which the equity instruments were granted. For example, it might reduce the exercise price of options granted to employees (ie. reprice the options), which increases the fair value of those options. The requirements in paragraphs 27–29 to account for the effects of modifications are expressed in the context of share-based payment transactions with employees. However, the requirements shall also be applied to share-based payment transactions with parties other than employees that are measured by reference to the fair value of the equity instruments granted. In the latter case, any references in paragraphs 27–29 to grant date shall instead refer to the date the entity obtains the goods or the counterparty renders service.
- 27 The entity shall recognise, as a minimum, the services received measured at the grant date fair value of the equity instruments granted, unless those equity instruments do not vest because of failure to satisfy a vesting condition (other than a market condition) that was specified at grant date. This applies irrespective of any modifications to the terms and conditions on which the equity instruments were granted, or a cancellation or settlement of that grant of equity instruments. In addition, the entity shall recognise the effects of modifications that increase the total fair value of the share-based payment arrangement or are otherwise beneficial to the employee. Guidance on applying this requirement is given in Appendix B.
- 28 If a grant of equity instruments is cancelled or settled during the vesting period (other than a grant cancelled by forfeiture when the vesting conditions are not satisfied):
 - (a) the entity shall account for the cancellation or settlement as an acceleration of vesting, and shall therefore recognise immediately the amount that otherwise would have been recognised for services received over the remainder of the vesting period.
 - (b) any payment made to the employee on the cancellation or settlement of the grant shall be accounted for as the repurchase of an equity interest, ie.as a deduction from equity, except to the extent that the payment exceeds the fair value of the equity instruments granted, measured at the repurchase date. Any such excess shall be recognised as an expense. However, if the share-based payment arrangement included liability components, the entity shall remeasure the fair value of the liability at the date of cancellation or settlement. Any payment made to settle the liability component shall be accounted for as an extinguishment of the liability.
 - (c) if new equity instruments are granted to the employee and, on the date when those new equity instruments are granted, the entity identifies the new equity instruments granted as replacement equity instruments for the cancelled equity instruments, the entity shall account for the granting of replacement equity instruments in the same way as a modification of the original grant of equity instruments, in accordance with paragraph 27 and the guidance in Appendix B. The incremental fair value granted is the difference between the fair value of the replacement equity instruments and the net fair value of the cancelled equity instruments, at the date the replacement equity instruments are granted. The net fair value of the cancelled equity instruments is their fair value, immediately before the cancellation, less the amount of any payment made to the employee on cancellation of the equity instruments that is accounted for as a deduction from equity in accordance with (b) above. If the entity does not identify new equity instruments granted as replacement equity instruments for the cancelled equity instruments, the entity shall account for those new equity instruments as a new grant of equity instruments.
- 28A If an entity or counterparty can choose whether to meet a non-vesting condition, the entity shall treat the entity's or counterparty's failure to meet that non-vesting condition during the vesting period as a cancellation.
- 29 If an entity repurchases vested equity instruments, the payment made to the employee shall be accounted for as a deduction from equity, except to the extent that the payment exceeds the fair value of the equity

instruments repurchased, measured at the repurchase date. Any such excess shall be recognised as an expense.

Cash-settled share-based payment transactions

- 30** For cash-settled share-based payment transactions, the entity shall measure the goods or services acquired and the liability incurred at the fair value of the liability. Until the liability is settled, the entity shall remeasure the fair value of the liability at the end of each reporting period and at the date of settlement, with any changes in fair value recognised in profit or loss for the period.
- 31** For example, an entity might grant share appreciation rights to employees as part of their remuneration package, whereby the employees will become entitled to a future cash payment (rather than an equity instrument), based on the increase in the entity's share price from a specified level over a specified period of time. Or an entity might grant to its employees a right to receive a future cash payment by granting to them a right to shares (including shares to be issued upon the exercise of share options) that are redeemable, either mandatorily (eg. upon cessation of employment) or at the employee's option.
- 32** The entity shall recognise the services received, and a liability to pay for those services, as the employees render service. For example, some share appreciation rights vest immediately, and the employees are therefore not required to complete a specified period of service to become entitled to the cash payment. In the absence of evidence to the contrary, the entity shall presume that the services rendered by the employees in exchange for the share appreciation rights have been received. Thus, the entity shall recognise immediately the services received and a liability to pay for them. If the share appreciation rights do not vest until the employees have completed a specified period of service, the entity shall recognise the services received, and a liability to pay for them, as the employees render service during that period.
- 33** The liability shall be measured, initially and at the end of each reporting period until settled, at the fair value of the share appreciation rights, by applying an option pricing model, taking into account the terms and conditions on which the share appreciation rights were granted, and the extent to which the employees have rendered service to date.

Share-based payment transactions with cash alternatives

- 34** For share-based payment transactions in which the terms of the arrangement provide either the entity or the counterparty with the choice of whether the entity settles the transaction in cash (or other assets) or by issuing equity instruments, the entity shall account for that transaction, or the components of that transaction, as a cash-settled share-based payment transaction if, and to the extent that, the entity has incurred a liability to settle in cash or other assets, or as an equity-settled share-based payment transaction if, and to the extent that, no such liability has been incurred.

Share-based payment transactions in which the terms of the arrangement provide the counterparty with a choice of settlement

- 35** If an entity has granted the counterparty the right to choose whether a share-based payment transaction is settled in cash⁵ or by issuing equity instruments, the entity has granted a compound financial instrument, which includes a debt component (ie. the counterparty's right to demand payment in cash) and an equity component (ie. the counterparty's right to demand settlement in equity instruments rather than in cash). For transactions with parties other than employees, in which the fair value of the goods or services received is measured directly, the entity shall measure the equity component of the compound financial instrument as the difference between the fair value of the goods or services received and the fair value of the debt component, at the date when the goods or services are received.
- 36** For other transactions, including transactions with employees, the entity shall measure the fair value of the compound financial instrument at the measurement date, taking into account the terms and conditions on which the rights to cash or equity instruments were granted.
- 37** To apply paragraph 36, the entity shall first measure the fair value of the debt component, and then measure the fair value of the equity component—taking into account that the counterparty must forfeit the right to receive cash in order to receive the equity instrument. The fair value of the compound financial instrument is the sum of the fair values of the two components. However, share-based payment transactions in which the counterparty has the choice of settlement are often structured so that the fair value of one settlement alternative is the same as the other. For example, the counterparty might have the choice of receiving share options or cash-settled share appreciation rights. In such cases, the fair value of the equity component is zero, and hence the fair value of the compound financial instrument is the same as the fair value of the debt

⁵ In paragraphs 35–43, all references to cash also include other assets of the entity.

- component. Conversely, if the fair values of the settlement alternatives differ, the fair value of the equity component usually will be greater than zero, in which case the fair value of the compound financial instrument will be greater than the fair value of the debt component.
- 38 The entity shall account separately for the goods or services received or acquired in respect of each component of the compound financial instrument. For the debt component, the entity shall recognise the goods or services acquired, and a liability to pay for those goods or services, as the counterparty supplies goods or renders service, in accordance with the requirements applying to cash-settled share-based payment transactions (paragraphs 30–33). For the equity component (if any), the entity shall recognise the goods or services received, and an increase in equity, as the counterparty supplies goods or renders service, in accordance with the requirements applying to equity-settled share-based payment transactions (paragraphs 10–29).
- 39 At the date of settlement, the entity shall remeasure the liability to its fair value. If the entity issues equity instruments on settlement rather than paying cash, the liability shall be transferred direct to equity, as the consideration for the equity instruments issued.
- 40 If the entity pays in cash on settlement rather than issuing equity instruments, that payment shall be applied to settle the liability in full. Any equity component previously recognised shall remain within equity. By electing to receive cash on settlement, the counterparty forfeited the right to receive equity instruments. However, this requirement does not preclude the entity from recognising a transfer within equity, ie a transfer from one component of equity to another.

Share-based payment transactions in which the terms of the arrangement provide the entity with a choice of settlement

- 41 For a share-based payment transaction in which the terms of the arrangement provide an entity with the choice of whether to settle in cash or by issuing equity instruments, the entity shall determine whether it has a present obligation to settle in cash and account for the share-based payment transaction accordingly. The entity has a present obligation to settle in cash if the choice of settlement in equity instruments has no commercial substance (eg. because the entity is legally prohibited from issuing shares), or the entity has a past practice or a stated policy of settling in cash, or generally settles in cash whenever the counterparty asks for cash settlement.
- 42 If the entity has a present obligation to settle in cash, it shall account for the transaction in accordance with the requirements applying to cash-settled share-based payment transactions, in paragraphs 30–33.
- 43 If no such obligation exists, the entity shall account for the transaction in accordance with the requirements applying to equity-settled share-based payment transactions, in paragraphs 10–29. Upon settlement:
- if the entity elects to settle in cash, the cash payment shall be accounted for as the repurchase of an equity interest, ie as a deduction from equity, except as noted in (c) below.
 - if the entity elects to settle by issuing equity instruments, no further accounting is required (other than a transfer from one component of equity to another, if necessary), except as noted in (c) below.
 - if the entity elects the settlement alternative with the higher fair value, as at the date of settlement, the entity shall recognise an additional expense for the excess value given, ie. the difference between the cash paid and the fair value of the equity instruments that would otherwise have been issued, or the difference between the fair value of the equity instruments issued and the amount of cash that would otherwise have been paid, whichever is applicable.

Share-based payment transactions among group entities

- 43A For share-based payment transactions among group entities, in its separate or individual financial statements, the entity receiving the goods or services shall measure the goods or services received as either an equity-settled or a cash-settled share-based payment transaction by assessing:
- the nature of the awards granted, and
 - its own rights and obligations.
- The amount recognised by the entity receiving the goods or services may differ from the amount recognised by the consolidated group or by another group entity settling the share-based payment transaction.
- 43B The entity receiving the goods or services shall measure the goods or services received as an equity-settled share-based payment transaction when:
- the awards granted are its own equity instruments, or
 - the entity has no obligation to settle the share-based payment transaction.

- The entity shall subsequently remeasure such an equity-settled share-based payment transaction only for changes in non-market vesting conditions in accordance with paragraphs 19–21. In all other circumstances, the entity receiving the goods or services shall measure the goods or services received as a cash-settled share-based payment transaction.
- 43C The entity settling a share-based payment transaction when another entity in the group receives the goods or services shall recognise the transaction as an equity-settled share-based payment transaction only if it is settled in the entity's own equity instruments. Otherwise, the transaction shall be recognised as a cash-settled share-based payment transaction.
- 43D Some group transactions involve repayment arrangements that require one group entity to pay another group entity for the provision of the share-based payments to the suppliers of goods or services. In such cases, the entity that receives the goods or services shall account for the share-based payment transaction in accordance with paragraph 43B regardless of intragroup repayment arrangements.

Disclosures

- 44 An entity shall disclose information that enables users of the financial statements to understand the nature and extent of share-based payment arrangements that existed during the period.**
- 45 To give effect to the principle in paragraph 44, the entity shall disclose at least the following:
- (a) a description of each type of share-based payment arrangement that existed at any time during the period, including the general terms and conditions of each arrangement, such as vesting requirements, the maximum term of options granted, and the method of settlement (eg whether in cash or equity). An entity with substantially similar types of share-based payment arrangements may aggregate this information, unless separate disclosure of each arrangement is necessary to satisfy the principle in paragraph 44.
 - (b) the number and weighted average exercise prices of share options for each of the following groups of options:
 - (i) outstanding at the beginning of the period;
 - (ii) granted during the period;
 - (iii) forfeited during the period;
 - (iv) exercised during the period;
 - (v) expired during the period;
 - (vi) outstanding at the end of the period; and
 - (vii) exercisable at the end of the period.
 - (c) for share options exercised during the period, the weighted average share price at the date of exercise. If options were exercised on a regular basis throughout the period, the entity may instead disclose the weighted average share price during the period.
 - (d) for share options outstanding at the end of the period, the range of exercise prices and weighted average remaining contractual life. If the range of exercise prices is wide, the outstanding options shall be divided into ranges that are meaningful for assessing the number and timing of additional shares that may be issued and the cash that may be received upon exercise of those options.
- 46 An entity shall disclose information that enables users of the financial statements to understand how the fair value of the goods or services received, or the fair value of the equity instruments granted, during the period was determined.**
- 47 If the entity has measured the fair value of goods or services received as consideration for equity instruments of the entity indirectly, by reference to the fair value of the equity instruments granted, to give effect to the principle in paragraph 46, the entity shall disclose at least the following:
- (a) for share options granted during the period, the weighted average fair value of those options at the measurement date and information on how that fair value was measured, including:
 - (i) the option pricing model used and the inputs to that model, including the weighted average share price, exercise price, expected volatility, option life, expected dividends, the risk-free interest rate and any other inputs to the model, including the method used and the assumptions made to incorporate the effects of expected early exercise;
 - (ii) how expected volatility was determined, including an explanation of the extent to which expected volatility was based on historical volatility; and

- (iii) whether and how any other features of the option grant were incorporated into the measurement of fair value, such as a market condition.
 - (b) for other equity instruments granted during the period (ie other than share options), the number and weighted average fair value of those equity instruments at the measurement date, and information on how that fair value was measured, including:
 - (i) if fair value was not measured on the basis of an observable market price, how it was determined;
 - (ii) whether and how expected dividends were incorporated into the measurement of fair value; and
 - (iii) whether and how any other features of the equity instruments granted were incorporated into the measurement of fair value.
 - (c) for share-based payment arrangements that were modified during the period:
 - (i) an explanation of those modifications;
 - (ii) the incremental fair value granted (as a result of those modifications); and
 - (iii) information on how the incremental fair value granted was measured, consistently with the requirements set out in (a) and (b) above, where applicable.
- 48 If the entity has measured directly the fair value of goods or services received during the period, the entity shall disclose how that fair value was determined, eg whether fair value was measured at a market price for those goods or services.
- 49 If the entity has rebutted the presumption in paragraph 13, it shall disclose that fact, and give an explanation of why the presumption was rebutted.
- 50 **An entity shall disclose information that enables users of the financial statements to understand the effect of share-based payment transactions on the entity's profit or loss for the period and on its financial position.**
- 51 To give effect to the principle in paragraph 50, the entity shall disclose at least the following:
- (a) the total expense recognised for the period arising from share-based payment transactions in which the goods or services received did not qualify for recognition as assets and hence were recognised immediately as an expense, including separate disclosure of that portion of the total expense that arises from transactions accounted for as equity-settled share-based payment transactions;
 - (b) for liabilities arising from share-based payment transactions:
 - (i) the total carrying amount at the end of the period; and
 - (ii) the total intrinsic value at the end of the period of liabilities for which the counterparty's right to cash or other assets had vested by the end of the period (eg vested share appreciation rights).
- 52 If the information required to be disclosed by this Ind AS does not satisfy the principles in paragraphs 44, 46 and 50, the entity shall disclose such additional information as is necessary to satisfy them.

Appendix A

Defined terms

This appendix is an integral part of the Ind AS.

cash-settled share-based payment transaction

A **share-based payment transaction** in which the entity acquires goods or services by incurring a liability to transfer cash or other assets to the supplier of those goods or services for amounts that are based on the price (or value) of **equity instruments** (including shares or **share options**) of the entity or another group entity.

employees and others providing similar services

Individuals who render personal services to the entity and either (a) the individuals are regarded as employees for legal or tax purposes, (b) the

	individuals work for the entity under its direction in the same way as individuals who are regarded as employees for legal or tax purposes, or (c) the services rendered are similar to those rendered by employees. For example, the term encompasses all management personnel, ie those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity, including non-executive directors.
equity instrument	A contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. ⁶
equity instrument granted	The right (conditional or unconditional) to an equity instrument of the entity conferred by the entity on another party, under a share-based payment arrangement .
equity-settled share-based payment transaction	A share-based payment transaction in which the entity (a) receives goods or services as consideration for its own equity instruments (including shares or share options), or (b) receives goods or services but has no obligation to settle the transaction with the supplier.
fair value	The amount for which an asset could be exchanged, a liability settled, or an equity instrument granted could be exchanged, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.
grant date	The date at which the entity and another party (including an employee) agree to a share-based payment arrangement , being when the entity and the counterparty have a shared understanding of the terms and conditions of the arrangement. At grant date the entity confers on the counterparty the right to cash, other assets, or equity instruments of the entity, provided the specified vesting conditions , if any, are met. If that agreement is subject to an approval process (for example, by shareholders), grant date is the date when that approval is obtained.
intrinsic value	The difference between the fair value of the shares to which the counterparty has the (conditional or unconditional) right to subscribe or which it has the right to receive, and the price (if any) the counterparty is (or will be) required to pay for those shares. For example, a share option with an exercise price of Rs. 15, on a share with a fair value of Rs. 20, has an intrinsic value of Rs. 5.
market condition	A performance condition upon which the exercise price, vesting or exercisability of an equity instrument depends that is related to the market price (or value) of the entity's equity instruments (or the equity instruments of another entity in the same group), such as: (a) attaining a specified share price or a specified amount of intrinsic value of a share option; or (b) achieving a specified target that is based on the market price (or value) of the entity's equity instruments (or the equity instruments of another entity in the same group) relative to an index of market prices of equity instruments of other entities. A market condition requires the counterparty to complete a specified period of service (ie a service condition); the service requirement can be explicit or implicit.

⁶The Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, defines a liability as a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefits (ie an outflow of cash or other assets of the entity).

measurement date	The date at which the fair value of the equity instruments granted is measured for the purposes of this Ind AS. For transactions with employees and others providing similar services , the measurement date is grant date . For transactions with parties other than employees (and those providing similar services), the measurement date is the date the entity obtains the goods or the counterparty renders service.
performance condition	A vesting condition that requires: (a) the counterparty to complete a specified period of service (ie a service condition); the service requirement can be explicit or implicit; and (b) specified performance target(s) to be met while the counterparty is rendering the service required in (a). The period of achieving the performance target(s): (a) shall not extend beyond the end of the service period; and (b) may start before the service period on the condition that the commencement date of the performance target is not substantially before the commencement of the service period. A performance target is defined by reference to: (a) the entity's own operations (or activities) or the operations or activities of another entity in the same group (ie a non-market condition); or (b) the price (or value) of the entity's equity instruments or the equity instruments of another entity in the same group (including shares and share options) (ie a market condition). A performance target might relate either to the performance of the entity as a whole or to some part of the entity (or part of the group), such as a division or an individual employee.
reload feature	A feature that provides for an automatic grant of additional share options whenever the option holder exercises previously granted options using the entity's shares, rather than cash, to satisfy the exercise price.
reload option	A new share option granted when a share is used to satisfy the exercise price of a previous share option.
service condition	A vesting condition that requires the counterparty to complete a specified period of service during which services are provided to the entity. If the counterparty, regardless of the reason, ceases to provide service during the vesting period , it has failed to satisfy the condition. A service condition does not require a performance target to be met.
share-based payment arrangement	An agreement between the entity (or another group⁷ entity or any shareholder of any group entity) and another party (including an employee) that entitles the other party to receive (a) cash or other assets of the entity for amounts that are based on the price (or value) of equity instruments (including shares or share options) of the entity or another group entity, or (b) equity instruments (including shares or share options) of the entity or another group entity, provided the specified vesting conditions, if any, are met.
share-based payment transaction	A transaction in which the entity (a) receives goods or services from the supplier of those goods or services (including an employee) in a share-based payment arrangement, or

⁷A 'group' is defined in Appendix A of Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, as 'a parent and its subsidiaries' from the perspective of the reporting entity's ultimate parent.

	(b) incurs an obligation to settle the transaction with the supplier in a share-based payment arrangement when another group entity receives those goods or services.
share option	A contract that gives the holder the right, but not the obligation, to subscribe to the entity's shares at a fixed or determinable price for a specified period of time.
vest	To become an entitlement. Under a share-based payment arrangement , a counterparty's right to receive cash, other assets or equity instruments of the entity vests when the counterparty's entitlement is no longer conditional on the satisfaction of any vesting conditions .
vesting condition	A condition that determine whether the entity receives the services that entitle the counterparty to receive cash, other assets or equity instruments of the entity, under a share-based payment arrangement . A vesting condition is either a service condition or a performance condition .
vesting period	The period during which all the specified vesting conditions of a share-based payment arrangement are to be satisfied.

Appendix B

Application guidance

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Estimating the fair value of equity instruments granted

- B1 Paragraphs B2–B41 of this appendix discuss measurement of the fair value of shares and share options granted, focusing on the specific terms and conditions that are common features of a grant of shares or share options to employees. Therefore, it is not exhaustive. Furthermore, because the valuation issues discussed below focus on shares and share options granted to employees, it is assumed that the fair value of the shares or share options is measured at grant date. However, many of the valuation issues discussed below (eg determining expected volatility) also apply in the context of estimating the fair value of shares or share options granted to parties other than employees at the date the entity obtains the goods or the counterparty renders service.

Shares

- B2 For shares granted to employees, the fair value of the shares shall be measured at the market price of the entity's shares (or an estimated market price, if the entity's shares are not publicly traded), adjusted to take into account the terms and conditions upon which the shares were granted (except for vesting conditions that are excluded from the measurement of fair value in accordance with paragraphs 19–21).
- B3 For example, if the employee is not entitled to receive dividends during the vesting period, this factor shall be taken into account when estimating the fair value of the shares granted. Similarly, if the shares are subject to restrictions on transfer after vesting date, that factor shall be taken into account, but only to the extent that the post-vesting restrictions affect the price that a knowledgeable, willing market participant would pay for that share. For example, if the shares are actively traded in a deep and liquid market, post-vesting transfer restrictions may have little, if any, effect on the price that a knowledgeable, willing market participant would pay for those shares. Restrictions on transfer or other restrictions that exist during the vesting period shall not be taken into account when estimating the grant date fair value of the shares granted, because those restrictions stem from the existence of vesting conditions, which are accounted for in accordance with paragraphs 19–21.

Share options

- B4 For share options granted to employees, in many cases market prices are not available, because the options granted are subject to terms and conditions that do not apply to traded options. If traded options with similar terms and conditions do not exist, the fair value of the options granted shall be estimated by applying an option pricing model.
- B5 The entity shall consider factors that knowledgeable, willing market participants would consider in selecting the option pricing model to apply. For example, many employee options have long lives, are usually exercisable during the period between vesting date and the end of the options' life, and are often exercised early. These factors should be considered when estimating the grant date fair value of the options. For many entities, this might preclude the use of the Black-Scholes-Merton formula, which does not allow for the

possibility of exercise before the end of the option's life and may not adequately reflect the effects of expected early exercise. It also does not allow for the possibility that expected volatility and other model inputs might vary over the option's life. However, for share options with relatively short contractual lives, or that must be exercised within a short period of time after vesting date, the factors identified above may not apply. In these instances, the Black-Scholes-Merton formula may produce a value that is substantially the same as a more flexible option pricing model.

- B6 All option pricing models take into account, as a minimum, the following factors:
- (a) the exercise price of the option;
 - (b) the life of the option;
 - (c) the current price of the underlying shares;
 - (d) the expected volatility of the share price;
 - (e) the dividends expected on the shares (if appropriate); and
 - (f) the risk-free interest rate for the life of the option.
- B7 Other factors that knowledgeable, willing market participants would consider in setting the price shall also be taken into account (except for vesting conditions and reload features that are excluded from the measurement of fair value in accordance with paragraphs 19–22).
- B8 For example, a share option granted to an employee typically cannot be exercised during specified periods (eg during the vesting period or during periods specified by securities regulators). This factor shall be taken into account if the option pricing model applied would otherwise assume that the option could be exercised at any time during its life. However, if an entity uses an option pricing model that values options that can be exercised only at the end of the options' life, no adjustment is required for the inability to exercise them during the vesting period (or other periods during the options' life), because the model assumes that the options cannot be exercised during those periods.
- B9 Similarly, another factor common to employee share options is the possibility of early exercise of the option, for example, because the option is not freely transferable, or because the employee must exercise all vested options upon cessation of employment. The effects of expected early exercise shall be taken into account, as discussed in paragraphs B16–B21.
- B10 Factors that a knowledgeable, willing market participant would not consider in setting the price of a share option (or other equity instrument) shall not be taken into account when estimating the fair value of share options (or other equity instruments) granted. For example, for share options granted to employees, factors that affect the value of the option from the individual employee's perspective only are not relevant to estimating the price that would be set by a knowledgeable, willing market participant.

Inputs to option pricing models

- B11 In estimating the expected volatility of and dividends on the underlying shares, the objective is to approximate the expectations that would be reflected in a current market or negotiated exchange price for the option. Similarly, when estimating the effects of early exercise of employee share options, the objective is to approximate the expectations that an outside party with access to detailed information about employees' exercise behaviour would develop based on information available at the grant date.
- B12 Often, there is likely to be a range of reasonable expectations about future volatility, dividends and exercise behaviour. If so, an expected value should be calculated, by weighting each amount within the range by its associated probability of occurrence.
- B13 Expectations about the future are generally based on experience, modified if the future is reasonably expected to differ from the past. In some circumstances, identifiable factors may indicate that unadjusted historical experience is a relatively poor predictor of future experience. For example, if an entity with two distinctly different lines of business disposes of the one that was significantly less risky than the other, historical volatility may not be the best information on which to base reasonable expectations for the future.
- B14 In other circumstances, historical information may not be available. For example, a newly listed entity will have little, if any, historical data on the volatility of its share price. Unlisted and newly listed entities are discussed further below.
- B15 In summary, an entity should not simply base estimates of volatility, exercise behaviour and dividends on historical information without considering the extent to which the past experience is expected to be reasonably predictive of future experience.

Expected early exercise

- B16 Employees often exercise share options early, for a variety of reasons. For example, employee share options are typically non-transferable. This often causes employees to exercise their share options early, because that is the only way for the employees to liquidate their position. Also, employees who cease employment are usually required to exercise any vested options within a short period of time, otherwise the share options are forfeited. This factor also causes the early exercise of employee share options. Other factors causing early exercise are risk aversion and lack of wealth diversification.
- B17 The means by which the effects of expected early exercise are taken into account depends upon the type of option pricing model applied. For example, expected early exercise could be taken into account by using an estimate of the option's expected life (which, for an employee share option, is the period of time from grant date to the date on which the option is expected to be exercised) as an input into an option pricing model (eg the Black-Scholes-Merton formula). Alternatively, expected early exercise could be modelled in a binomial or similar option pricing model that uses contractual life as an input.
- B18 Factors to consider in estimating early exercise include:
- (a) the length of the vesting period, because the share option typically cannot be exercised until the end of the vesting period. Hence, determining the valuation implications of expected early exercise is based on the assumption that the options will vest. The implications of vesting conditions are discussed in paragraphs 19–21.
 - (b) the average length of time similar options have remained outstanding in the past.
 - (c) the price of the underlying shares. Experience may indicate that the employees tend to exercise options when the share price reaches a specified level above the exercise price.
 - (d) the employee's level within the organisation. For example, experience might indicate that higher-level employees tend to exercise options later than lower-level employees (discussed further in paragraph B21).
 - (e) expected volatility of the underlying shares. On average, employees might tend to exercise options on highly volatile shares earlier than on shares with low volatility.
- B19 As noted in paragraph B17, the effects of early exercise could be taken into account by using an estimate of the option's expected life as an input into an option pricing model. When estimating the expected life of share options granted to a group of employees, the entity could base that estimate on an appropriately weighted average expected life for the entire employee group or on appropriately weighted average lives for subgroups of employees within the group, based on more detailed data about employees' exercise behaviour (discussed further below).
- B20 Separating an option grant into groups for employees with relatively homogeneous exercise behaviour is likely to be important. Option value is not a linear function of option term; value increases at a decreasing rate as the term lengthens. For example, if all other assumptions are equal, although a two-year option is worth more than a one-year option, it is not worth twice as much. That means that calculating estimated option value on the basis of a single weighted average life that includes widely differing individual lives would overstate the total fair value of the share options granted. Separating options granted into several groups, each of which has a relatively narrow range of lives included in its weighted average life, reduces that overstatement.
- B21 Similar considerations apply when using a binomial or similar model. For example, the experience of an entity that grants options broadly to all levels of employees might indicate that top-level executives tend to hold their options longer than middle-management employees hold theirs and that lower-level employees tend to exercise their options earlier than any other group. In addition, employees who are encouraged or required to hold a minimum amount of their employer's equity instruments, including options, might on average exercise options later than employees not subject to that provision. In those situations, separating options by groups of recipients with relatively homogeneous exercise behaviour will result in a more accurate estimate of the total fair value of the share options granted.
- Expected volatility**
- B22 Expected volatility is a measure of the amount by which a price is expected to fluctuate during a period. The measure of volatility used in option pricing models is the annualised standard deviation of the continuously compounded rates of return on the share over a period of time. Volatility is typically expressed in annualised terms that are comparable regardless of the time period used in the calculation, for example, daily, weekly or monthly price observations.
- B23 The rate of return (which may be positive or negative) on a share for a period measures how much a shareholder has benefited from dividends and appreciation (or depreciation) of the share price.

- B24 The expected annualised volatility of a share is the range within which the continuously compounded annual rate of return is expected to fall approximately two-thirds of the time. For example, to say that a share with an expected continuously compounded rate of return of 12 per cent has a volatility of 30 per cent means that the probability that the rate of return on the share for one year will be between -18 per cent (12% - 30%) and 42 per cent (12% + 30%) is approximately two-thirds. If the share price is Rs.100 at the beginning of the year and no dividends are paid, the year-end share price would be expected to be between Rs.83.53 ($\text{Rs.100} \times e^{-0.18}$) and Rs.152.20 ($\text{Rs.100} \times e^{0.42}$) approximately two-thirds of the time.
- B25 Factors to consider in estimating expected volatility include:
- (a) implied volatility from traded share options on the entity's shares, or other traded instruments of the entity that include option features (such as convertible debt), if any.
 - (b) the historical volatility of the share price over the most recent period that is generally commensurate with the expected term of the option (taking into account the remaining contractual life of the option and the effects of expected early exercise).
 - (c) the length of time an entity's shares have been publicly traded. A newly listed entity might have a high historical volatility, compared with similar entities that have been listed longer. Further guidance for newly listed entities is given below.
 - (d) the tendency of volatility to revert to its mean, ie its long-term average level, and other factors indicating that expected future volatility might differ from past volatility. For example, if an entity's share price was extraordinarily volatile for some identifiable period of time because of a failed takeover bid or a major restructuring, that period could be disregarded in computing historical average annual volatility.
 - (e) appropriate and regular intervals for price observations. The price observations should be consistent from period to period. For example, an entity might use the closing price for each week or the highest price for the week, but it should not use the closing price for some weeks and the highest price for other weeks. Also, the price observations should be expressed in the same currency as the exercise price.

Newly listed entities

- B26 As noted in paragraph B25, an entity should consider historical volatility of the share price over the most recent period that is generally commensurate with the expected option term. If a newly listed entity does not have sufficient information on historical volatility, it should nevertheless compute historical volatility for the longest period for which trading activity is available. It could also consider the historical volatility of similar entities following a comparable period in their lives. For example, an entity that has been listed for only one year and grants options with an average expected life of five years might consider the pattern and level of historical volatility of entities in the same industry for the first six years in which the shares of those entities were publicly traded.

Unlisted entities

- B27 An unlisted entity will not have historical information to consider when estimating expected volatility. Some factors to consider instead are set out below.
- B28 In some cases, an unlisted entity that regularly issues options or shares to employees (or other parties) might have set up an internal market for its shares. The volatility of those share prices could be considered when estimating expected volatility.
- B29 Alternatively, the entity could consider the historical or implied volatility of similar listed entities, for which share price or option price information is available, to use when estimating expected volatility. This would be appropriate if the entity has based the value of its shares on the share prices of similar listed entities.
- B30 If the entity has not based its estimate of the value of its shares on the share prices of similar listed entities, and has instead used another valuation methodology to value its shares, the entity could derive an estimate of expected volatility consistent with that valuation methodology. For example, the entity might value its shares on a net asset or earnings basis. It could consider the expected volatility of those net asset values or earnings.

Expected dividends

- B31 Whether expected dividends should be taken into account when measuring the fair value of shares or options granted depends on whether the counterparty is entitled to dividends or dividend equivalents.

- B32 For example, if employees were granted options and are entitled to dividends on the underlying shares or dividend equivalents (which might be paid in cash or applied to reduce the exercise price) between grant date and exercise date, the options granted should be valued as if no dividends will be paid on the underlying shares, ie the input for expected dividends should be zero.
- B33 Similarly, when the grant date fair value of shares granted to employees is estimated, no adjustment is required for expected dividends if the employee is entitled to receive dividends paid during the vesting period.
- B34 Conversely, if the employees are not entitled to dividends or dividend equivalents during the vesting period (or before exercise, in the case of an option), the grant date valuation of the rights to shares or options should take expected dividends into account. That is to say, when the fair value of an option grant is estimated, expected dividends should be included in the application of an option pricing model. When the fair value of a share grant is estimated, that valuation should be reduced by the present value of dividends expected to be paid during the vesting period.
- B35 Option pricing models generally call for expected dividend yield. However, the models may be modified to use an expected dividend amount rather than a yield. An entity may use either its expected yield or its expected payments. If the entity uses the latter, it should consider its historical pattern of increases in dividends. For example, if an entity's policy has generally been to increase dividends by approximately 3 per cent per year, its estimated option value should not assume a fixed dividend amount throughout the option's life unless there is evidence that supports that assumption.
- B36 Generally, the assumption about expected dividends should be based on publicly available information. An entity that does not pay dividends and has no plans to do so should assume an expected dividend yield of zero. However, an emerging entity with no history of paying dividends might expect to begin paying dividends during the expected lives of its employee share options. Those entities could use an average of their past dividend yield (zero) and the mean dividend yield of an appropriately comparable peer group.

Risk-free interest rate

- B37 Typically, the risk-free interest rate is the implied yield currently available on zero-coupon government issues of the country in whose currency the exercise price is expressed, with a remaining term equal to the expected term of the option being valued (based on the option's remaining contractual life and taking into account the effects of expected early exercise). It may be necessary to use an appropriate substitute, if no such government issues exist or circumstances indicate that the implied yield on zero-coupon government issues is not representative of the risk-free interest rate (for example, in high inflation economies). Also, an appropriate substitute should be used if market participants would typically determine the risk-free interest rate by using that substitute, rather than the implied yield of zero-coupon government issues, when estimating the fair value of an option with a life equal to the expected term of the option being valued.

Capital structure effects

- B38 Typically, third parties, not the entity, write traded share options. When these share options are exercised, the writer delivers shares to the option holder. Those shares are acquired from existing shareholders. Hence the exercise of traded share options has no dilutive effect.
- B39 In contrast, if share options are written by the entity, new shares are issued when those share options are exercised (either actually issued or issued in substance, if shares previously repurchased and held in treasury are used). Given that the shares will be issued at the exercise price rather than the current market price at the date of exercise, this actual or potential dilution might reduce the share price, so that the option holder does not make as large a gain on exercise as on exercising an otherwise similar traded option that does not dilute the share price.
- B40 Whether this has a significant effect on the value of the share options granted depends on various factors, such as the number of new shares that will be issued on exercise of the options compared with the number of shares already issued. Also, if the market already expects that the option grant will take place, the market may have already factored the potential dilution into the share price at the date of grant.
- B41 However, the entity should consider whether the possible dilutive effect of the future exercise of the share options granted might have an impact on their estimated fair value at grant date. Option pricing models can be adapted to take into account this potential dilutive effect.

Modifications to equity-settled share-based payment arrangements

- B42 Paragraph 27 requires that, irrespective of any modifications to the terms and conditions on which the equity instruments were granted, or a cancellation or settlement of that grant of equity instruments, the entity should recognise, as a minimum, the services received measured at the grant date fair value of the equity instruments granted, unless those equity instruments do not vest because of failure to satisfy a vesting condition (other than a market condition) that was specified at grant date. In addition, the entity should recognise the effects of

- modifications that increase the total fair value of the share-based payment arrangement or are otherwise beneficial to the employee.
- B43 To apply the requirements of paragraph 27:
- if the modification increases the fair value of the equity instruments granted (eg by reducing the exercise price), measured immediately before and after the modification, the entity shall include the incremental fair value granted in the measurement of the amount recognised for services received as consideration for the equity instruments granted. The incremental fair value granted is the difference between the fair value of the modified equity instrument and that of the original equity instrument, both estimated as at the date of the modification. If the modification occurs during the vesting period, the incremental fair value granted is included in the measurement of the amount recognised for services received over the period from the modification date until the date when the modified equity instruments vest, in addition to the amount based on the grant date fair value of the original equity instruments, which is recognised over the remainder of the original vesting period. If the modification occurs after vesting date, the incremental fair value granted is recognised immediately, or over the vesting period if the employee is required to complete an additional period of service before becoming unconditionally entitled to those modified equity instruments.
 - similarly, if the modification increases the number of equity instruments granted, the entity shall include the fair value of the additional equity instruments granted, measured at the date of the modification, in the measurement of the amount recognised for services received as consideration for the equity instruments granted, consistently with the requirements in (a) above. For example, if the modification occurs during the vesting period, the fair value of the additional equity instruments granted is included in the measurement of the amount recognised for services received over the period from the modification date until the date when the additional equity instruments vest, in addition to the amount based on the grant date fair value of the equity instruments originally granted, which is recognised over the remainder of the original vesting period.
 - if the entity modifies the vesting conditions in a manner that is beneficial to the employee, for example, by reducing the vesting period or by modifying or eliminating a performance condition (other than a market condition, changes to which are accounted for in accordance with (a) above), the entity shall take the modified vesting conditions into account when applying the requirements of paragraphs 19–21.
- B44 Furthermore, if the entity modifies the terms or conditions of the equity instruments granted in a manner that reduces the total fair value of the share-based payment arrangement, or is not otherwise beneficial to the employee, the entity shall nevertheless continue to account for the services received as consideration for the equity instruments granted as if that modification had not occurred (other than a cancellation of some or all the equity instruments granted, which shall be accounted for in accordance with paragraph 28). For example:
- if the modification reduces the fair value of the equity instruments granted, measured immediately before and after the modification, the entity shall not take into account that decrease in fair value and shall continue to measure the amount recognised for services received as consideration for the equity instruments based on the grant date fair value of the equity instruments granted.
 - if the modification reduces the number of equity instruments granted to an employee, that reduction shall be accounted for as a cancellation of that portion of the grant, in accordance with the requirements of paragraph 28.
 - if the entity modifies the vesting conditions in a manner that is not beneficial to the employee, for example, by increasing the vesting period or by modifying or adding a performance condition (other than a market condition, changes to which are accounted for in accordance with (a) above), the entity shall not take the modified vesting conditions into account when applying the requirements of paragraphs 19–21.

Share-based payment transactions among group entities

- B45 Paragraphs 43A–43C address the accounting for share-based payment transactions among group entities in each entity's separate or individual financial statements. Paragraphs B46–B61 discuss how to apply the requirements in paragraphs 43A–43C. As noted in paragraph 43D, share-based payment transactions among group entities may take place for a variety of reasons depending on facts and circumstances. Therefore, this discussion is not exhaustive and assumes that when the entity receiving the goods or services has no obligation to settle the transaction, the transaction is a parent's equity contribution to the subsidiary, regardless of any intragroup repayment arrangements.
- B46 Although the discussion below focuses on transactions with employees, it also applies to similar share-based payment transactions with suppliers of goods or services other than employees. An arrangement between a

- parent and its subsidiary may require the subsidiary to pay the parent for the provision of the equity instruments to the employees. The discussion below does not address how to account for such an intragroup payment arrangement.
- B47 Four issues are commonly encountered in share-based payment transactions among group entities. For convenience, the examples below discuss the issues in terms of a parent and its subsidiary.
- Share-based payment arrangements involving an entity's own equity instruments**
- B48 The first issue is whether the following transactions involving an entity's own equity instruments should be accounted for as equity-settled or as cash-settled in accordance with the requirements of this Standard:
- (a) an entity grants to its employees rights to equity instruments of the entity (eg share options), and either chooses or is required to buy equity instruments (ie treasury shares) from another party, to satisfy its obligations to its employees; and
 - (b) an entity's employees are granted rights to equity instruments of the entity (eg share options), either by the entity itself or by its shareholders, and the shareholders of the entity provide the equity instruments needed.
- B49 The entity shall account for share-based payment transactions in which it receives services as consideration for its own equity instruments as equity-settled. This applies regardless of whether the entity chooses or is required to buy those equity instruments from another party to satisfy its obligations to its employees under the share-based payment arrangement. It also applies regardless of whether:
- (a) the employee's rights to the entity's equity instruments were granted by the entity itself or by its shareholder(s); or
 - (b) the share-based payment arrangement was settled by the entity itself or by its shareholder(s).
- B50 If the shareholder has an obligation to settle the transaction with its investee's employees, it provides equity instruments of its investee rather than its own. Therefore, if its investee is in the same group as the shareholder, in accordance with paragraph 43C, the shareholder shall measure its obligation in accordance with the requirements applicable to cash-settled share-based payment transactions in the shareholder's separate financial statements and those applicable to equity-settled share-based payment transactions in the shareholder's consolidated financial statements.
- Share-based payment arrangements involving equity instruments of the parent**
- B51 The second issue concerns share-based payment transactions between two or more entities within the same group involving an equity instrument of another group entity. For example, employees of a subsidiary are granted rights to equity instruments of its parent as consideration for the services provided to the subsidiary.
- B52 Therefore, the second issue concerns the following share-based payment arrangements:
- (a) a parent grants rights to its equity instruments directly to the employees of its subsidiary: the parent (not the subsidiary) has the obligation to provide the employees of the subsidiary with the equity instruments; and
 - (b) a subsidiary grants rights to equity instruments of its parent to its employees: the subsidiary has the obligation to provide its employees with the equity instruments.
- A parent grants rights to its equity instruments to the employees of its subsidiary [paragraph B52(a)]*
- B53 The subsidiary does not have an obligation to provide its parent's equity instruments to the subsidiary's employees. Therefore, in accordance with paragraph 43B, the subsidiary shall measure the services received from its employees in accordance with the requirements applicable to equity-settled share-based payment transactions, and recognise a corresponding increase in equity as a contribution from the parent.
- B54 The parent has an obligation to settle the transaction with the subsidiary's employees by providing the parent's own equity instruments. Therefore, in accordance with paragraph 43C, the parent shall measure its obligation in accordance with the requirements applicable to equity-settled share-based payment transactions.
- A subsidiary grants rights to equity instruments of its parent to its employees [paragraph B52(b)]*
- B55 Because the subsidiary does not meet either of the conditions in paragraph 43B, it shall account for the transaction with its employees as cash-settled. This requirement applies irrespective of how the subsidiary obtains the equity instruments to satisfy its obligations to its employees.
- Share-based payment arrangements involving cash-settled payments to employees**
- B56 The third issue is how an entity that receives goods or services from its suppliers (including employees) should account for share-based arrangements that are cash-settled when the entity itself does not have any obligation to make the required payments to its suppliers. For example, consider the following arrangements in which the parent (not the entity itself) has an obligation to make the required cash payments to the employees of the entity:

- (a) the employees of the entity will receive cash payments that are linked to the price of its equity instruments.
- (b) the employees of the entity will receive cash payments that are linked to the price of its parent's equity instruments.
- B57 The subsidiary does not have an obligation to settle the transaction with its employees. Therefore, the subsidiary shall account for the transaction with its employees as equity-settled, and recognise a corresponding increase in equity as a contribution from its parent. The subsidiary shall remeasure the cost of the transaction subsequently for any changes resulting from non-market vesting conditions not being met in accordance with paragraphs 19–21. This differs from the measurement of the transaction as cash-settled in the consolidated financial statements of the group.
- B58 Because the parent has an obligation to settle the transaction with the employees, and the consideration is cash, the parent (and the consolidated group) shall measure its obligation in accordance with the requirements applicable to cash-settled share-based payment transactions in paragraph 43C.
- Transfer of employees between group entities**
- B59 The fourth issue relates to group share-based payment arrangements that involve employees of more than one group entity. For example, a parent might grant rights to its equity instruments to the employees of its subsidiaries, conditional upon the completion of continuing service with the group for a specified period. An employee of one subsidiary might transfer employment to another subsidiary during the specified vesting period without the employee's rights to equity instruments of the parent under the original share-based payment arrangement being affected. If the subsidiaries have no obligation to settle the share-based payment transaction with their employees, they account for it as an equity-settled transaction. Each subsidiary shall measure the services received from the employee by reference to the fair value of the equity instruments at the date the rights to those equity instruments were originally granted by the parent as defined in Appendix A, and the proportion of the vesting period the employee served with each subsidiary.
- B60 If the subsidiary has an obligation to settle the transaction with its employees in its parent's equity instruments, it accounts for the transaction as cash-settled. Each subsidiary shall measure the services received on the basis of grant date fair value of the equity instruments for the proportion of the vesting period the employee served with each subsidiary. In addition, each subsidiary shall recognise any change in the fair value of the equity instruments during the employee's service period with each subsidiary.
- B61 Such an employee, after transferring between group entities, may fail to satisfy a vesting condition other than a market condition as defined in Appendix A, eg the employee leaves the group before completing the service period. In this case, because the vesting condition is service to the group, each subsidiary shall adjust the amount previously recognised in respect of the services received from the employee in accordance with the principles in paragraph 19. Hence, if the rights to the equity instruments granted by the parent do not vest because of an employee's failure to meet a vesting condition other than a market condition, no amount is recognised on a cumulative basis for the services received from that employee in the financial statements of any group entity.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 102 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, Share-based Payment, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IFRS 2, Share-based Payment

1. The transitional provisions given in IFRS 2 and portions related thereto have not been given in Ind AS 102, since all transitional provisions related to Indian ASs, wherever considered appropriate, have been included in Ind AS 101, First-time Adoption of Indian Accounting Standards corresponding to IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards.
2. Cross-reference to paragraphs B1-B4 of IFRS 3 contained in paragraph 5 of IFRS 2 has been modified as cross-reference to Appendix C of Ind AS 103 in paragraph 5 of Ind AS 102. This is consequential to the insertion of Appendix C in Ind AS 103 to deal with business combination of entities under common control.
3. Different terminology is used in the Standard. eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'.
4. Paragraph number 3 appears as 'Deleted' in IFRS 2. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 2, the paragraph number is retained in Ind AS 102.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 103**Business Combinations**

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set out in **bold** type and plain type which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

- 1 The objective of this Indian Accounting Standard (Ind AS) is to improve the relevance, reliability and comparability of the information that a reporting entity provides in its financial statements about a *business combination* and its effects. To accomplish that, this Ind AS establishes principles and requirements for how the *acquirer*:
- (a) recognises and measures in its financial statements the *identifiable* assets acquired, the liabilities assumed and any *non-controlling interest* in the *acquiree*;
 - (b) recognises and measures the *goodwill* acquired in the business combination or a gain from a bargain purchase¹; and
 - (c) determines what information to disclose to enable users of the financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business combination.

Scope

- 2 This Ind AS applies to a transaction or other event that meets the definition of a business combination. This Ind AS does not apply to:
- (a) the accounting for the formation of a joint arrangement in the financial statements of the joint arrangement itself.
 - (b) the acquisition of an asset or a group of assets that does not constitute a business. In such cases the acquirer shall identify and recognise the individual identifiable assets acquired (including those assets that meet the definition of, and recognition criteria for, *intangible assets* in Ind AS 38, *Intangible Assets*) and liabilities assumed. The cost of the group shall be allocated to the individual identifiable assets and liabilities on the basis of their relative *fair values* at the date of purchase. Such a transaction or event does not give rise to goodwill.
 - (c) [Refer Appendix 1]
- 2A The requirements of this Standard do not apply to the acquisition by an investment entity, as defined in Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, of an investment in a subsidiary that is required to be measured at fair value through profit or loss.
- 2B Appendix C deals with accounting for combination of entities or businesses under common control.

Identifying a business combination

- 3 **An entity shall determine whether a transaction or other event is a business combination by applying the definition in this Ind AS, which requires that the assets acquired and liabilities assumed constitute a business. If the assets acquired are not a business, the reporting entity shall account for the transaction or other event as an asset acquisition. Paragraphs B5–B12 provide guidance on identifying a business combination and the definition of a business.**

The acquisition method

- 4 **An entity shall account for each business combination by applying the acquisition method.**
- 5 Applying the acquisition method requires:
- (a) identifying the acquirer;
 - (b) determining the *acquisition date*;
 - (c) recognising and measuring the identifiable assets acquired, the liabilities assumed and any non-controlling interest in the acquiree; and
 - (d) recognising and measuring goodwill or a gain from a bargain purchase.

¹ In this standard as well as in all other Indian Accounting Standards, reference to bargain purchase gain arising on a business combination includes amounts recognised in paragraphs 34 and 36 A of this Ind AS, as the case may be, unless otherwise specified.

Identifying the acquirer

- 6 For each business combination, one of the combining entities shall be identified as the acquirer.**

7 The guidance in Ind AS 110 shall be used to identify the acquirer—the entity that obtains *control* of another entity, ie the acquiree. If a business combination has occurred but applying the guidance in Ind AS 110 does not clearly indicate which of the combining entities is the acquirer, the factors in paragraphs B14–B18 shall be considered in making that determination.

Determining the acquisition date

- 8 The acquirer shall identify the acquisition date, which is the date on which it obtains control of the acquiree.**

9 The date on which the acquirer obtains control of the acquiree is generally the date on which the acquirer legally transfers the consideration, acquires the assets and assumes the liabilities of the acquiree—the closing date. However, the acquirer might obtain control on a date that is either earlier or later than the closing date. For example, the acquisition date precedes the closing date if a written agreement provides that the acquirer obtains control of the acquiree on a date before the closing date. An acquirer shall consider all pertinent facts and circumstances in identifying the acquisition date.

Recognising and measuring the identifiable assets acquired, the liabilities assumed and any non-controlling interest in the acquiree**Recognition principle**

- 10 As of the acquisition date, the acquirer shall recognise, separately from goodwill, the identifiable assets acquired, the liabilities assumed and any non-controlling interest in the acquiree. Recognition of identifiable assets acquired and liabilities assumed is subject to the conditions specified in paragraphs 11 and 12.**

Recognition conditions

11 To qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities in the *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards* issued by the Institute of Chartered Accountants of India at the acquisition date. For example, costs the acquirer expects but is not obliged to incur in the future to effect its plan to exit an activity of an acquiree or to terminate the employment of or relocate an acquiree's employees are not liabilities at the acquisition date. Therefore, the acquirer does not recognise those costs as part of applying the acquisition method. Instead, the acquirer recognises those costs in its post-combination financial statements in accordance with other Ind AS.

12 In addition, to qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must be part of what the acquirer and the acquiree (or its former *owners*) exchanged in the business combination transaction rather than the result of separate transactions. The acquirer shall apply the guidance in paragraphs 51–53 to determine which assets acquired or liabilities assumed are part of the exchange for the acquiree and which, if any, are the result of separate transactions to be accounted for in accordance with their nature and the applicable Ind AS.

13 The acquirer's application of the recognition principle and conditions may result in recognising some assets and liabilities that the acquiree had not previously recognised as assets and liabilities in its financial statements. For example, the acquirer recognises the acquired identifiable intangible assets, such as a brand name, a patent or a customer relationship, that the acquiree did not recognise as assets in its financial statements because it developed them internally and charged the related costs to expense.

14 Paragraphs B28–B40 provide guidance on recognising operating leases and intangible assets. Paragraphs 22–28 specify the types of identifiable assets and liabilities that include items for which this Ind AS provides limited exceptions to the recognition principle and conditions.

Classifying or designating identifiable assets acquired and liabilities assumed in a business combination

- 15 At the acquisition date, the acquirer shall classify or designate the identifiable assets acquired and liabilities assumed as necessary to apply other Ind ASs subsequently. The acquirer shall make those classifications or designations on the basis of the contractual terms, economic conditions, its operating or accounting policies and other pertinent conditions as they exist at the acquisition date.**

16 In some situations, Ind ASs provide for different accounting depending on how an entity classifies or designates a particular asset or liability. Examples of classifications or designations that the acquirer shall

make on the basis of the pertinent conditions as they exist at the acquisition date include but are not limited to:

- (a) classification of particular financial assets and liabilities as measured at fair value through profit or loss or at amortised cost, or as a financial asset measured at fair value through other comprehensive income in accordance with Ind AS 109, *Financial Instruments*;
- (b) designation of a derivative instrument as a hedging instrument in accordance with Ind AS 109; and
- (c) assessment of whether an embedded derivative should be separated from a host contract in accordance with Ind AS 109 (which is a matter of 'classification' as this Ind AS uses that term).

17 This Ind AS provides two exceptions to the principle in paragraph 15:

- (a) classification of a lease contract as either an operating lease or a finance lease in accordance with Ind AS 17, *Leases*; and
- (b) classification of a contract as an insurance contract in accordance with Ind AS 104, *Insurance Contracts*.

The acquirer shall classify those contracts on the basis of the contractual terms and other factors at the inception of the contract (or, if the terms of the contract have been modified in a manner that would change its classification, at the date of that modification, which might be the acquisition date).

Measurement principle

18 **The acquirer shall measure the identifiable assets acquired and the liabilities assumed at their acquisition-date fair values.**

19 For each business combination, the acquirer shall measure at the acquisition date components of non-controlling interest in the acquiree that are present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation at either:

- (a) fair value; or
- (b) The present ownership instruments' proportionate share in the recognised amounts of the acquiree's identifiable net assets

All other components of non-controlling interests shall be measured at their acquisition-date fair values, unless another measurement basis is required by Ind AS.

20 Paragraphs 24–31 specify the types of identifiable assets and liabilities that include items for which this Ind AS provides limited exceptions to the measurement principle.

Exceptions to the recognition or measurement principles

21 This Ind AS provides limited exceptions to its recognition and measurement principles. Paragraphs 22–31 specify both the particular items for which exceptions are provided and the nature of those exceptions. The acquirer shall account for those items by applying the requirements in paragraphs 22–31, which will result in some items being:

- (a) recognised either by applying recognition conditions in addition to those in paragraphs 11 and 12 or by applying the requirements of other Ind ASs, with results that differ from applying the recognition principle and conditions.
- (b) measured at an amount other than their acquisition-date fair values.

Exception to the recognition principle

Contingent liabilities

22 Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, defines a contingent liability as:

- (a) a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity; or
- (b) a present obligation that arises from past events but is not recognised because:
 - (i) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - (ii) the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability.

- 23 The requirements in Ind AS 37 do not apply in determining which contingent liabilities to recognise as of the acquisition date. Instead, the acquirer shall recognise as of the acquisition date a contingent liability assumed in a business combination if it is a present obligation that arises from past events and its fair value can be measured reliably. Therefore, contrary to Ind AS 37, the acquirer recognises a contingent liability assumed in a business combination at the acquisition date even if it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Paragraph 56 provides guidance on the subsequent accounting for contingent liabilities.

Exceptions to both the recognition and measurement principles

Income taxes

- 24 The acquirer shall recognise and measure a deferred tax asset or liability arising from the assets acquired and liabilities assumed in a business combination in accordance with Ind AS 12, *Income Taxes*.
- 25 The acquirer shall account for the potential tax effects of temporary differences and carryforwards of an acquiree that exist at the acquisition date or arise as a result of the acquisition in accordance with Ind AS 12.

Employee benefits

- 26 The acquirer shall recognise and measure a liability (or asset, if any) related to the acquiree's employee benefit arrangements in accordance with Ind AS 19, *Employee Benefits*.

Indemnification assets

- 27 The seller in a business combination may contractually indemnify the acquirer for the outcome of a contingency or uncertainty related to all or part of a specific asset or liability. For example, the seller may indemnify the acquirer against losses above a specified amount on a liability arising from a particular contingency; in other words, the seller will guarantee that the acquirer's liability will not exceed a specified amount. As a result, the acquirer obtains an indemnification asset. The acquirer shall recognise an indemnification asset at the same time that it recognises the indemnified item measured on the same basis as the indemnified item, subject to the need for a valuation allowance for uncollectible amounts. Therefore, if the indemnification relates to an asset or a liability that is recognised at the acquisition date and measured at its acquisition-date fair value, the acquirer shall recognise the indemnification asset at the acquisition date measured at its acquisition-date fair value. For an indemnification asset measured at fair value, the effects of uncertainty about future cash flows because of collectibility considerations are included in the fair value measure and a separate valuation allowance is not necessary (paragraph B41 provides related application guidance).
- 28 In some circumstances, the indemnification may relate to an asset or a liability that is an exception to the recognition or measurement principles. For example, an indemnification may relate to a contingent liability that is not recognised at the acquisition date because its fair value is not reliably measurable at that date. Alternatively, an indemnification may relate to an asset or a liability, for example, one that results from an employee benefit, that is measured on a basis other than acquisition-date fair value. In those circumstances, the indemnification asset shall be recognised and measured using assumptions consistent with those used to measure the indemnified item, subject to management's assessment of the collectibility of the indemnification asset and any contractual limitations on the indemnified amount. Paragraph 57 provides guidance on the subsequent accounting for an indemnification asset.

Exceptions to the measurement principle

Reacquired rights

- 29 The acquirer shall measure the value of a reacquired right recognised as an intangible asset on the basis of the remaining contractual term of the related contract regardless of whether market participants would consider potential contractual renewals when measuring its fair value. Paragraphs B35 and B36 provide related application guidance.

Share-based payment transactions

- 30 The acquirer shall measure a liability or an equity instrument related to share-based payment transactions of the acquiree or the replacement of an acquiree's share-based payment transactions with share-based payment transactions of the acquirer in accordance with the method in Ind AS 102, *Share-based Payment*, at the acquisition date. (This Ind AS refers to the result of that method as the 'market-based measure' of the share-based payment transaction.)

Assets held for sale

- 31 The acquirer shall measure an acquired non-current asset (or disposal group) that is classified as held for sale at the acquisition date in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, at fair value less costs to sell in accordance with paragraphs 15–18 of that Ind AS.

Recognising and measuring goodwill or a gain from a bargain purchase

- 32 **The acquirer shall recognise goodwill as of the acquisition date measured as the excess of (a) over (b) below:**

(a) the aggregate of:

- (i) the consideration transferred measured in accordance with this Ind AS, which generally requires acquisition-date fair value (see paragraph 37);
- (ii) the amount of any non-controlling interest in the acquiree measured in accordance with this Ind AS; and
- (iii) in a business combination achieved in stages (see paragraphs 41 and 42), the acquisition-date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree.

(b) the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed measured in accordance with this Ind AS.

- 33 In a business combination in which the acquirer and the acquiree (or its former owners) exchange only equity interests, the acquisition-date fair value of the acquiree's equity interests may be more reliably measurable than the acquisition-date fair value of the acquirer's equity interests. If so, the acquirer shall determine the amount of goodwill by using the acquisition-date fair value of the acquiree's equity interests instead of the acquisition-date fair value of the equity interests transferred. To determine the amount of goodwill in a business combination in which no consideration is transferred, the acquirer shall use the acquisition-date fair value of the acquirer's interest in the acquiree in place of the acquisition-date fair value of the consideration transferred (paragraph 32(a)(i)). Paragraphs B46–B49 provide related application guidance.

Bargain purchases

- 34 In extremely rare circumstances, an acquirer will make a bargain purchase in a business combination in which the amount in paragraph 32(b) exceeds the aggregate of the amounts specified in paragraph 32(a). If that excess remains after applying the requirements in paragraph 36, the acquirer shall recognise the resulting gain in other comprehensive income on the acquisition date and accumulate the same in equity as capital reserve. The gain shall be attributed to the acquirer.
- 35 A bargain purchase might happen, for example, in a business combination that is a forced sale in which the seller is acting under compulsion. However, the recognition or measurement exceptions for particular items discussed in paragraphs 22–31 may also result in recognising a gain (or change the amount of a recognised gain) on a bargain purchase.
- 36 Before recognising a gain on a bargain purchase, the acquirer shall determine whether there exists clear evidence of the underlying reasons for classifying the business combination as a bargain purchase. If such evidence exists, the acquirer shall reassess whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and shall recognise any additional assets or liabilities that are identified in that review. The acquirer shall then review the procedures used to measure the amounts this Ind AS requires to be recognised at the acquisition date for all of the following:
- (a) the identifiable assets acquired and liabilities assumed;
 - (b) the non-controlling interest in the acquiree, if any;
 - (c) for a business combination achieved in stages, the acquirer's previously held equity interest in the acquiree; and
 - (d) the consideration transferred.

The objective of the review is to ensure that the measurements appropriately reflect consideration of all available information as of the acquisition date.

- 36A If there does not exist clear evidence of the underlying reasons for classifying the business combination as a bargain purchase, the acquirer shall apply the requirements of reassessment and review described in paragraph 36. The excess, if any, as determined in accordance with paragraph 32 after applying the said requirements of paragraph 36, shall be recognised directly in equity as capital reserve.

Consideration transferred

- 37 The consideration transferred in a business combination shall be measured at fair value, which shall be calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the acquirer, the liabilities incurred by the acquirer to former owners of the acquiree and the equity interests issued by the acquirer. (However, any portion of the acquirer's share-based payment awards exchanged for awards held by the acquiree's employees that is included in consideration transferred in the business combination shall be measured in accordance with paragraph 30 rather than at fair value.) Examples of potential forms of consideration include cash, other assets, a business or a subsidiary of the acquirer, *contingent consideration*, ordinary or preference equity instruments, options, warrants and member interests of *mutual entities*.
- 38 The consideration transferred may include assets or liabilities of the acquirer that have carrying amounts that differ from their fair values at the acquisition date (for example, non-monetary assets or a business of the acquirer). If so, the acquirer shall remeasure the transferred assets or liabilities to their fair values as of the acquisition date and recognise the resulting gains or losses, if any, in profit or loss. However, sometimes the transferred assets or liabilities remain within the combined entity after the business combination (for example, because the assets or liabilities were transferred to the acquiree rather than to its former owners), and the acquirer therefore retains control of them. In that situation, the acquirer shall measure those assets and liabilities at their carrying amounts immediately before the acquisition date and shall not recognise a gain or loss in profit or loss on assets or liabilities it controls both before and after the business combination.

Contingent consideration

- 39 The consideration the acquirer transfers in exchange for the acquiree includes any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement (see paragraph 37). The acquirer shall recognise the acquisition-date fair value of contingent consideration as part of the consideration transferred in exchange for the acquiree.
- 40 The acquirer shall classify an obligation to pay contingent consideration that meets the definition of a financial instrument as a financial liability or as equity on the basis of the definitions of an equity instrument and a financial liability in paragraph 11 of Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*. The acquirer shall classify as an asset a right to the return of previously transferred consideration if specified conditions are met. Paragraph 58 provides guidance on the subsequent accounting for contingent consideration.

Additional guidance for applying the acquisition method to particular types of business combinations**A business combination achieved in stages**

- 41 An acquirer sometimes obtains control of an acquiree in which it held an equity interest immediately before the acquisition date. For example, on 31 December 20X1, Entity A holds a 35 per cent non-controlling equity interest in Entity B. On that date, Entity A purchases an additional 40 per cent interest in Entity B, which gives it control of Entity B. This Ind AS refers to such a transaction as a business combination achieved in stages, sometimes also referred to as a step acquisition.
- 42 In a business combination achieved in stages, the acquirer shall remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its acquisition-date fair value and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss or other comprehensive income, as appropriate. In prior reporting periods, the acquirer may have recognised changes in the value of its equity interest in the acquiree in other comprehensive income. If so, the amount that was recognised in other comprehensive income shall be recognised on the same basis as would be required if the acquirer had disposed directly of the previously held equity interest.

A business combination achieved without the transfer of consideration

- 43 An acquirer sometimes obtains control of an acquiree without transferring consideration. The acquisition method of accounting for a business combination applies to those combinations. Such circumstances include:
- (a) The acquiree repurchases a sufficient number of its own shares for an existing investor (the acquirer) to obtain control.
 - (b) Minority veto rights lapse that previously kept the acquirer from controlling an acquiree in which the acquirer held the majority voting rights.
 - (c) The acquirer and acquiree agree to combine their businesses by contract alone. The acquirer transfers no consideration in exchange for control of an acquiree and holds no equity interests in the acquiree, either on the acquisition date or previously. Examples of business combinations achieved by contract alone include bringing two businesses together in a stapling arrangement or forming a dual listed corporation.

- 44 In a business combination achieved by contract alone, the acquirer shall attribute to the owners of the acquiree the amount of the acquiree's net assets recognised in accordance with this Ind AS. In other words, the equity interests in the acquiree held by parties other than the acquirer are a non-controlling interest in the acquirer's post-combination financial statements even if the result is that all of the equity interests in the acquiree are attributed to the non-controlling interest.

Measurement period

- 45 **If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the acquirer shall report in its financial statements provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. During the measurement period, the acquirer shall retrospectively adjust the provisional amounts recognised at the acquisition date to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have affected the measurement of the amounts recognised as of that date. During the measurement period, the acquirer shall also recognise additional assets or liabilities if new information is obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date. The measurement period ends as soon as the acquirer receives the information it was seeking about facts and circumstances that existed as of the acquisition date or learns that more information is not obtainable. However, the measurement period shall not exceed one year from the acquisition date.**

- 46 The measurement period is the period after the acquisition date during which the acquirer may adjust the provisional amounts recognised for a business combination. The measurement period provides the acquirer with a reasonable time to obtain the information necessary to identify and measure the following as of the acquisition date in accordance with the requirements of this Ind AS:

- (a) the identifiable assets acquired, liabilities assumed and any non-controlling interest in the acquiree;
- (b) the consideration transferred for the acquiree (or the other amount used in measuring goodwill);
- (c) in a business combination achieved in stages, the equity interest in the acquiree previously held by the acquirer; and
- (d) the resulting goodwill or gain on a bargain purchase.

- 47 The acquirer shall consider all pertinent factors in determining whether information obtained after the acquisition date should result in an adjustment to the provisional amounts recognised or whether that information results from events that occurred after the acquisition date. Pertinent factors include the date when additional information is obtained and whether the acquirer can identify a reason for a change to provisional amounts. Information that is obtained shortly after the acquisition date is more likely to reflect circumstances that existed at the acquisition date than is information obtained several months later. For example, unless an intervening event that changed its fair value can be identified, the sale of an asset to a third party shortly after the acquisition date for an amount that differs significantly from its provisional fair value measured at that date is likely to indicate an error in the provisional amount.

- 48 The acquirer recognises an increase (decrease) in the provisional amount recognised for an identifiable asset (liability) by means of a decrease (increase) in goodwill. However, new information obtained during the measurement period may sometimes result in an adjustment to the provisional amount of more than one asset or liability. For example, the acquirer might have assumed a liability to pay damages related to an accident in one of the acquiree's facilities, part or all of which are covered by the acquiree's liability insurance policy. If the acquirer obtains new information during the measurement period about the acquisition-date fair value of that liability, the adjustment to goodwill resulting from a change to the provisional amount recognised for the liability would be offset (in whole or in part) by a corresponding adjustment to goodwill resulting from a change to the provisional amount recognised for the claim receivable from the insurer. If the adjustment results in reduction of goodwill and if the amount of adjustment exceeds the amount previously recognized as goodwill that excess shall be accounted for in accordance with paragraph 34 or paragraph 36A as applicable.

- 49 During the measurement period, the acquirer shall recognise adjustments to the provisional amounts as if the accounting for the business combination had been completed at the acquisition date. Thus, the acquirer shall revise comparative information for prior periods presented in financial statements as needed, including making any change in depreciation, amortisation or other income effects recognised in completing the initial accounting.

- 50 After the measurement period ends, the acquirer shall revise the accounting for a business combination only to correct an error in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.

Determining what is part of the business combination transaction

- 51 The acquirer and the acquiree may have a pre-existing relationship or other arrangement before negotiations for the business combination began, or they may enter into an arrangement during the negotiations that is separate from the business combination. In either situation, the acquirer shall identify any amounts that are not part of what the acquirer and the acquiree (or its former owners) exchanged in the business combination, ie amounts that are not part of the exchange for the acquiree. The acquirer shall recognise as part of applying the acquisition method only the consideration transferred for the acquiree and the assets acquired and liabilities assumed in the exchange for the acquiree. Separate transactions shall be accounted for in accordance with the relevant Ind AS.
- 52 A transaction entered into by or on behalf of the acquirer or primarily for the benefit of the acquirer or the combined entity, rather than primarily for the benefit of the acquiree (or its former owners) before the combination, is likely to be a separate transaction. The following are examples of separate transactions that are not to be included in applying the acquisition method:
- (a) a transaction that in effect settles pre-existing relationships between the acquirer and acquiree;
 - (b) a transaction that remunerates employees or former owners of the acquiree for future services; and
 - (c) a transaction that reimburses the acquiree or its former owners for paying the acquirer's acquisition-related costs.

Paragraphs B50-B62 provide related application guidance

Acquisition-related costs

- 53 Acquisition-related costs are costs the acquirer incurs to effect a business combination. Those costs include finder's fees; advisory, legal, accounting, valuation and other professional or consulting fees; general administrative costs, including the costs of maintaining an internal acquisitions department; and costs of registering and issuing debt and equity securities. The acquirer shall account for acquisition-related costs as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received, with one exception. The costs to issue debt or equity securities shall be recognised in accordance with Ind AS 32 and Ind AS 109.

Subsequent measurement and accounting

- 54 In general, an acquirer shall subsequently measure and account for assets acquired, liabilities assumed or incurred and equity instruments issued in a business combination in accordance with other applicable Ind ASs for those items, depending on their nature. However, this Ind AS provides guidance on subsequently measuring and accounting for the following assets acquired, liabilities assumed or incurred and equity instruments issued in a business combination:
- (a) reacquired rights;
 - (b) contingent liabilities recognised as of the acquisition date;
 - (c) indemnification assets; and
 - (d) contingent consideration.

Paragraph B63 provides related application guidance.

Reacquired rights

- 55 A reacquired right recognised as an intangible asset shall be amortised over the remaining contractual period of the contract in which the right was granted. An acquirer that subsequently sells a reacquired right to a third party shall include the carrying amount of the intangible asset in determining the gain or loss on the sale.

Contingent liabilities

- 56 After initial recognition and until the liability is settled, cancelled or expires, the acquirer shall measure a contingent liability recognised in a business combination at the higher of:
- (a) the amount that would be recognised in accordance with Ind AS 37; and
 - (b) the amount initially recognised less, if appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*.

This requirement does not apply to contracts accounted for in accordance with Ind AS 109.

Indemnification assets

- 57 At the end of each subsequent reporting period, the acquirer shall measure an indemnification asset that was recognised at the acquisition date on the same basis as the indemnified liability or asset, subject to any

contractual limitations on its amount and, for an indemnification asset that is not subsequently measured at its fair value, management's assessment of the collectibility of the indemnification asset. The acquirer shall derecognise the indemnification asset only when it collects the asset, sells it or otherwise loses the right to it.

Contingent consideration

58 Some changes in the fair value of contingent consideration that the acquirer recognises after the acquisition date may be the result of additional information that the acquirer obtained after that date about facts and circumstances that existed at the acquisition date. Such changes are measurement period adjustments in accordance with paragraphs 45–49. However, changes resulting from events after the acquisition date, such as meeting an earnings target, reaching a specified share price or reaching a milestone on a research and development project, are not measurement period adjustments. The acquirer shall account for changes in the fair value of contingent consideration that are not measurement period adjustments as follows:

- (a) Contingent consideration classified as equity shall not be remeasured and its subsequent settlement shall be accounted for within equity.
- (b) Other contingent consideration that:
 - (i) is within the scope of Ind AS 109 shall be measured at fair value at each reporting date and changes in fair value shall be recognised in profit or loss in accordance with Ind AS 109.
 - (ii) is not within the scope of Ind AS 109 shall be measured at fair value at each reporting date and changes in fair value shall be recognised in profit or loss.

Disclosures

59 **The acquirer shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the nature and financial effect of a business combination that occurs either:**

- (a) **during the current reporting period; or**
- (b) **after the end of the reporting period but before the financial statements are approved for issue.**

60 To meet the objective in paragraph 59, the acquirer shall disclose the information specified in paragraphs B64–B66.

61 **The acquirer shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the financial effects of adjustments recognised in the current reporting period that relate to business combinations that occurred in the period or previous reporting periods.**

62 To meet the objective in paragraph 61, the acquirer shall disclose the information specified in paragraph B67.

63 If the specific disclosures required by this and other Ind ASs do not meet the objectives set out in paragraphs 59 and 61, the acquirer shall disclose whatever additional information is necessary to meet those objectives.

Appendix A

Defined terms

This appendix is an integral part of the Ind AS.

acquiree	The business or businesses that the acquirer obtains control of in a business combination .
acquirer	The entity that obtains control of the acquiree .
acquisition date	The date on which the acquirer obtains control of the acquiree .
business	An integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing a return in the form of dividends, lower costs or other economic benefits directly to investors or other owners, members or participants.
business combination	A transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses . Transactions sometimes referred to as 'true mergers' or 'mergers of equals' are also business combinations as that term is used in this Ind AS.
contingent consideration	Usually, an obligation of the acquirer to transfer additional assets or equity interests to the former owners of an acquiree as part of the exchange for control of the acquiree if specified future events occur or conditions are met. However, <i>contingent consideration</i> also may give the acquirer the right to the return of previously transferred consideration if specified conditions are met.

equity interests	For the purposes of this Ind AS, <i>equity interests</i> is used broadly to mean ownership interests of investor-owned entities and owner, member or participant interests of mutual entities .
fair value	<i>Fair value</i> is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113.)
goodwill	An asset representing the future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognised.
identifiable	An asset is <i>identifiable</i> if it either: (a) is separable, ie capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented or exchanged, either individually or together with a related contract, identifiable asset or liability, regardless of whether the entity intends to do so; or (b) arises from contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are transferable or separable from the entity or from other rights and obligations.
intangible asset	An identifiable non-monetary asset without physical substance.
mutual entity	An entity, other than an investor-owned entity, that provides dividends, lower costs or other economic benefits directly to its owners , members or participants. For example, a mutual insurance company, a credit union and a co-operative entity are all mutual entities.
non-controlling interest owners	The equity in a subsidiary not attributable, directly or indirectly, to a parent. For the purposes of this Ind AS, <i>owners</i> is used broadly to include holders of equity interests of investor-owned entities and owners or members of, or participants in, mutual entities .

Appendix B

Application guidance

This appendix is an integral part of the Ind AS.

B1-B4 [Refer Appendix 1]

Identifying a business combination (application of paragraph 3)

- B5 This Ind AS defines a business combination as a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. An acquirer might obtain control of an acquiree in a variety of ways, for example:
- (a) by transferring cash, cash equivalents or other assets (including net assets that constitute a business);
 - (b) by incurring liabilities;
 - (c) by issuing equity interests;
 - (d) by providing more than one type of consideration; or
 - (e) without transferring consideration, including by contract alone (see paragraph 43).
- B6 A business combination may be structured in a variety of ways for legal, taxation or other reasons, which include but are not limited to:
- (a) one or more businesses become subsidiaries of an acquirer or the net assets of one or more businesses are legally merged into the acquirer;
 - (b) one combining entity transfers its net assets, or its owners transfer their equity interests, to another combining entity or its owners;
 - (c) all of the combining entities transfer their net assets, or the owners of those entities transfer their equity interests, to a newly formed entity (sometimes referred to as a roll-up or put-together transaction); or
 - (d) a group of former owners of one of the combining entities obtains control of the combined entity.

Definition of a business (application of paragraph 3)

- B7 A business consists of inputs and processes applied to those inputs that have the ability to create outputs. Although businesses usually have outputs, outputs are not required for an integrated set to qualify as a business. The three elements of a business are defined as follows:
- (a) **Input:** Any economic resource that creates, or has the ability to create, outputs when one or more processes are applied to it. Examples include non-current assets (including intangible assets or rights to use non-current assets), intellectual property, the ability to obtain access to necessary materials or rights and employees.
 - (b) **Process:** Any system, standard, protocol, convention or rule that when applied to an input or inputs, creates or has the ability to create outputs. Examples include strategic management processes, operational processes and resource management processes. These processes typically are documented, but an organised workforce having the necessary skills and experience following rules and conventions may provide the necessary processes that are capable of being applied to inputs to create outputs. (Accounting, billing, payroll and other administrative systems typically are not processes used to create outputs.)
 - (c) **Output:** The result of inputs and processes applied to those inputs that provide or have the ability to provide a return in the form of dividends, lower costs or other economic benefits directly to investors or other owners, members or participants.
- B8 To be capable of being conducted and managed for the purposes defined, an integrated set of activities and assets requires two essential elements—inputs and processes applied to those inputs, which together are or will be used to create outputs. However, a business need not include all of the inputs or processes that the seller used in operating that business if market participants are capable of acquiring the business and continuing to produce outputs, for example, by integrating the business with their own inputs and processes.
- B9 The nature of the elements of a business varies by industry and by the structure of an entity's operations (activities), including the entity's stage of development. Established businesses often have many different types of inputs, processes and outputs, whereas new businesses often have few inputs and processes and sometimes only a single output (product). Nearly all businesses also have liabilities, but a business need not have liabilities.
- B10 An integrated set of activities and assets in the development stage might not have outputs. If not, the acquirer should consider other factors to determine whether the set is a business. Those factors include, but are not limited to, whether the set:
- (a) has begun planned principal activities;
 - (b) has employees, intellectual property and other inputs and processes that could be applied to those inputs;
 - (c) is pursuing a plan to produce outputs; and
 - (d) will be able to obtain access to customers that will purchase the outputs.
- Not all of those factors need to be present for a particular integrated set of activities and assets in the development stage to qualify as a business.
- B11 Determining whether a particular set of assets and activities is a business should be based on whether the integrated set is capable of being conducted and managed as a business by a market participant. Thus, in evaluating whether a particular set is a business, it is not relevant whether a seller operated the set as a business or whether the acquirer intends to operate the set as a business.
- B12 In the absence of evidence to the contrary, a particular set of assets and activities in which goodwill is present shall be presumed to be a business. However, a business need not have goodwill.

Identifying the acquirer (application of paragraphs 6 and 7)

- B13 The guidance in Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, shall be used to identify the acquirer—the entity that obtains control of the acquiree. If a business combination has occurred but applying the guidance in Ind AS 110 does not clearly indicate which of the combining entities is the acquirer, the factors in paragraphs B14–B18 shall be considered in making that determination.
- B14 In a business combination effected primarily by transferring cash or other assets or by incurring liabilities, the acquirer is usually the entity that transfers the cash or other assets or incurs the liabilities.

- B15 In a business combination effected primarily by exchanging equity interests, the acquirer is usually the entity that issues its equity interests. However, in some business combinations, commonly called 'reverse acquisitions', the issuing entity is the acquiree. Paragraphs B19–B27 provide guidance on accounting for reverse acquisitions. Other pertinent facts and circumstances shall also be considered in identifying the acquirer in a business combination effected by exchanging equity interests, including:
- (a) *the relative voting rights in the combined entity after the business combination*—The acquirer is usually the combining entity whose owners as a group retain or receive the largest portion of the voting rights in the combined entity. In determining which group of owners retains or receives the largest portion of the voting rights, an entity shall consider the existence of any unusual or special voting arrangements and options, warrants or convertible securities.
 - (b) *the existence of a large minority voting interest in the combined entity if no other owner or organised group of owners has a significant voting interest*—The acquirer is usually the combining entity whose single owner or organised group of owners holds the largest minority voting interest in the combined entity.
 - (c) *the composition of the governing body of the combined entity*—The acquirer is usually the combining entity whose owners have the ability to elect or appoint or to remove a majority of the members of the governing body of the combined entity.
 - (d) *the composition of the senior management of the combined entity*—The acquirer is usually the combining entity whose (former) management dominates the management of the combined entity.
 - (e) *the terms of the exchange of equity interests*—The acquirer is usually the combining entity that pays a premium over the pre-combination fair value of the equity interests of the other combining entity or entities.
- B16 The acquirer is usually the combining entity whose relative size (measured in, for example, assets, revenues or profit) is significantly greater than that of the other combining entity or entities.
- B17 In a business combination involving more than two entities, determining the acquirer shall include a consideration of, among other things, which of the combining entities initiated the combination, as well as the relative size of the combining entities.
- B18 A new entity formed to effect a business combination is not necessarily the acquirer. If a new entity is formed to issue equity interests to effect a business combination, one of the combining entities that existed before the business combination shall be identified as the acquirer by applying the guidance in paragraphs B13–B17. In contrast, a new entity that transfers cash or other assets or incurs liabilities as consideration may be the acquirer.

Reverse acquisitions

- B19 A reverse acquisition occurs when the entity that issues securities (the legal acquirer) is identified as the acquiree for accounting purposes on the basis of the guidance in paragraphs B13–B18. The entity whose equity interests are acquired (the legal acquiree) must be the acquirer for accounting purposes for the transaction to be considered a reverse acquisition. For example, reverse acquisitions sometimes occur when a private operating entity wants to become a public entity but does not want to register its equity shares. To accomplish that, the private entity will arrange for a public entity to acquire its equity interests in exchange for the equity interests of the public entity. In this example, the public entity is the **legal acquirer** because it issued its equity interests, and the private entity is the **legal acquiree** because its equity interests were acquired. However, application of the guidance in paragraphs B13–B18 results in identifying:

- (a) the public entity as the **acquiree** for accounting purposes (the accounting acquiree); and
- (b) the private entity as the **acquirer** for accounting purposes (the accounting acquirer).

The accounting acquiree must meet the definition of a business for the transaction to be accounted for as a reverse acquisition, and all of the recognition and measurement principles in this Ind AS, including the requirement to recognise goodwill, apply.

Measuring the consideration transferred

- B20 In a reverse acquisition, the accounting acquirer usually issues no consideration for the acquiree. Instead, the accounting acquiree usually issues its equity shares to the owners of the accounting acquirer. Accordingly, the acquisition-date fair value of the consideration transferred by the accounting acquirer for its interest in the accounting acquiree is based on the number of equity interests the legal subsidiary would have had to issue to give the owners of the legal parent the same percentage equity interest in the combined entity that results from

the reverse acquisition. The fair value of the number of equity interests calculated in that way can be used as the fair value of consideration transferred in exchange for the acquiree.

Preparation and presentation of consolidated financial statements

- B21 Consolidated financial statements prepared following a reverse acquisition are issued under the name of the legal parent (accounting acquiree) but described in the notes as a continuation of the financial statements of the legal subsidiary (accounting acquirer), with one adjustment, which is to adjust retroactively the accounting acquirer's legal capital to reflect the legal capital of the accounting acquiree. That adjustment is required to reflect the capital of the legal parent (the accounting acquiree). Comparative information presented in those consolidated financial statements also is retroactively adjusted to reflect the legal capital of the legal parent (accounting acquiree).
- B22 Because the consolidated financial statements represent the continuation of the financial statements of the legal subsidiary except for its capital structure, the consolidated financial statements reflect:
- the assets and liabilities of the legal subsidiary (the accounting acquirer) recognised and measured at their pre-combination carrying amounts.
 - the assets and liabilities of the legal parent (the accounting acquiree) recognised and measured in accordance with this Ind AS.
 - the retained earnings and other equity balances of the legal subsidiary (accounting acquirer) **before** the business combination.
 - the amount recognised as issued equity interests in the consolidated financial statements determined by adding the issued equity interest of the legal subsidiary (the accounting acquirer) outstanding immediately before the business combination to the fair value of the legal parent (accounting acquiree). However, the equity structure (ie the number and type of equity interests issued) reflects the equity structure of the legal parent (the accounting acquiree), including the equity interests the legal parent issued to effect the combination. Accordingly, the equity structure of the legal subsidiary (the accounting acquirer) is restated using the exchange ratio established in the acquisition agreement to reflect the number of shares of the legal parent (the accounting acquiree) issued in the reverse acquisition.
 - the non-controlling interest's proportionate share of the legal subsidiary's (accounting acquirer's) pre-combination carrying amounts of retained earnings and other equity interests as discussed in paragraphs B23 and B24.

Non-controlling interest

- B23 In a reverse acquisition, some of the owners of the legal acquiree (the accounting acquirer) might not exchange their equity interests for equity interests of the legal parent (the accounting acquiree). Those owners are treated as a non-controlling interest in the consolidated financial statements after the reverse acquisition. That is because the owners of the legal acquiree that do not exchange their equity interests for equity interests of the legal acquirer have an interest in only the results and net assets of the legal acquiree—not in the results and net assets of the combined entity. Conversely, even though the legal acquirer is the acquiree for accounting purposes, the owners of the legal acquirer have an interest in the results and net assets of the combined entity.
- B24 The assets and liabilities of the legal acquiree are measured and recognised in the consolidated financial statements at their pre-combination carrying amounts (see paragraph B22(a)). Therefore, in a reverse acquisition the non-controlling interest reflects the non-controlling shareholders' proportionate interest in the pre-combination carrying amounts of the legal acquiree's net assets even if the non-controlling interests in other acquisitions are measured at their fair value at the acquisition date.

Earnings per share

- B25 As noted in paragraph B22(d), the equity structure in the consolidated financial statements following a reverse acquisition reflects the equity structure of the legal acquirer (the accounting acquiree), including the equity interests issued by the legal acquirer to effect the business combination.
- B26 In calculating the weighted average number of ordinary shares² outstanding (the denominator of the earnings per share calculation) during the period in which the reverse acquisition occurs:

² In Indian context, the term 'ordinary shares' is equivalent to 'equity shares'.

- (a) the number of ordinary shares outstanding from the beginning of that period to the acquisition date shall be computed on the basis of the weighted average number of ordinary shares of the legal acquiree (accounting acquirer) outstanding during the period multiplied by the exchange ratio established in the merger agreement; and
 - (b) the number of ordinary shares outstanding from the acquisition date to the end of that period shall be the actual number of ordinary shares of the legal acquirer (the accounting acquiree) outstanding during that period.
- B27 The basic earnings per share for each comparative period before the acquisition date presented in the consolidated financial statements following a reverse acquisition shall be calculated by dividing:
- (a) the profit or loss of the legal acquiree attributable to ordinary shareholders in each of those periods by
 - (b) the legal acquiree's historical weighted average number of ordinary shares outstanding multiplied by the exchange ratio established in the acquisition agreement.

Recognising particular assets acquired and liabilities assumed (application of paragraphs 10–13)

Operating leases

- B28 The acquirer shall recognise no assets or liabilities related to an operating lease in which the acquiree is the lessee except as required by paragraphs B29 and B30.
- B29 The acquirer shall determine whether the terms of each operating lease in which the acquiree is the lessee are favourable or unfavourable. The acquirer shall recognise an intangible asset if the terms of an operating lease are favourable relative to market terms and a liability if the terms are unfavourable relative to market terms. Paragraph B42 provides guidance on measuring the acquisition-date fair value of assets subject to operating leases in which the acquiree is the lessor.
- B30 An identifiable intangible asset may be associated with an operating lease, which may be evidenced by market participants' willingness to pay a price for the lease even if it is at market terms. For example, a lease of gates at an airport or of retail space in a prime shopping area might provide entry into a market or other future economic benefits that qualify as identifiable intangible assets, for example, as a customer relationship. In that situation, the acquirer shall recognise the associated identifiable intangible asset(s) in accordance with paragraph B31.

Intangible assets

- B31 The acquirer shall recognise, separately from goodwill, the identifiable intangible assets acquired in a business combination. An intangible asset is identifiable if it meets either the separability criterion or the contractual-legal criterion.
- B32 An intangible asset that meets the contractual-legal criterion is identifiable even if the asset is not transferable or separable from the acquiree or from other rights and obligations. For example:
- (a) an acquiree leases a manufacturing facility under an operating lease that has terms that are favourable relative to market terms. The lease terms explicitly prohibit transfer of the lease (through either sale or sublease). The amount by which the lease terms are favourable compared with the terms of current market transactions for the same or similar items is an intangible asset that meets the contractual-legal criterion for recognition separately from goodwill, even though the acquirer cannot sell or otherwise transfer the lease contract.
 - (b) an acquiree owns and operates a nuclear power plant. The licence to operate that power plant is an intangible asset that meets the contractual-legal criterion for recognition separately from goodwill, even if the acquirer cannot sell or transfer it separately from the acquired power plant. An acquirer may recognise the fair value of the operating licence and the fair value of the power plant as a single asset for financial reporting purposes if the useful lives of those assets are similar.
 - (c) an acquiree owns a technology patent. It has licensed that patent to others for their exclusive use outside the domestic market, receiving a specified percentage of future foreign revenue in exchange. Both the technology patent and the related licence agreement meet the contractual-legal criterion for recognition separately from goodwill even if selling or exchanging the patent and the related licence agreement separately from one another would not be practical.
- B33 The separability criterion means that an acquired intangible asset is capable of being separated or divided from the acquiree and sold, transferred, licensed, rented or exchanged, either individually or together with a related contract, identifiable asset or liability. An intangible asset that the acquirer would be able to sell,

license or otherwise exchange for something else of value meets the separability criterion even if the acquirer does not intend to sell, license or otherwise exchange it. An acquired intangible asset meets the separability criterion if there is evidence of exchange transactions for that type of asset or an asset of a similar type, even if those transactions are infrequent and regardless of whether the acquirer is involved in them. For example, customer and subscriber lists are frequently licensed and thus meet the separability criterion. Even if an acquiree believes its customer lists have characteristics different from other customer lists, the fact that customer lists are frequently licensed generally means that the acquired customer list meets the separability criterion. However, a customer list acquired in a business combination would not meet the separability criterion if the terms of confidentiality or other agreements prohibit an entity from selling, leasing or otherwise exchanging information about its customers.

B34 An intangible asset that is not individually separable from the acquiree or combined entity meets the separability criterion if it is separable in combination with a related contract, identifiable asset or liability. For example:

- (a) market participants exchange deposit liabilities and related depositor relationship intangible assets in observable exchange transactions. Therefore, the acquirer should recognise the depositor relationship intangible asset separately from goodwill.
- (b) an acquiree owns a registered trademark and documented but unpatented technical expertise used to manufacture the trademarked product. To transfer ownership of a trademark, the owner is also required to transfer everything else necessary for the new owner to produce a product or service indistinguishable from that produced by the former owner. Because the unpatented technical expertise must be separated from the acquiree or combined entity and sold if the related trademark is sold, it meets the separability criterion.

Reacquired rights

B35 As part of a business combination, an acquirer may reacquire a right that it had previously granted to the acquiree to use one or more of the acquirer's recognised or unrecognised assets. Examples of such rights include a right to use the acquirer's trade name under a franchise agreement or a right to use the acquirer's technology under a technology licensing agreement. A reacquired right is an identifiable intangible asset that the acquirer recognises separately from goodwill. Paragraph 29 provides guidance on measuring a reacquired right and paragraph 55 provides guidance on the subsequent accounting for a reacquired right.

B36 If the terms of the contract giving rise to a reacquired right are favourable or unfavourable relative to the terms of current market transactions for the same or similar items, the acquirer shall recognise a settlement gain or loss. Paragraph B52 provides guidance for measuring that settlement gain or loss.

Assembled workforce and other items that are not identifiable

B37 The acquirer subsumes into goodwill the value of an acquired intangible asset that is not identifiable as of the acquisition date. For example, an acquirer may attribute value to the existence of an assembled workforce, which is an existing collection of employees that permits the acquirer to continue to operate an acquired business from the acquisition date. An assembled workforce does not represent the intellectual capital of the skilled workforce—the (often specialised) knowledge and experience that employees of an acquiree bring to their jobs. Because the assembled workforce is not an identifiable asset to be recognised separately from goodwill, any value attributed to it is subsumed into goodwill.

B38 The acquirer also subsumes into goodwill any value attributed to items that do not qualify as assets at the acquisition date. For example, the acquirer might attribute value to potential contracts the acquiree is negotiating with prospective new customers at the acquisition date. Because those potential contracts are not themselves assets at the acquisition date, the acquirer does not recognise them separately from goodwill. The acquirer should not subsequently reclassify the value of those contracts from goodwill for events that occur after the acquisition date. However, the acquirer should assess the facts and circumstances surrounding events occurring shortly after the acquisition to determine whether a separately recognisable intangible asset existed at the acquisition date.

B39 After initial recognition, an acquirer accounts for intangible assets acquired in a business combination in accordance with the provisions of Ind AS 38, *Intangible Assets*. However, as described in paragraph 3 of Ind AS 38, the accounting for some acquired intangible assets after initial recognition is prescribed by other Ind ASs.

B40 The identifiability criteria determine whether an intangible asset is recognised separately from goodwill. However, the criteria neither provide guidance for measuring the fair value of an intangible asset nor restrict

the assumptions used in measuring the fair value of an intangible asset. For example, the acquirer would take into account the assumptions that market participants would use when pricing the intangible asset, such as expectations of future contract renewals, in measuring fair value. It is not necessary for the renewals themselves to meet the identifiability criteria. (However, see paragraph 29, which establishes an exception to the fair value measurement principle for reacquired rights recognised in a business combination.) Paragraphs 36 and 37 of Ind AS 38 provide guidance for determining whether intangible assets should be combined into a single unit of account with other intangible or tangible assets.

Measuring the fair value of particular identifiable assets and a non-controlling interest in an acquiree (application of paragraphs 18 and 19)

Assets with uncertain cash flows (valuation allowances)

- B41 The acquirer shall not recognise a separate valuation allowance as of the acquisition date for assets acquired in a business combination that are measured at their acquisition-date fair values because the effects of uncertainty about future cash flows are included in the fair value measure. For example, because this Ind AS requires the acquirer to measure acquired receivables, including loans, at their acquisition-date fair values in accounting for a business combination, the acquirer does not recognise a separate valuation allowance for the contractual cash flows that are deemed to be uncollectible at that date or a loss allowance for expected credit losses.

Assets subject to operating leases in which the acquiree is the lessor

- B42 In measuring the acquisition-date fair value of an asset such as a building or a patent that is subject to an operating lease in which the acquiree is the lessor, the acquirer shall take into account the terms of the lease. In other words, the acquirer does not recognise a separate asset or liability if the terms of an operating lease are either favourable or unfavourable when compared with market terms as paragraph B29 requires for leases in which the acquiree is the lessee.

Assets that the acquirer intends not to use or to use in a way that is different from the way other market participants would use them

- B43 To protect its competitive position, or for other reasons, the acquirer may intend not to use an acquired non-financial asset actively, or it may not intend to use the asset according to its highest and best use. For example, that might be the case for an acquired research and development intangible asset that the acquirer plans to use defensively by preventing others from using it. Nevertheless, the acquirer shall measure the fair value of the non-financial asset assuming its highest and best use by market participants in accordance with the appropriate valuation premise, both initially and when measuring fair value less costs of disposal for subsequent impairment testing.

Non-controlling interest in an acquiree

- B44 This Ind AS allows the acquirer to measure a non-controlling interest in the acquiree at its fair value at the acquisition date. Sometimes an acquirer will be able to measure the acquisition-date fair value of a non-controlling interest on the basis of a quoted price in an active market for the equity shares (ie those not held by the acquirer). In other situations, however, a quoted price in an active market for the equity shares will not be available. In those situations, the acquirer would measure the fair value of the non-controlling interest using other valuation techniques.
- B45 The fair values of the acquirer's interest in the acquiree and the non-controlling interest on a per-share basis might differ. The main difference is likely to be the inclusion of a control premium in the per-share fair value of the acquirer's interest in the acquiree or, conversely, the inclusion of a discount for lack of control (also referred to as a non-controlling interest discount) in the per-share fair value of the non-controlling interest if market participants would take into account such a premium or discount when pricing the non-controlling interest.

Measuring goodwill or a gain from a bargain purchase

Measuring the acquisition-date fair value of the acquirer's interest in the acquiree using valuation techniques (application of paragraph 33)

- B46 In a business combination achieved without the transfer of consideration, the acquirer must substitute the acquisition-date fair value of its interest in the acquiree for the acquisition-date fair value of the consideration transferred to measure goodwill or a gain on a bargain purchase (see paragraphs 32–34 and 36A).

Special considerations in applying the acquisition method to combinations of mutual entities (application of paragraph 33)

- B47 When two mutual entities combine, the fair value of the equity or member interests in the acquiree (or the fair value of the acquiree) may be more reliably measurable than the fair value of the member interests transferred by the acquirer. In that situation, paragraph 33 requires the acquirer to determine the amount of goodwill by using the acquisition-date fair value of the acquiree's equity interests instead of the acquisition-date fair value of the acquirer's equity interests transferred as consideration. In addition, the acquirer in a combination of mutual entities shall recognise the acquiree's net assets as a direct addition to capital or equity in its balance sheet, not as an addition to retained earnings, which is consistent with the way in which other types of entities apply the acquisition method.
- B48 Although they are similar in many ways to other businesses, mutual entities have distinct characteristics that arise primarily because their members are both customers and owners. Members of mutual entities generally expect to receive benefits for their membership, often in the form of reduced fees charged for goods and services or patronage dividends. The portion of patronage dividends allocated to each member is often based on the amount of business the member did with the mutual entity during the year.
- B49 A fair value measurement of a mutual entity should include the assumptions that market participants would make about future member benefits as well as any other relevant assumptions market participants would make about the mutual entity. For example, a present value technique may be used to measure the fair value of a mutual entity. The cash flows used as inputs to the model should be based on the expected cash flows of the mutual entity, which are likely to reflect reductions for member benefits, such as reduced fees charged for goods and services.

Determining what is part of the business combination transaction (application of paragraphs 51 and 52)

- B50 The acquirer should consider the following factors, which are neither mutually exclusive nor individually conclusive, to determine whether a transaction is part of the exchange for the acquiree or whether the transaction is separate from the business combination:
- (a) **the reasons for the transaction**—Understanding the reasons why the parties to the combination (the acquirer and the acquiree and their owners, directors and managers—and their agents) entered into a particular transaction or arrangement may provide insight into whether it is part of the consideration transferred and the assets acquired or liabilities assumed. For example, if a transaction is arranged primarily for the benefit of the acquirer or the combined entity rather than primarily for the benefit of the acquiree or its former owners before the combination, that portion of the transaction price paid (and any related assets or liabilities) is less likely to be part of the exchange for the acquiree. Accordingly, the acquirer would account for that portion separately from the business combination.
 - (b) **who initiated the transaction**—Understanding who initiated the transaction may also provide insight into whether it is part of the exchange for the acquiree. For example, a transaction or other event that is initiated by the acquirer may be entered into for the purpose of providing future economic benefits to the acquirer or combined entity with little or no benefit received by the acquiree or its former owners before the combination. On the other hand, a transaction or arrangement initiated by the acquiree or its former owners is less likely to be for the benefit of the acquirer or the combined entity and more likely to be part of the business combination transaction.
 - (d) **the timing of the transaction**—The timing of the transaction may also provide insight into whether it is part of the exchange for the acquiree. For example, a transaction between the acquirer and the acquiree that takes place during the negotiations of the terms of a business combination may have been entered into in contemplation of the business combination to provide future economic benefits to the acquirer or the combined entity. If so, the acquiree or its former owners before the business combination are likely to receive little or no benefit from the transaction except for benefits they receive as part of the combined entity.

Effective settlement of a pre-existing relationship between the acquirer and acquiree in a business combination (application of paragraph 52(a))

- B51 The acquirer and acquiree may have a relationship that existed before they contemplated the business combination, referred to here as a 'pre-existing relationship'. A pre-existing relationship between the acquirer and acquiree may be contractual (for example, vendor and customer or licensor and licensee) or non-contractual (for example, plaintiff and defendant).
- B52 If the business combination in effect settles a pre-existing relationship, the acquirer recognises a gain or loss, measured as follows:
- (a) for a pre-existing non-contractual relationship (such as a lawsuit), fair value.

- (b) for a pre-existing contractual relationship, the lesser of (i) and (ii):
- (i) the amount by which the contract is favourable or unfavourable from the perspective of the acquirer when compared with terms for current market transactions for the same or similar items. (An unfavourable contract is a contract that is unfavourable in terms of current market terms. It is not necessarily an onerous contract in which the unavoidable costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected to be received under it.)
 - (ii) the amount of any stated settlement provisions in the contract available to the counterparty to whom the contract is unfavourable.

If (ii) is less than (i), the difference is included as part of the business combination accounting.

The amount of gain or loss recognised may depend in part on whether the acquirer had previously recognised a related asset or liability, and the reported gain or loss therefore may differ from the amount calculated by applying the above requirements.

- B53 A pre-existing relationship may be a contract that the acquirer recognises as a reacquired right. If the contract includes terms that are favourable or unfavourable when compared with pricing for current market transactions for the same or similar items, the acquirer recognises, separately from the business combination, a gain or loss for the effective settlement of the contract, measured in accordance with paragraph B52.

Arrangements for contingent payments to employees or selling shareholders (application of paragraph 52(b))

- B54 Whether arrangements for contingent payments to employees or selling shareholders are contingent consideration in the business combination or are separate transactions depends on the nature of the arrangements. Understanding the reasons why the acquisition agreement includes a provision for contingent payments, who initiated the arrangement and when the parties entered into the arrangement may be helpful in assessing the nature of the arrangement.

- B55 If it is not clear whether an arrangement for payments to employees or selling shareholders is part of the exchange for the acquiree or is a transaction separate from the business combination, the acquirer should consider the following indicators:

- (a) *Continuing employment*—The terms of continuing employment by the selling shareholders who become key employees may be an indicator of the substance of a contingent consideration arrangement. The relevant terms of continuing employment may be included in an employment agreement, acquisition agreement or some other document. A contingent consideration arrangement in which the payments are automatically forfeited if employment terminates is remuneration for post-combination services. Arrangements in which the contingent payments are not affected by employment termination may indicate that the contingent payments are additional consideration rather than remuneration.
- (b) *Duration of continuing employment*—If the period of required employment coincides with or is longer than the contingent payment period, that fact may indicate that the contingent payments are, in substance, remuneration.
- (c) *Level of remuneration*—Situations in which employee remuneration other than the contingent payments is at a reasonable level in comparison with that of other key employees in the combined entity may indicate that the contingent payments are additional consideration rather than remuneration.
- (d) *Incremental payments to employees*—If selling shareholders who do not become employees receive lower contingent payments on a per-share basis than the selling shareholders who become employees of the combined entity, that fact may indicate that the incremental amount of contingent payments to the selling shareholders who become employees is remuneration.
- (e) *Number of shares owned*—The relative number of shares owned by the selling shareholders who remain as key employees may be an indicator of the substance of the contingent consideration arrangement. For example, if the selling shareholders who owned substantially all of the shares in the acquiree continue as key employees, that fact may indicate that the arrangement is, in substance, a profit-sharing arrangement intended to provide remuneration for post-combination services. Alternatively, if selling shareholders who continue as key employees owned only a small number of shares of the acquiree and all selling shareholders receive the same amount of contingent consideration on a per-share basis, that fact may indicate that the contingent payments are additional consideration.

The pre-acquisition ownership interests held by parties related to selling shareholders who continue as key employees, such as family members, should also be considered.

- (f) *Linkage to the valuation*—If the initial consideration transferred at the acquisition date is based on the low end of a range established in the valuation of the acquiree and the contingent formula relates to that valuation approach, that fact may suggest that the contingent payments are additional consideration. Alternatively, if the contingent payment formula is consistent with prior profit-sharing arrangements, that fact may suggest that the substance of the arrangement is to provide remuneration.
- (g) *Formula for determining consideration*—The formula used to determine the contingent payment may be helpful in assessing the substance of the arrangement. For example, if a contingent payment is determined on the basis of a multiple of earnings, that might suggest that the obligation is contingent consideration in the business combination and that the formula is intended to establish or verify the fair value of the acquiree. In contrast, a contingent payment that is a specified percentage of earnings might suggest that the obligation to employees is a profit-sharing arrangement to remunerate employees for services rendered.
- (h) *Other agreements and issues*—The terms of other arrangements with selling shareholders (such as agreements not to compete, executory contracts, consulting contracts and property lease agreements) and the income tax treatment of contingent payments may indicate that contingent payments are attributable to something other than consideration for the acquiree. For example, in connection with the acquisition, the acquirer might enter into a property lease arrangement with a significant selling shareholder. If the lease payments specified in the lease contract are significantly below market, some or all of the contingent payments to the lessor (the selling shareholder) required by a separate arrangement for contingent payments might be, in substance, payments for the use of the leased property that the acquirer should recognise separately in its post-combination financial statements. In contrast, if the lease contract specifies lease payments that are consistent with market terms for the leased property, the arrangement for contingent payments to the selling shareholder may be contingent consideration in the business combination.

Acquirer share-based payment awards exchanged for awards held by the acquiree's employees (application of paragraph 52(b))

- B56 An acquirer may exchange its share-based payment awards³ (replacement awards) for awards held by employees of the acquiree. Exchanges of share options or other share-based payment awards in conjunction with a business combination are accounted for as modifications of share-based payment awards in accordance with Ind AS 102, *Share-based Payment*. If the acquirer replaces the acquiree awards, either all or a portion of the market-based measure of the acquirer's replacement awards shall be included in measuring the consideration transferred in the business combination. Paragraphs B57-B62 provide guidance on how to allocate the market-based measure.

However, in situations in which acquiree awards would expire as a consequence of a business combination and if the acquirer replaces those awards when it is not obliged to do so, all of the market-based measure of the replacement awards shall be recognised as remuneration cost in the post-combination financial statements in accordance with Ind AS 102. That is to say, none of the market-based measure of those awards shall be included in measuring the consideration transferred in the business combination. The acquirer is obliged to replace the acquiree awards if the acquiree or its employees have the ability to enforce replacement. For example, for the purposes of applying this guidance, the acquirer is obliged to replace the acquiree's awards if replacement is required by:

- (a) the terms of the acquisition agreement;
- (b) the terms of the acquiree's awards; or
- (c) applicable laws or regulations.

- B57 To determine the portion of a replacement award that is part of the consideration transferred for the acquiree and the portion that is remuneration for post-combination service, the acquirer shall measure both the replacement awards granted by the acquirer and the acquiree awards as of the acquisition date in accordance with Ind AS 102. The portion of the market-based measure of the replacement award that is part of the consideration transferred in exchange for the acquiree equals the portion of the acquiree award that is attributable to pre-combination service.

³ In paragraphs B56-B62 the term 'share-based payment awards' refers to vested or unvested share-based payment transactions.

- B58 The portion of the replacement award attributable to pre-combination service is the market-based measure of the acquiree award multiplied by the ratio of the portion of the vesting period completed to the greater of the total vesting period or the original vesting period of the acquiree award. The vesting period is the period during which all the specified vesting conditions are to be satisfied. Vesting conditions are defined in Ind AS 102.
- B59 The portion of a non-vested replacement award attributable to post-combination service, and therefore recognised as remuneration cost in the post-combination financial statements, equals the total market-based measure of the replacement award less the amount attributed to pre-combination service. Therefore, the acquirer attributes any excess of the market-based measure of the replacement award over the market-based measure of the acquiree award to post-combination service and recognises that excess as remuneration cost in the post-combination financial statements. The acquirer shall attribute a portion of a replacement award to post-combination service if it requires post-combination service, regardless of whether employees had rendered all of the service required for their acquiree awards to vest before the acquisition date.
- B60 The portion of a non-vested replacement award attributable to pre-combination service, as well as the portion attributable to post-combination service, shall reflect the best available estimate of the number of replacement awards expected to vest. For example, if the market-based measure of the portion of a replacement award attributed to pre-combination service is Rs 100 and the acquirer expects that only 95 per cent of the award will vest, the amount included in consideration transferred in the business combination is Rs 95. Changes in the estimated number of replacement awards expected to vest are reflected in remuneration cost for the periods in which the changes or forfeitures occur not as adjustments to the consideration transferred in the business combination. Similarly, the effects of other events, such as modifications or the ultimate outcome of awards with performance conditions, that occur after the acquisition date are accounted for in accordance with Ind AS 102 in determining remuneration cost for the period in which an event occurs.
- B61 The same requirements for determining the portions of a replacement award attributable to pre-combination and post-combination service apply regardless of whether a replacement award is classified as a liability or as an equity instrument in accordance with the provisions of Ind AS 102. All changes in the market-based measure of awards classified as liabilities after the acquisition date and the related income tax effects are recognised in the acquirer's post-combination financial statements in the period(s) in which the changes occur.
- B62 The income tax effects of replacement awards of share-based payments shall be recognised in accordance with the provisions of Ind AS 12, *Income Taxes*.

Equity-settled share-based payment transactions of the acquiree

- B62A The acquiree may have outstanding share-based payment transactions that the acquirer does not exchange for its share-based payment transactions. If vested, those acquiree share-based payment transactions are part of the non-controlling interest in the acquiree and are measured at their market-based measure. If unvested, they are measured at their market-based measure as if the acquisition date were the grant date in accordance with paragraphs 19 and 30.
- B62B The market-based measure of unvested share-based payment transactions is allocated to the non-controlling interest on the basis of the ratio of the portion of the vesting period completed to the greater of the total vesting period and the original vesting period of the share-based payment transaction. The balance is allocated to post-combination service.

Other Ind ASs that provide guidance on subsequent measurement and accounting (application of paragraph 54)

- B63 Examples of other Ind ASs that provide guidance on subsequently measuring and accounting for assets acquired and liabilities assumed or incurred in a business combination include:
- Ind AS 38 prescribes the accounting for identifiable intangible assets acquired in a business combination. The acquirer measures goodwill at the amount recognised at the acquisition date less any accumulated impairment losses. Ind AS 36, *Impairment of Assets*, prescribes the accounting for impairment losses.
 - Ind AS 104, *Insurance Contracts*, provides guidance on the subsequent accounting for an insurance contract acquired in a business combination.
 - Ind AS 12 prescribes the subsequent accounting for deferred tax assets (including unrecognised deferred tax assets) and liabilities acquired in a business combination.

- (d) Ind AS 102 provides guidance on subsequent measurement and accounting for the portion of replacement share-based payment awards issued by an acquirer that is attributable to employees' future services.
- (e) Ind AS 110 provides guidance on accounting for changes in a parent's ownership interest in a subsidiary after control is obtained.

Disclosures (application of paragraphs 59 and 61)

B64 To meet the objective in paragraph 59, the acquirer shall disclose the following information for each business combination that occurs during the reporting period:

- (a) the name and a description of the acquiree.
- (b) the acquisition date.
- (c) the percentage of voting equity interests acquired.
- (d) the primary reasons for the business combination and a description of how the acquirer obtained control of the acquiree.
- (e) a qualitative description of the factors that make up the goodwill recognised, such as expected synergies from combining operations of the acquiree and the acquirer, intangible assets that do not qualify for separate recognition or other factors.
- (f) the acquisition-date fair value of the total consideration transferred and the acquisition-date fair value of each major class of consideration, such as:
 - (i) cash;
 - (ii) other tangible or intangible assets, including a business or subsidiary of the acquirer;
 - (iii) liabilities incurred, for example, a liability for contingent consideration; and
 - (iv) equity interests of the acquirer, including the number of instruments or interests issued or issuable and the method of measuring the fair value of those instruments or interests.
- (g) for contingent consideration arrangements and indemnification assets:
 - (i) the amount recognised as of the acquisition date;
 - (ii) a description of the arrangement and the basis for determining the amount of the payment; and
 - (iii) an estimate of the range of outcomes (undiscounted) or, if a range cannot be estimated, that fact and the reasons why a range cannot be estimated. If the maximum amount of the payment is unlimited, the acquirer shall disclose that fact.
- (h) for acquired receivables:
 - (i) the fair value of the receivables;
 - (ii) the gross contractual amounts receivable; and
 - (iii) the best estimate at the acquisition date of the contractual cash flows not expected to be collected.

The disclosures shall be provided by major class of receivable, such as loans, direct finance leases and any other class of receivables.

- (i) the amounts recognised as of the acquisition date for each major class of assets acquired and liabilities assumed.
- (j) for each contingent liability recognised in accordance with paragraph 23, the information required in paragraph 85 of Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*. If a contingent liability is not recognised because its fair value cannot be measured reliably, the acquirer shall disclose:
 - (i) the information required by paragraph 86 of Ind AS 37; and
 - (ii) the reasons why the liability cannot be measured reliably.
- (k) the total amount of goodwill that is expected to be deductible for tax purposes.
- (l) for transactions that are recognised separately from the acquisition of assets and assumption of liabilities in the business combination in accordance with paragraph 51:
 - (i) a description of each transaction;
 - (ii) how the acquirer accounted for each transaction;

- (iii) the amounts recognised for each transaction and the line item in the financial statements in which each amount is recognised; and
- (iv) if the transaction is the effective settlement of a pre-existing relationship, the method used to determine the settlement amount.
- (m) the disclosure of separately recognised transactions required by (l) shall include the amount of acquisition-related costs and, separately, the amount of those costs recognised as an expense and the line item or items in the statement of profit and loss in which those expenses are recognised. The amount of any issue costs not recognised as an expense and how they were recognised shall also be disclosed.
- (n) in a bargain purchase (see paragraphs 34–36A):
 - (i) the amount of any gain recognised in other comprehensive income in accordance with paragraph 34;
 - (ii) the amount of any gain directly recognised in equity in accordance with paragraph 36A; and
 - (iii) a description of the reasons why the transaction resulted in a gain in case of (i) above.
- (o) for each business combination in which the acquirer holds less than 100 per cent of the equity interests in the acquiree at the acquisition date:
 - (i) the amount of the non-controlling interest in the acquiree recognised at the acquisition date and the measurement basis for that amount; and
 - (ii) for each non-controlling interest in an acquiree measured at fair value, the valuation technique(s) and significant inputs used to measure that value.
- (p) in a business combination achieved in stages:
 - (i) the acquisition-date fair value of the equity interest in the acquiree held by the acquirer immediately before the acquisition date; and
 - (ii) the amount of any gain or loss recognised as a result of remeasuring to fair value the equity interest in the acquiree held by the acquirer before the business combination (see paragraph 42) and the line item in the statement of profit and loss in which that gain or loss is recognised.
- (q) the following information:
 - (i) the amounts of revenue and profit or loss of the acquiree since the acquisition date included in the consolidated statement of profit and loss for the reporting period; and
 - (ii) the revenue and profit or loss of the combined entity for the current reporting period as though the acquisition date for all business combinations that occurred during the year had been as of the beginning of the annual reporting period.

If disclosure of any of the information required by this subparagraph is impracticable, the acquirer shall disclose that fact and explain why the disclosure is impracticable. This Ind AS uses the term 'impracticable' with the same meaning as in Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.

- B65 For individually immaterial business combinations occurring during the reporting period that are material collectively, the acquirer shall disclose in aggregate the information required by paragraph B64(e)–(q).
- B66 If the acquisition date of a business combination is after the end of the reporting period but before the financial statements are approved for issue, the acquirer shall disclose the information required by paragraph B64 unless the initial accounting for the business combination is incomplete at the time the financial statements are approved for issue. In that situation, the acquirer shall describe which disclosures could not be made and the reasons why they cannot be made.
- B67 To meet the objective in paragraph 61, the acquirer shall disclose the following information for each material business combination or in the aggregate for individually immaterial business combinations that are material collectively:
- (a) if the initial accounting for a business combination is incomplete (see paragraph 45) for particular assets, liabilities, non-controlling interests or items of consideration and the amounts recognised in the financial statements for the business combination thus have been determined only provisionally:
 - (i) the reasons why the initial accounting for the business combination is incomplete;

- (ii) the assets, liabilities, equity interests or items of consideration for which the initial accounting is incomplete; and
 - (iii) the nature and amount of any measurement period adjustments recognised during the reporting period in accordance with paragraph 49.
- (b) for each reporting period after the acquisition date until the entity collects, sells or otherwise loses the right to a contingent consideration asset, or until the entity settles a contingent consideration liability or the liability is cancelled or expires:
 - (i) any changes in the recognised amounts, including any differences arising upon settlement;
 - (ii) any changes in the range of outcomes (undiscounted) and the reasons for those changes; and
 - (iii) the valuation techniques and key model inputs used to measure contingent consideration.
- (c) for contingent liabilities recognised in a business combination, the acquirer shall disclose the information required by paragraphs 84 and 85 of Ind AS 37 for each class of provision.
- (d) a reconciliation of the carrying amount of goodwill at the beginning and end of the reporting period showing separately:
 - (i) the gross amount and accumulated impairment losses at the beginning of the reporting period.
 - (ii) additional goodwill recognised during the reporting period, except goodwill included in a disposal group that, on acquisition, meets the criteria to be classified as held for sale in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*.
 - (iii) adjustments resulting from the subsequent recognition of deferred tax assets during the reporting period in accordance with paragraph 67.
 - (iv) goodwill included in a disposal group classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 and goodwill derecognised during the reporting period without having previously been included in a disposal group classified as held for sale.
 - (v) impairment losses recognised during the reporting period in accordance with Ind AS 36. (Ind AS 36 requires disclosure of information about the recoverable amount and impairment of goodwill in addition to this requirement.)
 - (vi) net exchange rate differences arising during the reporting period in accordance with Ind AS 21, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*.
 - (vii) any other changes in the carrying amount during the reporting period.
 - (viii) the gross amount and accumulated impairment losses at the end of the reporting period.
- (e) the amount and an explanation of any gain or loss recognised in the current reporting period that both:
 - (i) relates to the identifiable assets acquired or liabilities assumed in a business combination that was effected in the current or previous reporting period; and
 - (ii) is of such a size, nature or incidence that disclosure is relevant to understanding the combined entity's financial statements.

Appendix C

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Business combinations of entities under common control

Scope

- 1 This appendix deals with accounting for business combinations of entities or businesses under common control.

Definitions

- 2 The following terms are used in this Appendix with the meaning specified:

Transferor means an entity or business which is combined into another entity as a result of a business combination.

Transferee means an entity in which the transferor entity is combined.

Reserve means the portion of earnings, receipts or other surplus of an entity (whether capital or revenue) appropriated by the management for a general or a specific purpose other than provision for depreciation.

Common control business combination means a business combination involving entities or businesses in which all the combining entities or businesses are ultimately controlled by the same party or parties both before and after the business combination, and that control is not transitory.

Common control business combinations

- 3 Common control business combinations will include transactions, such as transfer of subsidiaries or businesses, between entities within a group.
- 4 The extent of non-controlling interests in each of the combining entities before and after the business combination is not relevant to determining whether the combination involves entities under common control. This is because a partially-owned subsidiary is nevertheless under the control of the parent entity.
- 5 The fact that one of the combining entities is a subsidiary that has been excluded from the consolidated financial statements of the group in accordance with Ind AS 27 is not relevant to determining whether a combination involves entities under common control.
- 6 An entity can be controlled by an individual, or by a group of individuals acting together under a contractual arrangement, and that individual or group of individuals may not be subject to the financial reporting requirements of Ind ASs. Therefore, it is not necessary for combining entities to be included as part of the same consolidated financial statements for a business combination to be regarded as one having entities under common control.
- 7 A group of individuals are regarded as controlling an entity when, as a result of contractual arrangements, they collectively have the power to govern its financial and operating policies so as to obtain benefits from its activities, and that ultimate collective power is not transitory.

Method of accounting for common control business combinations

- 8 Business combinations involving entities or businesses under common control shall be accounted for using the pooling of interests method.
- 9 The pooling of interest method is considered to involve the following:
 - (i) The assets and liabilities of the combining entities are reflected at their carrying amounts.
 - (ii) No adjustments are made to reflect fair values, or recognise any new assets or liabilities. The only adjustments that are made are to harmonise accounting policies.
 - (iii) The financial information in the financial statements in respect of prior periods should be restated as if the business combination had occurred from the beginning of the preceding period in the financial statements, irrespective of the actual date of the combination. However, if business combination had occurred after that date, the prior period information shall be restated only from that date.
- 10 The consideration for the business combination may consist of securities, cash or other assets. Securities shall be recorded at nominal value. In determining the value of the consideration, assets other than cash shall be considered at their fair values.
- 11 The balance of the retained earnings appearing in the financial statements of the transferor is aggregated with the corresponding balance appearing in the financial statements of the transferee. Alternatively, it is transferred to General Reserve, if any.
- 12 The identity of the reserves shall be preserved and shall appear in the financial statements of the transferee in the same form in which they appeared in the financial statements of the transferor. Thus, for example, the General Reserve of the transferor entity becomes the General Reserve of the transferee, the Capital Reserve of the transferor becomes the Capital Reserve of the transferee and the Revaluation Reserve of the transferor becomes the Revaluation Reserve of the transferee. As a result of preserving the identity, reserves which are available for distribution as dividend before the business combination would also be available for distribution as dividend after the business combination. The difference, if any, between the amount recorded as share capital issued plus any additional consideration in the form of cash or other assets and the amount of share capital of the transferor shall be transferred to capital reserve and should be presented separately from other capital reserves with disclosure of its nature and purpose in the notes.

Disclosure

- 13 The following disclosures shall be made in the first financial statements following the business combination:
 - (a) names and general nature of business of the combining entities;
 - (b) the date on which the transferor obtains control of the transferee;

- (c) description and number of shares issued, together with the percentage of each entity's equity shares exchanged to effect the business combination; and
- (d) the amount of any difference between the consideration and the value of net identifiable assets acquired, and the treatment thereof.

Business combination after the balance sheet date

14 When a business combination is effected after the balance sheet but before the approval of the financial statements for issue by either party to the business combination, disclosure is made in accordance with Ind AS 10 *Events after the Reporting Period*, but the business combination is not incorporated in the financial statements. In certain circumstances, the business combination may also provide additional information affecting the financial statements themselves, for instance, by allowing the going concern assumption to be maintained.

Appendix D

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and makes reference to Ind AS 103, *Business Combinations*.

1. Appendix A, Distributions of Non-cash Assets to Owners, contained in Ind AS 10, Events After the Reporting Period

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 103 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 3, Business Combinations, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IFRS 3, Business Combinations

- 1 IFRS 3 excludes from its scope business combinations of entities under common control. Ind AS 103 (Appendix C) gives the guidance in this regard. Consequently, paragraph 2 has been modified and paragraph 2B has been added in Ind AS 103. Further, paragraphs B1-B4 of IFRS 3 have been deleted in Ind AS 103. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 3, the paragraph numbers are retained in Ind AS 103.
- 2 The transitional provisions given in IFRS 3 have not been given in Ind AS 103, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*, will deal with the same.
- 3 IFRS 3 requires bargain purchase gain arising on business combination to be recognised in profit or loss. Ind AS 103 requires the same to be recognised in other comprehensive income and accumulated in equity as capital reserve, unless there is no clear evidence for the underlying reason for classification of the business combination as a bargain purchase, in which case, it shall be recognised directly in equity as capital reserve. This has some consequential changes such as change in wording of paragraphs 34, 36 and 48, additional disclosure in paragraph B64(n) and addition of new paragraph 36A. Cross-reference to the new paragraph 36A has been added in paragraphs B46, B64(n).
- 4 Different terminology is used, as used in existing laws eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position', 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'. The words 'approved the financial statements for issue' have been used instead of 'authorised the financial statements for issue' in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 104

Insurance Contracts⁴

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

⁴ This Indian Accounting Standard shall come into effect for insurance companies from the date to be separately announced.

Objective

1. The objective of this Indian Accounting Standard (Ind AS) is to specify the financial reporting for *insurance contracts* by any entity that issues such contracts (described in this Ind AS as an *insurer*). In particular, this Ind AS requires:
 - (a) limited improvements to accounting by insurers for insurance contracts.
 - (b) disclosure that identifies and explains the amounts in an insurer's financial statements arising from insurance contracts and helps users of those financial statements understand the amount, timing and uncertainty of future cash flows from insurance contracts.

Scope

2. An entity shall apply this Ind AS to:
 - (a) insurance contracts (including *reinsurance contracts*) that it issues and reinsurance contracts that it holds.
 - (b) financial instruments that it issues with a *discretionary participation feature* (see paragraph 35). Ind AS 107, *Financial Instruments: Disclosures*, requires disclosure about financial instruments, including financial instruments that contain such features.
3. This Ind AS does not address other aspects of accounting by insurers, such as accounting for financial assets held by insurers and financial liabilities issued by insurers (see Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*, Ind AS 107 and Ind AS 109, *Financial Instruments*).
4. An entity shall not apply this Ind AS to:
 - (a) product warranties issued directly by a manufacturer, dealer or retailer (see Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*, and Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*).
 - (b) employers' assets and liabilities under employee benefit plans (see Ind AS 19, *Employee Benefits*, and Ind AS 102, *Share-based Payment*) and retirement benefit obligations reported by defined benefit retirement plans.
 - (c) contractual rights or contractual obligations that are contingent on the future use of, or right to use, a non-financial item (for example, some licence fees, royalties, contingent lease payments and similar items), as well as a lessee's residual value guarantee embedded in a finance lease (see Ind AS 17, *Leases*, Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*, and Ind AS 38, *Intangible Assets*).
 - (d) financial guarantee contracts unless the issuer has previously asserted explicitly that it regards such contracts as insurance contracts and has used accounting applicable to insurance contracts, in which case the issuer may elect to apply either Ind AS 32, Ind AS 107 and Ind AS 109 or this Ind AS to such financial guarantee contracts. The issuer may make that election contract by contract, but the election for each contract is irrevocable.
 - (e) contingent consideration payable or receivable in a business combination (see Ind AS 103, *Business Combinations*).
 - (f) *direct insurance contracts* that the entity holds (ie direct insurance contracts in which the entity is the *policyholder*). However, a *cedant* shall apply this Standard to reinsurance contracts that it holds.
5. For ease of reference, this Ind AS describes any entity that issues an insurance contract as an insurer, whether or not the issuer is regarded as an insurer for legal or supervisory purposes.
6. A reinsurance contract is a type of insurance contract. Accordingly, all references in this Ind AS to insurance contracts also apply to reinsurance contracts.

Embedded derivatives

7. Ind AS 109 requires an entity to separate some embedded derivatives from their host contract, measure them at *fair value* and include changes in their fair value in profit or loss. Ind AS 109 applies to derivatives embedded in an insurance contract unless the embedded derivative is itself an insurance contract.
8. As an exception to the requirements in Ind AS 109, an insurer need not separate, and measure at fair value, a policyholder's option to surrender an insurance contract for a fixed amount (or for an amount based on a fixed amount and an interest rate), even if the exercise price differs from the carrying amount of the host *insurance liability*. However, the requirements in Ind AS 109 do apply to a put option or cash surrender option embedded in an insurance contract if the surrender value varies in response to the change in a financial variable (such as an equity or commodity price or index), or a non-financial variable that is not specific to a party to the contract. Furthermore, those requirements also apply if the holder's ability to exercise a put option or cash surrender option is triggered by a change in such a variable (for example, a put option that can be exercised if a stock market index reaches a specified level).
9. Paragraph 8 applies equally to options to surrender a financial instrument containing a discretionary participation feature.

Unbundling of deposit components

10. Some insurance contracts contain both an insurance component and a *deposit component*. In some cases, an insurer is required or permitted to *unbundle* those components:
 - (a) unbundling is required if both the following conditions are met:
 - (i) the insurer can measure the deposit component (including any embedded surrender options) separately (ie without considering the insurance component).
 - (ii) the insurer's accounting policies do not otherwise require it to recognise all obligations and rights arising from the deposit component.
 - (b) unbundling is permitted, but not required, if the insurer can measure the deposit component separately as in (a)(i) but its accounting policies require it to recognise all obligations and rights arising from the deposit component, regardless of the basis used to measure those rights and obligations.
 - (c) unbundling is prohibited if an insurer cannot measure the deposit component separately as in (a)(i).
11. The following is an example of a case when an insurer's accounting policies do not require it to recognise all obligations arising from a deposit component. A cedant receives compensation for losses from a *reinsurer*, but the contract obliges the cedant to repay the compensation in future years. That obligation arises from a deposit component. If the cedant's accounting policies would otherwise permit it to recognise the compensation as income without recognising the resulting obligation, unbundling is required.
12. To unbundle a contract, an insurer shall:
 - (a) apply this Ind AS to the insurance component.
 - (b) apply Ind AS 109 to the deposit component.

Recognition and measurement**Temporary exemption from some other Ind ASs**

13. Paragraphs 10–12 of Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, specify criteria for an entity to use in developing an accounting policy if no Ind AS applies specifically to an item. However, this Ind AS exempts an insurer from applying those criteria to its accounting policies for:
 - (a) insurance contracts that it issues (including related acquisition costs and related intangible assets, such as those described in paragraphs 31 and 32); and
 - (b) reinsurance contracts that it holds.
14. Nevertheless, this Ind AS does not exempt an insurer from some implications of the criteria in paragraphs 10–12 of Ind AS 8. Specifically, an insurer:

- (a) shall not recognise as a liability any provisions for possible future claims, if those claims arise under insurance contracts that are not in existence at the end of the reporting period (such as catastrophe provisions and equalisation provisions).
- (b) shall carry out the *liability adequacy test* described in paragraphs 15–19.
- (c) shall remove an insurance liability (or a part of an insurance liability) from its balance sheet when, and only when, it is extinguished—ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.
- (d) shall not offset:
 - (i) *reinsurance assets* against the related insurance liabilities; or
 - (ii) income or expense from reinsurance contracts against the expense or income from the related insurance contracts.
- (e) shall consider whether its reinsurance assets are impaired (see paragraph 20).

Liability adequacy test

15. **An insurer shall assess at the end of each reporting period whether its recognised insurance liabilities are adequate, using current estimates of future cash flows under its insurance contracts. If that assessment shows that the carrying amount of its insurance liabilities (less related deferred acquisition costs and related intangible assets, such as those discussed in paragraphs 31 and 32) is inadequate in the light of the estimated future cash flows, the entire deficiency shall be recognised in profit or loss.**
16. If an insurer applies a liability adequacy test that meets specified minimum requirements, this Ind AS imposes no further requirements. The minimum requirements are the following:
 - (a) The test considers current estimates of all contractual cash flows, and of related cash flows such as claims handling costs, as well as cash flows resulting from embedded options and guarantees.
 - (b) If the test shows that the liability is inadequate, the entire deficiency is recognised in profit or loss.
17. If an insurer's accounting policies do not require a liability adequacy test that meets the minimum requirements of paragraph 16, the insurer shall:
 - (a) determine the carrying amount of the relevant insurance liabilities⁵ less the carrying amount of:
 - (i) any related deferred acquisition costs; and
 - (ii) any related intangible assets, such as those acquired in a business combination or portfolio transfer (see paragraphs 31 and 32). However, related reinsurance assets are not considered because an insurer accounts for them separately (see paragraph 20).
 - (b) determine whether the amount described in (a) is less than the carrying amount that would be required if the relevant insurance liabilities were within the scope of Ind AS 37. If it is less, the insurer shall recognise the entire difference in profit or loss and decrease the carrying amount of the related deferred acquisition costs or related intangible assets or increase the carrying amount of the relevant insurance liabilities.
18. If an insurer's liability adequacy test meets the minimum requirements of paragraph 16, the test is applied at the level of aggregation specified in that test. If its liability adequacy test does not meet those minimum requirements, the comparison described in paragraph 17 shall be made at the level of a portfolio of contracts that are subject to broadly similar risks and managed together as a single portfolio.
19. The amount described in paragraph 17(b) (ie the result of applying Ind AS 37) shall reflect future investment margins (see paragraphs 27–29) if, and only if, the amount described in paragraph 17(a) also reflects those margins.

⁵ The relevant insurance liabilities are those insurance liabilities (and related deferred acquisition costs and related intangible assets) for which the insurer's accounting policies do not require a liability adequacy test that meets the minimum requirements of paragraph 16.

Impairment of reinsurance assets

20. If a cedant's reinsurance asset is impaired, the cedant shall reduce its carrying amount accordingly and recognise that impairment loss in profit or loss. A reinsurance asset is impaired if, and only if:
- (a) there is objective evidence, as a result of an event that occurred after initial recognition of the reinsurance asset, that the cedant may not receive all amounts due to it under the terms of the contract; and
 - (b) that event has a reliably measurable impact on the amounts that the cedant will receive from the reinsurer.

Changes in accounting policies

21. Paragraphs 22-30 apply both to changes made by an insurer that already applies Ind ASs and to changes made by an insurer adopting Ind ASs for the first time.
22. **An insurer may change its accounting policies for insurance contracts if, and only if, the change makes the financial statements more relevant to the economic decision-making needs of users and no less reliable, or more reliable and no less relevant to those needs. An insurer shall judge relevance and reliability by the criteria in Ind AS 8.**
23. To justify changing its accounting policies for insurance contracts, an insurer shall show that the change brings its financial statements closer to meeting the criteria in Ind AS 8, but the change need not achieve full compliance with those criteria. The following specific issues are discussed below:
- (a) current interest rates (paragraph 24);
 - (b) continuation of existing practices (paragraph 25);
 - (c) prudence (paragraph 26);
 - (d) future investment margins (paragraphs 27–29); and
 - (e) shadow accounting (paragraph 30).

Current market interest rates

24. An insurer is permitted, but not required, to change its accounting policies so that it remeasures designated insurance liabilities⁶ to reflect current market interest rates and recognises changes in those liabilities in profit or loss. At that time, it may also introduce accounting policies that require other current estimates and assumptions for the designated liabilities. The election in this paragraph permits an insurer to change its accounting policies for designated liabilities, without applying those policies consistently to all similar liabilities as Ind AS 8 would otherwise require. If an insurer designates liabilities for this election, it shall continue to apply current market interest rates (and, if applicable, the other current estimates and assumptions) consistently in all periods to all these liabilities until they are extinguished.

Continuation of existing practices

25. An insurer may continue the following practices, but the introduction of any of them does not satisfy paragraph 22:
- (a) measuring insurance liabilities on an undiscounted basis.
 - (b) measuring contractual rights to future investment management fees at an amount that exceeds their fair value as implied by a comparison with current fees charged by other market participants for similar services. It is likely that the fair value at inception of those contractual rights equals the origination costs paid, unless future investment management fees and related costs are out of line with market comparables.
 - (c) using non-uniform accounting policies for the insurance contracts (and related deferred acquisition costs and related intangible assets, if any) of subsidiaries, except as permitted by paragraph 24. If

⁶ In this paragraph, insurance liabilities include related deferred acquisition costs and related intangible assets, such as those discussed in paragraphs 31 and 32.

those accounting policies are not uniform, an insurer may change them if the change does not make the accounting policies more diverse and also satisfies the other requirements in this Ind AS.

Prudence

26. An insurer need not change its accounting policies for insurance contracts to eliminate excessive prudence. However, if an insurer already measures its insurance contracts with sufficient prudence, it shall not introduce additional prudence.

Future investment margins

27. An insurer need not change its accounting policies for insurance contracts to eliminate future investment margins. However, there is a rebuttable presumption that an insurer's financial statements will become less relevant and reliable if it introduces an accounting policy that reflects future investment margins in the measurement of insurance contracts, unless those margins affect the contractual payments. Two examples of accounting policies that reflect those margins are:

- (a) using a discount rate that reflects the estimated return on the insurer's assets; or
- (b) projecting the returns on those assets at an estimated rate of return, discounting those projected returns at a different rate and including the result in the measurement of the liability.

28. An insurer may overcome the rebuttable presumption described in paragraph 27 if, and only if, the other components of a change in accounting policies increase the relevance and reliability of its financial statements sufficiently to outweigh the decrease in relevance and reliability caused by the inclusion of future investment margins. For example, suppose that an insurer's existing accounting policies for insurance contracts involve excessively prudent assumptions set at inception and a discount rate prescribed by a regulator without direct reference to market conditions, and ignore some embedded options and guarantees. The insurer might make its financial statements more relevant and no less reliable by switching to a comprehensive investor-oriented basis of accounting that is widely used and involves:

- (a) current estimates and assumptions;
- (b) a reasonable (but not excessively prudent) adjustment to reflect risk and uncertainty;
- (c) measurements that reflect both the intrinsic value and time value of embedded options and guarantees; and
- (d) a current market discount rate, even if that discount rate reflects the estimated return on the insurer's assets.

29. In some measurement approaches, the discount rate is used to determine the present value of a future profit margin. That profit margin is then attributed to different periods using a formula. In those approaches, the discount rate affects the measurement of the liability only indirectly. In particular, the use of a less appropriate discount rate has a limited or no effect on the measurement of the liability at inception. However, in other approaches, the discount rate determines the measurement of the liability directly. In the latter case, because the introduction of an asset-based discount rate has a more significant effect, it is highly unlikely that an insurer could overcome the rebuttable presumption described in paragraph 27.

Shadow accounting

30. In some accounting models, realised gains or losses on an insurer's assets have a direct effect on the measurement of some or all of (a) its insurance liabilities, (b) related deferred acquisition costs and (c) related intangible assets, such as those described in paragraphs 31 and 32. An insurer is permitted, but not required, to change its accounting policies so that a recognised but unrealised gain or loss on an asset affects those measurements in the same way that a realised gain or loss does. The related adjustment to the insurance liability (or deferred acquisition costs or intangible assets) shall be recognised in other comprehensive income if, and only if, the unrealised gains or losses are recognised in other comprehensive income. This practice is sometimes described as 'shadow accounting'.

Insurance contracts acquired in a business combination or portfolio transfer

31. To comply with Ind AS 103, an insurer shall, at the acquisition date, measure at fair value the insurance liabilities assumed and *insurance assets* acquired in a business combination. However, an insurer is permitted, but not required, to use an expanded presentation that splits the fair value of acquired insurance contracts into two components:
- (a) a liability measured in accordance with the insurer's accounting policies for insurance contracts that it issues; and
 - (b) an intangible asset, representing the difference between (i) the fair value of the contractual insurance rights acquired and insurance obligations assumed and (ii) the amount described in (a). The subsequent measurement of this asset shall be consistent with the measurement of the related insurance liability.
32. An insurer acquiring a portfolio of insurance contracts may use the expanded presentation described in paragraph 31.
33. The intangible assets described in paragraphs 31 and 32 are excluded from the scope of Ind AS 38 and Ind AS 36, *Impairment of Assets*. However, Ind AS 38 and Ind AS 36 apply to customer lists and customer relationships reflecting the expectation of future contracts that are not part of the contractual insurance rights and contractual insurance obligations that existed at the date of a business combination or portfolio transfer.

Discretionary participation features**Discretionary participation features in insurance contracts**

34. Some insurance contracts contain a discretionary participation feature as well as a *guaranteed element*. The issuer of such a contract:
- (a) may, but need not, recognise the guaranteed element separately from the discretionary participation feature. If the issuer does not recognise them separately, it shall classify the whole contract as a liability. If the issuer classifies them separately, it shall classify the guaranteed element as a liability.
 - (b) shall, if it recognises the discretionary participation feature separately from the guaranteed element, classify that feature as either a liability or a separate component of equity. This Ind AS does not specify how the issuer determines whether that feature is a liability or equity. The issuer may split that feature into liability and equity components and shall use a consistent accounting policy for that split. The issuer shall not classify that feature as an intermediate category that is neither liability nor equity.
 - (c) may recognise all premiums received as revenue without separating any portion that relates to the equity component. The resulting changes in the guaranteed element and in the portion of the discretionary participation feature classified as a liability shall be recognised in profit or loss. If part or all of the discretionary participation feature is classified in equity, a portion of profit or loss may be attributable to that feature (in the same way that a portion may be attributable to non-controlling interests). The issuer shall recognise the portion of profit or loss attributable to any equity component of a discretionary participation feature as an allocation of profit or loss, not as expense or income (see Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*).
 - (d) shall, if the contract contains an embedded derivative within the scope of Ind AS 109, apply Ind AS 109 to that embedded derivative.
 - (e) shall, in all respects not described in paragraphs 14–20 and 34(a)–(d), continue its existing accounting policies for such contracts, unless it changes those accounting policies in a way that complies with paragraphs 21–30.

Discretionary participation features in financial instruments

35. The requirements in paragraph 34 also apply to a financial instrument that contains a discretionary participation feature. In addition:

- (a) if the issuer classifies the entire discretionary participation feature as a liability, it shall apply the liability adequacy test in paragraphs 15–19 to the whole contract (ie both the guaranteed element and the discretionary participation feature). The issuer need not determine the amount that would result from applying Ind AS 109 to the guaranteed element.
- (b) if the issuer classifies part or all of that feature as a separate component of equity, the liability recognised for the whole contract shall not be less than the amount that would result from applying Ind AS 109 to the guaranteed element. That amount shall include the intrinsic value of an option to surrender the contract, but need not include its time value if paragraph 9 exempts that option from measurement at fair value. The issuer need not disclose the amount that would result from applying Ind AS 109 to the guaranteed element, nor need it present that amount separately. Furthermore, the issuer need not determine that amount if the total liability recognised is clearly higher.
- (c) although these contracts are financial instruments, the issuer may continue to recognise the premiums for those contracts as revenue and recognise as an expense the resulting increase in the carrying amount of the liability.
- (d) although these contracts are financial instruments, an issuer applying paragraph 20(b) of Ind AS 107 to contracts with a discretionary participation feature shall disclose the total interest expense recognised in profit or loss, but need not calculate such interest expense using the effective interest method.

Disclosure

Explanation of recognised amounts

36. **An insurer shall disclose information that identifies and explains the amounts in its financial statements arising from insurance contracts.**

37. To comply with paragraph 36, an insurer shall disclose:

- (a) its accounting policies for insurance contracts and related assets, liabilities, income and expense.
- (b) the recognised assets, liabilities, income and expense (and, if it presents its statement of cash flows using the direct method, cash flows) arising from insurance contracts. Furthermore, if the insurer is a cedant, it shall disclose:
 - (i) gains and losses recognised in profit or loss on buying reinsurance; and
 - (ii) if the cedant defers and amortises gains and losses arising on buying reinsurance, the amortisation for the period and the amounts remaining unamortised at the beginning and end of the period.
- (c) the process used to determine the assumptions that have the greatest effect on the measurement of the recognised amounts described in (b). When practicable, an insurer shall also give quantified disclosure of those assumptions.
- (d) the effect of changes in assumptions used to measure insurance assets and insurance liabilities, showing separately the effect of each change that has a material effect on the financial statements.
- (e) reconciliations of changes in insurance liabilities, reinsurance assets and, if any, related deferred acquisition costs.

Nature and extent of risks arising from insurance contracts

38. **An insurer shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the nature and extent of risks arising from insurance contracts.**

39. To comply with paragraph 38, an insurer shall disclose:

- (a) its objectives, policies and processes for managing risks arising from insurance contracts and the methods used to manage those risks.
- (b) [Refer Appendix 1]

-
- (c) information about *insurance risk* (both before and after risk mitigation by reinsurance), including information about:
 - (i) sensitivity to insurance risk (see paragraph 39A).
 - (ii) concentrations of insurance risk, including a description of how management determines concentrations and a description of the shared characteristic that identifies each concentration (eg type of insured event, geographical area, or currency).
 - (iii) actual claims compared with previous estimates (ie claims development). The disclosure about claims development shall go back to the period when the earliest material claim arose for which there is still uncertainty about the amount and timing of the claims payments, but need not go back more than ten years. An insurer need not disclose this information for claims for which uncertainty about the amount and timing of claims payments is typically resolved within one year.
 - (d) information about credit risk, liquidity risk and market risk that paragraphs 31–42 of Ind AS 107 would require if the insurance contracts were within the scope of Ind AS 107. However:
 - (i) an insurer need not provide the maturity analysis required by paragraph 39(a) and (b) of Ind AS 107 if it discloses information about the estimated timing of the net cash outflows resulting from recognised insurance liabilities instead. This may take the form of an analysis, by estimated timing, of the amounts recognised in the balance sheet.
 - (ii) if an insurer uses an alternative method to manage sensitivity to market conditions, such as an embedded value analysis, it may use that sensitivity analysis to meet the requirement in paragraph 40(a) of Ind AS 107. Such an insurer shall also provide the disclosures required by paragraph 41 of Ind AS 107.
 - (e) information about exposures to market risk arising from embedded derivatives contained in a host insurance contract if the insurer is not required to, and does not, measure the embedded derivatives at fair value.
- 39A To comply with paragraph 39(c)(i), an insurer shall disclose either (a) or (b) as follows:
- (a) a sensitivity analysis that shows how profit or loss and equity would have been affected if changes in the relevant risk variable that were reasonably possible at the end of the reporting period had occurred; the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis; and any changes from the previous period in the methods and assumptions used. However, if an insurer uses an alternative method to manage sensitivity to market conditions, such as an embedded value analysis, it may meet this requirement by disclosing that alternative sensitivity analysis and the disclosures required by paragraph 41 of Ind AS 107.
 - (b) qualitative information about sensitivity, and information about those terms and conditions of insurance contracts that have a material effect on the amount, timing and uncertainty of the insurer's future cash flows.

Appendix A

Defined terms

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Cedant	The policyholder under a reinsurance contract.
deposit component	A contractual component that is not accounted for as a derivative under Ind AS 109 and would be within the scope of Ind AS 109 if it were a separate instrument.
direct insurance contract	An insurance contract that is not a reinsurance contract .
discretionary participation feature	A contractual right to receive, as a supplement to guaranteed benefits , additional benefits: (a) that are likely to be a significant portion of the total contractual benefits; (b) whose amount or timing is contractually at the discretion of the issuer; and (c) that are contractually based on: (i) the performance of a specified pool of contracts or a specified type of contract; (ii) realised and/or unrealised investment returns on a specified pool of assets held by the issuer; or (iii) the profit or loss of the company, fund or other entity that issues the contract.
fair value	<i>Fair value</i> is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113.)
financial guarantee contract	A contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.
financial risk	The risk of a possible future change in one or more of a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index or other variable, provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract.
guaranteed benefits	Payments or other benefits to which a particular policyholder or investor has an unconditional right that is not subject to the contractual discretion of the issuer.
guaranteed element	An obligation to pay guaranteed benefits , included in a contract that contains a discretionary participation feature .
insurance asset	An insurer's net contractual rights under an insurance contract .
insurance contract	A contract under which one party (the insurer) accepts significant insurance risk from another party (the policyholder) by agreeing to compensate the policyholder if a specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the policyholder. (See Appendix B for guidance on this definition.)
insurance liability	An insurer's net contractual obligations under an insurance contract .
insurance risk	Risk, other than financial risk , transferred from the holder of a contract to the issuer.
insured event	An uncertain future event that is covered by an insurance contract and creates insurance risk .
insurer	The party that has an obligation under an insurance contract to compensate a policyholder if an insured event occurs.
liability adequacy test	An assessment of whether the carrying amount of an insurance liability needs to be increased (or the carrying amount of related deferred acquisition costs or related intangible assets decreased), based on a review of future cash flows.
policyholder	A party that has a right to compensation under an insurance contract if an insured event occurs.

reinsurance assets	A cedant's net contractual rights under a reinsurance contract .
reinsurance contract	An insurance contract issued by one insurer (the reinsurer) to compensate another insurer (the cedant) for losses on one or more contracts issued by the cedant.
reinsurer	The party that has an obligation under a reinsurance contract to compensate a cedant if an insured event occurs.
unbundle	Account for the components of a contract as if they were separate contracts.

Appendix B

Definition of an insurance contract

This appendix is an integral part of the Ind AS.

- B1 This appendix gives guidance on the definition of an insurance contract in Appendix A. It addresses the following issues:
- (a) the term 'uncertain future event' (paragraphs B2–B4);
 - (b) payments in kind (paragraphs B5–B7);
 - (c) insurance risk and other risks (paragraphs B8–B17);
 - (d) examples of insurance contracts (paragraphs B18–B21);
 - (e) significant insurance risk (paragraphs B22–B28); and
 - (f) changes in the level of insurance risk (paragraphs B29 and B30).

Uncertain future event

- B2 Uncertainty (or risk) is the essence of an insurance contract. Accordingly, at least one of the following is uncertain at the inception of an insurance contract:
- (a) whether an *insured event* will occur;
 - (b) when it will occur; or
 - (c) how much the insurer will need to pay if it occurs.
- B3 In some insurance contracts, the insured event is the discovery of a loss during the term of the contract, even if the loss arises from an event that occurred before the inception of the contract. In other insurance contracts, the insured event is an event that occurs during the term of the contract, even if the resulting loss is discovered after the end of the contract term.
- B4 Some insurance contracts cover events that have already occurred, but whose financial effect is still uncertain. An example is a reinsurance contract that covers the direct insurer against adverse development of claims already reported by policyholders. In such contracts, the insured event is the discovery of the ultimate cost of those claims.

Payments in kind

- B5 Some insurance contracts require or permit payments to be made in kind. An example is when the insurer replaces a stolen article directly, instead of reimbursing the policyholder. Another example is when an insurer uses its own hospitals and medical staff to provide medical services covered by the contracts.
- B6 Some fixed-fee service contracts in which the level of service depends on an uncertain event meet the definition of an insurance contract in this Ind AS but are not regulated as insurance contracts in some countries. One example is a maintenance contract in which the service provider agrees to repair specified equipment after a malfunction. The fixed service fee is based on the expected number of malfunctions, but it is uncertain whether a particular machine will break down. The malfunction of the equipment adversely affects its owner and the contract compensates the owner (in kind, rather than cash). Another example is a contract for car breakdown services in which the provider agrees, for a fixed annual fee, to provide roadside assistance or tow the car to a nearby garage. The latter contract could meet the definition of an insurance contract even if the provider does not agree to carry out repairs or replace parts.

- B7 Applying this Standard to the contracts described in paragraph B6 is likely to be no more burdensome than applying the Ind ASs that would be applicable if such contracts were outside the scope of this Ind AS:
- (a) There are unlikely to be material liabilities for malfunctions and breakdowns that have already occurred.
 - (b) If Ind AS 115 applied, the service provider would recognise revenue when (or as) it transfers services to the customer (subject to other specified criteria). That approach is also acceptable under this Ind AS, which permits the service provider (i) to continue its existing accounting policies for these contracts unless they involve practices prohibited by paragraph 14 and (ii) to improve its accounting policies if so permitted by paragraphs 22–30.
 - (c) The service provider considers whether the cost of meeting its contractual obligation to provide services exceeds the revenue received in advance. To do this, it applies the liability adequacy test described in paragraphs 15–19 of this Ind AS. If this Accounting Standard did not apply to these contracts, the service provider would apply Ind AS 37 to determine whether the contracts are onerous.
 - (d) For these contracts, the disclosure requirements in this Ind AS are unlikely to add significantly to disclosures required by other Ind ASs.

Distinction between insurance risk and other risks

- B8 The definition of an insurance contract refers to insurance risk, which this Ind AS defines as risk, other than *financial risk*, transferred from the holder of a contract to the issuer. A contract that exposes the issuer to financial risk without significant insurance risk is not an insurance contract.
- B9 The definition of financial risk in Appendix A includes a list of financial and non-financial variables. That list includes non-financial variables that are not specific to a party to the contract, such as an index of earthquake losses in a particular region or an index of temperatures in a particular city. It excludes non-financial variables that are specific to a party to the contract, such as the occurrence or non-occurrence of a fire that damages or destroys an asset of that party. Furthermore, the risk of changes in the fair value of a non-financial asset is not a financial risk if the fair value reflects not only changes in market prices for such assets (a financial variable) but also the condition of a specific non-financial asset held by a party to a contract (a non-financial variable). For example, if a guarantee of the residual value of a specific car exposes the guarantor to the risk of changes in the car's physical condition, that risk is insurance risk, not financial risk.
- B10 Some contracts expose the issuer to financial risk, in addition to significant insurance risk. For example, many life insurance contracts both guarantee a minimum rate of return to policyholders (creating financial risk) and promise death benefits that at some times significantly exceed the policyholder's account balance (creating insurance risk in the form of mortality risk). Such contracts are insurance contracts.
- B11 Under some contracts, an insured event triggers the payment of an amount linked to a price index. Such contracts are insurance contracts, provided the payment that is contingent on the insured event can be significant. For example, a life-contingent annuity linked to a cost-of-living index transfers insurance risk because payment is triggered by an uncertain event—the survival of the annuitant. The link to the price index is an embedded derivative, but it also transfers insurance risk. If the resulting transfer of insurance risk is significant, the embedded derivative meets the definition of an insurance contract, in which case it need not be separated and measured at fair value (see paragraph 7 of this Ind AS).
- B12 The definition of insurance risk refers to risk that the insurer accepts from the policyholder. In other words, insurance risk is a pre-existing risk transferred from the policyholder to the insurer. Thus, a new risk created by the contract is not insurance risk.
- B13 The definition of an insurance contract refers to an adverse effect on the policyholder. The definition does not limit the payment by the insurer to an amount equal to the financial impact of the adverse event. For example, the definition does not exclude 'new-for-old' coverage that pays the policyholder sufficient to permit replacement of a damaged old asset by a new asset. Similarly, the definition does not limit payment under a

term life insurance contract to the financial loss suffered by the deceased's dependants, nor does it preclude the payment of predetermined amounts to quantify the loss caused by death or an accident.

- B14 Some contracts require a payment if a specified uncertain event occurs, but do not require an adverse effect on the policyholder as a precondition for payment. Such a contract is not an insurance contract even if the holder uses the contract to mitigate an underlying risk exposure. For example, if the holder uses a derivative to hedge an underlying non-financial variable that is correlated with cash flows from an asset of the entity, the derivative is not an insurance contract because payment is not conditional on whether the holder is adversely affected by a reduction in the cash flows from the asset. Conversely, the definition of an insurance contract refers to an uncertain event for which an adverse effect on the policyholder is a contractual precondition for payment. This contractual precondition does not require the insurer to investigate whether the event actually caused an adverse effect, but permits the insurer to deny payment if it is not satisfied that the event caused an adverse effect.
- B15 Lapse or persistency risk (ie the risk that the counterparty will cancel the contract earlier or later than the issuer had expected in pricing the contract) is not insurance risk because the payment to the counterparty is not contingent on an uncertain future event that adversely affects the counterparty. Similarly, expense risk (ie the risk of unexpected increases in the administrative costs associated with the servicing of a contract, rather than in costs associated with insured events) is not insurance risk because an unexpected increase in expenses does not adversely affect the counterparty.
- B16 Therefore, a contract that exposes the issuer to lapse risk, persistency risk or expense risk is not an insurance contract unless it also exposes the issuer to insurance risk. However, if the issuer of that contract mitigates that risk by using a second contract to transfer part of that risk to another party, the second contract exposes that other party to insurance risk.
- B17 An insurer can accept significant insurance risk from the policyholder only if the insurer is an entity separate from the policyholder. In the case of a mutual insurer, the mutual accepts risk from each policyholder and pools that risk. Although policyholders bear that pooled risk collectively in their capacity as owners, the mutual has still accepted the risk that is the essence of an insurance contract.

Examples of insurance contracts

- B18 The following are examples of contracts that are insurance contracts, if the transfer of insurance risk is significant:
- (a) insurance against theft or damage to property.
 - (b) insurance against product liability, professional liability, civil liability or legal expenses.
 - (c) life insurance and prepaid funeral plans (although death is certain, it is uncertain when death will occur or, for some types of life insurance, whether death will occur within the period covered by the insurance).
 - (d) life-contingent annuities and pensions (ie contracts that provide compensation for the uncertain future event—the survival of the annuitant or pensioner—to assist the annuitant or pensioner in maintaining a given standard of living, which would otherwise be adversely affected by his or her survival).
 - (e) disability and medical cover.
 - (f) surety bonds, fidelity bonds, performance bonds and bid bonds (ie contracts that provide compensation if another party fails to perform a contractual obligation, for example an obligation to construct a building).
 - (g) credit insurance that provides for specified payments to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due under the original or modified terms of a debt instrument. These contracts could have various legal forms, such as that of a guarantee, some types of letter of credit, a credit derivative default contract or an insurance contract. However, although these contracts meet the definition of an insurance contract, they also meet the

definition of a financial guarantee contract in Ind AS 109 and are within the scope of Ind AS 107 and Ind AS 109, not this Ind AS (see paragraph 4(d)). Nevertheless, if an issuer of financial guarantee contracts has previously asserted explicitly that it regards such contracts as insurance contracts and has used accounting applicable to insurance contracts, the issuer may elect to apply either Ind AS 107 and Ind AS 109 or this Ind AS to such financial guarantee contracts.

- (h) product warranties. Product warranties issued by another party for goods sold by a manufacturer, dealer or retailer are within the scope of this Ind AS. However, product warranties issued directly by a manufacturer, dealer or retailer are outside its scope, because they are within the scope of Ind AS 115 and Ind AS 37.
- (i) title insurance (ie insurance against the discovery of defects in title to land that were not apparent when the insurance contract was written). In this case, the insured event is the discovery of a defect in the title, not the defect itself.
- (j) travel assistance (ie compensation in cash or in kind to policyholders for losses suffered while they are travelling). Paragraphs B6 and B7 discuss some contracts of this kind.
- (k) catastrophe bonds that provide for reduced payments of principal, interest or both if a specified event adversely affects the issuer of the bond (unless the specified event does not create significant insurance risk, for example if the event is a change in an interest rate or foreign exchange rate).
- (l) insurance swaps and other contracts that require a payment based on changes in climatic, geological or other physical variables that are specific to a party to the contract.
- (m) reinsurance contracts.

B19 The following are examples of items that are not insurance contracts:

- (a) investment contracts that have the legal form of an insurance contract but do not expose the insurer to significant insurance risk, for example life insurance contracts in which the insurer bears no significant mortality risk (such contracts are non-insurance financial instruments or service contracts, see paragraphs B20 and B21).
- (b) contracts that have the legal form of insurance, but pass all significant insurance risk back to the policyholder through non-cancellable and enforceable mechanisms that adjust future payments by the policyholder as a direct result of insured losses, for example some financial reinsurance contracts or some group contracts (such contracts are normally non-insurance financial instruments or service contracts, see paragraphs B20 and B21).
- (c) self-insurance, in other words retaining a risk that could have been covered by insurance (there is no insurance contract because there is no agreement with another party).
- (d) contracts (such as gambling contracts) that require a payment if a specified uncertain future event occurs, but do not require, as a contractual precondition for payment, that the event adversely affects the policyholder. However, this does not preclude the specification of a predetermined payout to quantify the loss caused by a specified event such as death or an accident (see also paragraph B13).
- (e) derivatives that expose one party to financial risk but not insurance risk, because they require that party to make payment based solely on changes in one or more of a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index or other variable, provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract (see Ind AS 109).
- (f) a credit-related guarantee (or letter of credit, credit derivative default contract or credit insurance contract) that requires payments even if the holder has not incurred a loss on the failure of the debtor to make payments when due (see Ind AS 109).
- (g) contracts that require a payment based on a climatic, geological or other physical variable that is not specific to a party to the contract (commonly described as weather derivatives).

- (h) catastrophe bonds that provide for reduced payments of principal, interest or both, based on a climatic, geological or other physical variable that is not specific to a party to the contract.
- B20 If the contracts described in paragraph B19 create financial assets or financial liabilities, they are within the scope of Ind AS 109. Among other things, this means that the parties to the contract use what is sometimes called deposit accounting, which involves the following:
- (a) one party recognises the consideration received as a financial liability, rather than as revenue.
- (b) the other party recognises the consideration paid as a financial asset, rather than as an expense
- B21 If the contracts described in paragraph B19 do not create financial assets or financial liabilities, Ind AS 115 applies. Under Ind AS 115, revenue is recognised when (or as) an entity satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service to a customer in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled.

Significant insurance risk

- B22 A contract is an insurance contract only if it transfers significant insurance risk. Paragraphs B8–B21 discuss insurance risk. The following paragraphs discuss the assessment of whether insurance risk is significant.
- B23 Insurance risk is significant if, and only if, an insured event could cause an insurer to pay significant additional benefits in any scenario, excluding scenarios that lack commercial substance (ie have no discernible effect on the economics of the transaction). If significant additional benefits would be payable in scenarios that have commercial substance, the condition in the previous sentence may be met even if the insured event is extremely unlikely or even if the expected (ie probability-weighted) present value of contingent cash flows is a small proportion of the expected present value of all the remaining contractual cash flows.
- B24 The additional benefits described in paragraph B23 refer to amounts that exceed those that would be payable if no insured event occurred (excluding scenarios that lack commercial substance). Those additional amounts include claims handling and claims assessment costs, but exclude:
- (a) the loss of the ability to charge the policyholder for future services. For example, in an investment-linked life insurance contract, the death of the policyholder means that the insurer can no longer perform investment management services and collect a fee for doing so. However, this economic loss for the insurer does not reflect insurance risk, just as a mutual fund manager does not take on insurance risk in relation to the possible death of the client. Therefore, the potential loss of future investment management fees is not relevant in assessing how much insurance risk is transferred by a contract.
- (b) waiver on death of charges that would be made on cancellation or surrender. Because the contract brought those charges into existence, the waiver of these charges does not compensate the policyholder for a pre-existing risk. Hence, they are not relevant in assessing how much insurance risk is transferred by a contract.
- (c) a payment conditional on an event that does not cause a significant loss to the holder of the contract. For example, consider a contract that requires the issuer to pay one million rupees if an asset suffers physical damage causing an insignificant economic loss of one rupee to the holder. In this contract, the holder transfers to the insurer the insignificant risk of losing one rupee. At the same time, the contract creates non-insurance risk that the issuer will need to pay 999,999 rupees if the specified event occurs. Because the issuer does not accept significant insurance risk from the holder, this contract is not an insurance contract.
- (d) possible reinsurance recoveries. The insurer accounts for these separately.

- B25 An insurer shall assess the significance of insurance risk contract by contract, rather than by reference to materiality to the financial statements.⁷ Thus, insurance risk may be significant even if there is a minimal probability of material losses for a whole book of contracts. This contract-by-contract assessment makes it easier to classify a contract as an insurance contract. However, if a relatively homogeneous book of small contracts is known to consist of contracts that all transfer insurance risk, an insurer need not examine each contract within that book to identify a few non-derivative contracts that transfer insignificant insurance risk.
- B26 It follows from paragraphs B23–B25 that if a contract pays a death benefit exceeding the amount payable on survival, the contract is an insurance contract unless the additional death benefit is insignificant (judged by reference to the contract rather than to an entire book of contracts). As noted in paragraph B24(b), the waiver on death of cancellation or surrender charges is not included in this assessment if this waiver does not compensate the policyholder for a pre-existing risk. Similarly, an annuity contract that pays out regular sums for the rest of a policyholder's life is an insurance contract, unless the aggregate life-contingent payments are insignificant.
- B27 Paragraph B23 refers to additional benefits. These additional benefits could include a requirement to pay benefits earlier if the insured event occurs earlier and the payment is not adjusted for the time value of money. An example is whole life insurance for a fixed amount (in other words, insurance that provides a fixed death benefit whenever the policyholder dies, with no expiry date for the cover). It is certain that the policyholder will die, but the date of death is uncertain. The insurer will suffer a loss on those individual contracts for which policyholders die early, even if there is no overall loss on the whole book of contracts.
- B28 If an insurance contract is unbundled into a deposit component and an insurance component, the significance of insurance risk transfer is assessed by reference to the insurance component. The significance of insurance risk transferred by an embedded derivative is assessed by reference to the embedded derivative.

Changes in the level of insurance risk

- B29 Some contracts do not transfer any insurance risk to the issuer at inception, although they do transfer insurance risk at a later time. For example, consider a contract that provides a specified investment return and includes an option for the policyholder to use the proceeds of the investment on maturity to buy a life-contingent annuity at the current annuity rates charged by the insurer to other new annuitants when the policyholder exercises the option. The contract transfers no insurance risk to the issuer until the option is exercised, because the insurer remains free to price the annuity on a basis that reflects the insurance risk transferred to the insurer at that time. However, if the contract specifies the annuity rates (or a basis for setting the annuity rates), the contract transfers insurance risk to the issuer at inception.
- B30 A contract that qualifies as an insurance contract remains an insurance contract until all rights and obligations are extinguished or expire.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences between Indian Accounting Standard (Ind AS) 104 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 4, Insurance Contracts, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IFRS 4, Insurance Contracts

- 1 Different terminology is used, to make it consistent with existing laws eg, term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.
- 2 The transitional provisions given in IFRS 4 have not been given in Ind AS 104, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
- 3 Paragraph 39(b) has been deleted in IFRS 4 by IASB. However, paragraph number has been retained in Ind AS 104 to maintain consistency with IFRS 4.

⁷ For this purpose, contracts entered into simultaneously with a single counterparty (or contracts that are otherwise interdependent) form a single contract.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 105***Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations***

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

1. The objective of this Indian Accounting Standard (Ind AS) is to specify the accounting for assets held for sale, and the presentation and disclosure of *discontinued operations*. In particular, this Ind AS requires:
 - (a) assets that meet the criteria to be classified as held for sale to be measured at the lower of carrying amount and *fair value less costs to sell*, and depreciation on such assets to cease; and
 - (b) assets that meet the criteria to be classified as held for sale to be presented separately in the balance sheet and the results of discontinued operations to be presented separately in the statement of profit and loss.

Scope

2. The classification and presentation requirements of this Ind AS apply to all recognised *non-current assets*⁸ and to all *disposal groups* of an entity. The measurement requirements of this Ind AS apply to all recognised non-current assets and disposal groups (as set out in paragraph 4), except for those assets listed in paragraph 5 which shall continue to be measured in accordance with the Standard noted.
3. Assets classified as non-current in accordance with Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*, shall not be reclassified as *current assets* until they meet the criteria to be classified as held for sale in accordance with this Ind AS. Assets of a class that an entity would normally regard as non-current that are acquired exclusively with a view to resale shall not be classified as current unless they meet the criteria to be classified as held for sale in accordance with this Ind AS.
4. Sometimes an entity disposes of a group of assets, possibly with some directly associated liabilities, together in a single transaction. Such a disposal group may be a group of *cash-generating units*, a single cash-generating unit, or part of a cash-generating unit.⁹ The group may include any assets and any liabilities of the entity, including current assets, current liabilities and assets excluded by paragraph 5 from the measurement requirements of this Ind AS. If a non-current asset within the scope of the measurement requirements of this Ind AS is part of a disposal group, the measurement requirements of this Ind AS apply to the group as a whole, so that the group is measured at the lower of its carrying amount and fair value less costs to sell. The requirements for measuring the individual assets and liabilities within the disposal group are set out in paragraphs 18, 19 and 23.
5. The measurement provisions of this Ind AS¹⁰ do not apply to the following assets, which are covered by the Ind ASs listed, either as individual assets or as part of a disposal group:
 - (a) deferred tax assets (Ind AS 12, *Income Taxes*).
 - (b) assets arising from employee benefits (Ind AS 19, *Employee Benefits*).
 - (c) financial assets within the scope of Ind AS 109, *Financial Instruments*.
 - (d) [Refer Appendix 1]
 - (e) non-current assets that are measured at fair value less costs to sell in accordance with Ind AS 41, *Agriculture*.
 - (f) contractual rights under insurance contracts as defined in Ind AS 104, *Insurance Contracts*.

⁸ For assets classified according to a liquidity presentation, non-current assets are assets that include amounts expected to be recovered more than twelve months after the reporting period. Paragraph 3 applies to the classification of such assets.

⁹ However, once the cash flows from an asset or group of assets are expected to arise principally from sale rather than continuing use, they become less dependent on cash flows arising from other assets, and a disposal group that was part of a cash-generating unit becomes a separate cash-generating unit.

¹⁰ Other than paragraphs 18 and 19, which require the assets in question to be measured in accordance with other applicable Accounting Standards.

- 5A The classification, presentation and measurement requirements in this Ind AS applicable to a non-current asset (or disposal group) that is classified as held for sale apply also to a non-current asset (or disposal group) that is classified as held for distribution to owners acting in their capacity as owners (held for distribution to owners).
- 5B This Ind AS specifies the disclosures required in respect of non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale or discontinued operations. Disclosures in other Ind ASs do not apply to such assets (or disposal groups) unless those Ind ASs require:
- specific disclosures in respect of non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale or discontinued operations; or
 - disclosures about measurement of assets and liabilities within a disposal group that are not within the scope of the measurement requirement of Ind AS 105 and such disclosures are not already provided in the other notes to the financial statements.

Additional disclosures about non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale or discontinued operations may be necessary to comply with the general requirements of Ind AS 1, in particular paragraphs 15 and 125 of that Standard.

Classification of non-current assets (or disposal groups) as held for sale or as held for distribution to owners

6. **An entity shall classify a non-current asset (or disposal group) as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use.**
7. For this to be the case, the asset (or disposal group) must be available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such assets (or disposal groups) and its sale must be *highly probable*. Thus, an asset (or disposal group) cannot be classified as a non-current asset (or disposal group) held for sale, if the entity intends to sell it in a distant future.
8. For the sale to be highly probable, the appropriate level of management must be committed to a plan to sell the asset (or disposal group), and an active programme to locate a buyer and complete the plan must have been initiated. Further, the asset (or disposal group) must be actively marketed for sale at a price that is reasonable in relation to its current fair value. In addition, the sale should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification, except as permitted by paragraph 9, and actions required to complete the plan should indicate that it is unlikely that significant changes to the plan will be made or that the plan will be withdrawn. The probability of shareholders' approval (if required in the jurisdiction) should be considered as part of the assessment of whether the sale is highly probable.
- 8A An entity that is committed to a sale plan involving loss of control of a subsidiary shall classify all the assets and liabilities of that subsidiary as held for sale when the criteria set out in paragraphs 6–8 are met, regardless of whether the entity will retain a non-controlling interest in its former subsidiary after the sale.
9. Events or circumstances may extend the period to complete the sale beyond one year. An extension of the period required to complete a sale does not preclude an asset (or disposal group) from being classified as held for sale if the delay is caused by events or circumstances beyond the entity's control and there is sufficient evidence that the entity remains committed to its plan to sell the asset (or disposal group). This will be the case when the criteria in Appendix B are met.
10. Sale transactions include exchanges of non-current assets for other non-current assets when the exchange has commercial substance in accordance with Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*.
11. When an entity acquires a non-current asset (or disposal group) exclusively with a view to its subsequent disposal, it shall classify the non-current asset (or disposal group) as held for sale at the acquisition date only if the one-year requirement in paragraph 8 is met (except as permitted by paragraph 9) and it is highly probable that any other criteria in paragraphs 7 and 8 that are not met at that date will be met within a short period following the acquisition (usually within three months).

12. If the criteria in paragraphs 7 and 8 are met after the reporting period, an entity shall not classify a non-current asset (or disposal group) as held for sale in those financial statements when issued. However, when those criteria are met after the reporting period but before the approval of the financial statements for issue, the entity shall disclose the information specified in paragraph 41(a), (b) and (d) in the notes.
- 12A. A non-current asset (or disposal group) is classified as held for distribution to owners when the entity is committed to distribute the asset (or disposal group) to the owners. For this to be the case, the assets must be available for immediate distribution in their present condition and the distribution must be highly probable. For the distribution to be highly probable, actions to complete the distribution must have been initiated and should be expected to be completed within one year from the date of classification. Actions required to complete the distribution should indicate that it is unlikely that significant changes to the distribution will be made or that the distribution will be withdrawn. The probability of shareholders' approval (if required in the jurisdiction) should be considered as part of the assessment of whether the distribution is highly probable.

Non-current assets that are to be abandoned

13. An entity shall not classify as held for sale a non-current asset (or disposal group) that is to be abandoned. This is because its carrying amount will be recovered principally through continuing use. However, if the disposal group to be abandoned meets the criteria in paragraph 32(a)–(c), the entity shall present the results and cash flows of the disposal group as discontinued operations in accordance with paragraphs 33 and 34 at the date on which it ceases to be used. Non-current assets (or disposal groups) to be abandoned include non-current assets (or disposal groups) that are to be used to the end of their economic life and non-current assets (or disposal groups) that are to be closed rather than sold.
14. An entity shall not account for a non-current asset that has been temporarily taken out of use as if it had been abandoned.

Measurement of non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale

Measurement of a non-current asset (or disposal group)

15. **An entity shall measure a non-current asset (or disposal group) classified as held for sale at the lower of its carrying amount and fair value less costs to sell.**
- 15A **An entity shall measure a non-current asset (or disposal group) classified as held for distribution to owners at the lower of its carrying amount and fair value less costs to distribute.¹¹**
16. If a newly acquired asset (or disposal group) meets the criteria to be classified as held for sale (see paragraph 11), applying paragraph 15 will result in the asset (or disposal group) being measured on initial recognition at the lower of its carrying amount had it not been so classified (for example, cost) and fair value less costs to sell. Hence, if the asset (or disposal group) is acquired as part of a business combination, it shall be measured at fair value less costs to sell.
17. When the sale is expected to occur beyond one year, the entity shall measure the costs to sell at their present value. Any increase in the present value of the costs to sell that arises from the passage of time shall be presented in profit or loss as a financing cost.
18. Immediately before the initial classification of the asset (or disposal group) as held for sale, the carrying amounts of the asset (or all the assets and liabilities in the group) shall be measured in accordance with applicable Ind ASs.
19. On subsequent remeasurement of a disposal group, the carrying amounts of any assets and liabilities that are not within the scope of the measurement requirements of this Ind AS, but are included in a disposal group classified as held for sale, shall be remeasured in accordance with applicable Ind ASs before the fair value less costs to sell of the disposal group is remeasured.

¹¹ Costs to distribute are the incremental costs directly attributable to the distribution, excluding finance costs and income tax expense.

Recognition of impairment losses and reversals

20. An entity shall recognise an impairment loss for any initial or subsequent write-down of the asset (or disposal group) to fair value less costs to sell, to the extent that it has not been recognised in accordance with paragraph 19.
21. An entity shall recognise a gain for any subsequent increase in fair value less costs to sell of an asset, but not in excess of the cumulative impairment loss that has been recognised either in accordance with this Ind AS or previously in accordance with Ind AS 36, *Impairment of Assets*.
22. An entity shall recognise a gain for any subsequent increase in fair value less costs to sell of a disposal group:
 - (a) to the extent that it has not been recognised in accordance with paragraph 19; but
 - (b) not in excess of the cumulative impairment loss that has been recognised, either in accordance with this Ind AS or previously in accordance with Ind AS 36, on the non-current assets that are within the scope of the measurement requirements of this Ind AS.
23. The impairment loss (or any subsequent gain) recognised for a disposal group shall reduce (or increase) the carrying amount of the non-current assets in the group that are within the scope of the measurement requirements of this Ind AS, in the order of allocation set out in paragraphs 104(a) and (b) and 122 of Ind AS 36.
24. A gain or loss not previously recognised by the date of the sale of a non-current asset (or disposal group) shall be recognised at the date of derecognition. Requirements relating to derecognition are set out in:
 - (a) paragraphs 67–72 of Ind AS 16 for property, plant and equipment, and
 - (b) paragraphs 112–117 of Ind AS 38, *Intangible Assets*, for intangible assets.
25. An entity shall not depreciate (or amortise) a non-current asset while it is classified as held for sale or while it is part of a disposal group classified as held for sale. Interest and other expenses attributable to the liabilities of a disposal group classified as held for sale shall continue to be recognised.

Changes to a plan of sale

26. If an entity has classified an asset (or disposal group) as held for sale, but the criteria in paragraphs 7–9 are no longer met, the entity shall cease to classify the asset (or disposal group) as held for sale.
27. The entity shall measure a non-current asset that ceases to be classified as held for sale (or ceases to be included in a disposal group classified as held for sale) at the lower of:
 - (a) its carrying amount before the asset (or disposal group) was classified as held for sale, adjusted for any depreciation, amortisation or revaluations that would have been recognised had the asset (or disposal group) not been classified as held for sale, and
 - (b) its *recoverable amount* at the date of the subsequent decision not to sell.¹²
28. The entity shall include any required adjustment to the carrying amount of a non-current asset that ceases to be classified as held for sale in profit or loss¹³ from continuing operations in the period in which the criteria in paragraphs 7–9 are no longer met. Financial statements for the periods since classification as held for sale shall be amended accordingly if the disposal group or non-current asset that ceases to be classified as held for sale is a subsidiary, joint operation, joint venture, associate, or a portion of an interest in a joint venture or an associate. The entity shall present that adjustment in the same caption in the statement of profit and loss used to present a gain or loss, if any, recognised in accordance with paragraph 37.

¹² If the non-current asset is part of a cash-generating unit, its recoverable amount is the carrying amount that would have been recognised after the allocation of any impairment loss arising on that cash-generating unit in accordance with Ind AS 36.

¹³ Unless the asset is property, plant and equipment or an intangible asset that had been revalued in accordance with Ind AS 16 or Ind AS 38 before classification as held for sale, in which case the adjustment shall be treated as a revaluation increase or decrease.

29. If an entity removes an individual asset or liability from a disposal group classified as held for sale, the remaining assets and liabilities of the disposal group to be sold shall continue to be measured as a group only if the group meets the criteria in paragraphs 7–9. Otherwise, the remaining non-current assets of the group that individually meet the criteria to be classified as held for sale shall be measured individually at the lower of their carrying amounts and fair values less costs to sell at that date. Any non-current assets that do not meet the criteria shall cease to be classified as held for sale in accordance with paragraph 26.

Presentation and disclosure

30. **An entity shall present and disclose information that enables users of the financial statements to evaluate the financial effects of discontinued operations and disposals of non-current assets (or disposal groups).**

Presenting discontinued operations

31. A *component of an entity* comprises operations and cash flows that can be clearly distinguished, operationally and for financial reporting purposes, from the rest of the entity. In other words, a component of an entity will have been a cash-generating unit or a group of cash-generating units while being held for use.
32. A discontinued operation is a component of an entity that either has been disposed of, or is classified as held for sale, and
- (a) represents a separate major line of business or geographical area of operations,
 - (b) is part of a single co-ordinated plan to dispose of a separate major line of business or geographical area of operations or
 - (c) is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale.
33. An entity shall disclose:
- (a) a single amount in the statement of profit and loss comprising the total of:
 - (i) the post-tax profit or loss of discontinued operations and
 - (ii) the post-tax gain or loss recognised on the measurement to fair value less costs to sell or on the disposal of the assets or disposal group(s) constituting the discontinued operation.
 - (b) an analysis of the single amount in (a) into:
 - (i) the revenue, expenses and pre-tax profit or loss of discontinued operations;
 - (ii) the related income tax expense as required by paragraph 81(h) of Ind AS 12; and
 - (iii) the gain or loss recognised on the measurement to fair value less costs to sell or on the disposal of the assets or disposal group(s) constituting the discontinued operation.
 - (iv) the related income tax expense as required by paragraph 81(h) of Ind AS 12.

The analysis may be presented in the notes or in the statement of profit and loss. If it is presented in the statement of profit and loss it shall be presented in a section identified as relating to discontinued operations, ie separately from continuing operations. The analysis is not required for disposal groups that are newly acquired subsidiaries that meet the criteria to be classified as held for sale on acquisition (see paragraph 11).
 - (c) the net cash flows attributable to the operating, investing and financing activities of discontinued operations. These disclosures may be presented either in the notes or in the financial statements. These disclosures are not required for disposal groups that are newly acquired subsidiaries that meet the criteria to be classified as held for sale on acquisition (see paragraph 11).
 - (d) the amount of income from continuing operations and from discontinued operations attributable to owners of the parent. These disclosures may be presented either in the notes or in the statement of profit and loss.

33A [Refer Appendix 1]

34. An entity shall re-present the disclosures in paragraph 33 for prior periods presented in the financial statements so that the disclosures relate to all operations that have been discontinued by the end of the reporting period for the latest period presented.
35. Adjustments in the current period to amounts previously presented in discontinued operations that are directly related to the disposal of a discontinued operation in a prior period shall be classified separately in discontinued operations. The nature and amount of such adjustments shall be disclosed. Examples of circumstances in which these adjustments may arise include the following:
- (a) the resolution of uncertainties that arise from the terms of the disposal transaction, such as the resolution of purchase price adjustments and indemnification issues with the purchaser.
 - (b) the resolution of uncertainties that arise from and are directly related to the operations of the component before its disposal, such as environmental and product warranty obligations retained by the seller.
 - (c) the settlement of employee benefit plan obligations, provided that the settlement is directly related to the disposal transaction.
36. If an entity ceases to classify a component of an entity as held for sale, the results of operations of the component previously presented in discontinued operations in accordance with paragraphs 33–35 shall be reclassified and included in income from continuing operations for all periods presented. The amounts for prior periods shall be described as having been re-presented.
- 36A. An entity that is committed to a sale plan involving loss of control of a subsidiary shall disclose the information required in paragraphs 33–36 when the subsidiary is a disposal group that meets the definition of a discontinued operation in accordance with paragraph 32.

Gains or losses relating to continuing operations

37. Any gain or loss on the remeasurement of a non-current asset (or disposal group) classified as held for sale that does not meet the definition of a discontinued operation shall be included in profit or loss from continuing operations.

Presentation of a non-current asset or disposal group classified as held for sale

38. An entity shall present a non-current asset classified as held for sale and the assets of a disposal group classified as held for sale separately from other assets in the balance sheet. The liabilities of a disposal group classified as held for sale shall be presented separately from other liabilities in the balance sheet. Those assets and liabilities shall not be offset and presented as a single amount. The major classes of assets and liabilities classified as held for sale shall be separately disclosed either in the balance sheet or in the notes, except as permitted by paragraph 39. An entity shall present separately any cumulative income or expense recognised in other comprehensive income relating to a non-current asset (or disposal group) classified as held for sale.
39. If the disposal group is a newly acquired subsidiary that meets the criteria to be classified as held for sale on acquisition (see paragraph 11), disclosure of the major classes of assets and liabilities is not required.
40. An entity shall not reclassify or re-present amounts presented for non-current assets or for the assets and liabilities of disposal groups classified as held for sale in the balance sheets for prior periods to reflect the classification in the balance sheet for the latest period presented.

Additional disclosures

41. An entity shall disclose the following information in the notes in the period in which a non-current asset (or disposal group) has been either classified as held for sale or sold:
- (a) a description of the non-current asset (or disposal group);
 - (b) a description of the facts and circumstances of the sale, or leading to the expected disposal, and the expected manner and timing of that disposal;

- (c) the gain or loss recognised in accordance with paragraphs 20–22 and, if not separately presented in the statement of profit and loss, the caption in the statement of profit and loss that includes that gain or loss;
- (d) if applicable, the reportable segment in which the non-current asset (or disposal group) is presented in accordance with Ind AS 108, *Operating Segments*.
42. If either paragraph 26 or paragraph 29 applies, an entity shall disclose, in the period of the decision to change the plan to sell the non-current asset (or disposal group), a description of the facts and circumstances leading to the decision and the effect of the decision on the results of operations for the period and any prior periods presented.

Appendix A

Defined terms

This appendix is an integral part of the Ind AS.

cash-generating unit	The smallest identifiable group of assets that generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets.
component of an entity	Operations and cash flows that can be clearly distinguished, operationally and for financial reporting purposes, from the rest of the entity.
costs to sell	The incremental costs directly attributable to the disposal of an asset (or disposal group), excluding finance costs and income tax expense.
current asset	An entity shall classify an asset as current when: (a) it expects to realise the asset, or intends to sell or consume it, in its normal operating cycle; (b) it holds the asset primarily for the purpose of trading; (c) it expects to realise the asset within twelve months after the reporting period; or (d) the asset is cash or a cash equivalent (as defined in Ind AS 7) unless the asset is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.
discontinued operation	A component of an entity that either has been disposed of or is classified as held for sale and: (a) represents a separate major line of business or geographical area of operations, (b) is part of a single co-ordinated plan to dispose of a separate major line of business or geographical area of operations or (c) is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale.
disposal group	A group of assets to be disposed of, by sale or otherwise, together as a group in a single transaction, and liabilities directly associated with those assets that will be transferred in the transaction. The group includes goodwill acquired in a business combination if the group is a cash-generating unit to which goodwill has been allocated in accordance with the requirements of paragraphs 80–87 of Ind AS 36, <i>Impairment of Assets</i> , or if it is an operation within such a cash-generating unit.
fair value	<i>Fair value</i> is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113.)
firm purchase commitment	An agreement with an unrelated party, binding on both parties and usually legally enforceable, that (a) specifies all significant terms, including the price and timing of the transactions, and (b) includes a disincentive for non-performance that is sufficiently large to make performance highly probable .
highly probable	Significantly more likely than probable .
non-current asset	An asset that does not meet the definition of a current asset .

probable	More likely than not.
recoverable amount	The higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use .
value in use	The present value of estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life.

Appendix B

Application supplement

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Extension of the period required to complete a sale

B1 As noted in paragraph 9, an extension of the period required to complete a sale does not preclude an asset (or disposal group) from being classified as held for sale if the delay is caused by events or circumstances beyond the entity's control and there is sufficient evidence that the entity remains committed to its plan to sell the asset (or disposal group). An exception to the one-year requirement in paragraph 8 shall therefore apply in the following situations in which such events or circumstances arise:

- (a) at the date an entity commits itself to a plan to sell a non-current asset (or disposal group) it reasonably expects that others (not a buyer) will impose conditions on the transfer of the asset (or disposal group) that will extend the period required to complete the sale, and:
 - (i) actions necessary to respond to those conditions cannot be initiated until after a *firm purchase commitment* is obtained, and
 - (ii) a firm purchase commitment is highly probable within one year.
- (b) an entity obtains a firm purchase commitment and, as a result, a buyer or others unexpectedly impose conditions on the transfer of a non-current asset (or disposal group) previously classified as held for sale that will extend the period required to complete the sale, and:
 - (i) timely actions necessary to respond to the conditions have been taken, and
 - (ii) a favourable resolution of the delaying factors is expected.
- (c) during the initial one-year period, circumstances arise that were previously considered unlikely and, as a result, a non-current asset (or disposal group) previously classified as held for sale is not sold by the end of that period, and:
 - (i) during the initial one-year period the entity took action necessary to respond to the change in circumstances,
 - (ii) the non-current asset (or disposal group) is being actively marketed at a price that is reasonable, given the change in circumstances, and
 - (iii) the criteria in paragraphs 7 and 8 are met.

Appendix C

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

Appendix A, *Distributions of Non-cash Assets to Owners*, contained in Ind AS 10, *Events after the Reporting Period*.

Appendix 1

Note: This appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 105 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 5, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IFRS 5, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*

- 1 The transitional provisions given in IFRS 5 have not been given in Ind AS 105, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.

- 2 Different terminology is used in this standard, eg, the term ‘balance sheet’ is used instead of ‘Statement of financial position’ and ‘Statement of profit and loss’ is used instead of ‘Statement of comprehensive income’. Words ‘approval of the financial statements for issue’ have been used instead of ‘authorisation of the financial statements for issue’ in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.
- 3 Requirements regarding presentation of discontinued operations in the separate income statement, where separate income statement is presented under paragraph 33A of IFRS 5 have been deleted. This change is consequential to the removal of option regarding two statement approach in Ind AS 1. Ind AS 1 requires that the components of profit or loss and components of other comprehensive income shall be presented as a part of the statement of profit and loss. However, paragraph number 33A has been retained in Ind AS 105 to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 5.
- 4 Paragraph 5(d) of IFRS 5 deals with non-current assets that are accounted for in accordance with the fair value model in IAS 40, Investment Property. Since Ind AS 40 prohibits the use of fair value model, this paragraph is deleted in Ind AS 105.

Paragraph 7 prescribes the conditions for classification of a non-current asset (or disposal group) as held for sale. A clarification has been added in Paragraph 7 that the non-current asset (or disposal group) cannot be classified as held for sale, if the entity intends to sell it in a distant future.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 106

Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

- 1 The objective of this Indian Accounting Standard (Ind AS) is to specify the financial reporting for the *exploration for and evaluation of mineral resources*.
- 2 In particular, the Ind AS requires:
 - (a) limited improvements to existing accounting practices for *exploration and evaluation expenditures*.
 - (b) entities that recognise *exploration and evaluation assets* to assess such assets for impairment in accordance with this Ind AS and measure any impairment in accordance with Ind AS 36, *Impairment of Assets*.
 - (c) disclosures that identify and explain the amounts in the entity’s financial statements arising from the exploration for and evaluation of mineral resources and help users of those financial statements understand the amount, timing and certainty of future cash flows from any exploration and evaluation assets recognised.

Scope

- 3 An entity shall apply this Ind AS to exploration and evaluation expenditures that it incurs.
- 4 This Ind AS does not address other aspects of accounting by entities engaged in the exploration for and evaluation of mineral resources.
- 5 An entity shall not apply this Ind AS to expenditures incurred:
 - (a) before the exploration for and evaluation of mineral resources, such as expenditures incurred before the entity has obtained the legal rights to explore a specific area.
 - (b) after the technical feasibility and commercial viability of extracting a mineral resource are demonstrable.

Recognition of Exploration and Evaluation Assets

Temporary exemption from Ind AS 8 paragraphs 11 and 12

- 6 When developing its accounting policies, an entity recognising exploration and evaluation assets shall apply paragraph 10 of Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.

- 7 Paragraphs 11 and 12 of Ind AS 8 specify sources of authoritative requirements and guidance that management is required to consider in developing an accounting policy for an item if no Accounting Standard applies specifically to that item. Subject to paragraphs 9 and 10 below, this Accounting Standard exempts an entity from applying those paragraphs to its accounting policies for the recognition and measurement of exploration and evaluation assets.

Measurement of Exploration and Evaluation Assets

Measurement at recognition

- 8 **Exploration and evaluation assets shall be measured at cost.**

Elements of cost of exploration and evaluation assets

- 9 An entity shall determine an accounting policy specifying which expenditures are recognised as exploration and evaluation assets and apply the policy consistently. In making this determination, an entity considers the degree to which the expenditure can be associated with finding specific mineral resources. The following are examples of expenditures that might be included in the initial measurement of exploration and evaluation assets (the list is not exhaustive):
- (a) acquisition of rights to explore;
 - (b) topographical, geological, geochemical and geophysical studies;
 - (c) exploratory drilling;
 - (d) trenching;
 - (e) sampling; and
 - (f) activities in relation to evaluating the technical feasibility and commercial viability of extracting a mineral resource.

- 10 Expenditures related to the development of mineral resources shall not be recognised as exploration and evaluation assets. The *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards* issued by the Institute of Chartered Accountants of India and Ind AS 38, *Intangible Assets*, provide guidance on the recognition of assets arising from development.

- 11 In accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, an entity recognises any obligations for removal and restoration that are incurred during a particular period as a consequence of having undertaken the exploration for and evaluation of mineral resources.

Measurement after recognition

- 12 After recognition, an entity shall apply either the cost model or the revaluation model to the exploration and evaluation assets. If the revaluation model is applied (either the model in Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*, or the model in Ind AS 38) it shall be consistent with the classification of the assets (see paragraph 15).

Changes in accounting policies

- 13 **An entity may change its accounting policies for exploration and evaluation expenditures if the change makes the financial statements more relevant to the economic decision-making needs of users and no less reliable, or more reliable and no less relevant to those needs. An entity shall judge relevance and reliability using the criteria in Ind AS 8.**
- 14 To justify changing its accounting policies for exploration and evaluation expenditures, an entity shall demonstrate that the change brings its financial statements closer to meeting the criteria in Ind AS 8, but the change need not achieve full compliance with those criteria.

Presentation

Classification of exploration and evaluation assets

- 15 An entity shall classify exploration and evaluation assets as tangible or intangible according to the nature of the assets acquired and apply the classification consistently.
- 16 Some exploration and evaluation assets are treated as intangible (eg drilling rights), whereas others are tangible (eg vehicles and drilling rigs). To the extent that a tangible asset is consumed in developing an intangible asset, the amount reflecting that consumption is part of the cost of the intangible asset. However, using a tangible asset to develop an intangible asset does not change a tangible asset into an intangible asset.

Reclassification of exploration and evaluation assets

- 17 An exploration and evaluation asset shall no longer be classified as such when the technical feasibility and commercial viability of extracting a mineral resource are demonstrable. Exploration and evaluation assets shall be assessed for impairment, and any impairment loss recognised, before reclassification.

Impairment**Recognition and measurement**

- 18 **Exploration and evaluation assets shall be assessed for impairment when facts and circumstances suggest that the carrying amount of an exploration and evaluation asset may exceed its recoverable amount. When facts and circumstances suggest that the carrying amount exceeds the recoverable amount, an entity shall measure, present and disclose any resulting impairment loss in accordance with Ind AS 36, except as provided by paragraph 21 below.**
- 19 For the purposes of exploration and evaluation assets only, paragraph 20 of this Accounting Standard shall be applied rather than paragraphs 8-17 of Ind AS 36 when identifying an exploration and evaluation asset that may be impaired. Paragraph 20 uses the term 'assets' but applies equally to separate exploration and evaluation assets or a cash-generating unit.
- 20 One or more of the following facts and circumstances indicate that an entity should test exploration and evaluation assets for impairment (the list is not exhaustive):
- (a) the period for which the entity has the right to explore in the specific area has expired during the period or will expire in the near future, and is not expected to be renewed.
 - (b) substantive expenditure on further exploration for and evaluation of mineral resources in the specific area is neither budgeted nor planned.
 - (c) exploration for and evaluation of mineral resources in the specific area have not led to the discovery of commercially viable quantities of mineral resources and the entity has decided to discontinue such activities in the specific area.
 - (d) sufficient data exist to indicate that, although a development in the specific area is likely to proceed, the carrying amount of the exploration and evaluation asset is unlikely to be recovered in full from successful development or by sale.

In any such case, or similar cases, the entity shall perform an impairment test in accordance with Ind AS 36. Any impairment loss is recognised as an expense in accordance with Ind AS 36.

Specifying the level at which exploration and evaluation assets are assessed for impairment

- 21 **An entity shall determine an accounting policy for allocating exploration and evaluation assets to cash-generating units or groups of cash-generating units for the purpose of assessing such assets for impairment. Each cash-generating unit or group of units to which an exploration and evaluation asset is allocated shall not be larger than an operating segment determined in accordance with Ind AS 108, *Operating Segments*.**
- 22 The level identified by the entity for the purposes of testing exploration and evaluation assets for impairment may comprise one or more cash-generating units.

Disclosure

- 23 **An entity shall disclose information that identifies and explains the amounts recognised in its financial statements arising from the exploration for and evaluation of mineral resources.**
- 24 To comply with paragraph 23, an entity shall disclose:
- (a) its accounting policies for exploration and evaluation expenditures including the recognition of exploration and evaluation assets.
 - (b) the amounts of assets, liabilities, income and expense and operating and investing cash flows arising from the exploration for and evaluation of mineral resources.
- 25 An entity shall treat exploration and evaluation assets as a separate class of assets and make the disclosures required by either Ind AS 16 or Ind AS 38 consistent with how the assets are classified.

Appendix A

Defined Terms

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

exploration and evaluation assets	Exploration and evaluation expenditures recognised as assets in accordance with the entity's accounting policy.
exploration and evaluation expenditures	Expenditures incurred by an entity in connection with the exploration for and evaluation of mineral resources before the technical feasibility and commercial viability of extracting a mineral resource are demonstrable.
exploration for and evaluation of mineral resources	The search for mineral resources, including minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative resources after the entity has obtained legal rights to explore in a specific area, as well as the determination of the technical feasibility and commercial viability of extracting the mineral resource.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 106 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 6, Exploration for and Evaluation of Mineral Resources, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IFRS 6, *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*

- The transitional provisions given in IFRS 6 have not been given in Ind AS 106, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 107

Financial Instruments: Disclosures

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

- The objective of this Indian Accounting Standard (Ind AS) is to require entities to provide disclosures in their financial statements that enable users to evaluate:
 - the significance of financial instruments for the entity's financial position and performance; and
 - the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed during the period and at the end of the reporting period, and how the entity manages those risks.
- The principles in this Ind AS complement the principles for recognising, measuring and presenting financial assets and financial liabilities in Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*, and Ind AS 109, *Financial Instruments*.

Scope

- This Ind AS shall be applied by all entities to all types of financial instruments, except:
 - those interests in subsidiaries, associates or joint ventures that are accounted for in accordance with Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, Ind AS 27, *Separate Financial Statements* or Ind AS 28, *Investments in Associates and Joint Ventures*. However, in some cases, Ind AS 110, Ind AS 27 or Ind AS 28 require or permit an entity to account for an interest in a subsidiary, associate or joint venture using Ind AS 109; in those cases, entities shall apply the requirements of this Ind AS and, for those measured at fair value, the requirements of Ind AS 113 *Fair Value Measurement*. Entities shall also apply this Ind AS to all derivatives linked to interests in subsidiaries, associates or joint ventures unless the derivative meets the definition of an equity instrument in Ind AS 32.
 - employers' rights and obligations arising from employee benefit plans, to which Ind AS 19, *Employee Benefits*, applies.
 - [Refer Appendix 1]

- (d) insurance contracts as defined in Ind AS 104, *Insurance Contracts*. However, this Ind AS applies to derivatives that are embedded in insurance contracts if Ind AS 109 requires the entity to account for them separately. Moreover, an issuer shall apply this Ind AS to *financial guarantee contracts* if the issuer applies Ind AS 109 in recognising and measuring the contracts, but shall apply Ind AS 104 if the issuer elects, in accordance with paragraph 4(d) of Ind AS 104, to apply Ind AS 104 in recognising and measuring them.
 - (e) financial instruments, contracts and obligations under share-based payment transactions to which Ind AS 102, *Share-based Payment*, applies, except that this Ind AS applies to contracts within the scope of Ind AS 109.
 - (f) instruments that are required to be classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D of Ind AS 32.
- 4 This Ind AS applies to recognised and unrecognised financial instruments. Recognised financial instruments include financial assets and financial liabilities that are within the scope of Ind AS 109. Unrecognised financial instruments include some financial instruments that, although outside the scope of Ind AS 109, are within the scope of this Ind AS.
- 5 This Ind AS applies to contracts to buy or sell a non-financial item that are within the scope of Ind AS 109.
- 5A The credit risk disclosure requirements in paragraph 35A–35N apply to those rights that Ind AS 115 *Revenue from Contracts with Customers* specifies are accounted for in accordance with Ind AS 109 for the purposes of recognising impairment gains or losses. Any reference to financial assets or financial instruments in these paragraphs shall include those rights unless otherwise specified.

Classes of financial instruments and level of disclosure

- 6 When this Ind AS requires disclosures by class of financial instrument, an entity shall group financial instruments into classes that are appropriate to the nature of the information disclosed and that take into account the characteristics of those financial instruments. An entity shall provide sufficient information to permit reconciliation to the line items presented in the balance sheet.

Significance of financial instruments for financial position and performance

- 7 **An entity shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the significance of financial instruments for its financial position and performance.**

Balance sheet

Categories of financial assets and financial liabilities

- 8 The carrying amounts of each of the following categories, as specified in Ind AS 109, shall be disclosed either in the balance sheet or in the notes:
- (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, showing separately (i) those designated as such upon initial recognition or subsequently in accordance with paragraph 6.7.1 of Ind AS 109 and (ii) those mandatorily measured at fair value through profit or loss in accordance with Ind AS 109.
 - (b)- [Refer Appendix 1]
 - (d)
 - (e) financial liabilities at fair value through profit or loss, showing separately (i) those designated as such upon initial recognition or subsequently in accordance with paragraph 6.7.1 of Ind AS 109 and (ii) those that meet the definition of held for trading in Ind AS 109 .
 - (f) financial assets measured at amortised cost.
 - (g) financial liabilities measured at amortised cost.
 - (h) financial assets measured at fair value through other comprehensive income, showing separately (i) financial assets that are measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A of Ind AS 109; and (ii) investments in equity instruments designated as such upon initial recognition in accordance with paragraph 5.7.5 of Ind AS 109.

Financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss

- 9 If the entity has designated as measured at fair value through profit or loss a financial asset (or group of financial assets) that would otherwise be measured at fair value through other comprehensive income or amortised cost, it shall disclose:
- (a) the maximum exposure to *credit risk* (see paragraph 36(a)) of the financial asset (or group of financial assets) at the end of the reporting period.
 - (b) the amount by which any related credit derivatives or similar instruments mitigate that maximum exposure to credit risk [see paragraph 36(b)].

- (c) the amount of change, during the period and cumulatively, in the fair value of the financial asset (or group of financial assets) that is attributable to changes in the credit risk of the financial asset determined either:
- as the amount of change in its fair value that is not attributable to changes in market conditions that give rise to *market risk*; or
 - using an alternative method the entity believes more faithfully represents the amount of change in its fair value that is attributable to changes in the credit risk of the asset.
- Changes in market conditions that give rise to market risk include changes in an observed (benchmark) interest rate, commodity price, foreign exchange rate or index of prices or rates.
- (d) the amount of the change in the fair value of any related credit derivatives or similar instruments that has occurred during the period and cumulatively since the financial asset was designated.
- 10 If the entity has designated a financial liability as at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 4.2.2 of Ind AS 109 and is required to present the effects of changes in that liability's credit risk in other comprehensive income (see paragraph 5.7.7 of Ind AS 109), it shall disclose:
- the amount of change, cumulatively, in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability (see paragraphs B5.7.13-B5.7.20 of Ind AS 109 for guidance on determining the effects of changes in a liability's credit risk).
 - the difference between the financial liability's carrying amount and the amount the entity would be contractually required to pay at maturity to the holder of the obligation.
 - any transfers of the cumulative gain or loss within equity during the period including the reason for such transfers.
 - if a liability is derecognised during the period, the amount (if any) presented in other comprehensive income that was realised at derecognition.
- 10A If an entity has designated a financial liability as at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 4.2.2 of Ind AS 109 and is required to present all changes in the fair value of that liability (including the effects of changes in the credit risk of the liability) in profit or loss (see paragraphs 5.7.7 and 5.7.8 of Ind AS 109), it shall disclose:
- the amount of change, during the period and cumulatively, in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability (see paragraphs B5.7.13–B5.7.20 of Ind AS 109 for guidance on determining the effects of changes in a liability's credit risk); and
 - the difference between the financial liability's carrying amount and the amount the entity would be contractually required to pay at maturity to the holder of the obligation.
- 11 The entity shall also disclose:
- a detailed description of the methods used to comply with the requirements in paragraphs 9(c), 10(a) and 10A(a) and paragraph 5.7.7(a) of Ind AS 109, including an explanation of why the method is appropriate.
 - if the entity believes that the disclosure it has given, either in the balance sheet or in the notes, to comply with the requirements in paragraph 9(c), 10(a) or 10A(a) or paragraph 5.7.7(a) of Ind AS 109 does not faithfully represent the change in the fair value of the financial asset or financial liability attributable to changes in its credit risk, the reasons for reaching this conclusion and the factors it believes are relevant.
 - a detailed description of the methodology or methodologies used to determine whether presenting the effects of changes in a liability's credit risk in other comprehensive income would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss (see paragraphs 5.7.7 and 5.7.8 of Ind AS 109). If an entity is required to present the effects of changes in a liability's credit risk in profit or loss (see paragraph 5.7.8 of Ind AS 109), the disclosure must include a detailed description of the economic relationship described in paragraph B5.7.6 of Ind AS 109.
- Investments in equity instruments designated at fair value through other comprehensive income**
- 11A If an entity has designated investments in equity instruments to be measured at fair value through other comprehensive income, as permitted by paragraph 5.7.5 of Ind AS 109, it shall disclose:

- (a) which investments in equity instruments have been designated to be measured at fair value through other comprehensive income.
 - (b) the reasons for using this presentation alternative.
 - (c) the fair value of each such investment at the end of the reporting period.
 - (d) dividends recognised during the period, showing separately those related to investments derecognised during the reporting period and those related to investments held at the end of the reporting period.
 - (e) any transfers of the cumulative gain or loss within equity during the period including the reason for such transfers.
- 11B If an entity derecognised investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income during the reporting period, it shall disclose:
- (a) the reasons for disposing of the investments.
 - (b) the fair value of the investments at the date of derecognition.
 - (c) the cumulative gain or loss on disposal.

Reclassification

12- [Refer Appendix 1]

12A

12B An entity shall disclose if, in the current or previous reporting periods, it has reclassified any financial assets in accordance with paragraph 4.4.1 of Ind AS 109. For each such event, an entity shall disclose:

- (a) the date of reclassification.
 - (b) a detailed explanation of the change in business model and a qualitative description of its effect on the entity's financial statements.
 - (c) the amount reclassified into and out of each category.
- 12C For each reporting period following reclassification until derecognition, an entity shall disclose for assets reclassified out of the fair value through profit or loss category so that they are measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.4.1 of Ind AS 109:
- (a) the effective interest rate determined on the date of reclassification; and
 - (b) the interest revenue recognised.
- 12D If, since its last annual reporting date, an entity has reclassified financial assets out of the fair value through other comprehensive income category so that they are measured at amortised cost or out of the fair value through profit or loss category so that they are measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income it shall disclose:
- (a) the fair value of the financial assets at the end of the reporting period; and
 - (b) the fair value gain or loss that would have been recognised in profit or loss or other comprehensive income during the reporting period if the financial assets had not been reclassified.

13 [Refer Appendix 1]

Offsetting financial assets and financial liabilities

- 13A The disclosures in paragraphs 13B–13E supplement the other disclosure requirements of this Ind AS and are required for all recognised financial instruments that are set off in accordance with paragraph 42 of Ind AS 32. These disclosures also apply to recognised financial instruments that are subject to an enforceable master netting arrangement or similar agreement, irrespective of whether they are set off in accordance with paragraph 42 of Ind AS 32.
- 13B An entity shall disclose information to enable users of its financial statements to evaluate the effect or potential effect of netting arrangements on the entity's financial position. This includes the effect or potential effect of rights of set-off associated with the entity's recognised financial assets and recognised financial liabilities that are within the scope of paragraph 13A.

- 13C To meet the objective in paragraph 13B, an entity shall disclose, at the end of the reporting period, the following quantitative information separately for recognised financial assets and recognised financial liabilities that are within the scope of paragraph 13A:
- (a) the gross amounts of those recognised financial assets and recognised financial liabilities;
 - (b) the amounts that are set-off in accordance with the criteria in paragraph 42 of Ind AS 32 when determining the net amounts presented in the statement of financial position;
 - (c) the net amounts presented in the balance sheet;
 - (d) the amounts subject to an enforceable master netting arrangement or similar agreement that are not otherwise included in paragraph 13C(b), including:
 - (i) amounts related to recognised financial instruments that do not meet some or all of the offsetting criteria in paragraph 42 of Ind AS 32; and
 - (ii) amounts related to financial collateral (including cash collateral); and
 - (e) the net amount after deducting the amounts in (d) from the amounts in (c) above.
- The information required by this paragraph shall be presented in a tabular format, separately for financial assets and financial liabilities, unless another format is more appropriate.
- 13D The total amount disclosed in accordance with paragraph 13C(d) for an instrument shall be limited to the amount in paragraph 13C(c) for that instrument.
- 13E An entity shall include a description in the disclosures of the rights of set-off associated with the entity's recognised financial assets and recognised financial liabilities subject to enforceable master netting arrangements and similar agreements that are disclosed in accordance with paragraph 13C(d), including the nature of those rights.
- 13F If the information required by paragraphs 13B–13E is disclosed in more than one note to the financial statements, an entity shall cross-refer between those notes.

Collateral

- 14 An entity shall disclose:
- (a) the carrying amount of financial assets it has pledged as collateral for liabilities or contingent liabilities, including amounts that have been reclassified in accordance with paragraph 3.2.23(a) of Ind AS 109; and
 - (b) the terms and conditions relating to its pledge.
- 15 When an entity holds collateral (of financial or non-financial assets) and is permitted to sell or repledge the collateral in the absence of default by the owner of the collateral, it shall disclose:
- (a) the fair value of the collateral held;
 - (b) the fair value of any such collateral sold or repledged, and whether the entity has an obligation to return it; and
 - (c) the terms and conditions associated with its use of the collateral.

Allowance account for credit losses

- 16 [Refer Appendix 1]
- 16A The carrying amount of financial assets measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A of Ind AS 109 is not reduced by a loss allowance and an entity shall not present the loss allowance separately in the balance sheet as a reduction of the carrying amount of the financial asset. However, an entity shall disclose the loss allowance in the notes to the financial statements.

Compound financial instruments with multiple embedded derivatives

- 17 If an entity has issued an instrument that contains both a liability and an equity component (see paragraph 28 of Ind AS 32) and the instrument has multiple embedded derivatives whose values are interdependent (such as a callable convertible debt instrument), it shall disclose the existence of those features.

Defaults and breaches

- 18 For *loans payable* recognised at the end of the reporting period, an entity shall disclose:
- (a) details of any defaults during the period of principal, interest, sinking fund, or redemption terms of those loans payable;
 - (b) the carrying amount of the loans payable in default at the end of the reporting period; and
 - (c) whether the default was remedied, or the terms of the loans payable were renegotiated, before the financial statements were approved for issue.
- 19 If, during the period, there were breaches of loan agreement terms other than those described in paragraph 18, an entity shall disclose the same information as required by paragraph 18 if those breaches permitted the lender to demand accelerated repayment (unless the breaches were remedied, or the terms of the loan were renegotiated, on or before the end of the reporting period).

Statement of profit and loss**Items of income, expense, gains or losses**

- 20 An entity shall disclose the following items of income, expense, gains or losses either in the statement of profit and loss or in the notes:
- (a) net gains or net losses on:
 - (i) financial assets or financial liabilities measured at fair value through profit or loss, showing separately those on financial assets or financial liabilities designated as such upon initial recognition or subsequently in accordance with paragraph 6.7.1 of Ind AS 109, and those on financial assets or financial liabilities that are mandatorily measured at fair value through profit or loss in accordance with Ind AS 109 (eg financial liabilities that meet the definition of held for trading in Ind AS 109). For financial liabilities designated as at fair value through profit or loss, an entity shall show separately the amount of gain or loss recognised in other comprehensive income and the amount recognised in profit or loss.
 - (ii)- [Refer Appendix 1]
 - (iv)
 - (v) financial liabilities measured at amortised cost.
 - (vi) financial assets measured at amortised cost.
 - (vii) investments in equity instruments designated at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5 of Ind AS 109.
 - (viii) financial assets measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A of Ind AS 109, showing separately the amount of gain or loss recognised in other comprehensive income during the period and the amount reclassified upon derecognition from accumulated other comprehensive income to profit or loss for the period.
 - (b) total interest revenue and total interest expense (calculated using the effective interest method) for financial assets that are measured at amortised cost or that are measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A of Ind AS 109 (showing these amounts separately); or financial liabilities that are not measured at fair value through profit or loss.
 - (c) fee income and expense (other than amounts included in determining the effective interest rate) arising from:
 - (i) financial assets and financial liabilities that are not at fair value through profit or loss; and
 - (ii) trust and other fiduciary activities that result in the holding or investing of assets on behalf of individuals, trusts, retirement benefit plans, and other institutions.
 - (d)-(e) [Refer Appendix] 1
- 20A An entity shall disclose an analysis of the gain or loss recognised in the statement of profit and loss arising from the derecognition of financial assets measured at amortised cost, showing separately gains and losses arising from derecognition of those financial assets. This disclosure shall include the reasons for derecognising those financial assets.

Other disclosures**Accounting policies**

- 21 In accordance with paragraph 117 of Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*, an entity discloses, in the summary of significant accounting policies, the measurement basis (or bases) used in preparing the financial statements and the other accounting policies used that are relevant to an understanding of the financial statements.

Hedge accounting

- 21A An entity shall apply the disclosure requirements in paragraphs 21B–24F for those risk exposures that an entity hedges and for which it elects to apply hedge accounting. Hedge accounting disclosures shall provide information about:
- (a) an entity's risk management strategy and how it is applied to manage risk;
 - (b) how the entity's hedging activities may affect the amount, timing and uncertainty of its future cash flows; and
 - (c) the effect that hedge accounting has had on the entity's balance sheet, statement of profit and loss and statement of changes in equity.
- 21B An entity shall present the required disclosures in a single note or separate section in its financial statements. However, an entity need not duplicate information that is already presented elsewhere, provided that the information is incorporated by cross-reference from the financial statements to some other statement, such as a management commentary or risk report, that is available to users of the financial statements on the same terms as the financial statements and at the same time. Without the information incorporated by cross-reference, the financial statements are incomplete.
- 21C When paragraphs 22A–24F require the entity to separate by risk category the information disclosed, the entity shall determine each risk category on the basis of the risk exposures an entity decides to hedge and for which hedge accounting is applied. An entity shall determine risk categories consistently for all hedge accounting disclosures.
- 21D To meet the objectives in paragraph 21A, an entity shall (except as otherwise specified below) determine how much detail to disclose, how much emphasis to place on different aspects of the disclosure requirements, the appropriate level of aggregation or disaggregation, and whether users of financial statements need additional explanations to evaluate the quantitative information disclosed. However, an entity shall use the same level of aggregation or disaggregation it uses for disclosure requirements of related information in this Ind AS and Ind AS 113, *Fair Value Measurement*.
- The risk management strategy*
- 22 [Refer Appendix 1]
- 22A An entity shall explain its risk management strategy for each risk category of risk exposures that it decides to hedge and for which hedge accounting is applied. This explanation should enable users of financial statements to evaluate (for example):
- (a) how each risk arises.
 - (b) how the entity manages each risk; this includes whether the entity hedges an item in its entirety for all risks or hedges a risk component (or components) of an item and why.
 - (c) the extent of risk exposures that the entity manages.
- 22B To meet the requirements in paragraph 22A, the information should include (but is not limited to) a description of:
- (a) the hedging instruments that are used (and how they are used) to hedge risk exposures;
 - (b) how the entity determines the economic relationship between the hedged item and the hedging instrument for the purpose of assessing hedge effectiveness; and
 - (c) how the entity establishes the hedge ratio and what the sources of hedge ineffectiveness are.
- 22C When an entity designates a specific risk component as a hedged item (see paragraph 6.3.7 of Ind AS 109) it shall provide, in addition to the disclosures required by paragraphs 22A and 22B, qualitative or quantitative information about:
- (a) how the entity determined the risk component that is designated as the hedged item (including a description of the nature of the relationship between the risk component and the item as a whole); and

- (b) how the risk component relates to the item in its entirety (for example, the designated risk component historically covered on average 80 per cent of the changes in fair value of the item as a whole).

The amount, timing and uncertainty of future cash flows

23 [Refer Appendix 1]

23A Unless exempted by paragraph 23C, an entity shall disclose by risk category quantitative information to allow users of its financial statements to evaluate the terms and conditions of hedging instruments and how they affect the amount, timing and uncertainty of future cash flows of the entity.

23B To meet the requirement in paragraph 23A, an entity shall provide a breakdown that discloses:

- (a) a profile of the timing of the nominal amount of the hedging instrument; and
- (b) if applicable, the average price or rate (for example strike or forward prices etc) of the hedging instrument.

23C In situations in which an entity frequently resets (ie discontinues and restarts) hedging relationships because both the hedging instrument and the hedged item frequently change (ie the entity uses a dynamic process in which both the exposure and the hedging instruments used to manage that exposure do not remain the same for long—such as in the example in paragraph B6.5.24(b) of Ind AS 109) the entity:

- (a) is exempt from providing the disclosures required by paragraphs 23A and 23B.
- (b) shall disclose:
 - (i) information about what the ultimate risk management strategy is in relation to those hedging relationships;
 - (ii) a description of how it reflects its risk management strategy by using hedge accounting and designating those particular hedging relationships; and
 - (iii) an indication of how frequently the hedging relationships are discontinued and restarted as part of the entity's process in relation to those hedging relationships.

23D An entity shall disclose by risk category a description of the sources of hedge ineffectiveness that are expected to affect the hedging relationship during its term.

23E If other sources of hedge ineffectiveness emerge in a hedging relationship, an entity shall disclose those sources by risk category and explain the resulting hedge ineffectiveness.

23F For cash flow hedges, an entity shall disclose a description of any forecast transaction for which hedge accounting had been used in the previous period, but which is no longer expected to occur.

The effects of hedge accounting on financial position and performance

24 [Refer Appendix 1]

24A An entity shall disclose, in a tabular format, the following amounts related to items designated as hedging instruments separately by risk category for each type of hedge (fair value hedge, cash flow hedge or hedge of a net investment in a foreign operation):

- (a) the carrying amount of the hedging instruments (financial assets separately from financial liabilities);
- (b) the line item in the balance sheet that includes the hedging instrument;
- (c) the change in fair value of the hedging instrument used as the basis for recognising hedge ineffectiveness for the period; and
- (d) the nominal amounts (including quantities such as tonnes or cubic metres) of the hedging instruments.

24B An entity shall disclose, in a tabular format, the following amounts related to hedged items separately by risk category for the types of hedges as follows:

- (a) for fair value hedges:
 - (i) the carrying amount of the hedged item recognised in the balance sheet (presenting assets separately from liabilities);

- (ii) the accumulated amount of fair value hedge adjustments on the hedged item included in the carrying amount of the hedged item recognised in the balance sheet (presenting assets separately from liabilities);
 - (iii) the line item in the balance sheet that includes the hedged item;
 - (iv) the change in value of the hedged item used as the basis for recognising hedge ineffectiveness for the period; and
 - (v) the accumulated amount of fair value hedge adjustments remaining in the balance sheet for any hedged items that have ceased to be adjusted for hedging gains and losses in accordance with paragraph 6.5.10 of Ind AS 109.
- (b) for cash flow hedges and hedges of a net investment in a foreign operation:
- (i) the change in value of the hedged item used as the basis for recognising hedge ineffectiveness for the period (ie for cash flow hedges the change in value used to determine the recognised hedge ineffectiveness in accordance with paragraph 6.5.11(c) of Ind AS 109);
 - (ii) the balances in the cash flow hedge reserve and the foreign currency translation reserve for continuing hedges that are accounted for in accordance with paragraphs 6.5.11 and 6.5.13(a) of Ind AS 109; and
 - (iii) the balances remaining in the cash flow hedge reserve and the foreign currency translation reserve from any hedging relationships for which hedge accounting is no longer applied.
- 24C An entity shall disclose, in a tabular format, the following amounts separately by risk category for the types of hedges as follows:
- (a) for fair value hedges:
- (i) hedge ineffectiveness—ie the difference between the hedging gains or losses of the hedging instrument and the hedged item—recognised in profit or loss (or other comprehensive income for hedges of an equity instrument for which an entity has elected to present changes in fair value in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5 of Ind AS 109); and
 - (ii) the line item in the statement of profit and loss that includes the recognised hedge ineffectiveness.
- (b) for cash flow hedges and hedges of a net investment in a foreign operation:
- (i) hedging gains or losses of the reporting period that were recognised in other comprehensive income;
 - (ii) hedge ineffectiveness recognised in profit or loss;
 - (iii) the line item in the statement of profit and loss that includes the recognised hedge ineffectiveness;
 - (iv) the amount reclassified from the cash flow hedge reserve or the foreign currency translation reserve into profit or loss as a reclassification adjustment (see Ind AS 1) (differentiating between amounts for which hedge accounting had previously been used, but for which the hedged future cash flows are no longer expected to occur, and amounts that have been transferred because the hedged item has affected profit or loss);
 - (v) the line item in the statement of profit and loss that includes the reclassification adjustment (see Ind AS 1); and
 - (vi) for hedges of net positions, the hedging gains or losses recognised in a separate line item in the statement of profit and loss (see paragraph 6.6.4 of Ind AS 109).
- 24D When the volume of hedging relationships to which the exemption in paragraph 23C applies is unrepresentative of normal volumes during the period (ie the volume at the reporting date does not reflect the volumes during the period) an entity shall disclose that fact and the reason it believes the volumes are unrepresentative.

24E An entity shall provide a reconciliation of each component of equity and an analysis of other comprehensive income in accordance with Ind AS 1 that, taken together:

- (a) differentiates, at a minimum, between the amounts that relate to the disclosures in paragraph 24C(b)(i) and (b)(iv) as well as the amounts accounted for in accordance with paragraph 6.5.11(d)(i) and (d)(iii) of Ind AS 109;
- (b) differentiates between the amounts associated with the time value of options that hedge transaction related hedged items and the amounts associated with the time value of options that hedge time-period related hedged items when an entity accounts for the time value of an option in accordance with paragraph 6.5.15 of Ind AS 109; and
- (c) differentiates between the amounts associated with forward elements of forward contracts and the foreign currency basis spreads of financial instruments that hedge transaction related hedged items, and the amounts associated with forward elements of forward contracts and the foreign currency basis spreads of financial instruments that hedge time-period related hedged items when an entity accounts for those amounts in accordance with paragraph 6.5.16 of Ind AS 109.

24F An entity shall disclose the information required in paragraph 24E separately by risk category. This disaggregation by risk may be provided in the notes to the financial statements.

Option to designate a credit exposure as measured at fair value through profit or loss

24G If an entity designated a financial instrument, or a proportion of it, as measured at fair value through profit or loss because it uses a credit derivative to manage the credit risk of that financial instrument it shall disclose:

- (a) for credit derivatives that have been used to manage the credit risk of financial instruments designated as measured at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 6.7.1 of Ind AS 109, a reconciliation of each of the nominal amount and the fair value at the beginning and at the end of the period;
- (b) the gain or loss recognised in profit or loss on designation of a financial instrument, or a proportion of it, as measured at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 6.7.1 of Ind AS 109; and
- (c) on discontinuation of measuring a financial instrument, or a proportion of it, at fair value through profit or loss, that financial instrument's fair value that has become the new carrying amount in accordance with paragraph 6.7.4(b) of Ind AS 109 and the related nominal or principal amount (except for providing comparative information in accordance with Ind AS 1, an entity does not need to continue this disclosure in subsequent periods).

Fair value

25 Except as set out in paragraph 29, for each class of financial assets and financial liabilities (see paragraph 6), an entity shall disclose the fair value of that class of assets and liabilities in a way that permits it to be compared with its carrying amount.

26 In disclosing fair values, an entity shall group financial assets and financial liabilities into classes, but shall offset them only to the extent that their carrying amounts are offset in the balance sheet.

27 [Refer Appendix 1]

27B

28 In some cases, an entity does not recognise a gain or loss on initial recognition of a financial asset or financial liability because the fair value is neither evidenced by a quoted price in an active market for an identical asset or liability (ie a Level 1 input) nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets (see paragraph B5.1.2A of Ind AS 109). In such cases, the entity shall disclose by class of financial asset or financial liability:

- (a) its accounting policy for recognising in profit or loss the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price to reflect a change in factors (including time) that market participants would take into account when pricing the asset or liability (see paragraph B5.1.2A(b) of Ind AS 109).

- (b) the aggregate difference yet to be recognised in profit or loss at the beginning and end of the period and a reconciliation of changes in the balance of this difference.
 - (c) why the entity concluded that the transaction price was not the best evidence of fair value, including a description of the evidence that supports the fair value.
- 29 Disclosures of fair value are not required:
- (a) when the carrying amount is a reasonable approximation of fair value, for example, for financial instruments such as short-term trade receivables and payables;
 - (b) [Refer Appendix 1]
 - (c) for a contract containing a discretionary participation feature (as described in Ind AS 104) if the fair value of that feature cannot be measured reliably.
- 30 In the case described in paragraph 29(c), an entity shall disclose information to help users of the financial statements make their own judgements about the extent of possible differences between the carrying amount of those contracts and their fair value, including:
- (a) the fact that fair value information has not been disclosed for these instruments because their fair value cannot be measured reliably;
 - (b) a description of the financial instruments, their carrying amount, and an explanation of why fair value cannot be measured reliably;
 - (c) information about the market for the instruments;
 - (d) information about whether and how the entity intends to dispose of the financial instruments; and
 - (e) if financial instruments whose fair value previously could not be reliably measured are derecognised, that fact, their carrying amount at the time of derecognition, and the amount of gain or loss recognised.

Nature and extent of risks arising from financial instruments

- 31 **An entity shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed at the end of the reporting period.**

- 32 The disclosures required by paragraphs 33–42 focus on the risks that arise from financial instruments and how they have been managed. These risks typically include, but are not limited to, credit risk, *liquidity risk* and market risk.

- 32A Providing qualitative disclosures in the context of quantitative disclosures enables users to link related disclosures and hence form an overall picture of the nature and extent of risks arising from financial instruments. The interaction between qualitative and quantitative disclosures contributes to disclosure of information in a way that better enables users to evaluate an entity's exposure to risks.

Qualitative disclosures

- 33 For each type of risk arising from financial instruments, an entity shall disclose:

- (a) the exposures to risk and how they arise;
- (b) its objectives, policies and processes for managing the risk and the methods used to measure the risk; and
- (c) any changes in (a) or (b) from the previous period.

Quantitative disclosures

- 34 For each type of risk arising from financial instruments, an entity shall disclose:

- (a) summary quantitative data about its exposure to that risk at the end of the reporting period. This disclosure shall be based on the information provided internally to key management personnel of the entity (as defined in Ind AS 24, *Related Party Disclosures*), for example the entity's board of directors or chief executive officer.
- (b) the disclosures required by paragraphs 36–42, to the extent not provided in accordance with (a).
- (c) concentrations of risk if not apparent from the disclosures made in accordance with (a) and (b).

- 35 If the quantitative data disclosed as at the end of the reporting period are unrepresentative of an entity's exposure to risk during the period, an entity shall provide further information that is representative.

Credit risk*Scope and objectives*

- 35A An entity shall apply the disclosure requirements in paragraphs 35F–35N to financial instruments to which the impairment requirements in Ind AS 109 are applied. However:
- (a) for trade receivables, contract assets and lease receivables, paragraph 35J applies to those trade receivables, contract assets or lease receivables on which lifetime expected credit losses are recognised in accordance with paragraph 5.5.15 of Ind AS 109, if those financial assets are modified while more than 30 days past due; and
 - (b) paragraph 35K(b) does not apply to lease receivables.
- 35B The credit risk disclosures made in accordance with paragraphs 35F–35N shall enable users of financial statements to understand the effect of credit risk on the amount, timing and uncertainty of future cash flows. To achieve this objective, credit risk disclosures shall provide:
- (a) information about an entity's credit risk management practices and how they relate to the recognition and measurement of expected credit losses, including the methods, assumptions and information used to measure expected credit losses;
 - (b) quantitative and qualitative information that allows users of financial statements to evaluate the amounts in the financial statements arising from expected credit losses, including changes in the amount of expected credit losses and the reasons for those changes; and
 - (c) information about an entity's credit risk exposure (ie the credit risk inherent in an entity's financial assets and commitments to extend credit) including significant credit risk concentrations.
- 35C An entity need not duplicate information that is already presented elsewhere, provided that the information is incorporated by cross-reference from the financial statements to other statements, such as a management commentary or risk report that is available to users of the financial statements on the same terms as the financial statements and at the same time. Without the information incorporated by cross-reference, the financial statements are incomplete.
- 35D To meet the objectives in paragraph 35B, an entity shall (except as otherwise specified) consider how much detail to disclose, how much emphasis to place on different aspects of the disclosure requirements, the appropriate level of aggregation or disaggregation, and whether users of financial statements need additional explanations to evaluate the quantitative information disclosed.
- 35E If the disclosures provided in accordance with paragraphs 35F–35N are insufficient to meet the objectives in paragraph 35B, an entity shall disclose additional information that is necessary to meet those objectives.

The credit risk management practices

- 35F An entity shall explain its credit risk management practices and how they relate to the recognition and measurement of expected credit losses. To meet this objective an entity shall disclose information that enables users of financial statements to understand and evaluate:
- (a) how an entity determined whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition, including, if and how:
 - (i) financial instruments are considered to have low credit risk in accordance with paragraph 5.5.10 of Ind AS 109, including the classes of financial instruments to which it applies; and
 - (ii) the presumption in paragraph 5.5.11 of Ind AS 109, that there have been significant increases in credit risk since initial recognition when financial assets are more than 30 days past due, has been rebutted;
 - (b) an entity's definitions of default, including the reasons for selecting those definitions;
 - (c) how the instruments were grouped if expected credit losses were measured on a collective basis;
 - (d) how an entity determined that financial assets are credit-impaired financial assets;
 - (e) an entity's write-off policy, including the indicators that there is no reasonable expectation of recovery and information about the policy for financial assets that are written-off but are still subject to

enforcement activity; and

- (f) how the requirements in paragraph 5.5.12 of Ind AS 109 for the modification of contractual cash flows of financial assets have been applied, including how an entity:
 - (i) determines whether the credit risk on a financial asset that has been modified while the loss allowance was measured at an amount equal to lifetime expected credit losses, has improved to the extent that the loss allowance reverts to being measured at an amount equal to 12-month expected credit losses in accordance with paragraph 5.5.5 of Ind AS 109; and
 - (ii) monitors the extent to which the loss allowance on financial assets meeting the criteria in (i) is subsequently remeasured at an amount equal to lifetime expected credit losses in accordance with paragraph 5.5.3 of Ind AS 109.

35G An entity shall explain the inputs, assumptions and estimation techniques used to apply the requirements in Section 5.5 of Ind AS 109. For this purpose an entity shall disclose:

- (a) the basis of inputs and assumptions and the estimation techniques used to:
 - (i) measure the 12-month and lifetime expected credit losses;
 - (ii) determine whether the credit risk of financial instruments have increased significantly since initial recognition; and
 - (iii) determine whether a financial asset is a credit-impaired financial asset.
- (b) how forward-looking information has been incorporated into the determination of expected credit losses, including the use of macroeconomic information; and
- (c) changes in the estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period and the reasons for those changes.

Quantitative and qualitative information about amounts arising from expected credit losses

35H To explain the changes in the loss allowance and the reasons for those changes, an entity shall provide, by class of financial instrument, a reconciliation from the opening balance to the closing balance of the loss allowance, in a table, showing separately the changes during the period for:

- (a) the loss allowance measured at an amount equal to 12-month expected credit losses;
- (b) the loss allowance measured at an amount equal to lifetime expected credit losses for:
 - (i) financial instruments for which credit risk has increased significantly since initial recognition but that are not credit-impaired financial assets;
 - (ii) financial assets that are credit-impaired at the reporting date (but that are not purchased or originated credit-impaired); and
 - (iii) trade receivables, contract assets or lease receivables for which the loss allowances are measured in accordance with paragraph 5.5.15 of Ind AS 109.
- (c) financial assets that are purchased or originated credit-impaired. In addition to the reconciliation, an entity shall disclose the total amount of undiscounted expected credit losses at initial recognition on financial assets initially recognised during the reporting period.

35I To enable users of financial statements to understand the changes in the loss allowance disclosed in accordance with paragraph 35H, an entity shall provide an explanation of how significant changes in the gross carrying amount of financial instruments during the period contributed to changes in the loss allowance. The information shall be provided separately for financial instruments that represent the loss allowance as listed in paragraph 35H(a)–(c) and shall include relevant qualitative and quantitative information. Examples of changes in the gross carrying amount of financial instruments that contributed to the changes in the loss allowance may include:

- (a) changes because of financial instruments originated or acquired during the reporting period;
- (b) the modification of contractual cash flows on financial assets that do not result in a derecognition of those financial assets in accordance with Ind AS 109;

- (c) changes because of financial instruments that were derecognised (including those that were written-off) during the reporting period; and
- (d) changes arising from whether the loss allowance is measured at an amount equal to 12-month or lifetime expected credit losses.

35J To enable users of financial statements to understand the nature and effect of modifications of contractual cash flows on financial assets that have not resulted in derecognition and the effect of such modifications on the measurement of expected credit losses, an entity shall disclose:

- (a) the amortised cost before the modification and the net modification gain or loss recognised for financial assets for which the contractual cash flows have been modified during the reporting period while they had a loss allowance measured at an amount equal to lifetime expected credit losses; and
- (b) the gross carrying amount at the end of the reporting period of financial assets that have been modified since initial recognition at a time when the loss allowance was measured at an amount equal to lifetime expected credit losses and for which the loss allowance has changed during the reporting period to an amount equal to 12-month expected credit losses.

35K To enable users of financial statements to understand the effect of collateral and other credit enhancements on the amounts arising from expected credit losses, an entity shall disclose by class of financial instrument:

- (a) the amount that best represents its maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period without taking account of any collateral held or other credit enhancements (eg netting agreements that do not qualify for offset in accordance with Ind AS 32).
- (b) a narrative description of collateral held as security and other credit enhancements, including:
 - (i) a description of the nature and quality of the collateral held;
 - (ii) an explanation of any significant changes in the quality of that collateral or credit enhancements as a result of deterioration or changes in the collateral policies of the entity during the reporting period; and
 - (iii) information about financial instruments for which an entity has not recognised a loss allowance because of the collateral.
- (c) quantitative information about the collateral held as security and other credit enhancements (for example, quantification of the extent to which collateral and other credit enhancements mitigate credit risk) for financial assets that are credit-impaired at the reporting date.

35L An entity shall disclose the contractual amount outstanding on financial assets that were written off during the reporting period and are still subject to enforcement activity.

Credit risk exposure

35M To enable users of financial statements to assess an entity's credit risk exposure and understand its significant credit risk concentrations, an entity shall disclose, by *credit risk rating grades*, the gross carrying amount of financial assets and the exposure to credit risk on loan commitments and financial guarantee contracts. This information shall be provided separately for financial instruments:

- (a) for which the loss allowance is measured at an amount equal to 12-month expected credit losses;
- (b) for which the loss allowance is measured at an amount equal to lifetime expected credit losses and that are:
 - (i) financial instruments for which credit risk has increased significantly since initial recognition but that are not credit-impaired financial assets;
 - (ii) financial assets that are credit-impaired at the reporting date (but that are not purchased or originated credit-impaired); and
 - (iii) trade receivables, contract assets or lease receivables for which the loss allowances are measured in accordance with paragraph 5.5.15 of Ind AS 109.
- (c) that are purchased or originated credit-impaired financial assets.

35N For trade receivables, contract assets and lease receivables to which an entity applies paragraph 5.5.15 of Ind AS 109, the information provided in accordance with paragraph 35M may be based on a provision matrix (see paragraph B5.5.35 of Ind AS 109).

36 For all financial instruments within the scope of this Ind AS, but to which the impairment requirements in Ind AS 109 are not applied, an entity shall disclose by class of financial instrument:

- (a) the amount that best represents its maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period without taking account of any collateral held or other credit enhancements (eg netting agreements that do not qualify for offset in accordance with Ind AS 32); this disclosure is not required for financial instruments whose carrying amount best represents the maximum exposure to credit risk.
- (b) a description of collateral held as security and other credit enhancements, and their financial effect (eg quantification of the extent to which collateral and other credit enhancements mitigate credit risk) in respect of the amount that best represents the maximum exposure to credit risk (whether disclosed in accordance with (a) or represented by the carrying amount of a financial instrument).
- (c) [Refer Appendix 1]
- (d) [Refer Appendix 1]

Financial assets that are either past due or impaired

[Refer Appendix 1].

Collateral and other credit enhancements obtained

38 When an entity obtains financial or non-financial assets during the period by taking possession of collateral it holds as security or calling on other credit enhancements (eg guarantees), and such assets meet the recognition criteria in other Ind AS, an entity shall disclose for such assets held at the reporting date:

- (a) the nature and carrying amount of the assets; and
- (b) when the assets are not readily convertible into cash, its policies for disposing of such assets or for using them in its operations.

Liquidity risk

39 An entity shall disclose:

- (a) a maturity analysis for non-derivative financial liabilities (including issued financial guarantee contracts) that shows the remaining contractual maturities.
- (b) a maturity analysis for derivative financial liabilities. The maturity analysis shall include the remaining contractual maturities for those derivative financial liabilities for which contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows (see paragraph B11B).
- (c) a description of how it manages the liquidity risk inherent in (a) and (b).

Market risk

Sensitivity analysis

40 Unless an entity complies with paragraph 41, it shall disclose:

- (a) a sensitivity analysis for each type of market risk to which the entity is exposed at the end of the reporting period, showing how profit or loss and equity would have been affected by changes in the relevant risk variable that were reasonably possible at that date;
- (b) the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis; and
- (c) changes from the previous period in the methods and assumptions used, and the reasons for such changes.

41 If an entity prepares a sensitivity analysis, such as value-at-risk, that reflects interdependencies between risk variables (eg interest rates and exchange rates) and uses it to manage financial risks, it may use that sensitivity analysis in place of the analysis specified in paragraph 40. The entity shall also disclose:

- (a) an explanation of the method used in preparing such a sensitivity analysis, and of the main parameters and assumptions underlying the data provided; and
- (b) an explanation of the objective of the method used and of limitations that may result in the information not fully reflecting the fair value of the assets and liabilities involved.

Other market risk disclosures

- 42 When the sensitivity analyses disclosed in accordance with paragraph 40 or 41 are unrepresentative of a risk inherent in a financial instrument (for example because the year-end exposure does not reflect the exposure during the year), the entity shall disclose that fact and the reason it believes the sensitivity analyses are unrepresentative.

Transfers of financial assets

- 42A The disclosure requirements in paragraphs 42B–42H relating to transfers of financial assets supplement the other disclosure requirements of this Ind AS. An entity shall present the disclosures required by paragraphs 42B–42H in a single note in its financial statements. An entity shall provide the required disclosures for all transferred financial assets that are not derecognised and for any continuing involvement in a transferred asset, existing at the reporting date, irrespective of when the related transfer transaction occurred. For the purposes of applying the disclosure requirements in those paragraphs, an entity transfers all or a part of a financial asset (the transferred financial asset) if, and only if, it either:

- (a) transfers the contractual rights to receive the cash flows of that financial asset; or
- (b) retains the contractual rights to receive the cash flows of that financial asset, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement.

- 42B An entity shall disclose information that enables users of its financial statements:

- (a) to understand the relationship between transferred financial assets that are not derecognised in their entirety and the associated liabilities; and
- (b) to evaluate the nature of, and risks associated with, the entity's continuing involvement in derecognised financial assets.

- 42C For the purposes of applying the disclosure requirements in paragraphs 42E–42H, an entity has continuing involvement in a transferred financial asset if, as part of the transfer, the entity retains any of the contractual rights or obligations inherent in the transferred financial asset or obtains any new contractual rights or obligations relating to the transferred financial asset. For the purposes of applying the disclosure requirements in paragraphs 42E–42H, the following do not constitute continuing involvement:

- (a) normal representations and warranties relating to fraudulent transfer and concepts of reasonableness, good faith and fair dealings that could invalidate a transfer as a result of legal action;
- (b) forward, option and other contracts to reacquire the transferred financial asset for which the contract price (or exercise price) is the fair value of the transferred financial asset; or
- (c) an arrangement whereby an entity retains the contractual rights to receive the cash flows of a financial asset but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more entities and the conditions in paragraph 3.2.5(a)–(c) of Ind AS 109 are met.

Transferred financial assets that are not derecognised in their entirety

- 42D An entity may have transferred financial assets in such a way that part or all of the transferred financial assets do not qualify for derecognition. To meet the objectives set out in paragraph 42B(a), the entity shall disclose at each reporting date for each class of transferred financial assets that are not derecognised in their entirety:

- (a) the nature of the transferred assets.
- (b) the nature of the risks and rewards of ownership to which the entity is exposed.
- (c) a description of the nature of the relationship between the transferred assets and the associated liabilities, including restrictions arising from the transfer on the reporting entity's use of the transferred assets.
- (d) when the counterparty (counterparties) to the associated liabilities has (have) recourse only to the transferred assets, a schedule that sets out the fair value of the transferred assets, the fair value of the associated liabilities and the net position (the difference between the fair value of the transferred assets and the associated liabilities).
- (e) when the entity continues to recognise all of the transferred assets, the carrying amounts of the transferred assets and the associated liabilities.

- (f) when the entity continues to recognise the assets to the extent of its continuing involvement (see paragraphs 3.2.6(c)(ii) and 3.2.16 of Ind AS 109), the total carrying amount of the original assets before the transfer, the carrying amount of the assets that the entity continues to recognise, and the carrying amount of the associated liabilities.

Transferred financial assets that are derecognised in their entirety

42E To meet the objectives set out in paragraph 42B(b), when an entity derecognizes transferred financial assets in their entirety (see paragraph 3.2.6(a) and (c)(i) of Ind AS 109) but has continuing involvement in them, the entity shall disclose, as a minimum, for each type of continuing involvement at each reporting date:

- (a) the carrying amount of the assets and liabilities that are recognised in the entity's balance sheet and represent the entity's continuing involvement in the derecognised financial assets, and the line items in which the carrying amount of those assets and liabilities are recognised.
- (b) the fair value of the assets and liabilities that represent the entity's continuing involvement in the derecognised financial assets.
- (c) the amount that best represents the entity's maximum exposure to loss from its continuing involvement in the derecognised financial assets, and information showing how the maximum exposure to loss is determined.
- (d) the undiscounted cash outflows that would or may be required to repurchase derecognised financial assets (eg the strike price in an option agreement) or other amounts payable to the transferee in respect of the transferred assets. If the cash outflow is variable then the amount disclosed should be based on the conditions that exist at each reporting date.
- (e) a maturity analysis of the undiscounted cash outflows that would or may be required to repurchase the derecognised financial assets or other amounts payable to the transferee in respect of the transferred assets, showing the remaining contractual maturities of the entity's continuing involvement.
- (f) qualitative information that explains and supports the quantitative disclosures required in (a)–(e).

42F An entity may aggregate the information required by paragraph 42E in respect of a particular asset if the entity has more than one type of continuing involvement in that derecognised financial asset, and report it under one type of continuing involvement.

42G In addition, an entity shall disclose for each type of continuing involvement:

- (a) the gain or loss recognised at the date of transfer of the assets.
- (b) income and expenses recognised, both in the reporting period and cumulatively, from the entity's continuing involvement in the derecognised financial assets (eg fair value changes in derivative instruments).
- (c) if the total amount of proceeds from transfer activity (that qualifies for derecognition) in a reporting period is not evenly distributed throughout the reporting period (eg if a substantial proportion of the total amount of transfer activity takes place in the closing days of a reporting period):
 - (i) when the greatest transfer activity took place within that reporting period (eg the last five days before the end of the reporting period),
 - (ii) the amount (eg related gains or losses) recognised from transfer activity in that part of the reporting period, and
 - (iii) the total amount of proceeds from transfer activity in that part of the reporting period.

An entity shall provide this information for each period for which a statement of profit and loss is presented.

Supplementary information

42H An entity shall disclose any additional information that it considers necessary to meet the disclosure objectives in paragraph 42B.

Appendix A
Defined terms

This appendix is an integral part of the Ind AS.

credit risk	The risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other party by failing to discharge an obligation.
credit risk rating grades	credit risk Rating of credit risk based on the risk of a default occurring rating grades on the financial instrument.
currency risk	The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.
interest rate risk	The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.
liquidity risk	The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset.
loans payable	Loans payable are financial liabilities, other than short-term trade payables on normal credit terms.
market risk	The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: currency risk, interest rate risk and other price risk .
other price risk	The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk or currency risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument or its issuer or by factors affecting all similar financial instruments traded in the market.

The following terms are defined in paragraph 11 of Ind AS 32, Appendix A of Ind AS 109 or Appendix A of Ind AS 113 and are used in this Ind AS with the meaning specified in Ind AS 32, Ind AS 109 and Ind AS 113.

- amortised cost of a financial asset or financial liability
- contract asset
- credit-impaired financial assets
- derecognition
- derivative
- dividends
- effective interest method
- equity instrument
- expected credit losses
- fair value
- financial asset
- financial guarantee contract
- financial instrument
- financial liability
- financial liability at fair value through profit or loss
- forecast transaction
- gross carrying amount
- hedging instrument

- held for trading
- impairment gains or losses
- loss allowance
- purchased or originated credit-impaired financial assets
- reclassification date
- regular way purchase or sale

Appendix B

Application guidance

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Classes of financial instruments and level of disclosure (paragraph 6)

- B1 Paragraph 6 requires an entity to group financial instruments into classes that are appropriate to the nature of the information disclosed and that take into account the characteristics of those financial instruments. The classes described in paragraph 6 are determined by the entity and are, thus, distinct from the categories of financial instruments specified in Ind AS 109 (which determine how financial instruments are measured and where changes in fair value are recognised).
- B2 In determining classes of financial instrument, an entity shall, at a minimum:
- (a) distinguish instruments measured at amortised cost from those measured at fair value.
 - (b) treat as a separate class or classes those financial instruments outside the scope of this Ind AS.
- B3 An entity decides, in the light of its circumstances, how much detail it provides to satisfy the requirements of this Ind AS, how much emphasis it places on different aspects of the requirements and how it aggregates information to display the overall picture without combining information with different characteristics. It is necessary to strike a balance between overburdening financial statements with excessive detail that may not assist users of financial statements and obscuring important information as a result of too much aggregation. For example, an entity shall not obscure important information by including it among a large amount of insignificant detail. Similarly, an entity shall not disclose information that is so aggregated that it obscures important differences between individual transactions or associated risks.

- B4 [Refer Appendix 1]

Other disclosure – accounting policies (paragraph 21)

- B5 Paragraph 21 requires disclosure of the measurement basis (or bases) used in preparing the financial statements and the other accounting policies used that are relevant to an understanding of the financial statements. For financial instruments, such disclosure may include:
- (a) for financial liabilities designated as at fair value through profit or loss:
 - (i) the nature of the financial liabilities the entity has designated as at fair value through profit or loss;
 - (ii) the criteria for so designating such financial liabilities on initial recognition; and
 - (iii) how the entity has satisfied the conditions in paragraph 4.2.2 of Ind AS 109 for such designation.
 - (aa) for financial assets designated as measured at fair value through profit or loss:
 - (i) the nature of the financial assets the entity has designated as measured at fair value through profit or loss; and
 - (ii) how the entity has satisfied the criteria in paragraph 4.1.5 of Ind AS 109 for such designation.
 - (b) [Refer Appendix 1]
 - (c) whether regular way purchases and sales of financial assets are accounted for at trade date or at settlement date (see paragraph 3.1.2 of Ind AS 109).
 - (d) [Refer Appendix 1]

- (e) how net gains or net losses on each category of financial instrument are determined [see paragraph 20(a)], for example, whether the net gains or net losses on items at fair value through profit or loss include interest or dividend income.
- (f)-(g) [Refer Appendix 1]

Paragraph 122 of Ind AS 1 also requires entities to disclose, in the summary of significant accounting policies or other notes, the judgements, apart from those involving estimations, that management has made in the process of applying the entity's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements.

Nature and extent of risks arising from financial instruments (paragraphs 31–42)

- B6 The disclosures required by paragraphs 31–42 shall be either given in the financial statements or incorporated by cross-reference from the financial statements to some other statement, such as a management commentary or risk report, that is available to users of the financial statements on the same terms as the financial statements and at the same time. Without the information incorporated by cross-reference, the financial statements are incomplete.

Quantitative disclosures (paragraph 34)

- B7 Paragraph 34(a) requires disclosures of summary quantitative data about an entity's exposure to risks based on the information provided internally to key management personnel of the entity. When an entity uses several methods to manage a risk exposure, the entity shall disclose information using the method or methods that provide the most relevant and reliable information. Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, discusses relevance and reliability.
- B8 Paragraph 34(c) requires disclosures about concentrations of risk. Concentrations of risk arise from financial instruments that have similar characteristics and are affected similarly by changes in economic or other conditions. The identification of concentrations of risk requires judgement taking into account the circumstances of the entity. Disclosure of concentrations of risk shall include:
- (a) a description of how management determines concentrations;
 - (b) a description of the shared characteristic that identifies each concentration (eg. counterparty, geographical area, currency or market); and
 - (c) the amount of the risk exposure associated with all financial instruments sharing that characteristic.

Credit risk management practices (paragraphs 35F-35G)

- B8A Paragraph 35F(b) requires the disclosure of information about how an entity has defined default for different financial instruments and the reasons for selecting those definitions. In accordance with paragraph 5.5.9 of Ind AS 109, the determination of whether lifetime expected credit losses should be recognised is based on the increase in the risk of a default occurring since initial recognition. Information about an entity's definitions of default that will assist users of financial statements in understanding how an entity has applied the expected credit loss requirements in Ind AS 109 may include:
- (a) the qualitative and quantitative factors considered in defining default;
 - (b) whether different definitions have been applied to different types of financial instruments; and
 - (c) assumptions about the cure rate (ie. the number of financial assets that return to a performing status) after a default occurred on the financial asset.
- B8B To assist users of financial statements in evaluating an entity's restructuring and modification policies, paragraph 35F(f)(i) requires the disclosure of information about how an entity monitors the extent to which the loss allowance on financial assets previously disclosed in accordance with paragraph 35F(f)(i) are subsequently measured at an amount equal to lifetime expected credit losses in accordance with paragraph 5.5.3 of Ind AS 109. Quantitative information that will assist users in understanding the subsequent increase in credit risk of modified financial assets may include information about modified financial assets meeting the criteria in paragraph 35F(f)(i) for which the loss allowance has reverted to being measured at an amount equal to lifetime expected credit losses (ie. a deterioration rate).
- B8C Paragraph 35G(a) requires the disclosure of information about the basis of inputs and assumptions and the estimation techniques used to apply the impairment requirements in Ind AS 109. An entity's assumptions and inputs used to measure expected credit losses or determine the extent of increases in credit risk since initial recognition may include information obtained from internal historical information or rating reports and assumptions about the expected life of financial instruments and the timing of the sale of collateral.

Changes in the loss allowance (paragraph 35H)

B8D In accordance with paragraph 35H, an entity is required to explain the reasons for the changes in the loss allowance during the period. In addition to the reconciliation from the opening balance to the closing balance of the loss allowance, it may be necessary to provide a narrative explanation of the changes. This narrative explanation may include an analysis of the reasons for changes in the loss allowance during the period, including:

- (a) the portfolio composition;
- (b) the volume of financial instruments purchased or originated; and
- (c) the severity of the expected credit losses

B8E For loan commitments and financial guarantee contracts the loss allowance is recognised as a provision. An entity should disclose information about the changes in the loss allowance for financial assets separately from those for loan commitments and financial guarantee contracts. However, if a financial instrument includes both a loan (ie financial asset) and an undrawn commitment (ie. loan commitment) component and the entity cannot separately identify the expected credit losses on the loan commitment component from those on the financial asset component, the expected credit losses on the loan commitment should be recognised together with the loss allowance for the financial asset. To the extent that the combined expected credit losses exceed the gross carrying amount of the financial asset, the expected credit losses should be recognised as a provision.

Collateral (paragraph 35K)

B8F Paragraph 35K requires the disclosure of information that will enable users of financial statements to understand the effect of collateral and other credit enhancements on the amount of expected credit losses. An entity is neither required to disclose information about the fair value of collateral and other credit enhancements nor is it required to quantify the exact value of the collateral that was included in the calculation of expected credit losses (ie. the loss given default).

B8G A narrative description of collateral and its effect on amounts of expected credit losses might include information about:

- (a) the main types of collateral held as security and other credit enhancements (examples of the latter being guarantees, credit derivatives and netting agreements that do not qualify for offset in accordance with Ind AS 32);
- (b) the volume of collateral held and other credit enhancements and its significance in terms of the loss allowance;
- (c) the policies and processes for valuing and managing collateral and other credit enhancements;
- (d) the main types of counterparties to collateral and other credit enhancements and their creditworthiness; and
- (e) information about risk concentrations within the collateral and other credit enhancements.

Credit risk exposure (paragraphs 35M–35N)

B8H Paragraph 35M requires the disclosure of information about an entity's credit risk exposure and significant concentrations of credit risk at the reporting date. A concentration of credit risk exists when a number of counterparties are located in a geographical region or are engaged in similar activities and have similar economic characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions. An entity should provide information that enables users of financial statements to understand whether there are groups or portfolios of financial instruments with particular features that could affect a large portion of that group of financial instruments such as concentration to particular risks. This could include, for example, loan-to-value groupings, geographical, industry or issuer-type concentrations.

B8I The number of credit risk rating grades used to disclose the information in accordance with paragraph 35M shall be consistent with the number that the entity reports to key management personnel for credit risk management purposes. If past due information is the only borrower-specific information available and an entity uses past due information to assess whether credit risk has increased significantly since initial recognition in accordance with paragraph 5.5.10 of Ind AS 109, an entity shall provide an analysis by past due status for those financial assets.

- B8J When an entity has measured expected credit losses on a collective basis, the entity may not be able to allocate the gross carrying amount of individual financial assets or the exposure to credit risk on loan commitments and financial guarantee contracts to the credit risk rating grades for which lifetime expected credit losses are recognised. In that case, an entity should apply the requirement in paragraph 35M to those financial instruments that can be directly allocated to a credit risk rating grade and disclose separately the gross carrying amount of financial instruments for which lifetime expected credit losses have been measured on a collective basis.

Maximum credit risk exposure [paragraph 36(a)]

- B9 Paragraphs 35K(a) and 36(a) require disclosure of the amount that best represents the entity's maximum exposure to credit risk. For a financial asset, this is typically the gross carrying amount, net of:

- (a) any amounts offset in accordance with Ind AS 32; and
- (b) any loss allowance recognised in accordance with Ind AS 109.

- B10 Activities that give rise to credit risk and the associated maximum exposure to credit risk include, but are not limited to:

- (a) granting loans to customers and placing deposits with other entities. In these cases, the maximum exposure to credit risk is the carrying amount of the related financial assets.
- (b) entering into derivative contracts, eg. foreign exchange contracts, interest rate swaps and credit derivatives. When the resulting asset is measured at fair value, the maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period will equal the carrying amount.
- (c) granting financial guarantees. In this case, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount the entity could have to pay if the guarantee is called on, which may be significantly greater than the amount recognised as a liability.
- (d) making a loan commitment that is irrevocable over the life of the facility or is revocable only in response to a material adverse change. If the issuer cannot settle the loan commitment net in cash or another financial instrument, the maximum credit exposure is the full amount of the commitment. This is because it is uncertain whether the amount of any undrawn portion may be drawn upon in the future. This may be significantly greater than the amount recognised as a liability.

Quantitative liquidity risk disclosures (paragraphs 34(a) and 39(a) and (b))

- B10A In accordance with paragraph 34(a) an entity discloses summary quantitative data about its exposure to liquidity risk on the basis of the information provided internally to key management personnel. An entity shall explain how those data are determined. If the outflows of cash (or another financial asset) included in those data could either:

- (a) occur significantly earlier than indicated in the data, or
- (b) be for significantly different amounts from those indicated in the data (eg. for a derivative that is included in the data on a net settlement basis but for which the counterparty has the option to require gross settlement),

the entity shall state that fact and provide quantitative information that enables users of its financial statements to evaluate the extent of this risk unless that information is included in the contractual maturity analyses required by paragraph 39(a) or (b).

- B11 In preparing the maturity analyses required by paragraph 39(a) and (b), an entity uses its judgement to determine an appropriate number of time bands. For example, an entity might determine that the following time bands are appropriate:

- (a) not later than one month;
- (b) later than one month and not later than three months;
- (c) later than three months and not later than one year; and
- (d) later than one year and not later than five years.

- B11A In complying with paragraph 39(a) and (b), an entity shall not separate an embedded derivative from a hybrid (combined) financial instrument. For such an instrument, an entity shall apply paragraph 39(a).

- B11B Paragraph 39(b) requires an entity to disclose a quantitative maturity analysis for derivative financial liabilities that shows remaining contractual maturities if the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. For example, this would be the case for:
- (a) an interest rate swap with a remaining maturity of five years in a cash flow hedge of a variable rate financial asset or liability.
 - (b) all loan commitments.
- B11C Paragraph 39(a) and (b) requires an entity to disclose maturity analyses for financial liabilities that show the remaining contractual maturities for some financial liabilities. In this disclosure:
- (a) when a counterparty has a choice of when an amount is paid, the liability is allocated to the earliest period in which the entity can be required to pay. For example, financial liabilities that an entity can be required to repay on demand (eg demand deposits) are included in the earliest time band.
 - (b) when an entity is committed to make amounts available in instalments, each instalment is allocated to the earliest period in which the entity can be required to pay. For example, an undrawn loan commitment is included in the time band containing the earliest date it can be drawn down.
 - (c) for issued financial guarantee contracts the maximum amount of the guarantee is allocated to the earliest period in which the guarantee could be called.
- B11D The contractual amounts disclosed in the maturity analyses as required by paragraph 39(a) and (b) are the contractual undiscounted cash flows, for example:
- (a) gross finance lease obligations (before deducting finance charges);
 - (b) prices specified in forward agreements to purchase financial assets for cash;
 - (c) net amounts for pay-floating/receive-fixed interest rate swaps for which net cash flows are exchanged;
 - (d) contractual amounts to be exchanged in a derivative financial instrument (eg a currency swap) for which gross cash flows are exchanged; and
 - (e) gross loan commitments.
- Such undiscounted cash flows differ from the amount included in the balance sheet because the amount in balance sheet is based on discounted cash flows. When the amount payable is not fixed, the amount disclosed is determined by reference to the conditions existing at the end of the reporting period. For example, when the amount payable varies with changes in an index, the amount disclosed may be based on the level of the index at the end of the period.
- B11E Paragraph 39(c) requires an entity to describe how it manages the liquidity risk inherent in the items disclosed in the quantitative disclosures required in paragraph 39(a) and (b). An entity shall disclose a maturity analysis of financial assets it holds for managing liquidity risk (eg financial assets that are readily saleable or expected to generate cash inflows to meet cash outflows on financial liabilities), if that information is necessary to enable users of its financial statements to evaluate the nature and extent of liquidity risk.
- B11F Other factors that an entity might consider in providing the disclosure required in paragraph 39(c) include, but are not limited to, whether the entity:
- (a) has committed borrowing facilities (eg commercial paper facilities) or other lines of credit (eg stand-by credit facilities) that it can access to meet liquidity needs;
 - (b) holds deposits at central banks to meet liquidity needs;
 - (c) has very diverse funding sources;
 - (d) has significant concentrations of liquidity risk in either its assets or its funding sources;
 - (e) has internal control processes and contingency plans for managing liquidity risk;
 - (f) has instruments that include accelerated repayment terms (eg on the downgrade of the entity's credit rating);
 - (g) has instruments that could require the posting of collateral (eg margin calls for derivatives);

- (h) has instruments that allow the entity to choose whether it settles its financial liabilities by delivering cash (or another financial asset) or by delivering its own shares; or
- (i) has instruments that are subject to master netting agreements.

B12-B16 [Refer Appendix 1]

Market risk – sensitivity analysis (paragraphs 40 and 41)

B17 Paragraph 40(a) requires a sensitivity analysis for each type of market risk to which the entity is exposed. In accordance with paragraph B3, an entity decides how it aggregates information to display the overall picture without combining information with different characteristics about exposures to risks from significantly different economic environments. For example:

- (a) an entity that trades financial instruments might disclose this information separately for financial instruments held for trading and those not held for trading.
- (b) an entity would not aggregate its exposure to market risks from areas of hyperinflation with its exposure to the same market risks from areas of very low inflation.

If an entity has exposure to only one type of market risk in only one economic environment, it would not show disaggregated information.

B18 Paragraph 40(a) requires the sensitivity analysis to show the effect on profit or loss and equity of reasonably possible changes in the relevant risk variable (eg prevailing market interest rates, currency rates, equity prices or commodity prices). For this purpose:

- (a) entities are not required to determine what the profit or loss for the period would have been if relevant risk variables had been different. Instead, entities disclose the effect on profit or loss and equity at the end of the reporting period assuming that a reasonably possible change in the relevant risk variable had occurred at the end of the reporting period and had been applied to the risk exposures in existence at that date. For example, if an entity has a floating rate liability at the end of the year, the entity would disclose the effect on profit or loss (ie interest expense) for the current year if interest rates had varied by reasonably possible amounts.
- (b) entities are not required to disclose the effect on profit or loss and equity for each change within a range of reasonably possible changes of the relevant risk variable. Disclosure of the effects of the changes at the limits of the reasonably possible range would be sufficient.

B19 In determining what a reasonably possible change in the relevant risk variable is, an entity should consider:

- (a) the economic environments in which it operates. A reasonably possible change should not include remote or 'worst case' scenarios or 'stress tests'. Moreover, if the rate of change in the underlying risk variable is stable, the entity need not alter the chosen reasonably possible change in the risk variable. For example, assume that interest rates are 5 per cent and an entity determines that a fluctuation in interest rates of ± 50 basis points is reasonably possible. It would disclose the effect on profit or loss and equity if interest rates were to change to 4.5 per cent or 5.5 per cent. In the next period, interest rates have increased to 5.5 per cent. The entity continues to believe that interest rates may fluctuate by ± 50 basis points (ie that the rate of change in interest rates is stable). The entity would disclose the effect on profit or loss and equity if interest rates were to change to 5 per cent or 6 per cent. The entity would not be required to revise its assessment that interest rates might reasonably fluctuate by ± 50 basis points, unless there is evidence that interest rates have become significantly more volatile.
- (b) the time frame over which it is making the assessment. The sensitivity analysis shall show the effects of changes that are considered to be reasonably possible over the period until the entity will next present these disclosures, which is usually its next annual reporting period.

B20 Paragraph 41 permits an entity to use a sensitivity analysis that reflects interdependencies between risk variables, such as a value-at-risk methodology, if it uses this analysis to manage its exposure to financial risks. This applies even if such a methodology measures only the potential for loss and does not measure the potential for gain. Such an entity might comply with paragraph 41(a) by disclosing the type of value-at-risk model used (eg whether the model relies on Monte Carlo simulations), an explanation about how the model works and the main assumptions (eg the holding period and confidence level). Entities might also disclose the

historical observation period and weightings applied to observations within that period, an explanation of how options are dealt with in the calculations, and which volatilities and correlations (or, alternatively, Monte Carlo probability distribution simulations) are used.

- B21 An entity shall provide sensitivity analyses for the whole of its business, but may provide different types of sensitivity analysis for different classes of financial instruments.

Interest rate risk

- B22 *Interest rate risk* arises on interest-bearing financial instruments recognised in the balance sheet (eg debt instruments acquired or issued) and on some financial instruments not recognised in the balance sheet (eg some loan commitments).

Currency risk

- B23 *Currency risk* (or foreign exchange risk) arises on financial instruments that are denominated in a foreign currency, ie in a currency other than the functional currency in which they are measured. For the purpose of this Ind AS, currency risk does not arise from financial instruments that are non-monetary items or from financial instruments denominated in the functional currency.

- B24 A sensitivity analysis is disclosed for each currency to which an entity has significant exposure.

Other price risk

- B25 *Other price risk* arises on financial instruments because of changes in, for example, commodity prices or equity prices. To comply with paragraph 40, an entity might disclose the effect of a decrease in a specified stock market index, commodity price, or other risk variable. For example, if an entity gives residual value guarantees that are financial instruments, the entity discloses an increase or decrease in the value of the assets to which the guarantee applies.

- B26 Two examples of financial instruments that give rise to equity price risk are (a) a holding of equities in another entity and (b) an investment in a trust that in turn holds investments in equity instruments. Other examples include forward contracts and options to buy or sell specified quantities of an equity instrument and swaps that are indexed to equity prices. The fair values of such financial instruments are affected by changes in the market price of the underlying equity instruments.

- B27 In accordance with paragraph 40(a), the sensitivity of profit or loss (that arises, for example, from instruments measured at fair value through profit or loss) is disclosed separately from the sensitivity of other comprehensive income (that arises, for example, from investments in equity instruments whose changes in fair value are presented in other comprehensive income).

- B28 Financial instruments that an entity classifies as equity instruments are not remeasured. Neither profit or loss nor equity will be affected by the equity price risk of those instruments. Accordingly, no sensitivity analysis is required.

Derecognition (paragraphs 42C–42H)

Continuing involvement (paragraph 42C)

- B29 The assessment of continuing involvement in a transferred financial asset for the purposes of the disclosure requirements in paragraphs 42E–42H is made at the level of the reporting entity. For example, if a subsidiary transfers to an unrelated third party a financial asset in which the parent of the subsidiary has continuing involvement, the subsidiary does not include the parent's involvement in the assessment of whether it has continuing involvement in the transferred asset in its separate or individual financial statements (ie when the subsidiary is the reporting entity). However, a parent would include its continuing involvement (or that of another member of the group) in a financial asset transferred by its subsidiary in determining whether it has continuing involvement in the transferred asset in its consolidated financial statements (ie when the reporting entity is the group).

- B30 An entity does not have a continuing involvement in a transferred financial asset if, as part of the transfer, it neither retains any of the contractual rights or obligations inherent in the transferred financial asset nor acquires any new contractual rights or obligations relating to the transferred financial asset. An entity does not have continuing involvement in a transferred financial asset if it has neither an interest in the future performance of the transferred financial asset nor a responsibility under any circumstances to make payments in respect of the transferred financial asset in the future.

- B31 Continuing involvement in a transferred financial asset may result from contractual provisions in the transfer agreement or in a separate agreement with the transferee or a third party entered into in connection with the transfer.

Transferred financial assets that are not derecognised in their entirety (paragraph 42D)

- B32 Paragraph 42D requires disclosures when part or all of the transferred financial assets do not qualify for derecognition. Those disclosures are required at each reporting date at which the entity continues to recognise the transferred financial assets, regardless of when the transfers occurred.

Types of continuing involvement (paragraphs 42E–42H)

- B33 Paragraphs 42E–42H require qualitative and quantitative disclosures for each type of continuing involvement in derecognised financial assets. An entity shall aggregate its continuing involvement into types that are representative of the entity's exposure to risks. For example, an entity may aggregate its continuing involvement by type of financial instrument (eg guarantees or call options) or by type of transfer (eg factoring of receivables, securitisations and securities lending).

Maturity analysis for undiscounted cash outflows to repurchase transferred assets [paragraph 42E(e)]

- B34 Paragraph 42E(e) requires an entity to disclose a maturity analysis of the undiscounted cash outflows to repurchase derecognised financial assets or other amounts payable to the transferee in respect of the derecognised financial assets, showing the remaining contractual maturities of the entity's continuing involvement. This analysis distinguishes cash flows that are required to be paid (eg forward contracts), cash flows that the entity may be required to pay (eg written put options) and cash flows that the entity might choose to pay (eg purchased call options).

- B35 An entity shall use its judgement to determine an appropriate number of time bands in preparing the maturity analysis required by paragraph 42E(e). For example, an entity might determine that the following maturity time bands are appropriate:

- (a) not later than one month;
- (b) later than one month and not later than three months;
- (c) later than three months and not later than six months;
- (d) later than six months and not later than one year;
- (e) later than one year and not later than three years;
- (f) later than three years and not later than five years; and
- (g) more than five years.

- B36 If there is a range of possible maturities, the cash flows are included on the basis of the earliest date on which the entity can be required or is permitted to pay.

Qualitative information [paragraph 42E(f)]

- B37 The qualitative information required by paragraph 42E(f) includes a description of the derecognised financial assets and the nature and purpose of the continuing involvement retained after transferring those assets. It also includes a description of the risks to which an entity is exposed, including:

- (a) a description of how the entity manages the risk inherent in its continuing involvement in the derecognised financial assets.
- (b) whether the entity is required to bear losses before other parties, and the ranking and amounts of losses borne by parties whose interests rank lower than the entity's interest in the asset (ie its continuing involvement in the asset).
- (c) a description of any triggers associated with obligations to provide financial support or to repurchase a transferred financial asset.

Gain or loss on derecognition [paragraph 42G(a)]

- B38 Paragraph 42G(a) requires an entity to disclose the gain or loss on derecognition relating to financial assets in which the entity has continuing involvement. The entity shall disclose if a gain or loss on derecognition arose because the fair values of the components of the previously recognised asset (ie the interest in the asset derecognised and the interest retained by the entity) were different from the fair value of the previously

recognised asset as a whole. In that situation, the entity shall also disclose whether the fair value measurements included significant inputs that were not based on observable market data, as described in paragraph 27A.

Supplementary information (paragraph 42H)

- B39 The disclosures required in paragraphs 42D–42G may not be sufficient to meet the disclosure objectives in paragraph 42B. If this is the case, the entity shall disclose whatever additional information is necessary to meet the disclosure objectives. The entity shall decide, in the light of its circumstances, how much additional information it needs to provide to satisfy the information needs of users and how much emphasis it places on different aspects of the additional information. It is necessary to strike a balance between burdening financial statements with excessive detail that may not assist users of financial statements and obscuring information as a result of too much aggregation.

Offsetting financial assets and financial liabilities

(paragraphs 13A–13F).

Scope (paragraph 13A)

- B40 The disclosures in paragraphs 13B–13E are required for all recognised financial instruments that are set off in accordance with paragraph 42 of Ind AS 32. In addition, financial instruments are within the scope of the disclosure requirements in paragraphs 13B–13E if they are subject to an enforceable master netting arrangement or similar agreement that covers similar financial instruments and transactions, irrespective of whether the financial instruments are set-off in accordance with paragraph 42 of Ind AS 32.
- B41 The similar agreements referred to in paragraphs 13A and B40 include derivative clearing agreements, global master repurchase agreements, global master securities lending agreements, and any related rights to financial collateral. The similar financial instruments and transactions referred to in paragraph B40 include derivatives, sale and repurchase agreements, reverse sale and repurchase agreements, securities borrowing, and securities lending agreements. Examples of financial instruments that are not within the scope of paragraph 13A are loans and customer deposits at the same institution (unless they are set-off in the balance sheet), and financial instruments that are subject only to a collateral agreement.

Disclosure of quantitative information for recognised financial assets and recognised financial liabilities within the scope of paragraph 13A (paragraph 13C)

- B42 Financial instruments disclosed in accordance with paragraph 13C may be subject to different measurement requirements (for example, a payable related to a repurchase agreement may be measured at amortised cost, while a derivative will be measured at fair value). An entity shall include instruments at their recognised amounts and describe any resulting measurement differences in the related disclosures.

Disclosure of the gross amounts of recognised financial assets and recognised financial liabilities within the scope of paragraph 13A [paragraph 13C(a)]

- B43 The amounts required by paragraph 13C(a) relate to recognised financial instruments that are set-off in accordance with paragraph 42 of Ind AS 32. The amounts required by paragraph 13C(a) also relate to recognised financial instruments that are subject to an enforceable master netting arrangement or similar agreement irrespective of whether they meet the offsetting criteria. However, the disclosures required by paragraph 13C(a) do not relate to any amounts recognised as a result of collateral agreements that do not meet the offsetting criteria in paragraph 42 of Ind AS 32. Instead, such amounts are required to be disclosed in accordance with paragraph 13C(d).

Disclosure of the amounts that are set-off in accordance with the criteria in paragraph 42 of Ind AS 32 [paragraph 13C(b)]

- B44 Paragraph 13C(b) requires that entities disclose the amounts set-off in accordance with paragraph 42 of Ind AS 32 when determining the net amounts presented in the balance sheet. The amounts of both the recognised financial assets and the recognised financial liabilities that are subject to set-off under the same arrangement will be disclosed in both the financial asset and financial liability disclosures. However, the amounts disclosed (in, for example, a table) are limited to the amounts that are subject to set-off. For example, an entity may have a recognised derivative asset and a recognised derivative liability that meet the offsetting criteria in paragraph 42 of Ind AS 32. If the gross amount of the derivative asset is larger than the gross amount of the derivative liability, the financial asset disclosure table will include the entire amount of the derivative asset (in accordance with paragraph 13C(a)) and the entire amount of the derivative liability (in accordance with paragraph 13C(b)). However, while the financial liability disclosure table will include the entire amount of the derivative liability (in accordance with paragraph 13C(a)), it will only include the

amount of the derivative asset (in accordance with paragraph 13C(b)) that is equal to the amount of the derivative liability.

Disclosure of the net amounts presented in the balance sheet (paragraph 13C(c))

B45 If an entity has instruments that meet the scope of these disclosures (as specified in paragraph 13A), but that do not meet the offsetting criteria in paragraph 42 of Ind AS 32, the amounts required to be disclosed by paragraph 13C(c) would equal the amounts required to be disclosed by paragraph 13C(a).

B46 The amounts required to be disclosed by paragraph 13C(c) must be reconciled to the individual line item amounts presented in the balance sheet. For example, if an entity determines that the aggregation or disaggregation of individual financial statement line item amounts provides more relevant information, it must reconcile the aggregated or disaggregated amounts disclosed in paragraph 13C(c) back to the individual line item amounts presented in the balance sheet.

Disclosure of the amounts subject to an enforceable master netting arrangement or similar agreement that are not otherwise included in paragraph 13C(b) (paragraph 13C(d))

B47 Paragraph 13C(d) requires that entities disclose amounts that are subject to an enforceable master netting arrangement or similar agreement that are not otherwise included in paragraph 13C(b). Paragraph 13C(d)(i) refers to amounts related to recognised financial instruments that do not meet some or all of the offsetting criteria in paragraph 42 of Ind AS 32 (for example, current rights of set-off that do not meet the criterion in paragraph 42(b) of Ind AS 32, or conditional rights of set-off that are enforceable and exercisable only in the event of default, or only in the event of insolvency or bankruptcy of any of the counterparties).

B48 Paragraph 13C(d)(ii) refers to amounts related to financial collateral, including cash collateral, both received and pledged. An entity shall disclose the fair value of those financial instruments that have been pledged or received as collateral. The amounts disclosed in accordance with paragraph 13C(d)(ii) should relate to the actual collateral received or pledged and not to any resulting payables or receivables recognised to return or receive back such collateral.

Limits on the amounts disclosed in paragraph 13C(d) (paragraph 13D)

B49 When disclosing amounts in accordance with paragraph 13C(d), an entity must take into account the effects of over-collateralisation by financial instrument. To do so, the entity must first deduct the amounts disclosed in accordance with paragraph 13C(d)(i) from the amount disclosed in accordance with paragraph 13C(c). The entity shall then limit the amounts disclosed in accordance with paragraph 13C(d)(ii) to the remaining amount in paragraph 13C(c) for the related financial instrument. However, if rights to collateral can be enforced across financial instruments, such rights can be included in the disclosure provided in accordance with paragraph 13D.

Description of the rights of set-off subject to enforceable master netting arrangements and similar agreements (paragraph 13E)

B50 An entity shall describe the types of rights of set-off and similar arrangements disclosed in accordance with paragraph 13C(d), including the nature of those rights. For example, an entity shall describe its conditional rights. For instruments subject to rights of set-off that are not contingent on a future event but that do not meet the remaining criteria in paragraph 42 of Ind AS 32, the entity shall describe the reason(s) why the criteria are not met. For any financial collateral received or pledged, the entity shall describe the terms of the collateral agreement (for example, when the collateral is restricted).

Disclosure by type of financial instrument or by counterparty

B51 The quantitative disclosures required by paragraph 13C(a)–(e) may be grouped by type of financial instrument or transaction (for example, derivatives, repurchase and reverse repurchase agreements or securities borrowing and securities lending agreements).

B52 Alternatively, an entity may group the quantitative disclosures required by paragraph 13C(a)–(c) by type of financial instrument, and the quantitative disclosures required by paragraph 13C(c)–(e) by counterparty. If an entity provides the required information by counterparty, the entity is not required to identify the counterparties by name. However, designation of counterparties (Counterparty A, Counterparty B, Counterparty C, etc) shall remain consistent from year to year for the years presented to maintain comparability. Qualitative disclosures shall be considered so that further information can be given about the types of counterparties. When disclosure of the amounts in paragraph 13C(c)–(e) is provided by counterparty, amounts that are individually significant in terms of total counterparty amounts shall be separately disclosed and the remaining individually insignificant counterparty amounts shall be aggregated into one line item.

Other

- B53 The specific disclosures required by paragraphs 13C–13E are minimum requirements. To meet the objective in paragraph 13B an entity may need to supplement them with additional (qualitative) disclosures, depending on the terms of the enforceable master netting arrangements and related agreements, including the nature of the rights of set-off, and their effect or potential effect on the entity's financial position.

Appendix C**References to matters contained in other Indian Accounting Standards**

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and makes reference to Ind AS 107, *Financial Instruments: Disclosures*.

1. Appendix A, *Distributions of Non-cash Assets to Owners*, contained in Ind AS 10, *Events After the Reporting Period*
2. Appendix C, *Service Concession Arrangements*, contained in Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 107 and the corresponding International Accounting Standard (IFRS) 7, Financial Instruments: Disclosures, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures

- 1 The transitional provisions given in IAS 107 have not been given in Ind AS 107, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, First-time Adoption of Indian Accounting Standards corresponding to IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards.
- 2 Different terminology is used, as used in existing laws eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'. Words 'approved for issue' have been used instead of 'authorised for issue' in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.
- 3 Requirements regarding disclosure of description of gains and losses presented in the separate income statement, where separate income statement is presented, have been deleted. This change is consequential to the removal of option regarding two statement approach in Ind AS 1 as compared to IAS 1. Ind AS 1 requires that the components of profit or loss and components of other comprehensive income shall be presented as a part of the statement of profit and loss.
- 4 The following paragraph numbers appear as 'Deleted' in IFRS 7. In order to maintain consistency with paragraph numbers of Ind 107, the paragraph numbers are retained in Ind AS 107 :
 - (i) paragraph 3(c)
 - (ii) paragraph 8(b)-(d)
 - (iii) paragraph 12-12A
 - (iv) paragraph 13
 - (v) paragraph 16
 - (vi) paragraph 20(a) (ii)-(iv) and 20(d)-(e)
 - (vii) paragraph 22
 - (viii) paragraph 23
 - (ix) paragraph 24
 - (x) paragraph 27-27B
 - (xi) paragraph 29(b)
 - (xii) paragraph 36 (c)-(d)

- (xiii) paragraph 37
- (xiv) paragraph B4 of Appendix B
- (xv) paragraph B5 (b), (d), (f) & (g)
- (xvi) paragraphs B12-B16 of Appendix B

Indian Accounting Standard (Ind AS) 108

Operating Segments

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Core principle

1. **An entity shall disclose information to enable users of its financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which it engages and the economic environments in which it operates.**

Scope

2. This Accounting Standard shall apply to companies to which Indian Accounting Standards (Ind ASs) notified under the Companies Act apply.
[Refer Appendix 1]
3. If an entity that is not required to apply this Ind AS chooses to disclose information about segments that does not comply with this Ind AS, it shall not describe the information as segment information.
4. If a financial report contains both the consolidated financial statements of a parent that is within the scope of this Ind AS as well as the parent's separate financial statements, segment information is required only in the consolidated financial statements.

Operating segments

5. An operating segment is a component of an entity:
 - (a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity),
 - (b) whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance, and
 - (c) for which discrete financial information is available.

An operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn revenues, for example, start-up operations may be operating segments before earning revenues.
6. Not every part of an entity is necessarily an operating segment or part of an operating segment. For example, a corporate headquarters or some functional departments may not earn revenues or may earn revenues that are only incidental to the activities of the entity and would not be operating segments. For the purposes of this Ind AS, an entity's post-employment benefit plans are not operating segments.
7. The term 'chief operating decision maker' identifies a function, not necessarily a manager with a specific title. That function is to allocate resources to and assess the performance of the operating segments of an entity. Often the chief operating decision maker of an entity is its chief executive officer or chief operating officer but, for example, it may be a group of executive directors or others.
8. For many entities, the three characteristics of operating segments described in paragraph 5 clearly identify its operating segments. However, an entity may produce reports in which its business activities are presented in a variety of ways. If the chief operating decision maker uses more than one set of segment information, other factors may identify a single set of components as constituting an entity's operating segments, including the nature of the business activities of each component, the existence of managers responsible for them, and information presented to the board of directors.
9. Generally, an operating segment has a segment manager who is directly accountable to and maintains regular contact with the chief operating decision maker to discuss operating activities, financial results, forecasts, or plans for the segment. The term 'segment manager' identifies a function, not necessarily a manager with a

specific title. The chief operating decision maker also may be the segment manager for some operating segments. A single manager may be the segment manager for more than one operating segment. If the characteristics in paragraph 5 apply to more than one set of components of an organisation but there is only one set for which segment managers are held responsible, that set of components constitutes the operating segments.

10. The characteristics in paragraph 5 may apply to two or more overlapping sets of components for which managers are held responsible. That structure is sometimes referred to as a matrix form of organisation. For example, in some entities, some managers are responsible for different product and service lines worldwide, whereas other managers are responsible for specific geographical areas. The chief operating decision maker regularly reviews the operating results of both sets of components, and financial information is available for both. In that situation, the entity shall determine which set of components constitutes the operating segments by reference to the core principle.

Reportable segments

11. An entity shall report separately information about each operating segment that:
 - (a) has been identified in accordance with paragraphs 5–10 or results from aggregating two or more of those segments in accordance with paragraph 12, and
 - (b) exceeds the quantitative thresholds in paragraph 13.

Paragraphs 14–19 specify other situations in which separate information about an operating segment shall be reported.

Aggregation criteria

12. Operating segments often exhibit similar long-term financial performance if they have similar economic characteristics. For example, similar long-term average gross margins for two operating segments would be expected if their economic characteristics were similar. Two or more operating segments may be aggregated into a single operating segment if aggregation is consistent with the core principle of this Ind AS, the segments have similar economic characteristics, and the segments are similar in each of the following respects:
 - (a) the nature of the products and services;
 - (b) the nature of the production processes;
 - (c) the type or class of customer for their products and services;
 - (d) the methods used to distribute their products or provide their services; and
 - (e) if applicable, the nature of the regulatory environment, for example, banking, insurance or public utilities.

Quantitative thresholds

13. An entity shall report separately information about an operating segment that meets any of the following quantitative thresholds:
 - (a) Its reported revenue, including both sales to external customers and intersegment sales or transfers, is 10 per cent or more of the combined revenue, internal and external, of all operating segments.
 - (b) The absolute amount of its reported profit or loss is 10 per cent or more of the greater, in absolute amount, of (i) the combined reported profit of all operating segments that did not report a loss and (ii) the combined reported loss of all operating segments that reported a loss.
 - (c) Its assets are 10 per cent or more of the combined assets of all operating segments.

Operating segments that do not meet any of the quantitative thresholds may be considered reportable, and separately disclosed, if management believes that information about the segment would be useful to users of the financial statements.

14. An entity may combine information about operating segments that do not meet the quantitative thresholds with information about other operating segments that do not meet the quantitative thresholds to produce a

- reportable segment only if the operating segments have similar economic characteristics and share a majority of the aggregation criteria listed in paragraph 12.
15. If the total external revenue reported by operating segments constitutes less than 75 per cent of the entity's revenue, additional operating segments shall be identified as reportable segments (even if they do not meet the criteria in paragraph 13) until at least 75 per cent of the entity's revenue is included in reportable segments.
 16. Information about other business activities and operating segments that are not reportable shall be combined and disclosed in an 'all other segments' category separately from other reconciling items in the reconciliations required by paragraph 28. The sources of the revenue included in the 'all other segments' category shall be described.
 17. If management judges that an operating segment identified as a reportable segment in the immediately preceding period is of continuing significance, information about that segment shall continue to be reported separately in the current period even if it no longer meets the criteria for reportability in paragraph 13.
 18. If an operating segment is identified as a reportable segment in the current period in accordance with the quantitative thresholds, segment data for a prior period presented for comparative purposes shall be restated to reflect the newly reportable segment as a separate segment, even if that segment did not satisfy the criteria for reportability in paragraph 13 in the prior period, unless the necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive.
 19. There may be a practical limit to the number of reportable segments that an entity separately discloses beyond which segment information may become too detailed. Although no precise limit has been determined, as the number of segments that are reportable in accordance with paragraphs 13–18 increases above ten, the entity should consider whether a practical limit has been reached.

Disclosure

20. **An entity shall disclose information to enable users of its financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which it engages and the economic environments in which it operates.**
21. To give effect to the principle in paragraph 20, an entity shall disclose the following for each period for which a statement of profit and loss is presented:
 - (a) general information as described in paragraph 22;
 - (b) information about reported segment profit or loss, including specified revenues and expenses included in reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities and the basis of measurement, as described in paragraphs 23–27; and
 - (c) reconciliations of the totals of segment revenues, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities and other material segment items to corresponding entity amounts as described in paragraph 28.

Reconciliations of the amounts in the balance sheet for reportable segments to the amounts in the entity's balance sheet are required for each date at which a balance sheet is presented. Information for prior periods shall be restated as described in paragraphs 29 and 30.

General information

22. An entity shall disclose the following general information:
 - (a) factors used to identify the entity's reportable segments, including the basis of organisation (for example, whether management has chosen to organise the entity around differences in products and services, geographical areas, regulatory environments, or a combination of factors and whether operating segments have been aggregated);
 - (aa) the judgements made by management in applying the aggregation criteria in paragraph 12. This includes a brief description of the operating segments that have been aggregated in this way and the economic indicators that have been assessed in determining that the aggregated operating segments share similar economic characteristics; and
 - (b) types of products and services from which each reportable segment derives its revenues.

Information about profit or loss, assets and liabilities

23. An entity shall report a measure of profit or loss for each reportable segment. An entity shall report a measure of total assets and liabilities for each reportable segment if such amounts are regularly provided to the chief operating decision maker. An entity shall also disclose the following about each reportable segment if the specified amounts are included in the measure of segment profit or loss reviewed by the chief operating decision maker, or are otherwise regularly provided to the chief operating decision maker, even if not included in that measure of segment profit or loss:
- (a) revenues from external customers;
 - (b) revenues from transactions with other operating segments of the same entity;
 - (c) interest revenue;
 - (d) interest expense;
 - (e) depreciation and amortisation;
 - (f) material items of income and expense disclosed in accordance with paragraph 97 of Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*;
 - (g) the entity's interest in the profit or loss of associates and joint ventures accounted for by the equity method;
 - (h) income tax expense or income; and
 - (i) material non-cash items other than depreciation and amortisation.

An entity shall report interest revenue separately from interest expense for each reportable segment unless a majority of the segment's revenues are from interest and the chief operating decision maker relies primarily on net interest revenue to assess the performance of the segment and make decisions about resources to be allocated to the segment. In that situation, an entity may report that segment's interest revenue net of its interest expense and disclose that it has done so.

24. An entity shall disclose the following about each reportable segment if the specified amounts are included in the measure of segment assets reviewed by the chief operating decision maker or are otherwise regularly provided to the chief operating decision maker, even if not included in the measure of segment assets:
- (a) the amount of investment in associates and joint ventures accounted for by the equity method, and
 - (b) the amounts of additions to non-current assets¹⁴ other than financial instruments, deferred tax assets, net defined benefit assets (see Ind AS 19, *Employee Benefits*) and rights arising under insurance contracts.

Measurement

25. The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the chief operating decision maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance. Adjustments and eliminations made in preparing an entity's financial statements and allocations of revenues, expenses, and gains or losses shall be included in determining reported segment profit or loss only if they are included in the measure of the segment's profit or loss that is used by the chief operating decision maker. Similarly, only those assets and liabilities that are included in the measures of the segment's assets and segment's liabilities that are used by the chief operating decision maker shall be reported for that segment. If amounts are allocated to reported segment profit or loss, assets or liabilities, those amounts shall be allocated on a reasonable basis.
26. If the chief operating decision maker uses only one measure of an operating segment's profit or loss, the segment's assets or the segment's liabilities in assessing segment performance and deciding how to allocate resources, segment profit or loss, assets and liabilities shall be reported at those measures. If the chief operating decision maker uses more than one measure of an operating segment's profit or loss, the segment's assets or the segment's liabilities, the reported measures shall be those that management believes are

¹⁴ For assets classified according to a liquidity presentation, non-current assets are assets that include amounts expected to be recovered more than twelve months after the reporting period.

determined in accordance with the measurement principles most consistent with those used in measuring the corresponding amounts in the entity's financial statements.

27. An entity shall provide an explanation of the measurements of segment profit or loss, segment assets and segment liabilities for each reportable segment. At a minimum, an entity shall disclose the following:

- (a) the basis of accounting for any transactions between reportable segments.
- (b) the nature of any differences between the measurements of the reportable segments' profits or losses and the entity's profit or loss before income tax expense or income and discontinued operations (if not apparent from the reconciliations described in paragraph 28). Those differences could include accounting policies and policies for allocation of centrally incurred costs that are necessary for an understanding of the reported segment information.
- (c) the nature of any differences between the measurements of the reportable segments' assets and the entity's assets (if not apparent from the reconciliations described in paragraph 28). Those differences could include accounting policies and policies for allocation of jointly used assets that are necessary for an understanding of the reported segment information.
- (d) the nature of any differences between the measurements of the reportable segments' liabilities and the entity's liabilities (if not apparent from the reconciliations described in paragraph 28). Those differences could include accounting policies and policies for allocation of jointly utilised liabilities that are necessary for an understanding of the reported segment information.
- (e) the nature of any changes from prior periods in the measurement methods used to determine reported segment profit or loss and the effect, if any, of those changes on the measure of segment profit or loss.
- (f) the nature and effect of any asymmetrical allocations to reportable segments. For example, an entity might allocate depreciation expense to a segment without allocating the related depreciable assets to that segment.

Reconciliations

28. An entity shall provide reconciliations of all of the following:

- (a) the total of the reportable segments' revenues to the entity's revenue.
- (b) the total of the reportable segments' measures of profit or loss to the entity's profit or loss before tax expense (tax income) and discontinued operations. However, if an entity allocates to reportable segments items such as tax expense (tax income), the entity may reconcile the total of the segments' measures of profit or loss to the entity's profit or loss after those items.
- (c) the total of the reportable segments' assets to the entity's assets if the segment assets are reported in accordance with paragraph 23.
- (d) the total of the reportable segments' liabilities to the entity's liabilities if segment liabilities are reported in accordance with paragraph 23.
- (e) the total of the reportable segments' amounts for every other material item of information disclosed to the corresponding amount for the entity.

All material reconciling items shall be separately identified and described. For example, the amount of each material adjustment needed to reconcile reportable segment profit or loss to the entity's profit or loss arising from different accounting policies shall be separately identified and described.

Restatement of previously reported information

29. If an entity changes the structure of its internal organisation in a manner that causes the composition of its reportable segments to change, the corresponding information for earlier periods, including interim periods, shall be restated unless the information is not available and the cost to develop it would be excessive. The determination of whether the information is not available and the cost to develop it would be excessive shall be made for each individual item of disclosure. Following a change in the composition of its reportable segments, an entity shall disclose whether it has restated the corresponding items of segment information for earlier periods.

30. If an entity has changed the structure of its internal organisation in a manner that causes the composition of its reportable segments to change and if segment information for earlier periods, including interim periods, is not restated to reflect the change, the entity shall disclose in the year in which the change occurs segment information for the current period on both the old basis and the new basis of segmentation, unless the necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive.

Entity-wide disclosures

31. Paragraphs 32–34 apply to all entities subject to this Ind AS including those entities that have a single reportable segment. Some entities' business activities are not organised on the basis of differences in related products and services or differences in geographical areas of operations. Such an entity's reportable segments may report revenues from a broad range of essentially different products and services, or more than one of its reportable segments may provide essentially the same products and services. Similarly, an entity's reportable segments may hold assets in different geographical areas and report revenues from customers in different geographical areas, or more than one of its reportable segments may operate in the same geographical area. Information required by paragraphs 32–34 shall be provided only if it is not provided as part of the reportable segment information required by this Ind AS.

Information about products and services

32. An entity shall report the revenues from external customers for each product and service, or each group of similar products and services, unless the necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive, in which case that fact shall be disclosed. The amounts of revenues reported shall be based on the financial information used to produce the entity's financial statements.

Information about geographical areas

33. An entity shall report the following geographical information, unless the necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive:
- (a) revenues from external customers (i) attributed to the entity's country of domicile and (ii) attributed to all foreign countries in total from which the entity derives revenues. If revenues from external customers attributed to an individual foreign country are material, those revenues shall be disclosed separately. An entity shall disclose the basis for attributing revenues from external customers to individual countries.
 - (b) non-current assets¹⁵ other than financial instruments, deferred tax assets, post-employment benefit assets, and rights arising under insurance contracts (i) located in the entity's country of domicile and (ii) located in all foreign countries in total in which the entity holds assets. If assets in an individual foreign country are material, those assets shall be disclosed separately.

The amounts reported shall be based on the financial information that is used to produce the entity's financial statements. If the necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive, that fact shall be disclosed. An entity may provide, in addition to the information required by this paragraph, subtotals of geographical information about groups of countries.

Information about major customers

34. An entity shall provide information about the extent of its reliance on its major customers. If revenues from transactions with a single external customer amount to 10 per cent or more of an entity's revenues, the entity shall disclose that fact, the total amount of revenues from each such customer, and the identity of the segment or segments reporting the revenues. The entity need not disclose the identity of a major customer or the amount of revenues that each segment reports from that customer. For the purposes of this Ind AS, a group of entities known to a reporting entity to be under common control shall be considered a single customer. However, judgement is required to assess whether a government (including government agencies and similar bodies whether local, national or international) and entities known to the reporting entity to be under the

¹⁵ For assets classified according to a liquidity presentation, non-current assets are assets that include amounts expected to be recovered more than twelve months after the reporting period.

control of that government are considered a single customer. In assessing this, the reporting entity shall consider the extent of economic integration between those entities.

Appendix A

Defined term

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

operating segment

An operating segment is a component of an entity:

- (a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity),
- (b) whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance, and
- (c) for which discrete financial information is available.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 108 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 8, Operating Segments, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IFRS 8, Operating Segments

- 1 The transitional provisions given in IFRS 108 has not been given in Ind AS 108, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate, have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
- 2 Different terminology is used, as used in existing laws eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.
- 3 Paragraph 2 of IFRS 8 requires that the standard shall apply to :
 - (a) the separate or individual financial statements of an entity:
 - (i) whose debt or equity instruments are traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including local and regional markets), or
 - (ii) that files, or is in the process of filing, its financial statements with a securities commission or other regulatory organisation for the purpose of issuing any class of instruments in a public market; and
 - (b) the consolidated financial statements of a group with a parent:
 - (i) whose debt or equity instruments are traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including local and regional markets), or
 - (ii) that files, or is in the process of filing, the consolidated financial statements with a securities commission or other regulatory organisation for the purpose of issuing any class of instruments in a public market.

The above have been deleted in the Ind AS as the applicability or exemptions to the Indian Accounting Standards is governed by the Companies Act and the Rules made thereunder. However, the paragraph number has been retained in Ind AS 108 to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 8.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 109 Financial Instruments

(The Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Chapter 1 Objective

- 1.1 The objective of this Standard is to establish principles for the financial reporting of *financial assets* and *financial liabilities* that will present relevant and useful information to users of financial statements for their assessment of the amounts, timing and uncertainty of an entity's future cash flows.

Chapter 2 Scope

- 2.1 This Standard shall be applied by all entities to all types of financial instruments except:

- (a) those interests in subsidiaries, associates and joint ventures that are accounted for in accordance with Ind AS110 *Consolidated Financial Statements*, Ind AS 27 *Separate Financial Statements* or Ind AS 28 *Investments in Associates and Joint Ventures*. However, in some cases, Ind AS110, Ind AS 27 or Ind AS 28 require or permit an entity to account for an interest in a subsidiary, associate or joint venture in accordance with some or all of the requirements of this Standard. Entities shall also apply this Standard to derivatives on an interest in a subsidiary, associate or joint venture unless the derivative meets the definition of an equity instrument of the entity in Ind AS 32 *Financial Instruments: Presentation*.
- (b) rights and obligations under leases to which Ind AS 17 *Leases* applies. However:
 - (i) lease receivables recognised by a lessor are subject to the derecognition and impairment requirements of this Standard;
 - (ii) finance lease payables recognised by a lessee are subject to the derecognition requirements of this Standard; and
 - (iii) derivatives that are embedded in leases are subject to the embedded derivatives requirements of this Standard.
- (c) employers' rights and obligations under employee benefit plans, to which Ind AS 19 *Employee Benefits* applies.
- (d) financial instruments issued by the entity that meet the definition of an equity instrument in Ind AS 32 (including options and warrants) or that are required to be classified as an equity instrument in accordance with paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D of Ind AS 32. However, the holder of such equity instruments shall apply this Standard to those instruments, unless they meet the exception in (a).
- (e) rights and obligations arising under (i) an insurance contract as defined in Ind AS 104 *Insurance Contracts*, other than an issuer's rights and obligations arising under an insurance contract that meets the definition of a financial guarantee contract, or (ii) a contract that is within the scope of Ind AS104 because it contains a discretionary participation feature. However, this Standard applies to a derivative that is embedded in a contract within the scope of Ind AS104 if the derivative is not itself a contract within the scope of Ind AS104. Moreover, if an issuer of financial guarantee contracts has previously asserted explicitly that it regards such contracts as insurance contracts and has used accounting that is applicable to insurance contracts, the issuer may elect to apply either this Standard or Ind AS104 to such financial guarantee contracts (see paragraphs B2.5–B2.6). The issuer may make that election contract by contract, but the election for each contract is irrevocable.
- (f) any forward contract between an acquirer and a selling shareholder to buy or sell an acquiree that will result in a business combination within the scope of Ind AS103 *Business Combinations* at a future acquisition date. The term of the forward contract should not exceed a reasonable period normally necessary to obtain any required approvals and to complete the transaction.
- (g) loan commitments other than those loan commitments described in paragraph 2.3. However, an issuer of loan commitments shall apply the impairment requirements of this Standard to loan commitments that are not otherwise within the scope of this Standard. Also, all loan commitments are subject to the derecognition requirements of this Standard.

- (h) financial instruments, contracts and obligations under share-based payment transactions to which Ind AS102 *Share-based Payment* applies, except for contracts within the scope of paragraphs 2.4–2.7 of this Standard to which this Standard applies.
 - (i) rights to payments to reimburse the entity for expenditure that it is required to make to settle a liability that it recognises as a provision in accordance with Ind AS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, or for which, in an earlier period, it recognised a provision in accordance with Ind AS 37.
 - (j) rights and obligations within the scope of Ind AS115 *Revenue from Contracts with Customers* that are financial instruments, except for those that Ind AS115 specifies are accounted for in accordance with this Standard.
- 2.2 The impairment requirements of this Standard shall be applied to those rights that Ind AS115 specifies are accounted for in accordance with this Standard for the purposes of recognising impairment gains or losses.
- 2.3 The following loan commitments are within the scope of this Standard:
 - (a) loan commitments that the entity designates as financial liabilities at fair value through profit or loss (see paragraph 4.2.2). An entity that has a past practice of selling the assets resulting from its loan commitments shortly after origination shall apply this Standard to all its loan commitments in the same class.
 - (b) loan commitments that can be settled net in cash or by delivering or issuing another financial instrument. These loan commitments are derivatives. A loan commitment is not regarded as settled net merely because the loan is paid out in instalments (for example, a mortgage construction loan that is paid out in instalments in line with the progress of construction).
 - (c) commitments to provide a loan at a below-market interest rate (see paragraph 4.2.1(d)).
- 2.4 This Standard shall be applied to those contracts to buy or sell a non-financial item that can be settled net in cash or another financial instrument, or by exchanging financial instruments, as if the contracts were financial instruments, with the exception of contracts that were entered into and continue to be held for the purpose of the receipt or delivery of a non-financial item in accordance with the entity's expected purchase, sale or usage requirements. However, this Standard shall be applied to those contracts that an entity designates as measured at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 2.5.
- 2.5 A contract to buy or sell a non-financial item that can be settled net in cash or another financial instrument, or by exchanging financial instruments, as if the contract was a financial instrument, may be irrevocably designated as measured at fair value through profit or loss even if it was entered into for the purpose of the receipt or delivery of a non-financial item in accordance with the entity's expected purchase, sale or usage requirements. This designation is available only at inception of the contract and only if it eliminates or significantly reduces a recognition inconsistency (sometimes referred to as an 'accounting mismatch') that would otherwise arise from not recognising that contract because it is excluded from the scope of this Standard (see paragraph 2.4).
- 2.6 There are various ways in which a contract to buy or sell a non-financial item can be settled net in cash or another financial instrument or by exchanging financial instruments. These include:
 - (a) when the terms of the contract permit either party to settle it net in cash or another financial instrument or by exchanging financial instruments;
 - (b) when the ability to settle net in cash or another financial instrument, or by exchanging financial instruments, is not explicit in the terms of the contract, but the entity has a practice of settling similar contracts net in cash or another financial instrument or by exchanging financial instruments (whether with the counterparty, by entering into offsetting contracts or by selling the contract before its exercise or lapse);
 - (c) when, for similar contracts, the entity has a practice of taking delivery of the underlying and selling it within a short period after delivery for the purpose of generating a profit from short-term fluctuations in price or dealer's margin; and
 - (d) when the non-financial item that is the subject of the contract is readily convertible to cash.

A contract to which (b) or (c) applies is not entered into for the purpose of the receipt or delivery of the non-financial item in accordance with the entity's expected purchase, sale or usage requirements and, accordingly, is within the scope of this Standard. Other contracts to which paragraph 2.4 applies are evaluated to determine whether they were entered into and continue to be held for the purpose of the receipt or delivery of the non-financial item in accordance with the entity's expected purchase, sale or usage requirements and, accordingly, whether they are within the scope of this Standard.

- 2.7 A written option to buy or sell a non-financial item that can be settled net in cash or another financial instrument, or by exchanging financial instruments, in accordance with paragraph 2.6(a) or 2.6(d) is within the scope of this Standard. Such a contract cannot be entered into for the purpose of the receipt or delivery of the non-financial item in accordance with the entity's expected purchase, sale or usage requirements.

Chapter 3 Recognition and derecognition

3.1 Initial recognition

- 3.1.1 An entity shall recognise a financial asset or a financial liability in its balance sheet when, and only when, the entity becomes party to the contractual provisions of the instrument (see paragraphs B3.1.1 and B3.1.2). When an entity first recognises a financial asset, it shall classify it in accordance with paragraphs 4.1.1–4.1.5 and measure it in accordance with paragraphs 5.1.1–5.1.3. When an entity first recognises a financial liability, it shall classify it in accordance with paragraphs 4.2.1 and 4.2.2 and measure it in accordance with paragraph 5.1.1.

Regular way purchase or sale of financial assets

- 3.1.2 A *regular way purchase or sale* of financial assets shall be recognised and derecognised, as applicable, using trade date accounting or settlement date accounting (see paragraphs B3.1.3–B3.1.6).

3.2 Derecognition of financial assets

- 3.2.1 In consolidated financial statements, paragraphs 3.2.2–3.2.9, B3.1.1, B3.1.2 and B3.2.1–B3.2.17 are applied at a consolidated level. Hence, an entity first consolidates all subsidiaries in accordance with Ind AS110 and then applies those paragraphs to the resulting group.

- 3.2.2 Before evaluating whether, and to what extent, *derecognition* is appropriate under paragraphs 3.2.3–3.2.9, an entity determines whether those paragraphs should be applied to a part of a financial asset (or a part of a group of similar financial assets) or a financial asset (or a group of similar financial assets) in its entirety, as follows.

- (a) Paragraphs 3.2.3–3.2.9 are applied to a part of a financial asset (or a part of a group of similar financial assets) if, and only if, the part being considered for derecognition meets one of the following three conditions.
 - (i) The part comprises only specifically identified cash flows from a financial asset (or a group of similar financial assets). For example, when an entity enters into an interest rate strip whereby the counterparty obtains the right to the interest cash flows, but not the principal cash flows from a debt instrument, paragraphs 3.2.3–3.2.9 are applied to the interest cash flows.
 - (ii) The part comprises only a fully proportionate (pro rata) share of the cash flows from a financial asset (or a group of similar financial assets). For example, when an entity enters into an arrangement whereby the counterparty obtains the rights to a 90 per cent share of all cash flows of a debt instrument, paragraphs 3.2.3–3.2.9 are applied to 90 per cent of those cash flows. If there is more than one counterparty, each counterparty is not required to have a proportionate share of the cash flows provided that the transferring entity has a fully proportionate share.
 - (iii) The part comprises only a fully proportionate (pro rata) share of specifically identified cash flows from a financial asset (or a group of similar financial assets). For example, when an entity enters into an arrangement whereby the counterparty obtains the rights to a 90 per cent share of interest cash flows from a financial asset, paragraphs 3.2.3–3.2.9 are applied to 90 per cent of those interest cash flows. If there is more than one counterparty, each counterparty is not required to have a proportionate share of the specifically identified cash flows provided that the transferring entity has a fully proportionate share.

- (b) In all other cases, paragraphs 3.2.3–3.2.9 are applied to the financial asset in its entirety (or to the group of similar financial assets in their entirety). For example, when an entity transfers (i) the rights to the first or the last 90 per cent of cash collections from a financial asset (or a group of financial assets), or (ii) the rights to 90 per cent of the cash flows from a group of receivables, but provides a guarantee to compensate the buyer for any credit losses up to 8 per cent of the principal amount of the receivables, paragraphs 3.2.3–3.2.9 are applied to the financial asset (or a group of similar financial assets) in its entirety.

In paragraphs 3.2.3–3.2.12, the term ‘financial asset’ refers to either a part of a financial asset (or a part of a group of similar financial assets) as identified in (a) above or, otherwise, a financial asset (or a group of similar financial assets) in its entirety.

3.2.3 An entity shall derecognise a financial asset when, and only when:

- (a) the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or
- (b) it transfers the financial asset as set out in paragraphs 3.2.4 and 3.2.5 and the transfer qualifies for derecognition in accordance with paragraph 3.2.6.

(See paragraph 3.1.2 for regular way sales of financial assets.)

3.2.4 An entity transfers a financial asset if, and only if, it either:

- (a) transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, or
- (b) retains the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets the conditions in paragraph 3.2.5.

3.2.5 When an entity retains the contractual rights to receive the cash flows of a financial asset (the ‘original asset’), but assumes a contractual obligation to pay those cash flows to one or more entities (the ‘eventual recipients’), the entity treats the transaction as a transfer of a financial asset if, and only if, all of the following three conditions are met.

- (a) The entity has no obligation to pay amounts to the eventual recipients unless it collects equivalent amounts from the original asset. Short-term advances by the entity with the right of full recovery of the amount lent plus accrued interest at market rates do not violate this condition.
- (b) The entity is prohibited by the terms of the transfer contract from selling or pledging the original asset other than as security to the eventual recipients for the obligation to pay them cash flows.
- (c) The entity has an obligation to remit any cash flows it collects on behalf of the eventual recipients without material delay. In addition, the entity is not entitled to reinvest such cash flows, except for investments in cash or cash equivalents (as defined in Ind AS 7 *Statement of Cash Flows*) during the short settlement period from the collection date to the date of required remittance to the eventual recipients, and interest earned on such investments is passed to the eventual recipients.

3.2.6 When an entity transfers a financial asset (see paragraph 3.2.4), it shall evaluate the extent to which it retains the risks and rewards of ownership of the financial asset. In this case:

- (a) if the entity transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the entity shall derecognise the financial asset and recognise separately as assets or liabilities any rights and obligations created or retained in the transfer.
- (b) if the entity retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the entity shall continue to recognise the financial asset.
- (c) if the entity neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the entity shall determine whether it has retained control of the financial asset. In this case:
 - (i) if the entity has not retained control, it shall derecognise the financial asset and recognise separately as assets or liabilities any rights and obligations created or retained in the transfer.
 - (ii) if the entity has retained control, it shall continue to recognise the financial asset to the

extent of its continuing involvement in the financial asset (see paragraph 3.2.16).

- 3.2.7 The transfer of risks and rewards (see paragraph 3.2.6) is evaluated by comparing the entity's exposure, before and after the transfer, with the variability in the amounts and timing of the net cash flows of the transferred asset. An entity has retained substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset if its exposure to the variability in the present value of the future net cash flows from the financial asset does not change significantly as a result of the transfer (eg because the entity has sold a financial asset subject to an agreement to buy it back at a fixed price or the sale price plus a lender's return). An entity has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset if its exposure to such variability is no longer significant in relation to the total variability in the present value of the future net cash flows associated with the financial asset (eg because the entity has sold a financial asset subject only to an option to buy it back at its *fair value* at the time of repurchase or has transferred a fully proportionate share of the cash flows from a larger financial asset in an arrangement, such as a loan sub-participation, that meets the conditions in paragraph 3.2.5).
- 3.2.8 Often it will be obvious whether the entity has transferred or retained substantially all risks and rewards of ownership and there will be no need to perform any computations. In other cases, it will be necessary to compute and compare the entity's exposure to the variability in the present value of the future net cash flows before and after the transfer. The computation and comparison are made using as the discount rate an appropriate current market interest rate. All reasonably possible variability in net cash flows is considered, with greater weight being given to those outcomes that are more likely to occur.
- 3.2.9 Whether the entity has retained control (see paragraph 3.2.6(c)) of the transferred asset depends on the transferee's ability to sell the asset. If the transferee has the practical ability to sell the asset in its entirety to an unrelated third party and is able to exercise that ability unilaterally and without needing to impose additional restrictions on the transfer, the entity has not retained control. In all other cases, the entity has retained control.

Transfers that qualify for derecognition

- 3.2.10 **If an entity transfers a financial asset in a transfer that qualifies for derecognition in its entirety and retains the right to service the financial asset for a fee, it shall recognise either a servicing asset or a servicing liability for that servicing contract. If the fee to be received is not expected to compensate the entity adequately for performing the servicing, a servicing liability for the servicing obligation shall be recognised at its fair value. If the fee to be received is expected to be more than adequate compensation for the servicing, a servicing asset shall be recognised for the servicing right at an amount determined on the basis of an allocation of the carrying amount of the larger financial asset in accordance with paragraph 3.2.13.**
- 3.2.11 **If, as a result of a transfer, a financial asset is derecognised in its entirety but the transfer results in the entity obtaining a new financial asset or assuming a new financial liability, or a servicing liability, the entity shall recognise the new financial asset, financial liability or servicing liability at fair value.**
- 3.2.12 **On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between:**
 (a) the carrying amount (measured at the date of derecognition) and
 (b) the consideration received (including any new asset obtained less any new liability assumed)
shall be recognised in profit or loss.
- 3.2.13 **If the transferred asset is part of a larger financial asset (eg when an entity transfers interest cash flows that are part of a debt instrument, see paragraph 3.2.2(a)) and the part transferred qualifies for derecognition in its entirety, the previous carrying amount of the larger financial asset shall be allocated between the part that continues to be recognised and the part that is derecognised, on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. For this purpose, a retained servicing asset shall be treated as a part that continues to be recognised. The difference between:**
 (a) the carrying amount (measured at the date of derecognition) allocated to the part derecognised and
 (b) the consideration received for the part derecognised (including any new asset obtained less any new liability assumed)
shall be recognised in profit or loss.

- 3.2.14 When an entity allocates the previous carrying amount of a larger financial asset between the part that continues to be recognised and the part that is derecognised, the fair value of the part that continues to be recognised needs to be measured. When the entity has a history of selling parts similar to the part that continues to be recognised or other market transactions exist for such parts, recent prices of actual transactions provide the best estimate of its fair value. When there are no price quotes or recent market transactions to support the fair value of the part that continues to be recognised, the best estimate of the fair value is the difference between the fair value of the larger financial asset as a whole and the consideration received from the transferee for the part that is derecognised.
- Transfers that do not qualify for derecognition**
- 3.2.15 **If a transfer does not result in derecognition because the entity has retained substantially all the risks and rewards of ownership of the transferred asset, the entity shall continue to recognise the transferred asset in its entirety and shall recognise a financial liability for the consideration received. In subsequent periods, the entity shall recognise any income on the transferred asset and any expense incurred on the financial liability.**
- Continuing involvement in transferred assets**
- 3.2.16 **If an entity neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred asset, and retains control of the transferred asset, the entity continues to recognise the transferred asset to the extent of its continuing involvement. The extent of the entity's continuing involvement in the transferred asset is the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset. For example:**
- (a) When the entity's continuing involvement takes the form of guaranteeing the transferred asset, the extent of the entity's continuing involvement is the lower of (i) the amount of the asset and (ii) the maximum amount of the consideration received that the entity could be required to repay ('the guarantee amount').
 - (b) When the entity's continuing involvement takes the form of a written or purchased option (or both) on the transferred asset, the extent of the entity's continuing involvement is the amount of the transferred asset that the entity may repurchase. However, in the case of a written put option on an asset that is measured at fair value, the extent of the entity's continuing involvement is limited to the lower of the fair value of the transferred asset and the option exercise price (see paragraph B3.2.13).
 - (c) When the entity's continuing involvement takes the form of a cash-settled option or similar provision on the transferred asset, the extent of the entity's continuing involvement is measured in the same way as that which results from non-cash settled options as set out in (b) above.
- 3.2.17 **When an entity continues to recognise an asset to the extent of its continuing involvement, the entity also recognises an associated liability. Despite the other measurement requirements in this Standard, the transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the entity has retained. The associated liability is measured in such a way that the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability is:**
- (a) the amortised cost of the rights and obligations retained by the entity, if the transferred asset is measured at amortised cost, or
 - (b) equal to the fair value of the rights and obligations retained by the entity when measured on a stand-alone basis, if the transferred asset is measured at fair value.
- 3.2.18 **The entity shall continue to recognise any income arising on the transferred asset to the extent of its continuing involvement and shall recognise any expense incurred on the associated liability.**
- 3.2.19 **For the purpose of subsequent measurement, recognised changes in the fair value of the transferred asset and the associated liability are accounted for consistently with each other in accordance with paragraph 5.7.1, and shall not be offset.**
- 3.2.20 **If an entity's continuing involvement is in only a part of a financial asset (eg when an entity retains an option to repurchase part of a transferred asset, or retains a residual interest that does not result in the retention of substantially all the risks and rewards of ownership and the entity retains control), the entity allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognise under continuing involvement, and the part it no longer recognises on the**

basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. For this purpose, the requirements of paragraph 3.2.14 apply. The difference between:

- (a) the carrying amount (measured at the date of derecognition) allocated to the part that is no longer recognised and
- (b) the consideration received for the part no longer recognised shall be recognised in profit or loss.

3.2.21 If the transferred asset is measured at amortised cost, the option in this Standard to designate a financial liability as at fair value through profit or loss is not applicable to the associated liability.

All transfers

3.2.22 If a transferred asset continues to be recognised, the asset and the associated liability shall not be offset. Similarly, the entity shall not offset any income arising from the transferred asset with any expense incurred on the associated liability (see paragraph 42 of Ind AS 32).

3.2.23 If a transferor provides non-cash collateral (such as debt or equity instruments) to the transferee, the accounting for the collateral by the transferor and the transferee depends on whether the transferee has the right to sell or repledge the collateral and on whether the transferor has defaulted. The transferor and transferee shall account for the collateral as follows:

- (a) If the transferee has the right by contract or custom to sell or repledge the collateral, then the transferor shall reclassify that asset in its balance sheet (eg as a loaned asset, pledged equity instruments or repurchase receivable) separately from other assets.
- (b) If the transferee sells collateral pledged to it, it shall recognise the proceeds from the sale and a liability measured at fair value for its obligation to return the collateral.
- (c) If the transferor defaults under the terms of the contract and is no longer entitled to redeem the collateral, it shall derecognise the collateral, and the transferee shall recognise the collateral as its asset initially measured at fair value or, if it has already sold the collateral, derecognise its obligation to return the collateral.
- (d) Except as provided in (c), the transferor shall continue to carry the collateral as its asset, and the transferee shall not recognise the collateral as an asset.

3.3 Derecognition of financial liabilities

3.3.1 An entity shall remove a financial liability (or a part of a financial liability) from its balance sheet when, and only when, it is extinguished—ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

3.3.2 An exchange between an existing borrower and lender of debt instruments with substantially different terms shall be accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, a substantial modification of the terms of an existing financial liability or a part of it (whether or not attributable to the financial difficulty of the debtor) shall be accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability.

3.3.3 The difference between the carrying amount of a financial liability (or part of a financial liability) extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, shall be recognised in profit or loss.

3.3.4 If an entity repurchases a part of a financial liability, the entity shall allocate the previous carrying amount of the financial liability between the part that continues to be recognised and the part that is derecognised based on the relative fair values of those parts on the date of the repurchase. The difference between (a) the carrying amount allocated to the part derecognised and (b) the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, for the part derecognised shall be recognised in profit or loss.

Chapter 4 Classification

4.1 Classification of financial assets

4.1.1 Unless paragraph 4.1.5 applies, an entity shall classify financial assets as subsequently measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss on the basis of both:

- (a) the entity's business model for managing the financial assets and

- (b) the contractual cash flow characteristics of the financial asset.

4.1.2 A financial asset shall be measured at amortised cost if both of the following conditions are met:

- (a) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and
- (b) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Paragraphs B4.1.1–B4.1.26 provide guidance on how to apply these conditions.

4.1.2A A financial asset shall be measured at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met:

- (a) the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and
- (b) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Paragraphs B4.1.1–B4.1.26 provide guidance on how to apply these conditions.

4.1.3 For the purpose of applying paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b):

- (a) principal is the fair value of the financial asset at initial recognition. Paragraph B4.1.7B provides additional guidance on the meaning of principal.
- (b) interest consists of consideration for the time value of money, for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs, as well as a profit margin. Paragraphs B4.1.7A and B4.1.9A–B4.1.9E provide additional guidance on the meaning of interest, including the meaning of the time value of money.

4.1.4 A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost in accordance with paragraph 4.1.2 or at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A. However an entity may make an irrevocable election at initial recognition for particular investments in *equity instruments* that would otherwise be measured at fair value through profit or loss to present subsequent changes in fair value in other comprehensive income (see paragraphs 5.7.5–5.7.6).

Option to designate a financial asset at fair value through profit or loss

4.1.5 Despite paragraphs 4.1.1–4.1.4, an entity may, at initial recognition, irrevocably designate a financial asset as measured at fair value through profit or loss if doing so eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as an ‘accounting mismatch’) that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases (see paragraphs B4.1.29–B4.1.32).

4.2 Classification of financial liabilities

4.2.1 An entity shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- (a) *financial liabilities at fair value through profit or loss*. Such liabilities, including *derivatives* that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- (b) financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies. Paragraphs 3.2.15 and 3.2.17 apply to the measurement of such financial liabilities.
- (c) *financial guarantee contracts*. After initial recognition, an issuer of such a contract shall [unless paragraph 4.2.1(a) or (b) applies] subsequently measure it at the higher of:
 - (i) the amount of the *loss allowance* determined in accordance with Section 5.5 and
 - (ii) the amount initially recognised (see paragraph 5.1.1) less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of Ind AS 115.
- (d) commitments to provide a loan at a below-market interest rate. An issuer of such a commitment shall [unless paragraph 4.2.1(a) applies] subsequently measure it at the higher

of:

- (i) the amount of the loss allowance determined in accordance with Section 5.5 and
 - (ii) the amount initially recognised (see paragraph 5.1.1) less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of Ind AS115.
- (e) contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which Ind AS103 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

Option to designate a financial liability at fair value through profit or loss

4.2.2 An entity may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by paragraph 4.3.5, or when doing so results in more relevant information, because either:

- (a) it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as ‘an accounting mismatch’) that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases (see paragraphs B4.1.29–B4.1.32); or
- (b) a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the entity’s key management personnel (as defined in Ind AS 24 *Related Party Disclosures*), for example, the entity’s board of directors and chief executive officer (see paragraphs B4.1.33–B4.1.36).

4.3 Embedded derivatives

4.3.1 An embedded derivative is a component of a hybrid contract that also includes a non-derivative host—with the effect that some of the cash flows of the combined instrument vary in a way similar to a stand-alone derivative. An embedded derivative causes some or all of the cash flows that otherwise would be required by the contract to be modified according to a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract. A derivative that is attached to a *financial instrument* but is contractually transferable independently of that instrument, or has a different counterparty, is not an embedded derivative, but a separate financial instrument.

Hybrid contracts with financial asset hosts

4.3.2 If a hybrid contract contains a host that is an asset within the scope of this Standard, an entity shall apply the requirements in paragraphs 4.1.1–4.1.5 to the entire hybrid contract.

Other hybrid contracts

4.3.3 If a hybrid contract contains a host that is not an asset within the scope of this Standard, an embedded derivative shall be separated from the host and accounted for as a derivative under this Standard if, and only if:

- (a) the economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to the economic characteristics and risks of the host (see paragraphs B4.3.5 and B4.3.8);
- (b) a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and
- (c) the hybrid contract is not measured at fair value with changes in fair value recognised in profit or loss (ie. a derivative that is embedded in a financial liability at fair value through profit or loss is not separated).

4.3.4 If an embedded derivative is separated, the host contract shall be accounted for in accordance with the appropriate Standards. This Standard does not address whether an embedded derivative shall be presented separately in the balance sheet.

4.3.5 Despite paragraphs 4.3.3 and 4.3.4, if a contract contains one or more embedded derivatives and the host is not an asset within the scope of this Standard, an entity may designate the entire hybrid

contract as at fair value through profit or loss unless:

- (a) the embedded derivative(s) do(es) not significantly modify the cash flows that otherwise would be required by the contract; or
- (b) it is clear with little or no analysis when a similar hybrid instrument is first considered that separation of the embedded derivative(s) is prohibited, such as a prepayment option embedded in a loan that permits the holder to prepay the loan for approximately its amortised cost.

4.3.6 If an entity is required by this Standard to separate an embedded derivative from its host, but is unable to measure the embedded derivative separately either at acquisition or at the end of a subsequent financial reporting period, it shall designate the entire hybrid contract as at fair value through profit or loss.

4.3.7 If an entity is unable to measure reliably the fair value of an embedded derivative on the basis of its terms and conditions, the fair value of the embedded derivative is the difference between the fair value of the hybrid contract and the fair value of the host. If the entity is unable to measure the fair value of the embedded derivative using this method, paragraph 4.3.6 applies and the hybrid contract is designated as at fair value through profit or loss.

4.4 Reclassification

4.4.1 When, and only when, an entity changes its business model for managing financial assets it shall reclassify all affected financial assets in accordance with paragraphs 4.1.1–4.1.4. See paragraphs 5.6.1–5.6.7, B4.4.1–B4.4.3 and B5.6.1–B5.6.2 for additional guidance on reclassifying financial assets.

4.4.2 An entity shall not reclassify any financial liability.

4.4.3 The following changes in circumstances are not reclassifications for the purposes of paragraphs 4.4.1–4.4.2:

- (a) an item that was previously a designated and effective hedging instrument in a cash flow hedge or net investment hedge no longer qualifies as such;
- (b) an item becomes a designated and effective hedging instrument in a cash flow hedge or net investment hedge; and
- (c) changes in measurement in accordance with Section 6.7.

Chapter 5 Measurement

5.1 Initial measurement

5.1.1 Except for trade receivables within the scope of paragraph 5.1.3, at initial recognition, an entity shall measure a financial asset or financial liability at its fair value plus or minus, in the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, *transaction costs* that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

5.1.1A However, if the fair value of the financial asset or financial liability at initial recognition differs from the transaction price, an entity shall apply paragraph B5.1.2A.

5.1.2 When an entity uses settlement date accounting for an asset that is subsequently measured at amortised cost, the asset is recognised initially at its fair value on the trade date (see paragraphs B3.1.3–B3.1.6).

5.1.3 Despite the requirement in paragraph 5.1.1, at initial recognition, an entity shall measure trade receivables at their transaction price (as defined in Ind AS 115) if the trade receivables do not contain a significant financing component in accordance with Ind AS 115 (or when the entity applies the practical expedient in accordance with paragraph 63 of Ind AS 115).

5.2 Subsequent measurement of financial assets

5.2.1 After initial recognition, an entity shall measure a financial asset in accordance with paragraphs 4.1.1–4.1.5 at:

- (a) amortised cost;
- (b) fair value through other comprehensive income; or
- (c) fair value through profit or loss.

5.2.2 An entity shall apply the impairment requirements in Section 5.5 to financial assets that are

measured at amortised cost in accordance with paragraph 4.1.2 and to financial assets that are measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A.

- 5.2.3 An entity shall apply the hedge accounting requirements in paragraphs 6.5.8–6.5.14 to a financial asset that is designated as a hedged item.

5.3 Subsequent measurement of financial liabilities

- 5.3.1 After initial recognition, an entity shall measure a financial liability in accordance with paragraphs 4.2.1–4.2.2.

- 5.3.2 An entity shall apply the hedge accounting requirements in paragraphs 6.5.8–6.5.14 to a financial liability that is designated as a hedged item.

5.4 Amortised cost measurement

Financial assets

Effective interest method

- 5.4.1 Interest revenue shall be calculated by using the *effective interest method* (see Appendix A and paragraphs B5.4.1–B5.4.7). This shall be calculated by applying the *effective interest rate* to the *gross carrying amount of a financial asset* except for:

- (a) *purchased or originated credit-impaired financial assets*. For those financial assets, the entity shall apply the *credit-adjusted effective interest rate* to the *amortised cost of the financial asset* from initial recognition.
- (b) *financial assets that are not purchased or originated credit-impaired financial assets but subsequently have become credit-impaired financial assets*. For those financial assets, the entity shall apply the *effective interest rate* to the *amortised cost of the financial asset* in subsequent reporting periods.

- 5.4.2 An entity that, in a reporting period, calculates interest revenue by applying the effective interest method to the amortised cost of a financial asset in accordance with paragraph 5.4.1(b), shall, in subsequent reporting periods, calculate the interest revenue by applying the effective interest rate to the gross carrying amount if the credit risk on the financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired and the improvement can be related objectively to an event occurring after the requirements in paragraph 5.4.1(b) were applied (such as an improvement in the borrower's credit rating).

Modification of contractual cash flows

- 5.4.3 When the contractual cash flows of a financial asset are renegotiated or otherwise modified and the renegotiation or modification does not result in the derecognition of that financial asset in accordance with this Standard, an entity shall recalculate the gross carrying amount of the financial asset and shall recognise a *modification gain or loss* in profit or loss. The gross carrying amount of the financial asset shall be recalculated as the present value of the renegotiated or modified contractual cash flows that are discounted at the financial asset's original effective interest rate (or credit-adjusted effective interest rate for purchased or originated credit-impaired financial assets) or, when applicable, the revised effective interest rate calculated in accordance with paragraph 6.5.10. Any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the modified financial asset and are amortised over the remaining term of the modified financial asset.

Write-off

- 5.4.4 An entity shall directly reduce the gross carrying amount of a financial asset when the entity has no reasonable expectations of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof. A write-off constitutes a derecognition event [see paragraph B3.2.16(r)].

5.5 Impairment

Recognition of expected credit losses

General approach

- 5.5.1 An entity shall recognise a loss allowance for *expected credit losses* on a financial asset that is measured in accordance with paragraphs 4.1.2 or 4.1.2A, a lease receivable, a *contract asset* or a loan commitment and a financial guarantee contract to which the impairment requirements apply in accordance with paragraphs 2.1(g), 4.2.1(c) or 4.2.1(d).
- 5.5.2 An entity shall apply the impairment requirements for the recognition and measurement of a loss

allowance for financial assets that are measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A. However, the loss allowance shall be recognised in other comprehensive income and shall not reduce the carrying amount of the financial asset in the balance sheet.

5.5.3 Subject to paragraphs 5.5.13–5.5.16, at each reporting date, an entity shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the *lifetime expected credit losses* if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition.

5.5.4 The objective of the impairment requirements is to recognise lifetime expected credit losses for all financial instruments for which there have been significant increases in credit risk since initial recognition - whether assessed on an individual or collective basis - considering all reasonable and supportable information, including that which is forward-looking.

5.5.5 Subject to paragraphs 5.5.13–5.5.16, if, at the reporting date, the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition, an entity shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to *12-month expected credit losses*.

5.5.6 For loan commitments and financial guarantee contracts, the date that the entity becomes a party to the irrevocable commitment shall be considered to be the date of initial recognition for the purposes of applying the impairment requirements.

5.5.7 If an entity has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime expected credit losses in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that paragraph 5.5.3 is no longer met, the entity shall measure the loss allowance at an amount equal to 12-month expected credit losses at the current reporting date.

5.5.8 An entity shall recognise in profit or loss, as an *impairment gain* or loss, the amount of expected credit losses (or reversal) that is required to adjust the loss allowance at the reporting date to the amount that is required to be recognised in accordance with this Standard.

Determining significant increases in credit risk

5.5.9 At each reporting date, an entity shall assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, an entity shall use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, an entity shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

5.5.10 An entity may assume that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date (see paragraphs B5.5.22–B5.5.24).

5.5.11 If reasonable and supportable forward-looking information is available without undue cost or effort, an entity cannot rely solely on *past due* information when determining whether credit risk has increased significantly since initial recognition. However, when information that is more forward-looking than past due status (either on an individual or a collective basis) is not available without undue cost or effort, an entity may use past due information to determine whether there have been significant increases in credit risk since initial recognition. Regardless of the way in which an entity assesses significant increases in credit risk, there is a rebuttable presumption that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due. An entity can rebut this presumption if the entity has reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort, that demonstrates that the credit risk has not increased significantly since initial recognition even though the contractual payments are more than 30 days past due. When an entity determines that there have been significant increases in credit risk before contractual payments are more than 30 days past due, the rebuttable presumption does not apply.

Modified financial assets

- 5.5.12 If the contractual cash flows on a financial asset have been renegotiated or modified and the financial asset was not derecognised, an entity shall assess whether there has been a significant increase in the credit risk of the financial instrument in accordance with paragraph 5.5.3 by comparing:
- (a) the risk of a default occurring at the reporting date (based on the modified contractual terms); and
 - (b) the risk of a default occurring at initial recognition (based on the original, unmodified contractual terms).

Purchased or originated credit-impaired financial assets

- 5.5.13 **Despite paragraphs 5.5.3 and 5.5.5, at the reporting date, an entity shall only recognise the cumulative changes in lifetime expected credit losses since initial recognition as a loss allowance for purchased or originated credit-impaired financial assets.**
- 5.5.14 At each reporting date, an entity shall recognise in profit or loss the amount of the change in lifetime expected credit losses as an impairment gain or loss. An entity shall recognise favourable changes in lifetime expected credit losses as an impairment gain, even if the lifetime expected credit losses are less than the amount of expected credit losses that were included in the estimated cash flows on initial recognition.

Simplified approach for trade receivables, contract assets and lease receivables

- 5.5.15 **Despite paragraphs 5.5.3 and 5.5.5, an entity shall always measure the loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses for:**
- (a) **trade receivables or contract assets that result from transactions that are within the scope of Ind AS115, and that:**
 - (i) **do not contain a significant financing component in accordance with Ind AS 115 (or when the entity applies the practical expedient in accordance with paragraph 63 of Ind AS 115); or**
 - (ii) **contain a significant financing component in accordance with Ind AS115, if the entity chooses as its accounting policy to measure the loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses. That accounting policy shall be applied to all such trade receivables or contract assets but may be applied separately to trade receivables and contract assets.**
 - (b) **lease receivables that result from transactions that are within the scope of Ind AS 17, if the entity chooses as its accounting policy to measure the loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses. That accounting policy shall be applied to all lease receivables but may be applied separately to finance and operating lease receivables.**
- 5.5.16 An entity may select its accounting policy for trade receivables, lease receivables and contract assets independently of each other.

Measurement of expected credit losses

- 5.5.17 **An entity shall measure expected credit losses of a financial instrument in a way that reflects:**
- (a) **an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;**
 - (b) **the time value of money; and**
 - (c) **reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.**
- 5.5.18 When measuring expected credit losses, an entity need not necessarily identify every possible scenario. However, it shall consider the risk or probability that a credit loss occurs by reflecting the possibility that a credit loss occurs and the possibility that no credit loss occurs, even if the possibility of a credit loss occurring is very low.
- 5.5.19 The maximum period to consider when measuring expected credit losses is the maximum contractual period (including extension options) over which the entity is exposed to credit risk and not a longer period, even if that longer period is consistent with business practice.
- 5.5.20 However, some financial instruments include both a loan and an undrawn commitment component and the

entity's contractual ability to demand repayment and cancel the undrawn commitment does not limit the entity's exposure to credit losses to the contractual notice period. For such financial instruments, and only those financial instruments, the entity shall measure expected credit losses over the period that the entity is exposed to credit risk and expected credit losses would not be mitigated by credit risk management actions, even if that period extends beyond the maximum contractual period.

5.6 Reclassification of financial assets

- 5.6.1** If an entity reclassifies financial assets in accordance with paragraph 4.4.1, it shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The entity shall not restate any previously recognised gains, losses (including impairment gains or losses) or interest. Paragraphs 5.6.2–5.6.7 set out the requirements for reclassifications.
- 5.6.2** If an entity reclassifies a financial asset out of the amortised cost measurement category and into the fair value through profit or loss measurement category, its fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previous amortised cost of the financial asset and fair value is recognised in profit or loss.
- 5.6.3** If an entity reclassifies a financial asset out of the fair value through profit or loss measurement category and into the amortised cost measurement category, its fair value at the reclassification date becomes its new gross carrying amount. (See paragraph B5.6.2 for guidance on determining an effective interest rate and a loss allowance at the reclassification date.)
- 5.6.4** If an entity reclassifies a financial asset out of the amortised cost measurement category and into the fair value through other comprehensive income measurement category, its fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previous amortised cost of the financial asset and fair value is recognised in other comprehensive income. The effective interest rate and the measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification. (See paragraph B5.6.1.)
- 5.6.5** If an entity reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category and into the amortised cost measurement category, the financial asset is reclassified at its fair value at the reclassification date. However, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is removed from equity and adjusted against the fair value of the financial asset at the reclassification date. As a result, the financial asset is measured at the reclassification date as if it had always been measured at amortised cost. This adjustment affects other comprehensive income but does not affect profit or loss and therefore is not a reclassification adjustment (see Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*). The effective interest rate and the measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification. (See paragraph B5.6.1.)
- 5.6.6** If an entity reclassifies a financial asset out of the fair value through profit or loss measurement category and into the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset continues to be measured at fair value. (See paragraph B5.6.2 for guidance on determining an effective interest rate and a loss allowance at the reclassification date.)
- 5.6.7** If an entity reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category and into the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset continues to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment (see Ind AS 1) at the reclassification date.

5.7 Gains and losses

- 5.7.1** A gain or loss on a financial asset or financial liability that is measured at fair value shall be recognised in profit or loss unless:
- it is part of a hedging relationship (see paragraphs 6.5.8–6.5.14);
 - it is an investment in an equity instrument and the entity has elected to present gains and losses on that investment in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5;
 - it is a financial liability designated as at fair value through profit or loss and the entity is required to present the effects of changes in the liability's *credit risk* in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.7; or
 - it is a financial asset measured at fair value through other comprehensive income in

accordance with paragraph 4.1.2A and the entity is required to recognise some changes in fair value in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.10.

- 5.7.1A *Dividends* are recognised in profit or loss only when:
- (a) the entity's right to receive payment of the dividend is established;
 - (b) it is probable that the economic benefits associated with the dividend will flow to the entity; and
 - (c) the amount of the dividend can be measured reliably.
- 5.7.2 A gain or loss on a financial asset that is measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship (see paragraphs 6.5.8–6.5.14) shall be recognised in profit or loss when the financial asset is derecognised, reclassified in accordance with paragraph 5.6.2, through the amortisation process or in order to recognise impairment gains or losses. An entity shall apply paragraphs 5.6.2 and 5.6.4 if it reclassifies financial assets out of the amortised cost measurement category. A gain or loss on a financial liability that is measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship (see paragraphs 6.5.8–6.5.14) shall be recognised in profit or loss when the financial liability is derecognised and through the amortisation process. (See paragraph B5.7.2 for guidance on foreign exchange gains or losses.)
- 5.7.3 A gain or loss on financial assets or financial liabilities that are hedged items in a hedging relationship shall be recognised in accordance with paragraphs 6.5.8–6.5.14.
- 5.7.4 If an entity recognises financial assets using settlement date accounting (see paragraphs 3.1.2, B3.1.3 and B3.1.6), any change in the fair value of the asset to be received during the period between the trade date and the settlement date is not recognised for assets measured at amortised cost. For assets measured at fair value, however, the change in fair value shall be recognised in profit or loss or in other comprehensive income, as appropriate in accordance with paragraph 5.7.1. The trade date shall be considered the date of initial recognition for the purposes of applying the impairment requirements.

Investments in equity instruments

- 5.7.5 At initial recognition, an entity may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value of an investment in an equity instrument within the scope of this Standard that is neither *held for trading* nor contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which Ind AS103 applies. (See paragraph B5.7.3 for guidance on foreign exchange gains or losses.)
- 5.7.6 If an entity makes the election in paragraph 5.7.5, it shall recognise in profit or loss dividends from that investment in accordance with paragraph 5.7.1A.

Liabilities designated as at fair value through profit or loss

- 5.7.7 An entity shall present a gain or loss on a financial liability that is designated as at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 4.2.2 or paragraph 4.3.5 as follows:
- (a) The amount of change in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability shall be presented in other comprehensive income (see paragraphs B5.7.13–B5.7.20), and
 - (b) the remaining amount of change in the fair value of the liability shall be presented in profit or loss
- unless the treatment of the effects of changes in the liability's credit risk described in (a) would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss (in which case paragraph 5.7.8 applies). Paragraphs B5.7.5–B5.7.7 and B5.7.10–B5.7.12 provide guidance on determining whether an accounting mismatch would be created or enlarged.
- 5.7.8 If the requirements in paragraph 5.7.7 would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss, an entity shall present all gains or losses on that liability (including the effects of changes in the credit risk of that liability) in profit or loss.
- 5.7.9 Despite the requirements in paragraphs 5.7.7 and 5.7.8, an entity shall present in profit or loss all gains and losses on loan commitments and financial guarantee contracts that are designated as at fair value through profit or loss.

Assets measured at fair value through other comprehensive income

- 5.7.10 A gain or loss on a financial asset measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A shall be recognised in other comprehensive income, except for impairment gains or losses (see Section 5.5) and foreign exchange gains and losses (see paragraphs B5.7.2–B5.7.2A), until the financial asset is derecognised or reclassified. When the financial asset is derecognised the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment (see Ind AS 1). If the financial asset is reclassified out of the fair value through other comprehensive income measurement category, the entity shall account for the cumulative gain or loss that was previously recognised in other comprehensive income in accordance with paragraphs 5.6.5 and 5.6.7. Interest calculated using the effective interest method is recognised in profit or loss.
- 5.7.11 As described in paragraph 5.7.10, if a financial asset is measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A, the amounts that are recognised in profit or loss are the same as the amounts that would have been recognised in profit or loss if the financial asset had been measured at amortised cost.

Chapter 6 Hedge accounting**6.1 Objective and scope of hedge accounting**

- 6.1.1 The objective of hedge accounting is to represent, in the financial statements, the effect of an entity's risk management activities that use financial instruments to manage exposures arising from particular risks that could affect profit or loss (or other comprehensive income, in the case of investments in equity instruments for which an entity has elected to present changes in fair value in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5). This approach aims to convey the context of hedging instruments for which hedge accounting is applied in order to allow insight into their purpose and effect.
- 6.1.2 An entity may choose to designate a hedging relationship between a hedging instrument and a hedged item in accordance with paragraphs 6.2.1–6.3.7 and B6.2.1–B6.3.25. For hedging relationships that meet the qualifying criteria, an entity shall account for the gain or loss on the hedging instrument and the hedged item in accordance with paragraphs 6.5.1–6.5.14 and B6.5.1–B6.5.28. When the hedged item is a group of items, an entity shall comply with the additional requirements in paragraphs 6.6.1–6.6.6 and B6.6.1–B6.6.16.
- 6.1.3 [Refer Appendix 1].

6.2 Hedging instruments**Qualifying instruments**

- 6.2.1 A derivative measured at fair value through profit or loss may be designated as a hedging instrument, except for some written options (see paragraph B6.2.4).
- 6.2.2 A non-derivative financial asset or a non-derivative financial liability measured at fair value through profit or loss may be designated as a hedging instrument unless it is a financial liability designated as at fair value through profit or loss for which the amount of its change in fair value that is attributable to changes in the credit risk of that liability is presented in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.7. For a hedge of foreign currency risk, the foreign currency risk component of a non-derivative financial asset or a non-derivative financial liability may be designated as a hedging instrument provided that it is not an investment in an equity instrument for which an entity has elected to present changes in fair value in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5.
- 6.2.3 For hedge accounting purposes, only contracts with a party external to the reporting entity (ie. external to the group or individual entity that is being reported on) can be designated as hedging instruments.

Designation of hedging instruments

- 6.2.4 A qualifying instrument must be designated in its entirety as a hedging instrument. The only exceptions permitted are:
- (a) separating the intrinsic value and time value of an option contract and designating as the hedging instrument only the change in intrinsic value of an option and not the change in its time value (see paragraphs 6.5.15 and B6.5.29–B6.5.33);

- (b) separating the forward element and the spot element of a forward contract and designating as the hedging instrument only the change in the value of the spot element of a forward contract and not the forward element; similarly, the foreign currency basis spread may be separated and excluded from the designation of a financial instrument as the hedging instrument (see paragraphs 6.5.16 and B6.5.34–B6.5.39); and
 - (c) a proportion of the entire hedging instrument, such as 50 per cent of the nominal amount, may be designated as the hedging instrument in a hedging relationship. However, a hedging instrument may not be designated for a part of its change in fair value that results from only a portion of the time period during which the hedging instrument remains outstanding.
- 6.2.5 An entity may view in combination, and jointly designate as the hedging instrument, any combination of the following (including those circumstances in which the risk or risks arising from some hedging instruments offset those arising from others):
- (a) derivatives or a proportion of them; and
 - (b) non-derivatives or a proportion of them.
- 6.2.6 However, a derivative instrument that combines a written option and a purchased option (for example, an interest rate collar) does not qualify as a hedging instrument if it is, in effect, a net written option at the date of designation (unless it qualifies in accordance with paragraph B6.2.4). Similarly, two or more instruments (or proportions of them) may be jointly designated as the hedging instrument only if, in combination, they are not, in effect, a net written option at the date of designation (unless it qualifies in accordance with paragraph B6.2.4).

6.3 Hedged items

Qualifying items

- 6.3.1 **A hedged item can be a recognised asset or liability, an unrecognised *firm commitment*, a *forecast transaction* or a net investment in a foreign operation. The hedged item can be:**
- (a) a single item; or
 - (b) a group of items (subject to paragraphs 6.6.1–6.6.6 and B6.6.1–B6.6.16).
- A hedged item can also be a component of such an item or group of items (see paragraphs 6.3.7 and B6.3.7–B6.3.25).
- 6.3.2 **The hedged item must be reliably measurable.**
- 6.3.3 **If a hedged item is a forecast transaction (or a component thereof), that transaction must be highly probable.**
- 6.3.4 **An aggregated exposure that is a combination of an exposure that could qualify as a hedged item in accordance with paragraph 6.3.1 and a derivative may be designated as a hedged item (see paragraphs B6.3.3–B6.3.4). This includes a forecast transaction of an aggregated exposure (ie. uncommitted but anticipated future transactions that would give rise to an exposure and a derivative) if that aggregated exposure is highly probable and, once it has occurred and is therefore no longer forecast, is eligible as a hedged item.**
- 6.3.5 **For hedge accounting purposes, only assets, liabilities, firm commitments or highly probable forecast transactions with a party external to the reporting entity can be designated as hedged items. Hedge accounting can be applied to transactions between entities in the same group only in the individual or separate financial statements of those entities and not in the consolidated financial statements of the group, except for the consolidated financial statements of an investment entity, as defined in Ind AS 110, where transactions between an investment entity and its subsidiaries measured at fair value through profit or loss will not be eliminated in the consolidated financial statements.**
- 6.3.6 However, as an exception to paragraph 6.3.5, the foreign currency risk of an intragroup monetary item (for example, a payable/receivable between two subsidiaries) may qualify as a hedged item in the consolidated financial statements if it results in an exposure to foreign exchange rate gains or losses that are not fully eliminated on consolidation in accordance with Ind AS 21 *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*. In accordance with Ind AS 21, foreign exchange rate gains and losses on intragroup monetary items are not fully eliminated on consolidation when the intragroup monetary item is transacted between two

group entities that have different functional currencies. In addition, the foreign currency risk of a highly probable forecast intragroup transaction may qualify as a hedged item in consolidated financial statements provided that the transaction is denominated in a currency other than the functional currency of the entity entering into that transaction and the foreign currency risk will affect consolidated profit or loss.

Designation of hedged items

6.3.7 An entity may designate an item in its entirety or a component of an item as the hedged item in a hedging relationship. An entire item comprises all changes in the cash flows or fair value of an item. A component comprises less than the entire fair value change or cash flow variability of an item. In that case, an entity may designate only the following types of components (including combinations) as hedged items:

- (a) only changes in the cash flows or fair value of an item attributable to a specific risk or risks (risk component), provided that, based on an assessment within the context of the particular market structure, the risk component is separately identifiable and reliably measurable (see paragraphs B6.3.8–B6.3.15). Risk components include a designation of only changes in the cash flows or the fair value of a hedged item above or below a specified price or other variable (a one-sided risk).
- (b) one or more selected contractual cash flows.
- (c) components of a nominal amount, ie a specified part of the amount of an item (see paragraphs B6.3.16–B6.3.20).

6.4 Qualifying criteria for hedge accounting

6.4.1 A hedging relationship qualifies for hedge accounting only if all of the following criteria are met:

- (a) the hedging relationship consists only of eligible hedging instruments and eligible hedged items.
- (b) at the inception of the hedging relationship there is formal designation and documentation of the hedging relationship and the entity's risk management objective and strategy for undertaking the hedge. That documentation shall include identification of the hedging instrument, the hedged item, the nature of the risk being hedged and how the entity will assess whether the hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements (including its analysis of the sources of hedge ineffectiveness and how it determines the *hedge ratio*).
- (c) the hedging relationship meets all of the following hedge effectiveness requirements:
 - (i) there is an economic relationship between the hedged item and the hedging instrument (see paragraphs B6.4.4–B6.4.6);
 - (ii) the effect of credit risk does not dominate the value changes that result from that economic relationship (see paragraphs B6.4.7–B6.4.8); and
 - (iii) the hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the entity actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the entity actually uses to hedge that quantity of hedged item. However, that designation shall not reflect an imbalance between the weightings of the hedged item and the hedging instrument that would create hedge ineffectiveness (irrespective of whether recognised or not) that could result in an accounting outcome that would be inconsistent with the purpose of hedge accounting (see paragraphs B6.4.9–B6.4.11).

6.5 Accounting for qualifying hedging relationships

6.5.1 An entity applies hedge accounting to hedging relationships that meet the qualifying criteria in paragraph 6.4.1 (which include the entity's decision to designate the hedging relationship).

6.5.2 There are three types of hedging relationships:

- (a) **fair value hedge:** a hedge of the exposure to changes in fair value of a recognised asset or liability or an unrecognised firm commitment, or a component of any such item, that is attributable to a particular risk and could affect profit or loss.
- (b) **cash flow hedge:** a hedge of the exposure to variability in cash flows that is attributable to a particular risk associated with all, or a component of, a recognised asset or liability (such as all or some future interest payments on variable-rate debt) or a highly probable forecast transaction, and could affect profit or loss.
- (c) **hedge of a net investment in a foreign operation** as defined in Ind AS 21.

- 6.5.3 If the hedged item is an equity instrument for which an entity has elected to present changes in fair value in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5, the hedged exposure referred to in paragraph 6.5.2(a) must be one that could affect other comprehensive income. In that case, and only in that case, the recognised hedge ineffectiveness is presented in other comprehensive income.
- 6.5.4 A hedge of the foreign currency risk of a firm commitment may be accounted for as a fair value hedge or a cash flow hedge.
- 6.5.5 **If a hedging relationship ceases to meet the hedge effectiveness requirement relating to the hedge ratio (see paragraph 6.4.1(c)(iii)) but the risk management objective for that designated hedging relationship remains the same, an entity shall adjust the hedge ratio of the hedging relationship so that it meets the qualifying criteria again (this is referred to in this Standard as ‘rebalancing’—see paragraphs B6.5.7–B6.5.21).**
- 6.5.6 **An entity shall discontinue hedge accounting prospectively only when the hedging relationship (or a part of a hedging relationship) ceases to meet the qualifying criteria (after taking into account any rebalancing of the hedging relationship, if applicable). This includes instances when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised. For this purpose, the replacement or rollover of a hedging instrument into another hedging instrument is not an expiration or termination if such a replacement or rollover is part of, and consistent with, the entity’s documented risk management objective. Additionally, for this purpose there is not an expiration or termination of the hedging instrument if:**
- (a) **as a consequence of laws or regulations or the introduction of laws or regulations, the parties to the hedging instrument agree that one or more clearing counterparties replace their original counterparty to become the new counterparty to each of the parties. For this purpose, a clearing counterparty is a central counterparty (sometimes called a ‘clearing organisation’ or ‘clearing agency’) or an entity or entities, for example, a clearing member of a clearing organisation or a client of a clearing member of a clearing organisation, that are acting as a counterparty in order to effect clearing by a central counterparty. However, when the parties to the hedging instrument replace their original counterparties with different counterparties the requirement in this subparagraph is met only if each of those parties effects clearing with the same central counterparty.**
 - (b) **other changes, if any, to the hedging instrument are limited to those that are necessary to effect such a replacement of the counterparty. Such changes are limited to those that are consistent with the terms that would be expected if the hedging instrument were originally cleared with the clearing counterparty. These changes include changes in the collateral requirements, rights to offset receivables and payables balances, and charges levied.**

Discontinuing hedge accounting can either affect a hedging relationship in its entirety or only a part of it (in which case hedge accounting continues for the remainder of the hedging relationship).

- 6.5.7 An entity shall apply:
- (a) paragraph 6.5.10 when it discontinues hedge accounting for a fair value hedge for which the hedged item is (or is a component of) a financial instrument measured at amortised cost; and
 - (b) paragraph 6.5.12 when it discontinues hedge accounting for cash flow hedges.

Fair value hedges

- 6.5.8 **As long as a fair value hedge meets the qualifying criteria in paragraph 6.4.1, the hedging relationship shall be accounted for as follows:**
- (a) **the gain or loss on the hedging instrument shall be recognised in profit or loss (or other comprehensive income, if the hedging instrument hedges an equity instrument for which an entity has elected to present changes in fair value in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5).**
 - (b) **the hedging gain or loss on the hedged item shall adjust the carrying amount of the hedged item (if applicable) and be recognised in profit or loss. If the hedged item is a financial asset (or a component thereof) that is measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A, the hedging gain or loss on the hedged item shall be recognised in profit or loss. However, if the hedged item is an equity instrument for which an**

entity has elected to present changes in fair value in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5, those amounts shall remain in other comprehensive income. When a hedged item is an unrecognised firm commitment (or a component thereof), the cumulative change in the fair value of the hedged item subsequent to its designation is recognised as an asset or a liability with a corresponding gain or loss recognised in profit or loss.

6.5.9 When a hedged item in a fair value hedge is a firm commitment (or a component thereof) to acquire an asset or assume a liability, the initial carrying amount of the asset or the liability that results from the entity meeting the firm commitment is adjusted to include the cumulative change in the fair value of the hedged item that was recognised in the balance sheet.

6.5.10 Any adjustment arising from paragraph 6.5.8(b) shall be amortised to profit or loss if the hedged item is a financial instrument (or a component thereof) measured at amortised cost. Amortisation may begin as soon as an adjustment exists and shall begin no later than when the hedged item ceases to be adjusted for hedging gains and losses. The amortisation is based on a recalculated effective interest rate at the date that amortisation begins. In the case of a financial asset (or a component thereof) that is a hedged item and that is measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A, amortisation applies in the same manner but to the amount that represents the cumulative gain or loss previously recognised in accordance with paragraph 6.5.8(b) instead of by adjusting the carrying amount.

Cash flow hedges

6.5.11 As long as a cash flow hedge meets the qualifying criteria in paragraph 6.4.1, the hedging relationship shall be accounted for as follows:

- (a) the separate component of equity associated with the hedged item (cash flow hedge reserve) is adjusted to the lower of the following (in absolute amounts):
 - (i) the cumulative gain or loss on the hedging instrument from inception of the hedge; and
 - (ii) the cumulative change in fair value (present value) of the hedged item (ie. the present value of the cumulative change in the hedged expected future cash flows) from inception of the hedge.
- (b) the portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge (ie. the portion that is offset by the change in the cash flow hedge reserve calculated in accordance with (a)) shall be recognised in other comprehensive income.
- (c) any remaining gain or loss on the hedging instrument [or any gain or loss required to balance the change in the cash flow hedge reserve calculated in accordance with (a)] is hedge ineffectiveness that shall be recognised in profit or loss.
- (d) the amount that has been accumulated in the cash flow hedge reserve in accordance with (a) shall be accounted for as follows:
 - (i) if a hedged forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or non-financial liability, or a hedged forecast transaction for a non-financial asset or a non-financial liability becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied, the entity shall remove that amount from the cash flow hedge reserve and include it directly in the initial cost or other carrying amount of the asset or the liability. This is not a reclassification adjustment (see Ind AS 1) and hence it does not affect other comprehensive income.
 - (ii) for cash flow hedges other than those covered by (i), that amount shall be reclassified from the cash flow hedge reserve to profit or loss as a reclassification adjustment (see Ind AS 1) in the same period or periods during which the hedged expected future cash flows affect profit or loss (for example, in the periods that interest income or interest expense is recognised or when a forecast sale occurs).
 - (iii) however, if that amount is a loss and an entity expects that all or a portion of that loss will not be recovered in one or more future periods, it shall immediately reclassify the amount that is not expected to be recovered into profit or loss as a reclassification adjustment (see Ind AS 1).

6.5.12 When an entity discontinues hedge accounting for a cash flow hedge (see paragraphs 6.5.6 and 6.5.7(b)) it shall account for the amount that has been accumulated in the cash flow hedge reserve in accordance

with paragraph 6.5.11(a) as follows:

- (a) if the hedged future cash flows are still expected to occur, that amount shall remain in the cash flow hedge reserve until the future cash flows occur or until paragraph 6.5.11(d)(iii) applies. When the future cash flows occur, paragraph 6.5.11(d) applies.
- (b) if the hedged future cash flows are no longer expected to occur, that amount shall be immediately reclassified from the cash flow hedge reserve to profit or loss as a reclassification adjustment (see Ind AS 1). A hedged future cash flow that is no longer highly probable to occur may still be expected to occur.

Hedges of a net investment in a foreign operation

6.5.13 Hedges of a net investment in a foreign operation, including a hedge of a monetary item that is accounted for as part of the net investment (see Ind AS 21), shall be accounted for similarly to cash flow hedges:

- (a) the portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge shall be recognised in other comprehensive income (see paragraph 6.5.11); and
- (b) the ineffective portion shall be recognised in profit or loss.

6.5.14 The cumulative gain or loss on the hedging instrument relating to the effective portion of the hedge that has been accumulated in the foreign currency translation reserve shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment (see Ind AS 1) in accordance with paragraphs 48–49 of Ind AS 21 on the disposal or partial disposal of the foreign operation.

Accounting for the time value of options

6.5.15 When an entity separates the intrinsic value and time value of an option contract and designates as the hedging instrument only the change in intrinsic value of the option (see paragraph 6.2.4(a)), it shall account for the time value of the option as follows (see paragraphs B6.5.29–B6.5.33):

- (a) an entity shall distinguish the time value of options by the type of hedged item that the option hedges (see paragraph B6.5.29):
 - (i) a transaction related hedged item; or
 - (ii) a time-period related hedged item.
- (b) the change in fair value of the time value of an option that hedges a transaction related hedged item shall be recognised in other comprehensive income to the extent that it relates to the hedged item and shall be accumulated in a separate component of equity. The cumulative change in fair value arising from the time value of the option that has been accumulated in a separate component of equity (the 'amount') shall be accounted for as follows:
 - (i) if the hedged item subsequently results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, or a firm commitment for a non-financial asset or a non-financial liability for which fair value hedge accounting is applied, the entity shall remove the amount from the separate component of equity and include it directly in the initial cost or other carrying amount of the asset or the liability. This is not a reclassification adjustment (see Ind AS 1) and hence does not affect other comprehensive income.
 - (ii) for hedging relationships other than those covered by (i), the amount shall be reclassified from the separate component of equity to profit or loss as a reclassification adjustment (see Ind AS 1) in the same period or periods during which the hedged expected future cash flows affect profit or loss (for example, when a forecast sale occurs).
 - (iii) however, if all or a portion of that amount is not expected to be recovered in one or more future periods, the amount that is not expected to be recovered shall be immediately reclassified into profit or loss as a reclassification adjustment (see Ind AS 1).
- (c) the change in fair value of the time value of an option that hedges a time-period related hedged item shall be recognised in other comprehensive income to the extent that it relates to the hedged item and shall be accumulated in a separate component of equity. The time value at the date of designation of the option as a hedging instrument, to the extent that it relates to the hedged item, shall be amortised on a systematic and rational basis over the period during which the hedge adjustment for the option's intrinsic value could affect profit or loss (or other comprehensive income, if the hedged item is an

equity instrument for which an entity has elected to present changes in fair value in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5). Hence, in each reporting period, the amortisation amount shall be reclassified from the separate component of equity to profit or loss as a reclassification adjustment (see Ind AS 1). However, if hedge accounting is discontinued for the hedging relationship that includes the change in intrinsic value of the option as the hedging instrument, the net amount (ie. including cumulative amortisation) that has been accumulated in the separate component of equity shall be immediately reclassified into profit or loss as a reclassification adjustment (see Ind AS 1).

Accounting for the forward element of forward contracts and foreign currency basis spreads of financial instruments

- 6.5.16 When an entity separates the forward element and the spot element of a forward contract and designates as the hedging instrument only the change in the value of the spot element of the forward contract, or when an entity separates the foreign currency basis spread from a financial instrument and excludes it from the designation of that financial instrument as the hedging instrument (see paragraph 6.2.4(b)), the entity may apply paragraph 6.5.15 to the forward element of the forward contract or to the foreign currency basis spread in the same manner as it is applied to the time value of an option. In that case, the entity shall apply the application guidance in paragraphs B6.5.34–B6.5.39.

6.6 Hedges of a group of items

Eligibility of a group of items as the hedged item

- 6.6.1 A group of items (including a group of items that constitute a net position; see paragraphs B6.6.1–B6.6.8) is an eligible hedged item only if:

- (a) it consists of items (including components of items) that are, individually, eligible hedged items;
- (b) the items in the group are managed together on a group basis for risk management purposes; and
- (c) in the case of a cash flow hedge of a group of items whose variabilities in cash flows are not expected to be approximately proportional to the overall variability in cash flows of the group so that offsetting risk positions arise:
 - (i) it is a hedge of foreign currency risk; and
 - (ii) the designation of that net position specifies the reporting period in which the forecast transactions are expected to affect profit or loss, as well as their nature and volume (see paragraphs B6.6.7–B6.6.8).

Designation of a component of a nominal amount

- 6.6.2 A component that is a proportion of an eligible group of items is an eligible hedged item provided that designation is consistent with the entity's risk management objective.
- 6.6.3 A layer component of an overall group of items (for example, a bottom layer) is eligible for hedge accounting only if:
- (a) it is separately identifiable and reliably measurable;
 - (b) the risk management objective is to hedge a layer component;
 - (c) the items in the overall group from which the layer is identified are exposed to the same hedged risk (so that the measurement of the hedged layer is not significantly affected by which particular items from the overall group form part of the hedged layer);
 - (d) for a hedge of existing items (for example, an unrecognised firm commitment or a recognised asset) an entity can identify and track the overall group of items from which the hedged layer is defined (so that the entity is able to comply with the requirements for the accounting for qualifying hedging relationships); and
 - (e) any items in the group that contain prepayment options meet the requirements for components of a nominal amount (see paragraph B6.3.20).

Presentation

- 6.6.4 For a hedge of a group of items with offsetting risk positions (ie. in a hedge of a net position) whose hedged risk affects different line items in the statement of profit and loss, any hedging gains or losses in that statement shall be presented in a separate line from those affected by the hedged items. Hence, in that

statement the amount in the line item that relates to the hedged item itself (for example, revenue or cost of sales) remains unaffected.

- 6.6.5 For assets and liabilities that are hedged together as a group in a fair value hedge, the gain or loss in the balance sheet on the individual assets and liabilities shall be recognised as an adjustment of the carrying amount of the respective individual items comprising the group in accordance with paragraph 6.5.8(b).

Nil net positions

- 6.6.6 When the hedged item is a group that is a nil net position (ie. the hedged items among themselves fully offset the risk that is managed on a group basis), an entity is permitted to designate it in a hedging relationship that does not include a hedging instrument, provided that:

- (a) the hedge is part of a rolling net risk hedging strategy, whereby the entity routinely hedges new positions of the same type as time moves on (for example, when transactions move into the time horizon for which the entity hedges);
- (b) the hedged net position changes in size over the life of the rolling net risk hedging strategy and the entity uses eligible hedging instruments to hedge the net risk (ie. when the net position is not nil);
- (c) hedge accounting is normally applied to such net positions when the net position is not nil and it is hedged with eligible hedging instruments; and
- (d) not applying hedge accounting to the nil net position would give rise to inconsistent accounting outcomes, because the accounting would not recognise the offsetting risk positions that would otherwise be recognised in a hedge of a net position.

6.7 Option to designate a credit exposure as measured at fair value through profit or loss

Eligibility of credit exposures for designation at fair value through profit or loss

- 6.7.1 If an entity uses a credit derivative that is measured at fair value through profit or loss to manage the credit risk of all, or a part of, a financial instrument (credit exposure) it may designate that financial instrument to the extent that it is so managed (ie. all or a proportion of it) as measured at fair value through profit or loss if:

- (a) the name of the credit exposure (for example, the borrower, or the holder of a loan commitment) matches the reference entity of the credit derivative ('name matching'); and
- (b) the seniority of the financial instrument matches that of the instruments that can be delivered in accordance with the credit derivative.

An entity may make this designation irrespective of whether the financial instrument that is managed for credit risk is within the scope of this Standard (for example, an entity may designate loan commitments that are outside the scope of this Standard). The entity may designate that financial instrument at, or subsequent to, initial recognition, or while it is unrecognised. The entity shall document the designation concurrently.

Accounting for credit exposures designated at fair value through profit or loss

- 6.7.2 If a financial instrument is designated in accordance with paragraph 6.7.1 as measured at fair value through profit or loss after its initial recognition, or was previously not recognised, the difference at the time of designation between the carrying amount, if any, and the fair value shall immediately be recognised in profit or loss. For financial assets measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income shall immediately be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment (see Ind AS 1).

- 6.7.3 An entity shall discontinue measuring the financial instrument that gave rise to the credit risk, or a proportion of that financial instrument, at fair value through profit or loss if:

- (a) the qualifying criteria in paragraph 6.7.1 are no longer met, for example:
 - (i) the credit derivative or the related financial instrument that gives rise to the credit risk expires or is sold, terminated or settled; or
 - (ii) the credit risk of the financial instrument is no longer managed using credit derivatives. For example, this could occur because of improvements in the credit quality of the borrower or the loan commitment holder or changes to capital requirements imposed on an entity; and
- (b) the financial instrument that gives rise to the credit risk is not otherwise required to be measured at fair

value through profit or loss (ie. the entity's business model has not changed in the meantime so that a reclassification in accordance with paragraph 4.4.1 was required).

- 6.7.4 When an entity discontinues measuring the financial instrument that gives rise to the credit risk, or a proportion of that financial instrument, at fair value through profit or loss, that financial instrument's fair value at the date of discontinuation becomes its new carrying amount. Subsequently, the same measurement that was used before designating the financial instrument at fair value through profit or loss shall be applied (including amortisation that results from the new carrying amount). For example, a financial asset that had originally been classified as measured at amortised cost would revert to that measurement and its effective interest rate would be recalculated based on its new gross carrying amount on the date of discontinuing measurement at fair value through profit or loss.

Appendix A

Defined terms

This appendix is an integral part of the Standard.

12-month expected credit losses

The portion of **lifetime expected credit losses** that represent the **expected credit losses** that result from default events on a financial instrument that are possible within the 12 months after the reporting date.

amortised cost of a financial asset or financial liability

The amount at which the financial asset or financial liability is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortisation using the **effective interest method** of any difference between that initial amount and the maturity amount and, for financial assets, adjusted for any **loss allowance**.

contract assets

Those rights that *Ind AS 115 Revenue from Contracts with Customers* specifies are accounted for in accordance with this Standard for the purposes of recognising and measuring impairment gains or losses.

credit- impaired financial asset

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired include observable data about the following events:

- (a) significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- (b) a breach of contract, such as a default or **past due** event;
- (c) the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- (d) it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation;
- (e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- (f) the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred **credit losses**.

It may not be possible to identify a single discrete event—instead, the combined effect of several events may have caused financial assets to become credit-impaired.

credit loss

The difference between all contractual cash flows that are due to an entity in accordance with the contract and all the cash flows that the entity expects to receive (ie. all cash shortfalls), discounted at the original **effective interest rate** (or **credit-adjusted effective interest rate** for **purchased or originated credit-impaired financial assets**). An entity shall estimate cash flows by considering all contractual terms of the financial instrument (for example,

	prepayment, extension, call and similar options) through the expected life of that financial instrument. The cash flows that are considered shall include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms. There is a presumption that the expected life of a financial instrument can be estimated reliably. However, in those rare cases when it is not possible to reliably estimate the expected life of a financial instrument, the entity shall use the remaining contractual term of the financial instrument.
credit-adjusted effective interest rate	The rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial asset to the amortised cost of a financial asset that is a purchased or originated credit-impaired financial asset. When calculating the credit-adjusted effective interest rate, an entity shall estimate the expected cash flows by considering all contractual terms of the financial asset (for example, prepayment, extension, call and similar options) and expected credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate (see paragraphs B5.4.1–B5.4.3), transaction costs, and all other premiums or discounts. There is a presumption that the cash flows and the expected life of a group of similar financial instruments can be estimated reliably. However, in those rare cases when it is not possible to reliably estimate the cash flows or the remaining life of a financial instrument (or group of financial instruments), the entity shall use the contractual cash flows over the full contractual term of the financial instrument (or group of financial instruments).
Derecognition	The removal of a previously recognised financial asset or financial liability from an entity's balance sheet.
Derivative	A financial instrument or other contract within the scope of this Standard with all three of the following characteristics. (a) its value changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract (sometimes called the 'underlying'). (b) it requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors. (c) it is settled at a future date.
Dividends	Distributions of profits to holders of equity instruments in proportion to their holdings of a particular class of capital.
effective interest method	The rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial asset or financial liability to the gross carrying amount of a financial asset or to the amortised cost of a financial liability. When calculating the effective interest rate, an entity shall estimate the expected cash flows by considering all the contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, extension, call and similar options) but shall not consider the expected credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate (see paragraphs B5.4.1–B5.4.3), transaction costs, and all other premiums or discounts. There is a presumption that the cash flows and the expected life of a group of similar financial instruments can be estimated reliably. However, in those rare cases when it is not possible to reliably estimate the cash flows or the expected life of a financial instrument (or group of financial instruments), the entity shall use the contractual cash

	flows over the full contractual term of the financial instrument (or group of financial instruments).
expected credit losses	The weighted average of credit losses with the respective risks of a default occurring as the weights.
financial guarantee contract	A contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.
financial liability at fair value through profit or loss	A financial liability that meets one of the following conditions: (a) it meets the definition of held for trading. (b) upon initial recognition it is designated by the entity as at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 4.2.2 or 4.3.5. (c) it is designated either upon initial recognition or subsequently as at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 6.7.1.
firm commitment	A binding agreement for the exchange of a specified quantity of resources at a specified price on a specified future date or dates.
forecast transaction	An uncommitted but anticipated future transaction.
gross carrying amount of a financial asset	The amortised cost of a financial asset , before adjusting for any loss allowance .
hedging instrument	a designated derivative or (for a hedge of the risk of changes in foreign currency exchange rates only) a designated non-derivative financial asset or non-derivative financial liability whose fair value or cash flows are expected to offset changes in the fair value or cash flows of a designated hedged item
hedge ratio	The relationship between the quantity of the hedging instrument and the quantity of the hedged item in terms of their relative weighting.
held for trading	A financial asset or financial liability that: (a) is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term; (b) on initial recognition is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking; or (c) is a derivative (except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument).
impairment gain or loss	Gains or losses that are recognised in profit or loss in accordance with paragraph 5.5.8 and that arise from applying the impairment requirements in Section 5.5.
lifetime expected credit losses	The expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.
loss allowance	The allowance for expected credit losses on financial assets measured in accordance with paragraph 4.1.2, lease receivables and contract assets , the accumulated impairment amount for financial assets measured in accordance with paragraph 4.1.2A and the provision for expected credit losses on loan

commitments and **financial guarantee contracts**.

modification gain or loss

The amount arising from adjusting the **gross carrying amount of a financial asset** to reflect the renegotiated or modified contractual cash flows. The entity recalculates the gross carrying amount of a financial asset as the present value of the estimated future cash payments or receipts through the expected life of there negotiated or modified financial asset that are discounted at the financial asset's original **effective interest rate** (or the

Original **credit-adjusted effective interest rate** for **purchased or originated credit-impaired financial assets**) or, when applicable, the revised **effective interest rate** calculated in accordance with paragraph 6.5.10. When estimating the expected cash flows of a financial asset, an entity shall consider all contractual terms of the financial asset (for example, prepayment, call and similar options) but shall not consider the **expected credit losses**, unless the financial asset is a **purchased or originated credit-impaired financial asset**, in which case an entity shall also consider the initial expected credit losses that were considered when calculating the original **credit-adjusted effective interest rate**.

past due

A financial asset is past due when a counterparty has failed to make a payment when that payment was contractually due.

purchased or originated

Purchased or originated financial asset(s) that are **credit-impaired** on initial recognition.

credit-impaired financial asset

reclassification date

The first day of the first reporting period following the change in business model that results in an entity reclassifying financial assets.

regular way purchase or sale

A purchase or sale of a financial asset under a contract whose terms require delivery of the asset within the time frame established generally by regulation or convention in the market place concerned.

transaction costs

Incremental costs that are directly attributable to the acquisition, issue or disposal of a financial asset or financial liability (see paragraph B5.4.8). An incremental cost is one that would not have been incurred if the entity had not acquired, issued or disposed of the financial instrument.

The following terms are defined in paragraph 11 of Ind AS 32, Appendix A of Ind AS107, Appendix A of Ind AS 113 or Appendix A of Ind AS115 and are used in this Standard with the meanings specified in Ind AS 32, Ind AS107, Ind AS113 or Ind AS115:

- (a) credit risk;¹
- (b) equity instrument;
- (c) fair value;
- (d) financial asset;
- (e) financial instrument;

¹This term (as defined in Ind AS107) is used in the requirements for presenting the effects of changes in credit risk on liabilities designated as at fair value through profit or loss (see paragraph 5.7.7).

- (f) financial liability;
- (g) transaction price.

Appendix B

Application guidance

This appendix is an integral part of the Standard.

Scope (Chapter 2)

- B2.1 Some contracts require a payment based on climatic, geological or other physical variables. (Those based on climatic variables are sometimes referred to as ‘weather derivatives’.) If those contracts are not within the scope of Ind AS 104 *Insurance Contracts*, they are within the scope of this Standard.
- B2.2 This Standard does not change the requirements relating to royalty agreements based on the volume of sales or service revenues that are accounted for under Ind AS115 *Revenue from Contracts with Customers*.
- B2.3 Sometimes, an entity makes what it views as a ‘strategic investment’ in equity instruments issued by another entity, with the intention of establishing or maintaining a long-term operating relationship with the entity in which the investment is made. The investor or joint venturer entity uses Ind AS 28 *Investments in Associates and Joint Ventures* to determine whether the equity method of accounting shall be applied to such an investment.
- B2.4 This Standard applies to the financial assets and financial liabilities of insurers, other than rights and obligations that paragraph 2.1(e) excludes because they arise under contracts within the scope of Ind AS104.
- B2.5 Financial guarantee contracts may have various legal forms, such as a guarantee, some types of letter of credit, a credit default contract or an insurance contract. Their accounting treatment does not depend on their legal form. The following are examples of the appropriate treatment (see paragraph 2.1(e)):
- (a) Although a financial guarantee contract meets the definition of an insurance contract in Ind AS104 if the risk transferred is significant, the issuer applies this Standard. Nevertheless, if the issuer has previously asserted explicitly that it regards such contracts as insurance contracts and has used accounting that is applicable to insurance contracts, the issuer may elect to apply either this Standard or Ind AS104 to such financial guarantee contracts. If this Standard applies, paragraph 5.1.1 requires the issuer to recognise a financial guarantee contract initially at fair value. If the financial guarantee contract was issued to an unrelated party in a stand-alone arm’s length transaction, its fair value at inception is likely to equal the premium received, unless there is evidence to the contrary. Subsequently, unless the financial guarantee contract was designated at inception as at fair value through profit or loss or unless paragraphs 3.2.15–3.2.23 and B3.2.12–B3.2.17 apply (when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or the continuing involvement approach applies), the issuer measures it at the higher of:
 - (i) the amount determined in accordance with Section 5.5; and
 - (ii) the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of Ind AS115 (see paragraph 4.2.1(c)).
 - (b) Some credit-related guarantees do not, as a precondition for payment, require that the holder is exposed to, and has incurred a loss on, the failure of the debtor to make payments on the guaranteed asset when due. An example of such a guarantee is one that requires payments in response to changes in a specified credit rating or credit index. Such guarantees are not financial guarantee contracts as defined in this Standard, and are not insurance contracts as defined in Ind AS104. Such guarantees are derivatives and the issuer applies this Standard to them.
 - (c) If a financial guarantee contract was issued in connection with the sale of goods, the issuer applies Ind AS115 in determining when it recognises the revenue from the guarantee and from the sale of goods.
- B2.6 Assertions that an issuer regards contracts as insurance contracts are typically found throughout the issuer’s communications with customers and regulators, contracts, business documentation and financial statements. Furthermore, insurance contracts are often subject to accounting requirements that are distinct from the

requirements for other types of transaction, such as contracts issued by banks or commercial companies. In such cases, an issuer's financial statements typically include a statement that the issuer has used those accounting requirements.

Recognition and derecognition (Chapter 3)

Initial recognition (Section 3.1)

- B3.1.1 As a consequence of the principle in paragraph 3.1.1, an entity recognises all of its contractual rights and obligations under derivatives in its balance sheet as assets and liabilities, respectively, except for derivatives that prevent a transfer of financial assets from being accounted for as a sale (see paragraph B3.2.14). If a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition, the transferee does not recognise the transferred asset as its asset (see paragraph B3.2.15).
- B3.1.2 The following are examples of applying the principle in paragraph 3.1.1:
- (a) Unconditional receivables and payables are recognised as assets or liabilities when the entity becomes a party to the contract and, as a consequence, has a legal right to receive or a legal obligation to pay cash.
 - (b) Assets to be acquired and liabilities to be incurred as a result of a firm commitment to purchase or sell goods or services are generally not recognised until at least one of the parties has performed under the agreement. For example, an entity that receives a firm order does not generally recognise an asset (and the entity that places the order does not recognise a liability) at the time of the commitment but, instead, delays recognition until the ordered goods or services have been shipped, delivered or rendered. If a firm commitment to buy or sell non-financial items is within the scope of this Standard in accordance with paragraphs 2.4–2.7, its net fair value is recognised as an asset or a liability on the commitment date (see paragraph B4.1.30(c)). In addition, if a previously unrecognised firm commitment is designated as a hedged item in a fair value hedge, any change in the net fair value attributable to the hedged risk is recognised as an asset or a liability after the inception of the hedge (see paragraphs 6.5.8(b) and 6.5.9).
 - (c) A forward contract that is within the scope of this Standard (see paragraph 2.1) is recognised as an asset or a liability on the commitment date, instead of on the date on which settlement takes place. When an entity becomes a party to a forward contract, the fair values of the right and obligation are often equal, so that the net fair value of the forward is zero. If the net fair value of the right and obligation is not zero, the contract is recognised as an asset or liability.
 - (d) Option contracts that are within the scope of this Standard (see paragraph 2.1) are recognised as assets or liabilities when the holder or writer becomes a party to the contract.
 - (e) Planned future transactions, no matter how likely, are not assets and liabilities because the entity has not become a party to a contract.

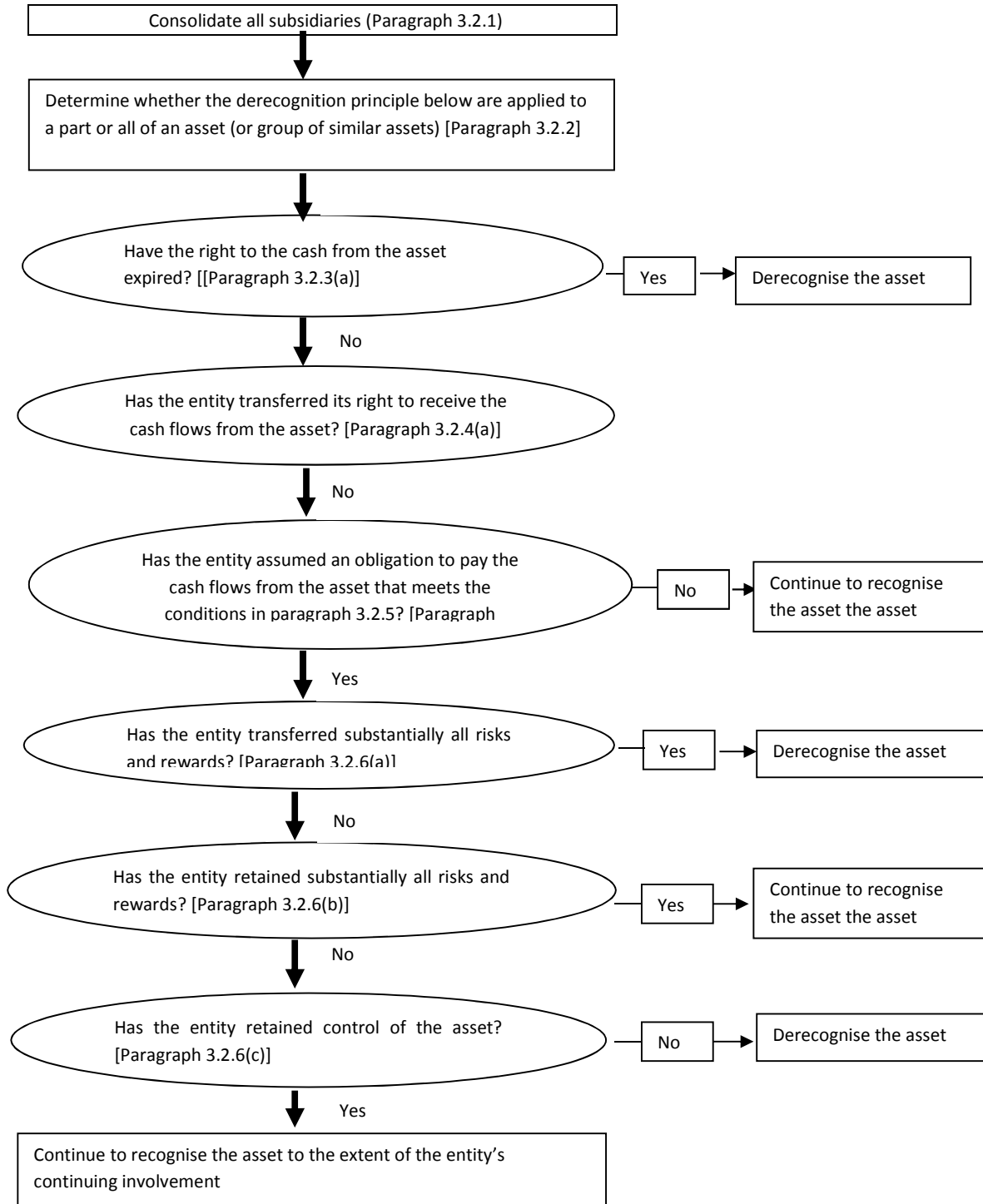
Regular way purchase or sale of financial assets

- B3.1.3 A regular way purchase or sale of financial assets is recognised using either trade date accounting or settlement date accounting as described in paragraphs B3.1.5 and B3.1.6. An entity shall apply the same method consistently for all purchases and sales of financial assets that are classified in the same way in accordance with this Standard. For this purpose assets that are mandatorily measured at fair value through profit or loss form a separate classification from assets designated as measured at fair value through profit or loss. In addition, investments in equity instruments accounted for using the option provided in paragraph 5.7.5 form a separate classification.
- B3.1.4 A contract that requires or permits net settlement of the change in the value of the contract is not a regular way contract. Instead, such a contract is accounted for as a derivative in the period between the trade date and the settlement date.
- B3.1.5 The trade date is the date that an entity commits itself to purchase or sell an asset. Trade date accounting refers to (a) the recognition of an asset to be received and the liability to pay for it on the trade date, and (b) derecognition of an asset that is sold, recognition of any gain or loss on disposal and the recognition of a receivable from the buyer for payment on the trade date. Generally, interest does not start to accrue on the asset and corresponding liability until the settlement date when title passes.
- B3.1.6 The settlement date is the date that an asset is delivered to or by an entity. Settlement date accounting refers to (a) the recognition of an asset on the day it is received by the entity, and (b) the derecognition of an asset and recognition of any gain or loss on disposal on the day that it is delivered by the entity. When settlement date accounting is applied an entity accounts for any change in the fair value of the asset to be received during the period between the trade date and the settlement date in the same way as it accounts for the acquired asset. In other words, the change in value is not recognised for assets measured at amortised cost; it is recognised in

profit or loss for assets classified as financial assets measured at fair value through profit or loss; and it is recognised in other comprehensive income for financial assets measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A and for investments in equity instruments accounted for in accordance with paragraph 5.7.5.

Derecognition of financial assets (Section 3.2)

B3.2.1 The following flow chart illustrates the evaluation of whether and to what extent a financial asset is derecognised.



Arrangements under which an entity retains the contractual rights to receive the cash flows of a financial asset, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients [paragraph 3.2.4(b)]

B3.2.2 The situation described in paragraph 3.2.4(b) (when an entity retains the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients) occurs, for example, if the entity is a trust, and issues to investors beneficial interests in the underlying financial assets that it owns and provides servicing of those financial assets. In that case, the financial assets qualify for derecognition if the conditions in paragraphs 3.2.5 and 3.2.6 are met.

B3.2.3 In applying paragraph 3.2.5, the entity could be, for example, the originator of the financial asset, or it could be a group that includes a subsidiary that has acquired the financial asset and passes on cash flows to unrelated third party investors.

Evaluation of the transfer of risks and rewards of ownership (paragraph 3.2.6)

B3.2.4 Examples of when an entity has transferred substantially all the risks and rewards of ownership are:

- (a) an unconditional sale of a financial asset;
- (b) a sale of a financial asset together with an option to repurchase the financial asset at its fair value at the time of repurchase; and
- (c) a sale of a financial asset together with a put or call option that is deeply out of the money (ie. an option that is so far out of the money it is highly unlikely to go into the money before expiry).

B3.2.5 Examples of when an entity has retained substantially all the risks and rewards of ownership are:

- (a) a sale and repurchase transaction where the repurchase price is a fixed price or the sale price plus a lender's return;
- (b) a securities lending agreement;
- (c) a sale of a financial asset together with a total return swap that transfers the market risk exposure back to the entity;
- (d) a sale of a financial asset together with a deep in-the-money put or call option (ie. an option that is so far in the money that it is highly unlikely to go out of the money before expiry); and
- (e) a sale of short-term receivables in which the entity guarantees to compensate the transferee for credit losses that are likely to occur.

B3.2.6 If an entity determines that as a result of the transfer, it has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of the transferred asset, it does not recognise the transferred asset again in a future period, unless it reacquires the transferred asset in a new transaction.

Evaluation of the transfer of control

B3.2.7 An entity has not retained control of a transferred asset if the transferee has the practical ability to sell the transferred asset. An entity has retained control of a transferred asset if the transferee does not have the practical ability to sell the transferred asset. A transferee has the practical ability to sell the transferred asset if it is traded in an active market because the transferee could repurchase the transferred asset in the market if it needs to return the asset to the entity. For example, a transferee may have the practical ability to sell a transferred asset if the transferred asset is subject to an option that allows the entity to repurchase it, but the transferee can readily obtain the transferred asset in the market if the option is exercised. A transferee does not have the practical ability to sell the transferred asset if the entity retains such an option and the transferee cannot readily obtain the transferred asset in the market if the entity exercises its option.

B3.2.8 The transferee has the practical ability to sell the transferred asset only if the transferee can sell the transferred asset in its entirety to an unrelated third party and is able to exercise that ability unilaterally and without imposing additional restrictions on the transfer. The critical question is what the transferee is able to do in practice, not what contractual rights the transferee has concerning what it can do with the transferred asset or what contractual prohibitions exist. In particular:

- (a) a contractual right to dispose of the transferred asset has little practical effect if there is no market for the transferred asset, and
- (b) an ability to dispose of the transferred asset has little practical effect if it cannot be exercised freely. For that reason:
 - (i) the transferee's ability to dispose of the transferred asset must be independent of the actions of

others (ie. it must be a unilateral ability), and

- (ii) the transferee must be able to dispose of the transferred asset without needing to attach restrictive conditions or 'strings' to the transfer (eg conditions about how a loan asset is serviced or an option giving the transferee the right to repurchase the asset).

B3.2.9 That the transferee is unlikely to sell the transferred asset does not, of itself, mean that the transferor has retained control of the transferred asset. However, if a put option or guarantee constrains the transferee from selling the transferred asset, then the transferor has retained control of the transferred asset. For example, if a put option or guarantee is sufficiently valuable it constrains the transferee from selling the transferred asset because the transferee would, in practice, not sell the transferred asset to a third party without attaching a similar option or other restrictive conditions. Instead, the transferee would hold the transferred asset so as to obtain payments under the guarantee or put option. Under these circumstances the transferor has retained control of the transferred asset.

Transfers that qualify for derecognition

B3.2.10 An entity may retain the right to a part of the interest payments on transferred assets as compensation for servicing those assets. The part of the interest payments that the entity would give up upon termination or transfer of the servicing contract is allocated to the servicing asset or servicing liability. The part of the interest payments that the entity would not give up is an interest-only strip receivable. For example, if the entity would not give up any interest upon termination or transfer of the servicing contract, the entire interest spread is an interest-only strip receivable. For the purposes of applying paragraph 3.2.13, the fair values of the servicing asset and interest-only strip receivable are used to allocate the carrying amount of the receivable between the part of the asset that is derecognised and the part that continues to be recognised. If there is no servicing fee specified or the fee to be received is not expected to compensate the entity adequately for performing the servicing, a liability for the servicing obligation is recognised at fair value.

B3.2.11 When measuring the fair values of the part that continues to be recognised and the part that is derecognised for the purposes of applying paragraph 3.2.13, an entity applies the fair value measurement requirements in Ind AS113 *Fair Value Measurement* in addition to paragraph 3.2.14.

Transfers that do not qualify for derecognition

B3.2.12 The following is an application of the principle outlined in paragraph 3.2.15. If a guarantee provided by the entity for default losses on the transferred asset prevents a transferred asset from being derecognised because the entity has retained substantially all the risks and rewards of ownership of the transferred asset, the transferred asset continues to be recognised in its entirety and the consideration received is recognised as a liability.

Continuing involvement in transferred assets

B3.2.13 The following are examples of how an entity measures a transferred asset and the associated liability under paragraph 3.2.16.

All assets

- (a) If a guarantee provided by an entity to pay for default losses on a transferred asset prevents the transferred asset from being derecognised to the extent of the continuing involvement, the transferred asset at the date of the transfer is measured at the lower of (i) the carrying amount of the asset and (ii) the maximum amount of the consideration received in the transfer that the entity could be required to repay ('the guarantee amount'). The associated liability is initially measured at the guarantee amount plus the fair value of the guarantee (which is normally the consideration received for the guarantee). Subsequently, the initial fair value of the guarantee is recognised in profit or loss when (or as) the obligation is satisfied (in accordance with the principles of Ind AS115) and the carrying value of the asset is reduced by any loss allowance.

Assets measured at amortised cost

- (b) If a put option obligation written by an entity or call option right held by an entity prevents a transferred asset from being derecognised and the entity measures the transferred asset at amortised cost, the associated liability is measured at its cost (ie. the consideration received) adjusted for the amortisation of any difference between that cost and the gross carrying amount of the transferred asset at the expiration date of the option. For example, assume that the gross carrying amount of the asset on the date of the transfer is Rs.98 and that the consideration received is Rs.95. The gross carrying amount of the asset on the option exercise date will be Rs.100. The initial carrying amount of the associated

liability is Rs.95 and the difference between Rs.95 and Rs.100 is recognised in profit or loss using the effective interest method. If the option is exercised, any difference between the carrying amount of the associated liability and the exercise price is recognised in profit or loss.

Assets measured at fair value

- (c) If a call option right retained by an entity prevents a transferred asset from being derecognised and the entity measures the transferred asset at fair value, the asset continues to be measured at its fair value. The associated liability is measured at (i) the option exercise price less the time value of the option if the option is in or at the money, or (ii) the fair value of the transferred asset less the time value of the option if the option is out of the money. The adjustment to the measurement of the associated liability ensures that the net carrying amount of the asset and the associated liability is the fair value of the call option right. For example, if the fair value of the underlying asset is Rs.80, the option exercise price is Rs.95 and the time value of the option is Rs.5, the carrying amount of the associated liability is Rs.75 (Rs.80 – Rs.5) and the carrying amount of the transferred asset is Rs.80 (ie. its fair value).
- (d) If a put option written by an entity prevents a transferred asset from being derecognised and the entity measures the transferred asset at fair value, the associated liability is measured at the option exercise price plus the time value of the option. The measurement of the asset at fair value is limited to the lower of the fair value and the option exercise price because the entity has no right to increases in the fair value of the transferred asset above the exercise price of the option. This ensures that the net carrying amount of the asset and the associated liability is the fair value of the put option obligation. For example, if the fair value of the underlying asset is Rs.120, the option exercise price is Rs.100 and the time value of the option is Rs.5, the carrying amount of the associated liability is Rs.105 (Rs.100 + Rs.5) and the carrying amount of the asset is Rs.100 (in this case the option exercise price).
- (e) If a collar, in the form of a purchased call and written put, prevents a transferred asset from being derecognised and the entity measures the asset at fair value, it continues to measure the asset at fair value. The associated liability is measured at (i) the sum of the call exercise price and fair value of the put option less the time value of the call option, if the call option is in or at the money, or (ii) the sum of the fair value of the asset and the fair value of the put option less the time value of the call option if the call option is out of the money. The adjustment to the associated liability ensures that the net carrying amount of the asset and the associated liability is the fair value of the options held and written by the entity. For example, assume an entity transfers a financial asset that is measured at fair value while simultaneously purchasing a call with an exercise price of Rs.120 and writing a put with an exercise price of Rs.80. Assume also that the fair value of the asset is Rs.100 at the date of the transfer. The time value of the put and call are Rs.1 and Rs.5 respectively. In this case, the entity recognises an asset of Rs.100 (the fair value of the asset) and a liability of Rs.96 [(Rs.120 + Rs.1) – Rs.5]. This gives a net asset value of Rs.4, which is the fair value of the options held and written by the entity.

All transfers

- B3.2.14 To the extent that a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition, the transferor's contractual rights or obligations related to the transfer are not accounted for separately as derivatives if recognising both the derivative and either the transferred asset or the liability arising from the transfer would result in recognising the same rights or obligations twice. For example, a call option retained by the transferor may prevent a transfer of financial assets from being accounted for as a sale. In that case, the call option is not separately recognised as a derivative asset.
- B3.2.15 To the extent that a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition, the transferee does not recognise the transferred asset as its asset. The transferee derecognises the cash or other consideration paid and recognises a receivable from the transferor. If the transferor has both a right and an obligation to reacquire control of the entire transferred asset for a fixed amount (such as under a repurchase agreement), the transferee may measure its receivable at amortised cost if it meets the criteria in paragraph 4.1.2.

Examples

- B3.2.16 The following examples illustrate the application of the derecognition principles of this Standard.
 - (a) *Repurchase agreements and securities lending.* If a financial asset is sold under an agreement to repurchase it at a fixed price or at the sale price plus a lender's return or if it is loaned under an agreement to return it to the transferor, it is not derecognised because the transferor retains substantially all the risks and rewards of ownership. If the transferee obtains the right to sell or pledge the asset, the transferor reclassifies the asset in its statement of balance sheet, for example, as a loaned asset or repurchase receivable.
 - (b) *Repurchase agreements and securities lending—assets that are substantially the same.* If a financial

- asset is sold under an agreement to repurchase the same or substantially the same asset at a fixed price or at the sale price plus a lender's return or if a financial asset is borrowed or loaned under an agreement to return the same or substantially the same asset to the transferor, it is not derecognised because the transferor retains substantially all the risks and rewards of ownership.
- (c) *Repurchase agreements and securities lending—right of substitution.* If a repurchase agreement at a fixed repurchase price or a price equal to the sale price plus a lender's return, or a similar securities lending transaction, provides the transferee with a right to substitute assets that are similar and of equal fair value to the transferred asset at the repurchase date, the asset sold or lent under a repurchase or securities lending transaction is not derecognised because the transferor retains substantially all the risks and rewards of ownership.
- (d) *Repurchase right of first refusal at fair value.* If an entity sells a financial asset and retains only a right of first refusal to repurchase the transferred asset at fair value if the transferee subsequently sells it, the entity derecognises the asset because it has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.
- (e) *Wash sale transaction.* The repurchase of a financial asset shortly after it has been sold is sometimes referred to as a wash sale. Such a repurchase does not preclude derecognition provided that the original transaction met the derecognition requirements. However, if an agreement to sell a financial asset is entered into concurrently with an agreement to repurchase the same asset at a fixed price or the sale price plus a lender's return, then the asset is not derecognised.
- (f) *Put options and call options that are deeply in the money.* If a transferred financial asset can be called back by the transferor and the call option is deeply in the money, the transfer does not qualify for derecognition because the transferor has retained substantially all the risks and rewards of ownership. Similarly, if the financial asset can be put back by the transferee and the put option is deeply in the money, the transfer does not qualify for derecognition because the transferor has retained substantially all the risks and rewards of ownership.
- (g) *Put options and call options that are deeply out of the money.* A financial asset that is transferred subject only to a deep out-of-the-money put option held by the transferee or a deep out-of-the-money call option held by the transferor is derecognised. This is because the transferor has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.
- (h) *Readily obtainable assets subject to a call option that is neither deeply in the money nor deeply out of the money.* If an entity holds a call option on an asset that is readily obtainable in the market and the option is neither deeply in the money nor deeply out of the money, the asset is derecognised. This is because the entity (i) has neither retained nor transferred substantially all the risks and rewards of ownership, and (ii) has not retained control. However, if the asset is not readily obtainable in the market, derecognition is precluded to the extent of the amount of the asset that is subject to the call option because the entity has retained control of the asset.
- (i) *A not readily obtainable asset subject to a put option written by an entity that is neither deeply in the money nor deeply out of the money.* If an entity transfers a financial asset that is not readily obtainable in the market, and writes a put option that is not deeply out of the money, the entity neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership because of the written put option. The entity retains control of the asset if the put option is sufficiently valuable to prevent the transferee from selling the asset, in which case the asset continues to be recognised to the extent of the transferor's continuing involvement (see paragraph B3.2.9). The entity transfers control of the asset if the put option is not sufficiently valuable to prevent the transferee from selling the asset, in which case the asset is derecognised.
- (j) *Assets subject to a fair value put or call option or a forward repurchase agreement.* A transfer of a financial asset that is subject only to a put or call option or a forward repurchase agreement that has an exercise or repurchase price equal to the fair value of the financial asset at the time of repurchase results in derecognition because of the transfer of substantially all the risks and rewards of ownership.
- (k) *Cash-settled call or put options.* An entity evaluates the transfer of a financial asset that is subject to a put or call option or a forward repurchase agreement that will be settled net in cash to determine whether it has retained or transferred substantially all the risks and rewards of ownership. If the entity has not retained substantially all the risks and rewards of ownership of the transferred asset, it determines whether it has retained control of the transferred asset. That the put or the call or the forward repurchase agreement is settled net in cash does not automatically mean that the entity has

- transferred control (see paragraphs B3.2.9 and (g), (h) and (i) above).
- (l) *Removal of accounts provision.* A removal of accounts provision is an unconditional repurchase (call) option that gives an entity the right to reclaim assets transferred subject to some restrictions. Provided that such an option results in the entity neither retaining nor transferring substantially all the risks and rewards of ownership, it precludes derecognition only to the extent of the amount subject to repurchase (assuming that the transferee cannot sell the assets). For example, if the carrying amount and proceeds from the transfer of loan assets are Rs.100,000 and any individual loan could be called back but the aggregate amount of loans that could be repurchased could not exceed Rs.10,000, Rs.90,000 of the loans would qualify for derecognition.
 - (m) *Clean-up calls.* An entity, which may be a transferor, that service transferred assets may hold a clean-up call to purchase remaining transferred assets when the amount of outstanding assets falls to a specified level at which the cost of servicing those assets becomes burdensome in relation to the benefits of servicing. Provided that such a clean-up call results in the entity neither retaining nor transferring substantially all the risks and rewards of ownership and the transferee cannot sell the assets, it precludes derecognition only to the extent of the amount of the assets that is subject to the call option.
 - (n) *Subordinated retained interests and credit guarantees.* An entity may provide the transferee with credit enhancement by subordinating some or all of its interest retained in the transferred asset. Alternatively, an entity may provide the transferee with credit enhancement in the form of a credit guarantee that could be unlimited or limited to a specified amount. If the entity retains substantially all the risks and rewards of ownership of the transferred asset, the asset continues to be recognised in its entirety. If the entity retains some, but not substantially all, of the risks and rewards of ownership and has retained control, derecognition is precluded to the extent of the amount of cash or other assets that the entity could be required to pay.
 - (o) *Total return swaps.* An entity may sell a financial asset to a transferee and enter into a total return swap with the transferee, whereby all of the interest payment cash flows from the underlying asset are remitted to the entity in exchange for a fixed payment or variable rate payment and any increases or declines in the fair value of the underlying asset are absorbed by the entity. In such a case, derecognition of all of the asset is prohibited.
 - (p) *Interest rate swaps.* An entity may transfer to a transferee a fixed rate financial asset and enter into an interest rate swap with the transferee to receive a fixed interest rate and pay a variable interest rate based on a notional amount that is equal to the principal amount of the transferred financial asset. The interest rate swap does not preclude derecognition of the transferred asset provided the payments on the swap are not conditional on payments being made on the transferred asset.
 - (q) *Amortising interest rate swaps.* An entity may transfer to a transferee a fixed rate financial asset that is paid off over time, and enter into an amortising interest rate swap with the transferee to receive a fixed interest rate and pay a variable interest rate based on a notional amount. If the notional amount of the swap amortises so that it equals the principal amount of the transferred financial asset outstanding at any point in time, the swap would generally result in the entity retaining substantial prepayment risk, in which case the entity either continues to recognise all of the transferred asset or continues to recognise the transferred asset to the extent of its continuing involvement. Conversely, if the amortisation of the notional amount of the swap is not linked to the principal amount outstanding of the transferred asset, such a swap would not result in the entity retaining prepayment risk on the asset. Hence, it would not preclude derecognition of the transferred asset provided the payments on the swap are not conditional on interest payments being made on the transferred asset and the swap does not result in the entity retaining any other significant risks and rewards of ownership on the transferred asset.
 - (r) *Write-off.* An entity has no reasonable expectations of recovering the contractual cash flows on a financial asset in its entirety or a portion thereof.

B3.2.17 This paragraph illustrates the application of the continuing involvement approach when the entity's continuing involvement is in a part of a financial asset.

Assume an entity has a portfolio of prepayable loans whose coupon and effective interest rate is 10 per cent and whose principal amount and amortised cost is Rs.10,000. It enters into a transaction in which, in return for a payment of Rs.9,115, the transferee obtains the right to Rs.9,000 of any collections of principal plus interest thereon at 9.5 per cent. The entity retains rights to Rs.1,000 of any collections of principal plus interest thereon at 10 per cent, plus the excess

spread of 0.5 per cent on the remaining Rs.9,000 of principal. Collections from prepayments are allocated between the entity and the transferee proportionately in the ratio of 1:9, but any defaults are deducted from the entity's interest of Rs.1,000 until that interest is exhausted. The fair value of the loans at the date of the transaction is Rs.10,100 and the fair value of the excess spread of 0.5 per cent is Rs.40.

The entity determines that it has transferred some significant risks and rewards of ownership (for example, significant prepayment risk) but has also retained some significant risks and rewards of ownership (because of its subordinated retained interest) and has retained control. It therefore applies the continuing involvement approach.

To apply this Standard, the entity analyses the transaction as (a) a retention of a fully proportionate retained interest of Rs.1,000, plus (b) the subordination of that retained interest to provide credit enhancement to the transferee for credit losses.

The entity calculates that Rs.9,090 (90% × Rs.10,100) of the consideration received of Rs.9,115 represents the consideration for a fully proportionate 90 per cent share. The remainder of the consideration received (Rs.25) represents consideration received for subordinating its retained interest to provide credit enhancement to the transferee for credit losses. In addition, the excess spread of 0.5 per cent represents consideration received for the credit enhancement. Accordingly, the total consideration received for the credit enhancement is Rs.65 (Rs.25 + Rs.40).

The entity calculates the gain or loss on the sale of the 90 per cent share of cash flows. Assuming that separate fair values of the 90 per cent part transferred and the 10 per cent part retained are not available at the date of the transfer, the entity allocates the carrying amount of the asset in accordance with paragraph 3.2.14 of Ind AS109 as follows:

	<i>Fair value</i>	<i>Percentage</i>	<i>Allocated carrying amount</i>
Portion transferred	9,090	90%	9,000
Portion retained	1,010	10%	1,000
Total	<u>10,100</u>		<u>10,000</u>

The entity computes its gain or loss on the sale of the 90 per cent share of the cash flows by deducting the allocated carrying amount of the portion transferred from the consideration received, ieRs.90 (Rs.9,090 – Rs.9,000). The carrying amount of the portion retained by the entity is Rs.1,000.

In addition, the entity recognises the continuing involvement that results from the subordination of its retained interest for credit losses. Accordingly, it recognises an asset of Rs.1,000 (the maximum amount of the cash flows it would not receive under the subordination), and an associated liability of Rs.1,065 (which is the maximum amount of the cash flows it would not receive under the subordination, ieRs.1,000 plus the fair value of the subordination of Rs.65).

The entity uses all of the above information to account for the transaction as follows:

	<i>Debit</i>	<i>Credit</i>
Original asset		9,000
Asset recognised for subordination or the residual interest	1,000	
Asset for the consideration received in the form of excess spread	40	
Profit or loss (gain on transfer)		90
Liability		1,065
Cash received	9,115	
Total	<u>10,155</u>	<u>10,155</u>

Immediately following the transaction, the carrying amount of the asset is Rs.2,040 comprising Rs.1,000, representing the allocated cost of the portion retained, and Rs.1,040, representing the entity's additional continuing involvement from the subordination of its retained interest for credit losses (which includes the excess spread of Rs.40).

In subsequent periods, the entity recognises the consideration received for the credit enhancement (Rs.65) on a time proportion basis, accrues interest on the recognised asset using the effective interest method and recognises any impairment losses on the recognised assets. As an example of the latter, assume that in the following year there is an

impairment loss on the underlying loans of Rs.300. The entity reduces its recognised asset by Rs.600 (Rs.300 relating to its retained interest and Rs.300 relating to the additional continuing involvement that arises from the subordination of its retained interest for impairment losses), and reduces its recognised liability by Rs.300. The net result is a charge to profit or loss for impairment losses of Rs.300.

Derecognition of financial liabilities (Section 3.3)

- B3.3.1** A financial liability (or part of it) is extinguished when the debtor either:
- (a) discharges the liability (or part of it) by paying the creditor, normally with cash, other financial assets, goods or services; or
 - (b) is legally released from primary responsibility for the liability (or part of it) either by process of law or by the creditor. (If the debtor has given a guarantee this condition may still be met.)
- B3.3.2** If an issuer of a debt instrument repurchases that instrument, the debt is extinguished even if the issuer is a market maker in that instrument or intends to resell it in the near term.
- B3.3.3** Payment to a third party, including a trust (sometimes called 'in-substance defeasance'), does not, by itself, relieve the debtor of its primary obligation to the creditor, in the absence of legal release.
- B3.3.4** If a debtor pays a third party to assume an obligation and notifies its creditor that the third party has assumed its debt obligation, the debtor does not derecognise the debt obligation unless the condition in paragraph B3.3.1(b) is met. If the debtor pays a third party to assume an obligation and obtains a legal release from its creditor, the debtor has extinguished the debt. However, if the debtor agrees to make payments on the debt to the third party or direct to its original creditor, the debtor recognises a new debt obligation to the third party.
- B3.3.5** Although legal release, whether judicially or by the creditor, results in derecognition of a liability, the entity may recognise a new liability if the derecognition criteria in paragraphs 3.2.1–3.2.23 are not met for the financial assets transferred. If those criteria are not met, the transferred assets are not derecognised, and the entity recognises a new liability relating to the transferred assets.
- B3.3.6** For the purpose of paragraph 3.3.2, the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective interest rate, is at least 10 per cent different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If an exchange of debt instruments or modification of terms is accounted for as an extinguishment, any costs or fees incurred are recognised as part of the gain or loss on the extinguishment. If the exchange or modification is not accounted for as an extinguishment, any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the liability and are amortised over the remaining term of the modified liability.
- B3.3.7** In some cases, a creditor releases a debtor from its present obligation to make payments, but the debtor assumes a guarantee obligation to pay if the party assuming primary responsibility defaults. In these circumstances the debtor:
- (a) recognises a new financial liability based on the fair value of its obligation for the guarantee, and
 - (b) recognises a gain or loss based on the difference between (i) any proceeds paid and (ii) the carrying amount of the original financial liability less the fair value of the new financial liability.

Classification (Chapter 4)

Classification of financial assets (Section 4.1)

The entity's business model for managing financial assets

- B4.1.1** Paragraph 4.1.1(a) requires an entity to classify financial assets on the basis of the entity's business model for managing the financial assets, unless paragraph 4.1.5 applies. An entity assesses whether its financial assets meet the condition in paragraph 4.1.2(a) or the condition in paragraph 4.1.2A(a) on the basis of the business model as determined by the entity's key management personnel (as defined in Ind AS 24 *Related Party Disclosures*).
- B4.1.2** An entity's business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. The entity's business model does not depend on management's intentions for an individual instrument. Accordingly, this condition is not an instrument-by-instrument approach to classification and should be determined on a higher level of aggregation. However, a single entity may have more than one business model for managing its financial instruments. Consequently, classification need not be determined at the reporting entity level. For example, an entity may hold a portfolio of investments that it manages in order to collect contractual cash flows and another portfolio of

investments that it manages in order to trade to realise fair value changes. Similarly, in some circumstances, it may be appropriate to separate a portfolio of financial assets into subportfolios in order to reflect the level at which an entity manages those financial assets. For example, that may be the case if an entity originates or purchases a portfolio of mortgage loans and manages some of the loans with an objective of collecting contractual cash flows and manages the other loans with an objective of selling them.

B4.1.2A An entity's business model refers to how an entity manages its financial assets in order to generate cash flows. That is, the entity's business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Consequently, this assessment is not performed on the basis of scenarios that the entity does not reasonably expect to occur, such as so-called 'worst case' or 'stress case' scenarios. For example, if an entity expects that it will sell a particular portfolio of financial assets only in a stress case scenario, that scenario would not affect the entity's assessment of the business model for those assets if the entity reasonably expects that such a scenario will not occur. If cash flows are realised in a way that is different from the entity's expectations at the date that the entity assessed the business model (for example, if the entity sells more or fewer financial assets than it expected when it classified the assets), that does not give rise to a prior period error in the entity's financial statements (see Ind AS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*) nor does it change the classification of the remaining financial assets held in that business model (ie. those assets that the entity recognised in prior periods and still holds) as long as the entity considered all relevant information that was available at the time that it made the business model assessment. However, when an entity assesses the business model for newly originated or newly purchased financial assets, it must consider information about how cash flows were realised in the past, along with all other relevant information.

B4.1.2B An entity's business model for managing financial assets is a matter of fact and not merely an assertion. It is typically observable through the activities that the entity undertakes to achieve the objective of the business model. An entity will need to use judgement when it assesses its business model for managing financial assets and that assessment is not determined by a single factor or activity. Instead, the entity must consider all relevant evidence that is available at the date of the assessment. Such relevant evidence includes, but is not limited to:

- (a) how the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;
- (b) the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular, the way in which those risks are managed; and
- (c) how managers of the business are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).

A business model whose objective is to hold assets in order to collect contractual cash flows

B4.1.2C Financial assets that are held within a business model whose objective is to hold assets in order to collect contractual cash flows are managed to realise cash flows by collecting contractual payments over the life of the instrument. That is, the entity manages the assets held within the portfolio to collect those particular contractual cash flows (instead of managing the overall return on the portfolio by both holding and selling assets). In determining whether cash flows are going to be realised by collecting the financial assets' contractual cash flows, it is necessary to consider the frequency, value and timing of sales in prior periods, the reasons for those sales and expectations about future sales activity. However sales in themselves do not determine the business model and therefore cannot be considered in isolation. Instead, information about past sales and expectations about future sales provide evidence related to how the entity's stated objective for managing the financial assets is achieved and, specifically, how cash flows are realised. An entity must consider information about past sales within the context of the reasons for those sales and the conditions that existed at that time as compared to current conditions.

B4.1.3 Although the objective of an entity's business model may be to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, the entity need not hold all of those instruments until maturity. Thus an entity's business model can be to hold financial assets to collect contractual cash flows even when sales of financial assets occur or are expected to occur in the future.

B4.1.3A The business model may be to hold assets to collect contractual cash flows even if the entity sells financial assets when there is an increase in the assets' credit risk. To determine whether there has been an increase in the assets' credit risk, the entity considers reasonable and supportable information, including forward looking information. Irrespective of their frequency and value, sales due to an increase in the assets' credit risk are not inconsistent with a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows because the credit quality of financial assets is relevant to the entity's ability to collect contractual cash

flows. Credit risk management activities that are aimed at minimising potential credit losses due to credit deterioration are integral to such a business model. Selling a financial asset because it no longer meets the credit criteria specified in the entity's documented investment policy is an example of a sale that has occurred due to an increase in credit risk. However, in the absence of such a policy, the entity may demonstrate in other ways that the sale occurred due to an increase in credit risk.

B4.1.3B Sales that occur for other reasons, such as sales made to manage credit concentration risk (without an increase in the assets' credit risk), may also be consistent with a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows. In particular, such sales may be consistent with a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows if those sales are infrequent (even if significant in value) or insignificant in value both individually and in aggregate (even if frequent). If more than an infrequent number of such sales are made out of a portfolio and those sales are more than insignificant in value (either individually or in aggregate), the entity needs to assess whether and how such sales are consistent with an objective of collecting contractual cash flows. Whether a third party imposes the requirement to sell the financial assets, or that activity is at the entity's discretion, is not relevant to this assessment. An increase in the frequency or value of sales in a particular period is not necessarily inconsistent with an objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, if an entity can explain the reasons for those sales and demonstrate why those sales do not reflect a change in the entity's business model. In addition, sales may be consistent with the objective of holding financial assets in order to collect contractual cash flows if the sales are made close to the maturity of the financial assets and the proceeds from the sales approximate the collection of the remaining contractual cash flows.

B4.1.4 The following are examples of when the objective of an entity's business model may be to hold financial assets to collect the contractual cash flows. This list of examples is not exhaustive. Furthermore, the examples are not intended to discuss all factors that may be relevant to the assessment of the entity's business model nor specify the relative importance of the factors.

Example	Analysis
An entity holds investments to collect their contractual cash flows. The funding needs of the entity are predictable and the maturity of its financial assets is matched to the entity's estimated funding needs. The entity performs credit risk management activities with the objective of minimising credit losses. In the past, sales have typically occurred when the financial assets' credit risk has increased such that the assets no longer meet the credit criteria specified in the entity's documented investment policy. In addition, infrequent sales have occurred as a result of unanticipated funding needs. Reports to key management personnel focus on the credit quality of the financial assets and the contractual return. The entity also monitors fair values of the financial assets, among other information.	Although the entity considers, among other information, the financial assets' fair values from a liquidity perspective (ie. the cash amount that would be realised if the entity needs to sell assets), the entity's objective is to hold the financial assets in order to collect the contractual cash flows. Sales would not contradict that objective if they were in response to an increase in the assets' credit risk, for example if the assets no longer meet the credit criteria specified in the entity's documented investment policy. Infrequent sales resulting from unanticipated funding needs (eg. in a stress case scenario) also would not contradict that objective, even if such sales are significant in value.
Example 2 An entity's business model is to purchase portfolios of financial assets, such as loans. Those portfolios may or may not include financial assets that are credit impaired. If payment on the loans is not made on a timely basis, the entity attempts to realise the contractual cash flows through various means—for example, by contacting the debtor by mail, telephone or other methods. The entity's objective is to collect the contractual cash flows and the entity does not manage any of the loans in this portfolio with an objective of realising cash flows by selling them. In some cases, the entity enters into interest rate swaps to change the interest rate on particular financial assets in a portfolio from a	Analysis The objective of the entity's business model is to hold the financial assets in order to collect the contractual cash flows. The same analysis would apply even if the entity does not expect to receive all of the contractual cash flows (eg some of the financial assets are credit impaired at initial recognition). Moreover, the fact that the entity enters into derivatives to modify the cash flows of the portfolio does not in itself change the entity's business model

floating interest rate to a fixed interest rate.	
Example 3 An entity has a business model with the objective of originating loans to customers and subsequently selling those loans to a securitisation vehicle. The securitisation vehicle issues instruments to investors. The originating entity controls the securitisation vehicle and thus consolidates it. The securitisation vehicle collects the contractual cash flows from the loans and passes them on to its investors. It is assumed for the purposes of this example that the loans continue to be recognised in the consolidated balance sheet because they are not de recognised by the securitisation vehicle.	Analysis The consolidated group originated the loans with the objective of holding them to collect the contractual cash flows. However, the originating entity has an objective of realising cash flows on the loan portfolio by selling the loans to the securitisation vehicle, so for the purposes of its separate financial statements it would not be considered to be managing this portfolio in order to collect the contractual cash flows.
Example 4 A financial institution holds financial assets to meet liquidity needs in a 'stress case' scenario (eg., a run on the bank's deposits). The entity does not anticipate selling these assets except in such scenarios. The entity monitors the credit quality of the financial assets and its objective in managing the financial assets is to collect the contractual cash flows. The entity evaluates the performance of the assets on the basis of interest revenue earned and credit losses realised. However, the entity also monitors the fair value of the financial assets from a liquidity perspective to ensure that the cash amount that would be realised if the entity needed to sell the assets in a stress case scenario would be sufficient to meet the entity's liquidity needs. Periodically, the entity makes sales that are insignificant in value to demonstrate liquidity.	Analysis The objective of the entity's business model is to hold the financial assets to collect contractual cash flows. The analysis would not change even if during a previous stress case scenario the entity had sales that were significant in value in order to meet its liquidity needs. Similarly, recurring sales activity that is insignificant in value is not inconsistent with holding financial assets to collect contractual cash flows. In contrast, if an entity holds financial assets to meet its everyday liquidity needs and meeting that objective involves frequent sales that are significant in value, the objective of the entity's business model is not to hold the financial assets to collect contractual cash flows. Similarly, if the entity is required by its regulator to routinely sell financial assets to demonstrate that the assets are liquid, and the value of the assets sold is significant, the entity's business model is not to hold financial assets to collect contractual cash flows. Whether a third party imposes the requirement to sell the financial assets, or that activity is at the entity's discretion, is not relevant to the analysis.

A business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets

B4.1.4A An entity may hold financial assets in a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets. In this type of business model, the entity's key management personnel have made a decision that both collecting contractual cash flows and selling financial assets are integral to achieving the objective of the business model. There are various objectives that may be consistent with this type of business model. For example, the objective of the business model may be to manage every day liquidity needs, to maintain a particular interest yield profile or to match the duration of the financial assets to the duration of the liabilities that those assets are funding. To achieve such an objective, the entity will both collect contractual cash flows and sell financial assets.

B4.1.4B Compared to a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows,

this business model will typically involve greater frequency and value of sales. This is because selling financial assets is integral to achieving the business model's objective instead of being only incidental to it. However, there is no threshold for the frequency or value of sales that must occur in this business model because both collecting contractual cash flows and selling financial assets are integral to achieving its objective.

B4.1.4C The following are examples of when the objective of the entity's business model may be achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets. This list of examples is not exhaustive. Furthermore, the examples are not intended to describe all the factors that may be relevant to the assessment of the entity's business model nor specify the relative importance of the factors.

Example5	Analysis
An entity anticipates capital expenditure in a few years. The entity invests its excess cash in short and long-term financial assets so that it can fund the expenditure when the need arises. Many of the financial assets have contractual lives that exceed the entity's anticipated investment period. The entity will hold financial assets to collect the contractual cash flows and, when an opportunity arises, it will sell financial assets to re-invest the cash in financial assets with a higher return. The managers responsible for the portfolio are remunerated based on the overall return generated by the portfolio.	The objective of the business model is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets. The entity will make decisions on an ongoing basis about whether collecting contractual cashflows or selling financial assets will maximise the return on the portfolio until the need arises for the invested cash. In contrast, consider an entity that anticipates a cash outflow in five years to fund capital expenditure and invests excess cash in short-term financial assets. When the investments mature, the entity reinvests the cash in new short-term financial assets. The entity maintains this strategy until the funds are needed, at which time the entity uses the proceeds from the maturing financial assets to fund the capital expenditure. Only sales that are insignificant in value occur before maturity (unless there is an increase in credit risk). The objective of this contrasting business model is to hold financial assets to collect contractual cash flows.
Example 6 A financial institution holds financial assets to meet its everyday liquidity needs. The entity seeks to minimize the costs of managing those liquidity needs and therefore actively manages the return on the portfolio. That return consists of collecting contractual payments as well as gains and losses from the sale of financial assets. As a result, the entity holds financial assets to collect contractual cash flows and sells financial assets to reinvest in higher yielding financial assets or to better match the duration of its liabilities. In the past, this strategy has resulted in frequent sale activity and such sales have been significant in value. This activity is expected to continue in the future.	Analysis The objective of the business model is to maximise the return on the portfolio to meet everyday liquidity needs and the entity achieves that objective by both collecting contractual cash flows and selling financial assets. In other words, both collecting contractual cash flows and selling financial assets are integral to achieving the business model's objective.
Example 7 An insurer holds financial assets in order to fund insurance contract liabilities. The insurer uses the proceeds from the contractual cash flows on the financial assets to settle insurance contract liabilities as they come due. To ensure that the contractual cash flows from the financial assets are	Analysis The objective of the business model is to fund the insurance contract liabilities. To achieve this objective, the entity collects contractual cash flows as they come due and sells financial assets to maintain the desired profile of the asset portfolio.

sufficient to settle those liabilities, the insurer undertakes significant buying and selling activity on a regular basis to rebalance its portfolio of assets and to meet cash flow needs as they arise.	Thus both collecting contractual cash flows and selling financial assets are integral to achieving the business model's objective.

Other business models

- B4.1.5 Financial assets are measured at fair value through profit or loss if they are not held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash flows or within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets (but see also paragraph 5.7.5). One business model that results in measurement at fair value through profit or loss is one in which an entity manages the financial assets with the objective of realising cash flows through the sale of the assets. The entity makes decisions based on the assets' fair values and manages the assets to realise those fair values. In this case, the entity's objective will typically result in active buying and selling. Even though the entity will collect contractual cash flows while it holds the financial assets, the objective of such a business model is not achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets. This is because the collection of contractual cash flows is not integral to achieving the business model's objective; instead, it is incidental to it.
- B4.1.6 A portfolio of financial assets that is managed and whose performance is evaluated on a fair value basis (as described in paragraph 4.2.2(b)) is neither held to collect contractual cash flows nor held both to collect contractual cash flows and to sell financial assets. The entity is primarily focused on fair value information and uses that information to assess the assets' performance and to make decisions. In addition, a portfolio of financial assets that meets the definition of held for trading is not held to collect contractual cash flows or held both to collect contractual cash flows and to sell financial assets. For such portfolios, the collection of contractual cash flows is only incidental to achieving the business model's objective. Consequently, such portfolios of financial assets must be measured at fair value through profit or loss.

Contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding

- B4.1.7 Paragraph 4.1.1(b) requires an entity to classify a financial asset on the basis of its contractual cash flow characteristics if the financial asset is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash flows or within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets, unless paragraph 4.1.5 applies. To do so, the condition in paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b) requires an entity to determine whether the asset's contractual cash flows are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
- B4.1.7A Contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding are consistent with a basic lending arrangement. In a basic lending arrangement, consideration for the time value of money (see paragraphs B4.1.9A–B4.1.9E) and credit risk are typically the most significant elements of interest. However, in such an arrangement, interest can also include consideration for other basic lending risks (for example, liquidity risk) and costs (for example, administrative costs) associated with holding the financial asset for a particular period of time. In addition, interest can include a profit margin that is consistent with a basic lending arrangement. In extreme economic circumstances, interest can be negative if, for example, the holder of a financial asset either explicitly or implicitly pays for the deposit of its money for a particular period of time (and that fee exceeds the consideration that the holder receives for the time value of money, credit risk and other basic lending risks and costs). However, contractual terms that introduce exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that is unrelated to a basic lending arrangement, such as exposure to changes in equity prices or commodity prices, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. An originated or a purchased financial asset can be a basic lending arrangement irrespective of whether it is a loan in its legal form.
- B4.1.7B In accordance with paragraph 4.1.3(a), principal is the fair value of the financial asset at initial recognition. However that principal amount may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal).
- B4.1.8 An entity shall assess whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding for the currency in which the financial asset is denominated.

- B4.1.9 Leverage is a contractual cash flow characteristic of some financial assets. Leverage increases the variability of the contractual cash flows with the result that they do not have the economic characteristics of interest. Stand-alone option, forward and swap contracts are examples of financial assets that include such leverage. Thus, such contracts do not meet the condition in paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b) and cannot be subsequently measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income.

Consideration for the time value of money

- B4.1.9A Time value of money is the element of interest that provides consideration for only the passage of time. That is, the time value of money element does not provide consideration for other risks or costs associated with holding the financial asset. In order to assess whether the element provides consideration for only the passage of time, an entity applies judgement and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated and the period for which the interest rate is set.
- B4.1.9B However, in some cases, the time value of money element may be modified (ie. imperfect). That would be the case, for example, if a financial asset's interest rate is periodically reset but the frequency of that reset does not match the tenor of the interest rate (for example, the interest rate resets every month to a one-year rate) or if a financial asset's interest rate is periodically reset to an average of particular short- and long-term interest rates. In such cases, an entity must assess the modification to determine whether the contractual cash flows represent solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. In some circumstances, the entity may be able to make that determination by performing a qualitative assessment of the time value of money element whereas, in other circumstances, it may be necessary to perform a quantitative assessment.
- B4.1.9C When assessing a modified time value of money element, the objective is to determine how different the contractual (undiscounted) cash flows could be from the (undiscounted) cash flows that would arise if the time value of money element was not modified (the benchmark cash flows). For example, if the financial asset under assessment contains a variable interest rate that is reset every month to a one-year interest rate, the entity would compare that financial asset to a financial instrument with identical contractual terms and the identical credit risk except the variable interest rate is reset monthly to a one-month interest rate. If the modified time value of money element could result in contractual (undiscounted) cash flows that are significantly different from the (undiscounted) benchmark cash flows, the financial asset does not meet the condition in paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b). To make this determination, the entity must consider the effect of the modified time value of money element in each reporting period and cumulatively over the life of the financial instrument. The reason for the interest rate being set in this way is not relevant to the analysis. If it is clear, with little or no analysis, whether the contractual (undiscounted) cash flows on the financial asset under the assessment could (or could not) be significantly different from the (undiscounted) benchmark cash flows, an entity need not perform a detailed assessment.
- B4.1.9D When assessing a modified time value of money element, an entity must consider factors that could affect future contractual cash flows. For example, if an entity is assessing a bond with a five-year term and the variable interest rate is reset every six months to a five-year rate, the entity cannot conclude that the contractual cash flows are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding simply because the interest rate curve at the time of the assessment is such that the difference between a five-year interest rate and a six-month interest rate is not significant. Instead, the entity must also consider whether the relationship between the five-year interest rate and the six-month interest rate could change over the life of the instrument such that the contractual (undiscounted) cash flows over the life of the instrument could be significantly different from the (undiscounted) benchmark cash flows. However, an entity must consider only reasonably possible scenarios instead of every possible scenario. If an entity concludes that the contractual (undiscounted) cash flows could be significantly different from the (undiscounted) benchmark cash flows, the financial asset does not meet the condition in paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b) and therefore cannot be measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income.
- B4.1.9E In some jurisdictions, the government or a regulatory authority sets interest rates. For example, such government regulation of interest rates may be part of a broad macroeconomic policy or it may be introduced to encourage entities to invest in a particular sector of the economy. In some of these cases, the objective of the time value of money element is not to provide consideration for only the passage of time. However, despite paragraphs B4.1.9A–B4.1.9D, a regulated interest rate shall be considered a proxy for the time value of money element for the purpose of applying the condition in paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b) if that regulated interest rate provides consideration that is broadly consistent with the passage of time and does not provide exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are inconsistent with a basic lending

arrangement.

Contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows

- B4.1.10 If a financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows (for example, if the asset can be prepaid before maturity or its term can be extended), the entity must determine whether the contractual cash flows that could arise over the life of the instrument due to that contractual term are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. To make this determination, the entity must assess the contractual cash flows that could arise both before, and after, the change in contractual cash flows. The entity may also need to assess the nature of any contingent event (ie. the trigger) that would change the timing or amount of the contractual cash flows. While the nature of the contingent event in itself is not a determinative factor in assessing whether the contractual cash flows are solely payments of principal and interest, it may be an indicator. For example, compare a financial instrument with an interest rate that is reset to a higher rate if the debtor misses a particular number of payments to a financial instrument with an interest rate that is reset to a higher rate if a specified equity index reaches a particular level. It is more likely in the former case that the contractual cash flows over the life of the instrument will be solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding because of the relationship between missed payments and an increase in credit risk. (See also paragraph B4.1.18.)
- B4.1.11 The following are examples of contractual terms that result in contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding:
- (a) a variable interest rate that consists of consideration for the time value of money, the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time (the consideration for credit risk may be determined at initial recognition only, and so may be fixed) and other basic lending risks and costs, as well as a profit margin;
 - (b) a contractual term that permits the issuer (ie. the debtor) to prepay a debt instrument or permits the holder (ie. the creditor) to put a debt instrument back to the issuer before maturity and the prepayment amount substantially represents unpaid amounts of principal and interest on the principal amount outstanding, which may include reasonable additional compensation for the early termination of the contract; and
 - (c) a contractual term that permits the issuer or the holder to extend the contractual term of a debt instrument (ie. an extension option) and the terms of the extension option result in contractual cash flows during the extension period that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding, which may include reasonable additional compensation for the extension of the contract.
- B4.1.12 Despite paragraph B4.1.10, a financial asset that would otherwise meet the condition in paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b) but does not do so only as a result of a contractual term that permits (or requires) the issuer to prepay a debt instrument or permits (or requires) the holder to put a debt instrument back to the issuer before maturity is eligible to be measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income (subject to meeting the condition in paragraph 4.1.2(a) or the condition in paragraph 4.1.2A(a)) if:
- (a) the entity acquires or originates the financial asset at a premium or discount to the contractual par amount;
 - (b) the prepayment amount substantially represents the contractual par amount and accrued (but unpaid) contractual interest, which may include reasonable additional compensation for the early termination of the contract; and
 - (c) when the entity initially recognises the financial asset, the fair value of the prepayment feature is insignificant.
- B4.1.13 The following examples illustrate contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This list of examples is not exhaustive.

Instrument A	Analysis
Instrument A is a bond with a stated maturity date. Payments of principal and interest on the principal amount outstanding are linked to an inflation index of the currency in which the instrument is issued. The inflation link is not leveraged and the principal is protected.	The contractual cash flows are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. Linking payments of principal and interest on the principal amount outstanding to an indexed inflation index resets the time value of money to a current level. In other words,

	the interest rate on the instrument reflects 'real' interest. Thus, the interest amounts are consideration for the time value of money on the principal amount outstanding. However, if the interest payments were indexed to another variable such as the debtor's performance (eg. the debtor's net income) or an equity index, the contractual cash flows are not payments of principal and interest on the principal amount outstanding (unless the indexing to the debtor's performance results in an adjustment that only compensates the holder for changes in the credit risk of the instrument, such that contractual cash flows are solely payments of principal and interest). That is because the contractual cash flows reflect a return that is inconsistent with a basic lending arrangement (see paragraph B4.1.7A).
Instrument B Instrument B is a variable interest rate instrument with a stated maturity date that permits the borrower to choose the market interest rate on an ongoing basis. For example, at each interest rate reset date, the borrower can choose to pay three-month LIBOR for a three-month term or one-month LIBOR for a one-month term.	Analysis The contractual cash flows are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding as long as the interest paid over the life of the instrument reflects consideration for the time value of money, for the credit risk associated with the instrument and for other basic lending risks and costs, as well as a profit margin (see paragraph B4.1.7A). The fact that the LIBOR interest rate is reset during the life of the instrument does not in itself disqualify the instrument. However, if the borrower is able to choose to pay a one-month interest rate that is reset every three months, the interest rate is reset with a frequency that does not match the tenor of the interest rate. Consequently, the time value of money element is modified. Similarly, if an instrument has a contractual interest rate that is based on a term that can exceed the instrument's remaining life (for example, if an instrument with a five-year maturity pays a variable rate that is reset periodically but always reflects a five-year maturity), the time value of money element is modified. That is because the interest payable in each period is disconnected from the interest period. In such cases, the entity must qualitatively or quantitatively assess the contractual cash flows against those on an instrument that is identical in all respects except the tenor of the interest rate matches the interest period to determine if the cash flows are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. (But see paragraph B4.1.9E for guidance on regulated interest rates.) For example, in assessing a bond with a five-year

	term that pays a variable rate that is reset every six months but always reflects a five-year maturity, an entity considers the contractual cash flow on an instrument that resets every six months to a six-month interest rate but is otherwise identical. The same analysis would apply if the borrower is able to choose between the lender's various published interest rates (eg. the borrower can choose between the lender's published one-month variable interest rate and the lender's published three-month variable interest rate).
Instrument C Instrument C is a bond with a stated maturity date and pays a variable market interest rate. That variable interest rate is capped.	Analysis The contractual cash flows of both: (a) an instrument that has a fixed interest rate and (b) an instrument that has a variable interest rate are payments of principal and interest on the principal amount outstanding as long as the interest reflects consideration for the time value of money, for the credit risk associated with the instrument during the term of the instrument and for other basic lending risks and costs, as well as a profit margin. (See paragraph B4.1.7A) Consequently, an instrument that is a combination of (a) and (b) (eg. a bond with an interest rate cap) can have cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. Such a contractual term may reduce cash flow variability by setting a limit on a variable interest rate (eg an interest rate cap or floor) or increase the cash flow variability because a fixed rate becomes variable.
Instrument D Instrument D is a full recourse loan and is secured by collateral.	Analysis The fact that a full recourse loan is collateralised does not in itself affect the analysis of whether the contractual cash flows are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
Instrument E Instrument E is issued by a regulated bank and has a stated maturity date. The instrument pays a fixed interest rate and all contractual cash flows are non-discretionary. However, the issuer is subject to legislation that permits or requires a national resolving authority to impose losses on holders of particular instruments, including Instrument E, in particular circumstances. For example, the national resolving authority has the power to write down the par amount of Instrument E or to convert it into a fixed number of the issuer's ordinary shares if the national resolving authority determines that the issuer is having severe financial difficulties, needs additional regulatory capital or is	Analysis The holder would analyse the contractual terms of the financial instrument to determine whether they give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and thus are consistent with a basic lending arrangement. That analysis would not consider the payments that arise only as a result of the national resolving authority's power to impose losses on the holders of Instrument E. That is because that power, and there sulung payments, are not

‘failing’.	contractual terms of the financial instrument. In contrast, the contractual cashflows would not be solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding if the contractual terms of the financial instrument permit or require the issuer or another entity to impose losses on the holder (eg. by writing down the par amount or by converting the instrument into a fixed number of the issuer’s ordinary shares) as long as those contractual terms are genuine, even if the probability is remote that such a loss will be imposed.

B4.1.14 The following examples illustrate contractual cash flows that are not solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This list of examples is not exhaustive.

Instrument F Instrument F is a bond that is convertible into a fixed number of equity instruments of the issuer.	Analysis The holder would analyse the convertible bond in its entirety. The contractual cash flows are not payments of principal and interest on the principal amount outstanding because they reflect a return that is inconsistent with a basic lending arrangement (see paragraph B4.1.7A); ie. the return is linked to the value of the equity of the issuer.
Instrument G Instrument G is a loan that pays an inverse floating interest rate (ie. the interest rate has an inverse relationship to market interest rates).	Analysis The contractual cash flows are not solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. The interest amounts are not consideration for the time value of money on the principal amount outstanding.
Instrument H Instrument H is a perpetual instrument but the issuer may call the instrument at any point and pay the holder the par amount plus accrued interest due. Instrument H pays a market interest rate but payment of interest cannot be made unless the issuer is able to remain solvent immediately afterwards. Deferred interest does not accrue additional interest.	Analysis The contractual cash flows are not payments of principal and interest on the principal amount outstanding. That is because the issuer may be required to defer interest payments and additional interest does not accrue on those deferred interest amounts. As a result, interest amounts are not consideration for the time value of money on the principal amount outstanding. If interest accrued on the deferred amounts, the contractual cash flows could be payments of principal and interest on the principal amount outstanding. The fact that Instrument H is perpetual does not in itself mean that the contractual cash flows are not payments of principal and interest on the principal amount outstanding. In effect, a perpetual instrument has continuous (multiple) extension options. Such options may result in contractual cash flows that are payments of principal and interest on the principal amount outstanding if interest payments are mandatory and must be paid in perpetuity. Also, the fact that Instrument H is callable does not mean that the contractual cash flows are not payments of principal and interest on the principal amount outstanding unless it is callable at an amount that does not substantially reflect payment of outstanding principal and interest on that principal amount outstanding. Even if the callable amount includes an amount that reasonably compensates the holder for the early termination of the instrument, the contractual cash flows could be payments of principal and

	interest on the principal amount outstanding. (See also Paragraph B4.1.12.)

- B4.1.15 In some cases a financial asset may have contractual cash flows that are described as principal and interest but those cash flows do not represent the payment of principal and interest on the principal amount outstanding as described in paragraphs 4.1.2(b), 4.1.2A(b) and 4.1.3 of this Standard.
- B4.1.16 This may be the case if the financial asset represents an investment in particular assets or cash flows and hence the contractual cash flows are not solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. For example, if the contractual terms stipulate that the financial asset's cash flows increase as more automobiles use a particular toll road, those contractual cash flows are inconsistent with a basic lending arrangement. As a result, the instrument would not satisfy the condition in paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b). This could be the case when a creditor's claim is limited to specified assets of the debtor or the cash flows from specified assets (for example, a 'non-recourse' financial asset).
- B4.1.17 However, the fact that a financial asset is non-recourse does not in itself necessarily preclude the financial asset from meeting the condition in paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b). In such situations, the creditor is required to assess ('look through to') the particular underlying assets or cash flows to determine whether the contractual cash flows of the financial asset being classified are payments of principal and interest on the principal amount outstanding. If the terms of the financial asset give rise to any other cash flows or limit the cash flows in a manner inconsistent with payments representing principal and interest, the financial asset does not meet the condition in paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b). Whether the underlying assets are financial assets or non-financial assets does not in itself affect this assessment.
- B4.1.18 A contractual cash flow characteristic does not affect the classification of the financial asset if it could have only a *de minimis* effect on the contractual cash flows of the financial asset. To make this determination, an entity must consider the possible effect of the contractual cash flow characteristic in each reporting period and cumulatively over the life of the financial instrument. In addition, if a contractual cash flow characteristic could have an effect on the contractual cash flows that is more than *de minimis* (either in a single reporting period or cumulatively) but that cash flow characteristic is not genuine, it does not affect the classification of a financial asset. A cash flow characteristic is not genuine if it affects the instrument's contractual cash flows only on the occurrence of an event that is extremely rare, highly abnormal and very unlikely to occur.
- B4.1.19 In almost every lending transaction the creditor's instrument is ranked relative to the instruments of the debtor's other creditors. An instrument that is subordinated to other instruments may have contractual cash flows that are payments of principal and interest on the principal amount outstanding if the debtor's non-payment is a breach of contract and the holder has a contractual right to unpaid amounts of principal and interest on the principal amount outstanding even in the event of the debtor's bankruptcy. For example, a trade receivable that ranks its creditor as a general creditor would qualify as having payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This is the case even if the debtor issued loans that are collateralised, which in the event of bankruptcy would give that loan holder priority over the claims of the general creditor in respect of the collateral but does not affect the contractual right of the general creditor to unpaid principal and other amounts due.

Contractually linked instruments

- B4.1.20 In some types of transactions, an issuer may prioritise payments to the holders of financial assets using multiple contractually linked instruments that create concentrations of credit risk (tranches). Each tranche has a subordination ranking that specifies the order in which any cash flows generated by the issuer are allocated to the tranche. In such situations, the holders of a tranche have the right to payments of principal and interest on the principal amount outstanding only if the issuer generates sufficient cash flows to satisfy higher-ranking tranches.
- B4.1.21 In such transactions, a tranche has cash flow characteristics that are payments of principal and interest on the principal amount outstanding only if:
- the contractual terms of the tranche being assessed for classification (without looking through to the underlying pool of financial instruments) give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding (eg the interest rate on the tranche is not linked to a commodity index);
 - the underlying pool of financial instruments has the cash flow characteristics set out in paragraphs

B4.1.23 and B4.1.24; and

- (c) the exposure to credit risk in the underlying pool of financial instruments inherent in the tranche is equal to or lower than the exposure to credit risk of the underlying pool of financial instruments (for example, the credit rating of the tranche being assessed for classification is equal to or higher than the credit rating that would apply to a single tranche that funded the underlying pool of financial instruments).

B4.1.22 An entity must look through until it can identify the underlying pool of instruments that are creating (instead of passing through) the cash flows. This is the underlying pool of financial instruments.

B4.1.23 The underlying pool must contain one or more instruments that have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

B4.1.24 The underlying pool of instruments may also include instruments that:

- (a) reduce the cash flow variability of the instruments in paragraph B4.1.23 and, when combined with the instruments in paragraph B4.1.23, result in cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding (eg an interest rate cap or floor or a contract that reduces the credit risk on some or all of the instruments in paragraph B4.1.23); or
- (b) align the cash flows of the tranches with the cash flows of the pool of underlying instruments in paragraph B4.1.23 to address differences in and only in:
 - (i) whether the interest rate is fixed or floating;
 - (ii) the currency in which the cash flows are denominated, including inflation in that currency; or
 - (iii) the timing of the cash flows.

B4.1.25 If any instrument in the pool does not meet the conditions in either paragraph B4.1.23 or paragraph B4.1.24, the condition in paragraph B4.1.21(b) is not met. In performing this assessment, a detailed instrument-by-instrument analysis of the pool may not be necessary. However, an entity must use judgement and perform sufficient analysis to determine whether the instruments in the pool meet the conditions in paragraphs B4.1.23–B4.1.24. (See also paragraph B4.1.18 for guidance on contractual cash flow characteristics that have only a de minimiseffect.)

B4.1.26 If the holder cannot assess the conditions in paragraph B4.1.21 at initial recognition, the tranche must be measured at fair value through profit or loss. If the underlying pool of instruments can change after initial recognition in such a way that the pool may not meet the conditions in paragraphs B4.1.23–B4.1.24, the tranche does not meet the conditions in paragraph B4.1.21 and must be measured at fair value through profit or loss. However, if the underlying pool includes instruments that are collateralised by assets that do not meet the conditions in paragraphs B4.1.23–B4.1.24, the ability to take possession of such assets shall be disregarded for the purposes of applying this paragraph unless the entity acquired the tranche with the intention of controlling the collateral.

Option to designate a financial asset or financial liability as at fair value through profit or loss (Sections 4.1 and 4.2)

B4.1.27 Subject to the conditions in paragraphs 4.1.5 and 4.2.2, this Standard allows an entity to designate a financial asset, a financial liability, or a group of financial instruments (financial assets, financial liabilities or both) as at fair value through profit or loss provided that doing so results in more relevant information.

B4.1.28 The decision of an entity to designate a financial asset or financial liability as at fair value through profit or loss is similar to an accounting policy choice (although, unlike an accounting policy choice, it is not required to be applied consistently to all similar transactions). When an entity has such a choice, paragraph 14(b) of Ind AS 8 requires the chosen policy to result in the financial statements providing reliable and more relevant information about the effects of transactions, other events and conditions on the entity's financial position, financial performance or cash flows. For example, in the case of designation of a financial liability as at fair value through profit or loss, paragraph 4.2.2 sets out the two circumstances when the requirement for more relevant information will be met. Accordingly, to choose such designation in accordance with paragraph 4.2.2, the entity needs to demonstrate that it falls within one (or both) of these two circumstances.

Designation eliminates or significantly reduces an accounting mismatch

B4.1.29 Measurement of a financial asset or financial liability and classification of recognised changes in its value are determined by the item's classification and whether the item is part of a designated hedging relationship.

Those requirements can create a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as an 'accounting mismatch') when, for example, in the absence of designation as at fair value through profit or loss, a financial asset would be classified as subsequently measured at fair value through profit or loss and a liability the entity considers related would be subsequently measured at amortised cost (with changes in fair value not recognised). In such circumstances, an entity may conclude that its financial statements would provide more relevant information if both the asset and the liability were measured as at fair value through profit or loss.

B4.1.30 The following examples show when this condition could be met. In all cases, an entity may use this condition to designate financial assets or financial liabilities as at fair value through profit or loss only if it meets the principle in paragraph 4.1.5 or 4.2.2(a):

- (a) an entity has liabilities under insurance contracts whose measurement incorporates current information (as permitted by paragraph 24 of Ind AS104) and financial assets that it considers to be related and that would otherwise be measured at either fair value through other comprehensive income or amortised cost.
- (b) an entity has financial assets, financial liabilities or both that share a risk, such as interest rate risk, and that gives rise to opposite changes in fair value that tend to offset each other. However, only some of the instruments would be measured at fair value through profit or loss (for example, those that are derivatives, or are classified as held for trading). It may also be the case that the requirements for hedge accounting are not met because, for example, the requirements for hedge effectiveness in paragraph 6.4.1 are not met.
- (c) an entity has financial assets, financial liabilities or both that share a risk, such as interest rate risk, that gives rise to opposite changes in fair value that tend to offset each other and none of the financial assets or financial liabilities qualifies for designation as a hedging instrument because they are not measured at fair value through profit or loss. Furthermore, in the absence of hedge accounting there is a significant inconsistency in the recognition of gains and losses. For example, the entity has financed a specified group of loans by issuing traded bonds whose changes in fair value tend to offset each other. If, in addition, the entity regularly buys and sells the bonds but rarely, if ever, buys and sells the loans, reporting both the loans and the bonds at fair value through profit or loss eliminates the inconsistency in the timing of the recognition of the gains and losses that would otherwise result from measuring them both at amortised cost and recognising a gain or loss each time a bond is repurchased.

B4.1.31 In cases such as those described in the preceding paragraph, to designate, at initial recognition, the financial assets and financial liabilities not otherwise so measured as at fair value through profit or loss may eliminate or significantly reduce the measurement or recognition inconsistency and produce more relevant information. For practical purposes, the entity need not enter into all of the assets and liabilities giving rise to the measurement or recognition inconsistency at exactly the same time. A reasonable delay is permitted provided that each transaction is designated as at fair value through profit or loss at its initial recognition and, at that time, any remaining transactions are expected to occur.

B4.1.32 It would not be acceptable to designate only some of the financial assets and financial liabilities giving rise to the inconsistency as at fair value through profit or loss if to do so would not eliminate or significantly reduce the inconsistency and would therefore not result in more relevant information. However, it would be acceptable to designate only some of a number of similar financial assets or similar financial liabilities if doing so achieves a significant reduction (and possibly a greater reduction than other allowable designations) in the inconsistency. For example, assume an entity has a number of similar financial liabilities that sum to Rs.100 and a number of similar financial assets that sum to Rs.50 but are measured on a different basis. The entity may significantly reduce the measurement inconsistency by designating at initial recognition all of the assets but only some of the liabilities (for example, individual liabilities with a combined total of Rs.45) as at fair value through profit or loss. However, because designation as at fair value through profit or loss can be applied only to the whole of a financial instrument, the entity in this example must designate one or more liabilities in their entirety. It could not designate either a component of a liability (eg changes in value attributable to only one risk, such as changes in a benchmark interest rate) or a proportion (ie. percentage) of a liability.

A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis

B4.1.33 An entity may manage and evaluate the performance of a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities in such a way that measuring that group at fair value through profit or loss results in more relevant information. The focus in this instance is on the way the entity manages and evaluates performance,

instead of on the nature of its financial instruments.

- B4.1.34 For example, an entity may use this condition to designate financial liabilities as at fair value through profit or loss if it meets the principle in paragraph 4.2.2(b) and the entity has financial assets and financial liabilities that share one or more risks and those risks are managed and evaluated on a fair value basis in accordance with a documented policy of asset and liability management. An example could be an entity that has issued 'structured products' containing multiple embedded derivatives and manages the resulting risks on a fair value basis using a mix of derivative and non-derivative financial instruments.
- B4.1.35 As noted above, this condition relies on the way the entity manages and evaluates performance of the group of financial instruments under consideration. Accordingly, (subject to the requirement of designation at initial recognition) an entity that designates financial liabilities as at fair value through profit or loss on the basis of this condition shall so designate all eligible financial liabilities that are managed and evaluated together.
- B4.1.36 Documentation of the entity's strategy need not be extensive but should be sufficient to demonstrate compliance with paragraph 4.2.2(b). Such documentation is not required for each individual item, but may be on a portfolio basis. For example, if the performance management system for a department—as approved by the entity's key management personnel—clearly demonstrates that its performance is evaluated on this basis, no further documentation is required to demonstrate compliance with paragraph 4.2.2(b).

Embedded derivatives (Section 4.3)

- B4.3.1 When an entity becomes a party to a hybrid contract with a host that is not an asset within the scope of this Standard, paragraph 4.3.3 requires the entity to identify any embedded derivative, assess whether it is required to be separated from the host contract and, for those that are required to be separated, measure the derivatives at fair value at initial recognition and subsequently at fair value through profit or loss.
- B4.3.2 If a host contract has no stated or predetermined maturity and represents a residual interest in the net assets of an entity, then its economic characteristics and risks are those of an equity instrument, and an embedded derivative would need to possess equity characteristics related to the same entity to be regarded as closely related. If the host contract is not an equity instrument and meets the definition of a financial instrument, then its economic characteristics and risks are those of a debt instrument.
- B4.3.3 An embedded non-option derivative (such as an embedded forward or swap) is separated from its host contract on the basis of its stated or implied substantive terms, so as to result in it having a fair value of zero at initial recognition. An embedded option-based derivative (such as an embedded put, call, cap, floor or swaption) is separated from its host contract on the basis of the stated terms of the option feature. The initial carrying amount of the host instrument is the residual amount after separating the embedded derivative.
- B4.3.4 Generally, multiple embedded derivatives in a single hybrid contract are treated as a single compound embedded derivative. However, embedded derivatives that are classified as equity (see Ind AS 32 *Financial Instruments: Presentation*) are accounted for separately from those classified as assets or liabilities. In addition, if a hybrid contract has more than one embedded derivative and those derivatives relate to different risk exposures and are readily separable and independent of each other, they are accounted for separately from each other.
- B4.3.5 The economic characteristics and risks of an embedded derivative are not closely related to the host contract (paragraph 4.3.3(a)) in the following examples. In these examples, assuming the conditions in paragraph 4.3.3(b) and (c) are met, an entity accounts for the embedded derivative separately from the host contract.
- (a) A put option embedded in an instrument that enables the holder to require the issuer to reacquire the instrument for an amount of cash or other assets that varies on the basis of the change in an equity or commodity price or index is not closely related to a host debt instrument.
 - (b) An option or automatic provision to extend the remaining term to maturity of a debt instrument is not closely related to the host debt instrument unless there is a concurrent adjustment to the approximate current market rate of interest at the time of the extension. If an entity issues a debt instrument and the holder of that debt instrument writes a call option on the debt instrument to a third party, the issuer regards the call option as extending the term to maturity of the debt instrument provided the issuer can be required to participate in or facilitate the remarketing of the debt instrument as a result of the call option being exercised.
 - (c) Equity-indexed interest or principal payments embedded in a host debt instrument or insurance contract—by which the amount of interest or principal is indexed to the value of equity instruments—are not closely related to the host instrument because the risks inherent in the host and the embedded

derivative are dissimilar.

- (d) Commodity-indexed interest or principal payments embedded in a host debt instrument or insurance contract—by which the amount of interest or principal is indexed to the price of a commodity (such as gold)—are not closely related to the host instrument because the risks inherent in the host and the embedded derivative are dissimilar.
- (e) A call, put, or prepayment option embedded in a host debt contract or host insurance contract is not closely related to the host contract unless:
 - (i) the option's exercise price is approximately equal on each exercise date to the amortised cost of the host debt instrument or the carrying amount of the host insurance contract; or
 - (ii) the exercise price of a prepayment option reimburses the lender for an amount up to the approximate present value of lost interest for the remaining term of the host contract. Lost interest is the product of the principal amount prepaid multiplied by the interest rate differential. The interest rate differential is the excess of the effective interest rate of the host contract over the effective interest rate the entity would receive at the prepayment date if it reinvested the principal amount prepaid in a similar contract for the remaining term of the host contract.

The assessment of whether the call or put option is closely related to the host debt contract is made before separating the equity element of a convertible debt instrument in accordance with Ind AS 32.

- (f) Credit derivatives that are embedded in a host debt instrument and allow one party (the 'beneficiary') to transfer the credit risk of a particular reference asset, which it may not own, to another party (the 'guarantor') are not closely related to the host debt instrument. Such credit derivatives allow the guarantor to assume the credit risk associated with the reference asset without directly owning it.

B4.3.6 An example of a hybrid contract is a financial instrument that gives the holder a right to put the financial instrument back to the issuer in exchange for an amount of cash or other financial assets that varies on the basis of the change in an equity or commodity index that may increase or decrease (a 'puttable instrument'). Unless the issuer on initial recognition designates the puttable instrument as a financial liability at fair value through profit or loss, it is required to separate an embedded derivative (ie. the indexed principal payment) under paragraph 4.3.3 because the host contract is a debt instrument under paragraph B4.3.2 and the indexed principal payment is not closely related to a host debt instrument under paragraph B4.3.5(a). Because the principal payment can increase and decrease, the embedded derivative is a non-option derivative whose value is indexed to the underlying variable.

B4.3.7 In the case of a puttable instrument that can be put back at any time for cash equal to a proportionate share of the net asset value of an entity (such as units of an open-ended mutual fund or some unit-linked investment products), the effect of separating an embedded derivative and accounting for each component is to measure the hybrid contract at the redemption amount that is payable at the end of the reporting period if the holder exercised its right to put the instrument back to the issuer.

B4.3.8 The economic characteristics and risks of an embedded derivative are closely related to the economic characteristics and risks of the host contract in the following examples. In these examples, an entity does not account for the embedded derivative separately from the host contract.

- (a) An embedded derivative in which the underlying is an interest rate or interest rate index that can change the amount of interest that would otherwise be paid or received on an interest-bearing host debt contract or insurance contract is closely related to the host contract unless the hybrid contract can be settled in such a way that the holder would not recover substantially all of its recognised investment or the embedded derivative could at least double the holder's initial rate of return on the host contract and could result in a rate of return that is at least twice what the market return would be for a contract with the same terms as the host contract.
- (b) An embedded floor or cap on the interest rate on a debt contract or insurance contract is closely related to the host contract, provided the cap is at or above the market rate of interest and the floor is at or below the market rate of interest when the contract is issued, and the cap or floor is not leveraged in relation to the host contract. Similarly, provisions included in a contract to purchase or sell an asset (eg a commodity) that establish a cap and a floor on the price to be paid or received for the asset are closely related to the host contract if both the cap and floor were out of the money at inception and are not leveraged.
- (c) An embedded foreign currency derivative that provides a stream of principal or interest payments that are denominated in a foreign currency and is embedded in a host debt instrument (for example, a dual currency bond) is closely related to the host debt instrument. Such a derivative is not separated from

- the host instrument because Ind AS 21 *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates* requires foreign currency gains and losses on monetary items to be recognised in profit or loss.
- (d) An embedded foreign currency derivative in a host contract that is an insurance contract or not a financial instrument (such as a contract for the purchase or sale of a non-financial item where the price is denominated in a foreign currency) is closely related to the host contract provided it is not leveraged, does not contain an option feature, and requires payments denominated in one of the following currencies:
- (i) the functional currency of any substantial party to that contract;
 - (ii) the currency in which the price of the related good or service that is acquired or delivered is routinely denominated in commercial transactions around the world (such as the US dollar for crude oil transactions); or
 - (iii) a currency that is commonly used in contracts to purchase or sell non-financial items in the economic environment in which the transaction takes place (eg a relatively stable and liquid currency that is commonly used in local business transactions or external trade).
- (e) An embedded prepayment option in an interest-only or principal-only strip is closely related to the host contract provided the host contract
- (i) initially resulted from separating the right to receive contractual cash flows of a financial instrument that, in and of itself, did not contain an embedded derivative, and (ii) does not contain any terms not present in the original host debt contract.
- (f) An embedded derivative in a host lease contract is closely related to the host contract if the embedded derivative is (i) an inflation-related index such as an index of lease payments to a consumer price index (provided that the lease is not leveraged and the index relates to inflation in the entity's own economic environment), (ii) contingent rentals based on related sales or (iii) contingent rentals based on variable interest rates.
- (g) A unit-linking feature embedded in a host financial instrument or host insurance contract is closely related to the host instrument or host contract if the unit-denominated payments are measured at current unit values that reflect the fair values of the assets of the fund. A unit-linking feature is a contractual term that requires payments denominated in units of an internal or external investment fund.
- (h) A derivative embedded in an insurance contract is closely related to the host insurance contract if the embedded derivative and host insurance contract are so interdependent that an entity cannot measure the embedded derivative separately (ie. without considering the host contract).

Instruments containing embedded derivatives

- B4.3.9 As noted in paragraph B4.3.1, when an entity becomes a party to a hybrid contract with a host that is not an asset within the scope of this Standard and with one or more embedded derivatives, paragraph 4.3.3 requires the entity to identify any such embedded derivative, assess whether it is required to be separated from the host contract and, for those that are required to be separated, measure the derivatives at fair value at initial recognition and subsequently. These requirements can be more complex, or result in less reliable measures, than measuring the entire instrument at fair value through profit or loss. For that reason this Standard permits the entire hybrid contract to be designated as at fair value through profit or loss.
- B4.3.10 Such designation may be used whether paragraph 4.3.3 requires the embedded derivatives to be separated from the host contract or prohibits such separation. However, paragraph 4.3.5 would not justify designating the hybrid contract as at fair value through profit or loss in the cases set out in paragraph 4.3.5(a) and (b) because doing so would not reduce complexity or increase reliability.

Reassessment of embedded derivatives

- B4.3.11 In accordance with paragraph 4.3.3, an entity shall assess whether an embedded derivative is required to be separated from the host contract and accounted for as a derivative when the entity first becomes a party to the contract. Subsequent reassessment is prohibited unless there is a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that otherwise would be required under the contract, in which case reassessment is required. An entity determines whether a modification to cash flows is significant by considering the extent to which the expected future cash flows associated with the embedded derivative, the host contract or both have changed and whether the change is significant relative to the previously expected cash flows on the contract.
- B4.3.12 Paragraph B4.3.11 does not apply to embedded derivatives in contracts acquired in:

- (a) a business combination (as defined in Ind AS103 *Business Combinations*);
- (b) a combination of entities or businesses under common control as described in paragraphs B1–B4 of Ind AS103; or
- (c) the formation of a joint venture as defined in Ind AS111 *Joint Arrangements* or their possible reassessment at the date of acquisition.²

Reclassification of financial assets (Section 4.4)

Reclassification of financial assets

B4.4.1 Paragraph 4.4.1 requires an entity to reclassify financial assets if the entity changes its business model for managing those financial assets. Such changes are expected to be very infrequent. Such changes are determined by the entity's senior management as a result of external or internal changes and must be significant to the entity's operations and demonstrable to external parties. Accordingly, a change in an entity's business model will occur only when an entity either begins or ceases to perform an activity that is significant to its operations; for example, when the entity has acquired, disposed of or terminated a business line. Examples of a change in business model include the following:

- (a) An entity has a portfolio of commercial loans that it holds to sell in the short term. The entity acquires a company that manages commercial loans and has a business model that holds the loans in order to collect the contractual cash flows. The portfolio of commercial loans is no longer for sale, and the portfolio is now managed together with the acquired commercial loans and all are held to collect the contractual cash flows.
- (b) A financial services firm decides to shut down its retail mortgage business. That business no longer accepts new business and the financial services firm is actively marketing its mortgage loan portfolio for sale.

B4.4.2 A change in the objective of the entity's business model must be effected before the reclassification date. For example, if a financial services firm decides on 15 February to shut down its retail mortgage business and hence must reclassify all affected financial assets on 1 April (ie. the first day of the entity's next reporting period), the entity must not accept new retail mortgage business or otherwise engage in activities consistent with its former business model after 15 February.

B4.4.3 The following are not changes in business model:

- (a) a change in intention related to particular financial assets (even in circumstances of significant changes in market conditions).
- (b) the temporary disappearance of a particular market for financial assets.
- (c) a transfer of financial assets between parts of the entity with different business models.

Measurement (Chapter 5)

Initial measurement (Section 5.1)

B5.1.1 The fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price (ie. the fair value of the consideration given or received, see also paragraph B5.1.2A and Ind AS113). However, if part of the consideration given or received is for something other than the financial instrument, an entity shall measure the fair value of the financial instrument. For example, the fair value of a long-term loan or receivable that carries no interest can be measured as the present value of all future cash receipts discounted using the prevailing market rate(s) of interest for a similar instrument (similar as to currency, term, type of interest rate and other factors) with a similar credit rating. Any additional amount lent is an expense or a reduction of income unless it qualifies for recognition as some other type of asset.

B5.1.2 If an entity originates a loan that bears an off-market interest rate (eg 5 per cent when the market rate for similar loans is 8 per cent), and receives an upfront fee as compensation, the entity recognises the loan at its fair value, ie. net of the fee it receives.

B5.1.2A The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price (ie. the fair value of the consideration given or received, see also Ind AS113). If an entity determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price as mentioned in paragraph 5.1.1A, the entity shall account for that instrument at that date as follows:

- (a) at the measurement required by paragraph 5.1.1 if that fair value is evidenced by a quoted price in an active

² Ind AS103 addresses the acquisition of contracts with embedded derivatives in a business combination.

market for an identical asset or liability (ie. a Level 1 input) or based on a valuation technique that uses only data from observable markets. An entity shall recognise the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price as a gain or loss.

- (b) in all other cases, at the measurement required by paragraph 5.1.1, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. After initial recognition, the entity shall recognise that deferred difference as a gain or loss only to the extent that it arises from a change in a factor (including time) that market participants would take into account when pricing the asset or liability.

Subsequent measurement (Sections 5.2 and 5.3)

- B5.2.1 If a financial instrument that was previously recognised as a financial asset is measured at fair value through profit or loss and its fair value decreases below zero, it is a financial liability measured in accordance with paragraph 4.2.1. However, hybrid contracts with hosts that are assets within the scope of this Standard are always measured in accordance with paragraph 4.3.2.
- B5.2.2 The following example illustrates the accounting for transaction costs on the initial and subsequent measurement of a financial asset measured at fair value with changes through other comprehensive income in accordance with either paragraph 5.7.5 or 4.1.2A. An entity acquires a financial asset for Rs.100 plus a purchase commission of Rs.2. Initially, the entity recognises the asset at Rs.102. The reporting period ends one day later, when the quoted market price of the asset is Rs.100. If the asset were sold, a commission of Rs.3 would be paid. On that date, the entity measures the asset at Rs.100 (without regard to the possible commission on sale) and recognises a loss of Rs.2 in other comprehensive income. If the financial asset is measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A, the transaction costs are amortised to profit or loss using the effective interest method.
- B5.2.2A The subsequent measurement of a financial asset or financial liability and the subsequent recognition of gains and losses described in paragraph B5.1.2A shall be consistent with the requirements of this Standard.

Investments in equity instruments and contracts on those investments

- B5.2.3 All investments in equity instruments and contracts on those instruments must be measured at fair value. However, in limited circumstances, cost may be an appropriate estimate of fair value. That may be the case if insufficient more recent information is available to measure fair value, or if there is a wide range of possible fair value measurements and cost represents the best estimate of fair value within that range.
- B5.2.4 Indicators that cost might not be representative of fair value include:
- (a) a significant change in the performance of the investee compared with budgets, plans or milestones.
 - (b) changes in expectation that the investee's technical product milestones will be achieved.
 - (c) a significant change in the market for the investee's equity or its products or potential products.
 - (d) a significant change in the global economy or the economic environment in which the investee operates.
 - (e) a significant change in the performance of comparable entities, or in the valuations implied by the overall market.
 - (f) internal matters of the investee such as fraud, commercial disputes, litigation, changes in management or strategy.
 - (g) evidence from external transactions in the investee's equity, either by the investee (such as a fresh issue of equity), or by transfers of equity instruments between third parties.
- B5.2.5 The list in paragraph B5.2.4 is not exhaustive. An entity shall use all information about the performance and operations of the investee that becomes available after the date of initial recognition. To the extent that any such relevant factors exist, they may indicate that cost might not be representative of fair value. In such cases, the entity must measure fair value.
- B5.2.6 Cost is never the best estimate of fair value for investments in quoted equity instruments (or contracts on quoted equity instruments).

Amortised cost measurement (Section 5.4)

Effective interest method

- B5.4.1 In applying the effective interest method, an entity identifies fees that are an integral part of the effective interest rate of a financial instrument. The description of fees for financial services may not be indicative of the nature and substance of the services provided. Fees that are an integral part of the effective interest rate

of a financial instrument are treated as an adjustment to the effective interest rate, unless the financial instrument is measured at fair value, with the change in fair value being recognised in profit or loss. In those cases, the fees are recognised as revenue or expense when the instrument is initially recognised.

B5.4.2 Fees that are an integral part of the effective interest rate of a financial instrument include:

- (a) origination fees received by the entity relating to the creation or acquisition of a financial asset. Such fees may include compensation for activities such as evaluating the borrower's financial condition, evaluating and recording guarantees, collateral and other security arrangements, negotiating the terms of the instrument, preparing and processing documents and closing the transaction. These fees are an integral part of generating an involvement with the resulting financial instrument.
- (b) commitment fees received by the entity to originate a loan when the loan commitment is not measured in accordance with paragraph 4.2.1(a) and it is probable that the entity will enter into a specific lending arrangement. These fees are regarded as compensation for an ongoing involvement with the acquisition of a financial instrument. If the commitment expires without the entity making the loan, the fee is recognised as revenue on expiry.
- (c) origination fees paid on issuing financial liabilities measured at amortised cost. These fees are an integral part of generating an involvement with a financial liability. An entity distinguishes fees and costs that are an integral part of the effective interest rate for the financial liability from origination fees and transaction costs relating to the right to provide services, such as investment management services.

B5.4.3 Fees that are not an integral part of the effective interest rate of a financial instrument and are accounted for in accordance with Ind AS115 include:

- (a) fees charged for servicing a loan;
- (b) commitment fees to originate a loan when the loan commitment is not measured in accordance with paragraph 4.2.1(a) and it is unlikely that a specific lending arrangement will be entered into; and
- (c) loan syndication fees received by an entity that arranges a loan and retains no part of the loan package for itself (or retains a part at the same effective interest rate for comparable risk as other participants).

B5.4.4 When applying the effective interest method, an entity generally amortises any fees, points paid or received, transaction costs and other premiums or discounts that are included in the calculation of the effective interest rate over the expected life of the financial instrument. However, a shorter period is used if this is the period to which the fees, points paid or received, transaction costs, premiums or discounts relate. This will be the case when the variable to which the fees, points paid or received, transaction costs, premiums or discounts relate is repriced to market rates before the expected maturity of the financial instrument. In such a case, the appropriate amortisation period is the period to the next such repricing date. For example, if a premium or discount on a floating-rate financial instrument reflects the interest that has accrued on that financial instrument since the interest was last paid, or changes in the market rates since the floating interest rate was reset to the market rates, it will be amortised to the next date when the floating interest is reset to market rates. This is because the premium or discount relates to the period to the next interest reset date because, at that date, the variable to which the premium or discount relates (ie. interest rates) is reset to the market rates. If, however, the premium or discount results from a change in the credit spread over the floating rate specified in the financial instrument, or other variables that are not reset to the market rates, it is amortised over the expected life of the financial instrument.

B5.4.5 For floating-rate financial assets and floating-rate financial liabilities, periodic re-estimation of cash flows to reflect the movements in the market rates of interest alters the effective interest rate. If a floating-rate financial asset or floating-rate financial liability is recognised initially at an amount equal to the principal receivable or payable on maturity, re-estimating the future interest payments normally has no significant effect on the carrying amount of the asset or the liability.

B5.4.6 If an entity revises its estimates of payments or receipts (excluding modifications in accordance with paragraph 5.4.3 and changes in estimates of expected credit losses), it shall adjust the gross carrying amount of the financial asset or amortised cost of a financial liability (or group of financial instruments) to reflect actual and revised estimated contractual cash flows. The entity recalculates the gross carrying amount of the financial asset or amortised cost of the financial liability as the present value of the estimated future contractual cash flows that are discounted at the financial instrument's original effective interest rate (or credit-adjusted effective interest rate for purchased or originated credit-impaired financial assets) or, when applicable, the revised effective interest rate calculated in accordance with paragraph 6.5.10. The adjustment

is recognised in profit or loss as income or expense.

- B5.4.7 In some cases a financial asset is considered credit-impaired at initial recognition because the credit risk is very high, and in the case of a purchase it is acquired at a deep discount. An entity is required to include the initial expected credit losses in the estimated cash flows when calculating the credit-adjusted effective interest rate for financial assets that are considered to be purchased or originated credit-impaired at initial recognition. However, this does not mean that a credit-adjusted effective interest rate should be applied solely because the financial asset has high credit risk at initial recognition.

Transaction costs

- B5.4.8 Transaction costs include fees and commission paid to agents (including employees acting as selling agents), advisers, brokers and dealers, levies by regulatory agencies and security exchanges, and transfer taxes and duties. Transaction costs do not include debt premiums or discounts, financing costs or internal administrative or holding costs.

Write-off

- B5.4.9 Write-offs can relate to a financial asset in its entirety or to a portion of it. For example, an entity plans to enforce the collateral on a financial asset and expects to recover no more than 30 per cent of the financial asset from the collateral. If the entity has no reasonable prospects of recovering any further cash flows from the financial asset, it should write off the remaining 70 per cent of the financial asset.

Impairment (Section 5.5)

Collective and individual assessment basis

- B5.5.1 In order to meet the objective of recognising lifetime expected credit losses for significant increases in credit risk since initial recognition, it may be necessary to perform the assessment of significant increases in credit risk on a collective basis by considering information that is indicative of significant increases in credit risk on, for example, a group or sub-group of financial instruments. This is to ensure that an entity meets the objective of recognising lifetime expected credit losses when there are significant increases in credit risk, even if evidence of such significant increases in credit risk at the individual instrument level is not yet available.
- B5.5.2 Lifetime expected credit losses are generally expected to be recognised before a financial instrument becomes past due. Typically, credit risk increases significantly before a financial instrument becomes past due or other lagging borrower-specific factors (for example, a modification or restructuring) are observed. Consequently when reasonable and supportable information that is more forward-looking than past due information is available without undue cost or effort, it must be used to assess changes in credit risk.
- B5.5.3 However, depending on the nature of the financial instruments and the credit risk information available for particular groups of financial instruments, an entity may not be able to identify significant changes in credit risk for individual financial instruments before the financial instrument becomes past due. This may be the case for financial instruments such as retail loans for which there is little or no updated credit risk information that is routinely obtained and monitored on an individual instrument until a customer breaches the contractual terms. If changes in the credit risk for individual financial instruments are not captured before they become past due, a loss allowance based only on credit information at an individual financial instrument level would not faithfully represent the changes in credit risk since initial recognition.
- B5.5.4 In some circumstances an entity does not have reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort to measure lifetime expected credit losses on an individual instrument basis. In that case, lifetime expected credit losses shall be recognised on a collective basis that considers comprehensive credit risk information. This comprehensive credit risk information must incorporate not only past due information but also all relevant credit information, including forward-looking macroeconomic information, in order to approximate the result of recognising lifetime expected credit losses when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition on an individual instrument level.
- B5.5.5 For the purpose of determining significant increases in credit risk and recognising a loss allowance on a collective basis, an entity can group financial instruments on the basis of shared credit risk characteristics with the objective of facilitating an analysis that is designed to enable significant increases in credit risk to be identified on a timely basis. The entity should not obscure this information by grouping financial instruments with different risk characteristics. Examples of shared credit risk characteristics may include, but are not limited to, the:

- (a) instrument type;
- (b) credit risk ratings;
- (c) collateral type;
- (d) date of initial recognition;
- (e) remaining term to maturity;
- (f) industry;
- (g) geographical location of the borrower; and
- (h) the value of collateral relative to the financial asset if it has an impact on the probability of a default occurring (for example, non-recourse loans in some jurisdictions or loan-to-value ratios).

B5.5.6 Paragraph 5.5.4 requires that lifetime expected credit losses are recognised on all financial instruments for which there has been significant increases in credit risk since initial recognition. In order to meet this objective, if an entity is not able to group financial instruments for which the credit risk is considered to have increased significantly since initial recognition based on shared credit risk characteristics, the entity should recognise lifetime expected credit losses on a portion of the financial assets for which credit risk is deemed to have increased significantly. The aggregation of financial instruments to assess whether there are changes in credit risk on a collective basis may change over time as new information becomes available on groups of, or individual, financial instruments.

Timing of recognising lifetime expected credit losses

- B5.5.7 The assessment of whether lifetime expected credit losses should be recognised is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition (irrespective of whether a financial instrument has been repriced to reflect an increase in credit risk) instead of on evidence of a financial asset being credit-impaired at the reporting date or an actual default occurring. Generally, there will be a significant increase in credit risk before a financial asset becomes credit-impaired or an actual default occurs.
- B5.5.8 For loan commitments, an entity considers changes in the risk of a default occurring on the loan to which a loan commitment relates. For financial guarantee contracts, an entity considers the changes in the risk that the specified debtor will default on the contract.
- B5.5.9 The significance of a change in the credit risk since initial recognition depends on the risk of a default occurring as at initial recognition. Thus, a given change, in absolute terms, in the risk of a default occurring will be more significant for a financial instrument with a lower initial risk of a default occurring compared to a financial instrument with a higher initial risk of a default occurring.
- B5.5.10 The risk of a default occurring on financial instruments that have comparable credit risk is higher the longer the expected life of the instrument; for example, the risk of a default occurring on an AAA-rated bond with an expected life of 10 years is higher than that on an AAA-rated bond with an expected life of five years.
- B5.5.11 Because of the relationship between the expected life and the risk of a default occurring, the change in credit risk cannot be assessed simply by comparing the change in the absolute risk of a default occurring over time. For example, if the risk of a default occurring for a financial instrument with an expected life of 10 years at initial recognition is identical to the risk of a default occurring on that financial instrument when its expected life in a subsequent period is only five years, that may indicate an increase in credit risk. This is because the risk of a default occurring over the expected life usually decreases as time passes if the credit risk is unchanged and the financial instrument is closer to maturity. However, for financial instruments that only have significant payment obligations close to the maturity of the financial instrument the risk of a default occurring may not necessarily decrease as time passes. In such a case, an entity should also consider other qualitative factors that would demonstrate whether credit risk has increased significantly since initial recognition.
- B5.5.12 An entity may apply various approaches when assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition or when measuring expected credit losses. An entity may apply different approaches for different financial instruments. An approach that does not include an explicit probability of default as an input per se, such as a credit loss rate approach, can be consistent with the requirements in this Standard, provided that an entity is able to separate the changes in the risk of a default

occurring from changes in other drivers of expected credit losses, such as collateral, and considers the following when making the assessment:

- (a) the change in the risk of a default occurring since initial recognition;
- (b) the expected life of the financial instrument; and
- (c) reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort that may affect credit risk.

B5.5.13 The methods used to determine whether credit risk has increased significantly on a financial instrument since initial recognition should consider the characteristics of the financial instrument (or group of financial instruments) and the default patterns in the past for comparable financial instruments. Despite the requirement in paragraph 5.5.9, for financial instruments for which default patterns are not concentrated at a specific point during the expected life of the financial instrument, changes in the risk of a default occurring over the next 12 months may be a reasonable approximation of the changes in the lifetime risk of a default occurring. In such cases, an entity may use changes in the risk of a default occurring over the next 12 months to determine whether credit risk has increased significantly since initial recognition, unless circumstances indicate that a lifetime assessment is necessary.

B5.5.14 However, for some financial instruments, or in some circumstances, it may not be appropriate to use changes in the risk of a default occurring over the next 12 months to determine whether lifetime expected credit losses should be recognised. For example, the change in the risk of a default occurring in the next 12 months may not be a suitable basis for determining whether credit risk has increased on a financial instrument with a maturity of more than 12 months when:

- (a) the financial instrument only has significant payment obligations beyond the next 12 months;
- (b) changes in relevant macroeconomic or other credit-related factors occur that are not adequately reflected in the risk of a default occurring in the next 12 months; or
- (c) changes in credit-related factors only have an impact on the credit risk of the financial instrument (or have a more pronounced effect) beyond 12 months.

Determining whether credit risk has increased significantly since initial recognition

B5.5.15 When determining whether the recognition of lifetime expected credit losses is required, an entity shall consider reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort and that may affect the credit risk on a financial instrument in accordance with paragraph 5.5.17(c). An entity need not undertake an exhaustive search for information when determining whether credit risk has increased significantly since initial recognition.

B5.5.16 Credit risk analysis is a multifactor and holistic analysis; whether a specific factor is relevant, and its weight compared to other factors, will depend on the type of product, characteristics of the financial instruments and the borrower as well as the geographical region. An entity shall consider reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort and that is relevant for the particular financial instrument being assessed. However, some factors or indicators may not be identifiable on an individual financial instrument level. In such a case, the factors or indicators should be assessed for appropriate portfolios, groups of portfolios or portions of a portfolio of financial instruments to determine whether the requirement in paragraph 5.5.3 for the recognition of lifetime expected credit losses has been met.

B5.5.17 The following non-exhaustive list of information may be relevant in assessing changes in credit risk:

- (a) significant changes in internal price indicators of credit risk as a result of a change in credit risk since inception, including, but not limited to, the credit spread that would result if a particular financial instrument or similar financial instrument with the same terms and the same counterparty were newly originated or issued at the reporting date.
- (b) other changes in the rates or terms of an existing financial instrument that would be significantly different if the instrument was newly originated or issued at the reporting date (such as more stringent covenants, increased amounts of collateral or guarantees, or higher income coverage) because of changes in the credit risk of the financial instrument since initial recognition.
- (c) significant changes in external market indicators of credit risk for a particular financial instrument or similar financial instruments with the same expected life. Changes in market indicators of credit risk include, but are not limited to:

- (i) the credit spread;
 - (ii) the credit default swap prices for the borrower;
 - (iii) the length of time or the extent to which the fair value of a financial asset has been less than its amortised cost; and
 - (iv) other market information related to the borrower, such as changes in the price of a borrower's debt and equity instruments.
- (d) an actual or expected significant change in the financial instrument's external credit rating.
- (e) an actual or expected internal credit rating downgrade for the borrower or decrease in behavioural scoring used to assess credit risk internally. Internal credit ratings and internal behavioural scoring are more reliable when they are mapped to external ratings or supported by default studies.
- (f) existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant change in the borrower's ability to meet its debt obligations, such as an actual or expected increase in interest rates or an actual or expected significant increase in unemployment rates.
- (g) an actual or expected significant change in the operating results of the borrower. Examples include actual or expected declining revenues or margins, increasing operating risks, working capital deficiencies, decreasing asset quality, increased balance sheet leverage, liquidity, management problems or changes in the scope of business or organisational structure (such as the discontinuance of a segment of the business) that results in a significant change in the borrower's ability to meet its debt obligations.
- (h) significant increases in credit risk on other financial instruments of the same borrower.
- (i) an actual or expected significant adverse change in the regulatory, economic, or technological environment of the borrower that results in a significant change in the borrower's ability to meet its debt obligations, such as a decline in the demand for the borrower's sales product because of a shift in technology.
- (j) significant changes in the value of the collateral supporting the obligation or in the quality of third-party guarantees or credit enhancements, which are expected to reduce the borrower's economic incentive to make scheduled contractual payments or to otherwise have an effect on the probability of a default occurring. For example, if the value of collateral declines because house prices decline, borrowers in some jurisdictions have a greater incentive to default on their mortgages.
- (k) a significant change in the quality of the guarantee provided by a shareholder (or an individual's parents) if the shareholder (or parents) have an incentive and financial ability to prevent default by capital or cash infusion.
- (l) significant changes, such as reductions in financial support from a parent entity or other affiliate or an actual or expected significant change in the quality of credit enhancement, that are expected to reduce the borrower's economic incentive to make scheduled contractual payments. Credit quality enhancements or support include the consideration of the financial condition of the guarantor and/or, for interests issued in securitisations, whether subordinated interests are expected to be capable of absorbing expected credit losses (for example, on the loans underlying the security).
- (m) expected changes in the loan documentation including an expected breach of contract that may lead to covenant waivers or amendments, interest payment holidays, interest rate step-ups, requiring additional collateral or guarantees, or other changes to the contractual framework of the instrument.
- (n) significant changes in the expected performance and behaviour of the borrower, including changes in the payment status of borrowers in the group (for example, an increase in the expected number or extent of delayed contractual payments or significant increases in the expected number of credit card borrowers who are expected to approach or exceed their credit limit or who are expected to be paying the minimum monthly amount).
- (o) changes in the entity's credit management approach in relation to the financial instrument; ie. based on emerging indicators of changes in the credit risk of the financial instrument, the entity's credit risk management practice is expected to become more active or to be focused on managing the instrument, including the instrument becoming more closely monitored or controlled, or the entity specifically intervening with the borrower.
- (p) past due information, including the rebuttable presumption as set out in paragraph 5.5.11.

- B5.5.18 In some cases, the qualitative and non-statistical quantitative information available may be sufficient to determine that a financial instrument has met the criterion for the recognition of a loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses. That is, the information does not need to flow through a statistical model or credit ratings process in order to determine whether there has been a significant increase in the credit risk of the financial instrument. In other cases, an entity may need to consider other information, including information from its statistical models or credit ratings processes. Alternatively, the entity may base the assessment on both types of information, ie. qualitative factors that are not captured through the internal ratings process and a specific internal rating category at the reporting date, taking into consideration the credit risk characteristics at initial recognition, if both types of information are relevant.

More than 30 days past due rebuttable presumption

- B5.5.19 The rebuttable presumption in paragraph 5.5.11 is not an absolute indicator that lifetime expected credit losses should be recognised, but is presumed to be the latest point at which lifetime expected credit losses should be recognised even when using forward-looking information (including macroeconomic factors on a portfolio level).
- B5.5.20 An entity can rebut this presumption. However, it can do so only when it has reasonable and supportable information available that demonstrates that even if contractual payments become more than 30 days past due, this does not represent a significant increase in the credit risk of a financial instrument. For example when non-payment was an administrative oversight, instead of resulting from financial difficulty of the borrower, or the entity has access to historical evidence that demonstrates that there is no correlation between significant increases in the risk of a default occurring and financial assets on which payments are more than 30 days past due, but that evidence does identify such a correlation when payments are more than 60 days past due.
- B5.5.21 An entity cannot align the timing of significant increases in credit risk and the recognition of lifetime expected credit losses to when a financial asset is regarded as credit-impaired or an entity's internal definition of default.

Financial instruments that have low credit risk at the reporting date

- B5.5.22 The credit risk on a financial instrument is considered low for the purposes of paragraph 5.5.10, if the financial instrument has a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. Financial instruments are not considered to have low credit risk when they are regarded as having a low risk of loss simply because of the value of collateral and the financial instrument without that collateral would not be considered low credit risk. Financial instruments are also not considered to have low credit risk simply because they have a lower risk of default than the entity's other financial instruments or relative to the credit risk of the jurisdiction within which an entity operates.
- B5.5.23 To determine whether a financial instrument has low credit risk, an entity may use its internal credit risk ratings or other methodologies that are consistent with a globally understood definition of low credit risk and that consider the risks and the type of financial instruments that are being assessed. An external rating of 'investment grade' is an example of a financial instrument that may be considered as having low credit risk. However, financial instruments are not required to be externally rated to be considered to have low credit risk. They should, however, be considered to have low credit risk from a market participant perspective taking into account all of the terms and conditions of the financial instrument.
- B5.5.24 Lifetime expected credit losses are not recognised on a financial instrument simply because it was considered to have low credit risk in the previous reporting period and is not considered to have low credit risk at the reporting date. In such a case, an entity shall determine whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition and thus whether lifetime expected credit losses are required to be recognised in accordance with paragraph 5.5.3.

Modifications

- B5.5.25 In some circumstances, the renegotiation or modification of the contractual cash flows of a financial asset can lead to the derecognition of the existing financial asset in accordance with this Standard. When the modification of a financial asset results in the derecognition of the existing financial asset and the subsequent recognition of the modified financial asset, the modified asset is considered a 'new' financial asset for the purposes of this Standard.
- B5.5.26 Accordingly the date of the modification shall be treated as the date of initial recognition of that financial

asset when applying the impairment requirements to the modified financial asset. This typically means measuring the loss allowance at an amount equal to 12-month expected credit losses until the requirements for the recognition of lifetime expected credit losses in paragraph 5.5.3 are met. However, in some unusual circumstances following a modification that results in derecognition of the original financial asset, there may be evidence that the modified financial asset is credit-impaired at initial recognition, and thus, the financial asset should be recognised as an originated credit-impaired financial asset. This might occur, for example, in a situation in which there was a substantial modification of a distressed asset that resulted in the derecognition of the original financial asset. In such a case, it may be possible for the modification to result in a new financial asset which is credit-impaired at initial recognition.

- B5.5.27 If the contractual cash flows on a financial asset have been renegotiated or otherwise modified, but the financial asset is not derecognised, that financial asset is not automatically considered to have lower credit risk. An entity shall assess whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition on the basis of all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. This includes historical and forward-looking information and an assessment of the credit risk over the expected life of the financial asset, which includes information about the circumstances that led to the modification. Evidence that the criteria for the recognition of lifetime expected credit losses are no longer met may include a history of up-to-date and timely payment performance against the modified contractual terms. Typically a customer would need to demonstrate consistently good payment behaviour over a period of time before the credit risk is considered to have decreased. For example, a history of missed or incomplete payments would not typically be erased by simply making one payment on time following a modification of the contractual terms.

Measurement of expected credit losses

Expected credit losses

- B5.5.28 Expected credit losses are a probability-weighted estimate of credit losses (ie. the present value of all cash shortfalls) over the expected life of the financial instrument. A cash shortfall is the difference between the cash flows that are due to an entity in accordance with the contract and the cash flows that the entity expects to receive. Because expected credit losses consider the amount and timing of payments, a credit loss arises even if the entity expects to be paid in full but later than when contractually due.
- B5.5.29 For financial assets, a credit loss is the present value of the difference between:
- the contractual cash flows that are due to an entity under the contract; and
 - the cash flows that the entity expects to receive.
- B5.5.30 For undrawn loan commitments, a credit loss is the present value of the difference between:
- the contractual cash flows that are due to the entity if the holder of the loan commitment draws down the loan; and
 - the cash flows that the entity expects to receive if the loan is drawn down.
- B5.5.31 An entity's estimate of expected credit losses on loan commitments shall be consistent with its expectations of drawdowns on that loan commitment, ie. it shall consider the expected portion of the loan commitment that will be drawn down within 12 months of the reporting date when estimating 12-month expected credit losses, and the expected portion of the loan commitment that will be drawn down over the expected life of the loan commitment when estimating lifetime expected credit losses.
- B5.5.32 For a financial guarantee contract, the entity is required to make payments only in the event of a default by the debtor in accordance with the terms of the instrument that is guaranteed. Accordingly, cash shortfalls are the expected payments to reimburse the holder for a credit loss that it incurs less any amounts that the entity expects to receive from the holder, the debtor or any other party. If the asset is fully guaranteed, the estimation of cash shortfalls for a financial guarantee contract would be consistent with the estimations of cash shortfalls for the asset subject to the guarantee.
- B5.5.33 For a financial asset that is credit-impaired at the reporting date, but that is not a purchased or originated credit-impaired financial asset, an entity shall measure the expected credit losses as the difference between the asset's gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. Any adjustment is recognised in profit or loss as an impairment gain or loss.
- B5.5.34 When measuring a loss allowance for a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses should be consistent with the cash flows used in measuring the lease receivable in accordance

with Ind AS 17 *Leases*.

- B5.5.35 An entity may use practical expedients when measuring expected credit losses if they are consistent with the principles in paragraph 5.5.17. An example of a practical expedient is the calculation of the expected credit losses on trade receivables using a provision matrix. The entity would use its historical credit loss experience (adjusted as appropriate in accordance with paragraphs B5.5.51–B5.5.52) for trade receivables to estimate the 12-month expected credit losses or the lifetime expected credit losses on the financial assets as relevant. A provision matrix might, for example, specify fixed provision rates depending on the number of days that a trade receivable is past due (for example, 1 per cent if not past due, 2 per cent if less than 30 days past due, 3 per cent if more than 30 days but less than 90 days past due, 20 per cent if 90–180 days past due etc). Depending on the diversity of its customer base, the entity would use appropriate groupings if its historical credit loss experience shows significantly different loss patterns for different customer segments. Examples of criteria that might be used to group assets include geographical region, product type, customer rating, collateral or trade credit insurance and type of customer (such as wholesale or retail).

Definition of default

- B5.5.36 Paragraph 5.5.9 requires that when determining whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly, an entity shall consider the change in the risk of a default occurring since initial recognition.
- B5.5.37 When defining default for the purposes of determining the risk of a default occurring, an entity shall apply a default definition that is consistent with the definition used for internal credit risk management purposes for the relevant financial instrument and consider qualitative indicators (for example, financial covenants) when appropriate. However, there is a rebuttable presumption that default does not occur later than when a financial asset is 90 days past due unless an entity has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate. The definition of default used for these purposes shall be applied consistently to all financial instruments unless information becomes available that demonstrates that another default definition is more appropriate for a particular financial instrument.

Period over which to estimate expected credit losses

- B5.5.38 In accordance with paragraph 5.5.19, the maximum period over which expected credit losses shall be measured is the maximum contractual period over which the entity is exposed to credit risk. For loan commitments and financial guarantee contracts, this is the maximum contractual period over which an entity has a present contractual obligation to extend credit.
- B5.5.39 However, in accordance with paragraph 5.5.20, some financial instruments include both a loan and an undrawn commitment component and the entity's contractual ability to demand repayment and cancel the undrawn commitment does not limit the entity's exposure to credit losses to the contractual notice period. For example, revolving credit facilities, such as credit cards and overdraft facilities, can be contractually withdrawn by the lender with as little as one day's notice. However, in practice lenders continue to extend credit for a longer period and may only withdraw the facility after the credit risk of the borrower increases, which could be too late to prevent some or all of the expected credit losses. These financial instruments generally have the following characteristics as a result of the nature of the financial instrument, the way in which the financial instruments are managed, and the nature of the available information about significant increases in credit risk:
- (a) the financial instruments do not have a fixed term or repayment structure and usually have a short contractual cancellation period (for example, one day);
 - (b) the contractual ability to cancel the contract is not enforced in the normal day-to-day management of the financial instrument and the contract may only be cancelled when the entity becomes aware of an increase in credit risk at the facility level; and
 - (c) the financial instruments are managed on a collective basis.
- B5.5.40 When determining the period over which the entity is expected to be exposed to credit risk, but for which expected credit losses would not be mitigated by the entity's normal credit risk management actions, an entity should consider factors such as historical information and experience about:
- (a) the period over which the entity was exposed to credit risk on similar financial instruments;
 - (b) the length of time for related defaults to occur on similar financial instruments following a significant increase in credit risk; and
 - (c) the credit risk management actions that an entity expects to take once the credit risk on the financial

instrument has increased, such as the reduction or removal of undrawn limits.

Probability-weighted outcome

- B5.5.41 The purpose of estimating expected credit losses is neither to estimate a worst-case scenario nor to estimate the best-case scenario. Instead, an estimate of expected credit losses shall always reflect the possibility that a credit loss occurs and the possibility that no credit loss occurs even if the most likely outcome is no credit loss.
- B5.5.42 Paragraph 5.5.17(a) requires the estimate of expected credit losses to reflect an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes. In practice, this may not need to be a complex analysis. In some cases, relatively simple modelling may be sufficient, without the need for a large number of detailed simulations of scenarios. For example, the average credit losses of a large group of financial instruments with shared risk characteristics may be a reasonable estimate of the probability-weighted amount. In other situations, the identification of scenarios that specify the amount and timing of the cash flows for particular outcomes and the estimated probability of those outcomes will probably be needed. In those situations, the expected credit losses shall reflect at least two outcomes in accordance with paragraph 5.5.18.
- B5.5.43 For lifetime expected credit losses, an entity shall estimate the risk of a default occurring on the financial instrument during its expected life. 12-month expected credit losses are a portion of the lifetime expected credit losses and represent the lifetime cash shortfalls that will result if a default occurs in the 12 months after the reporting date (or a shorter period if the expected life of a financial instrument is less than 12 months), weighted by the probability of that default occurring. Thus, 12-month expected credit losses are neither the lifetime expected credit losses that an entity will incur on financial instruments that it predicts will default in the next 12 months nor the cash shortfalls that are predicted over the next 12 months.

Time value of money

- B5.5.44 Expected credit losses shall be discounted to the reporting date, not to the expected default or some other date, using the effective interest rate determined at initial recognition or an approximation thereof. If a financial instrument has a variable interest rate, expected credit losses shall be discounted using the current effective interest rate determined in accordance with paragraph B5.4.5.
- B5.5.45 For purchased or originated credit-impaired financial assets, expected credit losses shall be discounted using the credit-adjusted effective interest rate determined at initial recognition.
- B5.5.46 Expected credit losses on lease receivables shall be discounted using the same discount rate used in the measurement of the lease receivable in accordance with Ind AS 17.
- B5.5.47 The expected credit losses on a loan commitment shall be discounted using the effective interest rate, or an approximation thereof, that will be applied when recognising the financial asset resulting from the loan commitment. This is because for the purpose of applying the impairment requirements, a financial asset that is recognised following a draw down on a loan commitment shall be treated as a continuation of that commitment instead of as a new financial instrument. The expected credit losses on the financial asset shall therefore be measured considering the initial credit risk of the loan commitment from the date that the entity became a party to the irrevocable commitment.
- B5.5.48 Expected credit losses on financial guarantee contracts or on loan commitments for which the effective interest rate cannot be determined shall be discounted by applying a discount rate that reflects the current market assessment of the time value of money and the risks that are specific to the cash flows but only if, and to the extent that, the risks are taken into account by adjusting the discount rate instead of adjusting the cash shortfalls being discounted.

Reasonable and supportable information

- B5.5.49 For the purpose of this Standard, reasonable and supportable information is that which is reasonably available at the reporting date without undue cost or effort, including information about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions. Information that is available for financial reporting purposes is considered to be available without undue cost or effort.
- B5.5.50 An entity is not required to incorporate forecasts of future conditions over the entire expected life of a financial instrument. The degree of judgement that is required to estimate expected credit losses depends on the availability of detailed information. As the forecast horizon increases, the availability of detailed information decreases and the degree of judgement required to estimate expected credit losses increases. The estimate of expected credit losses does not require a detailed estimate for periods that are far in the future—for such periods, an entity may extrapolate projections from available, detailed information.

- B5.5.51 An entity need not undertake an exhaustive search for information but shall consider all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort and that is relevant to the estimate of expected credit losses, including the effect of expected prepayments. The information used shall include factors that are specific to the borrower, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date. An entity may use various sources of data, that may be both internal (entity-specific) and external. Possible data sources include internal historical credit loss experience, internal ratings, credit loss experience of other entities and external ratings, reports and statistics. Entities that have no, or insufficient, sources of entity-specific data may use peer group experience for the comparable financial instrument (or groups of financial instruments).
- B5.5.52 Historical information is an important anchor or base from which to measure expected credit losses. However, an entity shall adjust historical data, such as credit loss experience, on the basis of current observable data to reflect the effects of the current conditions and its forecasts of future conditions that did not affect the period on which the historical data is based, and to remove the effects of the conditions in the historical period that are not relevant to the future contractual cash flows. In some cases, the best reasonable and supportable information could be the unadjusted historical information, depending on the nature of the historical information and when it was calculated, compared to circumstances at the reporting date and the characteristics of the financial instrument being considered. Estimates of changes in expected credit losses should reflect, and be directionally consistent with, changes in related observable data from period to period (such as changes in unemployment rates, property prices, commodity prices, payment status or other factors that are indicative of credit losses on the financial instrument or in the group of financial instruments and in the magnitude of those changes). An entity shall regularly review the methodology and assumptions used for estimating expected credit losses to reduce any differences between estimates and actual credit loss experience.
- B5.5.53 When using historical credit loss experience in estimating expected credit losses, it is important that information about historical credit loss rates is applied to groups that are defined in a manner that is consistent with the groups for which the historical credit loss rates were observed. Consequently, the method used shall enable each group of financial assets to be associated with information about past credit loss experience in groups of financial assets with similar risk characteristics and with relevant observable data that reflects current conditions.
- B5.5.54 Expected credit losses reflect an entity's own expectations of credit losses. However, when considering all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort in estimating expected credit losses, an entity should also consider observable market information about the credit risk of the particular financial instrument or similar financial instruments.

Collateral

- B5.5.55 For the purposes of measuring expected credit losses, the estimate of expected cash shortfalls shall reflect the cash flows expected from collateral and other credit enhancements that are part of the contractual terms and are not recognised separately by the entity. The estimate of expected cash shortfalls on a collateralised financial instrument reflects the amount and timing of cash flows that are expected from foreclosure on the collateral less the costs of obtaining and selling the collateral, irrespective of whether foreclosure is probable (ie. the estimate of expected cash flows considers the probability of a foreclosure and the cash flows that would result from it). Consequently, any cash flows that are expected from the realisation of the collateral beyond the contractual maturity of the contract should be included in this analysis. Any collateral obtained as a result of foreclosure is not recognised as an asset that is separate from the collateralised financial instrument unless it meets the relevant recognition criteria for an asset in this or other Standards.

Reclassification of financial assets (Section 5.6)

- B5.6.1 If an entity reclassifies financial assets in accordance with paragraph 4.4.1, paragraph 5.6.1 requires that the reclassification is applied prospectively from the reclassification date. Both the amortised cost measurement category and the fair value through other comprehensive income measurement category require that the effective interest rate is determined at initial recognition. Both of those measurement categories also require that the impairment requirements are applied in the same way. Consequently, when an entity reclassifies a financial asset between the amortised cost measurement category and the fair value through other comprehensive income measurement category:
- the recognition of interest revenue will not change and therefore the entity continues to use the same effective interest rate.
 - the measurement of expected credit losses will not change because both measurement categories apply

the same impairment approach. However if a financial asset is reclassified out of the fair value through other comprehensive income measurement category and into the amortised cost measurement category, a loss allowance would be recognised as an adjustment to the gross carrying amount of the financial asset from the reclassification date. If a financial asset is reclassified out of the amortised cost measurement category and into the fair value through other comprehensive income measurement category, the loss allowance would be derecognised (and thus would no longer be recognised as an adjustment to the gross carrying amount) but instead would be recognised as an accumulated impairment amount (of an equal amount) in other comprehensive income and would be disclosed from the reclassification date.

- B5.6.2 However, an entity is not required to separately recognise interest revenue or impairment gains or losses for a financial asset measured at fair value through profit or loss. Consequently, when an entity reclassifies a financial asset out of the fair value through profit or loss measurement category, the effective interest rate is determined on the basis of the fair value of the asset at the reclassification date. In addition, for the purposes of applying Section 5.5 to the financial asset from the reclassification date, the date of the reclassification is treated as the date of initial recognition.

Gains and losses (Section 5.7)

- B5.7.1 Paragraph 5.7.5 permits an entity to make an irrevocable election to present in other comprehensive income changes in the fair value of an investment in an equity instrument that is not held for trading. This election is made on an instrument-by-instrument (ie. share-by-share) basis. Amounts presented in other comprehensive income shall not be subsequently transferred to profit or loss. However, the entity may transfer the cumulative gain or loss within equity. Dividends on such investments are recognised in profit or loss in accordance with paragraph 5.7.6 unless the dividend clearly represents a recovery of part of the cost of the investment.
- B5.7.1A Unless paragraph 4.1.5 applies, paragraph 4.1.2A requires that a financial asset is measured at fair value through other comprehensive income if the contractual terms of the financial asset give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and the asset is held in a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets. This measurement category recognises information in profit or loss as if the financial asset is measured at amortised cost, while the financial asset is measured in the balance sheet at fair value. Gains or losses, other than those that are recognised in profit or loss in accordance with paragraphs 5.7.10–5.7.11, are recognised in other comprehensive income. When these financial assets are derecognised, cumulative gains or losses previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss. This reflects the gain or loss that would have been recognised in profit or loss upon derecognition if the financial asset had been measured at amortised cost.
- B5.7.2 An entity applies Ind AS 21 to financial assets and financial liabilities that are monetary items in accordance with Ind AS 21 and denominated in a foreign currency. Ind AS 21 requires any foreign exchange gains and losses on monetary assets and monetary liabilities to be recognised in profit or loss. An exception is a monetary item that is designated as a hedging instrument in a cash flow hedge (see paragraph 6.5.11), a hedge of a net investment (see paragraph 6.5.13) or a fair value hedge of an equity instrument for which an entity has elected to present changes in fair value in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5 (see paragraph 6.5.8).
- B5.7.2A For the purpose of recognising foreign exchange gains and losses under Ind AS 21, a financial asset measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A is treated as a monetary item. Accordingly, such a financial asset is treated as an asset measured at amortised cost in the foreign currency. Exchange differences on the amortised cost are recognised in profit or loss and other changes in the carrying amount are recognised in accordance with paragraph 5.7.10.
- B5.7.3 Paragraph 5.7.5 permits an entity to make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value of particular investments in equity instruments. Such an investment is not a monetary item. Accordingly, the gain or loss that is presented in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5 includes any related foreign exchange component.
- B5.7.4 If there is a hedging relationship between a non-derivative monetary asset and a non-derivative monetary liability, changes in the foreign currency component of those financial instruments are presented in profit or loss.

Liabilities designated as at fair value through profit or loss

- B5.7.5 When an entity designates a financial liability as at fair value through profit or loss, it must determine

- whether presenting in other comprehensive income the effects of changes in the liability's credit risk would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. An accounting mismatch would be created or enlarged if presenting the effects of changes in the liability's credit risk in other comprehensive income would result in a greater mismatch in profit or loss than if those amounts were presented in profit or loss.
- B5.7.6 To make that determination, an entity must assess whether it expects that the effects of changes in the liability's credit risk will be offset in profit or loss by a change in the fair value of another financial instrument measured at fair value through profit or loss. Such an expectation must be based on an economic relationship between the characteristics of the liability and the characteristics of the other financial instrument.
- B5.7.7 That determination is made at initial recognition and is not reassessed. For practical purposes the entity need not enter into all of the assets and liabilities giving rise to an accounting mismatch at exactly the same time. A reasonable delay is permitted provided that any remaining transactions are expected to occur. An entity must apply consistently its methodology for determining whether presenting in other comprehensive income the effects of changes in the liability's credit risk would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. However, an entity may use different methodologies when there are different economic relationships between the characteristics of the liabilities designated as at fair value through profit or loss and the characteristics of the other financial instruments. Ind AS107 requires an entity to provide qualitative disclosures in the notes to the financial statements about its methodology for making that determination.
- B5.7.8 If such a mismatch would be created or enlarged, the entity is required to present all changes in fair value (including the effects of changes in the credit risk of the liability) in profit or loss. If such a mismatch would not be created or enlarged, the entity is required to present the effects of changes in the liability's credit risk in other comprehensive income.
- B5.7.9 Amounts presented in other comprehensive income shall not be subsequently transferred to profit or loss. However, the entity may transfer the cumulative gain or loss within equity.
- B5.7.10 The following example describes a situation in which an accounting mismatch would be created in profit or loss if the effects of changes in the credit risk of the liability were presented in other comprehensive income. A mortgage bank provides loans to customers and funds those loans by selling bonds with matching characteristics (eg amount outstanding, repayment profile, term and currency) in the market. The contractual terms of the loan permit the mortgage customer to prepay its loan (ie. satisfy its obligation to the bank) by buying the corresponding bond at fair value in the market and delivering that bond to the mortgage bank. As a result of that contractual pre-payment right, if the credit quality of the bond worsens (and, thus, the fair value of the mortgage bank's liability decreases), the fair value of the mortgage bank's loan asset also decreases. The change in the fair value of the asset reflects the mortgage customer's contractual right to prepay the mortgage loan by buying the underlying bond at fair value (which, in this example, has decreased) and delivering the bond to the mortgage bank. Consequently, the effects of changes in the credit risk of the liability (the bond) will be offset in profit or loss by a corresponding change in the fair value of a financial asset (the loan). If the effects of changes in the liability's credit risk were presented in other comprehensive income there would be an accounting mismatch in profit or loss. Consequently, the mortgage bank is required to present all changes in fair value of the liability (including the effects of changes in the liability's credit risk) in profit or loss.
- B5.7.11 In the example in paragraph B5.7.10, there is a contractual linkage between the effects of changes in the credit risk of the liability and changes in the fair value of the financial asset (ie. as a result of the mortgage customer's contractual right to prepay the loan by buying the bond at fair value and delivering the bond to the mortgage bank). However, an accounting mismatch may also occur in the absence of a contractual linkage.
- B5.7.12 For the purposes of applying the requirements in paragraphs 5.7.7 and 5.7.8, an accounting mismatch is not caused solely by the measurement method that an entity uses to determine the effects of changes in a liability's credit risk. An accounting mismatch in profit or loss would arise only when the effects of changes in the liability's credit risk (as defined in Ind AS107) are expected to be offset by changes in the fair value of another financial instrument. A mismatch that arises solely as a result of the measurement method (ie. because an entity does not isolate changes in a liability's credit risk from some other changes in its fair value) does not affect the determination required by paragraphs 5.7.7 and 5.7.8. For example, an entity may not isolate changes in a liability's credit risk from changes in liquidity risk. If the entity presents the combined effect of both factors in other comprehensive income, a mismatch may occur because changes in liquidity risk may be included in the fair value measurement of the entity's financial assets and the entire fair value change of those assets is presented in profit or loss. However, such a mismatch is caused by measurement imprecision, not the offsetting relationship described in paragraph B5.7.6 and, therefore, does

not affect the determination required by paragraphs 5.7.7 and 5.7.8.

The meaning of 'credit risk' (paragraphs 5.7.7 and 5.7.8)

B5.7.13 Ind AS107 defines credit risk as 'the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other party by failing to discharge an obligation'. The requirement in paragraph 5.7.7(a) relates to the risk that the issuer will fail to perform on that particular liability. It does not necessarily relate to the creditworthiness of the issuer. For example, if an entity issues a collateralised liability and a non-collateralised liability that are otherwise identical, the credit risk of those two liabilities will be different, even though they are issued by the same entity. The credit risk on the collateralised liability will be less than the credit risk of the non-collateralised liability. The credit risk for a collateralised liability may be close to zero.

B5.7.14 For the purposes of applying the requirement in paragraph 5.7.7(a), credit risk is different from asset-specific performance risk. Asset-specific performance risk is not related to the risk that an entity will fail to discharge a particular obligation but instead it is related to the risk that a single asset or a group of assets will perform poorly (or not at all).

B5.7.15 The following are examples of asset-specific performance risk:

- (a) a liability with a unit-linking feature whereby the amount due to investors is contractually determined on the basis of the performance of specified assets. The effect of that unit-linking feature on the fair value of the liability is asset-specific performance risk, not credit risk.
- (b) a liability issued by a structured entity with the following characteristics. The entity is legally isolated so the assets in the entity are ring-fenced solely for the benefit of its investors, even in the event of bankruptcy. The entity enters into no other transactions and the assets in the entity cannot be hypothecated. Amounts are due to the entity's investors only if the ring-fenced assets generate cash flows. Thus, changes in the fair value of the liability primarily reflect changes in the fair value of the assets. The effect of the performance of the assets on the fair value of the liability is asset-specific performance risk, not credit risk.

Determining the effects of changes in credit risk

B5.7.16 For the purposes of applying the requirement in paragraph 5.7.7(a), an entity shall determine the amount of change in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability either:

- (a) as the amount of change in its fair value that is not attributable to changes in market conditions that give rise to market risk (see paragraphs B5.7.17 and B5.7.18); or
- (b) using an alternative method the entity believes more faithfully represents the amount of change in the liability's fair value that is attributable to changes in its credit risk.

B5.7.17 Changes in market conditions that give rise to market risk include changes in a benchmark interest rate, the price of another entity's financial instrument, a commodity price, a foreign exchange rate or an index of prices or rates.

B5.7.18 If the only significant relevant changes in market conditions for a liability are changes in an observed (benchmark) interest rate, the amount in paragraph B5.7.16(a) can be estimated as follows:

- (a) First, the entity computes the liability's internal rate of return at the start of the period using the fair value of the liability and the liability's contractual cash flows at the start of the period. It deducts from this rate of return the observed (benchmark) interest rate at the start of the period, to arrive at an instrument-specific component of the internal rate of return.
- (b) Next, the entity calculates the present value of the cash flows associated with the liability using the liability's contractual cash flows at the end of the period and a discount rate equal to the sum of (i) the observed (benchmark) interest rate at the end of the period and (ii) the instrument-specific component of the internal rate of return as determined in (a).
- (c) The difference between the fair value of the liability at the end of the period and the amount determined in (b) is the change in fair value that is not attributable to changes in the observed (benchmark) interest rate. This is the amount to be presented in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.7(a).

B5.7.19 The example in paragraph B5.7.18 assumes that changes in fair value arising from factors other than changes in the instrument's credit risk or changes in observed (benchmark) interest rates are not significant. This

method would not be appropriate if changes in fair value arising from other factors are significant. In those cases, an entity is required to use an alternative method that more faithfully measures the effects of changes in the liability's credit risk (see paragraph B5.7.16(b)). For example, if the instrument in the example contains an embedded derivative, the change in fair value of the embedded derivative is excluded in determining the amount to be presented in other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.7(a).

- B5.7.20 As with all fair value measurements, an entity's measurement method for determining the portion of the change in the liability's fair value that is attributable to changes in its credit risk must make maximum use of relevant observable inputs and minimum use of unobservable inputs.

Hedge accounting (Chapter 6)

Hedging instruments (Section 6.2)

Qualifying instruments

- B6.2.1 Derivatives that are embedded in hybrid contracts, but that are not separately accounted for, cannot be designated as separate hedging instruments.
- B6.2.2 An entity's own equity instruments are not financial assets or financial liabilities of the entity and therefore cannot be designated as hedging instruments.
- B6.2.3 For hedges of foreign currency risk, the foreign currency risk component of a non-derivative financial instrument is determined in accordance with Ind AS 21.

Written options

- B6.2.4 This Standard does not restrict the circumstances in which a derivative that is measured at fair value through profit or loss may be designated as a hedging instrument, except for some written options. A written option does not qualify as a hedging instrument unless it is designated as an offset to a purchased option, including one that is embedded in another financial instrument (for example, a written call option used to hedge a callable liability).

Designation of hedging instruments

- B6.2.5 For hedges other than hedges of foreign currency risk, when an entity designates a non-derivative financial asset or a non-derivative financial liability measured at fair value through profit or loss as a hedging instrument, it may only designate the non-derivative financial instrument in its entirety or a proportion of it.
- B6.2.6 A single hedging instrument may be designated as a hedging instrument of more than one type of risk, provided that there is a specific designation of the hedging instrument and of the different risk positions as hedged items. Those hedged items can be in different hedging relationships.

Hedged items (Section 6.3)

Qualifying items

- B6.3.1 A firm commitment to acquire a business in a business combination cannot be a hedged item, except for foreign currency risk, because the other risks being hedged cannot be specifically identified and measured. Those other risks are general business risks.
- B6.3.2 An equity method investment cannot be a hedged item in a fair value hedge. This is because the equity method recognises in profit or loss the investor's share of the investee's profit or loss, instead of changes in the investment's fair value. For a similar reason, an investment in a consolidated subsidiary cannot be a hedged item in a fair value hedge. This is because consolidation recognises in profit or loss the subsidiary's profit or loss, instead of changes in the investment's fair value. A hedge of a net investment in a foreign operation is different because it is a hedge of the foreign currency exposure, not a fair value hedge of the change in the value of the investment.
- B6.3.3 Paragraph 6.3.4 permits an entity to designate as hedged items aggregated exposures that are a combination of an exposure and a derivative. When designating such a hedged item, an entity assesses whether the aggregated exposure combines an exposure with a derivative so that it creates a different aggregated exposure that is managed as one exposure for a particular risk (or risks). In that case, the entity may designate the hedged item on the basis of the aggregated exposure. For example:
- (a) an entity may hedge a given quantity of highly probable coffee purchases in 15 months' time against price risk (based on US dollars) using a 15-months futures contract for coffee. The highly probable coffee purchases and the futures contract for coffee in combination can be viewed as a 15-months

fixed-amount US dollar foreign currency risk exposure for risk management purposes (ie. like any fixed-amount US dollar cash outflow in 15 months' time).

- (b) an entity may hedge the foreign currency risk for the entire term of a 10-years fixed-rate debt denominated in a foreign currency. However, the entity requires fixed-rate exposure in its functional currency only for a short to medium term (say two years) and floating rate exposure in its functional currency for the remaining term to maturity. At the end of each of the two-year intervals (ie. on a two-years rolling basis) the entity fixes the next two years' interest rate exposure (if the interest level is such that the entity wants to fix interest rates). In such a situation an entity may enter into a 10-years fixed-to-floating cross-currency interest rate swap that swaps the fixed-rate foreign currency debt into a variable-rate functional currency exposure. This is overlaid with a two-year interest rate swap that—on the basis of the functional currency—swaps variable-rate debt into fixed-rate debt. In effect, the fixed-rate foreign currency debt and the 10-years fixed-to-floating cross-currency interest rate swap in combination are viewed as a 10-years variable-rate debt functional currency exposure for risk management purposes.

B6.3.4 When designating the hedged item on the basis of the aggregated exposure, an entity considers the combined effect of the items that constitute the aggregated exposure for the purpose of assessing hedge effectiveness and measuring hedge ineffectiveness. However, the items that constitute the aggregated exposure remain accounted for separately. This means that, for example:

- (a) derivatives that are part of an aggregated exposure are recognised as separate assets or liabilities measured at fair value; and
- (b) if a hedging relationship is designated between the items that constitute the aggregated exposure, the way in which a derivative is included as part of an aggregated exposure must be consistent with the designation of that derivative as the hedging instrument at the level of the aggregated exposure. For example, if an entity excludes the forward element of a derivative from its designation as the hedging instrument for the hedging relationship between the items that constitute the aggregated exposure, it must also exclude the forward element when including that derivative as a hedged item as part of the aggregated exposure. Otherwise, the aggregated exposure shall include a derivative, either in its entirety or a proportion of it.

B6.3.5 Paragraph 6.3.6 states that in consolidated financial statements the foreign currency risk of a highly probable forecast intragroup transaction may qualify as a hedged item in a cash flow hedge, provided that the transaction is denominated in a currency other than the functional currency of the entity entering into that transaction and that the foreign currency risk will affect consolidated profit or loss. For this purpose an entity can be a parent, subsidiary, associate, joint arrangement or branch. If the foreign currency risk of a forecast intragroup transaction does not affect consolidated profit or loss, the intragroup transaction cannot qualify as a hedged item. This is usually the case for royalty payments, interest payments or management charges between members of the same group, unless there is a related external transaction. However, when the foreign currency risk of a forecast intragroup transaction will affect consolidated profit or loss, the intragroup transaction can qualify as a hedged item. An example is forecast sales or purchases of inventories between members of the same group if there is an onward sale of the inventory to a party external to the group. Similarly, a forecast intragroup sale of plant and equipment from the group entity that manufactured it to a group entity that will use the plant and equipment in its operations may affect consolidated profit or loss. This could occur, for example, because the plant and equipment will be depreciated by the purchasing entity and the amount initially recognised for the plant and equipment may change if the forecast intragroup transaction is denominated in a currency other than the functional currency of the purchasing entity.

B6.3.6 If a hedge of a forecast intragroup transaction qualifies for hedge accounting, any gain or loss is recognised in, and taken out of, other comprehensive income in accordance with paragraph 6.5.11. The relevant period or periods during which the foreign currency risk of the hedged transaction affects profit or loss is when it affects consolidated profit or loss.

Designation of hedged items

B6.3.7 A component is a hedged item that is less than the entire item. Consequently, a component reflects only some of the risks of the item of which it is a part or reflects the risks only to some extent (for example, when designating a proportion of an item).

Risk components

B6.3.8 To be eligible for designation as a hedged item, a risk component must be a separately identifiable

component of the financial or the non-financial item, and the changes in the cash flows or the fair value of the item attributable to changes in that risk component must be reliably measurable.

B6.3.9 When identifying what risk components qualify for designation as a hedged item, an entity assesses such risk components within the context of the particular market structure to which the risk or risks relate and in which the hedging activity takes place. Such a determination requires an evaluation of the relevant facts and circumstances, which differ by risk and market.

B6.3.10 When designating risk components as hedged items, an entity considers whether the risk components are explicitly specified in a contract (contractually specified risk components) or whether they are implicit in the fair value or the cash flows of an item of which they are a part (non-contractually specified risk components). Non-contractually specified risk components can relate to items that are not a contract (for example, forecast transactions) or contracts that do not explicitly specify the component (for example, a firm commitment that includes only one single price instead of a pricing formula that references different underlyings). For example:

- (a) Entity A has a long-term supply contract for natural gas that is priced using a contractually specified formula that references commodities and other factors (for example, gas oil, fuel oil and other components such as transport charges). Entity A hedges the gas oil component in that supply contract using a gas oil forward contract. Because the gas oil component is specified by the terms and conditions of the supply contract it is a contractually specified risk component. Hence, because of the pricing formula, Entity A concludes that the gas oil price exposure is separately identifiable. At the same time, there is a market for gas oil forward contracts. Hence, Entity A concludes that the gas oil price exposure is reliably measurable. Consequently, the gas oil price exposure in the supply contract is a risk component that is eligible for designation as a hedged item.
- (b) Entity B hedges its future coffee purchases based on its production forecast. Hedging starts up to 15 months before delivery for part of the forecast purchase volume. Entity B increases the hedged volume over time (as the delivery date approaches). Entity B uses two different types of contracts to manage its coffee price risk:
 - (i) exchange-traded coffee futures contracts; and
 - (ii) coffee supply contracts for Arabica coffee from Colombia delivered to a specific manufacturing site. These contracts price a tonne of coffee based on the exchange-traded coffee futures contract price plus a fixed price differential plus a variable logistics services charge using a pricing formula. The coffee supply contract is an executory contract in accordance with which Entity B takes actual delivery of coffee.

For deliveries that relate to the current harvest, entering into the coffee supply contracts allows Entity B to fix the price differential between the actual coffee quality purchased (Arabica coffee from Colombia) and the benchmark quality that is the underlying of the exchange-traded futures contract. However, for deliveries that relate to the next harvest, the coffee supply contracts are not yet available, so the price differential cannot be fixed. Entity B uses exchange-traded coffee futures contracts to hedge the benchmark quality component of its coffee price risk for deliveries that relate to the current harvest as well as the next harvest. Entity B determines that it is exposed to three different risks: coffee price risk reflecting the benchmark quality, coffee price risk reflecting the difference (spread) between the price for the benchmark quality coffee and the particular Arabica coffee from Colombia that it actually receives, and the variable logistics costs. For deliveries related to the current harvest, after Entity B enters into a coffee supply contract, the coffee price risk reflecting the benchmark quality is a contractually specified risk component because the pricing formula includes an indexation to the exchange-traded coffee futures contract price. Entity B concludes that this risk component is separately identifiable and reliably measurable. For deliveries related to the next harvest, Entity B has not yet entered into any coffee supply contracts (ie. those deliveries are forecast transactions). Hence, the coffee price risk reflecting the benchmark quality is a non-contractually specified risk component. Entity B's analysis of the market structure takes into account how eventual deliveries of the particular coffee that it receives are priced. Hence, on the basis of this analysis of the market structure, Entity B concludes that the forecast transactions also involve the coffee price risk that reflects the benchmark quality as a risk component that is separately identifiable and reliably measurable even though it is not contractually specified. Consequently, Entity B may designate hedging

relationships on a risk components basis (for the coffee price risk that reflects the benchmark quality) for coffee supply contracts as well as forecast transactions.

- (c) Entity C hedges part of its future jet fuel purchases on the basis of its consumption forecast up to 24 months before delivery and increases the volume that it hedges over time. Entity C hedges this exposure using different types of contracts depending on the time horizon of the hedge, which affects the market liquidity of the derivatives. For the longer time horizons (12–24 months) Entity C uses crude oil contracts because only these have sufficient market liquidity. For time horizons of 6–12 months Entity C uses gas oil derivatives because they are sufficiently liquid. For time horizons up to six months Entity C uses jet fuel contracts. Entity C's analysis of the market structure for oil and oil products and its evaluation of the relevant facts and circumstances is as follows:
- (i) Entity C operates in a geographical area in which Brent is the crude oil benchmark. Crude oil is a raw material benchmark that affects the price of various refined oil products as their most basic input. Gas oil is a benchmark for refined oil products, which is used as a pricing reference for oil distillates more generally. This is also reflected in the types of derivative financial instruments for the crude oil and refined oil products markets of the environment in which Entity C operates, such as:
 - the benchmark crude oil futures contract, which is for Brent crude oil;
 - the benchmark gas oil futures contract, which is used as the pricing reference for distillates—for example, jet fuel spread derivatives cover the price differential between jet fuel and that benchmark gas oil; and
 - the benchmark gas oil crack spread derivative (ie. the derivative for the price differential between crude oil and gas oil—a refining margin), which is indexed to Brent crude oil.
 - (ii) the pricing of refined oil products does not depend on which particular crude oil is processed by a particular refinery because those refined oil products (such as gas oil or jet fuel) are standardised products.

Hence, Entity C concludes that the price risk of its jet fuel purchases includes a crude oil price risk component based on Brent crude oil and a gas oil price risk component, even though crude oil and gas oil are not specified in any contractual arrangement. Entity C concludes that these two risk components are separately identifiable and reliably measurable even though they are not contractually specified. Consequently, Entity C may designate hedging relationships for forecast jet fuel purchases on a risk components basis (for crude oil or gas oil). This analysis also means that if, for example, Entity C used crude oil derivatives based on West Texas Intermediate (WTI) crude oil, changes in the price differential between Brent crude oil and WTI crude oil would cause hedge ineffectiveness.

- (d) Entity D holds a fixed-rate debt instrument. This instrument is issued in an environment with a market in which a large variety of similar debt instruments are compared by their spreads to a benchmark rate (for example, LIBOR) and variable-rate instruments in that environment are typically indexed to that benchmark rate. Interest rate swaps are frequently used to manage interest rate risk on the basis of that benchmark rate, irrespective of the spread of debt instruments to that benchmark rate. The price of fixed-rate debt instruments varies directly in response to changes in the benchmark rate as they happen. Entity D concludes that the benchmark rate is a component that can be separately identified and reliably measured. Consequently, Entity D may designate hedging relationships for the fixed-rate debt instrument on a risk component basis for the benchmark interest rate risk.

B6.3.11 When designating a risk component as a hedged item, the hedge accounting requirements apply to that risk component in the same way as they apply to other hedged items that are not risk components. For example, the qualifying criteria apply, including that the hedging relationship must meet the hedge effectiveness requirements, and any hedge ineffectiveness must be measured and recognised.

B6.3.12 An entity can also designate only changes in the cash flows or fair value of a hedged item above or below a specified price or other variable (a 'one-sided risk'). The intrinsic value of a purchased option hedging instrument (assuming that it has the same principal terms as the designated risk), but not its time value, reflects a one-sided risk in a hedged item. For example, an entity can designate the variability of future cash flow outcomes resulting from a price increase of a forecast commodity purchase. In such a situation, the entity designates only cash flow losses that result from an increase in the price above the specified level. The hedged risk does not include the time value of a purchased option, because the time value is not a component of the forecast transaction that affects profit or loss.

- B6.3.13 There is a rebuttable presumption that unless inflation risk is contractually specified, it is not separately identifiable and reliably measurable and hence cannot be designated as a risk component of a financial instrument. However, in limited cases, it is possible to identify a risk component for inflation risk that is separately identifiable and reliably measurable because of the particular circumstances of the inflation environment and the relevant debt market.
- B6.3.14 For example, an entity issues debt in an environment in which inflation-linked bonds have a volume and term structure that results in a sufficiently liquid market that allows constructing a term structure of zero-coupon real interest rates. This means that for the respective currency, inflation is a relevant factor that is separately considered by the debt markets. In those circumstances the inflation risk component could be determined by discounting the cash flows of the hedged debt instrument using the term structure of zero-coupon real interest rates (ie. in a manner similar to how a risk-free (nominal) interest rate component can be determined). Conversely, in many cases an inflation risk component is not separately identifiable and reliably measurable. For example, an entity issues only nominal interest rate debt in an environment with a market for inflation-linked bonds that is not sufficiently liquid to allow a term structure of zero-coupon real interest rates to be constructed. In this case the analysis of the market structure and of the facts and circumstances does not support the entity concluding that inflation is a relevant factor that is separately considered by the debt markets. Hence, the entity cannot overcome the rebuttable presumption that inflation risk that is not contractually specified is not separately identifiable and reliably measurable. Consequently, an inflation risk component would not be eligible for designation as the hedged item. This applies irrespective of any inflation hedging instrument that the entity has actually entered into. In particular, the entity cannot simply impute the terms and conditions of the actual inflation hedging instrument by projecting its terms and conditions onto the nominal interest rate debt.
- B6.3.15 A contractually specified inflation risk component of the cash flows of a recognised inflation-linked bond (assuming that there is no requirement to account for an embedded derivative separately) is separately identifiable and reliably measurable, as long as other cash flows of the instrument are not affected by the inflation risk component.

Components of a nominal amount

- B6.3.16 There are two types of components of nominal amounts that can be designated as the hedged item in a hedging relationship: a component that is a proportion of an entire item or a layer component. The type of component changes the accounting outcome. An entity shall designate the component for accounting purposes consistently with its risk management objective.
- B6.3.17 An example of a component that is a proportion is 50 per cent of the contractual cash flows of a loan.
- B6.3.18 A layer component may be specified from a defined, but open, population, or from a defined nominal amount. Examples include:
- part of a monetary transaction volume, for example, the next FC10 cash flows from sales denominated in a foreign currency after the first FC20 in March 201X;³
 - a part of a physical volume, for example, the bottom layer, measuring 5 million cubic metres, of the natural gas stored in location XYZ;
 - a part of a physical or other transaction volume, for example, the first 100 barrels of the oil purchases in June 201X or the first 100 MWh of electricity sales in June 201X; or
 - a layer from the nominal amount of the hedged item, for example, the last Rs.80 million of a Rs.100 million firm commitment, the bottom layer of Rs.20 million of a Rs.100 million fixed-rate bond or the top layer of Rs.30 million from a total amount of Rs.100 million of fixed-rate debt that can be prepaid at fair value (the defined nominal amount is Rs.100 million).
- B6.3.19 If a layer component is designated in a fair value hedge, an entity shall specify it from a defined nominal amount. To comply with the requirements for qualifying fair value hedges, an entity shall remeasure the hedged item for fair value changes (ie. remeasure the item for fair value changes attributable to the hedged risk). The fair value hedge adjustment must be recognised in profit or loss no later than when the item is derecognised. Consequently, it is necessary to track the item to which the fair value hedge adjustment relates. For a layer component in a fair value hedge, this requires an entity to track the nominal amount from which it is defined. For example, in paragraph B6.3.18(d), the total defined nominal amount of Rs.100 million must be tracked in order to track the bottom layer of Rs.20 million or the top layer of Rs.30 million.

³In this Standard monetary amounts are denominated in 'Indian Rupees' (Rs.) and 'foreign currency units' (FC).

- B6.3.20 A layer component that includes a prepayment option is not eligible to be designated as a hedged item in a fair value hedge if the prepayment option's fair value is affected by changes in the hedged risk, unless the designated layer includes the effect of the related prepayment option when determining the change in the fair value of the hedged item.

Relationship between components and the total cash flows of an item

- B6.3.21 If a component of the cash flows of a financial or a non-financial item is designated as the hedged item, that component must be less than or equal to the total cash flows of the entire item. However, all of the cash flows of the entire item may be designated as the hedged item and hedged for only one particular risk (for example, only for those changes that are attributable to changes in LIBOR or a benchmark commodity price).
- B6.3.22 For example, in the case of a financial liability whose effective interest rate is below LIBOR, an entity cannot designate:
- a component of the liability equal to interest at LIBOR (plus the principal amount in case of a fair value hedge); and
 - a negative residual component.
- B6.3.23 However, in the case of a fixed-rate financial liability whose effective interest rate is (for example) 100 basis points below LIBOR, an entity can designate as the hedged item the change in the value of that entire liability (ie. principal plus interest at LIBOR minus 100 basis points) that is attributable to changes in LIBOR. If a fixed-rate financial instrument is hedged some time after its origination and interest rates have changed in the meantime, the entity can designate a risk component equal to a benchmark rate that is higher than the contractual rate paid on the item. The entity can do so provided that the benchmark rate is less than the effective interest rate calculated on the assumption that the entity had purchased the instrument on the day when it first designates the hedged item. For example, assume that an entity originates a fixed-rate financial asset of Rs.100 that has an effective interest rate of 6 per cent at a time when LIBOR is 4 per cent. It begins to hedge that asset some time later when LIBOR has increased to 8 per cent and the fair value of the asset has decreased to Rs.90. The entity calculates that if it had purchased the asset on the date it first designates the related LIBOR interest rate risk as the hedged item, the effective yield of the asset based on its then fair value of Rs.90 would have been 9.5 per cent. Because LIBOR is less than this effective yield, the entity can designate a LIBOR component of 8 per cent that consists partly of the contractual interest cash flows and partly of the difference between the current fair value (ieRs.90) and the amount repayable on maturity (ieRs.100).
- B6.3.24 If a variable-rate financial liability bears interest of (for example) three-month LIBOR minus 20 basis points (with a floor at zero basis points), an entity can designate as the hedged item the change in the cash flows of that entire liability (ie. three-month LIBOR minus 20 basis points—including the floor) that is attributable to changes in LIBOR. Hence, as long as the three-month LIBOR forward curve for the remaining life of that liability does not fall below 20 basis points, the hedged item has the same cash flow variability as a liability that bears interest at three-month LIBOR with a zero or positive spread. However, if the three-month LIBOR forward curve for the remaining life of that liability (or a part of it) falls below 20 basis points, the hedged item has a lower cash flow variability than a liability that bears interest at three-month LIBOR with a zero or positive spread.
- B6.3.25 A similar example of a non-financial item is a specific type of crude oil from a particular oil field that is priced off the relevant benchmark crude oil. If an entity sells that crude oil under a contract using a contractual pricing formula that sets the price per barrel at the benchmark crude oil price minus Rs.10 with a floor of Rs.15, the entity can designate as the hedged item the entire cash flow variability under the sales contract that is attributable to the change in the benchmark crude oil price. However, the entity cannot designate a component that is equal to the full change in the benchmark crude oil price. Hence, as long as the forward price (for each delivery) does not fall below Rs.25, the hedged item has the same cash flow variability as a crude oil sale at the benchmark crude oil price (or with a positive spread). However, if the forward price for any delivery falls below Rs.25, the hedged item has a lower cash flow variability than a crude oil sale at the benchmark crude oil price (or with a positive spread).

Qualifying criteria for hedge accounting (Section 6.4)

Hedge effectiveness

- B6.4.1 Hedge effectiveness is the extent to which changes in the fair value or the cash flows of the hedging instrument offset changes in the fair value or the cash flows of the hedged item (for example, when the hedged item is a risk component, the relevant change in fair value or cash flows of an item is the one that is

attributable to the hedged risk). Hedge ineffectiveness is the extent to which the changes in the fair value or the cash flows of the hedging instrument are greater or less than those on the hedged item.

- B6.4.2 When designating a hedging relationship and on an ongoing basis, an entity shall analyse the sources of hedge ineffectiveness that are expected to affect the hedging relationship during its term. This analysis (including any updates in accordance with paragraph B6.5.21 arising from rebalancing a hedging relationship) is the basis for the entity's assessment of meeting the hedge effectiveness requirements.
- B6.4.3 For the avoidance of doubt, the effects of replacing the original counterparty with a clearing counterparty and making the associated changes as described in paragraph 6.5.6 shall be reflected in the measurement of the hedging instrument and therefore in the assessment of hedge effectiveness and the measurement of hedge effectiveness.

Economic relationship between the hedged item and the hedging instrument

- B6.4.4 The requirement that an economic relationship exists means that the hedging instrument and the hedged item have values that generally move in the opposite direction because of the same risk, which is the hedged risk. Hence, there must be an expectation that the value of the hedging instrument and the value of the hedged item will systematically change in response to movements in either the same underlying or underlyings that are economically related in such a way that they respond in a similar way to the risk that is being hedged (for example, Brent and WTI crude oil).
- B6.4.5 If the underlyings are not the same but are economically related, there can be situations in which the values of the hedging instrument and the hedged item move in the same direction, for example, because the price differential between the two related underlyings changes while the underlyings themselves do not move significantly. That is still consistent with an economic relationship between the hedging instrument and the hedged item if the values of the hedging instrument and the hedged item are still expected to typically move in the opposite direction when the underlyings move.
- B6.4.6 The assessment of whether an economic relationship exists includes an analysis of the possible behaviour of the hedging relationship during its term to ascertain whether it can be expected to meet the risk management objective. The mere existence of a statistical correlation between two variables does not, by itself, support a valid conclusion that an economic relationship exists.

The effect of credit risk

- B6.4.7 Because the hedge accounting model is based on a general notion of offset between gains and losses on the hedging instrument and the hedged item, hedge effectiveness is determined not only by the economic relationship between those items (ie. the changes in their underlyings) but also by the effect of credit risk on the value of both the hedging instrument and the hedged item. The effect of credit risk means that even if there is an economic relationship between the hedging instrument and the hedged item, the level of offset might become erratic. This can result from a change in the credit risk of either the hedging instrument or the hedged item that is of such a magnitude that the credit risk dominates the value changes that result from the economic relationship (ie. the effect of the changes in the underlyings). A level of magnitude that gives rise to dominance is one that would result in the loss (or gain) from credit risk frustrating the effect of changes in the underlyings on the value of the hedging instrument or the hedged item, even if those changes were significant. Conversely, if during a particular period there is little change in the underlyings, the fact that even small credit risk-related changes in the value of the hedging instrument or the hedged item might affect the value more than the underlyings does not create dominance.
- B6.4.8 An example of credit risk dominating a hedging relationship is when an entity hedges an exposure to commodity price risk using an uncollateralised derivative. If the counterparty to that derivative experiences a severe deterioration in its credit standing, the effect of the changes in the counterparty's credit standing might outweigh the effect of changes in the commodity price on the fair value of the hedging instrument, whereas changes in the value of the hedged item depend largely on the commodity price changes.

Hedge ratio

- B6.4.9 In accordance with the hedge effectiveness requirements, the hedge ratio of the hedging relationship must be the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the entity actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the entity actually uses to hedge that quantity of hedged item. Hence, if an entity hedges less than 100 per cent of the exposure on an item, such as 85 per cent, it shall designate the hedging relationship using a hedge ratio that is the same as that resulting from 85 per cent of the exposure and the quantity of the hedging instrument that the entity actually uses to hedge those 85 per cent. Similarly, if, for example, an entity hedges an exposure using a nominal amount of 40 units of a financial

instrument, it shall designate the hedging relationship using a hedge ratio that is the same as that resulting from that quantity of 40 units (ie. the entity must not use a hedge ratio based on a higher quantity of units that it might hold in total or a lower quantity of units) and the quantity of the hedged item that it actually hedges with those 40 units.

B6.4.10 However, the designation of the hedging relationship using the same hedge ratio as that resulting from the quantities of the hedged item and the hedging instrument that the entity actually uses shall not reflect an imbalance between the weightings of the hedged item and the hedging instrument that would in turn create hedge ineffectiveness (irrespective of whether recognised or not) that could result in an accounting outcome that would be inconsistent with the purpose of hedge accounting. Hence, for the purpose of designating a hedging relationship, an entity must adjust the hedge ratio that results from the quantities of the hedged item and the hedging instrument that the entity actually uses if that is needed to avoid such an imbalance.

B6.4.11 Examples of relevant considerations in assessing whether an accounting outcome is inconsistent with the purpose of hedge accounting are:

- (a) whether the intended hedge ratio is established to avoid recognising hedge ineffectiveness for cash flow hedges, or to achieve fair value hedge adjustments for more hedged items with the aim of increasing the use of fair value accounting, but without offsetting fair value changes of the hedging instrument; and
- (b) whether there is a commercial reason for the particular weightings of the hedged item and the hedging instrument, even though that creates hedge ineffectiveness. For example, an entity enters into and designates a quantity of the hedging instrument that is not the quantity that it determined as the best hedge of the hedged item because the standard volume of the hedging instruments does not allow it to enter into that exact quantity of hedging instrument (a 'lot size issue'). An example is an entity that hedges 100 tonnes of coffee purchases with standard coffee futures contracts that have a contract size of 37,500 lbs (pounds). The entity could only use either five or six contracts (equivalent to 85.0 and 102.1 tonnes respectively) to hedge the purchase volume of 100 tonnes. In that case, the entity designates the hedging relationship using the hedge ratio that results from the number of coffee futures contracts that it actually uses, because the hedge ineffectiveness resulting from the mismatch in the weightings of the hedged item and the hedging instrument would not result in an accounting outcome that is inconsistent with the purpose of hedge accounting.

Frequency of assessing whether the hedge effectiveness requirements are met

B6.4.12 An entity shall assess at the inception of the hedging relationship, and on an ongoing basis, whether a hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements. At a minimum, an entity shall perform the ongoing assessment at each reporting date or upon a significant change in the circumstances affecting the hedge effectiveness requirements, whichever comes first. The assessment relates to expectations about hedge effectiveness and is therefore only forward-looking.

Methods for assessing whether the hedge effectiveness requirements are met

B6.4.13 This Standard does not specify a method for assessing whether a hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements. However, an entity shall use a method that captures the relevant characteristics of the hedging relationship including the sources of hedge ineffectiveness. Depending on those factors, the method can be a qualitative or a quantitative assessment.

B6.4.14 For example, when the critical terms (such as the nominal amount, maturity and underlying) of the hedging instrument and the hedged item match or are closely aligned, it might be possible for an entity to conclude on the basis of a qualitative assessment of those critical terms that the hedging instrument and the hedged item have values that will generally move in the opposite direction because of the same risk and hence that an economic relationship exists between the hedged item and the hedging instrument (see paragraphs B6.4.4–B6.4.6).

B6.4.15 The fact that a derivative is in or out of the money when it is designated as a hedging instrument does not in itself mean that a qualitative assessment is inappropriate. It depends on the circumstances whether hedge ineffectiveness arising from that fact could have a magnitude that a qualitative assessment would not adequately capture.

B6.4.16 Conversely, if the critical terms of the hedging instrument and the hedged item are not closely aligned, there is an increased level of uncertainty about the extent of offset. Consequently, the hedge effectiveness during the term of the hedging relationship is more difficult to predict. In such a situation it might only be possible for an entity to conclude on the basis of a quantitative assessment that an economic relationship exists

between the hedged item and the hedging instrument (see paragraphs B6.4.4–B6.4.6). In some situations a quantitative assessment might also be needed to assess whether the hedge ratio used for designating the hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements (see paragraphs B6.4.9–B6.4.11). An entity can use the same or different methods for those two different purposes.

- B6.4.17 If there are changes in circumstances that affect hedge effectiveness, an entity may have to change the method for assessing whether a hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements in order to ensure that the relevant characteristics of the hedging relationship, including the sources of hedge ineffectiveness, are still captured.
- B6.4.18 An entity's risk management is the main source of information to perform the assessment of whether a hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements. This means that the management information (or analysis) used for decision-making purposes can be used as a basis for assessing whether a hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements.
- B6.4.19 An entity's documentation of the hedging relationship includes how it will assess the hedge effectiveness requirements, including the method or methods used. The documentation of the hedging relationship shall be updated for any changes to the methods (see paragraph B6.4.17).

Accounting for qualifying hedging relationships (Section 6.5)

- B6.5.1 An example of a fair value hedge is a hedge of exposure to changes in the fair value of a fixed-rate debt instrument arising from changes in interest rates. Such a hedge could be entered into by the issuer or by the holder.
- B6.5.2 The purpose of a cash flow hedge is to defer the gain or loss on the hedging instrument to a period or periods in which the hedged expected future cash flows affect profit or loss. An example of a cash flow hedge is the use of a swap to change floating rate debt (whether measured at amortised cost or fair value) to fixed-rate debt (ie. a hedge of a future transaction in which the future cash flows being hedged are the future interest payments). Conversely, a forecast purchase of an equity instrument that, once acquired, will be accounted for at fair value through profit or loss, is an example of an item that cannot be the hedged item in a cash flow hedge, because any gain or loss on the hedging instrument that would be deferred could not be appropriately reclassified to profit or loss during a period in which it would achieve offset. For the same reason, a forecast purchase of an equity instrument that, once acquired, will be accounted for at fair value with changes in fair value presented in other comprehensive income also cannot be the hedged item in a cash flow hedge.
- B6.5.3 A hedge of a firm commitment (for example, a hedge of the change in fuel price relating to an unrecognised contractual commitment by an electric utility to purchase fuel at a fixed price) is a hedge of an exposure to a change in fair value. Accordingly, such a hedge is a fair value hedge. However, in accordance with paragraph 6.5.4, a hedge of the foreign currency risk of a firm commitment could alternatively be accounted for as a cash flow hedge.

Measurement of hedge ineffectiveness

- B6.5.4 When measuring hedge ineffectiveness, an entity shall consider the time value of money. Consequently, the entity determines the value of the hedged item on a present value basis and therefore the change in the value of the hedged item also includes the effect of the time value of money.
- B6.5.5 To calculate the change in the value of the hedged item for the purpose of measuring hedge ineffectiveness, an entity may use a derivative that would have terms that match the critical terms of the hedged item (this is commonly referred to as a 'hypothetical derivative'), and, for example for a hedge of a forecast transaction, would be calibrated using the hedged price (or rate) level. For example, if the hedge was for a two-sided risk at the current market level, the hypothetical derivative would represent a hypothetical forward contract that is calibrated to a value of nil at the time of designation of the hedging relationship. If the hedge was for example for a one-sided risk, the hypothetical derivative would represent the intrinsic value of a hypothetical option that at the time of designation of the hedging relationship is at the money if the hedged price level is the current market level, or out of the money if the hedged price level is above (or, for a hedge of a long position, below) the current market level. Using a hypothetical derivative is one possible way of calculating the change in the value of the hedged item. The hypothetical derivative replicates the hedged item and hence results in the same outcome as if that change in value was determined by a different approach. Hence, using a 'hypothetical derivative' is not a method in its own right but a mathematical expedient that can only be used to calculate the value of the hedged item. Consequently, a 'hypothetical derivative' cannot be used to include features in the value of the hedged item that only exist in the hedging instrument (but not in the hedged item). An example is debt denominated in a foreign currency (irrespective of whether it is fixed-rate

or variable-rate debt). When using a hypothetical derivative to calculate the change in the value of such debt or the present value of the cumulative change in its cash flows, the hypothetical derivative cannot simply impute a charge for exchanging different currencies even though actual derivatives under which different currencies are exchanged might include such a charge (for example, cross-currency interest rate swaps).

- B6.5.6 The change in the value of the hedged item determined using a hypothetical derivative may also be used for the purpose of assessing whether a hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements.

Rebalancing the hedging relationship and changes to the hedge ratio

- B6.5.7 Rebalancing refers to the adjustments made to the designated quantities of the hedged item or the hedging instrument of an already existing hedging relationship for the purpose of maintaining a hedge ratio that complies with the hedge effectiveness requirements. Changes to designated quantities of a hedged item or of a hedging instrument for a different purpose do not constitute rebalancing for the purpose of this Standard.

- B6.5.8 Rebalancing is accounted for as a continuation of the hedging relationship in accordance with paragraphs B6.5.9–B6.5.21. On rebalancing, the hedge ineffectiveness of the hedging relationship is determined and recognised immediately before adjusting the hedging relationship.

- B6.5.9 Adjusting the hedge ratio allows an entity to respond to changes in the relationship between the hedging instrument and the hedged item that arise from their underlyings or risk variables. For example, a hedging relationship in which the hedging instrument and the hedged item have different but related underlyings changes in response to a change in the relationship between those two underlyings (for example, different but related reference indices, rates or prices). Hence, rebalancing allows the continuation of a hedging relationship in situations in which the relationship between the hedging instrument and the hedged item changes in a way that can be compensated for by adjusting the hedge ratio.

- B6.5.10 For example, an entity hedges an exposure to Foreign Currency A using a currency derivative that references Foreign Currency B and Foreign Currencies A and B are pegged (ie. their exchange rate is maintained within a band or at an exchange rate set by a central bank or other authority). If the exchange rate between Foreign Currency A and Foreign Currency B were changed (ie. a new band or rate was set), rebalancing the hedging relationship to reflect the new exchange rate would ensure that the hedging relationship would continue to meet the hedge effectiveness requirement for the hedge ratio in the new circumstances. In contrast, if there was a default on the currency derivative, changing the hedge ratio could not ensure that the hedging relationship would continue to meet that hedge effectiveness requirement. Hence, rebalancing does not facilitate the continuation of a hedging relationship in situations in which the relationship between the hedging instrument and the hedged item changes in a way that cannot be compensated for by adjusting the hedge ratio.

- B6.5.11 Not every change in the extent of offset between the changes in the fair value of the hedging instrument and the hedged item's fair value or cash flows constitutes a change in the relationship between the hedging instrument and the hedged item. An entity analyses the sources of hedge ineffectiveness that it expected to affect the hedging relationship during its term and evaluates whether changes in the extent of offset are:

- (a) fluctuations around the hedge ratio, which remains valid (ie. continues to appropriately reflect the relationship between the hedging instrument and the hedged item); or
- (b) an indication that the hedge ratio no longer appropriately reflects the relationship between the hedging instrument and the hedged item.

An entity performs this evaluation against the hedge effectiveness requirement for the hedge ratio, ie to ensure that the hedging relationship does not reflect an imbalance between the weightings of the hedged item and the hedging instrument that would create hedge ineffectiveness (irrespective of whether recognised or not) that could result in an accounting outcome that would be inconsistent with the purpose of hedge accounting. Hence, this evaluation requires judgement.

- B6.5.12 Fluctuation around a constant hedge ratio (and hence the related hedge ineffectiveness) cannot be reduced by adjusting the hedge ratio in response to each particular outcome. Hence, in such circumstances, the change in the extent of offset is a matter of measuring and recognising hedge ineffectiveness but does not require rebalancing.

- B6.5.13 Conversely, if changes in the extent of offset indicate that the fluctuation is around a hedge ratio that is different from the hedge ratio that is currently used for that hedging relationship, or that there is a trend leading away from that hedge ratio, hedge ineffectiveness can be reduced by adjusting the hedge ratio, whereas retaining the hedge ratio would increasingly produce hedge ineffectiveness. Hence, in such circumstances, an entity must evaluate whether the hedging relationship reflects an imbalance between the

weightings of the hedged item and the hedging instrument that would create hedge ineffectiveness (irrespective of whether recognised or not) that could result in an accounting outcome that would be inconsistent with the purpose of hedge accounting. If the hedge ratio is adjusted, it also affects the measurement and recognition of hedge ineffectiveness because, on rebalancing, the hedge ineffectiveness of the hedging relationship must be determined and recognised immediately before adjusting the hedging relationship in accordance with paragraph B6.5.8.

B6.5.14 Rebalancing means that, for hedge accounting purposes, after the start of a hedging relationship an entity adjusts the quantities of the hedging instrument or the hedged item in response to changes in circumstances that affect the hedge ratio of that hedging relationship. Typically, that adjustment should reflect adjustments in the quantities of the hedging instrument and the hedged item that it actually uses. However, an entity must adjust the hedge ratio that results from the quantities of the hedged item or the hedging instrument that it actually uses if:

- (a) the hedge ratio that results from changes to the quantities of the hedging instrument or the hedged item that the entity actually uses would reflect an imbalance that would create hedge ineffectiveness that could result in an accounting outcome that would be inconsistent with the purpose of hedge accounting; or
- (b) an entity would retain quantities of the hedging instrument and the hedged item that it actually uses, resulting in a hedge ratio that, in new circumstances, would reflect an imbalance that would create hedge ineffectiveness that could result in an accounting outcome that would be inconsistent with the purpose of hedge accounting (ie. an entity must not create an imbalance by omitting to adjust the hedge ratio).

B6.5.15 Rebalancing does not apply if the risk management objective for a hedging relationship has changed. Instead, hedge accounting for that hedging relationship shall be discontinued (despite that an entity might designate a new hedging relationship that involves the hedging instrument or hedged item of the previous hedging relationship as described in paragraph B6.5.28).

B6.5.16 If a hedging relationship is rebalanced, the adjustment to the hedge ratio can be effected in different ways:

- (a) the weighting of the hedged item can be increased (which at the same time reduces the weighting of the hedging instrument) by:
 - (i) increasing the volume of the hedged item; or
 - (ii) decreasing the volume of the hedging instrument.
- (b) the weighting of the hedging instrument can be increased (which at the same time reduces the weighting of the hedged item) by:
 - (i) increasing the volume of the hedging instrument; or
 - (ii) decreasing the volume of the hedged item.

Changes in volume refer to the quantities that are part of the hedging relationship. Hence, decreases in volumes do not necessarily mean that the items or transactions no longer exist, or are no longer expected to occur, but that they are not part of the hedging relationship. For example, decreasing the volume of the hedging instrument can result in the entity retaining a derivative, but only part of it might remain a hedging instrument of the hedging relationship. This could occur if the rebalancing could be effected only by reducing the volume of the hedging instrument in the hedging relationship, but with the entity retaining the volume that is no longer needed. In that case, the undesignated part of the derivative would be accounted for at fair value through profit or loss (unless it was designated as a hedging instrument in a different hedging relationship).

B6.5.17 Adjusting the hedge ratio by increasing the volume of the hedged item does not affect how the changes in the fair value of the hedging instrument are measured. The measurement of the changes in the value of the hedged item related to the previously designated volume also remains unaffected. However, from the date of rebalancing, the changes in the value of the hedged item also include the change in the value of the additional volume of the hedged item. These changes are measured starting from, and by reference to, the date of rebalancing instead of the date on which the hedging relationship was designated. For example, if an entity originally hedged a volume of 100 tonnes of a commodity at a forward price of Rs.80 (the forward price at inception of the hedging relationship) and added a volume of 10 tonnes on rebalancing when the forward price was Rs.90, the hedged item after rebalancing would comprise two layers: 100 tonnes hedged at Rs.80 and 10 tonnes hedged at Rs.90.

- B6.5.18 Adjusting the hedge ratio by decreasing the volume of the hedging instrument does not affect how the changes in the value of the hedged item are measured. The measurement of the changes in the fair value of the hedging instrument related to the volume that continues to be designated also remains unaffected. However, from the date of rebalancing, the volume by which the hedging instrument was decreased is no longer part of the hedging relationship. For example, if an entity originally hedged the price risk of a commodity using a derivative volume of 100 tonnes as the hedging instrument and reduces that volume by 10 tonnes on rebalancing, a nominal amount of 90 tonnes of the hedging instrument volume would remain (see paragraph B6.5.16 for the consequences for the derivative volume (ie. the 10 tonnes) that is no longer a part of the hedging relationship).
- B6.5.19 Adjusting the hedge ratio by increasing the volume of the hedging instrument does not affect how the changes in the value of the hedged item are measured. The measurement of the changes in the fair value of the hedging instrument related to the previously designated volume also remains unaffected. However, from the date of rebalancing, the changes in the fair value of the hedging instrument also include the changes in the value of the additional volume of the hedging instrument. The changes are measured starting from, and by reference to, the date of rebalancing instead of the date on which the hedging relationship was designated. For example, if an entity originally hedged the price risk of a commodity using a derivative volume of 100 tonnes as the hedging instrument and added a volume of 10 tonnes on rebalancing, the hedging instrument after rebalancing would comprise a total derivative volume of 110 tonnes. The change in the fair value of the hedging instrument is the total change in the fair value of the derivatives that make up the total volume of 110 tonnes. These derivatives could (and probably would) have different critical terms, such as their forward rates, because they were entered into at different points in time (including the possibility of designating derivatives into hedging relationships after their initial recognition).
- B6.5.20 Adjusting the hedge ratio by decreasing the volume of the hedged item does not affect how the changes in the fair value of the hedging instrument are measured. The measurement of the changes in the value of the hedged item related to the volume that continues to be designated also remains unaffected. However, from the date of rebalancing, the volume by which the hedged item was decreased is no longer part of the hedging relationship. For example, if an entity originally hedged a volume of 100 tonnes of a commodity at a forward price of Rs.80 and reduces that volume by 10 tonnes on rebalancing, the hedged item after rebalancing would be 90 tonnes hedged at Rs.80. The 10 tonnes of the hedged item that are no longer part of the hedging relationship would be accounted for in accordance with the requirements for the discontinuation of hedge accounting (see paragraphs 6.5.6–6.5.7 and B6.5.22–B6.5.28).
- B6.5.21 When rebalancing a hedging relationship, an entity shall update its analysis of the sources of hedge ineffectiveness that are expected to affect the hedging relationship during its (remaining) term (see paragraph B6.4.2). The documentation of the hedging relationship shall be updated accordingly.

Discontinuation of hedge accounting

- B6.5.22 Discontinuation of hedge accounting applies prospectively from the date on which the qualifying criteria are no longer met.
- B6.5.23 An entity shall not de-designate and thereby discontinue a hedging relationship that:
- still meets the risk management objective on the basis of which it qualified for hedge accounting (ie. the entity still pursues that risk management objective); and
 - continues to meet all other qualifying criteria (after taking into account any rebalancing of the hedging relationship, if applicable).
- B6.5.24 For the purposes of this Standard, an entity's risk management strategy is distinguished from its risk management objectives. The risk management strategy is established at the highest level at which an entity determines how it manages its risk. Risk management strategies typically identify the risks to which the entity is exposed and set out how the entity responds to them. A risk management strategy is typically in place for a longer period and may include some flexibility to react to changes in circumstances that occur while that strategy is in place (for example, different interest rate or commodity price levels that result in a different extent of hedging). This is normally set out in a general document that is cascaded down through an entity through policies containing more specific guidelines. In contrast, the risk management objective for a hedging relationship applies at the level of a particular hedging relationship. It relates to how the particular hedging instrument that has been designated is used to hedge the particular exposure that has been designated as the hedged item. Hence, a risk management strategy can involve many different hedging relationships whose risk management objectives relate to executing that overall risk management strategy. For example:

- (a) an entity has a strategy of managing its interest rate exposure on debt funding that sets ranges for the overall entity for the mix between variable-rate and fixed-rate funding. The strategy is to maintain between 20 per cent and 40 per cent of the debt at fixed rates. The entity decides from time to time how to execute this strategy (ie. where it positions itself within the 20 per cent to 40 per cent range for fixed-rate interest exposure) depending on the level of interest rates. If interest rates are low the entity fixes the interest for more debt than when interest rates are high. The entity's debt is Rs.100 of variable-rate debt of which Rs.30 is swapped into a fixed-rate exposure. The entity takes advantage of low interest rates to issue an additional Rs.50 of debt to finance a major investment, which the entity does by issuing a fixed-rate bond. In the light of the low interest rates, the entity decides to set its fixed interest-rate exposure to 40 per cent of the total debt by reducing by Rs.20 the extent to which it previously hedged its variable-rate exposure, resulting in Rs.60 of fixed-rate exposure. In this situation the risk management strategy itself remains unchanged. However, in contrast the entity's execution of that strategy has changed and this means that, for Rs.20 of variable-rate exposure that was previously hedged, the risk management objective has changed (ie. at the hedging relationship level). Consequently, in this situation hedge accounting must be discontinued for Rs.20 of the previously hedged variable-rate exposure. This could involve reducing the swap position by a Rs.20 nominal amount but, depending on the circumstances, an entity might retain that swap volume and, for example, use it for hedging a different exposure or it might become part of a trading book. Conversely, if an entity instead swapped a part of its new fixed-rate debt into a variable-rate exposure, hedge accounting would have to be continued for its previously hedged variable-rate exposure.
- (b) some exposures result from positions that frequently change, for example, the interest rate risk of an open portfolio of debt instruments. The addition of new debt instruments and the derecognition of debt instruments continuously change that exposure (ie. it is different from simply running off a position that matures). This is a dynamic process in which both the exposure and the hedging instruments used to manage it do not remain the same for long. Consequently, an entity with such an exposure frequently adjusts the hedging instruments used to manage the interest rate risk as the exposure changes. For example, debt instruments with 24 months' remaining maturity are designated as the hedged item for interest rate risk for 24 months. The same procedure is applied to other time buckets or maturity periods. After a short period of time, the entity discontinues all, some or a part of the previously designated hedging relationships for maturity periods and designates new hedging relationships for maturity periods on the basis of their size and the hedging instruments that exist at that time. The discontinuation of hedge accounting in this situation reflects that those hedging relationships are established in such a way that the entity looks at a new hedging instrument and a new hedged item instead of the hedging instrument and the hedged item that were designated previously. The risk management strategy remains the same, but there is no risk management objective that continues for those previously designated hedging relationships, which as such no longer exist. In such a situation, the discontinuation of hedge accounting applies to the extent to which the risk management objective has changed. This depends on the situation of an entity and could, for example, affect all or only some hedging relationships of a maturity period, or only part of a hedging relationship.
- (c) an entity has a risk management strategy whereby it manages the foreign currency risk of forecast sales and the resulting receivables. Within that strategy the entity manages the foreign currency risk as a particular hedging relationship only up to the point of the recognition of the receivable. Thereafter, the entity no longer manages the foreign currency risk on the basis of that particular hedging relationship. Instead, it manages together the foreign currency risk from receivables, payables and derivatives (that do not relate to forecast transactions that are still pending) denominated in the same foreign currency. For accounting purposes, this works as a 'natural' hedge because the gains and losses from the foreign currency risk on all of those items are immediately recognised in profit or loss. Consequently, for accounting purposes, if the hedging relationship is designated for the period up to the payment date, it must be discontinued when the receivable is recognised, because the risk management objective of the original hedging relationship no longer applies. The foreign currency risk is now managed within the same strategy but on a different basis. Conversely, if an entity had a different risk management objective and managed the foreign currency risk as one continuous hedging relationship specifically for that forecast sales amount and the resulting receivable until the settlement date, hedge accounting would continue until that date.

B6.5.25 The discontinuation of hedge accounting can affect:

- (a) a hedging relationship in its entirety; or

- (b) a part of a hedging relationship (which means that hedge accounting continues for the remainder of the hedging relationship).
- B6.5.26 A hedging relationship is discontinued in its entirety when, as a whole, it ceases to meet the qualifying criteria. For example:
- (a) the hedging relationship no longer meets the risk management objective on the basis of which it qualified for hedge accounting (ie. the entity no longer pursues that risk management objective);
 - (b) the hedging instrument or instruments have been sold or terminated (in relation to the entire volume that was part of the hedging relationship); or
 - (c) there is no longer an economic relationship between the hedged item and the hedging instrument or the effect of credit risk starts to dominate the value changes that result from that economic relationship.
- B6.5.27 A part of a hedging relationship is discontinued (and hedge accounting continues for its remainder) when only a part of the hedging relationship ceases to meet the qualifying criteria. For example:
- (a) on rebalancing of the hedging relationship, the hedge ratio might be adjusted in such a way that some of the volume of the hedged item is no longer part of the hedging relationship (see paragraph B6.5.20); hence, hedge accounting is discontinued only for the volume of the hedged item that is no longer part of the hedging relationship; or
 - (b) when the occurrence of some of the volume of the hedged item that is (or is a component of) a forecast transaction is no longer highly probable, hedge accounting is discontinued only for the volume of the hedged item whose occurrence is no longer highly probable. However, if an entity has a history of having designated hedges of forecast transactions and having subsequently determined that the forecast transactions are no longer expected to occur, the entity's ability to predict forecast transactions accurately is called into question when predicting similar forecast transactions. This affects the assessment of whether similar forecast transactions are highly probable (see paragraph 6.3.3) and hence whether they are eligible as hedged items.
- B6.5.28 An entity can designate a new hedging relationship that involves the hedging instrument or hedged item of a previous hedging relationship for which hedge accounting was (in part or in its entirety) discontinued. This does not constitute a continuation of a hedging relationship but is a restart. For example:
- (a) a hedging instrument experiences such a severe credit deterioration that the entity replaces it with a new hedging instrument. This means that the original hedging relationship failed to achieve the risk management objective and is hence discontinued in its entirety. The new hedging instrument is designated as the hedge of the same exposure that was hedged previously and forms a new hedging relationship. Hence, the changes in the fair value or the cash flows of the hedged item are measured starting from, and by reference to, the date of designation of the new hedging relationship instead of the date on which the original hedging relationship was designated.
 - (b) a hedging relationship is discontinued before the end of its term. The hedging instrument in that hedging relationship can be designated as the hedging instrument in another hedging relationship (for example, when adjusting the hedge ratio on rebalancing by increasing the volume of the hedging instrument or when designating a whole new hedging relationship).

Accounting for the time value of options

- B6.5.29 An option can be considered as being related to a time period because its time value represents a charge for providing protection for the option holder over a period of time. However, the relevant aspect for the purpose of assessing whether an option hedges a transaction or time-period related hedged item are the characteristics of that hedged item, including how and when it affects profit or loss. Hence, an entity shall assess the type of hedged item (see paragraph 6.5.15(a)) on the basis of the nature of the hedged item (regardless of whether the hedging relationship is a cash flow hedge or a fair value hedge):
- (a) the time value of an option relates to a transaction related hedged item if the nature of the hedged item is a transaction for which the time value has the character of costs of that transaction. An example is when the time value of an option relates to a hedged item that results in the recognition of an item whose initial measurement includes transaction costs (for example, an entity hedges a commodity purchase, whether it is a forecast transaction or a firm commitment, against the commodity price risk and includes the transaction costs in the initial measurement of the inventory). As a consequence of including the time value of the option in the initial measurement of the particular hedged item, the time value affects profit or loss at the same time as that hedged item. Similarly, an entity that hedges a sale

of a commodity, whether it is a forecast transaction or a firm commitment, would include the time value of the option as part of the cost related to that sale (hence, the time value would be recognised in profit or loss in the same period as the revenue from the hedged sale).

- (b) the time value of an option relates to a time-period related hedged item if the nature of the hedged item is such that the time value has the character of a cost for obtaining protection against a risk over a particular period of time (but the hedged item does not result in a transaction that involves the notion of a transaction cost in accordance with (a)). For example, if commodity inventory is hedged against a fairvalue decrease for six months using a commodity option with a corresponding life, the time value of the option would be allocated to profit or loss (ie. amortised on a systematic and rational basis) over that six-month period. Another example is a hedge of a net investment in a foreign operation that is hedged for 18 months using a foreign-exchange option, which would result in allocating the time value of the option over that 18-month period.

B6.5.30 The characteristics of the hedged item, including how and when the hedged item affects profit or loss, also affect the period over which the time value of an option that hedges a time-period related hedged item is amortised, which is consistent with the period over which the option's intrinsic value can affect profit or loss in accordance with hedge accounting. For example, if an interest rate option (a cap) is used to provide protection against increases in the interest expense on a floating rate bond, the time value of that cap is amortised to profit or loss over the same period over which any intrinsic value of the cap would affect profit or loss:

- (a) if the cap hedges increases in interest rates for the first three years out of a total life of the floating rate bond of five years, the time value of that cap is amortised over the first three years; or
- (b) if the cap is a forward start option that hedges increases in interest rates for years two and three out of a total life of the floating rate bond of five years, the time value of that cap is amortised during years two and three.

B6.5.31 The accounting for the time value of options in accordance with paragraph 6.5.15 also applies to a combination of a purchased and a written option (one being a put option and one being a call option) that at the date of designation as a hedging instrument has a net nil time value (commonly referred to as a 'zero-cost collar'). In that case, an entity shall recognise any changes in time value in other comprehensive income, even though the cumulative change in time value over the total period of the hedging relationship is nil. Hence, if the time value of the option relates to:

- (a) a transaction related hedged item, the amount of time value at the end of the hedging relationship that adjusts the hedged item or that is reclassified to profit or loss (see paragraph 6.5.15(b)) would be nil.
- (b) a time-period related hedged item, the amortisation expense related to the time value is nil.

B6.5.32 The accounting for the time value of options in accordance with paragraph 6.5.15 applies only to the extent that the time value relates to the hedged item (aligned time value). The time value of an option relates to the hedged item if the critical terms of the option (such as the nominal amount, life and underlying) are aligned with the hedged item. Hence, if the critical terms of the option and the hedged item are not fully aligned, an entity shall determine the aligned time value, ie how much of the time value included in the premium (actual time value) relates to the hedged item (and therefore should be treated in accordance with paragraph 6.5.15). An entity determines the aligned time value using the valuation of the option that would have critical terms that perfectly match the hedged item.

B6.5.33 If the actual time value and the aligned time value differ, an entity shall determine the amount that is accumulated in a separate component of equity in accordance with paragraph 6.5.15 as follows:

- (a) if, at inception of the hedging relationship, the actual time value is higher than the aligned time value, the entity shall:
 - (i) determine the amount that is accumulated in a separate component of equity on the basis of the aligned time value; and
 - (ii) account for the differences in the fair value changes between the two time values in profit or loss.
- (b) if, at inception of the hedging relationship, the actual time value is lower than the aligned time value, the entity shall determine the amount that is accumulated in a separate component of equity by reference to the lower of the cumulative change in fair value of:
 - (i) the actual time value; and

- (ii) the aligned time value.

Any remainder of the change in fair value of the actual time value shall be recognised in profit or loss.

Accounting for the forward element of forward contracts and foreign currency basis spreads of financial instruments

B6.5.34 A forward contract can be considered as being related to a time period because its forward element represents charges for a period of time (which is the tenor for which it is determined). However, the relevant aspect for the purpose of assessing whether a hedging instrument hedges a transaction or time-period related hedged item are the characteristics of that hedged item, including how and when it affects profit or loss. Hence, an entity shall assess the type of hedged item (see paragraphs 6.5.16 and 6.5.15(a)) on the basis of the nature of the hedged item (regardless of whether the hedging relationship is a cash flow hedge or a fair value hedge):

- (a) the forward element of a forward contract relates to a transaction related hedged item if the nature of the hedged item is a transaction for which the forward element has the character of costs of that transaction. An example is when the forward element relates to a hedged item that results in the recognition of an item whose initial measurement includes transaction costs (for example, an entity hedges an inventory purchase denominated in a foreign currency, whether it is a forecast transaction or a firm commitment, against foreign currency risk and includes the transaction costs in the initial measurement of the inventory). As a consequence of including the forward element in the initial measurement of the particular hedged item, the forward element affects profit or loss at the same time as that hedged item. Similarly, an entity that hedges a sale of a commodity denominated in a foreign currency against foreign currency risk, whether it is a forecast transaction or a firm commitment, would include the forward element as part of the cost that is related to that sale (hence, the forward element would be recognised in profit or loss in the same period as the revenue from the hedged sale).
- (b) the forward element of a forward contract relates to a time-period related hedged item if the nature of the hedged item is such that the forward element has the character of a cost for obtaining protection against a risk over a particular period of time (but the hedged item does not result in a transaction that involves the notion of a transaction cost in accordance with (a)). For example, if commodity inventory is hedged against changes in fair value for six months using a commodity forward contract with a corresponding life, the forward element of the forward contract would be allocated to profit or loss (ie. amortised on a systematic and rational basis) over that six-month period. Another example is a hedge of a net investment in a foreign operation that is hedged for 18 months using a foreign-exchange forward contract, which would result in allocating the forward element of the forward contract over that 18-month period.

B6.5.35 The characteristics of the hedged item, including how and when the hedged item affects profit or loss, also affect the period over which the forward element of a forward contract that hedges a time-period related hedged item is amortised, which is over the period to which the forward element relates. For example, if a forward contract hedges the exposure to variability in three-month interest rates for a three-month period that starts in six months' time, the forward element is amortised during the period that spans months seven to nine.

B6.5.36 The accounting for the forward element of a forward contract in accordance with paragraph 6.5.16 also applies if, at the date on which the forward contract is designated as a hedging instrument, the forward element is nil. In that case, an entity shall recognise any fair value changes attributable to the forward element in other comprehensive income, even though the cumulative fair value change attributable to the forward element over the total period of the hedging relationship is nil. Hence, if the forward element of a forward contract relates to:

- (a) a transaction related hedged item, the amount in respect of the forward element at the end of the hedging relationship that adjusts the hedged item or that is reclassified to profit or loss (see paragraphs 6.5.15(b) and 6.5.16) would be nil.
- (b) a time-period related hedged item, the amortisation amount related to the forward element is nil.

B6.5.37 The accounting for the forward element of forward contracts in accordance with paragraph 6.5.16 applies only to the extent that the forward element relates to the hedged item (aligned forward element). The forward element of a forward contract relates to the hedged item if the critical terms of the forward contract (such as the nominal amount, life and underlying) are aligned with the hedged item. Hence, if the critical terms of the forward contract and the hedged item are not fully aligned, an entity shall determine the aligned forward

element, iehow much of the forward element included in the forward contract (actual forward element) relates to the hedged item (and therefore should be treated in accordance with paragraph 6.5.16). An entity determines the aligned forward element using the valuation of the forward contract that would have critical terms that perfectly match the hedged item.

B6.5.38 If the actual forward element and the aligned forward element differ, an entity shall determine the amount that is accumulated in a separate component of equity in accordance with paragraph 6.5.16 as follows:

- (a) if, at inception of the hedging relationship, the absolute amount of the actual forward element is higher than that of the aligned forward element the entity shall:
 - (i) determine the amount that is accumulated in a separate component of equity on the basis of the aligned forward element; and
 - (ii) account for the differences in the fair value changes between the two forward elements in profit or loss.
- (b) if, at inception of the hedging relationship, the absolute amount of the actual forward element is lower than that of the aligned forward element, the entity shall determine the amount that is accumulated in a separate component of equity by reference to the lower of the cumulative change in fair value of:
 - (i) the absolute amount of the actual forward element; and
 - (ii) the absolute amount of the aligned forward element.

Any remainder of the change in fair value of the actual forward element shall be recognised in profit or loss.

B6.5.39 When an entity separates the foreign currency basis spread from a financial instrument and excludes it from the designation of that financial instrument as the hedging instrument (see paragraph 6.2.4(b)), the application guidance in paragraphs B6.5.34–B6.5.38 applies to the foreign currency basis spread in the same manner as it is applied to the forward element of a forward contract.

Hedge of a group of items (Section 6.6)

Hedge of a net position

Eligibility for hedge accounting and designation of a net position

B6.6.1 A net position is eligible for hedge accounting only if an entity hedges on a net basis for risk management purposes. Whether an entity hedges in this way is a matter of fact (not merely of assertion or documentation). Hence, an entity cannot apply hedge accounting on a net basis solely to achieve a particular accounting outcome if that would not reflect its risk management approach. Net position hedging must form part of an established risk management strategy. Normally this would be approved by key management personnel as defined in Ind AS 24.

B6.6.2 For example, Entity A, whose functional currency is its local currency, has a firm commitment to pay FC150,000 for advertising expenses in nine months' time and a firm commitment to sell finished goods for FC150,000 in 15 months' time. Entity A enters into a foreign currency derivative that settles in nine months' time under which it receives FC100 and pays Rs.70. Entity A has no other exposures to FC. Entity A does not manage foreign currency risk on a net basis. Hence, Entity A cannot apply hedge accounting for a hedging relationship between the foreign currency derivative and a net position of FC100 (consisting of FC150,000 of the firm purchase commitment—ie advertising services—and FC149,900 (of the FC150,000) of the firm sale commitment) for a nine-month period.

B6.6.3 If Entity A did manage foreign currency risk on a net basis and did not enter into the foreign currency derivative (because it increases its foreign currency risk exposure instead of reducing it), then the entity would be in a natural hedged position for nine months. Normally, this hedged position would not be reflected in the financial statements because the transactions are recognised in different reporting periods in the future. The nil net position would be eligible for hedge accounting only if the conditions in paragraph 6.6.6 are met.

B6.6.4 When a group of items that constitute a net position is designated as a hedged item, an entity shall designate the overall group of items that includes the items that can make up the net position. An entity is not permitted to designate a non-specific abstract amount of a net position. For example, an entity has a group of firm sale commitments in nine months' time for FC100 and a group of firm purchase commitments in 18 months' time for FC120. The entity cannot designate an abstract amount of a net position up to FC20. Instead, it must designate a gross amount of purchases and a gross amount of sales that together give rise to the hedged net position. An entity shall designate gross positions that give rise to the net position so that the entity is able to comply with the requirements for the accounting for qualifying hedging relationships.

Application of the hedge effectiveness requirements to a hedge of a net position

B6.6.5 When an entity determines whether the hedge effectiveness requirements of paragraph 6.4.1(c) are met when it hedges a net position, it shall consider the changes in the value of the items in the net position that have a similar effect as the hedging instrument in conjunction with the fair value change on the hedging instrument. For example, an entity has a group of firm sale commitments in nine months' time for FC100 and a group of firm purchase commitments in 18 months' time for FC120. It hedges the foreign currency risk of the net position of FC20 using a forward exchange contract for FC20. When determining whether the hedge effectiveness requirements of paragraph 6.4.1(c) are met, the entity shall consider the relationship between:

- (a) the fair value change on the forward exchange contract together with the foreign currency risk related changes in the value of the firm sale commitments; and
- (b) the foreign currency risk related changes in the value of the firm purchase commitments.

B6.6.6 Similarly, if in the example in paragraph B6.6.5 the entity had a nil net position it would consider the relationship between the foreign currency risk related changes in the value of the firm sale commitments and the foreign currency risk related changes in the value of the firm purchase commitments when determining whether the hedge effectiveness requirements of paragraph 6.4.1(c) are met.

Cash flow hedges that constitute a net position

B6.6.7 When an entity hedges a group of items with offsetting risk positions (ie. a net position), the eligibility for hedge accounting depends on the type of hedge. If the hedge is a fair value hedge, then the net position may be eligible as a hedged item. If, however, the hedge is a cash flow hedge, then the net position can only be eligible as a hedged item if it is a hedge of foreign currency risk and the designation of that net position specifies the reporting period in which the forecast transactions are expected to affect profit or loss and also specifies their nature and volume.

B6.6.8 For example, an entity has a net position that consists of a bottom layer of FC100 of sales and a bottom layer of FC150 of purchases. Both sales and purchases are denominated in the same foreign currency. In order to sufficiently specify the designation of the hedged net position, the entity specifies in the original documentation of the hedging relationship that sales can be of Product A or Product B and purchases can be of Machinery Type A, Machinery Type B and Raw Material A. The entity also specifies the volumes of the transactions by each nature. The entity documents that the bottom layer of sales (FC100) is made up of a forecast sales volume of the first FC70 of Product A and the first FC30 of Product B. If those sales volumes are expected to affect profit or loss in different reporting periods, the entity would include that in the documentation, for example, the first FC70 from sales of Product A that are expected to affect profit or loss in the first reporting period and the first FC30 from sales of Product B that are expected to affect profit or loss in the second reporting period. The entity also documents that the bottom layer of the purchases (FC150) is made up of purchases of the first FC60 of Machinery Type A, the first FC40 of Machinery Type B and the first FC50 of Raw Material A. If those purchase volumes are expected to affect profit or loss in different reporting periods, the entity would include in the documentation a disaggregation of the purchase volumes by the reporting periods in which they are expected to affect profit or loss (similarly to how it documents the sales volumes). For example, the forecast transaction would be specified as:

- (a) the first FC60 of purchases of Machinery Type A that are expected to affect profit or loss from the third reporting period over the next ten reporting periods;
- (b) the first FC40 of purchases of Machinery Type B that are expected to affect profit or loss from the fourth reporting period over the next 20 reporting periods; and
- (c) the first FC50 of purchases of Raw Material A that are expected to be received in the third reporting period and sold, ie affect profit or loss, in that and the next reporting period.

Specifying the nature of the forecast transaction volumes would include aspects such as the depreciation pattern for items of property, plant and equipment of the same kind, if the nature of those items is such that the depreciation pattern could vary depending on how the entity uses those items. For example, if the entity uses items of Machinery Type A in two different production processes that result in straight-line depreciation over ten reporting periods and the units of production method respectively, its documentation of the forecast purchase volume for Machinery Type A would disaggregate that

volume by which of those depreciation patterns will apply.

B6.6.9 For a cash flow hedge of a net position, the amounts determined in accordance with paragraph 6.5.11 shall include the changes in the value of the items in the net position that have a similar effect as the hedging instrument in conjunction with the fair value change on the hedging instrument. However, the changes in the value of the items in the net position that have a similar effect as the hedging instrument are recognised only once the transactions that they relate to are recognised, such as when a forecast sale is recognised as revenue. For example, an entity has a group of highly probable forecast sales in nine months' time for FC100 and a group of highly probable forecast purchases in 18 months' time for FC120. It hedges the foreign currency risk of the net position of FC20 using a forward exchange contract for FC20. When determining the amounts that are recognised in the cash flow hedge reserve in accordance with paragraph 6.5.11(a)–6.5.11(b), the entity compares:

- (a) the fair value change on the forward exchange contract together with the foreign currency risk related changes in the value of the highly probable forecast sales; with
- (b) the foreign currency risk related changes in the value of the highly probable forecast purchases.

However, the entity recognises only amounts related to the forward exchange contract until the highly probable forecast sales transactions are recognised in the financial statements, at which time the gains or losses on those forecast transactions are recognised (ie. the change in the value attributable to the change in the foreign exchange rate between the designation of the hedging relationship and the recognition of revenue).

B6.6.10 Similarly, if in the example the entity had a nil net position it would compare the foreign currency risk related changes in the value of the highly probable forecast sales with the foreign currency risk related changes in the value of the highly probable forecast purchases. However, those amounts are recognised only once the related forecast transactions are recognised in the financial statements.

Layers of groups of items designated as the hedged item

B6.6.11 For the same reasons noted in paragraph B6.3.19, designating layer components of groups of existing items requires the specific identification of the nominal amount of the group of items from which the hedged layer component is defined.

B6.6.12 A hedging relationship can include layers from several different groups of items. For example, in a hedge of a net position of a group of assets and a group of liabilities, the hedging relationship can comprise, in combination, a layer component of the group of assets and a layer component of the group of liabilities.

Presentation of hedging instrument gains or losses

B6.6.13 If items are hedged together as a group in a cash flow hedge, they might affect different line items in the statement of profit and loss. The presentation of hedging gains or losses in that statement depends on the group of items.

B6.6.14 If the group of items does not have any offsetting risk positions (for example, a group of foreign currency expenses that affect different line items in the statement of profit and loss that are hedged for foreign currency risk) then the reclassified hedging instrument gains or losses shall be apportioned to the line items affected by the hedged items. This apportionment shall be done on a systematic and rational basis and shall not result in the grossing up of the net gains or losses arising from a single hedging instrument.

B6.6.15 If the group of items does have offsetting risk positions (for example, a group of sales and expenses denominated in a foreign currency hedged together for foreign currency risk) then an entity shall present the hedging gains or losses in a separate line item in the statement of profit and loss. Consider, for example, a hedge of the foreign currency risk of a net position of foreign currency sales of FC100 and foreign currency expenses of FC80 using a forward exchange contract for FC20. The gain or loss on the forward exchange contract that is reclassified from the cash flow hedge reserve to profit or loss (when the net position affects profit or loss) shall be presented in a separate line item from the hedged sales and expenses. Moreover, if the sales occur in an earlier period than the expenses, the sales revenue is still measured at the spot exchange rate in accordance with Ind AS 21. The related hedging gain or loss is presented in a separate line item, so that profit or loss reflects the effect of hedging the net position, with a corresponding adjustment to the cash flow hedge reserve. When the hedged expenses affect profit or loss in a later period, the hedging gain or loss previously recognised in the cash flow hedge reserve on the sales is reclassified to profit or loss and

presented as a separate line item from those that include the hedged expenses, which are measured at the spot exchange rate in accordance with Ind AS 21.

- B6.6.16 For some types of fair value hedges, the objective of the hedge is not primarily to offset the fair value change of the hedged item but instead to transform the cash flows of the hedged item. For example, an entity hedges the fair value interest rate risk of a fixed-rate debt instrument using an interest rate swap. The entity's hedge objective is to transform the fixed-interest cash flows into floating interest cash flows. This objective is reflected in the accounting for the hedging relationship by accruing the net interest accrual on the interest rate swap in profit or loss. In the case of a hedge of a net position (for example, a net position of a fixed-rate asset and a fixed-rate liability), this net interest accrual must be presented in a separate line item in the statement of profit and loss. This is to avoid the grossing up of a single instrument's net gains or losses into offsetting gross amounts and recognising them in different line items (for example, this avoids grossing up a net interest receipt on a single interest rate swap into gross interest revenue and gross interest expense).

Effective date and transition (Chapter 7)

Transition (Section 7.2)

Financial assets held for trading

- B7.2.1 At the date of initial application of this Standard, an entity must determine whether the objective of the entity's business model for managing any of its financial assets meets the condition in paragraph 4.1.2(a) or the condition in paragraph 4.1.2A(a) or if a financial asset is eligible for the election in paragraph 5.7.5. For that purpose, an entity shall determine whether financial assets meet the definition of held for trading as if the entity had purchased the assets at the date of initial application.

Impairment

- B7.2.2 On transition, an entity should seek to approximate the credit risk on initial recognition by considering all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. An entity is not required to undertake an exhaustive search for information when determining, at the date of transition, whether there have been significant increases in credit risk since initial recognition. If an entity is unable to make this determination without undue cost or effort paragraph 7.2.20 applies.
- B7.2.3 In order to determine the loss allowance on financial instruments initially recognised (or loan commitments or financial guarantee contracts to which the entity became a party to the contract) prior to the date of initial application, both on transition and until the derecognition of those items an entity shall consider information that is relevant in determining or approximating the credit risk at initial recognition. In order to determine or approximate the initial credit risk, an entity may consider internal and external information, including portfolio information, in accordance with paragraphs B5.5.1–B5.5.6.
- B7.2.4 An entity with little historical information may use information from internal reports and statistics (that may have been generated when deciding whether to launch a new product), information about similar products or peer group experience for comparable financial instruments, if relevant.

Definitions (Appendix A)

Derivatives

- BA.1 Typical examples of derivatives are futures and forward, swap and option contracts. A derivative usually has a notional amount, which is an amount of currency, a number of shares, a number of units of weight or volume or other units specified in the contract. However, a derivative instrument does not require the holder or writer to invest or receive the notional amount at the inception of the contract. Alternatively, a derivative could require a fixed payment or payment of an amount that can change (but not proportionally with a change in the underlying) as a result of some future event that is unrelated to a notional amount. For example, a contract may require a fixed payment of Rs. 1,000 if six-month LIBOR increases by 100 basis points. Such a contract is a derivative even though a notional amount is not specified.
- BA.2 The definition of a derivative in this Standard includes contracts that are settled gross by delivery of the underlying item (eg a forward contract to purchase a fixed rate debt instrument). An entity may have a contract to buy or sell a non-financial item that can be settled net in cash or another financial instrument or by exchanging financial instruments (eg a contract to buy or sell a commodity at a fixed price at a future date). Such a contract is within the scope of this Standard unless it was entered into and continues to be held for the purpose of delivery of a non-financial item in accordance with the entity's expected purchase, sale or usage requirements. However, this Standard applies to such contracts for an entity's expected purchase, sale or usage requirements if the entity makes a designation in accordance with paragraph 2.5 (see paragraphs 2.4–2.7).
- BA.3 One of the defining characteristics of a derivative is that it has an initial net investment that is smaller than

would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors. An option contract meets that definition because the premium is less than the investment that would be required to obtain the underlying financial instrument to which the option is linked. A currency swap that requires an initial exchange of different currencies of equal fair values meets the definition because it has a zero initial net investment.

BA.4 A regular way purchase or sale gives rise to a fixed price commitment between trade date and settlement date that meets the definition of a derivative. However, because of the short duration of the commitment it is not recognised as a derivative financial instrument. Instead, this Standard provides for special accounting for such regular way contracts (see paragraphs 3.1.2 and B3.1.3–B3.1.6).

BA.5 The definition of a derivative refers to non-financial variables that are not specific to a party to the contract. These include an index of earthquake losses in a particular region and an index of temperatures in a particular city. Non-financial variables specific to a party to the contract include the occurrence or non-occurrence of a fire that damages or destroys an asset of a party to the contract. A change in the fair value of a non-financial asset is specific to the owner if the fair value reflects not only changes in market prices for such assets (a financial variable) but also the condition of the specific non-financial asset held (a non-financial variable). For example, if a guarantee of the residual value of a specific car exposes the guarantor to the risk of changes in the car's physical condition, the change in that residual value is specific to the owner of the car.

Financial assets and liabilities held for trading

BA.6 Trading generally reflects active and frequent buying and selling, and financial instruments held for trading generally are used with the objective of generating a profit from short-term fluctuations in price or dealer's margin.

BA.7 Financial liabilities held for trading include:

- (a) derivative liabilities that are not accounted for as hedging instruments;
- (b) obligations to deliver financial assets borrowed by a short seller (ie. an entity that sells financial assets it has borrowed and does not yet own);
- (c) financial liabilities that are incurred with an intention to repurchase them in the near term (eg a quoted debt instrument that the issuer may buy back in the near term depending on changes in its fair value); and
- (d) financial liabilities that are part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent pattern of short-term profit-taking.

BA.8 The fact that a liability is used to fund trading activities does not in itself make that liability one that is held for trading.

Appendix C

Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation

(This appendix is an integral part of Ind AS 109)

Background

- 1 Many reporting entities have investments in foreign operations (as defined in Ind AS 21 paragraph 8). Such foreign operations may be subsidiaries, associates, joint ventures or branches. Ind AS 21 requires an entity to determine the functional currency of each of its foreign operations as the currency of the primary economic environment of that operation. When translating the results and financial position of a foreign operation into a presentation currency, the entity is required to recognise foreign exchange differences in other comprehensive income until it disposes of the foreign operation.
- 2 Hedge accounting of the foreign currency risk arising from a net investment in a foreign operation will apply only when the net assets of that foreign operation are included in the financial statements.⁴ The item being hedged with respect to the foreign currency risk arising from the net investment in a foreign operation may be an amount of net assets equal to or less than the carrying amount of the net assets of the foreign operation.
- 3 Ind AS 109 requires the designation of an eligible hedged item and eligible hedging instruments in a hedge accounting relationship. If there is a designated hedging relationship, in the case of a net investment hedge, the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge of the net investment is recognised in other comprehensive income and is included with the foreign exchange differences arising on translation of the results and financial position of the foreign operation.

⁴This will be the case for consolidated financial statements, financial statements in which investments such as associates & joint ventures are accounted for using the equity method, and financial statements that include a branch or a joint operation as defined in Ind AS 111, Joint Arrangements.

- 4 An entity with many foreign operations may be exposed to a number of foreign currency risks. This Appendix provides guidance on identifying the foreign currency risks that qualify as a hedged risk in the hedge of a net investment in a foreign operation.
- 5 Ind AS 109 allows an entity to designate either a derivative or a non-derivative financial instrument (or a combination of derivative and non-derivative financial instruments) as hedging instruments for foreign currency risk. This Appendix provides guidance on where, within a group, hedging instruments that are hedges of a net investment in a foreign operation can be held to qualify for hedge accounting.
- 6 Ind AS 21 and Ind AS 109 require cumulative amounts recognised in other comprehensive income relating to both the foreign exchange differences arising on translation of the results and financial position of the foreign operation and the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge of the net investment to be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment when the parent disposes of the foreign operation. This Appendix provides guidance on how an entity should determine the amounts to be reclassified from equity to profit or loss for both the hedging instrument and the hedged item.

Scope

- 7 This Appendix applies to an entity that hedges the foreign currency risk arising from its net investments in foreign operations and wishes to qualify for hedge accounting in accordance with Ind AS 109. For convenience this Appendix refers to such an entity as a parent entity and to the financial statements in which the net assets of foreign operations are included as consolidated financial statements. All references to a parent entity apply equally to an entity that has a net investment in a foreign operation that is a joint venture, an associate or a branch.
- 8 This Appendix applies only to hedges of net investments in foreign operations; it should not be applied by analogy to other types of hedge accounting.

Issues

- 9 Investments in foreign operations may be held directly by a parent entity or indirectly by its subsidiary or subsidiaries. The issues addressed in this Appendix are:
- (a) *the nature of the hedged risk and the amount of the hedged item for which a hedging relationship may be designated:*
 - (i) whether the parent entity may designate as a hedged risk only the foreign exchange differences arising from a difference between the functional currencies of the parent entity and its foreign operation, or whether it may also designate as the hedged risk the foreign exchange differences arising from the difference between the presentation currency of the parent entity's consolidated financial statements and the functional currency of the foreign operation;
 - (ii) if the parent entity holds the foreign operation indirectly, whether the hedged risk may include only the foreign exchange differences arising from differences in functional currencies between the foreign operation and its immediate parent entity, or whether the hedged risk may also include any foreign exchange differences between the functional currency of the foreign operation and any intermediate or ultimate parent entity (ie. whether the fact that the net investment in the foreign operation is held through an intermediate parent affects the economic risk to the ultimate parent).
 - (b) *where in a group the hedging instrument can be held:*
 - (i) whether a qualifying hedge accounting relationship can be established only if the entity hedging its net investment is a party to the hedging instrument or whether any entity in the group, regardless of its functional currency, can hold the hedging instrument;
 - (ii) whether the nature of the hedging instrument (derivative or non-derivative) or the method of consolidation affects the assessment of hedge effectiveness.
 - (c) *what amounts should be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustments on disposal of the foreign operation:*
 - (i) when a foreign operation that was hedged is disposed of, what amounts from the parent entity's foreign currency translation reserve in respect of the hedging instrument and in respect of that foreign operation should be reclassified from equity to profit or loss in the parent entity's consolidated financial statements;
 - (ii) whether the method of consolidation affects the determination of the amounts to be reclassified from equity to profit or loss.

Accounting Principle

Nature of the hedged risk and amount of the hedged item for which a hedging relationship may be designated

- 10 Hedge accounting may be applied only to the foreign exchange differences arising between the functional currency of the foreign operation and the parent entity's functional currency.
- 11 In a hedge of the foreign currency risks arising from a net investment in a foreign operation, the hedged item can be an amount of net assets equal to or less than the carrying amount of the net assets of the foreign operation in the consolidated financial statements of the parent entity. The carrying amount of the net assets of a foreign operation that may be designated as the hedged item in the consolidated financial statements of a parent depends on whether any lower level parent of the foreign operation has applied hedge accounting for all or part of the net assets of that foreign operation and that accounting has been maintained in the parent's consolidated financial statements.
- 12 The hedged risk may be designated as the foreign currency exposure arising between the functional currency of the foreign operation and the functional currency of any parent entity (the immediate, intermediate or ultimate parent entity) of that foreign operation. The fact that the net investment is held through an intermediate parent does not affect the nature of the economic risk arising from the foreign currency exposure to the ultimate parent entity.
- 13 An exposure to foreign currency risk arising from a net investment in a foreign operation may qualify for hedge accounting only once in the consolidated financial statements. Therefore, if the same net assets of a foreign operation are hedged by more than one parent entity within the group (for example, both a direct and an indirect parent entity) for the same risk, only one hedging relationship will qualify for hedge accounting in the consolidated financial statements of the ultimate parent. A hedging relationship designated by one parent entity in its consolidated financial statements need not be maintained by another higher level parent entity. However, if it is not maintained by the higher level parent entity, the hedge accounting applied by the lower level parent must be reversed before the higher level parent's hedge accounting is recognised.

Where the hedging instrument can be held

- 14 A derivative or a non-derivative instrument (or a combination of derivative and non-derivative instruments) may be designated as a hedging instrument in a hedge of a net investment in a foreign operation. The hedging instrument(s) may be held by any entity or entities within the group, as long as the designation, documentation and effectiveness requirements of Ind AS 109 paragraph 6.4.1 that relate to a net investment hedge are satisfied. In particular, the hedging strategy of the group should be clearly documented because of the possibility of different designations at different levels of the group.
- 15 For the purpose of assessing effectiveness, the change in value of the hedging instrument in respect of foreign exchange risk is computed by reference to the functional currency of the parent entity against whose functional currency the hedged risk is measured, in accordance with the hedge accounting documentation. Depending on where the hedging instrument is held, in the absence of hedge accounting the total change in value might be recognised in profit or loss, in other comprehensive income, or both. However, the assessment of effectiveness is not affected by whether the change in value of the hedging instrument is recognised in profit or loss or in other comprehensive income. As part of the application of hedge accounting, the total effective portion of the change is included in other comprehensive income. The assessment of effectiveness is not affected by whether the hedging instrument is a derivative or a non-derivative instrument or by the method of consolidation.

Disposal of a hedged foreign operation

- 16 When a foreign operation that was hedged is disposed of, the amount reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment from the foreign currency translation reserve in the consolidated financial statements of the parent in respect of the hedging instrument is the amount that Ind AS 109 paragraph 6.5.14 requires to be identified. That amount is the cumulative gain or loss on the hedging instrument that was determined to be an effective hedge.
- 17 The amount reclassified to profit or loss from the foreign currency translation reserve in the consolidated financial statements of a parent in respect of the net investment in that foreign operation in accordance with Ind AS 21 paragraph 48 is the amount included in that parent's foreign currency translation reserve in respect of that foreign operation. In the ultimate parent's consolidated financial statements, the aggregate net amount recognised in the foreign currency translation reserve in respect of all foreign operations is not affected by the consolidation method. However, whether the ultimate parent uses the direct or the step-by-step method of

consolidation⁵ may affect the amount included in its foreign currency translation reserve in respect of an individual foreign operation. The use of the step-by-step method of consolidation may result in the reclassification to profit or loss of an amount different from that used to determine hedge effectiveness. This difference may be eliminated by determining the amount relating to that foreign operation that would have arisen if the direct method of consolidation had been used. Making this adjustment is not required by Ind AS 21. However, it is an accounting policy choice that should be followed consistently for all net investments.

⁵The direct method is the method of consolidation in which the financial statements of the foreign operation are translated directly into the functional currency of the ultimate parent. The step-by-step method is the method of consolidation in which the financial statements of the foreign operation are first translated into the functional currency of any intermediate parent(s) and then translated into the functional currency of the ultimate parent (or the presentation currency if different).

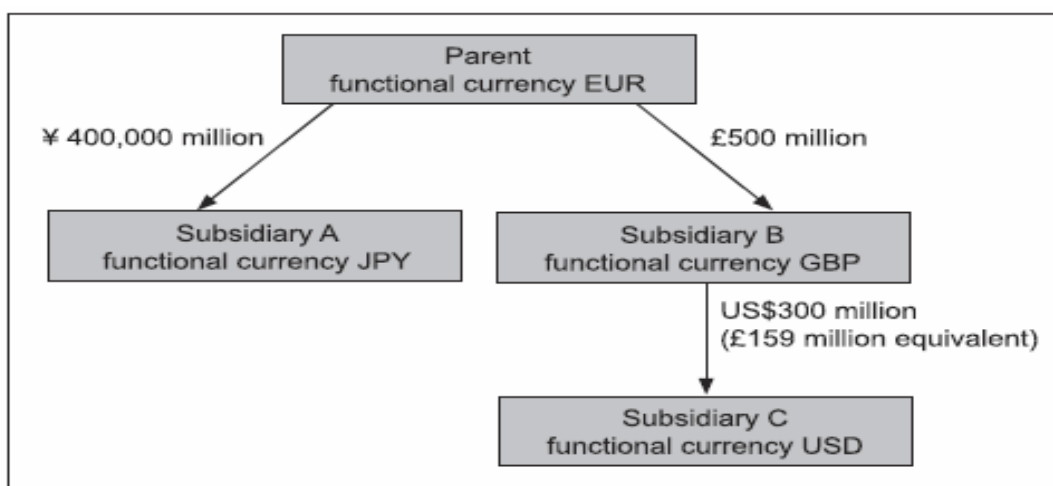
Application guidance to Appendix C

This application guidance is an integral part of the Appendix C.

AG1 This application guidance illustrates the application of the Appendix C using the corporate structure illustrated below. In all cases the hedging relationships described would be tested for effectiveness in accordance with Ind AS 109, although this testing is not discussed in this appendix. Parent, being the ultimate parent entity, presents its consolidated financial statements in its functional currency of euro (EUR). Each of the subsidiaries is wholly owned. Parent's £500 million net investment in Subsidiary B (functional currency pounds sterling (GBP)) includes the £159 million equivalent of Subsidiary B's US\$300 million net investment in Subsidiary C (functional currency US dollars (USD)). In other words, Subsidiary B's net assets other than its investment in Subsidiary C are £341 million.

Nature of hedged risk for which a hedging relationship may be designated (paragraphs 10–13)

AG2 Parent can hedge its net investment in each of Subsidiaries A, B and C for the foreign exchange risk between their respective functional currencies (Japanese yen (JPY), pounds sterling and US dollars) and euro. In addition, Parent can hedge the USD/GBP foreign exchange risk between the functional currencies of Subsidiary B and Subsidiary C. In its consolidated financial statements, Subsidiary B can hedge its net investment in Subsidiary C for the foreign exchange risk between their functional currencies of US dollars and pounds sterling. In the following examples the designated risk is the spot foreign exchange risk because the hedging instruments are not derivatives. If the hedging instruments were forward contracts, Parent could designate the forward foreign exchange risk.

**Amount of hedged item for which a hedging relationship may be designated (paragraphs 10–13)**

AG3 Parent wishes to hedge the foreign exchange risk from its net investment in Subsidiary C. Assume that Subsidiary A has an external borrowing of US\$300 million. The net assets of Subsidiary A at the start of the reporting period are ¥400,000 million including the proceeds of the external borrowing of US\$300 million.

AG4 The hedged item can be an amount of net assets equal to or less than the carrying amount of Parent's net investment in Subsidiary C (US\$300 million) in its consolidated financial statements. In its consolidated financial statements Parent can designate the US\$300 million external borrowing in Subsidiary A as a hedge of the EUR/USD spot foreign exchange risk associated with its net investment in the US\$300 million net assets of Subsidiary C. In this case, both the EUR/USD foreign exchange difference on the US\$300 million external borrowing in Subsidiary A and the EUR/USD foreign exchange difference on the US\$300 million net investment in Subsidiary C are included in the foreign currency translation reserve in Parent's consolidated financial statements after the application of hedge accounting.

AG5 In the absence of hedge accounting, the total USD/EUR foreign exchange difference on the US\$300 million external borrowing in Subsidiary A would be recognised in Parent's consolidated financial statements as follows:

- USD/JPY spot foreign exchange rate change, translated to euro, in profit or loss, and

- JPY/EUR spot foreign exchange rate change in other comprehensive income.

Instead of the designation in paragraph AG4, in its consolidated financial statements Parent can designate the US\$300 million external borrowing in Subsidiary A as a hedge of the GBP/USD spot foreign exchange risk between Subsidiary C and Subsidiary B. In this case, the total USD/EUR foreign exchange difference on the US\$300 million external borrowing in Subsidiary A would instead be recognised in Parent's consolidated financial statements as follows:

- the GBP/USD spot foreign exchange rate change in the foreign currency translation reserve relating to Subsidiary C,
- GBP/JPY spot foreign exchange rate change, translated to euro, in profit or loss, and
- JPY/EUR spot foreign exchange rate change in other comprehensive income.

AG6 Parent cannot designate the US\$300 million external borrowing in Subsidiary A as a hedge of both the EUR/USD spot foreign exchange risk and the GBP/USD spot foreign exchange risk in its consolidated financial statements. A single hedging instrument can hedge the same designated risk only once. Subsidiary B cannot apply hedge accounting in its consolidated financial statements because the hedging instrument is held outside the group comprising Subsidiary B and Subsidiary C.

Where in a group can the hedging instrument be held (paragraphs 14 and 15)?

AG7 As noted in paragraph AG5, the total change in value in respect of foreign exchange risk of the US\$300 million external borrowing in Subsidiary A would be recorded in both profit or loss (USD/JPY spot risk) and other comprehensive income (EUR/JPY spot risk) in Parent's consolidated financial statements in the absence of hedge accounting. Both amounts are included for the purpose of assessing the effectiveness of the hedge designated in paragraph AG4 because the change in value of both the hedging instrument and the hedged item are computed by reference to the euro functional currency of Parent against the US dollar functional currency of Subsidiary C, in accordance with the hedge documentation. The method of consolidation (ie. direct method or step-by-step method) does not affect the assessment of the effectiveness of the hedge.

Amounts reclassified to profit or loss on disposal of a foreign operation (paragraphs 16 and 17)

AG8 When Subsidiary C is disposed of, the amounts reclassified to profit or loss in Parent's consolidated financial statements from its foreign currency translation reserve (FCTR) are:

- (a) in respect of the US\$300 million external borrowing of Subsidiary A, the amount that Ind AS 109 requires to be identified, ie the total change in value in respect of foreign exchange risk that was recognised in other comprehensive income as the effective portion of the hedge; and
- (b) in respect of the US\$300 million net investment in Subsidiary C, the amount determined by the entity's consolidation method. If Parent uses the direct method, its FCTR in respect of Subsidiary C will be determined directly by the EUR/USD foreign exchange rate. If Parent uses the step-by-step method, its FCTR in respect of Subsidiary C will be determined by the FCTR recognised by Subsidiary B reflecting the GBP/USD foreign exchange rate, translated to Parent's functional currency using the EUR/GBP foreign exchange rate. Parent's use of the step-by-step method of consolidation in prior periods does not require it to or preclude it from determining the amount of FCTR to be reclassified when it disposes of Subsidiary C to be the amount that it would have recognised if it had always used the direct method, depending on its accounting policy.

Hedging more than one foreign operation (paragraphs 11, 13 and 15)

AG9 The following examples illustrate that in the consolidated financial statements of Parent, the risk that can be hedged is always the risk between its functional currency (euro) and the functional currencies of Subsidiaries B and C. No matter how the hedges are designated, the maximum amounts that can be effective hedges to be included in the foreign currency translation reserve in Parent's consolidated financial statements when both foreign operations are hedged are US\$300 million for EUR/USD risk and £341 million for EUR/GBP risk. Other changes in value due to changes in foreign exchange rates are included in Parent's consolidated profit or loss. Of course, it would be possible for Parent to designate US\$300 million only for changes in the USD/GBP spot foreign exchange rate or £500 million only for changes in the GBP/EUR spot foreign exchange rate.

Parent holds both USD and GBP hedging instruments

- AG10 Parent may wish to hedge the foreign exchange risk in relation to its net investment in Subsidiary B as well as that in relation to Subsidiary C. Assume that Parent holds suitable hedging instruments denominated in US dollars and pounds sterling that it could designate as hedges of its net investments in Subsidiary B and Subsidiary C. The designations Parent can make in its consolidated financial statements include, but are not limited to, the following:
- (a) US\$300 million hedging instrument designated as a hedge of the US\$300 million of net investment in Subsidiary C with the risk being the spot foreign exchange exposure (EUR/USD) between Parent and Subsidiary C and up to £341 million hedging instrument designated as a hedge of £341 million of the net investment in Subsidiary B with the risk being the spot foreign exchange exposure (EUR/GBP) between Parent and Subsidiary B.
 - (b) US\$300 million hedging instrument designated as a hedge of the US\$300 million of net investment in Subsidiary C with the risk being the spot foreign exchange exposure (GBP/USD) between Subsidiary B and Subsidiary C and up to £500 million hedging instrument designated as a hedge of £500 million of the net investment in Subsidiary B with the risk being the spot foreign exchange exposure (EUR/GBP) between Parent and Subsidiary B.
- AG11 The EUR/USD risk from Parent's net investment in Subsidiary C is a different risk from the EUR/GBP risk from Parent's net investment in Subsidiary B. However, in the case described in paragraph AG10(a), by its designation of the USD hedging instrument it holds, Parent has already fully hedged the EUR/USD risk from its net investment in Subsidiary C. If Parent also designated a GBP instrument it holds as a hedge of its £500 million net investment in Subsidiary B, £159 million of that net investment, representing the GBP equivalent of its USD net investment in Subsidiary C, would be hedged twice for GBP/EUR risk in Parent's consolidated financial statements.
- AG12 In the case described in paragraph AG10(b), if Parent designates the hedged risk as the spot foreign exchange exposure (GBP/USD) between Subsidiary B and Subsidiary C, only the GBP/USD part of the change in the value of its US\$300 million hedging instrument is included in Parent's foreign currency translation reserve relating to Subsidiary C. The remainder of the change (equivalent to the GBP/EUR change on £159 million) is included in Parent's consolidated profit or loss, as in paragraph AG5. Because the designation of the USD/GBP risk between Subsidiaries B and C does not include the GBP/EUR risk, Parent is also able to designate up to £500 million of its net investment in Subsidiary B with the risk being the spot foreign exchange exposure (GBP/EUR) between Parent and Subsidiary B.

Subsidiary B holds the USD hedging instrument

- AG13 Assume that Subsidiary B holds US\$300 million of external debt the proceeds of which were transferred to Parent by an inter-company loan denominated in pounds sterling. Because both its assets and liabilities increased by £159 million, Subsidiary B's net assets are unchanged. Subsidiary B could designate the external debt as a hedge of the GBP/USD risk of its net investment in Subsidiary C in its consolidated financial statements. Parent could maintain Subsidiary B's designation of that hedging instrument as a hedge of its US\$300 million net investment in Subsidiary C for the GBP/USD risk (see paragraph 13) and Parent could designate the GBP hedging instrument it holds as a hedge of its entire £500 million net investment in Subsidiary B. The first hedge, designated by Subsidiary B, would be assessed by reference to Subsidiary B's functional currency (pounds sterling) and the second hedge, designated by Parent, would be assessed by reference to Parent's functional currency (euro). In this case, only the GBP/USD risk from Parent's net investment in Subsidiary C has been hedged in Parent's consolidated financial statements by the USD hedging instrument, not the entire EUR/USD risk. Therefore, the entire EUR/GBP risk from Parent's £500 million net investment in Subsidiary B may be hedged in the consolidated financial statements of Parent.
- AG14 However, the accounting for Parent's £159 million loan payable to Subsidiary B must also be considered. If Parent's loan payable is not considered part of its net investment in Subsidiary B because it does not satisfy the conditions in Ind AS 21 paragraph 15, the GBP/EUR foreign exchange difference arising on translating it would be included in Parent's consolidated profit or loss. If the £159 million loan payable to Subsidiary B is considered part of Parent's net investment, that net investment would be only £341 million and the amount Parent could designate as the hedged item for GBP/EUR risk would be reduced from £500 million to £341 million accordingly.

- AG15 If Parent reversed the hedging relationship designated by Subsidiary B, Parent could designate the US\$300 million external borrowing held by Subsidiary B as a hedge of its US\$300 million net investment in Subsidiary C for the EUR/USD risk and designate the GBP hedging instrument it holds itself as a hedge of only up to £341 million of the net investment in Subsidiary B. In this case the effectiveness of both hedges would be computed by reference to Parent's functional currency (euro). Consequently, both the USD/GBP change in value of the external borrowing held by Subsidiary B and the GBP/EUR change in value of Parent's loan payable to Subsidiary B (equivalent to USD/EUR in total) would be included in the foreign currency translation reserve in Parent's consolidated financial statements. Because Parent has already fully hedged the EUR/USD risk from its net investment in Subsidiary C, it can hedge only up to £341 million for the EUR/GBP risk of its net investment in Subsidiary B.

Appendix D

Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

(This appendix is an integral part of Ind AS 109)

Background

- 1 A debtor and creditor might renegotiate the terms of a financial liability with the result that the debtor extinguishes the liability fully or partially by issuing equity instruments to the creditor. These transactions are sometimes referred to as 'debt for equity swaps'.

Scope

- 2 This Appendix addresses the accounting by an entity when the terms of a financial liability are renegotiated and result in the entity issuing equity instruments to a creditor of the entity to extinguish all or part of the financial liability. It does not address the accounting by the creditor.
- 3 An entity shall not apply this Appendix to transactions in situations where:
- (a) the creditor is also a direct or indirect shareholder and is acting in its capacity as a direct or indirect existing shareholder.
 - (b) the creditor and the entity are controlled by the same party or parties before and after the transaction and the substance of the transaction includes an equity distribution by, or contribution to, the entity.
 - (c) extinguishing the financial liability by issuing equity shares is in accordance with the original terms of the financial liability.

Issues

- 4 This Appendix addresses the following issues:
- (a) Are an entity's equity instruments issued to extinguish all or part of a financial liability 'consideration paid' in accordance with paragraph 3.3.3 of Ind AS 109?
 - (b) How should an entity initially measure the equity instruments issued to extinguish such a financial liability?
 - (c) How should an entity account for any difference between the carrying amount of the financial liability extinguished and the initial measurement amount of the equity instruments issued?

Accounting principles

- 5 The issue of an entity's equity instruments to a creditor to extinguish all or part of a financial liability is consideration paid in accordance with paragraph 3.3.3 of Ind AS 109. An entity shall remove a financial liability (or part of a financial liability) from its balance sheet when, and only when, it is extinguished in accordance with paragraph 3.3.1 of Ind AS 109.
- 6 When equity instruments issued to a creditor to extinguish all or part of a financial liability are recognised initially, an entity shall measure them at the fair value of the equity instruments issued, unless that fair value cannot be reliably measured.
- 7 If the fair value of the equity instruments issued cannot be reliably measured then the equity instruments shall be measured to reflect the fair value of the financial liability extinguished. In measuring the fair value of a financial liability extinguished that includes a demand feature (eg a demand deposit), paragraph 47 of Ind AS 113 is not applied.

- 8 If only part of the financial liability is extinguished, the entity shall assess whether some of the consideration paid relates to a modification of the terms of the liability that remains outstanding. If part of the consideration paid does relate to a modification of the terms of the remaining part of the liability, the entity shall allocate the consideration paid between the part of the liability extinguished and the part of the liability that remains outstanding. The entity shall consider all relevant facts and circumstances relating to the transaction in making this allocation.
- 9 The difference between the carrying amount of the financial liability (or part of a financial liability) extinguished, and the consideration paid, shall be recognised in profit or loss, in accordance with paragraph 3.3.3 of Ind AS 109. The equity instruments issued shall be recognised initially and measured at the date the financial liability (or part of that liability) is extinguished.
- 10 When only part of the financial liability is extinguished, consideration shall be allocated in accordance with paragraph 8. The consideration allocated to the remaining liability shall form part of the assessment of whether the terms of that remaining liability have been substantially modified. If the remaining liability has been substantially modified, the entity shall account for the modification as the extinguishment of the original liability and the recognition of a new liability as required by paragraph 3.3.2 of Ind AS 109.
- 11 An entity shall disclose a gain or loss recognised in accordance with paragraphs 9 and 10 as a separate line item in profit or loss or in the notes.

Appendix E

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and make reference to Ind AS 109, *Financial Instruments*.

1. Appendix A, *Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation* contained in Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.
2. Appendix C, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*.
3. Appendix B, *Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of Lease* contained in Ind AS 17, *Leases*.

Appendix 1

Note : This Appendix is not a part of this Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 109 and the corresponding International Financial reporting Standard (IFRS) 9, Financial Instruments, IFRIC16, Hedges of Net Investment in a Foreign Operation and IFRIC 19, Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments.

Comparison with IFRS 9, *Financial Instruments*, IFRIC 16 and IFRIC 19

1. Different terminology is used in this standard, e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position', and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of Profit and Loss and comprehensive income'.
2. Option to apply requirements of IAS 39 for fair value hedge of the interest rate exposure of a portfolio of financial assets or financial liabilities as provided in IFRS 9 has been removed in Ind AS 109. Accordingly, paragraph 6.1.3 has been deleted and following paragraphs have been modified:
 - (i) Paragraph 5.2.3
 - (ii) Paragraph 5.3.2
 - (iii) Paragraphs 5.7.1
 - (iv) Paragraph 5.7.2-5.7.3

Indian Accounting Standard (Ind AS) 110**Consolidated Financial Statements**

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

1. The objective of this Indian Accounting Standard (Ind AS) is to establish principles for the presentation and preparation of consolidated financial statements when an entity controls one or more other entities.

Meeting the objective

2. To meet the objective in paragraph 1, this Ind AS:
 - (a) requires an entity (the *parent*) that controls one or more other entities (*subsidiaries*) to present consolidated financial statements;
 - (b) defines the principle of *control*, and establishes control as the basis for consolidation;
 - (c) sets out how to apply the principle of control to identify whether an investor controls an investee and therefore must consolidate the investee;
 - (d) sets out the accounting requirements for the preparation of consolidated financial statements; and
 - (e) defines an investment entity and sets out an exception to consolidating particular subsidiaries of an investment entity.
3. This Ind AS does not deal with the accounting requirements for business combinations and their effect on consolidation, including goodwill arising on a business combination (see Ind AS 103, *Business Combinations*).

Scope

4. An entity that is a parent shall present consolidated financial statements. This Ind AS applies to all entities, except as follows:
 - (a) A parent need not present consolidated financial statements if it meets all the following conditions:
 - (i) it is a wholly-owned subsidiary or is a partially-owned subsidiary of another entity and all its other owners, including those not otherwise entitled to vote, have been informed about, and do not object to, the parent not presenting consolidated financial statements;
 - (ii) its debt or equity instruments are not traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including local and regional markets);
 - (iii) it did not file, nor is it in the process of filing, its financial statements with a securities commission or other regulatory organisation for the purpose of issuing any class of instruments in a public market; and
 - (iv) its ultimate or any intermediate parent produces consolidated financial statements that are available for public use and comply with Ind ASs.
 - (b) post-employment benefit plans or other long-term employee benefit plans to which Ind AS19, *Employee Benefits*, applies.
 - (c) an investment entity need not present consolidated financial statements if it is required, in accordance with paragraph 31 of this Ind AS, to measure all of its subsidiaries at fair value through profit or loss.

Control

5. **An investor, regardless of the nature of its involvement with an entity (the investee), shall determine whether it is a parent by assessing whether it controls the investee.**
6. **An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.**
7. **Thus, an investor controls an investee if and only if the investor has all the following:**
 - (a) **power over the investee (see paragraphs 10–14);**
 - (b) **exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee (see paragraphs 15 and 16); and**
 - (c) **the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's returns (see paragraphs 17 and 18).**

8. An investor shall consider all facts and circumstances when assessing whether it controls an investee. The investor shall reassess whether it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed in paragraph 7 (see paragraphs B80–B85).
9. Two or more investors collectively control an investee when they must act together to direct the relevant activities. In such cases, because no investor can direct the activities without the co-operation of the others, no investor individually controls the investee. Each investor would account for its interest in the investee in accordance with the relevant Ind ASs, such as Ind AS 111, *Joint Arrangements*, Ind AS 28, *Investments in Associates and Joint Ventures*, or Ind AS 109, *Financial Instruments*.

Power

10. An investor has power over an investee when the investor has existing rights that give it the current ability to direct the *relevant activities*, ie the activities that significantly affect the investee's returns.
11. Power arises from rights. Sometimes assessing power is straightforward, such as when power over an investee is obtained directly and solely from the voting rights granted by equity instruments such as shares, and can be assessed by considering the voting rights from those shareholdings. In other cases, the assessment will be more complex and require more than one factor to be considered, for example when power results from one or more contractual arrangements.
12. An investor with the current ability to direct the relevant activities has power even if its rights to direct have yet to be exercised. Evidence that the investor has been directing relevant activities can help determine whether the investor has power, but such evidence is not, in itself, conclusive in determining whether the investor has power over an investee.
13. If two or more investors each have existing rights that give them the unilateral ability to direct different relevant activities, the investor that has the current ability to direct the activities that most significantly affect the returns of the investee has power over the investee.
14. An investor can have power over an investee even if other entities have existing rights that give them the current ability to participate in the direction of the relevant activities, for example when another entity has *significant influence*. However, an investor that holds only protective rights does not have power over an investee (see paragraphs B26–B28), and consequently does not control the investee.

Returns

15. An investor is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee when the investor's returns from its involvement have the potential to vary as a result of the investee's performance. The investor's returns can be only positive, only negative or both positive and negative.
16. Although only one investor can control an investee, more than one party can share in the returns of an investee. For example, holders of non-controlling interests can share in the profits or distributions of an investee.

Link between power and returns

17. An investor controls an investee if the investor not only has power over the investee and exposure or rights to variable returns from its involvement with the investee, but also has the ability to use its power to affect the investor's returns from its involvement with the investee.
18. Thus, an investor with decision-making rights shall determine whether it is a principal or an agent. An investor that is an agent in accordance with paragraphs B58–B72 does not control an investee when it exercises decision-making rights delegated to it.

Accounting requirements

19. **A parent shall prepare consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances.**
20. Consolidation of an investee shall begin from the date the investor obtains control of the investee and cease when the investor loses control of the investee.
21. Paragraphs B86–B93 set out guidance for the preparation of consolidated financial statements.

Non-controlling interests

22. A parent shall present non-controlling interests in the consolidated balance sheet within equity, separately from the equity of the owners of the parent.
23. Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the parent losing control of the subsidiary are equity transactions (ie. transactions with owners in their capacity as owners).

24. Paragraphs B94–B96 set out guidance for the accounting for non-controlling interests in consolidated financial statements.

Loss of control

25. If a parent loses control of a subsidiary, the parent:
- (a) derecognises the assets and liabilities of the former subsidiary from the consolidated balance sheet.
 - (b) recognises any investment retained in the former subsidiary at its fair value when control is lost and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary in accordance with relevant Ind ASs. That fair value shall be regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset in accordance with Ind AS 109 or, when appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture.
 - (c) recognises the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.
26. Paragraphs B97–B99 set out guidance for the accounting for the loss of control.

Determining whether an entity is an investment entity

27. **A parent shall determine whether it is an investment entity. An investment entity is an entity that:**

- (a) obtains funds from one or more investors for the purpose of providing those investor(s) with investment management services;
- (b) commits to its investor(s) that its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and
- (c) measures and evaluates the performance of substantially all of its investments on a fair value basis.

Paragraphs B85A–B85M provide related application guidance.

28. In assessing whether it meets the definition described in paragraph 27, an entity shall consider whether it has the following typical characteristics of an investment entity:
- (a) it has more than one investment (see paragraphs B85O–B85P);
 - (b) it has more than one investor (see paragraphs B85Q–B85S);
 - (c) it has investors that are not related parties of the entity (see paragraphs B85T–B85U); and
 - (d) it has ownership interests in the form of equity or similar interests (see paragraphs B85V–B85W).
- The absence of any of these typical characteristics does not necessarily disqualify an entity from being classified as an investment entity. An investment entity that does not have all of these typical characteristics provides additional disclosure required by paragraph 9A of Ind AS 112, *Disclosure of Interests in Other Entities*.
29. If facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements that make up the definition of an investment entity, as described in paragraph 27, or the typical characteristics of an investment entity, as described in paragraph 28, a parent shall reassess whether it is an investment entity.
30. A parent that either ceases to be an investment entity or becomes an investment entity shall account for the change in its status prospectively from the date at which the change in status occurred (see paragraphs B100–B101).

Investment entities: exception to consolidation

31. **Except as described in paragraph 32, an investment entity shall not consolidate its subsidiaries or apply Ind AS 103 when it obtains control of another entity. Instead, an investment entity shall measure an investment in a subsidiary at fair value through profit or loss in accordance with Ind AS 109.**
32. Notwithstanding the requirement in paragraph 31, if an investment entity has a subsidiary that provides services that relate to the investment entity's investment activities (see paragraphs B85C–B85E), it shall consolidate that subsidiary in accordance with paragraphs 19–26 of this Ind AS and apply the requirements of Ind AS 103 to the acquisition of any such subsidiary.
33. A parent of an investment entity shall consolidate all entities that it controls, including those controlled through an investment entity subsidiary, unless the parent itself is an investment entity.

Appendix A**Defined terms**

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Consolidated financial statements	The financial statements of a group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as those of a single economic entity.
control of an investee	An investor controls an investee when the investor is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.
decision maker	An entity with decision-making rights that is either a principal or an agent for other parties.
group	A parent and its subsidiaries .
investment entity	An entity that: - obtains funds from one or more investors for the purpose of providing those investor(s) with investment management services; - commits to its investor(s) that its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and - measures and evaluates the performance of substantially all of its investments on a fair value basis.
non-controlling interest	Equity in a subsidiary not attributable, directly or indirectly, to a parent .
parent	An entity that controls one or more entities.
power	Existing rights that give the current ability to direct the relevant activities .
protective rights	Rights designed to protect the interest of the party holding those rights without giving that party power over the entity to which those rights relate.
relevant activities	For the purpose of this Ind AS, relevant activities are activities of the investee that significantly affect the investee's returns.
removal rights	Rights to deprive the decision maker of its decision-making authority.
subsidiary	An entity that is controlled by another entity.

The following terms are defined in Ind AS 111, Ind AS 112, *Disclosure of Interests in Other Entities*, Ind AS 28 or Ind AS 24, *Related Party Disclosures*, and are used in this Ind AS with the meanings specified in those Ind ASs:

- associate
- interest in another entity
- joint venture
- key management personnel
- related party
- significant influence.

Appendix B**Application guidance**

This appendix is an integral part of the Ind AS. It describes the application of paragraphs 1-33 and has the same authority as the other parts of the Ind AS.

- B1 The examples in this appendix portray hypothetical situations. Although some aspects of the examples may be present in actual fact patterns, all facts and circumstances of a particular fact pattern would need to be evaluated when applying Ind AS 110.

Assessing control

- B2 To determine whether it controls an investee an investor shall assess whether it has all the following:
- power over the investee;
 - exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and

- (c) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's returns.
- B3 Consideration of the following factors may assist in making that determination:
- (a) the purpose and design of the investee (see paragraphs B5-B8);
- (b) what the relevant activities are and how decisions about those activities are made (see paragraphs B11-B13);
- (c) whether the rights of the investor give it the current ability to direct the relevant activities (see paragraphs B14-B54);
- (d) whether the investor is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee (see paragraphs B55-B57); and
- (e) whether the investor has the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's return (see paragraphs B58-B72).

- B4 When assessing control of an investee, an investor shall consider the nature of its relationship with other parties (see paragraphs B73-B75).

Purpose and design of an investee

- B5 When assessing control of an investee, an investor shall consider the purpose and design of the investee in order to identify the relevant activities, how decisions about the relevant activities are made, who has the current ability to direct those activities and who receives returns from those activities.
- B6 When an investee's purpose and design are considered, it may be clear that an investee is controlled by means of equity instruments that give the holder proportionate voting rights, such as ordinary shares in the investee. In this case, in the absence of any additional arrangements that alter decision-making, the assessment of control focuses on which party, if any, is able to exercise voting rights sufficient to determine the investee's operating and financing policies (see paragraphs B34-B50). In the most straightforward case, the investor that holds a majority of those voting rights, in the absence of any other factors, controls the investee.
- B7 To determine whether an investor controls an investee in more complex cases, it may be necessary to consider some or all of the other factors in paragraph B3.
- B8 An investee may be designed so that voting rights are not the dominant factor in deciding who controls the investee, such as when any voting rights relate to administrative tasks only and the relevant activities are directed by means of contractual arrangements. In such cases, an investor's consideration of the purpose and design of the investee shall also include consideration of the risks to which the investee was designed to be exposed, the risks it was designed to pass on to the parties involved with the investee and whether the investor is exposed to some or all of those risks. Consideration of the risks includes not only the downside risk, but also the potential for upside.

Power

- B9 To have power over an investee, an investor must have existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities. For the purpose of assessing power, only substantive rights and rights that are not protective shall be considered (see paragraphs B22-B28).
- B10 The determination about whether an investor has power depends on the relevant activities, the way decisions about the relevant activities are made and the rights the investor and other parties have in relation to the investee.

Relevant activities and direction of relevant activities

- B11 For many investees, a range of operating and financing activities significantly affect their returns. Examples of activities that, depending on the circumstances, can be relevant activities include, but are not limited to:
- (a) selling and purchasing of goods or services;
- (b) managing financial assets during their life (including upon default);
- (c) selecting, acquiring or disposing of assets;
- (d) researching and developing new products or processes; and
- (e) determining a funding structure or obtaining funding.
- B12 Examples of decisions about relevant activities include but are not limited to:
- (a) establishing operating and capital decisions of the investee, including budgets; and

- (b) appointing and remunerating an investee's key management personnel or service providers and terminating their services or employment.

B13 In some situations, activities both before and after a particular set of circumstances arises or event occurs may be relevant activities. When two or more investors have the current ability to direct relevant activities and those activities occur at different times, the investors shall determine which investor is able to direct the activities that most significantly affect those returns consistently with the treatment of concurrent decision-making rights (see paragraph 13). The investors shall reconsider this assessment over time if relevant facts or circumstances change.

Application examples

Example 1

Two investors form an investee to develop and market a medical product. One investor is responsible for developing and obtaining regulatory approval of the medical product—that responsibility includes having the unilateral ability to make all decisions relating to the development of the product and to obtaining regulatory approval. Once the regulator has approved the product, the other investor will manufacture and market it—this investor has the unilateral ability to make all decisions about the manufacture and marketing of the project. If all the activities—developing and obtaining regulatory approval as well as manufacturing and marketing of the medical product—are relevant activities, each investor needs to determine whether it is able to direct the activities that *most* significantly affect the investee's returns. Accordingly, each investor needs to consider whether developing and obtaining regulatory approval or the manufacturing and marketing of the medical product is the activity that *most* significantly affects the investee's returns and whether it is able to direct that activity. In determining which investor has power, the investors would consider:

- (a) the purpose and design of the investee;
- (b) the factors that determine the profit margin, revenue and value of the investee as well as the value of the medical product;
- (c) the effect on the investee's returns resulting from each investor's decision-making authority with respect to the factors in (b); and
- (d) the investors' exposure to variability of returns.

In this particular example, the investors would also consider:

- (e) the uncertainty of, and effort required in, obtaining regulatory approval (considering the investor's record of successfully developing and obtaining regulatory approval of medical products); and
- (f) which investor controls the medical product once the development phase is successful.

Example 2

An investment vehicle (the investee) is created and financed with a debt instrument held by an investor (the debt investor) and equity instruments held by a number of other investors. The equity tranche is designed to absorb the first losses and to receive any residual return from the investee. One of the equity investors who holds 30 per cent of the equity is also the asset manager. The investee uses its proceeds to purchase a portfolio of financial assets, exposing the investee to the credit risk associated with the possible default of principal and interest payments of the assets. The transaction is marketed to the debt investor as an investment with minimal exposure to the credit risk associated with the possible default of the assets in the portfolio because of the nature of these assets and because the equity tranche is designed to absorb the first losses of the investee. The returns of the investee are significantly affected by the management of the investee's asset portfolio, which includes decisions about the selection, acquisition and disposal of the assets within portfolio guidelines and the management upon default of any portfolio assets. All those activities are managed by the asset manager until defaults reach a specified proportion of the portfolio value (ie. when the value of the portfolio is such that the equity tranche of the investee has been consumed). From that time, a third-party trustee manages the assets according to the instructions of the debt investor. Managing the investee's asset portfolio is the relevant activity of the investee. The asset manager has the ability to direct the relevant activities until defaulted assets reach the specified proportion of the portfolio value; the debt investor has the ability to direct the relevant activities when the value of defaulted assets surpasses that specified proportion of the portfolio value. The asset manager and the debt investor each need to determine whether they are able to direct the activities that *most* significantly affect the investee's returns, including considering the purpose and design of the investee as well as each party's exposure to variability of returns.

Rights that give an investor power over an investee

- B14 Power arises from rights. To have power over an investee, an investor must have existing rights that give the investor the current ability to direct the relevant activities. The rights that may give an investor power can differ between investees.
- B15 Examples of rights that, either individually or in combination, can give an investor power include but are not limited to:
- (a) rights in the form of voting rights (or potential voting rights) of an investee (see paragraphs B34–B50);
 - (b) rights to appoint, reassign or remove members of an investee’s key management personnel who have the ability to direct the relevant activities;
 - (c) rights to appoint or remove another entity that directs the relevant activities;
 - (d) rights to direct the investee to enter into, or veto any changes to, transactions for the benefit of the investor; and
 - (e) other rights (such as decision-making rights specified in a management contract) that give the holder the ability to direct the relevant activities.
- B16 Generally, when an investee has a range of operating and financing activities that significantly affect the investee’s returns and when substantive decision-making with respect to these activities is required continuously, it will be voting or similar rights that give an investor power, either individually or in combination with other arrangements.
- B17 When voting rights cannot have a significant effect on an investee’s returns, such as when voting rights relate to administrative tasks only and contractual arrangements determine the direction of the relevant activities, the investor needs to assess those contractual arrangements in order to determine whether it has rights sufficient to give it power over the investee. To determine whether an investor has rights sufficient to give it power, the investor shall consider the purpose and design of the investee (see paragraphs B5–B8) and the requirements in paragraphs B51–B54 together with paragraphs B18–B20.
- B18 In some circumstances it may be difficult to determine whether an investor’s rights are sufficient to give it power over an investee. In such cases, to enable the assessment of power to be made, the investor shall consider evidence of whether it has the practical ability to direct the relevant activities unilaterally. Consideration is given, but is not limited, to the following, which, when considered together with its rights and the indicators in paragraphs B19 and B20, may provide evidence that the investor’s rights are sufficient to give it power over the investee:
- (a) The investor can, without having the contractual right to do so, appoint or approve the investee’s key management personnel who have the ability to direct the relevant activities.
 - (b) The investor can, without having the contractual right to do so, direct the investee to enter into, or can veto any changes to, significant transactions for the benefit of the investor.
 - (c) The investor can dominate either the nominations process for electing members of the investee’s governing body or the obtaining of proxies from other holders of voting rights.
 - (d) The investee’s key management personnel are related parties of the investor (for example, the chief executive officer of the investee and the chief executive officer of the investor are the same person).
 - (e) The majority of the members of the investee’s governing body are related parties of the investor.
- B19 Sometimes there will be indications that the investor has a special relationship with the investee, which suggests that the investor has more than a passive interest in the investee. The existence of any individual indicator, or a particular combination of indicators, does not necessarily mean that the power criterion is met. However, having more than a passive interest in the investee may indicate that the investor has other related rights sufficient to give it power or provide evidence of existing power over an investee. For example, the following suggests that the investor has more than a passive interest in the investee and, in combination with other rights, may indicate power:
- (a) The investee’s key management personnel who have the ability to direct the relevant activities are current or previous employees of the investor.
 - (b) The investee’s operations are dependent on the investor, such as in the following situations:
 - (i) The investee depends on the investor to fund a significant portion of its operations.
 - (ii) The investor guarantees a significant portion of the investee’s obligations.

- (iii) The investee depends on the investor for critical services, technology, supplies or raw materials.
 - (iv) The investor controls assets such as licences or trademarks that are critical to the investee's operations.
 - (v) The investee depends on the investor for key management personnel, such as when the investor's personnel have specialised knowledge of the investee's operations.
 - (c) A significant portion of the investee's activities either involve or are conducted on behalf of the investor.
 - (d) The investor's exposure, or rights, to returns from its involvement with the investee is disproportionately greater than its voting or other similar rights. For example, there may be a situation in which an investor is entitled, or exposed, to more than half of the returns of the investee but holds less than half of the voting rights of the investee.
- B20 The greater an investor's exposure, or rights, to variability of returns from its involvement with an investee, the greater is the incentive for the investor to obtain rights sufficient to give it power. Therefore, having a large exposure to variability of returns is an indicator that the investor may have power. However, the extent of the investor's exposure does not, in itself, determine whether an investor has power over the investee.
- B21 When the factors set out in paragraph B18 and the indicators set out in paragraphs B19 and B20 are considered together with an investor's rights, greater weight shall be given to the evidence of power described in paragraph B18.
- Substantive rights*
- B22 An investor, in assessing whether it has power, considers only substantive rights relating to an investee (held by the investor and others). For a right to be substantive, the holder must have the practical ability to exercise that right.
- B23 Determining whether rights are substantive requires judgement, taking into account all facts and circumstances. Factors to consider in making that determination include but are not limited to:
- (a) Whether there are any barriers (economic or otherwise) that prevent the holder (or holders) from exercising the rights. Examples of such barriers include but are not limited to:
 - (i) financial penalties and incentives that would prevent (or deter) the holder from exercising its rights.
 - (ii) an exercise or conversion price that creates a financial barrier that would prevent (or deter) the holder from exercising its rights.
 - (iii) terms and conditions that make it unlikely that the rights would be exercised, for example, conditions that narrowly limit the timing of their exercise.
 - (iv) the absence of an explicit, reasonable mechanism in the founding documents of an investee or in applicable laws or regulations that would allow the holder to exercise its rights.
 - (v) the inability of the holder of the rights to obtain the information necessary to exercise its rights.
 - (vi) operational barriers or incentives that would prevent (or deter) the holder from exercising its rights (eg. the absence of other managers willing or able to provide specialised services or provide the services and take on other interests held by the incumbent manager).
 - (vii) legal or regulatory requirements that prevent the holder from exercising its rights (eg. where a foreign investor is prohibited from exercising its rights).
 - (b) When the exercise of rights requires the agreement of more than one party, or when the rights are held by more than one party, whether a mechanism is in place that provides those parties with the practical ability to exercise their rights collectively if they choose to do so. The lack of such a mechanism is an indicator that the rights may not be substantive. The more parties that are required to agree to exercise the rights, the less likely it is that those rights are substantive. However, a board of directors whose members are independent of the decision maker may serve as a mechanism for numerous investors to act collectively in exercising their rights. Therefore, removal rights exercisable by an independent board of directors are more likely to be substantive than if the same rights were exercisable individually by a large number of investors.

- (c) Whether the party or parties that hold the rights would benefit from the exercise of those rights. For example, the holder of potential voting rights in an investee (see paragraphs B47–B50) shall consider the exercise or conversion price of the instrument. The terms and conditions of potential voting rights are more likely to be substantive when the instrument is in the money or the investor would benefit for other reasons (eg. by realising synergies between the investor and the investee) from the exercise or conversion of the instrument.
- B24 To be substantive, rights also need to be exercisable when decisions about the direction of the relevant activities need to be made. Usually, to be substantive, the rights need to be currently exercisable. However, sometimes rights can be substantive, even though the rights are not currently exercisable.

Application examples

Example 3

The investee has annual shareholder meetings at which decisions to direct the relevant activities are made. The next scheduled shareholders' meeting is in eight months. However, shareholders that individually or collectively hold at least 5 per cent of the voting rights can call a special meeting to change the existing policies over the relevant activities, but a requirement to give notice to the other shareholders means that such a meeting cannot be held for at least 30 days. Policies over the relevant activities can be changed only at special or scheduled shareholders' meetings. This includes the approval of material sales of assets as well as the making or disposing of significant investments.

The above fact pattern applies to examples 3A–3D described below. Each example is considered in isolation.

Example 3A

An investor holds a majority of the voting rights in the investee. The investor's voting rights are substantive because the investor is able to make decisions about the direction of the relevant activities when they need to be made. The fact that it takes 30 days before the investor can exercise its voting rights does not stop the investor from having the current ability to direct the relevant activities from the moment the investor acquires the shareholding.

Example 3B

An investor is party to a forward contract to acquire the majority of shares in the investee. The forward contract's settlement date is in 25 days. The existing shareholders are unable to change the existing policies over the relevant activities because a special meeting cannot be held for at least 30 days, at which point the forward contract will have been settled. Thus, the investor has rights that are essentially equivalent to the majority shareholder in example 3A above (ie. the investor holding the forward contract can make decisions about the direction of the relevant activities when they need to be made). The investor's forward contract is a substantive right that gives the investor the current ability to direct the relevant activities even before the forward contract is settled.

Example 3C

An investor holds a substantive option to acquire the majority of shares in the investee that is exercisable in 25 days and is deeply in the money. The same conclusion would be reached as in example 3B.

Example 3D

An investor is party to a forward contract to acquire the majority of shares in the investee, with no other related rights over the investee. The forward contract's settlement date is in six months. In contrast to the examples above, the investor does not have the current ability to direct the relevant activities. The existing shareholders have the current ability to direct the relevant activities because they can change the existing policies over the relevant activities before the forward contract is settled.

- B25 Substantive rights exercisable by other parties can prevent an investor from controlling the investee to which those rights relate. Such substantive rights do not require the holders to have the ability to initiate decisions. As long as the rights are not merely protective (see paragraphs B26–B28), substantive rights held by other parties may prevent the investor from controlling the investee even if the rights give the holders only the current ability to approve or block decisions that relate to the relevant activities.

Protective rights

- B26 In evaluating whether rights give an investor power over an investee, the investor shall assess whether its rights, and rights held by others, are protective rights. Protective rights relate to fundamental changes to the activities of an investee or apply in exceptional circumstances. However, not all rights that apply in exceptional circumstances or are contingent on events are protective (see paragraphs B13 and B53).

- B27 Because protective rights are designed to protect the interests of their holder without giving that party power over the investee to which those rights relate, an investor that holds only protective rights cannot have power or prevent another party from having power over an investee (see paragraph 14).
- B28 Examples of protective rights include but are not limited to:
- (a) a lender's right to restrict a borrower from undertaking activities that could significantly change the credit risk of the borrower to the detriment of the lender.
 - (b) the right of a party holding a non-controlling interest in an investee to approve capital expenditure greater than that required in the ordinary course of business, or to approve the issue of equity or debt instruments.
 - (c) the right of a lender to seize the assets of a borrower if the borrower fails to meet specified loan repayment conditions.

Franchises

- B29 A franchise agreement for which the investee is the franchisee often gives the franchisor rights that are designed to protect the franchise brand. Franchise agreements typically give franchisors some decision-making rights with respect to the operations of the franchisee.
- B30 Generally, franchisors' rights do not restrict the ability of parties other than the franchisor to make decisions that have a significant effect on the franchisee's returns. Nor do the rights of the franchisor in franchise agreements necessarily give the franchisor the current ability to direct the activities that significantly affect the franchisee's returns.
- B31 It is necessary to distinguish between having the current ability to make decisions that significantly affect the franchisee's returns and having the ability to make decisions that protect the franchise brand. The franchisor does not have power over the franchisee if other parties have existing rights that give them the current ability to direct the relevant activities of the franchisee.
- B32 By entering into the franchise agreement the franchisee has made a unilateral decision to operate its business in accordance with the terms of the franchise agreement, but for its own account.
- B33 Control over such fundamental decisions as the legal form of the franchisee and its funding structure may be determined by parties other than the franchisor and may significantly affect the returns of the franchisee. The lower the level of financial support provided by the franchisor and the lower the franchisor's exposure to variability of returns from the franchisee the more likely it is that the franchisor has only protective rights.

Voting rights

- B34 Often an investor has the current ability, through voting or similar rights, to direct the relevant activities. An investor considers the requirements in this section (paragraphs B35–B50) if the relevant activities of an investee are directed through voting rights.

Power with a majority of the voting rights

- B35 An investor that holds more than half of the voting rights of an investee has power in the following situations, unless paragraph B36 or paragraph B37 applies:
- (a) the relevant activities are directed by a vote of the holder of the majority of the voting rights, or
 - (b) a majority of the members of the governing body that directs the relevant activities are appointed by a vote of the holder of the majority of the voting rights.

Majority of the voting rights but no power

- B36 For an investor that holds more than half of the voting rights of an investee, to have power over an investee, the investor's voting rights must be substantive, in accordance with paragraphs B22–B25, and must provide the investor with the current ability to direct the relevant activities, which often will be through determining operating and financing policies. If another entity has existing rights that provide that entity with the right to direct the relevant activities and that entity is not an agent of the investor, the investor does not have power over the investee.
- B37 An investor does not have power over an investee, even though the investor holds the majority of the voting rights in the investee, when those voting rights are not substantive. For example, an investor that has more than half of the voting rights in an investee cannot have power if the relevant activities are subject to direction by a government, court, administrator, receiver, liquidator or regulator.

Power without a majority of the voting rights

B38 An investor can have power even if it holds less than a majority of the voting rights of an investee. An investor can have power with less than a majority of the voting rights of an investee, for example, through:

- (a) a contractual arrangement between the investor and other vote holders (see paragraph B39);
- (b) rights arising from other contractual arrangements (see paragraph B40);
- (c) the investor's voting rights (see paragraphs B41–B45);
- (d) potential voting rights (see paragraphs B47–B50); or
- (e) a combination of (a)–(d).

Contractual arrangement with other vote holders

B39 A contractual arrangement between an investor and other vote holders can give the investor the right to exercise voting rights sufficient to give the investor power, even if the investor does not have voting rights sufficient to give it power without the contractual arrangement. However, a contractual arrangement might ensure that the investor can direct enough other vote holders on how to vote to enable the investor to make decisions about the relevant activities.

Rights from other contractual arrangements

B40 Other decision-making rights, in combination with voting rights, can give an investor the current ability to direct the relevant activities. For example, the rights specified in a contractual arrangement in combination with voting rights may be sufficient to give an investor the current ability to direct the manufacturing processes of an investee or to direct other operating or financing activities of an investee that significantly affect the investee's returns. However, in the absence of any other rights, economic dependence of an investee on the investor (such as relations of a supplier with its main customer) does not lead to the investor having power over the investee.

The investor's voting rights

B41 An investor with less than a majority of the voting rights has rights that are sufficient to give it power when the investor has the practical ability to direct the relevant activities unilaterally.

B42 When assessing whether an investor's voting rights are sufficient to give it power, an investor considers all facts and circumstances, including:

- (a) the size of the investor's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holdings of the other vote holders, noting that:
 - (i) the more voting rights an investor holds, the more likely the investor is to have existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities;
 - (ii) the more voting rights an investor holds relative to other vote holders, the more likely the investor is to have existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities;
 - (iii) the more parties that would need to act together to outvote the investor, the more likely the investor is to have existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities;
- (b) potential voting rights held by the investor, other vote holders or other parties (see paragraphs B47–B50);
- (c) rights arising from other contractual arrangements (see paragraph B40); and
- (d) any additional facts and circumstances that indicate the investor has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

B43 When the direction of relevant activities is determined by majority vote and an investor holds significantly more voting rights than any other vote holder or organised group of vote holders, and the other shareholdings are widely dispersed, it may be clear, after considering the factors listed in paragraph B42 (a)–(c) alone, that the investor has power over the investee.

Application examples**Example 4**

An investor acquires 48 per cent of the voting rights of an investee. The remaining voting rights are held by thousands of shareholders, none individually holding more than 1 per cent of the voting rights. None of the shareholders has any arrangements to consult any of the others or make collective decisions. When assessing the proportion of voting rights to acquire, on the basis of the relative size of the other shareholdings, the investor determined that a 48 per cent interest

would be sufficient to give it control. In this case, on the basis of the absolute size of its holding and the relative size of the other shareholdings, the investor concludes that it has a sufficiently dominant voting interest to meet the power criterion without the need to consider any other evidence of power.

Example 5

Investor A holds 40 per cent of the voting rights of an investee and twelve other investors each hold 5 per cent of the voting rights of the investee. A shareholder agreement grants investor A the right to appoint, remove and set the remuneration of management responsible for directing the relevant activities. To change the agreement, a two-thirds majority vote of the shareholders is required. In this case, investor A concludes that the absolute size of the investor's holding and the relative size of the other shareholdings alone are not conclusive in determining whether the investor has rights sufficient to give it power. However, investor A determines that its contractual right to appoint, remove and set the remuneration of management is sufficient to conclude that it has power over the investee. The fact that investor A might not have exercised this right or the likelihood of investor A exercising its right to select, appoint or remove management shall not be considered when assessing whether investor A has power.

B44 In other situations, it may be clear after considering the factors listed in paragraph B42 (a)–(c) alone that an investor does not have power.

Application example

Example 6

Investor A holds 45 per cent of the voting rights of an investee. Two other investors each hold 26 per cent of the voting rights of the investee. The remaining voting rights are held by three other shareholders, each holding 1 per cent. There are no other arrangements that affect decision-making. In this case, the size of investor A's voting interest and its size relative to the other shareholdings are sufficient to conclude that investor A does not have power. Only two other investors would need to co-operate to be able to prevent investor A from directing the relevant activities of the investee.

B45 However, the factors listed in paragraph B42 (a)–(c) alone may not be conclusive. If an investor, having considered those factors, is unclear whether it has power, it shall consider additional facts and circumstances, such as whether other shareholders are passive in nature as demonstrated by voting patterns at previous shareholders' meetings. This includes the assessment of the factors set out in paragraph B18 and the indicators in paragraphs B19 and B20. The fewer voting rights the investor holds, and the fewer parties that would need to act together to outvote the investor, the more reliance would be placed on the additional facts and circumstances to assess whether the investor's rights are sufficient to give it power. When the facts and circumstances in paragraphs B18–B20 are considered together with the investor's rights, greater weight shall be given to the evidence of power in paragraph B18 than to the indicators of power in paragraphs B19 and B20.

Application examples

Example 7

An investor holds 45 per cent of the voting rights of an investee. Eleven other shareholders each hold 5 per cent of the voting rights of the investee. None of the shareholders has contractual arrangements to consult any of the others or make collective decisions. In this case, the absolute size of the investor's holding and the relative size of the other shareholdings alone are not conclusive in determining whether the investor has rights sufficient to give it power over the investee. Additional facts and circumstances that may provide evidence that the investor has, or does not have, power shall be considered.

Example 8

An investor holds 35 per cent of the voting rights of an investee. Three other shareholders each hold 5 per cent of the voting rights of the investee. The remaining voting rights are held by numerous other shareholders, none individually holding more than 1 per cent of the voting rights. None of the shareholders has arrangements to consult any of the others or make collective decisions. Decisions about the relevant activities of the investee require the approval of a majority of votes cast at relevant shareholders' meetings—75 per cent of the voting rights of the investee have been cast at recent relevant shareholders' meetings. In this case, the active participation of the other shareholders at recent shareholders' meetings indicates that the investor would not have the practical ability to direct the relevant activities unilaterally, regardless of whether the investor has directed the relevant activities because a sufficient number of other shareholders voted in the same way as the investor.

- B46 If it is not clear, having considered the factors listed in paragraph B42 (a)–(d), that the investor has power, the investor does not control the investee.
- Potential voting rights*
- B47 When assessing control, an investor considers its potential voting rights as well as potential voting rights held by other parties, to determine whether it has power. Potential voting rights are rights to obtain voting rights of an investee, such as those arising from convertible instruments or options, including forward contracts. Those potential voting rights are considered only if the rights are substantive (see paragraphs B22–B25).
- B48 When considering potential voting rights, an investor shall consider the purpose and design of the instrument, as well as the purpose and design of any other involvement the investor has with the investee. This includes an assessment of the various terms and conditions of the instrument as well as the investor's apparent expectations, motives and reasons for agreeing to those terms and conditions.
- B49 If the investor also has voting or other decision-making rights relating to the investee's activities, the investor assesses whether those rights, in combination with potential voting rights, give the investor power.
- B50 Substantive potential voting rights alone, or in combination with other rights, can give an investor the current ability to direct the relevant activities. For example, this is likely to be the case when an investor holds 40 per cent of the voting rights of an investee and, in accordance with paragraph B23, holds substantive rights arising from options to acquire a further 20 per cent of the voting rights.

Application examples

Example 9

Investor A holds 70 per cent of the voting rights of an investee. Investor B has 30 per cent of the voting rights of the investee as well as an option to acquire half of investor A's voting rights. The option is exercisable for the next two years at a fixed price that is deeply out of the money (and is expected to remain so for that two-year period). Investor A has been exercising its votes and is actively directing the relevant activities of the investee. In such a case, investor A is likely to meet the power criterion because it appears to have the current ability to direct the relevant activities. Although investor B has currently exercisable options to purchase additional voting rights (that, if exercised, would give it a majority of the voting rights in the investee), the terms and conditions associated with those options are such that the options are not considered substantive.

Example 10

Investor A and two other investors each hold a third of the voting rights of an investee. The investee's business activity is closely related to investor A. In addition to its equity instruments, investor A also holds debt instruments that are convertible into ordinary shares of the investee at any time for a fixed price that is out of the money (but not deeply out of the money). If the debt were converted, investor A would hold 60 per cent of the voting rights of the investee. Investor A would benefit from realising synergies if the debt instruments were converted into ordinary shares. Investor A has power over the investee because it holds voting rights of the investee together with substantive potential voting rights that give it the current ability to direct the relevant activities.

Power when voting or similar rights do not have a significant effect on the investee's returns

- B51 In assessing the purpose and design of an investee (see paragraphs B5–B8), an investor shall consider the involvement and decisions made at the investee's inception as part of its design and evaluate whether the transaction terms and features of the involvement provide the investor with rights that are sufficient to give it power. Being involved in the design of an investee alone is not sufficient to give an investor control. However, involvement in the design may indicate that the investor had the opportunity to obtain rights that are sufficient to give it power over the investee.
- B52 In addition, an investor shall consider contractual arrangements such as call rights, put rights and liquidation rights established at the investee's inception. When these contractual arrangements involve activities that are closely related to the investee, then these activities are, in substance, an integral part of the investee's overall activities, even though they may occur outside the legal boundaries of the investee. Therefore, explicit or implicit decision-making rights embedded in contractual arrangements that are closely related to the investee need to be considered as relevant activities when determining power over the investee.

- B53 For some investees, relevant activities occur only when particular circumstances arise or events occur. The investee may be designed so that the direction of its activities and its returns are predetermined unless and until those particular circumstances arise or events occur. In this case, only the decisions about the investee's activities when those circumstances or events occur can significantly affect its returns and thus be relevant activities. The circumstances or events need not have occurred for an investor with the ability to make those decisions to have power. The fact that the right to make decisions is contingent on circumstances arising or an event occurring does not, in itself, make those rights protective.

Application examples

Example 11

An investee's only business activity, as specified in its founding documents, is to purchase receivables and service them on a day-to-day basis for its investors. The servicing on a day-to-day basis includes the collection and passing on of principal and interest payments as they fall due. Upon default of a receivable the investee automatically puts the receivable to an investor as agreed separately in a put agreement between the investor and the investee. The only relevant activity is managing the receivables upon default because it is the only activity that can significantly affect the investee's returns. Managing the receivables before default is not a relevant activity because it does not require substantive decisions to be made that could significantly affect the investee's returns—the activities before default are predetermined and amount only to collecting cash flows as they fall due and passing them on to investors. Therefore, only the investor's right to manage the assets upon default should be considered when assessing the overall activities of the investee that significantly affect the investee's returns.

In this example, the design of the investee ensures that the investor has decision-making authority over the activities that significantly affect the returns at the only time that such decision-making authority is required. The terms of the put agreement are integral to the overall transaction and the establishment of the investee. Therefore, the terms of the put agreement together with the founding documents of the investee lead to the conclusion that the investor has power over the investee even though the investor takes ownership of the receivables only upon default and manages the defaulted receivables outside the legal boundaries of the investee.

Example 12

The only assets of an investee are receivables. When the purpose and design of the investee are considered, it is determined that the only relevant activity is managing the receivables upon default. The party that has the ability to manage the defaulting receivables has power over the investee, irrespective of whether any of the borrowers have defaulted.

- B54 An investor may have an explicit or implicit commitment to ensure that an investee continues to operate as designed. Such a commitment may increase the investor's exposure to variability of returns and thus increase the incentive for the investor to obtain rights sufficient to give it power. Therefore a commitment to ensure that an investee operates as designed may be an indicator that the investor has power, but does not, by itself, give an investor power, nor does it prevent another party from having power.

Exposure, or rights, to variable returns from an investee

- B55 When assessing whether an investor has control of an investee, the investor determines whether it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee.
- B56 Variable returns are returns that are not fixed and have the potential to vary as a result of the performance of an investee. Variable returns can be only positive, only negative or both positive and negative (see paragraph 15). An investor assesses whether returns from an investee are variable and how variable those returns are on the basis of the substance of the arrangement and regardless of the legal form of the returns. For example, an investor can hold a bond with fixed interest payments. The fixed interest payments are variable returns for the purpose of this Ind AS because they are subject to default risk and they expose the investor to the credit risk of the issuer of the bond. The amount of variability (ie. how variable those returns are) depends on the credit risk of the bond. Similarly, fixed performance fees for managing an investee's assets are variable returns because they expose the investor to the performance risk of the investee. The amount of variability depends on the investee's ability to generate sufficient income to pay the fee.
- B57 Examples of returns include:
- (a) dividends, other distributions of economic benefits from an investee (eg. interest from debt securities issued by the investee) and changes in the value of the investor's investment in that investee.

- (b) remuneration for servicing an investee's assets or liabilities, fees and exposure to loss from providing credit or liquidity support, residual interests in the investee's assets and liabilities on liquidation of that investee, tax benefits, and access to future liquidity that an investor has from its involvement with an investee.
- (c) returns that are not available to other interest holders. For example, an investor might use its assets in combination with the assets of the investee, such as combining operating functions to achieve economies of scale, cost savings, sourcing scarce products, gaining access to proprietary knowledge or limiting some operations or assets, to enhance the value of the investor's other assets.

Link between power and returns

Delegated power

- B58 When an investor with decision-making rights (a decision maker) assesses whether it controls an investee, it shall determine whether it is a principal or an agent. An investor shall also determine whether another entity with decision-making rights is acting as an agent for the investor. An agent is a party primarily engaged to act on behalf and for the benefit of another party or parties (the principal(s)) and therefore does not control the investee when it exercises its decision-making authority (see paragraphs 17 and 18). Thus, sometimes a principal's power may be held and exercisable by an agent, but on behalf of the principal. A decision maker is not an agent simply because other parties can benefit from the decisions that it makes.
- B59 An investor may delegate its decision-making authority to an agent on some specific issues or on all relevant activities. When assessing whether it controls an investee, the investor shall treat the decision-making rights delegated to its agent as held by the investor directly. In situations where there is more than one principal, each of the principals shall assess whether it has power over the investee by considering the requirements in paragraphs B5–B54. Paragraphs B60–B72 provide guidance on determining whether a decision maker is an agent or a principal.
- B60 A decision maker shall consider the overall relationship between itself, the investee being managed and other parties involved with the investee, in particular all the factors below, in determining whether it is an agent:
- (a) the scope of its decision-making authority over the investee (paragraphs B62 and B63).
 - (b) the rights held by other parties (paragraphs B64–B67).
 - (c) the remuneration to which it is entitled in accordance with the remuneration agreement(s) (paragraphs B68–B70).
 - (d) the decision maker's exposure to variability of returns from other interests that it holds in the investee (paragraphs B71 and B72).

Different weightings shall be applied to each of the factors on the basis of particular facts and circumstances.

- B61 Determining whether a decision maker is an agent requires an evaluation of all the factors listed in paragraph B60 unless a single party holds substantive rights to remove the decision maker (removal rights) and can remove the decision maker without cause (see paragraph B65).

The scope of the decision-making authority

- B62 The scope of a decision maker's decision-making authority is evaluated by considering:
- (a) the activities that are permitted according to the decision-making agreement(s) and specified by law, and
 - (b) the discretion that the decision maker has when making decisions about those activities.
- B63 A decision maker shall consider the purpose and design of the investee, the risks to which the investee was designed to be exposed, the risks it was designed to pass on to the parties involved and the level of involvement the decision maker had in the design of an investee. For example, if a decision maker is significantly involved in the design of the investee (including in determining the scope of decision-making authority), that involvement may indicate that the decision maker had the opportunity and incentive to obtain rights that result in the decision maker having the ability to direct the relevant activities.

Rights held by other parties

- B64 Substantive rights held by other parties may affect the decision maker's ability to direct the relevant activities of an investee. Substantive removal or other rights may indicate that the decision maker is an agent.

- B65 When a single party holds substantive removal rights and can remove the decision maker without cause, this, in isolation, is sufficient to conclude that the decision maker is an agent. If more than one party holds such rights (and no individual party can remove the decision maker without the agreement of other parties) those rights are not, in isolation, conclusive in determining that a decision maker acts primarily on behalf and for the benefit of others. In addition, the greater the number of parties required to act together to exercise rights to remove a decision maker and the greater the magnitude of, and variability associated with, the decision maker's other economic interests (ie. remuneration and other interests), the less the weighting that shall be placed on this factor.
- B66 Substantive rights held by other parties that restrict a decision maker's discretion shall be considered in a similar manner to removal rights when evaluating whether the decision maker is an agent. For example, a decision maker that is required to obtain approval from a small number of other parties for its actions is generally an agent. (See paragraphs B22–B25 for additional guidance on rights and whether they are substantive.)
- B67 Consideration of the rights held by other parties shall include an assessment of any rights exercisable by an investee's board of directors (or other governing body) and their effect on the decision-making authority (see paragraph B23 (b)).
- Remuneration*
- B68 The greater the magnitude of, and variability associated with, the decision maker's remuneration relative to the returns expected from the activities of the investee, the more likely the decision maker is a principal.
- B69 In determining whether it is a principal or an agent the decision maker shall also consider whether the following conditions exist:
- (a) The remuneration of the decision maker is commensurate with the services provided.
 - (b) The remuneration agreement includes only terms, conditions or amounts that are customarily present in arrangements for similar services and level of skills negotiated on an arm's length basis.
- B70 A decision maker cannot be an agent unless the conditions set out in paragraph B69 (a) and (b) are present. However, meeting those conditions in isolation is not sufficient to conclude that a decision maker is an agent.
- Exposure to variability of returns from other interests*
- B71 A decision maker that holds other interests in an investee (eg. investments in the investee or provides guarantees with respect to the performance of the investee), shall consider its exposure to variability of returns from those interests in assessing whether it is an agent. Holding other interests in an investee indicates that the decision maker may be a principal.
- B72 In evaluating its exposure to variability of returns from other interests in the investee a decision maker shall consider the following:
- (a) the greater the magnitude of, and variability associated with, its economic interests, considering its remuneration and other interests in aggregate, the more likely the decision maker is a principal.
 - (b) whether its exposure to variability of returns is different from that of the other investors and, if so, whether this might influence its actions. For example, this might be the case when a decision maker holds subordinated interests in, or provides other forms of credit enhancement to, an investee.
- The decision maker shall evaluate its exposure relative to the total variability of returns of the investee. This evaluation is made primarily on the basis of returns expected from the activities of the investee but shall not ignore the decision maker's maximum exposure to variability of returns of the investee through other interests that the decision maker holds.

Application examples

Example 13

A decision maker (fund manager) establishes, markets and manages a publicly traded, regulated fund according to narrowly defined parameters set out in the investment mandate as required by its local laws and regulations. The fund was marketed to investors as an investment in a diversified portfolio of equity securities of publicly traded entities. Within the defined parameters, the fund manager has discretion about the assets in which to invest. The fund manager has made a 10 per cent pro rata investment in the fund and receives a market-based fee for its services equal to 1 per cent of the net asset value of the fund. The fees are commensurate with the services provided. The fund manager does not have any obligation to fund losses beyond its 10 per cent investment. The fund is not required to establish, and has not established, an independent board of directors. The investors do not hold any substantive rights that would affect the decision-making authority of the fund manager, but can redeem their interests within particular limits set by the fund.

Although operating within the parameters set out in the investment mandate and in accordance with the regulatory requirements, the fund manager has decision-making rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the fund—the investors do not hold substantive rights that could affect the fund manager's decision-making authority. The fund manager receives a market-based fee for its services that is commensurate with the services provided and has also made a pro rata investment in the fund. The remuneration and its investment expose the fund manager to variability of returns from the activities of the fund without creating exposure that is of such significance that it indicates that the fund manager is a principal.

In this example, consideration of the fund manager's exposure to variability of returns from the fund together with its decision-making authority within restricted parameters indicates that the fund manager is an agent. Thus, the fund manager concludes that it does not control the fund.

Example 14

A decision maker establishes, markets and manages a fund that provides investment opportunities to a number of investors. The decision maker (fund manager) must make decisions in the best interests of all investors and in accordance with the fund's governing agreements. Nonetheless, the fund manager has wide decision-making discretion. The fund manager receives a market-based fee for its services equal to 1 per cent of assets under management and 20 per cent of all the fund's profits if a specified profit level is achieved. The fees are commensurate with the services provided.

Although it must make decisions in the best interests of all investors, the fund manager has extensive decision-making authority to direct the relevant activities of the fund. The fund manager is paid fixed and performance-related fees that are commensurate with the services provided. In addition, the remuneration aligns the interests of the fund manager with those of the other investors to increase the value of the fund, without creating exposure to variability of returns from the activities of the fund that is of such significance that the remuneration, when considered in isolation, indicates that the fund manager is a principal.

The above fact pattern and analysis applies to examples 14A–14C described below. Each example is considered in isolation.

Example 14A

The fund manager also has a 2 per cent investment in the fund that aligns its interests with those of the other investors. The fund manager does not have any obligation to fund losses beyond its 2 per cent investment. The investors can remove the fund manager by a simple majority vote, but only for breach of contract.

The fund manager's 2 per cent investment increases its exposure to variability of returns from the activities of the fund without creating exposure that is of such significance that it indicates that the fund manager is a principal. The other investors' rights to remove the fund manager are considered to be protective rights because they are exercisable only for breach of contract. In this example, although the fund manager has extensive decision-making authority and is exposed to variability of returns from its interest and remuneration, the fund manager's exposure indicates that the fund manager is an agent. Thus, the fund manager concludes that it does not control the fund.

Example 14B

The fund manager has a more substantial pro rata investment in the fund, but does not have any obligation to fund losses beyond that investment. The investors can remove the fund manager by a simple majority vote, but only for breach of contract.

In this example, the other investors' rights to remove the fund manager are considered to be protective rights because they are exercisable only for breach of contract. Although the fund manager is paid fixed and performance-related fees that are commensurate with the services provided, the combination of the fund manager's investment together with its remuneration could create exposure to variability of returns from the activities of the fund that is of such significance that it indicates that the fund manager is a principal. The greater the magnitude of, and variability associated with, the fund manager's economic interests (considering its remuneration and other interests in aggregate), the more emphasis the fund manager would place on those economic interests in the analysis, and the more likely the fund manager is a principal.

For example, having considered its remuneration and the other factors, the fund manager might consider a 20 per cent investment to be sufficient to conclude that it controls the fund. However, in different circumstances (ie. if the remuneration or other factors are different), control may arise when the level of investment is different.

Example 14C

The fund manager has a 20 per cent pro rata investment in the fund, but does not have any obligation to fund losses beyond its 20 per cent investment. The fund has a board of directors, all of whose members are independent of the fund manager and are appointed by the other investors. The board appoints the fund manager annually. If the board decided not to renew the fund manager's contract, the services performed by the fund manager could be performed by other managers in the industry.

Although the fund manager is paid fixed and performance-related fees that are commensurate with the services provided, the combination of the fund manager's 20 per cent investment together with its remuneration creates exposure to variability of returns from the activities of the fund that is of such significance that it indicates that the fund manager is a principal. However, the investors have substantive rights to remove the fund manager—the board of directors provides a mechanism to ensure that the investors can remove the fund manager if they decide to do so.

In this example, the fund manager places greater emphasis on the substantive removal rights in the analysis. Thus, although the fund manager has extensive decision-making authority and is exposed to variability of returns of the fund from its remuneration and investment, the substantive rights held by the other investors indicate that the fund manager is an agent. Thus, the fund manager concludes that it does not control the fund.

Example 15

An investee is created to purchase a portfolio of fixed rate asset-backed securities, funded by fixed rate debt instruments and equity instruments. The equity instruments are designed to provide first loss protection to the debt investors and receive any residual returns of the investee. The transaction was marketed to potential debt investors as an investment in a portfolio of asset-backed securities with exposure to the credit risk associated with the possible default of the issuers of the asset-backed securities in the portfolio and to the interest rate risk associated with the management of the portfolio. On formation, the equity instruments represent 10 per cent of the value of the assets purchased. A decision maker (the asset manager) manages the active asset portfolio by making investment decisions within the parameters set out in the investee's prospectus. For those services, the asset manager receives a market-based fixed fee (ie. 1 per cent of assets under management) and performance-related fees (ie. 10 per cent of profits) if the investee's profits exceed a specified level. The fees are commensurate with the services provided. The asset manager holds 35 per cent of the equity in the investee. The remaining 65 per cent of the equity, and all the debt instruments, are held by a large number of widely dispersed unrelated third party investors. The asset manager can be removed, without cause, by a simple majority decision of the other investors.

The asset manager is paid fixed and performance-related fees that are commensurate with the services provided. The remuneration aligns the interests of the fund manager with those of the other investors to increase the value of the fund. The asset manager has exposure to variability of returns from the activities of the fund because it holds 35 per cent of the equity and from its remuneration.

Although operating within the parameters set out in the investee's prospectus, the asset manager has the current ability to make investment decisions that significantly affect the investee's returns—the removal rights held by the other investors receive little weighting in the analysis because those rights are held by a large number of widely dispersed investors. In this example, the asset manager places greater emphasis on its exposure to variability of returns of the fund from its equity interest, which is subordinate to the debt instruments. Holding 35 per cent of the equity creates subordinated exposure to losses and rights to returns of the investee, which are of such significance that it indicates that the asset manager is a principal. Thus, the asset manager concludes that it controls the investee.

Example 16

A decision maker (the sponsor) sponsors a multi-seller conduit, which issues short-term debt instruments to unrelated third party investors. The transaction was marketed to potential investors as an investment in a portfolio of highly rated medium-term assets with minimal exposure to the credit risk associated with the possible default by the issuers of the assets in the portfolio. Various transferors sell high quality medium-term asset portfolios to the conduit. Each transferor services the portfolio of assets that it sells to the conduit and manages receivables on default for a market-based servicing fee. Each transferor also provides first loss protection against credit losses from its asset portfolio through over-collateralisation of the assets transferred to the conduit. The sponsor establishes the terms of the conduit and manages the operations of the conduit for a market-based fee. The fee is commensurate with the services provided. The sponsor approves the sellers permitted to sell to the conduit, approves the assets to be purchased by the conduit and makes decisions about the funding of the conduit. The sponsor must act in the best interests of all investors.

The sponsor is entitled to any residual return of the conduit and also provides credit enhancement and liquidity facilities to the conduit. The credit enhancement provided by the sponsor absorbs losses of up to 5 per cent of all of the conduit's assets, after losses are absorbed by the transferors. The liquidity facilities are not advanced against defaulted assets. The investors do not hold substantive rights that could affect the decision-making authority of the sponsor.

Even though the sponsor is paid a market-based fee for its services that is commensurate with the services provided, the sponsor has exposure to variability of returns from the activities of the conduit because of its rights to any residual returns of the conduit and the provision of credit enhancement and liquidity facilities (ie. the conduit is exposed to liquidity risk by using short-term debt instruments to fund medium-term assets). Even though each of the transferors has decision-making rights that affect the value of the assets of the conduit, the sponsor has extensive decision-making authority that gives it the current ability to direct the activities that *most* significantly affect the conduit's returns (ie. the sponsor established the terms of the conduit, has the right to make decisions about the assets (approving the assets

purchased and the transferors of those assets) and the funding of the conduit (for which new investment must be found on a regular basis). The right to residual returns of the conduit and the provision of credit enhancement and liquidity facilities expose the sponsor to variability of returns from the activities of the conduit that is different from that of the other investors. Accordingly, that exposure indicates that the sponsor is a principal and thus the sponsor concludes that it controls the conduit. The sponsor's obligation to act in the best interest of all investors does not prevent the sponsor from being a principal.

Relationship with other parties

- B73 When assessing control, an investor shall consider the nature of its relationship with other parties and whether those other parties are acting on the investor's behalf (ie. they are 'de facto agents'). The determination of whether other parties are acting as de facto agents requires judgement, considering not only the nature of the relationship but also how those parties interact with each other and the investor.
- B74 Such a relationship need not involve a contractual arrangement. A party is a de facto agent when the investor has, or those that direct the activities of the investor have, the ability to direct that party to act on the investor's behalf. In these circumstances, the investor shall consider its de facto agent's decision-making rights and its indirect exposure, or rights, to variable returns through the de facto agent together with its own when assessing control of an investee.
- B75 The following are examples of such other parties that, by the nature of their relationship, might act as de facto agents for the investor:
- (a) the investor's related parties.
 - (b) a party that received its interest in the investee as a contribution or loan from the investor.
 - (c) a party that has agreed not to sell, transfer or encumber its interests in the investee without the investor's prior approval (except for situations in which the investor and the other party have the right of prior approval and the rights are based on mutually agreed terms by willing independent parties).
 - (d) a party that cannot finance its operations without subordinated financial support from the investor.
 - (e) an investee for which the majority of the members of its governing body or for which its key management personnel are the same as those of the investor.
 - (f) a party that has a close business relationship with the investor, such as the relationship between a professional service provider and one of its significant clients.

Control of specified assets

- B76 An investor shall consider whether it treats a portion of an investee as a deemed separate entity and, if so, whether it controls the deemed separate entity.
- B77 An investor shall treat a portion of an investee as a deemed separate entity if and only if the following condition is satisfied:
- Specified assets of the investee (and related credit enhancements, if any) are the only source of payment for specified liabilities of, or specified other interests in, the investee. Parties other than those with the specified liability do not have rights or obligations related to the specified assets or to residual cash flows from those assets. In substance, none of the returns from the specified assets can be used by the remaining investee and none of the liabilities of the deemed separate entity are payable from the assets of the remaining investee. Thus, in substance, all the assets, liabilities and equity of that deemed separate entity are ring-fenced from the overall investee. Such a deemed separate entity is often called a 'silo'.
- B78 When the condition in paragraph B77 is satisfied, an investor shall identify the activities that significantly affect the returns of the deemed separate entity and how those activities are directed in order to assess whether it has power over that portion of the investee. When assessing control of the deemed separate entity, the investor shall also consider whether it has exposure or rights to variable returns from its involvement with that deemed separate entity and the ability to use its power over that portion of the investee to affect the amount of the investor's returns.
- B79 If the investor controls the deemed separate entity, the investor shall consolidate that portion of the investee. In that case, other parties exclude that portion of the investee when assessing control of, and in consolidating, the investee.

Continuous assessment

- B80 An investor shall reassess whether it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed in paragraph 7.
- B81 If there is a change in how power over an investee can be exercised, that change must be reflected in how an investor assesses its power over an investee. For example, changes to decision-making rights can mean that the relevant activities are no longer directed through voting rights, but instead other agreements, such as contracts, give another party or parties the current ability to direct the relevant activities.
- B82 An event can cause an investor to gain or lose power over an investee without the investor being involved in that event. For example, an investor can gain power over an investee because decision-making rights held by another party or parties that previously prevented the investor from controlling an investee have lapsed.
- B83 An investor also considers changes affecting its exposure, or rights, to variable returns from its involvement with an investee. For example, an investor that has power over an investee can lose control of an investee if the investor ceases to be entitled to receive returns or to be exposed to obligations, because the investor would fail to satisfy paragraph 7(b) (eg. if a contract to receive performance-related fees is terminated).
- B84 An investor shall consider whether its assessment that it acts as an agent or a principal has changed. Changes in the overall relationship between the investor and other parties can mean that an investor no longer acts as an agent, even though it has previously acted as an agent, and vice versa. For example, if changes to the rights of the investor, or of other parties, occur, the investor shall reconsider its status as a principal or an agent.
- B85 An investor's initial assessment of control or its status as a principal or an agent would not change simply because of a change in market conditions (eg. a change in the investee's returns driven by market conditions), unless the change in market conditions changes one or more of the three elements of control listed in paragraph 7 or changes the overall relationship between a principal and an agent.

Determining whether an entity is an investment entity

- B85A An entity shall consider all facts and circumstances when assessing whether it is an investment entity, including its purpose and design. An entity that possesses the three elements of the definition of an investment entity set out in paragraph 27 is an investment entity. Paragraphs B85B–B85M describe the elements of the definition in more detail.

Business purpose

- B85B The definition of an investment entity requires that the purpose of the entity is to invest solely for capital appreciation, investment income (such as dividends, interest or rental income), or both. Documents that indicate what the entity's investment objectives are, such as the entity's offering memorandum, publications distributed by the entity and other corporate or partnership documents, will typically provide evidence of an investment entity's business purpose. Further evidence may include the manner in which the entity presents itself to other parties (such as potential investors or potential investees); for example, an entity may present its business as providing medium-term investment for capital appreciation. In contrast, an entity that presents itself as an investor whose objective is to jointly develop, produce or market products with its investees has a business purpose that is inconsistent with the business purpose of an investment entity, because the entity will earn returns from the development, production or marketing activity as well as from its investments (see paragraph B85I).
- B85C An investment entity may provide investment-related services (eg. investment advisory services, investment management, investment support and administrative services), either directly or through a subsidiary, to third parties as well as to its investors, even if those activities are substantial to the entity.
- B85D An investment entity may also participate in the following investment-related activities, either directly or through a subsidiary, if these activities are undertaken to maximise the investment return (capital appreciation or investment income) from its investees and do not represent a separate substantial business activity or a separate substantial source of income to the investment entity:
- (a) providing management services and strategic advice to an investee; and
 - (b) providing financial support to an investee, such as a loan, capital commitment or guarantee.
- B85E If an investment entity has a subsidiary that provides investment-related services or activities, such as those described in paragraphs B85C–B85D, to the entity or other parties, it shall consolidate that subsidiary in accordance with paragraph 32.

Exit strategies

- B85F An entity's investment plans also provide evidence of its business purpose. One feature that differentiates an investment entity from other entities is that an investment entity does not plan to hold its investments indefinitely; it holds them for a limited period. Because equity investments and non-financial asset investments have the potential to be held indefinitely, an investment entity shall have an exit strategy documenting how the entity plans to realise capital appreciation from substantially all of its equity investments and non-financial asset investments. An investment entity shall also have an exit strategy for any debt instruments that have the potential to be held indefinitely, for example perpetual debt investments. The entity need not document specific exit strategies for each individual investment but shall identify different potential strategies for different types or portfolios of investments, including a substantive time frame for exiting the investments. Exit mechanisms that are only put in place for default events, such as a breach of contract or non-performance, are not considered exit strategies for the purpose of this assessment.
- B85G Exit strategies can vary by type of investment. For investments in private equity securities, examples of exit strategies include an initial public offering, a private placement, a trade sale of a business, distributions (to investors) of ownership interests in investees and sales of assets (including the sale of an investee's assets followed by a liquidation of the investee). For equity investments that are traded in a public market, examples of exit strategies include selling the investment in a private placement or in a public market. For real estate investments, an example of an exit strategy includes the sale of the real estate through specialized property dealers or the open market.
- B85H An investment entity may have an investment in another investment entity that is formed in connection with the entity for legal, regulatory, tax or similar business reasons. In this case, the investment entity investor need not have an exit strategy for that investment, provided that the investment entity investee has appropriate exit strategies for its investments.

Earnings from investments

- B85I An entity is not investing solely for capital appreciation, investment income, or both, if the entity or another member of the group containing the entity (ie. the group that is controlled by the investment entity's ultimate parent) obtains, or has the objective of obtaining, other benefits from the entity's investments that are not available to other parties that are not related to the investee. Such benefits include:
- (a) the acquisition, use, exchange or exploitation of the processes, assets or technology of an investee. This would include the entity or another group member having disproportionate, or exclusive, rights to acquire assets, technology, products or services of any investee; for example, by holding an option to purchase an asset from an investee if the asset's development is deemed successful;
 - (b) joint arrangements (as defined in Ind AS 111) or other agreements between the entity or another group member and an investee to develop, produce, market or provide products or services;
 - (c) financial guarantees or assets provided by an investee to serve as collateral for borrowing arrangements of the entity or another group member (however, an investment entity would still be able to use an investment in an investee as collateral for any of its borrowings);
 - (d) an option held by a related party of the entity to purchase, from that entity or another group member, an ownership interest in an investee of the entity;
 - (e) except as described in paragraph B85J, transactions between the entity or another group member and an investee that:
 - (i) are on terms that are unavailable to entities that are not related parties of either the entity, another group member or the investee;
 - (ii) are not at fair value; or
 - (iii) represent a substantial portion of the investee's or the entity's business activity, including business activities of other group entities.
- B85J An investment entity may have a strategy to invest in more than one investee in the same industry, market or geographical area in order to benefit from synergies that increase the capital appreciation and investment income from those investees. Notwithstanding paragraph B85I(e), an entity is not disqualified from being classified as an investment entity merely because such investees trade with each other.

Fair value measurement

B85K An essential element of the definition of an investment entity is that it measures and evaluates the performance of substantially all of its investments on a fair value basis, because using fair value results in more relevant information than, for example, consolidating its subsidiaries or using the equity method for its interests in associates or joint ventures. In order to demonstrate that it meets this element of the definition, an investment entity:

- (a) provides investors with fair value information and measures substantially all of its investments at fair value in its financial statements whenever fair value is required or permitted in accordance with Ind ASs; and
- (b) reports fair value information internally to the entity's key management personnel (as defined in Ind AS 24), who use fair value as the primary measurement attribute to evaluate the performance of substantially all of its investments and to make investment decisions.

B85L In order to meet the requirement in B85K(a), an investment entity would:

- (a) [Refer Appendix 1]
- (b) elect the exemption from applying the equity method in Ind AS 28 for its investments in associates and joint ventures; and
- (c) measure its financial assets at fair value using the requirements in Ind AS 109.

B85M An investment entity may have some non-investment assets, such as a head office property and related equipment, and may also have financial liabilities. The fair value measurement element of the definition of an investment entity in paragraph 27(c) applies to an investment entity's investments. Accordingly, an investment entity need not measure its non-investment assets or its liabilities at fair value.

Typical characteristics of an investment entity

B85N In determining whether it meets the definition of an investment entity, an entity shall consider whether it displays the typical characteristics of one (see paragraph 28). The absence of one or more of these typical characteristics does not necessarily disqualify an entity from being classified as an investment entity but indicates that additional judgement is required in determining whether the entity is an investment entity.

More than one investment

B85O An investment entity typically holds several investments to diversify its risk and maximise its returns. An entity may hold a portfolio of investments directly or indirectly, for example by holding a single investment in another investment entity that itself holds several investments.

B85P There may be times when the entity holds a single investment. However, holding a single investment does not necessarily prevent an entity from meeting the definition of an investment entity. For example, an investment entity may hold only a single investment when the entity:

- (a) is in its start-up period and has not yet identified suitable investments and, therefore, has not yet executed its investment plan to acquire several investments;
- (b) has not yet made other investments to replace those it has disposed of;
- (c) is established to pool investors' funds to invest in a single investment when that investment is unobtainable by individual investors (eg. when the required minimum investment is too high for an individual investor); or
- (d) is in the process of liquidation.

More than one investor

B85Q Typically, an investment entity would have several investors who pool their funds to gain access to investment management services and investment opportunities that they might not have had access to individually. Having several investors would make it less likely that the entity, or other members of the group containing the entity, would obtain benefits other than capital appreciation or investment income (see paragraph B85I).

B85R Alternatively, an investment entity may be formed by, or for, a single investor that represents or supports the interests of a wider group of investors (eg. a pension fund, government investment fund or family trust).

- B85S There may also be times when the entity temporarily has a single investor. For example, an investment entity may have only a single investor when the entity:
- (a) is within its initial offering period, which has not expired and the entity is actively identifying suitable investors;
 - (b) has not yet identified suitable investors to replace ownership interests that have been redeemed; or
 - (c) is in the process of liquidation

Unrelated investors

- B85T Typically, an investment entity has several investors that are not related parties (as defined in Ind AS 24) of the entity or other members of the group containing the entity. Having unrelated investors would make it less likely that the entity, or other members of the group containing the entity, would obtain benefits other than capital appreciation or investment income (see paragraph B85I).
- B85U However, an entity may still qualify as an investment entity even though its investors are related to the entity. For example, an investment entity may set up a separate 'parallel' fund for a group of its employees (such as key management personnel) or other related party investor(s), which mirrors the investments of the entity's main investment fund. This 'parallel' fund may qualify as an investment entity even though all of its investors are related parties.

Ownership interests

- B85V An investment entity is typically, but is not required to be, a separate legal entity. Ownership interests in an investment entity are typically in the form of equity or similar interests (eg. partnership interests), to which proportionate shares of the net assets of the investment entity are attributed. However, having different classes of investors, some of which have rights only to a specific investment or groups of investments or which have different proportionate shares of the net assets, does not preclude an entity from being an investment entity.
- B85W In addition, an entity that has significant ownership interests in the form of debt that, in accordance with other applicable Ind ASs, does not meet the definition of equity, may still qualify as an investment entity, provided that the debt holders are exposed to variable returns from changes in the fair value of the entity's net assets.

Accounting requirements

Consolidation procedures

- B86 Consolidated financial statements:
- (a) combine like items of assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the parent with those of its subsidiaries.
 - (b) offset (eliminate) the carrying amount of the parent's investment in each subsidiary and the parent's portion of equity of each subsidiary (Ind AS 103 explains how to account for any related goodwill).
 - (c) eliminate in full intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group (profits or losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets, such as inventory and fixed assets, are eliminated in full). Intragroup losses may indicate an impairment that requires recognition in the consolidated financial statements. Ind AS12, *Income Taxes*, applies to temporary differences that arise from the elimination of profits and losses resulting from intragroup transactions.

Uniform accounting policies

- B87 If a member of the group uses accounting policies other than those adopted in the consolidated financial statements for like transactions and events in similar circumstances, appropriate adjustments are made to that group member's financial statements in preparing the consolidated financial statements to ensure conformity with the group's accounting policies.

Measurement

- B88 An entity includes the income and expenses of a subsidiary in the consolidated financial statements from the date it gains control until the date when the entity ceases to control the subsidiary. Income and expenses of the subsidiary are based on the amounts of the assets and liabilities recognised in the consolidated financial statements at the acquisition date. For example, depreciation expense recognised in the consolidated statement of profit and loss after the acquisition date is based on the fair values of the related depreciable assets recognised in the consolidated financial statements at the acquisition date.

Potential voting rights

- B89 When potential voting rights, or other derivatives containing potential voting rights, exist, the proportion of profit or loss and changes in equity allocated to the parent and non-controlling interests in preparing consolidated financial statements is determined solely on the basis of existing ownership interests and does not reflect the possible exercise or conversion of potential voting rights and other derivatives, unless paragraph B90 applies.
- B90 In some circumstances an entity has, in substance, an existing ownership interest as a result of a transaction that currently gives the entity access to the returns associated with an ownership interest. In such circumstances, the proportion allocated to the parent and non-controlling interests in preparing consolidated financial statements is determined by taking into account the eventual exercise of those potential voting rights and other derivatives that currently give the entity access to the returns.
- B91 Ind AS 109 does not apply to interests in subsidiaries that are consolidated. When instruments containing potential voting rights in substance currently give access to the returns associated with an ownership interest in a subsidiary, the instruments are not subject to the requirements of Ind AS 109. In all other cases, instruments containing potential voting rights in a subsidiary are accounted for in accordance with Ind AS 109.

Reporting date

- B92 The financial statements of the parent and its subsidiaries used in the preparation of the consolidated financial statements shall have the same reporting date. When the end of the reporting period of the parent is different from that of a subsidiary, the subsidiary prepares, for consolidation purposes, additional financial information as of the same date as the financial statements of the parent to enable the parent to consolidate the financial information of the subsidiary, unless it is impracticable to do so.
- B93 If it is impracticable to do so, the parent shall consolidate the financial information of the subsidiary using the most recent financial statements of the subsidiary adjusted for the effects of significant transactions or events that occur between the date of those financial statements and the date of the consolidated financial statements. In any case, the difference between the date of the subsidiary's financial statements and that of the consolidated financial statements shall be no more than three months, and the length of the reporting periods and any difference between the dates of the financial statements shall be the same from period to period.

Non-controlling interests

- B94 An entity shall attribute the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and to the non-controlling interests. The entity shall also attribute total comprehensive income to the owners of the parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.
- B95 If a subsidiary has outstanding cumulative preference shares that are classified as equity and are held by non-controlling interests, the entity shall compute its share of profit or loss after adjusting for the dividends on such shares, whether or not such dividends have been declared.

Changes in the proportion held by non-controlling interests

- B96 When the proportion of the equity held by non-controlling interests changes, an entity shall adjust the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. The entity shall recognise directly in equity any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received, and attribute it to the owners of the parent.

Loss of control

- B97 A parent might lose control of a subsidiary in two or more arrangements (transactions). However, sometimes circumstances indicate that the multiple arrangements should be accounted for as a single transaction. In determining whether to account for the arrangements as a single transaction, a parent shall consider all the terms and conditions of the arrangements and their economic effects. One or more of the following indicate that the parent should account for the multiple arrangements as a single transaction:
- (a) They are entered into at the same time or in contemplation of each other.
 - (b) They form a single transaction designed to achieve an overall commercial effect.
 - (c) The occurrence of one arrangement is dependent on the occurrence of at least one other arrangement.

- (d) One arrangement considered on its own is not economically justified, but it is economically justified when considered together with other arrangements. An example is when a disposal of shares is priced below market and is compensated for by a subsequent disposal priced above market.
- B98 If a parent loses control of a subsidiary, it shall:
- (a) derecognise:
 - (i) the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost; and
 - (ii) the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them).
 - (b) recognise:
 - (i) the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;
 - (ii) if the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control involves a distribution of shares of the subsidiary to owners in their capacity as owners, that distribution; and
 - (iii) any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control is lost.
 - (c) reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other Ind ASs, the amounts recognised in other comprehensive income in relation to the subsidiary on the basis described in paragraph B99.
 - (d) recognise any resulting difference as a gain or loss in profit or loss attributable to the parent.
- B99 If a parent loses control of a subsidiary, the parent shall account for all amounts previously recognised in other comprehensive income in relation to that subsidiary on the same basis as would be required if the parent had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognised in other comprehensive income would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the parent shall reclassify the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when it loses control of the subsidiary. If a revaluation surplus previously recognised in other comprehensive income would be transferred directly to retained earnings on the disposal of the asset, the parent shall transfer the revaluation surplus directly to retained earnings when it loses control of the subsidiary.

Accounting for a change in investment entity status

- B100 When an entity ceases to be an investment entity, it shall apply Ind AS 103 to any subsidiary that was previously measured at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 31. The date of the change of status shall be the deemed acquisition date. The fair value of the subsidiary at the deemed acquisition date shall represent the transferred deemed consideration when measuring any goodwill or gain from a bargain purchase that arises from the deemed acquisition. All subsidiaries shall be consolidated in accordance with paragraphs 19–24 of this Ind AS from the date of change of status.
- B101 When an entity becomes an investment entity, it shall cease to consolidate its subsidiaries at the date of the change in status, except for any subsidiary that shall continue to be consolidated in accordance with paragraph 32. The investment entity shall apply the requirements of paragraphs 25 and 26 to those subsidiaries that it ceases to consolidate as though the investment entity had lost control of those subsidiaries at that date.

Appendix C

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

1. Appendix A, *Distribution of Non-cash Assets to Owners* contained, in Ind AS 10, *Events after the Reporting Period*, makes reference to this Standard also.
2. Appendix A, *Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds*, contained in Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, makes reference to this Standard also.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 110 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 10, Consolidated Financial Statements, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IFRS 10, Consolidated Financial Statements

- 1 IFRS 10 requires all investments to be measured at fair value to qualify for the exemption from consolidation available to an investment entity. Since, Ind AS 40, *Investment Properties* requires all investment properties to be measured at cost initially and cost less depreciation subsequently, sub-paragraph (a) of B85L have been deleted as this deal with investment property measured at fair value which is not relevant in the Indian context.
- 2 Different terminology is used, as used in existing laws eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.
- 3 Appendix C of IFRS 10 dealing with effective date, transition and withdrawal of other IFRSs has not been included in Ind AS 10, due to the following reasons:
 - (i) Effective date is not relevant as the date of application will be notified under the Companies Act.
 - (ii) Transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
 - (iii) Paragraphs dealing with withdrawal of other IFRSs are not relevant.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 111

Joint Arrangements

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

- 1 **The objective of this Indian Accounting Standard (Ind AS) is to establish principles for financial reporting by entities that have an interest in arrangements that are controlled jointly (ie. *joint arrangements*).**

Meeting the objective

- 2 To meet the objective in paragraph 1, this Ind AS defines *joint control* and requires an entity that is a *party to a joint arrangement* to determine the type of joint arrangement in which it is involved by assessing its rights and obligations and to account for those rights and obligations in accordance with that type of joint arrangement.

Scope

- 3 **This Ind AS shall be applied by all entities that are a party to a joint arrangement.**

Joint arrangements

- 4 **A joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control.**
- 5 **A joint arrangement has the following characteristics:**
 - (a) **The parties are bound by a contractual arrangement (see paragraphs B2–B4).**
 - (b) **The contractual arrangement gives two or more of those parties joint control of the arrangement (see paragraphs 7–13).**
- 6 **A joint arrangement is either a *joint operation* or a *joint venture*.**

Joint control

- 7 **Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.**

- 8 An entity that is a party to an arrangement shall assess whether the contractual arrangement gives all the parties, or a group of the parties, control of the arrangement collectively. All the parties, or a group of the parties, control the arrangement collectively when they must act together to direct the activities that significantly affect the returns of the arrangement (ie. the relevant activities).
- 9 Once it has been determined that all the parties, or a group of the parties, control the arrangement collectively, joint control exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties that control the arrangement collectively.
- 10 In a joint arrangement, no single party controls the arrangement on its own. A party with joint control of an arrangement can prevent any of the other parties, or a group of the parties, from controlling the arrangement.
- 11 An arrangement can be a joint arrangement even though not all of its parties have joint control of the arrangement. This Ind AS distinguishes between parties that have joint control of a joint arrangement (*joint operators* or *joint venturers*) and parties that participate in, but do not have joint control of, a joint arrangement.
- 12 An entity will need to apply judgement when assessing whether all the parties, or a group of the parties, have joint control of an arrangement. An entity shall make this assessment by considering all facts and circumstances (see paragraphs B5–B11).
- 13 If facts and circumstances change, an entity shall reassess whether it still has joint control of the arrangement.

Types of joint arrangement

- 14 **An entity shall determine the type of joint arrangement in which it is involved. The classification of a joint arrangement as a joint operation or a joint venture depends upon the rights and obligations of the parties to the arrangement.**
- 15 **A joint operation is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operators.**
- 16 **A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.**
- 17 An entity applies judgement when assessing whether a joint arrangement is a joint operation or a joint venture. An entity shall determine the type of joint arrangement in which it is involved by considering its rights and obligations arising from the arrangement. An entity assesses its rights and obligations by considering the structure and legal form of the arrangement, the terms agreed by the parties in the contractual arrangement and, when relevant, other facts and circumstances (see paragraphs B12–B33).
- 18 Sometimes the parties are bound by a framework agreement that sets up the general contractual terms for undertaking one or more activities. The framework agreement might set out that the parties establish different joint arrangements to deal with specific activities that form part of the agreement. Even though those joint arrangements are related to the same framework agreement, their type might be different if the parties' rights and obligations differ when undertaking the different activities dealt with in the framework agreement. Consequently, joint operations and joint ventures can coexist when the parties undertake different activities that form part of the same framework agreement.
- 19 If facts and circumstances change, an entity shall reassess whether the type of joint arrangement in which it is involved has changed.

Financial statements of parties to a joint arrangement

Joint operations

- 20 **A joint operator shall recognise in relation to its interest in a joint operation:**
- (a) **its assets, including its share of any assets held jointly;**
 - (b) **its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;**
 - (c) **its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;**
 - (d) **its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and**
 - (e) **its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.**
- 21 A joint operator shall account for the assets, liabilities, revenues and expenses relating to its interest in a joint operation in accordance with the Ind ASs applicable to the particular assets, liabilities, revenues and expenses.

- 21A When an entity acquires an interest in a joint operation in which the activity of the joint operation constitutes a business, as defined in Ind AS 103, it shall apply, to the extent of its share in accordance with paragraph 20, all of the principles on business combinations accounting in Ind AS 103, and other Ind ASs, that do not conflict with the guidance in this Ind AS and disclose the information that is required in those Ind ASs in relation to business combinations. This applies to the acquisition of both the initial interest and additional interests in a joint operation in which the activity of the joint operation constitutes a business. The accounting for the acquisition of an interest in such a joint operation is specified in paragraphs B33A–B33D.
- 22 The accounting for transactions such as the sale, contribution or purchase of assets between an entity and a joint operation in which it is a joint operator is specified in paragraphs B34–B37.
- 23 A party that participates in, but does not have joint control of, a joint operation shall also account for its interest in the arrangement in accordance with paragraphs 20–22 if that party has rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the joint operation. If a party that participates in, but does not have joint control of, a joint operation does not have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to that joint operation, it shall account for its interest in the joint operation in accordance with the Ind ASs applicable to that interest.

Joint ventures

- 24 A joint venturer shall recognise its interest in a joint venture as an investment and shall account for that investment using the equity method in accordance with Ind AS 28, *Investments in Associates and Joint Ventures*, unless the entity is exempted from applying the equity method as specified in that standard.
- 25 A party that participates in, but does not have joint control of, a joint venture shall account for its interest in the arrangement in accordance with Ind AS 109, *Financial Instruments*, unless it has significant influence over the joint venture, in which case it shall account for it in accordance with Ind AS 28.

Separate financial statements

- 26 In its separate financial statements, a joint operator or joint venturer shall account for its interest in:
- (a) a joint operation in accordance with paragraphs 20–22;
 - (b) a joint venture in accordance with paragraph 10 of Ind AS 27, *Separate Financial Statements*.
- 27 In its separate financial statements, a party that participates in, but does not have joint control of, a joint arrangement shall account for its interest in:
- (a) a joint operation in accordance with paragraph 23;
 - (b) a joint venture in accordance with Ind AS 109, unless the entity has significant influence over the joint venture, in which case it shall apply paragraph 10 of Ind AS 27.

Appendix A

Defined terms

This appendix is an integral part of the Ind AS.

joint arrangement	An arrangement of which two or more parties have joint control .
joint control	The contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.
joint operation	A joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement.
joint operator	A party to a joint operation that has joint control of that joint operation.
joint venture	A joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement.
joint venturer	A party to a joint venture that has joint control of that joint venture.
party to a joint arrangement	An entity that participates in a joint arrangement , regardless of whether that entity has joint control of the arrangement.

separate vehicle

A separately identifiable financial structure, including separate legal entities or entities recognised by statute, regardless of whether those entities have a legal personality.

The following terms are defined in Ind AS 27, Ind AS 28 or Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, and are used in this Ind AS with the meanings specified in those Ind ASs:

- control of an investee
- equity method
- power
- protective rights
- relevant activities
- separate financial statements
- significant influence.

Appendix B

Application guidance

This appendix is an integral part of the Ind AS. It describes the application of paragraphs 1–27 and has the same authority as the other parts of this Ind AS.

- B1 The examples in this appendix portray hypothetical situations. Although some aspects of the examples may be present in actual fact patterns, all relevant facts and circumstances of a particular fact pattern would need to be evaluated when applying Ind AS 111.

Joint arrangements**Contractual arrangement (paragraph 5)**

- B2 Contractual arrangements can be evidenced in several ways. An enforceable contractual arrangement is often, but not always, in writing, usually in the form of a contract or documented discussions between the parties. Statutory mechanisms can also create enforceable arrangements, either on their own or in conjunction with contracts between the parties.
- B3 When joint arrangements are structured through a separate vehicle (see paragraphs B19–B33), the contractual arrangement, or some aspects of the contractual arrangement, will in some cases be incorporated in the articles, charter or by-laws of the separate vehicle.
- B4 The contractual arrangement sets out the terms upon which the parties participate in the activity that is the subject of the arrangement. The contractual arrangement generally deals with such matters as:
- (a) the purpose, activity and duration of the joint arrangement.
 - (b) how the members of the board of directors, or equivalent governing body, of the joint arrangement, are appointed.
 - (c) the decision-making process: the matters requiring decisions from the parties, the voting rights of the parties and the required level of support for those matters. The decision-making process reflected in the contractual arrangement establishes joint control of the arrangement (see paragraphs B5–B11).
 - (d) the capital or other contributions required of the parties.
 - (e) how the parties share assets, liabilities, revenues, expenses or profit or loss relating to the joint arrangement.

Joint Control (paragraphs 7-13)

- B5 In assessing whether an entity has joint control of an arrangement, an entity shall assess first whether all the parties, or a group of the parties, control the arrangement. Ind AS 110 defines control and shall be used to determine whether all the parties, or a group of the parties, are exposed, or have rights, to variable returns from their involvement with the arrangement and have the ability to affect those returns through their power over the arrangement. When all the parties, or a group of the parties, considered collectively, are able to direct the activities that significantly affect the returns of the arrangement (ie. the relevant activities), the parties control the arrangement collectively.

- B6 After concluding that all the parties, or a group of the parties, control the arrangement collectively, an entity shall assess whether it has joint control of the arrangement. Joint control exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties that collectively control the arrangement. Assessing whether the arrangement is jointly controlled by all of its parties or by a group of the parties, or controlled by one of its parties alone, can require judgement.
- B7 Sometimes the decision-making process that is agreed upon by the parties in their contractual arrangement implicitly leads to joint control. For example, assume two parties establish an arrangement in which each has 50 per cent of the voting rights and the contractual arrangement between them specifies that at least 51 per cent of the voting rights are required to make decisions about the relevant activities. In this case, the parties have implicitly agreed that they have joint control of the arrangement because decisions about the relevant activities cannot be made without both parties agreeing.
- B8 In other circumstances, the contractual arrangement requires a minimum proportion of the voting rights to make decisions about the relevant activities. When that minimum required proportion of the voting rights can be achieved by more than one combination of the parties agreeing together, that arrangement is not a joint arrangement unless the contractual arrangement specifies which parties (or combination of parties) are required to agree unanimously to decisions about the relevant activities of the arrangement.

Application examples

Example 1

Assume that three parties establish an arrangement: A has 50 per cent of the voting rights in the arrangement, B has 30 per cent and C has 20 per cent. The contractual arrangement between A, B and C specifies that at least 75 per cent of the voting rights are required to make decisions about the relevant activities of the arrangement. Even though A can block any decision, it does not control the arrangement because it needs the agreement of B. The terms of their contractual arrangement requiring at least 75 per cent of the voting rights to make decisions about the relevant activities imply that A and B have joint control of the arrangement because decisions about the relevant activities of the arrangement cannot be made without both A and B agreeing.

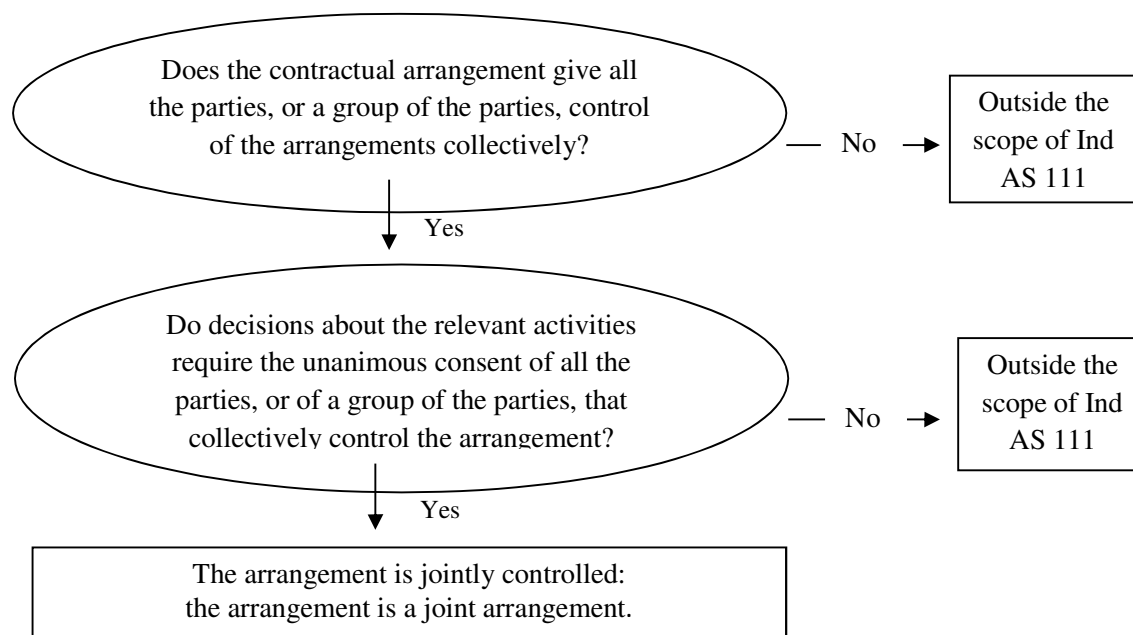
Example 2

Assume an arrangement has three parties: A has 50 per cent of the voting rights in the arrangement and B and C each have 25 per cent. The contractual arrangement between A, B and C specifies that at least 75 per cent of the voting rights are required to make decisions about the relevant activities of the arrangement. Even though A can block any decision, it does not control the arrangement because it needs the agreement of either B or C. In this example, A, B and C collectively control the arrangement. However, there is more than one combination of parties that can agree to reach 75 per cent of the voting rights (ie. either A and B or A and C). In such a situation, to be a joint arrangement the contractual arrangement between the parties would need to specify which combination of the parties is required to agree unanimously to decisions about the relevant activities of the arrangement.

Example 3

Assume an arrangement in which A and B each have 35 per cent of the voting rights in the arrangement with the remaining 30 per cent being widely dispersed. Decisions about the relevant activities require approval by a majority of the voting rights. A and B have joint control of the arrangement only if the contractual arrangement specifies that decisions about the relevant activities of the arrangement require both A and B agreeing.

- B9 The requirement for unanimous consent means that any party with joint control of the arrangement can prevent any of the other parties, or a group of the parties, from making unilateral decisions (about the relevant activities) without its consent. If the requirement for unanimous consent relates only to decisions that give a party protective rights and not to decisions about the relevant activities of an arrangement, that party is not a party with joint control of the arrangement.
- B10 A contractual arrangement might include clauses on the resolution of disputes, such as arbitration. These provisions may allow for decisions to be made in the absence of unanimous consent among the parties that have joint control. The existence of such provisions does not prevent the arrangement from being jointly controlled and, consequently, from being a joint arrangement.

Assessing joint control

B11 When an arrangement is outside the scope of Ind AS 111, an entity accounts for its interest in the arrangement in accordance with relevant Ind ASs, such as Ind AS 110, Ind AS 28 or Ind AS 109.

Types of joint arrangement (paragraphs 14–19)

B12 Joint arrangements are established for a variety of purposes (eg. as a way for parties to share costs and risks, or as a way to provide the parties with access to new technology or new markets), and can be established using different structures and legal forms.

B13 Some arrangements do not require the activity that is the subject of the arrangement to be undertaken in a separate vehicle. However, other arrangements involve the establishment of a separate vehicle.

B14 The classification of joint arrangements required by this Ind AS depends upon the parties' rights and obligations arising from the arrangement in the normal course of business. This Ind AS classifies joint arrangements as either joint operations or joint ventures. When an entity has rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement, the arrangement is a joint operation. When an entity has rights to the net assets of the arrangement, the arrangement is a joint venture. Paragraphs B16–B33 set out the assessment an entity carries out to determine whether it has an interest in a joint operation or an interest in a joint venture.

Classification of a joint arrangement

B15 As stated in paragraph B14, the classification of joint arrangements requires the parties to assess their rights and obligations arising from the arrangement. When making that assessment, an entity shall consider the following:

- (a) the structure of the joint arrangement (see paragraphs B16–B21).
- (b) when the joint arrangement is structured through a separate vehicle:
 - (i) the legal form of the separate vehicle (see paragraphs B22–B24);
 - (ii) the terms of the contractual arrangement (see paragraphs B25–B28); and
 - (iii) when relevant, other facts and circumstances (see paragraphs B29–B33).

Structure of the joint arrangement*Joint arrangements not structured through a separate vehicle*

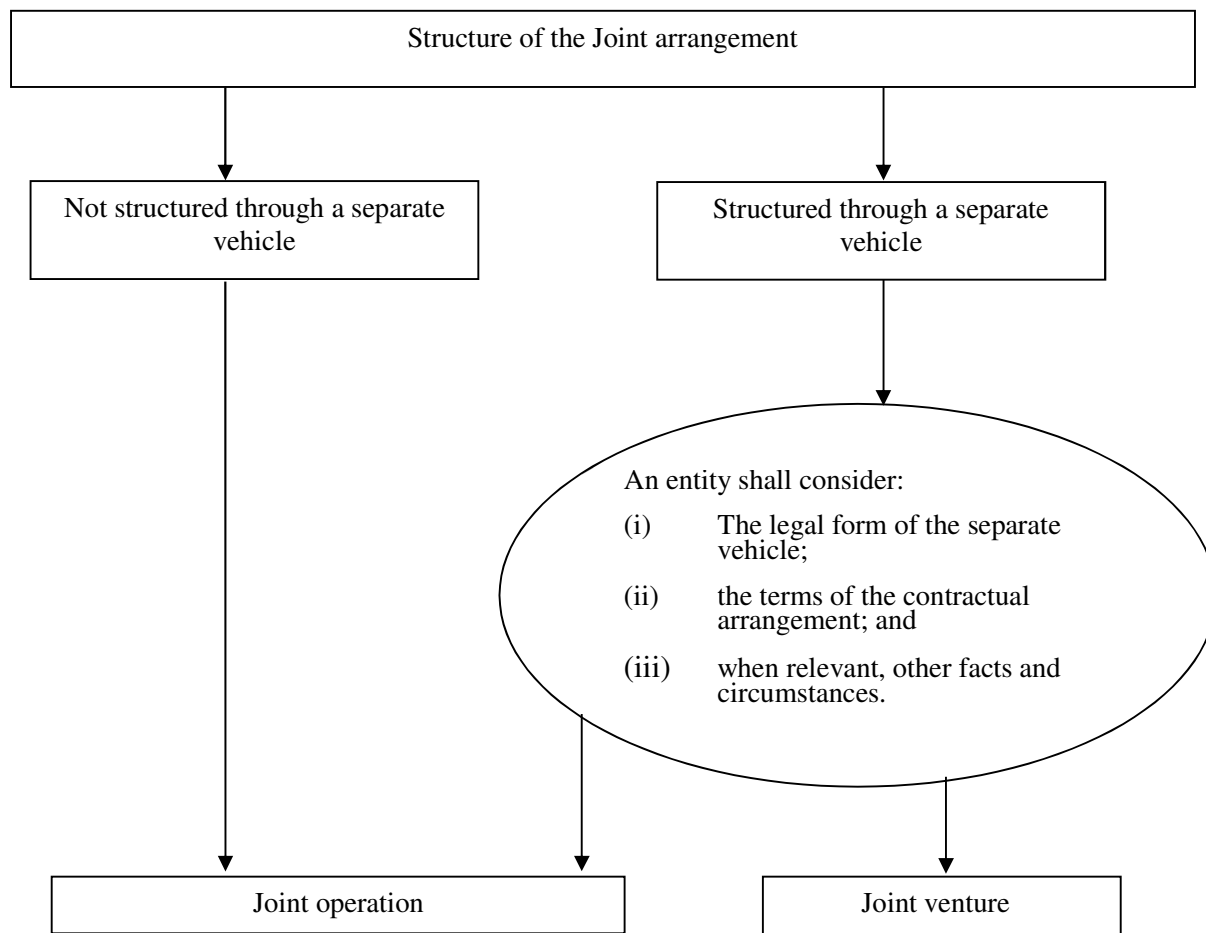
B16 A joint arrangement that is not structured through a separate vehicle is a joint operation. In such cases, the contractual arrangement establishes the parties' rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement, and the parties' rights to the corresponding revenues and obligations for the corresponding expenses.

- B17 The contractual arrangement often describes the nature of the activities that are the subject of the arrangement and how the parties intend to undertake those activities together. For example, the parties to a joint arrangement could agree to manufacture a product together, with each party being responsible for a specific task and each using its own assets and incurring its own liabilities. The contractual arrangement could also specify how the revenues and expenses that are common to the parties are to be shared among them. In such a case, each joint operator recognises in its financial statements the assets and liabilities used for the specific task, and recognises its share of the revenues and expenses in accordance with the contractual arrangement.
- B18 In other cases, the parties to a joint arrangement might agree, for example, to share and operate an asset together. In such a case, the contractual arrangement establishes the parties' rights to the asset that is operated jointly, and how output or revenue from the asset and operating costs are shared among the parties. Each joint operator accounts for its share of the joint asset and its agreed share of any liabilities, and recognises its share of the output, revenues and expenses in accordance with the contractual arrangement.

Joint arrangements structured through a separate vehicle

- B19 A joint arrangement in which the assets and liabilities relating to the arrangement are held in a separate vehicle can be either a joint venture or a joint operation.
- B20 Whether a party is a joint operator or a joint venturer depends on the party's rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement that are held in the separate vehicle.
- B21 As stated in paragraph B15, when the parties have structured a joint arrangement in a separate vehicle, the parties need to assess whether the legal form of the separate vehicle, the terms of the contractual arrangement and, when relevant, any other facts and circumstances give them:
- (a) rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement (ie. the arrangement is a joint operation); or
 - (b) rights to the net assets of the arrangement (ie. the arrangement is a joint venture).

Classification of a joint arrangement: assessment of the parties' rights and obligations arising from the arrangement



The legal form of the separate vehicle

- B22 The legal form of the separate vehicle is relevant when assessing the type of joint arrangement. The legal form assists in the initial assessment of the parties' rights to the assets and obligations for the liabilities held in the separate vehicle, such as whether the parties have interests in the assets held in the separate vehicle and whether they are liable for the liabilities held in the separate vehicle.
- B23 For example, the parties might conduct the joint arrangement through a separate vehicle, whose legal form causes the separate vehicle to be considered in its own right (ie. the assets and liabilities held in the separate vehicle are the assets and liabilities of the separate vehicle and not the assets and liabilities of the parties). In such a case, the assessment of the rights and obligations conferred upon the parties by the legal form of the separate vehicle indicates that the arrangement is a joint venture. However, the terms agreed by the parties in their contractual arrangement (see paragraphs B25–B28) and, when relevant, other facts and circumstances (see paragraphs B29–B33) can override the assessment of the rights and obligations conferred upon the parties by the legal form of the separate vehicle.
- B24 The assessment of the rights and obligations conferred upon the parties by the legal form of the separate vehicle is sufficient to conclude that the arrangement is a joint operation only if the parties conduct the joint arrangement in a separate vehicle whose legal form does not confer separation between the parties and the separate vehicle (ie. the assets and liabilities held in the separate vehicle are the parties' assets and liabilities).

Assessing the terms of the contractual arrangement

- B25 In many cases, the rights and obligations agreed to by the parties in their contractual arrangements are consistent, or do not conflict, with the rights and obligations conferred on the parties by the legal form of the separate vehicle in which the arrangement has been structured.
- B26 In other cases, the parties use the contractual arrangement to reverse or modify the rights and obligations conferred by the legal form of the separate vehicle in which the arrangement has been structured.

Application example**Example 4**

Assume that two parties structure a joint arrangement in an incorporated entity. Each party has a 50 per cent ownership interest in the incorporated entity. The incorporation enables the separation of the entity from its owners and as a consequence the assets and liabilities held in the entity are the assets and liabilities of the incorporated entity. In such a case, the assessment of the rights and obligations conferred upon the parties by the legal form of the separate vehicle indicates that the parties have rights to the net assets of the arrangement.

However, the parties modify the features of the corporation through their contractual arrangement so that each has an interest in the assets of the incorporated entity and each is liable for the liabilities of the incorporated entity in a specified proportion. Such contractual modifications to the features of a corporation can cause an arrangement to be a joint operation.

- B27 The following table compares common terms in contractual arrangements of parties to a joint operation and common terms in contractual arrangements of parties to a joint venture. The examples of the contractual terms provided in the following table are not exhaustive.

Assessing the terms of the contractual arrangement		
	Joint operation	Joint venture
The terms of the contractual arrangement	The contractual arrangement provides the parties to the joint arrangement with rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement.	The contractual arrangement provides the parties to the joint arrangement with rights to the net assets of the arrangement (ie. it is the separate vehicle, not the parties, that has rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement).
Rights to assets	The contractual arrangement establishes that the parties to the joint arrangement share all interests (eg. rights, title or ownership) in the assets relating to the	The contractual arrangement establishes that the assets brought into the arrangement or subsequently acquired by the joint arrangement are the arrangement's assets.

	arrangement in a specified proportion (eg. in proportion to the parties' ownership interest in the arrangement or in proportion to the activity carried out through the arrangement that is directly attributed to them).	The parties have no interests (ie. no rights, title or ownership) in the assets of the arrangement.
Obligations for liabilities	The contractual arrangement establishes that the parties to the joint arrangement share all liabilities, obligations, costs and expenses in a specified proportion (eg. in proportion to the parties' ownership interest in the arrangement or in proportion to the activity carried out through the arrangement that is directly attributed to them).	The contractual arrangement establishes that the joint arrangement is liable for the debts and obligations of the arrangement.
		The contractual arrangement establishes that the parties to the joint arrangement are liable to the arrangement only to the extent of their respective investments in the arrangement or to their respective obligations to contribute any unpaid or additional capital to the arrangement, or both.
	The contractual arrangement establishes that the parties to the joint arrangement are liable for claims raised by third parties.	The contractual arrangement states that creditors of the joint arrangement do not have rights of recourse against any party with respect to debts or obligations of the arrangement.
Revenues, expenses, profit or loss	The contractual arrangement establishes the allocation of revenues and expenses on the basis of the relative performance of each party to the joint arrangement. For example, the contractual arrangement might establish that revenues and expenses are allocated on the basis of the capacity that each party uses in a plant operated jointly, which could differ from their ownership interest in the joint arrangement. In other instances, the parties might have agreed to share the profit or loss relating to the arrangement on the basis of a specified proportion such as the parties' ownership interest in the arrangement. This would not prevent the arrangement from being a joint operation if the parties have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement.	The contractual arrangement establishes each party's share in the profit or loss relating to the activities of the arrangement.
Guarantees	The parties to joint arrangements are often required to provide guarantees to third parties that, for example, receive a service from, or provide financing to, the joint arrangement. The provision of such guarantees, or the commitment by the parties to provide them, does not, by itself, determine that the joint arrangement is a joint operation. The feature that determines whether the joint arrangement is a joint operation or a joint venture is whether the parties have obligations for the liabilities relating to the arrangement (for some of which the parties might or might not have provided a guarantee).	

- B28 When the contractual arrangement specifies that the parties have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement, they are parties to a joint operation and do not need to consider other facts and circumstances (paragraphs B29–B33) for the purposes of classifying the joint arrangement.

Assessing other facts and circumstances

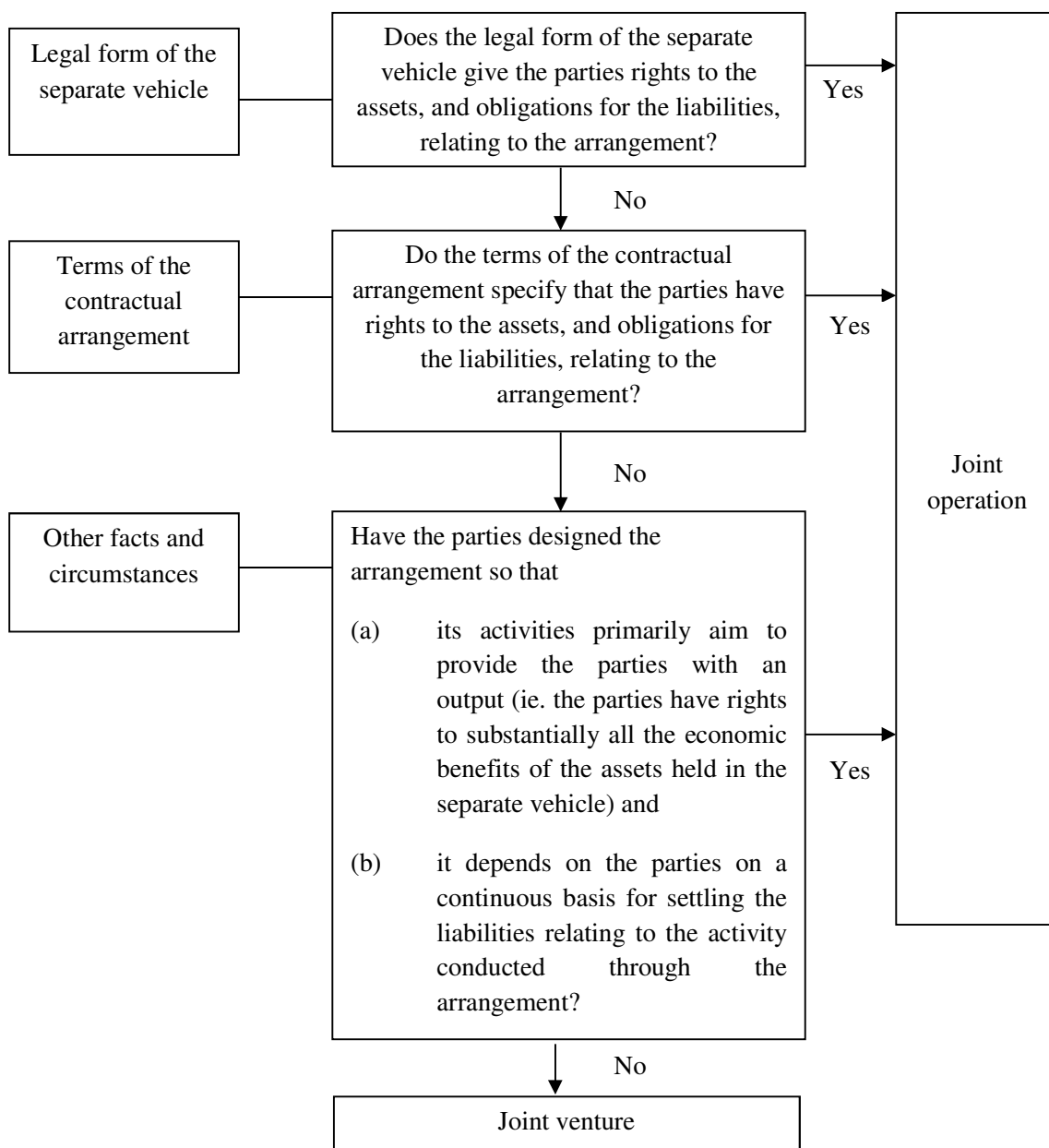
- B29 When the terms of the contractual arrangement do not specify that the parties have rights to the assets, and

obligations for the liabilities, relating to the arrangement, the parties shall consider other facts and circumstances to assess whether the arrangement is a joint operation or a joint venture.

- B30 A joint arrangement might be structured in a separate vehicle whose legal form confers separation between the parties and the separate vehicle. The contractual terms agreed among the parties might not specify the parties' rights to the assets and obligations for the liabilities, yet consideration of other facts and circumstances can lead to such an arrangement being classified as a joint operation. This will be the case when other facts and circumstances give the parties rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement.
- B31 When the activities of an arrangement are primarily designed for the provision of output to the parties, this indicates that the parties have rights to substantially all the economic benefits of the assets of the arrangement. The parties to such arrangements often ensure their access to the outputs provided by the arrangement by preventing the arrangement from selling output to third parties.
- B32 The effect of an arrangement with such a design and purpose is that the liabilities incurred by the arrangement are, in substance, satisfied by the cash flows received from the parties through their purchases of the output. When the parties are substantially the only source of cash flows contributing to the continuity of the operations of the arrangement, this indicates that the parties have an obligation for the liabilities relating to the arrangement.

Application example
Example 5 Assume that two parties structure a joint arrangement in an incorporated entity (entity C) in which each party has a 50 per cent ownership interest. The purpose of the arrangement is to manufacture materials required by the parties for their own, individual manufacturing processes. The arrangement ensures that the parties operate the facility that produces the materials to the quantity and quality specifications of the parties. The legal form of entity C (an incorporated entity) through which the activities are conducted initially indicates that the assets and liabilities held in entity C are the assets and liabilities of entity C. The contractual arrangement between the parties does not specify that the parties have rights to the assets or obligations for the liabilities of entity C. Accordingly, the legal form of entity C and the terms of the contractual arrangement indicate that the arrangement is a joint venture. However, the parties also consider the following aspects of the arrangement: • The parties agreed to purchase all the output produced by entity C in a ratio of 50:50. Entity C cannot sell any of the output to third parties, unless this is approved by the two parties to the arrangement. Because the purpose of the arrangement is to provide the parties with output they require, such sales to third parties are expected to be uncommon and not material. • The price of the output sold to the parties is set by both parties at a level that is designed to cover the costs of production and administrative expenses incurred by entity C. On the basis of this operating model, the arrangement is intended to operate at a break-even level. From the fact pattern above, the following facts and circumstances are relevant: • The obligation of the parties to purchase all the output produced by entity C reflects the exclusive dependence of entity C upon the parties for the generation of cash flows and, thus, the parties have an obligation to fund the settlement of the liabilities of entity C. • The fact that the parties have rights to all the output produced by entity C means that the parties are consuming, and therefore have rights to, all the economic benefits of the assets of entity C. These facts and circumstances indicate that the arrangement is a joint operation. The conclusion about the classification of the joint arrangement in these circumstances would not change if, instead of the parties using their share of the output themselves in a subsequent manufacturing process, the parties sold their share of the output to third parties. If the parties changed the terms of the contractual arrangement so that the arrangement was able to sell output to third parties, this would result in entity C assuming demand, inventory and credit risks. In that scenario, such a change in the facts and circumstances would require reassessment of the classification of the joint arrangement. Such facts and circumstances would indicate that the arrangement is a joint venture.

- B33 The following flow chart reflects the assessment an entity follows to classify an arrangement when the joint arrangement is structured through a separate vehicle:

Classification of a joint arrangement structured through a separate vehicle**Financial statements of parties to a joint arrangement (paragraphs 21A-22)****Accounting for acquisitions of interests in joint operations**

B33A When an entity acquires an interest in a joint operation in which the activity of the joint operation constitutes a business, as defined in Ind AS 103, it shall apply, to the extent of its share in accordance with paragraph 20, all of the principles on business combinations accounting in Ind AS 103, and other Ind ASs, that do not conflict with the guidance in this Ind AS and disclose the information required by those Ind ASs in relation to business combinations. The principles on business combinations accounting that do not conflict with the guidance in this Ind AS include but are not limited to:

- (a) measuring identifiable assets and liabilities at fair value, other than items for which exceptions are given in Ind AS 103 and other Ind ASs;

- (b) recognising acquisition-related costs as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received, with the exception that the costs to issue debt or equity securities are recognised in accordance with Ind AS 32 *Financial Instruments: Presentation* and Ind AS 109;
 - (c) recognising deferred tax assets and deferred tax liabilities that arise from the initial recognition of assets or liabilities, except for deferred tax liabilities that arise from the initial recognition of goodwill, as required by Ind AS 103 and Ind AS 12 *Income Taxes* for business combinations;
 - (d) recognising the excess of the consideration transferred over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed, if any, as goodwill; and
 - (e) testing for impairment a cash-generating unit to which goodwill has been allocated at least annually, and whenever there is an indication that the unit may be impaired, as required by Ind AS 36 *Impairment of Assets* for goodwill acquired in a business combination.
- B33B Paragraphs 21A and B33A also apply to the formation of a joint operation if, and only if, an existing business, as defined in Ind AS 103, is contributed to the joint operation on its formation by one of the parties that participate in the joint operation. However, those paragraphs do not apply to the formation of a joint operation if all of the parties that participate in the joint operation only contribute assets or groups of assets that do not constitute businesses to the joint operation on its formation.
- B33C A joint operator might increase its interest in a joint operation in which the activity of the joint operation constitutes a business, as defined in Ind AS 103, by acquiring an additional interest in the joint operation. In such cases, previously held interests in the joint operation are not remeasured if the joint operator retains joint control.
- B33D Paragraphs 21A and B33A - B33C do not apply for the acquisition of an interest in a joint operation when the parties sharing joint control, including the entity acquiring the interest in the joint operation, are under the common control of the same ultimate controlling party or parties both before and after the acquisition, and that control is not transitory. For such transactions, accounting specified in Appendix C of Ind AS 103 shall be applicable.

Accounting for sales or contributions of assets to a joint operation

- B34 When an entity enters into a transaction with a joint operation in which it is a joint operator, such as a sale or contribution of assets, it is conducting the transaction with the other parties to the joint operation and, as such, the joint operator shall recognise gains and losses resulting from such a transaction only to the extent of the other parties' interests in the joint operation.
- B35 When such transactions provide evidence of a reduction in the net realisable value of the assets to be sold or contributed to the joint operation, or of an impairment loss of those assets, those losses shall be recognised fully by the joint operator.

Accounting for purchases of assets from a joint operation

- B36 When an entity enters into a transaction with a joint operation in which it is a joint operator, such as a purchase of assets, it shall not recognise its share of the gains and losses until it resells those assets to a third party.
- B37 When such transactions provide evidence of a reduction in the net realisable value of the assets to be purchased or of an impairment loss of those assets, a joint operator shall recognise its share of those losses.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 111 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 11, Joint Arrangements, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IFRS 11, Joint Arrangements

1. Appendix C of IFRS 11 dealing with effective date, transition and withdrawal of other IFRSs has not been included in Ind AS 111, due to the following reasons:
 - (i) Effective date is not relevant as the date of application will be notified under the Companies Act.
 - (ii) Transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
 - (iii) The paragraph which relate to withdrawal of other IFRSs is not relevant.

- 2 Paragraph B33D refers to the accounting specified in Appendix C '*Business Combinations under Common Control*' of Ind AS 103 for the acquisition of an interest in a joint operation when the parties sharing joint control, including the entity acquiring the interest in the joint operation, are under the common control of the same ultimate controlling party or parties both before and after the acquisition, and that control is not transitory. IFRS 11 scopes out the same as IFRS 3, *Business Combinations*, does not deal with business combinations under common control.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 112

Disclosure of Interests in Other Entities

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

- 1 **The objective of this Indian Accounting Standard (Ind AS) is to require an entity to disclose information that enables users of its financial statements to evaluate :**

- (a) **the nature of, and risks associated with, its interests in other entities; and**
- (b) **the effects of those interests on its financial position, financial performance and cash flows.**

Meeting the objective

- 2 To meet the objective in paragraph 1, an entity shall disclose :
- (a) the significant judgements and assumptions it has made in determining:
 - (i) the nature of its interest in another entity or arrangement;
 - (ii) the type of joint arrangement in which it has an interest (paragraphs 7–9);
 - (iii) that it meets the definition of an investment entity, if applicable (paragraph 9A); and
 - (b) information about its interests in :
 - (i) subsidiaries (paragraphs 10–19);
 - (ii) arrangements and associates (paragraphs 20–23); and
 - (iii) *structured entities* that are not controlled by the entity (unconsolidated structured entities) (paragraphs 24–31).
- 3 If the disclosures required by this Ind AS, together with disclosures required by other Ind ASs, do not meet the objective in paragraph 1, an entity shall disclose whatever additional information is necessary to meet that objective.
- 4 An entity shall consider the level of detail necessary to satisfy the disclosure objective and how much emphasis to place on each of the requirements in this Ind AS. It shall aggregate or disaggregate disclosures so that useful information is not obscured by either the inclusion of a large amount of insignificant detail or the aggregation of items that have different characteristics (see paragraphs B2–B6).

Scope

- 5 This Ind AS shall be applied by an entity that has an interest in any of the following :
- (a) subsidiaries
 - (b) joint arrangements (ie. joint operations or joint ventures)
 - (c) associates
 - (d) unconsolidated structured entities.
- 6 This Ind AS does not apply to :
- (a) post-employment benefit plans or other long-term employee benefit plans to which Ind AS 19, *Employee Benefits*, applies.
 - (b) an entity's separate financial statements to which Ind AS 27, *Separate Financial Statements*, applies. However, if an entity has interests in unconsolidated structured entities and prepares separate financial statements as its only financial statements, it shall apply the requirements in paragraphs 24–31 when preparing those separate financial statements.

- (c) an interest held by an entity that participates in, but does not have joint control of, a joint arrangement unless that interest results in significant influence over the arrangement or is an interest in a structured entity.
- (d) an interest in another entity that is accounted for in accordance with Ind AS 109, *Financial Instruments*. However, an entity shall apply this Ind AS:
 - (i) when that interest is an interest in an associate or a joint venture that, in accordance with Ind AS 28, *Investments in Associates and Joint Ventures*, is measured at fair value through profit or loss; or
 - (ii) when that interest is an interest in an unconsolidated structured entity.

Significant judgements and assumptions

- 7 An entity shall disclose information about significant judgements and assumptions it has made (and changes to those judgements and assumptions) in determining:**
- (a) **that it has control of another entity, ie an investee as described in paragraphs 5 and 6 of Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*;**
 - (b) **that it has joint control of an arrangement or significant influence over another entity; and**
 - (c) **the type of joint arrangement (ie. joint operation or joint venture) when the arrangement has been structured through a separate vehicle.**
- 8** The significant judgements and assumptions disclosed in accordance with paragraph 7 include those made by the entity when changes in facts and circumstances are such that the conclusion about whether it has control, joint control or significant influence changes during the reporting period.
- 9** To comply with paragraph 7, an entity shall disclose, for example, significant judgements and assumptions made in determining that :
- (a) it does not control another entity even though it holds more than half of the voting rights of the other entity.
 - (b) it controls another entity even though it holds less than half of the voting rights of the other entity.
 - (c) it is an agent or a principal (see paragraphs B58–B72 of Ind AS 110).
 - (d) it does not have significant influence even though it holds 20 per cent or more of the voting rights of another entity.
 - (e) it has significant influence even though it holds less than 20 per cent of the voting rights of another entity.

Investment entity status

- 9A When a parent determines that it is an investment entity in accordance with paragraph 27 of Ind AS 110, the investment entity shall disclose information about significant judgements and assumptions it has made in determining that it is an investment entity. If the investment entity does not have one or more of the typical characteristics of an investment entity (see paragraph 28 of Ind AS 110), it shall disclose its reasons for concluding that it is nevertheless an investment entity.**
- 9B** When an entity becomes, or ceases to be, an investment entity, it shall disclose the change of investment entity status and the reasons for the change. In addition, an entity that becomes an investment entity shall disclose the effect of the change of status on the financial statements for the period presented, including :
- (a) the total fair value, as of the date of change of status, of the subsidiaries that cease to be consolidated;
 - (b) the total gain or loss, if any, calculated in accordance with paragraph B101 of Ind AS 110; and
 - (c) the line item(s) in profit or loss in which the gain or loss is recognised (if not presented separately).

Interests in subsidiaries

- 10 An entity shall disclose information that enables users of its consolidated financial statements**
- (a) **to understand :**
 - (i) **the composition of the group; and**
 - (ii) **the interest that non-controlling interests have in the group's activities and cash flows (paragraph 12); and**

- (b) **to evaluate:**
- (i) **the nature and extent of significant restrictions on its ability to access or use assets, and settle liabilities, of the group (paragraph 13);**
 - (ii) **the nature of, and changes in, the risks associated with its interests in consolidated structured entities (paragraphs 14–17);**
 - (iii) **the consequences of changes in its ownership interest in a subsidiary that do not result in a loss of control (paragraph 18); and**
 - (iv) **the consequences of losing control of a subsidiary during the reporting period (paragraph 19).**
- 11 When the financial statements of a subsidiary used in the preparation of consolidated financial statements are as of a date or for a period that is different from that of the consolidated financial statements (see paragraphs B92 and B93 of Ind AS 110), an entity shall disclose:
- (a) the date of the end of the reporting period of the financial statements of that subsidiary; and
 - (b) the reason for using a different date or period.
- The interest that non-controlling interests have in the group's activities and cash flows**
- 12 An entity shall disclose for each of its subsidiaries that have non-controlling interests that are material to the reporting entity:
- (a) the name of the subsidiary.
 - (b) the principal place of business (and country of incorporation if different from the principal place of business) of the subsidiary.
 - (c) the proportion of ownership interests held by non-controlling interests.
 - (d) the proportion of voting rights held by non-controlling interests, if different from the proportion of ownership interests held.
 - (e) the profit or loss allocated to non-controlling interests of the subsidiary during the reporting period.
 - (f) accumulated non-controlling interests of the subsidiary at the end of the reporting period.
 - (g) summarised financial information about the subsidiary (see paragraph B10).
- The nature and extent of significant restrictions**
- 13 An entity shall disclose:
- (a) significant restrictions (eg. statutory, contractual and regulatory restrictions) on its ability to access or use the assets and settle the liabilities of the group, such as:
 - (i) those that restrict the ability of a parent or its subsidiaries to transfer cash or other assets to (or from) other entities within the group.
 - (ii) guarantees or other requirements that may restrict dividends and other capital distributions being paid, or loans and advances being made or repaid, to (or from) other entities within the group.
 - (b) the nature and extent to which protective rights of non-controlling interests can significantly restrict the entity's ability to access or use the assets and settle the liabilities of the group (such as when a parent is obliged to settle liabilities of a subsidiary before settling its own liabilities, or approval of non-controlling interests is required either to access the assets or to settle the liabilities of a subsidiary).
 - (c) the carrying amounts in the consolidated financial statements of the assets and liabilities to which those restrictions apply.
- Nature of the risks associated with an entity's interests in consolidated structured entities**
- 14 An entity shall disclose the terms of any contractual arrangements that could require the parent or its subsidiaries to provide financial support to a consolidated structured entity, including events or circumstances that could expose the reporting entity to a loss (eg. liquidity arrangements or credit rating triggers associated with obligations to purchase assets of the structured entity or provide financial support).

- 15 If during the reporting period a parent or any of its subsidiaries has, without having a contractual obligation to do so, provided financial or other support to a consolidated structured entity (eg. purchasing assets of or instruments issued by the structured entity), the entity shall disclose:
- (a) the type and amount of support provided, including situations in which the parent or its subsidiaries assisted the structured entity in obtaining financial support; and
 - (b) the reasons for providing the support.
- 16 If during the reporting period a parent or any of its subsidiaries has, without having a contractual obligation to do so, provided financial or other support to a previously unconsolidated structured entity and that provision of support resulted in the entity controlling the structured entity, the entity shall disclose an explanation of the relevant factors in reaching that decision.
- 17 An entity shall disclose any current intentions to provide financial or other support to a consolidated structured entity, including intentions to assist the structured entity in obtaining financial support.

Consequences of changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in a loss of control

- 18 An entity shall present a schedule that shows the effects on the equity attributable to owners of the parent of any changes in its ownership interest in a subsidiary that do not result in a loss of control.

Consequences of losing control of a subsidiary during the reporting period

- 19 An entity shall disclose the gain or loss, if any, calculated in accordance with paragraph 25 of Ind AS 110, and:
- (a) the portion of that gain or loss attributable to measuring any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control is lost; and
 - (b) the line item(s) in profit or loss in which the gain or loss is recognised (if not presented separately).

Interests in unconsolidated subsidiaries (investment entities)

- 19A An investment entity that, in accordance with Ind AS 110, is required to apply the exception to consolidation and instead account for its investment in a subsidiary at fair value through profit or loss shall disclose that fact.
- 19B For each unconsolidated subsidiary, an investment entity shall disclose:
- (a) the subsidiary's name;
 - (b) the principal place of business (and country of incorporation if different from the principal place of business) of the subsidiary; and
 - (c) the proportion of ownership interest held by the investment entity and, if different, the proportion of voting rights held.
- 19C If an investment entity is the parent of another investment entity, the parent shall also provide the disclosures in 19B(a)–(c) for investments that are controlled by its investment entity subsidiary. The disclosure may be provided by including, in the financial statements of the parent, the financial statements of the subsidiary (or subsidiaries) that contain the above information.
- 19D An investment entity shall disclose:
- (a) the nature and extent of any significant restrictions (eg. resulting from borrowing arrangements, regulatory requirements or contractual arrangements) on the ability of an unconsolidated subsidiary to transfer funds to the investment entity in the form of cash dividends or to repay loans or advances made to the unconsolidated subsidiary by the investment entity; and
 - (b) any current commitments or intentions to provide financial or other support to an unconsolidated subsidiary, including commitments or intentions to assist the subsidiary in obtaining financial support.
- 19E If, during the reporting period, an investment entity or any of its subsidiaries has, without having a contractual obligation to do so, provided financial or other support to an unconsolidated subsidiary (eg. purchasing assets of, or instruments issued by, the subsidiary or assisting the subsidiary in obtaining financial support), the entity shall disclose:
- (a) the type and amount of support provided to each unconsolidated subsidiary; and
 - (b) the reasons for providing the support.

- 19F An investment entity shall disclose the terms of any contractual arrangements that could require the entity or its unconsolidated subsidiaries to provide financial support to an unconsolidated, controlled, structured entity, including events or circumstances that could expose the reporting entity to a loss (eg. liquidity arrangements or credit rating triggers associated with obligations to purchase assets of the structured entity or to provide financial support).
- 19G If during the reporting period an investment entity or any of its unconsolidated subsidiaries has, without having a contractual obligation to do so, provided financial or other support to an unconsolidated, structured entity that the investment entity did not control, and if that provision of support resulted in the investment entity controlling the structured entity, the investment entity shall disclose an explanation of the relevant factors in reaching the decision to provide that support.

Interests in joint arrangements and associates

20 An entity shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate:

- (a) **the nature, extent and financial effects of its interests in joint arrangements and associates, including the nature and effects of its contractual relationship with the other investors with joint control of, or significant influence over, joint arrangements and associates (paragraphs 21 and 22); and**
- (b) **the nature of, and changes in, the risks associated with its interests in joint ventures and associates (paragraph 23).**

Nature, extent and financial effects of an entity's interests in joint arrangements and associates

21 An entity shall disclose:

- (a) for each joint arrangement and associate that is material to the reporting entity:
 - (i) the name of the joint arrangement or associate.
 - (ii) the nature of the entity's relationship with the joint arrangement or associate (by, for example, describing the nature of the activities of the joint arrangement or associate and whether they are strategic to the entity's activities).
 - (iii) the principal place of business (and country of incorporation, if applicable and different from the principal place of business) of the joint arrangement or associate.
 - (iv) the proportion of ownership interest or participating share held by the entity and, if different, the proportion of voting rights held (if applicable).
- (b) for each joint venture and associate that is material to the reporting entity:
 - (i) whether the investment in the joint venture or associate is measured using the equity method or at fair value.
 - (ii) summarised financial information about the joint venture or associate as specified in paragraphs B12 and B13.
 - (iii) if the joint venture or associate is accounted for using the equity method, the fair value of its investment in the joint venture or associate, if there is a quoted market price for the investment.
- (c) financial information as specified in paragraph B16 about the entity's investments in joint ventures and associates that are not individually material:
 - (i) in aggregate for all individually immaterial joint ventures and, separately,
 - (ii) in aggregate for all individually immaterial associates.

21A An investment entity need not provide the disclosures required by paragraphs 21(b)–21(c).

22 An entity shall also disclose:

- (a) the nature and extent of any significant restrictions (eg. resulting from borrowing arrangements, regulatory requirements or contractual arrangements between investors with joint control of or significant influence over a joint venture or an associate) on the ability of joint ventures or associates to transfer funds to the entity in the form of cash dividends, or to repay loans or advances made by the entity.
- (b) when the financial statements of a joint venture or associate used in applying the equity method are as of a date or for a period that is different from that of the entity:

- (i) the date of the end of the reporting period of the financial statements of that joint venture or associate; and
- (ii) the reason for using a different date or period.
- (c) the unrecognised share of losses of a joint venture or associate, both for the reporting period and cumulatively, if the entity has stopped recognising its share of losses of the joint venture or associate when applying the equity method.

Risks associated with an entity's interests in joint ventures and associates

23 An entity shall disclose:

- (a) commitments that it has relating to its joint ventures separately from the amount of other commitments as specified in paragraphs B18–B20.
- (b) in accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, unless the probability of loss is remote, contingent liabilities incurred relating to its interests in joint ventures or associates (including its share of contingent liabilities incurred jointly with other investors with joint control of, or significant influence over, the joint ventures or associates), separately from the amount of other contingent liabilities.

Interests in unconsolidated structured entities

24 An entity shall disclose information that enables users of its financial statements:

- (a) to understand the nature and extent of its interests in unconsolidated structured entities (paragraphs 26–28); and
- (b) to evaluate the nature of, and changes in, the risks associated with its interests in unconsolidated structured entities (paragraphs 29–31).

25 The information required by paragraph 24(b) includes information about an entity's exposure to risk from involvement that it had with unconsolidated structured entities in previous periods (eg. sponsoring the structured entity), even if the entity no longer has any contractual involvement with the structured entity at the reporting date.

25A An investment entity need not provide the disclosures required by paragraph 24 for an unconsolidated structured entity that it controls and for which it presents the disclosures required by paragraphs 19A–19G.

Nature of interests

26 An entity shall disclose qualitative and quantitative information about its interests in unconsolidated structured entities, including, but not limited to, the nature, purpose, size and activities of the structured entity and how the structured entity is financed.

27 If an entity has sponsored an unconsolidated structured entity for which it does not provide information required by paragraph 29 (eg. because it does not have an interest in the entity at the reporting date), the entity shall disclose:

- (a) how it has determined which structured entities it has sponsored;
- (b) *income from those structured entities* during the reporting period, including a description of the types of income presented; and
- (c) the carrying amount (at the time of transfer) of all assets transferred to those structured entities during the reporting period.

28 An entity shall present the information in paragraph 27(b) and (c) in tabular format, unless another format is more appropriate, and classify its sponsoring activities into relevant categories (see paragraphs B2–B6).

Nature of risks

29 An entity shall disclose in tabular format, unless another format is more appropriate, a summary of:

- (a) the carrying amounts of the assets and liabilities recognised in its financial statements relating to its interests in unconsolidated structured entities.
- (b) the line items in the balance sheet in which those assets and liabilities are recognised.
- (c) the amount that best represents the entity's maximum exposure to loss from its interests in unconsolidated structured entities, including how the maximum exposure to loss is determined. If an entity cannot quantify its maximum exposure to loss from its interests in unconsolidated structured entities it shall disclose that fact and the reasons.

- (d) a comparison of the carrying amounts of the assets and liabilities of the entity that relate to its interests in unconsolidated structured entities and the entity's maximum exposure to loss from those entities.
- 30 If during the reporting period an entity has, without having a contractual obligation to do so, provided financial or other support to an unconsolidated structured entity in which it previously had or currently has an interest (for example, purchasing assets of or instruments issued by the structured entity), the entity shall disclose:
- (a) the type and amount of support provided, including situations in which the entity assisted the structured entity in obtaining financial support; and
- (b) the reasons for providing the support.
- 31 An entity shall disclose any current intentions to provide financial or other support to an unconsolidated structured entity, including intentions to assist the structured entity in obtaining financial support.

Appendix A

Defined terms

This appendix is an integral part of the Ind AS.

income from a structured entity	For the purpose of this Ind AS, income from a structured entity includes, but is not limited to, recurring and non-recurring fees, interest, dividends, gains or losses on the remeasurement or derecognition of interests in structured entities and gains or losses from the transfer of assets and liabilities to the structured entity.
interest in another entity	For the purpose of this Ind AS, an interest in another entity refers to contractual and non-contractual involvement that exposes an entity to variability of returns from the performance of the other entity. An interest in another entity can be evidenced by, but is not limited to, the holding of equity or debt instruments as well as other forms of involvement such as the provision of funding, liquidity support, credit enhancement and guarantees. It includes the means by which an entity has control or joint control of, or significant influence over, another entity. An entity does not necessarily have an interest in another entity solely because of a typical customer supplier relationship. Paragraphs B7–B9 provide further information about interests in other entities. Paragraphs B55–B57 of Ind AS 110 explain variability of returns.
structured entity	An entity that has been designed so that voting or similar rights are not the dominant factor in deciding who controls the entity, such as when any voting rights relate to administrative tasks only and the relevant activities are directed by means of contractual arrangements. Paragraphs B22–B24 provide further information about structured entities.

The following terms are defined in Ind AS 27, Ind AS 28, Ind AS 110 and Ind AS 111, *Joint Arrangements*, and are used in this Ind AS with the meanings specified in those Ind ASs:

- associate
- consolidated financial statements
- control of an entity
- equity method
- group
- investment entity
- joint arrangement
- joint control
- joint operation
- joint venture
- non-controlling interest

- parent
- protective rights
- relevant activities
- separate financial statements
- separate vehicle
- significant influence
- subsidiary.

Appendix B

Application guidance

This appendix is an integral part of the Ind AS. It describes the application of paragraphs 1–31 and has the same authority as the other parts of the Ind AS.

- B1 The examples in this appendix portray hypothetical situations. Although some aspects of the examples may be present in actual fact patterns, all relevant facts and circumstances of a particular fact pattern would need to be evaluated when applying Ind AS 112.

Aggregation (paragraph 4)

- B2 An entity shall decide, in the light of its circumstances, how much detail it provides to satisfy the information needs of users, how much emphasis it places on different aspects of the requirements and how it aggregates the information. It is necessary to strike a balance between burdening financial statements with excessive detail that may not assist users of financial statements and obscuring information as a result of too much aggregation.
- B3 An entity may aggregate the disclosures required by this Ind AS for interests in similar entities if aggregation is consistent with the disclosure objective and the requirement in paragraph B4, and does not obscure the information provided. An entity shall disclose how it has aggregated its interests in similar entities.
- B4 An entity shall present information separately for interests in:
- (a) subsidiaries;
 - (b) joint ventures;
 - (c) joint operations;
 - (d) associates; and
 - (e) unconsolidated structured entities.
- B5 In determining whether to aggregate information, an entity shall consider quantitative and qualitative information about the different risk and return characteristics of each entity it is considering for aggregation and the significance of each such entity to the reporting entity. The entity shall present the disclosures in a manner that clearly explains to users of financial statements the nature and extent of its interests in those other entities.
- B6 Examples of aggregation levels within the classes of entities set out in paragraph B4 that might be appropriate are:
- (a) nature of activities (eg. a research and development entity, a revolving credit card securitisation entity).
 - (b) industry classification.
 - (c) geography (eg. country or region)

Interests in other entities

- B7 An interest in another entity refers to contractual and non-contractual involvement that exposes the reporting entity to variability of returns from the performance of the other entity. Consideration of the purpose and design of the other entity may help the reporting entity when assessing whether it has an interest in that entity and, therefore, whether it is required to provide the disclosures in this Ind AS. That assessment shall include consideration of the risks that the other entity was designed to create and the risks the other entity was designed to pass on to the reporting entity and other parties.

- B8 A reporting entity is typically exposed to variability of returns from the performance of another entity by holding instruments (such as equity or debt instruments issued by the other entity) or having another involvement that absorbs variability. For example, assume a structured entity holds a loan portfolio. The structured entity obtains a credit default swap from another entity (the reporting entity) to protect itself from the default of interest and principal payments on the loans. The reporting entity has involvement that exposes it to variability of returns from the performance of the structured entity because the credit default swap absorbs variability of returns of the structured entity.
- B9 Some instruments are designed to transfer risk from a reporting entity to another entity. Such instruments create variability of returns for the other entity but do not typically expose the reporting entity to variability of returns from the performance of the other entity. For example, assume a structured entity is established to provide investment opportunities for investors who wish to have exposure to entity Z's credit risk (entity Z is unrelated to any party involved in the arrangement). The structured entity obtains funding by issuing to those investors notes that are linked to entity Z's credit risk (credit-linked notes) and uses the proceeds to invest in a portfolio of risk-free financial assets. The structured entity obtains exposure to entity Z's credit risk by entering into a credit default swap (CDS) with a swap counterparty. The CDS passes entity Z's credit risk to the structured entity in return for a fee paid by the swap counterparty. The investors in the structured entity receive a higher return that reflects both the structured entity's return from its asset portfolio and the CDS fee. The swap counterparty does not have involvement with the structured entity that exposes it to variability of returns from the performance of the structured entity because the CDS transfers variability to the structured entity, rather than absorbing variability of returns of the structured entity.

Summarised financial information for subsidiaries, joint ventures and associates (paragraphs 12 and 21)

- B10 For each subsidiary that has non-controlling interests that are material to the reporting entity, an entity shall disclose:
- (a) dividends paid to non-controlling interests.
 - (b) summarised financial information about the assets, liabilities, profit or loss and cash flows of the subsidiary that enables users to understand the interest that non-controlling interests have in the group's activities and cash flows. That information might include but is not limited to, for example, current assets, non-current assets, current liabilities, non-current liabilities, revenue, profit or loss and total comprehensive income.
- B11 The summarised financial information required by paragraph B10(b) shall be the amounts before inter-company eliminations.
- B12 For each joint venture and associate that is material to the reporting entity, an entity shall disclose:
- (a) dividends received from the joint venture or associate.
 - (b) summarised financial information for the joint venture or associate (see paragraphs B14 and B15) including, but not necessarily limited to:
 - (i) current assets.
 - (ii) non-current assets.
 - (iii) current liabilities.
 - (iv) non-current liabilities.
 - (v) revenue.
 - (vi) profit or loss from continuing operations.
 - (vii) post-tax profit or loss from discontinued operations.
 - (viii) other comprehensive income.
 - (ix) total comprehensive income.
- B13 In addition to the summarised financial information required by paragraph B12, an entity shall disclose for each joint venture that is material to the reporting entity the amount of:
- (a) cash and cash equivalents included in paragraph B12(b)(i).
 - (b) current financial liabilities (excluding trade and other payables and provisions) included in paragraph B12(b)(iii).

- (c) non-current financial liabilities (excluding trade and other payables and provisions) included in paragraph B12(b)(iv).
 - (d) depreciation and amortisation.
 - (e) interest income.
 - (f) interest expense.
 - (g) income tax expense or income.
- B14 The summarised financial information presented in accordance with paragraphs B12 and B13 shall be the amounts included in the Ind AS financial statements of the joint venture or associate (and not the entity's share of those amounts). If the entity accounts for its interest in the joint venture or associate using the equity method:
- (a) the amounts included in the Ind AS financial statements of the joint venture or associate shall be adjusted to reflect adjustments made by the entity when using the equity method, such as fair value adjustments made at the time of acquisition and adjustments for differences in accounting policies.
 - (b) the entity shall provide a reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of its interest in the joint venture or associate.
- B15 An entity may present the summarised financial information required by paragraphs B12 and B13 on the basis of the joint venture's or associate's financial statements if:
- (a) the entity measures its interest in the joint venture or associate at fair value in accordance with Ind AS 28 ; and
 - (b) the joint venture or associate does not prepare Ind AS financial statements and preparation on that basis would be impracticable or cause undue cost.
- In that case, the entity shall disclose the basis on which the summarised financial information has been prepared.
- B16 An entity shall disclose, in aggregate, the carrying amount of its interests in all individually immaterial joint ventures or associates that are accounted for using the equity method. An entity shall also disclose separately the aggregate amount of its share of those joint ventures' or associates':
- (a) profit or loss from continuing operations.
 - (b) post-tax profit or loss from discontinued operations.
 - (c) other comprehensive income.
 - (d) total comprehensive income.
- An entity provides the disclosures separately for joint ventures and associates.
- B17 When an entity's interest in a subsidiary, a joint venture or an associate (or a portion of its interest in a joint venture or an associate) is classified as held for sale in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, the entity is not required to disclose summarised financial information for that subsidiary, joint venture or associate in accordance with paragraphs B10–B16.

Commitments for joint ventures [paragraph 23(a)]

- B18 An entity shall disclose total commitments it has made but not recognised at the reporting date (including its share of commitments made jointly with other investors with joint control of a joint venture) relating to its interests in joint ventures. Commitments are those that may give rise to a future outflow of cash or other resources.
- B19 Unrecognised commitments that may give rise to a future outflow of cash or other resources include:
- (a) unrecognised commitments to contribute funding or resources as a result of, for example:
 - (i) the constitution or acquisition agreements of a joint venture (that, for example, require an entity to contribute funds over a specific period).
 - (ii) capital-intensive projects undertaken by a joint venture.
 - (iii) unconditional purchase obligations, comprising procurement of equipment, inventory or services that an entity is committed to purchasing from, or on behalf of, a joint venture.
 - (iv) unrecognised commitments to provide loans or other financial support to a joint venture.

- (v) unrecognised commitments to contribute resources to a joint venture, such as assets or services.
 - (vi) other non-cancellable unrecognised commitments relating to a joint venture.
 - (b) unrecognised commitments to acquire another party's ownership interest (or a portion of that ownership interest) in a joint venture if a particular event occurs or does not occur in the future.
- B20 The requirements and examples in paragraphs B18 and B19 illustrate some of the types of disclosure required by paragraph 18 of Ind AS 24, *Related Party Disclosures*.

Interests in unconsolidated structured entities (paragraphs 24–31)

Structured entities

- B21 A structured entity is an entity that has been designed so that voting or similar rights are not the dominant factor in deciding who controls the entity, such as when any voting rights relate to administrative tasks only and the relevant activities are directed by means of contractual arrangements.
- B22 A structured entity often has some or all of the following features or attributes:
- (a) restricted activities.
 - (b) a narrow and well-defined objective, such as to effect a tax-efficient lease, carry out research and development activities, provide a source of capital or funding to an entity or provide investment opportunities for investors by passing on risks and rewards associated with the assets of the structured entity to investors.
 - (c) insufficient equity to permit the structured entity to finance its activities without subordinated financial support.
 - (d) financing in the form of multiple contractually linked instruments to investors that create concentrations of credit or other risks (tranches).
- B23 Examples of entities that are regarded as structured entities include, but are not limited to:
- (a) securitisation vehicles.
 - (b) asset-backed financings.
 - (c) some investment funds.
- B24 An entity that is controlled by voting rights is not a structured entity simply because, for example, it receives funding from third parties following a restructuring.

Nature of risks from interests in unconsolidated structured entities (paragraphs 29–31)

- B25 In addition to the information required by paragraphs 29–31, an entity shall disclose additional information that is necessary to meet the disclosure objective in paragraph 24(b).
- B26 Examples of additional information that, depending on the circumstances, might be relevant to an assessment of the risks to which an entity is exposed when it has an interest in an unconsolidated structured entity are:
- (a) the terms of an arrangement that could require the entity to provide financial support to an unconsolidated structured entity (eg. liquidity arrangements or credit rating triggers associated with obligations to purchase assets of the structured entity or provide financial support), including:
 - (i) a description of events or circumstances that could expose the reporting entity to a loss.
 - (ii) whether there are any terms that would limit the obligation.
 - (iii) whether there are any other parties that provide financial support and, if so, how the reporting entity's obligation ranks with those of other parties.
 - (b) losses incurred by the entity during the reporting period relating to its interests in unconsolidated structured entities.
 - (c) the types of income the entity received during the reporting period from its interests in unconsolidated structured entities.
 - (d) whether the entity is required to absorb losses of an unconsolidated structured entity before other parties, the maximum limit of such losses for the entity, and (if relevant) the ranking and amounts of potential losses borne by parties whose interests rank lower than the entity's interest in the unconsolidated structured entity.

- (e) information about any liquidity arrangements, guarantees or other commitments with third parties that may affect the fair value or risk of the entity's interests in unconsolidated structured entities.
- (f) any difficulties an unconsolidated structured entity has experienced in financing its activities during the reporting period.
- (g) in relation to the funding of an unconsolidated structured entity, the forms of funding (eg. commercial paper or medium-term notes) and their weighted-average life. That information might include maturity analyses of the assets and funding of an unconsolidated structured entity if the structured entity has longer-term assets funded by shorter-term funding.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 112 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 12, Disclosure of Interests in Other Entities, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities

1. Different terminology is used, as used in existing laws eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 113

Fair Value Measurement

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

1. **This Ind AS:**
 - (a) **defines fair value;**
 - (b) **sets out in a single Ind AS a framework for measuring fair value; and**
 - (c) **requires disclosures about fair value measurements.**
2. Fair value is a market-based measurement, not an entity-specific measurement. For some assets and liabilities, observable market transactions or market information might be available. For other assets and liabilities, observable market transactions and market information might not be available. However, the objective of a fair value measurement in both cases is the same—to estimate the price at which an *orderly transaction* to sell the asset or to transfer the liability *would take place between market participants at the measurement date under current market conditions* (ie. an *exit price* at the measurement date from the perspective of a market participant that holds the asset or owes the liability).
3. When a price for an identical asset or liability is not observable, an entity measures fair value using another valuation technique that maximises the use of relevant *observable inputs* and minimises the use of *unobservable inputs*. Because fair value is a market-based measurement, it is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, including assumptions about risk. As a result, an entity's intention to hold an asset or to settle or otherwise fulfil a liability is not relevant when measuring fair value.
4. The definition of fair value focuses on assets and liabilities because they are a primary subject of accounting measurement. In addition, this Ind AS shall be applied to an entity's own equity instruments measured at fair value.

Scope

5. **This Ind AS applies when another Ind AS requires or permits fair value measurements or disclosures about fair value measurements (and measurements, such as fair value less costs to sell, based on fair value or disclosures about those measurements), except as specified in paragraphs 6 and 7.**
6. The measurement and disclosure requirements of this Ind AS do not apply to the following:
 - (a) share-based payment transactions within the scope of Ind AS 102, *Share-based Payment*;
 - (b) leasing transactions within the scope of Ind AS 17, *Leases*; and
 - (c) measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realisable value in Ind AS 2, *Inventories*, or value in use in Ind AS 36, *Impairment of Assets*.

7. The disclosures required by this Ind AS are not required for the following:
 - (a) plan assets measured at fair value in accordance with Ind AS 19, *Employee Benefits*;
 - (b) (Refer Appendix 1); and
 - (c) assets for which recoverable amount is fair value less costs of disposal in accordance with Ind AS 36.
8. The fair value measurement framework described in this Ind AS applies to both initial and subsequent measurement if fair value is required or permitted by other Ind ASs.

Measurement

Definition of fair value

9. **This Ind AS defines fair value as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.**
10. Paragraph B2 describes the overall fair value measurement approach.

The asset or liability

11. **A fair value measurement is for a particular asset or liability. Therefore, when measuring fair value an entity shall take into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Such characteristics include, for example, the following:**
 - (a) **the condition and location of the asset; and**
 - (b) **restrictions, if any, on the sale or use of the asset.**
12. The effect on the measurement arising from a particular characteristic will differ depending on how that characteristic would be taken into account by market participants.
13. The asset or liability measured at fair value might be either of the following:
 - (a) a stand-alone asset or liability (eg. a financial instrument or a non-financial asset); or
 - (b) a group of assets, a group of liabilities or a group of assets and liabilities (eg. a cash-generating unit or a business).
14. Whether the asset or liability is a stand-alone asset or liability, a group of assets, a group of liabilities or a group of assets and liabilities for recognition or disclosure purposes depends on its *unit of account*. The unit of account for the asset or liability shall be determined in accordance with the Ind AS that requires or permits the fair value measurement, except as provided in this Ind AS.

The transaction

15. **A fair value measurement assumes that the asset or liability is exchanged in an orderly transaction between market participants to sell the asset or transfer the liability at the measurement date under current market conditions.**
16. **A fair value measurement assumes that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:**
 - (a) **in the *principal market* for the asset or liability; or**
 - (b) **in the absence of a principal market, in the *most advantageous market* for the asset or liability.**
17. An entity need not undertake an exhaustive search of all possible markets to identify the principal market or, in the absence of a principal market, the most advantageous market, but it shall take into account all information that is reasonably available. In the absence of evidence to the contrary, the market in which the entity would normally enter into a transaction to sell the asset or to transfer the liability is presumed to be the principal market or, in the absence of a principal market, the most advantageous market.
18. If there is a principal market for the asset or liability, the fair value measurement shall represent the price in that market (whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique), even if the price in a different market is potentially more advantageous at the measurement date.
19. The entity must have access to the principal (or most advantageous) market at the measurement date. Because different entities (and businesses within those entities) with different activities may have access to different markets, the principal (or most advantageous) market for the same asset or liability might be different for different entities (and businesses within those entities). Therefore, the principal (or most advantageous)

market (and thus, market participants) shall be considered from the perspective of the entity, thereby allowing for differences between and among entities with different activities.

20. Although an entity must be able to access the market, the entity does not need to be able to sell the particular asset or transfer the particular liability on the measurement date to be able to measure fair value on the basis of the price in that market.
21. Even when there is no observable market to provide pricing information about the sale of an asset or the transfer of a liability at the measurement date, a fair value measurement shall assume that a transaction takes place at that date, considered from the perspective of a market participant that holds the asset or owes the liability. That assumed transaction establishes a basis for estimating the price to sell the asset or to transfer the liability.

Market participants

22. **An entity shall measure the fair value of an asset or a liability using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.**
23. In developing those assumptions, an entity need not identify specific market participants. Rather, the entity shall identify characteristics that distinguish market participants generally, considering factors specific to all the following:
- (a) the asset or liability;
 - (b) the principal (or most advantageous) market for the asset or liability; and
 - (c) market participants with whom the entity would enter into a transaction in that market.

The price

24. **Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction in the principal (or most advantageous) market at the measurement date under current market conditions (ie. an exit price) regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique.**
25. The price in the principal (or most advantageous) market used to measure the fair value of the asset or liability shall not be adjusted for *transaction costs*. Transaction costs shall be accounted for in accordance with other Ind ASs. Transaction costs are not a characteristic of an asset or a liability; rather, they are specific to a transaction and will differ depending on how an entity enters into a transaction for the asset or liability.
26. Transaction costs do not include *transport costs*. If location is a characteristic of the asset (as might be the case, for example, for a commodity), the price in the principal (or most advantageous) market shall be adjusted for the costs, if any, that would be incurred to transport the asset from its current location to that market.

Application to non-financial assets

Highest and best use for non-financial assets

27. **A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its *highest and best use* or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.**
28. The highest and best use of a non-financial asset takes into account the use of the asset that is physically possible, legally permissible and financially feasible, as follows:
- (a) A use that is physically possible takes into account the physical characteristics of the asset that market participants would take into account when pricing the asset (eg. the location or size of a property).
 - (b) A use that is legally permissible takes into account any legal restrictions on the use of the asset that market participants would take into account when pricing the asset (eg. the zoning regulations applicable to a property).
 - (c) A use that is financially feasible takes into account whether a use of the asset that is physically possible and legally permissible generates adequate income or cash flows (taking into account the costs of converting the asset to that use) to produce an investment return that market participants would require from an investment in that asset put to that use.

29. Highest and best use is determined from the perspective of market participants, even if the entity intends a different use. However, an entity's current use of a non-financial asset is presumed to be its highest and best use unless market or other factors suggest that a different use by market participants would maximise the value of the asset.
30. To protect its competitive position, or for other reasons, an entity may intend not to use an acquired non-financial asset actively or it may intend not to use the asset according to its highest and best use. For example, that might be the case for an acquired intangible asset that the entity plans to use defensively by preventing others from using it. Nevertheless, the entity shall measure the fair value of a non-financial asset assuming its highest and best use by market participants.

Valuation premise for non-financial assets

31. The highest and best use of a non-financial asset establishes the valuation premise used to measure the fair value of the asset, as follows:
 - (a) The highest and best use of a non-financial asset might provide maximum value to market participants through its use in combination with other assets as a group (as installed or otherwise configured for use) or in combination with other assets and liabilities (eg. a business).
 - (i) If the highest and best use of the asset is to use the asset in combination with other assets or with other assets and liabilities, the fair value of the asset is the price that would be received in a current transaction to sell the asset assuming that the asset would be used with other assets or with other assets and liabilities and that those assets and liabilities (ie. its complementary assets and the associated liabilities) would be available to market participants.
 - (ii) Liabilities associated with the asset and with the complementary assets include liabilities that fund working capital, but do not include liabilities used to fund assets other than those within the group of assets.
 - (iii) Assumptions about the highest and best use of a non-financial asset shall be consistent for all the assets (for which highest and best use is relevant) of the group of assets or the group of assets and liabilities within which the asset would be used.
 - (b) The highest and best use of a non-financial asset might provide maximum value to market participants on a stand-alone basis. If the highest and best use of the asset is to use it on a stand-alone basis, the fair value of the asset is the price that would be received in a current transaction to sell the asset to market participants that would use the asset on a stand-alone basis.

32. The fair value measurement of a non-financial asset assumes that the asset is sold consistently with the unit of account specified in other Ind ASs (which may be an individual asset). That is the case even when that fair value measurement assumes that the highest and best use of the asset is to use it in combination with other assets or with other assets and liabilities because a fair value measurement assumes that the market participant already holds the complementary assets and the associated liabilities.

33. Paragraph B3 describes the application of the valuation premise concept for non-financial assets.

Application to liabilities and an entity's own equity instruments

General principles

34. **A fair value measurement assumes that a financial or non-financial liability or an entity's own equity instrument (eg. equity interests issued as consideration in a business combination) is transferred to a market participant at the measurement date. The transfer of a liability or an entity's own equity instrument assumes the following:**
 - (a) **A liability would remain outstanding and the market participant transferee would be required to fulfil the obligation. The liability would not be settled with the counterparty or otherwise extinguished on the measurement date.**
 - (b) **An entity's own equity instrument would remain outstanding and the market participant transferee would take on the rights and responsibilities associated with the instrument. The instrument would not be cancelled or otherwise extinguished on the measurement date.**
35. Even when there is no observable market to provide pricing information about the transfer of a liability or an entity's own equity instrument (eg. because contractual or other legal restrictions prevent the transfer of such items), there might be an observable market for such items if they are held by other parties as assets (eg. a corporate bond or a call option on an entity's shares).

36. In all cases, an entity shall maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs to meet the objective of a fair value measurement, which is to estimate the price at which an orderly transaction to transfer the liability or equity instrument would take place between market participants at the measurement date under current market conditions.

Liabilities and equity instruments held by other parties as assets

37. **When a quoted price for the transfer of an identical or a similar liability or entity's own equity instrument is not available and the identical item is held by another party as an asset, an entity shall measure the fair value of the liability or equity instrument from the perspective of a market participant that holds the identical item as an asset at the measurement date.**

38. In such cases, an entity shall measure the fair value of the liability or equity instrument as follows:

- (a) using the quoted price in an *active market* for the identical item held by another party as an asset, if that price is available.
- (b) if that price is not available, using other observable inputs, such as the quoted price in a market that is not active for the identical item held by another party as an asset.
- (c) if the observable prices in (a) and (b) are not available, using another valuation technique, such as:
 - (i) an *income approach* (eg. a present value technique that takes into account the future cash flows that a market participant would expect to receive from holding the liability or equity instrument as an asset; see paragraphs B10 and B11).
 - (ii) a *market approach* (eg. using quoted prices for similar liabilities or equity instruments held by other parties as assets; see paragraphs B5-B7).

39. An entity shall adjust the quoted price of a liability or an entity's own equity instrument held by another party as an asset only if there are factors specific to the asset that are not applicable to the fair value measurement of the liability or equity instrument. An entity shall ensure that the price of the asset does not reflect the effect of a restriction preventing the sale of that asset. Some factors that may indicate that the quoted price of the asset should be adjusted include the following:

- (a) The quoted price for the asset relates to a similar (but not identical) liability or equity instrument held by another party as an asset. For example, the liability or equity instrument may have a particular characteristic (eg. the credit quality of the issuer) that is different from that reflected in the fair value of the similar liability or equity instrument held as an asset.
- (b) The unit of account for the asset is not the same as for the liability or equity instrument. For example, for liabilities, in some cases the price for an asset reflects a combined price for a package comprising both the amounts due from the issuer and a third-party credit enhancement. If the unit of account for the liability is not for the combined package, the objective is to measure the fair value of the issuer's liability, not the fair value of the combined package. Thus, in such cases, the entity would adjust the observed price for the asset to exclude the effect of the third-party credit enhancement.

Liabilities and equity instruments not held by other parties as assets

40. **When a quoted price for the transfer of an identical or a similar liability or entity's own equity instrument is not available and the identical item is not held by another party as an asset, an entity shall measure the fair value of the liability or equity instrument using a valuation technique from the perspective of a market participant that owes the liability or has issued the claim on equity.**

41. For example, when applying a present value technique an entity might take into account either of the following:

- (a) the future cash outflows that a market participant would expect to incur in fulfilling the obligation, including the compensation that a market participant would require for taking on the obligation (see paragraphs B31-B33).
- (b) the amount that a market participant would receive to enter into or issue an identical liability or equity instrument, using the assumptions that market participants would use when pricing the identical item (eg. having the same credit characteristics) in the principal (or most advantageous) market for issuing a liability or an equity instrument with the same contractual terms.

Non-performance risk

42. **The fair value of a liability reflects the effect of *non-performance risk*. Non-performance risk includes, but may not be limited to, an entity's own credit risk (as defined in Ind AS 107, *Financial Instruments: Disclosures*). Non-performance risk is assumed to be the same before and after the transfer of the liability.**
43. When measuring the fair value of a liability, an entity shall take into account the effect of its credit risk (credit standing) and any other factors that might influence the likelihood that the obligation will or will not be fulfilled. That effect may differ depending on the liability, for example:
- (a) whether the liability is an obligation to deliver cash (a financial liability) or an obligation to deliver goods or services (a non-financial liability).
 - (b) the terms of credit enhancements related to the liability, if any.
44. The fair value of a liability reflects the effect of non-performance risk on the basis of its unit of account. The issuer of a liability issued with an inseparable third-party credit enhancement that is accounted for separately from the liability shall not include the effect of the credit enhancement (eg. a third-party guarantee of debt) in the fair value measurement of the liability. If the credit enhancement is accounted for separately from the liability, the issuer would take into account its own credit standing and not that of the third party guarantor when measuring the fair value of the liability.

Restriction preventing the transfer of a liability or an entity's own equity instrument

45. When measuring the fair value of a liability or an entity's own equity instrument, an entity shall not include a separate input or an adjustment to other *inputs* relating to the existence of a restriction that prevents the transfer of the item. The effect of a restriction that prevents the transfer of a liability or an entity's own equity instrument is either implicitly or explicitly included in the other inputs to the fair value measurement.
46. For example, at the transaction date, both the creditor and the obligor accepted the transaction price for the liability with full knowledge that the obligation includes a restriction that prevents its transfer. As a result of the restriction being included in the transaction price, a separate input or an adjustment to an existing input is not required at the transaction date to reflect the effect of the restriction on transfer. Similarly, a separate input or an adjustment to an existing input is not required at subsequent measurement dates to reflect the effect of the restriction on transfer.

Financial liability with a demand feature

47. The fair value of a financial liability with a demand feature (eg. a demand deposit) is not less than the amount payable on demand, discounted from the first date that the amount could be required to be paid.

Application to financial assets and financial liabilities with offsetting positions in market risks or counterparty credit risk

48. An entity that holds a group of financial assets and financial liabilities is exposed to market risks (as defined in Ind AS 107) and to the credit risk (as defined in Ind AS 107) of each of the counterparties. If the entity manages that group of financial assets and financial liabilities on the basis of its net exposure to either market risks or credit risk, the entity is permitted to apply an exception to this Ind AS for measuring fair value. That exception permits an entity to measure the fair value of a group of financial assets and financial liabilities on the basis of the price that would be received to sell a net long position (ie. an asset) for a particular risk exposure or paid to transfer a net short position (ie. a liability) for a particular risk exposure in an orderly transaction between market participants at the measurement date under current market conditions. Accordingly, an entity shall measure the fair value of the group of financial assets and financial liabilities consistently with how market participants would price the net risk exposure at the measurement date.
49. An entity is permitted to use the exception in paragraph 48 only if the entity does all the following:
- (a) manages the group of financial assets and financial liabilities on the basis of the entity's net exposure to a particular market risk (or risks) or to the credit risk of a particular counterparty in accordance with the entity's documented risk management or investment strategy;
 - (b) provides information on that basis about the group of financial assets and financial liabilities to the entity's key management personnel, as defined in Ind AS 24, *Related Party Disclosures*; and
 - (c) is required or has elected to measure those financial assets and financial liabilities at fair value in the balance sheet at the end of each reporting period.

50. The exception in paragraph 48 does not pertain to financial statement presentation. In some cases the basis for the presentation of financial instruments in the balance sheet differs from the basis for the measurement of financial instruments, for example, if an Ind AS does not require or permit financial instruments to be presented on a net basis. In such cases an entity may need to allocate the portfolio-level adjustments (see paragraphs 53-56) to the individual assets or liabilities that make up the group of financial assets and financial liabilities managed on the basis of the entity's net risk exposure. An entity shall perform such allocations on a reasonable and consistent basis using a methodology appropriate in the circumstances.
51. An entity shall make an accounting policy decision in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, to use the exception in paragraph 48. An entity that uses the exception shall apply that accounting policy, including its policy for allocating bid-ask adjustments (see paragraphs 53-55) and credit adjustments (see paragraph 56), if applicable, consistently from period to period for a particular portfolio.
52. The exception in paragraph 48 applies only to financial assets, financial liabilities and other contracts within the scope of Ind AS 109, *Financial Instruments*. The references to financial assets and financial liabilities in paragraphs 48-51 and 53-56 should be read as applying to all contracts within the scope of, and accounted for in accordance with, Ind AS 109, regardless of whether they meet the definitions of financial assets or financial liabilities in Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*.

Exposure to market risks

53. When using the exception in paragraph 48 to measure the fair value of a group of financial assets and financial liabilities managed on the basis of the entity's net exposure to a particular market risk (or risks), the entity shall apply the price within the bid-ask spread that is most representative of fair value in the circumstances to the entity's net exposure to those market risks (see paragraphs 70 and 71).
54. When using the exception in paragraph 48, an entity shall ensure that the market risk (or risks) to which the entity is exposed within that group of financial assets and financial liabilities is substantially the same. For example, an entity would not combine the interest rate risk associated with a financial asset with the commodity price risk associated with a financial liability because doing so would not mitigate the entity's exposure to interest rate risk or commodity price risk. When using the exception in paragraph 48, any basis risk resulting from the market risk parameters not being identical shall be taken into account in the fair value measurement of the financial assets and financial liabilities within the group.
55. Similarly, the duration of the entity's exposure to a particular market risk (or risks) arising from the financial assets and financial liabilities shall be substantially the same. For example, an entity that uses a 12-month futures contract against the cash flows associated with 12 months' worth of interest rate risk exposure on a five-year financial instrument within a group made up of only those financial assets and financial liabilities measures the fair value of the exposure to 12-month interest rate risk on a net basis and the remaining interest rate risk exposure (ie. years 2-5) on a gross basis.

Exposure to the credit risk of a particular counterparty

56. When using the exception in paragraph 48 to measure the fair value of a group of financial assets and financial liabilities entered into with a particular counterparty, the entity shall include the effect of the entity's net exposure to the credit risk of that counterparty or the counterparty's net exposure to the credit risk of the entity in the fair value measurement when market participants would take into account any existing arrangements that mitigate credit risk exposure in the event of default (eg. a master netting agreement with the counterparty or an agreement that requires the exchange of collateral on the basis of each party's net exposure to the credit risk of the other party). The fair value measurement shall reflect market participants' expectations about the likelihood that such an arrangement would be legally enforceable in the event of default.

Fair value at initial recognition

57. When an asset is acquired or a liability is assumed in an exchange transaction for that asset or liability, the transaction price is the price paid to acquire the asset or received to assume the liability (an *entry price*). In contrast, the fair value of the asset or liability is the price that would be received to sell the asset or paid to transfer the liability (an *exit price*). Entities do not necessarily sell assets at the prices paid to acquire them. Similarly, entities do not necessarily transfer liabilities at the prices received to assume them.
58. In many cases the transaction price will equal the fair value (eg. that might be the case when on the transaction date the transaction to buy an asset takes place in the market in which the asset would be sold).

59. When determining whether fair value at initial recognition equals the transaction price, an entity shall take into account factors specific to the transaction and to the asset or liability. Paragraph B4 describes situations in which the transaction price might not represent the fair value of an asset or a liability at initial recognition.
60. If another Ind AS requires or permits an entity to measure an asset or a liability initially at fair value and the transaction price differs from fair value, the entity shall recognise the resulting gain or loss in profit or loss unless that Ind AS specifies otherwise.

Valuation techniques

61. **An entity shall use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.**
62. The objective of using a valuation technique is to estimate the price at which an orderly transaction to sell the asset or to transfer the liability would take place between market participants at the measurement date under current market conditions. Three widely used valuation techniques are the market approach, the *cost approach* and the income approach. The main aspects of those approaches are summarised in paragraphs B5-B11. An entity shall use valuation techniques consistent with one or more of those approaches to measure fair value.
63. In some cases a single valuation technique will be appropriate (eg. when valuing an asset or a liability using quoted prices in an active market for identical assets or liabilities). In other cases, multiple valuation techniques will be appropriate (eg. that might be the case when valuing a cash-generating unit). If multiple valuation techniques are used to measure fair value, the results (ie. respective indications of fair value) shall be evaluated considering the reasonableness of the range of values indicated by those results. A fair value measurement is the point within that range that is most representative of fair value in the circumstances.
64. If the transaction price is fair value at initial recognition and a valuation technique that uses unobservable inputs will be used to measure fair value in subsequent periods, the valuation technique shall be calibrated so that at initial recognition the result of the valuation technique equals the transaction price. Calibration ensures that the valuation technique reflects current market conditions, and it helps an entity to determine whether an adjustment to the valuation technique is necessary (eg. there might be a characteristic of the asset or liability that is not captured by the valuation technique). After initial recognition, when measuring fair value using a valuation technique or techniques that use unobservable inputs, an entity shall ensure that those valuation techniques reflect observable market data (eg. the price for a similar asset or liability) at the measurement date.
65. Valuation techniques used to measure fair value shall be applied consistently. However, a change in a valuation technique or its application (eg. a change in its weightage when multiple valuation techniques are used or a change in an adjustment applied to a valuation technique) is appropriate if the change results in a measurement that is equally or more representative of fair value in the circumstances. That might be the case if, for example, any of the following events take place:
- (a) new markets develop;
 - (b) new information becomes available;
 - (c) information previously used is no longer available;
 - (d) valuation techniques improve; or
 - (e) market conditions change.
66. Revisions resulting from a change in the valuation technique or its application shall be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with Ind AS 8. However, the disclosures in Ind AS 8 for a change in accounting estimate are not required for revisions resulting from a change in a valuation technique or its application.

Inputs to valuation techniques

General principles

67. **Valuation techniques used to measure fair value shall maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs.**
68. Examples of markets in which inputs might be observable for some assets and liabilities (eg. financial instruments) include exchange markets, dealer markets, brokered markets and principal-to-principal markets (see paragraph B34).

69. An entity shall select inputs that are consistent with the characteristics of the asset or liability that market participants would take into account in a transaction for the asset or liability (see paragraphs 11 and 12). In some cases those characteristics result in the application of an adjustment, such as a premium or discount (eg. a control premium or non-controlling interest discount). However, a fair value measurement shall not incorporate a premium or discount that is inconsistent with the unit of account in the Ind AS that requires or permits the fair value measurement (see paragraphs 13 and 14). Premiums or discounts that reflect size as a characteristic of the entity's holding (specifically, a blockage factor that adjusts the quoted price of an asset or a liability because the market's normal daily trading volume is not sufficient to absorb the quantity held by the entity, as described in paragraph 80) rather than as a characteristic of the asset or liability (eg. a control premium when measuring the fair value of a controlling interest) are not permitted in a fair value measurement. In all cases, if there is a quoted price in an active market (ie. a *Level 1 input*) for an asset or a liability, an entity shall use that price without adjustment when measuring fair value, except as specified in paragraph 79.

Inputs based on bid and ask prices

70. If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price (eg. an input from a dealer market), the price within the bid-ask spread that is most representative of fair value in the circumstances shall be used to measure fair value regardless of where the input is categorised within the fair value hierarchy (ie. Level 1, 2 or 3; see paragraphs 72-90). The use of bid prices for asset positions and ask prices for liability positions is permitted, but is not required.
71. This Ind AS does not preclude the use of mid-market pricing or other pricing conventions that are used by market participants as a practical expedient for fair value measurements within a bid-ask spread.

Fair value hierarchy

72. To increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures, this Ind AS establishes a fair value hierarchy that categorises into three levels (see paragraphs 76-90), the inputs to valuation techniques used to measure fair value. The fair value hierarchy gives the highest priority to quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 inputs) and the lowest priority to unobservable inputs (*Level 3 inputs*).
73. In some cases, the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability might be categorised within different levels of the fair value hierarchy. In those cases, the fair value measurement is categorised in its entirety in the same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement. Assessing the significance of a particular input to the entire measurement requires judgement, taking into account factors specific to the asset or liability. Adjustments to arrive at measurements based on fair value, such as costs to sell when measuring fair value less costs to sell, shall not be taken into account when determining the level of the fair value hierarchy within which a fair value measurement is categorised.
74. The availability of relevant inputs and their relative subjectivity might affect the selection of appropriate valuation techniques (see paragraph 61). However, the fair value hierarchy prioritises the inputs to valuation techniques, not the valuation techniques used to measure fair value. For example, a fair value measurement developed using a present value technique might be categorised within Level 2 or Level 3, depending on the inputs that are significant to the entire measurement and the level of the fair value hierarchy within which those inputs are categorised.
75. If an observable input requires an adjustment using an unobservable input and that adjustment results in a significantly higher or lower fair value measurement, the resulting measurement would be categorised within Level 3 of the fair value hierarchy. For example, if a market participant would take into account the effect of a restriction on the sale of an asset when estimating the price for the asset, an entity would adjust the quoted price to reflect the effect of that restriction. If that quoted price is a *Level 2 input* and the adjustment is an unobservable input that is significant to the entire measurement, the measurement would be categorised within Level 3 of the fair value hierarchy.

Level 1 inputs

76. Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
77. A quoted price in an active market provides the most reliable evidence of fair value and shall be used without adjustment to measure fair value whenever available, except as specified in paragraph 79.

78. A Level 1 input will be available for many financial assets and financial liabilities, some of which might be exchanged in multiple active markets (eg. on different exchanges). Therefore, the emphasis within Level 1 is on determining both of the following:
- (a) the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, the most advantageous market for the asset or liability; and
 - (b) whether the entity can enter into a transaction for the asset or liability at the price in that market at the measurement date.
79. An entity shall not make an adjustment to a Level 1 input except in the following circumstances:
- (a) when an entity holds a large number of similar (but not identical) assets or liabilities (eg. debt securities) that are measured at fair value and a quoted price in an active market is available but not readily accessible for each of those assets or liabilities individually (ie. given the large number of similar assets or liabilities held by the entity, it would be difficult to obtain pricing information for each individual asset or liability at the measurement date). In that case, as a practical expedient, an entity may measure fair value using an alternative pricing method that does not rely exclusively on quoted prices (eg. matrix pricing). However, the use of an alternative pricing method results in a fair value measurement categorised within a lower level of the fair value hierarchy.
 - (b) when a quoted price in an active market does not represent fair value at the measurement date. That might be the case if, for example, significant events (such as transactions in a principal-to-principal market, trades in a brokered market or announcements) take place after the close of a market but before the measurement date. An entity shall establish and consistently apply a policy for identifying those events that might affect fair value measurements. However, if the quoted price is adjusted for new information, the adjustment results in a fair value measurement categorised within a lower level of the fair value hierarchy.
 - (c) when measuring the fair value of a liability or an entity's own equity instrument using the quoted price for the identical item traded as an asset in an active market and that price needs to be adjusted for factors specific to the item or the asset (see paragraph 39). If no adjustment to the quoted price of the asset is required, the result is a fair value measurement categorised within Level 1 of the fair value hierarchy. However, any adjustment to the quoted price of the asset results in a fair value measurement categorised within a lower level of the fair value hierarchy.
80. If an entity holds a position in a single asset or liability (including a position comprising a large number of identical assets or liabilities, such as a holding of financial instruments) and the asset or liability is traded in an active market, the fair value of the asset or liability shall be measured within Level 1 as the product of the quoted price for the individual asset or liability and the quantity held by the entity. That is the case even if a market's normal daily trading volume is not sufficient to absorb the quantity held and placing orders to sell the position in a single transaction might affect the quoted price.

Level 2 inputs

81. Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
82. If the asset or liability has a specified (contractual) term, a Level 2 input must be observable for substantially the full term of the asset or liability. Level 2 inputs include the following:
- (a) quoted prices for similar assets or liabilities in active markets.
 - (b) quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active.
 - (c) inputs other than quoted prices that are observable for the asset or liability, for example:
 - (i) interest rates and yield curves observable at commonly quoted intervals;
 - (ii) implied volatilities; and
 - (iii) credit spreads.
 - (d) *market-corroborated inputs*.

83. Adjustments to Level 2 inputs will vary depending on factors specific to the asset or liability. Those factors include the following:
- (a) the condition or location of the asset;
 - (b) the extent to which inputs relate to items that are comparable to the asset or liability (including those factors described in paragraph 39); and
 - (c) the volume or level of activity in the markets within which the inputs are observed.
84. An adjustment to a Level 2 input that is significant to the entire measurement might result in a fair value measurement categorised within Level 3 of the fair value hierarchy if the adjustment uses significant unobservable inputs.
85. Paragraph B35 describes the use of Level 2 inputs for particular assets and liabilities.
- Level 3 inputs**
86. Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.
87. Unobservable inputs shall be used to measure fair value to the extent that relevant observable inputs are not available, thereby allowing for situations in which there is little, if any, market activity for the asset or liability at the measurement date. However, the fair value measurement objective remains the same, ie an exit price at the measurement date from the perspective of a market participant that holds the asset or owes the liability. Therefore, unobservable inputs shall reflect the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, including assumptions about risk.
88. Assumptions about risk include the risk inherent in a particular valuation technique used to measure fair value (such as a pricing model) and the risk inherent in the inputs to the valuation technique. A measurement that does not include an adjustment for risk would not represent a fair value measurement if market participants would include one when pricing the asset or liability. For example, it might be necessary to include a risk adjustment when there is significant measurement uncertainty (eg. when there has been a significant decrease in the volume or level of activity when compared with normal market activity for the asset or liability, or similar assets or liabilities, and the entity has determined that the transaction price or quoted price does not represent fair value, as described in paragraphs B37-B47).
89. An entity shall develop unobservable inputs using the best information available in the circumstances, which might include the entity's own data. In developing unobservable inputs, an entity may begin with its own data, but it shall adjust those data if reasonably available information indicates that other market participants would use different data or there is something particular to the entity that is not available to other market participants (eg. an entity-specific synergy). An entity need not undertake exhaustive efforts to obtain information about market participant assumptions. However, an entity shall take into account all information about market participant assumptions that is reasonably available. Unobservable inputs developed in the manner described above are considered market participant assumptions and meet the objective of a fair value measurement.
90. Paragraph B36 describes the use of Level 3 inputs for particular assets and liabilities.

Disclosure

91. **An entity shall disclose information that helps users of its financial statements assess both of the following:**
- (a) for assets and liabilities that are measured at fair value on a recurring or non-recurring basis in the balance sheet after initial recognition, the valuation techniques and inputs used to develop those measurements.**
 - (b) for recurring fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3), the effect of the measurements on profit or loss or other comprehensive income for the period.**
92. To meet the objectives in paragraph 91, an entity shall consider all the following:
- (a) the level of detail necessary to satisfy the disclosure requirements;
 - (b) how much emphasis to place on each of the various requirements;
 - (c) how much aggregation or disaggregation to undertake; and
 - (d) whether users of financial statements need additional information to evaluate the quantitative information disclosed.

If the disclosures provided in accordance with this Ind AS and other Ind ASs are insufficient to meet the objectives in paragraph 91, an entity shall disclose additional information necessary to meet those objectives.

93. To meet the objectives in paragraph 91, an entity shall disclose, at a minimum, the following information for each class of assets and liabilities (see paragraph 94 for information on determining appropriate classes of assets and liabilities) measured at fair value (including measurements based on fair value within the scope of this Ind AS) in the balance sheet after initial recognition:
- (a) for recurring and non-recurring fair value measurements, the fair value measurement at the end of the reporting period, and for non-recurring fair value measurements, the reasons for the measurement. Recurring fair value measurements of assets or liabilities are those that other Ind ASs require or permit in the balance sheet at the end of each reporting period. Non-recurring fair value measurements of assets or liabilities are those that other Ind ASs require or permit in the balance sheet in particular circumstances (eg. when an entity measures an asset held for sale at fair value less costs to sell in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, because the asset's fair value less costs to sell is lower than its carrying amount).
 - (b) for recurring and non-recurring fair value measurements, the level of the fair value hierarchy within which the fair value measurements are categorised in their entirety (Level 1, 2 or 3).
 - (c) for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis, the amounts of any transfers between Level 1 and Level 2 of the fair value hierarchy, the reasons for those transfers and the entity's policy for determining when transfers between levels are deemed to have occurred (see paragraph 95). Transfers into each level shall be disclosed and discussed separately from transfers out of each level.
 - (d) for recurring and non-recurring fair value measurements categorised within Level 2 and Level 3 of the fair value hierarchy, a description of the valuation technique(s) and the inputs used in the fair value measurement. If there has been a change in valuation technique (eg. changing from a market approach to an income approach or the use of an additional valuation technique), the entity shall disclose that change and the reason(s) for making it. For fair value measurements categorised within Level 3 of the fair value hierarchy, an entity shall provide quantitative information about the significant unobservable inputs (eg. a market multiple or future cash flows) used in the fair value measurement. An entity is not required to create quantitative information to comply with this disclosure requirement if quantitative unobservable inputs are not developed by the entity when measuring fair value (eg. when an entity uses prices from prior transactions or third-party pricing information without adjustment). However, when providing this disclosure an entity cannot ignore quantitative unobservable inputs that are significant to the fair value measurement and are reasonably available to the entity.
 - (e) for recurring fair value measurements categorised within Level 3 of the fair value hierarchy, a reconciliation from the opening balances to the closing balances, disclosing separately changes during the period attributable to the following:
 - (i) total gains or losses for the period recognised in profit or loss, and the line item(s) in profit or loss in which those gains or losses are recognised.
 - (ii) total gains or losses for the period recognised in other comprehensive income, and the line item(s) in other comprehensive income in which those gains or losses are recognised.
 - (iii) purchases, sales, issues and settlements (each of those types of changes disclosed separately).
 - (iv) the amounts of any transfers into or out of Level 3 of the fair value hierarchy, the reasons for those transfers and the entity's policy for determining when transfers between levels are deemed to have occurred (see paragraph 95). Transfers into Level 3 shall be disclosed and discussed separately from transfers out of Level 3.
 - (f) for recurring fair value measurements categorised within Level 3 of the fair value hierarchy, the amount of the total gains or losses for the period in (e)(i) included in profit or loss that is attributable to the change in unrealised gains or losses relating to those assets and liabilities held at the end of the reporting period, and the line item(s) in profit or loss in which those unrealised gains or losses are recognised.
 - (g) for recurring and non-recurring fair value measurements categorised within Level 3 of the fair value hierarchy, a description of the valuation processes used by the entity (including, for example, how an entity decides its valuation policies and procedures and analyses changes in fair value measurements from period to period).

-
- (h) for recurring fair value measurements categorised within Level 3 of the fair value hierarchy:
- (i) for all such measurements, a narrative description of the sensitivity of the fair value measurement to changes in unobservable inputs if a change in those inputs to a different amount might result in a significantly higher or lower fair value measurement. If there are interrelationships between those inputs and other unobservable inputs used in the fair value measurement, an entity shall also provide a description of those interrelationships and of how they might magnify or mitigate the effect of changes in the unobservable inputs on the fair value measurement. To comply with that disclosure requirement, the narrative description of the sensitivity to changes in unobservable inputs shall include, at a minimum, the unobservable inputs disclosed when complying with 93(d).
 - (ii) for financial assets and financial liabilities, if changing one or more of the unobservable inputs to reflect reasonably possible alternative assumptions would change fair value significantly, an entity shall state that fact and disclose the effect of those changes. The entity shall disclose how the effect of a change to reflect a reasonably possible alternative assumption was calculated. For that purpose, significance shall be judged with respect to profit or loss, and total assets or total liabilities, or, when changes in fair value are recognised in other comprehensive income, total equity.
 - (i) for recurring and non-recurring fair value measurements, if the highest and best use of a non-financial asset differs from its current use, an entity shall disclose that fact and why the non-financial asset is being used in a manner that differs from its highest and best use.
94. An entity shall determine appropriate classes of assets and liabilities on the basis of the following:
- (a) the nature, characteristics and risks of the asset or liability; and
 - (b) the level of the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorised.
- The number of classes may need to be greater for fair value measurements categorised within Level 3 of the fair value hierarchy because those measurements have a greater degree of uncertainty and subjectivity. Determining appropriate classes of assets and liabilities for which disclosures about fair value measurements should be provided requires judgement. A class of assets and liabilities will often require greater disaggregation than the line items presented in the balance sheet. However, an entity shall provide information sufficient to permit reconciliation to the line items presented in the balance sheet. If another Ind AS specifies the class for an asset or a liability, an entity may use that class in providing the disclosures required in this Ind AS if that class meets the requirements in this paragraph.
95. An entity shall disclose and consistently follow its policy for determining when transfers between levels of the fair value hierarchy are deemed to have occurred in accordance with paragraph 93(c) and (e)(iv). The policy about the timing of recognising transfers shall be the same for transfers into the levels as for transfers out of the levels. Examples of policies for determining the timing of transfers include the following:
- (a) the date of the event or change in circumstances that caused the transfer.
 - (b) the beginning of the reporting period.
 - (c) the end of the reporting period.
96. If an entity makes an accounting policy decision to use the exception in paragraph 48, it shall disclose that fact.
97. For each class of assets and liabilities not measured at fair value in the balance sheet but for which the fair value is disclosed, an entity shall disclose the information required by paragraph 93(b), (d) and (i). However, an entity is not required to provide the quantitative disclosures about significant unobservable inputs used in fair value measurements categorised within Level 3 of the fair value hierarchy required by paragraph 93(d). For such assets and liabilities, an entity does not need to provide the other disclosures required by this Ind AS.
98. For a liability measured at fair value and issued with an inseparable third-party credit enhancement, an issuer shall disclose the existence of that credit enhancement and whether it is reflected in the fair value measurement of the liability.
99. An entity shall present the quantitative disclosures required by this Ind AS in a tabular format unless another format is more appropriate.

Appendix A**Defined terms**

This appendix is an integral part of the Ind AS.

active market	A market in which transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.
cost approach	A valuation technique that reflects the amount that would be required currently to replace the service capacity of an asset (often referred to as current replacement cost).
entry price	The price paid to acquire an asset or received to assume a liability in an exchange transaction.
exit price	The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability.
expected cash flow	The probability-weighted average (ie. mean of the distribution) of possible future cash flows.
fair value	The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.
highest and best use	The use of a non-financial asset by market participants that would maximise the value of the asset or the group of assets and liabilities (eg. a business) within which the asset would be used.
income approach	Valuation techniques that convert future amounts (eg. cash flows or income and expenses) to a single current (ie. discounted) amount. The fair value measurement is determined on the basis of the value indicated by current market expectations about those future amounts.
inputs	The assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, including assumptions about risk, such as the following: (a) the risk inherent in a particular valuation technique used to measure fair value (such as a pricing model); and (b) the risk inherent in the inputs to the valuation technique. Inputs may be observable or unobservable.
Level 1 inputs	Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
Level 2 inputs	Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
Level 3 inputs	Unobservable inputs for the asset or liability.
market approach	A valuation technique that uses prices and other relevant information generated by market transactions involving identical or comparable (ie. similar) assets, liabilities or a group of assets and liabilities, such as a business.
market-corroborated inputs	Inputs that are derived principally from or corroborated by observable market data by correlation or other means.
market participants	Buyers and sellers in the principal (or most advantageous) market for the asset or liability that have all of the following characteristics: (a) They are independent of each other, ie they are not related parties as defined in Ind AS 24, although the price in a related party transaction may be used as an input to a fair value measurement if the entity has evidence that the transaction was entered into at market terms. (b) They are knowledgeable, having a reasonable understanding about the asset or liability and the transaction using all available information, including information that might be obtained through due diligence efforts that are usual and customary. (c) They are able to enter into a transaction for the asset or liability. (d) They are willing to enter into a transaction for the asset or liability, ie they are motivated but not forced or otherwise compelled to do so.

most advantageous market	The market that maximises the amount that would be received to sell the asset or minimises the amount that would be paid to transfer the liability, after taking into account transaction costs and transport costs.
non-performance risk	The risk that an entity will not fulfill an obligation. Non-performance risk includes, but may not be limited to, the entity's own credit risk.
observable inputs	Inputs that are developed using market data, such as publicly available information about actual events or transactions, and that reflect the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability.
orderly transaction	A transaction that assumes exposure to the market for a period before the measurement date to allow for marketing activities that are usual and customary for transactions involving such assets or liabilities; it is not a forced transaction (eg. a forced liquidation or distress sale).
principal market	The market with the greatest volume and level of activity for the asset or liability.
risk premium	Compensation sought by risk-averse market participants for bearing the uncertainty inherent in the cash flows of an asset or a liability. Also referred to as a 'risk adjustment'.
transaction costs	The costs to sell an asset or transfer a liability in the principal (or most advantageous) market for the asset or liability that are directly attributable to the disposal of the asset or the transfer of the liability and meet both of the following criteria: (a) They result directly from and are essential to that transaction. (b) They would not have been incurred by the entity had the decision to sell the asset or transfer the liability not been made (similar to costs to sell, as defined in Ind AS 105).
transport costs	The costs that would be incurred to transport an asset from its current location to its principal (or most advantageous) market.
unit of account	The level at which an asset or a liability is aggregated or disaggregated in an Ind AS for recognition purposes.
unobservable inputs	Inputs for which market data are not available and that are developed using the best information available about the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability.

Appendix B

Application guidance

This appendix is an integral part of the Ind AS.

B1 The judgements applied in different valuation situations may be different. This appendix describes the judgements that might apply when an entity measures fair value in different valuation situations.

The fair value measurement approach

B2 The objective of a fair value measurement is to estimate the price at which an orderly transaction to sell the asset or to transfer the liability would take place between market participants at the measurement date under current market conditions. A fair value measurement requires an entity to determine all the following:

- (a) the particular asset or liability that is the subject of the measurement (consistently with its unit of account).
- (b) for a non-financial asset, the valuation premise that is appropriate for the measurement (consistently with its highest and best use).
- (c) the principal (or most advantageous) market for the asset or liability.
- (d) the valuation technique(s) appropriate for the measurement, considering the availability of data with which to develop inputs that represent the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability and the level of the fair value hierarchy within which the inputs are categorised.

Valuation premise for non-financial assets (paragraphs 31-33)

B3 When measuring the fair value of a non-financial asset used in combination with other assets as a group (as installed or otherwise configured for use) or in combination with other assets and liabilities (eg. a business), the effect of the valuation premise depends on the circumstances. For example:

- (a) the fair value of the asset might be the same whether the asset is used on a stand-alone basis or in combination with other assets or with other assets and liabilities. That might be the case if the asset is a business that market participants would continue to operate. In that case, the transaction would involve valuing the business in its entirety. The use of the assets as a group in an ongoing business would generate synergies that would be available to market participants (ie. market participant synergies that, therefore, should affect the fair value of the asset on either a stand-alone basis or in combination with other assets or with other assets and liabilities).
- (b) an asset's use in combination with other assets or with other assets and liabilities might be incorporated into the fair value measurement through adjustments to the value of the asset used on a stand-alone basis. That might be the case if the asset is a machine and the fair value measurement is determined using an observed price for a similar machine (not installed or otherwise configured for use), adjusted for transport and installation costs so that the fair value measurement reflects the current condition and location of the machine (installed and configured for use).
- (c) an asset's use in combination with other assets or with other assets and liabilities might be incorporated into the fair value measurement through the market participant assumptions used to measure the fair value of the asset. For example, if the asset is work in progress inventory that is unique and market participants would convert the inventory into finished goods, the fair value of the inventory would assume that market participants have acquired or would acquire any specialised machinery necessary to convert the inventory into finished goods.
- (d) an asset's use in combination with other assets or with other assets and liabilities might be incorporated into the valuation technique used to measure the fair value of the asset. That might be the case when using the multi-period excess earnings method to measure the fair value of an intangible asset because that valuation technique specifically takes into account the contribution of any complementary assets and the associated liabilities in the group in which such an intangible asset would be used.
- (e) in more limited situations, when an entity uses an asset within a group of assets, the entity might measure the asset at an amount that approximates its fair value when allocating the fair value of the asset group to the individual assets of the group. That might be the case if the valuation involves real property and the fair value of improved property (ie. an asset group) is allocated to its component assets (such as land and improvements).

Fair value at initial recognition (paragraphs 57-60)

B4 When determining whether fair value at initial recognition equals the transaction price, an entity shall take into account factors specific to the transaction and to the asset or liability. For example, the transaction price might not represent the fair value of an asset or a liability at initial recognition if any of the following conditions exist:

- (a) The transaction is between related parties, although the price in a related party transaction may be used as an input into a fair value measurement if the entity has evidence that the transaction was entered into at market terms.
- (b) The transaction takes place under duress or the seller is forced to accept the price in the transaction. For example, that might be the case if the seller is experiencing financial difficulty.
- (c) The unit of account represented by the transaction price is different from the unit of account for the asset or liability measured at fair value. For example, that might be the case if the asset or liability measured at fair value is only one of the elements in the transaction (eg. in a business combination), the transaction includes unstated rights and privileges that are measured separately in accordance with another Ind AS, or the transaction price includes transaction costs.
- (d) The market in which the transaction takes place is different from the principal market (or most advantageous market). For example, those markets might be different if the entity is a dealer that enters into transactions with customers in the retail market, but the principal (or most advantageous) market for the exit transaction is with other dealers in the dealer market.

Valuation techniques (paragraphs 61-66)**Market approach**

- B5 The market approach uses prices and other relevant information generated by market transactions involving identical or comparable (ie. similar) assets, liabilities or a group of assets and liabilities, such as a business.
- B6 For example, valuation techniques consistent with the market approach often use market multiples derived from a set of comparables. Multiples might be in ranges with a different multiple for each comparable. The selection of the appropriate multiple within the range requires judgement, considering qualitative and quantitative factors specific to the measurement.
- B7 Valuation techniques consistent with the market approach include matrix pricing. Matrix pricing is a mathematical technique used principally to value some types of financial instruments, such as debt securities, without relying exclusively on quoted prices for the specific securities, but rather relying on the securities' relationship to other benchmark quoted securities.

Cost approach

- B8 The cost approach reflects the amount that would be required currently to replace the service capacity of an asset (often referred to as current replacement cost).
- B9 From the perspective of a market participant seller, the price that would be received for the asset is based on the cost to a market participant buyer to acquire or construct a substitute asset of comparable utility, adjusted for obsolescence. That is because a market participant buyer would not pay more for an asset than the amount for which it could replace the service capacity of that asset. Obsolescence encompasses physical deterioration, functional (technological) obsolescence and economic (external) obsolescence and is broader than depreciation for financial reporting purposes (an allocation of historical cost) or tax purposes (using specified service lives). In many cases the current replacement cost method is used to measure the fair value of tangible assets that are used in combination with other assets or with other assets and liabilities.

Income approach

- B10 The income approach converts future amounts (eg. cash flows or income and expenses) to a single current (ie. discounted) amount. When the income approach is used, the fair value measurement reflects current market expectations about those future amounts.
- B11 Those valuation techniques include, for example, the following:
- (a) present value techniques (see paragraphs B12-B30);
 - (b) option pricing models, such as the Black-Scholes-Merton formula or a binomial model (ie. a lattice model), that incorporate present value techniques and reflect both the time value and the intrinsic value of an option; and
 - (c) the multi-period excess earnings method, which is used to measure the fair value of some intangible assets.

Present value techniques

- B12 Paragraphs B13-B30 describe the use of present value techniques to measure fair value. Those paragraphs focus on a discount rate adjustment technique and an *expected cashflow* (expected present value) technique. Those paragraphs neither prescribe the use of a single specific present value technique nor limit the use of present value techniques to measure fair value to the techniques discussed. The present value technique used to measure fair value will depend on facts and circumstances specific to the asset or liability being measured (eg. whether prices for comparable assets or liabilities can be observed in the market) and the availability of sufficient data.

The components of a present value measurement

- B13 Present value (ie. an application of the income approach) is a tool used to link future amounts (eg. cash flows or values) to a present amount using a discount rate. A fair value measurement of an asset or a liability using a present value technique captures all the following elements from the perspective of market participants at the measurement date:
- (a) an estimate of future cash flows for the asset or liability being measured.
 - (b) expectations about possible variations in the amount and timing of the cash flows representing the uncertainty inherent in the cash flows.

- (c) the time value of money, represented by the rate on risk-free monetary assets that have maturity dates or durations that coincide with the period covered by the cash flows and pose neither uncertainty in timing nor risk of default to the holder (ie. a risk-free interest rate).
- (d) the price for bearing the uncertainty inherent in the cash flows (ie. a *risk premium*).
- (e) other factors that market participants would take into account in the circumstances.
- (f) for a liability, the non-performance risk relating to that liability, including the entity's (ie. the obligor's) own credit risk.

General principles

B14 Present value techniques differ in how they capture the elements in paragraph B13. However, all the following general principles govern the application of any present value technique used to measure fair value:

- (a) Cash flows and discount rates should reflect assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability.
- (b) Cash flows and discount rates should take into account only the factors attributable to the asset or liability being measured.
- (c) To avoid double-counting or omitting the effects of risk factors, discount rates should reflect assumptions that are consistent with those inherent in the cash flows. For example, a discount rate that reflects the uncertainty in expectations about future defaults is appropriate if using contractual cash flows of a loan (ie. a discount rate adjustment technique). That same rate should not be used if using expected (ie. probability-weighted) cash flows (ie. an expected present value technique) because the expected cash flows already reflect assumptions about the uncertainty in future defaults; instead, a discount rate that is commensurate with the risk inherent in the expected cash flows should be used.
- (d) Assumptions about cash flows and discount rates should be internally consistent. For example, nominal cash flows, which include the effect of inflation, should be discounted at a rate that includes the effect of inflation. The nominal risk-free interest rate includes the effect of inflation. Real cash flows, which exclude the effect of inflation, should be discounted at a rate that excludes the effect of inflation. Similarly, after-tax cash flows should be discounted using an after-tax discount rate. Pre-tax cash flows should be discounted at a rate consistent with those cash flows.
- (e) Discount rates should be consistent with the underlying economic factors of the currency in which the cash flows are denominated.

Risk and uncertainty

B15 A fair value measurement using present value techniques is made under conditions of uncertainty because the cash flows used are estimates rather than known amounts. In many cases both the amount and timing of the cash flows are uncertain. Even contractually fixed amounts, such as the payments on a loan, are uncertain if there is risk of default.

B16 Market participants generally seek compensation (ie. a risk premium) for bearing the uncertainty inherent in the cash flows of an asset or a liability. A fair value measurement should include a risk premium reflecting the amount that market participants would demand as compensation for the uncertainty inherent in the cash flows. Otherwise, the measurement would not faithfully represent fair value. In some cases determining the appropriate risk premium might be difficult. However, the degree of difficulty alone is not a sufficient reason to exclude a risk premium.

B17 Present value techniques differ in how they adjust for risk and in the type of cash flows they use. For example:

- (a) The discount rate adjustment technique (see paragraphs B18-B22) uses a risk-adjusted discount rate and contractual, promised or most likely cash flows.
- (b) Method 1 of the expected present value technique (see paragraph B25) uses risk-adjusted expected cash flows and a risk-free rate.
- (c) Method 2 of the expected present value technique (see paragraph B26) uses expected cash flows that are not risk-adjusted and a discount rate adjusted to include the risk premium that market participants require. That rate is different from the rate used in the discount rate adjustment technique.

Discount rate adjustment technique

- B18 The discount rate adjustment technique uses a single set of cash flows from the range of possible estimated amounts, whether contractual or promised (as is the case for a bond) or most likely cash flows. In all cases, those cash flows are conditional upon the occurrence of specified events (eg. contractual or promised cash flows for a bond are conditional on the event of no default by the debtor). The discount rate used in the discount rate adjustment technique is derived from observed rates of return for comparable assets or liabilities that are traded in the market. Accordingly, the contractual, promised or most likely cash flows are discounted at an observed or estimated market rate for such conditional cash flows (ie. a market rate of return).
- B19 The discount rate adjustment technique requires an analysis of market data for comparable assets or liabilities. Comparability is established by considering the nature of the cash flows (eg. whether the cash flows are contractual or non-contractual and are likely to respond similarly to changes in economic conditions), as well as other factors (eg. credit standing, collateral, duration, restrictive covenants and liquidity). Alternatively, if a single comparable asset or liability does not fairly reflect the risk inherent in the cash flows of the asset or liability being measured, it may be possible to derive a discount rate using data for several comparable assets or liabilities in conjunction with the risk-free yield curve (ie. using a 'build-up' approach).
- B20 To illustrate a build-up approach, assume that Asset A is a contractual right to receive Rs. 800 in one year (ie. there is no timing uncertainty). There is an established market for comparable assets, and information about those assets, including price information, is available. Of those comparable assets:
- Asset B is a contractual right to receive Rs. 1,200 in one year and has a market price of Rs. 1,083. Thus, the implied annual rate of return (ie. a one-year market rate of return) is 10.8 percent $[(Rs. 1,200/Rs. 1,083) - 1]$.
 - Asset C is a contractual right to receive Rs. 700 in two years and has a market price of Rs. 566. Thus, the implied annual rate of return (ie. a two-year market rate of return) is 11.2 per cent $[(Rs. 700/Rs. 566)^{0.5} - 1]$.
 - All three assets are comparable with respect to risk (ie. dispersion of possible pay-offs and credit).
- B21 On the basis of the timing of the contractual payments to be received for Asset A relative to the timing for Asset B and Asset C (ie. one year for Asset B versus two years for Asset C), Asset B is deemed more comparable to Asset A. Using the contractual payment to be received for Asset A (Rs. 800) and the one-year market rate derived from Asset B (10.8 per cent), the fair value of Asset A is Rs. 722 $(Rs. 800/1.108)$. Alternatively, in the absence of available market information for Asset B, the one-year market rate could be derived from Asset C using the build-up approach. In that case the two-year market rate indicated by Asset C (11.2 per cent) would be adjusted to a one-year market rate using the term structure of the risk-free yield curve. Additional information and analysis might be required to determine whether the risk premiums for one-year and two-year assets are the same. If it is determined that the risk premiums for one-year and two-year assets are not the same, the two-year market rate of return would be further adjusted for that effect.
- B22 When the discount rate adjustment technique is applied to fixed receipts or payments, the adjustment for risk inherent in the cash flows of the asset or liability being measured is included in the discount rate. In some applications of the discount rate adjustment technique to cash flows that are not fixed receipts or payments, an adjustment to the cash flows may be necessary to achieve comparability with the observed asset or liability from which the discount rate is derived.

Expected present value technique

- B23 The expected present value technique uses as a starting point a set of cash flows that represents the probability-weighted average of all possible future cash flows (ie. the expected cash flows). The resulting estimate is identical to expected value, which, in statistical terms, is the weighted average of a discrete random variable's possible values with the respective probabilities as the weights. Because all possible cash flows are probability-weighted, the resulting expected cash flow is not conditional upon the occurrence of any specified event (unlike the cash flows used in the discount rate adjustment technique).
- B24 In making an investment decision, risk-averse market participants would take into account the risk that the actual cash flows may differ from the expected cash flows. Portfolio theory distinguishes between two types of risk:
- unsystematic (diversifiable) risk, which is the risk specific to a particular asset or liability.
 - systematic (non-diversifiable) risk, which is the common risk shared by an asset or a liability with the other items in a diversified portfolio.

Portfolio theory holds that in a market in equilibrium, market participants will be compensated only for bearing the systematic risk inherent in the cash flows. (In markets that are inefficient or out of equilibrium, other forms of return or compensation might be available.)

- B25 Method 1 of the expected present value technique adjusts the expected cash flows of an asset for systematic (ie. market) risk by subtracting a cash risk premium (ie. risk-adjusted expected cash flows). Those risk-adjusted expected cash flows represent a certainty-equivalent cash flow, which is discounted at a risk-free interest rate. A certainty-equivalent cash flow refers to an expected cash flow (as defined), adjusted for risk so that a market participant is indifferent to trading a certain cash flow for an expected cash flow. For example, if a market participant was willing to trade an expected cash flow of Rs. 1,200 for a certain cash flow of Rs. 1,000, the Rs. 1,000 is the certainty equivalent of the Rs. 1,200 (ie. the Rs. 200 would represent the cash risk premium). In that case the market participant would be indifferent as to the asset held.
- B26 In contrast, Method 2 of the expected present value technique adjusts for systematic (ie. market) risk by applying a risk premium to the risk-free interest rate. Accordingly, the expected cash flows are discounted at a rate that corresponds to an expected rate associated with probability-weighted cash flows (ie. an expected rate of return). Models used for pricing risky assets, such as the capital asset pricing model, can be used to estimate the expected rate of return. Because the discount rate used in the discount rate adjustment technique is a rate of return relating to conditional cash flows, it is likely to be higher than the discount rate used in Method 2 of the expected present value technique, which is an expected rate of return relating to expected or probability-weighted cash flows.
- B27 To illustrate Methods 1 and 2, assume that an asset has expected cash flows of Rs. 780 in one year determined on the basis of the possible cash flows and probabilities shown below. The applicable risk-free interest rate for cash flows with a one-year horizon is 5 per cent, and the systematic risk premium for an asset with the same risk profile is 3 per cent.

Possible cash flows	Probability	Probability-weighted cash flows
Rs. 500	15%	Rs. 75
Rs. 800	60%	Rs. 480
Rs. 900	25%	Rs. 225
Expected cash flows		Rs. 780

- B28 In this simple illustration, the expected cash flows (Rs. 780) represent the probability-weighted average of the three possible outcomes. In more realistic situations, there could be many possible outcomes. However, to apply the expected present value technique, it is not always necessary to take into account distributions of all possible cash flows using complex models and techniques. Rather, it might be possible to develop a limited number of discrete scenarios and probabilities that capture the array of possible cash flows. For example, an entity might use realised cash flows for some relevant past period, adjusted for changes in circumstances occurring subsequently (eg. changes in external factors, including economic or market conditions, industry trends and competition as well as changes in internal factors affecting the entity more specifically), taking into account the assumptions of market participants.
- B29 In theory, the present value (ie. the fair value) of the asset's cash flows is the same whether determined using Method 1 or Method 2, as follows:
- Using Method 1, the expected cash flows are adjusted for systematic (ie. market) risk. In the absence of market data directly indicating the amount of the risk adjustment, such adjustment could be derived from an asset pricing model using the concept of certainty equivalents. For example, the risk adjustment (ie. the cash risk premium of Rs. 22) could be determined using the systematic risk premium of 3 per cent ($\text{Rs. } 780 - [\text{Rs. } 780 \times (1.05/1.08)]$), which results in risk-adjusted expected cash flows of Rs. 758 ($\text{Rs. } 780 - \text{Rs. } 22$). The Rs. 758 is the certainty equivalent of Rs. 780 and is discounted at the risk-free interest rate (5 per cent). The present value (ie. the fair value) of the asset is Rs. 722 ($\text{Rs. } 758/1.05$).
 - Using Method 2, the expected cash flows are not adjusted for systematic (ie. market) risk. Rather, the adjustment for that risk is included in the discount rate. Thus, the expected cash flows are discounted at an expected rate of return of 8 per cent (ie. the 5 per cent risk-free interest rate plus the 3 per cent systematic risk premium). The present value (ie. the fair value) of the asset is Rs. 722 ($\text{Rs. } 780/1.08$).

- B30 When using an expected present value technique to measure fair value, either Method 1 or Method 2 could be used. The selection of Method 1 or Method 2 will depend on facts and circumstances specific to the asset or liability being measured, the extent to which sufficient data are available and the judgements applied.

Applying present value techniques to liabilities and an entity's own equity instruments not held by other parties as assets (paragraphs 40 and 41)

- B31 When using a present value technique to measure the fair value of a liability that is not held by another party as an asset (eg. a decommissioning liability), an entity shall, among other things, estimate the future cash outflows that market participants would expect to incur in fulfilling the obligation. Those future cash outflows shall include market participants' expectations about the costs of fulfilling the obligation and the compensation that a market participant would require for taking on the obligation. Such compensation includes the return that a market participant would require for the following:

- (a) undertaking the activity (ie. the value of fulfilling the obligation; eg by using resources that could be used for other activities); and
- (b) assuming the risk associated with the obligation (ie. a *risk premium* that reflects the risk that the actual cash outflows might differ from the expected cash outflows; see paragraph B33).

- B32 For example, a non-financial liability does not contain a contractual rate of return and there is no observable market yield for that liability. In some cases the components of the return that market participants would require will be indistinguishable from one another (eg. when using the price a third party contractor would charge on a fixed fee basis). In other cases an entity needs to estimate those components separately (eg. when using the price a third party contractor would charge on a cost plus basis because the contractor in that case would not bear the risk of future changes in costs).

- B33 An entity can include a risk premium in the fair value measurement of a liability or an entity's own equity instrument that is not held by another party as an asset in one of the following ways:

- (a) by adjusting the cash flows (ie. as an increase in the amount of cash outflows); or
- (b) by adjusting the rate used to discount the future cash flows to their present values (ie. as a reduction in the discount rate).

An entity shall ensure that it does not double-count or omit adjustments for risk. For example, if the estimated cash flows are increased to take into account the compensation for assuming the risk associated with the obligation, the discount rate should not be adjusted to reflect that risk.

Inputs to valuation techniques (paragraphs 67-71)

- B34 Examples of markets in which inputs might be observable for some assets and liabilities (eg. financial instruments) include the following:

- (a) *Exchange markets.* In an exchange market, closing prices are both readily available and generally representative of fair value. An example of such a market is the National Stock Exchange.
- (b) *Dealer markets.* In a dealer market, dealers stand ready to trade (either buy or sell for their own account), thereby providing liquidity by using their capital to hold an inventory of the items for which they make a market. Typically bid and ask prices (representing the price at which the dealer is willing to buy and the price at which the dealer is willing to sell, respectively) are more readily available than closing prices. Over-the-counter markets (for which prices are publicly reported) are dealer markets. Dealer markets also exist for some other assets and liabilities, including some financial instruments, commodities and physical assets (eg. used equipment).
- (c) *Brokered markets.* In a brokered market, brokers attempt to match buyers with sellers but do not stand ready to trade for their own account. In other words, brokers do not use their own capital to hold an inventory of the items for which they make a market. The broker knows the prices bid and asked by the respective parties, but each party is typically unaware of another party's price requirements. Prices of completed transactions are sometimes available. Brokered markets include electronic communication networks, in which buy and sell orders are matched, and commercial and residential real estate markets.
- (d) *Principal-to-principal markets.* In a principal-to-principal market, transactions, both originations and resales, are negotiated independently with no intermediary. Little information about those transactions may be made available publicly.

Fair value hierarchy (paragraphs 72-90)**Level 2 inputs (paragraphs 81-85)**

B35 Examples of Level 2 inputs for particular assets and liabilities include the following:

- (a) *Receive-fixed, pay-variable interest rate swap based on the Mumbai Interbank Offered Rate (MIBOR) swap rate.* A Level 2 input would be the MIBOR swap rate if that rate is observable at commonly quoted intervals for substantially the full term of the swap.
- (b) *Receive-fixed, pay-variable interest rate swap based on a yield curve denominated in a foreign currency.* A Level 2 input would be the swap rate based on a yield curve denominated in a foreign currency that is observable at commonly quoted intervals for substantially the full term of the swap. That would be the case if the term of the swap is 10 years and that rate is observable at commonly quoted intervals for 9 years, provided that any reasonable extrapolation of the yield curve for year 10 would not be significant to the fair value measurement of the swap in its entirety.
- (c) *Receive-fixed, pay-variable interest rate swap based on a specific bank's prime rate.* A Level 2 input would be the bank's prime rate derived through extrapolation if the extrapolated values are corroborated by observable market data, for example, by correlation with an interest rate that is observable over substantially the full term of the swap.
- (d) *Three-year option on exchange-traded shares.* A Level 2 input would be the implied volatility for the shares derived through extrapolation to year 3 if both of the following conditions exist:
 - (i) Prices for one-year and two-year options on the shares are observable.
 - (ii) The extrapolated implied volatility of a three-year option is corroborated by observable market data for substantially the full term of the option.

In that case the implied volatility could be derived by extrapolating from the implied volatility of the one-year and two-year options on the shares and corroborated by the implied volatility for three-year options on comparable entities' shares, provided that correlation with the one-year and two-year implied volatilities is established.
- (e) *Licensing arrangement.* For a licensing arrangement that is acquired in a business combination and was recently negotiated with an unrelated party by the acquired entity (the party to the licensing arrangement), a Level 2 input would be the royalty rate in the contract with the unrelated party at inception of the arrangement.
- (f) *Finished goods inventory at a retail outlet.* For finished goods inventory that is acquired in a business combination, a Level 2 input would be either a price to customers in a retail market or a price to retailers in a wholesale market, adjusted for differences between the condition and location of the inventory item and the comparable (ie. similar) inventory items so that the fair value measurement reflects the price that would be received in a transaction to sell the inventory to another retailer that would complete the requisite selling efforts. Conceptually, the fair value measurement will be the same, whether adjustments are made to a retail price (downward) or to a wholesale price (upward). Generally, the price that requires the least amount of subjective adjustments should be used for the fair value measurement.
- (g) *Building held and used.* A Level 2 input would be the price per square metre for the building (a valuation multiple) derived from observable market data, eg multiples derived from prices in observed transactions involving comparable (ie. similar) buildings in similar locations.
- (h) *Cash-generating unit.* A Level 2 input would be a valuation multiple (eg. a multiple of earnings or revenue or a similar performance measure) derived from observable market data, eg multiples derived from prices in observed transactions involving comparable (ie. similar) businesses, taking into account operational, market, financial and non-financial factors.

Level 3 inputs (paragraphs 86-90)

B36 Examples of Level 3 inputs for particular assets and liabilities include the following:

- (a) *Long-dated currency swap.* A Level 3 input would be an interest rate in a specified currency that is not observable and cannot be corroborated by observable market data at commonly quoted intervals or otherwise for substantially the full term of the currency swap. The interest rates in a currency swap are the swap rates calculated from the respective countries' yield curves.

- (b) *Three-year option on exchange-traded shares.* A Level 3 input would be historical volatility, ie the volatility for the shares derived from the shares' historical prices. Historical volatility typically does not represent current market participants' expectations about future volatility, even if it is the only information available to price an option.
- (c) *Interest rate swap.* A Level 3 input would be an adjustment to a mid-market consensus (non-binding) price for the swap developed using data that are not directly observable and cannot otherwise be corroborated by observable market data.
- (d) *Decommissioning liability assumed in a business combination.* A Level 3 input would be a current estimate using the entity's own data about the future cash outflows to be paid to fulfill the obligation (including market participants' expectations about the costs of fulfilling the obligation and the compensation that a market participant would require for taking on the obligation to dismantle the asset) if there is no reasonably available information that indicates that market participants would use different assumptions. That Level 3 input would be used in a present value technique together with other inputs, eg a current risk-free interest rate or a credit-adjusted risk-free rate if the effect of the entity's credit standing on the fair value of the liability is reflected in the discount rate rather than in the estimate of future cash outflows.
- (e) *Cash-generating unit.* A Level 3 input would be a financial forecast (eg. of cash flows or profit or loss) developed using the entity's own data if there is no reasonably available information that indicates that market participants would use different assumptions.

Measuring fair value when the volume or level of activity for an asset or a liability has significantly decreased

B37 The fair value of an asset or a liability might be affected when there has been a significant decrease in the volume or level of activity for that asset or liability in relation to normal market activity for the asset or liability (or similar assets or liabilities). To determine whether, on the basis of the evidence available, there has been a significant decrease in the volume or level of activity for the asset or liability, an entity shall evaluate the significance and relevance of factors such as the following:

- (a) There are few recent transactions.
- (b) Price quotations are not developed using current information.
- (c) Price quotations vary substantially either over time or among market-makers (eg. some brokered markets).
- (d) Indices that previously were highly correlated with the fair values of the asset or liability are demonstrably uncorrelated with recent indications of fair value for that asset or liability.
- (e) There is a significant increase in implied liquidity risk premiums, yields or performance indicators (such as delinquency rates or loss severities) for observed transactions or quoted prices when compared with the entity's estimate of expected cash flows, taking into account all available market data about credit and other non-performance risk for the asset or liability.
- (f) There is a wide bid-ask spread or significant increase in the bid-ask spread.
- (g) There is a significant decline in the activity of, or there is an absence of, a market for new issues (ie. a primary market) for the asset or liability or similar assets or liabilities.
- (h) Little information is publicly available (eg. for transactions that take place in a principal-to-principal market).

B38 If an entity concludes that there has been a significant decrease in the volume or level of activity for the asset or liability in relation to normal market activity for the asset or liability (or similar assets or liabilities), further analysis of the transactions or quoted prices is needed. A decrease in the volume or level of activity on its own may not indicate that a transaction price or quoted price does not represent fair value or that a transaction in that market is not orderly. However, if an entity determines that a transaction or quoted price does not represent fair value (eg. there may be transactions that are not orderly), an adjustment to the transactions or quoted prices will be necessary if the entity uses those prices as a basis for measuring fair value and that adjustment may be significant to the fair value measurement in its entirety. Adjustments also may be necessary in other circumstances (eg. when a price for a similar asset requires significant adjustment to make it comparable to the asset being measured or when the price is stale).

- B39 This Ind AS does not prescribe a methodology for making significant adjustments to transactions or quoted prices. See paragraphs 61-66 and B5-B11 for a discussion of the use of valuation techniques when measuring fair value. Regardless of the valuation technique used, an entity shall include appropriate risk adjustments, including a risk premium reflecting the amount that market participants would demand as compensation for the uncertainty inherent in the cash flows of an asset or a liability (see paragraph B17). Otherwise, the measurement does not faithfully represent fair value. In some cases determining the appropriate risk adjustment might be difficult. However, the degree of difficulty alone is not a sufficient basis on which to exclude a risk adjustment. The risk adjustment shall be reflective of an orderly transaction between market participants at the measurement date under current market conditions.
- B40 If there has been a significant decrease in the volume or level of activity for the asset or liability, a change in valuation technique or the use of multiple valuation techniques may be appropriate (eg. the use of a market approach and a present value technique). When weighting indications of fair value resulting from the use of multiple valuation techniques, an entity shall consider the reasonableness of the range of fair value measurements. The objective is to determine the point within the range that is most representative of fair value under current market conditions. A wide range of fair value measurements may be an indication that further analysis is needed.
- B41 Even when there has been a significant decrease in the volume or level of activity for the asset or liability, the objective of a fair value measurement remains the same. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction (ie. not a forced liquidation or distress sale) between market participants at the measurement date under current market conditions.
- B42 Estimating the price at which market participants would be willing to enter into a transaction at the measurement date under current market conditions if there has been a significant decrease in the volume or level of activity for the asset or liability depends on the facts and circumstances at the measurement date and requires judgement. An entity's intention to hold the asset or to settle or otherwise fulfill the liability is not relevant when measuring fair value because fair value is a market-based measurement, not an entity-specific measurement.

Identifying transactions that are not orderly

- B43 The determination of whether a transaction is orderly (or is not orderly) is more difficult if there has been a significant decrease in the volume or level of activity for the asset or liability in relation to normal market activity for the asset or liability (or similar assets or liabilities). In such circumstances it is not appropriate to conclude that all transactions in that market are not orderly (ie. forced liquidations or distress sales). Circumstances that may indicate that a transaction is not orderly include the following:
- (a) There was not adequate exposure to the market for a period before the measurement date to allow for marketing activities that are usual and customary for transactions involving such assets or liabilities under current market conditions.
 - (b) There was a usual and customary marketing period, but the seller marketed the asset or liability to a single market participant.
 - (c) The seller is in or near bankruptcy or receivership (ie. the seller is distressed).
 - (d) The seller was required to sell to meet regulatory or legal requirements (ie. the seller was forced).
 - (e) The transaction price is an outlier when compared with other recent transactions for the same or a similar asset or liability.

An entity shall evaluate the circumstances to determine whether, on the weight of the evidence available, the transaction is orderly.

- B44 An entity shall consider all the following when measuring fair value or estimating market risk premiums:
- (a) If the evidence indicates that a transaction is not orderly, an entity shall place little, if any, weight (compared with other indications of fair value) on that transaction price.
 - (b) If the evidence indicates that a transaction is orderly, an entity shall take into account that transaction price. The amount of weight placed on that transaction price when compared with other indications of fair value will depend on the facts and circumstances, such as the following:
 - (i) the volume of the transaction.
 - (ii) the comparability of the transaction to the asset or liability being measured.
 - (iii) the proximity of the transaction to the measurement date.

- (c) If an entity does not have sufficient information to conclude whether a transaction is orderly, it shall take into account the transaction price. However, that transaction price may not represent fair value (ie. the transaction price is not necessarily the sole or primary basis for measuring fair value or estimating market risk premiums). When an entity does not have sufficient information to conclude whether particular transactions are orderly, the entity shall place less weight on those transactions when compared with other transactions that are known to be orderly.

An entity need not undertake exhaustive efforts to determine whether a transaction is orderly, but it shall not ignore information that is reasonably available. When an entity is a party to a transaction, it is presumed to have sufficient information to conclude whether the transaction is orderly.

Using quoted prices provided by third parties

- B45 This Ind AS does not preclude the use of quoted prices provided by third parties, such as pricing services or brokers, if an entity has determined that the quoted prices provided by those parties are developed in accordance with this Ind AS.
- B46 If there has been a significant decrease in the volume or level of activity for the asset or liability, an entity shall evaluate whether the quoted prices provided by third parties are developed using current information that reflects orderly transactions or a valuation technique that reflects market participant assumptions (including assumptions about risk). In weighting a quoted price as an input to a fair value measurement, an entity places less weight (when compared with other indications of fair value that reflect the results of transactions) on quotes that do not reflect the result of transactions.
- B47 Furthermore, the nature of a quote (eg. whether the quote is an indicative price or a binding offer) shall be taken into account when weighting the available evidence, with more weight given to quotes provided by third parties that represent binding offers.

Appendix C

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and make reference to Ind AS 113, *Fair Value Measurement*.

1. Appendix C, *Determining whether an Arrangement contains a Lease* contained in Ind AS 17, *Leases*.
2. Appendix A, *Distributions of Non-cash Assets to Owners* contained in Ind AS 10, *Events After the Reporting Period*.
3. Appendix D, *Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments* contained in Ind AS 109, *Financial Instruments*.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 113 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 13, Fair Value Measurement, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IFRS 13, Fair Value Measurement

1. Different terminology is used in this standard, eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'.
2. Paragraph 7(b) refers to IAS 26, *Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans*, which is not relevant for the companies. Hence the paragraph is deleted. In order to maintain consistency with the paragraph numbers of IFRS 13, the paragraph number is retained in Ind AS 113.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 114, Regulatory Deferral Accounts

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

- 1 The objective of this Standard is to specify the financial reporting requirements for *regulatory deferral account balances* that arise when an entity provides goods or services to customers at a price or rate that is subject to *rate regulation*.

- 2 In meeting this objective, the Standard requires:
- (a) limited changes to the accounting policies that were applied in accordance with previous generally accepted accounting principles (*previous GAAP*) for regulatory deferral account balances, which are primarily related to the presentation of these accounts; and
 - (b) disclosures that:
 - (i) identify and explain the amounts recognised in the entity's financial statements that arise from rate regulation; and
 - (ii) help users of the financial statements to understand the amount, timing and uncertainty of future cash flows from any regulatory deferral account balances that are recognised.
- 3 The requirements of this Standard permit an entity within its scope to continue to account for regulatory deferral account balances in its financial statements in accordance with its previous GAAP when it adopts Ind ASs, subject to the limited changes referred to in paragraph 2 above.
- 4 In addition, this Standard provides some exceptions to, or exemptions from, the requirements of other Standards. All specified requirements for reporting regulatory deferral account balances, and any exceptions to, or exemptions from, the requirements of other Standards that are related to those balances, are contained within this Standard instead of within those other Standards.

Scope

- 5 **An entity is permitted to apply the requirements of this Standard in its first Ind AS financial statements if and only if it:**
- (a) **conducts rate-regulated activities; and**
 - (b) **recognised amounts that qualify as regulatory deferral account balances in its financial statements in accordance with its previous GAAP.**
- 6 **An entity shall apply the requirements of this Standard in its financial statements for subsequent periods if and only if, in its first Ind AS financial statements², it recognised regulatory deferral account balances by electing to apply the requirements of this Standard.**
- 7 This Standard does not address other aspects of accounting by entities that are engaged in rate-regulated activities. By applying the requirements in this Standard, any amounts that are permitted or required to be recognised as assets or liabilities in accordance with other Standards shall not be included within the amounts classified as regulatory deferral account balances.
- 8 **An entity that is within the scope of, and that elects to apply, this Standard shall apply all of its requirements to all regulatory deferral account balances that arise from all of the entity's rate-regulated activities.**

Recognition, measurement, impairment and derecognition

Temporary exemption from paragraph 11 of Ind AS 8

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

- 9 **An entity that has rate-regulated activities and that is within the scope of, and elects to apply, this Standard shall apply paragraphs 10 and 12 of Ind AS 8 when developing its accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances.**
- 10 Paragraphs 11–12 of Ind AS 8 specify sources of requirements and guidance that management is required or permitted to consider in developing an accounting policy for an item, if no relevant Standard applies specifically to that item. This Standard exempts an entity from applying paragraph 11 of Ind AS 8 to its accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances. Consequently, entities that recognise regulatory deferral account balances, either as separate items or as part of the carrying value of other assets and liabilities, in accordance with previous GAAP, are permitted to continue to recognise those balances in accordance with this Standard through the exemption from paragraph 11 of Ind AS 8, subject to any presentation changes required by paragraphs 18–19 of this Standard.

² An entity subject to rate regulation coming into existence after Ind AS coming into force or an entity whose activities become subject to rate regulation as defined in this Ind AS subsequent to preparation and presentation of its first Ind AS financial statements shall be entitled to apply the requirements of the previous GAAP in respect of its such rate regulated activities.

Continuation of existing accounting policies

- 11 **On initial application of this Standard, an entity shall continue to apply previous GAAP accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances, except for any changes permitted by paragraphs 13–15. However, the presentation of such amounts shall comply with the presentation requirements of this Standard, which may require changes to the entity's previous GAAP presentation policies (see paragraphs 18–19).**
- 12 An entity shall apply the policies established in accordance with paragraph 11 consistently in subsequent periods, except for any changes permitted by paragraphs 13–15.

Changes in accounting policies

- 13 **An entity shall not change its accounting policies in order to start to recognise regulatory deferral account balances. An entity may only change its accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances if the change makes the financial statements more relevant to the economic decision-making needs of users and no less reliable, or more reliable and no less relevant to those needs. An entity shall judge relevance and reliability using the criteria in paragraph 10 of Ind AS 8.**
- 14 This Standard does not exempt entities from applying paragraphs 10 or 14–15 of Ind AS 8 to changes in accounting policy. To justify changing its accounting policies for regulatory deferral account balances, an entity shall demonstrate that the change brings its financial statements closer to meeting the criteria in paragraph 10 of Ind AS 8. However, the change does not need to achieve full compliance with those criteria for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances.
- 15 Paragraphs 13–14 apply both to changes made on initial application of this Standard and to changes made in subsequent reporting periods.

Interaction with other Standards

- 16 Any specific exception, exemption or additional requirements related to the interaction of this Standard with other Standards are contained within this Standard (see paragraphs B7–B28). In the absence of any such exception, exemption or additional requirements, other Standards shall apply to regulatory deferral account balances in the same way as they apply to assets, liabilities, income and expenses that are recognised in accordance with other Standards.
- 17 In some situations, another Standard might need to be applied to a regulatory deferral account balance that has been measured in accordance with an entity's accounting policies that are established in accordance with paragraphs 11–12 in order to reflect that balance appropriately in the financial statements. For example, the entity might have rate-regulated activities in a foreign country for which the transactions and regulatory deferral account balances are denominated in a currency that is not the functional currency of the reporting entity. The regulatory deferral account balances and the movements in those balances are translated by applying Ind AS 21 *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*.

Presentation**Changes in presentation**

- 18 This Standard introduces presentation requirements, outlined in paragraphs 20–26, for regulatory deferral account balances that are recognised in accordance with paragraphs 11–12. When this Standard is applied, the regulatory deferral account balances are recognised in the balance sheet in addition to the assets and liabilities that are recognised in accordance with other Standards. These presentation requirements separate the impact of recognising regulatory deferral account balances from the financial reporting requirements of other Standards.
- 19 In addition to the items that are required to be presented in the balance sheet and in the statement of profit and loss in accordance with Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*, an entity applying this Standard shall present all regulatory deferral account balances and the movements in those balances in accordance with paragraphs 20–26.

Classification of regulatory deferral account balances

- 20 An entity shall present separate line items in the balance sheet for:
- (a) the total of all regulatory deferral account debit balances; and
 - (b) the total of all regulatory deferral account credit balances.

- 21 When an entity presents current and non-current assets, and current and non-current liabilities, as separate classifications in its balance sheet, it shall not classify the totals of regulatory deferral account balances as current or non-current. Instead, the separate line items required by paragraph 20 shall be distinguished from the assets and liabilities that are presented in accordance with other Standards by the use of sub-totals, which are drawn before the regulatory deferral account balances are presented.

Classification of movements in regulatory deferral account balances

- 22 An entity shall present, in the other comprehensive income section of the statement of profit and loss, the net movement in all regulatory deferral account balances for the reporting period that relate to items recognised in other comprehensive income. Separate line items shall be used for the net movement related to items that, in accordance with other Standards:
- (a) will not be reclassified subsequently to profit or loss; and
 - (b) will be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are met.
- 23 An entity shall present a separate line item in the profit or loss section of the statement of profit and loss, for the remaining net movement in all regulatory deferral account balances for the reporting period, excluding movements that are not reflected in profit or loss, such as amounts acquired. This separate line item shall be distinguished from the income and expenses that are presented in accordance with other Standards by the use of a sub-total, which is drawn before the net movement in regulatory deferral account balances.
- 24 When an entity recognises a deferred tax asset or a deferred tax liability as a result of recognising regulatory deferral account balances, the entity shall present the resulting deferred tax asset (liability) and the related movement in that deferred tax asset (liability) with the related regulatory deferral account balances and movements in those balances, instead of within the total presented in accordance with Ind AS 12 *Income Taxes* for deferred tax assets (liabilities) and the tax expense (income) (see paragraphs B9–B12).
- 25 When an entity presents a discontinued operation or a disposal group in accordance with Ind AS 105 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, the entity shall present any related regulatory deferral account balances and the net movement in those balances, as applicable, with the regulatory deferral account balances and movements in those balances, instead of within the disposal groups or discontinued operations (see paragraphs B19–B22).
- 26 When an entity presents earnings per share in accordance with Ind AS 33 *Earnings per Share*, the entity shall present additional basic and diluted earnings per share, which are calculated using the earnings amounts required by Ind AS 33 but excluding the movements in regulatory deferral account balances (see paragraphs B13–B14).

Disclosure

Objective

- 27 An entity that elects to apply this Standard shall disclose information that enables users to assess:
- (a) the nature of, and the risks associated with, the rate regulation that establishes the price(s) that the entity can charge customers for the goods or services it provides; and
 - (b) the effects of that rate regulation on its financial position, financial performance and cash flows.
- 28 If any of the disclosures set out in paragraphs 30–36 are not considered relevant to meet the objective in paragraph 27, they may be omitted from the financial statements. If the disclosures provided in accordance with paragraphs 30–36 are insufficient to meet the objective in paragraph 27, an entity shall disclose additional information that is necessary to meet that objective.
- 29 To meet the disclosure objective in paragraph 27, an entity shall consider all of the following:
- (a) the level of detail that is necessary to satisfy the disclosure requirements;
 - (b) how much emphasis to place on each of the various requirements;
 - (c) how much aggregation or disaggregation to undertake; and
 - (d) whether users of financial statements need additional information to evaluate the quantitative information disclosed.

Explanation of activities subject to rate regulation

30 To help a user of the financial statements assess the nature of, and the risks associated with, the entity's rate-regulated activities, an entity shall, for each type of rate-regulated activity, disclose:

- (a) a brief description of the nature and extent of the rate-regulated activity and the nature of the regulatory rate-setting process;
- (b) the identity of the rate regulator(s). If the rate regulator is a related party (as defined in Ind AS 24 *Related Party Disclosures*), the entity shall disclose that fact, together with an explanation of how it is related;
- (c) how the future recovery of each class (ie. each type of cost or income) of regulatory deferral account debit balance or reversal of each class of regulatory deferral account credit balance is affected by risks and uncertainty, for example:
 - (i) demand risk (for example, changes in consumer attitudes, the availability of alternative sources of supply or the level of competition);
 - (ii) regulatory risk (for example, the submission or approval of a rate-setting application or the entity's assessment of the expected future regulatory actions); and
 - (iii) other risks (for example, currency or other market risks).

31 The disclosures required by paragraph 30 shall be given in the financial statements either directly in the notes or incorporated by cross-reference from the financial statements to some other statement, such as a management commentary or risk report, that is available to users of the financial statements on the same terms as the financial statements and at the same time. If the information is not included in the financial statements directly or incorporated by cross-reference, the financial statements are incomplete.

Explanation of recognised amounts

32 An entity shall disclose the basis on which regulatory deferral account balances are recognised and derecognised, and how they are measured initially and subsequently, including how regulatory deferral account balances are assessed for recoverability and how any impairment loss is allocated.

33 For each type of rate-regulated activity, an entity shall disclose the following information for each class of regulatory deferral account balance:

- (a) a reconciliation of the carrying amount at the beginning and the end of the period, in a table unless another format is more appropriate. The entity shall apply judgement in deciding the level of detail necessary (see paragraphs 28–29), but the following components would usually be relevant:
 - (i) the amounts that have been recognised in the current period in the balance sheet as regulatory deferral account balances;
 - (ii) the amounts that have been recognised in the statement of profit and loss relating to balances that have been recovered (sometimes described as amortised) or reversed in the current period; and
 - (iii) other amounts, separately identified, that affected the regulatory deferral account balances, such as impairments, items acquired or assumed in a business combination, items disposed of, or the effects of changes in foreign exchange rates or discount rates;
- (b) the rate of return or discount rate (including a zero rate or a range of rates, when applicable) used to reflect the time value of money that is applicable to each class of regulatory deferral account balance; and
- (c) the remaining periods over which the entity expects to recover (or amortise) the carrying amount of each class of regulatory deferral account debit balance or to reverse each class of regulatory deferral account credit balance.

34 When rate regulation affects the amount and timing of an entity's income tax expense (income), the entity shall disclose the impact of the rate regulation on the amounts of current and deferred tax recognised. In addition, the entity shall separately disclose any regulatory deferral account balance that relates to taxation and the related movement in that balance.

35 When an entity provides disclosures in accordance with Ind AS 112 *Disclosure of Interests in Other Entities* for an interest in a subsidiary, associate or joint venture that has rate-regulated activities and for which regulatory deferral account balances are recognised in accordance with this Standard, the entity shall disclose the amounts that are included for the regulatory deferral account debit and credit balances and the net movement in those balances for the interests disclosed (see paragraphs B25–B28).

- 36 When an entity concludes that a regulatory deferral account balance is no longer fully recoverable or reversible, it shall disclose that fact, the reason why it is not recoverable or reversible and the amount by which the regulatory deferral account balance has been reduced.

Appendix A

Defined terms

This appendix is an integral part of the Standard.

First Ind AS financial statements	The first annual financial statements in which an entity adopts Indian Accounting Standards (Ind AS), by an explicit and unreserved statement of compliance with Ind AS.
First-time adopter	An entity that presents its first Ind AS financial statements .
Previous GAAP	The basis of accounting that a first-time adopter used immediately before adopting Ind ASs for its reporting requirements in India. For instance, for companies preparing their financial statements in accordance with the existing Accounting Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 shall consider those financial statements as previous GAAP financial statements.
	Explanation: <i>Guidance Note on Accounting for the Rate Regulated Activities, issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) shall be considered to be the previous GAAP.</i>
Rate-regulated activities	An entity's activities that are subject to rate regulation .
Rate regulation	' Cost of Service Regulation ' as defined in the Guidance Note on <i>Accounting for Rate Regulated Activities</i> .
Rate regulator	' Regulator ' as defined in the Guidance Note on <i>Accounting for Rate Regulated Activities</i> .
Regulatory deferral account balance	A ' Regulatory Asset ' or a ' Regulatory Liability ' as defined in the Guidance Note on <i>Accounting for Rate Regulated Activities</i> .

Appendix B

Application Guidance

This appendix is an integral part of the Standard.

Rate-regulated activities

- B1 Historically, rate regulation applied to all activities of an entity. However, with acquisitions, diversification and deregulation, rate regulation may now apply to only a portion of an entity's activities, resulting in it having both regulated and non-regulated activities. This Standard applies only to the rate-regulated activities that are subject to statutory or regulatory restrictions through the actions of a rate regulator, regardless of the type of entity or the industry to which it belongs.
- B2 An entity shall not apply this Standard to activities that are self-regulated, ie activities that are not subject to a pricing framework that is overseen and/or approved by a rate regulator.

Continuation of existing accounting policies

- B3 For the purposes of this Standard, a regulatory deferral account balance is defined as the balance of any expense (or income) account that would not be recognised as an asset or a liability in accordance with other Standards, but that qualifies for deferral because it is included, or is expected to be included, by the rate regulator in establishing the rate(s) that can be charged to customers. Some items of expense (income) may be outside the regulated rate(s) because, for example, the amounts are not expected to be accepted by the rate regulator or because they are not within the scope of the rate regulation. Consequently, such an item is recognised as income or expense as incurred, unless another Standard permits or requires it to be included in the carrying amount of an asset or liability.
- B4 In some cases, other Standards explicitly prohibit an entity from recognising, in the balance sheet, regulatory deferral account balances that might be recognised, either separately or included within other line items such as property, plant and equipment in accordance with previous GAAP accounting policies. However, in accordance with paragraph 11 of this Standard, an entity that elects to apply this Standard in its first Ind AS financial statements applies the exemption from paragraph 11 of Ind AS 8 in order to continue to apply its

previous GAAP accounting policies for the recognition, measurement, impairment, and derecognition of regulatory deferral account balances. Such accounting policies may include, for example, the following practices:

- (a) recognising a regulatory deferral account debit balance when the entity has the right, as a result of the actual or expected actions of the rate regulator, to increase rates in future periods in order to recover its allowable costs (ie. the costs for which the regulated rate(s) is intended to provide recovery);
- (b) recognising, as a regulatory deferral account debit or credit balance, an amount that is equivalent to any loss or gain on the disposal or retirement of both items of property, plant and equipment and of intangible assets, which is expected to be recovered or reversed through future rates;
- (c) recognising a regulatory deferral account credit balance when the entity is required, as a result of the actual or expected actions of the rate regulator, to decrease rates in future periods in order to reverse over-recoveries of allowable costs (ie. amounts in excess of the recoverable amount specified by the rate regulator); and
- (d) measuring regulatory deferral account balances on an undiscounted basis or on a discounted basis that uses an interest or discount rate specified by the rate regulator.

B5 The following are examples of the types of costs that rate regulators might allow in rate-setting decisions and that an entity might, therefore, recognise in regulatory deferral account balances:

- (i) volume or purchase price variances;
- (ii) costs of approved 'green energy' initiatives (in excess of amounts that are capitalised as part of the cost of property, plant and equipment in accordance with Ind AS 16 *Property, Plant and Equipment*);
- (iii) non-directly-attributable overhead costs that are treated as capital costs for rate regulation purposes (but are not permitted, in accordance with Ind AS 16, to be included in the cost of an item of property, plant and equipment);
- (iv) project cancellation costs;
- (v) storm damage costs; and
- (vi) deemed interest (including amounts allowed for funds that are used during construction that provide the entity with a return on the owner's equity capital as well as borrowings).

B6 Regulatory deferral account balances usually represent timing differences between the recognition of items of income or expenses for regulatory purposes and the recognition of those items for financial reporting purposes. When an entity changes an accounting policy on the first-time adoption of Ind AS or on the initial application of a new or revised Standard, new or revised timing differences may arise that create new or revised regulatory deferral account balances. The prohibition in paragraph 13 that prevents an entity from changing its accounting policy in order to start to recognise regulatory deferral account balances does not prohibit the recognition of the new or revised regulatory deferral account balances that are created because of other changes in accounting policies required by Ind AS. This is because the recognition of regulatory deferral account balances for such timing differences would be consistent with the existing recognition policy applied in accordance with paragraph 11 and would not represent the introduction of a new accounting policy. Similarly, paragraph 13 does not prohibit the recognition of regulatory deferral account balances arising from timing differences that did not exist immediately prior to the date of transition to Ind AS but are consistent with the entity's accounting policies established in accordance with paragraph 11 (for example, storm damage costs).

Applicability of other Standards

B7 An entity that is within the scope of, and that elects to apply, the requirements of this Standard shall continue to apply its previous GAAP accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances. However, paragraphs 16–17 state that, in some situations, other Standards might also need to be applied to regulatory deferral account balances in order to reflect them appropriately in the financial statements. The following paragraphs outline how some other Standards interact with the requirements of this Standard. In particular, the following paragraphs clarify specific exceptions to, and exemptions from, other Standards and additional presentation and disclosure requirements that are expected to be applicable.

Application of Ind AS 10 Events after the Reporting Period

- B8 An entity may need to use estimates and assumptions in the recognition and measurement of its regulatory deferral account balances. For events that occur between the end of the reporting period and the date when the financial statements are authorised for issue, the entity shall apply Ind AS 10 to identify whether those estimates and assumptions should be adjusted to reflect those events.

Application of Ind AS 12 Income Taxes

- B9 Ind AS 12 requires, with certain limited exceptions, an entity to recognise a deferred tax liability and (subject to certain conditions) a deferred tax asset for all temporary differences. A rate-regulated entity shall apply Ind AS 12 to all of its activities, including its rate-regulated activities, to identify the amount of income tax that is to be recognised.
- B10 In some rate-regulatory schemes, the rate regulator permits or requires an entity to increase its future rates in order to recover some or all of the entity's income tax expense. In such circumstances, this might result in the entity recognising a regulatory deferral account balance in the balance sheet related to income tax, in accordance with its accounting policies established in accordance with paragraphs 11–12. The recognition of this regulatory deferral account balance that relates to income tax might itself create an additional temporary difference for which a further deferred tax amount would be recognised.
- B11 Notwithstanding the presentation and disclosure requirements of Ind AS 12, when an entity recognises a deferred tax asset or a deferred tax liability as a result of recognising regulatory deferral account balances, the entity shall not include that deferred tax amount within the total deferred tax asset (liability) balances. Instead, the entity shall present the deferred tax asset (liability) that arises as a result of recognising regulatory deferral account balances either:
- (a) with the line items that are presented for the regulatory deferral account debit balances and credit balances; or
 - (b) as a separate line item alongside the related regulatory deferral account debit balances and credit balances.
- B12 Similarly, when an entity recognises the movement in a deferred tax asset (liability) that arises as a result of recognising regulatory deferral account balances, the entity shall not include the movement in that deferred tax amount within the tax expense (income) line item that is presented in the statement of profit and loss in accordance with Ind AS 12. Instead, the entity shall present the movement in the deferred tax asset (liability) that arises as a result of recognising regulatory deferral account balances either:
- (a) with the line items that are presented in the statement of profit and loss for the movements in regulatory deferral account balances; or
 - (b) as a separate line item alongside the related line items that are presented in the statement of profit and loss for the movements in regulatory deferral account balances.

Application of Ind AS 33 Earnings per Share

- B13 Paragraph 66 of Ind AS 33 requires some entities to present, in the statement of profit and loss, basic and diluted earnings per share both for profit or loss from continuing operations and profit or loss that is attributable to the ordinary equity holders of the parent entity. In addition, paragraph 68 of Ind AS 33 requires an entity that reports a discontinued operation to disclose the basic and diluted amounts per share for the discontinued operation, either in the statement of profit or loss and other comprehensive income or in the notes.
- B14 For each earnings per share amount presented in accordance with Ind AS 33, an entity applying this Standard shall present additional basic and diluted earnings per share amounts that are calculated in the same way, except that those amounts shall exclude the net movement in the regulatory deferral account balances. Consistent with the requirement in paragraph 73 of Ind AS 33, an entity shall present the earnings per share required by paragraph 26 of this Standard with equal prominence to the earnings per share required by Ind AS 33 for all periods presented.

Application of Ind AS 36 Impairment of Assets

- B15 Paragraphs 11–12 require an entity to continue to apply its previous GAAP accounting policies for the identification, recognition, measurement and reversal of any impairment of its recognised regulatory deferral account balances. Consequently, Ind AS 36 does not apply to the separate regulatory deferral account balances recognised.

- B16 However, Ind AS 36 might require an entity to perform an impairment test on a cash-generating unit (CGU) that includes regulatory deferral account balances. This test might be required because the CGU contains goodwill, or because one or more of the impairment indicators described in Ind AS 36 have been identified relating to the CGU. In such situations, paragraphs 74–79 of Ind AS 36 contain requirements for identifying the recoverable amount and the carrying amount of a CGU. An entity shall apply those requirements to decide whether any of the regulatory deferral account balances recognised are included in the carrying amount of the CGU for the purpose of the impairment test. The remaining requirements of Ind AS 36 shall then be applied to any impairment loss that is recognised as a result of this test.

Application of Ind AS 103 *Business Combinations*

- B17 The core principle of Ind AS 103 is that an acquirer of a business recognises the assets acquired and the liabilities assumed at their acquisition-date fair values. Ind AS 103 provides limited exceptions to its recognition and measurement principles. Paragraph B18 of this Standard provides an additional exception.
- B18 Paragraphs 11–12 require an entity to continue to apply its previous GAAP accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances. Consequently, if an entity acquires a business, it shall apply, in its consolidated financial statements, its accounting policies established in accordance with paragraphs 11–12 for the recognition and measurement of the acquiree's regulatory deferral account balances at the date of acquisition. The acquiree's regulatory deferral account balances shall be recognised in the consolidated financial statements of the acquirer in accordance with the acquirer's policies, irrespective of whether the acquiree recognises those balances in its own financial statements.

Application of Ind AS 105 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*

- B19 Paragraphs 11–12 require an entity to continue to apply its previous accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances. Consequently, the measurement requirements of Ind AS 105 shall not apply to the regulatory deferral account balances recognised.
- B20 Paragraph 33 of Ind AS 105 requires a single amount to be presented for discontinued operations in the statement of profit and loss. Notwithstanding the requirements of that paragraph, when an entity that elects to apply this Standard presents a discontinued operation, it shall not include the movement in regulatory deferral account balances that arose from the rate-regulated activities of the discontinued operation within the line items that are required by paragraph 33 of Ind AS 105. Instead, the entity shall present the movement in regulatory deferral account balances that arose from the rate-regulated activities of the discontinued operation either:
- (a) within the line item that is presented for movements in the regulatory deferral account balances related to profit or loss; or
 - (b) as a separate line item alongside the related line item that is presented for movements in the regulatory deferral account balances related to profit or loss
- B21 Similarly, notwithstanding the requirements of paragraph 38 of Ind AS 105, when an entity presents a disposal group, the entity shall not include the total of the regulatory deferral account debit balances and credit balances that are part of the disposal group within the line items that are required by paragraph 38 of Ind AS 105. Instead, the entity shall present the total of the regulatory deferral account debit balances and credit balances that are part of the disposal group either:
- (a) within the line items that are presented for the regulatory deferral account debit balances and credit balances; or
 - (b) as separate line items alongside the other regulatory deferral account debit balances and credit balances.
- B22 If the entity chooses to include the regulatory deferral account balances and movements in those balances that are related to the disposal group or discontinued operation within the related regulated deferral account line items, it may be necessary to disclose them separately as part of the analysis of the regulatory deferral account line items described by paragraph 33 of this Standard.

Application of Ind AS 110 Consolidated Financial Statements and Ind AS 28 Investments in Associates and Joint Ventures

- B23 Paragraph 19 of Ind 110 requires that a “parent shall prepare consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances”. Paragraph 8 of this Standard requires that an entity that is within the scope of, and elects to apply, this Standard shall apply all of its requirements to all regulatory deferral account balances arising from all of the entity’s rate-regulated activities. Consequently, if a parent recognises regulatory deferral account balances in its consolidated financial statements in accordance with this Standard, it shall apply the same accounting policies to the regulatory deferral account balances arising in all of its subsidiaries. This shall apply irrespective of whether the subsidiaries recognise those balances in their own financial statements.
- B24 Similarly, paragraphs 35–36 of Ind AS 28 require that, in applying the equity method, an “entity’s financial statements shall be prepared using uniform accounting policies for like transactions and events in similar circumstances”. Consequently, adjustments shall be made to make the associate’s or joint venture’s accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances conform to those of the investing entity in applying the equity method.

Application of Ind AS 112 Disclosure of Interests in Other Entities

- B25 Paragraph 12(e) of Ind AS 112 requires an entity to disclose, for each of its subsidiaries that have non-controlling interests that are material to the reporting entity, the profit or loss that was allocated to non-controlling interests of the subsidiary during the reporting period. An entity that recognises regulatory deferral account balances in accordance with this Standard shall disclose the net movement in regulatory deferral account balances that is included within the amounts that are required to be disclosed by paragraph 12(e) of Ind AS 112.
- B26 Paragraph 12(g) of Ind AS 112 requires an entity to disclose, for each of its subsidiaries that have non-controlling interests that are material to the reporting entity, summarised financial information about the subsidiary, as specified in paragraph B10 of Ind AS 112. Similarly, paragraph 21(b)(ii) of Ind AS 112 requires an entity to disclose, for each joint venture and associate that is material to the reporting entity, summarised financial information as specified in paragraphs B12–B13 of Ind AS 112. Paragraph B16 of Ind AS 112 specifies the summary financial information that an entity is required to disclose for all other associates and joint ventures that are not individually material in accordance with paragraph 21(c) of Ind AS 112.
- B27 In addition to the information specified in paragraphs 12, 21, B10, B12–B13 and B16 of Ind AS 112, an entity that recognises regulatory deferral account balances in accordance with this Standard shall also disclose the total regulatory deferral account debit balance, the total regulatory deferral account credit balance and the net movements in those balances, split between amounts recognised in profit or loss and amounts recognised as other comprehensive income, for each entity for which those Ind AS 112 disclosures are required.
- B28 Paragraph 19 of Ind AS 112 specifies the information that an entity is required to disclose when the entity recognises a gain or loss on losing control of a subsidiary, calculated in accordance with paragraph 25 of Ind AS 110. In addition to the information required by paragraph 19 of Ind AS 112, an entity that elects to apply this Standard shall disclose the portion of that gain or loss that is attributable to derecognising regulatory deferral account balances in the former subsidiary at the date when control is lost.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of this Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 114 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 14, Regulatory Deferral Accounts.

Comparison with IFRS 14, Regulatory Deferral Accounts

1. Appendix A, Defined terms have been modified to clarify that Guidance Note of Accounting for Rate Regulated Activities would be considered as the previous GAAP for the purpose of Ind AS 114.
2. Under paragraph 6 of Ind AS 114, a footnote has been added to clarify the application of requirements of previous GAAP in the case of an entity subject to rate regulation coming into existence after Ind AS coming into force or an entity whose activities become subject to rate regulation as defined in this Ind AS subsequent to preparation and presentation of its first Ind AS financial statements.
3. Different terminology is used in this standard, e.g., the term ‘balance sheet’ is used instead of ‘Statement of financial position’, and ‘Statement of profit and loss’ is used instead of ‘Statement of Profit and Loss and comprehensive income’.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 115**Revenue from Contracts with Customers**

(The Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

1. **The objective of this Standard is to establish the principles that an entity shall apply to report useful information to users of financial statements about the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows arising from a contract with a customer.**

Meeting the objective

2. To meet the objective in paragraph 1, the core principle of this Standard is that an entity shall recognise revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services.
3. An entity shall consider the terms of the contract and all relevant facts and circumstances when applying this Standard. An entity shall apply this Standard, including the use of any practical expedients, consistently to contracts with similar characteristics and in similar circumstances.
4. This Standard specifies the accounting for an individual contract with a customer. However, as a practical expedient, an entity may apply this Standard to a portfolio of contracts (or *performance obligations*) with similar characteristics if the entity reasonably expects that the effects on the financial statements of applying this Standard to the portfolio would not differ materially from applying this Standard to the individual contracts (or performance obligations) within that portfolio. When accounting for a portfolio, an entity shall use estimates and assumptions that reflect the size and composition of the portfolio.

Scope

5. An entity shall apply this Standard to all contracts with customers, except the following:
 - (a) lease contracts within the scope of Ind AS 17, *Leases*;
 - (b) insurance contracts within the scope of Ind AS 104, *Insurance Contracts*;
 - (c) financial instruments and other contractual rights or obligations within the scope of Ind AS 109, *Financial Instruments*, Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, Ind AS 111, *Joint Arrangements*, Ind AS 27, *Separate Financial Statements* and Ind AS 28, *Investments in Associates and Joint Ventures*; and
 - (d) non-monetary exchanges between entities in the same line of business to facilitate sales to customers or potential customers. For example, this Standard would not apply to a contract between two oil companies that agree to an exchange of oil to fulfil demand from their customers in different specified locations on a timely basis.
6. An entity shall apply this Standard to a contract (other than a contract listed in paragraph 5) only if the counterparty to the contract is a customer. A customer is a party that has contracted with an entity to obtain goods or services that are an output of the entity's ordinary activities in exchange for consideration. A counterparty to the contract would not be a customer if, for example, the counterparty has contracted with the entity to participate in an activity or process in which the parties to the contract share in the risks and benefits that result from the activity or process (such as developing an asset in a collaboration arrangement) rather than to obtain the output of the entity's ordinary activities.
7. A contract with a customer may be partially within the scope of this Standard and partially within the scope of other Standards listed in paragraph 5.
 - (a) If the other Standards specify how to separate and/or initially measure one or more parts of the contract, then an entity shall first apply the separation and/or measurement requirements in those Standards. An entity shall exclude from the *transaction price* the amount of the part (or parts) of the contract that are initially measured in accordance with other Standards and shall apply paragraphs 73–86 to allocate the amount of the transaction price that remains (if any) to each performance obligation within the scope of this Standard and to any other parts of the contract identified by paragraph 7(b).
 - (b) If the other Standards do not specify how to separate and/or initially measure one or more parts of the contract, then the entity shall apply this Standard to separate and/or initially measure the part (or parts) of the contract.

8. This Standard specifies the accounting for the incremental costs of obtaining a contract with a customer and for the costs incurred to fulfil a contract with a customer if those costs are not within the scope of another Standard (see paragraphs 91–104). An entity shall apply those paragraphs only to the costs incurred that relate to a contract with a customer (or part of that contract) that is within the scope of this Standard.

Recognition

Identifying the contract

9. **An entity shall account for a contract with a customer that is within the scope of this Standard only when all of the following criteria are met:**
- (a) **the parties to the contract have approved the contract (in writing, orally or in accordance with other customary business practices) and are committed to perform their respective obligations;**
 - (b) **the entity can identify each party's rights regarding the goods or services to be transferred;**
 - (c) **the entity can identify the payment terms for the goods or services to be transferred;**
 - (d) **the contract has commercial substance (ie. the risk, timing or amount of the entity's future cash flows is expected to change as a result of the contract); and**
 - (e) **it is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods or services that will be transferred to the customer. In evaluating whether collectability of an amount of consideration is probable, an entity shall consider only the customer's ability and intention to pay that amount of consideration when it is due. The amount of consideration to which the entity will be entitled may be less than the price stated in the contract if the consideration is variable because the entity may offer the customer a price concession (see paragraph 52).**
10. A contract is an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations. Enforceability of the rights and obligations in a contract is a matter of law. Contracts can be written, oral or implied by an entity's customary business practices. The practices and processes for establishing contracts with customers vary across legal jurisdictions, industries and entities. In addition, they may vary within an entity (for example, they may depend on the class of customer or the nature of the promised goods or services). An entity shall consider those practices and processes in determining whether and when an agreement with a customer creates enforceable rights and obligations.
11. Some contracts with customers may have no fixed duration and can be terminated or modified by either party at any time. Other contracts may automatically renew on a periodic basis that is specified in the contract. An entity shall apply this Standard to the duration of the contract (ie. the contractual period) in which the parties to the contract have present enforceable rights and obligations.
12. For the purpose of applying this Standard, a contract does not exist if each party to the contract has the unilateral enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party (or parties). A contract is wholly unperformed if both of the following criteria are met:
- (a) the entity has not yet transferred any promised goods or services to the customer; and
 - (b) the entity has not yet received, and is not yet entitled to receive, any consideration in exchange for promised goods or services.
13. If a contract with a customer meets the criteria in paragraph 9 at contract inception, an entity shall not reassess those criteria unless there is an indication of a significant change in facts and circumstances. For example, if a customer's ability to pay the consideration deteriorates significantly, an entity would reassess whether it is probable that the entity will collect the consideration to which the entity will be entitled in exchange for the remaining goods or services that will be transferred to the customer.
14. If a contract with a customer does not meet the criteria in paragraph 9, an entity shall continue to assess the contract to determine whether the criteria in paragraph 9 are subsequently met.
15. When a contract with a customer does not meet the criteria in paragraph 9 and an entity receives consideration from the customer, the entity shall recognise the consideration received as revenue only when either of the following events has occurred:
- (a) the entity has no remaining obligations to transfer goods or services to the customer and all, or substantially all, of the consideration promised by the customer has been received by the entity and is non-refundable; or
 - (b) the contract has been terminated and the consideration received from the customer is non-refundable.

16. An entity shall recognise the consideration received from a customer as a liability until one of the events in paragraph 15 occurs or until the criteria in paragraph 9 are subsequently met (see paragraph 14). Depending on the facts and circumstances relating to the contract, the liability recognised represents the entity's obligation to either transfer goods or services in the future or refund the consideration received. In either case, the liability shall be measured at the amount of consideration received from the customer.

Combination of contracts

17. An entity shall combine two or more contracts entered into at or near the same time with the same customer (or related parties of the customer) and account for the contracts as a single contract if one or more of the following criteria are met:
- (a) the contracts are negotiated as a package with a single commercial objective;
 - (b) the amount of consideration to be paid in one contract depends on the price or performance of the other contract; or
 - (c) the goods or services promised in the contracts (or some goods or services promised in each of the contracts) are a single performance obligation in accordance with paragraphs 22–30.

Contract modifications

18. A contract modification is a change in the scope or price (or both) of a contract that is approved by the parties to the contract. In some industries and jurisdictions, a contract modification may be described as a change order, a variation or an amendment. A contract modification exists when the parties to a contract approve a modification that either creates new or changes existing enforceable rights and obligations of the parties to the contract. A contract modification could be approved in writing, by oral agreement or implied by customary business practices. If the parties to the contract have not approved a contract modification, an entity shall continue to apply this Standard to the existing contract until the contract modification is approved.
19. A contract modification may exist even though the parties to the contract have a dispute about the scope or price (or both) of the modification or the parties have approved a change in the scope of the contract but have not yet determined the corresponding change in price. In determining whether the rights and obligations that are created or changed by a modification are enforceable, an entity shall consider all relevant facts and circumstances including the terms of the contract and other evidence. If the parties to a contract have approved a change in the scope of the contract but have not yet determined the corresponding change in price, an entity shall estimate the change to the transaction price arising from the modification in accordance with paragraphs 50–54 on estimating variable consideration and paragraphs 56–58 on constraining estimates of variable consideration.
20. An entity shall account for a contract modification as a separate contract if both of the following conditions are present:
- (a) the scope of the contract increases because of the addition of promised goods or services that are distinct (in accordance with paragraphs 26–30); and
 - (b) the price of the contract increases by an amount of consideration that reflects the entity's *stand-alone selling prices* of the additional promised goods or services and any appropriate adjustments to that price to reflect the circumstances of the particular contract. For example, an entity may adjust the stand-alone selling price of an additional good or service for a discount that the customer receives, because it is not necessary for the entity to incur the selling-related costs that it would incur when selling a similar good or service to a new customer.
21. If a contract modification is not accounted for as a separate contract in accordance with paragraph 20, an entity shall account for the promised goods or services not yet transferred at the date of the contract modification (ie. the remaining promised goods or services) in whichever of the following ways is applicable:
- (a) An entity shall account for the contract modification as if it were a termination of the existing contract and the creation of a new contract, if the remaining goods or services are distinct from the goods or services transferred on or before the date of the contract modification. The amount of consideration to be allocated to the remaining performance obligations [or to the remaining distinct goods or services in a single performance obligation identified in accordance with paragraph 22(b)] is the sum of:
 - (i) the consideration promised by the customer (including amounts already received from the customer) that was included in the estimate of the transaction price and that had not been recognised as revenue; and
 - (ii) the consideration promised as part of the contract modification.

- (b) An entity shall account for the contract modification as if it were a part of the existing contract if the remaining goods or services are not distinct and, therefore, form part of a single performance obligation that is partially satisfied at the date of the contract modification. The effect that the contract modification has on the transaction price, and on the entity's measure of progress towards complete satisfaction of the performance obligation, is recognised as an adjustment to revenue (either as an increase in or a reduction of revenue) at the date of the contract modification (ie. the adjustment to revenue is made on a cumulative catch-up basis).
- (c) If the remaining goods or services are a combination of items (a) and (b), then the entity shall account for the effects of the modification on the unsatisfied (including partially unsatisfied) performance obligations in the modified contract in a manner that is consistent with the objectives of this paragraph.

Identifying performance obligations

22. **At contract inception, an entity shall assess the goods or services promised in a contract with a customer and shall identify as a performance obligation each promise to transfer to the customer either:**

- (a) **a good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or**
- (b) **a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer (see paragraph 23).**

23. A series of distinct goods or services has the same pattern of transfer to the customer if both of the following criteria are met:

- (a) each distinct good or service in the series that the entity promises to transfer to the customer would meet the criteria in paragraph 35 to be a performance obligation satisfied over time; and
- (b) in accordance with paragraphs 39–40, the same method would be used to measure the entity's progress towards complete satisfaction of the performance obligation to transfer each distinct good or service in the series to the customer.

Promises in contracts with customers

24. A contract with a customer generally explicitly states the goods or services that an entity promises to transfer to a customer. However, the performance obligations identified in a contract with a customer may not be limited to the goods or services that are explicitly stated in that contract. This is because a contract with a customer may also include promises that are implied by an entity's customary business practices, published policies or specific statements if, at the time of entering into the contract, those promises create a valid expectation of the customer that the entity will transfer a good or service to the customer.
25. Performance obligations do not include activities that an entity must undertake to fulfil a contract unless those activities transfer a good or service to a customer. For example, a services provider may need to perform various administrative tasks to set up a contract. The performance of those tasks does not transfer a service to the customer as the tasks are performed. Therefore, those setup activities are not a performance obligation.

Distinct goods or services

26. Depending on the contract, promised goods or services may include, but are not limited to, the following:

- (a) sale of goods produced by an entity (for example, inventory of a manufacturer);
- (b) resale of goods purchased by an entity (for example, merchandise of a retailer);
- (c) resale of rights to goods or services purchased by an entity (for example, a ticket resold by an entity acting as a principal, as described in paragraphs B34–B38);
- (d) performing a contractually agreed-upon task (or tasks) for a customer;
- (e) providing a service of standing ready to provide goods or services (for example, unspecified updates to software that are provided on a when-and-if-available basis) or of making goods or services available for a customer to use as and when the customer decides;
- (f) providing a service of arranging for another party to transfer goods or services to a customer (for example, acting as an agent of another party, as described in paragraphs B34–B38);
- (g) granting rights to goods or services to be provided in the future that a customer can resell or provide to its customer (for example, an entity selling a product to a retailer promises to transfer an additional good or service to an individual who purchases the product from the retailer);

- (h) constructing, manufacturing or developing an asset on behalf of a customer;
 - (i) granting licences (see paragraphs B52–B63); and
 - (j) granting options to purchase additional goods or services (when those options provide a customer with a material right, as described in paragraphs B39–B43).
27. A good or service that is promised to a customer is distinct if both of the following criteria are met:
- (a) the customer can benefit from the good or service either on its own or together with other resources that are readily available to the customer (ie. the good or service is capable of being distinct); and
 - (b) the entity's promise to transfer the good or service to the customer is separately identifiable from other promises in the contract (ie. the good or service is distinct within the context of the contract).
28. A customer can benefit from a good or service in accordance with paragraph 27(a) if the good or service could be used, consumed, sold for an amount that is greater than scrap value or otherwise held in a way that generates economic benefits. For some goods or services, a customer may be able to benefit from a good or service on its own. For other goods or services, a customer may be able to benefit from the good or service only in conjunction with other readily available resources. A readily available resource is a good or service that is sold separately (by the entity or another entity) or a resource that the customer has already obtained from the entity (including goods or services that the entity will have already transferred to the customer under the contract) or from other transactions or events. Various factors may provide evidence that the customer can benefit from a good or service either on its own or in conjunction with other readily available resources. For example, the fact that the entity regularly sells a good or service separately would indicate that a customer can benefit from the good or service on its own or with other readily available resources.
29. Factors that indicate that an entity's promise to transfer a good or service to a customer is separately identifiable [in accordance with paragraph 27(b)] include, but are not limited to, the following:
- (a) the entity does not provide a significant service of integrating the good or service with other goods or services promised in the contract into a bundle of goods or services that represent the combined output for which the customer has contracted. In other words, the entity is not using the good or service as an input to produce or deliver the combined output specified by the customer.
 - (b) the good or service does not significantly modify or customise another good or service promised in the contract.
 - (c) the good or service is not highly dependent on, or highly interrelated with, other goods or services promised in the contract. For example, the fact that a customer could decide to not purchase the good or service without significantly affecting the other promised goods or services in the contract might indicate that the good or service is not highly dependent on, or highly interrelated with, those other promised goods or services.
30. If a promised good or service is not distinct, an entity shall combine that good or service with other promised goods or services until it identifies a bundle of goods or services that is distinct. In some cases, that would result in the entity accounting for all the goods or services promised in a contract as a single performance obligation.

Satisfaction of performance obligations

31. **An entity shall recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service (ie. an asset) to a customer. An asset is transferred when (or as) the customer obtains control of that asset.**
32. For each performance obligation identified in accordance with paragraphs 22–30, an entity shall determine at contract inception whether it satisfies the performance obligation over time (in accordance with paragraphs 35–37) or satisfies the performance obligation at a point in time (in accordance with paragraph 38). If an entity does not satisfy a performance obligation over time, the performance obligation is satisfied at a point in time.
33. Goods and services are assets, even if only momentarily, when they are received and used (as in the case of many services). Control of an asset refers to the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the asset. Control includes the ability to prevent other entities from directing the use of, and obtaining the benefits from, an asset. The benefits of an asset are the potential cash flows (inflows or savings in outflows) that can be obtained directly or indirectly in many ways, such as by:

- (a) using the asset to produce goods or provide services (including public services);
 - (b) using the asset to enhance the value of other assets;
 - (c) using the asset to settle liabilities or reduce expenses;
 - (d) selling or exchanging the asset;
 - (e) pledging the asset to secure a loan; and
 - (f) holding the asset.
34. When evaluating whether a customer obtains control of an asset, an entity shall consider any agreement to repurchase the asset (see paragraphs B64–B76).

Performance obligations satisfied over time

35. An entity transfers control of a good or service over time and, therefore, satisfies a performance obligation and recognises revenue over time, if one of the following criteria is met:
- (a) the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity's performance as the entity performs (see paragraphs B3–B4);
 - (b) the entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the customer controls as the asset is created or enhanced (see paragraph B5); or
 - (c) the entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see paragraph 36) and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date (see paragraph 37).
36. An asset created by an entity's performance does not have an alternative use to an entity if the entity is either restricted contractually from readily directing the asset for another use during the creation or enhancement of that asset or limited practically from readily directing the asset in its completed state for another use. The assessment of whether an asset has an alternative use to the entity is made at contract inception. After contract inception, an entity shall not update the assessment of the alternative use of an asset unless the parties to the contract approve a contract modification that substantively changes the performance obligation. Paragraphs B6–B8 provide guidance for assessing whether an asset has an alternative use to an entity.
37. An entity shall consider the terms of the contract, as well as any laws that apply to the contract, when evaluating whether it has an enforceable right to payment for performance completed to date in accordance with paragraph 35(c). The right to payment for performance completed to date does not need to be for a fixed amount. However, at all times throughout the duration of the contract, the entity must be entitled to an amount that at least compensates the entity for performance completed to date if the contract is terminated by the customer or another party for reasons other than the entity's failure to perform as promised. Paragraphs B9–B13 provide guidance for assessing the existence and enforceability of a right to payment and whether an entity's right to payment would entitle the entity to be paid for its performance completed to date.

Performance obligations satisfied at a point in time

38. If a performance obligation is not satisfied over time in accordance with paragraphs 35–37, an entity satisfies the performance obligation at a point in time. To determine the point in time at which a customer obtains control of a promised asset and the entity satisfies a performance obligation, the entity shall consider the requirements for control in paragraphs 31–34. In addition, an entity shall consider indicators of the transfer of control, which include, but are not limited to, the following:
- (a) The entity has a present right to payment for the asset—if a customer is presently obliged to pay for an asset, then that may indicate that the customer has obtained the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the asset in exchange.
 - (b) The customer has legal title to the asset—legal title may indicate which party to a contract has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, an asset or to restrict the access of other entities to those benefits. Therefore, the transfer of legal title of an asset may indicate that the customer has obtained control of the asset. If an entity retains legal title solely as protection against the customer's failure to pay, those rights of the entity would not preclude the customer from obtaining control of an asset.
 - (c) The entity has transferred physical possession of the asset—the customer's physical possession of an asset may indicate that the customer has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of

the remaining benefits from, the asset or to restrict the access of other entities to those benefits. However, physical possession may not coincide with control of an asset. For example, in some repurchase agreements and in some consignment arrangements, a customer or consignee may have physical possession of an asset that the entity controls. Conversely, in some bill-and-hold arrangements, the entity may have physical possession of an asset that the customer controls. Paragraphs B64–B76, B77–B78 and B79–B82 provide guidance on accounting for repurchase agreements, consignment arrangements and bill-and-hold arrangements, respectively.

- (d) The customer has the significant risks and rewards of ownership of the asset—the transfer of the significant risks and rewards of ownership of an asset to the customer may indicate that the customer has obtained the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the asset. However, when evaluating the risks and rewards of ownership of a promised asset, an entity shall exclude any risks that give rise to a separate performance obligation in addition to the performance obligation to transfer the asset. For example, an entity may have transferred control of an asset to a customer but not yet satisfied an additional performance obligation to provide maintenance services related to the transferred asset.
- (e) The customer has accepted the asset—the customer's acceptance of an asset may indicate that it has obtained the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the asset. To evaluate the effect of a contractual customer acceptance clause on when control of an asset is transferred, an entity shall consider the guidance in paragraphs B83–B86.

Measuring progress towards complete satisfaction of a performance obligation

- 39. For each performance obligation satisfied over time in accordance with paragraphs 35–37, an entity shall recognise revenue over time by measuring the progress towards complete satisfaction of that performance obligation. The objective when measuring progress is to depict an entity's performance in transferring control of goods or services promised to a customer (ie. the satisfaction of an entity's performance obligation).
- 40. An entity shall apply a single method of measuring progress for each performance obligation satisfied over time and the entity shall apply that method consistently to similar performance obligations and in similar circumstances. At the end of each reporting period, an entity shall remeasure its progress towards complete satisfaction of a performance obligation satisfied over time.

Methods for measuring progress

- 41. Appropriate methods of measuring progress include output methods and input methods. Paragraphs B14–B19 provide guidance for using output methods and input methods to measure an entity's progress towards complete satisfaction of a performance obligation. In determining the appropriate method for measuring progress, an entity shall consider the nature of the good or service that the entity promised to transfer to the customer.
- 42. When applying a method for measuring progress, an entity shall exclude from the measure of progress any goods or services for which the entity does not transfer control to a customer. Conversely, an entity shall include in the measure of progress any goods or services for which the entity does transfer control to a customer when satisfying that performance obligation.
- 43. As circumstances change over time, an entity shall update its measure of progress to reflect any changes in the outcome of the performance obligation. Such changes to an entity's measure of progress shall be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.

Reasonable measures of progress

- 44. An entity shall recognise revenue for a performance obligation satisfied over time only if the entity can reasonably measure its progress towards complete satisfaction of the performance obligation. An entity would not be able to reasonably measure its progress towards complete satisfaction of a performance obligation if it lacks reliable information that would be required to apply an appropriate method of measuring progress.
- 45. In some circumstances (for example, in the early stages of a contract), an entity may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the entity expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation. In those circumstances, the entity shall recognise revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

Measurement

46. **When (or as) a performance obligation is satisfied, an entity shall recognise as revenue the amount of the transaction price (which excludes estimates of variable consideration that are constrained in accordance with paragraphs 56–58) that is allocated to that performance obligation.**

Determining the transaction price

47. **An entity shall consider the terms of the contract and its customary business practices to determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties (for example, some sales taxes). The consideration promised in a contract with a customer may include fixed amounts, variable amounts, or both.**

48. The nature, timing and amount of consideration promised by a customer affect the estimate of the transaction price. When determining the transaction price, an entity shall consider the effects of all of the following:

- (a) variable consideration (see paragraphs 50–55 and 59);
- (b) constraining estimates of variable consideration (see paragraphs 56–58);
- (c) the existence of a significant financing component in the contract (see paragraphs 60–65);
- (d) non-cash consideration (see paragraphs 66–69); and
- (e) consideration payable to a customer (see paragraphs 70–72).

49. For the purpose of determining the transaction price, an entity shall assume that the goods or services will be transferred to the customer as promised in accordance with the existing contract and that the contract will not be cancelled, renewed or modified.

Variable consideration

50. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, an entity shall estimate the amount of consideration to which the entity will be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.

51. An amount of consideration can vary because of discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, or other similar items. The promised consideration can also vary if an entity's entitlement to the consideration is contingent on the occurrence or non-occurrence of a future event. For example, an amount of consideration would be variable if either a product was sold with a right of return or a fixed amount is promised as a performance bonus on achievement of a specified milestone.

- 51AA In some contracts, penalties are specified. In such cases, penalties shall be accounted for as per the substance of the contract. Where the penalty is inherent in determination of transaction price, it shall form part of variable consideration. For example, where an entity agrees to transfer control of a good or service in a contract with customer at the end of 30 days for Rs. 1,00,000 and if it exceeds 30 days, the entity is entitled to receive only Rs. 95,000, the reduction of Rs. 5,000 shall be regarded as variable consideration. In other cases, the transaction price shall be considered as fixed.

52. The variability relating to the consideration promised by a customer may be explicitly stated in the contract. In addition to the terms of the contract, the promised consideration is variable if either of the following circumstances exists:

- (a) the customer has a valid expectation arising from an entity's customary business practices, published policies or specific statements that the entity will accept an amount of consideration that is less than the price stated in the contract. That is, it is expected that the entity will offer a price concession. Depending on the jurisdiction, industry or customer this offer may be referred to as a discount, rebate, refund or credit.
- (b) other facts and circumstances indicate that the entity's intention, when entering into the contract with the customer, is to offer a price concession to the customer.

53. An entity shall estimate an amount of variable consideration by using either of the following methods, depending on which method the entity expects to better predict the amount of consideration to which it will be entitled:

- (a) The expected value—the expected value is the sum of probability-weighted amounts in a range of possible consideration amounts. An expected value may be an appropriate estimate of the amount of variable consideration if an entity has a large number of contracts with similar characteristics.

- (b) The most likely amount—the most likely amount is the single most likely amount in a range of possible consideration amounts (ie. the single most likely outcome of the contract). The most likely amount may be an appropriate estimate of the amount of variable consideration if the contract has only two possible outcomes (for example, an entity either achieves a performance bonus or does not).
54. An entity shall apply one method consistently throughout the contract when estimating the effect of an uncertainty on an amount of variable consideration to which the entity will be entitled. In addition, an entity shall consider all the information (historical, current and forecast) that is reasonably available to the entity and shall identify a reasonable number of possible consideration amounts. The information that an entity uses to estimate the amount of variable consideration would typically be similar to the information that the entity's management uses during the bid-and-proposal process and in establishing prices for promised goods or services.

Refund liabilities

55. An entity shall recognise a refund liability if the entity receives consideration from a customer and expects to refund some or all of that consideration to the customer. A refund liability is measured at the amount of consideration received (or receivable) for which the entity does not expect to be entitled (ie. amounts not included in the transaction price). The refund liability (and corresponding change in the transaction price and, therefore, the *contract liability*) shall be updated at the end of each reporting period for changes in circumstances. To account for a refund liability relating to a sale with a right of return, an entity shall apply the guidance in paragraphs B20–B27.

Constraining estimates of variable consideration

56. An entity shall include in the transaction price some or all of an amount of variable consideration estimated in accordance with paragraph 53 only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognised will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved.
57. In assessing whether it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognised will not occur once the uncertainty related to the variable consideration is subsequently resolved, an entity shall consider both the likelihood and the magnitude of the revenue reversal. Factors that could increase the likelihood or the magnitude of a revenue reversal include, but are not limited to, any of the following:
- (a) the amount of consideration is highly susceptible to factors outside the entity's influence. Those factors may include volatility in a market, the judgement or actions of third parties, weather conditions and a high risk of obsolescence of the promised good or service.
 - (b) the uncertainty about the amount of consideration is not expected to be resolved for a long period of time.
 - (c) the entity's experience (or other evidence) with similar types of contracts is limited, or that experience (or other evidence) has limited predictive value.
 - (d) the entity has a practice of either offering a broad range of price concessions or changing the payment terms and conditions of similar contracts in similar circumstances.
 - (e) the contract has a large number and broad range of possible consideration amounts.

58. An entity shall apply paragraph B63 to account for consideration in the form of a sales-based or usage-based royalty that is promised in exchange for a licence of intellectual property.

Reassessment of variable consideration

59. At the end of each reporting period, an entity shall update the estimated transaction price (including updating its assessment of whether an estimate of variable consideration is constrained) to represent faithfully the circumstances present at the end of the reporting period and the changes in circumstances during the reporting period. The entity shall account for changes in the transaction price in accordance with paragraphs 87–90.

The existence of a significant financing component in the contract

60. In determining the transaction price, an entity shall adjust the promised amount of consideration for the effects of the time value of money if the timing of payments agreed to by the parties to the contract (either explicitly or implicitly) provides the customer or the entity with a significant benefit of financing the transfer of goods or services to the customer. In those circumstances, the contract contains a significant financing component. A significant financing component may exist regardless of whether the promise of financing is explicitly stated in the contract or implied by the payment terms agreed to by the parties to the contract.

61. The objective when adjusting the promised amount of consideration for a significant financing component is for an entity to recognise revenue at an amount that reflects the price that a customer would have paid for the promised goods or services if the customer had paid cash for those goods or services when (or as) they transfer to the customer (ie. the cash selling price). An entity shall consider all relevant facts and circumstances in assessing whether a contract contains a financing component and whether that financing component is significant to the contract, including both of the following:
- (a) the difference, if any, between the amount of promised consideration and the cash selling price of the promised goods or services; and
 - (b) the combined effect of both of the following:
 - (i) the expected length of time between when the entity transfers the promised goods or services to the customer and when the customer pays for those goods or services; and
 - (ii) the prevailing interest rates in the relevant market.
62. Notwithstanding the assessment in paragraph 61, a contract with a customer would not have a significant financing component if any of the following factors exist:
- (a) the customer paid for the goods or services in advance and the timing of the transfer of those goods or services is at the discretion of the customer.
 - (b) a substantial amount of the consideration promised by the customer is variable and the amount or timing of that consideration varies on the basis of the occurrence or non-occurrence of a future event that is not substantially within the control of the customer or the entity (for example, if the consideration is a sales-based royalty).
 - (c) the difference between the promised consideration and the cash selling price of the good or service (as described in paragraph 61) arises for reasons other than the provision of finance to either the customer or the entity, and the difference between those amounts is proportional to the reason for the difference. For example, the payment terms might provide the entity or the customer with protection from the other party failing to adequately complete some or all of its obligations under the contract.
63. As a practical expedient, an entity need not adjust the promised amount of consideration for the effects of a significant financing component if the entity expects, at contract inception, that the period between when the entity transfers a promised good or service to a customer and when the customer pays for that good or service will be one year or less.
64. To meet the objective in paragraph 61 when adjusting the promised amount of consideration for a significant financing component, an entity shall use the discount rate that would be reflected in a separate financing transaction between the entity and its customer at contract inception. That rate would reflect the credit characteristics of the party receiving financing in the contract, as well as any collateral or security provided by the customer or the entity, including assets transferred in the contract. An entity may be able to determine that rate by identifying the rate that discounts the nominal amount of the promised consideration to the price that the customer would pay in cash for the goods or services when (or as) they transfer to the customer. After contract inception, an entity shall not update the discount rate for changes in interest rates or other circumstances (such as a change in the assessment of the customer's credit risk).
65. An entity shall present the effects of financing (interest revenue or interest expense) separately from revenue from contracts with customers in the statement of profit and loss. Interest revenue or interest expense is recognised only to the extent that a *contract asset* (or receivable) or a contract liability is recognised in accounting for a contract with a customer.
- Non-cash consideration**
66. To determine the transaction price for contracts in which a customer promises consideration in a form other than cash, an entity shall measure the non-cash consideration (or promise of non-cash consideration) at fair value.
67. If an entity cannot reasonably estimate the fair value of the non-cash consideration, the entity shall measure the consideration indirectly by reference to the stand-alone selling price of the goods or services promised to the customer (or class of customer) in exchange for the consideration.
68. The fair value of the non-cash consideration may vary because of the form of the consideration (for example, a change in the price of a share to which an entity is entitled to receive from a customer). If the fair value of the non-cash consideration promised by a customer varies for reasons other than only the form of the

consideration (for example, the fair value could vary because of the entity's performance), an entity shall apply the requirements in paragraphs 56–58.

69. If a customer contributes goods or services (for example, materials, equipment or labour) to facilitate an entity's fulfilment of the contract, the entity shall assess whether it obtains control of those contributed goods or services. If so, the entity shall account for the contributed goods or services as non-cash consideration received from the customer.

Consideration payable to a customer

70. Consideration payable to a customer includes cash amounts that an entity pays, or expects to pay, to the customer (or to other parties that purchase the entity's goods or services from the customer). Consideration payable to a customer also includes credit or other items (for example, a coupon or voucher) that can be applied against amounts owed to the entity (or to other parties that purchase the entity's goods or services from the customer). An entity shall account for consideration payable to a customer as a reduction of the transaction price and, therefore, of revenue unless the payment to the customer is in exchange for a distinct good or service (as described in paragraphs 26–30) that the customer transfers to the entity. If the consideration payable to a customer includes a variable amount, an entity shall estimate the transaction price (including assessing whether the estimate of variable consideration is constrained) in accordance with paragraphs 50–58.
71. If consideration payable to a customer is a payment for a distinct good or service from the customer, then an entity shall account for the purchase of the good or service in the same way that it accounts for other purchases from suppliers. If the amount of consideration payable to the customer exceeds the fair value of the distinct good or service that the entity receives from the customer, then the entity shall account for such an excess as a reduction of the transaction price. If the entity cannot reasonably estimate the fair value of the good or service received from the customer, it shall account for all of the consideration payable to the customer as a reduction of the transaction price.
72. Accordingly, if consideration payable to a customer is accounted for as a reduction of the transaction price, an entity shall recognise the reduction of revenue when (or as) the later of either of the following events occurs:
- (a) the entity recognises revenue for the transfer of the related goods or services to the customer; and
 - (b) the entity pays or promises to pay the consideration (even if the payment is conditional on a future event). That promise might be implied by the entity's customary business practices.

Allocating the transaction price to performance obligations

73. **The objective when allocating the transaction price is for an entity to allocate the transaction price to each performance obligation (or distinct good or service) in an amount that depicts the amount of consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to the customer.**
74. To meet the allocation objective, an entity shall allocate the transaction price to each performance obligation identified in the contract on a relative stand-alone selling price basis in accordance with paragraphs 76–80, except as specified in paragraphs 81–83 (for allocating discounts) and paragraphs 84–86 (for allocating consideration that includes variable amounts).
75. Paragraphs 76–86 do not apply if a contract has only one performance obligation. However, paragraphs 84–86 may apply if an entity promises to transfer a series of distinct goods or services identified as a single performance obligation in accordance with paragraph 22(b) and the promised consideration includes variable amounts.

Allocation based on stand-alone selling prices

76. To allocate the transaction price to each performance obligation on a relative stand-alone selling price basis, an entity shall determine the stand-alone selling price at contract inception of the distinct good or service underlying each performance obligation in the contract and allocate the transaction price in proportion to those stand-alone selling prices.
77. The stand-alone selling price is the price at which an entity would sell a promised good or service separately to a customer. The best evidence of a stand-alone selling price is the observable price of a good or service when the entity sells that good or service separately in similar circumstances and to similar customers. A contractually stated price or a list price for a good or service may be (but shall not be presumed to be) the stand-alone selling price of that good or service.

78. If a stand-alone selling price is not directly observable, an entity shall estimate the stand-alone selling price at an amount that would result in the allocation of the transaction price meeting the allocation objective in paragraph 73. When estimating a stand-alone selling price, an entity shall consider all information (including market conditions, entity-specific factors and information about the customer or class of customer) that is reasonably available to the entity. In doing so, an entity shall maximise the use of observable inputs and apply estimation methods consistently in similar circumstances.
79. Suitable methods for estimating the stand-alone selling price of a good or service include, but are not limited to, the following:
- (a) Adjusted market assessment approach—an entity could evaluate the market in which it sells goods or services and estimate the price that a customer in that market would be willing to pay for those goods or services. That approach might also include referring to prices from the entity's competitors for similar goods or services and adjusting those prices as necessary to reflect the entity's costs and margins.
 - (b) Expected cost plus a margin approach—an entity could forecast its expected costs of satisfying a performance obligation and then add an appropriate margin for that good or service.
 - (c) Residual approach—an entity may estimate the stand-alone selling price by reference to the total transaction price less the sum of the observable stand-alone selling prices of other goods or services promised in the contract. However, an entity may use a residual approach to estimate, in accordance with paragraph 78, the stand-alone selling price of a good or service only if one of the following criteria is met:
 - (i) the entity sells the same good or service to different customers (at or near the same time) for a broad range of amounts (ie. the selling price is highly variable because a representative stand-alone selling price is not discernible from past transactions or other observable evidence); or
 - (ii) the entity has not yet established a price for that good or service and the good or service has not previously been sold on a stand-alone basis (ie. the selling price is uncertain).
80. A combination of methods may need to be used to estimate the stand-alone selling prices of the goods or services promised in the contract if two or more of those goods or services have highly variable or uncertain stand-alone selling prices. For example, an entity may use a residual approach to estimate the aggregate stand-alone selling price for those promised goods or services with highly variable or uncertain stand-alone selling prices and then use another method to estimate the stand-alone selling prices of the individual goods or services relative to that estimated aggregate stand-alone selling price determined by the residual approach. When an entity uses a combination of methods to estimate the stand-alone selling price of each promised good or service in the contract, the entity shall evaluate whether allocating the transaction price at those estimated stand-alone selling prices would be consistent with the allocation objective in paragraph 73 and the requirements for estimating stand-alone selling prices in paragraph 78.

Allocation of a discount

81. A customer receives a discount for purchasing a bundle of goods or services if the sum of the stand-alone selling prices of those promised goods or services in the contract exceeds the promised consideration in a contract. Except when an entity has observable evidence in accordance with paragraph 82 that the entire discount relates to only one or more, but not all, performance obligations in a contract, the entity shall allocate a discount proportionately to all performance obligations in the contract. The proportionate allocation of the discount in those circumstances is a consequence of the entity allocating the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of the underlying distinct goods or services.
82. An entity shall allocate a discount entirely to one or more, but not all, performance obligations in the contract if all of the following criteria are met:
- (a) the entity regularly sells each distinct good or service (or each bundle of distinct goods or services) in the contract on a stand-alone basis;
 - (b) the entity also regularly sells on a stand-alone basis a bundle (or bundles) of some of those distinct goods or services at a discount to the stand-alone selling prices of the goods or services in each bundle; and

- (c) the discount attributable to each bundle of goods or services described in paragraph 82(b) is substantially the same as the discount in the contract and an analysis of the goods or services in each bundle provides observable evidence of the performance obligation (or performance obligations) to which the entire discount in the contract belongs.
83. If a discount is allocated entirely to one or more performance obligations in the contract in accordance with paragraph 82, an entity shall allocate the discount before using the residual approach to estimate the stand-alone selling price of a good or service in accordance with paragraph 79(c).

Allocation of variable consideration

84. Variable consideration that is promised in a contract may be attributable to the entire contract or to a specific part of the contract, such as either of the following:
- (a) one or more, but not all, performance obligations in the contract (for example, a bonus may be contingent on an entity transferring a promised good or service within a specified period of time); or
- (b) one or more, but not all, distinct goods or services promised in a series of distinct goods or services that forms part of a single performance obligation in accordance with paragraph 22(b) (for example, the consideration promised for the second year of a two-year cleaning service contract will increase on the basis of movements in a specified inflation index).
85. An entity shall allocate a variable amount (and subsequent changes to that amount) entirely to a performance obligation or to a distinct good or service that forms part of a single performance obligation in accordance with paragraph 22(b) if both of the following criteria are met:
- (a) the terms of a variable payment relate specifically to the entity's efforts to satisfy the performance obligation or transfer the distinct good or service (or to a specific outcome from satisfying the performance obligation or transferring the distinct good or service); and
- (b) allocating the variable amount of consideration entirely to the performance obligation or the distinct good or service is consistent with the allocation objective in paragraph 73 when considering all of the performance obligations and payment terms in the contract.
86. The allocation requirements in paragraphs 73–83 shall be applied to allocate the remaining amount of the transaction price that does not meet the criteria in paragraph 85.

Changes in the transaction price

87. After contract inception, the transaction price can change for various reasons, including the resolution of uncertain events or other changes in circumstances that change the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for the promised goods or services.
88. An entity shall allocate to the performance obligations in the contract any subsequent changes in the transaction price on the same basis as at contract inception. Consequently, an entity shall not reallocate the transaction price to reflect changes in stand-alone selling prices after contract inception. Amounts allocated to a satisfied performance obligation shall be recognised as revenue, or as a reduction of revenue, in the period in which the transaction price changes.
89. An entity shall allocate a change in the transaction price entirely to one or more, but not all, performance obligations or distinct goods or services promised in a series that forms part of a single performance obligation in accordance with paragraph 22(b) only if the criteria in paragraph 85 on allocating variable consideration are met.
90. An entity shall account for a change in the transaction price that arises as a result of a contract modification in accordance with paragraphs 18–21. However, for a change in the transaction price that occurs after a contract modification, an entity shall apply paragraphs 87–89 to allocate the change in the transaction price in whichever of the following ways is applicable:
- (a) An entity shall allocate the change in the transaction price to the performance obligations identified in the contract before the modification if, and to the extent that, the change in the transaction price is attributable to an amount of variable consideration promised before the modification and the modification is accounted for in accordance with paragraph 21(a).
- (b) In all other cases in which the modification was not accounted for as a separate contract in accordance with paragraph 20, an entity shall allocate the change in the transaction price to the performance obligations in the modified contract (ie. the performance obligations that were unsatisfied or partially unsatisfied immediately after the modification).

Contract costs**Incremental costs of obtaining a contract**

91. An entity shall recognise as an asset the incremental costs of obtaining a contract with a customer if the entity expects to recover those costs.

92. The incremental costs of obtaining a contract are those costs that an entity incurs to obtain a contract with a customer that it would not have incurred if the contract had not been obtained (for example, a sales commission).

93. Costs to obtain a contract that would have been incurred regardless of whether the contract was obtained shall be recognised as an expense when incurred, unless those costs are explicitly chargeable to the customer regardless of whether the contract is obtained.

94. As a practical expedient, an entity may recognise the incremental costs of obtaining a contract as an expense when incurred if the amortisation period of the asset that the entity otherwise would have recognised is one year or less.

Costs to fulfil a contract

95. If the costs incurred in fulfilling a contract with a customer are not within the scope of another Standard (for example, Ind AS 2, *Inventories*, Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment* or Ind AS 38, *Intangible Assets*), an entity shall recognise an asset from the costs incurred to fulfil a contract only if those costs meet all of the following criteria:

- (a) the costs relate directly to a contract or to an anticipated contract that the entity can specifically identify (for example, costs relating to services to be provided under renewal of an existing contract or costs of designing an asset to be transferred under a specific contract that has not yet been approved);
- (b) the costs generate or enhance resources of the entity that will be used in satisfying (or in continuing to satisfy) performance obligations in the future; and
- (c) the costs are expected to be recovered.

96. For costs incurred in fulfilling a contract with a customer that are within the scope of another Standard, an entity shall account for those costs in accordance with those other Standards.

97. Costs that relate directly to a contract (or a specific anticipated contract) include any of the following:

- (a) direct labour (for example, salaries and wages of employees who provide the promised services directly to the customer);
- (b) direct materials (for example, supplies used in providing the promised services to a customer);
- (c) allocations of costs that relate directly to the contract or to contract activities (for example, costs of contract management and supervision, insurance and depreciation of tools and equipment used in fulfilling the contract);
- (d) costs that are explicitly chargeable to the customer under the contract; and
- (e) other costs that are incurred only because an entity entered into the contract (for example, payments to subcontractors).

98. An entity shall recognise the following costs as expenses when incurred:

- (a) general and administrative costs (unless those costs are explicitly chargeable to the customer under the contract, in which case an entity shall evaluate those costs in accordance with paragraph 97);
- (b) costs of wasted materials, labour or other resources to fulfil the contract that were not reflected in the price of the contract;
- (c) costs that relate to satisfied performance obligations (or partially satisfied performance obligations) in the contract (ie. costs that relate to past performance); and
- (d) costs for which an entity cannot distinguish whether the costs relate to unsatisfied performance obligations or to satisfied performance obligations (or partially satisfied performance obligations).

Amortisation and impairment

99. An asset recognised in accordance with paragraph 91 or 95 shall be amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of the goods or services to which the asset relates. The asset may relate to goods or services to be transferred under a specific anticipated contract [as described in paragraph 95(a)].

100. An entity shall update the amortisation to reflect a significant change in the entity's expected timing of transfer to the customer of the goods or services to which the asset relates. Such a change shall be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with Ind AS 8.
101. An entity shall recognise an impairment loss in profit or loss to the extent that the carrying amount of an asset recognised in accordance with paragraph 91 or 95 exceeds:
- (a) the remaining amount of consideration that the entity expects to receive in exchange for the goods or services to which the asset relates; less
 - (b) the costs that relate directly to providing those goods or services and that have not been recognised as expenses (see paragraph 97).
102. For the purposes of applying paragraph 101 to determine the amount of consideration that an entity expects to receive, an entity shall use the principles for determining the transaction price (except for the requirements in paragraphs 56–58 on constraining estimates of variable consideration) and adjust that amount to reflect the effects of the customer's credit risk.
103. Before an entity recognises an impairment loss for an asset recognised in accordance with paragraph 91 or 95, the entity shall recognise any impairment loss for assets related to the contract that are recognised in accordance with another Standard (for example, Ind AS 2, Ind AS 16 and Ind AS 38). After applying the impairment test in paragraph 101, an entity shall include the resulting carrying amount of the asset recognised in accordance with paragraph 91 or 95 in the carrying amount of the cash-generating unit to which it belongs for the purpose of applying Ind AS 36, *Impairment of Assets*, to that cash-generating unit.
104. An entity shall recognise in profit or loss a reversal of some or all of an impairment loss previously recognised in accordance with paragraph 101 when the impairment conditions no longer exist or have improved. The increased carrying amount of the asset shall not exceed the amount that would have been determined (net of amortisation) if no impairment loss had been recognised previously.

Presentation

105. **When either party to a contract has performed, an entity shall present the contract in the balance sheet as a contract asset or a contract liability, depending on the relationship between the entity's performance and the customer's payment. An entity shall present any unconditional rights to consideration separately as a receivable.**
106. If a customer pays consideration, or an entity has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie. a receivable), before the entity transfers a good or service to the customer, the entity shall present the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is an entity's obligation to transfer goods or services to a customer for which the entity has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.
107. If an entity performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the entity shall present the contract as a contract asset, excluding any amounts presented as a receivable. A contract asset is an entity's right to consideration in exchange for goods or services that the entity has transferred to a customer. An entity shall assess a contract asset for impairment in accordance with Ind AS 109. An impairment of a contract asset shall be measured, presented and disclosed on the same basis as a financial asset that is within the scope of Ind AS 109 (see also paragraph 113(b)).
108. A receivable is an entity's right to consideration that is unconditional. A right to consideration is unconditional if only the passage of time is required before payment of that consideration is due. For example, an entity would recognise a receivable if it has a present right to payment even though that amount may be subject to refund in the future. An entity shall account for a receivable in accordance with Ind AS 109. Upon initial recognition of a receivable from a contract with a customer, any difference between the measurement of the receivable in accordance with Ind AS 109 and the corresponding amount of revenue recognised shall be presented as an expense (for example, as an impairment loss).
109. This Standard uses the terms 'contract asset' and 'contract liability' but does not prohibit an entity from using alternative descriptions in the balance sheet for those items. If an entity uses an alternative description for a contract asset, the entity shall provide sufficient information for a user of the financial statements to distinguish between receivables and contract assets.
- 109AA An entity shall present separately the amount of excise duty included in the revenue recognised in the statement of profit and loss.

Disclosure

110. The objective of the disclosure requirements is for an entity to disclose sufficient information to enable users of financial statements to understand the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows arising from contracts with customers. To achieve that objective, an entity shall disclose qualitative and quantitative information about all of the following:

- (a) its contracts with customers (see paragraphs 113–122);
- (b) the significant judgements, and changes in the judgements, made in applying this Standard to those contracts (see paragraphs 123–126); and
- (c) any assets recognised from the costs to obtain or fulfil a contract with a customer in accordance with paragraph 91 or 95 (see paragraphs 127–128).

111. An entity shall consider the level of detail necessary to satisfy the disclosure objective and how much emphasis to place on each of the various requirements. An entity shall aggregate or disaggregate disclosures so that useful information is not obscured by either the inclusion of a large amount of insignificant detail or the aggregation of items that have substantially different characteristics.

112. An entity need not disclose information in accordance with this Standard if it has provided the information in accordance with another Standard.

Contracts with customers

113. An entity shall disclose all of the following amounts for the reporting period unless those amounts are presented separately in the statement of profit and loss in accordance with other Standards:

- (a) revenue recognised from contracts with customers, which the entity shall disclose separately from its other sources of revenue; and
- (b) any impairment losses recognised (in accordance with Ind AS 109) on any receivables or contract assets arising from an entity's contracts with customers, which the entity shall disclose separately from impairment losses from other contracts.

Disaggregation of revenue

114. An entity shall disaggregate revenue recognised from contracts with customers into categories that depict how the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are affected by economic factors. An entity shall apply the guidance in paragraphs B87–B89 when selecting the categories to use to disaggregate revenue.

115. In addition, an entity shall disclose sufficient information to enable users of financial statements to understand the relationship between the disclosure of disaggregated revenue (in accordance with paragraph 114) and revenue information that is disclosed for each reportable segment, if the entity applies Ind AS 108, *Operating Segments*.

Contract balances

116. An entity shall disclose all of the following:

- (a) the opening and closing balances of receivables, contract assets and contract liabilities from contracts with customers, if not otherwise separately presented or disclosed;
- (b) revenue recognised in the reporting period that was included in the contract liability balance at the beginning of the period; and
- (c) revenue recognised in the reporting period from performance obligations satisfied (or partially satisfied) in previous periods (for example, changes in transaction price).

117. An entity shall explain how the timing of satisfaction of its performance obligations [see paragraph 119 (a)] relates to the typical timing of payment [see paragraph 119 (b)] and the effect that those factors have on the contract asset and the contract liability balances. The explanation provided may use qualitative information.

118. An entity shall provide an explanation of the significant changes in the contract asset and the contract liability balances during the reporting period. The explanation shall include qualitative and quantitative information. Examples of changes in the entity's balances of contract assets and contract liabilities include any of the following:

- (a) changes due to business combinations;

- (b) cumulative catch-up adjustments to revenue that affect the corresponding contract asset or contract liability, including adjustments arising from a change in the measure of progress, a change in an estimate of the transaction price (including any changes in the assessment of whether an estimate of variable consideration is constrained) or a contract modification;
- (c) impairment of a contract asset;
- (d) a change in the time frame for a right to consideration to become unconditional (ie. for a contract asset to be reclassified to a receivable); and
- (e) a change in the time frame for a performance obligation to be satisfied (ie. for the recognition of revenue arising from a contract liability).

Performance obligations

119. An entity shall disclose information about its performance obligations in contracts with customers, including a description of all of the following:

- (a) when the entity typically satisfies its performance obligations (for example, upon shipment, upon delivery, as services are rendered or upon completion of service), including when performance obligations are satisfied in a bill-and-hold arrangement;
- (b) the significant payment terms (for example, when payment is typically due, whether the contract has a significant financing component, whether the consideration amount is variable and whether the estimate of variable consideration is typically constrained in accordance with paragraphs 56–58);
- (c) the nature of the goods or services that the entity has promised to transfer, highlighting any performance obligations to arrange for another party to transfer goods or services (ie. if the entity is acting as an agent);
- (d) obligations for returns, refunds and other similar obligations; and
- (e) types of warranties and related obligations.

Transaction price allocated to the remaining performance obligations

120. An entity shall disclose the following information about its remaining performance obligations:

- (a) the aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period; and
- (b) an explanation of when the entity expects to recognise as revenue the amount disclosed in accordance with paragraph 120(a), which the entity shall disclose in either of the following ways:
 - (i) on a quantitative basis using the time bands that would be most appropriate for the duration of the remaining performance obligations; or
 - (ii) by using qualitative information.

121. As a practical expedient, an entity need not disclose the information in paragraph 120 for a performance obligation if either of the following conditions is met:

- (a) the performance obligation is part of a contract that has an original expected duration of one year or less; or
- (b) the entity recognises revenue from the satisfaction of the performance obligation in accordance with paragraph B16.

122. An entity shall explain qualitatively whether it is applying the practical expedient in paragraph 121 and whether any consideration from contracts with customers is not included in the transaction price and, therefore, not included in the information disclosed in accordance with paragraph 120. For example, an estimate of the transaction price would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained (see paragraphs 56–58).

Significant judgements in the application of this Standard

123. An entity shall disclose the judgements, and changes in the judgements, made in applying this Standard that significantly affect the determination of the amount and timing of revenue from contracts with customers. In particular, an entity shall explain the judgements, and changes in the judgements, used in determining both of the following:

- (a) the timing of satisfaction of performance obligations (see paragraphs 124–125); and
- (b) the transaction price and the amounts allocated to performance obligations (see paragraph 126).

Determining the timing of satisfaction of performance obligations

124. For performance obligations that an entity satisfies over time, an entity shall disclose both of the following:
- the methods used to recognise revenue (for example, a description of the output methods or input methods used and how those methods are applied); and
 - an explanation of why the methods used provide a faithful depiction of the transfer of goods or services.
125. For performance obligations satisfied at a point in time, an entity shall disclose the significant judgements made in evaluating when a customer obtains control of promised goods or services.

Determining the transaction price and the amounts allocated to performance obligations

126. An entity shall disclose information about the methods, inputs and assumptions used for all of the following:
- determining the transaction price, which includes, but is not limited to, estimating variable consideration, adjusting the consideration for the effects of the time value of money and measuring non-cash consideration;
 - assessing whether an estimate of variable consideration is constrained;
 - allocating the transaction price, including estimating stand-alone selling prices of promised goods or services and allocating discounts and variable consideration to a specific part of the contract (if applicable); and
 - measuring obligations for returns, refunds and other similar obligations.
- 126AA. An entity shall reconcile the amount of revenue recognised in the statement of profit and loss with the contracted price showing separately each of the adjustments made to the contract price, for example, on account of discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, etc., specifying the nature and amount of each such adjustment separately.

Assets recognised from the costs to obtain or fulfil a contract with a customer

127. An entity shall describe both of the following:
- the judgements made in determining the amount of the costs incurred to obtain or fulfil a contract with a customer (in accordance with paragraph 91 or 95); and
 - the method it uses to determine the amortisation for each reporting period.
128. An entity shall disclose all of the following:
- the closing balances of assets recognised from the costs incurred to obtain or fulfil a contract with a customer (in accordance with paragraph 91 or 95), by main category of asset (for example, costs to obtain contracts with customers, pre-contract costs and setup costs); and
 - the amount of amortisation and any impairment losses recognised in the reporting period.

Practical expedients

129. If an entity elects to use the practical expedient in either paragraph 63 (about the existence of a significant financing component) or paragraph 94 (about the incremental costs of obtaining a contract), the entity shall disclose that fact.

Appendix A**Defined terms**

This appendix is an integral part of the Standard.

contract	An agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations.
contract asset	An entity's right to consideration in exchange for goods or services that the entity has transferred to a customer when that right is conditioned on something other than the passage of time (for example, the entity's future performance).
contract liability	An entity's obligation to transfer goods or services to a customer for which the entity has received consideration (or the amount is due) from the customer.
customer	A party that has contracted with an entity to obtain goods or services that are an output of the entity's ordinary activities in exchange for consideration.
income	Increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in an increase in equity, other than those relating to contributions from equity participants.

performance obligation	A promise in a contract with a customer to transfer to the customer either: (a) a good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or (b) a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer.
revenue	Income arising in the course of an entity's ordinary activities.
stand-alone selling price (of a good or service)	The price at which an entity would sell a promised good or service separately to a customer .
transaction price (for a contract with a customer)	The amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer , excluding amounts collected on behalf of third parties.

Appendix B

Application Guidance

This appendix is an integral part of the Standard. It describes the application of paragraphs 1–29 and has the same authority as the other parts of the Standard.

B1 This application guidance is organised into the following categories:

- (a) performance obligations satisfied over time (paragraphs B2–B13);
- (b) methods for measuring progress towards complete satisfaction of a performance obligation (paragraphs B14–B19);
- (c) sale with a right of return (paragraphs B20–B27);
- (d) warranties (paragraphs B28–B33);
- (e) principal versus agent considerations (paragraphs B34–B38);
- (f) customer options for additional goods or services (paragraphs B39–B43);
- (g) customers' unexercised rights (paragraphs B44–B47);
- (h) non-refundable upfront fees (and some related costs) (paragraphs B48–B51);
- (i) licensing (paragraphs B52–B63);
- (j) repurchase agreements (paragraphs B64–B76);
- (k) consignment arrangements (paragraphs B77–B78);
- (l) bill-and-hold arrangements (paragraphs B79–B82);
- (m) customer acceptance (paragraphs B83–B86); and
- (n) disclosure of disaggregated revenue (paragraphs B87–B89).

Performance obligations satisfied over time

B2 In accordance with paragraph 35, a performance obligation is satisfied over time if one of the following criteria is met:

- (a) the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity's performance as the entity performs (see paragraphs B3–B4);
- (b) the entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the customer controls as the asset is created or enhanced (see paragraph B5); or
- (c) the entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see paragraphs B6–B8) and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date (see paragraphs B9–B13).

Simultaneous receipt and consumption of the benefits of the entity's performance (paragraph 35(a))

B3 For some types of performance obligations, the assessment of whether a customer receives the benefits of an entity's performance as the entity performs and simultaneously consumes those benefits as they are received will be straightforward. Examples include routine or recurring services (such as a cleaning service) in which the receipt and simultaneous consumption by the customer of the benefits of the entity's performance can be readily identified.

- B4 For other types of performance obligations, an entity may not be able to readily identify whether a customer simultaneously receives and consumes the benefits from the entity's performance as the entity performs. In those circumstances, a performance obligation is satisfied over time if an entity determines that another entity would not need to substantially re-perform the work that the entity has completed to date if that other entity were to fulfil the remaining performance obligation to the customer. In determining whether another entity would not need to substantially re-perform the work the entity has completed to date, an entity shall make both of the following assumptions:
- (a) disregard potential contractual restrictions or practical limitations that otherwise would prevent the entity from transferring the remaining performance obligation to another entity; and
 - (b) presume that another entity fulfilling the remainder of the performance obligation would not have the benefit of any asset that is presently controlled by the entity and that would remain controlled by the entity if the performance obligation were to transfer to another entity.

Customer controls the asset as it is created or enhanced (paragraph 35(b))

- B5 In determining whether a customer controls an asset as it is created or enhanced in accordance with paragraph 35(b), an entity shall apply the requirements for control in paragraphs 31–34 and 38. The asset that is being created or enhanced (for example, a work-in-progress asset) could be either tangible or intangible.

Entity's performance does not create an asset with an alternative use (paragraph 35(c))

- B6 In assessing whether an asset has an alternative use to an entity in accordance with paragraph 36, an entity shall consider the effects of contractual restrictions and practical limitations on the entity's ability to readily direct that asset for another use, such as selling it to a different customer. The possibility of the contract with the customer being terminated is not a relevant consideration in assessing whether the entity would be able to readily direct the asset for another use.
- B7 A contractual restriction on an entity's ability to direct an asset for another use must be substantive for the asset not to have an alternative use to the entity. A contractual restriction is substantive if a customer could enforce its rights to the promised asset if the entity sought to direct the asset for another use. In contrast, a contractual restriction is not substantive if, for example, an asset is largely interchangeable with other assets that the entity could transfer to another customer without breaching the contract and without incurring significant costs that otherwise would not have been incurred in relation to that contract.
- B8 A practical limitation on an entity's ability to direct an asset for another use exists if an entity would incur significant economic losses to direct the asset for another use. A significant economic loss could arise because the entity either would incur significant costs to rework the asset or would only be able to sell the asset at a significant loss. For example, an entity may be practically limited from redirecting assets that either have design specifications that are unique to a customer or are located in remote areas.

Right to payment for performance completed to date (paragraph 35(c))

- B9 In accordance with paragraph 37, an entity has a right to payment for performance completed to date if the entity would be entitled to an amount that at least compensates the entity for its performance completed to date in the event that the customer or another party terminates the contract for reasons other than the entity's failure to perform as promised. An amount that would compensate an entity for performance completed to date would be an amount that approximates the selling price of the goods or services transferred to date (for example, recovery of the costs incurred by an entity in satisfying the performance obligation plus a reasonable profit margin) rather than compensation for only the entity's potential loss of profit if the contract were to be terminated. Compensation for a reasonable profit margin need not equal the profit margin expected if the contract was fulfilled as promised, but an entity should be entitled to compensation for either of the following amounts:
- (a) a proportion of the expected profit margin in the contract that reasonably reflects the extent of the entity's performance under the contract before termination by the customer (or another party); or
 - (b) a reasonable return on the entity's cost of capital for similar contracts (or the entity's typical operating margin for similar contracts) if the contract-specific margin is higher than the return the entity usually generates from similar contracts.
- B10 An entity's right to payment for performance completed to date need not be a present unconditional right to payment. In many cases, an entity will have an unconditional right to payment only at an agreed-upon milestone or upon complete satisfaction of the performance obligation. In assessing whether it has a right to payment for performance completed to date, an entity shall consider whether it would have an enforceable

right to demand or retain payment for performance completed to date if the contract were to be terminated before completion for reasons other than the entity's failure to perform as promised.

- B11 In some contracts, a customer may have a right to terminate the contract only at specified times during the life of the contract or the customer might not have any right to terminate the contract. If a customer acts to terminate a contract without having the right to terminate the contract at that time (including when a customer fails to perform its obligations as promised), the contract (or other laws) might entitle the entity to continue to transfer to the customer the goods or services promised in the contract and require the customer to pay the consideration promised in exchange for those goods or services. In those circumstances, an entity has a right to payment for performance completed to date because the entity has a right to continue to perform its obligations in accordance with the contract and to require the customer to perform its obligations (which include paying the promised consideration).
- B12 In assessing the existence and enforceability of a right to payment for performance completed to date, an entity shall consider the contractual terms as well as any legislation or legal precedent that could supplement or override those contractual terms. This would include an assessment of whether:
- (a) legislation, administrative practice or legal precedent confers upon the entity a right to payment for performance to date even though that right is not specified in the contract with the customer;
 - (b) relevant legal precedent indicates that similar rights to payment for performance completed to date in similar contracts have no binding legal effect; or
 - (c) an entity's customary business practices of choosing not to enforce a right to payment has resulted in the right being rendered unenforceable in that legal environment. However, notwithstanding that an entity may choose to waive its right to payment in similar contracts, an entity would continue to have a right to payment to date if, in the contract with the customer, its right to payment for performance to date remains enforceable.
- B13 The payment schedule specified in a contract does not necessarily indicate whether an entity has an enforceable right to payment for performance completed to date. Although the payment schedule in a contract specifies the timing and amount of consideration that is payable by a customer, the payment schedule might not necessarily provide evidence of the entity's right to payment for performance completed to date. This is because, for example, the contract could specify that the consideration received from the customer is refundable for reasons other than the entity failing to perform as promised in the contract.

Methods for measuring progress towards complete satisfaction of a performance obligation

- B14 Methods that can be used to measure an entity's progress towards complete satisfaction of a performance obligation satisfied over time in accordance with paragraphs 35–37 include the following:
- (a) output methods (see paragraphs B15–B17); and
 - (b) input methods (see paragraphs B18–B19).

Output methods

- B15 Output methods recognise revenue on the basis of direct measurements of the value to the customer of the goods or services transferred to date relative to the remaining goods or services promised under the contract. Output methods include methods such as surveys of performance completed to date, appraisals of results achieved, milestones reached, time elapsed and units produced or units delivered. When an entity evaluates whether to apply an output method to measure its progress, the entity shall consider whether the output selected would faithfully depict the entity's performance towards complete satisfaction of the performance obligation. An output method would not provide a faithful depiction of the entity's performance if the output selected would fail to measure some of the goods or services for which control has transferred to the customer. For example, output methods based on units produced or units delivered would not faithfully depict an entity's performance in satisfying a performance obligation if, at the end of the reporting period, the entity's performance has produced work in progress or finished goods controlled by the customer that are not included in the measurement of the output.
- B16 As a practical expedient, if an entity has a right to consideration from a customer in an amount that corresponds directly with the value to the customer of the entity's performance completed to date (for example, a service contract in which an entity bills a fixed amount for each hour of service provided), the entity may recognise revenue in the amount to which the entity has a right to invoice.

- B17 The disadvantages of output methods are that the outputs used to measure progress may not be directly observable and the information required to apply them may not be available to an entity without undue cost. Therefore, an input method may be necessary.

Input methods

- B18 Input methods recognise revenue on the basis of the entity's efforts or inputs to the satisfaction of a performance obligation (for example, resources consumed, labour hours expended, costs incurred, time elapsed or machine hours used) relative to the total expected inputs to the satisfaction of that performance obligation. If the entity's efforts or inputs are expended evenly throughout the performance period, it may be appropriate for the entity to recognise revenue on a straight-line basis.

- B19 A shortcoming of input methods is that there may not be a direct relationship between an entity's inputs and the transfer of control of goods or services to a customer. Therefore, an entity shall exclude from an input method the effects of any inputs that, in accordance with the objective of measuring progress in paragraph 39, do not depict the entity's performance in transferring control of goods or services to the customer. For instance, when using a cost-based input method, an adjustment to the measure of progress may be required in the following circumstances:

- (a) When a cost incurred does not contribute to an entity's progress in satisfying the performance obligation. For example, an entity would not recognise revenue on the basis of costs incurred that are attributable to significant inefficiencies in the entity's performance that were not reflected in the price of the contract (for example, the costs of unexpected amounts of wasted materials, labour or other resources that were incurred to satisfy the performance obligation).
- (b) When a cost incurred is not proportionate to the entity's progress in satisfying the performance obligation. In those circumstances, the best depiction of the entity's performance may be to adjust the input method to recognise revenue only to the extent of that cost incurred. For example, a faithful depiction of an entity's performance might be to recognise revenue at an amount equal to the cost of a good used to satisfy a performance obligation if the entity expects at contract inception that all of the following conditions would be met:
 - (i) the good is not distinct;
 - (ii) the customer is expected to obtain control of the good significantly before receiving services related to the good;
 - (iii) the cost of the transferred good is significant relative to the total expected costs to completely satisfy the performance obligation; and
 - (iv) the entity procures the good from a third party and is not significantly involved in designing and manufacturing the good (but the entity is acting as a principal in accordance with paragraphs B34–B38).

Sale with a right of return

- B20 In some contracts, an entity transfers control of a product to a customer and also grants the customer the right to return the product for various reasons (such as dissatisfaction with the product) and receive any combination of the following:

- (a) a full or partial refund of any consideration paid;
- (b) a credit that can be applied against amounts owed, or that will be owed, to the entity; and
- (c) another product in exchange.

- B20AA In some contracts, an entity transfers control of a product to a customer with an unconditional right of return. In such cases, the recognition of revenue shall be as per the substance of the arrangement. Where the substance is that of a consignment sale, the entity shall account for such a contract as per the provisions of paragraph B77 of this Appendix. In other cases, the accounting for contracts with customers shall be as per paragraphs B21-B27.

- B21 To account for the transfer of products with a right of return (and for some services that are provided subject to a refund), an entity shall recognise all of the following:

- (a) revenue for the transferred products in the amount of consideration to which the entity expects to be entitled (therefore, revenue would not be recognised for the products expected to be returned);
- (b) a refund liability; and

- (c) an asset (and corresponding adjustment to cost of sales) for its right to recover products from customers on settling the refund liability.
- B22 An entity's promise to stand ready to accept a returned product during the return period shall not be accounted for as a performance obligation in addition to the obligation to provide a refund.
- B23 An entity shall apply the requirements in paragraphs 47–72 (including the requirements for constraining estimates of variable consideration in paragraphs 56–58) to determine the amount of consideration to which the entity expects to be entitled (ie. excluding the products expected to be returned). For any amounts received (or receivable) for which an entity does not expect to be entitled, the entity shall not recognise revenue when it transfers products to customers but shall recognise those amounts received (or receivable) as a refund liability. Subsequently, at the end of each reporting period, the entity shall update its assessment of amounts for which it expects to be entitled in exchange for the transferred products and make a corresponding change to the transaction price and, therefore, in the amount of revenue recognised.
- B24 An entity shall update the measurement of the refund liability at the end of each reporting period for changes in expectations about the amount of refunds. An entity shall recognise corresponding adjustments as revenue (or reductions of revenue).
- B25 An asset recognised for an entity's right to recover products from a customer on settling a refund liability shall initially be measured by reference to the former carrying amount of the product (for example, inventory) less any expected costs to recover those products (including potential decreases in the value to the entity of returned products). At the end of each reporting period, an entity shall update the measurement of the asset arising from changes in expectations about products to be returned. An entity shall present the asset separately from the refund liability.
- B26 Exchanges by customers of one product for another of the same type, quality, condition and price (for example, one colour or size for another) are not considered returns for the purposes of applying this Standard.
- B27 Contracts in which a customer may return a defective product in exchange for a functioning product shall be evaluated in accordance with the guidance on warranties in paragraphs B28–B33.

Warranties

- B28 It is common for an entity to provide (in accordance with the contract, the law or the entity's customary business practices) a warranty in connection with the sale of a product (whether a good or service). The nature of a warranty can vary significantly across industries and contracts. Some warranties provide a customer with assurance that the related product will function as the parties intended because it complies with agreed-upon specifications. Other warranties provide the customer with a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications.
- B29 If a customer has the option to purchase a warranty separately (for example, because the warranty is priced or negotiated separately), the warranty is a distinct service because the entity promises to provide the service to the customer in addition to the product that has the functionality described in the contract. In those circumstances, an entity shall account for the promised warranty as a performance obligation in accordance with paragraphs 22–30 and allocate a portion of the transaction price to that performance obligation in accordance with paragraphs 73–86.
- B30 If a customer does not have the option to purchase a warranty separately, an entity shall account for the warranty in accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, unless the promised warranty, or a part of the promised warranty, provides the customer with a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications.
- B31 In assessing whether a warranty provides a customer with a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications, an entity shall consider factors such as:
- (a) Whether the warranty is required by law—if the entity is required by law to provide a warranty, the existence of that law indicates that the promised warranty is not a performance obligation because such requirements typically exist to protect customers from the risk of purchasing defective products.
 - (b) The length of the warranty coverage period—the longer the coverage period, the more likely it is that the promised warranty is a performance obligation because it is more likely to provide a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications.
 - (c) The nature of the tasks that the entity promises to perform—if it is necessary for an entity to perform specified tasks to provide the assurance that a product complies with agreed-upon specifications (for

example, a return shipping service for a defective product), then those tasks likely do not give rise to a performance obligation.

- B32 If a warranty, or a part of a warranty, provides a customer with a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications, the promised service is a performance obligation. Therefore, an entity shall allocate the transaction price to the product and the service. If an entity promises both an assurance-type warranty and a service-type warranty but cannot reasonably account for them separately, the entity shall account for both of the warranties together as a single performance obligation.
- B33 A law that requires an entity to pay compensation if its products cause harm or damage does not give rise to a performance obligation. For example, a manufacturer might sell products in a jurisdiction in which the law holds the manufacturer liable for any damages (for example, to personal property) that might be caused by a consumer using a product for its intended purpose. Similarly, an entity's promise to indemnify the customer for liabilities and damages arising from claims of patent, copyright, trademark or other infringement by the entity's products does not give rise to a performance obligation. The entity shall account for such obligations in accordance with Ind AS 37.

Principal versus agent considerations

- B34 When another party is involved in providing goods or services to a customer, the entity shall determine whether the nature of its promise is a performance obligation to provide the specified goods or services itself (ie. the entity is a principal) or to arrange for the other party to provide those goods or services (ie. the entity is an agent).
- B35 An entity is a principal if the entity controls a promised good or service before the entity transfers the good or service to a customer. However, an entity is not necessarily acting as a principal if the entity obtains legal title of a product only momentarily before legal title is transferred to a customer. An entity that is a principal in a contract may satisfy a performance obligation by itself or it may engage another party (for example, a subcontractor) to satisfy some or all of a performance obligation on its behalf. When an entity that is a principal satisfies a performance obligation, the entity recognises revenue in the gross amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for those goods or services transferred.
- B36 An entity is an agent if the entity's performance obligation is to arrange for the provision of goods or services by another party. When an entity that is an agent satisfies a performance obligation, the entity recognises revenue in the amount of any fee or commission to which it expects to be entitled in exchange for arranging for the other party to provide its goods or services. An entity's fee or commission might be the net amount of consideration that the entity retains after paying the other party the consideration received in exchange for the goods or services to be provided by that party.
- B37 Indicators that an entity is an agent (and therefore does not control the good or service before it is provided to a customer) include the following:
- (a) another party is primarily responsible for fulfilling the contract;
 - (b) the entity does not have inventory risk before or after the goods have been ordered by a customer, during shipping or on return;
 - (c) the entity does not have discretion in establishing prices for the other party's goods or services and, therefore, the benefit that the entity can receive from those goods or services is limited;
 - (d) the entity's consideration is in the form of a commission; and
 - (e) the entity is not exposed to credit risk for the amount receivable from a customer in exchange for the other party's goods or services.

- B38 If another entity assumes the entity's performance obligations and contractual rights in the contract so that the entity is no longer obliged to satisfy the performance obligation to transfer the promised good or service to the customer (ie. the entity is no longer acting as the principal), the entity shall not recognise revenue for that performance obligation. Instead, the entity shall evaluate whether to recognise revenue for satisfying a performance obligation to obtain a contract for the other party (ie. whether the entity is acting as an agent).

Customer options for additional goods or services

- B39 Customer options to acquire additional goods or services for free or at a discount come in many forms, including sales incentives, customer award credits (or points), contract renewal options or other discounts on future goods or services.

- B40 If, in a contract, an entity grants a customer the option to acquire additional goods or services, that option gives rise to a performance obligation in the contract only if the option provides a material right to the customer that it would not receive without entering into that contract (for example, a discount that is incremental to the range of discounts typically given for those goods or services to that class of customer in that geographical area or market). If the option provides a material right to the customer, the customer in effect pays the entity in advance for future goods or services and the entity recognises revenue when those future goods or services are transferred or when the option expires.
- B41 If a customer has the option to acquire an additional good or service at a price that would reflect the stand-alone selling price for that good or service, that option does not provide the customer with a material right even if the option can be exercised only by entering into a previous contract. In those cases, the entity has made a marketing offer that it shall account for in accordance with this Standard only when the customer exercises the option to purchase the additional goods or services.
- B42 Paragraph 74 requires an entity to allocate the transaction price to performance obligations on a relative stand-alone selling price basis. If the stand-alone selling price for a customer's option to acquire additional goods or services is not directly observable, an entity shall estimate it. That estimate shall reflect the discount that the customer would obtain when exercising the option, adjusted for both of the following:
- (a) any discount that the customer could receive without exercising the option; and
 - (b) the likelihood that the option will be exercised.
- B43 If a customer has a material right to acquire future goods or services and those goods or services are similar to the original goods or services in the contract and are provided in accordance with the terms of the original contract, then an entity may, as a practical alternative to estimating the stand-alone selling price of the option, allocate the transaction price to the optional goods or services by reference to the goods or services expected to be provided and the corresponding expected consideration. Typically, those types of options are for contract renewals.

Customers' unexercised rights

- B44 In accordance with paragraph 106, upon receipt of a prepayment from a customer, an entity shall recognise a contract liability in the amount of the prepayment for its performance obligation to transfer, or to stand ready to transfer, goods or services in the future. An entity shall derecognise that contract liability (and recognise revenue) when it transfers those goods or services and, therefore, satisfies its performance obligation.
- B45 A customer's non-refundable prepayment to an entity gives the customer a right to receive a good or service in the future (and obliges the entity to stand ready to transfer a good or service). However, customers may not exercise all of their contractual rights. Those unexercised rights are often referred to as breakage.
- B46 If an entity expects to be entitled to a breakage amount in a contract liability, the entity shall recognise the expected breakage amount as revenue in proportion to the pattern of rights exercised by the customer. If an entity does not expect to be entitled to a breakage amount, the entity shall recognise the expected breakage amount as revenue when the likelihood of the customer exercising its remaining rights becomes remote. To determine whether an entity expects to be entitled to a breakage amount, the entity shall consider the requirements in paragraphs 56–58 on constraining estimates of variable consideration.
- B47 An entity shall recognise a liability (and not revenue) for any consideration received that is attributable to a customer's unexercised rights for which the entity is required to remit to another party, for example, a government entity in accordance with applicable unclaimed property laws.

Non-refundable upfront fees (and some related costs)

- B48 In some contracts, an entity charges a customer a non-refundable upfront fee at or near contract inception. Examples include joining fees in health club membership contracts, activation fees in telecommunication contracts, setup fees in some services contracts and initial fees in some supply contracts.
- B49 To identify performance obligations in such contracts, an entity shall assess whether the fee relates to the transfer of a promised good or service. In many cases, even though a non-refundable upfront fee relates to an activity that the entity is required to undertake at or near contract inception to fulfil the contract, that activity does not result in the transfer of a promised good or service to the customer (see paragraph 25). Instead, the upfront fee is an advance payment for future goods or services and, therefore, would be recognised as revenue when those future goods or services are provided. The revenue recognition period would extend beyond the initial contractual period if the entity grants the customer the option to renew the contract and that option provides the customer with a material right as described in paragraph B40.

- B50 If the non-refundable upfront fee relates to a good or service, the entity shall evaluate whether to account for the good or service as a separate performance obligation in accordance with paragraphs 22–30.
- B51 An entity may charge a non-refundable fee in part as compensation for costs incurred in setting up a contract (or other administrative tasks as described in paragraph 25). If those setup activities do not satisfy a performance obligation, the entity shall disregard those activities (and related costs) when measuring progress in accordance with paragraph B19. That is because the costs of setup activities do not depict the transfer of services to the customer. The entity shall assess whether costs incurred in setting up a contract have resulted in an asset that shall be recognised in accordance with paragraph 95.

Licensing

- B52 A licence establishes a customer's rights to the intellectual property of an entity. Licences of intellectual property may include, but are not limited to, any of the following:
- (a) software and technology;
 - (b) motion pictures, music and other forms of media and entertainment;
 - (c) franchises; and
 - (d) patents, trademarks and copyrights.
- B53 In addition to a promise to grant a licence to a customer, an entity may also promise to transfer other goods or services to the customer. Those promises may be explicitly stated in the contract or implied by an entity's customary business practices, published policies or specific statements (see paragraph 24). As with other types of contracts, when a contract with a customer includes a promise to grant a licence in addition to other promised goods or services, an entity applies paragraphs 22–30 to identify each of the performance obligations in the contract.
- B54 If the promise to grant a licence is not distinct from other promised goods or services in the contract in accordance with paragraphs 26–30, an entity shall account for the promise to grant a licence and those other promised goods or services together as a single performance obligation. Examples of licences that are not distinct from other goods or services promised in the contract include the following:
- (a) a licence that forms a component of a tangible good and that is integral to the functionality of the good; and
 - (b) a licence that the customer can benefit from only in conjunction with a related service (such as an online service provided by the entity that enables, by granting a licence, the customer to access content).
- B55 If the licence is not distinct, an entity shall apply paragraphs 31–38 to determine whether the performance obligation (which includes the promised licence) is a performance obligation that is satisfied over time or satisfied at a point in time.
- B56 If the promise to grant the licence is distinct from the other promised goods or services in the contract and, therefore, the promise to grant the licence is a separate performance obligation, an entity shall determine whether the licence transfers to a customer either at a point in time or over time. In making this determination, an entity shall consider whether the nature of the entity's promise in granting the licence to a customer is to provide the customer with either:
- (a) a right to access the entity's intellectual property as it exists throughout the licence period; or
 - (b) a right to use the entity's intellectual property as it exists at the point in time at which the licence is granted.

Determining the nature of the entity's promise

- B57 To determine whether an entity's promise to grant a licence provides a customer with either a right to access an entity's intellectual property or a right to use an entity's intellectual property, an entity shall consider whether a customer can direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, a licence at the point in time at which the licence is granted. A customer cannot direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, a licence at the point in time at which the licence is granted if the intellectual property to which the customer has rights changes throughout the licence period. The intellectual property will change (and thus affect the entity's assessment of when the customer controls the

- licence) when the entity continues to be involved with its intellectual property and the entity undertakes activities that significantly affect the intellectual property to which the customer has rights. In these cases, the licence provides the customer with a right to access the entity's intellectual property (see paragraph B58). In contrast, a customer can direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the licence at the point in time at which the licence is granted if the intellectual property to which the customer has rights will not change (see paragraph B61). In those cases, any activities undertaken by the entity merely change its own asset (ie. the underlying intellectual property), which may affect the entity's ability to provide future licences; however, those activities would not affect the determination of what the licence provides or what the customer controls.
- B58 The nature of an entity's promise in granting a licence is a promise to provide a right to access the entity's intellectual property if all of the following criteria are met:
- (a) the contract requires, or the customer reasonably expects, that the entity will undertake activities that significantly affect the intellectual property to which the customer has rights (see paragraph B59);
 - (b) the rights granted by the licence directly expose the customer to any positive or negative effects of the entity's activities identified in paragraph B58(a); and
 - (c) those activities do not result in the transfer of a good or a service to the customer as those activities occur (see paragraph 25).
- B59 Factors that may indicate that a customer could reasonably expect that an entity will undertake activities that significantly affect the intellectual property include the entity's customary business practices, published policies or specific statements. Although not determinative, the existence of a shared economic interest (for example, a sales-based royalty) between the entity and the customer related to the intellectual property to which the customer has rights may also indicate that the customer could reasonably expect that the entity will undertake such activities.
- B60 If the criteria in paragraph B58 are met, an entity shall account for the promise to grant a licence as a performance obligation satisfied over time because the customer will simultaneously receive and consume the benefit from the entity's performance of providing access to its intellectual property as the performance occurs (see paragraph 35(a)). An entity shall apply paragraphs 39–45 to select an appropriate method to measure its progress towards complete satisfaction of that performance obligation to provide access.
- B61 If the criteria in paragraph B58 are not met, the nature of an entity's promise is to provide a right to use the entity's intellectual property as that intellectual property exists (in terms of form and functionality) at the point in time at which the licence is granted to the customer. This means that the customer can direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the licence at the point in time at which the licence transfers. An entity shall account for the promise to provide a right to use the entity's intellectual property as a performance obligation satisfied at a point in time. An entity shall apply paragraph 38 to determine the point in time at which the licence transfers to the customer. However, revenue cannot be recognised for a licence that provides a right to use the entity's intellectual property before the beginning of the period during which the customer is able to use and benefit from the licence. For example, if a software licence period begins before an entity provides (or otherwise makes available) to the customer a code that enables the customer to immediately use the software, the entity would not recognise revenue before that code has been provided (or otherwise made available).
- B62 An entity shall disregard the following factors when determining whether a licence provides a right to access the entity's intellectual property or a right to use the entity's intellectual property:
- (a) Restrictions of time, geographical region or use—those restrictions define the attributes of the promised licence, rather than define whether the entity satisfies its performance obligation at a point in time or over time.
 - (b) Guarantees provided by the entity that it has a valid patent to intellectual property and that it will defend that patent from unauthorised use—a promise to defend a patent right is not a performance obligation because the act of defending a patent protects the value of the entity's intellectual property assets and provides assurance to the customer that the licence transferred meets the specifications of the licence promised in the contract.

Sales-based or usage-based royalties

B63 Notwithstanding the requirements in paragraphs 56–59, an entity shall recognise revenue for a sales-based or usage-based royalty promised in exchange for a licence of intellectual property only when (or as) the later of the following events occurs:

- (a) the subsequent sale or usage occurs; and
- (b) the performance obligation to which some or all of the sales-based or usage-based royalty has been allocated has been satisfied (or partially satisfied).

Repurchase agreements

B64 A repurchase agreement is a contract in which an entity sells an asset and also promises or has the option (either in the same contract or in another contract) to repurchase the asset. The repurchased asset may be the asset that was originally sold to the customer, an asset that is substantially the same as that asset, or another asset of which the asset that was originally sold is a component.

B65 Repurchase agreements generally come in three forms:

- (a) an entity's obligation to repurchase the asset (a forward);
- (b) an entity's right to repurchase the asset (a call option); and
- (c) an entity's obligation to repurchase the asset at the customer's request (a put option).

A forward or a call option

B66 If an entity has an obligation or a right to repurchase the asset (a forward or a call option), a customer does not obtain control of the asset because the customer is limited in its ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the asset even though the customer may have physical possession of the asset. Consequently, the entity shall account for the contract as either of the following:

- (a) a lease in accordance with Ind AS 17, *Leases*, if the entity can or must repurchase the asset for an amount that is less than the original selling price of the asset; or
- (b) a financing arrangement in accordance with paragraph B68 if the entity can or must repurchase the asset for an amount that is equal to or more than the original selling price of the asset.

B67 When comparing the repurchase price with the selling price, an entity shall consider the time value of money.

B68 If the repurchase agreement is a financing arrangement, the entity shall continue to recognise the asset and also recognise a financial liability for any consideration received from the customer. The entity shall recognise the difference between the amount of consideration received from the customer and the amount of consideration to be paid to the customer as interest and, if applicable, as processing or holding costs (for example, insurance).

B69 If the option lapses unexercised, an entity shall derecognise the liability and recognise revenue.

A put option

B70 If an entity has an obligation to repurchase the asset at the customer's request (a put option) at a price that is lower than the original selling price of the asset, the entity shall consider at contract inception whether the customer has a significant economic incentive to exercise that right. The customer's exercising of that right results in the customer effectively paying the entity consideration for the right to use a specified asset for a period of time. Therefore, if the customer has a significant economic incentive to exercise that right, the entity shall account for the agreement as a lease in accordance with Ind AS 17.

B71 To determine whether a customer has a significant economic incentive to exercise its right, an entity shall consider various factors, including the relationship of the repurchase price to the expected market value of the asset at the date of the repurchase and the amount of time until the right expires. For example, if the repurchase price is expected to significantly exceed the market value of the asset, this may indicate that the customer has a significant economic incentive to exercise the put option.

B72 If the customer does not have a significant economic incentive to exercise its right at a price that is lower than the original selling price of the asset, the entity shall account for the agreement as if it were the sale of a product with a right of return as described in paragraphs B20–B27.

- B73 If the repurchase price of the asset is equal to or greater than the original selling price and is more than the expected market value of the asset, the contract is in effect a financing arrangement and, therefore, shall be accounted for as described in paragraph B68.
- B74 If the repurchase price of the asset is equal to or greater than the original selling price and is less than or equal to the expected market value of the asset, and the customer does not have a significant economic incentive to exercise its right, then the entity shall account for the agreement as if it were the sale of a product with a right of return as described in paragraphs B20–B27.
- B75 When comparing the repurchase price with the selling price, an entity shall consider the time value of money.
- B76 If the option lapses unexercised, an entity shall derecognise the liability and recognise revenue.

Consignment arrangements

- B77 When an entity delivers a product to another party (such as a dealer or a distributor) for sale to end customers, the entity shall evaluate whether that other party has obtained control of the product at that point in time. A product that has been delivered to another party may be held in a consignment arrangement if that other party has not obtained control of the product. Accordingly, an entity shall not recognise revenue upon delivery of a product to another party if the delivered product is held on consignment.
- B78 Indicators that an arrangement is a consignment arrangement include, but are not limited to, the following:
- (a) the product is controlled by the entity until a specified event occurs, such as the sale of the product to a customer of the dealer or until a specified period expires;
 - (b) the entity is able to require the return of the product or transfer the product to a third party (such as another dealer); and
 - (c) the dealer does not have an unconditional obligation to pay for the product (although it might be required to pay a deposit).

Bill-and-hold arrangements

- B79 A bill-and-hold arrangement is a contract under which an entity bills a customer for a product but the entity retains physical possession of the product until it is transferred to the customer at a point in time in the future. For example, a customer may request an entity to enter into such a contract because of the customer's lack of available space for the product or because of delays in the customer's production schedules.
- B80 An entity shall determine when it has satisfied its performance obligation to transfer a product by evaluating when a customer obtains control of that product (see paragraph 38). For some contracts, control is transferred either when the product is delivered to the customer's site or when the product is shipped, depending on the terms of the contract (including delivery and shipping terms). However, for some contracts, a customer may obtain control of a product even though that product remains in an entity's physical possession. In that case, the customer has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the product even though it has decided not to exercise its right to take physical possession of that product. Consequently, the entity does not control the product. Instead, the entity provides custodial services to the customer over the customer's asset.
- B81 In addition to applying the requirements in paragraph 38, for a customer to have obtained control of a product in a bill-and-hold arrangement, all of the following criteria must be met:
- (a) the reason for the bill-and-hold arrangement must be substantive (for example, the customer has requested the arrangement);
 - (b) the product must be identified separately as belonging to the customer;
 - (c) the product currently must be ready for physical transfer to the customer; and
 - (d) the entity cannot have the ability to use the product or to direct it to another customer.
- B82 If an entity recognises revenue for the sale of a product on a bill-and-hold basis, the entity shall consider whether it has remaining performance obligations (for example, for custodial services) in accordance with paragraphs 22–30 to which the entity shall allocate a portion of the transaction price in accordance with paragraphs 73–86.

Customer acceptance

- B83 In accordance with paragraph 38(e), a customer's acceptance of an asset may indicate that the customer has obtained control of the asset. Customer acceptance clauses allow a customer to cancel a contract or require an entity to take remedial action if a good or service does not meet agreed-upon specifications. An entity shall consider such clauses when evaluating when a customer obtains control of a good or service.
- B84 If an entity can objectively determine that control of a good or service has been transferred to the customer in accordance with the agreed-upon specifications in the contract, then customer acceptance is a formality that would not affect the entity's determination of when the customer has obtained control of the good or service. For example, if the customer acceptance clause is based on meeting specified size and weight characteristics, an entity would be able to determine whether those criteria have been met before receiving confirmation of the customer's acceptance. The entity's experience with contracts for similar goods or services may provide evidence that a good or service provided to the customer is in accordance with the agreed-upon specifications in the contract. If revenue is recognised before customer acceptance, the entity still must consider whether there are any remaining performance obligations (for example, installation of equipment) and evaluate whether to account for them separately.
- B85 However, if an entity cannot objectively determine that the good or service provided to the customer is in accordance with the agreed-upon specifications in the contract, then the entity would not be able to conclude that the customer has obtained control until the entity receives the customer's acceptance. That is because in that circumstance the entity cannot determine that the customer has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the good or service.
- B86 If an entity delivers products to a customer for trial or evaluation purposes and the customer is not committed to pay any consideration until the trial period lapses, control of the product is not transferred to the customer until either the customer accepts the product or the trial period lapses.

Disclosure of disaggregated revenue

- B87 Paragraph 114 requires an entity to disaggregate revenue from contracts with customers into categories that depict how the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are affected by economic factors. Consequently, the extent to which an entity's revenue is disaggregated for the purposes of this disclosure depends on the facts and circumstances that pertain to the entity's contracts with customers. Some entities may need to use more than one type of category to meet the objective in paragraph 114 for disaggregating revenue. Other entities may meet the objective by using only one type of category to disaggregate revenue.
- B88 When selecting the type of category (or categories) to use to disaggregate revenue, an entity shall consider how information about the entity's revenue has been presented for other purposes, including all of the following:
- (a) disclosures presented outside the financial statements (for example, in earnings releases, annual reports or investor presentations);
 - (b) information regularly reviewed by the chief operating decision maker for evaluating the financial performance of operating segments; and
 - (c) other information that is similar to the types of information identified in paragraph B88(a) and (b) and that is used by the entity or users of the entity's financial statements to evaluate the entity's financial performance or make resource allocation decisions.
- B89 Examples of categories that might be appropriate include, but are not limited to, all of the following:
- (a) type of good or service (for example, major product lines);
 - (b) geographical region (for example, country or region);
 - (c) market or type of customer (for example, government and non-government customers);
 - (d) type of contract (for example, fixed-price and time-and-materials contracts);
 - (e) contract duration (for example, short-term and long-term contracts);
 - (f) timing of transfer of goods or services (for example, revenue from goods or services transferred to customers at a point in time and revenue from goods or services transferred over time); and
 - (g) sales channels (for example, goods sold directly to consumers and goods sold through intermediaries).

Appendix C

Service Concession Arrangements

This appendix is an integral part of the Standard.

Background

- 1 Infrastructure for public services—such as roads, bridges, tunnels, prisons, hospitals, airports, water distribution facilities, energy supply and telecommunication networks—has traditionally been constructed, operated and maintained by the public sector and financed through public budget appropriation.
- 2 In recent times, governments have introduced contractual service arrangements to attract private sector participation in the development, financing, operation and maintenance of such infrastructure. The infrastructure may already exist, or may be constructed during the period of the service arrangement. An arrangement within the scope of this Appendix typically involves a private sector entity (an operator) constructing the infrastructure used to provide the public service or upgrading it (for example, by increasing its capacity) and operating and maintaining that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for its services over the period of the arrangement. The arrangement is governed by a contract that sets out performance standards, mechanisms for adjusting prices, and arrangements for arbitrating disputes. Such an arrangement is often described as a ‘build-operate-transfer’, a ‘rehabilitate-operate-transfer’ or a ‘public-to-private’ service concession arrangement.
- 3 A feature of these service arrangements is the public service nature of the obligation undertaken by the operator. Public policy is for the services related to the infrastructure to be provided to the public, irrespective of the identity of the party that operates the services. The service arrangement contractually obliges the operator to provide the services to the public on behalf of the public sector entity. Other common features are:
 - (a) the party that grants the service arrangement (the grantor) is a public sector entity, including a governmental body, or a private sector entity to which the responsibility for the service has been devolved.
 - (b) the operator is responsible for at least some of the management of the infrastructure and related services and does not merely act as an agent on behalf of the grantor.
 - (c) the contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price revisions over the period of the service arrangement.
 - (d) the operator is obliged to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of the arrangement, for little or no incremental consideration, irrespective of which party initially financed it.

Scope

- 4 This Appendix gives guidance on the accounting by operators for public-to-private service concession arrangements.
- 5 This Appendix applies to public-to-private service concession arrangements if:
 - (a) the grantor controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure, to whom it must provide them, and at what price; and
 - (b) the grantor controls—through ownership, beneficial entitlement or otherwise—any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.
- 6 Infrastructure used in a public-to-private service concession arrangement for its entire useful life (whole of life assets) is within the scope of this Appendix if the conditions in paragraph 5(a) of this Appendix are met. Paragraphs AG1–AG8 of the Application Guidance of this Appendix provide guidance on determining whether, and to what extent, public-to-private service concession arrangements are within the scope of this Appendix.
- 7 This Appendix applies to both:
 - (a) infrastructure that the operator constructs or acquires from a third party for the purpose of the service arrangement; and

- (b) existing infrastructure to which the grantor gives the operator access for the purpose of the service arrangement.
- 8 This Appendix does not specify the accounting for infrastructure that was held and recognised as property, plant and equipment by the operator before entering the service arrangement. The derecognition requirements of Ind ASs (as set out in Ind AS 16) apply to such infrastructure.
- 9 This Appendix does not specify the accounting by grantors.

Issues

- 10 This Appendix sets out general principles on recognising and measuring the obligations and related rights in service concession arrangements. Requirements for disclosing information about service concession arrangements are in Appendix D to this Indian Accounting Standard. The issues addressed in this Appendix are:
- (a) treatment of the operator's rights over the infrastructure;
 - (b) recognition and measurement of arrangement consideration;
 - (c) construction or upgrade services;
 - (d) operation services;
 - (e) borrowing costs;
 - (f) subsequent accounting treatment of a financial asset and an intangible asset; and
 - (g) items provided to the operator by the grantor.

Accounting Principles**Treatment of the operator's rights over the infrastructure**

- 11 Infrastructure within the scope of this Appendix shall not be recognised as property, plant and equipment of the operator because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

Recognition and measurement of arrangement consideration

- 12 Under the terms of contractual arrangements within the scope of this Appendix, the operator acts as a service provider. The operator constructs or upgrades infrastructure (construction or upgrade services) used to provide a public service and operates and maintains that infrastructure (operation services) for a specified period of time.
- 13 The operator shall recognise and measure revenue in accordance with Ind AS 115 for the services it performs. The nature of the consideration determines its subsequent accounting treatment. The subsequent accounting for consideration received as a financial asset and as an intangible asset is detailed in paragraphs 23–26 of this Appendix.

Construction or upgrade services

- 14 The operator shall account for construction or upgrade services in accordance with Ind AS 115.

Consideration given by the grantor to the operator

- 15 If the operator provides construction or upgrade services the consideration received or receivable by the operator shall be recognised in accordance with Ind AS 115. The consideration may be rights to:
- (a) a financial asset, or
 - (b) an intangible asset.
- 16 The operator shall recognise a financial asset to the extent that it has an unconditional contractual right to receive cash or another financial asset from or at the direction of the grantor for the construction services; the grantor has little, if any, discretion to avoid payment, usually because the agreement is enforceable by law. The operator has an unconditional right to receive cash if the grantor contractually guarantees to pay the operator (a) specified or determinable amounts or (b) the shortfall, if any, between amounts received from users of the public service and specified or determinable amounts, even if payment is contingent on the operator ensuring that the infrastructure meets specified quality or efficiency requirements.

- 17 The operator shall recognise an intangible asset to the extent that it receives a right (a licence) to charge users of the public service. A right to charge users of the public service is not an unconditional right to receive cash because the amounts are contingent on the extent that the public uses the service.
- 18 If the operator is paid for the construction services partly by a financial asset and partly by an intangible asset it is necessary to account separately for each component of the operator's consideration. The consideration received or receivable for both components shall be recognised initially in accordance with Ind AS 115.
- 19 The nature of the consideration given by the grantor to the operator shall be determined by reference to the contract terms and, when it exists, relevant contract law. The nature of the consideration determines the subsequent accounting as described in paragraphs 23–26 of this Appendix. However, both types of consideration are classified as a contract asset during the construction or upgrade period in accordance with Ind AS 115.

Operation services

- 20 The operator shall account for operation services in accordance with Ind AS 115.

Contractual obligations to restore the infrastructure to a specified level of serviceability

- 21 The operator may have contractual obligations it must fulfil as a condition of its licence (a) to maintain the infrastructure to a specified level of serviceability or (b) to restore the infrastructure to a specified condition before it is handed over to the grantor at the end of the service arrangement. These contractual obligations to maintain or restore infrastructure, except for any upgrade element (see paragraph 14 of this Appendix), shall be recognised and measured in accordance with Ind AS 37, ie at the best estimate of the expenditure that would be required to settle the present obligation at the end of the reporting period.

Borrowing costs incurred by the operator

- 22 In accordance with Ind AS 23, borrowing costs attributable to the arrangement shall be recognised as an expense in the period in which they are incurred unless the operator has a contractual right to receive an intangible asset (a right to charge users of the public service). In this case borrowing costs attributable to the arrangement shall be capitalised during the construction phase of the arrangement in accordance with that Standard.

Financial asset

- 23 Ind ASs 32, 107 and 109 apply to the financial asset recognised under paragraphs 16 and 18 of this Appendix.
- 24 The amount due from or at the direction of the grantor is accounted for in accordance with Ind AS 109 as measured at:
- (a) amortised cost;
 - (b) fair value through other comprehensive income; or
 - (c) fair value through profit or loss.

- 25 If the amount due from the grantor is measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income, Ind AS 109 requires interest calculated using the effective interest method to be recognised in profit or loss.

Intangible asset

- 26 Ind AS 38 applies to the intangible asset recognised in accordance with paragraphs 17 and 18 of this Appendix. Paragraphs 45–47 of Ind AS 38 provide guidance on measuring intangible assets acquired in exchange for a non-monetary asset or assets or a combination of monetary and non-monetary assets.

Items provided to the operator by the grantor

- 27 In accordance with paragraph 11 of this Appendix, infrastructure items to which the operator is given access by the grantor for the purposes of the service arrangement are not recognised as property, plant and equipment of the operator. The grantor may also provide other items to the operator that the operator can keep or deal with as it wishes. If such assets form part of the consideration payable by the grantor for the services, they are not government grants as defined in Ind AS 20. Instead, they are accounted for as part of the transaction price as defined in Ind AS 115.

Application Guidance on Appendix C

This Application Guidance is an integral part of Appendix C

Scope (paragraph 5 of Appendix C)

- AG1 Paragraph 5 of Appendix C specifies that infrastructure is within the scope of the Appendix when the following conditions apply:
- (a) the grantor controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure, to whom it must provide them, and at what price; and
 - (b) the grantor controls—through ownership, beneficial entitlement or otherwise—any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.
- AG2 The control or regulation referred to in condition (a) could be by contract or otherwise (such as through a regulator), and includes circumstances in which the grantor buys all of the output as well as those in which some or all of the output is bought by other users. In applying this condition, the grantor and any related parties shall be considered together. If the grantor is a public sector entity, the public sector as a whole, together with any regulators acting in the public interest, shall be regarded as related to the grantor for the purposes of this Appendix C.
- AG3 For the purpose of condition (a), the grantor does not need to have complete control of the price: it is sufficient for the price to be regulated by the grantor, contract or regulator, for example by a capping mechanism. However, the condition shall be applied to the substance of the agreement. Non-substantive features, such as a cap that will apply only in remote circumstances, shall be ignored. Conversely, if for example, a contract purports to give the operator freedom to set prices, but any excess profit is returned to the grantor, the operator's return is capped and the price element of the control test is met.
- AG4 For the purpose of condition (b), the grantor's control over any significant residual interest should both restrict the operator's practical ability to sell or pledge the infrastructure and give the grantor a continuing right of use throughout the period of the arrangement. The residual interest in the infrastructure is the estimated current value of the infrastructure as if it were already of the age and in the condition expected at the end of the period of the arrangement.
- AG5 Control should be distinguished from management. If the grantor retains both the degree of control described in paragraph 5(a) of Appendix C and any significant residual interest in the infrastructure, the operator is only managing the infrastructure on the grantor's behalf—even though, in many cases, it may have wide managerial discretion.
- AG6 Conditions (a) and (b) together identify when the infrastructure, including any replacements required (see paragraph 21 of Appendix C), is controlled by the grantor for the whole of its economic life. For example, if the operator has to replace part of an item of infrastructure during the period of the arrangement (eg. the top layer of a road or the roof of a building), the item of infrastructure shall be considered as a whole. Thus condition (b) is met for the whole of the infrastructure, including the part that is replaced, if the grantor controls any significant residual interest in the final replacement of that part.
- AG7 Sometimes the use of infrastructure is partly regulated in the manner described in paragraph 5(a) of Appendix C and partly unregulated. However, these arrangements take a variety of forms:
- (a) any infrastructure that is physically separable and capable of being operated independently and meets the definition of a cash-generating unit as defined in Ind AS 36 shall be analysed separately if it is used wholly for unregulated purposes. For example, this might apply to a private wing of a hospital, where the remainder of the hospital is used by the grantor to treat public patients.
 - (b) when purely ancillary activities (such as a hospital shop) are unregulated, the control tests shall be applied as if those services did not exist, because in cases in which the grantor controls the services in the manner described in paragraph 5 of Appendix C, the existence of ancillary activities does not detract from the grantor's control of the infrastructure.

- AG8 The operator may have a right to use the separable infrastructure described in paragraph AG7(a), or the facilities used to provide ancillary unregulated services described in paragraph AG7(b). In either case, there may in substance be a lease from the grantor to the operator; if so, it shall be accounted for in accordance with Ind AS 17.

Appendix D

Service Concession Arrangements: Disclosures

This Appendix is an integral part of the Standard.

Issue

- 1 An entity (the operator) may enter into an arrangement with another entity (the grantor) to provide services that give the public access to major economic and social facilities. The grantor may be a public or private sector entity, including a governmental body. Examples of service concession arrangements involve water treatment and supply facilities, motorways, car parks, tunnels, bridges, airports and telecommunication networks. Examples of arrangements that are not service concession arrangements include an entity outsourcing the operation of its internal services (eg. employee cafeteria, building maintenance, and accounting or information technology functions).
- 2 A service concession arrangement generally involves the grantor conveying for the period of the concession to the operator:
 - (a) the right to provide services that give the public access to major economic and social facilities, and
 - (b) in some cases, the right to use specified tangible assets, intangible assets, or financial assets, in exchange for the operator:
 - (c) committing to provide the services according to certain terms and conditions during the concession period, and
 - (d) when applicable, committing to return at the end of the concession period the rights received at the beginning of the concession period and/or acquired during the concession period.
- 3 The common characteristic of all service concession arrangements is that the operator both receives a right and incurs an obligation to provide public services.
- 4 The issue is what information should be disclosed in the notes in the financial statements of an operator and a grantor.
- 5 Certain aspects and disclosures relating to some service concession arrangements are addressed by Indian Accounting Standards (eg. Ind AS 16 applies to acquisitions of items of property, plant and equipment, Ind AS 17 applies to leases of assets, and Ind AS 38 applies to acquisitions of intangible assets). However, a service concession arrangement may involve executory contracts that are not addressed in Indian Accounting Standards, unless the contracts are onerous, in which case Ind AS 37 applies. Therefore, this Appendix addresses additional disclosures of service concession arrangements.

Accounting Principles

- 6 All aspects of a service concession arrangement shall be considered in determining the appropriate disclosures in the notes. An operator and a grantor shall disclose the following in each period:
 - (a) a description of the arrangement;
 - (b) significant terms of the arrangement that may affect the amount, timing and certainty of future cash flows (eg. the period of the concession, re-pricing dates and the basis upon which re-pricing or re-negotiation is determined);
 - (c) the nature and extent (eg. quantity, time period or amount as appropriate) of:
 - (i) rights to use specified assets;
 - (ii) obligations to provide or rights to expect provision of services;
 - (iii) obligations to acquire or build items of property, plant and equipment;

- (iv) obligations to deliver or rights to receive specified assets at the end of the concession period;
 - (v) renewal and termination options; and
 - (vi) other rights and obligations (eg. major overhauls);
 - (d) changes in the arrangement occurring during the period; and
 - (e) how the service arrangement has been classified.
- 6A An operator shall disclose the amount of revenue and profits or losses recognized in the period on exchanging construction services for a financial asset or an intangible asset.
- 7 The disclosures required in accordance with paragraph 6 of this Appendix shall be provided individually for each service concession arrangement or in aggregate for each class of service concession arrangements. A class is a grouping of service concession arrangements involving services of a similar nature (eg. toll collections, telecommunications and water treatment services).

Appendix E

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and make reference to Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*.

1. Appendix B, *Evaluating the Substance of Transactions involving the Legal Form of a Lease* contained in Ind AS 17, *Leases*.
2. Appendix A, *Intangible Assets—Web Site Costs* contained in Ind AS 38, *Intangible Assets*.

Appendix 1

Note: This appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 115 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 15, Revenue from Contracts with Customers, IFRIC 12, Service Concession Arrangements and SIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IFRS 15, *Revenue from Contracts with Customers*, IFRIC 12 and SIC 29

1. Different terminology is used in Ind AS 115 eg the term 'balance sheet' is used instead of 'statement of financial position' and 'statement of profit and loss' is used instead of 'statement of comprehensive income'.
2. The transitional provisions given in IFRS 15 have not been given in Ind AS 115, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate, have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
3. As per paragraph 15 of IFRS 15, an amount of consideration, among other things, can vary because of penalties. However, paragraph 51 of Ind AS 115 has been amended to exclude 'penalties' from the list of examples given in the paragraph 51 due to which an amount of consideration can vary. However, paragraph 51AA has been inserted to explain the accounting treatment of 'penalties'.
4. Paragraph 109AA has been inserted to require an entity to present separately the amount of excise duty included in the revenue recognised in the statement of profit and loss.
5. Paragraph 126AA has been inserted to present reconciliation of the amount of revenue recognised in the statement of profit and loss with the contracted price showing separately each of the adjustments made to the contract price specifying the nature and amount of each such adjustment separately.
6. In Appendix C – Application Guidance, paragraph B20AA has been inserted to explain the accounting treatment in case of transfers of control of a product to a customer with an unconditional right of return.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 1*Presentation of Financial Statements*

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles).

Objective

- 1 This Standard prescribes the basis for presentation of general purpose financial statements to ensure comparability both with the entity's financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities. It sets out overall requirements for the presentation of financial statements, guidelines for their structure and minimum requirements for their content.

Scope

- 2 **An entity shall apply this Standard in preparing and presenting general purpose financial statements in accordance with Indian Accounting Standards (Ind ASs).**
- 3 Other Ind ASs set out the recognition, measurement and disclosure requirements for specific transactions and other events.
- 4 This Standard does not apply to the structure and content of condensed interim financial statements prepared in accordance with Ind AS 34, *Interim Financial Reporting*. However, paragraphs 15–35 apply to such financial statements. This Standard applies equally to all entities, including those that present consolidated financial statements in accordance with Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, and those that present separate financial statements in accordance with Ind AS 27, *Separate Financial Statements*.
- 5 This Standard uses terminology that is suitable for profit-oriented entities, including public sector business entities. If entities with not-for-profit activities in the private sector or the public sector apply this Standard, they may need to amend the descriptions used for particular line items in the financial statements and for the financial statements themselves.
- 6 Similarly, entities whose share capital is not equity may need to adapt the financial statement presentation of members' interests.

Definitions

- 7 **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

General purpose financial statements (referred to as 'financial statements') are those intended to meet the needs of users who are not in a position to require an entity to prepare reports tailored to their particular information needs.

Impracticable Applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so.

Indian Accounting Standards (Ind ASs) are Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

Material Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor.

Assessing whether an omission or misstatement could influence economic decisions of users, and so be material, requires consideration of the characteristics of those users. The *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* issued by the Institute of Chartered Accountants of India states in paragraph 25 that 'users are assumed to have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting and a willingness to study the information with reasonable diligence.' Therefore, the assessment needs to take into account how users with such attributes could reasonably be expected to be influenced in making economic decisions.

Notes contain information in addition to that presented in the balance sheet, statement of profit and loss, statement of changes in equity and statement of cash flows. Notes provide narrative descriptions or disaggregations of items presented in those statements and information about items that do not qualify for recognition in those statements.

Other comprehensive income comprises items of income and expense (including reclassification adjustments) that are not recognised in profit or loss as required or permitted by other Ind ASs.

The components of other comprehensive income include:

- (a) changes in revaluation surplus (see Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment* and Ind AS 38, *Intangible Assets*);
- (b) reameasurements of defined benefit plans (see Ind AS 19, *Employee Benefits*);
- (c) gains and losses arising from translating the financial statements of a foreign operation (see Ind AS 21, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*);
- (d) gains and losses from investments in equity instruments designated at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5 of Ind AS 109, *Financial Instruments*;
- (da) gains and losses on financial assets measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A of Ind AS 109.
- (e) the effective portion of gains and losses on hedging instruments in a cash flow hedge and the gains and losses on hedging instruments that hedge investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5 of Ind AS 109 (see Chapter 6 of Ind AS 109);
- (f) for particular liabilities designated as at fair value through profit or loss, the amount of the change in fair value that is attributable to changes in the liability's credit risk (see paragraph 5.7.7 of Ind AS 109);
- (g) changes in the value of the time value of options when separating the intrinsic value and time value of an option contract and designating as the hedging instrument only the changes in the intrinsic value (see Chapter 6 of Ind AS 109);
- (h) changes in the value of the forward elements of forward contracts when separating the forward element and spot element of a forward contract and designating as the hedging instrument only the changes in the spot element, and changes in the value of the foreign currency basis spread of a financial instrument when excluding it from the designation of that financial instrument as the hedging instrument (see Chapter 6 of Ind AS 109).

Owners are holders of instruments classified as equity.

Profit or loss is the total of income less expenses, excluding the components of other comprehensive income.

Reclassification adjustments are amounts reclassified to profit or loss in the current period that were recognised in other comprehensive income in the current or previous periods.

Total comprehensive income is the change in equity during a period resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.

Total comprehensive income comprises all components of 'profit or loss' and of 'other comprehensive income'.

8 [Refer Appendix 1]

8A The following terms are described in Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*, and are used in this Standard with the meaning specified in Ind AS 32:

- (a) puttable financial instrument classified as an equity instrument (described in paragraphs 16A and 16B of Ind AS 32)
- (b) an instrument that imposes on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation and is classified as an equity instrument (described in paragraphs 16C and 16D of Ind AS 32).

Financial statements

Purpose of financial statements

- 9 Financial statements are a structured representation of the financial position and financial performance of an entity. The objective of financial statements is to provide information about the financial position, financial performance and cash flows of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions. Financial statements also show the results of the management's stewardship of the resources entrusted to it. To meet this objective, financial statements provide information about an entity's:

- (a) assets;
- (b) liabilities;
- (c) equity;
- (d) income and expenses, including gains and losses;
- (e) contributions by and distributions to owners in their capacity as owners; and
- (f) cash flows.

This information, along with other information in the notes, assists users of financial statements in predicting the entity's future cash flows and, in particular, their timing and certainty.

Complete set of financial statements

10 A complete set of financial statements comprises:

- (a) a balance sheet as at the end of the period ;
- (b) a statement of profit and loss for the period;
- (c) Statement of changes in equity for the period;
- (d) a statement of cash flows for the period;
- (e) notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information; and
- (ea) comparative information in respect of the preceding period as specified in paragraphs 38 and 38A; and
- (f) a balance sheet as at the beginning of the preceding period when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes a retrospective restatement of items in its financial statements, or when it reclassifies items in its financial statements in accordance with paragraphs 40A–40D.

10A An entity shall present a single statement of profit and loss, with profit or loss and other comprehensive income presented in two sections. The sections shall be presented together, with the profit or loss section presented first followed directly by the other comprehensive income section.

11 An entity shall present with equal prominence all of the financial statements in a complete set of financial statements.

12 [Refer Appendix 1]

13 Many entities present, outside the financial statements, a financial review by management that describes and explains the main features of the entity's financial performance and financial position, and the principal uncertainties it faces. Such a report may include a review of:

- (a) the main factors and influences determining financial performance, including changes in the environment in which the entity operates, the entity's response to those changes and their effect, and the entity's policy for investment to maintain and enhance financial performance, including its dividend policy;

(b) the entity's sources of funding and its targeted ratio of liabilities to equity; and

(c) the entity's resources not recognised in the balance sheet in accordance with Ind ASs.

14 Many entities also present, outside the financial statements, reports and statements such as environmental reports and value added statements, particularly in industries in which environmental factors are significant and when employees are regarded as an important user group. Reports and statements presented outside financial statements are outside the scope of Ind ASs.

General features

Presentation of True and Fair View and compliance with Ind ASs

15 Financial statements shall present a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of an entity. Presentation of true and fair view requires the faithful representation of the effects of transactions, other events and conditions in accordance with the definitions and recognition criteria for assets, liabilities, income and expenses set out in the *Framework*. The application of Ind ASs, with additional disclosure when necessary, is presumed to result in financial statements that present a true and fair view.

- 16 **An entity whose financial statements comply with Ind ASs shall make an explicit and unreserved statement of such compliance in the notes. An entity shall not describe financial statements as complying with Ind ASs unless they comply with all the requirements of Ind ASs.**
- 17 In virtually all circumstances, presentation of a true and fair view is achieved by compliance with applicable Ind ASs. Presentation of a true and fair view also requires an entity:
- (a) to select and apply accounting policies in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. Ind AS 8 sets out a hierarchy of authoritative guidance that management considers in the absence of an Ind AS that specifically applies to an item.
 - (b) to present information, including accounting policies, in a manner that provides relevant, reliable, comparable and understandable information.
 - (c) to provide additional disclosures when compliance with the specific requirements in Ind ASs is insufficient to enable users to understand the impact of particular transactions, other events and conditions on the entity's financial position and financial performance.
- 18 **An entity cannot rectify inappropriate accounting policies either by disclosure of the accounting policies used or by notes or explanatory material.**
- 19 **In the extremely rare circumstances in which management concludes that compliance with a requirement in an Ind AS would be so misleading that it would conflict with the objective of financial statements set out in the *Framework*, the entity shall depart from that requirement in the manner set out in paragraph 20 if the relevant regulatory framework requires, or otherwise does not prohibit, such a departure.**
- 20 **When an entity departs from a requirement of an Ind AS in accordance with paragraph 19, it shall disclose:**
- (a) that management has concluded that the financial statements present a true and fair view of the entity's financial position, financial performance and cash flows;
 - (b) that it has complied with applicable Ind ASs, except that it has departed from a particular requirement to present a true and fair view;
 - (c) the title of the Ind AS from which the entity has departed, the nature of the departure, including the treatment that the Ind AS would require, the reason why that treatment would be so misleading in the circumstances that it would conflict with the objective of financial statements set out in the *Framework*, and the treatment adopted; and
 - (d) for each period presented, the financial effect of the departure on each item in the financial statements that would have been reported in complying with the requirement.
- 21 **When an entity has departed from a requirement of an Ind AS in a prior period, and that departure affects the amounts recognised in the financial statements for the current period, it shall make the disclosures set out in paragraph 20(c) and (d).**
- 22 Paragraph 21 applies, for example, when an entity departed in a prior period from a requirement in an Ind AS for the measurement of assets or liabilities and that departure affects the measurement of changes in assets and liabilities recognised in the current period's financial statements.
- 23 **In the extremely rare circumstances in which management concludes that compliance with a requirement in an Ind AS would be so misleading that it would conflict with the objective of financial statements set out in the *Framework*, but the relevant regulatory framework prohibits departure from the requirement, the entity shall, to the maximum extent possible, reduce the perceived misleading aspects of compliance by disclosing:**
- (a) the title of the Ind AS in question, the nature of the requirement, and the reason why management has concluded that complying with that requirement is so misleading in the circumstances that it conflicts with the objective of financial statements set out in the *Framework*; and
 - (b) for each period presented, the adjustments to each item in the financial statements that management has concluded would be necessary to present a true and fair view.
- 24 For the purpose of paragraphs 19–23, an item of information would conflict with the objective of financial statements when it does not represent faithfully the transactions, other events and conditions that it either purports to represent or could reasonably be expected to represent and, consequently, it would be likely to

influence economic decisions made by users of financial statements. When assessing whether complying with a specific requirement in an Ind AS would be so misleading that it would conflict with the objective of financial statements set out in the *Framework*, management considers:

- (a) why the objective of financial statements is not achieved in the particular circumstances; and
- (b) how the entity's circumstances differ from those of other entities that comply with the requirement. If other entities in similar circumstances comply with the requirement, there is a rebuttable presumption that the entity's compliance with the requirement would not be so misleading that it would conflict with the objective of financial statements set out in the *Framework*.

Going concern

25 When preparing financial statements, management shall make an assessment of an entity's ability to continue as a going concern. An entity shall prepare financial statements on a going concern basis unless management either intends to liquidate the entity or to cease trading, or has no realistic alternative but to do so. When management is aware, in making its assessment, of material uncertainties related to events or conditions that may cast significant doubt upon the entity's ability to continue as a going concern, the entity shall disclose those uncertainties. When an entity does not prepare financial statements on a going concern basis, it shall disclose that fact, together with the basis on which it prepared the financial statements and the reason why the entity is not regarded as a going concern.

26 In assessing whether the going concern assumption is appropriate, management takes into account all available information about the future, which is at least, but is not limited to, twelve months from the end of the reporting period. The degree of consideration depends on the facts in each case. When an entity has a history of profitable operations and ready access to financial resources, the entity may reach a conclusion that the going concern basis of accounting is appropriate without detailed analysis. In other cases, management may need to consider a wide range of factors relating to current and expected profitability, debt repayment schedules and potential sources of replacement financing before it can satisfy itself that the going concern basis is appropriate.

Accrual basis of accounting

27 An entity shall prepare its financial statements, except for cash flow information, using the accrual basis of accounting.

28 When the accrual basis of accounting is used, an entity recognises items as assets, liabilities, equity, income and expenses (the elements of financial statements) when they satisfy the definitions and recognition criteria for those elements in the *Framework*.

Materiality and aggregation

29 An entity shall present separately each material class of similar items. An entity shall present separately items of a dissimilar nature or function unless they are immaterial except when required by law.

30 Financial statements result from processing large numbers of transactions or other events that are aggregated into classes according to their nature or function. The final stage in the process of aggregation and classification is the presentation of condensed and classified data, which form line items in the financial statements. If a line item is not individually material, it is aggregated with other items either in those statements or in the notes. An item that is not sufficiently material to warrant separate presentation in those statements may warrant separate presentation in the notes.

31 An entity need not provide a specific disclosure required by an Ind AS if the information is not material except when required by law.

Offsetting

32 An entity shall not offset assets and liabilities or income and expenses, unless required or permitted by an Ind AS.

33 An entity reports separately both assets and liabilities, and income and expenses. Offsetting in the statement of profit and loss or balance sheet, except when offsetting reflects the substance of the transaction or other event, detracts from the ability of users both to understand the transactions, other events and conditions that have occurred and to assess the entity's future cash flows. Measuring assets net of valuation allowances—for example, obsolescence allowances on inventories and doubtful debts allowances on receivables—is not offsetting.

- 34 Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers* requires an entity to measure revenue from contracts with customers at the amount of consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services. For example, the amount of revenue recognised reflects any trade discounts and volume rebates the entity allows. An entity undertakes, in the course of its ordinary activities, other transactions that do not generate revenue but are incidental to the main revenue-generating activities. An entity presents the results of such transactions, when this presentation reflects the substance of the transaction or other event, by netting any income with related expenses arising on the same transaction. For example:
- (a) an entity presents gains and losses on the disposal of non-current assets, including investments and operating assets, by deducting from the amount of consideration on disposal the carrying amount of the asset and related selling expenses; and
 - (b) an entity may net expenditure related to a provision that is recognised in accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, and reimbursed under a contractual arrangement with a third party (for example, a supplier's warranty agreement) against the related reimbursement.
- 35 In addition, an entity presents on a net basis gains and losses arising from a group of similar transactions, for example, foreign exchange gains and losses or gains and losses arising on financial instruments held for trading. However, an entity presents such gains and losses separately if they are material.

Frequency of reporting

- 36 **An entity shall present a complete set of financial statements (including comparative information) at least annually. When an entity changes the end of its reporting period and presents financial statements for a period longer or shorter than one year, an entity shall disclose, in addition to the period covered by the financial statements:**
- (a) the reason for using a longer or shorter period, and
 - (b) the fact that amounts presented in the financial statements are not entirely comparable.

- 37 [Refer Appendix 1]

Comparative information

Minimum comparative information

- 38 **Except when Ind ASs permit or require otherwise, an entity shall present comparative information in respect of the preceding period for all amounts reported in the current period's financial statements. An entity shall include comparative information for narrative and descriptive information if it is relevant to understanding the current period's financial statements.**
- 38A **An entity shall present, as a minimum, two balance sheets, two statements of profit and loss, two statements of cash flows and two statements of changes in equity, and related notes.**
- 38B In some cases, narrative information provided in the financial statements for the preceding period(s) continues to be relevant in the current period. For example, an entity discloses in the current period details of a legal dispute, the outcome of which was uncertain at the end of the preceding period and is yet to be resolved. Users may benefit from the disclosure of information that the uncertainty existed at the end of the preceding period and from the disclosure of information about the steps that have been taken during the period to resolve the uncertainty.

Additional comparative information

- 38C An entity may present comparative information in addition to the minimum comparative financial statements required by Ind ASs, as long as that information is prepared in accordance with Ind ASs. This comparative information may consist of one or more statements referred to in paragraph 10, but need not comprise a complete set of financial statements. When this is the case, the entity shall present related note information for those additional statements.
- 38D For example, an entity may present a third statement of profit and loss (thereby presenting the current period, the preceding period and one additional comparative period). However, the entity is not required to present a third balance sheet, a third statement of cash flows or a third statement of changes in equity (ie an additional financial statement comparative). The entity is required to present, in the notes to the financial statements, the comparative information related to that additional statement of profit and loss.

39- [Refer Appendix 1]

40

Change in accounting policy, retrospective restatement or reclassification

40A An entity shall present a third balance sheet as at the beginning of the preceding period in addition to the minimum comparative financial statements required in paragraph 38A if:

- (a) **it applies an accounting policy retrospectively, makes a retrospective restatement of items in its financial statements or reclassifies items in its financial statements; and**
- (b) **the retrospective application, retrospective restatement or the reclassification has a material effect on the information in the balance sheet at the beginning of the preceding period.**

40B In the circumstances described in paragraph 40A, an entity shall present three balance sheets as at:

- (a) the end of the current period;
- (b) the end of the preceding period; and
- (c) the beginning of the preceding period.

40C When an entity is required to present an additional balance sheet in accordance with paragraph 40A, it must disclose the information required by paragraphs 41– 44 and Ind AS 8. However, it need not present the related notes to the opening balance sheet as at the beginning of the preceding period.

40D The date of that opening balance sheet shall be as at the beginning of the preceding period regardless of whether an entity's financial statements present comparative information for earlier periods (as permitted in paragraph 38C).

41 If an entity changes the presentation or classification of items in its financial statements, it shall reclassify comparative amounts unless reclassification is impracticable. When an entity reclassifies comparative amounts, it shall disclose (including as at the beginning of the preceding period):

- (a) **the nature of the reclassification;**
- (b) **the amount of each item or class of items that is reclassified; and**
- (c) **the reason for the reclassification.**

42 When it is impracticable to reclassify comparative amounts, an entity shall disclose:

- (a) **the reason for not reclassifying the amounts, and**
- (b) **the nature of the adjustments that would have been made if the amounts had been reclassified.**

43 Enhancing the inter-period comparability of information assists users in making economic decisions, especially by allowing the assessment of trends in financial information for predictive purposes. In some circumstances, it is impracticable to reclassify comparative information for a particular prior period to achieve comparability with the current period. For example, an entity may not have collected data in the prior period(s) in a way that allows reclassification, and it may be impracticable to recreate the information.

44 Ind AS 8 sets out the adjustments to comparative information required when an entity changes an accounting policy or corrects an error.

Consistency of presentation

45 An entity shall retain the presentation and classification of items in the financial statements from one period to the next unless:

- (a) **it is apparent, following a significant change in the nature of the entity's operations or a review of its financial statements, that another presentation or classification would be more appropriate having regard to the criteria for the selection and application of accounting policies in Ind AS 8; or**
- (b) **an Ind AS requires a change in presentation.**

46 For example, a significant acquisition or disposal, or a review of the presentation of the financial statements, might suggest that the financial statements need to be presented differently. An entity changes the presentation of its financial statements only if the changed presentation provides information that is reliable and more relevant to users of the financial statements and the revised structure is likely to continue, so that comparability is not impaired. When making such changes in presentation, an entity reclassifies its comparative information in accordance with paragraphs 41 and 42.

Structure and content**Introduction**

- 47 This Standard requires particular disclosures in the balance sheet or in the statement of profit and loss, or in the statement of changes in equity and requires disclosure of other line items either in those statements or in the notes. Ind AS 7, *Statement of Cash Flows*, sets out requirements for the presentation of cash flow information.
- 48 This Standard sometimes uses the term 'disclosure' in a broad sense, encompassing items presented in the financial statements. Disclosures are also required by other Ind ASs. Unless specified to the contrary elsewhere in this Standard or in another Ind AS, such disclosures may be made in the financial statements.

Identification of the financial statements

- 49 **An entity shall clearly identify the financial statements and distinguish them from other information in the same published document.**
- 50 Ind ASs apply only to financial statements, and not necessarily to other information presented in an annual report, a regulatory filing, or another document. Therefore, it is important that users can distinguish information that is prepared using Ind ASs from other information that may be useful to users but is not the subject of those requirements.
- 51 **An entity shall clearly identify each financial statement and the notes. In addition, an entity shall display the following information prominently, and repeat it when necessary for the information presented to be understandable:**
- (a) the name of the reporting entity or other means of identification, and any change in that information from the end of the preceding reporting period;
 - (b) whether the financial statements are of an individual entity or a group of entities;
 - (c) the date of the end of the reporting period or the period covered by the set of financial statements or notes;
 - (d) the presentation currency, as defined in Ind AS 21; and
 - (e) the level of rounding used in presenting amounts in the financial statements.
- 52 An entity meets the requirements in paragraph 51 by presenting appropriate headings for pages, statements, notes, columns and the like. Judgement is required in determining the best way of presenting such information. For example, when an entity presents the financial statements electronically, separate pages are not always used; an entity then presents the above items to ensure that the information included in the financial statements can be understood.
- 53 An entity often makes financial statements more understandable by presenting information in thousands, lakhs, millions or crores of units of the presentation currency. This is acceptable as long as the entity discloses the level of rounding and does not omit material information.

Balance Sheet**Information to be presented in the balance sheet**

- 54 **As a minimum, the balance sheet shall include line items that present the following amounts :**
- (a) property, plant and equipment;
 - (b) investment property;
 - (c) intangible assets;
 - (d) financial assets [excluding amounts shown under (e), (h) and (i)];
 - (e) investments accounted for using the equity method;
 - (f) biological assets within the scope of Ind AS 41 *Agriculture*;
 - (g) inventories;
 - (h) trade and other receivables;
 - (i) cash and cash equivalents;
 - (j) the total of assets classified as held for sale and assets included in disposal groups classified as held for sale in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*;
 - (k) trade and other payables;

- (l) provisions;
 - (m) financial liabilities (excluding amounts shown under (k) and (l));
 - (n) liabilities and assets for current tax, as defined in Ind AS 12, *Income Taxes*;
 - (o) deferred tax liabilities and deferred tax assets, as defined in Ind AS 12;
 - (p) liabilities included in disposal groups classified as held for sale in accordance with Ind AS 105;
 - (q) non-controlling interests, presented within equity; and
 - (r) issued capital and reserves attributable to owners of the parent.
- 55 An entity shall present additional line items, headings and subtotals in the balance sheet when such presentation is relevant to an understanding of the entity's financial position.
- 56 When an entity presents current and non-current assets, and current and non-current liabilities, as separate classifications in its balance sheet, it shall not classify deferred tax assets (liabilities) as current assets (liabilities).
- 57 This Standard does not prescribe the order or format in which an entity presents items. Paragraph 54 simply lists items that are sufficiently different in nature or function to warrant separate presentation in the balance sheet. In addition:
- (a) line items are included when the size, nature or function of an item or aggregation of similar items is such that separate presentation is relevant to an understanding of the entity's financial position; and
 - (b) the descriptions used and the ordering of items or aggregation of similar items may be amended according to the nature of the entity and its transactions, to provide information that is relevant to an understanding of the entity's financial position. For example, a financial institution may amend the above descriptions to provide information that is relevant to the operations of a financial institution.
- 58 An entity makes the judgement about whether to present additional items separately on the basis of an assessment of:
- (a) the nature and liquidity of assets;
 - (b) the function of assets within the entity; and
 - (c) the amounts, nature and timing of liabilities.
- 59 The use of different measurement bases for different classes of assets suggests that their nature or function differs and, therefore, that an entity presents them as separate line items. For example, different classes of property, plant and equipment can be carried at cost or at revalued amounts in accordance with Ind AS 16.
- Current/non-current distinction**
- 60 An entity shall present current and non-current assets, and current and non-current liabilities, as separate classifications in its balance sheet in accordance with paragraphs 66–76 except when a presentation based on liquidity provides information that is reliable and more relevant. When that exception applies, an entity shall present all assets and liabilities in order of liquidity.
- 61 Whichever method of presentation is adopted, an entity shall disclose the amount expected to be recovered or settled after more than twelve months for each asset and liability line item that combines amounts expected to be recovered or settled:
- (a) no more than twelve months after the reporting period, and
 - (b) more than twelve months after the reporting period.
- 62 When an entity supplies goods or services within a clearly identifiable operating cycle, separate classification of current and non-current assets and liabilities in the balance sheet provides useful information by distinguishing the net assets that are continuously circulating as working capital from those used in the entity's long-term operations. It also highlights assets that are expected to be realised within the current operating cycle, and liabilities that are due for settlement within the same period.
- 63 For some entities, such as financial institutions, a presentation of assets and liabilities in increasing or decreasing order of liquidity provides information that is reliable and more relevant than a current/non-current presentation because the entity does not supply goods or services within a clearly identifiable operating cycle.
- 64 In applying paragraph 60, an entity is permitted to present some of its assets and liabilities using a current/non-current classification and others in order of liquidity when this provides information that is reliable and more relevant. The need for a mixed basis of presentation might arise when an entity has diverse operations.

- 65 Information about expected dates of realisation of assets and liabilities is useful in assessing the liquidity and solvency of an entity. Ind AS 107, *Financial Instruments: Disclosures*, requires disclosure of the maturity dates of financial assets and financial liabilities. Financial assets include trade and other receivables, and financial liabilities include trade and other payables. Information on the expected date of recovery of non-monetary assets such as inventories and expected date of settlement for liabilities such as provisions is also useful, whether assets and liabilities are classified as current or as non-current. For example, an entity discloses the amount of inventories that are expected to be recovered more than twelve months after the reporting period.

Current assets

- 66 **An entity shall classify an asset as current when:**

- (a) **it expects to realise the asset, or intends to sell or consume it, in its normal operating cycle;**
- (b) **it holds the asset primarily for the purpose of trading;**
- (c) **it expects to realise the asset within twelve months after the reporting period; or**
- (d) **the asset is cash or a cash equivalent (as defined in Ind AS 7) unless the asset is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.**

An entity shall classify all other assets as non-current.

- 67 This Standard uses the term 'non-current' to include tangible, intangible and financial assets of a long-term nature. It does not prohibit the use of alternative descriptions as long as the meaning is clear.
- 68 The operating cycle of an entity is the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash or cash equivalents. When the entity's normal operating cycle is not clearly identifiable, it is assumed to be twelve months. Current assets include assets (such as inventories and trade receivables) that are sold, consumed or realised as part of the normal operating cycle even when they are not expected to be realised within twelve months after the reporting period. Current assets also include assets held primarily for the purpose of trading (examples include some financial assets that meet the definition of held for trading in Ind AS 109) and the current portion of non-current financial assets.

Current liabilities

- 69 **An entity shall classify a liability as current when:**

- (a) **it expects to settle the liability in its normal operating cycle;**
- (b) **it holds the liability primarily for the purpose of trading;**
- (c) **the liability is due to be settled within twelve months after the reporting period; or**
- (d) **it does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period (see paragraph 73). Terms of a liability that could, at the option of the counterparty, result in its settlement by the issue of equity instruments do not affect its classification.**

An entity shall classify all other liabilities as non-current.

- 70 Some current liabilities, such as trade payables and some accruals for employee and other operating costs, are part of the working capital used in the entity's normal operating cycle. An entity classifies such operating items as current liabilities even if they are due to be settled more than twelve months after the reporting period. The same normal operating cycle applies to the classification of an entity's assets and liabilities. When the entity's normal operating cycle is not clearly identifiable, it is assumed to be twelve months.
- 71 Other current liabilities are not settled as part of the normal operating cycle, but are due for settlement within twelve months after the reporting period or held primarily for the purpose of trading. Examples are some financial liabilities that meet the definition of held for trading in Ind AS 109, bank overdrafts, and the current portion of non-current financial liabilities, dividends payable, income taxes and other non-trade payables. Financial liabilities that provide financing on a long-term basis (ie are not part of the working capital used in the entity's normal operating cycle) and are not due for settlement within twelve months after the reporting period are non-current liabilities, subject to paragraphs 74 and 75.

72 An entity classifies its financial liabilities as current when they are due to be settled within twelve months after the reporting period, even if:

- (a) the original term was for a period longer than twelve months, and
- (b) an agreement to refinance, or to reschedule payments, on a long-term basis is completed after the reporting period and before the financial statements are approved for issue.

73 If an entity expects, and has the discretion, to refinance or roll over an obligation for at least twelve months after the reporting period under an existing loan facility, it classifies the obligation as non-current, even if it would otherwise be due within a shorter period. However, when refinancing or rolling over the obligation is not at the discretion of the entity (for example, there is no arrangement for refinancing), the entity does not consider the potential to refinance the obligation and classifies the obligation as current.

74 Where there is a breach of a material provision of a long-term loan arrangement on or before the end of the reporting period with the effect that the liability becomes payable on demand on the reporting date, the entity does not classify the liability as current, if the lender agreed, after the reporting period and before the approval of the financial statements for issue, not to demand payment as a consequence of the breach.

75 However, an entity classifies the liability as non-current if the lender agreed by the end of the reporting period to provide a period of grace ending at least twelve months after the reporting period, within which the entity can rectify the breach and during which the lender cannot demand immediate repayment.

76 [Refer Appendix 1]

Information to be presented either in the balance sheet or in the notes

77 **An entity shall disclose, either in the balance sheet or in the notes, further subclassifications of the line items presented, classified in a manner appropriate to the entity's operations.**

78 The detail provided in subclassifications depends on the requirements of Ind ASs and on the size, nature and function of the amounts involved. An entity also uses the factors set out in paragraph 58 to decide the basis of subclassification. The disclosures vary for each item, for example:

- (a) items of property, plant and equipment are disaggregated into classes in accordance with Ind AS 16;
- (b) receivables are disaggregated into amounts receivable from trade customers, receivables from related parties, prepayments and other amounts;
- (c) inventories are disaggregated, in accordance with Ind AS 2, *Inventories*, into classifications such as merchandise, production supplies, materials, work in progress and finished goods;
- (d) provisions are disaggregated into provisions for employee benefits and other items; and
- (e) equity capital and reserves are disaggregated into various classes, such as paid-in capital, share premium and reserves.

79 **An entity shall disclose the following, either in the balance sheet or the statement of changes in equity, or in the notes:**

(a) **for each class of share capital:**

- (i) **the number of shares authorised;**
- (ii) **the number of shares issued and fully paid, and issued but not fully paid;**
- (iii) **par value per share, or that the shares have no par value;**
- (iv) **a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the period;**
- (v) **the rights, preferences and restrictions attaching to that class including restrictions on the distribution of dividends and the repayment of capital;**
- (vi) **shares in the entity held by the entity or by its subsidiaries or associates; and**
- (vii) **shares reserved for issue under options and contracts for the sale of shares, including terms and amounts; and**

(b) **a description of the nature and purpose of each reserve within equity.**

80 **An entity whose capital is not limited by shares eg, a company limited by guarantee, shall disclose information equivalent to that required by paragraph 79(a), showing changes during the period in each**

category of equity interest, and the rights, preferences and restrictions attaching to each category of equity interest.

80A If an entity has reclassified

- (a) a puttable financial instrument classified as an equity instrument, or
 - (b) an instrument that imposes on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation and is classified as an equity instrument
- between financial liabilities and equity, it shall disclose the amount reclassified into and out of each category (financial liabilities or equity), and the timing and reason for that reclassification.

Statement of Profit and Loss

81 [Refer Appendix 1]

81A The statement of profit and loss shall present, in addition to the profit or loss and other comprehensive income sections:

- (a) profit or loss;
- (b) total other comprehensive income;
- (c) comprehensive income for the period, being the total of profit or loss and other comprehensive income.

81B An entity shall present the following items, in addition to the profit or loss and other comprehensive income sections, as allocation of profit or loss and other comprehensive income for the period:

- (a) profit or loss for the period attributable to:
 - (i) non-controlling interests, and
 - (ii) owners of the parent.
- (b) comprehensive income for the period attributable to:
 - (i) non-controlling interests, and
 - (ii) owners of the parent.

Information to be presented in the profit or loss section of the statement of profit and loss

82 In addition to items required by other Ind ASs, the profit or loss section of the statement of profit and loss shall include line items that present the following amounts for the period:

- (a) revenue, presenting separately interest revenue calculated using the effective interest method;
- (aa) gains and losses arising from the derecognition of financial assets measured at amortised cost;
- (b) finance costs;
- (ba) impairment losses (including reversals of impairment losses or impairment gains) determined in accordance with Section 5.5 of Ind AS 109;
- (c) share of the profit or loss of associates and joint ventures accounted for using the equity method;
- (ca) if a financial asset is reclassified out of the amortised cost measurement category so that it is measured at fair value through profit or loss, any gain or loss arising from a difference between the previous amortised cost of the financial asset and its fair value at the reclassification date (as defined in Ind AS 109);
- (cb) if a financial asset is reclassified out of the fair value through other comprehensive income measurement category so that it is measured at fair value through profit or loss, any cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income that is reclassified to profit or loss;
- (d) tax expense;
- (e) [Refer Appendix 1]
- (ea) a single amount for the total of discontinued operations (see Ind AS 105).
- (f)-(i) [Refer Appendix 1]

Information to be presented in the other comprehensive income section

82A The other comprehensive income section shall present line items for amounts of other comprehensive income in the period, classified by nature (including share of the other comprehensive income of associates and joint ventures accounted for using the equity method) and grouped into those that, in accordance with other Ind ASs:

- (a) will not be reclassified subsequently to profit or loss; and
- (b) will be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are met.

83 [Refer Appendix 1]

84 [Refer Appendix 1]

85 An entity shall present additional line items, headings and subtotals in the statement of profit and loss, when such presentation is relevant to an understanding of the entity's financial performance.

86 Because the effects of an entity's various activities, transactions and other events differ in frequency, potential for gain or loss and predictability, disclosing the components of financial performance assists users in understanding the financial performance achieved and in making projections of future financial performance. An entity includes additional line items in the statement of profit and loss, and it amends the descriptions used and the ordering of items when this is necessary to explain the elements of financial performance. An entity considers factors including materiality and the nature and function of the items of income and expense. For example, a financial institution may amend the descriptions to provide information that is relevant to the operations of a financial institution. An entity does not offset income and expense items unless the criteria in paragraph 32 are met.

87 An entity shall not present any items of income or expense as extraordinary items, in the statement of profit and loss or in the notes.

Profit or loss for the period

88 An entity shall recognise all items of income and expense in a period in profit or loss unless an Ind AS requires or permits otherwise.

89 Some Ind ASs specify circumstances when an entity recognises particular items outside profit or loss in the current period. Ind AS 8 specifies two such circumstances: the correction of errors and the effect of changes in accounting policies. Other Ind ASs require or permit components of other comprehensive income that meet the *Framework's* definition of income or expense to be excluded from profit or loss (see paragraph 7).

Other comprehensive income for the period

90 An entity shall disclose the amount of income tax relating to each item of other comprehensive income, including reclassification adjustments, either in the statement of profit and loss or in the notes.

91 An entity may present items of other comprehensive income either:

- (a) net of related tax effects, or
- (b) before related tax effects with one amount shown for the aggregate amount of income tax relating to those items.

If an entity elects alternative (b), it shall allocate the tax between the items that might be reclassified subsequently to the profit or loss section and those that will not be reclassified subsequently to the profit or loss section.

92 An entity shall disclose reclassification adjustments relating to components of other comprehensive income.

93 Other Ind ASs specify whether and when amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss. Such reclassifications are referred to in this Standard as reclassification adjustments. A reclassification adjustment is included with the related component of other comprehensive income in the period that the adjustment is reclassified to profit or loss. These amounts may have been recognised in other comprehensive income as unrealised gains in the current or previous periods. Those unrealised gains must be deducted from other comprehensive income in the period in which the realised gains are reclassified to profit or loss to avoid including them in total comprehensive income twice.

94 An entity may present reclassification adjustments in the statement of profit and loss or in the notes. An entity presenting reclassification adjustments in the notes presents the items of other comprehensive income after any related reclassification adjustments.

95 Reclassification adjustments arise, for example, on disposal of a foreign operation (see Ind AS 21) and when some hedged forecast cash flow affect profit or loss (see paragraph 6.5.11(d) of Ind AS109 in relation to cash flow hedges).

96 Reclassification adjustments do not arise on changes in revaluation surplus recognised in accordance with Ind AS 16 or Ind AS 38 or on reameasurements of defined benefit plans recognised in accordance with Ind AS 19. These components are recognised in other comprehensive income and are not reclassified to profit or loss in subsequent periods. Changes in revaluation surplus may be transferred to retained earnings in subsequent periods as the asset is used or when it is derecognised (see Ind AS 16 and Ind AS 38). In accordance with Ind AS 109, reclassification adjustments do not arise if a cash flow hedge or the accounting for the time value of an option (or the forward element of a forward contract or the foreign currency basis spread of a financial instrument) result in amounts that are removed from the cash flow hedge reserve or a separate component of equity, respectively, and included directly in the initial cost or other carrying amount of an asset or a liability. These amounts are directly transferred to assets or liabilities.

Information to be presented in the statement of profit and loss or in the notes

97 **When items of income or expense are material, an entity shall disclose their nature and amount separately.**

98 Circumstances that would give rise to the separate disclosure of items of income and expense include:

- (a) write-downs of inventories to net realisable value or of property, plant and equipment to recoverable amount, as well as reversals of such write-downs;
- (b) restructurings of the activities of an entity and reversals of any provisions for the costs of restructuring;
- (c) disposals of items of property, plant and equipment;
- (d) disposals of investments;
- (e) discontinued operations;
- (f) litigation settlements; and
- (g) other reversals of provisions.

99 **An entity shall present an analysis of expenses recognised in profit or loss using a classification based on the nature of expense method.**

100 Entities are encouraged to present the analysis in paragraph 99 in the statement of profit and loss.

101 Expenses are subclassified to highlight components of financial performance that may differ in terms of frequency, potential for gain or loss and predictability. This analysis is provided in the form as described in paragraph 102.

102 In the analysis based on the 'nature of expense' method, an entity aggregates expenses within profit or loss according to their nature (for example, depreciation, purchases of materials, transport costs, employee benefits and advertising costs), and does not reallocate them among functions within the entity. This method is simple to apply because no allocations of expenses to functional classifications are necessary. An example of a classification using the nature of expense method is as follows:

Revenue	X
Other income	X
Changes in inventories of finished goods and work in progress	X
Raw materials and consumables used	X
Employee benefits expense	X
Depreciation and amortisation expense	X
Other expenses	X
Total expenses	(X)
Profit before tax	X

103 [Refer Appendix 1]

104 [Refer Appendix 1]

105 [Refer Appendix 1]

Statement of changes in equity

Information to be presented in the statement of changes in equity

106 An entity shall present a statement of changes in equity as required by paragraph 10. The statement of changes in equity includes the following information:

- (a) total comprehensive income for the period, showing separately the total amounts attributable to owners of the parent and to non-controlling interests;
- (b) for each component of equity, the effects of retrospective application or retrospective restatement recognised in accordance with Ind AS 8;
- (c) [Refer Appendix 1]
- (d) for each component of equity, a reconciliation between the carrying amount at the beginning and the end of the period, separately (as a minimum) disclosing changes resulting from:
 - (i) profit or loss;
 - (ii) other comprehensive income;
 - (iii) transactions with owners in their capacity as owners, showing separately contributions by and distributions to owners and changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in a loss of control; and
 - (iv) any item recognised directly in equity such as amount recognised directly in equity as capital reserve with paragraph 36A of Ind AS 103.

Information to be presented in the statement of changes in equity or in the notes

106A For each component of equity an entity shall present, either in the statement of changes in equity or in the notes, an analysis of other comprehensive income by item (see paragraph 106 (d) (ii)).

107 An entity shall present, either in the statement of changes in equity or in the notes, the amount of dividends recognised as distributions to owners during the period, and the related amount of dividends per share.

108 In paragraph 106, the components of equity include, for example, each class of contributed equity, the accumulated balance of each class of other comprehensive income and retained earnings.

109 Changes in an entity's equity between the beginning and the end of the reporting period reflect the increase or decrease in its net assets during the period. Except for changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners (such as equity contributions, reacquisitions of the entity's own equity instruments and dividends) and transaction costs directly related to such transactions, the overall change in equity during a period represents the total amount of income and expense, including gains and losses, generated by the entity's activities during that period.

110 Ind AS 8 requires retrospective adjustments to effect changes in accounting policies, to the extent practicable, except when the transition provisions in another Ind AS require otherwise. Ind AS 8 also requires restatements to correct errors to be made retrospectively, to the extent practicable. Retrospective adjustments and retrospective restatements are not changes in equity but they are adjustments to the opening balance of retained earnings, except when an Ind AS requires retrospective adjustment of another component of equity. Paragraph 106(b) requires disclosure in the statement of changes in equity of the total adjustment to each component of equity resulting from changes in accounting policies and, separately, from corrections of errors. These adjustments are disclosed for each prior period and the beginning of the period.

Statement of cash flows

111 Cash flow information provides users of financial statements with a basis to assess the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and the needs of the entity to utilise those cash flows. Ind AS 7 sets out requirements for the presentation and disclosure of cash flow information.

Notes

Structure

112 The notes shall:

- (a) present information about the basis of preparation of the financial statements and the specific accounting policies used in accordance with paragraphs 117–124;

- (b) **disclose the information required by Ind ASs that is not presented elsewhere in the financial statements; and**
 - (c) **provide information that is not presented elsewhere in the financial statements, but is relevant to an understanding of any of them.**
- 113 **An entity shall present notes in a systematic manner. An entity shall cross-reference each item in the balance sheet and in the statement of profit and loss, and in the statements of changes in equity and of cash flows to any related information in the notes.**
- 114 An entity normally presents notes in the following order, to assist users to understand the financial statements and to compare them with financial statements of other entities:
- (a) statement of compliance with Ind ASs (see paragraph 16);
 - (b) summary of significant accounting policies applied (see paragraph 117);
 - (c) supporting information for items presented in the balance sheet, and in the statement of profit and loss, and in the statements of changes in equity and of cash flows, in the order in which each statement and each line item is presented; and
 - (d) other disclosures, including:
 - (i) contingent liabilities (see Ind AS 37) and unrecognised contractual commitments, and
 - (ii) non-financial disclosures, eg the entity's financial risk management objectives and policies (see Ind AS 107).
- 115 In some circumstances, it may be necessary or desirable to vary the order of specific items within the notes. For example, an entity may combine information on changes in fair value recognised in profit or loss with information on maturities of financial instruments, although the former disclosures relate to the statement of profit and loss and the latter relate to the balance sheet. Nevertheless, an entity retains a systematic structure for the notes as far as practicable.
- 116 An entity may present notes providing information about the basis of preparation of the financial statements and specific accounting policies as a separate section of the financial statements.
- Disclosure of accounting policies**
- 117 **An entity shall disclose in the summary of significant accounting policies:**
- (a) **the measurement basis (or bases) used in preparing the financial statements, and**
 - (b) **the other accounting policies used that are relevant to an understanding of the financial statements.**
- 118 It is important for an entity to inform users of the measurement basis or bases used in the financial statements (for example, historical cost, current cost, net realisable value, fair value or recoverable amount) because the basis on which an entity prepares the financial statements significantly affects users' analysis. When an entity uses more than one measurement basis in the financial statements, for example when particular classes of assets are revalued, it is sufficient to provide an indication of the categories of assets and liabilities to which each measurement basis is applied.
- 119 In deciding whether a particular accounting policy should be disclosed, management considers whether disclosure would assist users in understanding how transactions, other events and conditions are reflected in reported financial performance and financial position. Disclosure of particular accounting policies is especially useful to users when those policies are selected from alternatives allowed in Ind ASs. An example is disclosure of a regular way purchase or sale of financial assets using either trade date accounting or settlement date accounting (see Ind AS 109, *Financial Instruments*). Some Ind ASs specifically require disclosure of particular accounting policies, including choices made by management between different policies they allow. For example, Ind AS 16 requires disclosure of the measurement bases used for classes of property, plant and equipment.
- 120 Each entity considers the nature of its operations and the policies that the users of its financial statements would expect to be disclosed for that type of entity. For example, users would expect an entity subject to income taxes to disclose its accounting policies for income taxes, including those applicable to deferred tax liabilities and assets. When an entity has significant foreign operations or transactions in foreign currencies, users would expect disclosure of accounting policies for the recognition of foreign exchange gains and losses.

121 An accounting policy may be significant because of the nature of the entity's operations even if amounts for current and prior periods are not material. It is also appropriate to disclose each significant accounting policy that is not specifically required by Ind ASs but the entity selects and applies in accordance with Ind AS 8.

122 **An entity shall disclose, in the summary of significant accounting policies or other notes, the judgements, apart from those involving estimations (see paragraph 125), that management has made in the process of applying the entity's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements.**

123 In the process of applying the entity's accounting policies, management makes various judgements, apart from those involving estimations, that can significantly affect the amounts it recognises in the financial statements. For example, management makes judgements in determining:

- (a) [Refer Appendix 1]
- (b) when substantially all the significant risks and rewards of ownership of financial assets and lease assets are transferred to other entities;
- (c) whether, in substance, particular sales of goods are financing arrangements and therefore do not give rise to revenue. and
- (d) whether the contractual terms of a financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

124 Some of the disclosures made in accordance with paragraph 122 are required by other Ind ASs. For example, Ind AS 112, *Disclosure of Interests in Other Entities*, requires an entity to disclose the judgments it has made in determining whether it controls another entity. Ind AS 40, *Investment Property*, requires disclosure of the criteria developed by the entity to distinguish investment property from owner-occupied property and from property held for sale in the ordinary course of business, when classification of the property is difficult.

Sources of estimation uncertainty

125 **An entity shall disclose information about the assumptions it makes about the future, and other major sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of resulting in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year. In respect of those assets and liabilities, the notes shall include details of:**

- (a) **their nature, and**
- (b) **their carrying amount as at the end of the reporting period.**

126 Determining the carrying amounts of some assets and liabilities requires estimation of the effects of uncertain future events on those assets and liabilities at the end of the reporting period. For example, in the absence of recently observed market prices, future-oriented estimates are necessary to measure the recoverable amount of classes of property, plant and equipment, the effect of technological obsolescence on inventories, provisions subject to the future outcome of litigation in progress, and long-term employee benefit liabilities such as pension obligations. These estimates involve assumptions about such items as the risk adjustment to cash flows or discount rates, future changes in salaries and future changes in prices affecting other costs.

127 The assumptions and other sources of estimation uncertainty disclosed in accordance with paragraph 125 relate to the estimates that require management's most difficult, subjective or complex judgements. As the number of variables and assumptions affecting the possible future resolution of the uncertainties increases, those judgements become more subjective and complex, and the potential for a consequential material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities normally increases accordingly.

128 The disclosures in paragraph 125 are not required for assets and liabilities with a significant risk that their carrying amounts might change materially within the next financial year if, at the end of the reporting period, they are measured at fair value based on a quoted price in an active market for an identical asset or liability. Such fair values might change materially within the next financial year but these changes would not arise from assumptions or other sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period.

129 An entity presents the disclosures in paragraph 125 in a manner that helps users of financial statements to understand the judgements that management makes about the future and about other sources of estimation uncertainty. The nature and extent of the information provided vary according to the nature of the assumption and other circumstances. Examples of the types of disclosures an entity makes are:

- (a) the nature of the assumption or other estimation uncertainty;

- (b) the sensitivity of carrying amounts to the methods, assumptions and estimates underlying their calculation, including the reasons for the sensitivity;
 - (c) the expected resolution of an uncertainty and the range of reasonably possible outcomes within the next financial year in respect of the carrying amounts of the assets and liabilities affected; and
 - (d) an explanation of changes made to past assumptions concerning those assets and liabilities, if the uncertainty remains unresolved.
- 130 This Standard does not require an entity to disclose budget information or forecasts in making the disclosures in paragraph 125.
- 131 Sometimes it is impracticable to disclose the extent of the possible effects of an assumption or another source of estimation uncertainty at the end of the reporting period. In such cases, the entity discloses that it is reasonably possible, on the basis of existing knowledge, that outcomes within the next financial year that are different from the assumption could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected. In all cases, the entity discloses the nature and carrying amount of the specific asset or liability (or class of assets or liabilities) affected by the assumption.
- 132 The disclosures in paragraph 122 of particular judgements that management made in the process of applying the entity's accounting policies do not relate to the disclosures of sources of estimation uncertainty in paragraph 125.
- 133 Other Ind ASs require the disclosure of some of the assumptions that would otherwise be required in accordance with paragraph 125. For example, Ind AS 37 requires disclosure, in specified circumstances, of major assumptions concerning future events affecting classes of provisions. Ind AS 113, *Fair Value Measurement*, requires disclosure of significant assumptions (including the valuation technique(s) and inputs) the entity uses when measuring the fair values of assets and liabilities that are carried at fair value.

Capital

- 134 **An entity shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the entity's objectives, policies and processes for managing capital.**
- 135 To comply with paragraph 134, the entity discloses the following:
- (a) qualitative information about its objectives, policies and processes for managing capital, including:
 - (i) a description of what it manages as capital;
 - (ii) when an entity is subject to externally imposed capital requirements, the nature of those requirements and how those requirements are incorporated into the management of capital; and
 - (iii) how it is meeting its objectives for managing capital.
 - (b) summary quantitative data about what it manages as capital. Some entities regard some financial liabilities (eg some forms of subordinated debt) as part of capital. Other entities regard capital as excluding some components of equity (eg components arising from cash flow hedges).
 - (c) any changes in (a) and (b) from the previous period.
 - (d) whether during the period it complied with any externally imposed capital requirements to which it is subject.
 - (e) when the entity has not complied with such externally imposed capital requirements, the consequences of such non-compliance.

The entity bases these disclosures on the information provided internally to key management personnel.

- 136 An entity may manage capital in a number of ways and be subject to a number of different capital requirements. For example, a conglomerate may include entities that undertake insurance activities and banking activities and those entities may operate in several jurisdictions. When an aggregate disclosure of capital requirements and how capital is managed would not provide useful information or distorts a financial statement user's understanding of an entity's capital resources, the entity shall disclose separate information for each capital requirement to which the entity is subject.

Puttable financial instruments classified as equity

- 136A **For puttable financial instruments classified as equity instruments, an entity shall disclose (to the extent not disclosed elsewhere):**

- (a) summary quantitative data about the amount classified as equity;
- (b) its objectives, policies and processes for managing its obligation to repurchase or redeem the instruments when required to do so by the instrument holders, including any changes from the previous period;
- (c) the expected cash outflow on redemption or repurchase of that class of financial instruments; and
- (d) information about how the expected cash outflow on redemption or repurchase was determined.

Other disclosures

137 An entity shall disclose in the notes:

- (a) the amount of dividends proposed or declared before the financial statements were approved for issue but not recognised as a distribution to owners during the period, and the related amount per share; and
- (b) the amount of any cumulative preference dividends not recognised.

138 An entity shall disclose the following, if not disclosed elsewhere in information published with the financial statements:

- (a) the domicile and legal form of the entity, its country of incorporation and the address of its registered office (or principal place of business, if different from the registered office);
- (b) a description of the nature of the entity's operations and its principal activities;
- (c) the name of the parent and the ultimate parent of the group; and
- (d) if it is a limited life entity, information regarding the length of its life.

Appendix A

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the different appendices which are the part of other Indian Accounting Standards and make reference to Ind AS 1.

1. Appendix A, *Distributions of Non-cash Assets to Owners*, contained in Ind AS 10, *Events after the Reporting Period*
2. Appendix A, *Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities*, contained in Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*
3. Appendix B, *The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction*, contained in Ind AS 19, *Employee Benefits*
4. Appendix A, *Intangible Assets—Web Site Costs*, contained in Ind AS 38, *Intangible Assets*
5. Appendix D, *Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments* contained in Ind AS 109, *Financial Instruments*.
6. Appendix C, *Levies*, contained in Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.
7. Appendix B, *Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine*, contained in Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 1 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 1, Presentation of Financial Statements, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 1, Presentation of Financial Statements

1. With regard to preparation of Statement of profit and loss, International Accounting Standard (IAS) 1, *Presentation of Financial Statements*, provides an option either to follow the single statement approach or to follow the two statement approach. Paragraph 10A of IAS 1 provides that an entity may present a single statement of profit or loss and other comprehensive income, with profit or loss and other comprehensive income presented in two sections or an entity may present the profit or loss section in a separate statement of

- profit or loss which shall immediately precede the statement presenting comprehensive income, which shall begin with profit or loss. Ind AS 1 allows only the single statement approach. Accordingly paragraph 10A has been modified.
2. Different terminology is used in Ind AS 1 eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of Profit and Loss' is used instead of 'Statement of profit and loss and other comprehensive income'. The words 'approval of the financial statements for issue' have been used instead of 'authorisation of the financial statements for issue' in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period. The words 'true and fair view' have been used instead of 'fair presentation'.
 3. Paragraph 8 of IAS 1 gives the option to individual entities to follow different terminology for the titles of financial statements. Ind AS 1 is changed to remove alternatives by giving one terminology to be used by all entities. However, paragraph number 8 has been retained in Ind AS 1 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1. Similar changes has been made in paragraph 10 also.
 4. Paragraph 37 of IAS 1 permits the periodicity, for example, of 52 weeks for preparation of financial statements. As Ind AS 1 does not permit it, the same is deleted. However, paragraph number 37 has been retained in Ind AS 1 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1.
 5. Paragraph 99 of IAS 1 requires an entity to present an analysis of expenses recognised in profit or loss using a classification based on either their nature or their function within the equity. Ind AS 1 requires only nature-wise classification of expenses. In IAS 1 the following paragraphs are with reference to function-wise classification of expense. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1, the paragraph numbers are retained in Ind AS 1:
 - (i) Paragraph 103
 - (ii) Paragraph 104
 - (iii) Paragraph 105
 6. Following paragraph numbers appear as 'Deleted' in IAS 1. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1, the paragraph numbers are retained in Ind AS 1.
 - (i) paragraph 12
 - (ii) paragraphs 39-40
 - (iii) paragraph 81
 - (iv) paragraph 82(e)
 - (v) paragraphs 82(f)-(i)
 - (vi) paragraphs 83-84
 - (vii) paragraph 106(c)
 - (viii) paragraph 123(a)
 7. Paragraph 29 and 31 dealing with materiality and aggregation has been modified to include words 'except when required by law'.
 8. Paragraph 106(d)(iv) of Ind AS 1 dealing with disclosures regarding reconciliation between the carrying amount at the beginning and the end of the period for each component of equity, has been amended to include disclosure regarding recognition of bargain purchase gain arising on business combination in line with treatment prescribed in this regard in Ind AS 103.
 9. Paragraph 74 has been modified to clarify that long term loan arrangement need not be classified as current on account of breach of a material provision, for which the lender has agreed to waive before the approval of financial statements for issue. Consequential to this Paragraph 76 has been deleted.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 2

Inventories

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold italic type indicate the main principles.)*

Objective

1. The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment for inventories. A primary issue in accounting for inventories is the amount of cost to be recognised as an asset and carried forward until the

related revenues are recognised. This Standard deals with the determination of cost and its subsequent recognition as an expense, including any write-down to net realisable value. It also provides guidance on the cost formulas that are used to assign costs to inventories.

Scope

2. This Standard applies to all inventories, except:

- (a) [Refer Appendix 1]
- (b) financial instruments (Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation* and Ind AS 109, *Financial Instruments and*); and
- (c) biological assets (ie living animals or plants) related to agricultural activity and agricultural produce at the point of harvest (See Ind AS 41, *Agriculture*).

3. This Standard does not apply to the measurement of inventories held by:

- (a) producers of agricultural and forest products, agricultural produce after harvest, and minerals and mineral products, to the extent that they are measured at net realisable value in accordance with well-established practices in those industries. When such inventories are measured at net realisable value, changes in that value are recognised in profit or loss in the period of the change.
 - (b) commodity broker-traders who measure their inventories at fair value less costs to sell. When such inventories are measured at fair value less costs to sell, changes in fair value less costs to sell are recognised in profit or loss in the period of the change.
4. The inventories referred to in paragraph 3(a) are measured at net realisable value at certain stages of production. This occurs, for example, when agricultural crops have been harvested or minerals have been extracted and sale is assured under a forward contract or a government guarantee, or when an active market exists and there is a negligible risk of failure to sell. These inventories are excluded from only the measurement requirements of this Standard.
5. Broker-traders are those who buy or sell commodities for others or on their own account. The inventories referred to in paragraph 3(b) are principally acquired with the purpose of selling in the near future and generating a profit from fluctuations in price or broker-traders' margin. When these inventories are measured at fair value less costs to sell, they are excluded from only the measurement requirements of this Standard.

Definitions

6. The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Inventories are assets:

- (a) held for sale in the ordinary course of business;
- (b) in the process of production for such sale; or
- (c) in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113, *Fair Value Measurement*.)

7. Net realisable value refers to the net amount that an entity expects to realise from the sale of inventory in the ordinary course of business. Fair value reflects the price at which an orderly transaction to sell the same inventory in the principal (or most advantageous) market for that inventory would take place between market participants at the measurement date. The former is an entity-specific value; the latter is not. Net realisable value for inventories may not equal fair value less costs to sell.
8. Inventories encompass goods purchased and held for resale including, for example, merchandise purchased by a retailer and held for resale, or land and other property held for resale. Inventories also encompass finished goods produced, or work in progress being produced, by the entity and include materials and supplies awaiting use in the production process. Costs incurred to fulfil a contract with a customer that do not give rise to inventories (or assets within the scope of another Standard) are accounted for in accordance with Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*.

Measurement of inventories**9. Inventories shall be measured at the lower of cost and net realisable value.****Cost of inventories****10. The cost of inventories shall comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.****Costs of purchase**

11. The costs of purchase of inventories comprise the purchase price, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable by the entity from the taxing authorities), and transport, handling and other costs directly attributable to the acquisition of finished goods, materials and services. Trade discounts, rebates and other similar items are deducted in determining the costs of purchase.

Costs of conversion

12. The costs of conversion of inventories include costs directly related to the units of production, such as direct labour. They also include a systematic allocation of fixed and variable production overheads that are incurred in converting materials into finished goods. Fixed production overheads are those indirect costs of production that remain relatively constant regardless of the volume of production, such as depreciation and maintenance of factory buildings and equipment, and the cost of factory management and administration. Variable production overheads are those indirect costs of production that vary directly, or nearly directly, with the volume of production, such as indirect materials and indirect labour.
13. The allocation of fixed production overheads to the costs of conversion is based on the normal capacity of the production facilities. Normal capacity is the production expected to be achieved on average over a number of periods or seasons under normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from planned maintenance. The actual level of production may be used if it approximates normal capacity. The amount of fixed overhead allocated to each unit of production is not increased as a consequence of low production or idle plant. Unallocated overheads are recognised as an expense in the period in which they are incurred. In periods of abnormally high production, the amount of fixed overhead allocated to each unit of production is decreased so that inventories are not measured above cost. Variable production overheads are allocated to each unit of production on the basis of the actual use of the production facilities.
14. A production process may result in more than one product being produced simultaneously. This is the case, for example, when joint products are produced or when there is a main product and a by-product. When the costs of conversion of each product are not separately identifiable, they are allocated between the products on a rational and consistent basis. The allocation may be based, for example, on the relative sales value of each product either at the stage in the production process when the products become separately identifiable, or at the completion of production. Most by-products, by their nature, are immaterial. When this is the case, they are often measured at net realisable value and this value is deducted from the cost of the main product. As a result, the carrying amount of the main product is not materially different from its cost.

Other costs

15. Other costs are included in the cost of inventories only to the extent that they are incurred in bringing the inventories to their present location and condition. For example, it may be appropriate to include non-production overheads or the costs of designing products for specific customers in the cost of inventories.
16. Examples of costs excluded from the cost of inventories and recognised as expenses in the period in which they are incurred are:
- abnormal amounts of wasted materials, labour or other production costs;
 - storage costs, unless those costs are necessary in the production process before a further production stage;
 - administrative overheads that do not contribute to bringing inventories to their present location and condition; and
 - selling costs.
17. Ind AS 23, *Borrowing Costs*, identifies limited circumstances where borrowing costs are included in the cost of inventories.
18. An entity may purchase inventories on deferred settlement terms. When the arrangement effectively contains a financing element, that element, for example a difference between the purchase price for normal credit terms and the amount paid, is recognised as interest expense over the period of the financing.

Cost of inventories of a service provider

19. [Refer Appendix 1]

Cost of agricultural produce harvested from biological assets

20. In accordance with Ind AS 41, *Agriculture*, inventories comprising agricultural produce that an entity has harvested from its biological assets are measured on initial recognition at their fair value less costs to sell at the point of harvest. This is the cost of the inventories at that date for application of this Standard.

Techniques for the measurement of cost

21. Techniques for the measurement of the cost of inventories, such as the standard cost method or the retail method, may be used for convenience if the results approximate cost. Standard costs take into account normal levels of materials and supplies, labour, efficiency and capacity utilisation. They are regularly reviewed and, if necessary, revised in the light of current conditions.
22. The retail method is often used in the retail industry for measuring inventories of large numbers of rapidly changing items with similar margins for which it is impracticable to use other costing methods. The cost of the inventory is determined by reducing the sales value of the inventory by the appropriate percentage gross margin. The percentage used takes into consideration inventory that has been marked down to below its original selling price. An average percentage for each retail department is often used.

Cost Formulas

23. The cost of inventories of items that are not ordinarily interchangeable and goods or services produced and segregated for specific projects shall be assigned by using specific identification of their individual costs.
24. Specific identification of cost means that specific costs are attributed to identified items of inventory. This is the appropriate treatment for items that are segregated for a specific project, regardless of whether they have been bought or produced. However, specific identification of costs is inappropriate when there are large numbers of items of inventory that are ordinarily interchangeable. In such circumstances, the method of selecting those items that remain in inventories could be used to obtain predetermined effects on profit or loss.
25. **The cost of inventories, other than those dealt with in paragraph 23, shall be assigned by using the first-in, first-out (FIFO) or weighted average cost formula. An entity shall use the same cost formula for all inventories having a similar nature and use to the entity. For inventories with a different nature or use, different cost formulas may be justified.**
26. For example, inventories used in one operating segment may have a use to the entity different from the same type of inventories used in another operating segment. However, a difference in geographical location of inventories (or in the respective tax rules), by itself, is not sufficient to justify the use of different cost formulas.
27. The FIFO formula assumes that the items of inventory that were purchased or produced first are sold first, and consequently the items remaining in inventory at the end of the period are those most recently purchased or produced. Under the weighted average cost formula, the cost of each item is determined from the weighted average of the cost of similar items at the beginning of a period and the cost of similar items purchased or produced during the period. The average may be calculated on a periodic basis, or as each additional shipment is received, depending upon the circumstances of the entity.

Net realisable value

28. The cost of inventories may not be recoverable if those inventories are damaged, if they have become wholly or partially obsolete, or if their selling prices have declined. The cost of inventories may also not be recoverable if the estimated costs of completion or the estimated costs to be incurred to make the sale have increased. The practice of writing inventories down below cost to net realisable value is consistent with the view that assets should not be carried in excess of amounts expected to be realised from their sale or use.
29. Inventories are usually written down to net realisable value item by item. In some circumstances, however, it may be appropriate to group similar or related items. This may be the case with items of inventory relating to the same product line that have similar purposes or end uses, are produced and marketed in the same geographical area, and cannot be practicably evaluated separately from other items in that product line. It is not appropriate to write inventories down on the basis of a classification of inventory, for example, finished goods, or all the inventories in a particular operating segment.

30. Estimates of net realisable value are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made, of the amount the inventories are expected to realise. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the end of the period to the extent that such events confirm conditions existing at the end of the period.
31. Estimates of net realisable value also take into consideration the purpose for which the inventory is held. For example, the net realisable value of the quantity of inventory held to satisfy firm sales or service contracts is based on the contract price. If the sales contracts are for less than the inventory quantities held, the net realisable value of the excess is based on general selling prices. Provisions may arise from firm sales contracts in excess of inventory quantities held or from firm purchase contracts. Such provisions are dealt with under Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.
32. Materials and other supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost if the finished products in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. However, when a decline in the price of materials indicates that the cost of the finished products exceeds net realisable value, the materials are written down to net realisable value. In such circumstances, the replacement cost of the materials may be the best available measure of their net realisable value.
33. A new assessment is made of net realisable value in each subsequent period. When the circumstances that previously caused inventories to be written down below cost no longer exist or when there is clear evidence of an increase in net realisable value because of changed economic circumstances, the amount of the write-down is reversed (ie the reversal is limited to the amount of the original write-down) so that the new carrying amount is the lower of the cost and the revised net realisable value. This occurs, for example, when an item of inventory that is carried at net realisable value, because its selling price has declined, is still on hand in a subsequent period and its selling price has increased.

Recognition as an expense

34. **When inventories are sold, the carrying amount of those inventories shall be recognised as an expense in the period in which the related revenue is recognised. The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, shall be recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.**
35. Some inventories may be allocated to other asset accounts, for example, inventory used as a component of self-constructed property, plant or equipment. Inventories allocated to another asset in this way are recognised as an expense during the useful life of that asset.

Disclosure

36. **The financial statements shall disclose:**
 - (a) the accounting policies adopted in measuring inventories, including the cost formula used;
 - (b) the total carrying amount of inventories and the carrying amount in classifications appropriate to the entity;
 - (c) the carrying amount of inventories carried at fair value less costs to sell;
 - (d) the amount of inventories recognised as an expense during the period;
 - (e) the amount of any write-down of inventories recognised as an expense in the period in accordance with paragraph 34;
 - (f) the amount of any reversal of any write-down that is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as expense in the period in accordance with paragraph 34;
 - (g) the circumstances or events that led to the reversal of a write-down of inventories in accordance with paragraph 34; and
 - (h) the carrying amount of inventories pledged as security for liabilities.
37. Information about the carrying amounts held in different classifications of inventories and the extent of the changes in these assets is useful to financial statement users. Common classifications of inventories are merchandise, production supplies, materials, work in progress and finished goods.

38. [Refer Appendix 1]
39. An entity adopts a format for profit or loss that results in amounts being disclosed other than the cost of inventories recognised as an expense during the period. Under this format, the entity presents an analysis of expenses using a classification based on the nature of expenses. In this case, the entity discloses the costs recognised as an expense for raw materials and consumables, labour costs and other costs together with the amount of the net change in inventories for the period.

Appendix A

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendix which is a part of another Indian Accounting Standard and makes reference to Ind AS 2, *Inventories*.

- 1 Appendix A, *Intangible Assets-Web site Costs*, contained in Ind AS 38, *Intangible Assets*.
- 2 Appendix B, *Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine*, contained in Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 2 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 2, Inventories, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 2, *Inventories*

1. Paragraph 38 of IAS 2 dealing with recognition of inventories as an expense based on function-wise classification, has been deleted keeping in view the fact that option provided in IAS 1 to present an analysis of expenses recognised in profit or loss using a classification based on their function within the entity has been removed and Ind AS 1 requires only nature-wise classification of expenses. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 2, the paragraph number is retained in Ind AS 2.
2. Following paragraph numbers appear as 'Deleted' in IAS 2. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 2, the paragraph numbers are retained in Ind AS 2:
 - (ix) Paragraph 2(a)
 - (x) Paragraph 19.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 7

Statement of Cash Flows

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

Information about the cash flows of an entity is useful in providing users of financial statements with a basis to assess the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and the needs of the entity to utilise those cash flows. The economic decisions that are taken by users require an evaluation of the ability of an entity to generate cash and cash equivalents and the timing and certainty of their generation.

The objective of this Standard is to require the provision of information about the historical changes in cash and cash equivalents of an entity by means of a statement of cash flows which classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities.

Scope

1. **An entity shall prepare a statement of cash flows in accordance with the requirements of this Standard and shall present it as an integral part of its financial statements for each period for which financial statements are presented.**
2. [Refer Appendix 1]
3. Users of an entity's financial statements are interested in how the entity generates and uses cash and cash equivalents. This is the case regardless of the nature of the entity's activities and irrespective of whether cash can be viewed as the product of the entity, as may be the case with a financial institution. Entities need cash for essentially the same reasons however different their principal revenue-producing activities might be. They

need cash to conduct their operations, to pay their obligations, and to provide returns to their investors. Accordingly, this Standard requires all entities to present a statement of cash flows.

Benefits of cash flow information

4. A statement of cash flows, when used in conjunction with the rest of the financial statements, provides information that enables users to evaluate the changes in net assets of an entity, its financial structure (including its liquidity and solvency) and its ability to affect the amounts and timing of cash flows in order to adapt to changing circumstances and opportunities. Cash flow information is useful in assessing the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and enables users to develop models to assess and compare the present value of the future cash flows of different entities. It also enhances the comparability of the reporting of operating performance by different entities because it eliminates the effects of using different accounting treatments for the same transactions and events.
5. Historical cash flow information is often used as an indicator of the amount, timing and certainty of future cash flows. It is also useful in checking the accuracy of past assessments of future cash flows and in examining the relationship between profitability and net cash flow and the impact of changing prices.

Definitions

6. **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

Cash comprises cash on hand and demand deposits.

Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalents.

Operating activities are the principal revenue-producing activities of the entity and other activities that are not investing or financing activities.

Investing activities are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents.

Financing activities are activities that result in changes in the size and composition of the contributed equity and borrowings of the entity.

Cash and cash equivalents

7. Cash equivalents are held for the purpose of meeting short-term cash commitments rather than for investment or other purposes. For an investment to qualify as a cash equivalent it must be readily convertible to a known amount of cash and be subject to an insignificant risk of changes in value. Therefore, an investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity of, say, three months or less from the date of acquisition. Equity investments are excluded from cash equivalents unless they are, in substance, cash equivalents, for example in the case of preference shares acquired within a short period of their maturity and with a specified redemption date.
8. Bank borrowings are generally considered to be financing activities. However, where bank overdrafts which are repayable on demand form an integral part of an entity's cash management, bank overdrafts are included as a component of cash and cash equivalents. A characteristic of such banking arrangements is that the bank balance often fluctuates from being positive to overdrawn.
9. Cash flows exclude movements between items that constitute cash or cash equivalents because these components are part of the cash management of an entity rather than part of its operating, investing and financing activities. Cash management includes the investment of excess cash in cash equivalents.

Presentation of a statement of cash flows

10. **The statement of cash flows shall report cash flows during the period classified by operating, investing and financing activities.**
11. An entity presents its cash flows from operating, investing and financing activities in a manner which is most appropriate to its business. Classification by activity provides information that allows users to assess the impact of those activities on the financial position of the entity and the amount of its cash and cash equivalents. This information may also be used to evaluate the relationships among those activities.
12. A single transaction may include cash flows that are classified differently. For example, when the instalment paid in respect of an item of Property, Plant and Equipment acquired on deferred payment basis includes

interest, the interest element is classified under financing activities and the loan element is classified under investing activities.

Operating activities

13. The amount of cash flows arising from operating activities is a key indicator of the extent to which the operations of the entity have generated sufficient cash flows to repay loans, maintain the operating capability of the entity, pay dividends and make new investments without recourse to external sources of financing. Information about the specific components of historical operating cash flows is useful, in conjunction with other information, in forecasting future operating cash flows.
14. Cash flows from operating activities are primarily derived from the principal revenue-producing activities of the entity. Therefore, they generally result from the transactions and other events that enter into the determination of profit or loss. Examples of cash flows from operating activities are:
- (a) cash receipts from the sale of goods and the rendering of services;
 - (b) cash receipts from royalties, fees, commissions and other revenue;
 - (c) cash payments to suppliers for goods and services;
 - (d) cash payments to and on behalf of employees;
 - (e) cash receipts and cash payments of an insurance entity for premiums and claims, annuities and other policy benefits;
 - (f) cash payments or refunds of income taxes unless they can be specifically identified with financing and investing activities; and
 - (g) cash receipts and payments from contracts held for dealing or trading purposes.

Some transactions, such as the sale of an item of plant, may give rise to a gain or loss that is included in recognised profit or loss. The cash flows relating to such transactions are cash flows from investing activities. However, cash payments to manufacture or acquire assets held for rental to others and subsequently held for sale as described in paragraph 68A of Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*, are cash flows from operating activities. The cash receipts from rents and subsequent sales of such assets are also cash flows from operating activities.

15. An entity may hold securities and loans for dealing or trading purposes, in which case they are similar to inventory acquired specifically for resale. Therefore, cash flows arising from the purchase and sale of dealing or trading securities are classified as operating activities. Similarly, cash advances and loans made by financial institutions are usually classified as operating activities since they relate to the main revenue-producing activity of that entity.

Investing activities

16. The separate disclosure of cash flows arising from investing activities is important because the cash flows represent the extent to which expenditures have been made for resources intended to generate future income and cash flows. Only expenditures that result in a recognized asset in the balance sheet are eligible for classification as investing activities. Examples of cash flows arising from investing activities are:
- (a) cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets. These payments include those relating to capitalised development costs and self-constructed property, plant and equipment;
 - (b) cash receipts from sales of property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets;
 - (c) cash payments to acquire equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures (other than payments for those instruments considered to be cash equivalents or those held for dealing or trading purposes);
 - (d) cash receipts from sales of equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures (other than receipts for those instruments considered to be cash equivalents and those held for dealing or trading purposes);
 - (e) cash advances and loans made to other parties (other than advances and loans made by a financial institution);
 - (f) cash receipts from the repayment of advances and loans made to other parties (other than advances and loans of a financial institution);

- (g) cash payments for futures contracts, forward contracts, option contracts and swap contracts except when the contracts are held for dealing or trading purposes, or the payments are classified as financing activities; and
- (h) cash receipts from futures contracts, forward contracts, option contracts and swap contracts except when the contracts are held for dealing or trading purposes, or the receipts are classified as financing activities.

When a contract is accounted for as a hedge of an identifiable position the cash flows of the contract are classified in the same manner as the cash flows of the position being hedged.

Financing activities

17. The separate disclosure of cash flows arising from financing activities is important because it is useful in predicting claims on future cash flows by providers of capital to the entity. Examples of cash flows arising from financing activities are:

- (a) cash proceeds from issuing shares or other equity instruments;
- (b) cash payments to owners to acquire or redeem the entity's shares;
- (c) cash proceeds from issuing debentures, loans, notes, bonds, mortgages and other short-term or long-term borrowings;
- (d) cash repayments of amounts borrowed; and
- (e) cash payments by a lessee for the reduction of the outstanding liability relating to a finance lease.

Reporting cash flows from operating activities

18. **An entity shall report cash flows from operating activities using either:**

- (a) **the direct method, whereby major classes of gross cash receipts and gross cash payments are disclosed; or**
- (b) **the indirect method, whereby profit or loss is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments, and items of income or expense associated with investing or financing cash flows.**

19. Entities are encouraged to report cash flows from operating activities using the direct method. The direct method provides information which may be useful in estimating future cash flows and which is not available under the indirect method. Under the direct method, information about major classes of gross cash receipts and gross cash payments may be obtained either:

- (a) from the accounting records of the entity; or
- (b) by adjusting sales, cost of sales (interest and similar income and interest expense and similar charges for a financial institution) and other items in the statement of profit and loss for:
 - (i) changes during the period in inventories and operating receivables and payables;
 - (ii) other non-cash items; and
 - (iii) other items for which the cash effects are investing or financing cash flows.

20. Under the indirect method, the net cash flow from operating activities is determined by adjusting profit or loss for the effects of:

- (a) changes during the period in inventories and operating receivables and payables;
- (b) non-cash items such as depreciation, provisions, deferred taxes, unrealised foreign currency gains and losses, and undistributed profits of associates; and
- (c) all other items for which the cash effects are investing or financing cash flows.

Alternatively, the net cash flow from operating activities may be presented under the indirect method by showing the revenues and expenses disclosed in the statement of profit and loss and the changes during the period in inventories and operating receivables and payables.

Reporting cash flows from investing and financing activities

21. **An entity shall report separately major classes of gross cash receipts and gross cash payments arising from investing and financing activities, except to the extent that cash flows described in paragraphs 22 and 24 are reported on a net basis.**

Reporting cash flows on a net basis

22 Cash flows arising from the following operating, investing or financing activities may be reported on a net basis:

- (a) cash receipts and payments on behalf of customers when the cash flows reflect the activities of the customer rather than those of the entity; and
- (b) cash receipts and payments for items in which the turnover is quick, the amounts are large, and the maturities are short.

23 Examples of cash receipts and payments referred to in paragraph 22(a) are:

- (a) the acceptance and repayment of demand deposits of a bank;
- (b) funds held for customers by an investment entity; and
- (c) rents collected on behalf of, and paid over to, the owners of properties.

23A Examples of cash receipts and payments referred to in paragraph 22(b) are advances made for, and the repayment of:

- (a) principal amounts relating to credit card customers;
- (b) the purchase and sale of investments; and
- (c) other short-term borrowings, for example, those which have a maturity period of three months or less.

24 Cash flows arising from each of the following activities of a financial institution may be reported on a net basis:

- (a) cash receipts and payments for the acceptance and repayment of deposits with a fixed maturity date;
- (b) the placement of deposits with and withdrawal of deposits from other financial institutions; and
- (c) cash advances and loans made to customers and the repayment of those advances and loans.

Foreign currency cash flows

25 Cash flows arising from transactions in a foreign currency shall be recorded in an entity's functional currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the functional currency and the foreign currency at the date of the cash flow.

26 The cash flows of a foreign subsidiary shall be translated at the exchange rates between the functional currency and the foreign currency at the dates of the cash flows.

27 Cash flows denominated in a foreign currency are reported in a manner consistent with Ind AS 21, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*. This permits the use of an exchange rate that approximates the actual rate. For example, a weighted average exchange rate for a period may be used for recording foreign currency transactions or the translation of the cash flows of a foreign subsidiary. However, Ind AS 21 does not permit use of the exchange rate at the end of the reporting period when translating the cash flows of a foreign subsidiary.

28 Unrealised gains and losses arising from changes in foreign currency exchange rates are not cash flows. However, the effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents held or due in a foreign currency is reported in the statement of cash flows in order to reconcile cash and cash equivalents at the beginning and the end of the period. This amount is presented separately from cash flows from operating, investing and financing activities and includes the differences, if any, had those cash flows been reported at end of period exchange rates.

29 [Refer Appendix 1]

30 [Refer Appendix 1]

Interest and dividends

31 *Cash flows from interest and dividends received and paid shall each be disclosed separately. Cash flows arising from interest paid and interest and dividends received in the case of a financial institution should be classified as cash flows arising from operating activities. In the case of other entities, cash flows arising from interest paid should be classified as cash flows from financing activities while interest and dividends*

received should be classified as cash flows from investing activities. Dividends paid should be classified as cash flows from financing activities.

- 32 The total amount of interest paid during a period is disclosed in the statement of cash flows whether it has been recognised as an expense in profit or loss or capitalised in accordance with Ind AS 23, *Borrowing Costs*.
- 33 Interest paid and interest and dividends received are usually classified as operating cash flows for a financial institution. However, there is no consensus on the classification of these cash flows for other entities. Some argue that interest paid and interest and dividends received may be classified as operating cash flows because they enter into the determination of profit or loss. However, it is more appropriate that interest paid and interest and dividends received are classified as financing cash flows and investing cash flows respectively, because they are costs of obtaining financial resources or returns on investments.
- 34 Some argue that dividends paid may be classified as a component of cash flows from operating activities in order to assist users to determine the ability of an entity to pay dividends out of operating cash flows. However, it is considered more appropriate that dividends paid should be classified as cash flows from financing activities because they are cost of obtaining financial resources.

Taxes on income

- 35 **Cash flows arising from taxes on income shall be separately disclosed and shall be classified as cash flows from operating activities unless they can be specifically identified with financing and investing activities.**
- 36 Taxes on income arise on transactions that give rise to cash flows that are classified as operating, investing or financing activities in a statement of cash flows. While tax expense may be readily identifiable with investing or financing activities, the related tax cash flows are often impracticable to identify and may arise in a different period from the cash flows of the underlying transaction. Therefore, taxes paid are usually classified as cash flows from operating activities. However, when it is practicable to identify the tax cash flow with an individual transaction that gives rise to cash flows that are classified as investing or financing activities the tax cash flow is classified as an investing or financing activity as appropriate. When tax cash flows are allocated over more than one class of activity, the total amount of taxes paid is disclosed.

Investments in subsidiaries, associates and joint ventures

- 37 When accounting for an investment in an associate, a joint venture or a subsidiary accounted for by use of the equity or cost method, an investor restricts its reporting in the statement of cash flows to the cash flows between itself and the investee, for example, to dividends and advances.
- 38 An entity that reports its interest in an associate or a joint venture using the equity method includes in its statement of cash flows the cash flows in respect of its investments in the associate or joint venture, and distributions and other payments or receipts between it and the associate or joint venture.

Changes in ownership interests in subsidiaries and other businesses

- 39 **The aggregate cash flows arising from obtaining or losing control of subsidiaries or other businesses shall be presented separately and classified as investing activities.**
- 40 **An entity shall disclose, in aggregate, in respect of both obtaining and losing control of subsidiaries or other businesses during the period each of the following:**
- (a) **the total consideration paid or received;**
 - (b) **the portion of the consideration consisting of cash and cash equivalents;**
 - (c) **the amount of cash and cash equivalents in the subsidiaries or other businesses over which control is obtained or lost; and**
 - (d) **the amount of the assets and liabilities other than cash or cash equivalents in the subsidiaries or other businesses over which control is obtained or lost, summarised by each major category.**
- 40A An investment entity, as defined in Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, need not apply paragraphs 40(c) or 40(d) to an investment in a subsidiary that is required to be measured at fair value through profit or loss.
- 41 The separate presentation of the cash flow effects of obtaining or losing control of subsidiaries or other businesses as single line items, together with the separate disclosure of the amounts of assets and liabilities acquired or disposed of, helps to distinguish those cash flows from the cash flows arising from the other operating, investing and financing activities. The cash flow effects of losing control are not deducted from those of obtaining control.

- 42 The aggregate amount of the cash paid or received as consideration for obtaining or losing control of subsidiaries or other businesses is reported in the statement of cash flows net of cash and cash equivalents acquired or disposed of as part of such transactions, events or changes in circumstances.
- 42A Cash flows arising from changes in ownership interests in a subsidiary that do not result in a loss of control shall be classified as cash flows from financing activities, unless the subsidiary is held by an investment entity, as defined in Ind AS 110, and is required to be measured at fair value through profit or loss.
- 42B Changes in ownership interests in a subsidiary that do not result in a loss of control, such as the subsequent purchase or sale by a parent of a subsidiary's equity instruments, are accounted for as equity transactions (see Ind AS 110), unless the subsidiary is held by an investment entity and is required to be measured at fair value through profit or loss. Accordingly, the resulting cash flows are classified in the same way as other transactions with owners described in paragraph 17.

Non-cash transactions

- 43 **Investing and financing transactions that do not require the use of cash or cash equivalents shall be excluded from a statement of cash flows. Such transactions shall be disclosed elsewhere in the financial statements in a way that provides all the relevant information about these investing and financing activities.**
- 44 Many investing and financing activities do not have a direct impact on current cash flows although they do affect the capital and asset structure of an entity. The exclusion of non-cash transactions from the statement of cash flows is consistent with the objective of a statement of cash flows as these items do not involve cash flows in the current period. Examples of non-cash transactions are:
- (a) the acquisition of assets either by assuming directly related liabilities or by means of a finance lease;
 - (b) the acquisition of an entity by means of an equity issue; and
 - (c) the conversion of debt to equity.

Components of cash and cash equivalents

- 45 **An entity shall disclose the components of cash and cash equivalents and shall present a reconciliation of the amounts in its statement of cash flows with the equivalent items reported in the balance sheet.**
- 46 In view of the variety of cash management practices and banking arrangements around the world and in order to comply with Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*, an entity discloses the policy which it adopts in determining the composition of cash and cash equivalents.
- 47 The effect of any change in the policy for determining components of cash and cash equivalents, for example, a change in the classification of financial instruments previously considered to be part of an entity's investment portfolio, is reported in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.

Other disclosures

- 48 **An entity shall disclose, together with a commentary by management, the amount of significant cash and cash equivalent balances held by the entity that are not available for use by the group¹.**
- 49 There are various circumstances in which cash and cash equivalent balances held by an entity are not available for use by the group². Examples include cash and cash equivalent balances held by a subsidiary that operates in a country where exchange controls or other legal restrictions apply when the balances are not available for general use by the parent or other subsidiaries.
- 50 Additional information may be relevant to users in understanding the financial position and liquidity of an entity. Disclosure of this information, together with a commentary by management, is encouraged and may include:
- (a) the amount of undrawn borrowing facilities that may be available for future operating activities and to settle capital commitments, indicating any restrictions on the use of these facilities;
 - (b) [Refer Appendix 1]
 - (c) the aggregate amount of cash flows that represent increases in operating capacity separately from those cash flows that are required to maintain operating capacity; and

¹ The requirements shall be equally applicable to the entities in case of separate financial statements also.

² Ibid.

- (d) the amount of the cash flows arising from the operating, investing and financing activities of each reportable segment (see Ind AS 108, *Operating Segments*).
- 51 The separate disclosure of cash flows that represent increases in operating capacity and cash flows that are required to maintain operating capacity is useful in enabling the user to determine whether the entity is investing adequately in the maintenance of its operating capacity. An entity that does not invest adequately in the maintenance of its operating capacity may be prejudicing future profitability for the sake of current liquidity and distributions to owners.
- 52 The disclosure of segmental cash flows enables users to obtain a better understanding of the relationship between the cash flows of the business as a whole and those of its component parts and the availability and variability of segmental cash flows.

Appendix 1

Note : This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 7 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 7, Statement of Cash Flows, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 7, Statement of Cash Flows

Ind AS 7 differs from International Accounting Standard (IAS) 7, *Statement of Cash Flows*, in the following major respects:

1. In case of other than financial entities, IAS 7 gives an option to classify the interest paid and interest and dividends received as item of operating cash flows. Ind AS 7 does not provide such an option and requires these item to be classified as item of financing activity and investing activity, respectively (refer to the paragraph 33).
2. IAS 7 gives an option to classify the dividend paid as an item of operating activity. However, Ind AS 7 requires it to be classified as a part of financing activity only (refer paragraph 34).
3. Different terminology is used in this standard, eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.
4. Paragraph 2 of IAS 7 which states that IAS 7 supersedes the earlier version IAS 7 is deleted in Ind AS 7 as this is not relevant in Ind AS 7. However, paragraph number 2 is retained in Ind AS 7 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 7.
5. The following paragraph numbers appear as 'Deleted' in IAS 7. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 7, the paragraph numbers are retained in Ind AS 7:
 - (i) paragraph 29
 - (ii) paragraph 30
 - (iii) paragraph 50(b)

Indian Accounting Standard (Ind AS) 8

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

- 1 The objective of this Standard is to prescribe the criteria for selecting and changing accounting policies, together with the accounting treatment and disclosure of changes in accounting policies, changes in accounting estimates and corrections of errors. The Standard is intended to enhance the relevance and reliability of an entity's financial statements, and the comparability of those financial statements over time and with the financial statements of other entities.
- 2 Disclosure requirements for accounting policies, except those for changes in accounting policies, are set out in Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*.

Scope

- 3 **This Standard shall be applied in selecting and applying accounting policies, and accounting for changes in accounting policies, changes in accounting estimates and corrections of prior period errors.**
- 4 The tax effects of corrections of prior period errors and of retrospective adjustments made to apply changes in accounting policies are accounted for and disclosed in accordance with Ind AS 12, *Income Taxes*.

Definitions

5 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Accounting policies are the specific principles, bases, conventions, rules and practices applied by an entity in preparing and presenting financial statements.

A *change in accounting estimate* is an adjustment of the carrying amount of an asset or a liability, or the amount of the periodic consumption of an asset, that results from the assessment of the present status of, and expected future benefits and obligations associated with, assets and liabilities. Changes in accounting estimates result from new information or new developments and, accordingly, are not corrections of errors.

Indian Accounting Standards (Ind ASs) are Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

Material Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor.

Prior period errors are omissions from, and misstatements in, the entity's financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use, or misuse of, reliable information that:

- (a) was available when financial statements for those periods were approved for issue; and
- (b) could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in the preparation and presentation of those financial statements.

Such errors include the effects of mathematical mistakes, mistakes in applying accounting policies, oversights or misinterpretations of facts, and fraud.

Retrospective application is applying a new accounting policy to transactions, other events and conditions as if that policy had always been applied.

Retrospective restatement is correcting the recognition, measurement and disclosure of amounts of elements of financial statements as if a prior period error had never occurred.

Impracticable Applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so. For a particular prior period, it is impracticable to apply a change in an accounting policy retrospectively or to make a retrospective restatement to correct an error if:

- (a) the effects of the retrospective application or retrospective restatement are not determinable;
- (b) the retrospective application or retrospective restatement requires assumptions about what management's intent would have been in that period; or
- (c) the retrospective application or retrospective restatement requires significant estimates of amounts and it is impossible to distinguish objectively information about those estimates that:
 - (i) provides evidence of circumstances that existed on the date(s) as at which those amounts are to be recognised, measured or disclosed; and
 - (ii) would have been available when the financial statements for that prior period were approved for issue from other information.

Prospective application of a change in accounting policy and of recognising the effect of a change in an accounting estimate, respectively, are:

- (a) applying the new accounting policy to transactions, other events and conditions occurring after the date as at which the policy is changed; and
- (b) recognising the effect of the change in the accounting estimate in the current and future periods affected by the change.

6 Assessing whether an omission or misstatement could influence economic decisions of users, and so be material, requires consideration of the characteristics of those users. The *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards* issued by the Institute of Chartered Accountants of India states in paragraph 25 that 'users are assumed to have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting and a willingness to study the information

with reasonable diligence.' Therefore, the assessment needs to take into account how users with such attributes could reasonably be expected to be influenced in making economic decisions.

Accounting policies

Selection and application of accounting policies

- 7 **When an Ind AS specifically applies to a transaction, other event or condition, the accounting policy or policies applied to that item shall be determined by applying the Ind AS.**
 - 8 Ind ASs set out accounting policies that result in financial statements containing relevant and reliable information about the transactions, other events and conditions to which they apply. Those policies need not be applied when the effect of applying them is immaterial. However, it is inappropriate to make, or leave uncorrected, immaterial departures from Ind ASs to achieve a particular presentation of an entity's financial position, financial performance or cash flows.
 - 9 Ind ASs are accompanied by guidance that is integral part of Ind AS to assist entities in applying their requirements. Such guidance is mandatory.
 - 10 **In the absence of an Ind AS that specifically applies to a transaction, other event or condition, management shall use its judgement in developing and applying an accounting policy that results in information that is:**
 - (a) relevant to the economic decision-making needs of users; and
 - (b) reliable, in that the financial statements:
 - (i) represent faithfully the financial position, financial performance and cash flows of the entity;
 - (ii) reflect the economic substance of transactions, other events and conditions, and not merely the legal form;
 - (iii) are neutral, ie free from bias;
 - (iv) are prudent; and
 - (v) are complete in all material respects.
 - 11 **In making the judgement described in paragraph 10, management shall refer to, and consider the applicability of, the following sources in descending order:**
 - (a) the requirements in Ind ASs dealing with similar and related issues; and
 - (b) the definitions, recognition criteria and measurement concepts for assets, liabilities, income and expenses in the *Framework*.
 - 12 **In making the judgement described in paragraph 10, management may also first consider the most recent pronouncements of International Accounting Standards Board and in absence thereof those of the other standard-setting bodies that use a similar conceptual framework to develop accounting standards, other accounting literature and accepted industry practices, to the extent that these do not conflict with the sources in paragraph 11.**
- Consistency of accounting policies**
- 13 **An entity shall select and apply its accounting policies consistently for similar transactions, other events and conditions, unless an Ind AS specifically requires or permits categorisation of items for which different policies may be appropriate. If an Ind AS requires or permits such categorisation, an appropriate accounting policy shall be selected and applied consistently to each category.**
- Changes in accounting policies**
- 14 **An entity shall change an accounting policy only if the change:**
 - (a) is required by an Ind AS; or
 - (b) results in the financial statements providing reliable and more relevant information about the effects of transactions, other events or conditions on the entity's financial position, financial performance or cash flows.
 - 15 Users of financial statements need to be able to compare the financial statements of an entity over time to identify trends in its financial position, financial performance and cash flows. Therefore, the same accounting policies are applied within each period and from one period to the next unless a change in accounting policy meets one of the criteria in paragraph 14.

16 The following are not changes in accounting policies:

- (a) the application of an accounting policy for transactions, other events or conditions that differ in substance from those previously occurring; and
- (b) the application of a new accounting policy for transactions, other events or conditions that did not occur previously or were immaterial.

17 The initial application of a policy to revalue assets in accordance with Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*, or Ind AS 38, *Intangible Assets*, is a change in an accounting policy to be dealt with as a revaluation in accordance with Ind AS 16 or Ind AS 38, rather than in accordance with this Standard.

18 Paragraphs 19–31 do not apply to the change in accounting policy described in paragraph 17.

Applying changes in accounting policies**19 Subject to paragraph 23:**

- (a) an entity shall account for a change in accounting policy resulting from the initial application of an Ind AS in accordance with the specific transitional provisions, if any, in that Ind AS; and
- (b) when an entity changes an accounting policy upon initial application of an Ind AS that does not include specific transitional provisions applying to that change, or changes an accounting policy voluntarily, it shall apply the change retrospectively.

20 For the purpose of this Standard, early application of an Ind AS is not a voluntary change in accounting policy.

21 In the absence of an Ind AS that specifically applies to a transaction, other event or condition, management may, in accordance with paragraph 12, apply an accounting policy from the most recent pronouncements of International Accounting Standards Board and in absence thereof those of the other standard-setting bodies that use a similar conceptual framework to develop accounting standards. If, following an amendment of such a pronouncement, the entity chooses to change an accounting policy, that change is accounted for and disclosed as a voluntary change in accounting policy.

Retrospective application

22 Subject to paragraph 23, when a change in accounting policy is applied retrospectively in accordance with paragraph 19(a) or (b), the entity shall adjust the opening balance of each affected component of equity for the earliest prior period presented and the other comparative amounts disclosed for each prior period presented as if the new accounting policy had always been applied.

Limitations on retrospective application

23 When retrospective application is required by paragraph 19(a) or (b), a change in accounting policy shall be applied retrospectively except to the extent that it is impracticable to determine either the period-specific effects or the cumulative effect of the change.

24 When it is impracticable to determine the period-specific effects of changing an accounting policy on comparative information for one or more prior periods presented, the entity shall apply the new accounting policy to the carrying amounts of assets and liabilities as at the beginning of the earliest period for which retrospective application is practicable, which may be the current period, and shall make a corresponding adjustment to the opening balance of each affected component of equity for that period.

25 When it is impracticable to determine the cumulative effect, at the beginning of the current period, of applying a new accounting policy to all prior periods, the entity shall adjust the comparative information to apply the new accounting policy prospectively from the earliest date practicable.

26 When an entity applies a new accounting policy retrospectively, it applies the new accounting policy to comparative information for prior periods as far back as is practicable. Retrospective application to a prior period is not practicable unless it is practicable to determine the cumulative effect on the amounts in both the opening and closing balance sheets for that period. The amount of the resulting adjustment relating to periods before those presented in the financial statements is made to the opening balance of each affected component of equity of the earliest prior period presented. Usually the adjustment is made to retained earnings. However, the adjustment may be made to another component of equity (for example, to comply with an Ind AS). Any other information about prior periods, such as historical summaries of financial data, is also adjusted as far back as is practicable.

27 When it is impracticable for an entity to apply a new accounting policy retrospectively, because it cannot determine the cumulative effect of applying the policy to all prior periods, the entity, in accordance with

paragraph 25, applies the new policy prospectively from the start of the earliest period practicable. It therefore disregards the portion of the cumulative adjustment to assets, liabilities and equity arising before that date. Changing an accounting policy is permitted even if it is impracticable to apply the policy prospectively for any prior period. Paragraphs 50–53 provide guidance on when it is impracticable to apply a new accounting policy to one or more prior periods.

Disclosure

- 28 When initial application of an Ind AS has an effect on the current period or any prior period, would have such an effect except that it is impracticable to determine the amount of the adjustment, or might have an effect on future periods, an entity shall disclose:

- (a) the title of the Ind AS;
- (b) when applicable, that the change in accounting policy is made in accordance with its transitional provisions;
- (c) the nature of the change in accounting policy;
- (d) when applicable, a description of the transitional provisions;
- (e) when applicable, the transitional provisions that might have an effect on future periods;
- (f) for the current period and each prior period presented, to the extent practicable, the amount of the adjustment:
 - (i) for each financial statement line item affected; and
 - (ii) if Ind AS 33, *Earnings per Share*, applies to the entity, for basic and diluted earnings per share;
- (g) the amount of the adjustment relating to periods before those presented, to the extent practicable; and
- (h) if retrospective application required by paragraph 19(a) or (b) is impracticable for a particular prior period, or for periods before those presented, the circumstances that led to the existence of that condition and a description of how and from when the change in accounting policy has been applied.

Financial statements of subsequent periods need not repeat these disclosures.

- 29 When a voluntary change in accounting policy has an effect on the current period or any prior period, would have an effect on that period except that it is impracticable to determine the amount of the adjustment, or might have an effect on future periods, an entity shall disclose:

- (a) the nature of the change in accounting policy;
- (b) the reasons why applying the new accounting policy provides reliable and more relevant information;
- (c) for the current period and each prior period presented, to the extent practicable, the amount of the adjustment:
 - (i) for each financial statement line item affected; and
 - (ii) if Ind AS 33 applies to the entity, for basic and diluted earnings per share;
- (d) the amount of the adjustment relating to periods before those presented, to the extent practicable; and
- (e) if retrospective application is impracticable for a particular prior period, or for periods before those presented, the circumstances that led to the existence of that condition and a description of how and from when the change in accounting policy has been applied.

Financial statements of subsequent periods need not repeat these disclosures.

- 30 When an entity has not applied a new Ind AS that has been issued but is not yet effective, the entity shall disclose:

- (a) this fact; and
- (b) known or reasonably estimable information relevant to assessing the possible impact that application of the new Ind AS will have on the entity's financial statements in the period of initial application.

- 31 In complying with paragraph 30, an entity considers disclosing:

- (a) the title of the new Ind AS;

- (b) the nature of the impending change or changes in accounting policy;
- (c) the date by which application of the Ind AS is required;
- (d) the date as at which it plans to apply the Ind AS initially; and
- (e) either:
 - (i) a discussion of the impact that initial application of the Ind AS is expected to have on the entity's financial statements; or
 - (ii) if that impact is not known or reasonably estimable, a statement to that effect.

Changes in accounting estimates

32 As a result of the uncertainties inherent in business activities, many items in financial statements cannot be measured with precision but can only be estimated. Estimation involves judgements based on the latest available, reliable information. For example, estimates may be required of:

- (a) bad debts;
- (b) inventory obsolescence;
- (c) the fair value of financial assets or financial liabilities;
- (d) the useful lives of, or expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in, depreciable assets; and
- (e) warranty obligations.

33 The use of reasonable estimates is an essential part of the preparation of financial statements and does not undermine their reliability.

34 An estimate may need revision if changes occur in the circumstances on which the estimate was based or as a result of new information or more experience. By its nature, the revision of an estimate does not relate to prior periods and is not the correction of an error.

35 A change in the measurement basis applied is a change in an accounting policy, and is not a change in an accounting estimate. When it is difficult to distinguish a change in an accounting policy from a change in an accounting estimate, the change is treated as a change in an accounting estimate.

36 **The effect of change in an accounting estimate, other than a change to which paragraph 37 applies, shall be recognised prospectively by including it in profit or loss in:**

- (a) the period of the change, if the change affects that period only; or
- (b) the period of the change and future periods, if the change affects both.

37 **To the extent that a change in an accounting estimate gives rise to changes in assets and liabilities, or relates to an item of equity, it shall be recognised by adjusting the carrying amount of the related asset, liability or equity item in the period of the change.**

38 Prospective recognition of the effect of a change in an accounting estimate means that the change is applied to transactions, other events and conditions from the date of the change in estimate. A change in an accounting estimate may affect only the current period's profit or loss, or the profit or loss of both the current period and future periods. For example, a change in the estimate of the amount of bad debts affects only the current period's profit or loss and therefore is recognised in the current period. However, a change in the estimated useful life of, or the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in, a depreciable asset affects depreciation expense for the current period and for each future period during the asset's remaining useful life. In both cases, the effect of the change relating to the current period is recognised as income or expense in the current period. The effect, if any, on future periods is recognised as income or expense in those future periods

Disclosure

39 **An entity shall disclose the nature and amount of a change in an accounting estimate that has an effect in the current period or is expected to have an effect in future periods, except for the disclosure of the effect on future periods when it is impracticable to estimate that effect.**

40 **If the amount of the effect in future periods is not disclosed because estimating it is impracticable, an entity shall disclose that fact.**

Errors

41 Errors can arise in respect of the recognition, measurement, presentation or disclosure of elements of financial statements. Financial statements do not comply with Ind ASs if they contain either material errors or immaterial errors made intentionally to achieve a particular presentation of an entity's financial position, financial performance or cash flows. Potential current period errors discovered in that period are corrected before the financial statements are approved for issue. However, material errors are sometimes not discovered until a subsequent period, and these prior period errors are corrected in the comparative information presented in the financial statements for that subsequent period (see paragraphs 42–47).

42 **Subject to paragraph 43, an entity shall correct material prior period errors retrospectively in the first set of financial statements approved for issue after their discovery by:**

- (a) restating the comparative amounts for the prior period(s) presented in which the error occurred; or
- (b) if the error occurred before the earliest prior period presented, restating the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest prior period presented.

Limitations on retrospective restatement

43 **A prior period error shall be corrected by retrospective restatement except to the extent that it is impracticable to determine either the period-specific effects or the cumulative effect of the error.**

44 **When it is impracticable to determine the period-specific effects of an error on comparative information for one or more prior periods presented, the entity shall restate the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest period for which retrospective restatement is practicable (which may be the current period).**

45 **When it is impracticable to determine the cumulative effect, at the beginning of the current period, of an error on all prior periods, the entity shall restate the comparative information to correct the error prospectively from the earliest date practicable.**

46 The correction of a prior period error is excluded from profit or loss for the period in which the error is discovered. Any information presented about prior periods, including any historical summaries of financial data, is restated as far back as is practicable.

47 When it is impracticable to determine the amount of an error (eg a mistake in applying an accounting policy) for all prior periods, the entity, in accordance with paragraph 45, restates the comparative information prospectively from the earliest date practicable. It therefore disregards the portion of the cumulative restatement of assets, liabilities and equity arising before that date. Paragraphs 50–53 provide guidance on when it is impracticable to correct an error for one or more prior periods.

48 Corrections of errors are distinguished from changes in accounting estimates. Accounting estimates by their nature are approximations that may need revision as additional information becomes known. For example, the gain or loss recognised on the outcome of a contingency is not the correction of an error.

Disclosure of prior period errors

49 **In applying paragraph 42, an entity shall disclose the following:**

- (a) the nature of the prior period error;
- (b) for each prior period presented, to the extent practicable, the amount of the correction:
 - (i) for each financial statement line item affected; and
 - (ii) if Ind AS 33 applies to the entity, for basic and diluted earnings per share;
- (c) the amount of the correction at the beginning of the earliest prior period presented; and
- (d) if retrospective restatement is impracticable for a particular prior period, the circumstances that led to the existence of that condition and a description of how and from when the error has been corrected.

Financial statements of subsequent periods need not repeat these disclosures.

Impracticability in respect of retrospective application and retrospective restatement

50 In some circumstances, it is impracticable to adjust comparative information for one or more prior periods to achieve comparability with the current period. For example, data may not have been collected in the prior period(s) in a way that allows either retrospective application of a new accounting policy (including, for the purpose of paragraphs 51–53, its prospective application to prior periods) or retrospective restatement to correct a prior period error, and it may be impracticable to recreate the information.

- 51 It is frequently necessary to make estimates in applying an accounting policy to elements of financial statements recognised or disclosed in respect of transactions, other events or conditions. Estimation is inherently subjective, and estimates may be developed after the reporting period. Developing estimates is potentially more difficult when retrospectively applying an accounting policy or making a retrospective restatement to correct a prior period error, because of the longer period of time that might have passed since the affected transaction, other event or condition occurred. However, the objective of estimates related to prior periods remains the same as for estimates made in the current period, namely, for the estimate to reflect the circumstances that existed when the transaction, other event or condition occurred.
- 52 Therefore, retrospectively applying a new accounting policy or correcting a prior period error requires distinguishing information that
- (a) provides evidence of circumstances that existed on the date(s) as at which the transaction, other event or condition occurred, and
 - (b) would have been available when the financial statements for that prior period were approved for issue
- from other information. For some types of estimates (eg a fair value measurement that uses significant unobservable inputs), it is impracticable to distinguish these types of information. When retrospective application or retrospective restatement would require making a significant estimate for which it is impossible to distinguish these two types of information, it is impracticable to apply the new accounting policy or correct the prior period error retrospectively.
- 53 Hindsight should not be used when applying a new accounting policy to, or correcting amounts for, a prior period, either in making assumptions about what management's intentions would have been in a prior period or estimating the amounts recognised, measured or disclosed in a prior period. For example, when an entity corrects a prior period error in calculating its liability for employees' accumulated sick leave in accordance with Ind AS 19, *Employee Benefits*, it disregards information about an unusually severe influenza season during the next period that became available after the financial statements for the prior period were approved for issue. The fact that significant estimates are frequently required when amending comparative information presented for prior periods does not prevent reliable adjustment or correction of the comparative information.

Appendix A

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

Appendix B, Liabilities arising from Participating in a Specific Market— Waste Electrical and Electronic Equipment, contained in Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, makes reference to (Ind AS) 8.

Appendix 1

Note: *This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 8 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, issued by the International Accounting Standards Board.*

Comparison with IAS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*

- 1 Different terminology is used in this standard, eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'. The words 'approval of the financial statements for issue, have been used instead of 'authorisation of the financial statements for issue' in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.
2. Paragraph 9 dealing with status of guidance given along with the Ind ASs forming integral and non-integral part of the standard, has been modified to delete the text given in the context of the Guidance forming non-integral part of the Standard as such guidance has not been included in the Standards. 3. In paragraph 12 of Ind AS 8, it is mentioned that in absence of an Ind AS, management may first consider the most recent pronouncements of International Accounting Standards Board.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 10

Events after the Reporting Period

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

1 The objective of this Standard is to prescribe:

- (a) When an entity should adjust its financial statements for events after the reporting period; and
- (b) the disclosures that an entity should give about the date when the financial statements were approved for issue and about events after the reporting period.

The Standard also requires that an entity should not prepare its financial statements on a going concern basis if events after the reporting period indicate that the going concern assumption is not appropriate.

Scope

2 This Standard shall be applied in the accounting for, and disclosure of, events after the reporting period.

Definitions

3 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Events after the reporting period are those events, favourable and unfavourable, that occur between the end of the reporting period and the date when the financial statements are approved by the Board of Directors in case of a company, and, by the corresponding approving authority in case of any other entity for issue. Two types of events can be identified:

- (a) those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (*adjusting events after the reporting period*); and
- (b) those that are indicative of conditions that arose after the reporting period (*non-adjusting events after the reporting period*).

Notwithstanding anything contained above, where there is a breach of a material provision of a long-term loan arrangement on or before the end of the reporting period with the effect that the liability becomes payable on demand on the reporting date, the agreement by lender before the approval of the financial statements for issue, to not demand payment as a consequence of the breach, shall be considered as an adjusting event.

4 The process involved in approving the financial statements for issue will vary depending upon the management structure, statutory requirements and procedures followed in preparing and finalising the financial statements.

5 In some cases, an entity is required to submit its financial statements to its shareholders for approval after the financial statements have been approved by the Board for issue. In such cases, the financial statements are approved for issue on the date of approval by the Board, not the date when shareholders approve the financial statements.

6 In some cases, the management of an entity is required to issue its financial statements to a supervisory board (made up solely of non-executives) for approval. In such cases, the financial statements are approved for issue when the management approves them for issue to the supervisory board.

Example

On 18 March 20X2, the management of an entity approves financial statements for issue to its supervisory board. The supervisory board is made up solely of non-executives and may include representatives of employees and other outside interests. The supervisory board approves the financial statements on 26 March 20X2. The financial statements are made available to shareholders and others on 1 April 20X2. The shareholders approve the financial statements at their annual meeting on 15 May 20X2 and the financial statements are then filed with a regulatory body on 17 May 20X2.

The financial statements are approved for issue on 18 March 20X2 (date of management approval for issue to the supervisory board).

7 Events after the reporting period include all events up to the date when the financial statements are approved for issue, even if those events occur after the public announcement of profit or of other selected financial information.

Recognition and measurement**Adjusting events after the reporting period**

8 An entity shall adjust the amounts recognised in its financial statements to reflect adjusting events after the reporting period.

- 9 The following are examples of adjusting events after the reporting period that require an entity to adjust the amounts recognised in its financial statements, or to recognise items that were not previously recognised:
- (a) the settlement after the reporting period of a court case that confirms that the entity had a present obligation at the end of the reporting period. The entity adjusts any previously recognised provision related to this court case in accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* or recognises a new provision. The entity does not merely disclose a contingent liability because the settlement provides additional evidence that would be considered in accordance with paragraph 16 of Ind AS 37.
 - (b) the receipt of information after the reporting period indicating that an asset was impaired at the end of the reporting period, or that the amount of a previously recognised impairment loss for that asset needs to be adjusted. For example:
 - (i) the bankruptcy of a customer that occurs after the reporting period usually confirms that the customer was credit-impaired at the end of the reporting period; and
 - (ii) the sale of inventories after the reporting period may give evidence about their net realisable value at the end of the reporting period.
 - (c) the determination after the reporting period of the cost of assets purchased, or the proceeds from assets sold, before the end of the reporting period.
 - (d) the determination after the reporting period of the amount of profit-sharing or bonus payments, if the entity had a present legal or constructive obligation at the end of the reporting period to make such payments as a result of events before that date (see Ind AS 19, *Employee Benefits*).
 - (e) the discovery of fraud or errors that show that the financial statements are incorrect.

Non-adjusting events after the reporting period

- 10 **An entity shall not adjust the amounts recognised in its financial statements to reflect non-adjusting events after the reporting period.**
- 11 An example of a non-adjusting event after the reporting period is a decline in fair value of investments between the end of the reporting period and the date when the financial statements are approved for issue. The decline in fair value does not normally relate to the condition of the investments at the end of the reporting period, but reflects circumstances that have arisen subsequently. Therefore, an entity does not adjust the amounts recognised in its financial statements for the investments. Similarly, the entity does not update the amounts disclosed for the investments as at the end of the reporting period, although it may need to give additional disclosure under paragraph 21.

Dividends

- 12 **If an entity declares dividends to holders of equity instruments (as defined in Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*) after the reporting period, the entity shall not recognise those dividends as a liability at the end of the reporting period.**
- 13 If dividends are declared after the reporting period but before the financial statements are approved for issue, the dividends are not recognised as a liability at the end of the reporting period because no obligation exists at that time. Such dividends are disclosed in the notes in accordance with Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*.

Going concern

- 14 **An entity shall not prepare its financial statements on a going concern basis if management determines after the reporting period either that it intends to liquidate the entity or to cease trading, or that it has no realistic alternative but to do so.**
- 15 Deterioration in operating results and financial position after the reporting period may indicate a need to consider whether the going concern assumption is still appropriate. If the going concern assumption is no longer appropriate, the effect is so pervasive that this Standard requires a fundamental change in the basis of accounting, rather than an adjustment to the amounts recognised within the original basis of accounting.
- 16 Ind AS 1 specifies required disclosures if:
- (a) the financial statements are not prepared on a going concern basis; or

- (b) management is aware of material uncertainties related to events or conditions that may cast significant doubt upon the entity's ability to continue as a going concern. The events or conditions requiring disclosure may arise after the reporting period.

Disclosure

Date of approval for issue

- 17 An entity shall disclose the date when the financial statements were approved for issue and who gave that approval. If the entity's owners or others have the power to amend the financial statements after issue, the entity shall disclose that fact.**

- 18 It is important for users to know when the financial statements were approved for issue, because the financial statements do not reflect events after this date.

Updating disclosure about conditions at the end of the reporting period

- 19 If an entity receives information after the reporting period about conditions that existed at the end of the reporting period, it shall update disclosures that relate to those conditions, in the light of the new information.**

- 20 In some cases, an entity needs to update the disclosures in its financial statements to reflect information received after the reporting period, even when the information does not affect the amounts that it recognises in its financial statements. One example of the need to update disclosures is when evidence becomes available after the reporting period about a contingent liability that existed at the end of the reporting period. In addition to considering whether it should recognise or change a provision under Ind AS 37, an entity updates its disclosures about the contingent liability in the light of that evidence.

Non-adjusting events after the reporting period

- 21 If non-adjusting events after the reporting period are material, non-disclosure could influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Accordingly, an entity shall disclose the following for each material category of non-adjusting event after the reporting period:**

- (a) **the nature of the event; and**
 (b) **an estimate of its financial effect, or a statement that such an estimate cannot be made.**

- 22 The following are examples of non-adjusting events after the reporting period that would generally result in disclosure:

- (a) a major business combination after the reporting period (Ind AS 103, *Business Combinations*, requires specific disclosures in such cases) or disposing of a major subsidiary;
 (b) announcing a plan to discontinue an operation;
 (c) major purchases of assets, classification of assets as held for sale in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, other disposals of assets, or expropriation of major assets by government;
 (d) the destruction of a major production plant by a fire after the reporting period;
 (e) announcing, or commencing the implementation of, a major restructuring (see Ind AS 37);
 (f) major ordinary share transactions and potential ordinary share transactions after the reporting period (Ind AS 33, *Earnings per Share*, requires an entity to disclose a description of such transactions, other than when such transactions involve capitalisation or bonus issues, share splits or reverse share splits all of which are required to be adjusted under Ind AS 33);
 (g) abnormally large changes after the reporting period in asset prices or foreign exchange rates;
 (h) changes in tax rates or tax laws enacted or announced after the reporting period that have a significant effect on current and deferred tax assets and liabilities (see Ind AS 12, *Income Taxes*);
 (i) entering into significant commitments or contingent liabilities, for example, by issuing significant guarantees; and

commencing major litigation arising solely out of events that occurred after the reporting period.

Appendix A

Distribution of Non-cash Assets to Owners³

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

Background

- 1 Sometimes an entity distributes assets other than cash (non-cash assets) as dividends to its owners⁴ acting in their capacity as owners. In those situations, an entity may also give its owners a choice of receiving either non-cash assets or a cash alternative.
- 2 Indian Accounting Standards (Ind ASs) do not provide guidance on how an entity should measure distributions to its owners (commonly referred to as dividends). Ind AS 1 requires an entity to present details of dividends recognised as distributions to owners either in the statement of changes in equity or in the notes to the financial statements.

Scope

- 3 This Appendix applies to the following types of non-reciprocal distributions of assets by an entity to its owners acting in their capacity as owners:
 - (a) distributions of non-cash assets (eg items of property, plant and equipment, businesses as defined in Ind AS 103, ownership interests in another entity or disposal groups as defined in Ind AS 105); and
 - (b) distributions that give owners a choice of receiving either non-cash assets or a cash alternative.
- 4 This Appendix applies only to distributions in which all owners of the same class of equity instruments are treated equally.
- 5 This Appendix does not apply to a distribution of a non-cash asset that is ultimately controlled by the same party or parties before and after the distribution. This exclusion applies to the separate, individual and consolidated financial statements of an entity that makes the distribution.
- 6 In accordance with paragraph 5, this Appendix does not apply when the non-cash asset is ultimately controlled by the same parties both before and after the distribution. Paragraph 7 of Appendix C to Ind AS 103 states that 'A group of individuals shall be regarded as controlling an entity when, as a result of contractual arrangements, they collectively have the power to govern its financial and operating policies so as to obtain benefits from its activities, and that ultimate collective power is not transitory.' Therefore, for a distribution to be outside the scope of this Appendix on the basis that the same parties control the asset both before and after the distribution, a group of individual shareholders receiving the distribution must have, as a result of contractual arrangements, such ultimate collective power over the entity making the distribution.
- 7 In accordance with paragraph 5, this Appendix does not apply when an entity distributes some of its ownership interests in a subsidiary but retains control of the subsidiary. The entity making a distribution that results in the entity recognising a non-controlling interest in its subsidiary accounts for the distribution in accordance with Ind AS 110.
- 8 This Appendix addresses only the accounting by an entity that makes a non-cash asset distribution. It does not address the accounting by shareholders who receive such a distribution.

Issues

- 9 When an entity declares a distribution and has an obligation to distribute the assets concerned to its owners, it must recognise a liability for the dividend payable. Consequently, this Appendix addresses the following issues:
 - (a) When should the entity recognise the dividend payable?
 - (b) How should an entity measure the dividend payable?
 - (c) When an entity settles the dividend payable, how should it account for any difference between the carrying amount of the assets distributed and the carrying amount of the dividend payable?

Accounting Principles

When to recognise a dividend payable

- 10 The liability to pay a dividend shall be recognised when the dividend is appropriately authorised and is no longer at the discretion of the entity, which is the date:

³ This Appendix deals, inter alia, with when to recognise dividends payable to its owners.

⁴ Paragraph 7 of Ind AS 1 defines owners as holders of instruments classified as equity.

- (a) when declaration of the dividend, eg by management or the board of directors, is approved by the relevant authority, eg the shareholders, if the jurisdiction requires such approval, or
- (b) when the dividend is declared, eg by management or the board of directors, if the jurisdiction does not require further approval.

Measurement of a dividend payable

- 11 An entity shall measure a liability to distribute non-cash assets as a dividend to its owners at the fair value of the assets to be distributed.
- 12 If an entity gives its owners a choice of receiving either a non-cash asset or a cash alternative, the entity shall estimate the dividend payable by considering both the fair value of each alternative and the associated probability of owners selecting each alternative.
- 13 At the end of each reporting period and at the date of settlement, the entity shall review and adjust the carrying amount of the dividend payable, with any changes in the carrying amount of the dividend payable recognised in equity as adjustments to the amount of the distribution.

Accounting for any difference between the carrying amount of the assets distributed and the carrying amount of the dividend payable when an entity settles the dividend payable

- 14 When an entity settles the dividend payable, it shall recognise the difference, if any, between the carrying amount of the assets distributed and the carrying amount of the dividend payable in profit or loss.

Presentation and disclosures

- 15 An entity shall present the difference described in paragraph 14 as a separate line item in profit or loss.
- 16 An entity shall disclose the following information, if applicable:
 - (a) the carrying amount of the dividend payable at the beginning and end of the period; and
 - (b) the increase or decrease in the carrying amount recognised in the period in accordance with paragraph 13 as result of a change in the fair value of the assets to be distributed.
- 17 If, after the end of a reporting period but before the financial statements are approved for issue, an entity declares a dividend to distribute a non-cash asset, it shall disclose:
 - (a) the nature of the asset to be distributed;
 - (b) the carrying amount of the asset to be distributed as of the end of the reporting period; and
 - (c) the fair value of the asset to be distributed as of the end of the reporting period, if it is different from its carrying amount, and the information about the method(s) used to measure that fair value required by paragraphs 93(b), (d), (g) and (i) and 99 of Ind AS 113.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 10 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 10, Events after the Reporting Period, and IFRIC 17, Distributions of Non-cash Assets to Owners, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 10, *Events after the Reporting Period*, and IFRIC 17

- 1 Different terminology is used in this standard, eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'. The words 'approval of the financial statements for issue' have been used instead of 'authorisation of the financial statements for issue' in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.
- 2 Consequent to changes made in Ind AS 1, it has been provided in the definition of 'Events after the reporting period' that in case of breach of a material provision of a long-term loan arrangement on or before the end of the reporting period with the effect that the liability becomes payable on demand on the reporting date, if the lender, before the approval of the financial statements for issue, agrees to waive the breach, it shall be considered as an adjusting event.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 12

Income Taxes

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment for income taxes. The principal issue in accounting for income taxes is how to account for the current and future tax consequences of:

- (a) the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognised in an entity's balance sheet; and
- (b) transactions and other events of the current period that are recognised in an entity's financial statements.

It is inherent in the recognition of an asset or liability that the reporting entity expects to recover or settle the carrying amount of that asset or liability. If it is probable that recovery or settlement of that carrying amount will make future tax payments larger (smaller) than they would be if such recovery or settlement were to have no tax consequences, this Standard requires an entity to recognise a deferred tax liability (deferred tax asset), with certain limited exceptions.

This Standard requires an entity to account for the tax consequences of transactions and other events in the same way that it accounts for the transactions and other events themselves. Thus, for transactions and other events recognised in profit or loss, any related tax effects are also recognised in profit or loss. For transactions and other events recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or directly in equity), any related tax effects are also recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or directly in equity, respectively). Similarly, the recognition of deferred tax assets and liabilities in a business combination affects the amount of goodwill arising in that business combination or the amount of the bargain purchase gain recognised.

This Standard also deals with the recognition of deferred tax assets arising from unused tax losses or unused tax credits, the presentation of income taxes in the financial statements and the disclosure of information relating to income taxes.

Scope

- 1 **This Standard shall be applied in accounting for income taxes.**
- 2 For the purposes of this Standard, income taxes include all domestic and foreign taxes which are based on taxable profits. Income taxes also include taxes, such as withholding taxes, which are payable by a subsidiary, associate or joint arrangement on distributions to the reporting entity.
- 3 [Refer Appendix 1]
- 4 This Standard does not deal with the methods of accounting for government grants (see Ind AS 20, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*) or investment tax credits. However, this Standard does deal with the accounting for temporary differences that may arise from such grants or investment tax credits.

Definitions

- 5 **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

Accounting profit is profit or loss for a period before deducting tax expense.

Taxable profit (tax loss) is the profit (loss) for a period, determined in accordance with the rules established by the taxation authorities, upon which income taxes are payable (recoverable).

Tax expense (tax income) is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax.

Current tax is the amount of income taxes payable (recoverable) in respect of the taxable profit (tax loss) for a period.

Deferred tax liabilities are the amounts of income taxes payable in future periods in respect of taxable temporary differences.

Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in future periods in respect of:

- (a) deductible temporary differences;
- (b) the carryforward of unused tax losses; and
- (c) the carryforward of unused tax credits.

Temporary differences are differences between the carrying amount of an asset or liability in the balance sheet and its tax base. Temporary differences may be either:

- (a) ***taxable temporary differences***, which are temporary differences that will result in taxable amounts in determining taxable profit (tax loss) of future periods when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled; or

- (b) **deductible temporary differences, which are temporary differences that will result in amounts that are deductible in determining taxable profit (tax loss) of future periods when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled.**

The tax base of an asset or liability is the amount attributed to that asset or liability for tax purposes.

- 6 Tax expense (tax income) comprises current tax expense (current tax income) and deferred tax expense (deferred tax income).

Tax base

- 7 The tax base of an asset is the amount that will be deductible for tax purposes against any taxable economic benefits that will flow to an entity when it recovers the carrying amount of the asset. If those economic benefits will not be taxable, the tax base of the asset is equal to its carrying amount.

Examples

- 1 A machine cost Rs. 100. For tax purposes, depreciation of Rs. 30 has already been deducted in the current and prior periods and the remaining cost will be deductible in future periods, either as depreciation or through a deduction on disposal. Revenue generated by using the machine is taxable, any gain on disposal of the machine will be taxable and any loss on disposal will be deductible for tax purposes. *The tax base of the machine is Rs. 70.*
- 2 Interest receivable has a carrying amount of Rs. 100. The related interest revenue will be taxed on a cash basis. *The tax base of the interest receivable is nil.*
- 3 Trade receivables have a carrying amount of Rs. 100. The related revenue has already been included in taxable profit (tax loss). *The tax base of the trade receivables is Rs. 100.*
- 4 Dividends receivable from a subsidiary have a carrying amount of Rs. 100. The dividends are not taxable. *In substance, the entire carrying amount of the asset is deductible against the economic benefits. Consequently, the tax base of the dividends receivable is Rs. 100.^(a)*
- 5 A loan receivable has a carrying amount of Rs. 100. The repayment of the loan will have no tax consequences. *The tax base of the loan is Rs. 100.*
 - (a) Under this analysis, there is no taxable temporary difference. An alternative analysis is that the accrued dividends receivable have a tax base of nil and that a tax rate of nil is applied to the resulting taxable temporary difference of Rs. 100. Under both analyses, there is no deferred tax liability.
- 8 The tax base of a liability is its carrying amount, less any amount that will be deductible for tax purposes in respect of that liability in future periods. In the case of revenue which is received in advance, the tax base of the resulting liability is its carrying amount, less any amount of the revenue that will not be taxable in future periods.

Examples

- 1 Current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of Rs. 100. The related expense will be deducted for tax purposes on a cash basis. *The tax base of the accrued expenses is nil.*
- 2 Current liabilities include interest revenue received in advance, with a carrying amount of Rs. 100. The related interest revenue was taxed on a cash basis. *The tax base of the interest received in advance is nil.*
- 3 Current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of Rs. 100. The related expense has already been deducted for tax purposes. *The tax base of the accrued expenses is Rs. 100.*
- 4 Current liabilities include accrued fines and penalties with a carrying amount of Rs. 100. Fines and penalties are not deductible for tax purposes. *The tax base of the accrued fines and penalties is Rs. 100.^(a)*
- 5 A loan payable has a carrying amount of Rs. 100. The repayment of the loan will have no tax consequences. *The tax base of the loan is Rs. 100.*
 - (a) Under this analysis, there is no deductible temporary difference. An alternative analysis is that the accrued fines and penalties payable have a tax base of nil and that a tax rate of nil is applied to the resulting deductible temporary difference of Rs. 100. Under both analyses, there is no deferred tax asset.

- 9 Some items have a tax base but are not recognised as assets and liabilities in the balance sheet. For example, preliminary expenses are recognised as an expense in determining accounting profit in the period in which they are incurred but may not be permitted as a deduction in determining taxable profit (tax loss) until a later

period(s). The difference between the tax base of the preliminary expenses, being the amount permitted as a deduction in future periods under taxation laws, and the carrying amount of nil is a deductible temporary difference that results in a deferred tax asset.

- 10 Where the tax base of an asset or liability is not immediately apparent, it is helpful to consider the fundamental principle upon which this Standard is based: that an entity shall, with certain limited exceptions, recognise a deferred tax liability (asset) whenever recovery or settlement of the carrying amount of an asset or liability would make future tax payments larger (smaller) than they would be if such recovery or settlement were to have no tax consequences. Example C following paragraph 51A illustrates circumstances when it may be helpful to consider this fundamental principle, for example, when the tax base of an asset or liability depends on the expected manner of recovery or settlement.
- 11 The tax base is determined by reference to the tax returns of each entity in the group. In some jurisdictions, in consolidated financial statements, temporary differences are determined by comparing the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements with the appropriate tax base. The tax base is determined by reference to a consolidated tax return in those jurisdictions in which such a return is filed.

Recognition of current tax liabilities and current tax assets

- 12 **Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset.**
- 13 **The benefit relating to a tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous period shall be recognised as an asset.**
- 14 When a tax loss is used to recover current tax of a previous period, an entity recognises the benefit as an asset in the period in which the tax loss occurs because it is probable that the benefit will flow to the entity and the benefit can be reliably measured.

Recognition of deferred tax liabilities and deferred tax assets

Taxable temporary differences

- 15 **A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:**
- (a) **the initial recognition of goodwill; or**
 - (b) **the initial recognition of an asset or liability in a transaction which:**
 - (i) **is not a business combination; and**
 - (ii) **at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).**

However, for taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches and associates, and interests in joint arrangements, a deferred tax liability shall be recognised in accordance with paragraph 39.

- 16 It is inherent in the recognition of an asset that its carrying amount will be recovered in the form of economic benefits that flow to the entity in future periods. When the carrying amount of the asset exceeds its tax base, the amount of taxable economic benefits will exceed the amount that will be allowed as a deduction for tax purposes. This difference is a taxable temporary difference and the obligation to pay the resulting income taxes in future periods is a deferred tax liability. As the entity recovers the carrying amount of the asset, the taxable temporary difference will reverse and the entity will have taxable profit. This makes it probable that economic benefits will flow from the entity in the form of tax payments. Therefore, this Standard requires the recognition of all deferred tax liabilities, except in certain circumstances described in paragraphs 15 and 39.

Example

An asset which cost Rs. 150 has a carrying amount of Rs. 100. Cumulative depreciation for tax purposes is Rs. 90 and the tax rate is 25%.

The tax base of the asset is Rs. 60 (cost of Rs. 150 less cumulative tax depreciation of Rs. 90). To recover the carrying amount of Rs. 100, the entity must earn taxable income of Rs. 100, but will only be able to deduct tax depreciation of Rs. 60. Consequently, the entity will pay income taxes of Rs. 10 (Rs. 40 at 25%) when it recovers the carrying amount of the asset. The difference between the carrying amount of Rs. 100 and the tax base of Rs. 60 is a taxable temporary difference of Rs. 40. Therefore, the entity recognises a deferred tax liability of Rs. 10 (Rs. 40 at 25%) representing the income taxes that it will pay when it recovers the carrying amount of the asset.

- 17 Some temporary differences arise when income or expense is included in accounting profit in one period but is included in taxable profit in a different period. Such temporary differences are often described as timing differences. The following are examples of temporary differences of this kind which are taxable temporary differences and which therefore result in deferred tax liabilities:
- (a) interest revenue is included in accounting profit on a time proportion basis but may, in some jurisdictions, be included in taxable profit when cash is collected. The tax base of any receivable recognised in the balance sheet with respect to such revenues is nil because the revenues do not affect taxable profit until cash is collected;
 - (b) depreciation used in determining taxable profit (tax loss) may differ from that used in determining accounting profit. The temporary difference is the difference between the carrying amount of the asset and its tax base which is the original cost of the asset less all deductions in respect of that asset permitted under taxation laws in determining taxable profit of the current and prior periods. A taxable temporary difference arises, and results in a deferred tax liability, when tax depreciation is accelerated (if tax depreciation is less rapid than accounting depreciation, a deductible temporary difference arises, and results in a deferred tax asset); and
 - (c) development costs may be capitalised and amortised over future periods in determining accounting profit but deducted in determining taxable profit in the period in which they are incurred. Such development costs have a tax base of nil as they have already been deducted from taxable profit. The temporary difference is the difference between the carrying amount of the development costs and their tax base of nil.
- 18 Temporary differences also arise when:
- (a) the identifiable assets acquired and liabilities assumed in a business combination are recognised at their fair values in accordance with Ind AS 103, *Business Combinations*, but no equivalent adjustment is made for tax purposes (see paragraph 19);
 - (b) assets are revalued and no equivalent adjustment is made for tax purposes (see paragraph 20);
 - (c) goodwill arises in a business combination (see paragraph 21);
 - (d) the tax base of an asset or liability on initial recognition differs from its initial carrying amount, for example when an entity benefits from non-taxable government grants related to assets (see paragraphs 22 and 33); or
 - (e) the carrying amount of investments in subsidiaries, branches and associates or interests in joint arrangements becomes different from the tax base of the investment or interest (see paragraphs 38–45).

Business combinations

- 19 With limited exceptions, the identifiable assets acquired and liabilities assumed in a business combination are recognised at their fair values at the acquisition date. Temporary differences arise when the tax bases of the identifiable assets acquired and liabilities assumed are not affected by the business combination or are affected differently. For example, when the carrying amount of an asset is increased to fair value but the tax base of the asset remains at cost to the previous owner, a taxable temporary difference arises which results in a deferred tax liability. The resulting deferred tax liability affects goodwill (see paragraph 66).

Assets carried at fair value

- 20 Ind ASs permit or require certain assets to be carried at fair value or to be revalued (see, for example, Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*, Ind AS 38, *Intangible Assets* and Ind AS 109, *Financial Instruments*). In some jurisdictions, the revaluation or other restatement of an asset to fair value affects taxable profit (tax loss) for the current period. As a result, the tax base of the asset is adjusted and no temporary difference arises. In other jurisdictions, the revaluation or restatement of an asset does not affect taxable profit in the period of the revaluation or restatement and, consequently, the tax base of the asset is not adjusted. Nevertheless, the future recovery of the carrying amount will result in a taxable flow of economic benefits to the entity and the amount that will be deductible for tax purposes will differ from the amount of those economic benefits. The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset. This is true even if:

- (a) the entity does not intend to dispose of the asset. In such cases, the revalued carrying amount of the asset will be recovered through use and this will generate taxable income which exceeds the depreciation that will be allowable for tax purposes in future periods; or
- (b) tax on capital gains is deferred if the proceeds of the disposal of the asset are invested in similar assets. In such cases, the tax will ultimately become payable on sale or use of the similar assets.

Goodwill

21 Goodwill arising in a business combination is measured as the excess of (a) over (b) below:

- (a) the aggregate of:
 - (i) the consideration transferred measured in accordance with Ind AS 103, which generally requires acquisition-date fair value;
 - (ii) the amount of any non-controlling interest in the acquiree recognised in accordance with Ind AS 103; and
 - (iii) in a business combination achieved in stages, the acquisition-date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree.
- (b) the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed measured in accordance with Ind AS 103.

Many jurisdictions do not allow reductions in the carrying amount of goodwill as a deductible expense in determining taxable profit. Moreover, in such jurisdictions, the cost of goodwill is often not deductible when a subsidiary disposes of its underlying business. In such jurisdictions, goodwill has a tax base of nil. Any difference between the carrying amount of goodwill and its tax base of nil is a taxable temporary difference. However, this Standard does not permit the recognition of the resulting deferred tax liability because goodwill is measured as a residual and the recognition of the deferred tax liability would increase the carrying amount of goodwill.

21A Subsequent reductions in a deferred tax liability that is unrecognised because it arises from the initial recognition of goodwill are also regarded as arising from the initial recognition of goodwill and are therefore not recognised under paragraph 15(a). For example, if in a business combination an entity recognises goodwill of Rs. 100 that has a tax base of nil, paragraph 15(a) prohibits the entity from recognising the resulting deferred tax liability. If the entity subsequently recognises an impairment loss of Rs. 20 for that goodwill, the amount of the taxable temporary difference relating to the goodwill is reduced from Rs. 100 to Rs. 80, with a resulting decrease in the value of the unrecognised deferred tax liability. That decrease in the value of the unrecognised deferred tax liability is also regarded as relating to the initial recognition of the goodwill and is therefore prohibited from being recognised under paragraph 15(a).

21B Deferred tax liabilities for taxable temporary differences relating to goodwill are, however, recognised to the extent they do not arise from the initial recognition of goodwill. For example, if in a business combination an entity recognises goodwill of Rs. 100 that is deductible for tax purposes at a rate of 20 per cent per year starting in the year of acquisition, the tax base of the goodwill is Rs. 100 on initial recognition and Rs. 80 at the end of the year of acquisition. If the carrying amount of goodwill at the end of the year of acquisition remains unchanged at Rs. 100, a taxable temporary difference of Rs. 20 arises at the end of that year. Because that taxable temporary difference does not relate to the initial recognition of the goodwill, the resulting deferred tax liability is recognised.

Initial recognition of an asset or liability

22 A temporary difference may arise on initial recognition of an asset or liability, for example if part or all of the cost of an asset will not be deductible for tax purposes. The method of accounting for such a temporary difference depends on the nature of the transaction that led to the initial recognition of the asset or liability:

- (a) in a business combination, an entity recognises any deferred tax liability or asset and this affects the amount of goodwill or bargain purchase gain it recognises (see paragraph 19);
- (b) if the transaction affects either accounting profit or taxable profit, an entity recognises any deferred tax liability or asset and recognises the resulting deferred tax expense or income in profit or loss (see paragraph 59);
- (c) if the transaction is not a business combination, and affects neither accounting profit nor taxable profit, an entity would, in the absence of the exemption provided by paragraphs 15 and 24, recognise the resulting deferred tax liability or asset and adjust the carrying amount of the asset or liability by

the same amount. Such adjustments would make the financial statements less transparent. Therefore, this Standard does not permit an entity to recognise the resulting deferred tax liability or asset, either on initial recognition or subsequently (see example below). Furthermore, an entity does not recognise subsequent changes in the unrecognised deferred tax liability or asset as the asset is depreciated.

Example illustrating paragraph 22(c)

An entity intends to use an asset which cost Rs. 1,000 throughout its useful life of five years and then dispose of it for a residual value of nil. The tax rate is 40%. Depreciation of the asset is not deductible for tax purposes. On disposal, any capital gain would not be taxable and any capital loss would not be deductible.

As it recovers the carrying amount of the asset, the entity will earn taxable income of Rs. 1,000 and pay tax of Rs. 400. The entity does not recognise the resulting deferred tax liability of Rs. 400 because it results from the initial recognition of the asset.

In the following year, the carrying amount of the asset is Rs. 800. In earning taxable income of Rs. 800, the entity will pay tax of Rs. 320. The entity does not recognise the deferred tax liability of Rs. 320 because it results from the initial recognition of the asset.

- 23 In accordance with Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*, the issuer of a compound financial instrument (for example, a convertible bond) classifies the instrument's liability component as a liability and the equity component as equity. In some jurisdictions, the tax base of the liability component on initial recognition is equal to the initial carrying amount of the sum of the liability and equity components. The resulting taxable temporary difference arises from the initial recognition of the equity component separately from the liability component. Therefore, the exception set out in paragraph 15(b) does not apply. Consequently, an entity recognises the resulting deferred tax liability. In accordance with paragraph 61A, the deferred tax is charged directly to the carrying amount of the equity component. In accordance with paragraph 58, subsequent changes in the deferred tax liability are recognised in profit or loss as deferred tax expense (income).

Deductible temporary differences

- 24 **A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that:**

- (a) is not a business combination; and
- (b) at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

However, for deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches and associates, and interests in joint arrangements, a deferred tax asset shall be recognised in accordance with paragraph 44.

- 25 It is inherent in the recognition of a liability that the carrying amount will be settled in future periods through an outflow from the entity of resources embodying economic benefits. When resources flow from the entity, part or all of their amounts may be deductible in determining taxable profit of a period later than the period in which the liability is recognised. In such cases, a temporary difference exists between the carrying amount of the liability and its tax base. Accordingly, a deferred tax asset arises in respect of the income taxes that will be recoverable in the future periods when that part of the liability is allowed as a deduction in determining taxable profit. Similarly, if the carrying amount of an asset is less than its tax base, the difference gives rise to a deferred tax asset in respect of the income taxes that will be recoverable in future periods.

Example

An entity recognises a liability of Rs. 100 for gratuity and leave encashment expenses by creating a provision for gratuity and leave encashment. For tax purposes, any amount with regard to gratuity and leave encashment will not be deductible until the entity pays the same. The tax rate is 25%.

The tax base of the liability is nil (carrying amount of Rs. 100, less the amount that will be deductible for tax purposes in respect of that liability in future periods). In settling the liability for its carrying amount, the entity will reduce its future taxable profit by an amount of Rs. 100 and, consequently, reduce its future tax

payments by Rs. 25 (Rs. 100 at 25%). The difference between the carrying amount of Rs. 100 and the tax base of nil is a deductible temporary difference of Rs. 100. Therefore, the entity recognises a deferred tax asset of Rs. 25 (Rs. 100 at 25%), provided that it is probable that the entity will earn sufficient taxable profit in future periods to benefit from a reduction in tax payments.

- 26 The following are examples of deductible temporary differences that result in deferred tax assets:
- (a) retirement benefit costs may be deducted in determining accounting profit as service is provided by the employee, but deducted in determining taxable profit either when contributions are paid to a fund by the entity or when retirement benefits are paid by the entity. A temporary difference exists between the carrying amount of the liability and its tax base; the tax base of the liability is usually nil. Such a deductible temporary difference results in a deferred tax asset as economic benefits will flow to the entity in the form of a deduction from taxable profits when contributions or retirement benefits are paid;
 - (b) preliminary expenses are recognised as an expense in determining accounting profit in the period in which they are incurred but may not be permitted as a deduction in determining taxable profit (tax loss) until a later period(s). The difference between the tax base of the preliminary expenses, being the amount permitted as a deduction in future periods under taxation laws, and the carrying amount of nil is a deductible temporary difference that results in a deferred tax asset;
 - (c) with limited exceptions, an entity recognises the identifiable assets acquired and liabilities assumed in a business combination at their fair values at the acquisition date. When a liability assumed is recognised at the acquisition date but the related costs are not deducted in determining taxable profits until a later period, a deductible temporary difference arises which results in a deferred tax asset. A deferred tax asset also arises when the fair value of an identifiable asset acquired is less than its tax base. In both cases, the resulting deferred tax asset affects goodwill (see paragraph 66); and
 - (d) certain assets may be carried at fair value, or may be revalued, without an equivalent adjustment being made for tax purposes (see paragraph 20). A deductible temporary difference arises if the tax base of the asset exceeds its carrying amount.
- 27 The reversal of deductible temporary differences results in deductions in determining taxable profits of future periods. However, economic benefits in the form of reductions in tax payments will flow to the entity only if it earns sufficient taxable profits against which the deductions can be offset. Therefore, an entity recognises deferred tax assets only when it is probable that taxable profits will be available against which the deductible temporary differences can be utilised.
- 28 It is probable that taxable profit will be available against which a deductible temporary difference can be utilised when there are sufficient taxable temporary differences relating to the same taxation authority and the same taxable entity which are expected to reverse:
- (a) in the same period as the expected reversal of the deductible temporary difference; or
 - (b) in periods into which a tax loss arising from the deferred tax asset can be carried back or forward.
- In such circumstances, the deferred tax asset is recognised in the period in which the deductible temporary differences arise.
- 29 When there are insufficient taxable temporary differences relating to the same taxation authority and the same taxable entity, the deferred tax asset is recognised to the extent that:
- (a) it is probable that the entity will have sufficient taxable profit relating to the same taxation authority and the same taxable entity in the same period as the reversal of the deductible temporary difference (or in the periods into which a tax loss arising from the deferred tax asset can be carried back or forward). In evaluating whether it will have sufficient taxable profit in future periods, an entity ignores taxable amounts arising from deductible temporary differences that are expected to originate in future periods, because the deferred tax asset arising from these deductible temporary differences will itself require future taxable profit in order to be utilised; or
 - (b) tax planning opportunities are available to the entity that will create taxable profit in appropriate periods.
- 30 Tax planning opportunities are actions that the entity would take in order to create or increase taxable income in a particular period before the expiry of a tax loss or tax credit carryforward. For example, in some jurisdictions, taxable profit may be created or increased by:

- (a) electing to have interest income taxed on either a received or receivable basis;
- (b) deferring the claim for certain deductions from taxable profit;
- (c) selling, and perhaps leasing back, assets that have appreciated but for which the tax base has not been adjusted to reflect such appreciation; and
- (d) selling an asset that generates non-taxable income (such as, in some jurisdictions, a government bond) in order to purchase another investment that generates taxable income.

Where tax planning opportunities advance taxable profit from a later period to an earlier period, the utilisation of a tax loss or tax credit carryforward still depends on the existence of future taxable profit from sources other than future originating temporary differences.

31 When an entity has a history of recent losses, the entity considers the guidance in paragraphs 35 and 36.

32 [Refer Appendix 1]

Goodwill

32A If the carrying amount of goodwill arising in a business combination is less than its tax base, the difference gives rise to a deferred tax asset. The deferred tax asset arising from the initial recognition of goodwill shall be recognised as part of the accounting for a business combination to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference could be utilised.

Initial recognition of an asset or liability

33 One case when a deferred tax asset arises on initial recognition of an asset is when a non-taxable government grant related to an asset is set up as deferred income in which case the difference between the deferred income and its tax base of nil is a deductible temporary difference. In this case, the entity does not recognise the resulting deferred tax asset, for the reason given in paragraph 22.

Unused tax losses and unused tax credits

34 **A deferred tax asset shall be recognised for the carryforward of unused tax losses and unused tax credits to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilised.**

35 The criteria for recognising deferred tax assets arising from the carryforward of unused tax losses and tax credits are the same as the criteria for recognising deferred tax assets arising from deductible temporary differences. However, the existence of unused tax losses is strong evidence that future taxable profit may not be available. Therefore, when an entity has a history of recent losses, the entity recognises a deferred tax asset arising from unused tax losses or tax credits only to the extent that the entity has sufficient taxable temporary differences or there is convincing other evidence that sufficient taxable profit will be available against which the unused tax losses or unused tax credits can be utilised by the entity. In such circumstances, paragraph 82 requires disclosure of the amount of the deferred tax asset and the nature of the evidence supporting its recognition.

36 An entity considers the following criteria in assessing the probability that taxable profit will be available against which the unused tax losses or unused tax credits can be utilised:

- (a) whether the entity has sufficient taxable temporary differences relating to the same taxation authority and the same taxable entity, which will result in taxable amounts against which the unused tax losses or unused tax credits can be utilised before they expire;
- (b) whether it is probable that the entity will have taxable profits before the unused tax losses or unused tax credits expire;
- (c) whether the unused tax losses result from identifiable causes which are unlikely to recur; and
- (d) whether tax planning opportunities (see paragraph 30) are available to the entity that will create taxable profit in the period in which the unused tax losses or unused tax credits can be utilised.

To the extent that it is not probable that taxable profit will be available against which the unused tax losses or unused tax credits can be utilised, the deferred tax asset is not recognised.

Reassessment of unrecognised deferred tax assets

37 At the end of each reporting period, an entity reassesses unrecognised deferred tax assets. The entity recognises a previously unrecognised deferred tax asset to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax asset to be recovered. For example, an improvement in trading

conditions may make it more probable that the entity will be able to generate sufficient taxable profit in the future for the deferred tax asset to meet the recognition criteria set out in paragraph 24 or 34. Another example is when an entity reassesses deferred tax assets at the date of a business combination or subsequently (see paragraphs 67 and 68).

Investments in subsidiaries, branches and associates and interests in joint arrangements

38 Temporary differences arise when the carrying amount of investments in subsidiaries, branches and associates or interests in joint arrangements (namely the parent or investor's share of the net assets of the subsidiary, branch, associate or investee, including the carrying amount of goodwill) becomes different from the tax base (which is often cost) of the investment or interest. Such differences may arise in a number of different circumstances, for example:

- (a) the existence of undistributed profits of subsidiaries, branches, associates and joint arrangements;
- (b) changes in foreign exchange rates when a parent and its subsidiary are based in different countries; and
- (c) a reduction in the carrying amount of an investment in an associate to its recoverable amount.

In consolidated financial statements, the temporary difference may be different from the temporary difference associated with that investment in the parent's separate financial statements if the parent carries the investment in its separate financial statements at cost or revalued amount.

39 **An entity shall recognise a deferred tax liability for all taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches and associates, and interests in joint arrangements, except to the extent that both of the following conditions are satisfied:**

- (a) **the parent, investor, joint venturer or joint operator is able to control the timing of the reversal of the temporary difference; and**
- (b) **it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.**

40 As a parent controls the dividend policy of its subsidiary, it is able to control the timing of the reversal of temporary differences associated with that investment (including the temporary differences arising not only from undistributed profits but also from any foreign exchange translation differences). Furthermore, it would often be impracticable to determine the amount of income taxes that would be payable when the temporary difference reverses. Therefore, when the parent has determined that those profits will not be distributed in the foreseeable future the parent does not recognise a deferred tax liability. The same considerations apply to investments in branches.

41 The non-monetary assets and liabilities of an entity are measured in its functional currency (see Ind AS 21, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*). If the entity's taxable profit or tax loss (and, hence, the tax base of its non-monetary assets and liabilities) is determined in a different currency, changes in the exchange rate give rise to temporary differences that result in a recognised deferred tax liability or (subject to paragraph 24) asset. The resulting deferred tax is charged or credited to profit or loss (see paragraph 58).

42 An investor in an associate does not control that entity and is usually not in a position to determine its dividend policy. Therefore, in the absence of an agreement requiring that the profits of the associate will not be distributed in the foreseeable future, an investor recognises a deferred tax liability arising from taxable temporary differences associated with its investment in the associate. In some cases, an investor may not be able to determine the amount of tax that would be payable if it recovers the cost of its investment in an associate, but can determine that it will equal or exceed a minimum amount. In such cases, the deferred tax liability is measured at this amount.

43 The arrangement between the parties to a joint arrangement usually deals with the distribution of the profits and identifies whether decisions on such matters require the consent of all the parties or a group of the parties. When the joint venturer or joint operator can control the timing of the distribution of its share of the profits of the joint arrangement and it is probable that its share of the profits will not be distributed in the foreseeable future, a deferred tax liability is not recognised.

44 **An entity shall recognise a deferred tax asset for all deductible temporary differences arising from investments in subsidiaries, branches and associates, and interests in joint arrangements, to the extent that, and only to the extent that, it is probable that:**

- (a) **the temporary difference will reverse in the foreseeable future; and**
- (b) **taxable profit will be available against which the temporary difference can be utilised.**

- 45 In deciding whether a deferred tax asset is recognised for deductible temporary differences associated with its investments in subsidiaries, branches and associates, and its interests in joint arrangements, an entity considers the guidance set out in paragraphs 28 to 31.

Measurement

- 46 **Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.**

- 47 **Deferred tax assets and liabilities shall be measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.**

- 48 Current and deferred tax assets and liabilities are usually measured using the tax rates (and tax laws) that have been enacted. However, in some jurisdictions, announcements of tax rates (and tax laws) by the government have the substantive effect of actual enactment, which may follow the announcement by a period of several months. In these circumstances, tax assets and liabilities are measured using the announced tax rate (and tax laws).

- 49 When different tax rates apply to different levels of taxable income, deferred tax assets and liabilities are measured using the average rates that are expected to apply to the taxable profit (tax loss) of the periods in which the temporary differences are expected to reverse.

- 50 [Refer Appendix 1]

- 51 **The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the entity expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.**

- 51A In some jurisdictions, the manner in which an entity recovers (settles) the carrying amount of an asset (liability) may affect either or both of:

- (a) the tax rate applicable when the entity recovers (settles) the carrying amount of the asset (liability); and
- (b) the tax base of the asset (liability).

In such cases, an entity measures deferred tax liabilities and deferred tax assets using the tax rate and the tax base that are consistent with the expected manner of recovery or settlement.

Example A

An item of property, plant and equipment has a carrying amount of Rs. 100 and a tax base of Rs. 60. A tax rate of 20% would apply if the item were sold and a tax rate of 30% would apply to other income.

The entity recognises a deferred tax liability of Rs. 8 (Rs. 40 at 20%) if it expects to sell the item without further use and a deferred tax liability of Rs. 12 (Rs. 40 at 30%) if it expects to retain the item and recover its carrying amount through use.

Example B

An item of property, plant and equipment with a cost of Rs. 100 and a carrying amount of Rs. 80 is revalued to Rs. 150. No equivalent adjustment is made for tax purposes. Cumulative depreciation for tax purposes is Rs. 30 and the tax rate is 30%. If the item is sold for more than cost, the cumulative tax depreciation of Rs. 30 will be included in taxable income but sale proceeds in excess of cost will not be taxable.

The tax base of the item is Rs. 70 and there is a taxable temporary difference of Rs. 80. If the entity expects to recover the carrying amount by using the item, it must generate taxable income of Rs. 150, but will only be able to deduct depreciation of Rs. 70. On this basis, there is a deferred tax liability of Rs. 24 (Rs. 80 at 30%). If the entity expects to recover the carrying amount by selling the item immediately for proceeds of Rs. 150, the deferred tax liability is computed as follows:

Taxable Temporary	Tax Rate	Deferred Tax Liability

	Difference (Amount in Rs..)		(Amount in Rs..)
Cumulative tax depreciation	30	30%	9
Proceeds in excess of cost	<u>50</u>	nil	=
Total	<u>80</u>		<u>9</u>

(note: in accordance with paragraph 61A, the additional deferred tax that arises on the revaluation is recognised in other comprehensive income)

Example C

The facts are as in example B, except that if the item is sold for more than cost, the cumulative tax depreciation will be included in taxable income (taxed at 30%) and the sale proceeds will be taxed at 40%, after deducting an inflation-adjusted cost of Rs.. 110.

If the entity expects to recover the carrying amount by using the item, it must generate taxable income of Rs.. 150, but will only be able to deduct depreciation of Rs.. 70. On this basis, the tax base is Rs.. 70, there is a taxable temporary difference of Rs.. 80 and there is a deferred tax liability of Rs.. 24 (Rs.. 80 at 30%), as in example B.

If the entity expects to recover the carrying amount by selling the item immediately for proceeds of Rs.. 150, the entity will be able to deduct the indexed cost of Rs.. 110. The net proceeds of Rs.. 40 will be taxed at 40%. In addition, the cumulative tax depreciation of Rs.. 30 will be included in taxable income and taxed at 30%. On this basis, the tax base is Rs.. 80 (Rs.. 110 less Rs.. 30), there is a taxable temporary difference of Rs.. 70 and there is a deferred tax liability of Rs.. 25 (Rs.. 40 at 40% plus Rs.. 30 at 30%). If the tax base is not immediately apparent in this example, it may be helpful to consider the fundamental principle set out in paragraph 10.

(note: in accordance with paragraph 61A, the additional deferred tax that arises on the revaluation is recognised in other comprehensive income)

- 51B If a deferred tax liability or deferred tax asset arises from a non-depreciable asset measured using the revaluation model in Ind AS 16, the measurement of the deferred tax liability or deferred tax asset shall reflect the tax consequences of recovering the carrying amount of the non-depreciable asset through sale, regardless of the basis of measuring the carrying amount of that asset. Accordingly, if the tax law specifies a tax rate applicable to the taxable amount derived from the sale of an asset that differs from the tax rate applicable to the taxable amount derived from using an asset, the former rate is applied in measuring the deferred tax liability or asset related to a non-depreciable asset.
- 51C – (Refer Appendix 1)
- 51D
- 51E Paragraph 51B does not change the requirements to apply the principles in paragraphs 24–33 (deductible temporary differences) and paragraphs 34–36 (unused tax losses and unused tax credits) of this Standard when recognising and measuring deferred tax assets.
- 52 [Moved and renumbered 51A]
- 52A In some jurisdictions, income taxes are payable at a higher or lower rate if part or all of the net profit or retained earnings is paid out as a dividend to shareholders of the entity. In some other jurisdictions, income taxes may be refundable or payable if part or all of the net profit or retained earnings is paid out as a dividend to shareholders of the entity. In these circumstances, current and deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rate applicable to undistributed profits.
- 52B In the circumstances described in paragraph 52A, the income tax consequences of dividends are recognised when a liability to pay the dividend is recognised. The income tax consequences of dividends are more directly linked to past transactions or events than to distributions to owners. Therefore, the income tax consequences of dividends are recognised in profit or loss for the period as required by paragraph 58 except to the extent that the income tax consequences of dividends arise from the circumstances described in paragraph 58(a) and (b).

Example illustrating paragraphs 52A and 52B

The following example deals with the measurement of current and deferred tax assets and liabilities for an entity in a jurisdiction where income taxes are payable at a higher rate on undistributed profits (50%) with an amount being refundable when profits are distributed. The tax rate on distributed profits is 35%. At the end of the reporting period, 31 December 20X1, the entity does not recognise a liability for dividends proposed or declared after the reporting period. As a result, no dividends are recognised in the year 20X1. Taxable income for 20X1 is Rs. 100,000. The net taxable temporary difference for the year 20X1 is Rs. 40,000.

The entity recognises a current tax liability and a current income tax expense of Rs. 50,000. No asset is recognised for the amount potentially recoverable as a result of future dividends. The entity also recognises a deferred tax liability and deferred tax expense of Rs. 20,000 (Rs. 40,000 at 50%) representing the income taxes that the entity will pay when it recovers or settles the carrying amounts of its assets and liabilities based on the tax rate applicable to undistributed profits.

Subsequently, on 15 March 20X2 the entity recognises dividends of Rs. 10,000 from previous operating profits as a liability.

On 15 March 20X2, the entity recognises the recovery of income taxes of Rs. 1,500 (15% of the dividends recognised as a liability) as a current tax asset and as a reduction of current income tax expense for 20X2.

53 **Deferred tax assets and liabilities shall not be discounted.**

54 The reliable determination of deferred tax assets and liabilities on a discounted basis requires detailed scheduling of the timing of the reversal of each temporary difference. In many cases such scheduling is impracticable or highly complex. Therefore, it is inappropriate to require discounting of deferred tax assets and liabilities. To permit, but not to require, discounting would result in deferred tax assets and liabilities which would not be comparable between entities. Therefore, this Standard does not require or permit the discounting of deferred tax assets and liabilities.

55 Temporary differences are determined by reference to the carrying amount of an asset or liability. This applies even where that carrying amount is itself determined on a discounted basis, for example in the case of retirement benefit obligations (see Ind AS 19, *Employee Benefits*).

56 **The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting period. An entity shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.**

Recognition of current and deferred tax

57 Accounting for the current and deferred tax effects of a transaction or other event is consistent with the accounting for the transaction or event itself. Paragraphs 58 to 68C implement this principle.

Items recognised in profit or loss

58 **Current and deferred tax shall be recognised as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from:**

- (a) a transaction or event which is recognised, in the same or a different period, outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity (see paragraphs 61A -65); or
- (b) a business combination (other than the acquisition by an investment entity, as defined in Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, of a subsidiary that is required to be measured at fair value through profit or loss) (see paragraphs 66 -68).

59 Most deferred tax liabilities and deferred tax assets arise where income or expense is included in accounting profit in one period, but is included in taxable profit (tax loss) in a different period. The resulting deferred tax is recognised in profit or loss. Examples are when:

- (a) interest, royalty or dividend revenue is received in arrears and is included in accounting profit in accordance with Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*, or Ind AS 109, *Financial Instruments*, as relevant, but is included in taxable profit (tax loss) on a cash basis; and
- (b) costs of intangible assets have been capitalised in accordance with Ind AS 38 and are being amortised in profit or loss, but were deducted for tax purposes when they were incurred.

60 The carrying amount of deferred tax assets and liabilities may change even though there is no change in the amount of the related temporary differences. This can result, for example, from:

- (a) a change in tax rates or tax laws;
- (b) a reassessment of the recoverability of deferred tax assets; or
- (c) a change in the expected manner of recovery of an asset.

The resulting deferred tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items previously recognised outside profit or loss (see paragraph 63).

Items recognised outside profit or loss

61 [Refer Appendix 1]

61A Current tax and deferred tax shall be recognised outside profit or loss if the tax relates to items that are recognised, in the same or a different period, outside profit or loss. Therefore, current tax and deferred tax that relates to items that are recognised, in the same or a different period:

- (a) **in other comprehensive income, shall be recognised in other comprehensive income (see paragraph 62).**
- (b) **directly in equity, shall be recognised directly in equity (see paragraph 62A).**

62 Indian Accounting Standards require or permit particular items to be recognised in other comprehensive income. Examples of such items are:

- (a) a change in carrying amount arising from the revaluation of property, plant and equipment (see Ind AS 16); and
- (b) [Refer Appendix 1]
- (c) exchange differences arising on the translation of the financial statements of a foreign operation (see Ind AS 21).
- (d) [Refer Appendix 1]

62A Indian Accounting Standards require or permit particular items to be credited or charged directly to equity. Examples of such items are:

- (a) an adjustment to the opening balance of retained earnings resulting from either a change in accounting policy that is applied retrospectively or the correction of an error (see Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*); and
- (b) amounts arising on initial recognition of the equity component of a compound financial instrument (see paragraph 23).

63 In exceptional circumstances it may be difficult to determine the amount of current and deferred tax that relates to items recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or directly in equity). This may be the case, for example, when:

- (a) there are graduated rates of income tax and it is impossible to determine the rate at which a specific component of taxable profit (tax loss) has been taxed;
- (b) a change in the tax rate or other tax rules affects a deferred tax asset or liability relating (in whole or in part) to an item that was previously recognised outside profit or loss; or
- (c) an entity determines that a deferred tax asset should be recognised, or should no longer be recognised in full, and the deferred tax asset relates (in whole or in part) to an item that was previously recognised outside profit or loss.

In such cases, the current and deferred tax related to items that are recognised outside profit or loss are based on a reasonable pro rata allocation of the current and deferred tax of the entity in the tax jurisdiction concerned, or other method that achieves a more appropriate allocation in the circumstances.

64 Ind AS 16 does not specify whether an entity should transfer each year from revaluation surplus to retained earnings an amount equal to the difference between the depreciation or amortisation on a revalued asset and the depreciation or amortisation based on the cost of that asset. If an entity makes such a transfer, the amount transferred is net of any related deferred tax. Similar considerations apply to transfers made on disposal of an item of property, plant or equipment.

65 When an asset is revalued for tax purposes and that revaluation is related to an accounting revaluation of an earlier period, or to one that is expected to be carried out in a future period, the tax effects of both the asset revaluation

and the adjustment of the tax base are recognised in other comprehensive income in the periods in which they occur. However, if the revaluation for tax purposes is not related to an accounting revaluation of an earlier period, or to one that is expected to be carried out in a future period, the tax effects of the adjustment of the tax base are recognised in profit or loss.

- 65A When an entity pays dividends to its shareholders, it may be required to pay a portion of the dividends to taxation authorities on behalf of shareholders. In many jurisdictions, this amount is referred to as a withholding tax. Such an amount paid or payable to taxation authorities is charged to equity as a part of the dividends.

Deferred tax arising from a business combination

- 66 As explained in paragraphs 19 and 26(c), temporary differences may arise in a business combination. In accordance with Ind AS 103, an entity recognises any resulting deferred tax assets (to the extent that they meet the recognition criteria in paragraph 24) or deferred tax liabilities as identifiable assets and liabilities at the acquisition date. Consequently, those deferred tax assets and deferred tax liabilities affect the amount of goodwill or the bargain purchase gain the entity recognises. However, in accordance with paragraph 15(a), an entity does not recognise deferred tax liabilities arising from the initial recognition of goodwill.
- 67 As a result of a business combination, the probability of realising a pre-acquisition deferred tax asset of the acquirer could change. An acquirer may consider it probable that it will recover its own deferred tax asset that was not recognised before the business combination. For example, the acquirer may be able to utilise the benefit of its unused tax losses against the future taxable profit of the acquiree. Alternatively, as a result of the business combination it might no longer be probable that future taxable profit will allow the deferred tax asset to be recovered. In such cases, the acquirer recognises a change in the deferred tax asset in the period of the business combination, but does not include it as part of the accounting for the business combination. Therefore, the acquirer does not take it into account in measuring the goodwill or bargain purchase gain it recognises in the business combination.
- 68 The potential benefit of the acquiree's income tax loss carry forwards or other deferred tax assets might not satisfy the criteria for separate recognition when a business combination is initially accounted for but might be realised subsequently. An entity shall recognise acquired deferred tax benefits that it realises after the business combination as follows:
- (a) Acquired deferred tax benefits recognised within the measurement period that result from new information about facts and circumstances that existed at the acquisition date shall be applied to reduce the carrying amount of any goodwill related to that acquisition. If the carrying amount of that goodwill is zero, any remaining deferred tax benefits shall be recognised in other comprehensive income and accumulated in equity as capital reserve or recognised directly in capital reserve, depending on whether paragraph 34 or paragraph 36A of Ind AS 103, would have applied had the measurement period adjustments been known on the date of acquisition itself.
 - (b) All other acquired deferred tax benefits realised shall be recognised in profit or loss (or, if this Standard so requires, outside profit or loss).

Current and deferred tax arising from share-based payment transactions

- 68A In some tax jurisdictions, an entity receives a tax deduction (ie an amount that is deductible in determining taxable profit) that relates to remuneration paid in shares, share options or other equity instruments of the entity. The amount of that tax deduction may differ from the related cumulative remuneration expense, and may arise in a later accounting period. For example, in some jurisdictions, an entity may recognise an expense for the consumption of employee services received as consideration for share options granted, in accordance with Ind AS 102, *Share-based Payment*, and not receive a tax deduction until the share options are exercised, with the measurement of the tax deduction based on the entity's share price at the date of exercise.
- 68B As with the preliminary expenses discussed in paragraphs 9 and 26(b) of this Standard, the difference between the tax base of the employee services received to date (being the amount permitted as a deduction in future periods under taxation laws), and the carrying amount of nil, is a deductible temporary difference that results in a deferred tax asset. If the amount permitted as a deduction in future periods under taxation laws is not known at the end of the period, it shall be estimated, based on information available at the end of the period. For example, if the amount permitted as a deduction in future periods under taxation laws is dependent upon the entity's share price at a future date, the measurement of the deductible temporary difference should be based on the entity's share price at the end of the period.
- 68C As noted in paragraph 68A, the amount of the tax deduction (or estimated future tax deduction, measured in accordance with paragraph 68B) may differ from the related cumulative remuneration expense. Paragraph 58

of the Standard requires that current and deferred tax should be recognised as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from (a) a transaction or event that is recognised, in the same or a different period, outside profit or loss, or (b) a business combination (other than the acquisition by an investment entity of a subsidiary that is required to be measured at fair value through profit or loss). If the amount of the tax deduction (or estimated future tax deduction) exceeds the amount of the related cumulative remuneration expense, this indicates that the tax deduction relates not only to remuneration expense but also to an equity item. In this situation, the excess of the associated current or deferred tax should be recognised directly in equity.

Presentation

Tax assets and tax liabilities

69- [Refer Appendix 1]

70

Offset

71. **An entity shall offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the entity:**

- (a) **has a legally enforceable right to set off the recognised amounts; and**
- (b) **intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.**

72. Although current tax assets and liabilities are separately recognised and measured they are offset in the balance sheet subject to criteria similar to those established for financial instruments in Ind AS 32. An entity will normally have a legally enforceable right to set off a current tax asset against a current tax liability when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the taxation laws permit the entity to make or receive a single net payment.

73. In consolidated financial statements, a current tax asset of one entity in a group is offset against a current tax liability of another entity in the group if, and only if, the entities concerned have a legally enforceable right to make or receive a single net payment and the entities intend to make or receive such a net payment or to recover the asset and settle the liability simultaneously.

74. **An entity shall offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:**

- (a) **the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and**
- (b) **the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:**
 - (i) **the same taxable entity; or**
 - (ii) **different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.**

75. To avoid the need for detailed scheduling of the timing of the reversal of each temporary difference, this Standard requires an entity to set off a deferred tax asset against a deferred tax liability of the same taxable entity if, and only if, they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities.

76. In rare circumstances, an entity may have a legally enforceable right of set-off, and an intention to settle net, for some periods but not for others. In such rare circumstances, detailed scheduling may be required to establish reliably whether the deferred tax liability of one taxable entity will result in increased tax payments in the same period in which a deferred tax asset of another taxable entity will result in decreased payments by that second taxable entity.

Tax expense

Tax expense (income) related to profit or loss from ordinary activities

77. **The tax expense (income) related to profit or loss from ordinary activities shall be presented as part of profit or loss in the statement of profit and loss.**

77A [Refer Appendix 1]

Exchange differences on deferred foreign tax liabilities or assets

78. Ind AS 21 requires certain exchange differences to be recognised as income or expense but does not specify where such differences should be presented in the statement of profit and loss. Accordingly, where exchange differences on deferred foreign tax liabilities or assets are recognised in the statement of profit and loss, such differences may be classified as deferred tax expense (income) if that presentation is considered to be the most useful to financial statement users.

Disclosure

79. **The major components of tax expense (income) shall be disclosed separately.**

80. Components of tax expense (income) may include:

- (a) current tax expense (income);
- (b) any adjustments recognised in the period for current tax of prior periods;
- (c) the amount of deferred tax expense (income) relating to the origination and reversal of temporary differences;
- (d) the amount of deferred tax expense (income) relating to changes in tax rates or the imposition of new taxes;
- (e) the amount of the benefit arising from a previously unrecognised tax loss, tax credit or temporary difference of a prior period that is used to reduce current tax expense;
- (f) the amount of the benefit from a previously unrecognised tax loss, tax credit or temporary difference of a prior period that is used to reduce deferred tax expense;
- (g) deferred tax expense arising from the write-down, or reversal of a previous write-down, of a deferred tax asset in accordance with paragraph 56; and
- (h) the amount of tax expense (income) relating to those changes in accounting policies and errors that are included in profit or loss in accordance with Ind AS 8, because they cannot be accounted for retrospectively.

81. **The following shall also be disclosed separately:**

- (a) **the aggregate current and deferred tax relating to items that are charged or credited directly to equity (see paragraph 62A);**
- (ab) **the amount of income tax relating to each component of other comprehensive income (see paragraph 62 and Ind AS 1);**
- (b) **[Refer Appendix 1];**
- (c) **an explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit in either or both of the following forms:**
 - (i) **a numerical reconciliation between tax expense (income) and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rate(s), disclosing also the basis on which the applicable tax rate(s) is (are) computed; or**
 - (ii) **a numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate, disclosing also the basis on which the applicable tax rate is computed;**
- (d) **an explanation of changes in the applicable tax rate(s) compared to the previous accounting period;**
- (e) **the amount (and expiry date, if any) of deductible temporary differences, unused tax losses, and unused tax credits for which no deferred tax asset is recognised in the balance sheet;**
- (f) **the aggregate amount of temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches and associates and interests in joint arrangements, for which deferred tax liabilities have not been recognised (see paragraph 39);**
- (g) **in respect of each type of temporary difference, and in respect of each type of unused tax losses and unused tax credits:**
 - (i) **the amount of the deferred tax assets and liabilities recognised in the balance sheet for each period presented;**
 - (ii) **the amount of the deferred tax income or expense recognised in profit or loss, if this is not apparent from the changes in the amounts recognised in the balance sheet;**
- (h) **in respect of discontinued operations, the tax expense relating to:**
 - (i) **the gain or loss on discontinuance; and**

- (ii) the profit or loss from the ordinary activities of the discontinued operation for the period, together with the corresponding amounts for each prior period presented;
- (i) the amount of income tax consequences of dividends to shareholders of the entity that were proposed or declared before the financial statements were approved for issue, but are not recognised as a liability in the financial statements;
- (j) if a business combination in which the entity is the acquirer causes a change in the amount recognised for its pre-acquisition deferred tax asset (see paragraph 67), the amount of that change; and
- (k) if the deferred tax benefits acquired in a business combination are not recognised at the acquisition date but are recognised after the acquisition date (see paragraph 68), a description of the event or change in circumstances that caused the deferred tax benefits to be recognised.
82. An entity shall disclose the amount of a deferred tax asset and the nature of the evidence supporting its recognition, when:
- (a) the utilisation of the deferred tax asset is dependent on future taxable profits in excess of the profits arising from the reversal of existing taxable temporary differences; and
- (b) the entity has suffered a loss in either the current or preceding period in the tax jurisdiction to which the deferred tax asset relates.
- 82A In the circumstances described in paragraph 52A, an entity shall disclose the nature of the potential income tax consequences that would result from the payment of dividends to its shareholders. In addition, the entity shall disclose the amounts of the potential income tax consequences practicably determinable and whether there are any potential income tax consequences not practicably determinable.
83. [Refer Appendix 1]
84. The disclosures required by paragraph 81(c) enable users of financial statements to understand whether the relationship between tax expense (income) and accounting profit is unusual and to understand the significant factors that could affect that relationship in the future. The relationship between tax expense (income) and accounting profit may be affected by such factors as revenue that is exempt from taxation, expenses that are not deductible in determining taxable profit (tax loss), the effect of tax losses and the effect of foreign tax rates.
85. In explaining the relationship between tax expense (income) and accounting profit, an entity uses an applicable tax rate that provides the most meaningful information to the users of its financial statements. Often, the most meaningful rate is the domestic rate of tax in the country in which the entity is domiciled, aggregating the tax rate applied for national taxes with the rates applied for any local taxes which are computed on a substantially similar level of taxable profit (tax loss). However, for an entity operating in several jurisdictions, it may be more meaningful to aggregate separate reconciliations prepared using the domestic rate in each individual jurisdiction. The following example illustrates how the selection of the applicable tax rate affects the presentation of the numerical reconciliation.

Example illustrating paragraph 85

In 19X2, an entity has accounting profit in its own jurisdiction (country A) of Rs. 1,500 (19X1: Rs. 2,000) and in country B of Rs. 1,500 (19X1: Rs. 500). The tax rate is 30% in country A and 20% in country B. In country A, expenses of Rs. 100 (19X1: Rs. 200) are not deductible for tax purposes.

The following is an example of a reconciliation to the domestic tax rate.

	<i>(Amount in Rs.)</i>	
	<i>19X1</i>	<i>19X2</i>
<i>Accounting profit</i>	<u>2,500</u>	<u>3,000</u>
<i>Tax at the domestic rate of 30%</i>	750	900
<i>Tax effect of expenses that are not deductible for tax purposes</i>	60	30
<i>Effect of lower tax rates in country B</i>	<u>(50)</u>	<u>(150)</u>
<i>Tax expense</i>	<u>760</u>	<u>780</u>

86. The average effective tax rate is the tax expense (income) divided by the accounting profit.
87. It would often be impracticable to compute the amount of unrecognised deferred tax liabilities arising from investments in subsidiaries, branches and associates and interests in joint arrangements (see paragraph 39). Therefore, this Standard requires an entity to disclose the aggregate amount of the underlying temporary differences but does not require disclosure of the deferred tax liabilities. Nevertheless, where practicable, entities are encouraged to disclose the amounts of the unrecognised deferred tax liabilities because financial statement users may find such information useful.
- 87A Paragraph 82A requires an entity to disclose the nature of the potential income tax consequences that would result from the payment of dividends to its shareholders. An entity discloses the important features of the income tax systems and the factors that will affect the amount of the potential income tax consequences of dividends.
- 87B It would sometimes not be practicable to compute the total amount of the potential income tax consequences that would result from the payment of dividends to shareholders. This may be the case, for example, where an entity has a large number of foreign subsidiaries. However, even in such circumstances, some portions of the total amount may be easily determinable. For example, in a consolidated group, a parent and some of its subsidiaries may have paid income taxes at a higher rate on undistributed profits and be aware of the amount that would be refunded on the payment of future dividends to shareholders from consolidated retained earnings. In this case, that refundable amount is disclosed. If applicable, the entity also discloses that there are additional potential income tax consequences not practicably determinable. In the parent's separate financial statements, if any, the disclosure of the potential income tax consequences relates to the parent's retained earnings.
- 87C An entity required to provide the disclosures in paragraph 82A may also be required to provide disclosures related to temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches and associates or interests in joint arrangements. In such cases, an entity considers this in determining the information to be disclosed under paragraph 82A. For example, an entity may be required to disclose the aggregate amount of temporary differences associated with investments in subsidiaries for which no deferred tax liabilities have been recognised (see paragraph 81(f)). If it is impracticable to compute the amounts of unrecognised deferred tax liabilities (see paragraph 87) there may be amounts of potential income tax consequences of dividends not practicably determinable related to these subsidiaries.
88. An entity discloses any tax-related contingent liabilities and contingent assets in accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*. Contingent liabilities and contingent assets may arise, for example, from unresolved disputes with the taxation authorities. Similarly, where changes in tax rates or tax laws are enacted or announced after the reporting period, an entity discloses any significant effect of those changes on its current and deferred tax assets and liabilities (see Ind AS 10, *Events after the Reporting Period*).

Appendix A

Income Taxes—Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

Issue

- 1 A change in the tax status of an entity or of its shareholders may have consequences for an entity by increasing or decreasing its tax liabilities or assets. This may, for example, occur upon the public listing of an entity's equity instruments or upon the restructuring of an entity's equity. It may also occur upon a controlling shareholder's move to a foreign country. As a result of such an event, an entity may be taxed differently; it may for example gain or lose tax incentives or become subject to a different rate of tax in the future.
- 2 A change in the tax status of an entity or its shareholders may have an immediate effect on the entity's current tax liabilities or assets. The change may also increase or decrease the deferred tax liabilities and assets recognised by the entity, depending on the effect the change in tax status has on the tax consequences that will arise from recovering or settling the carrying amount of the entity's assets and liabilities.
- 3 The issue is how an entity should account for the tax consequences of a change in its tax status or that of its shareholders.

Accounting Principles

- 4 A change in the tax status of an entity or its shareholders does not give rise to increases or decreases in amounts recognised outside profit or loss. The current and deferred tax consequences of a change in tax status shall be included in profit or loss for the period, unless those consequences relate to transactions and events that result, in the same or a different period, in a direct credit or charge to the recognised amount of equity or in amounts recognised in other comprehensive income. Those tax consequences that relate to changes in the recognised amount of equity, in the same or a different period (not included in profit or loss), shall be charged or credited directly to equity. Those tax consequences that relate to amounts recognised in other comprehensive income shall be recognised in other comprehensive income.

Appendix B**References to matters contained in other Indian Accounting Standards**

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

- 1 Appendix A, *Applying the Restatement Approach under Ind AS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*, contained in Ind AS 29, *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*, makes reference to Ind AS 12.
- 2 Appendix C, *Levies*, contained in Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 12 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 12, Income Taxes, and SIC 25, Income Taxes—Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 12, Income Taxes and SIC 25

- 1 The transitional provisions given in SIC 25 have not been given in Ind AS 12, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate, have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
- 2 Different terminology is used, as used in existing laws eg, the term ‘balance sheet’ is used instead of ‘Statement of financial position’ and ‘Statement of profit and loss’ is used instead of ‘Statement of comprehensive income’. Words ‘approved for issue’ have been used instead of ‘authorised for issue’ in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.
- 3 Requirements regarding presentation of tax expense (income) in the separate income statement, where separate income statement is presented, have been deleted. This change is consequential to the removal of option regarding the two statement approach in Ind AS 1. Ind AS 1 requires that the components of profit or loss and components of other comprehensive income shall be presented as a part of the statement of profit and loss.
- 4 The following paragraph numbers appear as ‘Deleted’ in IAS 12. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 12, the paragraph numbers are retained in Ind AS 12:
- (i) paragraph 3
 - (ii) paragraph 32
 - (iii) paragraph 50
 - (iv) paragraph 61
 - (v) paragraphs 62 (b) and (d)
 - (vi) paragraph 69
 - (vii) paragraph 70
 - (viii) paragraph 77A
 - (ix) paragraph 81(b)
 - (x) paragraph 83
- 5 As a consequence of not allowing fair value model in Ind AS 40, paragraphs 51C- 51D have been deleted and the following paragraphs have been modified in Ind AS 12:
- (i) paragraph 20
 - (ii) paragraph 51E

- 6 Paragraph 68 (a) has been modified as a consequence of different accounting treatment of bargain purchase gain in Ind AS 103, *Business Combinations*, in comparison to IFRS 3, *Business Combination*.
- 7 Paragraph 33 of Ind AS 12 has been modified due to not allowing the option of deducting specified grant from the cost of the related asset as in Ind AS 20.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 16

Property, Plant and Equipment

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

- 1 The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipment so that users of the financial statements can discern information about an entity's investment in its property, plant and equipment and the changes in such investment. The principal issues in accounting for property, plant and equipment are the recognition of the assets, the determination of their carrying amounts and the depreciation charges and impairment losses to be recognised in relation to them.

Scope

- 2 **This Standard shall be applied in accounting for property, plant and equipment except when another Standard requires or permits a different accounting treatment.**
- 3 This Standard does not apply to:
 - (a) property, plant and equipment classified as held for sale in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*.
 - (b) biological assets related to agricultural activity other than bearer plants (See Ind AS 41, *Agriculture*). This Standard applies to bearer plants but it does not apply to the produce on bearer plants.
 - (c) the recognition and measurement of exploration and evaluation assets (see Ind AS 106, *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*).
 - (d) mineral rights and mineral reserves such as oil, natural gas and similar non-regenerative resources.

However, this Standard applies to property, plant and equipment used to develop or maintain the assets described in (b)–(d).
- 4 Other Indian Accounting Standards may require recognition of an item of property, plant and equipment based on an approach different from that in this Standard. For example, Ind AS 17, *Leases*, requires an entity to evaluate its recognition of an item of leased property, plant and equipment on the basis of the transfer of risks and rewards. However, in such cases other aspects of the accounting treatment for these assets, including depreciation, are prescribed by this Standard.
- 5 An entity accounting for investment property in accordance with Ind AS 40, *Investment Property*, shall use the cost model in this Standard.

Definitions

- 6 **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

A bearer plant is a living plant that:

- (a) is used in the production or supply of agricultural produce;
- (b) is expected to bear produce for more than one period; and
- (c) has a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sales.

Carrying amount is the amount at which an asset is recognised after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

Cost is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction or, where applicable, the amount attributed to that asset when initially recognised in accordance with the specific requirements of other Indian Accounting Standards, eg Ind AS 102, *Share-based Payment*.

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value.

Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life.

Entity-specific value is the present value of the cash flows an entity expects to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life or expects to incur when settling a liability.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113, *Fair Value Measurement*.)

An impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

Property, plant and equipment are tangible items that:

- (a) are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes; and
- (b) are expected to be used during more than one period.

Recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use.

The **residual value** of an asset is the estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life.

Useful life is:

- (a) the period over which an asset is expected to be available for use by an entity; or
- (b) the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by an entity.

Recognition

7 The cost of an item of property, plant and equipment shall be recognised as an asset if, and only if:

- (a) it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity; and
- (b) the cost of the item can be measured reliably.

8 Items such as spare parts, stand-by equipment and servicing equipment are recognised in accordance with this Ind AS when they meet the definition of property, plant and equipment. Otherwise, such items are classified as inventory.

9 This Standard does not prescribe the unit of measure for recognition, ie what constitutes an item of property, plant and equipment. Thus, judgement is required in applying the recognition criteria to an entity's specific circumstances. It may be appropriate to aggregate individually insignificant items, such as moulds, tools and dies, and to apply the criteria to the aggregate value.

10 An entity evaluates under this recognition principle all its property, plant and equipment costs at the time they are incurred. These costs include costs incurred initially to acquire or construct an item of property, plant and equipment and costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service it.

Initial costs

11 Items of property, plant and equipment may be acquired for safety or environmental reasons. The acquisition of such property, plant and equipment, although not directly increasing the future economic benefits of any particular existing item of property, plant and equipment, may be necessary for an entity to obtain the future economic benefits from its other assets. Such items of property, plant and equipment qualify for recognition as assets because they enable an entity to derive future economic benefits from related assets in excess of what could be derived had those items not been acquired. For example, a chemical manufacturer may install new chemical handling processes to comply with environmental requirements for the production and storage of dangerous chemicals; related plant enhancements are recognised as an asset because without them the entity is unable to manufacture and sell chemicals. However, the resulting carrying amount of such an asset and related assets is reviewed for impairment in accordance with Ind AS 36, *Impairment of Assets*.

Subsequent costs

12 Under the recognition principle in paragraph 7, an entity does not recognise in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the costs of the day-to-day servicing of the item. Rather, these costs are recognised in profit or loss as incurred. Costs of day-to-day servicing are primarily the costs of labour and

- consumables, and may include the cost of small parts. The purpose of these expenditures is often described as for the 'repairs and maintenance' of the item of property, plant and equipment.
- 13 Parts of some items of property, plant and equipment may require replacement at regular intervals. For example, a furnace may require relining after a specified number of hours of use, or aircraft interiors such as seats and galleys may require replacement several times during the life of the airframe. Items of property, plant and equipment may also be acquired to make a less frequently recurring replacement, such as replacing the interior walls of a building, or to make a nonrecurring replacement. Under the recognition principle in paragraph 7, an entity recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred if the recognition criteria are met. The carrying amount of those parts that are replaced is derecognised in accordance with the derecognition provisions of this Standard (see paragraphs 67–72).
- 14 A condition of continuing to operate an item of property, plant and equipment (for example, an aircraft) may be performing regular major inspections for faults regardless of whether parts of the item are replaced. When each major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the item of property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Any remaining carrying amount of the cost of the previous inspection (as distinct from physical parts) is derecognised. This occurs regardless of whether the cost of the previous inspection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed. If necessary, the estimated cost of a future similar inspection may be used as an indication of what the cost of the existing inspection component was when the item was acquired or constructed.

Measurement at recognition

- 15 **An item of property, plant and equipment that qualifies for recognition as an asset shall be measured at its cost.**

Elements of cost

- 16 The cost of an item of property, plant and equipment comprises:
- its purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates.
 - any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
 - the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.
- 17 Examples of directly attributable costs are:
- costs of employee benefits (as defined in Ind AS 19, *Employee Benefits*) arising directly from the construction or acquisition of the item of property, plant and equipment;
 - costs of site preparation;
 - initial delivery and handling costs;
 - installation and assembly costs;
 - costs of testing whether the asset is functioning properly, after deducting the net proceeds from selling any items produced while bringing the asset to that location and condition (such as samples produced when testing equipment); and
 - professional fees.
- 18 An entity applies Ind AS 2, *Inventories*, to the costs of obligations for dismantling, removing and restoring the site on which an item is located that are incurred during a particular period as a consequence of having used the item to produce inventories during that period. The obligations for costs accounted for in accordance with Ind AS 2 or Ind AS 16 are recognised and measured in accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.
- 19 Examples of costs that are not costs of an item of property, plant and equipment are:
- costs of opening a new facility;
 - costs of introducing a new product or service (including costs of advertising and promotional activities);

- (c) costs of conducting business in a new location or with a new class of customer (including costs of staff training); and
 - (d) administration and other general overhead costs.
- 20 Recognition of costs in the carrying amount of an item of property, plant and equipment ceases when the item is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Therefore, costs incurred in using or redeploying an item are not included in the carrying amount of that item. For example, the following costs are not included in the carrying amount of an item of property, plant and equipment:
- (a) costs incurred while an item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity;
 - (b) initial operating losses, such as those incurred while demand for the item's output builds up; and
 - (c) costs of relocating or reorganising part or all of an entity's operations.
- 21 Some operations occur in connection with the construction or development of an item of property, plant and equipment, but are not necessary to bring the item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. These incidental operations may occur before or during the construction or development activities. For example, income may be earned through using a building site as a car park until construction starts. Because incidental operations are not necessary to bring an item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, the income and related expenses of incidental operations are recognised in profit or loss and included in their respective classifications of income and expense.
- 22 The cost of a self-constructed asset is determined using the same principles as for an acquired asset. If an entity makes similar assets for sale in the normal course of business, the cost of the asset is usually the same as the cost of constructing an asset for sale (see Ind AS 2). Therefore, any internal profits are eliminated in arriving at such costs. Similarly, the cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred in self-constructing an asset is not included in the cost of the asset. Ind AS 23, *Borrowing Costs*, establishes criteria for the recognition of interest as a component of the carrying amount of a self-constructed item of property, plant and equipment.
- 22A Bearer plants are accounted for in the same way as self-constructed items of property, plant and equipment before they are in the location and condition necessary to be capable of operating in the manner intended by management. Consequently, references to 'construction' in this Standard should be read as covering activities that are necessary to cultivate the bearer plants before they are in the location and condition necessary to be capable of operating in the manner intended by management.
- Measurement of cost**
- 23 The cost of an item of property, plant and equipment is the cash price equivalent at the recognition date. If payment is deferred beyond normal credit terms, the difference between the cash price equivalent and the total payment is recognised as interest over the period of credit unless such interest is capitalised in accordance with Ind AS 23.
- 24 One or more items of property, plant and equipment may be acquired in exchange for a non-monetary asset or assets, or a combination of monetary and non-monetary assets. The following discussion refers simply to an exchange of one non-monetary asset for another, but it also applies to all exchanges described in the preceding sentence. The cost of such an item of property, plant and equipment is measured at fair value unless (a) the exchange transaction lacks commercial substance or (b) the fair value of neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable. The acquired item is measured in this way even if an entity cannot immediately derecognise the asset given up. If the acquired item is not measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up.
- 25 An entity determines whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which its future cash flows are expected to change as a result of the transaction. An exchange transaction has commercial substance if:
- (a) the configuration (risk, timing and amount) of the cash flows of the asset received differs from the configuration of the cash flows of the asset transferred; or
 - (b) the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction changes as a result of the exchange; and
 - (c) the difference in (a) or (b) is significant relative to the fair value of the assets exchanged.

For the purpose of determining whether an exchange transaction has commercial substance, the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction shall reflect post-tax cash flows. The result of these analyses may be clear without an entity having to perform detailed calculations.

26 The fair value of an asset is reliably measurable if (a) the variability in the range of reasonable fair value measurements is not significant for that asset or (b) the probabilities of the various estimates within the range can be reasonably assessed and used when measuring fair value. If an entity is able to measure reliably the fair value of either the asset received or the asset given up, then the fair value of the asset given up is used to measure the cost of the asset received unless the fair value of the asset received is more clearly evident.

27 The cost of an item of property, plant and equipment held by a lessee under a finance lease is determined in accordance with Ind AS 17.

28 [Refer Appendix 1].

Measurement after recognition

29 **An entity shall choose either the cost model in paragraph 30 or the revaluation model in paragraph 31 as its accounting policy and shall apply that policy to an entire class of property, plant and equipment.**

Cost model

30 **After recognition as an asset, an item of property, plant and equipment shall be carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.**

Revaluation model

31 **After recognition as an asset, an item of property, plant and equipment whose fair value can be measured reliably shall be carried at a revalued amount, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluations shall be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.**

32 [Refer Appendix 1].

33 [Refer Appendix 1].

34 The frequency of revaluations depends upon the changes in fair values of the items of property, plant and equipment being revalued. When the fair value of a revalued asset differs materially from its carrying amount, a further revaluation is required. Some items of property, plant and equipment experience significant and volatile changes in fair value, thus necessitating annual revaluation. Such frequent revaluations are unnecessary for items of property, plant and equipment with only insignificant changes in fair value. Instead, it may be necessary to revalue the item only every three or five years.

35 When an item of property, plant and equipment is revalued, the carrying amount of that asset is adjusted to the revalued amount. At the date of the revaluation, the asset is treated in one of the following ways:

(a) the gross carrying amount is adjusted in a manner that is consistent with the revaluation of the carrying amount of the asset. For example, the gross carrying amount may be restated by reference to observable market data or it may be restated proportionately to the change in the carrying amount. The accumulated depreciation at the date of the revaluation is adjusted to equal the difference between the gross carrying amount and the carrying amount of the asset after taking into account accumulated impairment losses; or

(b) the accumulated depreciation is eliminated against the gross carrying amount of the asset.

The amount of the adjustment of accumulated depreciation forms part of the increase or decrease in carrying amount that is accounted for in accordance with paragraphs 39 and 40.

36 **If an item of property, plant and equipment is revalued, the entire class of property, plant and equipment to which that asset belongs shall be revalued.**

37 A class of property, plant and equipment is a grouping of assets of a similar nature and use in an entity's operations. The following are examples of separate classes:

- (a) land;
- (b) land and buildings;
- (c) machinery;

- (d) ships;
- (e) aircraft;
- (f) motor vehicles;
- (g) furniture and fixtures;
- (h) office equipment; and
- (i) bearer plants.

38 The items within a class of property, plant and equipment are revalued simultaneously to avoid selective revaluation of assets and the reporting of amounts in the financial statements that are a mixture of costs and values as at different dates. However, a class of assets may be revalued on a rolling basis provided revaluation of the class of assets is completed within a short period and provided the revaluations are kept up to date.

39 **If an asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase shall be recognised in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase shall be recognised in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised in profit or loss.**

40 **If an asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease shall be recognised in profit or loss. However, the decrease shall be recognised in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognised in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.**

41 The revaluation surplus included in equity in respect of an item of property, plant and equipment may be transferred directly to retained earnings when the asset is derecognised. This may involve transferring the whole of the surplus when the asset is retired or disposed of. However, some of the surplus may be transferred as the asset is used by an entity. In such a case, the amount of the surplus transferred would be the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset and depreciation based on the asset's original cost. Transfers from revaluation surplus to retained earnings are not made through profit or loss.

42 The effects of taxes on income, if any, resulting from the revaluation of property, plant and equipment are recognised and disclosed in accordance with Ind AS 12, *Income Taxes*.

Depreciation

43 **Each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately.**

44 An entity allocates the amount initially recognised in respect of an item of property, plant and equipment to its significant parts and depreciates separately each such part. For example, it may be appropriate to depreciate separately the airframe and engines of an aircraft, whether owned or subject to a finance lease. Similarly, if an entity acquires property, plant and equipment subject to an operating lease in which it is the lessor, it may be appropriate to depreciate separately amounts reflected in the cost of that item that are attributable to favourable or unfavourable lease terms relative to market terms.

45 A significant part of an item of property, plant and equipment may have a useful life and a depreciation method that are the same as the useful life and the depreciation method of another significant part of that same item. Such parts may be grouped in determining the depreciation charge.

46 To the extent that an entity depreciates separately some parts of an item of property, plant and equipment, it also depreciates separately the remainder of the item. The remainder consists of the parts of the item that are individually not significant. If an entity has varying expectations for these parts, approximation techniques may be necessary to depreciate the remainder in a manner that faithfully represents the consumption pattern and/or useful life of its parts.

47 An entity may choose to depreciate separately the parts of an item that do not have a cost that is significant in relation to the total cost of the item.

48 **The depreciation charge for each period shall be recognised in profit or loss unless it is included in the carrying amount of another asset.**

49 The depreciation charge for a period is usually recognised in profit or loss. However, sometimes, the future economic benefits embodied in an asset are absorbed in producing other assets. In this case, the depreciation charge constitutes part of the cost of the other asset and is included in its carrying amount. For example, the depreciation of manufacturing plant and equipment is included in the costs of conversion of inventories (see

Ind AS 2). Similarly, depreciation of property, plant and equipment used for development activities may be included in the cost of an intangible asset recognised in accordance with Ind AS 38, *Intangible Assets*.

Depreciable amount and depreciation period

- 50 The depreciable amount of an asset shall be allocated on a systematic basis over its useful life.**
- 51 The residual value and the useful life of an asset shall be reviewed at least at each financial year-end and, if expectations differ from previous estimates, the change(s) shall be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.**
- 52 Depreciation is recognised even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount, as long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount. Repair and maintenance of an asset do not negate the need to depreciate it.
- 53 The depreciable amount of an asset is determined after deducting its residual value. In practice, the residual value of an asset is often insignificant and therefore immaterial in the calculation of the depreciable amount.
- 54 The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than the asset's carrying amount. If it does, the asset's depreciation charge is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below the asset's carrying amount.
- 55 Depreciation of an asset begins when it is available for use, ie when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Depreciation of an asset ceases at the earlier of the date that the asset is classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with Ind AS 105 and the date that the asset is derecognised. Therefore, depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use unless the asset is fully depreciated. However, under usage methods of depreciation the depreciation charge can be zero while there is no production.
- 56 The future economic benefits embodied in an asset are consumed by an entity principally through its use. However, other factors, such as technical or commercial obsolescence and wear and tear while an asset remains idle, often result in the diminution of the economic benefits that might have been obtained from the asset. Consequently, all the following factors are considered in determining the useful life of an asset:
- (a) expected usage of the asset. Usage is assessed by reference to the asset's expected capacity or physical output.
 - (b) expected physical wear and tear, which depends on operational factors such as the number of shifts for which the asset is to be used and the repair and maintenance programme, and the care and maintenance of the asset while idle.
 - (c) technical or commercial obsolescence arising from changes or improvements in production, or from a change in the market demand for the product or service output of the asset. Expected future reductions in the selling price of an item that was produced using an asset could indicate the expectation of technical or commercial obsolescence of the asset, which, in turn, might reflect a reduction of the future economic benefits embodied in the asset.
 - (d) legal or similar limits on the use of the asset, such as the expiry dates of related leases.
- 57 The useful life of an asset is defined in terms of the asset's expected utility to the entity. The asset management policy of the entity may involve the disposal of assets after a specified time or after consumption of a specified proportion of the future economic benefits embodied in the asset. Therefore, the useful life of an asset may be shorter than its economic life. The estimation of the useful life of the asset is a matter of judgement based on the experience of the entity with similar assets.
- 58 Land and buildings are separable assets and are accounted for separately, even when they are acquired together. With some exceptions, such as quarries and sites used for landfill, land has an unlimited useful life and therefore is not depreciated. Buildings have a limited useful life and therefore are depreciable assets. An increase in the value of the land on which a building stands does not affect the determination of the depreciable amount of the building.
- 59 If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Depreciation method

- 60 **The depreciation method used shall reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity.**
- 61 **The depreciation method applied to an asset shall be reviewed at least at each financial year-end and, if there has been a significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset, the method shall be changed to reflect the changed pattern. Such a change shall be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with Ind AS 8.**
- 62 A variety of depreciation methods can be used to allocate the depreciable amount of an asset on a systematic basis over its useful life. These methods include the straight-line method, the diminishing balance method and the units of production method. Straight-line depreciation results in a constant charge over the useful life if the asset's residual value does not change. The diminishing balance method results in a decreasing charge over the useful life. The units of production method results in a charge based on the expected use or output. The entity selects the method that most closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. That method is applied consistently from period to period unless there is a change in the expected pattern of consumption of those future economic benefits.
- 62A A depreciation method that is based on revenue that is generated by an activity that includes the use of an asset is not appropriate. The revenue generated by an activity that includes the use of an asset generally reflects factors other than the consumption of the economic benefits of the asset. For example, revenue is affected by other inputs and processes, selling activities and changes in sales volumes and prices. The price component of revenue may be affected by inflation, which has no bearing upon the way in which an asset is consumed.

Impairment

- 63 To determine whether an item of property, plant and equipment is impaired, an entity applies Ind AS 36, *Impairment of Assets*. That Standard explains how an entity reviews the carrying amount of its assets, how it determines the recoverable amount of an asset, and when it recognises, or reverses the recognition of, an impairment loss.
- 64 [Refer Appendix 1]

Compensation for impairment

- 65 **Compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up shall be included in profit or loss when the compensation becomes receivable.**
- 66 Impairments or losses of items of property, plant and equipment, related claims for or payments of compensation from third parties and any subsequent purchase or construction of replacement assets are separate economic events and are accounted for separately as follows:
- (a) impairments of items of property, plant and equipment are recognised in accordance with Ind AS 36;
 - (b) derecognition of items of property, plant and equipment retired or disposed of is determined in accordance with this Standard;
 - (c) compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up is included in determining profit or loss when it becomes receivable; and
 - (d) the cost of items of property, plant and equipment restored, purchased or constructed as replacements is determined in accordance with this Standard.

Derecognition

- 67 **The carrying amount of an item of property, plant and equipment shall be derecognised:**
- (a) on disposal; or
 - (b) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.
- 68 **The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment shall be included in profit or loss when the item is derecognised (unless Ind AS 17 requires otherwise on a sale and leaseback). Gains shall not be classified as revenue.**
- 68A However, an entity that, in the course of its ordinary activities, routinely sells items of property, plant and equipment that it has held for rental to others shall transfer such assets to inventories at their carrying amount

- when they cease to be rented and become held for sale. The proceeds from the sale of such assets shall be recognised as revenue in accordance with Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*. Ind AS 105 does not apply when assets that are held for sale in the ordinary course of business are transferred to inventories.
- 69 The disposal of an item of property, plant and equipment may occur in a variety of ways (eg by sale, by entering into a finance lease or by donation). The date of disposal of an item of property, plant and equipment is the date the recipient obtains control of that item in accordance with the requirements for determining when a performance obligation is satisfied in Ind AS 115. Ind AS 17 applies to disposal by a sale and leaseback.
- 70 If, under the recognition principle in paragraph 7, an entity recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of a replacement for part of the item, then it derecognises the carrying amount of the replaced part regardless of whether the replaced part had been depreciated separately. If it is not practicable for an entity to determine the carrying amount of the replaced part, it may use the cost of the replacement as an indication of what the cost of the replaced part was at the time it was acquired or constructed.
- 71 **The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment shall be determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item.**
- 72 The amount of consideration to be included in the gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment is determined in accordance with the requirements for determining the transaction price in paragraphs 47–72 of Ind AS 115. Subsequent changes to the estimated amount of the consideration included in the gain or loss shall be accounted for in accordance with the requirements for changes in the transaction price in Ind AS 115.

Disclosure

- 73 **The financial statements shall disclose, for each class of property, plant and equipment:**
- (a) the measurement bases used for determining the gross carrying amount;
 - (b) the depreciation methods used;
 - (c) the useful lives or the depreciation rates used;
 - (d) the gross carrying amount and the accumulated depreciation (aggregated with accumulated impairment losses) at the beginning and end of the period; and
 - (e) a reconciliation of the carrying amount at the beginning and end of the period showing:
 - (i) additions;
 - (ii) assets classified as held for sale or included in a disposal group classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 and other disposals;
 - (iii) acquisitions through business combinations;
 - (iv) increases or decreases resulting from revaluations under paragraphs 31, 39 and 40 and from impairment losses recognised or reversed in other comprehensive income in accordance with Ind AS 36;
 - (v) impairment losses recognised in profit or loss in accordance with Ind AS 36;
 - (vi) impairment losses reversed in profit or loss in accordance with Ind AS 36;
 - (vii) depreciation;
 - (viii) the net exchange differences arising on the translation of the financial statements from the functional currency into a different presentation currency, including the translation of a foreign operation into the presentation currency of the reporting entity; and
 - (ix) other changes.
- 74 **The financial statements shall also disclose:**
- (a) the existence and amounts of restrictions on title, and property, plant and equipment pledged as security for liabilities;
 - (b) the amount of expenditures recognised in the carrying amount of an item of property, plant and equipment in the course of its construction;
 - (c) the amount of contractual commitments for the acquisition of property, plant and equipment; and

- (d) **if it is not disclosed separately in the statement of profit and loss, the amount of compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up that is included in profit or loss.**
- 75 Selection of the depreciation method and estimation of the useful life of assets are matters of judgement. Therefore, disclosure of the methods adopted and the estimated useful lives or depreciation rates provides users of financial statements with information that allows them to review the policies selected by management and enables comparisons to be made with other entities. For similar reasons, it is necessary to disclose:
- (a) depreciation, whether recognised in profit or loss or as a part of the cost of other assets, during a period; and
 - (b) accumulated depreciation at the end of the period.
- 76 In accordance with Ind AS 8 an entity discloses the nature and effect of a change in an accounting estimate that has an effect in the current period or is expected to have an effect in subsequent periods. For property, plant and equipment, such disclosure may arise from changes in estimates with respect to:
- (a) residual values;
 - (b) the estimated costs of dismantling, removing or restoring items of property, plant and equipment;
 - (c) useful lives; and
 - (d) depreciation methods.
- 77 **If items of property, plant and equipment are stated at revalued amounts, the following shall be disclosed in addition to the disclosures required by Ind AS 113:**
- (a) **the effective date of the revaluation;**
 - (b) **whether an independent valuer was involved;**
 - (c) **[Refer Appendix 1]**
 - (d) **[Refer Appendix 1]**
 - (e) **for each revalued class of property, plant and equipment, the carrying amount that would have been recognised had the assets been carried under the cost model; and**
 - (f) **the revaluation surplus, indicating the change for the period and any restrictions on the distribution of the balance to shareholders.**
- 78 In accordance with Ind AS 36 an entity discloses information on impaired property, plant and equipment in addition to the information required by paragraph 73(e)(iv)–(vi).
- 79 Users of financial statements may also find the following information relevant to their needs:
- (a) the carrying amount of temporarily idle property, plant and equipment;
 - (b) the gross carrying amount of any fully depreciated property, plant and equipment that is still in use;
 - (c) the carrying amount of property, plant and equipment retired from active use and not classified as held for sale in accordance with Ind AS 105; and
 - (d) when the cost model is used, the fair value of property, plant and equipment when this is materially different from the carrying amount.

Therefore, entities are encouraged to disclose these amounts.

Appendix A

Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

Background

- 1 Many entities have obligations to dismantle, remove and restore items of property, plant and equipment. In this Appendix such obligations are referred to as 'decommissioning, restoration and similar liabilities'. Under Ind AS 16, the cost of an item of property, plant and equipment includes the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period. Ind AS 37 contains requirements on how to measure decommissioning, restoration and similar liabilities. This Appendix provides guidance on how

to account for the effect of changes in the measurement of existing decommissioning, restoration and similar liabilities.

Scope

- 2 This Appendix applies to changes in the measurement of any existing decommissioning, restoration or similar liability that is both:
- (a) recognised as part of the cost of an item of property, plant and equipment in accordance with Ind AS 16; and
 - (b) recognised as a liability in accordance with Ind AS 37.

For example, a decommissioning, restoration or similar liability may exist for decommissioning a plant, rehabilitating environmental damage in extractive industries, or removing equipment.

Issue

- 3 This Appendix addresses how the effect of the following events that change the measurement of an existing decommissioning, restoration or similar liability should be accounted for:
- (a) a change in the estimated outflow of resources embodying economic benefits (eg cash flows) required to settle the obligation;
 - (b) a change in the current market-based discount rate as defined in paragraph 47 of Ind AS 37 (this includes changes in the time value of money and the risks specific to the liability); and
 - (c) an increase that reflects the passage of time (also referred to as the unwinding of the discount).

Accounting Principles

- 4 Changes in the measurement of an existing decommissioning, restoration and similar liability that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits required to settle the obligation, or a change in the discount rate, shall be accounted for in accordance with paragraphs 5–7 below.
- 5 If the related asset is measured using the cost model:
- (a) subject to (b), changes in the liability shall be added to, or deducted from, the cost of the related asset in the current period.
 - (b) the amount deducted from the cost of the asset shall not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess shall be recognised immediately in profit or loss.
 - (c) if the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the entity shall consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If it is such an indication, the entity shall test the asset for impairment by estimating its recoverable amount, and shall account for any impairment loss, in accordance with Ind AS 36.
- 6 If the related asset is measured using the revaluation model:
- (a) changes in the liability alter the revaluation surplus or deficit previously recognised on that asset, so that:
 - (i) a decrease in the liability shall [subject to (b)] be recognised in other comprehensive income and increase the revaluation surplus within equity, except that it shall be recognised in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation deficit on the asset that was previously recognised in profit or loss;
 - (ii) an increase in the liability shall be recognised in profit or loss, except that it shall be recognised in other comprehensive income and reduce the revaluation surplus within equity to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.
 - (b) in the event that a decrease in the liability exceeds the carrying amount that would have been recognised had the asset been carried under the cost model, the excess shall be recognised immediately in profit or loss.
 - (c) a change in the liability is an indication that the asset may have to be revalued in order to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period. Any such revaluation shall be taken into account in determining the amounts to be recognised in profit or loss or in other comprehensive income under (a). If a revaluation is necessary, all assets of that class shall be revalued.

- (d) Ind AS 1 requires disclosure in the statement of profit and loss of each component of other comprehensive income or expense. In complying with this requirement, the change in the revaluation surplus arising from a change in the liability shall be separately identified and disclosed as such.
- 7 The adjusted depreciable amount of the asset is depreciated over its useful life. Therefore, once the related asset has reached the end of its useful life, all subsequent changes in the liability shall be recognised in profit or loss as they occur. This applies under both the cost model and the revaluation model.
- 8 The periodic unwinding of the discount shall be recognised in profit or loss as a finance cost as it occurs. Capitalisation under Ind AS 23 is not permitted.

Appendix B

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

Background

1. In surface mining operations, entities may find it necessary to remove mine waste materials ('overburden') to gain access to mineral ore deposits. This waste removal activity is known as 'stripping'.
2. During the development phase of the mine (before production begins), stripping costs are usually capitalised as part of the depreciable cost of building, developing and constructing the mine. Those capitalised costs are depreciated or amortised on a systematic basis, usually by using the units of production method, once production begins.
3. A mining entity may continue to remove overburden and to incur stripping costs during the production phase of the mine.
4. The material removed when stripping in the production phase will not necessarily be a total waste; often it will be a combination of ore and waste. The ratio of ore to waste can range from uneconomic low grade to profitable high grade. Removal of material with a low ratio of ore to waste may produce some usable material, which can be used to produce inventory. This removal might also provide access to deeper levels of material that have a higher ratio of ore to waste. There can therefore be two benefits accruing to the entity from the stripping activity: usable ore that can be used to produce inventory and improved access to further quantities of material that will be mined in future periods.
5. This Appendix considers when and how to account separately for these two benefits arising from the stripping activity, as well as how to measure these benefits both initially and subsequently.

Scope

6. This Appendix applies to waste removal costs that are incurred in surface mining activity during the production phase of the mine ('production stripping costs').

Issues

7. This Appendix addresses the following issues:
 - (a) recognition of production stripping costs as an asset;
 - (b) initial measurement of the stripping activity asset; and
 - (c) subsequent measurement of the stripping activity asset.

Accounting Principles

Recognition of production stripping costs as an asset

8. To the extent that the benefit from the stripping activity is realised in the form of inventory produced, the entity shall account for the costs of that stripping overburden removal activity in accordance with the principles of Ind AS 2, *Inventories*. To the extent the benefit is improved access to ore, the entity shall recognise these costs as a non-current asset, say, Stripping Activity Asset, if the criteria in paragraph 9 below are met.
9. An entity shall recognise a stripping activity asset if, and only if, all of the following are met:
 - (a) it is probable that the future economic benefit (improved access to the ore body) associated with the stripping activity will flow to the entity;
 - (b) the entity can identify the component of the ore body for which access has been improved; and
 - (c) the costs relating to the stripping activity associated with that component can be measured reliably.

10. The stripping activity asset shall be accounted for as an addition to, or as an enhancement of, an existing asset. In other words, the stripping activity asset will be accounted for as *part* of an existing asset.
11. The stripping activity asset's classification as a tangible or intangible asset is the same as the existing asset. In other words, the nature of this existing asset will determine whether the entity shall classify the stripping activity asset as tangible or intangible.

Initial measurement of the stripping activity asset

12. The entity shall initially measure the stripping activity asset at cost, this being the accumulation of costs directly incurred to perform the stripping activity that improves access to the identified component of ore, plus an allocation of directly attributable overhead costs. Examples of the types of costs that would be included as directly attributable overhead costs include an allocation of salary costs of the mine supervisor overseeing that component of the mine, and the rental costs of any equipment that was hired specifically to perform the stripping activity. Some incidental operations may take place at the same time as the production stripping activity, but which are not necessary for the production stripping activity to continue as planned. The costs associated with these incidental operations shall not be included in the cost of the stripping activity asset. An example of such type of incidental operations would be building an access road in the area in which the stripping campaign is taking place.
13. When the costs of the stripping activity asset and the inventory produced are not separately identifiable, the entity shall allocate the production stripping costs between the inventory produced and the stripping activity asset by using an allocation basis that is based on a relevant production measure. This production measure shall be calculated for the identified component of the ore body, and shall be used as a benchmark to identify the extent to which the additional activity of creating a future benefit has taken place. Examples of such measures include:
 - (a) cost of inventory produced compared with expected cost;
 - (b) volume of waste extracted compared with expected volume, for a given volume of ore production; and
 - (c) mineral content of the ore extracted compared with expected mineral content to be extracted, for a given quantity of ore produced.
- 13A The production measure shall not be calculated using a basis that is based on sales values. A basis that is based on sales values, in the context of stripping costs, is inappropriate because it is not closely linked to the activity taking place. Furthermore, if the current sales price of the relevant material is used in determining the allocation basis, the same current sales price will be applied to the volume of the mineral in both the extracted ore and the identified component. Hence, the relevant variable will be the volume of mineral in both the extracted ore and the identified component, i.e., the current sales price will not change the allocation basis. Applying a future sales price basis involves practical difficulties. Identifying a future sales price for ore that will be mined in the future can be difficult, given the volatility of market prices for many minerals. Further complexities may arise when more than one mineral is present (whether by-products or joint products) when the ore is extracted.

Subsequent measurement of the stripping activity asset

14. After initial recognition, the stripping activity asset shall be carried at either its cost or its revalued amount less depreciation or amortisation and less impairment losses, in the same way as the existing asset of which it is a part.
15. The stripping activity asset shall be depreciated or amortised on a systematic basis, over the expected useful life of the identified component of the ore body that becomes more accessible as a result of the stripping activity. The units of production method shall be applied unless another method is more appropriate.

The expected useful life of the identified component of the ore body that is used to depreciate or amortise the stripping activity asset will differ from the expected useful life that is used to depreciate or amortise the mine itself and the related life-of-mine assets. The exception to this are those limited circumstances when the stripping activity provides improved access to the whole of the remaining ore body. For example, this might occur towards the end of a mine's useful life when the identified component represents the final part of the ore body to be extracted.

Appendix C

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and make reference to Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*.

- 1 Appendix C, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*.
- 2 Appendix D, *Service Concession Arrangements: Disclosures* contained in Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*.
- 3 Appendix C, *Determining whether an Arrangement contains a Lease* contained in Ind AS 17, *Leases*.
- 4 Appendix A, *Intangible Assets—Web Site Costs* contained in Ind AS 38, *Intangible Assets*.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 16, Property, Plant and Equipment, and IFRIC 1, Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities and IFRIC 20, Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 16, *Property, Plant and Equipment*, IFRIC 1 and IFRIC 20

- 1 The transitional provisions given in IAS 16 and IFRIC 1 and IFRIC 20 have not been given in Ind AS 16, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
- 2 Different terminology is used in this standard, eg, the term ‘balance sheet’ is used instead of ‘Statement of financial position’ and ‘Statement of profit’ and loss is used instead of ‘Statement of comprehensive income’.
- 3 Paragraph 28 has been deleted since Ind AS 20, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*, does not permit the option of reducing the carrying amount of an item of property, plant and equipment by the amount of government grant received in respect of such an item, which is permitted in IAS 20. However, to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 16, this paragraph number is retained in Ind AS 16.
- 4 The following paragraph numbers appear as ‘Deleted’ in IAS 16. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 16, the paragraph numbers are retained in Ind AS 16:
 - (i) paragraphs 32-33
 - (ii) paragraph 64
 - (iii) paragraph 77(c)-(d)
- 5 Paragraphs 5 of Ind AS 16 has been modified, since Ind AS 40, *Investment Property*, prohibits the use of fair value model.
- 6 Paragraph 12 of Appendix B has been modified and paragraph 13A of Appendix B has been added to provide guidance with regard to the requirements contained in the paragraphs 12 and 13.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 17

Leases

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

- 1 The objective of this Standard is to prescribe, for lessees and lessors, the appropriate accounting policies and disclosure to apply in relation to leases.

Scope

- 2 **This Standard shall be applied in accounting for all leases other than:**
 - (a) **leases to explore for or use minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative resources; and**
 - (b) **licensing agreements for such items as motion picture films, video recordings, plays, manuscripts, patents and copyrights.**

However, this Standard shall not be applied as the basis of measurement for:

- (a) property held by lessees that is accounted for as investment property (see Ind AS 40, *Investment Property*);
 - (b) investment property provided by lessors under operating leases (see Ind AS 40, *Investment Property*);
 - (c) biological assets within the scope of Ind AS 41 *Agriculture* held by lessees under finance leases; or
 - (d) biological assets within the scope of Ind AS 41 provided by lessors under operating leases.
- 3 This Standard applies to agreements that transfer the right to use assets even though substantial services by the lessor may be called for in connection with the operation or maintenance of such assets. This Standard does not apply to agreements that are contracts for services that do not transfer the right to use assets from one contracting party to the other.

Definitions

- 4 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

A *lease* is an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or series of payments the right to use an asset for an agreed period of time.

A *finance lease* is a lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset. Title may or may not eventually be transferred.

An *operating lease* is a lease other than a finance lease.

A *non-cancellable lease* is a lease that is cancellable only:

- (a) upon the occurrence of some remote contingency;
- (b) with the permission of the lessor;
- (c) if the lessee enters into a new lease for the same or an equivalent asset with the same lessor; or
- (d) upon payment by the lessee of such an additional amount that, at inception of the lease, continuation of the lease is reasonably certain.

The *inception of the lease* is the earlier of the date of the lease agreement and the date of commitment by the parties to the principal provisions of the lease. As at this date:

- (a) a lease is classified as either an operating or a finance lease; and
- (b) in the case of a finance lease, the amounts to be recognised at the commencement of the lease term are determined.

The *commencement of the lease term* is the date from which the lessee is entitled to exercise its right to use the leased asset. It is the date of initial recognition of the lease (ie the recognition of the assets, liabilities, income or expenses resulting from the lease, as appropriate).

The *lease term* is the non-cancellable period for which the lessee has contracted to lease the asset together with any further terms for which the lessee has the option to continue to lease the asset, with or without further payment, when at the inception of the lease it is reasonably certain that the lessee will exercise the option.

Minimum lease payments are the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make, excluding contingent rent, costs for services and taxes to be paid by and reimbursed to the lessor, together with:

- (a) for a lessee, any amounts guaranteed by the lessee or by a party related to the lessee; or
- (b) for a lessor, any residual value guaranteed to the lessor by:
 - (i) the lessee;
 - (ii) a party related to the lessee; or
 - (iii) a third party unrelated to the lessor that is financially capable of discharging the obligations under the guarantee.

However, if the lessee has an option to purchase the asset at a price that is expected to be sufficiently lower than fair value at the date the option becomes exercisable for it to be reasonably certain, at the inception of the lease, that the option will be exercised, the minimum lease payments comprise the

minimum payments payable over the lease term to the expected date of exercise of this purchase option and the payment required to exercise it.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.

Economic life is either:

- (a) the period over which an asset is expected to be economically usable by one or more users; or
- (b) the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by one or more users.

Useful life is the estimated remaining period, from the commencement of the lease term, without limitation by the lease term, over which the economic benefits embodied in the asset are expected to be consumed by the entity.

Guaranteed residual value is:

- (a) for a lessee, that part of the residual value that is guaranteed by the lessee or by a party related to the lessee (the amount of the guarantee being the maximum amount that could, in any event, become payable); and
- (b) for a lessor, that part of the residual value that is guaranteed by the lessee or by a third party unrelated to the lessor that is financially capable of discharging the obligations under the guarantee.

Unguaranteed residual value is that portion of the residual value of the leased asset, the realisation of which by the lessor is not assured or is guaranteed solely by a party related to the lessor.

Initial direct costs are incremental costs that are directly attributable to negotiating and arranging a lease, except for such costs incurred by manufacturer or dealer lessors.

Gross investment in the lease is the aggregate of:

- (a) the minimum lease payments receivable by the lessor under a finance lease, and
- (b) any unguaranteed residual value accruing to the lessor.

Net investment in the lease is the gross investment in the lease discounted at the interest rate implicit in the lease.

s is the difference between:

- (a) the gross investment in the lease, and
- (b) the net investment in the lease.

The *interest rate implicit in the lease* is the discount rate that, at the inception of the lease, causes the aggregate present value of (a) the minimum lease payments and (b) the unguaranteed residual value to be equal to the sum of (i) the fair value of the leased asset and (ii) any initial direct costs of the lessor.

The *lessee's incremental borrowing rate of interest* is the rate of interest the lessee would have to pay on a similar lease or, if that is not determinable, the rate that, at the inception of the lease, the lessee would incur to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to purchase the asset.

Contingent rent is that portion of the lease payments that is not fixed in amount but is based on the future amount of a factor that changes other than with the passage of time (eg percentage of future sales, amount of future use, future price indices, future market rates of interest).

5 A lease agreement or commitment may include a provision to adjust the lease payments for changes in the construction or acquisition cost of the leased property or for changes in some other measure of cost or value, such as general price levels, or in the lessor's costs of financing the lease, during the period between the inception of the lease and the commencement of the lease term. If so, the effect of any such changes shall be deemed to have taken place at the inception of the lease for the purposes of this Standard.

6 The definition of a lease includes contracts for the hire of an asset that contain a provision giving the hirer an option to acquire title to the asset upon the fulfilment of agreed conditions. These contracts are sometimes known as hire purchase contracts.

- 6A Ind AS 17 uses the term 'fair value' in a way that differs in some respects from the definition of fair value in Ind AS 113, *Fair Value Measurement*. Therefore, when applying Ind AS 17 an entity measures fair value in accordance with Ind AS 17, not Ind AS 113.

Classification of leases

- 7 The classification of leases adopted in this Standard is based on the extent to which risks and rewards incidental to ownership of a leased asset lie with the lessor or the lessee. Risks include the possibilities of losses from idle capacity or technological obsolescence and of variations in return because of changing economic conditions. Rewards may be represented by the expectation of profitable operation over the asset's economic life and of gain from appreciation in value or realisation of a residual value.
- 8 **A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.**
- 9 Because the transaction between a lessor and a lessee is based on a lease agreement between them, it is appropriate to use consistent definitions. The application of these definitions to the differing circumstances of the lessor and lessee may result in the same lease being classified differently by them. For example, this may be the case if the lessor benefits from a residual value guarantee provided by a party unrelated to the lessee.
- 10 Whether a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the form of the contract.⁵ Examples of situations that individually or in combination would normally lead to a lease being classified as a finance lease are:
- (a) the lease transfers ownership of the asset to the lessee by the end of the lease term;
 - (b) the lessee has the option to purchase the asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date the option becomes exercisable for it to be reasonably certain, at the inception of the lease, that the option will be exercised;
 - (c) the lease term is for the major part of the economic life of the asset even if title is not transferred;
 - (d) at the inception of the lease the present value of the minimum lease payments amounts to at least substantially all of the fair value of the leased asset; and
 - (e) the leased assets are of such a specialised nature that only the lessee can use them without major modifications.
- 11 Indicators of situations that individually or in combination could also lead to a lease being classified as a finance lease are:
- (a) if the lessee can cancel the lease, the lessor's losses associated with the cancellation are borne by the lessee;
 - (b) gains or losses from the fluctuation in the fair value of the residual accrue to the lessee (for example, in the form of a rent rebate equalling most of the sales proceeds at the end of the lease); and
 - (c) the lessee has the ability to continue the lease for a secondary period at a rent that is substantially lower than market rent.
- 12 The examples and indicators in paragraphs 10 and 11 are not always conclusive. If it is clear from other features that the lease does not transfer substantially all risks and rewards incidental to ownership, the lease is classified as an operating lease. For example, this may be the case if ownership of the asset transfers at the end of the lease for a variable payment equal to its then fair value, or if there are contingent rents, as a result of which the lessee does not have substantially all such risks and rewards.
- 13 Lease classification is made at the inception of the lease. If at any time the lessee and the lessor agree to change the provisions of the lease, other than by renewing the lease, in a manner that would have resulted in a different classification of the lease under the criteria in paragraphs 7-12 if the changed terms had been in effect at the inception of the lease, the revised agreement is regarded as a new agreement over its term. However, changes in estimates (for example, changes in estimates of the economic life or of the residual value of the leased property), or changes in circumstances (for example, default by the lessee), do not give rise to a new classification of a lease for accounting purposes.
- 14-15 [Refer Appendix 1]

⁵ See also Appendix B *Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease*

- 15A When a lease includes both land and buildings elements, an entity assesses the classification of each element as a finance or an operating lease separately in accordance with paragraphs 7–13. In determining whether the land element is an operating or a finance lease, an important consideration is that land normally has an indefinite economic life.
- 16 Whenever necessary in order to classify and account for a lease of land and buildings, the minimum lease payments (including any lump-sum upfront payments) are allocated between the land and the buildings elements in proportion to the relative fair values of the leasehold interests in the land element and buildings element of the lease at the inception of the lease. If the lease payments cannot be allocated reliably between these two elements, the entire lease is classified as a finance lease, unless it is clear that both elements are operating leases, in which case the entire lease is classified as an operating lease.
- 17 For a lease of land and buildings in which the amount that would initially be recognised for the land element, in accordance with paragraph 20, is immaterial, the land and buildings may be treated as a single unit for the purpose of lease classification and classified as a finance or operating lease in accordance with paragraphs 7–13. In such a case, the economic life of the buildings is regarded as the economic life of the entire leased asset.
- 18-19 [Refer Appendix 1]

Leases in the financial statements of lessees

Finance leases

Initial recognition

- 20 **At the commencement of the lease term, lessees shall recognise finance leases as assets and liabilities in their balance sheets at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine; if not, the lessee's incremental borrowing rate shall be used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognised as an asset.**
- 21 Transactions and other events are accounted for and presented in accordance with their substance and financial reality and not merely with legal form. Although the legal form of a lease agreement is that the lessee may acquire no legal title to the leased asset, in the case of finance leases the substance and financial reality are that the lessee acquires the economic benefits of the use of the leased asset for the major part of its economic life in return for entering into an obligation to pay for that right an amount approximating, at the inception of the lease, the fair value of the asset and the related finance charge.
- 22 If such lease transactions are not reflected in the lessee's balance sheet, the economic resources and the level of obligations of an entity are understated, thereby distorting financial ratios. Therefore, it is appropriate for a finance lease to be recognised in the lessee's balance sheet both as an asset and as an obligation to pay future lease payments. At the commencement of the lease term, the asset and the liability for the future lease payments are recognised in the balance sheet at the same amounts except for any initial direct costs of the lessee that are added to the amount recognised as an asset.
- 23 It is not appropriate for the liabilities for leased assets to be presented in the financial statements as a deduction from the leased assets. If for the presentation of liabilities in the balance sheet a distinction is made between current and non-current liabilities, the same distinction is made for lease liabilities.
- 24 Initial direct costs are often incurred in connection with specific leasing activities, such as negotiating and securing leasing arrangements. The costs identified as directly attributable to activities performed by the lessee for a finance lease are added to the amount recognised as an asset.

Subsequent measurement

- 25 **Minimum lease payments shall be apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charge shall be allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents shall be charged as expenses in the periods in which they are incurred.**
- 26 In practice, in allocating the finance charge to periods during the lease term, a lessee may use some form of approximation to simplify the calculation.
- 27 **A finance lease gives rise to depreciation expense for depreciable assets as well as finance expense for each accounting period. The depreciation policy for depreciable leased assets shall be consistent with that for depreciable assets that are owned, and the depreciation recognised shall be calculated in**

accordance with Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment* and Ind AS 38, *Intangible Assets*. If there is no reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, the asset shall be fully depreciated over the shorter of the lease term and its useful life.

28 The depreciable amount of a leased asset is allocated to each accounting period during the period of expected use on a systematic basis consistent with the depreciation policy the lessee adopts for depreciable assets that are owned. If there is reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, the period of expected use is the useful life of the asset; otherwise the asset is depreciated over the shorter of the lease term and its useful life.

29 The sum of the depreciation expense for the asset and the finance expense for the period is rarely the same as the lease payments payable for the period, and it is, therefore, inappropriate simply to recognise the lease payments payable as an expense. Accordingly, the asset and the related liability are unlikely to be equal in amount after the commencement of the lease term.

30 To determine whether a leased asset has become impaired, an entity applies Ind AS 36, *Impairment of Assets*.

Disclosures

31 Lessees shall, in addition to meeting the requirements of Ind AS 107, *Financial Instruments: Disclosures*, make the following disclosures for finance leases:

- (a) for each class of asset, the net carrying amount at the end of the reporting period.
- (b) a reconciliation between the total of future minimum lease payments at the end of the reporting period, and their present value. In addition, an entity shall disclose the total of future minimum lease payments at the end of the reporting period, and their present value, for each of the following periods:
 - (i) not later than one year;
 - (ii) later than one year and not later than five years;
 - (iii) later than five years.
- (c) contingent rents recognised as an expense in the period.
- (d) the total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancellable subleases at the end of the reporting period.
- (e) a general description of the lessee's material leasing arrangements including, but not limited to, the following:
 - (i) the basis on which contingent rent payable is determined;
 - (ii) the existence and terms of renewal or purchase options and escalation clauses; and
 - (iii) restrictions imposed by lease arrangements, such as those concerning dividends, additional debt, and further leasing.

32 In addition, the requirements for disclosure in accordance with Ind AS 16, Ind AS 36, Ind AS 38, Ind AS 40 and Ind AS 41 apply to lessees for assets leased under finance leases.

Operating leases

33 Lease payments under an operating lease shall be recognised as an expense on a straight-line basis over the lease term unless either:

- (a) another systematic basis is more representative of the time pattern of the user's benefit even if the payments to the lessors are not on that basis; or
- (b) the payments to the lessor are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the lessor's expected inflationary cost increases. If payments to the lessor vary because of factors other than general inflation, then this condition is not met.⁶

34 For operating leases, lease payments (excluding costs for services such as insurance and maintenance) are recognised as an expense on a straight-line basis unless another systematic basis is representative of the time pattern of the user's benefit, even if the payments are not on that basis.

⁶ See also Appendix A *Operating Leases-Incentives*.

Disclosures

35 Lessees shall, in addition to meeting the requirements of Ind AS 107, make the following disclosures for operating leases:

- (a) the total of future minimum lease payments under non-cancellable operating leases for each of the following periods:
 - (i) not later than one year;
 - (ii) later than one year and not later than five years;
 - (iii) later than five years.
- (b) the total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancellable subleases at the end of the reporting period.
- (c) lease and sublease payments recognised as an expense in the period, with separate amounts for minimum lease payments, contingent rents, and sublease payments.
- (d) a general description of the lessee's significant leasing arrangements including, but not limited to, the following:
 - (i) the basis on which contingent rent payable is determined;
 - (ii) the existence and terms of renewal or purchase options and escalation clauses; and
 - (iii) restrictions imposed by lease arrangements, such as those concerning dividends, additional debt and further leasing.

Leases in the financial statements of lessors**Finance leases****Initial recognition**

36 Lessors shall recognise assets held under a finance lease in their balance sheets and present them as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease.

37 Under a finance lease substantially all the risks and rewards incidental to legal ownership are transferred by the lessor, and thus the lease payment receivable is treated by the lessor as repayment of principal and finance income to reimburse and reward the lessor for its investment and services.

38 Initial direct costs are often incurred by lessors and include amounts such as commissions, legal fees and internal costs that are incremental and directly attributable to negotiating and arranging a lease. They exclude general overheads such as those incurred by a sales and marketing team. For finance leases other than those involving manufacturer or dealer lessors, initial direct costs are included in the initial measurement of the finance lease receivable and reduce the amount of income recognised over the lease term. The interest rate implicit in the lease is defined in such a way that the initial direct costs are included automatically in the finance lease receivable; there is no need to add them separately. Costs incurred by manufacturer or dealer lessors in connection with negotiating and arranging a lease are excluded from the definition of initial direct costs. As a result, they are excluded from the net investment in the lease and are recognised as an expense when the selling profit is recognised, which for a finance lease is normally at the commencement of the lease term.

Subsequent measurement

39 The recognition of finance income shall be based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the finance lease.

40 A lessor aims to allocate finance income over the lease term on a systematic and rational basis. This income allocation is based on a pattern reflecting a constant periodic return on the lessor's net investment in the finance lease. Lease payments relating to the period, excluding costs for services, are applied against the gross investment in the lease to reduce both the principal and the unearned finance income.

41 Estimated unguaranteed residual values used in computing the lessor's gross investment in the lease are reviewed regularly. If there has been a reduction in the estimated unguaranteed residual value, the income allocation over the lease term is revised and any reduction in respect of amounts accrued is recognised immediately.

- 41A An asset under a finance lease that is classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, shall be accounted for in accordance with that Ind AS.
- 42 **Manufacturer or dealer lessors shall recognise selling profit or loss in the period, in accordance with the policy followed by the entity for outright sales. If artificially low rates of interest are quoted, selling profit shall be restricted to that which would apply if a market rate of interest were charged. Costs incurred by manufacturer or dealer lessors in connection with negotiating and arranging a lease shall be recognised as an expense when the selling profit is recognised.**
- 43 Manufacturers or dealers often offer to customers the choice of either buying or leasing an asset. A finance lease of an asset by a manufacturer or dealer lessor gives rise to two types of income:
- profit or loss equivalent to the profit or loss resulting from an outright sale of the asset being leased, at normal selling prices, reflecting any applicable volume or trade discounts; and
 - finance income over the lease term.
- 44 The sales revenue recognised at the commencement of the lease term by a manufacturer or dealer lessor is the fair value of the asset, or, if lower, the present value of the minimum lease payments accruing to the lessor, computed at a market rate of interest. The cost of sale recognised at the commencement of the lease term is the cost, or carrying amount if different, of the leased property less the present value of the unguaranteed residual value. The difference between the sales revenue and the cost of sale is the selling profit, which is recognised in accordance with the entity's policy for outright sales.
- 45 Manufacturer or dealer lessors sometimes quote artificially low rates of interest in order to attract customers. The use of such a rate would result in an excessive portion of the total income from the transaction being recognised at the time of sale. If artificially low rates of interest are quoted, selling profit is restricted to that which would apply if a market rate of interest were charged.
- 46 Costs incurred by a manufacturer or dealer lessor in connection with negotiating and arranging a finance lease are recognised as an expense at the commencement of the lease term because they are mainly related to earning the manufacturer's or dealer's selling profit.

Disclosures

- 47 **Lessors shall, in addition to meeting the requirements in Ind AS 107, disclose the following for finance leases:**
- a reconciliation between the gross investment in the lease at the end of the reporting period, and the present value of minimum lease payments receivable at the end of the reporting period. In addition, an entity shall disclose the gross investment in the lease and the present value of minimum lease payments receivable at the end of the reporting period, for each of the following periods:**
 - not later than one year;**
 - later than one year and not later than five years;**
 - later than five years.**
 - unearned finance income.**
 - the unguaranteed residual values accruing to the benefit of the lessor.**
 - the accumulated allowance for uncollectible minimum lease payments receivable.**
 - contingent rents recognised as income in the period.**
 - a general description of the lessor's material leasing arrangements.**
- 48 As an indicator of growth it is often useful also to disclose the gross investment less unearned income in new business added during the period, after deducting the relevant amounts for cancelled leases.
- Operating leases**
- 49 **Lessors shall present assets subject to operating leases in their balance sheet according to the nature of the asset.**

- 50 **Lease income from operating leases (excluding amounts for services such as insurance and maintenance) shall be recognised in income on a straight-line basis over the lease term, unless either:**
- (a) **another systematic basis is more representative of the time pattern in which use benefit derived from the leased asset is diminished, even if the payments to the lessors are not on that basis; or**
 - (b) **the payments to the lessor are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the lessor's expected inflationary cost increases. If payments to the lessor vary according to factors other than inflation, then this condition is not met.⁷**
- 51 Costs, including depreciation, incurred in earning the lease income are recognised as an expense. Lease income (excluding receipts for services provided such as insurance and maintenance) is recognised on a straight-line basis over the lease term even if the receipts are not on such a basis, unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which use benefit derived from the leased asset is diminished.
- 52 **Initial direct costs incurred by lessors in negotiating and arranging an operating lease shall be added to the carrying amount of the leased asset and recognised as an expense over the lease term on the same basis as the lease income.**
- 53 **The depreciation policy for depreciable leased assets shall be consistent with the lessor's normal depreciation policy for similar assets, and depreciation shall be calculated in accordance with Ind AS 16 and Ind AS 38.**
- 54 To determine whether a leased asset has become impaired, an entity applies Ind AS 36.
- 55 A manufacturer or dealer lessor does not recognise any selling profit on entering into an operating lease because it is not the equivalent of a sale.

Disclosures

- 56 **Lessors shall, in addition to meeting the requirements of Ind AS 107, disclose the following for operating leases:**
- (a) **the future minimum lease payments under non-cancellable operating leases in the aggregate and for each of the following periods:**
 - (i) **not later than one year;**
 - (ii) **later than one year and not later than five years;**
 - (iii) **later than five years.**
 - (b) **total contingent rents recognised as income in the period.**
 - (c) **a general description of the lessor's leasing arrangements.**
- 57 In addition, the disclosure requirements in Ind AS 16, Ind AS 36, Ind AS 38, Ind AS 40 and Ind AS 41 apply to lessors for assets provided under operating leases.

Sale and leaseback transactions

- 58 A sale and leaseback transaction involves the sale of an asset and the leasing back of the same asset. The lease payment and the sale price are usually interdependent because they are negotiated as a package. The accounting treatment of a sale and leaseback transaction depends upon the type of lease involved.
- 59 **If a sale and leaseback transaction results in a finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount shall not be immediately recognised as income by a seller-lessee. Instead, it shall be deferred and amortised over the lease term.**
- 60 If the leaseback is a finance lease, the transaction is a means whereby the lessor provides finance to the lessee, with the asset as security. For this reason it is not appropriate to regard an excess of sales proceeds over the carrying amount as income. Such excess is deferred and amortised over the lease term.
- 61 **If a sale and leaseback transaction results in an operating lease, and it is clear that the transaction is established at fair value, any profit or loss shall be recognised immediately. If the sale price is below fair value, any profit or loss shall be recognised immediately except that, if the loss is compensated for by future lease payments at below market price, it shall be deferred and amortised in proportion to the lease payments over the period for which the asset is expected to be used. If the sale price is above fair value, the excess over fair value shall be deferred and amortised over the period for which the asset is expected to be used.**

⁷ See also Appendix A *Operating Leases-Incentives*.

- 62 If the leaseback is an operating lease, and the lease payments and the sale price are at fair value, there has in effect been a normal sale transaction and any profit or loss is recognised immediately.
- 63 **For operating leases, if the fair value at the time of a sale and leaseback transaction is less than the carrying amount of the asset, a loss equal to the amount of the difference between the carrying amount and fair value shall be recognised immediately.**
- 64 For finance leases, no such adjustment is necessary unless there has been an impairment in value, in which case the carrying amount is reduced to recoverable amount in accordance with Ind AS 36.
- 65 Disclosure requirements for lessees and lessors apply equally to sale and leaseback transactions. The required description of material leasing arrangements leads to disclosure of unique or unusual provisions of the agreement or terms of the sale and leaseback transactions.
- 66 Sale and leaseback transactions may trigger the separate disclosure criteria in Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*.

Appendix A

Operating Leases—Incentives

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Issue

- 1 In negotiating a new or renewed operating lease, the lessor may provide incentives for the lessee to enter into the agreement. Examples of such incentives are an up-front cash payment to the lessee or the reimbursement or assumption by the lessor of costs of the lessee (such as relocation costs, leasehold improvements and costs associated with a pre-existing lease commitment of the lessee). Alternatively, initial periods of the lease term may be agreed to be rent-free or at a reduced rent.
- 2 The issue is how incentives in an operating lease should be recognised in the financial statements of both the lessee and the lessor.

Accounting Principles

- 3 All incentives for the agreement of a new or renewed operating lease shall be recognised as an integral part of the net consideration agreed for the use of the leased asset, irrespective of the incentive's nature or form or the timing of payments.
- 4 The lessor shall recognise the aggregate cost of incentives as a reduction of rental income over the lease term, on a straight-line basis unless another systematic basis is representative of the time pattern over which the benefit of the leased asset is diminished.
- 5 The lessee shall recognise the aggregate benefit of incentives as a reduction of rental expense over the lease term, on a straight-line basis unless another systematic basis is representative of the time pattern of the lessee's benefit from the use of the leased asset.
- 6 Costs incurred by the lessee, including costs in connection with a pre-existing lease (for example costs for termination, relocation or leasehold improvements), shall be accounted for by the lessee in accordance with the Standards applicable to those costs, including costs which are effectively reimbursed through an incentive arrangement.

Appendix B

Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Issue

- 1 An Entity may enter into a transaction or a series of structured transactions (an arrangement) with an unrelated party or parties (an Investor) that involves the legal form of a lease. For example, an Entity may lease assets to an Investor and lease the same assets back, or alternatively, legally sell assets and lease the same assets back. The form of each arrangement and its terms and conditions can vary significantly. In the lease and leaseback example, it may be that the arrangement is designed to achieve a tax advantage for the Investor that is shared with the Entity in the form of a fee, and not to convey the right to use an asset.
- 2 When an arrangement with an Investor involves the legal form of a lease, the issues are:
 - (a) how to determine whether a series of transactions is linked and should be accounted for as one transaction;

- (b) whether the arrangement meets the definition of a lease under Ind AS 17; and, if not,
 - (i) whether a separate investment account and lease payment obligations that might exist represent assets and liabilities of the Entity ;
 - (ii) how the Entity should account for other obligations resulting from the arrangement; and
 - (iii) how the Entity should account for a fee it might receive from an Investor.

Accounting Principles

- 3 A series of transactions that involve the legal form of a lease is linked and shall be accounted for as one transaction when the overall economic effect cannot be understood without reference to the series of transactions as a whole. This is the case, for example, when the series of transactions are closely interrelated, negotiated as a single transaction, and takes place concurrently or in a continuous sequence.
- 4 The accounting shall reflect the substance of the arrangement. All aspects and implications of an arrangement shall be evaluated to determine its substance, with weight given to those aspects and implications that have an economic effect.
- 5 Ind AS 17 applies when the substance of an arrangement includes the conveyance of the right to use an asset for an agreed period of time. Indicators that individually demonstrate that an arrangement may not, in substance, involve a lease under Ind AS 17 include :
 - (a) an Entity retains all the risks and rewards incident to ownership of an underlying asset and enjoys substantially the same rights to its use as before the arrangement;
 - (b) the primary reason for the arrangement is to achieve a particular tax result, and not to convey the right to use an asset; and
 - (c) an option is included on terms that make its exercise almost certain (eg a put option that is exercisable at a price sufficiently higher than the expected fair value when it becomes exercisable).
- 6 The definitions and guidance in paragraphs 49–64 of the *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards*, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, shall be applied in determining whether, in substance, a separate investment account and lease payment obligations represent assets and liabilities of the Entity. Indicators that collectively demonstrate that, in substance, a separate investment account and lease payment obligations do not meet the definitions of an asset and a liability and shall not be recognised by the Entity include :
 - (a) the Entity is not able to control the investment account in pursuit of its own objectives and is not obligated to pay the lease payments. This occurs when, for example, a prepaid amount is placed in a separate investment account to protect the Investor and may only be used to pay the Investor, the Investor agrees that the lease payment obligations are to be paid from funds in the investment account, and the Entity has no ability to withhold payments to the Investor from the investment account;
 - (b) the Entity has only a remote risk of reimbursing the entire amount of any fee received from an Investor and possibly paying some additional amount, or, when a fee has not been received, only a remote risk of paying an amount under other obligations (eg a guarantee). Only a remote risk of payment exists when, for example, the terms of the arrangement require that a prepaid amount is invested in risk-free assets that are expected to generate sufficient cash flows to satisfy the lease payment obligations; and
 - (c) other than the initial cash flows at inception of the arrangement, the only cash flows expected under the arrangement are the lease payments that are satisfied solely from funds withdrawn from the separate investment account established with the initial cash flows.
- 7 Other obligations of an arrangement, including any guarantees provided and obligations incurred upon early termination, shall be accounted for under Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, Ind AS 104, *Insurance Contracts* or Ind AS 109, *Financial Instruments* depending on the terms.
- 8 The requirements in Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*, shall be applied to the facts and circumstances of each arrangement in determining when to recognise a fee as income that an Entity might receive. Factors such as whether there is continuing involvement in the form of significant future performance obligations necessary to earn the fee, whether there are retained risks, the terms of any guarantee arrangements, and the risk of repayment of the fee, shall be considered. Indicators that individually demonstrate that recognition of the entire fee as income when received, if received at the beginning of the arrangement, is inappropriate include :

- (a) obligations either to perform or to refrain from certain significant activities are conditions of earning the fee received, and therefore execution of a legally binding arrangement is not the most significant act required by the arrangement;
- (b) limitations are put on the use of the underlying asset that have the practical effect of restricting and significantly changing the Entity's ability to use (eg deplete, sell or pledge as collateral) the asset;
- (c) the possibility of reimbursing any amount of the fee and possibly paying some additional amount is not remote. This occurs when, for example,
 - (i) the underlying asset is not a specialised asset that is required by the Entity to conduct its business, and therefore there is a possibility that the Entity may pay an amount to terminate the arrangement early; or
 - (ii) the Entity is required by the terms of the arrangement, or has some or total discretion, to invest a prepaid amount in assets carrying more than an insignificant amount of risk (eg currency, interest rate or credit risk). In this circumstance, the risk of the investment's value being insufficient to satisfy the lease payment obligations is not remote, and therefore there is a possibility that the Entity may be required to pay some amount.

9 The fee shall be presented in the statement of profit and loss based on its economic substance and nature.

Disclosure

10 All aspects of an arrangement that does not, in substance, involve a lease under Ind AS 17 shall be considered in determining the appropriate disclosures that are necessary to understand the arrangement and the accounting treatment adopted. An Entity shall disclose the following in each period that an arrangement exists:

- (a) a description of the arrangement including :
 - (i) the underlying asset and any restrictions on its use;
 - (ii) the life and other significant terms of the arrangement;
 - (iii) the transactions that are linked together, including any options; and
- (b) the accounting treatment applied to any fee received, the amount recognised as income in the period, and the line item of the statement of profit and loss in which it is included.

The disclosures required in accordance with paragraph 10 of this appendix shall be provided individually for each arrangement or in aggregate for each class of arrangement. A class is a grouping of arrangements with underlying assets of a similar nature (eg power plants).

Appendix C

Determining whether an Arrangement contains a Lease

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Background

- 1 An entity may enter into an arrangement, comprising a transaction or a series of related transactions, that does not take the legal form of a lease but conveys a right to use an asset (eg an item of property, plant or equipment) in return for a payment or series of payments. Examples of arrangements in which one entity (the supplier) may convey such a right to use an asset to another entity (the purchaser), often together with related services, include :
 - outsourcing arrangements (eg the outsourcing of the data processing functions of an entity).
 - arrangements in the telecommunications industry, in which suppliers of network capacity enter into contracts to provide purchasers with rights to capacity.
 - take-or-pay and similar contracts, in which purchasers must make specified payments regardless of whether they take delivery of the contracted products or services (eg a take-or-pay contract to acquire substantially all of the output of a supplier's power generator).
- 2 This appendix provides guidance for determining whether such arrangements are, or contain, leases that should be accounted for in accordance with Ind AS 17. This Appendix does not provide guidance for determining how such a lease should be classified under Ind AS 17.

- 3 In some arrangements, the underlying asset that is the subject of the lease is a portion of a larger asset. This appendix does not address how to determine when a portion of a larger asset is itself the underlying asset for the purposes of applying Ind AS 17. Nevertheless, arrangements in which the underlying asset would represent a unit of account in either Ind AS 16 or Ind AS 38 are within the scope of this appendix.

Scope

- 4 This appendix does not apply to arrangements that :
- (a) are, or contain, leases excluded from the scope of Ind AS 17; or
 - (b) are public-to-private service concession arrangements within the scope of Appendix C of Ind AS 115, *Service Concession Arrangements*.

Issues

- 5 The issues addressed in this appendix are :
- (a) how to determine whether an arrangement is, or contains, a lease as defined in Ind AS 17;
 - (b) when the assessment or a reassessment of whether an arrangement is, or contains, a lease should be made; and
 - (c) if an arrangement is, or contains, a lease, how the payments for the lease should be separated from payments for any other elements in the arrangement.

Accounting Principles**Determining whether an arrangement is, or contains, a lease**

- 6 Determining whether an arrangement is, or contains, a lease shall be based on the substance of the arrangement and requires an assessment of whether :
- (a) fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets (the asset); and
 - (b) the arrangement conveys a right to use the asset.

Fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset

- 7 Although a specific asset may be explicitly identified in an arrangement, it is not the subject of a lease if fulfilment of the arrangement is not dependent on the use of the specified asset. For example, if the supplier is obliged to deliver a specified quantity of goods or services and has the right and ability to provide those goods or services using other assets not specified in the arrangement, then fulfilment of the arrangement is not dependent on the specified asset and the arrangement does not contain a lease. A warranty obligation that permits or requires the substitution of the same or similar assets when the specified asset is not operating properly does not preclude lease treatment. In addition, a contractual provision (contingent or otherwise) permitting or requiring the supplier to substitute other assets for any reason on or after a specified date does not preclude lease treatment before the date of substitution.
- 8 An asset has been implicitly specified if, for example, the supplier owns or leases only one asset with which to fulfil the obligation and it is not economically feasible or practicable for the supplier to perform its obligation through the use of alternative assets.

Arrangement conveys a right to use the asset

- 9 An arrangement conveys the right to use the asset if the arrangement conveys to the purchaser (lessee) the right to control the use of the underlying asset. The right to control the use of the underlying asset is conveyed if any one of the following conditions is met :
- (a) The purchaser has the ability or right to operate the asset or direct others to operate the asset in a manner it determines while obtaining or controlling more than an insignificant amount of the output or other utility of the asset.
 - (b) The purchaser has the ability or right to control physical access to the underlying asset while obtaining or controlling more than an insignificant amount of the output or other utility of the asset.
 - (c) Facts and circumstances indicate that it is remote that one or more parties other than the purchaser will take more than an insignificant amount of the output or other utility that will be produced or generated by the asset during the term of the arrangement, and the price that the purchaser will pay for the output is neither contractually fixed per unit of output nor equal to the current market price per unit of output as of the time of delivery of the output.

Assessing or reassessing whether an arrangement is, or contains, a lease

- 10 The assessment of whether an arrangement contains a lease shall be made at the inception of the arrangement, being the earlier of the date of the arrangement and the date of commitment by the parties to the principal terms of the arrangement, on the basis of all of the facts and circumstances. A reassessment of whether the arrangement contains a lease after the inception of the arrangement shall be made only if any one of the following conditions is met :
- (a) There is a change in the contractual terms, unless the change only renews or extends the arrangement.
 - (b) A renewal option is exercised or an extension is agreed to by the parties to the arrangement, unless the term of the renewal or extension had initially been included in the lease term in accordance with paragraph 4 of Ind AS 17. A renewal or extension of the arrangement that does not include modification of any of the terms in the original arrangement before the end of the term of the original arrangement shall be evaluated under paragraphs 6-9 only with respect to the renewal or extension period.
 - (c) There is a change in the determination of whether fulfilment is dependent on a specified asset.
 - (d) There is a substantial change to the asset, for example a substantial physical change to property, plant or equipment.
- 11 A reassessment of an arrangement shall be based on the facts and circumstances as of the date of reassessment, including the remaining term of the arrangement. Changes in estimate (for example, the estimated amount of output to be delivered to the purchaser or other potential purchasers) would not trigger a reassessment. If an arrangement is reassessed and is determined to contain a lease (or not to contain a lease), lease accounting shall be applied (or cease to apply) from :
- (a) in the case of (a), (c) or (d) in paragraph 10, when the change in circumstances giving rise to the reassessment occurs;
 - (b) in the case of (b) in paragraph 10, the inception of the renewal or extension period.

Separating payments for the lease from other payments

- 12 If an arrangement contains a lease, the parties to the arrangement shall apply the requirements of Ind AS 17 to the lease element of the arrangement, unless exempted from those requirements in accordance with paragraph 2 of Ind AS 17. Accordingly, if an arrangement contains a lease, that lease shall be classified as a finance lease or an operating lease in accordance with paragraphs 7-17 of Ind AS 17. Other elements of the arrangement not within the scope of Ind AS 17 shall be accounted for in accordance with other Standards.
- 13 For the purpose of applying the requirements of Ind AS 17, payments and other consideration required by the arrangement shall be separated at the inception of the arrangement or upon a reassessment of the arrangement into those for the lease and those for other elements on the basis of their relative fair values. The minimum lease payments as defined in paragraph 4 of Ind AS 17 include only payments for the lease (ie the right to use the asset) and exclude payments for other elements in the arrangement (eg for services and the cost of inputs).
- 14 In some cases, separating the payments for the lease from payments for other elements in the arrangement will require the purchaser to use an estimation technique. For example, a purchaser may estimate the lease payments by reference to a lease agreement for a comparable asset that contains no other elements, or by estimating the payments for the other elements in the arrangement by reference to comparable agreements and then deducting these payments from the total payments under the arrangement.
- 15 If a purchaser concludes that it is impracticable to separate the payments reliably, it shall:
- (a) in the case of a finance lease, recognise an asset and a liability at an amount equal to the fair value of the underlying asset that was identified in paragraphs 7 and 8 as the subject of the lease. Subsequently the liability shall be reduced as payments are made and an imputed finance charge on the liability recognised using the purchaser's incremental borrowing rate of interest.
 - (b) in the case of an operating lease, treat all payments under the arrangement as lease payments for the purposes of complying with the disclosure requirements of Ind AS 17, but
 - (i) disclose those payments separately from minimum lease payments of other arrangements that do not include payments for non-lease elements, and
 - (ii) state that the disclosed payments also include payments for non-lease elements in the arrangement.

Appendix D

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and make reference to Ind AS 17, *Leases*.

- 1 Appendix C, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*.
- 2 Appendix D, *Service Concession Arrangements: Disclosures* contained in Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*.
- 3 Appendix A, *Intangible Assets—Web Site Costs* contained in Ind AS 38, *Intangible Assets*.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 17 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 17, Leases, SIC 15, Operating Leases - Incentives, SIC 27, Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease and IFRIC 4, Determining whether an Arrangement contains a Lease, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 17, *Leases*, SIC 15, SIC 27 and IFRIC 4

- 1 Paragraph 18 of IAS 17 dealing with measurement of the land and buildings elements when the lessee's interest in both land and buildings is classified as an investment property in accordance with Ind AS 40, *Investment Property*, if the fair value model is adopted and paragraph 19 of IAS 17 dealing with property interest held under an operating lease as an investment property, if the definition of investment property is otherwise met and fair value model is applied, have been deleted, since Ind AS 40, *Investment Property*, prohibits the use of fair value model. However, paragraph numbers have been retained in Ind AS 17 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 17.
- 2 Paragraphs 33 and 50 have been modified to provide that where the escalation of lease rentals is in line with the expected general inflation so as to compensate the lessor for expected inflationary cost, the increases in the rentals shall not be straight lined.
- 3 Paragraph numbers 14 and 15 appear as 'Deleted' in IAS 17. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 17, the paragraph numbers are retained in Ind AS 17.
- 4 The transitional provisions given in IAS 17 and IFRIC 4 have not been given in Ind AS 17, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate, have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
- 5 Different terminology is used in this standard, eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.
- 6 Following references to 'Examples of linked transactions' or 'The substance of an arrangement' which are not integral part of SIC 27 have not been included in Ind AS 17 :
 - (i) Reference to paragraph A2(a) of 'Examples of linked transactions' in paragraph 2(b)(i) of Appendix B,
 - (ii) Reference to illustrations given in 'Examples of linked transactions' in paragraph 3 of Appendix B,
 - (iii) Reference to illustrations given under 'The substance of an arrangement' in paragraph 5 of Appendix B.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 19

Employee Benefits

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

1. The objective of this Standard is to prescribe the accounting and disclosure for employee benefits. The Standard requires an entity to recognise :
 - (a) a liability when an employee has provided service in exchange for employee benefits to be paid in the future; and

- (b) an expense when the entity consumes the economic benefit arising from service provided by an employee in exchange for employee benefits.

Scope

2. **This Standard shall be applied by an employer in accounting for all employee benefits, except those to which Ind AS 102, *Share-based Payment*, applies.**
3. This Standard does not deal with reporting by employee benefit plans.
4. The employee benefits to which this Standard applies include those provided:
 - (a) under formal plans or other formal agreements between an entity and individual employees, groups of employees or their representatives;
 - (b) under legislative requirements, or through industry arrangements, whereby entities are required to contribute to national, state, industry or other multi-employer plans; or
 - (c) by those informal practices that give rise to a constructive obligation. Informal practices give rise to a constructive obligation where the entity has no realistic alternative but to pay employee benefits. An example of a constructive obligation is where a change in the entity's informal practices would cause unacceptable damage to its relationship with employees.
5. Employee benefits include:
 - (a) short-term employee benefits, such as the following, if expected to be settled wholly before twelve months after the end of the annual reporting period in which the employees render the related services:
 - (i) wages, salaries and social security contributions;
 - (ii) paid annual leave and paid sick leave;
 - (iii) profit-sharing and bonuses; and
 - (iv) non-monetary benefits (such as medical care, housing, cars and free or subsidised goods or services) for current employees;
 - (b) post-employment benefits, such as the following:
 - (i) retirement benefits (eg pensions and lump sum payments on retirement); and
 - (ii) other post-employment benefits, such as post-employment life insurance and post-employment medical care;
 - (c) other long-term employee benefits, such as the following:
 - (i) long-term paid absences such as long-service leave or sabbatical leave;
 - (ii) jubilee or other long-service benefits; and
 - (iii) long-term disability benefits; and
 - (d) termination benefits.
6. Employee benefits include benefits provided either to employees or to their dependants or beneficiaries and may be settled by payments (or the provision of goods or services) made either directly to the employees, to their spouses, children or other dependants or to others, such as insurance companies.
7. An employee may provide services to an entity on a full-time, part-time, permanent, casual or temporary basis. For the purpose of this Standard, employees include directors and other management personnel.

Definitions

8. **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

Definitions of employee benefits

Employee benefits are all forms of consideration given by an entity in exchange for service rendered by employees or for the termination of employment.

Short-term employee benefits are employee benefits (other than termination benefits) that are expected to be settled wholly before twelve months after the end of the annual reporting period in which the employees render the related service.

Post-employment benefits are employee benefits (other than termination benefits and short-term employee benefits) that are payable after the completion of employment.

Other long-term employee benefits are all employee benefits other than short-term employee benefits, post-employment benefits and termination benefits.

Termination benefits are employee benefits provided in exchange for the termination of an employee's employment as a result of either:

- (a) an entity's decision to terminate an employee's employment before the normal retirement date; or
- (b) an employee's decision to accept an offer of benefits in exchange for the termination of employment.

Definitions relating to classification of plans

Post-employment benefit plans are formal or informal arrangements under which an entity provides post-employment benefits for one or more employees.

Defined contribution plans are post-employment benefit plans under which an entity pays fixed contributions into a separate entity (a fund) and will have no legal or constructive obligation to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employee benefits relating to employee service in the current and prior periods.

Defined benefit plans are post-employment benefit plans other than defined contribution plans.

Multi-employer plans are defined contribution plans (other than state plans) or defined benefit plans (other than state plans) that:

- (a) pool the assets contributed by various entities that are not under common control; and
- (b) use those assets to provide benefits to employees of more than one entity, on the basis that contribution and benefit levels are determined without regard to the identity of the entity that employs the employees.

Definitions relating to the net defined benefit liability (asset)

The **net defined benefit liability (asset)** is the deficit or surplus, adjusted for any effect of limiting a net defined benefit asset to the asset ceiling.

The **deficit or surplus** is:

- (a) the present value of the defined benefit obligation less
- (b) the fair value of plan assets (if any).

The **asset ceiling** is the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan.

The **present value of a defined benefit obligation** is the present value, without deducting any plan assets, of expected future payments required to settle the obligation resulting from employee service in the current and prior periods.

Plan assets comprise:

- (a) assets held by a long-term employee benefit fund; and
- (b) qualifying insurance policies.

Assets held by a long-term employee benefit fund are assets (other than non-transferable financial instruments issued by the reporting entity) that:

- (a) are held by an entity (a fund) that is legally separate from the reporting entity and exists solely to pay or fund employee benefits; and
- (b) are available to be used only to pay or fund employee benefits, are not available to the reporting entity's own creditors (even in bankruptcy), and cannot be returned to the reporting entity, unless either:
 - (i) the remaining assets of the fund are sufficient to meet all the related employee benefit obligations of the plan or the reporting entity; or
 - (ii) the assets are returned to the reporting entity to reimburse it for employee benefits already paid.

A **qualifying insurance policy**⁸ is an insurance policy issued by an insurer that is not a related party (as defined in Ind AS 24, *Related Party Disclosures*) of the reporting entity, if the proceeds of the policy:

⁸ A qualifying insurance policy is not necessarily an insurance contract, as defined in Ind AS 104, *Insurance Contracts*.

- (a) can be used only to pay or fund employee benefits under a defined benefit plan; and
- (b) are not available to the reporting entity's own creditors (even in bankruptcy) and cannot be paid to the reporting entity, unless either:
 - i. the proceeds represent surplus assets that are not needed for the policy to meet all the related employee benefit obligations; or
 - ii. the proceeds are returned to the reporting entity to reimburse it for employee benefits already paid.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113, *Fair Value Measurement*.)

Definitions relating to defined benefit cost

Service cost comprises:

- (a) *current service cost*, which is the increase in the present value of the defined benefit obligation resulting from employee service in the current period;
- (b) *past service cost*, which is the change in the present value of the defined benefit obligation for employee service in prior periods, resulting from a plan amendment (the introduction or withdrawal of, or changes to, a defined benefit plan) or a curtailment (a significant reduction by the entity in the number of employees covered by a plan); and
- (c) any gain or loss on settlement.

Net interest on the net defined benefit liability (asset) is the change during the period in the net defined benefit liability (asset) that arises from the passage of time.

Remeasurements of the net defined benefit liability (asset) comprise:

- (a) actuarial gains and losses;
- (b) the return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and
- (c) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).

Actuarial gains and losses are changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from:

- (a) experience adjustments (the effects of differences between the previous actuarial assumptions and what has actually occurred); and
- (b) the effects of changes in actuarial assumptions.

The *return on plan assets* is interest, dividends and other income derived from the plan assets, together with realised and unrealised gains or losses on the plan assets, less:

- (a) any costs of managing plan assets; and
- (b) any tax payable by the plan itself, other than tax included in the actuarial assumptions used to measure the present value of the defined benefit obligation.

A *settlement* is a transaction that eliminates all further legal or constructive obligations for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan, other than a payment of benefits to, or on behalf of, employees that is set out in the terms of the plan and included in the actuarial assumptions.

Short-term employee benefits

9. Short-term employee benefits include items such as the following, if expected to be settled wholly before twelve months after the end of the annual reporting period in which the employees render the related services:
 - (a) wages, salaries and social security contributions;
 - (b) paid annual leave and paid sick leave;
 - (c) profit-sharing and bonuses; and
 - (d) non-monetary benefits (such as medical care, housing, cars and free or subsidised goods or services) for current employees.

10. An entity need not reclassify a short-term employee benefit if the entity's expectations of the timing of settlement change temporarily. However, if the characteristics of the benefit change (such as a change from a non-accumulating benefit to an accumulating benefit) or if a change in expectations of the timing of settlement is not temporary, then the entity considers whether the benefit still meets the definition of short-term employee benefits.

Recognition and measurement

All short-term employee benefits

11. **When an employee has rendered service to an entity during an accounting period, the entity shall recognise the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service:**
- (a) as a liability (accrued expense), after deducting any amount already paid. If the amount already paid exceeds the undiscounted amount of the benefits, an entity shall recognise that excess as an asset (prepaid expense) to the extent that the prepayment will lead to, for example, a reduction in future payments or a cash refund.
 - (b) as an expense, unless another Ind AS requires or permits the inclusion of the benefits in the cost of an asset (see, for example, Ind AS 2, *Inventories*, and Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*).
12. **Paragraphs 13, 16 and 19 explain how an entity shall apply paragraph 11 to short-term employee benefits in the form of paid absences and profit-sharing and bonus plans.**

Short-term paid absences

13. **An entity shall recognise the expected cost of short-term employee benefits in the form of paid absences under paragraph 11 as follows:**
- (a) in the case of accumulating paid absences, when the employees render service that increases their entitlement to future paid absences.
 - (b) in the case of non-accumulating paid absences, when the absences occur.
14. An entity may pay employees for absence for various reasons including holidays, sickness and short-term disability, maternity or paternity, jury service and military service. Entitlement to paid absences falls into two categories:
- (a) accumulating; and
 - (b) non-accumulating.
15. Accumulating paid absences are those that are carried forward and can be used in future periods if the current period's entitlement is not used in full. Accumulating paid absences may be either vesting (in other words, employees are entitled to a cash payment for unused entitlement on leaving the entity) or non-vesting (when employees are not entitled to a cash payment for unused entitlement on leaving). An obligation arises as employees render service that increases their entitlement to future paid absences. The obligation exists, and is recognised, even if the paid absences are non-vesting, although the possibility that employees may leave before they use an accumulated non-vesting entitlement affects the measurement of that obligation.
16. **An entity shall measure the expected cost of accumulating paid absences as the additional amount that the entity expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the end of the reporting period.**
17. The method specified in the previous paragraph measures the obligation at the amount of the additional payments that are expected to arise solely from the fact that the benefit accumulates. In many cases, an entity may not need to make detailed computations to estimate that there is no material obligation for unused paid absences. For example, a sick leave obligation is likely to be material only if there is a formal or informal understanding that unused paid sick leave may be taken as paid annual leave.

Example illustrating paragraphs 16 and 17

An entity has 100 employees, who are each entitled to five working days of paid sick leave for each year. Unused sick leave may be carried forward for one calendar year. Sick leave is taken first out of the current year's entitlement and then out of any balance brought forward from the previous year (a LIFO basis). At 31 December 20X1 the average unused entitlement is two days per employee. The entity expects, on the basis of experience that is expected to continue, that 92 employees will take no more than five days of paid sick leave in 20X2 and that the remaining eight employees will take an average of six and a half days each.

The entity expects that it will pay an additional twelve days of sick pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at 31 December 20X1 (one and a half days each, for eight employees). Therefore, the entity recognises a liability equal to twelve days of sick pay.

18. Non-accumulating paid absences do not carry forward: they lapse if the current period's entitlement is not used in full and do not entitle employees to a cash payment for unused entitlement on leaving the entity. This is commonly the case for sick pay (to the extent that unused past entitlement does not increase future entitlement), maternity or paternity leave and paid absences for jury service or military service. An entity recognises no liability or expense until the time of the absence, because employee service does not increase the amount of the benefit.

Profit-sharing and bonus plans

19. **An entity shall recognise the expected cost of profit-sharing and bonus payments under paragraph 11 when, and only when:**
 - (a) **the entity has a present legal or constructive obligation to make such payments as a result of past events; and**
 - (b) **a reliable estimate of the obligation can be made.**

A present obligation exists when, and only when, the entity has no realistic alternative but to make the payments.

20. Under some profit-sharing plans, employees receive a share of the profit only if they remain with the entity for a specified period. Such plans create a constructive obligation as employees render service that increases the amount to be paid if they remain in service until the end of the specified period. The measurement of such constructive obligations reflects the possibility that some employees may leave without receiving profit-sharing payments.

Example illustrating paragraph 20

A profit-sharing plan requires an entity to pay a specified proportion of its profit for the year to employees who serve throughout the year. If no employees leave during the year, the total profit-sharing payments for the year will be 3 per cent of profit. The entity estimates that staff turnover will reduce the payments to 2.5 per cent of profit.

The entity recognises a liability and an expense of 2.5 per cent of profit.

21. An entity may have no legal obligation to pay a bonus. Nevertheless, in some cases, an entity has a practice of paying bonuses. In such cases, the entity has a constructive obligation because the entity has no realistic alternative but to pay the bonus. The measurement of the constructive obligation reflects the possibility that some employees may leave without receiving a bonus.
22. An entity can make a reliable estimate of its legal or constructive obligation under a profit-sharing or bonus plan when, and only when:
 - (a) the formal terms of the plan contain a formula for determining the amount of the benefit;
 - (b) the entity determines the amounts to be paid before the financial statements are approved for issue; or
 - (c) past practice gives clear evidence of the amount of the entity's constructive obligation.
23. An obligation under profit-sharing and bonus plans results from employee service and not from a transaction with the entity's owners. Therefore, an entity recognises the cost of profit-sharing and bonus plans not as a distribution of profit but as an expense.
24. If profit-sharing and bonus payments are not expected to be settled wholly before twelve months after the end of the annual reporting period in which the employees render the related service, those payments are other long-term employee benefits (see paragraphs 153–158).

Disclosure

25. Although this Standard does not require specific disclosures about short-term employee benefits, other Ind ASs may require disclosures. For example, Ind AS 24 requires disclosures about employee benefits for key management personnel. Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*, requires disclosure of employee benefits expense.

Post-employment benefits: distinction between defined contribution plans and defined benefit plans

26. Post-employment benefits include items such as the following:

- (a) retirement benefits (eg pensions and lump sum payments on retirement); and
- (b) other post-employment benefits, such as post-employment life insurance and post-employment medical care.

Arrangements whereby an entity provides post-employment benefits are post-employment benefit plans. An entity applies this Standard to all such arrangements whether or not they involve the establishment of a separate entity to receive contributions and to pay benefits.

27. Post-employment benefit plans are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions.

28. Under defined contribution plans the entity's legal or constructive obligation is limited to the amount that it agrees to contribute to the fund. Thus, the amount of the post-employment benefits received by the employee is determined by the amount of contributions paid by an entity (and perhaps also the employee) to a post-employment benefit plan or to an insurance company, together with investment returns arising from the contributions. In consequence, actuarial risk (that benefits will be less than expected) and investment risk (that assets invested will be insufficient to meet expected benefits) fall, in substance, on the employee.

29. Examples of cases where an entity's obligation is not limited to the amount that it agrees to contribute to the fund are when the entity has a legal or constructive obligation through:

- (a) a plan benefit formula that is not linked solely to the amount of contributions and requires the entity to provide further contributions if assets are insufficient to meet the benefits in the plan benefit formula;
- (b) a guarantee, either indirectly through a plan or directly, of a specified return on contributions; or
- (c) those informal practices that give rise to a constructive obligation. For example, a constructive obligation may arise where an entity has a history of increasing benefits for former employees to keep pace with inflation even where there is no legal obligation to do so.

30. Under defined benefit plans:

- (a) the entity's obligation is to provide the agreed benefits to current and former employees; and
- (b) actuarial risk (that benefits will cost more than expected) and investment risk fall, in substance, on the entity. If actuarial or investment experience are worse than expected, the entity's obligation may be increased.

31. Paragraphs 32–49 explain the distinction between defined contribution plans and defined benefit plans in the context of multi-employer plans, defined benefit plans that share risks between entities under common control, state plans and insured benefits.

Multi-employer plans

32. **An entity shall classify a multi-employer plan as a defined contribution plan or a defined benefit plan under the terms of the plan (including any constructive obligation that goes beyond the formal terms).**

33. **If an entity participates in a multi-employer defined benefit plan, unless paragraph 34 applies, it shall:**

- (a) **account for its proportionate share of the defined benefit obligation, plan assets and cost associated with the plan in the same way as for any other defined benefit plan; and**
- (b) **disclose the information required by paragraphs 135–148 (excluding paragraph 148(d)).**

34. **When sufficient information is not available to use defined benefit accounting for a multi-employer defined benefit plan, an entity shall:**

- (a) **account for the plan in accordance with paragraphs 51 and 52 as if it were a defined contribution plan; and**
- (b) **disclose the information required by paragraph 148.**

35. One example of a multi-employer defined benefit plan is one where:

- (a) the plan is financed on a pay-as-you-go basis: contributions are set at a level that is expected to be sufficient to pay the benefits falling due in the same period; and future benefits earned during the current period will be paid out of future contributions; and

- (b) employees' benefits are determined by the length of their service and the participating entities have no realistic means of withdrawing from the plan without paying a contribution for the benefits earned by employees up to the date of withdrawal. Such a plan creates actuarial risk for the entity: if the ultimate cost of benefits already earned at the end of the reporting period is more than expected, the entity will have either to increase its contributions or to persuade employees to accept a reduction in benefits. Therefore, such a plan is a defined benefit plan.
36. Where sufficient information is available about a multi-employer defined benefit plan, an entity accounts for its proportionate share of the defined benefit obligation, plan assets and post-employment cost associated with the plan in the same way as for any other defined benefit plan. However, an entity may not be able to identify its share of the underlying financial position and performance of the plan with sufficient reliability for accounting purposes. This may occur if:
- (a) the plan exposes the participating entities to actuarial risks associated with the current and former employees of other entities, with the result that there is no consistent and reliable basis for allocating the obligation, plan assets and cost to individual entities participating in the plan; or
- (b) the entity does not have access to sufficient information about the plan to satisfy the requirements of this Standard.
- In those cases, an entity accounts for the plan as if it were a defined contribution plan and discloses the information required by paragraph 148.
37. There may be a contractual agreement between the multi-employer plan and its participants that determines how the surplus in the plan will be distributed to the participants (or the deficit funded). A participant in a multi-employer plan with such an agreement that accounts for the plan as a defined contribution plan in accordance with paragraph 34 shall recognise the asset or liability that arises from the contractual agreement and the resulting income or expense in profit or loss.

Example illustrating paragraph 37

An entity participates in a multi-employer defined benefit plan that does not prepare plan valuations on an Ind AS 19 basis. It therefore accounts for the plan as if it were a defined contribution plan. A non-Ind AS 19 funding valuation shows a deficit of Rs.100 million in the plan. The plan has agreed under contract a schedule of contributions with the participating employers in the plan that will eliminate the deficit over the next five years. The entity's total contributions under the contract are Rs.8 million.

The entity recognises a liability for the contributions adjusted for the time value of money and an equal expense in profit or loss.

38. Multi-employer plans are distinct from group administration plans. A group administration plan is merely an aggregation of single employer plans combined to allow participating employers to pool their assets for investment purposes and reduce investment management and administration costs, but the claims of different employers are segregated for the sole benefit of their own employees. Group administration plans pose no particular accounting problems because information is readily available to treat them in the same way as any other single employer plan and because such plans do not expose the participating entities to actuarial risks associated with the current and former employees of other entities. The definitions in this Standard require an entity to classify a group administration plan as a defined contribution plan or a defined benefit plan in accordance with the terms of the plan (including any constructive obligation that goes beyond the formal terms).
- *
39. **In determining when to recognise, and how to measure, a liability relating to the wind-up of a multi-employer defined benefit plan, or the entity's withdrawal from a multi-employer defined benefit plan, an entity shall apply Ind AS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.**
- Defined benefit plans that share risks between entities under common control**
40. Defined benefit plans that share risks between entities under common control, for example, a parent and its subsidiaries, are not multi-employer plans.
41. An entity participating in such a plan shall obtain information about the plan as a whole measured in accordance with this Standard on the basis of assumptions that apply to the plan as a whole. If there is a contractual agreement or stated policy for charging to individual group entities the net defined benefit cost for the plan as a whole measured in accordance with this Standard, the entity shall, in its separate or individual financial statements, recognise the net defined benefit cost so charged. If there is no such agreement or policy, the net defined benefit cost shall be recognised in the separate or individual financial statements of the group entity that is legally the sponsoring employer for the plan. The other group entities shall, in their separate or individual financial statements, recognise a cost equal to their contribution payable for the period.

42. Participation in such a plan is a related party transaction for each individual group entity. An entity shall therefore, in its separate or individual financial statements, disclose the information required by paragraph 149.

State plans

43. **An entity shall account for a state plan in the same way as for a multi-employer plan (see paragraphs 32–39).**
44. State plans are established by legislation to cover all entities (or all entities in a particular category, for example, a specific industry) and are operated by national or local government or by another body (for example, an autonomous agency created specifically for this purpose) that is not subject to control or influence by the reporting entity. Some plans established by an entity provide both compulsory benefits, as a substitute for benefits that would otherwise be covered under a state plan, and additional voluntary benefits. Such plans are not state plans.
45. State plans are characterised as defined benefit or defined contribution, depending on the entity's obligation under the plan. Many state plans are funded on a pay-as-you-go basis: contributions are set at a level that is expected to be sufficient to pay the required benefits falling due in the same period; future benefits earned during the current period will be paid out of future contributions. Nevertheless, in most state plans the entity has no legal or constructive obligation to pay those future benefits: its only obligation is to pay the contributions as they fall due and if the entity ceases to employ members of the state plan, it will have no obligation to pay the benefits earned by its own employees in previous years. For this reason, state plans are normally defined contribution plans. However, when a state plan is a defined benefit plan an entity applies paragraphs 32–39.

Insured benefits

46. **An entity may pay insurance premiums to fund a post-employment benefit plan. The entity shall treat such a plan as a defined contribution plan unless the entity will have (either directly, or indirectly through the plan) a legal or constructive obligation either:**
- (a) **to pay the employee benefits directly when they fall due; or**
 - (b) **to pay further amounts if the insurer does not pay all future employee benefits relating to employee service in the current and prior periods.**

If the entity retains such a legal or constructive obligation, the entity shall treat the plan as a defined benefit plan.

47. The benefits insured by an insurance policy need not have a direct or automatic relationship with the entity's obligation for employee benefits. Post-employment benefit plans involving insurance policies are subject to the same distinction between accounting and funding as other funded plans.
48. Where an entity funds a post-employment benefit obligation by contributing to an insurance policy under which the entity (either directly, indirectly through the plan, through the mechanism for setting future premiums or through a related party relationship with the insurer) retains a legal or constructive obligation, the payment of the premiums does not amount to a defined contribution arrangement. It follows that the entity:
- (a) accounts for a qualifying insurance policy as a plan asset (see paragraph 8); and
 - (b) recognises other insurance policies as reimbursement rights (if the policies satisfy the criterion in paragraph 116).
49. Where an insurance policy is in the name of a specified plan participant or a group of plan participants and the entity does not have any legal or constructive obligation to cover any loss on the policy, the entity has no obligation to pay benefits to the employees and the insurer has sole responsibility for paying the benefits. The payment of fixed premiums under such contracts is, in substance, the settlement of the employee benefit obligation, rather than an investment to meet the obligation. Consequently, the entity no longer has an asset or a liability. Therefore, an entity treats such payments as contributions to a defined contribution plan.

Post-employment benefits: defined contribution plans

50. Accounting for defined contribution plans is straightforward because the reporting entity's obligation for each period is determined by the amounts to be contributed for that period. Consequently, no actuarial assumptions are required to measure the obligation or the expense and there is no possibility of any actuarial gain or loss. Moreover, the obligations are measured on an undiscounted basis, except where they are not expected to be settled wholly before twelve months after the end of the annual reporting period in which the employees render the related service.

Recognition and measurement

51. When an employee has rendered service to an entity during a period, the entity shall recognise the contribution payable to a defined contribution plan in exchange for that service:
- as a liability (accrued expense), after deducting any contribution already paid. If the contribution already paid exceeds the contribution due for service before the end of the reporting period, an entity shall recognise that excess as an asset (prepaid expense) to the extent that the prepayment will lead to, for example, a reduction in future payments or a cash refund.
 - as an expense, unless another Ind AS requires or permits the inclusion of the contribution in the cost of an asset (see, for example, Ind AS 2 and Ind AS 16).
52. When contributions to a defined contribution plan are not expected to be settled wholly before twelve months after the end of the annual reporting period in which the employees render the related service, they shall be discounted using the discount rate specified in paragraph 83.

Disclosure

53. An entity shall disclose the amount recognised as an expense for defined contribution plans.
54. Where required by Ind AS 24 an entity discloses information about contributions to defined contribution plans for key management personnel.

Post-employment benefits: defined benefit plans

55. Accounting for defined benefit plans is complex because actuarial assumptions are required to measure the obligation and the expense and there is a possibility of actuarial gains and losses. Moreover, the obligations are measured on a discounted basis because they may be settled many years after the employees render the related service.

Recognition and measurement

56. Defined benefit plans may be unfunded, or they may be wholly or partly funded by contributions by an entity, and sometimes its employees, into an entity, or fund, that is legally separate from the reporting entity and from which the employee benefits are paid. The payment of funded benefits when they fall due depends not only on the financial position and the investment performance of the fund but also on an entity's ability, and willingness, to make good any shortfall in the fund's assets. Therefore, the entity is, in substance, underwriting the actuarial and investment risks associated with the plan. Consequently, the expense recognised for a defined benefit plan is not necessarily the amount of the contribution due for the period.
57. Accounting by an entity for defined benefit plans involves the following steps:
- determining the deficit or surplus. This involves:
 - using an actuarial technique, the projected unit credit method, to make a reliable estimate of the ultimate cost to the entity of the benefit that employees have earned in return for their service in the current and prior periods (see paragraphs 67–69). This requires an entity to determine how much benefit is attributable to the current and prior periods (see paragraphs 70–74) and to make estimates (actuarial assumptions) about demographic variables (such as employee turnover and mortality) and financial variables (such as future increases in salaries and medical costs) that will affect the cost of the benefit (see paragraphs 75–98).
 - discounting that benefit in order to determine the present value of the defined benefit obligation and the current service cost (see paragraphs 67–69 and 83–86).
 - deducting the fair value of any plan assets (see paragraphs 113–115) from the present value of the defined benefit obligation.
 - determining the amount of the net defined benefit liability (asset) as the amount of the deficit or surplus determined in (a), adjusted for any effect of limiting a net defined benefit asset to the asset ceiling (see paragraph 64).
 - determining amounts to be recognised in profit or loss:
 - current service cost (see paragraphs 70–74).
 - any past service cost and gain or loss on settlement (see paragraphs 99–112).
 - net interest on the net defined benefit liability (asset) (see paragraphs 123–126).

- (d) determining the remeasurements of the net defined benefit liability (asset), to be recognised in other comprehensive income, comprising:
- (i) actuarial gains and losses (see paragraphs 128 and 129);
 - (ii) return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset) (see paragraph 130); and
 - (iii) any change in the effect of the asset ceiling (see paragraph 64), excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).

Where an entity has more than one defined benefit plan, the entity applies these procedures for each material plan separately.

58. **An entity shall determine the net defined benefit liability (asset) with sufficient regularity that the amounts recognised in the financial statements do not differ materially from the amounts that would be determined at the end of the reporting period.**
59. This Standard encourages, but does not require, an entity to involve a qualified actuary in the measurement of all material post-employment benefit obligations. For practical reasons, an entity may request a qualified actuary to carry out a detailed valuation of the obligation before the end of the reporting period. Nevertheless, the results of that valuation are updated for any material transactions and other material changes in circumstances (including changes in market prices and interest rates) up to the end of the reporting period.
60. In some cases, estimates, averages and computational short cuts may provide a reliable approximation of the detailed computations illustrated in this Standard.

Accounting for the constructive obligation

61. **An entity shall account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices. Informal practices give rise to a constructive obligation where the entity has no realistic alternative but to pay employee benefits. An example of a constructive obligation is where a change in the entity's informal practices would cause unacceptable damage to its relationship with employees.**
62. The formal terms of a defined benefit plan may permit an entity to terminate its obligation under the plan. Nevertheless, it is usually difficult for an entity to terminate its obligation under a plan (without payment) if employees are to be retained. Therefore, in the absence of evidence to the contrary, accounting for post-employment benefits assumes that an entity that is currently promising such benefits will continue to do so over the remaining working lives of employees.

Balance Sheet

63. **An entity shall recognise the net defined benefit liability (asset) in the balance sheet.**
64. **When an entity has a surplus in a defined benefit plan, it shall measure the net defined benefit asset at the lower of:**
- (a) **the surplus in the defined benefit plan; and**
 - (b) **the asset ceiling, determined using the discount rate specified in paragraph 83.**
65. A net defined benefit asset may arise where a defined benefit plan has been overfunded or where actuarial gains have arisen. An entity recognises a net defined benefit asset in such cases because:
- (a) the entity controls a resource, which is the ability to use the surplus to generate future benefits;
 - (b) that control is a result of past events (contributions paid by the entity and service rendered by the employee); and
 - (c) future economic benefits are available to the entity in the form of a reduction in future contributions or a cash refund, either directly to the entity or indirectly to another plan in deficit. The asset ceiling is the present value of those future benefits.

Recognition and measurement: present value of defined benefit obligations and current service cost

66. The ultimate cost of a defined benefit plan may be influenced by many variables, such as final salaries, employee turnover and mortality, employee contributions and medical cost trends. The ultimate cost of the plan is uncertain and this uncertainty is likely to persist over a long period of time. In order to measure the present value of the post-employment benefit obligations and the related current service cost, it is necessary:
- (a) to apply an actuarial valuation method (see paragraphs 67–69);

- (b) to attribute benefit to periods of service (see paragraphs 70–74); and
 (c) to make actuarial assumptions (see paragraphs 75–98).

Actuarial valuation method

67. An entity shall use the projected unit credit method to determine the present value of its defined benefit obligations and the related current service cost and, where applicable, past service cost.
68. The projected unit credit method (sometimes known as the accrued benefit method pro-rated on service or as the benefit/years of service method) sees each period of service as giving rise to an additional unit of benefit entitlement (see paragraphs 70–74) and measures each unit separately to build up the final obligation (see paragraphs 75–98).

Example illustrating paragraph 68					
A lump sum benefit is payable on termination of service and equal to 1 per cent of final salary for each year of service. The salary in year 1 is Rs.10,000 and is assumed to increase at 7 per cent (compound) each year. The discount rate used is 10 per cent per year. The following table shows how the obligation builds up for an employee who is expected to leave at the end of year 5, assuming that there are no changes in actuarial assumptions. For simplicity, this example ignores the additional adjustment needed to reflect the probability that the employee may leave the entity at an earlier or later date.					
<i>Year</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<i>Rs.</i>	<i>Rs.</i>	<i>Rs.</i>	<i>Rs.</i>	<i>Rs.</i>
<i>Benefit attributed to:</i>					
– prior years	0	131	262	393	524
– current year (1% of final salary)	<u>131</u>	<u>131</u>	<u>131</u>	<u>131</u>	<u>131</u>
– current and prior years	<u>131</u>	<u>262</u>	<u>393</u>	<u>524</u>	<u>655</u>
Opening Obligation	–	89	196	324	476
Interest at 10%	–	9	20	33	48
Current service cost	89	98	108	119	131
Closing Obligation	<u>89</u>	<u>196</u>	<u>324</u>	<u>476</u>	<u>655</u>
<i>Note:</i>					
1. The opening obligation is the present value of the benefit attributed to prior years.					
2. The current service cost is the present value of the benefit attributed to the current year.					
3. The closing obligation is the present value of the benefit attributed to current and prior years.					

69. An entity discounts the whole of a post-employment benefit obligation, even if part of the obligation is expected to be settled before twelve months after the reporting period.

Attributing benefit to periods of service

70. In determining the present value of its defined benefit obligations and the related current service cost and, where applicable, past service cost, an entity shall attribute benefit to periods of service under the plan's benefit formula. However, if an employee's service in later years will lead to a materially higher level of benefit than in earlier years, an entity shall attribute benefit on a straight-line basis from:
- (a) the date when service by the employee first leads to benefits under the plan (whether or not the benefits are conditional on further service) until
- (b) the date when further service by the employee will lead to no material amount of further benefits under the plan, other than from further salary increases.

71. The projected unit credit method requires an entity to attribute benefit to the current period (in order to determine current service cost) and the current and prior periods (in order to determine the present value of defined benefit obligations). An entity attributes benefit to periods in which the obligation to provide post-employment benefits arises. That obligation arises as employees render services in return for post-employment benefits that an entity expects to pay in future reporting periods. Actuarial techniques allow an entity to measure that obligation with sufficient reliability to justify recognition of a liability.

Examples illustrating paragraph 71

1. A defined benefit plan provides a lump sum benefit of Rs.100 payable on retirement for each year of service.

A benefit of Rs.100 is attributed to each year. The current service cost is the present value of Rs.100. The present value of the defined benefit obligation is the present value of Rs.100, multiplied by the number of years of service up to the end of the reporting period.

If the benefit is payable immediately when the employee leaves the entity, the current service cost and the present value of the defined benefit obligation reflect the date at which the employee is expected to leave. Thus, because of the effect of discounting, they are less than the amounts that would be determined if the employee left at the end of the reporting period.

2. A plan provides a monthly pension of 0.2 per cent of final salary for each year of service. The pension is payable from the age of 65.

Benefit equal to the present value, at the expected retirement date, of a monthly pension of 0.2 per cent of the estimated final salary payable from the expected retirement date until the expected date of death is attributed to each year of service. The current service cost is the present value of that benefit. The present value of the defined benefit obligation is the present value of monthly pension payments of 0.2 per cent of final salary, multiplied by the number of years of service up to the end of the reporting period. The current service cost and the present value of the defined benefit obligation are discounted because pension payments begin at the age of 65.

72. Employee service gives rise to an obligation under a defined benefit plan even if the benefits are conditional on future employment (in other words they are not vested). Employee service before the vesting date gives rise to a constructive obligation because, at the end of each successive reporting period, the amount of future service that an employee will have to render before becoming entitled to the benefit is reduced. In measuring its defined benefit obligation, an entity considers the probability that some employees may not satisfy any vesting requirements. Similarly, although some post-employment benefits, for example, post-employment medical benefits, become payable only if a specified event occurs when an employee is no longer employed, an obligation is created when the employee renders service that will provide entitlement to the benefit if the specified event occurs. The probability that the specified event will occur affects the measurement of the obligation, but does not determine whether the obligation exists.

Examples illustrating paragraph 72

1. A plan pays a benefit of Rs.100 for each year of service. The benefits vest after ten years of service.

A benefit of Rs.100 is attributed to each year. In each of the first ten years, the current service cost and the present value of the obligation reflect the probability that the employee may not complete ten years of service.

2. A plan pays a benefit of Rs.100 for each year of service, excluding service before the age of 25. The benefits vest immediately.

No benefit is attributed to service before the age of 25 because service before that date does not lead to benefits (conditional or unconditional). A benefit of Rs.100 is attributed to each subsequent year.

73. The obligation increases until the date when further service by the employee will lead to no material amount of further benefits. Therefore, all benefit is attributed to periods ending on or before that date. Benefit is attributed to individual accounting periods under the plan's benefit formula. However, if an employee's service in later years will lead to a materially higher level of benefit than in earlier years, an entity attributes benefit on a straight-line basis until the date when further service by the employee will lead to no material amount of further benefits. That is because the employee's service throughout the entire period will ultimately lead to benefit at that higher level.

Examples illustrating paragraph 73

1. A plan pays a lump sum benefit of Rs.1,000 that vests after ten years of service. The plan provides no further benefit for subsequent service.

A benefit of Rs.100 (Rs.1,000 divided by ten) is attributed to each of the first ten years.

The current service cost in each of the first ten years reflects the probability that the employee may not complete ten years of service. No benefit is attributed to subsequent years.

2. A plan pays a lump sum retirement benefit of Rs. 2,000 to all employees who are still employed at the age of 55 after twenty years of service, or who are still employed at the age of 65, regardless of their length of service.

For employees who join before the age of 35, service first leads to benefits under the plan at the age of 35 (an employee could leave at the age of 30 and return at the age of 33, with no effect on the amount or timing of benefits). Those benefits are conditional on further service. Also, service beyond the age of 55 will lead to no material amount of further benefits. For these employees, the entity attributes benefit of Rs.100 (Rs.2,000 divided by twenty) to each year from the age of 35 to the age of 55.

For employees who join between the ages of 35 and 45, service beyond twenty years will lead to no material amount of further benefits. For these employees, the entity attributes benefit of 100 (2,000 divided by twenty) to each of the first twenty years.

For an employee who joins at the age of 55, service beyond ten years will lead to no material amount of further benefits. For this employee, the entity attributes benefit of Rs.200 (Rs.2,000 divided by ten) to each of the first ten years.

For all employees, the current service cost and the present value of the obligation reflect the probability that the employee may not complete the necessary period of service.

3. A post-employment medical plan reimburses 40 per cent of an employee's post-employment medical costs if the employee leaves after more than ten and less than twenty years of service and 50 per cent of those costs if the employee leaves after twenty or more years of service.

Under the plan's benefit formula, the entity attributes 4 per cent of the present value of the expected medical costs (40 per cent divided by ten) to each of the first ten years and 1 per cent (10 per cent divided by ten) to each of the second ten years. The current service cost in each year reflects the probability that the employee may not complete the necessary period of service to earn part or all of the benefits. For employees expected to leave within ten years, no benefit is attributed.

4. A post-employment medical plan reimburses 10 per cent of an employee's post-employment medical costs if the employee leaves after more than ten and less than twenty years of service and 50 per cent of those costs if the employee leaves after twenty or more years of service.

Service in later years will lead to a materially higher level of benefit than in earlier years. Therefore, for employees expected to leave after twenty or more years, the entity attributes benefit on a straight-line basis under paragraph 71. Service beyond twenty years will lead to no material amount of further benefits. Therefore, the benefit attributed to each of the first twenty years is 2.5 per cent of the present value of the expected medical costs (50 per cent divided by twenty).

For employees expected to leave between ten and twenty years, the benefit attributed to each of the first ten years is 1 per cent of the present value of the expected medical costs.

For these employees, no benefit is attributed to service between the end of the tenth year and the estimated date of leaving.

For employees expected to leave within ten years, no benefit is attributed.

5. An entity has 1,000 employees. As per the statutory requirements, gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than five years (a) on his superannuation, or (b) on his retirement or resignation, or (c) on his death or disablement due to accident or disease. The completion of continuous service of five years shall not be necessary where the termination of the employment of any employee is due to death or disablement. The amount payable is determined by a formula linked to number of years of service and last drawn salary. As per the law, the amount payable shall not exceed Rs.1,000,000.

The amount of gratuity attributed to each year of service will be calculated as follows:

Number of employees not likely to fulfil the eligibility criteria will be ignored.

Other employees will be grouped according to period of service they are expected to render taking into account mortality rate, disablement and resignation after 5 years. Gratuity payable will be calculated in accordance with the formula prescribed in the governing statute based on the period of service and the salary at the time of termination of employment, assuming promotion, salary increases etc.

For those employees for whom the amount payable as per the formula does not exceed Rs.1,000,000, over the expected period of service, the amount payable will be divided by the expected period of service and the resulting amount will be attributed to each year of the expected period of service, including the period before the stipulated period of 5 years.

In case of the remaining employees, the amount as per the formula exceeds Rs. 1,000,000 over the expected period of service of 10 years, and the amount of the statutory threshold of Rs. 1,000,000 is reached at the end of 8 years. Rs. 1,25,000 (Rs. 1,000,000 divided by 8) is attributed to each of the first 8 years. In this case, no benefit is attributed to subsequent two years. This is because service beyond 8 years will lead to no material amount of further benefits

74. Where the amount of a benefit is a constant proportion of final salary for each year of service, future salary increases will affect the amount required to settle the obligation that exists for service before the end of the reporting period, but do not create an additional obligation. Therefore:

- (a) for the purpose of paragraph 70(b), salary increases do not lead to further benefits, even though the amount of the benefits is dependent on final salary; and
- (b) the amount of benefit attributed to each period is a constant proportion of the salary to which the benefit is linked.

Example illustrating paragraph 74

Employees are entitled to a benefit of 3 per cent of final salary for each year of service before the age of 55.

Benefit of 3 per cent of estimated final salary is attributed to each year up to the age of 55. This is the date when further service by the employee will lead to no material amount of further benefits under the plan. No benefit is attributed to service after that age.

Actuarial assumptions

75. **Actuarial assumptions shall be unbiased and mutually compatible.**

76. Actuarial assumptions are an entity's best estimates of the variables that will determine the ultimate cost of providing post-employment benefits. Actuarial assumptions comprise:

- (a) demographic assumptions about the future characteristics of current and former employees (and their dependants) who are eligible for benefits. Demographic assumptions deal with matters such as:
 - (i) mortality (see paragraphs 81 and 82);
 - (ii) rates of employee turnover, disability and early retirement;
 - (iii) the proportion of plan members with dependants who will be eligible for benefits;
 - (iv) the proportion of plan members who will select each form of payment option available under the plan terms; and
 - (v) claim rates under medical plans.
- (b) financial assumptions, dealing with items such as:
 - (i) the discount rate (see paragraphs 83–86);
 - (ii) benefit levels, excluding any cost of the benefits to be met by employees, and future salary (see paragraphs 87–95);
 - (iii) in the case of medical benefits, future medical costs, including claim handling costs (ie the costs that will be incurred in processing and resolving claims, including legal and adjuster's fees) (see paragraphs 96–98); and
 - (iv) taxes payable by the plan on contributions relating to service before the reporting date or on benefits resulting from that service.

77. Actuarial assumptions are unbiased if they are neither imprudent nor excessively conservative.

78. Actuarial assumptions are mutually compatible if they reflect the economic relationships between factors such as inflation, rates of salary increase and discount rates. For example, all assumptions that depend on a particular

inflation level (such as assumptions about interest rates and salary and benefit increases) in any given future period assume the same inflation level in that period.

79. An entity determines the discount rate and other financial assumptions in nominal (stated) terms, unless estimates in real (inflation-adjusted) terms are more reliable, for example, in a hyperinflationary economy (see Ind AS 29, *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*), or where the benefit is index-linked and there is a deep market in index-linked bonds of the same currency and term.
80. **Financial assumptions shall be based on market expectations, at the end of the reporting period, for the period over which the obligations are to be settled.**

Actuarial assumptions: mortality

81. **An entity shall determine its mortality assumptions by reference to its best estimate of the mortality of plan members both during and after employment.**
82. In order to estimate the ultimate cost of the benefit an entity takes into consideration expected changes in mortality, for example by modifying standard mortality tables with estimates of mortality improvements.

Actuarial assumptions: discount rate

83. **The rate used to discount post-employment benefit obligations (both funded and unfunded) shall be determined by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds. However, subsidiaries, associates, joint ventures and branches domiciled outside India shall discount post-employment benefit obligations arising on account of post-employment benefit plans using the rate determined by reference to market yields at the end of the reporting period on high quality corporate bonds. In case, such subsidiaries, associates, joint ventures and branches are domiciled in countries where there is no deep market in such bonds, the market yields (at the end of the reporting period) on government bonds of that country shall be used. The currency and term of the government bonds or corporate bonds shall be consistent with the currency and estimated term of the post-employment benefit obligations.**
84. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money but not the actuarial or investment risk. Furthermore, the discount rate does not reflect the entity-specific credit risk borne by the entity's creditors, nor does it reflect the risk that future experience may differ from actuarial assumptions.
85. The discount rate reflects the estimated timing of benefit payments. In practice, an entity often achieves this by applying a single weighted average discount rate that reflects the estimated timing and amount of benefit payments and the currency in which the benefits are to be paid.
86. In some cases, there may be no deep market in government bonds with a sufficiently long maturity to match the estimated maturity of all the benefit payments. In such cases, an entity uses current market rates of the appropriate term to discount shorter-term payments, and estimates the discount rate for longer maturities by extrapolating current market rates along the yield curve. The total present value of a defined benefit obligation is unlikely to be particularly sensitive to the discount rate applied to the portion of benefits that is payable beyond the final maturity of the available government bonds.

Actuarial assumptions: salaries, benefits and medical costs

87. **An entity shall measure its defined benefit obligations on a basis that reflects:**
 - (a) **the benefits set out in the terms of the plan (or resulting from any constructive obligation that goes beyond those terms) at the end of the reporting period;**
 - (b) **any estimated future salary increases that affect the benefits payable;**
 - (c) **the effect of any limit on the employer's share of the cost of the future benefits;**
 - (d) **contributions from employees or third parties that reduce the ultimate cost to the entity of those benefits; and**
 - (e) **estimated future changes in the level of any state benefits that affect the benefits payable under a defined benefit plan, if, and only if, either:**
 - (i) **those changes were enacted before the end of the reporting period; or**
 - (ii) **historical data, or other reliable evidence, indicate that those state benefits will change in some predictable manner, for example, in line with future changes in general price levels or general salary levels.**

88. Actuarial assumptions reflect future benefit changes that are set out in the formal terms of a plan (or a constructive obligation that goes beyond those terms) at the end of the reporting period. This is the case if, for example:
- (a) the entity has a history of increasing benefits, for example, to mitigate the effects of inflation, and there is no indication that this practice will change in the future;
 - (b) the entity is obliged, by either the formal terms of a plan (or a constructive obligation that goes beyond those terms) or legislation, to use any surplus in the plan for the benefit of plan participants (see paragraph 108(c)); or
 - (c) benefits vary in response to a performance target or other criteria. For example, the terms of the plan may state that it will pay reduced benefits or require additional contributions from employees if the plan assets are insufficient. The measurement of the obligation reflects the best estimate of the effect of the performance target or other criteria.
89. Actuarial assumptions do not reflect future benefit changes that are not set out in the formal terms of the plan (or a constructive obligation) at the end of the reporting period. Such changes will result in:
- (a) past service cost, to the extent that they change benefits for service before the change; and
 - (b) current service cost for periods after the change, to the extent that they change benefits for service after the change.
90. Estimates of future salary increases take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.
91. Some defined benefit plans limit the contributions that an entity is required to pay. The ultimate cost of the benefits takes account of the effect of a limit on contributions. The effect of a limit on contributions is determined over the shorter of:
- (a) the estimated life of the entity; and
 - (b) the estimated life of the plan.
92. Some defined benefit plans require employees or third parties to contribute to the cost of the plan. Contributions by employees reduce the cost of the benefits to the entity. An entity considers whether third-party contributions reduce the cost of the benefits to the entity, or are a reimbursement right as described in paragraph 116. Contributions by employees or third parties are either set out in the formal terms of the plan (or arise from a constructive obligation that goes beyond those terms), or are discretionary. Discretionary contributions by employees or third parties reduce service cost upon payment of these contributions to the plan.
93. Contributions from employees or third parties set out in the formal terms of the plan either reduce service cost (if they are linked to service), or affect remeasurements of the net defined benefit liability (asset) (if they are not linked to service). An example of contributions that are not linked to service is when the contributions are required to reduce a deficit arising from losses on plan assets or from actuarial losses. If contributions from employees or third parties are linked to service, those contributions reduce the service cost as follows:
- (a) if the amount of the contributions is dependent on the number of years of service, an entity shall attribute the contributions to periods of service using the same attribution method required by paragraph 70 for the gross benefit (i.e. either using the plan's contribution formula or on a straight-line basis); or
 - (b) if the amount of the contributions is independent of the number of years of service, the entity is permitted to recognise such contributions as a reduction of the service cost in the period in which the related service is rendered. Examples of contributions that are independent of the number of years of service include those that are a fixed percentage of the employee's salary, a fixed amount throughout the service period or dependent on the employee's age.

Appendix A provides related application guidance.

94. For contributions from employees or third parties that are attributed to periods of service in accordance with paragraph 93(a), changes in the contributions result in:
- (a) current and past service cost (if those changes are not set out in the formal terms of a plan and do not arise from a constructive obligation); or
 - (b) actuarial gains and losses (if those changes are set out in the formal terms of a plan, or arise from a constructive obligation).

95. Some post-employment benefits are linked to variables such as the level of state retirement benefits or state medical care. The measurement of such benefits reflects the best estimate of such variables, based on historical data and other reliable evidence.
96. **Assumptions about medical costs shall take account of estimated future changes in the cost of medical services, resulting from both inflation and specific changes in medical costs.**
97. Measurement of post-employment medical benefits requires assumptions about the level and frequency of future claims and the cost of meeting those claims. An entity estimates future medical costs on the basis of historical data about the entity's own experience, supplemented where necessary by historical data from other entities, insurance companies, medical providers or other sources. Estimates of future medical costs consider the effect of technological advances, changes in health care utilisation or delivery patterns and changes in the health status of plan participants.
98. The level and frequency of claims is particularly sensitive to the age, health status and sex of employees (and their dependants) and may be sensitive to other factors such as geographical location. Therefore, historical data are adjusted to the extent that the demographic mix of the population differs from that of the population used as a basis for the data. They are also adjusted where there is reliable evidence that historical trends will not continue.

Past service cost and gains and losses on settlement

99. **Before determining past service cost, or a gain or loss on settlement, an entity shall remeasure the net defined benefit liability (asset) using the current fair value of plan assets and current actuarial assumptions (including current market interest rates and other current market prices) reflecting the benefits offered under the plan before the plan amendment, curtailment or settlement.**
100. An entity need not distinguish between past service cost resulting from a plan amendment, past service cost resulting from a curtailment and a gain or loss on settlement if these transactions occur together. In some cases, a plan amendment occurs before a settlement, such as when an entity changes the benefits under the plan and settles the amended benefits later. In those cases an entity recognises past service cost before any gain or loss on settlement.
101. A settlement occurs together with a plan amendment and curtailment if a plan is terminated with the result that the obligation is settled and the plan ceases to exist. However, the termination of a plan is not a settlement if the plan is replaced by a new plan that offers benefits that are, in substance, the same.

Past service cost

102. Past service cost is the change in the present value of the defined benefit obligation resulting from a plan amendment or curtailment.
103. **An entity shall recognise past service cost as an expense at the earlier of the following dates:**
 - (a) **when the plan amendment or curtailment occurs; and**
 - (b) **when the entity recognises related restructuring costs (see Ind AS 37) or termination benefits (see paragraph 165).**
104. A plan amendment occurs when an entity introduces, or withdraws, a defined benefit plan or changes the benefits payable under an existing defined benefit plan.
105. A curtailment occurs when an entity significantly reduces the number of employees covered by a plan. A curtailment may arise from an isolated event, such as the closing of a plant, discontinuance of an operation or termination or suspension of a plan.
106. Past service cost may be either positive (when benefits are introduced or changed so that the present value of the defined benefit obligation increases) or negative (when benefits are withdrawn or changed so that the present value of the defined benefit obligation decreases).
107. Where an entity reduces benefits payable under an existing defined benefit plan and, at the same time, increases other benefits payable under the plan for the same employees, the entity treats the change as a single net change.
108. Past service cost excludes:
 - (a) the effect of differences between actual and previously assumed salary increases on the obligation to pay benefits for service in prior years (there is no past service cost because actuarial assumptions allow for projected salaries);

- (b) underestimates and overestimates of discretionary pension increases when an entity has a constructive obligation to grant such increases (there is no past service cost because actuarial assumptions allow for such increases);
- (c) estimates of benefit improvements that result from actuarial gains or from the return on plan assets that have been recognised in the financial statements if the entity is obliged, by either the formal terms of a plan (or a constructive obligation that goes beyond those terms) or legislation, to use any surplus in the plan for the benefit of plan participants, even if the benefit increase has not yet been formally awarded (there is no past service cost because the resulting increase in the obligation is an actuarial loss, see paragraph 88); and
- (d) the increase in vested benefits (i.e. benefits that are not conditional on future employment, see paragraph 72) when, in the absence of new or improved benefits, employees complete vesting requirements (there is no past service cost because the entity recognised the estimated cost of benefits as current service cost as the service was rendered).

Gains and losses on settlement

109. The gain or loss on a settlement is the difference between:

- (a) the present value of the defined benefit obligation being settled, as determined on the date of settlement; and
- (b) the settlement price, including any plan assets transferred and any payments made directly by the entity in connection with the settlement.

110. **An entity shall recognise a gain or loss on the settlement of a defined benefit plan when the settlement occurs.**

111. A settlement occurs when an entity enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan (other than a payment of benefits to, or on behalf of, employees in accordance with the terms of the plan and included in the actuarial assumptions). For example, a one-off transfer of significant employer obligations under the plan to an insurance company through the purchase of an insurance policy is a settlement; a lump sum cash payment, under the terms of the plan, to plan participants in exchange for their rights to receive specified post-employment benefits is not.

112. In some cases, an entity acquires an insurance policy to fund some or all of the employee benefits relating to employee service in the current and prior periods. The acquisition of such a policy is not a settlement if the entity retains a legal or constructive obligation (see paragraph 46) to pay further amounts if the insurer does not pay the employee benefits specified in the insurance policy. Paragraphs 116–119 deal with the recognition and measurement of reimbursement rights under insurance policies that are not plan assets.

Recognition and measurement: plan assets

Fair value of plan assets

113. The fair value of any plan assets is deducted from the present value of the defined benefit obligation in determining the deficit or surplus.

114. Plan assets exclude unpaid contributions due from the reporting entity to the fund, as well as any non-transferable financial instruments issued by the entity and held by the fund. Plan assets are reduced by any liabilities of the fund that do not relate to employee benefits, for example, trade and other payables and liabilities resulting from derivative financial instruments.

115. Where plan assets include qualifying insurance policies that exactly match the amount and timing of some or all of the benefits payable under the plan, the fair value of those insurance policies is deemed to be the present value of the related obligations (subject to any reduction required if the amounts receivable under the insurance policies are not recoverable in full).

Reimbursements

116. **When, and only when, it is virtually certain that another party will reimburse some or all of the expenditure required to settle a defined benefit obligation, an entity shall:**

- (a) recognise its right to reimbursement as a separate asset. The entity shall measure the asset at fair value.
- (b) disaggregate and recognise changes in the fair value of its right to reimbursement in the same way as for changes in the fair value of plan assets (see paragraphs 124 and 125). The components of defined benefit cost recognised in accordance with paragraph 120 may be recognised net of amounts relating to changes in the carrying amount of the right to reimbursement.

117. Sometimes, an entity is able to look to another party, such as an insurer, to pay part or all of the expenditure required to settle a defined benefit obligation. Qualifying insurance policies, as defined in paragraph 8, are plan assets. An entity accounts for qualifying insurance policies in the same way as for all other plan assets and paragraph 116 is not relevant (see paragraphs 46–49 and 115).
118. When an insurance policy held by an entity is not a qualifying insurance policy, that insurance policy is not a plan asset. Paragraph 116 is relevant to such cases: the entity recognises its right to reimbursement under the insurance policy as a separate asset, rather than as a deduction in determining the defined benefit deficit or surplus. Paragraph 140(b) requires the entity to disclose a brief description of the link between the reimbursement right and the related obligation.
119. If the right to reimbursement arises under an insurance policy that exactly matches the amount and timing of some or all of the benefits payable under a defined benefit plan, the fair value of the reimbursement right is deemed to be the present value of the related obligation (subject to any reduction required if the reimbursement is not recoverable in full).

Components of defined benefit cost

120. **An entity shall recognise the components of defined benefit cost, except to the extent that another Ind AS requires or permits their inclusion in the cost of an asset, as follows:**
- (a) **service cost (see paragraphs 66–112) in profit or loss;**
 - (b) **net interest on the net defined benefit liability (asset) (see paragraphs 123–126) in profit or loss; and**
 - (c) **remeasurements of the net defined benefit liability (asset) (see paragraphs 127–130) in other comprehensive income.**
121. Other Ind ASs require the inclusion of some employee benefit costs within the cost of assets, such as inventories and property, plant and equipment (see Ind AS 2 and Ind AS 16). Any post-employment benefit costs included in the cost of such assets include the appropriate proportion of the components listed in paragraph 120.
122. **Remeasurements of the net defined benefit liability (asset) recognised in other comprehensive income shall not be reclassified to profit or loss in a subsequent period. However, the entity may transfer those amounts recognised in other comprehensive income within equity.**

Net interest on the net defined benefit liability (asset)

123. **Net interest on the net defined benefit liability (asset) shall be determined by multiplying the net defined benefit liability (asset) by the discount rate specified in paragraph 83, both as determined at the start of the annual reporting period, taking account of any changes in the net defined benefit liability (asset) during the period as a result of contribution and benefit payments.**
124. Net interest on the net defined benefit liability (asset) can be viewed as comprising interest income on plan assets, interest cost on the defined benefit obligation and interest on the effect of the asset ceiling mentioned in paragraph 64.
125. Interest income on plan assets is a component of the return on plan assets, and is determined by multiplying the fair value of the plan assets by the discount rate specified in paragraph 83, both as determined at the start of the annual reporting period, taking account of any changes in the plan assets held during the period as a result of contributions and benefit payments. The difference between the interest income on plan assets and the return on plan assets is included in the remeasurement of the net defined benefit liability (asset).
126. Interest on the effect of the asset ceiling is part of the total change in the effect of the asset ceiling, and is determined by multiplying the effect of the asset ceiling by the discount rate specified in paragraph 83, both as determined at the start of the annual reporting period. The difference between that amount and the total change in the effect of the asset ceiling is included in the remeasurement of the net defined benefit liability (asset).

Remeasurements of the net defined benefit liability (asset)

127. Remeasurements of the net defined benefit liability (asset) comprise:
- (a) **actuarial gains and losses (see paragraphs 128 and 129);**
 - (b) **the return on plan assets (see paragraph 130), excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset) (see paragraph 125); and**
 - (c) **any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset) (see paragraph 126).**

128. Actuarial gains and losses result from increases or decreases in the present value of the defined benefit obligation because of changes in actuarial assumptions and experience adjustments. Causes of actuarial gains and losses include, for example:
- (a) unexpectedly high or low rates of employee turnover, early retirement or mortality or of increases in salaries, benefits (if the formal or constructive terms of a plan provide for inflationary benefit increases) or medical costs;
 - (b) the effect of changes to assumptions concerning benefit payment options;
 - (c) the effect of changes in estimates of future employee turnover, early retirement or mortality or of increases in salaries, benefits (if the formal or constructive terms of a plan provide for inflationary benefit increases) or medical costs; and
 - (d) the effect of changes in the discount rate.
129. Actuarial gains and losses do not include changes in the present value of the defined benefit obligation because of the introduction, amendment, curtailment or settlement of the defined benefit plan, or changes to the benefits payable under the defined benefit plan. Such changes result in past service cost or gains or losses on settlement.
130. In determining the return on plan assets, an entity deducts the costs of managing the plan assets and any tax payable by the plan itself, other than tax included in the actuarial assumptions used to measure the defined benefit obligation (paragraph 76). Other administration costs are not deducted from the return on plan assets.

Presentation**Offset**

131. **An entity shall offset an asset relating to one plan against a liability relating to another plan when, and only when, the entity:**
- (a) **has a legally enforceable right to use a surplus in one plan to settle obligations under the other plan; and**
 - (b) **intends either to settle the obligations on a net basis, or to realize the surplus in one plan and settle its obligation under the other plan simultaneously.**
132. The offsetting criteria are similar to those established for financial instruments in Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*.

Current/non-current distinction

133. Some entities distinguish current assets and liabilities from non-current assets and liabilities. This Standard does not specify whether an entity should distinguish current and non-current portions of assets and liabilities arising from post-employment benefits.

Components of defined benefit cost

134. Paragraph 120 requires an entity to recognise service cost and net interest on the net defined benefit liability (asset) in profit or loss. This Standard does not specify how an entity should present service cost and net interest on the net defined benefit liability (asset). An entity presents those components in accordance with Ind AS1.

Disclosure

135. **An entity shall disclose information that:**
- (a) **explains the characteristics of its defined benefit plans and risks associated with them (see paragraph 139);**
 - (b) **identifies and explains the amounts in its financial statements arising from its defined benefit plans (see paragraphs 140–144); and**
 - (c) **describes how its defined benefit plans may affect the amount, timing and uncertainty of the entity's future cash flows (see paragraphs 145–147).**
136. To meet the objectives in paragraph 135, an entity shall consider all the following:
- (a) the level of detail necessary to satisfy the disclosure requirements;
 - (b) how much emphasis to place on each of the various requirements;
 - (c) how much aggregation or disaggregation to undertake; and

- (d) whether users of financial statements need additional information to evaluate the quantitative information disclosed.
137. If the disclosures provided in accordance with the requirements in this Standard and other Ind ASs are insufficient to meet the objectives in paragraph 135, an entity shall disclose additional information necessary to meet those objectives. For example, an entity may present an analysis of the present value of the defined benefit obligation that distinguishes the nature, characteristics and risks of the obligation. Such a disclosure could distinguish:
- (a) between amounts owing to active members, deferred members, and pensioners.
 - (b) between vested benefits and accrued but not vested benefits.
 - (c) between conditional benefits, amounts attributable to future salary increases and other benefits.
138. An entity shall assess whether all or some disclosures should be disaggregated to distinguish plans or groups of plans with materially different risks. For example, an entity may disaggregate disclosure about plans showing one or more of the following features:
- (a) different geographical locations.
 - (b) different characteristics such as flat salary pension plans, final salary pension plans or post-employment medical plans.
 - (c) different regulatory environments.
 - (d) different reporting segments.
 - (e) different funding arrangements (eg wholly unfunded, wholly or partly funded).

Characteristics of defined benefit plans and risks associated with them

139. An entity shall disclose:
- (a) information about the characteristics of its defined benefit plans, including:
 - (i) the nature of the benefits provided by the plan (eg final salary defined benefit plan or contribution-based plan with guarantee).
 - (ii) a description of the regulatory framework in which the plan operates, for example the level of any minimum funding requirements, and any effect of the regulatory framework on the plan, such as the asset ceiling (see paragraph 64).
 - (iii) a description of any other entity's responsibilities for the governance of the plan, for example responsibilities of trustees or of board members of the plan.
 - (b) a description of the risks to which the plan exposes the entity, focused on any unusual, entity-specific or plan-specific risks, and of any significant concentrations of risk. For example, if plan assets are invested primarily in one class of investments, eg property, the plan may expose the entity to a concentration of property market risk.
 - (c) a description of any plan amendments, curtailments and settlements.

Explanation of amounts in the financial statements

140. An entity shall provide a reconciliation from the opening balance to the closing balance for each of the following, if applicable:
- (a) the net defined benefit liability (asset), showing separate reconciliations for:
 - (i) plan assets.
 - (ii) the present value of the defined benefit obligation.
 - (iii) the effect of the asset ceiling.
 - (b) any reimbursement rights. An entity shall also describe the relationship between any reimbursement right and the related obligation.
141. Each reconciliation listed in paragraph 140 shall show each of the following, if applicable:
- (a) current service cost.
 - (b) interest income or expense.

- (c) remeasurements of the net defined benefit liability (asset), showing separately:
 - (i) the return on plan assets, excluding amounts included in interest in (b).
 - (ii) actuarial gains and losses arising from changes in demographic assumptions (see paragraph 76(a)).
 - (iii) actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions (see paragraph 76(b)).
 - (iv) changes in the effect of limiting a net defined benefit asset to the asset ceiling, excluding amounts included in interest in (b). An entity shall also disclose how it determined the maximum economic benefit available, ie whether those benefits would be in the form of refunds, reductions in future contributions or a combination of both.
 - (d) past service cost and gains and losses arising from settlements. As permitted by paragraph 100, past service cost and gains and losses arising from settlements need not be distinguished if they occur together.
 - (e) the effect of changes in foreign exchange rates.
 - (f) contributions to the plan, showing separately those by the employer and by plan participants.
 - (g) payments from the plan, showing separately the amount paid in respect of any settlements.
 - (h) the effects of business combinations and disposals.
142. An entity shall disaggregate the fair value of the plan assets into classes that distinguish the nature and risks of those assets, subdividing each class of plan asset into those that have a quoted market price in an active market (as defined in Ind AS 113, *Fair Value Measurement*) and those that do not. For example, and considering the level of disclosure discussed in paragraph 136, an entity could distinguish between:
- (a) cash and cash equivalents;
 - (b) equity instruments (segregated by industry type, company size, geography etc);
 - (c) debt instruments (segregated by type of issuer, credit quality, geography etc);
 - (d) real estate (segregated by geography etc);
 - (e) derivatives (segregated by type of underlying risk in the contract, for example, interest rate contracts, foreign exchange contracts, equity contracts, credit contracts, longevity swaps etc);
 - (f) investment funds (segregated by type of fund);
 - (g) asset-backed securities; and
 - (h) structured debt.
143. An entity shall disclose the fair value of the entity's own transferable financial instruments held as plan assets, and the fair value of plan assets that are property occupied by, or other assets used by, the entity.
144. An entity shall disclose the significant actuarial assumptions used to determine the present value of the defined benefit obligation (see paragraph 76). Such disclosure shall be in absolute terms (eg as an absolute percentage, and not just as a margin between different percentages and other variables). When an entity provides disclosures in total for a grouping of plans, it shall provide such disclosures in the form of weighted averages or relatively narrow ranges.

Amount, timing and uncertainty of future cash flows

145. An entity shall disclose:
- (a) a sensitivity analysis for each significant actuarial assumption (as disclosed under paragraph 144) as of the end of the reporting period, showing how the defined benefit obligation would have been affected by changes in the relevant actuarial assumption that were reasonably possible at that date.
 - (b) the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analyses required by (a) and the limitations of those methods.
 - (c) changes from the previous period in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analyses, and the reasons for such changes.
146. An entity shall disclose a description of any asset-liability matching strategies used by the plan or the entity, including the use of annuities and other techniques, such as longevity swaps, to manage risk.

147. To provide an indication of the effect of the defined benefit plan on the entity's future cash flows, an entity shall disclose:

- (a) a description of any funding arrangements and funding policy that affect future contributions.
- (b) the expected contributions to the plan for the next annual reporting period.
- (c) information about the maturity profile of the defined benefit obligation. This will include the weighted average duration of the defined benefit obligation and may include other information about the distribution of the timing of benefit payments, such as a maturity analysis of the benefit payments.

Multi-employer plans

148. If an entity participates in a multi-employer defined benefit plan, it shall disclose:

- (a) a description of the funding arrangements, including the method used to determine the entity's rate of contributions and any minimum funding requirements.
- (b) a description of the extent to which the entity can be liable to the plan for other entities' obligations under the terms and conditions of the multi-employer plan.
- (c) a description of any agreed allocation of a deficit or surplus on:
 - (i) wind-up of the plan; or
 - (ii) the entity's withdrawal from the plan.
- (d) if the entity accounts for that plan as if it were a defined contribution plan in accordance with paragraph 34, it shall disclose the following, in addition to the information required by (a)–(c) and instead of the information required by paragraphs 139–147:
 - (i) the fact that the plan is a defined benefit plan.
 - (ii) the reason why sufficient information is not available to enable the entity to account for the plan as a defined benefit plan.
 - (iii) the expected contributions to the plan for the next annual reporting period.
 - (iv) information about any deficit or surplus in the plan that may affect the amount of future contributions, including the basis used to determine that deficit or surplus and the implications, if any, for the entity.
 - (v) an indication of the level of participation of the entity in the plan compared with other participating entities. Examples of measures that might provide such an indication include the entity's proportion of the total contributions to the plan or the entity's proportion of the total number of active members, retired members, and former members entitled to benefits, if that information is available.

Defined benefit plans that share risks between entities under common control

149. If an entity participates in a defined benefit plan that shares risks between entities under common control, it shall disclose:

- (a) the contractual agreement or stated policy for charging the net defined benefit cost or the fact that there is no such policy.
- (b) the policy for determining the contribution to be paid by the entity.
- (c) if the entity accounts for an allocation of the net defined benefit cost as noted in paragraph 41, all the information about the plan as a whole required by paragraphs 135–147.
- (d) if the entity accounts for the contribution payable for the period as noted in paragraph 41, the information about the plan as a whole required by paragraphs 135–137, 139, 142–144 and 147(a) and (b).

150. The information required by paragraph 149(c) and (d) can be disclosed by cross-reference to disclosures in another group entity's financial statements if:

- (a) that group entity's financial statements separately identify and disclose the information required about the plan; and
- (b) that group entity's financial statements are available to users of the financial statements on the same terms as the financial statements of the entity and at the same time as, or earlier than, the financial statements of the entity.

Disclosure requirements in other Ind ASs

151. Where required by Ind AS 24 an entity discloses information about:
- (a) related party transactions with post-employment benefit plans; and
 - (b) post-employment benefits for key management personnel.
152. Where required by Ind AS 37 an entity discloses information about contingent liabilities arising from post-employment benefit obligations.

Other long-term employee benefits

153. Other long-term employee benefits include items such as the following, if not expected to be settled wholly before twelve months after the end of the annual reporting period in which the employees render the related service:
- (a) long-term paid absences such as long-service or sabbatical leave;
 - (b) jubilee or other long-service benefits;
 - (c) long-term disability benefits;
 - (d) profit-sharing and bonuses; and
 - (e) deferred remuneration.
154. The measurement of other long-term employee benefits is not usually subject to the same degree of uncertainty as the measurement of post-employment benefits. For this reason, this Standard requires a simplified method of accounting for other long-term employee benefits. Unlike the accounting required for post-employment benefits, this method does not recognise remeasurements in other comprehensive income.

Recognition and measurement

155. **In recognising and measuring the surplus or deficit in an other long-term employee benefit plan, an entity shall apply paragraphs 56–98 and 113–115. An entity shall apply paragraphs 116–119 in recognising and measuring any reimbursement right.**
156. **For other long-term employee benefits, an entity shall recognise the net total of the following amounts in profit or loss, except to the extent that another Ind AS requires or permits their inclusion in the cost of an asset:**
- (a) **service cost (see paragraphs 66–112);**
 - (b) **net interest on the net defined benefit liability (asset) (see paragraphs 123–126); and**
 - (c) **remeasurements of the net defined benefit liability (asset) (see paragraphs 127–130).**
157. One form of other long-term employee benefit is long-term disability benefit. If the level of benefit depends on the length of service, an obligation arises when the service is rendered. Measurement of that obligation reflects the probability that payment will be required and the length of time for which payment is expected to be made. If the level of benefit is the same for any disabled employee regardless of years of service, the expected cost of those benefits is recognised when an event occurs that causes a long-term disability.

Disclosure

158. Although this Standard does not require specific disclosures about other long-term employee benefits, other Ind ASs may require disclosures. For example, Ind AS 24 requires disclosures about employee benefits for key management personnel. Ind AS 1 requires disclosure of employee benefits expense.

Termination benefits

159. This Standard deals with termination benefits separately from other employee benefits because the event that gives rise to an obligation is the termination of employment rather than employee service. Termination benefits result from either an entity's decision to terminate the employment or an employee's decision to accept an entity's offer of benefits in exchange for termination of employment.
160. Termination benefits do not include employee benefits resulting from termination of employment at the request of the employee without an entity's offer, or as a result of mandatory retirement requirements, because those benefits are post-employment benefits. Some entities provide a lower level of benefit for termination of employment at the request of the employee (in substance, a post-employment benefit) than for termination of employment at the request of the entity. The difference between the benefit provided for termination of

employment at the request of the employee and a higher benefit provided at the request of the entity is a termination benefit.

161. The form of the employee benefit does not determine whether it is provided in exchange for service or in exchange for termination of the employee's employment. Termination benefits are typically lump sum payments, but sometimes also include:
 - (a) enhancement of post-employment benefits, either indirectly through an employee benefit plan or directly.
 - (b) salary until the end of a specified notice period if the employee renders no further service that provides economic benefits to the entity.
162. Indicators that an employee benefit is provided in exchange for services include the following:
 - (a) the benefit is conditional on future service being provided (including benefits that increase if further service is provided).
 - (b) the benefit is provided in accordance with the terms of an employee benefit plan.
163. Some termination benefits are provided in accordance with the terms of an existing employee benefit plan. For example, they may be specified by statute, employment contract or union agreement, or may be implied as a result of the employer's past practice of providing similar benefits. As another example, if an entity makes an offer of benefits available for more than a short period, or there is more than a short period between the offer and the expected date of actual termination, the entity considers whether it has established a new employee benefit plan and hence whether the benefits offered under that plan are termination benefits or post-employment benefits. Employee benefits provided in accordance with the terms of an employee benefit plan are termination benefits if they both result from an entity's decision to terminate an employee's employment and are not conditional on future service being provided.
164. Some employee benefits are provided regardless of the reason for the employee's departure. The payment of such benefits is certain (subject to any vesting or minimum service requirements) but the timing of their payment is uncertain. Although such benefits are described in some jurisdictions as termination indemnities or termination gratuities, they are post-employment benefits rather than termination benefits, and an entity accounts for them as post-employment benefits.

Recognition

165. **An entity shall recognise a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:**
 - (a) **when the entity can no longer withdraw the offer of those benefits; and**
 - (b) **when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of Ind AS 37 and involves the payment of termination benefits.**
166. For termination benefits payable as a result of an employee's decision to accept an offer of benefits in exchange for the termination of employment, the time when an entity can no longer withdraw the offer of termination benefits is the earlier of:
 - (a) when the employee accepts the offer; and
 - (b) when a restriction (eg a legal, regulatory or contractual requirement or other restriction) on the entity's ability to withdraw the offer takes effect. This would be when the offer is made, if the restriction existed at the time of the offer.
167. For termination benefits payable as a result of an entity's decision to terminate an employee's employment, the entity can no longer withdraw the offer when the entity has communicated to the affected employees a plan of termination meeting all of the following criteria:
 - (a) Actions required to complete the plan indicate that it is unlikely that significant changes to the plan will be made.
 - (b) The plan identifies the number of employees whose employment is to be terminated, their job classifications or functions and their locations (but the plan need not identify each individual employee) and the expected completion date.
 - (c) The plan establishes the termination benefits that employees will receive in sufficient detail that employees can determine the type and amount of benefits they will receive when their employment is terminated.

168. When an entity recognises termination benefits, the entity may also have to account for a plan amendment or a curtailment of other employee benefits (see paragraph 103).

Measurement

169. **An entity shall measure termination benefits on initial recognition, and shall measure and recognise subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefit, provided that if the termination benefits are an enhancement to post-employment benefits, the entity shall apply the requirements for post-employment benefits. Otherwise:**
- (a) **if the termination benefits are expected to be settled wholly before twelve months after the end of the annual reporting period in which the termination benefit is recognised, the entity shall apply the requirements for short-term employee benefits.**
 - (b) **if the termination benefits are not expected to be settled wholly before twelve months after the end of the annual reporting period, the entity shall apply the requirements for other long-term employee benefits.**
170. Because termination benefits are not provided in exchange for service, paragraphs 70–74 relating to the attribution of the benefit to periods of service are not relevant.

Example illustrating paragraphs 159–170

Background

As a result of a recent acquisition, an entity plans to close a factory in ten months and, at that time, terminate the employment of all of the remaining employees at the factory. Because the entity needs the expertise of the employees at the factory to complete some contracts, it announces a plan of termination as follows.

Each employee who stays and renders service until the closure of the factory will receive on the termination date a cash payment of Rs 30,000. Employees leaving before closure of the factory will receive Rs.10,000.

There are 120 employees at the factory. At the time of announcing the plan, the entity expects 20 of them to leave before closure. Therefore, the total expected cash outflows under the plan are Rs.3,200,000 (ie $20 \times \text{Rs.10,000} + 100 \times \text{Rs.30,000}$). As required by paragraph 160, the entity accounts for benefits provided in exchange for termination of employment as termination benefits and accounts for benefits provided in exchange for services as short-term employee benefits.

Termination benefits

The benefit provided in exchange for termination of employment is Rs.10,000. This is the amount that an entity would have to pay for terminating the employment regardless of whether the employees stay and render service until closure of the factory or they leave before closure. Even though the employees can leave before closure, the termination of all employees' employment is a result of the entity's decision to close the factory and terminate their employment (ie all employees will leave employment when the factory closes). Therefore the entity recognises a liability of Rs.1,200,000 (ie $120 \times \text{Rs.10,000}$) for the termination benefits provided in accordance with the employee benefit plan at the earlier of when the plan of termination is announced and when the entity recognises the restructuring costs associated with the closure of the factory.

Benefits provided in exchange for service

The incremental benefits that employees will receive if they provide services for the full ten-month period are in exchange for services provided over that period. The entity accounts for them as short-term employee benefits because the entity expects to settle them before twelve months after the end of the annual reporting period. In this example, discounting is not required, so an expense of Rs.200,000 (ie $\text{Rs.2,000,000} \div 10$) is recognised in each month during the service period of ten months, with a corresponding increase in the carrying amount of the liability.

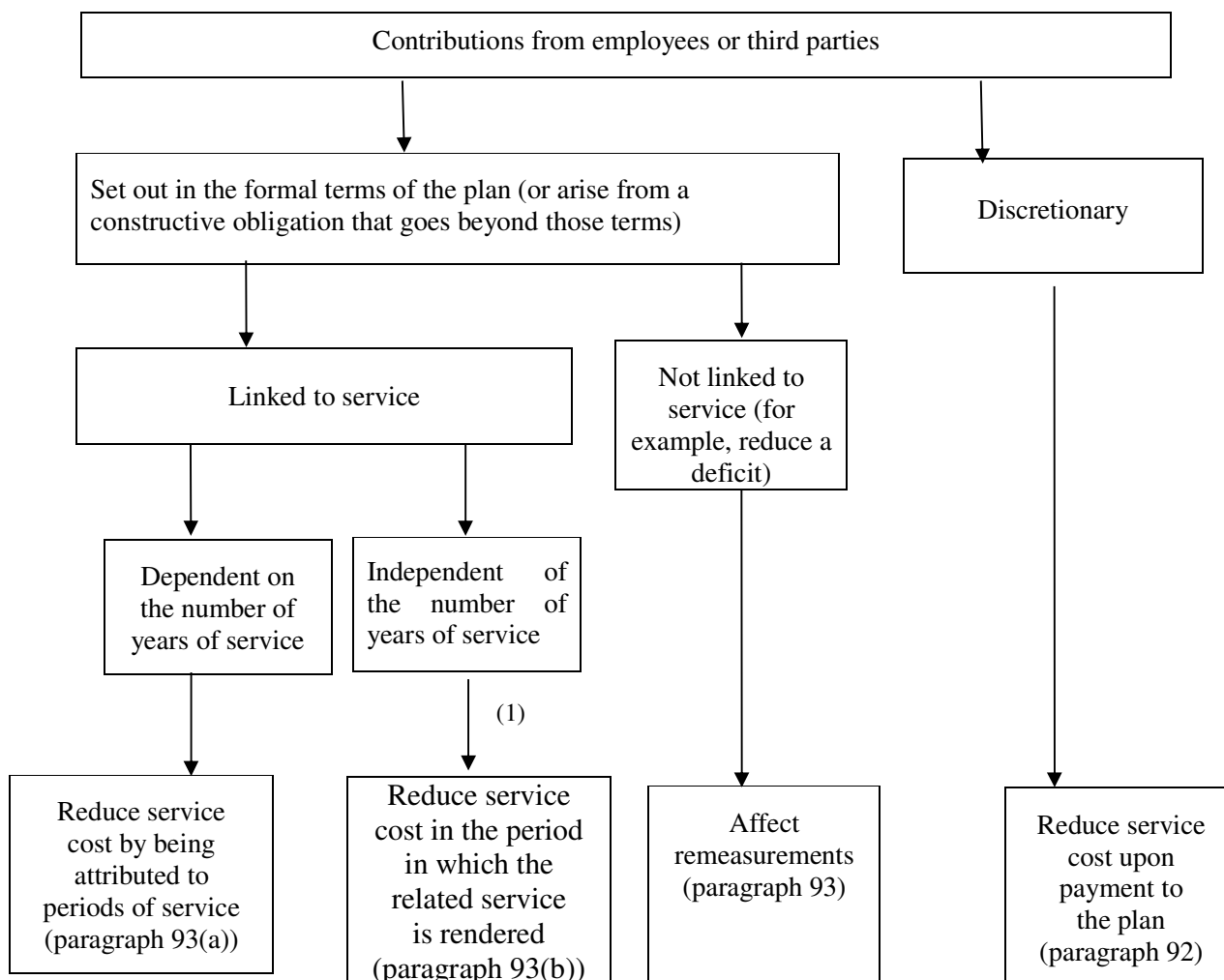
Disclosure

171. Although this Standard does not require specific disclosures about termination benefits, other Ind ASs may require disclosures. For example, Ind AS 24 requires disclosures about employee benefits for key management personnel. Ind AS 1 requires disclosure of employee benefits expense.

Appendix A**Application Guidance**

This appendix is an integral part of the Ind AS. It describes the application of paragraphs 92– 93 and has the same authority as the other parts of the Ind AS.

A1 The accounting requirements for contributions from employees or third parties are illustrated in the diagram below.



(1) This dotted arrow means that an entity is permitted to choose either accounting.

Appendix B**Ind AS 19 —The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction**

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

Background

- Paragraph 64 of Ind 19 limits the measurement of a net defined benefit asset to the lower of the surplus in the defined benefit plan and the asset ceiling. Paragraph 8 of Ind AS 19 defines the asset ceiling as 'the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan'. Questions have arisen about when refunds or reductions in future contributions should be regarded as available, particularly when a minimum funding requirement exists.
- Minimum funding requirements exist in many countries to improve the security of the post-employment benefit promise made to members of an employee benefit plan. Such requirements normally stipulate a minimum amount or level of contributions that must be made to a plan over a given period. Therefore, a minimum funding requirement may limit the ability of the entity to reduce future contributions.

3. Further, the limit on the measurement of a defined benefit asset may cause a minimum funding requirement to be onerous. Normally, a requirement to make contributions to a plan would not affect the measurement of the defined benefit asset or liability. This is because the contributions, once paid, will become plan assets and so the additional net liability is nil. However, a minimum funding requirement may give rise to a liability if the required contributions will not be available to the entity once they have been paid.

3A [Refer Appendix 1].

Scope

4. This Appendix applies to all post-employment defined benefits and other long-term employee defined benefits.
5. For the purpose of this Appendix, minimum funding requirements are any requirements to fund a post-employment or other long-term defined benefit plan.

Issues

6. The issues addressed in this Appendix are:
 - (a) when refunds or reductions in future contributions should be regarded as available in accordance with the definition of the asset ceiling in paragraph 8 of Ind AS 19 .
 - (b) how a minimum funding requirement might affect the availability of reductions in future contributions.
 - (c) when a minimum funding requirement might give rise to a liability.

Principles

Availability of a refund or reduction in future contributions

7. An entity shall determine the availability of a refund or a reduction in future contributions in accordance with the terms and conditions of the plan and any statutory requirements in the jurisdiction of the plan.
8. An economic benefit, in the form of a refund or a reduction in future contributions, is available if the entity can realise it at some point during the life of the plan or when the plan liabilities are settled. In particular, such an economic benefit may be available even if it is not realisable immediately at the end of the reporting period.
9. The economic benefit available does not depend on how the entity intends to use the surplus. An entity shall determine the maximum economic benefit that is available from refunds, reductions in future contributions or a combination of both. An entity shall not recognise economic benefits from a combination of refunds and reductions in future contributions based on assumptions that are mutually exclusive.
10. In accordance with Ind AS 1, the entity shall disclose information about the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of the net asset or liability recognised in the balance sheet. This might include disclosure of any restrictions on the current realisability of the surplus or disclosure of the basis used to determine the amount of the economic benefit available.

The economic benefit available as a refund

The right to a refund

11. A refund is available to an entity only if the entity has an unconditional right to a refund:
 - (a) during the life of the plan, without assuming that the plan liabilities must be settled in order to obtain the refund (eg in some jurisdictions, the entity may have a right to a refund during the life of the plan, irrespective of whether the plan liabilities are settled); or
 - (b) assuming the gradual settlement of the plan liabilities over time until all members have left the plan; or
 - (c) assuming the full settlement of the plan liabilities in a single event (ie as a plan wind-up).

An unconditional right to a refund can exist whatever the funding level of a plan at the end of the reporting period.

12. If the entity's right to a refund of a surplus depends on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within its control, the entity does not have an unconditional right and shall not recognise an asset.

Measurement of the economic benefit

13. An entity shall measure the economic benefit available as a refund as the amount of the surplus at the end of the reporting period (being the fair value of the plan assets less the present value of the defined benefit obligation) that the entity has a right to receive as a refund, less any associated costs. For instance, if a refund would be subject to a tax other than income tax, an entity shall measure the amount of the refund net of the tax.

14. In measuring the amount of a refund available when the plan is wound up (paragraph 11(c)), an entity shall include the costs to the plan of settling the plan liabilities and making the refund. For example, an entity shall deduct professional fees if these are paid by the plan rather than the entity, and the costs of any insurance premiums that may be required to secure the liability on wind-up.
15. If the amount of a refund is determined as the full amount or a proportion of the surplus, rather than a fixed amount, an entity shall make no adjustment for the time value of money, even if the refund is realisable only at a future date.

The economic benefit available as a contribution reduction

16. If there is no minimum funding requirement for contributions relating to future service, the economic benefit available as a reduction in future contributions is the future service cost to the entity for each period over the shorter of the expected life of the plan and the expected life of the entity. The future service cost to the entity excludes amounts that will be borne by employees.
17. An entity shall determine the future service costs using assumptions consistent with those used to determine the defined benefit obligation and with the situation that exists at the end of the reporting period as determined by Ind AS 19. Therefore, an entity shall assume no change to the benefits to be provided by a plan in the future until the plan is amended and shall assume a stable workforce in the future unless the entity makes a reduction in the number of employees covered by the plan. In the latter case, the assumption about the future workforce shall include the reduction.

The effect of a minimum funding requirement on the economic benefit available as a reduction in future contributions

18. An entity shall analyse any minimum funding requirement at a given date into contributions that are required to cover (a) any existing shortfall for past service on the minimum funding basis and (b) future service.
19. Contributions to cover any existing shortfall on the minimum funding basis in respect of services already received do not affect future contributions for future service. They may give rise to a liability in accordance with paragraphs 23–26.
20. If there is a minimum funding requirement for contributions relating to future service, the economic benefit available as a reduction in future contributions is the sum of:
 - (a) any amount that reduces future minimum funding requirement contributions for future service because the entity made a prepayment (ie paid the amount before being required to do so); and
 - (b) the estimated future service cost in each period in accordance with paragraphs 16 and 17, less the estimated minimum funding requirement contributions that would be required for future service in those periods if there were no prepayment as described in (a).
21. An entity shall estimate the future minimum funding requirement contributions for future service taking into account the effect of any existing surplus determined using the minimum funding basis but excluding the prepayment described in paragraph 20(a). An entity shall use assumptions consistent with the minimum funding basis and, for any factors not specified by that basis, assumptions consistent with those used to determine the defined benefit obligation and with the situation that exists at the end of the reporting period as determined by Ind AS 19. The estimate shall include any changes expected as a result of the entity paying the minimum contributions when they are due. However, the estimate shall not include the effect of expected changes in the terms and conditions of the minimum funding basis that are not substantively enacted or contractually agreed at the end of the reporting period.
22. When an entity determines the amount described in paragraph 20(b), if the future minimum funding requirement contributions for future service exceed the future IAS 19 service cost in any given period, that excess reduces the amount of the economic benefit available as a reduction in future contributions. However, the amount described in paragraph 20(b) can never be less than zero.

When a minimum funding requirement may give rise to a liability

23. If an entity has an obligation under a minimum funding requirement to pay contributions to cover an existing shortfall on the minimum funding basis in respect of services already received, the entity shall determine whether the contributions payable will be available as a refund or reduction in future contributions after they are paid into the plan.
24. To the extent that the contributions payable will not be available after they are paid into the plan, the entity shall recognise a liability when the obligation arises. The liability shall reduce the net defined benefit asset or increase the net defined benefit liability so that no gain or loss is expected to result from applying paragraph 64 of Ind AS 19 when the contributions are paid.

25-26 (refer Appendix 1)

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 19 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 19, Employee Benefits, and IFRIC 14, IAS 19 —The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 19, Employee Benefits, and IFRIC 14

- 1 Paragraph numbers 25-26 appear as 'Deleted' in IFRIC 14. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRIC 14, the paragraph numbers are retained in Appendix B of Ind AS 19.
- 2 According to Ind AS 19 the rate to be used to discount post-employment benefit obligation shall be determined by reference to the market yields on government bonds, whereas under IAS 19, the government bonds can be used only where there is no deep market of high quality corporate bonds. However, requirements given in IAS 19 in this regard have been retained with appropriate modifications for subsidiaries, associates, joint ventures and branches domiciled outside India.
- 3 To illustrate treatment of gratuity subject to ceiling under Indian Gratuity Rules, an example has been added in paragraph 73.
- 4 Different terminology is used in this standard, e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'. The words 'approval of the financial statements for issue' have been used instead of 'authorisation of the financial statements for issue' in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.
- 5 Paragraph 3A of Appendix B is deleted as this paragraph deals with reason for amending IFRIC 14, which is irrelevant for Appendix B to Ind AS 19.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 20**Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance**

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold type** and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Scope

- 1 **This Standard shall be applied in accounting for, and in the disclosure of, government grants and in the disclosure of other forms of government assistance.**
- 2 This Standard does not deal with:
 - (a) the special problems arising in accounting for government grants in financial statements reflecting the effects of changing prices or in supplementary information of a similar nature.
 - (b) government assistance that is provided for an entity in the form of benefits that are available in determining taxable profit or tax loss, or are determined or limited on the basis of income tax liability. Examples of such benefits are income tax holidays, investment tax credits, accelerated depreciation.
 - (c) government participation in the ownership of the entity.
 - (d) government grants covered by Ind AS 41, *Agriculture*.

Definitions

- 3 **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government assistance is action by government designed to provide an economic benefit specific to an entity or range of entities qualifying under certain criteria. Government assistance for the purpose of this Standard does not include benefits provided only indirectly through action affecting general trading conditions, such as the provision of infrastructure in development areas or the imposition of trading constraints on competitors.

Government grants are assistance by government in the form of transfers of resources to an entity in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the entity. They exclude those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed

upon them and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity⁹.

Grants related to assets are government grants whose primary condition is that an entity qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire long-term assets. Subsidiary conditions may also be attached restricting the type or location of the assets or the periods during which they are to be acquired or held.

Grants related to income are government grants other than those related to assets.

Forgivable loans are loans which the lender undertakes to waive repayment of under certain prescribed conditions.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113, *Fair Value Measurement*)

- 4 Government assistance takes many forms varying both in the nature of the assistance given and in the conditions which are usually attached to it. The purpose of the assistance may be to encourage an entity to embark on a course of action which it would not normally have taken if the assistance was not provided.
- 5 The receipt of government assistance by an entity may be significant for the preparation of the financial statements for two reasons. Firstly, if resources have been transferred, an appropriate method of accounting for the transfer must be found. Secondly, it is desirable to give an indication of the extent to which the entity has benefited from such assistance during the reporting period. This facilitates comparison of an entity's financial statements with those of prior periods and with those of other entities.
- 6 Government grants are sometimes called by other names such as subsidies, subventions, or premiums.

Government grants

- 7 **Government grants, including non-monetary grants at fair value, shall not be recognised until there is reasonable assurance that:**
 - (a) the entity will comply with the conditions attaching to them; and
 - (b) the grants will be received.
- 8 A government grant is not recognised until there is reasonable assurance that the entity will comply with the conditions attaching to it, and that the grant will be received. Receipt of a grant does not of itself provide conclusive evidence that the conditions attaching to the grant have been or will be fulfilled.
- 9 The manner in which a grant is received does not affect the accounting method to be adopted in regard to the grant. Thus a grant is accounted for in the same manner whether it is received in cash or as a reduction of a liability to the government.
- 10 A forgivable loan from government is treated as a government grant when there is reasonable assurance that the entity will meet the terms for forgiveness of the loan.
- 10A The benefit of a government loan at a below-market rate of interest is treated as a government grant. The loan shall be recognised and measured in accordance with Ind AS 109, *Financial Instruments*. The benefit of the below-market rate of interest shall be measured as the difference between the initial carrying value of the loan determined in accordance with Ind AS 109, and the proceeds received. The benefit is accounted for in accordance with this Standard. The entity shall consider the conditions and obligations that have been, or must be, met when identifying the costs for which the benefit of the loan is intended to compensate.
- 11 Once a government grant is recognised, any related contingent liability or contingent asset is treated in accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.
- 12 **Government grants shall be recognised in profit or loss on a systematic basis over the periods in which the entity recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.**
- 13 There are two broad approaches to the accounting for government grants: the capital approach, under which a grant is recognised outside profit or loss, and the income approach, under which a grant is recognised in profit or loss over one or more periods.
- 14 Those in support of the capital approach argue as follows:
 - (a) government grants are a financing device and should be dealt with as such in the balance sheet rather than be recognised in profit or loss to offset the items of expense that they finance. Because no repayment is expected, such grants should be recognised outside profit or loss.

⁹ See Appendix A *Government Assistance—No Specific Relation to Operating Activities*

- (b) it is inappropriate to recognise government grants in profit or loss, because they are not earned but represent an incentive provided by government without related costs.
- 15 Arguments in support of the income approach are as follows:
- (a) because government grants are receipts from a source other than shareholders, they should not be recognised directly in equity but should be recognised in profit or loss in appropriate periods.
- (b) government grants are rarely gratuitous. The entity earns them through compliance with their conditions and meeting the envisaged obligations. They should therefore be recognised in profit or loss over the periods in which the entity recognises as expenses the related costs for which the grant is intended to compensate.
- (c) because income and other taxes are expenses, it is logical to deal also with government grants, which are an extension of fiscal policies, in profit or loss.
- 16 It is fundamental to the income approach that government grants should be recognised in profit or loss on a systematic basis over the periods in which the entity recognises as expenses the related costs for which the grant is intended to compensate. Recognition of government grants in profit or loss on a receipts basis is not in accordance with the accrual accounting assumption (see Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*) and would be acceptable only if no basis existed for allocating a grant to periods other than the one in which it was received.
- 17 In most cases the periods over which an entity recognises the costs or expenses related to a government grant are readily ascertainable. Thus grants in recognition of specific expenses are recognised in profit or loss in the same period as the relevant expenses. Similarly, grants related to depreciable assets are usually recognised in profit or loss over the periods and in the proportions in which depreciation expense on those assets is recognised.
- 18 Grants related to non-depreciable assets may also require the fulfilment of certain obligations and would then be recognised in profit or loss over the periods that bear the cost of meeting the obligations. As an example, a grant of land may be conditional upon the erection of a building on the site and it may be appropriate to recognise the grant in profit or loss over the life of the building.
- 19 Grants are sometimes received as part of a package of financial or fiscal aids to which a number of conditions are attached. In such cases, care is needed in identifying the conditions giving rise to costs and expenses which determine the periods over which the grant will be earned. It may be appropriate to allocate part of a grant on one basis and part on another.
- 20 **A government grant that becomes receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the entity with no future related costs shall be recognised in profit or loss of the period in which it becomes receivable.**
- 21 In some circumstances, a government grant may be awarded for the purpose of giving immediate financial support to an entity rather than as an incentive to undertake specific expenditures. Such grants may be confined to a particular entity and may not be available to a whole class of beneficiaries. These circumstances may warrant recognising a grant in profit or loss of the period in which the entity qualifies to receive it, with disclosure to ensure that its effect is clearly understood.
- 22 A government grant may become receivable by an entity as compensation for expenses or losses incurred in a previous period. Such a grant is recognised in profit or loss of the period in which it becomes receivable, with disclosure to ensure that its effect is clearly understood.
- Non-monetary government grants**
- 23 A government grant may take the form of a transfer of a non-monetary asset, such as land or other resources, for the use of the entity. In these circumstances, the fair value of the non-monetary asset is assessed and both grant and asset are accounted for at that fair value.
- Presentation of grants related to assets**
- 24 **Government grants related to assets, including non-monetary grants at fair value, shall be presented in the balance sheet by setting up the grant as deferred income.**
- 25 [Refer Appendix 1].
- 26 The grant set up as deferred income is recognised in profit or loss on a systematic basis over the useful life of the asset.
- 27 [Refer Appendix 1]

- 28 The purchase of assets and the receipt of related grants can cause major movements in the cash flow of an entity. For this reason and in order to show the gross investment in assets, such movements are disclosed as separate items in the statement of cash flows.

Presentation of grants related to income

- 29 Grants related to income are presented as part of profit or loss, either separately or under a general heading such as 'Other income'; alternatively, they are deducted in reporting the related expense.

29A [Refer Appendix 1]

- 30 Supporters of the first method claim that it is inappropriate to net income and expense items and that separation of the grant from the expense facilitates comparison with other expenses not affected by a grant. For the second method it is argued that the expenses might well not have been incurred by the entity if the grant had not been available and presentation of the expense without offsetting the grant may therefore be misleading.

- 31 Both methods are regarded as acceptable for the presentation of grants related to income. Disclosure of the grant may be necessary for a proper understanding of the financial statements. Disclosure of the effect of the grants on any item of income or expense which is required to be separately disclosed is usually appropriate.

Repayment of government grants

- 32 **A government grant that becomes repayable shall be accounted for as a change in accounting estimate (see Ind AS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*). Repayment of a grant related to income shall be applied first against any unamortised deferred credit recognised in respect of the grant. To the extent that the repayment exceeds any such deferred credit, or when no deferred credit exists, the repayment shall be recognised immediately in profit or loss. Repayment of a grant related to an asset shall be recognised by reducing the deferred income balance by the amount repayable.**

33 [Refer Appendix 1]

Government assistance

- 34 Excluded from the definition of government grants in paragraph 3 are certain forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity.

- 35 Examples of assistance that cannot reasonably have a value placed upon them are free technical or marketing advice and the provision of guarantees. An example of assistance that cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity is a government procurement policy that is responsible for a portion of the entity's sales. The existence of the benefit might be unquestioned but any attempt to segregate the trading activities from government assistance could well be arbitrary.

- 36 The significance of the benefit in the above examples may be such that disclosure of the nature, extent and duration of the assistance is necessary in order that the financial statements may not be misleading.

37 [Refer Appendix 1]

- 38 In this Standard, government assistance does not include the provision of infrastructure by improvement to the general transport and communication network and the supply of improved facilities such as irrigation or water reticulation which is available on an ongoing indeterminate basis for the benefit of an entire local community.

Disclosure

- 39 **The following matters shall be disclosed:**

- (a) **the accounting policy adopted for government grants, including the methods of presentation adopted in the financial statements;**
- (b) **the nature and extent of government grants recognised in the financial statements and an indication of other forms of government assistance from which the entity has directly benefited; and**
- (c) **unfulfilled conditions and other contingencies attaching to government assistance that has been recognised.**

Appendix A**Government Assistance—No Specific Relation to Operating Activities**

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Issue

- 1 In some countries government assistance to entities may be aimed at encouragement or long-term support of business activities either in certain regions or industry sectors. Conditions to receive such assistance may not be specifically related to the operating activities of the entity. Examples of such assistance are transfers of resources by governments to entities which:
 - (a) operate in a particular industry;
 - (b) continue operating in recently privatised industries; or
 - (c) start or continue to run their business in underdeveloped areas.
- 2 The issue is whether such government assistance is a 'government grant' within the scope of Ind AS 20 and, therefore, should be accounted for in accordance with this Standard.

Accounting Principle

- 3 Government assistance to entities meets the definition of government grants in Ind AS 20, even if there are no conditions specifically relating to the operating activities of the entity other than the requirement to operate in certain regions or industry sectors. Such grants shall therefore not be credited directly to shareholders' interests.

Appendix B**References to matters contained in other Indian Accounting Standards**

This appendix is an integral part of the Ind AS.

- 1 Appendix C, *Levies*, contained in Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.

Appendix 1

Note : This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 20 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance, and SIC 10 Government Assistance- No Specific Relation to Operating Activities, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance and SIC 10

- 1 IAS 20 gives an option to measure non-monetary government grants either at their fair value or at nominal value. Ind AS 20 requires measurement of such grants only at their fair value. Thus, the option to measure these grants at nominal value is not available under Ind AS 20.
- 2 IAS 20 gives an option to present the grants related to assets, including non-monetary grants at fair value in the balance sheet either by setting up the grant as deferred income or by deducting the grant in arriving at the carrying amount of the asset. Ind AS 20 requires presentation of such grants in balance sheet only by setting up the grant as deferred income. Thus, the option to present such grants by deduction of the grant in arriving at the carrying amount of the asset is not available under Ind AS 20. As a consequence thereof paragraph 32 has been modified and the following paragraphs of IAS 20 which are with reference to the options for presentation of grants related to assets have been deleted in Ind AS 20. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 20, the paragraph numbers are retained in Ind AS 20:
 - (i) Paragraph 25
 - (ii) Paragraph 27
 - (iii) Paragraph 33
- 3 Requirements regarding presentation of grants related to income in the separate income statement, where separate income statement is presented under paragraph 29A of IAS 20 have been deleted. This change is consequential to the removal of option regarding two statement approach in Ind AS 1. Ind AS 1 requires that the components of profit or loss and components of other comprehensive income shall be presented as a part of the statement of profit and loss. However, paragraph number 29A has been retained in Ind AS 20 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 20.
- 4 Different terminology is used in this standard, eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.
- 5 Paragraph number 37 appear as 'Deleted' in IAS 20. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 20, the paragraph number is retained in Ind AS 20.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 21***The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates***

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

- 1 An entity may carry on foreign activities in two ways. It may have transactions in foreign currencies or it may have foreign operations. In addition, an entity may present its financial statements in a foreign currency. The objective of this Standard is to prescribe how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and how to translate financial statements into a presentation currency.
- 2 The principal issues are which exchange rate(s) to use and how to report the effects of changes in exchange rates in the financial statements.

Scope**3 This Standard shall be applied:**

- (a) **in accounting for transactions and balances in foreign currencies, except for those derivative transactions and balances that are within the scope of Ind AS 109, *Financial Instruments*;**
- (b) **in translating the results and financial position of foreign operations that are included in the financial statements of the entity by consolidation or the equity method; and**
- (c) **in translating an entity's results and financial position into a presentation currency.**
- 4 Ind AS 109 applies to many foreign currency derivatives and, accordingly, these are excluded from the scope of this Standard. However, those foreign currency derivatives that are not within the scope of Ind AS 109 (eg some foreign currency derivatives that are embedded in other contracts) are within the scope of this Standard. In addition, this Standard applies when an entity translates amounts relating to derivatives from its functional currency to its presentation currency.
- 5 This Standard does not apply to hedge accounting for foreign currency items, including the hedging of a net investment in a foreign operation. Ind AS 109 applies to hedge accounting.
- 6 This Standard applies to the presentation of an entity's financial statements in a foreign currency and sets out requirements for the resulting financial statements to be described as complying with Indian Accounting Standards (Ind ASs). For translations of financial information into a foreign currency that do not meet these requirements, this Standard specifies information to be disclosed.
- 7 This Standard does not apply to the presentation in a statement of cash flows of the cash flows arising from transactions in a foreign currency, or to the translation of cash flows of a foreign operation (see Ind AS 7, *Statement of Cash Flows*).
- 7AA This Standard does not also apply to long-term foreign currency monetary items for which an entity has opted for the exemption given in paragraph D13AA of Appendix D to Ind AS 101. Such an entity may continue to apply the accounting policy so opted for such long-term foreign currency monetary items.

Definitions**8 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

***Closing rate* is the spot exchange rate at the end of the reporting period.**

***Exchange difference* is the difference resulting from translating a given number of units of one currency into another currency at different exchange rates.**

***Exchange rate* is the ratio of exchange for two currencies.**

***Fair value* is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 13, *Fair Value Measurement*).**

***Foreign currency* is a currency other than the functional currency of the entity.**

Foreign operation is an entity that is a subsidiary, associate, joint arrangement or branch of a reporting entity, the activities of which are based or conducted in a country or currency other than those of the reporting entity.

Functional currency is the currency of the primary economic environment in which the entity operates.

A group is a parent and all its subsidiaries.

Monetary items are units of currency held and assets and liabilities to be received or paid in a fixed or determinable number of units of currency.

Net investment in a foreign operation is the amount of the reporting entity's interest in the net assets of that operation.

Presentation currency is the currency in which the financial statements are presented.

Spot exchange rate is the exchange rate for immediate delivery.

Elaboration on the definitions

Functional currency

- 9 The primary economic environment in which an entity operates is normally the one in which it primarily generates and expends cash. An entity considers the following factors in determining its functional currency:
 - (a) the currency:
 - (i) that mainly influences sales prices for goods and services (this will often be the currency in which sales prices for its goods and services are denominated and settled); and
 - (ii) of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services.
 - (b) the currency that mainly influences labour, material and other costs of providing goods or services (this will often be the currency in which such costs are denominated and settled).
- 10 The following factors may also provide evidence of an entity's functional currency:
 - (a) the currency in which funds from financing activities (ie issuing debt and equity instruments) are generated.
 - (b) the currency in which receipts from operating activities are usually retained.
- 11 The following additional factors are considered in determining the functional currency of a foreign operation, and whether its functional currency is the same as that of the reporting entity (the reporting entity, in this context, being the entity that has the foreign operation as its subsidiary, branch, associate or joint arrangement):
 - (a) whether the activities of the foreign operation are carried out as an extension of the reporting entity, rather than being carried out with a significant degree of autonomy. An example of the former is when the foreign operation only sells goods imported from the reporting entity and remits the proceeds to it. An example of the latter is when the operation accumulates cash and other monetary items, incurs expenses, generates income and arranges borrowings, all substantially in its local currency.
 - (b) whether transactions with the reporting entity are a high or a low proportion of the foreign operation's activities
 - (c) whether cash flows from the activities of the foreign operation directly affect the cash flows of the reporting entity and are readily available for remittance to it.
 - (d) whether cash flows from the activities of the foreign operation are sufficient to service existing and normally expected debt obligations without funds being made available by the reporting entity.

- 12 When the above indicators are mixed and the functional currency is not obvious, management uses its judgement to determine the functional currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions. As part of this approach, management gives priority to the primary indicators in paragraph 9 before considering the indicators in paragraphs 10 and 11, which are designed to provide additional supporting evidence to determine an entity's functional currency.
- 13 An entity's functional currency reflects the underlying transactions, events and conditions that are relevant to it. Accordingly, once determined, the functional currency is not changed unless there is a change in those underlying transactions, events and conditions.
- 14 If the functional currency is the currency of a hyperinflationary economy, the entity's financial statements are restated in accordance with Ind AS 29, *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*. An entity cannot avoid restatement in accordance with Ind AS 29 by, for example, adopting as its functional currency a currency other than the functional currency determined in accordance with this Standard (such as the functional currency of its parent).

Net investment in a foreign operation

- 15 An entity may have a monetary item that is receivable from or payable to a foreign operation. An item for which settlement is neither planned nor likely to occur in the foreseeable future is, in substance, a part of the entity's net investment in that foreign operation, and is accounted for in accordance with paragraphs 32 and 33. Such monetary items may include long-term receivables or loans. They do not include trade receivables or trade payables.
- 15A The entity that has a monetary item receivable from or payable to a foreign operation described in paragraph 15 may be any subsidiary of the group. For example, an entity has two subsidiaries, A and B. Subsidiary B is a foreign operation. Subsidiary A grants a loan to Subsidiary B. Subsidiary A's loan receivable from Subsidiary B would be part of the entity's net investment in Subsidiary B if settlement of the loan is neither planned nor likely to occur in the foreseeable future. This would also be true if Subsidiary A were itself a foreign operation.

Monetary items

- 16 The essential feature of a monetary item is a right to receive (or an obligation to deliver) a fixed or determinable number of units of currency. Examples include: pensions and other employee benefits to be paid in cash; provisions that are to be settled in cash; and cash dividends that are recognised as a liability. Similarly, a contract to receive (or deliver) a variable number of the entity's own equity instruments or a variable amount of assets in which the fair value to be received (or delivered) equals a fixed or determinable number of units of currency is a monetary item. Conversely, the essential feature of a non-monetary item is the absence of a right to receive (or an obligation to deliver) a fixed or determinable number of units of currency. Examples include: amounts prepaid for goods and services (eg prepaid rent); goodwill; intangible assets; inventories; property, plant and equipment; and provisions that are to be settled by the delivery of a non-monetary asset.

Summary of the approach required by this Standard

- 17 In preparing financial statements, each entity—whether a stand-alone entity, an entity with foreign operations (such as a parent) or a foreign operation (such as a subsidiary or branch)—determines its functional currency in accordance with paragraphs 9–14. The entity translates foreign currency items into its functional currency and reports the effects of such translation in accordance with paragraphs 20–37 and 50.
- 18 Many reporting entities comprise a number of individual entities (eg a group is made up of a parent and one or more subsidiaries). Various types of entities, whether members of a group or otherwise, may have investments in associates or joint arrangements. They may also have branches. It is necessary for the results and financial position of each individual entity included in the reporting entity to be translated into the currency in which the reporting entity presents its financial statements. This Standard permits the presentation currency of a reporting entity to be any currency (or currencies). The results and financial position of any individual entity within the reporting entity whose functional currency differs from the presentation currency are translated in accordance with paragraphs 38–50.
- 19 This Standard also permits a stand-alone entity preparing financial statements or an entity preparing separate financial statements in accordance with Ind AS 27, *Separate Financial Statements*, to present its financial statements in any currency (or currencies). If the entity's presentation currency differs from its functional currency, its results and financial position are also translated into the presentation currency in accordance with paragraphs 38–50.

Reporting foreign currency transactions in the functional currency**Initial recognition**

- 20 A foreign currency transaction is a transaction that is denominated or requires settlement in a foreign currency, including transactions arising when an entity:
- (a) buys or sells goods or services whose price is denominated in a foreign currency;
 - (b) borrows or lends funds when the amounts payable or receivable are denominated in a foreign currency; or
 - (c) otherwise acquires or disposes of assets, or incurs or settles liabilities, denominated in a foreign currency.
- 21 **A foreign currency transaction shall be recorded, on initial recognition in the functional currency, by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between the functional currency and the foreign currency at the date of the transaction.**
- 22 The date of a transaction is the date on which the transaction first qualifies for recognition in accordance with Ind ASs. For practical reasons, a rate that approximates the actual rate at the date of the transaction is often used, for example, an average rate for a week or a month might be used for all transactions in each foreign currency occurring during that period. However, if exchange rates fluctuate significantly, the use of the average rate for a period is inappropriate.

Reporting at the ends of subsequent reporting periods

- 23 **At the end of each reporting period:**
- (a) **foreign currency monetary items shall be translated using the closing rate;**
 - (b) **non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency shall be translated using the exchange rate at the date of the transaction; and**
 - (c) **non-monetary items that are measured at fair value in a foreign currency shall be translated using the exchange rates at the date when the fair value was measured.**
- 24 The carrying amount of an item is determined in conjunction with other relevant Standards. For example, property, plant and equipment may be measured in terms of fair value or historical cost in accordance with Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*. Whether the carrying amount is determined on the basis of historical cost or on the basis of fair value, if the amount is determined in a foreign currency it is then translated into the functional currency in accordance with this Standard.
- 25 The carrying amount of some items is determined by comparing two or more amounts. For example, the carrying amount of inventories is the lower of cost and net realisable value in accordance with Ind AS 2, *Inventories*. Similarly, in accordance with Ind AS 36, *Impairment of Assets*, the carrying amount of an asset for which there is an indication of impairment is the lower of its carrying amount before considering possible impairment losses and its recoverable amount. When such an asset is non-monetary and is measured in a foreign currency, the carrying amount is determined by comparing:
- (a) the cost or carrying amount, as appropriate, translated at the exchange rate at the date when that amount was determined (ie the rate at the date of the transaction for an item measured in terms of historical cost); and
 - (b) the net realisable value or recoverable amount, as appropriate, translated at the exchange rate at the date when that value was determined (eg the closing rate at the end of the reporting period).

The effect of this comparison may be that an impairment loss is recognised in the functional currency but would not be recognised in the foreign currency, or vice versa.

- 26 When several exchange rates are available, the rate used is that at which the future cash flows represented by the transaction or balance could have been settled if those cash flows had occurred at the measurement date. If exchangeability between two currencies is temporarily lacking, the rate used is the first subsequent rate at which exchanges could be made.

Recognition of exchange differences

- 27 As noted in paragraph 3 (a) and 5, Ind AS 109 applies to hedge accounting for foreign currency items. The application of hedge accounting requires an entity to account for some exchange differences differently from the treatment of exchange differences required by this Standard. For example, Ind AS 109 requires that

- exchange differences on monetary items that qualify as hedging instruments in a cash flow hedge are recognised initially in other comprehensive income to the extent that the hedge is effective.
- 28 **Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items at rates different from those at which they were translated on initial recognition during the period or in previous financial statements shall be recognised in profit or loss in the period in which they arise, except as described in paragraph 32.**
- 29 When monetary items arise from a foreign currency transaction and there is a change in the exchange rate between the transaction date and the date of settlement, an exchange difference results. When the transaction is settled within the same accounting period as that in which it occurred, all the exchange difference is recognised in that period. However, when the transaction is settled in a subsequent accounting period, the exchange difference recognised in each period up to the date of settlement is determined by the change in exchange rates during each period.
- 30 **When a gain or loss on a non-monetary item is recognised in other comprehensive income, any exchange component of that gain or loss shall be recognised in other comprehensive income. Conversely, when a gain or loss on a non-monetary item is recognised in profit or loss, any exchange component of that gain or loss shall be recognised in profit or loss.**
- 31 Other Ind ASs require some gains and losses to be recognised in other comprehensive income. For example, Ind AS 16 requires some gains and losses arising on a revaluation of property, plant and equipment to be recognised in other comprehensive income. When such an asset is measured in a foreign currency, paragraph 23(c) of this Standard requires the revalued amount to be translated using the rate at the date the value is determined, resulting in an exchange difference that is also recognised in other comprehensive income.
- 32 **Exchange differences arising on a monetary item that forms part of a reporting entity's net investment in a foreign operation (see paragraph 15) shall be recognised in profit or loss in the separate financial statements of the reporting entity or the individual financial statements of the foreign operation, as appropriate. In the financial statements that include the foreign operation and the reporting entity (eg consolidated financial statements when the foreign operation is a subsidiary), such exchange differences shall be recognised initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on disposal of the net investment in accordance with paragraph 48.**
- 33 When a monetary item forms part of a reporting entity's net investment in a foreign operation and is denominated in the functional currency of the reporting entity, an exchange difference arises in the foreign operation's individual financial statements in accordance with paragraph 28. If such an item is denominated in the functional currency of the foreign operation, an exchange difference arises in the reporting entity's separate financial statements in accordance with paragraph 28. If such an item is denominated in a currency other than the functional currency of either the reporting entity or the foreign operation, an exchange difference arises in the reporting entity's separate financial statements and in the foreign operation's individual financial statements in accordance with paragraph 28. Such exchange differences are recognised in other comprehensive income in the financial statements that include the foreign operation and the reporting entity (ie financial statements in which the foreign operation is consolidated or accounted for using the equity method).
- 34 When an entity keeps its books and records in a currency other than its functional currency, at the time the entity prepares its financial statements all amounts are translated into the functional currency in accordance with paragraphs 20–26. This produces the same amounts in the functional currency as would have occurred had the items been recorded initially in the functional currency. For example, monetary items are translated into the functional currency using the closing rate, and non-monetary items that are measured on a historical cost basis are translated using the exchange rate at the date of the transaction that resulted in their recognition.

Change in functional currency

- 35 **When there is a change in an entity's functional currency, the entity shall apply the translation procedures applicable to the new functional currency prospectively from the date of the change.**
- 36 As noted in paragraph 13, the functional currency of an entity reflects the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. Accordingly, once the functional currency is determined, it can be changed only if there is a change to those underlying transactions, events and conditions. For example, a change in the currency that mainly influences the sales prices of goods and services may lead to a change in an entity's functional currency.

- 37 The effect of a change in functional currency is accounted for prospectively. In other words, an entity translates all items into the new functional currency using the exchange rate at the date of the change. The resulting translated amounts for non-monetary items are treated as their historical cost. Exchange differences arising from the translation of a foreign operation previously recognised in other comprehensive income in accordance with paragraphs 32 and 39(c) are not reclassified from equity to profit or loss until the disposal of the operation.

Use of a presentation currency other than the functional currency

Translation to the presentation currency

- 38 An entity may present its financial statements in any currency (or currencies). If the presentation currency differs from the entity's functional currency, it translates its results and financial position into the presentation currency. For example, when a group contains individual entities with different functional currencies, the results and financial position of each entity are expressed in a common currency so that consolidated financial statements may be presented.

- 39 **The results and financial position of an entity whose functional currency is not the currency of a hyperinflationary economy shall be translated into a different presentation currency using the following procedures:**

- (a) **assets and liabilities for each balance sheet presented (ie including comparatives) shall be translated at the closing rate at the date of that balance sheet;**
- (b) **income and expenses for each statement of profit and loss presented (ie including comparatives) shall be translated at exchange rates at the dates of the transactions; and**
- (c) **all resulting exchange differences shall be recognised in other comprehensive income.**

- 40 For practical reasons, a rate that approximates the exchange rates at the dates of the transactions, for example an average rate for the period, is often used to translate income and expense items. However, if exchange rates fluctuate significantly, the use of the average rate for a period is inappropriate.

- 41 The exchange differences referred to in paragraph 39(c) result from:

- (a) translating income and expenses at the exchange rates at the dates of the transactions and assets and liabilities at the closing rate.
- (b) translating the opening net assets at a closing rate that differs from the previous closing rate.

These exchange differences are not recognised in profit or loss because the changes in exchange rates have little or no direct effect on the present and future cash flows from operations. The cumulative amount of the exchange differences is presented in a separate component of equity until disposal of the foreign operation. When the exchange differences relate to a foreign operation that is consolidated but not wholly-owned, accumulated exchange differences arising from translation and attributable to non-controlling interests are allocated to, and recognised as part of, non-controlling interests in the consolidated balance sheet.

- 42 **The results and financial position of an entity whose functional currency is the currency of a hyperinflationary economy shall be translated into a different presentation currency using the following procedures:**

- (a) **all amounts (ie assets, liabilities, equity items, income and expenses, including comparatives) shall be translated at the closing rate at the date of the most recent balance sheet, except that**
- (b) **when amounts are translated into the currency of a non-hyperinflationary economy, comparative amounts shall be those that were presented as current year amounts in the relevant prior year financial statements (ie not adjusted for subsequent changes in the price level or subsequent changes in exchange rates).**

- 43 **When an entity's functional currency is the currency of a hyperinflationary economy, the entity shall restate its financial statements in accordance with Ind AS 29 before applying the translation method set out in paragraph 42, except for comparative amounts that are translated into a currency of a non-hyperinflationary economy (see paragraph 42(b)). When the economy ceases to be hyperinflationary and the entity no longer restates its financial statements in accordance with Ind AS 29, it shall use as the historical costs for translation into the presentation currency the amounts restated to the price level at the date the entity ceased restating its financial statements.**

Translation of a foreign operation

- 44 Paragraphs 45–47, in addition to paragraphs 38–43, apply when the results and financial position of a foreign operation are translated into a presentation currency so that the foreign operation can be included in the financial statements of the reporting entity by consolidation or the equity method.
- 45 The incorporation of the results and financial position of a foreign operation with those of the reporting entity follows normal consolidation procedures, such as the elimination of intragroup balances and intragroup transactions of a subsidiary (see Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*). However, an intragroup monetary asset (or liability), whether short-term or long-term, cannot be eliminated against the corresponding intragroup liability (or asset) without showing the results of currency fluctuations in the consolidated financial statements. This is because the monetary item represents a commitment to convert one currency into another and exposes the reporting entity to a gain or loss through currency fluctuations. Accordingly, in the consolidated financial statements of the reporting entity, such an exchange difference is recognised in profit or loss or, if it arises from the circumstances described in paragraph 32, it is recognised in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity until the disposal of the foreign operation.
- 46 When the financial statements of a foreign operation are as of a date different from that of the reporting entity, the foreign operation often prepares additional statements as of the same date as the reporting entity's financial statements. When this is not done, Ind AS 110 allows the use of a different date provided that the difference is no greater than three months and adjustments are made for the effects of any significant transactions or other events that occur between the different dates. In such a case, the assets and liabilities of the foreign operation are translated at the exchange rate at the end of the reporting period of the foreign operation. Adjustments are made for significant changes in exchange rates up to the end of the reporting period of the reporting entity in accordance with Ind AS 110. The same approach is used in applying the equity method to associates and joint ventures in accordance with Ind AS 28.
- 47 **Any goodwill arising on the acquisition of a foreign operation and any fair value adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities arising on the acquisition of that foreign operation shall be treated as assets and liabilities of the foreign operation. Thus they shall be expressed in the functional currency of the foreign operation and shall be translated at the closing rate in accordance with paragraphs 39 and 42.**

Disposal or partial disposal of a foreign operation

- 48 **On the disposal of a foreign operation, the cumulative amount of the exchange differences relating to that foreign operation, recognised in other comprehensive income and accumulated in the separate component of equity, shall be reclassified from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the gain or loss on disposal is recognised (see Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*).**
- 48A In addition to the disposal of an entity's entire interest in a foreign operation, the following partial disposals are accounted for as disposals:
- (a) when the partial disposal involves the loss of control of a subsidiary that includes a foreign operation, regardless of whether the entity retains a non-controlling interest in its former subsidiary after the partial disposal; and
 - (b) when the retained interest after the partial disposal of an interest in a joint arrangement or a partial disposal of an interest in an associate that includes a foreign operation is a financial asset that includes a foreign operation.
- 48B On disposal of a subsidiary that includes a foreign operation, the cumulative amount of the exchange differences relating to that foreign operation that have been attributed to the non-controlling interests shall be derecognised, but shall not be reclassified to profit or loss.
- 48C **On the partial disposal of a subsidiary that includes a foreign operation, the entity shall re-attribute the proportionate share of the cumulative amount of the exchange differences recognised in other comprehensive income to the non-controlling interests in that foreign operation. In any other partial disposal of a foreign operation the entity shall reclassify to profit or loss only the proportionate share of the cumulative amount of the exchange differences recognised in other comprehensive income.**
- 48D A partial disposal of an entity's interest in a foreign operation is any reduction in an entity's ownership interest in a foreign operation, except those reductions in paragraph 48A that are accounted for as disposals.

- 49 An entity may dispose or partially dispose of its interest in a foreign operation through sale, liquidation, repayment of share capital or abandonment of all, or part of, that entity. A write-down of the carrying amount of a foreign operation, either because of its own losses or because of an impairment recognised by the investor, does not constitute a partial disposal. Accordingly, no part of the foreign exchange gain or loss recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss at the time of a write-down.

Tax effects of all exchange differences

- 50 Gains and losses on foreign currency transactions and exchange differences arising on translating the results and financial position of an entity (including a foreign operation) into a different currency may have tax effects. Ind AS 12, *Income Taxes*, applies to these tax effects.

Disclosure

- 51 **In paragraphs 53 and 55–57 references to ‘functional currency’ apply, in the case of a group, to the functional currency of the parent.**
- 52 **An entity shall disclose:**
- (a) **the amount of exchange differences recognised in profit or loss except for those arising on financial instruments measured at fair value through profit or loss in accordance with Ind AS 109; and**
 - (b) **net exchange differences recognised in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity, and a reconciliation of the amount of such exchange differences at the beginning and end of the period.**
- 53 **When the presentation currency is different from the functional currency, that fact shall be stated, together with disclosure of the functional currency and the reason for using a different presentation currency.**
- 54 **When there is a change in the functional currency of either the reporting entity or a significant foreign operation, that fact, the reason for the change in functional currency and the date of change in functional currency shall be disclosed.**
- 55 **When an entity presents its financial statements in a currency that is different from its functional currency, it shall describe the financial statements as complying with Ind ASs only if they comply with all the requirements of each applicable Standard including the translation method set out in paragraphs 39 and 42.**
- 56 An entity sometimes presents its financial statements or other financial information in a currency that is not its functional currency without meeting the requirements of paragraph 55. For example, an entity may convert into another currency only selected items from its financial statements. Or, an entity whose functional currency is not the currency of a hyperinflationary economy may convert the financial statements into another currency by translating all items at the most recent closing rate. Such conversions are not in accordance with Ind ASs and the disclosures set out in paragraph 57 are required.
- 57 **When an entity displays its financial statements or other financial information in a currency that is different from either its functional currency or its presentation currency and the requirements of paragraph 55 are not met, it shall:**
- (a) **clearly identify the information as supplementary information to distinguish it from the information that complies with Ind ASs;**
 - (b) **disclose the currency in which the supplementary information is displayed; and**
 - (c) **disclose the entity’s functional currency and the method of translation used to determine the supplementary information.**

Appendix A

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendix which is a part of another Indian Accounting Standard and makes reference to Ind AS 21, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*.

1. Appendix C, *Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation*, contained in Ind AS 109, *Financial instruments* makes reference to this Standard also.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 21 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 21, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 21, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

- 1 The transitional provisions given in IAS 21 have not been given in the Ind AS 21, since all transitional provisions related to Indian ASs, wherever considered appropriate, have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
- 2 Paragraph 7AA has been inserted to scope out the long-term foreign currency monetary items for which an entity has opted for the exemption given in paragraph D13AA of Appendix D to Ind AS 101 allowing to continue the policy adopted for accounting for exchange differences arising from translation of such long-term foreign currency monetary items recognised in the financial statements for the period ending immediately before beginning of the first Ind AS financial reporting period as per the previous GAAP.
- 3 When there is a change in functional currency of either the reporting currency or a significant foreign operation, IAS 21 requires disclosure of that fact and the reason for the change in functional currency. Ind AS 21 requires an additional disclosure of the date of change in functional currency.
- 4 Different terminology is used in this Standard eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 23**Borrowing Costs**

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Core principle

1. **Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset form part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognised as an expense.**

Scope

2. **An entity shall apply this Standard in accounting for borrowing costs.**
3. The Standard does not deal with the actual or imputed cost of equity, including preferred capital not classified as a liability.
4. An entity is not required to apply the Standard to borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of:
 - (a) a qualifying asset measured at fair value, for example, a biological asset within the scope of Ind AS 41 *Agriculture*; or
 - (b) inventories that are manufactured, or otherwise produced, in large quantities on a repetitive basis.

Definitions

5. **This Standard uses the following terms with the meanings specified:**

***Borrowing costs* are interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds.**

***A qualifying asset* is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.**

6. Borrowing costs may include:
 - (a) interest expense calculated using the effective interest method as described in Ind AS 109, *Financial Instruments*;
 - (b) [Refer Appendix 1]
 - (c) [Refer Appendix 1]
 - (d) finance charges in respect of finance leases recognised in accordance with Ind AS 17, *Leases*; and
 - (e) exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

- 6A. With regard to exchange difference required to be treated as borrowing costs in accordance with paragraph 6(e), the manner of arriving at the adjustments stated therein shall be as follows:
- (i) the adjustment should be of an amount which is equivalent to the extent to which the exchange loss does not exceed the difference between the cost of borrowing in functional currency when compared to the cost of borrowing in a foreign currency.
 - (ii) where there is an unrealised exchange loss which is treated as an adjustment to interest and subsequently there is a realised or unrealised gain in respect of the settlement or translation of the same borrowing, the gain to the extent of the loss previously recognised as an adjustment should also be recognised as an adjustment to interest.
7. Depending on the circumstances, any of the following may be qualifying assets:
- (a) inventories
 - (b) manufacturing plants
 - (c) power generation facilities
 - (d) intangible assets
 - (e) investment properties
 - (f) bearer plants.

Financial assets, and inventories that are manufactured, or otherwise produced, over a short period of time, are not qualifying assets. Assets that are ready for their intended use or sale when acquired are not qualifying assets.

Recognition

8. **An entity shall capitalise borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset as part of the cost of that asset. An entity shall recognise other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them.**
9. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are included in the cost of that asset. Such borrowing costs are capitalised as part of the cost of the asset when it is probable that they will result in future economic benefits to the entity and the costs can be measured reliably. When an entity applies Ind AS 29 *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*, it recognises as an expense the part of borrowing costs that compensates for inflation during the same period in accordance with paragraph 21 of that Standard.
- Borrowing costs eligible for capitalisation***
10. The borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are those borrowing costs that would have been avoided if the expenditure on the qualifying asset had not been made. When an entity borrows funds specifically for the purpose of obtaining a particular qualifying asset, the borrowing costs that directly relate to that qualifying asset can be readily identified.
11. It may be difficult to identify a direct relationship between particular borrowings and a qualifying asset and to determine the borrowings that could otherwise have been avoided. Such a difficulty occurs, for example, when the financing activity of an entity is co-ordinated centrally. Difficulties also arise when a group uses a range of debt instruments to borrow funds at varying rates of interest, and lends those funds on various bases to other entities in the group. Other complications arise through the use of loans denominated in or linked to foreign currencies, when the group operates in highly inflationary economies, and from fluctuations in exchange rates. As a result, the determination of the amount of borrowing costs that are directly attributable to the acquisition of a qualifying asset is difficult and the exercise of judgement is required.
12. **To the extent that an entity borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity shall determine the amount of borrowing costs eligible for capitalisation as the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the period less any investment income on the temporary investment of those borrowings.**
13. The financing arrangements for a qualifying asset may result in an entity obtaining borrowed funds and incurring associated borrowing costs before some or all of the funds are used for expenditures on the qualifying asset. In such circumstances, the funds are often temporarily invested pending their expenditure on the qualifying asset. In determining the amount of borrowing costs eligible for capitalisation during a period, any investment income earned on such funds is deducted from the borrowing costs incurred.

14. **To the extent that an entity borrows funds generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity shall determine the amount of borrowing costs eligible for capitalisation by applying a capitalisation rate to the expenditures on that asset. The capitalisation rate shall be the weighted average of the borrowing costs applicable to the borrowings of the entity that are outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. The amount of borrowing costs that an entity capitalises during a period shall not exceed the amount of borrowing costs it incurred during that period.**

15. In some circumstances, it is appropriate to include all borrowings of the parent and its subsidiaries when computing a weighted average of the borrowing costs; in other circumstances, it is appropriate for each subsidiary to use a weighted average of the borrowing costs applicable to its own borrowings.

Excess of the carrying amount of the qualifying asset over recoverable amount

16. When the carrying amount or the expected ultimate cost of the qualifying asset exceeds its recoverable amount or net realisable value, the carrying amount is written down or written off in accordance with the requirements of other Standards. In certain circumstances, the amount of the write-down or write-off is written back in accordance with those other Standards.

Commencement of capitalisation

17. **An entity shall begin capitalising borrowing costs as part of the cost of a qualifying asset on the commencement date. The commencement date for capitalisation is the date when the entity first meets all of the following conditions:**

- (a) **it incurs expenditures for the asset;**
- (b) **it incurs borrowing costs; and**
- (c) **it undertakes activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale.**

18. Expenditures on a qualifying asset include only those expenditures that have resulted in payments of cash, transfers of other assets or the assumption of interest-bearing liabilities. Expenditures are reduced by any progress payments received and grants received in connection with the asset (see Ind AS 20, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*). The average carrying amount of the asset during a period, including borrowing costs previously capitalised, is normally a reasonable approximation of the expenditures to which the capitalisation rate is applied in that period.

19. The activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale encompass more than the physical construction of the asset. They include technical and administrative work prior to the commencement of physical construction, such as the activities associated with obtaining permits prior to the commencement of the physical construction. However, such activities exclude the holding of an asset when no production or development that changes the asset's condition is taking place. For example, borrowing costs incurred while land is under development are capitalised during the period in which activities related to the development are being undertaken. However, borrowing costs incurred while land acquired for building purposes is held without any associated development activity do not qualify for capitalisation.

Suspension of capitalisation

20. **An entity shall suspend capitalisation of borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a qualifying asset.**

21. An entity may incur borrowing costs during an extended period in which it suspends the activities necessary to prepare an asset for its intended use or sale. Such costs are costs of holding partially completed assets and do not qualify for capitalisation. However, an entity does not normally suspend capitalising borrowing costs during a period when it carries out substantial technical and administrative work. An entity also does not suspend capitalising borrowing costs when a temporary delay is a necessary part of the process of getting an asset ready for its intended use or sale. For example, capitalisation continues during the extended period that high water levels delay construction of a bridge, if such high water levels are common during the construction period in the geographical region involved.

Cessation of capitalisation

22. **An entity shall cease capitalising borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete.**

23. An asset is normally ready for its intended use or sale when the physical construction of the asset is complete even though routine administrative work might still continue. If minor modifications, such as the decoration

of a property to the purchaser's or user's specification, are all that are outstanding, this indicates that substantially all the activities are complete.

24. **When an entity completes the construction of a qualifying asset in parts and each part is capable of being used while construction continues on other parts, the entity shall cease capitalising borrowing costs when it completes substantially all the activities necessary to prepare that part for its intended use or sale.**
25. A business park comprising several buildings, each of which can be used individually, is an example of a qualifying asset for which each part is capable of being usable while construction continues on other parts. An example of a qualifying asset that needs to be complete before any part can be used is an industrial plant involving several processes which are carried out in sequence at different parts of the plant within the same site, such as a steel mill.

Disclosure

26. **An entity shall disclose :**

- (a) **the amount of borrowing costs capitalised during the period; and**
- (b) **the capitalisation rate used to determine the amount of borrowing costs eligible for capitalisation.**

Appendix A

References to matters contained in other Indian Accounting Standards (Ind ASs)

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

1. Appendix A, *Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities*, contained in Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*, makes reference to this Standard also.
2. Appendix C, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*, makes reference to this Standard also.

Appendix 1

*Note : This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 23 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 23, *Borrowing Costs*, issued by the International Accounting Standards Board.*

Comparison with IAS 23, *Borrowing Costs*

- 1 IAS 23 provides no guidance as to how the adjustment prescribed in paragraph 6(e) is to be determined. Paragraph 6A is added in Ind AS 23 to provide the guidance.
- 2 The following paragraph numbers appear as 'Deleted' in IAS 23. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 23, the paragraph numbers are retained in Ind AS 23 :
 - (i) paragraph 6(b)
 - (ii) paragraph 6(c)
- 3 The transitional provisions given in IAS 23 have not been given in Ind AS 23, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 24

Related Party Disclosures

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in **bold** type indicate the main principles.).*

Objective

- 1 The objective of this Standard is to ensure that an entity's financial statements contain the disclosures necessary to draw attention to the possibility that its financial position and profit or loss may have been affected by the existence of related parties and by transactions and outstanding balances, including commitments, with such parties.

Scope

- 2 **This Standard shall be applied in :**

- (a) **identifying related party relationships and transactions;**

- (b) identifying outstanding balances, including commitments, between an entity and its related parties;
 - (c) identifying the circumstances in which disclosure of the items in (a) and (b) is required; and
 - (d) determining the disclosures to be made about those items.
- 3 This Standard requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the consolidated and separate financial statements of a parent or investors with joint control of, or significant influence over, an investee presented in accordance with Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, or Ind AS 27, *Separate Financial Statements*. This Standard also applies to individual financial statements.
- 4 Related party transactions and outstanding balances with other entities in a group are disclosed in an entity's financial statements. Intragroup related party transactions and outstanding balances are eliminated, except for those between an investment entity and its subsidiaries measured at fair value through profit or loss, in the preparation of consolidated financial statements of the group.
- 4A Related party disclosure requirements as laid down in this Standard do not apply in circumstances where providing such disclosures would conflict with the reporting entity's duties of confidentiality as specifically required in terms of a statute or by any regulator or similar competent authority.
- 4B In case a statute or a regulator or a similar competent authority governing an entity prohibits the entity to disclose certain information which is required to be disclosed as per this Standard, disclosure of such information is not warranted. For example, banks are obliged by law to maintain confidentiality in respect of their customers' transactions and this Standard would not override the obligation to preserve the confidentiality of customers' dealings.

Purpose of related party disclosures

- 5 Related party relationships are a normal feature of commerce and business. For example, entities frequently carry on parts of their activities through subsidiaries, joint ventures and associates. In those circumstances, the entity has the ability to affect the financial and operating policies of the investee through the presence of control, joint control or significant influence.
- 6 A related party relationship could have an effect on the profit or loss and financial position of an entity. Related parties may enter into transactions that unrelated parties would not. For example, an entity that sells goods to its parent at cost might not sell on those terms to another customer. Also, transactions between related parties may not be made at the same amounts as between unrelated parties.
- 7 The profit or loss and financial position of an entity may be affected by a related party relationship even if related party transactions do not occur. The mere existence of the relationship may be sufficient to affect the transactions of the entity with other parties. For example, a subsidiary may terminate relations with a trading partner on acquisition by the parent of a fellow subsidiary engaged in the same activity as the former trading partner. Alternatively, one party may refrain from acting because of the significant influence of another—for example, a subsidiary may be instructed by its parent not to engage in research and development.
- 8 For these reasons, knowledge of an entity's transactions, outstanding balances, including commitments, and relationships with related parties may affect assessments of its operations by users of financial statements, including assessments of the risks and opportunities facing the entity.

Definitions

- 9 The following terms are used in this Standard with the meanings specified :

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (in this Standard referred to as the 'reporting entity').

- (a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person :
 - (i) has control or joint control of the reporting entity;
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies :

- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (vii) A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (viii) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A *related party transaction* is a transfer of resources, services or obligations between a reporting entity and a related party, regardless of whether a price is charged.

Close members of the family of a person are those family members who may be expected to influence, or be influenced by, that person in their dealings with the entity including :

- (a) that person's children, spouse or domestic partner, brother, sister, father and mother;
- (b) children of that person's spouse or domestic partner; and
- (c) dependants of that person or that person's spouse or domestic partner.

Compensation includes all employee benefits (as defined in Ind AS 19, *Employee Benefits*) including employee benefits to which Ind AS 102, *Share-based Payments*, applies. Employee benefits are all forms of consideration paid, payable or provided by the entity, or on behalf of the entity, in exchange for services rendered to the entity. It also includes such consideration paid on behalf of a parent of the entity in respect of the entity. Compensation includes:

- (a) short-term employee benefits, such as wages, salaries and social security contributions, paid annual leave and paid sick leave, profit-sharing and bonuses (if payable within twelve months of the end of the period) and non-monetary benefits (such as medical care, housing, cars and free or subsidised goods or services) for current employees;
- (b) post-employment benefits such as pensions, other retirement benefits, post-employment life insurance and post-employment medical care;
- (c) other long-term employee benefits, including long-service leave or sabbatical leave, jubilee or other long-service benefits, long-term disability benefits and, if they are not payable wholly within twelve months after the end of the period, profit-sharing, bonuses and deferred compensation;
- (d) termination benefits; and
- (e) share-based payment.

Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity, directly or indirectly, including any director (whether executive or otherwise) of that entity.

Government refers to Government, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

A *Government-related entity* is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a Government.

The terms 'control' and 'investment entity', 'joint control' and 'significant influence' are defined in Ind AS 110, Ind AS 111, *Joint Arrangements*, and Ind AS 28, *Investments in Associates and Joint Ventures*, respectively and are used in this Standard with the meanings specified in those Ind ASs.

- 10 In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship and not merely the legal form.
- 11 In the context of this Standard, the following are not related parties :
- (a) two entities simply because they have a director or other member of key management personnel in common or because a member of key management personnel of one entity has significant influence over the other entity.
 - (b) two joint venturers simply because they share joint control of a joint venture.
 - (c)
 - (i) providers of finance,
 - (ii) trade unions,
 - (iii) public utilities, and
 - (iv) departments and agencies of a Government that does not control, jointly control or significantly influence the reporting entity,
 simply by virtue of their normal dealings with an entity (even though they may affect the freedom of action of an entity or participate in its decision-making process).
 - (d) a customer, supplier, franchisor, distributor or general agent with whom an entity transacts a significant volume of business, simply by virtue of the resulting economic dependence.
- 12 In the definition of a related party, an associate includes subsidiaries of the associate and a joint venture includes subsidiaries of the joint venture. Therefore, for example, an associate's subsidiary and the investor that has significant influence over the associate are related to each other.

Disclosures

All entities

- 13 **Relationships between a parent and its subsidiaries shall be disclosed irrespective of whether there have been transactions between them. An entity shall disclose the name of its parent and, if different, the ultimate controlling party. If neither the entity's parent nor the ultimate controlling party produces consolidated financial statements available for public use, the name of the next most senior parent that does so shall also be disclosed.**
- 14 To enable users of financial statements to form a view about the effects of related party relationships on an entity, it is appropriate to disclose the related party relationship when control exists, irrespective of whether there have been transactions between the related parties. This is because the existence of control relationship may prevent the reporting entity from being independent in making its financial and operating decisions. The disclosure of the name of the related party and the nature of the related party relationship where control exists may sometimes be at least as relevant in appraising an entity's prospects as are the operating results and the financial position presented in its financial statements. Such a related party may establish the entity's credit standing, determine the source and price of its raw materials, and determine to whom and at what price the product is sold.
- 15 The requirement to disclose related party relationships between a parent and its subsidiaries is in addition to the disclosure requirements in Ind AS 27 and Ind AS 112, *Disclosure of Interests in Other Entities*.
- 16 Paragraph 13 refers to the next most senior parent. This is the first parent in the group above the immediate parent that produces consolidated financial statements available for public use.
- 17 **An entity shall disclose key management personnel compensation in total and for each of the following categories :**
- (a) short-term employee benefits;
 - (b) post-employment benefits;
 - (c) other long-term benefits;
 - (d) termination benefits; and
 - (e) share-based payment.
- 17A **If an entity obtains key management personnel services from another entity (the 'management entity'), the entity is not required to apply the requirements in paragraph 17 to the compensation paid or payable by the management entity to the management entity's employees or directors.**

- 18 **If an entity has had related party transactions during the periods covered by the financial statements, it shall disclose the nature of the related party relationship as well as information about those transactions and outstanding balances, including commitments, necessary for users to understand the potential effect of the relationship on the financial statements. These disclosure requirements are in addition to those in paragraph 17. At a minimum, disclosures shall include :**
- (a) **the amount of the transactions;**
 - (b) **the amount of outstanding balances, including commitments, and :**
 - (i) **their terms and conditions, including whether they are secured, and the nature of the consideration to be provided in settlement; and**
 - (ii) **details of any guarantees given or received;**
 - (c) **provisions for doubtful debts related to the amount of outstanding balances; and**
 - (d) **the expense recognised during the period in respect of bad or doubtful debts due from related parties.**
- 18A **Amounts incurred by the entity for the provision of key management personnel services that are provided by a separate management entity shall be disclosed.**
- 19 **The disclosures required by paragraph 18 shall be made separately for each of the following categories:**
- (a) **the parent;**
 - (b) **entities with joint control of, or significant influence over, the entity;**
 - (c) **subsidiaries;**
 - (d) **associates;**
 - (e) **joint ventures in which the entity is a joint venturer;**
 - (f) **key management personnel of the entity or its parent; and**
 - (g) **other related parties.**
- 20 The classification of amounts payable to, and receivable from, related parties in the different categories as required in paragraph 19 is an extension of the disclosure requirement in Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*, for information to be presented either in the balance sheet or in the notes. The categories are extended to provide a more comprehensive analysis of related party balances and apply to related party transactions.
- 21 The following are examples of transactions that are disclosed if they are with a related party :
- (a) purchases or sales of goods (finished or unfinished);
 - (b) purchases or sales of property and other assets;
 - (c) rendering or receiving of services;
 - (d) leases;
 - (e) transfers of research and development;
 - (f) transfers under licence agreements;
 - (g) transfers under finance arrangements (including loans and equity contributions in cash or in kind);
 - (h) provision of guarantees or collateral;
 - (i) commitments to do something if a particular event occurs or does not occur in the future, including executory contracts¹ (recognised and unrecognised);
 - (j) settlement of liabilities on behalf of the entity or by the entity on behalf of that related party;- and
 - (k) management contracts including for deputation of employees.
- 22 Participation by a parent or subsidiary in a defined benefit plan that shares risks between group entities is a transaction between related parties (see paragraph 42 of Ind AS 19).
- 23 Disclosures that related party transactions were made on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions are made only if such terms can be substantiated.

¹ Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, defines executory contracts as contracts under which neither party has performed any of its obligations or both parties have partially performed their obligations to an equal extent.

- 24 **Items of a similar nature may be disclosed in aggregate except when separate disclosure is necessary for an understanding of the effects of related party transactions on the financial statements of the entity.**
- 24A Disclosure of details of particular transactions with individual related parties would frequently be too voluminous to be easily understood. Accordingly, items of a similar nature may be disclosed in aggregate by type of related party. However, this is not done in such a way as to obscure the importance of significant transactions. Hence, purchases or sales of goods are not aggregated with purchases or sales of fixed assets. Nor a material related party transaction with an individual party is clubbed in an aggregated disclosure.
- Government-related entities**
- 25 **A reporting entity is exempt from the disclosure requirements of paragraph 18 in relation to related party transactions and outstanding balances, including commitments, with:**
- (a) **a Government that has control or joint control of, or significant influence over, the reporting entity; and**
 - (b) **another entity that is a related party because the same Government has control or joint control of, or significant influence over, both the reporting entity and the other entity.**
- 26 **If a reporting entity applies the exemption in paragraph 25, it shall disclose the following about the transactions and related outstanding balances referred to in paragraph 25:**
- (a) **the name of the Government and the nature of its relationship with the reporting entity (ie control, joint control or significant influence);**
 - (b) **the following information in sufficient detail to enable users of the entity's financial statements to understand the effect of related party transactions on its financial statements:**
 - (i) **the nature and amount of each individually significant transaction; and**
 - (ii) **for other transactions that are collectively, but not individually, significant, a qualitative or quantitative indication of their extent. Types of transactions include those listed in paragraph 21.**
- 27 In using its judgement to determine the level of detail to be disclosed in accordance with the requirements in paragraph 26 (b), the reporting entity shall consider the closeness of the related party relationship and other factors relevant in establishing the level of significance of the transaction such as whether it is:
- (a) significant in terms of size;
 - (b) carried out on non-market terms;
 - (c) outside normal day-to-day business operations, such as the purchase and sale of businesses;
 - (d) disclosed to regulatory or supervisory authorities;
 - (e) reported to senior management;
 - (f) subject to shareholder approval.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 24 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 24, Related Party Disclosures, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 24, Related Party Disclosures

1. In the Ind AS 24, disclosures which conflict with confidentiality requirements of statute/regulations are not required to be made since Accounting Standards can not override legal/regulatory requirements. (Paragraphs 4A and 4B of Ind AS 24).
2. Paragraph 24A has been included in the Ind AS 24. It provides additional clarificatory guidance regarding aggregation of transactions for disclosure.
3. Different terminology is used in this standard, eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'.
4. Paragraph 14 has been modified to explain the rationale for disclosing related party relationship when control exists.

5. In paragraph 21 an example of related party transaction ‘(k) management contracts including for deputation or employees’ has been added.
6. ‘Definition of close members of the family of a person’ in paragraph 9 has been amended to include brother, sister, father and mother in the category of family members who may be expected to influence, or be influenced.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 27

Separate Financial Statements

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

- 1 The objective of this Standard is to prescribe the accounting and disclosure requirements for investments in subsidiaries, joint ventures and associates when an entity prepares separate financial statements.

Scope

- 2 **This Standard shall be applied in accounting for investments in subsidiaries, joint ventures and associates when an entity elects, or is required by law, to present separate financial statements.**
- 3 This Standard does not mandate which entities produce separate financial statements. It applies when an entity prepares separate financial statements that comply with Indian Accounting Standards.

Definitions

- 4 **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

***Consolidated financial statements* are the financial statements of a group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as those of a single economic entity.**

***Separate financial statements* are those presented by a parent (i.e an investor with control of a subsidiary) or an investor with joint control of, or significant influence over, an investee, in which the investments are accounted for at cost or in accordance with Ind AS 109, *Financial Instruments*.**

- 5 The following terms are defined in Appendix A of Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, Appendix A of Ind AS 111, *Joint Arrangements*, and paragraph 3 of Ind AS 28, *Investments in Associates and Joint Ventures*:
 - associate
 - control of an investee
 - group
 - Investment Entity
 - joint control
 - joint venture
 - joint venturer
 - parent
 - significant influence
 - subsidiary.
- 6 Separate financial statements are those presented in addition to consolidated financial statements or in addition to financial statements in which investments in associates or joint ventures are accounted for using the equity method, other than in the circumstances set out in paragraphs 8-8A. Separate financial statements need not be appended to, or accompany, those statements.
- 7 Financial statements in which the equity method is applied are not separate financial statements. These may be termed as ‘consolidated financial statements’. Similarly, the financial statements of an entity that does not have a subsidiary, associate or joint venturer’s interest in a joint venture are not separate financial statements.
- 8 An entity that is exempted in accordance with paragraph 4(a) of Ind AS 110 from consolidation or paragraph 17 of Ind AS 28 from applying the equity method may present separate financial statements as its only financial statements.

- 8A An investment entity that is required, throughout the current period and all comparative periods presented, to apply the exception to consolidation for all of its subsidiaries in accordance with paragraph 31 of Ind AS 110 presents separate financial statements as its only financial statements.

Preparation of separate financial statements

- 9 **Separate financial statements shall be prepared in accordance with all applicable Ind AS, except as provided in paragraph 10.**

- 10 **When an entity prepares separate financial statements, it shall account for investments in subsidiaries, joint ventures and associates either:**

(a) **at cost, or**

(b) **in accordance with Ind AS 109.**

The entity shall apply the same accounting for each category of investments. Investments accounted for at cost shall be accounted for in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, when they are classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale). The measurement of investments accounted for in accordance with Ind AS 109 is not changed in such circumstances.

- 11 If an entity elects, in accordance with paragraph 18 of Ind AS 28, to measure its investments in associates or joint ventures at fair value through profit or loss in accordance with Ind AS 109, it shall also account for those investments in the same way in its separate financial statements.

- 11A If a parent is required, in accordance with paragraph 31 of Ind AS 110, to measure its investment in a subsidiary at fair value through profit or loss in accordance with Ind AS 109, it shall also account for its investment in a subsidiary in the same way in its separate financial statements.

- 11B When a parent ceases to be an investment entity, or becomes an investment entity, it shall account for the change from the date when the change in status occurred, as follows:

(a) when an entity ceases to be an investment entity, the entity shall, in accordance with paragraph 10, either:

(a) account for an investment in a subsidiary at cost. The fair value of the subsidiary at the date of the change of status shall be used as the deemed cost at that date; or

(b) continue to account for an investment in a subsidiary in accordance with Ind AS 109.

(b) when an entity becomes an investment entity, it shall account for an investment in a subsidiary at fair value through profit or loss in accordance with Ind AS 109. The difference between the previous carrying amount of the subsidiary and its fair value at the date of the change of status of the investor shall be recognised as a gain or loss in profit or loss. The cumulative amount of any fair value adjustment previously recognised in other comprehensive income in respect of those subsidiaries shall be treated as if the investment entity had disposed of those subsidiaries at the date of change in status.

- 12 **An entity shall recognise a dividend from a subsidiary, a joint venture or an associate in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividend is established.**

- 13 When a parent reorganises the structure of its group by establishing a new entity as its parent in a manner that satisfies the following criteria:

(a) the new parent obtains control of the original parent by issuing equity instruments in exchange for existing equity instruments of the original parent;

(b) the assets and liabilities of the new group and the original group are the same immediately before and after the reorganisation; and

(c) the owners of the original parent before the reorganisation have the same absolute and relative interests in the net assets of the original group and the new group immediately before and after the reorganisation,

and the new parent accounts for its investment in the original parent in accordance with paragraph 10(a) in its separate financial statements, the new parent shall measure cost at the carrying amount of its share of the equity items shown in the separate financial statements of the original parent at the date of the reorganisation.

- 14 Similarly, an entity that is not a parent might establish a new entity as its parent in a manner that satisfies the criteria in paragraph 13. The requirements in paragraph 13 apply equally to such reorganisations. In such cases, references to 'original parent' and 'original group' are to the 'original entity'.

Disclosure

- 15 An entity shall apply all applicable Ind ASs when providing disclosures in its separate financial statements, including the requirements in paragraphs 16 and 17.
- 16 When a parent, in accordance with paragraph 4(a) of Ind AS 110, elects not to prepare consolidated financial statements and instead prepares separate financial statements, it shall disclose in those separate financial statements:
- (a) the fact that the financial statements are separate financial statements; that the exemption from consolidation has been used; the name and principal place of business (and country of incorporation, if different) of the entity whose consolidated financial statements that comply with Ind ASs have been produced for public use; and the address where those consolidated financial statements are obtainable.
 - (b) a list of significant investments in subsidiaries, joint ventures and associates, including:
 - (i) the name of those investees.
 - (ii) the principal place of business (and country of incorporation, if different) of those investees.
 - (iii) its proportion of the ownership interest (and its proportion of the voting rights, if different) held in those investees.
 - (c) a description of the method used to account for the investments listed under (b).
- 16A When an investment entity that is a parent prepares, in accordance with paragraph 8A, separate financial statements as its only financial statements, it shall disclose that fact. The investment entity shall also present the disclosures relating to investment entities required by Ind AS 112, *Disclosure of Interests in Other Entities*.
- 17 When a parent (other than a parent covered by paragraphs 16-16A) or an investor with joint control of, or significant influence over, an investee prepares separate financial statements, the parent or investor shall identify the financial statements prepared in accordance with Ind AS 110, Ind AS 111 or Ind AS 28 to which they relate. The parent or investor shall also disclose in its separate financial statements:
- (a) the fact that the statements are separate financial statements
 - (b) a list of significant investments in subsidiaries, joint ventures and associates, including:
 - (i) the name of those investees.
 - (ii) the principal place of business (and country of incorporation, if different) of those investees.
 - (iii) its proportion of the ownership interest (and its proportion of the voting rights, if different) held in those investees.
 - (c) a description of the method used to account for the investments listed under (b).

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 27 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 27, Separate Financial Statements, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 27, *Separate Financial Statements*

1. Paragraph 17 (a) of IAS 27 requires to disclose the reason for preparing separate financial statements if not required by law. As the Companies Act mandates preparation of separate financial statements, paragraph 17 (a) has been modified to remove such requirement.
2. IAS 27 allows the entities to use the equity method to account for investment in subsidiaries, joint ventures and associates in their Separate Financial Statements (SFS). Such option is not given in Ind AS 27, as the equity method is not a measurement basis like cost and fair value but is a manner of consolidation and therefore would lead to inconsistent accounting conceptually.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 28**Investments in Associates and Joint Ventures**

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold type** and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

- 1 **The objective of this Standard is to prescribe the accounting for investments in associates and to set out the requirements for the application of the equity method when accounting for investments in associates and joint ventures.**

Scope

- 2 **This Standard shall be applied by all entities that are investors with joint control of, or significant influence over, an investee.**

Definitions

- 3 **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

An associate is an entity over which the investor has significant influence.

Consolidated financial statements are the financial statements of a group in which assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as those of a single economic entity.

The equity method is a method of accounting whereby the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter for the post-acquisition change in the investor's share of the investee's net assets. The investor's profit or loss includes its share of the investee's profit or loss and the investor's other comprehensive income includes its share of the investee's other comprehensive income.

A joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control.

Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement.

A joint venturer is a party to a joint venture that has joint control of that joint venture.

Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control of those policies.

- 4 The following terms are defined in paragraph 4 of Ind AS 27, *Separate Financial Statements*, and in Appendix A of Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, and are used in this Standard with the meanings specified in the Ind ASs in which they are defined:

- control of an investee
- group
- parent
- separate financial statements
- subsidiary.

Significant influence

- 5 If an entity holds, directly or indirectly (eg through subsidiaries), 20 per cent or more of the voting power of the investee, it is presumed that the entity has significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Conversely, if the entity holds, directly or indirectly (eg through subsidiaries), less than 20 per cent of the voting power of the investee, it is presumed that the entity does not have significant influence, unless such influence can be clearly demonstrated. A substantial or majority ownership by another investor does not necessarily preclude an entity from having significant influence.
- 6 The existence of significant influence by an entity is usually evidenced in one or more of the following ways:
 - (a) representation on the board of directors or equivalent governing body of the investee;
 - (b) participation in policy-making processes, including participation in decisions about dividends or other distributions;

- (c) material transactions between the entity and its investee;
 - (d) interchange of managerial personnel; or
 - (e) provision of essential technical information.
- 7 An entity may own share warrants, share call options, debt or equity instruments that are convertible into ordinary shares, or other similar instruments that have the potential, if exercised or converted, to give the entity additional voting power or to reduce another party's voting power over the financial and operating policies of another entity (ie potential voting rights). The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible, including potential voting rights held by other entities, are considered when assessing whether an entity has significant influence. Potential voting rights are not currently exercisable or convertible when, for example, they cannot be exercised or converted until a future date or until the occurrence of a future event.
- 8 In assessing whether potential voting rights contribute to significant influence, the entity examines all facts and circumstances (including the terms of exercise of the potential voting rights and any other contractual arrangements whether considered individually or in combination) that affect potential rights, except the intentions of management and the financial ability to exercise or convert those potential rights.
- 9 An entity loses significant influence over an investee when it loses the power to participate in the financial and operating policy decisions of that investee. The loss of significant influence can occur with or without a change in absolute or relative ownership levels. It could occur, for example, when an associate becomes subject to the control of a Government, court, administrator or regulator. It could also occur as a result of a contractual arrangement.

Equity method

- 10 Under the equity method, on initial recognition the investment in an associate or a joint venture is recognised at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the investee's profit or loss is recognised in the investor's profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income. Such changes include those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognised in the investor's other comprehensive income (see Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*).
- 11 The recognition of income on the basis of distributions received may not be an adequate measure of the income earned by an investor on an investment in an associate or a joint venture because the distributions received may bear little relation to the performance of the associate or joint venture. Because the investor has joint control of, or significant influence over, the investee, the investor has an interest in the associate's or joint venture's performance and, as a result, the return on its investment. The investor accounts for this interest by extending the scope of its financial statements to include its share of the profit or loss of such an investee. As a result, application of the equity method provides more informative reporting of the investor's net assets and profit or loss.
- 12 When potential voting rights or other derivatives containing potential voting rights exist, an entity's interest in an associate or a joint venture is determined solely on the basis of existing ownership interests and does not reflect the possible exercise or conversion of potential voting rights and other derivative instruments, unless paragraph 13 applies.
- 13 In some circumstances, an entity has, in substance, an existing ownership as a result of a transaction that currently gives it access to the returns associated with an ownership interest. In such circumstances, the proportion allocated to the entity is determined by taking into account the eventual exercise of those potential voting rights and other derivative instruments that currently give the entity access to the returns.
- 14 Ind AS 109, *Financial Instruments*, does not apply to interests in associates and joint ventures that are accounted for using the equity method. When instruments containing potential voting rights in substance currently give access to the returns associated with an ownership interest in an associate or a joint venture, the instruments are not subject to Ind AS 109. In all other cases, instruments containing potential voting rights in an associate or a joint venture are accounted for in accordance with Ind AS 109.
- 15 Unless an investment, or a portion of an investment, in an associate or a joint venture is classified as held for sale in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, the investment, or any retained interest in the investment not classified as held for sale, shall be classified as a non-current asset.

Application of the equity method

- 16 An entity with joint control of, or significant influence over, an investee shall account for its investment in an associate or a joint venture using the equity method except when that investment qualifies for exemption in accordance with paragraphs 17–19.

Exemptions from applying the equity method

- 17 An entity need not apply the equity method to its investment in an associate or a joint venture if the entity is a parent that is exempt from preparing consolidated financial statements by the scope exception in paragraph 4(a) of Ind AS 110 or if all the following apply:
- (a) The entity is a wholly-owned subsidiary, or is a partially-owned subsidiary of another entity and its other owners, including those not otherwise entitled to vote, have been informed about, and do not object to, the entity not applying the equity method.
 - (b) The entity's debt or equity instruments are not traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including local and regional markets).
 - (c) The entity did not file, nor is it in the process of filing, its financial statements with a securities commission or other regulatory organisation, for the purpose of issuing any class of instruments in a public market.
 - (d) The ultimate or any intermediate parent of the entity produces consolidated financial statements available for public use that comply with Ind ASs.
- 18 When an investment in an associate or a joint venture is held by, or is held indirectly through, an entity that is a venture capital organisation, or a mutual fund, unit trust and similar entities including investment-linked insurance funds, the entity may elect to measure investments in those associates and joint ventures at fair value through profit or loss in accordance with Ind AS 109.
- 19 When an entity has an investment in an associate, a portion of which is held indirectly through a venture capital organisation, or a mutual fund, unit trust and similar entities including investment-linked insurance funds, the entity may elect to measure that portion of the investment in the associate at fair value through profit or loss in accordance with Ind AS 109 regardless of whether the venture capital organisation has significant influence over that portion of the investment. If the entity makes that election, the entity shall apply the equity method to any remaining portion of its investment in an associate that is not held through a venture capital organisation.

Classification as held for sale

- 20 An entity shall apply Ind AS 105 to an investment, or a portion of an investment, in an associate or a joint venture that meets the criteria to be classified as held for sale. Any retained portion of an investment in an associate or a joint venture that has not been classified as held for sale shall be accounted for using the equity method until disposal of the portion that is classified as held for sale takes place. After the disposal takes place, an entity shall account for any retained interest in the associate or joint venture in accordance with Ind AS 109 unless the retained interest continues to be an associate or a joint venture, in which case the entity uses the equity method.
- 21 When an investment, or a portion of an investment, in an associate or a joint venture previously classified as held for sale no longer meets the criteria to be so classified, it shall be accounted for using the equity method retrospectively as from the date of its classification as held for sale. Financial statements for the periods since classification as held for sale shall be amended accordingly.

Discontinuing the use of the equity method

- 22 **An entity shall discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate or a joint venture as follows:**
- (a) **If the investment becomes a subsidiary, the entity shall account for its investment in accordance with Ind AS 103, *Business Combinations*, and Ind AS 110.**
 - (b) **If the retained interest in the former associate or joint venture is a financial asset, the entity shall measure the retained interest at fair value. The fair value of the retained interest shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with Ind AS 109. The entity shall recognise in profit or loss any difference between:**
 - (i) **the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in the associate or joint venture; and**
 - (ii) **the carrying amount of the investment at the date the equity method was discontinued.**

- (c) **When an entity discontinues the use of the equity method, the entity shall account for all amounts previously recognised in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.**

23 Therefore, if a gain or loss previously recognised in other comprehensive income by the investee would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the entity reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued. For example, if an associate or a joint venture has cumulative exchange differences relating to a foreign operation and the entity discontinues the use of the equity method, the entity shall reclassify to profit or loss the gain or loss that had previously been recognised in other comprehensive income in relation to the foreign operation.

24 **If an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate, the entity continues to apply the equity method and does not remeasure the retained interest.**

Changes in ownership interest

25 If an entity's ownership interest in an associate or a joint venture is reduced, but the entity continues to apply the equity method, the entity shall reclassify to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognised in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest if that gain or loss would be required to be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities.

Equity method procedures

26 Many of the procedures that are appropriate for the application of the equity method are similar to the consolidation procedures described in Ind AS 110. Furthermore, the concepts underlying the procedures used in accounting for the acquisition of a subsidiary are also adopted in accounting for the acquisition of an investment in an associate or a joint venture.

27 A group's share in an associate or a joint venture is the aggregate of the holdings in that associate or joint venture by the parent and its subsidiaries. The holdings of the group's other associates or joint ventures are ignored for this purpose. When an associate or a joint venture has subsidiaries, associates or joint ventures, the profit or loss, other comprehensive income and net assets taken into account in applying the equity method are those recognised in the associate's or joint venture's financial statements (including the associate's or joint venture's share of the profit or loss, other comprehensive income and net assets of its associates and joint ventures), after any adjustments necessary to give effect to uniform accounting policies (see paragraphs 35 and 36).

28 Gains and losses resulting from 'upstream' and 'downstream' transactions between an entity (including its consolidated subsidiaries) and its associate or joint venture are recognised in the entity's financial statements only to the extent of unrelated investors' interests in the associate or joint venture. 'Upstream' transactions are, for example, sales of assets from an associate or a joint venture to the investor. 'Downstream' transactions are, for example, sales or contributions of assets from the investor to its associate or its joint venture. The investor's share in the associate's or joint venture's gains or losses resulting from these transactions is eliminated.

29 When downstream transactions provide evidence of a reduction in the net realisable value of the assets to be sold or contributed, or of an impairment loss of those assets, those losses shall be recognised in full by the investor. When upstream transactions provide evidence of a reduction in the net realisable value of the assets to be purchased or of an impairment loss of those assets, the investor shall recognise its share in those losses.

30 The contribution of a non-monetary asset to an associate or a joint venture in exchange for an equity interest in the associate or joint venture shall be accounted for in accordance with paragraph 28, except when the contribution lacks commercial substance, as that term is described in Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*. If such a contribution lacks commercial substance, the gain or loss is regarded as unrealised and is not recognised unless paragraph 31 also applies. Such unrealised gains and losses shall be eliminated against the investment accounted for using the equity method and shall not be presented as deferred gains or losses in the entity's consolidated balance sheet or in the entity's balance sheet in which investments are accounted for using the equity method.

31 If, in addition to receiving an equity interest in an associate or a joint venture, an entity receives monetary or non-monetary assets, the entity recognises in full in profit or loss the portion of the gain or loss on the non-monetary contribution relating to the monetary or non-monetary assets received.

32 An investment is accounted for using the equity method from the date on which it becomes an associate or a joint venture. On acquisition of the investment, any difference between the cost of the investment and the entity's share of the net fair value of the investee's identifiable assets and liabilities is accounted for as follows:

- (a) Goodwill relating to an associate or a joint venture is included in the carrying amount of the investment. Amortisation of that goodwill is not permitted.
- (b) Any excess of the entity's share of the net fair value of the investee's identifiable assets and liabilities over the cost of the investment is recognised directly in equity as capital reserve in the period in which the investment is acquired.

Appropriate adjustments to the entity's share of the associate's or joint venture's profit or loss after acquisition are made in order to account, for example, for depreciation of the depreciable assets based on their fair values at the acquisition date. Similarly, appropriate adjustments to the entity's share of the associate's or joint venture's profit or loss after acquisition are made for impairment losses such as for goodwill or property, plant and equipment.

- 33 **The most recent available financial statements of the associate or joint venture are used by the entity in applying the equity method. When the end of the reporting period of the entity is different from that of the associate or joint venture, the associate or joint venture prepares, for the use of the entity, financial statements as of the same date as the financial statements of the entity unless it is impracticable to do so.**
- 34 **When, in accordance with paragraph 33, the financial statements of an associate or a joint venture used in applying the equity method are prepared as of a date different from that used by the entity, adjustments shall be made for the effects of significant transactions or events that occur between that date and the date of the entity's financial statements. In any case, the difference between the end of the reporting period of the associate or joint venture and that of the entity shall be no more than three months. The length of the reporting periods and any difference between the ends of the reporting periods shall be the same from period to period.**
- 35 **The entity's financial statements shall be prepared using uniform accounting policies for like transactions and events in similar circumstances unless, in case of an associate, it is impracticable to do so.**
- 36 If an associate or a joint venture uses accounting policies other than those of the entity for like transactions and events in similar circumstances, adjustments shall be made to make the associate's or joint venture's accounting policies conform to those of the entity when the associate's or joint venture's financial statements are used by the entity in applying the equity method.
- 37 If an associate or a joint venture has outstanding cumulative preference shares that are held by parties other than the entity and are classified as equity, the entity computes its share of profit or loss after adjusting for the dividends on such shares, whether or not the dividends have been declared.
- 38 If an entity's share of losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, the entity discontinues recognising its share of further losses. The interest in an associate or a joint venture is the carrying amount of the investment in the associate or joint venture determined using the equity method together with any long-term interests that, in substance, form part of the entity's net investment in the associate or joint venture. For example, an item for which settlement is neither planned nor likely to occur in the foreseeable future is, in substance, an extension of the entity's investment in that associate or joint venture. Such items may include preference shares and long-term receivables or loans, but do not include trade receivables, trade payables or any long-term receivables for which adequate collateral exists, such as secured loans. Losses recognised using the equity method in excess of the entity's investment in ordinary shares are applied to the other components of the entity's interest in an associate or a joint venture in the reverse order of their seniority (ie priority in liquidation).
- 39 After the entity's interest is reduced to zero, additional losses are provided for, and a liability is recognised, only to the extent that the entity has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture. If the associate or joint venture subsequently reports profits, the entity resumes recognising its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognised.

Impairment losses

- 40 After application of the equity method, including recognising the associate's or joint venture's losses in accordance with paragraph 38, the entity applies paragraphs 41A-41C to determine whether it is any objective evidence that its net investment in the associate or joint venture is impaired.
- 41 The entity applies the impairment requirements in Ind AS 109 to its other interests in the associate or joint venture that are in the scope of Ind AS 109 and that do not constitute a part of the net investment.
- 41A The net investment in an associate or joint venture is impaired and impairment losses are incurred if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the net investment (a 'loss event') and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows from the net investment that can be reliably estimated. It may not be possible to identify a single, discrete event that caused the impairment. Rather the combined effect of several events may have caused

the impairment. Losses expected as a result of future events, no matter how likely, are not recognised. Objective evidence that the net investment is impaired includes observable data that comes to the attention of the entity about the following loss events:

- (a) significant financial difficulty of the associate or joint venture;
- (b) a breach of contract, such as a default or delinquency in payments by the associate or joint venture;
- (c) the entity, for economic or legal reasons relating to its associate's or joint venture's financial difficulty, granting to the associate or joint venture a concession that the entity would not otherwise consider;
- (d) it becoming probable that the associate or joint venture will enter bankruptcy or other financial reorganisation; or
- (e) the disappearance of an active market for the net investment because of financial difficulties of the associate or joint venture.

41B The disappearance of an active market because the associate's or joint venture's equity or financial instruments are no longer publicly traded is not evidence of impairment. A downgrade of an associate's or joint venture's credit rating or a decline in the fair value of the associate or joint venture, is not of itself, evidence of impairment, although it may be evidence of impairment when considered with other available information.

41C In addition to the types of events in paragraph 41A, objective evidence of impairment for the net investment in the equity instruments of the associate or joint venture includes information about significant changes with an adverse effect that have taken place in the technological, market, economic or legal environment in which the associate or joint venture operates, and indicates that the cost of the investment in the equity instrument may not be recovered. A significant or prolonged decline in the fair value of an investment in an equity instrument below its cost is also objective evidence of impairment.

42 Because goodwill that forms part of the carrying amount of the net investment in an associate or a joint venture is not separately recognised, it is not tested for impairment separately by applying the requirements for impairment testing goodwill in Ind AS 36, *Impairment of Assets*. Instead, the entire carrying amount of the investment is tested for impairment in accordance with Ind AS 36 as a single asset, by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount, whenever application of paragraphs 41A-41C indicates that the net investment may be impaired. An impairment loss recognised in those circumstances is not allocated to any asset, including goodwill, that forms part of the carrying amount of the net investment in the associate or joint venture. Accordingly, any reversal of that impairment loss is recognised in accordance with Ind AS 36 to the extent that the recoverable amount of the net investment subsequently increases. In determining the value in use of the net investment, an entity estimates:

- (a) its share of the present value of the estimated future cash flows expected to be generated by the associate or joint venture, including the cash flows from the operations of the associate or joint venture and the proceeds from the ultimate disposal of the investment; or
- (b) the present value of the estimated future cash flows expected to arise from dividends to be received from the investment and from its ultimate disposal.

Using appropriate assumptions, both methods give the same result.

43 The recoverable amount of an investment in an associate or a joint venture shall be assessed for each associate or joint venture, unless the associate or joint venture does not generate cash inflows from continuing use that are largely independent of those from other assets of the entity.

Separate financial statements

44 An investment in an associate or a joint venture shall be accounted for in the entity's separate financial statements in accordance with paragraph 10 of Ind AS 27.

Appendix 1

Note : This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 28, Investments in Associates and Joint Ventures, and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 28, Investments in Associates and Joint Ventures, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 28, Investments in Associates and Joint Ventures

1. Paragraph 35 of Ind AS 28 requires use of uniform accounting policies, unless, in case of an associate, it is impracticable, which IAS 28 does not provide. This change has been made because the investor does not have 'control' over the associate, it may not be able to influence the associate to prepare additional financial statements or to follow the accounting policies that are followed by the investor.

2. Paragraph 32 (b) has been modified on the lines of Ind AS 103, *Business Combinations*, to transfer excess of the investor's share of the net fair value of the investee's identifiable assets and liabilities over the cost of investment in capital reserve whereas in IAS 28, it is recognised in profit or loss.
3. Different terminology is used, as used in existing laws, eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 29

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Scope

- 1 This Standard shall be applied to the financial statements, including the consolidated financial statements, of any entity whose functional currency is the currency of a hyperinflationary economy.**
- 2 In a hyperinflationary economy, reporting of operating results and financial position in the local currency without restatement is not useful. Money loses purchasing power at such a rate that comparison of amounts from transactions and other events that have occurred at different times, even within the same accounting period, is misleading.
- 3 This Standard does not establish an absolute rate at which hyperinflation is deemed to arise. It is a matter of judgement when restatement of financial statements in accordance with this Standard becomes necessary. Hyperinflation is indicated by characteristics of the economic environment of a country which include, but are not limited to, the following:
 - (a) the general population prefers to keep its wealth in non-monetary assets or in a relatively stable foreign currency. Amounts of local currency held are immediately invested to maintain purchasing power;
 - (b) the general population regards monetary amounts not in terms of the local currency but in terms of a relatively stable foreign currency. Prices may be quoted in that currency;
 - (c) sales and purchases on credit take place at prices that compensate for the expected loss of purchasing power during the credit period, even if the period is short;
 - (d) interest rates, wages and prices are linked to a price index; and
 - (e) the cumulative inflation rate over three years is approaching, or exceeds, 100%.
- 4 It is preferable that all entities that report in the currency of the same hyperinflationary economy apply this Standard from the same date. Nevertheless, this Standard applies to the financial statements of any entity from the beginning of the reporting period in which it identifies the existence of hyperinflation in the country in whose currency it reports.

The restatement of financial statements

- 5 Prices change over time as the result of various specific or general political, economic and social forces. Specific forces such as changes in supply and demand and technological changes may cause individual prices to increase or decrease significantly and independently of each other. In addition, general forces may result in changes in the general level of prices and therefore in the general purchasing power of money.
- 6 Entities that prepare financial statements on the historical cost basis of accounting do so without regard either to changes in the general level of prices or to increases in specific prices of recognised assets or liabilities. The exceptions to this are those assets and liabilities that the entity is required, or chooses, to measure at fair value. For example, property, plant and equipment may be revalued to fair value and biological assets are generally required to be measured at fair value. Some entities, however, present financial statements that are based on a current cost approach that reflects the effects of changes in the specific prices of assets held.
- 7 In a hyperinflationary economy, financial statements, whether they are based on a historical cost approach or a current cost approach, are useful only if they are expressed in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. As a result, this Standard applies to the financial statements of entities reporting in the currency of a hyperinflationary economy. Presentation of the information required by this Standard as a supplement to unrestated financial statements is not permitted. Furthermore, separate presentation of the financial statements before restatement is discouraged.

8 **The financial statements of an entity whose functional currency is the currency of a hyperinflationary economy, whether they are based on a historical cost approach or a current cost approach, shall be stated in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. The corresponding figures for the previous period required by Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*, and any information in respect of earlier periods shall also be stated in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. For the purpose of presenting comparative amounts in a different presentation currency, paragraphs 42(b) and 43 of Ind AS 21, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*, apply.**

9 **The gain or loss on the net monetary position shall be included in profit or loss and separately disclosed.**

10 The restatement of financial statements in accordance with this Standard requires the application of certain procedures as well as judgement. The consistent application of these procedures and judgements from period to period is more important than the precise accuracy of the resulting amounts included in the restated financial statements.

Historical cost financial statements

Balance sheet

11 Balance sheet amounts not already expressed in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period are restated by applying a general price index.

12 Monetary items are not restated because they are already expressed in terms of the monetary unit current at the end of the reporting period. Monetary items are money held and items to be received or paid in money.

13 Assets and liabilities linked by agreement to changes in prices, such as index linked bonds and loans, are adjusted in accordance with the agreement in order to ascertain the amount outstanding at the end of the reporting period. These items are carried at this adjusted amount in the restated balance sheet.

14 All other assets and liabilities are non-monetary. Some non-monetary items are carried at amounts current at the end of the reporting period, such as net realisable value and fair value, so they are not restated. All other non-monetary assets and liabilities are restated.

15 Most non-monetary items are carried at cost or cost less depreciation; hence they are expressed at amounts current at their date of acquisition. The restated cost, or cost less depreciation, of each item is determined by applying to its historical cost and accumulated depreciation the change in a general price index from the date of acquisition to the end of the reporting period. For example, property, plant and equipment, inventories of raw materials and merchandise, goodwill, patents, trademarks and similar assets are restated from the dates of their purchase. Inventories of partly-finished and finished goods are restated from the dates on which the costs of purchase and of conversion were incurred.

16 Detailed records of the acquisition dates of items of property, plant and equipment may not be available or capable of estimation. In these rare circumstances, it may be necessary, in the first period of application of this Standard, to use an independent professional assessment of the value of the items as the basis for their restatement.

17 A general price index may not be available for the periods for which the restatement of property, plant and equipment is required by this Standard. In these circumstances, it may be necessary to use an estimate based, for example, on the movements in the exchange rate between the functional currency and a relatively stable foreign currency.

18 Some non-monetary items are carried at amounts current at dates other than that of acquisition or that of the balance sheet, for example property, plant and equipment that has been revalued at some earlier date. In these cases, the carrying amounts are restated from the date of the revaluation.

19 The restated amount of a non-monetary item is reduced, in accordance with appropriate Ind ASs, when it exceeds its recoverable amount. For example, restated amounts of property, plant and equipment, goodwill, patents and trademarks are reduced to recoverable amount and restated amounts of inventories are reduced to net realisable value.

20 An investee that is accounted for under the equity method may report in the currency of a hyperinflationary economy. The balance sheet and statement of profit and loss of such an investee are restated in accordance with this Standard in order to calculate the investor's share of its net assets and profit or loss. When the restated financial statements of the investee are expressed in a foreign currency they are translated at closing rates.

- 21 The impact of inflation is usually recognised in borrowing costs. It is not appropriate both to restate the capital expenditure financed by borrowing and to capitalise that part of the borrowing costs that compensates for the inflation during the same period. This part of the borrowing costs is recognised as an expense in the period in which the costs are incurred.
- 22 An entity may acquire assets under an arrangement that permits it to defer payment without incurring an explicit interest charge. Where it is impracticable to impute the amount of interest, such assets are restated from the payment date and not the date of purchase.
- 23 [Refer Appendix 1]
- 24 At the beginning of the first period of application of this Standard, the components of owners' equity, except retained earnings and any revaluation surplus, are restated by applying a general price index from the dates the components were contributed or otherwise arose. Any revaluation surplus that arose in previous periods is eliminated. Restated retained earnings are derived from all the other amounts in the restated balance sheet.
- 25 At the end of the first period and in subsequent periods, all components of owners' equity are restated by applying a general price index from the beginning of the period or the date of contribution, if later. The movements for the period in owners' equity are disclosed in accordance with Ind AS 1.

Statement of profit and loss

- 26 This Standard requires that all items in the statement of profit and loss are expressed in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. Therefore all amounts need to be restated by applying the change in the general price index from the dates when the items of income and expenses were initially recorded in the financial statements.

Gain or loss on net monetary position

- 27 In a period of inflation, an entity holding an excess of monetary assets over monetary liabilities loses purchasing power and an entity with an excess of monetary liabilities over monetary assets gains purchasing power to the extent the assets and liabilities are not linked to a price level. This gain or loss on the net monetary position may be derived as the difference resulting from the restatement of non-monetary assets, owners' equity and items in the statement of profit and loss and the adjustment of index linked assets and liabilities. The gain or loss may be estimated by applying the change in a general price index to the weighted average for the period of the difference between monetary assets and monetary liabilities.
- 28 The gain or loss on the net monetary position is included in profit or loss. The adjustment to those assets and liabilities linked by agreement to changes in prices made in accordance with paragraph 13 is offset against the gain or loss on net monetary position. Other income and expense items, such as interest income and expense, and foreign exchange differences related to invested or borrowed funds, are also associated with the net monetary position. Although such items are separately disclosed, it may be helpful if they are presented together with the gain or loss on net monetary position in the statement of profit and loss.

Current cost financial statements

Balance sheet

- 29 Items stated at current cost are not restated because they are already expressed in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. Other items in the balance sheet are restated in accordance with paragraphs 11 to 25.

Statement of profit and loss

- 30 The current cost statement of profit and loss, before restatement, generally reports costs current at the time at which the underlying transactions or events occurred. Cost of sales and depreciation are recorded at current costs at the time of consumption; sales and other expenses are recorded at their money amounts when they occurred. Therefore all amounts need to be restated into the measuring unit current at the end of the reporting period by applying a general price index.

Gain or loss on net monetary position

- 31 The gain or loss on the net monetary position is accounted for in accordance with paragraphs 27 and 28.

Taxes

- 32 The restatement of financial statements in accordance with this Standard may give rise to differences between the carrying amount of individual assets and liabilities in the balance sheet and their tax bases. These differences are accounted for in accordance with Ind AS 12, *Income Taxes*.

Statement of cash flows

- 33 This Standard requires that all items in the statement of cash flows are expressed in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period.

Corresponding figures

- 34 Corresponding figures for the previous reporting period, whether they were based on a historical cost approach or a current cost approach, are restated by applying a general price index so that the comparative financial statements are presented in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. Information that is disclosed in respect of earlier periods is also expressed in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. For the purpose of presenting comparative amounts in a different presentation currency, paragraphs 42(b) and 43 of Ind AS 21 apply.

Consolidated financial statements

- 35 A parent that reports in the currency of a hyperinflationary economy may have subsidiaries that also report in the currencies of hyperinflationary economies. The financial statements of any such subsidiary need to be restated by applying a general price index of the country in whose currency it reports before they are included in the consolidated financial statements issued by its parent. Where such a subsidiary is a foreign subsidiary, its restated financial statements are translated at closing rates. The financial statements of subsidiaries that do not report in the currencies of hyperinflationary economies are dealt with in accordance with Ind AS 21.
- 36 If financial statements with different ends of the reporting periods are consolidated, all items, whether non-monetary or monetary, need to be restated into the measuring unit current at the date of the consolidated financial statements.

Selection and use of the general price index

- 37 The restatement of financial statements in accordance with this Standard requires the use of a general price index that reflects changes in general purchasing power. It is preferable that all entities that report in the currency of the same economy use the same index.

Economies ceasing to be hyperinflationary

- 38 When an economy ceases to be hyperinflationary and an entity discontinues the preparation and presentation of financial statements prepared in accordance with this Standard, it shall treat the amounts expressed in the measuring unit current at the end of the previous reporting period as the basis for the carrying amounts in its subsequent financial statements.

Disclosures

- 39 The following disclosures shall be made:

- (a) the fact that the financial statements and the corresponding figures for previous periods have been restated for the changes in the general purchasing power of the functional currency and, as a result, are stated in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period;
- (b) whether the financial statements are based on a historical cost approach or a current cost approach; and
- (c) the identity and level of the price index at the end of the reporting period and the movement in the index during the current and the previous reporting period.
- (d) the duration of the hyperinflationary situation existing in the economy.

- 40 The disclosures required by this Standard are needed to make clear the basis of dealing with the effects of inflation in the financial statements. They are also intended to provide other information necessary to understand that basis and the resulting amounts.

Appendix A**Applying the Restatement Approach under Ind AS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies**

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

Background

- 1 This Appendix provides guidance on how to apply the requirements of Ind AS 29 in a reporting period in which an entity identifies² the existence of hyperinflation in the economy of its functional currency, when that economy was not hyperinflationary in the prior period, and the entity therefore restates its financial statements in accordance with Ind AS 29.

² The identification of hyperinflation is based on the entity's judgement of the criteria in paragraph 3 of Ind AS 29

Issues

2 The questions addressed in this Appendix are:

- (a) how should the requirement ‘... stated in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period’ in paragraph 8 of Ind AS 29 be interpreted when an entity applies the Standard?
- (b) how should an entity account for opening deferred tax items in its restated financial statements?

Accounting Treatment

3 In the reporting period in which an entity identifies the existence of hyperinflation in the economy of its functional currency, not having been hyperinflationary in the prior period, the entity shall apply the requirements of Ind AS 29 as if the economy had always been hyperinflationary. Therefore, in relation to non-monetary items measured at historical cost, the entity’s opening balance sheet at the beginning of the earliest period presented in the financial statements shall be restated to reflect the effect of inflation from the date the assets were acquired and the liabilities were incurred or assumed until the end of the reporting period. For non-monetary items carried in the opening balance sheet at amounts current at dates other than those of acquisition or incurrence, that restatement shall reflect instead the effect of inflation from the dates those carrying amounts were determined until the end of the reporting period.

4 At the end of the reporting period, deferred tax items are recognised and measured in accordance with Ind AS 12. However, the deferred tax figures in the opening balance sheet for the reporting period shall be determined as follows:

- (a) the entity remeasures the deferred tax items in accordance with Ind AS 12 after it has restated the nominal carrying amounts of its non-monetary items at the date of the opening balance sheet of the reporting period by applying the measuring unit at that date.
- (b) the deferred tax items remeasured in accordance with (a) are restated for the change in the measuring unit from the date of the opening balance sheet of the reporting period to the end of that reporting period.

The entity applies the approach in (a) and (b) in restating the deferred tax items in the opening balance sheet of any comparative periods presented in the restated financial statements for the reporting period in which the entity applies Ind AS 29.

5 After an entity has restated its financial statements, all corresponding figures in the financial statements for a subsequent reporting period, including deferred tax items, are restated by applying the change in the measuring unit for that subsequent reporting period only to the restated financial statements for the previous reporting period.

Appendix 1

Note : This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 29 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies, and IFRIC 7, Applying the Restatement Approach under IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies and IFRIC 7

- 1 Ind AS 29 requires an additional disclosure regarding the duration of the hyperinflationary situation existing in the economy as compared to IAS 29.
- 2 Paragraph number 23 appears as ‘Deleted’ in IAS 29. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 29, the paragraph number is retained in Ind AS 29.
- 3 Different terminology is used in this standard, eg, term ‘balance sheet’ is used instead of ‘Statement of financial position’ and ‘Statement of profit and loss’ is used instead of ‘Statement of comprehensive income’.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 32**Financial Instruments: Presentation**

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

- 1 **[Refer Appendix 1]**
- 2 **The objective of this Standard is to establish principles for presenting financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities. It applies to the**

classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interest, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset.

- 3 The principles in this Standard complement the principles for recognising and measuring financial assets and financial liabilities in Ind AS 109, *Financial Instruments*, and for disclosing information about them in Ind AS 107, *Financial Instruments: Disclosures*.

Scope

- 4 This Standard shall be applied by all entities to all types of financial instruments except:

- (a) those interests in subsidiaries, associates or joint ventures that are accounted for in accordance with Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, Ind AS 27, *Separate Financial Statements*, or Ind AS 28, *Investments in Associates and joint ventures*. However, in some cases, Ind AS 110, Ind AS 27 or Ind AS 28 require or permit an entity to account for an interest in a subsidiary, associate or joint venture using Ind AS 109; in those cases, entities shall apply the requirements of this Standard. Entities shall also apply this Standard to all derivatives linked to interests in subsidiaries, associates or joint ventures.
- (b) employers' rights and obligations under employee benefit plans, to which Ind AS 19, *Employee Benefits*, applies.
- (c) [Refer Appendix 1]
- (d) insurance contracts as defined in Ind AS 104, *Insurance Contracts*. However, this Standard applies to derivatives that are embedded in insurance contracts if Ind AS 109 requires the entity to account for them separately. Moreover, an issuer shall apply this Standard to financial guarantee contracts if the issuer applies Ind AS 109 in recognising and measuring the contracts, but shall apply Ind AS 104 if the issuer elects, in accordance with paragraph 4(d) of Ind AS 104, to apply Ind AS 104 in recognising and measuring them.
- (e) financial instruments that are within the scope of Ind AS 104 because they contain a discretionary participation feature. The issuer of these instruments is exempt from applying to these features paragraphs 15–32 and AG25–AG35 of this Standard regarding the distinction between financial liabilities and equity instruments. However, these instruments are subject to all other requirements of this Standard. Furthermore, this Standard applies to derivatives that are embedded in these instruments (see Ind AS 109).
- (f) financial instruments, contracts and obligations under share-based payment transactions to which Ind AS 102, *Share-based Payment*, applies, except for
 - (i) contracts within the scope of paragraphs 8–10 of this Standard, to which this Standard applies,
 - (ii) paragraphs 33 and 34 of this Standard, which shall be applied to treasury shares purchased, sold, issued or cancelled in connection with employee share option plans, employee share purchase plans, and all other share-based payment arrangements.

- 5- 7 [Refer Appendix 1]

- 8 This Standard shall be applied to those contracts to buy or sell a non-financial item that can be settled net in cash or another financial instrument, or by exchanging financial instruments, as if the contracts were financial instruments, with the exception of contracts that were entered into and continue to be held for the purpose of the receipt or delivery of a non-financial item in accordance with the entity's expected purchase, sale or usage requirements. However, this Standard shall be applied to those contracts that an entity designates as measured at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 2.5 of Ind AS 109, *Financial Instruments*.

- 9 There are various ways in which a contract to buy or sell a non-financial item can be settled net in cash or another financial instrument or by exchanging financial instruments. These include:

- (a) when the terms of the contract permit either party to settle it net in cash or another financial instrument or by exchanging financial instruments;

- (b) when the ability to settle net in cash or another financial instrument, or by exchanging financial instruments, is not explicit in the terms of the contract, but the entity has a practice of settling similar contracts net in cash or another financial instrument, or by exchanging financial instruments (whether with the counterparty, by entering into offsetting contracts or by selling the contract before its exercise or lapse);
- (c) when, for similar contracts, the entity has a practice of taking delivery of the underlying and selling it within a short period after delivery for the purpose of generating a profit from short-term fluctuations in price or dealer's margin; and
- (d) when the non-financial item that is the subject of the contract is readily convertible to cash.

A contract to which (b) or (c) applies is not entered into for the purpose of the receipt or delivery of the non-financial item in accordance with the entity's expected purchase, sale or usage requirements, and, accordingly, is within the scope of this Standard. Other contracts to which paragraph 8 applies are evaluated to determine whether they were entered into and continue to be held for the purpose of the receipt or delivery of the non-financial item in accordance with the entity's expected purchase, sale or usage requirement, and accordingly, whether they are within the scope of this Standard.

- 10 A written option to buy or sell a non-financial item that can be settled net in cash or another financial instrument, or by exchanging financial instruments, in accordance with paragraph 9(a) or (d) is within the scope of this Standard. Such a contract cannot be entered into for the purpose of the receipt or delivery of the non-financial item in accordance with the entity's expected purchase, sale or usage requirements.

Definitions (see also paragraphs AG3–AG23)

11 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

A *financial instrument* is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

A *financial asset* is any asset that is:

- (a) cash;
- (b) an equity instrument of another entity;
- (c) a contractual right:
 - (i) to receive cash or another financial asset from another entity; or
 - (ii) to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that are potentially favourable to the entity; or
- (d) a contract that will or may be settled in the entity's own equity instruments and is:
 - (i) a non-derivative for which the entity is or may be obliged to receive a variable number of the entity's own equity instruments; or
 - (ii) a derivative that will or may be settled other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of the entity's own equity instruments. For this purpose the entity's own equity instruments do not include puttable financial instruments classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16A and 16B, instruments that impose on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation and are classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16C and 16D, or instruments that are contracts for the future receipt or delivery of the entity's own equity instruments.

A *financial liability* is any liability that is:

- (a) a contractual obligation :
 - (i) to deliver cash or another financial asset to another entity; or
 - (ii) to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that are potentially unfavourable to the entity; or
- (b) a contract that will or may be settled in the entity's own equity instruments and is:
 - (i) a non-derivative for which the entity is or may be obliged to deliver a variable number of the entity's own equity instruments; or

- (ii) a derivative that will or may be settled other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of the entity's own equity instruments. For this purpose, rights, options or warrants to acquire a fixed number of the entity's own equity instruments for a fixed amount of any currency are equity instruments if the entity offers the rights, options or warrants pro rata to all of its existing owners of the same class of its own non-derivative equity instruments. Apart from the aforesaid, the equity conversion option embedded in a convertible bond denominated in foreign currency to acquire a fixed number of the entity's own equity instruments is an equity instrument if the exercise price is fixed in any currency. Also, for these purposes the entity's own equity instruments do not include puttable financial instruments that are classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16A and 16B, instruments that impose on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation and are classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16C and 16D, or instruments that are contracts for the future receipt or delivery of the entity's own equity instruments.

As an exception, an instrument that meets the definition of a financial liability is classified as an equity instrument if it has all the features and meets the conditions in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D.

An *equity instrument* is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113, *Fair Value Measurement*.)

A *puttable instrument* is a financial instrument that gives the holder the right to put the instrument back to the issuer for cash or another financial asset or is automatically put back to the issuer on the occurrence of an uncertain future event or the death or retirement of the instrument holder.

- 12 The following terms are defined in Appendix A of Ind AS 109 and are used in this Standard with the meaning specified in Ind AS 109.

- amortised cost of a financial asset or financial liability
- derecognition
- derivative
- effective interest method
- financial guarantee contract
- financial liability at fair value through profit or loss
- firm commitment
- forecast transaction
- hedge effectiveness
- hedged item
- hedging instrument
- held for trading
- regular way purchase or sale
- transaction costs.

- 13 In this Standard, 'contract' and 'contractual' refer to an agreement between two or more parties that has clear economic consequences that the parties have little, if any, discretion to avoid, usually because the agreement is enforceable by law. Contracts, and thus financial instruments, may take a variety of forms and need not be in writing.

- 14 In this Standard, 'entity' includes individuals, partnerships, incorporated bodies, trusts and Government agencies.

Presentation**Liabilities and equity (see also paragraphs AG13–AG14J and AG25–AG29A)**

15 The issuer of a financial instrument shall classify the instrument, or its component parts, on initial recognition as a financial liability, a financial asset or an equity instrument in accordance with the substance of the contractual arrangement and the definitions of a financial liability, a financial asset and an equity instrument.

16 When an issuer applies the definitions in paragraph 11 to determine whether a financial instrument is an equity instrument rather than a financial liability, the instrument is an equity instrument if, and only if, both conditions (a) and (b) below are met.

- (a) The instrument includes no contractual obligation:
 - (i) to deliver cash or another financial asset to another entity; or
 - (ii) to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that are potentially unfavourable to the issuer.
- (b) If the instrument will or may be settled in the issuer's own equity instruments, it is:
 - (i) a non-derivative that includes no contractual obligation for the issuer to deliver a variable number of its own equity instruments; or
 - (ii) a derivative that will be settled only by the issuer exchanging a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of its own equity instruments. For this purpose, rights, options or warrants to acquire a fixed number of the entity's own equity instruments for a fixed amount of any currency are equity instruments if the entity offers the rights, options or warrants pro rata to all of its existing owners of the same class of its own non-derivative equity instruments. Apart from the aforesaid, the equity conversion option embedded in a convertible bond denominated in foreign currency to acquire a fixed number of the entity's own equity instruments is an equity instrument if the exercise price is fixed in any currency. Also, for these purposes the issuer's own equity instruments do not include instruments that have all the features and meet the conditions described in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D, or instruments that are contracts for the future receipt or delivery of the issuer's own equity instruments.

A contractual obligation, including one arising from a derivative financial instrument, that will or may result in the future receipt or delivery of the issuer's own equity instruments, but does not meet conditions (a) and (b) above, is not an equity instrument. As an exception, an instrument that meets the definition of a financial liability is classified as an equity instrument if it has all the features and meets the conditions in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D.

Puttable instruments

16A A puttable financial instrument includes a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put. As an exception to the definition of a financial liability, an instrument that includes such an obligation is classified as an equity instrument if it has all the following features:

- (a) It entitles the holder to a pro rata share of the entity's net assets in the event of the entity's liquidation. The entity's net assets are those assets that remain after deducting all other claims on its assets. A pro rata share is determined by:
 - (i) dividing the entity's net assets on liquidation into units of equal amount; and
 - (ii) multiplying that amount by the number of the units held by the financial instrument holder.
- (b) The instrument is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments. To be in such a class the instrument:
 - (i) has no priority over other claims to the assets of the entity on liquidation, and
 - (ii) does not need to be converted into another instrument before it is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments.
- (c) All financial instruments in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments have identical features. For example, they must all be puttable, and the formula or other method used to calculate the repurchase or redemption price is the same for all instruments in that class.

- (d) Apart from the contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem the instrument for cash or another financial asset, the instrument does not include any contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity, or to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that are potentially unfavourable to the entity, and it is not a contract that will or may be settled in the entity's own equity instruments as set out in subparagraph (b) of the definition of a financial liability.
- (e) The total expected cash flows attributable to the instrument over the life of the instrument are based substantially on the profit or loss, the change in the recognised net assets or the change in the fair value of the recognised and unrecognised net assets of the entity over the life of the instrument (excluding any effects of the instrument).

16B For an instrument to be classified as an equity instrument, in addition to the instrument having all the above features, the issuer must have no other financial instrument or contract that has:

- (a) total cash flows based substantially on the profit or loss, the change in the recognised net assets or the change in the fair value of the recognised and unrecognised net assets of the entity (excluding any effects of such instrument or contract) and
- (b) the effect of substantially restricting or fixing the residual return to the puttable instrument holders.

For the purposes of applying this condition, the entity shall not consider non-financial contracts with a holder of an instrument described in paragraph 16A that have contractual terms and conditions that are similar to the contractual terms and conditions of an equivalent contract that might occur between a non-instrument holder and the issuing entity. If the entity cannot determine that this condition is met, it shall not classify the puttable instrument as an equity instrument.

Instruments, or components of instruments, that impose on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation

16C Some financial instruments include a contractual obligation for the issuing entity to deliver to another entity a pro rata share of its net assets only on liquidation. The obligation arises because liquidation either is certain to occur and outside the control of the entity (for example, a limited life entity) or is uncertain to occur but is at the option of the instrument holder. As an exception to the definition of a financial liability, an instrument that includes such an obligation is classified as an equity instrument if it has all the following features:

- (a) It entitles the holder to a pro rata share of the entity's net assets in the event of the entity's liquidation. The entity's net assets are those assets that remain after deducting all other claims on its assets. A pro rata share is determined by:
 - (i) dividing the net assets of the entity on liquidation into units of equal amount; and
 - (ii) multiplying that amount by the number of the units held by the financial instrument holder.
- (b) The instrument is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments. To be in such a class the instrument:
 - (i) has no priority over other claims to the assets of the entity on liquidation, and
 - (ii) does not need to be converted into another instrument before it is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments.
- (c) All financial instruments in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments must have an identical contractual obligation for the issuing entity to deliver a pro rata share of its net assets on liquidation.

16D For an instrument to be classified as an equity instrument, in addition to the instrument having all the above features, the issuer must have no other financial instrument or contract that has:

- (a) total cash flows based substantially on the profit or loss, the change in the recognised net assets or the change in the fair value of the recognised and unrecognised net assets of the entity (excluding any effects of such instrument or contract) and
- (b) the effect of substantially restricting or fixing the residual return to the instrument holders.

For the purposes of applying this condition, the entity shall not consider non-financial contracts with a holder of an instrument described in paragraph 16C that have contractual terms and conditions that are similar to the contractual terms and conditions of an equivalent contract that might occur between a non-instrument holder and the issuing entity. If the entity cannot determine that this condition is met, it shall not classify the instrument as an equity instrument.

Reclassification of puttable instruments and instruments that impose on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation

- 16E An entity shall classify a financial instrument as an equity instrument in accordance with paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D from the date when the instrument has all the features and meets the conditions set out in those paragraphs. An entity shall reclassify a financial instrument from the date when the instrument ceases to have all the features or meet all the conditions set out in those paragraphs. For example, if an entity redeems all its issued non-puttable instruments and any puttable instruments that remain outstanding have all the features and meet all the conditions in paragraphs 16A and 16B, the entity shall reclassify the puttable instruments as equity instruments from the date when it redeems the non-puttable instruments.
- 16F An entity shall account as follows for the reclassification of an instrument in accordance with paragraph 16E:
- (a) It shall reclassify an equity instrument as a financial liability from the date when the instrument ceases to have all the features or meet the conditions in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D. The financial liability shall be measured at the instrument's fair value at the date of reclassification. The entity shall recognise in equity any difference between the carrying value of the equity instrument and the fair value of the financial liability at the date of reclassification.
 - (b) It shall reclassify a financial liability as equity from the date when the instrument has all the features and meets the conditions set out in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D. An equity instrument shall be measured at the carrying value of the financial liability at the date of reclassification.

No contractual obligation to deliver cash or another financial asset (paragraph 16(a))

- 17 With the exception of the circumstances described in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D, a critical feature in differentiating a financial liability from an equity instrument is the existence of a contractual obligation of one party to the financial instrument (the issuer) either to deliver cash or another financial asset to the other party (the holder) or to exchange financial assets or financial liabilities with the holder under conditions that are potentially unfavourable to the issuer. Although the holder of an equity instrument may be entitled to receive a pro rata share of any dividends or other distributions of equity, the issuer does not have a contractual obligation to make such distributions because it cannot be required to deliver cash or another financial asset to another party.
- 18 The substance of a financial instrument, rather than its legal form, governs its classification in the entity's balance sheet. Substance and legal form are commonly consistent, but not always. Some financial instruments take the legal form of equity but are liabilities in substance and others may combine features associated with equity instruments and features associated with financial liabilities. For example:
- (a) a preference share that provides for mandatory redemption by the issuer for a fixed or determinable amount at a fixed or determinable future date, or gives the holder the right to require the issuer to redeem the instrument at or after a particular date for a fixed or determinable amount, is a financial liability.
 - (b) a financial instrument that gives the holder the right to put it back to the issuer for cash or another financial asset (a 'puttable instrument') is a financial liability, except for those instruments classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D. The financial instrument is a financial liability even when the amount of cash or other financial assets is determined on the basis of an index or other item that has the potential to increase or decrease. The existence of an option for the holder to put the instrument back to the issuer for cash or another financial asset means that the puttable instrument meets the definition of a financial liability, except for those instruments classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D. For example, open-ended mutual funds, unit trusts, partnerships and some co-operative entities may provide their unitholders or members with a right to redeem their interests in the issuer at any time for cash, which results in the unitholders' or members' interests being classified as financial liabilities, except for those instruments classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D. However, classification as a financial liability does not preclude the use of descriptors such as 'net asset value attributable to unitholders' and 'change in net asset value attributable to unitholders' in the financial statements of an entity that has no contributed equity (such as some mutual funds and unit trusts) or the use of additional disclosure to show that total members' interests comprise items such as reserves that meet the definition of equity and puttable instruments that do not.

- 19 If an entity does not have an unconditional right to avoid delivering cash or another financial asset to settle a contractual obligation, the obligation meets the definition of a financial liability, except for those instruments classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D. For example:
- (a) a restriction on the ability of an entity to satisfy a contractual obligation, such as lack of access to foreign currency or the need to obtain approval for payment from a regulatory authority, does not negate the entity's contractual obligation or the holder's contractual right under the instrument.
 - (b) a contractual obligation that is conditional on a counterparty exercising its right to redeem is a financial liability because the entity does not have the unconditional right to avoid delivering cash or another financial asset.
- 20 A financial instrument that does not explicitly establish a contractual obligation to deliver cash or another financial asset may establish an obligation indirectly through its terms and conditions. For example:
- (a) a financial instrument may contain a non-financial obligation that must be settled if, and only if, the entity fails to make distributions or to redeem the instrument. If the entity can avoid a transfer of cash or another financial asset only by settling the non-financial obligation, the financial instrument is a financial liability.
 - (b) a financial instrument is a financial liability if it provides that on settlement the entity will deliver either:
 - (i) cash or another financial asset; or
 - (ii) its own shares whose value is determined to exceed substantially the value of the cash or other financial asset.
- Although the entity does not have an explicit contractual obligation to deliver cash or another financial asset, the value of the share settlement alternative is such that the entity will settle in cash. In any event, the holder has in substance been guaranteed receipt of an amount that is at least equal to the cash settlement option (see paragraph 21).

Settlement in the entity's own equity instruments (paragraph 16(b))

- 21 A contract is not an equity instrument solely because it may result in the receipt or delivery of the entity's own equity instruments. An entity may have a contractual right or obligation to receive or deliver a number of its own shares or other equity instruments that varies so that the fair value of the entity's own equity instruments to be received or delivered equals the amount of the contractual right or obligation. Such a contractual right or obligation may be for a fixed amount or an amount that fluctuates in part or in full in response to changes in a variable other than the market price of the entity's own equity instruments (eg an interest rate, a commodity price or a financial instrument price). Two examples are (a) a contract to deliver as many of the entity's own equity instruments as are equal in value to Rs. 100, and (b) a contract to deliver as many of the entity's own equity instruments as are equal in value to the value of 100 ounces of gold. Such a contract is a financial liability of the entity even though the entity must or can settle it by delivering its own equity instruments. It is not an equity instrument because the entity uses a variable number of its own equity instruments as a means to settle the contract. Accordingly, the contract does not evidence a residual interest in the entity's assets after deducting all of its liabilities.
- 22 Except as stated in paragraph 22A, a contract that will be settled by the entity (receiving or) delivering a fixed number of its own equity instruments in exchange for a fixed amount of cash or another financial asset is an equity instrument. For example, an issued share option that gives the counterparty a right to buy a fixed number of the entity's shares for a fixed price or for a fixed stated principal amount of a bond is an equity instrument. Changes in the fair value of a contract arising from variations in market interest rates that do not affect the amount of cash or other financial assets to be paid or received, or the number of equity instruments to be received or delivered, on settlement of the contract do not preclude the contract from being an equity instrument. Any consideration received (such as the premium received for a written option or warrant on the entity's own shares) is added directly to equity. Any consideration paid (such as the premium paid for a purchased option) is deducted directly from equity. Changes in the fair value of an equity instrument are not recognised in the financial statements.
- 22A If the entity's own equity instruments to be received, or delivered, by the entity upon settlement of a contract are puttable financial instruments with all the features and meeting the conditions described in paragraphs 16A and 16B, or instruments that impose on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation with all the features and meeting the conditions

described in paragraphs 16C and 16D, the contract is a financial asset or a financial liability. This includes a contract that will be settled by the entity receiving or delivering a fixed number of such instruments in exchange for a fixed amount of cash or another financial asset.

- 23 With the exception of the circumstances described in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D, a contract that contains an obligation for an entity to purchase its own equity instruments for cash or another financial asset gives rise to a financial liability for the present value of the redemption amount (for example, for the present value of the forward repurchase price, option exercise price or other redemption amount). This is the case even if the contract itself is an equity instrument. One example is an entity's obligation under a forward contract to purchase its own equity instruments for cash. The financial liability is recognised initially at the present value of the redemption amount, and is reclassified from equity. Subsequently, the financial liability is measured in accordance with Ind AS 109. If the contract expires without delivery, the carrying amount of the financial liability is reclassified to equity. An entity's contractual obligation to purchase its own equity instruments gives rise to a financial liability for the present value of the redemption amount even if the obligation to purchase is conditional on the counterparty exercising a right to redeem (eg a written put option that gives the counterparty the right to sell an entity's own equity instruments to the entity for a fixed price).

- 24 A contract that will be settled by the entity delivering or receiving a fixed number of its own equity instruments in exchange for a variable amount of cash or another financial asset is a financial asset or financial liability. An example is a contract for the entity to deliver 100 of its own equity instruments in return for an amount of cash calculated to equal the value of 100 ounces of gold.

Contingent settlement provisions

- 25 A financial instrument may require the entity to deliver cash or another financial asset, or otherwise to settle it in such a way that it would be a financial liability, in the event of the occurrence or non-occurrence of uncertain future events (or on the outcome of uncertain circumstances) that are beyond the control of both the issuer and the holder of the instrument, such as a change in a stock market index, consumer price index, interest rate or taxation requirements, or the issuer's future revenues, net income or debt-to-equity ratio. The issuer of such an instrument does not have the unconditional right to avoid delivering cash or another financial asset (or otherwise to settle it in such a way that it would be a financial liability). Therefore, it is a financial liability of the issuer unless:
- (a) the part of the contingent settlement provision that could require settlement in cash or another financial asset (or otherwise in such a way that it would be a financial liability) is not genuine;
 - (b) the issuer can be required to settle the obligation in cash or another financial asset (or otherwise to settle it in such a way that it would be a financial liability) only in the event of liquidation of the issuer; or
 - (c) the instrument has all the features and meets the conditions in paragraphs 16A and 16B.

Settlement options

- 26 **When a derivative financial instrument gives one party a choice over how it is settled (eg the issuer or the holder can choose settlement net in cash or by exchanging shares for cash), it is a financial asset or a financial liability unless all of the settlement alternatives would result in it being an equity instrument.**

- 27 An example of a derivative financial instrument with a settlement option that is a financial liability is a share option that the issuer can decide to settle net in cash or by exchanging its own shares for cash. Similarly, some contracts to buy or sell a non-financial item in exchange for the entity's own equity instruments are within the scope of this Standard because they can be settled either by delivery of the non-financial item or net in cash or another financial instrument (see paragraphs 8–10). Such contracts are financial assets or financial liabilities and not equity instruments.

Compound financial instruments (see also paragraphs AG30–AG35)

- 28 **The issuer of a non-derivative financial instrument shall evaluate the terms of the financial instrument to determine whether it contains both a liability and an equity component. Such components shall be classified separately as financial liabilities, financial assets or equity instruments in accordance with paragraph 15.**
- 29 An entity recognises separately the components of a financial instrument that (a) creates a financial liability of the entity and (b) grants an option to the holder of the instrument to convert it into an equity instrument of the entity. For example, a bond or similar instrument convertible by the holder into a fixed number of ordinary

shares of the entity is a compound financial instrument. From the perspective of the entity, such an instrument comprises two components: a financial liability (a contractual arrangement to deliver cash or another financial asset) and an equity instrument (a call option granting the holder the right, for a specified period of time, to convert it into a fixed number of ordinary shares of the entity). The economic effect of issuing such an instrument is substantially the same as issuing simultaneously a debt instrument with an early settlement provision and warrants to purchase ordinary shares, or issuing a debt instrument with detachable share purchase warrants. Accordingly, in all cases, the entity presents the liability and equity components separately in its balance sheet.

30 Classification of the liability and equity components of a convertible instrument is not revised as a result of a change in the likelihood that a conversion option will be exercised, even when exercise of the option may appear to have become economically advantageous to some holders. Holders may not always act in the way that might be expected because, for example, the tax consequences resulting from conversion may differ among holders. Furthermore, the likelihood of conversion will change from time to time. The entity's contractual obligation to make future payments remains outstanding until it is extinguished through conversion, maturity of the instrument or some other transaction.

31 Ind AS 109 deals with the measurement of financial assets and financial liabilities. Equity instruments are instruments that evidence a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Therefore, when the initial carrying amount of a compound financial instrument is allocated to its equity and liability components, the equity component is assigned the residual amount after deducting from the fair value of the instrument as a whole the amount separately determined for the liability component. The value of any derivative features (such as a call option) embedded in the compound financial instrument other than the equity component (such as an equity conversion option) is included in the liability component. The sum of the carrying amounts assigned to the liability and equity components on initial recognition is always equal to the fair value that would be ascribed to the instrument as a whole. No gain or loss arises from initially recognising the components of the instrument separately.

32 Under the approach described in paragraph 31, the issuer of a bond convertible into ordinary shares first determines the carrying amount of the liability component by measuring the fair value of a similar liability (including any embedded non-equity derivative features) that does not have an associated equity component. The carrying amount of the equity instrument represented by the option to convert the instrument into ordinary shares is then determined by deducting the fair value of the financial liability from the fair value of the compound financial instrument as a whole.

Treasury shares (see also paragraph AG36)

33 **If an entity reacquires its own equity instruments, those instruments ('treasury shares') shall be deducted from equity. No gain or loss shall be recognised in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of an entity's own equity instruments. Such treasury shares may be acquired and held by the entity or by other members of the consolidated group. Consideration paid or received shall be recognised directly in equity.**

34 The amount of treasury shares held is disclosed separately either in the balance sheet or in the notes, in accordance with Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*. An entity provides disclosure in accordance with Ind AS 24, *Related Party Disclosures*, if the entity reacquires its own equity instruments from related parties.

Interest, dividends, losses and gains
(see also paragraph AG37)

35 **Interest, dividends, losses and gains relating to a financial instrument or a component that is a financial liability shall be recognised as income or expense in profit or loss. Distributions to holders of an equity instrument shall be recognised by the entity directly in equity. Transaction costs of an equity transaction shall be accounted for as a deduction from equity.**

35A Income tax relating to distributions to holders of an equity instrument and to transaction costs of an equity transaction shall be accounted for in accordance with Ind AS 12, *Income Taxes*.

36 The classification of a financial instrument as a financial liability or an equity instrument determines whether interest, dividends, losses and gains relating to that instrument are recognised as income or expense in profit or loss. Thus, dividend payments on shares wholly recognised as liabilities are recognised as expenses in the same way as interest on a bond. Similarly, gains and losses associated with redemptions or refinancings of financial liabilities are recognised in profit or loss, whereas redemptions or refinancings of equity instruments are recognised as changes in equity. Changes in the fair value of an equity instrument are not recognised in the financial statements.

- 37 An entity typically incurs various costs in issuing or acquiring its own equity instruments. Those costs might include registration and other regulatory fees, amounts paid to legal, accounting and other professional advisers, printing costs and stamp duties. The transaction costs of an equity transaction are accounted for as a deduction from equity to the extent they are incremental costs directly attributable to the equity transaction that otherwise would have been avoided. The costs of an equity transaction that is abandoned are recognised as an expense.
- 38 Transaction costs that relate to the issue of a compound financial instrument are allocated to the liability and equity components of the instrument in proportion to the allocation of proceeds. Transaction costs that relate jointly to more than one transaction (for example, costs of a concurrent offering of some shares and a stock exchange listing of other shares) are allocated to those transactions using a basis of allocation that is rational and consistent with similar transactions.
- 39 The amount of transaction costs accounted for as a deduction from equity in the period is disclosed separately in accordance with Ind AS 1.
- 40 Dividends classified as an expense may be presented in the statement of profit and loss either with interest on other liabilities or as a separate item. In addition to the requirements of this Standard, disclosure of interest and dividends is subject to the requirements of Ind AS 1 and Ind AS 107. In some circumstances, because of the differences between interest and dividends with respect to matters such as tax deductibility, it is desirable to disclose them separately in the statement of profit and loss. Disclosures of the tax effects are made in accordance with Ind AS 12.
- 41 Gains and losses related to changes in the carrying amount of a financial liability are recognised as income or expense in profit or loss even when they relate to an instrument that includes a right to the residual interest in the assets of the entity in exchange for cash or another financial asset (see paragraph 18(b)). Under Ind AS 1 the entity presents any gain or loss arising from remeasurement of such an instrument separately in the statement of profit and loss when it is relevant in explaining the entity's performance.

Offsetting a financial asset and a financial liability
(see also paragraphs AG38A-AG 38F and AG39)

- 42 **A financial asset and a financial liability shall be offset and the net amount presented in the balance sheet when, and only when, an entity:**
- (a) **currently has a legally enforceable right to set off the recognised amounts; and**
 - (b) **intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.**

In accounting for a transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the entity shall not offset the transferred asset and the associated liability (see Ind AS 109, paragraph 3.2.22).

- 43 This Standard requires the presentation of financial assets and financial liabilities on a net basis when doing so reflects an entity's expected future cash flows from settling two or more separate financial instruments. When an entity has the right to receive or pay a single net amount and intends to do so, it has, in effect, only a single financial asset or financial liability. In other circumstances, financial assets and financial liabilities are presented separately from each other consistently with their characteristics as resources or obligations of the entity. An entity shall disclose the information required in paragraphs 13B–13E of Ind AS 107 for recognised financial instruments that are within the scope of paragraph 13A of Ind AS 107.
- 44 Offsetting a recognised financial asset and a recognised financial liability and presenting the net amount differs from the derecognition of a financial asset or a financial liability. Although offsetting does not give rise to recognition of a gain or loss, the derecognition of a financial instrument not only results in the removal of the previously recognised item from the balance sheet but also may result in recognition of a gain or loss.
- 45 A right of set-off is a debtor's legal right, by contract or otherwise, to settle or otherwise eliminate all or a portion of an amount due to a creditor by applying against that amount an amount due from the creditor. In unusual circumstances, a debtor may have a legal right to apply an amount due from a third party against the amount due to a creditor provided that there is an agreement between the three parties that clearly establishes the debtor's right of set-off. Because the right of set-off is a legal right, the conditions supporting the right may vary from one legal jurisdiction to another and the laws applicable to the relationships between the parties need to be considered.

- 46 The existence of an enforceable right to set off a financial asset and a financial liability affects the rights and obligations associated with a financial asset and a financial liability and may affect an entity's exposure to credit and liquidity risk. However, the existence of the right, by itself, is not a sufficient basis for offsetting. In the absence of an intention to exercise the right or to settle simultaneously, the amount and timing of an entity's future cash flows are not affected. When an entity intends to exercise the right or to settle simultaneously, presentation of the asset and liability on a net basis reflects more appropriately the amounts and timing of the expected future cash flows, as well as the risks to which those cash flows are exposed. An intention by one or both parties to settle on a net basis without the legal right to do so is not sufficient to justify offsetting because the rights and obligations associated with the individual financial asset and financial liability remain unaltered.
- 47 An entity's intentions with respect to settlement of particular assets and liabilities may be influenced by its normal business practices, the requirements of the financial markets and other circumstances that may limit the ability to settle net or to settle simultaneously. When an entity has a right of set-off, but does not intend to settle net or to realise the asset and settle the liability simultaneously, the effect of the right on the entity's credit risk exposure is disclosed in accordance with paragraph 36 of Ind AS 107.
- 48 Simultaneous settlement of two financial instruments may occur through, for example, the operation of a clearing house in an organised financial market or a face-to-face exchange. In these circumstances the cash flows are, in effect, equivalent to a single net amount and there is no exposure to credit or liquidity risk. In other circumstances, an entity may settle two instruments by receiving and paying separate amounts, becoming exposed to credit risk for the full amount of the asset or liquidity risk for the full amount of the liability. Such risk exposures may be significant even though relatively brief. Accordingly, realisation of a financial asset and settlement of a financial liability are treated as simultaneous only when the transactions occur at the same moment.
- 49 The conditions set out in paragraph 42 are generally not satisfied and offsetting is usually inappropriate when:
- (a) several different financial instruments are used to emulate the features of a single financial instrument (a 'synthetic instrument');
 - (b) financial assets and financial liabilities arise from financial instruments having the same primary risk exposure (for example, assets and liabilities within a portfolio of forward contracts or other derivative instruments) but involve different counterparties;
 - (c) financial or other assets are pledged as collateral for non-recourse financial liabilities;
 - (d) financial assets are set aside in trust by a debtor for the purpose of discharging an obligation without those assets having been accepted by the creditor in settlement of the obligation (for example, a sinking fund arrangement); or
 - (e) obligations incurred as a result of events giving rise to losses are expected to be recovered from a third party by virtue of a claim made under an insurance contract.
- 50 An entity that undertakes a number of financial instrument transactions with a single counterparty may enter into a 'master netting arrangement' with that counterparty. Such an agreement provides for a single net settlement of all financial instruments covered by the agreement in the event of default on, or termination of, any one contract. These arrangements are commonly used by financial institutions to provide protection against loss in the event of bankruptcy or other circumstances that result in a counterparty being unable to meet its obligations. A master netting arrangement commonly creates a right of set-off that becomes enforceable and affects the realisation or settlement of individual financial assets and financial liabilities only following a specified event of default or in other circumstances not expected to arise in the normal course of business. A master netting arrangement does not provide a basis for offsetting unless both of the criteria in paragraph 42 are satisfied. When financial assets and financial liabilities subject to a master netting arrangement are not offset, the effect of the arrangement on an entity's exposure to credit risk is disclosed in accordance with paragraph 36 of Ind AS 107.

Appendix A

Application Guidance

Ind AS 32 *Financial Instruments: Presentation*

This appendix is an integral part of the Ind AS.

AG1 This Application Guidance explains the application of particular aspects of the Standard.

- AG2 The Standard does not deal with the recognition or measurement of financial instruments. Requirements about the recognition and measurement of financial assets and financial liabilities are set out in Ind AS 109.

Definitions (paragraphs 11–14)

Financial assets and financial liabilities

- AG3 Currency (cash) is a financial asset because it represents the medium of exchange and is therefore the basis on which all transactions are measured and recognised in financial statements. A deposit of cash with a bank or similar financial institution is a financial asset because it represents the contractual right of the depositor to obtain cash from the institution or to draw a cheque or similar instrument against the balance in favour of a creditor in payment of a financial liability.

- AG4 Common examples of financial assets representing a contractual right to receive cash in the future and corresponding financial liabilities representing a contractual obligation to deliver cash in the future are:

- (a) trade accounts receivable and payable;
- (b) notes receivable and payable;
- (c) loans receivable and payable; and
- (d) bonds receivable and payable.

In each case, one party's contractual right to receive (or obligation to pay) cash is matched by the other party's corresponding obligation to pay (or right to receive).

- AG5 Another type of financial instrument is one for which the economic benefit to be received or given up is a financial asset other than cash. For example, a note payable in Government bonds gives the holder the contractual right to receive and the issuer the contractual obligation to deliver Government bonds, not cash. The bonds are financial assets because they represent obligations of the issuing Government to pay cash. The note is, therefore, a financial asset of the note holder and a financial liability of the note issuer.

- AG6 'Perpetual' debt instruments (such as 'perpetual' bonds, debentures and capital notes) normally provide the holder with the contractual right to receive payments on account of interest at fixed dates extending into the indefinite future, either with no right to receive a return of principal or a right to a return of principal under terms that make it very unlikely or very far in the future. For example, an entity may issue a financial instrument requiring it to make annual payments in perpetuity equal to a stated interest rate of 8 per cent applied to a stated par or principal amount of Rs. 1,000. Assuming 8 per cent to be the market rate of interest for the instrument when issued, the issuer assumes a contractual obligation to make a stream of future interest payments having a fair value (present value) of Rs. 1,000 on initial recognition. The holder and issuer of the instrument have a financial asset and a financial liability, respectively.

- AG7 A contractual right or contractual obligation to receive, deliver or exchange financial instruments is itself a financial instrument. A chain of contractual rights or contractual obligations meets the definition of a financial instrument if it will ultimately lead to the receipt or payment of cash or to the acquisition or issue of an equity instrument.

- AG8 The ability to exercise a contractual right or the requirement to satisfy a contractual obligation may be absolute, or it may be contingent on the occurrence of a future event. For example, a financial guarantee is a contractual right of the lender to receive cash from the guarantor, and a corresponding contractual obligation of the guarantor to pay the lender, if the borrower defaults. The contractual right and obligation exist because of a past transaction or event (assumption of the guarantee), even though the lender's ability to exercise its right and the requirement for the guarantor to perform under its obligation are both contingent on a future act of default by the borrower. A contingent right and obligation meet the definition of a financial asset and a financial liability, even though such assets and liabilities are not always recognised in the financial statements. Some of these contingent rights and obligations may be insurance contracts within the scope of Ind AS 104.

- AG9 Under Ind AS 17, *Leases*, a finance lease is regarded as primarily an entitlement of the lessor to receive, and an obligation of the lessee to pay, a stream of payments that are substantially the same as blended payments of principal and interest under a loan agreement. The lessor accounts for its investment in the amount receivable under the lease contract rather than the leased asset itself. An operating lease, on the other hand, is regarded as primarily an uncompleted contract committing the lessor to provide the use of an asset in future periods in exchange for consideration similar to a fee for a service. The lessor continues to account for the leased asset itself rather than any amount receivable in the future under the contract.

Accordingly, a finance lease is regarded as a financial instrument and an operating lease is not regarded as a financial instrument (except as regards individual payments currently due and payable).

- AG10 Physical assets (such as inventories, property, plant and equipment), leased assets and intangible assets (such as patents and trademarks) are not financial assets. Control of such physical and intangible assets creates an opportunity to generate an inflow of cash or another financial asset, but it does not give rise to a present right to receive cash or another financial asset.
- AG11 Assets (such as prepaid expenses) for which the future economic benefit is the receipt of goods or services, rather than the right to receive cash or another financial asset, are not financial assets. Similarly, items such as deferred revenue and most warranty obligations are not financial liabilities because the outflow of economic benefits associated with them is the delivery of goods and services rather than a contractual obligation to pay cash or another financial asset.
- AG12 Liabilities or assets that are not contractual (such as income taxes that are created as a result of statutory requirements imposed by Governments) are not financial liabilities or financial assets. Accounting for income taxes is dealt with in Ind AS 12. Similarly, constructive obligations, as defined in Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, do not arise from contracts and are not financial liabilities.

Equity instruments

- AG13 Examples of equity instruments include non-puttable ordinary shares, some puttable instruments (see paragraphs 16A and 16B), some instruments that impose on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation (see paragraphs 16C and 16D), some types of preference shares (see paragraphs AG25 and AG26), and warrants or written call options that allow the holder to subscribe for or purchase a fixed number of non-puttable ordinary shares in the issuing entity in exchange for a fixed amount of cash or another financial asset. An entity's obligation to issue or purchase a fixed number of its own equity instruments in exchange for a fixed amount of cash or another financial asset is an equity instrument of the entity (except as stated in paragraph 22A). However, if such a contract contains an obligation for the entity to pay cash or another financial asset (other than a contract classified as equity in accordance with paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D), it also gives rise to a liability for the present value of the redemption amount (see paragraph AG27(a)). An issuer of non-puttable ordinary shares assumes a liability when it formally acts to make a distribution and becomes legally obliged to the shareholders to do so. This may be the case following the declaration of a dividend or when the entity is being wound up and any assets remaining after the satisfaction of liabilities become distributable to shareholders.
- AG14 A purchased call option or other similar contract acquired by an entity that gives it the right to reacquire a fixed number of its own equity instruments in exchange for delivering a fixed amount of cash or another financial asset is not a financial asset of the entity (except as stated in paragraph 22A). Instead, any consideration paid for such a contract is deducted from equity.

The class of instruments that is subordinate to all other classes (paragraphs 16A(b) and 16C(b))

- AG14A One of the features of paragraphs 16A and 16C is that the financial instrument is in the class of instruments that is subordinate to all other classes.
- AG14B When determining whether an instrument is in the subordinate class, an entity evaluates the instrument's claim on liquidation as if it were to liquidate on the date when it classifies the instrument. An entity shall reassess the classification if there is a change in relevant circumstances. For example, if the entity issues or redeems another financial instrument, this may affect whether the instrument in question is in the class of instruments that is subordinate to all other classes.
- AG14C An instrument that has a preferential right on liquidation of the entity is not an instrument with an entitlement to a pro rata share of the net assets of the entity. For example, an instrument has a preferential right on liquidation if it entitles the holder to a fixed dividend on liquidation, in addition to a share of the entity's net assets, when other instruments in the subordinate class with a right to a pro rata share of the net assets of the entity do not have the same right on liquidation.
- AG14D If an entity has only one class of financial instruments, that class shall be treated as if it were subordinate to all other classes.

Total expected cash flows attributable to the instrument over the life of the instrument (paragraph 16A(e))

AG14E The total expected cash flows of the instrument over the life of the instrument must be substantially based on the profit or loss, change in the recognised net assets or fair value of the recognised and unrecognised net assets of the entity over the life of the instrument. Profit or loss and the change in the recognised net assets shall be measured in accordance with relevant Ind ASs.

Transactions entered into by an instrument holder other than as owner of the entity (paragraphs 16A and 16C)

AG14F The holder of a puttable financial instrument or an instrument that imposes on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation may enter into transactions with the entity in a role other than that of an owner. For example, an instrument holder may also be an employee of the entity. Only the cash flows and the contractual terms and conditions of the instrument that relate to the instrument holder as an owner of the entity shall be considered when assessing whether the instrument should be classified as equity under paragraph 16A or paragraph 16C.

AG14G An example is a limited partnership that has limited and general partners. Some general partners may provide a guarantee to the entity and may be remunerated for providing that guarantee. In such situations, the guarantee and the associated cash flows relate to the instrument holders in their role as guarantors and not in their roles as owners of the entity. Therefore, such a guarantee and the associated cash flows would not result in the general partners being considered subordinate to the limited partners, and would be disregarded when assessing whether the contractual terms of the limited partnership instruments and the general partnership instruments are identical.

AG14H Another example is a profit or loss sharing arrangement that allocates profit or loss to the instrument holders on the basis of services rendered or business generated during the current and previous years. Such arrangements are transactions with instrument holders in their role as non-owners and should not be considered when assessing the features listed in paragraph 16A or paragraph 16C. However, profit or loss sharing arrangements that allocate profit or loss to instrument holders based on the nominal amount of their instruments relative to others in the class represent transactions with the instrument holders in their roles as owners and should be considered when assessing the features listed in paragraph 16A or paragraph 16C.

AG14I The cash flows and contractual terms and conditions of a transaction between the instrument holder (in the role as a non-owner) and the issuing entity must be similar to an equivalent transaction that might occur between a non-instrument holder and the issuing entity.

No other financial instrument or contract with total cash flows that substantially fixes or restricts the residual return to the instrument holder (paragraphs 16B and 16D)

AG14J A condition for classifying as equity a financial instrument that otherwise meets the criteria in paragraph 16A or paragraph 16C is that the entity has no other financial instrument or contract that has (a) total cash flows based substantially on the profit or loss, the change in the recognised net assets or the change in the fair value of the recognised and unrecognised net assets of the entity and (b) the effect of substantially restricting or fixing the residual return. The following instruments, when entered into on normal commercial terms with unrelated parties, are unlikely to prevent instruments that otherwise meet the criteria in paragraph 16A or paragraph 16C from being classified as equity:

- (a) instruments with total cash flows substantially based on specific assets of the entity.
- (b) instruments with total cash flows based on a percentage of revenue.
- (c) contracts designed to reward individual employees for services rendered to the entity.
- (d) contracts requiring the payment of an insignificant percentage of profit for services rendered or goods provided.

Derivative financial instruments

AG15 Financial instruments include primary instruments (such as receivables, payables and equity instruments) and derivative financial instruments (such as financial options, futures and forwards, interest rate swaps and currency swaps). Derivative financial instruments meet the definition of a financial instrument and, accordingly, are within the scope of this Standard.

AG16 Derivative financial instruments create rights and obligations that have the effect of transferring between the parties to the instrument one or more of the financial risks inherent in an underlying primary financial instrument. On inception, derivative financial instruments give one party a contractual right to exchange financial assets or financial liabilities with another party under conditions that are potentially favourable, or a

contractual obligation to exchange financial assets or financial liabilities with another party under conditions that are potentially unfavourable. However, they generally³ do not result in a transfer of the underlying primary financial instrument on inception of the contract, nor does such a transfer necessarily take place on maturity of the contract. Some instruments embody both a right and an obligation to make an exchange. Because the terms of the exchange are determined on inception of the derivative instrument, as prices in financial markets change those terms may become either favourable or unfavourable.

- AG17 A put or call option to exchange financial assets or financial liabilities (ie financial instruments other than an entity's own equity instruments) gives the holder a right to obtain potential future economic benefits associated with changes in the fair value of the financial instrument underlying the contract. Conversely, the writer of an option assumes an obligation to forgo potential future economic benefits or bear potential losses of economic benefits associated with changes in the fair value of the underlying financial instrument. The contractual right of the holder and obligation of the writer meet the definition of a financial asset and a financial liability, respectively. The financial instrument underlying an option contract may be any financial asset, including shares in other entities and interest-bearing instruments. An option may require the writer to issue a debt instrument, rather than transfer a financial asset, but the instrument underlying the option would constitute a financial asset of the holder if the option were exercised. The option-holder's right to exchange the financial asset under potentially favourable conditions and the writer's obligation to exchange the financial asset under potentially unfavourable conditions are distinct from the underlying financial asset to be exchanged upon exercise of the option. The nature of the holder's right and of the writer's obligation are not affected by the likelihood that the option will be exercised.
- AG18 Another example of a derivative financial instrument is a forward contract to be settled in six months' time in which one party (the purchaser) promises to deliver Rs.1,000,000 cash in exchange for Rs.1,000,000 face amount of fixed rate Government bonds, and the other party (the seller) promises to deliver Rs.1,000,000 face amount of fixed rate Government bonds in exchange for Rs.1,000,000 cash. During the six months, both parties have a contractual right and a contractual obligation to exchange financial instruments. If the market price of the Government bonds rises above Rs.1,000,000, the conditions will be favourable to the purchaser and unfavourable to the seller; if the market price falls below Rs.1,000,000, the effect will be the opposite. The purchaser has a contractual right (a financial asset) similar to the right under a call option held and a contractual obligation (a financial liability) similar to the obligation under a put option written; the seller has a contractual right (a financial asset) similar to the right under a put option held and a contractual obligation (a financial liability) similar to the obligation under a call option written. As with options, these contractual rights and obligations constitute financial assets and financial liabilities separate and distinct from the underlying financial instruments (the bonds and cash to be exchanged). Both parties to a forward contract have an obligation to perform at the agreed time, whereas performance under an option contract occurs only if and when the holder of the option chooses to exercise it.
- AG19 Many other types of derivative instruments embody a right or obligation to make a future exchange, including interest rate and currency swaps, interest rate caps, collars and floors, loan commitments, note issuance facilities and letters of credit. An interest rate swap contract may be viewed as a variation of a forward contract in which the parties agree to make a series of future exchanges of cash amounts, one amount calculated with reference to a floating interest rate and the other with reference to a fixed interest rate. Futures contracts are another variation of forward contracts, differing primarily in that the contracts are standardised and traded on an exchange.

Contracts to buy or sell non-financial items (paragraphs 8–10)

- AG20 Contracts to buy or sell non-financial items do not meet the definition of a financial instrument because the contractual right of one party to receive a non-financial asset or service and the corresponding obligation of the other party do not establish a present right or obligation of either party to receive, deliver or exchange a financial asset. For example, contracts that provide for settlement only by the receipt or delivery of a non-financial item (eg an option, futures or forward contract on silver) are not financial instruments. Many commodity contracts are of this type. Some are standardised in form and traded on organised markets in much the same fashion as some derivative financial instruments. For example, a commodity futures contract may be bought and sold readily for cash because it is listed for trading on an exchange and may change hands many times. However, the parties buying and selling the contract are, in effect, trading the underlying commodity. The ability to buy or sell a commodity contract for cash, the ease with which it may be bought or sold and the

³ This is true of most, but not all derivatives, eg in some cross-currency interest rate swaps principal is exchanged on inception (and re-exchanged on maturity).

possibility of negotiating a cash settlement of the obligation to receive or deliver the commodity do not alter the fundamental character of the contract in a way that creates a financial instrument. Nevertheless, some contracts to buy or sell non-financial items that can be settled net or by exchanging financial instruments, or in which the non-financial item is readily convertible to cash, are within the scope of the Standard as if they were financial instruments (see paragraph 8).

- AG21 Except as required by Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*, a contract that involves the receipt or delivery of physical assets does not give rise to a financial asset of one party and a financial liability of the other party unless any corresponding payment is deferred past the date on which the physical assets are transferred. Such is the case with the purchase or sale of goods on trade credit.
- AG22 Some contracts are commodity-linked, but do not involve settlement through the physical receipt or delivery of a commodity. They specify settlement through cash payments that are determined according to a formula in the contract, rather than through payment of fixed amounts. For example, the principal amount of a bond may be calculated by applying the market price of oil prevailing at the maturity of the bond to a fixed quantity of oil. The principal is indexed by reference to a commodity price, but is settled only in cash. Such a contract constitutes a financial instrument.
- AG23 The definition of a financial instrument also encompasses a contract that gives rise to a non-financial asset or non-financial liability in addition to a financial asset or financial liability. Such financial instruments often give one party an option to exchange a financial asset for a non-financial asset. For example, an oil-linked bond may give the holder the right to receive a stream of fixed periodic interest payments and a fixed amount of cash on maturity, with the option to exchange the principal amount for a fixed quantity of oil. The desirability of exercising this option will vary from time to time depending on the fair value of oil relative to the exchange ratio of cash for oil (the exchange price) inherent in the bond. The intentions of the bondholder concerning the exercise of the option do not affect the substance of the component assets. The financial asset of the holder and the financial liability of the issuer make the bond a financial instrument, regardless of the other types of assets and liabilities also created.
- AG24 [Refer Appendix 1]

Presentation

Liabilities and equity (paragraphs 15–27)

No contractual obligation to deliver cash or another financial asset (paragraphs 17–20)

- AG25 Preference shares may be issued with various rights. In determining whether a preference share is a financial liability or an equity instrument, an issuer assesses the particular rights attaching to the share to determine whether it exhibits the fundamental characteristic of a financial liability. For example, a preference share that provides for redemption on a specific date or at the option of the holder contains a financial liability because the issuer has an obligation to transfer financial assets to the holder of the share. The potential inability of an issuer to satisfy an obligation to redeem a preference share when contractually required to do so, whether because of a lack of funds, a statutory restriction or insufficient profits or reserves, does not negate the obligation. An option of the issuer to redeem the shares for cash does not satisfy the definition of a financial liability because the issuer does not have a present obligation to transfer financial assets to the shareholders. In this case, redemption of the shares is solely at the discretion of the issuer. An obligation may arise, however, when the issuer of the shares exercises its option, usually by formally notifying the shareholders of an intention to redeem the shares.
- AG26 When preference shares are non-redeemable, the appropriate classification is determined by the other rights that attach to them. Classification is based on an assessment of the substance of the contractual arrangements and the definitions of a financial liability and an equity instrument. When distributions to holders of the preference shares, whether cumulative or non-cumulative, are at the discretion of the issuer, the shares are equity instruments. The classification of a preference share as an equity instrument or a financial liability is not affected by, for example:
- a history of making distributions;
 - an intention to make distributions in the future;
 - a possible negative impact on the price of ordinary shares of the issuer if distributions are not made (because of restrictions on paying dividends on the ordinary shares if dividends are not paid on the preference shares);
 - the amount of the issuer's reserves;
 - an issuer's expectation of a profit or loss for a period; or
 - an ability or inability of the issuer to influence the amount of its profit or loss for the period.

**Settlement in the entity's own equity instruments
(paragraphs 21–24)**

AG27 The following examples illustrate how to classify different types of contracts on an entity's own equity instruments:

- (a) A contract that will be settled by the entity receiving or delivering a fixed number of its own shares for no future consideration, or exchanging a fixed number of its own shares for a fixed amount of cash or another financial asset, is an equity instrument (except as stated in paragraph 22A). Accordingly, any consideration received or paid for such a contract is added directly to or deducted directly from equity. One example is an issued share option that gives the counterparty a right to buy a fixed number of the entity's shares for a fixed amount of cash. However, if the contract requires the entity to purchase (redeem) its own shares for cash or another financial asset at a fixed or determinable date or on demand, the entity also recognises a financial liability for the present value of the redemption amount (with the exception of instruments that have all the features and meet the conditions in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D). One example is an entity's obligation under a forward contract to repurchase a fixed number of its own shares for a fixed amount of cash.
- (b) An entity's obligation to purchase its own shares for cash gives rise to a financial liability for the present value of the redemption amount even if the number of shares that the entity is obliged to repurchase is not fixed or if the obligation is conditional on the counterparty exercising a right to redeem (except as stated in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D). One example of a conditional obligation is an issued option that requires the entity to repurchase its own shares for cash if the counterparty exercises the option.
- (c) A contract that will be settled in cash or another financial asset is a financial asset or financial liability even if the amount of cash or another financial asset that will be received or delivered is based on changes in the market price of the entity's own equity (except as stated in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D). One example is a net cash-settled share option.
- (d) A contract that will be settled in a variable number of the entity's own shares whose value equals a fixed amount or an amount based on changes in an underlying variable (eg a commodity price) is a financial asset or a financial liability. An example is a written option to buy gold that, if exercised, is settled net in the entity's own instruments by the entity delivering as many of those instruments as are equal to the value of the option contract. Such a contract is a financial asset or financial liability even if the underlying variable is the entity's own share price rather than gold. Similarly, a contract that will be settled in a fixed number of the entity's own shares, but the rights attaching to those shares will be varied so that the settlement value equals a fixed amount or an amount based on changes in an underlying variable, is a financial asset or a financial liability.

Contingent settlement provisions (paragraph 25)

AG28 Paragraph 25 requires that if a part of a contingent settlement provision that could require settlement in cash or another financial asset (or in another way that would result in the instrument being a financial liability) is not genuine, the settlement provision does not affect the classification of a financial instrument. Thus, a contract that requires settlement in cash or a variable number of the entity's own shares only on the occurrence of an event that is extremely rare, highly abnormal and very unlikely to occur is an equity instrument. Similarly, settlement in a fixed number of an entity's own shares may be contractually precluded in circumstances that are outside the control of the entity, but if these circumstances have no genuine possibility of occurring, classification as an equity instrument is appropriate.

Treatment in consolidated financial statements

AG29 In consolidated financial statements, an entity presents non-controlling interests—ie the interests of other parties in the equity and income of its subsidiaries—in accordance with Ind AS 1 and Ind AS 110. When classifying a financial instrument (or a component of it) in consolidated financial statements, an entity considers all terms and conditions agreed between members of the group and the holders of the instrument in determining whether the group as a whole has an obligation to deliver cash or another financial asset in respect of the instrument or to settle it in a manner that results in liability classification. When a subsidiary in a group issues a financial instrument and a parent or other group entity agrees additional terms directly with the holders of the instrument (eg a guarantee), the group may not have discretion over distributions or redemption. Although the subsidiary may appropriately classify the instrument without regard to these additional terms in its individual financial statements, the effect of other agreements between members of the group and the holders of the instrument is considered in order to ensure that consolidated financial statements

reflect the contracts and transactions entered into by the group as a whole. To the extent that there is such an obligation or settlement provision, the instrument (or the component of it that is subject to the obligation) is classified as a financial liability in consolidated financial statements.

- AG29A Some types of instruments that impose a contractual obligation on the entity are classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D. Classification in accordance with those paragraphs is an exception to the principles otherwise applied in this Standard to the classification of an instrument. This exception is not extended to the classification of non-controlling interests in the consolidated financial statements. Therefore, instruments classified as equity instruments in accordance with either paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D in the separate or individual financial statements that are non-controlling interests are classified as liabilities in the consolidated financial statements of the group.

Compound financial instruments (paragraphs 28–32)

- AG30 Paragraph 28 applies only to issuers of non-derivative compound financial instruments. Paragraph 28 does not deal with compound financial instruments from the perspective of holders. Ind AS 109 deals with the classification and measurement of financial assets that are compound financial instruments from the holder's perspective.

- AG31 A common form of compound financial instrument is a debt instrument with an embedded conversion option, such as a bond convertible into ordinary shares of the issuer, and without any other embedded derivative features. Paragraph 28 requires the issuer of such a financial instrument to present the liability component and the equity component separately in the balance sheet, as follows:

- (a) The issuer's obligation to make scheduled payments of interest and principal is a financial liability that exists as long as the instrument is not converted. On initial recognition, the fair value of the liability component is the present value of the contractually determined stream of future cash flows discounted at the rate of interest applied at that time by the market to instruments of comparable credit status and providing substantially the same cash flows, on the same terms, but without the conversion option.
- (b) The equity instrument is an embedded option to convert the liability into equity of the issuer. This option has value on initial recognition even when it is out of the money.

- AG32 On conversion of a convertible instrument at maturity, the entity derecognises the liability component and recognises it as equity. The original equity component remains as equity (although it may be transferred from one line item within equity to another). There is no gain or loss on conversion at maturity.

- AG33 When an entity extinguishes a convertible instrument before maturity through an early redemption or repurchase in which the original conversion privileges are unchanged, the entity allocates the consideration paid and any transaction costs for the repurchase or redemption to the liability and equity components of the instrument at the date of the transaction. The method used in allocating the consideration paid and transaction costs to the separate components is consistent with that used in the original allocation to the separate components of the proceeds received by the entity when the convertible instrument was issued, in accordance with paragraphs 28–32.

- AG34 Once the allocation of the consideration is made, any resulting gain or loss is treated in accordance with accounting principles applicable to the related component, as follows:

- (a) the amount of gain or loss relating to the liability component is recognised in profit or loss; and
- (b) the amount of consideration relating to the equity component is recognised in equity.

- AG35 An entity may amend the terms of a convertible instrument to induce early conversion, for example by offering a more favourable conversion ratio or paying other additional consideration in the event of conversion before a specified date. The difference, at the date the terms are amended, between the fair value of the consideration the holder receives on conversion of the instrument under the revised terms and the fair value of the consideration the holder would have received under the original terms is recognised as a loss in profit or loss.

Treasury shares (paragraphs 33 and 34)

- AG36 An entity's own equity instruments are not recognised as a financial asset regardless of the reason for which they are reacquired. Paragraph 33 requires an entity that reacquires its own equity instruments to deduct those equity instruments from equity. However, when an entity holds its own equity on behalf of others, eg a financial institution holding its own equity on behalf of a client, there is an agency relationship and as a result those holdings are not included in the entity's balance sheet.

Interest, dividends, losses and gains (paragraphs 35–41)

- AG37 The following example illustrates the application of paragraph 35 to a compound financial instrument. Assume that a non-cumulative preference share is mandatorily redeemable for cash in five years, but that dividends are payable at the discretion of the entity before the redemption date. Such an instrument is a compound financial instrument, with the liability component being the present value of the redemption amount. The unwinding of the discount on this component is recognised in profit or loss and classified as interest expense. Any dividends paid relate to the equity component and, accordingly, are recognised as a distribution of profit or loss. A similar treatment would apply if the redemption was not mandatory but at the option of the holder, or if the share was mandatorily convertible into a variable number of ordinary shares calculated to equal a fixed amount or an amount based on changes in an underlying variable (eg commodity). However, if any unpaid dividends are added to the redemption amount, the entire instrument is a liability. In such a case, any dividends are classified as interest expense.

Offsetting a financial asset and a financial liability (paragraphs 42–50)

- AG38 [Refer Appendix 1]

Criterion that an entity ‘currently has a legally enforceable right to set-off the recognised amounts’ (paragraph 42(a))

- AG38A A right of set-off may be currently available or it may be contingent on a future event (for example, the right may be triggered or exercisable only on the occurrence of some future event, such as the default, insolvency or bankruptcy of one of the counterparties). Even if the right of set-off is not contingent on a future event, it may only be legally enforceable in the normal course of business, or in the event of default, or in the event of insolvency or bankruptcy, of one or all of the counterparties.
- AG38B To meet the criterion in paragraph 42(a), an entity must currently have a legally enforceable right of set-off. This means that the right of set-off:
- (a) must not be contingent on a future event; and
 - (b) must be legally enforceable in all of the following circumstances:
 - (i) the normal course of business;
 - (ii) the event of default; and
 - (iii) the event of insolvency or bankruptcy of the entity and all of the counterparties.
- AG38C The nature and extent of the right of set-off, including any conditions attached to its exercise and whether it would remain in the event of default or insolvency or bankruptcy, may vary from one legal jurisdiction to another. Consequently, it cannot be assumed that the right of set-off is automatically available outside of the normal course of business. For example, the bankruptcy or insolvency laws of a jurisdiction may prohibit, or restrict, the right of set-off in the event of bankruptcy or insolvency in some circumstances.
- AG38D The laws applicable to the relationships between the parties (for example, contractual provisions, the laws governing the contract, or the default, insolvency or bankruptcy laws applicable to the parties) need to be considered to ascertain whether the right of set-off is enforceable in the normal course of business, in an event of default, and in the event of insolvency or bankruptcy, of the entity and all of the counterparties (as specified in paragraph AG38B (b)).

Criterion that an entity ‘intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously’ (paragraph 42(b))

- AG38E To meet the criterion in paragraph 42(b) an entity must intend either to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously. Although the entity may have a right to settle net, it may still realise the asset and settle the liability separately.
- AG38F If an entity can settle amounts in a manner such that the outcome is, in effect, equivalent to net settlement, the entity will meet the net settlement criterion in paragraph 42(b). This will occur if, and only if, the gross settlement mechanism has features that eliminate or result in insignificant credit and liquidity risk, and that will process receivables and payables in a single settlement process or cycle. For example, a gross settlement system that has all of the following characteristics would meet the net settlement criterion in paragraph 42(b):
- (a) financial assets and financial liabilities eligible for set-off are submitted at the same point in time for processing;

- (b) once the financial assets and financial liabilities are submitted for processing, the parties are committed to fulfill the settlement obligation;
- (c) there is no potential for the cash flows arising from the assets and liabilities to change once they have been submitted for processing (unless the processing fails—see (d) below);
- (d) assets and liabilities that are collateralised with securities will be settled on a securities transfer or similar system (for example, delivery versus payment), so that if the transfer of securities fails, the processing of the related receivable or payable for which the securities are collateral will also fail (and vice versa);
- (e) any transactions that fail, as outlined in (d), will be re-entered for processing until they are settled;
- (f) settlement is carried out through the same settlement institution (for example, a settlement bank, a central bank or a central securities depository); and
- (g) an intraday credit facility is in place that will provide sufficient overdraft amounts to enable the processing of payments at the settlement date for each of the parties, and it is virtually certain that the intraday credit facility will be honoured if called upon.

AG39 The Standard does not provide special treatment for so-called ‘synthetic instruments’, which are groups of separate financial instruments acquired and held to emulate the characteristics of another instrument. For example, a floating rate long-term debt combined with an interest rate swap that involves receiving floating payments and making fixed payments synthesises a fixed rate long-term debt. Each of the individual financial instruments that together constitute a ‘synthetic instrument’ represents a contractual right or obligation with its own terms and conditions and each may be transferred or settled separately. Each financial instrument is exposed to risks that may differ from the risks to which other financial instruments are exposed. Accordingly, when one financial instrument in a ‘synthetic instrument’ is an asset and another is a liability, they are not offset and presented in an entity’s balance sheet on a net basis unless they meet the criteria for offsetting in paragraph 42.

Appendix B

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and makes reference to Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*.

1. Appendix C, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 115 *Revenue from Contracts with Customers*
2. Appendix D, *Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments*, contained in Ind AS 109, *Financial Instruments*

Appendix 1

Note : This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 32 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 32, Financial Instruments; Presentation, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 32, *Financial Instruments: Presentation*

1. As an exception to the definition of ‘financial liability’ in paragraph 11 (b) (ii), Ind AS 32 considers the equity conversion option embedded in a convertible bond denominated in foreign currency to acquire a fixed number of entity’s own equity instruments is considered an equity instrument if the exercise price is fixed in any currency. This exception is not provided in IAS 32.
2. The transitional provisions given in IAS 32 have not been given in Ind AS 32, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, First-time Adoption of Indian Accounting Standards corresponding to IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards.
3. Different terminology is used, as used in existing laws e.g., the term ‘balance sheet’ is used instead of ‘Statement of financial position’ and ‘Statement of profit and loss’ is used instead of ‘Statement of comprehensive income’.

4. Requirements regarding presentation of dividends classified as an expense in the separate income statement, where separate income statement is presented, have been deleted. This change is consequential to the removal of option regarding two statement approach in Ind AS 1. Ind AS 1 requires that the components of profit or loss and components of other comprehensive income shall be presented as a part of the statement of profit and loss.
5. The following paragraph numbers appear as 'Deleted' in IAS 32. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 32, the paragraph numbers are retained in Ind AS 32:
 - (i) paragraph 1
 - (ii) paragraph 4(c)
 - (iii) paragraphs 5-7
 - (iv) AG24 of Appendix A
 - (v) AG38 of Appendix A
6. Following references to Illustrative Examples which are not integral part of IAS 32 have not been included in Ind AS 32:
 - (i) Reference to Example 7 of Illustrative Examples in paragraph 18(b)
 - (ii) Reference to Example 8 of Illustrative Example in paragraph 18(b)
 - (iii) Reference to Example 9-12 of Illustrative Example given in heading above paragraph 28

Indian Accounting Standard (Ind AS) 33

Earnings per Share

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

1. The objective of this Standard is to prescribe principles for the determination and presentation of earnings per share, so as to improve performance comparisons between different entities in the same reporting period and between different reporting periods for the same entity. Even though earnings per share data have limitations because of the different accounting policies that may be used for determining 'earnings', a consistently determined denominator enhances financial reporting. The focus of this Standard is on the denominator of the earnings per share calculation.

Scope

2. This Indian Accounting Standard shall apply to companies that have issued ordinary shares⁴ to which Indian Accounting Standards (Ind ASs) notified under the Companies Act apply.

[Refer Appendix 1]

3. **An entity that discloses earnings per share shall calculate and disclose earnings per share in accordance with this Standard.**
4. **When an entity presents both consolidated financial statements and separate financial statements prepared in accordance with Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, and Ind AS 27, *Separate Financial Statements*, respectively, the disclosures required by this Standard shall be presented both in the consolidated financial statements and separate financial statements. In consolidated financial statements such disclosures shall be based on consolidated information and in separate financial statements such disclosures shall be based on information given in separate financial statements. An entity shall not present in consolidated financial statements, earnings per share based on the information given in separate financial statements and shall not present in separate financial statements, earnings per share based on the information given in consolidated financial statements.**

4A [Refer Appendix 1]

Definitions

5. **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

⁴In Indian context, the term 'ordinary shares' is equivalent to 'equity shares'.

Antidilution is an increase in earnings per share or a reduction in loss per share resulting from the assumption that convertible instruments are converted, that options or warrants are exercised, or that ordinary shares are issued upon the satisfaction of specified conditions.

A **contingent share agreement** is an agreement to issue shares that is dependent on the satisfaction of specified conditions.

Contingently issuable ordinary shares are ordinary shares issuable for little or no cash or other consideration upon the satisfaction of specified conditions in a contingent share agreement.

Dilution is a reduction in earnings per share or an increase in loss per share resulting from the assumption that convertible instruments are converted, that options or warrants are exercised, or that ordinary shares are issued upon the satisfaction of specified conditions.

Options, warrants and their equivalents are financial instruments that give the holder the right to purchase ordinary shares.

An **ordinary share** is an equity instrument that is subordinate to all other classes of equity instruments.

A **potential ordinary share** is a financial instrument or other contract that may entitle its holder to ordinary shares.

Put options on ordinary shares are contracts that give the holder the right to sell ordinary shares at a specified price for a given period.

6. Ordinary shares participate in profit for the period only after other types of shares such as preference shares have participated. An entity may have more than one class of ordinary shares. Ordinary shares of the same class have the same rights to receive dividends.
7. Examples of potential ordinary shares are:
 - (a) financial liabilities or equity instruments, including preference shares, that are convertible into ordinary shares;
 - (b) options and warrants;
 - (c) shares that would be issued upon the satisfaction of conditions resulting from contractual arrangements, such as the purchase of a business or other assets.
8. Terms defined in Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*, are used in this Standard with the meanings specified in paragraph 11 of Ind AS 32, unless otherwise noted. Ind AS 32 defines financial instrument, financial asset, financial liability and equity instrument, and provides guidance on applying those definitions. Ind AS 113, *Fair Value Measurement*, defines fair value and sets out requirements for applying that definition.

Measurement

Basic earnings per share

9. An entity shall calculate basic earnings per share amounts for profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity and, if presented, profit or loss from continuing operations attributable to those equity holders.
10. Basic earnings per share shall be calculated by dividing profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity (the numerator) by the weighted average number of ordinary shares outstanding (the denominator) during the period.
11. The objective of basic earnings per share information is to provide a measure of the interests of each ordinary share of a parent entity in the performance of the entity over the reporting period.

Earnings

12. For the purpose of calculating basic earnings per share, the amounts attributable to ordinary equity holders of the parent entity in respect of:
 - (a) profit or loss from continuing operations attributable to the parent entity; and
 - (b) profit or loss attributable to the parent entity
 shall be the amounts in (a) and (b) adjusted for the after-tax amounts of preference dividends, differences arising on the settlement of preference shares, and other similar effects of preference shares classified as equity.

Where any item of income or expense which is otherwise required to be recognised in profit or loss in accordance with Indian Accounting Standards is debited or credited to securities premium account/other reserves, the amount in respect thereof shall be deducted from profit or loss from continuing operations for the purpose of calculating basic earnings per share.

13. All items of income and expense attributable to ordinary equity holders of the parent entity that are recognised in a period, including tax expense and dividends on preference shares classified as liabilities are included in the determination of profit or loss for the period attributable to ordinary equity holders of the parent entity (see Ind AS 1).
14. The after-tax amount of preference dividends that is deducted from profit or loss is:
 - (a) the after-tax amount of any preference dividends on non-cumulative preference shares declared in respect of the period; and
 - (b) the after-tax amount of the preference dividends for cumulative preference shares required for the period, whether or not the dividends have been declared. The amount of preference dividends for the period does not include the amount of any preference dividends for cumulative preference shares paid or declared during the current period in respect of previous periods.
15. Preference shares that provide for a low initial dividend to compensate an entity for selling the preference shares at a discount, or an above-market dividend in later periods to compensate investors for purchasing preference shares at a premium, are sometimes referred to as increasing rate preference shares. Any original issue discount or premium on increasing rate preference shares is amortised to retained earnings using the effective interest method and treated as a preference dividend for the purposes of calculating earnings per share (irrespective of whether such discount or premium is debited or credited to securities premium account in view of requirements of any law).
16. Preference shares may be repurchased under an entity's tender offer to the holders. The excess of the fair value of the consideration paid to the preference shareholders over the carrying amount of the preference shares represents a return to the holders of the preference shares and a charge to retained earnings for the entity. This amount is deducted in calculating profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity.
17. Early conversion of convertible preference shares may be induced by an entity through favourable changes to the original conversion terms or the payment of additional consideration. The excess of the fair value of the ordinary shares or other consideration paid over the fair value of the ordinary shares issuable under the original conversion terms is a return to the preference shareholders, and is deducted in calculating profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity.
18. Any excess of the carrying amount of preference shares over the fair value of the consideration paid to settle them is added in calculating profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity.

Shares

19. **For the purpose of calculating basic earnings per share, the number of ordinary shares shall be the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.**
20. Using the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period reflects the possibility that the amount of shareholders' capital varied during the period as a result of a larger or smaller number of shares being outstanding at any time. The weighted average number of ordinary shares outstanding during the period is the number of ordinary shares outstanding at the beginning of the period, adjusted by the number of ordinary shares bought back or issued during the period multiplied by a time-weighting factor. The time-weighting factor is the number of days that the shares are outstanding as a proportion of the total number of days in the period; a reasonable approximation of the weighted average is adequate in many circumstances.
21. Shares are usually included in the weighted average number of shares from the date consideration is receivable (which is generally the date of their issue), for example:
 - (a) ordinary shares issued in exchange for cash are included when cash is receivable;
 - (b) ordinary shares issued on the voluntary reinvestment of dividends on ordinary or preference shares are included when dividends are reinvested;
 - (c) ordinary shares issued as a result of the conversion of a debt instrument to ordinary shares are included from the date that interest ceases to accrue;

- (d) ordinary shares issued in place of interest or principal on other financial instruments are included from the date that interest ceases to accrue;
- (e) ordinary shares issued in exchange for the settlement of a liability of the entity are included from the settlement date;
- (f) ordinary shares issued as consideration for the acquisition of an asset other than cash are included as of the date on which the acquisition is recognised; and
- (g) ordinary shares issued for the rendering of services to the entity are included as the services are rendered.

The timing of the inclusion of ordinary shares is determined by the terms and conditions attaching to their issue. Due consideration is given to the substance of any contract associated with the issue.

22. Ordinary shares issued as part of the consideration transferred in a business combination are included in the weighted average number of shares from the acquisition date. This is because the acquirer incorporates into its statement of profit and loss the acquiree's profits and losses from that date.
23. Ordinary shares that will be issued upon the conversion of a mandatorily convertible instrument are included in the calculation of basic earnings per share from the date the contract is entered into.
24. Contingently issuable shares are treated as outstanding and are included in the calculation of basic earnings per share only from the date when all necessary conditions are satisfied (ie the events have occurred). Shares that are issuable solely after the passage of time are not contingently issuable shares, because the passage of time is a certainty. Outstanding ordinary shares that are contingently returnable (ie subject to recall) are not treated as outstanding and are excluded from the calculation of basic earnings per share until the date the shares are no longer subject to recall.
25. [Refer Appendix 1]
26. **The weighted average number of ordinary shares outstanding during the period and for all periods presented shall be adjusted for events, other than the conversion of potential ordinary shares, that have changed the number of ordinary shares outstanding without a corresponding change in resources.**
27. Ordinary shares may be issued, or the number of ordinary shares outstanding may be reduced, without a corresponding change in resources. Examples include:
 - (a) a capitalisation or bonus issue (sometimes referred to as a stock dividend);
 - (b) a bonus element in any other issue, for example a bonus element in a rights issue to existing shareholders;
 - (c) a share split; and
 - (d) a reverse share split (consolidation of shares).
28. In a capitalisation or bonus issue or a share split, ordinary shares are issued to existing shareholders for no additional consideration. Therefore, the number of ordinary shares outstanding is increased without an increase in resources. The number of ordinary shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of ordinary shares outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period presented. For example, on a two-for-one bonus issue, the number of ordinary shares outstanding before the issue is multiplied by three to obtain the new total number of ordinary shares, or by two to obtain the number of additional ordinary shares.
29. A consolidation of ordinary shares generally reduces the number of ordinary shares outstanding without a corresponding reduction in resources. However, when the overall effect is a share repurchase at fair value, the reduction in the number of ordinary shares outstanding is the result of a corresponding reduction in resources. An example is a share consolidation combined with a special dividend. The weighted average number of ordinary shares outstanding for the period in which the combined transaction takes place is adjusted for the reduction in the number of ordinary shares from the date the special dividend is recognised.

Diluted earnings per share

30. **An entity shall calculate diluted earnings per share amounts for profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity and, if presented, profit or loss from continuing operations attributable to those equity holders.**

31. **For the purpose of calculating diluted earnings per share, an entity shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effects of all dilutive potential ordinary shares.**
32. The objective of diluted earnings per share is consistent with that of basic earnings per share—to provide a measure of the interest of each ordinary share in the performance of an entity—while giving effect to all dilutive potential ordinary shares outstanding during the period. As a result:
- (a) profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity is increased by the after-tax amount of dividends and interest recognised in the period in respect of the dilutive potential ordinary shares and is adjusted for any other changes in income or expense that would result from the conversion of the dilutive potential ordinary shares; and
 - (b) the weighted average number of ordinary shares outstanding is increased by the weighted average number of additional ordinary shares that would have been outstanding assuming the conversion of all dilutive potential ordinary shares.

Earnings

33. **For the purpose of calculating diluted earnings per share, an entity shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, as calculated in accordance with paragraph 12, by the after-tax effect of:**
- (a) **any dividends or other items related to dilutive potential ordinary shares deducted in arriving at profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity as calculated in accordance with paragraph 12;**
 - (b) **any interest recognised in the period related to dilutive potential ordinary shares; and**
 - (c) **any other changes in income or expense that would result from the conversion of the dilutive potential ordinary shares.**
34. After the potential ordinary shares are converted into ordinary shares, the items identified in paragraph 33(a)–(c) no longer arise. Instead, the new ordinary shares are entitled to participate in profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity. Therefore, profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity calculated in accordance with paragraph 12 is adjusted for the items identified in paragraph 33(a)–(c) and any related taxes. The expenses associated with potential ordinary shares include transaction costs and discounts accounted for in accordance with the effective interest method (see Ind AS 109).
35. The conversion of potential ordinary shares may lead to consequential changes in income or expenses. For example, the reduction of interest expense related to potential ordinary shares and the resulting increase in profit or reduction in loss may lead to an increase in the expense related to a non-discretionary employee profit-sharing plan. For the purpose of calculating diluted earnings per share, profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity is adjusted for any such consequential changes in income or expense.

Shares

36. **For the purpose of calculating diluted earnings per share, the number of ordinary shares shall be the weighted average number of ordinary shares calculated in accordance with paragraphs 19 and 26, plus the weighted average number of ordinary shares that would be issued on the conversion of all the dilutive potential ordinary shares into ordinary shares. Dilutive potential ordinary shares shall be deemed to have been converted into ordinary shares at the beginning of the period or, if later, the date of the issue of the potential ordinary shares.**
37. Dilutive potential ordinary shares shall be determined independently for each period presented. The number of dilutive potential ordinary shares included in the year-to-date period is not a weighted average of the dilutive potential ordinary shares included in each interim computation.
38. Potential ordinary shares are weighted for the period they are outstanding. Potential ordinary shares that are cancelled or allowed to lapse during the period are included in the calculation of diluted earnings per share only for the portion of the period during which they are outstanding. Potential ordinary shares that are converted into ordinary shares during the period are included in the calculation of diluted earnings per share from the beginning of the period to the date of conversion; from the date of conversion, the resulting ordinary shares are included in both basic and diluted earnings per share.
39. The number of ordinary shares that would be issued on conversion of dilutive potential ordinary shares is determined from the terms of the potential ordinary shares. When more than one basis of conversion exists,

the calculation assumes the most advantageous conversion rate or exercise price from the standpoint of the holder of the potential ordinary shares.

40. A subsidiary, joint venture or associate may issue to parties other than the parent or investors with joint control of, or significant influence over, the investee potential ordinary shares that are convertible into either ordinary shares of the subsidiary, joint venture or associate, or ordinary shares of the parent or investors with joint control of, or significant influence (the reporting entity) over, the investee. If these potential ordinary shares of the subsidiary, joint venture or associate have a dilutive effect on the basic earnings per share of the reporting entity, they are included in the calculation of diluted earnings per share.

Dilutive potential ordinary shares

- 41. Potential ordinary shares shall be treated as dilutive when, and only when, their conversion to ordinary shares would decrease earnings per share or increase loss per share from continuing operations.**

42. An entity uses profit or loss from continuing operations attributable to the parent entity as the control number to establish whether potential ordinary shares are dilutive or antidilutive. Profit or loss from continuing operations attributable to the parent entity is adjusted in accordance with paragraph 12 and excludes items relating to discontinued operations.

43. Potential ordinary shares are antidilutive when their conversion to ordinary shares would increase earnings per share or decrease loss per share from continuing operations. The calculation of diluted earnings per share does not assume conversion, exercise, or other issue of potential ordinary shares that would have an antidilutive effect on earnings per share.

44. In determining whether potential ordinary shares are dilutive or antidilutive, each issue or series of potential ordinary shares is considered separately rather than in aggregate. The sequence in which potential ordinary shares are considered may affect whether they are dilutive. Therefore, to maximise the dilution of basic earnings per share, each issue or series of potential ordinary shares is considered in sequence from the most dilutive to the least dilutive, ie dilutive potential ordinary shares with the lowest 'earnings per incremental share' are included in the diluted earnings per share calculation before those with a higher earnings per incremental share. Options and warrants are generally included first because they do not affect the numerator of the calculation.

Options, warrants and their equivalents

- 45. For the purpose of calculating diluted earnings per share, an entity shall assume the exercise of dilutive options and warrants of the entity. The assumed proceeds from these instruments shall be regarded as having been received from the issue of ordinary shares at the average market price of ordinary shares during the period. The difference between the number of ordinary shares issued and the number of ordinary shares that would have been issued at the average market price of ordinary shares during the period shall be treated as an issue of ordinary shares for no consideration.**

46. Options and warrants are dilutive when they would result in the issue of ordinary shares for less than the average market price of ordinary shares during the period. The amount of the dilution is the average market price of ordinary shares during the period minus the issue price. Therefore, to calculate diluted earnings per share, potential ordinary shares are treated as consisting of both the following:

- (a) a contract to issue a certain number of the ordinary shares at their average market price during the period. Such ordinary shares are assumed to be fairly priced and to be neither dilutive nor antidilutive. They are ignored in the calculation of diluted earnings per share.
- (b) a contract to issue the remaining ordinary shares for no consideration. Such ordinary shares generate no proceeds and have no effect on profit or loss attributable to ordinary shares outstanding. Therefore, such shares are dilutive and are added to the number of ordinary shares outstanding in the calculation of diluted earnings per share.

47. Options and warrants have a dilutive effect only when the average market price of ordinary shares during the period exceeds the exercise price of the options or warrants (ie they are 'in the money'). Previously reported earnings per share are not retroactively adjusted to reflect changes in prices of ordinary shares.

- 47A For share options and other share-based payment arrangements to which Ind AS 102, *Share-based Payment*, applies, the issue price referred to in paragraph 46 and the exercise price referred to in paragraph 47 shall include the fair value (measured in accordance with Ind AS 102) of any goods or services to be supplied to the entity in the future under the share option or other share-based payment arrangement.

48. Employee share options with fixed or determinable terms and non-vested ordinary shares are treated as options in the calculation of diluted earnings per share, even though they may be contingent on vesting. They are treated as outstanding on the grant date. Performance-based employee share options are treated as contingently issuable shares because their issue is contingent upon satisfying specified conditions in addition to the passage of time.

Convertible instruments

49. The dilutive effect of convertible instruments shall be reflected in diluted earnings per share in accordance with paragraphs 33 and 36.
50. Convertible preference shares are antidilutive whenever the amount of the dividend on such shares declared in or accumulated for the current period per ordinary share obtainable on conversion exceeds basic earnings per share. Similarly, convertible debt is antidilutive whenever its interest (net of tax and other changes in income or expense) per ordinary share obtainable on conversion exceeds basic earnings per share.
51. The redemption or induced conversion of convertible preference shares may affect only a portion of the previously outstanding convertible preference shares. In such cases, any excess consideration referred to in paragraph 17 is attributed to those shares that are redeemed or converted for the purpose of determining whether the remaining outstanding preference shares are dilutive. The shares redeemed or converted are considered separately from those shares that are not redeemed or converted.

Contingently issuable shares

52. As in the calculation of basic earnings per share, contingently issuable ordinary shares are treated as outstanding and included in the calculation of diluted earnings per share if the conditions are satisfied (ie the events have occurred). Contingently issuable shares are included from the beginning of the period (or from the date of the contingent share agreement, if later). If the conditions are not satisfied, the number of contingently issuable shares included in the diluted earnings per share calculation is based on the number of shares that would be issuable if the end of the period were the end of the contingency period. Restatement is not permitted if the conditions are not met when the contingency period expires.
53. If attainment or maintenance of a specified amount of earnings for a period is the condition for contingent issue and if that amount has been attained at the end of the reporting period but must be maintained beyond the end of the reporting period for an additional period, then the additional ordinary shares are treated as outstanding, if the effect is dilutive, when calculating diluted earnings per share. In that case, the calculation of diluted earnings per share is based on the number of ordinary shares that would be issued if the amount of earnings at the end of the reporting period were the amount of earnings at the end of the contingency period. Because earnings may change in a future period, the calculation of basic earnings per share does not include such contingently issuable ordinary shares until the end of the contingency period because not all necessary conditions have been satisfied.
54. The number of ordinary shares contingently issuable may depend on the future market price of the ordinary shares. In that case, if the effect is dilutive, the calculation of diluted earnings per share is based on the number of ordinary shares that would be issued if the market price at the end of the reporting period were the market price at the end of the contingency period. If the condition is based on an average of market prices over a period of time that extends beyond the end of the reporting period, the average for the period of time that has lapsed is used. Because the market price may change in a future period, the calculation of basic earnings per share does not include such contingently issuable ordinary shares until the end of the contingency period because not all necessary conditions have been satisfied.
55. The number of ordinary shares contingently issuable may depend on future earnings and future prices of the ordinary shares. In such cases, the number of ordinary shares included in the diluted earnings per share calculation is based on both conditions (ie earnings to date and the current market price at the end of the reporting period). Contingently issuable ordinary shares are not included in the diluted earnings per share calculation unless both conditions are met.
56. In other cases, the number of ordinary shares contingently issuable depends on a condition other than earnings or market price (for example, the opening of a specific number of retail stores). In such cases, assuming that the present status of the condition remains unchanged until the end of the contingency period, the contingently issuable ordinary shares are included in the calculation of diluted earnings per share according to the status at the end of the reporting period.

57. Contingently issuable potential ordinary shares (other than those covered by a contingent share agreement, such as contingently issuable convertible instruments) are included in the diluted earnings per share calculation as follows:

- (a) an entity determines whether the potential ordinary shares may be assumed to be issuable on the basis of the conditions specified for their issue in accordance with the contingent ordinary share provisions in paragraphs 52–56; and
- (b) if those potential ordinary shares should be reflected in diluted earnings per share, an entity determines their impact on the calculation of diluted earnings per share by following the provisions for options and warrants in paragraphs 45–48, the provisions for convertible instruments in paragraphs 49–51, the provisions for contracts that may be settled in ordinary shares or cash in paragraphs 58–61, or other provisions, as appropriate.

However, exercise or conversion is not assumed for the purpose of calculating diluted earnings per share unless exercise or conversion of similar outstanding potential ordinary shares that are not contingently issuable is assumed.

Contracts that may be settled in ordinary shares or cash

58. **When an entity has issued a contract that may be settled in ordinary shares or cash at the entity's option, the entity shall presume that the contract will be settled in ordinary shares, and the resulting potential ordinary shares shall be included in diluted earnings per share if the effect is dilutive.**

59. When such a contract is presented for accounting purposes as an asset or a liability, or has an equity component and a liability component, the entity shall adjust the numerator for any changes in profit or loss that would have resulted during the period if the contract had been classified wholly as an equity instrument. That adjustment is similar to the adjustments required in paragraph 33.

60. **For contracts that may be settled in ordinary shares or cash at the holder's option, the more dilutive of cash settlement and share settlement shall be used in calculating diluted earnings per share.**

61. An example of a contract that may be settled in ordinary shares or cash is a debt instrument that, on maturity, gives the entity the unrestricted right to settle the principal amount in cash or in its own ordinary shares. Another example is a written put option that gives the holder a choice of settling in ordinary shares or cash.

Purchased options

62. Contracts such as purchased put options and purchased call options (ie options held by the entity on its own ordinary shares) are not included in the calculation of diluted earnings per share because including them would be antidilutive. The put option would be exercised only if the exercise price were higher than the market price and the call option would be exercised only if the exercise price were lower than the market price.

Written put options

63. **Contracts that require the entity to repurchase its own shares, such as written put options and forward purchase contracts, are reflected in the calculation of diluted earnings per share if the effect is dilutive. If these contracts are 'in the money' during the period (ie the exercise or settlement price is above the average market price for that period), the potential dilutive effect on earnings per share shall be calculated as follows:**

- (a) it shall be assumed that at the beginning of the period sufficient ordinary shares will be issued (at the average market price during the period) to raise proceeds to satisfy the contract;
- (b) it shall be assumed that the proceeds from the issue are used to satisfy the contract (ie to buy back ordinary shares); and
- (c) the incremental ordinary shares (the difference between the number of ordinary shares assumed issued and the number of ordinary shares received from satisfying the contract) shall be included in the calculation of diluted earnings per share.

Retrospective adjustments

64. **If the number of ordinary or potential ordinary shares outstanding increases as a result of a capitalisation, bonus issue or share split, or decreases as a result of a reverse share split, the calculation of basic and diluted earnings per share for all periods presented shall be adjusted retrospectively. If these changes occur after the reporting period but before the financial statements are approved for issue, the per share calculations for those and any prior period financial statements presented shall be**

based on the new number of shares. The fact that per share calculations reflect such changes in the number of shares shall be disclosed. In addition, basic and diluted earnings per share of all periods presented shall be adjusted for the effects of errors and adjustments resulting from changes in accounting policies accounted for retrospectively.

65. An entity does not restate diluted earnings per share of any prior period presented for changes in the assumptions used in earnings per share calculations or for the conversion of potential ordinary shares into ordinary shares.

Presentation

66. An entity shall present in the statement of profit and loss basic and diluted earnings per share for profit or loss from continuing operations attributable to the ordinary equity holders of the parent entity and for profit or loss attributable to the ordinary equity holders of the parent entity for the period for each class of ordinary shares that has a different right to share in profit for the period. An entity shall present basic and diluted earnings per share with equal prominence for all periods presented.

67. Earnings per share is presented for every period for which a statement of profit and loss is presented. If diluted earnings per share is reported for at least one period, it shall be reported for all periods presented, even if it equals basic earnings per share. If basic and diluted earnings per share are equal, dual presentation can be accomplished in one line in the statement of profit and loss.

67A [Refer Appendix 1]

68. An entity that reports a discontinued operation shall disclose the basic and diluted amounts per share for the discontinued operation either in the statement of profit and loss or in the notes.

68A [Refer Appendix 1]

69. An entity shall present basic and diluted earnings per share, even if the amounts are negative (ie a loss per share).

Disclosure

70. An entity shall disclose the following:

- (a) the amounts used as the numerators in calculating basic and diluted earnings per share, and a reconciliation of those amounts to profit or loss attributable to the parent entity for the period. The reconciliation shall include the individual effect of each class of instruments that affects earnings per share.
- (b) the weighted average number of ordinary shares used as the denominator in calculating basic and diluted earnings per share, and a reconciliation of these denominators to each other. The reconciliation shall include the individual effect of each class of instruments that affects earnings per share.
- (c) instruments (including contingently issuable shares) that could potentially dilute basic earnings per share in the future, but were not included in the calculation of diluted earnings per share because they are antidilutive for the period(s) presented.
- (d) a description of ordinary share transactions or potential ordinary share transactions, other than those accounted for in accordance with paragraph 64, that occur after the reporting period and that would have changed significantly the number of ordinary shares or potential ordinary shares outstanding at the end of the period if those transactions had occurred before the end of the reporting period.

71. Examples of transactions in paragraph 70(d) include:

- (a) an issue of shares for cash;
- (b) an issue of shares when the proceeds are used to repay debt or preference shares outstanding at the end of the reporting period;
- (c) the redemption of ordinary shares outstanding;
- (d) the conversion or exercise of potential ordinary shares outstanding at the end of the reporting period into ordinary shares;
- (e) an issue of options, warrants, or convertible instruments; and

- (f) the achievement of conditions that would result in the issue of contingently issuable shares. Earnings per share amounts are not adjusted for such transactions occurring after the reporting period because such transactions do not affect the amount of capital used to produce profit or loss for the period.
72. Financial instruments and other contracts generating potential ordinary shares may incorporate terms and conditions that affect the measurement of basic and diluted earnings per share. These terms and conditions may determine whether any potential ordinary shares are dilutive and, if so, the effect on the weighted average number of shares outstanding and any consequent adjustments to profit or loss attributable to ordinary equity holders. The disclosure of the terms and conditions of such financial instruments and other contracts is encouraged, if not otherwise required (see Ind AS 107, *Financial Instruments: Disclosures*).
73. **If an entity discloses, in addition to basic and diluted earnings per share, amounts per share using a reported component of the statement of profit and loss other than one required by this Standard, such amounts shall be calculated using the weighted average number of ordinary shares determined in accordance with this Standard. Basic and diluted amounts per share relating to such a component shall be disclosed with equal prominence and presented in the notes. An entity shall indicate the basis on which the numerator(s) is (are) determined, including whether amounts per share are before tax or after tax. If a component of the statement of profit and loss is used that is not reported as a line item in the statement of profit and loss, a reconciliation shall be provided between the component used and a line item that is reported in the statement of profit and loss.**
- 73A [Refer Appendix 1]

Appendix A

Application guidance

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Profit or loss attributable to the parent entity

- A1 For the purpose of calculating earnings per share based on the consolidated financial statements, profit or loss attributable to the parent entity refers to profit or loss of the consolidated entity after adjusting for non-controlling interests.

Rights issues

- A2 The issue of ordinary shares at the time of exercise or conversion of potential ordinary shares does not usually give rise to a bonus element. This is because the potential ordinary shares are usually issued for fair value, resulting in a proportionate change in the resources available to the entity. In a rights issue, however, the exercise price is often less than the fair value of the shares. Therefore, as noted in paragraph 27(b), such a rights issue includes a bonus element. If a rights issue is offered to all existing shareholders, the number of ordinary shares to be used in calculating basic and diluted earnings per share for all periods before the rights issue is the number of ordinary shares outstanding before the issue, multiplied by the following factor:

$$\frac{\text{Fair value per share immediately before the exercise of rights}}{\text{Theoretical ex-rights fair value per share}}$$

The theoretical ex-rights fair value per share is calculated by adding the aggregate fair value of the shares immediately before the exercise of the rights to the proceeds from the exercise of the rights, and dividing by the number of shares outstanding after the exercise of the rights. Where the rights are to be publicly traded separately from the shares before the exercise date, fair value is measured at the close of the last day on which the shares are traded together with the rights.

Control number

- A3 To illustrate the application of the control number notion described in paragraphs 42 and 43, assume that an entity has profit from continuing operations attributable to the parent entity of Rs. 4,800, a loss from discontinued operations attributable to the parent entity of (Rs. 7,200), a loss attributable to the parent entity of (Rs. 2,400), and 2,000 ordinary shares and 400 potential ordinary shares outstanding. The entity's basic earnings per share is Rs. 2.40 for continuing operations, (Rs. 3.60) for discontinued operations and (Rs. 1.20) for the loss. The 400 potential ordinary shares are included in the diluted earnings per share calculation because the resulting Rs. 2.00 earnings per share for continuing operations is dilutive, assuming no profit or loss impact of those 400 potential ordinary shares. Because profit from continuing operations attributable to the parent entity is the control number, the entity also includes those 400 potential ordinary shares in the calculation of the other earnings per share amounts, even though the resulting earnings per share amounts are

antidilutive to their comparable basic earnings per share amounts, ie the loss per share is less [(Rs. 3.00) per share for the loss from discontinued operations and (Rs.1.00) per share for the loss].

Average market price of ordinary shares

- A4 For the purpose of calculating diluted earnings per share, the average market price of ordinary shares assumed to be issued is calculated on the basis of the average market price of the ordinary shares during the period. Theoretically, every market transaction for an entity's ordinary shares could be included in the determination of the average market price. As a practical matter, however, a simple average of weekly or monthly prices is usually adequate.
- A5 Generally, closing market prices are adequate for calculating the average market price. When prices fluctuate widely, however, an average of the high and low prices usually produces a more representative price. The method used to calculate the average market price is used consistently unless it is no longer representative because of changed conditions. For example, an entity that uses closing market prices to calculate the average market price for several years of relatively stable prices might change to an average of high and low prices if prices start fluctuating greatly and the closing market prices no longer produce a representative average price.

Options, warrants and their equivalents

- A6 Options or warrants to purchase convertible instruments are assumed to be exercised to purchase the convertible instrument whenever the average prices of both the convertible instrument and the ordinary shares obtainable upon conversion are above the exercise price of the options or warrants. However, exercise is not assumed unless conversion of similar outstanding convertible instruments, if any, is also assumed.
- A7 Options or warrants may permit or require the tendering of debt or other instruments of the entity (or its parent or a subsidiary) in payment of all or a portion of the exercise price. In the calculation of diluted earnings per share, those options or warrants have a dilutive effect if (a) the average market price of the related ordinary shares for the period exceeds the exercise price or (b) the selling price of the instrument to be tendered is below that at which the instrument may be tendered under the option or warrant agreement and the resulting discount establishes an effective exercise price below the market price of the ordinary shares obtainable upon exercise. In the calculation of diluted earnings per share, those options or warrants are assumed to be exercised and the debt or other instruments are assumed to be tendered. If tendering cash is more advantageous to the option or warrant holder and the contract permits tendering cash, tendering of cash is assumed. Interest (net of tax) on any debt assumed to be tendered is added back as an adjustment to the numerator.
- A8 Similar treatment is given to preference shares that have similar provisions or to other instruments that have conversion options that permit the investor to pay cash for a more favourable conversion rate.
- A9 The underlying terms of certain options or warrants may require the proceeds received from the exercise of those instruments to be applied to redeem debt or other instruments of the entity (or its parent or a subsidiary). In the calculation of diluted earnings per share, those options or warrants are assumed to be exercised and the proceeds applied to purchase the debt at its average market price rather than to purchase ordinary shares. However, the excess proceeds received from the assumed exercise over the amount used for the assumed purchase of debt are considered (ie assumed to be used to buy back ordinary shares) in the diluted earnings per share calculation. Interest (net of tax) on any debt assumed to be purchased is added back as an adjustment to the numerator.

Written put options

- A10 To illustrate the application of paragraph 63, assume that an entity has outstanding 120 written put options on its ordinary shares with an exercise price of Rs. 35. The average market price of its ordinary shares for the period is Rs. 28. In calculating diluted earnings per share, the entity assumes that it issued 150 shares at Rs. 28 per share at the beginning of the period to satisfy its put obligation of Rs. 4,200. The difference between the 150 ordinary shares issued and the 120 ordinary shares received from satisfying the put option (30 incremental ordinary shares) is added to the denominator in calculating diluted earnings per share.

Instruments of subsidiaries, joint ventures or associates

- A11 Potential ordinary shares of a subsidiary, joint venture or associate convertible into either ordinary shares of the subsidiary, joint venture or associate, or ordinary shares of the parent or investors with joint control of, or significant influence (the reporting entity) over, the investee are included in the calculation of diluted earnings per share as follows:

- (a) instruments issued by a subsidiary, joint venture or associate that enable their holders to obtain ordinary shares of the subsidiary, joint venture or associate are included in calculating the diluted earnings per share data of the subsidiary, joint venture or associate. Those earnings per share are then included in the reporting entity's earnings per share calculations based on the reporting entity's holding of the instruments of the subsidiary, joint venture or associate.
- (b) instruments of a subsidiary, joint venture or associate that are convertible into the reporting entity's ordinary shares are considered among the potential ordinary shares of the reporting entity for the purpose of calculating diluted earnings per share. Likewise, options or warrants issued by a subsidiary, joint venture or associate to purchase ordinary shares of the reporting entity are considered among the potential ordinary shares of the reporting entity in the calculation of consolidated diluted earnings per share.
- A12 For the purpose of determining the earnings per share effect of instruments issued by a reporting entity that are convertible into ordinary shares of a subsidiary, joint venture or associate, the instruments are assumed to be converted and the numerator (profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity) adjusted as necessary in accordance with paragraph 33.
- In addition to those adjustments, the numerator is adjusted for any change in the profit or loss recorded by the reporting entity (such as dividend income or equity method income) that is attributable to the increase in the number of ordinary shares of the subsidiary, joint venture or associate outstanding as a result of the assumed conversion. The denominator of the diluted earnings per share calculation is not affected because the number of ordinary shares of the reporting entity outstanding would not change upon assumed conversion.
- Participating equity instruments and two-class ordinary shares**
- A13 The equity of some entities includes:
- (a) instruments that participate in dividends with ordinary shares according to a predetermined formula (for example, two for one) with, at times, an upper limit on the extent of participation (for example, up to, but not beyond, a specified amount per share).
- (b) a class of ordinary shares with a different dividend rate from that of another class of ordinary shares but without prior or senior rights.
- A14 For the purpose of calculating diluted earnings per share, conversion is assumed for those instruments described in paragraph A13 that are convertible into ordinary shares if the effect is dilutive. For those instruments that are not convertible into a class of ordinary shares, profit or loss for the period is allocated to the different classes of shares and participating equity instruments in accordance with their dividend rights or other rights to participate in undistributed earnings. To calculate basic and diluted earnings per share:
- (a) profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity is adjusted (a profit reduced and a loss increased) by the amount of dividends declared in the period for each class of shares and by the contractual amount of dividends (or interest on participating bonds) that must be paid for the period (for example, unpaid cumulative dividends).
- (b) the remaining profit or loss is allocated to ordinary shares and participating equity instruments to the extent that each instrument shares in earnings as if all of the profit or loss for the period had been distributed. The total profit or loss allocated to each class of equity instrument is determined by adding together the amount allocated for dividends and the amount allocated for a participation feature.
- (c) the total amount of profit or loss allocated to each class of equity instrument is divided by the number of outstanding instruments to which the earnings are allocated to determine the earnings per share for the instrument.
- For the calculation of diluted earnings per share, all potential ordinary shares assumed to have been issued are included in outstanding ordinary shares.
- Partly paid shares**
- A15 Where ordinary shares are issued but not fully paid, they are treated in the calculation of basic earnings per share as a fraction of an ordinary share to the extent that they were entitled to participate in dividends during the period relative to a fully paid ordinary share.
- A16 To the extent that partly paid shares are not entitled to participate in dividends during the period they are treated as the equivalent of warrants or options in the calculation of diluted earnings per share. The unpaid balance is assumed to represent proceeds used to purchase ordinary shares. The number of shares included in diluted earnings per share is the difference between the number of shares subscribed and the number of shares assumed to be purchased.

Appendix 1

Note : This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 33 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 33, Earnings per Share, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 33, Earnings per Share

1. IAS 33 provides that when an entity presents both consolidated financial statements and separate financial statements, it may give EPS related information in consolidated financial statements only, whereas, the Ind AS 33 requires EPS related information to be disclosed both in consolidated financial statements and separate financial statements.
2. Different terminology is used, as used in existing laws eg, the term 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'. The words 'approval of the financial statements for issue' have been used instead of 'authorisation of the financial statements for issue' in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.
3. Paragraph 2 of IAS 33 requires that the entire standard applies to:
 - (a) the separate or individual financial statements of an entity:
 - (i) whose ordinary shares or potential ordinary shares are traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including local and regional markets) or
 - (ii) that files, or is in the process of filing, its financial statements with a Securities Regulator or other regulatory organisation for the purpose of issuing ordinary shares in a public market; and
 - (b) the consolidated financial statements of a group with a parent:
 - (i) whose ordinary shares or potential ordinary shares are traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including local and regional markets) or
 - (ii) that files, or is in the process of filing, its financial statements with a Securities Regulator or other regulatory organisation for the purpose of issuing ordinary shares in a public market.

It also requires that an entity that discloses earnings per share shall calculate and disclose earnings per share in accordance with this Standard.

The above have been deleted in the Ind AS as the applicability or exemptions to the Ind ASs is governed by the Companies Act and the Rules made thereunder. However, the paragraph number has been retained in Ind AS 33 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 33.

4. Paragraph 4 has been modified in Ind AS 33 to clarify that an entity shall not present in separate financial statements, earnings per share based on the information given in consolidated financial statements, besides requiring as in IAS 33, that earnings per share based on the information given in separate financial statements shall not be presented in the consolidated financial statements.
5. In Ind AS 33, a paragraph has been added after paragraph 12 on the following lines:

“Where any item of income or expense which is otherwise required to be recognized in profit or loss in accordance with accounting standards is debited or credited to securities premium account/other reserves, the amount in respect thereof shall be deducted from profit or loss from continuing operations for the purpose of calculating basic earnings per share.”
6. In Ind AS 33, paragraph 15 has been amended by adding the phrase, 'irrespective of whether such discount or premium is debited or credited to securities premium account in view of requirements of any law' to further clarify that such discount or premium shall also be amortised to retained earnings.
7. Requirements regarding disclosure of amounts per share using a reported component, basic and diluted earnings per share and basic and diluted earnings per share for discontinued operations in the separate income statement, where separate income statement is presented under following paragraphs of IAS 33 have been deleted:
 - (i) paragraph 4A
 - (ii) paragraph 67A
 - (iii) paragraph 68A
 - (iv) paragraph 73A

This change is consequential to the removal of option regarding the two statement approach in Ind AS 1. Ind AS 1 only requires that the components of profit or loss and components of other comprehensive income shall be presented as a part of the statement of profit and loss. However, paragraph numbers have been retained in Ind AS 33 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 33.

8. Paragraph number 25 appears as 'Deleted' in IAS 33. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 33, the paragraph number is retained in Ind AS 33.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 34

Interim Financial Reporting

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

The objective of this Standard is to prescribe the minimum content of an interim financial report and to prescribe the principles for recognition and measurement in complete or condensed financial statements for an interim period. Timely and reliable interim financial reporting improves the ability of investors, creditors, and others to understand an entity's capacity to generate earnings and cash flows and its financial condition and liquidity.

Scope

1. This Standard does not mandate which entities should be required to publish interim financial reports, how frequently, or how soon after the end of an interim period. However, Governments, securities regulators, stock exchanges, and accountancy bodies often require entities whose debt or equity securities are publicly traded to publish interim financial reports⁵. This Standard applies if an entity is required or elects to publish an interim financial report in accordance with Indian Accounting Standards (Ind ASs). [Refer Appendix 1]
2. Each financial report, annual or interim, is evaluated on its own for conformity to Ind ASs. The fact that an entity may not have provided interim financial reports during a particular financial year or may have provided interim financial reports that do not comply with this Standard does not prevent the entity's annual financial statements from conforming to Ind ASs if they otherwise do so.
3. If an entity's interim financial report is described as complying with Ind ASs, it must comply with all of the requirements of this Standard. Paragraph 19 requires certain disclosures in that regard.

Definitions

4. **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

***Interim period* is a financial reporting period shorter than a full financial year.**

***Interim financial report* means a financial report containing either a complete set of financial statements (as described in Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*, or a set of condensed financial statements (as described in this Standard) for an interim period.**

Content of an interim financial report

5. Ind AS 1 defines a complete set of financial statements as including the following components:
 - (a) a balance sheet as at the end of the period ;
 - (b) a statement of profit and loss for the period;
 - (c) a statement of changes in equity for the period;
 - (d) a statement of cash flows for the period;
 - (e) notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information;
 - (ea) comparative information in respect of the preceding period as specified in paragraphs 38 and 38A of Ind AS 1; and
 - (f) a balance sheet as at the beginning of the preceding period when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes a retrospective restatement of items in its financial statements, or

⁵ Unaudited Financial Results required to be prepared and presented under Clause 41 of Listing Agreement with stock exchanges is not an 'Interim Financial Report' as defined in paragraph 4 of this Standard

when it reclassifies items in its financial statements in accordance with paragraphs 40A–40D of Ind AS 1.

6. In the interest of timeliness and cost considerations and to avoid repetition of information previously reported, an entity may be required to or may elect to provide less information at interim dates as compared with its annual financial statements. This Standard defines the minimum content of an interim financial report as including condensed financial statements and selected explanatory notes. The interim financial report is intended to provide an update on the latest complete set of annual financial statements. Accordingly, it focuses on new activities, events, and circumstances and does not duplicate information previously reported.
7. Nothing in this Standard is intended to prohibit or discourage an entity from publishing a complete set of financial statements (as described in Ind AS 1) in its interim financial report, rather than condensed financial statements and selected explanatory notes. Nor does this Standard prohibit or discourage an entity from including in condensed interim financial statements more than the minimum line items or selected explanatory notes as set out in this Standard. The recognition and measurement guidance in this Standard applies also to complete financial statements for an interim period, and such statements would include all of the disclosures required by this Standard (particularly the selected note disclosures in paragraph 16A) as well as those required by other Ind ASs.

Minimum components of an interim financial report

8. **An interim financial report shall include, at a minimum, the following components:**

- (a) **a condensed balance sheet ;**
- (b) **a condensed statement of profit and loss;**
- (c) **a condensed statement of changes in equity;**
- (d) **a condensed statement of cash flows; and**
- (e) **selected explanatory notes.**

8A [Refer Appendix 1]

Form and content of interim financial statements

9. **If an entity publishes a complete set of financial statements in its interim financial report, the form and content of those statements shall conform to the requirements of Ind AS 1 for a complete set of financial statements.**
10. **If an entity publishes a set of condensed financial statements in its interim financial report, those condensed statements shall include, at a minimum, each of the headings and subtotals that were included in its most recent annual financial statements and the selected explanatory notes as required by this Standard. Additional line items or notes shall be included if their omission would make the condensed interim financial statements misleading.**
11. **In the statement that presents the components of profit or loss for an interim period, an entity shall present basic and diluted earnings per share for that period when the entity is within the scope of Ind AS 33, *Earnings per Share*.**

11A [Refer Appendix 1]

12. [Refer Appendix 1]

13. [Refer Appendix 1]

14. An interim financial report is prepared on a consolidated basis if the entity's most recent annual financial statements were consolidated statements. The parent's separate financial statements are not consistent or comparable with the consolidated statements in the most recent annual financial report. If an entity's annual financial report included the parent's separate financial statements in addition to consolidated financial statements, this Standard neither requires nor prohibits the inclusion of the parent's separate statements in the entity's interim financial report.

Significant events and transactions

15. An entity shall include in its interim financial report an explanation of events and transactions that are significant to an understanding of the changes in financial position and performance of the entity since the end of the last annual reporting period. Information disclosed in relation to those events and transactions shall update the relevant information presented in the most recent annual financial report.

- 15A A user of an entity's interim financial report will have access to the most recent annual financial report of that entity. Therefore, it is unnecessary for the notes to an interim financial report to provide relatively insignificant updates to the information that was reported in the notes in the most recent annual financial report.
- 15B The following is a list of events and transactions for which disclosures would be required if they are significant: the list is not exhaustive.
- (a) the write-down of inventories to net realisable value and the reversal of such a write-down;
 - (b) recognition of a loss from the impairment of financial assets, property, plant and equipment, intangible assets, assets arising from contracts with customers, or other assets, and the reversal of such an impairment loss;
 - (c) the reversal of any provisions for the costs of restructuring;
 - (d) acquisitions and disposals of items of property, plant and equipment;
 - (e) commitments for the purchase of property, plant and equipment;
 - (f) litigation settlements;
 - (g) corrections of prior period errors;
 - (h) changes in the business or economic circumstances that affect the fair value of the entity's financial assets and financial liabilities, whether those assets or liabilities are recognised at fair value or amortised cost;
 - (i) any loan default or breach of a loan agreement that has not been remedied on or before the end of the reporting period;
 - (j) related party transactions;
 - (k) transfers between levels of the fair value hierarchy used in measuring the fair value of financial instruments;
 - (l) changes in the classification of financial assets as a result of a change in the purpose or use of those assets; and
 - (m) changes in contingent liabilities or contingent assets.
- 15C Individual Ind ASs provide guidance regarding disclosure requirements for many of the items listed in paragraph 15B. When an event or transaction is significant to an understanding of the changes in an entity's financial position or performance since the last annual reporting period, its interim financial report should provide an explanation of and an update to the relevant information included in the financial statements of the last annual reporting period.

16-18 [Refer Appendix 1]

Other Disclosures

- 16A In addition to disclosing significant events and transactions in accordance with paragraphs 15–15C, an entity shall include the following information, in the notes to its interim financial statements, if not disclosed elsewhere in the interim financial report. The information shall normally be reported on a financial year-to-date basis.
- (a) a statement that the same accounting policies and methods of computation are followed in the interim financial statements as compared with the most recent annual financial statements or, if those policies or methods have been changed, a description of the nature and effect of the change.
 - (b) explanatory comments about the seasonality or cyclicity of interim operations.
 - (c) the nature and amount of items affecting assets, liabilities, equity, net income or cash flows that are unusual because of their nature, size or incidence.
 - (d) the nature and amount of changes in estimates of amounts reported in prior interim periods of the current financial year or changes in estimates of amounts reported in prior financial years.
 - (e) issues, repurchases and repayments of debt and equity securities.

- (f) dividends paid (aggregate or per share) separately for ordinary shares and other shares⁶.
- (g) the following segment information (disclosure of segment information is required in an entity's interim financial report only if Ind AS 108, *Operating Segments*, requires that entity to disclose segment information in its annual financial statements):
 - (i) revenues from external customers, if included in the measure of segment profit or loss reviewed by the chief operating decision maker or otherwise regularly provided to the chief operating decision maker.
 - (ii) intersegment revenues, if included in the measure of segment profit or loss reviewed by the chief operating decision maker or otherwise regularly provided to the chief operating decision maker.
 - (iii) a measure of segment profit or loss.
 - (iv) a measure of total assets and liabilities for a particular reportable segment if such amounts are regularly provided to the chief operating decision maker and if there has been a material change from the amount disclosed in the last annual financial statements for that reportable segment.
 - (v) a description of differences from the last annual financial statements in the basis of segmentation or in the basis of measurement of segment profit or loss.
 - (vi) a reconciliation of the total of the reportable segments' measures of profit or loss to the entity's profit or loss before tax expense (tax income) and discontinued operations. However, if an entity allocates to reportable segments items such as tax expense (tax income), the entity may reconcile the total of the segments' measures of profit or loss to profit or loss after those items. Material reconciling items shall be separately identified and described in that reconciliation.
- (h) events after the interim period that have not been reflected in the financial statements for the interim period.
- (i) the effect of changes in the composition of the entity during the interim period, including business combinations, obtaining or losing control of subsidiaries and long-term investments, restructurings, and discontinued operations. In the case of business combinations, the entity shall disclose the information required by Ind AS 103, *Business Combinations*.
- (j) for financial instruments, the disclosures about fair value required by paragraphs 91–93(h), 94–96, 98 and 99 of Ind AS 113, *Fair Value Measurement*, and paragraphs 25, 26 and 28–30 of Ind AS 107, *Financial Instruments: Disclosures*.
- (k) for entities becoming, or ceasing to be, investment entities, as defined in Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, the disclosures in Ind AS 112, *Disclosure of Interests in Other Entities* paragraph 9B.
- (l) the disaggregation of revenue from contracts with customers required by paragraphs 114–115 of Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*.

Disclosure of compliance with Ind ASs

- 19 If an entity's interim financial report is in compliance with this Standard, that fact shall be disclosed. An interim financial report shall not be described as complying with Ind ASs unless it complies with all of the requirements of Ind ASs.

Periods for which interim financial statements are required to be presented

- 20 Interim reports shall include interim financial statements (condensed or complete) for periods as follows:
- (a) balance sheet as of the end of the current interim period and a comparative balance sheet as of the end of the immediately preceding financial year.
 - (b) statements of profit and loss for the current interim period and cumulatively for the current financial year to date, with comparative statements of profit and loss for the comparable interim periods (current and year-to-date) of the immediately preceding financial year.

⁶ Here 'ordinary' shares refer to 'equity' shares

- (c) **statement of changes in equity cumulatively for the current financial year to date, with a comparative statement for the comparable year-to-date period of the immediately preceding financial year.**
- (d) **statement of cash flows cumulatively for the current financial year to date, with a comparative statement for the comparable year-to-date period of the immediately preceding financial year.**
- 21 For an entity whose business is highly seasonal, financial information for the twelve months up to the end of the interim period and comparative information for the prior twelve-month period may be useful. Accordingly, entities whose business is highly seasonal are encouraged to consider reporting such information in addition to the information called for in the preceding paragraph.
- 22 [Refer Appendix 1]
- Materiality**
- 23 **In deciding how to recognise, measure, classify, or disclose an item for interim financial reporting purposes, materiality shall be assessed in relation to the interim period financial data. In making assessments of materiality, it shall be recognised that interim measurements may rely on estimates to a greater extent than measurements of annual financial data.**
- 24 Ind AS 1 and Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, define an item as material if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users of the financial statements. Ind AS 1 requires separate disclosure of material items, including (for example) discontinued operations, and Ind AS 8 requires disclosure of changes in accounting estimates, errors, and changes in accounting policies. The two Standards do not contain quantified guidance as to materiality.
- 25 While judgement is always required in assessing materiality, this Standard bases the recognition and disclosure decision on data for the interim period by itself for reasons of understandability of the interim figures. Thus, for example, unusual items, changes in accounting policies or estimates, and errors are recognised and disclosed on the basis of materiality in relation to interim period data to avoid misleading inferences that might result from non-disclosure. The overriding goal is to ensure that an interim financial report includes all information that is relevant to understanding an entity's financial position and performance during the interim period.

Disclosure in annual financial statements

- 26 **If an estimate of an amount reported in an interim period is changed significantly during the final interim period of the financial year but a separate financial report is not published for that final interim period, the nature and amount of that change in estimate shall be disclosed in a note to the annual financial statements for that financial year.**
- 27 Ind AS 8 requires disclosure of the nature and (if practicable) the amount of a change in estimate that either has a material effect in the current period or is expected to have a material effect in subsequent periods. Paragraph 16A(d) of this Standard requires similar disclosure in an interim financial report. Examples include changes in estimate in the final interim period relating to inventory write-downs, restructurings, or impairment losses that were reported in an earlier interim period of the financial year. The disclosure required by the preceding paragraph is consistent with the Ind AS 8 requirement and is intended to be narrow in scope—relating only to the change in estimate. An entity is not required to include additional interim period financial information in its annual financial statements.

Recognition and measurement

Same accounting policies as annual

- 28 **An entity shall apply the same accounting policies in its interim financial statements as are applied in its annual financial statements, except for accounting policy changes made after the date of the most recent annual financial statements that are to be reflected in the next annual financial statements. However, the frequency of an entity's reporting (annual, half-yearly, or quarterly) shall not affect the measurement of its annual results. To achieve that objective, measurements for interim reporting purposes shall be made on a year-to-date basis.**
- 29 Requiring that an entity apply the same accounting policies in its interim financial statements as in its annual statements may seem to suggest that interim period measurements are made as if each interim period stands alone as an independent reporting period. However, by providing that the frequency of an entity's reporting shall not affect the measurement of its annual results, paragraph 28 acknowledges that an interim period is a part of a larger financial year. Year-to-date measurements may involve changes in estimates of amounts

reported in prior interim periods of the current financial year. But the principles for recognising assets, liabilities, income, and expenses for interim periods are the same as in annual financial statements.

30 To illustrate:

- (a) the principles for recognising and measuring losses from inventory write-downs, restructurings, or impairments in an interim period are the same as those that an entity would follow if it prepared only annual financial statements. However, if such items are recognised and measured in one interim period and the estimate changes in a subsequent interim period of that financial year, the original estimate is changed in the subsequent interim period either by accrual of an additional amount of loss or by reversal of the previously recognised amount;
- (b) a cost that does not meet the definition of an asset at the end of an interim period is not deferred in the balance sheet either to await future information as to whether it has met the definition of an asset or to smooth earnings over interim periods within a financial year; and
- (c) income tax expense is recognised in each interim period based on the best estimate of the weighted average annual income tax rate expected for the full financial year. Amounts accrued for income tax expense in one interim period may have to be adjusted in a subsequent interim period of that financial year if the estimate of the annual income tax rate changes.

31 Under the *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards* (the *Framework*) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, recognition is the 'process of incorporating in the balance sheet or statement of profit and loss an item that meets the definition of an element and satisfies the criteria for recognition'. The definitions of assets, liabilities, income, and expenses are fundamental to recognition, at the end of both annual and interim financial reporting periods.

32 For assets, the same tests of future economic benefits apply at interim dates and at the end of an entity's financial year. Costs that, by their nature, would not qualify as assets at financial year-end would not qualify at interim dates either. Similarly, a liability at the end of an interim reporting period must represent an existing obligation at that date, just as it must at the end of an annual reporting period.

33 An essential characteristic of income (revenue) and expenses is that the related inflows and outflows of assets and liabilities have already taken place. If those inflows or outflows have taken place, the related revenue and expense are recognised; otherwise they are not recognised. The *Framework* says that 'expenses are recognised in the statement of profit and loss when a decrease in future economic benefits related to a decrease in an asset or an increase of a liability has arisen that can be measured reliably... [The] *Framework* does not allow the recognition of items in the balance sheet which do not meet the definition of assets or liabilities.'

34 In measuring the assets, liabilities, income, expenses, and cash flows reported in its financial statements, an entity that reports only annually is able to take into account information that becomes available throughout the financial year. Its measurements are, in effect, on a year-to-date basis.

35 An entity that reports half-yearly uses information available by mid-year or shortly thereafter in making the measurements in its financial statements for the first six-month period and information available by year-end or shortly thereafter for the twelve-month period. The twelve-month measurements will reflect possible changes in estimates of amounts reported for the first six-month period. The amounts reported in the interim financial report for the first six-month period are not retrospectively adjusted. Paragraphs 16A(d) and 26 require, however, that the nature and amount of any significant changes in estimates be disclosed.

36 An entity that reports more frequently than half-yearly measures income and expenses on a year-to-date basis for each interim period using information available when each set of financial statements is being prepared. Amounts of income and expenses reported in the current interim period will reflect any changes in estimates of amounts reported in prior interim periods of the financial year. The amounts reported in prior interim periods are not retrospectively adjusted. Paragraphs 16A(d) and 26 require, however, that the nature and amount of any significant changes in estimates be disclosed.

Revenues received seasonally, cyclically, or occasionally

37 **Revenues that are received seasonally, cyclically, or occasionally within a financial year shall not be anticipated or deferred as of an interim date if anticipation or deferral would not be appropriate at the end of the entity's financial year.**

- 38 Examples include dividend revenue, royalties, and Government grants. Additionally, some entities consistently earn more revenues in certain interim periods of a financial year than in other interim periods, for example, seasonal revenues of retailers. Such revenues are recognised when they occur.

Costs incurred unevenly during the financial year

- 39 **Costs that are incurred unevenly during an entity's financial year shall be anticipated or deferred for interim reporting purposes if, and only if, it is also appropriate to anticipate or defer that type of cost at the end of the financial year.**

40 [Refer Appendix 1]

Use of estimates

- 41 **The measurement procedures to be followed in an interim financial report shall be designed to ensure that the resulting information is reliable and that all material financial information that is relevant to an understanding of the financial position or performance of the entity is appropriately disclosed. While measurements in both annual and interim financial reports are often based on reasonable estimates, the preparation of interim financial reports generally will require a greater use of estimation methods than annual financial reports.**

42 [Refer Appendix 1]

Restatement of previously reported interim periods

- 43 **A change in accounting policy, other than one for which the transition is specified by a new Ind AS, shall be reflected by:**

- (a) **restating the financial statements of prior interim periods of the current financial year and the comparable interim periods of any prior financial years that will be restated in the annual financial statements in accordance with Ind AS 8; or**
- (b) **when it is impracticable to determine the cumulative effect at the beginning of the financial year of applying a new accounting policy to all prior periods, adjusting the financial statements of prior interim periods of the current financial year, and comparable interim periods of prior financial years to apply the new accounting policy prospectively from the earliest date practicable.**

- 44 One objective of the preceding principle is to ensure that a single accounting policy is applied to a particular class of transactions throughout an entire financial year. Under Ind AS 8, a change in accounting policy is reflected by retrospective application, with restatement of prior period financial data as far back as is practicable. However, if the cumulative amount of the adjustment relating to prior financial years is impracticable to determine, then under Ind AS 8 the new policy is applied prospectively from the earliest date practicable. The effect of the principle in paragraph 43 is to require that within the current financial year any change in accounting policy is applied either retrospectively or, if that is not practicable, prospectively, from no later than the beginning of the financial year.

- 45 To allow accounting changes to be reflected as of an interim date within the financial year would allow two differing accounting policies to be applied to a particular class of transactions within a single financial year. The result would be interim allocation difficulties, obscured operating results, and complicated analysis and understandability of interim period information.

Appendix A

Interim Financial Reporting and Impairment

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Background

- 1 An entity is required to assess goodwill for impairment at the end of each reporting period, and, if required, to recognise an impairment loss at that date in accordance with Ind AS 36. However, at the end of a subsequent reporting period, conditions may have so changed that the impairment loss would have been reduced or avoided had the impairment assessment been made only at that date. This appendix provides guidance on whether such impairment losses should ever be reversed.
- 2 The appendix addresses the interaction between the requirements of Ind AS 34 and the recognition of impairment losses on goodwill in Ind AS 36, and the effect of that interaction on subsequent interim and annual financial statements.

Issue

- 3 Ind AS 34 paragraph 28 requires an entity to apply the same accounting policies in its interim financial statements as are applied in its annual financial statements. It also states that ‘the frequency of an entity’s reporting (annual, half-yearly, or quarterly) shall not affect the measurement of its annual results. To achieve that objective, measurements for interim reporting purposes shall be made on a year-to-date basis.’
- 4 Ind AS 36 paragraph 124 states that ‘An impairment loss recognised for goodwill shall not be reversed in a subsequent period.’
- 5-6 [Refer Appendix 1]
- 7 The appendix addresses the following issue:
Should an entity reverse impairment losses recognised in an interim period on goodwill if a loss would not have been recognised, or a smaller loss would have been recognised, had an impairment assessment been made only at the end of a subsequent reporting period?

Accounting Principle

- 8 An entity shall not reverse an impairment loss recognised in a previous interim period in respect of goodwill.
- 9 An entity shall not extend this accounting principle by analogy to other areas of potential conflict between Ind AS 34 and other Indian Accounting Standards.

Appendix B**References to matters contained in other Indian Accounting Standards**

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

- 1 Appendix C, *Levies*, contained in Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.

Appendix 1

Note : This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 34 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 34, Interim Financial Reporting, and IFRIC 10, Interim Financial Reporting and Impairment, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 34, Interim Financial Reporting, and IFRIC 10

- 1 With regard to preparation of statement of profit and loss, International Accounting Standard (IAS) 34, *Interim Financial Reporting*, provides option either to follow single statement approach or to follow two statement approaches. But, Ind AS 34 allows only single statement approach on the lines of Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*, which also allows only single statement approach. Paragraphs 8A and 11A of IAS 34 which provides the option are deleted. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 34, the paragraph numbers are retained in Ind AS 34.
- 2 Different terminology is used in Ind AS 34 eg, the term ‘balance sheet’ is used instead of ‘Statement of financial position’ and ‘Statement of Profit and Loss’ is used instead of ‘Statement of comprehensive income’ or ‘Statement of profit or loss and other comprehensive income’.
- 3 Last sentence of paragraph 1 of IAS 34 is deleted in Ind AS 34 since it is felt that the requirement to present interim financial report should be governed by the relevant law or regulation and not by way of an encouragement through an Accounting Standard.
- 4 The following paragraph numbers appear as ‘Deleted’ in IAS 34. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 34, the paragraph numbers are retained in Ind AS 34:
 - (i) paragraph 13
 - (ii) paragraph 16
 - (iii) paragraphs 17-18
 - (iv) paragraphs 5-6 of Appendix A
- 5 Paragraph 12 of IAS 34 making reference to Implementation Guidance included in IAS 1 has been deleted in Ind AS 34, as Implementation Guidance is not an integral part of IAS 1. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 34, the paragraph number is retained in Ind AS 34.

- 6 Following paragraphs making references to Illustrative examples which are not integral part of IAS 34 have been deleted in Ind AS 34. The paragraph numbers have been retained in Ind AS 34 in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 34:
- (i) Paragraph 22 making reference to Illustration A of 'Illustrative Examples' illustrating the periods required to be presented by an entity that reports half yearly and an entity that reports quarterly.
 - (ii) Paragraph 40 making reference to Illustration B of 'Illustrative Examples' illustrating the general recognition and measurement principles set out in paragraphs 28-39.
 - (iii) *Paragraph 42 making reference to Illustration C of 'Illustrative Examples' illustrating the use of estimates in interim periods.*

Indian Accounting Standard (Ind AS) 36

Impairment of Assets

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

- 1 The objective of this Standard is to prescribe the procedures that an entity applies to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and the Standard requires the entity to recognise an impairment loss. The Standard also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

Scope

- 2 **This Standard shall be applied in accounting for the impairment of all assets, other than:**
- (a) **inventories (see Ind AS 2, *Inventories*);**
 - (b) **contract assets and assets arising from costs to obtain or fulfill a contract that are recognised in accordance with Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*;**
 - (c) **deferred tax assets (see Ind AS 12, *Income Taxes*);**
 - (d) **assets arising from employee benefits (see Ind AS 19, *Employee Benefits*);**
 - (e) **financial assets that are within the scope of Ind AS 109, *Financial Instruments*;**
 - (f) **[Refer Appendix 1];**
 - (g) **biological assets related to agricultural activity within the scope of Ind AS 41 *Agriculture* that are measured at fair value less costs to sell ;**
 - (h) **deferred acquisition costs, and intangible assets, arising from an insurer's contractual rights under insurance contracts within the scope of Ind AS 104, *Insurance Contracts*; and**
 - (i) **non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*.**
- 3 This Standard does not apply to inventories, assets arising from construction contracts, deferred tax assets, assets arising from employee benefits, or assets classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) because Indian Accounting Standards applicable to these assets contain requirements for recognising and measuring these assets.
- 4 This Standard applies to financial assets classified as:
- (a) subsidiaries, as defined in Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*;
 - (b) associates, as defined in Ind AS 28, *Investments in Associates and Joint Ventures*; and
 - (c) joint ventures, as defined in Ind AS 111, *Joint Arrangements*.
- For impairment of other financial assets, refer to Ind AS 109.
- 5 This Standard does not apply to financial assets within the scope of Ind AS 109, or biological assets related to agricultural activity measured at fair value less costs to sell within the scope of Ind AS 41. However, this

Standard applies to assets that are carried at revalued amount (ie fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses) in accordance with other Ind ASs, such as the revaluation model in Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment* and Ind AS 38, *Intangible Assets*. The only difference between an asset's fair value and its fair value less costs of disposal is the direct incremental costs attributable to the disposal of the asset.

- (a) If the disposal costs are negligible, the recoverable amount of the revalued asset is necessarily close to, or greater than, its revalued amount. In this case, after the revaluation requirements have been applied, it is unlikely that the revalued asset is impaired and recoverable amount need not be estimated.
- (b) [Refer Appendix 1]
- (c) If the disposal costs are not negligible, the fair value less costs of disposal of the revalued asset is necessarily less than its fair value. Therefore, the revalued asset will be impaired if its value in use is less than its revalued amount. In this case, after the revaluation requirements have been applied, an entity applies this Standard to determine whether the asset may be impaired.

Definitions

6 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Carrying amount is the amount at which an asset is recognised after deducting any accumulated depreciation (amortisation) and accumulated impairment losses thereon.

A cash-generating unit is the smallest identifiable group of assets that generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets.

Corporate assets are assets other than goodwill that contribute to the future cash flows of both the cash-generating unit under review and other cash-generating units.

Costs of disposal are incremental costs directly attributable to the disposal of an asset or cash-generating unit, excluding finance costs and income tax expense.

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost in the financial statements, less its residual value.

Depreciation (Amortisation) is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life.⁷

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113, *Fair Value Measurement*.)

An impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset or a cash-generating unit exceeds its recoverable amount.

The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use.

Useful life is either:

- (a) the period of time over which an asset is expected to be used by the entity; or
- (b) the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the entity.

Value in use is the present value of the future cash flows expected to be derived from an asset or cash-generating unit.

Identifying an asset that may be impaired

7 Paragraphs 8–17 specify when recoverable amount shall be determined. These requirements use the term ‘an asset’ but apply equally to an individual asset or a cash-generating unit. The remainder of this Standard is structured as follows:

- (a) paragraphs 18–57 set out the requirements for measuring recoverable amount. These requirements also use the term ‘an asset’ but apply equally to an individual asset and a cash-generating unit.
- (b) paragraphs 58–108 set out the requirements for recognising and measuring impairment losses. Recognition and measurement of impairment losses for individual assets other than goodwill are dealt with in paragraphs 58–64. Paragraphs 65–108 deal with the recognition and measurement of impairment losses for cash-generating units and goodwill.

⁷ In the case of an intangible asset, the term ‘amortisation’ is generally used instead of ‘depreciation’. The two terms have the same meaning.

- (c) paragraphs 109–116 set out the requirements for reversing an impairment loss recognised in prior periods for an asset or a cash-generating unit. Again, these requirements use the term ‘an asset’ but apply equally to an individual asset or a cash-generating unit. Additional requirements for an individual asset are set out in paragraphs 117–121, for a cash-generating unit in paragraphs 122 and 123, and for goodwill in paragraphs 124 and 125.
- (d) paragraphs 126–133 specify the information to be disclosed about impairment losses and reversals of impairment losses for assets and cash-generating units. Paragraphs 134–137 specify additional disclosure requirements for cash-generating units to which goodwill or intangible assets with indefinite useful lives have been allocated for impairment testing purposes.
- 8 An asset is impaired when its carrying amount exceeds its recoverable amount. Paragraphs 12–14 describe some indications that an impairment loss may have occurred. If any of those indications is present, an entity is required to make a formal estimate of recoverable amount. Except as described in paragraph 10, this Standard does not require an entity to make a formal estimate of recoverable amount if no indication of an impairment loss is present.
- 9 **An entity shall assess at the end of each reporting period whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the entity shall estimate the recoverable amount of the asset.**
- 10 **Irrespective of whether there is any indication of impairment, an entity shall also:**
- (a) **test an intangible asset with an indefinite useful life or an intangible asset not yet available for use for impairment annually by comparing its carrying amount with its recoverable amount. This impairment test may be performed at any time during an annual period, provided it is performed at the same time every year. Different intangible assets may be tested for impairment at different times. However, if such an intangible asset was initially recognised during the current annual period, that intangible asset shall be tested for impairment before the end of the current annual period.**
- (b) **test goodwill acquired in a business combination for impairment annually in accordance with paragraphs 80–99.**
- 11 The ability of an intangible asset to generate sufficient future economic benefits to recover its carrying amount is usually subject to greater uncertainty before the asset is available for use than after it is available for use. Therefore, this Standard requires an entity to test for impairment, at least annually, the carrying amount of an intangible asset that is not yet available for use.
- 12 **In assessing whether there is any indication that an asset may be impaired, an entity shall consider, as a minimum, the following indications:**
- External sources of information**
- (a) **there are observable indications that the asset’s value has declined during the period significantly more than would be expected as a result of the passage of time or normal use.**
- (b) **significant changes with an adverse effect on the entity have taken place during the period, or will take place in the near future, in the technological, market, economic or legal environment in which the entity operates or in the market to which an asset is dedicated.**
- (c) **market interest rates or other market rates of return on investments have increased during the period, and those increases are likely to affect the discount rate used in calculating an asset’s value in use and decrease the asset’s recoverable amount materially.**
- (d) **the carrying amount of the net assets of the entity is more than its market capitalisation.**
- Internal sources of information**
- (e) **evidence is available of obsolescence or physical damage of an asset.**
- (f) **significant changes with an adverse effect on the entity have taken place during the period, or are expected to take place in the near future, in the extent to which, or manner in which, an asset is used or is expected to be used. These changes include the asset becoming idle, plans to discontinue or restructure the operation to which an asset belongs, plans to dispose of an asset**

before the previously expected date, and reassessing the useful life of an asset as finite rather than indefinite.⁸

- (g) evidence is available from internal reporting that indicates that the economic performance of an asset is, or will be, worse than expected.

Dividend from a subsidiary, joint venture or associate

- (h) for an investment in a subsidiary, joint venture or associate, the investor recognises a dividend from the investment and evidence is available that:

- (i) the carrying amount of the investment in the separate financial statements exceeds the carrying amounts in the consolidated financial statements of the investee's net assets, including associated goodwill; or
- (ii) the dividend exceeds the total comprehensive income of the subsidiary, joint venture or associate in the period the dividend is declared.

13 The list in paragraph 12 is not exhaustive. An entity may identify other indications that an asset may be impaired and these would also require the entity to determine the asset's recoverable amount or, in the case of goodwill, perform an impairment test in accordance with paragraphs 80–99.

14 Evidence from internal reporting that indicates that an asset may be impaired includes the existence of:

- (a) cash flows for acquiring the asset, or subsequent cash needs for operating or maintaining it, that are significantly higher than those originally budgeted;
- (b) actual net cash flows or operating profit or loss flowing from the asset that are significantly worse than those budgeted;
- (c) a significant decline in budgeted net cash flows or operating profit, or a significant increase in budgeted loss, flowing from the asset; or
- (d) operating losses or net cash outflows for the asset, when current period amounts are aggregated with budgeted amounts for the future.

15 As indicated in paragraph 10, this Standard requires an intangible asset with an indefinite useful life or not yet available for use and goodwill to be tested for impairment, at least annually. Apart from when the requirements in paragraph 10 apply, the concept of materiality applies in identifying whether the recoverable amount of an asset needs to be estimated. For example, if previous calculations show that an asset's recoverable amount is significantly greater than its carrying amount, the entity need not re-estimate the asset's recoverable amount if no events have occurred that would eliminate that difference. Similarly, previous analysis may show that an asset's recoverable amount is not sensitive to one (or more) of the indications listed in paragraph 12.

16 As an illustration of paragraph 15, if market interest rates or other market rates of return on investments have increased during the period, an entity is not required to make a formal estimate of an asset's recoverable amount in the following cases:

- (a) if the discount rate used in calculating the asset's value in use is unlikely to be affected by the increase in these market rates. For example, increases in short-term interest rates may not have a material effect on the discount rate used for an asset that has a long remaining useful life.
- (b) if the discount rate used in calculating the asset's value in use is likely to be affected by the increase in these market rates but previous sensitivity analysis of recoverable amount shows that:
- (i) it is unlikely that there will be a material decrease in recoverable amount because future cash flows are also likely to increase (eg in some cases, an entity may be able to demonstrate that it adjusts its revenues to compensate for any increase in market rates); or
- (ii) the decrease in recoverable amount is unlikely to result in a material impairment loss.

17 If there is an indication that an asset may be impaired, this may indicate that the remaining useful life, the depreciation (amortisation) method or the residual value for the asset needs to be reviewed and adjusted in accordance with the Standard applicable to the asset, even if no impairment loss is recognised for the asset.

⁸ Once an asset meets the criteria to be classified as held for sale (or is included in a disposal group that is classified as held for sale), it is excluded from the scope of this Standard and is accounted for in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*.

Measuring recoverable amount

- 18 This Standard defines recoverable amount as the higher of an asset's or cash-generating unit's fair value less costs of disposal and its value in use. Paragraphs 19–57 set out the requirements for measuring recoverable amount. These requirements use the term 'an asset' but apply equally to an individual asset or a cash-generating unit.
- 19 It is not always necessary to determine both an asset's fair value less costs of disposal and its value in use. If either of these amounts exceeds the asset's carrying amount, the asset is not impaired and it is not necessary to estimate the other amount.
- 20 It may be possible to measure fair value less costs of disposal, even if there is not a quoted price in an active market for an identical asset. However, sometimes it will not be possible to measure fair value less costs of disposal because there is no basis for making a reliable estimate of the price at which an orderly transaction to sell the asset would take place between market participants at the measurement date under current market conditions. In this case, the entity may use the asset's value in use as its recoverable amount.
- 21 If there is no reason to believe that an asset's value in use materially exceeds its fair value less costs of disposal, the asset's fair value less costs of disposal may be used as its recoverable amount. This will often be the case for an asset that is held for disposal. This is because the value in use of an asset held for disposal will consist mainly of the net disposal proceeds, as the future cash flows from continuing use of the asset until its disposal are likely to be negligible.
- 22 Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. If this is the case, recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs (see paragraphs 65–103), unless either:
- (a) the asset's fair value less costs of disposal is higher than its carrying amount; or
 - (b) the asset's value in use can be estimated to be close to its fair value less costs of disposal and fair value less costs of disposal can be measured.
- 23 In some cases, estimates, averages and computational short cuts may provide reasonable approximations of the detailed computations illustrated in this Standard for determining fair value less costs of disposal or value in use.

Measuring the recoverable amount of an intangible asset with an indefinite useful life

- 24 Paragraph 10 requires an intangible asset with an indefinite useful life to be tested for impairment annually by comparing its carrying amount with its recoverable amount, irrespective of whether there is any indication that it may be impaired. However, the most recent detailed calculation of such an asset's recoverable amount made in a preceding period may be used in the impairment test for that asset in the current period, provided all of the following criteria are met:
- (a) if the intangible asset does not generate cash inflows from continuing use that are largely independent of those from other assets or groups of assets and is therefore tested for impairment as part of the cash-generating unit to which it belongs, the assets and liabilities making up that unit have not changed significantly since the most recent recoverable amount calculation;
 - (b) the most recent recoverable amount calculation resulted in an amount that exceeded the asset's carrying amount by a substantial margin; and
 - (c) based on an analysis of events that have occurred and circumstances that have changed since the most recent recoverable amount calculation, the likelihood that a current recoverable amount determination would be less than the asset's carrying amount is remote.

Fair value less costs of disposal**25- [Refer Appendix 1]**

27

- 28 Costs of disposal, other than those that have been recognised as liabilities, are deducted in measuring fair value less costs of disposal. Examples of such costs are legal costs, stamp duty and similar transaction taxes, costs of removing the asset, and direct incremental costs to bring an asset into condition for its sale. However, termination benefits (as defined in Ind AS 19) and costs associated with reducing or reorganising a business following the disposal of an asset are not direct incremental costs to dispose of the asset.

29 Sometimes, the disposal of an asset would require the buyer to assume a liability and only a single fair value less costs of disposal is available for both the asset and the liability. Paragraph 78 explains how to deal with such cases.

Value in use

30 **The following elements shall be reflected in the calculation of an asset's value in use:**

- (a) **an estimate of the future cash flows the entity expects to derive from the asset;**
- (b) **expectations about possible variations in the amount or timing of those future cash flows;**
- (c) **the time value of money, represented by the current market risk-free rate of interest;**
- (d) **the price for bearing the uncertainty inherent in the asset; and**
- (e) **other factors, such as illiquidity, that market participants would reflect in pricing the future cash flows the entity expects to derive from the asset.**

31 Estimating the value in use of an asset involves the following steps:

- (a) estimating the future cash inflows and outflows to be derived from continuing use of the asset and from its ultimate disposal; and
- (b) applying the appropriate discount rate to those future cash flows.

32 The elements identified in paragraph 30(b), (d) and (e) can be reflected either as adjustments to the future cash flows or as adjustments to the discount rate. Whichever approach an entity adopts to reflect expectations about possible variations in the amount or timing of future cash flows, the result shall be to reflect the expected present value of the future cash flows, ie the weighted average of all possible outcomes. Appendix A provides additional guidance on the use of present value techniques in measuring an asset's value in use.

Basis for estimates of future cash flows

33 **In measuring value in use an entity shall:**

- (a) **base cash flow projections on reasonable and supportable assumptions that represent management's best estimate of the range of economic conditions that will exist over the remaining useful life of the asset. Greater weight shall be given to external evidence.**
- (b) **base cash flow projections on the most recent financial budgets/forecasts approved by management, but shall exclude any estimated future cash inflows or outflows expected to arise from future restructurings or from improving or enhancing the asset's performance. Projections based on these budgets/forecasts shall cover a maximum period of five years, unless a longer period can be justified.**
- (c) **estimate cash flow projections beyond the period covered by the most recent budgets/forecasts by extrapolating the projections based on the budgets/forecasts using a steady or declining growth rate for subsequent years, unless an increasing rate can be justified. This growth rate shall not exceed the long-term average growth rate for the products, industries, or country or countries in which the entity operates, or for the market in which the asset is used, unless a higher rate can be justified.**

34 Management assesses the reasonableness of the assumptions on which its current cash flow projections are based by examining the causes of differences between past cash flow projections and actual cash flows. Management shall ensure that the assumptions on which its current cash flow projections are based are consistent with past actual outcomes, provided the effects of subsequent events or circumstances that did not exist when those actual cash flows were generated make this appropriate.

35 Detailed, explicit and reliable financial budgets/forecasts of future cash flows for periods longer than five years are generally not available. For this reason, management's estimates of future cash flows are based on the most recent budgets/forecasts for a maximum of five years. Management may use cash flow projections based on financial budgets/forecasts over a period longer than five years if it is confident that these projections are reliable and it can demonstrate its ability, based on past experience, to forecast cash flows accurately over that longer period.

36 Cash flow projections until the end of an asset's useful life are estimated by extrapolating the cash flow projections based on the financial budgets/forecasts using a growth rate for subsequent years. This rate is steady or declining, unless an increase in the rate matches objective information about patterns over a product or industry lifecycle. If appropriate, the growth rate is zero or negative.

37 When conditions are favourable, competitors are likely to enter the market and restrict growth. Therefore, entities will have difficulty in exceeding the average historical growth rate over the long term (say, twenty years) for the products, industries, or country or countries in which the entity operates, or for the market in which the asset is used.

38 In using information from financial budgets/forecasts, an entity considers whether the information reflects reasonable and supportable assumptions and represents management's best estimate of the set of economic conditions that will exist over the remaining useful life of the asset.

Composition of estimates of future cash flows

39 **Estimates of future cash flows shall include:**

- (a) **projections of cash inflows from the continuing use of the asset;**
- (b) **projections of cash outflows that are necessarily incurred to generate the cash inflows from continuing use of the asset (including cash outflows to prepare the asset for use) and can be directly attributed, or allocated on a reasonable and consistent basis, to the asset; and**
- (c) **net cash flows, if any, to be received (or paid) for the disposal of the asset at the end of its useful life.**

40 Estimates of future cash flows and the discount rate reflect consistent assumptions about price increases attributable to general inflation. Therefore, if the discount rate includes the effect of price increases attributable to general inflation, future cash flows are estimated in nominal terms. If the discount rate excludes the effect of price increases attributable to general inflation, future cash flows are estimated in real terms (but include future specific price increases or decreases).

41 Projections of cash outflows include those for the day-to-day servicing of the asset as well as future overheads that can be attributed directly, or allocated on a reasonable and consistent basis, to the use of the asset.

42 When the carrying amount of an asset does not yet include all the cash outflows to be incurred before it is ready for use or sale, the estimate of future cash outflows includes an estimate of any further cash outflow that is expected to be incurred before the asset is ready for use or sale. For example, this is the case for a building under construction or for a development project that is not yet completed.

43 To avoid double-counting, estimates of future cash flows do not include:

- (a) cash inflows from assets that generate cash inflows that are largely independent of the cash inflows from the asset under review (for example, financial assets such as receivables); and
- (b) cash outflows that relate to obligations that have been recognised as liabilities (for example, payables, pensions or provisions).

44 **Future cash flows shall be estimated for the asset in its current condition. Estimates of future cash flows shall not include estimated future cash inflows or outflows that are expected to arise from:**

- (a) **a future restructuring to which an entity is not yet committed; or**
- (b) **improving or enhancing the asset's performance.**

45 Because future cash flows are estimated for the asset in its current condition, value in use does not reflect:

- (a) future cash outflows or related cost savings (for example reductions in staff costs) or benefits that are expected to arise from a future restructuring to which an entity is not yet committed; or
- (b) future cash outflows that will improve or enhance the asset's performance or the related cash inflows that are expected to arise from such outflows.

46 A restructuring is a programme that is planned and controlled by management and materially changes either the scope of the business undertaken by an entity or the manner in which the business is conducted. Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, contains guidance clarifying when an entity is committed to a restructuring.

47 When an entity becomes committed to a restructuring, some assets are likely to be affected by this restructuring. Once the entity is committed to the restructuring:

- (a) its estimates of future cash inflows and cash outflows for the purpose of determining value in use reflect the cost savings and other benefits from the restructuring (based on the most recent financial budgets/forecasts approved by management); and

- (b) its estimates of future cash outflows for the restructuring are included in a restructuring provision in accordance with Ind AS 37.
- 48 Until an entity incurs cash outflows that improve or enhance the asset's performance, estimates of future cash flows do not include the estimated future cash inflows that are expected to arise from the increase in economic benefits associated with the cash outflow.
- 49 Estimates of future cash flows include future cash outflows necessary to maintain the level of economic benefits expected to arise from the asset in its current condition. When a cash-generating unit consists of assets with different estimated useful lives, all of which are essential to the ongoing operation of the unit, the replacement of assets with shorter lives is considered to be part of the day-to-day servicing of the unit when estimating the future cash flows associated with the unit. Similarly, when a single asset consists of components with different estimated useful lives, the replacement of components with shorter lives is considered to be part of the day-to-day servicing of the asset when estimating the future cash flows generated by the asset.
- 50 **Estimates of future cash flows shall not include:**
- (a) **cash inflows or outflows from financing activities; or**
- (b) **income tax receipts or payments.**
- 51 Estimated future cash flows reflect assumptions that are consistent with the way the discount rate is determined. Otherwise, the effect of some assumptions will be counted twice or ignored. Because the time value of money is considered by discounting the estimated future cash flows, these cash flows exclude cash inflows or outflows from financing activities. Similarly, because the discount rate is determined on a pre-tax basis, future cash flows are also estimated on a pre-tax basis.
- 52 **The estimate of net cash flows to be received (or paid) for the disposal of an asset at the end of its useful life shall be the amount that an entity expects to obtain from the disposal of the asset in an arm's length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the estimated costs of disposal.**
- 53 The estimate of net cash flows to be received (or paid) for the disposal of an asset at the end of its useful life is determined in a similar way to an asset's fair value less costs of disposal, except that, in estimating those net cash flows:
- (a) an entity uses prices prevailing at the date of the estimate for similar assets that have reached the end of their useful life and have operated under conditions similar to those in which the asset will be used.
- (c) the entity adjusts those prices for the effect of both future price increases due to general inflation and specific future price increases or decreases. However, if estimates of future cash flows from the asset's continuing use and the discount rate exclude the effect of general inflation, the entity also excludes this effect from the estimate of net cash flows on disposal.
- 53A Fair value differs from value in use. Fair value reflects the assumptions market participants would use when pricing the asset. In contrast, value in use reflects the effects of factors that may be specific to the entity and not applicable to entities in general. For example, fair value does not reflect any of the following factors to the extent that they would not be generally available to market participants:
- (a) additional value derived from the grouping of assets (such as the creation of a portfolio of investment properties in different locations);
- (b) synergies between the asset being measured and other assets;
- (c) legal rights or legal restrictions that are specific only to the current owner of the asset; and
- (d) tax benefits or tax burdens that are specific to the current owner of the asset.
- Foreign currency future cash flows**
- 54 Future cash flows are estimated in the currency in which they will be generated and then discounted using a discount rate appropriate for that currency. An entity translates the present value using the spot exchange rate at the date of the value in use calculation.
- Discount rate**
- 55 **The discount rate (rates) shall be a pre-tax rate (rates) that reflect(s) current market assessments of:**
- (a) **the time value of money; and**
- (b) **the risks specific to the asset for which the future cash flow estimates have not been adjusted.**

- 56 A rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset is the return that investors would require if they were to choose an investment that would generate cash flows of amounts, timing and risk profile equivalent to those that the entity expects to derive from the asset. This rate is estimated from the rate implicit in current market transactions for similar assets or from the weighted average cost of capital of a listed entity that has a single asset (or a portfolio of assets) similar in terms of service potential and risks to the asset under review. However, the discount rate(s) used to measure an asset's value in use shall not reflect risks for which the future cash flow estimates have been adjusted. Otherwise, the effect of some assumptions will be double-counted.
- 57 When an asset-specific rate is not directly available from the market, an entity uses surrogates to estimate the discount rate. Appendix A provides additional guidance on estimating the discount rate in such circumstances.

Recognising and measuring an impairment loss

- 58 Paragraphs 59–64 set out the requirements for recognising and measuring impairment losses for an individual asset other than goodwill. Recognising and measuring impairment losses for cash-generating units and goodwill are dealt with in paragraphs 65–108.
- 59 **If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. That reduction is an impairment loss.**
- 60 **An impairment loss shall be recognised immediately in profit or loss, unless the asset is carried at revalued amount in accordance with another Standard (for example, in accordance with the revaluation model in Ind AS 16). Any impairment loss of a revalued asset shall be treated as a revaluation decrease in accordance with that other Standard.**
- 61 An impairment loss on a non-revalued asset is recognised in profit or loss. However, an impairment loss on a revalued asset is recognised in other comprehensive income to the extent that the impairment loss does not exceed the amount in the revaluation surplus for that same asset. Such an impairment loss on a revalued asset reduces the revaluation surplus for that asset.
- 62 **When the amount estimated for an impairment loss is greater than the carrying amount of the asset to which it relates, an entity shall recognise a liability if, and only if, that is required by another Standard.**
- 63 **After the recognition of an impairment loss, the depreciation (amortisation) charge for the asset shall be adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less its residual value (if any), on a systematic basis over its remaining useful life.**
- 64 If an impairment loss is recognised, any related deferred tax assets or liabilities are determined in accordance with Ind AS 12 by comparing the revised carrying amount of the asset with its tax base.

Cash-generating units and goodwill

- 65 Paragraphs 66–108 and Appendix C set out the requirements for identifying the cash-generating unit to which an asset belongs and determining the carrying amount of, and recognising impairment losses for, cash-generating units and goodwill.

Identifying the cash-generating unit to which an asset belongs

- 66 **If there is any indication that an asset may be impaired, recoverable amount shall be estimated for the individual asset. If it is not possible to estimate the recoverable amount of the individual asset, an entity shall determine the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs (the asset's cash-generating unit).**
- 67 The recoverable amount of an individual asset cannot be determined if:
- the asset's value in use cannot be estimated to be close to its fair value less costs of disposal (for example, when the future cash flows from continuing use of the asset cannot be estimated to be negligible); and
 - the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets.

In such cases, value in use and, therefore, recoverable amount, can be determined only for the asset's cash-generating unit.

Example

A mining entity owns a private railway to support its mining activities. The private railway could be sold only for scrap value and it does not generate cash inflows that are largely independent of the cash inflows from the other assets of the mine.

It is not possible to estimate the recoverable amount of the private railway because its value in use cannot be determined and is probably different from scrap value. Therefore, the entity estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the private railway belongs, ie the mine as a whole.

- 68 As defined in paragraph 6, an asset's cash-generating unit is the smallest group of assets that includes the asset and generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets. Identification of an asset's cash-generating unit involves judgement. If recoverable amount cannot be determined for an individual asset, an entity identifies the lowest aggregation of assets that generate largely independent cash inflows.

Example

A bus company provides services under contract with a municipality that requires minimum service on each of five separate routes. Assets devoted to each route and the cash flows from each route can be identified separately. One of the routes operates at a significant loss.

Because the entity does not have the option to curtail any one bus route, the lowest level of identifiable cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets is the cash inflows generated by the five routes together. The cash-generating unit for each route is the bus company as a whole.

- 69 Cash inflows are inflows of cash and cash equivalents received from parties external to the entity. In identifying whether cash inflows from an asset (or group of assets) are largely independent of the cash inflows from other assets (or groups of assets), an entity considers various factors including how management monitors the entity's operations (such as by product lines, businesses, individual locations, districts or regional areas) or how management makes decisions about continuing or disposing of the entity's assets and operations..

- 70 **If an active market exists for the output produced by an asset or group of assets, that asset or group of assets shall be identified as a cash-generating unit, even if some or all of the output is used internally. If the cash inflows generated by any asset or cash-generating unit are affected by internal transfer pricing, an entity shall use management's best estimate of future price(s) that could be achieved in arm's length transactions in estimating:**

- (a) **the future cash inflows used to determine the asset's or cash-generating unit's value in use; and**
- (b) **the future cash outflows used to determine the value in use of any other assets or cash-generating units that are affected by the internal transfer pricing.**

- 71 Even if part or all of the output produced by an asset or a group of assets is used by other units of the entity (for example, products at an intermediate stage of a production process), this asset or group of assets forms a separate cash-generating unit if the entity could sell the output on an active market. This is because the asset or group of assets could generate cash inflows that would be largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets. In using information based on financial budgets/forecasts that relates to such a cash-generating unit, or to any other asset or cash-generating unit affected by internal transfer pricing, an entity adjusts this information if internal transfer prices do not reflect management's best estimate of future prices that could be achieved in arm's length transactions.

- 72 **Cash-generating units shall be identified consistently from period to period for the same asset or types of assets, unless a change is justified.**

- 73 If an entity determines that an asset belongs to a cash-generating unit different from that in previous periods, or that the types of assets aggregated for the asset's cash-generating unit have changed, paragraph 130 requires disclosures about the cash-generating unit, if an impairment loss is recognised or reversed for the cash-generating unit.

Recoverable amount and carrying amount of a cash-generating unit

- 74 The recoverable amount of a cash-generating unit is the higher of the cash-generating unit's fair value less costs of disposal and its value in use. For the purpose of determining the recoverable amount of a cash-generating unit, any reference in paragraphs 19–57 to 'an asset' is read as a reference to 'a cash-generating unit'.

- 75 **The carrying amount of a cash-generating unit shall be determined on a basis consistent with the way the recoverable amount of the cash-generating unit is determined.**

76 The carrying amount of a cash-generating unit:

- (a) includes the carrying amount of only those assets that can be attributed directly, or allocated on a reasonable and consistent basis, to the cash-generating unit and will generate the future cash inflows used in determining the cash-generating unit's value in use; and
- (b) does not include the carrying amount of any recognised liability, unless the recoverable amount of the cash-generating unit cannot be determined without consideration of this liability.

This is because fair value less costs of disposal and value in use of a cash-generating unit are determined excluding cash flows that relate to assets that are not part of the cash-generating unit and liabilities that have been recognised (see paragraphs 28 and 43).

77 When assets are grouped for recoverability assessments, it is important to include in the cash-generating unit all assets that generate or are used to generate the relevant stream of cash inflows. Otherwise, the cash-generating unit may appear to be fully recoverable when in fact an impairment loss has occurred. In some cases, although some assets contribute to the estimated future cash flows of a cash-generating unit, they cannot be allocated to the cash-generating unit on a reasonable and consistent basis. This might be the case for goodwill or corporate assets such as head office assets. Paragraphs 80–103 explain how to deal with these assets in testing a cash-generating unit for impairment.

78 It may be necessary to consider some recognised liabilities to determine the recoverable amount of a cash-generating unit. This may occur if the disposal of a cash-generating unit would require the buyer to assume the liability. In this case, the fair value less costs of disposal (or the estimated cash flow from ultimate disposal) of the cash-generating unit is the price to sell the assets of the cash-generating unit and the liability together, less the costs of disposal. To perform a meaningful comparison between the carrying amount of the cash-generating unit and its recoverable amount, the carrying amount of the liability is deducted in determining both the cash-generating unit's value in use and its carrying amount.

Example

A company operates a mine in a country where legislation requires that the owner must restore the site on completion of its mining operations. The cost of restoration includes the replacement of the overburden, which must be removed before mining operations commence. A provision for the costs to replace the overburden was recognised as soon as the overburden was removed. The amount provided was recognised as part of the cost of the mine and is being depreciated over the mine's useful life. The carrying amount of the provision for restoration costs is Rs. 500, which is equal to the present value of the restoration costs.

The entity is testing the mine for impairment. The cash-generating unit for the mine is the mine as a whole. The entity has received various offers to buy the mine at a price of around Rs. 800. This price reflects the fact that the buyer will assume the obligation to restore the overburden. Disposal costs for the mine are negligible. The value in use of the mine is approximately Rs. 1,200, excluding restoration costs. The carrying amount of the mine is Rs. 1,000.

The cash-generating unit's fair value less costs of disposal is Rs. 800. This amount considers restoration costs that have already been provided for. As a consequence, the value in use for the cash-generating unit is determined after consideration of the restoration costs and is estimated to be Rs. 700 (Rs. 1,200 less Rs. 500). The carrying amount of the cash-generating unit is Rs. 500, which is the carrying amount of the mine (Rs. 1,000) less the carrying amount of the provision for restoration costs (Rs. 500). Therefore, the recoverable amount of the cash-generating unit exceeds its carrying amount.

79 For practical reasons, the recoverable amount of a cash-generating unit is sometimes determined after consideration of assets that are not part of the cash-generating unit (for example, receivables or other financial assets) or liabilities that have been recognised (for example, payables, pensions and other provisions). In such cases, the carrying amount of the cash-generating unit is increased by the carrying amount of those assets and decreased by the carrying amount of those liabilities.

Goodwill

Allocating goodwill to cash-generating units

80 For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination shall, from the acquisition date, be allocated to each of the acquirer's cash-generating units, or groups of cash-generating units, that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units or groups of units. Each unit or group of units to which the goodwill is so allocated shall:

- (a) represent the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal management purposes; and
- (b) not be larger than an operating segment as defined by paragraph 5 of Ind AS 108, *Operating Segments*, before aggregation.

81 Goodwill recognised in a business combination is an asset representing the future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognised. Goodwill does not generate cash flows independently of other assets or groups of assets, and often contributes to the cash flows of multiple cash-generating units. Goodwill sometimes cannot be allocated on a non-arbitrary basis to individual cash-generating units, but only to groups of cash-generating units. As a result, the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal management purposes sometimes comprises a number of cash-generating units to which the goodwill relates, but to which it cannot be allocated. References in paragraphs 83–99 and Appendix C to a cash-generating unit to which goodwill is allocated should be read as references also to a group of cash-generating units to which goodwill is allocated.

82 Applying the requirements in paragraph 80 results in goodwill being tested for impairment at a level that reflects the way an entity manages its operations and with which the goodwill would naturally be associated. Therefore, the development of additional reporting systems is typically not necessary.

83 A cash-generating unit to which goodwill is allocated for the purpose of impairment testing may not coincide with the level at which goodwill is allocated in accordance with Ind AS 21, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*, for the purpose of measuring foreign currency gains and losses. For example, if an entity is required by Ind AS 21 to allocate goodwill to relatively low levels for the purpose of measuring foreign currency gains and losses, it is not required to test the goodwill for impairment at that same level unless it also monitors the goodwill at that level for internal management purposes.

84 If the initial allocation of goodwill acquired in a business combination **cannot be completed before the end of the annual period in which the business combination is effected, that initial allocation shall be completed before the end of the first annual period beginning after the acquisition date.**

85 In accordance with Ind AS 103, *Business Combinations*, if the initial accounting for a business combination can be determined only provisionally by the end of the period in which the combination is effected, the acquirer:

- (a) accounts for the combination using those provisional values; and
- (b) recognises any adjustments to those provisional values as a result of completing the initial accounting within the measurement period, which will not exceed twelve months from the acquisition date.

In such circumstances, it might also not be possible to complete the initial allocation of the goodwill recognised in the combination before the end of the annual period in which the combination is effected. When this is the case, the entity discloses the information required by paragraph 133.

86 **If goodwill has been allocated to a cash-generating unit and the entity disposes of an operation within that unit, the goodwill associated with the operation disposed of shall be:**

- (a) included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal; and
- (b) measured on the basis of the relative values of the operation disposed of and the portion of the cash-generating unit retained, unless the entity can demonstrate that some other method better reflects the goodwill associated with the operation disposed of.

Example

An entity sells for Rs. 100 an operation that was part of a cash-generating unit to which goodwill has been allocated. The goodwill allocated to the unit cannot be identified or associated with an asset group at a level lower than that unit, except arbitrarily. The recoverable amount of the portion of the cash-generating unit retained is Rs. 300.

Because the goodwill allocated to the cash-generating unit cannot be non-arbitrarily identified or associated with an asset group at a level lower than that unit, the goodwill associated with the operation disposed of is measured on the basis of the relative values of the operation disposed of and the portion of the unit retained. Therefore, 25 per cent of the goodwill allocated to the cash-generating unit is included in the carrying amount of the operation that is sold.

- 87 If an entity reorganises its reporting structure in a way that changes the composition of one or more cash-generating units to which goodwill has been allocated, the goodwill shall be reallocated to the units affected. This reallocation shall be performed using a relative value approach similar to that used when an entity disposes of an operation within a cash-generating unit, unless the entity can demonstrate that some other method better reflects the goodwill associated with the reorganised units.

Example

Goodwill had previously been allocated to cash-generating unit A. The goodwill allocated to A cannot be identified or associated with an asset group at a level lower than A, except arbitrarily. A is to be divided and integrated into three other cash-generating units, B, C and D.

<i>Because the goodwill allocated to A cannot be non-arbitrarily identified or associated with an asset group at a level lower than A, it is reallocated to units B, C and D on the basis of the relative values of the three portions of A before those portions are integrated with B, C and D.</i>

Testing cash-generating units with goodwill for impairment

- 88 When, as described in paragraph 81, goodwill relates to a cash-generating unit but has not been allocated to that unit, the unit shall be tested for impairment, whenever there is an indication that the unit may be impaired, by comparing the unit's carrying amount, excluding any goodwill, with its recoverable amount. Any impairment loss shall be recognised in accordance with paragraph 104.

- 89 If a cash-generating unit described in paragraph 88 includes in its carrying amount an intangible asset that has an indefinite useful life or is not yet available for use and that asset can be tested for impairment only as part of the cash-generating unit, paragraph 10 requires the unit also to be tested for impairment annually.

- 90 A cash-generating unit to which goodwill has been allocated shall be tested for impairment annually, and whenever there is an indication that the unit may be impaired, by comparing the carrying amount of the unit, including the goodwill, with the recoverable amount of the unit. If the recoverable amount of the unit exceeds the carrying amount of the unit, the unit and the goodwill allocated to that unit shall be regarded as not impaired. If the carrying amount of the unit exceeds the recoverable amount of the unit, the entity shall recognise the impairment loss in accordance with paragraph 104.

- 91- [Refer Appendix 1]

95

Timing of impairment tests

- 96 The annual impairment test for a cash-generating unit to which goodwill has been allocated may be performed at any time during an annual period, provided the test is performed at the same time every year. Different cash-generating units may be tested for impairment at different times. However, if some or all of the goodwill allocated to a cash-generating unit was acquired in a business combination during the current annual period, that unit shall be tested for impairment before the end of the current annual period.

- 97 If the assets constituting the cash-generating unit to which goodwill has been allocated are tested for impairment at the same time as the unit containing the goodwill, they shall be tested for impairment before the unit containing the goodwill. Similarly, if the cash-generating units constituting a group of cash-generating units to which goodwill has been allocated are tested for impairment at the same time as the group of units containing the goodwill, the individual units shall be tested for impairment before the group of units containing the goodwill.

- 98 At the time of impairment testing a cash-generating unit to which goodwill has been allocated, there may be an indication of an impairment of an asset within the unit containing the goodwill. In such circumstances, the entity tests the asset for impairment first, and recognises any impairment loss for that asset before testing for impairment the cash-generating unit containing the goodwill. Similarly, there may be an indication of an impairment of a cash-generating unit within a group of units containing the goodwill. In such circumstances, the entity tests the cash-generating unit for impairment first, and recognises any impairment loss for that unit, before testing for impairment the group of units to which the goodwill is allocated.

- 99 The most recent detailed calculation made in a preceding period of the recoverable amount of a cash-generating unit to which goodwill has been allocated may be used in the impairment test of that unit in the current period provided all of the following criteria are met:

- (a) the assets and liabilities making up the unit have not changed significantly since the most recent recoverable amount calculation;
- (b) the most recent recoverable amount calculation resulted in an amount that exceeded the carrying amount of the unit by a substantial margin; and
- (c) based on an analysis of events that have occurred and circumstances that have changed since the most recent recoverable amount calculation, the likelihood that a current recoverable amount determination would be less than the current carrying amount of the unit is remote.

Corporate assets

100 Corporate assets include group or divisional assets such as the building of a headquarters or a division of the entity, EDP equipment or a research centre. The structure of an entity determines whether an asset meets this Standard's definition of corporate assets for a particular cash-generating unit. The distinctive characteristics of corporate assets are that they do not generate cash inflows independently of other assets or groups of assets and their carrying amount cannot be fully attributed to the cash-generating unit under review.

101 Because corporate assets do not generate separate cash inflows, the recoverable amount of an individual corporate asset cannot be determined unless management has decided to dispose of the asset. As a consequence, if there is an indication that a corporate asset may be impaired, recoverable amount is determined for the cash-generating unit or group of cash-generating units to which the corporate asset belongs, and is compared with the carrying amount of this cash-generating unit or group of cash-generating units. Any impairment loss is recognised in accordance with paragraph 104.

102 **In testing a cash-generating unit for impairment, an entity shall identify all the corporate assets that relate to the cash-generating unit under review. If a portion of the carrying amount of a corporate asset:**

- (a) can be allocated on a reasonable and consistent basis to that unit, the entity shall compare the carrying amount of the unit, including the portion of the carrying amount of the corporate asset allocated to the unit, with its recoverable amount. Any impairment loss shall be recognised in accordance with paragraph 104.
- (b) cannot be allocated on a reasonable and consistent basis to that unit, the entity shall:
 - (i) compare the carrying amount of the unit, excluding the corporate asset, with its recoverable amount and recognise any impairment loss in accordance with paragraph 104;
 - (ii) identify the smallest group of cash-generating units that includes the cash-generating unit under review and to which a portion of the carrying amount of the corporate asset can be allocated on a reasonable and consistent basis; and
 - (iii) compare the carrying amount of that group of cash-generating units, including the portion of the carrying amount of the corporate asset allocated to that group of units, with the recoverable amount of the group of units. Any impairment loss shall be recognised in accordance with paragraph 104.

103 .[Refer Appendix 1]

Impairment loss for a cash-generating unit

104 An impairment loss shall be recognised for a cash-generating unit (the smallest group of cash-generating units to which goodwill or a corporate asset has been allocated) if, and only if, the recoverable amount of the unit (group of units) is less than the carrying amount of the unit (group of units). The impairment loss shall be allocated to reduce the carrying amount of the assets of the unit (group of units) in the following order:

- (a) first, to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the cash-generating unit (group of units); and
- (b) then, to the other assets of the unit (group of units) pro rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit (group of units).

These reductions in carrying amounts shall be treated as impairment losses on individual assets and recognised in accordance with paragraph 60.

105 In allocating an impairment loss in accordance with paragraph 104, an entity shall not reduce the carrying amount of an asset below the highest of:

- (a) its fair value less costs of disposal (if measurable);
- (b) its value in use (if determinable); and
- (c) zero.

The amount of the impairment loss that would otherwise have been allocated to the asset shall be allocated pro rata to the other assets of the unit (group of units).

106 If it is not practicable to estimate the recoverable amount of each individual asset of a cash-generating unit, this Standard requires an arbitrary allocation of an impairment loss between the assets of that unit, other than goodwill, because all assets of a cash-generating unit work together.

107 If the recoverable amount of an individual asset cannot be determined (see paragraph 67):

- (a) an impairment loss is recognised for the asset if its carrying amount is greater than the higher of its fair value less costs of disposal and the results of the allocation procedures described in paragraphs 104 and 105; and
- (b) no impairment loss is recognised for the asset if the related cash-generating unit is not impaired. This applies even if the asset's fair value less costs of disposal is less than its carrying amount.

Example

A machine has suffered physical damage but is still working, although not as well as before it was damaged. The machine's fair value less costs of disposal is less than its carrying amount. The machine does not generate independent cash inflows. The smallest identifiable group of assets that includes the machine and generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets is the production line to which the machine belongs. The recoverable amount of the production line shows that the production line taken as a whole is not impaired.

Assumption 1: budgets/forecasts approved by management reflect no commitment of management to replace the machine.

The recoverable amount of the machine alone cannot be estimated because the machine's value in use:

- (a) may differ from its fair value less costs of disposal; and
- (b) can be determined only for the cash-generating unit to which the machine belongs (the production line).

The production line is not impaired. Therefore, no impairment loss is recognised for the machine. Nevertheless, the entity may need to reassess the depreciation period or the depreciation method for the machine. Perhaps a shorter depreciation period or a faster depreciation method is required to reflect the expected remaining useful life of the machine or the pattern in which economic benefits are expected to be consumed by the entity.

Assumption 2: budgets/forecasts approved by management reflect a commitment of management to replace the machine and sell it in the near future. Cash flows from continuing use of the machine until its disposal are estimated to be negligible.

The machine's value in use can be estimated to be close to its fair value less costs of disposal. Therefore, the recoverable amount of the machine can be determined and no consideration is given to the cash-generating unit to which the machine belongs (ie the production line). Because the machine's fair value less costs of disposal is less than its carrying amount, an impairment loss is recognised for the machine.

108 After the requirements in paragraphs 104 and 105 have been applied, a liability shall be recognised for any remaining amount of an impairment loss for a cash-generating unit if, and only if, that is required by another Indian Accounting Standard.

Reversing an impairment loss

109 Paragraphs 110–116 set out the requirements for reversing an impairment loss recognised for an asset or a cash-generating unit in prior periods. These requirements use the term 'an asset' but apply equally to an individual asset or a cash-generating unit. Additional requirements for an individual asset are set out in paragraphs 117–121, for a cash-generating unit in paragraphs 122 and 123 and for goodwill in paragraphs 124 and 125.

110 An entity shall assess at the end of each reporting period whether there is any indication that an impairment loss recognised in prior periods for an asset other than goodwill may no longer exist or

may have decreased. If any such indication exists, the entity shall estimate the recoverable amount of that asset.

- 111 In assessing whether there is any indication that an impairment loss recognised in prior periods for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased, an entity shall consider, as a minimum, the following indications:

External sources of information

- (a) there are observable indications that the asset's value has increased significantly during the period.
- (b) significant changes with a favourable effect on the entity have taken place during the period, or will take place in the near future, in the technological, market, economic or legal environment in which the entity operates or in the market to which the asset is dedicated.
- (c) market interest rates or other market rates of return on investments have decreased during the period, and those decreases are likely to affect the discount rate used in calculating the asset's value in use and increase the asset's recoverable amount materially.

Internal sources of information

- (d) significant changes with a favourable effect on the entity have taken place during the period, or are expected to take place in the near future, in the extent to which, or manner in which, the asset is used or is expected to be used. These changes include costs incurred during the period to improve or enhance the asset's performance or restructure the operation to which the asset belongs.
- (e) evidence is available from internal reporting that indicates that the economic performance of the asset is, or will be, better than expected.

- 112 Indications of a potential decrease in an impairment loss in paragraph 111 mainly mirror the indications of a potential impairment loss in paragraph 12.

- 113 If there is an indication that an impairment loss recognised for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased, this may indicate that the remaining useful life, the depreciation (amortisation) method or the residual value may need to be reviewed and adjusted in accordance with the Indian Accounting Standard applicable to the asset, even if no impairment loss is reversed for the asset.

- 114 **An impairment loss recognised in prior periods for an asset other than goodwill shall be reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If this is the case, the carrying amount of the asset shall, except as described in paragraph 117, be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.**

- 115 A reversal of an impairment loss reflects an increase in the estimated service potential of an asset, either from use or from sale, since the date when an entity last recognised an impairment loss for that asset. Paragraph 130 requires an entity to identify the change in estimates that causes the increase in estimated service potential. Examples of changes in estimates include:

- (a) a change in the basis for recoverable amount (ie whether recoverable amount is based on fair value less costs of disposal or value in use);
- (b) if recoverable amount was based on value in use, a change in the amount or timing of estimated future cash flows or in the discount rate; or
- (c) if recoverable amount was based on fair value less costs of disposal, a change in estimate of the components of fair value less costs of disposal.

- 116 An asset's value in use may become greater than the asset's carrying amount simply because the present value of future cash inflows increases as they become closer. However, the service potential of the asset has not increased. Therefore, an impairment loss is not reversed just because of the passage of time (sometimes called the 'unwinding' of the discount), even if the recoverable amount of the asset becomes higher than its carrying amount.

Reversing an impairment loss for an individual asset

- 117 **The increased carrying amount of an asset other than goodwill attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined (net of amortisation or depreciation) had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.**

- 118 Any increase in the carrying amount of an asset other than goodwill above the carrying amount that would have been determined (net of amortisation or depreciation) had no impairment loss been recognised for the asset in prior years is a revaluation. In accounting for such a revaluation, an entity applies the Indian Accounting Standard applicable to the asset.
- 119 **A reversal of an impairment loss for an asset other than goodwill shall be recognised immediately in profit or loss, unless the asset is carried at revalued amount in accordance with another Indian Accounting Standard (for example, the revaluation model in Ind AS 16). Any reversal of an impairment loss of a revalued asset shall be treated as a revaluation increase in accordance with that other Indian Accounting Standard.**
- 120 A reversal of an impairment loss on a revalued asset is recognised in other comprehensive income and increases the revaluation surplus for that asset. However, to the extent that an impairment loss on the same revalued asset was previously recognised in profit or loss, a reversal of that impairment loss is also recognised in profit or loss.
- 121 **After a reversal of an impairment loss is recognised, the depreciation (amortisation) charge for the asset shall be adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less its residual value (if any), on a systematic basis over its remaining useful life.**
- Reversing an impairment loss for a cash-generating unit**
- 122 **A reversal of an impairment loss for a cash-generating unit shall be allocated to the assets of the unit, except for goodwill, pro rata with the carrying amounts of those assets. These increases in carrying amounts shall be treated as reversals of impairment losses for individual assets and recognised in accordance with paragraph 119.**
- 123 **In allocating a reversal of an impairment loss for a cash-generating unit in accordance with paragraph 122, the carrying amount of an asset shall not be increased above the lower of:**
- (a) its recoverable amount (if determinable); and
 - (b) the carrying amount that would have been determined (net of amortisation or depreciation) had no impairment loss been recognised for the asset in prior periods.
- The amount of the reversal of the impairment loss that would otherwise have been allocated to the asset shall be allocated pro rata to the other assets of the unit, except for goodwill.**
- Reversing an impairment loss for goodwill**
- 124 **An impairment loss recognised for goodwill shall not be reversed in a subsequent period.**
- 125 Ind AS 38, *Intangible Assets*, prohibits the recognition of internally generated goodwill. Any increase in the recoverable amount of goodwill in the periods following the recognition of an impairment loss for that goodwill is likely to be an increase in internally generated goodwill, rather than a reversal of the impairment loss recognised for the acquired goodwill.

Disclosure

- 126 **An entity shall disclose the following for each class of assets:**
- (a) the amount of impairment losses recognised in profit or loss during the period and the line item(s) of the statement of profit and loss in which those impairment losses are included.
 - (b) the amount of reversals of impairment losses recognised in profit or loss during the period and the line item(s) of the statement of profit and loss in which those impairment losses are reversed.
 - (c) the amount of impairment losses on revalued assets recognised in other comprehensive income during the period.
 - (d) the amount of reversals of impairment losses on revalued assets recognised in other comprehensive income during the period.
- 127 A class of assets is a grouping of assets of similar nature and use in an entity's operations.
- 128 The information required in paragraph 126 may be presented with other information disclosed for the class of assets. For example, this information may be included in a reconciliation of the carrying amount of property, plant and equipment, at the beginning and end of the period, as required by Ind AS 16.
- 129 **An entity that reports segment information in accordance with Ind AS 108, shall disclose the following for each reportable segment:**

- (a) the amount of impairment losses recognised in profit or loss and in other comprehensive income during the period.
 - (b) the amount of reversals of impairment losses recognised in profit or loss and in other comprehensive income during the period.
- 130** An entity shall disclose the following for an individual asset (including goodwill) or a cash-generating unit, for which an impairment loss has been recognised or reversed during the period:
- (a) the events and circumstances that led to the recognition or reversal of the impairment loss.
 - (b) the amount of the impairment loss recognised or reversed.
 - (c) for an individual asset:
 - (i) the nature of the asset; and
 - (ii) if the entity reports segment information in accordance with Ind AS 108, the reportable segment to which the asset belongs.
 - (d) for a cash-generating unit:
 - (i) a description of the cash-generating unit (such as whether it is a product line, a plant, a business operation, a geographical area, or a reportable segment as defined in Ind AS 108);
 - (ii) the amount of the impairment loss recognised or reversed by class of assets and, if the entity reports segment information in accordance with Ind AS 108, by reportable segment; and
 - (iii) if the aggregation of assets for identifying the cash-generating unit has changed since the previous estimate of the cash-generating unit's recoverable amount (if any), a description of the current and former way of aggregating assets and the reasons for changing the way the cash-generating unit is identified.
 - (e) the recoverable amount of the asset (cash-generating unit) and whether the recoverable amount of the asset (cash-generating unit) is its fair value less costs of disposal or its value in use.
 - (f) if the recoverable amount is fair value less costs of disposal, the entity shall disclose the following information:
 - (i) the level of the fair value hierarchy (see Ind AS 113) within which the fair value measurement of the asset (cash-generating unit) is categorised in its entirety (without taking into account whether the 'costs of disposal' are observable);
 - (ii) for fair value measurements categorised within Level 2 and Level 3 of the fair value hierarchy, a description of the valuation technique(s) used to measure fair value less costs of disposal. If there has been a change in valuation technique, the entity shall disclose that change and the reason(s) for making it; and
 - (iii) for fair value measurements categorised within Level 2 and Level 3 of the fair value hierarchy, each key assumption on which management has based its determination of fair value less costs of disposal. Key assumptions are those to which the asset's (cash-generating unit's) recoverable amount is most sensitive. The entity shall also disclose the discount rate(s) used in the current measurement and previous measurement if fair value less costs of disposal is measured using a present value technique.
 - (g) if recoverable amount is value in use, the discount rate(s) used in the current estimate and previous estimate (if any) of value in use.
- 131** An entity shall disclose the following information for the aggregate impairment losses and the aggregate reversals of impairment losses recognised during the period for which no information is disclosed in accordance with paragraph 130:
- (a) the main classes of assets affected by impairment losses and the main classes of assets affected by reversals of impairment losses.
 - (b) the main events and circumstances that led to the recognition of these impairment losses and reversals of impairment losses.
- 132** An entity is encouraged to disclose assumptions used to determine the recoverable amount of assets (cash-generating units) during the period. However, paragraph 134 requires an entity to disclose information about the estimates used to measure the recoverable amount of a cash-generating unit when goodwill or an intangible asset with an indefinite useful life is included in the carrying amount of that unit.

- 133 If, in accordance with paragraph 84, any portion of the goodwill acquired in a business combination during the period has not been allocated to a cash-generating unit (group of units) at the end of the reporting period, the amount of the unallocated goodwill shall be disclosed together with the reasons why that amount remains unallocated.

Estimates used to measure recoverable amounts of cash-generating units containing goodwill or intangible assets with indefinite useful lives

- 134 An entity shall disclose the information required by (a)–(f) for each cash-generating unit (group of units) for which the carrying amount of goodwill or intangible assets with indefinite useful lives allocated to that unit (group of units) is significant in comparison with the entity's total carrying amount of goodwill or intangible assets with indefinite useful lives:

- (a) the carrying amount of goodwill allocated to the unit (group of units).
- (b) the carrying amount of intangible assets with indefinite useful lives allocated to the unit (group of units).
- (c) the basis on which the unit's (group of units') recoverable amount has been determined (ie value in use or fair value less costs of disposal).
- (d) if the unit's (group of units') recoverable amount is based on value in use:
 - (i) each key assumption on which management has based its cash flow projections for the period covered by the most recent budgets/forecasts. Key assumptions are those to which the unit's (group of units') recoverable amount is most sensitive.
 - (ii) a description of management's approach to determining the value(s) assigned to each key assumption, whether those value(s) reflect past experience or, if appropriate, are consistent with external sources of information, and, if not, how and why they differ from past experience or external sources of information.
 - (iii) the period over which management has projected cash flows based on financial budgets/forecasts approved by management and, when a period greater than five years is used for a cash-generating unit (group of units), an explanation of why that longer period is justified.
 - (iv) the growth rate used to extrapolate cash flow projections beyond the period covered by the most recent budgets/forecasts, and the justification for using any growth rate that exceeds the long-term average growth rate for the products, industries, or country or countries in which the entity operates, or for the market to which the unit (group of units) is dedicated.
 - (v) the discount rate(s) applied to the cash flow projections.
- (e) if the unit's (group of units') recoverable amount is based on fair value less costs of disposal, the valuation technique(s) used to measure fair value less costs of disposal. An entity is not required to provide the disclosures required by Ind AS 113. If fair value less costs of disposal is not measured using a quoted price for an identical unit (group of units), an entity shall disclose the following information:
 - (i) each key assumption on which management has based its determination of fair value less costs of disposal. Key assumptions are those to which the unit's (group of units') recoverable amount is most sensitive.
 - (ii) a description of management's approach to determining the value (or values) assigned to each key assumption, whether those values reflect past experience or, if appropriate, are consistent with external sources of information, and, if not, how and why they differ from past experience or external sources of information.
 - (iiA) the level of the fair value hierarchy (see Ind AS 113 within which the fair value measurement is categorised in its entirety (without giving regard to the observability of 'costs of disposal')).
 - (iiB) if there has been a change in valuation technique, the change and the reason(s) for making it.

If fair value less costs of disposal is measured using discounted cash flow projections, an entity shall disclose the following information:

- (iii) the period over which management has projected cash flows.
 - (iv) the growth rate used to extrapolate cash flow projections.
 - (v) the discount rate(s) applied to the cash flow projections.
 - (f) if a reasonably possible change in a key assumption on which management has based its determination of the unit's (group of units') recoverable amount would cause the unit's (group of units') carrying amount to exceed its recoverable amount:
 - (i) the amount by which the unit's (group of units') recoverable amount exceeds its carrying amount.
 - (ii) the value assigned to the key assumption.
 - (iii) the amount by which the value assigned to the key assumption must change, after incorporating any consequential effects of that change on the other variables used to measure recoverable amount, in order for the unit's (group of units') recoverable amount to be equal to its carrying amount.
- 135 If some or all of the carrying amount of goodwill or intangible assets with indefinite useful lives is allocated across multiple cash-generating units (groups of units), and the amount so allocated to each unit (group of units) is not significant in comparison with the entity's total carrying amount of goodwill or intangible assets with indefinite useful lives, that fact shall be disclosed, together with the aggregate carrying amount of goodwill or intangible assets with indefinite useful lives allocated to those units (groups of units). In addition, if the recoverable amounts of any of those units (groups of units) are based on the same key assumption(s) and the aggregate carrying amount of goodwill or intangible assets with indefinite useful lives allocated to them is significant in comparison with the entity's total carrying amount of goodwill or intangible assets with indefinite useful lives, an entity shall disclose that fact, together with:
- (a) the aggregate carrying amount of goodwill allocated to those units (groups of units).
 - (b) the aggregate carrying amount of intangible assets with indefinite useful lives allocated to those units (groups of units).
 - (c) a description of the key assumption(s).
 - (d) a description of management's approach to determining the value(s) assigned to the key assumption(s), whether those value(s) reflect past experience or, if appropriate, are consistent with external sources of information, and, if not, how and why they differ from past experience or external sources of information.
 - (e) if a reasonably possible change in the key assumption(s) would cause the aggregate of the units' (groups of units') carrying amounts to exceed the aggregate of their recoverable amounts:
 - (i) the amount by which the aggregate of the units' (groups of units') recoverable amounts exceeds the aggregate of their carrying amounts.
 - (ii) the value(s) assigned to the key assumption(s).
 - (iii) the amount by which the value(s) assigned to the key assumption(s) must change, after incorporating any consequential effects of the change on the other variables used to measure recoverable amount, in order for the aggregate of the units' (groups of units') recoverable amounts to be equal to the aggregate of their carrying amounts.
- 136 The most recent detailed calculation made in a preceding period of the recoverable amount of a cash-generating unit (group of units) may, in accordance with paragraph 24 or 99, be carried forward and used in the impairment test for that unit (group of units) in the current period provided specified criteria are met. When this is the case, the information for that unit (group of units) that is incorporated into the disclosures required by paragraphs 134 and 135 relate to the carried forward calculation of recoverable amount.

[Refer Appendix 1]

Appendix A

Using present value techniques to measure value in use

This appendix is an integral part of the Ind AS. It provides guidance on the use of present value techniques in measuring value in use. Although the guidance uses the term 'asset', it equally applies to a group of assets forming a cash-generating unit.

The components of a present value measurement

A1 The following elements together capture the economic differences between assets:

- (a) an estimate of the future cash flow, or in more complex cases, series of future cash flows the entity expects to derive from the asset;
- (b) expectations about possible variations in the amount or timing of those cash flows;
- (c) the time value of money, represented by the current market risk-free rate of interest;
- (d) the price for bearing the uncertainty inherent in the asset; and
- (e) other, sometimes unidentifiable, factors (such as illiquidity) that market participants would reflect in pricing the future cash flows the entity expects to derive from the asset.

A2 This appendix contrasts two approaches to computing present value, either of which may be used to estimate the value in use of an asset, depending on the circumstances. Under the 'traditional' approach, adjustments for factors (b)–(e) described in paragraph A1 are embedded in the discount rate. Under the 'expected cash flow' approach, factors (b), (d) and (e) cause adjustments in arriving at risk-adjusted expected cash flows. Whichever approach an entity adopts to reflect expectations about possible variations in the amount or timing of future cash flows, the result should be to reflect the expected present value of the future cash flows, ie the weighted average of all possible outcomes.

General principles

A3 The techniques used to estimate future cash flows and interest rates will vary from one situation to another depending on the circumstances surrounding the asset in question. However, the following general principles govern any application of present value techniques in measuring assets:

- (a) interest rates used to discount cash flows should reflect assumptions that are consistent with those inherent in the estimated cash flows. Otherwise, the effect of some assumptions will be double-counted or ignored. For example, a discount rate of 12 per cent might be applied to contractual cash flows of a loan receivable. That rate reflects expectations about future defaults from loans with particular characteristics. That same 12 per cent rate should not be used to discount expected cash flows because those cash flows already reflect assumptions about future defaults.
- (b) estimated cash flows and discount rates should be free from both bias and factors unrelated to the asset in question. For example, deliberately understating estimated net cash flows to enhance the apparent future profitability of an asset introduces a bias into the measurement.
- (c) estimated cash flows or discount rates should reflect the range of possible outcomes rather than a single most likely, minimum or maximum possible amount.

Traditional and expected cash flow approaches to present value**Traditional approach**

A4 Accounting applications of present value have traditionally used a single set of estimated cash flows and a single discount rate, often described as 'the rate commensurate with the risk'. In effect, the traditional approach assumes that a single discount rate convention can incorporate all the expectations about the future cash flows and the appropriate risk premium. Therefore, the traditional approach places most of the emphasis on selection of the discount rate.

A5 In some circumstances, such as those in which comparable assets can be observed in the marketplace, a traditional approach is relatively easy to apply. For assets with contractual cash flows, it is consistent with the manner in which marketplace participants describe assets, as in 'a 12 per cent bond'.

A6 However, the traditional approach may not appropriately address some complex measurement problems, such as the measurement of non-financial assets for which no market for the item or a comparable item exists. A proper search for 'the rate commensurate with the risk' requires analysis of at least two items—an asset that exists in the marketplace and has an observed interest rate and the asset being measured. The appropriate discount rate for the cash flows being measured must be inferred from the observable rate of interest in that other asset. To draw that inference, the characteristics of the other asset's cash flows must be similar to those of the asset being measured. Therefore, the measurer must do the following:

- (a) identify the set of cash flows that will be discounted;
- (b) identify another asset in the marketplace that appears to have similar cash flow characteristics;

- (c) compare the cash flow sets from the two items to ensure that they are similar (for example, are both sets contractual cash flows, or is one contractual and the other an estimated cash flow?);
- (d) evaluate whether there is an element in one item that is not present in the other (for example, is one less liquid than the other?); and
- (e) evaluate whether both sets of cash flows are likely to behave (ie vary) in a similar fashion in changing economic conditions.

Expected cash flow approach

A7 The expected cash flow approach is, in some situations, a more effective measurement tool than the traditional approach. In developing a measurement, the expected cash flow approach uses all expectations about possible cash flows instead of the single most likely cash flow. For example, a cash flow might be Rs. 100, Rs. 200 or Rs. 300 with probabilities of 10 per cent, 60 per cent and 30 per cent, respectively. The expected cash flow is Rs. 220. The expected cash flow approach thus differs from the traditional approach by focusing on direct analysis of the cash flows in question and on more explicit statements of the assumptions used in the measurement.

A8 The expected cash flow approach also allows use of present value techniques when the timing of cash flows is uncertain. For example, a cash flow of Rs. 1,000 may be received in one year, two years or three years with probabilities of 10 per cent, 60 per cent and 30 per cent, respectively. The example below shows the computation of expected present value in that situation.

Present value of Rs. 1,000 in 1 year at 5%	Rs. 952.38	
Probability	<u>10.00%</u>	Rs. 95.24
Present value of Rs. 1,000 in 2 years at 5.25%	Rs. 902.73	
Probability	<u>60.00%</u>	Rs. 541.64
Present value of Rs. 1,000 in 3 years at 5.50%	Rs. 851.61	
Probability	<u>30.00%</u>	<u>Rs. 255.48</u>
Expected present value		<u>Rs. 892.36</u>

A9 The expected present value of Rs. 892.36 differs from the traditional notion of a best estimate of Rs. 902.73 (the 60 per cent probability). A traditional present value computation applied to this example requires a decision about which of the possible timings of cash flows to use and, accordingly, would not reflect the probabilities of other timings. This is because the discount rate in a traditional present value computation cannot reflect uncertainties in timing.

A10 The use of probabilities is an essential element of the expected cash flow approach. Some question whether assigning probabilities to highly subjective estimates suggests greater precision than, in fact, exists. However, the proper application of the traditional approach (as described in paragraph A6) requires the same estimates and subjectivity without providing the computational transparency of the expected cash flow approach.

A11 Many estimates developed in current practice already incorporate the elements of expected cash flows informally. In addition, accountants often face the need to measure an asset using limited information about the probabilities of possible cash flows. For example, an accountant might be confronted with the following situations:

- (a) the estimated amount falls somewhere between Rs. 50 and Rs. 250, but no amount in the range is more likely than any other amount. Based on that limited information, the estimated expected cash flow is Rs. 150 $[(50 + 250)/2]$.
- (b) the estimated amount falls somewhere between Rs. 50 and Rs. 250, and the most likely amount is Rs. 100. However, the probabilities attached to each amount are unknown. Based on that limited information, the estimated expected cash flow is Rs. 133.33 $[(50 + 100 + 250)/3]$.
- (c) the estimated amount will be Rs. 50 (10 per cent probability), Rs. 250 (30 per cent probability), or Rs. 100 (60 per cent probability). Based on that limited information, the estimated expected cash flow is Rs. 140 $[(50 \times 0.10) + (250 \times 0.30) + (100 \times 0.60)]$.

In each case, the estimated expected cash flow is likely to provide a better estimate of value in use than the minimum, most likely or maximum amount taken alone.

- A12 The application of an expected cash flow approach is subject to a cost-benefit constraint. In some cases, an entity may have access to extensive data and may be able to develop many cash flow scenarios. In other cases, an entity may not be able to develop more than general statements about the variability of cash flows without incurring substantial cost. The entity needs to balance the cost of obtaining additional information against the additional reliability that information will bring to the measurement.
- A13 Some maintain that expected cash flow techniques are inappropriate for measuring a single item or an item with a limited number of possible outcomes. They offer an example of an asset with two possible outcomes: a 90 per cent probability that the cash flow will be Rs. 10 and a 10 per cent probability that the cash flow will be Rs. 1,000. They observe that the expected cash flow in that example is Rs. 109 and criticise that result as not representing either of the amounts that may ultimately be paid.
- A14 Assertions like the one just outlined reflect underlying disagreement with the measurement objective. If the objective is accumulation of costs to be incurred, expected cash flows may not produce a representationally faithful estimate of the expected cost. However, this Standard is concerned with measuring the recoverable amount of an asset. The recoverable amount of the asset in this example is not likely to be Rs. 10, even though that is the most likely cash flow. This is because a measurement of Rs. 10 does not incorporate the uncertainty of the cash flow in the measurement of the asset. Instead, the uncertain cash flow is presented as if it were a certain cash flow. No rational entity would sell an asset with these characteristics for Rs. 10.
- Discount rate**
- A15 Whichever approach an entity adopts for measuring the value in use of an asset, interest rates used to discount cash flows should not reflect risks for which the estimated cash flows have been adjusted. Otherwise, the effect of some assumptions will be double-counted.
- A16 When an asset-specific rate is not directly available from the market, an entity uses surrogates to estimate the discount rate. The purpose is to estimate, as far as possible, a market assessment of:
- (a) the time value of money for the periods until the end of the asset's useful life; and
 - (b) factors (b), (d) and (e) described in paragraph A1, to the extent those factors have not caused adjustments in arriving at estimated cash flows.
- A17 As a starting point in making such an estimate, the entity might take into account the following rates:
- (a) the entity's weighted average cost of capital determined using techniques such as the Capital Asset Pricing Model;
 - (b) the entity's incremental borrowing rate; and
 - (c) other market borrowing rates.
- A18 However, these rates must be adjusted:
- (a) to reflect the way that the market would assess the specific risks associated with the asset's estimated cash flows; and
 - (b) to exclude risks that are not relevant to the asset's estimated cash flows or for which the estimated cash flows have been adjusted.
- Consideration should be given to risks such as country risk, currency risk and price risk.
- A19 The discount rate is independent of the entity's capital structure and the way the entity financed the purchase of the asset, because the future cash flows expected to arise from an asset do not depend on the way in which the entity financed the purchase of the asset.
- A20 Paragraph 55 requires the discount rate used to be a pre-tax rate. Therefore, when the basis used to estimate the discount rate is post-tax, that basis is adjusted to reflect a pre-tax rate.
- A21 An entity normally uses a single discount rate for the estimate of an asset's value in use. However, an entity uses separate discount rates for different future periods where value in use is sensitive to a difference in risks for different periods or to the term structure of interest rates.

Appendix B

References to matters contained in other Accounting

Standards

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and makes reference to Ind AS 36, *Impairment of Assets*.

1. Appendix A *Intangible Assets-Web site Costs* contained in Ind AS 38, *Intangible Assets*.
2. Appendix A *Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities* contained in Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*.

Appendix C

Impairment testing cash-generating units with goodwill and non-controlling interests

This appendix is an integral part of the Ind AS.

- C1 In accordance with Ind AS 103, the acquirer measures and recognises goodwill as of the acquisition date as the excess of (a) over (b) below:
- (a) the aggregate of:
 - (i) the consideration transferred measured in accordance with Ind AS 103, which generally requires acquisition-date fair value;
 - (ii) the amount of any non-controlling interest in the acquiree measured in accordance with Ind AS 103; and
 - (iii) in a business combination achieved in stages, the acquisition-date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree.
 - (b) the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed measured in accordance with Ind AS 103.

Allocation of goodwill

- C2 Paragraph 80 of this Standard requires goodwill acquired in a business combination to be allocated to each of the acquirer's cash-generating units, or groups of cash-generating units, expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units, or groups of units. It is possible that some of the synergies resulting from a business combination will be allocated to a cash-generating unit in which the non-controlling interest does not have an interest.

Testing for impairment

- C3 Testing for impairment involves comparing the recoverable amount of a cash-generating unit with the carrying amount of the cash-generating unit.
- C4 If an entity measures non-controlling interests as its proportionate interest in the net identifiable assets of a subsidiary at the acquisition date, rather than at fair value, goodwill attributable to non-controlling interests is included in the recoverable amount of the related cash-generating unit but is not recognised in the parent's consolidated financial statements. As a consequence, an entity shall gross up the carrying amount of goodwill allocated to the unit to include the goodwill attributable to the non-controlling interest. This adjusted carrying amount is then compared with the recoverable amount of the unit to determine whether the cash-generating unit is impaired.

Allocating an impairment loss

- C5 Paragraph 104 requires any identified impairment loss to be allocated first to reduce the carrying amount of goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit.
- C6 If a subsidiary, or part of a subsidiary, with a non-controlling interest is itself a cash-generating unit, the impairment loss is allocated between the parent and the non-controlling interest on the same basis as that on which profit or loss is allocated.
- C7 If a subsidiary, or part of a subsidiary, with a non-controlling interest is part of a larger cash-generating unit, goodwill impairment losses are allocated to the parts of the cash-generating unit that have a non-controlling interest and the parts that do not. The impairment losses should be allocated to the parts of the cash-generating unit on the basis of:
- (a) to the extent that the impairment relates to goodwill in the cash-generating unit, the relative carrying values of the goodwill of the parts before the impairment; and
 - (b) to the extent that the impairment relates to identifiable assets in the cash-generating unit, the relative carrying values of the net identifiable assets of the parts before the impairment. Any such impairment

is allocated to the assets of the parts of each unit pro rata on the basis of the carrying amount of each asset in the part.

In those parts that have a non-controlling interest, the impairment loss is allocated between the parent and the non-controlling interest on the same basis as that on which profit or loss is allocated.

- C8 If an impairment loss attributable to a non-controlling interest relates to goodwill that is not recognised in the parent's consolidated financial statements (see paragraph C4), that impairment is not recognised as a goodwill impairment loss. In such cases, only the impairment loss relating to the goodwill that is allocated to the parent is recognised as a goodwill impairment loss.

- C9 [Refer Appendix 1]

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 36 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 36, Impairment of Assets, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 36, *Impairment of Assets*

1. Paragraph 2(f) is deleted in Ind AS 36 as Ind AS 40 requires cost model. To maintain consistency with IAS 36, this paragraph number has been retained. Further, for this reason, paragraph 5 of Ind AS 36 has been modified by deleting reference to fair value measurement of investment property..
2. The transitional provisions given in IAS 36 have not been given in Ind AS 36, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
3. Different terminology is used, as used in existing laws eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.
4. Following Paragraphs have been deleted as a consequence of Ind AS 113, *Fair Value Measurement*. However, the paragraph numbering has been retained to make it consistent with paragraph numbering of IAS 36:
 - (i). Paragraph 5(b)
 - (ii). Paragraphs 25-27
5. Paragraphs 91-95 appear as 'Deleted' in IAS 36. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 36, the paragraph numbers are retained in Ind AS 36.
6. Following references to Illustrative Examples which are not integral part of IAS 36 have not been included in Ind AS 36:
 - (i) Reference to Example 5 of Illustrative Examples in paragraph 47 illustrating effects of a future restructuring on a value in use calculation
 - (ii) Reference to Example 6 of Illustrative Examples in paragraph 48
 - (iii) Reference to Example 3 of Illustrative Examples in paragraph 64
 - (iv) Reference to Example 1 of Illustrative Examples in paragraph 69 giving examples of identification of a cash generating unit
7. Following paragraphs making references to Illustrative examples which are not integral part of IAS 36 have been deleted in Ind AS 36. The paragraph numbers have been retained in Ind AS 36 in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 36:
 - (i) paragraph 103 making reference to Example 8 of Illustrative Examples illustrating the application of requirements given regarding corporate assets.
 - (ii) paragraph 137 making reference to Example 9 of Illustrative Examples illustrating the disclosures required by paragraphs 134 and 135.
 - (iii) paragraph C9 of Appendix C making reference to Example 7 of Illustrative Examples illustrating the impairment testing of a non-wholly-owned cash-generating unit with goodwill.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 37**Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles).

Objective

The objective of this Standard is to ensure that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liabilities and contingent assets and that sufficient information is disclosed in the notes to enable users to understand their nature, timing and amount.

Scope

1. **This Standard shall be applied by all entities in accounting for provisions, contingent liabilities and contingent assets, except:**
 - (a) **those resulting from executory contracts, except where the contract is onerous; and**
 - (b) **[Refer Appendix 1]**
 - (c) **those covered by another Standard.**
2. This Standard does not apply to financial instruments (including guarantees) that are within the scope of Ind AS 109, *Financial Instruments*.
3. Executory contracts are contracts under which neither party has performed any of its obligations or both parties have partially performed their obligations to an equal extent. This Standard does not apply to executory contracts unless they are onerous.
4. [Refer Appendix 1]
5. When another Standard deals with a specific type of provision, contingent liability or contingent asset, an entity applies that Standard instead of this Standard. For example, some types of provisions are addressed in Standards on:
 - (a) [Refer Appendix 1]
 - (b) income taxes (see Ind AS 12, *Income Taxes*);
 - (c) leases (see Ind AS 17, *Leases*). However, as Ind AS 17 contains no specific requirements to deal with operating leases that have become onerous, this Standard applies to such cases;
 - (d) employee benefits (see Ind AS 19, *Employee Benefits*);
 - (e) insurance contracts (see Ind AS 104, *Insurance Contracts*). However, this Standard applies to provisions, contingent liabilities and contingent assets of an insurer, other than those arising from its contractual obligations and rights under insurance contracts within the scope of Ind AS 104;
 - (f) contingent consideration of an acquirer in a business combination (see Ind AS 103, *Business Combinations*); and
 - (g) revenue from contracts with customers (see Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*). However, as Ind AS 115 contains no specific requirements to address contracts with customers that are, or have become, onerous, this Standard applies to such cases.
6. [Refer Appendix 1]
7. This Standard defines provisions as liabilities of uncertain timing or amount. The term ‘provision’ is also used in the context of items such as depreciation, impairment of assets and doubtful debts: these are adjustments to the carrying amounts of assets and are not addressed in this Standard.
8. Other Standards specify whether expenditures are treated as assets or as expenses. These issues are not addressed in this Standard. Accordingly, this Standard neither prohibits nor requires capitalisation of the costs recognised when a provision is made.
9. This Standard applies to provisions for restructurings (including discontinued operations). When a restructuring meets the definition of a discontinued operation, additional disclosures may be required by Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*.

Definitions

10. **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

A provision is a liability of uncertain timing or amount.

A *liability* is a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefits.

An *obligating event* is an event that creates a legal or constructive obligation that results in an entity having no realistic alternative to settling that obligation.

A *legal obligation* is an obligation that derives from:

- (a) a contract (through its explicit or implicit terms);
- (b) legislation; or
- (c) other operation of law.

A *constructive obligation* is an obligation that derives from an entity's actions where:

- (a) by an established pattern of past practice, published policies or a sufficiently specific current statement, the entity has indicated to other parties that it will accept certain responsibilities; and
- (b) as a result, the entity has created a valid expectation on the part of those other parties that it will discharge those responsibilities.

A *contingent liability* is:

- (a) a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity; or
- (b) a present obligation that arises from past events but is not recognised because:
 - (i) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - (ii) the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability.

A *contingent asset* is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity.

An *onerous contract* is a contract in which the unavoidable costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected to be received under it.

A *restructuring* is a programme that is planned and controlled by management, and materially changes either:

- (a) the scope of a business undertaken by an entity; or
- (b) the manner in which that business is conducted.

Provisions and other liabilities

11. Provisions can be distinguished from other liabilities such as trade payables and accruals because there is uncertainty about the timing or amount of the future expenditure required in settlement. By contrast:

- (a) trade payables are liabilities to pay for goods or services that have been received or supplied and have been invoiced or formally agreed with the supplier; and
- (b) accruals are liabilities to pay for goods or services that have been received or supplied but have not been paid, invoiced or formally agreed with the supplier, including amounts due to employees (for example, amounts relating to accrued vacation pay). Although it is sometimes necessary to estimate the amount or timing of accruals, the uncertainty is generally much less than for provisions.

Accruals are often reported as part of trade and other payables, whereas provisions are reported separately.

Relationship between provisions and contingent liabilities

12. In a general sense, all provisions are contingent because they are uncertain in timing or amount. However, within this Standard the term 'contingent' is used for liabilities and assets that are not recognised because their existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. In addition, the term 'contingent liability' is used for liabilities that do not meet the recognition criteria.
13. This Standard distinguishes between:

- (a) provisions – which are recognised as liabilities (assuming that a reliable estimate can be made) because they are present obligations and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations; and
- (b) contingent liabilities – which are not recognised as liabilities because they are either:
 - (i) possible obligations, as it has yet to be confirmed whether the entity has a present obligation that could lead to an outflow of resources embodying economic benefits; or
 - (ii) present obligations that do not meet the recognition criteria in this Standard (because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a sufficiently reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made).

Recognition

Provisions

14. A provision shall be recognised when:

- (a) an entity has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event;
- (b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
- (c) a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

If these conditions are not met, no provision shall be recognised.

Present obligation

15. In rare cases, it is not clear whether there is a present obligation. In these cases, a past event is deemed to give rise to a present obligation if, taking account of all available evidence, it is more likely than not that a present obligation exists at the end of the reporting period.

16. In almost all cases it will be clear whether a past event has given rise to a present obligation. In rare cases, for example in a lawsuit, it may be disputed either whether certain events have occurred or whether those events result in a present obligation. In such a case, an entity determines whether a present obligation exists at the end of the reporting period by taking account of all available evidence, including, for example, the opinion of experts. The evidence considered includes any additional evidence provided by events after the reporting period. On the basis of such evidence:

- (a) where it is more likely than not that a present obligation exists at the end of the reporting period, the entity recognises a provision (if the recognition criteria are met); and
- (b) where it is more likely that no present obligation exists at the end of the reporting period, the entity discloses a contingent liability, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote (see paragraph 86).

Past event

17. A past event that leads to a present obligation is called an obligating event. For an event to be an obligating event, it is necessary that the entity has no realistic alternative to settling the obligation created by the event. This is the case only:

- (a) where the settlement of the obligation can be enforced by law; or
- (b) in the case of a constructive obligation, where the event (which may be an action of the entity) creates valid expectations in other parties that the entity will discharge the obligation.

18. Financial statements deal with the financial position of an entity at the end of its reporting period and not its possible position in the future. Therefore, no provision is recognised for costs that need to be incurred to operate in the future. The only liabilities recognised in an entity's balance sheet are those that exist at the end of the reporting period.

19. It is only those obligations arising from past events existing independently of an entity's future actions (ie the future conduct of its business) that are recognised as provisions. Examples of such obligations are penalties or clean-up costs for unlawful environmental damage, both of which would lead to an outflow of resources embodying economic benefits in settlement regardless of the future actions of the entity. Similarly, an entity recognises a provision for the decommissioning costs of an oil installation or a nuclear power station to the extent that the entity is obliged to rectify damage already caused. In contrast, because of commercial pressures or legal requirements, an entity may intend or need to carry out expenditure to operate in a

particular way in the future (for example, by fitting smoke filters in a certain type of factory). Because the entity can avoid the future expenditure by its future actions, for example by changing its method of operation, it has no present obligation for that future expenditure and no provision is recognised.

20. An obligation always involves another party to whom the obligation is owed. It is not necessary, however, to know the identity of the party to whom the obligation is owed—indeed the obligation may be to the public at large. Because an obligation always involves a commitment to another party, it follows that a management or board decision does not give rise to a constructive obligation at the end of the reporting period unless the decision has been communicated before the end of the reporting period to those affected by it in a sufficiently specific manner to raise a valid expectation in them that the entity will discharge its responsibilities.
21. An event that does not give rise to an obligation immediately may do so at a later date, because of changes in the law or because an act (for example, a sufficiently specific public statement) by the entity gives rise to a constructive obligation. For example, when environmental damage is caused there may be no obligation to remedy the consequences. However, the causing of the damage will become an obligating event when a new law requires the existing damage to be rectified or when the entity publicly accepts responsibility for rectification in a way that creates a constructive obligation.
22. Where details of a proposed new law have yet to be finalised, an obligation arises only when the legislation is virtually certain to be enacted as drafted. For the purpose of this Standard, such an obligation is treated as a legal obligation. Differences in circumstances surrounding enactment make it impossible to specify a single event that would make the enactment of a law virtually certain. In many cases it will be impossible to be virtually certain of the enactment of a law until it is enacted.

Probable outflow of resources embodying economic benefits

23. For a liability to qualify for recognition there must be not only a present obligation but also the probability of an outflow of resources embodying economic benefits to settle that obligation. For the purpose of this Standard,⁹ an outflow of resources or other event is regarded as probable if the event is more likely than not to occur, ie the probability that the event will occur is greater than the probability that it will not. Where it is not probable that a present obligation exists, an entity discloses a contingent liability, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote (see paragraph 86).
24. Where there are a number of similar obligations (eg product warranties or similar contracts) the probability that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. Although the likelihood of outflow for any one item may be small, it may well be probable that some outflow of resources will be needed to settle the class of obligations as a whole. If that is the case, a provision is recognised (if the other recognition criteria are met).

Reliable estimate of the obligation

25. The use of estimates is an essential part of the preparation of financial statements and does not undermine their reliability. This is especially true in the case of provisions, which by their nature are more uncertain than most other items in the balance sheet. Except in extremely rare cases, an entity will be able to determine a range of possible outcomes and can therefore make an estimate of the obligation that is sufficiently reliable to use in recognising a provision.
26. In the extremely rare case where no reliable estimate can be made, a liability exists that cannot be recognised. That liability is disclosed as a contingent liability (see paragraph 86).

Contingent liabilities

27. **An entity shall not recognise a contingent liability.**
28. A contingent liability is disclosed, as required by paragraph 86, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.
29. Where an entity is jointly and severally liable for an obligation, the part of the obligation that is expected to be met by other parties is treated as a contingent liability. The entity recognises a provision for the part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.
30. Contingent liabilities may develop in a way not initially expected. Therefore, they are assessed continually to determine whether an outflow of resources embodying economic benefits has become probable. If it becomes

⁹ The interpretation of 'probable' in this Standard as 'more likely than not' does not necessarily apply in other Indian Accounting Standards.

probable that an outflow of future economic benefits will be required for an item previously dealt with as a contingent liability, a provision is recognised in the financial statements of the period in which the change in probability occurs (except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made).

Contingent assets

31. **An entity shall not recognise a contingent asset.**
32. Contingent assets usually arise from unplanned or other unexpected events that give rise to the possibility of an inflow of economic benefits to the entity. An example is a claim that an entity is pursuing through legal processes, where the outcome is uncertain.
33. Contingent assets are not recognised in financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised. However, when the realisation of income is virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and its recognition is appropriate.
34. A contingent asset is disclosed, as required by paragraph 89, where an inflow of economic benefits is probable.
35. Contingent assets are assessed continually to ensure that developments are appropriately reflected in the financial statements. If it has become virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and the related income are recognised in the financial statements of the period in which the change occurs. If an inflow of economic benefits has become probable, an entity discloses the contingent asset (see paragraph 89).

Measurement

Best estimate

36. **The amount recognised as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period.**
37. The best estimate of the expenditure required to settle the present obligation is the amount that an entity would rationally pay to settle the obligation at the end of the reporting period or to transfer it to a third party at that time. It will often be impossible or prohibitively expensive to settle or transfer an obligation at the end of the reporting period. However, the estimate of the amount that an entity would rationally pay to settle or transfer the obligation gives the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period.
38. The estimates of outcome and financial effect are determined by the judgement of the management of the entity, supplemented by experience of similar transactions and, in some cases, reports from independent experts. The evidence considered includes any additional evidence provided by events after the reporting period.
39. Uncertainties surrounding the amount to be recognised as a provision are dealt with by various means according to the circumstances. Where the provision being measured involves a large population of items, the obligation is estimated by weighting all possible outcomes by their associated probabilities. The name for this statistical method of estimation is 'expected value'. The provision will therefore be different depending on whether the probability of a loss of a given amount is, for example, 60 per cent or 90 per cent. Where there is a continuous range of possible outcomes, and each point in that range is as likely as any other, the mid-point of the range is used.

Example

An entity sells goods with a warranty under which customers are covered for the cost of repairs of any manufacturing defects that become apparent within the first six months after purchase. If minor defects were detected in all products sold, repair costs of Rs. 1 million would result. If major defects were detected in all products sold, repair costs of Rs. 4 million would result. The entity's past experience and future expectations indicate that, for the coming year, 75 per cent of the goods sold will have no defects, 20 per cent of the goods sold will have minor defects and 5 per cent of the goods sold will have major defects. In accordance with paragraph 24, an entity assesses the probability of an outflow for the warranty obligations as a whole.

The expected value of the cost of repairs is:

$(75\% \text{ of nil}) + (20\% \text{ of } 1\text{m}) + (5\% \text{ of } 4\text{m}) = \text{Rs. } 400,000$

40. Where a single obligation is being measured, the individual most likely outcome may be the best estimate of the liability. However, even in such a case, the entity considers other possible outcomes. Where other possible outcomes are either mostly higher or mostly lower than the most likely outcome, the best estimate will be a higher or lower amount. For example, if an entity has to rectify a serious fault in a major plant that it has constructed for a customer, the individual most likely outcome may be for the repair to succeed at the first attempt at a cost of Rs 1,000, but a provision for a larger amount is made if there is a significant chance that further attempts will be necessary.
41. The provision is measured before tax, as the tax consequences of the provision, and changes in it, are dealt with under Ind AS 12.

Risks and uncertainties

42. **The risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances shall be taken into account in reaching the best estimate of a provision.**
43. Risk describes variability of outcome. A risk adjustment may increase the amount at which a liability is measured. Caution is needed in making judgements under conditions of uncertainty, so that income or assets are not overstated and expenses or liabilities are not understated. However, uncertainty does not justify the creation of excessive provisions or a deliberate overstatement of liabilities. For example, if the projected costs of a particularly adverse outcome are estimated on a prudent basis, that outcome is not then deliberately treated as more probable than is realistically the case. Care is needed to avoid duplicating adjustments for risk and uncertainty with consequent overstatement of a provision.
44. Disclosure of the uncertainties surrounding the amount of the expenditure is made under paragraph 85(b).

Present value

45. **Where the effect of the time value of money is material, the amount of a provision shall be the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation.**
46. Because of the time value of money, provisions relating to cash outflows that arise soon after the reporting period are more onerous than those where cash outflows of the same amount arise later. Provisions are therefore discounted, where the effect is material.
47. **The discount rate (or rates) shall be a pre-tax rate (or rates) that reflect(s) current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The discount rate(s) shall not reflect risks for which future cash flow estimates have been adjusted.**

Future events

48. **Future events that may affect the amount required to settle an obligation shall be reflected in the amount of a provision where there is sufficient objective evidence that they will occur.**
49. Expected future events may be particularly important in measuring provisions. For example, an entity may believe that the cost of cleaning up a site at the end of its life will be reduced by future changes in technology. The amount recognised reflects a reasonable expectation of technically qualified, objective observers, taking account of all available evidence as to the technology that will be available at the time of the clean-up. Thus it is appropriate to include, for example, expected cost reductions associated with increased experience in applying existing technology or the expected cost of applying existing technology to a larger or more complex clean-up operation than has previously been carried out. However, an entity does not anticipate the development of a completely new technology for cleaning up unless it is supported by sufficient objective evidence.
50. The effect of possible new legislation is taken into consideration in measuring an existing obligation when sufficient objective evidence exists that the legislation is virtually certain to be enacted. The variety of circumstances that arise in practice makes it impossible to specify a single event that will provide sufficient, objective evidence in every case. Evidence is required both of what legislation will demand and of whether it is virtually certain to be enacted and implemented in due course. In many cases sufficient objective evidence will not exist until the new legislation is enacted.

Expected disposal of assets

51. **Gains from the expected disposal of assets shall not be taken into account in measuring a provision.**
52. Gains on the expected disposal of assets are not taken into account in measuring a provision, even if the expected disposal is closely linked to the event giving rise to the provision. Instead, an entity recognises gains on expected disposals of assets at the time specified by the Standard dealing with the assets concerned.

Reimbursements

53. Where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognised when, and only when, it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognised for the reimbursement shall not exceed the amount of the provision.
54. In the statement of profit and loss, the expense relating to a provision may be presented net of the amount recognised for a reimbursement.
55. Sometimes, an entity is able to look to another party to pay part or all of the expenditure required to settle a provision (for example, through insurance contracts, indemnity clauses or suppliers' warranties). The other party may either reimburse amounts paid by the entity or pay the amounts directly.
56. In most cases the entity will remain liable for the whole of the amount in question so that the entity would have to settle the full amount if the third party failed to pay for any reason. In this situation, a provision is recognised for the full amount of the liability, and a separate asset for the expected reimbursement is recognised when it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the liability.
57. In some cases, the entity will not be liable for the costs in question if the third party fails to pay. In such a case the entity has no liability for those costs and they are not included in the provision.
58. As noted in paragraph 29, an obligation for which an entity is jointly and severally liable is a contingent liability to the extent that it is expected that the obligation will be settled by the other parties.

Changes in provisions

59. Provisions shall be reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision shall be reversed.
60. Where discounting is used, the carrying amount of a provision increases in each period to reflect the passage of time. This increase is recognised as borrowing cost.

Use of provisions

61. A provision shall be used only for expenditures for which the provision was originally recognised.
62. Only expenditures that relate to the original provision are set against it. Setting expenditures against a provision that was originally recognised for another purpose would conceal the impact of two different events.

Application of the recognition and measurement rules**Future operating losses**

63. Provisions shall not be recognised for future operating losses.
64. Future operating losses do not meet the definition of a liability in paragraph 10 and the general recognition criteria set out for provisions in paragraph 14.
65. An expectation of future operating losses is an indication that certain assets of the operation may be impaired. An entity tests these assets for impairment under Ind AS 36, *Impairment of Assets*.

Onerous contracts

66. If an entity has a contract that is onerous, the present obligation under the contract shall be recognised and measured as a provision.
67. Many contracts (for example, some routine purchase orders) can be cancelled without paying compensation to the other party, and therefore there is no obligation. Other contracts establish both rights and obligations for each of the contracting parties. Where events make such a contract onerous, the contract falls within the scope of this Standard and a liability exists which is recognised. Executory contracts that are not onerous fall outside the scope of this Standard.
68. This Standard defines an onerous contract as a contract in which the unavoidable costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected to be received under it. The unavoidable costs under a contract reflect the least net cost of exiting from the contract, which is the lower of the cost of fulfilling it and any compensation or penalties arising from failure to fulfil it.

69. Before a separate provision for an onerous contract is established, an entity recognises any impairment loss that has occurred on assets dedicated to that contract (see Ind AS 36).

Restructuring

70. The following are examples of events that may fall under the definition of restructuring:
- sale or termination of a line of business;
 - the closure of business locations in a country or region or the relocation of business activities from one country or region to another;
 - changes in management structure, for example, eliminating a layer of management; and
 - fundamental reorganisations that have a material effect on the nature and focus of the entity's operations.
71. A provision for restructuring costs is recognised only when the general recognition criteria for provisions set out in paragraph 14 are met. Paragraphs 72–83 set out how the general recognition criteria apply to restructurings.
72. **A constructive obligation to restructure arises only when an entity:**
- has a detailed formal plan for the restructuring identifying at least:**
 - the business or part of a business concerned;**
 - the principal locations affected;**
 - the location, function, and approximate number of employees who will be compensated for terminating their services;**
 - the expenditures that will be undertaken; and**
 - when the plan will be implemented; and**
 - has raised a valid expectation in those affected that it will carry out the restructuring by starting to implement that plan or announcing its main features to those affected by it.**
73. Evidence that an entity has started to implement a restructuring plan would be provided, for example, by dismantling plant or selling assets or by the public announcement of the main features of the plan. A public announcement of a detailed plan to restructure constitutes a constructive obligation to restructure only if it is made in such a way and in sufficient detail (ie setting out the main features of the plan) that it gives rise to valid expectations in other parties such as customers, suppliers and employees (or their representatives) that the entity will carry out the restructuring.
74. For a plan to be sufficient to give rise to a constructive obligation when communicated to those affected by it, its implementation needs to be planned to begin as soon as possible and to be completed in a timeframe that makes significant changes to the plan unlikely. If it is expected that there will be a long delay before the restructuring begins or that the restructuring will take an unreasonably long time, it is unlikely that the plan will raise a valid expectation on the part of others that the entity is at present committed to restructuring, because the timeframe allows opportunities for the entity to change its plans.
75. A management or board decision to restructure taken before the end of the reporting period does not give rise to a constructive obligation at the end of the reporting period unless the entity has, before the end of the reporting period:
- started to implement the restructuring plan; or
 - announced the main features of the restructuring plan to those affected by it, in a sufficiently specific manner to raise a valid expectation in them that the entity will carry out the restructuring.
- If an entity starts to implement a restructuring plan, or announces its main features to those affected, only after the reporting period, disclosure is required under, Ind AS 10, *Events after the Reporting Period*, if the restructuring is material and non-disclosure could influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements.
76. Although a constructive obligation is not created solely by a management decision, an obligation may result from other earlier events together with such a decision. For example, negotiations with employee representatives for termination payments, or with purchasers for the sale of an operation, may have been concluded subject only to board approval. Once that approval has been obtained and communicated to the other parties, the entity has a constructive obligation to restructure, if the conditions of paragraph 72 are met.

77. In some countries, the ultimate authority is vested in a board whose membership includes representatives of interests other than those of management (eg employees) or notification to such representatives may be necessary before the board decision is taken. Because a decision by such a board involves communication to these representatives, it may result in a constructive obligation to restructure.
78. **No obligation arises for the sale of an operation until the entity is committed to the sale, ie there is a binding sale agreement.**
79. Even when an entity has taken a decision to sell an operation and announced that decision publicly, it cannot be committed to the sale until a purchaser has been identified and there is a binding sale agreement. Until there is a binding sale agreement, the entity will be able to change its mind and indeed will have to take another course of action if a purchaser cannot be found on acceptable terms. When the sale of an operation is envisaged as part of a restructuring, the assets of the operation are reviewed for impairment, under Ind AS 36. When a sale is only part of a restructuring, a constructive obligation can arise for the other parts of the restructuring before a binding sale agreement exists.
80. **A restructuring provision shall include only the direct expenditures arising from the restructuring, which are those that are both:**
- (a) **necessarily entailed by the restructuring; and**
 - (b) **not associated with the ongoing activities of the entity.**
81. A restructuring provision does not include such costs as:
- (a) retraining or relocating continuing staff;
 - (b) marketing; or
 - (c) investment in new systems and distribution networks.
- These expenditures relate to the future conduct of the business and are not liabilities for restructuring at the end of the reporting period. Such expenditures are recognised on the same basis as if they arose independently of a restructuring.
82. Identifiable future operating losses up to the date of a restructuring are not included in a provision, unless they relate to an onerous contract as defined in paragraph 10.
83. As required by paragraph 51, gains on the expected disposal of assets are not taken into account in measuring a restructuring provision, even if the sale of assets is envisaged as part of the restructuring.

Disclosure

84. **For each class of provision, an entity shall disclose:**
- (a) **the carrying amount at the beginning and end of the period;**
 - (b) **additional provisions made in the period, including increases to existing provisions;**
 - (c) **amounts used (ie incurred and charged against the provision) during the period ;**
 - (d) **unused amounts reversed during the period ; and**
 - (e) **the increase during the period in the discounted amount arising from the passage of time and the effect of any change in the discount rate.**
- Comparative information is not required.**
85. **An entity shall disclose the following for each class of provision:**
- (a) **a brief description of the nature of the obligation and the expected timing of any resulting outflows of economic benefits;**
 - (b) **an indication of the uncertainties about the amount or timing of those outflows. Where necessary to provide adequate information, an entity shall disclose the major assumptions made concerning future events, as addressed in paragraph 48; and**
 - (c) **the amount of any expected reimbursement, stating the amount of any asset that has been recognised for that expected reimbursement.**
86. **Unless the possibility of any outflow in settlement is remote, an entity shall disclose for each class of contingent liability at the end of the reporting period a brief description of the nature of the contingent liability and, where practicable:**
- (a) **an estimate of its financial effect, measured under paragraphs 36–52;**

- (b) **an indication of the uncertainties relating to the amount or timing of any outflow; and**
 - (c) **the possibility of any reimbursement.**
87. In determining which provisions or contingent liabilities may be aggregated to form a class, it is necessary to consider whether the nature of the items is sufficiently similar for a single statement about them to fulfil the requirements of paragraphs 85(a) and (b) and 86(a) and (b). Thus, it may be appropriate to treat as a single class of provision amounts relating to warranties of different products, but it would not be appropriate to treat as a single class amounts relating to normal warranties and amounts that are subject to legal proceedings.
88. Where a provision and a contingent liability arise from the same set of circumstances, an entity makes the disclosures required by paragraphs 84–86 in a way that shows the link between the provision and the contingent liability.
89. **Where an inflow of economic benefits is probable, an entity shall disclose a brief description of the nature of the contingent assets at the end of the reporting period, and, where practicable, an estimate of their financial effect, measured using the principles set out for provisions in paragraphs 36–52.**
90. It is important that disclosures for contingent assets avoid giving misleading indications of the likelihood of income arising.
91. **Where any of the information required by paragraphs 86 and 89 is not disclosed because it is not practicable to do so, that fact shall be stated.**
92. **In extremely rare cases, disclosure of some or all of the information required by paragraphs 84–89 can be expected to prejudice seriously the position of the entity in a dispute with other parties on the subject matter of the provision, contingent liability or contingent asset. In such cases, an entity need not disclose the information, but shall disclose the general nature of the dispute, together with the fact that, and reason why, the information has not been disclosed.**

Appendix A

Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

Background

1. The purpose of decommissioning, restoration and environmental rehabilitation funds, hereafter referred to as 'decommissioning funds' or 'funds', is to segregate assets to fund some or all of the costs of decommissioning plant (such as a nuclear plant) or certain equipment (such as cars), or in undertaking environmental rehabilitation (such as rectifying pollution of water or restoring mined land), together referred to as 'decommissioning'.
2. Contributions to these funds may be voluntary or required by regulation or law. The funds may have one of the following structures:
 - (a) funds that are established by a single contributor to fund its own decommissioning obligations, whether for a particular site, or for a number of geographically dispersed sites.
 - (b) funds that are established with multiple contributors to fund their individual or joint decommissioning obligations, when contributors are entitled to reimbursement for decommissioning expenses to the extent of their contributions plus any actual earnings on those contributions less their share of the costs of administering the fund. Contributors may have an obligation to make additional contributions, for example, in the event of the bankruptcy of another contributor.
 - (c) funds that are established with multiple contributors to fund their individual or joint decommissioning obligations when the required level of contributions is based on the current activity of a contributor and the benefit obtained by that contributor is based on its past activity. In such cases there is a potential mismatch in the amount of contributions made by a contributor (based on current activity) and the value realisable from the fund (based on past activity).
3. Such funds generally have the following features:
 - (a) the fund is separately administered by independent trustees.
 - (b) entities (contributors) make contributions to the fund, which are invested in a range of assets that may include both debt and equity investments, and are available to help pay the contributors' decommissioning costs. The trustees determine how contributions are invested, within the constraints set by the fund's governing documents and any applicable legislation or other regulations.

- (c) the contributors retain the obligation to pay decommissioning costs. However, contributors are able to obtain reimbursement of decommissioning costs from the fund up to the lower of the decommissioning costs incurred and the contributor's share of assets of the fund.
- (d) the contributors may have restricted access or no access to any surplus of assets of the fund over those used to meet eligible decommissioning costs.

Scope

- 4 This Appendix applies to accounting in the financial statements of a contributor for interests arising from decommissioning funds that have both of the following features:
 - (a) the assets are administered separately (either by being held in a separate legal entity or as segregated assets within another entity); and
 - (b) a contributor's right to access the assets is restricted.
- 5 A residual interest in a fund that extends beyond a right to reimbursement, such as a contractual right to distributions once all the decommissioning has been completed or on winding up the fund, may be an equity instrument within the scope of Ind AS 109 and is not within the scope of this Appendix.

Issues

- 6 The issues addressed in this Appendix are:
 - (a) how should a contributor account for its interest in a fund?
 - (b) when a contributor has an obligation to make additional contributions, for example, in the event of the bankruptcy of another contributor, how should that obligation be accounted for?

Accounting Principles

Accounting for an interest in a fund

- 7 The contributor shall recognise its obligation to pay decommissioning costs as a liability and recognise its interest in the fund separately unless the contributor is not liable to pay decommissioning costs even if the fund fails to pay.
- 8 The contributor shall determine whether it has control or joint control of, or significant influence over, the fund by reference to Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, Ind AS 111, *Joint Arrangements*, and Ind AS 28, *Investments in Associates and Joint Ventures*. If it does, the contributor shall account for its interest in the fund in accordance with those Standards.
- 9 If a contributor does not have control or joint control of, or significant influence over, the fund, the contributor shall recognise the right to receive reimbursement from the fund as a reimbursement in accordance with Ind AS 37. This reimbursement shall be measured at the lower of:
 - (a) the amount of the decommissioning obligation recognised; and
 - (b) the contributor's share of the fair value of the net assets of the fund attributable to contributors.

Changes in the carrying value of the right to receive reimbursement other than contributions to and payments from the fund shall be recognised in profit or loss in the period in which these changes occur.

Accounting for obligations to make additional contributions

- 10 When a contributor has an obligation to make potential additional contributions, for example, in the event of the bankruptcy of another contributor or if the value of the investment assets held by the fund decreases to an extent that they are insufficient to fulfil the fund's reimbursement obligations, this obligation is a contingent liability that is within the scope of Ind AS 37. The contributor shall recognise a liability only if it is probable that additional contributions will be made.

Disclosure

- 11 A contributor shall disclose the nature of its interest in a fund and any restrictions on access to the assets in the fund.
- 12 When a contributor has an obligation to make potential additional contributions that is not recognised as a liability (see paragraph 10), it shall make the disclosures required by paragraph 86 of Ind AS 37.
- 13 When a contributor accounts for its interest in the fund in accordance with paragraph 9, it shall make the disclosures required by paragraph 85(c) of Ind AS 37.

Appendix B**Liabilities arising from Participating in a Specific Market— Waste Electrical and Electronic Equipment¹⁰**

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

Background

- 1 Paragraph 17 of Ind AS 37 specifies that an obligating event is a past event that leads to a present obligation that an entity has no realistic alternative to settling.
- 2 Paragraph 19 of Ind AS 37 states that provisions are recognised only for ‘obligations arising from past events existing independently of an entity’s future actions’.
- 3 The European Union’s Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WE&EE), which regulates the collection, treatment, recovery and environmentally sound disposal of waste equipment, has given rise to questions about when the liability for the decommissioning of WE&EE should be recognised. The Directive distinguishes between ‘new’ and ‘historical’ waste and between waste from private households and waste from sources other than private households. New waste relates to products sold after 13 August 2005. All household equipment sold before that date is deemed to give rise to historical waste for the purposes of the Directive.
- 4 The Directive states that the cost of waste management for historical household equipment should be borne by producers of that type of equipment that are in the market during a period to be specified in the applicable legislation of each Member State (the measurement period). The Directive states that each Member State shall establish a mechanism to have producers contribute to costs proportionately ‘e.g. in proportion to their respective share of the market by type of equipment.’
- 5 Several terms used in this Appendix such as ‘market share’ and ‘measurement period’ may be defined very differently in the applicable legislation of individual Member States. For example, the length of the measurement period might be a year or only one month. Similarly, the measurement of market share and the formulae for computing the obligation may differ in the various national legislations. However, all of these examples affect only the measurement of the liability, which is not within the scope of this Appendix.

Scope

- 6 This Appendix provides guidance on the recognition, in the financial statements of producers, of liabilities for waste management under the EU Directive on WE&EE in respect of sales of historical household equipment.
- 7 This Appendix addresses neither new waste nor historical waste from sources other than private households. The liability for such waste management is adequately covered in Ind AS 37. However, if, in national legislation, new waste from private households is treated in a similar manner to historical waste from private households, the principles of this Appendix apply by reference to the hierarchy in paragraphs 10-12 of Ind AS 8. The Ind AS 8 hierarchy is also relevant for other regulations that impose obligations in a way that is similar to the cost attribution model specified in the EU Directive.

Issue

- 8 This Appendix determines in the context of the decommissioning of WE&EE what constitutes the obligating event in accordance with paragraph 14(a) of Ind AS 37 for the recognition of a provision for waste management costs:
 - the manufacture or sale of the historical household equipment?
 - participation in the market during the measurement period?
 - the incurrence of costs in the performance of waste management activities?

Accounting Principles

- 9 Participation in the market during the measurement period is the obligating event in accordance with paragraph 14(a) of Ind AS 37. As a consequence, a liability for waste management costs for historical household equipment does not arise as the products are manufactured or sold. Because the obligation for historical household equipment is linked to participation in the market during the measurement period, rather than to production or sale of the items to be disposed of, there is no obligation unless and until a market share exists during the measurement period. The timing of the obligating event may also be independent of the particular period in which the activities to perform the waste management are undertaken and the related costs incurred.

¹⁰ This Appendix is in the context of European Union. However, if similar regulations exist in other countries including India the principles as enunciated in this Appendix shall apply.

Appendix C**Levies**

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

Background

1. A Government may impose a levy on an entity. An issue arises when to recognise a liability to pay a levy that is accounted for in accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.

Scope

2. This Appendix addresses the accounting for a liability to pay a levy if that liability is within the scope of Ind AS 37. It also addresses the accounting for a liability to pay a levy whose timing and amount is certain.
3. This Appendix does not address the accounting for the costs that arise from recognising a liability to pay a levy. Entities should apply other Standards to decide whether the recognition of a liability to pay a levy gives rise to an asset or an expense.
4. For the purposes of this Appendix, a levy is an outflow of resources embodying economic benefits that is imposed by Governments on entities in accordance with legislation (ie laws and/or regulations), other than:
 - (a) those outflows of resources that are within the scope of other Standards (such as income taxes that are within the scope of Ind AS 12, *Income Taxes*); and
 - (b) fines or other penalties that are imposed for breaches of the legislation.‘Government’ refers to Government, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.
5. A payment made by an entity for the acquisition of an asset, or for the rendering of services under a contractual agreement with a Government, does not meet the definition of a levy.
6. An entity is not required to apply this Appendix to liabilities that arise from emissions trading schemes.

Issues

7. To clarify the accounting for a liability to pay a levy, this Appendix addresses the following issues:
 - (a) what is the obligating event that gives rise to the recognition of a liability to pay a levy?
 - (b) does economic compulsion to continue to operate in a future period create a constructive obligation to pay a levy that will be triggered by operating in that future period?
 - (c) does the going concern assumption imply that an entity has a present obligation to pay a levy that will be triggered by operating in a future period?
 - (d) does the recognition of a liability to pay a levy arise at a point in time or does it, in some circumstances, arise progressively over time?
 - (e) what is the obligating event that gives rise to the recognition of a liability to pay a levy that is triggered if a minimum threshold is reached?
 - (f) are the principles for recognising in the annual financial statements and in the interim financial report a liability to pay a levy the same?

Accounting Principles

8. The obligating event that gives rise to a liability to pay a levy is the activity that triggers the payment of the levy, as identified by the legislation. For example, if the activity that triggers the payment of the levy is the generation of revenue in the current period and the calculation of that levy is based on the revenue that was generated in a previous period, the obligating event for that levy is the generation of revenue in the current period. The generation of revenue in the previous period is necessary, but not sufficient, to create a present obligation.
9. An entity does not have a constructive obligation to pay a levy that will be triggered by operating in a future period as a result of the entity being economically compelled to continue to operate in that future period.
10. The preparation of financial statements under the going concern assumption does not imply that an entity has a present obligation to pay a levy that will be triggered by operating in a future period.

11. The liability to pay a levy is recognised progressively if the obligating event occurs over a period of time (ie if the activity that triggers the payment of the levy, as identified by the legislation, occurs over a period of time). For example, if the obligating event is the generation of revenue over a period of time, the corresponding liability is recognised as the entity generates that revenue.
12. If an obligation to pay a levy is triggered when a minimum threshold is reached, the accounting for the liability that arises from that obligation shall be consistent with the principles established in paragraphs 8–14 of this Appendix (in particular, paragraphs 8 and 11). For example, if the obligating event is the reaching of a minimum activity threshold (such as a minimum amount of revenue or sales generated or outputs produced), the corresponding liability is recognised when that minimum activity threshold is reached.
13. An entity shall apply the same recognition principles in the interim financial report that it applies in the annual financial statements. As a result, in the interim financial report, a liability to pay a levy:
 - (a) shall not be recognised if there is no present obligation to pay the levy at the end of the interim reporting period; and
 - (b) shall be recognised if a present obligation to pay the levy exists at the end of the interim reporting period.
14. An entity shall recognise an asset if it has prepaid a levy but does not yet have a present obligation to pay that levy.

Appendix D

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and makes references to Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.

- (i) Appendix C, *Service Concession Arrangements* and Appendix D, *Service Concession Arrangements: Disclosures*, contained in Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*.
- (ii) Appendix A, *Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities*, contained in Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*.

Appendix B, *Evaluating the Substance of Transactions involving the Legal Form of a Lease* contained in Ind AS 17, *Leases*.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 37 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, IFRIC 5, Rights to Interests arising from Decommissioning Restoration and Environmental Rehabilitation Funds, IFRIC 6, Liabilities arising from Participating in Specific Market-Waste electrical and Electronic Equipment and IFRIC 21, Levies, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, IFRIC 5, IFRIC 6 and IFRIC 21

- 1 The transitional provisions given in IAS 37 and IFRIC 5 and IFRIC 6 have not been given in Ind AS 37, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*
- 2 Different terminology is used in this standard, eg, term ‘balance sheet’ is used instead of ‘Statement of financial position’ and ‘Statement of profit and loss’ is used instead of ‘Statement of comprehensive income’. Words ‘approval of the financial statements for issue’ have been used instead of ‘authorisation of the financial statements for issue’ in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.
- 3 The following paragraph numbers appear as ‘Deleted’ in IAS 37. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 37, the paragraph numbers are retained in Ind AS 37 :
 - (i) paragraph 1(b)
 - (ii) paragraph 4
 - (iii) paragraph 5(a)
 - (iv) paragraph 6.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 38***Intangible Assets***

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

1. The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment for intangible assets that are not dealt with specifically in another Standard. This Standard requires an entity to recognise an intangible asset if, and only if, specified criteria are met. The Standard also specifies how to measure the carrying amount of intangible assets and requires specified disclosures about intangible assets.

Scope

2. **This Standard shall be applied in accounting for intangible assets, except:**
 - (a) **intangible assets that are within the scope of another Standard;**
 - (b) **financial assets, as defined in Ind AS 32, *Financial Instruments: Presentation*;**
 - (c) **the recognition and measurement of exploration and evaluation assets (see Ind AS 106, *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*); and**
 - (d) **expenditure on the development and extraction of minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative resources.**
3. If another Standard prescribes the accounting for a specific type of intangible asset, an entity applies that Standard instead of this Standard. For example, this Standard does not apply to:
 - (a) intangible assets held by an entity for sale in the ordinary course of business (see Ind AS 2, *Inventories*).
 - (b) deferred tax assets (see Ind AS 12, *Income Taxes*).
 - (c) leases that are within the scope of Ind AS 17, *Leases*.
 - (d) assets arising from employee benefits (see Ind AS 19, *Employee Benefits*).
 - (e) financial assets as defined in Ind AS 32. The recognition and measurement of some financial assets are covered by Ind AS 110, *Consolidated Financial Statements*, Ind AS 27, *Separate Financial Statements*, and Ind AS 28, *Investments in Associates and Joint Ventures*.
 - (f) goodwill acquired in a business combination (see Ind AS 103, *Business Combinations*).
 - (g) deferred acquisition costs, and intangible assets, arising from an insurer's contractual rights under insurance contracts within the scope of Ind AS 104, *Insurance Contracts*. Ind AS 104 sets out specific disclosure requirements for those deferred acquisition costs but not for those intangible assets. Therefore, the disclosure requirements in this Standard apply to those intangible assets.
 - (h) non-current intangible assets classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*.
 - (i) assets arising from contracts with customers that are recognised in accordance with Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*.
4. Some intangible assets may be contained in or on a physical substance such as a compact disc (in the case of computer software), legal documentation (in the case of a licence or patent) or film. In determining whether an asset that incorporates both intangible and tangible elements should be treated under Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*, or as an intangible asset under this Standard, an entity uses judgement to assess which element is more significant. For example, computer software for a computer-controlled machine tool that cannot operate without that specific software is an integral part of the related hardware and it is treated as property, plant and equipment. The same applies to the operating system of a computer. When the software is not an integral part of the related hardware, computer software is treated as an intangible asset.
5. This Standard applies to, among other things, expenditure on advertising, training, start-up, research and development activities. Research and development activities are directed to the development of knowledge. Therefore, although these activities may result in an asset with physical substance (eg a prototype), the physical element of the asset is secondary to its intangible component, ie the knowledge embodied in it.

6. In the case of a finance lease, the underlying asset may be either tangible or intangible. After initial recognition, a lessee accounts for an intangible asset held under a finance lease in accordance with this Standard. Rights under licensing agreements for items such as motion picture films, video recordings, plays, manuscripts, patents and copyrights are excluded from the scope of Ind AS 17, and are within the scope of this Standard.
7. Exclusions from the scope of a Standard may occur if activities or transactions are so specialised that they give rise to accounting issues that may need to be dealt with in a different way. Such issues arise in the accounting for expenditure on the exploration for, or development and extraction of, oil, gas and mineral deposits in extractive industries and in the case of insurance contracts. Therefore, this Standard does not apply to expenditure on such activities and contracts. However, this Standard applies to other intangible assets used (such as computer software), and other expenditure incurred (such as start-up costs), in extractive industries or by insurers.
- 7AA The amortisation method specified in this Standard does not apply to an entity that opts to amortise the intangible assets arising from service concession arrangements in respect of toll roads recognised in the financial statements for the period ending immediately before the beginning of the first Ind AS reporting period as per the exception given in paragraph D22 of Appendix D to Ind AS 101.

Definitions

8. The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Amortisation is the systematic allocation of the depreciable amount of an intangible asset over its useful life.

An asset is a resource:

- (a) controlled by an entity as a result of past events; and
- (b) from which future economic benefits are expected to flow to the entity.

Carrying amount is the amount at which an asset is recognised in the balance sheet after deducting any accumulated amortisation and accumulated impairment losses thereon.

Cost is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction, or, when applicable, the amount attributed to that asset when initially recognised in accordance with the specific requirements of other Indian Accounting Standards, eg Ind AS 102, *Share-based Payment*.

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value.

Development is the application of research findings or other knowledge to a plan or design for the production of new or substantially improved materials, devices, products, processes, systems or services before the start of commercial production or use.

Entity-specific value is the present value of the cash flows an entity expects to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life or expects to incur when settling a liability.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113, *Fair Value Measurement*.)

An impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance.

Monetary assets are money held and assets to be received in fixed or determinable amounts of money.

Research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding.

The **residual value** of an intangible asset is the estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life.

Useful life is:

- (a) the period over which an asset is expected to be available for use by an entity; or
- (b) the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by an entity.

Intangible assets

9. Entities frequently expend resources, or incur liabilities, on the acquisition, development, maintenance or enhancement of intangible resources such as scientific or technical knowledge, design and implementation of new processes or systems, licences, intellectual property, market knowledge and trademarks (including brand names and publishing titles). Common examples of items encompassed by these broad headings are computer software, patents, copyrights, motion picture films, customer lists, mortgage servicing rights, fishing licences, import quotas, franchises, customer or supplier relationships, customer loyalty, market share and marketing rights.
10. Not all the items described in paragraph 9 meet the definition of an intangible asset, ie identifiability, control over a resource and existence of future economic benefits. If an item within the scope of this Standard does not meet the definition of an intangible asset, expenditure to acquire it or generate it internally is recognised as an expense when it is incurred. However, if the item is acquired in a business combination, it forms part of the goodwill recognised at the acquisition date (see paragraph 68).

Identifiability

11. The definition of an intangible asset requires an intangible asset to be identifiable to distinguish it from goodwill. Goodwill recognised in a business combination is an asset representing the future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognised. The future economic benefits may result from synergy between the identifiable assets acquired or from assets that, individually, do not qualify for recognition in the financial statements.
12. **An asset is identifiable if it either:**
- (a) **is separable, ie is capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented or exchanged, either individually or together with a related contract, identifiable asset or liability, regardless of whether the entity intends to do so; or**
 - (b) **arises from contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are transferable or separable from the entity or from other rights and obligations.**

Control

13. An entity controls an asset if the entity has the power to obtain the future economic benefits flowing from the underlying resource and to restrict the access of others to those benefits. The capacity of an entity to control the future economic benefits from an intangible asset would normally stem from legal rights that are enforceable in a court of law. In the absence of legal rights, it is more difficult to demonstrate control. However, legal enforceability of a right is not a necessary condition for control because an entity may be able to control the future economic benefits in some other way.
14. Market and technical knowledge may give rise to future economic benefits. An entity controls those benefits if, for example, the knowledge is protected by legal rights such as copyrights, a restraint of trade agreement (where permitted) or by a legal duty on employees to maintain confidentiality.
15. An entity may have a team of skilled staff and may be able to identify incremental staff skills leading to future economic benefits from training. The entity may also expect that the staff will continue to make their skills available to the entity. However, an entity usually has insufficient control over the expected future economic benefits arising from a team of skilled staff and from training for these items to meet the definition of an intangible asset. For a similar reason, specific management or technical talent is unlikely to meet the definition of an intangible asset, unless it is protected by legal rights to use it and to obtain the future economic benefits expected from it, and it also meets the other parts of the definition.
16. An entity may have a portfolio of customers or a market share and expect that, because of its efforts in building customer relationships and loyalty, the customers will continue to trade with the entity. However, in the absence of legal rights to protect, or other ways to control, the relationships with customers or the loyalty of the customers to the entity, the entity usually has insufficient control over the expected economic benefits from customer relationships and loyalty for such items (eg portfolio of customers, market shares, customer relationships and customer loyalty) to meet the definition of intangible assets. In the absence of legal rights to protect customer relationships, exchange transactions for the same or similar non-contractual customer relationships (other than as part of a business combination) provide evidence that the entity is nonetheless able to control the expected future economic benefits flowing from the customer relationships. Because such exchange transactions also provide evidence that the customer relationships are separable, those customer relationships meet the definition of an intangible asset.

Future economic benefits

17. The future economic benefits flowing from an intangible asset may include revenue from the sale of products or services, cost savings, or other benefits resulting from the use of the asset by the entity. For example, the use of intellectual property in a production process may reduce future production costs rather than increase future revenues.

Recognition and measurement

18. The recognition of an item as an intangible asset requires an entity to demonstrate that the item meets:

- (a) the definition of an intangible asset (see paragraphs 8–17); and
- (b) the recognition criteria (see paragraphs 21–23).

This requirement applies to costs incurred initially to acquire or internally generate an intangible asset and those incurred subsequently to add to, replace part of, or service it.

19. Paragraphs 25–32 deal with the application of the recognition criteria to separately acquired intangible assets, and paragraphs 33–43 deal with their application to intangible assets acquired in a business combination. Paragraph 44 deals with the initial measurement of intangible assets acquired by way of a Government grant, paragraphs 45–47 with exchanges of intangible assets, and paragraphs 48–50 with the treatment of internally generated goodwill. Paragraphs 51–67 deal with the initial recognition and measurement of internally generated intangible assets.

20. The nature of intangible assets is such that, in many cases, there are no additions to such an asset or replacements of part of it. Accordingly, most subsequent expenditures are likely to maintain the expected future economic benefits embodied in an existing intangible asset rather than meet the definition of an intangible asset and the recognition criteria in this Standard. In addition, it is often difficult to attribute subsequent expenditure directly to a particular intangible asset rather than to the business as a whole. Therefore, only rarely will subsequent expenditure—expenditure incurred after the initial recognition of an acquired intangible asset or after completion of an internally generated intangible asset—be recognised in the carrying amount of an asset. Consistently with paragraph 63, subsequent expenditure on brands, mastheads, publishing titles, customer lists and items similar in substance (whether externally acquired or internally generated) is always recognised in profit or loss as incurred. This is because such expenditure cannot be distinguished from expenditure to develop the business as a whole.

21. **An intangible asset shall be recognised if, and only if:**

- (a) **it is probable that the expected future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the entity; and**
- (b) **the cost of the asset can be measured reliably.**

22. **An entity shall assess the probability of expected future economic benefits using reasonable and supportable assumptions that represent management's best estimate of the set of economic conditions that will exist over the useful life of the asset.**

23. An entity uses judgement to assess the degree of certainty attached to the flow of future economic benefits that are attributable to the use of the asset on the basis of the evidence available at the time of initial recognition, giving greater weight to external evidence.

24. **An intangible asset shall be measured initially at cost.**

Separate acquisition

25. Normally, the price an entity pays to acquire separately an intangible asset will reflect expectations about the probability that the expected future economic benefits embodied in the asset will flow to the entity. In other words, the entity expects there to be an inflow of economic benefits, even if there is uncertainty about the timing or the amount of the inflow. Therefore, the probability recognition criterion in paragraph 21(a) is always considered to be satisfied for separately acquired intangible assets.

26. In addition, the cost of a separately acquired intangible asset can usually be measured reliably. This is particularly so when the purchase consideration is in the form of cash or other monetary assets.

27. The cost of a separately acquired intangible asset comprises:

- (a) its purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates; and
- (b) any directly attributable cost of preparing the asset for its intended use.

28. Examples of directly attributable costs are:
- costs of employee benefits (as defined in Ind AS 19) arising directly from bringing the asset to its working condition;
 - professional fees arising directly from bringing the asset to its working condition; and
 - costs of testing whether the asset is functioning properly.
29. Examples of expenditures that are not part of the cost of an intangible asset are:
- costs of introducing a new product or service (including costs of advertising and promotional activities);
 - costs of conducting business in a new location or with a new class of customer (including costs of staff training); and
 - administration and other general overhead costs.
30. Recognition of costs in the carrying amount of an intangible asset ceases when the asset is in the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Therefore, costs incurred in using or redeploying an intangible asset are not included in the carrying amount of that asset. For example, the following costs are not included in the carrying amount of an intangible asset:
- costs incurred while an asset capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use; and
 - initial operating losses, such as those incurred while demand for the asset's output builds up.
31. Some operations occur in connection with the development of an intangible asset, but are not necessary to bring the asset to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. These incidental operations may occur before or during the development activities. Because incidental operations are not necessary to bring an asset to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, the income and related expenses of incidental operations are recognised immediately in profit or loss, and included in their respective classifications of income and expense.
32. If payment for an intangible asset is deferred beyond normal credit terms, its cost is the cash price equivalent. The difference between this amount and the total payments is recognised as interest expense over the period of credit unless it is capitalised in accordance with Ind AS 23, *Borrowing Costs*.

Acquisition as part of a business combination

33. In accordance with Ind AS 103, *Business Combinations*, if an intangible asset is acquired in a business combination, the cost of that intangible asset is its fair value at the acquisition date. The fair value of an intangible asset will reflect market participants' expectations at the acquisition date about the probability that the expected future economic benefits embodied in the asset will flow to the entity. In other words, the entity expects there to be an inflow of economic benefits, even if there is uncertainty about the timing or the amount of the inflow. Therefore, the probability recognition criterion in paragraph 21(a) is always considered to be satisfied for intangible assets acquired in business combinations. If an asset acquired in a business combination is separable or arises from contractual or other legal rights, sufficient information exists to measure reliably the fair value of the asset. Thus, the reliable measurement criterion in paragraph 21(b) is always considered to be satisfied for intangible assets acquired in business combinations.
34. In accordance with this Standard and Ind AS 103, an acquirer recognises at the acquisition date, separately from goodwill, an intangible asset of the acquiree, irrespective of whether the asset had been recognised by the acquiree before the business combination. This means that the acquirer recognises as an asset separately from goodwill an in-process research and development project of the acquiree if the project meets the definition of an intangible asset. An acquiree's in-process research and development project meets the definition of an intangible asset when it:
- meets the definition of an asset; and
 - is identifiable, ie is separable or arises from contractual or other legal rights.

Intangible asset acquired in a business combination

35. If an intangible asset acquired in a business combination is separable or arises from contractual or other legal rights, sufficient information exists to measure reliably the fair value of the asset. When, for the estimates used to measure an intangible asset's fair value, there is a range of possible outcomes with different probabilities that uncertainty enters into the measurement of the asset's fair value.

36. An intangible asset acquired in a business combination might be separable, but only together with a related contract, identifiable asset or liability. In such cases, the acquirer recognises the intangible asset separately from goodwill, but together with the related item.
37. The acquirer may recognise a group of complementary intangible assets as a single asset provided the individual assets have similar useful lives. For example, the terms 'brand' and 'brand name' are often used as synonym for trademarks and other marks. However, the former are general marketing terms that are typically used to refer to a group of complimentary assets such as a trademark (or service mark) and its related trade name, formulas, recipes and technological expertise.
- 38- [Refer Appendix 1]
- 41

Subsequent expenditure on an acquired in-process research and development project

42 Research or development expenditure that:

- (a) **relates to an in-process research or development project acquired separately or in a business combination and recognised as an intangible asset; and**
- (b) **is incurred after the acquisition of that project**

shall be accounted for in accordance with paragraphs 54–62.

- 43 Applying the requirements in paragraphs 54–62 means that subsequent expenditure on an in-process research or development project acquired separately or in a business combination and recognised as an intangible asset is:
- (a) recognised as an expense when incurred if it is research expenditure;
- (b) recognised as an expense when incurred if it is development expenditure that does not satisfy the criteria for recognition as an intangible asset in paragraph 57; and
- (c) added to the carrying amount of the acquired in-process research or development project if it is development expenditure that satisfies the recognition criteria in paragraph 57.

Acquisition by way of a Government grant

- 44 In some cases, an intangible asset may be acquired free of charge, or for nominal consideration, by way of a Government grant. This may happen when a Government transfers or allocates to an entity intangible assets such as airport landing rights, licences to operate radio or television stations, import licences or quotas or rights to access other restricted resources. In accordance with Ind AS 20, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*, an entity recognises both the intangible asset and the grant initially at fair value.

Exchanges of assets

- 45 One or more intangible assets may be acquired in exchange for a non-monetary asset or assets, or a combination of monetary and non-monetary assets. The following discussion refers simply to an exchange of one non-monetary asset for another, but it also applies to all exchanges described in the preceding sentence. The cost of such an intangible asset is measured at fair value unless (a) the exchange transaction lacks commercial substance or (b) the fair value of neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable. The acquired asset is measured in this way even if an entity cannot immediately derecognise the asset given up. If the acquired asset is not measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up.
- 46 An entity determines whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which its future cash flows are expected to change as a result of the transaction. An exchange transaction has commercial substance if:
- (a) the configuration (ie risk, timing and amount) of the cash flows of the asset received differs from the configuration of the cash flows of the asset transferred; or
- (b) the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction changes as a result of the exchange; and
- (c) the difference in (a) or (b) is significant relative to the fair value of the assets exchanged.

For the purpose of determining whether an exchange transaction has commercial substance, the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction shall reflect post-tax cash flows. The result of these analyses may be clear without an entity having to perform detailed calculations.

- 47 Paragraph 21(b) specifies that a condition for the recognition of an intangible asset is that the cost of the asset can be measured reliably. The fair value of an intangible asset is reliably measurable if (a) the variability in the range of reasonable fair value measurements is not significant for that asset or (b) the probabilities of the various estimates within the range can be reasonably assessed and used when measuring fair value. If an entity is able to measure reliably the fair value of either the asset received or the asset given up, then the fair value of the asset given up is used to measure cost unless the fair value of the asset received is more clearly evident.

Internally generated goodwill

- 48 **Internally generated goodwill shall not be recognised as an asset.**

- 49 In some cases, expenditure is incurred to generate future economic benefits, but it does not result in the creation of an intangible asset that meets the recognition criteria in this Standard. Such expenditure is often described as contributing to internally generated goodwill. Internally generated goodwill is not recognised as an asset because it is not an identifiable resource (ie it is not separable nor does it arise from contractual or other legal rights) controlled by the entity that can be measured reliably at cost.

- 50 Differences between the fair value of an entity and the carrying amount of its identifiable net assets at any time may capture a range of factors that affect the fair value of the entity. However, such differences do not represent the cost of intangible assets controlled by the entity.

Internally generated intangible assets

- 51 It is sometimes difficult to assess whether an internally generated intangible asset qualifies for recognition because of problems in:

- (a) identifying whether and when there is an identifiable asset that will generate expected future economic benefits; and
- (b) determining the cost of the asset reliably. In some cases, the cost of generating an intangible asset internally cannot be distinguished from the cost of maintaining or enhancing the entity's internally generated goodwill or of running day-to-day operations.

Therefore, in addition to complying with the general requirements for the recognition and initial measurement of an intangible asset, an entity applies the requirements and guidance in paragraphs 52–67 to all internally generated intangible assets.

- 52 To assess whether an internally generated intangible asset meets the criteria for recognition, an entity classifies the generation of the asset into:

- (a) a research phase; and
- (b) a development phase.

Although the terms 'research' and 'development' are defined, the terms 'research phase' and 'development phase' have a broader meaning for the purpose of this Standard.

- 53 If an entity cannot distinguish the research phase from the development phase of an internal project to create an intangible asset, the entity treats the expenditure on that project as if it were incurred in the research phase only.

Research phase

- 54 **No intangible asset arising from research (or from the research phase of an internal project) shall be recognised. Expenditure on research (or on the research phase of an internal project) shall be recognised as an expense when it is incurred.**

- 55 In the research phase of an internal project, an entity cannot demonstrate that an intangible asset exists that will generate probable future economic benefits. Therefore, this expenditure is recognised as an expense when it is incurred.

- 56 Examples of research activities are:

- (a) activities aimed at obtaining new knowledge;
- (b) the search for, evaluation and final selection of, applications of research findings or other knowledge;
- (c) the search for alternatives for materials, devices, products, processes, systems or services; and

- (d) the formulation, design, evaluation and final selection of possible alternatives for new or improved materials, devices, products, processes, systems or services.

Development phase

57 **An intangible asset arising from development (or from the development phase of an internal project) shall be recognised if, and only if, an entity can demonstrate all of the following:**

- (a) **the technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale.**
- (b) **its intention to complete the intangible asset and use or sell it.**
- (c) **its ability to use or sell the intangible asset.**
- (d) **how the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other things, the entity can demonstrate the existence of a market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself or, if it is to be used internally, the usefulness of the intangible asset.**
- (e) **the availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible asset.**
- (f) **its ability to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset during its development.**

58 In the development phase of an internal project, an entity can, in some instances, identify an intangible asset and demonstrate that the asset will generate probable future economic benefits. This is because the development phase of a project is further advanced than the research phase.

59 Examples of development activities are:

- (a) the design, construction and testing of pre-production or pre-use prototypes and models;
- (b) the design of tools, jigs, moulds and dies involving new technology;
- (c) the design, construction and operation of a pilot plant that is not of a scale economically feasible for commercial production; and
- (d) the design, construction and testing of a chosen alternative for new or improved materials, devices, products, processes, systems or services.

60 To demonstrate how an intangible asset will generate probable future economic benefits, an entity assesses the future economic benefits to be received from the asset using the principles in Ind AS 36, *Impairment of Assets*. If the asset will generate economic benefits only in combination with other assets, the entity applies the concept of cash-generating units in Ind AS 36.

61 Availability of resources to complete, use and obtain the benefits from an intangible asset can be demonstrated by, for example, a business plan showing the technical, financial and other resources needed and the entity's ability to secure those resources. In some cases, an entity demonstrates the availability of external finance by obtaining a lender's indication of its willingness to fund the plan.

62 An entity's costing systems can often measure reliably the cost of generating an intangible asset internally, such as salary and other expenditure incurred in securing copyrights or licences or developing computer software.

63 **Internally generated brands, mastheads, publishing titles, customer lists and items similar in substance shall not be recognised as intangible assets.**

64 Expenditure on internally generated brands, mastheads, publishing titles, customer lists and items similar in substance cannot be distinguished from the cost of developing the business as a whole. Therefore, such items are not recognised as intangible assets.

Cost of an internally generated intangible asset

65 The cost of an internally generated intangible asset for the purpose of paragraph 24 is the sum of expenditure incurred from the date when the intangible asset first meets the recognition criteria in paragraphs 21, 22 and 57. Paragraph 71 prohibits reinstatement of expenditure previously recognised as an expense.

66 The cost of an internally generated intangible asset comprises all directly attributable costs necessary to create, produce, and prepare the asset to be capable of operating in the manner intended by management. Examples of directly attributable costs are:

- (a) costs of materials and services used or consumed in generating the intangible asset;

- (b) costs of employee benefits (as defined in Ind AS 19) arising from the generation of the intangible asset;
- (c) fees to register a legal right; and
- (d) amortisation of patents and licences that are used to generate the intangible asset.

Ind AS 23 specifies criteria for the recognition of interest as an element of the cost of an internally generated intangible asset.

67 The following are not components of the cost of an internally generated intangible asset:

- (a) selling, administrative and other general overhead expenditure unless this expenditure can be directly attributed to preparing the asset for use;
- (b) identified inefficiencies and initial operating losses incurred before the asset achieves planned performance; and
- (c) expenditure on training staff to operate the asset.

Example illustrating paragraph 65

An entity is developing a new production process. During 20X5, expenditure incurred was Rs.1,000, of which Rs.900 was incurred before 1 December 20X5 and Rs.100 was incurred between 1 December 20X5 and 31 December 20X5. The entity is able to demonstrate that, at 1 December 20X5, the production process met the criteria for recognition as an intangible asset. The recoverable amount of the know-how embodied in the process (including future cash outflows to complete the process before it is available for use) is estimated to be Rs.500.

At the end of 20X5, the production process is recognised as an intangible asset at a cost of Rs.100 (expenditure incurred since the date when the recognition criteria were met, ie 1 December 20X5). The Rs.900 expenditure incurred before 1 December 20X5 is recognised as an expense because the recognition criteria were not met until 1 December 20X5. This expenditure does not form part of the cost of the production process recognised in the balance sheet.

During 20X6, expenditure incurred is Rs.2,000. At the end of 20X6, the recoverable amount of the know-how embodied in the process (including future cash outflows to complete the process before it is available for use) is estimated to be Rs.1,900.

At the end of 20X6, the cost of the production process is Rs.2,100 (Rs.100 expenditure recognised at the end of 20X5 plus Rs.2,000 expenditure recognised in 20X6). The entity recognises an impairment loss of Rs.200 to adjust the carrying amount of the process before impairment loss (Rs.2,100) to its recoverable amount (Rs.1,900). This impairment loss will be reversed in a subsequent period if the requirements for the reversal of an impairment loss in Ind AS 36 are met.

Recognition of an expense

68 **Expenditure on an intangible item shall be recognised as an expense when it is incurred unless:**

- (a) **it forms part of the cost of an intangible asset that meets the recognition criteria (see paragraphs 18–67); or**
- (b) **the item is acquired in a business combination and cannot be recognised as an intangible asset. If this is the case, it forms part of the amount recognised as goodwill at the acquisition date (see Ind AS 103).**

69 In some cases, expenditure is incurred to provide future economic benefits to an entity, but no intangible asset or other asset is acquired or created that can be recognised. In the case of the supply of goods, the entity recognises such expenditure as an expense when it has a right to access those goods. In the case of the supply of services, the entity recognises the expenditure as an expense when it receives the services. For example, expenditure on research is recognised as an expense when it is incurred (see paragraph 54), except when it is acquired as part of a business combination. Other examples of expenditure that is recognised as an expense when it is incurred include:

- (a) expenditure on start-up activities (ie start-up costs), unless this expenditure is included in the cost of an item of property, plant and equipment in accordance with Ind AS 16. Start-up costs may consist of establishment costs such as legal and secretarial costs incurred in establishing a legal entity, expenditure to open a new facility or business (ie pre-opening costs) or expenditures for starting new operations or launching new products or processes (ie pre-operating costs).
- (b) expenditure on training activities.

- (c) expenditure on advertising and promotional activities (including mail order catalogues).
 - (d) expenditure on relocating or reorganising part or all of an entity.
- 69A An entity has a right to access goods when it owns them. Similarly, it has a right to access goods when they have been constructed by a supplier in accordance with the terms of a supply contract and the entity could demand delivery of them in return for payment. Services are received when they are performed by a supplier in accordance with a contract to deliver them to the entity and not when the entity uses them to deliver another service, for example, to deliver an advertisement to customers.
- 70 Paragraph 68 does not preclude an entity from recognising a prepayment as an asset when payment for goods has been made in advance of the entity obtaining a right to access those goods. Similarly, paragraph 68 does not preclude an entity from recognising a prepayment as an asset when payment for services has been made in advance of the entity receiving those services.

Past expenses not to be recognised as an asset

- 71 **Expenditure on an intangible item that was initially recognised as an expense shall not be recognised as part of the cost of an intangible asset at a later date.**

Measurement after recognition

- 72 **An entity shall choose either the cost model in paragraph 74 or the revaluation model in paragraph 75 as its accounting policy. If an intangible asset is accounted for using the revaluation model, all the other assets in its class shall also be accounted for using the same model, unless there is no active market for those assets.**
- 73 A class of intangible assets is a grouping of assets of a similar nature and use in an entity's operations. The items within a class of intangible assets are revalued simultaneously to avoid selective revaluation of assets and the reporting of amounts in the financial statements representing a mixture of costs and values as at different dates.

Cost model

- 74 **After initial recognition, an intangible asset shall be carried at its cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses.**

Revaluation model

- 75 **After initial recognition, an intangible asset shall be carried at a revalued amount, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated amortisation and any subsequent accumulated impairment losses. For the purpose of revaluations under this Standard, fair value shall be measured by reference to an active market. Revaluations shall be made with such regularity that at the end of the reporting period the carrying amount of the asset does not differ materially from its fair value.**
- 76 The revaluation model does not allow:
- (a) the revaluation of intangible assets that have not previously been recognised as assets; or
 - (b) the initial recognition of intangible assets at amounts other than cost.
- 77 The revaluation model is applied after an asset has been initially recognised at cost. However, if only part of the cost of an intangible asset is recognised as an asset because the asset did not meet the criteria for recognition until part of the way through the process (see paragraph 65), the revaluation model may be applied to the whole of that asset.
- 78 It is uncommon for an active market to exist for an intangible asset, although this may happen. For example, in some jurisdictions, an active market may exist for freely transferable taxi licences, fishing licences or production quotas. However, an active market cannot exist for brands, newspaper mastheads, music and film publishing rights, patents or trademarks, because each such asset is unique. Also, although intangible assets are bought and sold, contracts are negotiated between individual buyers and sellers, and transactions are relatively infrequent. For these reasons, the price paid for one asset may not provide sufficient evidence of the fair value of another. Moreover, prices are often not available to the public.
- 79 The frequency of revaluations depends on the volatility of the fair values of the intangible assets being revalued. If the fair value of a revalued asset differs materially from its carrying amount, a further revaluation is necessary. Some intangible assets may experience significant and volatile movements in fair value, thus necessitating annual revaluation. Such frequent revaluations are unnecessary for intangible assets with only insignificant movements in fair value.

80 When an intangible asset is revalued, the carrying amount of that asset is adjusted to the revalued amount. At the date of the revaluation, the asset is treated in one of the following ways:

- (a) the gross carrying amount is adjusted in a manner that is consistent with the revaluation of the carrying amount of the asset. For example, the gross carrying amount may be restated by reference to observable market data or it may be restated proportionately to the change in the carrying amount. The accumulated amortisation at the date of the revaluation is adjusted to equal the difference between the gross carrying amount and the carrying amount of the asset after taking into account accumulated impairment losses; or
- (b) the accumulated amortisation is eliminated against the gross carrying amount of the asset.

The amount of the adjustment of accumulated amortisation forms part of the increase or decrease in the carrying amount that is accounted for in accordance with paragraphs 85 and 86.

81 **If an intangible asset in a class of revalued intangible assets cannot be revalued because there is no active market for this asset, the asset shall be carried at its cost less any accumulated amortisation and impairment losses.**

82 **If the fair value of a revalued intangible asset can no longer be measured by reference to an active market, the carrying amount of the asset shall be its revalued amount at the date of the last revaluation by reference to the active market less any subsequent accumulated amortisation and any subsequent accumulated impairment losses.**

83 The fact that an active market no longer exists for a revalued intangible asset may indicate that the asset may be impaired and that it needs to be tested in accordance with Ind AS 36.

84 If the fair value of the asset can be measured by reference to an active market at a subsequent measurement date, the revaluation model is applied from that date.

85 **If an intangible asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase shall be recognised in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase shall be recognised in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised in profit or loss.**

86 **If an intangible asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease shall be recognised in profit or loss. However, the decrease shall be recognised in other comprehensive income to the extent of any credit balance in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognised in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.**

87 The cumulative revaluation surplus included in equity may be transferred directly to retained earnings when the surplus is realised. The whole surplus may be realised on the retirement or disposal of the asset. However, some of the surplus may be realised as the asset is used by the entity; in such a case, the amount of the surplus realised is the difference between amortisation based on the revalued carrying amount of the asset and amortisation that would have been recognised based on the asset's historical cost. The transfer from revaluation surplus to retained earnings is not made through profit or loss.

Useful life

88 **An entity shall assess whether the useful life of an intangible asset is finite or indefinite and, if finite, the length of, or number of production or similar units constituting, that useful life. An intangible asset shall be regarded by the entity as having an indefinite useful life when, based on an analysis of all of the relevant factors, there is no foreseeable limit to the period over which the asset is expected to generate net cash inflows for the entity.**

89 The accounting for an intangible asset is based on its useful life. An intangible asset with a finite useful life is amortised (see paragraphs 97–106), and an intangible asset with an indefinite useful life is not (see paragraphs 107–110).

90 Many factors are considered in determining the useful life of an intangible asset, including:

- (a) the expected usage of the asset by the entity and whether the asset could be managed efficiently by another management team;
- (b) typical product life cycles for the asset and public information on estimates of useful lives of similar assets that are used in a similar way;
- (c) technical, technological, commercial or other types of obsolescence;

- (d) the stability of the industry in which the asset operates and changes in the market demand for the products or services output from the asset;
 - (e) expected actions by competitors or potential competitors;
 - (f) the level of maintenance expenditure required to obtain the expected future economic benefits from the asset and the entity's ability and intention to reach such a level;
 - (g) the period of control over the asset and legal or similar limits on the use of the asset, such as the expiry dates of related leases; and
 - (h) whether the useful life of the asset is dependent on the useful life of other assets of the entity.
- 91 The term 'indefinite' does not mean 'infinite'. The useful life of an intangible asset reflects only that level of future maintenance expenditure required to maintain the asset at its standard of performance assessed at the time of estimating the asset's useful life, and the entity's ability and intention to reach such a level. A conclusion that the useful life of an intangible asset is indefinite should not depend on planned future expenditure in excess of that required to maintain the asset at that standard of performance.
- 92 Given the history of rapid changes in technology, computer software and many other intangible assets are susceptible to technological obsolescence. Therefore, it will often be the case that their useful life is short. Expected future reductions in the selling price of an item that was produced using an intangible asset could indicate the expectation of technological or commercial obsolescence of the asset, which, in turn, might reflect a reduction of the future economic benefits embodied in the asset.
- 93 The useful life of an intangible asset may be very long or even indefinite. Uncertainty justifies estimating the useful life of an intangible asset on a prudent basis, but it does not justify choosing a life that is unrealistically short.
- 94 The useful life of an intangible asset that arises from contractual or other legal rights shall not exceed the period of the contractual or other legal rights, but may be shorter depending on the period over which the entity expects to use the asset. If the contractual or other legal rights are conveyed for a limited term that can be renewed, the useful life of the intangible asset shall include the renewal period(s) only if there is evidence to support renewal by the entity without significant cost. The useful life of a reacquired right recognised as an intangible asset in a business combination is the remaining contractual period of the contract in which the right was granted and shall not include renewal periods.**
- 95 There may be both economic and legal factors influencing the useful life of an intangible asset. Economic factors determine the period over which future economic benefits will be received by the entity. Legal factors may restrict the period over which the entity controls access to these benefits. The useful life is the shorter of the periods determined by these factors.
- 96 Existence of the following factors, among others, indicates that an entity would be able to renew the contractual or other legal rights without significant cost:
- (a) there is evidence, possibly based on experience, that the contractual or other legal rights will be renewed. If renewal is contingent upon the consent of a third party, this includes evidence that the third party will give its consent;
 - (b) there is evidence that any conditions necessary to obtain renewal will be satisfied; and
 - (c) the cost to the entity of renewal is not significant when compared with the future economic benefits expected to flow to the entity from renewal.
- If the cost of renewal is significant when compared with the future economic benefits expected to flow to the entity from renewal, the 'renewal' cost represents, in substance, the cost to acquire a new intangible asset at the renewal date.

Intangible assets with finite useful lives

Amortisation period and amortisation method

- 97 **The depreciable amount of an intangible asset with a finite useful life shall be allocated on a systematic basis over its useful life. Amortisation shall begin when the asset is available for use, ie when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Amortisation shall cease at the earlier of the date that the asset is classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with Ind AS 105 and the date that the asset is derecognised. The amortisation method used shall reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity. If that pattern**

cannot be determined reliably, the straight-line method shall be used. The amortisation charge for each period shall be recognised in profit or loss unless this or another Standard permits or requires it to be included in the carrying amount of another asset.

98 A variety of amortisation methods can be used to allocate the depreciable amount of an asset on a systematic basis over its useful life. These methods include the straight-line method, the diminishing balance method and the units of production method. The method used is selected on the basis of the expected pattern of consumption of the expected future economic benefits embodied in the asset and is applied consistently from period to period, unless there is a change in the expected pattern of consumption of those future economic benefits.

98A There is a rebuttable presumption that an amortisation method that is based on the revenue generated by an activity that includes the use of an intangible asset is inappropriate. The revenue generated by an activity that includes the use of an intangible asset typically reflects factors that are not directly linked to the consumption of the economic benefits embodied in the intangible asset. For example, revenue is affected by other inputs and processes, selling activities and changes in sales volumes and prices. The price component of revenue may be affected by inflation, which has no bearing upon the way in which an asset is consumed. This presumption can be overcome only in the limited circumstances:

- (a) in which the intangible asset is expressed as a measure of revenue, as described in paragraph 98C; or
- (b) when it can be demonstrated that revenue and the consumption of the economic benefits of the intangible asset are highly correlated.

98B In choosing an appropriate amortisation method in accordance with paragraph 98, an entity could determine the predominant limiting factor that is inherent in the intangible asset. For example, the contract that sets out the entity's rights over its use of an intangible asset might specify the entity's use of the intangible asset as a predetermined number of years (i.e. time), as a number of units produced or as a fixed total amount of revenue to be generated. Identification of such a predominant limiting factor could serve as the starting point for the identification of the appropriate basis of amortisation, but another basis may be applied if it more closely reflects the expected pattern of consumption of economic benefits.

98C In the circumstance in which the predominant limiting factor that is inherent in an intangible asset is the achievement of a revenue threshold, the revenue to be generated can be an appropriate basis for amortisation. For example, an entity could acquire a concession to explore and extract gold from a gold mine. The expiry of the contract might be based on a fixed amount of total revenue to be generated from the extraction (for example, a contract may allow the extraction of gold from the mine until total cumulative revenue from the sale of gold reaches Rs.2 billion) and not be based on time or on the amount of gold extracted. In another example, the right to operate a toll road could be based on a fixed total amount of revenue to be generated from cumulative tolls charged (for example, a contract could allow operation of the toll road until the cumulative amount of tolls generated from operating the road reaches Rs.100 million). In the case in which revenue has been established as the predominant limiting factor in the contract for the use of the intangible asset, the revenue that is to be generated might be an appropriate basis for amortising the intangible asset, provided that the contract specifies a fixed total amount of revenue to be generated on which amortisation is to be determined.

99 Amortisation is usually recognised in profit or loss. However, sometimes the future economic benefits embodied in an asset are absorbed in producing other assets. In this case, the amortisation charge constitutes part of the cost of the other asset and is included in its carrying amount. For example, the amortisation of intangible assets used in a production process is included in the carrying amount of inventories (see Ind AS 2, *Inventories*).

Residual value

100 **The residual value of an intangible asset with a finite useful life shall be assumed to be zero unless:**

- (a) **there is a commitment by a third party to purchase the asset at the end of its useful life; or**
- (b) **there is an active market (as defined in Ind AS 113) for the asset and:**
 - (i) **residual value can be determined by reference to that market; and**
 - (ii) **it is probable that such a market will exist at the end of the asset's useful life.**

101 The depreciable amount of an asset with a finite useful life is determined after deducting its residual value. A residual value other than zero implies that an entity expects to dispose of the intangible asset before the end of its economic life.

102 An estimate of an asset's residual value is based on the amount recoverable from disposal using prices prevailing at the date of the estimate for the sale of a similar asset that has reached the end of its useful life and has operated under conditions similar to those in which the asset will be used. The residual value is reviewed at least at each financial year-end. A change in the asset's residual value is accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.

103 The residual value of an intangible asset may increase to an amount equal to or greater than the asset's carrying amount. If it does, the asset's amortisation charge is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below the asset's carrying amount.

Review of amortisation period and amortisation method

104 **The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life shall be reviewed at least at each financial year-end. If the expected useful life of the asset is different from previous estimates, the amortisation period shall be changed accordingly. If there has been a change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset, the amortisation method shall be changed to reflect the changed pattern. Such changes shall be accounted for as changes in accounting estimates in accordance with Ind AS 8.**

105 During the life of an intangible asset, it may become apparent that the estimate of its useful life is inappropriate. For example, the recognition of an impairment loss may indicate that the amortisation period needs to be changed.

106 Over time, the pattern of future economic benefits expected to flow to an entity from an intangible asset may change. For example, it may become apparent that a diminishing balance method of amortisation is appropriate rather than a straight-line method. Another example is if use of the rights represented by a licence is deferred pending action on other components of the business plan. In this case, economic benefits that flow from the asset may not be received until later periods.

Intangible assets with indefinite useful lives

107 **An intangible asset with an indefinite useful life shall not be amortised.**

108 In accordance with Ind AS 36, an entity is required to test an intangible asset with an indefinite useful life for impairment by comparing its recoverable amount with its carrying amount

(a) annually, and

(b) whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

Review of useful life assessment

109 **The useful life of an intangible asset that is not being amortised shall be reviewed each period to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite shall be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with Ind AS 8.**

110 In accordance with Ind AS 36, reassessing the useful life of an intangible asset as finite rather than indefinite is an indicator that the asset may be impaired. As a result, the entity tests the asset for impairment by comparing its recoverable amount, determined in accordance with Ind AS 36, with its carrying amount, and recognising any excess of the carrying amount over the recoverable amount as an impairment loss.

Recoverability of the carrying amount—impairment losses

111 To determine whether an intangible asset is impaired, an entity applies Ind AS 36. That Standard explains when and how an entity reviews the carrying amount of its assets, how it determines the recoverable amount of an asset and when it recognises or reverses an impairment loss.

Retirements and disposals

112 **An intangible asset shall be derecognised:**

(a) on disposal; or

(b) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

113 **The gain or loss arising from the derecognition of an intangible asset shall be determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset. It shall be recognised in profit or loss when the asset is derecognised (unless Ind AS 17 requires otherwise on a sale and leaseback). Gains shall not be classified as revenue.**

- 114 The disposal of an intangible asset may occur in a variety of ways (eg by sale, by entering into a finance lease, or by donation). The date of disposal of an intangible asset is the date that the recipient obtains control of that asset in accordance with the requirements for determining when a performance obligation is satisfied in Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*. Ind AS 17 applies to disposal by a sale and leaseback.
- 115 If in accordance with the recognition principle in paragraph 21 an entity recognises in the carrying amount of an asset the cost of a replacement for part of an intangible asset, then it derecognises the carrying amount of the replaced part. If it is not practicable for an entity to determine the carrying amount of the replaced part, it may use the cost of the replacement as an indication of what the cost of the replaced part was at the time it was acquired or internally generated.
- 115A In the case of a reacquired right in a business combination, if the right is subsequently reissued (sold) to a third party, the related carrying amount, if any, shall be used in determining the gain or loss on reissue.
- 116 The amount of consideration to be included in the gain or loss arising from the derecognition of an intangible asset is determined in accordance with the requirements for determining the transaction price in paragraphs 47–72 of Ind AS 115. Subsequent changes to the estimated amount of the consideration included in the gain or loss shall be accounted for in accordance with the requirements for changes in the transaction price in Ind AS 115.
- 117 Amortisation of an intangible asset with a finite useful life does not cease when the intangible asset is no longer used, unless the asset has been fully depreciated or is classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with Ind AS 105.

Disclosure

General

- 118 **An entity shall disclose the following for each class of intangible assets, distinguishing between internally generated intangible assets and other intangible assets:**
- (a) **whether the useful lives are indefinite or finite and, if finite, the useful lives or the amortisation rates used;**
 - (b) **the amortisation methods used for intangible assets with finite useful lives;**
 - (c) **the gross carrying amount and any accumulated amortisation (aggregated with accumulated impairment losses) at the beginning and end of the period;**
 - (d) **the line item(s) of the statement of profit and loss in which any amortisation of intangible assets is included;**
 - (e) **a reconciliation of the carrying amount at the beginning and end of the period showing:**
 - (i) **additions, indicating separately those from internal development, those acquired separately, and those acquired through business combinations;**
 - (ii) **assets classified as held for sale or included in a disposal group classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 and other disposals;**
 - (iii) **increases or decreases during the period resulting from revaluations under paragraphs 75, 85 and 86 and from impairment losses recognised or reversed in other comprehensive income in accordance with Ind AS 36 (if any);**
 - (iv) **impairment losses recognised in profit or loss during the period in accordance with Ind AS 36 (if any);**
 - (v) **impairment losses reversed in profit or loss during the period in accordance with Ind AS 36 (if any);**
 - (vi) **any amortisation recognised during the period;**
 - (vii) **net exchange differences arising on the translation of the financial statements into the presentation currency, and on the translation of a foreign operation into the presentation currency of the entity; and**
 - (viii) **other changes in the carrying amount during the period.**
- 119 A class of intangible assets is a grouping of assets of a similar nature and use in an entity's operations. Examples of separate classes may include:

- (a) brand names;
- (b) mastheads and publishing titles;
- (c) computer software;
- (d) licences and franchises;
- (e) copyrights, patents and other industrial property rights, service and operating rights;
- (f) recipes, formulae, models, designs and prototypes; and
- (g) intangible assets under development.

The classes mentioned above are disaggregated (aggregated) into smaller (larger) classes if this results in more relevant information for the users of the financial statements.

120 An entity discloses information on impaired intangible assets in accordance with Ind AS 36 in addition to the information required by paragraph 118(e)(iii)–(v).

121 Ind AS 8 requires an entity to disclose the nature and amount of a change in an accounting estimate that has a material effect in the current period or is expected to have a material effect in subsequent periods. Such disclosure may arise from changes in:

- (a) the assessment of an intangible asset's useful life;
- (b) the amortisation method; or
- (c) residual values.

122 **An entity shall also disclose:**

- (a) **for an intangible asset assessed as having an indefinite useful life, the carrying amount of that asset and the reasons supporting the assessment of an indefinite useful life. In giving these reasons, the entity shall describe the factor(s) that played a significant role in determining that the asset has an indefinite useful life.**
- (b) **a description, the carrying amount and remaining amortisation period of any individual intangible asset that is material to the entity's financial statements.**
- (c) **for intangible assets acquired by way of a Government grant and initially recognised at fair value (see paragraph 44):**
 - (i) **the fair value initially recognised for these assets;**
 - (ii) **their carrying amount; and**
 - (iii) **whether they are measured after recognition under the cost model or the revaluation model.**
- (d) **the existence and carrying amounts of intangible assets whose title is restricted and the carrying amounts of intangible assets pledged as security for liabilities.**
- (e) **the amount of contractual commitments for the acquisition of intangible assets.**

123 When an entity describes the factor(s) that played a significant role in determining that the useful life of an intangible asset is indefinite, the entity considers the list of factors in paragraph 90.

Intangible assets measured after recognition using the revaluation model

124 **If intangible assets are accounted for at revalued amounts, an entity shall disclose the following:**

- a. **by class of intangible assets:**
 - (i) **the effective date of the revaluation;**
 - (ii) **the carrying amount of revalued intangible assets; and**
 - (iii) **the carrying amount that would have been recognised had the revalued class of intangible assets been measured after recognition using the cost model in paragraph 74; and**
- b. **the amount of the revaluation surplus that relates to intangible assets at the beginning and end of the period, indicating the changes during the period and any restrictions on the distribution of the balance to shareholders.**
- c. **[Refer Appendix 1]**

- 125 It may be necessary to aggregate the classes of revalued assets into larger classes for disclosure purposes. However, classes are not aggregated if this would result in the combination of a class of intangible assets that includes amounts measured under both the cost and revaluation models.

Research and development expenditure

- 126 **An entity shall disclose the aggregate amount of research and development expenditure recognised as an expense during the period.**

- 127 Research and development expenditure comprises all expenditure that is directly attributable to research or development activities (see paragraphs 66 and 67 for guidance on the type of expenditure to be included for the purpose of the disclosure requirement in paragraph 126).

Other information

- 128 An entity is encouraged, but not required, to disclose the following information:
- (a) a description of any fully amortised intangible asset that is still in use; and
 - (b) a brief description of significant intangible assets controlled by the entity but not recognised as assets because they did not meet the recognition criteria in this Standard or because they were acquired or generated before this standard was effective.

Appendix A

Intangible Assets—Web Site Costs

This appendix is an integral part of the Ind AS.

Issue

- 1 An entity may incur internal expenditure on the development and operation of its own web site for internal or external access. A web site designed for external access may be used for various purposes such as to promote and advertise an entity's own products and services, provide electronic services, and sell products and services. A web site designed for internal access may be used to store company policies and customer details, and search relevant information.
- 2 The stages of a web site's development can be described as follows:
 - (a) Planning – includes undertaking feasibility studies, defining objectives and specifications, evaluating alternatives and selecting preferences.
 - (b) Application and Infrastructure Development – includes obtaining a domain name, purchasing and developing hardware and operating software, installing developed applications and stress testing.
 - (c) Graphical Design Development – includes designing the appearance of web pages.
 - (d) Content Development – includes creating, purchasing, preparing and uploading information, either textual or graphical in nature, on the web site before the completion of the web site's development. This information may either be stored in separate databases that are integrated into (or accessed from) the web site or coded directly into the web pages.
- 3 Once development of a web site has been completed, the Operating stage begins. During this stage, an entity maintains and enhances the applications, infrastructure, graphical design and content of the web site.
- 4 When accounting for internal expenditure on the development and operation of an entity's own web site for internal or external access, the issues are:
 - (a) whether the web site is an internally generated intangible asset that is subject to the requirements of Ind AS 38; and
 - (b) the appropriate accounting treatment of such expenditure.
- 5 This Appendix does not apply to expenditure on purchasing, developing, and operating hardware (eg web servers, staging servers, production servers and Internet connections) of a web site. Such expenditure is accounted for under Ind AS 16. Additionally, when an entity incurs expenditure on an Internet service provider hosting the entity's web site, the expenditure is recognised as an expense under paragraph 88 of Ind AS 1 and the *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards* issued by The Institute of Chartered Accountants of India when the services are received.

- 6 Ind AS 38 does not apply to intangible assets held by an entity for sale in the ordinary course of business (see Ind AS 2 and Ind AS 115) or leases that fall within the scope of Ind AS 17. Accordingly, this Appendix does not apply to expenditure on the development or operation of a web site (or web site software) for sale to another entity. When a web site is leased under an operating lease, the lessor applies this Appendix. When a web site is leased under a finance lease, the lessee applies this Appendix after initial recognition of the leased asset.

Accounting Principles

- 7 An entity's own web site that arises from development and is for internal or external access is an internally generated intangible asset that is subject to the requirements of Ind AS 38.
- 8 A web site arising from development shall be recognised as an intangible asset if, and only if, in addition to complying with the general requirements described in paragraph 21 of Ind AS 38 for recognition and initial measurement, an entity can satisfy the requirements in paragraph 57 of Ind AS 38. In particular, an entity may be able to satisfy the requirement to demonstrate how its web site will generate probable future economic benefits in accordance with paragraph 57 (d) of Ind AS 38 when, for example, the web site is capable of generating revenues, including direct revenues from enabling orders to be placed. An entity is not able to demonstrate how a web site developed solely or primarily for promoting and advertising its own products and services will generate probable future economic benefits, and consequently all expenditure on developing such a web site shall be recognised as an expense when incurred.
- 9 Any internal expenditure on the development and operation of an entity's own web site shall be accounted for in accordance with Ind AS 38. The nature of each activity for which expenditure is incurred (eg training employees and maintaining the web site) and the web site's stage of development or post-development shall be evaluated to determine the appropriate accounting treatment. For example:
- (a) the Planning stage is similar in nature to the research phase in paragraphs 54-56 of Ind AS 38. Expenditure incurred in this stage shall be recognised as an expense when it is incurred.
 - (b) the Application and Infrastructure Development stage, the Graphical Design stage and the Content Development stage, to the extent that content is developed for purposes other than to advertise and promote an entity's own products and services, are similar in nature to the development phase in paragraphs 57-64 of Ind AS 38. Expenditure incurred in these stages shall be included in the cost of a web site recognised as an intangible asset in accordance with paragraph 8 of this Appendix when the expenditure can be directly attributed and is necessary to creating, producing or preparing the web site for it to be capable of operating in the manner intended by management. For example, expenditure on purchasing or creating content (other than content that advertises and promotes an entity's own products and services) specifically for a web site, or expenditure to enable use of the content (eg a fee for acquiring a licence to reproduce) on the web site, shall be included in the cost of development when this condition is met. However, in accordance with paragraph 71 of Ind AS 38, expenditure on an intangible item that was initially recognised as an expense in previous financial statements shall not be recognised as part of the cost of an intangible asset at a later date (eg if the costs of a copyright have been fully amortised, and the content is subsequently provided on a web site).
 - (c) expenditure incurred in the Content Development stage, to the extent that content is developed to advertise and promote an entity's own products and services (eg digital photographs of products), shall be recognised as an expense when incurred in accordance with paragraph 69(c) of Ind AS 38. For example, when accounting for expenditure on professional services for taking digital photographs of an entity's own products and for enhancing their display, expenditure shall be recognised as an expense as the professional services are received during the process, not when the digital photographs are displayed on the web site.
 - (d) the Operating stage begins once development of a web site is complete. Expenditure incurred in this stage shall be recognised as an expense when it is incurred unless it meets the recognition criteria in paragraph 18 of Ind AS 38.
- 10 A web site that is recognised as an intangible asset under paragraph 8 of this Appendix shall be measured after initial recognition by applying the requirements of paragraphs 72-87 of Ind AS 38. The best estimate of a web site's useful life should be short.

Appendix B

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This appendix is an integral part of the Ind AS.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and make reference to Ind AS 38, *Intangible Assets*.

1. Appendix C, Service Concession Arrangements contained in Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers.
2. Appendix D, Service Concession Arrangements: Disclosures contained in Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers.
3. Appendix C, Determining whether an Arrangement contains a Lease, contained in Ind AS 17, Leases.
4. Appendix B, *Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine*, contained in Ind AS 16, Property, Plant and Equipment.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 38 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 38, Intangible Assets, and SIC 32, Intangible Assets—Web Site Costs, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 38, *Intangible Assets* and SIC 32

- 1 With regard to the acquisition of an intangible asset by way of a Government grant, IAS 38, *Intangible Assets*, provides the option to an entity to recognise both asset and grant initially at fair value or at a nominal amount plus any expenditure that is directly attributable to preparing the asset for its intended use. Ind AS 38 allows only fair value for recognising the intangible asset and grant in accordance with Ind AS 20.
- 2 The transitional provisions given in IAS 38 have not been given in Ind AS 38, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate, have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
- 3 Different terminology is used in this standard, eg, the term ‘balance sheet’ is used instead of ‘Statement of financial position’ and ‘Statement of profit and loss’ is used instead of ‘Statement of comprehensive income’.
- 4 Paragraph 7AA has been inserted to scope out the entity that opts to amortise the intangible assets arising from service concession arrangements in respect of toll roads recognised in the financial statements for the period ending immediately before the beginning of the first Ind AS reporting period as per the exception given in paragraph D22 of Appendix D to Ind AS 101.
- 5 Following Paragraph numbers appear as ‘Deleted’ in IAS 38. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 38, the paragraph number have been retained in Ind AS 38.
 - (i) paragraphs 38-41
 - (ii) paragraph 124(c)
- 6 Following references to Illustrative Examples which are not integral part of IAS 38 or SIC 32 have not been included in Ind AS 38:
 - (i) Reference to Illustrative Examples in paragraph 89 illustrating the determination of useful life for different intangible assets, and the subsequent accounting for those assets based on the useful life determinations.
 - (ii) Reference in paragraph 9 of SIC 32 to additional guidance provided in examples.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 40

Investment Property

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

1. The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment for investment property and related disclosure requirements.

Scope

2. **This Standard shall be applied in the recognition, measurement and disclosure of investment property.**
3. Among other things, this Standard applies to the measurement in a lessee's financial statements of investment property interests held under a lease accounted for as a finance lease and to the measurement in a lessor's financial statements of investment property provided to a lessee under an operating lease. This Standard does not deal with matters covered in Ind AS 17, *Leases*, including:
 - (a) classification of leases as finance leases or operating leases;
 - (b) recognition of lease income from investment property (see also Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*);
 - (c) measurement in a lessee's financial statements of property interests held under a lease accounted for as an operating lease;
 - (d) measurement in a lessor's financial statements of its net investment in a finance lease;
 - (e) accounting for sale and leaseback transactions; and
 - (f) disclosure about finance leases and operating leases.
4. This Standard does not apply to:
 - (a) biological assets related to agricultural activity (see Ind AS 41, *Agriculture* and Ind AS 16 *Property, Plant and Equipment*); and
 - (b) mineral rights and mineral reserves such as oil, natural gas and similar non-regenerative resources.

Definitions

5. **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

Carrying amount is the amount at which an asset is recognised in the balance sheet.

Cost is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction or, where applicable, the amount attributed to that asset when initially recognised in accordance with the specific requirements of other Ind ASs, eg Ind AS 102, *Share-based Payment*.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113, *Fair Value Measurement*).

Investment property is property (land or a building—or part of a building—or both) held (by the owner or by the lessee under a finance lease) to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for:

- (a) use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or
- (b) sale in the ordinary course of business.

Owner-occupied property is property held (by the owner or by the lessee under a finance lease) for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes.

Classification of property as investment property or owner-occupied property

6. **[Refer Appendix 1]**
7. Investment property is held to earn rentals or for capital appreciation or both. Therefore, an investment property generates cash flows largely independently of the other assets held by an entity. This distinguishes investment property from owner-occupied property. The production or supply of goods or services (or the use of property for administrative purposes) generates cash flows that are attributable not only to property, but also to other assets used in the production or supply process. Ind AS 16 applies to owner-occupied property.
8. The following are examples of investment property:
 - (a) land held for long-term capital appreciation rather than for short-term sale in the ordinary course of business.
 - (b) land held for a currently undetermined future use. (If an entity has not determined that it will use the land as owner-occupied property or for short-term sale in the ordinary course of business, the land is regarded as held for capital appreciation.)

- (c) a building owned by the entity (or held by the entity under a finance lease) and leased out under one or more operating leases.
 - (d) a building that is vacant but is held to be leased out under one or more operating leases.
 - (e) property that is being constructed or developed for future use as investment property.
9. The following are examples of items that are not investment property and are therefore outside the scope of this Standard:
- (a) property intended for sale in the ordinary course of business or in the process of construction or development for such sale (see Ind AS 2, *Inventories*), for example, property acquired exclusively with a view to subsequent disposal in the near future or for development and resale.
 - (b) [Refer Appendix 1]
 - (c) owner-occupied property (see Ind AS 16), including (among other things) property held for future use as owner-occupied property, property held for future development and subsequent use as owner-occupied property, property occupied by employees (whether or not the employees pay rent at market rates) and owner-occupied property awaiting disposal.
 - (d) [Refer Appendix 1]
 - (e) property that is leased to another entity under a finance lease.
10. Some properties comprise a portion that is held to earn rentals or for capital appreciation and another portion that is held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes. If these portions could be sold separately (or leased out separately under a finance lease), an entity accounts for the portions separately. If the portions could not be sold separately, the property is investment property only if an insignificant portion is held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes.
11. In some cases, an entity provides ancillary services to the occupants of a property it holds. An entity treats such a property as investment property if the services are insignificant to the arrangement as a whole. An example is when the owner of an office building provides security and maintenance services to the lessees who occupy the building.
12. In other cases, the services provided are significant. For example, if an entity owns and manages a hotel, services provided to guests are significant to the arrangement as a whole. Therefore, an owner-managed hotel is owner-occupied property, rather than investment property.
13. It may be difficult to determine whether ancillary services are so significant that a property does not qualify as investment property. For example, the owner of a hotel sometimes transfers some responsibilities to third parties under a management contract. The terms of such contracts vary widely. At one end of the spectrum, the owner's position may, in substance, be that of a passive investor. At the other end of the spectrum, the owner may simply have outsourced day-to-day functions while retaining significant exposure to variation in the cash flows generated by the operations of the hotel.
14. Judgement is needed to determine whether a property qualifies as investment property. An entity develops criteria so that it can exercise that judgement consistently in accordance with the definition of investment property and with the related guidance in paragraphs 7–13. Paragraph 75(c) requires an entity to disclose these criteria when classification is difficult.
- 14A Judgement is also needed to determine whether the acquisition of investment property is the acquisition of an asset or a group of assets or a business combination within the scope of Ind AS 103, *Business Combinations*. Reference should be made to Ind AS 103 to determine whether it is a business combination. The discussion in paragraphs 7–14 of this Standard relates to whether or not property is owner-occupied property or investment property and not to determining whether or not the acquisition of property is a business combination as defined in Ind AS 103. Determining whether a specific transaction meets the definition of a business combination as defined in Ind AS 103 and includes an investment property as defined in this Standard requires the separate application of both Standards.
15. In some cases, an entity owns property that is leased to, and occupied by, its parent or another subsidiary. The property does not qualify as investment property in the consolidated financial statements, because the property is owner-occupied from the perspective of the group. However, from the perspective of the entity

that owns it, the property is investment property if it meets the definition in paragraph 5. Therefore, the lessor treats the property as investment property in its individual financial statements.

Recognition

16. Investment property shall be recognised as an asset when, and only when:

- (a) **it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and**
 - (b) **the cost of the investment property can be measured reliably.**
17. An entity evaluates under this recognition principle all its investment property costs at the time they are incurred. These costs include costs incurred initially to acquire an investment property and costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service a property.
18. Under the recognition principle in paragraph 16, an entity does not recognise in the carrying amount of an investment property the costs of the day-to-day servicing of such a property. Rather, these costs are recognised in profit or loss as incurred. Costs of day-to-day servicing are primarily the cost of labour and consumables, and may include the cost of minor parts. The purpose of these expenditures is often described as for the 'repairs and maintenance' of the property.
19. Parts of investment properties may have been acquired through replacement. For example, the interior walls may be replacements of original walls. Under the recognition principle, an entity recognises in the carrying amount of an investment property the cost of replacing part of an existing investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met. The carrying amount of those parts that are replaced is derecognised in accordance with the derecognition provisions of this Standard.

Measurement at recognition

20. An investment property shall be measured initially at its cost. Transaction costs shall be included in the initial measurement.

21. The cost of a purchased investment property comprises its purchase price and any directly attributable expenditure. Directly attributable expenditure includes, for example, professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs.
22. [Refer Appendix 1]
23. The cost of an investment property is not increased by:
- (a) start-up costs (unless they are necessary to bring the property to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management),
 - (b) operating losses incurred before the investment property achieves the planned level of occupancy, or
 - (c) abnormal amounts of wasted material, labour or other resources incurred in constructing or developing the property.
24. If payment for an investment property is deferred, its cost is the cash price equivalent. The difference between this amount and the total payments is recognised as interest expense over the period of credit.
25. **The initial cost of a property interest held under a lease and classified as an investment property shall be as prescribed for a finance lease by paragraph 20 of Ind AS 17, ie the asset shall be recognised at the lower of the fair value of the property and the present value of the minimum lease payments. An equivalent amount shall be recognised as a liability in accordance with that same paragraph.**
26. Any premium paid for a lease is treated as part of the minimum lease payments for this purpose, and is therefore included in the cost of the asset, but is excluded from the liability. If a property interest held under a lease is classified as investment property, the item accounted for at fair value is that interest and not the underlying property. Guidance on measuring the fair value of a property interest is set out in paragraphs 33–52 and in Ind AS 113. That guidance is also relevant to the measurement of fair value when that value is used as cost for initial recognition purposes.
27. One or more investment properties may be acquired in exchange for a non-monetary asset or assets, or a combination of monetary and non-monetary assets. The following discussion refers to an exchange of one non-monetary asset for another, but it also applies to all exchanges described in the preceding sentence. The cost of such an investment property is measured at fair value unless (a) the exchange transaction lacks commercial substance or (b) the fair value of neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable. The acquired asset is measured in this way even if an entity cannot immediately derecognise the

asset given up. If the acquired asset is not measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up.

28. An entity determines whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which its future cash flows are expected to change as a result of the transaction. An exchange transaction has commercial substance if:

- (a) the configuration (risk, timing and amount) of the cash flows of the asset received differs from the configuration of the cash flows of the asset transferred, or
- (b) the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction changes as a result of the exchange, and
- (c) the difference in (a) or (b) is significant relative to the fair value of the assets exchanged.

For the purpose of determining whether an exchange transaction has commercial substance, the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction shall reflect post-tax cash flows. The result of these analyses may be clear without an entity having to perform detailed calculations.

29. The fair value of an asset is reliably measurable if (a) the variability in the range of reasonable fair value measurements is not significant for that asset or (b) the probabilities of the various estimates within the range can be reasonably assessed and used when measuring fair value. If the entity is able to measure reliably the fair value of either the asset received or the asset given up, then the fair value of the asset given up is used to measure cost unless the fair value of the asset received is more clearly evident.

Measurement after recognition

Accounting policy

30. **An entity shall adopt as its accounting policy the cost model prescribed in paragraph 56 to all of its investment property.**

31. [Refer Appendix 1]

32. This Standard requires all entities to measure the fair value of investment property, for the purpose of disclosure even though they are required to follow the cost model. An entity is encouraged, but not required, to measure the fair value of investment property on the basis of a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

32A-32C [Refer Appendix 1]

Fair value measurement

- 33-35 [Refer Appendix 1]

- 36-39 [Refer Appendix 1]

- 40 When measuring the fair value of investment property in accordance with Ind AS 113, an entity shall ensure that the fair value reflects, among other things, rental income from current leases and other assumptions that market participants would use when pricing investment property under current market conditions.

- 41 [Refer Appendix 1]

- 42-47 [Refer Appendix 1]

- 48 In exceptional cases, there is clear evidence when an entity first acquires an investment property (or when an existing property first becomes investment property after a change in use) that the variability in the range of reasonable fair value measurements will be so great, and the probabilities of the various outcomes so difficult to assess, that the usefulness of a single measure of fair value is negated. This may indicate that the fair value of the property will not be reliably measurable on a continuing basis (see paragraph 53).

- 49-52 [Refer Appendix 1]

Inability to measure fair value reliably

- 53 **There is a rebuttable presumption that an entity can reliably measure the fair value of an investment property on a continuing basis. However, in exceptional cases, there is clear evidence when an entity first acquires an investment property (or when an existing property first becomes investment property after a change in use) that the fair value of the investment property is not reliably measurable on a continuing basis. This arises when, and only when, the market for comparable properties is inactive (eg there are few recent transactions, price quotations are not current or observed transaction prices**

indicate that the seller was forced to sell) and alternative reliable measurements of fair value (for example, based on discounted cash flow projections) are not available. If an entity determines that the fair value of an investment property under construction is not reliably measurable but expects the fair value of the property to be reliably measurable when construction is complete, it shall measure the fair value of that investment property either when its fair value becomes reliably measurable or construction is completed (whichever is earlier). If an entity determines that the fair value of an investment property (other than an investment property under construction) is not reliably measurable on a continuing basis, the entity shall make the disclosures required by paragraphs 79(e)(i), (ii) and (iii).

- 53A Once an entity becomes able to measure reliably the fair value of an investment property under construction for which the fair value was not previously measured, it shall measure the fair value of that property. Once construction of that property is complete, it is presumed that fair value can be measured reliably. If this is not the case, in accordance with paragraph 53, the entity shall make the disclosures required by paragraphs 79(e)(i), (ii) and (iii).
- 53B The presumption that the fair value of investment property under construction can be measured reliably can be rebutted only on initial recognition. An entity that has measured the fair value of an item of investment property under construction may not conclude that the fair value of the completed investment property cannot be measured reliably.
- 54 In the exceptional cases when an entity is compelled, for the reason given in paragraph 53, to make the disclosures required by paragraphs 79(e)(i), (ii) and (iii), it shall determine the fair value of all its other investment property, including investment property under construction. In these cases, although an entity may make the disclosures required by paragraphs 79(e)(i), (ii) and (iii) for one investment property, the entity shall continue to determine the fair value of each of the remaining properties for disclosure required by paragraph 79(e).
- 55 **If an entity has previously measured the fair value of an investment property, it shall continue to measure the fair value of that property until disposal (or until the property becomes owner-occupied property or the entity begins to develop the property for subsequent sale in the ordinary course of business) even if comparable market transactions become less frequent or market prices become less readily available.**

Cost model

- 56 **After initial recognition, an entity shall measure all of its investment properties in accordance with Ind AS 16's requirements for cost model, other than those that meet the criteria to be classified as held for sale (or are included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*. Investment properties that meet the criteria to be classified as held for sale (or are included in a disposal group that is classified as held for sale) shall be measured in accordance with Ind AS 105.**

Transfers

- 57 **Transfers to, or from, investment property shall be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by:**
- (a) commencement of owner-occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;
 - (b) commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;
 - (c) end of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; or
 - (d) commencement of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.
 - (e) [Refer Appendix 1]
- 58 Paragraph 57(b) requires an entity to transfer a property from investment property to inventories when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of development with a view to sale. When an entity decides to dispose of an investment property without development, it continues to treat the property as an investment property until it is derecognised (eliminated from the balance sheet) and does not treat it as inventory. Similarly, if an entity begins to redevelop an existing investment property for continued future use

as investment property, the property remains an investment property and is not reclassified as owner-occupied property during the redevelopment.

- 59 Transfers between investment property, owner-occupied property and inventories do not change the carrying amount of the property transferred and they do not change the cost of that property for measurement or disclosure purposes.

60-65 [Refer Appendix 1]

Disposals

- 66 **An investment property shall be derecognised (eliminated from the balance sheet) on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal.**

- 67 The disposal of an investment property may be achieved by sale or by entering into a finance lease. The date of disposal for investment property is the date the recipient obtains control of the investment property in accordance with the requirements for determining when a performance obligation is satisfied in Ind AS 115. Ind AS 17 applies to a disposal effected by entering into a finance lease and to a sale and leaseback.

- 68 If, in accordance with the recognition principle in paragraph 16, an entity recognises in the carrying amount of an asset the cost of a replacement for part of an investment property, it derecognises the carrying amount of the replaced part. A replaced part may not be a part that was depreciated separately. If it is not practicable for an entity to determine the carrying amount of the replaced part, it may use the cost of the replacement as an indication of what the cost of the replaced part was at the time it was acquired or constructed.

- 69 **Gains or losses arising from the retirement or disposal of investment property shall be determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and shall be recognised in profit or loss (unless Ind AS 17 requires otherwise on a sale and leaseback) in the period of the retirement or disposal.**

- 70 The amount of consideration to be included in the gain or loss arising from the derecognition of an investment property is determined in accordance with the requirements for determining the transaction price in paragraphs 47–72 of Ind AS 115. Subsequent changes to the estimated amount of the consideration included in the gain or loss shall be accounted for in accordance with the requirements for changes in the transaction price in Ind AS 115.

- 71 An entity applies Ind AS 37 or other Standards, as appropriate, to any liabilities that it retains after disposal of an investment property.

- 72 **Compensation from third parties for investment property that was impaired, lost or given up shall be recognised in profit or loss when the compensation becomes receivable.**

- 73 Impairments or losses of investment property, related claims for or payments of compensation from third parties and any subsequent purchase or construction of replacement assets are separate economic events and are accounted for separately as follows:

- (a) impairments of investment property are recognised in accordance with Ind AS 36;
- (b) retirements or disposals of investment property are recognised in accordance with paragraphs 66–71 of this Standard;
- (c) compensation from third parties for investment property that was impaired, lost or given up is recognised in profit or loss when it becomes receivable; and
- (d) the cost of assets restored, purchased or constructed as replacements is determined in accordance with paragraphs 20–29 of this Standard.

Disclosure

- 74 The disclosures below apply in addition to those in Ind AS 17. In accordance with Ind AS 17, the owner of an investment property provides lessors' disclosures about leases into which it has entered. An entity that holds an investment property under a finance lease provides lessees' disclosures for finance leases and lessors' disclosures for any operating leases into which it has entered.

- 75 **An entity shall disclose:**

- (a) **its accounting policy for measurement of investment property.**
- (b) **[Refer Appendix 1]**

- (c) when classification is difficult (see paragraph 14), the criteria it uses to distinguish investment property from owner-occupied property and from property held for sale in the ordinary course of business.
- (d) [Refer Appendix 1]
- (e) the extent to which the fair value of investment property (as measured or disclosed in the financial statements) is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. If there has been no such valuation, that fact shall be disclosed.
- (f) the amounts recognised in profit or loss for:
 - (i) rental income from investment property;
 - (ii) direct operating expenses (including repairs and maintenance) arising from investment property that generated rental income during the period; and
 - (iii) direct operating expenses (including repairs and maintenance) arising from investment property that did not generate rental income during the period.
 - (iv) [Refer Appendix 1]
- (g) the existence and amounts of restrictions on the realisability of investment property or the remittance of income and proceeds of disposal.
- (h) contractual obligations to purchase, construct or develop investment property or for repairs, maintenance or enhancements.

76-78 [Refer Appendix 1]

79 In addition to the disclosures required by paragraph 75, an entity shall disclose:

- (a) the depreciation methods used;
- (b) the useful lives or the depreciation rates used;
- (c) the gross carrying amount and the accumulated depreciation (aggregated with accumulated impairment losses) at the beginning and end of the period;
- (d) a reconciliation of the carrying amount of investment property at the beginning and end of the period, showing the following:
 - (i) additions, disclosing separately those additions resulting from acquisitions and those resulting from subsequent expenditure recognised as an asset;
 - (ii) additions resulting from acquisitions through business combinations;
 - (iii) assets classified as held for sale or included in a disposal group classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 and other disposals;
 - (iv) depreciation;
 - (v) the amount of impairment losses recognised, and the amount of impairment losses reversed, during the period in accordance with Ind AS 36;
 - (vi) the net exchange differences arising on the translation of the financial statements into a different presentation currency, and on translation of a foreign operation into the presentation currency of the reporting entity;
 - (vii) transfers to and from inventories and owner-occupied property; and
 - (viii) other changes.
- (e) the fair value of investment property. In the exceptional cases described in paragraph 53, when an entity cannot measure the fair value of the investment property reliably, it shall disclose:
 - (i) a description of the investment property;
 - (ii) an explanation of why fair value cannot be measured reliably; and
 - (iii) if possible, the range of estimates within which fair value is highly likely to lie.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the major differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 40 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 40, Investment Property, issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 40, Investment Property

- 1 IAS 40 permits both cost model and fair value model (except in some situations) for measurement of investment properties after initial recognition. Ind AS 40 permits only the cost model. The following paragraphs of IAS 40 which deal with fair value model have been deleted in Ind AS 40. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 40, the paragraph numbers are retained in Ind AS 40:
 - (i) Paragraph 6
 - (ii) Paragraph 31
 - (iii) Paragraphs 32A-32C
 - (iv) Paragraphs 33-35
 - (v) Paragraph 41
 - (vi) Paragraph 50
 - (vii) Paragraph 52
 - (viii) Paragraphs 60-65
 - (ix) Paragraph 75(b)
 - (x) Paragraph 75(f)(iv)
 - (xi) Paragraphs 76-78
- 2 The transitional provisions given in IAS 40 have not been included in Ind AS 40 since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
- 3 IAS 40 requires disclosure of fair values of investment property when cost model is used. Since this requirement is retained in Ind AS 40, paragraphs 53, 53A, 53B, 54 and 55 and certain other paragraphs of IAS 40 have been modified. The modifications include deletion of reference to use of cost model when fair value measurement is unreliable.
- 4 IAS 40 permits treatment of property interest held in an operating lease as investment property, if the definition of investment property is otherwise met and fair value model is applied. In such cases, the operating lease would be accounted as if it were a finance lease. Since Ind AS 40 prohibits the use of fair value model, this treatment is prohibited in Ind AS 40. As a result, paragraph 6 of IAS 40 has been deleted in Ind AS 40 (see point 1(i) above). In addition, the expression 'investment property under a finance or operating lease' appearing in paragraph 74 of IAS 40 has been modified as 'investment property under a finance lease' in Ind AS 40.
- 5 As a result of prohibition of use of fair value model in Ind AS 40, there are some modifications in the wording of paragraph 26 (removal of the words 'for the fair value model'), paragraphs 30 and 32 (Accounting policy), heading above paragraph 33 ('Fair value determination' instead of 'Fair value model'), paragraph 56, paragraph 59 (deletion of portion relating to fair value model), paragraph 68 (deletion of a portion dealing with fair value model), heading above paragraph 74 (deletion of the heading 'Fair value model and cost model'), 75(a) (disclosure of accounting policy) as compared to the wording used in IAS 40, heading above paragraph 76 (deletion of the heading 'Fair value model'), heading above paragraph 79 (deletion of the heading 'Cost model') and paragraph 79 (deletion of the words 'that applies the cost model in paragraph 56').
- 6 Different terminology is used in this Standard eg, the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'.
- 7 The following paragraphs appear as 'Deleted' in IAS 40. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 40, the paragraph numbers are retained in Ind AS 40:
 - (i) Paragraph 9(b)
 - (ii) Paragraph 9(d)
 - (iii) Paragraph 22
 - (iv) Paragraphs 36-39
 - (v) Paragraphs 42-47
 - (vi) Paragraph 49
 - (vii) Paragraph 51
 - (viii) Paragraph 57(e)
 - (ix) Paragraph 75(d)

Indian Accounting Standard (Ind AS) 41**Agriculture**

(The Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment and disclosures related to agricultural activity.

Scope

- 1 **This Standard shall be applied to account for the following when they relate to agricultural activity:**
 - (a) **biological assets;**
 - (b) **agricultural produce at the point of harvest; and**
 - (c) **Government grants covered by paragraphs 34 and 35.**
- 2 This Standard does not apply to:
 - (a) land related to agricultural activity (see Ind AS 16 *Property, Plant and Equipment* and Ind AS 40 *Investment Property*);
 - (b) bearer plants related to agricultural activity (see Ind AS 16). However, this Standard applies to the produce on those bearer plants.
 - (c) Government grants related to bearer plants (see Ind AS 20 *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*).
 - (d) intangible assets related to agricultural activity (See Ind AS 38 *Intangible Assets*).
- 3 This Standard is applied to agricultural produce, which is the harvested produce of the entity's biological assets, at the point of harvest. Thereafter, Ind AS 2 *Inventories* or another applicable Standard is applied. Accordingly, this Standard does not deal with the processing of agricultural produce after harvest; for example, the processing of grapes into wine by a vintner who has grown the grapes. While such processing may be a logical and natural extension of agricultural activity, and the events taking place may bear some similarity to biological transformation, such processing is not included within the definition of agricultural activity in this Standard.
- 4 The table below provides examples of biological assets, agricultural produce, and products that are the result of processing after harvest:

Biological assets	Agricultural produce	Products that are the result of processing after harvest
Sheep	Wool	Yarn, carpet
Trees in a timber plantation	Felled Trees	Logs, lumber
Dairy Cattle	Milk	Cheese
Pigs	Carcass	Sausages, cured hams
Cotton plants	Harvested cotton	Thread, clothing
Sugarcane	Harvested cane	Sugar
Tobacco plants	Picked leaves	Cured tobacco
Tea bushes	Picked leaves	Tea
Grape vines	Picked grapes	Wine
Fruit trees	Picked fruit	Processed fruit
Oil palms	Picked fruit	Palm oil
Rubber trees	Harvested latex	Rubber products
Some plants, for example, tea bushes, grape vines, oil palms and rubber trees, usually meet the definition of a bearer plant and are within the scope of Ind AS 16. However, the produce growing on bearer plants, for example, tea leaves, grapes, oil palm fruit and latex, is within the scope of Ind AS 41.		

Definitions

Agriculture-related definitions

5 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Agricultural activity is the management by an entity of the biological transformation and harvest of biological assets for sale or for conversion into agricultural produce or into additional biological assets.

Agricultural produce is the harvested product of the entity's biological assets.

A bearer plant is a living plant that:

- (a) is used in the production or supply of agricultural produce;
- (b) is expected to bear produce for more than one period; and
- (c) has a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sales.

A biological asset is a living animal or plant.

Biological transformation comprises the processes of growth, degeneration, production, and procreation that cause qualitative or quantitative changes in a biological asset.

Costs to sell are the incremental costs directly attributable to the disposal of an asset, excluding finance costs and income taxes.

A group of biological assets is an aggregation of similar living animals or plants.

Harvest is the detachment of produce from a biological asset or the cessation of a biological asset's life processes.

5A The following are not bearer plants:

- (a) plants cultivated to be harvested as agricultural produce (for example, trees grown for use as lumber);
- (b) plants cultivated to produce agricultural produce when there is more than a remote likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as agricultural produce, other than as incidental scrap sales (for example, trees that are cultivated both for their fruit and their lumber); and
- (c) annual crops (for example, maize and wheat).

5B When bearer plants are no longer used to bear produce they might be cut down and sold as scrap, for example, for use as firewood. Such incidental scrap sales would not prevent the plant from satisfying the definition of a bearer plant.

5C Produce growing on bearer plants is a biological asset.

6 Agricultural activity covers a diverse range of activities; for example, raising livestock, forestry, annual or perennial cropping, cultivating orchards and plantations, floriculture and aquaculture (including fish farming). Certain common features exist within this diversity:

- (a) *Capability to change* Living animals and plants are capable of biological transformation;
- (b) *Management of change* Management facilitates biological transformation by enhancing, or at least stabilising, conditions necessary for the process to take place (for example, nutrient levels, moisture, temperature, fertility, and light). Such management distinguishes agricultural activity from other activities. For example, harvesting from unmanaged sources (such as ocean fishing and deforestation) is not agricultural activity; and
- (c) *Measurement of change* The change in quality (for example, genetic merit, density, ripeness, fat cover, protein content, and fibre strength) or quantity (for example, progeny, weight, cubic metres, fibre length or diameter, and number of buds) brought about by biological transformation or harvest is measured and monitored as a routine management function.

7 Biological transformation results in the following types of outcomes:

- (a) asset changes through (i) growth (an increase in quantity or improvement in quality of an animal or plant), (ii) degeneration (a decrease in the quantity or deterioration in quality of an animal or plant), or (iii) procreation (creation of additional living animals or plants); or
- (b) production of agricultural produce such as latex, tea leaf, wool, and milk.

General definitions

8 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Carrying amount is the amount at which an asset is recognised in the balance sheet.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113 *Fair Value Measurement*.)

Government grants are as defined in Ind AS 20.

9 [Refer Appendix 1]

Recognition and measurement

10 An entity shall recognise a biological asset or agricultural produce when, and only when:

- (a) the entity controls the asset as a result of past events;
- (b) it is probable that future economic benefits associated with the asset will flow to the entity; and
- (c) the fair value or cost of the asset can be measured reliably.

11 In agricultural activity, control may be evidenced by, for example, legal ownership of cattle and the branding or otherwise marking of the cattle on acquisition, birth, or weaning. The future benefits are normally assessed by measuring the significant physical attributes.

12 A biological asset shall be measured on initial recognition and at the end of each reporting period at its fair value less costs to sell, except for the case described in paragraph 30 where the fair value cannot be measured reliably.

13 Agricultural produce harvested from an entity's biological assets shall be measured at its fair value less costs to sell at the point of harvest. Such measurement is the cost at that date when applying Ind AS 2 Inventories or another applicable Standard.

14 [Refer Appendix 1]

15 The fair value measurement of a biological asset or agricultural produce may be facilitated by grouping biological assets or agricultural produce according to significant attributes; for example, by age or quality. An entity selects the attributes corresponding to the attributes used in the market as a basis for pricing.

16 Entities often enter into contracts to sell their biological assets or agricultural produce at a future date. Contract prices are not necessarily relevant in measuring fair value, because fair value reflects the current market conditions in which market participant buyers and sellers would enter into a transaction. As a result, the fair value of a biological asset or agricultural produce is not adjusted because of the existence of a contract. In some cases, a contract for the sale of a biological asset or agricultural produce may be an onerous contract, as defined in Ind AS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*. Ind AS 37 applies to onerous contracts.

17-21 [Refer Appendix 1]

22 An entity does not include any cash flows for financing the assets, taxation, or re-establishing biological assets after harvest (for example, the cost of replanting trees in a plantation forest after harvest).

23 [Refer Appendix 1]

24 Cost may sometimes approximate fair value, particularly when:

- (a) little biological transformation has taken place since initial cost incurrence (for example, for seedlings planted immediately prior to the end of a reporting period or newly acquired livestock); or
- (b) the impact of the biological transformation on price is not expected to be material (for example, for the initial growth in a 30-year pine plantation production cycle).

25 Biological assets are often physically attached to land (for example, trees in a plantation forest). There may be no separate market for biological assets that are attached to the land but an active market may exist for the combined assets, that is, the biological assets, raw land, and land improvements, as a package. An entity may use information regarding the combined assets to measure the fair value of the biological assets. For example, the fair value of raw land and land improvements may be deducted from the fair value of the combined assets to arrive at the fair value of biological assets.

Gains and losses

- 26 **A gain or loss arising on initial recognition of a biological asset at fair value less costs to sell and from a change in fair value less costs to sell of a biological asset shall be included in profit or loss for the period in which it arises.**
- 27 A loss may arise on initial recognition of a biological asset, because costs to sell are deducted in determining fair value less costs to sell of a biological asset. A gain may arise on initial recognition of a biological asset, such as when a calf is born.
- 28 **A gain or loss arising on initial recognition of agricultural produce at fair value less costs to sell shall be included in profit or loss for the period in which it arises.**
- 29 A gain or loss may arise on initial recognition of agricultural produce as a result of harvesting.

Inability to measure fair value reliably

- 30 **There is a presumption that fair value can be measured reliably for a biological asset. However, that presumption can be rebutted only on initial recognition for a biological asset for which quoted market prices are not available and for which alternative fair value measurements are determined to be clearly unreliable. In such a case, that biological asset shall be measured at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Once the fair value of such a biological asset becomes reliably measurable, an entity shall measure it at its fair value less costs to sell. Once a non-current biological asset meets the criteria to be classified as held for sale (or is included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with Ind AS 105 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, it is presumed that fair value can be measured reliably.**
- 31 The presumption in paragraph 30 can be rebutted only on initial recognition. An entity that has previously measured a biological asset at its fair value less costs to sell continues to measure the biological asset at its fair value less costs to sell until disposal.
- 32 In all cases, an entity measures agricultural produce at the point of harvest at its fair value less costs to sell. This Standard reflects the view that the fair value of agricultural produce at the point of harvest can always be measured reliably.
- 33 In determining cost, accumulated depreciation and accumulated impairment losses, an entity considers Ind AS 2, Ind AS 16 and Ind AS 36 *Impairment of Assets*.

Government grants

- 34 **An unconditional Government grant related to a biological asset measured at its fair value less costs to sell shall be recognised in profit or loss when, and only when, the Government grant becomes receivable.**
- 35 **If a Government grant related to a biological asset measured at its fair value less costs to sell is conditional, including when a Government grant requires an entity not to engage in specified agricultural activity, an entity shall recognise the Government grant in profit or loss when, and only when, the conditions attaching to the Government grant are met.**
- 36 Terms and conditions of Government grants vary. For example, a grant may require an entity to farm in a particular location for five years and require the entity to return all of the grant if it farms for a period shorter than five years. In this case, the grant is not recognised in profit or loss until the five years have passed. However, if the terms of the grant allow part of it to be retained according to the time that has elapsed, the entity recognises that part in profit or loss as time passes.
- 37 If a Government grant relates to a biological asset measured at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses (see paragraph 30), Ind AS 20 is applied.
- 38 This Standard requires a different treatment from Ind AS 20, if a Government grant relates to a biological asset measured at its fair value less costs to sell or a Government grant requires an entity not to engage in specified agricultural activity. Ind AS 20 is applied only to a Government grant related to a biological asset measured at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Disclosure

- 39 [Refer Appendix 1]

General

- 40 **An entity shall disclose the aggregate gain or loss arising during the current period on initial recognition of biological assets and agricultural produce and from the change in fair value less costs to sell of biological assets.**
- 41 **An entity shall provide a description of each group of biological assets.**
- 42 The disclosure required by paragraph 41 may take the form of a narrative or quantified description.

- 43 An entity is encouraged to provide a quantified description of each group of biological assets, distinguishing between consumable and bearer biological assets or between mature and immature biological assets, as appropriate. For example, an entity may disclose the carrying amounts of consumable biological assets and bearer biological assets by group. An entity may further divide those carrying amounts between mature and immature assets. These distinctions provide information that may be helpful in assessing the timing of future cash flows. An entity discloses the basis for making any such distinctions.
- 44 Consumable biological assets are those that are to be harvested as agricultural produce or sold as biological assets. Examples of consumable biological assets are livestock intended for the production of meat, livestock held for sale, fish in farms, crops such as maize and wheat, produce on a bearer plant and trees being grown for lumber. Bearer biological assets are those other than consumable biological assets; for example, livestock from which milk is produced and fruit trees from which fruit is harvested. Bearer biological assets are not agricultural produce but, rather, are held to bear produce.
- 45 Biological assets may be classified either as mature biological assets or immature biological assets. Mature biological assets are those that have attained harvestable specifications (for consumable biological assets) or are able to sustain regular harvests (for bearer biological assets).
- 46 **If not disclosed elsewhere in information published with the financial statements, an entity shall describe:**
- (a) **the nature of its activities involving each group of biological assets; and**
 - (b) **non-financial measures or estimates of the physical quantities of:**
 - (i) **each group of the entity's biological assets at the end of the period; and**
 - (ii) **output of agricultural produce during the period.**
- 47-48 [Refer Appendix 1]
- 49 **An entity shall disclose:**
- (a) **the existence and carrying amounts of biological assets whose title is restricted, and the carrying amounts of biological assets pledged as security for liabilities;**
 - (b) **the amount of commitments for the development or acquisition of biological assets; and**
 - (c) **financial risk management strategies related to agricultural activity.**
- 50 **An entity shall present a reconciliation of changes in the carrying amount of biological assets between the beginning and the end of the current period. The reconciliation shall include:**
- (a) **the gain or loss arising from changes in fair value less costs to sell;**
 - (b) **increases due to purchases;**
 - (c) **decreases attributable to sales and biological assets classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with Ind AS 105;**
 - (d) **decreases due to harvest;**
 - (e) **increases resulting from business combinations;**
 - (f) **net exchange differences arising on the translation of financial statements into a different presentation currency, and on the translation of a foreign operation into the presentation currency of the reporting entity; and**
 - (g) **other changes.**
- 51 The fair value less costs to sell of a biological asset can change due to both physical changes and price changes in the market. Separate disclosure of physical and price changes is useful in appraising current period performance and future prospects, particularly when there is a production cycle of more than one year. In such cases, an entity is encouraged to disclose, by group or otherwise, the amount of change in fair value less costs to sell included in profit or loss due to physical changes and due to price changes. This information is generally less useful when the production cycle is less than one year (for example, when raising chickens or growing cereal crops).
- 52 Biological transformation results in a number of types of physical change—growth, degeneration, production, and procreation, each of which is observable and measurable. Each of those physical changes has a direct relationship to future economic benefits. A change in fair value of a biological asset due to harvesting is also a physical change.
- 53 Agricultural activity is often exposed to climatic, disease and other natural risks. If an event occurs that gives rise to a material item of income or expense, the nature and amount of that item are disclosed in accordance with Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*. Examples of such an event include an outbreak of a virulent disease, a flood, a severe drought or frost, and a plague of insects.

Additional disclosures for biological assets where fair value cannot be measured reliably

54 If an entity measures biological assets at their cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses (see paragraph 30) at the end of the period, the entity shall disclose for such biological assets:

- (a) a description of the biological assets;
- (b) an explanation of why fair value cannot be measured reliably;
- (c) if possible, the range of estimates within which fair value is highly likely to lie;
- (d) the depreciation method used;
- (e) the useful lives or the depreciation rates used; and
- (f) the gross carrying amount and the accumulated depreciation (aggregated with accumulated impairment losses) at the beginning and end of the period.

55 If, during the current period, an entity measures biological assets at their cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses (see paragraph 30), an entity shall disclose any gain or loss recognised on disposal of such biological assets and the reconciliation required by paragraph 50 shall disclose amounts related to such biological assets separately. In addition, the reconciliation shall include the following amounts included in profit or loss related to those biological assets:

- (a) impairment losses;
- (b) reversals of impairment losses; and
- (c) depreciation.

56 If the fair value of biological assets previously measured at their cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses becomes reliably measurable during the current period, an entity shall disclose for those biological assets:

- (a) a description of the biological assets;
- (b) an explanation of why fair value has become reliably measurable; and
- (c) the effect of the change.

Government grants

57 An entity shall disclose the following related to agricultural activity covered by this Standard:

- (a) the nature and extent of Government grants recognised in the financial statements;
- (b) unfulfilled conditions and other contingencies attaching to Government grants; and
- (c) significant decreases expected in the level of Government grants.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of this Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 41 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 41, Agriculture.

Comparison with IAS 41, Agriculture

1. Different terminology is used in this standard, e.g., the term ‘balance sheet’ is used instead of ‘Statement of financial position’, and ‘Statement of profit and loss’ is used instead of ‘Statement of Profit and Loss and comprehensive income’.
2. Following paragraphs appear as ‘Deleted’ in IAS 41. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 41, the paragraph numbers are retained in Ind AS 41:
 - (i) Paragraph 9
 - (ii) Paragraph 14
 - (iii) Paragraphs 17-21
 - (iv) Paragraph 23
 - (v) Paragraph 39
 - (vi) Paragraphs 47-48